रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271092
CG-DL-E-20032026-271092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947
No. 192] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 198(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर नियम, 2026 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत बैंक" से कोई ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न उपाबंध-3 में दिए गए प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(घ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं ।

3. भारत में लाभांश की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था- धारा 2(42) में निर्दिष्ट व्यवस्था, जो किसी कंपनी द्वारा भारत में लाभांश (अधिमानी शेयर पर लाभांश सहित) की घोषणा और संदाय के लिए की जाएगी, वह इस प्रकार होगी:-

(क) सभी शेयरधारकों के लिए कंपनी का शेयर रजिस्टर किसी भी कर वर्ष के संबंध में भारत में उसके मुख्य व्यवसाय स्थान पर नियमित रूप से ऐसे वर्ष की पहली अप्रैल के पश्चात् की दिनांक से बनाए रखा जाएगा;

(ख) कर वर्ष के लेखा पास करने और उससे संसक्त किसी भी लाभांश की घोषणा के लिए साधारण बैठक केवल भारत में ही होगी; और

(ग) घोषित लाभांश, यदि कोई हो, सभी शेयरधारकों को केवल भारत के भीतर ही देय होगा।

4. धारा 2(92) के अधीन मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित होने के लिए शेयर बाजार द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें- धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए, शेयर बाजार को व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

(क) शेयर बाजार को व्युत्पन्न में व्यापार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में अवधारित दिशा-निर्देशों या शर्तों के अनुसार कार्य करेगा ;

(ख) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक का विवरण (विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या और स्थायी खाता संख्या सहित) सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है और उसके डेटाबेस में संग्रहीत किया गया है;

(ग) शेयर बाजार अपने प्रणाली पर सात कर वर्षों की अवधि के लिए सभी संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) का पूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा;

(घ) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) मिटाए नहीं जाएं;

(ङ) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में रजिस्टर हुए संव्यवहार (नकद और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिर्फ़ वास्तविक गलती होने पर ही बदले जाएं; और

(च) शेयर बाजार प्रणाली में रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) के बारे में डेटा बनाए रखेगा जिसे संशोधित किया गया है और प्रत्येक माह के अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) को प्ररूप सं. 1 में मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिससे ऐसा विवरण संबंधित है।

5. धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया.- (1) धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए किसी शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन सदस्य (आय-कर), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को किया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) व्युत्पन्न में व्यापार के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति;

(ख) शेयर बाजार के अद्यतन नियम, उपनियम और व्यापारिक विनियमन;

(ग) नियम 4 के खंड (ख) से खंड (च) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में पुष्टि; और

(घ) ऐसी अन्य सूचना, जिसे शेयर बाजार, केंद्रीय सरकार के समक्ष रखना चाहे।

(3) केन्द्रीय सरकार, आवेदक से ऐसी अन्य सूचना मांग सकेगी, जिसे वह आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझे।

(4) केन्द्रीय सरकार, शेयर बाजार द्वारा उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन दी गई सूचना की जांच करने के पश्चात, शेयर बाजार को अधिनियम की धारा 2(92) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के रूप में अधिसूचित करेगी या आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से छह माह की समाप्ति से पूर्व आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश जारी करेगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा संदत्त अनुमोदन वापस नहीं ले लिया जाता है या उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या उक्त अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है।

6. कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों को धारण करने की अवधि के निर्धारण की विधि.- (1) धारा 2(101)(ग)(घ) के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि जिसके लिए ऐसी पूंजी आस्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारण की जाती है, इस नियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित पूंजी आस्ति के लिए, जिस अवधि के लिए पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारण की जाती है, उसका निर्धारण उसके स्तंभ ग के अनुसार किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं.	आस्तियों की प्रकृति	धारण की अवधि
क	ख	ग
1.	शेयर या डिबेंचर, जो धारा 70(1)(य) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाते हैं ।	वह अवधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए यथास्थिति बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या जमा प्रमाणपत्र, संपरिवर्तन से पहले निर्धारिती द्वारा धारित किया गया था।
2.	वित्त अधिनियम, 2016 के अधीन बनाई गई आय घोषणा स्कीम, 2016 के अधीन घोषित पूंजी आस्ति ।	(i) अचल संपत्ति की दशा में, वह समय जिसके लिए वह संपत्ति धारित की गई है, उस दिनांक से संगणित किया जाएगा जिस दिन वह संपत्ति क्रय की गई थी, यदि क्रय करने की दिनांक राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत विलेख से साबित हो ; और (ii) किसी अन्य मामले में, जिस अवधि के लिए ऐसी संपत्ति रखी जाती है उसकी गणना 1 जून, 2016 से की जाएगी ।
3.	पूंजीगत आस्ति जो धारा 219(1) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी की शाखा के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय सहायक कंपनी की संपत्ति बन गई।	धारण करने की अवधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (i) वह समय जिसके लिए आस्ति विदेशी कंपनी की उस शाखा के पास थी ; या (ii) वह अवधि, जिसके लिए आस्ति पिछले स्वामी, यदि कोई हो, द्वारा धारण की गई थी,

		जिसने धारा 73(1) [क्र.सं. 1. ग.क] या धारा 219(1) में निर्दिष्ट अधिग्रहण की रीति द्वारा पूंजी आस्ति अर्जित की है ।

(3) धारा 67(10) के अधीन "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी विनिर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में आय-कर हेतु प्रभार्य रकम के मामले में ,-

(क) रकम या उसका कोई भाग अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से माना जाएगा, यदि, -

(i) पूंजी आस्ति जो धारा 67(10) के अधीन रकम के कराधान के समय अल्पकालिक पूंजी आस्ति है **; या**

(ii) आस्ति के ब्लॉक का भाग बनने वाली पूंजी आस्ति; या

(iii) पूंजी आस्ति जो धारा 67(11) में परिभाषित स्व-उत्पन्न संपत्ति और स्व-उत्पन्न सद्भावना है, माना जाता है **; और**

(ख) रकम या उसका कोई भाग दीर्घकालिक पूंजी आस्ति या आस्तियों के अंतरण से माना जाएगा, यदि इसे पूंजी आस्ति के रूप में माना जाता है, जो **खंड (क) के उप**खंड (झ) के अंदर नहीं आता है और धारा 67(10) के अधीन रकम के कराधान के समय दीर्घकालिक पूंजी आस्ति है।

7. शून्य कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया.- (1) किसी इकाई द्वारा, जो कि अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि या धारा 2(112) के अधीन एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित किसी शून्य कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए आवेदन ऐसे बंधपत्र के जारी होने की दिनांक से कम से कम तीन महीने पहले प्ररूप सं. 2 में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया गया आवेदन, ऐसे बंधपत्र की अधिसूचना के लिए नहीं किया जाएगा, जो उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् दो वित्तीय वर्षों की अवधि के पश्चात जारी किया जाना है, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन का निपटारा उस माह की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ हो।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना ऋण निधि या किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(45) के अधीन परिभाषित एक सरकारी कंपनी है, उक्त अधिनियम के अधीन निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति;

(ख) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी निधि द्वारा किया जाता है, वहां रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (16 of 1908) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की एक कॉपी; और

(ग) जहां आवेदन किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम है, द्वारा किया जाता है, सुसंगत अधिनियम की एक प्रति।

(5) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, शून्य कूपन बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करते समय स्वयं को यह समाधान कर लेगी कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:—

(क) बंधपत्र की जीवन अवधि दस वर्ष से कम और बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ख) शून्य कूपन बंधपत्र जारी करने का प्रस्ताव करने वाली इकाई के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12(1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो प्रत्यय रेटिंग अभिकरणों से विनिधान ग्रेड रेटिंग प्राप्त है;

(ग) उक्त इकाई द्वारा भारत में किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में शून्य कूपन बंधपत्र को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है;

(घ) इकाई आवेदन के साथ एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि शून्य कूपन बंधपत्र के जारी होने पर प्राप्त धन को उसके द्वारा निम्नलिखित रीति से विनिधान किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) जिस वित्तीय वर्ष में बंधपत्र जारी किया गया हो, उसके तुरंत पश्चात् वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसी वसूली का 25% या उससे अधिक;

(ii) जिस वित्तीय वर्ष में बंधपत्र जारी किया गया है, उसके ठीक पश्चात् के चार वित्तीय वर्ष के समय के अंदर ऐसी आय का अतिशेष; और

(ङ) जहां आवेदन किसी आधारिक ढांचा ऋण निधि द्वारा किया जाता है, ऐसी निधि आवेदन के साथ एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि सभी शून्य कूपन बंधपत्रों पर अर्जित ब्याज के लिए एक डूबती निधि बनाए रखी जाएगी और इस तरह के ब्याज को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2(च) के अधीन परिभाषित सरकारी प्रतिभूति में विनिधान किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बारे में स्वयं समाधान हो जाने के पश्चात, अधिसूचना द्वारा बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे: -

(क) बंधपत्र का नाम;

(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि;

(ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी;

(घ) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान की जाने वाली रकम;

(ङ) छूट; और

(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या।

(7) यदि आवेदक इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अधिसूचना हेतु आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है।

(8) प्रत्येक इकाई उपनियम (5)(घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो महीने के भीतर धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्ररूप संख्या 3 में प्रत्येक वर्ष विनिधान की गई रकम का उल्लेख किया जाएगा।

(9) यदि आवेदक इस नियम में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना वापस लेने का अधिकार होगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "छूट" और "बंधपत्र की जीवन अवधि" का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 32(घ)(i) और (ii) में है; और

(ii) "अवसंरचना ऋण निधि" से अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची VII [सारणी क्रम संख्या: 46] के अधीन अधिसूचित करे ।

8. किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि की गणना, जो विदेश जाने वाले पोत के चालक दल का सदस्य है।— (1) धारा 6(6) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक है और विदेश जाने वाले पोत के चालक दल का सदस्य है, पात्र यात्रा के संबंध में भारत में रहने की अवधि या अवधियों में उपनियम (2) के अधीन संगणित अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि वह अवधि होगी जो पात्र यात्रा के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा पोत में सम्मिलित होने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में अभिलिखित की गई दिनांक से प्रारंभ होगी और ऐसी यात्रा के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा पोत से विदा लेने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में अभिलिखित की गई दिनांक को समाप्त होगी।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र" का **वही** अर्थ होगा **, जो** उसे व्यापारी पोतरानी अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन बनाए गए व्यापारी पोतरानी (निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र-सह-नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 में संदत्त है;

(ख) "पात्र यात्रा" से किसी ऐसे पोत द्वारा की जाने वाली यात्रा अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्रियों या माल के वहन में लगा हुआ है, जहां -

(i) यदि यात्रा भारत के किसी पत्तन से प्रारंभ हुई है और उसका गंतव्य स्थान भारत के बाहर का कोई पत्तन है; और

(ii) यदि यात्रा भारत के बाहर किसी पत्तन से आरंभ हुई है तो उसका गंतव्य भारत में स्थित कोई पत्तन होगा।

9. अनिवासियों के मामले में आय का निर्धारण.- ऐसे किसी मामले में जिसमें निर्धारण अधिकारी की राय हो कि किसी अनिवासी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, के माध्यम से अथवा से उपार्जित या प्राप्त होने वाली आय की वास्तविक रकम-

(क) भारत में कोई संपत्ति या आय का स्रोत; या

(ख) भारत में कोई संपत्ति; या

(ग) भारत में कोई व्यावसायिक संबंध,

निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है, आय-कर के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय की रकम की गणना की जा सकती है -

(i) इस प्रकार प्रोद्भूत या उत्पन्न होने वाले आवर्त के ऐसे प्रतिशत पर जिसे मूल्यांकन अधिकारी उचित समझे; **या**

(ii) किसी भी रकम पर, जिसका अनुपात उस व्यक्ति के कारबार के कुल लाभ और अभिलाभ के बराबर हो (ऐसे लाभ और अभिलाभ की गणना अधिनियम के नियमों के अनुसार की जाएगी), और जो इस तरह मिलने वाली या होने वाली रसीदों का कारबार की कुल रसीदों के बराबर हो; या

(iii) ऐसे अन्य रीति से जिसे कर निर्धारण अधिकारी उपयुक्त समझे।

10. नियम 11 और 12 के लिए पदों की परिभाषा.- नियम 11 और 12 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "लेखाकार" —

(i) से धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: -

(अ) यदि वह व्यक्तिगत रूप से लेखा की वृत्ति अपना रहा है या निर्धारिती है तो-

(I) उसके पास कम से कम दस साल का वृत्तिक अनुभव हो; और

(II) जिस वर्ष में लागत प्रमाणीकरण किया जाता है, उससे पहले के वर्ष में वृत्ति के प्रयोग से उसकी वार्षिक प्राप्ति ₹ 50 लाख से अधिक है;

(आ) यदि वह लेखा या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगी किसी इकाई का सदस्य या भागीदार है, तो जिस वर्ष में लागत प्रमाणीकरण किया जाता है, उससे पहले के वर्ष में इकाई की वार्षिक प्राप्ति ₹ 3 करोड़ से अधिक है;

(ii) इसमें उस देश की सरकार द्वारा लागत प्रमाणन करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जहां संबद्ध उद्यम या इकाई रजिस्ट्रीकृत या निगमित है या उसकी किसी अभिकरण द्वारा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात: -

(अ) खण्ड (क)(i) के मद (अ) और (आ) में निर्दिष्ट शर्त ;

(आ) यदि वह लेखा या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने में लगी किसी इकाई का सदस्य या भागीदार है, तो इकाई या उसकी सहयोगी कंपनियों की उपस्थिति दो से अधिक देशों में है;

(ख) "तुलन-पत्र", —

(i) (अ) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है ऐसी कंपनी की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त टिप्पण सम्मिलित हैं और जो लेखा का भाग हैं) जो विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई है और जिसका कंपनियों से संसक्त विद्यमान विधियों के अधीन ऑडिट किया गया है; और

(आ) किसी और मामले में, इसका अर्थ है कंपनी या इकाई की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त नोट्स और लेखा का भाग सम्मिलित है) जो विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई हो और उस देश के लागू विधियों के अधीन भारत के बाहर संबंधित प्राधिकारी को जमा की गई हो जिसमें विदेशी कंपनी या इकाई रजिस्ट्रीकृत या निगमित है ; और

(ii) जहाँ,—

(अ) उपखंड (i) के मद (अ) और मद (आ) के प्रयोजनों के लिए, यदि विनिर्दिष्ट दिनांक तक लेखा का फाइनल होना शेष है , तो इसका अर्थ है कि विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार की गई अंतरिम तुलन-पत्र, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल या किसी दूसरी इकाई के मामले में समतुल्य निकाय ने मंज़ूरी दी हो ; और

(आ) विनिर्दिष्ट दिनांक धारा 9(10)(घ)(ii) में निर्दिष्ट दिनांक है, इसका अर्थ विनिर्दिष्ट दिनांक को तैयार किया गया और एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित तुलन-पत्र से है;

(ग) "देयताओं का बही मूल्य" से यथास्थिति, कंपनी या इकाई के तुलन-पत्र में दर्शाए गए देयताओं के मूल्य अभिप्रेत है, जिसमें इक्विटी शेयरों या सदस्यों के हित के संबंध में संदत्त पूंजी और संदत्त पूंजी से संबंधित सामान्य रिजर्व और अधिशेष और सुरक्षा प्रीमियम सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 184(5) में निर्दिष्ट है;

(ङ) "विदेशी कंपनी या इकाई" से भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी या इकाई अभिप्रेत है ;

(च) शेयर बाजार पर उद्धृत शेयर के संबंध में "अवलोकनीय मूल्य" निम्नलिखित में से उच्चतर होगा: -

(i) विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले छह महीने के समय के दौरान, विनिर्दिष्ट शेयर बाजार पर उपदर्शित किए गए शेयरों के सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम क्लोजिंग कीमत का औसत; या

(ii) निर्दिष्ट दिनांक से पहले के दो सप्ताह के दौरान उक्त शेयर बाजार पर उद्धृत शेयरों के क्लोजिंग मूल्य के साप्ताहिक उच्चतम और निम्नतम का औसत;

(छ) "प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति या प्रबंधन या नीति निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित होगा, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एक साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य रीति से प्रयोग में लाया जा सकता है;

(ज) "निर्दिष्ट दिनांक" का वही अर्थ होगा, जो धारा 9(10)(घ) में निर्दिष्ट है;

(झ) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में निर्दिष्ट है; और

(ञ) "वाणिज्यिक बैंककारी" तथा "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" **पदों के** वही अर्थ होंगे जो नियम 56 में क्रमशः उनके हैं ।

11. कुछ मामलों में आस्तियों का उचित बाजार मूल्य.— (1) धारा 9(10) के प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी कंपनी या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित, निर्दिष्ट दिनांक को मूर्त अथवा अमूर्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक के संदर्भ में इस नियम के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(2) जहां संपत्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है जो निर्दिष्ट दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, शेयर का उचित बाजार मूल्य शेयर बाजार पर ऐसे शेयर का अवलोकनीय मूल्य होगा, फिर भी -

(क) यदि शेयर उस शेयरधारिता के भाग के रूप में रखा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त कंपनी में प्रबंधन या नियंत्रण का कोई अधिकार प्रदान करता है, तो शेयर का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके अवधारित किया जाएगा, अर्थात्: -

उचित बाज़ार मूल्य = (क+ख)/ग

जहाँ, -

क = मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर उद्धृत शेयरों के अवलोकनीय मूल्य के आधार पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण;

ख = कंपनी की दायित्व का बही मूल्य; और

ग = कुल अतिशेष शेयरों की संख्या; और

(ख) यदि विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर एक से अधिक जाने-माने शेयर बाजार में सूचीबंद्ध है, तो शेयर की अवलोकनीय कीमत उस जाने-माने शेयर बाजार के अनुसार संगणित की जाएगी, जिसने कर वर्ष के दौरान शेयर में उच्चतम व्यापार मूल्य अभिलिखित किया हो।

(3) जहां संपत्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है, जो निर्दिष्ट दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, शेयर का उचित बाजार मूल्य होगा -

(क) शेयरों के मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन पद्धति के अनुसार वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट द्वारा अवधारित की गई उचित बाजार मूल्य; और

(ख) दायित्व में वृद्धि, यदि कोई हो, खंड (क) के अनुसार ऐसे निर्धारण में विचार किया गया हो।

(4) जहां संपत्ति किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ में भागीदारी है, वहां उसका उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा: -

(क) ऐसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का मूल्य किसी वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जो ऐसे निर्धारण में विचार किए गए दायित्व, यदि कोई हो, द्वारा बढ़ा दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (क) में इस प्रकार संगणित मूल्य, जो उसकी पूँजी की रकम के बराबर है , उसके भागीदारों या सदस्यों के मध्य उसी अनुपात में आबंटित किया जाएगा जिस अनुपात में उनके द्वारा पूँजी का अभिदाय किया गया है;

(ग) मूल्य के अवशेष को भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ के समझौते के अनुसार साझेदारों या सदस्यों के मध्य फर्म या संघ के विघटन की स्थिति में आस्तियों के वितरण के लिए आबंटित किया जाएगा;

(घ) खंड (ग) में विनिर्दिष्ट करार के बिना, शेष मूल्य को उस अनुपात में बांटा जाएगा जिसमें भागीदार या सदस्य लाभ साझा करने के हकदार हैं; **और**

(ङ) खंड (क) से (घ) के अनुसार भागीदार या सदस्य को आबंटित रकम की कुल रकम को यथास्थिति, उस भागीदार या सदस्य के फर्म या व्यक्तियों के संघ में हित के उचित बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा ।

(5) उपनियम (2), उपनियम (3) तथा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न अन्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो उसे खुले बाजार में विक्रय करने पर मिलेगा, जैसा कि वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा उसमें ऐसे निर्धारण में विचार किए गए दायित्व, यदि कोई हो, को जोड़ा जाएगा।

(6) किसी विदेशी कंपनी या इकाई की समस्त आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट दिनांक को, यदि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं , तो स्तंभ ग के अनुसार अवधारित किया जाएगा : -

सारणी

क्रम संख्या	**स्थितियाँ**	**उचित बाजार मूल्य**

क	ख	ग
1.	जहां विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित का अंतरण ऐसे व्यक्तियों के मध्य होता है जो संसक्त हुए व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे अंतरण के मकसद के लिए।	सभी संपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो शेयर या हित के अंतरण के लिए पूर्ण मूल्य के आधार पर संगणित किया जाता है; **और** ख = कंपनी या इकाई की दायित्व का बही मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक को, जैसा कि किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट ने सत्यापित किया हो।
2.	जहां विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर बाजार में सूचीबंद्ध हो।	सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो उस शेयर बाजार पर शेयर की अवलोकनीय कीमत के आधार पर संगणित किया जाता है जहाँ विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर सूचीबंद्ध है **; और** ख = विनिर्दिष्ट दिनांक पर कंपनी या इकाई की दायित्व का बही मूल्य।
3.	जहां शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को एक से अधिक शेयर बाजार में सूचीबंद्ध हो।	सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = ए+बी जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो शेयर बाजार पर शेयर की अवलोकनीय कीमत के आधार पर संगणित किया जाता है, जिसमें कीमत अवधारित करने के लिए विचारणीय समय के दौरान शेयर में उच्चतम व्यापार मूल्य अभिलिखित होता है **; और** ख = कंपनी या इकाई के दायित्व का बही मूल्य।
4.	जहां विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर बाजार में सूचीबंद्ध नहीं है।	सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट दिनांक पर, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किसी वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा अवधारित किया जाता है; **और** ख = कंपनी या इकाई का दायित्व मूल्य, यदि कोई हो, जिसे क में उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए माना जाता है।

(7) 10(ख)(ii) में निर्दिष्ट किसी अंतरिम तुलन-पत्र के आधार पर अवधारित किया गया है , तो उचित बाजार मूल्य को लागू विधियों के अनुसार सुसंगत वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् उचित

रूप से संशोधित किया जाएगा और इस नियम और नियम 12 और नियम 235 के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(8) भारत में स्थित किसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए, जो किसी भारतीय कंपनी का शेयर हो या किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ में भागीदारी हो, उक्त कंपनी या भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ की सभी आस्तियों और व्यवसायिक परिचालनों को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे ऐसी संपत्तियां या व्यवसायिक परिचालन भारत में स्थित हों या बाहर।

(9) भारत में स्थित आस्तियों के मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना के लिए विनिमय दर, जो रूपये में अभिव्यक्त की जाएगी, विनिर्दिष्ट दिनांक को ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

12. भारत में आस्तियों से होने वाली आय का निर्धारण.— (1) धारा 9(10)(क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या इकाई के शेयर या हित के भारत के बाहर अंतरण से होने वाली आय, जो भारत में स्थित आस्तियों से होने वाली है, निर्दिष्ट दिनांक के संदर्भ में निम्नलिखित सूत्र द्वारा अवधारित की जाएगी :—

$$\text{ए} \qquad \text{ए} \times \frac{\text{ख}}{\text{ग}}$$

जहाँ ; -

क = कंपनी या इकाई के शेयर या हित के अंतरण से आय, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गणना की गई, जैसे कि, ऐसा शेयर या हित भारत में स्थित है;

ख = भारत में विद्यमान आस्तियों की उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक को, जिससे क में विनिर्दिष्ट शेयर या हित का मूल्य वास्तव में मिलती है, नियम 11 के अनुसार संगणित की गई; **और**

ग = कंपनी या इकाई के सभी आस्तियों की अवधारित दिनांक को उचित बाजार मूल्य, नियम 11 के अनुसार संगणित की गई।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट कंपनी या इकाई के शेयर या हित का अंतरणकर्ता उक्त उपनियम में सूत्र के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे शेयर या हित के अंतरण से आय ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी, जिसे मूल्यांकन अधिकारी उपयुक्त समझे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या इकाई में शेयर या भागीदारी का अंतरणकर्ता, आय-कर रिटर्न के साथ प्ररूप सं. 4 में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा, जो एक लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, जिसमें सूत्र के अनुसार आबंटन का आधार दिया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि भारत में स्थित आस्तियों से होने वाली आय की सही गणना की गई है।

13. महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए सीमा.- (1) धारा 9(9)(घ)(i) के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष के दौरान भारत में डेटा या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड के उपबंध सहित किसी भी माल, सेवा या संपत्ति के संबंध में भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अनिवासी द्वारा किए गए संव्यवहार से भुगतान की कुल रकम दो करोड़ रुपये होगी।

(2) (9)(घ)(ii) के प्रयोजनों के लिए, उन उपयोगकर्ताओं की संख्या, जिनके साथ व्यवस्थित और निरंतर कारोबारी गतिविधियां आमंत्रित की जाती हैं या जो अंतःक्रिया में लगे हुए हैं, ₹ 300000 होगी ।

14. कुल आय में सम्मिलित **न होने वाली आय के संबंध में व्यय की रकम अवधारित करने की विधि.-** (1) आय के संबंध में व्यय, जो कुल आय का भाग नहीं है, निम्नलिखित रकमों का कुल योग होगा: -

(क) आय से सीधे संसक्त व्यय की रकम जो टोटल आय का भाग नहीं है; और

(ख) विनिधान के मूल्य के आरंभिक और समापन शेष के मासिक औसत के वार्षिक औसत के **1%** के बराबर रकम, जिससे प्राप्त आय कुल आय का भाग नहीं बनती है या नहीं बनेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं **होगी** ।

15. परिलब्धियों का मूल्यांकन.- (1) "वेतन" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता द्वारा निर्धारिती (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी कहा गया है) या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को उसके रोजगार के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का मूल्य **इस** नियम **के** उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) (क) कर वर्ष के दौरान, धारा 17(1)(क) और (ख) के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय आवास का मूल्य, यथास्थिति, उसके स्तंभ ग या स्तंभ घ के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

सारणी 1

क्रम संख्या	परिस्थितियाँ	जहां आवास बिना साज-सज्जा के हो	जहाँ आवास सुसज्जित है
क	ख	ग	घ
(1)	जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा केंद्र या राज्य के मामलों से संसक्त ऑफिस या पोस्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रहने की जगह दी जाती है।	अनुज्ञप्ति फीस, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाती है, जो उस सरकार के बनाए नियमों के अनुसार रहने की जगह के लिए होती है, और जिसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए से घटा दिया जाता है।	परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ङ) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
(2)	जहां आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और—		

	(क)	जहां रहने की जगह नियोक्ता की हो ; या	(i)	2011 की जनगणना के अनुसार चालीस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10%, कर वर्ष के दौरान उक्त आवास पर कर्मचारी के रहने की अवधि के संबंध में, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया, यदि कोई हो, घटाया गया हो;	परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ङ) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
			(ii)	2011 की जनगणना के अनुसार, जिन शहरों की आबादी पंद्रह लाख से अधिक लेकिन चालीस लाख से अधिक नहीं है, वहां वेतन का 7.5%, उस समय के लिए जब कर्मचारी कर वर्ष के दौरान उस जगह पर रहा था, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए, यदि कोई हो, को घटा दिया जाएगा; और	
			(iii)	दूसरे क्षेत्र में वेतन का 5%, उस समय के लिए जब कर्मचारी कर वर्ष के दौरान उस जगह पर रहा था, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए किराए (यदि कोई हो) को घटाया जाएगा।	
	(ख)	जहां नियोक्ता ने रहने की जगह पट्टा या किराए पर ली हो।	नियोक्ता द्वारा संदत्त या संदेय पट्टा किराए की वास्तविक रकम या वेतन का 10%, उस समय के लिए जब कर वर्ष के दौरान कर्मचारी ने		परिलब्धि का मूल्य उपनियम (2)(ङ) के उपबंधों के

			उस जगह पर कब्ज़ा किया था, जो भी कम हो, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में संदत्त किराया, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा।	अनुसार अवधारित किया जाएगा।
(3)	जहां आवास, क्रम सं. (1) या (2) में निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा किसी होटल में उपलब्ध कराया जाता है (सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जहां कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके अंतरण पर कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाता है)।		लागू नहीं.	ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तव प्रभार या जिस समय के लिए ऐसी रहने की जगह दी गई है, उस कर वर्ष के लिए दी गई या संदेय वेतन का 24%, जो भी कम हो, उसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिए गए या संदेय किराए से घटाया जाएगा, यदि कोई हो।

(ख) इस उपनियम के उपबंध किसी खनन स्थल या तटीय तेल अन्वेषण स्थल या परियोजना निष्पादन स्थल, या बांध स्थल या विद्युत उत्पादन स्थल या अपतटीय स्थल पर कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से प्रदान किए गए किसी आवास पर लागू नहीं होंगे **; जो** -

(i) जिसका प्लिंथ क्षेत्र 1000 स्क्वायर फीट से अधिक न हो, और जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से कम से कम आठ किलोमीटर दूर हो; या

(ii) दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है ।

(ग) जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरण के कारण कर्मचारी को अन्य स्थान पर आवास बनाए रखते हुए नई तैनाती स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है, तो परिलब्धि का मूल्य केवल ऐसे एक आवास के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा, जिसका मूल्य सारणी 1 के संदर्भ में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए कम हो और उसके पश्चात् परिलब्धि का मूल्य **उक्त** सारणी 1 में दिए गए अनुसार ऐसे दोनों आवासों के लिए लिया जाएगा।

(घ) जहां रहने की जगह नियोक्ता की है या उसने पट्टा या किराए पर ली है और वही रहने की जगह एक ही कर्मचारी को एक से अधिक कर वर्ष तक दी जाती है, तो सारणी 1: क्रम. सं. 2(क) या (ख) के अनुसार संगणित की गई रकम, पहले कर वर्ष के लिए संगणित की गई रकम से अधिक नहीं होगी, जिसे उस रकम से गुणा किया जाएगा जो उस कर वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का अनुपात है जिसके लिए रकम संगणित की गई है और उस कर वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का जिसमें कर्मचारी को प्रारंभ में रहने की जगह दी गई थी।

(ङ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां आवास सुसज्जित है;-

(i) **सारणी 1 : क्रम सं. 1 और 2. ग** के अधीन अवधारित की गई परिलब्धि का मूल्य, फ़र्नीचर (जिसमें टेलीविज़न सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, दूसरे घरेलू उपकरण, एयर-कंडीशनिंग प्लांट या उपस्कर सम्मिलित हैं) की कीमत में हर साल 10% की वद्धि की जाएगी, जिसे कर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा दिए गए या संदेय किसी भी प्रभार से घटाया जाएगा; **और**

(ii) यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो परिलब्धि का मूल्य उसी के लिए देय वास्तविक प्रभार होगा, जो कर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी प्रभार को घटाकर प्राप्त किया जाएगा।

(च) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां आवास की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को की जाती है , जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है,—

(i) ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता वह निकाय या उपक्रम माना जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है; और

(ii) ऐसे आवास की परिलब्धि का मूल्य **सारणी 1: क्रम संख्या 2(क)** के अनुसार गणना की गई रकम होगी, मानो आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है।

खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए ;

(i) "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 72(8)(क) के अधीन अधिसूचित करे;

(ii) "पहला कर वर्ष" से कर वर्ष 2023-24, या ऐसा कर वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कर्मचारी को आवास प्रदान किया गया था, जो भी पश्चातवर्ती हो।

(3)(क) नीचे सारणी 2 के स्तंभ बी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को मोटर कार के उपयोग के रूप में परिलब्धि का मूल्य, यथास्थिति, उसके स्तंभ सी या स्तंभ डी के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

सारणी 2

प्रति कैलेंडर माह परिलब्धि का मूल्य

क्रम संख्या	परिस्थितियाँ	जहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक न हो या मोटर कार जो इलैक्ट्रिक यान है	जहां इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो
क	ख	ग	घ
(1)	जहां मोटर कार नियोक्ता के स्वामित्व में हो या उसने उसे किराए पर लिया हो और—		

	(क)		पूर्णतया और अनन्य रूप से अपने शासकीय कर्तव्यों के पालन में उपयोग किया जाता है;	**यदि** उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।	**यदि** उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ।
	(ख)		केवल कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और परिचालन और रखरखाव व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है;	वास्तविक रकम, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, मोटर कार के सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली रकम से बढ़ा हुआ और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली जाने वाली किसी रकम से घटा हुआ सम्मिलित है।	वास्तविक रकम, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, मोटर कार के सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली रकम से बढ़ा हुआ और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली जाने वाली रकम से घटा हुआ सम्मिलित है ।
	(ग)	आंशिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में और आंशिक रूप से अपने या अपने घर के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और—			
		(i)	रखरखाव और चलाने पर होने वाले व्यय को नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति की जाती है;	₹ 5,000 (और ₹ 3,000, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए चालक भी देता है)	₹ 7,000 (साथ ही ₹ 3,000, यदि नियोक्ता द्वारा मोटर कार चलाने के लिए चालक भी प्रदान किया जाता है);
		(ii)	निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय का पूर्णतः भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाता है;	₹ 2,000 (और 3,000 रुपये, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए चालक भी देता है)।	Rs. 3,000 (और ₹ 3,000, यदि नियोक्ता मोटर कार चलाने के लिए शॉफ़र भी देता है)।

(2)	जहां कर्मचारी के पास मोटर कार है, लेकिन वास्तविक संचालन और रखरखाव प्रभार (यदि कोई हो तो चालक के पारिश्रमिक सहित) नियोक्ता द्वारा दिया जाता है या उसे प्रतिपूर्ति की जाती है और—			
	(क)	ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतया और विशेष रूप से शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है;	यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ।	यदि उपनियम (3)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा ;
	(ख)	ऐसा प्रतिपूर्ति यान के प्रयोग के लिए है, जो कुछ सीमा तक शासकीय कार्यों के लिए और कुछ सीमा तक कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य के व्यक्तिगत या प्राइवेट कार्यों के लिए है।	नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर क्रम संख्या (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम से घटाया जाएगा, यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं।	नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर क्रम संख्या (1)(ग)(i) में विनिर्दिष्ट रकम से घटाया जाएगा, यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं।
(3)	जहां कर्मचारी के पास कोई दूसरी यान है, लेकिन वास्तव में चलाने और मेंटेनेंस का व्यय नियोक्ता देता है या उसे वापस करता है, और			
	(क)	ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतया और विशेष रूप से शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है;	यदि उपनियम (2)(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा।	लागू नहीं;
	(ख)	ऐसी प्रतिपूर्ति यान के प्रयोग के लिए है, जो कुछ सीमा तक शासकीय कार्यों के लिए और कुछ सीमा तक कर्मचारी के व्यक्तिगत या प्राइवेट कार्यों के लिए है।	यदि उपनियम (3)(ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में से 3,000 रुपए की रकम घटा दी जाएगी।	

(ख) जहां कोई स्वामी एक या अधिक मोटर कार का स्वामी है या किराए पर लेता है और कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को उनका प्रयोग सिर्फ़ उसके कार्य से भिन्न **किसी** और कार्य के लिए करने देता है, तो परिलब्धि का मूल्य नीचे दिए गए रीति से संगणित की जाएगी:

(i) एक कार के **लिए** , सारणी 2 के अनुसार: क्रम संख्या (1)(ग)(i)

(ii) अन्य कारों के **लिए** , सारणी 2 क्रम संख्या (1)(ख) के अनुसार

(ग) यदि नियोक्ता या कर्मचारी यह दावा करता है कि मोटर यान का प्रयोग सिर्फ़ शासकीय कार्यों के लिए किया जाता है या कर्मचारी की यान को शासकीय कार्यों के लिए चलाने और अनुरक्षित करने का वास्तव व्यय सारणी 2: क्रम संख्या 2(ख) या 3(ख) में विनिर्दिष्ट कटौती की रकम से अधिक है, तो वह शासकीय प्रयोग के लिए अधिक रकम का दावा कर सकता है और इस मामले में, फ़ायदे की कीमत नियोक्ता द्वारा दिए गए या वापस किए गए वास्तव व्यय की रकम **होगी** , जिसमें से यान के शासकीय प्रयोग के लिए दी गई अधिक रकम को घटाया जाएगा, परंतु ये शर्तें पूरी हों: —

(i) नियोक्ता ने शासकीय उद्देश्य के लिए की गई यात्रा का पूरा विवरण बनाए रखा है जिसमें यात्रा की दिनांक, गंतव्य, माइलेज और उस पर किए गए व्यय की रकम सम्मिलित हो सकती है; **और**

(ii) नियोक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूरी तरह और विशेष रूप से शासकीय कर्तव्यों के पालन के लिए किया गया था।

(घ) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, मोटर कार की सामान्य टूट-फूट, मोटर कार या कारों की वास्तविक लागत का 10 **% प्रति वर्ष लिया जाएगा।**

(4) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगिताओं के लिए प्रदान किए गए लाभ का मूल्य, जैसा कि नीचे सारणी 3 के स्तंभ ख में संदर्भित है, उसके स्तंभ सी के अनुसार गणना की जाएगी:

सारणी 3

क्रम संख्या	वस्तुओं, सेवाओं या उपयोगिताओं की प्रकृति	दिए गए सामान, सेवा या यूटिलिटी के फ़ायदे का मूल्य
क	ख	ग
1.	स्वीपर, माली, वॉचमैन या व्यक्तिगत परिचारक की सेवा।	नियोक्ता या उसकी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए दी गई या संदेय वेतन की कुल रकम, जिसमें से कर्मचारी द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए दी गई कोई भी रकम कम हो।
2	**(क)** कर्मचारी के घर के प्रयोग के लिए किसी बाहरी	नियोक्ता द्वारा गैस, विद्युत या पानी सप्लाई करने वाली अभिकरण को दी गई रकम, जिसमें से ऐसी सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा दी गई कोई भी रकम कम हो।

	अभिकरण से गैस, विद्युत या पानी क्रयना।	
	(ख) कर्मचारी के घर के प्रयोग के लिए गैस, विद्युत या पानी की सप्लाई, जो नियोक्ता के अपने संसाधनों से हो, और उन्हें किसी बाहरी अभिकरण से न क्रय किया जाए।	नियोक्ता द्वारा हर यूनिट पर किया गया विनिर्माण लागत की रकम, जिसमें से ऐसी सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा संदाय की गई कोई भी रकम कम किया गया हो।
3	**(क)** कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ़्त या रियायती शिक्षा सुविधाओं का उपबंध।	इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की रकम, जिसमें से उस लेखा में कर्मचारी से संदाय की गई या वसूली गई कोई भी रकम कम कर दी गई है।
	(ख) कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ़्त या रियायती शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था, जहाँ शैक्षिक संस्था नियोक्ता की हो और उसका स्वामित्व नियोक्ता का हो।	इलाके में या उसके आस-पास किसी ऐसे ही संस्था में ऐसी पढ़ाई का व्यय, जिसमें कर्मचारी से उस कारण से दी गई या वसूली गई कोई भी रकम कम हो, यदि ऐसी पढ़ाई का व्यय या हर बालक को ऐसे फ़ायदे की कीमत हर महीने ₹ 3,000 से अधिक हो।
	(ग) कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को उसकी नौकरी की कारण से किसी दूसरे शैक्षिक संस्था में फ्री शैक्षिक सुविधा का उपबंध।	इलाके में या उसके आस-पास किसी ऐसे ही संस्था में ऐसी पढ़ाई का व्यय, जिसमें कर्मचारी से उस कारण से दी गई या वसूली गई कोई भी रकम कम हो, यदि ऐसी पढ़ाई का व्यय या हर बालक को ऐसे फ़ायदे की कीमत हर महीने ₹ 3,000 से अधिक हो।

4.	किसी नियोक्ता द्वारा, जो यात्री या सामान ले जाने का कार्य करता है, किसी भी कर्मचारी (जो एयरलाइन या रेलवे का कर्मचारी नहीं है) को दिया जाने वाला उपबंध। या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को, यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजन के लिए ऐसे नियोक्ता के स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी वाहन में निःशुल्क या रियायती किराए पर निजी या निजी यात्रा के लिए ।	वह मूल्य जिस पर ऐसा फ़ायदा या सुविधा ऐसे नियोक्ता द्वारा जनता को दी जाती है, उसमें से वह रकम घटा दी जाएगी जो कर्मचारी ने ऐसे फ़ायदे या सुविधा के लिए दी है या उससे ली गई है।

(5)(क) धारा 17(1)(ङ) में निहित उपबंधों के अनुसार, नीचे सारणी 4 के स्तंभ ख में निर्दिष्ट प्रकृति के अन्य लाभों या सुख-सुविधाओं का मूल्य स्तंभ सी के अनुसार और उसके स्तंभ डी में प्रदान की गई शर्तों के अधीन अवधारित किया जाएगा :

सारणी 4

क्रम संख्या	अन्य लाभों या सुविधाओं की प्रकृति	परिलब्धि का मूल्य	स्थितियाँ
क	ख	ग	घ
1.	नियोक्ता या उसकी तरफ से किसी	यह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट	(क) यदि ऐसे ऋण नियम 18 में निर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध

	भी व्यक्ति द्वारा संबंधित कर वर्ष के दौरान कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को किसी भी कार्य के लिए दिए गए हित-फ्री या कंसेशनल लोन का फायदा उठाएं।	बैंक द्वारा उसी उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा ऋण के संबंध में सुसंगत कर वर्ष के पहले दिन लगाए गए वार्षिक दर पर गणना किए गए ब्याज के बराबर रकम होगी, जिसमें से उसके या उसके कुटुंब के ऐसे किसी सदस्य द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, को घटाकर अधिकतम बकाया मासिक शेष रकम का उपयोग किया जाएगा।	कराए जाते हैं या जहां ऋण की रकम इससे अधिक नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा कुल मिलाकर **₹2,00,000 ; और** (ख) जहां लाभ **खंड** (क) में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋणों से संबंधित है, वहां इस प्रकार प्रदान की गई छूट ऋण के उतने भाग पर लागू नहीं होगी, जितना किसी चिकित्सा बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारी को प्रतिपूर्ति किया गया है।
2.	कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा ली गई किसी छुट्टी के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए ट्रैवलिंग, टूरिंग, रहने की जगह और किसी भी दूसरे व्यय की कीमत, नियम 277 में विनिर्दिष्ट छूट या मदद से भिन्न।	यह रकम उस नियोक्ता द्वारा उस कार्य के लिए किए गए व्यय के बराबर होगी।	(क) जहां ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित की जाती है, और सभी कर्मचारी को एक जैसा अवेलेबल नहीं है, तो अभिलाभ का मूल्य वह मूल्य मानी जाएगी जिस पर ऐसी सुविधाएं दूसरी एजेंसियां पब्लिक को ऑफर करती हैं **; या** (ख) **यदि** कर्मचारी शासकीय टूर पर है और उसके साथ आए उसके घर के किसी सदस्य के लिए व्यय होता है, तो इस तरह किया गया व्यय एक सुविधा होगी; या (ग) **जहां** किसी शासकीय दौरे को छुट्टी के रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे फ्रिंज अभिलाभ का मूल्य ऐसे विस्तारित प्रवास या छुट्टी अवधि के संबंध में किए गए व्यय तक सीमित होगा, जिसे ऐसे लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम से घटाया जाएगा।
3.	नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए	यह ऐसे नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की रकम होगी, जिसमें से ऐसे लाभ या सुविधा	यह उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा

	फ़्री खाने और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय का मूल्य।	के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, घटाई जाएगी।	(क) ऐसे नियोक्ता द्वारा ऑफिस या कारबार की जगह पर कार्य के घंटों के दौरान या सिर्फ़ खाने-पीने की जगहों पर प्रयोग होने वाले पेड वाउचर के ज़रिए संदत्त मुफ़्त खाना और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय, दोनों ही मामलों में इसकी कीमत हर खाने पर ₹200 से अधिक नहीं होनी चाहिए; या (ख) कार्य के घंटों के दौरान दी जाने वाली चाय या नाश्ता; या (ग) दूर के इलाके या अपतटीय संस्थापन में कार्य के घंटों के दौरान मुफ़्त खाना और नॉन-एल्कोहॉलिक पेय देना।
4.	कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को नियोक्ता से किसी खास मौके पर या किसी और तरह से मिले किसी भी गिफ्ट, वाउचर, या टोकन (गिफ्ट के बदले में) की कीमत।	यह रकम उस गिफ़्ट की रकम के बराबर होगी।	यदि ऐसे गिफ़्ट, वाउचर या टोकन का मूल्य, जैसा भी हो, कर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹15,000 से कम है, तो यह 'शून्य' होगा।
5.	कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य का सदस्यता फीस और सालाना फीस सहित व्यय, जो नियोक्ता के	यह कर लगने वाले परिलब्धि का मूल्य मानी जाएगी, जिसमें से उस रकम को घटाया जाएगा, यदि कोई रकम कर्मचारी से ऐसे फ़ायदे या सुविधा के लिए दी गई हो या वसूली गई हो।	ऐसे लाभ का कोई मूल्य नहीं होगा, जहां व्यय पूर्णतया और अनन्य रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उपनियम (5)(ख) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं।

	दिए गए प्रत्यय कार्ड (किसी भी ऐड-ऑन-कार्ड सहित) से लिया जाता है, या किसी और तरह से, नियोक्ता द्वारा संदाय किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है।		
6.	नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा क्लब में किए गए किसी भी व्यय (जिसमें सालाना या समय-समय पर होने वाली फीस की रकम सम्मिलित है) के संदाय या प्रतिपूर्ति से मिलने वाले फ़ायदे का मूल्य।	यह अवधारित किया जाएगा कि यह उस नियोक्ता द्वारा उस लेखा पर किया गया या प्रतिपूर्ति किया गया वास्तव व्यय है और इस तरह अवधारित की गई रकम में से, यदि कोई रकम कर्मचारी को ऐसे फायदे या सुविधा के लिए दी गई है या उससे वसूली गई है, तो उसे कम कर दिया जाएगा।	(क) जहां नियोक्ता ने क्लब की कॉर्पोरेट सदस्यता ले ली है और यह सुविधा कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को मिलती है, तो परिलब्धि का मूल्य में ऐसी कॉर्पोरेट सदस्यता लेने के लिए दी गई शुरुआती फीस सम्मिलित नहीं होगी ; और (ख) क्रम संख्या 6 के स्तंभ ग में संदत्त उपबंध लागू नहीं होगा, यदि ऐसा व्यय पूरी तरह और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:- (i) उपनियम (5)(ख) की शर्तें पूरी होती हैं; और (ii) स्वास्थ्य क्लब, खेलकूद तथा इसी प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग **नियोक्ता** द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है ।
7.	अन्य से भिन्न) के	इसे ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत या नियोक्ता	

	उपयोग से कर्मचारी को होने वाले लाभ का मूल्य , कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन) जो नियोक्ता के हैं या उसके द्वारा किराए पर लिए गए हैं।	द्वारा भुगतान किए गए या देय किराए या शुल्क की रकम के 10 % प्रति वर्ष पर अवधारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जो कि ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, से कम किया जाएगा।	
8.	नियोक्ता की किसी भी चल संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को अंतरण करने से कर्मचारी को होने वाले फायदे का मूल्य।	यह अवधारित किया जाएगा कि यह ऐसी आस्तियों की नियोक्ता के लिए वास्तविक कीमत दिखाने वाली रकम होगी, जिसमें से नॉर्मल टूट-फूट की कीमत कम होगी और यदि कोई रकम है, जो कर्मचारी से ऐसे अंतरण के लिए दी गई या वसूली गई है, तो उससे भी कम होगी।	सामान्य टूट-फूट की लागत की गणना इस दर से की जाएगी (क) कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के मामले में 50 **प्रतिशत , घटते संतुलन पद्धति द्वारा;** (ख) मोटर कारों के मामले में 20 **% , रिड्यूसिंग अतिशेष पद्धति से; और** (ग) अन्य आस्तियों के मामले में 10 **%** हर पूरे साल के लिए आस्ति की कीमत का, जिसके दौरान नियोक्ता ने उस आस्ति का प्रयोग किया था।
9.	नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी दूसरे फ़ायदे या सुविधा, सेवा, अधिकार या खास अधिकार की कीमत, मोबाइल फ़ोन समेत टेलीफ़ोन	इसे नियोक्ता को होने वाले व्यय के आधार पर अवधारित किया जाएगा, जिसमें से कर्मचारी का अभिदाय, यदि कोई हो, कम कर दिया जाएगा।	

	पर हुए व्यय को छोड़कर।		

सारणी 4: क्रम संख्या 5 तथा 6 ग के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

(i) ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण ब्यौरा नियोक्ता द्वारा रखा जाता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* व्यय की दिनांक और व्यय की प्रकृति सम्मिलित हो सकती है;

(ii) नियोक्ता ऐसे व्यय के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः और अनन्य रूप से शासकीय कर्तव्यों के पालन के लिए व्यय किया गया था।

(6) धारा 17(1)(घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर का, जो किसी कंपनी में इक्विटी शेयर है, उचित बाजार मूल्य, उस दिनांक को जिस दिनांक को कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:-

(क) ऐसे मामले में जहां विकल्प के प्रयोग की दिनांक पर कंपनी का शेयर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है , उचित बाजार मूल्य, खंड (बी) के उपबंधों के अधीन, उक्त शेयर बाजार पर उस दिनांक को शेयर के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य का औसत होगा;

(ख) ऐसे मामले में, जहां विकल्प का प्रयोग करने की दिनांक पर शेयर एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, उचित बाजार मूल्य शेयर के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य का औसत होगा जो मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयर में कारोबार की उच्चतम मात्रा अभिलिखित करता है;

(ग) ऐसे मामले में, जहां विकल्प के प्रयोग की दिनांक पर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में शेयर का कोई कारोबार नहीं हो रहा है, उचित बाजार मूल्य होगा—

(i) विकल्प प्रयोग करने की दिनांक के सबसे करीब और उस दिनांक से ठीक पहले की दिनांक को किसी जाने-माने शेयर बाजार पर शेयर का क्लोजिंग कीमत; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयर का समापन मूल्य, जो ऐसे शेयर में कारोबार की उच्चतम मात्रा को अभिलिखित करता है, यदि विकल्प के प्रयोग की दिनांक के सबसे निकट की दिनांक और ऐसी दिनांक से तुरंत पहले की दिनांक का समापन मूल्य एक से अधिक मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर अभिलिखित किया गया है;

(घ) ऐसे मामले में, जहां विकल्प प्रयोग करने की दिनांक को कंपनी का शेयर किसी जाने-माने शेयर बाजार में सूचीबंद्ध नहीं है, वहां उचित बाजार मूल्य कंपनी में शेयर की वह मूल्य होगी जो विनिर्दिष्ट दिनांक को वाणिज्यिक बैंककारी अवधारित करेगा।

(7) धारा 17(1)(घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति का, जो कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है, उचित बाजार मूल्य, उस दिनांक को जिस दिनांक को कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह ऐसा मूल्य होगा जैसा विनिर्दिष्ट दिनांक को वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(8) इस नियम **के प्रयोजनों के लिए-**

(क) "आवास" में घर, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका कोई भाग, या होटल, मोटल, सेवा अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल होम, पोत या अन्य तैरते ढांचे में आवास सम्मिलित है;

(ख) किसी दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर किसी शेयर का "समापन मूल्य" उस शेयर बाजार पर उस दिनांक को अंतिम निपटान का मूल्य होगा और जहां शेयर बाजार "क्रय" और "विक्रय" दोनों मूल्य उद्धृत करता है, समापन मूल्य अंतिम निपटान का "विक्रय" मूल्य होगा;

(ग) "मनोरंजन" में किसी भी प्रकार का आतिथ्य सत्कार तथा आम जनता में विज्ञापन के उद्देश्य से नियोक्ता के अपने उत्पाद के निःशुल्क नमूनों से भिन्न व्यावसायिक उपहारों पर व्यय भी सम्मिलित है;

(घ) "होटल" में मोटल, सेवा अपार्टमेंट या गेस्ट हाउस के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त आवास सम्मिलित है;

(ङ) "अधिकतम बकाया मासिक अतिशेष" से प्रत्येक माह के अंतिम दिन प्रत्येक ऋण के लिए कुल बकाया शेष अभिप्रेत है।

(च) "कुटुंब के सदस्य" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) पति-पत्नि ;

(ii) बालक और उनके पति/पत्नी ;

(iii) माता-पिता और

(iv) सेवक और आश्रित;

(छ) "वाणिज्यिक बैंककारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत श्रेणी 1 वाणिज्यिक बैंककारी अभिप्रेत है;

(ज) किसी दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर किसी शेयर का "आरंभिक मूल्य" ऐसे शेयर बाजार पर उस दिनांक को प्रथम निपटान का मूल्य होगा और जहां शेयर बाजार "क्रय" तथा "विक्रय" दोनों मूल्य उद्धृत करता है, वहां आरंभिक मूल्य प्रथम निपटान का "विक्रय" मूल्य होगा;

(झ) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का वही अर्थ होगा जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में है;

(ञ) उपनियम (1)(ख) **में** "सुदूर क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के मध्य स्थित है-

(i) स्थानीय सीमा के भीतर; या

(ii) 2011 की जनगणना के आधार पर एक लाख या उससे अधिक आबादी वाली किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से **तीस किलोमीटर** की हवाई दूरी के भीतर ;

(ट) "वेतन" में यथास्थिति मासिक या अन्यथा देय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से, किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी भी भुगतान सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: -

(i) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, जब तक कि यह संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता लाभों की गणना में सम्मिलित न हो;

(ii) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता का अभिदाय;

(iii) भत्ते, जिन्हें कर के भुगतान से छूट दी गई है;

(iv) धारा 17(1) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य;

(v) धारा 17(2) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित कोई भुगतान या व्यय; और

(vi) सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त एकमुश्त भुगतान, जैसे ग्रेच्युटी, विच्छेद वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी लाभ, पेंशन का कम्यूटेशन और इसी तरह के भुगतान;

(ठ) "निर्दिष्ट दिनांक" से -

(i) विकल्प प्रयोग करने की दिनांक; या

(ii) विकल्प के प्रयोग की दिनांक से पूर्व की कोई दिनांक, जो प्रयोग की दिनांक से एक सौ अस्सी दिन से अधिक पूर्व की न हो,

अभिप्रेत है ।

16. धारा 17(1)(i) में निर्दिष्ट वार्षिक अभिवृद्धि.- (1) धारा 17(1)(i) के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् चालू कर वर्ष कहा गया है) के दौरान धारा 17(1)(h) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के जमा शेष में ब्याज, लाभांश या इसी प्रकार की किसी अन्य रकम के रूप में वार्षिक अभिवृद्धि , निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम या रकमों का कुल योग होगी: -

नत = (तग/2) × द + (तग1 + नत1) × द

जहाँ,-

नत = चालू कर वर्ष के लिए धारा 17(1)(i) के अधीन कर योग्य परिलब्धि;

चालू कर वर्ष से भिन्न 1 अप्रैल, 2020 **को** या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले कर वर्ष या वर्षों के लिए धारा 17(1)(i) के अधीन कर योग्य परिलब्धि का कुल योग ;

तग = कर वर्ष के दौरान निर्दिष्ट निधि या स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए मूल अभिदाय की कुल रकम ₹7.5 लाख से अधिक;

को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले कर वर्ष या वर्षों के लिए निर्दिष्ट निधि या स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए मूल अभिदाय की कुल रकम 7.5 लाख रुपये से अधिक, चालू कर वर्ष से भिन्न;

द = झ/ च(औसत);

झ = निर्दिष्ट निधि या स्कीम खाते में चालू कर वर्ष के दौरान अर्जित आय की कुल रकम;

च = विद्यमान कर वर्ष के पहले दिन विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम के प्रत्यय में कुल अतिशेष रकम **और** विद्यमान कर वर्ष के अंतिम दिन विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम के प्रत्यय में कुल अतिशेष रकम, जिसे दो से भाग दिया जाता है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम" से धारा 17(1)(च) में विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम अभिप्रेत है ;

(ख) जहां नत1 और नग1 की कुल रकम, चालू कर वर्ष के पहले दिन विनिर्दिष्ट निधि या स्कीम के प्रत्यय में जमा अतिशेष की कुल रकम से अधिक हो, तो नत1 और नग1 की कुल रकम का अनुसार लगाने के लिए अधिक रकम को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।

17. धारा 17(1)(सी)(ii) के प्रयोजनों के लिए वेतन आय.- धारा 17(1)(ग)(ii) के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" शीर्षक के अधीन अवधारित आय चार लाख रुपये होगी।

18. चीफ कमिश्नर द्वारा मंज़ूर अस्पतालों में अवधारित बीमारियों या तकलीफ़ों के इलाज के लिए मेडिकल फ़ायदों में फ़ायदों की छूट। – (1) अधिनियम की धारा 17(2)(ख)(ii) के मकसद के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक इलाज के अस्पताल से भिन्न किसी और अस्पताल को मंज़ूरी देते समय, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल स्थानीय प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है और नीचे दी गई ज़रूरतें पूरी करता है:—

(क) अस्पताल के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत लागू म्युनिसिपल उप-नियमों का अनुपालन करती है;

(ख) कमरे हवादार व प्रकाशित हों तथा साफ-सुथरे हों;

(ग) रोगियों के लिए कम से कम दस लोहे के स्प्रिंग वाले बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं;

(घ) कम से कम एक भली-भाँति सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें न्यूनतम एक सौ अस्सी वर्ग फुट का फर्श स्थान और एक अलग रोगाणुनाशन कक्ष है;

(ङ) यदि अस्पताल प्रसूति मामलों के लिए चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, तो कम से कम एक प्रसव कक्ष प्रदान किया जाता है, जिसमें न्यूनतम एक सौ अस्सी वर्ग फुट का फर्श स्थान होता है;

(च) ऑपरेशन थियेटर और प्रसव कक्ष में सड़न रोकने वाली स्थितियाँ बनाए रखी जाती हैं;

(छ) ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ के लिए एक ड्यूटी रूम उपलब्ध कराया जाता है;

(ज) दवाइयों, खाद्य पदार्थों, उपकरणों और ऐसी अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया गया है;

(झ) अस्पताल या नर्सिंग होम में उपयोग किया जाने वाला पानी पीने योग्य है;

(ञ) सेप्टिक और संक्रामक रोगियों को अलग रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है।

(ट) अस्पताल को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं और उसका रखरखाव किया जाता है-

(i) उच्च दाब स्टेरिलाइजर और उपकरण स्टेरिलाइजर;

(ii) ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक संलग्नक;

(iii) पर्याप्त शल्य चिकित्सा उपकरण, यंत्र और तंत्र जिसमें अंतःशिरा उपकरण भी सम्मिलित है;

(iv) रक्त, मूत्र एवं मल के परीक्षण के लिए रोग विज्ञान प्रयोगशाला;

(v) इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम निगरानी प्रणाली; और

(vi) विद्युत विफलता की स्थिति में उपयोग के लिए स्टैंड-बाय जनरेटर

(ठ) प्रत्येक बीस बिस्तरों या उसके अंश के लिए कम से कम एक योग्य चिकित्सक चौबीसों घंटे ड्यूटी पर उपलब्ध रहता है;

(ड) गहन देखभाल इकाई सुविधाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों में, विशेष रूप से ऐसी गहन देखभाल इकाई के लिए कम से कम दो योग्य डॉक्टर चौबीसों घंटे ड्यूटी पर उपलब्ध रहते हैं;

(ढ) प्रत्येक पांच बिस्तरों या उसके एक भाग के लिए एक नर्स चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहती है;

(ण) इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा देने वाले अस्पतालों में, ऐसी इंटेंसिव केयर यूनिट के हर चार बेड या उसके भाग के लिए कम से कम चार नर्सें खास तौर पर विद्यमान हों; और

(त) अस्पताल प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य का अभिलिखित रखता है जिसमें रोगी का नाम, पता, व्यवसाय, लिंग, आयु, भर्ती होने की दिनांक, छुट्टी मिलने की दिनांक, रोग का निदान और किए गए उपचार की जानकारी होती है।

(2) 17(2)(ख)(ii) के प्रयोजनों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार के लिए किसी अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने में, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त स्वयं समाधान होंगे कि अस्पताल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के लाभार्थियों और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार के लिए निजी अस्पतालों के अनुमोदन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य और कुटुंब कल्याण मंत्रालय द्वारा 6 जून, 2002 को जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(3) धारा 17(2)(ख)(ii) के प्रयोजनों के लिए, विहित रोग या व्याधियाँ निम्नलिखित होंगी:—

(क) कैंसर;

(ख) तपेदिक;

(ग) अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम;

(घ) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथियों, अस्थि मज्जा, श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों या त्वचा की बीमारी या विकार, जिसके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो;

(ङ) आँख, कान, नाक या गले की बीमारी या रोग जिसके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो;

(च) कंकाल प्रणाली के किसी भी भाग में फ्रैक्चर या कशेरुकाओं की अव्यवस्था जिसके लिए शल्य चिकित्सा या आर्थोपेडिक उपचार की आवश्यकता हो;

(छ) स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन या लेप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो;

(ज) (घ) में वर्णित अंगों की बीमारी या रोग जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(झ) स्त्री रोग या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(ञ) जलने से होने वाली चोटें जिनके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(ट) मानसिक विकार - विक्षिप्त या मनोविकृति - जिसके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;

(ठ) ड्रग की लत जिसके लिए कम से कम सात दिनों तक लगातार हॉस्पिटल में मेडिकल इलाज की ज़रूरत हो; और

(ड) एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसमें इंसुलिन शॉक, ड्रग रिएक्शन और दूसरे एलर्जिक लक्षण सम्मिलित हैं, जिनके लिए कम से कम तीन लगातार दिनों तक हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) 'नर्स" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण-पत्र हो और जो नर्सों के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(ख) "क्वालिफाइड डॉक्टर" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त डिग्री है और जो किसी राज्य की मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत है; और

(ग) "शल्य चिकित्सा" में एंजियोप्लास्टी, डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी, लेजर या क्रायो सर्जरी जैसी आधुनिक पद्धति द्वारा उपचार सम्मिलित है।

19. धारा 17(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए सकल कुल आय.- धारा 17(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, अवधारित सकल कुल आय आठ लाख रुपए होगी।

20. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण से संबंधित धारा 19 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए दिशा-निर्देश.- (1) उपनियम **(2) और (3) में निर्दिष्ट** शर्तों के अधीन , स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण के समय प्राप्त रकम को धारा 19 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी द्वारा कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है -

(i) कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी; या

(ii) कोई अन्य कंपनी; या

(iii) **अधिनियम या** राज्य **अधिनियम** या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण ; या

(iv) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या

(v) कोई सहकारी समिति; या

(vi) **अधिनियम या** स्टेट **अधिनियम या प्रोविंशियल अधिनियम** के अधीन बनाई गई या सम्मिलित की गई यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के धारा 3 के अधीन यूनिवर्सिटी घोषित कोई इंस्टीट्यूशन; या

(vii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; या

(viii) कोई संस्था, जिसका पूरे भारत में या किसी राज्य या राज्यों में महत्व हो, जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए इस बारे में बताए; या

(ix) ऐसा अन्य प्रबन्ध संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; और

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौती केवल तभी अनुमेय होगी, जब उपरोक्त कंपनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति या विश्वविद्यालय या संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम, या यदि पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम, (जिसे यहां 'स्कीम' के रूप में संदर्भित किया गया है) निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार है:-

(i) यह स्कीम उस कर्मचारी पर लागू होती है जिसने **दस** वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या **चालीस** वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ii) यह स्कीम कंपनी या सहकारी समिति के निदेशकों को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, किसी कंपनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति के श्रमिकों और कार्यपालकों सहित सभी कर्मचारियों (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं) पर लागू होती है;

(iii) यह स्कीम कर्मचारियों की विद्यमान संख्या में समग्र कमी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है;

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक अलगाव के कारण उत्पन्न रिक्ति को नहीं भरा जाना है;

(v) किसी कंपनी का रिटायर होने वाला कर्मचारी उसी प्रबंध से जुड़ी किसी दूसरी कंपनी या कंपनी में कार्य नहीं करेगा; **और**

(vi) कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक अलगाव के कारण प्राप्त होने वाली रकम क या ख से अधिक नहीं है, जहां,-

क= 3*ढ*थ;

ख = ड*थ; और

ढ = सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या;

ड = सेवानिवृत्ति की दिनांक से पहले छोड़े गए सेवा के शेष महीने;

थ = रिटायरमेंट के समय वेतन।

(3) यदि किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के कर्मचारी द्वारा ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अधीन कोई रकम प्राप्त की जाती है, तो उपनियम (2)(i) की अपेक्षा लागू नहीं होगी ।

(4) इस नियम में, "वेतन" शब्द में महंगाई भत्ता सम्मिलित है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा उपबंध हो, परंतु अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

21. बकाया किराया. — धारा 21(4) के प्रयोजनों के लिए, किराये की वह रकम, जिसे स्वामी प्राप्त नहीं कर सकता, निर्धारिती द्वारा प्राप्त होने वाले किराये की रकम के बराबर होगी, लेकिन निर्धारिती के किरायेदार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया है और इस प्रकार वह खोई हुई तथा वसूल न की जा सकने वाली साबित हुई है, जहां, -

(क) किरायेदारी *सद्भाविक है* ;

(ख) चूककर्ता किरायेदार ने संपत्ति खाली कर दी है, या उसे संपत्ति खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिफॉल्ट करने वाला किराएदार निर्धारिति की किसी दूसरी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर रहा है; और

(घ) निर्धारितिज़ ने बिना संदाय किए गए किराए की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए सभी सही कदम उठाए हैं या असेसिंग ऑफिसर को यह यकीन दिलाया है कि कानूनी कार्रवाई बेकार होगी।

22. धारा 31(1) के प्रयोजनों के लिए समग्र औसत अग्रिमों की गणना (सारणी: क्रम संख्या 1)].- (1) धारा 31(1)[सारणी: क्रम संख्या 1] के प्रयोजनों के लिए, किसी अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए समग्र औसत अग्रिमों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:–

(क) कर वर्ष में सम्मिलित प्रत्येक माह के अंतिम दिन के अंत में प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम को अलग से एकत्रित किया जाएगा;

(ख) हर ऐसी ब्रांच के मामले में इस तरह मिली रकम को उन महीनों की संख्या से बांटा जाएगा जिनके लिए बकाया एडवांस को खंड (क) के मकसद के लिए अनुसार में लिया गया है; और

(ग) प्रत्येक ग्रामीण शाखा के संबंध में इस प्रकार प्राप्त रकमों का योग, अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए औसत अग्रिमों का योग होगा।

(2) इस नियम में, "ग्रामीण शाखा" तथा "अनुसूचित बैंक" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः धारा 66(26) तथा धारा 2(98) में हैं।

23. धारा 32(घ) के प्रयोजन के लिए शून्य कूपन बंधपत्र पर छूट की *आनुपातिक रकम* की गणना.- (1) धारा 32(घ) के प्रयोजनों के लिए, शून्य कूपन बंधपत्र पर छूट की आनुपातिक रकम की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी,:—

(क) बंधपत्र के जीवन की अवधि को कैलेंडर महीनों की संख्या में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, जहां कैलेंडर महीना जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है या बंधपत्र परिपक्व होता है या भुनाया जाता है , उसमें कैलेंडर महीने का एक भाग सम्मिलित है, तो -

(i) यदि ऐसा भाग पंद्रह दिन या पंद्रह दिन से अधिक का है, तो उसे बढ़ाकर एक कैलेंडर महीना कर दिया जाएगा; और

(ii) यदि ऐसा भाग पन्द्रह दिन से कम है तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा;

(ख) छूट की रकम को खंड (क) के अनुसार अवधारित कैलेंडर महीनों की संख्या से डिवाइड किया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अनुसार अवधारित कैलेंडर महीनों में से एक या एक से अधिक कैलेंडर महीने कर वर्ष में सम्मिलित हैं या सम्मिलित किए गए हैं, खंड (ख) के अनुसार अवधारित रकम को सम्मिलित किए गए कैलेंडर महीनों की संख्या से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त रकम को उस कर वर्ष के लिए छूट की *आनुपातिक रकम माना जाएगा।*

24. धारा 32(ङ) के अधीन अवसंरचना सुविधा.- धारा 32(ङ) के अधीन अवसंरचना सुविधा के रूप में अधिसूचित होने के लिए किसी सार्वजनिक सुविधा को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(क) उसका स्वामित्व भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी अन्य निकाय के पास हो;

(ख) उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय के साथ निम्नलिखित के लिए कोई करार किया है—

(i) विकासशील; या

(ii) संचालन तथा रखरखाव या;

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-आईए (4)(i) के *स्पष्टीकरण* में निर्दिष्ट आधारिक ढांचा सुविधा के समान प्रकृति की एक नई आधारिक ढांचा सुविधा का विकास, संचालन और रखरखाव करना ; और

(ग) उसने 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात ऐसी अवसंरचना सुविधा का परिचालन और रख-रखाव आरंभ कर दिया है या कर रहा है।

25. मूल्यह्रास.-- (1) उपनियम (7) के उपबंधों के अधीन, उपाबंध 1 में सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट आस्तियों के किसी भी ब्लॉक के मूल्यह्रास के संबंध में धारा 33(3) के अधीन भत्ता, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट प्रतिशत पर गणना की जाएगी।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 'बी' में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आस्तियों के किसी ब्लॉक के मूल्यह्रास के संबंध में धारा 33(3) के अधीन भत्ता आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य के 40% से अधिक नहीं होगा, यदि इसके स्तंभ 'सी' में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

सारणी

क्रम. सं.	**व्यक्ति**	**पूरी की जाने वाली शर्तें**
क	**ख**	**ग**
1.	घरेलू कंपनी	जिसने- (क) धारा 199(3) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो; या (ख) धारा 200(5) या (ग) धारा 201(2)(क) तथा (ख)।
2.	(क) व्यक्तिगत अथवा हिंदू अविभाजित कुटुंब; या (ख) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; या (ग) धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	जिसकी आय धारा 202(1) के अधीन कर योग्य हो।
3.	भारत में रहने वाली सहकारी समिति	जिसने निम्न के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है- (क)धारा 203(5); या (ख)धारा 204(2)।

(3) उपाबंध-II में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में धारा 33(2) के अधीन भत्ते की गणना, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तविक लागत पर स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर की जाएगी।

(4) विभिन्न कर वर्षों के लिए किसी संपत्ति के संबंध में धारा 33(2) के अधीन अनुमत कुल मूल्यह्रास उक्त संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगा।

(5) धारा 33(2) में विनिर्दिष्ट उपक्रम को, अपने विकल्प पर, उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यह्रास के बजाय उपाबंध 1 के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन मूल्यह्रास की अनुमति दी जा सकती है, यदि विकल्प का प्रयोग उस कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक को या उससे पहले किया जाता है जिसमें वह विद्युत का उत्पादन आरंभ करता है।

(6) उपनियम (5) के अधीन एक बार प्रयोग किया गया कोई विकल्प अंतिम होगा और सभी आगामी कर वर्षों पर लागू होगा।

(7) जहाँ 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले कर वर्ष के दौरान किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए कोई नई मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया जाता है और ऐसी वस्तु या चीज-

(क) किसी प्रोद्योगिकी (जिसमें कोई प्रोसेस भी सम्मिलित है) या किसी दूसरी जानकारी का प्रयोग करके बनाया या बनाया गया हो; या

(ख) एक ऐसी वस्तु या चीज़ है जिसका आविष्कार किया गया है,

सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला या पब्लिक सेक्टर की कंपनी या विश्वविद्यालय या सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थान के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला,

ऐसे संयंत्र या मशीनरी को लिखित मूल्य के 40% की दर से मूल्यह्रास के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली आस्तियों के ब्लॉक के भाग के रूप में माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(i) ऐसी तकनीक (किसी प्रक्रिया सहित) या अन्य जानकारी का उपयोग करने या ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला के स्वामी से या ऐसे स्वामी से स्वामित्व प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से अर्जित किया गया है;

(ii) निर्धारिति अपनी आय, या किसी दूसरे व्यक्ति की आय जिसके लिए वह असेसेबल है, के लिए, उस कर वर्ष के लिए जो रिटर्न देता है, जिसमें वह मशीनरी या प्लांट क्रय किया गया है, उसके साथ भारत सरकार के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह चीज़ ऐसी प्रोद्योगिकी (जिसमें कोई प्रोसेस भी सम्मिलित है) या ऐसी लैब में डेवलप की गई दूसरी जानकारी का प्रयोग करके बनाई या प्रोड्यूस की गई है या वह ऐसी लैब में इन्वेंट की गई कोई चीज़ है; और

(iii) मशीनरी या संयंत्र का उपयोग अधिनियम की अनुसूची XIII की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज़ के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

(8) उपनियम (7) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला" से किसी निकाय के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जिसमें सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1850 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी भी सम्मिलित है, तथा जिसका वित्तपोषण पूर्णतः या मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) "पब्लिक सेक्टर की कंपनी" से किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित संस्था भी सम्मिलित है।

26. मामले और परिस्थितियाँ जिनमें नियम 48 में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट बैंकिंग और ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न एक दिन में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपये से अधिक का भुगतान या भुगतानों का कुल योग किया जा सकता है.- (1) धारा 36(4) के अधीन कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी और कोई भी भुगतान धारा 36(5) के अधीन व्यवसाय या वृत्ति का अभिलाभ और लाभ नहीं माना जाएगा, जहां निम्नलिखित मामलों और परिस्थितियों में, नियम 48 में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान या भुगतानों का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है:-

(क) जहां भुगतान किया जाता है-

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी; या

(ii) भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 में परिभाषित कोई सहायक बैंक; या

(iii) कोई सहकारी बैंक या भूमि बंधक बैंक; या

(iv) कोई प्राथमिक कृषि ऋण समिति या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के अधीन परिभाषित कोई प्राथमिक ऋण समिति; या

(v) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम;

(ख) जहां भुगतान सरकार को किया जाता है और उसके द्वारा तैयार नियमों के अधीन ऐसा भुगतान वैध मुद्रा में किया जाना अपेक्षित है;

(ग) जहां भुगतान निम्नलिखित द्वारा किया जाता है-

(i) किसी बैंक के ज़रिए कोई लेटर ऑफ़ प्रत्यय अरेंजमेंट; या

(ii) किसी बैंक के ज़रिए मेल या टेलीग्राफ़ ट्रांसफ़र; या

(iii) किसी बैंक के किसी लेखा से उस बैंक या किसी दूसरे बैंक के किसी दूसरे लेखा में बुक एडजस्टमेंट; या

(iv) केवल बैंक को देय विनिमय पत्र;

(घ) जहां भुगतान, निर्धारिती द्वारा ऐसे आदाता को आपूर्ति किए गए किसी माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए आदाता द्वारा उठाए गए किसी दायित्व की रकम के विरुद्ध समायोजन के माध्यम से किया जाता है;

(ङ) जहां भुगतान निम्नलिखित की क्रय के लिए किया जाता है-

(i) कृषि या वन उपज; या

(ii) पशुपालन से प्राप्त उत्पाद (जिसमें पशुधन, मांस, खाल और चमड़े सम्मिलित हैं) या डेयरी या मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद; या

(iii) मछली या मछली उत्पाद; या

(iv) बागवानी या मधुमक्खी पालन के उत्पाद,

ऐसी वस्तुओं, उपज या उत्पादों के कृषक, उत्पादक या उत्पादक को;

(च) जहां भुगतान कुटीर उद्योग में विद्युत की सहायता के बिना निर्मित या संसाधित उत्पादों की क्रय के लिए ऐसे उत्पादों के उत्पादक को किया जाता है;

(छ) जहां भुगतान किसी गांव या कस्बे में किया जाता है, जहां ऐसे भुगतान की दिनांक को किसी बैंक द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जाती है वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामूली तौर पर ऐसे किसी गांव या कस्बे में निवास करता है अथवा वहां कोई कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय करता है;

(ज) जहां निर्धारिती के किसी कर्मचारी या ऐसे किसी कर्मचारी के उत्तराधिकारी को, ऐसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, छंटनी, त्यागपत्र, सेवामुक्ति या मृत्यु के संबंध में ग्रेच्युटी, छंटनी मुआवजा या इसी प्रकार के सेवांत लाभ के रूप में कोई भुगतान किया जाता है और कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी को देय ऐसी कुल रकम पचास हजार रूपये से अधिक नहीं होती है;

(झ) जहां भुगतान किसी निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी को धारा 392 के उपबंधों के अनुसार वेतन से आय-कर काटने के पश्चात वेतन के रूप में किया जाता है, और जब ऐसा कर्मचारी-

(i) अपनी नॉर्मल ड्यूटी की जगह से भिन्न किसी दूसरी जगह या किसी पोत पर लगातार पंद्रह दिन या उससे अधिक समय के लिए टेम्परारी तौर पर पोस्ट किया गया हो; और

(ii) ऐसे स्थान या पोत पर किसी बैंक में कोई खाता नहीं रखता है;

(ञ) जहां भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा उसके एजेंट को किया जाता है, जिसे ऐसे व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं के लिए नकद भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ट) जहां संदाय किसी ऑथराइज़्ड डीलर या मनी चेंजर द्वारा अपने कारबार के नॉर्मल कोर्स में फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर्स चेक की क्रय के बदले किया जाता है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) खंड (ग) और खंड (छ) में "बैंक" पद से खंड (क) के उपखंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट कोई भी बैंक, बैंकिंग कंपनी या सोसाइटी अभिप्रेत है और इसमें बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (10 of 1949) के धारा 5 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट बैंकिंग कंपनी नहीं होने वाला कोई भी बैंक सम्मिलित है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो भारत के बाहर स्थापित हो; और

(ख) खंड (ट) में, "प्राधिकृत व्यापारी" या "मुद्रा परिवर्तक" से किसी प्रवृत विधि के अधीन विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय में सौदा करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी या धन परिवर्तक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।

27. धारा 44 के अधीन कटौती के लिए पात्र कुछ प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्ररूप.- (1) धारा 44(3) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय के विवरण वाला विवरण प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 5 में होगा।

(2) प्ररूप् संख्या 5 आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को धारा 263(1) के अधीन निर्दिष्ट आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक से एक माह पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

28. धारा 44 और 51 के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.-

धारा 44(6) या धारा 51(7) के अधीन कंपनी या सहकारी समिति को छोड़कर किसी निर्धारिती के खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप सं. 6 में प्रस्तुत की जाएगी।

29. धारा 45(1)(क)(ii) तथा (2) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए विहित प्राधिकारी तथा अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) धारा 45 के खंड (क)(ii) के साथ पठित खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार की सहमति से प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) होंगे।

(2) धारा 45(2) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) विहित प्राधिकारी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार होगा;

(ख) कोई भी कंपनी उक्त धारा के अधीन कटौती की हकदार नहीं होगी, जब तक कि वह अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए अवधारित प्राधिकारी के साथ कोई समझौता नहीं करती है और खाता पुस्तकों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा और इस नियम में दिए गए रीति से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है;

(ग) अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कंपनी द्वारा **प्ररूप सं.** 11 में किया जाएगा;

(घ) विहित प्राधिकारी,—

(i) यदि वह समाधान है कि धारा 45(2) में वर्णित और इस उपनियम में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो गई हैं, तो आवेदन प्राप्त होने वाले महीने के अंत से दो महीने के भीतर प्ररूप सं. 14 में सुविधा को मंजूरी देते हुए लिखित में आदेश पारित करें;

(ii) जहां कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, वहां कंपनी को सुनवाई का सही मौका दिया जाएगा; और

(iii) ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसी कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को उपलब्ध कराएगा;

(ङ) किसी कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

(i) सुविधा पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, शैली परिवर्तन, नियमित डेटा संग्रहण या इसी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित नहीं होनी चाहिए;

(ii) विहित प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा,–

(अ) प्ररूप् संख्या 12 के भाग ए में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के अनुमोदन के संबंध में;

(आ) कर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय की मात्रा अवधारित करना और **प्ररूप सं.** 12 के भाग बी में धारा 45 (2) के अधीन कटौती के लिए पात्र होना;

(iii) उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 12 में रिपोर्ट विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को एक सौ बीस दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी,—

(अ) उप-खंड (ii)(अ) में निर्दिष्ट मामले में, अनुमोदन प्रदान करने का;

(आ) उप-खंड (ii)(आ) में निर्दिष्ट मामले में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में;

(iv) कंपनी प्रत्येक अनुमोदित सुविधा के लिए अलग-अलग खाता बही बनाए रखेगी, जिसकी वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी;

(v) प्ररूप् संख्या 13 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को प्रत्येक आगामी कर वर्ष के लिए आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी;

(vi) कंपनी ऐसे लेखापरीक्षित वार्षिक खाते की प्रति प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(क) के अधीन दाखिल किए जाने वाले आय-कर रिटर्न के साथ संलग्न करेगी;

(vii) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इन-हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधा पर पूंजी और रेवेन्यू व्यय कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय स्टेटमेंट में शेड्यूल या लेखा के नोट्स में दिखाया गया है, जो उसकी सालाना रिपोर्ट और आय-कर के कैलकुलेशन के लिए तैयार किया गया है; और

(viii) स्वीकृत सुविधा द्वारा अर्जित आस्तियों का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव के अनुमोदन के बिना उनका निपटान नहीं किया जाएगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "लेखापरीक्षित" से लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा अभिप्रेत है, जैसा कि धारा 515(3)(ख) में परिभाषित है।

30. धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए विहित प्राधिकारी तथा अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) धारा 45(3)(ग)(i) से (iii) के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रमुख, जैसा भी मामला हो, विहित प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 45(3)(ग)(iv) के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विहित प्राधिकारी होंगे।

(3) धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रायोजक द्वारा प्ररूप 7 में किया जाएगा।

(4) यदि विहित प्राधिकारी को विश्वास हो कि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाना संभव है, तो इस नियम में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वह लिखित में एक आदेश पारित करेगा, जिसमें प्ररूप सं. 8 में आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से दो माह के भीतर ऐसे कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी, जो अधिकतम पांच कर वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

(5) उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, उप सचिव के पद से अन्यून किसी अधिकारी को, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात, ऐसा आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

(6) किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व प्रायोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(7) धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(क) कार्यक्रम पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, शैली परिवर्तन, नियमित डेटा संग्रहण या इसी तरह की प्रकृति की गतिविधियों से संबंधित नहीं होना चाहिए;

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रम के लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा;

(ग) खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी और उसकी एक प्रति प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को प्रत्येक आगामी कर वर्ष के लिए आय-कर विवरणी

प्रस्तुत करने के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) निम्नलिखित जानकारी या कथन या रिपोर्ट प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी:—

(अ) अवधारित प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम को मंजूरी देने की दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर प्ररूप संख्या 10 में एक रिपोर्ट, जिसमें अनुमोदित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति और प्रायोजक तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उस पर किए गए वास्तविक व्यय को दर्शाया गया हो;

(आ) अनुमोदित कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अनुसंधान गतिविधियों और प्राप्त परिणाम की मुख्य विशेषताओं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसके आगे के आवेदन पर रिपोर्ट की एक प्रति के साथ एक पूर्णता प्रमाण पत्र;

(इ) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख या भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा कार्यक्रम के पूरा होने के छह महीने के भीतर अनुमोदित कार्यक्रम के लिए लेखा परीक्षित विवरण की एक प्रति;

(ङ) अवधारित प्राधिकारी प्रोग्राम का समय नहीं बढ़ाएगी या व्यय में किसी वद्धि को मंज़ूरी नहीं देगी; और

(च) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के निष्पादन के लिए अर्जित आस्तियों का निपटान प्रायोजक पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य आय-कर आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(8) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या निर्दिष्ट व्यक्ति **प्ररूप सं.** 9 में वैज्ञानिक अनुसंधान के किसी अनुमोदित कार्यक्रम को चलाने के लिए भुगतान की रसीद जारी करेगा।

(9) प्रायोजक, उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व, नया आदेश पारित करने के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) "लेखापरीक्षित" से लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा अभिप्रेत है, जैसा कि धारा 515(3)(ख) में परिभाषित है; और

(ख) "प्रायोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फार्म संख्या 7 में आवेदन करता है।

31. धारा 45(4)(क) के अधीन दान के संबंध में विवरण का विवरण तथा दाता को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना.- (1) धारा 45(4)(क) के प्रयोजनों के लिए, 45(3)(क) में निर्दिष्ट अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या 45(3)(ख) में निर्दिष्ट कंपनी को भुगतान की गई किसी रकम के

संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी-

(क) हर कर वर्ष के लिए **प्ररूप सं.** 15 में स्टेटमेंट तैयार करता है और निदेशक जनरल ऑफ़ आय-कर (सिस्टम्स) या उसके द्वारा ऑथराइज़्ड व्यक्ति को देता है या दिलवाता है; और

(ख) दानकर्ता को **प्ररूप सं.** 1 में दान की रकम बताते हुए एक सर्टिफिकेट देना होगा। 16

(2) अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए प्राप्त रकमों का निर्धारण करने हेतु रकमों को एकत्रित करते समय,—

(क) कर वर्ष के दौरान उस व्यक्ति द्वारा दिए गए उसी तरह के सभी दान को ध्यान में रखें; और

(ख) दान का मूल्य या सभी दानों का कुल मूल्य सभी व्यक्तियों को समानुपातिक रूप से दिया जाएगा, उस स्थिति में जहां दान एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर अभिलिखित है और जहां दानकर्ताओं द्वारा कोई अनुपात निर्दिष्ट नहीं किया गया है, सभी दानकर्ताओं को समान रूप से दिया जाएगा।

(3) वह व्यक्ति जो धारा 265 के अधीन आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप् संख्या 15 को सत्यापित करेगा।

(4) प्ररूप संख्या 15 में विवरण का विवरण तथा प्ररूप संख्या 16 में दाता को प्रमाणपत्र, दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत पश्चात् वाली 31 मई को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

32. धारा 45(3)(क) के साथ पठित धारा 45(4) के अधीन अनुमोदन के संबंध में प्रक्रिया, प्ररूप तथा रीति.- (1) धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप सं. 17 में आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को, उस कर वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जाएगा जिससे अनुमोदन मांगा गया है, तथापि, कर वर्ष 2026-2027 के लिए कोई भी आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(2) जहाँ मंज़ूरी मांगी जाती है–

(क) कर वर्ष 2026-2027 से; या

(ख) उस कर वर्ष से जिसमें आवेदक का निगमन हुआ है,

तो मंज़ूरी के लिए आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(3) वह व्यक्ति जो आवेदक पर लागू धारा 265 के अधीन आय-कर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, **प्ररूप सं.** 17 को सत्यापित करेगा।

(4) यदि अनुसंधान संघ अधिनियम की अनुसूची III [सारणी: क्रम संख्या 23] के अनुसार छूट का दावा करता है, तो फार्म संख्या 17 का अनुलग्नक भी भरा जाएगा।

(5) आवेदक को आवेदन की एक प्रति सदस्य (आय-कर), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उपनियम (1) के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में पावती रसीद के साथ भेजनी होगी।

(6 जहाँ उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया जाता है, धारा 45(4)(ख) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाएगी या आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश केन्द्र सरकार द्वारा लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए, उस तिमाही के अंत से बारह महीने के भीतर जारी किया जाएगा जिसमें ऐसा आवेदन सदस्य (आईटी), सीबीडीटी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

(7 केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 45(4)(ख) के अधीन जारी कोई अधिसूचना किसी भी समय ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगी, जो पांच कर वर्षों से अधिक नहीं होगी, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(8) यदि आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो आय-कर आयुक्त आवेदन-पत्र के उसके कार्यालय में प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह पूर्व आवेदक को कमी संबंधी पत्र तामील करेगा।

(9) आवेदक उपनियम (7) में निर्दिष्ट कमी को उस माह की समाप्ति से अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर दूर करेगा जिसमें कमी पत्र संदत्त है और यदि आवेदक इस प्रकार की अवधि के भीतर ऐसी कमी को दूर करने में विफल रहता है, तो आय-कर आयुक्त आवेदन को अवैध मानने के लिए अपनी सिफारिश सदस्य (आईटी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजेगा।

(10) यदि केन्द्रीय सरकार समाधान हो तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकती है।

(11) यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है, तो आय-कर आयुक्त, अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय या कॉलेज या अन्य संस्था की गतिविधि की वास्तविकता के बारे में ऐसी जांच कर सकते हैं, जैसा वे आवश्यक समझें और आवेदन को अपने कार्यालय में प्राप्त होने वाली तिमाही के अंत से तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले आवेदन की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए सदस्य (आईटी), सीबीडीटी को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं।

(12) केन्द्रीय सरकार धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदन देने से पहले आवेदक से ऐसे दस्तावेज या सूचना मांग सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा आवेदक के कार्यकलाप की वास्तविकता के सत्यापन के लिए कोई भी जांच करवा सकेगी।

(13) केन्द्रीय सरकार धारा 45(4)(ख) के अधीन दिए गए अनुमोदन को वापस ले लेगी, यदि वह इस बात से समाधान है कि अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या नियम 33 या नियम 34 के अधीन निर्दिष्ट सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही हैं।

(14) आवेदन को अवैध मानने अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने अथवा अनुमोदन वापस लेने संबंधी कोई भी आदेश, सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(15) आवेदन को अमान्य या अस्वीकृत करने अथवा अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति आवेदक, कर निर्धारण अधिकारी तथा आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को भेजी जाए।

(16) आवेदक, उपनियम (5) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पूर्व, आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को नई अधिसूचना जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

33. धारा 45(4) के साथ धारा 45(3)(क) के अधीन अनुसंधान संघ को अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें:- (1) आवेदक अनुसंधान संघ का एकमात्र उद्देश्य, यथास्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना होगा।

(2) आवेदक अनुसंधान संघ स्वयं ही अनुसंधान गतिविधि जारी रखेगा।

(3) धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदन चाहने वाला अनुसंधान संघ--

(क) खाता बही बनाए रखना;

(ख) ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से करवाएं; तथा

(ग) ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जो लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, अनुसंधान संघ पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

(4) अनुसंधान संघ, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और आवेदित रकम का एक अलग विवरण रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति उपनियम (3) में संदर्भित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

(5) अनुसंधान संघ धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक आय-कर आयुक्त को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;

(ख) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;

(ग) कर वर्ष के दौरान अप्लाई किया गया या रजिस्टर किया गया कोई पेटेंट या दूसरे मिलते-जुलते अधिकार; और

(घ) आने वाले कर वर्ष के दौरान किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि अनुसंधान संघ,—

(क) लेखा बुक नहीं रख रहा है; या

(ख) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा हो; या

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम और आवेदित रकम का विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है; या

(घ) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

34. धारा 45(4) के साथ धारा 45(3)(क) के अधीन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें:- (1) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को भुगतान की गई रकम का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए किया जाएगा।

(2) आवेदक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अपने संकाय सदस्यों अथवा नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान कराएगी।

(3) धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुमोदित कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था,-

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान या, जैसी भी स्थिति हो, सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्राप्त रकमों के संबंध में अलग-अलग खाता बही बनाए रखना;

(ख) इसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई रकम दर्शाई जाए;

(ग) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित अनुसार ऐसी खाता-बहियों का लेखा-परीक्षण किसी लेखाकार से करवाएं; और

(घ) ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जो लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित हो, मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(4) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था प्राप्त दान तथा अनुसंधान हेतु प्रयुक्त रकम का अलग-अलग विवरण रखेगी और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगी।

(5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक आय-कर आयुक्त को एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;

(ख) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;

(ग) कर वर्ष के दौरान अप्लाई किया गया या रजिस्टर किया गया कोई पेटेंट या दूसरे मिलते-जुलते अधिकार; और

(घ) आने वाले कर वर्ष के दौरान किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था-

(क) रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रख रहा है; या

(ख) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा है; या

(ग) प्राप्त रकमों और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त रकमों का विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है; या

(घ) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

35. धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी, प्रक्रिया, प्ररूप, रीति और शर्तें.- (1) धारा 45(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी मुख्य आय-कर आयुक्त होगा, जिसका आवेदक पर अधिकार क्षेत्र होगा।

(2) धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन के संबंध में प्रक्रिया, प्ररूप और रीति निम्नानुसार होगी:-

(क्) किसी कंपनी द्वारा धारा 45(3)(ख) के अधीन मंजूरी के लिए आवेदन, आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को **प्ररूप सं.** 17 में, उस कर वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जाएगा, जिससे मंजूरी मांगी गई है, हालांकि, कर वर्ष 2026-2027 के लिए कोई भी आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(ख) जहाँ मंज़ूरी मांगी जाती है–

(i) कर वर्ष 2026-2027 से; या

(ii) उस कर वर्ष से जिसमें आवेदक का निगमन हुआ है,

तो मंज़ूरी के लिए आवेदन उक्त कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

(ग) वह व्यक्ति जो आवेदक पर लागू धारा 265 के अधीन आय-कर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप् संख्या 17 को सत्यापित करेगा।

(घ) आवेदक आवेदन की एक प्रति अवधारित प्राधिकारी को भेजेगा, जिसके साथ उप नियम (2)(क) के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में पावती रसीद भी संलग्न होगी।

(ङ) धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रत्येक आदेश जारी किया जाएगा अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश मुख्य आय-कर आयुक्त के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तिमाही के अंत से बारह महीने की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(च) यदि **प्ररूप सं.** 17 में आवेदन में कोई दोष देखा जाता है, या यदि कोई सुसंगत दस्तावेज़ उसके साथ संलग्न नहीं है, तो आय-कर आयुक्त आवेदक को उस महीने की समाप्ति से एक महीने की समाप्ति से पहले एक कमी पत्र देगा जिसमें आवेदन उसके कार्यालय में प्राप्त होता है।

(छ) आवेदक को कमी का लेटर देने वाले महीने के आखिर से अधिक से अधिक एक महीने के अंदर कमी दूर करनी होगी और यदि आवेदक अवधारित समय में कमी दूर करने में नाकार्य रहता है, तो आय-कर कमिश्नर एप्लीकेशन को इनवैलिड मानने के लिए अपनी सिफारिश चीफ आय-कर कमिश्नर को भेजेगा।

(ज्) मुख्य आय-कर आयुक्त खंड (एफ) में निर्दिष्ट सिफारिशों की जांच करने के पश्चात् आदेश पारित कर सकता है कि आवेदन अवैध है।

(झ) यदि एप्लीकेशन प्ररूप् हर तरह से पूरा है, तो आय-कर कमिश्नर कंपनी की एक्टिविटी की असलियत के बारे में ज़रूरी जांच कर सकते हैं और जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन उनके ऑफिस में मिली थी, उसके खत्म होने से तीन महीने का समय खत्म होने से पहले, एप्लीकेशन को मंज़ूरी देने या नामंज़ूर करने के लिए चीफ आय-कर कमिश्नर को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं।

(ञ) मुख्य आय-कर आयुक्त धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदन देने से पहले आवेदक से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना मांग सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा आवेदक के कार्यकलाप की वास्तविकता के सत्यापन के लिए कोई भी जांच करवा सकता है।

(ट) मुख्य आय-कर आयुक्त धारा 45(3)(ख) के अधीन कंपनी को स्वीकृति प्रदान करने का आदेश पारित कर सकता है या लिखित में कारण अभिलिखित करके आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।

(ठ) उपनियम (1) के अनुसार मुख्य आय-कर आयुक्त धारा 45(3)(ख) के अधीन दिए गए अनुमोदन को वापस ले सकता है, यदि वह इस बात से समाधान है कि कंपनी ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं या इसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या इस नियम के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं।

(ड) आवेदन को अमान्य मानने या आवेदन को खारिज करने या मंजूरी वापस लेने संबंधी कोई भी आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(ढ) आवेदन को अमान्य या अस्वीकृत करने या अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति आवेदक, कर निर्धारण अधिकारी तथा आय-कर आयुक्त को दी जाएगी।

(ण) इस नियम के अधीन मुख्य आय-कर आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी एक समय पर ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा जो पांच कर वर्षों से अधिक नहीं होगा, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(त) आवेदक उपनियम (2)(घ) के अधीन जारी आदेश की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को नया आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) अधिनियम की धारा 45(3)(ख) के अधीन किसी कम्पनी को अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(क) कंपनी को भुगतान की गई रकम का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(ख) आवेदक कंपनी अपनी स्वयं की आस्तियों का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगी;

(ग) धारा 45(3)(ख) के अधीन अनुमोदित एक कंपनी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम के संबंध में खाता की अलग-अलग किताबें बनाए रखेगी, उनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयोग की गई रकम को दर्शाएगी, धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित एक लेखाकार द्वारा खाता की ऐसी पुस्तकों की ऑडिट कराएगी, और ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी ऑडिट की रिपोर्ट मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को धारा 263(1)(ग) के अधीन आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक प्रस्तुत करेगी।

(घ) कंपनी प्राप्त दान और अनुसंधान के लिए उपयोग की गई रकम का एक अलग विवरण बनाए रखेगी और लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति खंड (सी) में संदर्भित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ होगी;

(ङ) अनुमोदन के पश्चात्, कंपनी प्रत्येक वर्ष धारा 263(1)(ग) के अधीन आय-कर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत दिनांक तक मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को निम्नलिखित जानकारी से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करेगी, अर्थात: -

(i) कर वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत नोट;

(ii) कर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का सारांश;

(iii) कर वर्ष के दौरान आवेदन किए गए या रजिस्ट्रीकृत किए गए कोई पेटेन्ट या अन्य समान अधिकार;

(iv) आने वाले साल में किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए वित्तीय एलोकेशन; और

(च) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि कंपनी,—

(i) रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रख रहा है; या

(ii) अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में नाकार्य रहा है; या

(iii) मिली हुई रकम और रिसर्च के लिए प्रयोग की गई रकम का स्टेटमेंट, या खंड (ङ) में निर्दिष्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है; या

(iv) उसने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, या उसकी एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(v) वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन उसे मंजूरी दी गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात्, धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह के भीतर उप-खण्ड (i) से (v) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त मुख्य आय-कर आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

36. धारा 46(11)(घ)(xii) के अधीन एक निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में किफायती आवास परियोजना और धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन एक निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में अर्धचालक वेफर निर्माण विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया.- (1) आवेदक निम्नलिखित की अधिसूचना के लिए आवेदन करेगा–

(क) एक किफायती आवास परियोजना (जिसे यहां "परियोजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) धारा 46(11)(घ)(xii) के अधीन **प्ररूप सं.** 18 में निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में; या

(ख) एक सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाई (जिसे यहां "इकाई" के रूप में संदर्भित किया गया है) को धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन प्ररूप संख्या 19 में निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिसूचना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी,:—

(क) व्यक्ति प्ररूप् संख्या 18 या प्ररूप् संख्या 19, जैसा भी मामला हो, में परियोजना या इकाई की अधिसूचना के लिए सदस्य (आईटी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करेगा;

(ख) यदि आवेदन पत्र में कोई दोष पाया जाता है अथवा अपेक्षित कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है, तो आवेदक को कमी संबंधी पत्र दिया जा सकता है;

(ग) आवेदक उस माह के अन्त से एक माह के अन्दर कमी को दूर करेगा जिसमें ऐसा कमी पत्र तामील किया गया हो;

(घ) जहां आवेदक खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर कमी को दूर करने में असफल रहता है, वहां बोर्ड, यदि समाधान हो तो, आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकता है;

(ङ) बोर्ड, अनुमोदन प्रदान करने से पहले आवेदक के साथ-साथ आय-कर अधिकारियों तथा अन्य विभागों अथवा अभिकरणों से ऐसे विवरण, दस्तावेज या सूचना मांग सकता है, जैसा वह उचित समझे;

(च) बोर्ड परियोजना या इकाई को, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदन प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर सकता है अथवा लिखित में अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात आवेदन को अस्वीकार कर सकता है;

(छ) बोर्ड किसी परियोजना या इकाई के मामले में अनुमोदन वापस ले सकता है, यदि वह समाधान हो कि--

(i) निर्धारिति ने विनिर्दिष्ट कारबार से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं; या

(ii) ऐसे कार्यकलाप वास्तविक नहीं हैं या धारा 46 या इस नियम के अधीन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं;

(ज) बोर्ड धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन किसी इकाई के संबंध में अनुमोदन वापस ले सकता है, यदि वह समाधान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;

(झ) यदि एप्लीकेशन को इनवैलिड या रिजेक्ट करने या नोटिफिकेशन की मंज़ूरी वापस लेने या कैंसल करने का ऑर्डर पास किया जाना हो, तो एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका दिया जाएगा; और

(ञ) खंड (झ) में उल्लिखित आदेश की एक प्रति आवेदक के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारी और आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को भी संप्रेषित की जाएगी;

(3) उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदक को उस कर वर्ष के दौरान किए गए समस्त पूंजीगत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ अलग-अलग खाता बही रखनी होगी जिसके लिए वह धारा 46 के अधीन उक्त कटौती का दावा करना चाहता है और उक्त धारा 46 के अधीन कर लाभ प्राप्त करने के लिए नियत दिनांक तक संबंधित आय-कर रिटर्न दाखिल करना होगा।

(4) अधिनियम की धारा 46(11)(घ)(vii) के अधीन अधिसूचित परियोजना या धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन अधिसूचित इकाई, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के उपबंधों द्वारा उस सीमा तक शासित होती रहेगी जहां तक वे अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है।

(5) किसी परियोजना को धारा 46(11)(घ)(vii) के अधीन अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:–

(क) परियोजना के लिए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए;

(ख) परियोजना का परिचालन आरंभ करने की दिनांक, जो कि वह दिनांक होगी जिस दिनांक को परियोजना को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी, 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात होगी;

(ग) परियोजना एक एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र वाले भूमि के भूखंड पर होगी और परियोजना के कुल आवंटनीय किराया क्षेत्र में से किफायती आवास इकाइयाँ कम से कम निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी-

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 30%;

(ii) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) कैटेगरी के लिए 60%; और

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों के लिए 90%;

(घ) परियोजना के कुल आबंटित किराया क्षेत्र के शेष 10 प्रतिशत या उससे कम में अन्य आवासीय या वाणिज्यिक इकाइयाँ सम्मिलित हो सकती हैं;

(ङ) डेवलप और बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, लेआउट और स्पेसिफिकेशन्स राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उसकी अवधारित की गई लागू करने वाली अभिकरण से मंज़ूरी लेंगे; और

(च) परियोजना को उस कर वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसमें परियोजना को खंड (ए) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो।

(6) किसी इकाई को धारा 46(11)(घ)(xiii) के अधीन अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:-

(क) इकाई विशेष रूप से अर्धचालक वेफर निर्माण के विनिर्माण के लिए होगी;

(ख) इकाई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होगा;

(ग) ऑपरेशन प्रारंभ होने की दिनांक, यानी वह दिनांक जिस दिन यूनिट का कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल 2014 को या उसके पश्चात् होगी; और

(घ) यूनिट में एक या एक से अधिक मैन्युफ़ैक्चरिंग फ़ैसिलिटी हो सकती हैं, लेकिन सभी फ़ैसिलिटी भारत में ही होंगी।

(7) उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सस्ती आवास इकाइयाँ" निम्नलिखित श्रेणियों की होंगी:

वर्ग	**किराए पर संदेय क्षेत्र (वर्ग मीटर में)**	
	निर्दिष्ट शहर	अन्य शहर
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	पच्चीस तक	30 तक

निम्न आय समूह (एलआईजी)	25 से अधिक और 50 तक	30 से अधिक और 60 तक
मध्यम आय समूह (एमआईजी)	50 से अधिक और 70 तक	60 से अधिक और 85 तक;

(ख) "परिचालन आरंभ होने की दिनांक" से ऐसी दिनांक अभिप्रेत है, जिस दिनांक को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भागीदारी में किफायती आवास स्कीम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना को धारा 46(11)(घ)(vii) के अधीन अधिसूचना हेतु विचार किए जाने हेतु स्वीकृत किया जाता है;

(ग) "आवास इकाई" से ऐसी स्वतंत्र आवासीय इकाई अभिप्रेत है जिसमें रहने, खाना पकाने और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं हों, जो भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से अलग हो –

(i) किसी बाहरी दरवाज़े से या किसी कॉमन हॉलवे के अंदर के दरवाज़े से सीधे पहुँचा जा सके, न कि किसी दूसरे घर के रहने की जगह से होकर; और

(ii) किसी साझा भोजन क्षेत्र को छोड़कर;

(घ) "परियोजना" से किफायती आवास परियोजना अभिप्रत है;

(ङ) "किराया योग्य क्षेत्र" से किसी भी मंजिल स्तर पर कारपेट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें रसोईघर, पेंट्री, स्टोर, शौचालय, स्नानघर, बिना शीशे वाले बरामदे का 50 प्रतिशत और शीशे वाले बरामदे का 100 प्रतिशत कालीन क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार और प्रकाशित भारतीय मानक - इमारतों के प्लिंथ, कालीन और किराया योग्य क्षेत्रों के मापन की विधि, आईएस 3861:2002 के उपबंधों के अनुसार है;

(च) "विनिर्दिष्ट शहरों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) शहरी समूह जिसमें नवीनतम जनगणना के आधार पर सम्मिलित क्षेत्र सम्मिलित हैं, ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदरापश्चात्, बंगलूर, अहमदापश्चात्;

(ii) फरीदापश्चात्, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर, गाजियापश्चात्, गांधीनगर जिले; और

(iii) सिकंदरापश्चात् शहर; और

(छ) "कुल आबंटित किराया क्षेत्र" से सभी प्रस्तावित आवासीय इकाइयों अथवा गैर-आवास इकाइयों के कुल किराया क्षेत्र अभिप्रेत है, परंतु इसमें सामान्य सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए अवधारित क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।

(8) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन इकाई को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "परिचालन आरंभ करने की दिनांक" से ऐसी उस दिनांक अभिप्रेत है जिस दिनांक को इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होता है;

(ग) "सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन" से इंटीग्रेटेड सर्किट अभिप्रेत है जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, 2008 में डिवीज़न 26; ग्रुप 261; क्लास 2610; सब-क्लास 26103 के अधीन आते हैं; और

(घ) "इकाई" से सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण के लिए विनिर्माण सुविधा अभिप्रेत है।

37. धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) कृषि विस्तार परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) को अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:-

(क) परियोजना का कार्य किसानों के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया जाएगा;

(ख) प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहले से मंज़ूरी होनी चाहिए; और

(ग) प्रोजेक्ट पर ₹ 25,00,000 से अधिक व्यय होने की उम्मीद है (किसी ज़मीन या भवन की कीमत के रूप में व्यय नहीं)।

(2) कोई भी परियोजना प्रारंभ करने से पहले, निर्धारिती को धारा 47(1)(क) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए प्ररूप सं. 20 में सदस्य (आईटी), सीबीडीटी को आवेदन करना होगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित भी संलग्न होंगे-

(क) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से परियोजना को मंजूरी देने वाला तथा परियोजना पर होने वाले अनुमानित व्यय की रकम निर्दिष्ट करने वाला पत्र;

(ख) निर्धारिति द्वारा किए जाने वाले एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर एक डिटेल्ड नोट; और

(ग) प्रोजेक्ट पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा और प्रोजेक्ट के पूरा होने की अनुमानित दिनांक।

(4) जहां उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन में कोई दोष देखा जाता है या उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो बोर्ड अपने कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व आवेदक को दोष के सुधार के लिए सूचित करेगा।

(5) आवेदक को उस माह के अन्त से एक माह की अवधि के अन्दर दोष दूर करना होगा जिसमें उसे सूचना पत्र संदत्त है।

(6) जहां आवेदक उपनियम (5) में उल्लिखित अवधि के भीतर कमी को दूर करने में विफल रहता है, तो बोर्ड उक्त उपनियम में निर्दिष्ट समय अवधि से एक महीने के भीतर आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित करेगा।

(7) यदि आवेदन सभी मामलों में पूरा है, तो बोर्ड तिमाही के अंत से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, परियोजना को निर्दिष्ट करते हुए प्ररूप संख्या 21 में धारा 47(1)(क) के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगा, नियम 38 में उल्लिखित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जैसा कि वह ठीक समझे, तीन कर वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रभावी होगी।

(8) निर्धारिती उपनियम (7) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले ऐसी परियोजना को आगे की अवधि के लिए अधिसूचित करने के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकता है।

(9) बोर्ड उपनियम (8) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त से अधिसूचना की अवधि के दौरान परियोजना की गतिविधियों और नियम 38 में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति, जिसमें कोई अन्य शर्तें, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगी, जिनके अधीन परियोजना को उपनियम (7) के अधीन अधिसूचित किया गया था, के संबंध में रिपोर्ट मांगेगा।

(10) परियोजना पर उपनियम (9) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट से समाधान होने पर बोर्ड उस तिमाही की समाप्ति से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे उपनियम (8) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होते हैं, उक्त परियोजना को तीन कर वर्षों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए अधिसूचित कर सकता है।

(11) बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि--

(क) निर्धारिति ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं, या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या

(ख) इसकी गतिविधियाँ इस नियम या नियम 38 के सभी या किसी भी संबंधित उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं; या

(ग) इसकी गतिविधियाँ उन सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उपनियम (7) अथवा उपनियम (10) के अधीन जारी अधिसूचना को वापस लेने का आदेश पारित करेगा।

(12) अधिसूचना, अनुमोदन, अस्वीकृति या निरस्तीकरण की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी-

(क) आवेदक;

(ख) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार;

(ग) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय-कर आयुक्त;

(घ) संबंधित राज्य का कृषि विभाग; और

(ङ) संबंधित जिले की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण।

38. धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजनाओं की अधिसूचना के लिए शर्तें.- (1) कृषि विस्तार परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) प्रारंभ करने वाला निर्धारिती धारा 47(1)(क) के अधीन अधिसूचित परियोजना की अलग-अलग खाता बही रखेगा और धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परियोजना के लिए रखी गई खाता-बहियों की सही और निष्पक्ष स्थिति, परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता तथा अधिनियम, नियमों अथवा नियम 37 के अधीन जारी अधिसूचना के सुसंगत उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित होंगी।

(3) निर्धारिती पात्र परियोजना के अधीन प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन अथवा ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षा या मार्गदर्शन हेतु वितरित किसी सामग्री के लिए लाभार्थी से अधिसूचना में अनुमोदित रकम से अधिक रकम स्वीकार नहीं करेगा।

(4) निर्धारिती को धारा 47(1)(क), नियम 37 तथा इस नियम के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के सिवाय अधिसूचित परियोजना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(5) धारा 47(1)(ए) के अधीन कटौती के लिए पात्र व्यय, किसी पात्र परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए सभी व्यय होंगे, जो कि निम्न द्वारा घटाए जाएंगे

(क) लाभार्थी से प्राप्त रकम;

(ख) किसी भूमि या भवन की लागत;

(ग) परियोजना पर कोई व्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से निर्धारिती को प्रतिपूर्ति की जाती है या प्रतिपूर्ति योग्य है।

(6) निर्धारिती धारा 263(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत दिनांक को या उसके पूर्व आय-कर आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगाः-

(क) कर वर्ष के लिए परियोजना के खातों का ऑडिट किया गया विवरण, ऑडिट रिपोर्ट तथा धारा 47(1)(क) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम;

(ख) कर वर्ष के दौरान किए गए प्रोजेक्ट पर एक नोट, चालू साल के दौरान किए जाने वाले प्रोजेक्ट का प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम के लिए वित्तीय एलोकेशन; और

(ग) कर वर्ष के दौरान निर्धारिति द्वारा किए गए प्रोजेक्ट के वास्तविक होने के बारे में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट।

(7) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि-

(क) निर्धारितिज़ ने प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेखा बुक्स नहीं रखी हैं या सब-नियम (1) के अनुसार लेखा बुक्स का किसी अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया है; या

(ख) निर्धारिती ने उपनियम (6) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं; या

(ग) निर्धारिति ने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है; या

(घ) निर्धारिति के प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) परियोजना की गतिविधियाँ अधिनियम, नियमों या उन शर्तों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन नियम 37 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर नियम 37(11) के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई हेतु बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

39. धारा 47(1)(ख) के अधीन कौशल विकास परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया.- (1) किसी कौशल विकास परियोजना (जिसे इसमें परियोजना कहा गया है) को अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा, यदि यह किसी पात्र कंपनी द्वारा प्रारंभ की जाती है और परियोजना किसी प्रशिक्षण संस्थान में एक अलग सुविधा में प्रारंभ की जाती है।

(2) कोई भी परियोजना आरंभ करने से पहले, पात्र कंपनी धारा 47(1)(ख) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (जिसे यहां "राष्ट्रीय परिषद" कहा जाएगा) को प्ररूप संख्या 22 में आवेदन करेगी।

(3) आवेदन की एक प्रति आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आय-कर आयुक्त को भी भेजी जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय परिषद को आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में एक पावती रसीद भी भेजी जाएगी।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-

(क) उस प्रशिक्षण संस्थान से सहमति पत्र जिसमें परियोजना आरंभ की जानी है;

(ख) एलिजिबल कंपनी द्वारा किए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एक डिटेल्ड नोट; और

(ग) प्रोजेक्ट पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा और प्रोजेक्ट के पूरा होने की अनुमानित दिनांक।

(5) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र में कोई दोष पाया जाता है, अथवा उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीय परिषद् अपने कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व आवेदक को दोष के सुधार हेतु सूचित करेगी।

(6) आवेदक को कमी दूर करने हेतु सूचना पत्र तामील किये जाने वाले माह की समाप्ति से एक माह की अवधि के अन्दर कमी दूर करनी होगी।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में उल्लिखित अवधि के अन्दर कमी को दूर करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय परिषद आवेदन को अवैध मानने की अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजेगी।

(8) उपनियम (7) के अधीन राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश प्राप्त होने पर बोर्ड, यदि समाधान हो तो, आवेदन को अवैध मानते हुए आदेश पारित कर सकता है।

(9) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है,-

(i) नेशनल काउंसिल, योग्य कंपनी या ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से ऐसी पूछताछ कर सकती है या ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जिन्हें वह एप्लीकेंट की स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी विद्यमान और प्रस्तावित एक्टिविटी की असलियत के बारे में स्वयं को समाधान करने के लिए ज़रूरी समझे; और

(ii) आवेदन-पत्र को मंजूरी देने या नामंजूर करने के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिश उस महीने की समाप्ति से दो महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व भेजेगा जिसमें सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र उसके कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

(10) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय-कर आयुक्त, आवेदन की प्रति उसके कार्यालय में प्राप्त होने वाले माह की समाप्ति से एक माह की समाप्ति के पूर्व, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के साथ आवेदक के अनुपालन पर विचार करने के पश्चात, आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद को अपनी सिफारिश भेजेगा।

(11) यदि राष्ट्रीय परिषद उपनियम (9) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश करती है तो बोर्ड उस तिमाही के अंत से दो महीने के भीतर, जिसमें उसे राष्ट्रीय परिषद से रिपोर्ट प्राप्त होती है, धारा 47(1)(ख) के अधीन प्ररूप संख्या 23 में एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें परियोजना को नियम 40 में उल्लिखित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जैसा वह ठीक समझे, तीन कर वर्षों से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी होने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(12) यदि राष्ट्रीय परिषद उपनियम (9) के अधीन आवेदन को अस्वीकृत करने की सिफारिश करती है तो बोर्ड आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा।

(13) यदि बोर्ड अधिसूचना की अवधि के दौरान परियोजना की गतिविधियों से समाधान है तो वह राष्ट्रीय परिषद के परामर्श से उक्त परियोजना को आगे की अवधि के लिए अधिसूचित कर सकता है।

(14) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि--

(क) योग्य कंपनी या ट्रेनिंग संस्थान ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं, या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या

(ख) इसकी गतिविधियाँ निम्नलिखित के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं-

(i) अधिनियम या इस नियम या नियम 40 के सभी या कोई सुसंगत उपबंध; या

(ii) वे शर्तें जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उपनियम (11) अथवा उपनियम (13) के अधीन जारी अधिसूचना को वापस लेने का आदेश पारित कर सकेगा।

(15) अधिसूचना, अनुमोदन, अस्वीकृति या निरस्तीकरण की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी-

(क) आवेदक;

(ख) राष्ट्रीय परिषद;

(ग) प्रशिक्षण संस्थान; और

(घ) आवेदक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आय-कर आयुक्त।

40. वे शर्तें जिनके अधीन किसी कौशल विकास परियोजना को धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचित किया जाना है.- (1) कौशल विकास परियोजना (जिसे यहां परियोजना कहा गया है) प्रारंभ करने वाली कंपनी धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचित परियोजना के लिए अलग से खाता बही बनाए रखेगी और धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी खाता बही की लेखा परीक्षा कराएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परियोजना के लिए रखी गई खाता-बहियों की सही और निष्पक्ष स्थिति, परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता तथा अधिनियम, नियमों के सुसंगत उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों या नियम 39 के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित होंगी।

(3) कंपनी के विद्यमान कर्मचारियों से संबंधित कोई परियोजना धारा 47(1)(ख) के अधीन अधिसूचना के लिए पात्र नहीं होगी, जहां ऐसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण उनकी भर्ती के छह महीने के पश्चात आरंभ होता है।

(4) धारा 47(1)(ख) के अधीन कटौती के लिए पात्र व्यय, किसी पात्र परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत सभी व्यय होंगे, जिसमें से निम्न घटाया जाएगा-

(क) किसी भूमि या भवन की लागत; और

(ख) परियोजना पर कोई व्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती को प्रतिपूर्ति की जाती है या प्रतिपूर्ति योग्य है।

(5) कंपनी धारा 263(1) के अधीन आय-कर रिटर्न दाखिल करने की नियत दिनांक को या उससे पूर्व कर वर्ष के लिए परियोजना के खातों का ऑडिट किया हुआ विवरण, ऑडिट रिपोर्ट और धारा 47(1)(ख) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आय-कर आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।

(6) यदि आय-कर आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि,—

(क) कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेखा बुक नहीं रखी हैं या सब-नियम (1) के अनुसार लेखा बुक का किसी अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाया है; या

(ख) कंपनी ने उपनियम (5) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं; या

(ग) कंपनी ने प्रोजेक्ट की गतिविधियां बंद कर दी हैं; या

(घ) कंपनी के प्रोजेक्ट की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं; या

(ङ) कंपनी की परियोजना की गतिविधियाँ अधिनियम, नियमों या उन शर्तों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन नियम 39 के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी,

वह उचित जाँच करने के पश्चात खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर नियम 39(14) के अधीन उचित कार्रवाई हेतु बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद अधिसूचित परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में समाधान नहीं है, तो वह नियम 39(14) के अधीन उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजेगी।

(8) इस नियम और नियम 39 के प्रयोजनों के लिए ,-

(क) "पात्र कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो-

(i) किसी ऐसी चीज़ या सामान के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के कारबार में लगा हुआ है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट चीज़ों या चीज़ों की लिस्ट के क्रम सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट चीज़ या चीज़ नहीं है; या

(ii) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं:

1. लेखा सेवाएँ;

2. वास्तुकार सेवाएँ;

3. ऑटोमोबाइल मरम्मत या रखरखाव;

4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ जिनमें एटीएम स्थापना, रखरखाव और संचालन या बैंकिंग संवाददाता या बीमा एजेंट सम्मिलित हैं;

5. सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन, जिसमें हेयर स्टाइलिंग या मैनीक्योरिस्ट या पैडीक्योरिस्ट सम्मिलित हैं;

6. केबल ऑपरेटर या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं;

7. कार्गो हैंडलिंग और स्टीवडोरिंग सेवाएं;

8. निर्माण जिसमें पेंटिंग या लकड़ी का कार्य या पाइपलाइन या फर्श या विद्युत की वायरिंग या लिफ्टों की स्थापना या रखरखाव सम्मिलित है;

9. कूरियर सेवाएँ;

10. फैशन या रत्न और आभूषण या परिधान या औद्योगिक डिजाइनिंग सहित डिजाइन सेवाएं;

11. इवेंट प्रबंधन;

12. सुविधा प्रबंधन, हाउसकीपिंग, सफाई सेवाएं;

13. अग्नि एवं सुरक्षा सेवाएँ;

14. खाद्य प्रसंस्करण या संरक्षण सेवाएं, जिसमें कटाई के पश्चात् और फार्म-गेट के पश्चात् के कौशल सम्मिलित हैं;

15. स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएँ जिनमें स्पा या पोषण विशेषज्ञ या वजन प्रबंधन या स्वास्थ्य प्रशिक्षक या योग या जिम प्रशिक्षक सम्मिलित हैं;

16. गृह सज्जा सेवाएं, भूनिर्माण;

17. अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा सेवाएँ, जैसे लैब तकनीशियन, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ;

18. आतिथ्य, जिसमें पाक कला कौशल या खानपान सेवाएं सम्मिलित हैं;

19. किसी भी रीति से रसद और परिवहन, जिसमें वायु, समुद्र, सड़क, रेल या पाइपलाइन सम्मिलित हैं, और संबंधित सेवाएं जैसे भारी मशीनरी उपकरण का ड्राइविंग या संचालन, अग्रेषण एजेंट, पैकर्स और मूवर्स;

20. बाजार अनुसंधान सेवाएँ;

21. मीडिया या फिल्म या विज्ञापन;

22. हाइड्रोकार्बन सहित खनिज संसाधनों का खनन और निष्कर्षण;

23. पैकेजिंग और भंडारण, जिसमें परिवेश के तापमान पर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज, आंतरिक कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का संचालन सम्मिलित है;

24. पत्तन और समुद्री सेवाएं जैसे ड्रेजिंग, पायलटिंग, टग बोट परिचालन, पोत निर्माण, पोत स्क्रैपिंग और बंकरिंग;

25. विद्युत क्षेत्र की सेवाएँ, जिनमें उत्पादन, पारेषण या वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं में उपकरणों या टावरों इत्यादि के निर्माण, स्थापना या रखरखाव के लिए आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित हैं;

26. निजी सुरक्षा, जिसमें गार्ड, पर्यवेक्षक, सुरक्षा उपकरणों की स्थापना एवं रखरखाव इत्यादि सम्मिलित हैं;

27. प्रशीतन और वातानुकूलन;

28. मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ, जिसमें घरेलू सामान या सफेद वस्तुओं की स्थापना और सर्विसिंग सम्मिलित है;

29. स्वयंरा विपणन, जिसमें दुकान के फर्श सहायक या व्यापारी सम्मिलित हैं;

30. टेलीकॉम सेवा, जिसमें टावर लगाना और मेंटेनेंस सम्मिलित है; और

31. यात्रा और पर्यटन, जिसमें गाइड या टिकटिंग या विक्रय या कैब ड्राइव सम्मिलित हैं;

(ख) "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद" से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्लू दिनांक 05.12.2018 के द्वारा गठित राष्ट्रीय परिषद अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" से राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण परिषद अभिप्रेत है; और

(घ) "प्रशिक्षण संस्थान" से ऐसा प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है, जो-

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित;

(ii) राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध;

(iii) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध, उसके द्वारा अनुमोदित, या उसके पैनल में सम्मिलित;

(iv) केंद्रीय सरकार से जुड़ा हुआ, या उसके द्वारा मंज़ूर, या उसके पैनल में सम्मिलित और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा सर्टिफाइड, जिसके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से संसक्त ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के बराबर हैं; या

(v) राज्य सरकार से सम्बद्ध या उसके द्वारा अनुमोदित या पैनल में सम्मिलित और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कि उसके प्रशिक्षण मानक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद या, जैसा भी मामला हो, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के समतुल्य हैं।

41. दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग का अधिकार प्राप्त करने हेतु व्यय.- (1) धारा 52(7)(क) के प्रयोजनों के लिए, धारा 52(1)[सारणी: क्रम संख्या 3] के साथ पठित, "वास्तव में भुगतान किया गया" शब्द का अर्थ होगा,—

(क) जहां किसी निर्धारिति ने स्पेक्ट्रम फीस का पूरा अपफ्रंट संदाय करने का विकल्प चुना है और डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स, भारत सरकार ने उसे इसकी इजाज़त दी है, तो व्यय का वास्तव संदाय , चाहे व्यय की लायबिलिटी किसी भी कर वर्ष में हुई हो, निर्धारिति द्वारा रेगुलर प्रयोग किए जाने वाले अकाउंटिंग के रीति के अनुसार होगा; या

(ख) जहां किसी निर्धारिती ने आस्थगित भुगतान करने का विकल्प चुना है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा उसे अनुमति दी गई है, तो वह रकम जो निर्धारिती द्वारा देय होती यदि उसने स्पेक्ट्रम शुल्क का पूर्ण अग्रिम भुगतान करने का विकल्प चुना होता , चाहे जिस भी कर वर्ष में व्यय के लिए देयता हुई हो, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार।

(2) उपनियम (1)(ख) में निर्दिष्ट आस्थगित भुगतान के मामले में, जहां निर्धारिती भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की स्कीम द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है और दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम के आबंटन या असाइनमेंट को समाप्त कर देता है, कर निर्धारण अधिकारी, धारा 52(5) के अधीन उसमें निहित शक्ति के प्रयोग में, उस कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः गणना करेगा जिसमें कटौती का दावा किया गया है और उसे यह मानते हुए प्रदान की गई है कि-

(क) टर्मिनेशन की दिनांक तक चुकाई गई कुल स्पेक्ट्रम फीस "वास्तव में चुकाई गई" रकम है; और

(ख) धारा 52(1) द्वारा अपेक्षित कर वर्षों की संख्या अवधारित करने के प्रयोजन के लिए स्पेक्ट्रम उसकी समाप्ति की दिनांक तक प्रभावी था [सारणी: क्रम संख्या 3, स्तंभ डी]।

42. निर्दिष्ट वित्तीय संस्था के खराब और संदिग्ध ऋण पर ब्याज के संबंध में विशेष उपबंध.- (1) धारा 56 के उपबंध प्रत्येक सार्वजनिक वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विनिधान निगम के मामले में लागू होंगे, यदि ब्याज से उसकी आय खराब या संदिग्ध ऋणों की निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित है,—

(क) किसी ऋण या अग्रिम रकम के संबंध में, जहां,—

(i) ब्याज या मूलधन की किस्त एक सौ अस्सी दिन से अधिक समय से बकाया है; या

(ii) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय के कारण लेखा खराब रहता है; या

(iii) खरीदे और छूट किए गए बिलों के मामले में बिल एक सौ अस्सी दिन से अधिक समय से ओवरड्यू है; या

(iv) कम समय की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों से बकाया है; या

(v) लंबे समय की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए बकाया रह गई हो; या

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडर्ड आस्तियों का सिक्योरिटाइज़ेशन) निर्देश, 2021 के अनुसार किए गए सिक्योरिटाइज़ेशन संव्यवहार के लिए लिक्विडिटी सुविधा की रकम एक सौ अस्सी दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है; या

(vii) व्युत्पन्न संव्यवहार के मामले में, व्युत्पन्न कॉन्ट्रैक्ट की पॉज़िटिव मार्क-टू-बाजार मूल्य दिखाने वाले ओवरड्यू रिसीवेबल्स, यदि संदाय की अवधारित दिनांक से एक सौ अस्सी दिन के समय तक इनका संदाय नहीं किया जाता है; और

(ख) किसी खाते के संबंध में, जहां,—

(i) एक वर्किंग पूंजी बॉरोअल लेखा जिसमें लगातार 180 दिनों तक इर्रेगुलर ड्रॉइंग हो, भले ही यूनिट कार्य कर रही हो या बॉरोअर की वित्तीय हालत ठीक हो और इस मकसद के लिए, छह महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट से संगणित की गई ड्रॉइंग पावर के आधार पर लेखा में बकाया को इर्रेगुलर माना जाएगा; या

(ii) रेगुलर या एड हॉक प्रत्यय सीमा को ड्यू डेट या एड हॉक मंज़ूरी की दिनांक से एक सौ अस्सी दिनों के अंदर रिव्यू या रिन्यू नहीं किया गया है; या

(iii) सिक्योरिटी का मूल्य में कमी आई है और सिक्योरिटी की मिलने वाली मूल्य, बैंक द्वारा अवधारित की गई या पिछले इंस्पेक्शन के समय रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा मानी गई मूल्य के 50% से कम है; या

(iv) बैंक या अनुमोदित निर्धारितीओं या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया रकम के 10% से कम है।

(2) धारा 56 के उपबंध प्रत्येक पब्लिक कंपनी के मामले में लागू होंगे , जहां ब्याज के रूप में उसकी आय खराब और संदिग्ध ऋणों की निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित है: -

(क) (i) संदिग्ध संपत्ति, अर्थात ऐसा ऋण जो दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की गैर-निष्पादित संपत्ति बना रहा हो;

(ii) उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट गैर-निष्पादित संपत्ति निम्नलिखित होगी:—

(अ) एक संपत्ति, जिसके संबंध में ब्याज एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया है;

(आ) एक अवधि ऋण (किसी कृषक या ऐसे व्यक्ति को दिए गए ऋण से भिन्न जिसकी आय फसलों की कटाई पर निर्भर है) अवैतनिक ब्याज सहित, जब किस्त एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया है या जिस पर ब्याज रकम एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया है;

(इ) मांग या मांग ऋण, जो मांग या मांग की दिनांक से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा हो या जिस पर ब्याज रकम एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही हो;

(ई) ऐसा बिल जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि से अतिदेय हो;

(उ) अल्पकालिक ऋण या अग्रिम की प्रकृति में 'अन्य चालू आस्तियों' शीर्षक के अधीन ऋण के संबंध में ब्याज या प्राप्य रकम पर आय, जो सुविधा एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही है;

(ऊ) आस्तियों की विक्रय या प्रदान की गई सेवाओं या किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण कोई बकाया रकम, जो एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही हो;

(ऋ) पट्टा किराया और किराया क्रय किस्त, जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गई है;

(ए) किसी कृषक या ऐसे व्यक्ति को संदत्त सावधि ऋण, जिसकी आय फसलों की कटाई पर निर्भर करती है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं किया गया है -

(i) ड्यू डेट के पश्चात् दो क्रॉप सीज़न के लिए यदि बॉरोअर की आय कम समय की फसलों पर निर्भर है; या

(ii) देय दिनांक के पश्चात् एक फसल मौसम के लिए, यदि उधारकर्ता की आय दीर्घकालिक फसल पर निर्भर है;

(ऐ) लोन, एडवांस और दूसरी प्रत्यय सुविधाओं (खरीदे और छूट किए गए बिलों सहित) के मामले में, प्रत्यय सुविधाओं के अधीन बकाया अतिशेष (जमा हुआ ब्याज

सहित) जो उसी कर्जदार या बेनिफिशियरी को दिया जाता है, जब ऊपर विनिर्दिष्ट कोई भी प्रत्यय सुविधा नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति बन जाती है; और

(ख) हानि संपत्ति, अर्थात ऐसी संपत्ति जिसकी पहचान हानि संपत्ति के रूप में की गई है तथा जिसे वसूली योग्य नहीं माना गया है, परंतु निर्धारिती द्वारा उसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए--

(क) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय खाता "आउट ऑफ ऑर्डर" माना जाएगा, यदि--

(i) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय लेखा में बकाया अतिशेष, मंज़ूर सीमा या ड्रॉइंग पावर से लगातार एक सौ अस्सी दिनों तक अधिक रहता है; या

(ii) ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय खाते में बकाया रकम स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से कम है, लेकिन एक सौ अस्सी दिनों तक लगातार कोई प्रत्यय नहीं है, या ओवरड्राफ्ट या नकद प्रत्यय खाते में बकाया रकम स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से कम है, लेकिन प्रत्यय पिछले एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) "दीर्घ अवधि की फसल" से एक वर्ष से अधिक लंबे फसल मौसम वाली फसल अभिप्रेत है;

(ग) "पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,—

(i) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(71) के अर्थान्तर्गत एक पब्लिक कंपनी है;

(ii) जिसका मुख्य मकसद भारत में रहने के मकसद से घर बनाने या क्रय करने के लिए लंबे समय का फाइनेंस देने का कारबार करना है; और

(iii) जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 29ए के अधीन या स्थानीय सरकार द्वारा जारी आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 1989 या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है।

(घ) "अल्प अवधि की फसल" से ऐसी फसल अभिप्रेत है जो दीर्घकालिक फसल नहीं है;

(ङ) "प्रत्येक फसल के लिए फसल मौसम" से फसलों की कटाई तक की अवधि अभिप्रेत है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अवधारित किया जा सकता है;

43. धारा 59(4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.- किसी अनिवासी (कंपनी न होने पर) या विदेशी कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसे धारा 59(4) के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 24 में होगी।

44. धारा 61(2) के अधीन क्रूज पोतों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें [सारणी: क्रम संख्या 2]।— धारा 61(2) [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए, क्रूज पोतों के संचालन के व्यवसाय में लगे अनिवासी निर्धारिती,—

(क) दो सौ से अधिक यात्रियों की वहन क्षमता या पचहत्तर मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले यात्री पोत को अवकाश तथा मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चलाना, जिसमें यात्रियों के लिए उपयुक्त भोजन तथा केबिन की सुविधा हो;

(ख) ऐसे पोत को भारत के कम से कम दो समुद्री बंदरगाहों या भारत के समान बंदरगाहों को दो बार स्पर्श करते हुए अनुसूचित यात्रा या तटीय भ्रमण पर संचालित करना;

(ग) ऐसे जहाज़ को मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए चलाना, न कि माल ले जाने के लिए; और

(घ) ऐसे पोत को पर्यटन मंत्रालय या **पत्तन,** पोत परिवहन **और जलमार्ग** मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार संचालित करना।

45. धारा 61(2) [सारणी: क्रम संख्या 6] के प्रयोजनों के लिए एक निवासी कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें.— (1) धारा 61(2) [सारणी: क्रम संख्या 6] के प्रयोजनों के लिए, एक निवासी कंपनी,—

(क) केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नोटिफ़ाई की गई और समय-समय पर बदली गई **किसी स्कीम** के अधीन भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, आर्टिकल या चीज़ बनाने या बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण फ़ैसिलिटी या उससे जुड़ी फ़ैसिलिटी स्थापित या चला रहा हो; और

(ख) उस कर वर्ष में किसी भी समय ऐसी स्कीम के लिए अयोग्य नहीं होगा जिसके लिए नॉन-रेसिडेंट की आय के लिए कर संगणित किया जाना है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'इलेक्ट्रॉनिक्स सामान' का तात्पर्य उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम के अधीन आने वाले सामानों से है, जिसमें उनकी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित है।

46. धारा 62 के अधीन लेखा पुस्तकों का रखरखाव.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 62(1) के अधीन लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने की आवश्यकता है, ऐसी लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जो मूल्यांकन अधिकारी को अधिनियम के अधीन उसकी कुल आय की गणना करने में सक्षम बनाएं।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकला की वृत्ति या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सज्जा की वृत्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि या फिल्म कलाकार की वृत्ति करता है, उपनियम (4) में निर्दिष्ट खाता पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा और बनाए रखेगा।

(3) उपनियम (2) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(i) किसी व्यक्ति के मामले में किसी कर वर्ष के संबंध में, यदि वृत्ति में उसकी कुल आय कर वर्ष से ठीक पहले के तीन सालों में से किसी एक साल में एक लाख पचास हज़ार रुपये से अधिक नहीं है; या

(ii) जहां कर वर्ष में वृत्ति नया प्रारंभ किया गया है, उस वर्ष वृत्ति में उसकी कुल सकल प्राप्तियां उक्त रकम से अधिक होने की संभावना नहीं है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट खाता बहियां तथा अन्य दस्तावेज निम्नलिखित होंगे:-

(क) नकद बुक; या

(ख) एक जर्नल, यदि लेखा मर्कैंटाइल अकाउंटिंग प्रणाली के अनुसार अनुरक्षित किए जाते हैं; या

(ग) एक खाता बही; या

(घ) दो सौ पचास रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए, उसके द्वारा जारी किए गए बिल या रसीद की कॉपी; या

(ङ) उस व्यक्ति द्वारा किए गए 250 रुपये या उससे अधिक के व्यय के संबंध में उसे जारी किए गए ओरिजिनल बिल और रसीदें; या

(च) व्यक्ति द्वारा तैयार तथा हस्ताक्षरित भुगतान वाउचर, जहां किया गया व्यय दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है, और व्यक्ति द्वारा रखी गई रोकड़ बही में ऐसे व्यय के संबंध में पर्याप्त विवरण नहीं हैं ;

(5) इस नियम में,-

(क) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, किसी शुल्क या पारिश्रमिक के भुगतान पर, उसके समक्ष करता है-

(i) किसी अधिकरण द्वारा ; या

(ii) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन गठित या नियुक्त कोई प्राधिकरण ;

परंतु इसमें प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति का कर्मचारी या कानूनी वृत्ति करने वाला व्यक्ति या लेखाशास्त्र की वृत्ति करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(ख) "नकद बही" से समस्त नकद प्राप्तियों और भुगतानों का अभिलेख अभिप्रेत है, जो दिन-प्रतिदिन रखा और अनुरक्षित किया जाता है तथा जिसमें प्रत्येक दिन के अंत में या एक माह से अधिक नहीं की निर्दिष्ट अवधि के अंत में नकद शेष रकम दी जाती है;

(ग) "फिल्म कलाकार" से ऐसे किसी व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी वृत्तिक क्षमता से किसी चलचित्र फिल्म के निर्माण में लगा हुआ है, चाहे वह फिल्म उसके द्वारा निर्मित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जैसे-

(i) कोई अभिनेता; या

(ii) कैमरामैन; या

(iii) कोई निदेशक, जिसके अधीन सहायक निदेशक भी है; या

(iv) एक संगीत निर्देशक, जिसमें एक सहायक संगीत निर्देशक भी सम्मिलित है; या

(v) एक कला निर्देशक, जिसमें एक सहायक कला निर्देशक भी सम्मिलित है; या

(vi) नृत्य निर्देशक, जिसके अधीन सहायक नृत्य निर्देशक भी है; या

(vii) कोई संपादक; या

(viii) कोई गायक; या

(ix) गीतकार; या

(x) एक कहानीकार; या

(xi) पटकथा लेखक; या

(xii) संवाद लेखक; या

(xiii) ड्रेस डिजाइनर।

(6) चिकित्सा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट खाता बहियों तथा अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित रखेगा तथा उसका रखरखाव करेगाः-

(i) प्ररूप संख्या 25 में दैनिक मामला रजिस्टर;

(ii) कर वर्ष के पहले और अंतिम दिन तक उसके वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त औषधियों, दवाइयों और अन्य उपभोज्य सामानों के स्टॉक की व्यापक शीर्षकों के अधीन एक सूची ;

(7) उपनियम (1), (4) तथा (6) में विनिर्दिष्ट खाता बही तथा अन्य दस्तावेज, जो समाप्त हो चुके कर वर्ष से संबंधित नहीं हैं, निम्नलिखित स्थान पर व्यक्ति द्वारा रखे तथा अनुरक्षित किए जाएंगे-

(क) वह जगह जहां वह प्रोफ़ेशन कर रहा है; या

(ख) जहां वृत्ति एक से अधिक जगहों पर किया जाता है, वहां अपने वृत्ति की मुख्य जगह पर; या

(ग) यदि वह व्यक्ति हर उस जगह के लिए अलग-अलग लेखा बुक रखता है जहाँ वह प्रोफ़ेशन चलाया जाता है, तो ऐसी लेखा बुक और दूसरे डॉक्यूमेंट उन जगहों पर रखे और अनुरक्षित किए जा सकते हैं जहाँ वह प्रोफ़ेशन चलाया जाता है।

(8) उपनियम (1), (4) और (6) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई खाता बहियाँ और अन्य दस्तावेज़ भारत में हर समय सुलभ रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई ऐसी खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों का बैक-अप भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाएगा और उन्हें दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

(9) उपनियम (1), (4) तथा (6) में विनिर्दिष्ट खाता बही तथा अन्य दस्तावेज संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से सात कर वर्षों की अवधि तक रखे जाएंगे।

(10) जहां किसी कर वर्ष से संबंधित मूल्यांकन आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 279 या धारा 147 के अधीन पुनः खोला गया है, जैसा कि यह इसके निरसन से पहले विद्यमान था,

खाता पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की सभी पुस्तकें जो मूल्यांकन के पुनः खोलने के समय रखी गई थीं और अनुरक्षित की गई थीं, उन्हें तब तक रखा और अनुरक्षित किया जाना जारी रहेगा जब तक कि इस प्रकार पुनः खोला गया मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता।

47. धारा 63 के अधीन लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.- (1) धारा 63 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली किसी व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट,—

(क) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो व्यवसाय या वृत्ति करता है और जिसे अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता है, तो प्ररूप् संख्या 26 में होगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो कारोबार या वृत्ति करता है, किन्तु खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, फार्म संख्या 26 में होगा।

(2) धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण भी प्ररूप संख्या 26 में होंगे।

(3) इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट को व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 515(ख) में परिभाषित लेखाकार से संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करके, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित करके संशोधित किया जा सकता है और इसे उस कर वर्ष के पश्चात् आने वाले सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिए रिपोर्ट संबंधित है, यदि उपनियम (1) और (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसके लिए धारा 35 या धारा 37 के अधीन अस्वीकृति की पुनर्गणना करना आवश्यक हो जाता है।

48. भुगतान के अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति.- अनुसूची VIII [सारणी: क्रम.सं. 1.घ(घ), धारा 66(32), धारा 146(5)(क)(ii)(ख), धारा 185, 186 और 188 के प्रयोजनों के लिए, भुगतान के अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति निम्नलिखित होंगे:—

(क) प्रत्यय कार्ड;

(ख) डेबिट कार्ड;

(ग) नेट बैंकिंग;

(घ) आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा);

(ङ) यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस);

(च) आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट);

(छ) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण);

(ज) भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे; और

(झ) टियर- III: पूर्ण केवाईसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट, पी-सीबीडीसी, थोक/क्रॉस-बॉर्डर सीबीडीसी।

49. धारा 67(5) के प्रयोजनों के लिए पूंजी अभिलाभ की गणना.- (1) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसी के अधीन कोई रकम प्राप्त करता है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर आबंटित कोई बोनस भी सम्मिलित है, तो **निम्नलिखित सारणी के स्तंभ** बी में निर्दिष्ट स्थितियों में ऐसी रकम की प्राप्ति से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ की **गणना उसके स्तंभ ग** के अनुसार की जाएगी ;

सारणी

क्रम संख्या	स्थिति	पूंजी अभिलाभ
क	ख	ग
1.	जहां कर वर्ष के दौरान पहली बार रकम मिली हो	अब कहाँ, क=पहली बार मिली रकम, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के तौर पर दी गई रकम भी सम्मिलित है; और ख= विनिर्दिष्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के समय के दौरान संदाय किए गए प्रीमियम का कुल जोड़, जिसे 'क' कहा गया है, रकम मिलने **की** दिनांक तक ।
2.	जहां रकम कर वर्ष के दौरान मिली हो, वहां रकम मिलने के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट **है** ।	ग-घ कहाँ, - ग = में विनिर्दिष्ट रकम मिलने के पश्चात् किसी भी समय मिली हो , जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के तौर पर दी गई रकम सम्मिलित है, जिसमें वह रकम सम्मिलित नहीं है जिसे पहले कर वर्ष या सालों के दौरान इस सब-नियम के अधीन टैक्सेबल रकम के कैलकुलेशन के लिए पहले ही माना जा चुका है; और घ = विनिर्दिष्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के समय के दौरान 'ग' नाम की रकम मिलने की दिनांक तक चुकाए गए प्रीमियम का कुल जोड़, जिसमें से वह प्रीमियम घटाया गया है जिसे पहले के कर वर्ष या सालों के दौरान इस सब-नियम के अधीन टैक्सेबल रकम के कैलकुलेशन के लिए पहले ही माना जा चुका है।

(2) उपनियम (1) के अधीन संगणित पूंजी अभिलाभ, किसी बीमा कंपनी की स्कीम के अधीन स्थापित इक्विटी उन्मुख निधि की एक इकाई के अन्तरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ माना जाएगा, जिसमें यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसियां सम्मिलित हैं।

(3) इस नियम में "विनिर्दिष्ट यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी" का तात्पर्य धारा 2(22)(सी) में निर्दिष्ट किसी यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी **से है।**

50. धारा 67(10) के अधीन कर योग्य आय को धारा 72 के अधीन विनिर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति**यों में आरोपित किया जाना.-** (1) धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए, धारा 67(10) के अधीन विनिर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में आय-कर के लिए देय रकम, इस नियम में प्रदान की गई रीति **से विनिर्दिष्ट इकाई के पास शेष** पूंजी आस्ति **में आरोपित की जाएगी।**

(2) जहां किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त धन के मूल्य और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का कुल योग, उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक, जो धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय है, किसी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या निर्दिष्ट इकाई की स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित है, धारा 72(5) के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट इकाई के पास पूंजीगत आस्ति से संबंधित शेष रकम होगी-

क= ख*(ग/घ)।

कहाँ,-

क= धारा 72(5) के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति से संबंधित रकम;

ख= धारा 67(10) के अधीन प्रभारित रकम;

ग= पुन:मूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण, विनिर्दिष्ट इकाई के पास बचे आस्ति का मूल्य में वद्धि, या उसकी पहचान; और

घ= पुन:मूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण सभी आस्तियों का मूल्य में वद्धि या पहचान का कुल योग।

(3) जहां धन के मूल्य और पूंजीगत आस्ति के उचित बाजार मूल्य का कुल योग, निर्दिष्ट इकाई से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक है, जो धारा 67(10) के अधीन कर के लिए आरोपित है, निर्दिष्ट इकाई की किसी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, धारा 67(10) के अधीन कर के लिए आरोपित रकम धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(4) उपनियम (2) अथवा उपनियम (3) में निहित किसी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त पूंजीगत आस्ति के धन के मूल्य तथा उचित बाजार मूल्य का कुल योग, उसके पूंजी खाते में शेष रकम से अधिक हो, जिस पर धारा 67(10) के अधीन कर लगाया गया है, केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इकाई से प्राप्त पूंजीगत आस्ति से संबंधित है, धारा 67(10) के अधीन

कर लगाई गई रकम को धारा 72(5) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत आस्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(5) निर्दिष्ट इकाई प्ररूप् संख्या 27 में निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजी आस्ति की रकम का विवरण प्रस्तुत करेगी।

(6) वह व्यक्ति जो धारा 265 के अधीन निर्दिष्ट इकाई की आय-कर विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, प्ररूप सं. 27 को सत्यापित करेगा।

(7) फार्म संख्या 27 उस कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत दिनांक को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें रकम धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) धारा 67(10) के अधीन कर के लिए देय रकम निर्दिष्ट इकाई की किसी भी पूंजीगत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित संपत्ति या स्व-सृजित सद्भावना के मूल्यांकन से संबंधित होगी, यदि पुनर्मूल्यांकन नियम 56 (एफ) में परिभाषित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है ;

(ख) निर्दिष्ट इकाई निम्नलिखित पर मूल्यह्रास की हकदार नहीं होगी-

(i) किसी आस्ति के पुन:मूल्यांकन के कारण उसका मूल्य में वद्धि; या

(ii) स्व-उत्पन्न संपत्ति या स्व-उत्पन्न सद्भावना के मूल्य की मान्यता, इसके मूल्यांकन के कारण; और

(ग) "स्वयं-उत्पन्न संपत्ति" तथा "स्वयं-उत्पन्न सद्भावना" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका धारा 67(11)(ख) में क्रमशः है।

51. मूल निधि द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें.- (1) धारा 70(2) [सारणी: क्रम संख्या 5, ग(क)(क)(iv)] के प्रयोजनों के लिए, मूल निधि, ऐसे मामले में जहां पूंजी आस्ति को श्रेणी III वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में परिणामी निधि में स्थानांतरित किया जाता है, यह शर्त पूरी करेगी कि भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा मूल निधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल भागीदारी या विनिधान ऐसे अंतरण के समय ऐसी निधि के कोष के **5% से अधिक नहीं होता है।**

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, "मूल निधि" तथा "परिणामी निधि" पदों के वही अर्थ होंगे, जो धारा 70(2) में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं [सारणी: क्रम संख्या 5, सी(ए) तथा (सी)]।

52. धारा 72 के अधीन पूंजी अभिलाभ की गणना के प्रयोजन के लिए रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा को रुपयों में पुनः परिवर्तन के लिए विनिमय दर.– (1) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या ऋण पत्रों के रूप में किसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी अभिलाभ की गणना करने के प्रयोजन के लिए, एक ऐसे निर्धारिती के मामले में जो अनिवासी है, विनिमय दर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट परिस्थितियों में , **उसके** स्तंभ ग के अनुसार होगी:—

सारणी

क्रम. सं.	परिस्थितियाँ	विनिमय दर
क	ख	ग
1.	पूंजी आस्ति के एक्विजिशन की लागत को कन्वर्ट करने के लिए	उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत, उसके एक्विजिशन की दिनांक पर।
2.	क्रम संख्या (1) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के संबंध में पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए व्यय को पूंजीगत आस्ति में परिवर्तित करने के लिए,	पूंजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को, उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत।
3.	1) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को परिवर्तित करने के लिए,	पूंजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को, उस आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग हुई फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट और टेलीग्राफिक अंतरण सेलिंग रेट का औसत ।
4.	पूंजी आस्ति की क्रय में प्रारंभ में प्रयोग किए गए फॉरेन करेंसी में संगणित किए गए पूंजी गेन को रुपये में बदलने के लिए,	पूंजी आस्ति के अंतरण की दिनांक को ऐसी करेंसी का टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "टेलीग्राफिक अंतरण बाइंग रेट" का वही अर्थ होगा **जो उसका** नियम 206 में है; और

(ख) किसी विदेशी मुद्रा के संबंध में, "टेलीग्राफिक अंतरण विक्रय दर" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के विक्रय के लिए अपनाई गई विनिमय दर अभिप्रेत है, जहां ऐसी मुद्रा उस बैंक द्वारा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

53. धारा 77 के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत आस्तियों के उचित बाजार मूल्य की गणना.- (1) धारा 77(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, पूंजीगत आस्तियों का उचित बाजार मूल्य उपनियम (2) के अधीन अवधारित एफएमवी1 या उपनियम (3) के अधीन अवधारित एफएमवी2 होगा, जो भी अधिक हो।

(2) एफएमवी1 मंदी विक्रय के माध्यम से स्थानांतरित पूंजीगत आस्तियों का उचित बाजार मूल्य होगा, जो निम्न सूत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा—

क+ख+ग+घ - ठ,

जहाँ,

क = उपक्रम या प्रभाग की लेखा पुस्तकों में दिखाई देने वाली सभी आस्तियों (आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्ति से भिन्न) का बही मूल्य, जो मंदी की विक्रय के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, जिसमें से निम्नलिखित रकम घटाई गई है जो ऐसे उपक्रम या प्रभाग से संबंधित है, -

(i) चुकाई गई आय-कर की कोई भी रकम, यदि कोई हो, जिसे क्लेम की गई आय-कर रिनिधि की रकम, यदि कोई हो, से घटाया गया हो; और

(ii) आस्ति के रूप में दिखाई गई कोई रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की अमोर्टाइज्ड रकम भी सम्मिलित है जो किसी आस्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है;

ख = वह मूल्य जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचे जाने पर आभूषण और कलात्मक कार्य को मिलेगा;

ग = नियम 57 में दिए गए रीति से अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य;

घ = अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जा सकने वाली कीमत; **और**

ठ = उपक्रम या डिवीजन के खाता बहियों में दिखाई देने वाली देनदारियों का बही मूल्य, जो मंदी की विक्रय के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमयां सम्मिलित नहीं हैं, जो ऐसे उपक्रम या डिवीजन से संबंधित हैं, अर्थात्: -

(i) इक्विटी शेयरों के संबंध में संदत्त पूंजी;

(ii) वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जहां ऐसे लाभांश कंपनी की आम निकाय बैठक में अंतरण की दिनांक से पहले घोषित नहीं किए गए हैं;

(iii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, भले ही परिणामी आंकड़ा ऋणात्मक हो, मूल्यह्रास के लिए अलग रखे गए आंकड़ों को छोड़कर;

(iv) कर के लिए उपबंध को दर्शाने वाली कोई रकम, भुगतान किए गए आय-कर की रकम से भिन्न, यदि कोई हो, जो कि रिनिधि के रूप में दावा किए गए आय-कर की रकम से कम हो, यदि कोई हो, उस पर लागू विधि के अनुसार पुस्तक लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक;

(v) अवधारित देनदारियों से भिन्न, देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंध को दिखाने वाली कोई भी रकम; **और**

(vi) संचयी वरीयता शेयरों के संबंध में देय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम।

(3) एफएमवी2 मंदी की विक्रय के माध्यम से अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित विचार का उचित बाजार मूल्य होगा, जो निम्न सूत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा—

ङ+च+छ+ज,

जहाँ,

ङ = अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित धनीय विचार का मूल्य;

च = **[सारणी: क्रम संख्या 1 से 5]** में निर्दिष्ट संपत्ति द्वारा दर्शाए गए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवित गैर-धनीय विचार का उचित बाजार मूल्य, उक्त संपत्ति के लिए **उक्त नियम में** प्रदान की गई रीति से अवधारित किया गया ;

छ = वह कीमत जो संपत्ति के अंतरण के नतीजे में मिली या जमा होने वाली नॉन-मॉनेटरी कीमत, अचल संपत्ति से भिन्न, जो नियम 57 (सारणी: क्रम संख्या 1 से 5) में सम्मिलित नहीं है, यदि संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से मिली मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाज़ार में बेची जाए; और

ज = वह मूल्य जो सरकार की किसी प्राधिकारी ने स्टैम्प ड्यूटी के संदाय के मकसद से, अचल संपत्ति के संबंध में अपनाई या अवधारित की या अवधारित की जा सकने वाली है, यदि अंतरण के नतीजे में मिली या जमा हुई नॉन-मॉनेटरी रकम अचल संपत्ति से दिखाई जाती है।

(4) नियम (2) तथा (3) के अधीन पूंजी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य मंदी विक्रय की दिनांक को अवधारित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए नियम 57 में निर्दिष्ट मूल्यांकन दिनांक का तात्पर्य मंदी विक्रय की दिनांक से भी होगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कलात्मक कार्य" से पुरातात्विक संग्रह, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां या कला के किसी भी कार्य अभिप्रेत है ; **और**

(ख) पदों "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" तथा "प्रतिभूतियों" के वही अर्थ होंगे, जो उनके नियम 56 में क्रमशः हैं ।

54. मंदी में विक्रय के संबंध में लेखाकार की रिपोर्ट का प्ररूप.- धारा 77(4) के अधीन मंदी में विक्रय के मामले में, प्रत्येक निर्धारिती को धारा 63 में निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व प्ररूप संख्या 28 में धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

55. धारा 91(1)(ख) के अधीन मूल्यांकन अधिकारियों को संदर्भित करने की शर्तें.- धारा 91(1)(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) आस्ति का मूल्य का परसेंटेज 15% होगा; और

(ख) रकम **दस लाख रूपये होगी।**

56. उचित बाजार मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ.- इस नियम और नियम 57 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) किसी कंपनी के संबंध में "तुलन-पत्र" से अभिप्रेत है, -

(i) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में, ऐसी कंपनी की तुलन-पत्र (जिसमें उसके साथ संसक्त नोट्स सम्मिलित हैं और जो लेखा का भाग हैं) मूल्यांकन की दिनांक को तैयार की गई हो, जिसका ऑडिट कंपनी के ऑडिटर ने किया हो, जिसे कंपनियों से संसक्त विद्यमान विधियों के अधीन नियुक्त किया गया हो; और

(ii) किसी कंपनी के संबंध में, जो भारतीय कंपनी नहीं है, कंपनी का तुलन-पत्र (जिसमें संलग्न नोट्स सम्मिलित हैं और खातों का भाग हैं) जैसा कि मूल्यांकन दिनांक को तैयार किया गया है जिसे कंपनी के ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया गया है, यदि कोई हो, जिसे उस देश के विधियों के अधीन नियुक्त किया गया है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रीकृत या निगमित है;

(ख) "वाणिज्यिक बैंककारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत श्रेणी 1 वाणिज्यिक बैंककारी अभिप्रेत है;

(ग) शेयरों या प्रतिभूतियों के संबंध में "उद्धृत शेयर या प्रतिभूतियां" से किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर समय-समय पर नियमित रूप से उद्धृत किसी शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों के उद्धरण सामान्य कारोबार के क्रम में किए गए वर्तमान संव्यवहार पर आधारित हैं;

(घ) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में है;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी" से ऐसा व्यापारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 **(1956 का 74)** या किसी राज्य में समय-समय पर लागू सामान्य विक्रय कर विधि, जिसमें मूल्य वर्धित कर विधि भी सम्मिलित हैं, के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(च) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 513 में है;

(छ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(एच) में है;

(ज) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, "अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति" से ऐसे शेयर और प्रतिभूति अभिप्रेत है जो कोटेड शेयर या प्रतिभूति नहीं हैं; और

(झ) "मूल्यांकन दिनांक" से नीचे दी गई सारणी में दी गई दिनांक अभिप्रेत है:

क्रम संख्या	**अनुभाग**	**मूल्यांकन दिनांक**
1.	धारा 92	वह दिनांक जिस दिन धारा 92 में निर्दिष्ट संपत्ति या विचार, जैसा भी हो, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।

2.	धारा 79	वह दिनांक जिस दिन पूंजी आस्ति, जो धारा 79 में विनिर्दिष्ट कोटेड शेयर से भिन्न किसी दूसरी कंपनी का शेयर है, अंतरण किया जाता है।
3 .	धारा 26(2)(ञ)	वह दिनांक जब इन्वेंट्री को पूंजी आस्ति के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है, या माना जाता है।

57. उचित बाजार मूल्य का निर्धारण.- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए , स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति का उचित बाजार मूल्य स्तंभ घ में दिए गए रीति से अवधारित किया जाएगा:

सारणी

क्रम.	**अनुभाग**	**संपत्ति की प्रकृति**	**उचित बाजार मूल्य के निर्धारण का तरीका**
क	ख	ग	घ
1	**धारा** 26(2)(ञ) **और धारा 92**	आभूषण	(क) वह कीमत जो मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलेगी; या (ख) यदि ज्वेलरी मूल्यांकन की दिनांक पर किसी रजिस्ट्रीकृत डीलर से क्रय की गई है, तो ऐसी ज्वेलरी की इनवॉइस मूल्य; या (ग) यदि ज्वेलरी किसी और रीति से मिली है और उसकी कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो निर्धारिति रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से यह रिपोर्ट ले सकता है कि मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर उसे कितनी कीमत मिलेगी।
2	**धारा** 26(2)(ञ) **और धारा 92**	आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, मूर्तियां या कला का कोई भी कार्य (यहां आर्टिस्टिक कार्य कहा गया है)	(क) वह कीमत जो ऐसे कलात्मक कार्य को, मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर मिलेगी; या (ख) यदि आर्टिस्टिक कार्य किसी रजिस्ट्रीकृत डीलर से मूल्यांकन की दिनांक पर क्रय किया गया है, तो ऐसे आर्टिस्टिक कार्य की इनवॉइस मूल्य; या (ग) यदि आर्टवर्क किसी और रीति से मिला है और उसकी कीमत ₹50,000 से अधिक है, तो निर्धारिति, मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार

			में विक्रय करने पर मिलने वाली कीमत के बारे में एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यअर से रिपोर्ट ले सकता है।
3	**धारा** 26(2)(ञ) **और धारा 92**	उद्धृत शेयर और प्रतिभूतियाँ	, ऐसे शेयर बाजार में अभिलिखित की गई संव्यवहार मूल्य होगी ; या (ख) यदि ऐसे उद्धृत शेयर तथा प्रतिभूतियाँ किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार से भिन्न किसी अन्य माध्यम से किए गए लेन-देन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, तो उनका उचित बाजार मूल्य होगा- (क) मूल्यांकन की दिनांक पर किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर उपदर्शित किए गए ऐसे शेयरों और प्रतिभूति की सबसे कम कीमत; और (बी) ऐसे मामलों में, जहां मूल्यांकन दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर शेयरों और प्रतिभूतियों में कोई व्यापार नहीं होता है, किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य, मूल्यांकन दिनांक से ठीक पहले की दिनांक को, जब ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का ऐसे शेयर बाजार पर व्यापार किया गया था।
4	**धारा** 26(2)(ञ), **72 और धारा 92**	अनकोटेड इक्विटी शेयर	अनकोटेड इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य = (क + ख + ग + घ - ठ) × (तफ)/(तङ) कहाँ, क = कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देने वाली सभी आस्तियों का बही मूल्य (आभूषण, कलात्मक कार्य, शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्ति से भिन्न) तुलन-पत्र में घटाकर -

			(क) चुकाए गए आय-कर की कोई भी रकम, यदि कोई हो, उसमें से क्लेम किए गए आय-कर रिनिधि की रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाए; और (ख) संपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की अमोर्टाइज्ड रकम भी सम्मिलित है, जो किसी संपत्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है; ख = वह मूल्य जो आभूषण और कलात्मक कार्य को मिलेगा, यदि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचा जाता है; ग = इस नियम में दिए गए रीति से अवधारित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य; घ = अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जा सकने वाली कीमत ; और ठ = तुलन-पत्र में दिखाई गई देनदारियों का बही मूल्य, लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमयाँ सम्मिलित नहीं हैं:- (i) इक्विटी शेयरों के संबंध में संदत्त पूंजी; (ii) वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जहां ऐसे लाभांश कंपनी की आम निकाय बैठक में अंतरण की दिनांक से पहले घोषित नहीं किए गए हैं; (iii) आरक्षित निधि एवं अधिशेष, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, भले ही परिणामी आंकड़ा ऋणात्मक हो, मूल्यह्रास के लिए अलग रखे गए आंकड़ों को छोड़कर; (iv) कराधान के लिए उपबंध को दर्शाने वाली कोई रकम, भुगतान किए गए आय-कर की रकम से भिन्न, यदि कोई हो, तो

			रिनिधि के रूप में दावा किए गए आय-कर की रकम को घटाकर, यदि कोई हो, उस पर लागू विधि के अनुसार पुस्तक लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक; (v) अवधारित देनदारियों से भिन्न, देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंध को दिखाने वाली कोई भी रकम; **और** (vi) संचयी अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक देनदारियों को दर्शाने वाली कोई रकम; तफ = ऐसे इक्विटी शेयरों की पेड-अप मूल्य; और तङ = तुलन-पत्र में दिखाई गई पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी की कुल रकम।
5	**धारा** 26(2)(ञ), **72 और धारा 92.**	अनकोटेड शेयर और प्रतिभूति (किसी कंपनी के इक्विटी शेयर से भिन्न) जो किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबंद्ध नहीं हैं	मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाज़ार में विक्रय करने पर इसकी जो कीमत मिलेगी, और निर्धारिति ऐसे मूल्यांकन के बारे में किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले सकता है।
6	धारा 26(2)(ञ)	अचल संपत्ति भूमि या भवन या दोनों हो	मूल्यांकन दिनांक पर ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया या मूल्यांकित या मूल्यांकित मूल्य।
7	धारा 26(2)(ञ)	**से** 6 में विनिर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न कोई दूसरी संपत्ति।	वह कीमत जो ऐसी संपत्ति को मूल्यांकन की दिनांक पर खुले बाज़ार में विक्रय करने पर आम तौर पर मिलेगी।

58. धारा 92(3)(i) और धारा 79 के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का अवधारित वर्ग.- (1) धारा 92(2)(ड) के उपबंध निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे, जहाँ ऐसे व्यक्ति स्तंभ घ में निर्दिष्ट शर्तों की समाधान के अधीन, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्तियां प्राप्त करते हैं:

क्रम. सं.	व्यक्तियों का वर्ग	संपत्ति की प्रकृति	स्थितियाँ
क	ख	ग	घ
1.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में किसी अप्राधिकृत कॉलोनी का निवासी।	कोई भी अचल संपत्ति, चाहे वह ज़मीन हो या भवन, या दोनों।	जहां केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के द्वारा, नवीनतम पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय के लिए समझौते, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ऐसी अचल संपत्ति के लेन-देन को नियमित किया है, जिसमें ऐसे निवासी के पक्ष में ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व या अंतरण या बंधक के अधिकार को प्रदान करने या मान्यता देने के लिए विचार के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सम्मिलित हैं।
2.	शेयरधारक।	किसी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी की कोई चल संपत्ति, जो **उद्धृत शेयर न हो**	(क) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार के आवेदन पर , ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया है और उस अधिनियम के धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित नए निदेशकों को नियुक्त किया है; और (ख) जहां कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी का शेयर, क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 242 के अधीन अनुमोदित समाधान स्कीम के अनुसरण में शेयरधारक द्वारा **प्राप्त** कर लिया गया **हो ।**
3	विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ता बैंक	पुनर्निर्मित बैंक की कोई भी चल संपत्ति, जो इक्विटी शेयर हो	जहां उक्त शेयर को पुनर्निर्मित बैंक द्वारा स्कीम के अधीन स्कीम के पैरा 3(3) में विनिर्दिष्ट मूल्य पर आबंटित किया गया है।
4	किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी	कोई भी चल संपत्ति, जो किसी	ऐसे शेयर रणनीतिक अपविनिधान के अधीन प्राप्त हुए हैं

	या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति	पब्लिक सेक्टर की कंपनी या कंपनी के इक्विटी शेयर हो	
5	परिणामी निधि की निधि प्रबंध इकाई।	कोई भी चल संपत्ति, चाहे वह शेयर हो या यूनिट या परिणामी निधि में ब्याज।	शेयर या यूनिट, विनिधान प्रबंधक इकाई द्वारा मूल निधि में रखे गए शेयरों या यूनिटों या हित के बदले में, अंतरण के अनुसरण में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्त किए गए हैं:– **(क) परिणामी निधि की निधि प्रबंध इकाई में** कम से कम **90%** शेयर या यूनिट या हित उन्हीं **इकाई** या **व्यक्तियों के पास हैं** , उसी अनुपात में जैसे उनके पास ओरिजिनल निधि की विनिधान प्रबंधक इकाई में थे; और **(ख)** मूल निधि की विनिधान प्रबंधक इकाई में शेयरों या इकाइयों या ब्याज के कुल योग का कम से कम **90% ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा धारण किया गया था।**

(2) धारा 79 के उपबंध उपनियम (1) [सारणी: क्रम संख्या 2] में वर्णित प्रकृति की किसी चल संपत्ति के अंतरण पर भी लागू नहीं होंगे, जहां इसमें वर्णित शर्तें पूरी होती हैं ।

(3) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए-

(क) उप नियम (1) [सारणी:क्रमांक 01],–

(i) "निवासी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास रजिस्ट्रीकृत सेल विलेख या लेटेस्ट पावर ऑफ़ अटॉर्नी, करार टू सेल, वसीयत, पज़ेशन लेटर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संपत्ति का फिजिकल कब्ज़ा हो, जिसमें अप्राधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के संबंध में संदाय के सबूत वाले डॉक्यूमेंट्स सम्मिलित हैं और इसमें उनके कानूनी वारिस सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें किराएदार, लाइसेंसी या परमिसिव यूज़र सम्मिलित नहीं **हैं** ; **और**

(ii) "अनधिकृत कॉलोनी" का वही अर्थ होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का 45) की धारा 2 के खंड (ख) में संदत्त है ;

(ख) उपनियम (1) [सारणी: क्रम संख्या 02],–

(i) कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी होगी, यदि ऐसी दूसरी कंपनी के पास कंपनी के इक्विटी शेयर पूंजी की नॉमिनल मूल्य के आधे से अधिक शेयर हों; और

(ii) "अधिकरण" का **वही** अर्थ होगा **, जो** कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(90) में निर्दिष्ट है;

(ग) उपनियम (1) [सारणी क्रम संख्या 03],–

(i) "विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो उसका स्कीम के पैरा 2(1)(ख) में है;

(ii) "विनिधानकर्ता बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका स्कीम के पैरा 2(1)(ग) में है;

(iii) "पुनर्गठित बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका स्कीम के पैरा 2(1)(घ) में है; और

(iv) "स्कीम" से यस बैंक लिमिटेड पुनर्निर्माण स्कीम, 2020 = है।

(घ) उपनियम (1) [सारणी क्रम संख्या 04], "रणनीतिक अपविनिधान" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 116(3)(ग) में है; तथा

(ङ) उप नियम (1), [सारणी क्रम संख्या 05]- -

(i) पदों "स्थानान्तरण", "मूल निधि" तथा "परिणामी निधि" का **वही अर्थ होगा** जो उनका धारा 70(2) में क्रमशः है [सारणी: क्रम संख्या 5]

(ii) "निधि प्रबंध इकाई" का वही अर्थ होगा जो उसका **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के विनियम 2(थ) में **है** ; और

(iii) "विनिधान प्रबंधक इकाई" से ऐसी मूल निधि का निधि प्रबंधक अभिप्रेत है जो उस क्षेत्राधिकार के संबंधित विनियमन द्वारा विनियमित होता है जिसमें मूल निधि स्थित है।

59. धारा 92(2)(ठ) के अधीन कर योग्य आय की गणना.- (1) धारा 92(2)(ठ) के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन कर वर्ष के दौरान बोनस के रूप में आबंटित रकम सहित कोई रकम प्राप्त करता है, तो उक्त धारा के अधीन कर योग्य आय की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:—

(i) जहाँ कर वर्ष (जिसे यहाँ प्रथम कर वर्ष कहा जाएगा) के दौरान जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्रथम बार रकम प्राप्त होती है, प्रथम कर वर्ष में कर योग्य आय की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी—

क-ख

जहाँ ,-

क = पहले कर वर्ष के दौरान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन मिली रकम या कुल रकम; और

ख = लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म के दौरान पहले कर वर्ष में रकम मिलने की दिनांक तक चुकाए गए प्रीमियम का कुल जोड़, जिसे अधिनियम के किसी दूसरे नियम के अधीन डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं किया गया है; **और**

(ii) जहां रकम जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्रथम कर वर्ष के पश्चात् के कर वर्ष (जिसे आगे कर वर्ष कहा जाएगा) के दौरान प्राप्त होती है, तो पश्चात् के कर वर्ष में कर योग्य आय की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी, -

ग-घ

जहाँ, -

ग = अगले कर वर्ष के दौरान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन मिली रकम या कुल रकम; और

घ = जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम का कुल योग, पश्चात् के कर वर्ष में रकम की प्राप्ति की दिनांक तक, जो कि वह प्रीमियम नहीं है जो—

(क) अधिनियम के किसी दूसरे उपबंध के अधीन डिडक्शन क्लेम किया गया हो; या

(ख) कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों में इस **उप नियम** की रकम 'ख' या रकम 'घ' में सम्मिलित है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त रकम का **तात्पर्य** ऐसी पॉलिसी के अधीन प्राप्त किसी भी रकम से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अनुसूची 2 [सारणी: क्रम संख्या 2] के उपबंधों के अनुसार कर वर्ष की कुल आय में से बाहर नहीं रखी गई है, सिवाय उस रकम के -

(क) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन मिला हो; या

(ख) धारा 92(2)(घ) में निर्दिष्ट आय होने से।

60. समामेलन के मामले में संचित हानि तथा अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ते को आगे ले जाने या समंजन करने की शर्तें.- (1) धारा 116(4)(ख)(iii) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(क) एकीकृत कंपनी जो एकीकृत के माध्यम से एकीकरण करने वाली कंपनी के किसी औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखती है, –

(i) एकीकृत की तारीख से 4 साल समाप्त होने से पहले उक्त उपक्रम की स्थापित क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन स्तर को प्राप्त करेगी ; और

(ii) एकीकरण की तारीख से पांच साल समाप्त होने तक उत्पादन के उक्त न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगी ; और

(ख) समामेलित कंपनी निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र संख्या 29 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी, जो धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित हो, जिसमें लेखा पुस्तकों और उत्पादन के विवरण दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों का उल्लेख हो, साथ ही उस सुसंगत कर वर्ष के

लिए आय विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उत्पादन का निर्धारित स्तर प्राप्त किया गया है और समामेलन की तारीख से पांच वर्षों के भीतर आने वाले पश्चातवर्ती सुसंगत कर वर्षों के लिए भी।

(2) उप-नियम (1)(क) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, समामेलित कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर, उपयुक्त मामलों में उत्पादन स्तर प्राप्त करने की शर्त या उस अवधि को, जिसके दौरान इसे प्राप्त किया जाना है, या दोनों को, समामेलित कंपनी द्वारा निर्धारित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए किए गए वास्तविक प्रयासों और ऐसे प्रयासों को प्राप्त करने में बाधा डालने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिल कर सकेगी।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "स्थापित क्षमता" से समामेलन की तारीख को विद्यमान उत्पादन क्षमता से अभिप्रेत है।

61. धारा 127 और धारा 154 के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु-निशक्तता के संबंध में चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र। - (1) धारा 127(9)(ड.) और 154(3) के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्ययित कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (क), (ग), (ज), (ञ) और (त) में क्रमशः निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात", "बहु-निशक्तता", "निशक्त व्यक्ति" और "गंभीर बहु-निशक्तता" को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी उत्तरदायी होगा:–

(क) न्यूरोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) की डिग्री प्राप्त न्यूरोलॉजिस्ट (बच्चों के मामले में, समकक्ष डिग्री प्राप्त बाल न्यूरोलॉजिस्ट); या
(ख) सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(2) धारा 127(6), 127(7) और 154(2)(ग) के प्रयोजनों के लिए, करदाता को आय की विवरणी के साथ संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी,-

(क) यदि व्यक्ति को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात या बहु-निशक्तता जैसी निशक्तता या गंभीर निशक्तता है, तो प्रपत्र संख्या 30 में; या
(ख) अन्य सभी मामलों में, अधिसूचना संख्या 16-18/97-एनआई.1, तारीख 1 जून, 2001 और संख्या 16-18/97-एनआई.1, तारीख 18 फरवरी, 2002 में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्र, जैसा कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) में उल्लिखित विभिन्न निशक्तताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि निशक्तता अस्थायी है और एक निश्चित अवधि के बाद इसका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तो प्रमाण पत्र उस कर वर्ष से शुरू होने वाली अवधि के लिए वैध होगा जिसमें प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उस कर वर्ष पर समाप्त होगा जिसमें ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होती है।

62. धारा 128 के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु कुछ रोगों और बीमारियों के संबंध में औषध-पत्र जारी करना।- (1) धारा 128 के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित तालिका के सारणी ख में उल्लिखित पात्र रोगों या बीमारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए औषध-पत्र संबंधित स्तम्भ ग में उल्लिखित विशेषज्ञों से प्राप्त किए जाएंगे:

सारणी

क्र. सं.	**पात्र रोग या बीमारियाँ**	**औषध-पत्र जारी करने के प्रयोजन से विशेषज्ञ**
क	**ख**	**ग**
1.	तंत्रिका संबंधी रोग जिनमें निशक्तता का स्तर 40% या उससे अधिक प्रमाणित हो चुका है– (i) मनोभ्रंश; (ii) मस्कुलर डिस्टोनिया डिफॉर्मन्स; (iii) मोटर न्यूरॉन रोग; (iv) गतिभंग; (v) कोरिया; (vi) हेमीबैलिस्मस; (vii) वाचाघात; और (viii) पार्किंसंस रोग।	न्यूरोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री प्राप्त न्यूरोलॉजिस्ट।
2.	घातक कैंसर	एक ऑन्कोलॉजिस्ट जिसके पास ऑन्कोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री हो।
3.	पूर्ण विकसित एक्वायर्ड इम्यूनो-डेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स)	जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन में स्नातकोतर डिग्री प्राप्त कोई भी विशेषज्ञ।

4.	दीर्घकालिक गुर्दे की विफलता	एक नेफ्रोलॉजिस्ट जिसके पास नेफ्रोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री हो या एक यूरोलॉजिस्ट जिसके पास यूरोलॉजी में मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (एम.सी.एच.) की डिग्री हो।
5.	रक्त संबंधी विकार: (i) हीमोफिलिया; (ii) थैलेसीमिया।	हेमेटोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री प्राप्त विशेषज्ञ।

(2) उप-नियम (1) में सारणी के स्तम्भ ख में उल्लिखित पात्र रोगों या बीमारियों के लिए औषध-पत्र किसी विशेषज्ञ द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं, जिसके पास स्तम्भ ग में उल्लिखित डिग्री के समकक्ष डिग्री हो, यदि ऐसी समकक्ष डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(3) ऐसे मामलों में, जहां कोई रोगी निर्दिष्ट बीमारियों या रोगों के लिए सरकारी अस्पताल में उपचार करवा रहा है, वहां पर्ची जनरल या इंटरनल मेडिसिन में स्नातकोतर डिग्री या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष डिग्री वाले पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा जारी की जा सकेगी।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट औषध-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में जारी किया जाएगा:-

रोगी का नाम	
रोगी की आयु	
रोग/बीमारी का विवरण	

द्वारा प्रमाणित:

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर:

नाम:

अहर्ता योग्यता:

पता:

रजिस्ट्रीकरण संख्या:

यदि विशेषज्ञ किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं, तो अस्पताल का नाम और पता।

63. धारा 133 के प्रयोजनों के लिए किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति के किसी शैक्षणिक संस्थान की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकारी- (1) धारा 133(1)(क)(vii) के प्रयोजन के लिए, अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्धारित प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) होगा।

(2) निर्धारित प्राधिकारी निम्नलिखित की सहमति से अनुमोदन प्रदान करेगा -

(क) किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति के किसी गैर-तकनीकी संस्थान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव; और

(ख) राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी भी तकनीकी संस्थान के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सचिव।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 3 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है; और

(ख) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।

64. धारा 133(1)(क)(xxiv) के तहत अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए किसी संघ या संस्था को निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया- (1) धारा 133(1)(क)(24) के तहत अधिसूचना हेतु किसी संघ या संस्था को निर्दिष्ट करते समय केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा संघ या संस्था –

(क) इसका उद्देश्य भारत में धारा 133(7)(ड.) के तहत अधिसूचित खेलों या क्रीड़ाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है;

(ख) बुनियादी ढांचे के विकास या खेल या खेलों के प्रचार के प्रति कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए समर्पण का सिद्ध रिकॉर्ड रखता हो;

(ग) अपनी आय का कोई भी भाग अपने सदस्यों को किसी भी प्रकार से वितरित नहीं करता है, सिवाय किसी संबद्ध संघ या संस्था को अनुदान के रूप में देने के;

(घ) धारा 133(1)(क)(xxiv) में निर्दिष्ट दान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग भारत में खेलों या क्रीड़ाओं के लिए अवसंरचना के विकास के प्रयोजनों के लिए या भारत में खेलों या क्रीड़ाओं के प्रायोजन के लिए करता है; और

(ड.) अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित लेखा-जोखा रखता है तथा नियमित रूप से अपनी आय का विवरण दाखिल करता है।

(2) धारा 133(1)(क)(xxiv) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, अधिसूचना तिथि से पूर्व के कर वर्षों के लिए किसी भी आकलन सहित, अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार, तीन कर वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

65. धारा 134 के तहत कटौती के दावे के लिए शर्तें- धारा 134 के अंतर्गत भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती का दावा करने के प्रयोजन से, करदाता प्रारूप संख्या 31 में घोषणा दाखिल करेगा।

66. धारा 46 या 138 या 139 या 140 या 141 या 142 या 143 या 144 के तहत कटौती का दावा करने के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना- (1) धारा 46 या 138 या 139 या 140 या 141 या 142 या 143 या 144 के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजन के लिए, जिस कर वर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उस वर्ष के लिए पात्र व्यवसाय के खातों का लेखा-परीक्षा धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 63 में निर्दिष्ट तिथि से पहले की जाएगी और करदाता उस तिथि तक ऐसे लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिस पर ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और सत्यापन किए गए हों।

(2) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली करदाता के खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप संख्या 32 में होगी।

(3) धारा 46 या 138 या 139 या 140 या 141 या 142 या 143 या 144 के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता के प्रत्येक उपक्रम या उद्यम द्वारा एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ उपक्रम या उद्यम का लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र संलग्न की जाएगी जैसे कि उपक्रम या उद्यम एक अलग इकाई हो।

(4) उक्त प्रारूप संख्या 32 के साथ स्तम्भ घ में दिए गए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जहां भी लागू हो, कॉलम ख में उल्लिखित प्रासंगिक अनुभागों के अनुसार और स्तम्भ ग में उल्लिखित प्रासंगिक भाग को निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार भरा जाएगा, जहां भी लागू हो, विधिवत प्रमाणित किया जाएगा:

क्र. सं.	*धारा*	*प्ररूप का सुसंगत भाग*	*संबंधित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने हैं*
क	*ख*	*ग*	*घ*
1.	46	ख 1	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के साथ किए गए करार की प्रति।
2.	138	ख 2	आय-कर अधिनियम, 1961, जैसा वह उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के अधीन बने आयकर नियम, 1962 के, डेवलपर के, प्ररूप संख्या 10गगख की प्रति ।
3.	139	ख 3	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की अधिसूचना की प्रति।
4.	140	ख 4	अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

5.	141	ख 5	आवास परियोजना के अनुमोदन प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति, बोर्ड द्वारा योजना की अधिसूचना की प्रति।
6.	142	ख -6	आवास परियोजना के अनुमोदन प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति
7.	142	ख -6	किसी किराये के आवास परियोजना की दशा में, आय-कर अधिनियम, 1961, जैसा वह उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, की धारा 80-झखक के अधीन जारी अधिसूचना की प्रति।
8.	143	ख 7	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के साथ किए गए करार की प्रति।

67. धारा 144 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए आय विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियों का प्रारूप--आयकर विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्निवेश भत्ता आरक्षित खाते में जमा की गई रकम और उक्त रकम के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां प्ररूप संख्या 33 में होंगी ।

68. धारा 146 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना--धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, जिसे धारा 146(3)(ग) के अधीन आयकर विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 34 में होगी ।

69. धारा 147(4)(क) के अधीन लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना- धारा 515(3)(ख) में यथा परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, धारा 147(4)(क) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 35 में होगी ।

70. धारा 151(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप- (1) धारा 151 के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती को आय विवरणी के साथ प्ररूप संख्या 36 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(2) निर्धारिती को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्ररूप संख्या 36 में प्रमाण पत्र का सत्यापन करेगा ।

71. धारा 152(5) के अधीन विहित प्राधिकारी और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप- धारा 152(5) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) विहित प्राधिकारी पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 2(1)(ख) में निर्दिष्ट नियंत्रक होगा ; और

(ख) निर्धारिती को आय विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से प्ररूप संख्या 37 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत अपेक्षित होगा ।

72. धारा 151(6) और धारा 152(6) के अधीन विहित प्राधिकारी और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप- धारा 151(6) और धारा 152(6) के प्रयोजनों के लिए,-

(क) निर्धारित प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक या विदेशी मुद्रा संव्यवहार को विनियमित करने वाले वर्तमान विधियों के अधीन कोई अन्य प्राधिकृत प्राधिकारी होगा ; और

(ख) प्रमाण पत्र प्ररूप संख्या 38 में प्रस्तुत किया जाएगा ।

73. जब बकाया के रूप में या अग्रिम रूप से वेतन, उपदान आदि का संदाय किया जाता है, तब धारा 157(1) के अधीन राहत-(1) जहां, किसी निर्धारिती की किसी कर वर्ष (जिसे इस नियम में सुसंगत कर वर्ष के रूप में कहा गया है) के लिए कुल आय का निर्धारण, सुसंगत कर वर्ष में निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट प्राप्तियों के कारण, उस दर से अधिक दर पर किया जाता है, जिस दर पर अन्यथा किया जाता, वहां धारा 157(1) के अंतर्गत स्वीकार्य राहत उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी :

सारणी

क्र. सं.	प्राप्तियां	राहत
क	ख	ग
1.	वेतन का कोई भाग, जो बकाया या अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ हो, या कुटुंब पेंशन का कोई भाग, जो बकाया रूप में प्राप्त हुआ हो (जिसे इसमें, यथास्थिति, "अतिरिक्त वेतन" या "अतिरिक्त कुटुंब पेंशन" कहा गया है)।	राहत = क-ख, यदि क, ख से अधिक है, जहां- क = ग - घ; ख = ङ का कुल योग ; ङ = च-छ और राहत की संगणना निम्नलिखित प्रकमों में की जाएगी। **प्रक्रम 1 :** जहां अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन एक या अधिक कर वर्षों से संबंधित है, वहां पहले उन कर वर्षों का अभिनिश्चय किया जाएगा, जिनसे अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन संबंधित है और प्रत्येक ऐसे कर वर्ष से संबंधित रकम का भी अभिनिश्चय किया जाएगा। **प्रक्रम 2 :**

		संगणना करें क=ग-घ, जहां,- ग = सुसंगत कर वर्ष की कुल आय पर कर ; घ = कुल आय पर कर, जिसमें से अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन घटा दी गई हो, मानो इस प्रकार घटाई गई कुल आय सुसंगत कर वर्ष की कुल आय हो; और क = सुसंगत कर वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर कर। **प्रक्रम 3:** संगणना करें ङ = च - छ, जहां,- छ = प्रक्रम 1 में अभिनिश्चित प्रत्येक कर वर्ष की कुल आय के संबंध में संदेय कर ; च = ऐसे कर वर्ष की कुल आय पर संदेय कर, जिसमें प्रक्रम 1 में अभिनिश्चित ऐसे कर वर्ष से संबंधित रकम को जोड़ा गया हो, मानो इस प्रकार जोड़ी गई कुल

		आय उस कर वर्ष की कुल आय हो ;और ङ = प्रक्रम 1 में अभिनिश्चित प्रत्येक कर वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर कर । **प्रक्रम 4 :** ख = अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर लगने वाले कर का कुल योग। प्रक्रम 3 में ङ के रूप में अभिनिश्चित अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन पर लगने वाले कर की कुल रकम को प्रक्रम 1 में निर्धारित सभी कर वर्षों के लिए "ख" के रूप में संगणना करें ।
2.	पांच वर्ष या उससे अधिक, परंतु पंद्रह वर्ष से कम की अवधि के लिए पूर्व सेवाओं के संबंध में प्राप्त उपदान ।	राहत = छ x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो जहां,- छ = सुसंगत कर वर्ष में प्राप्त उपदान आर1 = वाई 1 में प्राप्त उपदान रकम सहित कुल आय पर कर की औसत दर:

		आर औसत = (आर2+आर3)/2; आर2 = वाई 2 की कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की आधी रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो । आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की आधी रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष, वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष, और वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष।
3.	पंद्रह वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए की गई पूर्व सेवाओं के संबंध में प्राप्त उपदान ।	राहत = छ x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो। जहां,- छ = सुसंगत कर वर्ष में प्राप्त उपदान; आर1 = वाई 1 में प्राप्त उपदान रकम सहित कुल आय पर कर की औसत

		दर; आर औसत =(आर2+आर3+आर4)/3; आर2 = वाई 2 की कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो । आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; आर4 = वाई 4 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त उपदान की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष; वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; और वाई4 = वाई3 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष।

4.	न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से प्राप्त प्रतिकर, जहां नियोजन की शेष अवधि भी तीन वर्ष से अन्यून हो ।	राहत = ग x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो। जहां,- ग = सुसंगत कर वर्ष में प्राप्त प्रतिकर की रकम; आर1 = वाई 1 में प्राप्त प्रतिकर की रकम सहित कुल आय पर कर की औसत दर; आर औसत =(आर2+आर3+आर4)/3; आर2 = वाई 2 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त प्रतिकर की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त प्रतिकर की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; और आर4 = वाई 4 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त प्रतिकर की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है,

		मानो इस प्रकार बढ़ाई गई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष, वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष, वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष, और वाई4 = वाई3 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष
5.	प्राप्त पेंशन का सरांशीकरण	राहत = पी x (आर1-आर औसत), यदि आर1, आर औसत से अधिक हो। जहां - पी = पेंशन के संराशीकरण की रकम; आर1 = वर्ष 1 में प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की रकम सहित कुल आय पर कर की औसत दर; आर औसत =(आर2+आर3+आर4)/3; आर2 = वाई 2 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; आर3 = वाई 3 के लिए कुल आय पर कर

		की औसत दर, जिसमें प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; और आर4 = वाई 4 के लिए कुल आय पर कर की औसत दर, जिसमें प्राप्त पेंशन के संराशीकरण की एक तिहाई रकम बढ़ा दी गई है, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई आय उस कर वर्ष की कुल आय हो; वाई1 = सुसंगत कर वर्ष; वाई2 = वाई1 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; वाई3 = वाई2 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष; और वाई4 = वाई3 से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष।

(2) बोर्ड, अन्य किसी भी प्रकार की प्राप्तियों की दशा में, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राहत प्रदान कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(3) धारा 157(1) के अधीन राहत का दावा करने के लिए, निर्धारिती धारा 263(1)(ग) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पूर्व प्ररूप संख्या 39 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा ।

(4) जहां निर्धारिती, सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ या निकाय में कर्मचारी होने के कारण, धारा 157(1) के अधीन राहत का

हकदार है, वहां वह धारा 392(1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप संख्या 39 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां प्रस्तुत कर सकेगा ।

74. अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से प्राप्त आय पर कराधान-(1) यदि किसी कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की किसी विनिर्दिष्ट खाते या खातों में आय उद्भूत होती है, तो ऐसी आय, उसके विकल्प पर, उस कर वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, जिसमें उक्त खाते या खातों से आय पर अधिसूचित देश में निकासी या मोचन पर कर लगाया जाता है।

(2) जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है, तो उस कर वर्ष के लिए, जिसमें उपनियम (1) के अधीन कराधेय आय है, विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में वह आय सम्मिलित नहीं होगी जो,–

(क) ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में पहले से ही किसी पूर्व कर वर्ष में सम्मिलित की जा चुकी हो, जिस दौरान ऐसी आय उद्भूत हुई हो और उस पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय कर दिया गया हो ; या

(ख) ऐसी आय जिस कर वर्ष में उद्भूत हुई, वह उस वर्ष में निम्नलिखित कारणों से भारत में कराधेय नहीं थी :–

(i) ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति उस कर वर्ष के दौरान अनिवासी हो, या धारा 6(13) में निर्दिष्ट अनुसार सामान्यतः निवासी न हो ; या

(ii) दोहरे कराधान से बचाव करार का आवेदन, यदि कोई हो,

और ऐसी आय पर संदाय किए गए विदेशी कर को, यदि कोई हो, नियम 76 के अधीन विदेशी कर प्रत्यय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(3) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन दिए गए विकल्प का प्रयोग किया जाएगा

(क) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित सभी निर्दिष्ट खातों के संबंध में ; और

(ख) प्ररूप संख्या 40 में, जो धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) ऐसी दशा में, जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी सुसंगत कर वर्ष के दौरान अनिवासी हो जाता है, वहां–

(क) उपनियम (1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प सुसंगत कर वर्ष से कभी प्रयोग नहीं किया गया समझा जाएगा; और

(ख) उक्त उपनियम के अधीन विकल्प का प्रयोग किए जाने वाले कर वर्ष से प्रारंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट खाते या खातों में उद्भूत आय, सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान कराधेय होगी, और कर का संदाय सुसंगत कर वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले किया जाएगा ।

(5) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब उपनियम (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट खाते या खातों के लिए किसी कर वर्ष के संबंध में प्ररूप संख्या 40 में विकल्प का एक बार प्रयोग किया जाता है, तो यह सभी पश्चात्वर्ती कर वर्षों पर लागू होगा और उस कर वर्ष के लिए, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया था, या किसी पश्चात्वर्ती कर वर्ष के लिए इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

(6) इस नियम के लिए,–

(क) "अधिसूचित देश", "विनिर्दिष्ट खाता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पदों का वही अर्थ होगा, जो धारा 158(2) में क्रमशः उनका है ;

(ख) "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति उस कर वर्ष के पश्चात् अनिवासी हो जाता है, जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है ।

75. धारा 159(1) और (2) के अधीन दोहरे कराधान से राहत का दावा करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेज और जानकारी- (1) धारा 159(1) या (2) में उल्लिखित किसी करार के अधीन किसी दोहरे कराधान से राहत का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 159(8)(ख) के अधीन किसी निर्धारिती (जो निवासी नहीं है) द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेज और जानकारी प्ररूप संख्या 41 के अनुसार होंगे ।

(2) निर्धारिती को प्ररूप संख्या 41 में दी गई जानकारी को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे और उनका रखरखाव करना होगा और आयकर प्राधिकारी राहत के दावे को सत्यापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों को मंगवा सकेगा ।

(3) भारत में निवासी निर्धारिती, धारा 159(1) और (2) में निर्दिष्ट करार के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने हेतु निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 42 में आवेदन करेगा ।

(4) निर्धारण अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर और इस संबंध में उसका समाधान होने पर, प्ररूप संख्या 43 में निवास प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

76. विदेशी कर प्रत्यय– (1) किसी निर्धारिती को, जो निवासी है, भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उसके द्वारा संदाय किए गए किसी विदेशी कर की रकम का प्रत्यय, उस कर वर्ष में, जिसमें ऐसे कर की तत्स्थानी आय, भारत में कर के लिए प्रस्तावित की गई है या उसका निर्धारण किया गया है, कटौती के रूप में या अन्यथा, इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट पद्धति में और सीमा तक, अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) किसी दशा में, जहां ऐसी आय, जिस पर विदेशी कर का संदाय किया गया है या कटौती की गई है, एक से अधिक कर वर्षों में कर के लिए प्रस्तावित की जाती है, वहां विदेशी कर का प्रत्यय उन कर वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा, जिस अनुपात में आय भारत में कर के लिए प्रस्तावित की जाती है या कर के लिए निर्धारित की जाती है ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विदेशी कर से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(क) भारत के बाहर किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके साथ भारत ने धारा 159 के अधीन आय पर दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए करार किया है, उक्त करार के अंतर्गत आने वाला कर ;

(ख) भारत के बाहर किसी अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के अधीन धारा 160(3)(क) में निर्दिष्ट आयकर की प्रकृति में देय कर ।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रत्यय, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, अधिभार और उपकर की रकम के विरुद्ध उपलब्ध होगा, किंतु ब्याज, फीस या शास्ति के रूप में संदेय किसी भी रकम के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा ।

(5) उपनियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विदेशी कर की किसी रकम या उसके किसी भाग के संबंध में, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा किसी भी पद्धति में विवाद किया जाता है, उपनियम (1) के अधीन कोई प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा ।

(6) यदि निर्धारिती, यदि कोई व्यक्ति विवाद के अंतिम निपटारे वाले मास के अंत से छह मास के भीतर विवाद के निपटारे का प्रमाण और इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसने ऐसे विदेशी कर के संदाय की देयता का निर्वहन कर दिया है और यह वचन देता है कि ऐसी रकम के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा, तो विवादित कर का प्रत्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें ऐसी आय भारत में कर के लिए प्रस्तावित की जाती है या कर का निर्धारण किया जाता है।

(7) विदेशी कर का प्रत्यय भारत के बाहर किसी विशेष देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से उद्भूत होने वाली आय के प्रत्येक स्रोत के लिए पृथकत: संगणना किए गए प्रत्यय की कुल रकम होगी और इसे निम्नलिखित पद्धति में क्रियांवित किया जाएगा :–

(क) प्रत्यय, अधिनियम के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर और ऐसी आय पर संदाय किए गए विदेशी कर में से जो भी कम हो, वह होगा, इसलिए, औरपि, जहां संदाय किया गया विदेशी कर दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए करार के उपबंधों के अनुसार देय कर की रकम से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा;

(ख) विदेशी कर के संदाय की मुद्रा को उस मास के, जिसमें ऐसा कर का संदाय किया गया है या उसकी कटौती की गई है, ठीक पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन की टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर पर परिवर्तित करके प्रत्यय अवधारण किया जाएगा ।

(8) यदि धारा 206 के उपबंधों के अधीन कोई कर संदेय है, तो ऐसे कर के लिए विदेशी कर का प्रत्यय उसी पद्धति में किया जाएगा, जिसमें उक्त धाराओं (जिसे इसमें सामान्य उपबंध कहा गया है) के उपबंधों के भिन्न अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत संदेय किसी कर के लिए अनुज्ञेय है ।

(9) जहां धारा 206 के उपबंधों के अधीन संदेय कर के लिए उपलब्ध विदेशी कर प्रत्यय की रकम सामान्य उपबंधों के लिए उपलब्ध कर प्रत्यय की रकम से अधिक हो, वहां धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ङ) से (ज) के अधीन प्रत्यय की रकम की संगणना करते समय, यथास्थिति, धारा 206(1) और (2) के अधीन संदाय किए गए करों के संबंध में ऐसी अधिकता को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(10) किसी विदेशी कर का प्रत्यय निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुज्ञात किया जाएगा :–

(क) भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से प्राप्त आय का विवरण, जिसे कर वर्ष के लिए कर के लिए प्रस्तावित किया गया हो, और ऐसी आय पर काटे गए या संदाय किए गए विदेशी कर का विवरण प्ररूप संख्या 44 में प्रस्तावित किया गया हो और उसमें निर्दिष्ट पद्धति से सत्यापित किया गया हो; और

(ख) निर्धारिती द्वारा आय की प्रकृति और उससे काटे गए या संदाय किए गए कर की रकम को निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र या विवरण,–

(i) भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकरण से; या

(ii) ऐसे कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से ; या

(iii) निर्धारिती द्वारा हस्ताक्षरित ।

(11) उपनियम (10)(ख) में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या विवरण विधिमान्य होगा, यदि इसके साथ निम्नलिखित संलग्न हो–

(क) ऑनलाइन संदाय की पावती या बैंक काउंटर पर जमा की गई रसीद या कर संदाय का चालान, जहां निर्धारिती द्वारा संदाय किया गया हो ; या

(ख) कटौती का प्रमाण, जहां कर की कटौती की जा चुकी है ।

(12) उपनियम (10)(क) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 44 में विवरण और उपनियम (10)(ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या विवरण सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से बारह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय भारत में कर के लिए प्रस्तावित या कर के लिए निर्धारित की गई है और ऐसे कर वर्ष के लिए विवरणी उपनियम (13) के उपबंधों के अधीन धारा 263(1) या (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है ।

(13) जहां विवरणी धारा 263(6)(क) के अधीन प्रस्तुत की गई है, वहां उपनियम (10)(क) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 44 में विवरण और उपनियम (10)(ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या विवरण, उस सीमा तक, जहां तक वह अद्यतन विवरणी में सम्मिलित आय से संबंधित है, उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(14) प्ररूप संख्या 44 ऐसी दशा में भी प्रस्तुत किया जाएगा, जहां, यथास्थिति, चालू वर्ष की हानि को पिछले वर्ष में ले जाने या किसी वर्ष की विवरणी या इसी प्रकार के विवरण के पुनर्रीक्षण या किसी

अन्य कारण से विदेशी कर का प्रतिदाय होता है, जिसके लिए किसी कर वर्ष या कर वर्षों में प्रत्यय का दावा किया गया है।

(15) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती प्ररूप संख्या 45 में सूचना और विवाद के निपटारे का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर के संदाय का साक्ष्य भी सम्मिलित है।

(16) प्ररूप संख्या 44 का सत्यापन धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा किया जाएगा,–

(क) जहां निर्धारिती एक कंपनी है; या

(ख) अन्य सभी दशाओं में, जहां किसी कर वर्ष के लिए भारत के बाहर संदाय किए गए विदेशी कर की रकम 100000 ₹ के समान या उससे अधिक हो।

(17) उस दशा में, जहां सुसंगत कर वर्ष के लिए प्रस्तुत प्ररूप संख्या 44 को उपनियम (16) के अधीन लेखाकार द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था, प्ररूप संख्या 45 को धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

(18) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट" पद का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में उसका है ।

77. आसन्निकट कीमत के अवधारण में प्रयुक्त पदों का अर्थ- इस नियम और नियम 78 से 84 के प्रयोजन के लिए,–

(क) “संबद्ध उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो धारा 162 में उसका है ;

(ख) “उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो धारा 173(ख) में उसका है और किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए, इसमें कोई यूनिट, या कोई उद्यम, या कोई उपक्रम या किसी व्यक्ति का कोई कारबार सम्मिलित है, जो ऐसा संव्यवहार करता है ;

(ग) “संपत्ति” में माल, वस्तुएं या चीजें और अमूर्त संपत्ति सम्मिलित हैं ;

(ङ) "सेवाओं" में वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं;

(च) "संव्यवहार" में निकटस्थ संबद्ध अनेक संव्यवहार सम्मिलित हैं; और

(छ) "अनियंत्रित संव्यवहार" से संबद्ध उद्यमों, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी, से भिन्न उद्यमों के बीच कोई संव्यवहार अभिप्रेत है ।

78. आसन्निकट कीमत के अवधारण की अन्य पद्धति--धारा 165(1)(च) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने की अन्य पद्धति कोई ऐसी पद्धति होगी, जो उस मूल्य को ध्यान में रखती है, जो समान परिस्थितियों में, गैर-संबद्ध उद्यमों के साथ या उनके बीच, समान या उसी प्रकार के अनियंत्रित संव्यवहार के लिए, सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए –

(क) भारित या संदत्त किया गया है ; या

(ख) भारित या संदत्त किया गया होता ।

79. धारा 165 के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण- (1) धारा 165(2) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत का अवधारण इस उपनियम में, उसमें विनिर्दिष्ट पद्धति में, उपबंधित निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी पद्धति द्वारा, जो कि सबसे समुचित पद्धति होगी, किया जाएगा ।

(क) तुलनीय अनियंत्रित कीमत पद्धति, जिसके द्वारा,–

(i) किसी तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार, या ऐसे अनेक संव्यवहारों में, उपबंधित अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभारित या संदत्त कीमत की पहचान की गई है ;

(ii) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतरों को, यदि कोई हों,

ध्यान में रखते हुए ऐसी कीमत को समायोजित किया जाता है, जो खुले बाजार में कीमत को काफी हद तक प्रभावित कर सकता हो ; और

(iii) उपखंड (ii) के अधीन आई समायोजित कीमत को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार में उपबंधित अंतरित संपत्ति या उपलब्ध की गई सेवाओं के संबंध में आसन्निकट कीमत समझा जाता है ; या

(ख) पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति, जिसके द्वारा,–

(i) कीमत, जिस पर किसी संबद्ध उद्यम से क्रय की गई संपत्ति या अभिप्राप्त सेवाओं को किसी असंबंधित उद्यम को पुनः विक्रय जाता है या प्रदान किया जाता है, की पहचान की गई है ;

(ii) इस प्रकार की पुनर्विक्रय कीमत को सामान्य सकल लाभ मार्जिन के बराबर रकम से घटाया जाएगा, जो उद्यम या किसी असंबंधित उद्यम को समान या वैसी ही संपत्ति के क्रय और पुनर्विक्रय से या समान या वैसी ही सेवाओं को अभिप्राप्त करने और प्रदान करने से, एक तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार या ऐसे अनेक संव्यवहार में प्राप्त होने वाले होती है ;

(iii) इस प्रकार आई कीमत को, संपत्ति के क्रय या सेवाओं की अभिप्राप्ति के संबंध में उद्यम द्वारा सीधे तौर पर उपगत व्ययों से और घटा दिया जाता है;

(iv) इस प्रकार निर्धारित कीमत को कार्यात्मक और अन्य अंतरों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है, जिसमें लेखांकन प्रथाओं में अंतर, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच विद्यमान होते हैं, जो खुले बाजार में सकल लाभ मार्जिन की रकम को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं ; और

(v) उपखंड (iv) के अधीन आई समायोजित कीमत को किसी उद्यम द्वारा अपने संबद्ध उद्यम से संपत्ति के क्रय या सेवाओं की अभिप्राप्ति के संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत समझा जाता है; या

(ग) लागत प्लस पद्धति, जिसके द्वारा,–

(i) किसी संबद्ध उद्यम को अंतरित संपत्ति या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में उद्यम द्वारा की गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्पादन लागतों का निर्धारण किया जाता है;

(ii) किसी उद्यम द्वारा या किसी असंबंधित उद्यम द्वारा तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार या ऐसे कई संव्यवहारों में समान या वैसी ही संपत्ति या सेवाओं के अंतरण या उपबंध से उद्भूत होने वाली ऐसी लागतों पर सामान्य सकल लाभ मार्जिन की रकम (समान लेखांकन मानदंडों के अनुसार संगणित की गई) अवधारित की जाती है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट सामान्य सकल लाभ मार्जिन को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच कार्यात्मक और अन्य अंतरों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के लिए समायोजित किया जाता है, जो खुले बाजार में ऐसे लाभ मार्जिन को काफी हद तक प्रभावित कर सकेगा ;

(iv) उपखंड (i) में निर्दिष्ट लागतों में उपखंड (iii) के अधीन प्राप्त समायोजित लाभ मार्जिन से वृद्धि की जाती है ; और

(v) इस प्रकार प्राप्त राशि को उद्यम द्वारा संपत्ति की आपूर्ति या सेवाओं के उपबंध के संबंध में आसन्निकट कीमत समझा जाता है ; या

(घ) लाभ विभाजन विधि, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में, लागू हो सकेगी,–

(i) कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिसमें या तो संव्यवहार में सम्मिलित प्रत्येक उद्यम द्वारा अद्वितीय अमूर्त संपत्तियों या अद्वितीय और मूल्यवान योगदानों का अंतरण सम्मिलित हो ; या

(ii) अनेक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जो इस प्रकार परस्पर संबंधित हैं कि किसी एक संव्यवहार की आसन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उनका पृथक् रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा, जिसके अधीन निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जा सकेगा–

(अ) अभिदाय लाभ विभाजन विधि, जिसके द्वारा,–

(I) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्भूत संबद्ध उद्यम का, जिसमें वे लगे हैं, संयुक्त शुद्ध लाभ अवधारित किया जाता है;

(II) इसके पश्चात्, संबद्ध उद्यमों में से द्वारा प्रत्येक उद्यम द्वारा संयुक्त शुद्ध लाभ अर्जित करने में किए गए सापेक्ष योगदान का मूल्यांकन, प्रत्येक उद्यम द्वारा किए गए कार्यों, नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों के आधार पर और विश्वसनीय बाहरी बाजार आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वैसी ही परिस्थितियों में तुलनीय कार्य करने वाले असंबंधित उद्यमों द्वारा ऐसे योगदान का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा ;

(III) इसके पश्चात्, संयुक्त शुद्ध लाभ को उपमद (II) के अधीन यथा मूल्यांकित, उनके सापेक्ष योगदान के अनुपात में उद्यमों के बीच विभाजित किया जाता है; और

(IV) इस प्रकार निर्धारिती को आबंटित लाभ को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है;

(आ) अवशिष्ट लाभ विभाजन विधि, जिसके द्वारा,–

(I) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्भूत संबद्ध उद्यम का, जिसमें वे लगे हैं, संयुक्त शुद्ध लाभ अवधारित किया जाता है;

(II) उपमद (I) में निर्दिष्ट संयुक्त शुद्ध लाभ, प्रथम अवस्था में, प्रत्येक उद्यम को भागतः आवंटित किया जा सकेगा, जिससे उसे उन योगदानों के लिए उपयुक्त आसन्निकट प्रतिफल प्रदान किया जा सके, जिनकी तुलनात्मक अनियंत्रित संव्यवहार का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से तुलना की जा सकती है ;

(III) इस प्रकार के आवंटन के पश्चात् अवशिष्ट शुद्ध लाभ, मद (अ) की मद (II) और (III) के अधीन विनिर्दिष्ट पद्धति से उद्यमों के बीच उनके सापेक्ष योगदान के अनुपात में विभाजित किया जा सकेगा ; और

(IV) किसी उद्यम को तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से बेंचमार्क किए जा सकने वाले योगदानों के लिए आवंटित शुद्ध लाभ का कुल योग, साथ ही उस उद्यम को उसके सापेक्ष योगदानों के आधार पर आवंटित अवशिष्ट शुद्ध लाभ, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए हिसाब में लिया जाएगा; या

(ङ) संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन विधि, जिसके द्वारा,–

(i) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी संबद्ध उद्यम के साथ किए गए किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्यम द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ मार्जिन की संगणना उद्यम द्वारा किए गए व्ययों, किए गए विक्रय, या उद्यम द्वारा नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपत्तियों, या किसी अन्य सुसंगत आधार को ध्यान में रखते हुए की जाती है ;

(ii) किसी उद्यम या उससे असंबंधित उद्यम द्वारा तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार या ऐसे अनेक संव्यवहारों से प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन की संगणना समान आधार को ध्यान में रखते हुए की जाती है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार में उद्भूत शुद्ध लाभ मार्जिन को अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच, या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतरों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है, जो खुले बाजार में शुद्ध लाभ मार्जिन की रकम को काफी हद तक प्रभावित कर सकेगा;

(iv) उपखंड (i) में निर्दिष्ट उद्यम द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन, उपखंड (iii) में निर्दिष्ट शुद्ध लाभ मार्जिन के समान स्थापित किया जाता है; और

(v) इस प्रकार निर्धारित शुद्ध लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित की जाती है; या

(च) नियम 78 में दिए गए उपबंध के अनुसार कोई अन्य पद्धति ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की अनियंत्रित संव्यवहार के साथ तुलनीयता का मूल्यांकन निम्नलिखित कारकों (जिन्हें इसमें तुलनीयता कारक कहा गया है) के संदर्भ में किया जाएगा :–

(क) दोनों ही संव्यवहारों में अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं की विशेषताएं ;

(ख) संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए कार्य, जिनमें प्रयुक्त या प्रयुक्त होने वाली संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) संव्यवहार के संविदात्मक निबंधन (चाहे वे औपचारिक हों या लिखित में हों) जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से यह निर्धारित करते हैं कि संव्यवहार के संबंधित पक्षकारों के बीच उत्तरदायित्वों, जोखिमों और लाभों को कैसे विभाजित किया जाना है; और

(घ) उन बाजारों में प्रचलित स्थितियां, जिनमें संव्यवहार के संबंधित पक्षकार काम करते हैं, जिनमें भौगोलिक स्थिति, बाजारों की गहराई और आकार, लागू विधि और सरकारी आदेश, बाजारों में श्रम और पूंजी की लागत, समग्र आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा का स्तर और थोक बाजार हैं या खुदरा बाजार, सम्मिलित हैं।

(3) एक अनियंत्रित संव्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के तुलनीय समझा जाएगा, यदि–

(क) तुलना किए जा रहे संव्यवहारों के बीच या ऐसे संव्यवहारों में सम्मिलित होने वाले उद्यमों के बीच अंतर, यदि कोई हो, में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया जाएगा। खुले बाजार में ऐसे संव्यवहार में लगाए गए या संदाय किए गए मूल्य या लागत, या उनसे उत्पन्न होने वाले लाभ को काफी हद तक प्रभावित करने की संभावना है ; या

(ख) इस प्रकार के अंतरों के भौतिक प्रभावों को समाप्त करने के लिए यथोचित रूप से सटीक समायोजन किए जा सकते हैं ।

(4) किसी अनियंत्रित संव्यवहार की तुलना किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े चालू वर्ष से संबंधित होंगे ।

(5) यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के आसन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सर्वोत्तम समुचित पद्धति पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति, लागत-प्लस विधि या संव्यवहार शुद्ध मार्जिन पद्धति है, तो उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी अनियंत्रित संव्यवहार की अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ तुलनात्मकता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े निम्नलिखित होंगे :

(क) चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े ; या

(ख) यदि निर्धारिती द्वारा कर वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करते समय चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े; और यदि चालू वर्ष से

संबंधित डेटा किसी कर वर्ष के लिए किसी मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की आसन्निकट कीमत के अवधारण के पश्चात् उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे आंकड़े का उपयोग ऐसे निर्धारण के लिए किया जाएगा, भले ही सुसंगत कर वर्ष की आय विवरणी प्रस्तुत करते समय डेटा उपलब्ध न हो।

80. सर्वोत्तम समुचित पद्धति– (1) धारा 165(2)(क) के प्रयोजनों के लिए, सर्वोत्तम समुचित पद्धति वह पद्धति होगी, जो प्रत्येक विशेष अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे ठीक हो और जो, यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत का सबसे विश्वसनीय माप प्रदान करती हो ।

(2) सर्वोत्तम समुचित पद्धति का चयन करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा :–

(क) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और श्रेणी;

(ख) संव्यवहार में सम्मिलित संबद्ध उद्यमों का वर्ग या के वर्ग और उनके द्वारा किए गए कार्य, जिनमें उन उद्यमों द्वारा उपयोग की गई या उपयोग की जाने वाली संपत्तियां और उनके द्वारा उठाए गए जोखिम सम्मिलित हैं;

(ग) पद्धति के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक आंकड़ों की उपलब्धता, व्यापकता और विश्वसनीयता;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और अनियंत्रित संव्यवहार के बीच और ऐसे संव्यवहार में सम्मिलित उद्यमों के बीच मौजूद तुलनीयता की डिग्री;

(ङ) सीमा, जिस तक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार करने वाले उद्यमों के बीच अंतर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय और सटीक समायोजन किया जा सकेगा ; और

(च) किसी पद्धति के अनुप्रयोग में आवश्यक मान्यताओं की प्रकृति, सीमा और विश्वसनीयता।

81. कतिपय दशाओं में आसन्निकट कीमत का अवधारण-(1) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में, धारा 165(3)(ख) में निर्दिष्ट सर्वोत्तम समुचित पद्धति के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप एक से अधिक मूल्य का अवधारण होता है, तो ऐसे संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत की संगणना इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कीमतों को आरोही क्रम में रखकर एक डेटासेट का निर्माण किया जाएगा और इस प्रकार निर्मित डेटासेट के आधार पर आसन्निकट कीमत अवधारित की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए, जहां सर्वोत्तम समुचित पद्धति पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति, लागत-लाभ विधि या संव्यवहार शुद्ध मार्जिन पद्धति है, और जहां किसी उद्यम द्वारा किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहार करने वाला उद्यम नहीं है, की पहचान निम्नलिखित से संबंधित आंकड़ों का उपयोग करके की गई है–

(क) यदि उक्त उद्यम ने चालू वर्ष में, चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में से किसी एक या दोनों में समान या मिलते-जुलते अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, तो–

(i) उस वर्ष (या उन वर्षों) में ऐसे संव्यवहार के संबंध में कीमत का निर्धारण चालू वर्ष में लागू की गई विधि के समान ही सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करके किया जाएगा; और

(ii) उपनियम (5) के अधीन संगणना किए गए ऐसी कीमतों का भारित औसत, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कीमत के स्थान पर उपनियम (2) के अधीन डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा;

(ख) यदि चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में (यदि उस वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करते समय चालू कर वर्ष से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं), और उक्त उद्यम ने पिछले दो वित्तीय वर्षों से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समान या मिलते-जुलते अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, तो–

(i) ऐसे संव्यवहार के संबंध में मूल्य का निर्धारण, वर्तमान वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई विधि के समान ही, सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करके किया जाएगा; और

(ii) उपनियम (5) के अधीन संगणना किए गए ऐसे मूल्यों का भारित औसत, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कीमत के स्थान पर उपनियम (2) के अधीन डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) जहां नियम 79(5) के अनुसार चालू वर्ष से संबंधित आंकड़ों के उपयोग से यह सिद्ध होता है कि–

(क) उद्यम ने चालू वर्ष के दौरान समान या इसी तरह का अनियंत्रित संव्यवहार नहीं किया है; या

(ख) चालू वर्ष के दौरान किया गया अनियंत्रित संव्यवहार तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार नहीं है।

फिर, अन्य बातों के होते हुए भी, तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की कीमत या कीमतों का भारित औसत, डेटासेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी उद्यम ने एक से अधिक वित्तीय वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, वहां उपनियम (2), (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए ऐसे संव्यवहारों की कीमतों का भारित औसत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट कीमत निर्धारण पद्धति के आधार पर और उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट कारकों को भार प्रदान करके परिकलित किया जाएगा: —

सारणी

क्र.सं.	*पद्धति*	*वे कारक जिन्हें भार दिया जाता है*

क	*ख*	*ग*
1.	पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति	संबंधित कीमतों की संगणना के लिए विक्रय की मात्रा पर विचार किया गया।
2.	लागत-आधारित पद्धति	संबंधित कीमतों की संगणना के लिए विचार की गई लागत की मात्रा।
3.	संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन पद्धति	संबंधित कीमतों की संगणना के लिए किए गए व्ययों की मात्रा, की गई बिक्री, उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने वाली संपत्तियां, या कोई अन्य आधार।

(6) जहां सर्वोत्तम समुचित पद्धति तुलनीय अनियंत्रित मूल्य पद्धति या पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति या लागत-अतिरिक्त पद्धति या संव्यवहार शुद्ध मार्जिन पद्धति है और उपनियम (2) के अनुसार निर्मित डेटासेट में छह या अधिक प्रविष्टियाँ हैं, तो डेटासेट के 35वें प्रतिशत से प्रारंभ होकर 65वें प्रतिशत पर समाप्त होने वाली एक उचित सीमा निर्मित की जाएगी और यदि वह मूल्य, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तव में किया गया है –

(क) इस प्रकार की आसन्निकट सीमा के भीतर, ऐसी कीमत को आसन्निकट कीमत समझा जाएगा;

(ख) ऐसी आसन्निकट सीमा के बाहर, आसन्निकट कीमत की संगणना करने के लिए डेटासेट के माध्यिका का उपयोग किया जाएगा।

(7) जहां उपनियम (6) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहां आसन्निकट कीमत निम्नलिखित होगी :

(क) डेटासेट में सम्मिलित सभी मानों का अंकगणितीय माध्य; या

(ख) वह मूल्य, जिस पर ऐसा संव्यवहार वास्तव में किया गया है, यदि इस प्रकार निर्धारित आसन्निकट कीमत और उस मूल्य के बीच का अंतर, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तव में किया गया है, ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो पश्चात्वर्ती के 3% से अधिक न हो, जैसा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) आरोही क्रम में व्यवस्थित मानों वाले डेटासेट का "माध्यिका" होगा –

(i) डेटासेट में सबसे कम मान, जहां कम से कम 50% मान, इससे कम या इसके बराबर हों; या

(ii) यदि उक्त मान के बराबर या उससे कम सभी मानों की संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो उस डेटासेट में उस सबसे छोटे मान और उसके ठीक पश्चात् आने वाले मान का अंकगणितीय माध्य;

(ख) (i) आरोही क्रम में व्यवस्थित मानों वाले किसी डेटासेट का “35वां प्रतिशतक” होगा –

(क) डेटासेट में सबसे कम मान ऐसा हो कि डेटासेट में सम्मिलित कम से कम 35% मान उस मान के बराबर या उससे कम हों; या

(ख) यदि उक्त मान के बराबर या उससे कम सभी मानों की संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो उस डेटासेट में उस सबसे छोटे मान और उसके तुरंत पश्चात् आने वाले मान का अंकगणितीय माध्य; और

(ii) आरोही क्रम में व्यवस्थित मानों वाले डेटासेट का “65वां प्रतिशत” होगा –

(क) डेटासेट में सबसे कम मान ऐसा हो कि डेटासेट में सम्मिलित कम से कम 65% मान उस मान के बराबर या उससे कम हों; या

(ख) उस डेटासेट में सबसे कम मान और उसके ठीक पश्चात् आने वाले मान का अंकगणितीय माध्य, यदि उक्त मान के बराबर या उससे कम सभी मानों की संख्या एक पूर्ण संख्या हो।

दृष्टांत 1

चालू वर्ष के दौरान उद्यम एक्स ने अपने संबद्ध उद्यमों के साथ नियंत्रित संव्यवहार किए हैं। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन पद्धति को सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चुना गया है, उद्यम एक्स को परीक्षित पक्ष के रूप में चुना गया है, और परिचालन लाभ (ओपी) और परिचालन व्यय (ओई) के अनुपात को लाभ स्तर सूचक (पीएलआई) के रूप में चुना गया है। निर्धारिती द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत करते समय विचाराधीन चालू वर्ष के लिए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के आंकड़े उपलब्ध हैं और इसी के आधार पर, सात गैर-संबद्ध उद्यमों की पहचान की गई है जिन्होंने चालू वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं। पहचाने गए सभी तुलनीय उद्यमों ने चालू वर्ष से पूर्व के दो वर्षों की अवधि में भी तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं।

प्रत्येक गैर-संबद्ध उद्यम के लिए भारित औसत लाभ स्तर सूचक (पीएलआई) की संगणना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	गैर-सम्बद्ध उद्यम का नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	परिचालन व्यय (ओई) और परिचालन लाभ (ओपी) का एकत्रीकरण	भारित औसत पीएलआई
1	2	3	4	5	6	7
1.	क	ओई = 100	ओई = 150	ओई = 225	कुल ओई = 475	ओपी/ओई=12%

		ओपी = 12	ओपी = 10	ओपी = 35	कुल ओपी = 57	
2.	ख	ओई = 80	ओई = 125	ओई = 100	कुल ओई = 305	ओपी/ओई=8.2%
		ओपी = 10	ओपी = 5	ओपी = 10	कुल ओपी = 25	
3.	ग	ओई = 250	ओई = 230	ओई = 250	कुल ओई = 730	ओपी/ओई=9%
		ओपी = 22	ओपी = 26	ओपी = 18	कुल ओपी = 66	
4.	घ	ओई = 180	ओई = 220	ओई = 150	कुल ओई = 550	ओपी/ओई=6%
		ओपी = (-)9	ओपी = 22	ओपी = 20	कुल ओपी = 33	
5.	ङ	ओई = 140	ओई = 100	ओई = 125	कुल ओई = 365	ओपी/ओई=2.2%
		ओपी = 21	ओपी= (-) 8	ओपी=(-) 5	कुल ओपी = 8	
6.	च	ओई = 160	ओई = 120	ओई = 140	कुल ओई = 420	ओपी/ओई=11.9%
		ओपी = 21	ओपी = 14	ओपी = 15	कुल ओपी = 50	
7.	छ	ओई = 150	ओई = 130	ओई = 155	कुल ओई = 435	ओपी/ओई=10.57%
		ओपी = 21	ओपी = 12	ओपी = 13	कुल ओपी = 46	

उपरोक्त से, पीएलआई के भारित औसत मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके डेटासेट का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा :

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7
मान	2.2%	6%	8.2%	9%	10.57%	11.9%	12%

भुजा की लंबाई की सीमा ज्ञात करने के लिए, 35वें और 65वें प्रतिशत के डेटा स्थान की संगणना निम्नलिखित पद्धति से की जाएगी :

डेटासेट में डेटा बिंदुओं की कुल संख्या × (35/100)

डेटासेट में डेटा बिंदुओं की कुल संख्या × (65/100)

इस प्रकार, 35वें प्रतिशत का डेटा स्थान = 7 × 0.35 = 2.45

चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इससे ऊपर का डेटा स्थान, अर्थात् तीसरे स्थान पर स्थित मान, इसके नीचे के मानों का कम से कम 35% होगा। अतः, 35वां प्रतिशत तीसरे स्थान पर स्थित मान है, अर्थात् 8.2%

65वें प्रतिशत का डेटा स्थान = 7 × 0.65 = 4.55

चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए अगला उच्चतर डेटा स्थान, अर्थात् 5वें स्थान पर स्थित मान, से नीचे के मानों का कम से कम 65% होना चाहिए। अतः 65वां प्रतिशत 5वें स्थान पर स्थित मान है, अर्थात् 10.57%

आसन्निकट सीमा 8.2% से प्रारंभ होकर 10.57% पर समाप्त होगी।

अतः, यदि किसी उद्यम X की दशा में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, पीएलआई 8.2% के बराबर या उससे अधिक और 10.57% के बराबर या उससे कम है, तो जिस मूल्य पर वास्तव में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया गया है, उसे आसन्निकट कीमत समझी जाएगी। किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, यदि उद्यम X की दशा में पीएलआई आसन्निकट सीमा के 35वें प्रतिशत, अर्थात् 8.2% से कम है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए डेटासेट के माध्यिका का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले माध्यिका निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी:

माध्यिका की संगणना डेटासेट में डेटा बिंदुओं की कुल संख्या को (50/100) से गुणा करके की जाती है। इस मामले में, यह 7 × 0.5 = 3.5 है।

चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इससे ऊपर का डेटा स्थान, अर्थात् डेटासेट में चौथे स्थान पर स्थित मान, इसके नीचे के मानों का कम से कम 50% (माध्यिका) होगा।

इस मामले में माध्यिका 9% है। इसलिए, निष्पक्ष विनिधान पर पीएलआई 9% होगा और नियंत्रित संव्यवहार को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा जिससे नियंत्रित उद्यम X के लिए यह पीएलआई प्राप्त हो।

दृष्टांत 2

दृष्टांत 1 में उल्लिखित उद्यम X की दशा में, निर्धारिती द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत करते समय चालू वर्ष का डेटा केवल गैर-संबद्ध उद्यमों क, ग, ङ, च और छ के संबंध में ही उपलब्ध है। गैर-संबद्ध उद्यमों ख और घ के संबंध में, कर वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष का डेटा आय विवरणी प्रस्तुत करते समय उपलब्ध है और इसका उपयोग उद्यम ख और घ द्वारा किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि इन सात गैर-संबद्ध उद्यमों ने कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में से किसी एक या दोनों में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं, तो ऐसे डेटा को डेटासेट में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक गैर-संबद्ध उद्यम के लिए भारित औसत पीएलआई की संगणना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	गैर-सम्बद्ध उद्यम का नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	परिचालन व्यय (ओई) और परिचालन लाभ (ओपी) का एकत्रीकरण	भारित औसत पीएलआई

1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओई = 100	ओई = 150	ओई = 225	कुल ओई = 475	ओपी/ओई = 12%
		ओपी = 12	ओपी = 10	ओपी = 35	कुल ओपी = 57	
2	ख	ओई = 80	ओई = 125	डेटा उपलब्ध नहीं	कुल ओई = 205	ओपी/ओई = 7.31%
		ओपी = 10	ओपी = 5		कुल ओपी = 15	
3	ग	ओई = 250	ओई = 230	ओई = 250	कुल ओई = 730	ओपी/ओई = 9%
		ओपी = 22	ओपी = 26	ओपी = 18	कुल ओपी = 66	
4	घ	डेटा उपलब्ध नहीं	ओई = 220	डेटा उपलब्ध नहीं	कुल ओई = 220	ओपी/ओई = 10%
			ओपी = 22		कुल ओपी = 22	
5	ङ	डेटा उपलब्ध नहीं	डेटा उपलब्ध नहीं	ओई = 125	कुल ओई = 125	ओपी/ओई = (-) 4%
				ओपी = (-) 5	कुल ओपी = (-)5	
6	च	ओई = 160	ओई = 120	ओई = 140	कुल ओई = 420	ओपी/ओई = 11.9%
		ओपी = 21	ओपी = 14	ओपी = 15	कुल ओपी = 50	
7	छ	ओई = 150	ओई = 130	ओई = 155	कुल ओई = 435	ओपी/ओई= 10.57%
		ओपी = 21	ओपी = 12	ओई = 13	कुल ओपी = 46	

उपरोक्त से, पीएलआई के भारित औसत मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके डेटासेट का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा:

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7

मान	(-)4%	7.31%	9%	10%	10.57%	11.9%	12%

यदि मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, कर वर्ष का डेटा उपलब्ध हो जाता है और ऐसे डेटा के उपयोग से यह संकेत मिलता है कि गैर-संबद्ध उद्यम ख को नियम 79(3)(ii) और (iii) के अंतर्गत तुलनीय नहीं समझा जा सकेगा, तो उद्यम ख से संबंधित डेटा को डेटासेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उद्यम घ से सुसंगत कर वर्ष का डेटा डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि इस स्तर पर उपलब्ध डेटा उद्यम ज द्वारा किए गए किसी नए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान करता है, तो उसे संशोधित डेटासेट में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक गैर-संबद्ध उद्यम के लिए भारित औसत पीएलआई की संगणना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	गैर-सम्बद्ध उद्यम का नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	परिचालन व्यय (ओई) और परिचालन लाभ (ओपी) का एकत्रीकरण	भारित औसत पीएलआई
1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओई = 100	ओई = 150	ओई = 225	कुल ओई = 475	ओपी/ओई = 12%
		ओपी = 12	ओपी = 10	ओपी = 35	कुल ओपी = 57	
2	ख	ओई = 250	ओई = 230	ओई = 250	कुल ओई = 730	ओपी/ओई = 9%
		ओपी = 22	ओपी = 26	ओपी = 18	कुल ओपी = 66	
3	ग	डेटा उपलब्ध नहीं	ओई = 220	ओई = 150	कुल ओई = 370	ओपी/ओई =11.35%
			ओपी = 22	ओपी = 20	कुल ओपी = 42	
4	घ	डेटा उपलब्ध नहीं	डेटा उपलब्ध नहीं	ओसी = 125	कुल ओसी = 125	ओपी/ओसी = (-)4%

				ओपी = (-) 5	कुल ओपी = (-)5	
5	ङ	ओसी= 160	ओसी= 120	ओसी = 140	कुल ओसी = 420	ओपी/ओसी= 11.9%
		ओपी = 21	ओपी = 14	ओपी = 15	कुल ओपी = 50	
6	च	ओसी= 150	ओसी= 130	ओसी = 155	कुल ओसी = 435	ओपी/ओसी= 10.57%
		ओपी = 21	ओपी = 12	ओपी = 13	कुल ओपी = 46	
7	छ	ओसी= 150	डेटा उपलब्ध नहीं	ओसी = 80	कुल ओसी = 230	ओपी/ओसी =9.56%
		ओपी = 12		ओपी = 10	कुल ओपी = 22	

उपरोक्त से, पीएलआई के भारित औसत मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके डेटासेट का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा:

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7
मान	(-)4%	9%	9.56%	10.57%	11.35%	11.9%	12%

इसके पश्चात्, आसन्निकट सीमा और आर्म्स लेंथ प्राइस की संगणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि दृष्टांत 1 में वर्णित है।

दृष्टांत 3

दिए गए मामले में, तुलनीय अनियंत्रित मूल्य पद्धति को सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चुना गया है और 20 तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान की गई है। आरोही क्रम में व्यवस्थित 20 कीमतों का डेटासेट इस प्रकार है:

क्र.सं.	लाभ (हजार रूपये में)
1	2
1	42.00
2	43.00
3	44.00

4	44.50
5	45.00
6	45.25
7	47.00
8	48.00
9	48.15
10	48.35
11	48.45
12	48.48
13	48.50
14	49.00
15	49.10
16	49.35
17	49.50
18	49.75
19	50.00
20	50.15

दृष्टांत 1 में दिए गए सूत्र का प्रयोग करके, 35वें और 65वें पर्सटाइल (प्रतिशतक) का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है:

35वां पर्सटाइल (प्रतिशतक) = 20 × (35/100) = 7वां

65वां पर्सटाइल (प्रतिशतक) = 20 × (65/100) = 13वां

चूंकि 35वां पर्सटाइल (प्रतिशतक) एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह 7वें और उससे अगले उच्चतर, अर्थात् 8वें पर्सटाइल (प्रतिशतक) पर मूल्यों का औसत होगा। यह (47000+48000)/2 = ₹ 47500 है।

इसी प्रकार, 65वां प्रतिशत 13वें और 14वें स्थान के मूल्यों का औसत होगा। यह (48500+49000)/2 = ₹ 48750 है।

श्रेणी का माध्यिका (50वां प्रतिशत स्थान) = 20 × (50/100) = 10वां स्थान

चूंकि 50वां प्रतिशत स्थान एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह 10वें और उससे अगले उच्चतर, अर्थात् 11वें स्थान के मूल्यों का औसत होगा। यह (48350+48450)/2 = ₹ 48400 है।

अतः, इस मामले में आसन्निकट कीमत सीमा ₹ 47500 से ₹ 48750 तक होगी।

परिणामस्वरूप, कोई भी नियंत्रित संव्यवहार, जिसका मूल्य 47500 ₹ के बराबर या उससे अधिक है, परंतु 48750 ₹ के बराबर या उससे कम है, आसन्निकट सीमा के भीतर समझा जाएगा। यदि ऐसी कीमत आसन्निकट सीमा के भीतर नहीं है, तो आसन्निकट कीमत निर्धारित करने के लिए डेटासेट के माध्यिका का उपयोग किया जाएगा।

82. एक ही कार्यवाही में अनेक वर्षों के लिए आसन्निकट कीमत अवधारित करने हेतु विकल्प का प्रयोग – (1) धारा 166(9)(क) के अनुसार विकल्प का प्रयोग निर्धारिती द्वारा एक ही कार्यवाही में अनेक वर्षों के लिए आसन्निकट कीमत अवधारण हेतु प्ररूप संख्या 46 प्रस्तुत करके किया जा सकेगा। यह प्ररूप उस कर वर्ष (प्रथम कर वर्ष) के तुरंत पश्चात् आने वाले दो निरंतर कर वर्षों (द्वितीय कर वर्ष और तृतीय कर वर्ष) के लिए होगा, जिसके संबंध में उक्त धारा के अंतर्गत उसकी दशा में संदर्भ दिया गया है ।

(2) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में प्ररूप संख्या 46 तृतीय कर वर्ष की समाप्ति से प्रारंभ होकर तृतीय कर वर्ष के उत्तरोत्तर 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) में प्रस्तुत प्ररूप संख्या 46 के साथ धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा प्ररूप संख्या 47 में दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।

(4) यदि अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार उपनियम (5) में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी, उस मास के अंत से एक मास के भीतर, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, एक लिखित आदेश द्वारा घोषणा करेगा, कि प्ररूप संख्या 46 में प्रयोग किए गए विकल्प विधिमान्य हैं या विधिमान्य ।

(5) उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) द्वितीय और तृतीय कर वर्ष में वे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिनके लिए प्ररूप संख्या 46 में विकल्प का प्रयोग किया गया है, प्रथम कर वर्ष में हुए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के समान होने चाहिए ;

(ख) संबंधित संव्यवहार को समान समझा जाएगा, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(i) संबंधित संव्यवहार के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ii) संबंधित संव्यवहार के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त परिसंपत्तियों और ग्रहण किए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किए गए कार्य मूल रूप से सुसंगत बने रहते हैं;

(iii) संबंधित संव्यवहार के संबंध में, व्यावसायिक गतिविधियाँ, संबंधित वित्तीय, कर और लेखांकन पद्धतियां ; और कंपनी की दशा में निर्धारिती का वर्गीकरण मूल रूप से समान बना रहता है;

(iv) संबद्ध उद्यम के व्यावसायिक परिणाम या होल्डिंग संरचना में परिवर्तन होने पर भी, या संबद्ध उद्यम में परिवर्तन होने पर भी, विकल्प या विकल्पों का प्रयोग लागू होगा, परंतु संबंधित संव्यवहार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो और नियोजित परिसंपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादित कार्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो; और

(v) संबंधित संव्यवहार की संविदात्मक शर्तों (चाहे वे औपचारिक हों या लिखित में) में कोई परिवर्तन न हो, जिनमें स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित किया गया हो कि संबंधित संव्यवहार के पक्षकारों के बीच उत्तरदायित्वों, जोखिमों और लाभों को कैसे विभाजित किया जाना है।

(ग) निर्धारिती ने प्रथम और द्वितीय कर वर्ष में निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:–

(i) धारा 172 के अंतर्गत लेखाकार से निर्दिष्ट तारीख तक रिपोर्ट; और

(ii) धारा 263(1) में निर्दिष्ट तारीख तक आय विवरण;

(घ) निर्धारिती तृतीय कर वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करने का वचन देगा: –

(i) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से धारा 172 के अंतर्गत निर्दिष्ट तारीख तक रिपोर्ट; और

(ii) धारा 263(1) में निर्दिष्ट तारीख तक आय विवरण;

(ङ) प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर वर्ष के लिए निर्धारिती का मामला अध्याय 16-ख के उपबंधों के अधीन नहीं आता है; और

(च) संव्यवहार से संबंधित कोई भी संबद्ध उद्यम धारा 176 के अधीन अधिसूचित क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है।

(6) यदि निर्धारिती उपनियम (4) के अंतर्गत अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के उस आदेश पर आपत्ति करता है, जिसमें विकल्प को अमान्य घोषित किया गया है, तो वह अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिसके अधीन अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी है।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट आपत्ति प्राप्त होने पर, आयुक्त निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और उक्त आदेश की एक प्रति निर्धारिती और अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को तामील कराएगा।

(8) यदि धारा 166 के अधीन कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 46 में दी गई जानकारी गलत या असत्य है, या धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा प्ररूप

संख्या 47 में उसी आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, या उपनियम (5) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, तो उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

(9) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश को रद्द करने से पूर्व, अंतर मूल्य निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देगा और आदेश रद्द करने से पहले आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(10) जहां निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प या विकल्पों को उपनियम (4) के अधीन अमान्य घोषित किया जाता है या उक्त उपनियम के अधीन पारित आदेश को अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी पहले कर वर्ष के लिए आसन्निकट कीमत निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करेगा, जिसके लिए धारा 166(1) के अधीन निदेश प्राप्त हुआ है।

83. धारा 170(2) के अधीन अतिरिक्त धन की वापसी और द्वितीयक समायोजन के अनुसार धारा 170(4) के अधीन ब्याज आय की संगणना की समयावधि– (1) धारा 170(2)(ख) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित परिस्थितियों में अतिरिक्त धन या उसके अंश की वापसी की समय सीमा, उसके स्तंभ ग में उल्लिखित तारीख से नब्बे दिन पहले या उस तारीख तक होगी:

सारणी

क्र.सं.	*परिस्थितियां*	*तारीख*
क	*ख*	*ग*
1.	आयकर विवरणी में निर्धारिती द्वारा स्वतः ही अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन किए गए हैं।	धारा (1)263के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
2.	निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में निर्धारित अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन को निर्धारिती द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।	निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख, यथास्थिति।

3.	अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा धारा 168के अधीन किसी कर वर्ष के संबंध में सुसंगत कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर या उससे पहले किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	धारा (1)263के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
4.	अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन, सुसंगत कर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् के कर वर्ष के संबंध में धारा के 168अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार द्वारा निर्धारित किया जाता है।	जिस मास में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार हुआ है, उस मास के अंत तक।
5.	धारा के अंतर्गत सुरक्षित आश्रय नियमों के अनुसार 167 निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है।	धारा (1)263के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख।
6.	अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन धारा (1) 159या के (2) अधीन किए गए दोहरे कराधान बचाव करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन किए गए संकल्प द्वारा निर्धारित किया जाता है।	नियम (10)121के अधीन ऐसे संकल्प को प्रभावी करने वाले आदेश की तारीख।

(2) उपनियम (1) के अनुसार समय सीमा के भीतर प्रत्यावर्तित न की गई अतिरिक्त धनराशि या उसके भाग पर अनुमानित वार्षिक ब्याज आय की संगणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

(क) सुसंगत कर वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत उधार दर पर, साथ ही 325 आधार अंक जोड़कर, उन मामलों में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार भारतीय रुपये में किया गया हो; या

(ख) सुसंगत कर वर्ष की 30 सितंबर को, नियम 89(3) में परिभाषित संबंधित विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर पर, साथ ही 300 आधार अंक जोड़कर, उन मामलों में, जहां अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट ब्याज, उपनियम (1) की सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट मामलों में, उस अतिरिक्त धन या उसके भाग पर प्रभार्य होगा, जिसे प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, और यह ब्याज उपनियम (1) के स्तंभ ग में उल्लिखित तारीख से लागू होगा।

(4) इस नियम के लिए, विदेशी मुद्रा में किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने की विनिमय दर, उस मुद्रा की टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर होगी, जो संव्यवहार किए गए कर वर्ष के अंतिम दिन लागू होगी, और "टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्रय दर" का वही अर्थ होगा, जो नियम 207 में उसका है।

84. धारा 171(1) के अधीन रखी जाने वाली सूचनाएँ और दस्तावेज– (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उसे निम्नलिखित सूचनाएँ और दस्तावेज रखने और बनाए रखने होंगे: –

(क) समकालीन अवधि के लिए अन्य उद्यमों द्वारा धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हितों के विवरण सहित निर्धारिती उद्यम की स्वामित्व संरचना का विवरण;

(ख) उस बहुराष्ट्रीय समूह का विवरण, जिसका निर्धारिती उद्यम एक हिस्सा है, साथ ही समूह में सम्मिलित प्रत्येक उद्यम का नाम, पता, विधिक स्थिति और कर निवास का देश, जिनके साथ निर्धारिती ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, और उनके बीच स्वामित्व संबंध;

(ग) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण, जिसमें निर्धारिती कार्य करता है, और उन संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का विवरण, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है;

(घ) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (मूल्यों सहित), अंतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं का विवरण और ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग की मात्रा और मूल्य;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार में सम्मिलित निर्धारिती और संबद्ध उद्यमों द्वारा किए गए कार्यों, उठाए गए जोखिमों और नियोजित या नियोजित किए जाने वाले परिसंपत्तियों का विवरण;

(च) निर्धारिती द्वारा समग्र रूप से व्यवसाय और प्रत्येक प्रभाग या उत्पाद के लिए अलग-अलग तैयार किए गए आर्थिक और बाजार विश्लेषण, पूर्वानुमान, बजट या किसी अन्य वित्तीय अनुमानों का रिकॉर्ड, जिसका निर्धारिती द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है;

(छ) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ उनकी तुलनीयता का विश्लेषण करने के लिए ध्यान में रखे गए अनियंत्रित संव्यवहार का रिकॉर्ड, जिसमें तृतीय पक्षकारों के साथ किसी भी अनियंत्रित संव्यवहार से संबंधित प्रकृति, नियम और शर्तों का रिकॉर्ड सम्मिलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के मूल्य निर्धारण के लिए सुसंगत हो सकता है;

(ज) अनियंत्रित संव्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के साथ तुलनीयता का मूल्यांकन करने के लिए किए गए विश्लेषण का रिकॉर्ड;

(झ) प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए अपनाई गई पद्धतियों का विवरण, सर्वोत्तम समुचित पद्धति के रूप में चयनित पद्धति, साथ ही यह स्पष्टीकरण कि ऐसी पद्धति क्यों चुनी गई, और प्रत्येक मामले में ऐसी पद्धति कैसे लागू की गई;

(ञ) आसन्निकट कीमत (उचित मूल्य) निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड, जिसमें सर्वोत्तम समुचित पद्धति को लागू करने में उपयोग किए गए तुलनीय डेटा और वित्तीय जानकारी का विवरण, और यदि कोई हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार और तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार के बीच या ऐसे संव्यवहार में सम्मिलित उद्यमों के बीच अंतर को ध्यान में रखने के लिए किए गए समायोजन सम्मिलित हैं;

(ट) यदि कोई हो, तो वे मान्यताएँ, नीतियाँ और मूल्य वार्ताएँ, जिन्होंने आसन्निकट कीमत के अवधारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है;

(ठ) इन नियमों के अधीन निर्धारित आसन्निकट कीमत के अनुरूप अंतरण मूल्यों में किए गए समायोजन (यदि कोई हो) और कर प्रयोजनों के लिए कुल आय में किए गए परिणामी समायोजन का विवरण; और

(ङ) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जिसमें संबद्ध उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सम्मिलित है, जो आसन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सुसंगत हो सकता है।

(2) उपनियम (1) में निहित कोई भी बात ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार पर लागू नहीं होगी, यदि निर्धारिती द्वारा कर वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का लेखा-पुस्तकों में दर्ज कुल मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(3) उपनियम (2) के लागू होने के लिए, निर्धारिती को उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह सिद्ध करना होगा कि उसके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से प्राप्त आय की संगणना धारा 161 के अनुसार की गई है।

(4) नियम 95 में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती की दशा में, नियम 96 में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पर उपनियम (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, और ऐसे मामले में–

(क) नियम 95(क) में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज रखेगा और उनका रखरखाव करेगा: –

(i) निर्धारिती उद्यम की स्वामित्व संरचना का विवरण, जिसमें समकालीन अवधि के लिए अन्य उद्यमों द्वारा धारित शेयरों या अन्य स्वामित्व हितों का विवरण सम्मिलित हो;

(ii) निर्धारिती के व्यवसाय और उस उद्योग का विस्तृत विवरण जिसमें निर्धारिती कार्यरत है, और उन संबद्ध उद्यमों के व्यवसाय का विवरण जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है;

(iii) प्रत्येक संबद्ध उद्यम के साथ किए गए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (मूल्यों सहित) और प्रत्येक ऐसे संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार के वर्ग की मात्रा और मूल्य;

(iv) यदि कोई हो, तो किसी नियामक आयोग के समक्ष कार्यवाही का रिकॉर्ड और विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित ऐसे आयोग के आदेश;

(v) निर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अंतरण मूल्य को निर्धारित करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड;

(vi) यदि कोई हो, तो वे मान्यताएँ, नीतियाँ और मूल्य वार्ताएँ जिन्होंने अंतरण मूल्य के निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है; और

(vii) कोई अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जिसमें संबद्ध उद्यम से संबंधित जानकारी या डेटा सम्मिलित है, जो अंतरण मूल्य के निर्धारण के लिए सुसंगत हो सकता है।

(ख) नियम 95(ख) में बताए गए पात्र निर्धारिती को, नीचे दी गई जानकारी और दस्तावेज़ रखने और बनाए रखने होंगे: –

(i) निर्धारिती सहकारी समिति की मालिकाना संरचना का विवरण, जिसमें सदस्यों द्वारा रखे गए शेयरों या अन्य मालिकाना हितों की जानकारी शामिल हो;

(ii) सदस्यों का विवरण, जिसमें उनके पते और सदस्यता की अवधि शामिल हो;

(iii) प्रत्येक सदस्य के साथ किए गए विशिष्ट घरेलू संव्यवहार की प्रकृति और शर्तें (कीमतों सहित), तथा ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या ऐसे संव्यवहारों के वर्ग की मात्रा और मूल्य;

(iv) विशिष्ट घरेलू संव्यवहार की ट्रांसफर कीमत तय करने के लिए किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड;

(v) वे धारणाएँ, नीतियाँ और कीमतों पर बातचीत (यदि कोई हो), जिन्होंने अंतरण कीमत तय करने पर निर्णायक रूप से प्रभाव डाला हो;

(vi) कीमतों के नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होने से संबंधित दस्तावेज़; और

(vii) कोई भी अन्य जानकारी, डेटा या दस्तावेज़, जो अंतरण कीमत तय करने के लिए प्रासंगिक हो।

(5) उपनियम (1) और (4) में निर्दिष्ट जानकारी प्रामाणिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं: –

(क) संबद्ध उद्यम के निवास देश की सरकार या किसी अन्य देश की सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रकाशन, रिपोर्ट, अध्ययन और डेटाबेस;

(ख) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान अध्ययनों की रिपोर्ट और तकनीकी प्रकाशन;

(ग) मूल्य प्रकाशन, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी बाजार के भाव सम्मिलित हैं;

(घ) संबद्ध उद्यमों के व्यावसायिक मामलों से संबंधित प्रकाशित खाते और वित्तीय विवरण;

(ङ) संबद्ध उद्यमों या असंबंधित उद्यमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के समान संव्यवहार के संबंध में किए गए करार और अनुबंध;

(च) निर्धारिती और संबद्ध उद्यम के बीच बातचीत की गई शर्तों को दस्तावेजित करने वाले पत्र, ईमेल और अन्य पत्राचार;

(छ) लेखांकन प्रथाओं के अधीन विभिन्न संव्यवहार के संबंध में सामान्यतः जारी किए गए दस्तावेज।

(6) उपनियम (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, जहां तक संभव हो, समकालीन होने चाहिए और धारा 173(घ) में निर्दिष्ट तारीख पर उपलब्ध होने चाहिए।

(7) उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई सुसंगत संव्यवहार एक कर वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी रहता है, वहां प्रत्येक कर वर्ष के लिए अलग से नए दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि निम्नलिखित में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो -

(क) ऐसे संव्यवहार की प्रकृति या शर्तें; या

(ख) अंतर्निहित मान्यताएँ; या

(ग) अंतरण मूल्य को प्रभावित करने वाला कोई अन्य कारक,

और ऐसे परिवर्तन की स्थिति में, नए दस्तावेज रखे जाएँगे, जिनमें उपनियम (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण पर इसके प्रभाव को दर्शाया जाएगा।

(8) उपनियम (1) से (4) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ वर्ष की अवधि तक रखे और संरक्षित किए जाएँगे।

85. धारा 172 के अधीन लेखाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट– (1) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 172 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसने किसी कर वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, प्ररूप संख्या 48 में होगी और उसमें दर्शाए गए पद्धति से सत्यापित की जाएगी।

(2) यह रिपोर्ट धारा 263(1)(ग) के अनुसार आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

86. अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों की परिभाषाएँ– इस नियम और नियम 87 से 93 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लेखाकार"-

(i) से धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है: –

(अ) यदि वह व्यक्तिगत रूप से लेखांकन का पेशा कर रहा है या मूल्यांकनकर्ता है तो –

(I) उसे कम से कम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो; और

(II) जिस वर्ष लागत प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाता है, उससे पूर्व वर्ष में पेशे से उसकी वार्षिक आय पचास लाख रुपये से अधिक हो;

(आ) यदि वह लेखांकन या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था का सदस्य या भागीदार है, तो लागत प्रमाणीकरण किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के वर्ष में संस्था की वार्षिक आय तीन करोड़ रुपये से अधिक हो;

(ii) इसमें उस देश की सरकार द्वारा लागत प्रमाणीकरण करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है, जहां संबद्ध उद्यम पंजीकृत या निगमित है, या उसकी कोई भी एजेंसी, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है: –

(अ) (क)(i)(अ) और (आ) में निर्दिष्ट शर्त; और

(आ) यदि वह लेखांकन या मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था का सदस्य या भागीदार है, तो संस्था या उसके सहयोगी दो से अधिक देशों में मौजूद हों;

(ख) "अनुबंध अनुसंधान और विकास सेवाएं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित हैं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(i) सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रमेयों और एल्गोरिदमों का उत्पादन करने वाला अनुसंधान और विकास; या

(ii) ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषाओं, डेटा प्रबंधन, संचार सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर विकास उपकरणों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास; या

(iii) इंटरनेट प्रौद्योगिकी का विकास; या

(iv) सॉफ्टवेयर के डिजाइन, विकास, तैनाती या रखरखाव की विधियों पर अनुसंधान; या

(v) सॉफ्टवेयर विकास जो सूचना को कैप्चर करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, पुनः प्राप्त करने, हेरफेर करने या प्रदर्शित करने के लिए सामान्य दृष्टिकोणों में प्रगति करता है; या

(vi) सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान अंतराल को भरने के उद्देश्य से प्रायोगिक विकास; या

(vii) कंप्यूटिंग के विशिष्ट क्षेत्रों (छवि प्रसंस्करण, भौगोलिक डेटा प्रस्तुति, वर्ण पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऐसे अन्य क्षेत्र) में सॉफ्टवेयर उपकरणों या प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास; या

(viii) विद्यमान उत्पादों का उन्नयन, जहां मूल कंपनी द्वारा स्रोत कोड उपलब्ध कराया गया हो, सिवाय उन मामलों के, जहां स्रोत कोड सॉफ्टवेयर की डीबगिंग जैसे नियमित कार्यों को करने के लिए उपलब्ध कराया गया हो;

(ग) "कोर ऑटो कंपोनेंट्स" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) इंजन और इंजन के पुर्जे, जिनमें पिस्टन और पिस्टन रिंग, इंजन वाल्व और पुर्जे, कूलिंग सिस्टम और पुर्जे और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स सम्मिलित हैं; या

(ii) ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग के पुर्जे, जिनमें गियर, पहिए, स्टीयरिंग सिस्टम, एक्सल और क्लच सम्मिलित हैं; या

(iii) सस्पेंशन और ब्रेकिंग के पुर्जे, जिनमें ब्रेक और ब्रेक असेंबली, ब्रेक लाइनिंग, शॉक एब्जॉर्बर और लीफ स्प्रिंग सम्मिलित हैं; या

(iv) इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए लिथियम-आयन बैटरी;

(घ) "कॉर्पोरेट गारंटी" –

(i) किसी कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनिवासी सहायक कंपनी को अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण के संबंध में दी गई स्पष्ट कॉर्पोरेट गारंटी; और

(ii) इसमें लेटर ऑफ कम्फर्ट, निहित कॉर्पोरेट गारंटी, प्रदर्शन गारंटी या इसी प्रकार की कोई अन्य गारंटी सम्मिलित नहीं है;

(ङ) "डेटा सेंटर" से किसी भवन या केंद्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान अभिप्रेत है जहां बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने, संसाधित करने, वितरित करने या उस तक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण केंद्रित होते हैं;

(च) "डेटा सेंटर सेवाएं" से भारत में भूमि, भवन, यांत्रिक विद्युत उपकरण, शीतलन प्रणाली, सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना (जिसमें सर्वर, कंप्यूटर, भंडारण प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा समाधान, नेटवर्क और संबंधित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग और अन्य उपकरण, मानव संसाधन सम्मिलित हैं) के उपयोग के माध्यम से डेटा सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं;

(छ) "जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवा" से ऐसी दवा अभिप्रेत है जो खुराक, क्षमता, प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता और प्रदर्शन विशेषताओं और इच्छित उपयोग की दशा में नियामक प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित दवा के तुलनीय हो;

(ज) "सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं" से निम्नलिखित व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं में से कोई भी अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या उपयोग से प्रदान की जाती हैं: –

(i) बैक ऑफिस संचालन; या

(ii) कॉल सेंटर या संपर्क केंद्र सेवाएं; या

(iii) डेटा प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग; या

(iv) बीमा दावा प्रसंस्करण; या

(v) विधिक डेटाबेस; या

(vi) चिकित्सा सलाह को छोड़कर चिकित्सा प्रतिलेख का निर्माण और रखरखाव; या

(vii) अनुवाद सेवाएं; या

(viii) वेतन; या

(ix) दूरस्थ रखरखाव या पुनर्प्राप्ति; या

(x) राजस्व लेखांकन; या

(xi) सहायता केंद्र; या

(xii) वेबसाइट सेवाएं; या

(xiii) डेटा खोज एकीकरण और विश्लेषण; या

(xiv) शैक्षिक सामग्री विकास को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा; या

(xv) नैदानिक परीक्षणों को छोड़कर नैदानिक डेटाबेस प्रबंधन सेवाएं,

किंतु इसमें संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित कोई भी अनुसंधान और विकास सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं।

(झ) "समूह के भीतर ऋण" से किसी अनिवासी संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण अभिप्रेत है, जहां ऋण –

(i) किसी वित्तीय कंपनी, जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं, या सामान्य व्यवसाय के दौरान उधार देने या लेने में लगी किसी उद्यम द्वारा नहीं दिया गया है; और

(ii) इसमें प्रत्यय लाइन या कोई अन्य ऋण सुविधा सम्मिलित नहीं है जिसकी चुकौती अवधि निश्चित नहीं है;

(ञ) "ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं" से निम्नलिखित व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या उपयोग से प्रदान की जाती हैं और जिनमें ज्ञान और उन्नत विश्लेषणात्मक और तकनीकी कौशल के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है: –

(i) भौगोलिक सूचना प्रणाली; या

(ii) मानव संसाधन सेवाएं; या

(iii) इंजीनियरिंग और डिजाइन सेवाएं; या

(iv) एनिमेशन या सामग्री विकास और प्रबंधन; या

(v) व्यावसायिक विश्लेषण; या

(vi) वित्तीय विश्लेषण; या

(vii) बाजार अनुसंधान;

परंतु इसमें कोई भी अनुसंधान और विकास सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, चाहे वे संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में हों या नहीं;

(ट) "कम मूल्यवर्धन वाली अंतर-समूह सेवाएं" से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो किसी बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के एक या अधिक सदस्यों द्वारा उसी बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के एक या अधिक अन्य सदस्यों की ओर से प्रदान की जाती हैं और जो–

(i) सहायक सेवाओं की प्रकृति की हैं;

(ii) बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं हैं, अर्थात् ऐसी सेवाएं न तो लाभ अर्जित करने वाली गतिविधियां हैं और न ही बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियों में योगदान करती हैं;

(iii) शेयरधारक सेवाओं या दोहराव वाली सेवाओं की प्रकृति की नहीं हैं;

(iv) न तो अद्‌वितीय और मूल्यवान अमूर्त संपत्तियों के उपयोग की आवश्यकता होती है और न ही अद्‌वितीय और मूल्यवान अमूर्त संपत्तियों के निर्माण की ओर ले जाती हैं;

(v) न तो सेवा प्रदाता द्‌वारा महत्वपूर्ण जोखिम के अधिग्रहण या नियंत्रण को सम्मिलित करती हैं और न ही सेवा प्रदाता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम का निर्माण करती हैं; और

(vi) भरोसेमंद बाह्य तुलनीय सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं जिनका उपयोग उनके आसन्निकट कीमत (उचित मूल्य) का निर्धारण करने के लिए किया जा सके,

परंतु इसमें निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात्: -

(क) अनुसंधान और विकास सेवाएं;

(ख) विनिर्माण और उत्पादन सेवाएं;

(ग) सूचना प्रौद्‌योगिकी (सॉफ्टवेयर विकास) सेवाएं;

(घ) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं;

(ङ) व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं;

(च) विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चे माल या अन्य सामग्रियों की क्रय गतिविधियां;

(छ) विक्रय, विपणन और वितरण गतिविधियां;

(ज) वित्तीय संव्यवहार;

(झ) प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, अन्वेषण या प्रसंस्करण; और

(ञ) बीमा और पुनर्बीमा;

(ठ) "गैर-मुख्य ऑटो घटक" से मुख्य ऑटो घटकों के अतिरिक्त अन्य ऑटो घटक अभिप्रेत है;

(ड) "कोई कर नहीं या कम कर वाला देश या क्षेत्र" से ऐसे देश या क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसमें आयकर की अधिकतम दर 15% से कम हो;

(ढ) "परिचालन व्यय" से अभिप्रेत है –

(i) कर वर्ष में निर्धारिती द्वारा अपने सामान्य परिचालन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित किए गए व्यय, जिसमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या निर्धारिती के सहयोगी उद्यमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को प्रदान किए गए इसी प्रकार के स्टॉक-आधारित प्रतिकर से संबंधित व्यय सम्मिलित हैं;

(ii) सहयोगी उद्यमों द्वारा निर्धारिती की ओर से लागत पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति;

(iii) निर्धारिती द्वारा सहयोगी उद्यमों की ओर से किए गए व्यय के मद में सहयोगी उद्यमों से वसूल की गई रकम, जो निर्धारिती के सामान्य परिचालन से संबंधित है;

(iv) निर्धारिती द्वारा उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, परंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: -

(क) ब्याज व्यय;

(ख) अनिर्धारित देनदारियों के लिए उपबंध;

(ग) पूर्व-परिचालन व्यय;

(घ) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि;

(ङ) असाधारण व्यय;

(च) उन परिसंपत्तियों या निवेशों के अंतरण पर होने वाली हानि, जिन पर मूल्यह्रास परिचालन व्यय में सम्मिलित नहीं है;

(छ) आयकर के कारण व्यय; और

(ज) अन्य व्यय, जो निर्धारिती के सामान्य परिचालन से संबंधित नहीं हैं;

(ण) "परिचालन राजस्व" से निर्धारिती द्वारा कर वर्ष में अपने सामान्य परिचालन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से अर्जित राजस्व अभिप्रेत है, जिसमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या निर्धारिती के संबद्ध उद्यमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को प्रदान किए गए समान स्टॉक-आधारित प्रतिकर से संबंधित लागतें सम्मिलित हैं, परंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: –

(i) ब्याज आय;

(ii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न आय;

(iii) परिसंपत्तियों या निवेशों के अंतरण पर आय, उन परिसंपत्तियों के अतिरिक्तजिन पर परिचालन व्यय में मूल्यह्रास सम्मिलित है;

(iv) आयकर से संबंधित धनवापसी;

(v) वापस लिखे गए उपबंध;

(vi) असाधारण आय; और

(vii) निर्धारिती के सामान्य परिचालन से संबंधित नहीं अन्य आय;

(त) परिचालन व्यय के संबंध में "परिचालन लाभ मार्जिन" से परिचालन लाभ का वह अनुपात अभिप्रेत है, जो परिचालन राजस्व और परिचालन व्यय के बीच प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

(थ) "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए सुरक्षित आश्रय का विकल्प विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाता है;

(द) "सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) ज्ञात विधियों और विद्यमान सॉफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग करके व्यावसायिक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और सूचना प्रणाली का विकास; या

(ii) विद्यमान प्रणालियों के लिए सहायक या समर्थन सेवाएं; या

(iii) कंप्यूटर भाषाओं का रूपांतरण या अनुवाद; या

(iv) अनुप्रयोग प्रोग्रामों में उपयोगकर्ता कार्यक्षमता जोड़ना; या

(v) सिस्टम की डीबगिंग; या

(vi) विद्यमान सॉफ़्टवेयर का अनुकूलन; या

(vii) उपयोगकर्ता दस्तावेज़ तैयार करना;

परंतु इसमें संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं के रूप में या उनके विपरीत किसी भी प्रकार की अनुसंधान और विकास सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं।

87. अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के लिए पात्र निर्धारिती– (1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, "पात्र निर्धारिती" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने नियम 90 के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के आवेदन के लिए विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है, और जो–

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है–

(i) सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं; या

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं; या

(iii) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं; या

(iv) सॉफ्टवेयर विकास से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं;

किसी अनिवासी संबद्ध उद्यम (जिसे इसके पश्चात् विदेशी मुख्य उद्यम कहा जाएगा) को नगण्य जोखिम के साथ; या

(ख) ने कोई अंतर-समूह ऋण दिया है; या

(ग) ने कोई कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है; या

(घ) किसी विदेशी अभिकर्ता को नगण्य जोखिम के साथ, पूरी तरह या आंशिक रूप से जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है; या

(ङ) कोर या नॉन-कोर ऑटो घटकों के निर्माण और निर्यात में संलग्न है और जहां सुसंगत कर वर्ष के दौरान कुल कारोबार का 90% या उससे अधिक मूल उपकरण निर्माता विक्रय की प्रकृति का है; या

(च) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से कम मूल्य वर्धित अंतर-समूह सेवाएं प्राप्त कर रहा है; या

(छ) ने किसी विदेशी कंपनी को डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान की हैं।

(2) उपनियम (1)(क)(i) से (iii) में निर्दिष्ट नगण्य जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के प्रयोजन से आयकर महानिदेशक (प्रणाली) निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे: –

(क) विदेशी मूल कंपनी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अधिकांश कार्यों का निष्पादन करती है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित हैं,-

(i) अवधारणा निर्माण;

(ii) उत्पाद का डिज़ाइन; और

(iii) रणनीतिक दिशा और ढांचा प्रदान करना,

या तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से या अपने अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम से, जबकि पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करता है;

(ख) आवश्यक पूंजी, निधि और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियां भी सम्मिलित हैं, विदेशी मूल कंपनी या उसके अन्य संबद्ध उद्यमों द्वारा प्रदान की जाती हैं, और पात्र निर्धारिती को केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है;

(ग) पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी या उसके संबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है, जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने की क्षमता होती है, बल्कि वह अपने मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से और नियमित आधार पर गतिविधियों की निगरानी करके वास्तव में गतिविधियों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण भी करता है;

(घ) यदि पात्र निर्धारिती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जोखिमों को नहीं मानता है या उसके पास कोई वास्तविक जोखिम नहीं है, और यदि कोई अनुबंध दर्शाता है कि विदेशी मूल कंपनी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, परंतु आप्रक्रम से पता चलता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो अनुबंध की शर्तें अंतिम निर्धारक नहीं होंगी;

(ङ) पात्र निर्धारिती को सेवाओं के प्रदान करने के दौरान उत्पन्न किसी भी अमूर्त संपत्ति या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अमूर्त संपत्ति के परिणाम पर कोई स्वामित्व अधिकार, विधिक या आर्थिक, प्राप्त नहीं है, जो अनुबंध और पक्षकारों के आप्रक्रम से स्पष्ट है कि विदेशी मूल कंपनी के पास निहित है।

(3) उपनियम (1)(क)(iv) और (घ) में निर्दिष्ट नगण्य जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के उद्देश्य से, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या निर्धारण अधिकारी या अंतर मूल्य निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा: —

(क) विदेशी मूल कंपनी अनुसंधान या उत्पाद विकास चक्र में सम्मिलित अधिकांश आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करती है, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं:

(i) अवधारणा निर्माण;

(ii) उत्पाद का डिज़ाइन; और

(iii) रणनीतिक दिशा और ढांचा प्रदान करना,

या तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से या अपने अन्य संबद्ध उद्यमों के माध्यम से, जबकि पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन करता है;

(ख) विदेशी मूल उद्यम या उसके अन्य संबद्ध उद्यम निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

(i) निधि या पूंजी;

(ii) अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए आवश्यक अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियां भी सम्मिलित हैं; और

(iii) पात्र निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक;

(ग) पात्र निर्धारिती विदेशी मूल कंपनी या उसके किसी अन्य संबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने की क्षमता है, बल्कि वह अपने मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से और नियमित आधार पर गतिविधियों की निगरानी करके वास्तव में अनुसंधान या उत्पाद विकास को नियंत्रित या पर्यवेक्षण भी करता है;

(घ) पात्र निर्धारिती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वास्तविक जोखिमों को ग्रहण नहीं करता है या उसके पास ऐसे कोई जोखिम नहीं हैं, और यदि कोई अनुबंध दर्शाता है कि विदेशी मूल कंपनी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, परंतु आप्रक्रम से पता चलता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो अनुबंध की शर्तें अंतिम निर्धारक नहीं होंगी;

(ङ) पात्र निर्धारिती का अनुसंधान के परिणाम पर कोई स्वामित्व अधिकार, विधिक या आर्थिक, नहीं है, जो विदेशी मूल कंपनी के पास निहित है और जो अनुबंध और पक्षकारों के आप्रक्रम से स्पष्ट है।

88. सुरक्षित आश्रय के लिए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार - "पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से पात्र निर्धारिती और उसके संबद्ध उद्यम के बीच एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार अभिप्रेत है, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से एक अनिवासी है, और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से युक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की व्यवस्था: -

(i) सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं की व्यवस्था; या

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं की व्यवस्था; या

(iii) ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं की व्यवस्था; या

(iv) सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित पूरी तरह या आंशिक रूप से संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं की व्यवस्था; या

(ख) अंतर-समूह ऋण का अग्रिम; या

(ग) कॉर्पोरेट गारंटी की व्यवस्था, जहां रकम की गारंटी दी गई है,-

(i) एक अरब रुपये से अनधिक; या

(ii) एक अरब रुपये से अधिक हो और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत एजेंसी द्वारा की गई संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग पर्याप्त से उच्चतम सुरक्षा की है; **या**

(घ) जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं की व्यवस्था; या

(ङ) कोर ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात; या

(च) गैर-कोर ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात; या

(छ) अपने समूह के एक या अधिक सदस्यों से कम मूल्यवर्धित अंतर-समूह सेवाओं की प्राप्ति; या

(ज) डेटा सेंटर सेवाओं की व्यवस्था।

89. पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय - (1) एक कर वर्ष के लिए एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि -

(क) उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 90 के अधीन अमान्य नहीं समझा जाता है; और

(ख) यह उपनियम (2) में विनिदष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

सारणी

क्रम संख्या	***पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार***	***परिस्थितियां***

क	ख	ग
1.	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की व्यवस्था।	किए गए परिचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 15.5 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां कर वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संव्यवहार का कुल परिचालन राजस्व दो हजार करोड़ रुपये की रकम से अधिक नहीं है।
2.	अंतर-समूह ऋण देना जहां ऋण की रकम भारतीय रुपये (रुपये) में अंकित हो ।	कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत कर वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत लागत से कम नहीं है।)i (175 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की एएए से ए या इसके समकक्ष के बीच प्रत्यय रेटिंग है; या)ii (325 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबीबी-, बीबीबी या बीबीबी+ या इसके समकक्ष है; या)iii (475 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबी से बी या इसके समकक्ष के बीच है; **या**)iv (625 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग सी से डी या इसके समकक्ष के बीच है; या)v (425 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है और भारतीय रुपये में सभी संबद्ध उद्यमों को ऋण सहित संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के

		अनुसार कुल मिलाकर एक अरब रुपये की रकम से अधिक नहीं है।
3.	अंतर-समूह ऋण देना जहां ऋण की रकम विदेशी मुद्रा में अंकित हो।	कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत कर वर्ष के 30 सितंबर को सुसंगत विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर से कम नहीं है। यदि सभी संबद्ध उद्यमों को ऋण सहित संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च को कुल मिलाकर दो अरब पचास करोड़ रुपये (भारतीय रुपये) के बराबर रकम से अधिक नहीं है,- i. 150 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समकक्ष है; या ii. 300 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समकक्ष है; **या** iii. 400 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी- , सी+, सी, सी-, डी या समकक्ष है या जहां संबंधित उद्यम की प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है; (ख)यदि सभी संबद्ध उद्यमों को ऋण सहित संबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च को कुल मिलाकर दो अरब पचास करोड़ रुपये (भारतीय रुपये) के बराबर रकम से अधिक है,-

		i. 150 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समकक्ष है; या ii. 300 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समकक्ष है; या iii. 450 आधार अंक, जहां संबंधित उद्यम की प्रत्यय रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी- या समकक्ष है; या iv. 600 आधार अंक, जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग सी +, सी, सी-, डी या समकक्ष है या जहां संबद्ध उद्यम की प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध नहीं है।
4.	कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करना।	कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित कमीशन या शुल्क गारंटी रकम पर प्रति वर्ष 1% से कम नहीं है।
5.	जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से संबंधित पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं की व्यवस्था।	कर वर्ष के दौरान किए गए परिचालन व्यय के संबंध में किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 24 प्रतिशत से कम नहीं है, जहां इस तरह के संव्यवहार का कुल परिचालन राजस्व तीन अरब रुपये की रकम से अधिक नहीं है।

6.	मुख्य ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात।	परिचालन व्यय के संबंध में कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 12% से कम नहीं है।
7.	नॉनकोर ऑटो घटकों का निर्माण और निर्यात।	परिचालन व्यय के संबंध में कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 8.5% से कम नहीं है।
8.	कम मूल्य जोड़ने वाली अंतर समूह सेवाओं की प्राप्ति।	कर वर्ष के दौरान कम मूल्य जोड़ने वाली अंतर-समूह सेवाओं की कुल योग रकम, जिसमें 5% से अधिक मार्क-अप सम्मिलित नहीं है, दस करोड़ रुपये की रकम से अधिक नहीं है, और लागत पूलिंग की विधि, लागत पूल से शेयरधारक लागतों और दोहरे लागतों का अपवर्जन और विदेशी संबद्ध उद्यम द्वारा निर्धारिती को लागतों के आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली आवंटन कुंजियों की युक्तिसंगतता, एक लेखाकार द्वारा प्रमाणित है।
9.	डाटा सेंटर सेवाओं की व्यवस्था।	परिचालन व्यय के संबंध में कर वर्ष के दौरान किए गए पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित परिचालन लाभ मार्जिन 15% से कम नहीं है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "संदर्भ दर" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) अमेरिकी डॉलर के लिए, 6 मास की अवधि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट (एसओएफआर), वर्तमान में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा प्रशासित है, 45 आधार अंकों की यथा वृद्धि;

(ii) यूरो के लिए, 6 मास का यूरो इंटर बैंक ऑफर रेट (ईयूआरआईबीओआर), वर्तमान में यूरोपीय मनी मार्केट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रशासित है;

(iii) यूके पाउंड स्टर्लिंग के लिए, 6 मास का टर्म स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (एसओएनआईए), वर्तमान में आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन/रिफाइनिटिव द्वारा प्रशासित है, 30 आधार अंकों की यथा वृद्धि;

(iv) जापानी येन के लिए, 6-मास की टोक्यो टर्म रिस्क फ्री रेट (टीओआरएफ), वर्तमान में क्विक बेंचमार्क इंक द्वारा बेंचमार्क की गई है, 10 आधार अंकों की यथा वृद्धि;

(v) ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए, 6 मास की बैंक बिल स्वैप दरें (बीबीएसडब्ल्यू) वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एक्सचेंज द्वारा प्रशासित हैं; और

(vi) सिंगापुर डॉलर के लिए, 6 मास का चक्रवृद्धि सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज (एसओआरए), जो वर्तमान में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है, 45 आधार अंकों की यथा वृद्धि

(ख) "प्रत्यय रेटिंग" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यय रेटिंग एजेंसी द्वारा संबद्ध उद्यम को दी गई प्रत्यय रेटिंग अभिप्रेत है, जो सुसंगत कर वर्ष के लिए प्रयोज्य है, जिससे कि-

(i) जहां संबद्ध उद्यम की केवल एक प्रत्यय रेटिंग है, तो ऐसी रेटिंग को उसकी प्रत्यय रेटिंग के रूप में लिया जाएगा; या

(ii) जहां संबद्ध उद्यम के पास एक से अधिक ऐसी प्रत्यय रेटिंग एजेंसी से प्रत्यय रेटिंग है, तो ऐसी रेटिंग में से कम से कम को इसकी प्रत्यय रेटिंग के रूप में लिया जाएगा।

(4) उपनियम (1) और (2) के उपबंध कर वर्ष 2026-2027 से प्रारंभ होने वाले तीन कर वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए लागू होंगे और उपरोक्त ब्लॉक अवधि के पश्चात् ब्लॉक अवधि के लिए लागू होते रहेंगे, जब तक कि संशोधित न किया जाए।

(5) धारा 165(3)(क)(ii) के अधीन कोई तुलनात्मकता समायोजन और अनुमति पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य पर नहीं किया जाएगा और उपनियम (1) और (2) के अधीन स्वीकार किया जाएगा।

(6) एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 171 और 172 के उपबंध इस तथ्य के अनपेक्ष लागू होंगे कि निर्धारिती इस तरह के संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करता है।

90. सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के अतिरिक्त अन्य संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया- (1) सुरक्षित आश्रय के विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए,-

(क) निर्धारिती सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप सं. 49 में सुसंगत कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) में विनिर्दिष्ट निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व मूल्यांकन अधिकारी को आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा; और

(ख) उक्त कर वर्ष के लिए आय की विवरणी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।

(2) प्ररूप संख्या 49 की प्राप्ति पर, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि क्या -

(क) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है; और

(ख) जिस संव्यवहार के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार है, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प का विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाए।

(3) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी को एक निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प के विधिमान्य प्रयोग पर संदेह है, वह सुरक्षित आश्रय के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती या अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार, या दोनों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ देगा।

(4) उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए, अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती से लिखित रूप में नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, और निर्धारिती ऐसी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा।

(5) जहां -

(क) निर्धारिती अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती नहीं है; या

(ग) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, वह एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है,

अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अमान्य घोषित करेगा, और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(6) यदि निर्धारिती उपनियम (5) के अधीन अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है, तो वह अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आयुक्त को अपने आक्षेप दर्ज कर सकेगा, जिसके लिए अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी अधीनस्थ है।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट आक्षेप प्राप्त होने पर, आयुक्त निर्धारिती को सुनवाई उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता, या अन्यथा के

संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(8) ऐसे मामले में, जहां निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को विधिमान्य समझा गया है, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ेगा कि क्या सुसंगत पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य नियम 89 (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है और, यदि यह उक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, कर मूल्यांकन अधिकारी उक्त नियम में निर्दिष्ट परिचालन लाभ मार्जिन या ब्याज दर या कमीशन को अपनाएगा।

(9) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) उपनियम (3) के अधीन कोई संदर्भ एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें प्ररूप संख्या 49 उसके द्वारा प्राप्त किया गया है;

(ii) उपनियम (5) के अधीन कोई आदेश अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसमें उपनियम (3) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी से संदर्भ प्राप्त होता है; और

(iii) उपनियम (7) के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें उपनियम (6) के अधीन निर्धारिती द्वारा दायर आक्षेप उसके द्वारा प्राप्त की जाती है।

(10) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त, यथास्थिति, उपनियम (9) में निर्दिष्ट समय के भीतर एक संदर्भ नहीं करता है या एक आदेश पारित नहीं करता है, तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा।

(11) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(12) कर मूल्यांकन अधिकारी पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निर्देश दे सकेगा ।

91. सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया - (1) जहां सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के रूप में पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां सुरक्षित आश्रय के लिए ऐसा विकल्प, एक बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किए जाने के पश्चात्, लगातार पांच कर वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सुरक्षित आश्रय के प्रयोजनों के लिए, सकल प्रचालन राजस्व की बीस अरब रुपए की अवसीमा का परीक्षण लगातार पांच कर वर्षों में से पहले कर वर्ष के लिए किया जाएगा ।

(3) सुरक्षित आश्रय का विकल्प का प्रयोग करने के लिए, निर्धारिती सभी तरह से पूर्ण प्ररूप संख्या 49, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को किसी भी समय लगातार पांच कर वर्षों में से पहले के दौरान और वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पूर्वोक्त पहले कर वर्ष के तुरंत पश्चात् प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

(4) प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने के पश्चात्, निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा: -

(क) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है;

(ख) जिस संव्यवहार के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वह एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है; और

(ग) विकल्प का प्रयोग विधिमान्य है।

(5) सत्यापन के पश्चात्, निर्धारिती को उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा जिसमें सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किए गए विकल्प की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में, यथास्थिति।

(6) सुरक्षित आश्रय के प्रयोग के विकल्प को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को दायर किए गए आवेदन में दोषों, यदि कोई हो, को दूर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(7) जहां सुरक्षित आश्रय के लिए एक विकल्प इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, निर्धारिती को उसके लिए कारण बताया जाएगा।

(8) जहां सुरक्षित आश्रय के लिए एक विकल्प स्वीकार किया जाता है, निर्धारिती धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले लगातार पांच कर वर्षों में से प्रत्येक के लिए सुरक्षित आश्रय उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(9) विकल्प किसी भी कर वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा, यदि निर्धारिती उस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट विकल्प की वापसी, प्रथम कर वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

(11) जहां कोई निर्धारिती उपनियम (9) में निर्दिष्ट घोषणा प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है, वहां विकल्प उस कर वर्ष, जिसके लिए निर्धारिती ने विकल्प वापस लिया है, और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के लिए प्रवृत्त में नहीं रहेगी ।

(12) जहां कोई निर्धारिती सुरक्षित आश्रय के विकल्प को वापस ले लेता है, वहां वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट लगातार पांच कर वर्षों की समाप्ति की अवधि तक सुरक्षित आश्रय के विकल्प का पुन: प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(13) निर्धारिती, पहले कर वर्ष के पश्चात् लगातार चार कर वर्षों में से प्रत्येक के संबंध में, धारा 263(1)(ग) में यथाविनिर्दिष्ट उस कर वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व, पात्र संव्यवहारों, उनकी रकम और लाभ मार्जिन का विवरण उपलब्ध कराते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(14) निर्धारण अधिकारी, पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के भिन्न अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निदेश कर सकेगा ।

(15) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(16) प्ररूप संख्या 49, निर्धारिती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(17) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), बोर्ड के अनुमोदन से, ऐसे प्रपत्रों, विवरणों, आदेश, घोषणा के प्रस्तुत करने और सत्यापन की डेटा संरचना, मानकों, प्रारूप और प्रक्रिया, जिसमें कोई संशोधन भी सम्मिलित है, यदि अपेक्षित हो, अधिकथित करेगा।

92. कतिपय दशाओं में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियम लागू न होना- नियम 86, 87, 88, 89, 90 या 91 में अंतर्विष्ट कोई बात, धारा 176 के अधीन अधिसूचित किसी भी देश या क्षेत्र में या कोई कर नहीं या कम कर वाले देश या क्षेत्र में स्थित किसी संबद्ध उद्यम के साथ दर्ज किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में लागू नहीं होगी ।

93. जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय स्वीकार किया जाता है, वहां आपसी करार की प्रक्रिया का लागू न होना - जहां एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अंतरण मूल्य, एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित, धारा 167 के अधीन आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, निर्धारिती भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ किए गए दोहरे कराधान से बचने

के लिए एक करार के अधीन आपसी करार की प्रक्रिया को लागू करने का हकदार नहीं होगा, जैसा कि धारा 159 के अधीन निर्दिष्ट है।

94. विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों के लिए परिभाषाएँ.– इस नियम और नियम 95 से 98 के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "उपयुक्त आयोग" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2(4) में उसका है; और

(ख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (45) में उसका है।

95. विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों हेतु पात्र निर्धारिती- एक "पात्र निर्धारिती" वह व्यक्ति है, जिसने नियम 97 के उपबंधों के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों के अनुप्रयोग हेतु एक विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है, और जो-

(क) एक सरकारी कंपनी है, जो बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण या वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है; या

(ख) एक सहकारी समिति है, जो दूध और दूध उत्पादों की खरीद और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है।

96. सुरक्षित आश्रय के लिए पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार- "पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" से किसी पात्र निर्धारिती द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत हैं और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -

(क) विद्युत आपूर्ति; या

(ख) विद्युत पारेषण; या

(ग) विद्युत वितरण; या

(घ) किसी सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों से दूध या दुग्ध उत्पादों की खरीद ।

97. पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय.- (1) एक कर वर्ष के लिए एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में एक पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि,-

(क) उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को नियम 98 के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया है; और

(ख) यह उपनियम (2) में विनिदष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट होंगी:

सारणी

क्रम संख्या	*योग्य* विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार	*परिस्थितियां*
क	ख	ग
1.	विद्युत आपूर्ति, विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण, यथास्थिति।	विद्युत की आपूर्ति, विद्युत पारेषण, विद्युत परिदान, यथास्थिति, के संबंध में प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है या प्रशुल्क के निर्धारण की पद्धति विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी है।
2.	दूध या दूध उत्पादों की खरीद।	दूध या दुग्ध उत्पादों का मूल्य उस दर पर निर्धारित किया जाता है जो दूध की गुणवत्ता अर्थात् दूध में वसा की मात्रा और

		वसा रहित ठोस (एसएनएफ) सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है और (क)उक्त दर इस पर ध्यान दिए बिना है -)i (खरीदे गए दूध की मात्रा; या (ii) सहकारी समिति में सदस्यों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत; या (iii) समाज में सदस्यों द्वारा धारित मतदान की शक्ति; और (ख)ऐसी दरें सहकारी समिति द्वारा नियमित रूप से पारदर्शी पद्धति से घोषित की गयीं हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

(3) धारा 165(3)(क)(ii) के अधीन कोई तुलनात्मक समायोजन और अनुमति पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य के लिए नहीं किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन स्वीकार किया जाएगा।

(4) एक विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 171 और 172 के उपबंध इस तथ्य के अनपेक्ष लागू होंगे कि निर्धारिती इस तरह के संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय हेतु अपने विकल्प का प्रयोग करता है।

98. विविनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार संव्यवहार के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों को शासित करने वाली प्रक्रिया.- (1) सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए,-

(क) निर्धारिती सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले मूल्यांकन अधिकारी को सभी मामलों में पूर्ण प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करेगा; और

(ख) सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी है।

(2) प्ररूप संख्या 49 की प्राप्ति पर, मूल्यांकन अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि क्या -

(क) विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती है; और

(ख) जिस संव्यवहार के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया गया है, वह एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है, इससे पहले कि निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प का विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाए।

(3) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी को एक निर्धारिती द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प के विधिमान्य प्रयोग पर संदेह है, वह निर्धारिती से ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में नोटिस द्वारा आवश्यक हो सकता है, और निर्धारिती इस तरह के नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां -

(क) निर्धारिती मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) मूल्यांकन अधिकारी को पता चलता है कि निर्धारिती एक पात्र निर्धारिती नहीं है; या

(ग) मूल्यांकन अधिकारी पाता है कि विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार, जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया गया है, एक पात्र विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार नहीं है; या

(घ) प्रशुल्क नियम 97 के अधीन निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नहीं है,

कर मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अमान्य घोषित करेगा, और निर्धारिती को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(5) यदि निर्धारिती उपनियम (4) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है, जिसमें विकल्प को अमान्य घोषित किया गया है, तो वह कर मूल्यांकन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यथास्थिति, जिसके अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी है, को अपने आक्षेप दर्ज कर सकेगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आक्षेप प्राप्त होने पर, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की विधिमान्यता या अन्यथा के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और निर्धारिती और मूल्यांकन अधिकारी को उक्त आदेश की एक प्रति देगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) उपनियम (4) के अधीन कोई आदेश एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिस मास में प्ररूप संख्या 49 उसके द्वारा प्राप्त किया गया है; और

(ख) उपनियम (6) के अधीन आदेश उस मास के अंत से दो मास की अवधि के भीतर जिसमें उपनियम (5) के अधीन निर्धारिती द्वारा दायर आपत्ति उसे प्राप्त होती है, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाएगा ।

(8) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यथास्थिति, उपनियम (7) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश पारित नहीं करता है, तो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित आश्रय के विकल्प को विधिमान्य समझा जाएगा।

(9) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय के विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(10) कर मूल्यांकन अधिकारी पात्र निर्दिष्ट अंतर्देशीय संव्यवहार के अतिरिक्त अन्य विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 166 के अधीन एक निर्दिष्ट कर सकेगा ।

99. व्यवसाय और पेशे से आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों हेतु परिभाषाएं– इस नियम और नियम 100 से 102 के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "संविदा विनिर्माता" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो किसी सीमा शुल्क से बंधित क्षेत्र में किसी भी विदेशी कंपनी की ओर से निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन करती है;

(ख) "सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार अभिप्रेत है ;

(ग) "पात्र निर्धारिती" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(i) हीरा खनन के व्यवसाय में लगी एक विदेशी कंपनी, जिसने नियम 100 के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है; या

(ii) एक विदेशी कंपनी **जो** किसी सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में गोदाम में घटकों का भंडारण करती है, ताकि उन्हें निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु किसी संविदा निर्माता को उपलब्ध कराया जा सके;

(घ) "पात्र व्यवसाय" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) धारा 9(9)(ग)(ii)(ग) के अधीन यथा उल्लिखित किसी अधिसूचित विशेष प्रक्षेत्र में कच्चे हीरे के विक्रय का व्यवसाय; या

(ii) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों को संविदा विनिर्माता को विक्रय करने के लिए एक सीमा शुल्क बंधित प्रक्षेत्र में किसी भांडागार में भंडारण की व्यावसायिक गतिविधि;

(ङ) "सकल प्राप्तियों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) खंड (घ)(i) में उल्लिखित मामले में, निम्नलिखित का कुल योग -

(क) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा कच्चे हीरे के विक्रय के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदाय की गई या देय रकम; और

(ख) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा कच्चे हीरे के विक्रय के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली रकम;

(ii) खंड (घ)(ii)में निर्दिष्ट किसी मामले में, निम्नलिखित का कुल योग -

(क) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में संविदा निर्माता को विक्रय करने से निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदाय की गई या संदेय रकम; और

(ख) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में संविदा निर्माता को विक्रय करने से निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त या मानित प्राप्य रकम;

(च) "कच्चे हीरे" से ऐसे हीरे अभिप्रेत है, जो -

(i) बिना कटे या बिना पॉलिश किए हुए हैं ;

(ii) अमिश्रित हैं;

(iii) जिस पर कोई काम न किया गया हो या जो बस देखा, साफ या कठोर हैं;

(iv) किम्बरली प्रक्रिया द्वारा यथा परिभाषित संघर्ष रहित हीरे;

(v) निर्यातक देश में किम्बरली प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ; और

(vi) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के प्रशुल्क शीर्षक 7102 के अंतर्गत आने वाला;

(छ) "सुसंगत कर वर्ष" से वह कर वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया गया है;

(ज) "निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) मोबाइल फोन; या

(ii) लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट; या

(iii) सर्वर और अति न्यून प्ररूप फैक्टर (यूएसएसएफ); या

(iv) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार माल के लिए उप-संयोजन; या

(v) खंड (i) से (iii) में उल्लिखित तैयार माल से संबंधित श्रवण योग्य और पहनने योग्य और सहायक उपकरण।

100. व्यापार और पेशे से आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय.- (1) आयकर अधिकारी नियम 101 के अधीन किसी भी सुसंगत कर वर्ष में एक पात्र निर्धारिती द्वारा प्रयोग सुरक्षित आश्रय के लिए विकल्प स्वीकार करेंगे, जहां एक पात्र व्यवसाय से इस तरह के निर्धारिती द्वारा घोषित आय उपनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, जब तक कि इस तरह के सुरक्षित आश्रय को नियम 101(3) के उपबंधों के अधीन अमान्य घोषित नहीं किया जाता है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित पात्र व्यवसाय के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट की जाएंगी:

सारणी

क्रम संख्या	पात्र व्यवसाय	परिस्थितियां
क	*ख*	*ग*
1.	कच्चे हीरे का विक्रय।	"व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य पात्र व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ ऐसे व्यवसाय से सकल प्राप्तियों का 4% या अधिक होगा।
2.	एक संविदा विनिर्माता को विक्रय के लिए एक सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में एक भांडागार में घटकों के भंडारण की व्यावसायिक गतिविधि।	"व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य पात्र व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ ऐसे व्यवसाय से सकल प्राप्तियों का 2% या अधिक होगा।

(3) जहां पात्र निर्धारिती ने किसी भी सुसंगत कर वर्ष में पात्र व्यवसाय के संबंध में नियम 101 के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और इस तरह के विकल्प को उक्त नियम के अधीन अमान्य घोषित नहीं किया गया है,-

(क) धारा 28 से 34, 44 से 49, 51, 52, अनुसूची IX और अनुसूची X के उपबंधों के अधीन स्वीकार्य किसी भी कटौती को पहले से ही पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और उन धाराओं या अनुसूचियों के अधीन किसी और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) इस तरह के व्यवसाय की किसी भी परिसंपत्ति के अपलिखित मूल्य की संगणना इस प्रकार की गई समझा जाएगा कि पात्र निर्धारिती ने ऐसे कर वर्ष के लिए मूल्यह्रास के संबंध में दावा किया था और वास्तव में मूल्यह्रास के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी;

(ग) ऐसे निर्धारिती को धारा 33 (11) के अधीन अनवशोषित मूल्यह्रास या धारा 112 (1) के अधीन अग्रनीत नुकसान को प्रतिविरूपित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(घ) ऐसे निर्धारिती को धारा 108 (1) के अधीन अन्य व्यवसाय से नुकसान का कोई प्रतिविरूपण या धारा 109 के अधीन अन्य शीर्ष के अधीन ऐसे व्यवसाय के संबंध में "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) धारा 171 और 172 के उपबंध एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में लागू होंगे, यदि पात्र निर्धारिती पात्र व्यवसाय करते समय इस तरह के संव्यवहार करता है।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" और "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" के वहीं अर्थ होंगे, जो धारा 163 और धारा 164 में क्रमश: उनके है ।

101. व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय की दशा में आय के लिए सुरक्षित आश्रय नियमों को विनियमित करने वाली प्रक्रिया - (1) सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, निर्धारिती सुसंगत कर वर्ष के लिए धारा 263 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी को सभी मामलों में पूर्ण प्ररूप संख्या 49 प्रस्तुत करेगा।

(2) पात्र व्यवसाय से आय का विनिर्धारण नियम 100 (2) के उपबंधों को ध्यान में रखे बिना, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, जहां निर्धारिती नियम 100 (1) के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है।

(3) कर मूल्यांकन अधिकारी लिखित रूप में एक आदेश द्वारा सुरक्षित आश्रय के विकल्प को अमान्य घोषित कर सकेगा, जहां निर्धारिती ने -

(क) गलत तथ्य प्रस्तुत करके सुरक्षित आश्रय का लाभ उठाया है; या

(ख) अपने व्यवसाय से संबंधित तथ्यों को छुपाया है ।

(4) कर मूल्यांकन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प को अमान्य घोषित करने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करेगा।

(5) कर मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को उपनियम (3) के अधीन निर्दिष्ट आदेश की एक प्रति देगा और तदनुसार अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे।

(6) प्ररूप संख्या 49 इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो धारा 265 के अधीन निर्धारिती की आय के विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

102. जहां कारबार और वृत्ति से आय से होने वाली आय के लिए सुरक्षित आश्रय का प्रयोग किया जाता है, वहां पारस्परिक करार की प्रक्रिया का लागू न होना - निर्धारिती एक पात्र व्यवसाय के संबंध में धारा 159 में निर्दिष्ट दोहरे कराधान से बचने के लिए एक करार के अधीन आपसी करार की प्रक्रिया को लागू करने का हकदार नहीं होगा, यदि निर्धारिती ने इस तरह के कारबार और ऐसे विकल्प के संबंध में नियम 101 के अधीन सुरक्षित आश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और उक्त नियम के अधीन ऐसे विकल्प को अमान्य घोषित नहीं किया गया है।

103. अग्रिम मूल्य निर्धारण करार से संबंधित मामलों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अभिप्रेत- इस नियम और नियम 104 से 120 के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "करार' से केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड और आवेदक के बीच किया गया एक अग्रिम मूल्य निर्धारण करार अभिप्रेत है, जैसा धारा 168(1) में निर्दिष्ट है;

(ख) "आवेदन" से नियम 106 के अधीन किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने आवेदन किया है;

(घ) "द्विपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई करार अभिप्रेत है, जो नियम 122 में निर्दिष्ट किसी भी करार के पश्चात् और उसके आधार पर, भारत के सक्षम प्राधिकारी के बीच दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच सबसे उपयुक्त अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति या सन्निकट मूल्य है;

(ङ) "भारत के सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 159 के अधीन किए गए किसी भी करार से संबंधित कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "में आने वाले संव्यवहार" से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत हैं, जिसके या जिनके लिए करार किया गया है;

(छ) "महत्वपूर्ण धारणाओं" से वे कारक और धारणाएं अभिप्रेत है, जो इतनी नाजुक और महत्वपूर्ण हैं कि यदि बदल दिया जाता है, तो करार के पक्षकार करार से बाध्य नहीं रह जाएंगे;

(ज) "सर्वोत्तम समुचित अंतरण मूल्यांकन पद्धति" से एक अंतरण मूल्यांकन पद्धति अभिप्रेत है, जो धारा 165 (1) में उल्लिखित है, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या संबंधित व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों या नियम 79 और 80 के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य सुसंगत कारकों द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम समुचित है ;

(झ) "बहुपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच ऐसा करार अभिप्रेत है, जो नियम 122 में निर्दिष्ट किसी करार के पश्चात् और उस पर आधारित है, जो भारत के सक्षम प्राधिकारी और अन्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सबसे उपयुक्त अंतरण मूल्य पद्धति या अनुमानित मूल्य के संबंध में है;

(ञ) "वापसी वर्ष" से कोई भी कर वर्ष अभिप्रेत है, जो धारा 168(4) में निर्दिष्ट कर वर्षों में से पहले चार कर वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर आता है;

(ट) "कर संधि" से दोहरे कराधान से बचने के लिए धारा 159 के अधीन कोई करार अभिप्रेत है;

(ठ) "टीम" से अग्रिम मूल्य निर्धारण करार टीम अभिप्रेत है, जिसमें बोर्ड द्वारा यथा गठित आयकर प्राधिकारी सम्मिलित हैं और जिसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, विधि या किसी अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की ऐसी संख्या सम्मिलित है, जिसे आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ; और

(ड) "एकपक्षीय करार" से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई करार अभिप्रेत है, जो न तो द्विपक्षीय करार है और न ही बहुपक्षीय करार ।

104. आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति - कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन करार करने का पात्र होगा, यदि उसने-

(क) एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ; या

(ख) एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने पर विचार कर रहा है।

105. फाइल करने से पूर्व परामर्श- (1) कोई पात्र व्यक्ति फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को प्ररूप संख्या 50 में आवेदन कर सकेगा ।

(2) टीम, आवेदन प्राप्त होने पर, पात्र व्यक्ति, जिसने उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन किया है, के साथ फाइल करने से पूर्व परामर्श करेगी ।

(3) भारत के सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार से संबंधित फाइल करने से पूर्व परामर्श में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) फाइल करने से पूर्व परामर्श, अन्य बातों के अतिरिक्त,-

(क) करार का क्षेत्र अवधारित करना;

(ख) अंतरण मूल्य निर्धारण के मुद्दों की पहचान करना;

(ग) करार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की उपयुक्तता अवधारित करना; और

(घ) करार की व्यापक शर्तों पर चर्चा करना।

(5) फाइल करने से पूर्व परामर्श -

(क) न तो बोर्ड को बाध्य करेगा और ना ही पात्र व्यक्ति जिसने उपनियम (1) के अंतर्गत एक करार करने या करार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) न ही इसका मतलब यह समझा जाएगा कि व्यक्ति ने एक करार करने के लिए आवेदन किया है।

(6) करार के नवीनीकरण की दशा में इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

106. अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए आवेदन। - (1) एक पात्र व्यक्ति करार करने के लिए बीस लाख रुपये के अपेक्षित शुल्क के साथ प्ररूप संख्या 51 में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) एकतरफा करार की दशा में आवेदन, आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) आवेदन, पात्र व्यक्ति द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा-

(क) पहले कर वर्ष के पहले दिन से पूर्व, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उन संव्यवहार के संबंध में जो पहले से ही होने वाले सौदों से निरंतर प्रकृति के हैं; या

(ख) शेष संव्यवहार के संबंध में संव्यवहार करने से पूर्व ।

(4) आवेदन के साथ बीस लाख रूपये के शुल्क के संदाय का प्रमाण संलग्न करना होगा ।

107. करार के लिए दिया गया आवेदन वापस लेना-- (1) आवेदक, एकतरफा करार की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की स्थिति में भारत के सक्षम प्राधिकारी को सूचना देकर, करार की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले किसी भी समय करार के लिए आवेदन वापस ले सकता है।

(2) आवेदक द्वारा आवेदन वापस लेने पर संदाय किया गया शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

108. आवेदन पर प्रारंभिक कार्यवाही करना- (1) प्ररूप संख्या 51 में दाखिल आवेदन सभी तरह से पूरा होगा और उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न होंगे।

(2) एकतरफा करार की दशा में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में, भारत के सक्षम प्राधिकारी आवेदक को एक अपूर्णता पत्र भेजेगा, यदि -

(क) प्ररूप संख्या 51 में आवेदन में कोई दोष देखा जाता है; या

(ख) कोई भी सुसंगत दस्तावेज उससे संलग्न नहीं है; या

(ग) आवेदन नियम 105 में निर्दिष्ट फाइल करने से पूर्व परामर्श से हुई समझ के अनुसार नहीं है।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत अपूर्णता संबंधी पत्र आवेदक को आवेदन प्राप्त होने वाले मास की समाप्ति से एक मास के अन्दर तामील किया जाएगा।

(4) आवेदक अपूर्णता संबंधी पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर कमी को दूर करेगा या आवेदन को संशोधित करेगा।

(5) यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर, एक आदेश पारित कर सकेंगे कि यदि आवेदन दोषपूर्ण है और उपनियम (4) के

अनुसार आवेदक द्वारा दोष को दूर नहीं किया जाता है, तो आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामले में जहां किसी आवेदन पर उपनियम (5) के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जाती है, आवेदक द्वारा संदाय किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

109. प्रक्रिया - (1) यदि नियम 108 में निर्दिष्ट आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति दे दी गई है, तो टीम या भारत का सक्षम प्राधिकारी या उसका प्रतिनिधि इस नियम के उपबंधों के अनुसार आवेदक के साथ परामर्श और चर्चा करके उस पर कार्यवाही करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, टीम, या भारत का सक्षम प्राधिकारी, या उसका प्रतिनिधि,-

(क) आवेदक के साथ ऐसे समय और तारीख पर बैठकें आयोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे; या

(ख) आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज़ या सूचना या सामग्री की मांग कर सकेगा; या

(ग) आवेदक के व्यावसायिक परिसर का दौरा कर सकेगा; या

(घ) मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी पूछताछ कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) एकतरफा करार की दशा में, उपनियम (2) में निर्दिष्ट कार्यवाही, जहां यह संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जा सकेगी, जिसमें नियम 108 में निर्दिष्ट आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुमति दी गई है।

(4) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, आवेदक टीम, या भारत के सक्षम प्राधिकारी, या उसके प्रतिनिधि के विचारार्थ दस्तावेज और सूचना प्रदान करा सकता है।

(5) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवेदन को आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को अग्रेषित करेगा, जो इसे किसी एक को सौंप देंगे।

(6) वह टीम, जिसे उपनियम (4) के अधीन आवेदन समनुदेशित है, जांच करेगी और एक मसौदा रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा भारत के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(7) यदि आवेदक आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध करता है, तो भारत का सक्षम प्राधिकारी इस नियम में प्रदान की गई प्रक्रिया के अतिरिक्त, नियम 122 में प्रदत्त प्रक्रिया को लागू करेगा।

(8) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) या भारत के सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) और आवेदक उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के परिणाम, नियम 122(5) में निर्दिष्ट व्यवस्था के प्रभाव सहित, का उल्लेख करते हुए एक प्रस्तावित पारस्परिक रूप से सहमत मसौदा करार तैयार करेंगे, जिसे आवेदक द्वारा नियम 122(8) के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

(9) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात आवेदक के साथ बोर्ड द्वारा करार किया जाएगा।

(10) एक बार एक करार हो जाने के पश्चात्, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, करार की एक प्रति निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त को भिजवाएगा।

(11) जहां उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर कोई करार नहीं किया गया है, जिसमें नियम 108 में निर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो बोर्ड निर्देश दे सकता है कि ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाही बंद मानी जाएगी, यदि-

(क) आवेदक ने आवेदन पर आगे कार्रवाई करने के लिए उपनियम (2) (ii) के अधीन अपेक्षित कोई दस्तावेज, सूचना या सुसंगत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है; या

(ख) आवेदक उपनियम (2) के अन्तर्गत बैठक आयोजित करने, परिसर का दौरा करने या पूछताछ करने हेतु जारी किये गये किसी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है।

(12) उपनियम (11) के अधीन निदेश आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात दिए जाएंगे।

(13) जहां नियम 89(2) [सारणी: क्रम. सं. 1] में निर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के संबंध में संव्यवहार के लिए एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के लिए आवेदन किया जाता है और जिस तिमाही में आवेदन किया गया था, उसके अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर करार नहीं किया जाता है, ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाही बंद मानी जाएगी।

(14) उपनियम (13) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती उसमें उल्लिखित समय सीमा से परे छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुरोध कर सकेगा और ऐसे मामले में, पूर्वोक्त समय-सीमा छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी।

(15) जहां कार्यवाही बंद हो जाती है, नियम 106 के अधीन आवेदक द्वारा संदाय किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

110. करार की शर्तें- (1) किसी करार में अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित बातें सम्मिलित हो सकेंगी-

(क) करार द्वारा कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार;

(ख) सहमत अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति, यदि कोई हो;

(ग) हाथ की लंबाई की मूल्य का निर्धारण, यदि कोई हो;

(घ) वह पद्धति जिससे सन्निकट मूल्य निर्धारित किया जाना है, यदि कोई हो;

(ङ) खंड (ख), (ग) या (घ) में प्रयुक्त होने वाले किसी सुसंगत शब्द की परिभाषा;

(च) महत्वपूर्ण धारणाएं;

(छ) नियम 111 में निर्दिष्ट वापसी उपबंध; और

(ज) अधिनियम या इन नियमों में उपबंधित शर्तें के अतिरिक्त अन्य शर्तें, यदि कोई हों।

(2) करार बोर्ड या निर्धारिती के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, यदि किसी भी महत्वपूर्ण धारणा में परिवर्तन होता है या उन शर्तों को पूरा करने में विफलता होती है, जिनके अध्यधीन करार किया गया है।

(3) करार का बाध्यकारी प्रभाव केवल तभी समाप्त होगा, जब किसी पक्षकार ने संबंधित अन्य पक्षकार या पक्षकारों को उचित सूचना दी हो।

(4) यदि किसी महत्वपूर्ण मान्यता में परिवर्तन होता है या जिन शर्तों के अधीन करार किया गया है, उन्हें पूरा करने में विफलता होती है, यथास्थिति, तो करार को संशोधित या रद्द किया जा सकेगा।

(5) जिस निर्धारिती ने करार किया है, वह महत्वपूर्ण धारणाओं में किसी परिवर्तन या शर्तों को पूरा करने में विफलता की यथाशीघ्र लिखित सूचना प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को देगा।

(6) बोर्ड को जैसे ही महत्वपूर्ण धारणाओं में ऐसे परिवर्तन या शर्तों को पूरा करने में विफलता की सूचना मिलेगी, बोर्ड निर्धारिती को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा।

(7) करार का संशोधन या निरसन क्रमशः नियम 115 और 116 के अनुसार होगा।

111. करार की वापसी - (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, करार, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आसन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा, या वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें वापस लेने के वर्ष के दौरान ऐसी आसन्निकट कीमत अवधारित की जाएगी (जिसे इसमें वापसी उपबंध कहा गया है) ।

(2) वापसी उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन होगा: -

(क) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार उस अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के समान है जिस पर करार (वापसी उपबंध के अतिरिक्त) लागू होता है;

(ख) सुसंगत वापसी वर्ष के लिए आय की विवरणी आवेदक द्वारा धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत किया जाता है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट खंड (ख);

(घ) एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में वापसी उपबंध की प्रयोज्यता, आवेदक द्वारा उन सभी वापसी वर्षों के लिए अनुरोध किया गया है जिनमें आवेदक द्वारा उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है; और

(ङ) प्ररूप संख्या 51 में वापसी की मांग करने वाला आवेदन उपनियम (5) के अनुसार किया गया है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, वापसी वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए वापसी उपबंध प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि-

(क) उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट मूल्य का निर्धारण अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का विषय रहा है और अपीलीय न्यायाधिकरण ने करार पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय ऐसी अपील का निपटान करने का आदेश पारित किया है; या

(ख) वापसी उपबंध के आवेदन से आवेदक की कुल आय को कम करने या नुकसान को बढ़ाने का प्रभाव होता है, यथास्थिति, जैसा कि उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है।

(4) जहां वापसी उपबंध उस पद्धति को निर्दिष्ट करता है जिससे किसी वापसी वर्ष में सन्निकट मूल्य विनिर्धारित किया जाएगा, तो ऐसा पद्धति उसी पद्धति के समान होगा जिस पर किसी भी कर

वर्ष में किए जाने वाले उसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट मूल्य के विनिर्धारण के लिए प्रदान करने पर सहमति हुई है, जिस पर करार लागू होता है, जो वापसी वर्ष नहीं है।

(5) यदि आवेदक वापसी उपबंध के साथ करार करना चाहता है तो वह आवेदन के साथ प्ररूप संख्या 51 में ₹ 500000 के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के सबूत के साथ अनुरोध प्रस्तुत कर सकेगा ।

112. आवेदन में संशोधन- (1) एक आवेदक करार की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले, किसी भी स्तर पर एक आवेदन में संशोधन के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा।

(2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) (एकतरफा करार के लिए) या भारत के सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन में संशोधन की अनुमति दे सकते हैं, यदि अगर ऐसे संशोधन से मूल रूप से दाखिल आवेदन की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

113. वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना- (1) निर्धारिती करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को एक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्ररूप संख्या 52 में होगी।

(3) निर्धारिती उस वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के तीस दिनों के भीतर, या एक करार में प्रवेश करने के नब्बे दिनों के भीतर, जो भी पश्चात् में हो, करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा और इसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को भेजेगा।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति भारत के सक्षम प्राधिकारी को, एक प्रति उस आयकर आयुक्त को जिसे निर्धारिती के आयकर निर्धारण पर अधिकार क्षेत्र है और एक प्रति उस स्थानांतरण मूल्य अधिकारी को भेजेगा जिसे निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र है।

114. करार की अनुपालन लेखापरीक्षा- (1) सन्निकट मूल्य के संबंध में अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र होने के संबंध में करार में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए करार की अनुपालन लेखा परीक्षा करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा-

(क) निर्धारिती को करार की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं की संतुष्टि, सहायक डेटा या सूचना की शुद्धता और अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति के उपयोजन की सततता सम्मिलित है; और

(ख) निर्धारिती को यह पुष्टि करने के लिए कोई भी सूचना, या दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि करार की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(3) अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी एकपक्षीय करार की दशा में आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें करार की शर्तों के साथ निर्धारिती द्वारा अनुपालन के संबंध में अपने निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रिपोर्ट को बोर्ड को अग्रेषित करेगा, जहां करार की शर्तों का पालन करने में निर्धारिती की ओर से विफलता का पता चलता है और करार को रद्द करना आवश्यक है।

(5) अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उस मास के अंत से छह मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसमें नियम 113 में निर्दिष्ट वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट ऐसे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है।

(6) यदि नियम 109 के अन्तर्गत करार किया गया है तो अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कवर किये गये संव्यवहारों की नियमित लेखापरीक्षा नहीं की जायेगी, सिवाय उस स्थिति के जब करार को नियम 116 के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया हो।

115. करार का पुनरीक्षण - (1) किसी करार को, उसके किए जाने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकेगा, यदि,-

(क) महत्वपूर्ण अवधारणाओं में परिवर्तन होता है या उस शर्त को पूरा करने में विफलता होती है जिसके अध्यधीन करार किया गया है; या

(ख) विधि में एक परिवर्तन है जो करार द्वारा कवर किए गए किसी भी मामले को उपांतरित करता है, परंतु उस प्रकृति का नहीं है जो करार को गैर-बाध्यकारी बनाता है; या

(ग) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में करार में संशोधन का अनुरोध करते हुए दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है।

(2) किसी करार को बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से या निर्धारिती या भारत के सक्षम प्राधिकारी या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के अनुरोध पर उपांतरित किया जा सकेगा।

(3) सिवाय इसके कि जब निर्धारिती के अनुरोध पर करार को उपांतरित करने का प्रस्ताव है, तब तक करार को तब तक उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और निर्धारिती प्रस्तावित उपांतरण से सहमत न हो।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित उपांतरण से सहमत नहीं है, तो नियम 116 के अनुसार करार को रद्द किया जा सकेगा।

(5) यदि बोर्ड करार के उपांतरण के लिए निर्धारिती के अनुरोध से सहमत नहीं है, तो बोर्ड इस तरह की अस्वीकृति का कारण बताते हुए लिखित रूप में अनुरोध को अस्वीकार कर देगा।

(6) प्रस्तावित उपांतरण के लिए करार पर पहुंचने के उद्देश्य से, नियम 109 में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकेगा, जहां तक वे लागू होते हैं।

(7) उपांतरित करार में वह तारीख सम्मिलित होगी जब तक मूल करार लागू होना है और वह तारीख जिससे उपांतरित करार लागू होना है।

116. किसी करार का निरसन - (1) बोर्ड द्वारा किसी करार का निम्नलिखित कारणों से निरसन किया जा सकेगा :

(क) नियम 114 में निर्दिष्ट अनुपालन लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप करार की शर्तों का पालन करने में निर्धारिती की ओर से विफलता का पता चला है; या

(ख) निर्धारिती समय पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहा है; या

(ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट में भौतिक त्रुटियां हैं; या

(घ) नियम 115 (4) या नियम 117 (7) के अधीन करार को रद्द किया जाना है।

(2) बोर्ड किसी आवेदन को रद्द करने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(3) भारत का सक्षम प्राधिकारी दूसरे देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ संवाद करेगा और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में करार को रद्द करने के लिए प्रस्तावित कारण बताएगा।

(4) करार को रद्द करने का आदेश लिखित रूप में होगा और रद्द करने और निर्धारिती की प्रस्तुति को स्वीकार न करने का कारण, यदि कोई हो, बताया जाएगा।

(5) निरस्तीकरण आदेश में, जहां लागू हो, करार के निरस्तीकरण की प्रभावी तारीख भी निर्दिष्ट की जाएगी।

(6) धारा 168(7) के अधीन कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के कारण करार को आरंभ से ही निरस्त घोषित करने वाला आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसी घोषणा और निर्धारिती का अनुरोध, यदि कोई हो, को अस्वीकार करने का कारण बताया जाएगा।

(7) निरस्तीकरण के आदेश की सूचना मूल्यांकन अधिकारी और अंतरण मूल्य मूल्यांकन अधिकारी को दी जाएगी, जिसका अधिकार क्षेत्र निर्धारिती पर होगा।

117. किसी करार के वापसी उपबंध को प्रभावी करने की प्रक्रिया.- (1) किसी करार के वापसी उपबंधों को निम्न नियमों के अनुसार प्रभावी किया जाएगा।

(2) आवेदक किसी वापसी वर्ष, जिस पर करार लागू होता है, के लिए अधिनियम की धारा 169 में निर्दिष्ट आय का, वापसी उपबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न और संगणित किसी भी अतिरिक्त कर के संदाय के प्रमाण के साथ संशोधित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट संशोधित विवरणी, उन कर वर्षों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली संशोधित विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाएगी जिनके लिए आवेदन में करार का अनुरोध किया गया है।

(4) यदि आवेदक द्वारा दायर कोई अपील आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी वापसी वर्ष के लिए लंबित है, तो उस मुद्दे पर, जो उस वर्ष के वापसी उपबंध का विषय है, करार के अधीन सम्मिलित विषय की सीमा तक उक्त अपील आवेदक द्वारा उक्त वर्ष के लिए संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने से पहले वापस ले ली जाएगी।

(5) यदि कर मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त द्वारा दायर कोई अपील किसी ऐसे मुद्दे पर अपील न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी वापसी वर्ष के लिए लंबित है, जो उस वर्ष के वापसी उपबंध का विषय है, तो करार के अधीन सम्मिलित विषय की सीमा तक उक्त अपील को कर मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, आवेदक द्वारा संशोधित विवरणी दाखिल करने के तीन मास के भीतर वापस ले लिया जाएगा।

(6) आवेदक, कर मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त, विवाद समाधान पैनल या आयुक्त (अपील) या अपील न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय को, यथास्थिति, वापसी उपबंध वाले करार के तथ्य के साथ-साथ उसकी एक प्रति के साथ यथाशीघ्र सूचित करेगा।

(7) यदि किसी करार के वापसी उपबंध को इस नियम के अनुसार किसी वापसी वर्ष के लिए, जिस पर यह लागू होता है, आवेदक की ओर से विफलता के कारण प्रभाव नहीं दिया जा सकेगा तो करार रद्द कर दिया जाएगा।

118. धारा 206(1)(i) के प्रवर्तन के कारण धारा 206(1) के अधीन देय कर में राहत.- (1) धारा 206(1)(i) के प्रयोजनों के लिए, धारा 206(1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा धारा 206(1) के अन्तर्गत उस धारा में निर्दिष्ट कर वर्ष के लिए देय कर में से निम्नलिखित रकम कम की जाएगी, अर्थात्:–

(क-ख) - (ग-घ),

जहां,-

क = धारा 206 (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर वर्ष के बही लाभ पर पिछली आय सहित और जहां कोई कर देय नहीं है, मूल्य शून्य समझा जाएगा;

ख = पिछली आय को छोड़कर कर वर्ष के बही लाभ पर धारा 206(1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर और जहां कोई कर देय नहीं है, मूल्य शून्य समझा जाएगा;

ग = पिछले साल या सालों के बही लाभ पर धारा 206(1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर का कुल जोड़, जिसका ज़िक्र मद घ में किया गया है, ऐसे साल या सालों की संबंधित पिछली आय के साथ बही लाभ बढ़ाने के पश्चात् और जहां कोई कर देय नहीं है, वहां मूल्य शून्य समझा जाएगा**;** और

घ = धारा 206 (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा उन पिछले वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर देय कर का कुल योग जिनसे पिछली आय संबंधित है और जहां कोई कर देय नहीं है, मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाएगा।

(2) यदि (क-ख) - (ग-घ) का मान ऋणात्मक है, तो इसका मान शून्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, पिछली आय पिछले वर्ष या वर्षों की आय की रकम होगी, जो धारा 168 के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के कारण कर वर्ष के बही लाभ में सम्मिलित है, या धारा 170 के अधीन किए जाने वाले द्वितीयक समायोजन के कारण है।

(4) उपनियम (1) के उपबंध के उपयोजन पर, धारा 206 (1) (ड) के अधीन निर्धारिती को अनुमत कर प्रत्यय उपनियम (1) के अधीन अनुमत रकम से कम हो जाएगा।

(5) धारा 206(1)(i) के अंतर्गत राहत के लिए दावा निर्धारिती कंपनी द्वारा प्ररूप संख्या 53 में, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा, यथास्थिति, निर्दिष्ट पद्धति से उक्त प्ररूप का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट अपलोड करके किया जाएगा और जिसे उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी की आयकर विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

119. किसी करार का नवीकरण.- करार के नवीनीकरण के लिए अनुरोध, नियम 105 में निर्दिष्ट फाइल करने से पूर्व परामर्श को छोड़कर, इन नियमों में उल्लिखित समान प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, करार के लिए प्ररूप संख्या 54 में नए आवेदन के रूप में किया जा सकेगा।

120. प्रकीर्ण- (1) इन नियमों के अधीन किसी करार के लिए आवेदन दाखिल करने से उस अध्याय के अधीन आसन्निकट मूल्य के अवधारण के लिए अधिनियम के अध्याय 10 के प्रवर्तन पर तब तक रोक नहीं लगेगी जब तक करार नहीं हो जाता है।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में, भारत के सक्षम प्राधिकारी और दूसरे देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत, भारत और दूसरे देश या देशों के बीच कर संधि के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

121. धारा 533(2)(त) के अधीन किसी भी करार की शर्तों को प्रभावी करने की मांग करने वाला आवेदन और करार के अधीन निर्णय को प्रभावी करने की प्रक्रिया.- (1) जहां एक निर्धारिती, जो भारत का निवासी है, भारत के बाहर किसी भी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के कर अधिकारियों की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, जो उसके अनुसार, ऐसे अन्य देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ करार की शर्तों के अनुसार नहीं है, वह आपसी करार की प्रक्रियाविधि को लागू करने की मांग करते हुए भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप संख्या 55 में एक आवेदन कर सकेगा, यदि इस तरह के करार में उपबंध किया गया है।

(2) अगर भारत के बाहर किसी देश या विशेष क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से, उस देश या विशेष क्षेत्र के साथ किसी करार के अधीन, भारत में किसी आय कर प्राधिकरण या ऐसे देश या विशेष क्षेत्र के कर प्राधिकरण द्वारा की गई किसी कार्रवाई के बारे में कोई संदर्भ मिला है, तो भारत के सक्षम प्राधिकारी, आपसी करार के अधीन संदर्भ लेने के लिए अपनी मंज़ूरी या नामंज़ूरी दूसरे देश या विशेष क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को बताएगा।

(3) भारत का सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप संख्या 55 में निहित मुद्दों पर या भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के संदर्भ में, -

(क) आयकर अधिकारियों या निर्धारिती या भारत में उसके अधिकृत प्रतिनिधि से सुसंगत अभिलेख और अतिरिक्त दस्तावेज मांगेगा; या

(ख) भारत में या बाहर आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को समझने के लिए ऐसे प्राधिकारियों या निर्धारिती या प्रतिनिधि के साथ चर्चा करेगा जो भारत और अन्य देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के बीच समझौतों की शर्तों के अनुसार नहीं हैं।

(4) भारत का सक्षम प्राधिकारी चौबीस मास की औसत समयावधि के भीतर भारत और अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच करार के अनुसार, आयकर प्राधिकारियों की ऐसी कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले कर विवादों के पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेगा।

(5) यदि भारत में किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के कारण आपसी करार की प्रक्रियाविधि लागू की जाती है, तो एक कर वर्ष में उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प के परिणामस्वरूप आय को कम करने या भारत में निर्धारिती के नुकसान में वृद्धि नहीं होगी, जैसा कि मामला हो, जो उसके द्वारा उक्त वर्ष की आय की विवरणी में घोषित किया गया है।

(6) यदि भारत के सक्षम प्राधिकारी और अन्य देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के बीच उपनियम (4) के अधीन कोई समाधान किया जाता है, तो उसे निर्धारिती को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(7) निर्धारिती उस मास के अंत से एक मास के भीतर भारत के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में समाधान की अपनी स्वीकृति या गैर-स्वीकृति की सूचना देगा, जिसमें उपनियम (6) के अधीन संचार प्राप्त हुआ है।

(8) निर्धारिती के समाधान की स्वीकृति के साथ अपील, यदि कोई हो, को वापस लेने के प्रमाण के साथ होगा जो उन मुद्दों पर लंबित है जो उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प की विषय वस्तु थे।

(9) उपनियम (7) के अधीन स्वीकृति प्राप्त होने पर, भारत का सक्षम प्राधिकारी उपनियम (4) के अधीन किए गए समाधान और निर्धारिती द्वारा स्वीकृति, यदि कोई हो, अपील वापस लेने के प्रमाण के साथ, यदि कोई हो, को प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, यथास्थिति, को सूचित करेगा, जो पश्चात् में इसे मूल्यांकन अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(10) उपनियम (9) के अधीन संचार प्राप्त होने पर, कर मूल्यांकन अधिकारी उपनियम (4) के अधीन किए गए समाधान को लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, उस मास के अंत से एक मास के भीतर

प्रवृत्त करेगा जिसमें संचार उसके द्वारा प्राप्त किया गया था और निर्धारिती को उसके द्वारा निर्धारित कर, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा।

(11) निर्धारिती कर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उपनियम (10) के अधीन निर्धारित कर का संदाय करेगा और कर मूल्यांकन अधिकारी को करों के संदाय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, जो तब लंबित अपील, यदि कोई हो, उपनियम (4) के अधीन समाधान की विषय वस्तु से संबंधित वापस लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जो कर मूल्यांकन अधिकारी या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा दायर किया गया था।

(12) उप-नियम (10) के अधीन आदेश की एक प्रति, भारत के सक्षम प्राधिकारी और निर्धारिती को भेजी जाएगी।

(13) पहले से निर्धारित कर, ब्याज या शास्ति की रकम को उप-नियम (4) के अधीन किए गए समाधान के अनुसार और अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित रीति से इस सीमा तक समायोजित किया जाएगा कि ऐसी रीति प्राप्त समाधान के विपरीत नहीं है।

(14) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "भारत के सक्षम प्राधिकारी" से इस नियम के अधीन उपबंधित कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है।

122. द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों के लिए अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया-

(1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 106 के अनुसार प्ररूप संख्या 51 में फाइल किए गए आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के लिए अनुरोध किया है, तो अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया केवल तभी आरंभ होगी जब भारत के बाहर स्थित संबद्ध उद्यम ने दूसरे देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया आरंभ की हो।

(3) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदक के अनुरोध की सूचना मिलने पर, भारत का सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए बातचीत आरंभ करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा और उसकी इच्छा का पता लगाएगा।

(4) अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी की इच्छा के मामले में, भारत का सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में बातचीत करेगा और यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों तक पहुंचने का प्रयास करेगा।

(5) परामर्श के बाद समझौते पर पहुंचने पर, यथास्थिति भारत का सक्षम प्राधिकारी अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ एक पारस्परिक करार प्रक्रिया व्यवस्था को औपचारिक रूप देगा, और आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(6) उप-नियम (4) में उल्लिखित पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर समझौते पर पहुंचने में विफलता के मामले में, आवेदक को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

(7) आवेदक भारत के सक्षम प्राधिकारी और यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच चर्चा का हिस्सा बनने का हकदार नहीं होगा; **लेकिन** आवेदक **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता करने के उद्देश्य से भारत के सक्षम प्राधिकारी से संवाद कर सकता है या उससे मिल** सकता है।

(8) आवेदक उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर समझौते की स्वीकृति या अन्यथा सूचित करेगा जिसमें संचार प्राप्त हुआ है।

(9) यदि आवेदक समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो यह –

(क) आपसी समझौते की प्रक्रिया के लाभ के बिना अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की प्रक्रिया जारी रख सकता है, या

(ख) नियम 107 के अनुसार आवेदन वापस ले सकता है।

123. धारा 171 के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक इकाई द्वारा सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुति - (1) प्रत्येक व्यक्ति, एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की एक घटक इकाई होने के नाते, -

(क) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित समूह राजस्व, जिसमें से ऐसा व्यक्ति एक घटक इकाई है, जैसा कि लेखा वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है, पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक है; और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य, -

(i) लेखा वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार, पचास करोड़ रुपये से अधिक है; या

(ii) लेखा वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्ति के क्रय, बिक्रय, हस्तांतरण, पट्टे या उपयोग, खाता बही के अनुसार, दस करोड़ रुपये से अधिक है,

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज अनुरक्षित और सुरक्षित रख सकता है : -

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी इकाईयों की सूची उनके पते के साथ;

(ख) घटक इकाई की विधिक स्थिति और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व ढांचे को दर्शाने वाला एक मानचित्र;

(ग) लेखा वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारोबार का विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(I) कारबार या कारबारों की प्रकृति;

(II) ऐसे कारबार या कारबारों के लाभ के महत्वपूर्ण चालक;

(III) राजस्व के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विवरण और समेकित समूह राजस्व के **5%** से अधिक के सेवाओं सहित किसी भी अन्य उत्पाद का विवरण;

(IV) अनुसंधान और विकास सेवाओं के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच की गई महत्वपूर्ण सेवा व्यवस्थाओं की एक सूची और संक्षिप्त विवरण;

(V) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण;

(VI) सेवा लागत आवंटित करने और अंतर-समूह सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों का निर्धारण करने के लिए अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों के बारे में विवरण;

(VII) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रमुख भौगोलिक बाजारों की एक सूची और विवरण;

(VIII) अंतर्राष्ट्रीय समूह की घटक इकाईयों द्वारा किए गए कार्यों, नियोजित आस्तियों और जोखिमों का विवरण जो ऐसे समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ का कम से कम **10% का** योगदान करते हैं; और

(IX) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहार, अधिग्रहण और अपविनिधान का विवरण;

(घ) प्रमुख अनुसंधान और विकास सुविधाओं के स्थान और उनके प्रबंधन सहित अमूर्त संपत्ति के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण;

(ङ) उनके पते के साथ अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में लगी अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी इकाईयों की सूची;

(च) सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व वाली अमूर्त संपत्ति के समूहों की एक सूची के साथ-साथ समूह संस्थाओं के नाम और पते जो विधिक रूप से ऐसी अमूर्त संपत्ति के स्वामी हैं;

(छ) अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों की एक सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसमें लागत योगदान व्यवस्था, प्रमुख अनुसंधान सेवा समझौते और अनुज्ञप्ति समझौते शामिल हैं;

(ज) अनुसंधान और विकास और अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण;

(झ) अंतरराष्ट्रीय समूह की संस्थाओं के बीच अमूर्त संपत्ति में हितों/अधिकारों के महत्वपूर्ण हस्तांतरण, यदि कोई हो, का विवरण, जिसमें बिक्रय और क्रय इकाईयों का नाम और पता और ऐसे हस्तांतरणों के लिए भुगतान किया गया प्रतिकर शामिल है;

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय समूह की वित्तपोषण व्यवस्था का विस्तृत विवरण, जिसमें शीर्ष दस असंबंधित ऋणदाताओं के नाम और पते शामिल हैं;

(ट) समूह इकाईयों की एक सूची जो केंद्रीय वित्तपोषण का कार्य करती है, जिसमें उनके संचालन का स्थान और प्रभावी प्रबंधन शामिल है;

(ठ) समूह संस्थाओं के बीच वित्तपोषण व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्य निर्धारण नीतियों का विस्तृत विवरण;

(ड) अंतर्राष्ट्रीय समूह के वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की एक प्रति; और (ढ़) देशों के बीच आय के आवंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण करारों और अन्य कर विनियमों की सूची और संक्षिप्त विवरण।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज नियम 124(1) में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को प्ररूप संख्या 56 में, धारा 263 (1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) घटक इकाई प्ररूप संख्या 56 के भाग क को प्रस्तुत करेगी, भले ही उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी न की गई हों।

(4) जहां उप-नियम (2) में सूचना और दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समूह की एक से अधिक घटक संस्थाएं अपेक्षित हैं, प्ररूप संख्या 56 को किसी एक घटक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि, -

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस उद्देश्य के लिए ऐसी इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है; और

(ख) नियम 124(1) में निर्दिष्ट संयुक्त निदेशक को प्ररूप संख्या 57 में प्ररूप संख्या 56 प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिन पहले इस संबंध में सूचना दी गई है।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों को सुसंगत कर वर्ष के अंत से नौ वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) विदेशी मुद्रा में समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना के लिए विनिमय की दर लेखा वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(7) इस नियम में, -

(क) "लेखा वर्ष", "समेकित वित्तीय विवरण" और "अंतर्राष्ट्रीय समूह" पदों का अर्थ धारा 511(10) में उन्हें क्रमश: समनुदेशित अर्थ होगा**; और**

(ख) "टेलीग्राफिक अंतरण खरीद दर" का अर्थ नियम 207 में उन्हें समनुदेशित किया गया अर्थ होगा।

124. धारा 511 के अधीन एक अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना- (1) धारा 511 के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी संयुक्त निदेशक होगा, जैसा कि आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) धारा 511 (1) के अधीन अधिसूचना उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख से दो महीने पहले प्ररूप संख्या 58 में की जाएगी।

(3) यथास्थिति प्रत्येक मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई भारत में निवासी, प्रत्येक रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के लिए, प्ररूप संख्या 59 में धारा 511 (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(4) उस उप-धारा में निर्दिष्ट घटक इकाई द्वारा धारा 511(4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि प्रतिवेदनाधीन लेखा वर्ष के अंत से बारह महीने की होगी।

(5) यदि घटक इकाई की मूल इकाई किसी देश या क्षेत्र का निवासी है, जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और उक्त विफलता को ऐसी घटक इकाई को सूचित किया गया है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि उस महीने के अंत से छह महीने होगी जिसमें उक्त प्रणालीगत विफलता की सूचना दी गई है।

(6) नामनिर्दिष्ट घटक इकाई के संबंध में धारा 511 (5) के अधीन सूचित की जाने वाली आवश्यक सूचना प्ररूप संख्या 60 में प्रस्तुत की जाएगी।

(7) धारा 511(8) के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व छह हजार चार सौ करोड़ रुपये होगा।

(8) जहां अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में परिलक्षित होता है, विदेशी मुद्रा में है, ऐसे कुल समेकित समूह राजस्व के रुपये में मूल्य की गणना करने के लिए विनिमय की दर लेखांकन वर्ष से पहले के लेखा वर्ष के अंतिम दिन ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(9) प्ररूप संख्या 59 में प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई भी पुनरीक्षण या सुधार आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को एक सूचना प्रस्तुत करके किया जाएगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "लेखा वर्ष", "समेकित वित्तीय विवरण" और "अंतर्राष्ट्रीय समूह" पद का अर्थ धारा 511(10) में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थ होगा**; तथा**

(ख) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का अर्थ नियम 207 में यथा निर्दिष्ट किया गया होगा।

125. धारा 176 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकार को प्रस्तुत करना और दस्तावेजों आदि को सुरक्षित रखना - (1) धारा 176(3)(क) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्राधिकार, प्ररूप संख्या 61 में होगा।

(2) निर्धारिती भरे हुए प्ररूप संख्या 61 की पहली प्रति धारा 176(3)(क) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान में जमा या को प्रेषित करेगा।

(3) भरे हुए प्ररूप संख्या 61 की दूसरी प्रति उक्त प्ररूप की पहली प्रति के साक्ष्य के साथ जमा या वित्तीय संस्थान को प्रेषित की गई है, जिसे निर्धारिती द्वारा उस पर अधिकार क्षेत्र वाले मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि प्ररूप संख्या 61 में प्राधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य है, निर्धारिती सभी आवश्यक कदम उठाएगा जो भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी विधिक के अधीन आवश्यक हैं।

(5) धारा 176(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, वह निर्धारिती जिसने किसी अधिसूचित अधिकारिता विषयक क्षेत्र में स्थित व्यक्ति (जिसे इसमें निर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है) के साथ कोई संव्यवहार किया है, उसे नियम 84**(1)** में उल्लिखित सूचना और दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भी सुरक्षित रखकर संधारित करने होंगे, अर्थात्:–

(क) निर्दिष्ट व्यक्ति की स्वामित्व संरचना का विवरण, जिसमें उन व्यक्तियों या अन्य संस्थाओं का नाम और पता शामिल होगा – चाहे वे अधिसूचित न्यायिक क्षेत्र के भीतर हों या बाहर – जिनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% से अधिक शेयरधारिता या स्वामित्व हित हो।

(ख) उस बहुराष्ट्रीय समूह की रूपरेखा, जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति हिस्सा है, साथ ही उस समूह में शामिल प्रत्येक उद्यम का **नाम, पता,** विधिक स्थिति और कर निवास का देश, जिनके साथ निर्धारिती ने संव्यवहार किया है, तथा उनके बीच स्वामित्व संबंध।

(ग) विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार का व्यापक विवरण तथा जिस उद्योग में वह कार्य करता है उसका संक्षिप्त परिचय।

(घ) कोई अन्य सूचना, आँकड़े या दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति के साथ किए गए संव्यवहार के लिए सुसंगत हो सकते हैं।

(6) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक की अवधि के लिए होंगे।

(7) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों को सुसंगत कर वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष के अंत से आठ वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा।

126. धारा 177 के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी के लिए शर्तें और गतिविधियाँ- (1) धारा 177(7)(ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी निम्नलिखित गतिविधियों में से केवल एक या अधिक गतिविधियों को कार्यान्वित करेगी, अर्थात्: -

(क) ऋण, प्रतिबद्धताओं और गारंटी, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण के रूप में ऋण, **या** वित्तीय पट्टा के रूप में उधारदाता; **या**

(ख) प्राप्य राशियों का फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग; या

(ग) वैश्विक या क्षेत्रीय कॉर्पोरेट कोष केन्द्र के कार्य जैसे उधार, उधारदाता, मुद्रा या जिंस जोखिम या निवेश की सुरक्षा, नकदी प्रबंधन, संरचित ऋण, अंतर समूह वित्तपोषण, वित्तीय बजट और इसी तरह की अन्य कोषीय सेवाएं और गतिविधियां।

(2) एक अनिवासी द्वारा जारी किए गए किसी भी ऋण का उधारकर्ता होने के नाते, ऐसी वित्त कंपनी द्वारा भुगतान किया जा रहा ब्याज विदेशी मुद्रा में होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "वित्त कंपनी" से एक वित्त कंपनी जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2(1) (ङ) में परिभाषित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाया गया है, अभिप्रेत है; और

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में यथा समनुदेशित अर्थ अभिप्रेत है।

127. अननुज्ञेय परिवर्जन व्यवस्था के परिणामों का निर्धारण- धारा 181 के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यवस्था का एक भाग अननुज्ञेय परिवर्जन व्यवस्था घोषित किया गया है, कर के संबंध में परिणाम केवल ऐसे भाग के संदर्भ में निर्धारित किए जाएंगे।

128. कतिपय मामलों में उपयोजन न करने के लिए सामान्य परिवर्जन रोधी नियम से संबंधित अध्याय II - (1) अध्याय **II** के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

(क) एक ठहराव, जहां ठहराव के सभी पक्षों को संबंधित कर वर्ष में कुल कर लाभ तीन करोड़ **रुपये** की राशि से अधिक नहीं है ;

(ख) एक विदेशी संस्थागत निवेशक, -

(i) जो अधिनियम के अधीन निर्धारिती है;

(ii) जिसने धारा 159 में निर्दिष्ट समझौते का लाभ नहीं उठाया है; और

(iii) जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के अनुसार, ऐसे निवेशों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, या गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश किया है;

(ग) एक व्यक्ति, एक अनिवासी होने के नाते, उसके द्वारा विदेशी व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक विदेशी संस्थागत निवेशक में किए गए निवेश के संबंध में;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए गए निवेश के हस्तांतरण से किसी भी व्यक्ति के पास अर्जित या उत्पन्न होने वाली कोई भी आय, या प्राप्त या प्राप्त होने वाली समझी जाती है।

(2) उप-नियम (1) (घ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय II के उपबंध किसी भी ठहराव पर लागू होंगे, चाहे वह 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद व्यवस्था से प्राप्त कर लाभ के संबंध में किसी भी ठहराव पर लागू हो।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "विदेशी संस्थागत निवेशक" का अर्थ धारा 210(6)(क) में इसे समनुदेशित किया गया अर्थ होगा;

(ख) "विदेशी व्युत्पन्न लिखत" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 **(15 का 1992)** के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 में समनुदेशित किया गया है ;

(ग) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 **(15 का 1992)** की धारा 2 (1) (क) में समनुदेशित किया गया है ;

(घ) "कर लाभ", जैसा कि धारा 184 (11) में परिभाषित किया गया है और अध्याय II के अनुसार गणना की गई है, निम्नलिखित के संदर्भ में होगी-

(i) धारा 184(11)(क) से (ङ), कर की रकम; और

(ii) धारा 184(11)(च), वह कर जो प्रभार्य होता यदि उसमें संदर्भित हानि में वृद्धि कुल आय होती।

129. धारा 274 के अधीन संदर्भ के लिए नोटिस और प्ररूप - (1) धारा 274(1) के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त को संदर्भ देने से पहले, कर मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आक्षेप, यदि कोई हो, उसके मामले में अध्याय II के उपबंधों की प्रयोज्यता के संबंध में मांग की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(क) उस ठहराव का विवरण जिस पर अध्याय II के उपबंधों को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) ठहराव के अधीन उत्पन्न होने वाला कर लाभ;

(ग) इस बात पर विचार करने का आधार और कारण कि अभिनिर्धारित ठहराव का मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है;

(घ) आधार और कारण क्यों यह ठहराव धारा 179 (1) (क) से (घ) की शर्तों को पूरा करती है; तथा

(ङ) खंड (ग) और (घ) के संबंध में भरोसा किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची।

(3) धारा 274(1) के अधीन कर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आयुक्त को संदर्भ प्ररूप संख्या 62 में होगा।

(4) जहां आयुक्त संतुष्ट है कि अध्याय II के उपबंधों को किसी व्यवस्था के संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता नहीं है, वह प्ररूप संख्या 63 में अध्याय II के उपबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा और विचार करने के बाद प्ररूप संख्या 63 में कर मूल्यांकन अधिकारी को निदेश जारी करेगा –

(क) धारा 274(1) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त संदर्भ; या

(ख) धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में निर्धारिती का उत्तर।

(5) आयुक्त, धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को संदर्भ देने से पहले, -

(क)प्ररूप संख्या 64 में अध्याय II के उपबंधों की प्रयोज्यता के बारे में अपनी संतुष्टि रिकार्ड करेगा; और

(ख)अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लिखित में विशिष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करेगा **जहां निर्धारिती** एक **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र** में स्थित एक इकाई है।

(6) आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 274(4) के अधीन प्ररूप संख्या 64 में एक अनुमोदन पैनल को एक संदर्भ देगा, जिसके साथ उपयुक्त समझा गया, सभी दस्तावेजों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चार सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा।

130. समय सीमा- (1) धारा 274 के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त -

(क) धारा 274(3) के अधीन उस महीने के अंत से एक महीने की समाप्ति के बाद निदेश जारी नहीं करेगा जिसमें धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन की तारीख आती है;

(ख) धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को उस महीने के अंत से दो महीने की समाप्ति के बाद कोई संदर्भ नहीं देगा जिसमें धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में निर्धारिती का अंतिम निवेदन प्राप्त होता है;

(ग) प्ररूप संख्या 63 में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी करेगा, -

(i) नियम 129(4)(क) को संदर्भित मामले में, महीने के अंत से एक महीने की अवधि के भीतर जिसमें संदर्भ उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है; और

(ii) नियम 129(4)(ख) में निर्दिष्ट मामले में, महीने के अंत से दो महीने की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 274(2) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में निर्धारिती का अंतिम निवेदन उसे प्राप्त होता है।

131. अनुमोदन पैनल से पूर्व प्रक्रिया - (1) नियम 129 के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर, अनुमोदन पैनल का अध्यक्ष निम्नलिखित करेगा -

(क) इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अन्य सदस्यों के बीच इस संदर्भ को परिचालित किया जाएगा; **तथा**

(ख) निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती दोनों को एक नोटिस **जारी किया जाएगा, सुनवाई का एक युक्तिसंगत** अवसर दिया जाएगा, जिसमें सुनवाई की तारीख और स्थान निर्दिष्ट होगा।

(2) अनुमोदन पैनल की बैठकें ऐसे स्थान पर होंगी जैसा अनुमोदन पैनल निर्णय लेता है।

132. पारिश्रमिक- (1) अनुमोदन पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए, उक्त पैनल के अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-

(क) 6000 रू. प्रति दिन बैठक फीस; और

(ख) भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के अधिकारी को यथा स्वीकार्य स्थानीय यात्रा के लिए परिवहन प्रभारों और दैनिक भत्तों (आवास सहित) सहित यात्रा भत्ते।

(2) अनुमोदन पैनल के व्यय को केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के बजटीय अनुदानों से पूरा किया जाएगा।

133. धारा 187 के प्रयोजन के लिए भुगतान की रीति - कारबार या व्यवसाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि कारबार या व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला

हो, पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपये से अधिक है, भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति की सुविधा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करेगा, यदि कोई हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाएगा: -

(i) रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड;
(ii)यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (भीम-यूपीआई);
(iii)यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) (भीम-यूपीआई क्यूआर कोड); और
(iv)टियर- III: पूर्ण केवाईसी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट, पी-सीबीडीसी, थोक या सीमा पार सीबीडीसी।

134. धारा 194(1) के अधीन पेटेंट से स्वामित्व आय के कराधान के लिए विकल्प का प्रयोग [सारणी: क्रम संख्या 2].- (1) धारा 194(1) के अधीन एक पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय के कराधान के विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, पात्र निर्धारिती प्ररूप संख्या 65 प्रस्तुत करेगा।
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए धारा 263 (1) (ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, यदि उस कर वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

135. धारा 194(1) के प्रयोजन के लिए ऑनलाइन गेम से शुद्ध जीत की गणना[तालिका: क्रम संख्या 5].- (1) धारा 194(1) [तालिका: क्रम संख्या 5] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के दौरान ऑनलाइन गेम से शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी,: -
शुद्ध जीत = (क + घ) - (ख + ग),

जहां-

क = कर वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई कुल रकम;

ख = कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोगकर्ता खाते में की गई गैर-कर योग्य जमा कुल रकम;

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष; और

घ = कर वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता खाते का अंतिम शेष।

(2) धारा 393(3) [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के दौरान पश्चात्वर्ती निकासी में शामिल शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात्: -
शुद्ध जीत = क - (ख + ग),

जहां-

क = उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई रकम;

ख = कर वर्ष के दौरान ऐसे खाते के मालिक द्वारा उपयोगकर्ता खाते में की गई गैर-कर योग्य जमा की कुल रकम, ऐसे निकासी के समय तक; और

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष।

(3) उप-नियम (2) में दिए गए सूत्र में शुद्ध जीत शून्य होगी, यदि रकम ख और ग का योग रकम क के बराबर या उससे अधिक है।

(4) धारा 393 (3) [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के दौरान प्रत्येक पश्चात्वर्ती निकासी में शामिल शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

शुद्ध जीत = क - (ख + ग + ङ),

जहां-

क = कर वर्ष के दौरान पश्चात्वर्ती निकासी के समय तक उपयोगकर्ता के खाते से निकाली गई कुल रकम, जिसमें इस तरह की बाद की निकासी की रकम भी शामिल है;

ख = कर वर्ष के दौरान ऐसे खाते के मालिक द्वारा उपयोगकर्ता खाते में की गई गैर-कर योग्य जमा कुल रकम, इस तरह के पश्चात्वर्ती निकासी के समय तक;

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष; और

ङ = उप-नियम (2) के अधीन गणना की गई पहले की निकासी या निकासी में शामिल शुद्ध जीत, या इस उप-नियम के अधीन, कर वर्ष के दौरान पश्चात्वर्ती निकासी के समय तक, यदि ऐसे निकासी या निकासियों में जीत में समाविष्ट धारा 393 (3) [सारणी: क्रम संख्या 2] के उपबंधों के अनुसार कर काटा गया है।

(5) उप-नियम (4) में दिए गए सूत्र में शुद्ध जीत शून्य होगी, यदि राशि ख, ग और ङ का योग राशि क के बराबर या उससे अधिक है।

(6) धारा 393(3) [तालिका: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता के खाते में शामिल शुद्ध जीत की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

शुद्ध जीत = (क + घ) - (ख + ग + ङ),

जहां-

क = कर वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई कुल रकम;

ख = कर वर्ष के दौरान ऐसे खाते के मालिक द्वारा उपयोगकर्ता खाते में किए गए गैर-कर योग्य जमा की कुल रकम;

ग = कर वर्ष के आरंभ में उपयोगकर्ता खाते का प्रारंभिक शेष;

घ = कर वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता खाते का अंतिम शेष; तथा

ङ = कर वर्ष के दौरान उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के अधीन गणना की गई पहले की निकासी या निकासी में शामिल शुद्ध जीत, यदि कर धारा 393 (3) [सारणी: क्रम संख्या 2)] के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(7) उप-नियम (6) में दिए गए सूत्र में शुद्ध जीत शून्य होगी, यदि रकम ख, ग और ङ का योग रकम क और घ के योग के बराबर या उससे अधिक है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "गैर-कर योग्य जमा" का अर्थ है उपयोगकर्ता द्वारा अपने उपयोगकर्ता खाते में जमा की गई रकम और जो कर योग्य नहीं है;

(ख) "कर योग्य जमा" से उपयोगकर्ता खाते में जमा की गई कोई भी रकम, जो एक गैर-कर योग्य जमा नहीं है और इसमें उपयोगकर्ता खाते के माध्यम से सीधे उपयोगकर्ता को भुगतान की गई कोई भी रकम शामिल है, अभिप्रेत है; और

(ग) "निकासी" से उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी उपयोगकर्ता खाते से निकाली गई कोई भी राशि अभिप्रेत है।

(9) शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) उपयोगकर्ता खाते में उपयोगकर्ता का प्रत्येक खाता शामिल होगा, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती के साथ पंजीकृत है और जहां कोई कर योग्य जमा, गैर-कर योग्य जमा या उपयोगकर्ता द्वारा की गई जीत को जमा किया जाता है और उपयोगकर्ता द्वारा निकासी विकलन की जाती है;

(ख) जब भी प्रयोक्ता को वस्तु रूप में या नकद में, या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में और आंशिक रूप से नकद में, जो प्रयोक्ता खाते से नहीं है, भुगतान की गणना करने के लिए इस नियम के उपबंध यह मानकर शुद्ध जीत की गणना करने के लिए लागू होंगे कि इस तरह के भुगतान के समतुल्य धन को उपयोगकर्ता खाते में कर योग्य जमा के रूप में जमा कर दिया गया है और समतुल्य धन उसी समय उपयोगकर्ता खाते से निकाल ली गई है और तदनुसार रकम क में शामिल किया जाए;

(ग) जब भी एक ही प्रयोक्ता के एकाधिक प्रयोक्ता खाते होते हैं, तो प्रत्येक प्रयोक्ता खाते पर शुद्ध जीत की गणना करने के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा और प्रयोक्ता खाते में जमा, निकासी अथवा शेष राशि का अर्थ क्रमशः सभी प्रयोक्ता खातों में जमा, निकासी अथवा शेष राशि का समुच्चय होगा;

(घ) जब भी एक ही उपयोगकर्ता के कई उपयोगकर्ता खाते होते हैं, तो एक ही उपयोगकर्ता खाते से दूसरे उपयोगकर्ता खाते में अंतरण, एक ही ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती के साथ बनाए रखा जाता है, धारा 393 (3) [सारणीः क्र.सं. 2] के अधीन कर कटौती के प्रयोजनों के लिए, जैसा भी मामला हो, निकासी या जमा के रूप में नहीं माना जाएगा;

(ङ) जब भी बोनस, रेफरल बोनस, प्रोत्साहन, प्रचार धन या छूट के रूप में कर योग्य जमा होता है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, और ऐसी जमा का उपयोग केवल ऑनलाइन गेम खेलने के लिए किया जा सकता है, न कि निकासी या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, तो ऐसे जमा को शुद्ध जीत की गणना के प्रयोजनों के लिए अनदेखा किया जाएगा और इसे राशि ख या ग या घ में शामिल नहीं किया जाएगा; और

(च) जब भी कोई बोनस, रेफरल बोनस, प्रोत्साहन, प्रचार धन या छूट, जो भी नाम से पुकारा जाता है, खंड (ङ) के अधीन राशि ख या ग या घ के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है और बाद में उन्हें पुन: चिह्नित किया जाता है और वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें इस तरह के पुनर्लक्षणीकरण के समय कर योग्य जमा के रूप में माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उस समय उपयोगकर्ता खाते में समतुल्य रकम जमा की गई है।

136. नई कर व्यवस्था के लिए विकल्प का प्रयोग या वापसी - किसी भी कर वर्ष के लिए उसके स्तंभ ग में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित सारणी **के स्तंभ ख में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन प्रयोग किए जाने या वापस लेने का विकल्प**, ऐसे कर वर्ष के लिए धारा 263 (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की वापसी में होगा।

सारणी

क्रम संख्या	*उपबंध*	*व्यक्ति*
क	*ख*	*ग*
1.	199(3)	विनिर्माण घरेलू कंपनी।
2.	200(5)	घरेलू कंपनी।
3.	201(2)	नई विनिर्माण घरेलू कंपनी।
4.	202(4)	व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार, या व्यक्तियों का एक संघ (एक सहकारी समिति के अतिरिक्त) या व्यष्टि का एक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।
5.	203(5)	निवासी सहकारी सोसाइटी।
6.	204(2)	नई विनिर्माण सहकारी सोसाइटी।

137. कंपनियों के बही लाभ की गणना करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप - धारा 515(3)(ख) के अधीन परिभाषित एक लेखाकार की रिपोर्ट, जिसे धारा 206(1)(ध) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, प्ररूप संख्या 66 में की जाएगी।

138. एक कंपनी के अतिरिक्त कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा समायोजित आय की गणना करने के लिए रिपोर्ट का प्ररूप - धारा 515 (3) (ख) के अधीन परिभाषित एक लेखाकार की रिपोर्ट, जिसे धारा 206 (2) (ञ) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 67 में प्रस्तुत किया जाएगा।

139. अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के अधीन अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के प्रयोजनों के लिए, अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: -

(क × द1) + (ख × द2) + (ग × द3) + (घ × द4)

जहां, -

क = किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 70 (1) (द) में निर्दिष्ट पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक निर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई भी आय और जहां इस तरह के लेनदेन के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होता है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 में उल्लिखित है [सारणी: क्रम संख्या 1];

ख = प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई कोई भी आय (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त), जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट है;

ग = किसी अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से एक निर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उत्पन्न या प्राप्त की गई कोई भी आय और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न नहीं होती है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 3] में निर्दिष्ट है;

घ = एक प्रतिभूतिकरण न्यास से एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई भी आय जो अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 4] में निर्दिष्ट "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य है;

द1 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" के कुल योग का अनुपात, धारा 70 (1) (द) में संदर्भित पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख से ऐसी पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख तक;

द2 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" के कुल योग का अनुपात, प्रतिभूति के अधिग्रहण की तारीख से (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त) ऐसी प्रतिभूति के हस्तांतरण की तारीख तक;

द3 = अनिवासी इकाई धारकों द्वारा आयोजित निर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्ति" का अनुपात (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) विनिर्दिष्ट निधि के कुल 'प्रबंधन के अधीन आस्ति' के लिए, एक अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख के रूप में (भारत में एक अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं होने के नाते) और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है; तथा

द4 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित निर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्ति" का अनुपात निर्दिष्ट निधि की कुल "प्रबंधन के अधीन आस्ति" के लिए, एक प्रतिभूतिकरण न्यास से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख के रूप में जो "कारबार या वृति का लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य है।

(2) निर्दिष्ट निधि धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप संख्या 68 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी और उसमें उपदर्शित रीति से विधिवत सत्यापित होगी।

(3) एक निर्दिष्ट निधि में एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उप-नियम (2) का अनुपालन न करे।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "प्रबंधन अधीन आस्ति" का अर्थ है किसी विशेष तारीख पर निर्दिष्ट निधि की संपत्ति या निवेश के मूल्य का अंतिम शेष;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में समनुदेशित किया गया है; और

(ग) "स्थायी स्थापन", "प्रतिभूतियां", "विनिर्दिष्ट निधि" और "इकाई" पद का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम की अनुसूची 6 के नीचे टिप्पण 1 में समनुदेशित किया गया है

140. धारा 210(2) के अधीन अनिवासियों द्वारा धारित इकाइयों के कारण एक निर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण- (1) धारा 210(2) के प्रयोजनों के लिए, अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से एक निर्दिष्ट निधि की आय, धारा 210 (1) में संदर्भित [सारणी: क्रम संख्या 2, से 5], जो कि एक अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है (भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापन के अतिरिक्त), की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

क = ख × ग

जहां,-

क = अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते);

ख = सुरक्षा के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली आय; तथा

ग = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित निर्दिष्ट निधि के दैनिक 'प्रबंधन के अधीन

आस्तियों' के कुल योग का अनुपात, प्रतिभूति के अधिग्रहण की तारीख से ऐसी सुरक्षा के हस्तांतरण की तारीख तक।

(2) धारा 210(2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 210(1) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय के माध्यम से एक विनिर्दिष्ट निधि की आय [सारणी: क्रम संख्या 1], जो **एक** अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन के अतिरिक्त) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी: -

अ = ब × स

कहां,-

अ = अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं होने के कारण);

ब = प्रतिभूतियों से प्राप्त आय; और

स = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं होने के कारण) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि में “प्रबंधन के अधीन आस्तियों” का, ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट निधि के कुल “प्रबंधन के अधीन आस्तियों” से अनुपात।

(3) विनिर्दिष्ट निधि धारा 263(1)(ग) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले प्रारूप संख्या 69 में रियायती कराधान के लिए पात्र आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी।

(4) धारा 210 (1) में निर्दिष्ट एक विनिर्दिष्ट निधि की आय, जो एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन के सिवाय) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार है, धारा 210 में निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि ऐसी निधि उप-नियम (3) का अनुपालन नहीं करता है।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, पद,-

(क) "प्रबंधन अधीन आस्तियां" से किसी विशेष तारीख पर विनिर्दिष्ट निधि की संपत्ति या निवेश के मूल्य का अंतिम शेष;

(ख) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो इसे धारा 173 (ग) में समनुदेशित है;

(ग) "प्रतिभूतियों" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (ङ)] में समनुदेशित अर्थ होगा;

(घ) "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] में समनुदेशित अर्थ होगा; तथा

(ङ) "इकाइयों" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (ञ)] में समनुदेशित अर्थ है।

141. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के अधीन एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन के कारण विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के प्रयोजनों के लिए, एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग के कारण निर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: -

क + ख + ग + घ

जहां, -

क = किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 70 (1) (द) में संदर्भित पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया और जहां इस तरह के कारबार के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होता है;

ख = किसी भी आय को अर्जित या उत्पन्न हुआ, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा इसके द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त);

ग = किसी भी आय को अर्जित या उत्पन्न हुआ, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त किया गया और एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा जारी किया गया और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है; **और**

घ = कोई भी आय जो एक प्रतिभूतिकरण न्यास से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई है, जो "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन प्रभार्य है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट **क या ख या ग या घ में निर्दिष्ट आय के संबंध में किए गए किसी भी व्यय** को अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अन्य आय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के व्यय को **उक्त** क या ख या ग या घ में निर्दिष्ट आय के सापेक्ष कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी गई है।

(3) पात्र निवेश प्रभाग धारा 263 (1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रारूप संख्या 70 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा और उसमें बताई गई रीति से विधिवत सत्यापित होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "पात्र निवेश प्रभाग" से एक पंजीकृत निवेश प्रभाग जो नियम 142 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(ख) "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग" का अर्थ **अधिनियम की** अनुसूची 7 में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा [टिप्पण 1 (ख)] ;

(ग) "प्रतिभूतियों" का अर्थ अनुसूची 6 [टिप्पण (1)(ङ)] में यथा समनुदेशित अर्थ होगा;

(घ) "विनिर्दिष्ट तारीख", किसी भी कर वर्ष के पंजीकृत निवेश प्रभाग के खातों के संबंध में, का अर्थ है धारा 263 (1) (ग) के अधीन उक्त कर वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से एक माह पूर्व की तारीख; **और**

(ङ) "विनिर्दिष्ट निधि" का अर्थ है **अधिनियम की** अनुसूची 6 [टिप्पण (1)(छ)] में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा।

142. अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(ii)(ख)] में निर्दिष्ट शर्तें एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा है - (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(ii)(ख)] के प्रयोजनों के लिए, एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा: -

(क) यह निवेश प्रभाग से संबंधित सभी कारबार के सही और उचित खातों को दर्शाने वाले पंजीकृत निवेश प्रभाग के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखेगा और जो यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 141 में निर्दिष्ट आय और अन्य आय से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय उचित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं, हिसाब किए गए है और उसमें विभाजित किए गए हैं;

(ख) यह खंड (क) में निर्दिष्ट खातों को प्राप्त करेगा, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी और ऐसा लेखाकार उस तारीख तक डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप संख्या 71 में इस तरह की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, **तथा** उसमें बताई गई रीति से विधिवत सत्यापित करेगा;

(ग) यह निम्नलिखित के संबंध में उचित दस्तावेज रखेगा -

(i) निवेश खरीदने और बेचने के लिए अंतर्वाह विप्रेषण; और

(ii) भारत में किए गए आवक प्रेषण का उपयोग;

(घ) यह पंजीकृत निवेश प्रभाग के सभी खातों का बैंक विवरण संधारित रखेगा;

(ङ) यह पंजीकृत निवेश प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित संविदा नोटों को संधारित रखेगा; तथा

(च) यह संरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का एक विवरण रखेगा।

(2) एक पात्र निवेश प्रभाग के लिए जिम्मेदार एक विनिर्दिष्ट निधि की आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि यह उप-नियम (1) (ख) और नियम 141 (3) का अनुपालन न करे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "लेखाकार" का अर्थ धारा 515(3)(ख) में इसे समनुदेशित किया गया अर्थ होगा;

(ख) "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग" का अर्थ **अधिनियम की** अनुसूची 6 में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा [टिप्पण 1 (ख)];

(ग) "पंजीकृत निवेश प्रभाग" का अर्थ होगा एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है [टिप्पण 1 (छ) (ii) (क)];

(घ) "प्रतिभूतियों" का अर्थ **अधिनियम की** अनुसूची 6 में समनुदेशित किया गया अर्थ होगा [टिप्पण (1)(ङ)]**; और**

(ङ) किसी कर वर्ष के पंजीकृत निवेश प्रभाग के खातों के संबंध में, "विनिर्दिष्ट तारीख" का तात्पर्य उक्त कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से एक माह पहले की तारीख से है।

143. धारा 210(3) के तहत एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन के कारण एक विनिर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण- (1) धारा 210(3) के प्रयोजनों के लिए, एक विनिर्दिष्ट निधि की आय की गणना, एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग होने के नाते निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी: -

क + ख + ग + घ +ङ

जहां, -

क = प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित की जाती है, जैसा कि धारा 210 (1) में निर्दिष्ट है [सारणी: क्रम संख्या 1];

ख = धारा 210 (1) में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 2], धारा 196 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग

द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया;

ग = धारा 210 (1) में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 3], धारा 196 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई, या प्राप्त की गई, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित की गई;

घ = धारा 210 (1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 4], धारा 198 में निर्दिष्ट प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया;

ङ = धारा 210 (1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 5], धारा 198 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई, या प्राप्त की गई, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित की गई।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मद क या ख या ग या घ या ङ में निर्दिष्ट आय के संबंध में किए गए किसी भी व्यय को अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अन्य आय से कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही इस तरह के व्यय को **उक्त** क या ख या ग या घ या ङ में निर्दिष्ट आय से कटौती की अनुमति नहीं दी गई हो।

(3) पात्र निवेश प्रभाग धारा 210(3) के अधीन कराधान के लिए पात्र आय का वार्षिक विवरण धारा 263(1)(ग) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले, प्ररूप संख्या 70 में प्रस्तुत करेगा।

(4) धारा 210 (1) में निर्दिष्ट एक पात्र निवेश प्रभाग की आय [तालिका: क्रम संख्या 1 से 5] उसमें निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि पात्र निवेश प्रभाग उप-नियम (3) की आवश्यकता को पूरा न करता हो।

(5) इस नियम **के प्रयोजनों** के लिए, -

(क) "पात्र निवेश प्रभाग" का अर्थ है एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग जो अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ) (ii) (क) और (ख)] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है;

(ख) "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (ख)] में इसे यथा समनुदेशित **होगा**;

(ग) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (ज) में समनुदेशित किया गया है;

(घ) "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(ii)] में समनुदेशित अर्थ होगा।

144. अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] में विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए आवश्यक अन्य शर्तें- (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)(i)] के प्रयोजनों के लिए, एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरे किए जाने के लिए आवश्यक "अन्य शर्तें" इस प्रकार होंगी-

(क) विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक, ऐसी निधि के प्रायोजक या प्रबंधक के अतिरिक्त, जो कर वर्ष के बाद किसी भी कर वर्ष में धारा 6 (2) से (7) के अधीन निवासी बन जाता है, जिसमें ऐसी इकाई या इकाइयां जारी की गई थीं, कर वर्ष के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर इस तरह की विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक नहीं रहेगा जिसमें वह निवासी बन जाता है;

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट निधि अपने इकाई धारकों के निम्नलिखित दस्तावेज संधारित रखेगा: -

(i) इकाई धारक का नाम;

(ii) इकाइयों को जारी किए जाने के समय निवास के देश में इकाई धारक की कर पहचान संख्या;

(iii) स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो;

(iv) धारित इकाइयों की कुल संख्या;

(v) धारित इकाइयों का कुल मूल्य;

(vi) चाहे इकाई धारक प्रायोजक हो या प्रबंधक;

(vii) वह कर वर्ष जिसमें इकाई धारक निवासी बन गया; और

(viii) विनिर्दिदष्ट निधि से बाहर निकलने की तारीख ।

(2) निर्दिष्ट निधि प्रमाणित करेगी कि उसने उप-नियम (1) के अधीन शर्तों को पूरा किया है और प्ररूप संख्या 68 में छूट प्राप्त आय के वार्षिक विवरण में निवासियों द्वारा धारित इकाइयों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) एक निर्दिष्ट निधि में एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उप-नियम (2) का अनुपालन न करे।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ)] में इसे समनुदेशित किया **गया है**।

145. धारा 221(4), 222(2), 223(5) और 224(9) के अधीन विवरण.- (1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में यथा निर्दिष्ट किसी इकाई द्वारा जमा या भुगतान या वितरित आय का विवरण **प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को ऐसी इकाई की ओर से ऐसी आय को जमा करने या भुगतान करने या वितरित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संस्था का प्रधान कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्तंभ ग में उल्लिखित प्ररूप संख्या में,** एक लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित**, जैसा कि धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित किया** गया है, उसमें निर्दिष्ट रीति से; और उक्त सारणी के स्तंभ ङ में उल्लिखित प्ररूप संख्या में स्तंभ घ में उल्लिखित ऐसी आय के प्राप्तकर्ता के लिए **प्रस्तुत किया जाएगा** :

सारणी

क्रम संख्या	*इकाई का प्रकार*	*प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त* ***को विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप***	*वह व्यक्ति जिसे विवरण प्रस्तुत किया जाना है*	*आय प्राप्तकर्ता को विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप*
क	*ख*	*ग*	*घ*	*ङ*
1.	वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल निधि।	74.	वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है।	75.
2.	कारबार न्यास।	76.	इकाई धारक	77.
3.	निवेश निधि।	79.	वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है।	78.
4.	प्रतिभूतिकरण न्यास।	72.	वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है।	73.

(2) प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को विवरण कर वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के 15 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके दौरान आय का भुगतान या जमा या वितरित किया जाता है और आय के प्राप्तकर्ता को विवरण कर वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके दौरान आय का भुगतान या क्रेडिट या वितरित किया गया है।

(3) आय के प्राप्तकर्ता को आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से विवरण उत्पन्न करने और डाउनलोड करने के बाद और उसमें दर्शाई गई रीति से आय का भुगतान या जमा करने या वितरित करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

146. टन भार कर योजना के विकल्प के प्रयोग हेतु आवेदन तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में नियम– (1) आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय 8-छ के अधीन टन भार कर योजना के प्रयोजनों के लिए :–

(क) धारा 231(1) के अधीन टन भार कर योजना का विकल्प चुनने हेतु आवेदन या धारा 231(10) के अधीन उक्त विकल्प के नवीनीकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 80 में किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट विधि से सत्यापित किया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यवस्था के संबंध में धारा 227(4)(ख) के अधीन समझा गया टन भार उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट आधार पर संगणित किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	ठहराव	गणना का आधार
(क)	(ख)	(ग)
1	स्लॉट और स्लॉट चार्टर का क्रय	2.5 टीईयू = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी), जहां टीईयू बीस फुट समतुल्य इकाई (इस आकार का कंटेनर) है।
2	ब्रेक-बल्क पोत का साझाकरण	(i) जहां कार्गो आयतन द्वारा प्रतिबंधित है, 19 घन मीटर (सीबीएम) = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी); तथा (ii) जहां कार्गो वजन से प्रतिबंधित है, 14 मीट्रिक टन = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी)।

(ग) धारा 228 (7) में निर्दिष्ट आकस्मिक कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

(i) समुद्री परामर्श प्रभार;

(ii) कार्गो की लदाई या उतराई से आय;

(iii) प्रबंधित पोतों के लिए प्राप्त जलयान प्रबंधन शुल्क या पारिश्रमिक; तथा

(iv) समुद्री शिक्षा या भर्ती शुल्क;

(घ) किसी भी कर वर्ष के दौरान धारा 232 (15) से (20) में निर्दिष्ट अर्ह पोतों के टन भार के चार्टर-इन की सीमा की गणना कंपनी द्वारा संचालित टन की कुल संख्या से चार्टर्ड-इन टन दिवसों की कुल संख्या को विभाजित करके की जाएगी; और

(ङ) अधिनियम की धारा 232 (21) (ख) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली एक अर्हक कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप संख्या 81 में होगी।

147. धारा 239(3)(क) के अधीन बोर्ड के आदेशों का प्रकाशन और परिचालन— बोर्ड द्वारा धारा 239(3)(क) के अधीन जारी कोई भी सामान्य या विशेष आदेश, जिसका प्रकाशन और परिचालन, बोर्ड की राय में, जनहित में आवश्यक है, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रकार से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा:—

(क) आदेश का राजपत्र में प्रकाशन; या

(ख) आदेश की प्रतियां चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापार या वृत्तिक संघों को भेजना, जो उस समय बोर्ड की डाक सूची में शामिल हैं; या

(ग) प्रत्येक मुख्य आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त आयुक्त और निर्धारण अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर आदेश की प्रतियां प्रदर्शित करना; या

(घ) आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आदेश की प्रतियां अपलोड करना और विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या अन्य डिजिटल आउटरीच प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका प्रसार करना।

148. धारा 247 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण। - **(1)** धारा 247 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियाँ उप-नियम (2) से (21) के अनुसार प्रयोग की जाएँगी।

(2) प्राधिकार निम्न प्रकार से होगा—

(क) धारा 247(1) के अधीन, बोर्ड द्वारा उनके निमित्त अधिकृत अनुमोदन प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी प्राधिकार प्ररूप संख्या **82** में होगा;

(ख) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 247(2), प्ररूप संख्या 83 में होगी; और

(ग) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 247(3), प्ररूप संख्या 84 में होगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकार, प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन लिखित में होगा और उस पर उसकी मुहर लगेगी।

(4) तलाशी के लिए प्राधिकृत किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या विमान के प्रभारी या उसमें कोई भी व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर और प्राधिकारी के पेश होने पर, उसे उसमें निर्बाध प्रवेश की अनुमति देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने प्रवेश का प्राधिकार और प्रयोजन की विधिवत अधिसूचना और ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश की मांग कर लेने के बाद भी प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह प्राधिकृत अधिकारी के लिए विधिसम्मत होगा -

(i) ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करना और उसमें तलाशी लेना; और

(ii) ऐसी भवन या उसमें तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भवन या स्थान के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना, यदि आवश्यक हो, चाहे वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का,

(6) यदि तलाशी के लिए अधिकृत किसी जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है,

(क) प्राधिकृत अधिकारी के लिए ऐसे किसी भी जलयान या यान को रोकना या वायुयान के मामले में, इसे रुकने या उतरने के लिए मजबूर करना और वायुयान, यान या वायुयान के किसी भी हिस्से की तलाशी लेना वैध होगा; या

(ख) अपने अधिकार और उद्देश्य की अधिसूचना और प्रवेश की मांग विधिवत किए जाने के बाद भी, प्राधिकृत अधिकारी के लिए, ऐसे जलयान, यान या वायुयान में तलाशी के लिए प्रवेश को प्रभावित करने के लिए, ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के किसी बाहरी या आंतरिक दरवाजे या खिड़की को तोड़ने के लिए वैध होगा, चाहे वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का,

(7) यदि तलाशी के लिए अधिकृत किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान पर किसी महिला का कब्जा है, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पहले, ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे बाहर निकलने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगी।

(8) प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है, जो किसी भी बक्सा, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या किसी अन्य पात्र या कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच का स्वामी है या उसका तत्काल कब्जा या नियंत्रण रखता है, जो इस तरह के भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में स्थित है, इसकी सामग्री या उसमें संग्रहीत कोई भी सूचना का निरीक्षण या जांच करने के लिए उसे खोलने सहित प्रवेश की अनुमति दे।।

(9) जहां ऐसे बॉक्स की चाबियां, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई अन्य पात्र या अभिगम कोड उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति उप-नियम (8) में उल्लिखित आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसे बॉक्स, लॉकर, तिजोरी को तोड़ने सहित कोई भी कार्रवाई करवा सकता है। उप-नियम (2) के अधीन जारी प्राधिकारी में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिरोपित करना, जिसे वह आवश्यक समझता है।

(10) धारा 247(1)(iv) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सहायता से खोजा जा सकता है जिसे वह उप-नियम (2) के अधीन जारी प्राधिकरण में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे और जहां ऐसा व्यक्ति एक महिला है, वहां किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का कड़ाई से ध्यान रखते हुए तलाशी ली जाएगी।

(11) तलाशी लेने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी, -

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को बुलाएं जो उस इलाके के निवासी हैं जिसमें तलाशी ली जाने वाली भवन या स्थान स्थित है, या किसी अन्य इलाके के यदि उक्त इलाके का कोई निवासी उपलब्ध नहीं है या खोज का गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है; और

(ख) जहां किसी जहाज, वाहन या विमान की तलाशी ली जानी है, वहां किन्हीं दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को बुलाएं,

खोज में भाग लेने और देखने के लिए और उन्हें या उनमें से किसी को भी ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकते हैं।

(12) कोई भी व्यक्ति, जो बिना उचित कारण के, धारा 247 के अधीन तलाशी में भाग लेने और देखने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, जब उसे लिखित रूप में दिए गए या दिए गए आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 222 के तहत अपराध किया माना जा सकता है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही आरंभ की जा सकती है।

(13) उपनियम (11) में निर्दिष्ट साक्षियों की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा निम्नलिखित पर हस्ताक्षर किए जाएंगे: -

(क) किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 247(6) के अधीन दिया गया कथन; तथा

(ख) इस तरह की खोज के दौरान अधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार की गई, अभिग्रहण की गई सभी आस्तियों और अभिग्रहित सामग्री की एक सूची।

(14) तलाशी देखने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में तलाशी के साक्षी के रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि विशेष रूप से बुलाया न गया हो।

(15) तलाशी ली गई भवन, स्थान, जलयान, यान या विमान के रहने वाले (ऐसे जलयान, वाहन या यान के प्रभारी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सहित) को तलाशी के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और उप-नियम (13) के अधीन तैयार की गई सूचियों की एक प्रति ऐसे रहने वाले या व्यक्ति को वितरित की जाएगी।

(16) जब धारा 247 (1) (iv) के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, तो जब्त की गई सभी संपत्तियों और जब्त की गई सामग्री की एक सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।

(17) प्राधिकृत अधिकारी धन और लेखा बहियों और दस्तावेजों को छोड़कर, जो भौतिक रूप में हैं, एक पैकेज या पैकेजों में जब्त की गई सभी संपत्ति और जब्त की गई सामग्री और सामग्रियों को रखेगा, और उन्हें ऐसी संपत्ति और सामग्री के विवरण के साथ सूचीबद्ध करेगा और उसमें रखा जाएगा।

(18) प्रत्येक पैकेज पर एक पहचान चिह्न और प्राधिकृत अधिकारी की मुहर होगी, और तलाशी ली गई इमारत, स्थान, जलयान, यान या वायुयान (ऐसे वायुयान, यान या विमान के प्रभारी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति सहित) के रहने वाले को उन पर अपनी मुहर या हस्ताक्षर लगाने की भी अनुमति दी जाएगी और ऐसे पैकेजों के विवरण के साथ सूची की एक प्रति भी होगी, ऐसी संपत्ति और जब्त की गई और उसमें रखी गई सामग्री के विवरण के साथ, ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को दिया जाएगा।

(19) प्राधिकृत अधिकारी जब्त की गई सभी आस्तियों और सामग्रियों को उप-नियम (17) में निर्दिष्ट पैकेज या पैकेजों यदि कोई हो, अभिग्रहित की गई संपत्ति और सामग्री की सूची और तलाशी के दौरान दर्ज किए गए बयानों को किसी भी आयकर अधिकारी के कार्यालय को भेज सकता है जो आयकर अधिकारी (यहां अभिरक्षक के रूप में संदर्भित) के पद से नीचे नहीं है। तलाशी में जब्त किए गए किसी भी धन को संरक्षक के पास भी जमा किया जा सकता है।

(20) (क) अभिरक्षक उप-नियम (19) के अधीन उसे सौंपी गई सभी आस्तियों और सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाएगा, जो वह आवश्यक समझे।

(ख) अभिरक्षक, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, सभी या किसी भी पैकेजों को, अधिमानतः, महानिदेशक के कार्यालय द्वारा अनुरक्षित स्ट्रांग रूम में, या जहां स्ट्रांग रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक या इसकी किसी सहायक कंपनी या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत (या प्राधिकृत) बैंक में किराए पर लिए गए सुरक्षित जमा लॉकर में जमा कर सकता है।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट स्ट्रांग रूम या सुरक्षित जमा लॉकर का संचालन महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) जहां अभिरक्षक के पास कोई धन जमा किया गया है, वह महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसकी सहायक कंपनियों या

किसी प्राधिकृत बैंक की निकटतम शाखा के माध्यम से धन जमा कर सकता है, या धन भेज सकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसकी सहायक कंपनियों या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा में, उस स्थान पर जहां ऐसे प्राधिकरण का कार्यालय स्थित है।

(21) (क) जब कभी अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए किसी सीलबंद पैकेज को खोलने की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, जब तक कि वह स्वयं अभिरक्षक न हो, अभिरक्षक से इसकी मांग कर सकेगा और मांग प्राप्त होने पर, ऐसे पैकेज या पैकेजों जैसा भी मामला हो, अभिरक्षक और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे वितरित किए जाएंगे, उपस्थित होने के लिए उस व्यक्ति (जिसकी अभिरक्षा से इस तरह के पैकेज की सामग्री अभिग्रहित की गई थी) को एक उचित नोटिस देने के बाद, किसी भी मुहर को तोड़ सकता है और दो सम्मानित साक्षियों और ऐसे व्यक्ति, यदि विद्यमान हैं, की उपस्थिति में इस तरह के पैकेज को खोल सकता है।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति को तब तक उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि इस तरह के पैकेज की सभी या किसी भी सामग्री को एक नए पैकेज या पैकेजों में नहीं रखा जाता है और उप-नियम (17) और (18) में विनिर्दिष्ट रीति से सील कर दिया जाता है या ऐसे व्यक्ति या अभिरक्षक, जैसा भी मामला हो, को वितरित नहीं कर दिया जाता है।

(22) मूल्यांकन अधिकारी जिसे धारा 251(1) के अधीन अभिग्रहित की गई संपत्ति और सामग्री सौंपी गई है, उसके पास उप-नियम (19) और (21) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

149. **धारा 247(5) के अधीन सेवाओं की मांग करने और धारा 247(9) के अधीन एक संदर्भ बनाने की प्रक्रिया।** - (1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, अनुमोदन कर सकेगा -

ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, या संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक या अपर आयुक्त या निदेशक या आयुक्त या प्रधान निदेशक या प्रधान आयुक्त द्वारा किए गए संदर्भ के आधार पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर-

(क) कोई भी व्यक्ति या संस्था, जिसकी सेवाओं को धारा 247 (5) (ख) के प्रयोजनों के लिए मांगा जा सकता है; या

(ख) मूल्यांकन अधिकारी, धारा 514 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, या कोई व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जिसे धारा 247(9) के प्रयोजनों के लिए संदर्भ दिया जा सकेगा।

(2) धारा 247(5) या (9) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, धारा 247(5)(ख) या (9) के प्रयोजनों के लिए उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदित व्यक्तियों में से एक या अधिक की सेवाओं की मांग कर सकता है या उनका संदर्भ दे सकता है।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप संख्या 85 में किया जाएगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है और इस प्रकार अनुमोदित या अस्वीकृत किया गया है।

(5) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, उप-नियम (1) में उपबंधित किसी व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को अनुमोदन प्रदान करने पर, ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जैसा भी मामला हो, को एक निर्दिष्ट अनुमोदन संख्या जारी कर सकेगा।

(6) धारा 247(5) या (9) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे मामले में जहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की सेवाओं की मांग कर सकता है या उसका संदर्भ दे सकता है, जिसे उप-नियम (1) के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया है, इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद, और इस तरह की मांग के तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता" से किसी भी प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन पंजीकृत कोई भी मूल्यांकनकर्ता।

(8) इस नियम के उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, एक "नामनिर्दिष्ट अनुमोदन संख्या" का अर्थ है एक संख्या जो इस प्रकार जारी की गई है, जिसमें अक्षरांकीय वर्ण हैं।

150. धारा 247(9) के अधीन मूल्यांकन - (1) धारा 247(9) के प्रयोजनों के लिए, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से विनिर्धारित किया जाएगा: -

(क) एक अचल संपत्ति का मूल्य, भूमि या भवन या दोनों होने के नाते, निर्माण और सुधार की लागत के साथ-साथ ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए या मूल्यांकन या मूल्यांकन योग्य मूल्य के अनुसार होगा, यदि कोई हो, तो उस तारीख या तारीखों पर जिस पर ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार किया जाना आवश्यक है;

(ख) नियम 57 में निर्दिष्ट आभूषणों, पुरातात्विक संग्रहों, शिल्पों, चित्रों, मूर्तियों, कला के किसी भी कार्य, शेयरों या प्रतिभूतियों का मूल्य, उक्त नियम में प्रदत्त रीति से मूल्य निर्धारित होगा और इस प्रयोजन के लिए, नियम 56 और 57 में मूल्यांकन तारीख का संदर्भ वह तारीख या तारीखें होंगी जिस पर ऐसी संपत्ति को धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार मूल्यांकित होना आवश्यक है; और

(ग) संपत्ति का मूल्य, -

(क) खंड (क) और (ख) में शामिल के अतिरिक्त; या

(ख) जहां उक्त खंडों में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन व्यवहार्य नहीं है,

वह कीमत होगी जो ऐसी संपत्ति आमतौर पर उस तारीख या तारीखों को खुले बाजार में बिक्री पर प्राप्त करेगी, जिस पर ऐसी संपत्ति का मूल्य धारा 247 (9) के अधीन किए गए संदर्भ के अनुसार होना आवश्यक है।

(2) मूल्यांकन अधिकारी, अथवा धारा 514 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, अथवा धारा 247(9) के अधीन अनुमोदित कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसे धारा 247(9) के उपबंधों के अधीन **अधिकृत अधिकारी** द्वारा मूल्यांकन हेतु संदर्भित किया गया हो, वह अपने मूल्यांकन का प्रतिवेदन **प्ररूप संख्या 170** में तैयार कर उक्त अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

151. धारा 248 के अधीन खाता-बही आदि की मांग - (1) महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 248(1) के अधीन प्राधिकार प्ररूप संख्या 86 में लिखित रूप में प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत किया जाएगा और उसकी मुहर लगेगी।

(2) धारा 248(1) के अधीन मांग करने के लिए अधिकृत अधिकारी (जिसे मांगकर्ता अधिकारी कहा गया है) धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) (जिसे इसमें परिदान अधिकारी या प्राधिकारी कहा गया है) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में मांग करेगा, जिसमें लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को वितरित करने के लिए वितरण अधिकारी या प्राधिकारी को बुलाया जाएगा, या संपत्ति या कंप्यूटर प्रणाली जिसमें उसे की गई मांग में निर्दिष्ट सूचना है, जो प्ररूप संख्या 86 में किए गए प्राधिकार की एक प्रति के साथ होगी और उक्त प्राधिकार की एक प्रति के साथ मांग की एक प्रति, धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अग्रेषित की जाएगी।

(3) (क) वितरण अधिकारी या प्राधिकारी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों, या संपत्ति या कंप्यूटर सिस्टम की एक सूची तैयार करेगा जिसमें मांगकर्ता अधिकारी को दी गई सूचना होगी;

(ख) इस प्रकार मांगी गई सूचना वाली लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों, या आस्तियों या कंप्यूटर प्रणाली की सुपुर्दगी को प्रभावित करने से पहले, परिदान अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी चीज़ों को, धन और लेखा बहियों और दस्तावेजों को भौतिक रूप में छोड़कर, एक पैकेज या पैकेजों में रखेगा या रखवाएगा जिसे ऐसी चीजों के विवरण के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और उसमें रखा जाएगा;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक पैकेज पर उसकी ओर से मांगकर्ता अधिकारी या आयकर अधिकारी के पद से नीचे के पद के किसी अन्य आयकर प्राधिकारी का और वितरण अधिकारी या प्राधिकारी का पहचान चिह्न और मुहर लगी होगी।

(घ) धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भी उक्त पैकेज या पैकेज पर अपनी मुहर या हस्ताक्षर लगाने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) खंड (ख) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाएगी और उसकी एक प्रति सुपुर्दगी अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(4) नियम 148 और नियम 152 के उप-नियम (19) से (22) के उपबंध, जहां तक हो, इस तरह लागू होंगे जैसे कि धारा 248 के अधीन मांगकर्ता अधिकारी को सुपुर्द की गई चीजें धारा धारा 247(1) के अधीन अनुरोधकर्ता अधिकारी द्वारा धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा से जब्त कर ली गई हों, जैसा भी मामला हो, और जैसे कि उसमें होने वाले "अधिकृत अधिकारी" शब्दों के लिए, "मांग करने वाले अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया हो।

152. धारा 250 के अधीन शेष आस्तियों का जारी किया जाना - कोई भी आस्ति या आय जो धारा 250 (1) में विनिर्दिष्ट देनदारियों के निर्वहन के बाद बनी रहती है, दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाएगा, जिसकी अभिरक्षा से आस्ति जब्त की गई थी।

153. करस्थम और विक्रय - जहां चल आस्ति का करस्थम और विक्रय किसी भी निर्धारण अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कर वसूली अधिकारी द्वारा की जानी है, इस तरह के करस्थम और विक्रय, जहां तक हो सकती है, उसी तरह से की जाएगी जैसे वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाने वाली किसी चल आस्ति की कुर्की और विक्रय, और कुर्की और विक्रय से संबंधित नियम 225 के उपबंध, जहां तक हो सकता है, इस तरह के करस्थम और विक्रय के संबंध में लागू होगा।

154. धारा 254(1) के अधीन सूचना का प्ररूप - धारा 254 (1) के अधीन सूचना प्ररूप संख्या 87 में प्रस्तुत की जाएगी।

155. धारा 258(2) के अधीन निर्धारिती से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण। – (1) अधिनियम के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन किए गए किसी भी निर्धारण के संबंध में एक निर्धारिती से संबंधित सूचना के लिए धारा 258 (2) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त को आवेदन, जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था, प्ररूप संख्या 88 में किया जाएगा।

(2) धारा 258(2) के अधीन मांगी गयी सूचना मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्ररूप संख्या 89 में प्रदान की जाएगी।

(3) यदि संबंधित निर्धारण पूरा नहीं हुआ है और सूचना देना संभव नहीं है, तो मुख्य आयुक्त या आयुक्त के लिए धारा 258(2) के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करना संभव नहीं है, इस तथ्य की सूचना वह आवेदक को प्ररूप संख्या 90 में देगा।

(4) जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट हैं कि मांगी गई सूचना देना या ऐसा कारित करना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वह प्ररूप संख्या 91 में आवेदक को इस तथ्य की सूचना देगा।

156. धारा 259 के अधीन विहित आयकर प्राधिकरण - धारा 259 के अधीन विहित आयकर प्राधिकरण एक आयकर प्राधिकरण होगा जो आयकर के सहायक आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

157. धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति - (1) धारा 262 के उपबंध एक अनिवासी (एक कंपनी या एक विदेशी कंपनी नहीं होने के कारण) पर लागू नहीं होगा, जो एक कर वर्ष के दौरान, एक विविनिर्दिष्ट निधि में निवेश किया है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं: -

(क) ऐसा अनिवासी कर वर्ष के दौरान विविनिर्दिष्ट निधि में निवेश से आय के अतिरिक्त भारत में कोई आय अर्जित नहीं करता है;

(ख) अनिवासी की ऐसी आय पर देय आयकर को स्रोत पर काट लिया गया है और विनिर्दिष्ट धारा 393 (1) [सारणी: क्रम संख्या 4 (iii)], 393 (2) [सारणी: क्रम संख्या 8] और 393 (4) [सारणी: क्रम संख्या 14] पर विनिर्दिष्ट दरों पर केंद्रीय सरकार को भेज दिया गया है; और

(ग) अनिवासी विनिर्दिष्ट निधि को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करता है:

(i) नाम, ईमेल आईडी और संपर्क संख्या;

(ii) भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता जहाँ का वह निवासी है;

(iii) एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है; और

(iv) देश या उसके निवास के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन), और कहां है ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान की जाती है।

(2) विनिर्दिष्ट निधि -

(क) वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना, जिसमें उप-नियम (1) (ग) के द्वारा प्ररूप संख्या 92 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है; और

(ख) उप-नियम (1)(ग)(iii) में यथानिर्दिष्ट विदेशी निवासी की घोषणा के वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, अपलोड की जाएगी।

(3) धारा 262 के उपबंध एक अनिवासी पर लागू नहीं होंगे, जो एक पात्र विदेशी निवेशक हो और जिसने केवल धारा 70 (1) (द) में उल्लिखित पूंजीगत आस्तियों में कारबार किया हो, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों तथा जिनके हस्तांतरण का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय हो, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(क) पात्र विदेशी निवेशक भारत में कोई अन्य आय अर्जित नहीं करता हो, सिवाय धारा 70 (1) (द) में विनिर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय के;

(ख) पात्र विदेशी निवेशक स्टॉक ब्रोकर को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से कारबार किया जाता है: -

(i) नाम, ईमेल आईडी और संपर्क संख्या;

(ii) भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पता जहॉ का वह निवासी है;

(iii) एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है; और

(iv) देश या उसके निवास के निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन), और जहां ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर एक अद्‌वितीय संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र की सरकार द्‌वारा अनिवासी की पहचान की जाती है।

(4) स्टॉक ब्रोकर -

(क) वित्तीय वर्ष की तिमाही का एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उप-नियम (3) में निर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज उसके द्‌वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर महानिदेशक (पद्‌धति) या उसके द्‌वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त किए जाते हैं; और

(ख) उप-नियम (3)(ख)(iii) में यथानिर्दिष्ट, वित्तीय वर्ष की ऐसी तिमाही के अंत से **पंद्रह** दिनों के भीतर, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, विदेशी निवास घोषणा अपलोड करेगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "पात्र विदेशी निवेशक" से एक अनिवासी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003, दिनांक 4 जनवरी, 2017 के अनुसार काम करता है, अभिप्रेत है;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का अर्थ विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में समनुदेशित अर्थ होगा;

(ग) "विनिर्दिष्ट निधि" का अर्थ **अधिनियम की** अनुसूची 6 [टिप्पण (1)(छ)] में समनुदेशित अर्थ होगा; और

(घ) "स्टॉक ब्रोकर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार अधिकार है और ऐसे एक्सचेंज का सदस्य है।

158. स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन। - (1) स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए धारा 262 के अधीन उप-नियम (8) के अनुसार एक आवेदन प्ररूप संख्या 93, प्ररूप संख्या 94, प्ररूप संख्या 95 और प्ररूप संख्या 96, जैसा भी मामला हो, में किया जाएगा ।

(2) एक आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए भी आवेदन कर सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है, लेकिन उसके पास आधार संख्या है, वह धारा 262(1) या (2) या (11) के अधीन उप-नियम (4) में उल्लिखित प्राधिकारियों को स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है।

(4) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, उस उद्देश्य के लिए आधार संख्या को प्रमाणित करेगा।

(5) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट एक आवेदन किया जाएगा -

(i) ऐसे मामलों में जहां धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या के आवंटन का कार्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी विशेष कर निर्धारण अधिकारी को, उस कर निर्धारण अधिकारी को समनुदेशित किया गया है; तथा

(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदक का निर्धारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को।

(6) उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, कर मूल्यांकन अधिकारी में एक आयकर प्राधिकारी शामिल होगा जिसे आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा स्थायी खाता संख्या आवंटित करने का कर्तव्य समनुदेशित किया गया है।

(7) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्तंभ ग में निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	**व्यक्ति**	**वह समय जिसके भीतर स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन किया जाना है**
क	**ख**	**ग**

1	जहां किसी भी कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह अधिनियम के अधीन निर्धारण योग्य है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है और उसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	कर वर्ष के तुरंत बाद कर वर्ष के 31 मई को या उससे पहले, जिसके लिए ऐसी आय का निर्धाय किया जा सकता है।
2	एक व्यक्ति जो क्रम संख्या 1 के अधीन नहीं आता है, लेकिन किसी भी कारबार को करता है या पेशे में लगा है, जिसकी कुल विक्रय, कारबार या सकल प्राप्तियां किसी भी कर वर्ष में ₹ 5,00,000 से अधिक हैं या होने की संभावना है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है।	उस कर वर्ष के अंत से पहले।
3	एक व्यक्ति जिसे धारा 349 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है।	कर वर्ष के अंत से पहले।
4	एक व्यक्ति जो किसी भी राशि या आय या राशि को प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर किसी भी कर वर्ष में अध्याय 19-ख के अधीन कर कटौती योग्य या संग्रहणीय है।	ऐसे कर वर्ष के अंत से पहले।
5	एक व्यक्ति, एक व्यक्ति के अतिरिक्त एक निवासी होने के नाते, जो कर में 2,50,000 रूपये या उससे अधिक के रकम का कर लेनदेन करता है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है।	31 मई को या उससे पहले, ऐसे कर वर्ष के तुरंत बाद।
6	एक व्यक्ति, जो प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट व्यक्ति का पदाधिकारी या उक्त क्रम संख्या में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है और जिसे कोई स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है।	31 मई को या उससे पहले, कर वर्ष के तुरंत बाद जिसमें क्रम संख्या 5 में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन करता है।

7	एक व्यक्ति जो धारा 262(1)(च) और धारा 262(9)(क) के अधीन निर्धारित कारबार करने का आशय रखता है।	उस तारीख से कम से कम सात दिन पहले जिस दिन वह उक्त कारबार करने का आशय रखता है।

(8)(क) उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट आवेदन, ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत का नागरिक है, प्ररूप 93 में भरा जाएगा और उसके साथ पहचान, पता और जन्म की तारीख के सबूत के लिए निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :

सारणी

क्रम संख्या	**दस्तावेज की प्रकृति**	**पहचान का सबूत**	**पते का सबूत**	**जन्म की तारीख (जिस पर नाम, जन्म की तारीख, माह और वर्ष लिखा हो)**
क. की प्रति-:				
1.	आधार कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
2.	भारतीय पासपोर्ट	हाँ	हाँ	हाँ
3.	चलन अनुज्ञप्ति	हाँ	हाँ	हाँ
4.	भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटोचित्र वाला पहचान पत्र	हाँ	हाँ	हाँ
5.	आवेदक की फोटोचित्र वाला राशन कार्ड	हाँ	नहीं	नहीं
6.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधीन जारी उभयलिंगी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जिस पर आवेदक का फ़ोटो लगा हो।	हाँ	हाँ	हाँ
7.	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	हाँ	नहीं	हाँ
8.	सरकार द्वारा जारी पेंशनर कार्ड, जिसमें आवेदक का फोटोचित्र	हाँ	नहीं	नहीं
9.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी	हाँ	नहीं	हाँ

	स्वास्थ्य योजना फोटोचित्र वाला कार्ड			
10.	पतिपत्नी का भारतीय पासपोर्ट/, जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो	नहीं	हाँ	नहीं
11।	आवेदक के पते वाली पोस्ट डाकघर पास बुक	नहीं	हाँ	नहीं
12.	सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र	नहीं	हाँ	हाँ
13.	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आवास का आवंटन पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए	नहीं	हाँ	नहीं
14.	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	नहीं	हाँ	नहीं
15.	नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश	नहीं	हाँ	नहीं
16.	विद्युत बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
17.	लैंडलाइन टेलीफोन या ब्रांडबैंड कनेक्शन का (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
18.	पानी का बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
19.	उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप गैस बिल (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
20.	टिप्पण 2 के अनुसार बैंक खाता विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
21.	निक्षेपागार खाता विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं
22.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से अधिक पुराना नहीं)	नहीं	हाँ	नहीं

23.	1 अक्टूबर, 2023 को या उसके पश्चात् पैदा हुए व्यष्टियों के लिए नगरपालिका प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है;	नहीं	नहीं	हाँ
24.	नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है।	नहीं	नहीं	हाँ
25.	पेंशन भुगतान आदेश	नहीं	नहीं	हाँ
26.	विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र	नहीं	नहीं	हाँ
27.	मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या अंकपत्र	नहीं	नहीं	हाँ
ख .या मूल प्रति:				
1.	संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो	हाँ	नहीं	नहीं

2.	बैंक प्रमाणपत्र, शाखा के लेटर हेड पर (जारी करने वाले ऑफिसर के नाम, स्टैम्प और कर्मचारी आईडी की कॉपी के साथ) जिसमें आवेदक का प्रमाणित फोटो और बैंक खाता संख्या हो।	हाँ	नहीं	नहीं
3.	संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो	नहीं	हाँ	नहीं
4.	ई-नियोजक प्रमाणपत्र।	नहीं	हाँ	नहीं
5.	जन्म की तारीख बताते हुए मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र	नहीं	नहीं	हाँ

टिप्पण 1: अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है, तो अवयस्क के आधार के अतिरिक्त, उसके माता-पिता या संरक्षक में से किसी का भी ऊपर दिया गया कोई भी दस्तावेज पहचान का सबूत माना जाएगा।

टिप्पण 2: अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर रहता है, तो उसके देश के बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाहरी बैंक खाता विवरण की प्रति पते का सबूत होगी।
टिप्पण 3: अवयस्क के मामले में, उसके माता-पिता या संरक्षक में से किसी का भी ऊपर दिया गया कोई भी दस्तावेज पते का सबूत माना जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) और (3) में निर्दिष्ट आवेदन, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ख में उल्लिखित आवेदक के संबंध में, उक्त तालिका के स्तंभ ग में उल्लिखित प्ररूप में भरा जाएगा, और ऐसे आवेदक की पहचान, पता और जन्म तिथि या निगमन की तारीख के प्रमाण के रूप में स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जोड़ा जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	**व्यक्ति**	**प्ररूप**	**जन्म की तारीख**

			(जिस पर नाम, जन्म की तारीख, माह और वर्ष लिखा हो)
क	**ख**	**ग**	*घ*
1.	हिंदू अविभाजित परिवार	प्ररूप संख्या 94	*क)* नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक प्रमाणित हिंदू अविभाजित परिवार के *कर्ता* द्वारा मूल शपथ पत्र जिसमें आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों का नाम, पिता का नाम, आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या और पता उल्लेख किया गया हो; और ख) हिंदू अविभाजित परिवार के *कर्ता के* संबंध में क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में लागू किसी भी दस्तावेज की एक प्रति, पहचान, पते और जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में।
2.	भारत में पंजीकृत कंपनी	प्ररूप संख्या 94	क) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; या ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा आवंटित कॉर्पोरेट पहचान संख्या।
3.	भारत में गठित या पंजीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	प्ररूप संख्या 94	क) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; या ख) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा भारत में आवंटित एलएलपी पहचान संख्या।
4.	फर्म (सीमित दायित्व भागीदारी के अतिरिक्त) भारत में गठित या पंजीकृत	प्ररूप संख्या 94	(क) फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति; या (ख) साझेदारी विलेख की प्रति।

5.	भारत में गठित या पंजीकृत न्यास	प्ररूप संख्या 94	(क) न्यास विलेख की प्रति; या (ख) पूर्त आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की प्रति ।
6.	व्यक्तियों का संघ (न्यास के अतिरिक्त) या भारत में गठित या पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय	प्ररूप संख्या 94	(क) करार की प्रति; या (ख) पूर्त आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की प्रति; या (ग) किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त कोई दस्तावेज, ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते को स्थापित करता है।
7.	भारत में गठित या पंजीकृत स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	प्ररूप संख्या 94	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से प्राप्त कोई भी दस्तावेज जो ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करता है।
8.	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति	प्ररूप संख्या 94	विभाग के प्रमुख या वेतन और लेखा अधिकारी या क्षेत्रीय लेखा अधिकारी या जिला कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी से मूल प्रमाण पत्र।
9.	व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है	प्ररूप संख्या 95	(i) पहचान का प्रमाण :- (क) पासपोर्ट की प्रति; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी भारत के विदेशी नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या निर्धारिती पहचान संख्या की प्रति, जो "एपोस्टिल" (उन देशों के संबंध में जो

			1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित की गई जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी। (ii) जन्म की तारीख का प्रमाण: - (क) पासपोर्ट की प्रति; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी भारत के विदेशी नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या निर्धारिती पहचान संख्या की प्रति, जिसमें जन्म की तारीख, महीना और वर्ष शामिल है, जिसे "एपोस्टिल" (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या (ङ) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

			अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; या (च) जन्म प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें किसी भी विदेशी प्राधिकरण द्वारा जारी की गई जन्म की तारीख, माह और जन्म वर्ष शामिल है और "एपोस्टिल" (1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के संबंध में) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित है जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी। (iii) पते का सबूत: - (क) पासपोर्ट की प्रति; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय विदेशी नागरिकता के कार्ड की प्रति; या (घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या निर्धारिती पहचान संख्या की प्रति "एपोस्टिल" (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या (ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति; या

			(च) भारत में अनिवासी बाहरी बैंक खाता विवरण की प्रति; या (छ) भारत में निवास प्रमाण पत्र की प्रति या राज्य पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी आवासीय परमिट; या (ज) विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, जिसमें भारतीय पता दिखाया गया हो; या (झ) दिए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या संविदा की प्रति और नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते के प्रमाण पत्र (मूल में)।
10.	भारत के बाहर पंजीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	प्ररूप संख्या 96	(क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" द्वारा विधिवत सत्यापित (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या (ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।
11	भारत के बाहर पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" द्वारा विधिवत सत्यापित (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या

			वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।
12	भारत के बाहर पंजीकृत कंपनी	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" (1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के संबंध में) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है; या ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति।
13	भारत के बाहर गठित या पंजीकृत फर्म	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" (1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के संबंध में), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है; या

			ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।
14	बाहर गठित व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट)	प्ररूप संख्या 96	क) उस देश में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवेदक स्थित है, "एपोस्टिल" द्वारा विधिवत सत्यापित (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं), या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा जहां आवेदक स्थित है, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; या ख) भारत में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति।

(9) प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है और जिसे धारा 262 (6) (क) के उपबंधों के अनुसार, अपनी आधार संख्या की सूचना देनी अपेक्षित है, वह आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अपनी आधार संख्या की सूचना देगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 262(6)(क) के उपबंधों के अनुसार, निर्धारित प्ररूप और तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना देना अपेक्षित है, 30 जून, 2023 तक ऐसा करने में विफल रहता है, निर्धारित प्राधिकारी को अपनी आधार संख्या की बाद की सूचना के समय, शुल्क के रूप में, ₹ 1000 के बराबर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(11) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन प्रपत्रों और प्रारूपों के संरक्षित और सुरक्षित संचरण की प्रक्रिया के साथ-साथ व्यक्तियों के वर्गों, प्रपत्रों, दिशा-निर्देशों, मानकों और स्वरूपों को विनिर्दिष्ट करेगा।

(12) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) धारा 262(4) के तहत सुधार आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया के साथ प्रपत्रों और प्रारूपों को निर्दिष्ट करेगा।

(13) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (8) के तहत आवेदन के साथ दायर किए गए दस्तावेजों के सत्यापन, उप-नियम (9) में आधार संख्या की सूचना और ऐसे प्रारूप और मानकों में डेटा के सुरक्षित

संकलन और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए प्रक्रिया के साथ प्रारूपों, दिशा-निर्देशों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और उपयुक्त सुरक्षा को विकसित करने और स्थायी खाता संख्या के आवंटन, आधार संख्या की सूचना और स्थायी खाता संख्या जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियां कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। ।

(14) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) निम्नलिखित प्रक्रिया के साथ प्रारूपों, दिशानिर्देशों और मानकों को निर्धारित करेगा: -

(क) उप-नियम (3) के तहत आधार संख्या की सूचना; या

(ख) उप-नियम (4) के तहत आधार संख्या का प्रमाणीकरण; या

(ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना प्राप्त करना,

डेटा के सुरक्षित संकलन और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए और स्थायी खाता संख्या के आवंटन और उसे जारी करने के लिए आधार संख्या को प्रस्तुत करने या सूचित करने या उद्धृत करने या प्रमाणीकरण करने या किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

159. लेनदेन, जिसके लिए स्थायी खाता संख्या को धारा 262(1)(च), 262(10) (ग) और 262(10)(ङ) के प्रयोजनों के लिए उद्धृत या लागू किया जाना है। – (1) प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के मूल्य के लिए स्तंभ 2 में निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा: -

सारणी

क्र.सं.	***लेन-देन की प्रकृति***	***लेन-देन का मूल्य***	***स्तंभ (2) में लेन-देन के संबंध में दस्तावेज़ प्राप्त करने या जारी करने वाला व्यक्ति***
1	**2**	**3**	**4**
1.	किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक को आवेदन करना, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या क्रेडिट कार्ड	ऐसे सभी लेनदेन।	i. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी; या ii. कंपनी के प्रधान अधिकारी; या iii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।

	जारी करने के लिए किसी अन्य कंपनी या संस्था को।		
2.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1क) के तहत पंजीकृत निक्षेपागार, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति में खाता खोलना।	ऐसे सभी लेनदेन।	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1 क) के तहत पंजीकृत निक्षेपागार, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति।
3.	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा जारी किए गए बांडों के अधिग्रहण के लिए भुगतान।	₹50,000 से अधिक की राशि।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी बैंक का।
4.	म्यूचुअल फंड की इकाइयों की खरीद के लिए उसे भुगतान ।	₹50,000 से अधिक की राशि।	ट्रस्टी या कोई अन्य व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो ।
5.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (ज) में परिभाषित प्रतिभूतियों (शेयरों के अलावा) की बिक्री या खरीद के लिए एक संविदा।	प्रति लेनदेन ₹1,00,000 से अधिक की राशि।	i. कंपनी के प्रधान अधिकारी; या ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1) के तहत पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर, शेयर अंतरण एजेंट, किसी निर्गम के लिए बैंकर, एक न्यास विलेख का न्यासी, जारी करने के लिए रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो।

6.	निम्नलिखित में जमा - i.एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या ii. डाकघर।	एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में कुल दस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा	i. एक के प्रबंधक या अधिकारी बैंकिंग कंपनी या सह-ऑपरेटिव बैंक; या ii.पोस्टमास्टर; या iii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
7.	निम्नलिखित से निकासी - i. एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या ii. डाकघर।	एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में कुल दस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी	i. एक के प्रबंधक या अधिकारी बैंकिंग कंपनी या सह-ऑपरेटिव बैंक; या ii. पोस्टमास्टर; या iii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
8.	निम्नलिखित की बिक्री या खरीद - (i) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 2 (28) में परिभाषित मोटर यान या वाहन, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (44) में परिभाषित 'ट्रैक्टर' को छोड़कर, उस अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता होती है; या (ii) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 2 (27) में परिभाषित मोटर साइकिल।	₹5,00,000 से अधिक राशि।	वह व्यक्ति जो मोटर वाहन या मोटर साइकिल बेचता है।

9.	किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनी के शेयरों की बिक्री या खरीद।	प्रति लेनदेन ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि	ऐसे शेयर जारी करने वाली कंपनी का प्रधान अधिकारी
10.	किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र या बंध-पत्र प्राप्त करने के लिए भुगतान।	₹ 50,000 से अधिक की राशि	किसी कंपनी या संस्था का प्रधान अधिकारी जो ऐसे बांड या ऋणपत्र जारी करता हो।
11.	किसी भी अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय या बिक्री या उपहार या संयुक्त विकास समझौता।	बीस लाख रुपये से अधिक की राशि या धारा 78 में निर्दिष्ट स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा बीस लाख रुपये से अधिक की राशि बीस लाख रुपये से अधिक की राशि पर निर्दिष्ट की गई है।	पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के तहत नियुक्त महानिरीक्षक, या उस अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-पंजीयक।
12.	क्रम संख्या 13 में निर्दिष्ट समय-जमा के अलावा एक खाता खोलना और एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (i) एक बैंकिंग कंपनी; या (ii) एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10 का 1949), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)।	ऐसे सभी लेनदेन।	i.बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी; या ii. संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
13.	निम्नलिखित में कोई सावधि जमा -	एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50,000 से	i. बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी; या

	i.एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या ii.एक डाकघर; या iii.कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट एक निधि; या iv. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-Iक के तहत जनता से जमा राशि रखने या स्वीकार करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र है।	अधिक या ₹5,00,000 से अधिक की राशि।	ii. पोस्टमास्टर; या iii. कंपनी के प्रधान अधिकारी; या iv.संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो।
14.	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2(9) में परिभाषित बीमा प्रीमियम का भुगतान।	वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर ₹50,000 से अधिक की राशि।	किसी बीमाकर्ता का प्रबंधक या अधिकारी।
15.	निम्नलिखित को भुगतान i. एक होटल या रेस्तरां; या ii. एक सम्मेलन केंद्र; या iii. एक बैंक्वेट हॉल; या iv. इवेंट मैनेजमेंट में लगे कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय किसी बिल या बिल के प्रति।	₹1,00,000 से अधिक की राशि का नकद भुगतान।	बिल सहित दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति।
16.	किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रम संख्या 1 से 15 में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा किसी अन्य प्रकृति की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि कोई हो।	₹2,00,000 से अधिक की राशि प्रति लेनदेन।	बिल सहित दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति।

(2) उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित लेनदेन के संबंध में -

(क) कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग है, जिसके पास कर के लिए कोई आय प्रभार्य नहीं है, और जो उक्त लेनदेन में से कोई एक लेनदेन करता है, उक्त लेनदेन से संबंधित दस्तावेज में, जैसा भी मामला हो, अपने पिता या माता या अभिभावक की स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है, और जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, क्रम संख्या 11 से 16 में उल्लिखित कोई भी लेनदेन करता है, प्ररूप संख्या 97 में इस तरह के लेनदेन का विवरण देते हुए एक घोषणा करेगा;

(ग) खंड (ii) में उल्लिखित लेनदेन में से, एक विदेशी कंपनी जो आईएफएससी बैंकिंग इकाई में क्रम संख्या 12 या 13 पर लेनदेन करती है, जिसके पास निम्नलिखित नहीं है-

(i) एक स्थायी खाता संख्या; तथा

(ii) भारत में कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय,

प्ररूप संख्या 97 में एक घोषणा करेगा।

(3) धारा 262(1)(च) के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है, और जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, वह निम्नलिखित कर रहा है-

(क) क्रम संख्या 1 से 10 में उल्लिखित कोई भी लेनदेन;

(ख) क्रम संख्या 11 में उल्लिखित लेनदेन, जहां अचल संपत्ति की राशि पैंतालीस लाख रुपये या उससे अधिक है, या पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 में निर्दिष्ट स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार इसका मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से अधिक है,

स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करेगा।

(4) उप-नियम (3) के उपबंध निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होंगे, -

(क) जहां उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (2) के क्रम संख्या 1 से 10 के अनुसार लेनदेन करने वाला व्यक्ति, एक अनिवासी (कंपनी नहीं होने के कारण) या एक विदेशी कंपनी है;

(ख) एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई के साथ लेन-देन किया जाता है; तथा

(ग) ऐसे अनिवासी (कंपनी नहीं होने के कारण) या विदेशी कंपनी के पास भारत में कर के लिए कोई आय नहीं है।

(5) उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जिसने कोई दस्तावेज प्राप्त किया है या जारी किया है, यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सत्यापन के बाद स्थायी खाता संख्या, का उसमें विधिवत और सही ढंग से उल्लेख किया गया है या जैसा भी मामला हो, प्ररूप संख्या 97 में एक घोषणा को पूर्ण विवरण के साथ विधिवत प्रस्तुत किया गया है;

(ख) वैध स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 प्रस्तुत करने का तथ्य, उप-नियम (1) में तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट लेनदेन के लिए बनाए गए अभिलेख में विधिवत उल्लेख किया गया है; तथा

(ग) स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 का विवरण अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत आयकर प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या एजेंसी को प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना में जुड़ा हुआ है और उसका उल्लेख किया गया है।

(ख) वैध स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 प्रस्तुत करने का तथ्य, उप-नियम (1) में सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संव्यवहार के लिए बनाए गए अभिलेख में विधिवत उल्लेख किया गया है; तथा

(ग) स्थायी खाता संख्या या प्ररूप संख्या 97 का विवरण अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन आयकर प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण को प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना में जुड़ा हुआ है और उसका उल्लेख किया गया है।

(6) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों पर लागू नहीं होंगे: -

(क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय; और

(ख) सारणी के क्रम संख्या 1 या 3 या 15 या 16 के सापेक्ष निर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में धारा 2(72) में निर्दिष्ट अनिवासियों।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "आईएफएससी बैंकिंग इकाई" से है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 (1) (ग) के अधीन परिभाषित एक वित्तीय संस्थान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के अधीन अनुमेय गतिविधियों को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति या अनुमति दी गई है; और

(ख) "सावधि जमा" का अर्थ है कोई भी जमा जो एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाया जा सकता है।

(8) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के प्रमाणीकरण की रीति के संबंध में प्रक्रिया के साथ-साथ प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे।

160. नियम 159 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिस समय और रीति से प्ररूप संख्या 97 की विशिष्टियों वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे। - (1) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जिसने नियम 159 में सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में प्ररूप संख्या 97 में कोई घोषणा प्राप्त की है, -

(क) इस उद्देश्य के लिए नामनिर्दिष्ट सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) या आयकर के संयुक्त निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) को घोषणा के विवरण वाले रूप में एक बयान प्रस्तुत करना और एक पावती संख्या प्राप्त करना; और

(ख) प्ररूप संख्या 97 को उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि के लिए संधारित रखेगा जिसमें संव्यवहार किया गया था।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति -

(क) क्रम संख्या 11 या 12 या 13 या 14 होंगे,; और

(ख) क्रम संख्या 15 या 16 और जिसे अधिनियम की धारा 58 के अधीन अपने खातों की लेखा परीक्षा करना आवश्यक है,

नियम 159 में सारणी के स्तंभ 4 ।

(3) उप-नियम (1) (i) में निर्दिष्ट कथन, -

(क) जहां घोषणाएं 30 सितंबर तक प्राप्त होती हैं, उस वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएं; और

(ख) जहां घोषणाएं 31 मार्च तक प्राप्त होती हैं, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें प्ररूप प्राप्त होता है।

(4) उप-नियम (1) (i) में निर्दिष्ट कथन सत्यापित किया जाएगा-

(क) ऐसी दशा में जहां विवरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(11) में परिभाषित एक निर्धारिती है, अधिनियम की धारा 265 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा;

(ख) किसी अन्य दशा में, नियम 159 में सारणी के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा।

161. धारा 262(9)(क) के प्रयोजनों के लिए संव्यवहार। - (1) धारा 262 (9) (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट संव्यवहार में प्रवेश करते समय, इस तरह के संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या उद्धृत करेगा, और उक्त सारणी के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो इस तरह के दस्तावेज प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त संख्या विधिवत उद्धृत और प्रमाणित की गई है:

सारणी

क्रम सं.	*संव्यवहार की प्रकृति*	*व्यक्ति*
1	2	3
1.	किसी व्यक्ति के निम्नलिखित में एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा या जमाराशि, - (*i*) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (*ii*) डाकघर	(*i*) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (*ii*) पोस्ट मास्टर जनरल जैसा कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 (ञ) में उल्लिखित है (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था) डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) के अधीन बनाया गया डाकघर अधिनियम, 2024 में यथानिर्दिष्ट अन्य प्रमुख ।
2.	एक वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी या किसी व्यक्ति के एक या अधिक खाते में निकासी - (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) डाकघर	(*ii*) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii)भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 (ञ) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था)। डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) के अधीन बनाया गया डाकघर नियम, 2024 में यथानिर्दिष्ट अन्य क्षेत्रीय प्रमुख।

3.	किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद ऋण खाता खोलना, - (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii) डाकघर	(i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); (ii)भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 (ञ) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था)।

(2) उपनियम (1) के उपबंध ऐसे दशा में लागू नहीं होंगे जहां सारणी के स्तंभ 2 में संभाव्यता करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय है।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होंगे, -

(क) जहां व्यक्ति, सारणी के स्तंभ (2) के क्रम संख्या 1 से 3 के अनुसार संव्यवहार करने वाला व्यक्ति एक अनिवासी (कंपनी नहीं होने के कारण) या एक विदेशी कंपनी है;

(ख) संव्यवहार एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई कारण) या विदेशी कंपनी के पास भारत में कर योग्य कोई आय नहीं है।

(4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, "आईएफएससी बैंकिंग इकाई" का अर्थ यह देगा जो नियम 159 (7) (क) में इसे समनुदेशित है।

(5) किसी व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या धारा 262 में निर्दिष्ट प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली), या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) स्थायी खाता संख्या के प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया के साथ-साथ प्रारूप और मानक विनिर्धारित करेंगे।

162. जब पैन धारा 262(6) के अधीन निष्क्रिय हो जाता है। - (1) यदि कोई व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित की गई थी और धारा 262 (6) के अधीन अपनी आधार संख्या को सूचित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा, तो उसका स्थायी खाता संख्या निष्क्रिय होने के कारण, वह नियम 158 के अनुसार फीस के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने धारा 262(6) के अधीन अपनी आधार संख्या को सूचित किया है, नियम 158 के अनुसार फीस के भुगतान के बाद, उसका स्थायी खाता संख्या आधार संख्या की सूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्रिय हो जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसकी स्थायी खाता संख्या उप-नियम (1) के अधीन निष्क्रिय हो गई है, इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होने की तारीख तक के लिए निम्नलिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा: -

(क) अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर की किसी रकम या उसके भाग की वापसी नहीं की जाएगी;

(ख) इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए इस तरह के प्रतिदाय पर ब्याज देय नहीं होगा जिस तारीख को यह लागू हो जाता है;

(ग) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय 19-ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य या संग्रहणीय है, यथास्थिति ऐसे कर में कटौती की जाएगी या एकत्र किया जाएगा।

(4) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उप-नियम (1) और (2) के अधीन स्थायी खाता संख्या की परिचालन स्थिति को सत्यापित करने की प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानक निर्दिष्ट करेंगे।

163. धारा 263(1)(क)(x) में निर्दिष्ट कंपनी या फर्म के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की शर्तें/ – (1) धारा 263(1)(क)(x) में निर्दिष्ट कंपनी या फर्म से भिन्न **किसी व्यक्ति** के संबंध में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए कर वर्ष में पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क) अगर उसने किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में एक या अधिक चालू खाता में एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम या कुल रकम जमा की है; या

(ख) अगर उसने खुद या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹ 200000 से अधिक की रकम या कुल रकम खर्च की है; या

(ग) यदि उसने बिजली की खपत के लिए ₹ 100000 से अधिक की राशि या कुल रकम का व्यय किया है; या

(घ) यदि व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, साठ लाख रुपये से अधिक है; या

(ङ) यदि पेशे में उसकी कुल सकल प्राप्तियां दस लाख रुपये से अधिक हैं; या

(च) यदि स्रोत पर कटौती की गई कर और स्रोत पर एकत्र किए गए कर का योग, ऐसे व्यक्ति के मामले में ₹25000 या उससे अधिक है, और साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत निवासी के मामले में, रकम ₹50000 या उससे अधिक के रूप में ली जाएगी; या

(छ) यदि उसने अपने एक या अधिक बचत बैंक खाते में कुल मिलाकर पचास लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "किसी दूसरे देश की यात्रा" में पड़ोसी देशों या ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा शामिल नहीं है, जैसा कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

164. आय की विवरणी के संबंध में प्ररूप, पात्रता, सत्यापन आदि। - (1) 1 अप्रैल, 2026 से आरंभ होने वाले कर वर्ष से संबंधित धारा 263(1) या धारा 268(1)(क) या धारा 280 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी इस नियम के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयकर विवरणी प्ररूप सहज (आईटीआर-1) में होगी और उसमें दर्शाए गए रीति से सत्यापित की जाएगी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य निवासी न होने के अतिरिक्त निवासी है और जहां कुल आय में आयकर के लिए देय आय शामिल है, तो शीर्ष के अधीन -

(क) धारा 93(1)(घ) में परिभाषित पारिवारिक पेंशन के स्वरूप में वेतन या आय; या

(ख) "हाउस प्रॉपर्टी से आय", जहां निर्धारित के पास दो से ज़्यादा गृह संपत्ति नहीं हैं और शीर्ष के अधीन कोई भी आगे लायी गयी हानि या आगे ले जाने वाली हानि नहीं है; या

(ग) "दूसरे स्रोत से आय", लॉटरी से जीती हुई रकम या रेस के घोड़ों से हुई आय को छोड़कर, और इस शीर्ष के अधीन कोई नुकसान नहीं है; या

(घ) "पूंजीगत लाभ", जहां मूल्यांकनकर्ता के पास धारा 198 के अधीन केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है जो ₹ 125000 से अधिक नहीं है और शीर्ष के अधीन कोई अग्रिम हानि या आगे ले जाने वाली हानि नहीं है।

(3) कोई व्यक्ति आईटीआर-1 फाइल करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह -

(क) भारत के बाहर स्थित संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) है; या

(ख) भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है; या

(ग) भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है; या

(घ) धारा 10 के उपबंधों के अनुसार आय को विभाजित किया जाना है; या

(ङ) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावा की गई कटौती के अतिरिक्त, धारा 93 के अधीन कटौती का दावा किया है; या

(च) किसी भी कंपनी में निदेशक है; या

(छ) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखा है; या

(ज) आय के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए निर्धारण योग्य है जिस पर कर निर्धारिती के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में स्रोत पर कटौती की गई है; या

(झ) धारा 159 के अधीन कर की किसी भी राहत या धारा 160 के अधीन त कर की कटौती का दावा किया है; या

(ञ) कृषि आय ₹ 5000 से अधिक है; या

(ट) कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है; या

(ठ) एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मामले में धारा 393 (3) के अधीन कर काटा गया है [सारणी: क्रम संख्या 5]; या

(ड) क्या वह व्यक्ति है जिसके मामले में धारा 391(2) या धारा 392(3) [सारणी क्रम संख्या 5] के अधीन कर कटौती की गयी है; या

(ढ़) अधिनियम के अध्याय 13 के भाग क के उपबंधों के अनुसार उस प्रकृति की कोई आय है जिस पर कर विनिर्धारित किया जा सकता है।

(4) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो व्यक्ति नहीं है जिस पर उप-नियम (2) लागू होता है या एक हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां कुल आय में कारबार या वृत्ति के शीर्षक के अधीन आय शामिल नहीं है, आयकर विवरणी प्ररूप संख्या आई.टी.आर.-2 में होगी और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी;

(5) उप नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयकर विवरणी सुगम (आई.टी.आर.-4) प्ररूप में होगी और उसमें दर्शाई गई तरीके से सत्यापित की जाएगी, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, जो सामान्यतया निवासी नहीं है, निवासी है, या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न एक फर्म है, जो निवासी है,-

(क) "व्यवसाय या पेशा से लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय प्राप्त होना और ऐसी आय की संगणना धारा 58 में बताए गए खास नियमों के अनुसार किया जाता है; और

(ख) यदि कोई हो तो, “पूंजीगत लाभ” जहां करदाता के पास धारा 198 के अधीन केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है जो ₹ 125000 से अधिक नहीं है।

(6) कोई व्यक्ति आईटीआर-4 फाइल करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह -

(क) भारत के बाहर स्थित आस्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) है; या

(ख) भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है; या

(ग) भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है; या

(घ) धारा 10 के उपबंधों के अनुसार आय को विभाजित किया जाना है; या

(ङ) धारा 93 (1)(घ) के अधीन दावा की गई कटौती के अतिरिक्त धारा 93 के अधीन कटौती का दावा किया है; या

(च) किसी भी कंपनी में निदेशक है; या

(छ) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखा है; या

(ज) कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है; या

(झ) दो से अधिक घर की संपत्तियों का मालिक है, जिसकी आय "घर की संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है; या

(ञ) क्या आय के किसी भी शीर्ष के अधीन अग्रनीत करने के लिए कोई नुकसान या हानि हुई है; या

(ट) आय के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए निर्धारण योग्य है जिस पर कर निर्धारिती के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में स्रोत पर कटौती की गई है; या

(ठ) धारा 159 के अधीन कर की किसी भी राहत या उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन कर की कटौती का दावा किया है; या

(ड) कृषि आय ₹ 5000 से अधिक है; या

xiv. धारा 17(1)(घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है जिस पर धारा 391(2) या धारा 392(3) के अधीन कर देय या कटौती योग्य है; या

xv. अधिनियम के अध्याय 13 के भाग क के उपबंधों के अनुसार इस प्रकृति की कोई आय है जिस पर कर निर्धारित किया जा सकता है।

(7) आयकर विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर.-3 में होगी और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी यदि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार उप-नियम (2) या उप-नियम (4) या उप-नियम (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार से भिन्न है और जिसकी आय "कारबार या वृति से लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत है।

(8) आयकर विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर.-5 में होगी और उस व्यक्ति के मामले में, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार या कंपनी या ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उप-नियम (10) लागू होता है, उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।

(9) आयकर विवरणी प्ररूप संख्या आई.टी.आर.-6 में होगी और कंपनी के मामले में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिस पर उप-नियम (10) लागू होता है, उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित की जाएगी;

(10) आयकर विवरणी फार्म संख्या आई.टी.आर.-7 में होगी और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी, यह बात किसी व्यक्ति जिसमें कंपनी भी शामिल है, के मामले में लागू होगी, चाहे वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत हो या नहीं, और जिसे धारा 349 या अनुसूची 8 [सारणी: क्रम संख्या 1. घ(च)] या धारा 263(1)(क)(iv) या धारा 263(1)(क)(v) के अधीन विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है।

(11) आयकर विवरणी के साथ विवरणी के आधार पर देय कर की गणना दिखाने वाला विवरण, या कर का प्रमाण, यदि कोई हो, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह स्रोत पर काटा या एकत्र किया गया है, या अग्रिम कर, या स्व-मूल्यांकन पर कर, यदि कोई हो, जिसके बारे में दावा किया गया है

कि उसका भुगतान कर दिया गया है, या अधिनियम के किसी उपबंधों के अधीन आयकर विवरणी के साथ संलग्न किए जाने वाले किसी खाते या प्ररूप या लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की कोई दस्तावेज या प्रतिलिपि संलग्न नहीं होगी।

(12) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आयकर विवरणी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत की जाएगी: -

सारणी

क्रम संख्या	**व्यक्ति**	**आय की विवरणी प्रस्तुत करने का तरीका**
1	**2**	**3**
1.	कंपनी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर
2	कोई भी व्यक्ति जिसके खातों की धारा 63 के अधीन लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है।	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।
3.	क्रम संख्या 1, 2 और 4 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या (ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-5 में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना।
4.	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति, जो प्ररूप संख्या सहज (आईटीआर-1) या प्ररूप नं. सुगम (आईटीआर-4) में विवरणी प्रस्तुत करता है।	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या

		(ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-5में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना; या (घ) कागज प्ररूप।

(13) उप-नियम (12) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" से तात्पर्य प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना एवं मानकों के अनुसार आयकर विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजनार्थ सृजित कोड अभिप्रेत है।

(14) जहां आयकर विवरणी 1 अप्रैल, 2025 या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष से प्रारंभ होने वाले कर वर्ष से संबंधित है, इसे उस कर वर्ष में लागू उपयुक्त प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

165. उक्त धारा की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 263(6) के अधीन आय की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करना- (1) धारा 263 (6) के अधीन इस तरह की विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी प्ररूप आईटीआर-यूएन में होगी और उसमें बताई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) आईटीआर-यूएन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा उसके स्तंभ 3 में निर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या	**व्यक्ति**	**आय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति**
1	**2**	**3**
1.	कंपनी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर।
2	कोई भी व्यक्ति जिसके खातों की धारा 63 के अधीन लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है।	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।

3.	क्रम संख्या 1 और 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या (ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-V में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" पद का अर्थ है आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट डेटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के उद्देश्य से उत्पन्न कोड।

166. धारा 263(7) के अधीन **विवरणी को दोषपूर्ण विवरणी मानने की** शर्तें।– (1) आयकर विवरणी दोषपूर्ण मानी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक संतुष्ट होती है: -

(क) आय की विवरणी में सभी क्षेत्रों, भागों, अनुसूचियों, विवरणों और स्तंभ, जैसा कि निर्धारिती के मामले में लागू होता है, विधिवत नहीं भरा गया है, जिसमें आय के लागू शीर्षों के अधीन प्रभार्य आय की गणना, सकल कुल आय और कुल आय की गणना शामिल है; या

(ख) लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, लेखा परीक्षा योग्य मामलों में, धारा 63 में उल्लिखित, आय की विवरणी फाइल करने से पहले प्रस्तुत नहीं की गई है; या

(ग) यदि आय की विवरणी धारा 263 (6) के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो धारा 267 के अनुसार कर के भुगतान का विवरण विवरणी में विधिवत नहीं भरा जाता है; या

(घ) विवरणी में दावा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) या वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) का अग्रनीत क्रेडिट नवीनतम विवरणी में मैट या एएमटी के कैरी फॉरवर्ड के अनुसार नहीं है, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती को दी गई अनुमति है।

(2) बोर्ड व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर उप-नियम (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी लागू नहीं होगा या ऐसे संशोधनों के साथ लागू होगा, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

167. धारा 358 के अधीन **संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को अपील का प्ररूप** - (1) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) से अपील प्ररूप संख्या 99 में की जाएगी।

(2) प्ररूप संख्या 99 निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत किया जाएगा: -

(क) एक व्यक्ति के मामले में जो नियम 164 और 180 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, -

(i) यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप प्रस्तुत करके;

(ii) मद (i) के अधीन कवर नहीं किए गए मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप प्रस्तुत करके;

(ख) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती के पास खंड (क) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप प्रस्तुत करके कागजी रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प है।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अपील के प्ररूप, उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती पर लागू होता है।

(4) प्ररूप संख्या 99 के साथ कोई भी दस्तावेज उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उक्त प्ररूप प्रस्तुत किया गया है।

168. धारा 265 के प्रयोजनों के लिए विवरणी के सत्यापन हेतु विहित व्यक्ति [सारणी**: क्रम संख्या 3 और 9]।** - (1) धारा 265 [तालिका: क्रम संख्या 3 और 9] के अधीन विवरणी के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, "कोई अन्य व्यक्ति", एक अंतरिम समाधान पेशेवर, एक समाधान पेशेवर, या एक परिसमापक के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा, जैसा भी मामला हो, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन, 2016 (2016 का 31) और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5 (1) में समनुदेशित किया गया है।

169. धारा 268(1)(ग) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए सत्यापन का प्ररूप। - धारा 268 (1) (ग) के अधीन एक व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति को जो सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है, उसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित किया जाएगा: -

"मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सूचना और विश्वास के अनुसार, कथन/कथनों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और उसमें दिखाए गए अन्य विवरण सही बताए गए हैं।

170. उक्त की उपधारा (1) के अधीन **नोटिस जारी करने के लिए धारा 268 (3) के** अधीन **विहित आयकर प्राधिकारी:**- धारा 268 (3) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी, उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए, एक आयकर प्राधिकारी होगा जो आयकर अधिकारी के पद से नीचे नहीं होगा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा धारा 268 (3) के प्रयोजनों के लिए इस तरह के प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

171. धारा 268(5) के अधीन **लेखा परीक्षा या इन्वेंट्री मूल्यांकन की रिपोर्ट के लिए प्ररूप.-** (1) एक निर्धारिती के खातों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, जो धारा 268 (5) (i) के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 100 में प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) एक निर्धारिती के इन्वेंट्री मूल्यांकन की रिपोर्ट, जिसे धारा 268 (5) (ii) के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 101 में होगी।

172. लेखापरीक्षा या इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए व्यय विनिर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाविधि।

(1) आयकर का प्रत्येक मुख्य आयुक्त, 268(5)(i) और धारा 268(5)(ii) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित का एक पैनल बनाए रखेगा-

(क) धारा 515 (3) (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से लेखाकार; और

(ख) धारा 268(13) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से लागत लेखाकार।

(2) जहां कर मूल्यांकन अधिकारी निर्देश देता है-

(क) धारा 268 (5) (i) के अधीन लेखा परीक्षा के लिए; या

(ख) धारा 268 (5) (ii) के अधीन इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए,

लेखापरीक्षा या इन्वेंट्री मूल्यांकन के अनुषांगिक व्यय(लेखाकार या लागत लेखाकार, योग्य सहायकों, अर्ध-योग्य और अन्य सहायकों के पारिश्रमिक सहित, जिन्हें ऐसे लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा काम पर लगाए जा सकते हैं), धारा 268 (8) या (9) या (10) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के प्रत्येक घंटे के लिए 3,750₹ से न्यून और 7,500₹ (दोनों समावेशी), जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि, रिपोर्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) धारा 268 (5) (i) या (ii) में निर्दिष्ट लेखाकार या लागत लेखाकार, एक समय-पत्रक बनाए रखेगा और इसे बिल के साथ आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(5) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि बिलिंग उद्देश्यों के लिए दावा किए गए घंटों की संख्या लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आकार और गुणवत्ता के अनुरूप है।

173. धारा 269 के साथ पठित धारा 2(110) के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र: - (1) धारा 269 के साथ पठित धारा 2(110) के प्रयोजनों के लिए, -

(क) क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों के भीतर कार्य करेंगे जिन्हें बोर्ड निर्देशित कर सकता है, जिला मूल्यांकन अधिकारियों, मूल्यांकन अधिकारियों और सहायक मूल्यांकन अधिकारियों के काम पर सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करेगा;

(ख) जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी और सहायक मूल्यांकन अधिकारी ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और अस्तियों, संपत्तियों या निवेशों के ऐसे वर्ग के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि बोर्ड निदेश करे; तथा

(ग) उप-नियम (5) और (6) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां उप-नियम (1) (ख) के अधीन जारी किए गए किसी भी निर्देश के अधीन, किसी भी क्षेत्र के संबंध में संपत्ति के किसी भी वर्ग, भवन या भूमि या भवनों या भूमि में कोई अधिकार होने के संबंध में एक मूल्यांकन अधिकारी के कार्य एक जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी और एक सहायक मूल्यांकन अधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं। इस तरह के कार्य नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मूल्य वाली आस्तियों या संपत्तियों या निवेश का, स्तंभ ख में उल्लिखित संबंधित अधिकारी द्वारा किए जाएंगे :

सारणी

क्रम संख्या	**अधिकारी जो मूल्यांकन करेगा**	**आस्ति का मूल्य**
A	**ख**	**ग**
1	जिला मूल्यांकन अधिकारी	पांच करोड़ रुपये से ज्यादा
2	मूल्यांकन अधिकारी	एक करोड़ रुपये से अधिक और पांच करोड़ रुपये तक
3	सहायक मूल्यांकन अधिकारी	एक करोड़ रुपये तक

(2) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी आस्ति का मूल्य, जहां धारा 78 (2) के अधीन एक संदर्भ किया जाता है, पूंजीगत संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य होगा।

(3) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपत्ति का मूल्य, जहां धारा 91 (1) के अधीन एक संदर्भ किया जाता है, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया मूल्य होगा।

(4) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी आस्ति का मूल्य होगा -

(क) किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी में घोषित नवीनतम मूल्य; और

(ख) जहां किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी के अनुसार कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिला मूल्यांकन अधिकारियों, मूल्यांकन अधिकारियों और सहायक मूल्यांकन अधिकारियों के कार्य, जैसा भी मामला हो, जिला मूल्यांकन अधिकारियों के निर्देश के अनुसार किए जाएंगे।

(5) सारणी [क्रम संख्या 1] में निर्दिष्ट जिला मूल्यांकन अधिकारी, जिसके पास क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है, यदि वह मूल्यांकन के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो स्वयं सारणी [क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे कार्य कर सकता है।

(6) क्षेत्र का क्षेत्राधिकार रखने वाला मूल्यांकन अधिकारी, यदि वह मूल्यांकन के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो स्वयं सारणी [क्रम संख्या 3] में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे कार्य कर सकता है।

(7) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए, उसमें उल्लिखित आस्तियों, संपत्तियों या निवेशों का मूल्य समग्र रूप से आस्ति के संबंध में होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में हो।

174. धारा 269(3) के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों आदि द्वारा निरीक्षण के लिए दिन और समय. - (1) धारा 269(3) के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन पर, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच किसी भी समय, मूल्यांकन अधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई इंजीनियर, या ओवरसियर, या सर्वेक्षक, या मूल्यांकनकर्ता, इस संबंध में लिखित रूप में आदेश द्वारा, -

(क) मूल्यांकन अधिकारी को सौंपे गए क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी भी भूमि को प्रविष्ट कर सकता है; या

(ख) किसी भी व्यक्ति से संबंधित या उसके कब्जे वाली किसी भी भूमि, भवन या अन्य स्थान को प्रविष्ट कर सकता है, जिसके मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया गया है; या

(ग) किसी भी संपत्ति का निरीक्षण करना जिसके संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया गया है।

(2) "सार्वजनिक अवकाश" की अभिव्यक्ति में रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित कोई अन्य दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

175. धारा 270(8) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी.- धारा 270 (8) के अधीन विहित प्राधिकारी एक आयकर अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे धारा 270 (8) के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है।

176. धारा 273(1) के अधीन फेसलेस मूल्यांकन,पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के लिए प्रक्रियाविधि. -

(1) धारा 270(10) या धारा 271 या धारा 279 के अधीन मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना, जैसा भी मामला हो, धारा 273(2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, इस नियम में प्रक्रिया के अनुसार, फेसलेस रीति से किया जाएगा।

(2) फेसलेस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी: -

(क) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र धारा 273 के अधीन फेसलेस मूल्यांकन के लिए चुने गए मामले को एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक विशिष्ट मूल्यांकन इकाई को सौंपेगा;

(ख) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र निर्धारिती को सूचित करेगा कि उसके मामले में मूल्यांकन इस नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा;

(ग) धारा 270 (8) या धारा 268 (1) के अधीन एक नोटिस राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से निर्धारिती पर दिया जाएगा, निर्धारिती को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को निर्दिष्ट तारीख के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जो मूल्यांकन इकाई को इस तरह की प्रतिक्रिया अग्रेषित करेगा;

(घ) जहां कोई मामला उप-नियम (2)(क) के अधीन मूल्यांकन इकाई को समनुदेशित है, वह निम्नलिखित हेतु राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से अनुरोध कर सकता है-

(i) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अधिक सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने; या

(ii) सत्यापन इकाई द्वारा जांच या सत्यापन करने; या

(iii) सन्निकट मूल्य, संपत्ति के मूल्यांकन, पंजीकरण को वापस लेने, अनुमोदन, छूट या किसी अन्य तकनीकी मामले के निर्धारण के संबंध में तकनीकी इकाई को संदर्भित करके तकनीकी सहायता प्राप्त करने;

(ङ) जहां उप-नियम (2) (घ) (i) के अधीन एक अनुरोध किया जाता है-

(i) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र कर निर्धारण इकाई द्वारा अपेक्षित सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को उचित नोटिस या मांग करेगा;

(ii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर, या ऐसे समय के भीतर जो इस संबंध में किए गए आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को अपना जवाब फाइल करेगा; और

(iii) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र इस तरह के उत्तर को मूल्यांकन इकाई को भेजेगा;

(च) जहां उप-नियम (2)(घ)(ii) या (iii) के अधीन एक अनुरोध किया जाता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र, एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, अनुरोध को निम्नलिखित को सौंपेगा -

(i) जांच या सत्यापन करने के लिए एक सत्यापन इकाई; तथा

(ii) तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए एक तकनीकी इकाई;

(छ) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से प्राप्त रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, उस मूल्यांकन इकाई को भेजेगा जिससे उप-नियम (2) (च) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ था;

(ज) जहां निर्धारिती उप-नियम (2) (ङ) या धारा 268 (1) या धारा 270 (8) के अधीन जारी नोटिस के अधीन दिए गए नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र मूल्यांकन इकाई को ऐसी विफलता की सूचना देगा;

(i) मूल्यांकन इकाई, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से, धारा 271 के अधीन उप-नियम (2) (ज) में निर्दिष्ट निर्धारिती को एक नोटिस देगी, जो कारण बताओ का अवसर प्रदान करेगी कि मूल्यांकन को अपने सर्वोत्तम निर्णय तक पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ञ) निर्धारिती उप-नियम (2)(i) के अधीन दिए गए नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को प्रस्तुत करेगा, जो इसे मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा;

(ट) जहां निर्धारिती निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर उप-नियम (2) (i) के अधीन दिए गए नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र मूल्यांकन इकाई को ऐसी विफलता की सूचना देगा;

(ठ) मूल्यांकन इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के बाद, तैयार करेगी-

(i) एक आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव जहां निर्धारिती के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है और इसकी एक प्रति राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजना; या

(ii) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती की आय में किए जाने वाले प्रस्तावित निर्धारिती के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण भिन्नताओं को दर्शाते हुए एक कारण बताओ नोटिस और उसे यह प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से निर्धारिती को इस तरह का नोटिस दिया जाना चाहिए;

(ड) निर्धारिती उप-नियम (2) (ठ) (ii) में निर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को अपना जवाब फाइल करेगा, जो इसे मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा;

(ढ़) जहां निर्धारिती निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर जवाब दाखिल करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, नेशनल फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र ऐसी विफलता के बारे में मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा;

(ण) कर निर्धारण इकाई, उप-नियम (2)(ड) के अधीन प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद या उप-नियम (2)(ढ़) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद, जैसा भी मामला हो, और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखते हुए, आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजेगी;

(त) उप-नियम (2) (ठ) (झ) या (2) (ण) में निर्दिष्ट आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र, बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, -

(i) ऐसे प्रस्ताव के अनुसार मसौदा आदेश तैयार करने के लिए मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा; या

(ii) एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा इकाई को प्रस्ताव सौंपेगा;

(थ) समीक्षा इकाई उप-नियम (2) (त) (ii) के अधीन राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र द्वारा सौंपे गए आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और

एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजा जाएगा;

(द) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र उप-नियम (2)(थ) में निर्दिष्ट समीक्षा रिपोर्ट को मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा, जिसने आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव का प्रस्ताव किया था ;

(ध) मूल्यांकन इकाई, ऐसी समीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उसमें प्रस्तावित कुछ या सभी संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करेगी, और ऐसे संशोधनों की अस्वीकृति के मामले में कारणों को फाइल करने के बाद, एक प्रारुप आदेश तैयार करेगी और इसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(न) मूल्यांकन इकाई उप-नियम (2) (त) (i) या उप-नियम (2) (ध) के अधीन तैयार किए गए प्रारुप आदेश को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(प) एक पात्र निर्धारिती के मामले में, जैसा कि धारा 275 (1) में उल्लिखित है, जहां उसके हित के लिए प्रतिकूल कोई बदलाव प्रस्तावित है, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र निर्धारिती को प्रारुप आदेश देगा;

(फ) उप-नियम (2)(प) में निर्दिष्ट के अतिरिक्त किसी भी मामले में, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र प्रारुप आदेश के अनुसार अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा;

(ब) मूल्यांकन इकाई अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगी और दंड कार्यवाहियों, यदि कोई हो, शुरू करेगी और उसे राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(भ) उप-नियम (2) (ब) के अनुसार अंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र इस तरह के आदेश की एक प्रति और निर्धारिती पर दंड की कार्यवाहियों, यदि कोई हो, को शुरू करने के लिए नोटिस देगा, मांग नोटिस के साथ, इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि को निर्दिष्ट करेगा, या किसी भी राशि की वापसी करेगा;

(म) जहां उप-नियम (2)(प) के अनुसार एक प्रारुप आदेश दिया जाता है, निर्धारिती निम्नलिखित करेगा-

(i) परिवर्तनों की स्वीकृति को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को दाखिल करेगा; या

(ii) धारा 275(2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विवाद समाधान पैनल और राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के समक्ष भिन्नताओं पर अपनी आपत्तियां फाइल करेगा;

(य) स्वीकृति प्राप्त होने पर या पात्र निर्धारिती से धारा 275 (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अनापत्ति फाइल किए जाने पर, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र प्रारुप आदेश के आधार पर मूल्यांकन पूरा करने के लिए मूल्यांकन इकाई को सूचित करेगा;

(कक) मूल्यांकन इकाई, उप-नियम (2)(य) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, धारा 275(4) में उल्लिखित समय अवधि के भीतर प्रारुप आदेश के अनुसार मूल्यांकन आदेश पारित करेगी और दंड की कार्यवाही, यदि कोई हो, शुरू करेगी और आदेश को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को भेजेगी;

(कख) जहां उप-नियम (2) (म) (ii) के अधीन विवाद समाधान पैनल में आक्षेप फाइल की जाती हैं, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र आक्षेप की एक प्रति के साथ ऐसी सूचना मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करेगा;

(कग) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र, उप-नियम (2) (कख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 275(5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्राप्त होने पर, मूल्यांकन इकाई को ऐसे निर्देश अग्रेषित करेगा;

(कघ) मूल्यांकन इकाई, धारा 275(5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, धारा 275(13) में अनुमत समय के भीतर मूल्यांकन पूरा करेगी और दंड की कार्यवाहियों, यदि कोई हो, आरंभ करेगी और मूल्यांकन आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र को भेजेगी;

(कड.) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र, उप-नियम (2) (कक) या (कघ) में निर्दिष्ट मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, इस तरह के आकलन के आधार पर निर्धारिती को, इस तरह के आदेश की एक प्रति और दंड की कार्यवाही आरंभ करने के लिए नोटिस, यदि कोई हो, मांग नोटिस के साथ, उसके द्वारा देय राशि, या उसे देय धनवापसी की राशि को निर्दिष्ट करेगा, ;

(कच) मूल्यांकन पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र वाले मूल्यांकन अधिकारी को हस्तांतरित करेगा;

(कछ) यदि, इसके समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, कर निर्धारण इकाई खातों की प्रकृति और जटिलता, खातों की मात्रा, खातों की शुद्धता के बारे में संदेह, खातों में कारबार की बहुलता या निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति, और राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, यह लिखित रूप में अपने कारणों को अधिलिखित करने पर, मामले को राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र को संदर्भित कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि धारा 268(5) के उपबंधों को लागू किया जा सकता है; तथा

(कज) इस धारा के अधीन सत्यापन इकाई का कार्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किसी अन्य फेसलेस केंद्र में स्थित सत्यापन इकाई द्वारा या अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किसी योजना के अधीन भी किया जा सकता है, और सत्यापन के लिए अनुरोध राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से ऐसी सत्यापन इकाई को भी सौंपा जा सकता है।

(3) फेसलेस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के प्रयोजनों के लिए-

(क) एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित किया जाएगा-

(i) इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र द्वारा; या

(ii) मूल्यांकन इकाई या सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या समीक्षा इकाई, जैसा भी मामला हो, डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर; या

(iii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, अपना डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन, या निर्दिष्ट पोर्टल में अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके;

(ख) प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्राप्तकर्ता को निर्धारिती होने के नाते वितरित किया जाएगा -

(i) निर्धारिती के पंजीकृत खाते में उसकी एक प्रमाणित प्रति रखकर; या

(ii) निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ई-मेल पते पर उसकी एक प्रमाणित प्रति भेजकर; या

(iii) निर्धारिती के मोबाइल ऐप पर एक प्रमाणित प्रति अपलोड कर,

और उसके बाद वास्तविक समय चेतावनी देगा;

(ग) प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा, जो कोई अन्य व्यक्ति होने के नाते, उसके पंजीकृत ईमेल पते पर एक प्रमाणित प्रति भेजकर वास्तविक समय चेतावनी के बाद होगा;

(घ) निर्धारिती अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अपनी प्रतिक्रिया फाइल करेगा, और प्रतिक्रिया को प्रमाणित माना जाएगा जब राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र द्वारा एक पावती भेजी जाती है, जिसमें प्रतिक्रिया के सफल प्रस्तुतीकरण पर परिणाम उत्पन्न होता है;

(ङ) इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा;

(च) धारा 273 के अधीन स्थापित किसी इकाई के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कोई व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी;

(छ) ऐसे मामले में जहां आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव या प्रारुप आदेश में भिन्नता का प्रस्ताव किया गया है, और निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस देकर एक अवसर प्रदान किया जाता है कि इस तरह की आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव के अनुसार मूल्यांकन क्यों पूरा नहीं किया जाना चाहिए, निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है ताकि वह अपने मौखिक प्रस्तुतियाँ कर सके या संबंधित इकाई के आयकर प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सके;

(ज) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, संबंधित इकाई का आयकर प्राधिकरण राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई की अनुमति देगा, जो विशेष रूप से वीडियो कॉफ्रेंसिंग या वीडियो दूरभाष के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें किसी भी दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(झ) धारा 273(8) के अधीन, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति (धारा 253 के अधीन सर्वेक्षण के दौरान फाइल किए गए बयान के अतिरिक्त के बयान की कोई भी जांच या रिकॉर्डिंग संबंधित इकाई में एक आयकर प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी, विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के माध्यम से, जिसमें किसी भी दूरसंचार एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का

उपयोग शामिल है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है, जहां तक बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, ;

(ञ) बोर्ड दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करेगा जो ऐसे स्थानों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन का समर्थन करता है जो आवश्यक हो सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, या किसी अन्य व्यक्ति को केवल इस विचार पर फेसलेस मूल्यांकन के लाभ से वंचित न किया जाए कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, या किसी अन्य व्यक्ति के पास अपनी ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ट) यथास्थिति प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र के प्रभारी, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केन्द्र और स्थापित इकाइयों के प्रभावी कार्यकरण के लिए स्वचालित और यंत्रीकृत वातावरण में मानकों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेंगे।

(4) धारा 273 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में इसे समनुदेशित है;

(ख) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 515 (3) (क) में यथा समनुदेशित होगा;

(ग) स्वचालित आबंटन प्रणाली से संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उपयोग करके मामलों के यादृच्छिक आवंटन के लिए एक एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है;

(घ) "कंप्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ट) में समनुदेशित है;

(ङ) "कंप्यूटर सिस्टम" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) में समनुदेशित है;

(च) "निर्धारिती के कंप्यूटर संसाधन" में आयकर विभाग के नामनिर्दिष्ट पोर्टल में निर्धारिती का पंजीकृत खाता, निर्धारिती के पंजीकृत मोबाइल संख्या से जुड़ा मोबाइल ऐप, या निर्धारिती का उसके ईमेल सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत ईमेल पता शामिल होगा;

(छ) "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (त) में समनुदेशित है;

(ज) "विवाद समाधान पैनल" वही अर्थ होगा जो 275(17)(क) में यथा समनुदेशित है;

(i) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (न) में यथा समनुदेशित है;

(ञ) "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" से यथास्थिति प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, द्वारा विनिदष्ट डेटा संरचना और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित एक कोड अभिप्रेत है;

(ट) "पात्र निर्धारिती" का वही अर्थ होगा जो धारा 275(17)(ख) में यथा समनुदेशित है;

(ठ) "ईमेल" या "इलेक्ट्रॉनिक मेल" और "इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश" का अर्थ है एक संदेश या सूचना जो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण पर बनाया या प्रेषित या प्राप्त किया गया है, जिसमें पाठ, छवि, ऑडियो, वीडियो और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अनुलग्नक शामिल हैं, जो संदेश के साथ प्रसारित किया जा सकता है; अभिप्रेत है

(ड) "हैश फ़ंक्शन" और "हैश परिणाम" का का वही अर्थ होगा जो क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण में समनुदेशित किया है;

(ढ) "मोबाइल ऐप" से मोबाइल उपकरणों के लिए विकसित आयकर विभाग का अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है जिसे निर्धारिती के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर डाउनलोड और स्थापित किया जाता है;

(ण) "वास्तविक समय अलर्ट" का अर्थ है निर्धारिती को उसके पंजीकृत मोबाइल संख्या पर लघु संदेश सेवा के माध्यम से, या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट के माध्यम से, या उसके पंजीकृत ईमेल पते पर एक ईमेल के माध्यम से भेजा गया कोई भी संचार, ताकि उसे इलेक्ट्रॉनिक संचार के वितरण के बारे में सचेत किया जा सके;

(त) "पंजीकृत ई-मेल पता" का अर्थ है वह ई-मेल पता जिस पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्राप्तकर्ता को वितरित या प्रेषित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं-

(i) यथानिर्दिष्ट नामित पोर्टल में पंजीकृत प्राप्तकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iii) प्राप्तकर्ता से संबंधित स्थायी खाता संख्या डेटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iv) अभिभाषक, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध प्राप्तकर्ता का ई-मेल पता; या

(v) प्रषिती के कंपनी होने के मामले में, कंपनी का ई-मेल पता, जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है; या

(vi) अभिभाषक द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता;

(थ) निर्धारिती के "पंजीकृत मोबाइल संख्या" का अर्थ निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल संख्या है, जो निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल में पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग खाते के उपयोगकर्ता प्रोफाइल में दिखाई देता है; और

(द) "वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन" का अर्थ है वास्तविक समय में लोगों के बीच संचार के लिए विभिन्न स्थानों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑडियो-वीडियो संकेतों के रिसेप्शन और प्रसारण के लिए तकनीकी समाधान।

177. धारा 314 के अधीन व्यापार पुनर्गठन के संबंध में आय की संशोधित विवरणी -

(1) एक कर वर्ष के लिए धारा 314 में यथा निर्दिष्ट एक व्यवसाय पुनर्गठन के लिए एक उत्तराधिकारी इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय का संशोधित विवरण, प्ररूप आईटीआर-क में होगा और उसमें निर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।

(2) आईटीआर-क को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि किसी कर वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही जिस पर व्यवसाय पुनर्गठन का आदेश लागू होता है, पूरी हो गई है या आईटीआर-क प्रस्तुत करने की तारीख को लंबित है, तो मूल्यांकन अधिकारी, व्यवसाय पुनर्गठन और आईटीआर-ए के आदेश के अनुसार, इस तरह के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में निर्धारित प्रासंगिक कर वर्ष की कुल आय को संशोधित करने वाला एक आदेश पारित करेगा, या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, जैसा भी मामला हो।

178. स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट के संबंध में धारा 288(1)[सारणी : क्रम संख्या 11] के अधीन आवेदन .- (1) धारा 288(1) के अधीन निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला अपेक्षित आवेदन प्ररूप संख्या 102 में किया जाएगा.

(2) प्ररूप संख्या 102 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप संख्या 102 में अग्रेषित करेगा।

179. धारा 289 के अधीन मांग नोटिस - (1) धारा 289 के अधीन मांग की सूचना प्ररूप संख्या 103 में होगी, जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन होगी।

(2) धारा 289 के अधीन मांग की सूचना, धारा 407 के अधीन एक आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को दी जानी है, प्ररूप संख्या 151 में होगी।

180. धारा 294(1) के अधीन ब्लॉक मूल्यांकन के संबंध में आय विवरणी - (1) धारा 294 (1) (क) के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी, धारा 247 के अधीन आरंभ की गई किसी भी खोज या धारा 248 के अधीन की गई मांग से संबंधित प्ररूप आईटीआर-बीएन में होगी और उसमें बताई गई रीति सत्यापित की जाएगी।

(2) आईटीआर-बीएन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्तंभ 3 में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा:

क्रम संख्या	व्यक्ति	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति
(1)	(2)	(3)
1.	कंपनी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन।
2.	किसी कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति	(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर; या (ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो नियम 165 में निर्दिष्ट किया गया है।

(4) ऐसे मामले में जहां कर भुगतान के क्रेडिट का दावा ब्लॉक अवधि के लिए स्व-मूल्यांकन कर के माध्यम से अन्य ब्लॉक अवधि की अघोषित आय के प्रति किया जाता है, ऐसे क्रेडिट का दावा और उसकी अनुमति मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सत्यापन और संतुष्टि के अधीन होगी।

(5) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डेटा के सुरक्षित संकलन और प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और उप-नियम (2) में सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रीति से विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

181. गैर-लाभकारी संगठन के पंजीकरण के लिए या धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन के लिए सामान्य आवेदन.- (1) धारा 332 के अधीन पंजीकरण के लिए एक आवेदन या धारा 354 के अधीन अनुमोदन, ऐसे मामलों में जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट किया गया है, उसके स्तंभ घ में निर्दिष्ट प्राधिकारी को, स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा :

सारणी

क्र. सं.	*कारक*	*प्ररूप सं.*	*प्राधिकारी*
क	*ख*	*ग*	*घ*
1.	अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन निम्नवत किया जाता है : (क) धारा 332(3) (सारणी: क्रम संख्या 1); **या** (ख) धारा 354(2) (सारणी: क्रम संख्या 1)	104	आयकर आयुक्त (सीपीसी) होने के नाते आयुक्त।
2.	पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन निम्नानुसार किया जाता है: (क) धारा 332(3) (सारणी: क्रम संख्या 2 से 7); **या** (ख) धारा 354(2) (सारणी: क्रम संख्या 2 से 5)	105	प्रधान आयुक्त या आयुक्त जिसका अधिकार क्षेत्र आवेदक पर हो।

(2) आवेदन के साथ ऐसे आवेदन से संबंधित प्ररूप में निर्दिष्ट दस्तावेज, सूचना और वचनबंध शामिल होंगे।

(3) आवेदन निम्नवत प्रस्तुत किया जाएगा -

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से -

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से, ऐसे मामले में जो उप-खंड (i) के अंतर्गत नहीं आता है; और

(ख) उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया है जो आवेदक पर यथा लागू धारा 265 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(4) प्ररूप संख्या 104 में एक आवेदन प्राप्त होने पर, आयकर आयुक्त (सीपीसी), 16 अंकों की अक्षरांकीय विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यूआरएन) जारी करके और धारा 332 (8) के अधीन पंजीकरण प्रदान करके या धारा 354 (4) के अधीन अनुमोदन प्रदान करके, या दोनों प्ररूप संख्या 106 में लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगा।

(5) प्ररूप 104 को नामंजूर माना जाएगा और आगे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जहां गतिविधियां शुरू हो गई हैं या इसे किसी निर्दिष्ट उपबंध के अधीन पंजीकृत किया गया है।

(6) उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए प्ररूप संख्या 106 और विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यूआरएन) में दिए गए पंजीकरण या अनुमोदन, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा रद्द किया जा सकता है, जैसा कि उप-नियम (1) [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट है, आवेदक को सुनवाई अवसर प्रदान करने के बाद, यदि, किसी भी समय यह देखा जाता है कि प्ररूप संख्या 104, –

(क) में कोई मिथ्या या गलत सूचना है; और

(ख) उप-नियम (3) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

(7) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण या अनुमोदन या यूआरएन रद्द कर दिया जाता है, ऐसे पंजीकरण या अनुमोदन या यूआरएन को कभी भी प्रदान या जारी नहीं किया गया माना जाएगा।

(8) आवेदक उप-नियम (4) के अधीन दिए गए पंजीकरण या अनुमोदन को अभ्यर्पित कर सकता है यदि आवेदक -

(क) ने किसी भी कर वर्ष के लिए आय की अपनी विवरणी में लाभों का दावा नहीं किया है, जिसमें कर वर्ष भी शामिल है जिसमें पंजीकरण या अनुमोदन का ऐसा अभ्यर्पण निम्नलिखित के अधीन किया गया है -

(i) अधिनियम के अध्याय 17 का भाग ख; **या**

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10(23ग)(iv) या (v) या (vi) या (vi‍क), **जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था;** या

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 11 या धारा 12**, जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था**; और

(ख) एक वचनबंध देता है कि खंड (क) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन किसी भी कर वर्ष के लिए आय की विवरणी में लाभ का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

(9) जहां आवेदक उप-नियम (8) के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण या अनुमोदन को अभ्यर्पित करता है, वहां ऐसा पंजीकरण या अनुमोदन कभी नहीं दिया गया माना जाएगा।

(10) प्ररूप संख्या 105 में आवेदन प्राप्त होने पर, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निम्नलिखित में से किसी के लिए प्ररूप संख्या 107 में लिखित रूप में आदेश पारित करेंगे: -

(क) 16 अंकों की अक्षरांकीय विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या (यूआरएन) जारी करना और पंजीकरण या अनुमोदन प्रदान करना; **या**

(ख) आवेदन को अस्वीकार करना; **या**

(ग) आवेदन को अस्वीकार करना और पंजीकरण या अनुमोदन को रद्द करना; **या**

(घ) प्ररूप में उल्लिखित एक धारा कोड के अधीन पंजीकरण या अनुमोदन प्रदान करना और आवेदन में उल्लिखित अन्य धारा कोड के अधीन आवेदन को अस्वीकार करना।

(11) आवेदक को पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन के प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी यदि आवेदन फाइल करने के सात दिनों के भीतर प्रत्याहरण हेतु अनुरोध किया जाता है।

(12) जहां प्ररूप संख्या 107 (यहां पहले के आदेश के रूप में संदर्भित) में एक आदेश आवेदन को अस्वीकार करके या पंजीकरण या अनुमोदन या दोनों को रद्द करके जारी किया गया है, आवेदक उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर प्ररूप संख्या 105 में फिर से आवेदन कर सकता है जिसमें उक्त आदेश पारित किया गया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: –

(क) इस तरह की अस्वीकृति या रद्दीकरण निम्नलिखित के कारण होता है -

(i) धारा 332(7) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा मांगे गए सभी या किसी भी दस्तावेज या सूचना को प्रदान करने में आवेदक की विफलता; **या**

(ii) सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाना; या

(iii) न्यास विलेख में निहित कतिपय शर्तों के कारण आवेदक की अपात्रता;

(ख) आवेदक ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है -

(i) आवश्यक सूचना या दस्तावेज प्रदान करने में विफलता; **या**

(ii) सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाना; या

(iii) न्यास विलेख में निहित कुछ शर्तों के कारण आवेदक की अपात्रता, जिसे पुन: आवेदन की तारीख को या उससे पहले संशोधित किया गया है; और

(ग) आवेदक एक वचनबंध देता है कि वह -

(i) पहले के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है या ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल अपील को वापस ले लिया है; **तथा**

(ii) पहले के आदेश के विरुद्ध किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल नहीं करेगा।

(13) आवेदक को उप-नियम (12) के अधीन पुन: आवेदन करने का केवल एक बार अवसर दिया जाएगा।

(14) उप-नियम (12) के अधीन किया गया पुन: आवेदन, जहां धारा 332(7)(ख) या 354(3)(ख) के अधीन आदेश जारी किया गया था, एक नया आवेदन माना जाएगा और आदेश पारित करने की समय सीमा धारा 332 (3) या 354 (2) के उपबंधों द्वारा शासित होगी, जैसा भी मामला हो, और इस नियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(15) जहां आवेदक नोटिस करता है कि प्ररूप संख्या 105 में आवेदन एक गलत धारा कोड या गतिविधि की गलत प्रकृति प्रस्तुत करके किया गया है जैसा कि उक्त प्ररूप में निर्दिष्ट है, -

(क) आवेदक प्ररूप संख्या 107 में आदेश पारित करने से पहले किसी भी समय प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष सुधार के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है; तथा

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, इस तरह के सुधार की अनुमति दे सकते हैं।

(16) इस नियम में, "निर्दिष्ट उपबंध" का अर्थ धारा **355 (ड)** में यथा समनुदेशित होगा।

182. धारा 335 (ङ) और 344 के अधीन वाणिज्यिक गतिविधियों के लाभ की गणना की रीति.- धारा 335 (ङ) के प्रयोजनों के लिए, धारा 344, 345 और 346 के अधीन अनुमत किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लाभ, एक कर वर्ष के लिए एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किए गए, निम्नलिखित रीति से गणना की जाएगी: -

(क) इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि को ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन से अलग इकाई है;

(ख) ऐसी गतिविधियों के लिए अलग-अलग बही रखी जाती है; और

(ग) कर वर्ष के दौरान इस तरह की वाणिज्यिक गतिविधि से लाभ की गणना अधिनियम के अध्याय 4 के भाग घ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

183. किसी भी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा लागू आय के किसी भी हिस्से की गणना की रीति.- (1) निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 337 [सारणी: क्रम संख्या 2] के प्रयोजनों के लिए, कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किसी भी आय या उसके हिस्से की गणना उप-नियम (2) में प्रदान की गई विधि में की जाएगी : -

(क) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा पर्याप्त सुरक्षा के बिना कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी भी संबंधित व्यक्ति को उधार दिया जाता है, या जारी रहता है; **या**

(ख) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को पर्याप्त ब्याज के बिना उधार दिया जाता है, या जारी रहता है; **या**

(ग) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजे के बिना कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी भी संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है, या जारी है; **या**

(घ) यदि किसी भी राशि का भुगतान कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को वेतन, भत्ते या अन्यथा के माध्यम से किया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा ऐसे पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के संसाधनों में से और इस प्रकार भुगतान की गई राशि ऐसी सेवाओं के लिए यथोचित रूप से भुगतान की जा सकने वाली रकम से अधिक है; **या**

(ङ) यदि किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किसी भी संबंधित व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान पर्याप्त विचार या अन्य मुआवजे के बिना कोई सेवा या सामान या दोनों उपलब्ध कराए जाते हैं; **या**

(च) यदि कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति से पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से क्रय की जाती है जो पर्याप्त से अधिक है; **या**

(छ) यदि कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को प्रतिफल के लिए विक्रय की जाती है जो पर्याप्त से कम है; **या**

(ज) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई आय, जहां आय का कुल योग **₹ 1000** से अधिक है, किसी भी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कर वर्ष के दौरान पथांतर किया जाता है; **या**

(झ) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई संपत्ति, जहां संपत्ति का मूल्य **₹ 1000** से अधिक है, किसी भी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कर वर्ष के दौरान पथांतर किया जाता है; **या**

(ञ) यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कोई भी निधि कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए निवेश किया जाता है (1 जनवरी, 1971 से पहले की अवधि नहीं है), तो किसी भी समुत्थान में जिसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आय संबंधित व्यक्ति को मुफ्त या रियायती दर पर प्रदत्त या प्रदत्त किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए**, अभिव्यक्ति** "संबंधित व्यक्ति" का अर्थ धारा 355 (ज) में इसे यथा समनुदेशित अर्थ होगा।

184. धारा 341(5) के अधीन मानित आवेदन के लिए धारा 341 (7) के अधीन एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा विकल्पों का प्रयोग - (1) किसी भी कर वर्ष के लिए धारा 341 (7) के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किया जाने वाला विकल्प आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 263 (1) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले प्ररूप संख्या 108 में प्रयोग किया जाएगा।

(2) प्ररूप संख्या 108 में विकल्प इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत प्रस्तुत किया जाएगा ।

185. धारा 342 (1) के अधीन पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अपनी नियमित आय के किसी भी हिस्से को जमा करने या अलग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना- (1) धारा 342 (1) के अधीन कर िनर्धारन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 263 (1) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्ररूप संख्या 109 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्ररूप संख्या 109 में विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत प्रस्तुत किया जाएगा ।

186. धारा 342(5) के अधीन आवेदन प्रयोजन के परिवर्तन के लिए जिसके लिए आय संचित या अलग किया गया है- (1) जहां एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन ने धारा 342 (1) के उपबंधों के अनुसार अपनी नियमित आय के किसी भी हिस्से को जमा या अलग कर दिया है, तो वह िनर्धारन अधिकारी से उस उद्देश्य के परिवर्तन के लिए प्ररूप संख्या 110 में िनर्धारन अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध कर सकता है जिसके लिए ऐसी आय संचित या अलग रखी गई है।

(2) प्ररूप संख्या 110 होगा -

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत -

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की वापसी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक है; **या**

(ii) उप-खंड (i) के तहत कवर नहीं किए गए मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से; तथा

(ख) उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया है जो आवेदक पर लागू धारा 265 के तहत आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(3) निर्धारन अधिकारी, उपिनयम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पर और धारा 342(2) के अधीन रहते हुए, पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन को भारत में ऐसे अन्य पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अपनी आय का उपयोजन करना अनुज्ञात करेगा जो प्ररूप सं० 111 में इसके उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

187. एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा रखे और बनाए जाने वाले लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज - (1) प्रत्येक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन जिसे धारा 347 के तहत लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखना अपेक्षित है, निम्नलिखित को संधारित और सुरक्षित रखेगा : -

(क) खाता बहियों, **जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे**: –

(i) रोकड़ बही; **या**

(ii) लेखा बही; **या**

(iii) डायरी; **या**

(iv) बिलों की प्रतियां, चाहे मशीन क्रमांकित हों या अन्यथा क्रमांकित हों, जहां भी निर्धारिती द्वारा ऐसे बिल जारी किए जाते हैं, और निर्धारिती द्वारा जारी की गई मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमिक रूप से क्रमांकित रसीदों की प्रतियां या काउंटर फ़ॉइल; **या**

(v) व्यक्ति को जहां भी मूल बिल जारी किए गए और व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में रसीदें; **या**

(vi) कोई अन्य बही जिसे व्यक्ति के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने और प्रभावित लेनदेन की व्याख्या करने के लिए बनाए रखने की अपेक्षा हो सकती है;

(ख) धारा 344 में निर्दिष्ट व्यावसायिक वचनबंध के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट लेखा बहियां;

(ग) धारा 344 में निर्दिष्ट व्यावसायिक वचनबंध के अलावा निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट लेखा बहियां;

(घ) सुरक्षित रखने वाले अन्य दस्तावेज -

(i) व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं और संस्थानों का अभिलेख जिसमें उनके नाम, पते और उद्देश्यों का विवरण हो;

(ii) कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख -

(I) पूर्त या धार्मिक गतिविधि, जिसके लिए इसे पंजीकृत किया गया है;

(II) ऐसे पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा धारित कोई भी संपत्ति, जमा या निवेश;

(III) प्राप्त स्वैच्छिक योगदान;

(IV) धारा 344, 345 और 346 के तहत अनुमेय कोई भी व्यावसायिक गतिविधि;

(V) विनिर्दिष्ट आय, जैसा कि धारा 337 में निर्दिष्ट है; तथा

(VI) धारा 355 (ञ) में निर्दिष्ट अवशिष्ट आय;

(iii) कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय में से निम्नलिखित का अभिलेख : -

(I) भारत में आय का उपयोजन, जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(II) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की गई या भुगतान की गई राशि, जिसमें उनके नाम, पते, स्थायी खाता संख्या और उस उद्देश्य का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया जाता है;

(III) भारत के बाहर आय का उपयोजन जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(IV) ऐसा समझा गया अनुप्रयोजन का उपयोग करने के लिए कारण के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाली धारा 341(5) में निर्दिष्ट आय का समझा गया उपयोजन;

(V) धारा 342 (1) जिसे लागू नहीं किया गया है या लागू नहीं किया गया माना गया है जिसमें उस उद्देश्य का विवरण है जिसके लिए ऐसी आय जमा की गई है;

(VI) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों में निवेश या जमा किया गया धन; **तथा**

(VII) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन;

(iv) चालू कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के व्यक्ति की आय में से निम्नलिखित का रिकॉर्ड: -

(I) संचित या अलग की गई आय में से आवेदन जिसमें संचय के वर्ष का विवरण शामिल है, ऐसे संचय में से कर वर्ष के दौरान उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(II) संदर्भित आय के मानित उपयोजन से बाहर उपयोजन धारा 341 (5), में उल्लिखित किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के लिए, जिसमें मानित आवेदन के वर्ष का विवरण शामिल है, ऐसे मानित आवेदन में से कर वर्ष के दौरान आवेदन

की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(III) उपयोजन, मद (II) में निर्दिष्ट उपयोजन के अलावा, किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान संचित आय में से जिसमें संचय के वर्ष का विवरण शामिल है, ऐसे संचय में से कर वर्ष के दौरान उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके लिए कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(IV) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों में निवेश या जमा किया गया धन;

(V) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन;

(v) एक विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए दान का अभिलेख कि वे समग्र निधि का हिस्सा बनेंगे, के संबंध में -

(I) कर वर्ष के दौरान प्राप्त दान जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण शामिल है;

(II) मद (I) में निर्दिष्ट ऐसे दानों में से उपयोजन जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा आवेदन किया गया है;

(III) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की गई या संचित राशि के रूप में भुगतान की गई राशि, कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान में से जिसमें उनके नाम, पते, स्थायी खाता संख्या और उस उद्देश्य का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है;

(IV) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों जिसमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त इस तरह के स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है;

(V) धारा 350 में निर्दिष्ट प्रकारों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन जिसमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान का निवेश या जमा किया जाता है;

(VI) इस तरह के दान में से उपयोजन, कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त, जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसके लिए कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(VII) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को निधि के रूप में जमा की गई या भुगतान की गई राशि, किसी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान में से कर वर्ष से पहले का वर्ष, जिसमें उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और उस वस्तु का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया जाता है;

(VIII) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है;

(IX) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों और तरीकों में निवेश या जमा किया गया धन, जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त इस तरह के स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है; **तथा**

(X) निवेश की गई या वापस जमा की गई राशि **एक** दान (जो किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान लागू किया गया था और उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था) जिसमें धारा 350 में संदर्भित रूपों और तरीकों का विवरण शामिल है जिसमें ऐसे स्वैच्छिक योगदान का निवेश या जमा किया जाता है;

(vi) धारा 133 (1) (ख) (VI) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के उद्देश्य से प्राप्त दान का अभिलेख, जो धारा 340 में निर्दिष्ट कोष के रूप में माना जा रहा है, निम्नलिखित के संबंध में, -

(I) कर वर्ष के दौरान प्राप्त दान जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण शामिल है;-

(II) कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त दान, कर वर्ष के दौरान कोष के रूप में माना जाता है, जिसमें दाता का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण होता है;-

(III) मद (I) और (II) में निर्दिष्ट ऐसे दान में से उपयोजन जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई क्रेडिट या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;-

(IV) किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की गई या संचित राशि के रूप में भुगतान की गई राशि, कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे दान में से जिसमें उनके नाम, पते, स्थायी खाता संख्या और उस उद्देश्य का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है;-

(V) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीके जिनमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया जाता है;-

(VI) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन, जिसमें कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया जाता है;-

(VII) कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष में से आवेदन, जिसमें आवेदन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई लेनदार भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(VIII) कॉर्पस के लिए जमा की गई या भुगतान की गई राशि **का** किसी भी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन, किसी भी दौरान प्राप्त इस तरह के दान में से कर वर्ष से पहले का वर्ष, जिसमें उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और उस वस्तु का विवरण शामिल है जिसके लिए ऐसा क्रेडिट या भुगतान किया गया है;

(IX) धारा 350 में निर्दिष्ट प्ररूप और तरीके जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया जाता है; **तथा**

(X) धारा 350 में निर्दिष्ट रूपों और तरीकों के अलावा अन्य रूपों में निवेश या जमा किया गया धन, जिसमें कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे कोष का निवेश या जमा किया गया है;

(vii) ऋण और उधार का अभिलेख, -

(i) ऋण या उधार की राशि और तारीख, राशि और पुनर्भुगतान की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया था, ऋणदाता का पता, ऋणदाता का स्थायी खाता संख्या और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो);

(ii) ऐसे ऋण या उधार से उपयोजन जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई प्रत्यय या भुगतान किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए ऐसा उपयोजन किया गया है;

(III) इस तरह के ऋण या उधार से उपयोजन, कर वर्ष से पहले किसी भी कर वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया, जिसमें उपयोजन की राशि, उस व्यक्ति का नाम और पता शामिल है जिसे कोई प्रत्यय या भुगतान किया गया है; **तथा**

(IV) कर वर्ष के दौरान ऐसे ऋण या उधार (जो किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान लागू किया गया था और उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था) का पुनर्भुगतान;-

(viii) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में धारित संपत्तियों का अभिलेख, : -

(i) अचल संपत्तियों में निम्नलिखित का विवरण है -

(क) संपत्तियों की प्रकृति, संपत्तियों का पता, संपत्ति के अधिग्रहण की लागत, संपत्ति के पंजीकरण दस्तावेज; **तथा**

(ख) ऐसी संपत्तियों का हस्तांतरण, नई पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने में उपयोग किया जाने वाला शुद्ध प्रतिफल; **तथा**

(ii) परिसंपत्ति के अधिग्रहण की प्रकृति और लागत के विवरण सहित चल संपत्तियां;-

(ix) धारा 355 (ज) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्ति का अभिलेख, -

(i) जिसमें उनके नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) का विवरण शामिल है;-

(ii) धारा 355 (ज) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों के साथ पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किए गए लेनदेन, जिसमें ऐसे लेनदेन की तारीख और राशि, लेनदेन की प्रकृति और इस आशय के दस्तावेज शामिल हैं कि ऐसा लेनदेन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है; **तथा**

(x) कोई अन्य दस्तावेज जिसमें कोई अन्य प्रासंगिक सूचना हो।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या डिजिटल रूप में, या विद्युत चुम्बकीय डेटा भंडारण उपकरण के किसी अन्य रूप में संग्रहीत डेटा के प्रिंटआउट के रूप में रखा जा सकेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय में संधारित और सुरक्षित किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी लेखा की बहियों और अन्य दस्तावेजों को भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखा जा सकता है जैसा कि प्रबंधन एक संकल्प के माध्यम से निर्णय ले सकता है और जहां ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन, उसके सात दिनों के भीतर, अधिकारिता वाले निर्धारन अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा, उस अन्य स्थान का पूरा पता देगा और ऐसी सूचना उस व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी जो आय की वापसी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(5) उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रासंगिक कर वर्ष के अंत से छह वर्ष की अवधि के लिए संधारित और सुरक्षित रखा जाएगा।

(6) जहां धारा 279 के अधीन किसी भी कर वर्ष के संबंध में कर निर्धारण धारा 282 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर फिर से खोला गया है, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों जो निर्धारन को फिर से खोलने के समय रखा और बनाए रखा गया था, इस तरह से रखा जाएगा और बनाए रखा जाएगा जब तक कि इस तरह से फिर से खोला गया निर्धारन अंतिम नहीं हो जाता है।

188. धारा 348 के अधीन पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट– धारा 348 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप संख्या 112 में धारा 263(1) के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

189. संचित आय के लिए धारा 352(2) के अधीन परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित बाजार मूल्य की गणना हेतु मूल्य निर्धारण विधि– (1) धारा 352(2) के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल परिसंपत्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य, तुलन पत्र में सभी परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का योग होगा, जिसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा:

(क) भुगतान किया गया कर; और

(ख) परिसंपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई भी रकम , जिसमें आस्थगित व्यय की ऐसी अप्रतिदेय रकम भी शामिल है जो किसी परिसंपत्ति का मूल्य नहीं दर्शाती है।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा: –

(I) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन:

(क) सूचीबद्ध शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित होगा: –

(i) निर्दिष्ट तिथि को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों के न्यूनतम और उच्चतम मूल्य का औसत; या

(ii) यदि निर्दिष्ट तिथि को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का कोई व्यापार नहीं है, तो निर्दिष्ट तिथि से ठीक पहले की किसी तिथि को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों के न्यूनतम और

उच्चतम मूल्य का औसत, जिस तिथि को ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार हुआ था;

(ख) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट तिथि पर, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य होगा:

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य = $\frac{(A+B - L) \times (PV)}{(PE)}$

जहाँ,

A = तुलन पत्र में सभी परिसंपत्तियों का बही मूल्य (बुलियन, आभूषण, जवाहरात, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति को छोड़कर) जिसमें से निम्नलिखित घटाया गया हो:

(i) भुगतान किया गया कर; और

(ii) तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में दर्शाई गई कोई भी रकम , जिसमें आस्थगित व्यय की ऐसी अप्रतिदेय रकम भी शामिल है जो किसी परिसंपत्ति का मूल्य नहीं दर्शाती है;

B = इस नियम में निर्धारित रीति के अनुसार बुलियन, आभूषण, जवाहरात, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य;

L = तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारियों का बही मूल्य, लेकिन निम्नलिखित रकम यों को छोड़कर:–

(i) इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान की गई पूंजी पर देय लाभांश के बकाया के सिवाय आकस्मिक देनदारियां;

(ii) अधिमान्य शेयरों और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम ;

(iii) आरक्षित निधि और अधिशेष, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, भले ही परिणामी रकम ऋणात्मक हो, मूल्यह्रास के लिए अलग रखी गई रकम को छोड़कर;

(iv) भुगतान किए गए कर से भिन्न, कराधान के लिए उपबंध के रूप में कोई भी रकम , लागू कानून के अनुसार बही खाते के लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक की सीमा तक;;

(v) निर्धारित देनदारियों के अलावा अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों को दर्शाने वाली कोई भी रकम ;

(vi) संचयी अधिमान्य शेयरों की कोई रकम ;

PE = तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी की रकम ; और

PV = ऐसे इक्विटी शेयर का चुकता मूल्य,

(ग) इक्विटी शेयरों के सिवाय अन्य शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य, किसी व्यापारी बैंकर या लेखाकार द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, निर्दिष्ट तिथि को खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होने वाली कीमत के बराबर आंका जाएगा;

(II) अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगा, अर्थात्: –

(क) किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, निर्दिष्ट तिथि को खुले बाजार में बेचे जाने पर संपत्ति को सामान्यतः प्राप्त होने वाली कीमत; और

(ख) निर्दिष्ट तिथि को स्टाम्प शुल्क मूल्य;

(III) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारित व्यावसायिक उपक्रम का उचित बाजार मूल्य, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित उसकी निवल संपत्तियां होगी: –

उचित बाजार मूल्य = (A + B - L), जिसका निर्धारण खंड (I)(ख) में दी गई रीति से किया जाएगा; **और**

(IV) खंड (I), (II) और (III) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के सिवाय किसी भी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो उस परिसंपत्ति को निर्दिष्ट तिथि पर खुले बाजार में बेचने पर सामान्यतः प्राप्त होगा, यदि मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसी एक पेशेवर मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो:

(क) पंजीकृत मूल्यांकक; या

(क) मूल्यांकक, जो निम्नलिखित वृत्तिक मूल्यांकन निकायों में से किसी एक का सदस्य हो, यदि उक्त परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कोई मूल्यांकक पंजीकृत नहीं है:

(i) इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स; **या**

(ii) इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वेयर्स (वैल्यूएशन ब्रांच); **या**

(iii) इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर्स; **या**

(iv) प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया; **या**

(v) इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स; **या**

(vi) सेंटर फॉर वैल्यूएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग; **या**

(vii) रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स: इंडिया चैप्टर; **या**

(vii) अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एप्रैज़र्स, संयुक्त राज्य अमेरिका; **या**

(viii) एप्रैज़ल इंस्टीट्यूट, संयुक्त राज्य अमेरिका; **या**

(ix) कोई मूल्यांकक जिसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया हो।

(3) धारा 352(2) के प्रयोजन के लिए, निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल देयता निर्दिष्ट तिथि को तुलन पत्र में देयताओं का बही मूल्य होगी, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से **कोई भी** रकम शामिल नहीं होगी: –

(क) पूंजी निधि या संचित निधि या समग्र निधि, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; **या**

(ख) आरक्षित निधि या अधिशेष या व्यय पर आय की अधिकता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; **या**

(ग) आकस्मिक देयता का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ; **या**

(घ) निर्धारित देयताओं के अलावा, देयताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ; या

(ङ) कर भुगतान के अतिरिक्त, कर उपबंध के रूप में कोई भी रकम , उस आय पर लागू कानून के अनुसार देय आयकर से अधिक की सीमा तक।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "लेखाकार" का वही अर्थ होगा जो धारा 515(3)(ख) में दिया गया है;

(ख) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में "तुलन पत्र" से तात्पर्य ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति की निर्दिष्ट तिथि को तैयार किए गए तुलन पत्र (जिसमें संलग्न और खातों का भाग बनने वाले टिप्पण भी शामिल हैं) से है, जिसकी लेखापरीक्षा किसी लेखाकार द्वारा की गई हो;

(ग) "व्यापारी बैंकर" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (15 ऑफ 1992) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रथम-श्रेणी व्यापारी बैंकर से है;

(घ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में "सूचीबद्ध शेयर या प्रतिभूति" से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर नियमित रूप से समय-समय पर सूचीबद्ध शेयर या प्रतिभूति से है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों का कुटेशन कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए वर्तमान लेनदेन पर आधारित होता है;

(ङ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में दिया गया है;

(च) "पंजीकृत मूल्यांकक" से धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में दिया गया है;

(ज) "निर्दिष्ट तिथि" से धारा 352(5) की तालिका के स्तंभ ग में निर्दिष्ट तिथि अभिप्रेत है;

(झ) "निर्दिष्ट व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 355(ठ) में दिया गया है;

(ञ) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अचल संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से अपनाए गए या मूल्यांकित या मूल्यांकन योग्य मूल्य अभिप्रेत है;

(ट) "संदत्त कर" से आयकर की उस रकम अभिप्रेत है जो स्रोत पर कटौती या संग्रहण के रूप में या अग्रिम कर भुगतान के रूप में भुगतान की गई हो, जिसमें से अधिनियम के अधीन वापसी के रूप में दावा की गई आयकर की रकम घटा दी गई हो; **और**

(ठ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में "गैर-सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूति" से ऐसा शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध शेयर या प्रतिभूति नहीं है।

190. धारा 354(1) के अधीन दान और दाता को प्रमाणपत्र के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना– (1) धारा 354(1)(ङ) या (च) या (छ) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित आयकर प्राधिकरण आयकर महानिदेशक (प्रणाली) होगा।

(2) अधिनियम की धारा 354(1)(ङ) या (च) के अधीन अनुसूची VII [तालिका: क्रमांक 1] में निर्दिष्ट किसी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन या व्यक्ति (जिसे यहाँ दान प्राप्तकर्ता कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूपसंख्या 113 में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित किए जाएंगे।

(3) दान प्राप्तकर्ता, किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए प्राप्त रकम यों का निर्धारण करते समय, –

(क) उस व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए एक ही प्रकार के सभी दानों को ध्यान में रखेगा; और

(ख) दान की रकम या सभी दानों के कुल मूल्य को सभी व्यक्तियों में समानुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा; यदि दान एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है और दानदाताओं द्वारा कोई अनुपात निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो सभी दानदाताओं में समान रूप से आवंटित किया जाएगा।

(4) प्ररूपसंख्या 113 इलेक्ट्रॉनिक रूप से–

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय विवरण डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है; या

(ख) **किसी अन्य मामले में** इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से;

प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) दान प्राप्तकर्ता पर लागू धारा 265 के अधीन आय विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति प्ररूपसंख्या 113 को सत्यापित करेगा।

(6) विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दान प्राप्त हुआ है।

(7) धारा 354 (1) (घ) के प्रयोजनों के लिए, दान प्राप्तकर्ता, दानदाता को प्ररूपसंख्या 114 में वित्तीय वर्ष के दौरान दानदाता से प्राप्त दान की रकम का विवरण देते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(8) दानदाता को प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दान प्राप्त हुआ है।

191. धारा 358(3)(ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की तामील का ढंग – (1) धारा 358(3)(ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की सूचना उसी प्रकार तामील की जाएगी जिस प्रकार धारा 501 में किसी सूचना या अनुरोध की तामील के लिए निर्धारित है।

(2) कोई अन्य आदेश, जो सूचना या अनुरोध न हो, जिसे किसी व्यक्ति को भेजा या सूचित किया जाना हो या तामील किया जाना हो, उसे डाक द्वारा भेजा, सूचित या तामील किया जाएगा, या मानो कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो।

192. धारा 533(2)(भ) के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना – (1) अपीलकर्ता संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के समक्ष मौखिक या दस्तावेजी रूप से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा, सिवाय उन साक्ष्यों के जो उसने निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए हों, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के: –

(क) जहां निर्धारण अधिकारी ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था; या

(ख) जहां अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो, जिसे निर्धारण अधिकारी ने उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा था; या

(ग) जहां अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो जो अपील के किसी आधार से संबंधित हो; या

(घ) जहां निर्धारण अधिकारी ने अपील के विरुद्ध आदेश देते समय अपीलकर्ता को अपील के किसी आधार से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर न दिया हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई भी साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उसके स्वीकार किए जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न कर लें।

(3) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं करेंगे, जब तक कि निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित के लिए उचित अवसर न दिया गया हो –

(क) अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज़ की जाँच करना या उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी से प्रतिपरीक्षा करना; या

(ख) अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या दस्तावेज़ या कोई साक्षी प्रस्तुत करना।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) की किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, ताकि वह अपील का निपटारा कर सके या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से, जिसमें धारा 360(1)(क) के अधीन निर्धारण या शास्ति में वृद्धि करना (चाहे स्वयं द्वारा या निर्धारण अधिकारी के अनुरोध पर) या धारा 439 के अधीन शास्ति लगाना शामिल है।

193. धारा 362 के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील का प्ररूपऔर प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन। – (1) धारा 362(1) या (2) के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील प्ररूपसंख्या 115 में की जाएगी, और यदि अपील करदाता द्वारा की जाती है, तो अपील प्रपत्र, अपील के आधार और उससे संलग्न सत्यापन प्ररूपपर नियम 167(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) अपीलीय अधिकरण को धारा 362(4) के अधीन प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन प्ररूपसंख्या 116 में प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति-आपत्तियों के ज्ञापन का प्रपत्र, प्रति-आपत्तियों के आधार और उससे संलग्न सत्यापन प्ररूपपर नियम 167(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

194. धारा 375 के अधीन घोषणा। – (1) धारा 375(1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूपसंख्या 117 में होगी, और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और सत्यापन पर नियम 167(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा, –

(क) यदि यह संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को प्रस्तुत की जाती है, तो इसकी दो प्रतियां होंगी; और

(ख) यदि यह अपीलीय अधिकरण को प्रस्तुत की जाती है, तो इसकी तीन प्रतियां होंगी।

195. अपीलीय अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष अपील यथास्थिति, फाइल करने को आस्थगित करने हेतु धारा 376 के अधीन आवेदन – धारा 376(2) में निर्दिष्ट आवेदन, जो

अपीलीय अधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाना आवश्यक है, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्ररूपसंख्या 118 में किया जाएगा।

196. धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति का गठन – (1) केंद्रीय सरकार धारा 379 के उपबंध के अनुसार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विवाद समाधान हेतु एक विवाद समाधान समिति का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक विवाद समाधान समिति में तीन सदस्य होंगे, जो निम्नानुसार होंगे: –

(क) दो सदस्य भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जिन्होंने आयकर आयुक्त या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर पाँच वर्ष या अधिक समय तक कार्य किया हो; और

(ख) एक सेवारत अधिकारी, जो प्रधान आयकर आयुक्त या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आयकर आयुक्त के पद से निचले रैंक का न हो।

(3) सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम (2)(क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य को प्रति मामले के आधार पर शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली रकम , बोर्ड द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के साथ, निर्धारित कर सकेगी।

(5) विवाद समाधान समिति का निर्णय बहुमत से होगा।

(6) केंद्रीय सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, विवाद समाधान समिति से किसी सदस्य को हटा सकेगी।

197. धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति के समक्ष विवाद के समाधान हेतु आवेदन – (1) विवाद समाधान समिति को आवेदन प्ररूपसंख्या 119 में उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो अपने मामले में निर्दिष्ट आदेश में किसी परिवर्तन से उत्पन्न विवाद के संबंध में धारा 379 के अधीन विवाद समाधान का विकल्प चुनता है और जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(2) विवाद के समाधान से संबंधित प्रत्येक आवेदन के साथ ₹1000 का शुल्क देना होगा।

198. धारा 379 के अधीन लगाई जाने वाली शास्ति को कम करने या माफ करने या अभियोजन से छूट देने या दोनों की शक्ति – (1) विवाद समाधान समिति, ई-विवाद समाधान योजना, 2022 के पैरा 4(1)(xix) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह उचित समझे, धारा 379 के अधीन विवाद समाधान के लिए आवेदन

करने वाले व्यक्ति को, समाधान के विषय वाले आदेश के संबंध में, लगाए जाने वाले दंड में कमी या छूट या अभियोजन से छूट या दोनों प्रदान करेगी, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति ने–

(i) रिटर्न आय पर देय कर का पूर्ण भुगतान किया हो; और

(ii) विवाद समाधान समिति के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया हो।

(2) विवाद समाधान समिति द्वारा ऐसे मामले में कोई उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी, जहां ई-विवाद समाधान योजना, 2022 के अनुच्छेद 4(1)(i) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति तिथि से पहले किसी अपराध के लिए अभियोजन कार्यवाही आरंभ की गई हो।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति, शास्ति में कमी या माफी, वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति उन शर्तों में से किसी का भी पालन करने में विफल रहता है जिनके अधीन उन्मुक्ति, शास्ति में कमी या माफी दी गई थी, और इसके बाद अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति, शास्ति में कमी या माफी कभी दी ही न गई हो।

199. परिभाषाएँ – नियम 196 से 198 के प्रयोजनों के लिए,–

(क) धारा 379 के अधीन किसी विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट आदेश" से अभिप्रेत है,–

(i) धारा 275 (1) में यथानिर्दिष्ट प्रारूप आदेश; या

(ii) धारा 270(1) या धारा 399(1) के अधीन सूचना, जहां निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलक्टर उक्त आदेश में किए गए समायोजनों पर आपत्ति करता है; या

(iii) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश, विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में पारित आदेश को छोड़कर; या

(iv) धारा 287 के अधीन पारित आदेश जिसका प्रभाव निर्धारण में वृद्धि या हानि में कमी करना हो; या

(v) धारा 398 के अधीन पारित आदेश और जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:–

(अ) ऐसे आदेश में प्रस्तावित या किए गए फेरफार का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसे प्रयोजनों के लिए, फेरफार उस रकम को संदर्भित करेगा जिस पर कर की कटौती या संग्रहण नहीं किया गया है;

(आ) निर्धारिता द्वारा ऐसे आदेश से संबंधित कर वर्ष के लिए रिटर्न प्रस्तुत किया गया है और ऐसे रिटर्न के अनुसार कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है; और

(इ) निर्धारिती के मामले में आदेश निम्नलिखित पर आधारित नहीं है:

(क) धारा 247 के अधीन शुरू की गई तलाशी या धारा 248 के अधीन निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में की गई मांग; या

(ख) धारा 253 के अधीन किया गया सर्वेक्षण; या

(ग) धारा 159 में निर्दिष्ट समझौते के अधीन प्राप्त जानकारी;

(ख) धारा 379 के अधीन आवेदक के संबंध में "विनिर्दिष्ट शर्तें" से अभिप्रेत है, –

(क) जहां वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया है और जब –

(I) ऐसा निरोध आदेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले निरस्त कर दिया गया हो; या

(II) ऐसा निरोध आदेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन समीक्षा के लिए या उसके आधार पर, या उक्त अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले निरस्त नहीं किया गया हो; या

(III) ऐसा निरोध आदेश, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर, या उक्त अधिनियम की धारा 12क(6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले निरस्त नहीं किया गया हो; या

(IV) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ऐसे निरोध आदेश को रद्द नहीं किया गया हो; या

(ख) जहाँ वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) या बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोग चलाया गया हो और उसे इनमें से किसी भी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो; या

(ग) यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध आयकर प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के प्रावधानों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए या किसी भी कानून के अधीन किसी नागरिक दायित्व के प्रवर्तन के उद्देश्य से अभियोजन प्रारंभ किया गया हो, या ऐसे व्यक्ति को आयकर प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या

(घ) यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया हो; या

(ङ) यदि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध उस कर वर्ष के लिए जिसके लिए विवाद का समाधान मांगा गया है, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अधीन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई हो;

(ग) अधिनियम की धारा 379 के प्रयोजनों के लिए "निर्दिष्ट व्यक्ति" वह व्यक्ति होगा जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

200. धारा 383 के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन – (1) धारा 383(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन निवासी या अनिवासी आवेदक द्वारा प्ररुप संख्या 120 में किया जाएगा और इस नियम के अनुसार उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

(2) अग्रिम विनिर्णय के आवेदन के साथ देय फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:

क्रम सं.	**अध्याय 18-घ (2) के अनुसार विनिर्दिष्ट दशा या प्रवर्ग**	**एक या एक से अधिक लेन-देन की वह रकम जिसके लिए विनिर्णय मांगा गया है**	**फीस**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	धारा 380(क) के उपखंड (i) के अधीन अनिवासी आवेदक या उसके उपखंड (ii) के अधीन निवासी आवेदक द्वारा किए गए या प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न कर देयता के संबंध में अग्रिम विनिर्णय की मांग करना।	एक सौ करोड़ रुपये से कम रकम।	₹200000
		एक सौ करोड़ रुपये से तीन सौ करोड़ रुपये तक की रकम।	₹500000
		तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक रकम।	₹1000000
2.	धारा 380(क)(iii) के अधीन किसी निवासी आवेदक द्वारा किए गए या प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न होने वाली निवासी आवेदक की कर देयता के संबंध में अग्रिम निर्णय की मांग करना।	एक सौ करोड़ रुपये से तीन सौ करोड़ रुपये तक की रकम।	₹500000
		तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की रकम।	₹1000000
3.	कोई अन्य आवेदक	सभी मामलों में	₹10000

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ संलग्न सत्यापन, उपाबंध और आवेदन के साथ संलग्न विवरण एवं दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे और निम्नलिखित रीति से हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे:–

(क) जहां आवेदक अधिनियम के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य व्यक्ति है, वहां आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों पर धारा 265 के अधीन ऐसी विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे–

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है; या

(ii) किसी अन्य मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(ख) जहां आवेदक अधिनियम के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति नहीं है, वहां आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा इस उद्देश्य के लिए सम्यक् रूप से अधिकृत और वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) लागू प्ररूप में प्रत्येक आवेदन के साथ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट फीस के भुगतान का प्रमाण संलग्न होगा।

201. धारा 384(8) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णयों की प्रतियों का प्रमाणीकरण – बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति, जो आवेदक और उसके मामले पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को भेजी जानी है, यथास्थिति, आयुक्त या उपायुक्त या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा, उसकी सत्य प्रति प्रमाणित की जाएगी।

202. धारा 389(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए विनिर्णय या पारित आदेश पर उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति – अग्रिम निर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध निर्धारिती या आयुक्त के निर्देशों पर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 389(1) के अधीन उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का प्ररूपऔर रीति वही होगी जो अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए निर्धारित लागू प्रक्रिया में दिए गए हैं।

203. स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर के लिए क्रेडिट – (1) स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संग्रहण गए कर के लिए क्रेडिट, कर कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा कर कटौती या संग्रह से संबंधित दी गई जानकारी के आधार पर, आयकर प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृतव्यक्ति को निम्नलिखित रीति से दिया जाएगा:–

(क) अधिनियम के अध्याय 19 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर काटे गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का प्रत्यय उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे संदाय किया गया है या जिसके खाते में जमा किया गया है (जिसे यहां कर प्राप्तकर्ता कहा गया है); और

(ख) अधिनियम के अध्याय 19 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर संग्रहण किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का प्रत्यय उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे कर संग्रहण किया गया है या जिसके खाते से कर निकाला गया है (जिसे यहां दाता कहा गया है)।

(2) यदि प्राप्तकर्ता या दाता, कटौतीकर्ता या संग्राहक के पास यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण की गई आय का संपूर्ण या कोई भाग प्राप्तकर्ता या दाता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में कर योग्य है, तो–

(क) कटौतीकर्ता या संग्राहक उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती या संग्रहण संबंधी सूचना में उस अन्य व्यक्ति के नाम से कर कटौती या संग्रहण की सूचना देगा; और

(ख) तदनुसार, यथास्थिति, स्रोत पर काटे या संग्रहण गए ऐसे कर का क्रेडिट, जैसा भी मामला हो, उस अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा, न कि प्राप्तकर्ता या दाता को।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्राप्तकर्ता या दाता द्वारा प्रस्तुत घोषणा में उस अन्य व्यक्ति का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या, जिसके नाम पर क्रेडिट दिया जाना है, संदाय या क्रेडिट का विवरण जिसके संबंध में क्रेडिट दिया जाना है और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने के कारण शामिल होंगे, और ऐसी घोषणा कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(4) कटौतीकर्ता या संग्राहक उस व्यक्ति को स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह का प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसके नाम पर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती या संग्रह से संबंधित सूचना में क्रेडिट दिखाया गया है और कटौती का प्रमाणपत्र अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(5) स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का क्रेडिट उस कर वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसके लिए ऐसे कर के अनुरूप आय का निर्धारण किया जाता है।

(6) (i)जहां स्रोत पर कर काटा या संग्रहण किया गया है और केन्द्रीय सरकार को संदाय किया गया है और ऐसे कर के अनुरूप आय का निर्धारण कई वर्षों में किये जाने योग्य है, तो स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर का क्रेडिट उन वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में आय का निर्धारण किया जाता है।

(ii) जहाँ स्रोत पर कर जमा किया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है, और पट्टा या लाइसेंस एक से अधिक वर्ष से संबंधित है, वहाँ स्रोत पर जमा किए गए कर का क्रेडिट उन वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा जिनसे वह पट्टा या लाइसेंस संबंधित है।

(7) उप-नियम (1) से (6) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 393 (3) [सारणी: क्रमांक 5] और धारा 394 (1) [सारणी: क्रमांक 6, 7 और 8] के प्रयोजनों के लिए, स्रोत पर इस प्रकार काटे या संग्रहण किए गए कर का क्रेडिट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खाते से कर काटा या संग्रहण किया गया है और केन्द्रीय सरकार के खाते में उस कर वर्ष के लिए संदाय किया गया है जिसमें ऐसा कर काटा या संग्रहण किया गया है।

(8) स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए तथा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर के लिए क्रेडिट उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना तथा क्रेडिट के दावे के संबंध में आय विवरणी में दी गई सूचना के आधार पर दिया जाएगा, परन्तु बोर्ड द्वारा समय-समय पर तैयार की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार इसका सत्यापन किया जाए।

204. "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कर कटौती हेतु विवरण प्रस्तुत करना – (1) निर्धारिती धारा 392 की उपधारा (1) के अधीन कटौती करने के प्रयोजन से उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप संख्या 122 में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर सकेगा,:–

(क) कर वर्ष के दौरान किसी अन्य नियोक्ता या नियोक्ताओं से निर्धारिती को देय या प्राप्त "वेतन" शीर्ष के अधीन कोई आय;

(ख) उसी कर वर्ष के लिए "आवास संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कोई हानि;

(ग) 'वेतन' के अलावा किसी अन्य आय शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, जो उसी कर वर्ष के लिए ऐसे किसी शीर्ष के अधीन हानि न हो {खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हानि से भिन्न}; और

(घ) उसी कर वर्ष के लिए अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन स्रोत पर काटा या संग्रहण किया गया कोई कर।

(2) 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा संदाय किया जाता है, वेतन के बदले प्राप्त अनुलाभों या लाभों तथा उनके मूल्य का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक विवरण निम्नवत् प्रस्तुत करेगा–

(क) प्ररूप संख्या 130 में दिए गए सुसंगत स्तंभों में, यदि कर वर्ष के लिए कर्मचारी को संदाय किया गया या देय वेतन ₹ 150000 से अधिक नहीं है; या

(ख) प्ररूप संख्या 123 में, यदि कर वर्ष के लिए कर्मचारी को संदाय किया गया या देय वेतन ₹ 150000 से अधिक है।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए "वेतन" का वही अर्थ होगा जो नियम 15 में दिया गया है।

205. धारा 392(5)(ख) के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से कर कटौती हेतु कर्मचारी द्वारा दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करना – (1) निर्धारिती धारा 392(1) के अधीन संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दावों के साक्ष्य या विवरण प्ररूप संख्या 124 में प्रस्तुत करेगा, ताकि उसकी आय का अनुमान लगाया जा सके या स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर की गणना की जा सके।

(2) निर्धारिती निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 'ख' में विनिर्दिष्ट दावे के संबंध में, उसके स्तंभ 'ग' में विनिर्दिष्ट साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करेगा:

सारणी

क्रम सं.	दावों की प्रकृति	साक्ष्य या विवरण
क	ख	ग

1	मकान किराया भत्ता।	यदि कर वर्ष के दौरान कुल किराया ₹100000 से अधिक है, तो मकान स्वामी या मकान स्वामियों का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या तथा मकान स्वामी के साथ संबंध, यदि कोई हो।
2	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता।	व्यय का साक्ष्य
3	'आवास संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती।	मकान स्वामी का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या
4	अध्याय 8 के अधीन कटौती।	निवेश या व्यय का साक्ष्य

206. विदेशी मुद्रा में व्यक्त आय को रुपयों में संपरिवर्तित करने की विनिमय दर - (1) करदाता को विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली किसी भी आय, या उसके द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली आय के रुपयों में मूल्य की गणना के लिए विनिमय दर विनिर्दिष्ट तारीख को उस मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

(क) "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा जो नियम 207 में दिया गया है; और

(ख) (i) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" स्तंभ ग में दिए गए अनुसार होगी:

सारणी

क्रम सं.	आय का प्रकार	विनिर्दिष्ट तारीख
क	ख	ग
1.	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय।	जिस महीने में वेतन देय है, अग्रिम संदाय किया गया है या बकाया संदाय किया गया है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।
2.	प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त आय।	जिस महीने में आय देय है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।

3.	"आवास संपत्ति से आय", "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" (क्रम संख्या 4 में उल्लिखित आय को छोड़कर) और "अन्य स्रोतों से आय" (लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) शीर्षकों के अंतर्गत प्रभार्य आय।	निर्धारिती के कर वर्ष का अंतिम दिन।
4.	अनिवासी व्यक्ति द्वारा जहाज परिचालन के कारबार में संलग्न होने की स्थिति में, "कारबार या वृत्ति के लाभ और आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय।	जिस महीने में आय भारत में उद्भूत समझी जाती है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।
5.	लाभांश से प्राप्त आय।	जिस महीने में कंपनी द्वारा लाभांश घोषित, वितरित या संदाय किया जाता है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन।
6.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय।	जिस महीने में सारणी में उल्लिखित पूंजीगत आस्ति का अंतरण होता है, उससे ठीक पहले वाले महीने का अंतिम दिन;

(ii) **उप-खंड (ii)** में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, जो विदेशी मुद्रा में देय है और जिस पर नियम 207 के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है, विनिर्दिष्ट तारीख वह तारीख होगी जिसको अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन कर काटा जाना अपेक्षित था।

(3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उप-नियम (2)(ख) [सारणी: क्रमांक 3] में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त की गई हो या लाई गई हो।

207. विदेशी मुद्रा में देय आय पर स्रोत कर कटौती के प्रयोजन हेतु विनिमय दर – (1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में देय किसी आय पर स्रोत कर कटौती के प्रयोजन हेतु, रुपयों में मूल्य की गणना के लिए विनिमय दर, अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन जिस तारीख को कर कटौती की जानी है, उस तारीख को उस मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी; तथापि जहाँ टेलीग्राफिक अंतरण क्रम दर ऐसे तिथि को प्रकाशित नहीं होती है, ऐसे पिछली प्रकाशित दर ली जा सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित को संदेय आय पर लागू होंगे–

(क) भारत के बाहर स्थित कोई निर्धारिती को; या

(ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय में स्थित इकाई को; या

(ग) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय में स्थित इकाई द्वारा भारत में स्थित किसी निर्धारिती को।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(थ) में दिया गया है;

(ख) विदेशी मुद्रा के संबंध में, "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा की क्रय हेतु अपनाई गई विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी मुद्रा की क्रय हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ ऐसी मुद्रा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उस बैंक को उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(यग) में दिया गया है।

208. धारा 393(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा घोषणा और दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करना [सारणी: क्रमांक 8(iii)] – (1) धारा 393(1) के साथ पठित धारा 402(39)(ग) [सारणी: क्रमांक 8(iii)] के अधीन घोषणा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक को प्ररूप संख्या 125 में प्रस्तुत की जा सकती है।

(2) विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 8 के अधीन अनुमत कटौती और धारा 156 के अधीन अनुमत छूट को लागू करने के पश्चात, संबंधित कर वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा और प्रचलित दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आयकर की कटौती करेगा।

(3) अध्याय 8 के अधीन अनुमत कटौती को विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा कर वर्ष के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लागू किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अध्याय 8 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए साक्ष्य विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा सम्यक रूप से रखे जाएंगे और अपेक्षित होने पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त को उपलब्ध कराए जाएंगे।

209. कर कटौती के बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए संदायकर्ता द्वारा आवेदन – (1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति, जो धारा 393(2) [सारणी: क्रमांक 17] में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी ब्याज या अन्य राशि को प्राप्त करने का हकदार है, उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति पर, उसके स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट प्ररूप में धारा 395(1) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा, जो उसे कर कटौती के बिना, उसके स्तंभ ङ में विनिर्दिष्ट किसी आय या राशि को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृतकरता है:

सारणी

क्रम सं.	**व्यक्ति**	**शर्तें**		**आय या राशि की प्रकृति**
क	ख	ग		घ
1.	बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता (जैसा कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा (2)(9)(घ) में परिभाषित है), जो एक घरेलू कंपनी नहीं है, और जो भारत में एक शाखा के माध्यम से संचालन करती है।	(क) संबंधित व्यक्ति का भारत में नियमित रूप से आयकर निर्धारण होता रहा हो और उसने पिछले पांच कर वर्षों के लिए आय विवरणी प्रस्तुत की हों, जिनके लिए ये विवरणी इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले दाखिल की जानी हों; (ख) वह किसी भी कर (अग्रिम कर और धारा 266 के अधीन देय कर सहित), ब्याज, शास्ति, जुर्माना या अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि के संबंध में व्यतिक्रम न कर रहा हो या व्यतिक्रम करने वाला न समझा गया हो; और (ग) ब्याज या अन्य राशि शाखाओं द्वारा अपने खाते में प्राप्य हो, न कि अपने प्रधान कार्यालय या भारत के बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से।		ब्याज के रूप में कोई भी आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं (धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 6] में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के अलावा), या कोई अन्य राशि, जो लाभांश न हो।
2.	क्रमांक 1 में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी शाखा के	(क) क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट शर्तें; (ख) वह आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों	**126**	ब्याज या लाभांश के अलावा कोई भी राशि।

	माध्यम से कारबार या पेशा करता है।	की अवधि से भारत में निरंतर व्यापार या पेशा कर रहा हो; और (ग) आवेदन की तारीख से ठीक पहले समाप्त हुए कर वर्ष के लिए उसकी लेखा-बहियों में दर्शाए गए ऐसे कारबार या वृत्ति की भारत में स्थित अचल संपत्तियों का मूल्य, या यदि उक्त तारीख से पहले ऐसे कर वर्ष के लिए लेखा तैयार नहीं किए गए हैं, तो उस वर्ष से ठीक पहले के कर वर्ष के लिए, पचास लाख रुपये से अधिक हो।		

(2) धारा 395(1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट कर वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि उक्त कर वर्ष की समाप्ति से पहले वह इसे रद्द न कर दे।

(3) यदि अपेक्षित हो, तो पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के पश्चात या उसकी वैधता समाप्त होने से तीन माह पहले नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगा।

210. धारा 393(4) [सारणी क्रमांक 15] के साथ पठित धारा 393(2) [सारणी: क्रमांक 10] में विनिर्दिष्ट अनिवासियों की इकाइयों के संबंध में आय से स्रोत पर कर की कटौती न करने की शर्त – यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयों के संबंध में किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब को देय आय पर स्रोत पर कर कटौती लागू नहीं होगी, यदि ऐसी यूनिटे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भारत के किसी बैंक में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा निधि से या विदेशी मुद्रा में निधियों के प्रेषण द्वारा प्राप्त की गई हों, और दोनों ही मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार हों।

211. धारा 393(6) के अधीन कर कटौती के बिना कतिपय आय प्राप्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा – (1) धारा 393(6) के अधीन घोषणा प्ररूप संख्या 121 में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी रीति से प्रस्तुत की जा सकेगी:–

(क) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक सत्यापन के पश्चात उपलब्ध कराई गई सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में; या

(ख) कागजी रूप में।

(3) धारा 393(6) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान प्ररूप संख्या 121 में प्राप्त प्रत्येक घोषणा को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा।

(4) धारा 393(6) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, नियम 219 में विनिर्दिष्ट कर कटौती का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणाओं का विवरण उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या के साथ होगा, भले ही उक्त तिमाही में कोई कर कटौती न की गई हो।

(5) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयकर प्राधिकरण, उस कर वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन घोषणा प्राप्त हुई है, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अधिनियम के अधीन सत्यापन या किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए घोषणा प्रस्तुत करने या उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

212. धारा 394(2) के अधीन स्रोत पर कोई भी कर संग्रहण न होने के लिए क्रेता द्वारा घोषणा – (1) धारा 394(2) के अधीन एक घोषणा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि धारा 394(1) [सारणी: क्रमांक 1 से 5] में विनिर्दिष्ट खरीदी जा रही वस्तुएं विनिर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएंगी, न कि व्यापारिक प्रयोजनों के लिए, प्ररूप संख्या 127 में होगी और उसमें दर्शाई रीति रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, उस माह के पश्चात वाले माह के सातवें दिन या उससे पहले, जिसमें घोषणा उसे प्रस्तुत की गई है, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को परिदानकरेगा।

(4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त से वह मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त अभिप्रेत है जिसके अधीन उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कर निर्धारण करने का अधिकारिता रखने वाला निर्धारण अधिकारी है।

213. किसी निम्न दर पर आयकर की कटौती या संग्रहण के लिए, या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन – (1) निम्नलिखित के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्ररूप संख्या 128 में आवेदन किया जाएगा:

(क) धारा 395 की उपधारा (1) के अधीन किसी निम्न दर पर आयकर की कटौती करने या आयकर की कटौती न करने हेतु; या

(ख) धारा 395 की उपधारा (3) के अधीन किसी निम्न दर पर आयकर का संग्रहण करने हेतु।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो नियम 209 के अधीन विनिर्दिष्ट आय या राशि के संबंध में कर की कटौती न करने के प्रमाणपत्र के लिए पात्र है।

(3) निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:–

(क) विचाराधीन कर वर्ष के लिए अनुमानित आय पर देय कर;

(ख) यथास्थिति, पिछले चार कर वर्षों की रिटर्न की गई आय, निर्धारित आय या अनुमानित आय पर संदाय किया गया या देय कर;

(ग) इस अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विद्यमान देयता; और

(घ) आवेदन की तारीख तक करदाता के खाते में जमा अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर काटे गए या संग्रहण किए गए कर, उस कर वर्ष के लिए जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(4) यदि कोई व्यक्ति धारा 263(9)(ग) में विनिर्दिष्ट इकाई या रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है, तो निर्धारण अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:–

(क) विनिर्दिष्ट इकाई आवेदन की तारीख तक और उस कर वर्ष के लिए प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक आयकर से छूट के प्रयोजन से अनुमोदित है; और

(ख) संबंधित व्यक्ति ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय विवरणी प्रस्तुत की हों, जिनके लिए ऐसी विवरणी उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले शोध्य थी।

(5) ऐसे मामले में, जहां धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 7] में विनिर्दिष्ट लाभांश आय के संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी पूरी होनी अपेक्षित होंगी: –

(क) जिन शेयरों के संबंध में प्रमाणपत्र मांगा गया है, वे पब्लिक कंपनियों के शेयर होंगे; और

(ख) (i) ऐसे शेयर आवेदक के नाम पर हों और उनके द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व में हों तथा उनसे प्राप्त लाभांश धारा 96 से 99 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल किए जाने योग्य न हों; या

(ii) ऐसे शेयर आवेदक के नाम पर हों और उनके द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की ओर से धारित हों तथा उनसे प्राप्त लाभांश अधिनियम के अध्याय 17-ख के अधीन कर से छूटप्राप्त हों।

(6) उप-नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र, उसमें उल्लिखित शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिए कंपनी को दी गई सूचना की तारीख से, अंतरित शेयरों के अनुरूप आय की सीमा तक, प्रभावी नहीं रहेगा।

(7) इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर वर्ष की ऐसी अवधि के लिए वैध होगा, जैसा कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया हो, जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय इसे रद्द न कर दिया जाए।

(8) प्रमाणपत्र कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के नाम पर, आवेदक को सूचित करते हुए जारी किया जाएगा और केवल निम्नलिखित के संबंध में वैध होगा:

(क) विनिर्दिष्ट कटौतीकर्ता से विनिर्दिष्ट संदाय, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक; और

(ख) विनिर्दिष्ट संग्राहक से विनिर्दिष्ट रसीद, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक।

(9) जहां कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की संख्या सौ से अधिक होने की संभावना हो और आवेदन करते समय आवेदक के पास ऐसे व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध न हो, वहां आवेदक के नाम पर निम्न दर पर आयकर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, जो उसे निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेगा:

(क) समुचित कटौती दर पर विनिर्दिष्ट संदाय प्राप्त करना;

(ख) समुचित प्रमाणपत्र तैयार करना और कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रदान करना; और

(ग) ऐसा प्रमाणपत्र आयकर विभाग के पोर्टल से जनरेट किया जाएगा।

214. अनिवासी को देय राशि (वेतन के अतिरिक्त), के उचित अनुपात के निर्धारण हेतु, जो प्राप्तकर्ताओं के मामले में प्रभार्य हो, संदायकर्ता द्वारा धारा 395(2) या धारा 400(3) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन – (1) किसी व्यक्ति द्वारा धारा 395(2) या धारा 400(3) के अधीन अनिवासी प्राप्तकर्ता के मामले में प्रभार्य राशि के उचित अनुपात के निर्धारण हेतु आवेदन प्ररूप संख्या 129 में किया जाएगा।

(2) निर्धारण अधिकारी यह जांच करेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा अनिवासी को संदाय की गई या जमा की गई राशि, संबंधित दोहरे कराधान निवारण समझौते (यदि कोई हो) के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर योग्य है, और–

(क) जहां ऐसी पूरी राशि अनिवासी प्राप्तकर्ता के मामले में प्रभार्य आय नहीं होगी, वहां वह कर योग्य ऐसी राशि के उचित अनुपात का निर्धारण करेगा; और

(ख) धारा 393(2) [सारणी: 17] के अधीन कर कटौती हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) निर्धारण अधिकारी प्राप्तकर्ता के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करेगा:–

(क) संबंधित कर वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर;

(ख) यथास्थिति, पिछले चार कर वर्षों की निर्धारित या रिटर्न में बताई गई या अनुमानित आय पर देय कर;

(ग) इस अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन विद्यमान देयता; और

(घ) आवेदन करने की तारीख तक या प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख तक संबंधित कर वर्ष के लिए अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहीत कर।

(4) प्रमाणपत्र केवल उसमें नामित अनिवासी को किए गए संदाय के लिए और कर वर्ष की ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हो, जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय इसे रद्द न कर दिया जाए।

(5) निर्धारिती पिछले प्रमाणपत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात या उसकी समाप्ति से तीन महीने के भीतर नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा।

215. धारा 395(4) के अधीन स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना –

(1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का प्रमाणपत्र या धारा 392(2)(क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर संदाय का प्रमाणपत्र, उन धाराओं के तदनुरूप जिनके अधीन कटौती, संदाय या संग्रहण किए जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में संदर्भित है, यथास्थिति, कर्मचारी, या संदायकर्ता, या क्रेता, या लाइसेंसधारी, या पट्टेदार, को आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से जनरेट और डाउनलोड करने के पश्चात, उक्त सारणी के स्तंभ ग में संदर्भित प्ररूप में और उक्त सारणी के स्तंभ घ में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा:

सारणी

क्रम सं.	वह धारा जिसके अधीन कर की कटौती, संदाय या संग्रहण किया जाता है	प्ररूप	नियत तारीख
क	ख	ग	घ
1	धारा 392 [धारा 392(7) के सिवाय] और 393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iii)] के अधीन कर की कटौती या संदाय।	**130**	जिस कर वर्ष में आय का संदाय किया गया और कर काटा गया, उसके ठीक पश्चात वाले वित्तीय वर्ष के 15 जून तक।
2	धारा 392(7), 393(1) ([सारणी: क्रमांक (2)(i), (3)(i), (6)(ii), और (8)(vi)] के सिवाय), 393(2) और (3) के अधीन कटौती।	**131**	नियम 219 के अधीन स्रोत पर काटे गए कर का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

3	धारा 393(1) के अधीन कटौती— (क) [सारणी: क्रमांक (2)(i)]; (ख) [सारणी: क्रमांक (3)(i)]; (ग) [सारणी: क्रमांक (6)(ii)]; और (घ) [सारणी: क्रमांक (8)(vi)]।	**132**	प्ररूप संख्या 141 में चालान सह विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।
4	धारा 394(1) के अधीन संग्रहण	**133**	नियम 219 के अधीन स्रोत पर संग्रहण किए गए कर का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

(2) यदि कोई निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि से संबंधित प्ररूप संख्या 130 में प्रमाणपत्र का भाग क और ख जारी करेगा, जिसके लिए निर्धारिती प्रत्येक नियोक्ता के साथ कार्यरत था, और भाग ग प्रत्येक नियोक्ता या निर्धारिती के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकेगा।

(3) कटौतीकर्ता या संग्राहक प्ररूप संख्या 130 या प्ररूप संख्या 131 या प्ररूप संख्या 133 में प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि प्राप्तकर्ता या दाता ने जारी किया गया मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है, और ऐसे प्रतिलिपि प्रमाणपत्र को कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा प्रतिलिपि प्रमाणित किया जाता है।

(4) जहां प्ररूप संख्या 130, प्ररूप संख्या 131, प्ररूप संख्या 132 या प्ररूप संख्या 133 में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है, वहां कटौतीकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग कर सकेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों के मामले में, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) एक बार प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात, प्रमाणपत्रों की विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा; और

(ख) प्रमाणपत्रों का एक नियंत्रण क्रमांक हो और कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग रखा जाए।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, चालान पहचान संख्या से वह संख्या अभिप्रेत है जिसमें उस बैंक शाखा का मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड, कर जमा करने की तारीख और बैंक द्वारा दिया गया चालान क्रमांक शामिल है, जहां कर जमा किया गया है।

(7) नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार प्रमाणपत्र जनरेट और डाउनलोड किया जाएगा।

216. कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन – (1) धारा 397(1)(क) के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन निम्नलिखित में किया जाएगा:

(क) सरकारी संस्था के मामले में प्ररूप संख्या 134; या

(ख) सरकारी संस्था से भिन्न अन्य संस्था के मामले में प्ररूप संख्या 135।

(2) कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से भी उक्त अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा।

(3) उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जिसे आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा धारा 397(1)(क) के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन का कार्य सौंपा गया है।

(4) उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन निम्न प्रकार से किया जाएगा:

(क) कर की कटौती या संग्रहण से पूर्व; और

(ख) यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो उस माह के अंत से तीस दिनों के भीतर जिसमें यथास्थिति, कर की कटौती या संग्रहण किया गया हो।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन के साथ नियम 158 के उप-नियम (8) की सारणी के स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, जो उक्त सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित आवेदक के संबंध में यथास्थिति, पहचान, पता और जन्म तारीख या निगमन तारीख, के प्रमाण के रूप में हों।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी संस्था" से अभिप्रेत है–

(क) केन्द्रीय सरकार की कोई संस्था; या

ख) राज्य सरकार की कोई संस्था; या

(ग) कोई स्थानीय प्राधिकरण (केन्द्रीय सरकार); या

घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण (राज्य सरकार),

किंतु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा गठित कोई कंपनी या कोई सांविधिक या स्वायत्त निकाय शामिल नहीं होगा।

217. अनिवासियों के मामले में उच्चतर दर पर कर कटौती लागू न होने के लिए धारा 397(2)(ग) के अधीन शर्तें – (1) यदि ऐसे कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या नहीं है, तो ब्याज, स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, लाभांश और किसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर किए गए भुगतानों के संबंध में, धारा 397(2)(ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी न हो (कटौती प्राप्तकर्ता), पर लागू नहीं होंगे, यदि कटौती प्राप्तकर्ता उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज कटौतीकर्ता को प्रस्तुत करता है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज निम्नलिखित होंगे:–

(क) नाम, ई-मेल आईडी, संपर्क संख्या;

(ख) भारत के बाहर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पता, जिसका कटौती प्राप्तकर्ता निवासी है;

(ग) भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी किया गया हो, यदि उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की विधि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने का उपबंध करती हो; और

(घ) निर्धारिती का उसके निवास देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का कर पहचान क्रमांक, और यदि ऐसा कोई क्रमांक उपलब्ध न हो, तो एक विशिष्ट क्रमांक जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारिती की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।

(3) धारा 397(2)(ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी व्यक्ति को किए गए भुगतानों पर भी लागू नहीं होंगे, जो कंपनी न हो या विदेशी कंपनी न हो, यदि ऐसे व्यक्ति को धारा 262 और उसमें निर्धारित नियमों के उपबंधों के अनुसार पैन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा नहीं है।

218. धारा 392(2)(क) के अधीन स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर या संदाय किए गए कर का सरकारी खाते में संदाय करने का समय और तरीका – (1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन काटी या संग्रहण की गई सभी राशियाँ, या धारा 392(2) के अधीन कटौती योग्य मानी जाने वाली राशियाँ, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा केंद्रीय सरकार के खाते में निम्नानुसार जमा की जाएँगी–

(क) उसी दिन, जहाँ कर का संदाय आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है; और

(ख) उस महीने के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले, जिसमें धारा 392(2)(क) के अधीन कटौती या संग्रहण किया गया हो या आयकर देय हो, जहाँ कर का संदाय आयकर चालान के साथ किया जाता है।

(2) अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, कटौतीकर्ताओं या संग्राहकों द्वारा काटी गई या संग्रहण की गई सभी राशियाँ, या धारा 392(2) के अधीन कटौती योग्य मानी जाने वाली राशियाँ, जो सरकार के कार्यालय से भिन्न अन्य कार्यालय में हों, केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएँगी–

(क) 30 अप्रैल को या उससे पहले, जहाँ आय या राशि मार्च माह में जमा या संदाय की गई हो, या विकलन या प्राप्त की गई हो; और

(ख) किसी अन्य मामले में, उस माह के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले जिसमें–

(i) कटौती या संग्रह किया गया हो; या

(ii) धारा 392(2)(क) के अधीन आयकर देय हो।

(3) उप-नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ निम्नलिखित प्रकार की आय या राशि के संबंध में धारा 393(1) के अधीन कोई राशि काटी जाती है,–

(क) किराया के रूप में कोई आय (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (2)(i)]); या

(ख) किसी अचल संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) के हस्तांतरण के लिए कोई प्रतिफल (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (3)(i)]); या

(ग) कोई राशि -

(i) किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य को पूरा करने के लिए (किसी कार्य को पूरा करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित); या

(ii) वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में

(iiiiii) कमीशन के रूप में {जो धरा 393(1) [सारणी क्रम सं. (1)(1)] में निर्दिष्ट बीमा कोमिस्सिओं नहीं है}

(धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (6)(ii)]); या

(घ) किसी आभासी डिजिटल आस्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में कोई राशि (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (8)(vi)]),

केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी राशि का संदाय उस माह के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा जिसमें कटौती की गई है और इसके साथ प्ररूप संख्या 141 में चालान-सह-विवरण संलग्न किया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, विशेष मामलों में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयकर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, धारा 392(1) या 393(1) [सारणी: क्रमांक (1)(i), 1(ii), 5(ii) और (iii)]) के अधीन काटे गए कर का त्रैमासिक संदाय, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट कर वर्ष की तिमाहियों के लिए, उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट तारीख तक करने की अनुमति दे सकेगा:

सारणी

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष की तिमाही, जिसकी समाप्ति तारीख निम्नलिखित है,**	**त्रैमासिक संदाय की तारीख।**
क	**ख**	**ग**
1.	30 जून	7 जुलाई

2.	30 सितम्बर	7 अक्तूबर
3.	31 दिसम्बर	7 जनवरी
4.	31 मार्च	30 अप्रैल

(5) सरकारी कार्यालय के मामले में, जहाँ कर चालान प्रस्तुत किए बिना केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किया गया है, –

(क) वेतन एवं लेखा अधिकारी या जिला कोषाधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे कटौतीकर्ता या संग्राहक कटौती या संग्रहण किए गए कर की रिपोर्ट करता है और जो ऐसी राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, प्ररूप संख्या 137 में एक विवरण प्रस्तुत करेगा; और

(ख) ऐसा विवरण आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट विवरण —

(क) 30 अप्रैल को या उससे पहले, यदि विवरण मार्च माह से संबंधित है; और

(ख) किसी अन्य मामले में, सुसंगत माह के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी की गई संख्या (जिसे यहां बही पहचान संख्या कहा गया है) उन सभी कटौतीकर्ताओं या संग्राहकों को सूचित करेंगे जिनके संबंध में कटौती या संग्रहण की गई राशि क्रेडिट की गई है।

(8) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति—

(क) प्ररूप संख्या 137 दाखिल करने के लिए लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्राप्त करेंगे;

(ख) लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्राप्त करने के लिए प्ररूप 136 दाखिल करेंगे;

(9) जहां आयकर चालान के साथ कर जमा करना हो, वहां इसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जाएगा।

(10) जहां नियम 333 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आयकर चालान के साथ कर जमा किया जाना है या जहां उप-नियम (3) के अनुसार आयकर चालान सह विवरण के साथ कर जमा किया जाना है, तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विप्रेषित किया जाएगा।

(11) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि विप्रेषित करने के प्रयोजन हेतु प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि विप्रेषित करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे।

219. धारा 397(3)(ख) के अधीन स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का विवरण:– (1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट धाराओं के संबंध में स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, धारा 397(3)(ख) के अनुसार, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट प्ररूप में त्रैमासिक विवरण परिदान करेगा, या परिदान करवाएगा:

सारणी

क्रमांक	**वह धारा जिसके अधीन कर की कटौती, संदाय या संग्रहण किया गया है**	**प्ररूप**
क	**ख**	**ग**
1	धारा 392 (धारा 392(7) के सिवाय) और धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 8(iii)]।	**138.**
2	धारा 392(7), 393(2) और 393(3), ऐसे प्राप्तकर्ता के संबंध में जो अनिवासी है, कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, या निवासी है लेकिन मामूली रूप से निवासी नहीं है।	**144.**
3	धारा 392(7), 393(1) (सारणी: क्रमांक 8(iii) के सिवाय) और 393(3), क्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य प्राप्तकर्ता के संबंध में।	**140.**
4	धारा 394(1)।	**143.**

(2) जहां धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक (8)(vi)] के साथ पठित धारा 400(2) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन, एक्सचेंज ने अपने स्वामित्व वाली आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लेनदेन के संबंध में, धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक (8)(vi)] के अधीन ऐसी आस्ति के क्रेता द्वारा काटे जाने वाले कर के विकल्प के रूप में कर का संदाय करने पर सहमति व्यक्त की है, तो एक्सचेंज ऐसे लेनदेन का त्रैमासिक विवरण प्ररूप संख्या 142 में परिदान करेगा या परिदान करवाएगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट एक्सचेंज, प्ररूप संख्या 142 में त्रैमासिक विवरण तैयार करते समय, संदाय की गई या जमा की गई ऐसी राशि का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर धारा 400(2) के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर नहीं काटा गया था।

(4) उप-नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट विवरण, वित्तीय वर्ष की उस तिमाही के लिए जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होती है, उसके स्तंभ ग में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक प्रस्तुत किए जाएंगे।

सारणी

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति तारीख**	**नियत तारीख**
क	**ख**	**ग**
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष का 31 जुलाई।
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष का 31 अक्टूबर।
3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष का 31 जनवरी।
4.	31 मार्च	जिस कर वर्ष में यथास्थिति, कटौती या संग्रहण की जानी अपेक्षित है, उसके ठीक पश्चात वाले वित्तीय वर्ष की 31 मई।

(5) उप-नियम (1) या (2) या (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, निम्नलिखित धाराओं के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की गई है, के अंत से तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या 141 में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (2)(i)];

ख) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (3)(i)];

ग) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (6)(ii)]; और

घ) धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (8)(vi)]।

(6) अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की गई राशि की वापसी के लिए कटौतीकर्ता द्वारा प्ररूप संख्या 139 में दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां किसी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के न्यासी किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल के दौरान नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान, जिसमें ऐसे अंशदान पर ब्याज भी शामिल है, का संदाय करते हैं, तो वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो माह के भीतर आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित विवरण देते हुए एक विवरण भेजेंगे:–

(क) अधिवर्षिता निधि का नाम;

(ख) कर्मचारी का नाम और पता;

(ग) वह अवधि जिसके लिए कर्मचारी ने अधिवर्षिता निधि में अंशदान किया है;

घ) मूलधन और ब्याज के मद में पुनर्भुगतान किए गए अंशदान की रकम;

ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर कटौती की औसत दर; और

(च) पुनर्भुगतान पर काटे गए कर की रकम।

(8) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण के साथ निम्नलिखित प्ररूप में विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापन संलग्न किया जाएगा:

सत्यापन प्ररूप

हम/मैं, उपर्युक्त निधि के न्यासी, यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण में जो कुछ कहा गया है वह हमारी/मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(9) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "एक्सचेंज" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण के लिए एक एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म संचालित करता है, जो खरीद और बिक्री सौदों का मिलान करता है और उन्हें अपने एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म पर निष्पादित करता है; और

(ख) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 2(111) में दिया गया है।

220. अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को किए गए संदाय के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना – (1) अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी रकम का संदाय अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा:–

(क) प्ररूप संख्या 145 के भाग क में सूचना, यदि कर वर्ष के दौरान किए गए संदाय की राशि या ऐसे भुगतानों का कुल योग, जैसा भी मामला हो, ₹ 500000 से अधिक न हो;

(ख) प्ररूप संख्या 145 के भाग ख में सूचना, यदि यथास्थिति, संदाय की राशि या ऐसे भुगतानों का कुल योग ₹ 500000 से अधिक हो और जहां धारा 395(1) या (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया हो;

(ग) प्ररूप संख्या 145 के भाग ग में सूचना, यदि संदाय की रकम या ऐसे भुगतानों का कुल योग ₹ 500000 से अधिक हो और जहां धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से प्ररूप संख्या 146 में प्रमाणपत्र प्राप्त हो, लेकिन जहां उक्त प्ररूप के भाग ख में सूचना दी जा चुकी हो, वहां उक्त प्ररूप के भाग ग में कोई सूचना देने की अपेक्षा नहीं है।

(2) किसी अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को ऐसी कोई राशि, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य न हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्ररूप संख्या 145 के भाग घ में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (2) के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन प्रभार्य न होने वाली किसी भी राशि के लिए कोई सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी, यदि–

(क) विप्रेषण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो और इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाई गई विदेशी मुद्रा (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 की अनुसूची III के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा न हो; या

(ख) विप्रेषण धारा 147(1)(ख) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय की किसी इकाई द्वारा किया गया हो; या

(ग) विप्रेषण नीचे दी गई विनिर्दिष्ट सूची के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट प्रकृति का हो:

क्रम सं.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड**	**संदाय का स्वरूप**
क	**ख**	**ग**
1	S0001	विदेशों में भारतीय निवेश - इक्विटी पूंजी (शेयरों) में।
2	S0002	विदेशों में भारतीय निवेश - ऋण प्रतिभूतियों में।
3	S0003	विदेशों में भारतीय निवेश - शाखाओं और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में।
4	S0004	विदेशों में भारतीय निवेश - अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में।
5	S0005	विदेशों में भारतीय निवेश – भू संपदा में।
6	S0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण।
7	S0101	आयात के लिए अग्रिम संदाय।
8	S0102	आयात के लिए संदाय (चालान का निपटान)।
9	S0103	राजनयिक मिशनों द्वारा आयात।
10	S0104	मध्यवर्ती व्यापार।
11	S0190	₹500000 से कम का आयात - (विनिमय नियंत्रण विभाग के कार्यालयों के उपयोग के लिए)।
12	S0202	विदेशों में कार्यरत भारतीय पोतपरिवहन कंपनियों के परिचालन व्यय का संदाय।
13	S0208	विदेशों में कार्यरत भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के परिचालन व्यय।

14	S0212	विदेशों में यात्रा बुकिंग - एयरलाइंस कंपनियां।
15	S0301	व्यावसायिक यात्रा के लिए विप्रेषण।
16	S0302	बेसिक ट्रेवल कोटा (बीटीक्यू) के अधीन यात्रा।
17	S0303	तीर्थयात्रा।
18	S0304	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा।
19	S0305	शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, छात्रावास व्यय आदि सहित)।
20	S0401	डाक सेवाएं।
21	S0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में परियोजनाओं का निर्माण, जिसमें परियोजना स्थल पर माल का आयात भी शामिल है।
22	S0602	माल ढुलाई बीमा - माल के आयात और निर्यात से संबंधित।
23	S1011	विदेशों में कार्यालयों के रखरखाव के लिए संदाय।
24	S1201	विदेशों में भारतीय दूतावासों का रखरखाव।
25	S1202	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा विप्रेषण।
26	S1301	परिवार के भरण-पोषण और बचत के लिए अनिवासियों द्वारा विप्रेषण।
27	S1302	व्यक्तिगत उपहारों और दान के लिए विप्रेषण।
28	S1303	विदेशों में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को दान के लिए विप्रेषण।
29	S1304	सरकारों द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थानों और अन्य सरकारों को अनुदान और दान के लिए विप्रेषण।
30	S1305	सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अंशदान या दान।
31	S1306	करों के संदाय या वापसी के लिए विप्रेषण।
32	S1501	निर्यात के कारण वापसी, छूट या चालान मूल्य में कमी।
33	S1503	निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए संदाय।

(4) प्ररूप संख्या 145 में दी गई जानकारी निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी:

(क) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और उसके पश्चात उक्त प्ररूप संदाय विप्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राधिकृत डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा; या

(ख) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से, और उसके पश्चात उक्त प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति संदाय विप्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राधिकृत डीलर को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) आयकर प्राधिकारी अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृतडीलर से उप-नियम (4)(ख) में विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या 145 की एक प्रति प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा।

(6) वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए उप-नियम (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट सभी विप्रेषणों के संबंध में एक त्रैमासिक विवरण:

(क) प्राधिकृत डीलर द्वारा प्ररूप संख्या 147 में; या

(ख) धारा 147(1)(ख) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय की एक इकाई, जो किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, द्वारा प्ररूप संख्या 148 में,

आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, उस कर वर्ष की तिमाही, जिससे ऐसा विवरण संबंधित है, की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "प्राधिकृत डीलर" से तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(1) के अधीन प्राधिकृत डीलर के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से है;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(थ) में दिया गया है; और

(ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2(थ) में दिया गया है।

221. धारा 394(1) [सारणी क्रमांक 1 से 5 और 9] के अनुसार कर की कटौती या संग्रहण के लियुए उत्तरदायी व्यक्ति, जो व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, के लिए धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप:– (1) धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा धारा 398(2) के अधीन प्रमाणपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा:–

(क) कर की कटौती न होने या कम कटौती होने की स्थिति में प्ररूप संख्या 149 में;

(ख) कर का संग्रहण न होने या कम संग्रहण होने की स्थिति में प्ररूप संख्या 150 में।

(2) प्ररूप संख्या 149 या प्ररूप संख्या 150 आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

222. धारा 289 के अधीन मांग का नोटिस – नियम 179 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के के होते हुए भी, धारा 407 के अधीन आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को धारा 289 के अधीन दिया जाने वाला मांग नोटिस प्ररूप संख्या 151 में होगा।

223. धारा 407(8) के अधीन अग्रिम कर का अनुमान – धारा 407(8) के अधीन निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा भेजी जाने वाली सूचना प्ररूप संख्या 152 में होगी।

224. धारा 413 या धारा 414 के अधीन विवरण का प्ररूप – धारा 413 या धारा 414 के अधीन विवरण कर वसूली अधिकारी द्वारा प्ररूप संख्या 153 में तैयार किया जाएगा।

225. धारा 413 और धारा 475 के प्रयोजनों के लिए कर वसूली की प्रक्रिया –

(1) परिभाषाएँ: इस नियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "प्रमाणपत्र", उप-नियम **(7), (44), (65)** और **66 (ख)** में उल्लिखित को छोड़कर, से धारा 413 में विनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती के संबंध में कर वसूली अधिकारी द्वारा उक्त धारा के अधीन तैयार किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "व्यतिक्रमी" से प्रमाणपत्र में उल्लिखित निर्धारिती अभिप्रेत है;

(ग) "निष्पादन", किसी प्रमाणपत्र के संबंध में, से प्रमाणपत्र के अनुसरण में बकाया राशि की वसूली अभिप्रेत है;

(घ) "चल संपत्ति" में खड़ी फसलें भी शामिल हैं;

(ङ) "अधिकारी" से इस नियम के अधीन कुर्की या बिक्री करने के लिए प्राधिकृतव्यक्ति अभिप्रेत है; और

(च) "निगम में अंश" में स्टॉक, डिबेंचर-स्टॉक, डिबेंचर या बांड भी शामिल हैं।

(2) नोटिस जारी करना: जब कर वसूली अधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र तैयार किया गया हो, तो कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को एक नोटिस तामील करवाएगा जिसमें व्यतिक्रमी को नोटिस तामील की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रमाणपत्र में

विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने के लिए कहा जाएगा और यह सूचित किया जाएगा कि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में इस नियम के अधीन राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे।

(3) प्रमाणपत्र कब निष्पादित किया जा सकेगा: (क) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अध्यधीन, उप-नियम (2) द्वारा अपेक्षित नोटिस की तामील की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि बीत जाने तक प्रमाणपत्र के निष्पादन की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(ख) यदि कर वसूली अधिकारी समाधान है कि व्यतिक्रमी अपनी ऐसी चल संपत्ति के पूरे या किसी भाग को छिपाने, हटाने या निपटाने की संभावना रखता है जो किसी **सिविल न्यायालय** के निर्णय के निष्पादन में कुर्की के योग्य हो और परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र की राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी, तो वह किसी भी समय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसी संपत्ति के पूरे या किसी भाग की कुर्की का निदेश दे सकेगा; और

(ग) **यदि** व्यतिक्रमी, जिसकी संपत्ति इस प्रकार कुर्क की गई है, कर वसूली अधिकारी के समाधान के अनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कुर्की उस तारीख से रद्द कर दी जाएगी जिस तारीख से कर वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी प्रतिभूति स्वीकार की जाती है।

(4) वसूली का तरीका: यदि नोटिस में उल्लिखित रकम उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या कर वसूली अधिकारी द्वारा अपने विवेक से दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर संदाय नहीं की जाती है, तो कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा:

(क) व्यतिक्रमी की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा;

(ख) व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा;

(ग) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और उसे कारागार में निरोध में रखने द्वारा;

(घ) चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर नियुक्त करके।

(5) वसूल की जा सकने वाली ब्याज, लागत और प्रभार: प्रत्येक प्रमाणपत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निम्नलिखित वसूल किए जा सकेंगे:

(क) कर या शास्ति या अन्य राशि पर, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, धारा 411(3) के अनुसार देय ब्याज; और

(ख) निम्नलिखित के संबंध में किए गए सभी प्रभार:

(i) बकाया संदाय के लिए व्यतिक्रमी को नोटिस की तामील, और वारंट और अन्य आदेशिकाओं की तामील; और

(ii) बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियां।

(6) क्रेता का हक: (क) जहाँ किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में संपत्ति बेची जाती है, वहाँ क्रेता को केवल बिक्री के समय व्यतिक्रमी का अधिकार, हक और हित प्राप्त होगा, भले ही संपत्ति स्वयं **विनिर्दिष्ट हो।**

(ख) जहाँ अचल संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची जाती है, और ऐसी बिक्री पूर्ण हो गई है, तो **क्रेता का** अधिकार, हक और हित संपत्ति की बिक्री के समय से उसमें निहित माना जाएगा, न कि बिक्री के पूर्ण होने के समय से।

(7) क्रेता के विरुद्ध वादी की ओर से की गई खरीद के आधार पर वाद नहीं चलाया जा सकेगा: (क) इस नियम में अधिकथित रीति से कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणित खरीद के अधीन स्वत्वाधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर कोई वाद नहीं चलाया जा सकेगा कि खरीद वादी की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से की गई थी जिसके माध्यम से वादी दावा करता है।

(ख) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात यह घोषणा प्राप्त करने के लिए वाद चलाने से नहीं रोकेगी कि उपर्युक्त प्रमाणित क्रेता का नाम प्रमाणपत्र में कपट से या वास्तविक क्रेता की सहमति के बिना दर्ज किया गया था, या किसी तीसरे व्यक्ति के उस संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार में, इस आधार पर कि वह संपत्ति वास्तविक स्वामी के विरुद्ध ऐसे तीसरे व्यक्ति के दावे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, हस्तक्षेप नहीं करेगी, यद्यपि वह संपत्ति स्पष्ट रूप से प्रमाणित क्रेता को बेची गई हो।

(8) निष्पादन से प्राप्त आगमों का निपटान: (क) जब भी किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बिक्री या अन्य किसी रीति से आस्तियों की वसूली की जाती है, तो प्राप्त आगमों का निपटान निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) उन्हें पहले उस प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम और ऐसे निष्पादन के दौरान हुए खर्चों के लिए समायोजित किया जाएगा जिसके निष्पादन में आस्तियों की वसूली की गई थी;

(ii) यदि मद (i) में विनिर्दिष्ट समायोजन के पश्चात कोई शेष राशि बचती है, तो उसका उपयोग अधिनियम के अधीन निर्धारिती से वसूली योग्य किसी अन्य राशि की पूर्ति के लिए किया जाएगा जो आस्तियों की वसूली की तारीख पर देय हो; और

(iii) उप-खंड (i) और (ii) के अधीन समायोजन के पश्चात यदि कोई शेष राशि बचती है, तो वह व्यतिक्रमी को संदाय की जाएगी।

(b) यदि व्यतिक्रमी उप-नियम 8(क)(ii) के अधीन किसी समायोजन पर विवाद करता है, तो कर वसूली अधिकारी विवाद का अवधारण करेगा।

(9) कपट के आरोप को छोड़कर, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर सामान्य रोक: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन और अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से दिए गए उपबंधों को छोड़कर, कर

वसूली अधिकारी और व्यतिक्रमी या उनके प्रतिनिधियों के बीच किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन, निर्वहन या समाधान से संबंधित, या ऐसे प्रमाणपत्र के निष्पादन में आयोजित बिक्री की अधिनियम के अधीन किसी आदेश द्वारा पुष्टि या निरस्तीकरण से संबंधित, प्रत्येक प्रश्न का निपटारा वाद द्वारा नहीं, बल्कि उस कर वसूली अधिकारी के आदेश द्वारा किया जाएगा जिसके समक्ष ऐसा प्रश्न उठता है; **और**

(ख) धोखाधड़ी के आधार पर ऐसे किसी प्रश्न के संबंध में **सिविल न्यायालय** में वाद लाया जा सकेगा।

(10) कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति: (क) ऐसी सभी संपत्ति जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा **सिविल न्यायालय** के किसी निर्णय के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से मुक्त है, इस नियम के अधीन कुर्की और बिक्री से मुक्त होगी; और

(ख) कर वसूली अधिकारी का यह विनिश्चय कि कौन सी संपत्ति इस प्रकार छूट की हकदार है, अंतिम होगा।

(11) कर वसूली अधिकारी द्वारा अन्वेषण: (क) यदि किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में किसी संपत्ति की कुर्की या बिक्री के विरुद्ध इस आधार पर कोई दावा किया जाता है या कोई आपत्ति उठाई जाती है कि ऐसी संपत्ति कुर्की या बिक्री के योग्य नहीं है, तो कर वसूली अधिकारी दावे या आपत्ति का अन्वेषण करेगा, किंतु ऐसा कोई अन्वेषण नहीं किया जाएगा यदि कर वसूली अधिकारी यह विचार है कि दावा या आपत्ति जानबूझकर या अनावश्यक रूप से विलंबित की गई थी ;

(ख) यदि दावा या आपत्ति से संबंधित संपत्ति को बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया है, तो बिक्री का आदेश देने वाला कर वसूली अधिकारी दावे या आपत्ति का अन्वेषण लंबित रहने तक, प्रतिभूति या अन्य ऐसी अपेक्षाओं पर, जैसा कर वसूली अधिकारी ठीक समझे, बिक्री को स्थगित कर सकेगा;

(ग) दावाकर्ता या आपत्तिकर्ता को यह दर्शाने के लिए–

i. अचल संपत्ति के मामले में, इस नियम के अधीन बकाया संदाय के लिए जारी किए गए नोटिस की तामील की तारीख को; या

ii. चल संपत्ति के मामले में, कुर्की की तारीख को,

साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उसका प्रश्नगत संपत्ति में कोई हित था, या वह उस संपत्ति पर कब्ज़ा रखता था।

(घ) जहां उक्त जांच के पश्चात, कर वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि दावे या आपत्ति में बताए गए कारण से, उक्त संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसके लिए विश्वासपात्र के रूप में किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी, या किसी किरायेदार या उसे किराया देने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी, या उक्त तारीख को व्यतिक्रमी के कब्जे में होने पर, वह संपत्ति उसके अपने खाते पर या उसकी अपनी संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते पर या उसके लिए विश्वासपात्र के रूप में, या आंशिक रूप से उसके अपने खाते पर और आंशिक रूप से किसी अन्य

व्यक्ति के खाते पर उसके कब्जे में थी, तो कर वसूली अधिकारी संपत्ति को पूरी तरह से या अपनी इच्छानुसार किसी सीमा तक कुर्की या बिक्री से मुक्त करने का आदेश देगा;

(ङ) यदि कर वसूली अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी की अपनी संपत्ति के रूप में स्वयं के कब्जे में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण, या उसके विश्वासपात्र किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में थी, या किसी किरायेदार या उसे किराया देने वाले किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में थी, तो कर वसूली अधिकारी दावे को अस्वीकार कर देगा; **और**

(च) जहां कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो जिस पक्ष के विरुद्ध आदेश दिया गया है, वह विवादित संपत्ति पर अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए **सिविल न्यायालय** में वाद दायर कर सकेगा; परन्तु, ऐसे वाद के परिणाम (यदि कोई हो) के अध्यधीन, कर वसूली अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(12) समाधान होने या प्रमाणपत्र रद्द होने पर कुर्की हटाना: जहां–

(क) देय राशि, लागत और किसी संपत्ति की कुर्की से उत्पन्न सभी प्रभार और व्यय, या बिक्री आयोजित करने के लिए किए गए व्यय सहित, कर वसूली अधिकारी को संदाय कर दी जाती हैं; या

(ख) यदि प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है,

तो कुर्की वापस ली गई मानी जाएगी और अचल संपत्ति के मामले में, यदि व्यतिक्रमी चाहे तो उसके खर्च पर कुर्की की वापसी की घोषणा की जाएगी और घोषणा की एक प्रति इस नियम में अचल संपत्ति की बिक्री की घोषणा के लिए निर्धारित रीति से चिपकाई जाएगी।

(13) कुर्की एवं बिक्री के लिए हकप्राप्त अधिकारी: चल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री और अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, जिन्हें कर वसूली अधिकारी समय-समय पर निदेशित करे।

(14) पुनर्विक्रय पर होने वाले नुकसान के लिए व्यतिक्रमी क्रेता का उत्तरदायी होना: क्रेता की व्यतिक्रम के कारण पुनर्विक्रय पर मूल्य में हुई किसी भी कमी और ऐसे पुनर्विक्रय से संबंधित सभी व्ययों की जानकारी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा कर वसूली अधिकारी को दी जाएगी, और कर वसूली अधिकारी या व्यतिक्रमी के अनुरोध पर, इस नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यतिक्रमी क्रेता से वसूल की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी आवेदन पुनर्विक्रय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर फाइल न किए जाने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(15) बिक्री का स्थगन या रोक: (क) कर वसूली अधिकारी अपने विवेक से, इस नियम के अधीन किसी भी बिक्री को किसी विनिर्दिष्ट दिन और समय तक स्थगित कर सकेगा; और ऐसी किसी भी बिक्री का

संचालन करने वाला अधिकारी, अपने विवेक से, स्थगन के कारणों को दर्ज करते हुए बिक्री को स्थगित कर सकेगा; तथापि, जहां बिक्री कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में या उसके परिसर के भीतर की जाती है, वहां कर वसूली अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसा कोई स्थगन नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि अचल संपत्ति की बिक्री खंड (क) के अधीन एक कैलेंडर माह से अधिक अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो इस नियम में उल्लिखित बिक्री की नई घोषणा की जाएगी, जब तक कि व्यतिक्रमी इसकी छूट देने के लिए सहमत न हो जाए;

(ग) प्रत्येक बिक्री रोक दी जाएगी यदि, नीलामी से पहले, बकाया और लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है, या उसके समाधान के लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि ऐसी बकाया और लागत की राशि उस कर वसूली अधिकारी को संदाय कर दी गई है, जिसने बिक्री का आदेश दिया था।

(16) कतिपय मामलों में निजी अन्यसंक्रामण शून्य होना: (क) जहां उप-नियम (2) के अधीन किसी व्यतिक्रमी को नोटिस तामील किया गया है, वहां व्यतिक्रमी या उसका हित प्रतिनिधि कर वसूली अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी किसी संपत्ति को गिरवी रखने, प्रभारित करने, पट्टे पर देने या अन्यथा उससे संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगा, और न ही कोई **सिविल न्यायालय** धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में ऐसी संपत्ति के विरुद्ध कोई प्रक्रिया जारी करेगा; **और**

(ख) जहां इस नियम के अधीन कुर्की की गई है, वहां कुर्क की गई संपत्ति या उसमें किसी हित का कोई निजी अंतरण या सुपुर्दगी तथा व्यतिक्रमी को किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का कुर्की के विपरीत किया गया कोई भी संदाय कुर्की के अधीन लागू होने योग्य सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

(17) अधिकारी द्वारा बोली लगाने या खरीद पर प्रतिबंध - इस नियम के अधीन किसी बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में किसी भी हित के लिए बोली नहीं लगाएगा, उसे प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

(18) अवकाश के दिन बिक्री पर प्रतिबंध - इस नियम के अधीन कोई भी बिक्री रविवार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य सामान्य अवकाश के दिन या किसी ऐसे दिन नहीं होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया हो जहां बिक्री होनी है;

(19) पुलिस द्वारा सहायता: किसी संपत्ति को कुर्क करने या बेचने या व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृतकोई अधिकारी, या इस नियम में उल्लिखित किसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए नियुक्त अधिकारी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित सहायता के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी

अधिकारी से आवेदन कर सकेगा, और जिस प्राधिकारी को ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, वह ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेगा।

(20) कर वसूली अधिकारी द्वारा कतिपय कार्यों को न्यस्त करना : एक कर वसूली अधिकारी, संयुक्त आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, अपने से निचले पद के किसी अन्य अधिकारी (आयकर निरीक्षक से निचले पद का न हो) को कर वसूली अधिकारी के रूप में अपने कुछ कार्य न्यस्त कर सकेगा, और ऐसे अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के संबंध में कर वसूली अधिकारी माना जाएगा।

(21) वारंट और वारंट की प्रति की तामील: इस नियम में अन्यथा उपबंध न होने पर, जब किसी चल संपत्ति की कुर्की की जानी हो, तो अधिकारी को कर वसूली अधिकारी (या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी) द्वारा लिखित और उसके नाम से हस्ताक्षरित एक वारंट दिया जाएगा, जिसमें व्यतिक्रमी का नाम और वसूली की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट होगी, और अधिकारी वारंट की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील करवाएगा।

(22) कुर्की: यदि वारंट की प्रति तामील होने के पश्चात भी राशि का संदाय तुरंत नहीं किया जाता है, तो अधिकारी व्यतिक्रमी की चल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही करेगा।

(23) व्यतिक्रमी के कब्जे में संपत्ति: यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में स्थित चल संपत्ति (कृषि उपज को छोड़कर) है, तो कुर्की वास्तविक ज़ब्ती द्वारा की जाएगी, और अधिकारी संपत्ति को स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन जब जब्त की गई संपत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से खराब होने वाली हो या जब उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, तो अधिकारी उसे तुरंत बेच सकेगा।

(24) कृषि उपज: (क) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की वारंट की एक प्रति निम्नलिखित प्रकार से चिपकाई जाएगी:

(i) यदि ऐसी उपज उगने वाली फसल है, तो उस भूमि पर जिस पर ऐसी फसल उगी है, या

(ii) यदि ऐसी उपज काटी या एकत्र की गई है, तो खलिहान या अनाज निकालने के स्थान या इसी प्रकार के स्थान, या चारे के ढेर पर, या जहां इसे रखा जाता है,

और दूसरी प्रति उस घर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी जिसमें व्यतिक्रमी सामान्यतः रहता है, या कर वसूली अधिकारी की अनुमति से, उस घर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी जिसमें वह कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ

के लिए काम करता है, या जिसमें वह अंतिम बार रहा हो या कारबार किया हो या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया हो; और

(ख) इसके तदुपरी, उपज कर वसूली अधिकारी के कब्जे में आ गई मानी जाएगी।

(25) कुर्की के अधीन कृषि उपज के संबंध में उपबंध: (क) जहाँ कृषि उपज कुर्क की जाती है, वहाँ कर वसूली अधिकारी उसकी अभिरक्षा, निगरानी, देखभाल, कटाई और संग्रहण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जिसे वह पर्याप्त समझे और उसे ऐसी व्यवस्था की लागत चुकाने का अधिकार होगा;

(ख) कर वसूली अधिकारी द्वारा कुर्की आदेश या किसी पश्चातवर्ती आदेश में लगाई गई अपेक्षाओं के अध्यधीन, व्यतिक्रमी उपज की देखभाल, कटाई, एकत्र और भंडारण कर सकेगा तथा उसे परिपक्व करने या संरक्षित करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य कार्य कर सकेगा; और यदि व्यतिक्रमी ऐसे सभी या इनमें से कोई भी कार्य करने में विफल रहता है, तो कर वसूली अधिकारी द्वारा इस संबंध में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, समान अपेक्षाओं के अध्यधीन, ऐसे सभी या इनमें से कोई भी कार्य कर सकेगा, और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च व्यतिक्रमी से इस प्रकार वसूल किए जा सकते हैं मानो वे प्रमाणपत्र में शामिल हों;

(ग) बढ़ती फसल के रूप में कुर्क की गई कृषि उपज को केवल इसलिए कुर्की से मुक्त नहीं माना जाएगा या पुनः कुर्की की अपेक्षा नहीं होगी क्योंकि उसे मिट्टी से अलग कर दिया गया है;

(घ) यदि किसी बढ़ती हुई फसल की कुर्की का आदेश फसल के कटाई या संग्रहण के लिए उपयुक्त होने से काफी पहले दिया गया हो, तो कर वसूली अधिकारी आदेश के निष्पादन को उचित समय तक निलंबित कर सकेगा, और अपने विवेक से कुर्की आदेश के निष्पादन तक फसल को हटाने पर रोक लगाने का एक और आदेश दे सकेगा; और

(ङ) ऐसी बढ़ती हुई फसल जिसे उसकी प्रकृति के कारण भंडारित नहीं किया जा सकता, इस नियम के अधीन उसकी कटाई या एकत्र करने के लिए उपयुक्त होने से बीस दिन पहले कुर्क नहीं की जाएगी।

(26) ऋण और शेयर आदि: (क) निम्नलिखित मामलों में–

(i) परक्राम्य लिखत द्वारा प्रतिभूत न किया गया ऋण; **या**

(ii) किसी निगम में शेयर; **या**

(iii) अन्य चल संपत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाय उस संपत्ति के जो किसी न्यायालय में जमा है या उसकी अभिरक्षा में है,

कुर्की लिखित आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित को प्रतिबंधित किया जाएगा:

(क) ऋण के मामले में, कर वसूली अधिकारी के अगले आदेश तक लेनदार को ऋण वसूलने से और देनदार को उसका संदाय करने से;

(ख) शेयर के मामले में, जिस व्यक्ति के नाम पर शेयर है, उसे हस्तांतरण करने या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से; **और**

(ग) किसी **अन्य चल संपत्ति के मामले में**, उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे व्यतिक्रमी को सौंपने से;

(ख) ऐसे आदेश की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाएगी, और दूसरी प्रति ऋण के मामले में देनदार को, शेयर के मामले में निगम के उचित अधिकारी को, और किसी अन्य चल संपत्ति के मामले में उसके कब्जेदार को भेजी जाएगी; और

(ग) उप-नियम 26(क)(iii)(**क**) के अधीन प्रतिबंधित देनदार अपने ऋण की रकम कर वसूली अधिकारी को संदाय कर सकेगा, और ऐसा संदाय उसे उसी प्रकार ऋणमुक्त करेगा जैसे कि उसे प्राप्त करने के हकदार पक्ष को किया गया संदाय हो।

(27) डिक्री की कुर्की: (क) किसी **सिविल न्यायालय** के धन संदाय या बंधक या प्रभार के प्रवर्तन में बिक्री के लिए डिक्री की कुर्की, **सिविल न्यायालय को लिखित में एक अनुरोध जारी करके** की जाएगी कि डिक्री के निष्पादन को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि–

i. कर वसूली अधिकारी ऐसा **अनुरोध वापस न ले ले;** या

ii. कर वसूली अधिकारी या व्यतिक्रमी डिक्री को निष्पादित करने के लिए ऐसे **अनुरोध** प्राप्त करने वाले न्यायालय में आवेदन न करे;

(ख) जहां किसी सिविल न्यायालय को खंड (क)(ii) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो वह कर वसूली अधिकारी या व्यतिक्रमी के आवेदन पर तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यधीन, कुर्क किए गए डिक्री को निष्पादित करने की कार्यवाही करेगा तथा प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए निवल आय को लागू करेगा।

(ग) कर वसूली अधिकारी को कुर्क किए गए डिक्री के धारक का प्रतिनिधि माना जाएगा और वह ऐसे कुर्क किए गए डिक्री को उसके धारक के लिए वैध किसी भी रीति से निष्पादित करने का हकदार होगा।

28. चल संपत्ति में हिस्सा: जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में व्यतिक्रमी का उसके और किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व वाली चल संपत्ति में हिस्सा या हित शामिल है, वहां व्यतिक्रमी को नोटिस जारी करके कुर्की की जाएगी, जिसमें उसे हिस्से या हित को हस्तांतरित करने या किसी भी प्रकार से उस पर प्रभार डालने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

29. सरकारी कर्मचारियों का वेतन: सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन या भत्तों की कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 48 में

दी गए रीति से की जा सकती है, और उक्त नियम के उपबंध इस नियम के प्रयोजनों के लिए यथाअपेक्षित संशोधनों के अध्यधीन लागू होंगे।

30. परक्राम्य लिखत की कुर्की: जहां संपत्ति एक परक्राम्य लिखत है जो न तो न्यायालय में जमा है और न ही किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की वास्तविक जब्ती द्वारा की जाएगी, और लिखत को कर वसूली अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके आदेशों के अधीन रखा जाएगा।

31. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की: यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, तो कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को एक नोटिस जारी करके की जाएगी, जिसमें यह अनुरोध किया जाएगा कि ऐसी संपत्ति और उस पर देय कोई भी ब्याज या लाभांश, नोटिस जारी करने वाले कर वसूली अधिकारी के आगे के आदेशों के अधीन रखा जाए। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, तो कर वसूली अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति जो दोषी न हो और किसी आवंटन, कुर्की या अन्य किसी कारण से ऐसी संपत्ति में अपना हित होने का दावा करता हो के बीच उत्पन्न होने वाले स्वामित्व या प्राथमिकता के किसी भी प्रश्न का निर्णय ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

32. भागीदारी संपत्ति की कुर्की: (क) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में साझेदार के रूप में व्यतिक्रमी का हिस्सा शामिल है, वहां कर वसूली अधिकारी भागीदारी संपत्ति और लाभ में ऐसे भागीदार के हिस्से पर प्रमाणपत्र के अधीन देय राशि के संदाय का प्रभार लगाने का आदेश दे सकेगा, और उसी या पश्चात के आदेश द्वारा, पहले से घोषित या अर्जित लाभ में ऐसे साझेदार के हिस्से और साझेदारी के संबंध में उसे देय किसी अन्य धन के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, और लेखा-जोखा और जांच का निदेश दे सकेगा और ऐसे हिस्से की बिक्री का आदेश या ऐसा कोई अन्य आदेश दे सकेगा जैसा मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो; और

(ख) अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रभारित हिस्से को छुड़ाने या बिक्री का निदेश दिए जाने की स्थिति में उसे खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. सूची: चल संपत्ति की कुर्की के मामले में, अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति की कुर्की के पश्चात, कुर्क की गई सभी संपत्ति की सूची तैयार करेगा, जिसमें संपत्ति के रखे जाने का स्थान भी विनिर्दिष्ट होगा, और इसे कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित करेगा। अधिकारी द्वारा सूची की एक प्रति व्यतिक्रमी को दी जाएगी।

34. कुर्की का अत्यधिक नहीं होना : कुर्की अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् कुर्क की गई संपत्ति वारंट में विनिर्दिष्ट राशि के लगभग समानुपातिक होनी चाहिए।

35. सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जब्ती: जब्ती द्वारा कुर्की सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले की जाएगी, अन्यथा नहीं।

36. दरवाजे आदि तोड़ने की शक्ति: (क) **यदि प्रवेश नहीं दिया जाता है,** तो अधिकारी किसी भी भवन का भीतरी या बाहरी दरवाजा या खिड़की तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकेगा ताकि चल संपत्ति जब्त की जा सके, यदि अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे भवन में वारंट के अधीन जब्त की जा सकने वाली चल संपत्ति है और अधिकारी ने दरवाजा तोड़ने के अपने प्राधिकार और आशय की सूचना दे दी है; और

(ख) अधिकारी महिलाओं को हटने का पूरा उचित अवसर देगा।

37. बिक्री: कर वसूली अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि इस नियम के अधीन कुर्क की गई कोई भी चल संपत्ति या उसका ऐसा भाग जो प्रमाणपत्र में उल्लिखित राशि को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रतीत हो, बेचा जाए।

38. घोषणा जारी करना: जब कर वसूली अधिकारी द्वारा चल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी जिले की भाषा में प्रस्तावित बिक्री की घोषणा जारी करेगा, जिसमें बिक्री का समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और यह भी कि बिक्री पुष्टि के अधीन है या नहीं।

39. घोषणा कैसे की जाएगी: (क) घोषणा किसी भी प्रथागत रीति से की जाएगी, –

(i) वास्तविक ज़ब्ती द्वारा कुर्क की गई संपत्ति के मामले में–

(क) उस गाँव में जहाँ संपत्ति कुर्क की गई थी, या यदि संपत्ति किसी कस्बे या शहर में कुर्क की गई थी, तो उस इलाके में जहाँ वह कुर्क की गई थी; और

(ख) ऐसे अन्य स्थानों पर जहाँ कर वसूली अधिकारी निदेश दे;

(ii) वास्तविक ज़ब्ती के अलावा अन्य तरीकों से कुर्क की गई संपत्ति के मामले में, ऐसे स्थानों पर, यदि कोई हो, जहाँ कर वसूली अधिकारी निदेश दे; और

(ख) घोषणा की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर भी चिपकाई जाएगी।

40. पंद्रह दिनों के पश्चात बिक्री: सिवाय उन मामलों के जहाँ संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली हो, या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, इस नियम के अधीन चल संपत्ति की कोई भी बिक्री, व्यतिक्रमी की लिखित सहमति के बिना, कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में बिक्री घोषणा की प्रति चिपकाए जाने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने तक नहीं होगी।

41. कृषि उपज की बिक्री: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन, जहाँ बेची जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहाँ बिक्री निम्नलिखित स्थानों पर की जाएगी: –

(i) यदि ऐसी उपज बढ़ने वाली फसल है, तो उस भूमि पर या उसके निकट जिस पर ऐसी फसल उगी है; या

(ii) यदि ऐसी उपज काटी या एकत्रित की गई है, तो उस खलिहान या अनाज निकालने के स्थान या इसी प्रकार के स्थान, या चारे के ढेर पर या उसमें, जहाँ उसे रखा जाता है;

(ख) कर वसूली अधिकारी बिक्री को निकटतम सार्वजनिक स्थल पर आयोजित करने का निदेश दे सकेगा, यदि उसकी राय में उपज की बिक्री वहां अधिक लाभप्रद रूप से होने की संभावना है;;

(ग) यदि उपज को बिक्री के लिए रखा जाता है, तो –

(i) बिक्री आयोजित करने वाले व्यक्ति के अनुमान के अनुसार, उसके लिए उचित मूल्य की प्रस्थापना नहीं की जाती है; और

(ii) उपज का स्वामी, या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृतव्यक्ति, बिक्री को अगले दिन तक स्थगित करने के लिए आवेदन करता है, या यदि बिक्री स्थल पर बाजार लगता है, तो अगले बाजार दिवस तक स्थगित करने के लिए आवेदन करता है,

तो बिक्री तदनुसार स्थगित कर दी जाएगी, और फिर उपज के लिए जो भी मूल्य प्रस्तावित किया जाए, उस पर बेच दिया जाएगा;

42. बढ़ती फसलों से संबंधित विशेष उपबंध: (क) जहां बिक्री की जाने वाली संपत्ति बढ़ती फसल है और फसल अपनी प्रकृति के अनुसार भंडारण योग्य है लेकिन अभी तक उसका भंडारण नहीं किया गया है, तो बिक्री का दिन इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि फसल को उस दिन के आने से पहले भंडारण के लिए तैयार किया जा सके, और बिक्री तब तक आयोजित नहीं की जाएगी जब तक कि फसल की कटाई या इकट्ठी न हो जाए और वह भंडारण के लिए तैयार न हो; और

(ख) जहाँ फसल अपनी प्रकृति के कारण भंडारण योग्य न हो, या कच्ची अवस्था में, जैसे कि हरी गेहूँ, जो अधिक लाभप्रद रूप से बेची जा सकती हो, तो उसे काटने और इकट्ठा करने से पहले बेचा जा सकेगा, और क्रेता को भूमि पर प्रवेश करने और फसल की देखभाल, कटाई या इकट्ठा करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने का हक होगा।

43. नीलामी द्वारा बिक्री: संपत्ति को एक या एक से अधिक लॉट में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, जैसा कि अधिकारी उचित समझे, और यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से पूरी हो जाती है, तो शेष लॉट के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी।

44. सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री: (क) जहाँ चल संपत्ति सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाती है, प्रत्येक लॉट की कीमत बिक्री के समय या उसके तुरंत पश्चात, जैसा कि नीलामी आयोजित करने वाला अधिकारी निदेश दे, संदाय की जाएगी, और संदाय न होने की स्थिति में, संपत्ति को तुरंत पुनः बेचा जाएगा;

(ख) क्रय मूल्य के संदाय के पश्चात, नीलामी आयोजित करने वाला अधिकारी खरीदी गई संपत्ति, संदाय की गई कीमत और क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, और बिक्री पूर्ण हो जाएगी; और

(ग) जहां बेची जाने वाली चल संपत्ति व्यतिक्रमी और सह-स्वामी के माल में हिस्सा है और दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक ऐसा सह-स्वामी है, ऐसी संपत्ति या किसी लॉट के लिए समान राशि की बोली लगाते हैं, तो बोली सह-स्वामी की बोली मानी जाएगी।

45. अनियमितता के आधार पर बिक्री अमान्य नहीं होगी, लेकिन कोई भी क्षतिग्रस्त व्यक्ति वाद कर सकेगा: चल संपत्ति की बिक्री के प्रकाशन या संचालन में किसी अनियमितता के आधार पर बिक्री अमान्य नहीं होगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अनियमितता के कारण पर्याप्त क्षति प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति मुआवजे के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकेगा, या (यदि ऐसा अन्य व्यक्ति क्रेता है) तो विशिष्ट संपत्ति की वसूली और ऐसी वसूली न होने पर मुआवजे के लिए वाद दायर कर सकेगा।

46. परक्राम्य लिखत और निगम के शेयर: इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, यदि बेची जाने वाली संपत्ति परक्राम्य लिखत या निगम का शेयर है, तो कर वसूली अधिकारी सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री का निदेश देने के बजाय, ब्रोकर के माध्यम से ऐसे लिखत या शेयर की बिक्री प्राधिकृत कर सकेगा;

47. निर्धारण अधिकारी को सिक्के या करेंसी नोटों के संदाय का आदेश: यदि कुर्क की गई संपत्ति प्रचलित सिक्के या करेंसी नोट हैं, तो कर वसूली अधिकारी कुर्की की अवधि के दौरान किसी भी समय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे सिक्के या नोट केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए जाएं और जमा की गई राशि का निपटान उप-नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाए।

48. कुर्की: व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें व्यतिक्रमी को संपत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित या गिरवी से प्रतिबंधित किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या गिरवी के अधीन कोई भी लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

49. कुर्की के नोटिस की तामील: कुर्की के आदेश की एक प्रति व्यतिक्रमी को दी जाएगी।

50. कुर्की की घोषणा: कुर्की के आदेश की घोषणा कुर्क की गई संपत्ति पर या उसके आस-पास किसी स्थान पर प्रथागत रीति से की जाएगी, और आदेश की एक प्रति संपत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चिपकाई जाएगी।

51. नोटिस की तामील की तारीख से कुर्की का प्रभावी होना: यदि इस नियम के अधीन किसी अचल संपत्ति की कुर्की की जाती है, तो कुर्की उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को इस नियम के अधीन जारी बकाया संदाय का नोटिस व्यतिक्रमी को तामील किया गया था।

52. बिक्री एवं बिक्री की घोषणा: (क) कर वसूली अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कुर्क की गई किसी अचल संपत्ति या उसके ऐसे भाग की, जो प्रमाणपत्र को चुकता करने के लिए अपेक्षित प्रतीत हो, बिक्री की जाए; और

(ख) यदि किसी अचल संपत्ति को बेचने का आदेश दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी उस जिले, जहां अचल संपत्ति स्थित है, की भाषा में इच्छित बिक्री की घोषणा करवाएगा।

53. घोषणा की विषयवस्तु: अचल संपत्ति की बिक्री की घोषणा व्यतिक्रमी को सूचना देने के पश्चात तैयार की जाएगी, जिसमें बिक्री का समय और स्थान बताया जाएगा, और यथासंभव निष्पक्ष और सटीक रूप से निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:

(क) बेची जाने वाली संपत्ति;

(ख) संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व, यदि कोई हो;

(ग) वह रकम जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया है;

(घ) आरक्षित कीमत, यदि कोई हो, जिससे कम पर संपत्ति नहीं बेची जा सकती; और

(ङ) कोई अन्य बात जिसे कर वसूली अधिकारी क्रेता के लिए संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का आकलन करने हेतु जानना अपेक्षित समझता है।

54. घोषणा करने का तरीका: (क) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए प्रत्येक घोषणा ऐसी संपत्ति पर या उसके पास किसी स्थान पर ढोल बजाकर या अन्य प्रथागत रीति से की जाएगी, और घोषणा की एक प्रति संपत्ति के किसी प्रमुख भाग पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी;

(ख) यदि कर वसूली अधिकारी निदेश दे, तो ऐसी घोषणा राजपत्र या स्थानीय समाचार पत्र, या दोनों में भी प्रकाशित की जाएगी, और ऐसे प्रकाशन का खर्च बिक्री के खर्च के रूप में माना जाएगा; और

(ग) यदि संपत्ति को अलग-अलग बेचने के प्रयोजन से भूखंडों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक भूखंड के लिए अलग घोषणा करना अपेक्षित नहीं होगा, जब तक कि कर वसूली अधिकारी की राय में बिक्री की उचित सूचना अन्यथा न दी जा सके।

55. बिक्री का समय: इस नियम के अधीन अचल संपत्ति की कोई भी बिक्री, व्यतिक्रमी की लिखित सहमति के बिना, बिक्री की घोषणा की प्रति संपत्ति पर या कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में चिपकाए जाने की तारीख, जो भी तारीख पश्चात में हो, से कम से कम तीस दिनों की अवधि बीत जाने तक नहीं की जाएगी।

56. नीलामी द्वारा बिक्री: बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोलीदाता को की जाएगी और कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगी, लेकिन इस नियम के अधीन कोई भी बिक्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उच्चतम बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली की रकम उप-नियम (53)(iv) के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षित मूल्य (यदि कोई हो) से कम हो।

57. क्रेता द्वारा रकम जमा करना और व्यतिक्रम करने पर पुनः बिक्री: (क) अचल संपत्ति की प्रत्येक बिक्री पर, क्रेता घोषित व्यक्ति, ऐसी घोषणा के तुरंत पश्चात, अपनी खरीद रकम का 25% जमा रकम बिक्री कराने वाले अधिकारी को जमा करेगा; और, ऐसी रकम जमा के व्यतिक्रम की स्थिति में, संपत्ति की तुरंत पुनः बिक्री कर दी जाएगी; और

(ख) देय खरीद रकम की पूरी रकम क्रेता द्वारा संपत्ति की बिक्री की तारीख से पंद्रहवें दिन या उससे पहले कर वसूली अधिकारी को जमा की जाएगी।

58. संदाय के व्यतिक्रम की स्थिति में प्रक्रिया: उप-नियम (57) में उल्लिखित अवधि के भीतर संदाय न करने की स्थिति में, यदि कर वसूली अधिकारी उचित समझे, तो बिक्री के खर्चों को पूरा करने के पश्चात जमा रकम सरकार द्वारा जब्त की जा सकेगी, और संपत्ति की पुनः बिक्री कर दी जाएगी, और संदाय न करने वाला क्रेता संपत्ति पर या उस रकम के किसी भी हिस्से पर, जिसके लिए इसे पश्चात में बेचा जा सकेगा, अपने सभी दावों को खो देगा।

59. बोली लगाने का प्राधिकार: (क) यदि किसी संपत्ति की बिक्री, जिसके लिए उप-नियम (53)(घ) के अधीन आरक्षित मूल्य विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे आरक्षित मूल्य से कम रकम की बोली न मिलने के कारण स्थगित कर दी गई है, तो मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतनिर्धारण अधिकारी को केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी भी पश्चात की बिक्री में संपत्ति के लिए बोली लगाने का प्राधिकार होगा;

(ख) बिक्री में बोली लगाने वाले सभी व्यक्तियों को यह घोषित करना होगा कि वे अपनी ओर से या अपने स्वामियों की ओर से बोली लगा रहे हैं, और पश्चात वाले मामले में, उन्हें अपना प्राधिकारपत्र जमा करना होगा, और ऐसा न करने पर उनकी बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी; और

(ग) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को किसी भी पश्चात की बिक्री में संपत्ति का क्रेता घोषित किया जाता है, तो उप-नियम (57) में निहित कोई भी बात इस मामले पर लागू नहीं होगी और खरीद मूल्य की रकम प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम में समायोजित की जाएगी।

60. अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने हेतु रकम जमा करके आवेदन करना: (क) जहां अचल संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची गई है, वहां व्यतिक्रमी या कोई भी व्यक्ति जिसके हित बिक्री से प्रभावित हुए हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय कर वसूली अधिकारी को बिक्री रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि वह निम्नलिखित रकम जमा करे:

(i) बिक्री की घोषणा में विनिर्दिष्ट वह रकम, जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया था, और उस पर **15%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, जिसकी गणना बिक्री की घोषणा की तारीख से रकम जमा करने की तारीख तक की जाएगी; और

(ii) क्रेता को जुर्माने के रूप में खरीद मूल्य के 5% के बराबर रकम का संदाय, जो ₹ 1 से कम नहीं होगी;

(ख) यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने के लिए उप-नियम (61) के अधीन आवेदन करता है, तो वह इस नियम के अधीन तब तक आवेदन करने या उस पर वाद लाने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उस आवेदन को वापस नहीं लेता है।

61. नोटिस न दिए जाने या अनियमितता के आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने हेतु आवेदन: (क) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में अचल संपत्ति बेची गई है, वहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतआयकर अधिकारी, व्यतिक्रमी, या कोई भी व्यक्ति जिसके हित बिक्री से प्रभावित हुए हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय कर वसूली अधिकारी को इस आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री रद्द करने हेतु आवेदन कर सकेगा कि व्यतिक्रमी को इस नियम के अनुसार बकाया रकम का संदाय करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था या बिक्री के प्रकाशन या संचालन में कोई तात्विक अनियमितता थी;

(ख) किसी भी बिक्री को ऐसे किसी आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी का समाधान न हो जाए कि आवेदक को नोटिस न दिए जाने या अनियमितता के कारण पर्याप्त हानि हुई है; और

(ग) इस नियम के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा किया गया आवेदन तब तक अस्वीकृत कर दिया जाएगा जब तक कि आवेदक प्रमाणपत्र के निष्पादन में उससे वसूली योग्य रकम जमा नहीं कर देता।

62. यदि व्यतिक्रमी का बिक्री योग्य हित न हो तो बिक्री रद्द करना: क्रेता बिक्री के तीस दिनों के भीतर किसी भी समय, कर वसूली अधिकारी से इस आधार पर बिक्री रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा कि व्यतिक्रमी का बेची गई संपत्ति में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था।

63. बिक्री की पुष्टि: (क) यदि पूर्वोक्त नियमों के अधीन बिक्री रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या यदि ऐसा आवेदन किया जाता है और कर वसूली अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी (यदि खरीद मूल्य की पूरी रकम का संदाय कर दिया गया है) बिक्री की पुष्टि का आदेश देगा, और इसके पश्चात, बिक्री पूर्ण हो जाएगी; और

(ख) यदि ऐसा आवेदन किया जाता है और स्वीकृत हो जाता है, और यदि रकम, शास्ति और प्रभार जमा करने पर बिक्री रद्द करने के लिए किए गए आवेदन के मामले में, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर रकम जमा की जाती है, तो कर वसूली अधिकारी बिक्री रद्द करने का आदेश देगा, **परंतु** कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना प्रभावित व्यक्तियों को न दे दी गई हो।

64. कतिपय मामलों में खरीद रकम की वापसी: यदि अचल संपत्ति की बिक्री रद्द कर दी जाती है, तो खरीद के लिए क्रेता द्वारा संदाय की गई या जमा की गई कोई भी रकम, क्रेता को संदाय के लिए जमा की गई जुर्माने की रकम, यदि कोई हो और कर वसूली अधिकारी द्वारा अनुमत ब्याज सहित, क्रेता को वापस कर दी जाएगी।

65. बिक्री प्रमाणपत्र: (क) यदि अचल संपत्ति की बिक्री पूर्ण हो गई है, तो कर वसूली अधिकारी एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें बेची गई संपत्ति और बिक्री के समय क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति का नाम विनिर्दिष्ट होगा; और

(ख) ऐसे प्रमाणपत्र में वह तारीख बताई जाएगी जिस तारीख को बिक्री पूर्ण हुई।

66. प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम जुटाने के लिए व्यतिक्रमी को सक्षम बनाने हेतु बिक्री का स्थगन: (क) जहां अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया गया है, यदि व्यतिक्रमी कर वसूली अधिकारी का समाधान कर सकेगा कि यह मानने का कारण है कि प्रमाणपत्र की रकम ऐसी संपत्ति, या उसके किसी

भाग, या व्यतिक्रमी की किसी अन्य अचल संपत्ति के बंधक, पट्टे या निजी बिक्री द्वारा जुटाई जा सकती है, तो कर वसूली अधिकारी उसके आवेदन पर, बिक्री के आदेश में शामिल संपत्ति की बिक्री को ऐसी अपेक्षाओं पर और ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे, ताकि वह रकम जुटा सके;

(ख) खंड (ग) और (घ) के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसे मामले में कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसमें उसे इस नियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के के होते हुए , उसमें यथाउल्लिखित अवधि के भीतर प्रस्तावित बंधक, पट्टा या बिक्री करने के लिए प्राधिकृतकिया जाएगा;

(ग) ऐसे बंधक, पट्टा या बिक्री के अधीन देय सभी धनरकम व्यतिक्रमी को नहीं, बल्कि कर वसूली अधिकारी को संदाय की जाएगी; और

(घ) इस नियम के अधीन कोई भी बंधक, पट्टा या बिक्री तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए।

67. पुनः बिक्री से पहले नई घोषणा: अचल संपत्ति का प्रत्येक पुनः बिक्री, खरीद मूल्य के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, संदाय के लिए निर्धारित अवधि के भीतर संदाय न होने की स्थिति में, बिक्री के लिए पूर्व निर्धारित रीति और अवधि के लिए एक नई घोषणा जारी करने के पश्चात की जाएगी।

68. सह-भागीदार की बोली को प्राथमिकता: यदि बेची जाने वाली संपत्ति अविभाजित अचल संपत्ति का हिस्सा है, और दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक सह-भागीदार है, ऐसी संपत्ति या किसी भी हिस्से के लिए समान रकम की क्रमशः बोली लगाते हैं, तो बोली सह-भागीदार की बोली मानी जाएगी।

69. व्यतिक्रमी से देय रकम की पूर्ति के लिए संपत्ति की स्वीकृति: (क) इस नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत निर्धारण अधिकारी, उप-नियम (59)(क) में उल्लिखित कारण से जिस संपत्ति की बिक्री स्थगित कर दी गई है, उस संपत्ति को व्यतिक्रमी से देय पूरी या आंशिक रकम की पूर्ति के लिए ऐसी कीमत पर स्वीकार कर सकेगा जो निर्धारण अधिकारी और व्यतिक्रमी के बीच सहमत हो;

(ख) जहां खंड (क) के अधीन कोई संपत्ति स्वीकार की जाती है, वहां व्यतिक्रमी ऐसी संपत्ति का कब्जा निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा और जिस तारीख को संपत्ति का कब्जा निर्धारण अधिकारी को सौंपा जाता है, उस तारीख से संपत्ति केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी और वह सरकार, जहां अपेक्षित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तदनुसार सूचित करेगी; और

(ग) यदि खंड (क) के अधीन तय की गई संपत्ति की कीमत, व्यतिक्रमी से देय रकम से अधिक है, तो निर्धारण अधिकारी संपत्ति का कब्ज़ा सौंपे जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर व्यतिक्रमी को अतिरिक्त रकम का संदाय करेगा। यदि निर्धारण अधिकारी उक्त अवधि के भीतर अतिरिक्त रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तो केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से लेकर बकाया रकम

के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए व्यतिक्रमी को उस रकम पर प्रत्येक माह या माह के अंश के लिए 0.5% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी।

70. कुर्क की गई अचल संपत्ति की बिक्री की समय सीमा: (क) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अध्यधीन, इस नियम के अधीन अचल संपत्ति की कोई बिक्री उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष पश्चात नहीं की जाएगी, जिसमें किसी कर, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या किसी अन्य रकम की मांग से संबंधित आदेश, जिसकी वसूली के लिए अचल संपत्ति कुर्क की गई है, अधिनियम के अध्याय 18वीं के उपबंधों के अनुसार अंतिम हो गया हो;

(ख) बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपर्युक्त अवधि को अधिकतम तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा;

(ग) जहां उच्चतम बोली की रकम आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण या उप-नियम (57) या उप-नियम (58) में उल्लिखित परिस्थितियों के कारण अचल संपत्ति को पुनः बेचना अपेक्षित हो, या जहां उप-नियम (61) के अधीन बिक्री रद्द कर दी गई हो, वहां अचल संपत्ति की बिक्री की परिसीमा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी;

(घ) खंड (ङ) के उपबंधों के अध्यधीन, खंड (क) के अधीन परिसीमा अवधि की गणना करते समय, निम्नलिखित अवधि को बाहर रखा जाएगा—

(i) वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा कर, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या किसी अन्य रकम की वसूली पर रोक लगाई गई हो; या

(ii) वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा अचल संपत्ति की कुर्की या बिक्री की कार्यवाही पर रोक लगाई गई हो; या

(iii) इस नियम के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी अपील की प्रस्तुति की तारीख से प्रारंभ होकर अपील के निर्णय के दिन समाप्त होने वाली अवधि।

(ङ) यदि किसी अवधि को बाहर करने के तुरंत पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री के लिए परिसीमा अवधि **एक सौ अस्सी** दिनों से कम है, तो शेष अवधि को **एक सौ अस्सी** दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा और परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा हुआ माना जाएगा;

(च) यदि इस नियम के अधीन **1 जून, 1992** से पहले किसी अचल संपत्ति की कुर्की की गई है और किसी कर, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या किसी अन्य रकम की मांग से संबंधित आदेश, जिसकी वसूली के लिए अचल संपत्ति की कुर्की की गई है, उक्त तारीख से पहले निर्णायक या अंतिम हो गया है, तो वह तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिस दिन उक्त आदेश निर्णायक या, जैसा भी मामला हो, अंतिम हुआ है; और

(छ) यदि अचल संपत्ति की बिक्री खंड (क) के उपबंधों के अनुसार नहीं की जाती है, तो उक्त संपत्ति के संबंध में कुर्की आदेश इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि की समाप्ति पर निरस्त माना जाएगा।

71. कारबार के लिए रिसीवर की नियुक्ति: (क) यदि किसी व्यतिक्रमी की संपत्ति में कोई कारबार शामिल है, तो कर वसूली अधिकारी कारबार को कुर्क कर सकेगा और कारबार के प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा; और

(ख) इस नियम के अधीन कारबार की कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें व्यतिक्रमी को कारबार को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या गिरवी से कोई लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और यह सूचित किया जाएगा कि कारबार को इस नियम के अधीन कुर्क कर लिया गया है; और

(ग) कुर्की आदेश की एक प्रति व्यतिक्रमी को दी जाएगी, और दूसरी प्रति उस परिसर के एक प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएगी जिसमें कारबार चलाया जाता है और कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जाएगी।

72. अचल संपत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति: जहां अचल संपत्ति कुर्क की जाती है, वहां कर वसूली अधिकारी संपत्ति की बिक्री का निदेश देने के बजाय, ऐसी संपत्ति के प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा;

73. रिसीवर की शक्तियाँ: (क) जहाँ इस नियम के अधीन किसी कारबार या अन्य संपत्ति को कुर्क करके प्रबंधन के अधीन लिया जाता है, वहाँ रिसीवर को कर वसूली अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन, संपत्ति के उचित प्रबंधन और उसके लाभ, या किराए और लाभ की वसूली के लिए अपेक्षित शक्तियाँ प्राप्त होंगी; और

(ख) ऐसे कारबार या अन्य संपत्ति के लाभ, या किराए और लाभ, प्रबंधन के व्यय को पूरा करने के पश्चात, बकाया रकम के संदाय के लिए समायोजित किए जाएँगे, और यदि कोई शेष रकम बचती है, तो वह व्यतिक्रमी को संदाय की जाएगी।

74. प्रबंधन को वापस लिया जाना: इस नियम के अधीन कुर्की और प्रबंधन को, कर वसूली अधिकारी के विवेक पर, या बकाया रकम का संदाय लाभ और किराए की प्राप्ति द्वारा या अन्यथा कर दिए जाने पर, किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

75. कारण बताओ नोटिस: (क) किसी व्यतिक्रमी की गिरफ़्तारी और सिविल कारागार में निरोध का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कर वसूली अधिकारी ने व्यतिक्रमी को नोटिस जारी और तामील न कर दिया हो, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर अपने समक्ष उपस्थित

होने और यह बताने के लिए कहा गया हो कि उसे सिविल कारागार में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, और जब तक कर वसूली अधिकारी लिखित रूप में दर्ज कारणों से समाधान न हो जाए–

(i) कि व्यतिक्रमी ने प्रमाणपत्र के निष्पादन में बाधा डालने के प्रयोजन से, कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किए जाने के पश्चात, बेईमानी से अपनी संपत्ति का कोई भाग हस्तांतरित कर दिया है, छिपाया है या हटा दिया है; या

(ii) कि व्यतिक्रमी के पास, या कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किए जाने के पश्चात से, बकाया या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग का संदाय करने के साधन हैं और वह संदाय करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है या इनकार करता रहा है या उपेक्षा करता रहा है;

(ख) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के के होते हुए , कर वसूली अधिकारी द्वारा व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकेगा, यदि कर वसूली अधिकारी शपथपत्र या किसी अन्य माध्यम से समाधान हो कि प्रमाणपत्र के निष्पादन में देरी करने के प्रयोजन से व्यतिक्रमी फरार हो सकेगा या कर वसूली अधिकारी के अधिकारिता की स्थानीय सीमा से बाहर जा सकेगा;

(ग) यदि खंड (क) के अधीन जारी और तामील किए गए नोटिस के अनुपालन में उपस्थिति नहीं होती है, तो कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा;

(घ) खंड (ख) और (ग) के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को किसी अन्य कर वसूली अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकेगा, जिसकी अधिकारिता में व्यतिक्रमी उस समय पाया जाए;

(ङ) इस नियम के अधीन गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) वारंट जारी करने वाले कर वसूली अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन यदि डिफाल्टर गिरफ्तारी वारंट में देय रकम और गिरफ्तारी का खर्च गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का संदाय कर देता है, तो वह अधिकारी उसे तुरंत निमुक्ति कर देगा; और

(च) इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, जहां डिफाल्टर एक हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है, वहां उसका कर्ता डिफाल्टर माना जाएगा।

76. सुनवाई: जब कोई डिफाल्टर कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में कर वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या उप-नियम (75) के अधीन कर वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी डिफाल्टर को यह कारण बताने का उचित अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।

77. सुनवाई लंबित रहने तक अभिरक्षा: जांच पूरी होने तक, कर वसूली अधिकारी अपने विवेकानुसार, व्यतिक्रमी को ऐसे अधिकारी की निरोध में रखने का आदेश दे सकेगा जिसे कर वसूली अधिकारी उचित समझे, या उसे कर वसूली अधिकारी के इस बारे में समाधान होने पर कि अपेक्षितता पड़ने पर वह उपस्थित हो जाएगा, जमानत रकम जमा करने पर निमुक्ति कर सकेगा।

78. निरोध का आदेश: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन, जांच पूरी होने पर, कर वसूली अधिकारी व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में निरोध में रखने का आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले से गिरफ्तार नहीं है, तो उसे गिरफ्तार करवा सकेगा;

(ख) व्यतिक्रमी को बकाया रकम का संदाय करने का अवसर देने के लिए, कर वसूली अधिकारी निरोध का आदेश देने से पहले, व्यतिक्रमी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में अधिकतम पंद्रह दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ सकेगा, या यदि बकाया रकम का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसे कर वसूली अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप जमानत रकम जमा करने पर निमुक्ति कर सकेगा ताकि विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर वह उपस्थित हो सके; और

(ग) जब कर वसूली अधिकारी खंड (क) के अधीन निरोध का आदेश नहीं देता है, और यदि डिफाल्टर गिरफ्तार है, तो वह उसकी निमुक्तिई का निदेश देगा।

79. कारागार में निरोध और निमुक्तिई: (क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में सिविल कारागार में निरोध में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को, –

(i) जहां प्रमाणपत्र दो सौ पचास रुपये से अधिक की रकम की मांग के लिए है, छह महीने की अवधि के लिए; और

(ii) किसी अन्य मामले में, छह सप्ताह की अवधि के लिए;

इस प्रकार की निरोध में रखा जा सकेगा;

(ख) उपर्युक्त व्यक्ति को ऐसी निरोध से निमुक्ति किया जाएगा, –

(i) सिविल कारागार के प्रभारी अधिकारी को उसकी निरोध के वारंट में उल्लिखित रकम का संदाय करने पर; या

(ii) उप-नियम (80) और (81) में उल्लिखित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर कर वसूली अधिकारी के अनुरोध पर; और

(ग) इस नियम के अधीन निरोध से निमुक्ति किया गया व्यतिक्रमी, केवल अपनी निमुक्तिई के कारण, बकाया रकम के लिए अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, लेकिन उसे उस प्रमाणपत्र के अधीन पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जिसके निष्पादन में उसे सिविल कारागार में निरोध में रखा गया था।

80. निमुक्ति: (क) कर वसूली अधिकारी किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए व्यतिक्रमी को इस बात का समाधान होने पर निमुक्ति करने का आदेश दे सकेगा कि उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति का प्रकटीकरण कर दिया है और उसे कर वसूली अधिकारी के निपटान में प्रस्तुत कर दिया है तथा उसने कोई दुराचारपूर्ण कार्य नहीं किया है; और

(ख) यदि कर वसूली अधिकारी के पास यह मानने का आधार है कि खंड (क) के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा किया गया प्रकटीकरण असत्य है, तो वह प्रमाणपत्र के निष्पादन में व्यतिक्रमी को पुनः गिरफ्तार

करने का आदेश दे सकेगा, परन्तु सिविल कारागार में उसके निरोध की अवधि कुल मिलाकर उप-नियम (79) द्वारा प्राधिकृत अवधि से अधिक नहीं होगी।

81. रोगी होने के आधार पर निमुक्ति: (क) किसी व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के पश्चात किसी भी समय, कर वसूली अधिकारी उसकी गंभीर रोग के आधार पर उसे रद्द कर सकेगा;

(ख) यदि किसी व्यतिक्रमी को गिरफ्तार किया गया है, और कर वसूली अधिकारी की राय में वह सिविल कारागार में निरोध में रखे जाने के लिए स्वस्थ अवस्था में नहीं है तो कर वसूली अधिकारी उसे निमुक्ति कर सकेगा;

(ग) यदि कोई डिफाल्टर सिविल कारागार में बंद है, तो उसे कर वसूली अधिकारी द्वारा किसी संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग के आधार पर या किसी गंभीर रोग से पीड़ित होने के आधार पर निमुक्ति किया जा सकेगा; और

(घ) इस नियम के अधीन निमुक्ति किए गए डिफाल्टर को पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, लेकिन सिविल कारागार में उसकी कुल निरोध की अवधि उप-नियम (79) द्वारा प्राधिकृतअवधि से अधिक नहीं होगी।

82. मकान में प्रवेश: इस नियम के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से–

(i) सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले किसी मकान में प्रवेश नहीं किया जाएगा;

(ii) किसी मकान का बाहरी दरवाजा तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि वह मकान या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी के कब्जे में न हो और वह या मकान का कोई अन्य निवासी प्रवेश से इनकार न करे या किसी भी तरह से प्रवेश को रोके; परन्तु, जब किसी वारंट को निष्पादित करने वाला व्यक्ति किसी मकान में विधिवत प्रवेश कर लेता है, तो वह किसी भी कमरे या अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ सकेगा, यदि उसे यह मानने का कारण हो कि व्यतिक्रमी के वहां मिलने की संभावना है; और

(iii) किसी ऐसे कमरे में, जो किसी ऐसी महिला के वास्तविक कब्जे में हो, जो देश के रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होती है, तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृतअधिकारी ने उसे यह सूचित न कर दिया हो कि वह वहां से जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे जाने के लिए उचित समय और सुविधा प्रदान न कर दी हो।

83. महिलाओं या अवयस्कों आदि की गिरफ्तारी का प्रतिषेध: कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध का आदेश नहीं देगा–

(i) कोई महिला; या

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी राय में अवयस्क हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो।

84. न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अधिकारी: प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या इस नियम के अधीन कार्य करने वाला अन्य अधिकारी, अपने कार्यों के निर्वहन में, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850 का 18) या न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 (1985 का 59) के अर्थ में न्यायिक रूप से कार्य करने वाला माना जाएगा।

85. साक्ष्य लेने की शक्ति: प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या इस नियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अन्य अधिकारी को साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य करने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन से (मुकदमे की सुनवाई करते समय) सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

86. प्रमाणपत्र जारी रहना: व्यतिक्रमी की मृत्यु के कारण कोई भी प्रमाणपत्र अमान्य नहीं होगा।

87. व्यतिक्रमी की मृत्यु पर कार्यवाही: यदि कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय व्यतिक्रमी की मृत्यु हो जाती है, तो इस नियम में उल्लिखित कार्यवाही (गिरफ्तारी और निरोध को छोड़कर) व्यतिक्रमी के कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, और इस नियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो विधिक प्रतिनिधि स्वयं व्यतिक्रमी हो।

88. अपीलें: (क) इस नियम के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित किसी मूल आदेश के विरुद्ध, जो निर्णायक आदेश न हो, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है;

(ख) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील, अपील किए गए आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी;

(ग) किसी अपील के निर्णय लंबित रहने के दौरान, यदि अपीलीय प्राधिकारी ऐसा निदेश दे, तो प्रमाणपत्र के निष्पादन पर रोक लगाई जा सकती है, अन्यथा नहीं; और

(घ) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृतकिया गया है, तो उस क्षेत्र या उस क्षेत्र में शामिल किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृतकिसी कर वसूली अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकार की तारीख से पहले पारित आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलें ऐसे मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष की जा सकती हैं।

89. समीक्षा: इस नियम के अधीन पारित किसी भी आदेश की समीक्षा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के पश्चात, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त या कर वसूली अधिकारी या आदेश

पारित करने वाले अन्य अधिकारी या उनके उत्तराधिकारी द्वारा अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि होने पर की जा सकती है।

90. ज़मानतदार से वसूली: यदि इस नियम के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय रकम के लिए ज़मानतदार बना है, तो उसके विरुद्ध इस नियम के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जा सकेगी मानो वह व्यतिक्रमी हो।

91. भरण-पोषण भत्ता: (क) जब किसी व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में गिरफ्तार या अभिरक्षा में लिया जाता है, तो गिरफ्तारी के समय से लेकर निमुक्ति तक व्यतिक्रमी के भरण-पोषण के लिए देय रकम कर वसूली अधिकारी द्वारा वहन की जाएगी;

(ख) ऐसी रकम की गणना राज्य सरकार द्वारा सिविल न्यायालय के डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए निर्णय-देनदारों के भरण-पोषण के लिए निर्धारित पैमाने पर की जाएगी; और

(ग) इस उप-नियम के अधीन देय रकमयाँ कार्यवाही में लागत मानी जाएँगी, परन्तु ऐसी देय रकम के कारण व्यतिक्रमी को सिविल कारागार में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

92. प्ररूप: बोर्ड इस नियम के अधीन जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश, सूचना, वारंट या प्रमाणपत्र के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

93. दिशा-निदेश जारी करने की शक्ति: (क) बोर्ड अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप दिशा-निदेश जारी कर सकेगा, जो मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, कर वसूली अधिकारियों और इस नियम के अधीन कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करेंगे;

(ख) विशेष रूप से, और खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा आदेश निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्: –

(i) वह क्षेत्र जिसके अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त या कर वसूली अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं;

(ii) इस नियम में बेची गई किसी भी संपत्ति को सौंपने की रीति;

(iii) कर वसूली अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी दस्तावेज़ का निष्पादन या किसी परक्राम्य लिखत या किसी निगम के शेयर का पृष्ठांकन, जहाँ ऐसा निष्पादन या पृष्ठांकन उस परक्राम्य लिखत या शेयर को उस व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित है जिसने इस नियम के अधीन बिक्री के द्वारा इसे खरीदा है;

(iv) इस नियम के अधीन बेची गई किसी अचल संपत्ति के खरीदार को संपत्ति का कब्ज़ा प्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतिरोध या अवरोध से निपटने की प्रक्रिया;

(v) इस नियम के अधीन जारी किसी भी प्रक्रिया के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(vi) इस नियम के अधीन की गई किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में वसूल किए जाने वाले प्रभारों का पैमाना;

vii) पाउंडेज फीस की वसूली;

viii) कुर्की के अध्यधीन पशुधन या अन्य चल संपत्ति का भरण-पोषण और अभिरक्षा, ऐसे भरण-पोषण और अभिरक्षा के लिए प्रभारित की जाना वाली फीस, ऐसे पशुधन या संपत्ति की बिक्री और ऐसी बिक्री से प्राप्त आय का निपटान; और

(ix) कारबार की कुर्की का तरीका।

94. प्रभार के बारे में व्यावृत्ति: इस नियम में विनिर्दिष्ट कोई भी बात अधिनियम के किसी भी उपबंध को प्रभावित नहीं करेगी, जिसके अधीन कर किसी आस्ति पर प्रथम प्रभार है।

95. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति: यदि कर वसूली की कार्यवाही को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड कठिनाई को दूर करने के लिए अपेक्षित या समीचीन, सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकेगा।

226. कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 413 के अधीन निर्धारण अधिकारी की कतिपय शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।– (1) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, कर वसूली अधिकारी को धारा 287 के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृतकर सकेगा, ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में अभिलेख से स्पष्ट त्रुटि को सुधारा जा सके, जिसके परिणामस्वरूप कोई रकम देय है और कर वसूली अधिकारी ने ऐसी रकम के संबंध में धारा 413 के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया है।

(2) कर वसूली अधिकारी निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

227. धारा 420 के अधीन कर अनापत्ति प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित प्राधिकारी– (1) धारा 420(1) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक, जो भारत में अधिवासित न होने वाले व्यक्तियों पर अधिकारिता रखते हों, या ऐसे मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतकोई अन्य आयकर प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 420(3) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त होंगे जो भारत में अधिवासित व्यक्तियों पर अधिकारिता रखते हों, या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतकोई अन्य आयकर प्राधिकारी होगा।

(3) धारा 420(5) के प्रयोजनों के लिए, प्रमाणपत्र हेतु आवेदन ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण करने के अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

228. धारा 420 के प्रयोजनों के लिए प्ररूप एवं प्रमाणपत्र– (1) धारा 420(1) में दीर्घपंक्ति के खंड (i) या (ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भारत में अधिवासित न होने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को दिया जाने वाला वचनपत्र प्ररूप संख्या 154 में होगा।

(2) दिहित प्राधिकारी द्वारा धारा 420(1) के अधीन जारी किया जाने वाला अनापत्ति प्रमाणपत्र प्ररूप संख्या 155 में होगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा।

(3) भारत में अधिवासित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना प्ररूप संख्या 156 में होगी।

(4) धारा 420(4) के अधीन प्रत्येक आवेदन प्रारूप सं. 157 में किया जाएगा।

(5) धारा 420(5) के अधीन आवेदन प्ररूप संख्या 158 में किया जा सकेगा।

(6) धारा 420(5) के अधीन जारी किया गया कर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्ररूप संख्या 159 में होगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा।

(7) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वचनपत्र की एक प्रति और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अनापत्ति प्रमाणपत्र की एक प्रति धारा 420(1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक को भेजी जाएगी।

229. धारा 420 के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना– (1) भारत छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी सीमा शुल्क अधिकारी के अनुरोध पर,यथास्थिति, उसे कर अनापत्ति प्रमाणपत्र या छूट प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा।

230. धारा 434 के अधीन प्रतिदाय का दावा– धारा 434 के अधीन रीफंड का दावा स्वयं दावेदार द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्ररूप संख्या 160 में किया जाएगा, और इसके साथ धारा 434 में विनिर्दिष्ट किसी समझौते या अन्य व्यवस्था की प्रति संलग्न होगी।

231. धारा 440 के अधीन आवेदन का प्ररूप– धारा 439 के अधीन शास्ति लगाने से और धारा 478 या धारा 479 के अधीन कार्यवाही आरम्भ करने से छूट प्रदान करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन प्ररूप संख्या 161 में किया जाएगा।

232. धारा 501 के अधीन नोटिस, समन, मांग पत्र, आदेश और अन्य पत्र की तामील– (1) धारा 501(1) के प्रयोजनों के लिए, वे पते (इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश के पते सहित) जिन पर अधिनियम के अधीन कोई नोटिस, समन, मांग पत्र, आदेश या कोई अन्य संचार (जिसे यहां संचार कहा गया है) भेजा या प्रेषित किया जा सकेगा, वे उप-नियम (2) के अनुसार होंगे:

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पते–

(क) धारा 501(1)(क) या धारा 501(1)(ख) में उपबंधित रीति से दिए या प्रेषित किए गए किसी भी पत्र के लिए पते निम्नलिखित होंगे:

(i) प्राप्तकर्ता के पैन डेटाबेस में उपलब्ध पता; या

(ii) उस आयकर रिटर्न में दिया गया पता जिससे संचार संबंधित है; या

(iii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध पता; या

(iv) नियम 160 के अधीन प्ररूप संख्या 98 या नियम 237 के अधीन प्ररूप 165 में दिए गए निर्धारिती का पता; या

(v) प्राप्तकर्ता के कंपनी होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता; या

(vi) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण या विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध पता; या

(vii) किसी सार्वजनिक सेवा; उपयोगिता प्रदाता; के अभिलेखों में उपलब्ध पता; या

(viii) (vi) और (vii) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण या संस्था के साथ पत्राचार में दिया गया पता,

लेकिन ऐसा संचार मद (i) से (viii) में उल्लिखित पते पर सुपुर्द या संप्रेषित नहीं किया जाएगा, यदि प्राप्तकर्ता आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा संचार जारी करने के लिए प्राधिकृतकिसी व्यक्ति को संचार के प्रयोजन के लिए लिखित रूप में कोई अन्य पता देता है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिदान या प्रेषित किसी भी संचार के लिए पता निम्नलिखित होगा:

(i) प्राप्तकर्ता, जिससे संचार संबंधित है, द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में उपलब्ध ईमेल पता; या

(ii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध ईमेल पता; या

(iii) निर्धारिती के ई-फाइलिंग पोर्टल में उपलब्ध रजिस्ट्री डाक पता; या

(iv) पैन के लिए आवेदन करते समय दिया गया ईमेल पता; या

(v) यदि प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो कंपनी का ईमेल पता, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है; या

(vi) प्राप्तकर्ता द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृतकिसी व्यक्ति को दिया गया कोई ई-मेल पता; या

(vii) अभिलेखों में उपलब्ध ई-मेल पता।

(3) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) इलेक्ट्रॉनिक संचार के सुरक्षित संप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे और ऐसे

संचार के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

233. नोटिसों और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण– (1) अधिनियम के अधीन आयकर प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रेषित प्रत्येक नोटिस या अन्य दस्तावेज को निम्न स्थितियों में अधिप्रमाणित माना जाएगा, –

(क) इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश (जिसे यहां ई-मेल कहा गया है) के मामले में, यदि ऐसे आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय–

(i) ई-मेल के मुख्य भाग पर मुद्रित है और यदि सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं ई-मेल के मुख्य भाग में है; या

(ii) यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज़ ई-मेल के अटैचमेंट में है, तो उस पर मुद्रित हो,

और ई-मेल ऐसे आयकर प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट ई-मेल पते से जारी किया गया हो;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के मामले में, यदि आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय–

(i) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के एक भाग के रूप में प्रदर्शित हो और यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज़ स्वयं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में पाठ या टिप्पणी के रूप में अंतर्विष्ट हो; या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में संलग्नक पर मुद्रित किया जाता है और यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज अटैचमेंट में है,

और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आयकर प्राधिकारी का विनिर्दिष्ट ई-मेल पता, विनिर्दिष्ट वेबसाइट और संचार की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार होगा–

(क) "इलेक्ट्रॉनिक मेल" और "इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में क्रमशः दिया गया है; **और**

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो **उक्त अधिनियम** की धारा 2(1)(न) में दिया गया है।

234. भारत में संपर्क कार्यालय रखने वाले अनिवासी द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना– (1) धारा 505 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक विवरण प्ररूप संख्या 162 में ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आठ माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका सत्यापन चार्टर्ड अकाउंटेंट या अनिवासी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में प्राधिकृतव्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता के रूप में जाना जाएगा।

235. धारा 506 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएँ या दस्तावेज– (1) धारा 506 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भारतीय हितधारक उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए इस नियम के अनुसार सूचनाएँ और दस्तावेज रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

(2) सूचना प्ररूप संख्या 163 में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसका अधिकारिता भारतीय हितधारक पर है, यह सूचना उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 9(10)(क) में विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित का कोई हस्तांतरण हुआ है, की समाप्ति से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, और जहां शेयर या हित के संबंध में ऐसे लेनदेन का भारतीय हितधारक के संबंध में प्रबंधन या नियंत्रण के अधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करने का प्रभाव है, तो सूचना उक्त प्ररूप में उस लेनदेन के नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) भारतीय हितधारक को निम्नलिखित जानकारी, अपेक्षिततानुसार उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित, रखनी होगी और उप-नियम (2) के अधीन दी गई जानकारी को प्रमाणित करने के लिए किसी भी आयकर प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही के दौरान मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा: –

(क) भारतीय हितधारक की आसन्न होल्डिंग कंपनी या इकाई, मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी या कंपनियों या इकाई या इकाइयों और अंतिम होल्डिंग कंपनी या इकाई का विवरण;

(ख) भारत में उन अन्य इकाइयों का विवरण जिनके समूह का भारतीय हितधारक एक घटक है;

(ग) हस्तांतरण से पहले और पश्चात में विदेशी कंपनी या इकाई के शेयरों या हित की होल्डिंग संरचना;

(घ) किसी भी विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित के संबंध में किया गया कोई भी हस्तांतरण संविदा या समझौता, जो भारतीय हितधारक के माध्यम से या उसमें भारत में कोई संपत्ति रखती है;

(ङ) विदेशी कंपनी या इकाई के वित्तीय और लेखा विवरण, जो शेयर या हित के हस्तांतरण की तारीख से दो वर्ष पहले तक भारतीय हितधारक के माध्यम से या उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संपत्ति रखती है;

(च) हस्तांतरण की समग्र व्यवस्था के निर्णय या कार्यान्वयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी;

(छ) विदेशी कंपनी या इकाई और उसकी अनुषंगी कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित से संबंधित जानकारी:

(i) कारबार परिचालन;

(ii) कार्मिक;

(iii) वित्त और संपत्तियां;

(iv) आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा या मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो, जो शेयर या हित के संबंध में प्रतिफल का आधार बनती है;

(ज) हस्तांतरित किए जा रहे शेयर या हित के स्थान का निर्धारण करने के लिए आस्ति मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य सहायक साक्ष्य;

(झ) भारत के बाहर कर संदाय का विवरण, जो शेयर या हित के हस्तांतरण से संबंधित है;

(ञ) **धारा 515(3)(ख) में यथा-परिभाषित** व्यापारी बैंकर या लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित भारतीय आस्ति और कुल आस्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट, सहायक साक्ष्य सहित; **और**

(ट) लेखांकन प्रथाओं के अधीन लेनदेन के संबंध में जारी किए गए दस्तावेज।

(4) यदि किसी समूह में एक से अधिक भारतीय हितधारक शामिल हैं, तो सूचना किसी एक भारतीय हितधारक द्वारा दी जा सकती है, यदि –

(क) समूह ने ऐसे भारतीय हितधारक को समूह के सभी अन्य भारतीय हितधारकों की ओर से सूचना देने के लिए नामित किया हो; और

(ख) नामित भारतीय हितधारक के संबंध में सूचना समूह की ओर से लिखित रूप में निर्धारण अधिकारी को दी गई हो।

(5) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तब प्रभावी नहीं होगी, जब नामित भारतीय हितधारक इस नियम के उपबंधों के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(6) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप संख्या 163 की एक प्रति उस निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता में उसमें उल्लिखित हस्तांतरणकर्ता आता है, जिसकी आय धारा 9(10) के अनुसार कर योग्य है।

(7) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूचना एवं दस्तावेज संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की अवधि तक रखे और संरक्षित किए जाएंगे।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "घटक इकाई" का वही अर्थ होगा जो धारा 511(10)(घ) में दिया गया है;

(ख) "समूह" का वही अर्थ होगा जो धारा 511(10)(ङ) में दिया गया है;

(ग) "आसन्न होल्डिंग कंपनी या इकाई" से वह कंपनी या इकाई अभिप्रेत है जो भारतीय हितधारक में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक हित रखती है;

(घ) "मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी या इकाई" से ऐसी कंपनी या इकाई अभिप्रेत है जिसका किसी अन्य कंपनी या इकाई में नियंत्रक हित हो और जो स्वयं किसी अन्य कंपनी या इकाई द्वारा नियंत्रित हो या उसकी अनुषंगी कंपनी हो; **और**

(ङ) "अंतिम होल्डिंग कंपनी या इकाई" से ऐसी कंपनी या इकाई अभिप्रेत है जिसका भारतीय प्रतिष्ठान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम नियंत्रण हो और ऐसी कंपनी या इकाई स्वयं किसी अन्य कंपनी या इकाई द्वारा नियंत्रित न हो या उसकी अनुषंगी कंपनी न हो।

236. सिनेमा फिल्मों के निर्माताओं या विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्ररूप– (1) सिनेमा फिल्मों का निर्माण करने वाले या विनिर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्ति, या दोनों, द्वारा धारा 507 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 164 में होगा।

(2) प्ररूप संख्या 164 कर वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) धारा 507 के प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृतकोई व्यक्ति होगा।

(4) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्ररूप संख्या 164 निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट गतिविधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 507(3) में दिया गया है।

237. वित्तीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करना– (1) धारा 508(1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय लेन-देन का विवरण, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय वर्ष में सभी लेन-देनों के संबंध में प्ररूप संख्या 165 में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें दर्शाए गए रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, उक्त सारणी के स्तंभ 2 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकृति और स्तंभ 3 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मूल्य के सभी लेन-देनों के संबंध में, उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार, प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या दर्ज किए गए हैं:

सारणी

क्रम सं.	**लेनदेन की प्रकृति**	**लेनदेन का मूल्य**	**व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)**
1	**2**	**3**	**4**

1.	(क) बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक की खरीद के लिए नकद में किया गया संदाय।	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में रकम जिसका कुल योग निम्नलिखित हो, - (i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए दस लाख रुपये या उससे अधिक; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹ 500000 या उससे अधिक।	कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है)।
	(ख) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पूर्व-संदाय उपकरणों की खरीद के लिए नकद या अन्यथा किए गए संदाय।	वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	
	(ग) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में नकद जमा या नकद आहरण (धारक चेक के माध्यम से भी)।	एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	
2.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों (चालू खाते और सावधि जमा को छोड़कर) में नकद जमा।	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में जमा की गई नकद रकम, जिसका कुल योग निम्नलिखित हो: (i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए दस लाख रुपये या उससे अधिक; **या** (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹500000 या उससे अधिक।	(i) कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सहित); **या** (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2(ञ) में विनिर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि

			इसके निरसन से पहले विद्यमान था)।
3.	किसी व्यक्ति की एक या एक से अधिक सावधि जमा (किसी अन्य सावधि जमा के नवीनीकरण के माध्यम से की गई सावधि जमा को छोड़कर)।	किसी व्यक्ति के लिए एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	(क) कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सहित); **या** (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2(ञ) में विनिर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल (जैसा कि इसके निरसन से पहले विद्यमान था); या (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में विनिर्दिष्ट निधि; या (घ) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास जनता से जमारकम रखने या स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-झक के अधीन रजिस्ट्री प्रमाणपत्र है।
4.	किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को जारी किए गए एक या अधिक क्रेडिट कार्डों के बिलों के संदाय।	रकम का कुल योग निम्नलिखित हो— (i) ₹ 100000 या उससे अधिक, नकद में; या (ii) दस लाख रुपये या उससे अधिक, किसी अन्य माध्यम से।	कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कोई अन्य कंपनी या संस्था।

5.	किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी किए गए बांड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से प्राप्त रसीद (उस कंपनी द्वारा जारी किए गए बांड या डिबेंचर के नवीनीकरण के कारण प्राप्त रकम को छोड़कर)।	किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	बॉन्ड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्था।
6.	कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों)शेयर आवेदन रकम सहित (को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से प्राप्त रसीद।	किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम।	शेयर जारी करने वाली कंपनी।
7.	किसी भी व्यक्ति से शेयरों की वापसी खरीद)खुले बाजार में खरीदे गए शेयरों को छोड़कर(।	एक वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की कुल रकम या मूल्य।	मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 के अधीन अपनी ही प्रतिभूतियों की खरीद कर रही है।
8.	किसी भी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा की बिक्री की रसीद, जिसमें विदेशी मुद्रा कार्ड में ऐसी मुद्रा का क्रेडिट या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ट्रैवलर चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य लिखत के जारी करने के माध्यम से ऐसी मुद्रा में किया गया कोई भी खर्च शामिल है।	किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में रकम का कुल योग निम्नलिखित हो, - (क) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए दस लाख रुपये या उससे अधिक; या (ख) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹ 500000 या उससे अधिक।	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(ग) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति।
9.	किसी भी व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री, उपहार या संयुक्त विकास समझौता।	(i) पैंतालीस लाख रुपये या उससे अधिक की रकम; या (ii) अधिनियम की धारा 2(105) में	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक या उक्त अधिनियम की धारा 6 के

		विनिर्दिष्ट स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपये या उससे अधिक।	अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार
10.	किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टांप पेपर की खरीद।	(i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए एक ही लेनदेन में ₹ 200000 या उससे अधिक की रकम; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए एक ही लेनदेन में ₹ 100000 या उससे अधिक की रकम।	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
11.	बीमा प्रीमियम के बदले किसी व्यक्ति से प्राप्त रसीद	किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में रकम का कुल योग निम्नलिखित हो, - (i) स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्ति के लिए ₹ 500000 या उससे अधिक; या (ii) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति के लिए ₹ 250000 या उससे अधिक।	बीमाकर्ता, जैसा कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2(9) में परिभाषित है।
12.	किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए नकद संदाय की प्राप्ति (क्रम संख्या 1 से 11 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं	₹200000 से अधिक की रकम।	कोई भी व्यक्ति जो धारा 63 के अधीन लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

	या सेवाओं से सिवाय, यदि कोई हो)।		

(3) उप-नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित रिपोर्टिंग व्यक्ति (क्रम संख्या 9, 10 और 12 पर उल्लिखित व्यक्तियों के सिवाय) उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए सीमा रकम निर्धारित करने हेतु रकमयों का योग करते समय,–

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी खातों को ध्यान में रखेगा;

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के संबंध में दर्ज किए गए उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट समान प्रकृति के सभी लेन-देनों का योग करेगा;

(ग) यदि खाता एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है या लेन-देन दर्ज किया गया है, तो लेन-देन का संपूर्ण मूल्य या सभी लेन-देनों का कुल मूल्य उस व्यक्ति को आवंटित करेगा; **और**

(घ) उक्त सारणी के क्रमांक 1 के सामने स्तंभ 2 के अधीन मद (ग) में विनिर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में जमा और आहरण पर सीमा अलग-अलग लागू करेगा।

(4) (क) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या 165 में रिटर्न आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) को उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा; और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति, पोस्ट मास्टर जनरल, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जनरल के मामले में, उक्त प्ररूप को कंप्यूटर पठनीय माध्यम, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) शामिल है, में कागज पर प्ररूप-V में सत्यापन के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) बोर्ड रिटर्न या विवरणों को प्रस्तुत करने से संबंधित दैनिक प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, संयुक्त आयकर निदेशक से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को सूचना विवरण प्रशासक के रूप में नामित कर सकेगा।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत पश्चात आने वाले 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें लेनदेन रजिस्ट्रीकृत या दर्ज किया जाता है।

(6) आयकर रिटर्न पूर्व-दाखिल करने के प्रयोजन से, धारा 508(1) के अधीन वित्तीय लेनदेन का विवरण, जिसमें सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड की इकाइयों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ, वितरित लाभांश और संदाय किए गए या जमा किए गए ब्याज से संबंधित जानकारी शामिल हो, जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित है, उक्त सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी आवृत्ति पर और ऐसे रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि, यथास्थिति,

प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से विनिर्दिष्ट किया जाए:

सारणी

क्रम सं.	**लेनदेन की प्रकृति**	**लेनदेन का मूल्य**	**व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)**
1	**2**	**3**	**4**
1.	सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड की यूनिटों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ।	सभी संव्यवहार	(क) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज; **या** (ख) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2(1)(ङ) में परिभाषित निक्षेपागार; **या** (ग) मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम; या (घ) भारती प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निर्गम का रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट।
2.	वितरित लाभांश	सभी संव्यवहार	कोई कंपनी।
3.	संदाय किया गया या जमा किया गया ब्याज	सभी संव्यवहार	(क) कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949) 1949 (10 कालागू होता है उक्त अधिनियम की) में 51 धाराविनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सहित(; (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898) 1898 (6 काकी धारा)2ञ में (विनिर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल जैसा कि इसके निर)स्त होने से पहले विद्यमान था।((ग) कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 का 1934)की धारा -45झक के अधीन जनता से जमारकम रखने या स्वीकार करने का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है।

(7) (क) उप-नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 और उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रत्येक रिपोर्टिंग व्यक्ति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नंबर सूचित करेगा तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगा।

(ख) उप-नियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 और उप-नियम (6) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, उसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सूचना रखने के रीति का पालन करें तथा धारा 508 और नियम 159, 160 और 161 तथा इस नियम के अधीन लगाए गए दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(8) उप-नियम (1) और (6) में विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा–

(क) ऐसा व्यक्ति जिसके पास उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट नामित निदेशक से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी हो, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति अनिवासी है; और

(ख) अन्य सभी मामलों में नामित निदेशक।

(9) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "नामित निदेशक" से रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 508 और नियम 114ख से 114घ तथा इस नियम के अधीन लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं–

(i) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है; या

(ii) प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक साझेदारी फर्म है; या

(iii) स्वामी, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक स्वामित्व वाली कंपनी है; या

(iv) प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक न्यास है; या

(v) यथास्थिति, कोई व्यक्ति या व्यक्तिक, जो रिपोर्टिंग करने वाली इकाई के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति एक गैर-निगमित संघ है, या व्यक्तियों का एक समूह है, या कोई अन्य व्यक्ति है;

(ख) "डिजिटल हस्ताक्षर" से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है जिसे प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) "सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ" से भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;

(घ) "म्यूचुअल फंड" से अधिनियम की अनुसूची VII(20) और (21) में विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रधान अधिकारी" से उप-नियम (2) की सारणी और उप-नियम (6) की सारणी में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(ण) में दिया गया है;

(छ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(च) में दिया गया है;

(ज) "विनियामक" से कोई ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार अभिप्रेत है, जिसे उप-नियम (2) की सारणी और उप-नियम (6) की सारणी में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्ति की गतिविधि को लाइसेंस देने, प्राधिकृतकरने, रजिस्ट्रीकृत करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है;

(झ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में दिया गया है।

238. परिभाषाएँ– इस नियम और नियम 239 और 240 के प्रयोजन के लिए,– (1) "वित्तीय खाता" से किसी वित्तीय संस्था द्वारा रखा जाने वाला खाता (अपवर्जित खाते के सिवाय) अभिप्रेत है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) निक्षेपागार खाता;

(ii) अभिरक्षा खाता;

(iii) किसी निवेश संस्था के मामले में, वित्तीय संस्था में कोई इक्विटी या ऋण हित।

स्पष्टीकरण– इस उपखंड के प्रयोजन के लिए "वित्तीय खाता" में किसी ऐसी संस्था में कोई इक्विटी हित या ऋण हित शामिल नहीं होगा जो केवल इसलिए निवेश संस्था है क्योंकि वह किसी ऐसे वित्तीय संस्थान में ग्राहक के नाम पर जमा वित्तीय आस्तियों के निवेश, प्रबंधन या प्रशासन के प्रयोजन से जो कि ऐसी संस्था के अलावा कोई अन्य गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था नहीं है, –

(क) निवेश सलाह प्रदान करती है और ग्राहक की ओर से कार्य करती है; या

(ख) किसी ग्राहक के लिए पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है और उसकी ओर से कार्य करती है,

(iv) उप-खंड (iii) में वर्णित न किए गए वित्तीय संस्थान के मामले में, वित्तीय संस्थान में कोई भी इक्विटी या ऋण हित, यदि हितों का वर्ग नियम 239 के अनुसार रिपोर्टिंग से बचने के प्रयोजन से स्थापित किया गया था और, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, यदि ऋण या इक्विटी हित का मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मुख्य रूप से उन आस्तियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिनसे यू.एस. स्रोत से रोके जाने योग्य संदाय उद्भूत होते हैं; और

(v) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी या अनुरक्षित कोई भी नकद मूल्य बीमा संविदा और कोई भी वार्षिकी संविदा, गैर-निवेश-संबद्ध, गैर-हस्तांतरणीय तत्काल जीवन वार्षिकी को छोड़कर, जो किसी व्यक्ति को जारी की जाती है और किसी ऐसे खाते के अधीन प्रदान की गई पेंशन या विकलांगता लाभ का मुद्रीकरण करती है जो एक अपवर्जित खाता है।

स्पष्टीकरण –इस खंड के प्रयोजनों के लिए, –

(क) " निक्षेपागार खाता" में कोई भी वाणिज्यिक, चैकिंग, बचत, सावधि या श्रिफ्ट खाता, या जमा प्रमाणपत्र, श्रिफ्ट प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाणपत्र, ऋण प्रमाणपत्र, या किसी अन्य समान लिखत द्वारा प्रमाणित खाता शामिल है, जिसे किसी वित्तीय संस्था द्वारा बैंकिंग या समान कारबार के सामान्य क्रम में बनाए रखा जाता है, और साथ ही किसी बीमा कंपनी द्वारा गारंटीकृत निवेश संविदा या ब्याज का संदाय या क्रेडिट करने के लिए समान समझौते के अधीन रखी गई रकम भी शामिल है; यद्यपि, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, –

(क) इस खंड का उपबंध इस प्रकार लागू होगा कि "बैंकिंग या समान कारबार के सामान्य क्रम में वित्तीय संस्था" वाक्यांश को "जमा संस्था" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "निक्षेपागार खाता" में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, –

(i) एक खाता या नोशनल खाता जो किसी ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है; और

(ii) एक खाता जिसमें ग्राहक के लाभ के लिए एक या एक से अधिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ रखी जाती हैं।

स्पष्टीकरण – नियम 238(1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, “केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ” का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है;

(ख) “अभिरक्षा खाता” से किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए एक खाता (बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के सिवाय) अभिप्रेत है जिसमें एक या एक से अधिक वित्तीय आस्तियाँ रखी जाती हैं;

(ग) किसी ऐसी वित्तीय संस्था में "इक्विटी हित", जो कि–

(i) साझेदारी फर्म है, का अर्थ साझेदारी फर्म में पूंजी या लाभ हित है;

(ii) न्यास है, का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई हित है जिसे न्यास के पूर्ण या आंशिक हिस्से का संस्थापक या लाभार्थी माना जाता है, या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति जो न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है;

स्पष्टीकरण–किसी व्यक्ति को न्यास का लाभार्थी तब माना जाएगा जब उसे न्यास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य वितरण प्राप्त करने का अधिकार हो या वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकाधीन वितरण प्राप्त कर सकता हो।

(घ) "बीमा संविदा" से एक ऐसी संविदा (वार्षिकी संविदा के सिवाय) अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता मृत्यु, रुग्णता, दुर्घटना, देयता या संपत्ति जोखिम से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर एक रकम का संदाय करने के लिए सहमत होता है;

(ङ) "वार्षिकी संविदा" से एक ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में पूर्ण या आंशिक रूप से निर्धारित अवधि के लिए संदाय करने के लिए सहमत होता है;

(च) "नकद मूल्य बीमा संविदा" से एक ऐसी बीमा संविदा (दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुनर्बीमा संविदा के सिवाय) अभिप्रेत है जिसका नकद मूल्य हो और यदि यह यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है तो यह मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक एकल प्रीमियम जीवन बीमा संविदा जो संविदा के समर्पण या समाप्ति पर संदाय की जाने वाली रकम की अनुमति नहीं देती है और जो संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार लेने की अनुमति नहीं देती है, नकद मूल्य बीमा संविदा नहीं मानी जाएगी;

(छ) "नकद मूल्य" से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से अधिक रकम–

(i) वह रकम जो पॉलिसीधारक संविदा के समर्पण या समाप्ति पर प्राप्त करने का हकदार है (किसी भी समर्पण शुल्क या पॉलिसी ऋण के लिए कटौती के बिना निर्धारित); और

(ii) पॉलिसीधारक संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार ली जा सकने वाली रकम,

लेकिन इसमें बीमा संविदा के अधीन निम्न कारणों से देय रकम शामिल नहीं है, –

(क) केवल जीवन बीमा संविदा के अधीन बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जिसमें पहले से संदाय किए गए प्रीमियम का रीफंड शामिल है, बशर्ते ऐसा प्रतिदाय सीमित जोखिम प्रतिदाय हो; या

(ख) व्यक्तिगत चोट या बीमारी लाभ या अन्य लाभ के रूप में जो बीमित घटना के घटित होने पर हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करता है; या

(ग) किसी बीमा संविदा (जीवन बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के सिवाय) के अधीन संविदा के रद्द होने या समाप्त होने, संविदा की प्रभावी अवधि के दौरान जोखिम में कमी आने, या संविदा के प्रीमियम से संबंधित किसी पोस्टिंग या इसी तरह की त्रुटि के सुधार के कारण पहले से संदाय किए गए प्रीमियम का रीफंड (वास्तव में लगाए गए या नहीं लगाए गए बीमा शुल्क की लागत घटाकर); या

(घ) पॉलिसीधारक लाभांश (समाप्ति लाभांश के सिवाय) के रूप में, परन्तु लाभांश ऐसी बीमा संविदा से संबंधित हो जिसके अधीन देय एकमात्र लाभ उप-खंड (ख) में वर्णित हैं; या

(ङ) ऐसी बीमा संविदा के लिए अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा का रीफंड जिसके लिए प्रीमियम कम से कम वार्षिक रूप से देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की रकम संविदा के अधीन देय अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है;

(छक) उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, उप-खंड (ए) और उप-खंड (ई) में निहित उपबंध यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में लागू नहीं होंगे;

(ज) "अपवर्जित खाता" से अभिप्रेत है, –

(i) कोई सेवानिवृत्ति खाता या पेंशन खाता जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है, अर्थात्:-

(क) खाता व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते के रूप में विनियमन के अधीन है या सेवानिवृत्ति या पेंशन लाभ (विकलांगता या मृत्यु लाभ सहित) प्रदान करने के लिए एक रजिस्ट्रीकृत या विनियमित सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना का हिस्सा है;

(ख) खाता कर-अनुकूल है, जहां खाते में किए गए अंशदान, जो अन्यथा कर के अधीन होते, खाताधारक की कुल सकल आय से कटौती योग्य या अपवर्जित हैं या कम दर पर कर योग्य हैं, या खाते से निवेश आय पर कर स्थगित है या कम दर पर कर योग्य है;

(ग) खाते के संबंध में आयकर अधिकारियों को सूचना देना अपेक्षित है;

(घ) आहरण एक विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति आयु, विकलांगता होने या मृत्यु पर निर्भर है, या ऐसी विनिर्दिष्ट घटनाओं से पहले किए गए आहरण पर शास्तियां लागू होती हैं; और

(ङ) या तो वार्षिक अंशदान पचास हजार अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर रकम तक सीमित है, या खाते में आजीवन अंशदान की अधिकतम सीमा एक मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे कम के बराबर है, प्रत्येक मामले

में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू किया जाएगा।

स्पष्टीकरण –एक वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (ङ) की अपेक्षाओं को पूरा करता है, केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते को एक या अधिक वित्तीय खातों से हस्तांतरित आस्तियाँ या निधियाँ प्राप्त हो सकती हैं जो उप-खंड (i) या (ii) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से जो खंड (5) के स्पष्टीकरण के खंड (ङ), (च) या (छ) की अपेक्षाओं पूरा करते हैं;

(ii) कोई खाता जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है, अर्थात्: –

(क) खाता सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बचत साधन के रूप में विनियमन के अधीन है, या खाता (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय) सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निवेश साधन के रूप में विनियमन के अधीन है और एक स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से ट्रेड किया जाता है;

(ख) खाता कर-अनुकूल है जहाँ खाते में किए गए अंशदान जो अन्यथा कर के अधीन होंगे, खाताधारक की कुल आय से कटौती योग्य या छूट प्राप्त हैं या कम दर पर कर लगाए जाते हैं, या खाते से निवेश आय पर कराधान आस्थगित किया जाता है या कम दर पर कर लगाया जाता है;

(ग) आहरण निवेश या बचत खाते के प्रयोजन से संबंधित विशिष्ट मानदंडों (उदाहरण के लिए, शैक्षिक या चिकित्सा लाभों का उपबंध) को पूरा करने पर निर्भर है, अन्यथा ऐसे मानदंडों को पूरा करने से पहले किए गए आहरण पर शास्तियां लागू होंगीं; और

(घ) वार्षिक अंशदान खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए पचास हजार अमेरिकी डॉलर या उससे कम की रकम तक सीमित है।

स्पष्टीकरण–कोई वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (डी) की अपेक्षाओं को पूरा करता है, केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते को एक या अधिक वित्तीय खातों से हस्तांतरित आस्तियां या निधियां प्राप्त हो सकती हैं जो उप-खंड (i) या (ii) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से जो इस नियम के खंड (5) के स्पष्टीकरण के खंड (ङ), (च) या (छ) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं;

(iii) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) के अधीन बनाए गए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अधीन स्थापित खाता;

(iv) कोई जीवन बीमा संविदा जिसकी कवरेज अवधि बीमित व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समाप्त हो जाएगी, परंतु संविदा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती हो, अर्थात्: –

(क) आवधिक प्रीमियम, जो समय के साथ कम नहीं होते, संविदा की अवधि के दौरान या बीमित व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, कम से कम वार्षिक रूप से देय होते हैं;

(ख) संविदा का कोई संविदा मूल्य नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति संविदा समाप्त किए बिना (आहरण, ऋण या किसी अन्य रीति से) प्राप्त कर सके;

(ग) संविदा के रद्द होने या समाप्त होने पर देय रकम (मृत्यु लाभ के अलावा) संविदा के लिए संदाय किए गए कुल प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें से संविदा की अवधि के लिए मृत्यु, रुग्णता और व्यय शुल्क (चाहे वास्तव में लगाए गए हों या नहीं) और संविदा के रद्द होने या समाप्त होने से पहले संदाय की गई कोई भी रकम घटा दी जाती है; और

(घ) संविदा किसी मूल्य के लिए हस्तांतरिती द्वारा धारित नहीं है;

(v) कोई खाता जो केवल एक एस्टेट द्वारा धारित है, यदि ऐसे खाते के दस्तावेज़ में मृतक की वसीयत या मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति शामिल है;

(vi) निम्नलिखित में से किसी के संबंध में स्थापित खाता:

(क) किसी न्यायालय का आदेश या निर्णय;

(ख) अचल या चल संपत्ति की बिक्री, विनिमय या पट्टा, परन्तु खाता निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, अर्थात्: –

(क) खाते में केवल अग्रिम संदाय, बयाना रकम, लेनदेन से सीधे संबंधित दायित्व को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त रकम में जमा, या इसी तरह का संदाय शामिल हो, या संपत्ति की बिक्री, विनिमय या पट्टे के संबंध में खाते में जमा की गई वित्तीय आस्ति शामिल हो;

(ख) खाता केवल क्रेता द्वारा संपत्ति के खरीद मूल्य का संदाय करने, विक्रेता द्वारा किसी आकस्मिक दायित्व का संदाय करने, या पट्टे के अधीन सहमत पट्टेदार या पट्टे पर दी गई संपत्ति से संबंधित किसी भी क्षति के संदाय के दायित्व को सुरक्षित करने के लिए स्थापित और उपयोग किया जाता हो;

(ग) खाते की आस्तियां, जिसमें उस पर अर्जित आय भी शामिल है, क्रेता, विक्रेता, पट्टेदार या पट्टे पर दिए गए व्यक्ति के लाभ के लिए (ऐसे व्यक्ति के दायित्व को पूरा करने सहित) संपत्ति की बिक्री, विनिमय या समर्पण होने पर, या पट्टा समाप्त होने पर संदाय या अन्यथा वितरित की जाएंगी;

(घ) खाता किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या विनिमय के संबंध में स्थापित मार्जिन या इसी प्रकार का खाता नहीं है; और

(ङ) खाता उप-खंड (vii) में विनिर्दिष्ट जमा खाते से संबद्ध नहीं है;

(ग) अचल संपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान का यह दायित्व कि वह संदाय का एक हिस्सा पश्चात में केवल अचल संपत्ति से संबंधित करों या बीमा के संदाय को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग रखे;

(घ) वित्तीय संस्थान का यह दायित्व कि वह केवल पश्चात में करों के संदाय को सुविधाजनक बनाने के लिए हो;

(ङ) किसी कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि, परन्तु खाता निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, अर्थात्:

(i) खाते का उपयोग केवल उस पूंजी को जमा करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग विधि द्वारा निर्धारित कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि के प्रयोजन से किया जाना है;

(ii) खाते में रखी गई कोई भी रकम तब तक ब्लॉक रहती है जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान स्थापना या पूंजी वृद्धि के संबंध में एक स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता;

(iii) स्थापना या पूंजी वृद्धि के पश्चात खाता बंद कर दिया जाता है या कंपनी के नाम पर एक खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है;

(iv) असफल स्थापना या पूंजी वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी पुनर्भुगतान, सेवा प्रदाता और इसी तरह के शुल्क को घटाकर, केवल उन व्यक्तियों को किए जाते हैं जिन्होंने रकम का योगदान दिया था;

(v) खाता 12 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और

(vi) खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाता नहीं है;

(vii) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, एक निक्षेपागार खाता जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है, अर्थात्: –

(क) खाता केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड या अन्य रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के संबंध में देय रकम से अधिक संदाय करता है और अतिरिक्त संदाय तुरंत ग्राहक को वापस नहीं किया जाता है; और

(ख) 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले से आरंभ होकर, वित्तीय संस्था अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को या तो ग्राहक को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का अधिक संदाय करने से रोकने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करती है कि पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का ग्राहक द्वारा किया गया कोई भी अधिक संदाय साठ दिनों के भीतर ग्राहक को वापस कर दिया जाए, प्रत्येक मामले में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए, और इस प्रयोजन के लिए, ग्राहक द्वारा किया गया अधिक संदाय विवादित शुल्कों की सीमा तक क्रेडिट शेष को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसमें माल वापसी से उत्पन्न क्रेडिट शेष शामिल हैं;

(viii) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा कोई निक्षेपागार खाता, जो किसी ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है, यदि किसी भी लगातार 90 दिनों की अवधि के दौरान रोलिंग औसत 90 दिन के अंत में कुल खाता शेष या मूल्य कैलेंडर वर्ष या अन्य उपयुक्त रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी दिन 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं था;

(2) "वित्तीय आस्ति" में प्रतिभूति (उदाहरण के लिए, किसी निगम में स्टॉक का शेयर; व्यापक रूप से धारित या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली साझेदारी या न्यास में साझेदारी या लाभकारी स्वामित्व हित; नोट, बांड, डिबेंचर, या ऋण का अन्य प्रमाण), साझेदारी हित, कमोडिटी, स्वैप (उदाहरण के लिए, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, आधार स्वैप, ब्याज दर कैप, ब्याज दर फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इक्विटी इंडेक्स स्वैप, और इसी तरह के समझौते), बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा, या किसी प्रतिभूति, साझेदारी हित, कमोडिटी, स्वैप, बीमा संविदा, या वार्षिकी संविदा में कोई भी हित (जिसमें वायदा या अग्रिम संविदा या विकल्प शामिल है) शामिल है; अतः, "वित्तीय आस्ति" में अचल संपत्ति में गैर-ऋण और प्रत्यक्ष हित शामिल नहीं होगा, और यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "वित्तीय आस्ति" में प्रासंगिक क्रिप्टो-आस्ति में कोई भी हित (जिसमें वायदा या अग्रिम संविदा या विकल्प शामिल है) भी शामिल होगा;

(3) "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है अभिरक्षक संस्था, निक्षेपागार संस्था, निवेश इकाई, या विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी।

स्पष्टीकरण। –इस खंड के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "अभिरक्षक संस्था" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी इकाई जो अपने कारबार के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, दूसरों के खाते के लिए वित्तीय आस्तियाँ रखती है और जहाँ वित्तीय आस्तियों और संबंधित वित्तीय सेवाओं को रखने से प्राप्त उसकी आय, निर्धारण

किए जाने वाले वर्ष से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान जिसके दौरान संस्था अस्तित्व में रही है, जो भी कम हो, उसकी सकल आय के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है;

(ख) "निक्षेपागार संस्था" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी इकाई जो बैंकिंग या इसी तरह के कारबार के सामान्य क्रम में जमा स्वीकार करती है; अतः, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, "निक्षेपागार संस्था" में एक ऐसी इकाई भी शामिल होगी जो ग्राहकों के लाभ के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं रखती है;

(ग) "निवेश इकाई" से कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, –

(ए) जो मुख्य रूप से किसी ग्राहक के लिए या उसकी ओर से निम्नलिखित गतिविधियों या कार्यों में से एक या अधिक को कारबार के रूप में संचालित करती है, अर्थात्: –

(i) मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, डेरिवेटिव आदि) में व्यापार; विदेशी मुद्रा; विनिमय, ब्याज दर और सूचकांक लिखत; हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां; या कमोडिटी वायदा व्यापार; या

(ii) व्यक्तिगत और सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन; या

(iii) अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों या धन का निवेश, प्रशासन या प्रबंधन करना; यद्यपि, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, इस मद के उपबंध, –

(क) इस प्रभाव से लागू होंगे कि "वित्तीय आस्तियां" वाक्यांश को "वित्तीय आस्तियां या संबंधित क्रिप्टो-आस्तियां" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय लेनदेन को प्रभावी बनाने वाली सेवाओं का उपबंध इसमें शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, “विनिमय लेनदेन” शब्द का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है;

(बी) जिसकी सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश या व्यापार से प्राप्त होती है, यदि इकाई का प्रबंधन किसी अन्य इकाई द्वारा किया जाता है जो एक निक्षेपागार संस्था, एक अभिरक्षक संस्था, एक विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी, या इस खंड के उप-खंड (ए) में उल्लिखित एक निवेश इकाई है;

स्पष्टीकरण 1.– किसी इकाई को इस खंड के उप-खंड (ए) में वर्णित एक या अधिक गतिविधियों को मुख्य रूप से कारबार के रूप में संचालित करने वाली इकाई माना जाता है, या इस खंड के उप-खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए किसी इकाई की सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश या

व्यापार से प्राप्त होती है, यदि संबंधित गतिविधियों से प्राप्त इकाई की सकल आय उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के दौरान इकाई की सकल आय के पचास प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, जिस वर्ष निर्धारण किया जा रहा है या उस अवधि के दौरान, जिस अवधि से यह इकाई अस्तित्व में है, जो भी कम हो।

स्पष्टीकरण 2.– "निवेश इकाई" शब्द में ऐसी इकाई शामिल नहीं होगी जो केवल इसलिए सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई है क्योंकि वह इस नियम के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vii) में दिए गए किसी भी मानदंड को पूरा करती है; तथापि, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के लिए, उपखंड (ख) और स्पष्टीकरण 1 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि "वित्तीय आस्तियां" वाक्यांश को "वित्तीय आस्तियां या संबंधित **क्रिप्टो-आस्तियां**" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) "विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी" से कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की होल्डिंग कंपनी) है और जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा जारी करती है या उसके संबंध में संदाय करने के लिए बाध्य है;

(4) "गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था" से भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (जिसे इसके पश्चात एफएटीसीए समझौता कहा जाएगा) को लागू करने के लिए हुए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (द) में परिभाषित वित्तीय संस्था से है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: -

(क) कोई भारतीय वित्तीय संस्था; या

(ख) अन्य अधिकारिता, जो कि ऐसा अधिकारिता हो जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए एक समझौता प्रभावी हो (जिसे इसके पश्चात अन्य भागीदार अधिकारिता कहा गया है), वित्तीय संस्था, सिवाय ऐसी वित्तीय संस्था के जिसे एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ख) या संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदार अधिकारिता के बीच किसी समझौते के संबंधित उपबंध के अनुसार गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था माना जाता है;

(5) "गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था" से कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो कि –

(क) एक सरकारी इकाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक है, सिवाय

(i) किसी ऐसे संदाय के संबंध में जो किसी विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी, अभिरक्षक संस्था या निक्षेपागार संस्था द्वारा की जाने वाली वाणिज्यिक वित्तीय गतिविधि से संबंधित दायित्व से प्राप्त होता है; या

(ii) उन खाताधारकों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को बनाए रखने की गतिविधि के संबंध में जो वित्तीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक नहीं हैं; अतः, इस मद के उपबंध यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते पर लागू होंगे;

(ख) संधि अर्हित सेवानिवृत्ति निधि; व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि; सीमित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि; या किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक की पेंशन निधि;

(ग) सशस्त्र बलों की गैर-सरकारी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, उपदान निधि या भविष्य निधि;

(घ) कोई ऐसी संस्था जो केवल निवेश संस्था होने के कारण भारतीय वित्तीय संस्था है, परन्तु संस्था में इक्विटी हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक उप-खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था हो, और ऐसी संस्था में ऋण हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक या तो निक्षेपागार संस्था (ऐसी संस्था को दिए गए ऋण के संबंध में) हो या उप-खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था हो;

(ङ) एक अर्हित क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता;

(च) भारत में स्थापित एक निवेश इकाई जो केवल इसलिए वित्तीय संस्था है क्योंकि वह किसी ग्राहक के नाम पर किसी गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य वित्तीय संस्था में जमा किए गए धन या प्रतिभूतियों के निवेश, प्रबंधन या प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, –

(I) निवेश सलाह प्रदान करती है और उसकी ओर से कार्य करती है; या

(II) पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है और उसकी ओर से कार्य करती है; या

(III) किसी ग्राहक की ओर से व्यापार करती है।

(छ) कोई छूट प्राप्त सामूहिक निवेश साधन;

(ज) किसी भी वर्तमान विधि के अधीन स्थापित एक न्यास, इस हद तक कि न्यास का न्यासी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था है और न्यास के सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में नियम 239 के अधीन रिपोर्ट की जाने वाली सभी जानकारी रिपोर्ट करता है;

(झ) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, स्थानीय ग्राहक आधार वाली वित्तीय संस्था;

(ञ) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, एक स्थानीय बैंक;

(ट) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, केवल कम मूल्य वाले खातों वाला वित्तीय संस्थान;

(ठ) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम; या

(ड) किसी भी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, प्रायोजित निकट-नियंत्रित निवेश यान।

(ढ) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के संबंध में कोई अर्हित गैर-लाभकारी संस्था;

स्पष्टीकरण –इस खंड के प्रयोजन के लिए, –

(ए) "सरकारी इकाई" से किसी देश या राज्यक्षेत्र की सरकार, किसी देश या राज्यक्षेत्र का कोई राजनीतिक उप-विभाग (जिसमें राज्य, प्रांत, काउंटी या नगरपालिका शामिल है), या किसी देश या राज्यक्षेत्र की कोई पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या परिकरण या नियंत्रित इकाई या उपरोक्त में से कोई एक या अधिक (जहां प्रत्येक को "सरकारी इकाई" भी कहा जाता है) इकाइयां अभिप्रेत है और इसमें ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के अभिन्न अंग, नियंत्रित इकाइयाँ और राजनीतिक उप-विभाग शामिल हैं।

स्पष्टीकरण खंड (क) के प्रयोजन के लिए, –

(i) खंड (iii) और (iv) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी देश या राज्यक्षेत्र का "अभिन्न अंग" किसी भी व्यक्ति, संगठन, एजेंसी, ब्यूरो, निधि, परिकरण या अन्य निकाय को संदर्भित करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी देश या राज्यक्षेत्र का शासी प्राधिकरण हो और शासी प्राधिकरण की शुद्ध आय उसके अपने खाते में या देश या राज्यक्षेत्र के अन्य खातों में जमा की जानी चाहिए, जिसमें से कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा; यद्यपि, अभिन्न अंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जो संप्रभु, अधिकारी या प्रशासक हो और निजी या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा हो;

(ii) खंड (iii) और (iv) के उपबंधों के अध्यधीन, नियंत्रित इकाई से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो देश या राज्यक्षेत्र से स्वरूप में भिन्न हो या अन्यथा एक पृथक न्यायिक इकाई हो; यद्यपि इस प्रकार कि, -

(क) इकाई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से हो;

(ख) इकाई की शुद्ध आय उसके अपने खाते में या एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं के खातों में जमा की जाती है, और उसकी आय का कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ग) विघटन पर इकाई की आस्तियाँ एक या एक से अधिक सरकारी संस्थाओं में निहित हो जाती हैं;

(iii) यदि निजी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के इच्छित लाभार्थी हैं, और कार्यक्रम की गतिविधियाँ आम जनता के कल्याण के लिए या सरकार के किसी विभाग के

प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग नहीं की जाती है;

(iv) यदि कोई आय किसी सरकारी संस्था द्वारा वाणिज्यिक कारबार, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कारबार, से प्राप्त होती है, जो निजी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, तो उसे निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए आय माना जाएगा;

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या परिकरण अभिप्रेत है, जिसमें कोई अंतर-सरकारी संगठन भी शामिल है, –

(क) जो मुख्य रूप से सरकारों से मिलकर बना हो;

(ख) जिसका भारत में मुख्यालय या उसके साथ लगभग समान समझौता हो; और

(ग) जिसकी आय निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती है;

(ग) "केंद्रीय बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसे विधि या सरकारी स्वीकृति द्वारा, देश या राज्यक्षेत्र की सरकार के अलावा, मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए अभिप्रेत उपकरणों को जारी करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है, जिसमें देश या राज्यक्षेत्र की सरकार से अलग परिकरण भी शामिल है, चाहे वह उस देश या राज्यक्षेत्र के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में हो या नहीं;

(घ) "संधि अर्हित सेवानिवृत्ति निधि" से भारत में स्थापित निधि अभिप्रेत है, परन्तु निधि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के अधीन उन आय पर लाभ प्राप्त करने की हकदार हो जो भारत के निवासी के रूप में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्रोतों से प्राप्त होती है (या यदि उसे ऐसी कोई आय प्राप्त होती तो वह ऐसे लाभों की हकदार होती) जो लाभ संबंधी किसी भी लागू सीमा की शर्त को पूरा करती है, और मुख्य रूप से पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का प्रशासन या उपबंध करने के लिए संचालित होती है;

(ङ) "व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) को उनकी सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ, या इनमें से किसी भी संयोजन को प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हो; यद्यपि, इस प्रकार कि निधि, –

(i) निधि की आस्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार रखने वाला कोई लाभार्थी न हो;

(ii) सरकारी विनियमन के अधीन हो और आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करती हो; और

(iii) निम्नलिखित अपेक्षाओं में से कम से कम एक को पूरा करती हो, अर्थात्: –

(क) निधि को आम तौर पर निवेश आय पर कर से छूट प्राप्त हो, या सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना होने के कारण ऐसी आय पर कर आस्थगित हो या कम दर पर कर लगाया जाए;

(ख) निधि को अपने कुल अंशदान का कम से कम पचास प्रतिशत प्रायोजक नियोक्ताओं से प्राप्त होता है, जो खंड (घ) से (छ) में विनिर्दिष्ट अन्य योजनाओं से या खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों से आस्तियों के हस्तांतरण के अतिरिक्त है;

(ग) निधि से वितरण या आहरण केवल सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ही अनुमत है, सिवाय खंड (ई) से (जी) में विनिर्दिष्ट अन्य सेवानिवृत्ति निधियों या खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों में रोलओवर वितरण या ऐसी घटनाओं से पहले किए गए वितरण या आहरण पर लागू होने वाली शास्तियों के; या

(घ) कर्मचारियों द्वारा निधि में अंशदान (अनुमत क्षतिपूर्ति अंशदान के अतिरिक्त) कर्मचारी की अर्जित आय के संदर्भ में सीमित है या खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए, प्रति वर्ष पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं हो सकेगा;

(च) "सीमित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जो एक या एक से अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है; यद्यपि, इस प्रकार कि, –

(i) निधि में पचास से कम प्रतिभागी हों;

(ii) निधि एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित हो जो निवेश संस्थाएं या निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्थाएं न हों;

(iii) खंड (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति और पेंशन खातों से आस्तियों के हस्तांतरण के अलावा निधि में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान क्रमशः कर्मचारी की अर्जित आय और मुआवजे के संदर्भ में सीमित हो;

(iv) भारत में निवासी न होने वाले प्रतिभागी निधि की आस्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक के हकदार न हों; और

(v) निधि सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को सूचना रिपोर्टिंग प्रदान करती है;

(छ) "सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक की पेंशन निधि" से किसी सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है, जो वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्तियों) या जो वर्तमान या पूर्व कर्मचारी नहीं हैं, को सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु लाभ प्रदान करती है, यदि ऐसे लाभार्थियों या

प्रतिभागियों को प्रदान किए गए लाभ सरकारी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक को दी गई व्यक्तिगत सेवाओं के प्रतिफल के रूप में दिए जाते हैं;

(ज) "सशस्त्र बलों की गैर-सरकारी निधि" से भारत में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा रेजिमेंटल निधि या गैर-सराकरी निधि के रूप में स्थापित निधि अभिप्रेत है, जो सशस्त्र बलों के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के कल्याण के लिए है और जिसकी आय अधिनियम की अनुसूची VII(1) के अधीन कर से मुक्त है;

(झ) "कर्मचारी राज्य बीमा निधि" से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि अभिप्रेत है, जिसका प्रयोजन भारत में कम आय वाले कारखाना श्रमिकों के चिकित्सा व्यय प्रदान करना है;

(ञ) "उपदान निधि" से उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है, जिसका प्रयोजन उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में विनिर्दिष्ट भारतीय नियोक्ताओं के कतिपय प्रकार के कर्मचारियों को उपदान का संदाय करना है;

(ट) "भविष्य निधि" से भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है, जिसका प्रयोजन भारतीय नियोक्ताओं के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है; यद्यपि, वह निधि ऐसी हो कि, –

(i) निधि की आस्तियों के पाँच प्रतिशत से अधिक का अधिकार रखने वाला कोई लाभार्थी नहीं है;

(ii) सरकारी विनियमन के अधीन है और आयकर अधिकारियों को अपने लाभार्थियों के बारे में वार्षिक सूचना प्रदान करती है;

(iii) भविष्य निधि होने के कारण निवेश आय पर सामान्यतः कर से मुक्त है; और

(iv) कर्मचारियों द्वारा निधि में किए गए अंशदान (अनुमत क्षतिपूर्ति अंशदानों के अलावा) कर्मचारी की अर्जित आय के अनुसार सीमित हैं या खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए, प्रति वर्ष पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं हो सकते हैं;

(ठ) "अर्हित क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता" से ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: –

(i) यह केवल इसलिए एक वित्तीय संस्था है क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड जारी करती है और जमा तभी स्वीकार करती है जब कोई ग्राहक कार्ड के संबंध में देय रकम से अधिक संदाय करता है और अतिरिक्त संदाय तुरंत ग्राहक को वापस नहीं किया जाता है; और

(ii) 1 जुलाई, 2014 को या उससे पहले से, वित्तीय संस्था ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं लागू करती है जिससे या तो ग्राहक को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का अतिरिक्त संदाय करने से रोका जा सके या यह सुनिश्चित किया जा

सके कि ग्राहक का पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक का कोई भी अतिरिक्त संदाय साठ दिनों के भीतर ग्राहक को वापस कर दिया जाए, और प्रत्येक मामले में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित नियमों को लागू किया गया हो।

स्पष्टीकरण –इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, ग्राहक के अतिरिक्त संदाय का तात्पर्य विवादित शुल्कों की सीमा तक क्रेडिट शेष रकम से नहीं है, बल्कि इसमें माल वापसी से उत्पन्न क्रेडिट शेष रकम शामिल है;

(ड) "छूट प्राप्त सामूहिक निवेश यान" से ऐसी निवेश इकाई अभिप्रेत है जिसे सामूहिक निवेश यान के रूप में विनियमित किया जाता है, परन्तु सामूहिक निवेश यान में सभी हित निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनके माध्यम से धारित हों: –

(i) खंड (6) के उपखंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति; और

(ii) एक गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था।

स्पष्टीकरण – एक निवेश इकाई जिसे सामूहिक निवेश यान के रूप में विनियमित किया जाता है, केवल इसलिए इस खंड के अधीन छूट प्राप्त सामूहिक निवेश यान के रूप में अपात्र नहीं होगी क्योंकि उसने धारक रूप में वास्तविक शेयरों को जारी किया है; परन्तु –

(i) सामूहिक निवेश यान ने 31 दिसंबर, 2012 के पश्चात धारक रूप में वास्तविक शेयरों को जारी नहीं किया है और न ही जारी करता है;

(ii) सामूहिक निवेश यान समर्पण पर ऐसे सभी शेयरों को वापस ले लेता है;

(iii) सामूहिक निवेश यान नियम 240 में निर्धारित उचित प्रक्रियाओं का पालन करता है और ऐसे शेयरों को मोचन या अन्य संदाय के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उनसे संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाओं की रिपोर्ट करता है; और

(iv) सामूहिक निवेश यान के पास यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं कि ऐसे शेयरों को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 1 जनवरी, 2017 से पहले भुनाया या निष्क्रिय किया जाए;

(ढ) "स्थानीय ग्राहक आधार वाली वित्तीय संस्था" से निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्: –

(i) इसे लाइसेंस प्राप्त है और यह वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अधीन वित्तीय संस्था के रूप में विनियमित है;

(ii) वित्तीय संस्था का भारत के बाहर कोई स्थायी व्यावसायिक स्थान नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, स्थायी व्यावसायिक स्थान में वह स्थान शामिल नहीं है जिसका सार्वजनिक रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता है और जहाँ से वित्तीय संस्था केवल प्रशासनिक सहायता कार्य करती है; और

(iii) वित्तीय संस्था भारत के बाहर ग्राहकों या खाताधारकों को लुभाने का प्रयास नहीं करती है।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी वित्तीय संस्था को केवल इसलिए भारत के बाहर ग्राहकों या खाताधारकों को लुभाने का प्रयास करने वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि वित्तीय संस्था, -

(क) एक वेबसाइट संचालित करती है, परन्तु वेबसाइट विशेष रूप से यह इंगित न करे कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं प्रदान करती है, और अन्यथा कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी भी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी ग्राहकों या खाताधारकों को लक्षित या लुभाने का प्रयास नहीं करती है; या

(ख) प्रिंट मीडिया में या किसी रेडियो या टेलीविजन स्टेशन पर विज्ञापन देती है जिसका वितरण या प्रसारण मुख्य रूप से भारत के भीतर होता है, लेकिन अन्य देशों में भी आकस्मिक रूप से होता है, परन्तु विज्ञापन में विशेष रूप से यह इंगित न किया गया हो कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं प्रदान करती है, और अन्यथा कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी ग्राहकों या खाताधारकों को लक्षित या लुभाती नहीं है;

(iv) वित्तीय संस्था को किसी भी लागू विधि के अधीन निवासियों द्वारा धारित वित्तीय खातों के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग या कर कटौती के प्रयोजनों के लिए या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए निवासी खाताधारकों की पहचान करना अपेक्षित है;

(v) वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए वित्तीय खातों में मूल्य के हिसाब से कम से कम 98 प्रतिशत निवासियों द्वारा धारित हैं;

(vi) 30 जून, 2014 को या उससे पहले से, वित्तीय संस्था की नीतियां और प्रक्रियाएं नियम 240 में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होंगी, ताकि वित्तीय संस्था को किसी भी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था को वित्तीय खाता प्रदान करने से रोका जा सके और यह निगरानी की जा सके कि क्या वित्तीय संस्था किसी ऐसे रिपोर्टेबल व्यक्ति के लिए वित्तीय खाता खोलती है या रखती है जो भारत का निवासी नहीं है (जिसमें ऐसा अनिवासी भी शामिल है जो वित्तीय खाता खोलते समय भारत का निवासी था लेकिन पश्चात में भारत का निवासी नहीं रहा) या कोई निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जिसके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्टेबल व्यक्ति हैं;

(vii) ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से यह उपबंध होगा कि यदि किसी ऐसे रिपोर्टेबल व्यक्ति द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता पाया जाता है जो भारत का निवासी नहीं है या किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता पाया जाता है जिसके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट योग्य व्यक्ति हैं और भारत का निवासी

नहीं हैं, तो वित्तीय संस्था ऐसे वित्तीय खाते की रिपोर्ट उसी प्रकार करेगी जैसे कि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती, या ऐसे वित्तीय खाते को बंद कर देगी;

(viii) भारत के निवासी न होने वाले किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा धारित पहले से विद्यमान खाते के संबंध में, वित्तीय संस्था पहले से विद्यमान खातों पर लागू नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन पहले से विद्यमान खातों की समीक्षा करेगी ताकि किसी भी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी भी रिपोर्टेबल खाते या वित्तीय खाते की पहचान की जा सके, और ऐसे वित्तीय खाते की रिपोर्ट उसी प्रकार करेगी जैसे कि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होती, या ऐसे वित्तीय खाते को बंद कर देगी;

(ix) वित्तीय संस्था की प्रत्येक संबंधित इकाई जो एक वित्तीय संस्था है, भारत में निगमित या संगठित होनी चाहिए और, इस स्पष्टीकरण के खंड (घ) से (छ) में विनिर्दिष्ट किसी भी संबंधित इकाई को छोड़कर, जो सेवानिवृत्ति निधि है, इस खंड में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती है; और

(x) वित्तीय संस्था की ऐसी कोई नीति या प्रथा नहीं होनी चाहिए जो विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्तियों और भारत के निवासियों के लिए वित्तीय खाते खोलने या बनाए रखने के विरुद्ध भेदभाव करती हो;

(ण) "स्थानीय बैंक" से ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: –

(i) वित्तीय संस्था केवल एक बैंक, या क्रेडिट यूनियन या इसी प्रकार के सहकारी ऋण संगठन के रूप में कार्य करती है (और उस समय लागू किसी भी विधि के अधीन लाइसेंस प्राप्त और विनियमित है) जो लाभ रहित रूप से संचालित होता है;

(ii) वित्तीय संस्था का कारबार मुख्य रूप से बैंक के संबंध में असंबंधित खुदरा ग्राहकों से जमा प्राप्त करना और उन्हें ऋण देना तथा क्रेडिट यूनियन या इसी प्रकार के सहकारी ऋण संगठन के संबंध में सदस्यों को ऋण देना है, परन्तु किसी भी सदस्य का ऐसे क्रेडिट यूनियन या सहकारी ऋण संगठन में पांच प्रतिशत से अधिक हित न हो;

(iii) वित्तीय संस्था खंड (ढ) के उपखंड (ii) और (iii) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती है, परन्तु खंड (ढ) के उपखंड (iii) में संदर्भित वेबसाइट पर प्रतिबंधों के साथ-साथ वेबसाइट वित्तीय खाता खोलने की अनुमति नहीं देती है;

(iv) वित्तीय संस्था के तुलन पत्र पर एक सौ पचहत्तर मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और वित्तीय संस्था एवं किसी भी संबंधित इकाई के समेकित या संयुक्त तुलन पत्र पर कुल संपत्ति पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(v) कोई भी संबंधित इकाई भारत में निगमित या संगठित होनी चाहिए, और कोई भी संबंधित इकाई जो वित्तीय संस्था है, उसे खंड (घ) से (छ) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति निधि या खंड (त) में विनिर्दिष्ट कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था को छोड़कर, इस खंड में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

स्पष्टीकरण.–क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) के अधीन गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन गठित शहरी सहकारी बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन गठित राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थानीय क्षेत्र बैंक और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में विनियमित और रजिस्ट्रीकृत, जो उप-खंड (iv) के अधीन अपेक्षा को पूरा करते हैं, इस खंड के प्रयोजन के लिए स्थानीय बैंक माने जाएंगे;

(त) "केवल कम मूल्य वाले खातों वाली वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्था से है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती हो, अर्थात्: –

(i) वित्तीय संस्था एक निवेश इकाई नहीं है;

(ii) वित्तीय संस्था या किसी संबंधित इकाई द्वारा रखे गए किसी भी वित्तीय खाते में खाता संकलन और करेंसी ट्रांसलेशन के लिए नियम 240 में निर्धारित प्रक्रियाओं को लागू करने पर पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक शेष या मूल्य नहीं है; और

(iii) वित्तीय संस्था के तुलन पत्र पर पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति नहीं है, और वित्तीय संस्था और किसी भी संबंधित इकाई की समेकित या संयुक्त तुलन पत्र पर कुल संपत्ति पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है;

(थ) "प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम" से निम्नलिखित उपखंडों में वर्णित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्: –

(i) कोई वित्तीय संस्था प्रायोजित निवेश इकाई है यदि–

(क) यह भारत में स्थापित एक निवेश इकाई है जो एक अर्हित मध्यवर्ती (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यवर्ती), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी न्यास नहीं है; और

(ख) किसी इकाई ने वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय संस्था के साथ समझौता किया है;

(ii) कोई वित्तीय संस्था प्रायोजित नियंत्रित विदेशी निगम है यदि–

(क) वित्तीय संस्था भारत में वर्तमान में लागू किसी विधि के अधीन स्थापित एक नियंत्रित विदेशी निगम है जो एक अर्हित मध्यवर्ती (संयुक्त राज्य अमेरिका

के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यवर्ती), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी न्यास नहीं है;

(ख) वित्तीय संस्था का पूर्ण स्वामित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित एक रिपोर्टिंग अमेरिकी वित्तीय संस्था के पास है, जो वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है, या वित्तीय संस्था के किसी सहयोगी को प्रायोजक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करती है; और

(ग) वित्तीय संस्था प्रायोजक इकाई के साथ एक साझा इलेक्ट्रॉनिक खाता प्रणाली का उपयोग करती है, जो प्रायोजक इकाई को वित्तीय संस्था के सभी खाताधारकों और संदायकर्ताओं की पहचान करने और वित्तीय संस्था द्वारा रखी गई सभी खाता और ग्राहक जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है, जिसमें ग्राहक पहचान जानकारी, ग्राहक दस्तावेज, खाता शेष और खाताधारक या संदायकर्ता को किए गए सभी संदाय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

और यह निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अर्थात्: –

(I) प्रायोजक इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्था की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृतहै (जैसे कि फंड मैनेजर, ट्रस्टी, कॉर्पोरेट निदेशक, या प्रबंध भागीदार);

(II) प्रायोजक इकाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रायोजक इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया है;

(III) यदि प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था के संबंध में किसी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते की पहचान करती है, तो प्रायोजक इकाई 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले या ऐसे यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते की पहली पहचान के नब्बे दिन पश्चात की तारीख तक, जो भी पश्चात में हो, संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय संस्था का रजिस्ट्रीकरण कराती है;

(IV) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जो वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर पूरी करनी होतीं;

(V) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की पहचान करती है और वित्तीय संस्था की ओर से पूर्ण की गई अपनी सभी रिपोर्टों में वित्तीय संस्था की पहचान संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं का पालन करके प्राप्त) शामिल करती है; और

(VI) प्रायोजक इकाई का प्रायोजक का दर्जा रद्द नहीं किया गया है;

(द) "प्रायोजित, निकटतः धारित निवेश इकाई" से ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: –

(i) यह केवल इसलिए एक वित्तीय संस्था है क्योंकि यह एक निवेश इकाई है और यह एक अर्हित मध्यवर्ती (संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रोक समझौते का पक्षकार मध्यवर्ती), रोक लगाने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक लगाने वाला विदेशी न्यास नहीं है;

(ii) प्रायोजक इकाई, एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित एक रिपोर्टिंग अमेरिकी वित्तीय संस्था, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, या एफएटीसीए समझौते के अनुबंध II में परिभाषित सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था है, और वित्तीय संस्था की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है (जैसे कि एक वृत्तिक प्रबंधक, न्यासी, या प्रबंध भागीदार), और वित्तीय संस्था की ओर से ऐसे सभी उचित परिश्रम, रोक, रिपोर्टिंग और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जिन्हें वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर पूरा करना अपेक्षित होता;

(iii) वित्तीय संस्था असंबंधित पक्षकारों के लिए निवेश माध्यम के रूप में कार्य नहीं करती है;

(iv) वित्तीय संस्था में सभी ऋण हित और इक्विटी हित बीस या बीस से कम व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं (एफएटीसीए समझौते के उपाबंध II में परिभाषित सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था और गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व वाले ऋण हितों और किसी इकाई के स्वामित्व वाले इक्विटी हितों को छोड़कर, यदि वह इकाई वित्तीय संस्था में शत प्रतिशत इक्विटी हितों की स्वामी है और स्वयं इस खंड में वर्णित एक प्रायोजित वित्तीय संस्था है); और

(v) प्रायोजक इकाई निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अर्थात्: –

(क) इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के अनुसार एक प्रायोजक इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ख) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की ओर से सभी उचित परिश्रम, कर कटौती, रिपोर्टिंग और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहमत है, जो वित्तीय संस्था को एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था होने पर करनी होती, और वित्तीय संस्था के संबंध में एकत्रित दस्तावेजों को छह वर्षों की अवधि के लिए रखती है;

(ग) प्रायोजक इकाई वित्तीय संस्था की ओर से पूर्ण की गई अपनी सभी रिपोर्टों में वित्तीय संस्था की पहचान प्रकट करती है; और

(घ) प्रायोजक इकाई का प्रायोजक का दर्जा रद्द नहीं किया गया हो;

(ध) "अर्हित गैर-लाभकारी संस्था" से भारत में निवासी ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसने आयकर विभाग या भारत के किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण से यह पुष्टि प्राप्त की हो कि ऐसी संस्था निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: –

(i) यह भारत में विशेष रूप से धार्मिक, पूर्त, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित और संचालित हो; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रमिक संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;

(ii) यह भारत में आयकर से मुक्त है;

(iii) इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित है;

(iv) भारत के लागू विधि या संस्था के गठन के दस्तावेज संस्था की किसी भी आय या संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ संस्था को वितरित करने या उनके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय संस्था की धर्मार्थ गतिविधियों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित प्रतिकर के संदाय के रूप में, या संस्था द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले संदाय के रूप में; और

(v) भारत के लागू कानूनों या संस्था के गठन दस्तावेजों के अनुसार, संस्था के परिसमापन या विघटन पर, उसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी संस्था या ऐसी अन्य संस्था को वितरित किया जाना अपेक्षित है जो (i) से (v) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती हो, या भारत सरकार या उसके किसी राजनीतिक उपखंड को हस्तांतरित कर दी जाए;

(6) "रिपोर्ट योग्य खाता" से ऐसा वित्तीय खाता अभिप्रेत है जिसकी पहचान नियम 240 में दी गई उचित प्रक्रियाओं के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा धारित के रूप में की गई है: –

(क) किसी रिपोर्ट योग्य व्यक्ति द्वारा; या

(ख) किसी संस्था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न हो, जिसमें एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों और जो एक विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति हो, द्वारा; या

(ग) किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था, जिसमें एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों और जो इस नियम के खंड (8) के उपखंड (ख) में वर्णित व्यक्ति हो, द्वारा।

स्पष्टीकरण –इस खंड के प्रयोजन के लिए, –

(ए) "सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है, अर्थात्: –

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए इकाई की सकल आय का पचास प्रतिशत से कम निष्क्रिय आय है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा धारित आस्तियों का पचास प्रतिशत से कम ऐसी आस्तियां हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धारित हैं; या

(ii) इकाई के शेयरों का किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से कारोबार होता है या गैर-वित्तीय इकाई किसी ऐसी इकाई की संबंधित इकाई है, जिसके शेयरों का किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से कारोबार होता है।

स्पष्टीकरण –इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, एक स्थापित प्रतिभूति बाजार से तात्पर्य एक ऐसे एक्सचेंज से है जिसे उस सरकारी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त और पर्यवेक्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूति बाजार स्थित है और जिसमें एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले शेयरों का एक सार्थक वार्षिक मूल्य है;

(iii) इकाई कोई सरकारी इकाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केंद्रीय बैंक, या इनमें से एक या अधिक संस्थाओं के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है; या

(iv) इकाई की लगभग सभी गतिविधियाँ एक या अधिक अनुषंगी कंपनियों के बकाया स्टॉक को (पूर्ण या आंशिक रूप से) धारण करने, या उन्हें वित्तपोषण और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जो वित्तीय संस्था के कारबार के अलावा अन्य व्यापारों या व्यवसायों में संलग्न हैं; हालाँकि, यदि कोई इकाई एक निवेश निधि के रूप में कार्य करती है, जैसे कि एक निजी इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, लीवरेज्ड बायआउट फंड, या कोई भी निवेश साधन जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या वित्तपोषण करना और फिर निवेश उद्देश्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में हिस्सेदारी रखना है, तो वह इस दर्जे के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगी; या

(v) इकाई अभी तक कोई कारबार संचालित नहीं कर रही है और उसका कोई पूर्व परिचालन इतिहास नहीं है, लेकिन वह वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारबार को संचालित करने के इरादे से आस्तियों में पूंजी निवेश कर रही है, परंतु इकाई के प्रारंभिक संगठन की तारीख के चौबीस महीने पश्चात यह इकाई इस अपवाद के लिए पात्र नहीं होगी; या

(vi) इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय संस्था नहीं थी, और वह अपनी आस्तियों को परिसमाप्त करने की प्रक्रिया में है या वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारबार में परिचालन जारी रखने या पुनः आरंभ करने के इरादे से पुनर्गठन कर रही है; या

(vii) इकाई मुख्य रूप से गैर-वित्तीय संस्थाओं के साथ या उनके लिए वित्तपोषण और हेजिंग लेनदेन में संलग्न है, और किसी भी ऐसी इकाई को वित्तपोषण या हेजिंग सेवाएं प्रदान नहीं करती है जो संबंधित संस्था नहीं है, बशर्ते संबंधित संस्थाओं का समूह मुख्य रूप से वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य कारबार में संलग्न हो; या

(viii) इकाई निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात्: –

(a) यह भारत में विशेष रूप से धार्मिक, पूर्त, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित और संचालित है; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रमिक संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;

(ख) इसे भारत में आयकर से छूट प्राप्त है;

(ग) इसके कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो;

(घ) इकाई के निवास देश या राज्यक्षेत्र के लागू विधि या इकाई के गठन के दस्तावेज इकाई की किसी भी आय या आस्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-पूर्त इकाई को वितरित करने या उनके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय इकाई की पूर्त गतिविधियों के संचालन के लिए, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित मुआवजे के संदाय के रूप में, या इकाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के संदाय के रूप में; और

(ङ) इकाई के निवास देश या राज्यक्षेत्र के लागू विधि या इकाई के गठन दस्तावेजों के अनुसार, इकाई के परिसमापन या विघटन पर, उसकी सभी संपत्तियों को किसी सरकारी इकाई या अन्य गैर-लाभकारी संगठन को वितरित किया जाना चाहिए, या इकाई के निवास देश या राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण –इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को उक्त उपखंड में दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा, अर्थात्: –

(I) अधिनियम की अनुसूची III(27) में विनिर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि; और

(II) अधिनियम की अनुसूची III(28) में विनिर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि;

(ख) "नियंत्रक व्यक्ति" से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखता है और इसमें धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित लाभकारी स्वामी शामिल है।

स्पष्टीकरण 1 – लाभकारी स्वामी का निर्धारण करते समय, समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू की जाएगी, अर्थात्: –

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 18 जनवरी, 2013 को जारी DBOD.AML.BC. संख्या 71/14.01.001/2012-13; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 24 जनवरी, 2013 को जारी किया गया CIR/MIRSD/2/2013; या

(iii) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा 4 फरवरी, 2013 को जारी किया गया IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013।

स्पष्टीकरण 2 – न्यास के मामले में, नियंत्रक व्यक्ति से अभिप्रेत है स्थापितकर्ता, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति, और न्यास के अलावा किसी अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में, उक्त पद से अभिप्रेत है समकक्ष या समान स्थिति वाला व्यक्ति;

(ग) "गैर-वित्तीय इकाई" से अभिप्रेत है कोई भी इकाई जो वित्तीय संस्था नहीं है;

(घ) "निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई" से अभिप्रेत है, –

(i) कोई भी गैर-वित्तीय इकाई जो सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई नहीं है; या

(ii) खंड (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ख) में वर्णित निवेश इकाई, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारिता में स्थित नहीं है; या

(iii) कोई विदहोल्डिंग विदेशी साझेदारी या विदहोल्डिंग विदेशी न्यास नहीं है;

(ङ) कोई इकाई दूसरी इकाई की "संबंधित इकाई" है यदि उनमें से कोई भी इकाई दूसरी इकाई को नियंत्रित करती है, या दोनों इकाइयाँ एक ही नियंत्रण में हैं।

स्पष्टीकरण –इस खंड के प्रयोजन के लिए नियंत्रण में किसी इकाई में पचास प्रतिशत से अधिक मतों और मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है;

(च) खंड (छ) के उपबंधों के अध्यधीन, "निष्क्रिय आय" में निम्न प्रकार की आय शामिल है,–

(i) लाभांश;

(ii) ब्याज;

(iii) ब्याज के समतुल्य आय;

(iv) किराया और स्वामित्व (गैर-वित्तीय इकाई के कर्मचारियों द्वारा कम से कम आंशिक रूप से संचालित कारबार के सक्रिय संचालन से प्राप्त किराए और स्वामित्व को छोड़कर);

(v) वार्षिकी;

(vi) वित्तीय आस्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ और हानि का अंतर;

(vii) किसी भी वित्तीय आस्ति में संव्यवहार (जिसमें वायदा, अग्रिम, विकल्प और इसी तरह के लेनदेन शामिल हैं) से होने वाले लाभ और हानि का अंतर;

(viii) विदेशी मुद्रा लाभ और विदेशी मुद्रा हानि का अंतर;

(ix) स्वैप से प्राप्त निवल आय; या

(x) नकद मूल्य बीमा संविदाओं के अधीन प्राप्त रकम:

(छ) निष्क्रिय आय में, वित्तीय आस्तियों के डीलर के रूप में नियमित रूप से कार्य करने वाली गैर-वित्तीय इकाई के मामले में, ऐसे डीलर के रूप में उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए किसी भी लेनदेन से प्राप्त आय शामिल नहीं होगी।

(7) "सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति" का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है;

(8) "रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है, –

(क) कोई वित्तीय संस्था (गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को छोड़कर) जो भारत में निवासी है, लेकिन ऐसी संस्था की कोई शाखा जो भारत के बाहर स्थित है, इसमें शामिल नहीं है; और

(ख) किसी वित्तीय संस्था (गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को छोड़कर) की कोई शाखा, जो भारत में निवासी नहीं है, यदि वह शाखा भारत में स्थित है;

(9) "रिपोर्ट योग्य व्यक्ति" से अभिप्रेत है, –

(क) एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति; या

(ख) एक या एक से अधिक व्यक्ति, जो निम्नलिखित के अलावा हैं, –

(i) कोई इकाई जिनके शेयरों का एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से कारोबार होता है;

(ii) कोई इकाई जो मद (i) में उल्लिखित इकाई की संबंधित इकाई है;

(iii) कोई सरकारी इकाई;

(iv) कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन;

(v) कोई केंद्रीय बैंक; या

(vi) कोई वित्तीय संस्था,

जो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्यक्षेत्र का निवासी हो, या किसी मृतक की संपत्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्यक्षेत्र का निवासी था;

(10) "विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" से कोई ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो, अर्थात्: –

क) यह एक ही फिएट मुद्रा का डिजिटल निरूपण है;

ख) इसे संदाय लेनदेन करने के प्रयोजन से निधियों की प्राप्ति पर जारी किया जाता है;

ग) यह जारीकर्ता पर उसी फिएट मुद्रा में अंकित दावे द्वारा निरूपित होता है;

घ) इसे जारीकर्ता के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति द्वारा संदाय में स्वीकार किया जाता है; और

ङ) जारीकर्ता पर लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, उत्पाद धारक के अनुरोध पर इसे किसी भी समय और सममूल्य पर उसी फिएट मुद्रा में भुनाया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, –

(i) "विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" में ऐसा उत्पाद शामिल नहीं है जो ग्राहक के निर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी अन्य व्यक्ति को निधियों के हस्तांतरण को सुगम बनाने के एकमात्र प्रयोजन से बनाया गया हो;

(ii) यदि हस्तांतरण करने वाली इकाई के कारबार के साधारण अनुक्रम में, ऐसे उत्पाद से संबंधित धनरकम हस्तांतरण को सुगम बनाने के निर्देशों की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है, या यदि कोई निदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे उत्पाद से संबंधित धनरकम, धनरकम की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है, तो उत्पाद को केवल धनरकम हस्तांतरण को सुगम बनाने के प्रयोजन से निर्मित नहीं माना जाएगा;

(iii) 'फिएट मुद्रा' का वही अर्थ होगा जो नियम 241 में दिया गया है।

(11) "विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति" से एफएटीसीए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (चच) के उपखंड (i) से (xiii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई अन्य अमेरिकी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(12) "अमेरिकी व्यक्ति" से अभिप्रेत है, –

(क) कोई व्यक्ति, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी हो;

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी राज्य के कानूनों के अधीन गठित साझेदारी या निगम;

(ग) कोई न्यास यदि, –

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी न्यायालय को लागू विधि के अधीन न्यास के प्रशासन से संबंधित लगभग सभी मुद्दों पर आदेश या निर्णय देने का अधिकार हो; और

(ii) एक या एक से अधिक अमेरिकी व्यक्तियों को न्यास के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार हो; या

(घ) किसी मृतक की संपति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी था;

13) "यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाता" से किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखा गया वित्तीय खाता अभिप्रेत है, जिसे नियम 240 में दी गई उचित प्रक्रियाओं के अनुसार, एक या अधिक विनिर्दिष्ट अमेरिकी

व्यक्तियों या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न होने वाली किसी ऐसी इकाई द्वारा धारित माना जाता है, जिसके एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति विनिर्दिष्ट अमेरिकी व्यक्ति हों;

(14) "अमेरिकी स्रोत से रोके जाने योग्य संदाय" से अभिप्रेत है ब्याज (जिसमें मूल निर्गम छूट भी शामिल है), लाभांश, किराया, वेतन, मजदूरी, प्रीमियम, वार्षिकी, मुआवजा, पारिश्रमिक, परिलब्धियाँ और अन्य निश्चित या निर्धारित वार्षिक या आवधिक अभिलाभ, लाभ और आय का कोई भी संदाय, यदि ऐसा संदाय संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर के स्रोतों से है; तथापि, अमेरिकी स्रोत से रोके जाने योग्य संदाय में ऐसा कोई भी संदाय शामिल नहीं होगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित राजकोषीय विनियमों में रोके जाने योग्य संदाय के रूप में नहीं माना जाता है;

(15) "विदहोल्डिंग विदेशी साझेदारी" से ऐसी विदेशी साझेदारी अभिप्रेत है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदहोल्डिंग समझौता किया है, जिसमें वह अपने साझेदारों, लाभार्थियों या स्वामियों के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए प्राथमिक विदहोल्डिंग उत्तरदायित्व लेने के लिए सहमत होती है;

(16) "विदहोल्डिंग विदेशी न्यास" से ऐसा विदेशी न्यास अभिप्रेत है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदहोल्डिंग समझौता किया है, जिसमें वह अपने साझेदारों, लाभार्थियों या स्वामियों के लिए किए गए सभी भुगतानों के लिए प्राथमिक विदहोल्डिंग उत्तरदायित्व लेने के लिए सहमत होता है।

239. रखी जाने वाली और रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी– (1) प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी, अर्थात्: –

(क) खाते के प्रत्येक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति का नाम, पता, करदाता पहचान संख्या (कर प्रयोजनों के लिए उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा खाताधारक को आवंटित) और जन्म तारीख एवं जन्म स्थान (किसी व्यक्ति के मामले में); अतः, यदि खाता अमेरिका में रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते का है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित कार्य भी करने होंगे:-

I. यह अभिलेख रखना और रिपोर्ट करना कि क्या खाताधारक ने वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया है;

II. यह रिपोर्ट करना कि क्या खाता संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल हो;

(ख) किसी ऐसी इकाई के मामले में, जो खाताधारक है और जिसे नियम 240 में निर्धारित सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के पालन के पश्चात एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली इकाई के रूप में पहचाना जाता है जो एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है,-

(i) इकाई का नाम और पता, उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा इकाई को आवंटित करदाता पहचान संख्या; और

(ii) ऐसे प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तारीख और जन्म स्थान तथा उसके निवास देश या राज्यक्षेत्र द्वारा ऐसे नियंत्रक व्यक्ति को आवंटित करदाता पहचान संख्या;

तथापि, यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते से भिन्न किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित भी करना होगा: -

I. उन भूमिकाओं को बनाए रखना और रिपोर्ट करना जिनके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है और क्या प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति के लिए एक वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया गया है;

II. यह रिपोर्ट करना कि क्या खाता एक संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल हो;

(ग) खाता संख्या (या खाता संख्या न होने पर कार्यात्मक समतुल्य); अतः, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को खाते का प्रकार और यह भी बताना होगा कि खाता पहले से विद्यमान है या नया खाता है;

(घ) संबंधित कैलेंडर वर्ष के अंत में खाते की शेष रकम या मूल्य (जिसमें, नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के मामले में, नकद मूल्य या समर्पण मूल्य शामिल है) या, यदि खाता उस वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था, तो बंद होने से ठीक पहले की रकम;

(ङ) किसी अभिरक्षक खाते के मामले में, -

(i) खाते में रखी गई आस्तियों के संबंध में अर्जित कुल ब्याज रकम, कुल लाभांश रकम और अन्य आय की कुल सकल रकम, जो प्रत्येक मामले में कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में (या खाते के संबंध में) संदाय या जमा की गई हो; और

(ii) वित्तीय आस्तियों की बिक्री या मोचन से प्राप्त कुल सकल आय, जो उस कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदाय या जमा की गई हो, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था ने खाताधारक के लिए संरक्षक, ब्रोकर, नामित व्यक्ति या किसी अन्य एजेंट के रूप में कार्य किया हो;

(च) किसी भी निक्षेपागार खाते के मामले में, संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में जमा या संदाय किया गया कुल सकल ब्याज;

(छ) खंड (ङ) या (च) में उल्लिखित खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान उस खाते के संबंध में खाता धारक को संदाय की गई या उसके खाते में जमा की गई कुल सकल रकम, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था देनदार या ऋणी है, जिसमें संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान खाता धारक को किए गए किसी भी मोचन संदाय की कुल रकम भी शामिल है; और

(ज) किसी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी खाते के मामले में, कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 के लिए, प्रत्येक गैर-भागीदार वित्तीय संस्था का नाम जिसे संदाय किया गया है और ऐसे भुगतानों की कुल रकम;

हालांकि, निम्नलिखित से संबंधित जानकारी रिपोर्ट की जाएगी, -

(i) कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में, खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट जानकारी, जो यू.एस. रिपोर्टेबल खातों से संबंधित है;

(ii) कैलेंडर वर्ष 2015 के संबंध में, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और खंड (ङ) के उपखंड (i) में संदर्भित जानकारी, यू.एस. रिपोर्टेबल खातों के संबंध में है;

(iii) कैलेंडर वर्ष 2016 के संबंध में, खंड (क) से (ज) में संदर्भित जानकारी, जो सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में है;

(iv) कैलेंडर वर्ष 2017 और उसके पश्चात के वर्षों के संबंध में, खंड (क) से (छ) में संदर्भित जानकारी, जो सभी रिपोर्ट करने योग्य खातों के संबंध में है;

(v) प्रत्येक यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा 30 जून, 2014 को बनाए रखा है, किसी भी संबंधित व्यक्ति की करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के रिकॉर्ड में नहीं है।

(i) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, जहां किसी निवेश इकाई में कोई इक्विटी हित धारित है जो एक कानूनी व्यवस्था है, वह भूमिका(एं) जिसके आधार पर रिपोर्टेबल व्यक्ति इक्विटी हित धारक है;

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए,-

(क) "खाताधारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे खाता रखने वाली वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाते के धारक के रूप में सूचीबद्ध किया है या पहचाना गया है:

परंतु यह कि कोई व्यक्ति, वित्तीय संस्था के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के हितलाभ के लिए या उसकी ओर से एजेंट, संरक्षक, नामित व्यक्ति, हस्ताक्षरकर्ता, निवेश सलाहकार या मध्यवर्ती के रूप में वित्तीय खाता रखता है, तो उसे खाताधारक नहीं माना जाएगा, और ऐसे अन्य व्यक्ति को खाताधारक माना जाएगा:

परंतु यह भी कि, यदि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के मामले में, खाताधारक वह कोई भी व्यक्ति होगा जो संविदा की परिपक्वता पर संदाय प्राप्त करने का हकदार है या वह कोई भी व्यक्ति जो नकद मूल्य प्राप्त करने या संविदा के लाभार्थी को बदलने का हकदार है, और यदि कोई भी व्यक्ति नकद मूल्य प्राप्त करने या लाभार्थी को बदलने का हकदार नहीं है, तो खाताधारक संविदा में स्वामी के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति और संविदा की अपेक्षाओं के अधीन संदाय का निहित अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा;

(ख) "करदाता पहचान संख्या" से उस देश या राजयक्षेत्र में किसी व्यक्ति को कर प्रयोजनों के लिए आवंटित संख्या अभिप्रेत है जिसमें वह निवासी है, और यदि ऐसी कोई संख्या आवंटित नहीं की गई है तो इसमें उसका कार्यात्मक समतुल्य भी शामिल है।

(3) जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर एक से अधिक देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अधीन निवासी है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में करदाता पहचान संख्या बनाए रखनी होगी।

(4) उप-नियम (1) के के होते हुए , प्रत्येक पूर्व-विद्यमान खाते के संबंध में करदाता पहचान संख्या या जन्म तारीख की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या या जन्म तारीख रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के अभिलेखों में दर्ज नहीं है; यद्यपि, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित के संबंध में करदाता पहचान संख्या और जन्म तारीख प्राप्त करनी होगी: -

(क) 31 दिसंबर, 2016 तक पूर्व-विद्यमान खाते और इसे कैलेंडर वर्ष 2017 और उसके पश्चात के वर्षों के लिए रिपोर्ट करना होगा; और

(ख) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय कोई अन्य खाता, जब भी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्व-विद्यमान खाते से संबंधित जानकारी को अद्यतन करना अपेक्षित हो।

(5) उप-नियम (1) और उप-नियम (4) के के होते हुए , करदाता पहचान संख्या की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, यदि:-

(i) कर प्रयोजनों के लिए जिस देश या राज्यक्षेत्र में व्यक्ति निवासी है, उस देश या राज्यक्षेत्र द्वारा करदाता पहचान संख्या (उसके कार्यात्मक समतुल्य सहित) जारी नहीं की गई है; या

(ii) भारत के बाहर स्थित संबंधित देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू विधि के अनुसार ऐसे देश या राज्यक्षेत्र द्वारा जारी करदाता पहचान संख्या रखना अपेक्षित नहीं है।

(6) उप-नियम (1) के के होते हुए , जन्म स्थान की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि यह रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा में उपलब्ध न हो।

(7) उप-नियम (1)(ङ)(ii) के के होते हुए और जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खातों के किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में अन्यथा चुनाव न करे, किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से प्राप्त सकल आय की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, परन्तु ऐसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से प्राप्त सकल आय की जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन दी गई हो; हालांकि, इस उप-नियम के उपबंध यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के सिवाय अन्य खातों पर लागू होंगे।

(8) धारा 508(1)(ट) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले रिपोर्टेबल खाते का विवरण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्येक ऐसे खाते के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे नियम 240 में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना गया हो; अतः, यदि ऐसी सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कोई खाता रिपोर्टेबल खाता नहीं पाया जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण प्ररूप संख्या 166 में तथा ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो,

द्वारा बोर्ड की स्वीकृति से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए उस वर्ष के पश्चात आने वाले 31 मई तक विनिर्दिष्ट किया जाए;

(10) (क) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) को प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "डिजिटल हस्ताक्षर" से ऐसे किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है, जिसे प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृतकिया गया हो।

(ख) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डेटा के सुरक्षित कैप्चर और ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, डेटा संरचनाओं और मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे, साथ ही उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करेंगे।

(11) (क) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण सूचित करेगी तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगी;

(ख) उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट विवरण को रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के नामित निदेशक द्वारा संस्था के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अनिवासी है, तो विवरण को ऐसे नामित निदेशक से वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकेगा;

(ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, उसके नामित निदेशक, प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करें।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "नामित निदेशक" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा धारा 508 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृतकिया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक कंपनी है;

(ii) प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक साझेदारी फर्म है;

(iii) स्वामी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक स्वामित्व फर्म है;

(iv) प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था एक न्यास है;

(v) वह व्यक्ति या व्यष्टि, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय है, या कोई अन्य व्यक्ति है;

(ख) "प्रधान अधिकारी" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "विनियामक" से ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार अभिप्रेत है जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की गतिविधियों को लाइसेंस देने, प्राधिकृतकरने, रजिस्ट्रीकृत करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

(12)(क) उप-नियम (11)(ग) में विनिर्दिष्ट विनियामक निम्नलिखित के लिए अनुदेश या दिशानिदेश जारी करेगा:

(i) नियम 238 से 240 के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग और सम्यक् तत्परता प्रक्रिया की अपेक्षाओं को शामिल करना;

(ii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा सूचना को बनाए रखने की प्रक्रिया और तरीका प्रदान करना; और

(iii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि वह अपने रिपोर्टिंग दायित्व को पूरा कर सके, यदि ऐसी सूचना विनियामक द्वारा जारी किसी नियम या विनियम के अधीन रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अपने विनियामक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और रीति के अनुसार वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी बनाए रखेगी, ताकि इस नियम के अधीन विहित जानकारी की रिपोर्टिंग की जा सके और नियम 240 के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

(13) इस नियम के उप-नियम (1)(ख) और उप-नियम (1)(i) के के होते हुए , 31 दिसंबर 2025 तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए प्रत्येक रिपोर्टेबल खाते, यू.एस. रिपोर्टेबल खाते को छोड़कर, के संबंध में और उस तारीख के पश्चात दूसरे कैलेंडर वर्ष तक समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधियों के लिए, उस भूमिका (भूमिकाओं) से संबंधित जानकारी, जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टेबल व्यक्ति संस्था का नियंत्रक व्यक्ति या इक्विटी हितधारक है, केवल तभी रिपोर्ट करना अपेक्षित है जब ऐसी जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा में उपलब्ध हो।

240. सम्यक् तत्परता संबंधी शर्तें– (1) उप-नियम (3) से उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया के अनुसार किसी खाते को उस तारीख से रिपोर्टेबल खाता माना जाएगा, जिस तारीख से उसे ऐसा पहचाना जाता है, और जब तक अन्यथा उपबंध न हो, रिपोर्टेबल खाते से संबंधित जानकारी उस कैलेंडर वर्ष, जिससे वह जानकारी संबंधित है, के पश्चात वाले कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रूप से रिपोर्ट की जाएगी।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "दस्तावेजी साक्ष्य" में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल है, अर्थात्:-

(i) उस देश या राज्यक्षेत्र के किसी प्राधिकृतसरकारी निकाय, जिसमें सरकारी एजेंसी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र, जिसमें संदाय प्राप्तकर्ता निवासी होने का दावा करता है;

(ii) किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी प्राधिकृतसरकारी निकाय, जिसमें सरकारी एजेंसी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा जारी कोई भी वैध पहचान पत्र, जिसमें व्यक्ति का नाम शामिल हो और जिसका उपयोग विशेष रूप से पहचान प्रयोजनों के लिए किया जाता हो;

(iii) किसी संस्था के संबंध में, किसी प्राधिकृतसरकारी निकाय, जिसमें सरकारी एजेंसी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा जारी किया गया कोई भी आधिकारिक दस्तावेज, जिसमें संस्था का नाम और या तो उस देश या राज्यक्षेत्र में स्थित उसके प्रधान कार्यालय का पता, जहाँ वह निवासी होने का दावा करती है, या उस देश या राज्यक्षेत्र का पता जहाँ संस्था का निगमन या संगठन हुआ था, शामिल हो;

(iv) कोई भी वित्तीय विवरण, तृतीय-पक्ष ऋण रिपोर्ट, शोधन अक्षमता संबंधी दस्तावेज, या प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने वाली सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट;

(ख) "उच्च मूल्य खाता" से ऐसा पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत खाता अभिप्रेत है जिसका शेष या मूल्य,-

(i) यदि यह यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो 30 जून, 2014 या उसके पश्चात के किसी भी वर्ष के 31 दिसंबर को दस लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो; और

(ii) यदि यह अन्य रिपोर्टेबल खाता है, तो 31 दिसंबर, 2015 या उसके पश्चात के किसी भी वर्ष के 31 दिसंबर को दस लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो;

(ग) "निम्न मूल्य खाता" से ऐसा पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत खाता अभिप्रेत है जिसका शेष या मूल्य,-

(i) यदि यह यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो 30 जून, 2014 को पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक हो, लेकिन दस लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक न हो; और

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में, 31 दिसंबर, 2015 को दस लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं होना चाहिए;

(घ) "नया खाता" से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रखा गया वित्तीय खाता अभिप्रेत है, जो निम्न तारीखयों को या उसके पश्चात खोला गया हो:

(i) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, 1 जुलाई, 2014; और

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में, 1 जनवरी, 2016; या यदि खाते को केवल सामान्य रिपोर्टिंग मानक में संशोधन के आधार पर वित्तीय खाता माना जाता है, तो 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात;

(ङ) "नया इकाई खाता" से एक या अधिक इकाइयों द्वारा धारित नया खाता अभिप्रेत है;

(च) "नया वैयक्तिक खाता" से एक या अधिक व्यष्टियों द्वारा धारित नया खाता अभिप्रेत है;

(छ) "अन्य रिपोर्टेबल खाता" से ऐसा रिपोर्ट करने योग्य खाता अभिप्रेत है जो यू.एस. रिपोर्टेबल खाता नहीं है;

(ज) "पूर्व-विद्यमान खाता" से किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा निम्नलिखित तारीखयों पर रखा गया वित्तीय खाता अभिप्रेत है:

(I) यदि खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो 30 जून, 2014; और

(II) यदि खाता अन्य रिपोर्टेबल खाता है, तो 31 दिसंबर, 2015; या यदि खाते को केवल सामान्य रिपोर्टिंग मानक में संशोधन के आधार पर वित्तीय खाता माना जाता है, तो 31 दिसंबर, 2025;

(झ) "पूर्व-विद्यमान इकाई खाता" से एक या एक से अधिक इकाइयों द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाता अभिप्रेत है;

(ञ) "पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाता" से एक या एक से अधिक व्यष्टियों द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाता अभिप्रेत है;

(ट) जहां किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में शेष रकम या मूल्य सीमा निर्धारित की जानी है, वहां संबंधित शेष रकम या मूल्य उस रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन निर्धारित किया जाएगा जो उस कैलेंडर वर्ष के साथ या उसके भीतर समाप्त होती है।

(3) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजन से सम्यक् तत्परता प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(क) किसी पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाते की समीक्षा, पहचान या रिपोर्टिंग करना अपेक्षित नहीं है, यदि,-

(i) यदि कोई खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो-

(क) इस उप-नियम के खंड (ग) के उप-खंड (vi) के अध्यधीन, 30 जून, 2014 को शेष रकम या मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक नहीं है; या

(ख) इस उप-नियम के खंड (ग) के उप-खंड (vi) के अध्यधीन, यदि वह नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा है, तो 30 जून, 2014 को शेष रकम या मूल्य ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक नहीं है; या

(ग) यदि वह नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी व्यक्ति को ऐसी संविदा बेचने से प्रतिबंधित है;

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में, जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, भारत में वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसी संविदा को ऐसे व्यक्ति को बेचने से प्रतिबंधित है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है;

(ख) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खातों में कम मूल्य वाले खातों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को निम्नलिखित में से किसी भी संकेत के लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटा की समीक्षा करनी होगी, और उप-खंड (ii) से (v) में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करना होगा, अर्थात्:-

(ए) कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक की भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी के रूप में पहचान या संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म स्थान का स्पष्ट संकेत; या

(बी) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में वर्तमान डाक या निवास पता (डाकघर बॉक्स सहित); या

(सी) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में एक या अधिक टेलीफोन नंबर और भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं; या

(डी) यदि यू.एस. रिपोर्टेबल खाता है, तो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में रखे गए खाते में धनरकम अंतरित करने के लिए कोई स्थायी निदेश; और यदि अन्य रिपोर्टेबल खाता है, तो (निक्षेपागार खाते के अलावा) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में रखे गए खाते में धनरकम अंतरित करने के लिए कोई स्थायी निदेश; या

(ई) भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में पते वाले व्यक्ति को दी गई वर्तमान में प्रभावी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर करने का अधिकार; या

(एफ) यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास खाताधारक का कोई अन्य पता दर्ज नहीं है, तो भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में "होल्ड मेल" निदेश या "इन-केयर-ऑफ" पता।

(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में उप-खंड (i) में सूचीबद्ध कोई भी संकेत नहीं मिलता है, तो आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है जब तक कि ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन न

हो जाए जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाएं, या खाता उच्च मूल्य वाला खाता बन जाए;

(iii) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में उप-खंड (i) के मदों (ए) से (ई) में सूचीबद्ध कोई भी संकेत मिलता है, या यदि ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक को कर प्रयोजनों के लिए प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र का निवासी मानेगी जिसके लिए कोई संकेत पहचाना गया है, जब तक कि वह उप-खंड (v) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती है और उक्त उप-खंड में दिए गए अपवादों में से कोई एक उस खाते के संबंध में लागू होता है;

(iv) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में "होल्ड मेल" निदेश या "इन-केयर-ऑफ" पता पाया जाता है और खाताधारक के लिए उप-खंड (i) के मदों (ए) से (ई) में सूचीबद्ध कोई अन्य पता या अन्य संकेत नहीं मिलते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खंड (ग) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कागजी रिकॉर्ड खोज लागू करेगी, या कर प्रयोजनों के लिए ऐसे खाताधारक के निवास या निवासों के प्रमाण के लिए खाताधारक से स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगी; हालाँकि, यदि कागजी खोज से कोई संकेत स्थापित नहीं होता है और स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास सफल नहीं होता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाते को बिना दस्तावेज वाले खाते के रूप में रिपोर्ट करेगी;

(v) उप-खंड (i) के अधीन संकेत मिलने के के होते हुए , रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक को निम्नलिखित का निवासी मानने की अपेक्षितता नहीं है,-

(ए) संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी, यदि खाताधारक की जानकारी स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म स्थान को इंगित करती है और रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्राप्त करती है, या पहले से समीक्षा कर चुकी है और उसका रिकॉर्ड रखती है,-

(I) एक स्व-प्रमाणन कि खाताधारक न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और न ही कर प्रयोजनों के लिए उसका निवासी है;

(II) पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश में खाताधारक की नागरिकता या राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता हो; और

(III) संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता खोने के खाताधारक के प्रमाणपत्र की एक प्रति या निम्नलिखित का उचित स्पष्टीकरण-

(1) वह कारण, जिसके कारण खाताधारक के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता त्यागने के के होते हुए ऐसा प्रमाणपत्र नहीं है; या

(2) वह कारण, जिसके कारण खाताधारक ने जन्म के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त नहीं की;

(बी) यदि खाताधारक की जानकारी में भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र का वर्तमान डाक या निवास पता, भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में एक या अधिक टेलीफोन नंबर (और भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं) या भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में रखे गए खाते में धनरकम अंतरित करने के लिए स्थायी निदेश (जमा खातों के अलावा अन्य वित्तीय खातों के संबंध में) शामिल हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित का रिकॉर्ड प्राप्त करती है, या पहले से ही समीक्षा कर चुकी है और रखती है:

(I) खाताधारक द्वारा कर प्रयोजनों के लिए निवास के देश या राज्यक्षेत्र या देशों या राज्यक्षेत्रों का स्व-प्रमाणन जिसमें भारत के बाहर कोई देश या राज्यक्षेत्र शामिल नहीं है; और

(II) खाताधारक की रिपोर्ट न करने योग्य स्थिति को स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य;

(सी) यदि खाताधारक की जानकारी में भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति को दी गई वर्तमान में प्रभावी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर करने का अधिकार पत्र, या भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में स्थित एक या अधिक टेलीफोन नंबर (यदि खाते से कोई भारतीय टेलीफोन नंबर भी जुड़ा हो) शामिल है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित का रिकॉर्ड प्राप्त करती है, या पहले से ही उसकी समीक्षा कर चुकी है और उसे बनाए रखती है:

(I) खाताधारक द्वारा अपने निवास के देश या राज्यक्षेत्र या देशों या राज्यक्षेत्रों का स्व-प्रमाणन, जिसमें भारत के बाहर का कोई देश या राज्यक्षेत्र शामिल नहीं है; या

(II) खाताधारक की रिपोर्ट न करने योग्य स्थिति को स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य;

(ग) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खातों में से उच्च मूल्य वाले खातों के संबंध में निम्नलिखित उन्नत समीक्षा प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को खंड (ख) के उपखंड (i) में वर्णित किसी भी संकेत के लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जाने योग्य डेटा की समीक्षा करनी होगी;

(ii) यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जाने योग्य डेटाबेस में इस खंड के उपखंड (iii) में संदर्भित सभी जानकारी शामिल नहीं है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को वर्तमान ग्राहक मास्टर फ़ाइल की भी समीक्षा करनी होगी और, यदि वर्तमान ग्राहक मास्टर फ़ाइल में जानकारी शामिल नहीं है, तो खाते से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की समीक्षा करनी होगी जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान खंड (ख) के उपखंड (i) में दिए गए किसी भी संकेत के लिए प्राप्त किए गए हों:-

(ए) खाते के संबंध में लिया गया नवीनतम दस्तावेजी साक्ष्य;

(बी) नवीनतम खाता खोलने की संविदा या दस्तावेज;

(सी) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्राप्त नवीनतम दस्तावेज;

(डी) वर्तमान में प्रभावी कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर प्राधिकार प्ररूप; और

(ई) यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, वर्तमान में प्रभावी निधि अंतरण के लिए कोई भी स्थायी निदेश और अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में (निक्षेपागार खाते के संबंध में छोड़कर) वर्तमान में प्रभावी निधि अंतरण के लिए कोई भी स्थायी निदेश;

हालाँकि, यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजे जा सकने वाले डेटाबेस में इस खंड के उप-खंड (iii) में उल्लिखित सभी जानकारी के लिए फ़ील्ड शामिल हैं और उसे कैप्चर करते हैं, तो ग्राहक मास्टर फ़ाइल और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों की समीक्षा की अपेक्षितता नहीं होगी;

(iii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को इस खंड के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कागज़ी रिकॉर्ड खोज करने की अपेक्षितता नहीं है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजी जा सकने वाली जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:-

(ए) कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक की निवास स्थिति;

(बी) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास वर्तमान में दर्ज खाताधारक का निवास पता और डाक पता;

(सी) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास वर्तमान में दर्ज खाताधारक का टेलीफोन नंबर या नंबर, यदि कोई हो;

(डी) निक्षेपागार खातों के अलावा अन्य वित्तीय खातों के मामले में, क्या खाते में विद्यमान धनरकम को किसी अन्य खाते में अंतरित करने के लिए स्थायी

निदेश हैं (जिसमें रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की किसी अन्य शाखा या किसी अन्य वित्तीय संस्था का खाता शामिल है);

(ई) क्या खाताधारक के लिए कोई वर्तमान "इन-केयर-ऑफ" पता या "होल्ड मेल" निदेश है; और

(एफ) क्या खाते के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है;

(iv) इस खंड के उपखंड (i) से (iii) में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक और कागज़ी रिकॉर्ड खोजों के अतिरिक्त, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था किसी भी उच्च मूल्य वाले खाते को, जो किसी रिलेशनशिप मैंनेजर को सौंपा गया हो (जिसमें उस उच्च मूल्य वाले खाते के साथ संकलित कोई भी वित्तीय खाता शामिल हो), एक रिपोर्टेबल खाता मानेगी, यदि रिलेशनशिप मैंनेजर को इस बात की वास्तविक जानकारी हो कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है;

(v) उपखंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करने के पश्चात, यदि-

(ए) खंड (ख) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई भी संकेत नहीं पाया जाता है, और उपखंड (iv) के अनुसार खाते को किसी रिपोर्टेबल व्यक्ति द्वारा धारित के रूप में पहचाना नहीं जाता है, तो आगे की कार्रवाई तब तक अपेक्षित नहीं है जब तक कि परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जाए जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाएं;

(बी) यदि खंड (ख) के उपखंड (i) के मदों (ए) से (ई) में उल्लिखित कोई भी संकेत पाया जाता है, या यदि परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उस खाते को भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्यक्षेत्र के लिए एक रिपोर्टेबल खाता मानेगी जिसके लिए कोई संकेत पाया गया है, जब तक कि वह खंड (ख) के उपखंड (v) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती है और उक्त उपखंड में दिए गए अपवादों में से कोई एक उस खाते पर लागू होता है;

(सी) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में "होल्ड मेल" निदेश या "इन-केयर-ऑफ" पता पाया जाता है और खाताधारक के लिए कोई अन्य पता या खंड (ख) के उपखंड (i) के मदों (ए) से (ई) में उल्लिखित कोई अन्य संकेत नहीं पाया जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक के निवास स्थान के प्रमाण के लिए ऐसे खाताधारक से स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करेगी; अतः, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था इस प्रकार का स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती है, तो वह खाते को बिना दस्तावेज वाले खाते के रूप में रिपोर्ट करेगी;

(vi) यदि कोई पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाता 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के लिए) या 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के लिए), जैसा भी मामला हो, को उच्च मूल्य खाता नहीं है, लेकिन वर्ष 2015 के अंतिम दिन (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के लिए) या किसी भी पश्चात के कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन (सभी रिपोर्टेबल खातों के लिए) को उच्च मूल्य खाता बन जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उस खाते के संबंध में इस खंड में विनिर्दिष्ट उन्नत समीक्षा प्रक्रियाओं को उस वर्ष के पश्चात के कैलेंडर वर्ष के भीतर पूरा करेगी जिसमें खाता उच्च मूल्य खाता बन जाता है और यदि ऐसी समीक्षा के आधार पर खाते को रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उस खाते के बारे में अपेक्षित जानकारी उस वर्ष के लिए रिपोर्ट करेगी जिसमें इसे रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना जाता है और पश्चात के वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करेगी, जब तक कि खाताधारक रिपोर्टेबल व्यक्ति न रह जाए;

(vii) एक बार जब कोई रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था इस खंड में विनिर्दिष्ट उन्नत समीक्षा प्रक्रियाओं को किसी उच्च मूल्य वाले खाते पर लागू कर देती है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उप-खंड (iv) में दिए गए रिलेशनशिप मैंनेजर द्वारा की गई पूछताछ के अलावा, उसी उच्च मूल्य वाले खाते पर किसी भी पश्चात के वर्ष में ऐसी प्रक्रियाओं को पुनः लागू करने की अपेक्षितता नहीं है, जब तक कि खाता बिना दस्तावेज वाला न हो; ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को ऐसे खाते के बिना दस्तावेज वाले न होने की स्थिति तक वार्षिक रूप से उन्हें पुनः लागू करना होगा;

(viii) यदि किसी उच्च मूल्य वाले खाते के संबंध में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप खंड (ख) के उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक संकेत खाते से संबद्ध हो जाते हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में खाते को एक रिपोर्टेबल खाता मानना होगा जिसके लिए कोई संकेत पहचाना गया है, जब तक कि वह खंड (ख) के उप-खंड (v) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती है और उक्त उप-खंड में दिए गए अपवादों में से कोई एक उस खाते के संबंध में लागू होता है;

(ix) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं लागू करेगी कि रिलेशनशिप मैंनेजर खाते की परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन की पहचान करे और जहां रिलेशनशिप मैंनेजर को सूचित किया जाता है कि खाताधारक का भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में नया डाक पता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को नए पते को परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में मानना अपेक्षित है और यदि वह खंड (ख) के उप-खंड (v) को लागू करने का विकल्प चुनती है, तो उसे खाताधारक से उचित दस्तावेज प्राप्त करना अपेक्षित है;

(घ) पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाते की समीक्षा, -

(i) यदि कोई यू.एस. रिपोर्टेबल खाता 30 जून, 2014 को उच्च मूल्य का खाता है, तो यह समीक्षा 31 दिसंबर, 2015 तक पूरी की जाएगी और यदि इस समीक्षा के आधार

पर ऐसे खाते को 31 दिसंबर, 2014 के पश्चात और 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना जाता है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में ऐसे खाते के बारे में जानकारी देने की अपेक्षितता नहीं है, लेकिन इसके पश्चात वार्षिक आधार पर खाते के बारे में जानकारी देनी होगी;

(ii) यदि कोई यू.एस. रिपोर्टेबल खाता 30 जून, 2014 को कम मूल्य का खाता है, तो समीक्षा 30 जून, 2016 तक पूरी की जानी चाहिए, और यदि कोई अन्य रिपोर्टेबल खाता 31 दिसंबर, 2015 को उच्च मूल्य का खाता है, तो उसे 31 दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाना चाहिए;

(iii) यदि कोई अन्य रिपोर्टेबल खाता 31 दिसंबर, 2015 को कम मूल्य का खाता है, तो समीक्षा को 30 जून, 2017 तक पूरा किया जाना चाहिए;

(ङ) इस उप-नियम के अधीन रिपोर्टेबल खाते के रूप में पहचाना गया कोई भी पूर्व-विद्यमान वैयक्तिक खाता, पश्चात के सभी वर्षों में रिपोर्टेबल खाते के रूप में माना जाएगा, जब तक कि खाताधारक उस अधिकारिता के कर कानूनों के अनुसार भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र का निवासी न रह जाए।

(4) नए वैयक्तिक खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अन्यथा न चुने, निम्नलिखित नए वैयक्तिक खातों की समीक्षा करना या उन्हें यू.एस. रिपोर्टेबल खातों के रूप में रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है, अर्थात्:-

(i) कोई निक्षेपागार खाता, जब तक कि किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में खाते की शेष रकम पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर न हो;

(ii) कोई नकद मूल्य बीमा संविदा, जब तक कि किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में नकद मूल्य पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर न हो;

(ख) किसी नए वैयक्तिक खाते के मामले में,-

(i) किसी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, जो खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन नहीं आता है, खाता खोलने पर या उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर जिसमें खाता खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन नहीं आता है; और

(ii) अन्य रिपोर्टेबल खाते के संबंध में, खाता खोलने पर, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी, जो खाता खोलने के दस्तावेज़ का हिस्सा हो सकेगा, जिससे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक के निवास स्थान का निर्धारण कर सके और खाता खोलने के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि कर सके, जिसमें धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के अनुसार लिया गया कोई भी दस्तावेज़ शामिल हो;

(ग) जहां इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन प्राप्त स्व-प्रमाणन से यह स्थापित होता है कि खाताधारक कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में निवासी है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाते को रिपोर्टेबल खाता मानेगी और स्व-प्रमाणन में नियम 239(5) के अधीन, भारत के बाहर ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में खाताधारक का करदाता पहचान संख्या और जन्म तारीख भी शामिल होगी;

(घ) यदि इस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन किसी नए वैयक्तिक खाते के लिए स्व-प्रमाणन प्राप्त किया गया है और यदि ऐसे खाते के संबंध में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जिसके कारण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को यह ज्ञात हो जाता है, या ज्ञात होने का कारण हो, कि उक्त स्व-प्रमाणन गलत या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उक्त स्व-प्रमाणन पर भरोसा नहीं करेगी और खाताधारक के कर प्रयोजनों के लिए निवास स्थान या निवास स्थानों को प्रमाणित करने वाला एक वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी; यद्यपि, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्यक्षेत्र के संबंध में खाते को एक रिपोर्टेबल खाते के रूप में मानेगी जिसके लिए एक संकेतक निर्धारित किया गया है।

(5) पूर्व-विद्यमान इकाई खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था अन्यथा चुनाव न करे, या तो सभी पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के संबंध में या, अलग से, ऐसे खातों के किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में, एक पूर्व-विद्यमान इकाई खाता जिसका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में), जैसा भी मामला हो, को ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक नहीं है, उसे तब तक समीक्षा, पहचान या रिपोर्टेबल खाते के रूप में रिपोर्ट करने की अपेक्षितता नहीं है जब तक कि कुल खाता शेष या मूल्य किसी भी पश्चात के कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तक ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रकम से अधिक न हो जाए;

(ख) कोई पूर्व-विद्यमान इकाई खाता जिसका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में), जैसा भी मामला हो, को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है, और कोई पूर्व-विद्यमान इकाई खाता जिसका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में) जैसा भी मामला हो, को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं है, लेकिन किसी भी पश्चात के कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तक कुल खाता शेष या मूल्य दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है, की समीक्षा इस उप-नियम के खंड (घ) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के संबंध में, केवल वे खाते जो निम्न द्वारा धारित हैं:

(i) एक या अधिक इकाइयां जो सूचना देने योग्य व्यक्ति हैं; या

(ii) एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जो सूचना देने योग्य व्यक्ति हैं, सूचना देने योग्य खाते माने जाएँगे; यद्यपि, नियम 239 के उप-नियम (1) के खंड (ज) में दिए गए उपबंध के अनुसार कुल संदाय की सूचना देने वाले गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खाते सूचना देने योग्य खाते माने जाएँगे;

(घ) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के संबंध में, जिनके लिए रिपोर्टिंग अपेक्षित है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह निर्धारित करने के लिए कि खाता एक या अधिक रिपोर्टेबल व्यक्तियों द्वारा, या एक या अधिक नियंत्रक व्यक्तियों वाली निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई द्वारा, या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित है, निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:-

(i) यह निर्धारित करने के लिए कि संस्था एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है या नहीं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था,-

(ए) विनियामक या ग्राहक संबंध उद्देश्यों के लिए रखी गई जानकारी की समीक्षा करेगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित जानकारी भी शामिल है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जानकारी यह दर्शाती है कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, यह दर्शाने वाली जानकारी, कि खाताधारक भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अनुसार उस देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, में निगमन या संगठन का स्थान, या भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में पता शामिल है;

(बी) खाते को रिपोर्टेबल खाता माना जाएगा, यदि मद (ए) के अनुसार दी गई जानकारी से यह संकेत मिलता है कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, जब तक कि खाताधारक से स्व-प्रमाणन प्राप्त न हो जाए, या उसके पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह उचित रूप से निर्धारित न हो जाए कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति नहीं है; हालांकि, यदि मद (ए) के अनुसार दी गई जानकारी से यह संकेत मिलता है कि खाताधारक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित न होने वाली कोई वित्तीय संस्था है, या रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या (ग्लोबल इंटरमीडियरी आइडेंटिफिकेशन नंबर) का सत्यापन करती है, तो खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाता नहीं माना जाएगा;

(ii) खाताधारक को गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था माना जाएगा यदि,-

(ए) खाताधारक एक भारतीय वित्तीय संस्था या अन्य भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था माना जाता है;

(बी) खाताधारक, जो एक वित्तीय संस्था है, भारतीय वित्तीय संस्था या अन्य भागीदार अधिकारिता की वित्तीय संस्था नहीं है, जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था,-

(I) खाताधारक से यह स्व-प्रमाणन प्राप्त न कर ले कि वह नियम 238 के खंड (5) के उपखंड (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था है; या

(II) एफएटीसीए समझौते के अनुबंध II में परिभाषित भागीदारी विदेशी वित्तीय संस्था या नियम 238 के खंड (5) के उपखंड (ङ) से (ड) में विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था के मामले में, खाताधारक की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या का सत्यापन न कर ले;

(iii) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह निर्धारित करेगी कि खाताधारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नहीं, जिसके एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के निवासी हैं, जैसा कि उस देश या राज्यक्षेत्र के कर कानूनों के अनुसार है। इन निर्धारणों को करते समय रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:-

(ए) यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि खाताधारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नहीं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक से उसकी स्थिति स्थापित करने के लिए स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी, जब तक कि उसके पास ऐसी जानकारी न हो या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो, जिसके आधार पर वह यथोचित रूप से यह निर्धारित कर सके कि खाताधारक एक सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नियम 238 के खंड (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (बी) में विनिर्दिष्ट निवेश इकाई के अतिरिक्त कोई वित्तीय संस्था है;

(बी) खाताधारक के नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और अनुरक्षित जानकारी पर भरोसा कर सकती है;

(सी) निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था के पूर्व-विद्यमान खाते के नियंत्रक व्यक्ति को रिपोर्टेबल व्यक्ति है या नहीं, यह निर्धारित करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित पर भरोसा कर सकती है:

(I) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और अनुरक्षित जानकारी, ऐसे पूर्व-विद्यमान इकाई खाते के मामले में जो एक या एक से अधिक गैर-वित्तीय इकाइयों द्वारा धारित है और जिसका कुल शेष या मूल्य दस लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं है; या

(II) निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई के खाताधारक या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति से स्व-प्रमाणन, जिसका खाता शेष या मूल्य दस लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है;

(डी) यदि किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई का कोई नियंत्रक व्यक्ति कर प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र का निवासी है, तो खाते को रिपोर्टेबल खाता माना जाएगा;

(ङ) पूर्व-विद्यमान इकाई खातों पर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) 30 जून, 2014 को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबार रकम से अधिक कुल खाता शेष या मूल्य वाले पूर्व-विद्यमान इकाई खातों की समीक्षा (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) 30 जून, 2016 तक पूरी की जाएगी और 31 दिसंबर, 2015 को दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक कुल खाता शेष या मूल्य वाले पूर्व-विद्यमान इकाई खातों की समीक्षा (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में) 31 दिसंबर, 2016 तक पूरी की जाएगी;

(ii) पूर्व-मौजूदा इकाई खातों की समीक्षा, जिनका कुल खाता शेष या मूल्य 30 जून, 2014 (यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में) या 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्टेबल खाते के मामले में), जैसा भी मामला हो, को ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक नहीं है, लेकिन पश्चात के वर्ष के 31 दिसंबर को ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक है, उस वर्ष के पश्चात आने वाले कैलेंडर वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी जिसमें कुल खाता शेष या मूल्य ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम से अधिक हो जाता है;

(iii) यदि किसी पूर्व-विद्यमान इकाई खाते के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण है, कि खाते से संबंधित स्व-प्रमाणन या अन्य दस्तावेज गलत या अविश्वसनीय हैं, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था इस उप-नियम के खंड (घ) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार खाते की स्थिति का पुनः निर्धारण करेगी।

(6) नए इकाई खातों में से रिपोर्ट करने योग्य खातों और गैर-भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खातों की पहचान करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, यह निर्धारित करने के लिए कि नया इकाई खाता रिपोर्टेबल खाता है या नहीं, निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:

(i) यह निर्धारित करना कि इकाई रिपोर्टेबल व्यक्ति है या नहीं, और इसके लिए रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था,-

(ए) एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगी, जो खाता खोलने के दस्तावेज़ का हिस्सा हो सकेगा, जिससे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था कर प्रयोजनों के लिए खाताधारक के

निवास स्थान का निर्धारण कर सके और खाता खोलने के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि कर सके, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार लिया गया कोई भी दस्तावेज़ शामिल है; हालांकि, यदि इकाई प्रमाणित करती है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई निवास स्थान नहीं है, तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए इकाई के प्रधान कार्यालय के पते पर भरोसा कर सकती है;

(बी) खाते को रिपोर्टेबल खाते के रूप में माना जाएगा, यदि मद (ए) के अनुसार जानकारी से संकेत मिलता है कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, जब तक कि वह अपने पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित रूप से यह निर्धारित न कर ले कि खाताधारक एक रिपोर्टेबल व्यक्ति नहीं है; हालाँकि, यदि मद (ए) के अनुसार जानकारी से संकेत मिलता है कि खाताधारक एक भारतीय वित्तीय संस्था है, या भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है, जो एक गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था या एक भागीदार विदेशी वित्तीय संस्था या एक गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था नहीं है, तो खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के रूप में नहीं माना जाएगा;

(ii) यह निर्धारित करना कि खाताधारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है या नहीं, जिसके एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्टेबल व्यक्ति हैं, और इन निर्धारणों को करते समय रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, अर्थात्:-

(ए) खाताधारक के निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई होने का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक के स्व-प्रमाणन पर निर्भर करेगी, जब तक कि उसके पास ऐसी जानकारी न हो या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो, जिसके आधार पर वह यथोचित रूप से यह निर्धारित कर सके कि खाताधारक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई नहीं है;

(बी) खाताधारक के नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और अनुरक्षित जानकारी पर भरोसा कर सकती है; यद्यपि, यदि खाता यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा कोई अन्य खाता है, और रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जानकारी एकत्रित और अनुरक्षित करने की कानूनी रूप से अपेक्षितता नहीं है, तो उसे नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन से लगभग समान प्रक्रियाओं का पालन करना होगा;

(सी) यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि क्या किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई का नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्टेबल व्यक्ति है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति के स्व-प्रमाणन पर भरोसा कर सकती है;

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह निर्धारित करेगी कि खाताधारक गैर-भागीदारी वाली वित्तीय संस्था है या नहीं, और यदि ऐसा है तो खाताधारक को किए गए किसी भी संदाय की रिपोर्ट नियम 239 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अनुसार की जाएगी।

(7) उप-नियम (1) से (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता संबंधी शर्तो को लागू करने में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(क) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, -

I. किसी स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर सकती है यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को पता है या यह जानने का कारण है कि स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य गलत या अविश्वसनीय है;

II. यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के अलावा किसी अन्य खाते के मामले में, असाधारण परिस्थितियों में जहां रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था किसी नए खाते के संबंध में स्व-प्रमाणन समय पर प्राप्त नहीं कर सकती है ताकि उस रिपोर्टिंग अवधि के संबंध में अपने सम्यक् तत्परता और रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा किया जा सके जिसके दौरान खाता खोला गया था, ऐसे नए खातों पर पूर्व-विद्यमान खातों के लिए लागू सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं को तब तक लागू करना होगा, जब तक कि ऐसा स्व-प्रमाणन प्राप्त और मान्य नहीं हो जाता;

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था यह मान सकती है कि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा का व्यक्तिगत लाभार्थी (स्वामी के अलावा) जो मृत्यु लाभ प्राप्त कर रहा है, एक रिपोर्टेबल व्यक्ति नहीं है और ऐसे वित्तीय खाते को रिपोर्टेबल खाते के अलावा अन्य के रूप में मान सकती है जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को वास्तविक जानकारी न हो, या यह जानने का कारण न हो, कि लाभार्थी एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है; अतः, यदि किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को वास्तविक जानकारी हो, या यह जानने का कारण हो, कि लाभार्थी एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, तो वह उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करेगी;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था के पास यह जानने का कारण है कि नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा का लाभार्थी एक रिपोर्टेबल व्यक्ति है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा एकत्रित और लाभार्थी से संबंधित जानकारी में उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट संकेत शामिल हैं।

(ग) खाता शेष और मुद्रा के संकलन से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) किसी व्यष्टि द्वारा धारित वित्तीय खातों के कुल शेष या मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उसके द्वारा या किसी संबंधित इकाई द्वारा रखे गए सभी वित्तीय खातों को संकलित करना अपेक्षित होगा, लेकिन केवल उस

सीमा तक जहां उस रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या जैसे डेटा तत्व के संदर्भ में वित्तीय खातों को जोड़ती है, और खाता शेष या मूल्यों को संकलित करने की अनुमति देती है;

(ii) किसी इकाई द्वारा धारित वित्तीय खातों के कुल शेष या मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को उसके द्वारा या किसी संबंधित इकाई द्वारा अनुरक्षित सभी वित्तीय खातों को ध्यान में रखना अपेक्षित होगा, लेकिन केवल उस सीमा तक जहां तक उस रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या जैसे डेटा तत्व के संदर्भ में वित्तीय खातों को जोड़ती है और खाता शेष या मूल्यों को संकलित करने की अनुमति देती है;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा धारित वित्तीय खातों के कुल शेष या मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई वित्तीय खाता उच्च मूल्य खाता है या नहीं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को ऐसे किसी भी वित्तीय खाते के मामले में, जिसके बारे में रिलेशनशिप मैनेजर को पता है, या जानने का कारण है, कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति के स्वामित्व, नियंत्रण या स्थापना (विश्वासी क्षमता के अलावा) में है, ऐसे सभी खातों को संकलित करना अपेक्षित होगा;

(iv) नियम 238, 239 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रुपये में या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अनुमत मुद्रा (संयुक्त राज्य डॉलर के अलावा) में रखे गए किसी भी खाते को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरों के अनुसार अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा और इस परिवर्तित रकम का उपयोग ऐसे नियमों में दिए गए वित्तीय खाते के शेष या मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, संयुक्त रूप से रखे गए वित्तीय खाते के प्रत्येक धारक को संकलन संबंधी अपेक्षाओं को लागू करने के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से रखे गए वित्तीय खाते का संपूर्ण शेष या मूल्य आवंटित किया जाएगा।

(8) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात लेकिन एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए किसी यू.एस. रिपोर्टेबल खाते के मामले में, नए खातों के लिए इस नियम के उप-नियम (4) या उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं के के होते हुए , रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था उक्त उप-नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के स्थान पर निम्नलिखित वैकल्पिक प्रक्रियाओं को लागू कर सकती है, अर्थात्:-

(क) एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं,-

(i) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात लेकिन एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए किसी नए वैयक्तिक खाते के संबंध में, उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट स्व-प्रमाणन का अनुरोध करेंगी और उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करेंगी; और

(ii) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात लेकिन एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए किसी नए इकाई खाते के संबंध में, उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं का पालन करेंगी और खाते के दस्तावेजीकरण के लिए अपेक्षित जानकारी का अनुरोध करेंगी, जिसमें उप-नियम (6) के अधीन अपेक्षित कोई भी स्व-प्रमाणन भी शामिल है;

(ख) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से जो भी पश्चात की तारीख हो, उस तारीख तक ऐसे किसी भी नए खाते की रिपोर्ट करेगी जिसे इस उप-नियम के खंड (क) के अनुसार यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में, जैसा लागू हो, के रूप में पहचाना गया है:

(i) उस तारीख के पश्चात आने वाली 31 मई, जिस तारीख को खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया है; और

(ii) खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाने जाने के पैंतालीस दिन पश्चात; हालांकि, ऐसे नए खाते के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी वह जानकारी होगी जो रिपोर्ट करने योग्य होती यदि नए खाते को खाता खोले जाने की तारीख से यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया होता;

(ग) एफएटीसीए समझौते के लागू होने की तारीख के एक वर्ष पश्चात की तारीख तक, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं खंड (क) में वर्णित किसी भी नए खाते को बंद कर देंगी, जिसके लिए वे खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित स्व-प्रमाणन या अन्य दस्तावेज एकत्र करने में असमर्थ थे; हालांकि, इसके अतिरिक्त, उस तारीख तक, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं-

(i) ऐसे बंद किए गए खातों के संबंध में, जो ऐसे बंद होने से पहले नए वैयक्तिक खाते थे (चाहे वे उच्च मूल्य वाले खाते हों या नहीं), उप-नियम (3) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रिया का पालन करेंगीं, या

(ii) ऐसे बंद किए गए खातों के संबंध में, जो ऐसे बंद होने से पहले नए इकाई खाते थे, उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं का पालन करेंगीं; और

(घ) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था, नियम 239 में विनिर्दिष्ट जानकारी, किसी भी बंद खाते के संबंध में, जिसे खंड (ग) के अधीन यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया है, निम्नलिखित में से जो भी पश्चात की तारीख हो, उस तारीख तक रिपोर्ट करेगी:

(i) उस तारीख के पश्चात आने वाली 31 मई, जिस तारीख को खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाना गया है; और

(ii) खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाते या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के रूप में पहचाने जाने के पैंतालीस दिन पश्चात;

अतः, 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात तथा 1 जनवरी, 2015 से पहले खोले गए सभी नए इकाई खातों या ऐसे खातों के स्पष्ट रूप से पहचाने गए समूह के संबंध में, जो यू.एस. रिपोर्टेबल खाते हैं, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के स्थान पर, ऐसे खातों को पूर्व-विद्यमान इकाई खातों के रूप में मान सकती है और उप-नियम (5) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट खाता शेष या मूल्य सीमा पर ध्यान दिए बिना, पूर्व-विद्यमान इकाई खातों से संबंधित सम्यक् तत्परता प्रक्रिया लागू कर सकती है।

(9) नियम 238, 239 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, संबंधित क्रिप्टो-आस्तियों में किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी सूचना का आदान-प्रदान केवल संबंधित अधिकारिता द्वारा करों के प्रशासन के सीमित प्रयोजनों के लिए है।

241. नियम 242, 243 और 244 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ,– नियम 242, 243 और 244 के प्रयोजनों के लिए,–

(1) "धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं" से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन यथाउपबंधित रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की ग्राहक सम्यक तत्परता प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं;

(2) "शाखा" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की ऐसी कोई इकाई, कारबार या कार्यालय अभिप्रेत है जिसे किसी देश या राज्य क्षेत्र के नियामक शासन के अधीन एक शाखा माना जाता है, या जिसे अन्यथा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के अन्य कार्यालयों, इकाइयों या शाखाओं से अलग ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की विधियों के अधीन विनियमित किया जाता है;

(3) खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी एक देश या क्षेत्र में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की सभी इकाइयों, व्यवसायों या कार्यालयों को एक ही शाखा माना जाएगा;

(4) "इकाई" से ऐसा कोई विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था, जैसे कंपनी या भागीदारी फर्म या न्यास या प्रतिष्ठान, अभिप्रेत है;

(5) "अपवर्जित व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) कोई इकाई, जिसके स्टॉक का एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से कारोबार किया जाता है; अथवा

(आ) कोई ऐसी इकाई, जो उप-खंड (क) में वर्णित किसी इकाई की संबंधित इकाई हो; अथवा

(ग) कोई सरकारी इकाई; अथवा

(घ) कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन; अथवा

(ङ) कोई केंद्रीय बैंक; अथवा

(च) खंड (6)(घ)(ii) में वर्णित विनिधान इकाई को छोड़कर कोई वित्तीय इकाई;

(6) खंड (5) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "वित्तीय इकाईन" से अभिरक्षक इकाईन या निक्षेपी इकाईन या विनिधान इकाई या विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अभिप्रेत है;

(आ) "अभिरक्षक इकाईन" से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो अपने कारबार के किसी महत्वपूर्ण भाग के रूप में दूसरों के खाते के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करती है और जहां वित्तीय आस्तियों और संबंधित वित्तीय सेवाओं को धारित करने से प्राप्त उसकी सकल आय, निम्नलिखित में से कम अवधि के दौरान इकाई की कुल आय के 20% के बराबर या उससे अधिक होती है:

(i) तीन वर्ष की ऐसी अवधि जो उस वर्ष से पहले के 31 दिसंबर (या गैर-कैलेंडर वर्ष लेखा अवधि के अंतिम दिन) को समाप्त होती है, जिस वर्ष अवधारण किया जा रहा है; या

(ii) वह अवधि जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही है;

(ग) "निक्षेपधारी इकाईन" से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो–

(i) बैंकिंग या इसी तरह के कारबार के सामान्य क्रम में जमा स्वीकार करती है; या

(ii) ग्राहकों के लाभ के लिए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक धनराशि उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं धारित करती है;

(घ) "विनिधान इकाई" से ऐसी कोई इकाई [खंड (16)(ठ) के मद (ii) से (v) में उल्लिखित किसी भी मानदंड को पूरा करने के कारण सक्रिय इकाई को छोड़कर] अभिप्रेत है,:–

(i) जो मुख्य रूप से कारबार के रूप में, किसी ऐसे ग्राहक के लिए या उसकी ओर से निम्नलिखित क्रियाकलापों या कार्यों में से एक या अधिक का संचालन करती है:–

(अ) मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, व्युत्पन्न आदि), विदेशी मुद्रा, विनिमय, ब्याज दर और सूचकांक लिखतों, हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों या वस्तु वायदा व्यापार में कारोबार करता है; या

(आ) व्यक्तिगत और सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन; या

(इ) अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों, धनराशि, या संगत क्रिप्टो-आस्तियों का विनिधान करना, उनका प्रशासन करना या उनका प्रबंधन करना; या

(ii) जिसकी सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान या पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित है, यदि इकाई का प्रबंधन किसी अन्य इकाई, अर्थात् किसी निक्षेपी इकाईन या किसी अभिरक्षक इकाईन या किसी निर्दिष्ट बीमा कंपनी या मद (i) में वर्णित किसी विनिधान इकाई, द्वारा किया जाता है;

(ङ) (i) उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी इकाई को मुख्य रूप से कारबार के रूप में उक्त उप-खंड के मद (i) में वर्णित एक या एक से अधिक क्रियाकलापों का संचालन करने वाली

इकाई माना जाएगा, या किसी इकाई की सकल आय को मुख्य रूप से उक्त उप-खंड के मद (ii) में वर्णित वित्तीय आस्तियों या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान या पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित माना जाएगा, यदि संगत क्रियाकलापों से संबंधित इकाई की सकल आय, निम्नलिखित में से कम अवधि के दौरान इकाई की सकल आय के 50% के बराबर या उससे अधिक हो:

(अ) तीन वर्ष की वह अवधि जो उस वर्ष के 31 दिसंबर (या गैर-कैलेंडर वर्ष लेखा अवधि के अंतिम दिन) को समाप्त होती है, जिस वर्ष अवधारण किया जाता है; या

(आ) वह अवधि जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही है;

(ii) उप-खंड (घ)(i)(ग) के प्रयोजनों के लिए, "अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों, धनराशि, या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान करना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना" शब्द में ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार को प्रभावित करने के लिए सेवाओं का उपबंध शामिल नहीं है;

(iii) उप-खंड (घ) के उपबंधों की व्याख्या, जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में किए गए अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं में "वित्तीय इकाईन" की परिभाषा में अवधारित समान भाषा के अनुरूप की जाएगी;

(च) "विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी" से ऐसी कोई इकाई इकाई अभिप्रेत है जो ऐसी बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की धारक कंपनी) है जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा जारी करती है, अथवा उसके संबंध में संदाय करने के लिए बाध्य है;

(छ) "सरकारी इकाई" से किसी देश या राज्य क्षेत्र की सरकार या किसी देश या राज्य क्षेत्र के किसी राजनीतिक उप-संभाग (जिसमें संदेह के निवारण के लिए, राज्य, प्रांत, काउंटी या नगरपालिका शामिल है) या किसी देश या राज्य क्षेत्र की या उपरोक्त में से किसी एक या अधिक की पूर्ण स्वामित्व वाली अभिकरण या साधन, जिसमें ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के अभिन्न अंग, नियंत्रित इकाइयां और राजनीतिक उप-संभाग शामिल हैं, अभिप्रेत है;

(ज) उपखंड (छ) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) किसी देश या राज्य क्षेत्र के "अभिन्न अंग" से ऐसा कोई व्यक्ति, संगठन, अभिकरण, ब्यूरो, निधि, साधन या अन्य निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अभिप्रेत है, जो किसी देश या राज्य क्षेत्र का शासी प्राधिकरण गठित करता हो, जहां शासी प्राधिकरण की निवल आय उसके अपने खाते में या देश या राज्य क्षेत्र के अन्य खातों में क्रेडिट की जाएगी, जिसमें से कोई भी भाग किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होगा, किंतु इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो संप्रभु हो, आधिकारिक हो या प्रशासक हो और प्राइवेट या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा हो;

(ii) "नियंत्रित इकाई" से ऐसी इकाई से अभिप्रेत है जो देश या राज्य क्षेत्र से स्वरूप में भिन्न हो या जो अन्यथा एक पृथक विधिक इकाई का गठन करती हो, परंतु–

(क) इकाई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक नियंत्रित इकाईओं के माध्यम से है;

(आ) इकाई की निवल आय उसके अपने खाते में या एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों के खातों में क्रेडिट की जाती है, और उसकी आय का कोई भी हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होता है; और

(ग) विघटन पर इकाई की आस्तियां एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों में निहित हो जाती हैं;

(iii) यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के आशयित लाभार्थी हैं और कार्यक्रम के (क्रियाकलापों आम जनता के कल्याण के लिए की जाती हैं या सरकार के किसी चरण के प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती है;

(iv) उपरोक्त मद (iii) में निहित किसी भी बात के होते हुए, आय को प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए माना जाता है यदि आय किसी सरकारी इकाई द्वारा वाणिज्यिक कारबार, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कारबार, जो प्राइवेट व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, के संचालन के लिए उपयोग से प्राप्त होती है;

(झ) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली ऐसा अभिकरण या इकाई अभिप्रेत है, जिसमें कोई भी ऐसा अंतर-सरकारी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है–

(i) जो मुख्य रूप से सरकारों से मिलकर बना हो;

(ii) जिसका भारत के साथ मुख्यालय या काफी सीमा तक समान करार है; और

(iii) जिसकी आय प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती;

(ञ) "केंद्रीय बैंक" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विधि या सरकार की स्वीकृति द्वारा, देश या राज्य क्षेत्र की सरकार को छोड़कर, मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए आशयित लिखतों को जारी करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है और इसमें देश या राज्य क्षेत्र की सरकार से अलग कोई साधन, चाहे वह देश या राज्य क्षेत्र के पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व में हो या नहीं, शामिल हो सकता है;

(ट) "वित्तीय आस्ति" में निम्नलिखित शामिल है–

(i) कोई प्रतिभूति (उदाहरण के लिए, किसी निगम, भागी में स्टॉक का कोई शेयर या व्यापक रूप से धारित या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली भागी या न्यास में लाभकारी स्वामित्व हित, नोट, बांड, डिबेंचर, या ऋण का अन्य प्रमाण), भागी हित,

कमोडिटी, स्वैप (उदाहरण के लिए, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, आधार स्वैप, ब्याज दर कैप, ब्याज दर फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इक्विटी इंडेक्स स्वैप, और इसी तरह के करार), बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा; या

(ii) किसी प्रतिभूति, संगत क्रिप्टो-आस्ति, भागी हित, कमोडिटी, स्वैप, बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा में कोई हित (जिसमें भावी या वायदा संविदा या विकल्प शामिल है),

किंतु, इसमें अचल संपत्ति में गैर-ऋण और प्रत्यक्ष हित शामिल नहीं है;

(ठ) "इक्विटी हित" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) वित्तीय इकाईन के रूप में किसी भागी की दशा में, भागी में पूंजी या लाभ हित;

(ii) वित्तीय इकाईन के रूप में किसी न्यास की दशा में, यदि किसी व्यक्ति को न्यास के सभी या कुछ भाग का इकाईपक या लाभार्थी माना जाता है, या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस न्याय में इक्विटी हित धारक माना जाएगा;

(ड) उप-खंड (l)(ii) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट करने योग्य किसी व्यक्ति को न्यास का लाभार्थी माना जाएगा, यदि ऐसे रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति को न्यास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य वितरण प्राप्त करने का अधिकार है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकाधीन वितरण प्राप्त कर सकता है;

(ढ) "बीमा संविदा" से ऐसी संविदा (वार्षिकी संविदा को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता मृत्यु, रुग्णता, दुर्घटना, देयता या संपत्ति जोखिम से संबंधित किसी निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर किसी राशि का संदाय करने के लिए सहमत होता है;

(ण) "वार्षिकी संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जारीकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अवधारित अवधि के लिए संदाय करने पर सहमत होता है और इसमें ऐसी संविदा भी शामिल है जिसे उस देश या राज्य क्षेत्र की विधि, विनियमन या परिपाटी के अनुसार वार्षिकी संविदा माना जाता है जिसमें संविदा जारी की गई थी, और जिसके अंतर्गत जारीकर्ता वर्षों की अवधि के लिए संदाय करने पर सहमत होता है;

(त) "नकद मूल्य बीमा संविदा" से ऐसी बीमा संविदा (दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुनर्बीमा संविदा को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसका नकद मूल्य होता है;

(थ) "नकद मूल्य" से निम्नलिखित में से अधिक अभिप्रेत है–

(क) पॉलिसीधारक को संविदा के अभ्यर्पण या समाप्ति पर प्राप्त होने वाली राशि (किसी भी अभ्यर्पण शुल्क या पॉलिसी ऋण के लिए कटौती के बिना अवधारित); और

(आ) पॉलिसीधारक द्वारा संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार ली जा सकने वाली राशि;

किंतु इसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा संविदाओं के अधीन देय राशि शामिल नहीं है:

(I) केवल जीवन बीमा संविदा के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण; या

(II) व्यक्तिगत चोट या बीमारी लाभ या अन्य लाभ के रूप में जो बीमित घटना के घटित होने पर हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करता हो; या

(III) किसी बीमा संविदा (विनिधान-संबद्ध जीवन बीमा या वार्षिकी संविदा को छोड़कर) के अधीन संविदा के रद्द होने या समाप्त होने, संविदा की प्रभावी अवधि के दौरान जोखिम एक्सपोजर में कमी आने, या संविदा के प्रीमियम के संबंध में किसी प्रविष्टि या इसी तरह की त्रुटि के सुधार के कारण पहले से संदत्त प्रीमियम के प्रतिदाय (बीमा प्रभार, चाहे वास्तव में अधिरोपित हो या नहीं, की लागत घटाकर) के रूप में;

(IV) पॉलिसीधारक के लाभांश के रूप में (समाप्ति लाभांश को छोड़कर) परंतु लाभांश किसी बीमा संविदा से संबंधित हो जिसके अधीन देय एकमात्र लाभ ऊपर उप-मद(II) में वर्णित हैं; या

(V) किसी बीमा संविदा के लिए अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा के प्रतिदाय के रूप में, जिसके लिए प्रीमियम कम से कम वार्षिक रूप से देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की राशि संविदा के अधीन देय अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है;

(7) "भागीदार क्षेत्राधिकार" से भारत के बाहर कोई ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसने समकक्ष विधिक अपेक्षाओं को लागू किया है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है;

(8) "संबंधित इकाई" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो–

(क) या तो दूसरी इकाई को नियंत्रित करती है; या

(आ) दोनों इकाईएं एक ही नियंत्रण के अधीन हैं,

और इस प्रयोजन के लिए, नियंत्रण में किसी इकाई में 50% से अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है;

(9) "संगत क्रिप्टो-आस्ति" से ऐसी क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत है–

(i) जो केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा नहीं है; या

(ii) जो कि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद नहीं है; या

(iii) जिसके लिए रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने पर्याप्त रूप से यह अवधारित किया है कि इसका उपयोग संदाय या विनिधान प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है;

(10) खंड (9) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "क्रिप्टो-आस्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 2(111)(घ) में दिया गया है;

(आ) "मूल्य का डिजिटल निरूपण" का अर्थ है कि क्रिप्टो-आस्ति मूल्य के अधिकार का निरूपण करेगी, और ऐसे मूल्य का स्वामित्व या अधिकार डिजिटल रीति से अन्य व्यक्तियों या इकाईओं को विक्रय या हस्तांतरित किया जा सकता है;

(ग) "केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा" से किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई कोई डिजिटल कागजी मुद्रा अभिप्रेत है;

(घ) "निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" से ऐसी कोई क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत है जो –

(i) एकल कागजी मुद्रा का डिजिटल निरूपण हो;

(ii) संदाय संव्यवहार के प्रयोजनार्थ निधियों की प्राप्ति पर जारी किया गया हो;

(iii) जारीकर्ता पर उसी कागजी मुद्रा में नामित दावे द्वारा निरूपित हो;

(iv) जारीकर्ता के सिवाए किसी अन्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति द्वारा संदाय में स्वीकार किया गया हो; और

(v) उत्पाद धारक के अनुरोध पर, जारीकर्ता पर लागू नियामक अपेक्षाओं के आधार पर, किसी भी समय और सममूल्य पर उसी कागजी मुद्रा के लिए प्रतिदेय।

किंतु इसमें ऐसा कोई उत्पाद शामिल नहीं है जो ग्राहक के निर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी अन्य व्यक्ति को धनराशि अंतरित करने की सुविधा प्रदान करने के एकमात्र प्रयोजन से बनाया गया हो;

(ङ) उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, कोई उत्पाद केवल निधियों के अंतरण को सुगम बनाने के प्रयोजन से नहीं बनाया जाता है, यदि अंतरण करने वाली इकाई के सामान्य कारबार के दौरान,–

(i) ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि अंतरण की सुविधा के लिए निर्देश प्राप्त होने के साठ दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है; या

(ii) यदि कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि, धनराशि प्राप्त होने के साठ दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है;

(11) "संगत संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) विनिमय संव्यवहार; और

(आ) संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अंतरण;

(12) खंड (11) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "विनिमय संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) संगत क्रिप्टो-आस्तियों और कागजी मुद्राओं के बीच कोई विनिमय; और

(ii) संगत क्रिप्टो-आस्तियों के एक या एक से अधिक रूपों के बीच कोई विनिमय;

(आ) "रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार" से पचास हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान या सेवाओं के बदले संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अंतरण अभिप्रेत है;

(ग) "अंतरण" से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है जो किसी संगत क्रिप्टो-आस्ति को किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के क्रिप्टो-आस्ति पते या खाते से या उस तक अंतरित करता है, सिवाय उस क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के जो उसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की ओर से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा बनाए रखा जाता है, जहां संव्यवहार के समय रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को उपलब्ध जानकारी के आधार पर, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता यह अवधारित नहीं कर सकता कि संव्यवहार एक विनिमय संव्यवहार है;

(घ) "कागजी मुद्रा" से किसी देश या राज्य क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा अभिप्रेत है, जो ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा, या ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के नामित केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है, जिसे भौतिक बैंक नोटों या सिक्कों द्वारा या विभिन्न डिजिटल रूपों में मुद्रा द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें बैंक भंडार और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद (निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पादों सहित) शामिल हैं;

(13) "रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता" से ऐसा कोई व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है जो कारबार के रूप में, ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार सुगम बनाने के लिए सेवा प्रदान करता है, जिसमें ऐसे विनिमय संव्यवहार के लिए प्रतिपक्ष या मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना शामिल है;

(14) खंड (13) के प्रयोजनों के लिए, –

(i) विनिमय संव्यवहार सुगम बनाने वाली सेवा में कोई भी ऐसी सेवा शामिल है जिसके माध्यम से ग्राहक कागजी मुद्राओं के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियां प्राप्त कर सकता है, या इसके विपरीत, या अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियों का विनिमय कर सकता है;

(ii) वाक्यांश "कारबार के रूप में" में ऐसे व्यक्ति या इकाईएं शामिल नहीं हैं जो गैर- कारबार कारणों से अनियमित आधार पर सेवा प्रदान करते हैं और "कारबार के रूप में" का अवधारण करते समय, प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के सुसंगत नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है;

(iii) "प्रतिपक्ष के रूप में" या "मध्यस्थ के रूप में" में निम्नलिखित शामिल हैं–

(क) ग्राहकों को संगत क्रिप्टो-आस्तियों का क्रय और विक्रय करने हेतु अपने स्वयं के खाते के लिए कार्य करने वाले डीलर;

(आ) क्रिप्टो-आस्तिऑटोमेटेड टेलर मशीनों के संचालक, जो ऐसी ऑटोमेटेड टेलर मशीनों के माध्यम से कागजी मुद्राओं या अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियों के विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं;

(ग) क्रिप्टो-आस्ति एक्सचेंज जो मार्केट मेकर के रूप में कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए संव्यवहार कमीशन के रूप में बिड-आस्क स्प्रेड लेते हैं;

(घ) संगत क्रिप्टो-आस्तियों में दलाल, जहां वे संगत क्रिप्टो-आस्तियों में भागीदारी का क्रय या विक्रय करने के आदेशों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की ओर से कार्य करते हैं; और

(ङ) एक या अधिक संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अभिदान करने वाले व्यक्ति या इकाईएं;

(iv) "ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लिकेशन शामिल है जो प्रयोक्ताओं को (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) विनिमय संव्यवहार करने की सुविधा प्रदान करता है;

(15) "रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता" से ऐसे क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो एक रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति है;

(16) खंड (15) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) कोई व्यक्ति या इकाई जो सुसंगत संव्यवहार करने के प्रयोजन से किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का ग्राहक हो;

(ii) जहां कोई व्यक्ति या इकाई (वित्तीय इकाईन या रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को छोड़कर) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई के लाभ या खाते के लिए अभिकर्ता, अभिरक्षक, नामित व्यक्ति, हस्ताक्षरकर्ता, विनिधान सलाहकार या मध्यस्थ के रूप में क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के रूप में कार्य करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति या इकाई को क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता नहीं माना जाएगा;

(iii) जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी व्यापारी के लिए या उसकी ओर से रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार को प्रभावित करने के लिए सेवा प्रदान करता है, तो ग्राहक जो ऐसे रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार के लिए व्यापारी का प्रतिपक्ष है;

(आ) उप-खंड (क) के मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार के आधार पर ऐसे ग्राहक की पहचान सत्यापित करना आवश्यक है;

(ग) "व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से कोई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से है जो एक व्यष्टि है;

(घ) "पूर्व-विद्यमान व्यक्तगित क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से कोई व्यष्टि क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के साथ संबंध स्थापित किया है;

(ङ) "इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से ऐसा क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो एक इकाई है;

(च) "पूर्व-विद्यमान इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से कोई इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के साथ संबंध स्थापित किया है;

(छ) "रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) कोई इकाई या व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्य क्षेत्र का निवासी हो; या

(ii) किसी ऐसे मृतक, अपवर्जित व्यक्ति को छोड़कर, की संपत्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी था;

(ज) उप-खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी या इसी तरह की विधिक व्यवस्था जैसी इकाई, जिसका कर प्रयोजनों के लिए कोई निवास स्थान नहीं है, को उस क्षेत्राधिकार में अवस्थित माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है;

(झ) "नियंत्रणकर्ता व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) वे प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखते हैं;

(आ) न्यास के मामले में, न्यास के इकाईपन, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला/वाले कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति;

(ग) न्यास को छोड़कर किसी अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में, समकक्ष या समान पदों पर आसीन व्यक्ति,

और "नियंत्रणकर्ता व्यक्ति" पद की व्याख्या, जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में किए गए अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार, 2012 के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसा के अनुरूप की जाएगी;

(ञ) उप-खंड (i)(आ) के प्रयोजनों के लिए, न्यास के इकाईपन, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों के वर्ग को सदैव न्यास के नियंत्रक व्यक्ति माना जाएगा, चाहे उनमें से कोई भी न्यास पर नियंत्रण रखता हो या नहीं;

(ट) उप-खंड (i)(ग) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता उचित स्तर की रिपोर्ट की गई प्राप्त करने के प्रयोजन से, न्यासों के लिए आवश्यक समान ग्राहक सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के माध्यम से नियंत्रक व्यक्तियों की पहचान करेंगे;

(ठ) "सक्रिय इकाई" से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो:–

(i) पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष (या पूर्ववर्ती गैर-कैलेंडर लेखा अवधि) के लिए इकाई की सकल आय का 50% से कम हिस्सा निष्क्रिय आय है और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष (या पूर्ववर्ती गैर-कैलेंडर लेखा अवधि) के दौरान इकाई द्वारा धारित आस्तियों का 50% से कम

हिस्सा ऐसी आस्तियां हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धारित की जाती हैं; या

(ii) इकाई की लगभग सभी (क्रियाकलापों एक या एक से अधिक समनुषंगी कंपनियों के बकाया स्टॉक को (पूर्ण या आंशिक रूप से) धारण करने, या उन्हें वित्तपोषण और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जो वित्तीय इकाई के कारबार के सिवाए अन्य व्यापारों या व्यवसायों में संलग्न हैं, सिवाय इसके कि यदि इकाई एक विनिधान निधि के रूप में कार्य करती है (या स्वयं को प्रस्तुत करती है), जैसे कि एक प्राइवेट इक्विटी निधि, वेंचर कैपिटल निधि, लीवरेज्ड बायआउट फण्ड, या कोई भी विनिधान साधन जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या वित्तपोषण करना और फिर विनिधान उद्देश्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में भागीदारी रखना है, तो इकाई इस स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है; या

(iii) इकाई अब तक कोई कारबार संचालित नहीं कर रही है और उसका कोई पूर्व प्रचालन इतिहास नहीं है, किंतु वह वित्तीय इकाई के सिवाए किसी अन्य कारबार को संचालित करने के आशय से आस्तियों में पूंजी विनिधान कर रही है, परंतु इकाई के प्रारंभिक संगठन की तारीख से चौबीस माह पश्चात् वह इस अपवाद के लिए अर्हता प्राप्त न करे; या

(iv) वह इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय इकाई नहीं थी, और अपनी आस्तियों को परिसमाप्त करने की प्रक्रिया में है या वित्तीय इकाई के सिवाए किसी अन्य कारबार में संचालन जारी रखने या पुनः शुरू करने के आशय से पुनर्गठन कर रही है; या

(v) इकाई मुख्यतः गैर-वित्तीय इकाईओं के साथ या उनके लिए वित्तपोषण और हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार संव्यवहार में संलग्न है, और किसी भी ऐसी इकाई को वित्तपोषण या हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार सेवाएं प्रदान नहीं करती है जो संबंधित इकाई नहीं है, परंतु ऐसी संबंधित इकाईओं का समूह मुख्यतः वित्तीय इकाई के कारबार से इतर किसी अन्य कारबार में संलग्न हो; या

(vi) इकाई निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है:-

(अ) यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में विशेष रूप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थापित और संचालित है, या यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;

(आ) यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में आयकर से मुक्त है;

(इ) इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो;

(ई) इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) की लागू विधियां या इकाई के गठन के दस्तावेज, इकाई की धर्मार्थ क्रियाकलापों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित प्रतिकर के संदाय के रूप में, या इकाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले संदाय के रूप में के सिवाय इकाई की किसी भी आय या आस्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ इकाई को वितरित करने या उसके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं; और

(ऊ) इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) की लागू विधियां या इकाई के गठन के दस्तावेजों के अनुसार, इकाईन के परिसमापन या विघटन पर, इसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी इकाई या अन्य लाभ निरपेक्ष संगठन को वितरित किया जाना चाहिए, या इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-ंसंभाग को सौंप दिया जाना चाहिए;

(ड) उपखंड (l) के मद (i) के प्रयोजनों के लिए, "निष्क्रिय आय" में सकल आय का वह भाग शामिल है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) लाभांश; या

(ii) ब्याज; या

(iii) ब्याज या लाभांश के समतुल्य आय; या

(iv) किराए और स्वामिस्व (रॉयल्टी), उन किराए और स्वामिस्व के सिवाय जो इकाई के कर्मचारियों द्वारा कम से कम आंशिक रूप से संचालित कारबार के सक्रिय संचालन में प्राप्त होते हैं; या

(v) वार्षिकी; या

(vi) संगत क्रिप्टो-आस्तियों से प्राप्त आय; या

(vii) संगत क्रिप्टो-आस्तियों या वित्तीय आस्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ और हानि का अंतर; या

(viii) किसी भी संगत क्रिप्टो-आस्ति या वित्तीय आस्तियों में संव्यवहार (जिसमें भावी, वायदा, विकल्प और इसी तरह के संव्यवहार शामिल हैं) से होने वाली हानि से लाभ का आधिक्य; या

(ix) विदेशी मुद्रा हानि से विदेशी मुद्रा लाभ का आधिक्य; या

(x) स्वैप से प्राप्त निवल आय; या

(xi) नकद मूल्य बीमा संविदाओं के अधीन प्राप्त राशियां; और

(ढ) उप-खंड (I)(ii) के प्रयोजनों के लिए, "लगभग सभी" का अर्थ 80% या अधिक है;

(17) कागजी मुद्रा (भारतीय रुपये को छोड़कर) के संबंध में "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के क्रय के लिए अपनाई गई विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी मुद्रा के क्रय के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाता है, जहां ऐसी मुद्रा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उस बैंक को उपलब्ध कराई जाती है; और

(18) "टीआईएन" से करदाता पहचान संख्या (या करदाता पहचान संख्या की अनुपस्थिति में कार्यात्मक समकक्ष) अभिप्रेत है, जो क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस देश या राज्य क्षेत्र में आवंटित की जाती है जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है।

242. धारा 509 के अधीन क्रिप्टो आस्ति के रिपोर्ट अन्त्यव्हार का आक्षेप। - (1) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं के अध्यधीन है, यदि वह –

(क) भारत में कर प्रयोजनों के लिए निवासी कोई इकाई या व्यक्ति है; या

(आ) कोई ऐसी इकाई जो भारत की विधियों के अधीन निगमित या संगठित है; या

(ग) कोई ऐसी इकाई जिसका भारत में विधिक व्यक्तित्व है या जिस पर धारा 263 के अधीन आय विवरण दाखिल करने का दायित्व है; या

(घ) भारत से प्रबंधित इकाई है; या

(ङ) कोई इकाई या व्यक्ति जिसका भारत में नियमित कारबार स्थान हो।

(2) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता भारत में स्थित शाखा के माध्यम से किए गए संगत संव्यवहार के संबंध में नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

(3) भारत में किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को नियम 243 के अधीन रिपोर्ट की गई अपेक्षाओं और नियम 244 के अधीन सम्यक तत्परता अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है,–

(क) जहां यह कोई ऐसी इकाई है,–

(i) उप-नियम (1)(आ) से (ङ) के अनुसरण में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजनों के लिए निवासी होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं;

(ii) उप-नियम (1)(घ) और (ङ) के अनुसरण में, यदि ऐसी आवश्यकताएँ किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं,–

(अ) ऐसी इकाई जो ऐसे भागीदार क्षेत्राधिकार की विधियों के अधीन निगमित या संगठित है; या

(आ) ऐसी इकाई जिसका या तो भागीदार क्षेत्राधिकार में विधिक व्यक्तित्व है या भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्राधिकारियों को ऐसी इकाई की आय के संबंध में कर विवरणी या कर सूचना विवरणी दाखिल करने का दायित्व है; या

(iii) उप-नियम (1)(ङ) के अनुसार, यदि ऐसी अपेक्षाएं किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में ऐसे भागीदार क्षेत्राधिकार से प्रबंधन होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं; या

(ख) जहां यह, उप-नियम (1)(ङ) के अनुसरण में, ऐसा व्यक्ति है, यदि ऐसी अपेक्षाएं किसी भागीदार क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजनों के लिए निवासी होने के नाते ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाती हैं; या

(ग) उप-नियम (1) के खंड (क) या खंड (आ) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अनुसरण में, यदि उसने भारत द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में यह पुष्टि करते हुए भारत के पास एक अधिसूचना प्रस्तुत की है कि ऐसी अपेक्षाओं को वस्तुतः ऐसे समान संबंध कि यह भारत में होने के अध्यधीन है, के अनुसरण में किसी भागीदार क्षेत्राधिकार के नियमों के अधीन ऐसे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किया जाता है; या

(घ) भागीदार क्षेत्राधिकार में किसी शाखा के माध्यम से किए गए संगत संव्यवहार के संबंध में, यदि ऐसी आवश्यकताएं भागीदार क्षेत्राधिकार में ऐसी शाखा द्वारा पूरी की जाती हैं।

243. धारा 509 के अधीन क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार के लिए रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा - (1) 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाले प्रत्येक सुसंगत कैलेंडर वर्ष के लिए और धारा 242 के अधीन रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के आक्षेपों और धारा 244 के अधीन सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के अध्यधीन, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, जो रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता हैं, या जिनके नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं, निम्नलिखित जानकारी रखी जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी:–

(क) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र, टीआईएन और जन्म तारीख एवं स्थान (व्यक्ति के मामले में);

(ख) यदि किसी रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता की पहचान एक से अधिक देश या राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले के रूप में की जाती है, तो रिपोर्ट किए जाने वाले निवास का देश या

राज्य क्षेत्र और टीआईएन, ऐसे सभी देश या राज्य क्षेत्र के होंगे जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा अभिचिह्नित किए गए हैं;

(ग) यदि सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के लागू होने के पश्चात् किसी इकाई की पहचान एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्तियों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति है, वाली इकाई के रूप में की जाती है, तो इकाई का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र और टीआईएन तथा प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति का नाम, पता, निवास का देश या राज्य क्षेत्र, टीआईएन और जन्म तारीख एवं जन्म स्थान, साथ ही, वह भूमिका(एं) जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है;

(घ) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या;

(ङ) प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए, जिसके संबंध में इसने सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान संगत संव्यवहार किए हैं,–

(i) संगत क्रिप्टो-आस्ति के प्रकार का पूरा नाम;

(ii) कागजी मुद्रा के सापेक्ष किए गए अधिग्रहणों के संबंध में संदत्त कुल सकल राशि, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;

(iii) कागजी मुद्रा के सापेक्ष किए गए निपटान के संबंध में प्राप्त कुल सकल राशि, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;

(iv) अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के सापेक्ष अधिग्रहण के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या;

(v) अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के सापेक्ष निपटान के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और सुसंगत संव्यवहार की संख्या;

(vi) कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार की संख्या;

(vii) उप-खंड (ii) और (iv) द्वारा कवर न किए गए रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को अंतरण के संबंध में, कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा ज्ञात अंतरण प्रकार के अनुसार उप-विभाजित;

(viii) उप-खंड (iii), (v) और (vi) के अंतर्गत कवर न किए गए रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता द्वारा किए गए अंतरण के संबंध में, कुल उचित बाजार मूल्य, इकाइयों की कुल संख्या और संगत संव्यवहार की संख्या, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा ज्ञात अंतरण प्रकार द्वारा उप-विभाजित;

(ix) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा उन वॉलेट पतों, जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को किसी वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय इकाईन से संबद्ध होने के लिए ज्ञात नहीं हैं,

पर किए गए अंतरण के संबंध में कुल उचित बाजार मूल्य के साथ-साथ इकाइयों की कुल संख्या।

(2) (क) उप-नियम (1) के खंड (क) और (आ) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टीआईएन की सूचना देना आवश्यक नहीं है, यदि –

(i) टीआईएन भारत के बाहर स्थित ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता कर प्रयोजनों के लिए निवासी है; या

(ii) भारत के बाहर स्थित उस देश या राज्य क्षेत्र की स्वदेशी विधि में कर प्रयोजनों के लिए उस देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए टीआईएन को एकत्र करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता निवासी है; और

(आ) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, टीआईएन को भारत के बाहर स्थित किसी देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया गया नहीं माना जाएगा –

(क) जहां ऐसा देश या राज्य क्षेत्र टीआईएन जारी नहीं करता है और न ही टीआईएन के अभाव में कोई कार्यात्मक समकक्ष जारी करता है; या

(आ) जहां ऐसे देश या राज्य क्षेत्र ने किसी विशेष व्यक्ति या इकाई को टीआईएन जारी नहीं किया है।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क) से (ग) में निहित किसी भी बात के होते हुए, जन्म स्थान की सूचना देना आवश्यक नहीं है, जब तक कि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्वदेशी विधि के अधीन इसे प्राप्त करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता न हो।

(4) रिपोर्ट की गई जानकारी में वह कागजी मुद्रा अभिचिह्नित होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक राशि की रिपोर्ट की गई है।

(5) धारा 509 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले संगत संव्यवहार का विवरण, प्रत्येक क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के रूप में अभिचिह्नित किया गया है।

(6) जहां, नियम 244 में निर्दिष्ट सम्यक तत्परता प्रक्रिया के अनुसरण में, किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति को रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के रूप में अभिचिह्नित नहीं किया जाता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा शून्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट विवरण प्रपत्र संख्या 167 में उस वर्ष के पश्चात आने वाले कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा जिससे सूचना संबंधित है।

(8) (क) उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (ii) और (iii) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संव्यवहार शुल्क घटाकर रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता द्वारा संदत्त या प्राप्त की गई राशि की रिपोर्ट करेंगे;

(ii) संदत्त या प्राप्त की गई राशि भारतीय रुपये में इंगित जाएगी;

(iii) जहां राशि का संदाय या प्राप्ति कागजी मुद्राओं (भारतीय रुपये के सिवाय) में हुई हो,-

(क) इन्हें भारतीय रुपये में रिपोर्ट किया जाएगा, जिसे प्रत्येक संगत संव्यवहार के समय परिवर्तित किया जाएगा; और

(आ) भारतीय रुपये में ऐसी कागजी मुद्रा के मूल्य की गणना के लिए रूपांतरण दर, संबंधित संव्यवहार की तारीख पर ऐसी कागजी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी;

(iv) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा;

(v) अधिग्रहण या निपटान कोई भी ऐसा संव्यवहार है जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, जिसमें रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता किसी संगत क्रिप्टो-आस्ति को प्राप्त करता है या अंतरित करता है, चाहे ऐसी संपत्ति किसी तृतीय पक्ष के विक्रेता से प्राप्त की गई हो या उसे दी गई हो, या स्वयं रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता से प्राप्त की गई हो या उसे दी गई हो; और

(vi) जहां कोई रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता कागजी मुद्रा के बदले संगत क्रिप्टो-आस्ति का अधिग्रहण या निपटान करता है, और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतर्निहित कागजी मुद्रा प्रतिफल की वास्तविक जानकारी नहीं है, तो ऐसे संव्यवहार को उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को या उसके द्वारा भेजे गए अंतरण के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (iv) और (v) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति के उचित बाजार मूल्य, संव्यवहार शुल्क घटाकर, की रिपोर्ट करेंगे;

(ii) उचित बाजार मूल्य भारतीय रुपये में अवधारित किया जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन प्रत्येक संबंधित संव्यवहार के समय किया जाएगा;

(iii) उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, संगत क्रिप्टो-आस्ति के उचित बाजार मूल्य को अवधारित करने के लिए, अपने द्वारा बनाए गए लागू क्रिप्टो-आस्ति से भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्म पर निर्भर करेगा; या

(आ) जहां किसी कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति का विनिमय किसी ऐसी संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए किया जाता है जिसका सुगम मूल्यांकन किया जा सकता है, तो कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत क्रिप्टो-आस्ति के भारतीय रूपये में मूल्य का पता लगाने के लिए संगत क्रिप्टो-आस्ति, जिसके सापेक्ष कठिन-मूल्यांकन योग्य संगत

क्रिप्टो-आस्ति का विनिमय किया गया है, के भारतीय रुपये में मूल्यांकन पर निर्भर होगा;

(iv) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा;

(v) एक ही रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता द्वारा किए गए सभी क्रिप्टो-आस्ति से क्रिप्टो-आस्ति में संव्यवहार उक्त दोनों उप-खंडों के अधीन रिपोर्ट की गई के अध्यधीन हैं;

(vi) जहां कोई रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता क्रिप्टो-आस्ति से क्रिप्टो-आस्ति में संव्यवहार करता है, चाहे रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को संगत क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण या निपटान की वास्तविक जानकारी न हो, ऐसे संव्यवहार को उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता को या उसके द्वारा भेजे गए अंतरण के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, –

(i) मर्चेंट का वह ग्राहक, जिसके लिए या जिसकी ओर से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार करने वाली सेवा प्रदान कर रहा है, उसे क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता (क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की परिभाषा में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन) माना जाएगा, और इसलिए, मर्चेंट के अतिरिक्त, रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में माना जाएगा;

(ii) मर्चेंट के ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार से संबंधित समग्र जानकारी को उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (viii) के अधीन अंतरण के संबंध में रिपोर्ट की गई समग्र जानकारी में शामिल नहीं किया जाएगा; और

(iii) उन अंतरणों के संबंध में समग्र जानकारी, जो केवल न्यूनतम सीमा को पूरा न करने के कारण रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार नहीं हैं, उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (vii) और (viii) के अधीन अंतरणों के संबंध में रिपोर्ट की गई समग्र जानकारी में शामिल की जाएगी।

(घ) उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (ix) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को इस उप-खंड के अधीन अंतरण की इकाइयों की कुल संख्या या कुल उचित बाजार मूल्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता है कि जिस वॉलेट पते पर संगत क्रिप्टो-आस्ति अंतरित किया जाता है वह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं में परिभाषित वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय इकाईन से संबद्ध है;

(ii) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता को संगत क्रिप्टो-आस्तियों के अंतरण से जुड़े किसी भी बाह्य वॉलेट पते (अन्य समकक्ष पहचानकर्ताओं सहित) को कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए अपने अभिलेख में एकत्र और बनाए रखना आवश्यक होगा; और

(iii) संगत क्रिप्टो-आस्तियों के अंतरण से जुड़े वॉलेट पतों की रिपोर्ट की गई की आवश्यकता नहीं होगी।

(ङ) उप-नियम (1)(ङ) के उप-खंड (vi), (vii), (viii) और (ix) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) उचित बाजार मूल्य, उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मूल्यांकन विधि का उपयोग करते हुए, भारतीय रुपये में अवधारित और रिपोर्ट किया जाएगा,;

(ii) मूल्यांकन करते समय, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्ति और भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्मों के मूल्यों को संदर्भ के रूप में उपयोग करेगा, जिन्हें वह अंतरण के समय संगत क्रिप्टो-आस्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए बनाए रखता है;

(iii) जहां अंतरण करने वाला रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता संगत क्रिप्टो-आस्तिऔर भारतीय रुपये के ट्रेडिंग युग्म का लागू संदर्भ मूल्य नहीं रखता है, वहां निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों पर निर्भर होगा:–

(क) सबसे पहले, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा संगत क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में बनाए गए आंतरिक लेखा बही मूल्यों का उपयोग किया जाएगा;

(ख) यदि बही मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो तृतीय-पक्ष कंपनियों या वेबसाइटों द्वारा प्रदान किया गया मूल्य, जो संगत क्रिप्टो-आस्तियों की वर्तमान कीमतों को एकत्रित करता है, का उपयोग किया जाएगा, यदि उस तृतीय पक्ष द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन विधि से मूल्य का विश्वसनीय संकेतक प्रदान करने की उचित अपेक्षा की जाती है;

(ग) यदि मद (क) और (आ) में निर्दिष्ट विधियों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा संगत क्रिप्टो-आस्ति के नवीनतम मूल्यांकन उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि अभी भी कोई मूल्य अवधारित नहीं किया जा सकता है, तो अंतिम उपाय के रूप में एक उचित अनुमान लागू किया जा सकता है;

(iv) प्रत्येक संगत क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में जिसके लिए रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने उप-खंड (iii) में उल्लिखित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति पर विश्वास किया है, विधि को प्रपत्र संख्या 167 में इंगित किया जाएगा;

(v) रिपोर्ट की गई जानकारी में उस कागजी मुद्रा को भी अभिचिह्नित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक राशि की रिपोर्ट की गई है; और

(vi) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रत्येक प्रकार की संगत क्रिप्टो-आस्ति के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की गई श्रेणी से संबंधित सभी संव्यवहार को संचित करेगा, अर्थात् उनका योग करेगा।

(9) इस नियम में निर्दिष्ट विवरण आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) या संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर पर, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट डेटा संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) उप-नियम (9) के प्रयोजनों के लिए,– "डिजिटल हस्ताक्षर" से किसी ऐसे प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्रेत है जिसे प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(11) (क) प्रत्येक रिपोर्ट की गई क्रिप्टो आस्ति सेवा प्रदाता आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और संचार विवरण सूचित करेगा तथा उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए एक संख्या प्राप्त करेगा।

(आ) इस नियम में निर्दिष्ट विवरण पर रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के नामित निदेशक द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हस्ताक्षर, सत्यापन और प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अनिवासी है, तो ऐसे विवरण पर ऐसे नामित निदेशक से वैध मुख्तारनामा-धारक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकता है।

(12) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "नामित निदेशक" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा धारा 509 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक कंपनी है; या

(ii) प्रबंध भागीदार, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक भागी फर्म है; या

(iii) स्वामी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक स्वामित्व वाली कंपनी है; या

(iv) प्रबंध न्यासी, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता एक न्यास है; या

(v) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसा भी मामला हो, जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, या कोई अन्य व्यक्ति है; और

(आ) "प्रधान अधिकारी" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

244. अधिनियम की धारा 509 के अधीन सम्यक तत्परता प्रक्रियाएँ - (1) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस तारीख से एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता माना जाता है जिस तारीख से इस नियम में निर्दिष्ट सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के अनुसार उसे अभिचिह्नित किया जाता है।

(2) किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता होने या न होने का अवधारण करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी:-

(क) व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करते समय, या 1 जनवरी, 2026 से बारह माह के भीतर पूर्व-विद्यमान व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(i) एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करना जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के निवास स्थान का अवधारण करने की अनुमति देता है; और

(ii) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्तिसेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करना, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं;

(आ) यदि किसी भी समय किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जिसके कारण रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण होता है, कि मूल स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता–

(i) मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा;

(ii) वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, या उचित स्पष्टीकरण; और

(iii) मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाले दस्तावेज, जो भी उचित हो।

(3) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि क्या–

(क) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता है; या

(आ) अपवर्जित व्यक्ति या सक्रिय इकाई के सिवाय कोई अन्य इकाई, जिसमें एक या एक से अधिक नियंत्रक व्यक्ति हों, जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हों, है -

निम्नलिखित प्रक्रियाएँ लागू होंगी:–

(i) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के साथ संबंध स्थापित करते समय, या 1 जनवरी, 2025 से बारह माह के भीतर पूर्व-विद्यमान इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ताओं के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) एक स्व-प्रमाणन प्राप्त करना जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की अवस्थिति का अवधारण करने की अनुमति देता है; और

(आ) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करना, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अधीन एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं;

(ii) यदि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता यह प्रमाणित करता है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई अवस्थिति नहीं है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के निवास स्थान का अवधारण करने के लिए प्रभावी प्रबंधन के स्थान या प्रधान कार्यालय के पते पर विश्वास करेगा; और

(iii) यदि स्व-प्रमाणन से यह संकेत मिलता है कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में अवस्थित है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता मानेगा, जब तक कि वह स्व-प्रमाणन या उसके पास विद्यमान जानकारी या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर उचित रूप से यह अवधारित न कर ले कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता कोई अपवर्जित व्यक्ति है।

(4) अपवर्जित व्यक्ति के सिवाए किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता यह अवधारित करेगा कि क्या उसके पास एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति हैं जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं, जब तक कि वह इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से स्व-प्रमाणन के आधार पर यह अवधारित नहीं करता है कि इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता एक सक्रिय इकाई है।

(5) इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के नियंत्रक व्यक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,–

(क) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्रित और बनाए रखी गई जानकारी पर विश्वास कर सकता है, परंतु ऐसी प्रक्रियाएं जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं से संबंधित अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार 2012 के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं के अनुरूप हों; और

(आ) जहां रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं को लागू करने की विधिक रूप से आवश्यकता नहीं है, जो कि वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं से संबंधित जून 2019 में अद्यतन 2012 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

अनुशंसाओं के अनुरूप हैं, तो वह नियंत्रक व्यक्तियों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से समान प्रक्रियाओं को लागू करेगा।

(6) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि क्या कोई नियंत्रक व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है, कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या ऐसे नियंत्रक व्यक्ति से स्व-प्रमाणन पर विश्वास करेगा जो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को कर प्रयोजनों के लिए नियंत्रक व्यक्ति के निवास स्थान का अवधारण करने और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता की पुष्टि करने की अनुमति देता है, जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज शामिल हैं।

(7) यदि किसी भी समय, किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या उसके नियंत्रक व्यक्तियों के संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को यह पता चलता है, या यह जानने का कारण होता है, कि मूल स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता–

(क) मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा;

(आ) वैध स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, या उचित स्पष्टीकरण; और

(ग) मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाले दस्तावेज, जो भी उचित हो।

(8) किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन केवल तभी मान्य होगा यदि उस पर व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई हो, उस पर प्राप्ति की नवीनतम तारीख अंकित हो और उसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:

(क) पहला और अंतिम नाम;

(आ) निवास का पता;

(ग) कर प्रयोजनों के लिए निवास का (के) देश या राज्य क्षेत्र;

(घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के संबंध में, भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के लिए, जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, टीआईएन; और

(ङ) जन्म तारीख।

(9) किसी इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन केवल तभी मान्य होगा यदि उस पर क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई हो, उस पर प्राप्ति की नवीनतम तारीख अंकित हो और उसमें इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:

(क) विधिक नाम;

(आ) पता;

(ग) कर प्रयोजनों के लिए निवास का (के) देश या राज्य क्षेत्र;

(घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के संबंध में, भारत के बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के लिए टीआईएन, जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है;

(ङ) सक्रिय इकाई या अपवर्जित व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के मामले में, क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता इकाई के प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के संबंध में उप-नियम (8) में निर्दिष्ट जानकारी, जब तक कि ऐसे नियंत्रक व्यक्ति ने उक्त उप-नियम के अनुसार स्व-प्रमाणन प्रदान न किया हो, और साथ ही वे भूमिकाएँ जिनके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति है, यदि पहले से ही धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के आधार पर अवधारित नहीं किया गया है; और

(च) यदि लागू हो, तो सक्रिय इकाई या अपवर्जित व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए पूरा किए जाने वाले मानदंडों के बारे में जानकारी।

(10) उप-नियम (8) और (9) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टीआईएन एकत्र करना आवश्यक नहीं है–

(क) यदि रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के निवास का देश या राज्य क्षेत्र रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति को टीआईएन जारी नहीं करता है; या

(आ) भारत के बाहर स्थित संबंधित देश या राज्य क्षेत्र की स्वदेशी विधि में ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किए गए टीआईएन को एकत्र करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं हो।

(11) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता इस नियम में अवधारित सम्यक तत्परता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी तृतीय पक्ष पर निर्भर रह सकता है, किंतु ऐसे दायित्व रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी बने रहेंगे।

(12) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को नियम 243 के अनुसार रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी की रिपोर्ट करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम सात कर वर्षों की अवधि के लिए सभी दस्तावेज़ और डेटा बनाए रखना होगा।

(13) (क) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर दो या दो से अधिक देशों या राज्य क्षेत्रों में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, तो निवास के ऐसे सभी देश या राज्य क्षेत्र स्व-प्रमाणन में घोषित किए जाने हैं और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता भारत के बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में मानेगा;

(ii) किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्व-प्रमाणन की "तर्कसंगतता" की पुष्टि करने वाला माना जाएगा यदि, किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करने के दौरान और संबंध की स्थापना के संबंध में प्राप्त जानकारी (जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी दस्तावेज

शामिल हैं) की समीक्षा करने पर, उसे यह पता नहीं है या यह जानने का कोई कारण नहीं है कि स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है;

(iii) जहां स्व-प्रमाणन उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट तर्कसंगतता परीक्षण में असफल रहता है, वहां रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को या तो एक वैध स्व-प्रमाणन, या स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन (जैसा उपयुक्त हो) प्राप्त करना होगा, और संगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को संगत संव्यवहार को प्रभावी करने वाली सेवाएं प्रदान करने से पहले ऐसे स्पष्टीकरण और प्रलेखन की एक प्रति या एक नोट रखना होगा;

(iv) उप-नियम (2)(आ) के प्रयोजनों के लिए, किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण माना जाएगा कि स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि स्व-प्रमाणन या अन्य प्रलेखन में निहित सुसंगत तथ्यों या कथनों का उसका ज्ञान ऐसा है कि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की स्थिति में एक यथोचित विवेकशील व्यक्ति किए जा रहे दावे पर प्रश्न उठाएगा;

(v) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण भी है कि स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के दस्तावेज़ों या फाइलों में ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति के दावे के साथ उसकी स्थिति के संबंध में विरोधाभास करती है;

(vi) किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास यह जानने का कारण है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया स्व-प्रमाणन अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण है, यदि स्व-प्रमाणन में उस व्यक्ति द्वारा किए गए दावों से संबंधित किसी भी मद के संबंध में अपूर्ण है, स्व-प्रमाणन में कोई ऐसी जानकारी है जो उस व्यक्ति के दावे के साथ असंगत है, या रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास ऐसी अन्य जानकारी है जो उस व्यक्ति के दावे के साथ असंगत है;

(vii) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, जो स्व-प्रमाणन की समीक्षा और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता पर विश्वास करता है, के संबंध में माना जाता है कि उसे सेवा प्रदाता के ज्ञान में विद्यमान तथ्य ज्ञात है या ज्ञात होने के कारण है;

(viii) किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन पर विश्वास नहीं कर सकता है, यदि प्रलेखन में प्रलेखन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान उचित रूप से स्थापित नहीं की जाती है;

(ix) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता प्रलेखन पर विश्वास नहीं कर सकता है, यदि प्रलेखन में ऐसी जानकारी है जो व्यक्ति की स्थिति के संबंध में उसके दावे के साथ असंगत है, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास ऐसी अन्य जानकारी है जो व्यक्ति की

स्थिति के साथ असंगत है, या प्रलेखन में व्यक्ति की स्थिति प्रमाणित करने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव है;

(x) "परिस्थितियों में परिवर्तन" पद में कोई भी ऐसा परिवर्तन शामिल है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की स्थिति से संबंधित जानकारी जोड़ी जाती है या अन्यथा ऐसे प्रयोक्ता की स्थिति से विरोधाभास होता है, या ऐसे व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से जुड़े किसी भी प्रोफ़ाइल में जानकारी का कोई परिवर्तन या परिवर्धन होता है, यदि जानकारी का ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की स्थिति को प्रभावित करता है;

(xi) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को प्रदान किए गए स्व-प्रमाणन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन, उस जानकारी के संबंध में स्व-प्रमाणन की वैधता को समाप्त कर देगा जो अब विश्वसनीय नहीं है, जब तक कि जानकारी को अद्यतन नहीं किया जाता है;

(xii) यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता मूल स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा और उसे निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करना होगा–

(क) कोई वैध स्व-प्रमाणन जो व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के कर प्रयोजनों के लिए निवास स्थान प्रमाणित करता है; या

(आ) मूल स्व-प्रमाणन की वैधता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन (और ऐसे स्पष्टीकरण और प्रलेखन की एक प्रति या एक नोट रखना);

(xiii) स्व-प्रमाणन उस तारीख को अमान्य हो जाएगा जब स्व-प्रमाणन रखने वाले रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को पता चलता है या उसे यह जानने का कारण है कि स्व-प्रमाणन की शुद्धता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं;

(xiv) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण स्व-प्रमाणन के अमान्य होने की तारीख से नब्बे कैलेंडर दिन, स्व-प्रमाणन की वैधता की पुष्टि होने की तारीख, या नया स्व-प्रमाणन प्राप्त होने की तारीख, जो भी पहले हो, किसी व्यक्ति को परिस्थितियों में परिवर्तन से पहले की स्थिति में मान सकता है;

(xv) यदि कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ऐसी नब्बे-दिन की अवधि के दौरान मूल स्व-प्रमाणन की वैधता या वैध स्व-प्रमाणन की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस (उन) देश (देशों) या राज्य क्षेत्र (राज्य क्षेत्रों) का निवासी मानेगा जिसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता ने मूल स्व-प्रमाणन में निवासी होने का दावा किया था और उस (उन) देश (देशों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) का जिसमें व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निवासी हो सकता है;

(xvi) कोई रिपोर्ट की गई परिस्थितियों में संभावित परिवर्तनों की जांच किए बिना क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन पर विश्वास कर सकता है, जो विवरण की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं, जब तक कि उसे पता न हो या यह जानने का कारण न हो कि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं;

(xvii) रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन की मूल, प्रमाणित प्रति, या फोटोकॉपी (माइक्रोफिश, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन या इलेक्ट्रॉनिक भंडारण के समान साधन सहित) या इलेक्ट्रॉनिक प्रति रख सकता है;

(xviii) कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता स्व-प्रमाणन को वैध मान सकता है, चाहे स्व-प्रमाणन में कोई मामूली त्रुटि हो, यदि रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के पास त्रुटि के कारण स्व-प्रमाणन से अनुपस्थित जानकारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ विद्यमान हैं और मामूली त्रुटि को ठीक करने के लिए जिन प्रलेखनों पर विश्वास किया गया है, वे निर्णायक होंगे।

(आ) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "सार्वजनिक रूप से उपलब्ध" सूचना में किसी देश या राज्य क्षेत्र के अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा प्रकाशित सूचना शामिल है, जैसे कि–

(क) कर प्रशासन द्वारा प्रकाशित सूची में दी गई जानकारी; या

(आ) ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के किसी अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा अनुरक्षित या अधिकृत सार्वजनिक रूप से सुलभ रजिस्टर में उपलब्ध जानकारी; या

(ग) किसी प्रमाणित प्रतिभूति बाजार में प्रकट की गई जानकारी;

(ii) यदि कोई इकाई भारत के बाहर एक से अधिक देश या राज्य क्षेत्र में निवासी के रूप में कर के अध्यधीन है, तो निवास के सभी देश या राज्य क्षेत्र स्व-प्रमाणन में घोषित किए जाने हैं और रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को भारत के बाहर ऐसे प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता के रूप में मानेगा;

(iii) क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को स्व-प्रमाणन की "तर्कसंगतता" की पुष्टि करने वाला माना जाएगा यदि, इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के साथ संबंध स्थापित करने के दौरान और संबंध की स्थापना के संबंध में प्राप्त जानकारी (जिसमें धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी प्रलेखन शामिल है) की समीक्षा करने पर, उसे यह पता नहीं है या यह जानने का कोई कारण नहीं है कि स्व-प्रमाणन त्रुटिपूर्ण या अविश्वसनीय है;

(iv) यदि स्व-प्रमाणन तर्कसंगतता परीक्षण में असफल रहता है, तो रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित में से कोई एक प्राप्त करना होगा:

(क) एक वैध स्व-प्रमाणन; या

(आ) क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को संगत संव्यवहार करने वाली सेवाएं प्रदान करने से पहले स्व-प्रमाणन की तर्कसंगतता का समर्थन करने वाला एक उचित स्पष्टीकरण और प्रलेखन।

(ग) उप-नियम (8) और (9) के प्रयोजनों के लिए, स्व-प्रमाणन पर हस्ताक्षर (या अन्यथा सकारात्मक रूप से पुष्टि) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो स्वदेशी विधि के अधीन व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता या नियंत्रक व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हो।

(घ) उप-नियम (11) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिस्थितियाँ लागू होती हैं जिनमें रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अपने सम्यक तत्परता दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी तृतीय पक्ष के प्रलेखन पर विश्वास करेगा:–

(i) तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्रित दस्तावेज़ों के संबंध में, अभिकर्ता या जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अधिग्रहीत कारबार के प्रलेखन पर विश्वास करता है; और

(ii) ऐसी स्थिति के संबंध में, जहां कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता अन्य रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाताओं पर विश्वास करता है जो समान सुसंगत संव्यवहार को संभालते हैं।

(14) नियम 241, 242, 243 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, संगत क्रिप्टो-आस्ति में किसी भी संव्यवहार के संबंध में किसी भी सूचना का विनिमय केवल संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा करों के प्रशासन के सीमित प्रयोजनों के लिए होगा।

245. वार्षिक सूचना विवरण - (1) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, धारा 510 के अधीन, निर्धारिती के पंजीकृत खाते में वार्षिक सूचना प्रणाली प्रपत्र संख्या 168 अपलोड करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी, जो उनके पास उस माह के अंत से नब्बे दिनों के भीतर उपलब्ध होगी जिसमें उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई है:

(क) स्रोत पर काटे या एकत्र किए गए कर से संबंधित जानकारी;

(आ) निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित जानकारी;

(ग) करों के संदाय से संबंधित जानकारी;

(घ) मांग और प्रतिदाय से संबंधित जानकारी;

(ङ) लंबित कार्यवाही से संबंधित जानकारी; और

(च) पूर्ण हो चुकी कार्यवाही से संबंधित जानकारी;

(छ) उप-नियम (2) के अधीन अधिकृत कोई अन्य जानकारी।

(2) बोर्ड, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन कोई कार्य करने वाले किसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय से प्राप्त किसी भी सूचना को, या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 159 में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना को, या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना को, जिसे वह राजस्व के हित में उचित समझे, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण में अपलोड करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

246. धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन। - (1) धारा 514(2) के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या 169 में किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया जाएगा तथा इसके साथ ₹10000 का अप्रतिदेय शुल्क संलग्न होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति पहले से ही धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत है, जिसके पास 31 मार्च, 2026 को वैध रजिस्ट्री प्रमाणपत्र है, वह धारा 514 के अधीन पंजीकृत मूल्यांकक बना रहेगा, किंतु उसे उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन दाखिल करके 30 सितंबर, 2026 तक अपने विवरण को अद्यतन करने की आवश्यकता है, और ऐसे मामले में, ऐसा आवेदन दाखिल करने पर धारा 514 में संबंधित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्री प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है

(5) उप-नियम (4) के प्रयोजनों के लिए, आवेदन के साथ कोई शुल्क नहीं दिया जा सकता है।

(6) जहां कोई व्यक्ति धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(7) जहां कोई व्यक्ति उप-नियम (6) के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, वहां धारा 514 के अधीन रजिस्ट्री ऐसे निर्दिष्ट अवधि के अंत से रद्द हो जाएगा।

247. धारा 514 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत मूल्यांकक की योग्यता। - (1) धारा 514(2) के प्रयोजनों के लिए, आस्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए मूल्यांककों के रूप में रजिस्ट्री हेतु अर्हताएं उप-नियम (2) से (9) में निर्दिष्ट होंगी।

(2) निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ख में उल्लिखित आस्तियों की श्रेणियों के लिए मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु अर्हताएं उक्त तालिका के स्तंभ ग में निर्दिष्ट होंगी:

तालिका

क्रम संख्या	आस्ति की श्रेणी	अर्हता
क	ख	ग
1.	अचल संपत्ति (कृषि भूमि, बागान, वन, खान और पत्थर की खदानों के सिवाय)	आवेदक– (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला या नगर नियोजन में स्नातक होना चाहिए; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो; या (iii) सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला या नगर नियोजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता का धारक होना चाहिए; और (आ) (i) निम्नलिखित में पूर्व में नियोजित व्यक्ति – (क) सरकार के अधीन किसी पद पर राजपत्रित अधिकारी के रूप में; या (आ) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन किसी ऐसे पद पर, जिसका पारिश्रमिक ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों मामलों में, मूल्यांकक, वास्तुकार या नगर योजनाकार के रूप में, या भवन निर्माण, संरचनाओं के डिजाइन या भूमि विकास के क्षेत्र में ऐसे रोजगार में कम से कम दस वर्ष (या तीन वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) की सेवा करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो या त्यागपत्र दिया हो; या (ii) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य इकाईन में प्राचार्य, रीडर या व्याख्याता के रूप में, जो छात्रों

		को सिविल इंजीनियरिंग, वास्तुकला या नगर नियोजन में डिग्री या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अर्हता के लिए तैयार करता हो, और मूल्यांकन, मात्रा सर्वेक्षण, भवन निर्माण, वास्तुकला या नगर नियोजन के किसी भी विषय में ऐसे रोजगार से कम से कम दस वर्ष (या पाँच वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) शिक्षण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो या त्यागपत्र दिया हो; या **आवेदक** कम से कम दस वर्षों (या तीन वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) की अवधि के लिए परामर्शदाता इंजीनियर, रियल एस्टेट मूल्यांकक, सर्वेक्षक या वास्तुकार के रूप में अभ्यास किया हो और निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया हो: क) भवनों और शहरी भूमि का मूल्यांकन; या ख) भवन निर्माण में मात्रा सर्वेक्षण; या ग) भवनों का वास्तुशिल्पीय या संरचनात्मक डिजाइन या नगर नियोजन; या घ) भवनों का निर्माण या भूमि का विकास; और ऐसे अभ्यास से उसकी कुल आय उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन किए जाने के वर्ष से तत्काल पहले के विगत पाँच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में (या विगत तीन वर्षों में से किन्हीं दो में, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रियल एस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) ₹100000 से कम नहीं होनी चाहिए।

2	कृषि भूमि (क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित बागानों के सिवाय)	आवेदक– i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो और कम से कम पांच वर्षों तक कृषि मूल्यांकक के रूप में कार्य किया हो; या ii. सरकार के अधीन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बंदोबस्ती अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, रजिस्ट्री अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार, या समान कार्य करने वाले समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी के रूप में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो और उक्त पदों में से किसी एक या एक से अधिक पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो।
3	कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान	आवेदक– i. कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए, कॉफी, चाय, रबर या, जैसा भी मामला हो, इलायची के बागान का स्वामित्व या प्रबंधक रहा हो, जिसका बागान क्षेत्र इलायची के मामले में चार हेक्टेयर या किसी अन्य बागान के मामले में चालीस हेक्टेयर से कम न हो; या ii. सरकार के अधीन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बंदोबस्ती अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, रजिस्ट्री अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार, या समान कार्य करने वाले समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी के रूप में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो और उक्त पदों में से किसी एक या एक से अधिक पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष उन क्षेत्रों में सेवा की हों जहां कॉफी, चाय,

		रबर या, जैसा भी मामला हो, इलायची की व्यापक रूप से खेती की जाती है।
4	वन	आवेदक पूर्व में सरकार के अधीन किसी पद पर कार्यरत रहा हो और वानिकी में विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले राजपत्रित पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा प्रदान करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो।
5	खान और पत्थर की खदानें	आवेदक– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, या केंद्र सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो; और (ii) निम्नलिखित में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति – क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप में कोई पद; या ख) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन ऐसा पद जिसका वेतन ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों ही मामलों में, खनन अभियंता के रूप में कम से कम दस वर्षों तक सेवा प्रदान करने के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो।
6	स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियाँ, भागी फर्मों में और व्यावसायिक आस्तियों के शेयर, जिनमें साख भी शामिल है, किंतु क्रम संख्या 1 से 5 और 7 से 10 पर उल्लिखित मदें शामिल नहीं हैं।	आवेदक– i. भारतीय सनदी लेखाकार इकाईन, या भारतीय लागत लेखाकार इकाईन, या भारतीय कंपनी सचिव इकाईन का सदस्य हो; या ii. वित्त में विशेषज्ञता के साथ कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा धारक हो; या iii. वित्त में स्नातकोत्तर हो; **और**

		(i) किसी ऐसे विषय में कम से कम दस वर्षों का अभ्यास किया हो जो स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियों, भागी फर्मों में और व्यावसायिक संपतियों के शेयरों, जिसमें साख आदि शामिल हैं, के मूल्यांकन के लिए सुसंगत हो, और ऐसे अभ्यास से उसकी कुल आय मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु उसके द्वारा आवेदन करने के वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती विगत पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में ₹100,000 से कम नहीं होनी चाहिए। या (ii) निम्नलिखित में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो– क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप में कोई पद, या ख) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन ऐसे पद पर, जिसका वेतन ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों ही मामलों में, लेखापरीक्षा एवं लेखा या कराधान कार्य के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष की सेवा प्रदान करने के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो, या iv. ऐसे विषय में कार्यरत व्यक्ति जो स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियों, भागी फर्मों में और व्यावसायिक आस्तियों के शेयरों, जिसमें साख आदि शामिल हैं, के मूल्यांकन के लिए सुसंगत हो, जिसका पारिश्रमिक ₹100000 प्रति माह से कम न हो और कम से कम दस वर्षों की सेवा के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या इस्तीफा दिया हो।
7	मशीनरी और संयंत्र	आवेदक–

		(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन, उत्पादन, रसायन, वस्त्र, चर्म, धातु विज्ञान, वैमानिकी अभियांत्रिकी, या संयंत्र और मशीनरी के मूल्यांकन में स्नातक या स्नातकोत्तर हो; या (ii) केंद्र सरकार द्वारा यांत्रिक या विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता का धारक हो; (ख) निम्नलिखित में पूर्व में कार्यरत व्यक्ति हो– क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप में कोई पद; या ख) किसी अन्य नियोक्ता के अधीन ऐसे पद पर, जिसका वेतन ₹50000 प्रति माह से कम न हो, और, दोनों ही मामलों में, उन्हें यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक और संचार या इलेक्ट्रॉनिक और उपकरण या उत्पादन या रसायन या वस्त्र या चर्म या धातु विज्ञान या वैमानिकी अभियंता या मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकक के रूप में कम से कम दस वर्ष (या तीन वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) की सेवा प्रदान करने के पश्चात् ऐसे रोजगार से सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो; या ग) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य इकाईन में प्राचार्य, रीडर या व्याख्याता के रूप में, जो छात्रों को यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संचार, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन, उत्पादन, रसायन, वस्त्र, चमड़ा, धातु विज्ञान या

		वैमानिकी अभियांत्रिकी में डिग्री या खंड (क) में उल्लिखित किसी अर्हता के लिए तैयार करता हो, और ऐसे रोजगार से कम से कम दस वर्ष (या पाँच वर्ष, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) शिक्षण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ हो या त्यागपत्र दिया हो। या **आवेदक** कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए परामर्शदाता इंजीनियर या मशीनरी एवं संयंत्र के मूल्यांकक के रूप में कार्यरत रहा हो और मशीनरी एवं संयंत्र के मूल्यांकन में अनुभव रखता हो तथा ऐसे अभ्यास से उसकी कुल आय उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन किए जाने के वर्ष से तत्काल पहले के विगत पाँच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में (या विगत तीन वर्षों में से किन्हीं दो में, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी एवं संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री है) ₹100000 से कम नहीं होनी चाहिए।
8	आभूषण	आवेदक कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए आभूषण कारबार करने वाली भागी फर्म में एकल स्वामी या भागीदार रहा हो, जिसका औसत वार्षिक कारोबार पचास लाख रुपये से कम न हो या मूल्यांकन फीस सहित लाभ, मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने के वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती विगत पांच वर्षों में से तीन वर्षों में ₹500000 से कम न हो।
9	कला कृत्य	आवेदक– i. कला की उस विशेष विधा में अपने अकादमिक और व्यावसायिक कार्यों के आधार पर **विशेषज्ञता**, जिसके लिए वह एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है; और

		ii. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक पदों पर सेवा की हो:– क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या अधीक्षण पुरातत्वविद्; या ख) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, सालारजंग संग्रहालय, हैदरापश्चात्, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, बॉम्बे, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता, मद्रास संग्रहालय, मद्रास या भारत कला भवन, वाराणसी के निदेशक; या ग) सरकारी कला विद्यालय का प्रधानाचार्य; या घ) उपखंड (आ) में निर्दिष्ट किसी भी संग्रहालय या ललित कला अकादमी की कला क्रय समिति का सदस्य।
10	जीवन हित, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशा में हित	आवेदक– i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए; और ii. उसने- क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन एक बीमांकिक के रूप में कम से कम दस वर्षों की अवधि के लिए कार्य किया हो; या ख) सरकार के अधीन या भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमांकिक के रूप में कम से कम दस वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान की हो; या ग) उपखंड (आ) में निर्दिष्ट सरकार के अधीन या भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमांकिक के रूप

		में कम से कम दस वर्षों की कुल अवधि के लिए कार्य किया हो।

(3) उप-नियम (2) में शामिल आस्तियों के सिवाय आस्तियों के मूल्यांकक की अर्हता का अवधारण प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, और इस संबंध में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, कलाकृतियों या वर्चुअल डिजिटल आस्तियों या आस्तियों की अन्य श्रेणी के मूल्यांकक के सिवाय, मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह सरकार या किसी अन्य नियोक्ता के अधीन कार्यरत है।

(5) उप-नियम (1) से (4) में निहित किसी भी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए पात्र नहीं होगा यदि,–

(क) उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त या पदच्युत किया गया है; या

(आ) उसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या उस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(iii) या धारा 273(i) या धारा 270क या धारा 271ञ के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 439 या धारा 463 के अधीन, या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18(1)(iii) के अधीन, या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 17(1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित किया गया है; या

(ग) उसे दिवालिया घोषित किया गया है जिसका दिवाला शोधन अभी समाप्त नहीं हुआ है; या

(घ) उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा दी गई है; या

(ङ) उन्हें अपने पेशेवर पद पर रहते हुए कदाचार का दोषी पाया गया है, यदि वे भारत में स्थापित किसी ऐसे संघ या इकाई के सदस्य हैं जिसका प्रयोजन इंजीनियरिंग, वास्तुकला, लेखांकन, या कंपनी सचिवों के पेशे या ऐसे अन्य पेश, जिन्हें ऐसी इकाई या इकाईन द्वारा, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है; या

(च) वह अवयस्क है; या

(छ) उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है; या

(ज) उसे मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, जिसका निर्णय संबंधित व्यक्ति या इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर किया जाएगा; या

(झ) वह दिवालिया घोषित होने के पश्चात् भी ऋणमुक्त नहीं हुआ है या उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है।

(6) पूर्वोक्त उप-नियमों में से किसी में भी अवधारित यह अपेक्षा कि आवेदक ने कम से कम दस वर्ष या पांच वर्ष की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, –

(क) किसी भी क्षमता में सेवा प्रदान की हो; या

(आ) किसी भी विषय का शिक्षण किया हो; या

(ग) किसी भी पेशे का अभ्यास किया हो; या

(घ) किसी अन्य क्षमता या क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया हो,

जैसा कि उनमें निर्दिष्ट है, उसे तब पूरा माना जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करने, ऐसे विषय का शिक्षण करने, ऐसे पेशे का अभ्यास करने या अन्यथा ऐसी अन्य क्षमता या क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने की अवधि, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से, दस वर्ष या पांच वर्ष से कम न हो, जैसा कि पूर्वोक्त उप-नियमों में निर्दिष्ट है।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" पद से निम्नलिखित विश्वविद्यालय या इकाईन अभिप्रेत हैं:–

(क) भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय; या

(आ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षणिक इकाई; या

(ग) कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक इकाईन, जिसकी डिग्री को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा अवधारित भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जहाँ किसी इकाई की सदस्यता को केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवाओं या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी क्षेत्र में पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अर्हता के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ऐसी सदस्यता को इस नियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अर्हता नहीं माना जाएगा, जब तक कि इकाई द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के आधार पर सदस्यता प्रदान न की गई हो।

(9) नियम 246(1) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा, आवेदन किए जाने वाले माह के अंत से छह माह के भीतर या तो उसका अनुमोदन करके या अस्वीकार करके किया जा सकेगा।

(10) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, नियम 246(1) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा करने से पहले, धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से किसी भी सुसंगत जानकारी की मांग कर सकते हैं।

248.धारा 514 के अधीन फीस प्रभारित करना और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।– (1) उप-नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा ली जाने वाली फीस निम्नलिखित दरों पर परिकलित राशि से अधिक नहीं होगा:–

(क)	यथामूल्यांकित आस्ति के पहले ₹500000 पर	मूल्य का 1/2%;
(आ)	यथामूल्यांकित आस्ति के अगले दस लाख रुपये पर	मूल्य का 1/5%;
(ग)	यथामूल्यांकित आस्ति के अगले चालीस लाख रुपये पर	मूल्य का 1/10%;
(घ)	यथामूल्यांकित आस्ति के शेष पर	मूल्य का 1/20%।

(2) जहां किसी निर्धारिती के अनुरोध पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा दो या दो से अधिक आस्तियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे पंजीकृत मूल्यांकक को देय फीस की गणना के प्रयोजनों के लिए ऐसी सभी आस्तियों को एक ही आस्ति माना जाएगा।

(3) जहां उप-नियम (1) और (2) के अनुसार परिकलित फीस की राशि ₹ 5000 से कम है, वहां पंजीकृत मूल्यांकक अपनी फीस के रूप में ₹5000 ले सकता है।

(4) धारा 514(3) के अधीन किसी आस्ति के संबंध में पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 170 में होगी।

249. मूल्यांकक के नामों को रजिस्टर से हटाना और उन्हें पुनः बहाल करना। - (1) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक या आयकर महानिदेशक किसी व्यक्ति का नाम मूल्यांककों के रजिस्टर से हटा सकते हैं, यदि उनका उस व्यक्ति को सुनवाई

का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी आगे की जांच, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए, –

(i) कि उसका नाम रजिस्टर में त्रुटिपूर्वक या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की मिथ्याबयानी या छिपाव के कारण दर्ज किया गया है;

(ii) कि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो या वह अपनी पेशेवर क्षमता में किसी कदाचार या दुराचार का दोषी हो, जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान महानिदेशक आयकर या महानिदेशक आयकर की राय में, उसे रजिस्टर में रखे जाने के लिए अयोग्य बनाता हो।

(2) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक या आयकर महानिदेशक आवेदन पर और पर्याप्त कारण बताए जाने पर, रजिस्टर से हटाए गए किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में बहाल कर सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) और (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक या आयकर महानिदेशक, पांच वर्ष में एक बार सभी पंजीकृत मूल्यांककों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेंगे और किसी भी व्यक्ति का नाम मूल्यांककों के रजिस्टर से हटा सकते हैं, यदि उनका उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी आगे की जांच, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात् यह समाधान, जैसा वे उचित समझें, हो कि उसका कार्य-निष्पादन ऐसा है कि उसका नाम मूल्यांककों के रजिस्टर में नहीं रहना चाहिए।

(4) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान महानिदेशक आयकर या महानिदेशक आयकर उप-नियम (1) या (3) में निर्दिष्ट अन्वेषण स्वयं कर सकता है या ऐसी जांच करने के लिए कम-से-कम संयुक्त आयकर आयुक्त की रैंक का कोई अन्वेषण अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान महानिदेशक आयकर या महानिदेशक आयकर और इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अधीन किसी न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात्:–

(क) खोज और निरीक्षण;

(आ) किसी भी व्यक्ति, जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई अधिकारी भी शामिल हो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना और उससे शपथ पर पूछताछ करना;

(ग) लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(घ) कमीशन जारी करना।

250. नियम 251 से 268 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ। - नियम 251 से 268 के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "अधिनिर्णयन प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5 के खंड (1) में दिया गया है;

(आ) "अधिकृत आयकर वृत्तिक" से धारा 515(3)(क)(v) या (vi) में परिभाषित कोई अधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(ग) धारा 515(5)(आ) के प्रयोजन के लिए "निर्दिष्ट प्राधिकारी" वह प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह मामला आता है जिसके संबंध में आयकर वृत्तिक पर कदाचार का आरोप लगाया गया है;

(घ) "रजिस्टर" से नियम 255 में निर्दिष्ट आयकर वृत्तिकों का रजिस्टर अभिप्रेत है; और

(ङ) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, जैसा भी मामला हो, होंगे।

251. मान्यता प्राप्त लेखांकन परीक्षाएं। - धारा 515(3)(क)(v) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित लेखांकन परीक्षाओं को मान्यता दी गई है:–

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा, परंतु डिप्लोमा धारक ने डिप्लोमा परीक्षा के लिए उन्नत लेखांकन और लेखापरीक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो;

(2) कंपनी सचिव के लिए सरकारी डिप्लोमा, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कंपनी कार्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है;

(3) भारतीय कंपनी सचिव इकाईन, नई दिल्ली की अंतिम परीक्षा;

(4) लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारतीय लागत लेखाकार इकाईन की अंतिम परीक्षा;

(5) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से अवधारण अधिकारी, श्रेणी I या समूह 'क', परिवीक्षाधीन, या अवधारण अधिकारी, श्रेणी II या समूह 'ख', परिवीक्षाधीन, या अवधारण अधिकारी, श्रेणी II या समूह 'ख' के पद पर पदोन्नति, जैसा भी मामला हो, के लिए आयोजित विभागीय परीक्षाएं; और

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा अनुभाग अधिकारियों के लिए आयोजित राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा।

252. अवधारित शैक्षणिक अर्हताएँ। - धारा 515(3)(क)(vi) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं अवधारित की गई हैं:–

(1) वाणिज्य या विधि में डिग्री, जो भारत में वर्तमान में प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, या किसी मानित विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई हो।
(2) किसी विदेशी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदत्त, वाणिज्य या विधि में कोई डिग्री, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम (एआईयू) द्वारा यथाअवधारित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी डिग्री के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

253. कारबार संबंधों की प्रकृति- धारा 515(3)(ख)(ii)(ज) के प्रयोजनों के लिए, "कारबार संबंध" पद का अर्थान्वयन से भिन्न किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए गए किसी भी संव्यवहार के रूप में किया जाएगा—

(क) वाणिज्यिक संव्यवहार जो अधिनियम और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुज्ञात वृत्तिक सेवाओं की प्रकृति की हैं; और

(ख) वाणिज्यिक संव्यवहार जो कंपनी के कारबार के सामान्य क्रम में उचित बाजार मूल्य पर संचालित किए जाते हैं, जैसे कि दूरसंचार, हवाई कंपनी, अस्पतालों, होटलों और अन्य समान उद्योगों में अंतर्वलित कंपनियों द्वारा कारबार के नियमित प्रचालन में एक ग्राहक के रूप में उत्पादों का विक्रय या लेखा परीक्षक को सेवाएं।

254. कतिपय मामलों में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति- धारा 515(3)(क)(ix) के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में, कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, दिवाला और शोध अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अंतरिम किसी संकल्प वृत्तिक, किसी संकल्प वृत्तिक या किसी परिसमापक के कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा।

255. आयकर व्यवसायियों का रजिस्टर- प्रत्येक निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्राधिकृत आयकर व्यवसायियों का एक रजिस्टर बनाएगा, जिन्हें बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से नियम 257 के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

256. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन- (1) कोई व्यक्ति, जो अपना नाम प्राधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्टर में दर्ज कराना चाहता है, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारित में वह व्यवसाय कर रहा है।

(2) आवेदन प्ररूप सं. 171 में किया जाएगा और धारा 515(3)(क)(v) या 515(3)(क)(vi) या 515(3)(क)(vii) या 515(3)(क)(viii) के अधीन आयकर व्यवसाय के लिए उसकी पात्रता के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ होगा।

(3) आवेदक आवेदन के निपटान के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(4) जहां कोई व्यक्ति पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके निरसन होने से पूर्व यथाविद्यमान) के अधीन आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, जिसके पास तारीख 31.03.2026 को विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, वह धारा 515 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत आयकर व्यवसायी बना रहेगा, किन्तु वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन फाईल करके तारीख 30.09.2026 तक अपने विवरण को अद्यतन करने के लिए अपेक्षित होगा, और ऐसे मामले में, ऐसा आवेदन फाईल करने पर, यदि आवेदन सभी पहलुओं से पूर्ण है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा धारा 515 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

257. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र- यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 515(3)(क)(v) या 515(3)(क)(vi) या 515(3)(क)(vii) या 515(3)(क)(viii) की अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदन की तारीख पर एक वर्ष से कम समय के लिए आयकर अधिकारियों के समक्ष व्यवसाय कर रहा है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रजिस्टर में आवेदक का नाम दर्ज करेगा जैसा कि प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और उसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

258. प्रमाणपत्र का रद्दकरण- (1) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब रद्द हो जाएगा जब इन नियमों के अधीन रजिस्टर से प्रमाणपत्र धारक का नाम हटा दिया जाता है।

(2) जब प्रमाण पत्र धारक का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तो रजिस्टर का अनुरक्षण करने वाले मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त संबंधित प्राधिकृत आयकर व्यवसायी और अन्य आयकर के मुख्य आयुक्तों या आयकर आयुक्तों (जो अपने अधीनस्थ आयकर अधिकारियों को हटाये जाने के तथ्य को अधिसूचित करेंगे) और अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसे हटाए जाने के तथ्य को अधिसूचित करेंगे।

259. मिथ्या निरूपण द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र का रद्दकरण- (1) यदि किसी समय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र एक आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या निरूपण करके प्राप्त किया गया था, तो वह आयकर व्यवसायी के नाम को रजिस्टर से हटाने का आदेश करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को प्रस्तावित हटाये जाने के संबंध में सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

260. ऐसे प्राधिकृत आयकर व्यवसायी का नाम हटाया जाना जो दिवालिया है या जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है- किसी व्यक्ति का नाम जो रजिस्टर में दर्ज किया गया है,—

(क) उस अवधि के दौरान रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसके लिए वह धारा 515(4)(ख) या 515(4)(ग) में यथानिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्हित है; और

(ख) अवधि पूरी होने के पश्चात् ही पुनः दर्ज किया जाएगा।

261. किसी जांच का आदेश करने के लिए विहित प्राधिकारी- धारा 515(5)(ख) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने से किसी प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को निरर्हित का आदेश केवल नियम 262 से नियम 267 के अनुसार, जहां तक हो सके, की गई किसी जांच के पश्चात् पारित किया जाएगा।

262. आरोप-पत्र- (1) जहां विहित प्राधिकारी की अपने कब्जे में सूचना के आधार पर, यह राय है कि प्रथम दृष्टया किसी आयकर कार्यवाही के संबंध में प्राधिकृत आयकर व्यवसायी कदाचार का दोषी है, वह आयकर व्यवसायी के विरुद्ध निश्चित आरोप तैयार करेगा और उन पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में अभिकथन के विवरण के साथ उन्हें लिखित में सूचित करेगा।

(2) प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा और यह भी कथन करना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने की ईप्सा रखता है।

263. जांच अधिकारी- विहित प्राधिकारी, जब तक कि वह स्वयं जांच करने का प्रस्ताव न करे, जांच करने के लिए ऐसा जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, जो आयकर सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, और ऐसे जांच अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को सूचित करेगा।

264. जांच अधिकारी के समक्ष कार्यवाही- (1) प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त होने पर, या यदि ऐसा कोई कथन निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो जांच अधिकारी उन आरोपों की जांच करेगा जो स्वीकार नहीं किए गए हैं।

(2) जांच अधिकारी जांच के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य लेगा जो आरोपों के संबंध में प्रासंगिक या महत्वपूर्ण हो।

(3) प्राधिकृत आयकर व्यवसायी आरोपों के समर्थन में परीक्षा किए गए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने का पात्र होगा।

(4) यदि जांच अधिकारी इस आधार पर किसी साक्षी की परीक्षा करने से इंकार करता है कि उसका साक्ष्य प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

(5) जांच के समापन पर, जांच अधिकारी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को उनके कारणों के साथ दर्ज अभिलिखित करेगा।

265. विहित प्राधिकारी का आदेश- (1) विहित प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपनी निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा और जहां वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं है, तो असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी का जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर उसके निष्कर्षों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी किसी भी आयकर कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी है, तो वह यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित करेगा कि प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को धारा 515 (1) के अधीन किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, निरर्हित हो जाएगा और उसका नाम उस अवधि के लिए रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी, उपनियम (2) के अधीन अपने आदेश को संसूचित करते समय, प्राधिकृत आयकर व्यवसायी को, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति यदि कोई हो के कारणों के साथ अपने निष्कर्षों का एक कथन प्रस्तुत करेगा।

266. यदि कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, तो प्रक्रिया- नियम 264 और नियम 265 में विहित प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, विहित प्राधिकारी पर भी लागू होगी, यदि जांच अधिकारी नियुक्त किए बिना वह स्वयं जांच करता है।

267. जांच अधिकारी का परिवर्तन- यदि जांच के दौरान जांच अधिकारी को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है, तो विहित प्राधिकारी आयकर सहायक आयुक्त के पद से अन्यून पद के किसी अन्य जांच अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा । कार्यवाही नए जांच अधिकारी के साथ उसी बिंदु से जारी रहेगी जहां उन्हें उनके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था।

268. विहित प्राधिकारी और जांच अधिकारी की शक्तियां- नियम 261 से नियम 267 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी और जांच अधिकारी के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, जब निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद के विचारण की सुनवाई किया जाता है:—

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी के किसी अधिकारी सहित किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और किसी शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को बाध्य करना; और

(घ) कमीशन जारी करना।

269. धारा 533(2)(प) के अधीन ब्याज की संगणना करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया- अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज या निर्धारिती को केंद्र सरकार द्वारा संदेय ब्याज की संगणना करने में,—

(क) जहां ब्याज की संगणना वार्षिक आधार पर की जानी है, उस अवधि के लिए जिसके लिए ऐसे ब्याज की संगणना की जानी है, उसे पूरे मास या मासों में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए महीने के किसी भी अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और इस प्रकार पूर्णांकित अवधि को वह अवधि माना जाएगा जिसके संबंध में ब्याज की संगणना की जानी है;

(ख) जहां ब्याज की संगणना प्रत्येक मास या अवधि में शामिल मास के किसी भाग के लिए की जानी है, तो महीने के किसी भी अंश को एक पूर्ण मास माना जाएगा और ब्याज की संगणना इस प्रकार की जाएगी; और

(ग) कर, शास्ति या अन्य राशि की वह रकम, जिसके संबंध में ऐसा ब्याज संगणित किया जाना है, 100 रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए 100 रुपये के किसी भी भिन्न को नजरअंदाज किया जाएगा और इस प्रकार पूर्णांकित रकम को वह रकम माना जाएगा जिसके संबंध में ब्याज की संगणना की जानी है।

270. आय का निर्धारण, जो आंशिक रूप से कृषि से और आंशिक रूप से कारबार से है- (1) धारा 533(2)(ख)(i) के संदर्भ में, आय के मामले में, जो आंशिक रूप से कृषि आय है और आंशिक रूप से कारबार से है, किसी कृषि उपज का बाजार मूल्य जिसे निर्धारिती द्वारा बढ़ाया गया है, या उसके द्वारा किसी वस्तु प्रकार में किराए के रूप में प्राप्त किया गया है, कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी जाएगी, जहां—

(क) ऐसे कृषि उत्पाद का उपयोग ऐसे कारबार में किसी कच्चे माल के रूप में किया गया है; या

(ख) ऐसे कृषि उत्पादों की बिक्री रसीदें कारबार के खातों में सम्मिलित हैं।

(2) किसी कृषक या वस्तु में किराए के प्राप्तकर्ता के रूप में उपगत किसी व्यय के संबंध में कोई और कटौती नहीं की जाएगी।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को "बाजार मूल्य" माना जाएगा,—

(क) जहां कृषि उत्पाद को साधारणतया पर बाजार में उसकी कच्ची अवस्था में विक्रय किया जाता है, या किसी कृषक या वस्तु के रूप में किराए के प्राप्तकर्ता द्वारा इसे बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली किसी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात्, सुसंगत कर वर्ष के दौरान उस औसत मूल्य के अनुसार संगणित मूल्य जिस पर इसका विक्रय किया गया है; और

(ख) जहां कृषि उत्पाद को साधारणतया बाजार में उसकी कच्ची अवस्था में या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात् विक्रय नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित का कुल योग-

(i) खेती का व्यय;

(ii) उस क्षेत्र के लिए संदत्त भू-राजस्व या किराया जिसमें इसे उगाया गया था; और

(iii) ऐसी रकम जिसे निर्धारण अधिकारी प्रत्येक मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी युक्तियुक्त लाभ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पाता है।

271. रबर, कॉफी और चाय के विनिर्माण से आय- (1) धारा 533(2)(ख)(i) के संदर्भ में, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो यह कारबार से व्युत्पन्न आय हो और उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट ऐसी आय के प्रतिशत को कर योग्य आय माना जाएगा।

क्रमांक	आय की प्रकृति	प्रतिशत
क	ख	ग
1.	भारत में विक्रेता द्वारा उगाए गए रबर के पौधों से प्राप्त फील्ड लेटेक्स या कोगुलम से निर्मित या संसाधित अपकेंद्रित लेटेक्स या सेनेक्स या लेटेक्स-आधारित क्रेप (जैसे पीला लेटेक्स क्रेप) या भूरे क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्मोक्ड ब्लैंकेट क्रेप या फ्लैट बार्क क्रेप) या तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबर की बिक्री से प्राप्त आय।	35%
2.	भारत में विक्रेता द्वारा उगायी और संसाधित कॉफी के विक्रय से व्युत्पन्न आय	25%
3.	भारत में विक्रेता द्वारा चकोरी या अन्य वासक अवयवो के साथ या उसके बिना उगाए गए, ठीक किए गए, भुने गए और पीसी हुई कॉफी के विक्रय से व्युत्पन्न आय,	40%
4.	भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गई और विनिर्मित की गई चाय के विक्रय से व्युत्पन्न आय	40%

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की संगणना करते समय, यथास्थिति, रबर के पौधों, कॉफी के पौधों और चाय की झाड़ियों को लगाने की लागत के संबंध में, पौधों या झाड़ियों के प्रतिस्थापन में जो पहले

से ही लगाए गए क्षेत्र में मृत हो गए हैं या स्थायी रूप से अनुपयोगी हो गए हैं, यदि ऐसा क्षेत्र पूर्व में परित्यक्त नहीं किया गया है।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट ऐसी लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी सहायिकी की रकम के संबंध में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, जो अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 21] में उल्लिखित उपबंधों के अधीन कुल आय में सम्मिलित नहीं है।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संसाधन" का वही अर्थ होगा जो कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3(घ) में उसका है।

272. फीचर फिल्मों के निर्माण पर व्यय के संबंध में कटौती- (1) किसी व्यक्ति (जिसे इसमें फिल्म निर्माता कहा गया है) द्वारा किए गए फीचर फिल्मों के निर्माण के कारबार से लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में कटौती उपनियम (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फीचर फिल्म को जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे कर वर्ष में,—

(क) फिल्म निर्माता फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकारों का विक्रय करता है, तो फिल्म के निर्माण की पूरी लागत ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; या

(ख) फिल्म निर्माता-

(i) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है; या

(ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(iii) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए जारी की जाती है, तो फिल्म के निर्माण की पूरी लागत को ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी फीचर फिल्म को जारी किए जाने के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे कर वर्ष में, फिल्म निर्माता—

(क) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है; या

(ख) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(ग) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शनी के लिए जारी नहीं की जाती है, फिल्म निर्माण की लागत को, जहां तक कि वह है—

(i) फिल्म निर्माता द्वारा वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करके वसूली गयी रकम; या

(ii) वह रकम जिसके लिए प्रदर्शनी के अधिकार बेचे गये हैं; या

(iii) फिल्म के प्रदर्शन और प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय द्वारा फिल्म निर्माता द्वारा वसूली गई रकम के कुल योग,

से अधिक नहीं है, तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणित किया जाएगा और उस वर्ष में किसी कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां, उस कर वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई फीचर फिल्म प्रमाणित की गई है, और फिल्म निर्माता–

(क) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करता है; या

(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है,

तो ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और निर्माण की पूरी लागत को अगले निम्नलिखित कर वर्ष में अग्रणित किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि,—

(क) ऐसे मामले में, जहां फिल्म निर्माता—

(i) उसने स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है; या

(ii) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेच दिए हैं; या

(iii) उसने स्वयं कतिपय क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार का विक्रय कर दिया है,

तो, यथास्थिति, फिल्म के प्रदर्शन से वसूली गई रकम, या वह रकम जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकार बेचे गए हैं या ऐसी रकमों का कुल योग, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा रखे गए लेखा बहियों में जमा किया गया है जिसमें कटौती स्वीकार्य है; या

(ख) ऐसे मामले में, जहां फिल्म निर्माता ने न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार अंतरित किए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त या देय राशि, यदि कोई हो, या जहां फिल्म निर्माता लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिभूति के लिए प्राप्त रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त रकम, यदि कोई हो, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा अनुरक्षित खाते की बहियों में जमा की गयी है, जिसमें कटौती स्वीकार्य है।

(6) जहां निर्धारण अधिकारी की राय है कि—

(क) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार इस नियम द्वारा आच्छादित नहीं किए गए तरीके से अंतरित किए गए हैं; या

(ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस नियम के उपबंधों को लागू करना व्यावहारिक नहीं है,

तो, वह फिल्म के निर्माण की लागत के संबंध में ऐसी कटौती अनुज्ञात कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय में ऐसे अधिकारों का पट्टा या न्यूनतम प्रत्याभूति आधार पर उनका अंतरण भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को केवल उस तारीख को बेचा गया माना जाएगा,—

(i) जब फिल्म के पोजिटिव प्रिंट फिल्म निर्माता द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को वितरित किए जाते हैं; या

(ii) जब फिल्म का निगेटिव फिल्म निर्माता द्वारा नियम 273 में परिभाषित फिल्म वितरकों को दिया जाता है, जहां फिल्म निर्माता और फिल्म वितरक के बीच करार के संदर्भ में, पोजिटिव प्रिंट फिल्म वितरक द्वारा बनाए जाने हैं।

(8) इस नियम में,—

(क) "फिल्म सेंसर बोर्ड" से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन गठित फिल्म सेंसर बोर्ड अभिप्रेत है; और

(ख) किसी फीचर फिल्म के संबंध में "निर्माण की लागत" से फिल्म के निर्माण पर किया गया व्यय, अभिप्रेत है, जो—

(i) फिल्म के पोजिटिव प्रिंट तैयार करने के लिए किया गया व्यय नहीं है; और

(ii) फिल्म के फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किये जाने के लिए प्रमाणित होने के पश्चात् विज्ञापन के संबंध में किया गया व्यय नहीं है,

और किसी फीचर फिल्म के निर्माण की लागत किसी सरकारी स्कीम के अधीन प्राप्त सहायिकी रकम से कम हो जाएगी, जहां ऐसी रकम को किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

273. फीचर फिल्मों के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण पर व्यय के संबंध में कटौती-

(1) किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इस नियम में फिल्म वितरक कहा गया है) द्वारा फीचर फिल्मों के निर्माण के व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, एक कर वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कटौती उपनियम (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होगी।

(2) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म वितरक द्वारा कोई फीचर फिल्म अधिग्रहित की जाती है और ऐसे कर वर्ष में,—

(क) फिल्म वितरक फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकारों का विक्रय करता है, फिल्म के अधिग्रहण की सम्पूर्ण लागत ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; या

(ख) फिल्म वितरक-

(i) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करता है; या

(ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(iii) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी की जाती है, तो फिल्म के अधिग्रहण की पूरी लागत को ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) जहां किसी कर वर्ष में फिल्म वितरक द्वारा कोई फीचर फिल्म अधिग्रहित की जाती है और ऐसे कर वर्ष में, फिल्म वितरक-

(क) वह स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करता है; या

(ख) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या

(ग) वह स्वयं कतिपय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है,

और यदि फिल्म ऐसे कर वर्ष की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी नहीं की जाती है, तो फिल्म के अधिग्रहण की लागत को जहां तक कि यह—

(i) वाणिज्यिक आधार पर फिल्म प्रदर्शित करके फिल्म वितरक द्वारा वसूली गई रकम; या

(ii)ऐसी राशि जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकार बेचे गये हैं; या

(iii) फिल्म प्रदर्शक द्वारा फिल्म के प्रदर्शन और प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय से प्राप्त कुल रकम,

से अधिक नहीं है तो, ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां, उस कर वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म वितरक द्वारा एक फीचर फिल्म का अधिग्रहण किया जाता है, और-

(क) वह स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन नहीं करता है; या

(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है,

वहां, ऐसे कर वर्ष के लाभ और अभिलाभ की संगणना में फिल्म के अधिग्रहण की लागत के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और अधिग्रहण की पूरी लागत को अगले आने वाले कर वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि,—

(क) ऐसे मामले में, जहां फिल्म वितरक-

(i) उसने स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है; या

(ii) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचे हैं; या

(iii) उसने स्वयं कतिपय क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर फीचर फिल्म प्रदर्शित की है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया है,

तो फिल्म के प्रदर्शन से वसूल की गई रकम, या वह रकम जिसके लिए प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया है या, तो यथास्थिति, ऐसी रकमों का कुल योग, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा रखे गए लेखा बहियों में जमा किया जाता है जिसमें कटौती स्वीकार्य है; और

(ख) ऐसे किसी मामले में, जहां फिल्म वितरक ने न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार अंतरित किए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त या देय राशि, यदि कोई हो, या जहां फिल्म वितरक लेखांकन की नकदी प्रणाली का पालन करता है, न्यूनतम प्रतिभूति के लिए प्राप्त रकम और प्रत्याभूत रकम के अधिक्य में प्राप्त रकम, यदि कोई हो, उस वर्ष के संबंध में उसके द्वारा अनुरक्षित खाते की बहियों में जमा की गयी है, जिसमें कटौती स्वीकार्य है।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय में ऐसे अधिकारों का पट्टा या न्यूनतम प्रतिभूति के आधार पर उनका अंतरण भी सम्मिलित है;

(ख) फीचर फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को केवल उस तारीख को विक्रय किया हुआ माना जाएगा जब फिल्म वितरक द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को फिल्म की पोजिटिव प्रिंट वितरित किये गये है;

(ग) वितरक में एक उप-वितरक भी सम्मिलित होगा; और

(घ) किसी फीचर फिल्म के संबंध में, "अधिग्रहण की लागत", से ऐसी रकम अभिप्रेत है जो फिल्म वितरक द्वारा फिल्म निर्माता या अन्य वितरक को प्रदर्शन के अधिकारों के अधिग्रहण के लिए फिल्म वितरक द्वारा ऐसे यथास्थिति, फिल्म निर्माता या ऐसे अन्य वितरक के साथ किए गए करार के अधीन संदाय की जाती है, और जहां प्रदर्शन के अधिकार न्यूनतम प्रत्याभूति के आधार पर अधिग्रहित किए गए हैं, वहां न्यूनतम प्रत्याभूत रकम है—

(i) फिल्म के पोजिटिव प्रिंट तैयार करने के लिए फिल्म वितरक द्वारा किए गए व्यय की रकम नहीं है; और

(ii) फिल्म के विज्ञापन के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय नहीं है।

274. अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 9(12) के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए विनिधान निधि की प्रक्रिया- (1) जहां किसी निधि में विनिधान प्रत्यक्षतः संस्थागत इकाई द्वारा किया गया है, ऐसी निधि में सदस्यों की संख्या और भागीदारी हित का अवधारण उक्त इकाई को देखकर किया जाएगा, यदि वह,-

(क) स्वतंत्र रूप से अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(1)(ग), पैरा 1(ङ), पैरा 1(च) और पैरा 1(छ) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है;

(ख) केवल निधियों को एकत्रित करने और उसके विनिधान के प्रयोजनों से स्थापित किया गया है; और

(ग) एक ऐसे देश या निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 159 में निर्दिष्ट कोई करार किया गया है या स्थापित किया गया है, निगमित किया गया है, या किसी एक ऐसे देश या निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है।

(2) किसी निधि को अधिनियम की अनुसूची 1 के प्रयोजनों के लिए कोई पात्र निधि होने के फायदे को मना नहीं किया जाएगा, यदि,—

(क) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(1)(ग), पैरा 1(1)(घ) और पैरा 1(1)(ङ) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी पूरा न होना,—

(i) निधि के नियंत्रण से परे कारणों से है और यह नब्बे दिनों की अवधि से अधिक नहीं है; या

(ii) अठारह मास की अवधि से अधिक नहीं है, जो उस तारीख से शुरू होती है जिसको निधि स्थापित किया गया है या निधि के अंतिम समापन से अधिक नहीं है, जो भी पूर्वतर हो, और अधिनियम की अनुसूची की पैरा 1(1)(ग), पैरा 1(1)(घ) और पैरा 1(1)(ङ) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किए गये हैं; या

(iii) इस कारण से है कि निधि परिसमापन होने की प्रक्रिया में है और यह उस तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष से अधिक नहीं है जिसको परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हुई है; या

(ख) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 (4) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने में देरी हुई है और ऐसी देरी नब्बे दिनों से अधिक नहीं है।

(3) अधिनियम की अनुसूची के पैरा 1(1)(ट) के प्रयोजनों के लिए, किसी निधि को किसी इकाई द्वारा किये जा रहे कारबार को नियंत्रित या प्रबंधित करना कहा जाएगा, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अधिकार रखती है जिसके परिणामस्वरूप इकाई में निधि धारण, यथास्थिति, कुल शेयर पूंजी या मतदान शक्ति या हित का 26% से अधिक हो जाता है।

(4) अधिनियम की अनुसूची 1 की धारा 1(1)(ड) में निर्दिष्ट किसी निधि प्रबंधक को निधि द्वारा संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम निम्नलिखित रीति से संगणित की गई रकम से कम नहीं होगी:

(क) जहां निधि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानक) विनियम, 2019 के विनियम (क) की मद (i) या मद (ii) या मद (iii) और उपमद (iii) में निर्दिष्ट प्रवर्ग विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता है, पारिश्रमिक की रकम प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.10% होगी; और

(ख) अन्य मामलों में, पारिश्रमिक की रकम—

(i) प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.30% होगी; या

(ii) निधि प्रबंधक द्वारा किये गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप से विनिर्दिष्ट बाधा दर से अधिक निधि द्वारा व्युत्पन्न लाभ का 10% होगी;

जहां यह केवल निधि द्वारा व्युत्पन्न आय या लाभ से जुड़े पारिश्रमिक का हकदार है; या

(iii) जहां निधि किसी अन्य निधि प्रबंधक को प्रबंधन फीस का संदाय भी कर रहा है, वह ऐसे प्रबंधन शुल्क का 50%, चाहे वह निश्चित प्रभार की प्रकृति में हो या निधि प्रबंधक द्वारा किये गये प्रबंधन क्रियाकलाप से व्युत्पन्न आय या लाभ से जुड़ा हो, जिसका संदाय निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप के संबंध में ऐसे निधि द्वारा वितरण संबंधी व्ययों सहित प्रचालन व्ययों के लिए उपगत की गई रकम, यदि कोई हो, को कम करके किया गया है ।

(5) जहां पारिश्रमिक की रकम उपनियम (4) के अधीन पहुंची रकम से कम है, तो निधि नियम 275 (2) में निर्दिष्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य को उक्त नियम के अधीन बोर्ड की मंजूरी की ईप्सा करते हुए उस कम रकम को पारिश्रमिक की रकम के रूप में आवेदन कर सकेगी और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, यदि सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए बोर्ड का समाधान हो जाता है, तो वह ऐसी कम रकम को पारिश्रमिक रकम के रूप में अनुमोदित कर सकेगा।

(6) जहां उपनियम (5) के अधीन आवेदन किया जाता है, वहां नियम 275(3) से नियम 275(12) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन के साथ, उक्त आवेदन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन पर लागू होते हैं।

(7) निधि प्रबंधक, धारा 172 के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट के अतिरिक्त, निधि के लिए किये गये क्रियाकलाप के संबंध में धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त करेगा और इसमें इंगित रीति से ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से

सत्यापित ऐसी रिपोर्ट को प्ररूप सं. 172 में विनिर्दिष्ट तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत करेगा, और अधिनियम के सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह धारा 172 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है।

(8) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(3)(क) के प्रयोजनों के लिए, एक निधि प्रबंधक को केवल इस कारण से निधि का एक संबद्ध व्यक्ति नहीं माना जाएगा कि निधि प्रबंधक उक्त निधि के निधि प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप कर रहा है।

(9) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(3)(घ) के प्रयोजनों के लिए, निधि प्रबंधक द्वारा निधि से व्युत्पन्न आय या लाभ पर निर्भर नहीं होने वाले निश्चित प्रभार की प्रकृति में निधि प्रबंधक को संदत्त किया गया कोई भी पारिश्रमिक, उक्त खंड में निर्दिष्ट लाभों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1(1)(ड) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं; और

(ख) ऐसा निश्चित प्रभार पर निधि प्रबंधक द्वारा संबंधित निधि प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप के आरंभ में ही में लिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई है।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रबंधन के अधीन आस्ति" से निधि प्रबंधक द्वारा यथाप्रबंधित निधि के ऐसे भाग के मूल्य के मासिक औसत के उद्घाटन और समापन अतिशेष रकम का वार्षिक औसत अभिप्रेत है;

(ख) "प्रबंधन शुल्क" से इस प्रयोजन के लिए नियम 10 (क) में परिभाषित लेखाकार से प्राप्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित रकम अभिप्रेत है; और

(ग) "विनिर्दिष्ट बाधा दर" से एक पूर्व-परिभाषित सीमा अभिप्रेत है जिसके पार निधि, निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप से अर्जित लाभ के हिस्से का संदाय करने के लिए सहमत होती है।

275. धारा 9(12) के प्रयोजनों के लिए अपने विकल्प पर विनिधान विनिधान निधि का अनुमोदन- (1) कोई विनिधान निधि, अपने विकल्प पर धारा 9(12) के प्रयोजनों के लिए अपनी पात्रता के संबंध में बोर्ड से अनुमोदन की ईप्सा कर सकेगी।

(2) अनुमोदन ईप्सा करने वाली निधि, सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्य को संलग्न करते हुए, विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य को लिखित में आवेदन कर सकेगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन उस कर वर्ष के आरंभ से तीन मास पूर्व किया जाएगा जिसके लिए निधि अनुमोदन की ईप्सा करती है।

(4) बोर्ड, आवेदन की जांच करने और अनुमोदन देने या अन्यथा और उसकी ऐसी शर्तों जिनके अधीन ऐसा अनुमोदन दिया जाना है, यदि कोई हो, के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता वाली और दो अन्य ऐसे आयकर प्राधिकारियों से मिलकर बनने वाली एक समिति को अधिसूचित करेगा, जो आयुक्त के पद से नीचे के न हो।

(5) बोर्ड की ओर से समिति, अपनी सिफारिश देने से पहले, विनिधान निधि, आयकर प्राधिकारियों और अन्य विभागों या अभिकरणों से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मांग सकेगी, जो वह उचित समझे।

(6) बोर्ड, समिति की सिफारिशों के आधार पर, आवेदन किए जाने वाले मास के अंत से दो मास के भीतर,—

(क) लिखित में एक आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए निधि का अनुमोदन प्रदान करेगा जो वह उचित समझे; या

(ख) लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ आवेदन को नामंजूर करेगा।

(7) इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन रहते हुए एक बार दिया गया अनुमोदन, उपनियम (3) और पश्चात्वर्ती कर वर्षों में निर्दिष्ट कर वर्ष के लिए लागू होगी, जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा वापस नहीं लिया जाता है।

(8) धारा 9 (12) का फायदा किसी पात्र विनिधान निधि को किसी भी कर वर्ष के लिए नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुमोदन लागू है और जिसे वापस नहीं लिया गया है।

(9) बोर्ड किसी निधि को दी गई मंजूरी वापस ले सकता है, यदि उसे संतुष्ट किया जाता है कि–

(क) तथ्यों के गलत बयानी या धोखाधड़ी के आधार पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है; या

(ख) अधिनियम की धारा 9(12) और अनुसूची में उल्लिखित शर्तें और उक्त अनुसूची के पैरा 5 के अधीन निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को पूरा नहीं किया गया है; या

(ग) कोई भी शर्त, जिसके अध्यधीन अनुमोदन दिया गया था, का उल्लंघन किया गया है।

(10) आवेदन को अस्वीकार करने या अनुमोदन वापस लेने का कोई आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा और ऐसा आदेश-

(क) निधि;

(ख) निर्धारण अधिकारी; और

(ग) निधि की अधिकारिता वाले प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त।

को संसूचित करेगा।

276. अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 9(12) के अधीन पात्र विनिधान निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण–(1) अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 1(4) के अधीन अपेक्षित विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पात्र विनिधान निधि द्वारा उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप संख्या 173 में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी वह निर्धारण अधिकारी होगा जिसे निधि पर अधिकारिता प्राप्त है या यदि निधि भारत में कर-निर्धार्य होती तो धारा 9(12) के उपबंधों के सिवाय उसे अधिकारिता प्राप्त होती।

277. भविष्य निधि या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अभिदाय पर कराधेय ब्याज की संगणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 2 [सारणी: क्रम सं. 3 और क्रम सं. 4ग] के अधीन कराधेय ब्याज की संगणना कर वर्ष के दौरान कराधेय अभिदाय खाते में उपार्जित ब्याज के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कराधेय ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए, कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के सभी कर वर्षों के दौरान भविष्य निधि खाते के भीतर कराधेय अभिदाय और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गैर-कराधेय अभिदाय के लिए अलग-अलग खाते रखे जाएंगे।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) गैर-कराधेय अभिदाय खाता ऐसे खाते से निकासी, यदि कोई हो, तो उसे कम करके निम्नलिखित का योग होगा:–

(i) 31 मार्च, 2021 को खाते में अंतिम अतिशेष राशि;

(ii) कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के कर वर्षों के दौरान व्यक्ति द्वारा खाते में किया गया कोई भी अभिदाय, जो कराधेय अभिदाय खाते में सम्मिलित नहीं है; और

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) पर उपार्जित ब्याज,

(ख) कराधेय अभिदाय खाता ऐसे खाते से निकासी, यदि कोई हो, तो उसे कम करके निम्नलिखित का योग होगा:–

(i) कर वर्ष 2021-2022 और उसके पश्चात् के कर वर्षों के दौरान खाते में व्यक्ति द्वारा किये गये अभिदाय, जो अवसीमा से अधिक है; और

(ii) उपखंड (i) पर उपार्जित ब्याज,

(ग) "कराधेय ब्याज" से कर वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज के रूप में प्राप्त आय अभिप्रेत है, जिसे किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने से छूट नहीं है; और

(घ) खंड (ख)(i) के प्रयोजनों के लिए अवसीमा से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) 5,00,000 रु. जहां ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई अभिदाय नहीं किया जाता है; और

(ii) अन्य मामलों में 2,50,000 रु. ।

278. अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 8] के प्रयोजनों के लिए शर्तें- (1) अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 8] के अधीन यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में छूट प्राप्त रकम, जो किसी व्यक्ति को निम्नलिखित गंतव्य के लिए उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से स्वयं और उसके परिवार के लिए, निम्नलिखित के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुई हो या देय हो–

(क) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर; या

(ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् या सेवा समाप्ति के पश्चात् भारत में किसी स्थान पर।

ऐसी यात्रा के निष्पादन पर वास्तव में उपगत की गई ऐसी रकम होगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:–

(i) जहां यात्रा हवाई मार्ग से की गई है, तो रकम उस यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार्य किराए से अधिक नहीं होगी जिसके लिए कर्मचारी गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से यात्रा करने का हकदार है;

(ii) जहां यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान रेल द्वारा जुड़े हों और यात्रा हवाई मार्ग से भिन्न किसी अन्य परिवहन माध्यम से की जाए, तो गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए से अधिक राशि नहीं; और

(iii) जहां यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान या उसके कुछ भाग रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं और यात्रा इन स्थानों के बीच की जाती है, तो छूट के लिए पात्र रकम निम्नलिखित होगी–

(क) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान है, वहां गंतव्य स्थान तक लघुतम मार्ग से परिवहन पर यथास्थिति, प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए से अनधिक रकम; और

(ख) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान नहीं है, और संबंधित राज्य या किसी पड़ोसी राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विनिर्दिष्ट दरें विहित नहीं की गई हैं, वहां लघुतम मार्ग से तय की गई दूरी के लिए 30 रु. प्रति किलोमीटर की दर से परिकलित रकम स्वीकार्य होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट किसी व्यक्ति को कैलेंडर वर्ष 2022 से आरंभ होने वाले चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में की गई दो यात्राओं के संबंध में उपलब्ध होगी।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा चार कैलेंडर वर्षों के ऐसे किसी ब्लॉक के दौरान ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का लाभ नहीं उठाया गया है, तो व्यक्ति द्वारा तत्काल पश्चात् के चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान पहली बार प्राप्त उपभोग की गई, यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में कोई रकम, यदि कोई हो, छूट के लिए पात्र होगी।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में रकम को उपनियम (2) के अधीन यात्राओं की संख्या के संबंध में यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में रकम की पात्रता का अवधारण करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट छूट किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चों को उपलब्ध नहीं होगी।

(6) उपनियम (5) के उपबंध 1 अक्तूबर, 1998 से पूर्व जन्मे बच्चों के संबंध में और एक बच्चे के पश्चात् एक से अधिक जन्मे बच्चे के मामले में भी लागू नहीं होंगे।

279. अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 11] के प्रयोजनों के लिए सीमाएँ- (1) अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 11] में निर्दिष्ट विशेष मोक के संबंध में, निर्धारिती की कुल आय में शामिल न की जाने वाली रकम निम्नलिखित में से न्यूनतम होगी:

(क) सुसंगत अवधि के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे मोक की वास्तविक रकम; या

(ख) निर्धारिती द्वारा अध्यासित आवासीय आवास के किराए के संदाय में उसके द्वारा वास्तव में उपगत व्यय की वह रकम, जो सुसंगत अवधि के लिए निर्धारिती को देय वेतन की राशि के दसवें हिस्से से अधिक हो; या

(ग) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित अवस्थान पर नियोजित निर्धारिती के मामले में सुसंगत अवधि के लिए निर्धारिती को, उसके स्तंभ ग में उल्लिखित देय वेतन के उस प्रतिशत के समतुल्य रकम:

सारणी

क्रम संख्या	आवासीय आवास का अवस्थान	वेतन का प्रतिशत
क	ख	ग
1.	मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु।	50%
2.	कोई अन्य स्थान	40%

(2) इस नियम में,-

(क) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान उक्त आवास कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अध्यासित था।; और

(ख) "वेतन" में महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, यदि यह नियोजन की शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, किंतु इसमें अन्य सभी भत्ते और परिलब्धियां सम्मिलित नहीं हैं।

280. अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 12 और क्रम संख्या 13] के प्रयोजनों के लिए भत्ते। - (1) निम्नलिखित, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए भत्ते होंगे:-

(क) यात्रा या स्थानांतरण के दौरान यात्रा लागत को पूरा करने के लिए दिया जाना वाला कोई भत्ता; या

(ख) ऐसे स्थानांतरण के दौरान व्यक्तिगत सामान के अंतरण, पैकिंग और परिवहन के संबंध में संदत्त कोई रकम; या

(ग) किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण उपगत होने वाले सामान्य दैनिक प्रभारों को पूरा करने के लिए, चाहे वह दौरे पर दिया गया हो या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया हो, कोई भत्ता; या

(घ) किसी पद या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन में परिवहन पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, जहां नियोक्ता द्वारा कोई निःशुल्क परिवहन प्रदान नहीं किया जाता है।; या

(ङ) किसी सहायक पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, यदि ऐसा सहायक किसी कार्यालय या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया हो;या

(च) शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में अकादमिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता;या

(छ) किसी पद या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी पर क्रय या रखरखाव पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता।

(2) निम्नलिखित, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 13] के प्रयोजनों के लिए भत्ते होंगे और इनकी सीमा निम्नलिखित होगी;–

क्रम संख्या	भत्ते का नाम	वह स्थान जहां भत्ते को छूट है		भत्ते की छूट की सीमा
क	ख	ग		घ
1.	किसी विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ इलाके) भत्ते वाले स्थान जो दुर्गम स्थान भत्ता-I के अंतर्गत आते हैं।	(क)	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह: मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित), निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह।	7,000 रु. प्रति मास, जब क्र. सं. 4, क्र. सं. 5 या क्र. सं. 9 पर
		(ख)	सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश	

		(ग)	हिमाचल प्रदेश		उल्लिखित छूट का दावा न किया गया हो
			(i)	चंबा जिला (क) पांगी तहसील (ख) भरमौर तहसील।	
			(ii)	किन्नौर जिला।	
			(iii)	कांगड़ा जिला; बड़ा भागल और छोटा भांगल के क्षेत्र।	
			(iv)	कुल्लू जिला; निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं।	
			(v)	लाहौल और स्पीति जिला; लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र।	
			(vi)	शिमला जिला; (क)रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कोट्ट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा की पंचायतें सम्मिलित हैं। (ख)डोडरा-कवार तहसील। (ग)रामपुर, काशापथ तहसील और मुनीश में दरकाली की ग्राम पंचायतें। (घ)परगना सराहन की गोरी चैबीस।	
		(घ)	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख		
			(i)	कठुआ जिला; नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी।	
			(ii)	उधमपुर जिला: (क) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोटे। (ख) माहौर तहसील के सभी क्षेत्र।	

				महोरे तहसील में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और केसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र।	
			(iii)	डोडा जिला: कश्मीरी तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाक़स।	
			(iv)	लेह जिला: (क) नोयामा और नोब्रे। (ख) ज़ांस्कर। (ग) जिले के अन्य सभी स्थान।	
			(v)	बारामूला जिला: संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-विभाजन और केरन इलाक़ा। मैचिल।	
		(ङ)	लक्षद्वीप: संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र		
		(च)	मिजोरम: चिम्पटुइपुई जिला और लुंगलेई जिला।		
		(छ)	सिक्किम: सम्पूर्ण राज्य।		
		(ज)	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।		
		(झ)	नागालैंड: संपूर्ण नागालैंड ।		
		(ञ)	त्रिपुरा: त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र।		
2.	किसी भी विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते वाले स्थान, जो	(क)	हिमाचल प्रदेश		4,500 रु. प्रति मास जब क्र. सं. 4, क्र. सं. 5 या
			(i)	चंबा जिला: (क) भरतियात तहसील में झंडरू पंचायत, (ख) चुराह तहसील	

	दुर्गम स्थान भत्ता-II के अंतर्गत आते हैं।			(ग) डलहौजी नगर (बानिखेत सहित)		क्र. सं. 9 पर उल्लिखित छूट का दावा नहीं किया गया हो।
			(ii)	कुल्लू जिला: (क) बाहरी सेराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरो के गांवों को छोड़कर)। (ख) संपूर्ण जिला (बाहरी सेराज क्षेत्र और पंद्राबिस के परगना को छोड़कर, किंतु तहसील निरमंड के जकात-खाना और बुराओ गांवों सहित)।		
			(iii)	मंडी जिला: (क) छुहार घाटी (जोगिंदरनगर तहसील) (ख) थुनाग तहसील में निम्नलिखित पंचायतें: बागरा, छतरी, छोटधार, दारागुशैन, गटू, घरयास, जंझेली, जरयार, जोहार कल्हणी कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, समचान, थाचधार, ताची और थाना। (ग) धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और तारखोला (घ) करसोग तहसील की निम्नलिखित पंचायतें; बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन। (ङ) सुंदरनगर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें: बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा।		
			(iv)	कांगड़ा जिला:		
				(क)	धर्मशाला नगर और निम्नलिखित कार्यालय जो इसकी नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित हैं, किंतु विशेष	

					प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ते के लिए पात्रता के प्रयोजन से धर्मशाला नगर में सम्मिलित हैं: 1. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दारी। 2. यांत्रिक कर्मशाला, रामनगर। 3. बाल कल्याण और नगर तथा ग्रामीण नियोजन कार्यालय, सकोह। 4. निचले सकोह स्थित सीआरएफएस कार्यालय। 5. कांगड़ा दुगियार दुग्ध आपूर्ति योजना। 6. हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कशॉप, सुधर। 7. आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी। 8. वन निगम कार्यालय, शामनगर। 9. चाय कारखाना, दारी 10. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मंडल, दारी। 11. बंदोबस्त कार्यालय शमनगर। 12. बिनवा परियोजना, शामनगर।	
				(ख)	पालमपुर नगर, जिसमें पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर भी सम्मिलित है और निम्नलिखित कार्यालय जो नगर पालिका की सीमा से बाहर स्थित हैं, किंतु इस प्रयोजन के लिए पालमपुर नगर में सम्मिलित किए गए हैं:	

					(क) एचपी कृषि विश्वविद्यालय परिसर। (ख) पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी (ग) रेशम उत्पादन कार्यालय/भारत-जर्मन कृषि कर्मशाला/एचपीपीडब्लूडी संभाग, बुंदला। (घ) विद्युत उप-मंडल, लोहना। (ङ) डीपीओ, निगम, बंडला (च) इलैक्ट्रिकल एचपीएसई संभाग, घुग्गर	
			(v)	शिमला जिला: (क) (1) चौपाल तहसील। (2) (i) सराहन परगना के घोरी, पंजगांव, पाटसनाऊ, नौबीस और तीन कोटी। (ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत। (iii) परगना बरबिस। (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और गोरी नोग। (ख) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)।		
			(vi)	सिरमौर जिला		
				(क)	निम्नलिखित पंचायतें: (i) बनी, बाखली (पच्छाद तहसील)। (ii) भरोग, भनेरी (पांवटा तहसील)। (iii) बिरला (नाहन तहसील)। (iv) डिब्बर (पच्छाद तहसील)।	

					(v) थाना कसोगा (नाहन तहसील)।	
				(ख)	थांसगिरि क्षेत्र।	
			(vii)		सोलन जिला, मंगल पंचायत।	
		(ख)	जम्मू-कश्मीर; और लद्दाख			
			(i)		पूंछ और राजौरी जिलों के वे क्षेत्र जिनमें पूंछ और राजौरी शहर तथा सुंदरबनी और इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।	
			(ii)		सारणी क्रम संख्या 1 और खंड (ख)(i) में सम्मिलित नहीं किए गए क्षेत्र, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं या ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकेगी ।	
		(ग)	मणिपुर: सम्पूर्ण राज्य।			
		(घ)	मिजोरम: संपूर्ण आइजोल जिला।			
		(ङ)	त्रिपुरा: सारणी: क्रम संख्या 1 में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य।			
3.	कोई विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता, दुर्गम स्थान भत्ता-III के अंतर्गत आने वाले स्थान।	(क)	हिमाचल प्रदेश: क्रम संख्या 1 और 2 में सम्मिलित न किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र।			1500 रु. प्रति मास, जब क्रम संख्या 4, 5 या 9 पर उल्लिखित छूट का दावा न किया गया हो।
		(ख)	मेघालय: मेघालय सम्पूर्ण राज्य इसमें सम्मिलित है।			
		(ग)	असम: असम सम्पूर्ण राज्य इसमें सम्मिलित है।			
		(घ)	पश्चिम बंगाल:			

			दक्षिण डैम्पियर हॉज लाइन के सुंदरबन क्षेत्रों का कार्य, अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रायदीघी, भांची, पाथेर पार्टिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला और घुसीघाटा (कुल्टी) क्षेत्र।	
		(ङ)	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और खराब जलवायु वाले क्षेत्र उन राज्यों में जहां राज्य सरकारों के आदेशानुसार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भत्ता और खराब जलवायु भत्ता स्वीकार्य है।	
4.	प्रतिपूर्ति फील्ड एरिया क्षेत्र भत्ता।	(क)	अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र:–	13,500 रु. प्रति मास।
			(i) तिरप और चांगलांग जिले;	
			(ii) एलजेड 4179-नुक्मे डोंग एमएस 3272-सेपला एमटी 2969-पॉलिन एमओ 9213-डापोरिजो एनआर 5841-अलोंग एनएल 1273-हुनली एनएम 3196-टिडिंग तुवी एमटी 6369-हयुलियांग एनएन 0170-तवाकेन एमटी 8136-चंपई बन एनएम 8814, में बिंदु 4448 को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित।	
		(ख)	सम्पूर्ण मणिपुर और नागालैंड।	
		(ग)	सिक्किम के निम्नलिखित क्षेत्र:– भारत-भूटान सीमा पर एलडब्ल्यू 2453 में फालुत एलवी 4750-गेज़िंग एलवी 7059-मंगखा एलवी 6160-पेनलांग ला एलडब्ल्यू 0666-रंगली एलडब्ल्यू 1448-बीपी 1, को जोड़ने वाली रेखा	

			के उत्तर और उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।		
		(घ)	हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र: उमासिला एनवी 3951-उदयपुर एनवाई 8663-मणिकरण एसबी 2300-पीर पार्वती पास टीए 1459-तरंडा टीए 2335-बारासुआ पास टीए 8801, सभी सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित।		
		(ङ)	उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्र:– बारासुआ (गंगनानी दर्रा टीजी 1362-गोविंद घाट टीजी 0937-तपोवन टीएच 1822-मुसियारी (टीएन 8982-रेलागढ़ टीओ 2466, सभी सम्मिलित), को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और उत्तर-पूर्व के सभी क्षेत्र ।		
		(च)	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निम्नलिखित क्षेत्र:–		
			(i)	ग्रेट हिमालयन रेंज के साथ ज़ोजिला एमयू 3036-बारालाचाला एनई 6672, सभी सम्मिलित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और पूर्व के क्षेत्र।	
			(ii)	एनआर 5470 में बिंदु 1556, गुलमर्ग एमटी 3105, नौशारा एमवाई 3105, रिंगापट एमटी 2133, हंदवारा एमटी 2043, लाइंग्याल एमटी 2339, एनजी 4565 में बिंदु 8405, बिंदु 8403, बुनाकुट एमटी 5453, रज़ान एनएन 2239, ज़ोजिला, सभी सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्र;	
			(iii)	चिकन नेक रोड 7073-कैनाल जंक्शन, रोड 6364-मावा ब्राह्मणा, रोड 6183-चौकी, रोड 6393-रोड जंक्शन, रोड	

				6499-बारामगला, एमवाई 3854-एनआर 5470, में बिंदु 1556 को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।	
5.	प्रतिपूर्ति संशोधित फील्ड एरिया भत्ता।	(क)	पंजाब और राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र:– जेसाई, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, उदासर, महाजन पर्वतमाला, सूरतगढ़, लालगढ़, जट्टान, अबोहर, गोविंदगढ़, फाजिल्का, जंडियाला गुरु, मोगा, ढोलेवाल, देस, बीर सारंगवाल, हुसैनीवाला, डेरा बाबा नानक, लाइसेन, सभी सम्मिलित, से जुड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा तक।		8,000/- रु. प्रति मास।
		(ख)	हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र:– सतरोद (हिसार)।		
		(ग)	हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र:– नरखंडा, केलांग को फील्ड एरिया रेखा और उच्च ऊंचाई रेखा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तर का क्षेत्र।		
		(घ)	अरुणाचल प्रदेश और असम के निम्नलिखित क्षेत्र:–		
			(i)	असम के कछार और उत्तरी कछार जिले, जिनमें सिलचर भी सम्मिलित है;	
			(ii)	तेजपुर-मिसामारी और फील्ड क्षेत्रों को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के सभी क्षेत्र।	
		(ङ)	सम्पूर्ण मिजोरम और त्रिपुरा।		
		(च)	सिक्किम और पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित क्षेत्र:–		

			सेवोक एलवी 9112-बर्डोंग एलवी 985-शेरवानी एलवी 9453-बागराकोट एलडब्ल्यू 0113-दमदिम एलडब्ल्यू 1109-न्यू माल-हासिमारा-क्यूबी 7894 गंगा राम चाय बागान क्यूए 1377, को उच्च ऊंचाई रेखा/फील्ड एरिया रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।		
		(छ)	उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्र:– उत्तरकाशी, करण प्रयाग, गौचर, जोशीमठ, चमोली, रुद्र प्रयाग, असकोट, चारमगढ़, धारचूला, कौसानी और नरेंद्र नगर, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक के क्षेत्र, सभी सम्मिलित।		
		(ज)	जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित क्षेत्र:–		
			(i)	पट्टन, बारामूला, कुपवाड़ा, ड्रगमुला, पंगेस, मनकेस, बुनियार, पंथा चौक, खानबल, अनंतनाग, खुंदरू और खरू को विद्यमान उच्च ऊंचाई रेखा तक, जोड़ने वाली लाइन के पश्चिम के क्षेत्र, सभी सम्मिलित ।	
			(ii)	लाइन से जुड़ने वाले पश्चिम के क्षेत्र - बीपी-19, ब्राह्मणदी- बारी, जिंद्रा, धनसाल, कटरा, सांझी छत, बटोट, पटनीटॉप, रामबन और बनिहाल, विद्यमान उच्च ऊंचाई लाइन तक, सभी सम्मिलित।	
6.	किसी परिवहन प्रणाली में कार्यरत कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के संचालन के दौरान किए गए अपने कर्तव्य के दौरान व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए	सम्पूर्ण भारत।			इस प्रकार के भत्ते का 70%, अधिकतम 25,000 रु. प्रति मास तक।

	दिया जाने वाला कोई भत्ता, जहां ऐसे कर्मचारी को दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं होता है।		
7.	बच्चों का शैक्षिणिक भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	अधिकतम दो बच्चों तक, प्रति बच्चा 3,000 रु. प्रति मास।
8.	किसी कर्मचारी को उसके बच्चे के छात्रावास के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	अधिकतम दो बच्चों तक, प्रति बच्चा 9,000 रु. प्रति मास।
9.	सशस्त्र बलों के उन सदस्यों को, जो अपने स्थायी ठिकानों से दूर के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आतंकवाद-रोधी भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	22,000 रु. प्रति मास।
10.	दृष्टिहीन, बधिर और मूक कर्मचारी, या दिव्यांग कर्मचारी, जिनके निचले या ऊपरी शरीर के अंगों में दिव्यांगता हो, को निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के खर्चों को पूरा	सम्पूर्ण भारत।	(i) महानगरों में: प्रति मास के लिए 15,000/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता।

	करने के लिए दिया जाने वाला परिवहन भत्ता।		(ii) अन्य शहरों के लिए: प्रति मास 8,000 रु. और उस पर महंगाई भत्ता।
11.	अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के सदस्य को अत्यधिक ऊंचाई (प्रतिकूल जलवायु) भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	(क) 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई और 9000 फीट से नीचे की ऊंचाई पर प्रतिकूल जलवायु के लिए। (ख) 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई के लिए। (ग) जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों तथा सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों के सभी स्थान।	4,500 रु. प्रति मास। 7,000 रु. प्रति मास। 30,000 रु. प्रति मास।
12.	भूमिगत खानों में प्रतिकूल, अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला भूमिगत भत्ता।	सम्पूर्ण भारत।	मूल वेतन का 15%।
13.	सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष प्रतिपूर्ति अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	संपूर्ण भारत।	22,000 रु. प्रति मास।
14.	सशस्त्र बलों के सदस्य को द्वीप (ड्यूटी) भत्ता या द्वीप विशेष ड्यूटी	(क) राजधानी नगर (पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती और अगात्ती) के आसपास के क्षेत्र	मूल वेतन का 10%।

	भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता।	(ख) दुर्गम क्षेत्र- पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर उत्तरी और मध्य अंदमान, दक्षिणी अंदमान, कवरत्ती, अगात्ती और मिनिकॉय को छोड़कर संपूर्ण लक्षद्वीप। (ग) अधिक दुर्गम क्षेत्र- लिटिल अंदमान, निकोबार द्वीप समूह, नारकोडम द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह और मिनिकॉय।	मूल वेतन का 16%। मूल वेतन का 20%।
15.	सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाने वाला सियाचिन भत्ता।	लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र।	42,500 रु. प्रति मास।

(3) कोई कर्मचारी, जो कोई निर्धारिती है और जिसने धारा 202(4) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, वह केवल उपनियम (1)(क) से (उपनियम (1)घ) तथा उपनियम (2) [सारणी: क्रम संख्या 10] में उल्लिखित भत्तों के संबंध में, उस सीमा तक और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, छूट का हकदार होगा।

281. अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 16] के प्रयोजनों के लिए परिस्थितियाँ और शर्तें- (1) अधिनियम की अनुसूची 3 (सारणी: क्रम संख्या 16) के प्रयोजनों के लिए, संघ के सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के किसी सदस्य की अभियान संबंधी कर्तव्यों के दौरान मृत्यु की परिस्थितियाँ निम्नलिखित होंगी:–

(क) आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा, अपहरण या हमले; या

(ख) चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई;या

(ग) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु की कार्रवाई; या

(घ) विदेश में शांतिरक्षा मिशन के दौरान की गई कार्रवाई; या

(ङ) सीमा पर झड़पें; या

(च) दुश्मन की बारूदी सुरंगों सहित बारूदी सुरंगों को बिछाना या हटाना, जिसमें बारूदी सुरंगों के निष्कासन के अभियान भी सम्मिलित हैं; या

(छ) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के निकट अभियान संबंधी क्षेत्रों में दुश्मन या स्वयं की सेनाओं द्वारा बिछाए गए अभियान-उन्मुखी बारूदी सुरंग क्षेत्रों को बिछाते समय या उन्हें हटाते समय या उनसे निपटते समय बारूदी सुरंगों में विस्फोट;या

(ज) प्राकृतिक आपदाओं और बचाव अभियानों से निपटने में नागरिक बलों की सहायता करने में; और

(झ) प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए आंदोलन, दंगे या विद्रोह को दबाने में नागरिक शक्ति की सहायता करने में।

(2) विभाग का प्रमुख, जहाँ सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के मृतक सदस्य ने अंतिम बार सेवा की थी, या सेवा मुख्यालय, यह प्रमाणित करेगा कि ऐसे सदस्य की मृत्यु उपनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में अभियान संबंधी कर्तव्यों के दौरान हुई थी।

282. पेंशन निधि की अधिसूचना और अन्य शर्तें जिनका समाधान पेंशन निधि द्वारा किया जाना है- (1) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7, टिप्पण 5(क)(iii)] में उल्लिखित पेंशन निधि द्वारा निम्नलिखित अन्य शर्तों का समाधान किया जाना अपेक्षित होगा:–

(क) इसे किसी विदेश की विधि के अधीन विनियमित किया जाएगा, जिसमें इसके किसी राजनीतिक घटक, जो कोई प्रांत है, राज्य है या स्थानीय निकाय है, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात है, जिसके अधीन इसे यथास्थिति, सृजित या स्थापित किया गया है, द्वारा बनाई गई विधियां भी सम्मिलित हैं;

(ख) यह किसी एक या अधिक निधियों या योजनाओं के कानूनी दायित्वों और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों का प्रबंधन या विनिधान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो, यथास्थिति, ऐसे निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या फायदाग्राहियों को सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, दिव्यांगता, मृत्यु फायदा या किसी भी समान प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है;

(ग) खंड (ख) में उल्लिखित शर्त प्रशासित या विनिधान की गई आस्तियों के संबंध में पूरी मानी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों:–

(i) ऐसी आस्तियों का मूल्य ऐसे निधि द्वारा प्रशासित या विनिधान की गई आस्तियों के कुल मूल्य के 10% से अधिक न हो;

(ii) ऐसी आस्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं; और

(iii) विघटन होने पर ऐसी आस्ति उस विदेशी सरकार में निहित हो जाती हैं;

(घ) पेंशन निधि के उपार्जन और आस्तियों का उपयोग केवल खंड (ख) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या फायदाग्राहियों के लिए कानूनी दायित्वों और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए किया जाता है और पेंशन निधि के उपार्जन या आस्तियों का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है;

(ङ) खंड (घ) के उपबंध भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए गए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी भी संदाय पर लागू नहीं होंगे;

(च) खंड (घ) के उपबंध खंड (ग) में निर्दिष्ट आस्तियों से उपार्जित आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उक्त आय उस विदेशी सरकार के खाते में या ऐसी सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा की जाती है, ताकि आय का कोई भी हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा न पहुंचाए;

(छ) यह भारत में किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में विवरण तिमाही की समाप्ति के एक मास के भीतर तिमाही के दौरान प्ररूप संख्या 175 में सूचित करेगा;

(ज) यह धारा 263(1)(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी दाखिल करेगा और ऐसी विवरणी के साथ धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से प्ररूप संख्या 176 में अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा; और

(झ) इस उपनियम में उल्लिखित ऋण और उधार पद का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5(ग)] में उसका है।

(2) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7. टिप्पण 5(क)(iii)(घ)] के अधीन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पेंशन निधि विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के सदस्य को प्ररूप संख्या 174 में सुसंगत दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न करते हुए आवेदन करेगी।

283. अधिनियम की अनुसूची 5 के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम विनिधान और छूट प्राप्त आय की संगणना [सारणी: क्रम संख्या 7]– (1) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी की टिप्पण 5(ङ), टिप्पण 5(च) और टिप्पण 5(छ) में निर्दिष्ट प्रतिशतता तथा उसके स्तंभ घ के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट छूट प्राप्त आय की संगणनाइस नियम के अनुसार की जाएगी।

(2) (क) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(ङ)] में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी: –

$$\frac{(\text{क}+\text{ख}+\text{ग})}{\text{घ}} \times 100$$

जहाँ, -

क = पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई या पात्र इनविट में किए गए हों;

ख = पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र स्वदेशी कंपनियों में किया गया हो, जिसे उपनियम (3) के अनुसार अवधारित उन स्वेदशी कंपनियों के प्रतिशत से गुणा किया गया है;

ग = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में किया गया हो, जिसे उपनियम (4) के अनुसार अवधारित उन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कंपनियों के प्रतिशत से गुणा किया गया है;

घ = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक के सभी वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग;

(ख) ऐसे मामले में, जहां सुसंगत कर वर्ष वह वर्ष है जिसमें पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा पहला विनिधान किया गया है, तो उपरोक्त राशि की संगणना उस वर्ष की अंतिम तारीख को सुसंगत

कर वर्ष के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों के कुल योग का उपयोग करके की जाएगी; और

(ग) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, रकम क, रकम ख और रकम ग में ऐसे पात्र विनिधान भी सम्मिलित होंगे जो संगणना की तारीख को इन रकमों को सम्मिलित नहीं कर सके, किंतु यदि पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा ऐसे पात्र विनिधान प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर संगणना की जाती तो उन्हें सम्मिलित किया जाता।

(3) (क) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(च)] में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:–

$$\frac{\text{ङ}}{\text{च}} \times 100$$

जहाँ, -

ङ = पात्र देशी कंपनी के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र अवसंरचना संस्था में किए गए हों; और

च = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर और सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक पात्र स्वदेशी कंपनी के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत कर वर्ष वह वर्ष है जिसमें पात्र देशी कंपनी द्वारा पहला विनिधान किया जाता है, तो उपरोक्त रकम की संगणना उस वर्ष की अंतिम तारीख को सुसंगत कर वर्ष के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र विनिधानों के कुल योग का उपयोग करके की जाएगी; और

(ग) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, रकम ङ में पात्र विनिधान भी सम्मिलित होंगे जो संगणना की तारीख पर इन रकमों में सम्मिलित नहीं हो सके, किंतु यदि पात्र देशी कंपनी द्वारा ऐसे पात्र विनिधान प्राप्त होने की तारीख के तीन मास के भीतर संगणना की जाती तो उन्हें सम्मिलित किया जाता।

(4) (क) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5(छ)] में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:–

$$\frac{\text{छ}}{\text{ज}} \times 100$$

जहाँ, -

छ = पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक उपदर्शित होने वाले पात्र ऋणों का कुल योग, जो एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई को दिया गया हो; और

ज = वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आरंभ होकर सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सभी वित्तीय वर्षों की अंतिम तारीख तक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र ऋणों का कुल योग;

(ख) ऐसे मामले में, जहां सुसंगत कर वर्ष वह वर्ष है जिसमें पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा पहला ऋण या उधार दिया जाता है, उपरोक्त रकम की संगणना उस वर्ष की अंतिम तारीख तक सुसंगत कर वर्ष के तुलन-पत्र में उपदर्शित होने वाले पात्र उधार के कुल योग का उपयोग करके की जाएगी।

(5) उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत कर वर्ष 2031-2032 और उसके पश्चात् के सुसंगत कर वर्षों के लिए उसमें निर्दिष्ट प्रतिशतता का समाधान किया हुआ माना जाएगा यदि सुसंगत कर वर्ष 2030-2031 के लिए उसका समाधान हो जाता है।

(6) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7घ(ङ)] में निर्दिष्ट छूट प्राप्त आय के प्रयोजनों के लिए,–

(क) किसी पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के इकाई धारक किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उस निधि में किए गए विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणाणस्वरूप या प्राप्त आय पर आयकर उसी प्रकार लगाया जाएगा मानो विनिधान निधि द्वारा किया गया विनिधान प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो उस व्यक्ति को उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणाणस्वरूप या प्राप्त आय पर आयकर लगाया जाता;

(ख) सुसंगत कर वर्ष के दौरान ऐसे निधि में विनिधान से उद्भूत होने वाली किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की छूट प्राप्त आय की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:–

झ+ञ+ट+ठ

जहां,—

झ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित सुसंगत कर वर्ष के दौरान पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान में से पात्र अवसंरचना इकाई में किए गए पात्र विनिधानों से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय;

ञ = अधिनियम के उपबंधो के अनुसार परिकलित सुसंगत कर वर्ष के दौरान पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा एक या अधिक पात्र देशी कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ढ से गुणा और ण से विभाजित किये गये विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय, जहां ढ और ण का मूल्य वह होगा जो प्रत्येक देशी कंपनी के लिए उपनियम (7) में उसका है;

ट = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा एक या अधिक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा थ से गुणा करके द से विभाजित किये गये विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय, जहां थ और द का मूल्य वह होगा प्रत्येक ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के लिए उपनियम (8) में उसका है;

ठ = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए किसी भी विनिधान में से पात्र इनविट में पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा किए गए पात्र विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय।

(7) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7.घ(च)] के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत कर वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:–

$$\frac{\text{ड}}{\text{ण}} \times \text{ढ}$$

जहाँ, -

ड = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एक या अधिक पात्र देशी कंपनियों में किए गए विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय;

ढ = पात्र स्वदेशी कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र विनिधान सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार किया गया है) तक उपदर्शीत होने वाले पात्र विनिधानों का कुल योग, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए विनिधान में से पात्र देशी कंपनी द्वारा एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई में किया गया; और

ण = विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विनिधान पात्र देशी कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार किया गया है) तक उपदर्शित होने वाले विनिधानों का कुल योग;

(8) अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 घ(छ)] के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत कर वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी:–

$$\frac{\text{त}}{\text{द}} \times \text{थ}$$

जहाँ, -

त = अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, सुसंगत कर वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा एक या अधिक पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों में किए गए विनिधान से उपार्जित या उद्भूत या इसके परिणामस्वरूप या प्राप्त आय;

थ = पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र ऋण सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार दिया गया है) तक उपदर्शित होने वाले पात्र ऋणों का कुल योग, जो उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्तिद्वारा किए गए किसी भी विनिधान में से पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा एक या अधिक पात्र अवसंरचना इकाई को दिया गया है; और

द = पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र में सुसंगत कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख तक (सुसंगत कर वर्ष की अंतिम तारीख, यदि पात्र ऋण सुसंगत कर वर्ष के दौरान पहली बार दिया गया है) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी विनिधान में से दिए गए, उपदर्शित होने वाले, ऋण का कुल योग।

(9) प्रत्येक पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि, पात्र देशी कंपनी और पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसने किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि के माध्यम से निधियां प्राप्त की हैं, प्रत्येक उस कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 177 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त निधियों का विवरण प्रस्तुत करेगी, जिस वर्ष के दौरान ऐसी निधियां या उसका कोई भाग ऐसे अनुकल्पी विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी में विनिधान हुए रहती है।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 177 को इलैक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और धारा 265 के अधीन ऐसे अनुकल्पी विनिधान निधि, देशी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्त कंपनी के आय विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(11) उपनियम (9) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 177, धारा 263(1)(ग) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले उस कर वर्ष, जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति से पात्र विनिधान पहली बार प्राप्त हुआ है, और विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त पात्र विनिधान वापस किए जाने तक के सभी उत्तरवर्ती कर वर्षों के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(12) इस नियम में,–

(क) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति", "पात्र अवसंरचना इकाई", "पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि", "पात्र देशी कंपनी", "पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी", "पात्र इनविट" पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7 टिप्पण 5] में उनका है;

(ख) "तुलन-पत्र" से सुसंगत कर वर्ष के 31 मार्च को तैयार किया गया तुलन-पत्र (उससे संलग्न टिप्पणियों सहित और जो लेखाओं का हिस्सा हैं) अभिप्रेत है, जो –

(i) कार्यों की सही और निष्पक्ष अवस्था प्रस्तुत करता है;

(ii) लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है; और

(iii) जिसकी लेखापरीक्षा–

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 20(5) के उपबंधों के अनुसार पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि; या

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 139 के उपबंधों के अनुसार पात्र देशी कंपनियों;

के लेखापरीक्षक द्वारा की गई है ।

(ग) "पात्र विनिधान" से ऐसे विनिधान अभिप्रेत है जो निम्नलिखित द्वारा किया गया हो, –

(i) पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले; या

(ii) पात्र देशी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले;

(घ) "पात्र ऋण" से किसी पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, लेकिन 31 मार्च, 2030 को या उससे पहले दिए गए ऋण अभिप्रेत है;

(ङ) "विनिधान" से चल और अचल आस्तियां अभिप्रेत है, जिसमें चालू और गैर-चालू विनिधान, ऋण और अग्रिम तथा नकदी और नकदी के समतुल्य भी सम्मिलित हैं; और

(च) "सुसंगत कर वर्ष" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) वह कर वर्ष जिसके लिए अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के अधीन छूट प्राप्त आय की संगणना की जानी है;

(ii) कर वर्ष 2030-2031, उपनियम (5) के प्रयोजनों के लिए, चाहे इसे अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के अधीन छूट प्राप्त है, उस वर्ष की आय की संगणना लिए अपेक्षित नहीं है।

284. अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 5] के प्रयोजन के लिए शर्तें- (1)

(क) अपरिदेय अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्नों का अंतरण; या

(ख) अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्न पर आय का वितरण,

के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को प्राप्त होने वाली या उपार्जित होने वाली आय को अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 5] के अधीन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन छूट दी जाएगी:–

(i) अनिवासी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी अपतटीय बैंककारी इकाई, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण या किसी विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई है, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के अधीन प्रदान किया गया विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, के साथ अपरिदेय अग्रिम संविदा या अपतटीय व्युत्पन्न लिखत या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्न किया गया है; और

(ii) ऐसी संविदा, लिखत या व्युत्पन्न जो अनिवासी द्वारा भारत में स्थित उसके स्थायी स्थापन के माध्यम से या उसकी ओर से नहीं किया गया है।

(2) अपतटीय बैंककारी इकाई या विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (1)(ii) में दी गई शर्त का अनुपालन किया जाए।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "व्युत्पन्न" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(कग) में उसका है;

(ख) "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान) विनियम, 2019 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अपरिदेय अग्रिम संविदा" से पूर्व में सहमत विनिमय दर और परिपक्वता पर वास्तविक मौजूदा दर के बीच के अंतर के लिए की गई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें मौजूदा दर को घरेलू दर या बाजार द्वारा निर्धारित दर माना जाता है और ऐसी संविदा का निपटान विदेशी मुद्रा में एकमुश्त संदाय के साथ किया जाता है;

(घ) "अपतटीय बैंककारी इकाई" से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित बैंककारी शाखा इकाई अभिप्रेत है;

(ङ) "अपतटीय व्युत्पन्न लिखत" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान) विनियम, 2019 के विनियमन 2(1)(ण) में उसका है;

(च) "ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्न" से कोई ऐसी व्युत्पन्न संविदा अभिप्रेत है जिसका किसी एक्सचेंज पर कारोबार नहीं होता है, किन्तु क्रेता और विक्रेता के बीच निजी तौर पर बातचीत के माध्यम से तय किया जाता है; और

(छ) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 173(ग) में उसका है।

285. मूल निधि आदि के पुनःस्थापन के संबंध में पूंजी अभिलाभ के रूप में छूट प्राप्त आय की संगणना- (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 10] के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा उद्भूत या प्राप्त पूंजी अभिलाभ के रूप में आय, जो किसी अनिवासी (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन न होने पर) द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट निधि में धारित इकाइयों के परिणामस्वरूप है, की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:–

(क) जहां विनिर्दिष्ट निधि उपनियम (2) के अनुसार प्ररूप संख्या 178 फाईल करती है, अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 10] के अधीन छूट प्राप्त आय=[(क×ख)/ग], जहाँ,-

क= किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा उद्भूत या प्राप्त पूंजी अभिलाभ के रूप में आय, जो भारत में निवासी किसी कंपनी के शेयरों के अंतरण के कारण होती है, और जहां ऐसे शेयर विनिर्दिष्ट निधि द्वारा, जो कि परिणामी निधि है, मूल निधि से या उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से अंतरण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, और ऐसे पूंजी अभिलाभ कर से प्रभार्य नहीं होगा यदि पुनःस्थापन नहीं हुआ है;

ख= विनिर्दिष्ट निधि की दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" का कुल योग, जो अनिवासी इकाई धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन न होने पर) द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से लेकर ऐसे शेयर के अंतरण की तारीख तक धारित की गई हैं; और

ग= विनिर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से विनिर्दिष्ट निधि की दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" का कुल योग ऐसे शेयरों के अंतरण की तारीख तक; और

(ख) यदि विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्ररूप संख्या 178 फाईल नहीं किया जाता है, तो छूट प्राप्त आय शून्य होगी।

(2) विनिर्दिष्ट निधि नियत तारीख को या उससे पहले डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप संख्या 178 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगी, जो उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित होगा।

(3) यह उपनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण को **धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित** लेखाकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रमाणित करवाया जाएगा और ऐसा लेखाकार उस तारीख तक प्ररूप संख्या 179 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जो उसमें दर्शाई गई रीति में सम्यक रूप से सत्यापित होगा।

(4) इस नियम में,–

(क) "प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ" पद से किसी विशिष्ट तारीख पर विनिर्दिष्ट निधि की आस्तियों या विनिधानों के मूल्य का अतिंम अतिशेष अभिप्रेत है;

(ख) "नियत तारीख" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 263(1)(ग) में उसका है;

(ग) "मूल निधि", "अंतरण", "परिणामी निधि", "प्रतिभूतियाँ", "विनिर्दिष्ट निधि" और "इकाई" पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम की अनुसूची 6 में उनका है;

(घ) "स्थायी स्थापन" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 173 (ग) में उसका है; और

(ङ) प्ररूप संख्या 178 में वार्षिक विवरण के प्रमाणीकरण के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" से नियत तारीख से एक मास पहले की तारीख अभिप्रेत है।

286. अधिनियम की अनुसूची 7 के अधीन कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किसी निधि के अनुमोदन हेतु अपेक्षाएं [सारणी: क्रम संख्या 2]–(1) कर्मचारियों और उनके आश्रितों (जहां ऐसे कर्मचारी ऐसी निधि के सदस्य हैं) के कल्याण के लिए ऐसे प्रयोजन हेतु जो, बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाए, स्थापित कोई भी निधि किसी न्यास के अधीन गठित की जाएगी और यह एक न्यास विलेख द्वारा प्रमाणित होगी।

(2) निधि में अभिदाय कर्मचारियों द्वारा आवधिक अभिदान द्वारा किया जाएगा।

(3) अनुमोदन हेतु आवेदन प्ररूप संख्या 180 में ऐसे प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता में वह क्षेत्र या राज्यक्षेत्र है जिसमें खाते रखे गये हैं, और ऐसे आवेदन के साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

(4) प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त, जहां उसका समाधान हो जाता है कि,–

(क) अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 2] में अधिकथित सभी शर्तों और इस नियम का पालन किया गया है, वह लिखित रूप में ऐसे समाधान को अभिलिखित करेगा और निधि को कर वर्ष या उन वर्षों को विनिर्दिष्ट करते हुए अनुमोदन प्रदान करेगा जो तीन कर वर्षों से अधिक नहीं होंगे जिनके लिए अनुमोदन विधिमान्य होगा;

(ख) यदि अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 2] में अधिकथित शर्तों और इस नियम का पालन नहीं किया गया है, तो वह अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् अनुमोदन के लिए आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(5) उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

287. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 17 और 18] के प्रयोजनों के लिए किसी विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था को सरकार द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित मानने हेतु सरकारी अनुदान का प्रतिशतता। - अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 17 और 18] के प्रयोजनों के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या उसमें निर्दिष्ट अन्य संस्था को किसी कर वर्ष के लिए सरकार द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित माना जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को उस कर वर्ष के लिए सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, उक्त कर वर्ष के दौरान प्राप्त किन्हीं दोनों सहित, उनकी कुल प्राप्तियों के 50% से अधिक हो।

288. अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 46] के अधीन छूट के प्रयोजन हेतु किसी अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना के लिए प्रक्रिया- (1) इस नियम के अधीन प्रत्येक अवसंरचना ऋण निधि को भारतीय रिज़र्व बैंक उपबंधित नियामक ढांचे में अधिकथित शर्तों के अनुरूप और उनका समाधान करने वाली किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।

(2) अवसंरचना ऋण निधि की निधियों का विनिधान केवल निम्नलिखित में किया जाएगा:–

(क) प्रचालन के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् अवसंरचना परियोजनाएं जिन्होंने कम से कम एक वर्ष का समाधानप्रद वाणिज्यिक प्रचालन पूरा कर लिया हो; या

(ख) प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में टोल-प्रचालन-अंतरण परियोजनाएं।

(3) अवसंरचना ऋण निधि निम्नलिखित सारणीके स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट रीति निधि एकत्रित करेगी, जो कि उसके स्तंभ ग में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

सारणी

क्रम संख्या	निधि एकत्रित करने की रीति	शर्तें
क	ख	ग
1.	रुपये मूल्यवर्ग के बंधपत्र या विदेशी मुद्रा बंधपत्र का जारी किया जाना।	(क) ऐसे बंधपत्र भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियम, 2000 के अधीन संबंधित विनियमों के अनुरूप होने चाहिए; और (ख) यदि उक्त बंधपत्र में विनिधान करने वाला विनिधानकर्ता अनिवासी है, तो ऐसे अनिवासी विनिधानकर्ता द्वारा पहले विनिधान के समय बंधपत्र की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी।
2.	शून्य कूपन बंधपत्र का जारी किया जाना	(क) ऐसे बंधपत्र नियम 7 के अनुसार; और (ख) क्रम संख्या 1 के खंड (ख) स्तंभ ग में यथाउल्लिखित।
3.	बाह्य वाणिज्यिक उधार के अधीन ऋण मार्ग के माध्यम से धन एकत्रित करना।	(क) ऐसी बाह्य वाणिज्यिक उधारी, भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग के निदेशों के अनुसार होगी; और

		(ख) अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी और इस प्रकार के ऋण भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से नहीं लिए जाएंगे।

(4) किसी भी समय अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किसी व्यक्तिगत परियोजना या समूह से संबंधित परियोजना में किया गया विनिधान, समग्र निधि के 20% से अधिक नहीं होगा।

(5) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किसी ऐसी परियोजना में विनिधान नहीं किया जाएगा जिसमें उसके विनिर्दिष्ट शेयरधारक या संबद्ध उद्यम या ऐसे विनिर्दिष्ट शेयरधारक के समूह का सारवान् हित हो।

(6) अवसंरचना ऋण निधि धारा 263(1)(क) द्वारा यथाअपेक्षित अपनी आय की विवरणी धारा 263(1)(ग) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले फाईल करेगी।

(7) यदि अवसंरचना ऋण निधि इस नियम में दी गई किसी भी शर्त या भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों को पूरा नहीं करती है, तो अधिनियम के सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह अधिनियम की अनुसूची 7 [सारणी: क्रम संख्या 46] में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि न हो।

(8) इस नियम में,–

(क) "संबद्ध उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 162 में उसका है;

(ख) "स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 2(40) में उसका है;

(ग) "समग्र निधि" से विनिधान के प्रयोजन से एकत्रित की गई अवसंरचना ऋण निधि की कुल निधियां अभिप्रेत हैं;

(घ) "समूह" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 की धारा 2(डड) में परिभाषित समूह अभिप्रेत है;

(ङ) किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में सारवान् रूप से हित रखने वाला माना जाएगा:

(i) किसी कंपनी, यदि वह शेयरों (वे शेयर नहीं जो निश्चित दर पर लाभांश के हकदार हैं, चाहे लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार हो या न हो) का फायदाग्राही स्वामी है (जिसमें

उसके एक या अधिक नातेदारों द्वारा धारित फायदाग्राही स्वामित्व भी सम्मिलित है, यदि वह व्यक्ति कोई व्यष्टि है) और उसके पास कम से कम 10% का मताधिकार है; या

(ii) कंपनी के सिवाय कोई समुत्थान, यदि वह कर वर्ष के दौरान किसी भी समय, ऐसे समुत्थान की आय के कम से कम 20% का फायदाग्राही हकदार है;

(च) किसी व्यक्ति के संबंध में "नातेदार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) उस व्यक्ति का पति या पत्नी; या

(ii) उस व्यक्ति का भाई या बहन; या

(iii) उस व्यक्ति के पति या पत्नी का भाई या बहन; या

(iv) व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक का भाई या बहन; या

(v) उस व्यक्ति का कोई भी वंशज या पूर्वज; या

(vi) उस व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई भी वंशज या पूर्वज; या

(vii) उपखंड (ii) से उपखंड (vi) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के पति या पत्नी; या

(viii) किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी के भाई या बहन का कोई भी वंशज; और

(छ) "विनिर्दिष्ट शेयरधारक" से कोई ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, या बैंक, या किसी अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो अवसंरचना ऋण निधि में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मताधिकार के कम से कम 30% धारित करता है।

289. निर्वाचन न्यास के कृत्यों के लिए नियम– (1) अधिनियम की अनुसूची 8 [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट निर्वाचन न्यास इस नियम के उपबंधों के अनुसार कृत्य करेगा।

(2) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है; या

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी; या

(ग) भारत में निवासी किसी फर्म या हिंदू अविभक्त परिवार या व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय।

(3) निर्वाचन न्यास केवल बैंक पर आहरित पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या अपने बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से ही अभिदाय स्वीकार करेगा और नकद में कोई अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(4) निर्वाचन न्यास, अभिदायकर्ता, जो एक निवासी है, के स्थायी खाता संख्या और गैर-निवासी भारत के नागरिक के मामले में पासपोर्ट संख्या के बिना कोई अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(5) किसी भी अभिदाय की प्राप्ति पर न्यास द्वारा तुरंत निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाली रसीद जारी की जाएगी: –

(क) अभिदायकर्ता का नाम और पता;

(ख) अभिदायकर्ता का स्थायी खाता संख्या या यदि कोई नागरिक निवासी नहीं है तो उसकी पासपोर्ट संख्या;

(ग) अभिदाय की रकम और रीति, जिसमें बैंक का नाम और शाखा तथा अभिदाय प्राप्त होने की तारीख भी सम्मिलित है;

(घ) निर्वाचन न्यास का नाम;

(ङ) चुनावी न्यास का स्थायी खाता संख्या;

(च) विहित प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति की तारीख और संख्या; और

(छ) रसीद जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम।

(6) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा–

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, या किसी विदेशी इकाई का नागरिक है, चाहे वह निगमित हो या नहीं; या

(ख) किसी अन्य निर्वाचन न्यास से, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2023 का 18) की धारा 8 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रकृत किया गया है और जिसे निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन निर्वाचन न्यास के रूप में अनुमोदित किया गया है; या

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2023 का 18) की धारा 2(45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी से; या

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2(ञ) में यथापरिभाषित किसी विदेशी स्रोत।

(7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल एक पात्र राजनैतिक दल होगा और कोई निर्वाचन न्यास केवल पात्र राजनैतिक दलों को ही निधि वितरित करेगा।

(8) (क) निर्वाचन न्यास अपने कार्यों के प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, निगमन के पहले वर्ष में 500000 रु. और पश्चात्वर्ती वर्षों में 300000 रु. की कुल सीमा के अध्यधीन, एक वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय के 5% तक खर्च कर सकता है;

(ख) पूर्ववर्ती कर वर्ष के अधिशेष, यदि कोई हो, के साथ किसी कर वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय से कार्यों के प्रबंधन पर खर्च की गई रकम को घटाकर बची रकम, उस कर वर्ष के लिए वितरण योग्य अभिदाय होगा; और

(ग) किसी निर्वाचन न्यास को खंड (ख) में निर्दिष्ट कर वर्ष के लिए, कर वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अभिदायों के साथ पूर्ववर्ती कर वर्ष से अग्रणीत अधिशेष, यदि कोई हो, के कम-से-कम 95% का वितरण किए जाने की शर्त के अध्यधीन, वितरण योग्य अभिदायों को उक्त कर वर्ष की 31 मार्च से पहले पात्र राजनैतिक दलों को वितरित करना अपेक्षित होगा।

(9) न्यास पात्र राजनैतिक दल से एक रसीद प्राप्त करेगा जिसमें राजनैतिक दल का नाम, उसका स्थायी खाता संख्या, रजिस्ट्रीकरण संख्या, ट्रस्ट से प्राप्त निधि की राशि, प्राप्ति की तारीख और ऐसी रसीद पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम अंकित होगा।

(10) निर्वाचन न्यास सदस्यों या अभिदायकर्ताओं, या निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए अभिदाय को प्रयुक्त नहीं करेगा:–

(क) निर्वाचन न्यास के सदस्य (जिनमें इसकी कार्यकारी समिति, शासी समिति या निदेशक मंडल के सदस्य भी सम्मिलित हैं); या

(ख) ऐसे सदस्यों का कोई नातेदार; या

(ग) जहां ऐसा सदस्य या अभिदायकर्ता एक हिंदू अविभक्त परिवार है, उस हिंदू अविभक्त परिवार का कोई सदस्य; या

(घ) कोई व्यक्ति जिसने न्यास में अभिदाय किया हो; या

(ङ) धारा 355(ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति; या

(च) कोई ऐसा समुत्थान जिसमें खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी का सारवान् हित हो।

(11) (क) कोई निर्वाचन न्यास अपनी प्राप्तियों, वितरणों और व्यय के संबंध में ऐसे लेखा बही और अन्य दस्तावेज रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय की संगणना में समर्थ कर सके;

(ख) निर्वाचन न्यास उन व्यक्तियों की सूची भी रखेगा जिनसे अभिदाय प्राप्त हुए हैं और जिन्हें वे अभिदाय वितरित किए गए हैं, जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या, रकम का ब्यौरा और इसके संदाय की रीति के साथ बैंक का नाम और शाखा भी सम्मिलित होगा।

(12) प्रत्येक निर्वाचन न्यास धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाएगा और धारा 263(1)(क)(iii) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व या उस तारीख तक प्ररूप संख्या 181 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इसके उपाबंध के भाग के रूप में विशिष्टियों के साथ, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को प्रस्तुत करेगा।

(13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 181,–

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, यदि आय विवरण डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है; या

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले मामले में इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(15) कोई निर्वाचन न्यास सभी बैठकों की कार्यवाही और उसमें लिए गए निर्णयों का नियमित अभिलेख रखेगा।

(16) प्रत्येक निर्वाचन न्यास ऐसे अभिदायकर्ताओं की सूची और राजनैतिक दलों की सूची, जिन्हें उपनियम (8) में निर्दिष्ट रीति में धनराशि वितरित की गई प्रमाणित प्रति प्रत्येक कर वर्ष में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को उपनियम (12) के अधीन उल्लिखित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

(17) निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन प्रदान किए गए अनुमोदन के पश्चात् शेयरधारकों में किसी परिवर्तन को, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

290. चाय विकास लेखा, कॉफी विकास लेखा और रबड़ विकास लेखा के लिए कटौती हेतु, धारा 48 के साथ पठित अनुसूची 9 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट- किसी निर्धारिती के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसे धारा 48 के साथ पठित अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 182 में होगी।

291. कार्यस्थल पुनःस्थापन निधि के लिए कटौती हेतु, धारा 49 के साथ पठित अनुसूची 10 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाले लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट- किसी निर्धारिती के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट धारा 49 के साथ पठित अनुसूची 10 के पैरा 2 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 183 में होगी।

292. निधि धन का विनिधान- (1) भविष्य निधि में सभी अभिदाय, चाहे नियोक्ता द्वारा किए गए हों या कर्मचारियों द्वारा, या किसी पूर्व नियोक्ता द्वारा बनाए गए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते से अंतरित किए गए हों, या ब्याज के रूप में या अन्यथा उपार्जित किए गए हों, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में दिए गए लिखतों में, स्तंभ 3 में दी गई प्रतिशतता के अध्यधीन, विनिधान किए जाएंगे:

सारणी

विनिधान पैटर्न

क्रम संख्या	विनिधान	स्तंभ 2 में निर्दिष्ट मदों में विनिधान की जाने वाली प्रतिशतता रकम
1	2	3
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित विनिधान।	न्यूनतम 45%।
2.	ऋण लिखत और संबंधित विनिधान।	न्यूनतम 35%।
3.	अल्पकालिक ऋण लिखत और संबंधित विनिधान।	5% तक।
4.	शेयर बाजार और संबंधित विनिधान।	न्यूनतम 5%।
5.	आस्ति समर्थित, न्यास संरचित और विविध विनिधान।	5% तक।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिधानों की प्रकृति का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में तारीख 29 मार्च, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1433(अ), समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्दिष्ट है और उक्त विनिधान उक्त ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में विनिधान न की गई कोई निधि निम्नलिखित में जमा की जा सकेगी:

(i) भारत में डाकघर बचत बैंक खाता; या

(ii) किसी अनुसूचित बैंक में कोई चालू खाता या बचत बैंक खाता।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "सरकारी प्रतिभूतियाँ" पद का वही अर्थ होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2(च) में उनका है;

(ख) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति कर वर्ष में निधि के पास उपलब्ध कुल रकम पर लागू होगी;

(ग) किसी निधि के भाग के रूप में किसी प्रतिभूति या निक्षेप के अंतरण, परिपक्वता या वसूली पर प्राप्त धनराशि या किसी बैंक खाते (डाकघर बचत बैंक खाते सहित) से निकासी द्वारा प्राप्त धनराशि को निधि में उपार्जित धनराशि माना जाएगा; और

(घ) "अनुसूचित बैंक" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक; या

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक; या

(iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक; या

(iv) कोई अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है।

293. नामनिर्देशन- (1) भविष्य निधि के न्यासी किसी कर्मचारी को, उसकी मृत्यु की स्थिति में भविष्य निधि में संचित राशि प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसा नामनिर्देशन प्ररूप संख्या 184 में किया जाएगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करता है, तो वह अपने नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति को संदेय रकम या अंश इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि भविष्य निधि में उसके खाते में जमा होने वाली पूरी राशि का उपयोग हो सके।

(3) जहां नामनिर्देशन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामनिर्देशन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा और किसी कर्मचारी द्वारा अपने परिवार से संबंधित न होने वाले व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा, किंतु यदि कर्मचारी बाद का में परिवार बन जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा और कर्मचारी तब अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामनिर्देशन कर सकता है।

(5) यदि नामनिर्देशन किसी अवयस्क के पक्ष में हो, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो सदस्य किसी वयस्क परिवार के सदस्य को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और यदि कोई वयस्क परिवार का सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक चुन सकता है।

(6) कोई कर्मचारी प्ररूप संख्या 184 में न्यासियों को लिखित सूचना देकर किसी भी समय नामनिर्देशन में संशोधन कर सकेगा और यदि नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है, तो नामनिर्देशन कर्मचारी को वापस मिल जाएगा जो उस हित के लिए नया नामनिर्देशन कर सकेगा।

(7) नामनिर्देशन या उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह न्यासियों द्वारा प्राप्त होने की तारीख को विधिमान्य है।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" से,—

(क) पुरुष सदस्य के मामले में, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे; और

(ख) महिला सदस्य के मामले में, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे;

अभिप्रेत है।

294. लेखे- (1) भविष्य निधि के लेखे बारह मास से अनधिक के अंतराल पर तैयार किए जाएंगे।

(2) निधि के प्रत्येक अभिदाता के लिए एक लेखा रखा जाएगा और उसमें प्ररूप संख्या 185 के भाग-क में दर्शायी गई विशिष्टियां भी सम्मिलित होंगी।

(3) जहां भविष्य निधि के लेखे भारत के बाहर रखे जाते हैं, वहां लेखाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक वर्ष 15 जून या निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत किसी अन्य पश्चात्वर्ती तारीख तक भारत में नियोक्ता के स्थानीय प्रतिनिधि को प्रदाय कराई जाएंगी।

(4) भविष्य निधि में भाग लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी के कर वर्ष के व्यक्तिगत लेखा का सारांश न्यासियों द्वारा प्ररूप संख्या 185 के भाग-ख में निम्नानुसार–

(क) उस क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को जिसमें निधि के लेखा रखे जाते हैं, या यदि लेखा भारत के बाहर रखे जाते हैं, तो उस क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को जिसमें नियोक्ता का स्थानीय मुख्यालय स्थित है; और

(ख) प्रत्येक वर्ष 15 जून तक या निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत किसी अन्य **पश्चात्वर्ती** तारीख तक।

प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 11(1) के उपबंधों के अधीन बनाए जाने वाले लेखाओं में प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा:

(क) भविष्य निधि में कर्मचारी की भागीदारी की अवधि के दौरान उसे संदत्त कुल वेतन;

(ख) कुल अभिदाय;

(ग) उस पर उपार्जित कुल ब्याज; और

(घ) जहां तक संभव हो, कर्मचारी के वेतन का वह प्रतिशत जिसके अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा अभिदाय किया गया है।

(6) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, निधि में उसके खाते का विवरण निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रत्येक सदस्य को भेजेगा:

(क) अवधि के प्रारंभ में प्रारंभिक अतिशेष;

(ख) वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम;

(ग) अवधि के अंत में प्रत्यय किया गया या अवधि के दौरान विकलन किया गया कुल ब्याज; और

(घ) अवधि के अंत में अंतिम अतिशेष ।

295. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में फायदाप्रद हित पर समनुदेशन या प्रभार सृजित करना- यदि कोई कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने फायदाप्रद हित पर कोई समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी को इस समनुदेशन या प्रभार की जानकारी होने पर कर्मचारी को सूचना जारी करना होगा, जिसमें कर्मचारी को सूचित किया जाएगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर समनुदेशन या प्रभार को रद्द नहीं करता है, तो ऐसे समनुदेशन या प्रभार के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय माना जाएगा जिसमें निर्धारण अधिकारी को स्थिति ज्ञात हुई, और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

296. मान्यता हेतु आवेदन- (1) मान्यता के लिए कोई आवेदन उस ऐसी भविष्य निधि अनुरक्षित करने वाले नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए मान्यता की ईप्सा की गई है, और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:–

(क) मूल न्यास विलेख की एक प्रति, यदि कोई हो; और

(ख) निधि के नियमों की एक प्रति।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित के निर्धारण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) वह क्षेत्र जिसमें निधि के खाते रखे जाते हैं; या

(ख) यदि खाते भारत के बाहर रखे जाते हैं, तो वह क्षेत्र जिसमें नियोक्ता का स्थानीय मुख्यालय स्थित है।

(3) आवेदन प्ररूप संख्या 186 में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट रीति में सत्यापित किया जाएगा।

(4) कोई निधि जिसे 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और तत्पश्चात् जिसने मान्यता के लिए आवेदन नही किया है, उपनियम (2) में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के माध्यम से प्ररूप संख्या 186 में एक नया आवेदन करेगी।

297. मान्यता का आदेश- (1) भविष्य निधि को मान्यता देने का आदेश उस मास के तत्काल **पश्चात्वर्ती** मास के पहले दिन से प्रभावी होगा, जिस मास में संबंधित आयकर प्राधिकारी को मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जब तक कि नियोक्ता के अनुरोध पर उसी वित्तीय वर्ष के किसी पश्चात्वर्ती मास का पहला दिन निर्दिष्ट न किया गया हो:

(2) उपनियम (1) के अनुसार, यदि अनुमोदन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने में देरी का पर्याप्त कारण था, तो वह उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से पहले की तारीख से निधि को मान्यता प्रदान कर सकेगा जिसमें आवेदन किया गया है।

298. मान्यता वापस लेना।- (1) अनुमोदन प्राधिकारी को किसी भविष्य निधि की दी गई मान्यता रद्द करने का अधिकार है यदि वह आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क में इसके निरसन होने से पूर्व विद्यमान उल्लिखित शर्तों या अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क और भाग ग में उल्लिखित शर्तों या उक्त अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता दिए जाने के पश्चात् निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है, और यदि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के अधीन दी गई छूट उसी अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन वापस ले ली जाती है, तो मान्यता वापस ली जा सकेगी।

(2) मान्यता वापस लेने से पहले, अनुमोदन प्राधिकारी नियोक्ता और निधि के न्यासियों को यह कारण प्रदर्शित करने का अवसर देगा कि मान्यता वापस क्यों नहीं ली जानी चाहिए।

299. मान्यता वापस लेने पर कर से छूट- यदि अनुमोदन प्राधिकारी किसी भविष्य निधि से मान्यता वापस ले लेता है, तो मान्यता वापस लेने से पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा का अतिशेष, अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे संदत्त संचित अतिशेष प्राप्त होने के समय कर मुक्त रूप से संदत्त की जाएगी, और उसके लिए शेष संचित अतिशेष पर इस प्रकार कर के अध्यधीन होगा मानो निधि को कभी मान्यता दी ही न गई हो।

300. अधिनियम की अनुसूची 10 के भाग क के अनुच्छेद 13(1) के अधीन अपील- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग क के अनुच्छेद 13(1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 187 में की जाएगी और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित की जाएगी तथा इसके साथ 1000 रु. की फीस संलग्न की जाएगी।

301. नियम 302 से नियम 315 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ- नियम 302 से नियम 315 के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "अनुमोदन प्राधिकारी" पद से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है।

(ख) "फायदाग्राही" पद से अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के अनुच्छेद 3(ख) में निर्दिष्ट वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए वार्षिकी का उपबंध किया गया है;

(ग) "निधि" पद से ऐसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि का कोई भाग अभिप्रेत है, जिसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन का संदाय करने के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित या गठित निधि भी सम्मिलित है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए; और

(घ) "न्यास" पद से वह न्यास अभिप्रेत है जिसके अधीन अधिवार्षिकी निधि की स्थापना की जाती है तथा "न्यासी" शब्द से उसके न्यासी अभिप्रेत हैं।

302. न्यास और न्यासियों के संबंध में शर्तें- (1) निधि और न्यास की स्थापना भारत में की जाएगी।

(2) न्यास में कम से कम दो न्यासी होंगे, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित किसी कंपनी को अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) निधि के न्यासी भारत में निवासी होंगे और कोई न्यासी जो भारत को स्थायी रूप से छोड़ देता है, वह अपना पद छोड़ देगा।

303. निधि धनराशि का विनिधान- (1) निधि में अभिदाय की गई, या ब्याज के रूप में प्राप्त या उपार्जित की गई, या किसी अन्य रूप में प्राप्त हुई सभी धनराशियाँ:

(क) भारत में डाकघर बचत बैंक खाते में जमा की जा सकेंगी; या

(ख) किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जा सकेंगी; या

(ग) नियम 307 के अनुसार किसी बीमा योजना के अधीन संदाय या उस नियम में निर्दिष्ट वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग की जा सकेंगी;

(2) उपनियम (1) में यथाउल्लिखित अनुसार जमा या उपयोग न की गई कोई भी निधि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की समय-समय पर यथासंशोधित, तारीख 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 11/14/2013-पीआर, के अनुसरण में विनिधान की जाएगी।

304. किसी निधि में निदेशकों का प्रवेश- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित कंपनी निदेशक, केवल तभी निधि से फायदा प्राप्त कर सकता है, यदि वह कंपनी का सद्भावपूर्व पूर्णकालिक कर्मचारी है और कंपनी में कुल मताधिकार के 5% से अधिक शेयरों का फायदाप्रद स्वामित्व नहीं रखता है।

305. सामान्य वार्षिक अभिदाय- प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियोक्ता द्वारा निधि में वार्षिक अभिदाय, नियोक्ता द्वारा उसी कर्मचारी के लिए उस वर्ष के दौरान भविष्य निधि में किए गए किसी अभिदाय को घटाकर उस वर्ष के वेतन के 27% से अधिक नहीं होगा, चाहे वह मान्यता प्राप्त हो या नहीं।

306. आरंभिक अभिदाय- धारा 29(1)(क) के अधीन अनुज्ञेय कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्त के अध्यधीन, जो कोई विनिर्दिष्ट करने के लिए उचित समझे, किसी कर्मचारी की पूर्व सेवाओं के लिए नियोक्ता द्वारा अधिवार्षिकी निधि में आरंभिक अभिदाय, उसी कर्मचारी के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए भविष्य निधि (मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त), यदि कोई हो, में नियोक्ता के अभिदाय को घटाकर पूर्व सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन के 27% से अधिक नहीं होगा।

307. बीमा या वार्षिकी स्कीम- (1) फायदाग्राहियों के लिए वार्षिकी प्रदान करने के प्रयोजन से, न्यासी–

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित जीवन बीमा निगम या अधिनियम की धारा 2(58) में यथापरिभाषित किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ बीमा स्कीम में शामिल होगा; या

(ख) प्रत्येक फायदाग्राही के संबंध में अभिदाय संचय करना और प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय या सेवानिवृत्ति से पहले उसके अक्षम हो जाने पर उक्त भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से वार्षिकी क्रय करना ।

(2) उपनियम (1) के उपबंध किसी अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्थापित या गठित किसी निधि पर लागू नहीं होंगे, जिसका एकमात्र प्रयोजन निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार पेंशन या पारिवारिक पेंशन का संदाय करना है:–

(क) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5); या

(ख) बैंककारी कंपनियां उपक्रमों का (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40); या

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23); या

(घ) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38); या

(ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61); या

(च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18);

(छ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28); या

(ज) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62); या

(झ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39); या

(ञ) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53)

308. वार्षिकी का साशंशीकरण- वार्षिकी के साशंशीकरण में किया गया कोई भी संदाय निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा–

(क) ऐसे मामले में, जहां कर्मचारी को कोई उपदान प्राप्त होता है, तो वार्षिक, जिसे वह सामान्यतः प्राप्त करने का हकदार है, के एक तिहाई का साशंशीकरण मूल्य, और

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसी वार्षिकी के आधे का साशंशीकरण मूल्य, जहां ऐसा साशंशीकरण मूल्य जिसे प्राप्तकर्ता की आयु, उसके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज दर और आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मृत्यु दर सारणियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

309. फायदाग्राही का बीमा में कोई हित न होना और नियोक्ता का निधि में कोई हित न होना- (1) किसी फायदाग्राही का किसी निधि के नियमों के अधीन न्यासियों द्वारा ली गई किसी बीमा पॉलिसी में कोई हित नहीं होगा और वह केवल निधि से वार्षिकी का हकदार होगा।

(2) किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा निधि से संबंधित कोई धन प्राप्य किये जाने योग्य नहीं होगा और न ही नियोक्ता को निधि पर कोई ग्रहणाधिकार या प्रभार होगा।

310. शास्तियां, जहां कर्मचारी निधि में हित समनुदेशित करता है या उस पर प्रभार सृजित करता है- जहां कोई कर्मचारी किसी निधि में अपने फायदाप्रद हित का समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर प्रभार या समनुदेशन को रद्द नहीं करवाता है, तो ऐसे प्रभार या समनुदेशन के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में उसकी आय माना जाएगा जिसमें यह तथ्य निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

311. कारबार के परिसमापन आदि, के संबंध में व्यवस्थाएँ- जब नियोक्ता का कारबार बंद या समाप्त किया जाना हो, तो न्यासी, अनुमोदन प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन से और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन, वर्तमान कर्मचारियों को या उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी विधवाओं, बच्चों या आश्रितों को वार्षिकी प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

312. निधि के परिसमापन आदि के लिए व्यवस्थाएँ- निधि के परिसमापन या किसी अन्य निधि के साथ इसके समामेलन से संबंधित कोई भी व्यवस्था अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और उसके द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी, जो अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए।

313. अनुमोदन का आवेदन-अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 4(1) के अधीन अधिवार्षिकी निधि के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप संख्या 188 में किया जाएगा और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित किया जाएगा।

314. निधि के नियमों आदि का संशोधन- अनुमोदित निधि के नियमों, इसके गठन, उद्देश्यों या शर्तों में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

315. अधिवार्षिकी निधि के मामले में अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 187 में की जाएगी और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित की जाएगी तथा इसके साथ 1,000 रु. की फीस संलग्न होगी।

316. नियम 317 से नियम 329 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ- नियम 317 से नियम 329 के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "अनुमोदन प्राधिकारी" पद से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है।

(ख) "फायदाग्राही" पद से अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 3(ख) में निर्दिष्ट वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिनके लिए उपदान का उपबंध किया गया है;

(ग) "निधि" से पद "उपदान निधि" अभिप्रेत है; और

(घ) "न्यास" पद से वह न्यास अभिप्रेत है जिसके अधीन निधि की स्थापना की गई है और "न्यास" पद से उसका कोई न्यासी अभिप्रेत है।

317. न्यास और न्यासियों के संबंध में शर्तें- (1) निधि और न्यास की स्थापना भारत में की जाएगी।

(2) न्यास में कम से कम दो न्यासी होंगे, परंतु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित किसी कंपनी को अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) निधि के न्यासी भारत में निवासी होंगे और कोई न्यासी जो भारत को स्थायी रूप से छोड़ देता है, वह अपना पद रिक्त देगा।

318. निधि धनराशि का विनिधान- (1) निधि में अभिदाय की गई, या ब्याज या अन्यथा निम्नलिखित के रूप में प्राप्त या उपार्जित की गई, या अन्यथा निम्नलिखित सभी धनराशियाँ:

(क) भारत में डाकघर बचत बैंक खाते में जमा की जाएंगी; या

(ख) किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जाएंगी; या

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या अधिनियम की धारा 2(58) में यथापरिभाषित किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ किए गए समूह उपदान स्कीम के अधीन अभिदाय करने के प्रयोजन से उपयोग की गई हो;

(2) उपरोक्त यथा उल्लिखित जमा या उपयोग न की गई कोई निधि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की समय-समय पर यथासंशोधित,

तारीख 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 11/14/2013-पीआर, के अनुसरण में विनिधान की जाएगी।

319. नामनिर्देशन-(1) उपदान निधि के न्यासी द्वारा कर्मचारी को उसकी मृत्यु की स्थिति में उपदान की रकम, इससे पहले कि वह रकम संदेय हो जाए या संदेय हो जाने के पश्चात् संदत्त न की गई हो, एक या अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए प्ररूप 184 में या यथा आवश्यक उसके निकट किसी प्ररूप में नामनिर्देशन करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है, तो वह अपने नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति को संदेय रकम या हिस्सा इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसकी मृत्यु की स्थिति में संदेय उपदान की पूरी रकम को इसमें सम्मिलित किया जा सके।

(3) यदि नामनिर्देशन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामनिर्देशन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा और ऐसे कर्मचारी द्वारा उसके परिवार से संबंधित न होने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार न हो, तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, किंतु यदि कर्मचारी बाद में परिवार प्राप्त बना लेता है, तो ऐसा नामनिर्देशन को तुरंत अविधिमान्य माना जाएगा और कर्मचारी को अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(5) किसी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन, किसी समय, प्ररूप 184 में या उसके यथासंभव निकट किसी प्ररूप में न्यासियों को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् उसके द्वारा संशोधित किया जा सकेगा, और यदि नामनिर्देशित व्यक्ति की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है, तो नामनिर्देशित व्यक्ति का हित कर्मचारी को वापस मिल जाएगा, जो तब ऐसे हित के संबंध में एक नया नामनिर्देशन कर सकेगा।

(6) नामनिर्देशन या उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह न्यासियों द्वारा प्राप्त होने की तारीख को विधिमान्य है।

(7) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णतः या आंशिकतः किसी अवयस्क के पक्ष में हो, वहाँ सदस्य इस नियम के प्रयोजनों हेतु अपने परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को नामनिर्देशित अवयस्क से व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, यदि सदस्य से पहले नामनिर्देशित व्यक्ति और नियुक्त अभिभावक की मृत्यु पहले हो जाती है, और जहाँ परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति न हो, वहाँ सदस्य अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशित व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी के संबंध में "परिवार" निम्नलिखित से मिलकर बना हुआ माना जाएगा:

(क) पुरुष कर्मचारी के मामले में, वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसकी पत्नी के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, यदि कोई हो; और

(ख) किसी महिला कर्मचारी के मामले में, वह स्वयं, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा और बच्चे, यदि कोई हों:

320. किसी निधि में निदेशकों का प्रवेश- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में यथापरिभाषित कंपनी निदेशक, केवल तभी निधि से फायदे को स्वीकार कर सकेगा, यदि वह कंपनी का सद्भावपूर्ण पूर्णकालिक कर्मचारी है और कंपनी में कुल मताधिकार के 5% से अधिक शेयरों का फायदाप्रद स्वामित्व नहीं रखता है।

321. सामान्य वार्षिक अभिदाय- नियोक्ता द्वारा किसी निधि में किया जाने वाला सामान्य वार्षिक अभिदाय ऐसे युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा, जिसे अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संबंधित कर्मचारी की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाए, किंतु ऐसा अभिदाय प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कर्मचारी के वेतन के $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक नहीं होगा।

322. आरंभिक अभिदाय- किसी निधि के फायदों में सम्मिलित कर्मचारी की विगत सेवाओं के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए आरंभिक अभिदाय के कारण कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम, नियोक्ता के साथ कर्मचारी की पिछली सेवा के प्रत्येक वर्ष के वेतन के $8\frac{1}{3}$ % से अधिक नहीं होगी।

323. किसी उपदान निधि में फायदाप्रद हित पर समनुदेशन या प्रभार सृजित करना- यदि कोई कर्मचारी किसी उपदान निधि में अपने फायदाप्रद हित पर कोई समनुदेशन या प्रभार सृजित करता है, तो निर्धारण अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा कि यदि वह सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर समनुदेशन या प्रभार को रद्द नहीं करवाता है, तो ऐसे समनुदेशन या प्रभार के लिए प्राप्त प्रतिफल को उस कर वर्ष में उसकी आय माना जाएगा जिसमें यह तथ्य निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ और तदनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा।

324. नियोक्ता का निधि में कोई हित न होना- किसी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा निधि से संबंधित कोई भी धनराशि प्राप्त किये जाने योग्य नहीं होगी और न ही नियोक्ता का निधि पर कोई ग्रहणाधिकार या प्रभार होगा।

325. कारबार आदि के परिसमापन के लिए व्यवस्थाएँ- जहां नियोक्ता के व्यापार या उपक्रम को बंद या उसका परिसमापन किया जाना हो, वहां न्यासी, अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन, विद्यमान फायदाग्राहियों को उपदान के संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था करेंगे।

326. निधि के परिसमापन के लिए व्यवस्था- निधि के परिसमापन या किसी अन्य निधि के साथ इसके समामेलन से संबंधित कोई भी व्यवस्था अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी, जो अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएं।

327. अनुमोदन हेतु आवेदन- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 4(1) के अधीन उपदान निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप संख्या 188 में किया जाएगा और उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित किया जाएगा।

328. निधि के नियमों आदि का संशोधन- अनुमोदित निधि के नियमों, इसके गठन, उद्देश्यों या शर्तों में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

329. उपदान निधि के मामले में अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील- अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग ख के पैरा 9(1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 187 में की जाएगी तथा उसमें दर्शाई गई रीति में सत्यापित की जाएगी तथा इसके साथ 1,000 रु. की फीस संलग्न होगी ।

330. अपर्यवसित जोखिमों के लिए आरक्षिती की सीमाएँ- (1) जीवन बीमा से भिन्न किसी भी बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना में, अधिनियम की अनुसूची 14 के पैरा 4(1)(घ) के अधीन कटौती के लिए पात्र किसी ऐसी अतिरिक्त आरक्षिती में अग्रणित किसी रकम सहित अपर्यवसित जोखिमों के लिए किसी आरक्षिती निधि में अग्रणित रकम, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:–

(क) जहां बीमा कारबार ऐसे अग्नि बीमा या इंजीनियरिंग बीमा से संबंधित है जिसमें आतंकवाद के जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है, वहां कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 100%; या

(ख) जहां बीमा कारबार खंड (क) में उल्लिखित बीमाओं के सिवाय अग्नि बीमा या प्रकीर्ण बीमा से संबंधित है, कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 50%; या

(ग) जहां बीमा कारबार समुद्री बीमा से संबंधित है, कर वर्ष के ऐसे कारबार की शुद्ध प्रीमियम आय का 100%।

(2) ऐसी आरक्षिती या अतिरिक्त आरक्षिती में अग्रणित रकम में से कोई रकम, जिसे किसी कर वर्ष के संबंध में इस नियम के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया, उस राजस्व लेखे में जिसमें उक्त राशि प्रत्यय की गई है के ठीक अगले पश्चात्वर्ती कर वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(3) इस नियम में,–

(क) "समुद्री बीमा" में निर्यात प्रत्यय बीमा भई सम्मिलित है; और

(ख) "शुद्ध प्रीमियम आय" से सुसंगत कर वर्ष के दौरान संदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम को घटाकर प्राप्त प्रीमियम रकम निर्दिष्ट है।

331. अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा (1)(य)(i) और पैरा (1)(ii) के अधीन अनुमोदन की प्रक्रिया- (1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 1(य)(i) के अधीन किसी पब्लिक कंपनी को या उक्त अनुसूची के पैरा 1(य)(ii) के अधीन किसी पारस्परिक निधि को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, स्वयं यह समाधान करेगा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित इकाई के लिए, आवेदन स्तंभ ग में निर्दिष्ट प्ररूप में स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न किया गया है, और आवेदन स्तंभ ङ में विहित समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया है:

सारणी

क्रम संख्या	इकाई	आवेदन प्ररूप	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन फाईल करने की समय सीमा
क	ख	ग	घ	ङ
1.	पब्लिक कंपनी	प्ररूप संख्या 189	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमन प्रमाण पत्र की प्रति; और (ख) आवेदन किए जाने वाले कर वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन कर वर्षों, या इसके अस्तित्व की अवधि, जो भी कम हो, के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा।	अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 6(i) में यथानिर्दिष्ट "पूंजी के पात्र निर्गमन" से तीन मास पूर्व।
2.	पारस्परिक निधि	प्ररूप संख्या 190	(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; और (ख) आवेदन किए जाने वाले कर वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती तीन कर वर्षों, या इसके अस्तित्व की अवधि, जो भी कम हो, के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा।	पब्लिक हेतु निर्गम से तीन मास पूर्व।

(2) बोर्ड आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत करने का कोई आदेश पारित करेगा, किंतु अनुमोदन को अस्वीकृत करने का कोई भी निर्णय आवेदक को सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक आवेदक इक्विटी निर्गम या डिबेंचर के माध्यम से एकत्रित की गई अपनी संपूर्ण संदत्त पूंजी का विनिधान निम्नलिखित रीति में करेगा:-

(क) एकत्रित की गई पूंजी का कम से कम 25% विनिधाननिम्नलिखित में किया जाएगा-

(i) पब्लिक कंपनी के मामले में, अवसंरचना इकाई में, और

(ii) पारस्परिक निधि के मामले में, अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा (6)(i) में निर्दिष्ट किसी कंपनी के पात्र पूंजी निर्गमन में;

(ख) ऐसा विनिधान बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाएगा; और

(ग) शेष पूंजी को अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर इसी प्रकार विनिधान किया जाएगा।

(4) प्रत्येक आवेदक धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से प्रत्येक कर वर्ष में विनिधान की गई रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(5) बोर्ड को उपनियम (2) के अधीन दिए गए अनुमोदन को रद्द करने का अधिकार होगा, यदि ऐसा आवेदक-

(क) उपनियम (3) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विनिधान करने में असफल रहता है; या

(ख) उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र फाईल करने में असफल रहता है।

332. प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों, प्रमाण पत्रों आदि का इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना- (1) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि परिशिष्ट 3 में यथानिर्दिष्ट प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों या प्रमाण पत्रों में से कोई भी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किए जाएंगे-

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि इसे डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है; या

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले मामले में, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली),–

(क) बोर्ड के अनुमोदन से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप, विवरणी, विवरण, आदेश, प्रमाण पत्र, जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, विनिर्दिष्ट करेंगे;

(ख) ऐसे प्रपत्रों, विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों, आदेशों को, इन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए रूपविधान में संशोधन, सहित यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने और सत्यापित करने की डेटा संरचना, मानक और प्रक्रिया अधिकथित करेगा; और

(ग) डेटा के सुरक्षित संग्रहण और प्रसारण को सुनिश्चित करने, उक्त प्ररूपों, विवरणियों, विवरणों, आदेशों और प्रमाण पत्रों के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्त नीतियों को तैयार करने और इनका कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

333. कर, ब्याज, फीस और शास्ति का इलैक्ट्रॉनिक संदाय- (1) इस नियम के प्रारम्भिक होने की तारीख से और उसके पश्चात् निम्नलिखित व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर, ब्याज, फीस और शास्ति का संदाय करेंगे:–

(क) कोई कंपनी; और

(ख) कोई व्यक्ति (कंपनी के सिवाय), जिस पर धारा 63 के उपबंध लागू होते हैं।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "इलैक्ट्रॉनिक रूप से संदाय" से निम्नलिखित रीति से संदाय अभिप्रेत है –

(i) प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंककारी प्रसुविधा; या

(ii) क्रेडिट या डेबिट कार्ड; और

(ख) "कर" शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 2(106) में उसका है ।

परिशिष्ट 1

नियम 25 देखिए

दर, जिन पर मूल्यह्रास स्वीकार्य है, की सारणी

भाग क			
मूर्त आस्तियां			
क्रम संख्या		*आस्तियों का ब्लॉक*	*लिखित मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास मोक*
(1)		(2)	(3)
I.		भवन [नीचे दिए गए टिप्पण 1 से टिप्पण 4 देखें]	
	1.	होटल और अतारीख गृह के सिवाय, वे इमारतें जिनका उपयोग मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।	5
	2.	आवासीय प्रयोजनों के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले भवनों के सिवाय, जो ऊपर उप-मद (1) और नीचे उप-मद (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं।	10
	3.	जल आपूर्ति परियोजना या जल उपचार प्रणाली के भाग के रूप में मशीनरी और संयंत्र स्थापित करने के लिए भवन, जिसका उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक(4)(i) के अधीन अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करने के कारबार के प्रयोजन से किया जाता है।	40
	4	पूरी तरह से अस्थायी निर्माण जैसे कि लकड़ी की संरचनाएं	40
II		**फर्नीचर और फिटिंग**	
		विद्युत फिटिंग सहित फर्नीचर और फिटिंग [नीचे टिप्पण 5 देखें]	10
III		**मशीनरी और संयंत्र**	

	1.		उप-मद (2), उप-मद (3) और उप-मद (8) के अंतर्गत आने वाली मशीनरी और संयंत्रों के सिवाय अन्य मशीनरी और संयंत्र:		15
	2	(i)	भाड़े पर चलाने के काराबार में उपयोग की जाने वाली कारों के सिवाय मोटर कारें, जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् अधिग्रहित प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाली कारों से भिन्न है		15
		(ii)	भाड़े पर चलाने के कारबार में उपयोग किए जाने वाले कारों के सिवाय मोटर कारें, जो 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले अधिग्रहित की गईं और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई गईं ।		30
	3	(i)	विमान- विमान इंजन		40
		(ii)	मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सियाँ जिनका उपयोग भाड़े पर वाहन चलाने के व्यवसाय में किया जाता है।		30
		(iii)	मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सियाँ जिनका उपयोग भाड़े पर वाहन चलाने के कारबार में किया जाता है, जिन्हें 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले अधिग्रहित किया गया हो और जिनका उपयोग 1 अप्रैल, 2020 से पहले किया गया हो।		45
		(iv)	नया वाणिज्यिक यान जो 1 जनवरी, 2009 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अक्टूबर, 2009 से पहले अधिग्रहित किया गया हो और जिसका उपयोग 1 अक्टूबर, 2009 से पहले कारबार या वृत्ति के उद्देश्यों के लिए किया जाता हो [नीचे टिप्पण 6 देखें]		40
		(v)	रबर और प्लास्टिक के सामान बनाने वाले कारखानों में इस्तेमाल होने वाले सांचे		30
		(vi)	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो निम्नलिखित है–		
			(क)	इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण प्रणालियाँ	40
			(ख)	फेल्ट-फ़िल्टर प्रणालियां	40

			(ग)	धूल संग्राहक प्रणालियाँ	40
			(घ)	स्क्रबर-काउंटर करंट / वेंटुरी / पैक्ड बेड / साइक्लोनिक स्क्रबर	40
			(ङ)	राख प्रबंधन प्रणाली और निकासी प्रणाली	40
		(vii)	जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो कि–		
			(क)	यांत्रिक स्क्रीन प्रणाली	40
			(ख)	हवादार अपशिष्ट कक्ष (वायु संपीडन सहित)	40
			(ग)	यांत्रिक रूप से तेल और ग्रीस हटाने वाली प्रणालियाँ	40
			(घ)	रासायनिक फ़ीड प्रणाली और फ़्लैश मिक्सिंग उपकरण	40
			(ङ)	यांत्रिक फ्लोकुलेटर और यांत्रिक रिएक्टर	40
			(च)	विसरित वायु/यांत्रिक रूप से वातित सक्रिय स्लज प्रणालियाँ	40
			(छ)	वातित लैगून प्रणालियाँ	40
			(ज)	बायोफिल्टर	40
			(झ)	मीथेन-रिकवरी एनेरोबिक डाइजेस्टर सिस्टम	40
			(ञ)	वायु प्लवन प्रणालियाँ	40
			(ट)	वायु/भाप स्ट्रिपिंग प्रणाली	40
			(ठ)	यूरिया हाइड्रोलिसिस प्रणाली	40
			(ड)	समुद्री आउटफाल प्रणालियाँ	40
			(ढ)	कीचड़ से पानी निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूज	40
			(ण)	रोटेटिंग बॉयोलॉजिकल कांट्रेक्टर या बायो-डिस्क	40
			(त)	आयन एक्सचेंज रेजिन कॉलम	40
			(थ)	एक्टिव कार्बन कॉलम	40
		(viii)	(क)	ठोस अपशिष्ट, नियंत्रण उपकरण जो कास्टिक/चूना/क्रोमियम/खनिज/क्रायोलाइट पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ है	40
			(ख)	ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ	40

		(ix)	इस उप-मद की प्रविष्टि (iv), प्रविष्टि (v) और प्रविष्टि (vi) और नीचे उप-मद (7) में सम्मिलित के सिवाय लघु पैमाने के एकीकरण (एसएसआई) से लेकर बड़े पैमाने के एकीकरण/अत्यंत बड़े पैमाने के एकीकरण (एलएसआई/वीएलएसआई) तक के सभी एकीकृत सर्किट (आईसी) (हाइब्रिड एकीकृत सर्किट को छोड़कर) कवर करते हुए अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र, के साथ ही डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्रायैक आदि जैसे असतत अर्धचालक उपकरण ।		30
		(x)	जीवन रक्षक चिकित्सिय उपकरण, जो निम्नलिखित है–		
			(क)	आंतरिक उपयोग के लिए डीसी डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर	40
			(ख)	हीमोडायलिसर्स	40
			(ग)	हृदय, फेफड़े संबंधी मशीन	40
			(घ)	कोबाल्ट थेरेपी यूनिट	40
			(ङ)	कलर डॉप्लर	40
			(च)	स्पेक्ट गामा कैमरा	40
			(छ)	डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी सहित वैस्कुलर एंजियोग्राफी सिस्टम	40
			(ज)	एनेस्थीसिया उपकरण के साथ प्रयुक्त वेंटिलेटर	40
			(झ)	मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग प्रणाली	40
			(ञ)	सर्जिकल लेजर	40
			(ट)	एनेस्थीसिया के साथ उपयोग किए जाने वाले वेंटिलेटर के अलावा अन्य वेंटिलेटर	40
			(ठ)	गामा नाइफ	40
			(ड)	अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपकरण, जिसमें कीमोथेरेपी के लिए सिलैस्टिक लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रावेनस कैथेटर सम्मिलित हैं।	40
			(ढ)	फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप, जिनमें पीडियाट्रिक रीसेक्टोस्कोप/ऑडिट रीसेक्टोस्कोप, पेरिटोनियोस्कोप, आर्थोस्कोप,	40

				माइक्रोलैरिंगोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल नेज़ल फेरिंजो ब्रोंकोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल लैरिंगो ब्रोंकोस्कोप, वीडियो लैरिंगो ब्रोंकोस्कोप और वीडियो ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप और फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोप भी सम्मिलित हैं।	
			(ण)	लैप्रोस्कोप (सिंगल इनसिजन)	40
	4		रिफिल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कांच या प्लास्टिक से बने कंटेनर		40
	5		कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी सम्मिलित है (नीचे टिप्पण 7 देखें)		40
	6		1 सितंबर, 2002 को या उसके पश्चात् किसी जल आपूर्ति परियोजना या जल उपचार प्रणाली में अधिग्रहीत और स्थापित मशीनरी और संयंत्र, जिसका उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन अवसंरचना प्रसुविधा प्रदान करने के कारबार के प्रयोजन से किया जाता है [नीचे टिप्पण 4 और 8 देखें]		40
	7	(i)	कृत्रिम रेशम निर्माण मशीनरी में प्रयुक्त लकड़ी के पुर्जे		40
		(ii)	सिनेमैटोग्राफ फिल्में - स्टूडियो लाइट के बल्ब		40
		(iii)	माचिस बनाने की फैक्ट्रियां - लकड़ी के माचिस के फ्रेम		40
		(iv)	खान और पत्थर की खदानें		
			(क)	टब बनाने की रस्सियां, हॉलेज रस्सियाँ और सैंड स्टोइंग पाइप	40
			(ख)	सेफ्टी लैंप	40
		(v)	साल्ट संबंधी कृत्य- मिट्टी, रेत या चिकनी मिट्टी या इसी तरह की किसी अन्य सामग्री से बने साल्ट पैन, रिजर्वायर और कंडेंसर्स आदि।		40
		(vi)	आटा मिलें - रोलर्स		40
		(vii)	लौह एवं इस्पात उद्योग - रोलिंग मिल रोल		40
		(viii)	शर्करा से संबंधी कृत्य- रोलर्स		40

		(ix)	ऊर्जा बचत युक्तियां, जो निम्नलिखित है–			
			क.	विशेषीकृत बॉयलर और भट्टियां:		
				(क)	इग्निफ्लुइड/फ्लुइडाइज्ड बेड बॉयलर	40
				(ख)	ज्वाला रहित भट्टियां और निरंतर पुशर प्रकार की भट्टियां	40
				(ग)	द्रवीकृत बेड टाइप ऊष्मा उपचार भट्टियाँ	40
				(घ)	उच्च दक्षता वाले बॉयलर (कोयला आधारित बॉयलरों के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक और तेल/गैस आधारित बॉयलरों के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक तापीय दक्षता वाले बॉयलर)	40
			ख.	ऊर्जा प्रवाह की मानीटरी के लिए उपकरण एवं मानीटरी प्रणाली:		
				(क)	स्वचालित विद्युत भार मानीटरी प्रणाली	40
				(ख)	डिजिटल ऊष्मा हानि मीटर	40
				(ग)	माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ	40
				(घ)	इन्फ्रा-रो थर्मोग्राफी	40
				(ङ)	ऊष्मा हानि, भट्टी के तेल का प्रवाह, भाप का प्रवाह, विद्युत ऊर्जा और विद्युत कारक मापने वाले मीटर	40
				(च)	अधिकतम मांग संकेतक और क्लैंप ऑन पावर मीटर	40
				(छ)	निकास गैस विश्लेषक	40
				(ज)	ईंधन तेल पंप परीक्षण बेंच	40
			ग.	अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति उपकरण:		
				(क)	इकोनॉमाइज़र और फीड वॉटर हीटर	40
				(ख)	रिक्यूपरेटर और एयर प्री-हीटर	40
				(ग)	हीट पंप	40

				(घ)	उच्च और निम्न तापमान अपशिष्ट ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति के लिए थर्मल उष्मीय ऊर्जा चक्र	40
			घ.	सह-उत्पादन प्रणालियाँ:		
				(क)	बैक प्रेशर पास आउट, नियंत्रित निष्कर्षण, प्रेशर बॉयलर के साथ सह-उत्पादन के लिए निष्कर्षण-सह-संघनन टर्बाइन	40
				(ख)	वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियाँ	40
				(ग)	ऑर्गेनिक रैंकिन चक्र विद्युत प्रणालियाँ	40
				(घ)	कम प्रवेश दबाव वाले छोटे स्टीम टर्बाइन	40
			ङ.	विद्युत उपकरण:		
				(क)	शंट कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर सिस्टम	40
				(ख)	प्रत्येक मोटर जिस पर स्वचालित बिजली कटौती उपकरण (रिले) लगे होते हैं।	40
				(ग)	स्वचालित वोल्टेज नियंत्रक	40
				(घ)	एसी मोटरों के लिए विद्युत फैक्टर नियंत्रक	40
				(ङ)	मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए ठोस अवस्था वाली युक्तियां	40
				(च)	ऊष्मीय ऊर्जा-कुशल स्टेंटर (जिन्हें एक किलोग्राम पानी को वाष्पित करने के लिए 800 किलोकैलोरी या उससे कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है)	40
				(छ)	श्रृंखला प्रतिपूर्ति उपकरण	40
				(ज)	फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन (एफएसीटी) उपकरण- थायरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला प्रतिपूर्ति उपकरण	40
				(झ)	टाइम ऑफ डे (डीओडी) एनर्जी मीटर	40

				(ञ)	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के लिए पारेषण राजमार्ग स्थापित करने हेतु उपकरण, जिससे किसी क्षेत्र की अतिरिक्त बिजली को कमी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके।	40
				(ट)	विद्युत पारेषण प्रणालियों के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों और वितरण प्रबंधन प्रणालियों हेतु रिमोट टर्मिनल इकाइयाँ/बुद्धिमत्ता वाले इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, राउटर/ब्रिज, अन्य अपेक्षित उपकरण और संबंधित संचार प्रणालियाँ।	40
				(ठ)	उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के लिए विशेष ऊर्जा मीटर	40
			च.	बर्नर:		
				(क)	0 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वायु बर्नर	40
				(ख)	इमल्शन बर्नर	40
				(ग)	उच्च पूर्व-उष्मीय तापमान (300°C से ऊपर) वाली वायु का उपयोग करने वाले बर्नर	40
			छ.	अन्य उपकरण:		
				(क)	रसायनों और ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति के लिए आर्द्र वायु ऑक्सीकरण उपकरण	40
				(ख)	यांत्रिक वाष्प रीकंप्रेसर	40
				(ग)	थिन फिल्म इवेपोरेटर	40
				(घ)	भार संबंधी मांग नियंत्रक आधारित स्वचालित माइक्रो-प्रोसेसर	40
				(ङ)	कोयला आधारित उत्पादक गैस संयंत्र	40
				(च)	फ्ल्यूड ड्राइव और फ्ल्यूड कप्लिंग्स	40
				(छ)	टर्बो चार्ज/सुपर-चार्ज	40

				(ज)	विकिरण प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सीलबंद विकिरण स्रोत	40
		(x)	वाल्व और रेगुलेटरों सहित गैस सिलेंडर			40
		(xi)	कांच विनिर्माण समुत्थान- डायरेक्ट फायर ग्लास मेल्टिंग फर्नेस			40
		(xii)	खनिज तेल समुत्थान:			
			(क)		खेत में उपयोग होने वाले पौधों का वितरण (जमीन के ऊपर) - वापसी योग्य पैकेज	40
			(ख)		खनिज तेल कंपनियों द्वारा क्षेत्र संचालन (वितरण) में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र (भूमिगत), किन्तु इसमें सड़क किनारे लगे पंप सम्मिलित नहीं हैं, और भूमिगत टैंक और क्षेत्र प्रचालन (वितरण) में प्रयुक्त फिटिंग भी सम्मिलित हैं।	40
			(ग)		खंड (क) और (ख) में सम्मिलित नहीं किए गए तेल कुएं	15
		(xiii)	नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी युक्तियां, जो निम्नलिखित है-			
			(क)		सपाट प्लेट सौर संग्राहक	40
			(ख)		केंद्रित और पाइप प्रकार के सौर संग्राहक	40
			(ग)		सोलर कुकर	40
			(घ)		सौर वाटर हीटर और प्रणालियाँ	40
			(ङ)		वायु/गैस/तरल तापन प्रणालियाँ	40
			(च)		सौर क्रॉप ड्रायर्स और प्रणालियाँ	40
			(छ)		सौर प्रशीतन, शीत भंडारण और वातानुकूलन प्रणालियाँ	40
			(ज)		सौर इस्पात और विलवणीकरण प्रणालियाँ	40
			(झ)		सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ	40
			(ञ)		सौर-तापीय और सौर-प्रकाश-वोल्टेइक रूपांतरण पर आधारित सौर पंप	40
			(ट)		जल उत्खनन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर-फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और पैनल	40

			(ठ)	पवन चक्कियाँ और पवन चक्कियों पर चलने वाले कोई भी विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरण जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् स्थापित किए गए हों।	40
			(ड)	1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् स्थापित किए गए पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर और पंप सहित कोई भी विशेष उपकरण।	40
			(ढ)	बायोगैस संयंत्र और बायोगैस इंजन	40
			(ण)	बिजली से चलने वाले यान, जिनमें बैटरी चालित या ईंधन-सेल चालित यान सम्मिलित हैं।	40
			(त)	कृषि और नगरपालिका अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां	40
			(थ)	समुद्री अपशिष्ट और तापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपकरण	40
			(द)	उपरोक्त उप-मदों में से किसी के निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र	40
	8	(i)	किसी वृत्ति से जुड़े निर्धारितियों के स्वामित्व वाली पुस्तकें–		
			(क)	पुस्तकें, जिनका वार्षिक प्रकाशन होता है।	40
			(ख)	उपरोक्त प्रविष्टि (क) में सम्मिलित पुस्तकों के सिवाय अन्य पुस्तकें	40
		(ii)	पुस्तकालय चलाने का कारबार करने वाले निर्धारितियों के स्वामित्व वाली पुस्तकें		40
IV			पोत		
	(1)		समुद्र में चलने वाले पोत जिनमें ड्रेजर, टग, बार्ग्स, सर्वेक्षण नौकाएं और अन्य समान पोत सम्मिलित हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए किया जाता है, और लकड़ी के पतवार वाले मछली पकड़ने वाले पोत।		20

	(2)	अंतर्देशीय जलमार्गों पर सामान्यतः प्रचालन करने वाले पोत, जो नीचे उप-मद (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं	20
	(3)	अंतर्देशीय जलमार्गों पर सामान्यतः प्रचालन करने वाले पोत जो तीव्र गति नौका हैं [नीचे टिप्पण 9 देखें]	20

भाग ख

अमूर्त आस्ति

क्र.सं.	*आस्तियों का ब्लॉक*	*लिखित मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास मोक*
(1)	*(2)*	*(3)*
	तकनीकी जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार या इसी तरह के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार	25

टिप्पण:

1.	"भवन" में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएं और ट्यूबवेल सम्मिलित हैं।
2.	किसी भवन को मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन माना जाएगा, यदि आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निर्मित फर्श क्षेत्र उसके कुल निर्मित फर्श क्षेत्र के छियासठ और दो-तिहाई प्रतिशत से कम न हो, और इसमें कारखाने परिसर में स्थित ऐसा कोई भवन भी सम्मिलित होगा।
3.	धारा 33(6) में निर्दिष्ट किसी भवन में या उससे संबंधित नवीनीकरण या सुधार के रूप में किसी संरचना या कार्य के संबंध में, लागू की जाने वाली प्रतिशतता भाग क की मद 1 की उप-मद (1) या उप-मद (2) के समक्ष निर्दिष्ट प्रतिशत होगा, जो उस भवन के वर्ग के लिए उपयुक्त हो जिसमें नवीनीकरण या सुधार किया गया है। यदि संरचना का सनिर्माण या कार्य ऐसे किसी भवन के विस्तार के रूप में किया गया है, तो लागू प्रतिशतता ऐसी उपयुक्त प्रतिशत होगी, जैसे मानो संरचना या कार्य एक अलग भवन हो।
4.	जल उपचार प्रणाली में जल के विलवणीकरण, विखनिजीकरण और शुद्धिकरण की प्रणाली सम्मिलित है।
5.	"विद्युत फिटिंग" में विद्युत तार, स्विच, सॉकेट, अन्य फिटिंग और पंखे आदि सम्मिलित हैं।

6.	"वाणिज्यिक वाहन" से "भारी माल यान", "भारी यात्री मोटर यान", "हल्का मोटर यान", "मध्यम माल यान" और "मध्यम यात्री मोटर यान" अभिप्रेत है, किंतु इसमें "मैक्सी-कैब", "मोटर-कैब", "ट्रैक्टर" और "रोड-रोलर" सम्मिलित नहीं हैं। "भारी माल वाहन", "भारी यात्री मोटर वाहन", "हल्का मोटर वाहन", "मध्यम माल वाहन", "मध्यम यात्री मोटर वाहन", "मैक्सी-कैब", "मोटर-कैब", "ट्रैक्टर" और "रोड-रोलर" पदों का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में क्रमशः उनका होगा।
7.	"कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" से किसी भी डिस्क, टेप, परफोर्टेड मीडिया या अन्य सूचना भंडारण युक्ति पर लेखबद्ध किया गया कोई कंप्यूटर प्रोग्राम अभिप्रेत है।
8.	मशीनरी और संयंत्र में कच्चे पानी की आपूर्ति के स्रोत से संयंत्र तक और संयंत्र से भंडारण प्रसुविधा तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक पाइप सम्मिलित हैं।
9.	"तीव्र गति नौका" से एक ऐसी मोटर नौका अभिप्रेत है जो एक उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित होती है और जो शांत पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से नौका को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है, और इस प्रकार डिजाइन की गई होती है कि जब वह गति से चल रही होती है, तो वह समतल हो जाती है, यानी उसका अगला हिस्सा पानी से ऊपर उठ जाता है।

परिशिष्ट 2

दर, जिन पर मूल्यह्रास स्वीकार्य है, की सारणी

क्र.सं.		*आस्तियों की श्रेणी*	*वास्तविक लागत के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास मोक*
(1)		(2)	(3)
(क)		उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र की नींव सहित संयंत्र और मशीनरी:–	
	(i)	जल-विद्युत	3.4
	(ii)	वाष्प इलेक्ट्रिक एनएचआरएस और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर/संयंत्र	7.84
	(iii)	डीजल, इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र	8.24
(ख)		शीतलन टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ	7.84
(ग)		जलविद्युत प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जलविद्युत कार्य, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–	
	(i)	बांध, जल निकासी मार्ग, नहरें, प्रबलित कंक्रीट की नालियां और साइफन	1.95
	(ii)	प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइन और सर्ज टैंक, स्टील पाइपलाइन, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज (टैंक), हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व और अन्य हाइड्रोलिक कार्य।	3.4
(घ)		ऊपर उल्लेखित न किए गए स्थायी प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i)	कार्यालय और शोरूम	3.02
	(ii)	इसमें ऊष्मीय विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त है।	7.84
	(iii)	जलविद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	3.4
	(iv)	लकड़ी की संरचनाओं जैसे अस्थायी निर्माण	33.4
	(v)	कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.02
	(vi)	अन्य	3.02
(ङ)		ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (किओस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र की नींव सहित)	
	(i)	100 किलोवोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित)	7.81
	(ii)	अन्य	7.84
(च)		केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर	7.84

(छ)		लाइटनिंग अरेस्टर:	
	(i)	स्टेशन के प्रकार	7.84
	(ii)	पोल के प्रकार	12.77
	(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	5.27
(ज)		बैटरियां	33.4
	(i)	भूमिगत केबल जिसमें जॉइंट बॉक्स और डिस्कनेक्शन बॉक्स सम्मिलित हैं	5.27
	(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	3.02
(झ)		सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें:	
	(i)	गढ़े हुए इस्पात पर बनी लाइनें जो 66 किलोवोल्ट से अधिक नोमिनल वोल्टेज पर प्रचालित होती हैं	5.27
	(ii)	स्टील के सपोर्ट पर लगी लाइनें जो 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से कम के नाममात्र वोल्टेज पर प्रचालित होती हैं।	7.84
	(iii)	स्टील या प्रबलित कंक्रीट के सहारे पर बनी लाइनें	7.84
	(iv)	उपचारित लकड़ी के आधारों पर लाइनें	7.84
(ञ)		मीटर	12.77
(ट)		सेल्फ-प्रोपेल्ड यान	33.40
(ठ)		एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i)	स्टैटिक	12.77
	(ii)	पोर्टेबल	33.40
(ड)	(i)	कार्यालय का फर्नीचर और फीटिंग्स	12.77
	(ii)	कार्यालय उपकरण	12.77
	(iii)	फीटिंग्स और उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग	12.77
	(iv)	स्ट्रीट लाइट फीटिंग्स	12.77
(ढ)		भाड़े पर उपकरण	
	(i)	मोटर से भिन्न	33.4
	(ii)	मोटर	12.77
(ण)		संचार उपकरण:	
	(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	12.77
	(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	12.77
(त)		ऊपर सम्मिलित न की गई कोई अन्य आस्ति	7.69

अनुलग्नक III

(नियम 2(1)(c) देखें)

प्ररूप संख्या 1

[नियम 4 देखें]

..... माह के लिए उन लेन-देनों के संबंध में किसी शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण जिनमें सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड संशोधित किए गए हैं

क्रम संख्या	शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) का विवरण	
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*
3.	स्थायी लेखा संख्या	

4. सिस्टम में पंजीकरण के बाद जिन लेन-देनों में ग्राहक कोड संशोधित किए गए हैं, उनका विवरण एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपाबंध के रूप में संलग्न है।

घोषणा

मैं.....(प्रधान अधिकारी का नाम) स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) का नाम) के पदधारी के रूप में यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर प्रदान किए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान : ..... शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख : .....

नाम :

पदनाम:

प्ररूप संख्या 1 का उपाबंध
(सॉफ्ट कॉपी)

व्युत्पन्न बाजार (तंत्र के लिए)

क्रम संख्या	लेन-देन आईडी	दलाल का नाम	दलाल की आईडी	मूल ग्राहक कोड	मूल ग्राहक का नाम	मूल ग्राहक का पैन	संशोधित ग्राहक कोड	संशोधित ग्राहक का नाम	संशोधित ग्राहक का पैन	प्रतिभूति का नाम	प्रतिभूति कोड	मात्रा	दर	लेन-देन का कुल मूल्य	खरीद या बिक्री	लेन-देन की तारीख
1																
2																
3																
4																
5																

व्युत्पन्न बाजार (वस्तु के लिए)

क्रम संख्या	लेन-देन आईडी	दलाल का नाम	दलाल की आईडी	मूल ग्राहक कोड	मूल ग्राहक का नाम	मूल ग्राहक का पैन	संशोधित ग्राहक कोड	संशोधित ग्राहक का नाम	संशोधित ग्राहक का पैन	वस्तु व्युत्पन्न का नाम	वस्तु व्युत्पन्न कोड	मात्रा	दर	लेन-देन का कुल मूल्य	खरीद या बिक्री	लेन-देन की तारीख
1																
2																
3																
4																
5																

नकद बाजार

क्रम संख्या	लेन-देन आईडी	दलाल का नाम	दलाल की आईडी	मूल ग्राहक कोड	मूल ग्राहक का नाम	मूल ग्राहक का पैन	संशोधित ग्राहक कोड	संशोधित ग्राहक का नाम	संशोधित ग्राहक का पैन	प्रतिभूति का नाम	प्रतिभूति कोड	मात्रा	दर	लेन-देन का कुल मूल्य	खरीद या बिक्री	लेन-देन की तारीख
1																
2																
3																
4																
5																

टिप्पण :

1. नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

4. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 2

[नियम 7(1) देखें]

धारा 2(112) के अधीन शून्य-कूपन बंधपत्र को अधिसूचित करने के लिए आवेदन

भाग क- आवेदक का विवरण

पंक्ति संख्या	**विवरण**	
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*
2.	श्रेणी (कृपया किसी किसी एक का चयन करे)	• अवसंरचना पूंजी कंपनी • अवसंरचना पूंजी कोष • अवसंरचना ऋण कोष • सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
3.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*
4.	स्थायी लेखा संख्या	
5.	निगमन/पंजीकरण की तारीख	*दिन/माह/वर्ष (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*
6.	क्रमांक 2 में अवसंरचना ऋण कोष के मामले में	
	(क) **अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अधीन** अनुमोदन की तारीख **(सारणी: क्रम संख्या 46)**	***दिन/माह/वर्ष***
	(ख) **सातवीं अनुसूची के अधीन अधिनियम संख्या (सारणी : क्रम संख्या 46)**	***(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)***
7.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के मामले में, क्रमांक 2 में कृपया कारबार की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें	
8.	आवेदक के उद्देश्य जिसमें मुख्य उद्देश्य और सहायक उद्देश्य शामिल हैं	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*

भाग ख- जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शून्य-कूपन बंधपत्र का विवरण

पंक्ति क्रमांक	विवरण		
1.	जारी करने की तारीख		
2.	बंधपत्रों की संख्या		
3.	बंधपत्र की कुल रकम		
4.	बंधपत्र की परिपक्वता/मोचन पर देय रकम		
5.	बट्टा [(3)−(2)]		
6.	बंधपत्र की आयु अवधि		वर्ष माह दिन
7.	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान बंधपत्र जारी किया जाना है	वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष	
		वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष	
8.	**किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश का विवरण:**		
अ.	**जिस संस्था में निवेश प्रस्तावित है उसका विवरण**		
	(क)	संस्था का नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*
	(ख)	संस्था की प्रकृति (कृपया किसी किसी एक का चयन करें)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (ii) अन्य कंपनी (iii) कोई अन्य उद्यम या उपक्रम या संस्था
	(ग)	स्थायी लेखा संख्या	
	(घ)	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*
	(ङ)	कारबार की प्रकृति	
आ.	**परियोजना का विवरण:**		
	(क)	परियोजना के पते/स्थान का विवरण (किसी कंपनी/उपक्रम/संस्था के भीतर कई परियोजनाओं के मामले में पंक्तियाँ जोड़ें)	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*
	(ख)	परियोजना आरंभ करने की नियोजित तारीख	*दिन/माह/वर्ष*
	(ग)	परिचालन आरंभ करने की नियोजित तारीख	*दिन/माह/वर्ष*

	(घ)	परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तारीख (अवसंरचना ऋण कोष के मामले में लागू)	*दिन/माह/वर्ष*

इ. निवेश का स्रोत

स्रोत	**रकम** ~~principal officer~~
शून्य-कूपन बंधपत्र	
स्वयं की निधि	
अन्य ऋण और उधार	
रुपया अंकित बंधपत्र का निर्गमन	
विदेशी मुद्रा बंधपत्र का निर्गमन	
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
कुल	

ई. परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी प्रबंधन का विवरण *(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*

(i)	पदनाम 1. निदेशक 2. न्यासी 3. अन्य	
(ii)	नाम	
(iii)	स्थायी लेखा संख्या	
(iv)	योग्यता	
(v)	अनुभव और निष्पादन	
(vi)	पता	

आवश्यकतानुसार घ के अनुसार विवरण दोहराएँ

ङ. शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त निधियों की वह रकम जो परियोजना-वार निवेशित की जानी प्रस्तावित है (पहला वित्तीय वर्ष का चुनाव करें)

परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 1	वित्तीय वर्ष 2	वित्तीय वर्ष 3	वित्तीय वर्ष 4	वित्तीय वर्ष 5	

च.	क्या परियोजना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध है?	हाँ/नहीं (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
9.	अन्य विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

1. मैं ..... स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

2. मैं (आवेदक का नाम) की ओर से, जो एक अवसंरचना पूंजी कंपनी/ अवसंरचना पूंजी कोष/ अवसंरचना ऋण कोष/ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (प्रासंगिक विकल्प का चुनाव करें) है, यह वचन देता हूँ कि ऐसे बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त धनरकम का निवेश आय-कर नियम, 2026 के नियम 7(5)(घ) के अनुसार किया जाएगा।

3. मैं पुनः वचन देता हूँ कि..... (अवसंरचना ऋण कोष का नाम) सभी सदस्यता लिए गए शून्य-कूपन बंधपत्रों पर उपचित होने वाले ब्याज के लिए एक शोधन निधि (सिंकिंग फंड) बनाए रखेगा और ब्याज का निवेश सरकारी तंत्र में किया जाएगा। केवल तभी भरा जाए जब आवेदक अवसंरचना ऋण कोष हो,यदि लागू न हो तो हटा दें केवल तभी भरा जाए
जब आवेदक अवसंरचना ऋण कोष हो,यदि लागू न हो तो हटा दें.

स्थान : ..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख : .....
नाम :

पदनाम:

टिप्पण (Notes):

1. नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य
3. उल्लिखित पंक्ति क्रमांक के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे, अर्थात्:

उपाबंध	जिसके संबंध में	विवरण
अ-1	भाग क (पंक्ति क्रमांक 5)	निगमन प्रमाणपत्र/न्यास-पत्र/प्रासंगिक अधिनियम की प्रति, यथालागू, संलग्न करें।
अ-2	भाग क (पंक्ति क्रमांक	अनुसूची सातवीं (सारणी: पंक्ति क्रमांक 46) के अधीन अवसंरचना ऋण कोष की अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।
अ-3	भाग क (पंक्ति क्रमांक 8)	(i) मुख्य उद्देश्यों और सहायक उद्देश्यों सहित उद्देश्यों पर एक टिप्पणी प्रदान करें। (ii) ज्ञापन/न्यास-पत्र, आदि की प्रति संलग्न करें।
अ-4	भाग ख (पंक्ति क्रमांक 8(घ)	परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी प्रबंधन के संगठनात्मक संरचना चार्ट की प्रति संलग्न करें।
अ-5	भाग ख (पंक्ति क्रमांक 8(च))	यदि कोई हो तो परियोजना रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।
अ-6	घोषणा	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मुखतियारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी)।

4. भाग ख की पंक्ति क्रमांक 8(ङ) के लिए, वित्तीय वर्ष 1, भाग ख की पंक्ति क्रमांक 6 में दिए अनुसार बंधपत्र जारी होने के तुरंत बाद आने वाला वित्तीय वर्ष होगा। भाग ख की पंक्ति क्रमांक 8(ङ) में वित्तीय वर्ष 2 से 5 की गणना स्वतः वित्तीय वर्ष 1 से की जाएगी। उन पंक्तियों या पंक्तियों के सामने "लागू नहीं" लिखें जो आवेदक के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

6. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 3

नियम 7(8) देखें

शून्य-कूपन बंधपत्र जारी करने वाली संस्था के लिए नियम 7 के अधीन लेखाकार का प्रमाणपत्र

मैं ..... स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ने ..... (जारीकर्ता का नाम) द्वारा कर वर्ष के लिए शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से जुटाई गई निधियों में से किए गए निवेश की जांच की है और मैं इसके द्वारा निम्नलिखित प्रमाणित करता हूँ:-

1.	जारीकर्ता की श्रेणी (कृपया किसी किसी एक का चयन करें)	• अवसंरचना पूंजी कंपनी • अवसंरचना पूंजी कोष • अवसंरचना ऋण कोष • सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
4.	स्थायी लेखा संख्या		
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन हेतु अधिसूचना की तारीख	*दिन/माह/वर्ष*	
8.	अधिसूचना संख्या		

9.	शून्य-कूपन बंधपत्र जारी करने की तारीख			*दिन/माह/वर्ष*
10.	शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त रकम			
11.	शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त निधियों में से किए गए निवेश का विवरण			
12.	अ.	क	जिस संस्था में निवेश किया गया है उसका नाम	
		ख.	प्रकृति	○ सार्वजनिक क्षेत्र की

			(कोई किसी एक का चयन करें)	कंपनी o अन्य कंपनी o कोई अन्य उद्यम या उपक्रम	
		ग.	स्थायी लेखा संख्या		
		घ.	पता		
		ङ.	कारबार की प्रकृति		
		च.	परियोजना का पता/स्थान		
		छ.	परियोजना आरंभ करने की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
		ज.	परिचालन आरंभ करने की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
		झ.	वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
		ञ.	शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से जुटाई गई निधियों की वह रकम जो विभिन्न कर वर्षों में निवेशित की गई **रकम** (₹ में)	**वर्ष**	**रकम Amount**
				कर वर्ष 1: *(वर्ष-वर्ष)*	
				कर वर्ष 2: *(वर्ष - वर्ष)*	
				कर वर्ष 3: *(वर्ष - वर्ष)*	
				कर वर्ष 4: *(वर्ष - वर्ष)*	
				कर वर्ष 5: *(वर्ष - वर्ष)*	
				कर वर्ष 6: *(वर्ष - वर्ष)*	
	आ.		*(आवश्यकतानुसार 12क का विवरण/ दोहराएँ)*		

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि .....(अवसंरचना ऋण कोष का नाम) ने शून्य-कूपन बंधपत्र के निर्गमन से प्राप्त धनरकम पर उपचित सभी ब्याज के लिए एक शोधन निधि (सिंकिंग फण्ड) बनाए रखा है, जिसका निवेश सरकारी तंत्र में किया गया है। (केवल अवसंरचना ऋण कोष के मामले में लागू)

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

लेखाकार का नाम:

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्‌वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. इस पर धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार (कर्मचारी के अलावा अन्य) द्‌वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है।

4. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 4

नियम 12 देखें

धारा 9(10)(क) के अधीन भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय

<table>
<tr><td colspan="8">भाग क: व्यक्ति का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">स्थायी लेखा संख्या)पैन:(</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">ई-मेल आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="5" rowspan="2">संपर्क संख्या :</td><td>देश का कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">भाग ख: अन्य सूचना</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td colspan="7">अंश या हित के हस्तांतरण के लिए प्राप्त प्रतिफल का कंपनी/ संस्था-वार विवरण:</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>कंपनी/संस्था का नाम</td><td>हस्तांतरित अंश/हित की मात्रा</td><td>अंश/हित के अधिग्रहण की लागत</td><td>हस्तांतरण की तारीख</td><td colspan="2">प्राप्त प्रतिफल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="7">अंश या हित के हस्तांतरण से प्राप्त आय (कंपनी/ संस्था-वार विवरण):</td></tr>
<tr><td colspan="2">क्रम संख्या</td><td colspan="2">कंपनी/संस्था का नाम</td><td>अंश /हित का हस्तांतरण</td><td colspan="2">रकम</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="7">भारत में स्थित उन संपत्तियों का मूल्य जिनसे अंश या हित अपना मूल्य प्राप्त करता है (कंपनी/ संस्था-वार विवरण):</td></tr>
<tr><td colspan="2">क्रम संख्या</td><td colspan="3">कंपनी/संस्था का नाम</td><td colspan="2">रकम</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td colspan="7">कंपनी या संस्था की वैश्विक आस्तियों का मूल्य (कंपनी/संस्था-वार विवरण):</td></tr>
<tr><td colspan="2">क्रम संख्या</td><td colspan="3">कंपनी/संस्था का नाम</td><td colspan="2">रकम</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

10.	भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय (कंपनी/ संस्था-वार विवरण और कुल योग):		
	क्रम संख्या	कंपनी/संस्था का नाम	रकम
11.	अन्य विवरण जो अलग उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाने हैं:		*(टिप्पणी 3 के अनुसार संलग्न करें)*

कर वर्ष _____ के दौरान मैंने मेसर्स _____(निर्धारिती का नाम) जिसका पैन _____ है, के खातों और अभिलेखों की जांच की है, जो _____ (भारत के बाहर निगमित कंपनी
या संस्था का नाम)# के अंश या हित का हस्तांतरणकर्ता है, जैसा कि धारा 9(10)(क) में विनिर्दिष्ट है।

2. मैंने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और |विश्वास के अनुसार उक्त निर्धारिती की भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वाली आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि कर वर्ष _____ के संबंध में, उपर्युक्त कंपनी/संस्था में अंश/हित के हस्तांतरण पर निर्धारिती को भारत में उपार्जित या उद्भवित मानी गई आय _____ है, जो इस प्ररूप के भाग ख में दिए गए विवरणों के आधार पर तैयार की गई है। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भाग ख में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर:

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन, यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म का पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में उस व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होगा जिसके संबंध में भारत में स्थित संपत्तियों के लिए मानी जा सकने वालीआय की सूचना दी जा रही है।
2. पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/खंड/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, नगर/शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होंगे।
3. भाग ख (क्रमांक 11) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे, अर्थात्: ---

उपाबंध	विवरण
अ-1	भाग ख (क्रमांक 8 और 9) में संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई विधि का विवरण।
अ-2	आश्रित दस्तावेजों और मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो, का विवरण।
अ-3	टिप्पण जिसमें कोई भी की गई परिकल्पना शामिल है।
अ-4	भाग ख (क्रमांक 10) में आय की गणना का विवरण।
अ-5	कोई अन्य दस्तावेज।

4. यह प्ररूप धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा दिया जाना है।
5. #यदि किसी पिछले वर्ष में एक से अधिक कंपनियों या संस्थाओं के अंशों या हितों का हस्तांतरण होता है, तो ऐसी प्रत्येक कंपनी या संस्था के संबंध में विवरण दिया जाएगा।जहां इस रिपोर्ट में कही गई किसी बात का उत्तर नकारात्मक में या अर्हता के साथ दिया गया है, वहां यह रिपोर्ट टिप्पणी 3.ए-5 में उसके कारण बताएगी।
6. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम को जब तक अन्यथा न कहा जाए, रुपये में भरा जाना है।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्ररूप संख्या 5

[नियम 27 देखें]

धारा 44(3) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारिती द्वारा किए गए प्रारंभिक व्ययों से संबंधित विवरण

	भाग क: निर्धारिती का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	स्थिति	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*	
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		

	भाग ख: प्रारंभिक व्ययों का विवरण		
1.	व्यय की रकम जो निम्नलिखित के संबंध में है - *(*एक या अधिक का चुनाव करें *)*	○ व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	
		○ परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	
		○ बाजार सर्वेक्षण या कारबार के लिए आवश्यक कोई अन्य सर्वेक्षण करना	
		○ कारबार से संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं	

किए गए व्यय का विवरण:

क्रम संख्या	गतिविधि की प्रकृति *(*टिप्पण *4* में निर्दिष्ट)	**क्या गतिविधि निर्धारिती द्वारा स्वयं की गई है (हाँ/नहीं(**	गतिविधि करने वाले व्यक्ति का नाम *(*टिप्पणी 5देखें*)*	जिस व्यक्ति को रकम भुगतान/जमा की गई है उसका नाम	**ऐसे व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या**	भुगतान की गई/जमा की गई रकम	क्या स्रोत पर कर काटा जाना आवश्यक था (हाँ/नहीं)	**यदि हाँ, तो काटे गए कर की रकम**

	(i)	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना							
	(ii)	परियोजना रिपोर्ट तैयार करना							
	(iii)	बाजार सर्वेक्षण या कारबार के लिए आवश्यक कोई अन्य सर्वेक्षण करना							
	(iv)	कारबार से संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं							

घोषणा

मैं ..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) , स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, ... (निर्धारिती का नाम) की ओर से, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान : ..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम:

पदनाम:

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. 'व्यक्ति' की स्थिति इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ Association, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकारी (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास

4. यदि गतिविधि करने वाला एक से अधिक व्यक्ति है, तो अलग-अलग विवरण भरे जाने चाहिए।

5. यदि निर्धारिती द्वारा स्वयं किया गया है, तो "स्वयं " लिखें।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

7. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 6

[नियम 28 देखें]

धारा 44के अधीन कुछ प्रारंभिक व्ययों या धारा 51के अधीन कुछ खनिजों की संभावना के लिए व्यय की कटौती का दावा करने हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मैं ..... स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ने ..... (निर्धारिती का नाम) का ..... तक का तुलन पत्र और ..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता की जांच की है, जो मुख्य कार्यालय ..... (मुख्य कार्यालय का पता) और शाखाओं ..... (शाखाओं का पता) पर रखी गई लेखा बहियां से सम्मत हैं।

मैंने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो *मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

मेरी राय में, उपर्युक्त निर्धारिती के मुख्य कार्यालय और मेरे द्वारा देखी गई शाखाओं द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहाँ तक पुस्तकों की मेरी जांच से प्रकट होता है, और मेरे द्वारा न देखी गई शाखाओं से लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं, जो नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन है: -

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं: -

(i) तुलन पत्र के मामले में, उपर्युक्त निर्धारिती के ..... तक के कारोबार की स्थिति का; और

ii) लाभ और हानि खाते (खातों) के मामले में, ... को समाप्त होने वाले उसके लेखांकन वर्ष के लाभ या हानि का।

धारा *44/51 के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण संलग्न है और मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये सत्य और सही हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

लेखाकार का नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या)यूडीआईएन(, यदि कोई हो

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण:

1. यह रिपोर्ट धारा 515(3)(ख (में यथा निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी है।

2. जहां इस रिपोर्ट में कही गई किसी बात का उत्तर नकारात्मक में या अर्हता के साथ दिया गया है, वहां रिपोर्ट उसके कारण बताएगी।

3. * जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।

उपाबंध

खंड क

धारा 44के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण

	भाग क :निर्धारिती का विवरण		
1.	निर्धारिती का नाम	*(*टिप्पणी 1देखें *)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*	
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
7.	कर वर्ष (जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है)		

भाग ख :कारबार और कटौती का विवरण		
1.	कारबार आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
2.	कटौती का दावा किसके संबंध में किए गए व्यय के संदर्भ में किया गया है	• औद्योगिक उपक्रम का विस्तार

	*(*कोई किसी एक का चयन करें*)*	• नई औद्योगिक इकाई की स्थापना
3.	वह तारीख जिस दिन विस्तार पूरा हुआ या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन या परिचालन आरंभ किया	*(दिन/माह/वर्ष)*
4.	व्यय की मूल रकम: *(*टिप्पणी 4देखें *)*	
	(क (निम्नलिखित के संबंध में व्यय-	
	(i) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	
	(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	
	(iii) बाजार सर्वेक्षण या कारबार के लिए आवश्यक कोई अन्य सर्वेक्षण करना	
	(iv) निर्धारिती के कारबार से संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं	
	(ख) निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कारबार की स्थापना या संचालन से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए कोई करार तैयार करने हेतु विधिक प्रभार	
	(ग) 4(क) और 4(ख) का कुल योग	
	(घ) क्या प्ररूप संख्या 5 नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार दाखिल किया गया है?	*(*हाँ/नहीं*)*
5.	(क) परियोजना की लागत, अर्थात, वास्तविक लागत (टिप्पणी 5 देखें)	
	(i) भूमि और भवन (विकास पर व्यय सहित)	
	(ii) पट्टाधार	
	(iii) संयंत्र और मशीनरी	
	(iv) फर्नीचर और फिक्स्चर	
	(vii)रेलवे साइडिंग	
	(ख) 5(**क**)(i) **से** (v) **का कुल योग**	
	(ग) उपरोक्त 5(ख) का 5%	
6.	धारा 44 के अधीन पात्र eligible कटौती	

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख :

लेखाकार का नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या)यूडीआईएन(, यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. आवासीय स्थिति इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नहीं

4. जहां मूल व्यय एक से अधिक वर्षों के दौरान किया गया था, वहां व्यय का वर्ष-वार विवरण दिया जाना चाहिए।

5. (क) ऐसे मामले में जहां दावा कारबार आरंभ होने से पहले किए गए प्रारंभिक व्यय से संबंधित है, विनिर्दिष्ट संपत्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए जो निर्धारिती की पुस्तकों में उस कर वर्ष के अंतिम दिन दिखाई गई है जिसमें कारबार आरंभ हुआ था।

(ख) ऐसे मामले में जहां व्यय उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के संबंध में किए गए थे, विनिर्दिष्ट संपत्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए जो लेखा बहियां में उस कर वर्ष के अंतिम दिन दिखाई गई है जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हुआ या नई इकाई ने उत्पादन या परिचालन आरंभ किया (जहाँ तक ऐसी संपत्तियाँ उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित की गई हैं)।

6. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

खंड ख :

धारा 51के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों का विवरण

	भाग क :निर्धारिती का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
7.	कर वर्ष (जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है)		

भाग ख :कारबार और कटौती का विवरण			
1.	उस खनिज या संबद्ध खनिजों के समूह का नाम जिसके संबंध में अन्वेषण या विकास से संबंधित कार्य किए गए थे		*(ड्रॉप डाउन)*
2.	वाणिज्यिक उत्पादन का कर वर्ष		
3.	मूल व्यय की रकम टिप्पणी 4 देखें:		
	जिस कर वर्ष में व्यय किया गया था	उस कर वर्ष के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा की तारीख	व्यय की रकम
	(अ)	**(आ)**	**(इ)**

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख:

लेखाकार का नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या)यूडीआईएन(, यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. आवासीय स्थिति इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नहीं मूल व्यय की गणना धारा 51(3) और 51(4) के अनुसार रकमयों को घटाने/छोड़कर करने के बाद की जाएगी।

5. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 7

[नियम 30(3) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन

<table>
<tr><td colspan="5">प्रायोजक और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">स्थायी लेखा संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">ई-मेल आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या</td><td>देश का कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">कारबार की प्रकृति</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7.</td><td colspan="4">पिछले तीन कर वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td colspan="2">कर वर्ष</td><td>वार्षिक कारोबार</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">8.</td><td colspan="4">पिछले तीन कर वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम पर वार्षिक व्यय</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td colspan="2">कर वर्ष</td><td>वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम पर वार्षिक व्यय</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">9.</td><td colspan="4">पिछले तीन कर वर्षों के दौरान प्रायोजक द्वारा धारा 45(3)(ग) या धारा 35(2अअ) के अधीन दावा की गई कटौतियों का विवरण (वर्ष-वार)</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td colspan="2">कर वर्ष</td><td>दावा की गई कटौतियाँ</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

10.	प्रायोजक के अनुसंधान और विकास पर एक टिप्पणी प्रदान करें: (i) सुविधाएं और (ii) प्रायोजक की गतिविधियाँ	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*
11.	क्या प्रायोजक के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त कोई मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाई है?	हाँ/नहीं यदि हाँ, *(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*
वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण		
12.	वह व्यक्ति जिसके पास आवेदन किया जा रहा है *(*कोई किसी एक का चयन करें*)*	• राष्ट्रीय प्रयोगशाला • विश्वविद्यालय • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान • विनिर्दिष्ट व्यक्ति
13.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, जैसा भी मामला हो	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*
14.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता, जैसा भी मामला हो	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*
15.	कार्यक्रम का शीर्षक	
16.	कार्यक्रम का उद्देश्य	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*
17.	कार्यक्रम आरंभ करने की प्रस्तावित तारीख	*(dd/mm/yyyy)*
18.	कार्यक्रम की अवधि (महीनों में)	
19.	कार्यक्रम की कुल लागत (कच्चे माल, उपकरण, जनशक्ति, सेवाओं, अप्रत्यक्ष लागत, उपरिव्यय और बौद्धिक निवेश की लागत सहित)	
20.	कार्यक्रम के लिए प्रायोजक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल निधि	
21.	अन्य विवरण जो अलग उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाने हैं	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हम अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विहित शर्तों तथा कार्यक्रम के अनुमोदन के समय हमारे बीच सहमत शर्तों का पालन करने का उपक्रम करते हैं।

स्थान : ..... प्रायोजक के हस्ताक्षर

तारीख : ..... नाम :

पदनाम :

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. प्ररूप की नीचे उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे:

उपाबंध	जिसके संबंध में	विवरण
अ-1	पंक्ति संख्या 6	नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, साथ ही तुलन पत्र, जहाँ लागू हो
अ-2	पंक्ति संख्या 10	प्रायोजक की अनुसंधान और विकास सुविधाओं और अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर विस्तृत टिप्पणी
अ-3	पंक्ति संख्या 11	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाई का विवरण
अ-4	पंक्ति संख्या 16	अनुसंधान कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम, व्यावसायीकरण की संभावनाएं, विदेशी मुद्रा बचत और निर्यात की संभावना के संदर्भ में कार्यक्रम की उपयोगिता का संकेत हो - अलग-अलग परिशिष्टों में।
अ-5	पंक्ति संख्या 21	प्रायोजक द्वारा की गई किसी भी तकनीकी सहयोग का विवरण, यदि कोई हो

4. प्रत्येक अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

6. रकम ₹ में भरी जाएँगी जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 8

[नियम 30(4) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन का आदेश

पंक्ति क्रमांक	विवरण		
1.	प्रायोजक का नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	*संख्या*
6.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
7.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
8.	वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का शीर्षक		
9.	कार्यक्रम का उद्देश्य		
10.	आवेदन की संदर्भ संख्या		
11.	आवेदन की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
12.	कार्यक्रम आरंभ करने की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
13.	कार्यक्रम की अवधि (महीनों में)		
14.	वे कर वर्ष जिनके लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है (पाँच कर वर्षों से अधिक नहीं(		
15.	कार्यक्रम की कुल लागत		
16.	अन्य विवरण जो अलग उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाने हैं	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*	

तारीख : .....

(हस्ताक्षर)

स्थान :.....

(नाम और पदनाम)

आदेश संख्या : .....

प्रतिलिपि प्रेषित :

(i) प्रायोजक :

(ii) महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद/रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) /सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग/सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग;

(iii) मुख्य आयकर आयुक्त जिनके क्षेत्राधिकार में प्रायोजक है;

(iv) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग।

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे, अर्थात्:

उपाबंध	विवरण
अ-1	कार्यक्रम का उद्देश्य
अ-2	भुगतान की शर्तें
अ-3	विहित प्राधिकारी द्वारा लगाई गई कोई अन्य शर्तें, उदाहरणार्थ, पेटेंट अधिकारों का उपयोग और अधिकारों का व्यावसायीकरण आदि।

4. राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मामले में, इस प्ररूप पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, इस प्ररूप पर उप सचिव के पद से कम पद धारण वाला कोई अधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, जिसे ऐसा आदेश जारी

करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

7. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 9

[नियम 30(8) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भुगतान की रसीद

विवरण			
1.	प्रायोजक का नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	*संख्या*
6.	भुगतान की गई रकम	*(अंकों में)*	
		(शब्दों में)	
7.	भुगतान का तरीका और विवरण		
8.	भुगतान की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
9.	उस अनुसंधान कार्यक्रम का नाम जिसके लिए रकम उपयोग की जानी है		
10.	कार्यक्रम की अनुमोदित लागत		
11.	कार्यक्रम आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
12.	कार्यक्रम की अवधि		
13.	वे कर वर्ष जिनके लिए अनुमोदित किया गया		
14.	विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम का विवरण	आदेश संख्या और तारीख	
		फाइल संख्या से निर्गत	
15.	वह कर वर्ष जिसमें यह भुगतान किया गया है		
16.	स्तंभ 15 में उल्लिखित कर वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम हेतु अब तक प्राप्त कुल रकम जिसमें यह भुगतान सम्मिलित है	*(अंकों में)*	
		(शब्दों में)	
17.	पिछले कर वर्षों में प्राप्त भुगतानों का विवरण	कर वर्ष	रकम
		(i)	
		(ii)	

तारीख : ..... (हस्ताक्षर)

स्थान : ..... (नाम और पदनाम)

(राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता)

इस रसीद की क्रम संख्या : .....

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

4. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 10

[नियम 30(7)(घ)(अ) देखें]

धारा 45(3)(ग) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

प्रायोजक का विवरण			
1.	प्रायोजक का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	प्रायोजक के कारबार की प्रकृति	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
	अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का विवरण		
7.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
8.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
9.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति का टेलीफोन संख्या		
10.	विहित प्राधिकारी का नाम और पदनाम	नाम	
		पदनाम	
11.	वह एजेंसी जिसके अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है *(कोई किसी एक का चयन करें)*	▪ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ▪ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ▪ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ▪ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ▪ इलेक्ट्रॉनिक्स Electronics विभाग	

		▪ जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ▪ परमाणु ऊर्जा विभाग
12.	वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
13.	अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
14.	कार्यक्रम की अवधि)महीनों में (	
15.	वे कर वर्ष जिनके लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है	
16.	कार्यक्रम की कुल लागत (कच्चे माल, उपकरण, जनशक्ति, सेवाओं, अप्रत्यक्ष लागत, उपरिव्यय और बौद्धिक निवेश की लागत सहित)	
17.	भुगतान की शर्तें	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
18.	प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच पेटेंट अधिकारों और व्यावसायीकरण अधिकारों से संबंधित करार का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं ..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हम निम्नलिखित का वचन देते हैं :

(i) अनुमोदित कार्यक्रम के लिए पृथक खाते बनाए रखेंगे;

(ii) प्रत्येक वर्ष प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

(iii) पूरा होने पर, प्रायोजक पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को लेखापरीक्षित खातों के विवरण सहित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

स्थान :..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख : ..... नाम :

पदनाम :

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा दिया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे :i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. प्ररूप की नीचे उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे:

उपाबंध	पंक्ति संख्या	विवरण
अ-1	पंक्ति संख्या 6	नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, साथ ही तुलन पत्र, जहाँ लागू हो, संलग्न करें।
अ-2	पंक्ति संख्या 12	अनुसंधान कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम, व्यावसायीकरण की संभावनाएं, विदेशी मुद्रा बचत और निर्यात की संभावना के संदर्भ में कार्यक्रम की उपयोगिता का संकेत अलग-अलग परिशिष्टों में हो -
अ-3	पंक्ति संख्या 17	प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच करार की प्रति संलग्न करें।

अ-4	पंक्ति संख्या 19	करार की प्रति संलग्न करें।

4. राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मामले में, इस प्ररूप पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, इस प्ररूप पर उप सचिव के पद से कम पद धारण करने वाला कोई अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है, जिसे प्ररूप संख्या 8 पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

7. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 11

[नियम 29(2)(ग) देखें]

आंतरिक अनुसंधान विकास सुविधा में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ करार करने हेतु आवेदन

<table>
<tr><th colspan="8">भाग क: कंपनी का विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम</td><td colspan="4">(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पंजीकृत कार्यालय का पता</td><td colspan="4">(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी लेखा संख्या</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">ई-मेल आईडी</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">संपर्क संख्या</td><td>देश का कोड</td><td colspan="3">संख्या</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="3" rowspan="2">कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त का विवरण</td><td>पदनाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="3">(क) कंपनी के कारबार की प्रकृति</td><td colspan="4">• जैव प्रौद्योगिकी का कारबार
• पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है</td></tr>
<tr><td colspan="3">(ख) यदि (क) का उत्तर पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन है, तो कृपया उत्पाद विनिर्दिष्ट करें</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">पिछले तीन कर वर्षों के दौरान पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन :</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>क्रम संख्या</td><td>कर वर्ष</td><td colspan="5">वार्षिक उत्पादन</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="7">पिछले तीन कर वर्षों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर वार्षिक व्यय :</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>क्रम संख्या (अ)</td><td>कर वर्ष (आ)</td><td>भूमि और भवन में व्यय (इ)</td><td>(इ) को छोड़कर अन्य पूंजीगत व्यय (घ)</td><td>राजस्व व्यय (उ)</td><td>कुल वार्षिक व्यय (ऊ) (इ) +(ई)+(उ)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	(iii)					
10.	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं का विवरण			सुविधा की प्रकृति		
				पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
11.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद)डीएसआईआर (द्वारा मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए मान्यता का विवरण			पंजीकरण संख्या		
				मान्यता की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	
				मान्यता की वैधता		
12.	कंपनी द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य					

भाग ख :कंपनी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के बीच करार

यह करार कंपनी ..... (इसके बाद इसे प्रथम पक्ष कहा गया है) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) (इसके बाद इसे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के बीच निम्नानुसार संपन्न हुआ है:

1. प्रथम पक्ष एक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा बनाए रखेगा जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

2. प्रथम पक्ष, धारा 45(2) के अधीन जैव प्रौद्योगिकी या पात्र वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य को करने में द्वितीय पक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

3. प्रथम पक्ष अनुसंधान एवं विकास कार्य करने में पूर्ण सहयोग करेगा और पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए पृथक खाते बनाए रखेगा, जिनका वार्षिक रूप से विहित रूप में लेखापरीक्षण किया जाएगा, और धारा 45(2) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(क (के अधीन आय विवरण)रिटर्न ऑफ इनकम (के साथ उसकी एक प्रति संलग्न करनी होगी।

4. धारा 45(2) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले प्रथम पक्ष के अधीन, और उक्त आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा की इसके उद्देश्यों के संदर्भ में व्यवहार्यता और प्रथम पक्ष द्वारा उक्त अनुसंधान एवं विकास सुविधा पर किए गए व्यय की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर, द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा प्ररूप संख्या 11 में आवेदन करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर, प्रथम पक्ष पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त को उक्त सुविधा के अनुमोदन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इस पर ..... दिन, ... माह, ... वर्ष को हस्ताक्षर किए गए।

प्रथम पक्ष की ओर से प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, (पदनाम और पता) स्थान :
तारीख:

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम और पता)

स्थान :
तारीख:
द्वितीय पक्ष की ओर से सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, (पदनाम और पता) स्थान :
तारीख:

साक्षी के हस्ताक्षर
)नाम और पता (
स्थान :
तारीख:

भाग ग --कंपनी द्वारा घोषणा और उपक्रम

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

साथ ही, मैं/हम निम्नलिखित का वचन देता /देती हूँ :

1. अनुसंधान एवं विकास कार्य पर पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए पृथक खाते बनाए रखेंगे, जिनका वार्षिक रूप से धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षण किया जाएगा;

2. संबंधित कर वर्ष के लिए धारा 45(2) के अधीन कटौती के दावे के समर्थन में प्रत्येक कर वर्ष के लिए धारा 263(1)(क (के अधीन दाखिल किए जाने वाले आय विवरण के साथ ऐसे संपरीक्षित वार्षिक खाते की एक प्रति संलग्न करेंगे;

3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. धारा 45(2) के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य करने में पूरी तरह सहयोग करेंगे।

5. यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी तेरहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करती है।

6. यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए और आय-कर की गणना के प्रयोजनों के लिए तैयार कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर पूंजीगत और राजस्व व्यय को अनुसूचियों/लेखाओं के टिप्पणियों में दर्शाएगी।

7. धारा 263(1)(ग) के अधीन निर्दिष्ट आय विवरण दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले वार्षिक रूप से उपाबंध-1 और उपाबंध-2 के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

8. यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदित सुविधा द्वारा अर्जित संपत्तियों का उपयोग केवल अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया जाए और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव की अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं किया जाएगा।

स्थान : ..... कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम :

पदनाम :

उपाबंध-1

धारा 45(2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अनुसंधान और विकास सुविधा के संबंध में अलग से प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।

विवरण		
1.	कंपनी का नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)
3.	स्थायी लेखा संख्या	
4.	कर वर्ष	
5.	अन्य विवरण जो उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाने हैं	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं ..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, ... (निर्धारिती का नाम) की ओर से, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान : ..... कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम :

पदनाम :

उपाबंध-2

धारा 45(2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा केंद्र पर किए गए व्यय का विवरण।

पंक्ति संख्या	विवरण		
1.	| कर वर्ष		
2.	अनुसंधान और विकास सुविधा का स्थान		
3.	व्यय का विवरण :	अ. (i) भूमि (ii) भवन	....
		आ. पूंजीगत व्यय (भूमि और भवन के अलावा (: (i) उपकरण (ii) अन्य (क) ..... (ख) ..... (ग) ..... (iii) ..... कुल योग	 ....
		इ. राजस्व व्यय : (क)..... (ख)..... (ग) ..... कुल योग	 ....
4.	अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (भूमि और भवन को छोड़कर)		
5.	यदि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा के विकास के संबंध में अर्जित	हाँ/नहीं	

	कोई संपत्ति निस्तारित/हस्तांतरित की गई है	
6.	यदि 5का उत्तर हाँ है, तो क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव से अनुमोदन लिया गया है	हाँ/नहीं (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)
7.	ऐसी निस्तारित/हस्तांतरित संपत्तियों का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दावा किया गया व्यय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान : .....

कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम :

पदनाम :

टिप्पण:

1. नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होंगे :i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन iii. सड़क/गली/खंड/सेक्टर iv. पिन/ज़िप कोड v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका vii. ज़िला viii. राज्य

3. उल्लिखित पंक्ति क्रमांक के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएँगे, अर्थात्:

उपाबंध	जिसके संबंध में	विवरण

अ-1	उपाबंध1 (पंक्ति क्रमांक 5)	अनुमोदन के समय विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन में दिखाई गई प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी।. मूल रूप से परिकल्पित परियोजनाओं के दायरे के संबंध में किसी भी परिवर्तन को उजागर किया जा सकता है।
अ-2		कर वर्ष के दौरान शुरू की गई किसी भी अतिरिक्त परियोजना का विवरण
अ-3		कर वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास अवसंरचना में किसी भी परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो
अ-4		कर वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास उपलब्धियों और व्यावसायीकृत प्रौद्योगिकियों का विवरण
अ-5		कर वर्ष के दौरान प्राप्त और/या दायर किए गए पेटेंटों का विवरण
अ-6		अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र में किसी भी अन्य परिवर्तन का विवरण
अ-7	उपाबंध2 (पंक्ति क्रमांक 6)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव से अनुमोदन पत्र की एक प्रति
अ-8	उपाबंध2 (पंक्ति क्रमांक 7)	निस्तारित/हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाएंगे: (i) संपत्ति का विवरण (ii) संपत्ति के निस्तारण/हस्तांतरण पर प्राप्त प्रतिफल

4. विहित रूप से भरे गए आवेदनों की छह प्रतियां वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को प्रस्तुत की जानी हैं।

5. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, साथ ही तुलन पत्र, संलग्न की जानी है।

6 आंतरिक (आर एंड डी) केंद्र की डीएसआईआर मान्यता की एक प्रति संलग्न करें।

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

8. रकम ₹ में हैं जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 12

[नियम 29(2)(ङ)(ii) देखें]

विहित प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य आयुक्त, आयकर को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

क्रम संख्या	कंपनी का विवरण		
1.	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	प्रधान अधिकारी का विवरण	नाम	(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)
		पद	
5.	(क) कंपनी के कारबार/गतिविधि की प्रकृति	• जैव प्रौद्योगिकी का कारबार • पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन, जो तेरहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है	
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन है, तो कृपया उत्पाद निर्दिष्ट करें		

क्रम संख्या	**भाग क**		
1.	क्या कारबार की प्रकृति कंपनी द्वारा परिकल्पित प्रस्तावित वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों से संबंधित है	हाँ/नहीं	
2.	कंपनी द्वारा परिकल्पित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्य		
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
4.	क्या वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर्याप्त है	हाँ/नहीं	
5.		पंजीकरण संख्या	

	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मौजूदा अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए मान्यता का विवरण	मान्यता की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*
		मान्यता की वैधता	
6.	क्या सहयोग और अनुसंधान और विकास सुविधा और लेखाओं के लेखापरीक्षण के लिए करार किया गया है	हाँ/नहीं	
7.	पिछले तीन कर वर्षों के दौरान पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन		

भाग आ

क्रम संख्या	विवरण		
1.	कर वर्ष		
2.	अनुसंधान और विकास सुविधा का पता	(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)	
3.	व्यय का विवरण: (लाख में)	अ. (i) भूमि	.....
		(ii) भवन	.....
		आ. पूंजीगत व्यय (भूमि और भवन के अलावा):	
		(i) उपकरण	.....
		(ii)अन्य	
		(क)	.....
		(ख)	.....
		(ग)	.....
		(iii)	.....
		कुल	.....
		इ. राजस्व व्यय	
		(i) अनुसंधान और विकास से सीधे संबंधित व्यय	.....
		(क).....	.....
		(ख).....	.....
		(ग)	.....

		कुल	
4.	अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (भूमि और भवन को छोड़कर)		
5.	यदि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा के विकास के संबंध में अर्जित कोई संपत्ति का निपटान/अंतरण किया गया है	हाँ/नहीं	
6.	यदि 5का उत्तर हाँ है, तो क्या सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से स्वीकृति ली गई है?	हाँ/नहीं (टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	
7.	ऐसी निपटाई/अंतरित की गई आस्तियों का विवरण	(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)	

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

.....

सचिव के हस्ताक्षर,

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

तारीख:

स्थान:

प्रतिलिपि :कंपनी

टिप्पण:

1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा :i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली /ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	के संबंध में	विवरण
अ-1	भाग क (पंक्ति संख्या 3)	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति पर एक विस्तृत टिप्पणी
अ-2	भाग आ (पंक्ति संख्या 6)	सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से स्वीकृति पत्र की एक प्रति
अ-3	भाग आ (पंक्ति संख्या 7)	निपटाई/अंतरित की गई संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाएंगे: (i) संपत्ति का विवरण (ii) संपत्ति के निपटान/अंतरण पर प्राप्त प्रतिफल

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 13

[नियम 29(2)(ङ)(v) देखें]

धारा 45(2) से संबंधित आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा के बारे में प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकार की रिपोर्ट

मैं ..... ने मेसर्स _____ की आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है, जो _____ स्थित है, जिसे निर्धारित प्राधिकारी (सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा आदेश संख्या ___ तारीख ___ के अधीन धारा 45(2) के अधीन अनुमोदित किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि,

(क) कंपनी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा धारा 45(2) के अधीन अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा के लिए पृथक लेखा बनाए रखा है।

(ख) लेखा *संतोषजनक/संतोषजनक नहीं बनाए रखा गया है।

(ग) प्रमाणित व्यय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) दिशानिर्देशों के *अनुरूप/अनुरूप नहीं है।

3. व्यय का विवरण इस प्रकार है:

अ. (i) भूमि (ii) भवन	....
आ. पूंजीगत व्यय)भूमि और भवन के अलावा:((i) उपकरण (ii) अन्य (अ) ..... (ख) ..... (इ) ..... (iii) ..... कुल	 ....
इ. राजस्व व्यय (i) सीधे अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यय (अ)..... (ख)..... (इ) ..... कुल	....

कर वर्ष ..... के लिए रिपोर्ट किया गया है, जो मेरे/हमारे द्वारा की गई अनुमोदित अनुसंधान और विकास सुविधा की लेखापरीक्षा के परिणाम के अनुसार मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार *सही/गलत है।

4. अनुसंधान और विकास पूंजीगत व्यय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ..... और राजस्व व्यय पृष्ठ ... पर दर्शाया गया है।

स्थान *लेखाकार के हस्ताक्षर***

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी लेखा संख्या (पैन):

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

* जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।

** यह रिपोर्ट किसी लेखाकार द्वारा दी जानी है।

टिप्पण:

1. लेखाकार का अर्थ धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार है।

2. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 14

नियम 29(2)(घ)(i) देखें

धारा 45(2) के अधीन आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा की स्वीकृति का आदेश

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th colspan="3">विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कंपनी का नाम</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पंजीकृत कार्यालय का पता</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्थायी लेखा संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>(क) कंपनी के कारबार/गतिविधि की प्रकृति</td><td colspan="2">• जैव प्रौद्योगिकी का कारबार
• पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन जो तेरहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है</td></tr>
<tr><td>(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन है, तो कृपया उत्पाद विनिर्दिष्ट करें</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>वह पता जहाँ ऐसी अनुसंधान और विकास सुविधा स्थित है</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td rowspan="2">आवेदन का विवरण</td><td>संदर्भ संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>आवेदन की तारीख</td><td>(दिन/माह/वर्ष(</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td rowspan="3">कंपनी की आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदत्त मान्यता का विवरण</td><td>पंजीकरण संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>मान्यता की तारीख</td><td>(दिन/माह/वर्ष(</td></tr>
<tr><td>मान्यता की वैधता</td><td></td></tr>
</table>

उपरोक्त अनुसंधान और विकास सुविधा धारा 45(2) के प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाती है, जो इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

तारीख:

स्थान:

सचिव के हस्ताक्षर

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

.....

(नाम)

फ़ाइल संख्या ....

आदेश संख्या ....

प्रतिलिपि प्रेषित :

(1) कंपनी

(2) कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य आयुक्त, आयकर

टिप्पण:

1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 15

नियम31(1)(क)देखें

धारा 45(4)(क) के अधीन अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी ("ग्राही") द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

	ग्राही का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	अधिसूचना संख्या जिसके द्वारा ग्राही को स्वीकृति प्रदान की गई		
5.	ई-मेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
	दाता और दान का विवरण		
8.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
9.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
10.	स्थायी लेखा संख्या		
11.	दान की रकम		
12.	ग्राही द्वारा प्राप्ति (कोई किसी एक का चयन करें)	○ नकद ○ वस्तु रूप में ○ ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित आदाता के खाते में चेक/ड्राफ्ट ○ अन्य	
13.	दान की तारीख		
14.	वह धारा जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र है	• **धारा** 45(3)(**क**) • धारा 45(3)(ख)	

घोषणा और सत्यापन

मैं, ..., स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (ग्राही का नाम) के ..... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं और मैं इस प्रपत्र को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख :	नाम:
पदनाम:	

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: मकान/दरवाज़ा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, नगर/शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड।

3. ऐसे दाता के मामले में जिसने विभिन्न प्रकार के या विभिन्न माध्यमों से दान दिए हैं, ऐसे प्रत्येक संयोजन के लिए अलग-अलग पंक्तियाँ भरी जानी चाहिए।

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 16

नियम31(1)(ख)देखें

अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी को किए गए दान का प्रमाणपत्र

अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी ")ग्राही ("का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	ई-मेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	अधिसूचना संख्या जिसके द्वारा ग्राही को स्वीकृति प्रदान की गई		
	दाताओं और दान का विवरण		
7.	नाम		
8.	पता		
9.	स्थायी लेखा संख्या		
10.	प्राप्त दान की रकम		
11.	वह कर वर्ष जिसमें ऐसा दान प्राप्त हुआ		
12.	वह धारा जिसके अधीन दान कटौती के लिए पात्र / योग्य है	• **धारा** 45(3)(**क**) • धारा 45(3)(ख)	

घोषणा

मैं, ...पैन ..... धारक, ... (ग्राही का नाम) के ..... (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में, यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्रमाणपत्र .... के रूप में अपनी क्षमता में जारी कर रहा/रही हूँ और मैं यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य

3. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

4. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रपत्र संख्या 17

[नियम 32 एवं 35 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(ख) के अधीन कंपनी के अनुमोदन हेतु तथा धारा 45(4)(ख) के अधीन अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान के अनुमोदन हेतु आवेदन

	भाग क: स्थापना/संरचना का विवरण		
1.	किसके अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है *(किसी एक का चयन करें)*	• कंपनी • अनुसंधान संघ • विश्वविद्यालय • महाविद्यालय • अन्य संस्थान	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
4.	स्थायी खाता संख्या		
5.	स्थिति	*(टिप्पण 3 देखें)*	
6.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 4 देखें)*	
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
9.	धारा संबंधित कोड	*(टिप्पण 5 देखें)*	
10.	क्या आवेदनकर्ता किसी दस्तावेज़ के अधीन स्थापित है?	*हाँ/नहीं*	
11.	यदि हाँ, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:		
	(क) स्थापना/पंजीकरण की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
	(ख) स्थापना या पंजीकरण संख्या		
	(ग) स्थापना/पंजीकरण प्रदान करने वाली प्राधिकारिता		
12.	क्या आवेदनकर्ता दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 अथवा आयकर अधिनियम, 2025 की प्रावधानों के अधीन पंजीकृत है, जैसा कि लागू हो?	*हाँ/नहीं*	
13.	यदि प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हाँ है, तो संबंधित कानून/पोर्टल का चयन करें (किसी एक या अधिक का चयन करें)	• दर्पण पोर्टल • एफसीआरए अधिनियम	

		• आयकर अधिनियम, 1961 • आयकर अधिनियम, 2025
14.	पंक्ति 13 में चयन के संबंध में, कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	*(टिप्पण 6 एवं 7 देखें)*
	(क) संबंधित विधि/पोर्टल	
	(ख) पंजीकरण संख्या	
	(ग) पंजीकरण संख्या की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*
	(घ) पंजीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	
	(ङ) वह तारीख जब से पंजीकरण प्रभावी है	*(दिन/माह/वर्ष)*
	(यदि कई पोर्टल/विधि के अधीन पंजीकृत है तो पंक्ति संख्या 14 में विवरण पुनः प्रस्तुत करें)	
15.	क्या आवेदनकर्ता ने पूर्व में अधिनियम की धारा 45(3)(ख) या 45(4)(ख) अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के समकक्ष प्रावधानों के अधीन अनुमोदन हेतु कोई आवेदन किया था और वह अअनुमोदित हुआ?	*हाँ/नहीं* *(यदि हाँ, तो टिप्पण 8 देखें)*

भाग ख:

प्रमुख व्यक्तियों के विवरण

1. सभी लेखक/संस्थापक/व्यस्थापनकर्ता/न्यासी (ट्रस्टी)/संघ के सदस्य/शासन परिषद के सदस्य/निदेशक/5% या अधिक शेयरधारक/पदाधिकारी के विवरण:

क्रमांक	नाम	संबंध *(टिप्पण 9 देखें)*	शेयरधारक के मामले में शेयरधारिता का प्रतिशत	स्थायी खाता संख्या	पता	मोबाइल संख्या	ईमेल आईडी

2. *यदि कोई व्यक्ति* (*भाग* आ *की पंक्ति* 1 *में वर्णित*) *व्यक्तिगत नहीं है, तो आवेदन की तारीख तक ऐसे व्यक्ति के प्राकृतिक व्यक्तियों, जो लाभार्थी स्वामी* (5% *या अधिक*) *हों, के निम्नलिखित विवरण प्रदान करें*:

क्रमांक	नाम	स्थायी खाता संख्या	पता	व्यक्ति (व्यक्ति के अलावा) जिसके पास लाभार्थी स्वामित्व है (भाग आ की पंक्ति 1 में वर्णित)	लाभार्थी स्वामित्व का प्रतिशत

संचालन विवरण

3. प्रार्थी द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाले प्रयोगशाला/अनुसंधान संघ/सुविधा/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्था का विवरण:

प्रयोगशाला/अनुसंधान संघ/सुविधा/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्था का नाम	*स्थायी खाता संख्या*	*क्या अधिनियम की धारा* 45 *के अधीन या आयकर अधिनियम,* 1961 *की समकक्ष प्रावधान के अधीन सूचना जारी की गई है या आदेश पारित*	*स्थापना का वर्ष*	*गतिविधि का स्वरूप*	*पता*	*क्या प्रार्थी के स्वामित्व में है? (हाँ/नहीं)*	*प्रभारी व्यक्ति*	
							नाम	*स्थायी खाता संख्या*

		किया गया है? (हाँ/नहीं)						

4. पिछले तीन कर वर्षों में संचालित अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना अवधी		परियोजना की वर्तमान स्थिति	परियोजना आरंभ करने की तारीख	परियोजना लागत (यदि पूर्ण हुई हो) / अनुमानित परियोजना लागत (यदि चल रही हो)	(vi) में से, परियोजना पूर्णता हेतु अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थान को भुगतान की गई रकम
		तारीख दिन/माह/वर्ष से	*तारीख दिन/माह/वर्ष तक*	*(चल रही है/ पूर्ण)*			
(i)	(ii)	(iii)		(iv)	(v)	(vi)	(vii)

आय एवं व्यय का विवरण

5. यदि आवेदक के पास कारबार से होने वाले लाभ और आय के स्वरूप में कोई आय है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें

कारबार का स्वरूप	पता	क्या कारबार ट्रस्ट अथवा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुषंगिक है?	क्या कारबार के लिए अलग-खाता खाता बही रखी जाती हैं?
		हाँ/नहीं	*हाँ/नहीं*

6. पिछले तीन कर वर्षों के लिए दाखिल की गई आय विवरणी का विवरण

क्रमांक	कर वर्ष	व्यापार/सकल प्राप्तियां	कुल आय	रिटर्न के अनुसार देय कर	रिटर्न के अनुसार भुगतान किया गया कर	मूल्यांकन की गई आय का विवरण

7. कृपया उस कर वर्ष से पूर्व के तीन कर वर्षों की प्राप्त आय का विवरण प्रदान करें, जिसमें आवेदन किया गया हो:

क्रमांक	कर वर्ष	अनुसंधान उद्देश्यों हेतु प्राप्त दान		अनुसंधान के अतिरिक्त उद्देश्यों हेतु प्राप्त दान		विश्वविद्यालय अनुसंधान परियोजनाओं के	अन्य	कुल आय
		कॉर्पस	गैर कॉर्पस	कॉर्पस	गैर कॉर्पस			
(i)								
(ii)								
(iii)								

8. कृपया उस कर वर्ष से तीन कर वर्ष पूर्व किए गए व्यय का विवरण प्रदान करें, जिसमें आवेदन किया गया है:

क्रमांक	कर वर्ष	वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयुक्त रकम	गैर अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रयुक्त रकम	कुल आवेदन रकम	संघ के उद्देश्य हेतु संचित रकम
(i)					
(ii)					
(iii)					

9. वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकी अनुसंधान पर आवेदन किए गए कर वर्ष से पूर्व तीन कर वर्षों के दौरान वार्षिक व्यय:

क्रमांक	कर वर्ष	भूमि एवं भवन पर व्यय	पूंजीगत व्यय (भूमि एवं भवन को छोड़कर)	राजस्व व्यय	वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान/सांख्यिकी अनुसंधान पर कुल व्यय
(i)					
(ii)					
(iii)					

10.	आवेदन किए गए कर वर्ष से पूर्व तीन कर वर्षों के दौरान वार्षिक व्यय:					
	क्रमांक	कर वर्ष	भूमि एवं भवन पर व्यय	पूंजीगत व्यय (भूमि एवं भवन को छोड़कर)	राजस्व व्यय	कुल व्यय
	(i)					
	(ii)					
	(iii)					
11.	अन्य विवरण अलग उपबंध के रूप में प्रस्तुत करें:					*(टिप्पण 10 निर्दिष्ट)*

घोषणा

मैं, पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी,_____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।___

मैं _____ यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्रपत्र को..... (पदनाम) के रूप में दाखिल कर रहा/रही हूँ, मेरा स्थायी खाता संख्या _____ है तथा मैं इस प्रपत्र को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

मैं यह संकल्प लेता/लेती हूँ कि आगे किसी भी समय ट्रस्ट/संघ/गैर-लाभकारी कंपनी के नियमों या संस्था को नियंत्रित करने वाले उपनियमों में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्क्षण प्रदान करूंगा/करूंगी।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम एवं पद:

उपाबंध

(अनुसूची III (सारणी क्रमांक 23) के अनुसार छूट का दावा करने वाले अनुसंधान संघ द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

<table>
<tr><td>क्रमांक</td><td colspan="5">विवरण</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">कर वर्ष ..... के लिए अनुसूची III
(सारणी क्रमांक 23) के अनुसार छूट</td><td colspan="2">(आवेदन किए जाने वाले कर वर्ष से पूर्व लगातार तीन कर वर्षों में से उस नवीनतम कर वर्ष का चयन करें जिसके लिए खातों की जांच की गई हो।)</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="5">धारा 350 के अधीन निर्दिष्ट नहीं किए गए माध्यमों में किए गए निवेश का विवरण</td></tr>
<tr><td></td><td>निवेश का स्वरूप</td><td>निवेश की रकम</td><td>निवेश की तारीख</td><td>निवेश का मूल्य</td><td>कर वर्ष में निवेश से प्राप्त आय</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="5">धारा 355(ख) में उल्लिखित, संघ में पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश का विवरण
निवेश का नाममात्र मूल्य ₹ में प्रदान करें</td></tr>
<tr><td></td><td>व्यक्ति

(टिप्पण 11 देखें)</td><td colspan="2">शेयर (₹ में)</td><td>सिक्योरिटी (₹ में)</td><td>अन्य कोई संपत्ति (₹ में)</td></tr>
<tr><td colspan="6">हितधारक व्यक्ति को लाभ</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">क्या संघ की कोई आय या संपत्ति इस प्रकार उपयोग या लागू की गई कि उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी हितधारक व्यक्ति को कोई लाभ, सुविधा, या उपकार (चाहे वह धनरूप में हो या न हो) प्राप्त हुआ हो?</td><td colspan="2">हाँ/नहीं</td></tr>
</table>

5	यदि ऊपर हाँ है, तो लाभ का मूल्य ₹ (टिप्पण 10 निर्दिष्ट*) निर्दिष्ट करें।*	
मानद आय		
6	संघ की वह रकम जो अनुभाग 337 के अधीन तीसरी अनुसूची (सारणी क्र. 23) के अनुसार आय मानी जाती है।	

घोषणा

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य
3. 'व्यक्ति' की स्थिति निम्नानुसार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिन्दू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ/संस्थागत निकाय (vi) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम विधिक व्यक्ति।
4. 'आवासीय स्थिति' निम्नानुसार भरें: (i) निवासी (ii) गैर-निवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
5. कोड निम्नानुसार भरें:

संगठन का प्रकार	**कोड**
अनुसंधान संघ [धारा 45(3)(क)(i) के अन्तर्गत]	1
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान [धारा 45(3)(क)(i) के अन्तर्गत]	2
अनुसंधान संघ [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(क)(ii) के अधीन]	3
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(क)(ii) के अधीन]	4
कंपनी [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(ख) के अधीन]	5

6. भाग क(पंक्ति संख्या 14) में, यदि आवेदनकर्ता को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त होती है या प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो निति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

7. भाग क (पंक्ति संख्या 14) में, आयकर अधिनियम के अधीन सभी पंजीकरणों, दर्पण पोर्टल तथा एफसीआरए 2010 के अधीन पंजीकरण विवरण निम्नलिखित सारिणी अनुसार प्रस्तुत किए जाने होंगे:

कानून	**अनिवार्य/गैर-आवश्यक**	**पंजीकरण संख्या**	**पंजीकरण संख्या की तारीख**	**पंजीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी**	**पंजीकरण प्रभावी होने की तारीख**
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 332 के अधीन पंजीकरण	यदि पंजीकृत हो तो अनिवार्य	पंजीकरण प्रदान करने वाले आदेश की संख्या प्रस्तुत करनी होगी	आदेश की तारीख	आयकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विवरणजो प्रदान किया जाना है	उस करवर्ष की प्रारंभिक तारीखजिससे पंजीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 2025 की सातवीं अनुसूची के अधीन अनुमोदन	अनिवार्य, यदि अनुमोदित हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश संख्या प्रदान करनी होगी	अनुमोदन की तारीख	आयकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विवरणजो प्रदान किया जाना है	उस करवर्ष की प्रारंभिक तारीखजिससे पंजीकरण प्रभावी है
वैज्ञनिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित	अनिवार्य, यदि पंजीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश संख्या प्रदान करनी होगी संख्या	अनुमोदन की तारीख	डीएसआईआर	उस कर वर्ष की प्रारंभिक तारीख जिससे पंजीकरण प्रभावी हो
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 के अधीन पंजीकरण	अनिवार्य, यदि पंजीकृत हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना या आदेश	अधिसूचना/आदेश की तारीख	केंद्रीय सरकार	वैसे टैक्स वर्ष की प्रथम तारीख जिससे पंजीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	अनिवार्य, यदि एफसीआरए पंजीकृत हो	पंजीकरण संख्या प्रदान	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	वह तारीख, जिससे उक्त अनुमोदन प्रभावी है

		करना आवश्यक है			
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या	यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करने का इरादा रखता है तो यह अनिवार्य है।	पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी	पंजीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख, जिससे उक्त अनुमोदन प्रभावी है
अन्य	यदि आवेदक का आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य पंजीकरण है तो यह अनिवार्य है।	पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी	पंजीकरण की तारीख	सक्षम प्राधिकारी	वह तारीख, जिससे उक्त अनुमोदन प्रभावी है

8. यदि अधिनियम की धारा 45 के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 के समकक्ष प्रावधान के अधीन पूर्व पंजीकरण अअनुमोदित किया गया था, तो अस्वीकृति आदेश की प्रति प्रस्तुत करें।

9. भाग ख (पंक्ति संख्या 1) में, 'संबंध' स्तंभ में निम्नलिखित में से एक या एकाधिक चयनित किए जाएँ:

क. लेखक
ख. संस्थापक
ग. व्यस्थापनकर्ता
घ. न्यासी (ट्रस्टी)
ङ. सोसाइटी के सदस्य
च. शासी परिषद के सदस्य
छ. निदेशक
ज. 5% या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक

झ. कार्यालय पदाधिकारी

10. संबंधित अनुक्रमांक के सन्दर्भ में निम्नलिखित विवरण भाग ख अथवा संलग्नक के अनुसार प्रस्तुत किए जाएँ:

संलग्नक	के संबंध में	विवरण
अ-1	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	जहाँ आवेदनकर्ता किसी साधन के अधीन गठित है, उस साधन की स्व-प्रमाणित प्रति
अ-2	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	जहाँ आवेदनकर्ता साधन के अधीन गठित नहीं है, आवेदनकर्ता के निर्माण या स्थापना का प्रमाण देने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति;
अ-3	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	निबंधक कंपनियों, फर्मों एवं समितियों के निबंधक, लोक न्यासों के रजिस्ट्रार अथवा अन्य पंजीकरण दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा प्रासंगिक हो;
अ-4	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन यदि आवेदनकर्ता पंजीकृत है, तो उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति;
अ-5	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	धारा 45 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान करने वाली वर्तमान अधिसूचना या आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति;
अ-6	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	आवेदनकर्ता द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों का विस्तृत विवरण (यदि आवेदनकर्ता द्वारा कोई अनुसंधान कार्य नहीं किए गए हैं, तो स्व-प्रमाणित शून्य घोषणा संलग्न करें);
अ-7	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	आवेदनकर्ता के पिछले तीन कर वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रति (यदि किसी भी कर वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए स्व-प्रमाणित शून्य घोषणा संलग्न करें);
अ-8	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	दानकर्ताओं की स्व-प्रमाणित प्रति, उनके नाम, पूर्ण डाक पता तथा पिछले तीन कर वर्षों में प्रत्येक द्वारा आवेदक को भुगतान की गई रकम सहित। किसी तीन कर वर्षों में पचास हजार रुपये से अधिक रकम देने वाले दानकर्ताओं का स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या उल्लेख करें (यदि पिछले तीन कर वर्षों में कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है तो स्व-प्रमाणित शून्य घोषणा संलग्न करें)।

अ-9	भाग ख (पंक्ति संख्या 11)	निम्नलिखित विवरण संबंधित (i) पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या आवेदक संस्था के नाम पर आवेदनित या पंजीकृत ऐसे अन्य समान अधिकार; तथा (ii) आवेदक संस्था द्वारा विकसित नए उत्पाद, प्रक्रियाएं, विधियां, तकनीकें (क) शीर्षक (ख) विवरण (ग) आवेदनित/प्राप्त स्थिति (घ) यदि व्यावसायिकृत या लागू किया गया हो, तो किसके द्वारा (ङ) उक्त पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अन्य समान अधिकारों अथवा ऐसे नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, विधियों, तकनीकों से अर्जित आय
अ-10	उपाबंध (पंक्ति संख्या 5)	लाभ, सुविधा अथवा प्राप्यता के स्वरूप का विस्तृत विवरण।

11. उपाबंध) पंक्ति संख्या 3) में, "व्यक्ति "को निम्नलिखित में से एक के रूप में भरें:

(क) आवेदक का संस्थापक

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदक को एक लाख रुपये से अधिक का अंशदान किया है

(ग) किसी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का कोई सदस्य जहां एचयूएफ संस्थापक है

(घ) आवेदक का प्रबंधक (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)

(ङ) संस्थापक, प्रबंधक के सदस्य का रिश्तेदार

(च) कोई भी चिंता जिसमें (क) से (ख) में संदर्भित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित हो।

12. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

13. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 18

[नियम36(1)(अ)देखें[

धारा 46 के अधीन किफायती आवास परियोजना को विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन

	निर्धारिती का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	स्थिति	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*	
5.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 4 में निर्दिष्ट))*	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
	विनिर्दिष्ट व्यावसाय के विवरण		
8.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
9.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
10(अ).	परियोजना का नाम)यदि कोई हो(		
10(ख).	परियोजना का पूरा पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
10(इ).	क्या यह किसी निर्दिष्ट शहर में है	*हाँ/नहीं*	
	विनिर्दिष्ट कारबार का विवरण		
11(अ).	स्थान		
11(ख).	परियोजना में कुल इकाइयों की संख्या		
11(इ).	परियोजना में विभिन्न इकाइयों का किराये योग्य क्षेत्र (वर्ग मीटर में इंगित करें):-		

	क्रम सं	*विवरण*	इकाई की श्रेणी *(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी / एमआईजी/अन्य आवासीय /वाणिज्यिक)*	*किराये योग्य क्षेत्र*	*इकाइयों की संख्या*	कुल किराये योग्य क्षेत्र (स्तंभ 6) (4*5)
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	कुल किराये योग्य क्षेत्र (स्तंभ 6)					
11(घ).	कुल किराये योग्य क्षेत्र में से, सामान्य सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र					
11(ङ).	कुल आबंटनीय किराये योग्य क्षेत्र [11(इ)- 11(ई)]					

शर्तों की पूर्ति		
12.	क्या नियम 36(5) में उल्लिखित निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूरी होती है	
12(क).	परियोजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई गई भागीदारी में किफायती आवास योजना के अधीन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त है	*हाँ/नहीं*
12(ख).	परियोजना के संचालन की आरंभ तारीख 1 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद की है	*हाँ/नहीं*
12(ग).	परियोजना कम से कम एक एकड़ क्षेत्र वाली भूमि के भूखंड पर है	*हाँ/नहीं*
12(घ).	परियोजना के कुल आवंटनीय किराये योग्य क्षेत्र का कम से कम तीस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस श्रेणी की किफायती आवास इकाइयों से मिलकर बना है	*हाँ/नहीं*
12(ङ).	परियोजना के कुल आवंटनीय किराये योग्य क्षेत्र का कम से कम साठ प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों की किफायती आवास इकाइयों से मिलकर बना है	*हाँ/नहीं*

	ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के किफायती आवास इकाइयों से युक्त होना चाहिए।	
12(ऊ).	परियोजना के कुल आवंटनीय किराये योग्य क्षेत्र का कम से कम नब्बे प्रतिशत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों की किफायती आवास इकाइयों से मिलकर बना है	*हाँ/नहीं*
12(ए).	विकसित और निर्मित की जाने वाली परियोजना के लेआउट और विनिर्देशों जिसमें डिजाइन शामिल है, को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या उसकी नामित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है	*हाँ/नहीं*

अन्य विवरण

13.	प्रस्तावित निवेश		
14.	परियोजना के प्रारंभ की अपेक्षित या वास्तविक तारीख	*अपेक्षित तारीख*	*(दिन/महीना/वर्ष)*
		वास्तविक तारीख	*(दिन/महीना/वर्ष)*
15.	क्या करदाता के पास प्रस्तावित परियोजना के सन्निकट या निकट कोई भूमि या परियोजना है? *(यदि हाँ, तो उसका विवरण)*	_____ _____	
16.	क्या प्रस्तावित परियोजना को पृथक एवं पहचाने जाने योग्य क्षेत्र के रूप में स्थित या विकसित किया गया है?	*हाँ/नहीं*	
17.	कृपया निम्नलिखित बताएं:	*(क) या (ख) में से उपयुक्त विकल्प लिखें*	

	(क) क्या यह परियोजना अन्य परियोजनाओं से स्वतंत्र है या (ख) क्या यह परियोजना किसी अन्य परियोजना का विस्तार अथवा भाग है?		
18.	जिस भूमि पर परियोजना स्थित है, उस पर आसेसी के शीर्षक का प्रकार		
19.	क्या परियोजना किसी करार के अधीन विकसित की गई है? यदि हाँ, तो ऐसे करार के अन्य पक्षों (आवेदक के अतिरिक्त) का विवरण दें। *(टिप्पण 5 देखें)*	*हाँ/नहीं*	
20.	यदि क्रमांक 19 का उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे करार के अन्य पक्षों (आवेदक के अतिरिक्त) का विवरण प्रदान करें।	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
		स्थायी खाता संख्या	
		पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
21.	कोई अन्य विवरण	*(टिप्पण 5 देखें)*	

घोषणा

मैं ..... स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, इसके द्वारा यह वचन देता/देती हूँ

कि धारा 46 के अधीन लाभ प्राप्त किए जाने वाले अवधि के दौरान किफायती आवास परियोजना का संचालन जारी रखूंगा/रखूंगी।मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान: .....

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा :i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली / ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. 'व्यक्ति' की स्थिति इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या न हो (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो (vii) स्थानीय प्राधिकारी (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास'निवासी स्थिति' इस प्रकार भरें:

4. (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन साधारण रूप से निवासी नहीं।प्रपत्र की निम्नलिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे:

उपाबंध	के संदर्भ में	विवरण
अ-1	19	करार)एग्रीमेंट (की प्रति संलग्न करें
अ-2	21	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा बनाई गई भागीदारी में किफायती आवास योजना के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृति का पत्र
अ-3	21	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार या उसकी नामित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित और निर्मित की जाने वाली परियोजना के लेआउट और विनिर्देशों जिसमें डिजाइन शामिल है, की स्वीकृति का पत्र

6. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

7. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 19

[नियम36(1)(ख)देखें]

धारा 46 के अधीन अर्धचालक वेफर निर्माण इकाई को विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन

	निर्धारिती का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी लेखा संख्या		
4.	स्थिति	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*	
5.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 4 में निर्दिष्ट)*	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
	विनिर्दिष्ट कारबार का विवरण		
8.	नाम	*(टिप्पण 1 में निर्दिष्ट)*	
9.	पता	*(टिप्पण 2 में निर्दिष्ट)*	
10(क).	इकाई का नाम)यदि कोई हो(	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*	
10(ख).	इकाई का पूरा पता	*(टिप्पण 4 में निर्दिष्ट)*	
	प्रस्तावित इकाई का विवरण		
11.	स्थान		
12.	क्या इकाई का प्रचालन शुरू हो चुका है	*(हाँ/नहीं(*	
12(क).	यदि हाँ, इकाई के प्रचालन की वास्तविक आरंभ तारीख	*(दिन/माह/वर्ष(*	
12(ख).	यदि नहीं, इकाई के प्रचालन की अपेक्षित आरंभ तारीख	*(दिन/माह/वर्ष(*	
	शर्तों की पूर्ति		
13.	क्या नियम 36(6) में उल्लिखित निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूरी होती है		
13(क).	इकाई विशेष रूप से अर्धचालक वेफर फैब्रिकेशन के निर्माण के लिए है।	*(हाँ/नहीं(*	
13(ख).	इकाई को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अधीन	*(हाँ/नहीं(*	

	मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है	
13(ग).	परियोजना के प्रचालन की आरंभ तारीख 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद की है;	*(हाँ/नहीं(*
13(घ).	इकाई की सभी विनिर्माण सुविधाएं भारत में स्थित हैं;	*(हाँ/नहीं(*
14.	यदि उपरोक्त 13 (ख) का उत्तर 'हाँ' है,तो	
	(क) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अधीन स्वीकृति की तारीख;	(क) *(दिन/माह/वर्ष(*
	(ख) ऐसी स्वीकृति के आदेश की संख्या	(ख)

घोषणा

मैं ..... स्थायी लेखा संख्या .... धारक, इसके द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि धारा 46 के उपबंधों के अनुसार अवधि के दौरान इकाई का संचालन जारी रखूंगा/रखूंगी।

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान: ..... आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

1. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

2. 'व्यक्ति' की स्थिति इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या न हो (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो (vii) स्थानीय प्राधिकारी (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास

3. 'निवासी स्थिति' इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन साधारण रूप से निवासी नहीं।

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रपत्र संख्या 20

[*देखें* नियम 37(2)]

धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना की स्वीकृति हेतु आवेदन

क्रमांक	**भाग क - आवेदनकर्ता के विवरण**		
1.	आवेदनकर्ता का नाम	*(संदर्भ टिप्पण 1)*	
2.	पता	*(संदर्भ टिप्पण 2)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कंपनी/संधि फर्म/स्वामित्व संस्था की स्थापना तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या

क्रमांक	**भाग ख- कृषि विस्तार परियोजना के विवरण**			
1.	यदि कृषि विस्तार परियोजना पहले धारा 47(1)(क) अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग(1) के अधीन अधिसूचित की गई हो, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:	अधिसूचना संख्या		
		उस अधिसूचना की तारीख		*(दिन/माह/वर्ष)*
		उस अधिसूचना की प्रति		*(टिप्पण 3 देखें)*
2.	यदि धारा 47(1)(क) अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग(1) के अधीन जारी अधिसूचना पूर्व में निरस्त की गई हो	अधिसूचना संख्या उस अधिसूचना की तारीख *(दिन/माह/वर्ष)* उस अधिसूचना की प्रति *(टिप्पण 3 देखें)*		
3.	आवेदक के कारबार का स्वरूप			
4.	कृषि विस्तार परियोजना की अधिसूचना के लिए अनुरोधित प्रारंभ तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*		
5.	परियोजना के पूर्ण होने की अपेक्षित तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*		
6.	प्रत्येक लाभार्थी से कृषि विस्तार परियोजना के लिए वसूल की जाने वाली रकम, यदि कोई हो	क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	उपर्युक्त रकम

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">(i)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">(ii)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">(आवश्यक होने पर पुनः उल्लेख करें)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>क्या यह कृषि विस्तार परियोजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है?</td><td colspan="5">(हाँ/नहीं)

(यदि हाँ, तो टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="6">पिछले तीन कर वर्षों के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न का विवरण

<table>
<tr><th>कर वर्ष</th><th>टर्नओवर / सकल प्राप्तियाँ</th><th>कुल आय</th><th>रिटर्न के अनुसार देय कर</th><th>रिटर्न के अनुसार भुगतान किया गया कर</th><th>आंकलित आय</th></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क्या पिछले तीन कर वर्षों में धारा 439 या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270A के अधीन अभ्यर्थी पर कोई दंड लगाया गया है?</td><td colspan="5">(हाँ/नहीं)</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>यदि प्रश्न 9 का उत्तर हाँ है, तो लगाए गए दंड का विवरण दें।</td><td colspan="3">कर वर्ष</td><td colspan="2">लगाया गया दंड</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>क्या आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक कोई कर दायित्व बकाया है?</td><td colspan="5">हाँ/ना</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>यदि प्रश्न 11 का उत्तर हाँ है, तो बकाया कर दायित्व का विवरण दें।</td><td colspan="3">कर वर्ष</td><td colspan="2">बकाया कर दायित्व</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>अन्य विवरण संलग्नक के रूप में संलग्न करें</td><td colspan="5">(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
</table>

घोषणा

मैं ..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, ... (पदनाम) के रूप में, ... (करदाता का नाम) में अपने पद से, यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थानः

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

टिप्पण :

1. यदि आवेदनकर्ता व्यक्ति हो, तो पहला, मध्य तथा अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। किसी अन्य प्रकार के आवेदन में भी नाम पूर्ण रूप में दिया जाना अनिवार्य है।
2. पता निम्नलिखित विवरणों सहित होगा : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/जिप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/स्थान, vii. जिला, viii. राज्य।
3. निम्नलिखित विवरण संबंधित भाग-ख की पंक्ति संख्या के अनुसार संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे :

<table>
<tr><th>संलग्नक</th><th>संबंधित</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>ए-1</td><td>पंक्ति संख्या 1</td><td>तत्कालीन नवीनतम अधिसूचना की प्रति</td></tr>
<tr><td>ए-2</td><td>पंक्ति संख्या 2</td><td>अधिसूचना रद्द करने वाले आदेशों की प्रति</td></tr>
<tr><td>ए-3</td><td>पंक्ति संख्या 7</td><td>भारत सरकार, कृषि मंत्रालय से प्राप्त पत्र की एक प्रति</td></tr>
<tr><td>अ-4</td><td>पंक्ति संख्या 13</td><td>(i) मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति, यदि प्रासंगिक हो
(ii) कृषि विस्तार परियोजना की आवश्यकता पर संक्षिप्त विवरण दें, जिसमें परियोजना के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम एवं परियोजना की उपयोगिता सम्मिलित हों।
(iii) कृषि विस्तार परियोजना के लिए भूमि या भवन के अतिरिक्त अपेक्षित व्यय का विवरण
क. पूंजीगत व्यय एवं
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>व्यय का स्वरूप</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr>
</table>
(ख) राजस्व व्यय
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>व्यय का स्वरूप</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr>
</table>
(ग) कुल व्यय
(iv) पिछले पाँच कर वर्षों में आवेदक द्वारा संचालित कृषि विस्तार परियोजनाओं का विवरण, यदि कोई हो, एवं उनकी वर्तमान स्थिति
(v) वे कृषि विस्तार परियोजनाएँ जो पूर्व में आरंभ की गई हों एवं आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक प्रगति पर हों, उनका विवरण
(vi) पिछले तीन कर वर्षों के लिए करदाता के प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा की प्रति संलग्न करें</td></tr>
</table>

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 21

[नियम37(7)देखें]

धारा 47(1)(क) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना की अधिसूचना के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	आवेदक का विवरण		
1.	आवेदक का नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवेदन का संदर्भ क्रमांक		
5.	आवेदन की तारीख	*तारीख/माह/वर्ष*	
	कृषि विस्तार परियोजना का विवरण		
6.	शीर्षक		
7.	उद्देश्य		
8.	परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख	*तारीख/माह/वर्ष*	
9.	परियोजना की अवधि (महीनों में)		
10.	वे कर वर्ष जिनके लिए परियोजना अधिसूचित की जा रही है		
11.	परियोजना के लिए संभावित कुल व्यय (भूमि या भवन की लागत के अतिरिक्त) (₹ में)		
12.	परियोजना के प्रत्येक लाभार्थी से यदि कोई शुल्क लिया जाना हो तो उसकी रकम।		
13.	यदि कोई शर्तें हों, जिनके अधीन परियोजना अधिसूचित की जाती है।	क्रम संख्या	स्थिति
		(i)	
		(ii)	
		(आवश्यकतानुसार, आगे दोहराएँ)	

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

प्रतिलिपि प्रेषित :

(1) आवेदक।

(2) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

(3) आयुक्त, आयकर

(4) संबंधित राज्य का कृषि विभाग

(5) संबंधित जिला(जिलों) की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए)।

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

प्ररूप संख्या 22

[नियम39(2)देखें]

धारा 47(1)(ख) के अधीन कौशल विकास परियोजना की स्वीकृति के लिए आवेदन

पंक्ति संख्या	भाग क- कंपनी का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कंपनी के निगमन की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष(*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या

पंक्ति संख्या	भाग आ - कौशल विकास परियोजना का विवरण		
1.	यदि कौशल विकास परियोजना को धारा 47(1)(ख) या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35सीसीडी के अधीन पहले अधिसूचित किया गया था, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:	अधिसूचना संख्या	
		ऐसी अधिसूचना की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष(*
		ऐसी अधिसूचना की प्रति	*(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*
2.	यदि धारा 47(1)(ख) या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगघ के अधीन जारी अधिसूचना अतीत में रद्द कर दी गई थी	अधिसूचना संख्या ऐसी अधिसूचना की तारीख ऐसी अधिसूचना की प्रति	*(दिन/माह/वर्ष(* *(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)*
3.	कंपनी के कारबार की प्रकृति		
4.	जिस तारीख से कौशल विकास परियोजना की अधिसूचना का अनुरोध किया गया है	*(दिन/माह/वर्ष(*	
5.	परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित तारीख	*(दिन/माह/वर्ष(*	

<table>
<tr><td>6.</td><td>उस प्रशिक्षण संस्थान का नाम जिसमें कौशल विकास परियोजना चलाई जानी है</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>उस प्रशिक्षण संस्थान का पता जिसमें कौशल विकास परियोजना चलाई जानी है</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 निर्दिष्ट</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">कंपनी द्वारा पिछले तीन कर वर्षों के लिए दाखिल किए गए आय विवरण का विवरण
<table>
<tr><th>कर वर्ष</th><th>टर्नओवर/सकल प्राप्तियां</th><th>कुल आय</th><th>रिटर्न के अनुसार देय कर</th><th>रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान किया गया</th><th>निर्धारित आय</th></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क्या पिछले तीन कर वर्षों के दौरान कंपनी पर धारा 439 या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270क के अधीन कोई जुर्माना लगाया गया था?</td><td colspan="2">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td rowspan="4">यदि प्रश्न 9 का उत्तर हां है, तो लगाए गए जुर्माने का विवरण</td><td>कर वर्ष</td><td>लगाया गया जुर्माना</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11।</td><td>क्या आवेदन दाखिल करने की तारीख पर कोई कर बकाया है?</td><td colspan="2">हां/ नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12.</td><td rowspan="2">यदि प्रश्न 11 का उत्तर हां है, तो बकाया कर मांग का विवरण</td><td>कर वर्ष</td><td>बकाया कर मांग (₹ में)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>अन्य विवरण उपबंध के रूप में संलग्न किए जाएंगे।</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 में निर्दिष्ट)</td></tr>
</table>

घोषणा

मैं ..... (प्रधान अधिकारी का नाम) स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (निर्धारिती का नाम) के ..... (पदनाम) के रूप में, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान: ..... धान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. भाग- आ की निम्नलिखित प्रासंगिक पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे:

1.

<table>
<tr><th>उपबंध</th><th>इसके संबंध में</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>ए-1</td><td>पंक्ति संख्या 1</td><td>नवीनतम अधिसूचना की एक प्रति</td></tr>
<tr><td>ए -2</td><td>पंक्ति संख्या 2</td><td>अधिसूचना(ओं) को रद्द करने वाले आदेशों की एक प्रति</td></tr>
<tr><td>ए-3</td><td>पंक्ति संख्या 13</td><td>(i) मेमोरेंडम और संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रति
(ii) कौशल विकास परियोजना की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत करें जिसमें परियोजना के उद्देश्य, कार्यान्वयन के चरण, अपेक्षित परिणाम और परियोजना की उपयोगिता का उल्लेख हो।
(iii) कौशल विकास परियोजना के लिए अपेक्षित व्यय (भूमि या भवन के अलावा) का विवरण।
(क) पूंजीगत व्यय
<table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>व्यय की प्रकृति</th><th>मात्रा</th></tr><tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr></table>
(ख) राजस्व व्यय
<table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>व्यय की प्रकृति</th><th>मात्रा</th></tr><tr><td>कुल</td><td></td><td></td></tr></table>
(ग) कुल व्यय:
(iv) आवेदक द्वारा पिछले पांच कर वर्षों के दौरान की गई कौशल विकास परियोजना, यदि कोई हो, और उनकी वर्तमान स्थिति।
(v) कौशल विकास परियोजनाओं का विवरण जो अतीत में शुरू की गई हैं और जो आवेदन दाखिल करने की तारीख पर चल रही हैं।</td></tr>
</table>

		(vi) करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों/पिछले तीन कर वर्षों के करदाता के खातों की प्रति संलग्न करें। (vii) उस प्रशिक्षण संस्थान से सहमति पत्र की एक प्रति संलग्न करें जिसमें कौशल विकास परियोजना शुरू की जानी है।

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. प्रपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना है और भरे गए प्रपत्र की एक प्रति संबंधित निर्धारित प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कागजी रूप में प्रस्तुत की जानी है।

6. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 23

नियम39(11)देखें

धारा 47(1)(ख) के अधीन कौशल विकास परियोजना की अधिसूचना के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	कंपनी का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3. 4.	स्थायी खाता संख्या आवेदन का संदर्भ क्रमांक		
5.	आवेदन की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
	कौशल विकास परियोजना का विवरण		
6.	शीर्षक		
7.	उद्देश्य		
8.	प्रशिक्षण संस्थान का विवरण	नाम	
		पता	
9.	परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
10.	परियोजना की अवधि (महीनों में)		
11।	वे कर वर्ष जिनके लिए परियोजना अधिसूचित की जा रही है		
12.	परियोजना के लिए संभावित कुल व्यय (भूमि या भवन की लागत के अतिरिक्त)		
13.	यदि कोई शर्तें हों, जिनके अधीन परियोजना अधिसूचित की जाती है।	क्रम संख्या	स्थिति
		(i)	
		(ii)	
		(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)	

स्थानः हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

प्रतिलिपि प्रेषित :

(1) आवेदक

(2) प्रशिक्षण संस्थान

(3) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण

(4) आयुक्त, आयकर

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 24

[नियम43देखें]

किसी अनिवासी (कंपनी नहीं होने की दशा में) या किसी विदेशी कंपनी के मामले में रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की गणना हेतु धारा 59 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. मैंने ..... (निर्धारिती का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्या) के, भारत में *स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के स्थिर स्थान के कारबार से संबंधित, 31 मार्च को समाप्त कर वर्ष के दौरान के लेखाओं और अभिलेखों की जाँच की है।

2. मैंने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए और निर्धारिती द्वारा अर्जित *रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम का पता लगाने के लिए आवश्यक थे।

3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जिस अधिकार या संपत्ति या अनुबंध के संबंध में *रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का भुगतान किया जाता है, वह भारत में *स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के स्थिर स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि संबंधित कर वर्ष के संबंध में धारा 59 के अधीन *रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से होने वाली आय रु. ..... है।

*रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से होने वाली आय से संबंधित जानकारी इस प्रपत्र के उपाबंध में दी गई है। मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

हस्ताक्षर

स्थान:

(लेखाकार)

तारीख:

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी लेखा संख्या :

अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. *जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।

2. यह रिपोर्ट धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी है।

3. जहां इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक में या अर्हता के साथ दिया गया है, वहां रिपोर्ट उसके कारण बताएगी।

उपाबंध

भाग क: करदाता का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
6.	कर वर्ष		

भाग ख:रॉयल्टी या प्रभार के रूप में प्राप्त आय से संबंधित विवरण **तकनीकी सेवाओं के लिए**					
1.	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान का पता		*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)*		
2.	कारबार या पेशे की प्रकृति				
3.	निम्नलिखित के संबंध में रखी गई लेखा-खाता खाता बही की सूची (कंप्यूटर प्रणाली में रखी गई खाता खाता बही सहित) भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशा का निश्चित स्थान				
4.	(क)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशा के स्थिर स्थान के संबंध में वह पता जिस पर ऐसे लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है (यदि एकाधिक स्थानों पर रखरखाव किया जाता है, तो उन सभी स्थानों का विवरण प्रदान करें)	क्रम संख्या	वह पता जिस पर लेखा-खाता खाता बही का रखरखाव किया जाता है	उस पते पर रखी गई लेखा-बहियों की सूची
	(ख)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान के संबंध में कंप्यूटर प्रणाली में लेखा-बहियों के			

		रखरखाव के लिए उपयोग किया जाने वाला लेखांकन सॉफ्टवेयर।	
	(ग)	भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान से संबंधित लेखा-बहियों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी क्लाउड या अन्य सॉफ़्टवेयर का विवरण।	
5.	कर वर्ष में अपनाई गई लेखांकन विधि		
6.	क्या पिछले कर वर्ष की तुलना में लेखांकन की पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है?		*हां / नहीं*
7.	यदि प्रश्न 6 का उत्तर हां है, तो ऐसे परिवर्तन का विवरण दें और लाभ या हानि पर इसका प्रभाव भी बताएं।		*(टिप्पण 3 देखें)*
8.	भारत सरकार या भारतीय संस्था के साथ करार की तारीख (टिप्पण 3 देखें)		*तारीख/माह/वर्ष*
9.	तकनीकी जानकारी, कॉपीराइट, पेटेंट आदि जैसी अमूर्त संपत्तियों का विवरण, जिनके उपयोग के लिए या उस अनुबंध के लिए जिसके संबंध में रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क देय है।		*(टिप्पण 3 देखें)*
10.	**भुगतानकर्ता का विवरण**:		
	(क)	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ख)	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)*
	(ग)	क्या वह संबद्ध उद्यम है	*हां / नहीं*
11	क्या तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी का भुगतान एकमुश्त या किसी अन्य आधार पर किया जाता है?		
12.	वह दर जिस पर रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क देय है		
13.	तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी/शुल्क के रूप में देय रकम		
14.	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान की गतिविधियों का विवरण		*(टिप्पण 3 देखें)*
15.	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान के साथ रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से संबंधित अधिकार, संपत्ति या अनुबंध के संबंध की प्रकृति।		

16.	भारत में स्थित स्थायी फर्म या निश्चित कार्यस्थल के कारबार के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यय न किए गए व्यय या भत्ते का विवरण		
	(क)	**व्यय या भत्ते का स्वरूप**	
	(ख)	**व्यय या भत्ते की रकम**	
17.	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/स्थायी कार्यस्थल के लिए आवंटित प्रधान कार्यालय व्यय या भत्ते का शीर्ष-वार विवरण		
	(क)	**व्यय या भत्ते का मद**	
	(ख)	**भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान के लिए आवंटित व्यय या भत्ते की रकम**	
18.	भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान द्वारा मुख्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का विवरण।		
	(क)	**प्रतिपूर्ति किए गए व्ययों की प्रकृति**	
	(ख)	**व्यय प्रतिपूर्ति की रकम**	
	(ग)	**उस कार्यालय का पता जहाँ प्रतिपूर्ति की जाती है**	

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपबंध	इसके संबंध में	विवरण
ए-1	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 7)	लेखांकन पद्धति में हुए परिवर्तन का विवरण और लाभ या हानि पर उसका प्रभाव।
ए -2	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 8)	करार की एक प्रति संलग्न करें।
ए-3	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 9)	तकनीकी जानकारी, कॉपीराइट, पेटेंट आदि जैसी अमूर्त संपत्तियों के संबंध में एक टिप्पणी, जिनके उपयोग के लिए या उस अनुबंध के लिए जिसके संबंध में रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क देय है।

ए-4	उपबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या 14)	भारत में स्थायी प्रतिष्ठान/पेशे के निश्चित स्थान की गतिविधि पर एक टिप्पणी

4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 25
[नियम46देखें]

दैनिक मामला रजिस्टर का प्रपत्र

चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के चिकित्सकों, अर्थात्, चिकित्सक,शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, विकृति विज्ञानी,विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी, वैद्य,हकीम,आदि द्वारा अनुरक्षित किया जानेवाला

तारीख	क्रम संख्या	*मरीज का नाम*	*प्रदान की गई व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति, अर्थात्, सामान्य परामर्श, शल्य चिकित्सा, इंजेक्शन, विजिट आदि।*	*प्राप्त शुल्क*	*प्राप्ति की तारीख*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप संख्या 26

[नियम 47 देखें]

धारा 63 के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन और उसके अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण

करदाता की श्रेणी (एक विकल्प चुनें)

i. ऐसा व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति करता है और जिसे किसी अन्य कानून के अधीन अपने खातों की संपरीक्षा करवाना आवश्यक है (ऐसे मामलों में, भाग क, ख और ग भरें)

ii. ऐसा व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति करता है, लेकिन उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है (ऐसे मामलों में भाग क,ख और घ)

भाग क

1. मैं सूचित करता/करती हूँ कि ..... (करदाता का नाम) की वैधानिक संपरीक्षा मेरे/मेसर्स ..... द्वारा ..... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किया गया था।

2. मैं इसके साथ तारीख ..... की मेरी/उनकी संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न करता/करती हूँ, साथ ही निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति भी संलग्न करता/करती हूँ:-

(क) तारीख ..... से शुरू होकर तारीख ..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संपरीक्षित *लाभ और हानि खाता/आय और व्यय खाताऔर खातों पर टिप्पणियाँ।

(ख) ..... तक संपरीक्षित तुलनपत्र और खातों पर टिप्पणियाँ; और

(ग) उक्त अधिनियम द्वारा लाभ और हानि खाते/आय और व्यय खाते तथा तुलनपत्र का भाग या संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।

3. वैधानिक संपरीक्षा अर्हता का प्रभाव

(क) क्या वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा कोई ऐसी टिप्पण/अक्षमता/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/महत्वपूर्ण विषय पर जोर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आय, हानि या बही खाते के लाभ में भिन्नता हो सकती है? (हाँ/नहीं)

(ख) यदि हां, तो आय या हानि या बही खाते के लाभ में ऐसी टिप्पणियों/योग्यताओं/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/मामले पर जोर देने का प्रभाव, जिसे प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में दाखिल किए गए विवरणों में ध्यान में नहीं रखा गया है, क्या होगा?

क्रम संख्या	अवलोकन की प्रकृति/अर्हता/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/विषय पर जोर	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	निवल प्रभाव	अभ्युक्तियां

4. अधिनियम की धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में संलग्न है।

5. मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा लेखा-बहियों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जाँच तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों (यदि कोई हो) के अधीन सत्य और सही हैं:

खंड संख्या (1-53) का चयन करें	योग्यता/अवलोकन प्रकार	योग्यता/अवलोकन
	(i) परीक्षण-जांच के आधार पर, महत्व के सिद्धांत को लागू करना (ii) प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर आधारित (iii) सत्यापित करने में असमर्थ	

हस्ताक्षर

तारीख:

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पणियाँ:

1. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 515(3)(ख) के अनुसार इस प्रतिवेदन पर लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. यदि इस प्ररूप में दी गई किसी भी आवश्यकता का उत्तर नकारात्मक या कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, तो उसके कारण बताएं।
3. जब भी करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की किसी अन्य धारा के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, तो धारा 63 के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा करने वाला लेखापरीक्षक इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ऐसी अन्य संपरीक्षा की प्रतिवेदन पर उचित विचार करेगा।
4. * जो भी लागू न हो उसे विलोपन कर दें।
5. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, भरी जाने वाली रकमयाँ ₹ में होनी चाहिए।

भाग घ

1. मैंने तारीख ..... को जारी निर्गत तुलनपत्र और तारीख ..... से तारीख ..... तक की अवधि के लिए संलग्न लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता की जांच की है।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता और लेखा संबंधी टिप्पणियां, ... स्थित प्रधान कार्यालय और **..... शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों से मेल खाती हैं।

3. (क) मैं निम्नलिखित अवलोकन/टिप्पणियां/विसंगतियां/असंगति प्रस्तुत करता/करती हूं; यदि कोई हो:

.....

(ख) संपरीक्षा संबंधी आपत्तियों का प्रभाव

(क) क्या कोई ऐसी टिप्पणी/आपत्ति/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/महत्वपूर्ण विषय पर जोर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आय, हानि या बही खाते के लाभ में परिवर्तन होगा: (हाँ/नहीं)

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी टिप्पणियों/आपत्ति/प्रतिकूल अभ्युक्तियां /अस्वीकरण/महत्वपूर्ण विषय पर जोर देने का आय, हानि या बही खाते के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसे प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में दाखिल किए गए विवरणों में शामिल नहीं किया गया है?

क्रम संख्या	अवलोकन की प्रकृति/अर्हता/प्रतिकूल अभ्युक्तियां/अस्वीकरण/विषय पर जोर	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	कुल प्रभाव	टिप्पण

(ग) उपरोक्त के अधीन रहते हुए, -

(क) मैंने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ख) मेरी राय में, लेखा-बहियों की मेरी जांच से जो प्रतीत होता है, उसके अनुसार करदाता के प्रधान कार्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-पुस्तकें रखी गई हैं।

(ग) मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते, उन पर दिए गए टिप्पण सहित, यदि कोई हों, तो एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:-

(i) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च को करदाता की स्थिति;

और

(ii) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए करदाता के लाभ/हानि या अधिशेष/घाटे के लाभ और हानि खाते/आय और व्यय खाते के मामले में।

4. अधिनियम की धारा 63 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण प्ररूप संख्या 26 के भाग घ में संलग्न है।

5. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा लेखा-पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जाँच तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्ररूप संख्या 26 के भाग घमें दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों (यदि कोई हो) के अधीन सत्य और सही हैं:

खंड संख्या (1-53) का चयन करें	अवलोकन का प्रकार (i) परीक्षण-जांच के आधार पर, महत्व के सिद्धांत को लागू करना (ii) प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर आधारित (iii) सत्यापित करने में असमर्थ	टिप्पण

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पणियाँ:

1. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 515(3)(ख) के अनुसार इस प्रतिवेदन पर लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. यदि इस प्ररूप में दी गई किसी भी आवश्यकता का उत्तर नकारात्मक या कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है, तो उसके कारण बताएं।
3. जब भी करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की किसी अन्य धारा के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, तो धारा 63 के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा करने वाला लेखापरीक्षक इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ऐसी अन्य संपरीक्षा की प्रतिवेदन पर उचित विचार करेगा।
4. शाखाओं की कुल संख्या दर्ज करें।

5. यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो सभी रकमयाँ ₹ में भरी जानी चाहिए।

भाग क: करदाता का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	स्थिति	*(टिप्पण 3 निर्दिष्ट)*	
5.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)*	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	देश का कोड	संख्या
8.	कर वर्ष		

भाग-ख

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">क-सामान्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>धारा 63 का वह प्रासंगिक खंड जिसके अधीन संपरीक्षा की गई है

(एक का चयन करें)</td><td colspan="4">☐ कारबार की कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां निर्धारित सीमा से अधिक होने पर
☐वृत्ति से प्राप्त कुल आय निर्धारित सीमा से अधिक है
☐धारा 58(2) या 61(2) (सारणी: क्रमांक 4 और 5) में संदर्भित कारबार या वृत्ति से होने वाले लाभ और आय, जिन्हें अनुमानित लाभ से कम होने का दावा किया गया है।
☐धारा 58(8) के उपबंध लागू होते हैं</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>क्या करदाता ने धारा 199/200/201/202/203/204 के अधीन कराधान का विकल्प चुना है?</td><td colspan="4">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11।</td><td rowspan="3">(क) यदि करदाता कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ है, तो साझेदारों/सदस्यों के नाम, स्थायी खाता संख्याएँ और उनके लाभ-साझाकरण अनुपात बताएँ।</td><td>क्रम संख्या</td><td>साझेदार का नाम/ सदस्य</td><td>स्थायी खाता संख्या</td><td>लाभ-साझाकरण अनुपात</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष की अंतिम तारीख के बाद से साझेदारों या सदस्यों में या उनके लाभ-साझाकरण अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ है?</td><td colspan="4">हां / नहीं
यदि हां, तो (अनुसूची देखें - सामान्य जानकारी)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="5">(क) कर वर्ष के दौरान किए गए सभी कारबार या वृत्ति की प्रकृति प्रस्तुत करें (अनुसूची - सामान्य जानकारी देखें)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) क्या कर वर्ष के दौरान कारबार या वृत्ति की प्रकृति में कोई परिवर्तन हुआ है?</td><td colspan="4">हां / नहीं
यदि हां, तो (अनुसूची देखें - सामान्य जानकारी)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) क्या कर वर्ष के लिए कोई लागत संपरीक्षा की गई थी?</td><td colspan="4">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td>यदि हां- (i) ऐसी संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

	(ii) किसी मामले/वस्तु/मूल्य/मात्रा पर अयोग्यता/असहमति का प्रभाव, यदि कोई हो।	*(अनुसूची देखें - सामान्य जानकारी)*

(घ) कर वर्ष और उससे पूर्व के कर वर्ष के लिए कारोबार, सकल लाभ आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	**विवरण**	**कर वर्ष**	**पिछला कर वर्ष**
(**क**)	(**ख**)	(**ग**)	(***घ***)
(i)	**कुल बिक्री**		
(ii)	**सकल लाभ/टर्नओवर**		
(iii)	**शुद्ध लाभ/टर्नओवर**		
(iv)	**स्टॉक-इन ट्रेड/टर्नओवर**		
(v)	**उपभोग की गई सामग्री/उत्पादित तैयार माल**		

ख - लेखा-बहियों का विवरण और लेखांकन विधि				
13.	लेखा-बहियों की सूची (कंप्यूटर प्रणाली में रखी गई बहियों सहित)			
14.	(क) वह पता जिस पर ऐसे लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है (यदि इसे एकाधिक स्थानों पर रखा गया है, तो उन सभी स्थानों का विवरण प्रदान करें)	क्रम संख्या	वह पता जिस पर लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है	उस पते पर रखी गई लेखा बहियों की सूची
	(ख) कंप्यूटर प्रणाली में लेखा-बहियों के रखरखाव के लिए प्रयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर			
	(ग) लेखा-बहियों के संग्रहण हेतु प्रयुक्त किसी क्लाउड या अन्य सॉफ़्टवेयर का विवरण, साथ ही ऐसे संग्रहण का स्थान (इंटरनेट प्रोटोकॉल पता और देश)।			

	(घ) क्या नियम 046(8) के उपबंधों का अनुपालन किया गया है?	*हां / नहीं*
	(ङ) *यदि हाँ,* कृपया भारत में स्थित बैकअप सर्वर के स्थान का पता प्रदान करें।	
15.	(क) कर वर्ष में अपनाई गई लेखांकन विधि	• व्यापारिक प्रणाली • नकद प्रणाली
	(ख) क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष में अपनाई गई लेखांकन पद्धति की तुलना में इस वर्ष अपनाई गई लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ था?	*हां / नहीं* *यदि हां,(अनुसूची देखें - लेखांकन संबंधी जानकारी)*
16.	(क) कर वर्ष में प्रयुक्त इन्वेंट्री के मूल्यांकन की विधि i. तैयार माल ii. कच्चा माल	• लागत पर • शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर • लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो
	(ख) धारा 277 के अधीन निर्धारित मूल्यांकन विधि से विचलन होने की स्थिति में, उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लाभ या हानि में कोई समायोजन करना आवश्यक है या नहीं?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)*
17.	क्या धारा 276(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना एवं प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लाभ या हानि में कोई समायोजन करना आवश्यक है?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)*

18.	आईसीडीएस के अनुसार किसी भी प्रकार का खुलासा करना आवश्यक है।	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)*	
19.	क्या लाभ-हानि खाते में अनुमान के आधार पर मूल्यांकन योग्य कोई लाभ और आय शामिल है?	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो (अनुसूची - लेखांकन जानकारी देखें)*	
ग - प्राप्ति/आय का विवरण			
20.		आयकर के लिए प्रभार्य रकमयाँ, लेकिन लाभ-हानि खाते में जमा नहीं की गई रकमयाँ	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)*
21.		धारा 92(2)(एम) के अनुसार 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य रकम, लेकिन लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई रकम	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)*
22.		किसी भी पूंजीगत आस्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया गया हो	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची दे निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)*
23.		धारा 53 या 78 में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क मूल्य से कम मूल्य पर कर वर्ष के दौरान हस्तांतरित कोई भी भूमि या भवन या दोनों।	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - प्राप्ति/आय की गणना)*
24.		किसी परक्राम्य लिखत या हुंडी पर उधार ली गई कोई भी रकम जिसे धारा 106 के अनुसार आय माना जाता है	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*

25.	किसी परक्राम्य लिखत या हुंडी के माध्यम से चुकाई गई कोई भी रकम (उधार रकम पर ब्याज सहित), जिसे धारा 106 के अनुसार आय माना जाता है।	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*

घ - व्यय का विवरण		
26.	क्या अधिनियम के अधीन कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय से संबंधित व्यय पर की गई कटौती की रकम अस्वीकार्य है, भले ही ऐसी आय कर वर्ष के दौरान अर्जित या प्राप्त न हुई हो?	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
27.	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, अस्वीकार्य सीमा तक–	
	(क) धारा 29, 31 और 32 के अधीन	***हां / नहीं*** ***यदि हां,****(अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)*
	(ख) धारा 29(1)(ङ) के अधीन	***हां / नहीं*** ***यदि हां,****(अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)*
	(ग) धारा 34 के अधीन	***हां / नहीं*** ***यदि हां,****(अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)*
	(घ) धारा 35 के अधीन	***हां / नहीं*** ***यदि हां,****(अनुसूची देखें - व्ययों की गणना)*
28.	भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन लगाया गया कोई भी जुर्माना	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*
29	क्या धारा 36(3) में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को कोई भुगतान किया गया है या किया जाना है?	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*

30	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 36(4) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*
31	किसी भी पूर्व कर वर्ष में लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम जिसे इस कर वर्ष के लिए धारा 36(5) के अधीन आय माना जाता है	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*
32	(क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयाँ, धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के उपबंधों के अनुसार अस्वीकार्य सीमा तक। अधिनियम	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*
	(ख) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के अधीन अस्वीकृत की गई रकमयाँ, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हैं	***हां / नहीं*** *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*
33.	(*क*) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय न होने वाले ब्याज की वह रकम, जो लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई है।	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
	(*ख*)लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 37(2)(छ) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
	(*ग*) किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 37(2)(छ) के अधीन अस्वीकृत लेकिन कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकम	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
34.	विभिन्न धाराओं के अधीन कटौती के रूप में अनुमत रकम	*हां / नहीं* *यदि हां, तो* *(अनुसूची देखें - व्यय की गणना)*

ङ- पिछली अवधि का विवरण		
35.	(क) पिछली अवधि की कोई भी आय रकम जो लाभ और हानि खाते में जमा की गई हो	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (पिछली अवधि की अनुसूची देखें)*

	(ख) पिछली अवधि के व्यय की कोई भी रकम जो लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई हो	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (पिछली अवधि की अनुसूची देखें)*

च - हानियों, मूल्यह्रास और कटौतियों का विवरण		
36.	प्रत्येक आस्ति या आस्तियों के समूह के संबंध में अधिनियम के अनुसार अनुमत मूल्यह्रास।	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - हानियां, मूल्यह्रास और कटौतियां)*
37.	(क) कोई भी अग्रिम हानि या मूल्यह्रास भत्ता	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची निर्दिष्ट - हानियां, मूल्यह्रास और कटौतियां)*
	(ख) (i) क्या कर वर्ष के दौरान कंपनी की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण धारा 119 के अनुसार कर वर्ष से पहले हुए नुकसान को अग्रेनित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है?	*हां / नहीं*
	(ii) यदि हां, तो अग्रेनित करने योग्य हानि की वह रकम दर्ज करें जिसे अग्रेनित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।	
	(ग) क्या करदाता को धारा 113(1) के अनुसार कर वर्ष के दौरान कोई सट्टा हानि हुई है?	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
	(घ) किसी कंपनी के मामले में, क्या कंपनी को धारा 113(5) के अनुसार सट्टेबाजी का कारोबार करने वाला माना जाता है?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो कर वर्ष के दौरान हुए सट्टा नुकसान की रकम, यदि कोई हो।*
	(ङ) क्या करदाता को कर वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 114 के अनुसार कोई हानि हुई है?	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
38.	अध्याय VIII के अधीन स्वीकार्य कोई भी कटौती	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची देखें - हानियां, मूल्यह्रास और कटौतियां)*
39.	उपलब्ध एमएटी/एएमटी क्रेडिट का कोई भी उपयोग	*हां / नहीं*

		यदि हां, तो (अनुसूची देखें - हानियां, मूल्यह्रास और कटौतियां)

छ - अंतर्राष्ट्रीय कराधान		
40.	क्या धारा 170(1) के अनुसार हस्तांतरण मूल्य में कोई प्राथमिक समायोजन कर वर्ष के दौरान किया गया है?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)*
41.	(क) धारा 177(1) के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज आदि के रूप में कर वर्ष के दौरान किया गया कोई व्यय?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)*
	(ख) धारा 177(5) के अनुसार आगे लाया गया कोई भी ब्याज व्यय	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)*
	(ग) धारा 177(5) के अनुसार आगे ले जाया गया कोई भी ब्याज व्यय	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें)*
42.	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 60 के अनुसार अस्वीकार्य सीमा तक	*हां / नहीं* *यदि हाँ, तो रकम*
43.	***कर वर्ष के दौरान प्ररूप*** 145 ***के भाग-डी में दर्ज की गई कोई भी प्रेषण रकम***	***हां / नहीं*** ***यदि हां, तो*** (***अंतर्राष्ट्रीय कराधान अनुसूची देखें***)

ज - अन्य प्रमुख पैरामीटर		
44	धारा 92(2)(ड) के अनुसार, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय में शामिल न की जाने वाली कोई रकम?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख मापदंड)*
45	क. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 185(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, जमा या निर्दिष्ट रकम ली गई या स्वीकार की गई है?	*हां / नहीं* *यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख मापदंड)*

	ख. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 186(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम की कोई प्राप्ति हुई थी, जहां ऐसी प्राप्ति उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से हुई हो?	*हां / नहीं, यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)*
	ग. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 186(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम का कोई भुगतान किया गया था, जहां ऐसा भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो?	*हां / नहीं, यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)*
	घ. क्या कर वर्ष के दौरान धारा 188(1) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक किसी ऋण, जमा या निर्दिष्ट अग्रिम का कोई पुनर्भुगतान किया गया था, जहां ऐसा पुनर्भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो?	*हां / नहीं, यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)*
46.	क्या करदाता को प्ररूप संख्या 98, प्ररूप संख्या 165, प्ररूप संख्या 166 या प्ररूप संख्या 167 में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?	*हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)*
47.	गैर-सूचीबद्ध शेयरों में कोई भी लेनदेन	*हां / नहीं यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)*
48.	क्या करदाता ने धारा 2(40)(ङ) के अनुसार अग्रिम या ऋण के रूप में कोई रकम चुकाई है?	(हां / नहीं *यदि हां, तो (अनुसूची देखें - अन्य प्रमुख पैरामीटर)*

I - टीडीएस/टीसीएस का विवरण		
49.	करदाता द्वारा धारित सभी कर कटौती एवं संचयन लेखा संख्या (TAN) प्रस्तुत करें।	

50.	(क) क्या करदाता को अध्याय XIX-ख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या वसूली करनी होगी?	*हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)*
	(ख) क्या करदाता को कर कटौती या कर संग्रह का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?	*हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)*
	(ग) क्या करदाता धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?	*हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)*
51.	(क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक	*हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)*
	(ख) किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो	*हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)*
	(ग) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।	*हां/नहीं, यदि हां तो- (टीडीएस/टीसीएस अनुसूची निर्दिष्ट)*
	(घ) किसी भी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो	*हां/नहीं, यदि हां (अनुसूची निर्दिष्ट - टीडीएस/टीसीएस)*

ञ - अप्रत्यक्ष कराधान का विवरण		
52.	क्या करदाता उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?	*हां / नहीं,* क. *अगर* हाँ, (अनुसूची देखें - जीएसटी) ख. वर्ष के दौरान हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करें (अनुसूची - जीएसटी देखें)

ट - मात्रात्मक विवरण		
53.	(क) क्या करदाता की कोई व्यापारिक इकाई है?	*हां/नहीं, यदि हां (अनुसूची देखें - मात्रात्मक विवरण)*

	(ख) क्या करदाता का कोई विनिर्माण प्रतिष्ठान है?	*हां/नहीं, यदि हां (अनुसूची देखें - मात्रात्मक विवरण)* (i) कच्चे माल के लिए (ii) तैयार उत्पादों, उप-उत्पादों और स्क्रैप के लिए

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पणियाँ:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' की स्थिति को निम्न प्रकार से भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (ix) सरकार (x) ट्रस्ट
4. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
5. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 515(3)(ख) के अनुसार इस प्रतिवेदन पर एक लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
6. यदि इस प्ररूप में दी गई किसी भी आवश्यकता का उत्तर नकारात्मक या सशर्त दिया जाता है, तो उसके कारण बताएं।

7. जब भी करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की किसी अन्य धारा के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो धारा 63 के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा करने वाला लेखापरीक्षक इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय ऐसी अन्य संपरीक्षा की प्रतिवेदन पर उचित विचार करेगा।

8. रकम/रसीद/भुगतान की प्रकृति के लिए कोड नीचे दिया गया है -

क्रमांक	**रकम या प्राप्ति या पुनर्भुगतान का स्वरूप**	**कोड**
(क)	**(ख)**	**(ग)**
(i)	नकद भुगतान	क
(ii)	नकद रसीद	ख
(iii)	गैर-खाता प्राप्तकर्ता चेक के माध्यम से भुगतान	ग
(iv)	खाताधारक चेक के माध्यम से रसीद	घ
(v)	आस्ति का हस्तांतरण	ङ
(vi)	देनदारी का हस्तांतरण	च
(vii)	आस्तियों का रूपांतरण	छ
(viii)	देनदारियों का रूपांतरण	ज
(ix)	जर्नल प्रविष्टि [डेबिट]	झ
(X)	डायरी प्रविष्टि [क्रेडिट]	ञ
(xi)	कोई अन्य तरीका [डेबिट]	ट
(xii)	कोई अन्य मोड [क्रेडिट]	ठ

9. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकमयाँ ₹ में होंगी।

10. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

अनुसूची - सामान्य जानकारी

11. (ख) सदस्यों/साझेदारों या लाभ-साझाकरण अनुपात में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	परिवर्तन की तारीख	साझेदार/सदस्य का नाम	स्थायी खाता संख्या	परिवर्तन का प्रकार	पुराना लाभ-साझाकरण अनुपात (%)	नया लाभ-साझाकरण अनुपात (%)	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

12. (क) कारबार/वृत्ति की प्रकृति

क्रम संख्या	कोड	विवरण
(क)	(ख)	(ग)

12. (ख) कारबार/वृत्ति की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	परिवर्तन की प्रकृति	कोड	विवरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

12 (ग)(ii) लागत संपरीक्षा में असहमति/अयोग्यता का प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	शुद्ध प्रभाव	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

अनुसूची - लेखांकन जानकारी

15. (ख) लेखांकन विधि में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	लाभ में वृद्धि/हानि में कमी	लाभ में कमी/हानि में वृद्धि	शुद्ध प्रभाव	टिप्पण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

16. (ख) सूची के मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	**धारा**	**लाभ में वृद्धि/हानि में कमी**	**लाभ में कमी/हानि में वृद्धि**	**कुल प्रभाव**	**टिप्पण**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
(i)	277(1)(i)				
(ii)	277(1)(ii)				
(iii)	277(1)(iii)				
(iv)	277(1)(iv)				

17. आईसीडीएस समायोजन का विवरण

आईसीडी	**विवरण**	**लाभ में वृद्धि/हानि में कमी (रकम)**	**लाभ में कमी / हानि में वृद्धि (रकम)**	**निवल प्रभाव**	**टिप्पण**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
आईसीडीएस I	लेखांकन नीतियां				
आईसीडीएस II	इन्वेंट्री का मूल्यांकन [16(ख) में पहले से प्रतिवेदन किए गए परिवर्तन के प्रभाव के अलावा]				
आईसीडीएस III	निर्माण संविदा				
आईसीडीएस IV	राजस्व मान्यता				
आईसीडीएस V	मूर्त अचल संपत्तियाँ				
आईसीडीएस VI	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन दरें				
आईसीडीएस VII	सरकारी अनुदान				
आईसीडीएस VIII	प्रतिभूतियाँ [16(ख) में पहले से प्रतिवेदन किए गए परिवर्तन के प्रभाव के अलावा]				

आईसीडीएस IX	उधार लेने की लागत				
आईसीडीएस X	उपबंध, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां				
	कुल				

18. आईसीडीएस के अनुसार प्रकटीकरण

क्रम संख्या	**आईसीडी**	**प्रकटीकरण**
(क)	(ख)	(ग)
(i)	आईसीडीएस आई-लेखांकन नीतियां	
(ii)	आईसीडीएस II - इन्वेंट्री का मूल्यांकन	
(iii)	आईसीडीएस III-निर्माण अनुबंध	
(iv)	आईसीडीएस IV-राजस्व पहचान	
(v)	आईसीडीएस V-मूर्त अचल संपत्तियां	
(vi)	आईसीडीएस VII-सरकारी अनुदान	
(vii)	आईसीडीएस IX-उधार लेने की लागत	
(viii)	आईसीडीएस X - उपबंध, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियां	

19. अनुमानित आधार पर मूल्यांकन योग्य लाभ और आय का विवरण

क्रम संख्या	**धारा**	**अनुमानित आधार पर लाभ और आय**
(क)	(ख)	(ग)

<u>अनुसूची - प्राप्ति/आय की गणना</u>

20. आयकर के लिए प्रभार्य लेकिन लाभ-हानि खाते में जमा न की गई रकमयों का विवरण:

क्रम संख्या	धारा	विवरण	लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)	2(40)(ङ)	माना गया लाभांश	
(ii)	2(40)(च)	शेयरों की बायबैक पर भुगतान	

(iii)	26 [16(ख) में पहले से ही शामिल रकम के अलावा]	आयकर के लिए प्रभार्य रकम	
(iv)	38	अनुमानित लाभ और आय	
(v)	48 को अनुसूची IX के साथ पढ़ें	अनुमानित लाभ और आय (चाय विकास खाता आदि)	
(vi)	49 अनुसूची X के साथ पढ़ें	अनुमानित लाभ और आय (स्थल पुनर्स्थापन निधि)	
(vii)	92(2)(ज)	अग्रिम ज़ब्ती	
(viii)	92(2)(झ)	व्यावसायिक ट्रस्ट से प्राप्त रकम	
(ix)	278(1)	मुआवजे पर ब्याज या बढ़ा हुआ मुआवजा	
(x)	278(2)	आकस्मिक वृद्धि या निर्यात प्रोत्साहन	
(xi)	धारा 277(3) को धारा 2(49)(ब) के साथ पढ़ा जाए	सब्सिडी, अनुदान आदि।	
(xii)	-	आय का कोई अन्य मद, यदि कोई हो	
(xiii)	-	पूंजीगत प्राप्ति, यदि कोई हो	

21. धारा 92(2)(ड) के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य रकम का विवरण, जो लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की गई है:

क्रम संख्या	*आस्ति का प्रकार*	*आस्ति का विवरण*	*हस्तांतरणकर्ता/भुगतानकर्ता का नाम*	*हस्तांतरणकर्ता/भुगतानकर्ता का पैन नंबर*	*भुगतान किया गया प्रतिफल*	*आय के रूप में शामिल की जाने वाली रकम*धारा 92(2)(ड) के अधीन
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(i)

22. पूंजीगत आस्तियों का विवरण जिन्हें स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया गया है

क्रम संख्या	**पूंजीगत आस्ति का विवरण**	**अधिग्रहण की तारीख**	**अधिग्रहण की लागत**	**वह रकम जिस पर आस्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया जाता है**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

23. मूल्यांकन योग्य मूल्य से कम मूल्य पर संपत्ति के हस्तांतरण का विवरण

क्रम संख्या	*आस्ति का प्रकार (भूमि/ इमारत/ (भूमि और भवन दोनों)*	*हस्तांतरित संपत्ति का विवरण*	*प्राप्त या अर्जित प्रतिफल*	*स्टांप शुल्क मूल्य*	*क्या धारा 53 या 78 के उपबंध लागू होते हैं? (धारा 53/ धारा 78)*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**

<u>अनुसूची - व्ययों की गणना</u>

27(क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयों का विवरण, धारा 29, 31 और 32 आदि के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	**धारा**	**विवरण**	**कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)		**करदाता द्वारा नियोक्ता के रूप में भुगतान की गई रकम:**	
क.	29(1)(क)	**मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित पेंशन निधि में योगदान**	
ख.	29(1)(ख) आरडब्ल्यूएस 124	**पेंशन योजना में योगदान**	
ग.	29(3)	**किसी निधि, ट्रस्ट, कंपनी, एओपी, बीओआई, सोसायटी या किसी अन्य संस्था की स्थापना के लिए या उसमें योगदान के रूप में।**	
(ii)	32(क)	किसी कर्मचारी को दी गई सेवाओं के बदले बोनस या कमीशन के रूप में भुगतान की गई	

		रकम, जहाँ ऐसी रकम अन्यथा उसे लाभ या लाभांश के रूप में देय होती।	
(iii)	29(2)	**किसी भी कारण से सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का उपबंध किया गया है।**	
(iv)	31(1)	**खराब और अशोध्य ऋण के लिए उपबंध**	
(v)	31(2)	**अस्वीकृत ऋण की रकम या उसका कुछ हिस्सा**	
(vi)	32(ख)	आस्ति अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज	
(vii)	32(घ)	जीरो-कूपन बॉन्ड पर छूट की आनुपातिक रकम	
(viii)	32(ङ)	किसी निर्दिष्ट इकाई द्वारा बनाए और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि में ले जाई गई रकम	
(ix)	32(ज)	बाजार मूल्य के अनुसार हानि या अन्य अपेक्षित हानि	
(x)	32(i)	किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया वास्तविक व्यय।	
(xi)	-	आकस्मिक प्रकृति की देयता	

27(ख) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयों का विवरण, धारा 29(1)(ङ) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	**निधि का स्वरूप (ईएसआई/पीएफ/अन्य)**	**कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम**
(क)	(ख)	(ग)

27 (ग) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयों का विवरण, धारा 34 के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक

क्रम संख्या	**विवरण**	**कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**
(i)	**पूंजीगत व्यय**	
(ii)	**व्यक्तिगत व्यय**	

(iii)	**किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, ब्रोशर, पर्चा, पुस्तिका या इसी तरह की सामग्री पर विज्ञापन व्यय।**	
(iv)	**क्लबों में होने वाला व्यय इस प्रकार है -**	
	a. **प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क**	
	b. **क्लब की सेवाओं और सुविधाओं के उपयोग की लागत**	
(v)	**इसके लिए किए गए व्यय -**	
	a. **कोई भी ऐसा उद्देश्य जो भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन अपराध हो या निषिद्ध हो।**	
	b. **धारा** 34(3)(**ख**) **के अनुसार लाभ या सुविधा प्रदान करना**	
	c. **भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन अपराध का समझौता करना**	
	d. **केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी कानून के अधीन उल्लंघन के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा करना।**	
	e. **इस प्रकार के किसी अन्य उद्देश्य के लिए**	
(vi)	**कंपनी अधिनियम**, 2013 **की धारा** 135 **के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर किया गया व्यय।**	
	कुल	

27 (घ) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयों का विवरण, धारा 35 के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक

क्रम संख्या	**धारा**	**विवरण**	**कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i)	35(क)	**आय पर भुगतान किया गया कर, या नियोक्ता द्वारा, या किसी अन्य देश में जिसके लिए राहत पात्र है**	
(ii)	35(ख)(iii)	**करदाता के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि या अन्य निधि में भुगतान**	

(iii)	35(ग)	**वेतन मद के अधीन प्रभार्य भुगतान, जो भारत के बाहर या किसी अनिवासी को देय हो।**	
(iv)	35(घ)	**राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकारी उपक्रम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए या उससे विनियोजित किए गए रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि के रूप में भुगतान की गई रकम।**	
(v)	35(ङ)	**किसी फर्म द्वारा साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में किया गया व्यय**	
(vi)	35(च)	**किसी व्यक्ति संघ या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी सदस्य को किया गया व्यय**	

28. भारत में या भारत के बाहर लागू किसी भी कानून के अधीन लगाए गए दंड का विवरण

क्रम संख्या	**जिस कानून के अधीन जुर्माना लगाया जाता है**	**धारा**	**जुर्माने की रकम**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

29. धारा 36(3) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए/देय भुगतानों का विवरण

क्रम संख्या	**नाम**	**स्थायी खाता संख्या**	**करदाता के साथ संबंध**	**लेनदेन की प्रकृति**	**लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**

30. लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयों का विवरण, धारा 36(4) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	**भुगतान की तारीख**	**भुगतान का स्वरूप**	**कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, यदि उपलब्ध हो**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)**	**यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार नंबर**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**

31. धारा 36(5) के अधीन आय मानी जाने वाली रकमयों का विवरण

क्रम संख्या	**भुगतान की तारीख**	**भुगतान का स्वरूप**	**मात्रा**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, यदि उपलब्ध हो**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)**	**यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार नंबर**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**

32. (क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकमयों का विवरण, धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक।

क्रम संख्या	**धारा**	**दायित्व की प्रकृति**	**कटौती के रूप में अस्वीकृत रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**

32. (ख) पूर्ववर्ती कर वर्षों में धारा 37(2)(क) से 37(2)(च) के अधीन अस्वीकृत की गई और वर्तमान कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकमयाँ

क्रम संख्या	**धारा**	**दायित्व की प्रकृति**	**कटौती के रूप में अनुमत रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**

34. धाराओं के अधीन कटौती के रूप में अनुमत रकमयों का विवरण:

(क) विवरण प्रस्तुत करें

क्रम संख्या	***धारा***	***लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई रकम***	***अनुमत कटौती की रकम***	***लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई रकम से अधिक अनुमत कटौती*** **(E=DC)**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	***(घ)***	***(ङ)***
(i)	45(1)(क)(i)			
(ii)	45(1)(क)(ii)			
(iii)	45(1)(ख)			
(iv)	45(2)			
(v)	45(3)(क)(झ)			
(vi)	45(3)(क)(ii)			
(vii)	45(3)(ख)			

(vii)	45(3)(ग)			
(ix)	47 (1)(क)			
(x)	47(1)(ख)			
(xi)	46			
(xii)	44			
(xiii)	51			
(xiv)	52 (सारणी: क्रमांक 1)			
(xv)	52 (सारणी: क्रमांक 2)			
(xvi)	52 (सारणी: क्रमांक 3)			
(xvii)	52 (सारणी: क्रमांक 4)			
(xviii)	*कोई अन्य प्रासंगिक धारा*			

(ख) विवरण प्रस्तुत करें

क्रम संख्या	***धारा***	***अनुमत कटौती की रकम***
(क)	**(ख)**	**(*ग*)**
(i)	48 को अनुसूची IX के साथ पढ़ा जाए	
(ii)	अनुसूची X के साथ 49 पढ़ें	

अनुसूची - पिछली अवधि

35. (क) पूर्व अवधि की आय का विवरण

क्रम संख्या	**आय का स्वरूप**	**मात्रा**	**जिस पूर्ववर्ती कर वर्ष से यह संबंधित है**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)

35. (ख) पूर्व अवधि के व्यय का विवरण

क्रम संख्या	**आय का स्वरूप**	**व्यय की रकम लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई**	**जिस पूर्ववर्ती कर वर्ष से यह संबंधित है**	**क्या इस प्रकार के व्यय की संपूर्ण रकम इस कर वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार्य है?** ***(हां / नहीं)***	**यदि नहीं, तो इस कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुमत व्यय की रकम।**
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

अनुसूची - हानियाँ, मूल्यह्रास और कटौतियाँ

36. अधिनियम के अनुसार अनुमत मूल्यह्रास का विवरण:

संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास (उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य है)					
1	आस्तियों का ब्लॉक	संयंत्र और मशीनरी			
2	दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	कर वर्ष के पहले दिन लिखित मूल्य				
4	कर वर्ष में 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त आय				
5	कर वर्ष के दौरान 3 या 4 में से प्रतिफल या अन्य प्राप्ति				
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी जानी है (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो 0 दर्ज करें)				
7	कर वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए अतिरिक्त आय				
8	वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले विचार या अन्य प्राप्तियाँ, कुल 7 में से				
9	वह रकम जिस पर आधी दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी जानी है (7 – 8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो 0 दर्ज करें)				
10	6 पर पूर्ण दर से मूल्यह्रास				
11	9 पर आधी दर से मूल्यह्रास				
12	यदि कोई हो, तो 4 पर अतिरिक्त मूल्यह्रास।				
13	यदि कोई हो, तो 7 पर अतिरिक्त मूल्यह्रास				
14	पूर्ववर्ती कर वर्ष से संबंधित अतिरिक्त मूल्यह्रास, उस संपत्ति पर लागू होता है जिसका उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया गया हो।				
15	कुल मूल्यह्रास (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 33(3)(ख) के अधीन अस्वीकृत मूल्यह्रास (स्तंभ 15 में से)				
17	कुल शुद्ध मूल्यह्रास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, विलय, विभाजन आदि की स्थिति में अनुमत आनुपातिक कुल मूल्यह्रास (स्तंभ 17 में से)				
19	संपत्ति/संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में किया गया व्यय				

20	धारा 74 के अधीन पूंजीगत लाभ/हानि (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (यदि ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो केवल नकारात्मक दर्ज करें)				
21	कर वर्ष के अंतिम दिन लिखित मूल्य* (6+ 9 -15) (यदि आवश्यक हो तो 0 दर्ज करें) *परिणाम नकारात्मक है)*				

अन्य आस्तियों पर मूल्यह्रास (उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य है)

1	आस्तियों का ब्लॉक	भूमि	भवन (भूमि को छोड़कर)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त संपत्ति	जहाज
2	दर (%)	शून्य	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	कर वर्ष के पहले दिन लिखित मूल्य							
4	कर वर्ष में 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त आय							
5	कर वर्ष के दौरान 3 या 4 में से प्रतिफल या अन्य प्राप्ति							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी जानी है (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो 0 दर्ज करें)							
7	कर वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए अतिरिक्त आय							
8	वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले विचार या अन्य प्राप्तियाँ, कुल 7 में से							
9	वह रकम जिस पर आधी दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी जानी है (7 – 8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो 0 दर्ज करें)							

10	6 पर पूर्ण दर से मूल्यह्रास							
11	9 पर आधी दर से मूल्यह्रास							
12	कुल मूल्यह्रास (10+11)							
13	आयकर अधिनियम की धारा 33(3)(ख) के अधीन अस्वीकृत मूल्यह्रास (कॉलम 12 में से)							
14	कुल शुद्ध मूल्यह्रास (12-13)							
15	उत्तराधिकार, विलय, विभाजन आदि की स्थिति में अनुमत आनुपातिक कुल मूल्यह्रास (कॉलम 14 में से)							
16	संपत्ति/संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में किया गया व्यय							
17	धारा 74 के अधीन पूंजीगत लाभ/हानि (5 + 8 -3 - 4 -7 -16) (यदि ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो केवल नकारात्मक दर्ज करें)							
18	कर वर्ष के अंतिम दिन लिखित मूल्य* (6+ 9 -12) (यदि आवश्यक हो तो 0 दर्ज करें) *परिणाम नकारात्मक है)*							

37. (क) अग्रेनित नुकसान और मूल्यह्रास भत्ते का विवरण

क्रम संख्या	**कर वर्ष**	**हानि या छूट की प्रकृति**	**वापसी की गई रकम***	**हानियाँ/ भत्ते जो धारा 200/202/203/204 के अधीन अनुमत नहीं हैं**	**धारा 202 के अधीन कराधान का विकल्प चुनने के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की निकासी द्वारा समायोजित रकम**	**निर्धारित रकम (संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करें)**	**टिप्पण**
(क)	(ख)	(ग)	*(घ)*	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

*यदि मूल्यांकित मूल्यह्रास या हानि कम है और कोई अपील लंबित नहीं है, तो मूल्यांकित मूल्यह्रास या हानि लें।

38. अध्याय VIII के अधीन स्वीकार्य कटौतियों का विवरण

वह धारा जिसके अधीन कटौती स्वीकार्य है	**स्वीकार्य रकम**
(क)	(ख)

39. एमएटी/एएमटी क्रेडिट के उपयोग का विवरण

क्रम संख्या	**कर वर्ष**	**सकल एमएटी/एएमटी क्रेडिट***	**पिछले वर्षों में सेट-ऑफ**	**बैलेंस अग्रेनित**	**कर वर्ष के दौरान उपयोग किया गया एमएटी/एएमटी क्रेडिट**	**शेष एमएटी/एएमटी क्रेडिट को अग्रेनित किया गया**	**टिप्पण**
(क)	(ख)	(ग)	*(घ)*	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

* फॉर्म 66/67 के अनुसार क्रेडिट और मूल्यांकित क्रेडिट में से जो भी कम हो (यदि कोई अपील लंबित नहीं है)

अनुसूची - अंतर्राष्ट्रीय कराधान

40. प्राथमिक समायोजन का विवरण

क्रम संख्या	*वह खंड जिसके अधीन प्राथमिक समायोजन किया गया*	*मात्रा*	*क्या धारा 170(2) के अनुसार अतिरिक्त धन को वापस भेजना आवश्यक है?* *(हाँ/नहीं)*	*यदि हां, तो क्या अतिरिक्त धनरकम निर्धारित समय के भीतर वापस भेज दी गई है?* *(हां / नहीं)*	*यदि नहीं, तो ऐसी अतिरिक्त धनरकम पर अनुमानित ब्याज आय*	*धन वापसी की संभावित तारीख*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	*(घ)*	*(ङ)*	*(च)*	**(छ)**

41. (क) सीमा से अधिक व्यय का विवरण

ब्याज या इसी प्रकार के व्यय के रूप में की गई रकम	*कर वर्ष के दौरान ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय* **(EBITDA)**	*ब्याज या इसी तरह के व्यय की वह रकम जो ईबीआईटीडीए के* **30%** *से अधिक हो*
(क)	(ख)	(ग)

41. (ख) अग्रेनित ब्याज व्यय का विवरण

कर वर्ष	**मात्रा**
(क)	**(ख)**

41. (ग) अग्रेनित ब्याज व्यय का विवरण

कर वर्ष	**मात्रा**
(क)	**(ख)**

43. कर वर्ष के दौरान प्ररूप संख्या 145 के भाग-घ में दर्ज किए गए प्रेषणों का विवरण

क्रम संख्या	**प्रेषण की प्रकृति**	**इस प्रकार के प्रेषणों के लिए कुल लेनदेन की संख्या**	**प्रेषण की कुल रकम**	**(घ) में उल्लिखित रकम में से कर-मुक्त रकम**	**(घ) में उल्लिखित रकम में से कर योग्य रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**

<u>समय सारिणी - अन्य प्रमुख मापदंड</u>

44. धारा 92(2)(ड) के अधीन आय में शामिल न की जाने वाली रकमयों का विवरण

क्रम संख्या	*आस्ति का प्रकार*	*संपत्ति का विवरण*	*हस्तांतरणकर्ता/ भुगतानकर्ता का नाम*	*हस्तांतरणकर्ता/ भुगतानकर्ता का पैन नंबर*	*करदाता के साथ संबंध*	*लेनदेन की प्रकृति*	*भुगतान किया गया प्रतिफल*	धारा 92(2)(ड) के अधीन *शामिल नहीं की जाने वाली रकम*	*कारण*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	*(घ)*	*(ङ)*	*(च)*	**(छ)**	**(ज)**	**(झ)**	**(ञ)**

45. (क) धारा 185(1) के अधीन सीमा से अधिक स्वीकृत या ली गई सभी ऋण/जमा/निर्दिष्ट रकम का विवरण।

क्रम संख्या	*लेनदेन की प्रकृति(ऋण/ जमा रकम/ निर्दिष्ट रकम)*	*भुगतान कर्ता का नाम*	*भुगतान कर्ता का स्थायी खाता क्रमांक*	*भुगतान कर्ता का आधार नंबर(अगर हो तो)*	*ली गई या स्वीकार की गई रकम*	*क्या इसे धारा 185(1) के अनुसार स्वीकार किया जाता है? (हां / नहीं)*	*क्या साल के दौरान हिसाब बराबर हो गया था(हां / नहीं)*	*कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम*	*लेनदेन की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें))*
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)		(ज)	(झ)

45. (ख) धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्तियों का विवरण, यदि ऐसी प्राप्ति उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से हुई हो।

क्रम संख्या	*भुगतानकर्ता का नाम*	*भुगतानकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक*	*भुगतानकर्ता का आधार नंबर(अगर हो तो)*	*लेनदेन की प्रकृति*	*रसीद की रकम*	*प्राप्ति की तारीख*	*इस प्रकार के लेनदेन की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें))*
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)

45. (ग) धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक भुगतान का विवरण, जहां ऐसा भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो।

क्रम संख्या	*भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम*	*भुगतान प्राप्तकर्ता*	*भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार*	*लेनदेन की प्रकृति*	*भुगतान की रकम*	*भुगतान की तारीख*	*इस प्रकार के लेनदेन*

		का स्थायी खाता क्रमांक	*नंबर(अगर हो तो)*				*की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें))*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	*(घ)*	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**

45. (घ) धारा 188 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण/जमा/निर्दिष्ट अग्रिम के पुनर्भुगतान का विवरण, जहां ऐसा पुनर्भुगतान उक्त धारा में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाता है।

क्रम संख्या	*भुगतान की प्रकृति (ऋण/जमा/निर्दिष्ट अग्रिम)*	*भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम*	*भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक*	*भुगतान प्राप्तकर्ता का आधार नंबर(अगर हो तो)*	*भुगतान की रकम (में)₹)*	*कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम*	*इस प्रकार के लेनदेन की प्रकृति का कोड (टिप्पण 8 देखें))*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	*(घ)*	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(झ)**

46. एसएफटी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विवरण

आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या	**प्ररूप का प्रकार** *(98/ 165]/166]/167)*	**प्रस्तुत करने की नियत तारीख**	**क्या संपरीक्षा की तारीख के अनुसार प्ररूप प्रस्तुत किया गया था?**	**यदि उपलब्ध कराया गया हो तो उपलब्ध कराने की तारीख**	**प्रतिवेदन किए गए लेन-देन की कुल संख्या**	**कुल लेन-देन की संख्या की प्रतिवेदन नहीं की गई**	**लेनदेन की कुल रकम की जानकारी नहीं दी गई है।**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	*(घ)*	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**

47. गैर-सूचीबद्ध शेयरों में लेन-देन का विवरण

क्रम संख्या	*लेनदेन का प्रकार [अधिग्रहण / स्थानांतरण कर ना]*	*उस कंपनी का नाम जिसने गैर-सूचीबद्ध शेयर जारी किए*	ऐसी कंपनी का स्थायी खाता संख्या	*अधिग्रहण की तारीखा स्थानांतरण*	*अधिग्रहीत शेयरों की संख्या। स्थानांतरित*	*प्रति शेयर अंकित मूल्य (रकम)*
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)

प्रति शेयर बुक वैल्यू (रकम)	*प्रति शेयर उचित बाजार मूल्य (मात्रा)*	*अधिग्रहण की कुल लागत। कुल प्राप्त प्रतिफल (मात्रा)*	*धारा 92(2)(ड) के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य रकम, यदि कोई हो (अधिग्रहण के मामले में लागू) (मात्रा)*	*धारा 79 के अधीन प्रतिफल का पूर्ण अनुमानित मूल्य, यदि कोई हो (स्थानांतरण के मामले में लागू) (मात्रा)*	*यदि कोई हो, तो "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अधीन कर योग्य रकम (स्थानांतरण के मामले में लागू) (मात्रा)*
(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ढ)

48. धारा 2(40)(ङ) के अनुसार ऋण या अग्रिम के भुगतान का विवरण

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पैन नंबर	भुगतान की तारीख	रकम का भुगतान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

अनुसूची - टीडीएस/टीसीएस

50. (क) उन लेन-देनों का विवरण जिन पर टीडीएस/टीसीएस लगाना आवश्यक है

टैन	धारा	भुगतान/प्राप्ति का स्वरूप	भुगतान या प्राप्ति की कुल रकम	कॉलम (घ) में उल्लिखित रकम में से वह कुल रकम जिस पर कर की कटौती या वसूली की जानी थी	अध्याय XIX-B के उपबंधों के अनुसार कॉलम (ङ) में से जिस कुल रकम पर कर काटा या वसूला गया, वह इस प्रकार है।	कॉलम (छ) में से काटी गई या वसूल की गई कर की रकम	अध्याय XIX-B के उपबंधों के अनुसार निर्धारित दर से कम दर पर कर की कटौती या वसूली की गई कुल रकम (स्तंभ में से) (छ)	कॉलम (ज) पर कटौती या संग्रह किए गए कर की रकम	कॉलम (च) और (ज) में से कटौती या संग्रह की गई लेकिन केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं की गई कर की रकम।
(क)	(ख)	(ग)	(*घ*)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(*ञ*)

50. (ख) काटे गए या एकत्रित किए गए कर के विवरण का विवरण

टैन	प्ररूप का प्रकार	विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख	विवरण प्रस्तुत करने की तारीख	प्रतिवेदन किए गए लेन-देन की कुल संख्या *	कुल लेनदेन की संख्या जिसकी प्रतिवेदन नहीं की गई है*	के संबंध में रकम लेनदेन की सूचना नहीं दी गई *
(क)	(ख)	(ग)	(*घ*)	(ङ)	(च)	(छ)

(* सुधार विवरण दाखिल करने के बाद नवीनतम जानकारी)

50. (ग) देय ब्याज का विवरण

टैन	**धारा 398(3)(क) के अधीन देय ब्याज की रकम**	**कॉलम (ख) से भुगतान की गई रकम**	**भुगतान की तारीख**
(क)	(ख)	(ग)	*(घ)*

51. (क) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक

क्रम संख्या	**उल्लंघन की प्रकृति** *[**गैर-कटौती/ कम कटौती/ धारा** 263(1) **में निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर काटे गए कर का भुगतान न करना]***	**व्यय की प्रकृति**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक**	**मात्रा**	**अस्वीकार्य रकम** *[30% **छूट**)]*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**
						कुल

51. (ख) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो

क्रम संख्या	**व्यय की प्रकृति**	**पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) की वह रकम जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य है**	**पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) में अस्वीकृत की गई और वर्तमान कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकम**	**कर वर्ष के दौरान अनुमत रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**
				कुल

51. *(ग)* लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई रकम, धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकार्य सीमा तक:

क्रम संख्या	**उल्लंघन की प्रकृति** ***[गैर-कटौती/ कम कटौती/ धारा*** *263(1)* ***में निर्दिष्ट नियत तारीख तक काटे गए कर का भुगतान न करना]***	**व्यय की प्रकृति**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता क्रमांक**	**मात्रा**	**अस्वीकार्य रकम** *[100% (च)]*
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**
						कुल

51. (घ) किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष में धारा 35(ख)(ii) के अधीन अस्वीकृत कोई भी रकम, जो इस कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य हो

क्रम संख्या	**व्यय की प्रकृति**	**पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) की वह रकम जो कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य है**	**पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) में अस्वीकृत की गई और वर्तमान कर वर्ष के दौरान स्वीकार्य रकम**	**कर वर्ष के दौरान अनुमत रकम**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**
				कुल

अनुसूची - जीएसटी

53. (क) पंजीकरण/पहचान संख्याओं का विवरण

क्रम संख्या	**प्रकार**	**पंजीकरण/पहचान संख्या**
(क)	(ख)	(ग)

53. (ख) किए गए व्यय का विवरण

जीएसटी के अधीन पंजीकृत संस्थाओं से संबंधित व्यय	***जीएसटी के अधीन पंजीकृत न होने वाली संस्थाओं से संबंधित व्यय***

जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित	*समझौता योजना के अधीन आने वाली संस्थाओं से संबंधित*	*अन्य पंजीकृत संस्थाओं से संबंधित*	*पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में कुल व्यय*	
(क)	*(ख)*	*(ग)*	*(घ)*	*(ङ)*

<u>अनुसूची - मात्रात्मक विवरण</u>

55. (क) व्यापारिक इकाई के लिए प्रमुख वस्तुओं का विवरण

क्रम संख्या	**व्यापार की जाने वाली वस्तु का विवरण**	**इकाई का नाम**	**आरंभिक स्टॉक**		**खरीदारी**		**बिक्री**		**समापन स्टॉक**		**यदि कोई कमी/अधिकता हो तो**	
			मात्रा	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	***(घ)***	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**	**(झ)**	**(ञ)**	**(ट)**	**(ठ)**	**(ढ)**

55. (ख)(i) विनिर्माण इकाई के लिए मुख्य वस्तुओं (कच्चे माल) का विवरण

क्रम संख्या	**मुख्य मदों का विवरण**	**इकाई का नाम**	**ओपनिंग स्टॉक**		**कर वर्ष के दौरान की गई खरीदारी**		**कर वर्ष के दौरान उपभोग**		**कर वर्ष के दौरान बिक्री**		**समापन स्टॉक**		**तैयार उत्पादों की उपज**	**उपज का प्रतिशत**	**यदि कोई कमी/अधिकता हो तो**	
			मात्रा	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**	**मात्रा**	**कीमत**			**मात्रा**	**कीमत**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	***(घ)***	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**	**(झ)**	**(ञ)**	**(ट)**	**(ठ)**	**(ड)**	**(ढ)**	**(ण)**	**(त)**	**(थ)**

55. (ख)(ii) विनिर्माण इकाई के लिए मुख्य वस्तुओं (तैयार उत्पाद, उप-उत्पाद और स्क्रैप) का विवरण

क्रम संख्या	**मुख्य मद का विवरण**	**इकाई का नाम**	**ओपनिंग स्टॉक**		**कर वर्ष के दौरान की गई खरीदारी**		**कर वर्ष के दौरान उत्पादित मात्रा**		**कर वर्ष के दौरान बिक्री**		**समापन स्टॉक**		**यदि कोई कमी/अधिकता हो तो**	
			मात्रा	**की मत**	**मात्रा**	**की मत**	**मात्रा**	**की मत**	**मात्रा**	**की मत**	**मात्रा**	**की मत**	**मात्रा**	**कीमत**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	***(घ)***	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**	**(झ)**	**(ट)**	**(ठ)**	**(ड)**	**(ढ)**	**(ण)**	त)

प्ररूप संख्या. 27

[नियम 50 देखें]

निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति से संबंधित रकम का विवरण

1.	निर्दिष्ट इकाई का विवरण		
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	

2.	कर वर्ष							
3.	धारा 67(10) के अधीन कर योग्य रकम							
4.	धारा 67(10) के अधीन कर योग्य रकम का निर्दिष्ट इकाई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्तियों को आवंटन							
	(i)	**पूंजीगत परिसंपत्ति का विवरण**				**खाता खाता बही मूल्य**	**स्व-निर्मित परिसंपत्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित रकम / मूल्यांकित रकम**	**निर्धारित की गई रकम**
		क्रम सं	**नाम**	**क्या यह स्व-निर्मित है** (एक विकल्प चुनें)	**पूंजीगत परिसंपत्ति का प्रकार** (एक विकल्प चुनें)			
		क		1. हाँ 2. नहीं	अल्पकालिक दीर्घकालिक			
		ख		1. हाँ 2. नहीं	अल्पकालिक			
		ग		1. हाँ 2. नहीं	दीर्घकालिक			
		घ		1. हाँ 2. नहीं	अल्पकालिक			
		ङ	***(आवश्यकता पड़ने पर दोहराएँ)***					
	(ii)	कुल						
5.	उस मूल्यांकनकर्ता का विवरण जिसके मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पंक्ति 4 में जानकारी प्रदान की गई है							
	(i)	नाम				*(कृपया टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*		
	(ii)	पंजीकरण संख्या						
6.	मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति					**अपलोड करें**		

घोषणा

मैं, ____ स्थायी खाता संख्या _____ धारक, पूर्णतः यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्ररूप में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्ररूप अपनी वर्तमान क्षमता में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ तथा इस प्ररूप को प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर स्थान: तारीख: नाम: पदनाम:

टिप्पण:-

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखें। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखें।

2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

i. देश/क्षेत्र,

ii. फ्लैट/मकान/भवन,

iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,

iv. पिन/ज़िप कोड,

v. डाकघर,

vi. क्षेत्र/इलाका,

vii. जिला,

viii. राज्य

3. जब तक अन्यथा न कहा गया हो, रकम ₹ में भरें।

प्ररूप संख्या 28

[नियम54देखें]

धारा 77(4) के अधीन एकमुश्त बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना से संबंधित निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लेखाकार की रिपोर्ट

1.	**स्लम्प सेल करने वाले करदाता (स्थानांतरणकर्ता) का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*

	(iii)		**स्थायी खाता संख्या**			
	(iv)		**करदाता के कारबार का प्रकार**			
	(v)		**संपर्क संख्या**		देश का कोड	
	(vi)		**ईमेल आईडी**			
2.	**खरीदार (हस्तांतरितकर्ता) के विवरण**					
	(i)		**नाम**		*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
	(ii)		**पता**		*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
	(iii)		**स्थायी खाता संख्या**			
3.	**कर वर्ष**					
4	**स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित उपक्रम या विभाग के विवरण तथा निवल संपत्ति मूल्य**					
	अ	**(i)**	**कारबार का स्वरूप**			
		(ii)	**कारबार का पता**		*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
		(iii)	**हस्तांतरण की तारीख**		*दिन/माह/वर्ष*	
		(iv)	**स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित पूंजीगत संपत्तियों (उपक्रम या विभाग से संबंधित) का उचित बाजार मूल्य (FMV1)**			
			(क) संपत्तियों का खाता खाता बही मूल्य			
				सभी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य (आभूषण, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूतियाँ और अचल संपत्ति को छोड़कर) जैसा कि लेखा बहियों में दर्शाया गया है		
			II)	यदि कोई है तो भुगतान किया गया आयकर, घटाकर आयकर की पुनर्भुगतान रकम, यदि कोई दावा किया गया हो		
			III)	किसी भी ऐसी रकम को जो संपत्ति के रूप में प्रदर्शित हो, जिसमें स्थगित व्यय की अप्रयुक्त रकम शामिल हो जो किसी संपत्ति का मूल्य नहीं दर्शाती		
			IV)	**गणना इस प्रकार की जाएगी (I)-(II)-(III)**		
			(ख)	गहनों और कलाकृतियों की वह कीमत जो पंजीकृत मूल्याङ्कनकर्ता से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय होने पर प्राप्त होगी		

			(ग)	शेयरों और तंत्र का उचित बाजार मूल्य, जैसा कि नियम 57 में प्रदत्त विधि के अनुसार निर्धारित किया गया हो		
			(घ)	अचल संपत्ति के संबंध में मुद्रांकन शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से किसी भी सरकारी प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई, आंकी गई या आकलनीय मूल्य		
			(ङ)	**दायित्वों का खाता खाता बही मूल्य**		
				(I)	लेखांकन बहियों में अंकित दायित्वों का खाता खाता बही मूल्य	
				(II)	इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान किया गया पूंजी	
				(III)	पसंदीदा शेयरों और इक्विटी शेयरों पर भुगतान के लिए अलग रखी गई रकम, जब तक कि ऐसे लाभांश कंपनी की सामान्य सभा में हस्तांतरण तारीख से पूर्व घोषित नहीं किए गए हों	
				(IV)	संचित रकम और अधिशेष, चाहे उन्हें कोई भी नाम दिया गया हो, भले ही परिणामी रकम ऋणात्मक हो, परंतु मूल्यह्रास के लिए अलग रखी गई रकम को छोड़कर	
				(v)	कर प्रावधान से संबंधित कोई भी रकम, आयकर के भुगतान की गई रकम को छोड़कर, यदि कोई हो, जिसे आयकर के अधिक भुगतान के संबंध में लागू कानून के अनुसार देय कर के मुकाबले वापसी के रूप में दावा किया गया हो, से समायोजित किया गया हो	
				(VI)	कोई भी रकम जो देनदारियों को पूरा करने हेतु किए गए प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करती हो, परन्तु निश्चित देनदारियों को छोड़कर	
				(VII)	कोई भी रकम जो संभावित देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हो, सिवाय संचयी प्राथमिकता शेयरों से संबंधित लाभांश के बकाया के।	
				(VIII)	**देयताओं का खाता खाता बही मूल्य (I)-(II)-(III)-(IV)-(V)-(VI)-(VII)**	
			(च)	**FMV1 = (क)(IV) + (ख) + (ग) + (घ) - (ङ)(VIII)**		
		(v)	स्लम्प सेल के माध्यम से अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली प्राप्ति का उचित बाजार मूल्य (**FMV2**)			
			(क)	अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्ति का मूल्य		

			(ख)	नियम 57 [सारणी: क्रमांक 1 से 5] में निर्दिष्ट संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की गई, अंतरण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली गैर-मौद्रिक प्राप्ति का उचित बाजार मूल्य, जिसे नियम 57 के अनुसार उक्त संपत्ति के लिए निर्धारित किया गया हो।	
			(ग)	गैर-मौद्रिक प्राप्ति का मूल्य, जो अंतररण के फलस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाली हो, और जो अचल संपत्ति को छोड़कर नियम 57 [सारणी: क्रमांक 1 से 5] के दायरे में नहीं आती हो, वह मूल्य जो पंजीकृत मूल्याङ्कनकर्ता से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय होने पर प्राप्त होगा।	
			(घ)	अचल संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई या आंकी गई या आंकी जाने योग्य मूल्य, यदि गैर-नकद मुआवजा जो हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त होने वाला हो, वह अचल संपत्ति द्वारा प्रदर्शित हो।	
			(ङ)	FMV2 **= (क) + (ख) + (ग) + (घ)**	
		(vi)	पूंजीगत संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य [उच्चतम (iv)(ऊ) या (v)(उ)]		
		(vii)	**उद्यम या विभाग की निवल संपत्ति**		
			(क)	अवमूल्यन योग्य संपत्तियों के मामले में, स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित उद्यम या विभाग की संपत्तियों का लेखा मूल्य, जो धारा 41(1)(इ) के अनुसार निर्धारित हो।	
			(ख)	अवमूल्यन योग्य संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के मामले में, ऐसी संपत्तियों का खाता खाता बही मूल्य	
			(ग)	स्लम्प सेल के माध्यम से हस्तांतरित उद्यम या विभाग की कुल संपत्तियों का समेकित मूल्य [(क) + (ख)]	
			(घ)	लेखा बहियों में व्याप्त उद्यम या विभाग से संबंधित देयताओं का मूल्य	
			(ङ)	**उद्यम या विभाग की निवल संपत्ति [(इ) - (ई)]**	
		(viii)	संबंधित कर वर्ष के लाभ-हानि खाते एवं बैलेंस शीट की प्रति		**अपलोड करें**
	आ	***(आवश्यक होने पर दोहराएँ)***			

सत्यापन

*मैंने/हमने उपर्युक्त निर्धारिती के कर वर्ष..... के लिए लेखाओं और अभिलेखों की जाँच की है।

*मैंने/हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो *मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उस (उन) इकाई(इकाइयों) या प्रभाग(प्रभागों) की निवल संपत्ति का पता लगाने और गणना करने के लिए आवश्यक थे, जिसे एकमुश्त बिक्री के माध्यम से अंतरित किया गया है।

*मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ कि ऊपर पंक्ति 4 में दी गई इकाई(इकाइयों) या प्रभाग(प्रभागों) की निवल संपत्ति की गणना अधिनियम की धारा 77 के उपबंधों के अनुसार सही ढंग से की गई है।

हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में शामिल होगा:

i. देश/क्षेत्र,

ii. मकान/दरवाज़ा/भवन,

iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर,

iv. पिन/ज़िप कोड,

v. डाकघर,

vi. क्षेत्र/इलाका,

vii. जिला,

viii. राज्य

3. "लेखाकार" का अर्थ अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में परिभाषित लेखाकार से है।

4. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई भी परिवर्तन, क्रम संख्या 3 में रकम इंगित करते समय अनदेखा किया जाएगा।

5. यह प्ररूप अधिनियम की धारा 263 के उपबंधों के अनुसार आय विवरणी के साथ दाखिल किया जाएगा।

6. जहां एक से अधिक याचिकाकर्ता हों, वहां आवेदन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा।

7. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्ररूप संख्या 29

[नियम 60 देखें]

विलयोपरांत कंपनी के प्रधान अधिकारी से प्रमाणपत्र और निर्धारित उत्पादन स्तर की प्राप्ति तथा बाद के वर्षों में ऐसे उत्पादन स्तर के जारी रहने के संबंध में एक लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित

पंक्ति संख्या	**विलयित कंपनी का विवरण**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कारबार की प्रकृति		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश का कोड*	*संख्या*
	विलय करने वाली कंपनी/कंपनियों का विवरण		
7.	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
8.	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
9.	स्थायी खाता संख्या		
10.	कारबार की प्रकृति		
11।	ईमेल आईडी		
12.	विलय की तारीख पर उत्पादन की स्थापित क्षमता		
13.	(आवश्यकतानुसार 7 से 12 तक दोहराएँ)		
	विलय और उत्पादन क्षमता का विवरण		
14.	विलय की तारीख		
15.	क्या विलयित कंपनी ने प्रत्येक विलयकारी कंपनी (जहां एक से अधिक विलयकारी कंपनियां हों) के संबंध में उत्पादन क्षमता के कम से कम 50% स्तर को प्राप्त किया?	*हां नहीं*	
16.	यदि उपरोक्त पंक्ति संख्या 15 का उत्तर हां है, तो वह तारीख बताएं जिस पर ऐसा उत्पादन प्राप्त हुआ।		
17.	क्या विलयित कंपनी द्वारा बाद के वर्षों में उत्पादन का निर्धारित स्तर बनाए रखा गया है? (विलय की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक)	*हां नहीं*	

घोषणा

मैं ..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) स्थायी लेखा संख्या ..... धारक, ... (निर्धारिती का नाम) के ..... (पदनाम) के रूप में, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कहा गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान: .....

विलयोपरांत कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख: .....

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा: i. देश/क्षेत्र, ii. मकान/दरवाज़ा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. "लेखाकार" का वही अर्थ होगा जो धारा 515(3)(ख) में उसे दिया गया है।

4. *जो भी लागू न हो उसका विलोपन कर दें।

5. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या. 30

[नियम 61 देखें]

धारा 127 और धारा 154 के प्रयोजनों के लिए 'दिव्यांग व्यक्ति', 'गंभीर रूप से दिव्यांग', 'ऑटिज्म', 'सेरेब्रल पाल्सी' और 'बहु दिव्यांगता' प्रमाणित करने हेतु चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाणपत्र

चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाणपत्र 'विकलांग व्यक्ति', 'गंभीर विकलांगता', 'ऑटिज़्म', 'सेरेब्रल पाल्सी' और 'बहुविकलांगता' के प्रमाणन हेतु, अधिनियम की धारा 127 एवं धारा 154 के प्रयोजनों के लिए।			
भाग - क (मूलभूत जानकारी)			
1	**करदाता का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**	
2	**कर वर्ष**		
भाग - ख (चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा भरना अनिवार्य)			
3	**प्रमाणपत्र संख्या**		
4.	**तारीख**		*तारीख/माह/वर्ष*
5	**रोगी का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पुत्र / पुत्री / देखरेखकर्ता**	
	(iii)	**आयु**	
	(iv)	**लिंग**	
6	**पंजीकरण संख्या**		
7	**विकलांगता का प्रकार:** *(एक चयन करें)*		1. विकलांग व्यक्ति 2. गंभीर विकलांग व्यक्ति
8.	**पीड़ा:** *(एक चयन करें)*		1. ऑटिज़्म 2. सेरेब्रल पाल्सी 3. बहुविकलांगता
9.	**स्थिति*:** *(एक चयन करें)*		1. बढ़ती 2. स्थिर
			1. सुधार की संभावना है

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">2. सुधार की संभावना नहीं है</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.</td><td colspan="2" rowspan="2">पुनर्मूल्यांकन:
(एक चयन करें)</td><td>1. अनुशंसित</td><td>के पश्चात्</td><td>वर्ष</td><td>महीने</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. अनुशंसित नहीं</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="6">संस्थान/सरकारी अस्पताल का विवरण:</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td colspan="2">नाम :</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="2">पता :</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 निर्दिष्ट</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="3">विशेषज्ञ की योग्यता/पदनाम :</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान</td><td colspan="3">प्रमाणितकर्ता

विशेषज्ञ का हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा:

   i. देश/क्षेत्र,
   ii. मकान/दरवाज़ा/भवन,
   iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर,
   iv. पिन/ज़िप कोड,
   v. डाकघर,
   vi. क्षेत्र/इलाका,
   vii. जिला,
   viii. राज्य

3. * ऐसे मामले में जहां दशा का आकलन प्रगतिशील/सुधार की संभावना नहीं के रूप में किया गया है, वहां किसी विशेषज्ञ द्वारा पुनर्मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
4. चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र (भाग-ब) अपलोड किया जा सकता है।

प्ररूप संख्या . 31

[नियम 65 देखें]

भाड़े (किराए) के लिए भुगतान की गई रकम हेतु धारा 134 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा

भाग-क (मूलभूत जानकारी)			
1	**आकलनीय व्यक्ति का विवरण**		
	(i)	**नाम :**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता :**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**	
	(iv)	**ईमेल आईडी**	
	(v)	**संपर्क संख्या**	देश का कोड
2	**कर वर्ष**		
भाग-ख (किराया विवरण)			
3	**परिसर का पूर्ण पता**		*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
4	**निवास अवधि (महीनों में)**		
5	**भुगतान किया गया किराया**		
	(i)	**नकद**	
	(ii)	**चेक/बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन माध्यम**	
6	**कुल भुगतान किया गया किराया [5(क) + (ख)]**		
7	**मकान मालिक का विवरण:**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**स्थायी खाता संख्या**	
	(iii)	**पूर्ण पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)*

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं_____(नाम), स्थायी लेखा संख्या _____ धारक, ने उपर्युक्त परिसर पर ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए और विवरण के अनुसार भुगतान किए गए किराए की रकम के लिए, अपने स्वयं के आवास के प्रयोजन के लिए कब्जा किया था।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित के स्वामित्व में कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है- |

मेरा/मेरे पति/पत्नी/मेरा अवयस्क बच्चा/हमारा परिवार (ऐसे मामले में जहां निर्धारिती एचयूएफ है), ... पर जहां मैं/हम साधारण रूप से निवास करता/करते हूँ/कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों का पालन करता/करते हूँ या कारबार या पेशा करता/करते हूँ; या

मेरा/मेरे पति/पत्नी/मेरा अवयस्क बच्चा/हमारा परिवार (ऐसे मामले में जहां निर्धारिती एचयूएफ है), किसी अन्य स्थान पर, जो मेरे कब्जे में आवास है, जिसका मूल्य अधिनियम की धारा 21(6) के अधीन निर्धारित किया जाना है।

निर्धारिती के हस्ताक्षर

नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तीकरण के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पते में शामिल होगा:

   i. देश/क्षेत्र,
   ii. मकान/दरवाज़ा/भवन,
   iii. सड़क/गली/ ब्लॉक/सेक्टर,
   iv. पिन/ज़िप कोड,
   v. डाकघर,
   vi. क्षेत्र/इलाका,
   vii. जिला,
   viii. राज्य

3. रकम रुपये में भरी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 32

[नियम 66 देखें]

अधिनियम की धारा 46, 138, 139, 140(8), 141, 142, 143 एवं 144 के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भाग क (बुनियादी विवरण)		
1.	**निर्धारिती का नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
2.	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
3.	**स्थायी लेखा संख्या (PAN)**	
4.	**आयकर वर्ष**	
5.	**अधिनियम की वह धारा, जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है** *(एक विकल्प चुनें)*	1. 46 (आ-1 भरने हेतु) 2. 138 (आ-2 भरने हेतु) 3. 139 (आ-3 भरने हेतु) 4. 140 (आ-4 भरने हेतु) 5. 141 (आ-5 भरने हेतु) 6. 142 (आ-6 भरने हेतु) 7. 143 (आ-7 भरने हेतु) 8. 144 (आ-8 भरने हेतु)

टिप्पण:

(i) *$* "लेखाकार" का अर्थ अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट होगा एवं प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते समय भारतीय लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी "सीए सदस्यता संख्या" प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) **जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरनी होती है।**

भाग ख-1 (धारा 46 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	**संस्थापन की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
7.	**कार्यों के आरंभ की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
8.	**नियत कारबार का स्वरूप *[धारा 46(11)(ई) देखें]*** *(एक विकल्प चुनें)*	1. कोल्ड चेन सुविधा 2. कृषि उत्पाद भंडारण हेतु गोदाम सुविधा 3. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 4. नया होटल (2 स्टार या उससे ऊपर) 5. नया अस्पताल 6. आवास परियोजना (झुग्गी पुनर्वास) 7. आवास परियोजना (सस्ती आवास) 8. उर्वरक उत्पादन संयंत्र

		9. इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा माल स्थानक 10. मधुमक्खी पालन तथा शहद एवं मोम का उत्पादन 11. चीनी भंडारण हेतु गोदाम सुविधा 12. लोहे के अयस्क परिवहन हेतु स्लरी पाइपलाइन 13. सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण इकाई 14. अवसंरचना सुविधा 15. अन्य
9.	**यदि उत्तर 8 में *"अन्य"* है, कृपया निर्दिष्ट करें:**	
10.	**केंद्र/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध की प्रति**	**अपलोड करें**
11.	**क्या निर्दिष्ट कारबार मौजूदा कारबार को विभाजित या पुनर्गठित कर स्थापित किया गया है** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
12.	**क्या निर्दिष्ट कारबार में पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का उपयोग किया गया है *[धारा 46(11)(उ) एवं (ऊ) देखें]*** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
13.	**यदि (12) में हाँ है, तो पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें**	
14.	**पूंजीगत व्यय की रकम**	
15.	**व्यय करने की तारीख**	*तारीख/माह/वर्ष*
16.	**भुगतान का माध्यम** *(एक विकल्प चुनें)*	1. एनईएफटी 2. आरटीजीएस 3. चेक 4. डिमांड ड्राफ्ट 5. क्रेडिट कार्ड 6. डेबिट कार्ड 7. नेट बैंकिंग 8. यूपीआई 9. अन्य
17.	**यदि अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:**	

18.	**जिस संपत्ति पर छूट का दावा किया गया है:**		
	(i)	**क्या यह संपत्ति निर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त किसी अन्य कारबार के लिए उपयोग में है** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	**क्या इसमें भूमि/गुडविल/वित्तीय उपकरण शामिल हैं** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
19.	**यदि 18(i) 'हाँ' है:**		
	(i)	**इस प्रकार की संपत्ति का मूल्य**	
	(ii)	**क्या कंपनी अस्वस्थ औद्योगिक कंपनी है [धारा 46(10) देखें]** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
20.	**अधिनियम की धारा 46 के अधीन कटौती**		

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूंजीगत व्यय जो किया गया है, वह अधिनियम की धारा 46 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप है, तथा ऊपर पंक्ति 20 में दावा की गई कटौती मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म

पंजीकरण संख्या:

भाग ख-2 (धारा 138 के अधीन कटौती का विवरण)			
6.	**संस्थापन की तारीख**		*दिन/महीना/वर्ष*
7.	**कार्यों के आरंभ की तारीख**		*दिन/महीना/वर्ष*
8.	**अवसंरचना सुविधा का विकास, संचालन, एवं रखरखाव:**		
	(i)	**अवसंरचना सुविधा के सन्दर्भ में, क्या उद्यम** *(एक विकल्प चुनें)*	1. विकसित करें 2. संचालित करें और रखरखाव करें 3. विकसित करें, संचालित करें और रखरखाव करें
	(ii)	**कृपया अवसंरचना सुविधा की प्रकृति निर्दिष्ट करें** *(एक विकल्प चयन करें)*	1. सड़क जिसमें टोल रोड, पुल या रेलवे प्रणाली शामिल हो 2. हाइवे परियोजना जिसमें आवासीय या अन्य गतिविधियाँ जो हाइवे परियोजना का अभिन्न हिस्सा हों 3. जल आपूर्ति परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता एवं सीवर प्रणाली अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली 4. बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय बंदरगाह या समुद्री नौवहन चैनल
	(iii)	**क्या अवसंरचना सुविधा का संचालन और रखरखाव उसके विकासकर्ता से केंद्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/किसी अन्य वैधानिक संस्था के साथ किए गए**	1. हाँ 2. नहीं

		करार के अनुसार हस्तांतरित प्राप्त हुआ है *(एक विकल्प चयन करें)*		
	(iv)	**यदि 8(iii) का उत्तर हाँ है, तो कृपया विकासकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क के अधीन कर कटौती के प्रथम वर्ष का उल्लेख करें** *(विकासकर्ता के आयकर नियम, 1962 के प्ररूप 10 गगखकी प्रति संलग्न करें)*		**अपलोड करें**
9.	**विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण:**			
	(i)	**क्या उद्यम विद्युत् उत्पन्न करता है या उत्पन्न कर वितरित करता है** *(एक का चयन करें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	**यदि 9(i) हाँ है, तो वह वर्ष निर्दिष्ट करें जब उद्यम ने विद्युत् उत्पन्न करना शुरू किया**		*वर्ष-वर्ष*
	(iii)	**क्या उद्यम विद्युत् का संचरण या वितरण करता है।** *(एक का चयन करें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	**यदि 9(iii) हाँ है, तो वह वर्ष निर्दिष्ट करें जब नई संचरण और वितरण लाइनों की स्थापना हुई**		*वर्ष-वर्ष*
	(v)	**क्या मौजूदा संचरण या वितरण लाइनों के नेटवर्क में पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है** *(एक का चयन करें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	**यदि 9(v) हाँ है, तो कृपया निर्दिष्ट करें:**		
		(क)	**वह वर्ष जब संचरण या वितरण लाइनों के मौजूदा नेटवर्क का पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हुआ**	
		(ख)	**1-4-2004 को संयंत्र और मशीनरी का खाता खाता बही मूल्य**	
		(इ)	**पर्याप्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के वर्ष में संयंत्र और मशीनरी मेंआकस्मिकआकस्मिक वृद्धि का मूल्य**	
	(vii)	**क्या उद्यम पूर्व अस्तित्व में रहे कारबार के विभाजन/पुनर्गठन द्वारा गठित है***(एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(viii)	**क्या उद्यम पूर्व में प्रयुक्त यंत्रांश/मशीनरी का उपयोग कर स्थापित किया गया है [धारा 46(11)(उ) एवं (ऊ) देखें]***(एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(ix)	**यदि 9(viii) का उत्तर हाँ है, तो पूर्व प्रयुक्त यंत्रांश/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें**		

10.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**	
11.	**उद्यम का कुल विक्रय**	
12.	**योग्य कारबार से प्राप्त लाभ और आय**	
13.	**अधिनियम की धारा 138 के अधीन छूट**	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि एंटिटी अधिनियम की धारा 138 / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क में निर्धारित शर्तों का पालन करती है तथा पंक्ति 13 में प्रयुक्त छूट मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

भाग ख-3 (धारा 139 के अधीन छूट का विवरण)		
6.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र का विवरण (नाम एवं स्थान)**	
7.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
8.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की प्रति अपलोड करें**	**अपलोड करें**

9.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास की प्रारंभ तारीख** *(स्थानांतरण की परवाह किए बिना)*	*दिन/महीना/वर्ष*
10.	**क्या ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के संचालन और रख-रखाव का अधिकार किसी अन्य विकासक से हस्तांतरित किया गया है?** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
11.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**	
12.	**कर वर्ष हेतु उद्यम का कुल विक्रय**	
13.	**योग्य उद्यम से प्राप्त लाभ और आय**	
14.	**अधिनियम की धारा 139 के अधीन कटौती**	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त इकाई अधिनियम की धारा 139 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IAB में वर्णित शर्तें पूरी करती है एवं ऊपर पंक्ति 14 में दर्शाई गई कटौती मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

खंड ख-4 (धारा 140 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	**संस्थापन की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
7.	**उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी स्टार्ट-अप संख्या**	
8.	**अंतर-मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र की तारीख**	

9.	**अंतर-मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र की प्रति**	**अपलोड करें**
10.	**स्टार्ट-अप का विवरण:** *(एक या दोनों चुने)*	1. उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के नवाचार, विकास या सुधार में संलग्न 2. रोजगारआकस्मिकआकस्मिक वृद्धि और संपदा सृजन की उच्च संभावनाओं वाला विस्तार योग्य व्यावसायिक मॉडल
11.	**क्या स्टार्ट-अप मौजूदा कारबार को विभाजित/पुनर्गठित करके बनाया गया है** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
12.	**क्या स्टार्ट-अप पूर्व में उपयोग किए गए संयंत्र/मशीनरी का उपयोग करके स्थापित किया गया है** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
13.	**यदि (12) में हाँ है, तो पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें**	
14.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**	
15.	**उद्यम का कुल विक्रय**	
16.	**स्टार्ट-अप द्वारा पात्र कारबार से प्राप्त लाभ और आय**	
17.	**अधिनियम की धारा 140 के अधीन कटौती**	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि स्टार्ट-अप अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करता है, एवं ऊपर पंक्ति 17 में दावा की गई कटौती मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

	भाग ख़-5 (धारा 141 के अधीन कटौती का विवरण)		
6.	**आवास परियोजना/उद्योग का नाम**		
7.	**कटौती हेतु कारबार की प्रकृति** *(एक विकल्प चुनें)*		1. आवास परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण 2. फल, सब्जी, मांस, मांस उत्पाद, पोल्ट्री, समुद्री अथवा डेयरी उत्पादों की प्रक्रिया, संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न उद्यम 3. अन्न के भंडारण, संचयन एवं परिवहन के समेकित कारबार में संलग्न उद्यम
	*** पंक्ति *संख्या 8, 9 एवं 10 'हाउसिंग परियोजना' के लिए भरनी होगी*		
8.	**क्या परियोजना कार्य-ठेका के रूप में क्रियान्वित की गई थी?** *(एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
9.	**अनुमोदन एवं पूर्णता संबंधी विवरण**		
	(i)	**धारा 141 के अनुसार परियोजना अनुमोदन तारीख या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IB के अधीन**	*दिन/महीना/वर्ष*
	(ii)	**अनुमोदन प्रमाणपत्र**	**अपलोड करें**
	(iii)	**सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख** *(यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)*	*दिन/महीना/वर्ष*

	(iv)	**पूर्णता प्रमाणपत्र** *(यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)*	**अपलोड करें**
	(v)	**क्या परियोजना उस योजना के अनुसार है जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी लागू कानून के अधीन झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों में मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण या पुनर्विकास हेतु तैयार किया गया हो तथा उस योजना को बोर्ड द्वारा इस हेतु अधिसूचित किया गया हो?** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हां 2. नहीं
	(vi)	**यदि (v) हाँ है, तो उस अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।**	**अपलोड करें**
10.	**परियोजना विवरण**		
	(i)	**शहर/स्थान** *(एक चुनें)*	1. *दिल्ली या मुंबई या इन नगरपालिकाओं की सीमाओं से 25 किमी के भीतर* *2. अन्य*
	(ii)	**परियोजना के भूखंड का आकार (एकड़ में)**	
	(iii)	**क्या निर्धारित क्षेत्र के भीतर किसी आवासीय इकाई का**	1. हाँ 2. नहीं

		अधिकतम निर्मित क्षेत्र है: *(दिल्ली या मुंबई या इन नगरपालिकाओं की सीमाओं से 25 किमी के भीतर के लिए: 1000 वर्ग फीट; अन्य के लिए: 1500 वर्ग फीट)* *(एक विकल्प चुनें)*	
	(iv)	**क्या आवासीय परियोजना में सम्मिलित दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्र पांच हजार वर्ग फीट से अधिक है?** *(एक चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(v)	**क्या आवासीय परियोजना में सम्मिलित दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्र परियोजना के समग्र निर्मित क्षेत्र का 3% से अधिक है?** *(एक चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	**क्या आवासीय परियोजना में एक से अधिक आवासीय इकाई**	1. हां 2. नहीं

		किसी ऐसे व्यक्ति को आवंटित हैं जो व्यक्ति (व्यक्तिगत) नहीं है? *(एक चुनें)*	
	(vii)	**यदि किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई आवंटित की गई है, तो क्या उसी परियोजना में अतिरिक्त इकाइयां उस व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों को आवंटित की गई हैं;** • **या** • **ऐसे एचयूएफ को जिसमें वह व्यक्ति कर्ता हो; या** • **कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त व्यक्ति, उसके पति/पत्नी, नाबालिग बच्चों या ऐसे एचयूएफ का प्रतिनिधि हो जिसमें वह**	1. हाँ 2. नहीं

		व्यक्ति कर्ता हो? *(एक विकल्प चुनें)*	
पंक्ति *11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 सभी करदाताओं द्वारा भरनी होगी*			
11.	**क्या यह उद्यम किसी पूर्व कारबार के विभाजन/पुनर्गठन द्वारा स्थापित किया गया है?** *(एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
12.	**क्या यह उद्यम पूर्व में प्रयुक्त संयंत्र/मशीनरी का उपयोग कर स्थापित किया गया है?** *(एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
13.	**यदि (12) में हाँ है, तो पूर्व उपयोग की गई संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें**		
14.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**		
15.	**कर वर्ष के लिए उद्यम का कुल विक्रय**		
16.	**उद्यम से प्राप्त लाभ और आय**		
17.	**धारा 141 के अधीन कटौती**		

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह परियोजना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 141 या धारा 80-IB में निर्धारित शर्तों का पालन करती है, तथा पंक्ति 17 में दावा की गई कटौती मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम: फर्म पंजीकरण संख्या

भाग ख़-6 (धारा 142 के अधीन कटौती का विवरण)			
6.	**आवासीय परियोजना/किराए की आवासीय परियोजना का नाम**		
7.	**परियोजना का प्रकार**		1. आवासीय परियोजना 2. किराए की आवासीय परियोजना *(उपरोक्त में से एक चयन करें)*
*** पंक्ति *8, 9, 10 तथा 11 "आवासीय परियोजना" द्वारा भरें और* पंक्ति *12 "किराए की आवासीय परियोजना" द्वारा।*			
8.	**अनुमोदन एवं पूर्णता संबंधी विवरण**		
	(i)	**अधिनियम की धारा 142 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IBA के अनुसार परियोजना की स्वीकृति तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
	(ii)	**अनुमोदन प्रमाणपत्र**	**अपलोड करें**
	(iii)	**सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख** *(यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)*	*दिन/महीना/वर्ष*
	(iv)	**पूर्णता प्रमाणपत्र** *(यदि परियोजना पूर्ण हो चुकी हो)*	**अपलोड करें**
	(v)	**क्या परियोजना निर्दिष्ट अवधि यानी स्वीकृति तारीख से 5 वर्षों के भीतर पूर्ण हुई है?** *(एक चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं 3. परियोजना अभी भी प्रगति पर है
9.	**परियोजना विवरण**		
	(i)	**क्या यह परियोजना उस भूखंड पर एकमात्र आवासीय परियोजना है?** *(एक चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	**यदि किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई आवंटित की गई है, तो क्या उसी परियोजना में पति/पत्नी/नाबालिग बच्चों**	1. हाँ 2. नहीं

		को अतिरिक्त इकाइयां आवंटित की गई हैं? *(एक चयन करें)*	
	(iii)	**क्या करदाता परियोजना के लिए पृथक लेखा खाता खाता बही का संधारण करता है?** *(एक चयन करें)*	**1.** हाँ **2.** नहीं
	(iv)	**क्या परियोजना कार्य-संपर्क के रूप में संचालित की गई थी?** *(एक चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(v)	**क्या आवासीय परियोजना में दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का कार्पेट क्षेत्रफल कुल कार्पेट क्षेत्रफल का 3% से अधिक नहीं है?** *(एक चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
10.	**परियोजना विवरण (01.09.2019 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं हेतु)**		
	(i)	**नगर/स्थान श्रेणी (महानगर/अन्य)** *(एक चयन करें)*	1. महानगर [*चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई*] 2. महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर
	(ii)	**परियोजना के भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)** *(महानगर: न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर)* *महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर: न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर)*	
	(iii)	**क्या किसी आवासीय इकाई का कुल कार्पेट क्षेत्र निर्धारित सीमा से अधिक है:** *(महानगर: 30 वर्ग मीटर)* *महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर: 60 वर्ग मीटर)* *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	**क्या परियोजना द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र अनुमेय फ्लोर एरिया अनुपात के निर्दिष्ट प्रतिशत से कम नहीं है?** *(महानगर: 90%;* *महानगरों के अतिरिक्त: 80%)* *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
11.	**परियोजना विवरण (01.09.2019 या उसके बाद अनुमोदित परियोजनाओं के लिए)**		
	(i)	**नगर/स्थान श्रेणी (महानगर/अन्य)** *(एक विकल्प चुने)*	1. महानगर [*बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (केवल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा,*]

			गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद), हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई (मुंबई महानगर क्षेत्र का समग्र क्षेत्र)] 2. महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर
	(ii)	**परियोजना के भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)** *(महानगर: न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर)* *महानगरों के अतिरिक्त अन्य नगर: न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर)*	
	(iii)	**क्या किसी आवासीय इकाई का कुल कार्पेट क्षेत्र निर्धारित सीमा से अधिक है:** *(महानगर: 60 वर्ग मीटर* *महानगरों के अतिरिक्त: 90 वर्ग मीटर)* *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	**क्या परियोजना द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र अनुमेय फ्लोर एरिया अनुपात के निर्दिष्ट प्रतिशत से कम नहीं है?** *(महानगर: 90%;* *महानगरों के अतिरिक्त: 80%)* *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(v)	**क्या आवासीय इकाई का स्टाम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से कम है?** *(एक विकल्प चुने)*	1. हाँ 2. नहीं

12. किरायेदार आवासीय परियोजना

12.	**किरायेदार आवासीय परियोजना का विवरण**		
	(i)	**अधिसूचना की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
	(ii)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-Iआअ के अधीन अधिसूचना**	**अपलोड करें**

पंक्ति *13, 14, 15 एवं 16 सभी आकलनकर्ताओं द्वारा भरनी हैं*

13.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**	
14.	**कर वर्ष के लिए उद्यम का कुल विक्रय**	
15.	**आवासीय/किराये की परियोजना से प्राप्त लाभ और आय**	

16.	**अधिनियम की धारा 142 के अधीन कटौती**	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि परियोजना अधिनियम की धारा 142/आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IBA में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप है, तथा उपरोक्त पंक्ति 16 में दावा की गई कटौती मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

	भाग ख-7 (धारा 143 के अधीन कटौती का विवरण)	
6.	**संस्थापन की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
7.	**कार्यों के आरंभ की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
8.	**संस्थान का राज्य जहाँ स्थित है** *(एक विकल्प चुनें)*	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम

			6. नागालैंड 7. सिक्किम 8. त्रिपुरा
9.	**गतिविधि का स्वरूप** *(एक विकल्प चुनें)*		1. कोई पात्र वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करना 2. उपरोक्त के लिए पर्याप्त विस्तार करना 3. पात्र कारबार संचालित करना
10.	**यदि पर्याप्त विस्तार किया गया है, कृपया विवरण प्रदान करें:**		
	(i)	**पर्याप्त विस्तार की तारीख**	*दिन/महीना/वर्ष*
	(ii)	**प्लांट और मशीनरी का पुस्तकमूल्य (किसी भी वर्ष में मूल्यह्रास लगाने से पूर्व), उस करवार्षिक अवधि के प्रथम दिन के अनुसार जिसमें महत्वपूर्ण विस्तार किया गया हो**	
	(iii)	**महत्वपूर्ण विस्तार के वर्ष में प्लांट और मशीनरी मेंआकस्मिकआकस्मिक वृद्धि का मूल्य।**	
11.	**पात्र कारबार का स्वरूप** *(एक विकल्प चुनें)*		1. नया होटल (2 स्टार या उससे ऊपर) 2. रोमांच तथा मनोरंजन खेल 3. नर्सिंग होम (25 बेड या उससे अधिक) 4. वृद्धाश्रम 5. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 6. सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र 7. सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का निर्माण 8. जैवप्रौद्योगिकी

12.	**केंद्र/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध की प्रति**	**अपलोड करें**
13.	**क्या निर्दिष्ट कारबार मौजूदा कारबार को विभाजित या पुनर्गठित करके स्थापित किया गया है?** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
14.	**क्या निर्दिष्ट कारबार पूर्व में प्रयुक्त प्लांट/मशीनरी का उपयोग करके स्थापित किया गया है?** *(एक विकल्प चुनें)*	1. हाँ 2. नहीं
15.	**यदि हाँ, तो पूर्व में प्रयुक्त प्लांट/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें**	
16.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**	
17.	**कुल कटौती अवधि, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IB(4) के दूसरे उपप्रावधान के अधीन कटौती की अवधि भी सम्मिलित है**	
18.	**उद्यम का कुल विक्रय**	
19.	**योग्य कारबार से प्राप्त लाभ और आय**	
20.	**अधिनियम की धारा 143 के अधीन कटौती**	

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि परियोजना आयकर अधिनियम की धारा 143 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है तथा ऊपर पंक्ति 20 में दावा की गई कटौती मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:
स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:
पदनाम:
सदस्यता संख्या:
यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:
स्वामित्व/फर्म का नाम:
फर्म पंजीकरण संख्या:

भाग ख-8 (धारा 144 के अन्तर्गत कटौती का विवरण)	
6.	**यूनिट का विवरण**

	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*			
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*			
	(iii)	कारबार का स्वरूप				
	(iv)	विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख				
	(v)	निर्माण, उत्पादन या सेवा प्रारंभ करने की तारीख				
7.	कुल निर्यात कारोबार					
8.	यूनिट से संबंधित विनिमेय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय					
	(*i*)	वस्तुएँ या सामग्री, या				
	(*ii*)	सेवाओं का प्रवादन				
9.	यूनिट से संबंधित बिक्री आय					
	(*i*)	वस्तुएँ या सामग्री, या				
	(*ii*)	सेवाओं का प्रवादन				
10	क्या यह यूनिट किसी मौजूदा कारबार को विभाजित/पुनर्गठित करके स्थापित की गई है *(एक विकल्प चुनें)*		1. हां 2. नहीं			
11	क्या इकाई पूर्व में प्रयुक्त संयंत्र/मशीनरी का उपयोग कर स्थापित की गई है *(एक विकल्प चुनें)*		1. हां 2. नहीं			
12	यदि (11) हाँ है, तो पूर्व में प्रयुक्त संयंत्र/मशीनरी का प्रतिशत निर्दिष्ट करें					
13.	भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में लाई गई रकम:					
	(i)	टैक्स वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर				
	(ii)	प्रतिमंडल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर	प्रतिमंडल प्राधिकारी का नाम	अग्रिम अनुमोदित अवधि समाप्ति तारीख (*दिन/महीना/वर्ष*)	रकम	जिस टैक्स वर्ष से संबंधित हो

	(iii)	**यदि कोई हो, तो बिक्री रकम का विवरण जो आरबीआई की अनुमति के बाद असेसी द्वारा भारत के बाहर किसी बैंक में पृथक खाते में जमा की गई हो**		
		(क)	**ऐसी बिक्री की रकम**	
		(ख)	**आरबीआई अनुमति का संदर्भ संख्या**	
14.	**उपरोक्त पर स्थितिय टिप्पण, यदि कोई हो**			अपलोड करें
15.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिससे छूट दावा की जा रही है**			
16.	**इकाई का कुल विक्रय**			
17.	**कारबार का कुल विक्रय**			
18.	**इकाई द्वारा प्राप्त कुल लाभ**			
19.	**कारबार द्वारा प्राप्त कुल लाभ**			
20.	**अधिनियम की धारा 144 के अधीन कटौती**			

प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी, जिसमें ऊपर पंक्ति 20 के अधीन दावा की गई कटौती शामिल है, मेरी संपूर्ण जानकारी एवं विश्वासानुसार सत्य है एवं यह अधिनियम की धारा 144 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के प्रावधानों के अनुरूप है।

तारीख:
स्थान:

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि उपलब्ध हो:

स्वामित्व/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

प्ररूप संख्या 33

[नियम 67 देखें]

अधिनियम की धारा 144 के अधीन कटौती का दावा करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

भाग क (मूल जानकारी)				
1.	करदाता का विवरण			
	(i)	नाम	*टिप्पण 1 निर्दिष्ट*	
	(ii)	पता	*टिप्पण 2 देखें*	
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
2.	उद्योग/इकाई का विवरण			
	(i)	नाम	*टिप्पण 1 निर्दिष्ट*	
	(ii)	पता	*टिप्पण 2 देखें*	
	(iii)	कारबार का प्रकार		
	(iv)	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम जिसमें इकाई स्थित है		
3.	कर वर्ष			
भाग ख (विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाता का विवरण)				
4.	**लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते में क्रेडिट की गई योग्य लाभों की रकम:**		कर वर्ष	रकम
	i)	वर्तमान कर वर्ष के दौरान		
	ii)	कर वर्ष के दौरान, जो (i) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है		
	ii)	कर वर्ष के दौरान, जो (ii) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है		
	v)	कर वर्ष के दौरान, जो (iii) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है		
	v)	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)]		

5.	विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते से निकाली गई रकम:		कर वर्ष	योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई	योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया
	i)	वर्तमान कर वर्ष के दौरान			
	ii)	कर वर्ष के दौरान, जो (i) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है			
	ii)	कर वर्ष के दौरान, जो (ii) में उल्लिखित कर वर्ष के तत्काल पूर्व का है			
	v)	कर वर्ष के दौरान, उस कर वर्ष से ठीक पहले जिसका उल्लेख (iii) में है			
	v)	निकाली गई कुल रकम (i)+(ii)+(iii)+(iv)]			
6.	**वर्तमान कर वर्ष के अंतिम दिन विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते में शुद्ध शेष रकम** [4(v)-5(v)]				

भाग क (खरीदी गई नई संयंत्र या मशीनरी का विवरण)

7. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते से निकाली गई रकमयों से खरीदी गई नई संयंत्र/मशीनरी का विवरण

क्रम सं.	**नई संयंत्र या मशीनरी का विवरण**	**निर्माता का नाम एवं मॉडल संख्या**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**आपूर्ति कर्ता का पता**	**अधिग्रहण तारीख**	**प्रथम उपयोग की तारीख**
			टिप्पण 1 निर्दिष्ट	*टिप्पण 2 देखें*	*दिन/महीना /वर्ष*	*दिन/महीना /वर्ष*
			टिप्पण 1 निर्दिष्ट	*टिप्पण 2 देखें*	*दिन/महीना/वर्ष*	*दिन/महीना/वर्ष*
			टिप्पण 1 निर्दिष्ट	*टिप्पण 2 देखें*	*दिन/महीना/वर्ष*	*दिन/महीना/वर्ष*

प्रमाणन

मैं_____(नाम) स्थायी खाता संख्या का धारक _____, स्वामी/साझेदार/निदेशक होने के नाते सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कर वर्ष के दौरान उपरोक्त उल्लेखित उपक्रम ने नई

संयंत्र/मशीनरी अधिग्रहीत की है, जिसके लिए खरीद मूल्य विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता आरक्षित खाते से निकासी कर करदाता द्वारा भुगतान किया गया है।

तारीख: .....हस्ताक्षर

स्थान: .....

नाम: .....

पदनाम: .....

टिप्पण:

1. **व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्तता के पूर्ण रूप में प्रदान किया जाएगा। किसी भी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाएगा।**
2. **पता में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे**:

i. **देश/क्षेत्र**,
ii. **फ्लैट/मकान/भवन**,
iii. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
iv. **पिन/ज़िप कोड**,
v. **डाकघर**,
vi. **क्षेत्र/स्थान**,
vii. **जिला**,
viii. **राज्य**

3. **रकम ₹ में भरें, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।**

प्ररूप संख्या 34

[नियम 68 देखें]

अधिनियम की धारा 146 के अधीन अतिरिक्त कर्मचारी लागत से संबंधित कटौती के लिए रिपोर्ट

भाग - क (मूलभूत जानकारी)	
1.	**करदाता का विवरण**

	(i)	नाम		*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	पता		*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	कारबार का स्वरूप		
2.	कर वर्ष			
	भाग-ख (कटौती विवरण)			
3.	नवीन कारबार			
	(i)	उक्त कर वर्ष के दौरान भुगतान की गई/देय पारिश्रमिक की रकम।		*(टिप्पण 3 देखें)*
	(ii)	धारा 146 के अधीन कटौती के लिए पात्र पारिश्रमिक का 30%। [30% (i)]		
4.	मौजूदा कारबार के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत *(टिप्पण 3 देखें)*			
		तत्कालीन पूर्ववर्ती कर वर्ष के अंतिम तारीख तक कर्मचारियों की संख्या:		
	(ii)	कर वर्ष के दौरान नियुक्त कर्मचारियों की संख्या:		
	(iii)	अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या, जिनके पारिश्रमिक धारा 146 के अधीन कटौती के पात्र हैं: *(टिप्पण 3 देखें)*		
		(क)	कर वर्ष के दौरान नियुक्त	
		(ख)	तत्कालीन पूर्व कर वर्ष में नियोजित	
	(iv)	धारा 146 के अधीन कटौती के लिए पात्र अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान की गई या भुगतान योग्य पारिश्रमिक की कुल रकम: *(टिप्पण 3 देखें)*		
		(क)	(iii)(क) में उल्लिखित अतिरिक्त कर्मचारी	
		(ख)	(iii)(ख) में उल्लिखित अतिरिक्त कर्मचारी	
		(ग)	कुल [(iv)(क) + (iv)(ख)]	
	(ङ)	धारा 146 के अधीन अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान की गई या भुगतान योग्य पारिश्रमिक के संबंध में पात्र कटौती की रकम: *(टिप्पण 3 देखें)*		
		(क)	कर वर्ष [(iv)(ग) में गणना की गई रकम का 30%]	
		(ख)	कर वर्ष से तत्काल पूर्व का वर्ष	

		(ग)	**तत्कालीन पूर्व कर वर्ष से पूर्व का वर्ष**	
	(च)	**धारा 146 के अधीन पात्र कटौती की रकम [(v)(क) + (v)(ख) + (v)(ग)]**		

प्रमाणीकरण

मैं_____(नाम), स्थायी खाता संख्या धारक _____, उक्त कर वर्ष के लिए संदर्भित करदाता के खाते एवं अभिलेखों की जाँच कर चुका/चुकी हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर प्रदत्त गणना के अनुसार धारा 146 के अधीन पात्र कटौती पंक्ति 3(ii) या 4(च) के अनुरूप है।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम :

पदनाम :

सदस्यता संख्या :

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण :

1. **व्यक्तिगत मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम पूर्ण रूप में, बिना किसी संक्षिप्तता के प्रदान किया जाना चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।**
2. **पता निम्नलिखित विवरण शामिल करेगा** :

i.**देश/क्षेत्र**,

ii.**फ़्लैट/मकान/भवन**,

iii.**सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,

iv.**पिन/ज़िप कोड**,

v.**डाकघर**,

vi.**क्षेत्र/स्थान**,

vii.**जिला**,

viii.**राज्य**

3. "अतिरिक्त कर्मचारी लागत", "अतिरिक्त कर्मचारी" एवं "पारिश्रमिक" की परिभाषा के लिए अधिनियम की धारा 146(5)(क), 146(5)(ख) एवं 146(5)(ग) देखें।

4. **जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरी जाए**

प्ररूप संख्या 35

[देखें नियम 69]

अधिनियम की धारा 147(4)(क) के अधीन विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों की आय के संबंध में कटौती हेतु रिपोर्ट			
भाग - क (मूल जानकारी)			
1.	**निर्धारिती का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**	
2.	**कर वर्ष**		
भाग - ख			
3.	**इकाई का विवरण**		
	(i)	इकाई का प्रकार *(एक चुनें)*	i.किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी बैंकिंग इकाई, या ii. निर्धारिती के स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई
	(ii)	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(iii)	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iv)	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सं. 10 वर्ष 1949) की धारा 23(1)(क) अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (सं. 50, वर्ष 2019) के अधीन प्राप्त अनुमति(एं) की प्रति	अपलोड करें
	(v)	इकाई के संचालन की प्रारंभ तारीख?	
	(vi)	यदि संचालन 01.04.2026 के बाद है, तो क्या यह इकाई भारत में पहले से मौजूद कारबार के विभाजन, पुनर्गठन, पुनर्गठन या हस्तांतरण द्वारा स्थापित की गई है?	(1) हाँ (2) नहीं एक चुनें

4.	**धारा 147(1) या (2) के अधीन अधिभोक्ता द्वारा कटौती का पहला कर वर्ष**	*वर्ष-वर्ष*
5.	**धारा 147(3) में उल्लिखित इकाई की सकल आय** *(यदि इकाई एक आईएफएससी बीमा कार्यालय है जो बीमा कारबार संचालित करता है, तो "सकल आय" से अभिप्राय आय-कर अधिनियम की धारा 55 एवं अनुसूची XIV के प्रावधानों के अनुसार गणना किया गया लाभ एवं लाभांश होगा)*	
6.	**उपरोक्त 5 में से, सकल आय जो परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई है (₹ में)**	
7.	**सकल पात्र आय (₹ में) (पंक्ति 5 - पंक्ति 6)**	
8. –	**सकल पात्र आय से संबंधित व्यय (पंक्ति 7) (₹ में)** *(यदि इकाई एक आईएफएससी बीमा कार्यालय है जो बीमा कारबार संचालित करता है, और लाभ एवं लाभांश आय-कर अधिनियम की धारा 55 एवं अनुसूची XIV के प्रावधानों के अनुसार गणना किए जाते हैं, तो इस खंड में शून्य (Nil) प्रस्तुत किया जा सकता है)*	
9.	**धारा 147 के अधीन कटौती हेतु पात्र आय (पंक्ति 7 - पंक्ति 8) (₹ में)**	

सत्यापन

मैं _____(नाम), पैन _____ का धारक, उक्त कर वर्ष के लिए पंक्ति 3 में उल्लिखित इकाइयों के खाते और अभिलेखों की जांच कर चुका हूं और प्रमाणित करता हूं कि पात्र कटौती पंक्ति 9 के अनुसार है।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम :

पदनाम :

सदस्य संख्या :

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो :

स्वामित्व/फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

टिप्पण :

1. **व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम पूर्ण रूप से, किसी भी संक्षेप बिना प्रदान किया जाना चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।**
2. **पता निम्नलिखित होना चाहिए :**

i.**देश/क्षेत्र**,
ii.**फ्लैट/मकान/भवन**,
iii.**सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
iv.**पिन/ज़िप कोड**,
v.**डाकघर**,
vi.**क्षेत्र/इलाका**,
vii.**जिला**,
viii.**राज्य**

3. **यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकमयों को ₹ में भरा जाना है।**

प्ररूप संख्या 36

[देखें नियम 70]

अधिनियम की धारा 151(5) के अधीन रॉयल्टी आय प्राप्त करने वाले कुछ पुस्तकों के लेखकों के लिए प्रमाण पत्र

भाग - क (मूलभूत जानकारी)				
1.	**लेखक का विवरण**			
	(i)	**नाम**	*(देखें टिप्पण 1)*	
	(ii)	**पता**	*(देखें टिप्पण 2)*	
	(iii)	**स्थायी लेखा संख्या**		
2.	**कर वर्ष**			
भाग - ख				
3.	**(क) पुस्तक का विवरण:**			
	(i)	**पुस्तक का शीर्षक**		
	(ii)	**भाषा**		
	(iii)	**प्रकार** *(कृपया एक चुनें)*	i. वैज्ञानिक ii. साहित्यिक iii. कलात्मक	
	(iv)	**क्या पुस्तक ब्रोशर, टीका, मार्गदर्शिका, डायरी, जर्नल, पत्रिका, विद्यालयों के लिए पाठ्य-पुस्तक, प्रविष्टि आदि की प्रकृति की है***(कृपया एक चुनें)*	i. हाँ ii. नहीं	
	(v)	**अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या**		
	(ख) आवश्यकतानुसार पुनः प्रस्तुत करें			
4.	**रॉयल्टी भुगतान करने वाले व्यक्ति का विवरण**			
	(i)	**नाम**	*(देखें टिप्पण १)*	
	(i)	**पता**	*(देखें टिप्पण २)*	
	(iii)	**पैन, यदि लागू हो**		
5.	**31मार्च को समाप्त हो रहे कर वर्ष के दौरान बेची गई पुस्तकों का विवरण**		**संख्या**	**मूल्य**
	(i)	**भारत में**		

	(i)	**भारत के बाहर**				
6.	***प्राप्ति योग्य रकम (₹ में)***		*एकमुश्त*			*एकमुश्त न होने की स्थिति में*
7.	**प्राप्त भुगतान**					
	(i)	**भारतीय रुपये में**				
	(ii)	**विदेशी मुद्रा में (₹ में मूल्य)**	*क्रम सं.*	*वास्तव में भुगतान की गई रकम*	*भुगतान तारीख*	*भुगतान का माध्यम*
	(iii)	**कुल प्राप्त भुगतान [पंक्ति 5 (i)+(ii)]**				
8.	**भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में लाई गई रकम:**					
	(i)	**कर वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर**				
	(ii)	**प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अवधि के भीतर**	**प्राधिकारी का नाम**	**अनुमोदित अतिरिक्त अवधि समाप्ति तारीख *दिन/माह/वर्ष***		**रकम**
9.	**दावा की गई कटौती रकम**					

घोषणा

मैं _____(नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और उपर्युक्त रॉयल्टी के संबंध में दावा की गई कटौती अधिनियम की धारा 151 के अनुसार है।

करदाता के हस्ताक्षर:

नाम :
प्रमाणपत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि लेखक को भुगतान की गई रॉयल्टी का विवरण, जो उपर्युक्त पंक्तियाँ 3 से 7 में वर्णित है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। *प्रकाशक के हस्ताक्षर* *तारीख:* *स्थान.नाम:* *पदनाम:* *पता:* *प्रकाशन गृह का स्थायी खाता संख्या:*

टिप्पण:

1. **यदि व्यक्ति हो, तो पहला, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्ण रूप में, किसी भी संक्षिप्ति के बिना प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य स्थिति में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाएगा।**
2. **पते में निम्नलिखित शामिल होंगे:**

i. **देश/क्षेत्र,**
ii. **फ्लैट/मकान/भवन,**
iii. **सड़क/गल्ली/ब्लॉक/सेक्टर,**
iv. **पिन/ज़िप कोड,**
v. **डाकघर,**
vi. **क्षेत्र/इलाका,**
vii. **ज़िला,**
viii. **राज्य**

3. **जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में ही भरी जाएँगी।**

प्ररूप संख्या 37

[नियम 71 देखें]

अधिनियम की धारा 152(5) के अधीन रॉयल्टी आय प्राप्त करने वाले पेटेंटधारकों हेतु प्रमाणपत्र

भाग - क (मूलभूत जानकारी)		
1.	**पेटेंटधारक का विवरण**	

	(i)	नाम		*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	पता		*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
2.	कर वर्ष			
			भाग - ख	
3.	पेटेंट का विवरण			
	(i)	पंजीकरण संख्या		
	(ii)	पंजीकरण तारीख		*दिन/माह/वर्ष*
	(iii)	शीर्षक		
	(iv)	पेटेंट कार्यालय का स्थान जहाँ पेटेंट रजिस्टर रखा गया है		
	(v)	क्या पेटेंट अतिरिक्त पेटेंट के स्वरूप में है? *(कृपया एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	यदि उपर्युक्त (v) का उत्तर "हाँ" है तो:		
		(क)	मूल पेटेंट का शीर्षक	
		(ख)	मूल पेटेंट का पंजीकरण	
4.	पेटेंटधारक का विवरण			
	(i)	क्या पेटेंटधारक आविष्कार का सच्चा एवं प्रथम आविष्कारक है? *(कृपया एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	वह दिन, जब पेटेंटधारक का नाम पेटेंट रजिस्टर में दर्ज किया गया?		*दिन/माह/वर्ष*
	(iii)	क्या पंक्ति 3 में उल्लिखित पेटेंट के संदर्भ में पेटेंट रजिस्टर से पेटेंटधारक का नाम निरस्त या बहिष्कृत किया गया है? *(कृपया एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	यदि (iii) का उत्तर हाँ है, तो उस निरस्तीकरण या बहिष्कार की तारीख क्या है?		*दिन/माह/वर्ष*
5.	(i)	क्या नियंत्रक द्वारा पंक्ति 3 में उल्लिखित पेटेंट के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस जारी किया गया है?		*1.* हाँ *2.* नहीं
	(ii)	यदि हाँ, तो किसी भी अनिवार्य लाइसेंस के अनुसार तय की गई रॉयल्टी आय क्या है?		
6.	पेटेंट से रॉयल्टी आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति का विवरण			

	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*			
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*			
	(iii)	**लागू होने पर स्थायी खाता संख्या**				
7.	**रॉयल्टी करार का विवरण**					
	(i)	**रॉयल्टी का प्रकार** *(कृपया एक विकल्प चुनें)*	क. पेटेंट से संबंधित सभी या किसी भी अधिकारों का हस्तांतरण (जिसमें लाइसेंस प्रदान करना शामिल है) ख. पेटेंट के क्रियान्वयन या उपयोग संबंधी किसी भी जानकारी का प्रेषण ग. पेटेंट का उपयोग घ. उप-धाराओं *(क) से (ग) में वर्णित गतिविधियों के संदर्भ में किसी भी सेवा का प्रदान* ङ. पेटेंटेड प्रक्रिया या पेटेंटेड वस्तु का व्यावसायिक उपयोग कर निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए विचाराधीन रकम				
	(ii)	**संविदा के लिए मान्य अवधि**	*दिन/महीना/वर्ष* से *दिन/महीना/वर्ष*			
	(iii)	**कर वर्ष के लिए देय रॉयल्टी आय की रकम (₹ में)**				
8	**प्राप्त रॉयल्टी भुगतान का विवरण**					
	(i)	**भारतीय रुपये में (₹ में)**				
	(ii)	**विदेशी मुद्रा में (₹ मूल्य के अनुसार)**	*वर्ष के दौरान देय कुल रकम वर्ष*	*वास्तव में भुगतान की गई रकम*	*भुगतान की तारीख*	*भुगतान का माध्यम*
	(iii)	**कुल भुगतान [(i) + (ii)]**				
9.	**परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई गई रकम**					
	(i)	**कर वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर**				
	(ii)	**प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर**	**प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम**	**अनुमत अतिरिक्त अवधि समाप्ति तारीख (*दिन/महीना/वर्ष*)**	**रकम**	
10.	**दावा की गई कटौती की रकम**					
<<निर्धारिती द्वारा भरा जाए>> *घोषणा*						

मैं_____(नाम), जो स्थायी खाता संख्या _____ धारक हूँ, यह पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त घोषित विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा उक्त पेटेंट के संदर्भ में घोषित आय अधिनियम की धारा 152 के अधीन कटौती के योग्य है।

निर्धारिती के हस्ताक्षर

नाम :

तारीख :

स्थान :

भाग -ग *<<निर्धारित प्राधिकारी द्वारा भरने हेतु>>*

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पंक्ति 1 में निर्दिष्ट पेटेंटधारक के संबंध में पंक्तियाँ 3, 4 और 5 में दी गई जानकारी सही है तथा इस कार्यालय द्वारा रखे गए पेटेंट रजिस्टर के अनुसार है।

पेटेंट नियंत्रक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान.

नाम :

पदनाम :

पता :

टिप्पण:

1. **व्यक्तिगत मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम पूर्ण रूप से बिना किसी संक्षिप्ति के दिया जाना चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए।**
2. **पते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए**

i.**देश/क्षेत्र**,
ii.**फ्लैट/मकान/भवन**,
iii.**सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
iv.**पिन/ज़िप कोड**,
v.**डाकघर**,
vi.**क्षेत्र/इलाका**,
vii.**जिला**,
viii.**राज्य**

3. "लेखक", "पुस्तक" तथा "एकमुश्त रकम" की परिभाषा के लिए अधिनियम की धारा 151(8) की उपधारा (क), (ख) एवं (ग) देखें।
4. जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरी जाएं।

प्ररूप संख्या 38

[नियम 72 देखें]

विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र

भाग-क

1.	**हितग्राही के विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**	
2.	**कर वर्ष**		
		भाग-ख	
3.	**प्रमाणपत्र संख्या**		
4.	**प्राप्तकर्ता के बैंक खाते का विवरण**		
	(i)	**खाता संख्या**	
	(ii)	**बैंक का नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
5.	**प्रेषक का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
6.	**प्रेषण बैंक का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
7.	**प्रेषण का माध्यम**		
8.	**लेनदेन आईडी** ***(या डिमांड ड्राफ्ट/ टेलीग्राफिक ट्रांसफर/ मनी ट्रांसफर संख्या)***		
9.	**लेनदेन की तारीख**		*दिन/माह/वर्ष*
10.	**विदेशी मुद्रा रकम**		
11.	**रुपये के समतुल्य**		
12.	**लागू विनिमय दर**		
13.	**प्रेषण का प्रयोजन** ***(प्रेषक / हितग्राही द्वारा निर्दिष्ट)***		

हितग्राही बैंक द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ है एवं यह किसी विशेष व्यापार या भुगतान करार के अधीन नहीं है, तथा प्रतिपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित तरीके से प्राप्त की गई है।

बैंक प्रबंधक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

पता :

आय-करदाता द्वारा प्रमाणपत्र

मैं_____(नाम), स्थायी खाता संख्या धारक _____, प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित उपरोक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी एवं विश्वासानुसार सत्य और पूर्ण हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

निर्धारिती के हस्ताक्षर

नाम :

तारीख :

स्थान :

टिप्पण:

1. **व्यक्तिगत मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम किसी भी संक्षिप्त रूप के बिना पूर्णतः प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्णतः प्रदान किया जाना चाहिए।**
2. **पता निम्नलिखित सूचनाएँ शामिल करेगा**:

i.**देश/क्षेत्र**,
ii.**मकान/फ्लैट/भवन**,
iii.**सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
iv.**पिन/जिप कोड**,
v.**डाकघर**,
vi.**क्षेत्र/इलाका**,
vii.**जिला**,
viii.**राज्य**

3. **जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में दर्ज की जाएंगी।**

प्ररूप संख्या 39

[नियम 73 देखिए]

अधिनियम की धारा 157(1) के अधीन अतिरिक्त वेतन, ग्रेच्युटी, छंटनी मुआवजा या पेंशन के समायोजन की प्राप्ति पर राहत का दावा करने हेतु प्ररूप

भाग- क **मूल विवरण**			
1.	निर्धारिती का विवरण		
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)*
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	आवासीय स्थिति	
	(v)	ई-मेल आईडी	
	(vi)	संपर्क संख्या	
2.	कर वर्ष *(नियम 73 के अनुसार संबंधित कर वर्ष)*		
भाग-ख			

3.	**अतिरिक्त वेतन (बकाया या अग्रिम) या अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने पर मिलने वाली राहत**

(i) अतिरिक्त वेतन या पारिवारिक पेंशन को संबंधित कर वर्ष से अभिसंबंधित करना

क्रम सं.	कर वर्ष(षों) जिनसे अतिरिक्त वेतन या पारिवारिक पेंशन संबंधित है	संबंधित कर वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन आदि की रकम	कर वर्ष की कुल आय	कुल आय पर देय कर	कर वर्ष की संवर्धित कुल आय **(ख+ग)**	संवर्धित कुल आय पर देय कर	यदि अतिरिक्त वेतन आदि संबंधित कर वर्ष में प्राप्त होता तो उस पर देय कर **(च-घ)**

			क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ**	**च**	**छ**
		(क)							
		(ख)							

		(ग)							
		(घ)	**(आवश्यक होने पर पुनः लिखें)**						
			कुल		**कुल**				
	(ii)	संबंधित कर वर्ष की कुल आय							
	(iii)	कुल आय पर देय कर							
	(iv)	संबंधित कर वर्ष की घटाई हुई कुल आय *[पंक्ति 3(ii) - पंक्ति 3(i) के ख स्तंभ का योग]*							
	(v)	संबंधित कर वर्ष की घटाई हुई कुल आय पर देय कर							
	(vi)	संबंधित कर वर्ष में अतिरिक्त वेतन, आदि पर कर (अर्थात् प्राप्ति के वर्ष में)*[पंक्ति 3(iii) - पंक्ति 3(v)]*							
	(vii)	*क्या पंक्ति 3(vi) में अतिरिक्त वेतन पर कर, पंक्ति 3(i) के स्तंभ ए के योग से अधिक है;*			**1. हाँ** **2. नहीं**				
	(viii)	राहत मान्य तब ही होगी जब पंक्ति 3(vii) में उत्तर हाँ हो। राहत = पंक्ति *3(vi) - पंक्ति 3(i) के स्तंभ छ का योग*							
4.		**ग्रेच्युटी प्राप्ति के मामले में राहत (पिछली सेवाएँ कम से कम 15 वर्ष से कम)**							
	(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी (जिसे पंक्ति संख्या 4 के लिए Y1 कहा गया है)							
	(ii)	वर्ष Y2 और Y3 के लिए औसत कर दर की गणना							
				कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय ***[आ + ½ of 4(i)]***	संवर्धित कुल आय पर देय कर	संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर **(ई/इ)**	

			क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ**
		वर्ष 2 *(वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)*					
		वर्ष 3*(वर्ष 2 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)*					
		कुल					
	(iii)	वर्ष 2 और वर्ष 3 की औसत कर दर का औसत ***[RA =*** *पंक्ति 4(ii) के स्तंभ ङ के योग का ½]*					
	(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय					
	(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर					
	(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर *[**R1***= पंक्ति 4(v) ÷ पंक्ति 4(iv)]					
	(vii)	क्या **R1**, RA ***से अधिक है*** *[पंक्ति 4(vi) **>** पंक्ति 4(iii)]*			1. हाँ **2.** नहीं		
	(viii)	राहत केवल तभी मान्य होगी जब पंक्ति 4(vii) में 'हाँ' हो। *[राहत = पंक्ति 4(i) * (R1 - RA)]*					
5.	**ग्रेच्युटी प्राप्ति के मामलों में राहत मान्य है (पूर्व सेवाएं >= 15 वर्ष)**						
	(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी रकम *(यहाँ पंक्ति संख्या 5 के लिए वर्ष 1 कहा गया है)*					
	(ii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के लिए औसत कर दर की गणना					

			कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय *[आ+1/3ग 5(i)]*	संवर्धित कुल आय पर देय कर	संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर **(ई/इ)**
			क	***ख***	***ग***	***घ***	***ङ***
		वर्ष 2 *(वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)*					
		वर्ष 3 *(वर्ष 2 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)*					
		वर्ष 4 *(वर्ष 3 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)*					
		कुल					
	(iii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 की संवर्धित कुल आय पर औसत औसत कर दर [***RA****= 1/3ग पंक्ति 5(ii) के स्तंभ ङ का योग]*					
	(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय					
	(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर					
	(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर। [**R1**= *पंक्ति*5(v) ÷ *पंक्ति*5(iv)]					
	(vii)	क्या **R1** ***RA*** *से अधिक है? [पंक्ति 5(vi) > पंक्ति 5(iii)]*			1. हाँ ***2.*** नहीं		
	(viii)	राहत केवल तभी मान्य होगी जब पंक्ति 5(vii) हाँ हो। *[राहत = पंक्ति 5(i)*(R1-**RA**)]*					
6.	**छंटनी मुआवजा प्राप्ति के मामलों में मान्य राहत**						

	(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त छंटनी मुआवजा रकम (*जिसे पंक्ति संख्या 6 के लिए वर्ष 1 कहा गया है*)					
	(ii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के लिए औसत कर दर की गणना					
			कर वर्ष	कुल आय	संवर्धित कुल आय *[आ + 6(i) का एक तिहाई]*	संवर्धित कुल आय पर देय कर	संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर (ई/इ)
			क	***ख***	***ग***	***घ***	***ङ***
		वर्ष 2 *(वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)*					
		वर्ष 3 *(वर्ष 2 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)*					
		वर्ष 4 *(वर्ष 3 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)*					
		कुल					
	(iii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 की संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर का औसत [***RA*** *= 1/3 पंक्ति 6(ii) के स्तंभ ङ का योग]*					
	(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय					
	(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर					
	(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर। [***R1*** *= पंक्ति 6(v) ÷ पंक्ति 6(iv)]*					

	(vii)	क्या **R1**, ***RA*** *से अधिक है? [पंक्ति 6(vi) > पंक्ति 6(iii)]*			**1. हाँ** **2. नहीं**		
	(viii)	राहत केवल तभी मान्य है जब 6(vii) में हाँ हो। *[राहत = पंक्ति 6(i) * (R1 - **RA**)]*					
7.	**पेंशन के समायोजन की प्राप्ति के मामलों में मान्य राहत**						
	(i)	प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान प्राप्त पेंशन समायोजन की रकम *(जिसे पंक्ति संख्या 7 के लिए वर्ष 1 कहा गया है)*					
	(ii)	वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के लिए औसत कर दर की गणना					
			कर वर्ष	*कुल आय*	*संवर्धित कुल आय [आ+ 7(i) का एक तिहाई]*	*संवर्धित कुल आय पर देय कर*	*संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर (ई/इ)*
			क	***ख***	***ग***	***घ***	***ङ***
		वर्ष 2 *(वर्ष 1 के तुरंत पूर्व कर वर्ष)*					
		वर्ष 3 *(वर्ष 2 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)*					
		वर्ष 4 *(वर्ष 3 से ठीक पूर्व वाला आय-कर वर्ष)*					
		कुल					
	(iii)	वर्ष 2, वर्ष 3 एवं वर्ष 4 की संवर्धित कुल आय पर औसत कर दर का औसत [***RA*** *= 1/3[घ] कुल स्तंभ ङ का योग, पंक्ति 7(ii)]*					

	(iv)	प्रासंगिक कर वर्ष (वर्ष 1) की कुल आय		
	(v)	वर्ष 1 की कुल आय पर देय कर		
	(vi)	वर्ष 1 की कुल आय पर औसत कर दर। [***R1****= पंक्ति 7(v) ÷ पंक्ति 7(iv)]*		
	(vii)	क्या **R1**, ***RA*** *से अधिक है? [पंक्ति 7(vi) > पंक्ति 7(iii)]*	1. **हाँ** **2. नहीं**	
	(viii)	मान्य राहत केवल तभी जब पंक्ति 7(vii) में हाँ हो। [राहत = पंक्ति 7(i) * (R1 - RA)]		
8.	**प्राप्ति की वह रकम जिसके लिए धारा 157(1) के अधीन राहत का दावा किया गया है एवं मान्य राहत:**			
	क्रम सं.	प्राप्ति का स्वरूप	प्राप्ति की रकम	मान्य राहत
			(अ)	**(आ)**
	(i)	अतिरिक्त वेतन या पारिवारिक पेंशन	*[3(i) के स्तंभ आ का कुल योग]*	*[3(viii) से]*
	(ii)	ग्रेच्युटी (पिछली सेवाओं के लिए < 15 वर्ष)	*[4(i) से]*	*[4(viii) से]*
	(iii)	ग्रेच्युटी (पिछली सेवाओं के लिए ≥ 15 वर्ष)	*[5(i) से]*	*[5(viii) से]*
	(iv)	छंटनी मुआवजा	*[6(i) से]*	*[6(viii) से]*
	(v)	पेंशन का समायोजन	*[7(i) से]*	*[7(viii) से]*
	(vi)	कोई अन्य प्राप्ति		
	(vii)	**कुल** [पंक्ति 8(i) से पंक्ति 8(vi) तक का योग]		
9.	**संबंधित कर वर्ष के दौरान कुल मान्य राहत** *[पंक्ति 8(vii) के स्तंभ आ]*			

<u>प्रमाणीकरण</u>

मैं, ...(नाम), स्थायी खाता संख्या .....धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

स्थान..... नाम :

तारीख :..... हस्ताक्षर :

टिप्पण :-

1. **व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम संक्षिप्ति के बिना पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में, नाम पूर्ण रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।**
2. **पता निम्नलिखित विवरण शामिल करेगा** :

i.**देश/क्षेत्र**,
ii.**फ्लैट/मकान/भवन**,
iii.**सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
iv.**पिन/ज़िप कोड**,
v.**डाकघर**,
vi.**क्षेत्र/मोहल्ला**,
vii.**जिला**,
viii.**राज्य**

3. प्रत्येक प्राप्ति के प्रकार के विरुद्ध मान्य राहत की रकम, नियम 73 की उप-नियम (1) की सारणी की संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट विधि के अनुसार गणना की जानी है। किसी अन्य प्राप्ति के मामले में, मान्य राहत की रकम उप-नियम (2) के अनुसार गणना की जानी है।

4. जब तक कि अन्यथा न निर्दिष्ट हो, रकम ₹ में भरी जाएँगी।

प्ररूप संख्या 40

[नियम 74 देखें]

अधिनियम की धारा 158 के अधीन अधिसूचित देश में संधारित सेवानिवृत्ति लाभ खाते से प्राप्त आय पर कराधान से राहत हेतु विकल्प का प्रयोग

भाग-क				
1	**निर्दिष्ट व्यक्ति का विवरण**			
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**		
	(iv)	**ई-मेल आईडी**		
	(v)	**संपर्क संख्या**	देश का कोड	
2.	**उस कर वर्ष के संबंध में जिसमें विकल्प का उपार्जन किया जा रहा है**		वर्ष-वर्ष	
भाग-ख				
3.	**विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आयोजित सभी निर्दिष्ट खातों का विवरण**			
	क.	**विनिर्दिष्ट खाते का विवरण**		
	i.	**खाता संख्या**		
	ii.	**सेवानिवृत्ति निधि का नाम**		
	iii.	**अधिसूचित देश का नाम** *(कृपया एक का चयन करें)*	1. **कनाडा** 2. **संयुक्त राज्य अमेरिका** 3. **ब्रिटेन** **4. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	
	iv.	**वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को खाता शेष, जिसके कर वर्ष से पूर्व यह प्ररूप भरा जा रहा है**		
	v.	**खाता खोलने की तारीख**	*दिन/माह/वर्ष*	
	vi.	**अधिसूचित देश में निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय पर कराधान के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करें** *(कृपया एक विकल्प चुनें)*	a. अर्जित आधार b. प्राप्ति आधार c. अन्य आधार, कृपया स्पष्ट करें	
	vii.	**वह कर वर्ष निर्दिष्ट करें जिसमें निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय की निकासी योग्य हो**		
	iii.	**आय का वर्गीकरण**	a. वेतन b. ब्याज	

		(एक अथवा अधिक विकल्प चुनें)	c. लाभांश d. अन्य, कृपया स्पष्ट करें
	ix.	**निर्दिष्ट खाते से प्राप्त वह आय, जो नियम 74(2)(क) के संदर्भ में ऐसी आय के किसी पूर्व कर वर्ष की आय में पहले ही सम्मिलित की जा चुकी हो**	
	x.	**कृपया वह कर वर्ष अथवा कर वर्षों का उल्लेख करें, जिनमें उपर्युक्त (i*x*) में निर्दिष्ट रकम सम्मिलित की गई है**	***कर वर्ष*** | ***क्या आय-कर विवरणी प्रस्तुत की गई है*** | ***स्वीकृति संख्या*** | ***हाँ/नहीं*** | | ***हाँ/नहीं*** |
	xi.	**निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय की रकम जो नियम 74(2)(ख) में उल्लिखित कारणों से भारत में करयोग्य नहीं थी**	
	xii.	**कर वर्ष या वर्षों का उल्लेख करें जिनमें (*xi*) में उल्लिखित रकम निर्दिष्ट व्यक्ति के "अग्रहस्थ" या "सामान्यतः अग्रहस्थ न होने" के आधार पर मुक्त है**	***क्रम संख्या*** | ***आय रकम*** ***र्ष*** ***(क)*** | ***(ख)*** |
	ख.	**आवश्यकतानुसार पुनः दोहराएं**	
4.	**इस्तेमाल किए जा रहे विकल्प का विवरण –**		
	उपरोक्त पंक्ति 3 में निर्दिष्ट खातों में संचित आय को उस कर वर्ष की समग्र आय में सम्मिलित किया जाएगा, जिस वर्ष उक्त निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय अधिसूचित देश में निकासी या विमोचन के समय कराधीन या करयोग्य थी *(कृपया एक विकल्प चुनें)*		1. हाँ 2. नहीं
5.	**अन्य विवरण पृथक उपाबंध के रूप में प्रस्तुत करें:**		*धारा 4 के अनुसार संलग्न करें*

घोषणा

मैं ____(नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त पंक्ति 3 में उल्लिखित सभी निर्दिष्ट खातों के लिए विकल्प का प्रयोग किया है। मैं समझता/समझती हूँ कि उक्त विकल्प, एक बार किसी कर वर्ष के लिए प्रयोग किए जाने के बाद,

इस कर वर्ष या किसी भी आगामी वर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। **स्थान :** **तारीख :** **हस्ताक्षर** **नाम**

टिप्पणी :–

1. **व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्णतः लिखित बिना किसी संक्षिप्ति के प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्य किसी भी स्थिति में, नाम पूर्ण रूप में ही प्रदान किया जाना चाहिए।**
2. **पते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए** :

i. **देश/क्षेत्र**,
ii. **फ्लैट/मकान/भवन**,
iii. **सड़क/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर**,
iv. **पिन/जिप कोड**,
v. **डाकघर**,
vi. **क्षेत्र/इलाका**,
vii. **जिला**,
viii. **राज्य**

3. कर वर्ष के संबंध में, जैसा कि पंक्ति संख्या 3 में निर्दिष्ट है, एक बार विकल्प प्रयुक्त किया गया हो, वह नियम 74(3) के अधीन सभी आगामी वर्षों पर लागू होगा।

4. निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विवरण
अ-1	निहित विवरणों वाले निर्दिष्ट खाते के विवरण का एक प्रतिलिपि- i. सभी निर्दिष्ट खातों के खाते की संख्या; ii. अधिसूचित देश जिसमें उक्त खाता खोला गया हो; एवं

	iii. इस प्ररूप संख्या 40 के प्रस्तुत किए जाने वाले कर वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को निर्दिष्ट खाते में शेष रकम।
अ-2	दस्तावेजी साक्ष्य जो यह स्पष्ट करें कि निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय अधिसूचित देश में किस प्रकार कराधीन या कराध्येय है। अधिसूचित देश के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान या अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है।
अ-3	उन सभी कर वर्षों [जैसा कि पंक्ति संख्या 3(ix) में निर्दिष्ट है] के लिए आय की गणना जिनमें निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय को कुल आय में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है। उक्त कर वर्षों के लिए आय विवरणी के साथ इस गणना का समन्वय करना अनिवार्य है। आय की गणना का समन्वय विवरण [पंक्ति संख्या 3(ix) के अनुसार] इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरनी होंगी।

प्ररूप संख्या 41

[नियम 75(1) देखें]

धारा 159(8) के अधीन प्रदान की जाने वाली सूचना

भाग क: आवेदक का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3.	भारत में संपर्क पता (यदि उपलब्ध हो):	*(टिप्पण 3 देखें)*	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हो):		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या
भाग ख: आवासीय जानकारी			
7.	कर वर्ष:		
8.	स्थिति:	*(टिप्पण 4 देखें)*	
9.	निवास का देश (किसी व्यक्ति के मामले में) या निगमन/पंजीकरण का देश/क्षेत्र (अन्य के मामले में):	*(टिप्पण 5 देखें)*	

10.	निवास देश/क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन):	*(टिप्पण 6 देखें)*
11.	वह अवधि जिसके लिए धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में उल्लिखित आवासीय स्थिति लागू होती है:	
12.	जिस अवधि के लिए उपरोक्त क्रम सं. 11 में उल्लिखित प्रमाण पत्र लागू होता है, उस अवधि के दौरान भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में निर्धारिती का पता:	
13.	धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की प्रति:	*प्रतिलिपि प्रेषित उपबंध के रूप में अपलोड करें*

घोषणा
मैं _____ (निर्धारिती का नाम) _____ (पैन/अद्वितीय पहचान संख्या) के साथ _____ (भारत के बाहर देश या क्षेत्र का नाम) की सरकार से धारा 159(8) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हूँ, जो भाग ख (क्रम संख्या 13) के अनुसार प्रदान किया गया है।

सत्यापन
मैं _____ पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन संख्या _____ धारक के रूप में यह प्ररूप जमा कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम शामिल होगा, और अन्य मामलों में संस्था का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होना चाहिए।

3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होंगे।

4. व्यक्ति की स्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: –

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभाजित परिवार
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	विश्वास
(X)	सीमित देयता भागीदारी

5. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

6. आवेदक के निवास देश या क्षेत्र का कर पहचान संख्या, और यदि ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर आवेदक की पहचान उस देश या क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 42

[नियम 75(3) देखें]

धारा 159(1) और 159(2) के अधीन किसी करार के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: आवेदक का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">भारत में संपर्क पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश का कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td>(ड्रॉप डाउन)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: कर निवास प्रमाण पत्र (टीआरसी) के लिए विवरण</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">स्थिति:</td><td colspan="2">(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">राष्ट्रीयता (व्यक्तियों के मामले में):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">निगमन/पंजीकरण का देश/क्षेत्र (अन्य के मामले में):</td><td colspan="2">(टिप्पण 5 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td colspan="5">जिस अवधि के लिए कर निवास प्रमाण पत्र (टीआरसी) की आवश्यकता है, उस दौरान आवेदक का पता (टिप्पण 2 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>पता</td><td>ठहरने की अवधि (_____ से _____ तक)</td><td>दिनों की संख्या</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">आवश्यकता पड़ने पर दोहराएँ</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">भारत में निवासी होने का दावा करने का आधार:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">निवास प्रमाण पत्र जिस अवधि के लिए लागू होता है:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">टीआरसी प्राप्त करने का उद्देश्य (स्पष्ट किया जाना चाहिए):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="2">अन्य विवरण अलग से संलग्न किए जाने हैं:</td><td colspan="2">(टिप्पण 6 के अनुसार संलग्न करें)</td></tr>
</table>

सत्यापन
मैं _____ पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन संख्या _____ धारक के रूप में यह प्ररूप जमा कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम शामिल होगा, और अन्य मामलों में संस्था का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होना चाहिए।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होंगे।
4. व्यक्ति की स्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: –

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभाजित परिवार
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	ट्रस्ट
(X)	सीमित देयता भागीदारी

5. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

6. भाग ख (क्रम संख्या 14) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण अनुलग्नकों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपबंध	विवरण
ए-1	पासपोर्ट की प्रतियां
ए -2	निगमन/पंजीकरण के दस्तावेज
ए-3	भारत में रहने का प्रमाण
ए-4	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 43

[नियम 75(4) देखें]

धारा 159 के प्रयोजनों के लिए निवास प्रमाण पत्र

<table>
<tr><th colspan="4">भाग क: आवेदक का विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>भारत में संपर्क पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 निर्दिष्ट)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश का कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td>(ड्रॉप डाउन)</td><td></td></tr>
</table>

प्रमाणन
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 2025 के प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी है। यह प्रमाण पत्र _____ से _____ की अवधि के लिए वैध है।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख:

निर्धारण अधिकारी का नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम शामिल होगा, और अन्य मामलों में संस्था का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पता वही होना चाहिए जो कर निवास प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान का हो और उसमें फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होना चाहिए।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होंगे।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 44

[नियम 76(10) देखें]

भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र से प्राप्त आय का विवरण और विदेशी कर समंजन

भाग क: व्यक्ति का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	कर वर्ष:		

भाग ख: अन्य जानकारी

भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय का विवरण, जिस पर भारत में कर लगाया जाता है या जिसका कर निर्धारण भारत में किया जाता है और जिस पर विदेशी कर ऋण का दावा किया जाता है:

क्रम संख्या	**देश/ क्षेत्र का नाम** *(नोट 3 देखें)*	**करदाता पहचान संख्या (टीआईएन)** *(नोट 4 देखें)*	**आय का स्रोत**	**भारत के बाहर से होने वाली आय**	**भारत के बाहर अदा किया गया आयकर**		**आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन ऐसी आय पर देय कर** *(नोट 6 देखें)*	**धारा 159 के अंतर्गत विदेशी कर ऋण का विवरण**			**धारा 160 के अंतर्गत विदेशी कर ऋण की राशि**	**क्या कॉलम (11) या (12) में उल्लिखित राशि या उसका कोई भाग विवाद के अधीन है?** *(नोट 13 देखें)*	**यदि कॉलम (13) में 'हाँ' है, तो विवादित विदेशी कर क्रेडिट की राशि** *(नोट 13 देखें)*	**कुल विदेशी कर क्रेडिट** [(15) = (11+12)]	**दावा किया गया कुल विदेशी कर क्रेडिट** [(16) = (15) - (14)]
					मात्रा	**दर**		**दोहरे कराधान से बचाव समझौतों का अनुच्छेद क्रमांक** *(नोट 7 देखें)*	**दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के अनुसार कर की दर** (नोट 8 देखें)	**राशि**					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

			वेतन												
			मकान संपति												
			व्यवसाय या पेशेवर												
			दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ												
			अल्पकालिक पूंजीगत लाभ												
			ब्याज (नोट 5 देखें)												
			लाभांश (नोट 5 देखें)												
			रॉयल्टी (नोट 5 देखें)												
			तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क या सेवाओं को शामिल												

			करने के लिए शुल्क (नोट 5 देखें)												
			अन्य (निर्दिष्ट करें)												

भाग ग: विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा विदेशी कर की वापसी से संबंधित विवरण, जिसके लिए भारत में पहले ही क्रेडिट का दावा किया जा चुका है।

क्या चालू वर्ष के नुकसान को पिछली अवधि में ले जाने, किसी वर्ष के आयकर रिटर्न (आईटीआर)/आयकर घोषणा (आईटीसी) में संशोधन करने या किसी अन्य कारण से विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा विदेशी कर की वापसी हुई है, जिसके लिए भारत में किसी कर वर्ष में पहले ही क्रेडिट का दावा किया जा चुका था?	**हां नहीं**

यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हां है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	**विदेशी कर की वापसी का कारण**	**विदेशी कर की वापसी की राशि**	**कॉलम (2) में दी गई राशि में से वह विदेशी कर राशि जिसके लिए भारत में पहले ही क्रेडिट का दावा किया जा चुका है।**	**वे कर वर्ष जिनमें कॉलम (3) में उल्लिखित राशि का क्रेडिट भारत में दावा किया गया था**
	(1)	(2)	(3)	(4)

घोषणा एवं सत्यापन

मैं, _____, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि कर वर्ष _____ के लिए __ (करदाता का नाम) द्वारा दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट की राशि लागू दोहरे कराधान निवारण समझौते(तों) और आयकर अधिनियम, 2025 तथा आयकर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन _____ धारक के रूप में यह प्रपत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं यह प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम/योग्य हूँ।

डिजिटल हस्ताक्षर:

तारीख:

स्थान:

किसी लेखाकार द्वारा सत्यापन

मैं _____ पैन नंबर _____ धारक, भारत से बाहर के किसी देश या क्षेत्र से प्राप्त आय के विवरण और उस पर भुगतान किए गए विदेशी कर के प्रमाण दर्शाने वाले लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर चुका हूं, जो कि _____ (करदाता का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए दिए गए हैं। _____ (करदाता का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए भाग ख में दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट राशि और/या इस प्रपत्र के भाग ग में दी गई जानकारी लागू दोहरे कराधान निवारण समझौते(समझौतों) और आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है।

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: लेखाकार का

नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में करदाता का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट प्रदेश है तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें आय के सभी स्रोतों सहित कई देशों/क्षेत्रों को जोड़ने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए और इसे करदाता द्वारा भरना आवश्यक है।
4. कॉलम (2) में उल्लिखित देश में करदाता का टीआईएन करदाता द्वारा प्रदान किया जाना है।
5. ये आय केवल उस सीमा तक ही सीमित होंगी जो लागू डीटीएए के अनुसार व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय का हिस्सा नहीं हैं।
6. कॉलम (8) में, कॉलम (5) में रिपोर्ट की गई आय पर देय कर की गणना इस आधार पर की जाएगी कि करदाता आयकर अधिनियम, 2025 के सामान्य प्रावधानों के तहत कर का भुगतान कर रहा है (सामान्य प्रावधानों के अर्थ के लिए आयकर नियमों के नियम 76(8) देखें) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 206 के तहत, जैसा भी मामला हो।
7. कॉलम (7) में डीटीएए के अनुच्छेद के लिए, लागू डीटीएए के अनुच्छेद (अनुच्छेद और उप-अनुच्छेद सहित) का ड्रॉप-डाउन विकल्प प्रदान किया जाना है और करदाता द्वारा इसका चयन करना आवश्यक है।.
8. कृपया नियम 76(10)(ख) में संदर्भित विदेशी कर के भुगतान/कटौती का प्रमाण पत्र या विवरण और साक्ष्य संलग्न करें।
9. प्रपत्र में कुछ जानकारी पहले से भरी होगी और यथासंभव कुछ जानकारी स्वतः भर जाएगी।
10. इस प्रपत्र में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 45

[नियम 76(15) देखें]

विदेशी कर से संबंधित विवाद के निपटारे की सूचना, जिसके लिए क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है।

भाग क: व्यक्ति का विवरण				
1.	नाम:			*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*
2.	पता:			*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
4.	संबंधित कर वर्ष:			
5.	स्वीकृति संख्या प्ररूप संख्या 44			
6.	विवाद के निपटारे की तारीख			*(टिप्पण 4 देखें)*
7.	सूचना का विवरण (टिप्पण 3 देखें)	*सूचना संख्या*	*सूचना की पावती संख्या*	*विदेशी कर क्रेडिट का दावा किया गया*
		I-1		
		I-2		

भाग ख: अन्य जानकारी

भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से प्राप्त आय का विवरण, जिस पर भारत में कर लगाया जाता है या जिस पर कर का आकलन किया जाता है और जिस पर विदेशी कर ऋण का दावा किया जाता है:

क्रम संख्या	**देश/ क्षेत्र का नाम**	**निर्धारिती पहचान संख्या (टीआईएन)**	**आय का स्रोत**	**भारत के बाहर से प्राप्त आय**	**भारत के बाहर अदा किया गया आय-कर**		**आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन ऐसी आय पर देय कर**	**धारा 159 के अधीन विदेशी कर ऋण का विवरण**			**धारा 160 के अधीन विदेशी कर ऋण की रकम**	**क्या स्तंभ (6) या (12) में उल्लिखित रकम या उसका कोई भाग विवाद के अधीन है?**	**यदि स्तंभ (13) में 'हाँ' है, तो विवादित विदेशी कर क्रेडिट की रकम**	**कुल विदेशी कर क्रेडिट [(15) = (11+12)]**	**कुल विदेशी कर क्रेडिट का दावा किया गया [(16) = (14) - (15)]**
					मात्रा	**दर**		**दोहरे कराधान से बचाव सम झौतों का अनुच्छेद संख्या**	**दोहरे कराधान से बचाव सम झौतों के अनुसार कर की दर**	**मात्रा**					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			वेतन												
			मकान संपति												

			कारबार या पेशेवर													
			दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ													
			अल्पकालिक पूंजीगत लाभ													
			दिलचस्पी													
			लाभांश													
			राजशाही)													
			तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क या सेवाओं को शामिल करने के लिए शुल्क													
			अन्य													

भाग ग: विदेशी कर के संबंध में विवाद के निपटारे की सूचना का विवरण जिसके लिए क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है

प्ररूप संख्या 44 में रिपोर्ट किया गया कुल विवादित विदेशी कर ऋण {प्ररूप संख्या 44 के भाग आ के स्तंभ (14) में रकमयों का योग} [आ] (टिप्पण 6 देखें)	
इस सूचना I-1 के माध्यम से रिपोर्ट किया गया कुल विवादित विदेशी कर ऋण (स्तंभ (14) में रकमयों का योग) [बी1] (टिप्पणी 6 देखें)	
इस सूचना I-1 के माध्यम से दावा किया गया कुल विदेशी कर ऋण = [बी] - [बी1] (टिप्पणी 6 *निर्दिष्ट*)	

घोषणा एवं सत्यापन

मैं, _____, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि कर वर्ष _____ के लिए __ (निर्धारिती का नाम) द्वारा दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट की रकम लागू दोहरे कराधान निवारण करार(तों) और आय-कर अधिनियम, 2025 तथा आय-कर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन संख्या _____ धारक के रूप में यह प्ररूप जमा कर रहा/रही हूँ और मैं यह प्ररूप जमा करने के लिए सक्षम/योग्य हूँ।

तारीख
हस्ताक्षर:
स्थान: नाम:

लेखाकार द्वारा सत्यापन

मैं _____ पैन संख्या _____ धारक, भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय के विवरण दर्शाने वाले लेखा-खाता खाता बही और अन्य दस्तावेजों की जांच कर चुका हूं, साथ ही _____ (निर्धारिती का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए उस पर भुगतान किए गए विदेशी कर के प्रमाण और धारा 288(1) के अनुसार विवाद के निपटारे के प्रमाण की भी जांच कर चुका हूं। [सारणी: क्रम सं. 7]। _____ (निर्धारिती का नाम) द्वारा कर वर्ष _____ के लिए भाग ख में दावा की गई विदेशी कर क्रेडिट की रकम और/या इस प्ररूप के भाग ग में दी गई जानकारी लागू दोहरे कराधान निवारण करार(समझौतों) और आय-कर अधिनियम, 2025 और आय-कर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है।

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण
संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. प्ररूप संख्या 44 से डेटा फ़ील्ड स्वतः भर जाएगा और कुछ डेटा फ़ील्ड संपादन योग्य बनाए जा सकते हैं।
4. डीडी/एमएम/वाईवाईवाई ड्रॉप डाउन में एकाधिक तारीखयां दर्ज करने का विकल्प दिया जाना चाहिए क्योंकि एक ही माह के भीतर विभिन्न तारीखयों पर कई विवादों का निपटारा हो सकता है। हालांकि, नियम 76(6) के अनुसार, यह प्ररूप/सूचना निर्धारिती द्वारा उस माह के अंत से छह माह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए जिसमें विवाद का अंतिम निपटारा होता है।
5. धारा 288(1) के अनुसार एक ही कर वर्ष के लिए एकाधिक सूचनाएं दाखिल की जा सकती हैं।[सारणी: क्रम सं. 7]और नियम 76(6)।
6. यदि निर्धारिती द्वारा कोई भी अनुवर्ती सूचना I-2, I-3 इत्यादि प्रस्तुत की जाती है, तो "इस सूचना के माध्यम से सूचित कुल विवादित विदेशी कर ऋण..." को क्रमशः बी2, बी3 इत्यादि के रूप में नामित किया जाएगा। साथ ही, ऐसी अनुवर्ती सूचनाओं के लिए, "प्ररूप संख्या 44 में सूचित कुल विवादित विदेशी कर ऋण" को "अंतिम सूचना (आई -1, आई -2....., जैसा भी मामला हो) में सूचित कुल विवादित विदेशी कर ऋण" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसे क्रमशः बी1, बी2..... के रूप में नामित किया जाएगा, और "इस सूचना के माध्यम से दावा किया गया कुल विदेशी कर ऋण..." की गणना ऐसी अनुवर्ती सूचनाओं आई -2, आई-3 इत्यादि के लिए [बी1- बी2], [बी2- बी3] इत्यादि के रूप में की जाएगी।
7. कृपया विवाद के निपटारे के साक्ष्य और धारा 288(1) के अनुसार इस सूचना के माध्यम से दावा किए जा रहे कर के भुगतान के साक्ष्य संलग्न करें।[सारणी: क्रम सं. 7].
8. प्ररूप में कुछ जानकारी पहले से भरी होगी और यथासंभव कुछ जानकारी स्वतः भर जाएगी।
9. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 46

[नियम 82(1) देखें]

धारा 166(9) के अधीन आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) के निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग

भाग क: व्यक्ति का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या

भाग ख: अन्य जानकारी						
6	कर वर्ष जिसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 166(1) के अधीन संदर्भ दिया गया है:					
7	आय-कर विवरणी और प्ररूप संख्या 48 का विवरण:					
	क्रम संख्या	कर वर्ष और द्वितीय कर वर्ष (कर वर्ष +1)	आय-कर विवरणी दाखिल करने की तारीख	आय-कर विवरणी की पावती संख्या	प्रस्तुत करने की तारीख प्ररूप संख्या 48	पावती संख्याप्ररूप संख्या 48
	1.	कर वर्ष				
	2.	कर वर्ष + 1				
8.	प्ररूप संख्या 47 में लेखाकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख:					

9.	उन लेन-देनों का विवरण जिनके लिए धारा 166(9) के अनुसार एएलपी का निर्धारण किया जाना है:							
	क्रम संख्या	संबद्ध उद्यम (एई) का नाम	एई का निर्धारिती पहचान	पता	लेन देन की प्रकृति	स्व-परीक्षा	कर वर्ष + 1	कर वर्ष + 2

			संख्या या संबंधित देश/क्षेत्र में इसके समकक्ष संख्या			लेनदेन में भुगतान की गई/प्राप्त की गई या देय/प्राप्त होने वाली कुल रकम		एएलपी निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि	लेनदेन में भुगतान की गई/प्राप्त की गई या देय/प्राप्त होने वाली कुल रकम		एएलपी निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि	लेनदेन में भुगतान की गई/प्राप्त की गई या देय/प्राप्त होने वाली कुल रकम		एएलपी निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि
						लेखा-बहियों के अनुसार	एएलपी के अनुसार निर्धारित		लेखा-बहियों के अनुसार	एएलपी के अनुसार निर्धारित		लेखा-बहियों के अनुसार	एएलपी के अनुसार निर्धारित	
	1.													
	2.	*(आवश्यकता नुसार दोहराएँ)*												

प्रमाणन
मैं , धारा 166(9) के प्रावधानों के अनुसार कर वर्षों < पूर्व -भरित> , < पूर्व -भरित> और < पूर्व -भरित> [कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2] के लिए एएलपी के निर्धारण से सहमत हूँ। मैं निम्नलिखित बातों को भी प्रमाणित करता/करती हूँ: • लेन-देन के विश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।प्रयुक्त संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, किए गए कार्य, ऊपर दी गई सारणी में कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 के लिए मान दिए गए हैं। • इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।संबद्ध उद्यम के व्यावसायिक परिणाम या होल्डिंग संरचना, या उपरोक्त सारणी में संबद्ध उद्यम में परिवर्तन के दौरान कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 जो लेन-देन या उपयोग की गई संपत्तियों और उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कार्य निष्पादित किए गए। • ऊपर दी गई सारणी में उल्लिखित संबद्ध उद्यमों में से कोई भी ऐसे क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है जिसे धारा 176 के अधीन अधिसूचित किया गया हो। • ऊपर दी गई सारणी में उल्लिखित लेनदेन से संबंधित संविदात्मक शर्तों में वर्ष कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। • इसके अलावा, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आय-कर रिटर्न तथा प्ररूप संख्या 48 कर वर्ष _____ [कर वर्ष +2] के लिए क्रमशः धारा 263(1) और धारा 172 में दी गई नियत तारीख तक प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी, साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित, की जांच कर ली है और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्य सत्य, व्यापक और सटीक हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।

3. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

5. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 47

[नियम 82(3) देखें]

धारा 166 के अधीन लेखाकार का प्रमाण पत्र

भाग क: व्यक्ति का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 निर्दिष्ट*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश का कोड	संख्या

प्रमाणन

मैंने श्री/सुश्री/मेसर्स *_____ द्वारा प्रथम कर वर्ष (कर वर्ष) _____, द्वितीय कर वर्ष (कर वर्ष +1) _____, तृतीय कर वर्ष (कर वर्ष +2) _____ के लिए रखे गए लेखा-बहियों, धारा 171 के प्रावधानों के अधीन रखे गए दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच की है, ताकि धारा 166(9) के प्रावधानों के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस (ए एल पी) के निर्धारण के लिए सहमति दी जा सके।

मैं निम्नलिखित को प्रमाणित करता/करती हूँ:

- वर्ष संख्या, वर्ष संख्या+1 और वर्ष संख्या+2 की अवधि के लिए निर्धारिती का मामला अध्याय 16-बी के प्रावधानों के अधीन नहीं आता है।
- _____ [स्वचालित रूप से भरा गया, वर्ष] में वे लेन-देन जिनके लिए निर्धारिती ने धारा 166(9) के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य का निर्धारण किया है, नियम 82 के प्रावधानों के अधीन _____ [वर्ष+1] और _____[वर्ष+2] में हुए लेन-देन के समान हैं।
- वर्ष, वर्ष+1 और वर्ष+2 के लिए नियोजित परिसंपत्तियों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, किए गए कार्यों के संबंध में लेन-देन के विश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
- वर्ष, वर्ष+1 और वर्ष+2 के दौरान संबद्ध उद्यम के व्यावसायिक परिणाम या होल्डिंग संरचना में, या निर्धारिती के मामले में संबद्ध उद्यम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो नियोजित परिसंपत्तियों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लेन-देन या किए गए कार्यों को प्रभावित करता हो।
- धारा 166(9) के अधीन जिन लेन-देनों के लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, उनसे संबंधित कोई भी संबद्ध उद्यम धारा 176 के अधीन अधिसूचित क्षेत्राधिकार का निवासी नहीं है।

- संबंधित लेन-देनों की संविदात्मक शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनमें स्पष्ट या परोक्ष रूप से यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित लेन-देनों के पक्षों के बीच जिम्मेदारियों, जोखिमों और लाभों को कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 में कैसे विभाजित किया जाना है।
- निर्धारिती द्वारा कर वर्ष , कर वर्ष +1 और कर वर्ष +2 के लिए प्ररूप संख्या 46 में दी गई जानकारी सटीक और सत्यनिष्ठ है।
- निर्धारिती द्वारा चुने गए विकल्प या विकल्पों से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी नीचे दी जा सकती है:

स्थान: **हस्ताक्षर:**

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म पंजीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. **इस प्ररूप पर धारा 265 के अधीन आय विवरण सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना है।**.
4. जो लागू नहीं होता उसका विलोपन कर दें।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 48

[नियम 85 देखें]

आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 172 के अधीन किसी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और/या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित हो।

भाग क: निर्धारिती का विवरण		
1.	**नाम:**	**(*टिप्पण 1 निर्दिष्ट*)**
2.	**पता:**	**(*टिप्पण 2 निर्दिष्ट***
3.	**स्थायी खाता संख्या (पैन):**	

4.	***भाग ख: लेखा-बहियों के अनुसार लेन-देन की कुल रकम (टिप्पण 3 देखें) <स्वचालित रूप से भर दी जाएगी>***					
	अंतरराष्ट्रीय		**अंतर्राष्ट्रीय माना गया**		**निर्दिष्ट घरेलू**	
	प्राप्त	चुकाया गया	प्राप्त	चुकाया गया	प्राप्त	चुकाया गया

भाग -ग (अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (मानित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सहित)

5. उन संबद्ध उद्यमों (एई) की सूची जिनके साथ निर्धारिती ने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए हैं।						
क्रम संख्या	**एई की पहचान*(एई. आईडी.)***	**नाम**	**पता**	**निवास का देश या क्षेत्र**	**पैन/टिन या अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता**	**धारा 162(1) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति**
1.	एई-1			<ड्रॉप डाउन>	***(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)***	<ड्रॉप डाउन> [एकाधिक विकल्प चुने जा सकते हैं] ***(टिप्पण 5 निर्दिष्ट)***

6. उन व्यक्तियों की सूची जिनके साथ निर्धारिती ने अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए हैं					
क्रम संख्या	**व्यक्ति की पहचान*(व्यक्ति आईडी)***	**नाम**	**पता**	**निवास का देश या क्षेत्र**	**पैन/टिन या अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता**
1.	पी-1			<ड्रॉप डाउन>	***(टिप्पण 4 निर्दिष्ट)***

7. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए प्रावधान किया जाएगा, जिसमें माना गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन प्रकार भी शामिल है)					
क्र.सं.	**लेनदेन आईडी**		***एई आईडी और/या***		**लेखा-बहियों के अनुसार लेनदेन रकम**

		लेनदेन का प्रकार (टिप्पण 6 *निर्दिष्ट*)	***व्यक्ति आईडी***	**अतिरिक्त जानकारी (टिप्पण 7 के स्तंभ बी देखें) [प्रत्येक सहयोगी या व्यक्ति के संबंध में]**	**प्राप्त**	**चुकाया गया**
1.	*टी-1एई-1/पी-1*					
	लेखा-बहियों के अनुसार लेन-देन की कुल रकम				*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*	*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*
	समायोजन की रकम:				*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*	*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*
	भाग उ में परिकलित आर्म्स लेंथ प्राइस:				*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*	*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*
2.	*टी-2 एई-1/पी-1*					
	(प्रत्येक लेनदेन आईडी के लिए दोहराएँ)					

8. अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) का विवरण

i.	क्या निर्धारिती किसी अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) का हस्ताक्षरकर्ता है?		हां/नहीं
	यदि हां, तो कृपया प्रदान करें		
	क	करार की तारीख	
	ख	आवेदन की पावती संख्या	
	ग		

क्रम संख्या	**एपीए के अधीन आने वाली लेनदेन आईडी***(लेनदेन आईडी की सूची से लेनदेन चुनें)*	**लेनदेन की कुल रकम**	**एपीए के अधीन आने वाले लेनदेन की रकम**
1.			
2.			

भाग घ (निर्दिष्ट)घरेलू लेनदेन)

9. उन सहयोगी कंपनियों की सूची जिनके साथ निर्धारिती ने निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किए हैं

क्रम संख्या	**एई की पहचान(डीएई आईडी)**	**नाम**	**पता**	**कड़ाही**	**धारा 162(2) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति**

	डीएई-1				<ड्रॉप डाउन> [एकाधिक विकल्प चुने जा सकते हैं] (टिप्पण 8 देखें)

10. एई के साथ निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (प्रत्येक एई के लिए निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन प्रकार के लिए प्रदान किया जाना है)

क्रम संख्या	**लेनदेन आईडी**	**लेनदेन का प्रकार (टिप्पण 9 देखें)**	***डीएई.आईडी*** *(सूची में से वह विकल्प चुनें जिसके लिए पंक्ति 9 में डेटा भरा गया है)*	**लेखा-बहियों के अनुसार लेनदेन रकम**	
				प्राप्त	**चुकाया गया**
1.	*एसडीटी-1डीएई-1*				
	लेखा-बहियों के अनुसार कुल लेनदेन रकम:			*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*	*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*
	समायोजन रकम:			*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*	*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*
	भाग ङ में परिकलित उचित मूल्य:			*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*	*(स्वचालित रूप से भरा हुआ)*
2.	*एसडीटी-2डीएई-1*				
	(प्रत्येक लेनदेन आईडी के लिए दोहराएँ)				

भाग- ङ (उचित मूल्य का निर्धारण)

11. *उचित मूल्य का निर्धारण (प्रत्येक लेनदेन के लिए भाग इ और/या ई भरने के बाद भरा जाना है)*

1.	i.	क्या उचित मूल्य निर्धारण के लिए इस लेन-देन को अन्य निकट से जुड़े लेन-देनों के साथ एकत्रित किया गया है?		हां/नहीं
		क)	यदि (i) में हाँ है, तो एकत्रित किए गए लेन-देन का विवरण	

क्रम संख्या	**लेनदेन आईडी**	**कुल रकम (टिप्पण 10 निर्दिष्ट)**	**कुल रकम**	**रकम एकत्रित नहीं की गई है**

					<ड्रॉप डाउन> लेनदेन आईडी की सूची से लेनदेन चुनें			
	ख)		यदि (i) में नहीं है, तो लेन-देन का विवरण (*उन सभी लेन-देनों का विवरण, जो या तो एकत्रित नहीं किए गए हैं या आंशिक रूप से एकत्रित किए गए हैं, प्रत्येक लेन-देन के लिए अलग से भरा जाना है।*	<ड्रॉप डाउन> (लेनदेन आईडी की सूची से लेन-देन चुनें)				**कुल रकम (टिप्पण 10 निर्दिष्ट)**
ii.	धारा 165 के अधीन सबसे उपयुक्त विधि (टिप्पण 11) में से एक विकल्प चुनें				<ड्रॉप डाउन>			
iii.		आरपीएम	स्पैम	टीएनएमएम	सीयूपी		पीएसएम	अन्य विधि
	क)	*(टिप्पण 12 देखें)*			तुलनीय वस्तुओं की संख्या	< ड्रॉप डाउन > क: एक ख: एक से अधिक और छह से कम ग: छह या अधिक	उचित मूल्य निर्धारण का विवरण	उचित मूल्य निर्धारण का विवरण
		उचित मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग किए गए तुलनीय	< ड्रॉप डाउन > क: एक ख: एक से अधिक और छह से कम ग: छह या अधिक					

			अनियंत्रित लेन देन/ उद्यमों की संख्या					
			यदि "अ" का मामला हो: तुलनीय मार्जिन (%)		यदि "अ" का मामला	दूर की कीमत		
			यदि "आ" का मामला हो: तुलनीय का मार्जिन (%)	अंकगणित औसत	यदि "आ" का मामला	अंकगणित औसत		
			यदि "इ" का मामला हो:	मंझला 35वां प्रतिशतक 65वां प्रतिशतक	यदि "इ" का मामला	मंझला 35वां प्रतिशतक 65वां प्रतिशतक		

			तुलनीय का मार्जिन (%)					
		ख)	उचित मूल्य (टिप्पण 13 देखें)		उचित मूल्य (टिप्पण 13 देखें)		उचित मूल्य (टिप्पण 13 देखें) $	
		ग)	कृपया अतिरिक्त विवरण भरें (टिप्पण 14 देखें)				समायोजन की रकम (टिप्पण 13 देखें) $	
		घ)	(ii) (अ) में चयनित लेन-देनों में से किसी लेन-देन का अलग से बेंचमार्किंग भी किया गया है या नहीं ? (टिप्प	*हां/नहीं*				

			ण 15 देखें)			
2.	i.	क्या उपरोक्त 1(i)(अ) में शामिल नहीं किए गए या आंशिक रूप से शामिल किए गए किसी भी लेन-देन को उचित मूल्य के निर्धारण के लिए अन्य निकट से जुड़े लेन-देन के साथ समूहीकृत किया गया है?			हां/नहीं	
		क)	*यदि हाँ, तो 1(i)(क) को दोहराएँ*			
		ख)	*यदि नहीं, तो 1(i)(ख) को दोहराएँ*			
3.	*(समग्र लेन-देन की रिपोर्टिंग पूरी होने तक चरण 2 को दोहराएं)*					

भाग- च (दस्तावेज़ीकरण): इसे केवल तभी खोला जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक हो या जब निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट की गई हो।	
क्या निर्धारिती नियम 84(4) के परंतुक में नए दस्तावेजों के रखरखाव न करने के लिए उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है?	हां/नहीं
यदि नहीं, तो क्या निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 171 के अधीन निर्धारित जानकारी और दस्तावेजों को रखा और उनका रखरखाव किया है?	*हां/नहीं*

प्रमाणन
मैंने निर्धारिती (निर्धारिती का नाम) के खातों और अभिलेखों की जांच की है, जिनका पैन संख्या (पैन) है, जो निर्धारिती द्वारा 31 मार्च को समाप्त होने वाले कर वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित हैं। *मेरी राय में, निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में उचित जानकारी और दस्तावेज रखे गए हैं, जैसा कि निर्धारिती के अभिलेखों की मेरी जांच से प्रतीत होता है।* *धारा 172 के अधीन दी जाने वाली आवश्यक जानकारियाँ उपरोक्त प्ररूप में उल्लिखित हैं। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दी गई व्याख्या के अनुसार, प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है।* ***हस्ताक्षर:*** ***लेखाकार का नाम:*** ***सदस्यता सं:***

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:
स्वामित्व/फर्म का पैन (PAN):
फर्म को पंजीकरण संख्या:
यदि कोई हो तो यूडीआईएन:
स्थान:
तारीख:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड शामिल होना चाहिए।
3. इस प्ररूप में "भुगतान की गई रकम" से तात्पर्य वास्तव में भुगतान की गई रकम और देय रकम के योग से है। इसी प्रकार, इस प्ररूप में "प्राप्त रकम" से तात्पर्य वास्तव में प्राप्त रकम और प्राप्य रकम के योग से है।
4. यदि पैन उपलब्ध है, तो कृपया पैन संख्या प्रदान करें। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो कृपया टिन संख्या प्रदान करें। यदि टिन संख्या भी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया वह विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करें जिसके आधार पर सहयोगी उद्यम (एई) की पहचान उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जहां सहयोगी उद्यम (एई) के निवासी होने का दावा करता है।
5. धारा 162(1) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति

1	162(1)(अ)(i)	2	162(1)(अ)(ii)	3	162(1)(अ)(iii)	4	162(1)(ख)
5	162(1)(इ)	6	162(1)(ई)	7	162(1)(उ)	8	162(1)(ऊ)
9	162(1)(ए)	10	162(1)(h)	11	162(1)(i)	12	162(1)(j)
13	162(1)(k)	14	162(1)(l)				

6. **अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के प्रकार**

क्रम संख्या	**लेनदेन का प्रकार**
क	**ख**
1	वस्तुओं या सामानों के संयोजन, प्रसंस्करण या निर्माण के लिए कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों या किसी अन्य आपूर्ति की खरीद।
2	व्यापारिक या तैयार माल की खरीद।
3	किसी भी मूर्त संपत्ति की खरीद, जिसमें भवन, परिवहन वाहन, मशीनरी, उपकरण, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य वस्तु, उत्पाद या चीज शामिल है जो क 1 या क 2 में शामिल नहीं है।

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार				
क	ख				
4	किसी भी मूर्त संपत्ति, जिसमें भवन, परिवहन वाहन, मशीनरी, उपकरण, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य वस्तु, उत्पाद या चीज़ शामिल है, का पट्टा या उपयोग।				
5	कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों या वस्तुओं के संयोजन, प्रसंस्करण या निर्माण के लिए आवश्यक किसी भी अन्य सामग्री की बिक्री।				
6	व्यापारिक या तैयार माल की बिक्री				
7	किसी भी मूर्त संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण, जिसमें भवन, परिवहन वाहन, मशीनरी, उपकरण, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य वस्तु, उत्पाद या चीज़ शामिल है जो क 5 या क 6 में शामिल नहीं है।				
8	किसी भी मूर्त संपत्ति, जिसमें भवन, परिवहन वाहन, मशीनरी, उपकरण, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य वस्तु, उत्पाद या चीज़ शामिल है, का पट्टा या उपयोग।				
9	क)	अमूर्त संपत्ति की खरीद	i.	स्वामित्व का हस्तांतरण	**1.** विपणन संबंधी अमूर्त संपत्ति- i. ट्रेडमार्क ii. व्यापार नाम iii. ब्रांड के नाम iv. लोगो **v.** अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) **2. प्रौद्योगिकी संबंधी अमूर्त संपत्तियां-** i. प्रक्रिया पेटेंट ii. पेटेंट आवेदन iii. प्रयोगशाला टिप्पणबुक जैसे तकनीकी दस्तावेज iv. तकनीकी तरीका **v.** अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) **3. कला संबंधी अमूर्त संपत्तियां** i. साहित्यिक कृतियाँ और कॉपीराइट
			ii.	अधिकारों के उपयोग का प्रावधान	

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार				
क	ख				
			ii. i.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	ii. संगीत रचनाएँ iii. कॉपीराइट iv. एमएपीएस v. नक्काशी vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) घ. डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित अमूर्त संपत्तियां- i. स्वामित्व वाला कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर ii. सॉफ्टवेयर कॉपीराइट iii. स्वचालित डेटाबेस iv. एकीकृत परिपथ मास्क और मास्टर **v.** अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)
	ख)	अमूर्त संपत्ति का पट्टा या उपयोग जहां निर्धारिती पट्टेदार या उपयोगकर्ता है			**ङ- इंजीनियरिंग से संबंधित अमूर्त आस्तियां-** i. औद्योगिक डिजाइन ii. उत्पाद पेटेंट iii. व्यापार के रहस्य iv. इंजीनियरिंग ड्राइंग और आरेख v. ब्लूप्रिंट **vi.** स्वामित्व संबंधी दस्तावेज **vii.** अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें) **च. ग्राहक संबंधी अमूर्त आस्तियां-** i.ग्राहक सूचियाँ ii.ग्राहक अनुबंध iii.ग्राहक संबंध iv.खुले खरीद आदेश **v.**अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) **छ. अनुबंध से संबंधित अमूर्त आस्तियां -**
	ग)	अमूर्त संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण	i.	स्वामित्व का हस्तांतरण	
			ii.	अधिकारों के उपयोग का प्रावधान	

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार			
क	ख			
			ii. अन्य, कृपया i. निर्दिष्ट करें)	i. अनुकूल आपूर्तिकर्ता ii. अनुबंध iii. लाइसेंस करार iv. फ्रैंचाइज़ करार v. गैर-प्रतिस्पर्धा करार **vi.** अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) **ज. मानव पूंजी से संबंधित अमूर्त आस्तियां -** i. प्रशिक्षित और संगठित कार्यबल ii. रोजगार करार iii. संघ अनुबंध iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें **झ. स्थान संबंधी अमूर्त आस्तियां -** i. पट्टेदारी हित ii. खनिज दोहन अधिकार iii. सुगमता iv. हवाई अधिकार v. जल अधिकार vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) **ञ. सद्भावना से संबंधित अमूर्त आस्तियां -** i. संस्थागत सद्भावना ii. पेशेवर अभ्यास सद्भावना iii. पेशेवर की व्यक्तिगत सद्भावना iv. सेलिब्रिटी सद्भावना v. सामान्य कारबार निरंतर कारबार मूल्य vi. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) **ट.** अन्य अमूर्त **आस्तियां** -
	घ)	अमूर्त संपत्ति का पट्टा या उपयोग जहां एई पट्टेदार या उपयोगकर्ता है		

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार		
क	ख		
			i. विधियाँ, ii. कार्यक्रमों, iii. प्रणालियाँ, iv. प्रक्रियाएँ, v. अभियान, vi. सर्वेक्षण, vii. अध्ययन, viii. पूर्वानुमान, ix. अनुमान, x. ग्राहक सूचियाँ, xi. तकनीकी डाटा xii. पेटेंट xiii. तकनीकी जानकारी xiv. वाणिज्यिक रहस्य xv. विपणन चैनल xvi. कॉपीराइट xvii. औद्योगिक संपत्ति अधिकार xviii. भूमि उपयोग xix. बाहरी डिज़ाइन या व्यावहारिक और नया डिज़ाइन **एल**इसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक या वाणिज्यिक अधिकार या कोई अन्य समान वस्तु जिसका मूल्य उसके भौतिक गुणों के बजाय उसकी बौद्धिक सामग्री से प्राप्त होता है (कृपया स्पष्ट करें)
10#	क)	पूंजी वित्तपोषण, धन उधार लेना,- i. अल्पकालिक ऋण ii. दीर्घकालिक ऋण iii. गारंटी iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	
	ख)	पूंजी वित्तपोषण, धन उधार लेना - विपणन योग्य तंत्र की खरीद	

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार	
क	ख	
	ग)	पूंजी वित्तपोषण, धन उधार लेना,- i. प्राप्त अग्रिम रकम, ii. स्थगित भुगतान दायित्व, iii. कारबार के दौरान उत्पन्न होने वाला कोई अन्य ऋण दायित्व (कृपया स्पष्ट करें)
11#	क)	पूंजी वित्तपोषण, धन उधार देना,- i. अल्पकालिक ऋण ii. दीर्घकालिक ऋण iii. गारंटी iv. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
	ख)	पूंजी वित्तपोषण, धन उधार देना - विपणन योग्य तंत्र की बिक्री
	ग)	पूंजी वित्तपोषण, धन उधार देना,- i. अनुमोदित अग्रिम रकम, ii. स्थगित भुगतान व्यवस्था, iii. कारबार के दौरान उत्पन्न होने वाला कोई अन्य ऋण दावा (कृपया स्पष्ट करें)

12 एई को सेवाएं प्रदान करना-

क) बाजार अनुसंधान	ख) बाजार विकास	ग) विपणन प्रबंधन		
घ) प्रशासन	ङ) एजेंसी	च) तकनीकी सेवा ***	i.	सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं
			ii.	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं
			iii.	ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं
			iv.	अन्य कोई तकनीकी सेवाएं
छ) मरम्मत	ज) डिजाइन	9. वैज्ञानिक अनुसंधान***	संविदा	i) सॉफ्टवेयर विकास से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदात्मक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं
				ii) जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदात्मक अनुसंधान एवं विकास सेवाएं
				iii) अन्य संविदात्मक अनुसंधान (कृपया निर्दिष्ट करें)

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार
क	ख

			ख) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
ञ) परामर्श	ट) कानूनी	ठ) लेखा सेवा	
ड) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)			
*** स्तंभ (एफ)(आई) से (एफ)(iii) और स्तंभ (आई)ए(आई) से (आई)(ए)(ii) में उल्लिखित सेवाओं के लिए, सेवाएं नियम 86 में परिभाषित हैं ***।			

13	एई से सेवाओं का प्रावधान-		
	क) बाजार अनुसंधान	ख) बाजार विकास	ग) विपणन प्रबंधन
	घ) प्रशासन	ङ) तकनीकी सेवा	च) मरम्मत
	छ) डिजाइन	ज) परामर्श	झ) एजेंसी
	ञ) वैज्ञानिक अनुसंधान	ट) कानूनी	ठ) लेखा सेवा
	ड) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
14	किसी उद्यम द्वारा किसी संबद्ध उद्यम के साथ किया गया व्यावसायिक पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था का लेन-देन, चाहे उस लेन-देन के समय या भविष्य में किसी भी तारीख पर ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव डाले या न डाले।		
15	दो या दो से अधिक सहायक कंपनियों के बीच आपसी समझौता या व्यवस्था- क. किसी एक या एक से अधिक ऐसे उद्यमों को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी भी लागत या व्यय का आवंटन या विभाजन, या ख. किसी भी ऐसे उद्यम को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए या किए जाने वाले किसी भी लागत या व्यय में कोई भी योगदान।		
16	दो या दो से अधिक सहायक उद्यमों के बीच कोई अन्य लेन-देन जिसका ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ता हो (कृपया स्पष्ट करें)- a. ...		

 # जिन मामलों में ब्याज का भुगतान/प्राप्ति होती है या गारंटी शुल्क/कमीशन का भुगतान/प्राप्ति होती है, वहां ब्याज या गारंटी की रकम का मानक निर्धारण किया जाएगा।

7. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का प्रकार और अतिरिक्त जानकारी

<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी</td></tr>
<tr><td>क</td><td>ख</td></tr>
<tr><td>9 (ए)(ii), 9(ए)(iii), 9(बी)</td><td>
<table>
<tr><th>रॉयल्टी करार की तारीख</th><th>रॉयल्टी की दर</th><th>रॉयल्टी की भुगतान की गई/देय रकम</th></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9(सी)(ii), 9(सी)(iii), 9(डी)</td><td>
<table>
<tr><th>रॉयल्टी करार की तारीख</th><th>रॉयल्टी की दर</th><th>प्राप्त/प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की रकम</th></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10 (ए)(i), 10(ए)(ii), ए(iv)</td><td>
<table>
<tr><th>वित्तपोषण करार की प्रकृति</th><th>लेनदेन की मात्रा</th><th>जिस मुद्रा में लेन-देन हुआ है</th><th>प्रत्येक उधार के संबंध में ब्याज दर</th><th>ब्याज का भुगतान किया गया या देय</th></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10(ए)(iii)</td><td>
<table>
<tr><th>गारंटी की कुल रकम</th><th>कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की दर</th><th>वह मुद्रा जिसमें लेनदेन किया गया था और जिसके लिए गारंटी दी गई थी</th><th>कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की रकम</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11(ए)(i), 11(ए)(ii), ए(iv)</td><td>
<table>
<tr><th>वित्तपोषण करार की प्रकृति</th><th>लेनदेन की मात्रा</th><th>जिस मुद्रा में लेन-देन हुआ है</th><th>प्रत्येक उधार के संबंध में ब्याज दर</th><th>प्राप्त या प्राप्य ब्याज</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11(ए)(iii)</td><td>
<table>
<tr><th>गारंटी की कुल रकम</th><th>कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की दर</th><th>वह मुद्रा जिसमें लेनदेन किया गया था और जिसके लिए गारंटी दी गई थी</th><th>कॉर्पोरेट गारंटी कमीशन या शुल्क की रकम</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14</td><td>
<table>
<tr><th>लेनदेन का स्वरूप (कृपया स्पष्ट करें)</th><th>करार का शीर्षक</th><th>करार की तारीख</th><th>पुनर्गठन/पुनर्संगठन की शर्तें</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी
क	ख
	क्या इससे लाभ, आय, हानि या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें।

8. धारा 162(2) में संदर्भित एई के साथ संबंध की प्रकृति

1	162(2)(क)	2	162(2)(ख)	3	162(2)(ग)

9. विशिष्ट प्रकार और घरेलू लेनदेन

क्रम संख्या	लेनदेन का प्रकार		
क	ख		
1	धारा 122 में निर्दिष्ट कोई भी लेनदेन	क	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार में माल का हस्तांतरण
		ख	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार को सेवाओं का हस्तांतरण
		ग	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से माल की खरीद
		घ	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से सेवाओं का अधिग्रहण
2	धारा 140(9) में निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं का कोई भी हस्तांतरण	क	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार में माल का हस्तांतरण
		ख	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार को सेवाओं का हस्तांतरण

		ग	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से माल की खरीद
		घ	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से सेवाओं का अधिग्रहण
3	धारा 140(13) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति और निर्धारिती के बीच किए गए किसी भी कारबार के लेनदेन को		
4	अध्याय VIII या धारा 144 के अधीन किसी अन्य धारा में संदर्भित कोई भी लेनदेन, जिस पर आय-कर अधिनियम 2025 की धारा 140(9) या 140(13) लागू होती है, या जिस पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA(8) या 80-IA(10) लागू होती है।	क	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार में माल का हस्तांतरण
		ख	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार को सेवाओं का हस्तांतरण
		ग	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से माल की खरीद
		घ	निर्धारिती के किसी अन्य कारबार से सेवाओं का अधिग्रहण
		ङ	कोई अन्य लेनदेन (कृपया स्पष्ट करें)
5	धारा 205(4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच किए गए किसी भी कारबार का लेन-देन।	क	निर्धारिती द्वारा माल का हस्तांतरण
		ख	निर्धारिती द्वारा सेवाओं का हस्तांतरण
		ग	निर्धारिती द्वारा माल की खरीद
		घ	निर्धारिती द्वारा सेवाओं का अधिग्रहण
		ङ	कोई अन्य लेनदेन (कृपया स्पष्ट करें)

10. यदि लेन-देन की कुल रकम को अन्य निकट से जुड़े लेन-देनों के साथ एकत्रित नहीं किया गया है, तो लेन-देन के बाद के एकत्रीकरण के लिए, असंयोजित शेष रकम को बाद के बेंचमार्किंग के लिए "कुल रकम" माना जाएगा।

11. **धारा** 165(1) **के अनुसार स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विधियाँ**

कोड	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विधि
क	ख
सीयूपी	तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि
आरपीएम	पुनर्विक्रय मूल्य विधि
सीपीएम	कॉस्ट प्लस विधि
पीएसएम	लाभ विभाजन विधि
टीएनएमएम	लेनदेनात्मक शुद्ध मार्जिन विधि
ओटीएम	अन्य विधि

क) पुनर्विक्रय मूल्य विधि के मामले में, मार्जिन सकल लाभ मार्जिन की दर है।

ख) लागत-लाभ विधि के मामले में, मार्जिन सकल लाभ पर लगाए गए मार्क-अप की दर होती है।

ग) लेनदेन संबंधी शुद्ध लाभ विधि के मामले में, मार्जिन शुद्ध लाभ मार्जिन की दर होती है।

13. उचित मूल्य निर्धारण हेतु गणना

कोड	गणना
क	ख

आरपीएम	**विवरण**				
	i.	लेखा-बहियों के अनुसार कुल पुनर्विक्रय मूल्य (₹)		क	
	ii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन से पहले) (₹)		ख	
	iii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (समायोजन से पहले) (%)		ग	
	iv.	संपत्ति की खरीद या सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में किए गए व्यय (₹)		घ	
	v.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन के लिए खरीदी गई संपत्ति या प्राप्त सेवाओं का मूल्य (₹)		ङ= कखघ	
	vi.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	रकम (₹)	च	
			विवरण		
	vii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन के बाद) (₹)		छ = ख +/- च	
	viii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (%) (समायोजन के बाद)		ज	
	ix.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन के लिए खरीदी गई संपत्ति या प्राप्त सेवाओं का मूल्य (समायोजन के बाद) (उचित मूल्य) (₹)		झ = कचघ	
	x.	लेखा-बहियों के अनुसार खरीदी गई संपत्ति या प्राप्त सेवाओं का मूल्य (₹)		ञ	
	xi.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?		हां/नहीं	
		क.	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@		
		ख.	अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं	
सीपीएम	**विवरण**				

	i.	लेखा-बहियों के अनुसार हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उत्पादन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें (₹)		क	
	ii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन से पहले) (₹)		ख	
	iii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (समायोजन से पहले) (%)		ग	
	iv.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन द्वारा बढ़ाई गई लागत (समायोजन से पहले) (₹)		घ = क + ख	
	v.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	रकम (₹)	ङ	
			विवरण		
	vi.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की रकम (समायोजन के बाद) (₹)		च = ख +/-ङ	
	vii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन की दर (समायोजन के बाद) (%)		छ	
	viii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए सकल लाभ मार्जिन द्वारा बढ़ी हुई लागत (समायोजन के बाद) (उचित मूल्य) (₹)		ज = क + च	
	ix.	लेखा-बहियों के अनुसार हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अर्जित राजस्व (₹)		झ	
	x.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?		हां/नहीं	
		क)	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@		
		ख)	अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं	

	विवरण				
	i.	शुद्ध लाभ मार्जिन के संबंध में			<ड्रॉप डाउन> (निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें:) 1. लागतें 2. बिक्री प्रभावित हुई 3. नियोजित या नियोजित की जाने वाली संपतियाँ 4. कोई अन्य प्रासंगिक आधार (कृपया निर्दिष्ट करें)
टीएनएमएम	ii.	लेखा-बहियों के अनुसार आधार रकम (₹)		क	
	iii.	लेखा खाता खाता बही के अनुसार प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन की दर (%)		ख	
	iv.	लेखा-बहियों के अनुसार प्राप्त शुद्ध लाभ मार्जिन की रकम (₹)		ग = क * ख / 100	
	वी	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए शुद्ध लाभ मार्जिन की दर (समायोजन से पहले) (%)		घ	
	vi.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	मात्रा (%)	ङ	
			विवरण		
	vii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देनों के लिए शुद्ध लाभ मार्जिन की दर (समायोजन के बाद) (%)		च = घ +/-ङ	

	viii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन के लिए उचित मूल्य (समायोजन के बाद) (₹)		छ = क*च/100	
	ix.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?		हां/नहीं	
		क)	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@		
		ख)	अगर कोई नहीं,		कोई समायोजन नहीं

सीयूपी

विवरण				
i.	लेखा-बहियों के अनुसार हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूला गया या भुगतान किया गया मूल्य (₹)		क	
ii.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन में हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूला गया या भुगतान किया गया मूल्य (समायोजन से पहले) (₹)		ख	
iii.	यदि कोई समायोजन किया गया हो तो उसका विवरण।	रकम (₹)	ग	
		विवरण		
iv.	तुलनीय अनियंत्रित लेन-देन में हस्तांतरित संपत्ति या प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूला गया या भुगतान किया गया मूल्य (समायोजन के बाद) (उचित मूल्य) (₹)		घ = ख +/-ग	
v.	क्या अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार उस मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन वास्तव में किया गया है?		हां/नहीं	

		क)	यदि हां, तो समायोजन की रकम (₹)@	
		ख)	अगर कोई नहीं,	कोई समायोजन नहीं

@

i.अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मामले में समायोजन- यदि लेनदेन व्यय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य से घटाई जाएगी और यदि लेनदेन आय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य में जोड़ी जाएगी।

ii.निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मामले में समायोजन- यदि लेनदेन व्यय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य में जोड़ दी जाएगी और यदि लेनदेन आय की प्रकृति का है, तो समायोजन की रकम लेनदेन के खाता खाता बही मूल्य से घटा दी जाएगी।

iii.यदि एकत्रित किए गए अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देनों में समायोजन करना आवश्यक हो, तो निर्धारिती के पास एकत्रित किए गए एक या अधिक लेन-देनों में समायोजन करने का विकल्प होगा और इसके लिए एक ड्रॉप-डाउन विकल्प प्रदान किया जाएगा।

iv.यदि कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, तो लेखा-बहियों के अनुसार लेन-देन की कुल रकम, भाग-ग की पंक्ति 7 और भाग-घ की पंक्ति 10 में "भाग ङ" में परिकलित "उचित मूल्य" होगी।

सभी लेन-देनों के लिए, जिनका बेंचमार्किंग पीएसएम/अन्य विधि का उपयोग करके किया गया है, निर्धारिती द्वारा भाग-ङ में लेन-देन का उचित मूल्य और समायोजन की रकम प्रदान की जानी है।

14. अतिरिक्त विवरण

क.	**कतिपय खर्चों से संबंधित विवरण**						
	क्रम संख्या	**व्यय की प्रकृति**	**लेखा-बहियों में दर्ज रकम**	**लेखा-बहियों में द**	**कुल व्यय रकम**	**स्तंभ ग में कुल व्यय की वह रकम जिसे**	**स्तंभ ग में कुल व्यय की वह रकम जो उचित मूल्य की गणना में शामिल नहीं है**

				जन की गई रकम		**उचित मूल्य की गणना में शामिल किया गया है**	
			क	**ख**	**ग = क+ख**	**घ**	**ङ**
	i.	निर्धारिती या उसके सहयोगी उद्यम द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों को भुगतान किया गया स्टॉक मुआवजा या कोई अन्य बोनस/प्रोत्साहन					
	ii.	एई द्वारा प्रदान की गई संपत्तियों, सॉफ़्टवेयर, उपकरणों, लाइसेंसों या डेटाबेस की लागत और/या मूल्यह्रास, जिसमें तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर, डेटाबेस, लाइसेंस और अन्य संपत्तियां या उपकरण शामिल हैं, साथ ही एई द्वारा आंतरिक रूप से विकसित की गई संपत्तियां या उपकरण भी शामिल हैं।					
	iii.	भारत से बाहर निर्धारिती के कार्य, प्रशिक्षण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निर्धारिती के कर्मचारियों की यात्रा और अन्य खर्चों के लिए सहायक उद्यम द्वारा किया गया खर्च।					
	iv.	सहायक उद्यमों द्वारा निर्धारिती के कर्मचारियों के लिए किए गए प्रशिक्षण व्यय, या सहायक उद्यम द्वारा प्रदान की गई प्रबंधन, परामर्श या अन्य सेवाओं पर किए गए व्यय।					
	v.	एई द्वारा निर्धारिती को प्रतिनियुक्त/स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों पर किए गए सभी खर्च।					
	vi.	निर्धारिती और/या सहयोगी नियोक्ता द्वारा आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी लागतें वहन की जाएंगी।					

	vii.	एई द्वारा किए गए कोई अन्य व्यय, जिनका उपयोग निर्धारिती के व्यावसायिक कार्यों में किया गया हो (कृपया स्पष्ट करें)					
ख	**राजस्व से संबंधित विवरण**						
	क्रम संख्या	**राजस्व की प्रकृति**	**कुल राजस्व रकम**	**स्तंभ क में कुल राजस्व में से वह रकम जिसे उचित मूल्य की गणना में शामिल किया गया है**		**स्तंभ क में कुल राजस्व की वह रकम जो उचित मूल्य की गणना में शामिल नहीं है**	
			क	**ख**		**ग**	
	i.	विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न आय					
	ii.	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी प्राधिकरण, निकाय या एजेंसी द्वारा निर्धारिती को नकद या वस्तु के रूप में दी गई सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, छूट, रियायत या प्रतिपूर्ति (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में सहायता।					

15. यदि 11(1) (iii)(घ) का उत्तर हाँ है, तो भाग ङ में लेन-देन का अलग बेंचमार्किंग विश्लेषण प्रदान करें।

प्ररुप सं. 49

[नियम 90, 91, 98 और 101 देखें]

सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुनने के लिए आवेदन

भाग अ: व्यक्ति की विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति:		
5.	स्थिति:	*(टिप्पण 3 देखें)*	
6.	ईमेल आईडी:		
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग आ: अन्य ब्यौरे			
I.	**सुरक्षित बंदरगाह *का विकल्प***		
8.	निम्नलिखित संव्यवहार के लिए सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुना गया है (एक या अधिक का चयन करें): (टिप्पण 4 देखें)	1. पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार (ईआईटी) (i) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध; (ii) अन्य 2. पात्र विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (ईएसडीटी) 3. पात्र कारबार (ईबी)	
II.	***कर वर्ष***		
9.	वे कर वर्ष जिनके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है (टिप्पण 5 देखें):		

	(i)	ईआईटी (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध से भिन्न), ईएसडीटी या ईबी के मामले में, निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:		
		(क).	कर वर्ष:	
		(ख).	कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख:	
	(ii).	यदि ईआईटी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें (टिप्पण 5 देखें):		
		(क).	वे कर वर्ष जिनके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है:	
III.	***पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार (ईआईटी)***			

10.	(i)	ईआईटी की प्रकृति					***सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध***			
	ii).	ईआईटी का कुल परिचालन राजस्व(कुल रकम दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)								
		(क)	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के उपबंध का परिचालन राजस्व							
		(ख)	नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं के उपबंध से प्राप्त परिचालन राजस्व							
		(ग)	साफ्टवेयर विकास से संबंधित पूर्णतः याय भागतः संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं के उपबंध का परिचालन राजस्व							
		(घ)	साफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध का परिचालन राजस्व							
	(iii)		ईआईटी के ब्यौरे							
		क्र.सं.	उस सहयुक्त उद्यम के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है					परिचालन व्यय के संबंध में परिचालन लाभ(ओपी) मार्जिन		
			नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है(टिप्पण 7 देखे)	परिचालन राजस्व (ओ.आर)	परिचालन व्यय(ओई)	ओपी मार्जिन(ओपी/ ओई)
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ
		1.								
		2.	(यदि अपेक्षित हो							

			तो, दोहराएं)							

11.	(i)	(क).	ईआईटी की प्रकृति (टिप्पण 6 देखें):										
		(ख).	ईआईटी का के ब्यौरे:										
			क्र. सं.	उस सहयुक्त उद्यम (एई) के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है						परिचालन व्यय के संबंध में परिचालन लाभ (ओपी) मार्जिन		
				नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)		परिचालन राजस्व (ओर)	परिचालन व्यय (ओई)	ओपी मार्जिन (ओपी/ओई)
				क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ
				1.								
				2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)							
	(ii).	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)											
12.	(i).	ईआईटी की प्रकृति:									पात्र निर्धारिती द्वारा अंतर-समूह के भीतर ऋण देना		
	(ii).	यदि ऋण विदेशी मुद्रा में है, तो क्या सहयुक्त उद्यम (एई) को दिए गए सभी ऋणों सहित कुल ऋण कर वर्ष की 31 मार्च की तारीख तक 250 करोड़ रुपये से अधिक है?									हां /नहीं		
	(iii).	ईआईटी के ब्यौरे :											
		क्र. सं.	उस सहयुक्त उद्यम के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है									ब्याज की दर	ऋण की रकम	ऋण की मुद्रा
			नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)	क्या एई की प्रत्यय रेटिंग की गई है (हां/नहीं)	जहां ऋण उपलब्ध नहीं है और ऋण भारतीय मुद्रा में है, क्या सहयुक्त उद्यम को दिए गए ऋण (सभी सहयुक्त उद्यमों को दिए गए	प्रत्यय रेटिंग रैंक	प्रत्यय रेटिंग अभिकरण			

									ऋणों सहित) की कुल रकम कर वर्ष की 31 मार्च की तारीख तक 100 करोड़ रुपये से अधिक है (हां/नहीं)					
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ढ.
		1.												
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)											
13.	(i).	ईआईटी की प्रकृति:									पात्र निर्धारिती द्वारा निगमित प्रत्याभूति प्रदान करना			
	(ii).	क्या प्रत्याभूत रकम 100 करोड़ रुपये से अधिक है?									हां /नहीं			
	(iii).	ईआईटी के ब्यौरे :												
		क्र.सं.	उस सहयुक्त उद्यम (एई) के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है								संव्यवहार के संबंध में जिस दर पर कमीशन या फीस ली गई है, उसे घोषित किया जाता है।	निगमित प्रत्याभूति की रकम		
			नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	करदाता पहचान संख्या या देश/क्षेत्र में इसके समतुल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)	प्रत्यय रेटिंग रैंक (टिप्पण 8 देखें)	प्रत्यय रेटिंग अभिकरण (टिप्पण 8 देखें)					
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज		झ	ञ		
		1.												
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)											
14.	(i).	ईआईटी की प्रकृति:									कम मूल्यवर्धन वाली अंतर-समूह सेवाओं की प्राप्ति			
	(ii).	क्या 5% से अधिक मार्क-अप सहित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का संपूर्ण मूल्य 10 करोड़ रू. से अधिक है?									हां /नहीं			

	(iii).	नियम 89(2) के अनुसार लेखाकार का प्रमाण पत्र (सारणी: क्र.सं 8ग)							*उपाबंध के रूप में अद्यतन करें*			
	(iv).	ईआईटी के ब्यौरे :										
		क्र. सं.	उस सहयुक्त उद्यम (एई) के ब्यौरे जिसके साथ ईआईटी समझौता किया गया है					मार्क-अप के सिवाय ईआईटी की रकम	मार्क-अप	मार्क-अप सहित ईआईटी की रकम	लेखाकार के प्रमाण पत्र के ब्यौरे	
			नाम	पता	पैन, यदि उपलब्ध हो	देश/क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या या इसके समुतल्य	वह देश या क्षेत्र जिसमें एई स्थित है (टिप्पण 7 देखें)				तारीख	विशिष्ट पहचान संख्या (यूडीआईएन)
		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ	ट
		1.										
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)									
	IV.	***पात्र निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (ईएसडीटी)***										
15.	(i).	ईएसडीटी की प्रकृति:							बिजली की आपूर्ति, बिजली का संचरण या बिजली का परिवहन			
	(ii).	ईएसडीटी के ब्यौरे:										
		क्रम संख्या	उस सहयुक्त उद्यम (एई) के ब्यौरे जिसके साथ ईएसडीटी समझौता किया गया है			टैरिफ अवधारण करने या टैरिफ अवधारण की पद्धति के अनुमोदन के लिए उपयुक्त आयोग के सुसंगत आदेश के ब्यौरे				ईएसडीटी के संबंध में प्राप्त या प्राप्य/भुगतान की गई या देय रकम		
			नाम	पता	पैन	आदेश की तिथि	आदेश का प्रकार	आदेश की वैधता				
		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ			ज	
		1.										
		2.	(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)									
16.	(i).	ईएसडीटी की प्रकृति:							दूध और दूध उत्पादों की खरीद			
	(ii).	ईएसडीटी के ब्यौरे:										
				चाहे दर कुछ भी हो —								

		वह कुल खरीद रकम जिसके लिए सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प चुना गया है	दुग्ध की गुणवत्ता (एसएनएफ सामग्री) के आधार पर नियत (हाँ/नहीं)	खरीदे गए दुग्ध को विचार में लाए बिना(हाँ/नहीं)	सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के प्रतिशत को विचार में लाए बिना (हाँ/नहीं)	सदस्यों के पास मतदान शक्ति को विचार में लाए बिना (हाँ/नहीं)	क्या सहकारी समिति द्वारा दुग्ध या दुग्ध उत्पादों की दर नियमित रूप से पारदर्शी रीति में घोषित की जाती हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं (हां/नहीं)
		क	ख	ग	घ	ड.	च

V. पात्र कारबार (ईबी)

17. (i). (क). ईबी की प्रकृति (टिप्पण 9 देखें):

(ii). (ख). ईबी के ब्यौरे:

(i).

पात्र व्यवसाय की कुल प्राप्तियाँ	ईबी के लाभ और अभिलाभ पर "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर लगाया जा सकता है (कच्चे हीरों की बिक्री के मामले में यह ईबी की कुल प्राप्तियों का ≥ 4% और संविदा विनिर्माता को बिक्री के लिए सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में स्थित गोदाम में घटकों के भंडारण की कारबार क्रियाकलाप के मामले में ईबी की कुल प्राप्तियों का 2% होगा)।	निर्धारिती यह समझता है और पुष्टि करता है कि, –			
		धारा 28 से 34, 44 से 49, 51, 52, अनुसूची IX और X के अधीन कोई अतिरिक्त कटौती का दावा नहीं किया गया है।	आस्तियों के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की गई मानी जाती है मानो करदाता ने मूल्यह्रास का दावा किया हो।	धारा 33(11) के अधीन अवशोषित न किए गए मूल्यह्रास या धारा 112(1) के अधीन आगे ले जाई गई हानि के मुजरा का दावा नहीं किया गया है।	धारा 108(1) के अधीन अन्य व्यवसाय से होने वाले नुकसान या धारा 109 के अधीन किसी अन्य शीर्ष से होने वाली हानि के मुजरा का दावा नहीं किया गया है।
क	ख	ग	घ	ड.	च
		हां /नहीं	हां /नहीं	हां /नहीं	हां /नहीं

(ii). (यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं)

सत्यापन

मैं, _____, _____ (पात्र निर्धारिती का नाम) की ओर से नियम 86 से नियम 102 के साथ पठित धारा 167 के अधीन सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विकल्प चनने का प्रस्ताव है। इस संबंध में ब्यौरे भाग क और ख में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह प्ररुप प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्रपत्र को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पदनाम:

प्रमाणन

मैं,----------(पात्र निर्धारिती का मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं आगे निम्नलिखित को प्रमाणित करता/करती हूँ(सुसंगत खाने को चिन्हित करें)

	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध से संबंधित पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का कुल परिचालन राजस्व नियम 89(2) में यथाविनिर्दष्ट दो हजार करोड़ रूपये से अनधिक है सारणीः क्र.सं. 1ग
	अधिक आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण कार्य नियम 87(2)(क) में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी प्रमुख द्वारा किए जाते हैं।
	विदेशी प्रमुख या उसके अन्य सहयुक्त उद्यम अपेक्षित निधि या पूंजी, अन्य आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण आस्तियां जिसके अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां हैं, उपबंधित करते हैं और पात्र निर्धारिती को केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए नियम 87(2)(ख) में यथाविनिर्दिष्ट पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।
	पात्र निर्धारिती नियम 87(2)(ग) में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी प्रमुख या उसके सहयुक्त उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है।
	पात्र निर्धारिती को सेवाएं प्रदान करने के दौरान सृजित या उद्भूत किसी अमूर्त वस्तु या उसके परिणाम अनुसंधान के परिणाम पर विधिक या आर्थिक स्वामित्व अधिकार नहीं है, जो नियम 87(2)(ड.) में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी प्रमुख के पास निहित है।

स्थानः

हस्ताक्षरः

नामः

पदनामः

तारीख

टिप्पणियाँ:

1. नाम में पात्र निर्धारिती का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. व्यक्ति की स्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: –

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभाजित परिवार
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियो का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. भाग ख (क्रम संख्या 8) में, निर्धारिती एक या अधिक पात्र संव्यवहार का चयन कर सकता है। किसी भी स्थिति में, निर्धारिती को भाग ख में "पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार", "पात्र निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन" या "पात्र व्यवसाय" के अनुभागों को तभी भरना होगा जब संबंधित लेन-देन का चयन इस पंक्ति में किया गया हो।
5. भाग ख (क्र. सं. 9) में, (ii) केवल तभी लागू होगा जब पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार (ईआईटी) को भाग ख (क्रम संख्या 8) में संदर्भित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपबंध के रूप में चुना गया हो।
6. भाग ख (क्रम संख्या 1) में, –

(क)निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: –

(I)	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपबंध ।
(II)	जेनेरिक फार्मास्युटिकल दवाओं से पूर्णतः या आंशिक रूप से संबंधित संविदात्मक अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध ।
(III)	ऑटोमोबाइल के प्रमुख घटकों का विनिर्माण और निर्यात।
(IV)	गैर-मुख्य ऑटोमोबाइल घटकों का विनिर्माण और निर्यात।
(V)	डाटा सेंटर सेवाओं का उपबंध ।

(ख)यदि (क) में एक से अधिक ईआईटी का चयन किया जाता है, तो प्रत्येक ईआईटी के लिए "ईआईटी की प्रकृति" और "ईआईटी के ब्यौरे" भरा जाना है।

7. यदि निर्धारिती नियम में परिभाषित अनुसार कर-मुक्त या कम कर वाले देश या क्षेत्र का चयन करता है यदि धारा 86 के अधीन अधिसूचित है या धारा 176 के अधीन अधिसूचित है, तो नियम 92 के अनुसार उस देश या क्षेत्र में स्थित एई के साथ संव्यवहार के लिए सुरक्षित बंदरगाह की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. भाग ख (क्र. सं. 13(iii)) में, स्तंभ छ और ज केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जहां भाग ख (क्र. सं. 13(ii)) में "हाँ" का चयन किया गया हो।

9. भाग बी (क्र. सं. 17) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: –

(I)	कच्चे हीरों की बिक्री।
(II)	किसी संविदा निर्माता को बिक्री के लिए सीमाशुल्क वंचित क्षेत्र में स्थित गोदाम में घटकों के भंडारण के कारबार क्रियाकलाप ।

10. यदि क्षेत्र एक निर्दिष्ट भूभाग है, तो इसका उल्लेख किया जा सकता है।

11. **यह प्ररुप यथास्थिति निर्धारण अधिकारी या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) के समक्ष लागू किया जाना है, और धारा** 265 **के अधीन आय की विवरणी सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है।**

12. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम/रसीद रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

13. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररुप सं. 50

[नियम 105 देखें]

पूर्व-फाइलिंग परामर्श के लिए आवेदन

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="4">नाम:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="4">पता:</td><td>(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">भारत में संपर्क पता:</td><td>(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="4">स्थायी खाता संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="4">यदि निवास के देश/क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन) उपलब्ध हो:</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="4">ईमेल आईडी:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="4" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="4">प्राधिकृत प्रतिनिधि:</td><td>(टिप्पण 4 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="4">अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) का प्रकार (एक या अधिक चुनें):</td><td>एकतरफा/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="4">द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार के मामले में, क्या सहयुक्त उद्यम (एई) जिस देश/क्षेत्र में स्थित है, वहां एपीए कार्यक्रम विद्यमान है?</td><td>हां /नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td colspan="4">प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे:</td><td></td></tr>
<tr><td>क्र. सं</td><td>प्रकार</td><td colspan="2">एई की विशिष्टियां</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>नाम</td><td>स्थान (देश/क्षेत्र)</td><td>एई का करदाता पहचान संख्या</td><td></td><td>पिछले 3 कर वर्ष के लिए अनुमानित मूल्य (यदि उपलब्ध हो)</td></tr>
</table>

					(टीआईएन) या इसके समतुल्य	प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन पद्धति (एक विकल्प चुनें) (टिप्पण 5 देखें)	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	1.								
12.	वे कर वर्ष जिनके लिए एपीए प्रस्तावित है, जिनमें रोलबैक वर्ष भी शामिल हैं:								
13.	अन्य ब्यौरे पृथक रुप से संलग्न किए जाने हैं:						(टिप्पण 9 के अनुसार संलग्न करें)		

सत्यापन

मैं _____, जिसका पैन/टिन _____ (टिन के मामले में देश का नाम) _____ द्वारा जारी किया गया है, _____ की क्षमता में यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररुप में प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज़ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, व्यापक और सही हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा ।

2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होना चाहिए।

3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/ अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण में उनका पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होना चाहिए।

5. अंतरण मूल्यांकन ब्यौरों पद्धितियों का चयन धारा 165 में विनिर्दिष्ट विधियों में से किया जाएगा।
6. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दी गई जगह अपर्याप्त पाई जाती है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग से संलग्नक का उपयोग किया जा सकता है। इन संलग्नकों पर आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां भी यही उल्लिखित किया जाना चाहिए।
8. यदि पूर्व-आवेदन बैठक अनाम आधार पर आयोजित की जाती है, तो आवेदक या उससे सहयुक्त उद्यमों के नाम नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे, अर्थात् नाम, पता और संपर्क ब्यौरे (फोन नंबर और ईमेल आईडी), देना अनिवार्य होगा।
9. भाग ख (क्रम संख्या 13) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

<table>
<tr><td>उपाबंध</td><td>विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>क-1</td><td>आवेदक समूह की वैश्विक संरचना और वह उद्योग जिसमें वह कार्यरत है।</td></tr>
<tr><td>क-2</td><td>आवेदक के व्यवसाय का मॉडल और पिछले 3 कर वर्ष में उसके कारबार संचालन का संक्षिप्त विवरण।</td></tr>
<tr><td>क-3</td><td>आवेदक और उससे सहयुक्त उद्यमों का कार्यात्मक प्रोफाइल।</td></tr>
<tr><td>क-4</td><td>अंतरण मूल्यांकन लेखा परीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।
<table>
<tr><td>कर वर्ष</td><td>विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार</td><td>समायोजन की रकम</td><td>प्रत्येक अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय</td><td>वर्तमान स्थिति</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>क-5</td><td>अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे, जिन्हें एपीए में सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है।</td></tr>
</table>

10. इस प्ररुप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।
11. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररुप सं. 51

[नियम 106 देखें]

अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) के लिए आवेदन

<table>
<tr><td colspan="4">भाग अ: आवेदक की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td>(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">भारत में संपर्क पता:</td><td>(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे:</td><td>(टिप्पण 4 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="4">भाग आ: अन्य ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">पूर्व-फाइलिंग आवेदन की पावती संख्या (केवल अनाम पूर्व-फाइलिंग परामर्श के मामले में):</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">एपीए प्ररुप का प्रकार (एक या अधिक चुनें):</td><td>एकतरफा/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td colspan="2">यदि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए है, तो क्या सहयुक्त उद्यमों (एई) ने अपने निवास देश/क्षेत्र में एपीए के लिए आवेदन किया है:</td><td></td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>यदि हां, तो आवेदन का प्रमाण संलग्न करें।</td><td></td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि नहीं, तो आवेदन की प्रस्तावित तारीख</td><td></td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>दूसरे देश में आवेदन किए गए एपीए की अवधि</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.</td><td colspan="2" rowspan="2">प्रस्तावित एपीए की अवधि और जिस तारीख से एपीए का अनुरोध किया गया है:</td><td>अवधि</td><td>तारीख</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

12.	कवर किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे:								
	क्र. सं.	संव्यवहार आईडी (टिप्पण 5 देखें)	प्रकार	अनुमानित रकम	एई की विशेष विशिष्टियां			प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टिप्पण 6 देखें)	क्या रोलबैक का विकल्प चुना गया है?
					एई का नाम	एई का स्थान (देश/क्षेत्र)	एई का करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) या इसके समकक्ष		
	1.							(एक का चयन करें)	हां /नहीं
	2.								

13.	प्रत्येक संव्यवहार के लिए पिछले चार कर वर्ष के ब्यौरे जिसके लिए रोलबैक का विकल्प चुना गया है (टिप्पण 9.क-27 देखें):					
	कर वर्ष	संव्यवहार आईडी	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	प्ररुप सं. 48 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	लंबित अपीलों के ब्यौरे	क्या अपील अधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के आसन्निकट कीमत पर अपील का निपटारा कर दिया है?
						हां /नहीं

14.	आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस की विशिष्टियां:		
	(क)	आवेदन फीस:	
		(क) रकम (रु. में)	
		(ख). संव्यवहार संदर्भ संख्या	
	(ख).	रोलबैक फीस:	
		(क) रकम (रु. में)	
		(ख). संव्यवहार संदर्भ संख्या	
15.	अन्य ब्यौरे अलग से उपाबंध के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे:		*(टिप्पण 9 देखें)*

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/ द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में उनका पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होंगे।
5. प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए संव्यवहार आईडी विनिर्दिष्ट की जाएगी और तत्पश्चात यह स्वतः भर जाएगी।
6. अंतरण मूल्यांकन पद्धतियों का चयन धारा 165 में निर्दिष्ट विधियों में से किया जाएगा।
7. नियम 106(4) के अनुसार फीस होगी।
8. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, यही उल्लिखित किया जाना चाहिए ।
9. भाग ख (क्रम संख्या 15) के संबंध में, निम्नलिखित को उपाबंध के रूप में उपबंधित किया जाएगा: –

उपाबंध	विशिष्टियां			
	सामान्य			
क-1	आवेदक और संबंधित उद्यम का इतिहास और पृष्ठभूमि।			
क-2	कारबार और उत्पादों/सेवाओं का सामान्य विवरण।			
क-3	बहुराष्ट्रीय संरचना, संगठनात्मक व्यवस्था, परिचालन संरचना, जिसमें प्रमुख संव्यवहार प्रवाह सम्मिलित हैं।			
क-4	बहुराष्ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों (मात्रा, निदेश और रकम) के ब्यौरे, जिनका कवर किए गए लेन-देनों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है।			
क-5	एपीए के लिए प्रस्तावित नियम और शर्तें, और महत्वपूर्ण मान्यताएँ।			
क-6	सभी कारबार स्थानों के ब्यौरे			
	स्थान का पता		ऐसे अवस्थान पर किए गए कार्य	कर्मचारी संख्या
क-7	मूल कंपनी के ब्यौरे			
(क).	सभी तात्कालिक मूल कंपनी के ब्यौरे:			हां/ नहीं
	(क)	नाम		
	(ख	पता		
	(ग)	निवास का देश/क्षेत्र		
	(घ)	टिन या इसके समतुल्य		
(ख).	वास्तविक पेरेंट कंपनी के ब्यौरे:			हां /नहीं
	(क)	नाम		
	(ख	पता		
	(ग)	निवास का देश/क्षेत्र		
	(घ)	टिन या इसके समतुल्य		
	कार्यात्मक विश्लेषण			
क-8	संबंधित संव्यवहार के संबंध में आवेदक और सभी संबंधित इकाईयों का विस्तृत कार्यात्मक विश्लेषण।			
क-9	प्रस्तावित एपीए में सम्मिलित अवधि के लिए कारबार रणनीतियाँ: -			

	(i) वर्तमान वित्तीय अनुमान और भविष्य के वित्तीय अनुमान, (ii) कारबार योजनाएँ, (iii) सामान्य व्यापार और उद्योग के रुझान, (iv) अनुसंधान और विकास, उत्पादन और विपणन सहित भविष्य की दिशा/व्यापार रणनीति (v) सुसंगत विपणन एवं वित्तीय अध्ययन (प्रतियाँ संलग्न करें)।
क-10	पिछले 5 वर्ष के लिए समेकित और गैर-समेकित आधार पर वित्तीय विवरण, (प्रस्तुति की तारीख से पहले की सबसे हाल की अवधि के लिए अंतरिम विवरण भी प्रदान करें)।
	उद्योग और बाजार विश्लेषण
क-11	उद्योग का व्यापक विवरण, साथ ही साथ साधारणतया स्वीकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रथाएं।
क-12	प्रतिभागियों की पहचान और उनका सामान्य पार्श्वचित, जिसमें उनकी संबंधित बाजार हिस्सेदारी भी सम्मिलित है।
क-13	उद्योग और सामान्य व्यवसाय के आँकड़े, वित्तीय अनुपात और विश्लेषण/अध्ययन।
क-14	विस्तृत उद्योग विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारक।
क-15	इसमें सम्मिलित सभी देशों के बाजारों का विस्तृत विश्लेषण।
	अंतरण मूल्यांकन की पृष्ठभूमि
क-16	भारत और विदेशी देश के बीच भारतीय विधि, विदेशी विधि और डीटीएए के अनुसार सुसंगत विधिक विचारों और अपेक्षाओं पर चर्चा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी का इतिहास भी सम्मिलित है।
क-17	आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यमों) द्वारा विदेशी कर प्रशासनों के साथ किए गए सुसंगत निर्णयों, यूएपीए/बीएपीए/एमएपीए और अन्य समान समझौतों पर चर्चा, जो अंतरण मूल्यांकण या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कराधान मामलों से संबंधित हैं।
क-18	**अंतरण मूल्यांकन** लेखापरीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।

कर वर्ष	विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार	समायोजन की रकम	प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय	वर्तमान स्थिति

<table>
<tr><td>क-19</td><td>विदेशी अंतरण मूल्यांकन लेखापरीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।
<table>
<tr><th>कर वर्ष</th><th>विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार</th><th>समायोजन की रकम</th><th>प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>क-20</td><td>इस आवेदन से संबंधित सभी सुसंगत करारों (मूल्यांकन, लागत साझाकरण, अनुज्ञापन, अभिकरण, वितरक आदि) की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी हैं।</td></tr>
<tr><td>क-21</td><td>पिछले 5 वर्ष के लिए उत्पाद श्रेणी, प्रभाग, इकाई और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित परिचालन डाटा (सकल और शुद्ध)।</td></tr>
<tr><td colspan="2">अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टीपीएम) विश्लेषण</td></tr>
<tr><td>क-22</td><td>प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन (टीपीएम) की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करें, जिसमें विस्तृत विश्लेषण और स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं, जो भारतीय आयकर विधि में निहित अंतरण मूल्यांकन विनियमों के अनुरूप हों।</td></tr>
<tr><td>क-23</td><td>प्रत्येक संव्यवहार के लिए लागू या अस्वीकृत प्रत्येक अंतरण मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा और विश्लेषण करें। विशेष रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुलनीय कारकों के ब्यौरे प्रदान करें। (प्रत्येक अंतरण मूल्यांकन पद्धति की स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करने वाली मान्यताओं, रणनीतियों और नीतियों का उल्लेख करें)।</td></tr>
<tr><td>क-24</td><td>चयनित टीपीएम और द्वितीयक टीपीएम का सार, यदि इनका उपयोग सत्यता की जांच के लिए किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>क-25</td><td>प्रस्तावित टीपीएम को पिछले 5 वर्ष के संचालन और आवेदक द्वारा एपीए में सम्मिलित किए जाने वाले समय अवधि के लिए कवर किए गए संव्यवहार पर लागू करना और परिणामों पर चर्चा करना।</td></tr>
<tr><td>क-26</td><td>प्रस्तावित टीपीएम और पिछले 5 वर्षों में लागू किए गए टीपीएम के बीच यदि कोई अंतर है, तो उस पर चर्चा और उसका मात्रात्मक विश्लेषण।</td></tr>
<tr><td>क-27</td><td>यदि किसी कर वर्ष के लिए किसी संव्यवहार आईडी के लिए रोलबैक का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो इसके कारण बताए जाने चाहिए।</td></tr>
</table>

10.प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

11.इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 52

[नियम 113 देखें]

अग्रिम मूल्यांकन करार पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">प्राधिकृत प्रतिनिधि:</td><td colspan="2">(टिप्पण 4 देखें)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">कर वर्ष</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="4">अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) आवेदन की पावती संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td colspan="4">प्रत्येक प्रकार के कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय सैव्यवहार के लिए एपीए के अनुसार समायोजन के ब्यौर:</td><td></td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>प्रकार</td><td>उपाबंध क-1 के अनुसार समायोजन अपेक्षित है (टिप्पण 9 देखें)</td><td colspan="2">आय की विवरणी में किए गए समायोजन की रकम</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="4">अन्य ब्यौरे पृथक रूप से उपाबंध के रूप में उपबंचित किए जाएंगे:</td><td>(टिप्पण 9 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="6">सत्यापन</td></tr>
</table>

मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होंगे।
5. अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) में सम्मिलित प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट फाइल की जाएगी। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग रिपोर्ट फाईल की जाएगी।
6. ऊपर उल्लिखित "कवर किए गए संव्यवहार" से संबंधित जानकारी प्रत्येक कवर किए गए संव्यवहार के लिए अलग से प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
7. कृपया एपीए में सहमति के अनुसार सभी दस्तावेज़ संलग्न करें जो अंतरण मूल्यांकन पद्धति और आसन्निकट कीमत की गणना को न्यायोचित्य ठहराते हों।
8. यदि क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, तो उसे उल्लिखित किया जा सकता है।

9. उपाबंध के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

<table>
<tr><th>उपाबंध</th><th>विशिष्टियां</th></tr>
<tr><td>क-1</td><td>1. परिचालन व्यय के संबंध में परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) को लाभ स्तर संकेतक (पीएलआई) मानकर किए जाने वाले समायोजन की गणना।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विशिष्टियां</th><th></th><th>रकम</th></tr>
<tr><td>1</td><td>लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन व्यय</td><td>क</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>जोड़ें: वे व्यय जो लेखा-बहियों में लेखबद्ध नहीं हैं, किंतु जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें)
<table>
<tr><th>व्यय की प्रकृति</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>ख</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>घटाएँ: लेखा-बहियों में लेखबद्ध व्यय जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें)
<table>
<tr><th>व्यय की प्रकृति</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>ग</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>एपीए (क+ख-ग) के अनुसार परिचालन व्यय (ओई)</td><td>घ</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन राजस्व</td><td>ङ</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5	जोड़ें: वे राजस्व जो लेखा बही में लेखबद्ध नहीं हैं, किंतु जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें) राजस्व का स्वरूप | रकम	च		
6	घटाएँ: लेखा बही में लेखबद्ध राजस्व जिसे एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया प्रत्येक मद को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें) राजस्व का स्वरूप | रकम	छ		
7	एपीए (ङ+च-छ) के अनुसार परिचालन राजस्व	ज		
8	एपीए के अनुसार परिचालन लाभ (ज-घ)।	झ		
9	लेखा बहियों के अनुसार परिचालन लाभ (ड.क)	ञ		
10	एपीए के अनुसार ओपीएम (I*100/घ)	ट		
11	लेखा बहियों के अनुसार ओपीएम (ञ*100/घ)	ठ		
12	ओपीएम (ट-ठ) में भिन्नता	ड		
13	अपेक्षित समायोजन की राशि ज*घ@	ढ		

@ यदि 2 या अधिक संव्यवहार को एक साथ मिलाया जाता है, तो उपरोक्त सारणी में N के अनुसार समायोजन की कुल रकम किसी एक एकत्रित संव्यवहार में दिखाया जा सकता है और शेष एकत्रित संव्यवहारके लिए समायोजन रकम शून्य उल्लिखित की जा सकती है यदि द्वितीयक जाँच/अन्य जाँच (यदि कोई हो) के अनुसार कोई समायोजन अपेक्षित न हो।

2. परिचालन राजस्व के संबंध में परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) को लाभ स्तर संकेतक (पीएलआई) मानकर किए जाने वाले समायोजन की गणना।

क्र. सं.	विशिष्टियां		रकम	
1	लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन व्यय	क		
2	जोड़ें: वे व्यय जो लेखा-बहियों में लेखबद्ध नहीं हैं, किंतु एपीए के अनुसार जोड़े जाने अपेक्षित हैं (कृपया स्पष्ट करें) क……..ख. …….	ख		
3	घटाएँ: लेखा-बहियों में लेखबद्ध व्यय, जिन्हें एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) क……..ख. …….	ग		
4	एपीए (क+ख-ग) के अनुसार परिचालन व्यय (ओई)	घ		
5	लेखा-बहियों के अनुसार परिचालन राजस्व	ङ		
6	जोड़ें: लेखा बही में लेखबद्ध न की गई राजस्व रकम, जिसे एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) क…….. ख ……।	च		
7	घटाएँ: लेखा बहियों में लेखबद्ध राजस्व जिसे एपीए के अनुसार जोड़ना अपेक्षित नहीं है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) क…….. ख ……।	छ		
8	एपीए (ङ+च-छ) के अनुसार परिचालन राजस्व	ज		
9	एपीए के अनुसार परिचालन लाभ (ज-घ)।	झ		

	10	लेखा बहियों के अनुसार परिचालन लाभ (ङ-क)	ञ		
	11	एपीए के अनुसार ओपीएम (1*100/ज)	ट		
	12	लेखा बहियों के अनुसार ओपीएम (ञ*100/ज)	ठ		
	13	ओपीएम (ट-ठ) में भिन्नता	ड		
	14	अपेक्षित समायोजन की रकम ज*घ@	ढ		

@ यदि 2 या अधिक संव्यवहारको एक साथ मिलाया जाता है, तो उपरोक्त सारणी में ढ के अनुसार समायोजन की कुल रकम किसी एक एकत्रित संव्यवहारमें दिखाया जा सकता है और शेष एकत्रित संव्यवहारके लिए समायोजन राशि शून्य उल्लिखित की जा सकती है यदि द्वितीयक जाँच/अन्य जाँच (यदि कोई हो) के अनुसार कोई समायोजन अपेक्षित न हो।

3. अन्य मामलों में समायोजन की गणना संदत्त की गई या देय/प्राप्त या प्राप्य राशि के आधार पर एपीए (यूएपीए/बीएपीए/एमएपीए) के अनुसार की जाएगी।

क्र.सं.	विशिष्टियां		रकम
1	लेखा-बहियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य	क	
2	एपीए के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य	ख	
3	अपेक्षित समायोजन की रकम	ग	

क-2	एपीए के अनुसार महत्वपूर्ण मान्यताएँ:		क्या अनुपालन किया गया	यदि नहीं, तो उसके ब्यौरे
	क. सामान्य			
	1	क्या अंतरण मूल्यांकन पद्धति लागू की गई थी?	हां/नहीं	
	2	क्या कारबार क्रियाकलाप पहले जैसी ही रहीं?		
	3	क्या वित्तीय, कर और लेखांकन की पद्धतियाँ अपरिवर्तित रही हैं?	हां/नहीं	

	ख. निष्पादित कार्य, नियोजित आस्तियां और उठाए गए जोखिम (एफएआर)			
	1	क्या एफएआर मौलिक रुप से वही रहा है?	हां/नहीं	
	2	क्या आवेदक का वर्गीकरण अपरिवर्तित रहा है?	हां/नहीं	
	ग.			
	1	क्या धारा 176 क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता से कोई नया कड जोड़ा गया है या नियम 86(ज) के अनुसार कोई कर रहित या कम कर अधिकारिता का निवासी है।	हां/नहीं	
	2	क्या कोई एई धारा 176 क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता या नियम 86(ज) के अनुसार कोई कर या कम कर अधिकारिता का निवासी बन गया है?	हां/नहीं	
	घ. चालान और प्रत्यय निबंधन			
	1	क्या आवेदक द्वारा चालान जारी करने की आवृत्ति एपीए के अनुसार थी?	हां/नहीं	
	2	क्या सहायक कर्मचारी द्वारा चालान जारी करने की आवृत्ति एपीए के अनुसार थी?	हां/नहीं	
	3	क्या आवेदक द्वारा एपीए में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार चालान जारी किए गए थे?	हां/नहीं	
	4	क्या ए.ई. द्वारा ए.पी.ए. में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार चालान जारी किए गए थे?	हां/नहीं	
	5	क्या आवेदक ने एपीए में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार चालान का भुगतान कर दिया था?	हां/नहीं	

	6	क्या आवेदक ने एपीए में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार बिलों का भुगतान किया था?	हां/नहीं	
	7	क्या आवेदक ने चालान और प्रत्यय निबंधन का पालन न करने की स्थिति में ब्याज आय की प्रस्थापना की है?	हां/नहीं	
		ङ. अन्य अनुपालन		
	1	क्या धारा 170 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है?	हां/नहीं	
	2	क्या धारा 177 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है?	हां/नहीं	
	3	क्या खंडीय खाते सहमति के अनुसार तैयार किए गए हैं?	हां/नहीं	
	4	क्या प्रबंधन, लागत लेखाकार, चार्टर्ड लेखाकार, चार्टर्ड इंजीनियर और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से सहमति के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं?	हां/नहीं	
	5	एपीए के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण मान्यताएँ जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (यदि अपेक्षित हो तो पंक्ति जोड़ें)	हां/नहीं	
क-3	क्या एपीए में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज का रखरखाव और उपलब्धता सुनिश्चित की गई है?		हां/नहीं	यदि नहीं, तो उसके ब्यौरे

10. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

11. इस प्रपत्र में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किये गया हो।

प्ररूप सं. 53

[नियम 118 देखें]

धारा 206(1) के अधीन देय कर में राहत की गणना के लिए पिछले वर्षों के ब्यौरे फाईल करने के लिए प्ररूप

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">भारत में संपर्क पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">आधार संख्या:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">यदि निवास के देश/क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन) उपलब्ध हो:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो):</td><td colspan="2">(टिप्पण 4 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="4">कंपनी की आवासीय स्थिति:</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="4">सुसंगत कर वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="4">क्या यह अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) का या द्वितीयक समायोजन का मामला है</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td rowspan="3">पिछली आय के ब्यौरे नियम 118(3) देखें):</td><td>सुसंगत कर वर्ष</td><td>पिछली आय की रकम</td><td colspan="2">पिछली आय की कुल रकम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

14.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम क (पिछले वर्ष की आय सहित कर वर्ष के बही लाभ पर देय कर):				
15.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम ख (पिछले वर्ष की आय के सिवाय कर वर्ष के बही लाभ पर देय कर):				
16.	(क ख) [(14) – (15)]:				
17.	क.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम ग:			
	ख.	देय कर की रकम पिछले वर्ष के बही- लाभ पर देय कर का कुल योग, जिसमें पिछली आय भी सम्मिलित है।	सुसंगत कर वर्ष	पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर के ब्यौरे, जिसमें पिछली आय भी सम्मिलित है:	सुसंगत कर वर्ष
18.	क.	नियम 118(1) में सूत्र की रकम घ:			
	ख.	पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर के ब्यौरे:	सुसंगत कर वर्ष	देय कर की रकम	पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर का कुल योग
19.	(गघ)[(17)(क) - (18)(क)]:				
20.	धारा 206 [(16) – (19)] के अधीन कर में राहत (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें):				

सत्यापन

मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होगा।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में उनका पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होगा।
5. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 54

[नियम 119 देखें]

अग्रिम मूल्यांकन करार (एपीए) के नवीनीकरण के लिए आवेदन

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां								
1.	नाम:					*(टिप्पण 1 देखें)*		
2.	पता:					*(टिप्पण 2 देखें)*		
3.	भारत में संपर्क पता:					*(टिप्पण 3 देखें)*		
4.	पैन							
5.	भारत में संपर्क ब्यौरे (ई-मेल आईडी और फोन नंबर):							
6.	प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे:					*(टिप्पण 4 देखें)*		
भाग ख: अन्य ब्यौरे								
7.	पिछले एपीए के लिए फाईल आवेदन की पावती संख्या							
8.	एपीए का प्रकार					एकतरफा/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय		
9.	यदि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए है, तो क्या सहयुक्त उद्यमों (एई) ने अपने निवास देश/क्षेत्र में एपीए के लिए आवेदन किया है?							
	क	यदि हां, तो आवेदन का प्रमाण संलग्न करें।						
	ख	यदि नहीं, तो आवेदन की प्रस्तावित तारीख						
	ग	दूसरे देश में आवेदन किए गए एपीए की अवधि						
10.	प्रस्तावित एपीए की अवधि और जिस तारीख से एपीए का अनुरोध किया गया है:					अवधि	तारीख	
11.	प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के ब्यौरे:							
	क्र.सं.		प्रकार		एई का विशेष विशिष्टियां			

		संव्यवहार आईडी (टिप्पण 5 देखें)		अनुमानित रकम	एई का नाम	एई का स्थान (देश/क्षेत्र)	एई का करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) या इसके समतुल्य	प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टिप्पण 6 देखें)	क्या रोलबैक का विकल्प चुना गया है?
	1.							(एक का चयन करें)	हां नहीं
	2.								
12.	प्रत्येक संव्यवहार के लिए पिछले चार कर वर्ष के ब्यौरे, जिसके लिए रोलबैक का विकल्प चुना गया है (टिप्पण 9.क-27 देखें):								
	कर वर्ष	संव्यवहार आईडी		आय ब्यौरे प्रस्तुत करने की तारीख	प्ररुप संख्या 48 में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	लंबित अपीलों के ब्यौरे	क्या अपील अधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के आसन्निकट कीमत पर अपील का निपटारा कर दिया है?		
							हां /नहीं		
13.	आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस की विशिष्टियां:								
	क	आवेदन फीस:							
		क	रकम						

		ख	संव्यवहार संदर्भ संख्या		
	ख	रोलबैक शुल्क:			
		क	रकम		
		ख	संव्यवहार संदर्भ संख्या		
14.	क्या उपाबंध क-1 से क-26 में उल्लिखित विवरणों/दस्तावेजों में पिछली बार दाखिल किए गए आवेदन से कोई परिवर्तन हुआ है?			हां/नहीं (टिप्पण 9 देखें)	यदि उत्तर हां है, तो कृपया सुसंगत उपाबंधों(कों) को अद्यतन कर दें।
	क-1				
	क-2				

सत्यापन

मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे में प्राधिकृत प्रतिनिधियों का पूरा नाम, पता, ई-मेल और संपर्क नंबर सम्मिलित होंगी।
5. प्रत्येक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के लिए संव्यवहार आईडी विनिर्दिष्ट की जाएगी और तत्पश्चात यह स्वतः भर जाएगी।
6. अंतरण मूल्यांकन पद्धतियों का चयन धारा 165 में विनिर्दिष्ट पद्धतियों में से किया जाएगा।
7. फीस नियम 106(1) और नियम 111(5) के अनुसार होगी।
8. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां भी यह उल्लिखित किया जाना चाहिए।
9. क्र.सं.14 में निर्दिष्ट उपाबंध निम्नानुसार हैं: -

उपाबंध	विशिष्टियां		
	सामान्य		
क-1	आवेदक और सहयुक्त उद्यम का इतिहास और पृष्ठभूमि।		
क -2	कारबार और उत्पादों/सेवाओं का सामान्य ब्यौरे।		
क-3	बहुराष्ट्रीय संरचना, संगठनात्मक व्यवस्था, परिचालन संरचना, जिसमें प्रमुख संव्यवहार प्रवाह सम्मिलित हैं।		
क-4	बहुराष्ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों (निदेश और रकम) के ब्यौरे, जिनका कवर किए गए संव्यवहारों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है।		
क-5	एपीए के लिए प्रस्तावित निबंधन और शर्तें, और महत्वपूर्ण मान्यताएँ।		
क -6	सभी व्यावसायिक स्थानों के ब्यौरे		
	स्थान का पता	निष्पादित कार्य	कर्मचारी संख्या
क-7	मूल कंपनी के ब्यौरे		

क	सभी तात्कालिक मूल कंपनी का ब्यौरे:		हां/ नहीं
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	निवास का देश/क्षेत्र	
	घ	टिन या इसके समतुल्य	
ख	वास्तविक मूल कंपनी के ब्यौरे:		हां/ नहीं
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	निवास का देश/क्षेत्र	
	घ	टिन या इसके समतुल्य	
कार्यात्मक विश्लेषण			
क-8	संबंधित संव्यवहार के संबंध में आवेदक और सभी संबंधित इकाइयों का विस्तृत कार्यात्मक विश्लेषण।		
क-9	प्रस्तावित एपीए में सम्मिलित अवधि के लिए व्यावसायिक रणनीतियाँ: - (i) वर्तमान वित्तीय अनुमान और भविष्य के वित्तीय अनुमान, (ii) व्यावसायिक योजनाएँ, (iii) सामान्य व्यापार और उद्योग के रुझान, (iv) अनुसंधान और विकास, उत्पादन और विपणन सहित भविष्य की दिशा/व्यापार रणनीति (v) सुसंगत विपणन एवं वित्तीय अध्ययन (प्रतियाँ संलग्न करें)।		
क-10	पिछले 5 वर्ष के लिए समेकित और गैर-समेकित आधार पर वित्तीय ब्यौरे, (प्रस्तुति की तारीख से पहले की सबसे हाल की अवधि के लिए अंतरिम ब्यौरे भी प्रदान करें)।		
उद्योग और बाजार विश्लेषण			
क-11	उद्योग का व्यापक ब्यौरे, साथ ही साथ साधारणतया पर स्वीकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रथाएं।		

<table>
<tr><td>क-12</td><td>प्रतिभागियों की पहचान और उनका सामान्य पार्श्वचित्र, जिसमें उनकी संबंधित बाजार हिस्सेदारी भी सम्मिलित है।</td></tr>
<tr><td>क-13</td><td>उद्योग और सामान्य व्यवसाय के आँकड़े, वित्तीय अनुपात और विश्लेषण/अध्ययन।</td></tr>
<tr><td>क-14</td><td>विस्तृत उद्योग विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारक।</td></tr>
<tr><td>क-15</td><td>इसमें सम्मिलित सभी देशों के बाजारों का विस्तृत विश्लेषण।</td></tr>
<tr><td colspan="2">अंतरण मूल्यांकन की पृष्ठभूमि</td></tr>
<tr><td>क-16</td><td>भारत और विदेशी देश के बीच भारतीय विधि, विदेशी विधि और डीटीएए के अनुसार सुसंगत विधिक विचारों और अपेक्षाओं पर चर्चा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी का इतिहास भी सम्मिलित है।</td></tr>
<tr><td>क-17</td><td>आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यमों) द्वारा विदेशी कर प्रशासनों के साथ किए गए सुसंगत निर्णयों, यूएपीए/बीएपीए/एमएपीए और अन्य समान समझौतों पर चर्चा, जो अंतरण मूल्यांकन या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कराधान मामलों से संबंधित हैं।</td></tr>
<tr><td>क-18</td><td>अंतरण मूल्यांकन लेखा परीक्षा का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।
<table>
<tr><th>कर वर्ष</th><th>विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार</th><th>समायोजन की रकम</th><th>प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>क-19</td><td>विदेशी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट का इतिहास और अपीलों की वर्तमान स्थिति।
<table>
<tr><th>कर वर्ष</th><th>विवादित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार</th><th>समायोजन की रकम</th><th>प्रत्येक अपील प्राधिकारी का विनिश्चय</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>क-20</td><td>इस आवेदन से संबंधित सभी सुसंगत करारों,मूल्यांकन, लागत साझाकरण, अनुज्ञापन, अभीकरण, वितरक आदि) की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी हैं।</td></tr>
</table>

क-21	पिछले 5 वर्ष के लिए उत्पाद श्रेणी, प्रभाग, इकाई और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित परिचालन डाटा (सकल और शुद्ध)।
अंतरण मूल्यांकन पद्धति (टीपीएम) विश्लेषण	
क-22	प्रस्तावित अंतरण मूल्यांकन (टीपीएम) की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करें, जिसमें विस्तृत विश्लेषण और स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं, जो भारतीय आयकर विधि में निहित अंतरण मूल्यांकन विनियमों के अनुरूप हों।
क-23	प्रत्येक संव्यवहार के लिए लागू या अस्वीकृत प्रत्येक ट्रांसफर प्राइसिंग विधि पर चर्चा और विश्लेषण करें। विशेष रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुलनीय कारकों के ब्यौरे प्रदान करें। (प्रत्येक अंतरण मूल्यांकन की स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करने वाली मान्यताओं, रणनीतियों और नीतियों का उल्लेख करें)।
क-24	चयनित टीपीएम और द्वितीयक टीपीएम का सार, यदि इनका उपयोग सत्यता की जांच के लिए किया जाता है।
क-25	प्रस्तावित टीपीएम को पिछले 5 वर्षों के संचालन और आवेदक द्वारा एपीए में सम्मिलित किए जाने वाले समय अवधि के लिए कवर किए गए संव्यवहार पर लागू करना और परिणामों पर चर्चा करना।
क-26	प्रस्तावित टीपीएम और पिछले 5 वर्ष में लागू किए गए टीपीएम के बीच यदि कोई अंतर है, तो उस पर चर्चा और उसका रकमत्मक विश्लेषण।
क-27	यदि किसी कर वर्ष के लिए किसी संव्यवहार आईडी के लिए रोलबैक का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो इसके कारण बताए जाने चाहिए।

10.प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

11.इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 55

[नियम 121 देखें]

भारत में निवासी निर्धारिती द्वारा अन्य देशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ हुए करार में उपबंधित पारस्परिक करार प्रक्रिया का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्ररूप

भाग क: आवेदक का विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य ब्यौरे			
6.	स्थिति:	*(टिप्पण 3 देखें)*	
7.	कर वर्ष:		
8.	अधिकार क्षेत्र/वार्ड:		
9.	दूसरे देश या क्षेत्र (संधि भागीदार) में कर प्राधिकरण का नाम और पदनाम:		
10.	जिस नोटिस या आदेश के कारण यह कार्रवाई शुरू हुई, उसकी तारीख:		
11।	क्या यह दावा किया जाता है कि संधि भागीदार के कर प्राधिकरण का आदेश/कार्य करार के अनुरूप नहीं है? (टिप्पण 5.क-3 देखें)	हां नहीं	
12.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किए जाने हैं:	*(टिप्पण 4 देखें)*	

सत्यापन
मैं, _____, पूरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न दस्तावेज़ और ब्यौरे सही और पूर्ण हैं तथा उनमें दर्शाए गई विशिष्टियां सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, मैंने ऐसा कोई तथ्य या जानकारी नहीं छिपाई है जो मेरे आवेदन पर विनिश्चय करने के लिए सुसंगत हो सकती है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह आवेदन कर रहा/रही हूँ और मेरा पैन नंबर _____ है और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में इकाई का पूरा नाम सम्मिलित होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/निर्दिष्ट क्षेत्र और पिन कोड सम्मिलित होना चाहिए।
3. व्यक्ति की स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब परिवार

(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. भाग ख (क्र. सं. 12) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	कार्यवाही का पुनरूत्थान करने वाले नोटिस या आदेश की प्रति।
क -2	भाग ख (क्रम संख्या 11) के संबंध में, यदि कोई हो, तो विस्तृत कारण प्रदान करें।
क-3	यदि भाग ख (क्रम संख्या 11) में उत्तर 'हाँ' है, तो इसके कारणों सहित पूर्ण ब्यौरे प्रदान किया जाना चाहिए।
क-4	यदि दूसरे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कोई उपाय मांगा गया है, तो उसके ब्यौरे दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें।
क-5	क-4 के संबंध में दस्तावेज़।
क -6	कोई अन्य दस्तावेज़

5. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां इसे उल्लिखित किया जाना चाहिए।

6. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

7. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 56

[नियम 123(2) देखें]

मास्टर फाइल

धारा 171(4) के अधीन घटक इकाई के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और दस्तावेज

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: व्यक्ति की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="4">लेखा वर्ष जिसके लिए जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा रहे हैं:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="5">उस अंतरराष्ट्रीय समूह के ब्यौरे जिसमें निर्धारिती एक घटक इकाई है:</td></tr>
<tr><td colspan="3">नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td colspan="2">पता (टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="5">भारत में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय समूह की सभी घटक इकाईयों के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td>पैन</td><td colspan="2">पता (टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="5">अंतर्राष्ट्रीय समूह की सभी घटक इकाईयों का विवरण:</td></tr>
</table>

	क्र. सं.	नाम *(टिप्पण 1 देखें)*	पता *(टिप्पण 2 देखें)*	विधिक स्थिति	क्या आप अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में संलग्न हैं (हाँ/नहीं)	क्या वह विधिक तौर पर अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्तियों के समूह का स्वामी है (हाँ/नहीं)	अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्तियों का समूह (टिप्पण 3 देखें)
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
	1.						
	2.	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)					
10.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:					*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*	

सत्यापन

मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति, विनिर्दिष्ट निधि या स्टॉक दलाल का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होगा।
3. भाग ख (क्रम संख्या 9) में, स्तंभ ज को केवल तभी भरा जाना है जब संबंधित इकाई के लिए स्तंभ छ में उत्तर हां हो।
4. भाग ख (क्रम संख्या 10) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे, उपाबंधो के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	**विशिष्टियां**
क-1	यह चार्ट समूह की घटक इकाईयों की विधिक स्थिति और संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समूह की स्वामित्व संरचना को दर्शाता है।
क -2	नियम 123(1)(ग) के अनुसार लेखा वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का लिखित विवरण, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्: — (i) कारबार या कारबारों की प्रकृति; (ii) ऐसे कारबार या कारबारों के लाभ के महत्वपूर्ण कारक; (iii) राजस्व के निबंधन से अंतरराष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला का विवरण और समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक मूल्य वाले किसी भी अन्य उत्पाद, जिनमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं; (iv) अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा ठहराव की एक सूची

	और संक्षिप्त विवरण, जो अनुसंधान और विकास सेवाओं से भिन्न हैं; (v) अंतर्राष्ट्रीय समूह के प्रमुख सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण; (vi) समूह के भीतर दी जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा लागतों के आबंटन और संदत की जाने वाली कीमतों के अवधारण के लिए अतंरण मूल्याकंन नीतियां। (vii) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रमुख भौगोलिक बाजारों की एक सूची और विवरण; (viii) अंतर्राष्ट्रीय समूह की उन घटक इकाईयों के कार्यों, आस्तियों और जोखिमों का विश्लेषण जो समूह के राजस्व, प आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का योगदान करती हैं; और (ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहार लाभ, अधिग्रहण और विनिवेश का विवरण।
क-3	प्रमुख अनुसंधान और विकास सुविधाओं के स्थान निर्धारण और उनके प्रबंधन सहित, अमूर्त संपत्ति के विकास, स्वामित्व और उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण।
क-4	अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच अमूर्त संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसमें लागत योगदान ठहराव, प्रमुख अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार सम्मिलित हैं।
क-5	अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्याकंन नीतियों का विवरण।
क -6	अंतर्राष्ट्रीय समूह की इकाईयों के बीच अमूर्त संपत्ति में हित के महत्वपूर्ण अंतरणों का विवरण, यदि कोई हो, जिसमें बेचने वाली और खरीदने वाली इकाईयों के नाम और पते और ऐसे अंतरणों के लिए संदत्त किया गया प्रतिकर सम्मिलित है।
क-7	अंतर्राष्ट्रीय समूह की वित्तपोषण ठहराव का विस्तृत विवरण, जिसमें शीर्ष दस असंबंधित

	ऋणदाताओं के नाम और पते सम्मिलित हैं।
क-8	समूह की उन इकाईयों की सूची जो केंद्रीय वित्तपोषण कार्य करती हैं, जिनमें उनके संचालन और प्रभावी प्रबंधन के पते सम्मिलित हैं।
क-9	समूह की इकाईयों के बीच वित्तपोषण ठहराव से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समूह की अंतरण मूल्यांकन नीतियों का विस्तृत विवरण।
क-10	अंतर्राष्ट्रीय समूह के वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की एक प्रति।
क-11	देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकतरफा अग्रिम मूल्याकंन करार और अन्य कर नियमों की एक सूची और संक्षिप्त विवरण।

5. इस प्ररूप पर धारा **265** के अंतर्गत आय विवरण सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना है।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

7. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 57

[नियम 123(4) देखें]

धारा 171(4) के प्रयोजनों के लिए, भारत में निवासी किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की नामनिर्दिष्ट घटक इकाई द्वारा सूचना

<table>
<tr><th colspan="5">भाग क: नामनिर्दिष्ट घटक इकाई की विशिष्टियां</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="5">भाग ख: अन्य ब्यौरे</th></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम जिसमें निर्धारिती एक घटक इकाई है:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="3">अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई का का ब्यौरा:</td><td></td></tr>
<tr><td>नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td>पता (टिप्पण 2 देखें)</td><td colspan="2">निवास का देश</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">लेखा वर्ष जिस के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है:</td><td></td></tr>
</table>

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पदनाम:

टिप्पण

1. नाम में घटक इकाई, मूल इकाई या समूह का पूरा नाम सम्मिलित होगा (क्रम संख्या 1, 6 और 7 के मामले में)।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. **इस प्ररूप पर धारा** 265 **के अधीन आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।**
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 58

[नियम 124(2) देखें]

धारा 511(1) के प्रयोजनों के लिए, भारत में निवासी किसी घटक इकाई द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की सूचना, जिसकी मूल इकाई भारत में निवासी नहीं है,

<table>
<tr><td colspan="5">भाग क: घटक इकाई की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td>(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">भाग ख: अन्य ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम जिसमें करदाता एक घटक इकाई है:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="3">अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई का विवरण:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td>पता (टिप्पण 2 देखें)</td><td colspan="2">निवास का देश</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="3">क्या अंतर्राष्ट्रीय समूह ने धारा 511(2) में उल्लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल इकाई के स्थान पर किसी वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई को नामनिर्दिष्ट किया है? यदि हाँ, तो वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई का निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:</td><td></td></tr>
<tr><td>नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td>पता (टिप्पण 2 देखें)</td><td colspan="2">निवास का देश</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">सत्यापन</td></tr>
</table>

मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।
मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में घटक इकाई, मूल इकाई, वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई या समूह का पूरा नाम सम्मिलित होगा (क्रम संख्या 1, 6 और 7 के मामले में)।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. **इस प्ररूप पर धारा** 265 **के अंतर्गत आय विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।**
4. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

***प्ररूप सं.* 59**

[नियम 124(3) देखें]

देश-दर-देश रिपोर्ट

धारा 511(2) या धारा 511(4) के प्रयोजनों के लिए, भारत में निवासी, मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई या किसी अन्य घटक इकाई द्वारा रिपोर्ट

भाग क: रिपोर्टिंग इकाई की विशिष्टयां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या:		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	क्या रिपोर्टिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई है? (जैसा लागू हो, चयन करें):	हां/नहीं	
भाग ख: अन्य आधारभूत ब्यौरे			
7.	रिपोर्टिंग लेखा वर्ष/कर वर्ष:		
8.	कैलेंडर वर्ष:		
9.	रिपोर्टिंग प्रकार (एक का चयन करें):	मूल/संशोधित/सुधार	
10.	यदि पुनरीक्षित या सुधार का विकल्प चयनित किया है, तो मूल फाइल करने का अनुक्रम संख्या प्रस्तुत करें:		
11।	रिपोर्टिंग भूमिका (एक चुनें) (टिप्पण 3 देखें):	अंतिम मूल इकाई/प्रतिनिधि मूल इकाई/स्थानीय फाइलिंग	

भाग ग: कर अधिकारिता के अनुसार आय, करों और कारबार क्रियाकलापों के आबंटन का अवलोकन

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम:

रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष:

प्रयुक्त मुद्रा:

क्र. सं.	कर अधिकारिता	राजस्व			संदत्त आयकर से पूर्व लाभ (हानि)	आयकर (पर) नकद आधार पर)	रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष के लिए उपार्जित आयकर	विवरणित पूंजी	संचित आय	कर्मचारियों की संख्या	नकद और नकद समतुल्य के अलावा मूर्त आस्तियां
		असंबंधित पक्ष	संबंधित पार्टी	कुल							
1.											
	(एकाधिक प्रविष्टियों के लिए पंक्तियाँ जोड़ें)										

भाग घ: प्रत्येक कर अधिकारिता के अधीन प्रत्येक समूह में सम्मिलित बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह की सभी घटक इकाईयों की सूची (घटक इकाईयों के अनुसार ब्यौरे भरा जाना है)

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम:

रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष:

क्र. सं.	कर अधिकारिता	कर अधिकारिता में निवासी घटक संस्थाएँ (एक का चयन करें	यदि संगठन या निगम का कर	कर पहचान संख्या	कर पहचान संख्या जारीकर्ता	पता (टिप्पण 2 देखें)	पते का प्रकार (एक का चयन करें)	निवास देश कोड (एक का चयन करें)	मुख्य कारबार क्रियाकलाप (एक विकल्प एक का चयन करें)	निगमन देश कोड (एक चुनें)	अन्य इकाई की जानकारी

		या निर्दिष्ट करें)	अधिकारिता निवास के कर अधिकारिता से भिन्न है तो (चयन करें या विनिर्दिष्ट करें)		(चयन करें या विनिर्दिष्ट करें)		(टिप्पण 3 देखें)		(टिप्पण 4 देखें)		
	(एकाधिक प्रविष्टियों के लिए पंक्ति जोड़ें)										

भाग ङ: अतिरिक्त जानकारी	
बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम: ***रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष:***	
क्र. सं.	कृपया कोई भी अतिरिक्त संक्षिप्त जानकारी या स्पष्टीकरण सम्मिलित करें जो आवश्यक समझा जाए या जो भाग ख और भाग ग में दी गई अनिवार्य जानकारी को समझने में सहायक हो।
1.	(एकाधिक प्रविष्टियाँ प्रदान करने के लिए पंक्ति जोड़ें)

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्म ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. **नाम में रिपोर्टिंग इकाई का पूरा नाम सम्मिलित होगा।**
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, अवस्थान, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. **घटक इकाई के पते का प्रकार निम्नलिखित में से चयनित किया जाएगा**: __

   क) आवासीय

   ख) आवासीय या कारबार

ग) व्यापार

घ) रजिस्ट्रीकृत

ङ) अविनिर्दिष्ट

4. मुख्य कारबार क्रियाकलाप का चयन निम्नलिखित में से किया जाएगा:

क) अनुसंधान और विकास

ख) बौद्धिक संपदा का स्वामित्व/प्रबंधन

ग) खरीद या क्रय

घ) विनिर्माण या उत्पादन

ङ) विक्रय, विपणन या वितरण

च) प्रशासनिक, प्रबंधन या सहायक सेवाएं

छ) असंबंधित पक्षों को सेवाएं प्रदान करना।

ज) आंतरिक समूह वित्त

झ) विनियमित वित्तीय सेवाएं

ञ) बीमा

ट) अन्य इक्विटी उपकरणों के शेयर धारण करना।

ठ) प्रसुप्त

ड) अन्य

5. "कर अधिकारिता" शीर्षक वाले स्तंभ में, रिपोर्ट करने वाले बहुराष्ट्रीय उद्यम (एम. एन. ई.) को उन सभी कर अधिकारिता की सूची बनानी चाहिए जिनमें एम. एन. ई. समूह की घटक इकाइयाँ कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। कर अधिकारिता को राज्य और गैर-राज्य अधिकारिता दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें कर प्रयोजनों के लिए निवासी नहीं माना जाता है।

एम. एन. ई. समूह की उन सभी घटक इकाइयों के लिए एक अलग पंक्ति सम्मिलित की जानी चाहिए जिन्हें रिपोर्ट करने वाले एम. एन. ई. द्वारा कर प्रयोजनों के लिए किसी भी कर अधिकारिता में निवासी नहीं समझा जाता है। यदि कोई घटक इकाई एक से अधिक कर अधिकारिता में निवासी है, तो निवास के कर अधिकारिता का अवधारण करने के लिए लागू कर संधि के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि कोई लागू कर संधि विद्यमान नहीं है, तो घटक इकाई को उसके प्रभावी प्रबंधन के स्थान के कर अधिकारिता में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

6. टेम्पलेट के तीन स्तंभ में "राजस्व" शीर्षक के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिए: (i) सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की सभी घटक इकाईयों के संबद्ध उद्यमों के साथ संव्यवहार से प्राप्त राजस्व का योग; (ii) संबंधित कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की सभी घटक इकाईयों के स्वतंत्र पक्षों के साथ संव्यवहारसे प्राप्त राजस्व का योग; और (iii) (i) और (ii) का योग। राजस्व में तालिका और संपत्तियों की बिक्री, सेवाओं, स्वामित्व, ब्याज, प्रीमियम और अन्य सभी रकम से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होना चाहिए। राजस्व में अन्य घटक इकाईयों से प्राप्त वे भुगतान सम्मिलित नहीं होने चाहिए जिन्हें भुगतानकर्ता के कर अधिकारिता में लाभांश माना जाता है।

7. "आयकर से पूर्व लाभ (हानि)" शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों के आयकर से पूर्व लाभ (हानि) का योग दर्ज करना चाहिए। आयकर से पूर्व लाभ (हानि) में सभी असाधारण आय और व्यय मदें सम्मिलित होनी चाहिए।

8. "नकद संदत्त आयकर" शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों द्वारा वास्तव में संदत्त किए गए आयकर की कुल रकम की रिपोर्ट करनी चाहिए। संदत्त किए गए करों में घटक संस्था द्वारा निवास कर अधिकारिता और अन्य सभी कर अधिकारिता को संदत्त किए गए नकद कर सम्मिलित होने चाहिए। संदत्त किए गए करों में घटक संस्था को किए गए भुगतानों के संबंध में अन्य इकाईयों (सहयुक्त उद्यमों और स्वतंत्र उद्यमों) द्वारा संदत्त किए गए कर भी सम्मिलित होने चाहिए। इस प्रकार, यदि कर अधिकारिता क में निवासी कंपनी क, कर अधिकारिता ख में ब्याज अर्जित करती है, तो कर अधिकारिता ख में रोके गए कर की रिपोर्ट कंपनी क द्वारा की जानी चाहिए।

9. **"आयकर उपार्जित – रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष" शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों के रिपोर्ट वर्ष के कर योग्य लाभ या हानि पर दर्ज उपार्जित कर व्यय का योग प्रस्तुत करना चाहिए। कर व्यय में केवल रिपोर्ट करने योग्य लेखा वर्ष के संचालन को ही दर्शाया जाना चाहिए और इसमें आस्थगित कर या अनिश्चित कर देनदारियों के लिए उपबंध सम्मिलित नहीं होने चाहिए।**

10. **"घोषित पूंजी" शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को संबंधित कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों की घोषित पूंजी का योग दर्ज करना चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, घोषित पूंजी उस कानूनी इकाई द्वारा दर्ज की जानी चाहिए जिसका वह स्थायी स्थापन है, जब तक कि नियामक प्रयोजनों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान कर अधिकारिता में कोई परिभाषित पूंजी अपेक्षा न हो।**

11. **"संचित आय" शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों की वर्ष के अंत तक की कुल संचित आय का योग प्रस्तुत करना चाहिए। स्थायी प्रतिष्ठानों के संबंध में, संचित आय उस कानूनी इकाई द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका वह स्थायी स्थापन है।**

12. **"कर्मचारियों की संख्या" शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों के पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या वर्ष के अंत तक, वर्ष के औसत रोजगार स्तर के आधार पर, या कर अधिकारिता और वर्ष-दर-वर्ष में समान रूप से लागू किसी अन्य आधार पर रिपोर्ट की जा सकती है। इस प्रायोजन के लिए, घटक संस्था की सामान्य परिचालन क्रियाकलापों में भाग लेने वाले स्वतंत्र ठेकेदारों को कर्मचारियों के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। कर्मचारियों की संख्या का उचित राउंडिंग या अनुमान अनुमेय है, परंतु ऐसा राउंडिंग या अनुमान विभिन्न कर अधिकारिता में कर्मचारियों के सापेक्ष वितरण को महत्वपूर्ण रूप से विकृत न करे। वर्ष-दर-वर्ष और सभी इकाईयों में एक समान दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए।**

13. **"नकदी और नकद समतुल्य से भिन्न अन्य मूर्त संपत्तियां" शीर्षक वाले स्तंभ के अधीन, रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी सभी घटक इकाईयों की मूर्त संपत्तियों के शुद्ध बही मूल्यों का योग प्रस्तुत करना चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, संपत्तियों की रिपोर्ट उस कर अधिकारिता के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें स्थायी प्र स्थापन स्थित है। इस प्रयोजन के लिए मूर्त संपत्तियों में नकद या नकद समतुल्य, अमूर्त संपत्तियां या वित्तीय संपत्तियां सम्मिलित नहीं हैं।**

14. **"कर अधिकारिता में निवासी घटक " शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को कर अधिकारिता के आधार पर और विधिक इकाई के नाम से, बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की उन सभी घटक इकाईयों की सूची बनानी चाहिए जो संबंधित कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। जैसा कि स्थायी स्थापनों के संबंध में ऊपर बताया गया है, स्थायी स्थापन को उस कर अधिकारिता के संदर्भ में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिसमें वह स्थित है। उस विधिक इकाई का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसका वह स्थायी स्थापन है (उदाहरण के लिए, XYZ कॉर्प - कर अधिकारिता क स्थायी स्थापन)।**

15. **"संगठन या निगमन का कर अधिकारिता, यदि निवास के कर अधिकारिता से भिन्न हो" शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्टिंग करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को उस कर अधिकारिता का नाम बताना चाहिए जिसके विधि के अधीन बहुराष्ट्रीय कंपनी की घटक इकाई संगठित या निगमित है, यदि वह निवास के कर अधिकारिता से भिन्न है।**

16. **"मुख्य कारबार क्रियाकलाप/क्रियाकलापों" शीर्षक वाले स्तंभ के अंतर्गत, रिपोर्ट करनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को संबंधित कर अधिकारिता में घटक इकाई द्वारा किए जाने वाले मुख्य कारबार क्रियाकलाप/क्रियाकलापों की प्रकृति को उपयुक्त बॉक्स में से एक या अधिक पर निशान लगाकर अवधारित करना चाहिए। इस स्तंभ में, यदि रिपोर्ट करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी 'अन्य' विकल्प चुनती है, तो उसे "भाग ग: अतिरिक्त जानकारी" अनुभाग में घटक इकाई के क्रियाकलाप की प्रकृति निर्दिष्ट करनी होगी।**

प्ररुप सं. 60

[नियम 124(6) देखें]

धारा 511(5) के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की ओर से सूचना

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: अंतर्राष्ट्रीय समूह की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td colspan="5">अंतर्राष्ट्रीय समूह की मूल इकाई के ब्यौरेः</td></tr>
<tr><td colspan="3">नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td colspan="2">पता (टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td colspan="5">धारा 511(4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नामनिर्दिष्ट घटक इकाई का विवरण:</td></tr>
<tr><td colspan="2">नाम (टिप्पण 1 देखें)</td><td>पता (टिप्पण 2 देखें)</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="5">भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय समूह की अन्य सभी घटक इकाईयों के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>घटक इकाई का नाम</td><td>घटक इकाई का पैन</td><td colspan="2">घटक इकाई का पता</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीखः नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में समूह का पूरा नाम, मूल इकाई या घटक इकाई का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. **इस प्ररूप को धारा** 265 **के अधीन आय विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना हैं।**
4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं. 61

[नियम 125 देखें]

अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए प्राधिकार

भाग क: वित्तीय संस्था की विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हो):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या

प्राधिकार

मैं, ____एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से कार्य करने वाले संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान)-I या संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान)-II को (वित्तीय संस्थान का नाम एवं पता) में मेरे खाते से संबंधित सूचना और अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ, उस अवधि के लिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से कार्य करने वाले उपर्युक्त आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी लिखित नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए।

इस प्राधिकार के साथ, मैं एतद्द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, के अधीन प्रदत सभी सुरक्षाओं का त्याग करता/करती हूँ, जिसमें डाटा संरक्षण, गोपनीयता या बैंककारी गोपनीयता से संबंधित विधि सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

मैं समझता/समझती हूँ कि "अभिलेख" में वे सभी दस्तावेज़ सम्मिलित हैं जिन्हें खाताधारक या ग्राहक के रूप में मैं *अपनी ओर से/# _____ की ओर से प्राप्त करने का हकदार हूँ, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) खाताधारक, वास्तविक स्वामी और/या अधिकृत व्यक्तियों की पहचान करने वाले दस्तावेज़;

(ख) खाता खोलने के दस्तावेज़;

(ग) बैंक और ग्राहक या वास्तविक स्वामी या तीसरे पक्ष के बीच खाते से संबंधित पत्राचार;

(घ) खाता विवरण और आस्तियों विवरण।

यह प्राधिकरण अप्रतिसंहणीय है।

मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं इस प्राधिकरण के सभी परिणामों से अवगत हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीखः नाम:

टिप्पण:

1. नाम में वित्तीय संस्था का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होंगे।
3. #उस कंपनी, फर्म आदि का नाम बताइए जो वित्तीय संस्था में रखे गए खाते की वास्तविक स्वामी है।
4. *जो लागू नहीं होता उसे हटा दें।

प्ररुप सं. 62

[नियम 129(3) देखें]

धारा 274(1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर आयुक्त को निर्देश भेजने का प्ररुप

<table>
<tr><td colspan="4">भाग क: निर्धारिती की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td>(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">दस्तावेज़ पहचान संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">स्थिति:</td><td>(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">आवासीय स्थिति:</td><td>(टिप्पण 4 देखें)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td colspan="2">वे कर वर्ष जिनके संबंध में धारा 274 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लेना प्रस्तावित है:</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>कर वर्ष जिन के लिए कार्यवाही लंबित है:</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अन्य कर वर्ष जिन्हें सम्मिलित करने का प्रस्ताव है:</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">निर्धारण या पुन:निर्धारण की कार्यवाही पूरी करने की अंतिम तारीख:</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">इस ठहराव को अस्वीकार्य कर-बचाव ठहराव घोषित करने की मांग के संक्षिप्त कारण:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">अन्य ब्यौरे पृथकरुप से संलग्न किए जाने हैं:</td><td>(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)</td></tr>
</table>

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: निर्धारण अधिकारी का नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं

5. भाग ख (क्रम संख्या 12) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	निर्धारिती द्वारा किए गए ठहराव का तथ्यात्मक विवरण, जिसमें अन्य पक्षों के ब्यौरे भी सम्मिलित है।
क-2	इस ठहराव के अधीन प्राप्त कर फायदे के ब्यौरे (कर वर्षवार): — (x) निर्धारिती को; (xi) इस ठहराव के सभी पक्षों को।
क-3	कर फायदे की गणना से संबंधित संक्षिप्त तथ्य।
क-4	क्या कर फायदा प्राप्त करना इस ठहराव का मुख्य प्रयोजन है या ठहराव एक भाग है?
क-5	क्या नियम 129(1) के अधीन निर्धारिती को नोटिस भेजा गया है, यदि हां तो नोटिस भेजने की तारीख।
क-6	नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर का सार।
क-7	उपदर्शित करें कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इस ठहराव द्वारा पूरी होती है (और इस निष्कर्ष का आधार भी बताइए): (i) इससे ऐसे अधिकार या बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं जो साधारणतया एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न नहीं होते हैं; (ii) जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार होता है; (iii) धारा 180 के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से वाणिज्यिक महत्व का अभाव हो या वाणिज्यिक महत्व का अभाव समझा जाता हो; या (iv) ऐसा कार्य या काम ऐसे साधनों या रीति में किया जाता है या कार्यान्वित दिया जाता है जो सधारणतया सद्भावनापूर्ण प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।
क-8	यदि इस व्यवस्था को कर से बचने की अस्वीकार्य व्यवस्था घोषित किया जाता है, तो कर संबंधी संभावित परिणाम सामने आ सकते हैं।

6. यह प्रपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर आयुक्त के समक्ष दाखिल किया जाना है।
7. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
8. इस प्रपत्र में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 63

[नियम 129(4) देखें]

धारा 274 के अधीन किए गए संदर्भ को वापस करने का प्ररुप

भाग क: निर्धारिती की विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:		
भाग ख: अन्य जानकारी			
7.	स्थिति:	*(टिप्पण 3 देखें)*	
8.	आवासीय स्थिति:	*(टिप्पण 4 देखें)*	
9.	वे कर वर्ष जिनके संबंध में धारा 274 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लेना प्रस्तावित था:		
10.	**निर्धारण अधिकारी से प्ररुप सं. 62 में निर्देश प्राप्त होने की तारीख:**		
11.	**यह निष्कर्ष निकालने का आधार कि अध्याय 11 निम्नलिखित कर वर्ष(वर्षों) के लिए लागू नहीं है:**		

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

आयुक्त का नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम सम्मिलित होगा
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होने चाहिए।
3. व्यक्ति की स्थिति को निम्नानुसार भरें: –

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय स्थिति को निम्नानुसार भरें: –

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं

5. यह प्ररुप आयकर आयुक्त द्वारा भरा जाना है और इसे निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाना है।
6. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. इस प्ररुप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 64

[नियम 129(5) देखें]

धारा 274(4) के अधीन अनुमोदन पैनल को निर्देश भेजने और अनुमोदन पैनल को निर्देश भेजने से पहले आयुक्त द्वारा समाधान अभिलिखित करने का प्ररुप

भाग क: निर्धारिती की विशिष्टियां				
1.	नाम:		*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:		*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
4.	ईमेल आईडी:			
5.	संपर्क संख्या:		देश कोड	संख्या
6.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:			
भाग ख: अन्य जानकारी				
7.	स्थिति:		*(टिप्पण 3 देखें)*	
8.	आवासीय स्थिति:		*(टिप्पण 4 देखें)*	
9.	वे कर वर्ष जिनके संबंध में धारा 274 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लेना प्रस्तावित है:			
	(i)	कर वर्षों जिनके लिए कार्यवाहियां लंबित है:		
	(ii).	अन्य कर वर्ष जिन्हें सम्मिलित करने का प्रस्ताव है:		
10.	निर्धारण अधिकारी से प्ररुप संख्या 62 प्राप्त होने की तारीख:			
11।	धारा 274(2) के अधीन पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा निर्धारिती को कारण बताते हुए नोटिस जारी करने की तारीख (उसकी प्रति संलग्न की जानी है):			
12.	निर्धारिती से अंतिम प्रस्तुति प्राप्त होने की तारीख और निर्धारिती को दी गई सुनवाई की तारीख (निर्धारिती की अंतिम प्रस्तुति की प्रति संलग्न की जानी है):			

13.	निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां पूरी करने की अंतिम तारीख:	
14.	इस बात का समाधान होने के विस्तृत कारण कि यह ठहराव एक अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव है:	
15.	अन्य ब्यौरे पृथक रुप से किए जाने हैं:	*(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)*

भाग ग: अनुमोदन पैनल का निर्देश
जबकि मुझे मेसर्स _____ (निर्धारिती), पैन _____ के मामले में धारा 274(1) के अधीन प्ररुप सं. 62 में _____ को निर्धारण अधिकारी से एक ठहराव को अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव घोषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, और निर्धारिती के स्पष्टीकरण और अन्य सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि यह ठहराव अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव है और मेरी संतुष्टि भाग क और भाग ख में अभिलिखित है। मैं उक्त ठहराव को अस्वीकार्य कर-बचत ठहराव घोषित करने के लिए अनुमोदन पैनल को धारा 274(4) के अधीन निर्देश भेजता हूं।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: आयुक्त का नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में निर्धारिती का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।

3. व्यक्ति की स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	व्यष्टि
(II)	हिंदू अविभक्त कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति
(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायित्व भागीदारी

4. आवासीय स्थिति को निम्नानुसार भरें: —

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं

5. भाग ख (क्रम संख्या 15) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधो के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	जिस ठहराव का तथ्यात्मक ढांचा जिसके संबंध में निर्देश किया जा रहा है ।
क-2	इस ठहराव के अधीन प्राप्त कर लाभ का विवरण (कर वर्षवार): — (xii) निर्धारिती को;

	(xiii) इस समझौते के सभी पक्षों को।
क-3	कर फायदे की गणना से संबंधित संक्षिप्त तथ्य।
क-4	क्या कर फायदे प्राप्त करना इस ठहराव का मुख्य प्रयोजन है या इसका एक भाग है?
क-5	उपदर्शित करें कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इस ठहराव द्वारा पूरी होती है (और इस निष्कर्ष का आधार भी बताइए): (v) इससे ऐसे अधिकार या बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं जो साधारणतया एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न नहीं होते हैं; (vi) जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार होता है; (vii) धारा 180 के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से वाणिज्यिक महत्व का अभाव हो या वाणिज्यिक महत्व का अभाव समझा जाता हो; या (viii) ऐसा कार्य या कार्य ऐसे साधनों या रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है जो साधारणतया सद्भावनापूर्ण प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।
क -6	क्या निर्धारिती को क-3, क-4 और क-5 में दिए गए निष्कर्षों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया है? यदि हां, तो निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर का सार प्रस्तुत करें।
क-7	यदि इस ठहराव को कर से बचने की अस्वीकार्य ठहराव घोषित किया जाता है, तो कर संबंधी संभावित परिणाम सामने आ सकते हैं।

6. यह प्ररुप आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन पैनल के अध्यक्ष को निर्देश भेजने के लिए भरा जाना है।
7. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररुप सं. 65

[नियम 134 देखें]

पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के माध्यम से आय पर कराधान का विकल्प चुनने के लिए प्ररुप

भाग क: निर्धारिती की विशिष्टियां			
1.	निर्धारिती का नाम	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 3 देखें)*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
7.	कर वर्ष	*(टिप्पण 4 देखें)*	
8.	निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति		

भाग ख: कर वर्ष का विवरण		
1.	(क) क्या धारा 194(1) [सारणी: क्र.सं 2] के अनुसार किसी पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय की प्रस्तावना करने का विकल्प कर वर्ष के लिए प्रयोग किया जाना है?	*(हां नहीं)*
	(ख) क्या कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाईल की गई है?	*(हां नहीं)*
	(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न (ख) का उत्तर "हाँ" है, तो कृपया आय की विवरणी फाईल करने की तारीख बताएँ (यदि पहले ही दाखिल कर दिया गया हो)।	*(दिन/मास/वर्ष)*
2.	(क) क्या धारा 194(1) [सारणी: क्र.सं 2] के अनुसार किसी पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के	*(हां नहीं)*

	रूप में आय, उस कर वर्ष के पश्चात के पाँच कर वर्ष में से किसी भी वर्ष के लिए उक्त धारा के अनुसार कराधान के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिसमें ऐसी आय के कराधान का विकल्प पहली बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किया जाता है।		
	(ख) यदि उपरोक्त प्रश्न (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित के ब्यौरे प्रदान करें:		
	वह कर वर्ष जिसमें धारा 194(1) [सारणी: क्र.सं 2] के अधीन स्वामित्व के रूप में आय पर कराधान का विकल्प पहली बार विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया हो।	स्तंभ (क) में उल्लिखित कर वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख *(दिन/मास/वर्ष)*	कर वर्ष जिसमें ऐसी आय धारा 194(1) के उपबंधों के अनुसार कर के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती है [सारणी: क्र.सं 2]
	(क)	*(ख)*	*(ग)*

भाग ग: पात्र पेटेंट की विशिष्टियां*(टिप्पण 5 देखें)*

1.	**पेटेंट ब्यौरे**		
	(क) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) के अधीन प्रदत्त पेटेंट संख्या		
	(ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) के तहत पेटेंट प्रदान करने की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
	(ग) भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट का विवरण जिसमें आविष्कार, पेटेंट वस्तु और पेटेंट प्रक्रिया का विवरण सम्मिलित हो, जैसा कि पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) की धारा 2 में विस्तृत रूप से बताया गया है।	*(टिप्पण6 देखें)*	
	(घ) क्या पेटेंट किसी एक व्यक्ति को प्रदान किया गया है?	*हां/ नहीं*	
	(ङ) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो कृपया पेटेंट रजिस्टर में दर्ज किए गए पेटेंटधारक के विवरण प्रस्तुत करें जो कि वास्तविक और	नाम	
		स्थायी खाता संख्या	

<table>
<tr><td></td><td>प्रथम आविष्कारक हैं।</td><td colspan="4">पता</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">(च) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर नहीं है, तो कृपया पेटेंट के पेटेंटधारकों के ब्यौरे प्रदान करें (पेटेंट धारक वह वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है जैसा कि पेटेंट रजिस्टर में दर्ज है)।</td><td>क्र.सं.</td><td>नाम</td><td>स्थायी खाता संख्या</td><td>पता</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पात्र पेटेंट से प्राप्त स्वामित्व आय के ब्यौरे</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>(क) कर वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से प्राप्त स्वामित्व आय की रकम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) धारा 194(2)(ठ) में यथानिर्दिष्ट कर वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से प्राप्त स्वामित्व आय की प्रकृति

(किसी एक का चयन करें)</td><td colspan="4">o (i) पेटेंट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का अंतरण (अनुज्ञप्ति प्रदान करना सहित)
o (ii) किसी पेटेंट के कामकाज या उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना
o (iii) किसी पेटेंट का उपयोग
o (iv) उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में किसी भी प्रकार की सेवाओं का प्रावधान।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पात्र पेटेंट पर किए गए व्यय के ब्यौरे</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">(क) कृपया निर्धारिती द्वारा पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970का 39) के अधीन प्रदान किए गए किसी भी आविष्कार के पेटेंट पर किए गए व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करें।</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) उपगत कुल व्यय</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) भारत में किया उपगत व्यय</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>(iii) भारत के बाहर उपगत व्यय</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) क्या उपरोक्त (क) में उपगत व्यय उपरोक्त (क)(i) के अधीन किए गए व्यय का पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक है?</td><td colspan="4">हां /नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

घोषणा

मैं..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संखया..... है, और ..... (निर्धारिती का नाम) के ..... (पदनाम) के रूप में, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान: .....
तारीख: .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम:
पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/द्वार/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/अवस्थान, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'आवासीय स्थिति' में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनें: (i) निवासी (ii) अनिवासी या (iii) निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं
4. कृपया उस कर वर्ष का उल्लेख करें जिसके लिए पेटेंट के संबंध में स्वामित्व के रूप में आय को धारा 194 (1) के अधीन प्रस्थापना करने का विकल्प चुना गया है [सारणी: क्र.सं 2 स्तंभ ङ(ख)]।
5. प्रत्येक पात्र पेटेंट की विशिष्टियां स्वामित्व आय और व्यय के ब्यौरों के साथ अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. कृपया भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट पर एक विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत करें जिसमें पेटेंट अधिनियम की धारा 2 में वर्णित आविष्कार, पेटेंट वस्तु और पेटेंट प्रक्रिया का विवरण सम्मिलित हो।
7. यह प्ररुप धारा 265 के अधीन आय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित किया जाना चाहिए।
8. प्ररुप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकम रू.में भरी जानी चाहिए।

प्रारुप सं. 66

[देखें नियम 137]

अधिनियम की धारा 206(1) के प्रयोजनों के लिए बही लाभ की गणना के लिए रिपोर्ट

भाग-क (सामान्य जानकारी)				
1.	कंपनी के ब्यौरे			
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 देखें)*	
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 देखें)*	
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	संपर्क संख्या	देश कोड	
	(v)	ईमेल आईडी		
भाग-ख				
2.	कर वर्ष			
3.	सुसंगत कर वर्ष के लिए अधिनियम के अधीन कंपनी की कुल आय।			
4.	कुल आय पर देय आयकर			
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कंपनी द्वारा अपनाया गया वित्तीय वर्ष			
6.	लाभ और हानि विवरण के ब्यौरे			
	(i)	क्या यह कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है? *(एक का चयन करें)*	1. **हाँ** 2. **नहीं**	

	(ii) लाभ और हानि विवरण के अनुसार लाभ	
7.	क्या ऊपर पंक्ति 5 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष सुसंगत कर वर्ष (पंक्ति 2) **के समान है?** *(एक का चयन करें)*	1. **हाँ** 2. **नहीं**
8.	यदि ऊपर पंक्ति 5 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष कर वर्ष के समान है (पंक्ति 7 में हाँ है), तो क्या ऊपर पंक्ति 6 में निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण ने वही लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन मानक, और वही मूल्यह्रास गणना की पद्धति अपनाई है, जैसा कि कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत खातों को तैयार करने के लिए अपनाई गई हैं? *(एक का चयन करें)*	1. **हाँ** 2. **नहीं**
9.	यदि पंक्ति संख्या 8 का उत्तर 'नहीं' है, तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (*कार्य पृथक रुप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो*)।	
10	यदि उपर्युक्त पंक्ति संख्या 5 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष कर वर्ष के समान नहीं है (पंक्ति संख्या 7 का उत्तर 'नहीं' है), तो क्या पंक्ति संख्या 6 में निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण ने उसी लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानकों का पालन किया है तथा उसी दर पद्धति से मूल्यह्रास की गणना की है, जैसा कि संबंधित वित्तीय वर्ष के भागों के लिए अपनाए गए लेखा अभिलेखों में किया गया है या जो कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किए गए या किए जाने हैं? *(एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
11	यदि पंक्ति संख्या 10 का उत्तर 'नहीं' है, तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (*कार्य पृथक रुप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो*)।	
12	पंक्ति संख्या 6 में निर्दिष्ट लाभ और हानि विवरण के अनुसार लाभ, जिसे पंक्ति संख्या 9 या 11 में उल्लिखित	

	अंतर की रकम या रकम के योग द्वारा समायोजित किया गया हो।		
	बही लाभ में किए जाने वाले समायोजन		
13.	**जोड़ें:** नीचे अंकित 13(i) से 13(x) तक की धाराओं में उल्लिखित रकम (कार्य पृथक रुप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।		
	(i)	धारा 206(1)(ग)(i)	
	(ii)	धारा 206(1)(ग)(ii)	
	(iii)	धारा 206(1)(ग)(iii)	
	(iv)	धारा 206(1)(ग)(iv)	
	(v)	धारा 206(1)(ग)(v)	
	(vi)	धारा 206(1)(ग)(vi)	
	(vii)	धारा 206(1)(ग)(vii)	
	(viii)	धारा 206(1)(ग)(viii)	
	(ix)	धारा 206(1)(ग)(ix)	
	(x)	धारा 206(1)(ग)(x)	
	(xi)	**जोड़ें:** नीचे अंकित 13(i) से 13(x) तक की रकम का योग	
14.	**घटाएं:** नीचे अंकित 14(i) से 14(vi) तक की धाराओं में उल्लिखित रकम (कार्य पृथक रुप से संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)।		
	(i)	धारा 206(1)(ग)(xi)	
	(ii)	धारा 206(1)(ग)(xii)	
	(iii)	धारा 206(1)(ग)(xiii)	
	(iv)	धारा 206(1)(ग)(xiv)	

	(v)	धारा 206(1)(ग)(xv)		
	(vi)	धारा 206(1)(ग)(xvi)		
	(vii)	**घटाएं** : पंक्ति संख्या 14(i) से 14(vi) में उल्लिखित रकम का योग।		
15.	समायोजित करें***(जोड़ें या घटाएँ, जैसा विनिर्दिष्ट हो)*** निम्नलिखित रकम उन धाराओं में जहाँ पंक्ति संख्या 15(i) से 15(x) में उल्लिखित है*(पृथक कार्य संलग्न करें जहाँ अपेक्षित हो)*।			
	(i)	धारा 206(1)(घ)(i)		
		(क)	**जोड़ें:** मद सं० (क)	
		(ख)	**घटाएँ:** मद सं० (ख)	
	(ii)	धारा 206(1)(घ)(ii)		
		(क)	**जोड़ें**: मद सं० (I)	
		(ख)	**घटाएँ**: मद सं० (II)	
	(iii)	धारा 206(1)(घ)(iii)		
		(क)	**जोड़ें**: मद सं० (I)	
		(ख)	**घटाएँ**: मद सं० (II)	
	(iv)	धारा 206(1)(d)(iv)		
		(क)	**जोड़ें:** इकाइयों के अंतरण पर लाभ	
		(ख)	**घटाएं:** इकाइयों के अंतरण पर हानि	
	(v)	धारा 206(1)(घ)(v)		
		(क)	जोड़ें: मद संख्या (क)	
		(ख)	घटाएं: मद संख्या (ख)	
	(vi)	**घटाएं:** धारा 206(1)(घ)(vi)		
	(vii)	**घटाएं:** धारा 206(1)(घ)(vii)		
	(viii)	**घटाएं:** धारा 206(1)(घ)(viii)		

	(ix)	**जोड़ें:** धारा 206(1)(d)(ix): सारणी स्तंभ क		
		(क)	पंक्ति (1)	
		(ख)	पंक्ति (2)	
		(c)	पंक्ति (3) *[से* पंक्ति संख्या *16(iv)]*	
		(द)	पंक्ति (4)	
		(इ)	पंक्ति (5)	
	(x)	**घटाएं:**धारा 206(1)(द)(ix): सारणी स्तंभ ख		
		(क)	पंक्ति (1)	
		(ख)	पंक्ति (2)	
		(c)	पंक्ति (3) *[से* पंक्ति संख्या *16 (iv)]*	
		(द)	पंक्ति (4)	
		(इ)	पंक्ति (5)	
भाग क				
16.	धारा 206(1)(ट)(vi) में परिभाषित संक्रमण राशि।			
	(i)	रकम या अन्य इक्विटी में समायोजित रकमों का योग (पूंजी आरक्षित और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित सहित)।		
	(ii)	**आगे समायोजित किया जाना है (बढ़ाया या घटाया जाना है) द्वारा**		
		(क)	पूंजी आरक्षित में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग।	
		(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग।	

		(ग)	समाकलन तारीख पर अन्य समग्र आय में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग जो तत्पश्चात में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएगी।	
		(घ)	भारतीय लेखांकन मानक 12 तथा भारतीय लेखांकन मानक 38 के अनुसार आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में समायोजित रकम या समायोजित रकमों का योग, जो समाकलन तारीख पर समायोजित है।	
		(ङ)	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नामनिर्दिष्ट इक्विटी उपकरणों में विनिधान से होने वाले लाभ या हानि, जो समाकलन तारीख पर समायोजित हैं।	
		(च)	भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुच्छेद घ5 और घ7 के अनुसार समाकलन तारीख पर लागत समझी गई उचित मूल्य पर दर्ज की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों से सम्बंधित समायोजन।	
		(छ)	भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ15 के अनुसार समाकलन तारीख पर लागत समझी गई	

			उचित मूल्य पर अभिलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में विनिधान से सम्बंधित समायोजन।	
		(ज)	भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13 के अनुसार समाकलन तारीख पर विदेशी कार्यवाही के संचयी अनुवाद भेदों से सम्बंधित समायोजन।	
		(झ)	कोई अन्य समायोजन (जिसे विनिर्दिष्ट करना होगा)।	
	(iii)	कुल संक्रमण रकम [पंक्ति संख्या 16(i) को पंक्ति संख्या 16(ii) द्वारा समायोजित किया गया]		
	(iv)	संक्रमण रकम का 1/5वां भाग [पंक्ति संख्या 16(iii) का 1/5वां भाग]		
17	संक्रमण रकम के समायोजन के ब्यौरे।			
	(i)	धारा 206(1)(t)(ii) में यथा परिभाषित समाकलन तारीख।		
	(ii)	धारा 206(1)(t)(ix) में यथा परिभाषित समाकलन वर्ष।		
	(iii)	कुल संक्रमण रकम [पंक्ति संख्या 16(iii) से]		
	(iv)	तुरंत पूर्व वर्ष तक समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(v)	इस वर्ष समायोजित रकम[पंक्ति संख्या 16(iv) से]		
	(vi)	आगामी वर्ष(षों) में समायोजित की जाने		

		वाली रकम	
भाग- घ			
18	धारा 206 की उपधारा (1) के अनुसार गणना की गई बही-लाभ[ऊपर पंक्ति संख्या 12 को पंक्ति संख्याओं 13, 14 और 15 द्वारा समायोजित (जोड़ या घटाव) किया गया]		
19	निर्धारिता कंपनी का प्रकार *(एक का चयन करें)*		1. ऐसी यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कंपनी हो और अपनी आय केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करती हो 2. कोई अन्य कंपनी
20	पंक्ति संख्या 19 में कर निर्धारिता कंपनी के प्रकार के लिए लागू दर के अनुसार धारा 206(1) के अधीन बही-लाभ पर देय कर		

प्रमाण पत्र

1. मैं/हमने ……. (निर्धारिता का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या सहित) के लेखे-लेखाओं और अभिलेखों की जांच की है, जो ……..(कारबार की प्रकृति) के कारबार में संलग्न है, ताकि 31 मार्च ….. को समाप्त वर्ष के दौरान बही-लाभ का निर्धारण किया जा सके।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि बही-लाभ इस धारा के उपबंधों के अनुसार गणना की गई है। धारा 206(1) के अधीन कर वर्ष ……. के लिए देय कर रकम रु.…… है। जो उपर्युक्त के अनुसार अवधारित की गई है।
3. मेरे/हमारे विचार में तथा मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रारुप में दी गई विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

तारीख:

स्थान :

हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम :

पदनाम: सदस्यता संख्या यदि कोई हो तो यूडीआईएन ब्यौरे : स्वामित्व/फर्म का नाम : फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या :

टिप्पण :—

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य तथा अंतिम नाम पूर्ण रूप से, कोई संक्षेपाक्षर किए बिना दिया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में नाम पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए।
2. पता में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
    i. देश/क्षेत्र,
    ii. फ़्लैट/द्वार/इमारत,
    iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
    iv. पिन/ज़िप कोड,
    v. डाकघर,
    vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र,
    vii. जिला,
    viii. राज्य
3. यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की जानी है, जो विधिमान्य कृत्तिक प्रमाणपत्र धारक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रमाणित हो तथा जो उस अधिनियम की धारा 515(3)(ख)(i) या (ii) में वर्णित व्यक्ति न हो।
4. यदि इस रिपोर्ट में कथित किसी भी विषय का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त सहित दिया गया हो, तो रिपोर्ट में इसके कारण स्पष्ट रूप से कथित किए जाने चाहिए।
5. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रुपये में भरी जाएंगी।

प्ररुप सं. 67

[नियम 138 देखें]

अधिनियम की धारा 206(2) के प्रयोजन के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना के लिए रिपोर्ट

<table>
<tr><td colspan="6">भाग-क
व्यक्तिगत जानकारी</td></tr>
<tr><td rowspan="7">1.</td><td colspan="2">निर्धारिती के ब्यौरे</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>नाम</td><td colspan="3">(टिप्पण)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>पता</td><td colspan="3">(टिप्पण)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>पैन</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>संपर्क संख्या</td><td>देश कोड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>कारबार की प्रकृति</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">कर वर्ष</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग-ख
वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">आयकर अधिनियम की धारा 206(2)(क) के प्रभाव देने से पूर्व अधिनियम में अधिकथित रीति में गणना की गई निर्धारिती की समायोजित कुल आय</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">उपरोक्त पंक्ति संख्या 3 में निर्दिष्ट कुल आय पर देय आयकर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">5.</td><td colspan="2" rowspan="5">(धारा 149 से भिन्न) किसी भी अन्य धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम, जो अध्याय 8-ग में सम्मिलित है</td><td>क्र. सं.</td><td>जिस धारा के अधीन कटौती दावा की गई</td><td>दावा की गई कटौती की रकम</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">(यथापेक्षित पुनरावृत्ति करें)</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग</td><td></td></tr>
</table>

6.	धारा 46 के अधीन दावा की गई कटौती की रकम, जिसे धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय मूल्यह्रास से घटाया गया है *(मानो उस आस्ति पर धारा 46 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात न हो जिसके लिए उक्त कटौती की गई है)।*	
7.	निर्धारिती की समायोजित कुल आय (पंक्ति संख्याएँ 4+5+6)	
8.	निर्धारिती का प्रकार *(एक चयन करें)*	1. एक इकाई, जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित हो और अपनी आय केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अर्जित करता हो। 2. एक सहकारी समिति। 3. कोई अन्य व्यक्ति (जो कंपनी न हो)
9.	वैकल्पिक न्यूनतम कर (धारा 206(2)(ख)(ii) में उल्लिखित लागू दर के अनुसार, जो ऊपर पंक्ति संख्या 8 में निर्धारिती के प्रकार के लिए निर्धारित है)।	

प्रमाण पत्र

1. मैंने/हमने 31 मार्च, ... को समाप्त हुए वर्ष के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना करने हेतु .....(करदाता का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या सहित) के खातों और अभिलेखों की जाँच की है, जो ..... (कारबार की प्रकृति के कारबार में संलग्न है।
2. मैं/हम प्रमाणित करते/करते हूँ/हैं कि समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना इस धारा के उपबंधों के अनुसार की गई है। कर वर्ष .....के संबंध में अधिनियम की धारा 206(2)के अधीन देय कर रु..... है, जिसका अवधारण इस प्ररुप में किया गया है।
3. मेरी/हमारी राय में और मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस प्ररुप में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

तारीख: स्थान: हस्ताक्षर लेखाकार का नाम: पदनाम: सदस्य संख्या: यदि कोई हो तो यूडीआईएन ब्यौरे: स्वामित्व/फर्म का नाम: फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण :—

1. व्यष्टि के मामले में प्रथम, मध्य एवं अंतिम नाम बिना किसी संक्षेप के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी भी अन्य स्थिति में भी, नाम पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाना अनिवार्य है।
2. पते में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
   i. देश/क्षेत्र,
   ii. फ्लैट/द्वार/भवन,
   iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
   iv. पिन/ज़िप कोड,
   v. डाकघर,
   vi. क्षेत्र/मोहल्ला,
   vii. जिला,
   viii. राज्य
3. यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाएगा:
   (i) चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट; या
   (ii) कोई भी व्यक्ति, जो किसी राज्य के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 1956 (का 1) की धारा 226(2) के उपबंधों के अनुसार, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का हकदार हो।
4. यदि इस रिपोर्ट में वर्णित किसी भी विषय का उत्तर नकारात्मक या शर्त सहित दिया गया हो, तो उस पर कारण स्पष्ट किए जाएंगे।
5. **जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रु. में भरी जाएंगी**।

प्ररुप सं. 68

[नियम 139 देखें]

अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण [सारणी क्. सं. 1 से 4]

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: विनिर्दिष्ट निधि की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">टिप्पण</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:</td><td colspan="2">टिप्पण</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">स्थिति:</td><td colspan="2">टिप्पण</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">पंजीकरण की तिथि:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">कर वर्ष:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="3">कर वर्ष के दौरान कुल आय:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11।</td><td colspan="3">अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय के ब्यौरे [क्रम संख्या 1 से 4]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>क्र. सं.</td><td>विनिर्दिष्ट निधि की आय की प्रकृति</td><td>कुल आय</td><td colspan="2">अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न हो)</td></tr>
</table>

	क	अधिनियम की धारा 70(1)(द) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप होने वाली आय			क के भाग I में कॉलम (5) का कुल योग (4 निर्दिष्ट करें)			ए-1 के भाग I में कॉलम (9) का योग (4 निर्दिष्ट करें)	
	ख	प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों सेमिन्न)			क के भाग II में (5) का कुल योग (4 निर्दिष्ट करें)			क के भाग II में कॉलम (9) का योग (नोट 4 निर्दिष्ट करें)	
	ग	किसी अनिवासी (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना हो) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय, और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है।			क के भाग 1 में कॉलम (5) का कुल योग (4 निर्दिष्ट करें)			क के भाग 1 में कॉलम (9) का योग (4 निर्दिष्ट करें)	
	घ	प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय, जिस पर "कारबार वृत्ति या पेशे के लाभ और अभिलाभ" के अधीन प्रभार्य आय होती है।			क के भाग II में (5) का योग (4 निर्दिष्ट करें)			ए-2 के भाग II में (9) का योग (4 निर्दिष्ट करें)	
	अनुसूची 6 के अधीन कुल छूट प्राप्त आय [क्रम संख्या 1 से 4]								
12.	क्या नियम 144(1) के अधीन शर्तें पूरी होती हैं:							हां नहीं	
13.	कर वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा धारित यूनिटों के ब्यौरे								
	क्र.सं	निवासी इकाई धारक का नाम	निवासी का पैन	जिस कर वर्ष में यूनिट जारी की गई थी, उस वर्ष के दौरान निवास देश में कर	कुल धारित इकाइयों की संख्या	धारित इकाइयों का मूल्य	क्या आप प्रायोजक हैं या प्रबंधक (हाँ/नहीं)	क्या निवासी उस कर वर्ष के तत्पश्चात कर वर्ष के दौरान अधिनियम	यदि हां, तो निधि से बाहर निकलने की तारीख बताएं।

				पहचान संख्या।				की धारा 6 के अधीन निवासी बन गया है जिसमें ऐसी यूनिट या यूनिटों जारी की गई थीं? (हाँ/नहीं)	
	1.								
	2.	*(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)*							
	कुल								

14.	कर वर्ष के दौरान यूनिटों का कुल मूल्य (करोड़ रुपये में):	
15.	कर वर्ष के दौरान यूनिटों की कुल संख्या:	
16.	कर वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा धारित यूनिटों का अनुपात (मूल्य):	
17.	कर वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा धारित यूनिटों का अनुपात (संख्या):	
18.	अन्य ब्यौरे पृथक रूप से संलग्न किए जाने हैं:	*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*

सत्यापन
मैं, _____ (पूरा नाम) जिसका पैन नंबर _____ है, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर और उपाबंध में तथा ऐसे उपाबंधो के साथ संलग्न दस्तावेजों में जो कुछ भी कहा गया है, वह सही और पूर्ण है। 2. मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि अनुसूची 6 [टीप्पण ज नियत शर्तें विनिर्दिष्ट निधि द्वारा संतुष्ट हैं। 3. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि कर वर्ष _____ के दौरान, निवासियों द्वारा धारित यूनिटों को नियम 139(1) और नियम 140(1) और (2) के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना के प्रयोजनों के लिए अनिवासियों द्वारा धारित यूनिटों के रूप में नहीं गिना जाता है। 4. मैं आगे पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह कथन कर दे रहा/रही हूँ और मैं यह घोषणा करने और यह कथन करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख नाम:

पदनाम

टिप्पण

1. नाम में विनिर्दिष्ट निधि का पूरा नाम शामिल होगा |
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान , डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होने चाहिए।
3. नीचे दिए गए अनुसार विधिक स्थिति भरें: –

(I)	कंपनी
(II)	न्यास
(III)	सीमित दायित्व भागीदारी
(IV)	निगमित निकाय

4. भाग ख (क्रम संख्या 11) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपानंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां								
	क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	की तारीख	की तिथि		विनिर्दिष्ट निधि के अनिवासी इकाई धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापना न हों) द्वारा धारित दैनिक 'प्रबंधित	विनिर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधित का दैनिक कुल योग, पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तिथि से लेकर ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अंतरण	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न हो)

						आस्तियों का कुल योग, पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से लेकर ऐसी पूंजी आस्ति या प्रतिभूति के अर्जन की तारीख तक।	की तारीख तक।		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	भाग I. धारा 70(1)(द) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से आय								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								

	2.	*(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)*							
	कुल								
	भाग II. प्रतिभूतियों के अंतरण से आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों के सेमिनार)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								
	2.	*(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)*							
	कुल								
क	क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय की प्रकृति (टीप्पण 5	आय प्राप्ति की तारीख	आय	आय प्राप्ति की तिथि पर अनिवासी यूनिट धारकों	आय प्राप्ति की तिथि पर 'प्रबंधन के अंतर्गत कुल	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित आय (जो

		देखें)			(भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न होने की स्थिति में) द्वारा प्रबंधित आस्तियां	आस्ति		भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
भाग I. प्रतिभूतियों से होने वाली आय जो किसी अनिवासी (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना न होने पर) द्वारा धारित यूनिटो से संबंधित है और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है।								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
1.								
2.	*(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)*							

	कुल								
	भाग II. प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय जो "कारबार वृत्ति या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है।								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								
	2.	*(दोहराएँ यदि अपेक्षित हो)*							
	कुल								

5. निम्नलिखित में से सुसंगत कोड चयनित किया जाना है: –

क्रम संख्या	आय की प्रकृति	कोड
1.	लाभांश	1
2.	ब्याज	2
3.	अन्य आय, विनिर्दिष्ट करें	3

6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

7. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 69

[नियम 140 देखें]

अधिनियम की धारा 210(2) के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र विनिर्दिष्ट निधि की आय का विवरण

भाग – क				
1.	**विनिर्दिष्ट निधि के ब्यौरे**			
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 देखें)*	
	(ii)	**रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता**	*(टिप्पण 2 देखें)*	
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**		
	(iv)	**इमेल आईडी**		
	(v)	**संपर्क संख्या**	देश कोड	
	(vi)	**विधिक स्थिति** *(एक का चयन करें)*	1. कंपनी 2. न्यास 3. सीमित दायित्व साझेदारी 4. निगमित निकाय	
	(vii	**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या**		
	(vii	**रजिस्ट्रीकरण तारीख:**	*दिन/मास/वर्ष*	
	(ix)	**कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति**	*अद्यतन करें*	
2.	**कर वर्ष समाप्ति**		*दिन/मास/वर्ष*	
3.	**कर वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय**			

भाग – ख :

धारा 210(2) के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र और अनिवासियों के लिए मानी जा सकने वाली विनिर्दिष्ट निधि की आय के ब्यौरे

क्र. सं.	**विनिर्दिष्ट निधि का आय या हानि**	**रकम**	**भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना न होने वाले अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों से मानी जा सकने वाली आय**
4.	**धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय [साखी: क्र. सं. 1] (उपाबंध 1)**	*उपाबंध 1 के स्तंभ (5) का योग*	*उपाबंध 1 के स्तंभ (9) का योग*

5.	**धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 2] (भाग ख)**	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग*	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग*	
6.	**धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 3] (भाग ख)**	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग*	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग*	
7.	**धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 4] (भाग ख)**	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग*	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग*	
8.	**धारा 210(1) यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय सारणी: क्र. सं. 5] (भाग ख)**	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (5) का योग*	*उपाबंध 2 के भाग ख के स्तंभ (9) का योग*	

घोषणा

मैं _____ (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि अधिनियम की अनुसूची VI *के टिप्पण 1(छ)(झ) में उल्लिखित शर्तें विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरी की जाती हैं।*

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऊपर और उपाबंध(कों) में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____(पदनाम) के रूप में यह विवरण प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और यह घोषणा करने और यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर ……..
नाम……
पदनाम……

उपाबंध 1

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय का प्रकार *(एक का चयन करें)*	आय प्राप्ति की तारीख *(दिन/मास/वर्ष)*	आय (रुपये में)	आय प्राप्ति की तारीख पर अनिवासी यूनिट-धारकों के पास अधीन प्रबंधित आस्तियों (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं हैं)	आय प्राप्ति की तारीख पर अधीन प्रबंधित कुल आस्ति	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं है) के पास धारित यूनिट से मानी जा सकने वाली आय (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)/(7)	(9) = (5)×(8)
धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय [सारिणी: क्र. सं. 1]								
1.		1. लाभांश 2. ब्याज 3. अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें						
यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएं								
कुल योग								

उपाबंध 2

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	अर्जन की तारीख (*दिन/मास/वर्ष*)	अंतरण की तिथि (*दिन/मास/वर्ष*)	पूंजी लाभ	विनिर्दिष्ट निधि के अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं हैं) के लिए प्रतिभूति अर्जन की तारीख से अंतरण की तारीख तक की अवधि के दौरान दैनिक 'प्रबंधित आस्तियों' का सम्मिलित योग	विनिर्दिष्ट निधि के लिए प्रतिभूति अर्जन की तारीख से अंतरण की तारीख तक की अवधि के लिए दैनिक कुल 'प्रबंधित आस्तियों' का सम्मिलित योग।	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं है) के द्वारा धारण की गई इकाइयों से संबंधित आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)/(7)	(9) = (5)×(8)
भाग ख 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 2]								
1.								
2.								
कुल योग								
भाग ख. 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 3]								
1.								
2.								
कुल योग								
भाग ख. 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 4]								
1.								

2.								
कुल योग								
भाग ख. 210(1) की धारा में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ से आय [सारणी: क्र. सं. 5]								
1.								
2.								
कुल योग								

टिप्पण:

1. **व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी भी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा।**
2. **पता में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:**
   - *i.* ***देश/क्षेत्र,***
   - *ii.* ***फ्लैट/द्वार/भवन,***
   - *iii.* ***सड़क/गलियारा/ब्लॉक/सेक्टर,***
   - *iv.* ***पिन/ज़िप कोड,***
   - *v.* ***डाकघर,***
   - *vi.* ***क्षेत्र/परिक्षेत्र,***
   - *vii.* ***जिला,***
   - *viii.* ***राज्य***
3. **जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रु में भरी जाना हैं।**

प्ररूप सं. 70

[नियम 141 देखें]

अपतर बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग के लिए रियायती आय और रियायती दर पर कर योग्य आय का वार्षिक विवरण।

	विनिर्दिष्ट निधि का नाम (घोषक)		*(टिप्पण निर्दिष्ट करें)*
2.	विनिर्दिष्ट फंड के रजिस्ट्रीककृत कार्यालय का पता		*(टिप्पण निर्दिष्ट करें)*
3.	विधिक स्थिति *(एक का चयन करें)*		1. कंपनी 2. न्यास 3. सीमित दायित्व भागीदारी 4. निगमित निकाय
4.	स्थायी खाता संख्या		
5.	कर वर्ष समाप्ति		*दिन/मास/वर्ष*
6.	स्थापना / निगमन की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*
7.	परिचालन प्रारंभ करने की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*
8.	(क)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता) नियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग -I विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार पंजीकरण संख्या	
	(ख)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	*दिन/मास/वर्ष*
	(ग)	कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	अद्यतन करें
	भाग ख		
9.	क्या नियम 142 द्वारा अनिवार्य शर्तें पूरी होती हैं? *(एक का चयन करें)*		1. हाँ 2. नहीं
10.	साथ पष्ट्रि के अधीन पठित और अधिनियम की अनुसूची 6 की सारणी के तालिका: क्र. सं. 1 से 4 के अधीन छूट प्राप्त पात्र विनिधान प्रभाग को प्रोद्भूत या उद्भूत आय की गणना		
	(क)	अधिनियम की धारा 70(1) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त आय, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी आईएफएससी में होती है	

		और जहां विचारण संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में दिया गया या दिया जाना है;	
	(ख)	प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों से भिन्न);	
	(ग)	अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं है) और जहां यह आय अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती;	
	(घ)	प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय जो "कारबार या व्रत्ति के लाभ और हानि" के अधीन कर योग्य है;	
	(ङ)	पात्र विनिधान प्रभाग की आय **[(क) + (ख) + (ग) + (घ)]**	
11.	अधिनियम की धारा 210(3) के अधीन कर योग्य पात्र विनिधान प्रभाग को प्रोद्भूत या उद्भूत हुई आय की गणना		
	(क)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 1]	
	(ख)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 2], प्रतिभूति के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप (जो धारा 196 के अधीन नहीं है)	
	(ग)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 3], धारा 196 के अनुसार निर्दिष्ट अंतरण प्रतिभूति के अंतरण के परिणामस्वरूप	
	(घ)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र. सं. 4], प्रतिभूति के अंतरण के परिणामस्वरूप (जो अधिनियम धारा 198 के अधीन नहीं है);	
	(ङ)	धारा 210(1) में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय [तालिका सारणी: क्र.सं. 5], धारा 198 के अनुसार निर्दिष्ट प्रतिभूति के स्थानांतरण के	

		परिणामस्वरूप	
	(च)	पात्र विनिधान प्रभाग की आय**[(क) + (ख) + (ग) + (घ) + (ङ)]**	

सत्यापन

मैं, _____, (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त प्ररूप में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____(पदनाम) के रूप में यह विवरण प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और यह घोषणा करने तथा यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम/योग्य हूँ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

सूचना:

1. **व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेवाक्षर के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी भी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा।**

2. **पता में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे**:
   - i. **देश/क्षेत्र**,
   - ii. **फ्लैट/द्वार/भवन**,
   - iii. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
   - iv. **पिन/ज़िप कोड**,
   - v. **डाकघर**,
   - vi. **क्षेत्र/परिक्षेत्र**
   - vii. **जिला**,
   - viii. **राज्य**

3. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रू. में भरनी हैं।

प्ररुप सं. 71

[नियम 142 देखें]

अधिनियम की अनुसूची 6 के प्रयोजनों के लिए , अपतट बैंककारी यूनिट के पात्र विनिधान प्रभाग से संबंधित विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना के लिए लेखाकार द्वारा सत्यापन

भाग-क			
1	निर्धारिती के ब्यौरे		
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 देखें)*
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 देखें)*
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
2.	उस अपतट बैंककारी यूनिट का विवरण जिससे पात्र विनिधान प्रभाग संबंधित है।		
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 देखें)*
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 देखें)*
3.	कर वर्ष		
भाग-ख			
4.	अपतट बैंककारी यूनिट के पात्र विनिधान प्रभाग द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें		

	(i)	क्या रजिस्ट्रीकृत विनिधान प्रभाग के लिए पृथक खाते बनाए गए हैं? *(कृपया एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(ii)	क्या (i) में निर्दिष्ट खातों का लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है? *(कृपया एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(iii)	क्या विनिधान की खरीद और बिक्री के लिए इनबाउंड विप्रेषणादेश संबंधी उचित दस्तावेज रखे गए हैं? *(कृपया एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(iv)	क्या भारत को किए गए इनवर्ड विप्रेषणादेश के उपयोग संबंधी उचित दस्तावेज रखे गए हैं? *(कृपया एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(v)	क्या रजिस्ट्रीकृत विनिधान प्रभाग के सभी खातों के बैंक विवरण रखे गए हैं? *(कृपया एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं
	(vi)	क्या रजिस्ट्रीकृत विनिधान प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री से संबंधित संविदा टिप्पण रखे गए हैं?	1. हाँ

		(कृपया एक का चयन करें)	2. नहीं
	(vii)	क्या संरक्षक द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का विवरण रखा गया है? *(कृपया एक का चयन करें)*	1. हाँ 2. नहीं

सत्यापन

1. मैं/हमने ……..के पात्र विनिधान प्रभाग के खातों तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिनमें उस प्रभाग को प्राप्त या उत्पन्न आय के विवरण शामिल हैं। (अपतट बैंककारी यूनिट का नाम), जो अधिनियम की अनुसूची 6 के सारणी में क्र.सं. 1 से 4 के साथ पठित धारा 11 के अधीन छूट और धारा 210(3) के अधीन रियायती दरों के पात्र है।

2. मैं/हम यस द्वारा पुष्टि करता/करते हैं कि ……..के पात्र विनिधान प्रभाग (अपतट बैंककारी यूनिट का नाम) ने ऊपर पंक्ति सं. 4 में दिए गए शर्तों को पूरा किया है।

3. मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

तारीख: …….

हस्ताक्षर:

स्थान: …….

लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो:

स्वायत्त/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:—

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा चाहिए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से उपबंधित किया जाना चाहिए।
2. पता निम्नलिखित हो:
    i. देश/क्षेत्र,
    ii. फ्लैट/द्वार/भवन,
    iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
    iv. पिन/ज़िप कोड,
    v. डाकघर,
    vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र,
    vii. जिला,
    viii. राज्य

प्ररुप सं. 72

[नियम 145 देखें]

धारा 221 के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

<table>
<tr><td colspan="11">भाग क: प्रतिभूतिकरण न्यास की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">विधिक स्थिति:</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="8">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="8" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>देश कोड</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">कर वर्ष:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="10">प्रतिभूतिकरण न्यास के निदेशकों, साझेदारों या न्यासियों के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>नाम</td><td>पैन</td><td>आधार</td><td>पता</td><td>संपर्क संख्या</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="3">पद का नाम</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(यदि अपेक्षित हो तो,दोहराएँ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td colspan="10">प्रतिभूतिकरण न्यास की स्थिति और रजिस्ट्रीकरण का के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td colspan="2">अधिनियम/विनियम जिस के अधीन पंजीकृत हैं</td><td colspan="2">प्रतिभूतिकरण न्यास की स्थिति</td><td colspan="2">रजिस्ट्रीकरण की तारीख</td><td colspan="2">रजिस्ट्रीकरण संख्या</td><td>रजिस्ट्रीकरण की वैधता (अधिकतम)</td></tr>
</table>

10.	(i).	'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय [क]:					
	(ii).	[ङ] के अनुपात में (प्रतिशत में):					
11.	(i).	कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय [ख]:					
	(ii).	[ङ] के अनुपात में (प्रतिशत में):					
12.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्षक के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय [ग]:						
	(i).	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:					
		(क)	(i).	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें):			
			(ii).	रकम:			
			(III).	[ङ] के अनुपात में (प्रतिशत में):			
		(ख)	*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)*				
	(ii).	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:					
		(क)	(i).	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें):			
			(ii).	रकम:			
			(III).	[ड.] के अनुपात में (प्रतिशत में):			
		(ख)	*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)*				
13.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास की आय (रू में) [घ]:						
	(i).	(क)	लाभांश:				
		(ख)	[ङ] के अनुपात में (प्रतिशत में):				
	(ii).	(क)	अन्य:				
		(ख)	[ङ] के अनुपात में (प्रतिशत में):				
14.	प्रतिभूतिकरण न्यास [ङ] की कुल आय = [क] + [ख] + [ग] + [घ]:						
15.	धारा 221(1) में निर्दिष्ट उन व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनके द्वारा आय प्राप्त की जाती है या जिनके नाम पर इसे जमा किया गया है या जमा किया हुआ समझा जाता है, निम्नलिखित रुपविधान में:						

	क्र.सं.	विनिधानकर्ता का नाम	पता	पैन/आधार	संदत्त की गई/ जमा की गई/ जमा मानी गई कुल रकम	संदत्त /जमा की तारीख	गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आय	कारबार या वृत्ति के लाभ और आय' शीर्ष के अधीन आय	'पूंजी अभिलाभ' शीर्षक के अधीन आय				'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय [घ]:	
									दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		लाभांश	अन्य
									पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें)	आय	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें)	आय		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × क्र.सं. 10(ii)	(8) = (5) × क्र.सं. 11(ii)	(9) = क्र.सं. 12(i) पर सुसंगत संहिता	(10) = (5) × क्र.सं. 12(i) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [ड.] के अनुपात में)	(11) = क्र.सं. 12(ii) पर सुसंगत संहिता	(12) = (5) × क्र.सं. 12(ii) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [ड.] के अनुपात में)	(13) = (5) × क्र.सं. 13(i)(ख)	(14) = (5) × क्र.सं. 13(ii)(b)
	1.													
	2.	*(यदि अपेक्षित हो, प्रत्येक नाम और पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए भी दोहराएं)*												
16.	अन्य ब्यौरे पृथक रुप से संलग्न किए जाने हैं:											*(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)*		

घोषणा

मैं, _____, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पदनाम:

सत्यापन

मैंने _____ बही और अन्य दस्तावेजों की जांच की है जो विनिधानकर्ताओं को _____ (प्रतिभूति न्यास का नाम, _____ को समाप्त वर्ष) के लिए द्वारा अर्जित आय और वितरित/जमा की गई आय (धारा 221(3) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) की विशिष्टियां दर्शाते हैं।

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख:

लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

8. नाम में प्रतिभूतिकरण न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होगा।

9. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।

10. नीचे दिए गए अनुसार विधिक स्थिति भरें: –

(I)	कंपनी
(II)	न्यास
(III)	सीमित दायित्व भागीदारी
(IV)	निगमित निकाय

11. भाग ख (क्रम संख्या 12 और 15) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन किया जाना है:–

क्रम संख्या	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन पर 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 196 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

12. भाग ख (क्रम संख्या 16) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	लागू अधिनियम या विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति, जैसे कि प्रतिभूतिकरण न्यास के मामले में,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992(1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति ऋण उपकरणों की सार्वजनिक प्रस्थापना और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अधीन; विशेष प्रयोजन यान के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानक आस्तियों के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित; और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के मामले में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का 54) के अधीन।
क -2	लेखापरीक्षित खाते, जिनमें तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो), आय और आय के संदाय या आय के ऋण के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां (धारा 221(3) के उपबंधो के अनुसार जमा की गई रकम सहित) सम्मिलित हैं।

6. "लेखाकार" पद से धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है।

7. इस प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरी होगी।

8. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 73

[नियम 145 देखें]

धारा 221 के अधीन प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का विवरण विनिधानकर्ता को प्रदान कराया जाएगा।

<table>
<tr><td colspan="12">भाग क: विनिधानकर्ता का विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">नाम:</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">पता:</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">ईमेल आईडी:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="8" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td colspan="2">देश कोड</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="8">प्रतिभूतिकरण न्यास का नाम:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">प्रतिभूतिकरण न्यास का पैन:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="12">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="8">कर वर्ष:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="11">कर वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा विनिधानकर्ता को संदत्त की गई या जमा की गई/जमा समझी गई आय के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">क्र. सं.</td><td rowspan="2">संदत्त की गई या जमा की गई या जमा समझी गई रकम</td><td rowspan="2">संदत्त या जमा की तिथि या जमा समझी जाने वाली तारीख</td><td colspan="8">आय मदों के अधीन संदत्त /जमा की गई रकम के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>'गृह संपत्ति से होने वाली आय'</td><td>'कारबार या वृत्ति'</td><td colspan="2">'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ '</td><td colspan="2">'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ</td><td colspan="2">'अन्य स्रोतों से आय'</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें)</td><td>रकम</td><td>पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें)</td><td>रकम</td><td>'लाभांश'</td><td>अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया जाता है तो विनिर्दिष्ट करें)</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>(11)</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(दोहराएं, यदि अपेक्षित हो)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: नाम: पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में विनिधानकर्ता या प्रतिभूतिकरण न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होंगे।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 9) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन करना है:—

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 12.5% की दर से प्रभार्य लाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 196 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

4. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
5. जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया हो, इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है।

प्ररुप सं. 74

[नियम 145 देखें]

धारा 222 के अधीन जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

<table>
<tr><td colspan="10">भाग क: जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="7">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="7">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="7">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="7">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="7" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="7">कर वर्ष:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="9">जोखिम पूंजी कंपनी के निदेशकों/ जोखिम पूंजी निधि के न्यासियों के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td></td><td>क्र. सं.</td><td>नाम</td><td>पैन</td><td>आधार</td><td>पता</td><td>संपर्क संख्या</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="2">पदनाम</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(दोहराएं यदि अपेक्षित हो)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="9">जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">विनियम जिनके अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं (एसईबीआई (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 या एसईबीआई (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012)</td><td colspan="2">रजिस्ट्रीकरण की तारीख</td><td>रजिस्ट्रीकरण संख्या</td><td colspan="2">रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता (अधिकतम)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="9">ऐसे मामले में जहां जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि एसईबीआई (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:</td></tr>
</table>

	(i)				क्या इसने अपने विनिहित निधियों का दो-तिहाई या उससे अधिक हिस्सा असूचीबद्ध साधारण अंश या जोखिम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी-लिंक्ड लिखित में विनिधान किया है:	हां/नहीं
	(ii)				क्या इसने किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में कोई विनिधान किया है, जिसमें, - (a) इसका निदेशक या एक महत्वपूर्ण शेयरधारक (जो इसकी साधारण अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण अंश का लाभकारी स्वामी हो); या (b) इसका यथास्थिति न्यासी या संस्थापक, समादत्त हो, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, ऐसे उद्यम पूंजी उपक्रम की चुकता साधारण अंश पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक साधारण अंश रखता है।	हां/नहीं
	(iii)				क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के शेयर या यूनिट कर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:	हां/नहीं
10.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन उद्यम पूंजी उपक्रमों में विनिधान से प्राप्त कुल आय [क]:					
	(i)	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:				
		(क)	(I)		पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें):	
			(II)		रकम:	
			(III)		[ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
		(ख)			*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)*	
	(ii)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:				
		क	(I)		पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 3 देखें):	
			(II)		रकम:	
			(III)		[ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
		ख			*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए इसे दोहराएं)*	
11.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधान से प्राप्त कुल आय [ख]:					
	(क)	(I)			लाभांश:	
		(II)			[ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
	(ख)	(I)			अन्य:	
		(II)			[ग] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
12.	जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधान से सभी शीर्ष के अधीन कुल आय [ग] = [क] + [ख]:					
13.	धारा 222(1) में निर्दिष्ट उन व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनके द्वारा आय प्राप्त की जाती है या जिनके नाम पर इसे जमा किया गया है या जमा किया हुआ समझा जाता है, निम्नलिखित रुपविधान में:					

	क्र. सं.	विनिधानकर्ता का नाम	पता (पते)	पैन/ आधार	संदत्त की गई/ जमा की गई/ जमा सम झी गई कुल रकम	संदत्त/ जमा की तारीख	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय				'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय	
							दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
							पूंजी अभिलाभ संहिता	आय	पूंजी अभिलाभ संहिता	आय	लाभांश	अन्य (ब्याज आदि)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = क्र.सं. 10(i) पर सुसंगत संहिता	(8) = (5) × क्र.सं. 10(i) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [ग] के अनुपात में)	(9) = क्र.सं. 10(ii) पर सुसंगत संहिता	(10) = (5) × क्र.सं. 10(ii) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [ग] के अनुपात में)	(11) = (5) × क्र.सं. 11(i)(ख)	(12) = (5) × क्र.सं. 11(ii)(ख)
	1.											
	2.	*(यदि अपेक्षित हो, प्रत्येक नाम और पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए भी दोहराएं)*										
14.	अन्य ब्यौरे पृथक रुप से संलग्न किए जाने हैं:										*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*	

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान:_____ तारीख: पदनाम:

सत्यापन
मैंने _____ (जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम)द्वारा विनिधानकर्ताओं को अर्जित आय और वितरित/जमा की गई आय (धारा 222(5)के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित)की विशिष्टियां दर्शाने वाले लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जो कि _____ (जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम) द्वारा कर वर्ष के अंत तक के लिए है। मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: लेखाकार का नाम: पद का नाम: सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो: स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम: फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/अवस्थान, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 10) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन करना है:—

क्र. सं.	**पूंजी अभिलाभ**	**संहिता**
1.	धारा 198 के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 12.5% की दर से प्रभार्य	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 198 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

4. भाग ख (क्रम संख्या 14) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का(5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति
क-2	यदि जोखिम पूंजी निधि का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो जोखिम पूंजी निधि विलेख की एक प्रति।
क-3	लेखापरीक्षित खाते जिनमें तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो) सम्मिलित हैं, साथ ही आय और आय के वितरण या आय के जमा के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां (धारा 222(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी जाने वाली रकम सहित)।

5. "लेखाकार" से धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार से अभिप्रेत है।
6. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 75

[नियम 145 देखें]

जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण धारा 222 के अधीन कर के लिए दायी व्यक्ति को प्रदान किया जाना है।

<table>
<tr><td colspan="11">भाग क: विनिधानकर्ता की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="8" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>देश कोड</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="8">जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का पैन (पीएएन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="11">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="8">कर वर्ष:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="10">कर वर्ष के दौरान जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा विनिधानकर्ता को संदत्त की गई या जमा की गई /जमा समझी गई आय के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">क्रमसंख्या</td><td rowspan="3">संदत्त की गई या जमा की गई या जमा मानी गई रकम</td><td rowspan="3">संदत्त या जमा की तारीख या जमा मानी जाने वाली तारीख</td><td colspan="6">आय शीर्ष के अधीन संदत्त/ जमा की गई रकम के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td colspan="2">'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'</td><td colspan="2">'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'</td><td colspan="2">'अन्य स्रोतों से आय'</td></tr>
<tr><td>पूंजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)</td><td>रकम</td><td>पूंजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)</td><td>रकम</td><td>'लाभांश'</td><td>अन्य (ब्याज आदि)</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td colspan="2">(यदि अपेक्षित, प्रत्येक नाम और पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए भी दोहराएँ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

घोषणा
मैं, _____, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैमैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं सत्यापन और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: हस्ताक्षर: दिनांक: नाम: पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में विनिधानकर्ता या प्रतिभूतिकरण न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख(क्रम संख्या 9) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ संहिता का चयन करना है:–

क्रमसंख्या	पूंजी अभिलाभ	संहिता
1.	धारा 198 के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 198 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

4. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
5. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जबतक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 76

[नियम 145 देखें]

धारा 223 के अधीन व्यावसायिक न्यास द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

<table>
<tr><td colspan="10">भाग क: व्यावसायिक न्यास की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">नाम:</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="6">पता:</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="6">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="6">ईमेल आईडी:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="6" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td colspan="2">संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="6">कर वर्ष:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="9">व्यावसायिक न्यास के न्यासियों के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>नाम</td><td>पैन</td><td>आधार</td><td>पता</td><td>संपर्क संख्या</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="2">पद का नाम</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(यदि अपेक्षितहो तो, दोहराएँ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="9">भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के साथ व्यावसायिक न्यास के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td colspan="4">वे विनियम जिनके अधीन रजिस्ट्रीकृत है (एसईबीआई (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 या एसईबीआई (अवसंरचना विनिधान में न्यास) विनियम, 2014)</td><td>रजिस्ट्रीकरण की तारीख</td><td>रजिस्ट्रीकरण संख्या</td><td colspan="3">रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता (अधिकतम)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

9.	क्या कर वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यावसायिक न्यास की इकाइयाँ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:		हां /नहीं
10.	(i).	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय [सारणी: क्र.सं. 3(ए)] [ए]:	
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
11।	(i).	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 4] [ख] में निर्दिष्ट किराये या पट्टे या किराए पर देने से प्राप्त आय:	
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
12.	(i).	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 [ग] के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है:	
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
13.	(i).	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन वाहन ने धारा 200 [घ] के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है:	
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
14.	(i).	क्र.सं. 10, 11, 12 और 13 में उल्लिखित आय के अतिरिक्त अन्य आय [ड.]:	
	(ii).	[च] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
15.	सभी स्रोतों से व्यावसायिक न्यास की कुल आय [च] = [क] + [ख] + [ग] + [घ] + [ड.]:		

16. धारा 223(1) में निर्दिष्ट यूनिट धारकों के ब्यौरे, जिन्हें आय वितरित कीजाती है, निम्नलिखित रुपविधान में:

क्र.सं.	नाम	पता (पते)	पैन/आधार	वितरित की गई कुल रकम	वितरण की तारीख	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की	अनुसूची 5 में निर्दिष्ट किराये या पट्टे या किराए पर देने के रूप में प्राप्त	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस मामले में जहां विशेष प्रयोजन वाहन	अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] मेंनिर्दिष्टलाभांशकेरूपमेंआय कीरकम, उसस्थितिमेंजहांविशेषप्रयोज	क्र.सं. 10, 11, 12 और 13 में निर्दिष्ट आय के

							रकम [सारणी: क्र.सं. 3(क)]	आय की रकम [सारणी: क्र.सं. 4]	ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।	नवाहननेधारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।	अतिरिक्त अन्य आय की रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × क्र.सं. 10(ii)	(8) = (5) × क्र.सं. 11(ii)	(9) = (5) × क्र.सं. 12(ii)	(10) = (5) × क्र.सं. 13(ii)	(11) = (5) × क्र.सं. 14(ii)

17. धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के संबंध में व्यावसायिक न्यास द्वारा यूनिट धारकों को कर वर्ष के दौरान या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष (वर्षों) के दौरान वितरित की गई रकम, निम्नलिखित रुपविधान में:

क्र.सं.	कर वर्ष	यूनिटों की संख्या	धारा 92(2) (ट) में निर्दिष्ट कुल रकम, जो ऐसे कर वर्ष के दौरान ऐसी यूनिटों के संबंध में वितरित की गई हो।
1.			
2.	*(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)*		

18. धारा 223 में निर्दिष्ट इकाई धारकों के ब्यौरे, जिन्हें क्र.सं. 17 में निर्दिष्ट रकम वितरित की जाती है, निम्नलिखित रुपविधान में प्रस्तुत करें:

क्रमसंख्या	नाम	पता (पते)	पैन/आधार	यूनिटों की संख्या	धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की एक इकाई के संबंध में वितरित की गई।	धारा 92(2)(के) में निर्दिष्ट कुल रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की सभी यूनिटों के संबंध में वितरित की गई।
1.						
2.	*(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)*					

19. अन्य ब्यौरे पृथक रुप से संलग्न किए जाने हैं: *(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)*

घोषणा
मैं, _____ एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं सत्यापन और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: नाम: पदनाम:
सत्यापन
मैंने (व्यवसायिक न्यास का नाम) द्वारा कर वर्ष के लिए अर्जित आय और यूनिट धारकों को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शाने वाले लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है। मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: लेखाकार का नाम: पदनाम: सदस्यता संख्या: यदि कोई यूडीआईएनहो तो: स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम: फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में व्यावसायिक न्यास का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 19) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति
क-2	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत जोखिम पूंजी निधि के मामले में न्यास विलेख की एक प्रति।
क-3	लेखा परीक्षित खाते जिनमें तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो) और आय और आय वितरण के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां शामिल हों।

4. "लेखाकार" से धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है।
5. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप सं. 77

[नियम 145 देखें]

धारा 223 के अधीन यूनिट धारक को व्यावसायिक न्यास द्वारा वितरित आय का विवरण प्रदान कि या जाना है।

<table>
<tr><td colspan="10">भाग क: यूनिट धारकों की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">नाम:</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="6">पता:</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="6">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="6">ईमेल आईडी:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="6" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td colspan="2">संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="6">व्यावसायिक न्यास का नाम:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="6">व्यावसायिक न्यास का पैन:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="10">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="6">कर वर्ष:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="9">कर वर्ष के दौरान व्यावसायिक न्यास द्वारा यूनिट धारक को वितरित की गई आय के ब्यौरे निम्नलिखित रुपविधान में प्रस्तुत किया गयाहै:</td></tr>
<tr><td></td><td>क्र.सं.</td><td>वितरित रकम</td><td>वितरण की तारीख</td><td>अनुसूची 5 में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम [सारणी: क्र.सं. 3(क)]</td><td>अनुसूची 5 में उल्लिखित किराये या पट्टे या किराए पर देने के रूप में प्राप्त आय की रकम [सारणी: क्र.सं. 4]</td><td>अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस मामले में जहां विशेष प्रयोजन माध्यम ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।</td><td>अनुसूची 5 [सारणी: क्र.सं. 3(ख)] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम, उस स्थिति में जहां विशेष प्रयोजन माध्यम ने धारा 200 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।</td><td>स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखितआय के अतिरिक्तआय की रकम</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td></tr>
</table>

	1.							
	2.	*(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)*						

10. धारा 92(2)(k) में उल्लिखित रकम के ब्यौरे, जो व्यावसायिक न्यास द्वारा यूनिट धारक को वितरित किया गया है, निम्नलिखित रुपविधान में:

क्रमसंख्या	यूनिटों की संख्या	धारा 92(2)(ट) में यथानिर्दिष्ट रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की एक यूनिट के संबंध में वितरित की गई।	धारा 92(2)(ट) में निर्दिष्ट कुल रकम, कर वर्ष के दौरान यूनिट धारक की सभी यूनिटों के संबंध में वितरित की गई।
1.			
2.	*(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)*		

सत्यापन

मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में यूनिट धारक या व्यावसायिक न्यास का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
4. , इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो ।

प्ररुप सं. 78

[नियम 145 देखें]

विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण धारा 224 के अधीन यूनिट धारक को प्रदान किया जाना

<table>
<tr><td colspan="12">भाग क: इकाई धारक की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">नाम:</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">पता:</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">ईमेल आईडी:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="8" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>कंट्री कोड</td><td colspan="2">संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="8">विनिधान निधि का नाम:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">विनिधान निधि का पैन:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="12">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="8">कर वर्ष:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="11">कर वर्ष के दौरान विनिधान निधि द्वारा यूनिट धारक को संदत्त की गई या जमा की गई/जमा समझी गई आय या हानि (धारा 224(2)(ख) के तहत हानि को छोड़ने करने के पश्चात) के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="11">
<table>
<tr><td rowspan="3">क्रम संख्या</td><td rowspan="3">संदत्त की गई या जमा की गई रकम</td><td rowspan="3">संदत्त या जमा की तारीख</td><td colspan="8">आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन संदत्त/जमा रकम के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td rowspan="2">'कारबार या वृत्ति'</td><td colspan="2">'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'</td><td colspan="2">'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'</td><td rowspan="2">'लाभांश'</td><td rowspan="2">अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया जाता है तो निर्दिष्ट करें)</td></tr>
<tr><td>पूंजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)</td><td>आय या हानि</td><td>पूंजी अभिलाभ कोड (टिप्पण 3 देखें)</td><td>आय या हानि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आय</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>आय</td><td>आय या हानि</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="11">धारा 224(3) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समझी गई हानि के ब्यौरे (31 मार्च, 2019 को इकाई धारक को दिया जाना):
<table>
<tr><td rowspan="2">क्रम संख्या</td><td rowspan="2">कर वर्ष</td><td colspan="2">आय शीर्षों के अधीन समझी गई हानि का विवरण</td></tr>
<tr><td>'दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ'</td><td>'अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ'</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	2.	*(यदि अपेक्षित हो तो, दोहराएँ)*		

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ के धारक के रूप में, यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: नाम: पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में यूनिट धारक या विनिधान निधि का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. भाग ख (क्रम संख्या 9) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ कोड का चयन करना है:—

क्रम संख्या	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा	3
4.	धारा 196 के तहत अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5
6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है	6

4. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
5. इस प्ररुप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररूप सं. 79

[नियम 145 देखें]

विनिधान निधि द्वारा संस्त या जमा की गई आय का विवरण धारा 224 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

<table>
<tr><td colspan="10">भाग क: विनिधान निधि की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">नाम:</td><td colspan="4">(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">पता:</td><td colspan="4">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">कानूनी स्थिति:</td><td colspan="4">(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="5">ईमेल आईडी:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="5" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td colspan="3">संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="10">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="5">कर वर्ष:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="9">विनिधान निधि के निदेशकों, भागीदारों या न्यासियों का ब्यौरा:</td></tr>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>नाम</td><td>पैन</td><td>आधार</td><td>पता</td><td>संपर्क संख्या</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="2">पदनाम</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(दोहराएँ यदि अपेक्षित)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td colspan="9">आनुकल्पिक विनिधान निधि के रूप में विनिधान निधि के रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा:</td></tr>
<tr><td colspan="2">विनियम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक</td><td colspan="2">यदि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है, तो क्या यह श्रेणी I या</td><td>रजिस्ट्रीकरण की तारीख</td><td>रजिस्ट्रीकरण संख्या</td><td colspan="2">रजिस्ट्रीकरण की विद्विमान्यता (अधिकतम)</td></tr>
</table>

	विनिधान निधि) *विनियम*, 2012 *या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण* (*निधि प्रबंधन*) *विनियम*, 2022)	*श्रेणी* II (*जैसा लागू हो, चुनें*) *के रूप में रजिस्ट्रीकृत है*?			

10.	कर वर्ष के दौरान विनिधान निधि की कुल आय:						
11।	कुल आय का विवरण (स्तंभ (7) के अधीन रकमों का योग क्रमांक 10 पर दी गई कुल आय से मेल खाना चाहिए):						
	क्र. सं.	शीर्ष के अधीन	आय या हानि			धारा 224(2) के अनुसार हानि की मुजंराई की जाएगी।	धारा 224(2) के अनुसार हानियों की मंजुराई के पश्चात् शुद्ध आय या हानि
			रकम	अपतट विनिधान से, अनिवासी यूनिटधारक के विनिधान से।	शुद्ध		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)	(7) = (5) – (6)
	1.	कारबार या व्रत्ति से होने वाले लाभ और अभिलाभ					
	2.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	3.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	4.	अन्य स्रोतों से आय (लाभांश/अन्य) (यदि विशेष दरों पर कर लगता है तो अनुभाग विनिर्दिष्ट करें)					
12.	कर वर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो; धारा 224(2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को छोड़कर किया जाना **अपेक्षित** है, —						
	i.	धारा 224(2)(क)(ii):					
		आय शीर्ष			हानि की रकम		

		कारबार या व्रत्ति से होने वाले लाभ और अभिलाभ			
	ii.	धारा 224(2)(ख):			
		क्रम संख्या	आय शीर्ष		हानि की रकम
		1.			
		2.	*(दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो)*		

13.	यदि कोई हानि कारबार या व्रत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आती है, तो उसके ब्यौरे :					
	क्रम संख्या	यदि कोई हो तो अग्रिम रूप से लिए गए नुकसान का विवरण		मंजुराई के पश्चात कर वर्ष के दौरान आय या हानि की **धारा 224 (2)** रकम	अग्रेषित हानि की रकम	
		कर वर्ष/ निर्धारण वर्ष	रकम		कर वर्ष/ निर्धारण वर्ष	रकम
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4)
	1.					
	2.	*(दोहराएँ,यदि अपेक्षित हो)*				

14.	क्रमांक 13 पर हानियों की मंजुराई के पश्चात विनिधान निधि की विभिन्न शीर्षों के अधीन सकारात्मक आय का कुल योग (क्रमांक 11 (स्तंभ (7)) में सकारात्मक रकमों का कुल योग भरपाई के बाद) [एपीआई]:					
	i.	(क)	'कारबार या व्रत्ति से होने वाले लाभ और **अभिलाभ** शीर्ष के अधीन आय:			
		(ख)	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):			
	ii.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय:				
		(क)	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:			
			I.	क.	पूंजी अभिलाभ संहिता (टिप्पण 4 देखें):	
				ख.	रकम :	
				ग.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
			II.	*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ **कोड़** के लिए इसे दोहराएं)*		

		(ख)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:				
			I.	क.	पूंजी अभिलाभ कोड़ (टिप्पण 4 देखें):		
				ख.	रकम:		
				ग.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):		
			II.		*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)*		
	iii.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय:					
		क.	I	लाभांश:			
			II.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):			
		ख.	I	अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया जाता है तो अनुभाग विनिर्दिष्ट करें):			
			II.	[एपीआई] के अनुपात में (प्रतिशत में):			

15. 31 मार्च, 2019 तक विनिधान निधि स्तर पर संचित 'कारबार या व्रत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि के अतिरिक्त अन्य हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो:

निर्धारण वर्ष	आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन हानि की रकम		कुल
	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	
2016-17			
2017-18			
2018-19			
2019-20			
कुल			

16. क्रमांक 12(ii) में हानियों को छोड़ने के पश्चात विभिन्न शीर्षों के अधीन हानियों का कुल योग (क्रम क्रमांक 11 (स्तंभ (7)) में ऋणात्मक रकमों का कुल योग) [AL]:

i.	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि:					
	क.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:				
		I.	क.	पूंजी अभिलाभ कोड़ (टिप्पण 4 देखें):		

				ख.	मात्रा:	
				ग.	[एएल] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
			II.		*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)*	
		ख..	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ:			
			I.	क.	पूंजी अभिलाभ कोड़ (टिप्पण 4 देखें):	
				ख.	रकम:	
				ग.	[एएल] के अनुपात में (प्रतिशत में):	
			II.		*(यदि अपेक्षित हो, तो एकाधिक पूंजी अभिलाभ कोड़ के लिए इसे दोहराएं)*	
	ii.	'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन हानि:				
		क.	I.		अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया जाता है तो अनुभाग निर्दिष्ट करें):	
			II.		[एएल] के अनुपात में (प्रतिशत में):	

17. धारा 224(1) में निर्दिष्ट यूनिटधारक व्यक्ति का विवरण, जिसके द्वारा आय या हानि प्राप्त होती है या जिसके नाम पर इसे जमा किया गया है, ऐसे मामले में जहां, —

I. सकारात्मक आय है:

क्रमांक	यूनिट धारक का नाम	पता(पते)	पैन/आधार	संस्त की गई/ जमा की गई/ जमा समझी गई कुल सकारात्मक	संस्त/जमा की तारीख	'कारबार या व्रति के लाभ और आभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय				'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय	
							दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
							पूंजीगत लाभ कोड़	आय	पूंजीगत लाभ कोड़	आय	लाभांश	अन्य (यदि विशेष दरों पर कर लगाया

						आय रकम								जाता है तो अनुभाग विनिर्दिष्ट करें)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × क्रमांक 14(i)(ख)	(8) = क्रमांक 14(ii)(क) पर सुसंगत कोड	(9) = (5) × क्रमांक 14(ii)(क) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [एपीआई] के अनुपात में)	(10) = क्रमांक 14(ii)(ख) पर सुसंगत कोड	(11) = (5) × क्रमांक 14(ii)(ख) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [एपीआई] के अनुपात में)	(12) = (5) × क्रमांक 14(iii)(क)(II)	(13) = (5) × क्र. क्रमांक 14(iii)(ख)(II)
		1.												
		2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*											

(ii) धारा 224(2)(क)(ii) के अनुसार 12 मास से अधिक समय तक धारित यूनिटों के संबंध में हानि होती है:

क्रमांक	यूनिट धारक का नाम	पता(पते)	पैन/आधार	कुल हानि रकम का संस्त/ जमा/ जमा समझी गई	संस्त/जमा की तारीख	'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि				'अन्य स्रोतों से हानि' शीर्ष के अधीन आय
						अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		
						पूंजी अभिलाभ कोड़	आय	पूंजी अभिलाभ कोड़	आय	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = क्रमांक 16(i)(क) पर सुसंगत कोड	(8) = (5) × क्रमांक 16(i)(क) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [एएल] के अनुपात में)	(9) = क्रमांक 16(i)(ख) पर सुसंगत कोड	(10) = (5) × क्रमांक 16(i)(ख) (प्रत्येक पूंजी अभिलाभ संहिता के लिए [एएल] के अनुपात में)	(11) = (5) × क्र. क्रमांक 16(ii)(क)(II)
1.										
2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ*									

18.	अन्य ब्यौरें **प्रथक** संलग्न किए जाने हैं:	*(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)*

घोषणा

मैं, _____, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है।

मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पदनाम:

सत्यापन

मैंने _____ लेखा बही और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिनमें _____ (विनिधान निधि) द्वारा यूनिट धारक को कर वर्ष _____ को अर्जित आय और वितरित/जमा की गई आय (धारा 224(7) के उपबंधों के अनुसार जमा समझी गई रकम सहित) की विशिष्टियां दी गई।

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे/हमारे * ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख लेखाकार का नाम:

पदनाम:

सदस्यता संख्या:
यूडीआईएन, यदि कोई हो:
स्वायत/फर्म का नाम:
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में विनिधान निधि का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होंगे।
3. नीचे दिए गए अनुसार विधिक स्थिति भरें: —

(I)	कंपनी
(II)	न्यास
(III)	सीमित दायित भागीदारी
(IV)	निगमित निकाय

4. भाग ख (क्रम संख्या 14, 16 और 17) में, निम्नलिखित में से पूंजी अभिलाभ कोड़ का चयन किया जाना है:—

क्रम संख्या	पूंजी अभिलाभ	कोड
1.	धारा 198 के अधीन पर 12.5% की दर से प्रभार्य	1
2.	धारा 198 से भिन्न अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	2
3.	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।	3
4.	धारा 196 के तहत अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 20% की दर से प्रभार्य लाभ	4
5.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य लाभ	5

6.	लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ प्रभार्य है।	6

5. भाग ख (क्रम संख्या 18) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरें उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्: —

उपाबंध	विवरण
ए-1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के **अधीन** रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति।
ए -2	लेखापरीक्षित खाते जिनमें तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट (यदि कोई हो) **सम्मिलित** हैं, साथ ही आय और आय के संस्त या आय के जमा के लिए विनियोग की प्रमाणित प्रतियां (धारा 224(7) के उपबंधों के अनुसार समझी जाने वाली राशि सहित)।

6. "लेखाकार" **पद** से धारा 515(3)(ख) **में यथा परिभाषित** लेखाकारा अभिप्रेत **है।**

7. "मूल्यांकन वर्ष" पद **का** वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) **(जैसा इसके निरसन के पहले विद्यमान था)** की धारा 2(9) में यथा परिभाषित है।

8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

9. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न वर्णित किया गया हो।

प्ररुप संख्या 80

[नियम 146(1)(क) देखें]

टन भार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग/नवीकरण करने हेतु आवेदन

धारा 231(1) या 231(10) के अंतर्गत

भाग क

क्र. सं.	**आवेदक की विशिष्टियां**	
1.	कंपनी का नाम	*(नोट 1 देखें)*
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	*(नोट 2 देखें)*
3.	शाखा कार्यालयों के पते	
4.	स्थायी खाता संख्या	
5.	आवासीय स्थिति	*(नोट 3 देखें)*
6.	निगमन की तारीख	*(दिन/मास/वर्ष) (नोट 4 देखें)*
7.	कंपनी के निदेशक का नाम	*(नोट 1 देखें)*
(i)		
(ii)		
…		
8.	कंपनी के निदेशक/निदेशकों का पता	*(नोट 2 देखें)*
(i)		
(ii)		
…		
9.	वह तिथि जिस दिन कंपनी एक अर्हक कंपनी बनी	*(नोट 5 देखें)*

10.	(क) क्या आवेदक कंपनी ने धारा 147 के तहत कटौती का लाभ उठाया है?	*हां नहीं*
	(ख) यदि ऐसा है, तो कृपया वह तिथि विनिर्दिष्ट करें जिस दिन से ऐसी कटौती उपलब्ध नहीं रहेगी।	*(दिदि/मम/वववव)*

11. कंपनी के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयानों के ब्यौरे

(क)	**स्वामित्व वाले पोत या अंतर्देशीय जलयान**				
क्रम संख्या	*पोत/अंतर्देशीय जलयान का नाम*	*शुद्ध टन भार*	*झंडा*	*पोत /अंतर्देशीय जलयान का प्रकार*	*चाहे अर्हता हो या न हो*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख)	**किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान के ब्यौरे**							
क्रम संख्या **(1)**	*पोत/अंतर्देशीय जलयान का नाम* (2)	*शुद्ध टन भार* (3)	*झंडा* (4)	*पोत /अंतर्देशीय जलयान का प्रकार* (5)	*चार्टर के प्रारंभ की तिथि* (6)	*चार्टर की अवधि* (7)	*महानिदेशक (पोत परिवहन)/ अंतर्देशीय जलयान रजिस्ट्रार के अनुमोदन का संदर्भ सं.* (8)	*चाहे अर्हता प्राप्त हो या न हो* (9)

(ख1)	**बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ख 2)	**तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ख 3)	**तीन वर्ष से कम अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(ख 4)	**उपरोक्त में उल्लिखित पोत से भिन्न अन्य पोत या अंतर्देशीय जलयानों को चार्टर्ड किया गया है।**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ग)	**किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयानों का विवरण**				
क्र. सं. (1)	*पोत/अंतर्देशीय जलयान का नाम* (2)	*शुद्ध टन भार* (3)	*चार्टर के प्रारंभ की तिथि* (4)	*चार्टर की अवधि* (5)	*चाहे अर्हता प्राप्त हो या न हो* (6)
(ग1)	**बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर किराए पर दिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग2)	**तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग3)	**तीन वर्ष से कम अवधि के लिए बेयरबोट चार्टर निबंधनों पर किराए पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12. अन्य ब्यौरे अलग उपबंधों के रूप में उपबंधित कराए जाएंगे: (टिप्पण 6 देखें)

भाग बी

टन भार कर स्कीम के विकल्प के नवीकरण के मामले में ही विशिष्टियां प्रस्तुत करना होगा।

क्रम संख्या	**विशिष्टियां**	
1.	पहले के विकल्पों का प्रयोग करने की तिथि(तारीखें) के साथ-साथ विकल्प को अनुमोदन देने वाले आदेश की तिथि(तारीखें)।	*(दिन/मास/वर्ष)*
2.	पूर्व विकल्पों से संबंधित ब्यौरे:	
	(i) क्या कंपनी पूर्ववर्ती विकल्पों के दौरान किसी भी समय एक अर्हता प्राप्त कंपनी नहीं रह गई थी।	*हां/नहीं*
	(ii) क्या उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम हुआ है? धारा 232(1) से (20) (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें)।	
	(iii) क्या कंपनी को धारा 234(4) से (7) के तहत स्कीम से बाहर रखा गया था (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें)।	
	(iv) क्या कंपनी ने स्वेच्छा से टन भार कर स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें)।	
3.	अन्य ब्यौरे पृथक से संलग्न किए जाने हैं:	*(टिप्पण 6 देखें)*

घोषणा**

मैं, (पूरा नाम बड़े अक्षरों में) जिसका स्थायी खाता क्रमांक ..... है, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन और इसके उपाबंध में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं आगे पुष्टि करता/करती हूँ कि:

(1) [कंपनी का नाम] धारा 2(28) के अर्थ में एक भारतीय कंपनी है।

(2) अधिनियम की धारा 235(ज)(ii) के अर्थ में कंपनी के प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में है।

(3) कंपनी के पास अर्हक पोत हैं।

(4) कंपनी का मुख्य उद्देश्य पोत या अंतर्देशीय जलयान का परिचालन है। कंपनी के संगम ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

(5) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट है और उसने धारा 147 के तहत कटौती लागू न होने की तिथि से तीन मास के भीतर आवेदन फाईल किया है।

3. मैं ..... आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता से कर रहा/रही हूँ और मैं यह आवेदन करने और इसकी पुष्टि करने के लिए भी सक्षम/सक्षम हूँ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : नाम:

टिप्पण:

1. व्यष्टि नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर को पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/द्वार/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं।
4. निगमन प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।
5. दावे के समर्थन में साक्ष्य संलग्न करें।
6. भाग क या भाग ख के संबंधित क्र. सं. के अनुसार, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे:

उपाबंध	इसके संबंध में	विशिष्टियां
क-1	भाग क (पंक्ति संख्या 10)	मद 10 में दिए गए विवरण के अनुसार, प्रत्येक अर्हक पोत के संबंध में, जो सुसंगत हो, निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए: (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025(2025 का 24) 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025(2025 का 24), 1958 के अधीन बनाए गए सुसंगत के अधीन टनभार प्रमाण पत्र; (ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025(2025 का 24), 1958 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र और यथानिर्दिष्ट पोत का टन भार मापन पर सम्मेलन, 1969 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (iii) भारत के बाहर पंजीकृत पोत के मामले में पोत किराए पर लेने के लिए महानिदेशक पोत परिवहन से प्राप्त अनुमति
क -2		भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान के मामले में, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, (2021 का 24)के तहत जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है।
क -3	भाग ख (पंक्ति संख्या 1)	आदेशों की प्रति

7. विकल्प का प्रयोग करते समय और विकल्प का नवीकरण करते समय, भाग 'क' भरना अनिवार्य है। तथापि, भाग 'ख' केवल तभी भरना है जब विकल्प के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा हो।

8. यह आवेदन आवेदक कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले संयुक्त आयकर आयुक्त के समक्ष फाईल किया जाना चाहिए।

9. आवेदन पत्र के सभी स्तंभ भरे होने चाहिए। उपाबंध के भाग क और भाग ख (यदि लागू हो) भी भरे होने चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण माना जाएगा।

10. **हस्ताक्षर करने से पहलेप्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन, साथ में दिए गए विवरण और दस्तावेज़, उसकी जानकारी और

विश्वास के अनुसार, सभी दृष्टियों से सही और पूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति जो मिथ्या कथन देता है, उस पर धारा 482 के तहत वाद चलाया जा सकता है।

11. आवेदन पर कंपनी की ओर से कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा, या यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबंध निदेशक इस प्ररुप पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में असमर्थ हैं, या यदि कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, तो किसी अन्य निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

12. आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन के प्रयोजन के लिए

(क) जहाँ कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो, चाहे न्यायालय के आदेशों के तहत हो या अन्यथा, या जहाँ किसी व्यक्ति को कंपनी की किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वहाँ विवरण पर धारा 322(1) में निर्दिष्ट परिसमापक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा;

(ख) जहां किसी विधि के तहत केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया हो, वहां कंपनी के विवरण पर उसके प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

13. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

14. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकम रु. में भरी जानी चाहिए।

प्ररुप सं. 81

[नियम 146(1)(ङ) देखें]

टन भार कर स्कीम के लिए धारा 232(21) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

	भाग अ: कंपनी की विशिष्टियां		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
6.	कर वर्ष		

	भाग ख: लेखा-बही का विवरण		
1.	वह कर वर्ष जिससे टन भार कर का विकल्प प्रभावी होता है		
2.	(क) क्या अर्हक पोत के संचालन के कारबार के संबंध में अलग-अलग लेखा-बहियां रखी जाती हैं?	*हां /नहीं*	
	(ख) यदि हां, तो रखी गई लेखा बहियों की सूची (कंप्यूटर प्रणाली में रखी गई लेखा बहियों सहित)		
	(ग) जाँची गई लेखा बहियों की सूची		
3.	कृपया उन सभी पतों की जानकारी दें जहाँ लेखा-बहियां रखी जाती हैं।	*पता 1*	
		पता 2	

		पता 3	
4.	**चार्टर-इन की सीमा**		
	क्या धारा 232(15) के तहत 49% की सीमा को ध्यान में रखते हुए गणना सही ढंग से की गई है?		*हां /नहीं*
5.	**प्रासंगिक पोत परिवहन आय**		
	क.	धारा 228(1)(क) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से होने वाला लाभ	
	ख.	क्या आकस्मिक क्रियाकलापों से होने वाला लाभ मुख्य क्रियाकलापों से होने वाले कुल कारोबार के 0.25 प्रतिशत से अधिक है?	*हां /नहीं*
6.	**टन भार कर आरक्षित खाता**		
	क.	बही लाभ	
	ख.	न्यूनतम आरक्षित निधि बनाई गई	
	ग.	आरक्षित निधि का उपयोग धारा 232(6) के तहत अधिकथित रीति में किया जाएगा।	
7.	**धारा 227(1) से धारा 227(6) के अधीन टन भार आय की गणना**		
	क.	अर्हक पोत का नाम	*(टिप्पण 3 देखें)*
	ख.	शुद्ध टन भार / समझा गया टन भार	
	ग.	स्वामित्व/चार्टर्ड	
	घ.	चार्टर का प्रकार (किसी एक को चुनें)	○ समय चार्टर, ○ यात्रा चार्टर, ○ अनावृत्त नौका ○ अनावृत्त नौका सह पट्टांतरण आधारित
	ङ	दैनिक टन भार आय	
	च.	संचालन के दिनों की संख्या	
	छ.	टन भार से होने वाली आय (ड.*च)	
	(यदि अपेक्षित हो तो, ब्यौरे 7 को दोहराएँ)		
8.	कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार का ब्यौरे		*(टिप्पण 4 देखें)*

9.	***मूल्यह्रास***					
	क.	धारा 229(1) से (7) के उपबंधों के अनुसार,यथास्थिति अर्हक आस्तियों और अन्य आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना निम्नलिखित प्ररुप में की जाएगी। *(टिप्पण 5 देखें)*				
	ख.	आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार प्रत्येक अर्हक आस्ति या अर्हक आस्तियों के समूह के संबंध में अनुमत मूल्यह्रास का विवरण निम्नलिखित प्ररुप में प्रस्तुत किया जाए।				
		i.	आस्ति / आस्तियों के समूह का विवरण			
		ii.	मूल्यह्रास की दर			
		iii.	यथास्थिति वास्तविक लागत या लिखित मूल्य, जैसा भी मामला हो।			
		iv.	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन/कटौती की तारीख, किसी आस्ति के परिवर्धन की स्थिति में, उसके उपयोग में लाए जाने की तारीख, जिसमें किए गए समायोजन भी सम्मिलित हैं।			
			i.	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और सुसंगत नियमों के तहत 1.3.1994 को या उसके पश्चात अर्जित संपत्तियों के संबंध में अनुज्ञात निवेश कर प्रत्यय।		
			II.	मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन		
			III.	सब्सिडी या प्रतिपूर्ति अनुदान, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए		
10.	पोत से भिन्न आस्तियों के ब्यौरे, यदि कोई हो, जिनका उपयोग विशेष रूप से टन भार कर कारबार के लिए नहीं किया जाता है।					*(टिप्पण 4 देखें)*
11।	यदि कोई हो, तो अर्हक पोत के संचालन के कारबार से संबंधित हानियों के ब्यौरे ।					*(टिप्पण 4 देखें)*

सत्यापन

*मैं/ हम..... जिसका स्थायी खाता क्रमांक ..... है, रिपोर्ट करता हूं कि ..... (कंपनी का नाम, पता और स्थायी खाता क्रमांक) की कानूनी लेखापरीक्षा मेरे/हमारे द्वारा की गई थी।

मैंने/हमने वह जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त निर्धारिती द्वारा अर्हक पोत के संचालन के कारबार से प्राप्त लाभों का पता लगाने के लिए आवश्यक थे।

मेरी/हमारी राय में और मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, रिपोर्ट में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वायत्त वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण :

1. व्यष्टि के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/परिक्षेत्र, vii. जिला, viii. राज्य।

3. उस पोत का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी आय की गणना समझे गए टन भार के आधार पर की जाती है।

4. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंधों के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	**इसके संबंध में**	**विशिष्टियां**
क-1	भाग ख (पंक्ति संख्या 7(डी))	समय चार्टर, समुद्रयात्रा चार्टर, अनावृत नौका चार्टर और अनावृत नौका चार्टर सह पट्टांतरण आधार पर चार्टर-इन/आउट का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
क -2	भाग ख (पंक्ति संख्या 8)	कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार पर एक टिप्पण
क-3	भाग ख (पंक्ति संख्या 10)	पोत से भिन्न अन्य आस्तियों (यदि कोई हो) के बारे में एक टिप्पण, जिनका उपयोग विशेष रूप से टन भार कर कारबार के लिए नहीं किया जाता है।
क-4	भाग बी (पंक्ति संख्या 11)	अर्हक पोत के संचालन के कारबार से संबंधित हानियों पर एक टिप्पण

5. टन भार कर स्की में केवल पहले वर्ष के मामले में ही दिया जाएगा।

6. यह रिपोर्ट धारा 515(3)(ख) में यथापरिभाषित लेखाकार द्वारा दी जानी है।

7. यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त के साथ दिया जाता है, तो रिपोर्ट में इसके कारण बताए जाएंगे।

8. प्ररुप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

9. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, भरी जाने वाली रकम रू. में होनी चाहिए।

प्ररुप सं. 82

(नियम 148 देखें)

आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)की धारा 247 और आयकर नियम, 2026 के नियम 148 के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,

अपर आयुक्त,

संयुक्त निदेशक,

संयुक्त आयुक्त,

उप निदेशक,

उप आयुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आयकर अधिकारी,

मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे विश्वास है कि-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन एक समन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी] _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____[तारीख] को जारी किया गया था, ताकि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों, या किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्ररुप में या कंप्यूटर सिस्टम पर, सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराये और यथापेक्षित ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया या असफल रहा;

_____

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी], _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी का प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया है, जो सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं और वह ऐसे बही लेखा या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को, जैसा कि उस समन या नोटिस में यथापेक्षित है, प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण नहीं बनेगा।

यदि किसी व्यक्ति [व्यक्ति का नाम] को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन समन या नोटिस जारी किया जाता है कि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करने का कारण बने, जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) के अधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और वह उन लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को प्रस्तुत नहीं करता या प्रस्तुत करने का कारण नहीं बनता जैसा कि ऐसे समन या नोटिस द्वारा यथापेक्षित है;

श्री/श्रीमती/सुश्री_____ के पास किसी परिसंपत्ति का कब्जा या उससे संबंधित कोई सूचना है और ऐसी परिसंपत्ति पूर्णतः या भागतः उन आय या परिसंपत्ति के दर्शाती है जो आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025, (2025 का 30) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22)के उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं की गई है, या प्रकट नहीं की जाएगी (जिसे यहां अप्रकटित आय या संपत्ति कहा गया है);

और मेरे पास संदेह करने का कारण है कि ऐसी परिसंपत्तियां, लेखा बही, अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर ऐसी जानकारी संग्रहीत है और _____ (भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) में पाई जा सकती है;

यह आपके _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकार और आपसे अपेक्षा के लिए है कि -

क. उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान में प्रवेश करें और जांच करें;

ख. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेज़ों का स्वामी या नियंत्रक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में प्रबंधित किए गए हों या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी के मालिक हों, से यह अपेक्षा करें कि वे आपको ऐसे खाता बही या अन्य दस्तावेज़ या ऐसी जानकारी की जांच करने में सहायता के लिए उचित तकनीकी और अन्य सहायता (जिसमें एक्सेस कोड, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, सम्मिलित है) प्रदान करें;

ग. किसी भी द्वार, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या उपरोक्त खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिभावी करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच, या यथास्थिति, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड, उपलब्ध नहीं हो;

घ. किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान से बाहर आया है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें विद्यमान है, यदि आपको संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपने पास किसी भी ऐसी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी, या कोई कंप्यूटर सिस्टम या आस्ति छुपाई हुई है;

ङ. जांच के दौरान पाई गई ऐसी लेखा-बही और दस्तावेज़ों पर पहचान चिन्ह लगाएं जिन्हें आप उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी मानते हैं। उनकी एक सूची बनाएं, साथ ही पहचान चिन्हों की विशिष्टियां भी दें;

च. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर संग्रहीत जानकारी की जांच करना और ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों और कंप्यूटर सिस्टम की प्रतियाँ या अंश तैयार करना या तैयार कराने का कार्य करना;

छ. ऐसी खोज के परिणामस्वरूप मिली किसी भी परिसंपत्ति और व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड का टिप्पण या सूची बनाएं;

ज. खोज के परिणामस्वरूप मिली ऐसी किसी भी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, कंप्यूटर सिस्टम या परिसंपत्ति (कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड से भिन्न) को जब्त करें और उसे अपने स्वामित्व में लें;

झ. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों, कम्प्यूटर सिस्टमों या परिसंपत्ति को किसी भी ऐसे आयकर प्राधिकारी के कार्यालय में सौंपना जो, जो आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के कार्यान्वयन में नियुक्त आयकर अधिकारी के पद से अन्यून हो; और

ञ. आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

आप किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी, या दोनों में से किसी का, या किसी व्यक्ति या इकाई का, जैसा कि आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247(5) में उल्लिखित है, सेवाएँ मांग सकते हैं, ताकि वे आपको आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रयोजनो के लिए सहायता प्रदान कर सकें।

तारीख.....

स्थान:.....

(हस्ताक्षर)

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(मुहर)

प्ररुप सं. 83

[नियम 148 देखें[

आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(2) के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,

अपर आयुक्त,

संयुक्त निदेशक,

संयुक्त आयुक्त,

उप निदेशक,

उप आयुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आयकर अधिकारी,

मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे विश्वास है कि-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन एक समन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी] _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____[तारीख] को जारी किया गया था, ताकि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों, या किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्ररुप में या कंप्यूटर सिस्टम पर, सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराये और यथापेक्षित ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया या असफल रहा;

_____

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी], _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____ [तारीख] को किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी का प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया है, जो सुसंगत समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं और वह ऐसे बही लेखा या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को, जैसा कि उस समन या नोटिस में यथापेक्षित है, प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण नहीं बनेगा।

_____

यदि किसी व्यक्ति [व्यक्ति का नाम] को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन समन या नोटिस जारी किया जाता है कि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करे या प्रस्तुत करने का कारण बने, जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) के अधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और वह उन लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या ऐसी जानकारी को प्रस्तुत नहीं करता या प्रस्तुत करने का कारण नहीं बनता जैसा कि ऐसे समन या नोटिस द्वारा यथापेक्षित है;

श्री/श्रीमती/सुश्री_____ के पास किसी परिसंपत्ति का कब्जा या उससे संबंधित कोई सूचना है और ऐसी परिसंपत्ति पूर्णतः या भागतः उन आय या परिसंपत्ति के दर्शाती है जो आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयकर अधिनियम, 2025, (2025 का 30) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22)के उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं की गई है, या प्रकट नहीं की जाएगी (जिसे यहां अप्रकटित आय या संपत्ति कहा गया है);

और मेरे पास संदेह करने का कारण है कि ऐसी परिसंपत्तियां, लेखा बही, अन्य दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में या कंप्यूटर सिस्टम पर ऐसी जानकारी संग्रहीत है और _____ (भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) में पाई जा सकती है;

यह आपके _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकार और आपसे अपेक्षा के लिए है कि -

क. उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान में प्रवेश करें और जांच करें;

ख. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेज़ों का स्वामी या नियंत्रक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में प्रबंधित किए गए हों या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी के मालिक हों, से यह अपेक्षा करें कि वे आपको ऐसे खाता बही या अन्य दस्तावेज़ या ऐसी जानकारी की जांच करने में सहायता के लिए उचित तकनीकी और अन्य सहायता (जिसमें एक्सेस कोड, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, सम्मिलित है) प्रदान करें;

ग. किसी भी द्वार, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या उपरोक्त खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिभावी करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच, या यथास्थिति, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड, उपलब्ध नहीं हो;

घ. किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान से बाहर आया है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें विद्यमान है, यदि आपको संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपने पास किसी भी ऐसी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी, या कोई कंप्यूटर सिस्टम या आस्ति छुपाई हुई है;

ङ. जांच के दौरान पाई गई ऐसी लेखा-बही और दस्तावेज़ों पर पहचान चिन्ह लगाएं जिन्हें आप उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी मानते हैं। उनकी एक सूची बनाएं, साथ ही पहचान चिन्हों की विशिष्टियां भी दें;

च. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर संग्रहीत जानकारी की जांच करना और ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों और कंप्यूटर सिस्टम की प्रतियाँ या अंश तैयार करना या तैयार कराने का कार्य करना;

छ. ऐसी खोज के परिणामस्वरूप मिली किसी भी परिसंपत्ति और व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड का टिप्पण या सूची बनाएं;

ज. खोज के परिणामस्वरूप मिली ऐसी किसी भी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, कंप्यूटर सिस्टम या परिसंपत्ति (कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड से भिन्न) को जब्त करें और उसे अपने स्वामित्व में लें;

झ. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों, कम्प्यूटर सिस्टमों या परिसंपत्ति को किसी भी ऐसे आयकर प्राधिकारी के कार्यालय में सौंपना जो, जो आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के कार्यान्वयन में नियुक्त आयकर अधिकारी के पद से अन्यून हो; और

ञ. आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

आप किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी, या दोनों में से किसी का, या किसी व्यक्ति या इकाई का, जैसा कि आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 247(5) में उल्लिखित है, सेवाएँ मांग सकते हैं, ताकि वे आपको आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रयोजनो के लिए सहायता प्रदान कर सकें।

तारीख:.....

स्थान:.....

(हस्ताक्षर)

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(मुहर)

प्ररुप सं. 84

[नियम 148 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 247(2) के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,

अपर आयुक्त,

संयुक्त निदेशक,

संयुक्त आयुक्त,

उप निदेशक,

उप आयुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आयकर अधिकारी,

जहाँ मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे संदेह करने का कारण है कि लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी या कंप्यूटर सिस्टम पर जानकारी, या आस्ति जिसके संबंध में _____ [प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पद [को अनुमोदन प्राधिकरण_____ द्वारा अधिनियम की धारा 247 की उपधारा) 1)(i) से)viii) के अधीन कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, _____ [कृपया भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान का विशिष्टियां स्पष्ट करें [में रखी गई हैं या संग्रहीत है;

और उपरोक्त विनिर्दिष्ट भवन/स्थान/पोत/यान/वायुयान को अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा जारी अधिनियम की उपधारा247(1) के अधीन प्राधिकार में उल्लिखित नहीं किया गया है;

यह आपके _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकार और आपसे अपेक्षा के लिए है कि -

क. उक्त भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान में प्रवेश करें और जांच करें;

ख. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेज़ों का स्वामी या नियंत्रक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में प्रबंधित किए गए हों या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी जानकारी के मालिक हों, से यह अपेक्षा करें कि वे आपको ऐसे खाता बही या अन्य दस्तावेज़ या ऐसी जानकारी की जांच करने में सहायता के लिए उचित तकनीकी और अन्य सहायता (जिसमें एक्सेस कोड, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, सम्मिलित है) प्रदान करें;

ग. किसी भी द्वार, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी, या अन्य पात्र का ताला तोड़ना या उपरोक्त खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को अधिभावी करना, जहां उसकी चाबियां हैं, या ऐसे भवन, स्थान आदि तक पहुंच, या यथास्थिति, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड, उपलब्ध नहीं हो;

घ. किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें जो भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान से बाहर आया है, या उसमें प्रवेश करने वाला है, या उसमें विद्यमान है, यदि आपको संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपने पास किसी भी ऐसी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जानकारी, या कोई कंप्यूटर सिस्टम या आस्ति छुपाई हुई है;

ङ. जांच के दौरान पाई गई ऐसी लेखा-बही और दस्तावेज़ों पर पहचान चिन्ह लगाएं जिन्हें आप उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी मानते हैं। उनकी एक सूची बनाएं, साथ ही पहचान चिन्हों की विशिष्टियां भी दें;

च. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर प्रणाली पर संग्रहीत जानकारी की जांच करना और ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों और कंप्यूटर सिस्टम की प्रतियाँ या अंश तैयार करना या तैयार कराने का कार्य करना;

छ. ऐसी खोज के परिणामस्वरूप मिली किसी भी परिसंपत्ति और व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड का टिप्पण या सूची बनाएं;

ज. खोज के परिणामस्वरूप मिली ऐसी किसी भी लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़, कंप्यूटर सिस्टम या परिसंपत्ति (कारबार के स्टॉक-इन-ट्रेड से भिन्न) को जब्त करें और उसे अपने स्वामित्व में लें;

झ. ऐसी लेखा-बही, दस्तावेज़ों, कम्प्यूटर सिस्टमों या आस्ति को किसी भी ऐसे आयकर प्राधिकारी के कार्यालय में सौंपना जो, अधिनियम के कार्यान्वयन में नियुक्त आयकर अधिकारी के पद से अन्यून हो; और

ञ. आयकर अधिनियम की धारा 247 एवं तत्संबंधित नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

आप किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी, या दोनों में से किसी का, या किसी व्यक्ति या इकाई का, जैसा कि अधिनियम की धारा 247(5) में उल्लिखित है, सेवाएँ मांग सकते हैं, ताकि वे आपको अधिनियम की धारा 247(1) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रयोजनो के लिए सहायता प्रदान कर सकें।

तारीख:.....

स्थान:.....

(हस्ताक्षर)

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(मुहर)

प्ररुप सं. 85

[नियम 149 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 247(5) या 247(9) के अधीन आवेदन

सेवा में,

*प्रधान मुख्य आयुक्त,

मुख्य आयुक्त,

प्रधान महानिदेशक,

महानिदेशक _____

महोदय/महोदया,

मैं एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 247(5) या धारा 247(9) के अधीन सेवा के लिए आवेदन करता/करती हूं। इसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तुत की जा रही हैं:

भाग-क: व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)	
2.	स्थायी खाता संख्या (पैन)		
3.	पता	(टिप्पण 2 देखें)	
4.	संपर्क ब्योरा		
	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
	ईमेल आईडी		
5.	स्थिति	(टिप्पण 3 देखें)	

भाग-ख1: सेवा की प्रकृति

6.	अधिनियम की धारा 247(5) या धारा 247(9) के अधीन सेवा का चयन करें (सुसंगत चुनें)		(i) संपत्ति का मूल्यांकन; (ii) अनुवाद में सहायता; (iii) डिजिटल डाटा अर्जन में सहायता; (iv) डिजिटल डाटा के न्यायालयिक विश्लेषण या खनन में सहायता; (v) कोई अन्य सहायता जो अधिनियम की धारा 247(1), (2) या (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजनो के लिए अपेक्षित हों।
7.	**क.**	क्या आप किसी भी प्रवृत्त विधि के अधीन या द्वारा, संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं? (एक का चयन करें)	(i) **हां** (ii) **नहीं**
	ख.	यदि पंक्ति 7(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:	
	(i)	जिस विधि के द्वारा या जिसके अधीन आप रजिस्ट्रीकृत हैं।	
	(ii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अन्य पहचान संख्या, जो पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन या उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का प्रमाण हो	
	(iii)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की तारीख जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के प्रमाण के रूप में जारी की गई हो।	दिन/माह/वर्ष
	(iv)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पत्र आदि की प्रति संलग्न करें, जो आपको पंक्ति 7(ख)(i) में उल्लिखित विधि के अधीन	(टिप्पण 4 देखें)

		मूल्यांकनकर्ता के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण के साक्ष्य के रूप में जारी किया गया हो।	
	(v)	संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में कार्य आरंभ की तारीख।	दिन/माह/वर्ष
भाग ख-2: रजिस्ट्रीकरण के लिए विवरण			
8.	यदि आवेदक की स्थिति व्यक्तिगत है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:		
	(i)	पंक्ति 6 में आवेदन की गई सेवाओं के लिए सुसंगत उच्चतम शैक्षिक अर्हता	
	(ii)	उच्चतम योग्यता के प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।	(टिप्पण 4 देखें)
9.	यदि आवेदक की स्थिति 'व्यक्तिगत से भिन्न हो, तो निम्नलिखित प्रदान करें:		
	(i)	उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो पंक्ति 6 में आवेदन की गई सेवाएँ प्रदान करेंगे।	
	(ii)	पंक्ति 9(i) में उल्लिखित व्यक्तियों की उच्चतम शैक्षिक अर्हताएँ (एक का चयन करें)	(i)स्नातक (ii)स्नातकोत्तर (iii) डॉक्ट्रेट (iv)अन्य
	(iii)	पंक्ति 9(ii) में उल्लिखित व्यक्तियों की उच्चतम और न्यूनतम अर्हता के प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें।	(टिप्पण 4 देखें) (यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)
10.	(i)	पंक्ति 6 में आवेदन की गई सेवाएं प्रदान करने में कुल वर्ष का अनुभव।	
	(ii)	पंक्ति 10(क) में भरे गए ब्यौरे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।	(टिप्पण 4 देखें) (यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)

11.	कोई अन्य सुसंगत विवरण	(टिप्पण 4 देखें)

सत्यापन

मैं, _____ *पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी _____, स्थायी खाता संख्या_____ धारक, एतद्द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्ररुप अपनी क्षमता _____ [ईकाई का नाम] के_____*[स्वत्वधारी/भागीदार/नाम निर्दिष्ट भागीदार/निदेशक/कोई अन्य पदनाम] के रूप में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मुझे यह प्ररुप प्रस्तुत करने और सत्यापित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

* जो लागू नहीं हो उसे हटा दें।

स्थान:.....

तारीख:.....

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम

टिप्पण:

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम कोई संक्षेपाक्षर न देकर पूर्णतः दिया जाएगा।

2. पता में सम्मिलित होंगे (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या इमारत, (iii) सड़क या स्ट्रीट या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य।

स्थिति				भरें				जैसे:
(i)								व्यष्टि
(ii)			हिंदू		अविभक्त			कुटुंब
(iii)								कंपनी
(iv)								फर्म
(v)	व्यष्टियों	का	संगम,	चाहे	निगमित	हो	या	नहीं
(vi)	व्यष्टियों	का	निकाय,	चाहे	रजिस्ट्रीकृत	हो	या	नहीं
(vii)				स्थानीय				प्राधिकारी
(viii)			कृत्रिम		विधिक			व्यक्ति
(ix)								सरकार
(x)								न्यास
(xi) सीमित दायित्व भागीदारी								

1. पंक्ति 7, 8, 9, 10, 11 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज़ उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आदि की प्रति, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण के रूप में आपकी नियुक्ति को उस विधि के अधीन या अनुसार जारी की गई है जैसा कि पंक्ति 7(ख)(iv) में उल्लिखित है।
क-2	पंक्ति 8(ii) में उल्लिखित उच्चतम अर्हता के प्रमाणपत्र की प्रति।
क-3	पंक्ति 9(iii) में उल्लिखित व्यक्तियों की उच्चतम और निम्नतम अर्हता के प्रमाणपत्र की प्रति।
क-4	पंक्ति 10(ii) में सेवाओं को प्रदान करने में कुल वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां।
क-5	पंक्ति 11 में उल्लिखित कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे।

1. प्ररुप में कुछ जानकारी यथा-संभव पहले ही भरी होगी।

प्ररुप सं. 86

[नियम 151देखें[

आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 248(1) के अधीन प्राधिकार वारंट

सेवा में,

अपर निदेशक,

अपर आयुक्त,

संयुक्त निदेशक,

संयुक्त आयुक्त,

उप निदेशक,

उप आयुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आयकर अधिकारी,

मेरे पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, मुझे विश्वास है कि -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 131(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1) के अधीन या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन एक समन [उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी] _____ द्वारा _____ [व्यक्ति का नाम] को _____[तारीख[को जारी किया गया था, ताकि वह किसी भी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों, या किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्ररुप में या कंप्यूटर सिस्टम पर, संबंधित समन या नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराये और यथापेक्षित ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया या असफल रहा;_____

और उक्तलेखा-बही पुस्तकों या अन्य दस्तावेज़ों या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित उक्त जानकारी को _____[प्राधिकारी या अधिकारी का

नाम और पदनाम [द्वारा जब्त कर लिया गया है; या

कुछ लेखा-बही या अन्य दस्तावेज़, या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्ररुप में या कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी जानकारी जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) या आयक अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी, [अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम[द्वारा जब्त कीगई है और श्री/श्रीमती/सुश्री] व्यक्ति का नाम [से, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा131(1), या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 246(1) के अधीन समन, या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले) की धारा 142(1), या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 268(1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, यह उक्त अधिकारी/प्राधिकारी ऐसे लेखा-बही या अन्य दस्तावेज़ या जानकारी वापस लौटाने पर भी प्रस्तुत नहीं करेंगे, या प्रस्तुत करवाएंगे।

_____ [अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम] द्वारा जब्त की गई आस्तियां पूर्णतः या भागतः ऐसी आय या आस्ति को दर्शाती हैं जिसे आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा इसके निरसन होने के पहले), या आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) , के प्रयोजनों के लिए _____ [व्यक्ति का नाम] द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या प्रकट नहीं किया जाता, जिनके कब्जे या नियंत्रण से उक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा ऐसी आस्तियां जब्त की गई हैं;

और आपको _____ [अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या उप निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी का नाम] प्राधिकृत किया जाता है कि उक्त अधिकारी या प्राधिकारी से उपर्युक्त आस्तियां, लेखा-बही, अन्य दस्तावेज़ या कंप्यूटर सिस्टम परिदान की अपेक्षा करें।

तारीख:.....

स्थान.....

(अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी)

(मुहर)

प्ररुप सं. 87

[नियम 154 देखें]

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 254 के तहत आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

<table>
<tr><td colspan="5">भाग-क: कारबार/वृत्ति की व्यक्तिगत जानकारी</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता</td><td>(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td colspan="4">संपर्क विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">मोबाइल नं.</td><td>देश कोड</td><td>नंबर</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">ई-मेल आईडी</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">भाग-ख: कारबार/वृत्ति का स्वरूप और अन्य विवरण</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">कारबार या वृत्ति की प्रकृति</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">वह वर्ष जिसमें पंक्ति 5 में उल्लिखित कारबार शुरू किया गया था</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">कारबार या वृत्ति की स्थिति</td><td>(टिप्पण 3 देखें)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="4">स्वत्वधारी/भागीदार/एओपी या बीओआई के सदस्यों/निर्देशकों के नाम और आवासीय पते</td></tr>
<tr><td></td><td>(क)</td><td>(i)</td><td>नाम</td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii)</td><td>प्रकार</td><td>(i) स्वामी
(ii) भागीदार
(iii) व्यक्तियों के संगम(एओपी) या व्यक्तियों के निकाय</td></tr>
</table>

			(एक चुनें)	(बीओआई) का सदस्य (iv) निदेशक
		(iii)	आवासीय पता	(टिप्पण 2 देखें)
	(ख)	(यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)		
भाग-ग: व्यवसाय/पेशे के आकलनकर्ता अधिकारी (एओ) का विवरण				
9.	नाम			(टिप्पण 1 देखें)
10.	पदनाम			
11.	स्थान/कार्यालय पता			(टिप्पण 2 देखें)
भाग-घ: अन्य विवरण				
12.	(i)	नवीनतम कर वर्ष जिसके लिए आय रिटर्न दाखिल किया गया		
	(ii)	रिटर्न में दर्शाई गई आय जो पंक्ति 12(i) में उल्लिखित है		
13.	(i)	वर्ष, जिसमें परिसर अधिग्रहित किया गया		
	(ii)	परिसर है (एक चुनें)		(i) किराये पर (ii) स्व-स्वामित्व
	(ii)	यदि पंक्ति 13(ii) का उत्तर 'किराए पर लिया गया' है, तो भुगतान किए गए किराए की राशि का उल्लेख करें		
	(iv)	यदि पंक्ति 13(ii) का उत्तर ' स्व-स्वामित्व' है, तो भुगतान की गई कीमत की राशि का उल्लेख करें		
14.	व्यवसाय/पेशा में कर्मचारियों की संख्या			
15.	रखे गए लेखा-बही की सूची			(टिप्पण 4 देखें)

16.	बैंक खाता विवरण			
	(i)	बैंक खाते का स्वरूप		
	(ii)	बैंक खाता संख्या		
	(iii)	बैंक का नाम		
	(iv)	बैंक का पता		
	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)			
17.	सकल बिक्री/प्राप्ति विवरण			
	(क)	(i)	पिछले कर वर्ष के लिए सकल बिक्री/ प्राप्तियाँ	
		(ii)	वर्तमान कर वर्ष के लिए अब तक की सकल बिक्री/प्राप्तियाँ	
	(ख)	जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या		
18.	स्टॉक का मूल्य (लगभग):			
	(i)	पिछले कर वर्ष की 31 मार्च को		
	(ii)	इस तारीख तक		
19.	कारों और अन्य वाहनों की विशिष्टियां, यदि कोई हो, जो व्यवसाय या पेशे के स्वामित्व में हैं			(टिप्पण 4 देखें)
20.	तत्कालीन समाप्त होने वाले कर वर्ष 31 मार्च तक सभी स्रोतों से आय			

सत्यापन

मैं, _____ [पूरा नाम बड़े अक्षरों में] *पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी _____, जिसका स्थायी खाता संख्या _____ है, _____ व्यक्तिगत क्षमता (निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी/कर्मचारी) के रूप

में_____ (ऐसे व्यवसाय या पेशे में सहायता या शामिल होने की क्षमता विनिर्दिष्ट करें) घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान:.....

तारीख:.....

_____

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पण :

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम कोई संक्षेपाक्षर न देकर पूर्णतः दिया जाना चाहिए। किसी भी अन्य मामले में भी, पूरा नाम दिया जाना चाहिए।
2. पते में सम्मिलित होना चाहिए (i) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (v) शहर या नगर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड।

स्थिति			भरें				जैसे:
हिंदू			अविभक्त				कुटुंब
कंपनी							
फर्म							
व्यष्टियों	का	संगम,	चाहे	रजिस्ट्रीकृत	हो	या	नहीं
व्यष्टियों	का	निकाय,	चाहे	रजिस्ट्रीकृत	हो	या	नहीं
स्थानीय							प्राधिकारी
कृत्रिम			विधिक				व्यक्ति
सरकार							
न्यास							
सीमित दायित्व भागीदारी							

1. कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदान करें जैसा कि पंक्ति 15 और 19 में उल्लेख किया गया है:

क्रम सं.	**उपाबंध**	**टिप्पणियां**
1.	क-1	पंक्ति 15 में उल्लिखित लेखा-बही की सूची संलग्न करें।
2.	क-2	पंक्ति 19 में कारबार या वृत्ति द्वारा स्वामित्व वाली कारों और अन्य यानों की सूची।

1. पिछले कर वर्ष से आय की विवरणी दाखिल करने वाले निर्धारिती को पंक्ति 13 से 20 तक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो रकम रु. में भरी जाए।
3. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-उपलब्ध होगी।

प्ररुप सं. 88

[नियम 155 देखें]

अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन जानकारी के लिए आवेदन

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त

महोदय,

मैं, आवेदक, आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया निम्नलिखित निर्धारिती से संबंधित जानकारी उपबंधित करें (भाग-ख के अनुसार ब्यौरे)।

भाग क: आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी				
1.	नाम		(टिप्पण 1 संदर्भ देखें)	
2.	पिता/पति का नाम			
3.	पदनाम			
4.	पता		(टिप्पण 1 संदर्भ देखें)	
5.	संपर्क ब्यौरे			
	(i)	लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड के साथ	एसटीडी कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
	(ii)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
	(iii)	ईमेल आईडी		
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	

भाग ख: उस निर्धारिती की व्यक्तिगत जानकारी जिसकी जानकारी मांगी गई है			
6.	नाम	(टिप्पण 1 संदर्भ देखें)	
7.	स्थायी खाता संख्या		
8.	आधार संख्या (व्यक्तियों के लिए लागू), यदि उपलब्ध हो		
9.	स्थिति	(टिप्पण 3 संदर्भ देखें)	
10.	पता	(टिप्पण 2 संदर्भ देखें)	
भाग ग: मांगी गई जानकारी के बारे में ब्यौरे			
11.	कर वर्ष		
12.	मांगी गई विशिष्ट जानकारी	(i)	(200 शब्दों तक मुफ्त पाठ) (अपलोड) (संदर्भ टिप्पण 1)
		(ii)	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)
13.	सूचना मांगने का कारण	(i)	(200 शब्दों तक मुफ्त पाठ) (अद्यतन) (टिप्पण 4 देखें)
		(ii)	(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)

तारीख:..... .....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम: .....)

पदनाम:.....

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम किसी भी संक्षेपाक्षर के बिना पूर्ण रूप में उपबंधित किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में ही उपबंधित किया जाएगा।
2. पता में सम्मिलित होना चाहिए (i) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (v) नगर या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड।
3. स्थिति भरें जैसे:
   (i) व्यष्टि
   (ii) हिंदू अविभक्त परिवार
   (iii) कंपनी
   (iv) सीमित दायित्व भागीदारी
   (v) फर्म
   (vi) व्यक्तियों का संगम, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं
   (vii) व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं
   (viii) स्थानीय प्राधिकारी
   (ix) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
   (x) सरकार
   (xi) न्यास
4. यदि दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो एक उपाबंध जोड़ा जा सकता है।
5. प्ररुप में कुछ जानकारी यथा-संभव पहले से भरी होगी।
6. प्रत्येक निर्धारिती और प्रत्येक कर वर्ष के संबंध में एक पृथक आवेदन करना होगा।

प्ररुप सं .89

[नियम 155 देखें]

अधिनियम की धारा 258(2) के अधीन जानकारी देने के लिए प्ररुप।

डीआईएन.....

कार्यालय.....

तारीख:

सेवा में,

_____
_____
_____

(क) अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन तारीख _____ को प्राप्त आपके आवेदन के संदर्भ में, जिसमें कर वर्ष _____ के संबंध में _____ (निर्धारिती का नाम) से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया है, उक्त आवेदन की मद संख्या _____ से संबंधित जानकारी/सूचनानिम्नलिखित है:

भाग क– निर्धारिती की व्यक्तिगत जानकारी		
1.	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
2.	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 1 देखें)
3.	स्थिति	(टिप्पण 1 देखें)
4.	पता	(टिप्पण 1 देखें)
	संपर्क ब्यौरे	

5.	(i)	लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड के साथ	एसटीडी/आईएसडी कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
	(ii)	मोबाइल नंबर	देश का कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
	(iii)	ईमेल पता		
			(यदि अपेक्षित हो तो दोहराएँ)	
भाग ख - सूचना ब्यौरे				
6.	सूचना ब्यौरे		सूचना विवरण (टिप्पण 2 देखें) (500 शब्दों तक मुक्त पाठ) (अद्यतन)	

(क) मैं/प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त*, _____ इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि आपके आवेदन की मद संख्या _____ से संबंधित जानकारी प्रदान किया जाना लोकहित हित में है, अतैव तत्संबंधित जानकारी अस्वीकृत की जाती है।

(मुहर)

_____

सूचना प्रदानकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(सूचना प्रदानकर्ता प्राधिकारीका नाम)

सूचना प्रदानकर्ता प्राधिकारीका पदनाम

नोट:

1. प्ररुप में कुछ जानकारी यथा-संभव पूर्व भरी होगी।

2. यदि दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक उपाबंध जोड़ा जा सकता है।

*अप्रयोज्य शब्दों को काट दें।

प्ररुप सं. 90

[नियम 155 देखें]

अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन जानकारी की अनुपलब्धता की सूचना देने के लिए प्ररुप ।

डीआईएन .....

कार्यालय.....

तारीख

सेवा में,

_____

_____

अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन तारीख.....के आपके आवेदन के संदर्भ में, जिसमें कर वर्ष _____ के संबंध में जानकारी का अनुरोध किया गया है, यह सूचित किया जाता है कि उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है/उपरोक्त कर वर्ष के लिए इसके* मामले में कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

.....

हस्ताक्षर(नाम)

प्राधिकारी का पदनाम

टिप्पण:

1.*अप्रयोज्य शब्दों को काट दें।

2. प्ररुप में कुछ जानकारीयथा-संभव पूर्व भरी होगी।

प्ररुप सं. 91

[नियम 155 देखें]

अधिनियम की धारा 258(2)(क) के अधीन सूचना देने से इंकार ।

डीआईएन .....

..... कार्यालय

तारीख: .....

सेवा में,

"धारा 258(2)(क) के अधीन तारीख..... के आपके आवेदन के संदर्भ में, जिसमें कर वर्ष ..... के संबंध में ..... से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी इस बात सेसंतुष्ट नहीं है कि मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना लोकहित में है और अत: अधोहस्ताक्षरी इसे प्रस्तुत करने से इनकार करता है।"

.....

हस्ताक्षर

(नाम)

प्राधिकारी का पदनाम

टिप्पण:

1. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।

प्ररुप सं. 92

[नियम 157 देखें]

नियम 157 में निर्दिष्ट अनिवासी के संबंध में विनिर्दिष्ट निधि या स्टॉक दलाल द्वारा वित्तीय वर्ष के _____ की तिमाही के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला त्रैमासिक विवरण।

भाग क: विनिर्दिष्ट निधि/स्टॉक दलाल की विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 देखें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	श्रेणी (विनिर्दिष्ट निधि /स्टॉक दलाल)		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
7.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किए जाने हैं:	*(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)*	

भागख: नियम 157(1) या (3) में निर्दिष्ट अनिवासी के ब्यौरे						
क्र.सं.	नाम (टिप्पण 1 देखें)	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	भारत के बाहर उस देश या क्षेत्र का पता जहां अनिवासी निवासी रहता है (टिप्पण 2 देखें)	यदि कोई होतो कर पहचान संख्या।	वह विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर अनिवासी की पहचान उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है (कर पहचान संख्या उपलब्ध न होने पर यह संख्या प्रदान की जानी चाहिए)
1.						
2.	*(यदि अपेक्षित हों तो, दोहराएँ*					

सत्यापन
मैं, _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/ करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।मैंने कोई भी सुसंगत तथ्य नहीं छिपाया है। मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ धारक के रूप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में विनिर्दिष्ट निधि, स्टॉक दलाल या अनिवासी का पूरा नाम सम्मिलित होगा।
2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/परिक्षेत्र, डाकघर, कस्बा/नगर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड सम्मिलित होने चाहिए।
3. भाग क (क्रम संख्या 7) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंधो के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	नियम 157(1)(ग)(iii) या (3)(ख)(iii) में यथानिर्दिष्ट अनिवासी से प्राप्त घोषणा]।

4. जहां क्षेत्र एक विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र है, वहां इसे उल्लिखित किया जाना चाहिए।
5. प्ररुप में कुछ जानकारी यथा संभव पहले से भरी होगी।

आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर/बाएंहाथ केअंगूठे कानिशान हो।	**प्ररुप सं. 93** **[नियम 158 देखें]** **स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन** **[ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक है]**	आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

	भाग क: व्यक्तिगत जानकारी	
1.	**नाम**	(टिप्पण 1 और 2 देखें)
2.	**लिंग** (किसी एक का चयन कीजिये)	(i) पुरुष (ii) महिला (iii) उभयलिंगी
3.	**जन्म तिथि**	(दिन/ मास/ वर्ष)
4.	**आधार संख्या**	
5.	**निवास का पता**	(टिप्पण 3 देखें)
6.	**कार्यालय का पता**	(टिप्पण 3 देखें)

7.	**निवास की स्थिति**	(टिप्पण 4 देखें)		
8.	**पासपोर्ट संख्या(अनिवासी या निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य)**			
9.	**निवास वाले देश में करदाता पहचान (टीआईएन)संख्या (यदि कोई हों)**			
10.	**संपर्क ब्यौरे**			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	सं.
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग ख: आय का स्रोत				
11.	**आय का स्रोत** (एक या अधिक चुनें):	(i) वेतन (i) कारबार/वृत्ति से आय (ii) गृह संपत्ति से आय		

			(iii) पूंजी अभिलाभ (iv) अन्य स्रोतों से आय (v) कोई आय नहीं
भाग ग: माता-पिता के ब्यौरे			
12.	**क्या माता/पिता एकल अभिभावक हैं?**(एक का चयन करें):		(i) हाँ (ii) नहीं
13.	**पिता का नाम**		(टिप्पण1 देखें)
14.	**माता का नाम**		(टिप्पण1 देखें)
15.	**स्थायी खाता संख्या कार्ड पर मुद्रित किए जाने वाले अभिभावक का नाम ?**(एक का चयन करें):		(i) पिता (ii) माता
भाग घ: निर्धारण अधिकारी (नि. अ.कोड)			
16.	(i)	क्षेत्र कोड	
	(ii)	**नि. अ. का प्रकार**	
	(iii)	रेंज कोड	
	(iv)	**नि. अ. संख्या**	

भाग ङ: प्रतिनिधि निर्धारिती, यदि लागू हो (टिप्पण5देखें)				
17.	**नाम**		(टिप्पण1 देखें)	
18.	**स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो**			
19.	**आधार संख्या (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)**			
20.	**पता**		(टिप्पण3देखें)	
21.	**संपर्क ब्यौरे**			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग च: संप्रेषण का पता				

22.	**संप्रेषण का पता** (एक का चयन करें):		(i) निवास (ii) कार्यालय (iii) प्रतिनिधि निर्धारिती का पता
भाग छ: आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा घोषणा			
23.	**आवेदक की पहचान, पते और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण6देखें)**		
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
	(iii)	जन्म तिथि का प्रमाण	(टिप्पण 7 देखें)
24.	**प्रतिनिधि निर्धारिती की पहचान, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण6देखें)**		
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण7देखें)
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण7देखें)
सत्यापन और घोषणा			

क. "मैं, ..., ... (स्वयं/प्रतिनिधि निर्धारिती) की क्षमता में एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

ख. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं आयकर अधिनियम, 2025(2025 का 30) के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा/रहूँगी।"

स्थान.....

तारीख.....

(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(नाम :- .....)

पदनाम :-.....

टिप्पण:

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में भरे जाएंगे।
2. यदि आधार में नाम के साथ आद्याक्षर हैं, तो आधार के अनुसार नाम के साथ-साथ आवेदन में पूरा/विस्तृत नाम भरा जाना चाहिए।

3. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन सं., (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।

4. निवासीय स्थिति' को (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं के रूप में भरें।

5. धारा 303(1)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों या अनिवासी भारतीय या निवासी किंतु साधारणतः निवासी नहीं होने की स्थिति में, भाग ङ में भारत का पता रखने वाले प्रतिनिधि निर्धारिती के ब्यौरे भरा जाना अनिवार्य है।

6. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथाविनिर्दिष्ट है) को देखें।

7. पंक्ति **23** और **24** के संबंध में**,** निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे**,** अर्थात्:

उपाबंध	**विशिष्टियां**
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	जन्म तिथि का प्रमाण

8. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुईहोगी।

9. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

प्ररुप सं. 94

[नियम 158 देखें]

स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन

[भारतीय कंपनी / भारत में निगमित इकाई / भारत में गठित अनिगमित इकाई के लिए]

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी

1.	**नाम**		*(टिप्पण 1 देखें)*	
2.	निगमन / करार / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*	
3.	**कार्यालय का पता**		*(टिप्पण 2 देखें)*	
4.	**संप्रेषण का पता**		*(टिप्पण 2 देखें)*	
5.	**स्थिति**		*(टिप्पण 3 देखें)*	
6.	**पंजीकरण संख्या (कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, व्यक्तियों के संगम, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और न्यास के लिए)**		*(टिप्पण 4 देखें)*	
7.	सम्पर्क ब्यौरे			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	संख्या
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर:		

भाग ख: आय का स्रोत				
8.	**आय का स्रोत** *(एक या अधिक चुनें)*		(i) वेतन (ii) कारबार/वृत्ति से आय (ii i) गृह संपत्ति से आय (i v) पूंजी अभिलाभ (v) अन्य स्रोतों से आय (vi) कोई आय नहीं	
भाग ग: निर्धारण अधिकारी (नि. अ. कोड)				
9.	(i)	क्षेत्र कोड		
	(ii)	नि .अ .का प्रकार		
	(iii)	रेंज कोड		
	(iv)	नि. अ. संख्या		
भाग घ: प्रतिनिधि निर्धारिती / प्राधिकृत प्रतिनिधि (टिप्पण 5 देखें)				
10.	**नाम**		(टिप्पण 1 देखें)	
11I	स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो			
12.	आधार नंबर (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)			
13.	**पता**		*(टिप्पण 2 देखें)*	
14.	**सम्पर्क ब्यौरे**			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड (सूची से चुनें)	संख्या
	(ii)	ईमेल आईडी		

	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडी कोड (यदि कोई हो) के साथ	

भाग ङ :आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती / प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा

15.	पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और आवेदक के निगमन या संविदा या भागीदारी या न्यास विलेख या व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 6 देखें)		
	(i)	पहचान का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
	(ii)	पते का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
	(iii)	निगमन / संविदा / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
16.	**प्रतिनिधि निर्धारिती/प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ (टिप्पण 6 देखें)**		
	(i)	पहचान का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
	(ii)	पते का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*

सत्यापन और घोषणा

1. मैं, ..., ... (प्रतिनिधि निर्धारिती)/प्राधिकृत प्रतिनिधि) की क्षमता से एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा।;

पदनाम .....

स्थान .....

दिनांक.....

(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

नाम: _____

पदनाम: _____

टिप्पण :

1. अपना पूरा नाम लिखें।
2. पते में (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन, (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।
3. स्थिति इस प्रकार भरें:
   (i) हिंदू अविभक्त कुटुंब
   (ii) कंपनी

(iii) फर्म

(iv) व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं

(v) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं

(vi) स्थानीय प्राधिकरण

(vii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति

(viii) सरकार

(ix) न्यास

(x) सीमित दायित्व भागीदारी

4. कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी के लिए यह भरा जाना अनिवार्य है।

5. भाग घ में भारतीय पता रखने वाले प्रतिनिधि निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे दिया जाना अनिवार्य है।

6. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथानिर्दिष्ट है) को देखें।

7. पंक्ति 15 और 16 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	निगमन/संविदा /भागीदार या न्यास विलेख/व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण

8. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।

9. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर/बाएंहाथ केअंगूठे कानिशान हो।	**प्ररुप सं. 95** **[नियम 158 देखिए]** **स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन** **[ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है]**	आवेदक की हालिया रंगीन फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी		
1.	**नाम**	(टिप्पण 1 देखें)
2.	**लिंग** (किसी एक का चयन कीजिये)	(iv) पुरुष (v) महिला (vi) उभयलिंगी
3.	**जन्म तिथि**	(दिन/ मास/ वर्ष)
4.	**आधार संख्या, यदि कोई हो**	
5.	**नागरिकता**	
6.	**नागरिकता का प्रकार** (किसी एक का चयन कीजिये):	(i) विदेशी *(ii)* भारतीय मूल का व्यक्ति *(iii)* भारत का विदेशी नागरिक

7.	**पासपोर्ट संख्या, यदि कोई हो**			
8.	**निवास वाले देश में करदाता पहचान संख्या (टीआईएन)**			
9.	**निवास का पता**	(टिप्पण 2 देखें)		
10.	**कार्यालय का पता**	(टिप्पण 2 देखें)		
11.	**संपर्क ब्यौरे**			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	सं.
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: देश/ आईएसडीकोड और क्षेत्र/ एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		

भाग ख: आय का स्रोत		
12.	**आय का स्रोत** (एक या अधिक चुनें):	(vi) वेतन (vii) कारबार/वृत्ति से आय (viii) गृह संपत्ति से आय (ix) पूंजी अभिलाभ (x) अन्य स्रोतों से आय (xi) कोई आय नहीं

	भाग ग: माता-पिता के ब्यौरे		
13.	**क्या माता/पिता एकल अभिभावक हैं?**(एक का चयन करे):		(iii) हाँ (iv) नहीं
14.	**पिता का नाम**		(टिप्पण 1 देखें)
15.	**माता का नाम**		(टिप्पण 1 देखें)
16.	**स्थायी खाता संख्या कार्ड पर मुद्रित किए जाने वाले अभिभावक का नाम ?**(एक का चयन करे):		(iii) पिता (iv) माता
	भाग घ: निर्धारण अधिकारी (नि. अ.कोड)		
17.	(i)	क्षेत्र कोड	
	(ii)	**नि. अ. का प्रकार**	
	(iii)	रेंज कोड	
	(iv)	**नि. अ. संख्या**	
	भाग ङ: प्रतिनिधि निर्धारिती, यदि लागू हो (टिप्पण 3 देखें)		
18.	**नाम**		(टिप्पण 1 देखें)
19.	**स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो**		
20.	**आधार संख्या (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)**		
21.	**पता**		(टिप्पण 2 देखें)
22.	**संपर्क ब्यौरे**		

	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग च: संप्रेषण का पता				
23.	**संप्रेषण का पता** (एक चुनें):		(i) निवास (ii) कार्यालय (iii) प्रतिनिधि निर्धारिती का पता	
भाग छ: आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा घोषणा				
24.	**आवेदक की पहचान, पते और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 4 देखें)**			
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)	
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)	
	(iii)	जन्म तिथि का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)	
25.	**प्रतिनिधि निर्धारिती की पहचान, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (टिप्पण 4 देखें)**			
	(i)	पहचान का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)	
	(ii)	पते का प्रमाण	(टिप्पण 5 देखें)	

सत्यापन और घोषणा

क. "मैं, ..., ... (स्वयं/प्रतिनिधि निर्धारिती) की क्षमता में एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

ख. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा/रहूँगी।"

स्थान.....

तारीख .....

(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(नाम:- .....)

पदनाम:-.....

टिप्पण :

1. प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेपाक्षर के पूर्ण रूप में भरे जाएंगे।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन सं., (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।
3. जहाँ भी प्रतिनिधि निर्धारिती (प्र.नि.) के ब्यौरे भरे जाते हैं, वहाँ भारत में ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती का पता (एफपीआईऔर अवयस्कों के सिवाय) भाग ङ में देना अनिवार्य है।
4. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए निर्देशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथाविनिर्दिष्ट है) को देखें।
5. क्रम संख्या 24 और 25 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्:

अनुलग्नक	**विशिष्टियां**
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	जन्म तिथि का प्रमाण

6. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुईहोगी।
7. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धातों को देखें।

प्ररुप सं. 96

[नियम 158 देखिए]

स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन

[भारत के बाहर निगमित इकाई / भारत के बाहर गठित एक अनिगमित इकाई के लिए]

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी				
1	**नाम**		*(टिप्पण 1 देखें)*	
2	निगमन / संविदा / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संघ के गठन की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*	
3.	निवास वाले देश में करदाता पहचान संख्या (टीआईएन)			
4	**कार्यालय का पता**		*(टिप्पण 2 देखें)*	
5	**संप्रेषण का पता**		*(टिप्पण 2 देखें)*	
6	**स्थिति**		*(टिप्पण 3 देखें)*	
7	पंजीकरण संख्या (कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों के संगम, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और न्यास के लिए), यदि कोई हो		*(टिप्पण 4 देखें)*	
8.	सम्पर्क ब्यौरे			
	(i)	**मोबाइल नंबर**	देश कोड	संख्या
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	**ईमेल आईडी**		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर:देश/आईएसडीकोड और क्षेत्र/एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग ख : आय का स्रोत				
9.	**आय का स्रोत** *(एक या अधिक चुनें)*		(i) वेतन (ii) कारबार/वृत्ति से आय (iii) गृह संपत्ति से आय	

			(iv) पूंजी अभिलाभ (v) अन्य स्रोतों से आय (vi) कोई आय नहीं	
भाग ग: निर्धारण प्राधिकारी (नि. अ. कोड)				
10.	(i)	क्षेत्र कोड		
	(ii)	नि. अ. का प्रकार		
	(iii)	रेंज कोड		
	(iv)	नि. अ. संख्या		
भाग घ: प्रतिनिधि निर्धारिती / प्राधिकृत प्रतिनिधि *(टिप्पण 4 देखें)*				
11.	**नाम**		*(टिप्पण 1 देखें)*	
12.	**स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो**			
13.	आधार संख्या / विदेशी पासपोर्ट (यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है)			
14.	**पता**		*(टिप्पण 2 देखें)*	
15.	**सम्पर्क ब्यौरे**			
	(i)	**मोबाइल नंबर**	देश कोड	संख्या
			(सूची से चुनें)	
	(ii)	**ईमेल आईडी**		
	(iii)	लैंडलाइन नंबर: एसटीडीकोड (यदि कोई हो) के साथ		
भाग ङ: आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से प्रतिनिधि निर्धारिती/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा				
16.	पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और आवेदक के निगमन या संविदा या भागीदारी या न्यास विलेख या व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज *(टिप्पण 5देखें)*			

	(i)	पहचान का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
	(ii)	पतेकाप्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
	(iii)	निगमन / संविदा / भागीदारी या न्यास विलेख / व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
17	प्रतिनिधि निर्धारिती/प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज (**टिप्पण** 5 देखें)		
	(i)	पहचान का प्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*
	(ii)	पतेकाप्रमाण	*(टिप्पण 7 देखें)*

सत्यापन और घोषणा

1. मैं, ..., ... (प्रतिनिधि निर्धारिती)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि) की क्षमता से एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन विधिक परिणामों के लिए दायी रहूँगा।/रहूँगी;

पदनाम .....

स्थान .....

तारीख.....

(आवेदक या प्रतिनिधि निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पण:

1. अपना पूरा नाम लिखें।

2. पते में (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या द्वार या भवन, (iii) सड़क या गली या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या परिक्षेत्र, (vii) जिला और (viii) राज्य सम्मिलित होंगे।

3. स्थिति (Status) इस प्रकार भरें:

(i) हिंदू अविभक्त कुटुंब
(ii) कंपनी
(iii) फर्म
(iv) व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं
(v) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
(vi) स्थानीय प्राधिकरण
(vii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
(viii) सरकार
(ix) न्यास
(x) सीमित दायित्व भागीदारी

4. भाग घमें भारतीय पता रखने वाले प्रतिनिधि निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे (एफपीआई के सिवाय) दिया जाना अनिवार्य है। यदि स्थायी खाता संख्या और आधार उपलब्ध नहीं है, तो विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता पासपोर्ट प्रदान कर सकते हैं।

5. कृपया यथालागू अनिवार्य प्रमाणित दस्तावेजों की सूची के लिए अनुदेशों (आयकर नियम, 2026 के नियम 158 में यथाविनिर्दिष्ट) को देखें।

6. पंक्ति 16और 17के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में दिए उपबंधित करें, अर्थात:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	पहचान का प्रमाण
क-2	पते का प्रमाण
क-3	निगमन/संविदा/भागीदारी या न्यास विलेख/व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के संगम के गठन की तारीख का प्रमाण

7. प्ररुप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।

8. कृपया इस संबंध में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखें।

प्ररूप नं. 97

[नियम 159 देखिए]

कोई भी व्यक्ति (कंपनी या फर्म से भिन्न) या नियम 159 के उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाली किसी विदेशी कंपनी, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 159 (टिप्पण 1 में निर्दिष्ट) में विनिर्दिष्ट कोई भी संव्यवहार करता है, द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा के लिए प्ररूप

भाग-क: संव्यवहार की प्रकृति		
1.	संव्यवहार	(टिप्पण 2 और 3 में का संदर्भ ले)

भाग ख: घोषणा
मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि-- i. मेरी प्रास्थिति व्यक्ति या हिंदू अविभाजित कुटुम्ब या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या सरकार या न्यास या स्थानीय प्राधिकरण या विदेशी कंपनी की है (कृपया उचित स्थिति का चयन करें); और ii. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 99 के अनुसार मेरी या हमारे या आवेदक की अनुमानित कुल आय (जिसमें पति / पत्नी, नाबालिग बालक आदि की आय सम्मिलित है)।, उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें उपरोक्त संव्यवहार किया जाता है, आयकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अनुसरण में अधिकतम रकम से कम होगी कर से प्रभार्य नहीं होगी; या आवेदक नियम 159 के लिए उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाली एक विदेशी कंपनी है और उसकी भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है. स्थानः.....। तारीखः.....। (घोषणाकर्ता पर हस्ताक्षर)

भाग-ग: पहचान और पता ब्यौरे		
1.	नाम.	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
2.	जन्म या निगमन की तारीख	दिवस/मास/वर्ष (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)
3.	पिता का नाम	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)
4.	यदि पैन के लिए आवेदन किया जाता है, परन्तु यह अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, तो नीचे दोनों ब्यौरे दें : (टिप्पण 7 में का संदर्भ लें)	

	(i)	आवेदन करने की तारीख	दिवस/मास/वर्ष	
	(ii)	अभिस्वीकृति संख्या		
5.	आधार संख्या			
6.	निवास पता		(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	
7.	कार्यालय का पता		(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	
8.	संचार के लिए पता (एक चुनें)		(i) निवास (ii) कार्यालय	
9.	संपर्क ब्यौरे			
	(i)	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या.
			(ड्रॉप डाउन) (डिजिटल प्ररूप के लिए)	
	(ii)	टेलीफोन संख्या	देश कोड	संख्या.
			(ड्रॉप डाउन) (डिजिटल प्ररूप के लिए)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
10.	निवास देश में करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) (विदेशी कंपनी के मामले में)			
11.	विदेशी कंपनी के मामले में भारत में कर से प्रभार्य आय का ब्यौरे (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)			
	(i)	कर से प्रभार्य आय की मात्रा (रुपए में)		
	(ii)	कर से प्रभार्य नहीं जो आय की मात्रा है (रुपए में)		

भाग-घ संव्यवहार का ब्यौरे			
1.	संव्यवहार की तारीख		दिवस/मास/वर्ष
2.	संव्यवहार की कुल रकम (रुपये)		(टिप्पण 10 का संदर्भ लें)
3.	नकद संव्यवहार की रकम, उपर्युक्त मद संख्या 2 में उल्लिखित कुल रकम में से।		(टिप्पण 11 का संदर्भ लें)
4.	संव्यवहार का मोड		(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)
5.	संयुक्त नाम किए गए संव्यवहार के मामले में (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)		
	(i)	संव्यवहार में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	
	(ii)	घोषणा करने वाले का हिस्सा (प्रतिशत में)	

भाग-ङ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज।		
मैंने पहचान, पता और जन्म तारीख या निगमन की तारीख के प्रमाण के लिए दस्तावेजों के रूप में [टिप्पण 13 का संदर्भ लें] संलग्न किया है।		
1.	पहचान का प्रमाण (पीओआई)	
	दस्तावेज़ पहचान संख्या	
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)
2.	पते का प्रमाण (पीओए)	
	दस्तावेज़ पहचान संख्या	
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)

3.	जन्म तारीख (डीओबी) / निगमन तारीख (डीओआई) का प्रमाण	
	दस्तावेज़ पहचान संख्या	
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)

भाग-च: सत्यापन

1. मैं------ श्री --------का पुत्र या पुत्री या पत्नी, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि, इस आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेज, यदि कोई हो, जहां तक मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं, और उसमें उपदर्शित विशिष्टियॉ सत्य हैं।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं------ के लिए-------- अपनी (स्व या प्रतिनिधि निर्धारिती) क्षमता में यह आवेदन कर रहा/रही हूं और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

3. मैं समझता/समझती हूं कि यदि इस घोषणा के किसी भाग के असत्य होने पर, मुझे अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है ।

तारीख:

स्थानः

(घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर)

नामः

पदनाम.

टिप्पण:

1. घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता स्वंय का समाधान कर लें कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी हर प्रकार से सही, सही और पूर्ण है। घोषणा में असत्य कथन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 482 के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

2. भाग क में संव्यवहार की प्रकृति निम्नलिखित कोड के अनुसार भरी जा सकती हैः

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	कोड।
1	किसी अचल संपत्ति की क्रय या विक्रय या उपहार या संयुक्त विकास करार	01
2	खाता खोलना (मूल बचत और समय जमा के सिवाय)	02
3	टाइम डिपॉजिट में निवेश	03
4	बीमाकर्ता के साथ खाता आधारित संबंध आरंभ करना।	04
5	होटल या रेस्तरां या कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल या इवेंट मैनेजमेंट में लगे किसी भी व्यक्ति को भुगतान।	05
6	किसी भी प्रकृति की वस्तुओं और सेवाओं के क्रय या विक्रय जो ऊपर वर्गीकृत नहीं की गई है।	06

3. सभी 6 संव्यवहार के लिए प्ररूप का भाग क से च भरा जाएगा ।

4. व्यक्तियों के मामले में, पहला, मध्यम और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। अन्य मामलों में, इकाई का नाम सुसंगत विधि के अधीन जारी पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें इकाई का गठन किया गया है।

5. व्यक्तियों के मामले में जन्म तारीख प्रदान की जाएगी और अन्य मामलों में इकाई के निगमन की तारीख प्रदान की जाएगी।

6. व्यक्ति के मामले में पिता का नाम बताया जाएगा।

7. यदि अनुमानित कुल आय अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है, तो व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करेगा, भाग ग में मद 4 भरेगा और आवेदन जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

8. पते में (i) देश या क्षेत्र, (ii) फ्लैट या दरवाजा या भवन, (iii) सड़क या सड़क या ब्लॉक या सेक्टर, (iv) पिन या ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र या इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य अंतर्विष्ट होंगे ।

9. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां कर से प्रभार्य आय भाग ग के मद 11 (i) में दर्शाई गई है।

10. संव्यवहार की कुल रकम भाग घ के मद 2 में भरी जाएगी । यदि संव्यवहार एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर किया जाता है, तो संव्यवहार में सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख भाग घ के मद (i) में किया जाएगा और भाग घ के मद 5 (ii) में प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्ति के हिस्से का उल्लेख किया जाएगा । उदाहरण के रूप में 5 व्यक्तियों के नाम पर 100 रुपये की अचल संपत्ति की खरीद के लिए, घोषणा का हिस्सा 10% होने के साथ, घोषणाकर्ता को मद 3 में '100' और मद 5 (ii) में '10' भरना चाहिए।

11. संव्यवहार के अंतर्गत नकदी की रकम, जिसका मूल्य भाग घ के मद 2 में दिया गया है, भाग घ के मद 3 में भरा जाएगा ।

12. भाग घ के मद 4 में संव्यवहार का मोड निम्नलिखित कोड के अनुसार भरा जाएगा :

क्र. सं.	संव्यवहार का मोड	कोड.
1	नकदी	01
2	चेक	02
3	कार्ड	03
4	ड्राफ्ट/बैंकर चेक	04
5	ऑनलाइन अंतरण	05
6	मिश्रित (नकद और अन्य मोड)	06
7	यूपीआई संव्यवहार	07
8	अन्य	08.

13. पहचान, पता और जन्म तारीख के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज हैं (पैन और भाग ग में मद 4 के लिए आवेदन करने पर आवश्यक नहीं):

क्र.सं.	दस्तावेज़ की प्रकृति	दस्तावेज़ कोड.	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण	जन्म/निगमन* की तारीख
क. व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए					
1.	आधार कार्ड	01	जी हां	जी हां	नहीं
2.	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति की तस्वीर है।	02	जी हां	जी हां	नहीं
3.	मतदाता का फोटो पहचान पत्र	03	जी हां	जी हां	जी हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति की तस्वीर हो।	04	जी हां	जी हां	नहीं
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	जी हां	जी हां	जी हां
6.	पासपोर्ट।	06	जी हां	जी हां	जी हां
7.	पेंशनभोगी फोटो कार्ड	07	जी हां	जी हां	नहीं
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर ई जी एस) रोजगार कार्ड	08	जी हां	जी हां	नहीं
9.	व्यक्ति की तस्वीर वाला जाति प्रमाण पत्र	09	जी हां	जी हां	नहीं
10.	प्ररूप 093 में विहित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पता प्रमाण पत्र	10	जी हां	जी हां	नहीं
11.	नियोक्ता से प्रमाण पत्र	11	जी हां	जी हां	नहीं
12.	तस्वीर वाली किसान पासबुक	12	जी हां	नहीं	नहीं
13.	आर्म लाइसेंस	13	जी हां	नहीं	नहीं

14.	केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना/पूर्व सैनिकों के योगदान वाली स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	जी हां	नहीं	जी हां
15.	सरकार/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	जी हां	नहीं	जी हां
16.	बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	16	नहीं	जी हां	नहीं
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	17	नहीं	जी हां	नहीं
18.	पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	18	नहीं	जी हां	नहीं
19.	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	19	नहीं	जी हां	नहीं
20.	बैंक खाता ब्यौरे (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	20	नहीं	जी हां	नहीं
21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	21	नहीं	जी हां	नहीं
22.	डिपॉजिटरी खाता ब्यौरे (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	22	नहीं	जी हां	नहीं
23.	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	जी हां	नहीं
24.	सरकार की ओर से आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	जी हां	नहीं
25.	पति या पत्नी का पासपोर्ट जिसमें उस व्यक्ति का नाम है।	25	नहीं	जी हां	नहीं
26.	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)	26	नहीं	जी हां	नहीं
27.	व्यक्ति की तस्वीर वाला अधिवास प्रमाण पत्र	27	जी हां	जी हां	जी हां
28.	नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की	28	नहीं	नहीं	जी हां

	उपधारा (1) के खंड (घ) में परिभाषित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र;				
29.	पेंशन भुगतान आदेश	29	नहीं	नहीं	जी हां
30.	विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र	30	नहीं	नहीं	जी हां
31.	मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट	31	नहीं	नहीं	जी हां
ख.व्यक्तियों के संगठन (न्यास) के लिए					
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।	32	जी हां	जी हां	जी हां
ग. व्यक्तियों के संगठन (न्यासों को छोड़कर) या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए।					
	चैरिटी कमिश्नर या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग से उत्पन्न किसी अन्य दस्तावेज द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या प्रति किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग से उत्पन्न किसी अन्य दस्तावेज की पहचान, पता और इस तरह की निगमन की तारीख स्थापित करना। एक व्यक्ति।	33	जी हां	जी हां	जी हां

घ.एक विदेशी कंपनी के लिए					
1.	आईएफएससी बैंकिंग इकाई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए देश में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या निगमन की प्रति जहां आवेदक स्थित है।	34	जी हां	जी हां	जी हां
2.	आईएफएससी बैंकिंग इकाई के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित देश में जारी कर पहचान संख्या की प्रति, जहां आवेदक स्थित है।	35	जी हां	जी हां (यदि उसी में उल्लिखित पता)	जी हां

दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा जब इसमें नाम, तारीख, मास और जन्म वर्ष या घोषणाकर्ता का समावेश हो।

i. नाबालिग के नाम पर संव्यवहार के मामले में, ऐसे नाबालिग के माता-पिता या अभिभावकों में से किसी की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी नाबालिग घोषणाकर्ता के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा पर माता-पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

ii. एचयूएफ के लिए एचयूएफ के कर्ता के नाम पर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

iii. सरकार के मामले में, केवल आवश्यक दस्तावेज विभाग के प्रमुख या वेतन और लेखा अधिकारी या जोनल लेखा अधिकारी या जिला कोषागार अधिकारी या चेक ड्राइंग और वितरण अधिकारी से प्रमाण पत्र होता है।

फॉर्म नं. 98.

[**देखें नियम** 160]

प्ररूप संख्या 97 में प्राप्त घोषणा की विशिष्टियों से युक्त कथन

भाग क: कथन के ब्यौरे (**यह जानकारी एक साथ प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कथन के लिए प्रदान की जाएगी**)			
क1	रिपोर्टिंग व्यक्ति के ब्यौरे		
क1.1	रिपोर्टिंग व्यक्ति का नाम		
क1.2	आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या		
क2	विवरण के ब्यौरे		
क2.1	विवरण के प्रकार।		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
क2.2	मूल कथन आईडी		
क2.3	सुधार की वजह		1 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें।
क2.4	कथन की तारीख		
क2.5	रिपोर्टिंग अवधि		
क2.6	रिपोर्ट की संख्या		
क3	प्राथमिक अधिकारी के ब्यौरे		
क3.1	नाम.		
क3.2	पदनाम.		
क3.3	पता.		
क3.4	नगर /कस्बा		
क3.5	डाक कोड		
क3.6	राज्य कोड		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
क3.7	देश कोड		2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
क3.8	दूरभाष		
क3.9.	मोबाइल		
क3.10	ईमेल		

भाग ख : वित्तीय अंतरणों के लिए रिपोर्ट के ब्यौरे				
ख.1	रिपोर्ट संख्या (रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रदान किया जाएगा)			
ख.1.1	रिपोर्ट की क्रम संख्यांक			
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्यांक			
ख.2	पर्सन डिटेल्स			
ख.2.1	व्यक्ति का नाम.			
ख.2.2	जन्म या निगमन की तारीख			
ख.2.3	पिता का नाम (व्यक्ति के लिए)			
ख.2.4	पैन आवेदन पावती संख्या (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है)			
ख.2.5	आधार संख्या			
ख.2.6	मकान सं. या फ्लैट सं.			
ख.2.7	प्लॉट सं. या परिसर या भवन का नाम			
ख.2.8	सड़क, सड़क या गली			
ख.2.9.	क्षेत्र या स्थानीयता या वार्ड या सेक्टर या तालुका या उप-मंडल।			
ख.2.10	शहर या शहर या ग्रामवासी डाकघर			
ख.2.11	जिला			
ख.2.12	पिन.			
ख.2.13	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश कोड			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.2.14	देश कोड			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.2.15	मोबाइल			
ख.2.16	दूरभाष संख्या			
ख.2.17	ईमेल आईडी			
ख.2.18	निवास देश में करदाता पहचान संख्या (यदि किसी विदेशी कंपनी के लिए नियम 159(2)(c) के अंतर्गत आते हैं)			
ख.2.19	कर से प्रभार्य आय (किसी विदेशी कंपनी के लिए)			
ख.2.20	कर से प्रभार्य नहीं (किसी विदेशी कंपनी के लिए)			
ख.2.21	टिप्पणियां			

ख.3	वित्तीय संव्यवहार			
ख.3.1	संव्यवहार की तारीख			
ख.3.2	संव्यवहार आईडी			
ख.3.3	संव्यवहार का प्रकार			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.3.4	संव्यवहार की रकम			
ख.3.5	संव्यवहार रकम में अंतर्वलित नकद राशि			
ख.3.6	संव्यवहार का मोड			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख 3.7	यदि संव्यवहार संयुक्त नाम पर होता है।			
ख 3.8	संव्यवहार में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या			
ख 3.9.	घोषणाकर्ता का हिस्सा (प्रतिशत में)			
ख.4	व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के ब्यौरे			
ख.4.1	पहचान प्रमाण			
ख.4.1.1	दस्तावेज़ कोड.			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.4.1.2	दस्तावेज़ पहचान संख्या			
ख.4.1.3	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम			
ख.4.1.4	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता			
ख.4.2	पता प्रमाण			
ख.4.2.1	दस्तावेज़ कोड.			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.4.2.2	दस्तावेज़ पहचान संख्या			
ख.4.2.3	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम			
ख.4.2.4	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता			
ख.4.3	जन्म तारीख या निगमन प्रमाण की तारीख			
ख.4.3.1	दस्तावेज़ कोड.			2 अक्षर का कोड अंतर्विष्ट करें ।
ख.4.3.2	दस्तावेज़ पहचान संख्या			
ख.4.3.3	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम			
ख.4.3.4	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का पता			

सत्यापन

मैं..... (अभिहित निदेशक का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन) है, अभिहित निदेशक..... के रूप में मेरी क्षमता में प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी विशिष्टियॉ सही और पूर्ण हैं।

.....

स्थानः ... ... अभिहित के

हस्ताक्षर।

तारीख :... ..... (अभिहित का नाम)

प्ररूप संख्या 99

[नियम 167 देखें]

आयकर (अपील) के संयुक्त आयुक्त अथवा आयकर (अपील) के आयुक्त के समक्ष अपील

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
5.	संपर्क ब्यौरा (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)		
	मोबाइल नंबर	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		

भाग ख: वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है (सुसंगत आदेश)

6.	संबंधित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि	*(i) कर वर्ष* *(ii) ब्लॉक अवधि* *(एक का चयन करें)* *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	
7.	पंक्ति 6 के जवाब के अनुसार कर वर्ष या ब्लॉक अवधि की जानकारी	*(सूची से चुनें)*	
8.	संबंधित आदेश का विवरण:		
	(i)	प्रासंगिक आदेश का डीआईएन	
	(ii)	अधिनियम की धारा और उप-धारा	

	(iii)	संबंधित आदेश की तिथि		
	(iv)	मांग की सूचना की तामील की तिथि (जहाँ अपील कर निर्धारण या शास्ति से संबंधित हो)		
	(v)	संबंधित आदेश की तामील की तिथि (जहाँ अपील कर निर्धारण या शास्ति से संबंधित नहीं है)		
	(vi)	संबंधित आदेश पारित करने वाला आयकर प्राधिकारी	पदनाम (फेसलेस के लिए 'राष्ट्रीय फेसलेस निर्धारण केंद्र' लिखें)	*(सूची से चुनें)*
			निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)	*एरिया कोड*
				एओ प्रकार
				रेंज कोड
				एओ नं.
भाग ग: भुगतान किये गये कर के ब्यौरे				
9.	जहाँ अपीलार्थी द्वारा जिस कर वर्ष या ब्लॉक अवधि के लिए आयकर विवरणी दाखिल की गई है और जिसके लिए अपील दायर की गई है, क्या विवरणी में दर्शायी गई आय पर देय कर का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।			(i) हां (ii) नहीं (iii) लागू नहीं (*एक का चयन करें*)
10.	यदि पंक्ति 9 का उत्तर **हाँ** है, तो ऐसी विवरणी और भुगतान किए गए करों का ब्यौरे दर्ज करें:			
	(i)	विवरणी की पावती संख्या		
	(ii)	ऐसे विवरणी दाखिल करने की तारीख		दिन /माह/ वर्ष
	(iii)	कुल आय (₹)		
	(iv)	भुगतान किया गया कुल कर (₹)		
11.	जहाँ अपीलार्थी द्वारा कर वर्ष के लिए कोई आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गई है, क्या अधिनियम की धारा 358(6)(ख) के अनुसार अग्रिम कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान कर दिया गया है?			(i) हां (ii) नहीं (iii) लागू नहीं (*एक का चयन करें*)
12.	यदि पंक्ति 11 का उत्तर **हाँ** है, तो भुगतान किए गए कर का ब्यौरे दर्ज करें:			

बीएसआर	भुगतान की तारीख	क्रमांक	राशि (₹)

कोड				
कुल				

13. यदि अपील अधिनियम की धारा 393(2) [तालिका :क्रम संख्या 17] के अन्तर्गत किसी कर कटौती से सम्बन्धित है और कटौतीकर्ता द्वारा वहन की जाती है तो जमा किये गये कर का ब्यौराः

बीएसआर कोड	तारीख का भुगतान	क्रम .नहीं।	राशि (₹)
कुल			

भाग घ: अपील के ब्यौरे

14. यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, अधिनियम की धारा 294 के अधीन पारित किया गया है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i)	ब्लॉक निर्धारण के लिए आयकर विवरणी में दाखिल अप्रकट आय की राशि (₹)	
(ii)	अघोषित आय की राशि (₹)	
(iii)	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अप्रकट आय में कुल वृद्धि (₹)[(ii)-(i)]	
(iv)	विवादित अप्रकट आय की राशि (₹)	
(v)	विवादित मांग की राशि (₹)	

15. यदि अपील ब्लॉक निर्धारण के अलावा अन्य निर्धारण से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i)	निर्धारित आय की राशि (₹)	
(ii)	आय में कुल वृद्धि (₹)	
(iii)	हानि की स्थिति में, निर्धारण में हानि की कुल अस्वीकृति (₹)	
(iv)	अपील में विवादित वृद्धि/हानि की अस्वीकृति की राशि (₹)	
(v)	विवादित मांग की राशि (₹) – (हानि की स्थिति में 'शून्य' दर्ज करें)	

16. यदि अपील **शास्ति** से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i)	आदेश के अनुसार शास्ति की राशि (₹)	
(ii)	अपील में विवादित शास्ति की राशि (₹)	

17.	यदि अपील टीडीएस)TDS) या टीसीएस)TCS) प्रावधानों से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:		
	(i)	टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) की निर्धारित/आकलित चूक (₹)	
	(ii)	अपील में विवादित टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) की चूक (₹)	

भाग ङ: लंबित अपील

18.	क्या किसी अन्य संयुक्त आयुक्त)अपील (या आयुक्त)अपील (के पास उसी करदाता की कोई अन्य अपील लंबित है?	कर वर्ष या ब्लॉक अवधि	धारा के अधीन आदेश	आदेश की तिथि

भाग च :तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य

19.	**तथ्यों का विवरण**	*(अपलोड)*

20. अपील के आधार (जीओए)

क्रमांक	तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य	जीओए में उल्लिखित प्रासंगिक धारा, यदि कोई हो	शामिल राशि (₹)	क्या इसी आधार पर किसी अपील में पहले भी निर्णय दिया गया है (हां/नहीं)
(i)				*(यदि हाँ, तो अपलोड करें) (टिप्पणी 6 देखें)*
(ii)				

(यदि आवश्यक हो, तो अपेक्षित)

21.	क्या आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा, नियम 192 के अधीन कोई अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है?	(i) हां (ii) नहीं

				(एक का चयन करें) *(टिप्पण 7का संदर्भ लें)*
22.	यदि पंक्ति 21 का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:			
		(i)	दस्तावेज़ का नाम	
		(ii)	संलग्न दस्तावेज़ अपील के किन आधारों (जैसा कि पंक्ति 20 में दिया गया है) से संबंधित है?	
		(iii)	दस्तावेज़	*(अपलोड)*
23.	संबंधित कर वर्ष के लिए **प्रपत्र** संख्या 117 (पुनरावृत्ति अपील) में दाखिल घोषणा, जिससे यह अपील संबंधित है।			(i) हां (ii) नहीं (एक का चयन करें)
24.	यदि पंक्ति 23 का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:			
	(i)	**प्रपत्र** संख्या 117 की प्रति या उसमें बताए गए आधार		*(अपलोड)*
	(ii)	**प्रपत्र** संख्या 117 की पावती संख्या		
	पार्ट छ: अपील दायर करने के ब्यौरे			
25.	अपील दायर करने की नियत तिथि			*दिन /माह/ वर्ष*
26.	क्या अपील दायर करने में देरी हुई है?			(i) हां (ii) नहीं (एक का चयन करें)
27.	यदि पंक्ति 26 का उत्तर 'हाँ' है, तो विलंब की माफी के लिए आधार प्रदान करें।			*(अपलोड)*
28.	भुगतान किये गये अपील के शुल्क का विवरण:			

बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	क्रमांक	राशि (रू.)	

29.	सहायक दस्तावेज़ यदि कोई हो, तो अपलोड करें।		क्र	विवरण	दस्तावेज़	अपील के प्रासंगिक आधार
			(i)		*(अपलोड)*	
			(ii)		*(अपलोड)*	
			(ज़रूरत हो तो दोहराएं)			

सत्यापन **प्रपत्र**

मैं, _____, स्थायी खाता संख्या _____, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अधिनियम की धारा 440 के अधीन उन्मुक्ति के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है और ऊपर पंक्ति 22 में बताए गए साक्ष्य के अलावा कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा अपनी ..... की हैसियत में कर रहा/रही हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:.....

तारीख : .....

.....

(हस्ताक्षर)

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा भरा जाना चाहिए। किसी अन्य स्थिति में भी, पूरा नाम दिया जाना चाहिए।
2. पते में (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या मार्ग या गली, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य, (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किए जाएंगे ।
3. टीडीएस प्रभार के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील के मामलों में यह स्तंभ अनिवार्य है।
4. संपर्क विवरण स्वतः भरे (auto-populated) जाएंगे, परंतु उनको संपादित किया जा सकता है ताकि अद्यतन ईमेल और संपर्क विवरण प्रदान किए जा सकें।
5. वह कर वर्ष भरें जिसके संबंध में अपील की गई है या अधिनियम की धारा 294 या 298 के अधीन पारित आदेशों के लिए ब्लॉक अवधि भरें।

6. यदि उसी आधार पर किसी अपील का पहले ही निर्णय हो चुका है, तो आदेश अपलोड करें।

7. अपील के आधार से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्य अपलोड करें। मूल कार्यवाही के दौरान आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए किसी भी दस्तावेज़ को नियम 192 के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य माना जाएगा।

8. अधिकांश जानकारी पहले से भरी होगी और प्ररूप भरने की शुरुआत से ही वेबसाइट निम्नलिखित सूचना के लिए अनुरोध करेगी:

(i) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है, उसकी दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) या

(ii) स्थायी खाता संख्या + निर्धारण वर्ष + आदेश की तिथि (उन आदेशों के लिए जो दस्तावेज़ पहचान संख्या लागू होने से पहले पारित किए गए थे)।

प्ररूप संख्या . 100

[नियम 171(1) देखिए]

[अधिनियम की धारा 268(5)(i) के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन]

मैंने ..... स्थायी खाता संख्या ..... के साथ निर्धारिती के उपाबंध में उल्लिखित तारीख ..... को समाप्त हुए वर्ष के बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते की जाँच की है, जो _____ में स्थित प्रधान कार्यालय और _____ में स्थित शाखाओं में रखे गए लेखा-बहियों से * मेल खाते हैं / मेल नहीं खाते हैं।

मैंने मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। मेरी राय में, मुख्य कार्यालय द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है/ नहीं रखा गया है और मेरे द्वारा देखी गई निर्धारिती की शाखाओं को मेरे द्वारा देखी गई पुस्तकों की जांच से और लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त नहीं किया गया है, जिनका दौरा नहीं किया गया है। मेरे द्वारा नीचे दिए गए टिप्पणियों के अधीनः

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त विवरण * सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं या नहीं देते हैं-

(i) तुलन पत्र की दशा में, संबंधित निर्धारिती के मामलों की स्थिति की, और

(ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में, इस पर समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए संबंधित निर्धारिती के लाभ या हानि की.

निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित, आदेश सं० ..... तारीख ..... में विहित विशिष्टियॉ यहां संलग्न हैं, मेरी राय में और सबसे अच्छे के लिए मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये सही और सही हैं।

स्थान हस्ताक्षर

तारीख

लेखापाल का

नामः

सदस्य पंजीकरण संख्याः

स्थायी खाता संख्याः

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई होः

कंपनी का नामः

फर्म पंजीकरण संख्याः

उपाबंध

पंक्ति संख्या .	भाग कः निर्धारिती के विशिष्टियॉ		
1.	नाम.	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2.	पता.	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या.
6.	कर वर्ष		

पंक्ति संख्या .	भाग ख : विशिष्टियों के कथन			
1.	क्या धारा 62 के अधीन लेखा बहियों का रखरखाव किया जाता है?	हाँ/नहीं।		
2.	यदि 1 का उत्तर हां है, लेखा पुस्तकों की सूची और वह पता जिस पर लेखा पुस्तकों को रखा जाता है। (यदि कंप्यूटर सिस्टम में लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है, तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न लेखा पुस्तकों का उल्लेख करें)। यदि खाता पुस्तकों को एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता है, तो कृपया लेखा पुस्तकों के ब्यौरे के साथ का पता प्रस्तुत करें।)	एस।न हीं।	पता.	ले खा पु स्त कों को रख ना

				(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
				(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)
3.	लेखा पुस्तकों की सूची और जांच किए गए सुसंगत दस्तावेजों की प्रकृति की ।			
4.	कर वर्ष के दौरान नियोजित लेखांकन पद्धति			
5.	क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष में नियोजित विधि की तुलना में नियोजित लेखांकन की पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है।			हाँ/नहीं।
6.	यदि 5 का उत्तर हां है, तो इस तरह के परिवर्तन का विवरण दें, और लाभ या हानि पर इसके प्रभाव का ब्यौरा दें।			(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)
7.	आरंभिक और बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति			
	क.	कच्चा माल		
	ख.	स्टोर।		
	ग.	कार्य प्रगति में		
	घ.	स्टॉक-इन-ट्रेड		
8.	बताइए कि क्या पूर्ववर्ती कर वर्ष में नियोजित विधि की तुलना में पूर्वोक्त वस्तुओं में से किसी के मूल्यांकन की विधि में कोई बदलाव हुआ है।			
9.	यदि उपर्युक्त 8 का उत्तर हां है, तो उस रकम को निर्दिष्ट करें जिससे वर्ष के लिए लाभ या हानि इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित हुई है।			
10.	कच्चे माल, तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों के मूल्यांकन के साथ-साथ निर्मित वस्तुओं के संबंध में पूर्ण मात्रात्मक विवरण जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।			

	कच्चा माल		
	क.	आरंभिक स्टॉक	
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
	ग.	वर्ष के दौरान खपत	
	घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
	ङ.	बंद होने वाला स्टॉक	
	च.	तैयार उत्पादों की उपज	
	छ.	पैदावार का प्रतिशत	
	ज.	कमी / अतिरेक	
	तैयार उत्पाद		
	क.	ओपनिंग स्टॉक	
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
	ग.	वर्ष के दौरान निर्मित मात्रा	
	घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
	ङ.	बंद होने वाला स्टॉक	
	च.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत	
	उप-उत्पाद		
	क.	आरंभिक स्टॉक	
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
	ग.	वर्ष के दौरान निर्मित मात्रा	
	घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
	ङ.	बंद होने वाला स्टॉक	
	च.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत	

	कार्य प्रगति में		
	क.	आरंभिक स्टॉक	
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
	ग.	वर्ष के दौरान निर्मित मात्रा	
	घ.	वर्ष के दौरान बिक्री	
	ङ.	बंद होने वाला स्टॉक	
	च.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत	
11.	किसी व्यापारिक समुत्थान की दशा में, व्यापार किए गए माल की प्रमुख वस्तुओं का परिणात्मक विवरण दें।		
	क.	आरंभिक स्टॉक	
	ख.	वर्ष के दौरान खरीदारी	
	ग.	वर्ष के दौरान बिक्री	
	घ.	बंद होने वाला स्टॉक	
	ङ.	कमी / अतिवृद्धि और प्रतिशत	
12.	क्या निर्धारिती ने कच्चे माल, भंडारों और तैयार उत्पादों/उप-उत्पादों या वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया है?		हाँ/नहीं।
13.	विसंगतियों का ब्यौरे, यदि कोई हो		(टिप्पण 6 का संदर्भ लें) भाग बी के संबंध में अनुलग्नक के विवरण (रो संख्या . 13)
14.	निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के संबंध में उपगत व्यय की राशि		
	क.	विज्ञापन	
	ख.	जस्ट हाउस की प्रकृति में आवास का रखरखाव	
	ग.	यात्राएं।	
	घ.	मनोरंजन (किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को भुगतान किए गए मनोरंजन भत्ते की राशि सहित)	

15.	क्या उपर्युक्त 14 (क) में निर्दिष्ट मदों में से किसी के संबंध में निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय आय-कर अधिनियम/नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से अधिक है?	हाँ/नहीं।
16.	यदि 15 का जवाब हां है, तो ब्यौरा दें।	(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)

17. जहां निर्धारिती फर्म है, वहां निम्नलिखित ब्यौरें दें।

क्र.सं.	पार्टनर का नाम.	पार्टनर का पैन	फर्म द्वारा फर्म के भागीदार को किए गए भुगतानों का विवरण-					फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सेदारी	लाभ में शेयर की राशि
			ब्याज।	वेतन मिलता है।	बोनस	आयोग	पारिश्रमिक		
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

18. जहां निर्धारिती एक कंपनी है, वहां उसका ब्यौरा दें।

क्र.सं.	पारिश्रमिक, लाभ या सुविधा के उपबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यय के परिणामस्वरूप हुआ।			खण्ड (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी के प्रयोजनों या लाभ के लिए।	क्या खण्ड (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति कंपनी का
	कंपनी के निदेशक डा.	ऐसा व्यक्ति जिसकी कंपनी में काफी रुचि हो।	खण्ड (3) में निर्दिष्ट निदेशक		

			या ऐसे व्यक्ति के नातेदार		कर्मचारी है? (हां/नहीं)
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)

19.	धारा 29 या 36 के अधीन कटौती योग्य नहीं होने वाली रकमों का ब्यौरे					
क्र.सं.	ऐसे संदाय जो धारा 36(2) के संदर्भ में अत्यधिक या अनुचित प्रतीत होते हैं।		10,000 रुपये से अधिक या 35,000 रुपये से अधिक का भुगतान यदि भुगतान माल गाड़ियों को चलाने, किराए पर लेने या पट्टे पर देने के लिए है) और निर्दिष्ट बैंकिंग या ऑनलाइन मोड - धारा 36 (4) या 36(6) के माध्यम से नहीं किया जाता है।		उपदान के संदाय के लिए उपबंध अनुज्ञेय नहीं - धारा 29(2)	
	विशिष्टयॉ	राशि	विशिष्टयॉ	राशि	विशिष्टयॉ	राशि
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20.	क्या कोई राशि किसी हुंडी पर उधार ली जाती है, या उस पर देय राशि (उधार ली गई राशि पर ब्याज सहित) किसी व्यक्ति को खातादाता चेक के माध्यम से या बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी मोड के माध्यम से भुगतान किया जाता है?	हाँ/नहीं।
21.	यदि 20 का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित प्ररूप में ब्यौरा दें।	

क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम जिसे पुनर्भुगतान किया जाता है।	उस व्यक्ति का पैन जिसे पुनर्भुगतान किया जाता है।	हुंडी पर उधार ली गई रकम	लौटाई गई रकम	उधार ली गई रकम पर ब्याज	भुगतान की गई कुल रकम

						(3) + (4)
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

22.	उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क के शुल्क की वापसी या जीएसटी के अधीन बिक्री कर/इनपुट कर क्रेडिट की वापसी/इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण।		
क्र.सं.	जीएसटी के अधीन उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क या दोनों / बिक्री कर / इनपुट कर क्रेडिट की वापसी / प्रतिपूर्ति / शुल्क की वापसी / जीएसटी के अधीन बिक्री कर / इनपुट टैक्स क्रेडिट।		क्या उन्हें लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है? (हां/नहीं)
	विशिष्टियॉ ।	रकम	
(1)	(2) ।	(3)	(4)

23.	किसी भी पूर्व वर्ष के व्यय/आय की विशिष्टियॉ सुसंगत कर वर्ष के लाभ और हानि खाते में विकलन/जमा किए गए।		
	किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष का व्यय/आय प्रासंगिक कर वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट/क्रेडिट किया गया।		
	विशिष्टियॉ ।	विकलित गई रकम	जमा राशि
(1)	(2) ।	(3)	(4)
24.	आकस्मिक प्रकृति के किसी भी दायित्व के ब्यौरे लाभ और हानि खाते में विकलित किए गए।		

क्र.सं.	आकस्मिक प्रकृति का कोई दायित्व लाभ और हानि खाते में विकलित किया गया।							
	विशिष्टियॉ ।				विकलित गई रकम (रुपये) में।			
(1)	(2) ।				(3)			
25.	क्या धारा 185(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की रकम में कोई ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि उस धारा में विनिर्दिष्ट मोड से भिन्न रूप से कर वर्ष के दौरान ली गई या स्वीकार की गई?						हाँ/नहीं।	
26.	यदि 25 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:							
क्र.सं. नहीं।	संव्यवहार की प्रकृति [ऋण / जमा / निर्दिष्ट राशि]	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	ली गई या स्वीकार की गई रकम	क्या साल के दौरान वर्ग किया गया [हां/नहीं]।	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम	संव्यवहार की प्रकृति की संहिता, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
27.	क्या धारा 186(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की कुल रकम की किसी व्यक्ति से एक दिन में या एक संव्यवहार की बाबत या किसी घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार की बाबत, उस धारा में निर्दिष्ट पद्धतियों से विभिन्न माध्यम से किसी रकम का संदाय की गई है						हाँ/नहीं।	

28.	यदि 27 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:						
क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	प्राप्ति की रकम	प्राप्ति की तारीख	ऐसे संव्यवहार की प्रकृति की कोड, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
29.	क्या धारा 186(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की रकम का किसी व्यक्ति से एक दिन में या एक संव्यवहार की बाबत या कर वर्ष के दौरान, किसी घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार की बाबत, अन्यथा, उसमें निर्दिष्ट पद्धतियों के माध्यम से संदाय भुगतान किया गया है ?					हाँ/नहीं।	
30.	यदि 29 का जवाब हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:						
क्र.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	भुगतान की रकम	भुगतान की तारीख	ऐसे संव्यवहार की प्रकृति कोड, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31.	क्या कर वर्ष के दौरान धारा 188(1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की रकम में ऋण या जमा या विनिर्दिष्ट अग्रिम रकम का, अन्यथा उस धारा में निर्दिष्ट विधियों के माध्यम से कोई पुनर्भुगतान किया गया था ?					हाँ/नहीं।	
32.	यदि 31 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:						

क्र.सं.	पुनर्भुगतान की प्रकृति [ऋण / जमा / निर्दिष्ट अग्रिम]	भुगतानकर्ता का नाम	भुगतानकर्ता का स्थायी खाता संख्या	पुनर्भुगतान की रकम	कर वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम	ऐसे संव्यवहार की प्रकृति की कोड, जैसा कि टिप्पण 7 में दिया गया है।	
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

33.	क्या निर्धारिती से अध्याय XIX-ख के उपबंधों के अनुसार कर कटौती या एकत्र करने की अपेक्षा की जाती है?	हाँ/नहीं।
34.	यदि 33 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:	

कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा	भुगतान/रसीद की प्रकृति	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान या प्राप्ति की कुल राशि।	कुल राशि जिस पर कर कटौती या स्तम्भ (4) से एकत्र करने की आवश्यकता थी।	कुल राशि जिस पर स्तम्भ (5) से विनिर्दिष्ट दर पर कर कटौती किया गया या एकत्र किया गया।	स्तम्भ (6) से कटौती या एकत्र की गई कर रकम	कुल रकम जिस पर स्तम्भ से बाहर विनिर्दिष्ट दर से कर कटौती की गई है या एकत्र किया गया हो। (7)	स्तम्भ (8) पर कटौती या एकत्र की गई कर की राशि	स्तम्भ (7) और (9) में से केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में कटौती या एकत्र की गई कर रकम, परन्तु जमा नहीं की गई,

									केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा नहीं की गई।
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

35.	क्या निर्धारिती को कर कटौती या कर एकत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?					हाँ/नहीं।
36.	यदि 35 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:					
क्र.सं.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN)	प्ररूप का प्रकार	विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख	जिस तारीख को बयान दिया गया था।		विवरणों/संव्यवहारों की सूची तैयार करें जो उक्त कथन में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

37.	क्या निर्धारिती धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायी है			हाँ/नहीं।
38.	यदि 37 का जवाब हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:			
क्र.सं.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टेन)	धारा 398(3)(क) के अधीन संदेय ब्याज की रकम	स्तम्भ (3) से भुगतान की गई रकम	भुगतान की तारीख
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)

39.	क्या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया कोई ऋण/ओवरड्राफ्ट?			हाँ/नहीं।
40.	यदि 35 का उत्तर हां है, तो कृपया प्रस्तुत करें:			

क्र.सं.	विशिष्टियॉ ।	वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम रकम (₹ में)	प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति सहित सुरक्षा के ब्यौरे, यदि कोई हो।	गारंटर का नाम और पैन, यदि कोई हो।	गारंटर का पैन, यदि कोई हो
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)	(6)

41	करों के ब्यौरा (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), शुल्क आदि।कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदत्त किया गया.			
क्र.सं.	कर वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए करों (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), शुल्क आदि का ब्यौरे।		क्या भुगतान की संबंधित तारीखों और लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों में कोई विसंगति देखी गई है? (हां/नहीं)	यदि खण्ड (4) का उत्तर हां, हैं तो इसकी विशिष्टियॉ दें।
	विशिष्टियॉ ।	भुगतान की गई रकम (रुपये में)		
(1)	(2) ।	(3)	(4)	(5)

टिप्पण

1. व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में देश/क्षेत्र, ii फ्लैट / दरवाजे / ब्लॉक संख्या बर iii। सड़क/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर, iv। पिन / ज़िप कोड, v। पोस्ट ऑफिस, वीआई। क्षेत्र / स्थानीयता, vii। जिला, viii।राज्य होंगे ।

3. * जो भी लागू नहीं हो उसका लोप करें ।

4. यह रिपोर्ट प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आय-कर आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 268(5)(i) के अधीन अभिहित लेखाकार द्वारा दी जानी है।

5. जहां इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिया जाता है, वहां रिपोर्ट इसके कारणों का उल्लेख करेगी।

6. उल्लिखित पंक्ति संख्या के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	इस संबंध में	विवरण।
क-1	उपाबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या . 6)	कर वर्ष में नियोजित विधि की तुलना में नियोजित लेखांकन पद्धति में परिवर्तन का विवरण।
ए-2	उपाबंध का भाग ख (पंक्ति संख्या . 16)	उपाबंध के भाग ख के 14 (क) में निर्दिष्ट किसी मद के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय पर एक टिप्पण जो आय-कर अधिनियम/नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से अधिक है।

7. रकम / प्राप्ति / पुनर्भुगतान / भुगतान की प्रकृति के लिए कोड नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	रकम या प्राप्ति या पुनर्भुगतान की प्रकृति	कोड।
(क)	(ख)	(ग)
(i)	नकद भुगतान	क.
(ii)	नकद प्राप्ति	ख.
(iii)	गैर खाता भुगतानकर्ता चेक के माध्यम से भुगतान	ग.
(iv)	गैर-खाता भुगतानकर्ता चेक के माध्यम से प्राप्ति	घ.
(v)	परिसंपत्ति का अंतरण	ङ.
(vi)	देयता का अंतरण	च.
(vii)	परिसंपत्तियों का रूपांतरण	छ.
(viii)	देनदारियों का रूपांतरण	ज.
(ix)	जर्नल प्रविष्टि [डेबिट]	झ.
(x)	जर्नल प्रविष्टि [क्रेडिट]	ञ.
(xi)	कोई अन्य मोड [डेबिट]	ट.
(xii)	कोई अन्य मोड [क्रेडिट]	ठ.

8. जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए रकम ₹ में भरी जानी है ।

प्ररूप संख्या 101

[नियम 171(2) देखें]

अधिनियम की धारा 268(5) के अधीन सूची मूल्यांकन रिपोर्ट

मैं ..... जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, ने कर वर्ष ..... के लिए उपाबंध में उल्लिखित निर्धारीति के तारीख ..... तक की सूची और सूची मूल्यांकन से संबंधित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जाँच की है,

मैंने अधिनियम और आयकर नियम, 2026 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन में सूची मूल्यांकन किया है। मेरे द्वारा किए गए सूची मूल्यांकन के अनुसार, सुसंगत अवधि ..... से ..... तक के लिए प्रारंभिक सूची का मूल्य ₹ ..... (शब्दों में.....) और समापन सूची का मूल्य ₹..... (शब्दों में.....) है।

मैंने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सूची मूल्यांकन के लिए आवश्यक थे।

मेरी राय में, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच से यह प्रतीत होता है कि सूची से संबंधित उचित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेज प्रधान कार्यालय, अन्य परिसरों और मेरे द्वारा दौरा की गई निर्धारीति की शाखाओं द्वारा रखे गए हैं/नहीं रखे गए हैं, और सूची मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित डेटा उन शाखाओं से प्राप्त हुआ है/नहीं प्राप्त हुआ है जिनका मैंने दौरा नहीं किया है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन:

(क)

(ख)

.....

मेरी राय में, मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मेरी रिपोर्ट में नीचे प्रस्तुत सूची मूल्यांकन सही और सत्य है, परंतु कि नीचे दी गई टिप्पणियाँ लागू हों:

(क)

(ख)

.....

विहित विवरण और अन्य विवरण, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश संख्या ..... तारीख..... के अनुसार मांगे गए थे, संलग्न हैं। मेरी राय में, मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, ये सही और सत्य हैं।

सूची मूल्यांकन रिपोर्ट में प्ररूप संख्या 26 में दिए गए खुलासों (या यदि प्ररूप संख्या 26 प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य) की तुलना में पाए गए किसी भी अंतर को कारणों और औचित्यों सहित पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:

यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. *जो लागू न हो उसका लोप कर दें*
2. ** *यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा* 268 (5)(ii) *के अधीन प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार द्वारा दी जानी है।*
3. *यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या किसी शर्त के साथ दिया जाता है, तो रिपोर्ट में इसके कारण बताए जाएंगे।*
4. *प्रारंभिक मूल्य निर्धारीति द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों से लिए गए हैं।*
5. *सुसंगत अवधि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि होगी।*

उपाबंध

पंक्ति संख्या	**भाग क: निर्धारीति का विवरण**		
1.	नाम	*(टिप्पणी 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता (प्रधान कार्यालय/ अन्य परिसर और शाखाएँ):	*(टिप्पणी 2 का निर्देश लें)*	
	(क)		
	(ख)		
	...		
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	निगमन की तिथि/गठन की तिथि/जन्म तारीख		
5.	कारबार क्रियाकलाप की प्रकृति		
6.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का विवरण	*(टिप्पणी 3 का निर्देश लें)*	
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
9.	कर वर्ष		

पंक्ति संख्या	भाग ख: लागत लेखाकार की सूची मूल्यांकन रिपोर्ट	
1.	सूची के संबंध में रखी गई लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों का विवरण	
2.	(क) रखी गई सूची के संबंध में अपनाई गई लेखांकन पद्धति।	
	(ख) बताइए कि क्या विधि में कोई परिवर्तन हुआ है? पिछले दो वर्षों में रखी गई सूची के संबंध में अपनाई गई लेखांकन पद्धति	
	(ग) क्या कोई सूची प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर मौजूद है?	*हां / नहीं*
	(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर हाँ है, तो सूची प्रबंधन प्रणाली सॉफ़्टवेयर का विवरण प्रदान करें।	
3.	(क) निर्धारीति द्वारा निम्नलिखित सूची मदों के आरंभिक और समापन भंडार के मूल्यांकन की विधि: (i) तैयार माल (विनिर्मित) (ii) व्यापार का कुल माल (iii) कार्य प्रगति पर है (डब्ल्यूआईपी) (iv) कच्चा माल (v) सह-उत्पाद (vi) मध्यवर्ती उत्पाद (vii) जिग्स, टूल्स और डाइज़ (viii)स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं (ix) कतरन (x) कोई अन्य वस्तु	
	(ख) बताइए कि क्या उपरोक्त (क) में उल्लिखित किसी भी मद के	*हां / नहीं*

	मूल्यांकन की पद्धति में, तुरंत पूर्ववर्ती कर वर्ष में पहले के दो मदों में प्रयुक्त पद्धति की तुलना में कोई परिवर्तन हुआ है?	
	(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न (ख) का उत्तर हाँ है, तो उस रकम का उल्लेख कीजिए जिससे सुसंगत अवधि के लाभ या हानि पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है।	
	(घ) क्या सुसंगत अवधि के दौरान आग या दुर्घटना या किसी अन्य कारण से सूचि से संबंधित कोई बीमा दावा हुआ है?	*हां / नहीं*
	(ड.) यदि उपरोक्त प्रश्न (घ) का उत्तर हाँ है, तो आग, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से माल से संबंधित बीमा दावे का विवरण दीजिए।	

4. निर्धारीति के संपरीक्षित खातों के अनुसार वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

क्रमांक	**विवरण**	**रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष**	**रिपोर्टिंग के अधीन का 1 वर्ष**	**रिपोर्टिंग के अधीन वर्ष से ठीक पूर्व का 2 वर्ष**
1	आवर्त			
2	कर से पूर्व लाभ (हानि)			
3	घटाएं: संदत किए गए कर			
4	कर पश्चात लाभ (हानि)			
5	कच्चे माल की खपत			
6	प्रारंभिक सूची			
7	समापन सूची			
8	औसत स्टॉक रखने की अवधि (दिनों में) ={365/(आवर्त [1]/औसत इन्वेंटरी)} औसत सूची = {[6]+[7]}/2			

	9	कच्चे माल के औसत भंडार और खपत का अनुपात (दिनों में)			
	10	भंडार और अतिरिक्त सामान का औसत उपभोग (दिनों में)			

5. विनिर्मित मदों के संबंध में, कच्चे माल और तैयार उत्पादों का पूर्ण मात्रात्मक विवरण नीचे दर्शाया गया है (अस्तित्व स्तर पर समेकित):

(क) रिपोर्टिंग के अधीन सुसंगम अवधि के लिए कच्चे माल (आरएम) का ब्यौरा (टिप्पण संख्या 4 का निर्देश लें) :-

क्रम सं	**विवरण**	**कच्चे माल का विवरण**	**मापन की इकाई (यूओएम)**	**प्रारंभिक स्टॉक**	**खरीदारी सुसंगत अवधि के दौरान**	**उपभोग सुसंगत अवधि के दौरान कच्चे माल का**	**कच्चा माल बेचा गया सुसंगत अवधि के दौरान**	**समापन स्टॉक**	**अन्य समायोजन**
1.	**आरएम**1								
2.	**आरएम**2								
3.	**आरएम**3								
	.....								
	अन्य								

(ख) (i) रिपोर्टिंग अवधि के अधीन निर्धारीति द्वारा विनिर्मित/व्यापार की गई मदों के संबंध में मात्रात्मक विवरण (टिप्पण संख्या 5 का निर्देश लें):

क्रम सं	**तैयार उत्पाद/ निर्माणाधीन कार्य**	**विवरण**	**मद का कोड**	**मापन की इकाई (यूओएम)**	**प्रारंभिक स्टॉक**	**निर्मित मात्रा** (Qty)	**खरीदी गई मात्रा संबंधि**	**सुसंगत अव**	**सुसंगत अवधि के दौरान अस्वीकृत**	**मात्रात्मक समायोजन,य**	**समापन सुसंगत**	**कार्य प्रगति पर है**	**कार्य प्रगति पर है,**

							प्रासंगिक के दौरान अवधि	**त अवधि के दौरान**	**धि के दौरान बेची गई मात्रा अवधि**	**मात्रा अवधि**	**दि नीचे (ख)(ii) में कोई हो:**	**अवधि के अंत में स्टॉक अवधि**		**इसे बंद किया जा रहा है।**
	1.	**मद** 1												
	2.	**मद** 2												
	3.	**मद** 3												
		.....												
		अन्य												

(ख) (ii) मात्रात्मक समायोजन (टिप्पण संख्या 5 का निर्देश लें):

क्रमांक	तैयार उत्पाद / निर्माणाधीन कार्य	यदि (ii)(क) में मात्रात्मक समायोजन हैं, तो मात्रात्मक समायोजन के विस्तृत कारण प्रस्तुत करें।
1.	मद 1	
2.	मद 2	
3.	मद 3	
	.....	
	अन्य	

6.	(i) क्या निर्धारीति ने कच्चे माल का भौतिक सत्यापन कराया है? भंडार और तैयार उत्पाद, आदि या ऊपर उल्लिखित व्यापारिक वस्तुएं?	*हां / नहीं*
	(ii) यदि कोई विसंगति हो तो उसका विवरण	
7.	(i) क्या मूल्यांकन आय गणना के अनुरूप है? और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) के अधीन धारा 276 (2) के अधीन अधिसूचित	*हां / नहीं*
	(ii) यदि कोई विसंगति हो तो उसका विवरण	

8. लागत लेखाकार द्वारा रिपोर्टिंग के अधीन सुसंगत अवधि के लिए सूची मूल्यांकन का विवरण (जहां भी आईसीडीएस II लागू हो) (टिप्पण संख्या 6 का निर्देश लें):

(क)(i) तैयार माल का मूल्यांकन:

क्रमांक	**विवरण**	**मद कोड**	**यूओएम**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
				मात्रा	**सीओपी/पीवी**	**एनआरवी**	**निचले भाग (6) या (7)**	**कीमत (5) x (8)**	**मात्रा**	**सीओपी/पीवी**	**एनआरवी**	**निचले भाग (11) या (12)**	**कीमत (10) x (13)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**उत्पाद** 1												
2	**उत्पाद** 2												
3	**उत्पाद** 3												
	.....												
	कुल												

(क)(ii) स्टॉक-इन-ट्रेड का मूल्यांकन:

क्रमांक	विवरण	मद कोड	यूओएम	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक				
				मात्रा	सीओपी/पीवी	एनआरवी	निचले भाग (6) या (7)	कीमत (5) x (8)	मात्रा	सीओपी/पीवी	एनआरवी	निचले भाग (11) या (12)	कीमत (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**उत्पाद** 1												
2	**उत्पाद** 2												
3	**उत्पाद** 3												
	.....												
	कुल												

(ख) निर्माणाधीन कार्य (डब्ल्यूआईपी) का मूल्यांकन (टिप्पण संख्या 7 का निर्देश लें):

क्रमांक	विवरण	मद कोड	यूओएम	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक				
				मात्रा	सीओपी	एनआरवी	निचले भाग (6) या (7)	कीमत (5) x (8)	मात्रा	सीओपी	एनआरवी	निचले भाग (11) या (12)	कीमत (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**कार्य प्रगति**												

	पर 1												
2	**कार्य प्रगति पर** 2												
3	**कार्य प्रगति पर** 3												
	.....												
	कुल												

(ग) कच्चे माल का मूल्यांकन

क्रमांक	**विवरण**	**मद कोड**	**यूओएम**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
				मात्रा	**खरीद की लागत**	**स्थानापन्न दर**	**निचला**(6) **या** (7)	**कीमत** (5) x (8)	**मात्रा**	**खरीद की लागत**	**स्थानापन्न दर**	**निचले भाग** (11) **या** (12)	**कीमत** (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**आरएम** 1												
2	**आरएम** 2												
3	**आरएम** 3												
	.....												
	कुल												

(घ) उप-उत्पादों का मूल्यांकन

क्रमांक	विवरण	मद कोड	यूओएम	आरंभिक स्टॉक			समापन स्टॉक		
				मात्रा	एनआरवी	कीमत (5)x(6)	मात्रा	एनआरवी	कीमत (8)x(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	उप-उत्पाद 1								
2	उप-उत्पाद 2								
3	उप-उत्पाद 3								
	कुल								

(ङ) मध्यवर्ती उत्पादों (आईएमपी) का मूल्यांकन (टिप्पण संख्या 8 का निर्देश लें)

क्रमांक	विवरण	मद कोड	यूओएम	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक				
				मात्रा	सीओपी	एनआरवी	निचला(6) या (7)	कीमत (5) x (8)	मात्रा	सीओपी	एनआरवी	निचला(11) या (12)	कीमत (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	आईएमपी 1												
2	आईएमपी 2												
3	आईएमपी 3												
	.....												

	कुल												

(च) अन्यों का मूल्यांकन

विवरण	**प्रारंभिक मूल्य**	**समापन मूल्य**
जिग्स, टूल्स और डाइज़		
स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं		
कतरन		
अन्य		
कुल		

(छ) तारीख ..... को सूची मूल्यांकन का सारांश

क्रमांक	**विवरण**	**प्ररूप संख्या के अनुसार मूल्य।** 26 **(यदि प्ररूप संख्या** 26 **(यदि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाएगा)**		**लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य**		**यदि कोई बदलाव हो तो।**	
		प्रारंभिक	**समापन**	**प्रारंभिक**	**समापन**	**प्रारंभिक**	**समापन**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5) - (3)	(6) – (4)
1	**तैयार माल**						
2	**व्यापार का कुल माल**						

3	**काम जारी है**						
4	**कच्चा माल**						
5	**दर-उत्पाद**						
6	**मध्यवर्ती उत्पाद**						
7	**जिग्स, टूल्स और डाइज़**						
8	**स्टोर, पुर्जों और उपभोग्य वस्तुएं**						
9	**कतरन**						
10	**अन्य**						
11	**कुल**						
12	**लाभ या हानि पर प्रभाव**						
13	**आयकर पर प्रभाव**						

(**ज**) (viii) **लागत लेखाकार द्वारा किए गए सूची मूल्यांकन का विवरण**:

	सूची मदें	**लागत लेखाकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति**	**निर्धारीति द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ विभिन्न मदों के लिए लागत लेखाकार द्वारा अपनाई गई पद्धति का भी**

					उल्लेख करें। सूची का पूरा औचित्य प्रस्तुत करें।
			प्रारंभिक स्टॉक	**समापन स्टॉक**	
	क.	तैयार माल (निर्मित)			
	ख.	व्यापार का कुल माल			
	ग.	कार्य प्रगति पर है (डब्ल्यूआईपी)			
	घ.	कच्चा माल			
	ङ	सह-उत्पाद			
	च.	मध्यवर्ती उत्पाद			
	छ.	जिग्स, टूल्स और डाइज़			
	ज.	स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं			
	झ	कतरन			
	ट	कोई अन्य वस्तु			
	(झ) लागत लेखाकार का कोई अन्य सुसंगत टिप्पण, अवलोकन या योग्यता:				
9.	**लागत लेखाकार द्वारा रिपोर्टिंग के अधीन सुसंगत अवधि के लिए सूची मूल्यांकन का विवरण (जहां भी आईसीडीएस 2 लागू नहीं है) (टिप्पण संख्या 9 का निर्देश लें)**:				
	क. आईसीडीएस 3 के अधीन आने वाले निर्माण संविदाओं में लगे निर्धारीति के लिए सूची मूल्यांकन:				
	(i) **बिक्री के लिए तैयार पूर्ण इकाइयों का मूल्यांकन*(टिप्पण संख्या 10 का निर्देश लें)***				

क्रम सं	विवरण	पूर्ण इकाइयों के प्रकार	यदि कोई उप प्रकार हो तो	समापन स्टॉक				आरंभिक स्टॉक			
				मात्रा	प्रत्येक प्रकार की इकाई की लागत	एन आर वी	कीमत [(5) X ((6) या (7)) में से कम]	मात्रा	प्रत्येक प्रकार की इकाई की लागत	एन आर वी	मान [(9) X कम ((10) या (11))]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**परियोजना 1**										
2	**परियोजना 2**										
3	**परियोजना 3**										
	.....										
	कुल										

(ii) **निर्माणाधीन कार्यों का मूल्यांकन**

	विवरण	समापन स्टॉक	आरंभिक स्टॉक

क्रमांक		प्रतिशत पूर्णता	आज तक की कुल निर्माण लागत	मान्यता प्राप्त राजस्व के अनुसार लागत	कार्य प्रगति का मूल्य [(4)-(5)]	प्रतिशत पूर्णता	आज तक की कुल निर्माण लागत	मान्यता प्राप्त राजस्व के अनुसार लागत	कार्य प्रगति का मूल्य [(8)-(9)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	परियोजना 1								
2	परियोजना 2								
3	परियोजना 3								
	.....								
	कुल								

(iii) **निर्माण सामग्री का मूल्यांकन**

क्रमांक	**विवरण**	**मद कोड**	**यूओएम**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
				मात्रा	**खरीद की लागत**	**स्थानापन्न दर**	**निचला(6) या (7)**	**कीमत (5) x (8)**	**मात्रा**	**खरीद लागत**	**स्थानापन्न दर**	**निचला(11) या (12)**	**कीमत (10) x (13)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**सामग्री** 1												
2	**सामग्री** 2												

3	**सामग्री** 3													
	.....													
	कुल													

(iv) **निर्माण सामग्री, सहायक उपकरण और अन्य का मूल्यांकन**

क्रमांक	**विवरण**	**आमद कोड**	**यूओएम**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
				मात्रा	**खरीद की लागत**	**स्थानापन्न दर**	**निचला(6) या (7)**	**कीमत (5) x (8)**	**मात्रा**	**खरीद लागत**	**स्थानापन्न दर**	**निचला(11) या (12)**	**कीमत (10) x (13)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**मद** 1												
2	**मद** 2												
3	**मद** 3												
	.....												
	कुल												

(v)**निर्माण संविदाओं के लिए सूचि मूल्यांकन का सारांश तारीख**..... **तक**

क्रमांक	**विवरण**	**प्रपत्र संख्या 26 के अनुसार मूल्य (यदि प्ररूप संख्या 26 प्रस्तुत नहीं**	**लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य**	**यदि कोई बदलाव हो तो।**

		किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य)					
		प्रारंभिक	**समापन**	**प्रारंभिक**	**समापन**	**प्रारंभिक**	**समापन**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5)-(3)	(6)-(4)
1	**बिक्री के लिए तैयार पूर्ण इकाइयाँ**						
2	**निर्माण कार्य जारी है**						
3	**निर्माण सामग्री**						
4	**निर्माण सामग्री, सहायक उपकरण और अन्य**						
	कुल						
	लाभ या हानि पर प्रभाव (मूल्यांकन में परिवर्तन द्वारा लाभ या हानि पर पड़ने वाले प्रभाव की रकम विनिर्दिष्ट करें)						
	आयकर पर प्रभाव						

(vi) लागत लेखाकार द्वारा किए गए सूचि मूल्यांकन का विवरण (टिप्पण 10 का निर्देश लें):

			सूचि मद	लागत लेखाकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति		निर्धारीति द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ लागत लेखाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए अपनाई गई पद्धति का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें।
				प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक	
		क.	बिक्री के लिए तैयार पूर्ण इकाइयाँ			
		ख.	निर्माण कार्य जारी है			
		ग.	निर्माण सामग्री			
		घ.	निर्माण सामग्री, सहायक उपकरण और अन्य			
	(vii) लागत लेखाकार की कोई अन्य सुसंगत नोट, अवलोकन या अर्हता					
	ख. आईसीडीएस वी-3 द्वारा संचालित प्रतिभूतियों के व्यापार में लगे निर्धारीतियों के लिए सूची मूल्यांकन।					
	(i)(क) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित सूचीबद्ध शेयरों का मूल्यांकन					

क्रम सं	विवरण	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक				
		मात्रा	एसी	एन आ रवी	निचले भाग (4) या (5)	कीमत (3)X (6)	मात्रा	एसी	एन आ रवी	निचले भाग (9) या (10)	कीमत (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	शेयर 1										
2	शेयर 2										
3	शेयर 3										
	.....										
	कुल										

(i)(ख) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित गैर-सूचीबद्ध शेयरों का मूल्यांकन

क्रमांक	विवरण	आरंभिक स्टॉक					समापन स्टॉक				
		मात्रा	एसी	एन आ रवी	निचले भाग (4) या (5)	कीमत (3)X (6)	मात्रा	एसी	एन आ रवी	निचले भाग (9) या (10)	कीमत (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	शेयर 1										
2	शेयर 2										
3	शेयर 3										
	.....										

			कुल										

(ii) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

क्रमांक	**विवरण**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
		मात्रा	**एसी**	**एन आ रवी**	**निचले भाग (4) या (5)**	**कीमत (3)X (6)**	**मात्रा**	**एसी**	**एन आ रवी**	**निचले भाग (9) या (10)**	**कीमत (8)X (11)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	ऋण प्रतिभूति 1										
2	ऋण प्रतिभूति 2										
3	ऋण प्रतिभूति 3										
	.....										
	कुल										

(iii) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

क्रमांक	**विवरण**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
		मात्रा	**एसी**	**एन आ रवी**	**निचले भाग (4) या (5)**	**कीमत (3)X (6)**	**मात्रा**	**एसी**	**एन आ रवी**	**निचले भाग (9) या (10)**	**कीमत (8)X (11)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	परिवर्तनीय प्रतिभूति 1										
2	परिवर्तनीय प्रतिभूति 2										

	3	परिवर्तनीय प्रतिभूति 3										
		.....										
		कुल										

(iv) स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित किसी अन्य प्रतिभूति का मूल्यांकन

क्रम सं	**विवरण**	**आरंभिक स्टॉक**					**समापन स्टॉक**				
		मात्रा	**एसी**	**एन आ रवी**	**निचले भाग (4) या (5)**	**कीमत (3)X (6)**	**मात्रा**	**एसी**	**एन आ रवी**	**निचले भाग (9) या (10)**	**कीमत (8)X (11)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	कोई अन्य प्रतिभूति 1										
2	कोई अन्य प्रतिभूति 2										
3	कोई अन्य प्रतिभूति 3										
	.....										
	कुल										

(v) शेयरों, डिबेंचरों और अन्य वित्तीय उपकरणों के स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित सूचि मूल्यांकन का सारांश, दिनांक ..... को

क्रम सं	**वर्ग**	**प्ररूप संख्या 26 के अनुसार मूल्य (यदि प्ररूप**	**लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य**	**यदि कोई बदलाव हो तो**

			संख्या 26 प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य)					
			प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								(5) – (3)	(6) – (4)
		1	सूचीबद्ध शेयर						
		2	गैर-सूचीबद्ध शेयर						
		3	ऋण प्रतिभूतियों						
		4	परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ						
		5	कोई अन्य प्रतिभूति						
			कुल						
			लाभ या हानि पर प्रभाव (*मूल्य में परिवर्तन से लाभ या हानि पर पड़ने वाले प्रभाव की रकम विसूचि निर्दिष्ट करें।*						
			आयकर पर प्रभाव						
	(vi) लागत लेखाकार द्वारा किए गए इन्वेंट्री मूल्यांकन का विवरण (टिप्पणी 12 का निर्देश लें)								
			सूचि मद		लागत लेखांकन द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति		विनिर्धारीति द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ लागत लेखाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए अपनाई गई पद्धति का	

					पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें।
			प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक	
	क.	सूचीबद्ध शेयर			
	ख.	गैर-सूचीबद्ध शेयर			
	ग.	ऋण प्रतिभूतियाँ			
	घ.	परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ			
	ङ.	कोई अन्य प्रतिभूति			

	(vii) लागत लेखाकार की कोई अन्य सुसंगत टिप्पण, अवलोकन या अर्हता	
	ग. पशुधन, कृषि और वन उत्पादों, खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों की सूचि मूल्यांकन, सिवाय उन सूचि के जो ऐसे सूचि के व्यापारी के पास हैं (टिप्पण 13 का निर्देश लें)	
	(i) पशुधन सूची का मूल्यांकन	

क्रमांक	विवरण	यूओएम	समापन स्टॉक			आरंभिक स्टॉक		
			मात्रा	एनआरवी	कीमत (4)X(5)	मात्रा	एनआरवी	कीमत (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पशुधन 1							
2	पशुधन 2							

		3	पशुधन 3						
			.....						
			कुल						

(ii) कृषि एवं वन उपज की सूची का मूल्यांकन

क्रमांक	विवरण	यूओएम	समापन स्टॉक			आरंभिक स्टॉक		
			मात्रा	एनआरवी	कीमत (4)X(5)	मात्रा	एनआरवी	कीमत (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उत्पादन 1							
2	उत्पादन 2							
3	उत्पादन 3							
	.....							
	कुल							

(iii) खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों के भंडार का मूल्यांकन

क्रमांक	विवरण	यूओएम	समापन स्टॉक			आरंभिक स्टॉक		
			मात्रा	एनआरवी	कीमत (4)X(5)	मात्रा	एनआरवी	कीमत (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उत्पाद 1							
2	उत्पाद 2							
3	उत्पाद 3							
	.....							

			कुल						

(iv) तारीख ..... तक तुलना का सारांश

क्रमांक	वर्ग	प्रपत्र संख्या 26 के अनुसार मूल्य (यदि प्ररूप संख्या 26 प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो संपरीक्षित खातों के अनुसार मूल्य)		लागत लेखाकार के अनुसार मूल्य		यदि कोई बदलाव हो तो।	
		प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन	प्रारंभिक	समापन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5) – (3)	(6) – (4)
1	पशु						
2	कृषि और वन उत्पाद						
3	खनिज तेल, अयस्क और गैसें						
	कुल						
	लाभ या हानि पर प्रभाव (मूल्यांकन में परिवर्तन से लाभ या हानि पर पड़ने वाले प्रभाव की रकम विनिर्दिष्ट करें)						
	आयकर पर प्रभाव						

(v) लागत लेखाकार द्वारा किए गए सूचि मूल्यांकन का विवरण

			सूचि मद	लागत लेखाकार द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति		निर्धारीति द्वारा अपनाई गई पद्धति में भिन्नता होने की स्थिति में, मात्रा, दरों और मूल्य में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ लागत लेखाकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए अपनाई गई पद्धति का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें।
				प्रारंभिक स्टॉक	समापन स्टॉक	
		क.	पशु			
		ख.	कृषि और वन उत्पाद			
		ग.	खनिज तेल, अयस्क और गैसें			
	(vi) लागत लेखाकार की कोई अन्य सुसंगत टिप्पण, अवलोकन या अर्हता					

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

लेखाकार का नाम:

सदस्य पंजीकरण संख्या:

स्थायी खाता संख्या:
यदि कोई हो तो विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन):
स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1.व्यष्टिक की दशा में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी दशा में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।

2. पते में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. यदि उपलब्ध हो, तो मुख्य उत्पादों/सेवाओं के लिए एचएसएन कोड और एसएसी कोड का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

4. भाग ख, पंक्ति संख्या 4 में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

(i) कच्चे माल के कुल भंडार मूल्य के शीर्ष 80% हिस्से वाले सभी कच्चे माल के भंडार को मदवार अलग-अलग रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शेष बचे सभी कच्चे माल के भंडार को "अन्य" के अंतर्गत समूहित किया जा सकता है।

(ii) कच्चे माल की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ

(iii) अन्य समायोजनों में कमी/अपशिष्ट/अस्वीकृत वस्तुएं आदि शामिल हैं।

5. भाग ख, पंक्ति संख्या 5 में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

(i) मदों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।

(ii) यदि कोई उप-उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उनके संबंध में उपरोक्त बिंदुओं पर अलग से मात्रात्मक विवरण दिया जाना चाहिए।

(iii) जहां निर्धारीति वस्तुओं का व्यापार कर रहा है, वहां व्यापार की गई वस्तुओं के संबंध में उपरोक्त तर्ज पर मात्रात्मक विवरण दिया जाना चाहिए।

(iv) सभी निर्मित वस्तुओं/व्यापारित वस्तुओं/अधूरे कार्यों के सूचि, जो कुल निर्मित वस्तुओं/व्यापारित वस्तुओं/अधूरे कार्यों के मूल्य के 80% से अधिक हैं, को अलग-अलग मदवार रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शेष सभी निर्मित वस्तुओं/व्यापारित वस्तुओं/अधूरे कार्यों के सूचि को "अन्य" के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

6. भाग ख, पंक्ति संख्या 8 में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

(i) उत्पादन लागत (सीओपी): उत्पादन लागत

(ii) पीवी: क्रय मूल्य

(iii) एनआरवी: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य

(iv) मदों की संख्या के अनुसार पंक्तियाँ जोड़ें या हटाएँ

(v) मद-स्तरीय विवरण निर्धारीति और लागत लेखाकार द्वारा बनाए रखा जाएगा और निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) सूचि के मूल्यांकन के लिए आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक 2 लागू होगा, सिवाय इसके:

a. निर्माण संविदा के अधीन उत्पन्न होने वाला कार्य-प्रगति में है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सेवा अनुबंध भी शामिल है, जो कि

b. निर्माण संविदाओं पर आय गणना और प्रकटीकरण मानक द्वारा निपटाया गया;

c. अन्य आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक द्वारा निपटाए जाने वाले कार्य प्रगति पर हैं;

d. शेयर, डिबेंचर और अन्य वित्तीय उपकरण जो स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखे जाते हैं और जिनका निपटान प्रतिभूतियों पर आय गणना और प्रकटीकरण मानक द्वारा किया जाता है;

e. पशुधन, कृषि और वन उत्पादों, खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों के उत्पादकों के भंडार, उस सीमा तक जहां तक उनका शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापन किया जाता है;

7. पंक्ति संख्या 8(ख) के लिए, यहाँ एनआरवी का अर्थ संबंधित तैयार उत्पाद का एनआरवी, अनुमानित पूर्णता लागत से कम है।

8. पंक्ति संख्या 8(ङ) के लिए, मध्यवर्ती उत्पादों में केवल वे उत्पाद शामिल हैं जो मध्यवर्ती अवस्था में हैं और कहीं और शामिल नहीं हैं।

9.परियोजनाओं की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।

10. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(क)(i) में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

(i) प्रकार से तात्पर्य बीएचके आकार/किफायती/प्रीमियम/वाणिज्यिक आदि से है, जिसे विभिन्न बिक्री इकाइयों के रूप में पहचाना जा सकता है।

(ii) पूर्ण इकाइयाँ से तात्पर्य उन भूखंडों/फ्लैटों/वाणिज्यिक इकाइयों/विलाओं/मंजिलों से है जो बिक्री के लिए तैयार हैं और जिन्हें सूची में शामिल किया गया है।

(iii) यदि आवश्यक हो, तो भूमि का मूल्यांकन (वित्तीय विवरणों में सूची मूल्यांकन में अलग से दिखाया गया है) और विकास अधिकार यहाँ दिखाए जा सकते हैं।

11. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(क)(vi) में विवरण दाखिल करते समय, प्रगति पर चल रहे संविदाओं के पूरा होने के चरण को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति विनिर्दिष्ट करें।

12. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(ख) में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

(i) एसी: वास्तविक लागत

(ii) एनआरवी: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य

(iii) टिप्पण शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।

(iv) धारा 9(ख)(vi) के संबंध में, वित्तीय उपकरणों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वास्तविक लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अवधारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति विनिर्दिष्ट करें।

13. भाग ख, पंक्ति संख्या 9(ग) में विवरण भरते समय, कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

(i) एनआरवी: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य

(ii) पशुधन/उत्पादों/उत्पादों की संख्या के आधार पर पंक्तियों की संख्या बढ़ाएँ।

14.जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकमों ₹ में भरी जानी चाहिए।

प्ररूप संख्या 102

[नियम 178 देखें]

धारा 288(1) के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए आवेदन [सारणी: क्र.सं. 11]

पंक्ति संख्या	**भाग क:** निर्धारिती **का विशिष्टियां**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	वह कर वर्ष जिसमें विनिर्दिष्ट आय* को आय विवरण में सम्मिलित किया गया है		
8.	संबंधित कर वर्ष के लिए आय विवरण दाखिल करने की तारीख		

भाग ख: निर्दिष्ट आय और स्रोत पर कर कटौती से संबंधित ब्यौरे

पंक्ति सं	**भाग क के स्तंभ** 7 **में विनिर्दिष्ट कर वर्ष के लिए आयकर विवरणी के अनुसार निर्धारिती की कुल आय/अनुमानित कुल आय/हानि (टिप्पण** 4 **देखें)**	**आय विवरणी में सम्मिलित विनिर्दिष्ट आय* की रकम (टिप्पण** 5 *का संदर्भ लें)*	**निर्दिष्ट आय की प्रकृति (टिप्पण** 5 *का संदर्भ लें)*	**वह दर जिस पर विनिर्दिष्ट आय कर के अधीन थी**	**पश्चात्वर्ती कर वर्ष में विनिर्दिष्ट आय पर कटौती किए गए कर की रकम (टिप्पण** 5 *का संदर्भ लें)*	**कर कटौती की तारीख (दिन/ मास/ वर्ष)**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ**	**च**	**छ**
कुल						

जिस दर पर कर काटा जाता है	केंद्रीय सरकार को कटौती किए गए कर के भुगतान की तारीख (दिन/मास/) वर्ष)	अधिनियम की वह धारा जिसके अधीन कटौती की जाती है	कर वर्ष के लिए (च) में से दावा की गई कर की रकम	कटौतीकर्ता का नाम	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता संख्या)	कटौतीकर्ता की स्थायी खाता संख्या
ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ

विनिर्दिष्ट आय से तात्पर्य धारा 288(1) [सारणी: संख्या 11] में निर्दिष्ट किसी भी आय से है जिसे किसी कर वर्ष के आय विवरण में सम्मिलित किया गया है और ऐसी आय पर स्रोत पर कर की कटौती की जाती है और अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन पश्चातवर्ती के कर वर्ष में केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाता है।

घोषणा

मैं..... ...स्थायी खाता संख्या ..... के अधीन, ... (निर्धारिती का नाम) के ____ के रूप में घोषणा करता/करती हूँ कि: -

- मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त कथन सही, पूर्ण और सत्य कथन है।
- मैंने धारा 263 के अधीन सुसंगत कर वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत कर दी है जिसमें ऐसी विनिर्दिष्ट आय सम्मिलित थी।
- मैंने किसी अन्य कर वर्ष में प्ररूप संख्या 102 में दावा की गई विनिर्दिष्ट आय पर स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा नहीं किया है और न ही भविष्य में इसका दावा करूंगा/करूंगी।

स्थान: ..... हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। अन्य किसी दशा में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में फ्लैट/मकान/ब्लॉक नंबर, परिसर का नाम, सड़क/गली/गली, क्षेत्र/इलाका, शहर/जिला, राज्य, पिन/ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।

3. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।

4. कुल आय/मानित कुल आय/हानि की रिपोर्ट/यथास्थिति नवीनतम सूचना/निर्धारण/पुन निर्धारण /सुधार/पुनर्गणना आदेश के अनुसार दी जाएगी।

5. एक से अधिक प्रविष्टियों के लिए, अलग-अलग पंक्तियाँ भरी जा सकती हैं।

6. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, भरी जाने वाली रकम ₹ में होगी।

प्ररूप संख्या 103

[नियम 179 देखें]

अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग का नोटिस

सेवा में,

_____ प्रास्थिति - (टिप्पण 2 *का संदर्भ लें*)

स्थायी खाता संख्या (पेन) - _____

1. आपको यह नोटिस दिया जाता है कि कर वर्ष _____ या ब्लॉक अवधि _____, यथास्थिति, के लिए आदेश में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, आपके द्वारा **₹_____** की राशि देय अवधारित की गई है।
2. इस रकम का भुगतान इस नोटिस की तामील (service) के 30 दिनों के भीतर या _____ तक किया जएगा, जिसमें उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए 30 दिनों से अनधिक की अवधि की अनुमति हेतु संयुक्त आयुक्त, आयकर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
3. यदि आप उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो आप अधिनियम की धारा 411(3) से 411(6) के अनुसार उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् शुरू होने वाली तारीख से प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
4. यदि आप उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो अधिनियम की धारा 412 के अनुसार आपको सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आप पर शास्ति (जो बकाया कर की रकम के बराबर होगा) अधिरोपित की जाएगी।
5. यदि आप उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो इसकी वसूली के लिए अधिनियम की धारा 413 से 417, 419 और 421 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. यदि आप निर्धारण (assessment) या जुर्माने या शास्ति के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आयकर (अपील) के संयुक्त आयुक्त या आयकर (अपील) के आयुक्त के समक्ष अधिनियम के अध्याय XVIII के भाग क.1 के तहत **प्रपत्र** संख्या 99 में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उस प्ररूप में यथानिर्धारित सम्यक रूप से सत्यापित होगी ।
7. यह राशि अधिनियम की धारा _____ के अधीन आयकर के संयुक्त आयुक्त या आयकर (अपील) के आयुक्त या मुख्य आयुक्त या आयकर के आयुक्त के आदेश के परिणामस्वरूप देय हुई है। यदि आप उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप उस आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण _____ के समक्ष उक्त अधिनियम के अध्याय XVIII के भाग क.2 के तहत **प्रपत्र** संख्या 115 में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उस प्रपत्र में यथानिर्धारित विधिवत मुद्रांकित (stamped) और सत्यापित होनी चाहिए।

स्थान: .....

तारीख:.....

निर्धारण अधिकारी

पता

टिप्पण:

1. अनुपयुक्त पैराग्राफ और शब्दों को हटा दें।
2. 'स्थिति' (Status) को निम्नवत भरें:
   (i) व्यक्ति (Individual)
   (ii) हिंदू अविभाजित परिवार
   (iii) कंपनी
   (iv) सीमित देयता भागीदारी
   (v) फर्म (Firm)
   (vi) व्यक्तियों का संघ, भले निगमित हो अथवा नहीं
   (vii) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं
   (viii) स्थानीय प्राधिकरण
   (ix) कृत्रिम विधिक व्यक्ति
   (x) सरकार
   (xi) न्यास
3. आप ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन करके डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं। यदि आप चेक द्वारा राशि का भुगतान करना चाहते हैं, तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किए गए चालान के साथ अधिकृत बैंक में चेक जमा करके कर सकते हैं।
4. यदि आप राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांग करना चाहते हैं या किश्तों में भुगतान करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो ऐसी समय वृद्धि के लिए आवेदन या किश्तों में भुगतान की अनुमति के लिए आवेदन, यथास्थिति, पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) को किया जाना चाहिए। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर अधिनियम की धारा 411(5) के विशिष्ट प्रावधानों के मद्देनजर विचार नहीं किया जाएगा।
5. **प्रपत्र** में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी (pre-filled) होगी।
6. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी राशियाँ ₹ में प्रदान की जानी हैं।

प्ररुप संख्या 104

[नियम 181(1) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रेशन या अस्थायी अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग क: आवेदक की विशिष्टियाँ			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
भाग ख: अन्य जानकारी			
I.	***बुनियादी ब्यौरे***		
6.	आवेदन के लिए (टिप्पण 3 **का संदर्भ लें**):		*(धारा कोड चुनें)*
7.	क्या गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं (टिप्पण 4 का संदर्भ लें):		हां/नहीं
8.	क्या न्यास अपरिवर्तनीय है (न्यास विलेख के अनुसार) (टिप्पण 5 का संदर्भ लें):		हां/नहीं
9.	क्या आवेदक द्वारा अतीत में रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए किया गया कोई आवेदन अस्वीकृत किया गया है?		हां/नहीं
10.	क्या आवेदक ने किसी भी कर वर्ष में कुल आय के 5% से अधिक धार्मिक प्रकृति का व्यय किया है?		हां/नहीं
II.	***निगमन/ गठन के ब्यौरे***		
11।	आवेदक का स्वरूप		*(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)*

<table>
<tr><td>12.</td><td colspan="5">गतिविधियों की प्रकृति (टिप्पण 7 का संदर्भ लें) (एक विकल्प चुनें)</td><td>(i) पूर्त
(ii) सार्वजनिक धार्मिक
(iii) सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त</td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="5">क्या आवेदक का गठन किसी दस्तावेज के अधीन किया गया है?(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="3">14.</td><td colspan="6">यदि क्रमांक 13 का उत्तर 'हाँ' है, तो गठन का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रदान करें।(टिप्पण 8 का संदर्भ लें):</td></tr>
<tr><td colspan="2">गठन की तारीख</td><td colspan="2">अद्वितीय संख्या</td><td colspan="2">प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विशिष्ट संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="5">आवेदक के उद्देश्य टिप्पण 9 का संदर्भ लें):</td><td>(एक या अधिक चुनें)</td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="5">क्र.स. 15 में यदि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति का चयन किया गया है, तो पूर्त प्रयोजन स्पष्ट करें:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">III. मान्यता (रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन या अधिसूचना) ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="5">क्या इसे आयकर अधिनियम, 1961, 1961 का 43 या आयकर अधिनियम, 2025 का 30 के सिवाय किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त है?</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="3">18.</td><td colspan="6">यदि क्रमांक 17 में उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे विधि के अधीन मान्यता का ब्यौरा (टिप्पण 10 का संदर्भ लें):</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>संबंधित विधि/पोर्टल</td><td>मान्यता की तारीख</td><td>मान्यता प्रभावी होने की तारीख</td><td>विशिष्ट पहचान संख्या</td><td>मान्यता देने वाला प्राधिकरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*				

IV. पदाधिकारियों का ब्यौरा

19. आवेदन की तारीख तक सभी लेखक/संस्थापक/नियोजक/न्यासी/सोसायटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक/5% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक/पदाधिकारी के ब्यौरे:

क्रम संख्या	नाम	आवेदक के साथ संबंध (टिप्पण 11 का संदर्भ लें)	अद्वितीय पहचान संख्या*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	आईडी कोड*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज
1.							
2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*						

20. यदि क्रमांक 19 में यथा उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो आवेदन की तारीख पर ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्तियों का निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें:

क्रम संख्या	क्र.स. 19 में उल्लिखित व्यक्ति जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, उसका नाम	वास्तविक फायदा ग्राही स्वामी का नाम	विशिष्ट पहचान संख्या*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	आईडी कोड*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	पता	फायदा ग्राही स्वामित्व का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
1.						

	2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*					

V.	***विवरणी के ब्यौरे***	
21.	क्या पिछले कर वर्ष के लिए आय विवरण दाखिल किया गया है जिसकी नियत तारीख समाप्त हो चुकी है?	हां/नहीं
VI.	***संलग्नक***	
22.	अन्य अलग से संलग्न किए जाने वाले ब्यौरे	*(टिप्पण 13 के अनुसार संलग्न करें)*

वचनबद्ध

मैं _____, पैन _____ धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह प्ररुप दाखिल कर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररुप को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सम्यक रुप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि प्ररुप में दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। आवेदक (मेरे माध्यम से) यह वचन देता/देती है कि गैर-लाभकारी संगठन (न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी) की शर्तों में या संस्था को संचालित करने वाले नियमों में भविष्य में कभी भी किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना आयकर विभाग के संबंधित प्राधिकारी को तत्काल दी जाएगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं अनंतिम रजिस्ट्रेशन या अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ और _____ (आवेदक का नाम) जिसका पैन _____ है, की गतिविधियाँ इस आवेदन की तारीख को या उससे पहले प्रारंभ नहीं हुई हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाएगा, जो कि एक गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगी।

2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।

3. भाग ख (क्रम संख्या 6) में,—

(a) "*सेक्शन कोड" के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करें: —*

क्रम सं.	*धारा जिसके अधीन किया गया*	*विशिष्टियाँ*	*सेक्शन कोड*
(i)	*धारा* 332(3) (*सारणी: क्रमांक* 1)	*अनंतिम रजिस्ट्रेशन जहां गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं*	01
(II)	*धारा* 354(2) (*सारणी: क्रमांक* 1)	*अनंतिम अनुमोदन जहां धारा* 133(1)(*ख)* (ii) *के प्रयोजनों के लिए गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं।*	02
(III)	*दोनों* (I) *और* (II)		03

(b) यदि भाग ख (क्रम संख्या 8) में 'हाँ' चुना जाता है, तो धारा 354(2) [सारणी: क्रम संख्या 1] के अधीन आवेदन की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, कोड 02 निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

4. भाग ख (क्रम संख्या 7) में, यदि आवेदन की तारीख तक गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं, तो यह प्ररुप लागू नहीं होगा। ऐसी दशा में, प्ररुप संख्या 105 भरना अपेक्षित है।

5. यदि भाग ख (क्रम संख्या 8) में कोई चयन नहीं किया जाता है, तो धारा 332(2)(ख) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

6. भाग ख (क्रम संख्या 11) में, —

(क)"आवेदक का प्रकार" के लिए, निम्नलिखित में से कोई भी कोड चुनें: —

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टियाँ	कोड
1.	332(1)(क)	सार्वजनिक न्यास	01
2.	332(1)(ख)	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत में लागू किसी भी विधि के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	02
3.	332(1)(ग)	कंपनी अधिनियम, 2013 का 18 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465(2)(झ) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत माना जाता है।	03
4.	332(1)(घ)	कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान	04
5.	332(1)(ड.)	सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्था	05
6.	332(1)(च)	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 27 से 29 और 36] और अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 10 से 19 और 42] में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति।	06
7.	332(1)(झ)	धारा 332(1)(झ) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई भी व्यक्ति	07
8.	354(ज)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या अनुसूची 7[सारणी: क्रमांक 1] में उल्लिखित व्यक्ति, अर्थात् संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित कोई रेजिमेंटल फंड या गैर-सार्वजनिक निधि।	08

(ख)यदि टिप्पण 6(क) में कोड 06 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: —

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	विशिष्टियाँ	कोड
1.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 27 से 29]	निर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि	09
2.	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 36] या अनुसूची7 [सारणी: क्रमांक 42]	विनिर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग	10
3.	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 10 से 16]	विनिर्दिष्ट निधि या संस्था या कोष	11
4.	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 17 से 19]	विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्थान	12

(ग)यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 09 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: —

क्रम सं.	अनुसूची 3 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	विशिष्टियाँ	कोड
1.	27	भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित कोई भी निवेशक संरक्षण निधि	13
2.	28	भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया गया कोई भी निवेशक संरक्षण निधि	14

3.	29	किसी डिपॉजिटरी द्वारा नियमों के अनुसार स्थापित किया गया कोई भी निवेशक संरक्षण निधि।	15

(घ)यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 10 का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	वर्ग	कोड
1.	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 36]	अनुसूची VII के अंतर्गत आने वाले निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, न्यासों या आयोगों (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) या उनके किसी वर्ग के अलावा अन्य निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग (तालिका: क्रमांक 42)	16
2.	अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 42]	कोई भी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग, जो कंपनी न हो, जिसकी स्थापना या गठन किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किया गया हो, — (क) आवास की आवश्यकता से निपटना और उसे पूरा करना; (ख) शहरों, कस्बों और गांवों की योजना बनाना, विकास करना या उनमें सुधार करना; (ग) सामान्य जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि को विनियमित करना, या विनियमित करना और विकसित करना; या (घ) आम जनता के हित में, उस उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को विनियमित करना जिसके लिए इसे बनाया गया है।	17

(ड.)यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 11 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	अनुसूची 7 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	10	प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि(पीएम केयर्स फंड)।	18
2.	11	प्रधानमंत्री निधि (लोक कला संवर्धन)।	19
3.	12	प्रधानमंत्री का छात्र सहायता निधि।	20
4.	13	राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन	21
5.	14	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत निधि	22
6.	15	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि	23
7.	16	धारा 133(1)(क)(xv) में निर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष।	24

(च)यदि टिप्पण 6(ख) में कोड 12 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: —

क्रम संख्या	अनुसूची 7 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	17	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो पूर्णतः या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषित हो।	25
2.	18	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसका पूर्ण या पर्याप्त वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता हो।	26
3.	19(क)	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान ऐसी संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं है	27
4.	19(ख)	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय ₹ 5 करोड़ से अधिक न हो	28

7. भाग ख (क्रम संख्या 12) में, यदि भाग ख (क्रम संख्या 6) में कोड 02 का चयन किया गया है, तो "सार्वजनिक धार्मिक" विकल्प लागू नहीं होगा।

8. भाग ख में (क्रम संख्या 13 और 14), —

(क) "गठन" का अर्थ है निगमन, सृजन या रजिस्ट्रेशन उस विधि के अंतर्गत जिसके अधीन आवेदक का गठन किया गया है, जैसे कि कंपनी अधिनियम,2013 (2013 का 18), सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 3)

(ख) "विशिष्ट संख्या" से तात्पर्य संबंधित विधि (जैसा कि (क) में संदर्भित है) के अधीन रजिस्टेशन संख्या से है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 का 18 के अधीन कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)।

9. भाग ख (क्रम संख्या 15) में, यदि भाग ख (क्रम संख्या 12) में "पूर्त" या "सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त" का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों का चयन करें: —

(I)	गरीबों को राहत
(II)	शिक्षा
(III)	चिकित्सा राहत
(IV)	योग
(V)	पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं)
(VI)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
(VII)	जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

10. भाग ख (क्रम संख्या 18) में, निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हीं एक या अधिक का चयन करें: —

(I)	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 42) के अंतर्गत पंजीकरण
(II)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (1992 का 15) के अंतर्गत पंजीकरण

(III)	नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण
(IV)	किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त होने पर, स्पष्ट करें

11. भाग ख (क्रम संख्या 19 (स्तंभ ग)) में, "आवेदक के साथ संबंध" स्तंभ में, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें: —

(I)	लेखक
(II)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(III)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(IV)	मुख्य वितीय अधिकारी
(V)	निदेशक
(VI)	संस्थापक
(VII)	प्रबंधक
(VIII)	प्रबंध निदेशक
(IX)	सोसाइटी के सदस्य
(X)	शासी परिषद के सदस्य
(XI)	पदाधिकारी
(XII)	सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति
(XIII)	प्रधान अधिकारी
(XIV)	प्रमुख सचिव
(XV)	आकलन प्रतिनिधि
(XVI)	सचिव
(XVII)	सेटलर
(XVIII)	जिन शेयरधारकों के पास 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है

(XIX)	न्यासी
(XX)	कोई अन्य प्रधान अधिकारी, स्पष्ट करें

12. भाग ख में (क्रम संख्या 19 (स्तंभ घ और ड.) और 20 (स्तंभ घ और ड.)),"विशिष्ट पहचान संख्या" का अर्थ है, —

(क)जहां पैन उपलब्ध है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(ख)यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पासपोर्ट संख्या	2
मतदाता की फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

13. भाग ख (क्रम संख्या 22) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

	विशिष्टियाँ
क-1	न्यास अभिलेख की स्व-प्रमाणित प्रति।
क -2	जहां आवेदक किसी दस्तावेज के अधीन बनाया गया हो या स्थापित किया गया हो, वहां उस दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-3	जहां आवेदक का सृजन या स्थापना किसी अन्य दस्तावेज के अधीन नहीं की गई है, वहां आवेदक के सृजन या स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
क-4	कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसायटी रजिस्ट्रार या पब्लिक न्यास रजिस्ट्रार के पास **यथास्थिति** रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति

क-5	यदि आवेदक विदेशी अभिदाय(विनियमन) अधिनियम, 2010 का 42 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो उसके अधीन रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति।
क -6	रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन प्रदान करने के आवेदन की अस्वीकृति या रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन को रद्द करने के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, यथास्थिति निम्नलिखित के अंतर्गत प्रस्तुत की जाएगी। (i) आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निर्सन से पूर्व, यथा विद्यमान) की धारा 10(23)(iv) या (v) या (vi) या (vi क) या धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 80छ; (ii) आयकर अधिनियम, 2025 का 30 की धारा 332(7); या (iii) आयकर अधिनियम, 2025 का 30 की धारा 354(3)।
क-7	यदि भाग ख (क्रम संख्या 21) में 'नहीं' चुना गया है और आवेदक रजिस्ट्रेशन आवेदन वाले कर वर्ष से पहले के किसी भी कर वर्ष या वर्षों में अस्तित्व में रहा है, तो आवेदक के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। (यदि पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए आवेदक के कोई लेखापरीक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए अलग से स्व-प्रमाणित शून्य (NIL) घोषणा संलग्न करें)।
क-8	आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों पर विस्तृत **टिप्पण।**

14. प्ररुप में कतिपय जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 105

[नियम 181(1) देखें]

धारा 332 के अधीन गैर-लाभकारी संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन या धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन कटौती के लिक अनुमोदन

<table>
<tr><td colspan="5">भाग क: आवेदक का विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td colspan="5">VII. सामान्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">क्या न्यास अपरिवर्तनीय है (न्यास विलेख के अनुसार) (टिप्पण 3 का संदर्भ लें):</td><td>हां नहीं</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">क्या आवेदक द्वारा अतीत में रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिक किया गया कोई आवेदन अस्वीकृत किया गया है?</td><td>हां नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="5">VIII. आवेदन ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क.</td><td colspan="2">धारा 332 के अधीन आवेदन का प्रकार (कक विकल्प चुनें):</td><td>(i) पुनः आवेदन</td></tr>
</table>

			(ii) आवेदन विलंब के साथ (iii) बिना विलंब आवेदन करें
	ख.	(क) के अनुसार "विलंबित आवेदन" के मामले में, क्या आयकर के प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा विलंब के लिक क्षमा का आदेश पहले ही पारित किया गया है?	हां नहीं
	ग.	यदि (ख) का उत्तर हां है, तो विलंब के लिक क्षमा करने वाले ऐसे आदेश की तारीख:	
	घ.	(ग) में संदर्भित आदेश का संदर्भ क्रमांक:	
	ङ.	इस धारा के अधीन आवेदन:	(i) 332 (ii) 354 (iii) दोनों
	च.	धारा कोड (टिप्पण 4(च) देखें):	
	छ.	अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदन:	5 वर्ष / 10 वर्ष
9.	यदि क्रमांक 8(क) के अनुसार "पुनः आवेदन" है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:		
	क.	मूल प्ररूप संख्या 105 की आवेदन संदर्भ संख्या (ARN)।105:	
	ख.	प्ररूप संख्या 107 में पूर्व आदेश पारित करने की तारीख:	
	ग.	क्या यह प्ररूप उस माह के अंत से कक माह के भीतर दाखिल किया जा रहा है जिसमें (ख) में उल्लिखित आदेश पारित किया गया है:	हां नहीं
	घ.	क्या आवेदक ने (ख) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध किसी अपीलीय मंच के समक्ष अपील की थी?	हां नहीं

	ङ.	यदि (घ) में उत्तर हां है, तो क्या इस आवेदन को दाखिल करने की तारीख तक अपील वापस ले ली गई है?	हां नहीं
IX. निगमन/गठन के ब्यौरे			
10.	आवेदक का स्वरूप:		*(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*
11	गतिविधियों की प्रकृति (टिप्पण 6 का संदर्भ लें):		(iv) पूर्त (v) सार्वजनिक धार्मिक (vi) सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त
12.	क्या आवेदक का गठन किसी दस्तावेज के अधीन किया गया है:		हां नहीं
13.	यदि क्रमांक 7 में उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नानुसार गठन का ब्यौरे प्रदान करें (टिप्पण 7 का संदर्भ लें):		
	गठन की तारीख	विशिष्टि संख्या	विशिष्ट संख्या प्रदान करने वाला प्राधिकरण
14.	आवेदक के प्रयोजन (टिप्पण 8 का संदर्भ लें):		*(कक या अधिक चुनें)*
15.	क्रमांक 14 में यदि जनहित के किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति का चयन किया गया है, तो पूर्त प्रयोजन स्पष्ट करें:		

<table>
<tr><td colspan="8">X. मान्यता (रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन या अधिसूचना) ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="6">क्या इसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन पूर्व विद्यमान या आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन मान्यता प्राप्त है:</td><td>हां नहीं</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="7">यदि क्रमांक 16 में उत्तर हाँ है, तो उसका ब्यौरे इस प्रकार है:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">सुसंगतअधिनियम</td><td>अधिनियम का उपबंध (जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त है)</td><td>मान्यता की तारीख</td><td>यदि उपलब्ध हो तो विशिष्ट पहचान संख्या</td><td>मान्यता प्रदान करने वाला प्राधिकरण</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">आयकर अधिनियम, 1961 1961 (1961 का 43) निरसन पूर्व विद्यमान / आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)</td><td>(टिप्पण 9 का संदर्भ लें)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="6">क्या इसे आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 2025 के सिवाय किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त है?</td><td>हां नहीं</td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="7">यदि क्रमांक 18 में उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसी विधि के अधीन मान्यता का ब्यौरे (टिप्पण 10 का संदर्भ लें):</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रम संख्या</td><td>संबंधित विधि/पोर्टल</td><td>मान्यता की तारीख</td><td>मान्यता प्रभावी होने की तारीख</td><td>विशिष्ट पहचान संख्या</td><td>मान्यता देने वाला प्राधिकरण</td></tr>
</table>

	1.					
	2.	*(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)*				

XI. पदाधिकारियों का ब्यौरे

20. आवेदन की तारीख तक सभी लेखक/संस्थापक/नियोजक/ट्रस्टी/सोसायटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक/5% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक/पदाधिकारी के ब्यौरे:

क्र. सं.	नाम	आवेदक के साथ संबंध (टिप्पण 11 का संदर्भ लें)	यदि आप शेयरधारक हैं तो शेयरधारिता का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	आईडी कोड*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	पता	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
1.								
2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*							

21. यदि क्रमांक 20 में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो आवेदन की तारीख पर ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्तियों का निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:

क्रम सं.	क्रमांक 20 में उल्लिखित व्यक्ति जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, उसका नाम	वास्तविक स्वामी का नाम	विशिष्ट पहचान संख्या*(टिप्पण*	आईडी कोड*(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	पता	फारादाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत

				12 का संदर्भ लें*)*			
	A	B	C	D	E	F	G
	1.						
	2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*					

XII. संचालन ब्यौरे

22. संस्थानों का ब्यौरे:

संस्था का नाम	गतिविधि की प्रकृति (टिप्पण 13 का संदर्भ लें)	गतिविधि की श्रेणी (टिप्पण 13 देखें)	पता	क्या यह आवेदक के स्वामित्व में है (हाँ/नहीं)	प्रभारी व्यक्ति		
					नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी

23. आवेदन के समय आवेदक द्वारा किसी वित्तीय संस्था में रखे गक सभी खातों के ब्यौरे (टिप्पण 14 का संदर्भ लें):

क्रम सं.	वित्तीय संस्था का नाम	वित्तीय संस्था का आईकफकस	खाता संख्या

24. आवेदक के स्वामित्व वाली सभी भूमि या भवन या दोनों का ब्यौरे:

भूमि या भवन का पता	भूमि या भवन का आकार (वर्ग मीटर में)	खरीद मूल्य का भुगतान किया जा चुका है/देय है	अधिग्रहण के समय स्टाम्प का मूल्य	प्राप्ति का तरीका (अर्जित/उपहारित)	अधिग्रहण की तारीख

25.	"सामान्य/सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति" के मामले में, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले कर वर्ष के संबंध में जिसमें आवेदन किया गया है:					
	क.	चाहे वह किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहा हो:				हां नहीं
	ख.	क्या यह गतिविधि किसी अन्य सामान्य/सार्वजनिक हित के प्रयोजन की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान की जाती है:				हां नहीं
	ग.	इस प्रकार की गतिविधि से प्राप्तियों का ब्यौरे:				
	घ.	क्रम संख्या	कुल प्राप्तियाँ	ऊपर विनिर्दिष्ट गतिविधि(यों) से प्राप्त कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत	यदि कोई टिप्पण हो
	ङ	क्या इस प्रकार की गतिविधि के लिक अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाता है?				हां नहीं
XIII. आस्ति और देयता						
26.	क्या पिछले कर वर्ष के लिक आय ब्यौरे दाखिल किया गया है जिसकी नियत तारीख समाप्त हो चुकी है?					हां नहीं
27.	क्रमांक 21 में जहां उत्तर 'नहीं' है, वहां आस्तियों और दायित्वों का ब्यौरे भरें:					(मात्रा)
	क.	समग्र:				
	ख.	मूलधन के अतिरिक्त निधि/भंडार और अधिशेष:				
	ग.	दीर्घकालिक दायित्व:				
	घ.	अन्य दायित्व:				
	ङ.	कुल दायित्व:				

	च.	भूमि और भवन:	
	छ.	अन्य अचल आस्तियां	
	ज.	धारा 350 में विनिर्दिष्ट कक या अधिक रूपों या तरीकों से किक गक विनिधान/जमा:	
	झ.	(छ) में उल्लिखित विनिधान/जमाओं के सिवाय अन्य विनिधान/जमा:	
	ञ.	अन्य आस्तियां:	
	ट.	कुल संपत्ति:	

XIV. आय ब्यौरे

28. वर्तमान कर वर्ष से पहले के दो कर वर्षों के दौरान, जिसमें यह आवेदन किया गया है, आवेदक की कुल आय (अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों को ध्यान में रखे बिना):

कर वर्ष	परिमाण
वर्ष 1	
वर्ष 2	

29. जिस कर वर्ष में आवेदन किया जा रहा है, उससे ठीक पहले के तीन कर वर्षों में प्राप्त आय:

कर वर्ष	नियमित आय	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	अन्य विशिष्ट अनुदान	सम्मग दान	कुल आय
वर्ष 1						
वर्ष 2						
वर्ष 3						

XV. धार्मिक गतिविधियाँ

30.	क्या गैर-लाभकारी संगठन या निधि ने धार्मिक प्रकृति का कोई व्यय किया है (टिप्पण 15 का संदर्भ लें):	हां नहीं

31. यदि क्रमांक 30 में उत्तर 'हाँ' है, तो आवेदन किक जाने वाले कर वर्ष से ठीक पहले के तीन कर वर्षों के लिक निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:

कर वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय का प्रतिशत
वर्ष 1			
वर्ष 2			
वर्ष 3			

XVI. संलग्नक

32.	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किक जाने हैं:	*(टिप्पण 16 के अनुसार संलग्न करें)*

वचनबंध

मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में यह प्ररूप भर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को भरने और सत्यापित करने के लिक सम्यक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिक गक ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

आवेदक (मेरे माध्यम से) यह वचन देता है कि भविष्य में न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी की शर्तों या संस्था के संचालन नियमों में किक गक किसी भी परिवर्तन की सूचना मैं अवश्य दूंगा/दूंगी। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि मैं इस प्ररूप को भरने और सत्यापित करने के लिक सक्षम हूं।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं धारा कोड 1, 2 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिक आवेदन कर रहा हूँ और मैंने _____(दिन/माह/वर्ष) से गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। साथ ही, _____ (आवेदक का नाम), जिसका पैन _____ है, इस आवेदन की तारीख से पहले आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन से पूर्व यथाविद्यमाल की धारा 12क/12कक/12कख/10(23ग) या आयकर अधिनियम 2025 (2025 का 30) की धारा 332 के अधीन कभी रजिस्ट्रीकृत नहीं रहा है। (यह केवल भाग ख(क्रम संख्या 8(च)) में धारा कोड 1, 2 के लिक लागू है।)
स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: नाम: पद का नाम:

टिप्पण:

15.नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाकगा, जो कि कक गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगी।

16.पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाकगा ।

17.यदि भाग ब (क्रम संख्या 6) में नहीं चुना जाता है, तो धारा 332(2)(ब) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन के लिक आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

18.भाग ब (क्रम संख्या 8) में,–

(क) "आवेदन का प्रकार" के लिक चुनें: –

a. "पुनः आवेदन", जहाँ नियम 181(12) के उपबंधों के अनुसार आवेदन किया जाता है;

b. "विलंब के साथ आवेदन" जहां आवेदन धारा 332(3) के अधीन अनुमत समय से परे किया जाता है, या धारा 332(4) के उपबंधों के अनुसार; के उपबंधों के अनुसार किया जाता है;

c. अन्य मामलों में "बिना विलंब के आवेदन करें";

(ख) जहां आवेदक भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन करता है, आवेदक को यह उल्लेख करना होगा कि क्या पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा विलंब की माफी का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है।

(ग) यदि विलंब के लिए क्षमा के लिक आदेश, जैसा कि भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में संदर्भित है, पहले ही पारित किया जा चुका है, तो आवेदक भाग ब (क्रम संख्या 8(ग)) में ऐसे आदेश की तारीख का उल्लेख करेगा।

(घ) यदि विलंब की क्षमा के लिक आदेश, जैसा कि भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में संदर्भित है, पहले ही पारित किया जा चुका है, तो आवेदक भाग ब (क्रम संख्या 8(घ)) में ऐसे आदेश की संदर्भ संख्या का उल्लेख करेगा।

(ङ) आवेदक को यह उल्लेख करना चाहिक कि वह धारा 332 या धारा 354 या दोनों के उपबंधों के अनुसार आवेदन कर रहा है।

(च) "*सेक्शन कोड" के लिक, चुनना*: -

1. प्रत्येक श्रेणी से कक, यदि दोनों का चयन भाग ब (क्रम संख्या 8(ङ)) में किया गया हो;
2. केवल श्रेणी-I से, यदि भाग ख (क्रम संख्या 8(ङ)) में धारा 332 का चयन किया गया हो;
3. केवल श्रेणी-II से, यदि भाग ब (क्रम संख्या 8(ङ)) में धारा 354 का चयन किया गया हो।

श्रेणी-I				
क्रम संख्या	धारा	मामला	क्या आवेदन विलंब सहित/बिना विलंब के/विलंब के लिए क्षमा के साथ किया गया था?	धारा कोड
1.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 2)	जहां आवेदक की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आवेदन करने से पहले किसी भी समय किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अधीन रजिस्ट्रकृत नहीं हुई हैं। [केवल कोड 02 ही लागू होता है जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]	पहली बार आवेदन	01
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	02
2.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 3)	जहां आवेदक को अनंतिम रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है और गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। [केवल कोड 04 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	03
			विलंब के लिए आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	04
			विलंब के साथ आवेदन, जहां विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया हो इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन	05
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	06

		[केवल कोड 05 ही लागू होगा जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 06 ही लागू होता है जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]		
3.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 4)	जहां आवेदक का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने वाला है और गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं। [केवल कोड 08 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 09 ही लागू होगा जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	07
			विलंब के लिक आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	08
			विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	09
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	10

		[केवल कोड 10 ही लागू होता है जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]		
4.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 5)	जहां आवेदक का रजिस्ट्रेशन समाप्त होने वाला है, धारा 332(3) में उल्लिखित मामलों के सिवाय (सारणी: क्रमांक 4) [केवल कोड 12 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 13 ही लागू होगा जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 14 ही लागू होता है जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	11
			विलंब के लिक आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	12
			विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	13
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	14

5.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 6)	जहां धारा 333 के अधीन शासन परिवर्तन के कारण आवेदक का रजिस्ट्रेशन निष्क्रिय हो गया है। [केवल कोड 16 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 17 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 18 लागू होता है जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]	बिना विलंब किए आवेदन करें	15
			विलंब के लिक आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	16
			विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	17
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	18
6.	धारा 332(3) (सारणी: क्रमांक 7)	जहां आवेदक, एक रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन होते हुए, अपने उद्देश्यों को अंगीकृत करते है या उनमें संशोधन कर चुका है।	बिना विलंब किए आवेदन करें	19
			विलंब के लिक आवेदन में विलंब होने पर भी विलंब की स्थिति में ...	20

		[केवल कोड 20 ही लागू होता है जहाँ भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) में "हाँ" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 21 ही लागू होता है जहाँ भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "विलंब सहित आवेदन" का चयन किया गया हो और भाग ख (क्रम संख्या 8(ख)) में "नहीं" का चयन किया गया हो] [केवल कोड 22 ही लागू होता है जहां भाग ख (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया हो]	विलंब सहित आवेदन, जहां इस आवेदन के साथ धारा 332(4) के अधीन विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है	21
			नियम 181(12) के अनुसार पुनः आवेदन	22

वर्ग II			
क्रम संख्या	धारा	मामला	कोड
1.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 2]	जहां आवेदक की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।	23
2.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 3]	जहां आवेदक को अस्थायी मंजूरी मिल चुकी है और गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।	24

3.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 4]	जहां आवेदक की अस्थायी मंजूरी की अवधि समाप्त होने वाली है और गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं।	25
4.	धारा 354(2) [सारणी: क्रमांक 5]	जहां किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की मंजूरी की अवधि समाप्त होने वाली हो।	26

19.भाग ख (क्रम संख्या 10) में, –

(क) "आवेदक का प्रकार" के लिक, निम्नलिखित में से कोई भी कोड चुनें: –

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टियां	कोड
1.	332(1)(क)	व्यक्तियों का न्यास	01
2.	332(1)(ख)	सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत में लागू किसी भी विधि के अधीन पंजीकृत सोसायटी	02
3.	332(1)(ग)	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन पंजीकृत कंपनियां और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465(2)(छ) के अनुसरण में पंजीकृत माना जाता है।	03

4.	332(1)(घ)	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान	04
5.	332(1)(ङ)	सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्था	05
6.	332(1)(च)	अनुसूची 3 [सारणी: क्रमांक 27 से 29 और 36] और अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 10 से 19 और 42] में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति।	06
7.	332(1)(छ)	धारा 332(1)(छ) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई भी व्यक्ति	07
8.	354(ज)	रजिस्टर्ड गैर-लाभकारी संगठन या अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 1] में उल्लिखित व्यक्ति, अर्थात् संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित कोई रेजिमेंटल निधि या गैर-सार्वजनिक निधि।	08

(ख) यदि टिप्पण 5(क) में कोड 06 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: –

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	विशिष्टियां	कोड
1.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 27 से 29]	विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ता संरक्षण कोष	09
2.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 36] या	विनिर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग	10

	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 42]		
3.	अनुसूची 7[सारणी: क्रमांक 10 से 16]	विनिर्दिष्ट निधि या संस्था या कोष	11
4.	अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 17 से 19]	विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्थान	12

(ग) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 09 चुना गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चुनें: –

क्रम संख्या	अनुसूची 3 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	ब्यौरे	कोड
1.	27	भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक कक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित कोई भी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि	13
2.	28	भारत में कमोडिटी कक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया गया कोई भी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि	14
3.	29	किसी डिपॉजिटरी द्वारा नियमों के अनुसार स्थापित किया गया कोई भी निवेशक संरक्षण कोष।	15

(घ) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 10 का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: –

क्रम संख्या	संदर्भ अनुसूची	वर्ग	कोड
1.	अनुसूची 3[सारणी: क्रमांक 36]	अनुसूची 7 के अंतर्गत आने वाले निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, न्यासों या आयोगों (उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाएगा) या उनके किसी वर्ग के सिवाय अन्य निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग (सारणी: क्रमांक 42)	16
2.	अनुसूची 7 [सारणी: क्रमांक 42]	कोई भी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग, जो कंपनी न हो, जिसकी स्थापना या गठन किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कक या अधिक प्रयोजनों के लिक किया गया हो, – (क) आवास की आवश्यकता से निपटना और उसे पूरा करना; (ख) शहरों, कस्बों और गांवों की योजना बनाना, विकास करना या उनमें सुधार करना; (ग) साधारण जनता के फायदे के लिए किसी गतिविधि को विनियमित करना, या विनियमित और विकसित करना; या	17

		(घ) साधारण जनता के हित में, उस प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को विनियमित करना जिसके लिए इसे बनाया गया है।	

(ङ)यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 11 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: –

क्रम संख्या	अनुसूची VII में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	10	प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता कवं आपातकालीन राहत कोष (पीकम केयर्स फंड)।	18
2.	11	प्रधानमंत्री निधि (लोक कला संवर्धन)।	19
3.	12	प्रधानमंत्री का छात्र सहायता कोष।	20
4.	13	राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन	21
5.	14	केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष	22
6.	15	केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष	23
7.	16	धारा 133(1)(क)(15) में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष।	24

(च) यदि टिप्पण 5(ख) में कोड 12 का चयन किया जाता है, तो निम्नलिखित कोडों में से चयन करें: –

क्रम संख्या	अनुसूची 7 में सारणी का संदर्भ क्रमांक	वर्ग	कोड
1.	17	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो पूर्णतः या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषित हो।	25
2.	18	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसका पूर्ण या पर्याप्त वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता हो।	26
3.	19(क)	कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान ऐसी संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय 5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है	27
4.	19(ख)	कोई भी अस्पताल या अन्य संस्था जिसकी कुल वार्षिक आय 5 करोड़ रूपए से अधिक न हो	28

20.भाग ख (क्रम संख्या 11) में, यदि आवेदक भाग ख (क्रम संख्या 8(च)) में 26 से 29 तक कोई कोड चुनता है, तो विकल्प "सार्वजनिक धार्मिक" लागू नहीं होगा।

21.भाग ख (क्रम संख्या 13) में, –

(क) "गठन" का अर्थ है निगमन, सृजन या रजिस्ट्रेशन उस विधि के अधीन जिसके अधीन आवेदक का गठन किया गया है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2);

(ख) "विशिष्ट संख्या" से तात्पर्य संबंधित विधि (जैसा कि (क) में संदर्भित है) के अधीन रजिस्ट्रेशन संख्या से है, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन सीआईकन।

22.भाग ख (क्रम संख्या 14) में, यदि "पूर्त" या "सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त" का चयन किया गया है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं कक या अधिक उद्देश्यों का चयन करें: –

(I)	गरीबों को राहत
(II)	शिक्षा
(III)	चिकित्सा राहत
(IV)	योग
(V)	पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव सम्मिलित हैं)
(VI)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
(VII)	लोक उपयोगिता के किसी अन्य प्रयोजन की उन्नति

23.भाग ख (क्रम संख्या 17) में निम्नलिखित में से चयन कीजिक: –

(a) आयकर अधिनियम, 1961: –

क्रम संख्या	उपबंध
1.	धारा 12कख(1)(क)
2.	धारा 12 कख (1)(ख)
3.	धारा 12 कख (1)(ग)

4.	धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (i)
5.	धारा 10(23 ग) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)
6.	धारा 10(23 ग) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)
7.	धारा 35(1)(ii)
8.	धारा 35(1)(ii)
9.	धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii)
10.	धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (i)
11।	धारा 80 छ जी की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (ii)
12.	धारा 80 छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (iii)
13.	धारा 10(46) के अधीन अधिसूचना
14.	धारा 10(46क) के अधीन अधिसूचना
15.	कोई अन्य, स्पष्ट करें

(क) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30): –

क्रम संख्या	उपबंध	कोड
1.	धारा 332(7)(क)	1
2.	धारा 332(8)	2
3.	धारा 45(3)(क)(झ)	3
4.	धारा 45(3)(क)(ii)	4
5.	धारा 45(3)(ख)	5

6.	धारा 354(3)	6
7.	धारा 354(4)	7
8.	अनुसूची III (सारणी: क्रमांक 36)	8
9.	अनुसूची VII (सारणी: क्रमांक 42)	9
10.	कोई अन्य, स्पष्ट करें	10

24.भाग ख (क्रम संख्या 19) में, निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हीं एक या अधिक का चयन कीजिक: –

(मैं)	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन
(II)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन
(III)	नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
(IV)	किसी अन्य विधि के अधीन मान्यता प्राप्त होने पर, स्पष्ट करें

25.भाग ख (क्रम संख्या 20 (स्तंभ ग)) में, "आवेदक के साथ संबंध" स्तंभ में, निम्नलिखित में से कक या अधिक का चयन करें: –

(I)	लेखक
(II)	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(III)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(IV)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
(V)	निदेशक
(VI)	संस्थापक

(VII)	प्रबंधक
(VIII)	प्रबंध निदेशक
(IX)	सोसायटी के सदस्य
(X)	शासी परिषद के सदस्य
(XI)	पदधारक
(XII)	सत्यापन करने के लिक सक्षम व्यक्ति
(XIII)	प्रधान अधिकारी
(XIV)	प्रमुख सचिव
(XV)	आकलन प्रतिनिधि
(XVI)	सचिव
(XVII)	सेटलकर्ता
(XVIII)	जिन शेयरधारकों के पास 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है
(XIX)	न्यासी
(XX)	कोई अन्य प्रधान अधिकारी, स्पष्ट करें

26.भाग ख में (क्रम संख्या 20 (स्तंभ ङ और च) और 21 (स्तंभ घ और ङ)),"विशिष्ट पहचान संख्या" का अर्थ है, –

(a) जहां पैन उपलब्ध है: –

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(b) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: –

पहचान का प्रकार	आईडी कोड

पासपोर्ट संख्या	2
निर्वाचक का फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

27.भाग ख (क्रम संख्या 22) में, –

(a) आवेदक द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाली संस्थाओं का ब्यौरे प्रदान किया जाकगा;

(b) आवेदक द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाली संस्थाओं के ब्यौरे के "गतिविधि की प्रकृति" के लिक निम्नलिखित में से किसी कक का चयन करें: –

(I)	विद्यालय
(II)	कॉलेज
(III)	विश्वविद्यालय
(IV)	अस्पताल
(V)	योग संस्थान
(VI)	धार्मिक स्थल
(VII)	किसी अन्य संस्था को स्पष्ट करें

(c) "गतिविधि की श्रेणी" स्तंभ में, निम्नलिखित में से कक का चयन करें: –

(I)	पूर्त
(II)	धार्मिक
(III)	व्यावसायिक

28.वित्तीय संस्था से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो कक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था सम्मिलित है)।

29.भाग ख (क्रम संख्या 30 और 31) में, यदि आवेदक भाग ख (क्रम संख्या 8(कफ)) में कोड 26 से 29 का चयन करता है, तो भाग ख (क्रम संख्या 30 और 31) को भरा जाना है।

30.भाग ख (क्रम संख्या 32) के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरे अनुलग्नकों के रूप में प्रदान किक जाएंगे, अर्थात्:

उपाबंध	विशिष्टियां
क-1	न्यास विलेख की स्व-प्रमाणित प्रति।
क - 2	जहां आवेदक किसी दस्तावेज के अधीन बनाया गया हो या स्थापित किया गया हो, वहां उस दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-3	जहां आवेदक का सृजन या स्थापना किसी अन्य दस्तावेज के अधीन नहीं की गई है, वहां आवेदक के सृजन या स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाकगी।
क-4	कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसायटी रजिस्ट्रार या पब्लिक न्यास रजिस्ट्रार के पास यथास्थिति रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति।
क-5	यदि आवेदक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसके अधीन रजिस्ट्रेशन की स्व-प्रमाणित प्रति।
क - 6	रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन प्रदान करने वाले वर्तमान आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो -

	(iv) आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) निरसन के पूर्व यथा विद्यमान की धारा 10(23)(iv) या (v) या (vi) या (via) या धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 80छ; (v) धारा 332(7)(क) और (8) के अधीन; या (vi) धारा 354(3)(क) या 354(4)।
क-7	रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन प्रदान करने के आवेदन की अस्वीकृति या रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन को रद्द करने के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित के अंतर्गत प्रस्तुत की जाकगी। (vii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(iv) या (v) या (vi) या (via) या धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 80छ; (viii) धारा 332(7)(ख); या (ix) धारा 354(3)(ख)।
क-8	जहां आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी कर वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, तो आवेदक के ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जो उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक न हों) प्रस्तुत की जाएगी जिनके लिए ऐसे खाते तैयार किए गए हों।
क-9	जहां आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा हो जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, तो आवेदक के ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जो उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक न हों) प्रस्तुत की जाएगी जिनके लिए ऐसे खाते तैयार किए गए हों;

क-10	जहां आवेदक द्वारा धारा 344 के उपबंधों के अनुसार कोई व्यावसायिक उपक्रम धारित है और आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, तो ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे व्यावसायिक उपक्रम के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जो उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक न हों) जिनके लिक ऐसे खाते तैयार किक गक हैं और उस अवधि के लिक धारा 63 के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि भाग ख (क्रम संख्या 8(च)) में श्रेणी I का चयन नहीं किया गया है;
क-11	जहां आवेदक की आय में धारा 345 के उपबंधों के अनुसार कोई वाणिज्यिक गतिविधि शामिल है और आवेदक उस कर वर्ष से पहले के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिक आवेदन किया गया है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे व्यवसाय के वार्षिक खातों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (उक्त आवेदन किक जाने वाले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से अधिक नहीं) जिनके लिक ऐसे खाते तैयार किक गक हैं और उस अवधि के लिक धारा 63 के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि भाग ख (क्रम संख्या 8(च)) में श्रेणी I का चयन नहीं किया गया है;
क-12	भाग ब (क्रम संख्या 8(कफ)) में जहां धारा कोड 19, 20, 21 या 22 है, वहां उद्देश्यों को अपनाने या संशोधित करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति;
क-13	आदेश पारित किया गया जिसमें रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिक आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ कर दिया गया है यदि भाग ब (क्रम संख्या 8(कफ)) में कोड 4, 8, 12, 16, 20 या 23 का चयन किया गया है;

क-14	जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) में "पुनः आवेदन" का चयन किया गया है, और आवेदक ने वचन में प्रस्तुत किया है कि प्ररूप संख्या 107 में जारी पूर्व आदेश के विरुद्ध अपील वापस ले ली गई है, अपील वापस लेने के लिक अपीलीय मंच के समक्ष प्रस्तुत पत्र/आवेदन की प्रति;
क-15	आवेदन दाखिल करने में विलंब का कारण (जहां आवेदन भाग ब (क्रम संख्या 8(क) और भाग ब (क्रम संख्या 8(ख)) के अनुसार विलंबित है, वहां "नहीं")
क-16	पुनः आवेदन दाखिल करने में विलंब का कारण (जहां भाग ब (क्रम संख्या 8(क)) के अनुसार पुनः आवेदन का चयन किया गया हो)
क-17	आवेदक की गतिविधियों पर विस्तृत टिप्पण।

31.फॉर्म में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

32.इस फॉर्म में उल्लिखित राशि/रसीद रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

33.

प्ररूप संख्या 106

[*नियम* 181(4) *देखें*]

धारा 332 के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या धारा 354 के अधीन अनंतिम अनुमोदन का आदेश

आवेदन की अस्वीकृती

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां		
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):	
भाग ख: रजिस्ट्रीकरण या स्वीकृत अनुमोदन का विवरण		
4.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:	
5.	गतिविधियों की प्रकृति:	(vii) पूर्त (viii) लोक धार्मिक (ix) लोक धार्मिक और पूर्त
6.	वह धारा जिसमें अनंतिम रजिस्ट्रेशन/अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है (एक या अधिक का चयन करें):	332(8) / 354(4)
7.	अद्वितीय रजिस्ट्रेशन संख्या:	
8.	अनंतिम रजिस्ट्रेशन/अनंतिम अनुमोदन की तारीख:	
9.	वह कर वर्ष या वे वर्ष जिनके लिए न्यास या संस्था का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण या अस्थायी अनुमोदन किया गया है:	
***भाग ग*: *शर्तें*, जिसके अधीन रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है**		
10	<u>आय का अनुप्रयोग</u>	

	(क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की किसी भी आय का उपयोग उसके उद्देश्यों के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन अपनी कुल आय के किसी भी हिस्से का उपयोग निजी धार्मिक प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा (जो जनता के फायदे के लिए नहीं है); (ग) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात पूर्त प्रयोजनों के लिए गठित या स्थापित रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं और बालकों के सिवाय किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए अपनी आय का कोई भी भाग उपयोग नहीं करेगा;
11	<u>वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने संबंधी शर्तें</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति करने वाले रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को छोड़कर) कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि जनहित के किसी उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान न की जा रहीं हो; (ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के संवर्धन देने के लिए की गई वाणिज्यिक गतिविधि या गतिविधियों से प्राप्त कुल आय, संबंधित कर वर्ष के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं होगी।
12.	<u>लेखा-बहियां</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधि के संबंध में अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य करता है, वह अपने द्वारा की जाने वाली किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अलग से लेखा-पुस्तकों का रखरखाव करेगा।
13.	<u>विधि और शर्तों की अपेक्षाओं का अनुपालन</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो वास्तविक न हो या जो उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसार न की जा रही हो जिनके अधीन इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था;

	(ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को किसी भी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।	
14.	<u>सत्य और पूर्ण खुलासा</u> प्ररूप 104 में रजिस्टेशन/अनुमोदन हेतु प्ररूप को विधिवत रूप से भरा जाएगा, जिसमें सभी जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हों और कोई भी असत्य या गलत जानकारी या दस्तावेज प्रदान न किए गए हों।	
	भाग घ: आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरे:	
15.	नाम:	
16.	पद का नाम:	

टिप्पण:

34. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा, जो कि एक गैर-लाभकारी संगठन या कोष हो।

35. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा ।

36. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 107

[नियम 181 देखें]

धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या धारा 354 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने

या आवेदन की अस्वीकृति

या रजिस्ट्रीकरण को दी गई अस्वीकृति या अनुमोदन प्रदान करने का आदेश

<table>
<tr><td colspan="4">भाग अ: आवेदक का विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">भाग ख: रजिस्ट्रीकरण या स्वीकृत अनुमोदन का विवरण</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>दस्तावेज़ पहचान संख्या:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन संख्या (अद्वितीय रजिस्ट्रेशन संख्या)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन की तारीख:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>आवेदन के अनुसार गतिविधियों का स्वरूप:</td><td colspan="2">(x) पूर्त
(xi) सार्वजनिक धार्मिक
(xii) सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ</td></tr>
</table>

10.	आवेदक के रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन की वैधता अवधि:	5 वर्ष / 10 वर्ष
11	वे कर वर्ष जिनके लिए आवेदक रजिस्ट्रीकृत है या जिसे मंजूरी मिली है:	*(स्पष्ट करें)*
12.	वह अनुभाग जिसमें रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है (टिप्पण 3 *का संदर्भ लें*):	
भाग ग: आवेदन की अस्वीकृति या रजिस्ट्रीकरण रद्द करने या दी गई स्वीकृति के विवरण		
13.	अस्वीकृति या रद्द होने से पहले आवेदक को दिए गए अवसर की तारीख:	
14.	अस्वीकृति/रद्दीकरण के कारण:	
***भाग घ: शर्तें,* जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है**		
15.	<u>आय का अनुप्रयोग</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की किसी भी आय का उपयोग उसके उद्देश्यों के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन अपनी कुल आय के किसी भी हिस्से का उपयोग निजी धार्मिक प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा (जो जनता के फायदे के लिए नहीं है); (ग) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित या स्थापित रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं और बालकों के सिवाय किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए अपनी आय का कोई भी हिस्सा उपयोग नहीं करेगा;	
16.	<u>वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने संबंधी शर्तें</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति करने वाले रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न) कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान न की जाए; (ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए की गई वाणिज्यिक गतिविधि या गतिविधियों से प्राप्त कुल आय, सुसंगत कर वर्ष के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं होगी।	

17.	<u>लेखा-बहियां</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधि के संबंध में अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव किया जाएगा; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन, जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए कार्य करता है, उसे अपने द्वारा की जाने वाली किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अलग से लेखा-बहियों का रखरखाव करना होगा।
18.	<u>विधि और शर्तों की अपेक्षाओं का अनुपालन</u> (क) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो वास्तविक न हो या जो उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसार न की जा रही हो जिनके अधीन इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था; (ख) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को किसी भी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।
19.	<u>सही और पूर्ण प्रकटीकरण</u> प्ररूप संख्या 105 में रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन हेतु प्ररूप को सम्यक रूप से भरा जएगा, जिसमें सभी जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हों और कोई भी असत्य या गलत जानकारी या दस्तावेज प्रदान न किए गए हों।
20.	<u>रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता</u> किसी भी कर वर्ष के लिए प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा रद्द किए जाने पर विधिमान्य नहीं होगा ।
21.	यदि पश्चातवर्ती में यह पाया जाता है कि आवेदक की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं या वे उन सभी या किसी भी शर्तों के अनुसरण में नहीं की गई हैं जिनके अधीन यह आदेश पारित किया गया था, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने धोखाधड़ी या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया है या आवेदन में कोई असत्य या गलत जानकारी है या यह पाया जाता है कि करदाता ने आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) में दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस आदेश को वापस लिया जा सकेगा।
भाग ङ:विलंब की क्षमा या रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन की अस्वीकृति या पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन को रद्द करना	
22.	विलंब की क्षमा या रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन को रद्द करने के आवेदन की अस्वीकृति के कारणों को प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा: (क) (ख)

भाग च: आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के ब्योरें		
23.	नाम:	
24.	पद का नाम:	

टिप्पण:

37. नाम में आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा, जो कि एक गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगा।

38. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा ।

39. भाग ख (क्रम संख्या 12) में, निम्नलिखित कोडों में से उस धारा का चयन करें जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है (केवल एक कोड का चयन करना है): —

क्रम संख्या	धारा	कोड
1.	332(7)(क)	01
2.	332(7)(ख)(1)(i)	02
3.	332(7)(ख)(2)(i)	03
4.	354(3)(क)	04
5.	354(3)(ख)(i)	05
6.	354(3)(ख)(ii)	06

40. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 108

[नियम 184 देखें]

पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन की गई रकम के संबंध में धारा 341(7) के अधीन विकल्प का प्रयोग

<table>
<tr><td colspan="4">भाग क: आवेदक की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td>(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td>(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">कर वर्ष:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">भाग ख: नियमित आय के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">नियमित आय की रकम:</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारा 341(1) से 341(4) के उपबंधों के अनुसार आवेदन:</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">नियमित आय की वह रकम जिसके संबंध में धारा 341(5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td colspan="3">विकल्प का प्रयोग करने के कारण:</td></tr>
<tr><td>i.</td><td>कर वर्ष के दौरान प्राप्त न होने वाली आय:</td><td></td></tr>
<tr><td>ii.</td><td colspan="2">अन्य कोई कारण:</td></tr>
</table>

भाग ग: विकल्प का प्रयोग
मैं, _____ _____ (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम) की ओर से, जिसका पैन _____ है, धारा 341(7) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग ₹ _____ (ऊपर भाग ख में विस्तृत) की रकम के लिए करना चाहता/चाहती हूँ, जिसे भाग ख(क्रम संख्या 10) में उल्लिखित कारणों से धारा 341(5) के उपबंधों के अनुसार समझा गया आवेदन माना जाएगा।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

14. नाम में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा ।
15. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगे ।
16. **यह प्ररूप मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और इस पर न्यासी/प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।**
17. नियमित आय की गणना धारा 335 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
18. जिस रकम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसे धारा 341(5) के उपबंधों के अनुसार समझा गया आवेदन माना जाएगा।
19. जिस रकम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसे धारा 341(6) के उपबंधों के अनुसार लागू किया जा सकता है।
20. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
21. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जाएगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 109

[नियम 185 देखें]

धारा 342(1) के अधीन आय के संचय या पृथक्करण का कथन

भाग क: आवेदक की विशिष्टियां			
1.	नाम:		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	पता:		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	देश कोड
6.	कर वर्ष:		

भाग ख: संचय का ब्यौरे

7. कर वर्ष के लिए संचय:

क्रम संख्या	*उद्देश्य, जिसके लिए रकम एकत्रित की जा रही है*	*संचय की परिमाण*	*संचय की अवधि*		न्यासी/शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की तारीख
			आरंभिक कर वर्ष	*समापन कर वर्ष*	

8. पिछले कर वर्षों के लिए संचय की प्रास्थिति:

क्रम संख्या	संचय का कर वर्ष	प्ररूप संख्या 109 दाखिल	संचित रकम	कर वर्ष जिसके दौरान	वर्तमान कर वर्ष के अंत तक लागू	आवेदन के लिए शेष रकम	धारा 337 के अनुसार विनिर्दिष्ट आय के रूप में

		(टिप्पण 3 *का संदर्भ लें*)	करने की तारीख		संचित रकम जमा हुई	की गई रकम		समझी जाने वाली संचय को रकम (सारणी: क्र.सं 8)
	1.							
	2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*						

9.	किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के कारण संचित आय का उपयोग न होना:				
	क्रम संख्या	*संचय का कर वर्ष*	संचय की परिमाण	*आवेदन न होने वाले कर वर्ष*	*न्यायालय द्वारा जारी आदेश या निषेधाज्ञा के ब्यौरे*
	1.				
	2.	*(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*			

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

22. नाम में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित होगा।

23. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा।

24. भाग ख (क्रम सं. 8) में, संचय के प्रत्येक कर वर्ष के लिए पृथक पंक्तियों में डेटा भरा जाएगा।

25. **यह प्ररूप मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और इस पर न्यासी/प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।**

26. इस प्ररूप के प्रयोजन के लिए संचय शब्द का अर्थ नियमित आय का संचय या अलग रखे जाऐंगे।

27. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

28. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जाएगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 110

[नियम 186 देखें]

धारा 342(5) के अधीन आय के संचय या पृथक्करण के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए आवेदन

भाग क: आवेदक का विशिष्टीया											
1.	नाम:								*(टिप्पण 1 संदर्भ लें)*		
2.	पता:								*(टिप्पण 2 संदर्भ लें)*		
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):										
4.	ईमेल आईडी:										
5.	संपर्क संख्या:								देश कोड	संख्या	
6.	**भाग ख: संचित या पृथक रखी गई रकम का विवरण और उद्देश्य में प्रस्तावित परिवर्तन**										
क्रम संख्या	**प्रपत्र संख्या** 109 **के अनुसार**						**प्रस्तावित परिवर्तन**				
	संचित/पृथक रखने का कर वर्ष	**प्रपत्र संख्या** 109 **दाखिल करने की तिथि**	**पावती संख्या**	**कर वर्ष की समाप्ति**	**संचित/पृथक राशि**	**संचित/पृथक रखी गई वह राशि जो अप्रयुक्त रह गई है**	**उद्देश्य परिवर्तन के लिए अनुरोधित संचित/पृथक राशि** [**राशि कॉलम** G **में दी गई राशि से अधिक नहीं हो सकती**]	**मूल उद्देश्य**	**नया उद्देश्य**	**न्यासी/शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि**	**संचय में परिवर्तन का कारण**
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ

सत्यापन
मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, पूर्णतः यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्रमाण पत्र अपनी _____ (पदनाम) क्षमता में जारी कर रहा/रही हूँ तथा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

तारीख :

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

29. नाम में पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाएगा।

30. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।

31. **यह प्रपत्र मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और इस पर न्यासी/प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।**

32. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

33. जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस प्ररूप में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 111

[नियम 186 देखें]

आय के संचय या पृथक्करण के प्रयोजन में परिवर्तन के अनुरोध पर धारा 342(6) के अधीन आदेश

	भाग क: आवेदक की विशिष्टियां			
1.	नाम:		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता:		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
4.	ईमेल आईडी:			
5.	संपर्क संख्या:		देश कोड	संख्या
	भाग ख: अन्य ब्यौरे			
6.	धारा 342(5) के अधीन उद्देश्य परिवर्तन हेतु दायर आवेदन का विवरण:			
	क.	तारीख:		
	ख.	स्वीकृति संख्या:		
7.	सुनवाई के अवसर की तारीख:			
8.	दस्तावेज़ पहचान संख्या:			

भाग ग: धारा 342(6) के अधीन अनुमोदन

सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, _____ (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम) को भारत में ऐसे अन्य पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अपनी आय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट है और जो इसके उद्देश्यों के अनुरूप है।

क्रम संख्या	कर वर्ष	संचित राशि (₹ में)	प्ररूप संख्या 109 के अनुसार संचय का उद्देश्य	बदले हुए उद्देश्य की अनुमति दी जा रही है

1.				
2.	*(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)*			

भाग घ: धारा 342(6) के अधीन अस्वीकृति

सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, _____ (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम) के प्रयोजन के परिवर्तन के लिए, जिसके लिए आय संचित या अलग रखी गई है, निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

(1)
(2)

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: निर्धारण अधिकारी का नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

34. नाम में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन आवेदक का पूरा नाम सम्मिलित किया जाएगा।

35. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।

36. निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 110 में आवेदक द्वारा दाखिल किए गए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए भाग ग या भाग घ भरेगा।

37. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

38. जब तक कि अन्यथा उपबंधित हो, इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जाएगी ।

प्ररूप संख्या 112

[नियम 188 देखें]

रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) के मामले में धारा 348 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग-क [लेखापरीक्षित संस्था (रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन) की व्यक्तिगत जानकारी]			
1.	नाम:		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	पता:		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या:		
4.	कर वर्ष:		
5.	अन्य पते, यदि लागू हो		(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)
6. *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	(क)	क्या धारा 335 के अधीन कर वर्ष के लिए नियमित आय पाँच करोड़ रुपये से अधिक है?	हां/नहीं
	(ख)	क्या कर वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय दस लाख रुपये से अधिक है?	हां/नहीं
	(ग)	क्या कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर आय का उपयोग दस लाख रुपये से अधिक है?	हां/नहीं

भाग-ख (अन्य जानकारी)

(स्तंभ(2) तब लागू होगा जब प्रश्न 6(क), 6(ख) या 6(ग) में से किसी का उत्तर हाँ हो, और अन्य मामलों में स्तंभ 1 लागू होगा।)

क्रम संख्या	**विवरण**	**छोटे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन** *(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*	**बड़े रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन** *(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*
		स्तंभ(1)	**स्तंभ(2)**
7.	क्या यह धारा 355(छ) के अधीन परिभाषित रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है?	हां/नहीं	हां/नहीं
8.	लेखापरीक्षित निकाय का प्रकार	*(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)*	*(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)*
9.	क्या यह किसी दस्तावेज के अधीन स्थापित किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं

10.	क्या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन है (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)	हां/नहीं	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची ए)* *(टिप्पण 8 देखें)*
11	लेखापरीक्षित संस्था के उद्देश्य	*(टिप्पण 11 देखें)*	*(टिप्पण 11 देखें)*
12.	क्या इसमें कोई बदलाव आया है?कर वर्ष के दौरान प्रबंधन? (टिप्पण 18 का संदर्भ लें)	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची ख)*	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची ख)*
13.	क्या उद्देश्यों में कोई संशोधन किया गया है या किया जा रहा है?	हां/नहीं	हां/नहीं
14.	जहां अननतिम मान्यता प्रदान की गई है, क्या कर वर्ष के दौरान गतिविधियां शुरू हुई हैं?	हां/नहीं	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची ग)*
15.	क्या लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों को नियम 187 के अधीन विहित रूप और तरीके से तथा ऐसे स्थान पर लेखा-बही में रखा और अनुरक्षित किया गया है?	हां/नहीं	अनुसूची घ
16.	क्या कर वर्ष के दौरान संचालित किसी भी परियोजना/संस्थान में, पूर्त प्रयोजनों में से एक उद्देश्य सामान्य जनता के लिए उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देना है?	हां/नहीं *(यदि हां, तो अनुसूची ङ2.)*	हां/नहीं *(यदि हां, तो अनुसूची ङ1)*
17.	क्या धारा 344 में निर्दिष्ट कोई व्यावसायिक उपक्रम है?	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची च)*	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची च)*
18.	क्या धारा 345 में निर्दिष्ट किसी व्यवसाय से प्राप्त लाभ और आय के रूप में कोई आय है?	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची छ)*	हां/नहीं *(यदि हाँ, तो अनुसूची छ)*
19.	क्या धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 1, 6 और 8(ii)] में निर्दिष्ट स्रोत पर कर कटौती की गई प्राप्तियों को अनुसूची ङ.1/ङ.2, च और छ में विधिवत शामिल किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं (अनुसूची ज भरें)
20.	क्या धारा 353 के प्रावधान लागू होते हैं?	हां/नहीं	हां/नहीं
21.	क्या कर वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 113 प्रस्तुत किया गया है?	हां/नहीं	हां/नहीं
22.	दान (रकमरुपये में)		अनुसूची झ, प, प, *(टिप्पण 14 के संदर्भ लें)*

	प्ररूप संख्या 113 में रिपोर्ट किया गया	प्ररूप संख्या 113 में दर्ज नहीं किया गया	कुल दान (क)+(ख)	(ग) में से विदेशी दान	(ग) में से कोष दान	धारा 337 के अधीन कर योग्य अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1] (ग)	आवेदन के लिए आवश्यक दान (ग ड.च)		
	(क)	(ख)	(ग)	(घ) *(टिप्पण 19 का संदर्भ लें)*	(ड.)	(च)	(छ)		
23.	धारा 335 में संदर्भित नियमित आय							अनुसूची ट [अनुसूची के (5)]	अनुसूची ट [अनुसूची के (5)]
24.	(क)	क्या आय का कोई हिस्सा भारत से बाहर उपयोग किया जाता है?						हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त 24क में हाँ है, तो धारा 338क के उपबंधों के अनुसार रकमको नियमित आय में शामिल नहीं किया जाएगा।						(परिमाण)	अनुसूची ब[अनुसूची ब(13)]
25.	कर वर्ष के दौरान भारत में लागू की जाने वाली नियमित आय [23-24]							(मात्रा)	(मात्रा)
26.	आय का आवेदन							अनुसूची ड [अनुसूची ड(xxii)]	अनुसूची ठ [अनुसूची ठ(xxiv)]
27.	**कर योग्य नियमित आय**								
	नियमित आय (25)	**आय का अनुप्रयोग** (26)	**धारा** 342 **के अधीन संचित आय**	**धारा** 343 **के अधीन अनुमानित संचित आय**	**कर योग्य नियमित आय**				
	क	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	(ड.) = **(क)**-[**(ख)**+**(ग)**+**(घ)**] (**ऋणात्मक नहीं हो सकता**)				
28.	विनिर्दिष्ट आय							अनुसूची ण (अनुसूची ण(14))	अनुसूची ढ [अनुसूची ड(ढ)]
29.	धारा 355(ञ) के अनुसार अवशिष्ट आय							रकम	रकम
30.	कुल आय (27ड+28+29)							रकम	रकम
31.	क	क्या कर वर्ष की कुल आय के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का उपयोग किया गया है?						हां/नहीं	हां/नहीं

<table>
<tr><td></td><td>(ख)</td><td>यदि हाँ, तो कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 31(क) में दी गई अनुसूची भरें।</td><td>अनुसूची त
(अनुसूची Q(7))</td><td>अनुसूची त
(अनुसूची ण(छ)(3))</td></tr>
<tr><td rowspan="2">32.</td><td>क</td><td>क्या धारा 353 के उपबंध लागू होते हैं?</td><td>हां/नहीं</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि उपरोक्त अनुच्छेद 32क में दिए गए प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।</td><td>अनुसूची थ</td><td>अनुसूची थ</td></tr>
<tr><td>33.</td><td colspan="2">कर वर्ष के दौरान धार्मिक प्रकृति पर किया गया व्यय</td><td>रकम</td><td>रकम</td></tr>
<tr><td>34.</td><td colspan="2">ऊपर पंक्ति 30 में उल्लिखित कुल आय के विरूद्ध धार्मिक प्रकृति के व्यय का प्रतिशत
[(33/30) %]</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35.</td><td colspan="2">
धारा 355(ज) में संदर्भित संबंधित व्यक्ति का विवरण (टिप्पण 16 देखें)
<table>
<tr><th>धारा 355(ज) में संदर्भित व्यक्ति संहिता (टिप्पण 12 का संदर्भ लें)</th><th>ऐसे व्यक्ति का नाम</th><th>ऐसे व्यक्ति का पैन</th><th>यदि आवंटित हो तो ऐसे व्यक्ति का आधार नंबर</th><th>ऐसे व्यक्ति का पता</th><th>यदि स्तंभ(1) में कोड 2 चुना गया है, तो लेखापरीक्षित संस्था को किए गए अभिदाय की रकमनिर्दिष्ट करें।</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td></td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">36.</td><td>क</td><td>क्या किसी संबंधित व्यक्ति के साथ कोई संव्यवहार हुआ है?</td><td>हां/नहीं</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि उपरोक्त अनुच्छेद 36(क) में उत्तर हाँ है, तो कृपया ऐसे संव्यवहार की रकमका विवरण भरें।</td><td>संव्यवहार की (रकम)</td><td>अनुसूची एस</td></tr>
<tr><td rowspan="2">37.</td><td>क</td><td>क्या कोई विशिष्ट उल्लंघन है?</td><td>हां/नहीं</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि हाँ, तो कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 37क में दी गई अनुसूची भरें।</td><td>अनुसूची ध</td><td>अनुसूची ध</td></tr>
<tr><td rowspan="2">38.</td><td>क</td><td>क्या धारा 341(3)(क) के उल्लंघन में किसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास या अन्य किसी प्रकार का कोई दावा किया गया है, जिसके अधिग्रहण को आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया है?</td><td>हां/नहीं</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि उपरोक्त अनुच्छेद 38क में उत्तर हां है, तो दावा की गई मूल्यह्रास की रकमक्या होगी?</td><td>(रकम)</td><td>(रकम)</td></tr>
</table>

39.	क	धारा 333 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कृपया स्पष्ट करें कि क्या कर वर्ष के दौरान धारा 11 के अधीन कटौती का दावा किया गया था?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 39क में हाँ है, तो ऐसे दावे की राशि	(रकम)	(रकम)
40.	क	क्या कर वर्ष के दौरान धारा 185 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, जमा रकमया कोई निर्दिष्ट रकमली या स्वीकार की गई है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 40क में उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची यझ	अनुसूची यझ
41.	क	क्या धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकमप्राप्त हुई है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 41क में उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची यञ	अनुसूची यञ
42.	क	क्या कर वर्ष के दौरान धारा 188 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा रकमया कोई निर्दिष्ट अग्रिम रकमचुकाई गई है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 42क में उत्तर हाँ है, तो कृपया अनुसूची भरें।	अनुसूची यट	अनुसूची यट
43.	क	क्या अध्याय XIX-B के उपबंधो के अनुसार कर काटना या वसूलना आवश्यक है?	हां/नहीं	हां/नहीं
	(ख)	यदि उपरोक्त अनुच्छेद 43क में उत्तर हाँ है, तो कृपया लागू अनुसूचियों को भरें।	अनुसूची यठ-1 से यठ-3	अनुसूची यठ-1 से यठ-3

अनुसूची क

अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षित निकाय की मान्यता के ब्यौरे

(कर वर्ष के दौरान वैध सभी मान्यता का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए, हालांकि यदि लेखापरीक्षित निकाय को अनंतिम मान्यता के पश्चात् मान्यता प्राप्त हुई है तो अनंतिम मान्यता का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।)

संबंधित अधिनियम (आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) / या आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)	अधिनियम की धारा (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	तारीख (दिन/माह/वर्ष)	**यदि उपलब्ध हो तो विशिष्ट पहचान संख्या** (URN)	मान्यता प्रदान करने वाला प्राधिकरण	मान्यता प्रभावी होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची ख

(क) कर वर्ष के दौरान किसी भी समय लेखापरीक्षित संस्था के सभी लेखक/संस्थापक/सेटलर/न्यासी/सोसायटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक/शेयरधारकों जिनके पास 5% या उससे अधिक शेयरधारिता है/पदाधिकारी का ब्यौरे।								
व्यक्ति का नाम	लेखापरीक्षित संस्था के साथ संबंध (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)	शेयरधारक के मामले में शेयरधारिता का प्रतिशत	अद्वितीय पहचान संख्या (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	पता	क्या कर वर्ष के दौरान संबंधों में कोई परिवर्तन हुआ है (हाँ/नहीं)	यदि हां, तो परिवर्तन का ब्यौरा दें।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(ख) यदि पंक्ति (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो कर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्तियों का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।								
क्रम संख्या	नाम	अद्वितीय पहचान संख्या (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	आईडी कोड (टिप्पण 10 का संदर्भ लें)	पता	गैर-व्यक्तिगत व्यक्ति [जैसा कि पंक्ति (क) में उल्लेख किया गया है] जिसमें लाभकारी स्वामित्व है	लाभकारी स्वामित्व का प्रतिशत	क्या लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन हुआ है (हाँ/नहीं)	यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दें।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अनुसूची ग

(i)	गतिविधियों के प्रारंभ की तारीख			दिन माह वर्ष	
(ii)	क्या धारा 332(3)(सारणी: क्रमांक 3) के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दाखिल किया गया है?			हां/नहीं	
(iii)	यदि उपरोक्त (ii) में उत्तर हाँ है, तो धारा 332(3) के अधीन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (सारणी: क्रमांक 3)				
	क्रमांक	आवेदन की तारीख	आवेदन के संबंध में रजिस्ट्रेशन की स्थिति (लंबित/राजस्ट्रेशन (स्वीकृत/रजिस्ट्रेशन रद्द)	ऐसे आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रेशन/रद्दीकरण की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	इस प्रकार के राजस्ट्रेशन का यूआरएन

अनुसूची घ

लेखा-बही और अन्य दस्तावेजों का विवरण								
क्रमांक	लेखा-बही का स्वरूप (टिप्पण 12 देखें)	क्या लेखापरीक्षित संस्था द्वारा रखा जाता है (हां/नहीं)	क्या इसे कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है? (हाँ/नहीं)	क्या इसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाता है (हाँ/नहीं)	यदि इसे रजिस्ट्रीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर रखा जाता है			क्या लेखा-बही में क्या इसकी लेखा-परीक्षा हुई है (हाँ/नहीं)
					ऐसे स्थान का पता	प्रबंधन द्वारा इस स्थान पर खाता रखने का निर्णय लेने की तिथि	निर्धारण अधिकारी को सूचना देने की तिथि कि खाता बही नियम 187(4) के अधीन ऐसे स्थान पर रखी जाती हैं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अनुसूची ड.1

क	क्या धारा 346 में उल्लिखित लेखापरीक्षित निकाय द्वारा कोई वाणिज्यिक गतिविधि की जा रही है?	हां/नहीं
(ख)	यदि हां, तो कुल प्राप्तियों के मुकाबले ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि से प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है?	%
(ग)	क्या ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान की जाती है?	हां/नहीं
(घ)	धारा 335(ड.) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम

यदि (क) का उत्तर हाँ है, तो उस परियोजना/संस्था के संबंध में ऐसी गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक आय

क्रमांक	परियोजना/संस्था का नाम	उपरोक्त क में उल्लिखित गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक प्राप्तियों की रकम(रुपये में)
(I)	(II)	(III)
कुल		

अनुसूची ड 2

(क)		क्या धारा 346 में उल्लिखित लेखापरीक्षित निकाय द्वारा कोई वाणिज्यिक गतिविधि की जा रही है?	हां/नहीं
(ख)		यदि हां, तो कुल प्राप्तियों के मुकाबले ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि से प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है?	%
(ग)		क्या ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य की उन्नति के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान की जाती है?	हां/नहीं
(घ)		धारा 335(ड) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम
(ड.)		उपरोक्त क में उल्लिखित गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक प्राप्तियों की रकम(रुपये में)	रकम

अनुसूची च

	व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:		
	(क)	व्यवसायिक उपक्रम की प्रकृति	
	(ख)	व्यावसायिक संहिता	
	(ग)	क्या व्यवसायिक उपक्रम के लिए अलग-अलग लेखा-बही का रखरखाव किया गया है (टिप्प्ण 13 का संदर्भ लें)	हां/नहीं
	(घ)	ऐसे व्यावसायिक उपक्रम से प्राप्त कुल वार्षिक आय	रकम
	(ड)	धारा 335(ड) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम

अनुसूची छ

	इस प्रकार के व्यवसाय का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:		
	(क)	व्यवसाय की प्रकृति	
	(ख)	व्यावसायिक संहिता	
	(ग)	क्या व्यवसाय के लिए अलग-अलग लेखा-बही का रखरखाव किया गया है (टिप्प्ण 13 का संदर्भ लें)	हां/नहीं
	(घ)	क्या यह व्यवसाय लेखापरीक्षित संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है?	हां/नहीं
	(ड.)	इस प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त कुल वार्षिक आय	रकम
	(च)	धारा 335(ड) के अधीन कर वर्ष के दौरान ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ	रकम

अनुसूची ज

लेखापरीक्षित संस्था की उन प्राप्तियों का विवरण जिन पर धारा 393(1) में उल्लिखित स्रोत पर कर की कटौती की गई है [सारणी: क्रमांक 1, 6 और 8(ii)] :									
कटौ	कटौती	वह	स्रोत	वह	कुल प्राप्तियाँ	अनुसूची			

तीकर्ता का नाम	कर्ता का **टैन**	रकमजिस पर स्रोत पर कर की कटौती की जा चुकी है	पर काटे गए कर की राशि	प्रावधान जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की गई है	वाणिज्यिक गतिविधि	अन्य(प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ड1(III)/ अनुसूची ड2(ड) में शामिल स्तंभ7 में प्राप्ति	रसीदअनुसूची च(घ) में शामिल स्तंभ7 में	अनुसूची छ(ड) में स्तंभ7 में शामिल रसीद	स्तंभ7 में दी गई प्राप्ति (9), (10) और (11) में से किसी में भी शामिल नहीं है।
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

अनुसूची झ

प्ररूप संख्या 113 में दर्ज न किए गए दान / प्ररूप संख्या 113 भरना आवश्यक नहीं है				
(i)	लेखापरीक्षित द्वारा प्राप्त धारा 133(1)(ख)(vi) के अधीन अर्हता प्राप्त दान			रकम
(ii)	लेखापरीक्षित संस्था द्वारा प्राप्त दान जो धारा 133 के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं (उन दानों को छोड़कर जो धारा 133(1)(ख)(vi) या धारा 133(1)(ख)(ii) के अधीन पात्र हैं)			रकम
(iii)	लेखापरीक्षित संस्था द्वारा धारा 354 के अधीन अनुमोदित दान, जो धारा 133(3)/(4)/(5) के अधीन पात्र नहीं हैं।	क	धारा 133(5) के अधीन पात्र न होने वाले 2000 रुपये से अधिक के नकद दान।	रकम
		(ख)	अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से प्राप्त दान पर छूट लागू नहीं होगी।	रकम
		(ग)	अन्य < प्रकृति निर्दिष्ट करें>	रकम
		(घ)	कुल (क)+(ख)+(ग)	रकम
(iv)	प्ररूप संख्या 113 के अधीन दाता की पहचान उपलब्ध न होने के कारण प्ररूप संख्या 113 में दर्ज न किए जा सकने वाले दान।			रकम।

(v)	धारा 133(4) के उपबंधों के अनुसार अर्हता प्राप्त न होने वाले वस्तु रूप में प्राप्त दान।			रकम
(vi)	धारा 337 में संदर्भित अनाम दान (सारणी: क्रमांक 1)			
	क	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त गुमनाम दान की रकमधारा 337 के अधीन कर योग्य नहीं है [सारणी: क्रमांक 1]		रकम
	(ख)	(क) के अलावा गुमनाम दान की राशि, जो 1,00,000 रुपये या दान का 5%, जो भी अधिक हो, तक हो और धारा 337 के अधीन कर योग्य न हो [सारणी: क्रमांक 1]		रकम
	(ग)	अन्य अनाम दान धारा 337 के अधीन 30% की दर से कर योग्य हैं [सारणी: क्रमांक 1]		रकम
	(घ)	कुल योग (a+b+c)		रकम
(vii)	प्ररूप संख्या 113 में सम्मिलित न किया गया कोई अन्य दान		(प्रकृति निर्दिष्ट करें)	रकम
(viii)	प्ररूप संख्या 113 में कुल दान की सूचना नहीं दी गई [(i)+(ii)+(iii)(घ) +(iv)+(v)+(vi)(घ)+(vii)]			रकम

अनुसूची ट

क्रमांक	धारा	रकम
1	धारा 335(क) में निर्दिष्ट किसी भी पूर्त या धार्मिक गतिविधि से होने वाली आय, जिसके लिए ऐसा गैर-लाभकारी सगठन रजिस्ट्रीकृत है।	
2	धारा 335(ख) में निर्दिष्ट संपत्ति, जमा या निवेश से प्राप्त आय	
3.	धारा 335(ग) में निर्दिष्ट संपत्ति, जमा या निवेश से प्राप्त आय	
3	धारा 335(ग) में संदर्भित दान <पंक्ति संख्या 21जी>	
4	धारा 335(ङ) में संदर्भित वाणिज्यिक गतिविधियों से होने वाले लाभ, यदि कोई हो, < अनुसूची ड1/ ड2(घ) + अनुसूची छ(ङ) + अनुसूची झ(च)>	अनुसूची ड1/ ड1 (घ) + अनुसूची छ(ङ) + अनुसूची झ(च)
5	कुल नियमित आय [1+2+3+4]	

अनुसूची ठ

आय का आवेदन (अपात्र आवेदन को छोड़कर, जिसकी रिपोर्ट पंक्ति संख्या 31 के अधीन की गई है)						
(I)	कर वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन की गई कुल रकम			इलेक्ट्रॉनिक रकम *(टिप्पण 15 का संदर्भ लें)*	इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (रकम)	रकम
	क	कर वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया दान				रकम
	(ख)	(क) में दिए गए अनुप्रयोग के अलावा वस्तुवार अनुप्रयोग				
		(I)	धार्मिक			रकम
		(II)	गरीबों को राहत			रकम
		(III)	शिक्षा			रकम
		(IV)	चिकित्सा राहत			रकम
		(V)	योग			रकम
		(VI)	पर्यावरण का संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव शामिल हैं)			रकम
		(vii)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण			रकम
		(VIII)	जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति			रकम
		(IX)	वे आवेदन जिन्हें विशेष रूप से (I) से (VIII) के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है			रकम
		(X)	कुल			रकम
	(ग)	कुल आवेदन [क + (ख)(एक्स)]				रकम
(ii)	(i) (क) और (ii) (ख) में से उन आवेदनों का विवरण जिनके परिणामस्वरूप कर वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपये से					

	अधिक का भुगतान किया गया हो।								
	क्र.सं.	जिस व्यक्ति को रकमका भुगतान किया गया या जमा किया गया, उसका नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	आवेदन की राशि	आवेदन का तरीका			टीडीएस	
					+इलेक्ट्रॉनिक सी मोड (रकम) *(टिप्पण 15 का संदर्भ लें)*	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अलावा (रु.)	कुल	क्या कोई टीडीएस काटा गया है? हां/नहीं	वह उपबंध जिसके अधीन टीडीएस काटा गया है
(iii)	कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान न की गई रकम[यदि (i)(ग) में सम्मिलित है]							रकम	
(iv)	कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई वह रकमजो किसी पिछले कर वर्ष में अर्जित हुई थी लेकिन पिछले कर वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं की गई थी।							रकम	
(v)	आवेदन के रूप में अनुमत कुल रकम[(i)(ग)- (iii) +(iv)]							रकम	
	(v) में उल्लिखित अनुप्रयोग का राजस्व या पूंजी में विभाजन							रकम	

(vi)	क	आय	रकम
	(ख)	पूंजी	रकम
(vii)	निवेश की गई या मूलधन में वापस जमा की गई वह रकमजिसका उपयोग किसी पिछले कर वर्ष के दौरान किया गया था और उस कर वर्ष के दौरान उपयोग के रूप में दावा नहीं किया गया था।		(रकम) [अनुसूची U(4) भरें]
(viii)	कर वर्ष के दौरान लिए गए ऋण या उधार का पुनर्भुगतान, जिसके लिए पहले आवेदन किया गया था और उस कर वर्ष के दौरान आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था।		(रकम) (अनुसूची X भरें)
आवेदन से अस्वीकृत की जाने वाली राशि			
(ix)	धारा 341(1)(क) के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशि		(रकम) (शेड्यूल ZF भरें)
(X)	धारा 341(1)क के साथ धारा 36(4)/धारा 36(5)/धारा 36(6)/धारा 36(7) के अधीन अस्वीकार्य राशि		(रकम) (अनुसूची ZG/अनुसूची ZH भरें)
(xi)	धारा 341(3)(ग) के अनुसार किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को कोष के लिए दान।		रकम
(xii)	किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दान देना, जिसके उद्देश्य/लक्ष्य धारा 341(1)(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों/उद्देश्यों के समान न हों।		रकम

(xiii)	धारा 341(1)(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दान देना।	रकम
(xiv)	किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दिए गए दान का 15% [धारा 341(1)(ख)]	(रकम) [15% (i)क)]
(xv)	भारत के बाहर ऐसे आवेदन जिनके लिए बोर्ड से धारा 338(क) के अधीन सामान्य या विशेष आदेश प्राप्त नहीं किया गया है	(रकम) [अनुसूची म(12)]
(xvi)	भारत के बाहर ऐसे आवेदन जिनके लिए बोर्ड से धारा 338क के अधीन सामान्य या विशेष आदेश प्राप्त किया गया हो।	(रकम) (पंक्ति संख्या 24)
(xvii)	धारा 341(1)(क) के अनुसार लेखापरीक्षित निकाय के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए लागू किया गया हो।	रकम
(xviii)	संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए आय का उपयोग	(रकम) [अनुसूची एन(ख)]

(ix)	धारा 341(3)क के अनुसार मूल्यह्रास की अनुमति नहीं है।	रकम
(xx)	**धारा 342* के अधीन संचित आय**	
(xxi)	कोई अन्य अस्वीकृति (कृपया स्पष्ट करें)	रकम
(xxii)	कुल अनुमत आवेदन [{(v)+(vii)+(viii) – {(ix) से (xxi)}]	रकम
(xxiii)	धारा 341(5) के अनुसार लागू मानी जाने वाली राशि	रकम
(24)	धारा 341(9) के अनुसार पूंजीगत लाभ लागू माना जाएगा।	रकम
(xxv)	कुल आवेदन (मानित आवेदन सहित) [(xxii) + (xxiii) + (xxiv)]*	रकम

अनुसूची ठ		
आय का उपयोग (अपात्र और पंक्ति 31 के अधीन रिपोर्ट किए गए आवेदनों को छोड़कर)		
(i)	**कर वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन की गई कुल राशि**	रकम
(ii)	**कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान न की गई रकम[यदि (i) में शामिल है]**	रकम
(iii)	**कर वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई वह रकमजो किसी पिछले कर वर्ष में अर्जित हुई थी लेकिन पिछले कर वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं की गई थी।**	रकम
(iv)	**आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम**[(i)- (ii) + (iii)]	रकम
(v)	**निवेश की गई या मूलधन में वापस जमा की गई वह रकमजिसका उपयोग पिछले किसी कर वर्ष के दौरान किया गया था और जिसे उस कर वर्ष के दौरान उपयोग के रूप में दावा नहीं किया गया था।**	(रकम) [अनुसूची न(4) भरें]
(vi)	**कर वर्ष के दौरान लिए गए ऋण या उधार का पुनर्भुगतान, जिसके लिए पहले आवेदन किया गया था और उस कर वर्ष के दौरान आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था।**	रकम

आवेदन से अस्वीकृत की जाने वाली राशि		
(vii)	धारा 341(1)(क) के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशि	(रकम) [अनुसूची यच भरें]
(viii)	धारा 341(1)(क) के साथ धारा 36(4)/धारा 36(5)/धारा 36(6)/धारा 36(7) के अधीन अस्वीकार्य राशि	(रकम) [अनुसूची यछ/अनुसूची यज भरें]
(ix)	धारा 341(1)(ग) के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को कोष के लिए दान	रकम
(x)	धारा 341(1)(क) के अनुसार समान उद्देश्यों वाले किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दान	रकम
(xi)	धारा 341(1)(क) के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दान	रकम
(xii)	समान उद्देश्यों वाले किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को दिए गए दान का 15%	रकम
(xiii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 338(क) के अधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है	रकम
(xiv)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 338(क) के अधीन अनुमोदन प्राप्त हुआ है	रकम
(xv)	धारा 341(1)(क) के अनुसार लेखापरीक्षित संस्था के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवेदन	रकम
(xvi)	संबंधित व्यक्तियों के फायदा के लिए आय का उपयोग	रकम
(xvii)	धारा 341(3)(क) के अनुसार मूल्यह्रास की अनुमति नहीं	रकम
(xviii)	धारा 342* के अधीन संचित आय	
(xix)	कोई अन्य अस्वीकृति (कृपया स्पष्ट करें)	रकम
(xx)	कुल अनुमत आवेदन [{(iv)+(v)+(vi) – {(vii) से (xix)}]	रकम
(xxi)	धारा 341(5) के अनुसार लागू मानी गई राशि	रकम
(xxii)	धारा 341(9) के अनुसार लागू मानी गई पूंजीगत लाभ	रकम

अनुसूची ड

धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय			
क	धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय के भाग के रूप में अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1]		(रकम) [अनुसूची जे(vi)(ग)]
(ख)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 337 में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग किया है? [सारणी: क्रमांक 2] यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं	रकम [अनुसूची यघ-1(11)+ यघ -2(13) + यघ -3(8) + यघ -4(11) + यघ -5(15)+ यघ -6(10)+ यघ -7(15)+ यघ -8(10)+ यघ -9(6) + यघ -10(14)]
(ग)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने भारत के बाहर कोई आवेदन किया है? यदि हां, तो धारा 337 में निर्दिष्ट ऐसी आय की रकम[सारणी: क्रमांक 3]।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची डब भरें)	(रकम) [ब(12)]
(घ)	क्या धारा 350 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई निवेश किया गया है? यदि हाँ, तो धारा 350 के उल्लंघन में किए गए निवेश के कारण धारा 337 [सारणी: क्रमांक 4] में निर्दिष्ट निर्दिष्ट आय की रकमनिम्नलिखित में से कितनी होगी? (I) संचित आय (रुपये में राशि) <अनुसूची ZB(14)> (II) अनुमानित संचित आय (रकमरुपये में) (III) मूलधन (रुपये में राशि) (IV) अनुमानित कोष (रुपये में राशि) (V) कोई अन्य निधि (रकमरुपये में)	हां/नहीं	रकम
(ड)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 5], धारा 340 में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण, अनुमानित मूलधन के संबंध में।		रकम

(च)	क्या संचित आय का उपयोग धारा 337 में निर्दिष्ट पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है [सारणी: क्रमांक 6]? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची ZB भरें)	(रकम) [अनुसूची यख (10)]
(छ)	क्या संचित आय संचित होना बंद हो जाती है या धारा 337 में संदर्भित धारा 342(1) के अधीन निर्दिष्ट अनुप्रयोग के लिए अलग रखी जाती है [सारणी: क्रमांक 7]। यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची ZB भरें)	(रकम) [अनुसूची यख (14)]
(ज)	क्या संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे संचित किया गया है या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा गया है, जैसा कि धारा 337 में संदर्भित है [सारणी: क्रमांक 8]। यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची ZB भरें)	(रकम) [अनुसूची यख (15)]
(झ)	क्या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसा कि धारा 337 (सारणी: क्रमांक 9) में संदर्भित है, ऐसी संचित आय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की जाती है या भुगतान की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यख भरें)	रकम। [अनुसूची यख (11) से भरें]
(ञ)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 10] वह आय है जिसका उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनके लिए लेखापरीक्षित संस्था रजिस्ट्रीकृत है।		रकम।
(ट)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 11] वह आय है जो धारा 344 के अधीन निर्धारित की जाती है और व्यवसायिक उपक्रम के लेखा बही में दर्शाई गई आय से अधिक होती है।		रकम

(ठ)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 12] किसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य है, यदि वह परिसंपत्ति अनुसूची XVI के अनुच्छेद 1(1) से (30) में निर्दिष्ट रूपों या तरीकों से धारित नहीं है, तो उस कर वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी जिसमें ऐसी परिसंपत्ति अधिग्रहित की गई थी।	रकम
(ड)	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 13] धारा 341(5) के अधीन कोई भी माना गया आवेदन है जिसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा भारत में धारा 341(6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वास्तव में अपने उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया गया है।	रकम
(ढ)	धारा 337 के उपबंधों के अनुसार कुल विनिर्दिष्ट आय [33(क) से 33(ड) का योग]	रकम

अनुसूची ढ

क्रमांक	धारा 337 के अधीन विनिर्दिष्ट आय	रकम
1	धारा 337 के अनुसार विनिर्दिष्ट आय के भाग के रूप में अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1]	
2	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 337 में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग किया है? [सारणी: क्रमांक 2] यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
3	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने भारत के बाहर कोई आवेदन किया है? यदि हां, तो धारा 337 में निर्दिष्ट ऐसी आय की रकम[सारणी: क्रमांक 3]।	
4	क्या धारा 350 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई निवेश किया गया है? यदि हाँ, तो धारा 350 के उल्लंघन में किए गए निवेश के कारण धारा 337 [सारणी: क्रमांक 4] में निर्दिष्ट निर्दिष्ट आय की रकमनिम्नलिखित में से कितनी होगी? (I) संचित आय (रुपये में रकम) (II) मानी गयी संचित आय (रुपये में रकम) (III) समग्र(रुपये में रकम) (IV) मानी गयी कोष (रुपये में रकम) (V) कोई अन्य निधि (रुपये में रकम)	
5	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 5], धारा 340 में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण, अनुमानित मूलधन के संबंध में।	
6	क्या संचित आय का उपयोग धारा 337 में निर्दिष्ट पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है [सारणी: क्रमांक 6]? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	

7	क्या संचित आय संचित होना बंद हो जाती है या धारा 337 में संदर्भित धारा 342(1) के अधीन निर्दिष्ट अनुप्रयोग के लिए अलग रखी जाती है [सारणी: क्रमांक 7]। यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
8	क्या संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे संचित किया गया है या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा गया है, जैसा कि धारा 337 में संदर्भित है [सारणी: क्रमांक 8]। यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
9	क्या धारा 342(1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसा कि धारा 337 (सारणी: क्रमांक 9) में संदर्भित है, ऐसी संचित आय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को जमा की जाती है या भुगतान की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसी निर्दिष्ट आय की राशि।	
10	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 10] वह आय है जिसका उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनके लिए लेखापरीक्षित संस्था रजिस्ट्रीकृत है।	
11	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 11] वह आय है जो धारा 344 के अधीन निर्धारित की जाती है और व्यवसायिक उपक्रम के लेखा बही में दर्शाई गई आय से अधिक होती है।	
12	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 12] किसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य है, यदि वह परिसंपत्ति अनुसूची XVI के अनुच्छेद 1(1) से (30) में निर्दिष्ट रूपों या तरीकों से धारित नहीं है, तो उस कर वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी जिसमें ऐसी परिसंपत्ति अधिग्रहित की गई थी।	
13	धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय [सारणी: क्रमांक 13] धारा 341(5) के अधीन कोई भी माना गया आवेदन है जिसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा भारत में धारा 341(6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वास्तव में अपने उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया गया है।	
14	**कुल निर्दिष्ट आय** {**उपरोक्त कोड** 1 **से** 13 **के अधीन उल्लिखित राशियों का योग**}	

अनुसूची ण

कर वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय का उपयोग				
		इलेक्ट्रॉनिक मोड (टिप्पण 15 देखें) (1)	इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा (2)	कुल राशि (3)
क	किसी भी पिछले कर वर्ष के दौरान संचित आय			(अनुसूची यख भरें)
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1(2) के अधीन			(अनुसूची य भरें)

	किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष में लागू मानी जाने वाली आय			
(ग)	किसी भी पूर्व कर वर्ष की अनुमानित संचित आय का 15%			
(घ)	समग्र			(अनुसूची न भरें)
(ड)	उधार निधि			(अनुसूची फ भरें)
(च)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)			
(छ)	कुल			

उपरोक्त में से किसी एक व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक के भुगतान या क्रेडिट के परिणामस्वरूप प्राप्त आवेदन का ब्यौरे

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	पैन	आवेदन की रकम	आवेदन का तरीका			टीडीएस		
				इलेक्ट्रॉनिकमोड *(टिप्पण 15 दका संदर्भ लें)*	इलेक्ट्रॉनिक मोड के सिवाय	कुल	क्या टीडीएस काटा गया है (हां/नहीं)	वह प्रावधान जिसके अधीन टीडीएस कटौती किया गया है	राशि टीडीएस का एनटी

अनुसूची त

क्रमांक	अनुभाग	मात्रा
1	**किसी भी पिछले कर वर्ष के दौरान अर्जित आय**	
2	**धारा** 11(1) **के स्पष्टीकरण** 1(2) **के अधीन किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष में लागू मानी जाने वाली आय**	

3	**किसी भी पूर्व कर वर्ष की अनुमानित संचित आय का** 15%	
4	**कोर्पस**	
5	**उधार निधि**	
6	**कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)**	
7	**कुल**	

अनुसूची थ

(i)	धारा 353 के उपबंध क्यों लागू होते हैं, इसका कारण स्पष्ट कीजिए?		
	क	धारा 346 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (जीयू को बढ़ावा देने वाले रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध)।	हां/नहीं
	(ख)	धारा 347 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (खातों की बही में)	हां/नहीं
	(ग)	धारा 348 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (लेखापरीक्षा)	हां/नहीं
	(घ)	धारा 349 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है (आयकर विवरण)।	हां/नहीं
(ii)	यदि (i) में उत्तर हाँ है, तो कृपया धारा 353 के अधीन प्रभार्य आय की गणना प्रदान करें।		
	क	कर वर्ष के लिए आय	रकम
	(ख)	लेखापरीक्षित देश के उद्देश्यों के लिए भारत में किया गया कुल व्यय।	रकम
	(ग)	अस्वीकृत किए जाने वाले व्यय	

				(i)	पूंजीगत व्यय [धारा 353(3)क]	रकम
				(ii)	भारत के बाहर किया गया व्यय [धारा 353(3)क]	रकम
				(iii)	वह व्यय जो रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए नहीं है [धारा 353(3)(ख)]	रकम
				(iv)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के खाते में कर वर्ष के अंत में जमा कोष से व्यय, उस कर वर्ष से ठीक पहले जिसके लिए आय की गणना की जा रही है [धारा 353(3)(ग)]	रकम
				(v)	किसी ऋण या उधार से व्यय [धारा 353(3)(घ)]	रकम
				(vi)	किसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास, जिसका अधिग्रहण उसी या किसी अन्य कर वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया है [धारा 353(3)(ड)]	रकम
				(vii)	किसी व्यक्ति को दान के रूप में किया गया व्यय। [धारा 353(3)(च)]	रकम
				(viii)	धारा 353(3)(एच) के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशि	(रकम) (शेड्यूल यच भरें)
				(ix)	धारा 353(3)(छ) के साथ धारा 36(4) /धारा 36(5) के अधीन अस्वीकार्य राशि	रकम (अनुसूची यध/अनुसूची यच भरें)
				(x)	कोई अन्य अस्वीकृति	रकम
				(xi)	कुल व्यय जिसे अस्वीकृत किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii))+(viii))	रकम
			(घ)	धारा 353 [क – ख+ग(ix)] के अधीन कर योग्य आय		रकम

अनुसूची द

42.	धारा 337 में निर्दिष्ट संवयवहार के ब्यौरे (सारणी: क्रमांक 2)	
क	क्या लेखापरीक्षित इकाई की आय या संपत्ति का कोई भाग कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी संबंधित व्यक्ति को उधार दिया गया है या दिया जाता रहा है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ-1 भरें)
(ख)	क्या लेखापरीक्षित इकाई की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है, या उपलब्ध कराई जाती रही है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -2 भरें)
(ग)	क्या लेखापरीक्षित संस्था के संसाधनों से कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति को वेतन, भत्ता या किसी अन्य रूप में कोई रकमउस व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित संस्था को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -3 भरें)
(घ)	क्या लेखापरीक्षित संस्था की सेवाएं कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती हैं;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -4 भरें)
(ई)	क्या लेखापरीक्षित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति से कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति खरीदी गई है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -5/ यघ -6 भरें)

(एफ)	क्या लेखापरीक्षित पक्ष द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति बेची जाती है;	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -7/ यघ -8 भरें)
(छ)	क्या लेखापरीक्षित पक्ष की कोई आय या संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित की गई है?	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -9 भरें)
(एच)	क्या लेखापरीक्षित इकाई का कोई भी कोष कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए किसी ऐसी संस्था में निवेशित है, या निवेशित रहना जारी रखता है, जिसमें किसी संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित हो।	हां/नहीं (यदि हां, तो अनुसूची यघ -10 भरें)

अनुसूची ध

निर्दिष्ट उल्लंघन			
क्या लेखापरीक्षित निकाय ने धारा 351(1) में निर्दिष्ट किसी उल्लंघन को अंजाम दिया है और ऐसे उल्लंघन की रकमक्या है?		हां/नहीं	रकम
क	लेखापरीक्षित निकाय की आय का उपयोग लेखापरीक्षित निकाय के उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। [धारा 351(1)(क)]	हां/नहीं	रकम
(ख)	क्या लेखापरीक्षित संस्था को व्यवसाय के लाभ और आय से ऐसी आय प्राप्त होती है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है, या क्या लेखापरीक्षित संस्था द्वारा धारा 345 के उपबंधों के उल्लंघन में, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक व्यवसाय के संबंध में अलग खाते नहीं रखे जाते हैं? [धारा 351(1)(ख)]	हां/नहीं	रकम
(ग)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई हिस्सा निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है, जो जनता के लाभ के लिए नहीं है? [धारा 351(1)(ग)]	हां/नहीं	रकम
(घ)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने अपनी आय का कोई भाग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं या बच्चों के लाभ के लिए उपयोग किया है? [धारा 351(1)(घ)]	हां/नहीं	रकम
(ड)	क्या लेखापरीक्षित संस्था द्वारा की जा रही कोई गतिविधि वास्तविक नहीं है या रजिस्ट्रीकृत होने की सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं की जा रही है। [धारा 351(1)(ई)]	हां/नहीं	रकम
(च)	क्या लेखापरीक्षित संस्था ने किसी अन्य विधि की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है, जो उस समय लागू है, और वह आदेश, निर्देश या निर्णय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुपालन नहीं हुआ है, या तो विवादित नहीं है या अंतिम रूप ले चुका है। [धारा 351(1)(एफ)]	हां/नहीं	(यदि हां, तो अनुसूची यड. भरें)
(छ)	क्या धारा 332(1) में उल्लिखित लेखापरीक्षित संस्था के आवेदन में कोई असत्य या गलत जानकारी है? [धारा 351(1)(छ)]	हां/नहीं	(यदि हां, तो अनुसूची यड. भरें)

अनुसूची न													
	समग्र का ब्यौरे												
दान रकमका प्रकार	प्रारंभिक जमापर शुरुआत कर वर्ष का (समग्र कर वर्ष के प्रारंभ तक लागू नहीं होता) (1)	प्राप्त/उपचारित जैसे कर वर्ष के दौरान कि समग्र (2)	कर वर्ष के दौरान आवेदन (3)	निवेश की गई राशि या जमा किया वापस मूल दस्तावेज़ में (जिसे पहले लागू किया गया था और दावा नहीं किया गया था) जैसा आवेदन नयदि ऐसा आवेदन शर्तों को पूरा करता है) (4)	निवेश की गई कुल राशि मूलधन में वापस जमा या जमा किया गया (5)	कर वर्ष जिस में (4) पहले लागू किया गया था (6)	जमा शेष (7) [(1+2+5)-3]	जांच धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों से टेड (8)	पिछले कर वर्ष में कर योग्य रकम(9)	जांचधारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से टेड कर वर्ष के अंतिम दिन की तरह (10)	यदि दान रकमइस प्रकार की है (i) तो क्या यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है?			
											स्वैच्छिक अभिदाय के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए मूलधन में से उपयोग की गई राशि	किसी व्यक्ति को योगदान या दान देना;	इसे अलग से पहचान योग्य नहीं माना गया है।	धारा 350 के अधीन निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अन्य रूपों और तरीकों से निवेश या जमा किया गया हो।

(i) धारा 133(1)(ख)(छठी) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करना, जो 01.04.20 को या उसके बाद प्राप्त हुए हों।											हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
(ii) – उपरोक्त (i) के अलावा, 01.04.20 को या उसके बाद प्राप्त														
(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अलावा														

अनुसूची प

विदेशी अभिदाय का ब्यौरे			
क्रमांक	(1)	(2)	(3)
क	विदेशी अभिदाय का स्वरूप कर वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय (i) मूलधन	कर वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि (रुपये में)	कर वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाय से प्राप्त राशि रकम(रुपये में)
	(ii) गैर-मूलधन		
	एफसीआरए की धारा 2(1)(ज) के स्पष्टीकरण 2		

	में संदर्भित विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज		
(ख)	कुल		
(ग)	विदेशी अभिदाय का स्वरूप		

अनुसूची फ

ऋण और उधार लेने का विवरण						
कर वर्ष की 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष राशि	कर वर्ष के दौरान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिए गए ऋण और उधार	कर वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया गया।	कर वर्ष के दौरान ऋण या उधार की पुनर्भुगतान रकम(जो पहले आवेदन किया गया था और आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था, यदि ऐसा आवेदन आवश्यक शर्तों को पूरा करता है) कर वर्ष के दौरान ऋण या उधार की	वह वित्तीय वर्ष जिसमें (4) पहले लागू किया गया था	कुल ऋण या उधार का पुनर्भुगतान कर वर्ष (रुपये में)	31 मार्च को समापन शेष (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची ब

भारत के बाहर आवेदन की गई आय के ब्यौरे												
क्र.सं.	जिस व्यक्ति को धन भेजा जा रहा है उसका नाम	करदाता पहचान संख्या अगर हो तो	भारत से बाहर भेजी गई धनराशि, जिसकी जानकारी प्ररूप संख्या 145 में दी जाती है।	भारत से बाहर भेजी गई धन रकम(4) के अतिरिक्त	पूर्त या धार्मिक उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन का देश	क्या यह आवेदन उन अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है जिनमें भारत की रुचि है और जिसे लेखापरीक्षित देश की कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है?	यदि भारत के बाहर आवेदन के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है			धारा 337 के अधीन निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 3]	धारा 338क के अनुसार नियमित आय में शामिल न की जाने वाली आय की राशि
								अनुमोदन संख्या	सामान्य/विशेष	अनुमोदन का दिनांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

अनुसूची भ

धारा 11(1)/धारा 341(5) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन माने गए आवेदन और धारा 11(1ख)/धारा 337 के अधीन मानी गई आय के ब्यौरे [सारणी: क्रमांक 13];									
जिस वर्ष में आय लागू मानी जाती है (कर वर्ष)	प्ररूप संख्या 108 प्रस्तुत करने की तारीख (दिन /माह/वर्ष)	स्तंभ1 में उल्लिखित कर वर्ष के दौरान लागू की गई मानी जाने वाली राशि	अनुमानित आवेदन का कारण (क) उस वर्ष के दौरान आय प्राप्त नहीं हुई (क) कोई अन्य कारण	पहले दावा की गई अनुमानित रकममें से, लागू की जाने वाली राशि	स्तंभ(5) में उल्लिखित रकममें से किसी पूर्व कर वर्ष में कर योग्य राशि (अनुसूची यक भरें)	दावा की गई अनुमानित रकममें से, चालू कर वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली राशि।	पिछले वर्षों में दावा की गई अनुमानित राशि, चालू कर वर्ष के दौरान लागू की गई	धारा 11(1बी)/ धारा 337 के अधीन आय न मानी जाने वाली और लागू न की जा सकने वाली रकम[सारणी:	अनुमानित आवेदन की शेष राशि

								क्रमांक 13] कर वर्ष के दौरान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)-(7) = (10)
ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे			*ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे*						

अनुसूची यक:

धारा 11(1ख)/धारा 337 के अनुसार पूर्व के कर वर्षों में कर योग्य संचित आय का ब्यौरा [सारणी: क्रमांक 13]					
	निर्धारण वर्ष/कर वर्ष जिसमें अनुसूची Z के स्तंभ(4) (3) में निर्दिष्ट रकमपर कर लगाया गया था वर्तमान कर वर्ष से पूर्ववर्ती कर वर्ष से शुरू होने वाले पिछले पाच कर वर्षों के लिए ड्रॉपडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे				
संचय का वर्ष (कर वर्ष)	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष
वर्तमान कर वर्ष से शुरू होकर पिछले पांच कर वर्षों के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ष – वर्ष					
कुल					

अनुसूची यख

संचय के ब्यौरे															
क्र. सं.	संचय का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	प्ररूप संख्या 109 प्रस्तुत करने की तिथि	संचित राशि	संचय का उद्देश्य	कर वर्ष के प्रारंभ तक के उद्देश्यों के लिए आवेदन की गई राशि	लागू की जाने वाली शेष रकम[(3)-(5)]	किसी भी पूर्व कर वर्ष में कर योग्य रकम (अनुसूची यग भरें)	आवेदन के लिए उपलब्ध शेष रकम [(6)-(7)]	कर वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के संचय में से उपयोग की गई राशि	संचय किए जाने के उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई रकम(यदि लागू हो)	किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था को जमा/भुगतान की गई रकम(यदि लागू हो)	आवेदन के लिए उपलब्ध शेष रकम[(8)-(9)-(10)-(11)]	धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों से निवेशित या जमा की गई रकम(12 में से)	धारा 350 में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से निवेशित या जमा की गई रकम(12 में से)	संचय की अवधि के दौरान उपयोग न की गई रकम (यदि लागू हो)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
	पिछले 7 वित्तीय वर्षों के लिए ड्रॉप डाउन विकल्प प्रदान करें														

अनुसूची यग

धारा 342 के अधीन पूर्व के कर वर्षों में कर योग्य संचित आय के ब्यौरे					
	जिस कर के अधीन यह रकमकर योग्य थी *वर्तमान कर वर्ष से पूर्ववर्ती कर वर्ष से शुरू होकर पिछले पाच कर वर्षों के ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।*				
संचय का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष	वर्ष – वर्ष
वर्तमान कर वर्ष से शुरू होकर पिछले पांच कर वर्षों के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ष – वर्ष					
कुल					

अनुसूची यघ

लेखापरीक्षित व्यक्ति की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से का विवरण, जो कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति को उधार दिया गया है, या उधार दिया जाना जारी है।

क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	ब्यौरे		प्रतिभूति संबंधी विवरण			हित के विवरण		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			उधार दी गई आय या संपत्ति की प्रकृति	वह रकमजिसके लिए आय या संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए संबंधित व्यक्ति को उधार दी गई है या दी जाती रही है।	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति का मूल्य	कीमत पर्याप्त सुरक्षा का	ब्याज की वास्तविक दर जो लगाई जाती है	पर्याप्त ब्याज दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची यघ -2

लेखापरीक्षित व्यक्ति की भूमि, भवन या अन्य संपत्ति का विवरण, जो कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जाती रही है:

क्रमांक	संबंधित व्य	संबंधित व्यक्ति का पैन	आस्ति का विवरण	वह अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति के	कर वर्ष के लिए किराए का विवरण	कर वर्ष के लिए अन्य मुआवजे का विवरण	धारा 337 के अनुसार

	क्ति का नाम	नंबर			उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है, या उपलब्ध कराई जाती रहेगी,							निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			परिसंपत्ति की प्रकृति	पता	दिन/माह/वर्ष से	दिन दिन/माह/वर्ष	किराए की राशि	पर्याप्त किराया	प्रकृति	मुआवजे की राशि	पर्याप्त मुआवजा	
(1)	(2)	(3)	(4) (भूमि/भवन/अन्य संपत्ति)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

अनुसूची यघ -3

लेखापरीक्षित संस्था के संसाधनों से संबंधित व्यक्ति को कर वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए गए वेतन, भत्ते या अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान का ब्यौरा

क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति	कर वर्ष के लिए भुगतान का विवरण			धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
				भुगतान का स्वरूप	भुगतान की रकम(रुपये में)	उचितसेवाओं के लिए राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				[वेतन/भत्ता/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)]			

अनुसूची यघ -4

लेखापरीक्षित संस्था की सेवाओं का विवरण कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है।

क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	सेवाओं का विवरण		कर वर्ष के लिए पारिश्रमिक का विवरण		कर वर्ष के लिए मुआवजे का विवरण			धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			उपलब्ध कराई गई सेवाओं का स्वरूप	कीमत उपलब्ध कराई गई सेवाओं का(रुपये में)	वास्तविक सेवा के लिए पारिश्रमिक की राशि	पर्याप्त पारिश्रमिक सेवा के लिए	सेवा के लिए मुआवजे का स्वरूप	वास्तविकसेवा के लिए मुआवजे की राशि	पर्याप्त मुआवजा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची यघ -5

लेखापरीक्षित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कर वर्ष के दौरान संबंधित व्यक्ति से खरीदे गए किसी भी शेयर या प्रतिभूति का विवरण।

क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	खरीदी गई संपत्ति की प्रकृति	शेयरों या प्रतिभूतियों का विवरण					अन्य चल संपत्ति का विवरण					धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
				उस कंपनी/ संस्था का नाम जिस के शेयर खरीदे गए हैं	संख्या कर वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर/ प्रतिभूति का मूल्य	कुल भुगतान की गई राशिशेयर या सुरक्षा	शेयर या प्रतिभूति के लिए भुगतान की गई कुल राशि	संपत्ति की प्रकृति	संपत्ति खरीद की संख्या	संपत्ति की मत	शेयर या प्रतिभूति के लिए भुगतान की गई कुल राशि	पर्याप्त प्रतिफल	
			(शेयर/ प्रतिभूति / अन्य संपत्ति)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अनुसूची यघ -6

अन्य अचल संपत्ति होने की स्थिति में विवरण:

क्रमांक	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन	परिसंपत्ति का प्रकार	संपत्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	स्टांप शुल्क मूल्य	प्रतिफल विवरण		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी : क्रमांक 2]
							संपत्ति के लिए भुगतान की गई प्रतिफल राशि	संपत्ति के लिए पर्याप्त प्रतिफल	
			[भूमि/ आवासीय/ व्यावसायिक संपत्ति आदि)]						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची यघ -7

किसी भी शेयर या प्रतिभूति का विवरण जो कर वर्ष के दौरान ट्रस्ट या संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संबंधित व्यक्ति को बेचा जाता है।

	संबं	संबं	संप	शेयरों या प्रतिभूतियों का विवरण	अन्य चल संपत्ति का विवरण	

क्रम सं.	धित व्यक्ति का नाम	धित व्यक्ति का पैन नंबर	ति की प्रकृति जो वाई ने बेची	नामकंपनी या संस्था का जो शेयर बेचा है	संख्या कर वर्ष के दौरान बेचे गए शेयर	प्रत्येक शेयर या प्रतिभूति की कीमत	कुल विचारणीय हिस्सा /प्रतिफल	पर्याप्त प्रतिफल के लिए शेयर या प्रतिभूति	चल संपत्ति की प्रकृति	बेची गई चल संपत्तियों की संख्या	चल संपत्ति की कीमत	कुल प्रतिफल के लिए संपत्ति	पर्याप्त प्रतिफल	धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			(शेयर/ प्रतिभूति/											

अनुसूची यघ -8

अन्य अचल संपत्ति होने की स्थिति में विवरण:

क्रम सं	संबंधित व्यक्ति का नाम	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	परिसंपत्ति का प्रकार	संपत्ति का पता	क्षेत्र(वर्ग फुट में)	स्टांप शुल्क मूल्य	विचारणीय विवरण		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
							संपत्ति के लिए प्रतिफल मात्रा	पर्याप्त रूप से विचार किया गया	
			< भूमि/ आवासीय/ व्यावसायिक संपत्ति आदि)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची यघ -9

कर वर्ष के दौरान किसी संबंधित व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित की गई किसी भी आय या संपत्ति के ब्यौरे

क्रम सं	संबंधित व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में आय या संपत्ति का हस्तांतरण किया गया	संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर	आय या संपत्ति के ब्यौरे जिसे स्थानांतरित किया गया है		धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
			आय या संपत्ति की प्रकृति जिसका दुरुपयोग किया गया है	आय या संपत्ति का वह मूल्य जिसे स्थानांतरित किया जाता है (रुपये में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची यघ -10

कर वर्ष के दौरान, जिसमें संबंधित व्यक्ति का पर्याप्त हित है, किसी भी कंपनी में निवेशित या निवेशित रहने वाली किसी भी धनरकमके ब्यौरे।

क्रमांक		उस कंपनी के ब्यौरे जिसमें धनरकमनिवेशित है या निवेशित रहने की संभावना है।								महत्वपूर्ण रुचि के विवरण			
जिस संस्था में धनरकमका निवेश जारी है, उसकी प्रकृति	का नाम	संस्था का पता	जो कंपनी में वर्ष के दौरान निवेशित है या निवेशित रहना जारी रखती है (रुपये में)	कर वर्ष के दौरान निवेश की अवधि		निवेश की प्रकृति	निवेश से होने वाली आयसाल के दौरान	संबंधित मामले में पर्याप्त हित रखने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	महत्वपूर्ण हित की प्रकृति	संस्था की प्रकृति जिस में धन राशि निवेशित रहना जारी रखें	धारा 337 के अनुसार निर्दिष्ट आय की रकम[सारणी: क्रमांक 2]
				दिन/माह/वर्ष से	दिन/माह/वर्ष तक							
	(कंपनी/अन्य)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अनुसूची यड

अन्य कानूनों के उल्लंघन के ब्यौरे						
क्रमांक	उस कानून का नाम जिसके अधीन गैर-अनुपालन हुआ है	अनुपालन न करने की प्रकृति	वह आदेश, निर्देश या निर्णय की तिथि, जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसा अनुपालन नहीं हुआ है।	चाहे आदेश, निर्देश या निर्णय को किसी न्यायालय या अपीलीय मंच के समक्ष चुनौती दी गई हो।	यदि हां, तो क्या विवाद का अंतिम समाधान हो चुका है?	क्या विवाद का निपटारा लेखापरीक्षित पक्ष के पक्ष में हो गया है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची यच

टीडीएस अस्वीकार्य: धारा 341(1)क के साथ धारा 35(ख)(i) के अधीन अस्वीकार्य राशियों के ब्यौरे:					
(क) उन भुगतानों के ब्यौरे जिन पर कर नहीं काटा जाता है					
भुगतान की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	भुगतान की राशि (रुपये में)	भुगतान का स्वरूप	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	पैन या आधार कार्ड भुगतान प्राप्तकर्ता, यदि उपलब्ध	भुगतान प्राप्तकर्ता का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) उन भुगतानों के ब्यौरे जिन पर कर काटा गया है, लेकिन धारा 263(1) में निर्दिष्ट नियत तिथि तक या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।							
भुगतान की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	भुगतान की राशि (रुपये में)	भुगतान का स्वरूप	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	पैन या आधार कार्ड भुगतान प्राप्तकर्ता, यदि उपलब्ध	भुगतान प्राप्तकर्ता का पता	मात्राकर का कटाता	(7) में से जमा की गई राशि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुसूची यछ

36(4): धारा 341(1)क के साथ धारा 36(4) के अधीन अस्वीकार्य रकमके ब्यौरे						
एस। नहीं।	भुगतान की तिथि	भुगतान की रकम(रुपये में)	भुगतान का प्रकार (रुपये में)	भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे		
				नाम	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची यज

धारा 341(1)क के साथ धारा 36(5) के अधीन अस्वीकार्य रकमके ब्यौरे					
भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे			भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे		
नाम	नाम	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो	पता	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची यझ

कर वर्ष के दौरान धारा 185 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक लिए गए ऋण या जमा या किसी निर्दिष्ट रकमके ब्यौरे									
क्रमांक	ऋणदाता / जमाकर्ता का नाम	पैन या आधार कार्ड, यदि उपलब्ध	पता	ऋण या जमा या कोई भी निर्दिष्ट राशि	ऋण की रकमया जमा लिया गया या स्वीकृत	चाहे ऋण हो या जमा रकमथा वर्गाकार दौरान कर वर्ष? हां/नहीं	अधिकतम राशि उत्कृष्ट खात पर किसी भी समय के दौरान कर वर्ष	चेक या ड्राफ्ट द्वारा या उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक का समाशाधन प्रणाली बैंक के माध्यम से खाता या काइ भी अन्य मोड	चाहे खाता यदि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा चक या बैंक ड्राफ्ट?

अनुसूची यञ

किसी व्यक्ति से एक दिन में, या किसी एक संव्यवहार के संबंध में, या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार के संबंध में, धारा 186 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त रकमके ब्यौरे; कर वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से प्राप्त रकमके ब्यौरे (टिप्पण 17 देखें)				
भुगतानकर्ता के ब्यौरे और भुगतान की गई राशि				
क्रमांक	*नाम*	*पैन, यदि उपलब्ध हो*	*पता*	*भुगतान की राशि*

अनुसूची यट

कर वर्ष के दौरान धारा 188 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक किसी भी राशि, चाहे वह ऋण हो, जमा हो या कोई निर्दिष्ट अग्रिम हो, के पुनर्भुगतान के ब्यौरे?											
	भुगतान प्राप्तकर्ता के ब्यौरे			लेनदेन के ब्यौरे						भुगतान का तरीका	
क्रमांक	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण या जमा या कोई निर्दिष्ट अग्रिम	मात्रा	कृपया मोड निर्दिष्ट करें रसीद का [चेक या बैंक	खातायदि चेक द्वारा भुगतान किया गया हो	क्या वर्गाकार स्थिति है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या ड्राफ्ट द्वारा या उपयोग करके का	चाहे खाताभुगतान किसे मिलेगा यदि भुगतान चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो?

						ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का उपयोग करके या किसी अन्य तरीके से]	तो प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट?			इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाते या किसी अन्य माध्यम से भुगतान प्रक्रिया।	

अनुसूची यठ-1

टीडीएस/टीसीएस									
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN)	धारा	भुगतान या प्राप्ति की प्रकृति	निर्दिष्ट में स्तंभ(3 कुल राशि भुगतान या प्राप्ति प्रकृति)	कुल राशि जो कर कटौती या एकत्रित किया गया था होना आवश्यक है (4)	निर्दिष्ट दर (5) में से कुल राशि जिस पर कर कटौती की गई या एकत्रित किया गया	कर कटौती या एकत्रित राशि (6) में से	कुल राशि जो कर था कटौती या कम पर एकत्रित किया गया निर्दिष्ट से अधिक (7) में से दर	कर की राशि कटौती या एकत्रित किया गया (8)	राशि कर कटौती या एकत्रित लेकिन नहीं जमा किया गया का श्रेय केंद्रीय सरकार (6) में से और (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची यठ-2

टीडीएस/टीसीएस के ब्यौरे				
कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तिथि	यदि उपलब्ध कराया गया हो तो उपलब्ध कराने की तिथि	क्या कर कटौती या संग्रह के विवरण में उन सभी संव्यवहार की जानकारी शामिल है जिनकी रिपोर्ट करना आवश्यक है?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची यठ-3

टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज का शेड्यूल			
कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN)	धारा 398(3) के अधीन देय ब्याज की राशि	स्तंभ(2) से भुगतान की गई राशि	भुगतान की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)

सत्यापन

मैंने …….. [रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का नाम] की बैलेंस शीट की जांच की है और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाता या लाभ और हानि खाता उक्त रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा रखे गए लेखा-बही से मेल खाता है।

मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

मेरी राय में, उपर्युक्त नाम वाली रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में, उपाबंध के क्रमांक 14 पर उल्लिखित पते पर, उचित लेखा-बही का रखरखाव किया गया है:

मेरी राय में, मेरी जानकारी के अनुसार और मुझे दी गई व्याख्याओं के आधार पर, ऊपर दिए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों के अधीन सत्य और सही हैं—

(क) ……

(ख) ……..

(ग) ……..

मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार, तथा मुझे दी गई सूचनाओं के आधार पर, उक्त विवरण सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

(i) बैलेंस शीट के मामले में, उपर्युक्त रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की स्थिति के ब्यौरे दिनांक तक दिया जाना चाहिए।_____; और

(ii) आय एवं व्यय खाते या लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस कर वर्ष की आय एवं व्यय या लाभ एवं हानि के संबंध में जो कि …… को समाप्त होता है।

निम्नलिखित टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों के अधीन—

(क) ……

(ख) ……..

(ग) ……..

हस्ताक्षर:

नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई UDIN हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक:

तारीख:

जगह:

टिप्पणियाँ:

1. **नाम**
2. **पता**
3. **<u>पंक्ति 5:</u>**वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा संकल्प के माध्यम से तय किया गया है और जिसे नियम 187(3)(ख) के अनुसार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर अधिकार क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया गया है;

4. अधिनियम के अध्याय XVII-B में निर्दिष्ट किसी भी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन को इस प्ररूप में "लेखापरीक्षित" कहा जाएगा; इस प्ररूप के प्रयोजन के लिए, लघु रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का अर्थ एक ऐसा रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है –

   क अधिनियम की धारा 335 के अधीन नियमित आय कर वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए;

   (ख) कर वर्ष के दौरान इसे 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है; और

   (ग) इसने कर वर्ष के दौरान भारत के बाहर 10 लाख रुपये से अधिक की आय का उपयोग नहीं किया है।

   उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, विदेशी अभिदाय अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (42 ऑफ 2010) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में दिया गया है।

   वे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन जो ऊपर निर्दिष्ट लघु रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें वृहत्तर रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन कहा जाएगा।

5. पंक्ति 6: यदि (क) या (ख) या (ग) में से कोई भी हाँ है, तो लेखापरीक्षित संस्था एक बड़ा रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था है, अन्यथा यह एक छोटा रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संस्था है।
6. **<u>पंक्ति 8:</u>** लेखापरीक्षित निकाय के प्रकार के लिए, निम्नलिखित कोडों में से एक या अधिक का चयन करें।

क्रम संख्या	अनुभाग	वर्ग	कोड
1.	332(1)(क)	व्यक्तियों का निकाय	1
2.	332(1)(ख)	सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन या भारत में लागू किसी भी कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	2
3.	332(1)(ग)	कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 465 (2) (छ) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत माना जाता है।	3
4.	332(1)(घ) से 332(1)(छ)	अन्य	4

7. इस प्ररूप में, जहां भी लागू हो, -

"मान्यता" का अर्थ रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन/अधिसूचना होगा, जैसा भी मामला हो;

"मान्यता प्राप्त" का अर्थ रजिस्ट्रीकृत/अनुमोदित/अधिसूचित होगा, जैसा भी मामला हो;

"मान्यता देना" का अर्थ रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन/अधिसूचित करना होगा, जैसा भी मामला हो।

8. **(क) पंक्ति 10 - अनुसूची क(2):**यदि पंक्ति 10 में "हाँ" चुना गया है और लेखापरीक्षित संस्था को पहले आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन मान्यता प्राप्त है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:

क्रमांक	अनुभाग	कोड
1.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 12कख(1)(क)	1
2.	अधिनियम की धारा 12कख(1)(ख)	2
3.	अधिनियम की धारा 12कख(1)(ग)	3
4.	अधिनियम की धारा 10(23ग) के द्वितीय परंतुक का खंड (i)	4
5.	अधिनियम की धारा 10(23ग) के द्वितीय परंतुक का खंड (ii)	5
6.	अधिनियम की धारा 10(23ग) के द्वितीय परंतुक का खंड (iii)	6
7.	अधिनियम की धारा 35(1)(ii)	7
8.	अधिनियम की धारा 35 (1)(ii)	8
9.	अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii)	9
10.	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (i)	10
11.	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (ii)	11
12.	अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक का खंड (iii)	12
13.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 10(46) के अधीन अधिसूचना	13
14.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान) की धारा 10(46क) के अधीन अधिसूचना	14
15.	कोई अन्य जानकारी हो तो कृपया बताएं	15

(ख) पंक्ति 10 - अनुसूची क(2):यदि पंक्ति 10 में "हाँ" चुना गया है और लेखापरीक्षित संस्था को

पहले आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन मान्यता दी गई है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:

क्रमांक	धारा	कोड
1.	धारा 332(7)क	1
2.	धारा 332(8)	2
3.	धारा 45(3)क(i)	3
4.	धारा 45(3)क(ii)	4
5.	धारा 45(3)(ख)	5
6.	धारा 354(3)	6
7.	धारा 354(4)	7
8.	अनुसूची III (सारणी: क्रमांक 36)	8
9.	अनुसूची VII (सारणी: क्रमांक 42)	9
10.	कोई अन्य जानकारी हो तो कृपया बताएं	10

(9) अनुसूची खक(2): लेखापरीक्षित पक्ष से संबंध नामक स्तंभके लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन करें

a. लेखक
b. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
c. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
d. मुख्य वित्तीय अधिकारी
e. निदेशक
f. संस्थापक
g. प्रबंधक
h. प्रबंध निदेशक
i. सोसायटी के सदस्य
j. शासी परिषद के सदस्य
k. पदधारी
l. सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति
m. प्रधान अधिकारी
n. प्रमुख सचिव
o. आकलन प्रतिनिधि
p. सचिव
q. सेटलर
r. जिन शेयरधारकों के पास 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता है
s. न्यासी
t. अन्य कोई प्रधान अधिकारी, कृपया निर्दिष्ट करें (मुक्त पाठ)

(10) अनुसूची खक और अनुसूची ख(ख):, "अद्वितीय पहचान संख्या" का अर्थ है

(क) जब पैन या आधार कार्ड अनिवार्य हो, यदि उपलब्ध हो,

पहचान का प्रकार	आइडी कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि पैन या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है

पहचान का प्रकार	आइडी कोड
देश का करदाता पहचान संख्या जहां वह व्यक्ति रहता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
मतदाता का फोटो पहचान संख्या	5

(11). पंक्ति 11, लेखापरीक्षित संस्था की वस्तुओं के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक का चयन करें:

क्रमांक	वस्तु	कोड
(1)	धार्मिक	1
(2)	गरीबों को राहत	2
(3)	शिक्षा	3
(4)	चिकित्सा राहत	4
(5)	योग	5
(6)	पर्यावरण का संरक्षण (जिसमें जलक्षेत्र, वन और वन्यजीव शामिल हैं)	6
(7)	कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण	7
(8)	जनहित के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति	8

(12) **अनुसूची ड.(2)**लेखा-बही की प्रकृति के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें:

क्रमांक	नियम 187 में दिए गए अनुसार लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों की प्रकृति	कोड
(1)	रोकड़ बही	1
(2)	खाता बही	2
(3)	पत्रिका	3
(4)	करदाता द्वारा जारी किए गए बिलों की प्रतियां, चाहे वे मशीन द्वारा क्रमांकित हों या किसी अन्य क्रम संख्या से क्रमांकित हों, और करदाता द्वारा जारी की गई मशीन क्रमांकित या अन्य क्रम संख्या वाली रसीदों की प्रतियां या प्रतिरूप।	4
(5)	संबंधित व्यक्ति को जारी किए गए मूल बिल और उस व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित रसीदें।	5
(6)	कोई अन्य पुस्तक जिसे देश की मौजूदा स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए रखना आवश्यक हो। व्यक्ति का नाम बताएं और किए गए संव्यवहार की व्याख्या करें	6
(7)	अधिनियम की धारा 344 में निर्दिष्ट व्यावसायिक उपक्रमों के लिए क्रमांक 1 से 6 में संदर्भित लेखा-बही के ब्यौरे।	7
(8)	क्रमांक 1 से 6 में संदर्भित लेखा-बही में करदाता द्वारा व्यवसायिक उपक्रम के अतिरिक्त किए गए व्यवसाय से संबंधित लेखा-बही के ब्यौरे प्रस्तुत करना। अधिनियम की धारा 344 में संदर्भित	8
(9)	उस व्यक्ति द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं और संस्थानों का रिकॉर्ड, जिसमें उनके नाम, पते और उद्देश्यों के ब्यौरे शामिल हो।	9
(10)	नियम 187(1)(घ)(ii) के अनुसार कर वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख	10
(11)	नियम 187(1)(घ)(iii) के अनुसार कर वर्ष के दौरान आय में से आय आदि के उपयोग का अभिलेख।	11
(12)	नियम 187(1)(घ)(iv) के अनुसार वर्तमान कर वर्ष से पूर्व के किसी भी कर वर्ष की आय में से आय के उपयोग का अभिलेख।	12
(13)	नियम 187(1)(घ)(v) के अनुसार, दान का अभिलेख जिसमें यह विशेष निर्देश दिया गया हो कि वे कोष का हिस्सा बनेंगे;	13
(14)	धारा 133(1)(ख)(छठी) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के प्रयोजन से प्राप्त दान का अभिलेख, जिसे नियम 187(1)(घ)(छठी) के अनुसार कोष माना जा रहा है।	14
(15)	नियम 187(1)(घ)(सत्तर) के अनुसार ऋण और उधार का अभिलेख	15
(16)	नियम 187(1)(घ)(आठवां) के अनुसार संपत्तियों का अभिलेख;	16
(17)	नियम 187(1)(घ)(छह) के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख;	17
(18)	नियम 187(1)(घ)(x) के अनुसार कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी रखने वाले कोई अन्य दस्तावेज।	18

(13) अनुसूची छ)(ग) और अनुसूची ज (ग): लागू होने के अनुसार प्ररूप संख्या 26 में बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता और लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करें (ई-फाइलिंग यूटिलिटी द्वारा अपलोड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी) व्यवसाय उपक्रम या उद्देश्यों से संबंधित व्यवसाय के लिए।

(14) पंक्ति 22: बड़े रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए, अनुसूची ञ, फ और प में भरी गई जानकारी के आधार पर, स्तंभख, घ, और ङ के लिए डेटा नीचे दिए गए सूत्रों के अनुसार पहले से भरा जाएगा:

(i) स्तंभख: प्ररूप संख्या 113- अनुसूची ञ (vii) में रिपोर्ट नहीं किए गए दान

(ii) स्तंभ घ: अनुसूची फ(ग)(2) में से विदेशी दान (विदेशी दान में FCRA की धारा 2(1)(ज) के स्पष्टीकरण 2 में संदर्भित विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज शामिल होगा)

(iii) स्तंभड: अनुसूची प(2) में से मूलधन दान

(iv) स्तंभट: अनुसूची ञ (vi)(ग) में से धारा 337 के अधीन कर योग्य अनाम दान [सारणी: क्रमांक 1]

(15) अनुसूची एल और अनुसूची पी: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आयकर नियम, 2025 के नियम 48 में निर्दिष्ट निम्नलिखित माध्यम होंगे:

(क) क्रेडिट कार्ड;

(ख) डेबिट कार्ड;

(ग) नेट बैंकिंग;

(घ) आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा);

(क) यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस);
(ख) आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट);
(ग) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण); और
(घ) BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे;

(16) **पंक्ति 35:**संबंधित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें: (संबंधित व्यक्ति का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 355(एच) में दिया गया है)

क्रमांक नहीं	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का लेखक या संस्थापक;	1
2	कोई भी व्यक्ति जिसका संबंधित कर वर्ष के दौरान ऐसे रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन में कुल योगदान एक लाख रुपये से अधिक हो, या संबंधित कर वर्ष के अंत तक कुल मिलाकर दस लाख रुपये से अधिक हो, जैसा भी मामला हो;	2
(2)	यदि ऐसा लेखक, संस्थापक या व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, तो परिवार का कोई सदस्य;	3
(4)	रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का कोई भी न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);	4

(5)	उपरोक्त (1), (3) और (4) में संदर्भित किसी भी लेखक, संस्थापक, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई भी रिश्तेदार;	5
(6)	कोई भी जिसमें ऊपर (1), (3), (4) या (5) में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित हो।	6

(17) **<u>अनुसूची यत्र:</u>**सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक, सहकारी बैंक द्वारा प्राप्ति या भुगतान के मामले में, या धारा 185 में निर्दिष्ट लेनदेन के मामले में, या अधिसूचना संख्या एसओ 2065(ई) दिनांक 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में विवरण देना आवश्यक नहीं है;

(18) इस प्ररूप के प्रयोजनों के लिए, प्रबंधन में लेखक(ओं), संस्थापक(ओं), संस्थापक(ओं), न्यासी(ओं), समाज के सदस्य, शासी परिषद के सदस्य, निदेशक, शेयरधारक जिन्होंने वर्ष के दौरान किसी भी समय 5% या उससे अधिक शेयरधारिता धारण की हो और पदाधिकारी शामिल हैं, और यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लाभकारी स्वामी (5% या अधिक) प्राकृतिक व्यक्ति सम्मिलित हैं।

(19) विदेशी दान में एफसीआरए की धारा 2(1)(ज) के स्पष्टीकरण 2 में संदर्भित विदेशी योगदान पर अर्जित ब्याज शामिल होगा।

(20) यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी ।

(21) यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक हो या किसी शर्त के साथ दिया गया हो, तो रिपोर्ट में इसके कारण बताए जाएंगे।

(22) जहां भी 'राशि' का उल्लेख किया गया है, उसे रुपये में निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्ररूप संख्या 113

[नियम 190(2) देखें]

आदाता द्वारा धारा 354(1) के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला कथन या सुधार कथन

भाग क: रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	विशिष्टि रजिस्ट्रकरण संख्या (यू आर एन):		
5.	यूआरएन जारी करने की तारीख:		
6.	ईमेल आईडी:		
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
8.	रिपोर्टिंग अवधि:	_____ से (दिवस/मास/वर्ष) _____ (दिवस/मास/वर्ष)	

भाग ख: दाताओं और दान से संबंधित विवरण								
क्र. स.	पूर्व-स्वीकृति संख्या	दाता की विशिष्टि पहचान संख्या (आईडी) *(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	आईडी कोड *(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	दाता का नाम	दाता का पता	दान का प्रकार *(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*	प्राप्ति का मोड *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	दान राशि
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ

अंडरटेकिंग

मैं, _____, पुष्टि करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिए गए सभी ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं वचन देता/देती हूँ कि भविष्य में किसी भी समय प्रस्तुत विशिष्टियों में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना मैं अवश्य दूंगा/दूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में, पैन नंबर _____ के साथ, यह प्ररूप भर रहा/रही हूँ और मैं इस प्ररूप को भरने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

41. *नाम में आदाता का पूरा नाम शामिल होगा , जो कि रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या निधि होगा।*

42. *पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित किया जाएगा।*

43. भाग ख (स्तंभ ग) में,"विशिष्टि पहचान संख्या" का अर्थ है, —

(क) जहां पैन उपलब्ध हो, वहां अनिवार्य: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(ख) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पासपोर्ट संख्या	2
निर्वाचक का फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

44. भाग ख (स्तंभ छ) में,"दान का प्रकार" से तात्पर्य है, —

(I)	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 339 के अनुसार समग्र दान।
(II)	समग्र दान के अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान
(III)	विशिष्ट अनुदान
(IV)	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से दान।
(V)	अन्य (स्पष्ट करें)

45. भाग ख (कॉलम ज) में,"प्राप्ति का मोड" से तात्पर्य है, —

(I)	नकद
(II)	वस्तु
(III)	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में NEFT/RTGS, साथ ही खाताधारक चेक/ड्राफ्ट सम्मिलित हैं।
(IV)	अन्य (स्पष्ट करें)

46. *यदि किसी दाता ने विभिन्न प्रकार के या अलग-अलग मोड से दान दिया है, तो ऐसे प्रत्येक संयोजन के लिए अलग-अलग पंक्तियाँ भरी जाएंगी ।*

47. आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार इस प्ररूप को एक से अधिक बार तक भरा जा सकता है।

48. *प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।*

49. इस प्ररूप में उल्लिखित रकम रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 114

[नियम 190(7) देखें]

धारा 354(1)(छ) के अधीन दान का प्रमाण पत्र

भाग क: दान प्राप्तकर्ता की विशिष्टियां			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	अद्वितीय पंजीकरण संख्या (यूआरएन):		
5.	यूआरएन जारी करने की तारीख:		
6.	ईमेल आईडी:		
7.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: दानदाताओं और दान से संबंधित ब्यौरें			
8.	स्वीकृति संख्या:		
9.	अद्वितीय पहचान संख्या (आईडी):	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
10.	आईडी कोड:	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
11।	दाता का नाम:	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
12.	दाता का पता:	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
13.	प्राप्त दान राशि:		
14.	जिस वित्तीय वर्ष में यह दान प्राप्त हुआ:		
15.	दान का प्रकार:	*(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*	
16.	वह धारा जिसके अधीन दान कर कटौती के लिए पात्र है:	**धारा** 133(1)(**ख**)(ii) *(**टिप्पण** 5 का संदर्भ लें)*	

सत्यापन

मैं, _____, पैन नंबर _____ धारक, पूर्णतः यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्रमाण पत्र अपनी _____ (पदनाम) क्षमता में जारी कर रहा/रही हूँ तथा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

50. नाम में पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन या निधि या दाता का पूरा नाम सम्मिलित होगा।

51. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड सम्मिलित होगा।

52. भाग ख में (क्रम संख्या 9),"अद्‌वितीय पहचान संख्या" का अर्थ है, —

(c) जहां पैन उपलब्ध है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पैन	1

(d) यदि पैन उपलब्ध नहीं है: —

पहचान का प्रकार	आईडी कोड
पासपोर्ट संख्या	2
निर्वाचक का फोटो पहचान संख्या	3
जिस देश में व्यक्ति निवास करता है, उस देश का करदाता पहचान संख्या	4

4. भाग ख में (क्रम संख्या 15), "दान का प्रकार" का अर्थ है, —

(I)	धारा 339 के अनुसार कोष दान
(II)	मूलधन दान के अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान
(III)	विशिष्ट अनुदान
(IV)	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से दान।
(V)	अन्य (स्पष्ट करें)

5. दाता धारा 133(2) के अनुसार समायोजित सकल कुल आय के 10% के अधीन किए गए दान के 50% की कटौती के लिए पात्र होगा।

6. *प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।*

7. इस *प्ररूप* में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्ररूप सं. 115

[नियम 193 देखें]

अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील का प्ररूप

आयकर अपीलीय अधिकरण..... में अपील संख्या.....

वर्ष .... विरुद्ध .....

अपीलकर्ता प्रतिवादी

भाग क: अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी

1 नाम/पदनाम (यथा लागू हो) *(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*

2 स्थायी खाता संख्या
(*यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं)*

3 कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (कटौतीकर्ताओं के लिए)
(आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)

4 पता *(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*

5 संपर्क ब्यौरे

(**i**) लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड सहित — एसटीडी कोड नंबर *(ड्रॉपडाउन)* *(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*

(**ii**) मोबाइल नंबर — देश कोड नंबर *(ड्रॉपडाउन)* *(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*

(**iii**) ईमेल आईडी *(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)*

भाग ख: प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी

6 नाम या पदनाम (जहाँ लागू हो) *(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*

7 स्थायी खाता संख्या
(यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं)

8 कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (कटौतीकर्ताओं के लिए)
(आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)

9 पता *(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*

1 संपर्क विवरण

0 (**i**) लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड सहित — एसटीडी कोड नंबर *(ड्रॉपडाउन)*

(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

(**ii**) मोबाइल नंबर देश कोड नंबर

(ड्रॉपडाउन)

(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

(**iii**) ईमेल आईडी

(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)

भाग ग: अपील के ब्यौरे

1	संबंधित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि, जिसके संबंध में अपील	*(i)*	*कर वर्ष*
1	प्रस्तुत की जा रही है	*(ii)*	*ब्लॉक*
	(एक का चयन करें)		*अवधि*
		(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
1	पंक्ति 11 के उत्तर के अनुसार कर वर्ष या ब्लॉक अवधि का		
2	विवरण	*(ड्रॉपडाउन)*	
1	पंक्ति 12 में उल्लिखित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि के लिए		
3	निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय		
1	जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसका ब्यौरे		
4	(i) अधिनियम की धारा और उपधारा		
	(ii) आदेश की तारीख	*दिन/माह /वर्ष*	
	(iii) क्या अपील आकलन या दंड से संबंधित है	*(i)*	*हाँ*
	(एक का चयन करें)	*(ii)*	*नहीं*
	(iv) यदि पंक्ति 14(**iii**) का उत्तर **'**हाँ**'** है**,** तो मांग सूचना की सेवा की तारीख प्रदान करें	*दिन/माह /वर्ष*	
	(v) यदि पंक्ति 14(**iii**) का उत्तर **'**नहीं**'** है**,** तो आदेश की सेवा की तारीख प्रदान करें	*दिन/माह /वर्ष*	
	(vi) अपील दायर करने की नियत तारीख *	*दिन/माह /वर्ष*	
1	जिस आयकर प्राधिकारी ने उक्त आदेश पारित किया है	*(ड्रॉपडाउन)*	
5			
1	वह राज्य और जिला जहाँ अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी	*(ड्रॉपडाउन)*	
6	स्थित हैं		

भाग घ: अपील में विवादित राशि

1	उस अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन मूल	
7	आदेश पारित किया गया है।	

18 यदि जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है वह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(निरसन पूर्व यथा विद्यमान) की धारा **294** के अधीन पारित किया गया है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i) ब्लॉक मूल्यांकन के लिए आयकर विवरणी में दाखिल की गई अघोषित आय की राशि

(ii) निर्धारित अघोषित आय की राशि

(iii) निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित आय का कुल योग [(ii)-(i)]

(iv) विवादित अघोषित आय की राशि

(v) विवादित मांग की राशि

19 यदि अपील ब्लॉक मूल्यांकन के अतिरिक्त किसी अन्य मूल्यांकन से संबंधित है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:

(i) निर्धारित आय की राशि

(ii) आय में कुल वृद्धि

(iii) हानि के मामले में, निर्धारण में हानि की कुल अस्वीकृति

(iv) अपील में विवादित वृद्धि/हानि की अस्वीकृति की राशि

(v) विवादित मांग की राशि - (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें)

20 यदि अपील दंड से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(i) आदेश के अनुसार दंड की राशि

(ii) अपील में विवादित दंड की राशि

21 यदि अपील टीडीएस या टीसीएस उपबंधों से संबंधित है, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें:

(i) निर्धारित या आंकलित टीडीएस या टीसीएस डिफॉल्ट

(ii) अपील में विवादित टीडीएस या टीसीएस डिफॉल्ट

22 यदि अपील किसी अन्य मामले से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

23

(i) अपील में विवादित राशि

भाग ङ: अपील के आधार

24 अपील के आधार *(200 शब्दों में लिखें)*

25 (क) (i) आधार 1

(ii) कर प्रभाव

(ख) (आवश्यकतानुसार दोहराएँ)

कुल कर प्रभाव (टिप्पण 11 का संदर्भ लें)

भाग च: अपील दाखिल करने का विवरण

2 क्या अपील दाखिल करने में कोई विलंब हुआ है? *(iii) हां*

4 *(एक का चयन करें)* *(iv) नहीं*

2 यदि पंक्ति 24 का उत्तर 'हाँ' है, तो विलंब के लिए क्षमा के *(अपलोड)*

5 लिए कारण/आधार प्रदान करें।

2 अपील शुल्क के भुगतान का विवरण:

6

बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	क्रम संख्या	राशि
कुल			

हस्ताक्षर *हस्ताक्षर*

(अधिकृत प्रतिनिधि,यदि कोई हो) (अपीलकर्ता)

नाम: नाम:

पदनाम: पदनाम:

सत्यापन प्ररूप

मैं_____, स्थायी खाता संख्या_____, यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा ..... के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम हूँ। आज तारीख _____ माह_____वर्ष 20_____को सत्यापित किया गया।

स्थान:..... हस्ताक्षर

तारीख :..... (नाम)

पदनाम:

टिप्पण :

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम नाम, मध्य नाम तथा अंतिम नाम पूर्ण रूप में बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किए जाए। अन्य सभी मामलों में भी नाम पूरा प्रदान किया जाए।

2. पते में (**i)** फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, **(ii)** परिसर का नाम, **(iii)** सड़क या गली या मार्ग, **(iv)** क्षेत्र या इलाका, **(v)** कस्बा या शहर या जिला, **(vi)** राज्य, **(vii)** पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किए जाएंगे।

3. उस कर वर्ष का उल्लेख करें जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की जा रही है, या ब्लॉक अवधि का उल्लेख करें यदि आदेश अधिनियम की धारा **294** या **298** के अधीन पारित किया गया हो।

4. प्ररूप में दी जाने वाली कुछ जानकारी जहाँ तक संभव होगा, पूर्व-भरित होगी।

5. अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगा–

(क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसकी एक प्रति या उसकी प्रमाणित प्रति, संबंधित निर्धारण अधिकारी के आदेश की एक प्रति तथा यदि कोई हो तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्रति, साथ ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या विवाद समाधान पैनल के समक्ष प्रस्तुत अपील के आधारों या आपत्तियों की प्रति तथा वहाँ प्रस्तुत तथ्यों के विवरण की प्रति भी संलग्न की जाएगी; और इसके अतिरिक्त–

(i) दंड लगाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, संबंधित निर्धारण आदेश की एक प्रति; अधिनियम की धारा 272 के साथ पठित धारा 270 (10) के तहत आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में;

(ii) उक्त धारा 272 के अधीन जारी निर्देशों की एक प्रति, जब अपील अधिनियम की धारा 279 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध की गई हो;

(iii) मूल निर्धारण आदेश की एक प्रति, यदि कोई हो;

(iv) विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुपालन में किए गए निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, विवाद समाधान पैनल के निर्देशों की प्रति।

(ख) यदि अपील प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक अथवा निदेशक द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध की गई है, तो उस संबंधित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

6. (क) अधिनियम की धारा 362(1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन के साथ निम्नानुसार शुल्क संलग्न किया जाएगा–

क. **₹500,** यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई निर्धारिती की कुल आय **₹1,00,000** या उससे कम हो**;**

ख. **₹1500,** यदि उक्त प्रकार से गणना की गई कुल आय **₹1,00,000** से अधिक लेकिन **₹2,00,000** से अधिक न हो**;**

ग. निर्धारित आय का 1%, जो अधिकतम ₹ 10000 तक होगा, यदि पूर्वोक्त रूप में परिकलित निर्धारिती की कुल आय, जिस मामले से अपील संबंधित है, ₹ 200000 से अधिक है;

घ. **₹500,** जहाँ अपील का विषय उपरोक्त (क**), (**ख**)** और (ग**)** में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य मामले से संबंधित हो**;**

ङ. अपील यों के ज्ञापन के मामले में कोई शुल्क देय नहीं होगा;

च मांग के स्थगन के लिए आवेदन के साथ ₹ 500 संलग्न होगा।

(ख) शुल्क को अधिकृत बैंक की किसी शाखा, भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में चालान प्राप्त करने के पश्चात जमा किया जा सकता है। चालान की तीन प्रतियाँ अपील ज्ञापन के साथ अपीलीय अधिकरण को भेजी जाएँगी।

(ग) अपीलीय अधिकरण शुल्क के भुगतान के लिए चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।

7. अपील का ज्ञापन अंग्रेज़ी भाषा में लिखा जाएगा। तथापि, यदि अपील आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किसी राज्य में स्थित पीठ में दायर की जाती है, तो अपीलकर्ता के विकल्प पर इसे हिंदी भाषा में भी लिखा जा सकता है।अपील के आधारों को संक्षेप में तथा पृथक-पृथक शीर्षकों के अधीन , बिना किसी तर्क या विवरणात्मक कथन के प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे आधारों को क्रमानुसार संख्या दी जाएगी।

8. अपील संख्या और अपील का वर्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

9. प्रकीर्ण आवेदन के मामले में, अपील दायर करने के लिए 6 माह की सीमा अवधि की गणना उस वास्तविक तारीख से की जाएगी जब न्यायाधिकरण के अपीलीय आदेश की प्रति प्रधान

आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त या निर्धारिती के कार्यालय को प्राप्त हुई हो, जैसा कि प्रासंगिक हो।

10. जिन स्तंभों में अपीलकर्ता और प्रतिवादी की जानकारी मांगी गई है, उनमें प्रासंगिक और लागू होने वाला विवरण सही रूप से भरा जाएगा।

उदाहरण– यदि किसी मामले में विभाग अपीलकर्ता या प्रतिवादी है, तो अपील दायर करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय से संबंधित विवरण, यदि उपलब्ध हो, भरा जा सकता है।

11. इस प्ररूप को भरने के उद्देश्य से कर प्रभाव से आशय उस अंतर से होगा जो निर्धारित कुल आय पर देय कर और उस कर के बीच होगा जो तब देय होता यदि कुल आय को उन मुद्दों से संबंधित आय की राशि से कम कर दिया जाता जिनके विरुद्ध अपील दायर की जानी प्रस्तावित है (अर्थात् विवादित मुद्दे), जिसमें लागू अधिभार तथा उपकर भी सम्मिलित होंगे:

टिप्पण 11 के प्रयोजन हेतु:

(i) कर में कोई ब्याज सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ ब्याज की देयता स्वयं विवाद का विषय हो; ऐसे मामलों में ब्याज की राशि को ही कर प्रभाव माना जाएगा:

(ii) जिन मामलों में विवरणी में दर्शाई गई हानि को कम कर दिया गया हो या उसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो, वहाँ कर प्रभाव में विवादित मुद्दों पर अनुमानित कर भी सम्मिलित होगा:

(iii) दंड आदेशों के मामलों में, कर प्रभाव वह राशि होगी जितनी दंड राशि को हटाया गया है या कम किया गया है उस आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की जाएगी।:

(**iv**) कुल कर प्रभाव' का निर्धारण करते समय, उन आधारों पर कर प्रभाव, जो सामान्य आधारों का हिस्सा होते हैं, जैसे कि जहां मामले को पुनः खोलना स्वयं चुनौती के अधीन है, अलग से विचार नहीं किया जाएगा:–

12. यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग संलग्नक का उपयोग किया जा सकता है।

13. जब तक अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, सभी राशियाँ ₹ में ही प्रदान की जाएँगी।

प्रपत्र संख्या 116

[*नियम 193 देखें*]

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिआपत्ति ज्ञापन का प्रपत्र

आयकर अपीलीय अधिकरण में.....

प्रतिआपत्ति संख्या ..... वर्ष .....

अपील संख्या..... वर्ष ..... में

..... विरूद्ध .....

अपीलकर्ता प्रतिवादी

<table>
<tr><td colspan="5">भाग क: अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम/पदनाम (यथा लागू हो)</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या
(यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं होगा)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या
(आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">पता</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="4">संपर्क विवरण</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>(i)</td><td>लैंडलाइन नंबर एसटीडी कोड सहित</td><td>एसटीडी कोड</td><td>नंबर</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ड्रॉपडाउन)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>(ii)</td><td>मोबाइल नंबर</td><td>देश कोड</td><td>नंबर</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ड्रॉपडाउन)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>(iii)</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)</td></tr>
<tr><td colspan="5">भाग ख: प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">नाम या पदनाम (यथा लागू हो)</td><td colspan="2">(टिप्पणी 1 का संदर्भ लें)</td></tr>
</table>

7.	स्थायी खाता संख्या *(*यदि अपील आयकर विभाग द्वारा या सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दायर की गई हो, तो लागू नहीं होगा*)*			
8.	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (कटौतीकर्ताओं के लिए) (आयकर विभाग के लिए लागू नहीं)			
9.	पता			*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
10.	**संपर्क विवरण**			
	(i)	फोन नंबर एसटीडी कोड सहित	एसटीडी कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	(ii)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	(iii)	ईमेल आईडी		
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
भाग ग: अपील / प्रतिआपत्ति का ब्यौरे				
11.	न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित अपील संख्या जिससे संबंधित प्रतिआपत्ति दायर की जा रही है।			
12.	संबंधित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि, जिसके संबंध में प्रतिआपत्ति का ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है *(एक का चयन करें)*			*(iii) कर वर्ष* *(iv) ब्लॉक अवधि* *(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*
13.	पंक्ति 12 के उत्तर के अनुसार कर वर्ष या ब्लॉक अवधि का विवरण			*(ड्रॉपडाउन)*
14.	पंक्ति 13 में उल्लिखित कर वर्ष या ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय			
15.	जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसका ब्यौरे			
	(i)	अधिनियम की धारा और उपधारा		

	(ii)	आदेश की तारीख	*दिन/महीना/वर्ष*
	(iii)	क्या अपील निर्धारण या दंड से संबंधित है *(एक का चयन करें)*	*(v) हाँ* *(vi) नहीं*
	(iv)	यदि पंक्ति 14(**iii**) का उत्तर 'हाँ' है, तो मांग सूचना की सेवा की तारीख प्रदान करें	*दिन/माह/वर्ष*
	(v)	यदि पंक्ति 14(**iii**) का उत्तर 'नहीं' है, तो आदेश की सेवा की तारीख प्रदान करें	*दिन/माह/वर्ष*
	(vi)	अपील दायर करने की नियत तारीख*	दिन/माह/वर्ष
16.	जिस आयकर प्राधिकारी ने उक्त आदेश पारित किया है		
17.	वह राज्य और जिला जहाँ अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी स्थित हैं		*(ड्रॉपडाउन)*
18.	अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण में दायर अपील की सूचना प्राप्त होने की तिथि		*दिन/माह/वर्ष*
भाग घ: प्रतिआपत्ति में विवादित रकम			
19.	उस अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया है।		
20.	यदि जिस आदेश के विरुद्ध प्रतिआपत्ति दायर की गई है वह आयकर अधिनियम, **1961** का 43 निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा **294** के अधीन पारित किया गया है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:		
	(i)	ब्लॉक मूल्यांकन के लिए आयकर रिटर्न में दाखिल की गई अघोषित आय की राशि	
	(ii)	निर्धारित अघोषित आय की राशि	
	(iii)	निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित आय का कुल योग [(ii)-(i)]	
	(iv)	विवादित अघोषित आय की राशि	
	(v)	विवादित मांग की राशि	
21.	यदि प्रतिआपत्ति ब्लॉक मूल्यांकन के अतिरिक्त किसी अन्य मूल्यांकन से संबंधित है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:		
	(i)	निर्धारित आय की राशि	
	(ii)	आय में कुल वृद्धि	
	(iii)	हानि के मामले में, निर्धारण में हानि की कुल अस्वीकृति	

	(iv)		अपील में विवादित वृद्धि/हानि की अस्वीकृति की रकम	
	(v)		विवादित मांग की राशि – (हानि की दशा में शून्य दर्ज करें)	
22.	यदि प्रतिआपत्ति किसी दंड से संबंधित है:			
	(i)		आदेश के अनुसार दंड की रकम	
	(ii)		प्रतिआपत्ति में विवादित दंड की रकम	
23.	यदि प्रतिआपत्ति टीडीएस/टीसीएस निर्धारण से संबंधित है			
	(i)		निर्धारित डिफॉल्ट की रकम	
	(ii)		विवादित डिफॉल्ट की रकम	
24.	यदि प्रतिआपत्ति किसी अन्य मामले से संबंधित है:			
	(i)		प्रतिआपत्ति में विवादित रकम	
भाग ङ:प्रतिआपत्ति के आधार				
25.	प्रतिआपत्ति के आधार			प्रतिआपत्ति के प्रत्येक आधार से संबंधित कर प्रभाव *(*नीचे दिए गए टिप्पणी का संदर्भ लें*)*
	(A)	(i)	आधार 1	
		(ii)	कर प्रभाव	
	(B)		*(* यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	कुल कर प्रभाव (टिप्पणी 11 का संदर्भ लें)			
भाग च:प्रतिआपत्ति दाखिल करने का ब्यौरे				
26.	क्या प्रतिआपत्ति दाखिल करने में कोई विलंब हुआ है? *(एक का चयन करें)*			*(i) हां* *(ii) नहीं*
27.	यदि पंक्ति 26 का उत्तर 'हाँ' है, तो विलंब की क्षमा के लिए आधार/कारण प्रदान करें।			*(अपलोड)*

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(अधिकृत प्रतिनिधि,यदि कोई हो)	(अपीलकर्ता)
नाम:	नाम:

पदनाम: पदनाम:

सत्यापन प्रपत्र

मैं_____, स्थायी खाता संख्या _____, यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा ..... के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। आज तारीख _____ माह _____ वर्ष 20____ को सत्यापित किया गया।

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. व्यक्ति की दशा में, प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम पूर्ण रूप में बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किए जाए। अन्य सभी मामलों में भी नाम पूरा प्रदान किया जाए।
2. पते में (**i**) फ्लैट या द्वार या ब्लॉक नंबर, **(ii)** परिसर का नाम, **(iii)** सड़क या गली या मार्ग, **(iv)** क्षेत्र या इलाका, **(v)** कस्बा या शहर या जिला, **(vi)** राज्य, **(vii)** पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा ।
3. उस कर वर्ष का उल्लेख करें जिसके संबंध में प्रतिआपत्ति ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, या ब्लॉक अवधि का उल्लेख करें यदि आदेश अधिनियम की धारा **294** या **298** के अधीन पारित किया गया हो।
4. प्रपत्र में दी जाने वाली कुछ जानकारी जहाँ तक संभव होगा, पूर्व-भरित होगी।
5. प्रतिआपत्ति ज्ञापन तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. प्रतिआपत्ति ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाएगा या, यदि ज्ञापन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आयकर (अपीलीय न्यायाधिकरण) नियम, **1963** के नियम **5**ए के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किसी राज्य में स्थित पीठ में दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी के विकल्प पर हिंदी में लिखा जा सकता है, और इसमें प्रतिआपत्तियों को बिना किसी तर्क या वर्णन के, संक्षिप्त रूप में और अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा और ऐसी आपत्तियों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा।

7. प्रतिआपत्ति ज्ञापन की संख्या और वर्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

8. अपीलीय अधिकरण के कार्यालय द्वारा आवंटित अपील संख्या तथा अपील का वर्ष, जो प्रतिवादी को प्राप्त अपील सूचना में अंकित है, उसे प्रतिवादी द्वारा भरा जाएगा।

9. जिन स्तंभों में प्रतिवादी और अपीलकर्ता की जानकारी मांगी गई है, उनमें लागू होने वाला प्रासंगिक विवरण सही ढंग से भरा जाएगा।

10. उदाहरण के लिए,यदि किसी मामले में विभाग अपीलकर्ता या प्रतिवादी है, जैसा कि प्रासंगिक हो, तो प्रतिआपत्तियाँ दाखिल करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय से संबंधित विवरण, यदि उपलब्ध हो, भरा जा सकेगा।

11. इस प्ररूप को भरने के प्रयोजन से कर प्रभाव से आशय उस अंतर से होगा जो निर्धारित कुल आय पर देय कर और उस कर के बीच होगा जो तब देय होता यदि कुल आय को उन मुद्दों से संबंधित आय की राशि से कम कर दिया जाता जिनके विरुद्ध प्रतिआपत्ति दायर किया जाना प्रस्तावित है (अर्थात् विवादित मुद्दे), जिसमें लागू अधिभार तथा उपकर भी सम्मिलित होंगे:

टिप्पण **11** के प्रयोजनों के लिए,

(i) कर में किसी प्रकार का ब्याज सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ ब्याज की देयता स्वयं विवाद का विषय हो; ऐसे मामलों में ब्याज की राशि को ही कर प्रभाव माना जाएगा:

(ii) जिन मामलों में रिटर्न में दर्शाई गई हानि को कम कर दिया गया हो या उसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो, वहाँ कर प्रभाव में विवादित मुद्दों पर अनुमानित कर भी सम्मिलित होगा:

(iii) दंड आदेशों के मामलों में, कर प्रभाव वह राशि होगी जितनी दंड राशि को हटाया गया है या कम किया गया है उस आदेश में जिसके विरुद्ध प्रतिआपत्ति दायर किया जा रहा है:

(iv) कुल कर प्रभाव' का निर्धारण करते समय, उन आधारों पर कर प्रभाव, जो प्रतिआपत्ति के सामान्य आधारों का हिस्सा होते हैं, जैसे कि जहां मामले को पुनः खोलना स्वयं चुनौती के अधीन है, अलग से विचार नहीं किया जाएगा:

12. यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग से संलग्नक का उपयोग किया जा सकेगा।

13. सभी रकम ₹ में प्रदान की जाएगा हैं, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 117

[*नियम 194 देखें*]

अधिनियम की धारा 375(1) के अधीन निर्धारित द्वारा की जाने वाली घोषणा, जिसमें यह दावा किया जाता है कि विधि का समान प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

भाग क: करदाता की व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	स्थायी खाता संख्या			
3.	पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
4.	संपर्क विवरण			
	(i)	लैंडलाइन नंबर (एसटीडी कोड सहित)	एसटीडी कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)	
	(ii)	**मोबाइल नंबर**	देश कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो, दोहराएँ)	
	(iii)	**ईमेल आईडी**		
			(*यदि अपेक्षित हो,* दोहराएँ)	

भाग ख: निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित संबंधित मामले का ब्यौरे		
5.	जिस प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित है	*(ड्रॉपडाउन)*
6.	कर वर्ष	
7.	विधि संबंधी प्रश्न	*(अपलोड)*
भाग ग: उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अन्य मामले का ब्यौरे		
8.	विधि संबंधी प्रश्न जिस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं	*(ड्रॉपडाउनn)*
9.	लंबित मामले का कर वर्ष	
10.	विधि संबंधी प्रश्न	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*
भाग घ: यह घोषणा कि संबंधित मामले में लंबित विधि संबंधी प्रश्न अन्य मामले में लंबित प्रश्नों के समान हैं।		
11	मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि भाग–ख में उल्लिखित संबंधित मामले में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्न, भाग–ग में उल्लिखित 'अन्य मामले में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्नों के समान हैं। मैं आगे यह भी घोषित करता/करती हूँ कि यदि प्राधिकारी*** _____ भाग–ग में उल्लिखित अन्य मामले में विधि संबंधी प्रश्नों पर दिए जाने वाले अंतिम निर्णय को भाग–ख में उल्लिखित संबंधित मामले पर लागू करने के लिए सहमत होता है, तो मैं _____, करदाता, स्थायी खाता संख्या _____ अपने भाग–ख में निर्दिष्ट संबंधित मामले से उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्नों को किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में या किसी उच्च मंच के समक्ष बाद की अपील में नहीं उठाऊँगा/उठाऊँगी। _____ घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर	

(नाम: .....)

पदनाम (यदि लागू हो):.....

सत्यापन प्ररूप

मैं,_____स्थायी खाता संख्या_, यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सही, पूर्ण तथा सत्य रूप से प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा_____ के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम हूँ। आज दिनांक_____ माह_____ वर्ष 20____ को सत्यापित किया गया।

स्थान.....

तिथि.....

.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम:.....)

पदनाम (यदि लागू हो):.....

टिप्पण:

1. घोषणाकर्ता का प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाएगा।

2. पते में घोषणाकर्ता का **(i)** फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, **(ii)** परिसर का नाम, **(iii)** सड़क या गली या लेन, **(iv)** क्षेत्र या इलाका, **(v)** कस्बा या शहर या जिला, **(vi)** राज्य और **(vii)** पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।

3. पंक्ति **10** के संबंध में निम्नलिखित विवरण संलग्नक के रूप में प्रदान किए जाएँगे, अर्थात:

संलग्नक	विशिष्टियां
क-1	प्रकरण के विवरण की प्रति
क-2	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय को संदर्भित विधि संबंधी प्रश्न की प्रति।
क-3	उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति।
क-4	सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील के आधारों की प्रति।

उपाबंध क-**1**, क-**2** या क-3, क-4 में से कोई एक समूह संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

5. इस प्ररूप और नियम 194 के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित मामला" और "अन्य मामला" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 375 में उन्हें प्रदान किया गया है।

6. *** प्राधिकारी का पदनाम उल्लेख करें।

प्रणाली के लिए टिप्पण:

(क) बिंदु संख्या **5** के लिए ड्रॉप-डाउन में निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएँगे:

(i) निर्धारण अधिकारी

(ii) संयुक्त आयुक्त (अपील)

(iii) आयुक्त (अपील)

(iv) आयकर अपीलीय अधिकरण

(**ख**) बिंदु संख्या **8** के लिए, ड्रॉप-डाउन में निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएँगे:

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 के अधीन संदर्भ पर या धारा 260क के

अधीन अपील पर उच्च न्यायालय; या

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा वि□मान) की धारा 257 के अधीन संदर्भ पर या धारा 261 के अंतर्गत अपील पर उच्चतम न्यायालय; या

(iii) अधिनियम की धारा 365 के अंतर्गत की गई अपील पर उच्च न्यायालय ; या

(iv) अधिनियम की धारा 367 के अधीन की गई अपील पर उच्चतम न्यायालय ; या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका में, अपीलीय न्यायाधिकरण या अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध।

प्ररूप संख्या 118

[*नियम 195 देखें*]

_____ के उच्च न्यायालय या

आयकर अपीलीय अधिकरण_____ में

(*जो भी अनुपयुक्त हो, काट दें*)

भाग क: अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी				
1.	अपीलकर्ता का पदनाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	संपर्क विवरण			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	संख्या
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	(ii)	ईमेल आईडी		
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
भाग ख: प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी				
4.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
5.	स्थायी खाता संख्या(यदि उपलब्ध हो)			
6.	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)			
7.	पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
8.	संपर्क विवरण			
	(i)	मोबाइल नंबर	देश कोड	नंबर
			(ड्रॉपडाउन)	
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
	(ii)	ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)		
			(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)	
भाग ग: मामले का ब्यौरे				
9.	वह कर वर्ष जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है			
10.	पंक्ति 9 में उल्लिखित कर वर्ष के लिए करदाता द्वारा घोषित कुल आय			
11.	**जिस आदेश के विरुद्ध अपील स्थगित की गई है उसका विवरण**			
	(i)	वह धारा और उपधारा जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया है		
	(ii)	आदेश की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*	
	(iii)	आदेश / मांग सूचना की सेवा की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*	
12.	वह आयकर प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण जिसने वह आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील स्थगित की गई है			
13.	वह राज्य और जिला जहाँ अधिकार क्षेत्र वाला निर्धारण अधिकारी स्थित है			
14.	वह धारा और उपधारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया है			

15.	अधिनियम की धारा 376(3) के अनुसार आवेदन दाखिल करने की नियत तिथि			*दिन/माह/वर्ष*
भाग घ: संबंधित मामले में विधि का प्रश्न, जिसके लिए अपील स्थगित की गई है				
16.	(क)	(i)	संबंधित मामले में विधि के प्रश्न	
		(ii)	संबंधित मामले में अधिनियम की धारा तथा उपधारा	
		(iii)	कर प्रभाव	
		(आवश्यक होने पर दोहराएँ)		
	(ख)	कुल कर प्रभाव		
भाग ङ: अन्य मामले/मामलों का विवरण जिनके आधार पर अपील स्थगित की गई है				
17.	(क)	(i)	करदाता का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		(ii)	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
		(iii)	कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
		(iv)	वह न्यायालय जिसके समक्ष अन्य मामले में अपील लंबित है	*(ड्रॉपडाउन)*
		(v)	अन्य मामले में विधि संबंधी प्रश्न, जिसके आधार पर संबंधित मामले में अपील स्थगित की गई है	
		(vi)	अन्य मामले का केस संख्या	
	(ख)	(यदि अपेक्षित हो दोहराएँ)		

भाग च: घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि—

(क) पंक्ति 16 में उल्लिखित विधि संबंधी प्रश्न, जो करदाता के संबंधित मामले में कर वर्ष_____ के लिए उत्पन्न हुए हैं, निम्नलिखित में उत्पन्न विधि संबंधी प्रश्नों के समान हैं—:

i. उसी करदाता के मामले में कर वर्ष _____ के लिए, या

ii. _____के मामले में कर वर्ष_____, के लिए।

(ख) अन्य मामले में विधि संबंधी प्रश्न अधिनियम की धारा 365 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष, या अधिनियम की धारा 367 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील में, अथवा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका में, अपीलीय अधिकरण/अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, जैसा कि ऊपर पंक्ति 17 में उल्लेखित है, लंबित हैं;

(ग) पंक्ति 16 में उल्लिखित विधि संबंधी प्रश्नों पर अपील अधिनियम की धारा 376(5) तथा 376(6) के प्रावधानों के अनुसार दायर की जाएगी।

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

सत्यापन

मैं, _____, स्थायी खाता संख्या_____, यह घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं यह घोषणा_____ के रूप में कर रहा/रही हूँ तथा यह घोषणा करने और इसकी पुष्टि करने के लिए सक्षम हूँ। आज दिन_____ माह_____ वर्ष 20_____ को सत्यापित किया गया।

स्थान:..... हस्ताक्षर:_____

तिथि:..... (नाम:_____)

पदनाम:_____

:

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाए। किसी अन्य मामले में भी, पूरा नाम प्रदान किया जाएगा।
2. पते में **(i)** फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, **(ii)** परिसर का नाम, **(iii)** सड़क या गली या मार्ग, **(iv)** क्षेत्र या इलाका, **(v)** कस्बा या शहर या जिला, **(vi)** राज्य और (**vii)** पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।
4. यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए अलग से परिशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है।
5. इस प्ररूप और नियम **195** के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित मामला" और "अन्य मामला" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा **376** में उन्हें प्रदान किया गया है।
6. सभी राशियाँ ₹ में प्रदान की जानी हैं, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो।

प्ररूप संख्या 119

[**नियम 197 देखें**]

अधिनियम की धारा 379 **के अधीन विवाद समाधान समिति के समक्ष आवेदन**

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी				
1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या			
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (यदि कोई हो)			
5.	संपर्क विवरण			
	मोबाइल नंबर		देश कोड	नंबर
	ईमेल आईडी			
भाग ख: उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है				
6.	संबंधित कर वर्ष,जिस कर वर्ष/अवधि के संबंध में यह आवेदन किया गया है			
7.	निर्दिष्ट आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है			
	(i)	अधिनियम की धारा और उप-धारा		
	(ii)	आदेश की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*	
	(iii)	आदेश / मांग सूचना की सेवा की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*	
8.	निर्दिष्ट आदेश पारित करने वाला आयकर प्राधिकारी			
भाग ग: आवेदन का ब्यौरे				
9.	(i)	**निर्धारित आय की राशि**		
	(ii)	आय में कुल वृद्धि		
	(iii)	**हानि के मामले में, निर्धारण में हानि का कुल अस्वीकरण**		
	(iv)	आवेदन में विवादित वृद्धि / हानि की अस्वीकृति की राशि		
	(v)	विवादित देय राशि (यदि हानि है तो शून्य दर्ज करें)		
भाग घ: लंबित आवेदन				
10.	(i)	क्या किसी अन्य कर वर्ष से संबंधित कोई आवेदन इस करदाता के मामले में किसी विवाद समाधान समिति के समक्ष लंबित है? *(*एक का चयन करें*)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*	
	यदि पंक्ति **10(i)** का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें			

	(ii)	विवाद समाधान समिति, जिसके समक्ष आवेदन लंबित तारीख	
	(iii)	आवेदन संख्या	
	(iv)	आवेदन दाखिल करने की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*
	(v)	जिस कर वर्ष के संबंध में आवेदन किया गया है	
	(vi)	विशिष्ट आदेश जारी करने वाला आयकर प्राधिकारी	
	(vii)	**अधिनियम की धारा और उप-धारा, जिसके अधीन निर्दिष्ट आदेश पारित किया गया है**	
	(viii)	ऐसे आदेश की तारीख	*दिन/माह/वर्ष*
भाग ङ: भुगतान किए गए करों का विवरण			
11.	(i)	जिस कर वर्ष के संबंध में आवेदन किया गया है, उस कर वर्ष के लिए यदि करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया है, तो क्या घोषित आय पर देय कर पूरी तरह से भुगतान किया गया है? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं* *(iii) लागू नहीं*
	यदि पंक्ति 11(i) का उत्तर हां है, तो आय-विवरणी (आ-वि) और भुगतान किए गए करों का विवरण दर्ज करें		
	(ii)	स्वीकृति संख्या	
	(iii)	**आ-वि दाखिल करने की तिथि**	*दिन/माह/वर्ष*
	(iv)	**आ-वि के अनुसार कुल आय**	
	(v)	**आ-वि के अनुसार कुल देय कर**	
	(vi)	**भुगतान किया गया कुल कर**	
भाग च: तथ्य विवरण, आवेदन के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य			
12.	तथ्य विवरण		
	(i)	मामले के तथ्य	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
	(ii)	आश्रित दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची	
13.	(i)	क्या किसी दस्तावेजी साक्ष्य को आयकर प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अलावा प्रस्तुत किया गया है? *(एक का चयन करें)*	*(i)* हां *(ii)* नहीं
	(ii)	**यदि पंक्ति 13(i) का उत्तर हां है, तो ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करें**	*(टिप्पणी 3 देखें)*
14.	**आवेदन के आधार जिसमें प्रत्येक आधार शामिल है**		*(टिप्पणी 3 देखें)*
भाग छ: आवेदन दाखिल करने का विवरण			
15.	**देय आवेदन शुल्क का ब्यौरा**		

बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	**चालान की क्रम संख्या**	**राशि**

सत्यापन प्ररूप

*मैं, _____ [पूरा नाम और बड़े अक्षरों में] *पुत्र/पुत्री/पत्नी_____ स्थायी खाता संख्या_____ [इकाई का नाम], यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित ब्यौरे मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पंक्ति* 13(ii) *में कहे गए साक्ष्य के अलावा कोई अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह घोषणा* _____ [पदनाम] के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:……..

तारीख :……

(हस्ताक्षर)

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा प्रदान किया जाएगा।
2. पते में **(i)** फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, **(ii)** परिसर का नाम, **(iii)** सड़क या गली या लेन, **(iv)** क्षेत्र या इलाका, **(v)** कस्बा या शहर या जिला, **(vi)** राज्य और **(vii)** पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
3. क्रम संख्या **12, 13, 14** के संबंध में, निम्नलिखित विवरण परिशिष्ट के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्::

परिशिष्ट	विशिष्टियां
क-1	पंक्ति 12(i) में उल्लिखित मामले के तथ्य
क-2	पंक्ति 12(ii) में आश्रित दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची
क-3	पंक्ति 13 में आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अलावा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची।
क-4	आवेदन के आधार, जिसमें पंक्ति 14 का प्रत्येक आधार शामिल है।

4. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, राशियाँ ₹ में भरी जानी हैं।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्रपत्र संख्या 120

[नियम 200 देखें]

अधिनियम की धारा 383(1) के अधीन अग्रिम निर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र

	भाग क: मूल जानकारी			
1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	**स्थायी खाता संख्या)पैन(, यदि कोई हो**		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	**प्रास्थिति**		(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
4.	**यदि पंक्ति 3 का उत्तर व्यक्ति है और पंक्ति 2 में कोई स्थायी खाता संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:**			
	(i)	लिंग		
	(ii)	पिता/पति का नाम*	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
	(iii)	जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष	
5.	पता		(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	
6.	संपर्क ब्यौरे			
	मोबाइल नंबर		देश कोड	नंबर
	ईमेल आईडी			
7.	**निवास या नागरिकता का देश**			
8.	**निगमन की तारीख**		दिन/माह/वर्ष	
9.	**भारत में अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:**			
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
	(ii)	पता	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	
10.	**यदि पंक्ति 2 में कोई स्थायी खाता संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रदान करें।**			
11.	(i)	**ज्ञापन पत्र या भागीदारी विलेख या न्यास विलेख आदि के अनुसार आवेदक का व्यवसाय**		
	(ii)	**पंक्ति 11(i) में निर्दिष्ट ज्ञापन पत्र या भागीदारी विलेख या न्यास विलेख आदि की प्रति संलग्न करें।**	(अपलोड)	
	भाग ख: आवेदन का प्रयोजन			
12.	**आवासीय प्रास्थिति** (एक का चयन करें)		(i) निवासीt (ii) अनिवासी	
13.	संबंधित डीटीएए (जहाँ भी लागू हो)			
14.	(i)	यदि पंक्ति 12 का उत्तर अनिवासी है, तो अनिवासी होने के	*(200 शब्दों में लिखें)*	

		दावे का आधार प्रदान करें		
	(ii)	पंक्ति 14(i) में उल्लिखित अनिवासी होने का प्रमाण संलग्न करें		(अपलोड)
15.	**अग्रिम राय का निर्धारण किसके संबंध में** *(एक का चयन करें)*			*(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*
16.	(i)	उस लेन-देन से संबंधित प्रश्न, जिस पर अग्रिम राय की आवश्यकता है		*(अपलोड)*
	(ii)	पूछे गए प्रश्न)प्रश्नों (का संक्षिप्त सारांश		*(200 शब्दों में लिखें)*
	(iii)	अधिनियम के संबंधित अनुभाग		*(200 शब्दों में लिखें)*
भाग ग: विशिष्ट विवरण और उपाबंध / दस्तावेज				
17.	**पंक्ति 16 में निर्दिष्ट प्रश्न)प्रश्नों (पर प्रभाव डालने वाले संबंधित तथ्यों का विवरण।**			*(अपलोड)* *(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)*
18.	**पंक्ति 16 में निर्दिष्ट प्रश्न)प्रश्नों (के संबंध में, यथास्थिति, विधि या तथ्यों की आवेदक की व्याख्या वाला विवरण।**			*(अपलोड)* *(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)*
19.	सुसंगत अनुबंधों का विवरण			
	(क)	सुसंगत अनुबंध का विवरण, यदि कोई हो		
	(ख)	सुसंगत अनुबंध की प्रति		*(अपलोड)*
	(ग)	अनुबंध की अवधि (यदि कोई हो)	**वर्ष)से(**	**वर्ष)तक(**
	(यदि अपेक्षित हो **दोहराएं***)*			
20.	**भुगतान के प्रमाण सहित शुल्क भुगतान विवरण**			
	(क)	*(i)* भुगतान की गई शुल्क की राशि		
		(ii) बैंक विवरण		
		(iii) चालान की तिथि		
		(iv) चालान संख्या		
	(ख)	*(यदि अपेक्षित हो* **दोहराएं***)*		
21.	(क)	**आवेदक सहित शामिल अनिवासी पक्षकारों की कुल संख्या**		
	(ख)	**अनिवासी आवेदक और शामिल अनिवासी पक्षकारों के समूह संरचना विवरण**		*(अपलोड)* *(टिप्पण 7 का संदर्भ लें)*
	(ग)	(i) अनिवासी आवेदक या शामिल पक्षकार का नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		(ii) स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो		
		(iii) स्थिति		*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*
		(iv) करदाता पहचान संख्या)टीआईएन(		
		(v) पता		*(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*
		(vi) निवास का देश		
		(vii) अंशधारिता विवरण)प्रतिशतवार(		
	(घ)	(i) तत्कालीन मूल कंपनी / होल्डिंग संस्था का नाम		

		(ii)	उपरोक्त)ii) से)vii) दोहराएं	
	(ड.)	(i)	अंतिम मूल कंपनी / होल्डिंग संस्था का नाम	
		(ii)	पंक्ति 21(c) के (ii) से (vii) तक की जानकारी दोहराएँ	
	(च)	(i)	अंतिम मूल कंपनी या होल्डिंग संस्था के लाभार्थी मालिक का नाम	*(*टिप्पण 8 का संदर्भ लें*)*
		(ii)	पंक्ति 21(c) के (ii) से (vii) तक की जानकारी दोहराएँ	
	(यदि अपेक्षित हो **दोहराएं*)***			
22.	संव्यवहार की राशि एवं कर वर्ष			
	(क)	(i)	कर वर्ष	
		(ii)	संव्यवहार की राशि	
	(ख)	*(यदि अपेक्षित हो* **दोहराएं*)***		
23.	(क)	आवेदक के मामले में किसी आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा समान या मिलते-जुलते मुद्दों का निर्णय *(*एक का चयन करें*)*		*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
	यदि पंक्ति 23(A) का उत्तर हाँ है, तो निम्न विवरण दें:			
	(ख)	(i)	मुद्दा	*200 शब्दों में लिखें*
		(ii)	कर वर्ष	
		(iii)	आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय	
		(iv)	निर्णय या संक्षेप / निष्कर्ष	*200 शब्दों में लिखें*
	(ग)	*(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)*		
24.	(क)	क्या आवेदक या आवेदक के समूह की किसी अन्य इकाई के मामले में समान या मिलते-जुलते लेन-देन संबंधी कार्यवाही बीएआर में लंबित है? *(*एक का चयन करें*)*		*(i) हां* *(ii) नहीं*
	यदि पंक्ति 24(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्न विवरण दें:			
	(ख)	(क)	इकाई का नाम	
		(ख)	पता	*(*टिप्पण 4 का संदर्भ लें*)*
		(ग)	स्थायी खाता संख्या	
		(घ)	बीएआर में आवेदन विवरण	
			(i) बीएआर *(*एक का चयन करें*)*	*(i) बीएआर I* *(ii) बीएआर II* *(iii) बीएआर III*
			(ii) आवेदन संख्या	
			(iii) दाखिल करने की तारीख	*दिन/माह/वर्ष*
			(iv) प्रवेश की तारीख	*दिन/माह/वर्ष*
			(v) वर्तमान स्थिति	*200 शब्दों में लिखें*

			(vi)	मुद्दों और पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण	*200 शब्दों में लिखें*
	(यदि अपेक्षित हो **दोहराएं)**				
25.	**क्या आप निर्णय/आदेश को गुमनाम रूप में प्रकाशित करने के लिए सहमत हैं?** *(*एक का चयन करें*)*				*(i)* हां *(ii)* नहीं
26.	यदि पंक्ति 15 का उत्तर अध्याय XI में निर्दिष्ट व्यवस्था है, तो आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट अननुज्ञेय व्यवस्था (जीएएआर) का विवरण प्रदान करें				
	(क)	आवेदक द्वारा की जाने वाली व्यवस्था का विवरण, जिस पर बोर्ड का निर्णय या निर्धारण आवश्यक है			
		(i)		व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण	
		(ii)		व्यवस्था का उद्देश्य / उद्देश्य	
		(iii)		व्यवस्था में अन्य पक्षों का विवरण निम्न प्रारूप में:	
			(क)	व्यवस्था के अन्य पक्षकार)पक्षकारों (का नाम	
			(ख)	क्या भारत में निवासी है *(*एक का चयन करें*)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
			(ग)	स्थायी खाता संख्या	
			(घ)	व्यवस्था में ऐसे पक्षकार की भूमिका	*200 शब्दों में लिखें*
			(ड.)	व्यवस्था के अन्य पक्षकार)पक्षकारों (के साथ संबंध	*200 शब्दों में लिखें*
			(च)	अन्य पक्षकार)पक्षकारों (को होने वाला कर लाभ, यदि कोई हो	*200 शब्दों में लिखें*
			((क) से (च)तक आवश्यकतानुसार दोहराएँ)		
	(ख)	कर लाभ जो व्यवस्था से उत्पन्न होने की संभावना है, यदि की जाती है			*200 शब्दों में लिखें*
	(ग)	कर वर्ष, या वर्ष जिसके दौरान उपरोक्त रूप में इंगित कर लाभ उत्पन्न होने की संभावना है)वर्षवार विवरण दें(			*(*अपलोड*)*
27.	**यदि पंक्ति 15 का उत्तर किसी अधिसूचित निवासी आवेदनकर्ता की कुल आय की गणना से संबंधित है जो किसी आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, तो अपील से संबंधित विवरण प्रदान करें**				
	(क)	मूल्यांकन विवरण			
		(i)		कर वर्ष	
		(ii)		मूल्यांकन आदेश की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*
		(iii)		वह धारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया था	
		(iv)		निर्धारण अधिकारी	
		(v)		क्या निर्धारण आदेश या कार्यवाही की वर्तमान स्थिति पंक्ति 17 या 18 में संलग्न है। *(*एक का चयन करें*)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
		(यदि अपेक्षित हो **दोहराएं)**			
	(ख)	अपील का विवरण			
		(i)		अपील संख्या	
		(ii)		आयकर आयुक्त)अपील (या अधिकरण के समक्ष अपील की तिथि	*दिन/माह/वर्ष*
		(iii)		क्या अपील के आधार और अपील की वर्तमान स्थिति	*(i)* हां

			या संबंधित अपीलीय आदेश पंक्ति 17 या 18 में संलग्न हैं। *(एक का चयन करें)*	*(ii)* नहीं
		(आवश्यकतानुसार दोहराएं)		

स्थान:

दिनांक: _____

(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम: _____

सत्यापन

मैं, _____ /पूरा नाम और बड़े अक्षरों में] *पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी_____ जिसका स्थायी खाता संख्या_____ है, और जो _____ /संस्था का नाम] से संबद्ध है, यहां यह सत्य घोषित करता/करती हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण तथा परिशिष्टों में प्रस्तुत दस्तावेज़ सही और पूर्ण हैं।मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में कर रहा/रही हूँ, जैसे कि_____ *(*पदनाम), और मैं इस आवेदन को प्रस्तुत करने और सत्यापित करने में सक्षम हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस प्रश्न/प्रश्नों पर अग्रिम निर्णय मांगा गया है, वह मेरे मामले में किसी भी आयकर प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित नहीं/लंबित* है।

आज, दिनांक..... को सत्यापित किया।

** जो लागू न हो, उसे हटा दें।*

स्थान:…….

तारीख:……...

हस्ताक्षर

(नाम: _____)

पदनाम: _____

टिप्पण:

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूरा प्रदान किया जाए। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूरा प्रदान किया जाएगा।

2. यह फ़ील्ड केवल निवासी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है।

3. स्थिति इस प्रकार भरें:

(i) व्यक्ति
(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार
(iii) कंपनी
(iv) फर्म
(v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या न हो
(vi) व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या न हो
(vii) (स्थानीय प्राधिकारी
(viii) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति
(ix) सरकार
(x) न्यास
(xi) सीमित देयता भागीदारी

4. पते में (i) फ्लैट या दरवाजा या ब्लॉक नंबर, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क या गली या लेन, (iv) क्षेत्र या इलाका, (v) कस्बा या शहर या जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन या ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।

5. निम्नलिखित में से कोई एक चुनें:

(i) कोई संव्यवहार जो किसी अनिवासी आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ii) किसी लेन-देन से उत्पन्न किसी अनिवासी की कर देयता, जो किसी निवासी आवेदक द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(iii) किसी निवासी आवेदक की कर देयता, जो ऐसे आवेदक द्वारा किसी निवासी के साथ किए गए या किए जाने वाले लेन-देन से उत्पन्न होती है और ऐसे निर्धारण में आवेदन में निर्दिष्ट विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण सम्मिलित होगा;

(iv) किसी अधिसूचित निवासी आवेदनकर्ता की कुल आय की गणना से संबंधित कोई मुद्दा जो किसी आयकर प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है और ऐसे निर्धारण या निर्णय में आवेदन में निर्दिष्ट कुल आय की ऐसी गणना से संबंधित विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण या निर्णय शामिल होगा;

(v) कोई व्यवस्था, जो किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, किए जाने का प्रस्ताव है और यह कि क्या यह अध्याय XI में निर्दिष्ट अनुज्ञेय परिहार व्यवस्था है या नहीं।

6. आवेदक, संलग्नक के साथ, विवरण और संबंधित पृष्ठ संख्याओं सहित अपलोड किए गए दस्तावेजों की एक अनुक्रमणिका प्रदान करेगा। दस्तावेजों में निर्धारण आदेश, अपील के आधार, अपील की वर्तमान स्थिति, अपीलीय आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, यथोचित, शामिल हो सकते हैं।

7. अनिवासी आवेदक और इसमें शामिल किसी भी अन्य अनिवासी पक्षकारों के मामले में ट्री प्रारूप में समूह संरचना अपलोड की जाएगी। यह फ़ील्ड दिनांक 28.11.2014 की अधिसूचना संख्या 73/2014 के तहत शामिल निवासी आवेदक के मामले में और दिनांक 03.08.2000 की अधिसूचना संख्या 11456/2000 के तहत शामिल अधिसूचित निवासी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में लागू नहीं है।

8. लाभकारी स्वामित्व के संदर्भ में निम्न नियम देखें:-

(i) कंपनी के लिए कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2018 का नियम 2(एच)।

(ii) 2023 में संशोधित निवारक मनी लॉन्ड्रिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9(3)(ड.) को न्यास के लिए देखें।

(iii) 2023 में संशोधित निवारक मनी लॉन्ड्रिंग नियम (अभिलेखों का अनुरक्षण), 2005 के नियम 9(3)(ख) को साझेदारी/ एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) आदि के लिए देखें।

(iv) 2023 में संशोधित निवारक मनी लॉन्ड्रिंग नियम (अभिलेखों का अनुरक्षण), 2005 के नियम 9(3)(ग) को व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) / व्यक्तियों के संघ (एओपी) के लिए देखें।

9. जहां यह प्रपत्र अधिनियम की धारा *265* के तहत तालिका के स्तंभ ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहां यह प्रपत्र उक्त तालिका के स्तंभ ग में संगत प्रविष्टि के सामने निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

10. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

11. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरित होगी।

प्ररूप संख्या 121

[नियम 211 देखें]

धारा 393(6) के अधीन कतिपय आयों की प्राप्ति पर कर कटौती के बिना घोषणा

भाग क

[कुछ निश्चित आयों को बिना कर कटौती के प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाना है]

घोषणाकर्ता का विवरण			
1.	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	
2.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)	
5.	आवासीय स्थिति	(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)	
5(क).	यदि निवासी व्यक्ति हो, तो चाहे उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।	*हां नहीं*	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
8.	कर वर्ष (जिसके लिए घोषणा की गई है)		
आय के ब्योरे			
9.	आय का स्वरूप	*(*टिप्पण 5 का संदर्भ ले*)*	
10.	अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है		
11.	कर वर्ष के दौरान दाखिल किए गए इस प्ररूप के अलावा प्रपत्र संख्या 121 का विवरण, यदि कोई हो।	*हां नहीं*	
11(क).	प्ररूप संख्या 121 के पूर्व में दाखिल किए गए कुल प्रपत्रों की संख्या		
11(ख).	प्ररूप संख्या 121 दाखिल किए गए आय की कुल राशि		

<table>
<tr><td>12.</td><td colspan="4">कर वर्ष के दौरान घोषित की गई आय की कुल राशि [स्तंभ 10 और 11(ख) का योग]</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="4">कर वर्ष की अनुमानित कुल आय, जिसमें स्तंभ 12 में उल्लिखित आय भी सम्मिलित है।</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">14.</td><td colspan="4">पिछले दो कर वर्षों के लिए दाखिल किए गए आयकर विवरणी (आईटीआर) के ब्योरे</td><td></td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>कर वर्ष</td><td>पावती संख्या</td><td>आय वापसी</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

घोषणा

मैं, जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि

(i) मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है।

(ii) इस प्ररूप में उल्लिखित आय अधिनियम की धारा 96 से 99 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(iii) भाग क के कॉलम 13 में उल्लिखित मेरी अनुमानित कुल आय (भाग क के स्तंभ 12 में उल्लिखित आय सहित) पर कर वर्ष के लिए कर शून्य होगा।

(iv) भाग क के स्तंभ 12 में उल्लिखित मेरी आय कर वर्ष के लिए कर से मुक्त अधिकतम राशि से अधिक नहीं है... (यह नियम साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा)

(v) यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मैं अधिनियम के अधीन अभियोजन/दंड का पात्र होऊंगा।

स्थान: ..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

भाग ख

[घोषणाकर्ता(ओं) से भाग-क में घोषणा(ओं) प्राप्त करने वाले और उस आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सत्यापन जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है]

	आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण		
1.	नाम	*(*टिप्पण 1 का संदर्भ ले*)*	
2.	पता	*(*टिप्पण 2 का संदर्भ ले*)*	
3.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
4.	स्थायी खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
7.	कर वर्ष		
	घोषणाकर्ता का विवरण और प्राप्त घोषणाओं का विवरण		
8.	घोषणाकर्ता का नाम	*(*टिप्पण 1 का संदर्भ ले*)*	
9.	स्थायी खाता संख्या		
10.	अद्वितीय पहचान संख्या		
11।	जन्म तिथि/निगमन तिथि	*(*दिन/माह/वर्ष*)*	
12.	पता	*(*टिप्पण 2 का संदर्भ ले*)*	
13.	ईमेल आईडी		
14.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
15.	अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है	*(भाग क के स्तंभ 10 के अनुसार)*	
16.	घोषणाकर्ता के कर वर्ष की अनुमानित कुल आय	*(भाग क के स्तंभ 13 के अनुसार)*	
17.	कर वर्ष के दौरान घोषित की गई आय की कुल राशि	*(भाग क के स्तंभ 12 के अनुसार)*	
18.	जिस तारीख को घोषणा प्राप्त हुई	(दिन/माह/वर्ष)	

घोषणा

मैं ..... जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणाकर्ता(ओं) से संबंधित जानकारी घोषणाकर्ता(ओं) से प्राप्त भाग-क में विधिवत रूप से प्रस्तुत की गई है और मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सटीक रूप से दी गई है।

जगह: ..... आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

टिप्पण :

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. धारा 393(6) के अधीन निवासी किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा की जाएगी [सारणी क्र. स. 1] धारा 393(6) न्यास[सारणी क्र. स. 2] के अधीन धारा 393(6) के अंतर्गत कोई व्यक्ति [सारणी क्र. स. 1] जो कंपनी या व्यक्ति नहीं है।
4. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
5. यह आवेदन निम्नलिखित आय वर्गों के लिए लागू है, कृपया आवश्यकतानुसार जानकारी भरें:
   (a) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान।
   (b) बीमा व्यवसाय को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के लिए बीमा कमीशन, जिसमें बीमा पॉलिसियों के निरंतरता, नवीनीकरण या पुनरुद्धार से संबंधित व्यवसाय शामिल है।
   (c) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति से किराया
   (d) (i) म्यूचुअल फंड की इकाइयों, (ii) निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से प्राप्त इकाइयों, या (iii) निर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त इकाइयों के संबंध में आय।
   (e) प्रतिभूतियों पर ब्याज, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी

समिति द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, या केंद्र सरकार या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिसूचित योजना के तहत जमा की गई राशि पर डाकघर द्वारा दिया गया ब्याज।

(f) जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है।

(g) घरेलू कंपनी द्वारा घोषित लाभांश (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित)

अधिक जानकारी के लिए धारा 393(6) देखें।

6.सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में झूठा बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 482 के तहत अभियोजन का पात्र होगा।

7.प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

8. जब तक अन्यथा स्पष्ट न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 122

[नियम 204(1) देखें]

अधिनियम की धारा 392(4)(क) के अधीन आय का विशिष्टियां प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

क्रम संख्या	भाग क: कर्मचारी की विशिष्टियां	
1.	नाम	*(टिप्पण 1 संदर्भ लें)*
2.	पता	*(टिप्पण 2 संदर्भ लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या	
4.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 3 संदर्भ लें)*
5.	कर वर्ष	

भाग ख

धारा 392(4)(क) के प्रयोजन के लिए किसी अन्य नियोक्ता(ओं) से "वेतन" शीर्षक के अधीन देय या प्राप्त आय का विशिष्टियां

क्रम संख्या	अन्य नियोक्ता/नियोक्ताओं के नाम	अन्य नियोक्ता(ओं) का स्थायी खाता क्रमांक	अन्य नियोक्ता(ओं) का कर संग्रह और खाता संख्या	नियोजन की अवधि	अधिनियम की धारा 16, 17 और 18 में यथा परिभाषित वेतन का विशिष्टियां, जो कर्मचारी को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया हो या किया जाना हो।			स्तंभ 6, 7 और 8 का योग	जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अभिदाय आदि के संबंध में काटी गई राशि, जिस पर धारा 123 लागू होती है (ब्यौरा दें)	वर्ष के दौरान कटौती की गई कुल कर राशि [धारा 395(4) के अधीन जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें]
					स्तंभ 7 और 8 में दर्शाई जाने वाली राशियों को छोड़कर कुल वेतन राशि।	मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य भत्तों की कुल राशि, कर योग्य सीमा तक [अनुसूची III (सारणी क्रमांक 11) नियम 279 के साथ पढ़ें तथा अनुसूची III (सारणी क्रमांक	कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि और उपाबंध में उल्लिखित सुविधाओं का मूल्य (विशिष्टियां उपाबंध में दें)			

						12) और अनुसूची III (तालिका क्रमांक 13) देखें]				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

कर्मचारी के हस्ताक्षर

……

भाग ग

धारा 392(4)(क)(iii), (iv) और (v) के प्रयोजन के लिए विशिष्टियों के ब्यौरे

क्रम संख्या.	*विशिष्टियां*

1. "मकान संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि

हानि की राशि	ब्यौरे
(क)	(ख)

2. आय के किसी अन्य मद के अंतर्गत कर योग्य किसी अन्य आय का विशिष्टियां (उपरोक्त तालिका संख्या 1 में उल्लिखित "मकान संपत्ति के अंतर्गत हानि" को छोड़कर) –

शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य आय	आय का स्वरूप	मात्राप्राप्त/क्रेडिट की गई आय का
(क)	(ख)	

3. स्रोत पर कटौती किए गए अन्य करों के ब्यौरे –

वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर काटा जाता है	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का पता	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (कटौतीकर्ता का खाता क्रमांक)	कर कटौती की राशि	मात्रा
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	

4.	स्रोत पर कर संग्रह का विशिष्टियां –			
	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जाता है	संग्राहक का नाम	पता संग्राहक का	कर कटौती एवं संग्रह संग्राहक का खाता क्रमांक
	(क)	(ख)	(ग)	

घोषणा

मैं, ...जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

.....

तारीख:

हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. *किसी व्यक्ति के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा दिया जाएगा।*
2. *पते के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे*: i. *देश/क्षेत्र*, ii. *फ्लैट/मकान/भवन*, iii. *सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर*, iv. *पिन/ज़िप कोड*, v. *डाकघर*, vi. *क्षेत्र/इलाका*, vii. *जिला*, viii. *राज्य।*
3. '*आवासीय प्रास्थिति को इस प्रकार भरें*: (i) *निवासी* (ii) *अनिवासी* (iii) *निवासी परन्तु सामान्यतः निवासी नहीं।*
4. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

परिशिष्ट

[फॉर्म के स्तंभ 8 (भाग ख) देखें]

कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि और अनुलाभों के मूल्य का विशिष्टियां।

नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराए से मुक्त आवास का मूल्य या आवास के किराए में किसी भी प्रकार की छूट का मूल्य (गणना का आधार बताएं) <[नियम 15 देखें]>						
जहां आवास असंरचित है	जहां आवास सुसज्जित है				यदि कोई किराया हो तो कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया	अनुलाभ का मूल्य (स्तंभ 1 में से स्तंभ 6 घटाने पर या स्तंभ 5 में से स्तंभ 6 घटाने पर, जैसा लागू हो)
	मूल्य इस प्रकार निर्धारित करें जैसे कि आवास बिना फर्नीचर के हो।	फर्नीचर की लागत*या फिर, यदि किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया गया हो, तो किराया शुल्क लागू होगा।	फर्नीचर का अनुलाभ मूल्य (10% स्तंभ 3) या देय वास्तविक किराया शुल्क	स्तंभ 2 और 4 का योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**(इसमें टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण और एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण शामिल हैं)*

परिशिष्ट

(जारी)

क्या नियोक्ता द्वारा कोई परिवहन सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान की गई है, या क्या कर्मचारी को नियोक्ता के स्वामित्व वाली या किराए पर ली गई एक या अधिक मोटर कारों का उपयोग करने की अनुमति है, तो अनुलाभ का अनुमानित मूल्य (विशिष्टियां दें) [नियम 15 देखें]	*नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक घरेलू और/या व्यक्तिगत सेवाएं कर्मचारी को प्रदान किया गया (विशिष्टियां दें)*नियम 15 देखें]	*घर जाने की छुट्टी और अन्य यात्राओं के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर मिलने वाले यात्रा शुल्क का मूल्य, जिस सीमा तक कर योग्य हो (विशिष्टियां दें)* [*नियम* 278 *को अनुसूची* III *(तालिका क्रमांक* 8*) के साथ पढ़ें*]	*नियोक्ता द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी अन्य लाभ या सुविधा का अनुमानित मूल्य, जो पूर्ववर्ती स्तंभों में शामिल नहीं है (विशिष्टियां दें), उदाहरण के लिए, घरेलू उपयोग के लिए गैस, बिजली या पानी की आपूर्ति, निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं, परिवार के लिए परिवहन, आदि।* [*देखें*]नियम 15]	*नियोक्ता का योगदान मान्यता प्राप्त भविष्य निधि जो* 10% *से अधिक है कर्मचारी का वेतन* [*देखें*] *अनुसूची* XI – *भाग* A]	*मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में करदाता के खाते में जमा किया गया ब्याज, निर्धारित राशि से अधिक है। द्वारा निर्धारित दर केंद्र सरकार* [*अनुसूची* XI – *भाग* A *देखें*]	*स्तंभ* 7 *से* 13 *तक का कुल योग स्तंभ* 8 *में ले जाया गया इस प्ररूप का भाग ख*
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 123

[नियम 204(2)(ख) देखें]

वेतन के बदले मिलने वाले विशेषाधिकारों, अन्य अतिरिक्त लाभों या सुविधाओं और लाभों के मूल्य सहित ब्यौरे प्रस्तुत करें।

पंक्ति संख्या	**भाग क: नियोक्ता का ब्यौरे**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती/संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
	कर्मचारी का ब्यौरे		
7.	नाम	*(टिप्पण 1 ले)*	
8.	पद का नाम		
9.	स्थायी खाता संख्या		
10.	क्या कर्मचारी कंपनी में निदेशक या महत्वपूर्ण हित रखने वाला व्यक्ति है (यह नियम तब लागू होता है जब नियोक्ता एक कंपनी हो)	*हां नहीं*	
11	कर्मचारी के वेतन मद के अंतर्गत आय (अनुलाभों के अतिरिक्त)		
12.	ईमेल आईडी		
13.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
14.	कर वर्ष		

भाग ख: अनुलाभों का मूल्यांकन				
पंक्ति संख्या	*विशेषाधिकारों की प्रकृति (नियम 15 देखें)*	*नियमों के अनुसार अनुलाभ का मूल्य*	*कर्मचारी से वसूल की गई राशि (यदि कोई हो)।*	*कर योग्य अनुलाभ की राशि स्तंभ (ग) - (घ)*

क	*ख*	*ग*	*घ*	*ङ*
1	आवास			
2	कारें/अन्य ऑटोमोटिव			
3	सफाईकर्मी, माली, चौकीदार या निजी परिचारक			
4	गैस, बिजली, पानी			
5	ब्याज मुक्त या रियायती ऋण			
6	छुट्टी के खर्च			
7	निःशुल्क या रियायती यात्रा			
8	निःशुल्क भोजन			
9	मुफ्त शिक्षा			
10	उपहार, वाउचर आदि।			
11	क्रेडिट कार्ड के खर्च			
12	क्लब के खर्च			
13	कर्मचारियों द्वारा चल संपत्तियों का उपयोग			
14	कर्मचारियों को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण			
15	किसी अन्य लाभ/सुविधा/सेवा/विशेषाधिकार का मूल्य			
16	अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट पात्र स्टार्टअप नियोक्ता द्वारा आवंटित या अंतरित स्टॉक विकल्प			
17	उपरोक्त स्तंभ 16 में वर्णित ESOP के अलावा स्टॉक विकल्प (गैर-योग्य विकल्प)।			
18	नियोक्ता द्वारा योगदान अधिनियम की धारा 17(1)(ज) के तहत			

	कर योग्य निधि और योजना			
19	अधिनियम की धारा 17(1)(घ) में निर्दिष्ट निधि एवं योजना के खाते में जमा शेष राशि में ब्याज, लाभांश आदि के रूप में वार्षिक वृद्धि।			
20	अन्य लाभ या सुविधाएं			
21	सुविधाओं का कुल मूल्य			
22	अधिनियम की धारा 18 के अनुसार वेतन के बदले प्राप्त लाभ का कुल मूल्य			
23	कर के ब्यौरे, —			
	(क)कर्मचारी के वेतन से कर कटौती अधिनियम की धारा 392(1) के अंतर्गत।			
	(ख)अधिनियम की धारा 392(2)(क) के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से भुगतान किया गया कर			
	(ग)कुल कर भुगतान [23(क) + 23(ख)]			
	(घ)सरकारी खजाने में भुगतान की तिथि			

घोषणा

मैं, ..., जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है और जो ..... (पदनाम) के रूप में कार्यरत हूँ, ... (नियोक्ता का नाम) की ओर से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध लेखा-बहियों, दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों या सूचनाओं पर आधारित है और प्रत्येक अनुलाभ के मूल्य का ब्यौरे अधिनियम की धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए निर्मित नियमों की धारा 18 के अनुसार है और वेतन के बदले प्राप्त लाभ सत्य एवं सत्य हैं।

स्थान: ..... कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण

1. व्यक्ति के नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में सम्मिलित किए जाएंगे. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जानी चाहिए।

प्ररूप संख्या 124

[नियम 205 देखें]

***अधिनियम की धारा 392(5)(ख)* के अधीन कर कटौती हेतु कर्मचारी द्वारा किए गए दावों की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण**

	भाग क: कर्मचारी के ब्यौरे		
1.	कर्मचारी का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
6.	कर वर्ष		

भाग ख: दावों का विवरण और उनके साक्ष्य		
	दावे की प्रकृति	**विशिष्टियां**
1.	**मकान किराया भत्ता:**	
	(i) मकान मालिक का नाम	
	(ii) पता	
	(iii) स्थायी खाता संख्या (टिप्पण 3 *का संदर्भ लें*)	
	(iv) आधार संख्या	
	(v) मकान मालिक के साथ संबंध, यदि कोई हो	
	(vi) मकान मालिक को दिया गया किराया	
	(यदि आवश्यक हो तो पंक्ति संख्या 1 का विवरण दोहराएँ)	
2.	**यात्रा संबंधी रियायतें या सहायता छोड़ दें**	
3.	**ऋण पर ब्याज की कटौती:**	
	(i) ऋणदाता का नाम	
	(ii) पता	
	(iii) स्थायी खाता संख्या	
	(क) वित्तीय संस्थान (यदि उपलब्ध हों) या	

	(ख) नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो) या	
	(ग) अन्य	
	(iv) ऋणदाता को देय/भुगतान किया गया ब्याज	
	(यदि अपेक्षित हो तो पंक्ति संख्या 3 का विवरण दोहराएँ)	
4.	**अध्याय VIII-क और ख के अंतर्गत कटौती**	
	(i) धारा 123 और 124 (क) धारा 123 (क) ..... (ख) ..... (ग) ..... (ख) धारा 124 (ख) धारा 130 (घ) धारा 131 (5) अध्याय VIII- A और B के अंतर्गत अन्य खंड (जैसे 129, 133, 137, 153, आदि) (क) धारा ...। (ख) धारा ...। (ग) धारा ...।	
5.	अन्य विवरण उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जाएंगे।	*(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)*

घोषणा

मैं, ..., जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।

स्थान: कर्मचारी के हस्ताक्षर:.....

तारीख: नाम: .....

टिप्पण:

1. व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. यदि कर वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक हो तो स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

अनुलग्नक	विशिष्टियां
क-1	मकान किराया समझौता
ख-2	अवकाश यात्रा रियायतों या सहायता के दावे के समर्थन में दस्तावेज
ग-3	ऋण समझौता
घ-4	अध्याय VIII-क और ख के अंतर्गत कटौती के दावे के समर्थन में दस्तावेज।

5. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

प्ररूप संख्या 125

[नियम 208 देखें]

धारा 393(1) अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा [सारणी: क्रं.स]8(iii)]

	निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का विवरण			
1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या			
4.	जन्म तारीख			
5.	कर वर्ष		*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
6.	ईमेल आईडी			
7.	संपर्क संख्या		*देश कोड*	*संख्या*
8.	विनिर्दिष्ट बैंक का नाम			
9.	उस नियोक्ता का नाम जिससे पेंशन प्राप्त होती है			
10.	पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या			
11	बैंक में रखे गए खातों का ब्यौरा:			
	क्रम संख्या	खाता संख्या	व्यक्तिगत खाता / संयुक्त खाता	
12.	क्या अधिनियम की धारा 202 के अधीन नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनना उचित है?		*(हां नहीं)* *(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)*	

घोषणा

मैं, ... जिसका स्थायी खाता संखा. ……. है, प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है और यह कि मेरे पास पेंशन और/या ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय के अलावा कोई अन्य आय नहीं है, जो कि ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट बैंक के खाते में ही प्राप्त होती है या प्राप्त होने वाली है।

तारीख ……। व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान …… नाम: ……...

टिप्पण:

1. व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

2. पते में चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य की जानकारी सम्मिलित की जाएगी।

3. कर वर्ष से तात्पर्य उस कर वर्ष से है जिसके संबंध में आय की घोषणा की जा रही है।

4. यदि नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना जाता है, तो अनुमत कटौती और अनुमत छूट नई कर व्यवस्था के अनुसार होगी।

प्ररूप संख्या 126

[नियम 209 देखें]

नियम 209 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन कर कटौती के बिना कुछ राशियों की प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र हेतु आवेदन।

भाग क

आवेदक का विवरण

1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
4.	इकाई की प्रकृति *(किसी एक को चुनें)*	○ बैंकिंग कंपनी ○ बीमा कंपनी ○ बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति	
5.	प्रधान अधिकारी	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*
		पद का नाम	
6.	भारतीय शाखाओं का पता	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
7.	इसके निगमन का देश	*(ड्रॉप डाउन)*	
8.	भारत के बाहर स्थित प्रधान कार्यालय का पता	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
9.	ईमेल आईडी		
10.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*

भाग ख (यदि आवेदक बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता है तो इसे भरा जाना है)

घोषणा एवं अनुरोध

मैं, …. (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या …..है, …… (आवेदक का नाम) का प्रधान अधिकारी होते हुए, घोषणा करता/करती हूँ:

1. कि ……. (आवेदक का नाम) एक बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता है जो एक घरेलू कंपनी नहीं है और जो उपर्युक्त शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्यरत है।

2. उक्त कंपनी/बीमाकर्ता प्रतिभूतियों पर ब्याज न होने पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है (धारा 393(4) [सारणी: क्रमांक 6] में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के अलावा)। और अन्य राशियाँ जो लाभांश नहीं हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर वर्ष _____ के दौरान प्रभार्य हैं।

3. यह नियम 209 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

   (क) …… (आवेदक का नाम) भारत में नियमित रूप से आयकर का आकलन किया गया है और पिछले पांच कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे विवरणी इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले देय हो गए थे।

(ख) …….. (आवेदक का नाम) किसी भी कर (अग्रिम कर और धारा 266 के अधीन देय कर सहित), ब्याज, जुर्माना, दंड, या अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि के संबंध में चूक में नहीं है या चूक में नहीं माना जाता है।

(ग) ब्याज या अन्य राशि शाखाओं द्वारा अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की जाती है, न कि अपने प्रधान कार्यालय या भारत के बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से;

अत: एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जो ……. (आवेदक का नाम) को प्रतिभूतियों पर ब्याज न होने पर (धारा 393(4) [तालिका: क्रमांक 6] में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के अलावा) और लाभांश न होने पर, अधिनियम की धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 17) के अधीन कर कटौती के बिना, कर वर्ष _____ के दौरान ब्याज प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

मैं घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में जो कुछ भी कहा गया है वह सही है।

स्थान: प्रधान अधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

6. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
7. 'व्यक्ति' की स्थिति को निम्न प्रकार से भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
8. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
9. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

भाग ग (यदि आवेदक बैंकिंग कंपनी/बीमाकर्ता के भिन्न कोई अन्य व्यक्ति है तो इसे भरा जाना है)

घोषणा एवं अनुरोध

मैं, …. (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है, …… (आवेदक का नाम) का प्रधान अधिकारी होते हुए, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:

1. यह कि ….. (आवेदक का नाम) एक अनिवासी करदाता है (जो बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता नहीं है) जो उपर्युक्त शाखाओं के माध्यम से भारत में व्यवसाय/पेशा चला रहा है।

2. यह कि …. (आवेदक का नाम) आयकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य राशियों (लाभांश और ब्याज के अलावा) को कर वर्ष _____ के दौरान प्राप्त करने का हकदार है।

3. यह कि ….. (आवेदक का नाम) नियम 209 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

   (क) ……. (आवेदक का नाम) आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्षों की अवधि से भारत में लगातार व्यवसाय या पेशा कर रहा है।

   (ख) भारत में ऐसे व्यवसाय या पेशे की अचल संपत्तियों का मूल्य, जैसा कि आवेदन की तिथि से ठीक पहले समाप्त हुए कर वर्ष के लिए उसकी बहियों में दर्शाया गया है, या यदि उक्त तिथि से पहले ऐसे कर वर्ष के संबंध में खाते तैयार नहीं किए गए हैं, तो उस वर्ष से ठीक पहले के कर वर्ष के लिए, पचास लाख रुपये से अधिक है।

   (ग) …… (आवेदक का नाम) भारत में नियमित रूप से आयकर का आकलन किया गया है और पिछले पांच कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे रिटर्न इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले देय हो गए थे।

   (घ) …….. (आवेदक का नाम) किसी भी कर (अग्रिम कर और धारा 266 के अधीन देय कर सहित), ब्याज, जुर्माना, दंड, या अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि के संबंध में चूक में नहीं है या चूक में नहीं माना जाता है।

   (ङ) ब्याज या अन्य राशि शाखाओं द्वारा अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की जाती है, न कि अपने प्रधान कार्यालय या भारत के बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से;

अतः, कृपया एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए जो ….. (आवेदक का नाम) को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 17) के अंतर्गत कर कटौती के बिना उक्त राशि (ब्याज या लाभांश के अतिरिक्त) प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता हो…।

मैं घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में कही गई सभी बातें सत्य और सही हैं।

स्थान: प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

2. 'व्यक्ति' की स्थिति को निम्न प्रकार से भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास.

3. पते में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 127

[नियम 212 देखें]

कर वसूली के बिना माल प्राप्त करने के लिए क्रेता द्वारा अधिनियम की धारा 394(2) अधीन घोषणा करना आवश्यक है।

भाग क: क्रेता का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	आवासीय प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	कंट्री कोड	संख्या
7.	व्यवसाय/पेशा की प्रकृति		
8.	धारा 394 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं की प्रकृति [सारणी क्रमांक 1 से 5]		
9.	वस्तुओं के उपयोग का प्रयोजन (एक विकल्प चुनें)		
	वस्तुओं या चीजों का निर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन	☐	
	बिजली उत्पादन	☐	
10.	अनुमानित भुगतान राशि जिसके लिए कर संग्रह न करने की घोषणा की जा रही है		

घोषणा

☐ मैं..... (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, और ..... (खरीददार का नाम) के ___ (पदनाम) रूप में, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया कथन सत्य, पूर्ण और सही है।

☐ मैं घोषणा करता/करती हूं कि स्तंभ नंबर 8 में उल्लिखित वस्तुओं का उपयोग व्यापारिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

☐ मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं धारा 6 के अर्थ के अंतर्गत भारत का निवासी हूं।

स्थान: **घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

** कृपया उस पद का उल्लेख करें जिसके अधीन यह घोषणा किसी एचयूएफ, एओपी, फर्म, कंपनी आदि की ओर से प्रस्तुत की जा रही है।

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।

2. पते में i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य की जानकारी सम्मिलित की जाएगी।
3. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।
4. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

भाग ख: विक्रेता का विशिष्टियाँ [यह घोषणा उस व्यक्ति के उपयोग के लिए है जिसे यह प्रदान की गई है]			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
8.	घोषणा प्रस्तुत करने की तिथि	*(दिन/माह/वर्ष)*	
9.	खरीदार द्वारा देय राशि के डेबिट या प्राप्ति की तारीख	*(दिन/माह/वर्ष)*	
10.	अनुमानित भुगतान राशि जिसके लिए कर संग्रह न करने की घोषणा की जा रही है	(भाग क के क्रमांक 10 के अनुसार)	

आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित किया गया .....

घोषणा

☐ मैं..... (व्यक्ति का नाम) कर संग्रह के लिए उत्तरदायी, जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, और मैं ..... (विक्रेता का नाम) के रूप में अपनी क्षमता में यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया कथन सही, पूर्ण और सत्य है।

स्थान: ..... कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
2. पते में i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किया जाएगा।
3. 'व्यक्ति' की स्थिति को इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. घोषणापत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
5. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में असत्य बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 482 के अधीन अभियोजन का पात्र होगा।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
7. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 128

[नियम 213 देखें]

अधिनियम की धारा 395(1) और 395(3) के अधीन आयकर की कम/शून्य कटौती और आयकर की कम वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन।

(कर कटौती न होने या कम दर पर कर कटौती या कर वसूली का प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाना है)

भाग - क

कर वर्ष	**20_ _ – 20 _ _**		
1.	आवेदक का विवरण		
(क)	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
(ख)	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
(ग)	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
(घ)	स्थायी खाता संख्या		
(ङ)	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)*	
(च)	ईमेल आईडी		
(छ)	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

भाग – ख

2. आवेदन दाखिल करने वाला: (रेडियो बटन)	o रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन o धारा 263(9)(ग) में निर्दिष्ट इकाई o व्यवसाय या पेशे में लगा हुआ व्यक्ति o उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति

3.	अनुरोध के ब्यौरे

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि निम्नलिखित को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएँ)

☐ वह व्यक्ति जो मुझे आयकर की कटौती के साथ या बिना आयकर कटौती के आय/राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इनका विवरण उपाबंध I में दिया गया है।

☐ चूंकि मेरे पास भुगतानकर्ता का विवरण नहीं है, इसलिए मुझे आयकर की कटौती के साथ कम दर पर आय/राशि प्राप्त करने का अधिकार है। संबंधित जानकारी उपाबंध II में दी गई है।

☐ वह व्यक्ति जो मुझे आय/राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ताकि वह आय/राशि को आयकर की कम दर पर कटौती के साथ या आयकर की कटौती के बिना प्राप्त कर सके। विवरण उपाबंध -I में निर्दिष्ट हैं। [रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन और धारा 263(9)(ग) में निर्दिष्ट इकाई के लिए लागू]

☐ मुझे आयकर की कम दर पर कटौती के साथ आय/राशि प्राप्त करने के लिए। विवरण उपाबंध -II में विनिर्दिष्ट हैं। [रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन और धारा 263(9)(ग) में विनिर्दिष्ट इकाई के लिए लागू]

☐ विक्रेता/पट्टेदार/लाइसेंसकर्ता मेरे खाते से राशि डेबिट करते समय या मुझसे प्राप्त करते समय कम दर पर आयकर वसूल करेगा। विशिष्ट विवरण उपाबंध III में दिए गए हैं।

भाग – ग

4. आवेदन जमा करने की तिथि तक मौजूदा कर देनदारियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	अधिनियम के अंतर्गत दायित्व	कर वर्ष	राशि (अग्रिम कर/स्व-मूल्यांकन कर)	देय राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 289 या आयकर अधिनियम,(1961 का 43)निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा 156 के तहत, जैसा भी मामला हो, मांग नोटिस जारी किया गया है।	कटौतीकर्ता या संग्राहक के रूप में देय राशि जिसका भुगतान नहीं किया	कुल देयता	यदि कोई टिप्पणी हो

					गया है और जो देय हो गई है		
			(क)	(ख)	(ग)	(क) + (ख) + (ग)	
1.	आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30)						
2.	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(निरसन से पूर्व यथा विद्यमान)						

5.	आय की विशिष्टियाँ विवरण और अन्य सुसंगत ब्यौरा (सुसंगत कर वर्ष के लिए)				
(क)	अनुमानित कुल आय (गणना संलग्न करें)				
(ख)	कुल आय पर देय ब्याज सहित कर [धारा 5(क) में संदर्भित]				
(ग)	आय जिसे छूट प्राप्त होने का दावा किया गया है और धारा 5(क) में कुल आय में शामिल नहीं किया गया है। (छूट का दावा करने का कारण बताते हुए एक नोट संलग्न करें)				
(घ)	पूर्व भुगतान किए गए कर (एआईएस के अनुसार):	(i) अग्रिम कर			
		(ii) स्रोत पर कर कटौती			
		(iii) स्रोत पर कर संग्रह			
(ङ)	कर वर्ष से पहले के चार कर वर्षों के लिए आय विवरण का विवरण:				
	कर वर्ष	पावती संख्या	आय विवरण दाखिल करने की तारीख	करदायी आय	कर देयता
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
* यदि पिछले चार कर वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उस वर्ष के लिए आय की गणना संलग्न करें।					

भाग – घ

रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन या नियम 213 में निर्दिष्ट इकाई के मामले में लागू।

	घोषणा

मैं ..... जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, घोषणा करता/करती हूँ कि:

- आवेदक का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/पंजीकरण संख्या ..... के अंतर्गत किया गया है।
- आवेदक ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे रिटर्न नियम 213 के उप-नियम (1) के तहत आवेदन किए जाने की तिथि को या उससे पहले देय हो गए थे।
- आवेदक नियम 213 में निर्दिष्ट इकाई होने के नाते आयकर से छूट के उद्देश्य से अनुमोदित है।
- इस प्रपत्र में उल्लिखित आय/राशि अधिनियम की धारा 96 से 99 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।

स्थान: ..... हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

भाग – ङ भाग-घ में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में लागू।

	घोषणा
मैं ..... जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, घोषणा करता/करती हूँ कि: □ आवेदक ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय के रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जिनके लिए ऐसे विवरण नियम 213 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले देय हो गए थे। □ इस प्ररूप में उल्लिखित आय/राशि अधिनियम की धारा 96 से 99 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। स्थान: ..... हस्ताक्षर तारीख: ..... नाम:

भाग – च
सत्यापन
मैं, _____ (पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या _____ है _____ (पदनाम) के पद पर रहते हुए, पूर्णत: घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

	हस्ताक्षर	
	तारीख	
	पता	

उपाबंध - I					
[स्रोत पर कर कटौती के लिए सुसंगत] कृपया उस आय/राशि के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।					
क्रम संख्या	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	तालिका क्रमांक जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	भुगतान कर्ता का टैन/पैन	कर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली अनुमानित आय/राशि	अनुरोधित कटौती दर *(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

उपाबंध – II

[स्रोत पर कर कटौती के लिए सुसंगत]

कृपया उन आय/राशि के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जिनके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है

(कृपया नियम 213 के उप-नियम 9 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का औचित्य बताते हुए एक नोट अपलोड करें)

क्रम संख्या	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	सारणी क्रमांक जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है	कर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली अनुमानित आय/राशि	अनुरोधित कटौती दर *(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उपाबंध - III

[स्रोत पर कर संग्रह के लिए सुसंगत]

कृपया उस प्राप्य राशि के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।

क्रम संख्या	वह धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जा सकता है	सारणी क्रमांक जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर वसूला जाना अनिवार्य है	विक्रेता/ पट्टेदार/ लाइसेंस कर्ता का टैन	कर वर्ष के दौरान डेबिट/भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि	वसूली की अनुरोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

तारीख…… हस्ताक्षर……।

स्थान …..

टिप्पण:

10. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।

11. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

12. 'व्यक्ति' की स्थिति को इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास

13. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं।

14. जहां कटौती की अनुरोधित दर शून्य है, वहां '0' भरें।

15. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

16. यदि अन्यथा उपाबंध न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी ।

प्ररूप संख्या 129
[नियम 214 देखें]

अधिनियम की धारा 395(2) और 400(3) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा गैर-निवासी को देय राशि (वेतन के अलावा) के उचित अनुपात के निर्धारण के लिए प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, जो प्राप्तकर्ता के मामले में कर योग्य है।

भाग क: भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण

	भुगतानकर्ता का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
6.	आवासीय स्थिति	*(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)*	
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश* कोड	संख्या
	भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण		
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
10.	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)	*(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)*	
11.	निवास देश में प्राप्तकर्ता का कर पहचान क्रमांक	*(टिप्पण 6 का संदर्भ ले)*	
12.	भारत में पता (यदि लागू हो)	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
13.	निवास देश का नाम	*(ड्रॉप डाउन)*	
14.	निवास देश में प्राप्तकर्ता का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या

भाग ख: संव्यवहार की विशिष्टियाँ

1.	जिस देश में धन भेजा जाना है	*(ड्रॉप डाउन)*		
2.	प्रेषण का विवरण (एक या अधिक चुनें)			
		प्रेषण की प्रकृति	प्रेषित की जाने वाली राशि	भुगतान की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)
			विदेशी मुद्रा में / ₹ में	
	☐	रॉयल्टी		
	☐	तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क		
	☐	लाभांश		
	☐	ब्याज		
	☐	व्यवसायिक आय		
	☐	पूंजीगत लाभ		
	☐	कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
3.	जिस कर वर्ष के लिए प्रमाण पत्र का अनुरोध किया गया है			
4.	यदि भुगतान करों को घटाकर किया जाता है, तो क्या देय कर, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 393(10) के अनुसार सकल किया जाएगा?	*हां/नहीं*		
5.	धारा 395(2) के अधीन उसी लेनदेन के लिए पहले ☐ प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण	प्रमाणपत्र संख्या	प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	
6.	प्राप्तकर्ता के कर वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर (यदि उपलब्ध हो)			
7.	प्राप्तकर्ता के कर वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान किए गए करों का विवरण (यदि उपलब्ध हो)	अग्रिम कर		
		टीडीएस		
		टीसीएस		
8.	अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (निरसन पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन प्राप्तकर्ता की मौजूदा देनदारियों का विवरण (यदि उपलब्ध हो)।	कर वर्ष	देयता की राशि	
9.	क्या दोहरा कराधान निवारण समझौता ("डीटीएए") लागू होता है या नहीं? (यदि हाँ, तो भाग-घ भरें। यदि नहीं, तो भाग-ग भरें।)	*हां/नहीं*		
भाग–ग अधिनियम के उपबंधों के अधीन कराधान (यदि डीटीएए लागू नहीं है)				
(i)	क्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत में भुगतान कर योग्य है?	*हां/नहीं*		
(ii)	यदि कर योग्य नहीं है, तो इसके कारण बताएं।	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*		
(iii)	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:			

	क. यदि भुगतान व्यावसायिक आय के मद में है, तो कृपया बताएं:	
	(क) व्यवसाय की प्रकृति	
	(बी)भारत में व्यापारिक संबंध का विवरण	
	(ग) कर योग्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(घ) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	

	ख. यदि भुगतान पूंजीगत लाभ के कारण है, तो कृपया बताएं:						
	(क) आस्ति की प्रकृति और उसका स्थान						
	(ख) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तिथि	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एलटीसीजी
	(ग) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तारीख	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एसटीसीजी
	(घ) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है						
	(ङ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है						
	(च) प्रभार्य आय पर कर देयता						
	ग. यदि भुगतान रॉयल्टी के मद में है, तो कृपया बताएं:						
	(क) रॉयल्टी भुगतान की प्रकृति *(एक का चयन करें)*	विचारणीय— ☐ (i) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, ट्रेडमार्क या इसी तरह की संपत्ति के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस प्रदान करना सहित) ☐ (ii) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया,						

		ट्रेडमार्क या इसी तरह की संपत्ति के कामकाज या उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना। ☐ (iii) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या इसी तरह की संपत्ति का उपयोग ☐ (iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रदान करना ☐ (v) किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार, लेकिन धारा 61 में उल्लिखित राशियों को छोड़कर। ☐ (vi) किसी भी कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति, जिसमें टेलीविजन के उपयोग के लिए फिल्में या वीडियो टेप या रेडियो प्रसारण के उपयोग के लिए टेप शामिल हैं, के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस प्रदान करना सहित)। ☐ (vii) उपरोक्त (i) से (vi) में निर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की सेवाओं का प्रावधान।
	(ख) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(ग) अधिनियम की वह सुसंगत धारा जिसके अंतर्गत भुगतान कर योग्य है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती अपेक्षित है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	
	घ. यदि भुगतान तकनीकी सेवाओं के शुल्क (एफटीएस) के मद में है, तो कृपया इंगित करें:	
	(क) भुगतान की प्रकृति *(एक का चयन करें)*	किसी भी कार्य को प्रस्तुत करने के लिए विचार-विमर्श— ☐ प्रबंधकीय सेवाएं ☐ तकनीकी सेवाएं ☐ परामर्श सेवाएं
	(ख) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(ग) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	
	ङ. ब्याज आय के मामले में	
	(क) ब्याज आय की प्रकृति	

	(ख) कृपया इंगित करें

	(i) क्या धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 5) की शर्तें पूरी होती हैं?	*हां/नहीं*
	(ii) क्या धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 6 और 7) और 393(4) (तालिका: क्रमांक 13) की शर्तें लागू होती हैं? क्या आप संतुष्ट हैं?	*हां/नहीं*
	(iii) क्या धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 2, 3 और 4) की शर्तें पूरी होती हैं?	*हां/नहीं*
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया ऋण पंजीकरण क्रमांक (एलआरएन)	
	(ग) कर प्रभार्य ब्याज आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(घ) अधिनियम की वह प्रासंगिक धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जाता है	
	(ङ) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(च) प्रभार्य आय पर कर देयता	
	च. यदि उपरोक्त मद क से ङ में सम्मिलित न किए गए अन्य भुगतान की दशा में हो,	
	(क) कृपया भुगतान का स्वरूप स्पष्ट करें	
	(ख) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(ग) अधिनियम की वह सुसंगत धारा जिसके अंतर्गत भुगतान पर कर लगाया जा सकता है	
	(घ) वह दर जिस पर कर की कटौती अपेक्षित है	
	(ङ) प्रभार्य आय पर कर देयता	
भाग- घ दोहरे कराधान निवारण समझौते (डी.टी.ए.ए.) के अधीन कराधान		
(i)	कृपया लागू होने वाले डीटीएए का उल्लेख करें	
(ii)	चाहे प्रतिलिपि का कर निवास प्रमाण पत्र और प्रपत्र संख्या 41 संलग्न हैं।	*हां/नहीं*
	क. यदि भुगतान व्यावसायिक आय के मद में है, तो कृपया बताएं:	
	(क) क्या इस प्रकार की व्यावसायिक आय डीटीएए के अंतर्गत भारत में कर योग्य है?	*हां/नहीं*
	(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण बताइए।	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*
	(ग) यदि हाँ, तो भारत में स्थायी प्रतिष्ठान का स्वरूप क्या है?	
	(घ) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(ङ) संबंधित डीटीएए का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भुगतान कर योग्य है	
	(च) डीटीएए के अनुसार जिस दर पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है	

	(छ) प्रभार्य आय पर कर देयता	

	ख. यदि भुगतान पूंजीगत लाभ के मद में है, तो कृपया बताएं:						
	(क) क्या इस प्रकार के पूंजीगत लाभ डीटीएए के अंतर्गत भारत में कर योग्य हैं?	*हां/नहीं*					
	(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण बताइए।	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*					
	(ग) यदि हाँ, तो प्रदान करें—						
	(i) परिसंपत्ति की प्रकृति और उसका स्थान						
	(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तिथि	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एलटीसीजी
	(iii) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि	संपत्ति की बिक्री की तिथि	कुल विक्रय मूल्य	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की कुल लागत	यदि कोई सुधार करना हो तो उसकी लागत।	एसटीसीजी
	(iv) संबंधित डीटीएए का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भुगतान कर योग्य है						
	(v) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है						
	(vi) उपरोक्त (v) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता						
	ग. यदि भुगतान रॉयल्टी के मद में है, तो कृपया बताएं:						
	(क) क्या प्राप्तकर्ता भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का वास्तविक स्वामी है?						
	(ख) क्या ऐसी रॉयल्टी भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान से संबंधित है?	*हां/नहीं*					
	(ग) क्या ऐसी रॉयल्टी डीटीएए के अंतर्गत भारत में कर योग्य है?	*हां/नहीं*					
	(घ) यदि नहीं, तो भुगतान की प्रकृति सहित इसके कारण बताएं।	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*					
	(ङ) यदि हाँ, तो बताएँ						
	(i) रॉयल्टी भुगतान की प्रकृति						
	(ii) कर योग्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*					
	(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है						
	(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता						

	घ. यदि भुगतान तकनीकी सेवाओं के शुल्क (एफटीएस) के मद में है, तो कृपया इसका उल्लेख करें।	
	(क) क्या प्राप्तकर्ता भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली एफटीएस का वास्तविक स्वामी है?	
	(ख) क्या ऐसा एफटीएस भारत में स्थायी प्रतिष्ठान से संबंधित है?	*हां/नहीं*
	(ग) क्या तकनीकी सेवा के लिए ऐसा शुल्क डीटीएए के अंतर्गत भारत में कर योग्य है?	*हां/नहीं*

	(घ) यदि डीटीएए के अंतर्गत भारत में एफटीएस पर कर नहीं लगता है, तो राज्य	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*
	(i) भुगतान की प्रकृति	
	(ii) क्या वहाँ है "बनानाडीटीएए में "उपलब्ध" खंड	
	(iii) यदि "उपलब्ध कराने" खंड के लिए कोई दावा है, तो क्या एफटीएस अनुच्छेद में ऐसा खंड सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड के माध्यम से डीटीएए में शामिल करने की मांग की जा रही है?	
	(iv) यदि उपरोक्त (iii) का उत्तर हाँ है, तो क्या अधिसूचना के संबंध में "बनाना उपलब्ध"खंडभारत सरकार द्वारा जारी	*हां/नहीं*
	(v) यदि "उपलब्ध कराएँ" खंड है, तो स्पष्ट कीजिए कि वह आवश्यकता कैसे पूरी नहीं होती है।	
	(vi) यदि कोई "उपलब्ध कराएँ" खंड नहीं है, तो स्पष्ट करें कि भुगतान एफटीएस क्यों नहीं है।	
	(ङ) यदि डीटीएए के अंतर्गत भारत में एफटीएस कर योग्य है, तो राज्य का नाम	
	(i) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का स्वरूप	
	(ii) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता	
	ङ. ब्याज आय के मामले में	
	(क) क्या प्राप्तकर्ता भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली ब्याज आय का वास्तविक स्वामी है?	*हां/नहीं*

	(ख) क्या ऐसा ब्याज आय भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान से संबंधित है?	*हां/नहीं*
	(ग) क्या ऐसा ब्याज भारत में कर योग्य है?	*हां/नहीं*
	(घ) यदि नहीं, तो ब्याज भुगतान की प्रकृति सहित कारण बताएं	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*
	(ङ) यदि हां, तो बताइए,	
	(i) ब्याज आय की प्रकृति	
	(ii) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता	

	च. मद क से ङ में सम्मिलित न किए गए अन्य भुगतान के मामले में	
	(क) कृपया भुगतान का स्वरूप स्पष्ट करें	
	(ख) क्या डीटीएए के अनुसार भारत में कर योग्य है?	*हां/नहीं*
	(ग) यदि कर योग्य नहीं है, तो कृपया इसके संक्षिप्त कारण बताएं, जिसमें डीटीएए के संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख हो।	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 7 देखें)*
	(घ) यदि हाँ, (i) लागू डीटीएए के प्रासंगिक अनुच्छेद और प्रासंगिक डीटीएए के अनुसार टीडीएस की दर निर्दिष्ट करें	
	(ii) कर प्रभार्य आय की राशि	*(भाग ङ की पंक्ति संख्या 8 देखें)*
	(iii) वह दर जिस पर कर की कटौती आवश्यक है	
	(iv) उपरोक्त (iii) के आधार पर प्रभार्य राशि पर कर देयता	

भाग – ङ		
संलग्नक		
संलग्न प्रासंगिक दस्तावेजों का विवरण		**संलग्नक**
1.	माल की बिक्री और/या सेवाओं के उपबंध (यदि कोई हो) के लिए अनुबंध, पूंजीगत लाभ की गणना, शेयर खरीद समझौता, बैंक भुगतान, अधिग्रहण लागत का विवरण, अनुबंध नोट (यदि कोई हो), शेयर प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेज।	
2.	यदि उपलब्ध हो तो, पिछले चार कर वर्षों के लिए भुगतान प्राप्तकर्ता की मूल्यांकित/वापस की गई/अनुमानित आय का विवरण।	
3.	कर योग्य अनुमानित आय और कर वर्ष की कर देयता की गणना।	
4.	कर निवास प्रमाण पत्र और प्रपत्र संख्या 41 की प्रति	
5.	धारा 393(2) (तालिका: क्रमांक 5)/393(2) (तालिका: क्रमांक 6 और 7) तथा 393(4) (सारणी: क्रमांक 5 और 13)/393(2) (तालिका: क्रमांक 2, 3 और 4) की प्रयोज्यता के दावे के समर्थन में दस्तावेज।	
6.	भारत में व्यापारिक संबंधों पर नोट	
7.	इस बात का विस्तृत विवरण कि अधिनियम या संबंधित डीटीएए के अनुसार, जैसा भी मामला हो, यह भुगतान भारत में कर योग्य क्यों नहीं है।	

8.	कुल भुगतान राशि में से कर योग्य राशि का निर्धारण कैसे किया गया है, इस बारे में विस्तृत विवरण, साथ ही इसकी कार्यप्रणाली और यदि कोई सहायक दस्तावेज हों तो उन्हें भी प्रस्तुत करें।	
9.	आप अपने दावे के समर्थन में जो भी अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहें, वे भी यहां दिए जा सकते हैं।	

घोषणा

मैं, ……..(पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या …… है ___(पदनाम)…… के रूप में ……. (भुगतानकर्ता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है तथा कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

स्थान: ……. हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख: ……. नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से उचित उपाधि (श्रीमान/श्रीमती/सुश्री) के साथ दिया जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, पूरा नाम ही दिया जाएगा।
2. पते में फ्लैट/मकान/ब्लॉक नंबर, परिसर का नाम, सड़क/गली/गली, क्षेत्र/इलाका, शहर/जिला, राज्य, पिन/ज़िप कोड सम्मिलित किया जाएगा।
3. 'व्यक्ति' की स्थिति को इस प्रकार भरें: (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभाजित परिवार (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय स्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी परन्तु सामान्यतः निवासी नहीं।
5. स्थायी खाता संख्या की अनुपलब्धता की स्थिति में, अधिनियम की धारा 397(2)(ग) के उपबंधों को नियम 217 के उपबंधों के साथ पढ़ा जाएगा।
6. भुगतान पाने वाले (प्राप्तकर्ता) का उसके निवास के देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में कर पहचान संख्या, और यदि ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, तो एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर भुगतान पाने वाले की पहचान उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
8. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप सं. 130

[नियम 215 सारणी क्र. सं. 1 देखें]

धारा 392 के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन पर स्रोत पर कर कटौती के लिए अधिनियम की धारा 395 के अधीन प्रमाण पत्र या धारा 393(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की पेंशन या ब्याज आय [सारणी: क्रमांक 8(iii)]

भाग क

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन	
नियोक्ता/विनिर्दिष्ट बैंक का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	**कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या**		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देशकोड*	संख्या
7.	कर वर्ष		
8.	नियोक्ता के साथ अवधि	*(दिन/माह/वर्ष)* *को* *(दिन/माह/वर्ष)*	
कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का विवरण			
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
10.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
11।	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख

कर्मचारी के संबंध में भुगतान/क्रेडिट की गई राशि और उस पर स्रोत पर काटे गए कर का सारांश					
तिमाही(याँ)	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीडीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई राशि	कर कटौती की दर	कर कटौती की राशि	जमा/समायोजित कर की राशि
कुल					

I. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे

(कर कटौतीकर्ता को काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान संबंधी ब्यौरे प्रदान करना होगा)

क्रम संख्या	कर जमा किया गया	बही पहचान संख्या (बीआईएन)

	(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)	प्ररूप संख्या की रसीद संख्या 137	प्ररूप संख्या में डीडीओ क्रमांक 137	अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्रास्थिति 137
कुल					

II. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए और जमा किए गए कर का विवरण

(कर कटौतीकर्ता को काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान संबंधी ब्यौरे प्रदान किए जाएंगे)

क्रम संख्या	कर जमा किया गया *(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)*	चालान पहचान संख्या (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान क्रम संख्या	टिन 2.0 के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल					

घोषणा

मैं, ……., (**कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)……. जिसका स्थायी खाता संख्या …… है और जो ……. (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि** ₹ …….. [₹…….(**शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।**

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बही, दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम: ……..

पद का नाम: ……

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।

2. पते में: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित होगा।

3. सरकारी करदाताओं को भाग ख की मद I में जानकारी भरनी होगी यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है और भाग क की मद II में जानकारी भरी जाएगी यदि आयकर चालान के साथ कर का भुगतान किया जाता है।

4. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ख की मद II में जानकारी भरनी होगी।

5. भाग ख में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगी।

6. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान केवल एक ही नियोक्ता के अधीन कार्यरत है, तो कर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जारी किए गए प्ररूप संख्या 130 में कर की सभी तिमाहियों के लिए काटे गए और जमा किए गए कर का विवरण सम्मिलित होगा।

7. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत है, तो प्रत्येक नियोक्ता को प्रमाण पत्र का भाग क और भाग ख जारी करना होगा। (प्ररूप संख्या 130) यह उस अवधि से संबंधित है जिसके लिए उक्त करदाता प्रत्येक नियोक्ता के साथ कार्यरत था।

8. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

भाग ग (उपाबंध-I)

कर्मचारियों के संबंध में कर कटौती के लिए धारा 392 के अधीन

पंक्ति संख्या	विवरण		
क	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा रहा है?	*(हां नहीं)*	
1.	**सकल वेतन**		
	(क) धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन		
	(ख) धारा 17 के अधीन अनुलाभों का मूल्य (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)		
	(ग) धारा 18 के अधीन वेतन के बदले लाभ (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)		
	(घ) कुल		
	(ङ) अन्य नियोक्ता(ओं) से प्राप्त वेतन की कुल राशि की रिपोर्ट		
2.	**धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त लोगों को दिए जाने वाले भत्ते**		
	(क) धारा 11 के अंतर्गत यात्रा रियायत या सहायता, अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति की [तालिका: क्रमांक 8]		
	(ख) धारा 11 के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति का [तालिका: क्रमांक 11]		
	(ग) धारा 11 के अंतर्गत अन्य विशेष भत्ते, जो अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रकृति के हों [तालिका: क्रमांक 12 और 13]		
	(घ) धारा 11 के अधीन किसी अन्य छूट की राशि		
	धारा …		
	धारा …		
	धारा …		
	…		

	(ङ)धारा 11 के अंतर्गत किसी अन्य छूट की कुल राशि		
	(च)धारा 11 [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(ङ)] के अधीन दावा की गई छूट की कुल राशि		
3.	**वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त वेतन की कुल राशि [1(d)-2(f)]**		
4.	**धारा 19(1) के अधीन कटौतियाँ**		
	(क) धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [तालिका: क्रमांक 1]		
	(ख) धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [तालिका: क्रमांक 2]		
	(ग)धारा 19(1) के अधीन ग्रेच्युटी [तालिका: क्रमांक 3,4,5,6]		
	(घ)धारा 19(1) के अधीन पेंशन का परिपरिवर्तित मूल्य [तालिका: क्रमांक 7, 8, 9]		
	(ङ)धारा 19(1) के अधीन कामगारों द्वारा प्राप्त मुआवजा [तालिका क्रमांक 10,11]		
	(च)धारा 19(1) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि [तालिका क्रमांक 12]		
	(छ)धारा 19(1) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण का नकद समतुल्य [तालिका: क्रमांक 13,14]		
5.	धारा 19(1) के अधीन कटौतियों की कुल राशि [4(क)+4(ख)+4(ग)+4(घ)+4(ङ)+4(च)+4(च)]		
6.	**"वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय [3+1(ई)-5]**		
7.	**कर्मचारी द्वारा धारा 392(4) के अनुसार रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय**		
	(क)धारा 392(4)(क)(iv) के अनुसार "वेतन" के अलावा आय के किसी अन्य मद के अधीन प्रभार्य राशि		
	(ख) धारा 392(4)(क)(iii) के अधीन कर्मचारी द्वारा सूचित मकान संपत्ति से कोई हानि		
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल राशि [7(क)-7(ख)]		
9.	**सकल कुल आय (6+8)**		

10.	**अध्याय VIII के अधीन कटौतियाँ**			
			सकल राशि	कटौती योग्य राशि
	(क) धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन योजनाओं आदि के अभिदाय के संबंध में कटौती			
	(ख) धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती			
	(ग) धारा 124(1)(क) के अधीन पेंशन स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती			
	(घ) धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती			
	(ङ) धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	(च) धारा 125 (1) के अधीन अग्निपथ योजना में कर्मचारी द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती			
	(छ) धारा 125 (2) के अधीन अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती			
		सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि
	(ज) धारा 133 के अधीन कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			
	(झ) धारा 153 के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	(ञ) अध्याय VIII के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशियाँ			
	धारा …			
	धारा …			
	धारा …			
	(ट) अध्याय VIII के किसी अन्य प्रावधान(नों) के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग			
11	अध्याय VIII के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का कुल योग [10(क) + 10(ख) + 10(ग) + 10(घ) + 10(ड.) + 10(च) + 10(छ) + 10(ज) + 10(झ) + 10(ञ)]			

12.	**कुल कर योग्य आय (9-11)**	
13.	कुल आय पर कर	
14.	धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो	
15.	जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क	
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%	
17.	देय कर (13+15+16-14)	
18.	धारा 157 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)	
19.	धारा 392(4) के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत प्ररूप संख्या 122 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती	
20.	धारा 392(4) के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत प्ररूप संख्या 122 के अनुसार स्रोत पर कर संग्रह	
21.	*कुल देय कर* (17-18-19-20)	

घोषणा

मैं, ……., (**कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)……., जिसका स्थायी खाता संख्या …..... है और जो ……. (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि** ₹ …….. [₹……(**शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।**

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान:
तारीख:

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम: ……..
पद का नाम: ……

टिप्पण:

1. प्ररूप संख्या 130 में प्रमाण पत्र का भाग ग (उपाबंध-I) प्रत्येक नियोक्ता द्वारा या करदाता के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकेगा।
2. कटौतीकर्ता कर्मचारी को भाग ग के (उपबंध-I) उपलब्ध कराने से पहले मद संख्या 2(ग) और 10(ज) में उपलब्ध विवरण सम्यक रूप से भरेगा।
3. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएंगी।

भाग ग (उपाबंध-II)

धारा 393(1) के अधीन कर कटौती हेतु विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के संबंध में [सारणी: क्रमांक 8(iii)]

क	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा रहा है?		*हां नहीं*	
1.	सकल वेतन			
	(क) धारा 16 में निहित उपबंधों के अनुसार पेंशन			
2.	प्राप्त वेतन की कुल राशि			
3.	धारा 19 के अधीन कटौतियाँ			
	(क) धारा 19 के अधीन रोजगार पर कर [तालिका: क्रमांक 1]			
	(ख) धारा 19 के अधीन मानक कटौती [तालिका: क्रमांक 2]			
4.	धारा 19 [3(क)+3(ख)] के अधीन कुल कटौतियों की राशि			
5.	वेतन मद के अधीन प्रभार्य आय [(2-4]			
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा "अन्य स्रोतों" के अधीन भुगतान की गई ब्याज आय			
7.	सकल कुल आय (5+6)			
8.	अध्याय VIII के अधीन कटौती			
			सकल राशि	कटौती योग्य राशि
	(क)धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन स्कीम आदि के संबंध में कटौती।			
	(ख)धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती			
	(ग)धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती			
	(घ)धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			

		सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि
	(ङ)धारा 133 के अंतर्गत कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			
	(च)धारा 153(2)(ख) के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	(छ)अध्याय VIII के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशि			
	धारा …			
	धारा …			
	धारा …			
	(ज)किसी अन्य उपबंधों(नों) के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग अध्याय VIII			
9.	अध्याय VIII के अधीन कटौती योग्य राशि का कुल योग [8(क) + 8(ख) + 8(ग) + 8(घ) + 8(ड.) + 8(च) + 8(छ)]			
10.	कुल कर योग्य आय (7-9)			
11।	कुल आय पर कर			
12.	धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो			
13.	जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क			
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%			
15.	देय कर (11+13+14-12)			
16.	धारा 157 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			
17.	शुद्ध देय कर (15-16)			

घोषणा

मैं, ……., (**कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम)…….**, **जिसका स्थायी खाता क्रमांक …… है और जो ……. (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि** ₹ …….. [₹……(**शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।**

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर कटौती विवरण, जमा की गई कर कटौती और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम: ……..

पद का नाम: ……

टिप्पण:

1. प्ररूप संख्या 130 में दिए गए प्रमाण पत्र का भाग ग (अनुलग्नक-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जा सकेगा।
2. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 131

[नियम 215(3) और (4) का संदर्भ लें]

स्रोत पर कर कटौती हेतु अधिनियम की धारा 395(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
पंक्ति संख्या	**भाग क: कटौतीकर्ता का ब्यौरे**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
7.	कर वर्ष		
8.	कर वर्ष की तिमाही		
कटौती प्राप्तकर्ता का ब्यौरे			
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
10.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
11।	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख				
भुगतान का सारांश				
क्रम संख्या	**भुगतान का स्वरूप**	**भुगतान की गई/क्रेडिट की गई राशि**	**भुगतान/क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	
कुल				
करदाता के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर का सारांश				
तिमाही	**धारा 397(3)(ख) के अधीन टीडीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ**	**कर कटौती की राशि**	**वह दर जिस पर स्रोत पर कर काटा जाता है**	**जमा/समायोजित कर की राशि**

1. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे
(कर कटौतीकर्ता को कर कटौती प्राप्तकर्ता के संबंध में काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान-वार ब्यौरे प्रदान करना होगा)

क्रम संख्या	**जमा किया गया कर** *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	**बही पहचान संख्या (बीआईएन)**			
		प्ररूप संख्या की रसीद संख्या।137	**प्ररूप संख्या में डीडीओ क्रमांक सं.** 137	**स्थानांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्रास्थिति** 137
कुल					

2. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में काटे और जमा किए गए कर का ब्यौरे (कर कटौतीकर्ता को कर कटौती प्राप्तकर्ता के संबंध में काटे गए और जमा किए गए कर का भुगतान-वार ब्यौरे प्रदान करना होगा)					
क्रम संख्या	**कर जमा किया गया** *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	**चालान पहचान संख्या** (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	**कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**चालान क्रम संख्या**	**टिन** 2.0 **के साथ मिलान की प्रास्थिति**
कुल					

घोषणा

मैं, ……., (**नाम**) कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति) ……. जिसका स्थायी खाता संख्या …… है और जो ……. (कटौतीकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत प्रमाणित करता है कि ₹ …….. [₹……. (शब्दों में)] की राशि की कटौती कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा-बही, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान : कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम: ……।

पद का नाम: ……..

टिप्पण:

10. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा ।

11. पते में सम्मलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य ।

12. सरकारी करदाताओं को भाग ख, मद 1 में जानकारी भरनी होगी यदि आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है और मद II में जानकारी भरी जाएगी यदि आयकर चालान के साथ कर का भुगतान किया जाता है।

13. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ख, मद II में जानकारी भरी जाएगी।

14. भाग ख में, मद I और II में, जमा किए गए कर, काटे गए कर की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के स्तंभ में जानकारी प्रदान की जाएगी।

15. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

16. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्रारूप संख्या 132

[नियम 215(1) देखें] [(सारणी क्र.सं 2)]

स्रोत पर कर कटौती हेतु अधिनियम की धारा 395(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
भाग क			
पंक्ति संख्या	**कटौतीकर्ता का विवरण और लेनदेन की प्रकृति**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
6.	कर वर्ष		
7.	संव्यवहार की प्रकृति *(एक का चयन करें)*	□ किराया भुगतान □ अचल संपत्ति का हस्तांतरण □ कमीशन/ब्रोकरेज के रूप में भुगतान □ तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क □ अनुबंध के अनुसार भुगतान □ आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का हस्तांतरण	
कटौती प्राप्तकर्ता का विवरण			
8.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
9.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
10.	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख					
संव्यवहार का सारांश (प्ररूप संख्या 132 के अनुसार))					
पंक्ति संख्या	*पावती संख्या*	*राशि का भुगतान*	*वह दर जिस पर स्रोत पर*	*भुगतान/क्रेडिट की तारीख*	*कर की कटौती और जमा की*

		/ *आकलित*	*कर काटा जाता है*	(*दिन/माह/वर्ष*)	*गई राशि*
1.					
2.					
..					
		कुल:			*कुल*:

केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का विवरण, जिसके लिए करदाता को छूट दी जाएगी।

जमा किए गए कर की राशि	चालान पहचान संख्या (CIN)		
	बीएसआर कोड	*कर जमा करने की तारीख* (*दिन/माह/वर्ष*)	*चालान क्रम संख्या*

भाग ग

घोषणा

- मैं, ... जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है .....(पदनाम) क्षमता में प्रमाणित करता/करती हूँ कि (₹) ..... की राशि[₹.....(शब्दों में)]यह राशि काट ली गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर कटौती के चालान-सह-विवरण, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

टिप्पण:

9. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगा।
10. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किया जाएगा
11. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
12. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्रारूप संख्या 133

[नियम 215(1) देखें][सारणी: क्र.सं. 4]

स्रोत पर कर संग्रह के लिए अधिनियम की धारा 395(4) के तहत प्रमाण पत्र

भाग क

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम अद्यतन किया गया	
पंक्ति संख्या	**संग्राहक का विवरण**		
1.	नाम	*(टिप्पण-1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण-2 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
7.	कर वर्ष		
8.	कर वर्ष की तिमाही		
कटौती प्राप्तकर्ता का विवरण			
9.	नाम	*(टिप्पण-1 का संदर्भ लें)*	
10.	पता	*(टिप्पण-2 का संदर्भ लें)*	
11।	स्थायी खाता संख्या		

भाग ख

रसीद का सारांश				
क्रम संख्या	प्राप्त/डेबिट की गई राशि	रसीद का स्वरूप		प्राप्ति/डेबिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
कुल				
करदाता के संबंध में स्रोत पर एकत्र किए गए कर का सारांश				
तिमाही	धारा 397(3)(ख) के अधीन टीसीएस के मूल त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ	एकत्रित कर की राशि	वह दर जिस पर स्रोत पर कर वसूला जाता है	जमा/समायोजित कर की राशि

भाग ग
I. बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में एकत्रित और जमा किए गए कर

का ब्यौरे (संग्रहकर्ता को कर संग्रहकर्ता के संबंध में एकत्रित और जमा किए गए कर का भुगतानवार विवरण प्रदान किए जाएंगे)					
क्रम संख्या	**कर जमा किया गया** *(टिप्पण-5 का संदर्भ लें)*	**बही पहचान संख्या (बीआईएन)**			
		प्रपत्र संख्या की रसीद संख्या 137	**प्रपत्र संख्या में डीडीओ क्रमांक** 137	**स्थानांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**प्ररूप संख्या के साथ मिलान की प्रास्थिति** 137
कुल					
II. चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकारी खाते में एकत्रित और जमा किए गए कर के ब्यौरे **(संग्रहकर्ता को कर संग्रहकर्ता के संबंध में एकत्रित और जमा किए गए कर का भुगतानवार ब्यौरे प्रदान करना होगा)**					
क्रम संख्या	**कर जमा किया गया** *(टिप्पण-5 का संदर्भ लें)*	**चालान पहचान संख्या** (CIN)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	**कर जमा करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)**	**चालान क्रम संख्या**	**टिन** 2.0 **के साथ मिलान की प्रास्थिति**
कुल					

घोषणा

मैं, ……..., (**कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम)……. जिसका स्थायी खाता क्रमांक …… है और जो ……. (संग्रहकर्ता का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता/करती हूँ कि** ₹ …….. [₹……(**शब्दों में)] की राशि एकत्र कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।**

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा-बहियों, दस्तावेजों, कर संग्रह विवरण, कर संग्रह और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान: कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पणः

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।

2. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किए जाएंगे

3. सरकारी कर संग्रहकर्ताओं को भाग ग के मद I में जानकारी भरनी होगी यदि कर का भुगतान आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है और भाग ग के मद II में जानकारी भरनी होगी यदि कर का भुगतान आयकर चालान के साथ किया जाता है।

4. गैर-सरकारी संग्राहकों को भाग ग के मद II में जानकारी भरी जाएगी।

5. भाग ख में, मद I और II में, जमा किए गए कर के कॉलम में, एकत्रित कर की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का विवरण दिया जाएगा।

6. प्ररूप में दी गई कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

7. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 134

[नियम 216(1)(क) का संदर्भ लें]

अधिनियम की धारा 397 के अधीन कर कटौती और संग्रह खाता संख्या [TAN] के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

[सरकारी संस्था के मामले में]

पंक्ति संख्या	भाग क: आवेदक का ब्यौरे		
1	**कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता की श्रेणी**	☐ केंद्रीय सरकार	
		☐ राज्य सरकार	
		☐ स्थानीय प्राधिकरण (केंद्रीय सरकार)	
		☐ स्थानीय प्राधिकरण (राज्य सरकार)	
2	स्थानीय प्राधिकरण का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3	राज्य का नाम (जहां क्रमांक 1 के अनुसार श्रेणी राज्य सरकार है)	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
4	कार्यालय का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
5	कार्यालय का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
6	संगठन का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
7	विभाग का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
8	मंत्रालय का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
9	खाता कार्यालय का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
10	लेखा कार्यालय पहचान संख्या (AIN)		
11	यदि कोई हो तो स्थायी खाता संख्या		
12	आधिकारिक ईमेल आईडी		
13	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
14	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
15	टीडीएस निर्धारण अधिकारी संहिता		

भाग ख

घोषणा

क. मैं .....स्थायी खाता संख्या ..... अधिनियम, के अध्याय 19-ख के अनुसार कर की कटौती/संग्रह करने/कर की कटौती और कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

ख. मैंने पीएओ/जेडएओ/डीटीओ/सीडीडीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।

ग. मैं ....., ... की हैसियत से, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

घ. मैं घोषणा करता/करती हूं कि संस्था के पास टीएएन नहीं है और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो वह विधिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगी।

स्थान: .....

तारीख: ..... हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में सम्मलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
4. * जो भी अनुपयुक्त हो उसका लोप करें ।

प्ररूप संख्या 135

[नियम 216(1)(ख) का संदर्भ लें]

अधिनियम की धारा 397 के अधीन कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या [TAN] के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

[सरकारी संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए]

भाग I: आवेदक का व्यक्तिगत ब्यौरे			
कॉलम 'क' से 'छ' में से केवल एक का चयन करें, जो भी लागू हो।			
(क)	**व्यक्ति**		
1	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
(ख)	**व्यक्तिगत व्यवसाय की शाखा (एकल स्वामित्व वाली कंपनी)**		
1	व्यक्ति का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	शाखा का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3	शाखा का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
(ग)	**एलएलपी / फर्म / व्यक्तियों का संघ / ट्रस्ट / व्यक्तियों का निकाय / कृत्रिम न्यायिक इकाई / हिंदू अविभाजित परिवार**		
1	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		पद का नाम	*(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	

(घ)	**एलएलपी/फर्म/व्यक्तियों के संगठन /न्यास /व्यक्तियों के निकाय/कृत्रिम न्यायिक इकाई/हिंदू अविभाजित परिवार की शाखा**		
1	एलएलपी/फर्म/व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के संघ (न्यास)/व्यक्तियों का निकाय/कृत्रिम न्यायिक इकाई का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	रजिस्ट्रेशन संख्या, यदि कोई हो	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
3	शाखा का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
4	शाखा का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
5	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		पद का नाम	*(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
(ङ)	**कंपनी** ***(संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)***	केंद्रीय सरकार की कंपनी/ केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी	
		☐ राज्य सरकार की कंपनी/ राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी	
		☐ सीमित लोक समवाय	
		☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
		☐ एक व्यक्ति कंपनी	
		☐ धारा 8 कंपनी	
		☐ अन्य कंपनी	
1	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	

(च)	किसी कंपनी की शाखा/विभाग***(संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं)***	☐ केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कंपनी/केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम	
		☐ राज्य सरकार द्वारा स्थापित कंपनी/राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम	
		☐ सीमित लोक समवाय	
		☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
		☐ एक व्यक्ति कंपनी	
		☐ धारा 8 कंपनी	
		☐ अन्य कंपनी	
1	कंपनी का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		
3	शाखा/प्रभाग का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
4	शाखा/मंडल का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
5	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
(छ)	**कानूनी/स्वायत्त निकाय(सुसंगत बॉक्स पर निशान लगाएं)**	☐ वैधानिक निकाय	
		☐ स्वायत्त निकाय	
1	कार्यालय का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2	संगठन का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	

भाग 2: आवेदक के अन्य **ब्यौरे**			
1	जन्म तारीख / कंपनी की स्थापना तिथि, जो भी लागू हो	*(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	
2	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)*	
3	**राष्ट्रीयता *(सुसंगत बॉक्स पर निशान लगाएं)*,यदि लागू हो**	☐ भारतीय ☐ विदेशी	
4	ईमेल आईडी		
5	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
6.	**टीडीएस निर्धारण अधिकारी संहिता**		
7.	अन्य **ब्यौरे** अलग से संलग्न किए जाने हैं।	**(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)**	

घोषणा

क. मैं .....स्थायी खाता संख्या ..... आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय 19-ख के अनुसार कर की कटौती/संग्रह करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

ख. मैंने संलग्न कर दिया है

☐ पहचान के प्रमाण के रूप में

☐ पते के प्रमाण के रूप में और

☐ जन्म तारीख /निगमन तिथि के प्रमाण के रूप में

ग. मैं ....., (स्वयं/.....) की हैसियत से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

घ. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास टीएएन नहीं है।और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो वह कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान: .....

तारीख: .....

हस्ताक्षर

नाम:

टिप्पण:

1. पूरा नाम लिखा जाएगा ।
2. पते में सम्मलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. एलएलपी के लिए पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
4. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में, पदनाम 'कर्ता' होगा।
5. जन्म तारीख /निगमन तारीख आवेदक की होगी। शाखा/प्रभाग के मामले में, निगमन तारीख शाखा/प्रभाग की होगी।
6. स्थायी खाता संख्या आवेदक की होगी। शाखा/विभाग के मामले में, स्थायी खाता संख्या मूल इकाई की होगी।
7. यह कॉलम केवल तभी लागू होता है जब पूरी कंपनी के लिए एक ही टैन के लिए आवेदन किया गया हो। यदि विभिन्न विभागों/शाखाओं के लिए अलग-अलग टैन के लिए आवेदन किया गया है, तो कृपया (च) में ब्यौरे भरें।
8. नियम 216 के तहत पहचान, पता और जन्म तारीख /निगमन तारीख के प्रमाण के रूप में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करें।
9. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
10. * जो भी अनुपयुक्त हो उसका लोप करें ।

प्ररूप संख्या 136

[नियम 218(8)(ख) देखें]

लेखा कार्यालय पहचान संख्या (AIN) के आवंटन हेतु आवेदन

पंक्ति संख्या	आवेदक का विशिष्टियाँ		
1.	आवेदक की श्रेणी *(किसी एक को चुनें)*	☐केंद्रीय सरकार ☐राज्य सरकार	
2.	मंत्रालय का नाम *(केंद्रीय सरकार के लिए लागू)* *(मंत्रालय कोड उपाबंध-1 में दिया गया है)*		
3.	उप मंत्रालय का नाम *(सिविल मंत्रालय के लिए लागू)* *(उप-मंत्रालय कोड उपाबंध-2 में दिया गया है)*		
4.	उप मंत्रालय का नाम *(क्रम संख्या 3 को छोड़कर)*		
5.	राज्य का नाम *(राज्य सरकार के लिए लागू)* *(उपाबंध-3 के अनुसार कोड का उल्लेख करें)*		
6.	कार्यालय का नाम		
7.	विभाग का नाम		
8.	वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ)/जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ)/चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) कोड		
9.	पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ पंजीकरण संख्या *(केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण द्वारा प्रदान किया गया)*		
10.	पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या *(आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया)*		
11।	पता		
	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
12.	ईमेल आईडी		
13.	आवेदन करने वाले पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का स्थायी खाता क्रमांक		

घोषणा

मैं _____ (हस्ताक्षरकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या..... है, _____ के रूप में, ... (आवेदक का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

मैं _____ (हस्ताक्षरकर्ता का नाम) यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि एआईएन के आवंटन के पश्चात, यदि इसका उपयोग छह महीने तक प्ररूप संख्या 137 विवरण दाखिल करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका कारण संबंधित आयकर आयुक्त (टीडीएस) को सूचित किया जाएगा और

मैं _____ (हस्ताक्षरकर्ता का नाम) यह भी वचन देता/देती हूँ कि एआईएन के आवंटन के बाद, यदि किसी कारणवश इसका उपयोग प्ररूप संख्या 137 विवरण दाखिल करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसे संबंधित आयकर आयुक्त (टीडीएस) को वापस कर दिया जाएगा।

तारीख: (हस्ताक्षर)

स्थान: नाम:

पद का नाम:

पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ से ऊपर के पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा प्रति-सत्यापन:

मैं _____ (पर्यवेक्षी प्राधिकारी का नाम) पैन _____ के साथ _____ की अपनी क्षमता में यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक, अर्थात् श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____, _____ के कर्मचारी (पदनाम) _____ हैं और आवेदन में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(हस्ताक्षर)

मुहर (नाम और पदनाम)

(कार्यालय की मुहर)

उपाबंध-1 --- मंत्रालय का नाम	
मंत्रालय का नाम	**मंत्रालय का नाम कोड**
नागरिक	01
रेलवे	02
रक्षा	03
दूरसंचार	04
डाक	05

उपाबंध-2 - उप मंत्रालय का नाम	
उप मंत्रालय का नाम	**उप मंत्रालय का नाम कोड**
कृषि	01
परमाणु ऊर्जा	02
उर्वरक	03
रसायन और पेट्रोकेमिकल	04
नागर विमानन एवं पर्यटन	05
कोयला	06
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	07
वाणिज्य और वस्त्र	08
पर्यावरण एवं वन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	09
विदेश मामले और प्रवासी भारतीय मामले	10
वित्त	11
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	12
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	13
सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक	14
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	15
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	16
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	17
गृह और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास	18
मानव संसाधन विकास	19
उद्योग	20
सूचना और प्रसारण	21
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी	22
श्रम	23
कानून एवं न्याय एवं कंपनी संबंधी मामले	24
कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन	25
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	26
योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	27
शक्ति	28
नव और नवीकरणीय ऊर्जा	29
ग्रामीण विकास और पंचायती राज	30
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	31
अंतरिक्ष	32
इस्पात	33
खान	34
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	35

जनजातीय मामले	36
वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)	37
जहाजरानी और सड़क परिवहन और राजमार्ग	38
शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	39
जल संसाधन	40
राष्ट्रपति सचिवालय	41
लोकसभा सचिवालय	42
राज्यसभा सचिवालय	43
निर्वाचन आयोग	44
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	45
चंडीगढ़ प्रशासन	46
दादरा और नगर हवेली	47
गोवा, दमन और दीव	48
लक्षद्वीप	49
पांडिचेरी प्रशासन	50
वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा)	51
गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	52
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार	53
अन्य	54

उपाबंध -3 -- राज्य का नाम

राज्य का नाम	**राज्य कोड**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	01
आंध्र प्रदेश	02
अरुणाचल प्रदेश	03
असम	04
बिहार	05
चंडीगढ़	06
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	07
दिल्ली	09
गोवा	10
गुजरात	11
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू - कश्मीर	14

कर्नाटक	15
केरल	16
लक्षद्वीप	17
मध्य प्रदेश	18
महाराष्ट्र	19
मणिपुर	20
मेघालय	21
मिजोरम	22
नगालैंड	23
ओडिशा	24
पांडिचेरी	25
पंजाब	26
राजस्थान	27
सिक्किम	28
तमिलनाडु	29
त्रिपुरा	30
उत्तर प्रदेश	31
पश्चिम बंगाल	32
छत्तीसगढ़	33
उत्तराखंड	34
झारखंड	35
तेलंगाना	36
लद्दाख	37

प्ररूप संख्या 137

[नियम 218 का संदर्भ लें]

टीडीएस/टीसीएस बही समायोजन विवरण

(महीना) (वर्ष) के लिए हस्तांतरण वाउचर के ब्यौरे

भाग क: लेखा अधिकारी के ब्यौरे			
1.	लेखा अधिकारी पहचान संख्या (AIN)		
2.	खाता कार्यालय का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	लेखा कार्यालय का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
4.	लेखा कार्यालय का कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN)		
5.	सरकारी वर्ग	○ केंद्रीय सरकार ○ राज्य सरकार	
6.	विशेष टैन (राज्य सरकार के मामले में)		
7.	राज्य अटॉर्नी जनरल कोड (राज्य सरकार के मामले में)		
	जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे *(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*		
8.	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
9.	जिम्मेदार व्यक्ति का पदनाम		
10.	जिम्मेदार व्यक्ति का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
11।	ईमेल आईडी		
12.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या

भाग ख

1. विवरण का प्रकार

मूल / सुधार	

2. अंतरण वाउचरों का डीडीओ-वार ब्यौरे

क्रम संख्या	***प्ररूप का प्रकार***	डीडीओ का टैन	डीडीओ का नाम	कुल कर कटौती/संग्रह (कर, अधिभार और उपकर का योग)	सरकारी खाते (एजी/प्रिंसिपल सीसीए) में जमा की गई कुल टीडीएस/टीसीएस राशि
1.	***(ड्रॉप डाउन (i) प्ररूप* 138, *(ii)*140, *(iii)*143, *(iv)*144**				
2.					
3.					

कुल		

घोषणा

- मैं ..... (जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

टिप्पणियाँ:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।
2. पते में सम्मलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) या जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ) या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) के कार्यालय में इस प्ररूपको दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ही उत्तरदायी माना जाता है।
4. प्रत्येक डीडीओ द्वारा प्रत्येक माह में अधिकतम चार प्रविष्टियाँ (कटौती के प्रकार के अनुसार) दर्ज की जा सकेगी ।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 138

[नियम 219(1)[सारणी क्रमांक 1] का संदर्भ ले]

कर वर्ष के जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 392 के अधीन कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन या धारा 393(1) के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की आय के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे [

भाग क			
पंक्ति संख्या	**कटौतीकर्ता की विशिष्टियां**		
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार	☐ सरकार ☐ गैर सरकार	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
4.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए ब्यौरे पहले ही दाखिल किया गया है?	*हां नहीं*	
10.	यदि (9) का उत्तर हाँ है, तो मूल ब्यौरे की वापसी की प्राप्ति संख्या		
11।	यदि आप सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता हैं, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का एआईएन उल्लेख करें।		
	कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे		
12.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
13.	स्थायी खाता संख्या		
14.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या

भाग ख:स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई राशि।											
1.	क्रम संख्या	कुल कर *(टिप्पण 4 का संदर्भ ले)*	कुल ब्याज	कुल शुल्क*(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)*	कुल जुर्माना/अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बहीखाता समायोजन के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि (ख + ग	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से) *(टिप्पण 7 का संदर्भ ले)*	बीएसआर कोड/प्राप्ति संख्याप्ररूप संख्या 137(टिप्पण 8 का संदर्भ ले)	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष) (*टिप्पण 8 का*	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रमांक प्ररूप संख्या 137*(टिप्पण 8 का संदर्भ ले)*	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ ले)

						+ घ + ङ)*(टिप्पण 6 का संदर्भ ले)*			*संदर्भ ले)*		
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट
2.	वेतन भुगतान और उस पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे — (i) कर्मचारी और निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के मामले में संबंधित तिमाही का ब्यौरे देने वाले प्रत्येक ब्यौरे के साथ उपाबंध-I संलग्न करें। (ii) उपाबंध -II को अंतिम ब्यौरे के साथ संलग्न करें, अर्थात् 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, जिसमें कर्मचारी के मामले में पूरे कर वर्ष का ब्यौरे हो। (iii) अनुलग्नक-III को अंतिम ब्यौरे के साथ संलग्न करें, अर्थात् 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, जिसमें विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के मामले में पूरे कर वर्ष का ब्यौरा हो।										

घोषणा

मैं, ….. (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता संख्या…… है, …… (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: ….. स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख: ….. नाम: ……

पद का नाम: ……

टिप्पण:

10. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

    (ख) केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

11. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किया जाएगा।

12. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTREQD) उल्लिखित किया जाएगा। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को "PANNOTREQD" के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

13. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती की गई कर राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

    5. टीडीएस ब्यौरे देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' (स्तंभ घ) के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाएगा।

    6. स्तंभ में(एफई), सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखनी होगी।

    7. स्तंभ में (छ), सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ख" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ग" लिखें।

    8. ट्रेस *पोर्टल पर* चालान/स्थानांतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात् ज, झ, ञ बिल्कुल वही होंगे जो टिन 2.0 पर उपलब्ध हैं।

    9. स्तंभ में (के), चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।

    10. जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, भरी जाने वाली राशि ₹ में भरी जाएगी।

उपाबंध I: टीडीएस का कटौतीकर्तावार ब्यौरे

कर्मचारियों/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान किए गए वेतन और उसमें से कटौती किए गए कर का ब्यौरे

क्रम संख्या	चालान संदर्भ संख्या (भाग ख में सारणी (क्रम संख्या क) की क्रमांक संख्या)	कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का स्थायी खाता संख्या	कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम	नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी संदर्भ क्रमांक/ यदि उपलब्ध हो तो पीपीओ नंबर	अनुभाग कोड *(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	भुगतान/क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	मात्रा भुगतान किया गया या क्रेडिट किया गया
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)

	कुल कर कटौती *(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	कुल कर जमा	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कटौती न होने/कम कटौती होने/अधिक कटौती होने का कारण *(टिप्पण 3 और 4 का संदर्भ ले)*	धारा 395(1) के अधीन गैर-कटौती/कम कटौती के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक
	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ)

घोषणा

मैं, ….. (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता क्रमांक …… है, …… (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: ….. स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख: ….. नाम: ……

पद का नाम: ……

टिप्पण:

1. धारा कोडों की सूची निम्न प्रकार है:

धारा	भुगतान का प्रकार	धारा कोड
392	केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	1001
392	सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भुगतान	1002
392	भारतीय सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	1003
393(1) [सारणी: क्रमांक 8(iii)]	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान	1032

2.स्तंभ (ञ) में, कुल कर कटौती की गई कर राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

3.यदि धारा 395(1) के अधीन जारी प्रमाण पत्र के कारण "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" है तो "क" लिखें।

4. यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 397(2) के अधीन कटौती उच्च दर पर हो तो "ग" लिखें।

उपाबंध II: कर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या जमा किए गए वेतन का ब्यौरे और देय शुद्ध कर (धारा 392 के अधीन)

क्रम संख्या	स्थायी खाता कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	क्या धारा 202(1) के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुना जा सकता है? [हां नहीं]	कटौतीकर्ता श्रेणी (वरिष्ठ नागरिक/अति वरिष्ठ नागरिक/अन्य)	वर्तमान कर वर्ष में वर्तमान नियोक्ता के साथ रोजगार शुरू करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	वर्तमान कर वर्ष में वर्तमान नियोक्ता के साथ कार्यरत रहने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	(क) धारा के अनुसार सकल वेतन16	(ख) धारा 17 के अधीन अनुलाभों का मूल्य (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)	(ग) धारा 18 के अधीन वेतन के बदले लाभ (जहां भी लागू हो, प्ररूप संख्या 123 के अनुसार)	वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त सकल वेतन की कुल राशि (टिप्पण 1 का संदर्भ ले) (ज+झ+ञ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	ञ	ट

धारा 392(4)(क)(झ) के अधीन अन्य नियोक्ता(ओं) से प्राप्त वेतन की कुल राशि (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	धारा 11, अनुसूची 3 के अधीन यात्रा रियायत या सहायता [सारणी: क्रमांक 8]	धारा 11, अनुसूची III के अधीन मकान किराया भत्ता [सारणी: क्रमांक 11]	यदि धारा 11, अनुसूची 3 के अधीन छूट का दावा किया जाता है, तो मकान मालिक/मका	धारा 11, अनुसूची III के अधीन अन्य विशेष भत्ते [सारणी: क्रमांक 12 और 13]	वेतन के किसी अन्य घटक की राशि जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त है	धारा 11 (ङ+ढ+त+थ) के अधीन दावा की गई छूट की कुल राशि	धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [सारणी: क्रमांक 2]	धारा 19(1) के अधीन ग्रेच्युटी [सारणी: क्रमांक 3,4,5,6]

			नामिकों का स्थायी खाता क्रमांक [सारणी : क्रमांक 11] (टिप्पणी 3 का संदर्भ ले)						
ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प

धारा 19(1) के अधीन पेंशन का परिपरिवर्तित मूल्य [सारणी: क्रमांक 7, 8, 9]	धारा 19(1) के अधीन कामगारों द्वारा प्राप्त मुआवजा [सारणी क्रमांक 10,11]	धारा 19(1) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि [सारणी क्रमांक 12]	धारा 19(1) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण का नकद समतुल्य [सारणी: क्रमांक 13,14]	आय वेतन शीर्षक के अधीन प्रभार्य [(ट + ठ) - (द + ध+ न + प + फ + ब + भ + म)]	धारा 392 (4)(क)(iii) के अनुसार कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई मकान संपत्ति से कोई भी हानि	स्थायी खाता यदि धारा 22(ख) के अधीन आवास ऋण पर ब्याज का दावा किया जाता है, तो ऋणदाता(ओं) की संख्या (टिप्पण 4 का संदर्भ ले)	धारा 392 (4)(क)(iv) के अनुसार टीडीएस के लिए प्रस्तावित आय के किसी अन्य मद के अधीन प्रभार्य राशि	सकल कुल आय (य – कक + कस)	धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन स्कीम आदि के संबंध में कटौती।	
										सकल राशि	कटौती योग्य राशि
फ	ब	भ	म	य	ककl	कख	कग	कघ	कङ	क च	

धारा के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौतियाँ124(3)		धारा के अधीन पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती124(1)(क)		धारा 126 के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		धारा 125 (1) के अधीन अग्निपथ योजना में कर्मचारी द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में कटौती		धारा 125 (2) के योजना में केंद्रीय किए गए अभिद कटौ	
सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	
कछ	कज	कझ	कञ	कट	कठ	कड	कढ	कण		कत	कथ

धारा 153 के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			अध्याय VIII के अधीन किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य राशि			अध्याय VIII के अधीन कटौती योग्य कुल राशि [कच + कज + कझ + कठ+ कढ + कत + कद + कप + कभ+ खख]	कुल कर योग्य आय (कघ – खग)	कुल आ आयक
सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती प्रभार्य राशि	अनुभाग *(टिप्पण 5 का संदर्भ ले)*	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि		
कफ	कब	कभ	कम	कय	खक	खख	खग	खघ	खङ

प्ररूप 39 पावती संख्या	वह आय (बकाया/ अग्रिम भुगतान आदि) जिस पर धारा 157 के अधीन राहत का दावा किया गया है	धारा 157 के अधीन आयकर राहत, जब वेतन आदि का भुगतान बकाया या अग्रिम रूप से किया जाता है	शुद्ध कर देयता [(खड. + खछ + खज) – (खच + खट)]	वर्तमान नियोक्ता द्वारा पूरे वर्ष के लिए स्रोत पर कटौती किए गए कर की कुल राशि [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए अनुलग्नक I के स्तंभ (ञ) में दी गई राशि का योग]	अन्य नियोक्ता(ओं) द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर की रिपोर्ट की गई राशि [जिसकी आय कुल कर योग्य आय की गणना में सम्मिलित है] स्तंभ(ठ)]	धारा 392 राशि, स्रो स्रोत पर क संबंध में, ज रिपोर्ट कि [जिनके स आय की
खझ	खञ	खट	खठ	खड	खढ	

घोषणा

मैं, ….. (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार) जिसका स्थायी खाता संख्या …… है, …… (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: ….. स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ….. नाम: ……

पद का नाम: ……

टिप्पण:

1. वेतन में मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, ग्रेच्युटी (धारा 19(1) के अधीन छूट प्राप्त राशि को छोड़कर [सारणी: क्रमांक 4, 5 और 6]), शुल्क, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा राशि की वापसी, अनुलाभ, वेतन या मजदूरी के बदले या उसके अतिरिक्त लाभ, जिसमें रोजगार की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए भुगतान, वेतन का अग्रिम भुगतान, किसी भी अवधि के लिए प्राप्त कोई भी भुगतान जो उपयोग नहीं किया गया हो (धारा 19(1) के अधीन छूट प्राप्त राशि को छोड़कर [सारणी: क्रमांक 13 और 14]), अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 11(2) में संदर्भित अंतरित शेष में सम्मिलित सभी राशियों का योग, किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के लिए (उस सीमा तक जिस तक यह उसके उप-पैराग्राफ (4) और (5) के अधीन कर योग्य है), केंद्रीय सरकार

द्वारा किया गया कोई भी अभिदाय सम्मिलित है। धारा 124 में निर्दिष्ट पेंशन योजना के अधीन कर्मचारी के खाते में या 'वेतन' शीर्षक के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य किसी अन्य राशि में कटौती की जाती है। यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक से किसी अनुमोदित पेंशन निधि में कर्मचारी के अभिदाय की कटौती करता है या उसकी ओर से अभिदाय का भुगतान करता है, तो ऐसी सभी कटौतियों या भुगतानों को विवरण में सम्मिलित किया जाएगा।

2. यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कटौती करता है या उसकी ओर से किसी अनुमोदित पेंशन निधि में उस कर्मचारी के अभिदाय का भुगतान करता है, तो ऐसी सभी कटौतियों या भुगतानों को ब्यौरे में सम्मिलित किया जाएगा।

3. जहां कर वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक हो, वहां मकान मालिक (मकान मालिकों) का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

4. जहां आवास ऋण, जिस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, किसी वित्तीय संस्थान या नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से लिया जाता है, वहां ऋणदाता(ओं) का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

5. धाराओं की सूची इस प्रकार है:

क्रम संख्या	**धारा**	**विशिष्टियां**
1	127	आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती, जो दिव्यांगजन है।
2	130	आवासीय मकान संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती
3	131	कतिपय मकान संपत्तियों के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 130 के अधीन नहीं आती)
4	134	किराए के भुगतान के संबंध में कटौती
5	137	किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती
6	154	दिव्यांगजन के मामले में कटौती

उपाबंध III: कर वर्ष ..... के दौरान विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान या जमा की गई पेंशन और ब्याज आय के ब्यौरे और धारा 393(1) के अधीन देय शुद्ध कर [सारणी: क्रमांक 8(iii)]

क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का स्थायी खाता संख्या	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम	कटौतीकर्ता प्रकार (टिप्पण 1 का संदर्भ ले)	क्या धारा *202* के अधीन कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुनना [हां नहीं]	धारा 16(ख) में निहित उपाबंधों के अनुसार सकल पेंशन	धारा 19 के अधीन कटौती		
						धारा 19(1) के अधीन रोजगार पर कर [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 19(1) के अधीन मानक कटौती [सारणी: क्रमांक 2]	कुल [छ + ज]
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ

आय"वेतन" शीर्षक के अधीन [एफ - आई]	निर्दिष्ट बैंक द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त ब्याज आय	सकल कुल आय [जम्मू + कश्मीर]	धारा 123 के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, कुछ पेंशन निधियों, अधिसूचित पेंशन योजनाओं आदि के संबंध में कटौती।		धारा 124(3) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा की गई राशि के संबंध में कटौती		धारा *126* के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		धारा 129 के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		
			सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	
ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	

धारा 133 के अधीन कुछ निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कुल कटौती			धारा *153(2)(ख)* के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती			अध्याय *आठ* के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य राशि				*अध्याय 8 के अधीन* कटौती योग्य राशि का कुल योग [ढ+ त + द + न + ब + य +
सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि	खंड (टिप्पण 2 का संदर्भ ले)	सकल राशि	पात्रता राशि	कटौती योग्य राशि	

										कघ]
प	फ	ब	भ	म	य	कक	कख	कग	कघ	कड.

कुल कर योग्य आय (ठ - कड.)	कुल आय पर आयकर	धारा 156 के अधीन छूट, यदि लागू हो	जहां लागू हो, अतिरिक्त शुल्क	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	देय कर [कछ + कझ + कञ - कज]	धारा 157 के अधीन आयकर राहत	शुद्ध देय कर [कट - कठ]
कच	कछ	कज	कझ	कञ	कट	कठ	कड

घोषणा

मैं, ….. (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता संख्या …… है, …… (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: ….. स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख: ….. नाम: ……

पद का नाम: ……

टिप्पण:

1. **जहां विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की आयु** 80 **वर्ष से कम है**, **वहां** "1" **लिखें और जहां उनकी आयु** 80 **वर्ष या उससे अधिक है**, **वहां** "2" **लिखें।**
2. धाराओं की सूची इस प्रकार है:

क्रम संख्या	धारा	विशिष्टयां
1	127	आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती, जो विकलांग व्यक्ति है।
2	130	आवासीय मकान संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती
3	131	कुछ मकान संपत्तियों के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा के अधीन नहीं आती)*130)*
4	134	किराए के भुगतान के संबंध में कटौती

5	137	किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अभिदाय के संबंध में कटौती
6	154	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती

प्ररूप संख्या 139

[नियम 219(6) देखें]

अधिनियम के अध्याय 19 के अधीन भुगतान की गई राशि की वापसी का दावा करने पर कटौतीकर्ता द्वारा भरा जाने वाला प्ररूप

पंक्ति संख्या	भाग क: कटौतीकर्ता की विशिष्टियां		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या, यदि लागू हो		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
7.	बैंक खाता संख्या		
8.	आईएफएससी कोड		
9.	खाते का प्रकार (यदि लागू हो)		
10.	कानूनी इकाई पहचान संख्या (यदि लागू हो)	*(टिप्पण 3 का संदर्भ ले)*	

भाग ख									
I. केंद्रीय सरकार के खाते में चालान के माध्यम से जमा की गई राशि का विवरण, जिसमें से धनवापसी का दावा किया जा रहा है।	**II. कटौतीकर्ता द्वारा अध्याय 19 के अधीन भुगतान की गई राशि का ब्यौरा जिसके लिए धारा 397(3)(ख) के अधीन प्रस्तुत विवरण में क्रेडिट का दावा किया गया है (स्तंभ 3 में उल्लिखित राशि में से)।**								
पंक्ति संख्या (1)	**चालान पहचान संख्या** (CIN) (2)			**रकम** (3)	**कर वर्ष** (4)	**वे विवरण जिनमें चालान का उपयोग किया गया है** (टिप्पण 4 *का संदर्भ ले*) *(5)*	**प्राप्ति संख्या/ सुसंगत कथनों की स्वीकृति संख्या (6)**	**स्तंभ (6) में उल्लिखित विवरण में उपयोग की गई राशि** *(7)*	**दावा की गई वापसी राशि (8)** *[3-7]*
	बैंक शाखा का बीएसआर कोड	**कर जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**चालान क्रम संख्या**						
1									

2									
	कुल (₹)				कुल (₹)				

घोषणा

- **मैं, ... स्थायी खाता संख्या ....., ... (पदनाम) के पद पर कार्यरत, प्रमाणित करता/करती हूँ कि कुल राशि ..... रुपये (शब्दों में) [ऊपर स्तंभ (8) में उल्लिखित] केंद्रीय सरकार के खाते में काटी और जमा की गई है तथा धारा *397(3)(ख)* के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी विवरण में इसका दावा नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।**
- **मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है और यह लेखा-बहियों, दस्तावेजों, सुसंगत विवरणों, जमा किए गए कर और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।**

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से उचित उपाधि (श्रीमान/श्रीमती/सुश्री) के साथ दिया जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, पूरा नाम ही दिया जाएगा।
2. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किए जाएंगें।
3. विधिक इकाई पहचान संख्या प्रस्तुत करना केवल तभी अपेक्षित है जब दावा की गई धनवापसी राशि 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।
4. उन सभी विवरणों का उल्लेख करें जिनमें चालान का उपयोग किया गया है।
5. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
6. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 140

[नियम 219(1)[सारणी: क्रमांक 3] का संदर्भ लें]

जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च/ कर वर्ष को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वेतन से भिन्न किए गए भुगतानों के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे.....]

	भाग क		
पंक्ति संख्या..	**कटौतीकर्ता का ब्यौरे**		
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार	• सरकार • गैर सरकार	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
4.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया गया है?	*(हां नहीं)*	
10.	यदि पंक्ति संख्या (9) का उत्तर "हाँ" है, तो मूल ब्यौरे की वापसी प्राप्ति संख्या		
11.	यदि सरकारी कटौतीकर्ता हैं, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का एआईएन उल्लेख करें।		
कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की विशिष्टयां (गैर-व्यक्तिगत कर कटौतीकर्ता के मामले में लागू)			
12.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
13.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
14.	स्थायी खाता संख्या		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*

	भाग ख										
1.	केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए और कटौती किए गए कर के ब्यौरे:										
	क्रम संख्या	कुल कर कटौती *(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*	कुल ब्याज	कुल शुल्क *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	कुल जुर्माना/अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बही समायोजन (ख+ग+घ+ङ) के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से) *(टिप्पण 7 का संदर्भ लें)*	बीएसआर कोड/रसीदसंख्याप्ररूप संख्या 137 *(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)*	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष) *(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)*	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)
	(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**	**(झ)**	**(ञ)**	**(ट)**
2.	कर कटौती प्राप्तकर्ताओं से भुगतान की गई राशि और उस पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे तथा बिना कटौती के भुगतान की गई राशि के ब्यौरे (उपाबंध का संदर्भ लें)										

घोषणा

मैं, …….. (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ……. है, …….. (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: स्रोत पर

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

   (ख) केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

2. पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTREQD) बताना अनिवार्य है। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को "PANNOTREQD" के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

4. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगी।

5. टीडीएस ब्यौरे देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।

6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखी जाएगी ।

7. स्तंभ (छ) में, सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "B" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "C" लिखें।

8. चालान/अंतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात्(H), (I), (J) यह TIN/ TRACES *पोर्टल* 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होंगे ।

9. स्तंभ (ट) में, चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।.

10. *जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशि* ₹ *में भरी जाएगी ।*

उपाबंध: टीडीएस का कटौतीकर्तावार विवरण

... (दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/क्रेडिट की गई राशि और स्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे

क्रम संख्या	चालान संदर्भ संख्या [भाग ख में सारणी (क्रम संख्या 1) का स्तंभ ए]	कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	धारा कोड (*टिप्पण 15 का संदर्भ लें*)	भुगतान या क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	राशि का भुगतान या क्रेडिट दिया गया	धारा 393(3) [सारणी: क्रमांक 5] में निर्दिष्ट अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि (सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में)	धारा 393(3) के अधीन आने वाले मामलों के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि [सारणी: क्रमांक 5] (सहकारी समितियों के मामले में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)

कुल कर कटौती (*टिप्पण 14 का संदर्भ लें*)	कुल कर जमा	दर पर जिस पर कर काटा गया	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कटौती न करने का कारण / न्यूनतम कटौती / अधिकतम कटौती / सीमा / ट्रांसपोर्टर आदि (टिप्पण 1 से 13 का संदर्भ लें)	धारा 395 के अधीन गैर-कटौती/कम कटौती के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप संख्या 121 की विशिष्ट पहचान संख्या
(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ)	(ण)	(त)

धारा 393(1) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 8 (iv), **टिप्पण** 6]				**धारा** 393(1) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 8 (vi), **टिप्पण** 6]			
जमा किए गए कर की राशि	**बैंक का बीएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**	**जमा किए गए कर की राशि**	**बैंक का खएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**
(थ)	**(द)**	**(ध)**	**(न)**	**(प)**	**(फ)**	**(ब)**	**(भ)**

धारा 393(3) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 1, **टिप्पण** 2]				**धारा** 393(3) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 2, **टिप्पण** 2]			
जमा किए गए कर की राशि	**बैंक का बीएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**	**जमा किए गए कर की राशि**	**बैंक का बीएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**
(म)	**(य)**	**(कक)**	**(कख)**	**(कग)**	**(कघ)**	**(कङ)**	**(कच)**

घोषणा

मैं, ….. (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ……. है, …….. (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: स्रोत पर कर

कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. *यदि धारा* 395(1) *के अधीन प्रमाण पत्र के कारण "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" है तो "ए" लिखें।*

2. *यदि धारा* 393(6) *के अधीन घोषणा के कारण कोई कटौती नहीं है तो "ख" लिखें।*

3. *यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा* 397(2) *के अधीन उच्च दर पर कटौती की जाती है तो "ग" लिखें।*

4. *यदि आयकर अधिनियम,* 1961 *(1961 का 43) उसके निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा* 194*क*(5) *के अधीन जारी अधिसूचना या अधिनियम की धारा* 400(1) *के अधीन जारी अधिसूचना के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "घ" लिखें।*

5. *यदि बोर्ड परिपत्र संख्या* 3 *तारीख* 28 *जून,* 2002 *या बोर्ड परिपत्र संख्या* 11 *तारीख* 22 *नवंबर,* 2002 *या बोर्ड परिपत्र संख्या* 18/2017 *तारीख* 29 *मई,* 2017 *में उल्लिखित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "ङ" लिखें।*

6. *यदि अधिनियम की धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 18] *में निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या आयकर अधिनियम,* 1961 *(1961 का 43) उसके निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा* 194 *के पाँचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती नहीं है, तो "ढ़" लिखें।*

7. *यदि धारा* 393(4) *के प्रावधानों के अनुसार कोई कटौती नहीं है तो "ण" लिखें* [*सारणी: क्रमांक* 5]*।*

8. *यदि धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 10(*घ*)] *में निर्दिष्ट व्यावसायिक न्यास को किए गए लाभांश के भुगतान के कारण या धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 10(*ङ*)] *के अधीन जारी किसी अधिसूचना के मद्देनजर कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "त" लिखें।*

9. *यदि धारा* 393(4) *सारणी:* [*क्रम संख्या* 7(*ग*)(*फ*)] *में निर्दिष्ट इकाई को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं है तो "थ" लिखें।*

10. *यदि धारा* 393(1) [*सारणी क्रमांक* 8(ii)] *टिप्पण* 1(*क*) *में संदर्भित लेनदेन के संबंध में अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन कटौती योग्य या संग्रहणीय कर के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है, तो "ध" लिखें।*

11. *यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता के परिवहनकर्ता होने के कारण कोई कटौती नहीं है, तो "न" लिखें। कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता का पैन अनिवार्य है* {*धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 8]}*।*

12. *यदि अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "म" लिखें।*

13. *यदि अधिनियम की धारा* 400(1) *के अधीन जारी अधिसूचना के मद्देनजर भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "य" लिखें।*

14. स्तंभ (ञ) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

15. *धारा कोड की सूची इस प्रकार है:*

धारा	***भुगतान का प्रकार***	***भुगतानकर्ता***	***धारा कोड***
392(7)	*किसी कर्मचारी को देय संचित राशि का कोई भी भुगतान*	*कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम,* 1952 *के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति*	1004
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 1 (i)]	*कमीशन या दलाली - बीमा*	*किसी भी व्यक्ति*	1005
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 1 (ii)]	*कमीशन या दलाली - अन्य*	*निर्दिष्ट व्यक्ति*	1006
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 2 (ii).*डी*(*क*)]	*मशीनरी आदि का किराया - निर्दिष्ट व्यक्ति*	*निर्दिष्ट व्यक्ति*	1008
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 2 (ii).*घ*(*ख*)]	*मशीनरी आदि के अलावा अन्य किराया - निर्दिष्ट व्यक्ति*	*निर्दिष्ट व्यक्ति*	1009
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 3(ii)]	*धारा* 67(14) *में निर्दिष्ट समझौते के अधीन किसी भी प्रतिफल पर भुगतान, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो।*	*कोई भी व्यक्ति*	1011

धारा	***भुगतान का प्रकार***	***भुगतानकर्ता***	***धारा कोड***
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 3 (iii)]	*कुछ अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान*	*कोई भी व्यक्ति*	1012
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 4 (i)]	*अनुसूची* VII [*सारणी: क्रमांक* 20 *या* 21] *के अधीन निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड की इकाइयों या निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से प्राप्त इकाइयों या निर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त इकाइयों के संबंध में निवासी करदाता को देय आय*	*कोई भी व्यक्ति*	1013
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 4 (ii)]	*किसी व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को प्राप्त होने वाली ब्याज के रूप में निश्चित आय।*	*कोई भी व्यावसायिक न्यास*	1014
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 4 (ii)]	*किसी व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश के रूप में प्राप्त होने वाली निश्चित आय।*	*कोई भी व्यावसायिक न्यास*	1015
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 4 (ii)]	*किसी रियल एस्टेट विनिधान न्यास के स्वामित्व वाले बिजनेस न्यास की इकाइयों से किराए के रूप में प्राप्त होने वाली निश्चित आय, निवासी इकाई धारक को दी जाती है।*	*कोई भी व्यावसायिक न्यास*	1016
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 4 (iii)]	*धारा* 224 *में निर्दिष्ट निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में, अनुसूची* V [*सारणी: क्रमांक* 2] *के अधीन छूट प्राप्त आय के उस अनुपात के अतिरिक्त कोई भी आय, जो उसके इकाईधारक को देय हो।*	*धारा*224 *में निर्दिष्ट कोई भी निवेश कोष*	1017
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 4 (iv)]	*धारा* 221 *में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में किसी निवेशक को प्राप्त कोई भी आय।*	*धारा* 221 *में निर्दिष्ट कोई भी प्रतिभूतिकरण न्यास*	1018
393(1) [*सारणी:*	*प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय*	*कोई भी व्यक्ति*	1019

धारा	***भुगतान का प्रकार***	***भुगतानकर्ता***	***धारा कोड***
क्रमांक 5 (i)]			
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 5 (ii).*घ*(*क*)]	*प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता वरिष्ठ नागरिक है।*	*(क) एक बैंकिंग कंपनी; या (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन जमा के लिए डाकघर*	1020
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 5 (ii).*ङ*(*ख*)]	*प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता वरिष्ठ नागरिक नहीं है, तो*	*(क) एक बैंकिंग कंपनी; या (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन जमा के लिए डाकघर*	1021
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 5 (iii)]	*प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा किसी अन्य प्रकार का ब्याज से प्राप्त होने वाली कोई भी आय*	*निर्दिष्ट व्यक्ति [क्रम संख्या* 5(ii).*ग में उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त]*	1022
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 6 (i).*घ*(*क*)]	*ठेकेदार और किसी अभिहित व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनुबंध के अधीन किसी भी कार्य (कार्य करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) को पूरा करने के लिए दी गई कोई भी राशि – यदि ठेकेदार व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है*	*कोई भी अभिहित व्यक्ति*	1023
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 6 (i).*घ*(*ख*)]	*ठेकेदार और किसी अभिहित व्यक्ति व्यक्ति के खच हुए अनुबंध के अधीन किसी भी कार्य (कार्य करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) को पूरा करने के लिए दी जाने वाली कोई भी राशि – यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है जो व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य नहीं हैं।*	*कोई भी अभिहित व्यक्ति*	1024
393(1) [*सारणी:*	*निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की*	*विनिर्दिष्ट व्यक्ति*	1026

धारा	*भुगतान का प्रकार*	*भुगतानकर्ता*	*धारा कोड*
क्रमांक 6 (iii). *घ(क)*]	*राशि — (क) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (पेशेवर सेवाओं को छोड़कर); या (ख) सिनेमाई फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के रूप में रॉयल्टी; या (ग) भुगतानकर्ता, जो केवल कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में लगा हो*		
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 6 (iii). *घ(ख)*]	*किसी भी राशि के रूप में—* (क)पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क; या (ख) धारा 26(2)(एच) में निर्दिष्ट कोई राशि	*विनिर्दिष्ट व्यक्ति*	1027
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 6 (iii). *घ(ख)*]	*किसी कंपनी के निदेशक को पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के रूप में दी गई कोई भी राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उन राशियों के अलावा जिन पर धारा* 392 *के अधीन कर कटौती योग्य है।*	*विनिर्दिष्ट व्यक्ति*	1028
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 7]	*घोषित किए गए कोई भी लाभांश (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित)।*	*कोई भी घरेलू कंपनी*	1029
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (i)]	*जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन कोई भी राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है, अनुसूची II के अधीन कुल आय में शामिल न की जाने वाली राशि के अतिरिक्त* [*सारणी: क्रमांक* 2]	*कोई भी व्यक्ति*	1030
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (ii)]	*किसी भी वस्तु की खरीद के लिए कोई भी राशि*	*कोई भी व्यक्ति, जो खरीदार हो*	1031
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (iv)]	*किसी भी निवासी के व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या सुविधा, चाहे वह धन में*	*कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति*	1033

धारा	*भुगतान का प्रकार*	*भुगतानकर्ता*	*धारा कोड*
	परिवर्तनीय हो या नहीं।		
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (iv) *टिप्पण* 6]	*किसी भी निवासी के व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या सुविधा, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, चाहे वह मुद्रा में परिवर्तनीय हो या नहीं।*	*कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति*	1034
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (v)]	*किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा अपनी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाई गई वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान। - कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर*	*कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर*	1035
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (vi)]	*किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में दी गई कोई भी राशि।*	*कोई भी व्यक्ति*	1037
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 8 (vi) *टिप्पण* 6]	*किसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में दी जाने वाली कोई भी राशि, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो।*	*कोई भी व्यक्ति*	1038
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 1]	*धारा* 393(3) *की सारणी के क्रमांक* 2 *से प्राप्त जीतों के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त किसी भी प्रकार की आय: – (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य किसी भी प्रकार का खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी*	*कोई भी व्यक्ति*	1058
393(3) [*सारणी:*	*धारा* 393(3) *की सारणी के क्रमांक* 2 *से*	*कोई भी व्यक्ति*	1059

धारा	***भुगतान का प्रकार***	***भुगतानकर्ता***	***धारा कोड***
क्रमांक 1 *टिप्पण* 2]	*प्राप्त जीतों के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त कोई भी जीत (अ) — (क) किसी लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य किसी भी प्रकार का खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी, जिसमें वस्तु या नकद के रूप में प्रतिफल दिया जाता है, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जा चुका है।*		
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 2]	*ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।*	*कोई भी व्यक्ति*	1060
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 2 *टिप्पण* 2]	*ऑनलाइन गेम से जीती गई किसी भी राशि, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या नकद, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीती हुई राशि जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जाना चाहिए।*	*कोई भी व्यक्ति*	1061
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 3]	*घुड़दौड़ से प्राप्त किसी भी प्रकार की जीत से होने वाली आय।*	*कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सट्टेबाज हो या सरकार द्वारा किसी भी लागू कानून के अधीन किसी भी घुड़दौड़ मैदान में घुड़दौड़ आयोजित करने या सट्टेबाजी की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हो,*	1062
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 4]	*लॉटरी टिकटों का भंडारण, वितरण, खरीद या बिक्री करने वाले व्यक्ति को कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में प्राप्त*	*कोई भी व्यक्ति*	1063

धारा	*भुगतान का प्रकार*	*भुगतानकर्ता*	*धारा कोड*
	होने वाली कोई भी आय।		
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 5.*घ*(*क*)]	*बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के कटौतीग्राही को नकद में कुछ राशियों का भुगतान।*	*प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,* 1949 *(1949 का 20)लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा* 51 *में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर*	1064
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 5.*घ*(*ख*)]	*बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नकद में कुछ राशियों का भुगतान करना।*	*प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,* 1949 *लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा* 51 *में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर*	1065
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 6]	*आयकर अधिनियम,* 1961 (1961 *का* 43) *की धारा* 80CCA(2)(क) *में विनिर्दिष्ट कोई भी राशि।*	*कोई भी व्यक्ति*	1066
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 7]	*फर्म के किसी साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज के रूप में भुगतान की गई या उसके खाते (पूंजी खाते सहित) में जमा की गई कोई भी राशि।*	*कोई भी व्यक्ति, जो एक फर्म है*	1067

16. जब तक अन्यथा उपाबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 141

[नियम 218(3) और 219(5) का संदर्भ लें]

धारा 393(1) के अधीन कर कटौती का चालान-सह-ब्यौरे [सारणी क्रमांक 2(i), 3(i), 6(ii) और 8(vi)]

भाग क: कटौतीकर्ता का विशिष्टियां

<table>
<tr><td colspan="2">स्वीकृति संख्या:</td><td>ई-फाइलिंग की तारीख:</td><td>संव्यवहार का कर वर्ष:</td><td>कटौती का महीना: माह/वर्ष</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>नाम</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पता</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्थायी खाता संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ईमेल आईडी</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>संपर्क संख्या</td><td>देश कोड</td><td colspan="2">संख्या</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>संव्यवहार की प्रकृति
(एक का चयन करें)</td><td colspan="3">○ किराया भुगतान
○ अचल संपत्ति का अंतरण
○ कमीशन/ब्रोकरेज या पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में भुगतान या किसी अनुबंध के अनुसरण में भुगतान
○ आभासी डिजिटल आस्ति का अंतरण</td></tr>
</table>

भाग ख: संव्यवहार का ब्यौरे

अनुसूची क: धारा 393(1) के अंतर्गत व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा भुगतान किए गए किराए पर टीडीएस |सारणी: क्रमांक 2(i)|

1. (i)	किराए पर ली गई संपत्ति का पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*			
(ii)	संपत्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*		○ भूमि या ○ इमारत या ○ भूमि और भवन दोनों			
(iii)	सभी किरायेदार/पट्टेदार/भुगतानकर्ता से संबंधित ब्यौरे:					
	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम		किरायेदार/पट्टेदार/भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान/जमा किए जाने वाले किराए का अनुपात (%)	
	(i)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*			
	(ii)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*			
	.....				कुल: 100%	
(iv)	सभी कटौतीकर्ताओं (मकान मालिक/पट्टेदार/भुगतानकर्ता) के ब्यौरे: (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)					
	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	मकान मालिक/पट्टेदार/भुगतानकर्ता को प्राप्त होने वाले किराए का अनुपात (%)
	(i)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*			
	(ii)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*			
	.....					कुल: 100%
2.	कर वर्ष के दौरान किरायेदारी की अवधि *(माह में)*					
3.	क्या आयकर की कटौती कर वर्ष के अंत में या किरायेदारी की समाप्ति पर की जा रही है? (एक विकल्प चुनें)		*(कर वर्ष की समाप्ति / किरायेदारी की समाप्ति)*			
4.	कर वर्ष के दौरान जमा/भुगतान की गई कुल किराया रकम					
5.	विगत माह जमा/भुगतान की गई कुल किराया रकम					
6.	कटौती प्राप्तकर्ता के अनुसार टीडीएस विवरण:					

क्रम सं.	कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	स्तंभ (ख) में उल्लिखित कटौतीकर्ता के संबंध में					
			स्तंभ (ट) में उल्लिखित कटौतीक	स्तंभ (ख) में उल्लिखित करदाता के संबंध में स्रोत पर	क्रेडिट/भुगतान की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र	कर कटौती की दर (टिप्पण 3	कटौती की तारीख

		खाता क्रमांक		र्ता के संबंध में जिस रकम पर कर कटौती देय है (रुपये में)	काटे गए कर की रकम		संख्या, यदि लागू हो	का संदर्भ लें)	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)
	(i)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*						
	(ii)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*						
	.....								
				कुल:	कुल:				

अनुसूची ख: धारा 393(1) के अधीन अचल संपत्ति के अंतरण पर टीडीएस [सारणी: क्रमांक 3(i)]				
	विशिष्टियां			
1. (i)	अंतरित/अंतरित की जाने वाली संपत्ति का पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*		
(ii)	अचल संपत्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*	○ भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) ○ इमारत या इमारत का कोई हिस्सा		
(iii)	सभी क्रेता के ब्यौरे			
	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम	खरीददार द्वारा कुल विक्रय मूल्य का भुगतान/क्रेडिट किया जाने वाला अनुपात (%)
	(i)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
	(ii)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
	…			कुल: 100%
	सभी कटौतीकर्ताओं (विक्रेताओं) का ब्यौरे: (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)			

(iv)	क्रम संख्या	स्थायी खाता संख्या	नाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी	विक्रेता द्वारा प्राप्त/डेबिट की जाने वाली कुल विक्रय रकम का अनुपात (%)
	(i)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*			
	(ii)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*			
	…					कुल: 100%
2.	समझौते की तारीख				*(दिन/माह/वर्ष)*	
3.	पंजीकरण की तारीख (यदि उपलब्ध हो)				*(दिन/माह/वर्ष)*	
4.	संपत्ति का कुल स्टांप शुल्क मूल्य					
5.	संपत्ति के संबंध में कुल विक्रय रकम					
6.	क्या भुगतान एकमुश्त किया जा रहा है या किश्तों में?				*(एकमुश्त रकम / किश्तों में भुगतान)*	
	(क) यदि किश्तों में है, पहली, पश्चात् की या अंतिम किश्त हो *(एक का चयन करें)*				○ पहली किस्त ○ अगली किस्त ○ अंतिम किस्त	
	(ख) पश्चातवर्ती की या अंतिम किस्त के मामले में, कृपया पिछली पावती संख्या का उल्लेख करें।					
	(ग) अंतिम किस्त के मामले में, भुगतान की गई/क्रेडिट की गई कुल रकम (इस किस्त में किए गए भुगतान सहित)					

7.	संव्यवहार के ब्यौरे											
	क्रम संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता का पैन नंबर	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	स्तंभ (ख) में उल्लिखित कटौतीकर्ता के संबंध में								
				स्टांप शुल्क मूल्य की आनुपातिक रकम	पिछली किश्तों में भुगतान की गई/जमा की गई कुल	वर्तमान संव्यवहार में भुगतान की गई/क्रेडिट की	वह रकम जिस पर कर कटौती की	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	क्रेडिट/भुगतान की तारीख	अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र संख्या,	स्रोत पर कर कटौती की दर (टिप्पण 3 का	कटौती की तारीख

					रकम, यदि कोई हो	गई रकम	जानी है			यदि लागू हो	संदर्भ लें)	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)
	(i)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*									
	(ii)		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*									
	…											

अनुसूची ग: धारा 393(1) के अधीन ठेकेदार/पेशेवरों को व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस [सारणी क्रमांक 6(ii)]

संव्यवहार के ब्यौरे

क्र. सं.	कटौती प्राप्त कर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्त कर्ता का नाम	भुगतान का स्वरूप (अनुबंध या कमीशन/ ब्रोकरेज के अनुसरण में काम करना या) पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क) *(एक का चयन करें)*	अनुबंध/समझौते की तारीख	1 अप्रैल से लेकर उस माह के अंत तक की अवधि के दौरान किए गए भुगतानों /क्रेडिट का कुल योग, जिस महीने में भुगतान किया गया है/क्रेडिट किया गया है।	भुगतान की गई/ क्रेडिट की गई रकम	भुगतान/ क्रेडिट की तारीख	वह रकम जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की जानी है	अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र संख्या, यदि लागू हो	स्रोत पर कर कटौती की दर (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	कटौती की तारीख
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)
(i)													
(ii)													
..													

अनुसूची घ: धारा 393(1) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति (वीडीए) के अंतरण पर व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस [सारणी क्रमांक 8(vi)]

संव्यवहार के ब्यौरे

संव्यवहार का प्रकार *(एक विकल्प चुनें) (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	• **नकद** • **वस्तु के रूप में/ किसी अन्य वीडीए के बदले**

क्रम संख्या	कटौती प्राप्त कर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्त कर्ता का नाम	फघक के अंतरण की तारीख	प्रति फल का कुल मूल्य	भुगतान की गई/क्रेडिट की गई रकम (रुपये में)			भुगतान/ क्रेडिट की तारीख	भुगतान वस्तु के रूप में या फघक के स्थान पर किए जाने पर जमा किए गए कर का ब्यौरे			वह रकम जिस पर कर कटौती की जानी है	अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाण पत्र संख्या, यदि लागू हो	कर कटौती की दर (टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	कटौती की तारीख
					नकद में	प्रकार में	दूसरे फघक के बदले में		भुगतान किए गए कर की रकम	खंड (ङ) के अधीन जिस तारीख को कर जमा किया गया	चालान क्रमांक					
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ)	(ण)	(त)	(थ)	(द)
(i)																	
(ii)																	
..																	

भाग ग: संव्यवहार का सारांश और कर, ब्याज और शुल्क के ब्यौरे

संव्यवहार की प्रकृति*	धारा*	प्रमुख हेड कोड*	माइनर हेड कोड*	कटौती की गई रकम*	ब्याज	शुल्क	कुल भुगतान	भुगतान का तरीका	चालान पहचान संख्या (CIN)*		
									खघद कोड	जमा करने की तारीख	चालान क्रम संख्या

टिप्पण:

1. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगी।

2. पते में सम्मिलित किए जाएगें : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. कर की कटौती निम्न प्रकार से की जाएगी—

   (क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दर पर; या

   (ख) उच्च दरें जहां धारा 397(2) के उपबंध लागू होते हैं; या

   (ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 395(1) के अधीन जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित दर पर।

4. एक ही प्ररूप में संबंधित अनुसूची में एक से अधिक करदाताओं का ब्यौरे भरा जा सकता है, यदि करदाता एक ही स्थिति के हों, अर्थात् कॉर्पोरेट या गैर-कॉर्पोरेट। हालांकि, यदि करदाताओं की स्थिति

भिन्न-भिन्न हो, तो कॉर्पोरेट करदाता(कों) और गैर-कॉर्पोरेट करदाता(ओं) के लिए अलग-अलग प्ररूप भरने होंगे।

5. (i) यदि प्रतिफल पूर्णतः नकद में हो या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, तथा नकद भाग ऐसे संपूर्ण अंतरण के संबंध में कर कटौती की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, तो "संव्यवहार का प्रकार" के रूप में नकद चुनें।

   (ii) यदि प्रतिफल पूर्णतः वस्तु के रूप में हो या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, परन्तु नकद भाग ऐसे संपूर्ण अंतरण के संबंध में कर कटौती की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, तो "संव्यवहार का प्रकार" के रूप में वस्तु/अन्य फधक के विनिमय का चयन करें।

6. एक से अधिक कटौतीकर्ता होने की स्थिति में, प्रत्येक कटौतीकर्ता को अलग-अलग प्ररूप भरना होगा।

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

8. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी रकमयाँ ₹ में भरी जाएगी ।

   * स्वचालित रूप से अपडेट किया जाएगा।

प्ररूप संख्या 142

[नियम 219(2) देखें]

कर वर्ष के जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला धारा 393(i) [सारणी क्र सं(8 vi)] के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के संबंध में जमा किए गए कर का त्रैमासिक विवरण

पंक्ति संख्या	**भाग क: विनिमय का विशिष्टि**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ ले)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
6.	कर वर्ष		

भाग ख:संव्यवहार के ब्यौरे

(i) नियम 219(2) के संदर्भित संव्यवहार के संबंध में भुगतान किए गए कर के ब्यौरे

क्रमांक नहीं।	खरीददार/दलाल का नाम	खरीदार/दलाल का पता	खरीदार/दलाल का स्थायी खाता संख्या	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) का नाम	लेनदेन की तारीख	खरीदार द्वारा खरीदे गए वीडीए का मूल्य/ दलाल	वीडीए की संख्या खरीदार/दलाल द्वारा खरीदा गया	कुल प्रतिफल	कुल प्रतिफल का 1%	कर भुगतान की तारीख	चालान ब्यौरे		
											बीएसआर बैंक शाखा का कोड	राशि का भुगतान	चालान क्रम सं
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)=(छ)*(ज)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ.)
1.													
2.													

(ii) उन संव्यवहार का विवरण जिन पर धारा 400(2) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई थी।

क्रमांक नहीं	दलाल का नाम	दलाल का पता	ब्रोकर का स्थायी खाता नंबर	ब्रोकर का कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) का नाम	लेनदेन की तिथि	खरीदार द्वारा खरीदे गए वीडीए का मूल्य	खरीदार द्वारा खरीदे गए वीडीए की संख्या	कुल भुगतान/क्रेडिट राशि
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)= (ज)* (झ)
1.									
2.									

घोषणा

मैं ..... (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है और जो ..... (विनिमय का नाम) में ..... (पदनाम) के रूप में कार्यरत है, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवेदन में दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान: स्रोत पर कर कटौती के लिए

जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

7. व्यक्तिगत नाम के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा लिखा जाना चाहिए। अन्य सभी मामलों में भी, नाम पूरा लिखा जाएगी।

8. पते में : i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य सम्मिलित किए जाएंगे।

9. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 143

[नियम 219(1)|सारणी: क्रमांक 4] का संदर्भ लें]

(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) …….. (कर वर्ष) को समाप्त तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन स्रोत पर कर संग्रह का त्रैमासिक विवरण

पंक्ति संख्या	**भाग क: संग्राहक का विशिष्टियां**		
1.	संग्राहक का प्रकार	• सरकार • गैर सरकार	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
4.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया गया है?	*हां नहीं*	
10.	यदि पंक्ति संख्या (9) का उत्तर "हाँ" है, तो मूल विशिष्टियां की वापसी रसीद संख्या		
11.	यदि संग्राहक सरकारी है, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ कोड का एआईएन उल्लेख करें।		
कर वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विशिष्टियां			
12.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
13.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
14.	स्थायी खाता संख्या		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*

भाग ख											
1.	केंद्रीय सरकार के खाते में एकत्रित और भुगतान किए गए कर के ब्यौरे:										
	क्रम सं.	कुल कर संग्रह(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)	कुल ब्याज	कुल शुल्क (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	कुल जुर्माना / अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि /बही समायोजन के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि(ख+ग+घ+ङ) (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बही खाते के समायोजन के माध्यम से) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)	बीएसआर कोड/रसीद संख्याप्ररूप संख्या 137*(संदर्भ देना टिप्पण 8)*	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137*(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)*	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष) *टिप्पण 8 का संदर्भ लें)*	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)
	क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ**	**च**	**छ**	**ज**	**झ**	**ञ**	**ट**
2.	प्राप्त राशि और उस पर कर संग्रहकर्ताओं से वसूले गए कर का विशिष्टियां (उपाबंध का संदर्भ लें)										

घोषणा

मैं, ….. (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार), जिसका स्थायी खाता संख्या …… है, …… (संग्रहकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का

नाम:

टिप्पण:

5. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप

से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

(ख)केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

6. पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

7. गैर-सरकारी कलेक्टरों के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTRECD) बताया जाएगा। सरकारी कलेक्टरों के मामले में, स्थायी खाता संख्या को "PANNOTREQD" के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

8. स्तंभ (ख) में, कुल एकत्रित कर, एकत्रित कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगा।

9. टीसीएस विशिष्टियां देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।

6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य संग्राहकों को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखनी होगी।

7. स्तंभ (ज) में, सरकारी कलेक्टरों को "ख" लिखेगा जहां टीडीएस को बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाता है। अन्य कलेक्टरों को "ग" लिखना होगा।

8. चालान/स्थानांतरण वाउचर (CIN/BIN) विशिष्टियां, अर्थात्((*ज*), (*झ*) *और* (*ञ*) यह TRACES *पोर्टल*/TIN 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होगा ।

9. स्तंभ (ट) में , चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।

10.*जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, राशि ₹ में भरी जाएगी ।*

उपाबंध: टीसीएस का वसूलीकर्ताओं के अनुसार विवरण

_____(दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्त/डेबिट की गई राशि और स्रोत पर एकत्रित कर के ब्यौरे

क्रमांक संख्या	चालान संदर्भ संख्या (भाग ख के क्रमांक 1 का स्तंभ क)	स्थायी खाता संख्या	नाम	क्या वह अनिवासी है(हाँ/नहीं)	संग्रहणी कोड (यह नियम तब लागू होता है जब प्राप्तकर्ता गैर-निवासी हो) (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	क्या प्राप्तकर्ता का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है? (यह नियम तब लागू होता है जब प्राप्तकर्ता गैर-निवासी हो) (हां नहीं)	क्या संग्रहकर्ता 202(1) धारा के अधीन कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है?	प्राप्त / डेबिट राशि	जिस तारीख को राशि प्राप्त हुई/डेबिट हुई (दिन/माह/वर्ष)	संग्रह कोड(टिप्पण 9 का संदर्भ लें)	कुल कर संग्रह(टिप्पण 10 का संदर्भ लें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)

कुल कर जमा	संग्रह की तारीख(दिन/माह/वर्ष)	जिस दर पर कर एकत्र किया हुआ	कम वसूली/उच्च दर पर वसूली का कारण (टिप्पण 1 से 7 का संदर्भ लें)	धारा 395(3) के अधीन कर की कम वसूली के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक	क्या संग्राहक द्वारा किया गया भुगतान धारा 394(5) के अनुसार टीडीएस के लिए उत्तरदायी है और क्या ऐसे भुगतान से टीडीएस काटा गया है [यदि स्तंभ (त) में "च" चुना गया है](हां नहीं)	यदि (द) का उत्तर हाँ है, तो	
						चालान संख्या	केंद्रीय सरकार को टीडीएस भुगतान की तारीख
(ड)	(ढ)	(ण)	(त)	(थ)	(द)	(ध)	(न)

घोषणा

मैं, ….. (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार)मैं, जिसका स्थायी खाता संख्या …… है, …… (संग्रहकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर वसूलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: ….. स्रोत पर कर

संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ….. नाम:

पद

का नाम:

टिप्पण:

1. यदि धारा 395(3) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण "कम वसूली" हुई है, तो "क" लिखें।

2. यदि धारा 394(2) के अधीन घोषणा प्रस्तुत न करने के कारण वसूली न हुई है, तो "ख" लिखें।

3. यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 397(2) के अधीन उच्च दर पर वसूली हुई है, तो "ग" लिखें।

4. यदि धारा 394(5) या धारा 402(6) के कारण कोई वसूली नहीं हुई है, तो "च" लिखें। [सारणी: क्रमांक 4 और 5, स्तंभ घ]।

5. यदि धारा 394(4) के प्रावधानों के अनुसार कोई वसूली नहीं हुई है, तो "ट" लिखें।

6. यदि धारा 394(1) में निर्दिष्ट सीमा से कम प्राप्ति के कारण कोई वसूली नहीं हुई है, तो "म" लिखें। [सारणी: क्रमांक 7]।

7. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 400(1) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्देनजर यदि कोई वसूली नहीं हुई है या कम वसूली हुई है तो "य" लिखें।

8. संग्राहक कोडों की सूची:

क्रम संख्या	प्रास्थिति	विशिष्टियां
1	01	कंपनी
2	02	व्यक्ति
3	03	हिंदू अविभाजित परिवार
4	04	व्यक्तियों का संघ (एओपी), सिवाय उस स्थिति के जब एओपी में केवल कंपनियां ही सदस्य हों।
5	05	व्यक्तियों का संघ (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां ही सदस्य होती हैं
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यक्तियों का समूह
9	09	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2 की उपधारा (77) के खंड (जी) में निर्दिष्ट कृत्रिम कानूनी व्यक्ति
10	10	अन्य

9. नीचे दिए गए अनुसार कलेक्शन कोड लिखें:

धारा	*प्राप्ति की प्रकृति*	*संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति*	*धारा कोड*
394(1) [सारणी: क्रमांक 1]	मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की विक्रय।	विक्रेता	1068
394(1) [सारणी: क्रमांक 2]	तेंदू के पत्तों की विक्रय	विक्रेता	1069
394(1) [सारणी: क्रमांक 3]	वन पट्टे के अधीन प्राप्त लकड़ी की विक्रय	विक्रेता	1070
394(1) [सारणी: क्रमांक 3]	वन पट्टे के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त लकड़ी की विक्रय	विक्रेता	1071
394(1) [सारणी: क्रमांक 3]	वन पट्टे के अधीन प्राप्त किसी भी अन्य वन उत्पाद (लकड़ी या तेंदू के पत्तों को छोड़कर) की विक्रय।	विक्रेता	1072
394(1) [सारणी: क्रमांक 4]	स्क्रैप की विक्रय।	विक्रेता	1073

394(1) [सारणी: क्रमांक 5]	कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क जैसे खनिजों की विक्रय।	विक्रेता	1074
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(क)]	मोटर वाहन की विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होना	विक्रेता	1075
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होकलाई घड़ी का	विक्रेता	1076
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होप्राचीन वस्तुओं, चित्रकला, मूर्तिकला जैसी कलाकृतियों के संदर्भ में।	विक्रेता	1077
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होसिक्कों, डाक टिकटों जैसी संग्रहणीय वस्तुओं का	विक्रेता	1078
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होनौका, रोइंग नाव, डोंगी, हेलीकॉप्टर	विक्रेता	1079
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होधूप के चश्मे की जोड़ी	विक्रेता	1080
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होजैसे हैंडबैग, पर्स	विक्रेता	1081
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होजूतों के जोड़े का	विक्रेता	1082
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होगोल्फ किट, स्की-वियर जैसे खेल के कपड़े और उपकरण	विक्रेता	1083
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होहोम थिएटर सिस्टम का	विक्रेता	1084
394(1) [सारणी: क्रमांक 6.घ(ख)]	विक्रय के मामले में विक्रय मूल्य सीमा से अधिक होरेस क्लबों में घुड़दौड़ के लिए घोड़े और पोलो के लिए घोड़े	विक्रेता	1085
394(1) [सारणी: क्रमांक 7.घ(क)]	उदारीकृत प्रेषण योजना के अधीन शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि या राशियों के योग का प्रेषण।	प्राधिकृत विक्रेता	1086
394(1) [सारणी: क्रमांक 7.घ(ख)]	उदारीकृत प्रेषण योजना के अधीन शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सीमा से अधिक राशि या कुल राशि का प्रेषण।	प्राधिकृत विक्रेता	1087
394(1) [सारणी: क्रमांक 8.घ(क)]	"विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज" की विक्रय, जिसमें यात्रा, होटल में ठहरने, भोजन या भोजन या इस तरह के किसी भी समान या संबंधित व्यय शामिल हैं, जिनकी राशि या कुल राशि निर्धारित सीमा तक हो सकती है।	विक्रेता	1088

394(1) [सारणी: क्रमांक 8.घ(ख)]	"विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज" की विक्रय, जिसमें यात्रा, होटल में ठहरने, भोजन या भोजन या इस तरह के किसी भी समान या संबंधित व्यय शामिल हैं, जिनकी राशि या कुल राशि निर्धारित सीमा से अधिक है।	विक्रेता	1089
394(1) [सारणी: क्रमांक 9]	व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग, खनिज तेल (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) के खनन और उत्खनन को छोड़कर।	विक्रेता	1090
394(1) [सारणी: क्रमांक 9]	खनिज तेल (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) के खनन और उत्खनन को छोड़कर, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए टोल प्लाजा का उपयोग।	विक्रेता	1091
394(1) [सारणी: क्रमांक 9]	खनिज तेल (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित) के खनन और उत्खनन को छोड़कर, व्यवसाय के प्रयोजन के लिए खान या खदान का उपयोग।	विक्रेता	1092

10. स्तंभ (एल) में, कुल कर कटौती, एकत्रित कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगी।

11। यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 144

[नियम 219 का देखें]

[सारणी : क्र.सं. 2]

.....(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च)..... (कर वर्ष) को समाप्त तिमाही के लिए गैर-निवासियों को वेतन से भिन्न किए गए भुगतानों के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे			
भाग क			
पंक्ति संख्या	**कटौतीकर्ता की विशिष्टियां**		
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार	• सरकार • गैर सरकार	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
4.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया जा चुका है?	(हां नहीं)	
10.	यदि क्रमांक (9) का उत्तर "हाँ" है, तो मूल ब्यौरे की वापसी रसीद संख्या (AIN)		
11।	यदि सरकारी कटौतीकर्ता हैं, तो कृपया PAO/DTO/CDDO का AIN उल्लेख करें		
कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे (गैर-व्यक्तिगत कर कटौतीकर्ता के मामले में लागू)			
12.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
13.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
14.	स्थायी खाता संख्या		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*

भाग ख											
1.	केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए और कटौती किए गए कर के ब्यौरे:										
	क्रम सं.	कुल कर कटौती *(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*	कुल ब्याज	कुल शुल्क *(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)*	कुल जुर्माना/अन्य	चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बही समायोजन (ख+ग+घ+ङ) के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि	कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से)	बीएसआर कोड/रसीद संख्या प्ररूप संख्या 137 *(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)*	चालान क्रमांक / डीडीओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण	चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / अंतरण वाउचर की तारीख	चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)

						(टिप्पण 6 का संदर्भ लें)	*(टिप्पण 7 का संदर्भ लें)*		8 का संदर्भ लें)	(दिन/माह/वर्ष) (टिप्पण *8 का संदर्भ लें)*	
	(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च)**	**(छ)**	**(ज)**	**(झ)**	**(ञ)**	**(ट)**
2.	कर कटौती प्राप्तकर्ताओं से भुगतान की गई राशि और उस पर कटौती किए गए कर तथा बिना कटौती के भुगतान की गई राशि के ब्यौरे (उपाबंध का संदर्भ लें)										

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार) जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: .....

स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ..... नाम:

पद का

नाम:

टिप्पण:

10.(क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य कोई भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

(ख) केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

11.पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

12.गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTREQD) बताना अनिवार्य है। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के

मामले में, स्थायी खाता संख्या को “PANNOTREQD” के रूप में उल्लेख किया जाएगा ।

13. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगी।

5. टीडीएस विवरण देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।

6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखनी होगी।

7. स्तंभ (छ) में, सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ख" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "ग" लिखें।

8. चालान/स्थानांतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात्(*एच*), (*आई*), (*जे*), यह TRACES *पोर्टल*/ TIN 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होना चाहिए।

9. स्तंभ (ट) में, चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें.

10. यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो सभी राशियाँ ₹ में भरी जाएगी ।

उपाबंध: टीडीएस का कटौतीकर्तावार ब्यौरे

स्त्रोत पर कटौती किए गए कर और (दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/क्रेडिट की गई राशि कटौती किए गए के ब्यौरे

क्रम संख्या	चालान संदर्भ संख्या [भाग ख में सारणी (क्रम संख्या 1) का स्तंभक]	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो) *(का संदर्भ लें टिप्पण 10)*	नाम	*कर पहचान संख्या / विशिष्ट पहचान निवास देश द्वारा जारी किया गया नंबर*	*निवास देश में पता*	*ईमेल*	*संपर्क संख्या*	स्थिति *(टिप्पण 11 का संदर्भ लें)*	धारा कोड *(टिप्पण 13 का संदर्भ लें)*	प्रेषण की प्रकृति (टिप्पण 14 का संदर्भ लें)	जिस देश में धन भेजा जाता है	क्या कटौतीकर्ता धारा 202(1) के अधीन कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहा है?	भुगतान या क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ़)

राशि का भुगतान या क्रेडिट दिया गया	क्या भुगतान की गई या जमा की गई राशि को धारा 393(10) के अनुसार सकल किया जाता है? *(हां नहीं)*	धारा 393(3) [सारणी: क्रमांक 5] में उपबंधित अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि (सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में)	धारा 393(3) के अधीन आने वाले मामलों के लिए नकद निकासी की राशि जो 3 करोड़ रुपये से अधिक है [सारणी: क्रमांक 5] (सहकारी समितियों के मामले में)	कुल कर कटौती *(टिप्पण 12 का संदर्भ लें)*	कुल कर जमा	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	दर पर जिस पर कर काटा गया	क्या टीडीएस की दर आयकर अधिनियम (क) के अनुसार है या डीटीएए (बी)	यदि लागू हो तो संबंधित प्ररूप संख्या 145 का विशिष्ट पावती क्रमांक	कटौती न करने का कारण, कम कटौती / अधिक कटौती *(टिप्पण 1 से 9 का संदर्भ लें)*	धारा 395(1) / 395(2) के अधीन प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या(एँ) कटौती न होने/कम कटौती होने के कारण जारी किया गया

(ण)	(त)	(थ)	(द)	(ध)	(न)	(प)	(फ)	(ब)	(य)	(कक)	(कख)

धारा 393(3) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 1, टिप्पण 2]				धारा 393(3) के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए [सारणी क्रमांक 2, टिप्पण 2]			
जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक	जमा किए गए कर की राशि	बैंक का बीएसआर कोड	भुगतान की तारीख	चालान क्रमांक
(कग)	(कघ)	(कङ)	(कच)	(कछ)	(कज)	(कझ)	(कञ)

घोषणा

मैं, ... (व्यक्ति का नाम)(स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार)मैं, जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, ... (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: .....

स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख: .....

नाम: .....

पद का

नाम: .....

टिप्पणियाँ:

1. *यदि धारा* 395(1) *और* 395(2) *के अधीन प्रमाण पत्र के कारण "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" है तो "क" लिखें।*
2. *यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा* 397(2) *के अधीन उच्च दर पर कटौती की जाती है तो "ग" लिखें।*

3. *यदि धारा* 393(8) *के उपबंधों के अनुसार किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "छ" लिखें।*

4. *यदि धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 17] *के अनुसार किसी उपबंधित निधि को भुगतान की गई आय के संबंध में कोई कटौती नहीं है, जो अनुसूची* VI [*सारणी: क्रमांक* 1 *से* 4] *के अनुसार छूट प्राप्त है, तो "ज" लिखें।*

5. *यदि धारा* 210 *में उपबंधित प्रतिभूतियों के अंतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 16] *के अनुसार कोई कटौती नहीं है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान की गई या देय कटौती के संबंध में* "i" *लिखें।*

6. *यदि अधिनियम की धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 18] *में उपबंधित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या आयकर अधिनियम*, 1961 *(1961 का 43) निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा* 194*ढ़ के पाँचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती नहीं है, तो " ढ़ " लिखें।*

7. *यदि धारा* 393(4) *के प्रावधानों के अनुसार कोई कटौती नहीं है तो "ण" लिखें* [*सारणी: क्रमांक* 13]*।*

8. *यदि अधिनियम, में विनिर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "म" लिखें।*

9. *यदि अधिनियम की धारा* 400(1) *के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "य" लिखें।*

10. *नियम 217 के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को "*PANNOTAVBL" *के रूप में उल्लेख किया जाएगा ।*

11. *स्तंभ (झ) में निम्नलिखित में से कोई एक भरें।*

क्रम संख्या	***प्रास्थिति***	***विवरण***
1	01	*घरेलू कंपनी से भिन्नअन्य कंपनी*
2	02	*व्यक्ति*
3	03	*हिंदू अविभाजित परिवार*
4	04	*व्यक्तियों का संघ (एओपी), सिवाय उस स्थिति के जब एओपी में केवल कंपनियां ही सदस्य हों।*
5	05	*व्यक्तियों का संघ (एओपी) जिसमें केवल कंपनियां ही सदस्य होती हैं*
6	06	*सहकारी समिति*

7	07	*फर्म*
8	08	*व्यक्तियों का समूह*
9	09	*कृत्रिम कानूनी व्यक्ति*
10	10	*अन्य*

12.स्तंभ (ध) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

13. *धारा कोड की सूची इस प्रकार है:*

धारा	**भुगतान का प्रकार**	**आदाता**	**भुगतानकर्ता**	**धारा कोड**
392(7)	किसी कर्मचारी को देय संचित राशि का कोई भी भुगतान	कोई भी अनिवासी	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के न्यासी या योजना के अधीन कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति	1004
393(2) [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 211 में उपबंधित कोई भी आय।	(क) कोई अनिवासी खिलाड़ी (एथलीट सहित) या मनोरंजनकर्ता, जो भारत का नागरिक नहीं है; या (ख) कोई अनिवासी खेल संघ या संस्था	कोई भी व्यक्ति।	1039
393(2) [सारणी: क्रमांक 2]	भारत के बाहर के किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर देय ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय,	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास	1040

	(क) 1 जुलाई, 2012 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले किसी ऋण समझौते या दीर्घकालिक अवसंरचना बांड के निर्गमन के अधीन; या (ख) 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले कोई भी दीर्घकालिक बांड के निर्गमन के माध्यम से, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है।			
393(2) [सारणी: क्रमांक 3]	भारत के बाहर किसी स्रोत से रुपये मूल्यवर्ग के बांड जारी करके 1 जुलाई, 2023 से पहले उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज के रूप में कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास।	1041
393(2) [सारणी: क्रमांक 4.ङ(क)]	भारत के बाहर किसी स्रोत से दीर्घकालिक बॉन्ड या रुपये में जारी किए गए बॉन्ड के माध्यम से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो। - 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 जुलाई, 2023 से पहले जारी किए गए बॉन्ड।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास।	1042
393(2) [सारणी: क्रमांक 4.ङ(बी)]	भारत के बाहर किसी स्रोत से किसी दीर्घकालिक बांड या रुपये में जारी बांड के निर्गमन के माध्यम से उधार ली गई	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी भारतीय कंपनी या व्यावसायिक न्यास।	1043

	धनराशि पर देय ब्याज के रूप में कोई भी आय, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय में स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो - 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् जारी की गई हो।			
393(2) [सारणी: क्रमांक 5]	ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	अनुसूची VII में उल्लिखित कोई अवसंरचना ऋण निधि [सारणी: क्रमांक 46]।	1044
393(2) [सारणी: क्रमांक 6 ङ. (क)]	धारा 223 में उपबंधित कोई भी वितरित आय, अनुसूची 5 में उपबंधित प्रकृति की हो [सारणी: क्रमांक 3.ख(क)]	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	कोई भी व्यावसायिक विश्वास	1045
393(2) [सारणी: क्रमांक 6 ङ(ख)]	धारा 223 में उपबंधित कोई भी वितरित आय, अनुसूची 5 में उपबंधित प्रकृति की हो [सारणी: क्रमांक 3.ख(ख)]	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	कोई भी व्यावसायिक विश्वास	1046
393(2) [सारणी: क्रमांक 7]	धारा 223 में उपबंधित कोई भी वितरित आय, अनुसूची 5 में उपबंधित प्रकृति की हो [सारणी: क्रमांक 4]।	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	कोई भी व्यावसायिक न्यास।	1047
393(2) [सारणी: क्रमांक 8]	धारा 224 में उपबंधित निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में, अनुसूची 5 [सारणी: क्रमांक 2] के अधीन छूट प्राप्त आय के उस अनुपात के अतिरिक्त कोई भी आय।	कोई भी यूनिट धारक, जो अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	धारा 224 में उपबंधित कोई भी निवेश निधि।	1048

393(2) [सारणी: क्रमांक 9]	धारा 221 में उपबंधित प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में कोई भी आय।	कोई भी निवेशक, चाहे वह अनिवासी हो (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी हो।	धारा 221 में उपबंधित कोई भी प्रतिभूतिकरण न्यास।	1049
393(2) [सारणी: क्रमांक 10]	कोई भी आय– (क) अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 20] या [सारणी: क्रमांक 21] के अधीन उपबंधित म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में; या (ख) उपबंधित कंपनी से।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी व्यक्ति	1050
393(2) [सारणी: क्रमांक 11]	धारा 208 में उपबंधित इकाइयों के संबंध में कोई भी आय।	कोई भी ऑफशोर फंड।	कोई भी व्यक्ति	1051
393(2) [सारणी: क्रमांक 12]	धारा 208 में उपबंधित इकाइयों के अंतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कोई भी आय।	कोई भी ऑफशोर फंड।	कोई भी व्यक्ति	1052
393(2) [सारणी: क्रमांक 13]	धारा 209 में उपबंधित बांडों या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में ब्याज या लाभांश के रूप में प्राप्त कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी।	कोई भी व्यक्ति	1053
393(2) [सारणी: क्रमांक 14]	धारा 209 में उपबंधित बांडों या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों के अंतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी।	कोई भी व्यक्ति	1054
393(2) [सारणी: क्रमांक 15]	धारा 210(1) में उपबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में कोई आय [सारणी: क्रमांक 1]।	कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक	कोई भी व्यक्ति	1055

393(2) [सारणी: क्रमांक 16]	धारा 210(1) में उपबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में कोई आय [सारणी: क्रमांक 1]।	अनुसूची VI [टिप्पण 1(छ)] में उपबंधित निधि।	कोई भी व्यक्ति	1056
393(2) [सारणी: क्रमांक 17]	कोई भी ब्याज (जो क्रमांक 2, 3, 4 और 5 के अधीन उल्लिखित ब्याज न हो) या इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभार्य कोई अन्य राशि, जो "वेतन" शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय न हो।	कोई भी अनिवासी (कंपनी न हो) या विदेशी कंपनी।	कोई भी व्यक्ति	1057
393(3) [सारणी: क्रमांक 1]	क्रम संख्या 2 से प्राप्त जीतों के अलावा किसी अन्य जीत से प्राप्त कोई भी आय (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य प्रकार के खेल; या (घ) किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टेबाजी	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1058
393(3) [सारणी: क्रमांक 1 टिप्पण 2]	किसी भी प्रकार की जीत से प्राप्त आय (धारा 393(3) की सारणी के क्रमांक 2 में उल्लिखित जीत के अलावा) (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य प्रकार के खेल; या (घ) किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टेबाजी जहां वस्तु या नकद के रूप में दिया गया प्रतिफल कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत की राशि	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1059

	जारी होने से पहले ही कर का भुगतान किया जा चुका है।			
393(3) [सारणी: क्रमांक 2]	ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1060
393(3) [सारणी: क्रमांक 2 टिप्पण 2]	ऑनलाइन गेम से जीती गई कोई भी आय, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या नकद में, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत की राशि जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जाना आवश्यक है।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति।	1061
393(3) [सारणी: क्रमांक 3]	घुड़दौड़ से प्राप्त किसी भी प्रकार की जीत से होने वाली आय।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1062
393(3) [सारणी: क्रमांक 4]	किसी व्यक्ति को, जो लॉटरी टिकटों का भंडारण, वितरण, खरीद या बिक्री करता है या कर चुका है, उसे कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे कोई भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1063
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(क)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के कटौतीग्राही को नकद में कुछ राशियों का भुगतान।	कोई भी अनिवासी	प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो,– (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की	1064

			धारा 51 में उपबंधित कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) डाकघर	
393(3) [*सारणी: क्रमांक* 5. *घ(बी)*]	*बैंक\डाकघर\सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नकद में कुछ राशियों का भुगतान करना।*	कोई भी अनिवासी	*प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम*, 1949 *(1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा* 51 *में उपबंधित कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी एक सहकारी समिति, या (ग) एक डाकघर।*	1065
393(3) [सारणी: क्रमांक 6]	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) निरसन से पूर्व यथा विद्यमान की धारा	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति	1066

	80CCA(2)(क) में उपबंधित कोई भी राशि।			
393(3) [सारणी: क्रमांक 7]	फर्म के किसी साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज के रूप में भुगतान की गई या उसके खाते (पूंजी खाते सहित) में जमा की गई कोई भी राशि।	कोई भी अनिवासी	कोई भी व्यक्ति, जो एक फर्म है	1067

14.प्रेषण के प्रकारों की सूची निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	**प्रेषण की प्रकृति**
1	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली, ताश के खेल, जुआ या किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी आदि से जीती गई धनराशि।
2	ऑनलाइन गेम से जीती गई राशि
3	घुड़दौड़ से जीती गई राशि
4	अनिवासी खिलाड़ियों या मनोरंजनकर्ताओं/खेल संघों या संस्थानों को किए गए भुगतान
5	ब्याज आय
6	धारा 207(1) में संदर्भित लाभांश आय [सारणी: क्रमांक 1]
7	धारा 207(1) में संदर्भित लाभांश आय [सारणी: क्रमांक 2]
8	किसी अचल संपत्ति को किराए पर देने, पट्टे पर देने या किराए पर देने से प्राप्त होने वाली आय
9	निवेश आय
10	धारा 214 [सारणी: क्रमांक 2] या 197(1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
11	धारा 198 में उपबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जो एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो,
12	धारा 214 में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ [सारणी: क्रमांक 1]
13	धारा 196 में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ
14	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (धारा 196 में उल्लिखित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ को छोड़कर)
15	आयोग
16	तकनीकी सेवाओं/शामिल सेवाओं के लिए शुल्क
17	रॉयल्टी
18	नकद निकासी
19	अन्य कमाई

15. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 145

[नियम 220(1)(क)/(ख)/(ग), 220(2) एवं 220(4) *देखें*]

किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय **के लिए दी जाने वाली जानकारी**

भाग क

अधिनियम के अधीन धन-प्रेषण कराधेय है और प्रेषण या ऐसे प्रेषण का कुल, कर वर्ष **के दौरान ₹5,00,000 रुपये से** अधिक **नहीं** होता **है, तो यह जानकारी भरें)**

पंक्ति सं.	धन प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्राप्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	आवासीय प्राप्रास्थिति	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
6.	कर कटौती और कलेक्शन संग्रहण खाता (यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
	धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण		
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	
11।	निवास के देश में कर पहचान संख्या (TIN)	*(टिप्पण 6 का निर्देश लें)*	
12.	निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*	
13.	निवास के देश में पूरा पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
14.	ईमेल आईडी		
15.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
	प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण		
16.	देश जिसे धन भेजा जाता है	*(ड्रॉप डाउन)*	
17.	प्रेषित रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)		
18.	इस प्रेषण सहित कर वर्ष के दौरान किए गए प्रेषण की कुल रकम	*(टिप्पण 7 का निर्देश लें)*	
19.	बैंक		
	(क) आईएफएससी कोड		

	(ख) नाम	
	(ग) शाखा	
	(घ) शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)	
20.	प्राधिकृत डीलर का विवरण	
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	*(हां /नहीं)*
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	*(ड्रॉप डाउन)*
	(ग) आईटीडीआरईआईएन	
21.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*
22.	प्रेषण की प्रकृति	*(टिप्पण 8 का निर्देश लें)*
23.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड	
24.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब कोड	
25.	स्रोत पर कर कटौती का विवरण	
	(क) स्रोत पर काटे गए कर की रकम	
	(ख) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) कटौती की तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या ..... रखता हूँ और _____ (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. मैं आगे ये ज़रूरी दस्तावेज जमा करने का वादा करता/करती हूँ:

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना

(ख) स्रोत पर कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अधिनियम के अधीन मेरा दायित्व अवधारित करना।

स्थान: ..... अनिवासी को संदाय करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

13. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी छोटे फार्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
14. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i . देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
15. 'व्यक्ति' प्राप्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब(iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
16. 'आवासीय प्राप्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
17. पैन की अनुपलब्धता की दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
18. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां के प्रेषिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या इलाके की सरकार प्रेषिती की पहचान करती है, जिसका वह रहने वाला होने का दावा करता है ।
19. कर वर्ष के दौरान किए गए कुल प्रेषण, स्रोत पर कर कटने से पूर्व किए गए सभी प्रेषण का जोड़ होगा।
20. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन फीस
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दिए गए प्रभार में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय

7	माल के रखरखाव की सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संयूचना प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग प्रभार
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवाएं
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवाएं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ़्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थी या कारबार शिक्षु का संदाय
38	पेंशन (पिछले नियोजन से संबंधित से भिन्न)

39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटेनरशिप प्रभार
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्तियां
53	प्रायोजन फीस
54	अंशदान फीस
55	पर्यवेक्षण शुल्क
56	सर्वेक्षण शुल्क
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा शुल्क
59	परीक्षण शुल्क
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

21.प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

22.जब तक कि अन्यथा से उपबंधित नहो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

भाग ख

(यदि धन-प्रेषण अधिनियम ("आईटी अधिनियम") के अधीन कराधेय है और कर वर्ष के दौरान यथाप्रास्थिति धन-प्रेषण या ऐसे धन-प्रेषणों का कुल योग, ₹ 5,00,000 से अधिक है और अधिनियम की धारा 395 (1) या 395(2) के अधीन प्रमाण-पत्र निर्धारण अधिकारी से अभिप्राप्त कर लिया गया है तो इसे भरा जाना है।)

पंक्ति सं.	**प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	आवासीय प्रास्थिति	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
6.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
	धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण		
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	
11।	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	*(टिप्पण 6 का निर्देश लें)*	
12.	निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*	
13.	निवास के देश में पूरा पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
14.	ईमेल आईडी		
15.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
	निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का विवरण		
16.	**प्रमाण पत्र** संख्या		
17.	तारीख		

18.	वह धारा जिसके अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है	○ 395(1) ○ 395(2)	
19.	वह रकम जिस पर कर काटा जाना है		
20.	कर की कटौती की दर (%)		
21.	निर्धारण अधिकारी का पदनाम		
	धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण		
22.	जिस देश में धन प्रेषण किया जाता है	*(ड्रॉप डाउन)*	
23.	मुद्रा	*(ड्रॉप डाउन)*	
24.	भेजी जाने वाली रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
25.	बैंक का विवरण		
	(क) आईएफएससी कोड		
	(ख) नाम		
	(ग) शाखा		
	(घ) शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)		
26.	प्राधिकृत डीलर का विवरण		
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	*(हां /नहीं)*	
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	*(ड्रॉप डाउन)*	
	(ग) आईटीडीआरईआईएन		
27.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*	
28.	प्रेषण की प्रकृति	*(टिप्पण 7 देखें)*	
29.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड		
30.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड		
31.	स्रोत पर कर कटौती का विवरण		
	(क) स्रोत पर काटे गए कर की रकम		
	(ख) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)		
	(ग) कटौती की तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*	

<u>घोषणा</u>

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या ..... रखने वाला, _____ (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि अधिनियम की धारा 395(1) या 395(2) के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है, जिसका विवरण इस प्ररूप में दिया गया है।

3. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-
   (क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;
   (ख) स्रोत पर कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अधिनियम के अधीन मेरा दायित्व तय करना।

स्थान: ..... हस्ताक्षरअनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का

तारीख:..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i . देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय,

चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास

4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. पैन की अनुपलब्धता के दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
6. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां प्रेषिती का कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या उस इलाके की सरकार द्वारा प्रेषिती की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
7. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

क्र.सं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन प्रभार
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार्य
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	माल रखरखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ

21	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ़्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षु को संदाय
38	पेंशन (पूर्व नियोजक से जुड़ी पेंशन से भिन्न)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटेनरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति

53	प्रायोजन प्रभार
54	सदस्यता प्रभार
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण प्रभार
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा प्रभार
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे गेम्स से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

9. जब तक कुछ और न बताया गया हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

भाग ग

(यदि धन प्रेषण अधिनियम ("आई टी") के अधीन कराधेय **है और** यथास्थिति धन प्रेषण **या ऐसे** धन प्रेषण **का** कुल**,** कर वर्ष **के दौरान ₹ 5,00,000 से ज़्यादा है और अधिनियम के सेक्शन 515(3)(**ख**) में जैसा भी हो, बताए गए** लेखाकार **से प्ररूप संख्या 146 में प्रमाण पत्र लिया गया है, तो यह** प्ररूप **भरना होगा)**

पंक्ति सं.	**प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण**		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	आवासीय प्रास्थिति	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
6.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
	धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण		
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	
11।	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	*(टिप्पण 6 का निर्देश लें)*	
12.	निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*	
13.	निवास के देश में पूरा पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
14.	कारबार का मुख्य स्थान		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
	लेखाकार का विवरण		
17.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	

18.	स्थायी खाता संख्या		
19.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
20.	सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्या		
21.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*	
22.	विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन)		
23.	प्ररूप 146 पावती रसीद संख्या		
24.	प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:		
25.	फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफआरएन)		
	धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण		
26.	जिस देश में धन प्रेषण किया जाता है	*(ड्रॉप डाउन)*	
27.	मुद्रा	*(ड्रॉप डाउन)*	
28.	भेजी जाने वाली रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
29.	बैंक का विवरण		
	(क) आईएफएससी कोड		
	(ख) बैंक का नाम		
	(ग) बैंक की शाखा		
	(घ) बैंक शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)		
30.	प्राधिकृत डीलर का विवरण		
	(a) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	*हां /नहीं*	
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम		
	(सी) आईटीडीआरईआईएन		
31.	धन प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*	
32.	धन प्रेषण की प्रकृति	*(टिप्पण 7 का निर्देश लें)*	
33.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड		

34.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड	
35.	क्या संदेय कर अधिनियम की धारा 393(10) के अनुसार सकल किया गया है	*हां /नहीं*
36.	**अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर दायित्व [दोहरे कराधान बचाव करार ("डीटीएए") पर विचार किए बिना]**	
	(क) क्या डीटीएए के अनुसार ऐसा धन प्रेषण भारत में कर प्रभार्य है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि नहीं, तो कारण बताएँ	
	(ग) यदि हां,	
	(i) वह धारा जिसके अधीन प्रेषण कर प्रभार्य है	
	(ii) कर प्रभार्य आय की रकम	
	(iii) कर दायित्व	
	(iv) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित करने का आधार	
	(v) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
37.	यदि डीटीएए के अधीन अनुतोष का दावा किया जाता है–	*हां /नहीं*
	(क) कर निवास प्रमाण पत्र प्रेषणकर्ता से प्राप्त किया गया है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो कर निवास प्रमाण पत्र संख्या	
	(ग) सुसंगत डीटीएए	
	(घ) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ई) डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
	(च) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	

	(छ) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	
38.	**दोहरे कराधान से बचाव करार ("डीटीएए") के अधीन कर दायित्व**	
क	**यदि धन प्रेषण रॉयल्टी, तकनीकी सेवा की फीस, ब्याज, लाभांश (स्थायी स्थापन से जुड़ा नहीं) के तौर पर है, तो कृपया बताएं: -**	
	(क) क्या डीटीएए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो–	
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
ख	**यदि प्रेषण कारबार आय के कारण है (जिसमें कारबार आय भी शामिल है, जहां रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या ब्याज स्थायी स्थापन से जुड़ा है), तो कृपया उपदर्शित करें–**	
	(ए) क्या डीटीएए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो–	
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
ग	**यदि धन प्रेषण पूंजीगत अभिअभिलाभ के कारण है, तो कृपया बताएं: -**	
	(क) क्या ऐसा प्रेषण डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो–	

	(i) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ	
	(iii) अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ	
	(iv) पूंजीगत अभिलाभ पर पहुंचने का आधार	
	(v) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
घ	**यदि उप-मद क, ख और ग में धन प्रेषण कवर नहीं होता है**	
	(क) प्रेषण की प्रकृति	
	(ख) क्या ऐसा प्रेषण डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*
	(ग) यदि हां, तो–	
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(घ) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
	स्रोत पर कर कटौती का विवरण	
39.	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	
40.	क्या स्रोत पर कर काटा जाता है– (i) अधिनियम के अनुसार या (ii) सुसंगत डीटीएए के अनुसार	*(i)/(ii)*
41.	जिस दर पर कर काटा जाता है	अधिनियम के अनुसार(%) या

		डीटीएए के अनुसार (%)	
42.	स्रोत पर कर कटौती के पश्चात् भेजी गई वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
43.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	*(दिन /मास/ वर्ष)*	

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या ..... _____ (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसके विवरण इस प्ररूप में दिए गए हैं, जो स्रोत पर कर की कटौती की रकम, प्रकृति और शुद्धता को प्रमाणित करता है।

3. यदि यह पाया जाता है कि भेजी गई रकम पर असल में यथास्थिति, जैसा भी मामला हो, कटौती वाला कर नहीं काटा गया है या कटौती के पश्चात् भी संदाय नहीं किया गया है या पूरा संदाय नहीं किया गया है, तो मैं, कटौती न किए गए या चुकाए गए कर की रकम, ब्याज के साथ, चुकाने का वादा करता/करती हूँ।

4. मैं उक्त व्यतिक्रम के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति के उपबंधों के अधीन भी रहूँगा/रहूँगी।

5. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;

(ख) स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अधिनियम के अधीन मेरी/हमारी दायित्व का निर्धारण करना।

स्थान..... जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

अनिवासी को संदाय के लिए.....

तारीख ..... नाम :

पद का नाम:

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i . देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य ।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. पैन की अनुपलब्धता के दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
6. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां भेजे गए व्यक्ति का कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या उस इलाके की सरकार द्वारा भेजे गए व्यक्ति की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
7. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन फीस
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	माल रखरखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ

8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ़्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षुओं को संदाय
38	पेंशन (पिछली नौकरी से जुड़ी पेंशन के अलावा)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृति सेवाएं

41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटेनरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति
53	प्रायोजन फीस
54	सदस्यता अंशदान
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण फीस
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा फीस
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

9. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

भाग घ

[यदि धन प्रेषण अधिनियम के अधीन कराधेय नहीं है तो भरा जाए { नियम 220(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा नियम 220(3) में निर्दिष्ट संदायों से भिन्न]

पंक्ति सं.	प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	आवासीय प्रास्थिति	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
6.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या(यदि उपलब्ध हो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
	धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण		
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
10.	स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो		
11	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	
12.	निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*	
13.	निवास के देश में पूरा पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
14.	ईमेल आईडी		
15.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
	धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण		
16.	जिस देश में धन धन प्रेषण किया जाता है	*(ड्रॉप डाउन)*	
17.	धन प्रेषित रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
18.	बैंक का विवरण		
	(a) आईएफएससी कोड		
	(ख) बैंक का नाम		
	(ग) बैंक की शाखा		

	(d) बैंक शाखा का खएसआर कोड (7 अंकों का)	
19.	प्राधिकृत डीलर का विवरण	*हां /नहीं*
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	*(ड्रॉप डाउन)*
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	
	(ग) आईटीडीआरईआईएन	
20.	धन प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*
21.	धन प्रेषण की प्रकृति	*(टिप्पण 6 का निर्देश लें)*
22.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड	
23.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड	

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पास यह मानने का कारण है कि ऊपर वर्णित धन-प्रेषण अधिनियम के उपबंध के अधीन प्रभार्य नहीं है और स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है।

घोषणा

1. मैं, _____ (अनिवासी को संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), स्थायी खाता संख्या ..... _____ (पदनाम) की क्षमता में घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. उस दशा में जहां यह पाया जाता है कि धन प्रेषण की रकम पर असल में कटौती वाला कर नहीं काटा गया है या कटौती के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूरा नहीं संदत्त किया गया है, तो मैं, यथास्थिति, न काटे गए या संदत्त किए गए कर की रकम को ब्याज के साथ संदत्त करने का वादा करता/करती हूं।

3. मैं उक्त चूक के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति के उपबंधों के अधीन भी रहूँगा।

4. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;

(b) स्रोत पर कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अधिनियम के अधीन मेरा दायित्व तय करना ।

स्थान..... जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

अनिवासी को संदाय के लिए.....

तारीख ..... नाम :

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या, (ii) परिसर का नाम, (iii) सड़क/गली/लेन, (iv) क्षेत्र/बस्ती, (v) शहर/कस्बा/जिला, (vi) राज्य, (vii) पिन/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां भेजे गए व्यक्ति का कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या उस इलाके की सरकार द्वारा भेजे गए व्यक्ति की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।
6. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन फीस
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार

6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	माल रखरखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवा के लिए फीस/शामिल सेवा के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय
25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	विनिधान आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिअभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ़्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षुओं को संदाय

38	पेंशन (पिछले नियोजन से संबंधित पेंशन से भिन्न)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण प्रभार
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटेनरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ
50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति
53	प्रायोजन फीस
54	अंशदान फीस
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण फीस
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा फीस
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

7. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

8. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 146

[नियम **220**(1)(**ग**) ***देखें*** **]**

किसी अनिवासी, जो कंपनी न हो या किसी विदेशी कंपनी को संदाय के लिए लेखाकार का प्रमाण पत्र

धन प्रेषक (भेजने वाले) का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	आवासीय प्रास्थिति	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
6.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (यदि हो तो)		
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
धन प्रेषिती (प्राप्तकर्ता) का विवरण			
9.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
10.	परमानेंट अकाउंट संख्या, यदि उपलब्ध हो	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	
11	निवास के देश में कर पहचान संख्या (टिन)	*(टिप्पण 6 का निर्देश लें)*	
12.	निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*	
13.	निवास के देश में पूरा पता	*(टिप्पण 2 देखें)*	
14.	कारबार का मुख्य स्थान		

15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
	धन प्रेषण (निधि अंतरण) का विवरण		
17.	देश जिस में धन प्रेषण किया जाता है	*(ड्रॉप डाउन)*	
18.	मुद्रा	*(ड्रॉप डाउन)*	
19.	धन प्रेषित की रकम (स्रोत पर कर कटौती से पूर्व)	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
20.	बैंक का विवरण		
	(क) आईएफएससी कोड		
	(ख) नाम		
	(ग) शाखा		
	(घ) शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकों का)		
21.	प्राधिकृत डीलर का विवरण		
	(क) क्या बैंक और प्राधिकृत डीलर एक ही हैं?	*(हां /नहीं)*	
	(ख) यदि नहीं, तो प्राधिकृत विक्रेता का नाम	*(ड्रॉप डाउन)*	
	(ग) आईटीडीआरईआईएन		
22.	धन प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	*(दिन /मास/ वर्ष)*	
23.	धन प्रेषण की प्रकृति	*(टिप्पण 7 का निर्देश लें)*	
24.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार प्रयोजन कोड		
25.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सब-कोड		

26.	क्या देय कर अधिनियम की धारा 393(10) के अनुसार सकल किया गया है	*(हां /नहीं)*
	कर दायित्व के संबंध में विवरण	
27.	**आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर दायित्व [दोहरे कराधान बचाव समझौते ("डीटीएए") पर विचार किए बिना]**	
	(a) क्या ऐसा धन प्रेषण भारत में प्रभार्य है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि नहीं, तो कारण बताएँ	
	(ग) यदि हां,	
	(i) वह धारा जिसके अधीन प्रेषण प्रभार्य है	
	(ii) कर प्रभार्य आय की रकम	
	(iii) कर दायित्व	
	(iv) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित करने का आधार	
	(v) स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
28.	यदि डीटीएए के अधीन अनुतोष का दावा किया जाता है–	*हां /नहीं*
	(क) कर निवास प्रमाण पत्र प्रेषणकर्ता से प्राप्त किया गया है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो कर निवास प्रमाण पत्र संख्या	
	(ग) सुसंगत डीटीएए	
	(घ) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ड.) डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	

	(च) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	
	(छ) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	
29.	**दोहरे कराधान से बचाव करार ("डीटीएए") के अधीन कर दायित्व**	
	क. यदि धन प्रेषण रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश (स्थायी स्थापन से संबंधित नहीं) के कारण है, तो कृपया उपदर्शित करें–	
	(क) क्या डीटीएए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो–	
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
	ख. यदि प्रेषण कारबार आय के कारण है (कारबार आय सहित, जहां रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए प्रभार या ब्याज स्थायी स्थापन से जुड़ा हुआ है) , तो कृपया उपदर्शित करें–	
	(ए) क्या डीटीएए के अनुसार ऐसा प्रेषण भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*
	(ख) यदि हां, तो–	
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद	
	(ii) डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय रकम	
	(iii) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं	
	ग. यदि धन प्रेषण पूंजीगत अभिलाभ के कारण है, तो कृपया उपदर्शित करें–	

	(क) क्या डीटीएए के अनुसार ऐसा धन प्रेषण भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*					
	(ख) यदि हां, तो–						
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद						
	(ii) दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ	बिक्री की तारीख	कुल बिक्री प्रतिफल	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	सुधार की लागत, यदि कोई हो	एलटीसीजी
	(iii) अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ	बिक्री की तारीख	कुल बिक्री प्रतिफल	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	सुधार की लागत, यदि कोई हो	एसटीसीजी
	(iv) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)						
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं						
	घ. यदि उप-मद क,ख और ग में धन **प्रेषण कवर नहीं होता है**						
	(क) प्रेषण की प्रकृति						
	(ख) क्या ऐसा प्रेषण डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय है	*हां /नहीं*					
	(ख) यदि हां, तो–						
	(i) डीटीएए का अनुच्छेद						
	(ii) डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय रकम						
	(iii) डीटीएए के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर (%)						

	(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त कारण बताएं		
	स्रोत पर कर कटौती का विवरण		
30.	स्रोत पर काटे गए कर की रकम		
31.	क्या स्रोत पर कर काटा जाता है– (i) अधिनियम के अनुसार या (ii) सुसंगत डीटीएए के अनुसार	*(i)/(ii)*	
32.	जिस दर पर कर काटा जाता है	अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीएए के अनुसार (%)	
33.	स्रोत पर कर कटौती के पश्चात् धन प्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
		₹ में	
34.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	*(दिन /मास/ वर्ष)*	

त्यापन

1.मैंने ..... (लेखाकार का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, ने– की जांच की है

* ..... (धन प्रेषण करने वाले) और श्रीमान/सुश्री/मेसर्स * ..... (धन प्रेषिती) के बीच करार (जहां भी लागू हो) जिसके अधीन ऊपर दिए गए धन प्रेषण की ज़रूरत होती है; और

(ख) प्रेषण की प्रकृति का पता लगाने और प्रेषण का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सुसंगत दस्तावेज तथा खाता बहीअधिनियम के अध्याय- 19-ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की दर।

2. मैं एतद् द्वारा प्रमाणित ऊपर दी गई जानकारी सही और सटीक है।

लेखाकार के हस्ताक्षर

तारीख

नाम.....

स्थायी खाता संख्या.....

सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन).....

मालिकाना हक/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी जानकारी के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय , चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।
5. पैन की अनुपलब्धता की दशा में, अधिनियम की धारा 397 (2) (ग) के उपबंध लागू होंगे।
6. धन प्रेषिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसा कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर उस देश या इलाके की सरकार प्रेषिती की पहचान करती है, जिसका वह रहने वाला होने का दावा करता है ।
7. कृपया धन प्रेषण की प्रकृति के लिए नीचे दिए गए में से कोई एक चुनें

एस. नं.	धन प्रेषण की प्रकृति
1	विज्ञापन प्रभार
2	एएमसी प्रभार
3	वास्तुकला सेवाएँ
4	बैंडविड्थ प्रभार
5	दलाली प्रभार
6	ऊपर दी गई कैटेगरी में कवर की गई आय से भिन्न कारबार आय
7	रख रखाव सेवाएँ जांच और रसद सेवाएँ
8	सेलुलर रोमिंग प्रभार
9	चार्टर किराया प्रभार (पोत परिवहन)
10	समाशोधन और अग्रेषण प्रभार
11	आयोग
12	संचार प्रभार
13	परामर्श सेवाएँ
14	डिजाइनिंग फीस
15	निदेशकों की फीस
16	लाभांश
17	ड्रिलिंग
18	इंजीनियरी सेवा
19	उपकरण किराया प्रभार
20	विरचना सेवाएँ
21	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस/शामिल सेवाओं के लिए फीस
22	भाड़ा प्रभार
23	अचल संपत्ति से आय
24	पोत परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग या हवाई परिवहन से आय

25	स्थापना और कमीशनिंग सेवाएँ
26	खमा आयोग
27	ब्याज संदाय
28	निवेश आय
29	पट्टा संदाय
30	अनुज्ञप्ति फीस
31	दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ
32	मेम्बरशिप फीस
33	मोबाइल स्टेशन प्रभार
34	हार्डवेयर के साथ बंडल किए गए सॉफ़्टवेयर के लिए संदाय
35	प्रोफेसरों, शिक्षकों या रिसर्च स्कॉलर्स को संदाय
36	खिलाड़ियों और कलाकारों को संदाय
37	विद्यार्थियों या कारबार शिक्षुओं को संदाय
38	पेंशन (पिछली नौकरी से जुड़ी पेंशन से भिन्न)
39	प्रसंस्करण प्रभार
40	वृत्ति सेवाएं
41	सॉफ्टवेयर की खरीद
42	अनुसंधान एवं विकास प्रभार
43	रजिस्ट्रीकरण शुल्क
44	व्यय की प्रतिपूर्ति
45	अधिशेष निधियों का प्रत्यावर्तन
46	रिटेनरशिप फीस
47	रिटेंशन फीस
48	रॉयल्टी
49	बिक्री और विपणन सेवाएँ

50	भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण
51	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ
52	सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति
53	प्रायोजन फीस
54	सदस्यता फीस
55	पर्यवेक्षण प्रभार
56	सर्वेक्षण फीस
57	प्रसारण सेवाएँ
58	निविदा फीस
59	परीक्षण प्रभार
60	प्रशिक्षण
61	वारंटी सेवाएँ
62	घुड़दौड़ में जीतना।
63	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, कार्ड गेम्स और किसी भी तरह के दूसरे खेल से जीतना।
64	कांसुलर रसीदें
65	अन्य आय / अन्य (आय की प्रकृति में नहीं)

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

9. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 147

[नियम 220(6)(क) *देखें*]

(कर वर्ष) ..... की तिमाही के लिए किए गए धन प्रेषण के संबंध में एक प्राधिकृत डीलर द्वारा दिया जाने वाला तिमाही स्टेटमेंट

भाग क: प्राधिकृत डीलर की जानकारी

1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
6.	आईटीडीआरईआईएन		

भाग ख : किए गए धन प्रेषण का ब्यौरा

धन प्रेषक विवरण			***धन प्रेषिती विवरण***				***धन प्रेषक विवरण***					
क्रम. सं.	*नाम*	*स्थायी खाता संख्या*	*नाम*	*स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो*	*कर पहचान संख्या, यदि* उपलब्ध हो *(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	*जिस देश में धन प्रेषिती रहता है*	*मात्रा*	*तारीख*	*जिस अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, उसकी पूरी जानकारी*	*प्रयोजन कोड के अनुसारभारतीय रिजर्व बैंक*	प्ररूप सं. 145 *पावती संख्या*	*यदि* प्ररूप सं. 145 *ज़रूरी नहीं है, तो टिप्पण 4 के अनुसार ज़रूरी कोड डालें।*

घोषणा

मैं ....(पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है और जो .....(पदनाम).... का .....(प्राधिकृत विक्रेता का नाम) है, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही, सत्य और पूर्ण है।

स्थान .....

हस्ताक्षर

तारीख .....

नाम

पद का नाम

टिप्पण

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य शामिल होगा।

3. जिस देश या इलाके में कटौतीकर्ता रहता है, वहां उसका कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक यूनिक संख्या जिसके आधार पर कटौतीकर्ता की पहचान उस देश या इलाके की सरकार करती है, जहां का वह रहने का दावा करता है।

नियम 220(3)(क) के अधीन प्ररूप संख्या 145 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है तो "क" लिखें

नियम 220(3)(ख) के अधीन प्ररूप संख्या 145 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है तो "ख" लिखें।

नियम 220(3)(ग) के अधीन प्ररूप संख्या 145 प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है तो "ग" लिखें।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 148

[नियम 220(6)(ख) *देखें*]

धारा 147(1)(ख) में निर्दिष्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक यूनिट द्वारा (कर वर्ष) की .....तिमाही के लिए किए गए धन प्रेषणों के संबंध में तिमाही विवरण प्रस्तुत किया जाना

भाग क: यूनिट का विवरण

1.	यूनिट का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या		
5.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
6.	आवासीय प्रास्थिति	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
7.	ईमेल आईडी		
8.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*

भाग ख: पैसे भेजने की जानकारी

क्रम संख्या	*धन प्रेषिती का ब्यौरास भाग क के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट यूनिट से भिन्न*		**धन प्रेषणकर्ता ब्यौरा**						**धन प्रेषण का ब्यौरा**				
	नाम	स्थायी खाता संख्या	*नाम*	*स्थायी खाता संख्या,* यदि	*पता*	*ईमेल*	*फ़ोन संख्या*	*देश जिसका निवासी*	*जिस देश में धन प्रेषण किया जाता है*	*धन प्रेषण की तारीख*	*धन प्रेषण की रकम*	**धन** *प्रेषण की प्रकृति*	*आरबीआई* के अनुसार *प्रयोजन* कोड *(*यदि लागू हो*)*

				उपलब्ध हो				*प्रेषणकर्ता है*		देश	मुद्रा		विदेश में मुद्रा	₹ में		

सत्यापन

मैं, ... (पूरा नाम), स्थायी खाता संख्या ..... घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

और/या

उस दशा में लागू होगा जहां भाग क के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट यूनिट प्रेषक है)

1. मैं, ... (पूरा नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है और जो ..... (पदनाम) की हैसियत से है , घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. यदि यह पाया जाता है कि भेजे गए पैसे पर असल में कटौती वाला कर नहीं काटा गया है या कटौती के पश्चात भी संदाय नहीं किया गया है या पूरा संदाय नहीं किया गया है, तो मैं, यथास्थिति, बकाया ब्याज के साथ, कटौती न किए गए या संदत्त किए गए कर की रकम संदाय करने का वादा करता/करती हूँ। अधिनियम के नियमों के मुताबिक, इस गलती के लिए मुझ पर शास्ति भी लगेगी।

3. मैं आगे निम्न के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ-

(क) आयकर प्राधिकारियों को प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम अवधारित करने में सक्षम बनाना;

(ख) आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के तौर पर मेरा दायित्व तय करना।

स्थान:
हस्ताक्षर
तारीख
नाम :

टिप्पण

1. नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य शामिल होगा।

3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब(iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास

4. 'आवासीय प्रास्थिति' को इस प्रकार भरें: (i) निवासी (ii) अनिवासी (iii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं।

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

6. जब तक कि अन्यथा से संबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जानी है।

प्ररूप संख्या 149

[नियम 221(1)(क) *देखें*]

कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जिसे व्यतिक्रम में निर्धारिती के रूप में न समझा जाए *धारा 398(2)* के अधीन लेखाकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

भाग क

पंक्ति सं.	**संदायकर्ता का विवरण**	
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या, यदि लागू हो	
	संदाय करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरा	
5.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
6.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
7.	स्थायी खाता संख्या	
	संदाय प्राप्तकर्ता का विवरण	
8.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
9.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
10.	स्थायी खाता संख्या	
	संव्यवहार का विवरण	

11	संदाय प्राप्तकर्ता के खाते में संदाय/जमा की गई रकम–	
	(क) कर की कटौती न करना	
	(ख) कर की अल्प कटौती	
	(ग) कुल (क) + (ख)	
12.	उपरोक्त 11(ग) में निर्दिष्ट रकम पर धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज	
13.	क्या ऊपर पंक्ति सं. 12 में बताया गया ब्याज संदत्त कर दिया गया है?	*हां /नहीं*
14.	यदि ऊपर पंक्ति सं. 13 का जवाब हाँ है, तो कृपया ऐसे संदाय का ब्यौरा दें।	

चालान विवरण		
बैंक का बीएसआर कोड	चालान क्रम संख्या	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख

या

बुक पहचान संख्या *(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*		
रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)	रसीद संख्या (बीआईएन के पूर्व सात अंक)	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख

घोषणा

मैं... ..... (कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसके पास स्थायी खाता संख्या ..... है, ... (संदायकर्ता का नाम) की दशा में घोषणा करता हूँ और बताता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही हैं।

इसके अलावा, एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि संदायकर्ता ने अधिनियम की धारा 398(2) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है, इस प्ररूप के उपाबंध क के रूप में संलग्न है।

स्थान: ..... कर काटने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

10. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

11. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।

12. सरकारी कटौती करने वालों के दशा में, "स्थायी खाता संख्या" के स्थान पर "PANNOTREQD" लिखा जाएगा।

13. सरकारी कटौतीकर्ता द्वारा बिना चालान दिखाए किए गए संदाय के लिए।

14. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।

15. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी ।

उपाबंध क

अधिनियम की धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का संदायकर्ता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने/हमने ..... (संदायकर्ता का नाम और पता) के संबंधित खातों, दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच कर ली है।[स्थायी खाता संख्या] ….. अवधि के लिए … और निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं:

i) ….. (संदायकर्ता) ने अध्याय 19 के उपबंधों के अनुसार कर के पूरे या किसी भाग की कटौती किए बिना ….. (संदायकर्ता) के खाते में निम्नलिखित रकम का संदाय या जमा किया है

संदाय की प्रकृति	संदाय या क्रेडिट की तारीख	धारा 393 की सारणी और क्रम संख्या जिसके अधीन कर में कटौती की जा सकती थी	संदाय या जमा की गई रकम	कर कटौती योग्य रकम	यदि कोई रकम काटी गई है, तो उसकी जानकारी	
					कटौती की गई रकम	कटौती की तारीख

ii) संदायकर्ता ने ऊपर (i) में बताए गए संदाय से जुड़े कर वर्ष ..... के लिए अपनी आय विवरणी दी है। संदायकर्ता द्वारा फाइल किए गए आय विवरणी का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

क्रम संख्या	विवरण	
1.	आयकर विवरणी दाखिल करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
2.	दाखिल की गई विवरणी की पावती संख्या	
3.	कराधेय आय की वह रकम जिस पर पूरा या कुछ हिस्सा कर नहीं काटा गया है	
4.	कराधेय आय की रकम (उस इनकम की रकम को छोड़कर	

	जिस पर पूरा या कुछ हिस्सा कर नहीं काटा गया है)	
5.	कुल कर योग्य आय	
6.	क्रम संख्या 3 में बताई गई रकम पर कर देना होगा	
7.	क्रम संख्या 4 में बताई गई रकम पर कर देना होगा	
8.	रिटर्न में बताई गई आय पर कुल कर	
9.	आय विवरणी के अनुसार चुकाया गया कर	

iii) संदायकर्ता ने अपनी कराधेय आय संगणित करने के लिए (i) में बताई गई रकम को अपने द्वारा फाइल किए गए आय विवरणी में ध्यान में रखा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रसीद जिस पर कर नहीं काटा गया है	आय का वह शीर्ष जिसके अधीन प्राप्ति का लेखा-जोखा है	आय के उस शीर्ष के अधीन सकल प्राप्ति जिसके अधीन प्राप्ति का हिसाब रखा जाता है	आय शीर्ष के अधीन कराधेय आय की रकम जिसके अधीन रसीद का हिसाब है

iv) यह पक्का कर लिया गया है कि दी गई जानकारी हर तरह से सही है और कोई भी ज़रूरी जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है।

v) संबद्ध कंपनी का निदेशक, भागीदार या कर्मचारी है।

सत्यापन

मैं पूरी तरह समझता हूं कि इस प्रमाण पत्र में दिया गया कोई भी बयान, यदि गलत या झूठा साबित होता है,इच्छाप्रदान करनामैं/हम*उत्तरदायी के लिए कोई दंड या अन्य नतीजे जैसा मई होना अवधारित विधि में या किसी और तरह से ज़रूरी है।

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

लेखाकार का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो .....

मालिकाना हक/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

*लोप किया जाए जो कोई उपयुक्त न हो

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है–

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत में चार्टर्ड लेखाकार; या

(ii) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 10 के उपबंधों के आधार पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।

प्ररूप संख्या 150

[नियम 221(1)(ख) *देखें*]

धारा 394(1) सारणी- क्रम सं. 1 से 5 तथा 9 के अनुसार कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हेतु व्यतिक्रम में निर्धारिती के रूप में न समझा जाए धारा 398(2) के अधीन लेखाकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

भाग क

	विक्रेता का विवरण	
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
4.	कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या, यदि लागू हो	
	कर जमा करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति का विवरण	
5.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
6.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
7.	स्थायी खाता संख्या	
	खरीदार का विवरण	
8.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
9.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
10.	स्थायी खाता संख्या	
	संव्यवहार का विवरण	

11।	खरीदार के खाते से प्राप्त/डेबिट की गई रकम–	
	(क) कर का संग्रहण न करना	
	(ख) कर का कम संग्रह	
	(ग) कुल (क) + (ख)	
12.	उपरोक्त 11(ग) में निर्दिष्ट रकम पर धारा 398(3)(क) के अधीन ब्याज की रकम	
13.	क्या ऊपर क्रम संख्या 12 में बताया गया ब्याज संदत्त कर दिया गया है?	*हां /नहीं*
14.	यदि ऊपर दिए गए क्रम सं. 13 का जवाब हाँ है, तो कृपया ऐसे संदाय का ब्यौरा दें।	

चालान विवरण		
बैंक का बीएसआर कोड	चालान क्रम संख्या	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख

या

बुक पहचान सं. *(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*		
रसीद संख्या (बिन के पूर्व सात अंक)	रसीद संख्या (बीआइएन के पूर्व सात अंक)	चालान के ज़रिए जमा करने की तारीख

घोषणा

मैं.. (कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है. .... के दशा में (विक्रेता का नाम) घोषणा करता हूँ और बताता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य और सही हैं।

इसके अलावा, एक लेखाकार से एक प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि संदायकर्ता ने अधिनियम की धारा 398(2) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है, इस प्ररूप के उपाबंध क के रूप में संलग्न है।

स्थान: ..... इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

कर संग्रह

तारीख:..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

16. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, खच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
17. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
18. सरकारी कलेक्टरों के दशा में, "स्थायी खाता संख्या" के लिए, "PANNOTREQD" लिखा जाएगा।
19. सरकारी कलेक्टर द्वारा चालान पेश किए बिना किए गए संदाय के लिए।
20. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पूर्व से भरी हुई होगी।
21. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी ।

उपाबंध क

अधिनियम की धारा 398(2) के अधीन लेखाकार का क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टादार आय की विवरणी, कर संदाय आदि प्रस्तुत करने को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र

i) मैं ..... (क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टादार का नाम और पता) के संबंधित खातों, दस्तावेज़ों और अभिलेख की जाँच कर ली है।[स्थायी खाता संख्या] ..... अवधि के लिए ... और इसमें निम्नलिखित को प्रमाणित करता है:

प्राप्ति की प्रकृति	प्राप्ति या डेबिट की तारीख	धारा 394 का क्रमांक जिसके अधीन कर संग्रहणीय था	प्राप्त या डेबिट की गई रकम	कर संग्रहणीय रकम	यदि कोई रकम जमा हुई है, तो उसकी जानकारी	
					एकत्रित रकम	संग्रह की तारीख

ii) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने उपरोक्त (i) के निर्देश में प्राप्ति के लिए सुसंगत .....कर वर्ष के लिए आय की उनकी विवरणी प्रस्तुत की है । विक्रेता/अनुज्ञप्तिधारा या पट्टेदार द्वारा फाइल आय की विवरणी निम्नानुसार है -

आयकर विवरणी फाइल करने की तारीख	फाइल की गई विवरणी की पावती संख्या	फाइल की गई विवरणी के अनुसार कराधेय आय की रकम	विवरणी में बताई गई आय पर कर देना होगा	संदाय किए गए कर का विवरण

iii) संदायकर्ता या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार अपनी कराधेय आय संगणित करने के लिए (i) में बताई गई रकम को अपने द्वारा फाइल किए गए आयकर विवरणी में ध्यान में रखा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वह संदाय जिस पर कर एकत्र नहीं	आय का शीर्ष जिसके अधीन संदाय का	आय के शीर्ष के अधीन सकल संदाय जिसके अधीन संदाय का हिसाब है	आय शीर्ष के अधीन कराधेय आय की रकम जिसके अधीन संदाय का हिसाब है

किया गया है	हिसाब रखा जाता है		

iv) यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई सूचना सभी संबंध में सत्य और सही है तथा कोई सुसंगत सूचना छिपाई या रोकी नहीं गई है।

i) न तो मैं, और न ही मेरा कोई भागीदार, ऊपर ऊपर बताए गए अस्तित्व या उससे जुड़ी कंपनियों का निदेशक, भागीदार या कर्मचारी है।

सत्यापन

मैं ..... जिसका स्थायी खाता संख्या है ..... पूरी तरह समझता/समझती हूँ कि इस प्रमाण पत्र में दिया गया कोई भी बयान, यदि गलत या झूठा साबित होता है, इच्छा प्रदान करना मुझे उत्तरदायी के लिए कोई शास्ति या अन्य नतीजे जैसा होना विहित विधि में या किसी और तरह से ज़रूरी है।

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

लेखाकार का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो .....

मालिकाना हक/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

*लोप किया जाए यदि उपयुक्त न हो

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है–

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत में चार्टर्ड लेखाकार; या

(ii) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 10 के उपबंधों के आधार पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।

प्ररूप संख्या 151

[नियम 222

देखें]

अधिनियम की धारा 407(2) या 407(5) के अधीन अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग की सूचना

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	**नाम**	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	**पता**	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	**स्थायी खाता संख्या (पैन)**		
4.	**सम्पर्क करने का विवरण**		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
5.	**कर वर्ष**		
भाग ख: नोटिस का विवरण			
6.	**निर्धारण अधिकारी**		
7.	**कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय का पता**	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
8.	**अधिनियम की वह धारा जिसके अधीन नोटिस जारी किया जा रहा है** ***(एक का चयन करें)***	1) धारा 407(2) 2) धारा 407(5)	
9.	**कर वर्ष के दौरान देने वाली कुल रकम, जैसा कि संलग्न में बताया गया है**		
10.	**पंक्ति 9 में बताई गई रकम के संदाय के लिए किश्तों की जानकारी।**	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	

स्थान: .....

तारीख: .....।

_____

(कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप संख्या 151 के साथ संलग्नक **(प्ररूप संख्या 151 की पंक्ति 9 के अनुसार)** **अधिनियम की धारा 407 के अधीन आदेश**			
भाग क: व्यक्तिगत जानकारी			
1.	**नाम**		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	**स्थायी खाता संख्या (पैन)**		
3.	**पता**		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
भाग ख: ऑर्डर का विवरण			
4.	कुल इनकम जिसके आधार पर आपने अगले वर्ष के लिए नियमित निर्धारण किया है/आय की विवरणी फाइल की है, वह उस वर्ष के लिए है		
5.	अग्रिम कर के अधीन आय		
6.	**अग्रिम कर संगणित करने के लिए शुद्ध कृषि आय, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाएगा।**		
7.	**' अग्रिम कर के अधीन आय' पर लगने वाला सकल आय-कर**		
8.	**अग्रिम कर वाली आय' में शामिल रकम, जिस पर आय - कर नहीं देना होता है या जिस पर आय -कर में छूट मिलती है-**		
	(मैं)	**लोगों के किसी संगम या लोगों के निकाय या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से होने वाली आय का हिस्सा, जिसके मुनाफ़े पर पूर्व ही कर दिया जा चुका है।**	
	(ii)	**आयकर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज**	
	(iii)	**अन्य सामाग्री**	
9.	**कुल रकम जिस पर कर नहीं देना है और उस रकम पर अनुपातिक कर**		
10.	**कटौती : कर जो अधिनियम की धाराओं 392, 393(1), 393(2) [तालिका एस. सं. 1 से 9, तालिका एस. सं. 17], 393(3) के अधीन किसी भी आय पर कटौती योग्य है (जैसा कि अधिनियम के अधीन स्वीकार्य किसी भी कटौती की अनुमति देने से पूर्व गणना की गई है) और जिसे 'अग्रिम कर के अधीन आय' की गणना करने में ध्यान में रखा गया है**		
11।	**आयकर की शुद्ध रकम**		
12.	**घटाएँ: अनुमानित दोगुना आय-कर अनुतोष के कारण रकम, यदि कोई हो**		
13.	**देय शेष**		

14.	**(मैं)**	**घटाएँ: पिछले मांग का नोटिस के अनुसार अधिनियम की धारा 407 के अधीन कर वर्ष में पहले ही संदत्त किया गया कर**	
	(ii)	**पंक्ति 14(i) में बताई गई मांग नोटिस की सेवा की तारीख**	*दिन/मास/वर्ष*
15.	**देय कर की कुल रकम**		

तारीख.....

स्थान.....

_____

(कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर)

टिप्पण:

6. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, **ख**च का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के सही टाइटल के साथ पूरा दिया जाएगा। किसी और **दशा** में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
7. पते में **(i)** फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या, (ii) परिसर **का** नाम, (iii) सड़क/गली/लेन, (iv) क्षेत्र/बस्ती, (v) शहर/कस्बा/जिला, (vi) राज्य और (vii) पिन/ज़िप कोड शामिल होगा।
8. **लाइन 10** में बताई गई रकम की किश्तों की जानकारी नीचे दी गई टेबल में दी गई है:

क्रम संख्या	किस्त की नियत तारीख	देय रकम
1.	पर या उससे पूर्व 15 जून.	ऐसे एडवांस कर का 15% से कम नहीं ।
2.	पर या 15 तारीख से पूर्व	ऐसे अग्रिम कर का 45% से कम नहीं, पूर्व संदाय की गई रकम, यदि कोई हो, से कम

	सितम्बर।	किस्त .
3.	पर या 15 तारीख से पूर्व दिसंबर।	ऐसे अग्रिम कर का 75% से कम नहीं, संदाय की गई रकम या रकमयों से कम, यदि कोई हो पिछली किस्त या किश्तों का संदाय।
4.	पर या उससे पूर्व 15 मार्च.	ऐसे एडवांस कर की पूरी रकम, जैसे संदाय की गई रकम या रकमयों से कम, यदि कोई हो पिछली किस्त या किश्तों का संदाय।

9. **यह रकम मैनेजर, ऑथराइज़्ड बैंक या मैनेजर,** स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को देनी होगी। **यदि** रकम चुका दी जाती है, तो आपको एक रसीद या चालान दिया जाएगा। इसके लिए ____ अटैच किया गया है, जिसमें आपको **संदाय** के समय हर इंस्टॉलमेंट की रकम डालनी होगी।

10. **यदि ऊपर बताई गई पहली किस्त देने से पूर्व किसी भी समय,** आपको लगता है कि **1** अप्रैल से शुरू होने वाले **कर वर्ष** के लिए एडवांस **कर** के **अधीन** आपकी इनकम, उस इनकम से कम है जिस पर आपको ऊपर बताए गए एडवांस **कर** का **संदाय** करने के लिए कहा गया है और इसलिए आप उस रकम से कम **संदाय करना चाहते हैं जो आपको देनी है,** तो आप **प्ररूप संख्या 153** में असेसिंग ऑफिसर को अपने कम अनुमान के कारण भेज सकते हैं और सेक्शन **405** में बताए गए तरीके से कैलकुलेट की गई ऐसी इनकम पर **संदाय** होने वाले एडवांस **कर** का अनुमान लगा सकते हैं और उस **प्रास्थिति** में आपको अप**ने अनुमान के अनुसार उसमें बताई गई तारीखों पर ऐसे अनुपात में उतनी रकम (**इस नोटिस के अनुसार **पूर्व** से **संदाय** की गई किसी भी किस्त को घटाकर**)** देनी चाहिए। इस मकसद के लिए, आपको अपने अनुमान के अनुसार **संदाय** होने वाली रकम को सही चालान में डालना चाहिए। आप आखिरी इंस्टॉल**मेंट आने से पूर्व कभी भी संदाय की रकम बदल सकते हैं और पूर्व से संदाय की गई इंस्टॉलमेंट में किसी भी ज़्यादा या कमी को अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं।**

5.1 **यदि आपके अंदाज़े के मुताबिक,** आपकी अभी की इनकम पर दिया जाने वाला एडवांस **कर,** सेक्शन **407**(2) या **407(**5) के **अधीन** असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में बताई गई एडवांस **कर** की रकम से ज़्यादा है, या जैसा आपको उस सेक्शन के सब-सेक्शन (8) के **अधीन** बताया गया है, तो आप सेक्शन **408** में बताई गई आखिरी किस्त की तारीख को या उससे **पूर्व ,** अपने अंदाज़े के हिसाब से एडवांस **कर** की ऐसी ज़्**यादा रकम का सही हिस्सा या,** जैसा भी मामला हो, पूरा **संदाय** करेंगे।

5.2 **यदि आप सेक्शन 404** के **अधीन** एडवांस **कर** देने के लिए ज़िम्मेदार हैं और ऐसा **कर** नहीं दे पाए हैं या सेक्शन **406** के **अधीन** आपके द्वारा दिया गया एडवांस **कर,** तय **कर** के **90**% से कम है, तो आपको सेक्शन **424** के हिसाब से ब्याज देना होगा। **यदि** आप बताई गई तारीखों तक एडवांस **कर** की किश्तें नहीं दे पाए हैं, तो सेक्शन **425** के हिसाब से ब्याज **लगेगा ।**

11. **जब तक कुछ और न बताया गया हो,** रकम **₹** में भरी जाएगी।

12. **प्ररूप में कुछ जानकारी,** जितना हो सके**, पूर्व** से भरी होगी।

प्ररूप सं.152

[नियम 223 देखें]

अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा **289** के अधीन मांग की सूचना के संबंध में धारा **407(8)** के अधीन निर्धारण अधिकारी को सूचना

अधिनियम की धारा **407(2)/407(5)** के अधीन

तारीख _____

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी,
_____

महोदय/महोदया,

पुनः: कर वर्ष_____ की दशा में _____ अधिनियम की धारा 407(2)/407(5) के अधीन आयकर के भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग की सूचना।

अग्रिम कर के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 289 के अधीन मांग का नोटिस और अधिनियम की धारा 407 (2) या 407 (5) के अधीन आदेश, तारीख _____ (नोटिस की सेवा की तारीख) को_____ मुझे दिया गया है।

2. मैं सूचित करता हूं कि प्ररूप संख्या 151 के अनुलग्नक में अंतर्विष्ट और आपके द्वारा संदेय आय का अनुमान और संदेय अग्रिम कर निम्नलिखित कारणों से उच्च है:

(i) प्ररूप सं. 151 में दर्शाई गई सं. गणना में एक अंकगणितीय त्रुटि है,

(ii) कर वर्ष_____ के लिए निर्धारित आय के संबंध में, अधिनियम की धारा 287 के अर्थांतर्गत में अभिलेख से स्पष्ट एक गलती थी जिसके लिए_____ को आवेदन दायर किया गया है/दायर किया जा रहा है।

(iii) वर्तमान कर वर्ष में 'पूंजीगत अभिलाभ' के अधीन हानि/ कोई आय नहीं हुई है।

(iv) वर्तमान कर वर्ष में धारा 2(49)(ढ.) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई आय नहीं है।

(v) कोई अन्य कारण (कारण विनिर्दिष्ट करें)।

3. ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए कर वर्ष _____ के लिए आय का अनुमान इस प्रकार है:

अनुमानित 'अग्रिम कर के अधीन आय':

(1) 'वेतन' से आय: _____

(2) पूंजीगत अभिलाभ से आय: _____

(3) घर की संपत्ति से आय: _____

(4) कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ:

(क) कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ मेरे द्वारा किया गया।

नाम	पता	लाभ/हानि की रकम

(ख) फर्म से शेयर:

फर्म का नाम	पता	क्या फर्म का पूर्व में रजिस्ट्रीकृत पूर्ण निर्धारण है	आय का भाग

(ग)व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय से आय। _____

कुल : (क)+(ख)+(ग) _____

(5) अन्य स्रोतों से आय:

(i) लाभांश _____

(ii) ब्याज _____

(iii) अन्य आय [धारा 2(49)(ढ) में निर्दिष्ट आय सहित]_____

कुल: _____

उप-मदों का कुल(1)से(5) _____

घटाएं:

(i) अग्रेषित हानियां, आदि, मुजरा के लिए पात्र _____

(ii)अध्याय8 के अधीन अनुज्ञेय कटौतिया _____

1. अग्रिम कर के अधीन आय

[उप-मदों का कुल(1) से (5) घटाएं{(i) और (ii)}।_____

2. अनुमानित शुद्ध कृषि आय।_____

3. अग्रिम कर के अधीन आय पर लगने वाला सकल आय कर_____

4. (क) अग्रिम कर के अधीन आय में शामिल रकम जिसके संबंध में कोई कर संदेय नहीं है, जिस पर कर की छूट अनुज्ञेय है-

(i) अरजिस्ट्रीकृत फर्म से आय का हिस्सा जिस पर फर्म द्वारा कर का संदाय किया जायेगा।_____

(ii) व्यक्तियों या व्यष्टियों के एक निकाय से हिस्सा जिस पर संगम या निकाय द्वारा कर का संदत्त किया जाएगा।_____

(iii) आयकर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज।_____

(iv) अन्य मदें_____

(ख) कुल रकम जिस पर कर संदेय नहीं है। _____

(ग) ऐसी रकम पर आनुपातिक कर।_____

5. 4(ग) पर 3 का आधिक्य._____

6. कटौती : धारा392, 393(1),393(2) के अधीन कटौती योग्य या संग्रहणीय कर की रकम [सारणी क्रमांक 1 से 9, सारणी क्रमांक 17], अधिनियम की धारा 393(3) किसी भी आय पर (अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी भी कटौती की अनुमति देने से पहले यथा संगणित) तथा अग्रिम कर के अधीन आय की संगणना करने में जिसे ध्यान में रखा गया है _____

7. आयकर की शुद्ध रकम (5-6).____

8. घटाएं: आय पर दोहरे कराधान के कारण अनुमानित राहत की रकम, यदि कोई हो।_____

9. संदेय शुद्ध रकम (7-8).____

10. घटाएं:

(i) धारा 406 के अधीन वित्तीय वर्ष में पहले से संदत्त कर। _____

11. देय शेष (9-10).

_____

स्थान: .....

तारीख: ....._____

अनुमान लगाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम: _____)

पदनाम:_____

टिप्पणियाँ:

1. कर का अनुमान, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो यथा उपबंधित आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है ।

2. रजिस्ट्रीकृत फर्म के मामले में, फर्म को देय अग्रिम कर का अनुमान प्रस्तुत करना होगा, यदि कोई हो, द्वारा

यह वार्षिक वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के अनुसार है। व्यष्टिक साझेदारों को पंजीकृत फर्म से आय के हिस्से सहित प्रत्येक द्वारा संदेय अग्रिम कर का अनुमान भी प्रस्तुत करना होगा।

3. पैरा 2 को केवल व्यष्टियों, अरजिस्ट्रीकृत फर्मों, व्यक्तियों के अन्य संगमों, व्यष्टियों के निकायों द्वारा, चाहे वे निगमित हों या नहीं, अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(77)(ड) में निर्दिष्ट है, द्वारा भरा जाना है।

4. इस प्ररूप में, 'शुद्ध कृषि आय' का वही अर्थ होगा जो उसे सुसंगत वित्त अधिनियम में दिया गया है।

5. इस प्ररूप के पैरा 2 में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के आदेश में यदि कोई अंकगणितीय त्रुटि का ब्यौरा है तो उपबंध किया जा सकता है।

6. जब तक अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाए।

प्ररूप संख्या 153
[नियम 224 देखें]

धारा 413 या 414 के अधीन प्रमाणपत्र।
आयकर नियम, 2026 के नियम 225(2) के अधीन मांग का नोटिस

टीआरओ का कार्यालय _____
तारीख _____

सेवा में,

(पैन/आधार)

भाग क: आधारीय जानकारी				
1.	नाम		*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2 .	स्थायी खाता संख्या			
3.	पता		*टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
4.	प्रास्थिति		*टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5 .	सम्पर्क करने का विवरण			
	मोबाइल नहीं है।		देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी			
भाग ख: बकाया रकम का ब्यौरा				
6.	कर वर्ष			
7.	क	आयकर		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	ख	अधिभार		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	ग	धारा 270 के अधीन अतिरिक्त कर		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	घ	धारा के अधीन शास्ति		
		(i)	नियमित	

		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	ई.	ब्याज धारा के अधीन		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	च	धारा 246 के अधीन जुर्माना		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	छ	धारा 411(3) के अधीन उस दिन से ब्याज जब रकम देय हो गयी		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
	ज	कोई अन्य रकम		
		(i)	नियमित	
		(ii)	अग्रिम	
		(iii)	अनंतिम	
		(iv)	कुल	
8.	7(क)(iv), 7(ख)(iv), 7(ग)(iv), 7(घ)(iv), 7(ड.)(iv), 7(च)(iv), 7(छ)(iv), 7(ज)(iv) का कुल योग			
9.	**(यदि अपेक्षित हो तो पंक्ति 6 से 8 दोहराएं)**			

1. *यह प्रमाणित किया जाता है कि आपको _____ की रकम _____ को देनी है, जिसकी जानकारी ऊपर दी गई है।

कर वसूली अधिकारी, _____ [*स्थान का नाम] द्वारा* दस्तावेज़ पहचान संख्या _____ तारीख _____ वाला एक प्रमाण पत्र _____ रकम की वसूली के लिए भेजा गया था, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है और उक्त कर वसूली अधिकारी ने उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति धारा 414 के अधीन नीचे हस्ताक्षरकर्ता को भेजी है, जिसमें _____ रकम निर्दिष्ट की गई है, जो आपसे वसूल की जानी है।

2. आपको यह नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर ऊपर दी गई रकम संदाय करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर धारा 413 से धारा 422, और आय कर नियम 2026 के नियम 225 के उपबंध के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. ऊपर बताई गई रकम के अलावा, आप इन चीज़ों के लिए भी ज़िम्मेदार होंगे, -

(क) ऐसा ब्याज जो इस नोटिस के जारी होने के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए धारा 411(3) के अनुसार देय है;

(ख) इस नोटिस की सेवाओं तथा वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया रकम वसूलने के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, प्रभार तथा व्यय।

*जो लागू न हो उसे हटा दें

तारीख:

स्थान:

(मुहर)

_____

(कर वसूली अधिकारी)

टिप्पण:

13. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
14. पते में (**i)** देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, **(**vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और **(**viii) राज्य शामिल होगा ।
15. **प्रास्थिति निम्न प्रकार भरें:**
    i) **व्यष्टि**
    ii) **हिंदू अविभक्त कुटुंब**
    iii) **कंपनी**
    iv) **फर्म**
    v) **व्यक्तियों का संगम,** चाहे निगमित हो या नहीं
    vi) **व्यक्तियों का निकाय,** चाहे निगमित हो या नहीं
    vii) **स्थानीय प्राधिकारी**
    viii) **कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति**
    ix) **सरकार**
    x) **न्यास**
    xi) **सीमित दायित्व भागीदारी**
16. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।
17. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 154
[नियम 228 देखें]

वचनबंध का परूप, धारा 420(1)के अधीन प्रस्तुत किया जाना

सेवा में,

.....

[विहित प्राधिकारी का पदनाम]

धारा 420(1) के उपबंधों के अधीन जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रति विचार में , मैं भारत सरकार को करों का संदाय करने का वचन देता/देती हूँ जो **संपत्ति-कर अधिनियम, 1957** (1957 का 27) **या उपहार-कर अधिनियम, 1958** (1958 का 18)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) **या आयकर अधिनियम, 1961** (1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) **या व्यय-कर अधिनियम, 1987**(1987 का 35) **या काला धन (**अप्रकाशित **विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015** (2015 का 22)**के अधीन संदेय हो सकेंगे भाग ख में उन व्यक्तियों का ब्यौरा है जो अवधि के अधीन मेरे अधीन काम करते थे, इस दौरान मेरे द्वारा इन्हें प्राप्त आय के संबंध में है ।**

भाग क:नियोजन का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
4.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
भाग B: भारत छोड़ने वाले व्यक्ति की जानकारी			
5.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
6.	पिता/पति का नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
7.	स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)		
8.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण संख्या की जानकारी		

	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या		
	(ii)	जारी करने की तारीख	दिन/मास/ वर्ष	
	(iii)	जारी करने का देश		
	(iv)	जारी करने का स्थान		
9.	सम्पर्क करने का विवरण			
	(मैं)	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	(ii)	ईमेल आईडी		

2. मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि भाग-ख में बताए गए व्यक्ति की दशा में अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कोई भी रकम, जो ऊपर बताए गए सभी या किसी भी विधि या दूसरे विधि के अधीन उसके द्वारा बकाया और संदेय करने लायक हो, मेरे द्वारा इस बात का पक्का सबूत माना जाएगा कि वह रकम ऊपर बताए गए तरीके से बकाया और संदेय करने लायक है, और ऐसी किसी भी रकम पर, किसी भी हालत में, कोई विवाद नहीं होगा।

3. इसके अलावा, मैं यह वचनबंध करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि यह वचनबंध किसी भी मौत/निधन होने या परिसमापन से तय नहीं होगा या उस पर कोई और असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह मेरे और मेरी संपदा/ संपदाओं के विरुद्ध तब तक पूरी तरह लागू रहेगा जब तक कि इसके अधीन देय या संदेय की जाने वाली कर की रकम पूरी तरह से संदत्त नहीं की जाती।

4. मैं यह भी वचनबंध करता/करती हूँ कि इस वचनबंध के अधीन जो भी कर देना है या देना है, उसे वसूलने के लिए केंद्रीय सरकार के पास जो भी दूसरे तरीके हैं, उन पर कोई असर डाले बिना, केंद्रीय सरकार आय कर नियम, 2026 के नियम 225 या समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी बदलाव के हिसाब से मुझसे वह कर वसूलने की हकदार होगी, और केंद्रीय सरकार के लिए यह ज़रूरी नहीं होगा कि वह मुझ पर केस करने से पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भी कर की वसूली के लिए असेसी(स) के खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई शुरू करे और/या पूरी करे।

**जो लागू न हो उसका लोप किया जाएगा ।*

स्थान:

तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पद का नाम: _____

धारा 420(1)(i) में निर्दिष्ट नियोक्ता

या

कोई अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट को **धारा 420(1)(ii)** में

टिप्पण:

18. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
19. पते में **(i)** देश**/**क्षेत्र**,** (ii) फ्लैट**/**दरवाजा**/**भवन**,** (iii) सड़क**/**गली**/**ब्लॉक**/**सेक्टर**,** (iv) पिन**/**ज़िप कोड**,** (v) डाकघर**,** (vi) क्षेत्र**/**इलाका**,** (vii) जिला और **(**viii) राज्य शामिल होगा ।
20. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 155
[नियम 228 देखें]

धारा 420(1) के अधीन भारत में निवास न करने वाले व्यक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

डीआईएन संख्या: .....

भारत सरकार

यह प्रमाणित किया जाता है कि आय-कर विभाग को उस व्यक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं है जिसकाभारत से हवाई/समुद्र/ज़मीन के रास्ते जाने की जानकारी नीचे दी गई है।

भाग क- व्यक्तिगत जानकारी			
1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	पिता/पति का नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या (यदि लागू हो)		
4.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी		
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र संख्या	
	(ii)	जारी करने की तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*
	(iii)	जारी करने का देश	
	(iv)	जारी करने का स्थान	

यह प्रमाण पत्र _____ को या उसके पश्चात् और _____ से पहले शुरू होने वाली यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है।

***जो लागू न हो उसका लोप कर दें**

स्थान:

तारीख:

_____

(विहित प्राधिकारी)

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 156

[नियम 228 देखें]

धारा 420(3) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

सेवा में,

……

[विहित प्राधिकारी का पदनाम]

महोदय/महोदया,

धारा 420(3) के अधीन यथापेक्षित विवरण नीचे दे रहा हूँ :

1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पिता/पति का नाम*		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या			
4.	पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
5.	सम्पर्क करने का विवरण			
	मोबाइल संख्या		देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी			
6.	भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति			
7.	भारत के बाहर यात्रा का प्रयोजन			
8.	भारत के बाहर रहने की अनुमानित अवधि			
9.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्रकी जानकारी			
	(मैं)	पासपोर्ट/आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या		
	(ii)	जारी करने की तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*	
	(iii)	जारी करने का देश		
	(iv)	जारी करने का स्थान		

सत्यापन

मैं, _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।

***जो लागू न हो उसका लोप कर दें**

तारीख:

स्थान:

_____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (**i**) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 157
नियम 228 देखें]

धारा 420(4) *के अधीन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने* हेतु प्ररूप

सेवा में,

_____

(विहित प्राधिकारी का पदनाम)

धारा 420(4) के अधीन अपेक्षित विवरण दे रहा हूँ :

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी				
1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पिता/पति का नाम*		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या(यदि लागू हो)			
4.	पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
5.	सम्पर्क करने का विवरण			
	मोबाइल संख्या		देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी			
6.	भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति			
7.	भारत के बाहर यात्रा का प्रयोजन			
8.	भारत के बाहर रहने की अनुमानित अवधि			
9.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्रकी जानकारी			
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या		
	(ii)	जारी करने की तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*	
	(iii)	जारी करने का देश		
	(iv)	जारी करने का स्थान		

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि:

(क) *मुझे धारा 262 के उपबंधों या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) के उपबंधों के अधीन कोई स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है;

या

(ख) * अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित मेरी कुल आय कर प्रभार्य नहीं है;

या

(ग) *मुझे अधिनियम के उपबंधों या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) के उपबंधों के अधीन स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है;

सत्यापन

मैं,_ _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है ।

***जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।**

स्थान:

तारीख: _____

(हस्ताक्षर प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति का)

नाम: _____

पद का नाम: _____

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा।
3. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 158

नियम 228 देखें]

धारा 420(5) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

_____

महोदय/महोदया,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। मैं अपने जाने के कारण कर अनापत्ति प्रमाण पत्रके लिए आवेदन करता हूँ। **धारा 420(5) के अधीन** भारत से अपेक्षित, **जिसके लिए अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:**

1 .	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	पिता/पति का नाम*		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
3.	स्थायी खाता संख्या(यदि हो तो)		
4.	अधिवास		
5.	राष्ट्रीयता		
6.	वर्तमान पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
7.	स्थायी पता		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
8.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
9.	भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति		
10.	सभी जगहों का पताभारत में कारबार/वृत्ति		*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*
			(यथापेक्षित हो तो दोहराएं)
11।	भारत के बाहर पिछली यात्राओं का विवरण:		
	(i) भारत में आगमन की तारीख		दिन/मास/ वर्ष
			(यथापेक्षित हो तो दोहराएं)
	(ii) भारत के बाहर रहने की अवधि		
	(यथापेक्षित हो तो दोहराएं)		
12.	भारत के बाहर यात्रा का प्रयोजन		
13.	प्रस्थान विवरण		
	(i) प्रस्थान की तारीख		दिन/मास/ वर्ष

	(ii)	फ़्लाइट/जहाज़/सड़क यात्रा का विवरणजिससे यात्रा की जा रही है	
14.	(i)	क्या अधिनियम की किसी धारा के अधीन छूट का दावा किया गया है? ***(एक का चयन करें)***	(i) हाँ (ii) नहीं
	(ii)	यदि पंक्ति 14(i) का जवाब हाँ है, तो अधिनियम का धारा बताएँ	
15.	यात्रा का गंतव्य		
16.	आशयित वापसी की तारीख		*दिन/मास/ वर्ष*
17.	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी		
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र संख्या	
	(ii)	जारी करने की तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*
	(iii)	जारी करने का देश	
	(iv)	जारी करने का स्थान	

सत्यापन

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या संपत्ति कर अधिनियम, 1957(1957 का 27) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18)या व्यय-कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या काला धन(अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां)और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015(2015 का 22) के अधीन मेरी कोई देनदारी नहीं है, या ऐसे सभी या किसी भी कर के संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई है जो मुझे देने हैं या देने वाले हो सकते हैं।

इसके अलावा, ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।

***जो भी लागू न उसका लोप कर दें।**

स्थान:

तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

नाम: _____ _

पद का नाम: _____

टिप्पण:

21. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
22. पते में **(i)** देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।
23. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 159

[नियम 228 देखें]

धारा 420(5) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र

डीआईएन संख्या: ……..

भारत सरकार

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित आवेदक के पास —

*(क) कोई बकाया दायित्व नहीं हैं;

*(ख) ऐसे करों के संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है, जो अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिनियम, 2015 (2015 का 22) या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) (जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) या व्यय-कर अधिनियम , 1987 (1987 का 35) के अधीन संदेय या संदाय हो सकते हैं।

इस प्रमाण पत्र _____ को या उसके पश्चात् और _____ से पहले शुरू होने वाली यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है।

भाग-क: भारत छोड़ने वाले व्यक्ति की जानकारी

1.	नाम		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
2.	पिता/पति का नाम*		*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*
3 .	स्थायी खाता संख्या(यदि लागू हो)		
4 .	पासपोर्ट संख्या/आपातकालीन प्रमाण पत्र की जानकारी		
	(मैं)	पासपोर्ट / आपातकालीन प्रमाण पत्र संख्या	
	(ii)	जारी करने की तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*
	(iii)	जारी करने का देश	
	(iv)	जारी करने का स्थान	

***जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।**

स्थान:

तारीख:

(मुहर)

_____

(कर निर्धारण अधिकारी)

टिप्पण :

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप सं.160

[नियम 230 देखें]

धारा 434 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कर कटौती के प्रतिदाय के लिए आवेदन

को

निर्धारण अधिकारी,

_____

यह आवेदन कर कटौती के प्रतिदाय के लिए फाइल किया गया है और केंद्रीय सरकार को प्रत्यय किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

भाग - क : आवेदक का विवरण			
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
3.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
4.	पिता/पति का नाम*	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
5.	आवासीय प्रास्थिति ***(एक का चयन करें)***	*(vii) निवासी* *(viii) निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं* *(ix) अनिवासी*	
6.	स्थायी खाता संख्या		
7.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
पार्ट - ख : डिडक्टी का विवरण			
8.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
9.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
10.	स्थायी खाता संख्या(यदि उपलब्ध हो)		

11।	कर पहचान संख्या (टिन), यदि कोई हो		*(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)*
12.	सम्पर्क करने का विवरण		
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
	ईमेल आईडी		
13.	देश जिसका सुसंगत वर्ष में कटौती दाता निवासी था		
	भाग - ग : करार या अन्य व्यवस्था का विवरण		
14.	करार या अन्य व्यवस्था हस्ताक्षर करने की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*
15.	तारीख जिस पर करार या अन्य व्यवस्था प्रभावी हुए		*दिन/मास/वर्ष*
1 6.	वह समय अवधि जिसके लिए करार या दूसरी व्यवस्था लागू है		
17.	करार का प्रमाण		*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*
	भाग-घ : उस संव्यवहार का ब्यौरा जिस पर कर कटौती योग्य न होने वाले कर को काटा गया है		
18.	संव्यवहार की रकम-देन		
19.	संव्यवहार की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*
20.	किए गए संदाय की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*
21.	(i) संदाय का ढंग		
	(ii) पंक्ति 21(i) के संदाय का प्रमाण संलग्न करें		*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*
22.	संव्यवहार की प्रकृति		
	भाग-ड. ऊपर ऊपर भाग घ में विनिर्दिष्ट संव्यवहार पर काटे गए कर का ब्यौरा		
23.	कर कटौती की रकम		
24.	कटौती कर की तारीख		*दिन/मास/वर्ष*
25.	तारीख जिस पर काटा गया कर सरकारी खाते में जमा किया गया था		*दिन/मास/वर्ष*
26.	चालान का ब्यौरा		

क्र.सं.	बीएस आर कोड	सरकार में खाता जमा करने की तारीख	संख्या चालान का क्रम ।	रकम

27.	कृपया स्पष्ट करें कि सुसंगत संव्यवहार में आय कर की कोई कटौती अपेक्षित नहीं थी		
28 .	क	कृपया बताएं कि क्या इसी तरह के संव्यवहार पर काटा गया कर है सुसंगत कर वर्ष से पूर्व तीन वर्ष में प्रतिदाय कर दिया गया है? ***(एक का चयन करें)***	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*

	ख	यदि पंक्ति 28(क) का जवाब हाँ है, तो ये जानकारी दें:	
	(i)	कर वर्ष	
	(ii)	संव्यवहार की तारीख	*दिन/मास/वर्ष*
	(iii)	कर कटौती की रकम	
	(iv)	कर प्रतिदाय की रकम	
	(v)	यथास्थिति आयुक्त (अपील) या कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख,	*दिन/मास/वर्ष*
	(vi)	पंक्ति 28(ख)(v) में बताए गए ऑर्डर की प्रति संलगन करें	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*
29.	अन्य सुसंगत ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें (यदि कोई है)		*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*

सत्यापन

मैं, _____ [*पूरा नाम और बड़े अक्षरों में*] *_____ का पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी, जिसके पास _____ का पैन _____ है [*इकाई का नाम*], एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर जो भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सच्चा है।मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में बताई गई आय पर कोई कर काटने की जरूरत नहीं थी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में जो कहा गया है सही है ।मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं _____ (पदनाम) की हैसियत से यह आवेदन कर रहा/रही हूं तथा मैं इस आवेदन को बनाने तथा सत्यापित करने में सक्षम हूं।

***जो लागू न हो उसका लोप कर दें**

स्थान:

तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पद का नाम: _____

पता: _____

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में (**i**) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v)

डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।

3. प्रास्थिति इस रूप में भरें:

(i) **व्यक्ति**

(ii) **हिंदू अविभक्त कुटुंब**

(iii) **कंपनी**

(iv) **फर्म**

(v) **व्यक्तियों का संगम,** चाहे निगमित हो या **नहीं**

(vi) **व्यष्टियों का निकाय,** चाहे निगमित हो या नहीं

(vii) स्थानीय प्राधिकारी

(viii) **कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति**

(ix) **सरकार**

(x) **न्यास**

(xi) **सीमित दायित्व भागीदारी**

24. कर रजिस्ट्रीकरण संख्या या कर पहचान संख्या/समतुल्य रूप से कार्यातमक या कोई भी यूनिक संख्या जो उस देश या खास इलाके की सरकार अनिवासी की पहचान के लिए इस्तेमाल करती है, जिसका वह रहने वाला होने का दावा करता है।

25. नीचे पंक्ति 17, 21, 28 और 29 में बताए गए दस्तावेज संलग्न करें:

क्रम संख्या	अनुलग्नक	टिप्पणी
1.	क-1	पंक्ति 17 में करार का प्रमाण।
2.	क -2	पंक्ति 21(ii) में संदाय का प्रमाण।
3.	क-3	ऑर्डर की कॉपी पंक्ति 28(vi) में संलग्न करें
4.	क-4	कोई और जानकारी पंक्ति 29 में।

26. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

27. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 161
नियम 231 देखें]

धारा 440(2) के अधीन आवेदन का प्रारूप

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी					
1 .	नाम			*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2 .	स्थायी खाता संख्या				
3.	पिता / पति का नाम			*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
4.	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
5.	सम्पर्क करने का विवरण				
	(i)	**मोबाइल संख्या**		देश कोड	संख्या
				(ड्रॉप डाउन)	
				(अपेक्षित हो तो दोहराएं)	
	(ii)	मेल पता			
				(अपेक्षित हो तो दोहराएं)	
भाग ख: आदेश और संदाय की ब्यौरा					
6 .	कर वर्ष				
7 .	वह धारा जिसके अधीन निर्धारण/पुन:निर्धारण*आदेश पारित किया जाता है				
8 .	निर्धारण/पुन:निर्धारण*आदेश की तारीख			*दिन/मास/वर्ष*	
9 .	निर्धारण/पुन:निर्धारण*आदेश की सेवा की तारीख			*दिन/मास/वर्ष*	
10 .	निर्धारण/पुन:निर्धारण* आदेश के अनुसार तय की गई आय की रकम				
11।	मांग नोटिस के अनुसार कर और ब्याज देना होगा				
12 .	मांग नोटिस के अनुसार संदाय की देय तारीख			*दिन/मास/वर्ष*	
13 .	संदाय की गई रकम का विवरण				
	(क)	(i)	बीएसआरकोड		
		(ii)	जमा करने की तारीख	*दिन/मास/वर्ष*	
		(iii)	क्रम संख्या चालान का		
		(iv)	रकम		
	(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)			

सत्यापन

मैं, _____ ,पैन _____ , इसके द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर कथित मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कोई अपील नहीं की जाएगी। ऊपर भाग-ख में बताए गए आदेश के संबंध में फाइल किया गया है। मैं यह भी वादा करता/करती हूँ कि धारा 440(5) में बताई गई अवधि खत्म होने से पहले उक्त आदेश के संबंध में कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में कर रहा/रही हूँ_____ के रूप में और मैं इसे फाइल करने के लिए भी सक्षम हूं आवेदन और सत्यापित करें। आज _____20____ के _____ दिन सत्यापित किया गया।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर,

नाम

पदनाम (यदि लागू हो)

टिप्पण:

28. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
29. पते में (**i)** देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) **क्षेत्र/**इलाका, (vii) जिला और **(**viii) राज्य शामिल होगा ।
30. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना भी हो सके, पहले से भरी होगी।
31. *जो लागू न हो उसका लोप कर दें।
32. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, सभी रकम ₹ में देनी होगी।

प्ररूप सं. 162

[नियम 234 देखें]

धारा 505 के अधीन वार्षिक कथन

भाग क: अनिवासी व्यक्ति जिसका भारत में संपर्क अधिकारी है, से संबंधित

1.	नाम:		*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	स्थायी खाता संख्या (पैन):			
3.	कर पहचान संख्या (टिन), यदि कोई हो, जिस देश में आप रहते हैं या शामिल हैं, वहां:			
4.	मुख्यालय की जानकारी:			
	i.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
	ii.	निवास का देश:		
	iii.	ईमेल आईडी:		
	iv.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
5.	भारत में प्रधान अधिकारी की जानकारी:			
	i.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
	ii.	ईमेल आईडी:		
	iii.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
6.	कर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को वार्षिक कार्य प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख:			
7.	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बताए अनुसार वार्षिक कार्य प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का ब्यौरा:			
	i.	नाम:	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
	ii.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
	iii.	पैन:		
	iv.	विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN):		
	v.	सदस्यता संख्या:		
	vi.	फर्म/प्रोप्राइटरशिप का नाम:		
	vii.	फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या:		
	viii.	ईमेल आईडी:		
	ix.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
8.	कर वर्ष जिसके लिए कथन जमा किया जा रहा है:			

भाग ख: अन्य जानकारी

9. भारत में अनिवासी के प्रत्येक कार्यालय के लिए कार्यालय प्रभारी का ब्यौरा:

क्रम संख्या	नाम	पद का नाम	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	कार्यालय का पता
1.					
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*				

10. **भारत में किसी कार्यरत कर्मचारी को या भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत से बाप्रत्येक संदेय कोई वेतन या किसी प्रकार का कोई संदेय प्रतिकर के ब्यौरा :**

क्रम संख्या	कर्मचारी के नाम	पैन(यदि आवंटित हो)	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	भारत में कर्मचारी का पता, यदि कोई हो	वेतन या प्रतिकर की रकम
1.						
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*					

11. **भारत में अनिवासी व्यक्ति के अभिकर्ताओं या प्रतिनिधियों या वितरकों का ब्यौरा**

क्रम संख्या	प्रतिनिधि या वितरक का नाम	पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	पता
1.					
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*				

12. **अनिवासी व्यक्ति के संपर्क अधिकारी का ब्यौरा (*डाटा में क्रम सं. 13 से क्रम सं. 23 की संपर्क अधिकारी वार प्रस्तुत किया जाना है, संपर्क अधिकारी की संख्या के आधार पर बहु सेट भरे जा सकेंगे*):**

13.	***संपर्क अधिकारी की* ओपनिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की तारीख*:***	
14.	**भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा अनुदत्त संपर्क अधिकारी रजिस्ट्रीकरण संख्या**	
15.	**भारत में संपर्क अधिकारी की ओपनिंग की तारीख**	

16. **भारत में संपर्क अधिकारी का पता :**

ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	पता

17.	संपर्क अधिकारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति :	

18. उत्पाद या सेवाओं के ब्यौरे जिनके लिए संपर्क अधिकारी द्वारा संपर्क क्रियाकलाप किए गए हैं:

क्रम संख्या	किए गए संपर्क क्रियाकलाप	उत्पादों या सेवाओं का विवरण
1.		
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*	

19. क्या कोई अन्य समूह अस्तित्व या अस्तित्वों उसी परिसर से संपर्क कार्यालय के कार्यालय के रूप में प्रचालित कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे अस्तित्व या अस्तित्वों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करवाए :- — हां/नहीं

क्रम संख्या	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन	ईमेल आईडी	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता	अस्तित्व द्वारा किए गए क्रियाकलाप की प्रकृति
1.						

	2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*					

20. **क्या संपर्क अधिकारी किसी अन्य अस्तित्व या अस्तित्वों के लिए संपर्क क्रियाकलाप कर रहा है? यदि हां, तो ऐसे अस्तित्व या अस्तित्वों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करवाएं :-** **हां/नहीं**

क्रम संख्या	**अस्तित्व का नाम**	**अस्तित्व का पैन**	**ईमेल आईडी**	**संपर्क संख्या**	**अस्तित्व का पता**
1.					
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*				

21. **भारत के पांच उच्च पार्टी जिनके साथ संपर्क अधिकारी संपकर्ता कर रही है:**

क्रम संख्या	**पार्टी का नाम**	**पार्टी का पैन**	**ईमेल आईडी**	**संपर्क संख्या**	**पार्टी का पता**
1.					
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*				

22. **वर्ष के दौरान लाइजन ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या :**

23. **संपर्क कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा जो 50,000/- रू. या उपर प्रतिमास वेतन या प्रतिकर अंतरण कर रहे हैं:**

क्रम संख्या	**कर्मचारी का नाम**	**पैन (यदि आवंटित हो)**	**ईमेल आईडी**	**संपर्क संख्या**	**पद का नाम**	**वेतन या मुआवज़े की रकम**	**बैठने की जगह का पता**
1.							
2.	*(अपेक्षितहो तो दोहराएं)*						

24. **वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय विनिर्दिष्ट वित्तीय ब्यौरे अर्थात् भारत के अनिवासी व्यक्ति की प्राप्तियां तथा खर्चे (संपर्क कार्यालय तक सीमित नहीं):**

(i) संपर्क कार्यालय के संबंध में:

क्रम संख्या	संपर्क कार्यालय की रजिस्ट्रीकरण संख्या	प्राप्तियां	खर्च
1.			
2.	*(अपेक्षितहो तो दोहराएं)*		

(ii). अनिवासी व्यक्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत उपर उल्लिखित/ संपर्क कार्यालय भी है :

क्रम संख्या	प्राप्तियां	भारत से प्राप्त प्राप्तियों के लिए खर्चे
1.		
2.	*(अपेक्षितहो तो दोहराएं)*	

25. वर्ष के दौरान अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय पार्टियों से/को सभी क्रयों, माल के विक्रय और सेवाओं का ब्यौरा (संपर्क अधिकारी द्वारा किए गए संव्यवहार तक सीमित नहीं):

i संपर्क कार्यालय के संबंध में:

क्रम संख्या	संव्यवहार की प्रकृति	भारतीय पार्टी का नाम जिसके साथ संव्यवहार किया गया है	भारतीय पार्टी का पैन	**ईमेल आईडी**	संपर्क संख्या	भारतीय पार्टी का पता	संव्यवहार की रकम
1.							
2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*						

ii अनिवासी व्यक्ति सहित उपर उल्लिखित संपर्क कार्यालय के संबंध में:

क्रम संख्या	संव्यवहार की प्रकृति	भारतीय पार्टी का नाम जिसके साथ संव्यवहार	भारतीय पार्टी का पैन	**ईमेल आईडी**	संपर्क संख्या	भारतीय पार्टी का पता	संव्यवहार की रकम

				किया गया है					
		1.							
		2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*						

26.	क्या भारत में कोई समुह अस्तित्व या अस्तित्वों (जिसमें समुह की इंडियन अस्तित्व/अस्तित्वों या भारत में समुह की विदेशी अस्तित्व या अस्तित्वों का स्थायी स्थापन शामिल है) शाखा कार्यालय या कंपनीज़ या लिमिटेड लायबिलिटी भागनरशिप वगैरह के तौर पर मौजूद है? यदि हाँ, तो नीचे दी गई ब्यौरा दें:						**हां/नहीं**
	क्रम संख्या	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पैन	**ईमेल आईडी**	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता	कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति
	1.						
	2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*					

27.	क्या भारत में समूह अस्तित्वों के अन्य संपर्क कार्यालय है? यदि हाँ, तो ब्यौरा प्रदान दें:						**हां/नहीं**
	क्रम संख्या	उस अस्तित्व का नाम जिसके पारित लाइजन ऑफिस हैं	पैन का इकाई	**ईमेल आईडी**	संपर्क संख्या	अस्तित्व का पता	किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति
	1.						
	2.	*(अपेक्षित हो तो दोहराएं)*					

सत्यापन

मैं, _____, यह पुष्ट करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।

मैं यह आवेदन अपनी हैसियत से _____ (पदनाम) जमा कर रहा हूँ, मेरे पारित पैन_____ है और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

39. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
40. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शप्रत्येक/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।
41. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
42. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप सं.163

[नियम 235 *देखें*]

धारा 506 के अधीन किसी भारतीय कंपनी द्वारा दी जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: भारतीय समुत्थान के विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">नाम:</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पता:</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">प्रास्थिति:</td><td colspan="3">(टिप्पण 3 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">आवासीय प्रास्थिति:</td><td colspan="3">(टिप्पण 4 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">ईमेल आईडी:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="2" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td colspan="2">संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">कर वर्ष :</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">9.</td><td colspan="5">क्या भारतीय समुत्थान को समूह की तरफ से जानकारी देने के लिए अभिहित किया गया है? यदि हाँ , तो निम्नलिखित ब्यौरा दें:</td></tr>
<tr><td>i</td><td colspan="4">सभी भारतीय समुत्थान के ब्यौरे, जो समूह के घटक है:</td></tr>
<tr><td></td><td>क</td><td>नाम:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>ख</td><td>पता:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>ग</td><td>पैन:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>घ</td><td>आधार:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ii</td><td colspan="4">यदि सूचना किसी भारतीय समुत्थान की ओर से दी जा रही है तो ऐसी समुत्थान का विवरण:</td></tr>
<tr><td></td><td>क</td><td>नाम:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>ख</td><td>पता:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>ग</td><td>पैन:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>घ</td><td>आधार:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">10.</td><td colspan="5">होल्डिंग अस्तित्वों का ब्यौरा :</td></tr>
<tr><td>i</td><td colspan="4">तत्काल होल्डिंग अस्तित्व:</td></tr>
<tr><td></td><td>क</td><td>नाम:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>ख</td><td>निगमन होने का देश/क्षेत्र:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>ग</td><td>देश/इलाके जिस का वह कर निवासी है:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>घ</td><td>कर पहचान संख्या (टिन), निवास के देश/क्षेत्र में:</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	ii	मध्यवर्तीय होल्डिंग अस्तित्व:				
		क	नाम:			
		ख	निगमन होने का देश/क्षेत्र:			
		ग	देश/इलाके जिस का वह कर निवासी है:			
		घ	कर पहचान संख्या (टिन), निवास के देश/क्षेत्र में:			
	iii.	अंतिम होल्डिंग इकाई:				
		क	नाम:			
		ख	निगमन होने का देश/क्षेत्र:			
		ग	देश/इलाके जिस का वह कर निवासी है:			
		घ	कर पहचान संख्या (टिन), निवास के देश/क्षेत्र में:			
11	कंपनी(यों) या अस्तित्व(वों) का ब्यौरा जो अपना मूल्य मुख्य रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों (चाहे मूर्त या अमूर्त) से प्राप्त करती है, जो भारतीय समुत्थान में या उसके माध्यम से आयोजित की जाती हैं;					
	क्रम संख्या	नाम	निगमन का देश/क्षेत्र	देश/क्षेत्र जिस का वह कर निवासी है::	निवासी के देश/इलाके में टिन:	
	1.					
	2.	(अपेक्षितहो तो दोहराएं)				
भाग ग : भाग(ख) (क्रम सं.-11) में निर्दिष्ट समुत्थान या समुत्थानों के शेयर/ब्याज के अंतरण के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग के लिए भरी जाने वाली सूचना, जिससे होने वाली आय धारा 9(10)(क) के उपबंधों के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई मानी जाती है।						
12.	कंपनी या अस्तित्व का नाम:					
13.	संव्यवहार(रों) का ब्यौरा:					
	i	संव्यवहार की प्रकृति:				
	ii	अंतरक का नाम:				
	iii.	अंतरक का पता:				
	iv	अंतरक का पैन:				
	v	कर निवासी का देश/क्षेत्र:				
	vi.	अंतरक का टैन:				
	vii	अंतरीति का नाम:				
	viii	अंतरीति का पता:				
	ix.	अंतरीति का पैन:				
	x	अंतरीति का टैन:				
	xi	अन्य विवरण:				
		अंतरण की तारीख	कुल बिक्री प्रतिफल	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	

14.	अंतरण के पूर्ववर्ती 12 साल की अवधि के दौरान अंतरित शेयर/ब्याज की प्रतिशतता सहित अंतरक की होल्डिंग प्रतिशत:				
15.	कंपनी या अस्तित्व की कुल आस्तियों का मूल्य				
16.	भारतीय कंपनी के आस्तियों का मूल्य और ब्रेकअप:				
	क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	वर्ष के आरंभ में आस्ति का मूल्य	वर्ष के अंत में आस्ति का मूल्य	
	1.				
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)			
17.	अन्य जानकारी अलग से अनुलग्नक के रूप में दी जाएगी:		(टिप्पण 6 के अनुसार संलग्न करें)		
18.	क्या भाग ख (क्रम सं. 11) में निर्दिष्ट किसी कंपनी या अस्तित्व के शेयर या ब्याज के संबंध में कोई संव्यवहार हुआ है?का असर भारतीय कंपनी पर प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार अंतरण करने पर पड़ेगा? यदि हाँ , तो भाग घ के अनुसार जानकारी दें।		हां/नहीं		
भाग घ: कर वर्ष के दौरान शेयर/ब्याल के अंतरण के संव्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए भरी जाने वाली जानकारी, जिससे प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार अंतरित होता है)					
19.	कंपनी या अस्तित्व का नाम:				
20.	कंपनी या अस्तित्व का पैन:				
21.	संव्यवहार का ब्यौरा:				
	i	संव्यवहार का कुल प्रतिफल:			
	ii	संव्यवहार की प्रकृति:			
	iii.	अंतरक का नाम:			
	iv	अंतरक का पता:			
	v	अंतरक का पैन:			
	vi.	अंतरीति का नाम:			
	vii	अंतरीति का पता:			
	viii	अंतरीति का पैन:			
22.	अंतरण के पूववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान शेयर/ब्याज की प्रतिशतता सहित अंतरक की होल्डिंग प्रतिशत:				
23.	अंतरण से पहले और बाद में कंपनी या अस्तित्व के शेयर या ब्याज के संबंध में होल्डिंग संरचना:				
	क्रम संख्या	कंपनी या अस्तित्व का नाम	अंतरण से पूर्व शेयर होल्डिंग का %	अंतरण के बाद शेयर होल्डिंग का %	टिप्पणी
	1.				
	2.	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)			
24.	धारा 9(10)(क) के अनुसार निर्दिष्ट तारीख को भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और ब्रेकअप:				
	क्रम संख्या	आस्ति का नाम	वर्ष के आरंभ में आस्ति का मूल्य	विनिर्दिष्ट तारीख पर आस्ति का मूल्य	

	1.			
	2.	(अपेक्षितहो तो दोहराएं)		

सत्यापन
मैं, _____, यह पुष्ट करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के हिसाब से सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है। मैं यह आवेदन अपनी क्षमता _____ (पदनाम) के रूप में जमा कर रहा हूँ, मेरे पारित पैन _____ है और मैं इस आवेदन को सत्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. नाम में व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शप्रत्येक/कस्बा/जिला, राज्य, देश पिन कोड शामिल होगा।
3. निम्नानुसार प्रास्थिति भरें: —

(i)	कंपनी
(ii)	दायित्व साझेदारी
(iii)	फर्म
(iv)	स्थायी स्थापन
(v)	अन्य (विनिर्दिष्ट करे)

4. निम्नानुसार आवासीय प्रास्थिति भरें: –

(i)	निवासी
(ii)	अनिवासी
(iii)	निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं

5. जहां प्रदेश, विनिर्दिष्ट क्षेत्र है, उसी का कथन।

6. भाग ग(क्रम संख्या 17) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपबंधों के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्: -

अनुलग्नक	विवरण
क-1	भाग ग (क्रम संख्या 15 और 16) तथा भाग घ (क्रम संख्या 24) में आस्तियों के मूल्यांकन का आधार।
क -2	क-1 के संबंध में सहायक दस्तावेज का विवरण।
क-3	कंपनी या अस्तित्व के वित्तीय और लेखा कथन।
क-4	अंतरण किए जा रहे शेयर या ब्याज का अवस्थान अवधारित करने का आधार।

7. यह प्ररूप निर्धारण अधिकारी के पारित आवेदन करना है।

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

9. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय न हो।

प्ररूप संख्या 164

[नियम 236 देखें]

सिनेमाटोग्राफी फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे या दोनों के उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 507 के अधीन दिया जाने वाला विवरण

पंक्ति सं.	भाग क: सिनेमाटोग्राफी फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे **व्यक्ति** के निर्माता का विवरण		
1.	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	ईमेल आईडी		
5.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6.	कर कटौती और संग्रह खाता संख्या		

7.	आवासीय प्रास्थिति		
8.	वह कर वर्ष जिसके लिए कथन दिया जा रहा है		
9.	सिनेमैटोग्राफ फिल्मों की सं./कर वर्ष के दौरान की गई विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप	निर्मित सिनेमाटोग्राफी फिल्म	
		किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप	
भाग ख:कर वर्ष के दौरान निर्मित प्रत्यें सिनेमैटोग्राफ फिल्म या किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप का ब्यौरा (यदि वर्ष **के दौरान कई सिनेमैटोग्राफ फिल्में बनाई गई हैं या कई खास** विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों **में हिस्सा लिया गया है, तो** प्रत्येक **फिल्म**/ विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के ब्यौरे भाग-ख **और** भाग-ग **में अलग से दें)**			
1.	फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप का नाम		
2.	फ़िल्म की प्रकृति *(किसी एक को चुनें)*	• सिलोलाइड फ़िल्म • सिलोलाइड से भिन्न	
3.	विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप की प्रकृति *(किसी एक को चुनें)*	• आयोजन प्रबंध • खेल आयोजन प्रबंध • वृत्तचित्र निर्माण • प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण टेलीविज़न या ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म या कोई अन्य समान प्लेटफ़ॉर्म • अन्य प्रदर्शन आर्ट्स • कोई अन्य अधिसूचित क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4.	सिनेमैटोग्राफ फिल्म का निर्माण शुरू होने या कोई विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप शुरू होने की तारीख	*दिन /मास/ वर्ष*	
5.	क्या सिनेमैटोग्राफ फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप कर वर्ष में पूरी हुई थी	*हां/नहीं*	
6.	यदि हां, तो सिनेमैटोग्राफ फिल्म का निर्माण या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के पूरा होने की तारीख	*दिन /मास/ वर्ष*	
भाग ग: सिनेमैटोग्राफ फिल्म बनाने वाले या किसी विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप **में लगे व्यक्ति द्वारा किए गए कुल 50,000 रुपये से ज़्यादा के** संदाय का ब्यौरा, **या सिनेमैटोग्राफ फिल्म** या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप **बनाने में लगे** प्रत्येक **व्यक्ति को उसकी तरफ से मिलने वाले** संदाय का ब्यौरा:			
1.	उस व्यक्ति का नाम जिसे रकम सदत्त		

	की गई है/जमा की गई है		
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	फिल्म का नाम या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप जिससे संदाय संबंधित है		
4.	व्यय की प्रकृति		
5.	संदाय/जमा की गईरकम		
	क	नकद में संदाय	
	ख	नकद से भिन्न संदाय	
	ग	देय रकम	
	घ	कुल	
6.	यदि स्त्रोत पर कर कटौती हुई है, तो प्रदान करें:		
	क	कर की कटौती	
	ख	धारा जिसके अधीन कटौती हुई है या कटौती योग्य है	
7.	(अपेक्षित हो तो 1 से 6 तक दोहराएं)		

घोषणा

मैं..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या है .....मेरी क्षमता में ..... (पदनाम) के रूप में ..... (करदाता का नाम) घोषित करता हूं कि उपर कथित मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान: ..... प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता

तारीख:..... नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा

में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।

2. पते में देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य शामिल होंगे।

3. जब तक कि अन्यथा से उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी ।

प्ररूप सं. 165

नियम 237 देखें]

धारा 508 (1)के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार का कथन

भाग क : कथन का ब्यौरा

(किए गए प्रत्येक कथन के लिए यह सूचना उपबंधित की जानी चाहिए)

क.1	**रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का ब्यौरा**	
क.1.1	रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम	
क.1.2	अस्तित्व पहचान संख्या	.
2	**विवरण**	
क.2.1	कथन प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.2.2	कथन संख्या	
क.2.3	मूल कथन पहचान	
क.2.4	सुधार का कारण	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
क.2.5	कथन की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग की अवधि	
क.2.7	रिपोर्ट का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.2.8	रिपोर्टों की संख्या	
क.3	**प्रधान अधिकार के ब्यौरे**	
क.3.1	नाम	
क.3.2	पद का नाम	
क.3.3	पता	
क.3.4	शप्रत्येक/ कस्बा	
क.3.5	डाक का कोड	
क.3.6	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.3.7	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.3.8	टेलीफ़ोन	
क.3.9	मोबाइल	
क.3.10	ईमेल	

भाग ख : व्यक्ति आधारित रिपोर्टिंग के लिए ब्यौरा रिपोर्ट करना

ख .1	**रिपोर्ट संख्या**(रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित की जाए)	
ख.1.1	रिपोर्ट क्रय संख्या	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रय संख्या	
ख .2	**कुल वित्तीय संव्यवहार के लिए व्यक्ति का ब्यौरा**	
ख.2.1	**पैन रखने वाले व्यक्तियों के लिए**	
ख.2.1.1	व्यक्ति का नाम	
ख.2.1.2	व्यक्ति का प्रकार	☐☐ करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.1.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ख.2.1.4	पैन	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ख.2.1.5	पता	
ख.2.1.6	डाक का कोड	
ख.2.1.7	राज्य कोड	
ख.2.1.8	देश कोड	
ख.2.2	**जिन व्यक्तियों के पारित पैन नहीं है**	
ख.2.2.1	व्यक्ति का नाम	
ख.2.2.2	व्यक्ति का प्रकार	
ख.2.2.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ख.2.2.4	आधार संख्या (व्यक्ति के लिए)	
ख.2.2.5	प्ररूप 97 पावती	
ख.2.2.6	पहचान का प्रकार	☐ करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.2.2.7	पहचान संख्या	
ख.2.2.8	जन्म की तारीख/निगमन	
ख.2.2.9	राष्ट्रीयता/देश का निगमन	☐☐ करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.2.10	कारबार या व्यवसाय	
ख.2.2.11	पता	

ख.2.2.12	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.2.2.13	शप्रत्येक/ कस्बा	
ख.2 .2.14	डाक का कोड	
ख.2.2.15	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.2.16	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.2.17	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.2.2.18	अन्य संपर्क संख्या	
ख.2.2.19	ईमेल	
ख.2.3	यदि वित्तीय संव्यवहार संयुक्त नाम से किया गया है, तो लोगों की संख्या	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.3.1	संयुक्त संव्यवहार में शामिल लोगों के नाम	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
ख.2.3.2	संव्यवहार में शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों का पैन	(अपेक्षित हो तो दोहराएं)
ख.3	**वित्तीय संव्यवहार सार**	

ख.3.1	उत्पाद का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.3.2	व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.3.3	नकद में व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.3.4	व्यक्ति को संदत्त कुल सकल रकम	
ख.4	**वित्तीय संव्यवहार विवरण(प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद के लिए उपबंधित किया जाना)**	
ख.4.1	उत्पाद पहचानकर्ता	
ख.4.2	संव्यवहारकी अंतिम तारीख	
ख.4.2	व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.4.4	नकद में व्यक्ति से प्राप्त कुल सकल रकम	
ख.4.5	व्यक्ति को संदत्त कुल सकल रकम	
ख.4.6	क्या टाइम डिपॉज़िट ऑटो-स्वीप से बनाया जाता है?	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.4.7	ऑटो स्वीप द्वारा बनाए गए टाइम डिपॉज़िट से संबंधित पैरेंट अकाउंट संख्या	

भाग ग : बैंक/डाक घर कार्यालय के लिए ब्यौरा रिपोर्ट **(खाता आधारित रिपोर्टिंग)**

(यह जानकारी रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित की जानी चाहिए)

ग.1	**रिपोर्ट संख्या**(रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित की जाए)	
ग.1.1	रिपोर्ट क्रय संख्या	
ग.1.2	मूल रिपोर्ट क्रय संख्या	
ग.2	**खाता ब्यौरा**	
ग.2.1	खाता प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.2.2	खाता संख्या	
ग.2.3	खाताधारक का नाम	
ग.2.4	खाता प्रास्थिति	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ग.2.5	शाखा निर्देश संख्या	
ग.2.6	शाखा का नाम	
ग.2.7	शाखा का पता	
ग.2.8	शप्रत्येक/कस्बा	
ग.2.9	डाक का कोड	
ग.2.10	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.2.11	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.2.12	टेलीफ़ोन	
ग.2.13	मोबाइल	
ग.2.14	ईमेल	
ग.3	**खाता सार**	
ग.3.1	नकद में खाते में प्रत्यय गई कुल सकल रकम	
ग.3.2	नकद में खाते के नाम कुल सकल रकम	
ग.4	**व्यक्ति विवरण(खाते से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित किया जाना)**	

ग.4.1	**पैन रखने वाले व्यक्तियों के लिए**	
ग.4.1.1	खाता संबंध	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ग.4.1.2	व्यक्ति का नाम	
ग.4.1.3	व्यक्ति प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.1.4	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ग.4.1.5	पैन	

ग.4.1.6	पता	
ग.4.1.7	डाक का कोड	
ग.4.1.8	राज्य कोड	
ग.4.1.9	**देश कोड**	
ग.4.2	**जिन व्यक्तियों के पारित पैन नहीं है**	
ग.4.2.1	व्यक्ति का नाम	
ग.4.2.2	व्यक्ति का प्रकार	
ग.4.2.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
ग.4.2.4	**आधार संख्या(व्यक्ति के लिए)**	
ग.4.2.5	**प्ररूप 97 पावती**	
ग.4.2.6	**पहचान का प्रकार**	☐ करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ग.4.2.7	पहचान संख्या	
ग.4.2.8	**जन्म की तारीख**/निगमन	
ग.4.2.9	राष्ट्रीयता/देश का निगमन	☐☐ करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.2.10	कारबार या व्यवसाय	
ग.4.2.11	पता	
ग.4.2.12	पते का प्रकार	☐ करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ग.4.2.13	शप्रत्येक/कस्बा	
ग.4.2.14	डाक का कोड	
ग.4.2.15	राज्य कोड	☐☐ करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.2.16	**देश कोड**	☐☐ करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ग.4.2.17	मोबाइल/टेलीफोनसंख्या	
ग.4.2.18	अन्य संपर्क संख्या	
ग.4.2.19	ईमेल	

भाग घ : रिपोर्टिंग आधारित स्थावर संपत्ति संव्यवहार/ स्टांप पेपर के लिए ब्यौरा रिपोर्ट करें

(यह जानकारी रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक संव्यवहार के लिए उपबंधित की जानी चाहिए)

घ1	**रिपोर्ट संख्या**(रिपोर्टित किए जा रहे प्रत्येक संव्यवहार के लिए उपबंधित की जाए)	
घ1.1	रिपोर्ट क्रय संख्या	
घ1.2	मूल रिपोर्ट क्रय संख्या	
घ2	**संव्यवहार ब्यौरा**	
घ2.1	संव्यवहार की तारीख	
घ2.2	संव्यवहार पहचान	
घ2.3	संव्यवहार का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ2.4	संव्यवहार की रकम	
घ2.5	नकद में संव्यवहार रकम	
घ2.6	संपत्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ2.7	क्या संपत्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर है	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ2.8	संपत्ति का पता	
घ2.9	शप्रत्येक/कस्बा	
घ2.10	डाक का कोड	
घ2.11	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ2.12	**देश कोड**	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ2.13	स्टाम्प शुल्क के अवधारण के लिए आस्ति का स्टाम्प मूल्यांकन	
डी2.14	स्टाम्प पेपर का मूल्य (स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए लागू)	
घ3	**व्यक्ति का वि वरण(** संव्यवहार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपबंधित की जाए)	
घ3.1	**पैन रखने वाले व्यक्तियों के लिए**	
घ3.1.1	संव्यवहार संबंध	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ3.1.2	व्यक्ति से संबंधित संव्यवहार रकम	
घ3.1.3	व्यक्ति का नाम	
घ3.1.4	व्यक्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ3.1.5	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
घ3.1.6	पैन	
घ3.1.7	पता	
घ3.1.8	डाक का कोड	

घ3.1.9	राज्य कोड	
घ3.1.10	**देश कोड**	
घ3.2	**जिन व्यक्तियों के पारित पैन नहीं है**	
घ3.2.1	व्यक्ति का नाम	
घ3.2.2	व्यक्ति का प्रकार	
घ3.2.3	पिता का नाम(व्यक्ति के लिए)	
घ3.2.4	आधार संख्या(व्यक्ति के लिए)	
घ3.2.5	**प्ररूप 97 पावती** (मद घ.2.14 के लिए लागू नहीं)	
घ3.2.6	**पहचान का प्रकार**	☐ करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
घ3.2.7	पहचान की संख्या	
घ3.2.8	**जन्म की तारीख**/निगमन	

घ3.2.9	राष्ट्रीयता/देश का निगमन	☐☐ करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
घ3.2.10	पता	
घ3.2.11	शप्रत्येक/कस्बा	
घ3.2.12	डाक का कोड	
घ3.2.13	राज्य कोड	☐☐ डालना2 वर्णकोड
घ3.2.14	**देश कोड**	☐☐ डालना2 वर्णकोड
घ3.2.15	मोबाइल/टेलीफोनसंख्या	
घ3.2.16	अन्य संपर्क संख्या	
घ 3.. 2.17	ईमेल	

सत्यापन

मैं..... (अभिहित निदेशक का नाम) जिसके पारित स्थायी खाता संख्या (पैन) है, ... के अभिहित निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूरे हैं।

.....

स्थान: .....। अभिहित निदेशक के हस्ताक्षर

.....

तारीख: .....। अभिहित निदेशक का नाम

प्ररूप संख्या 166

[नियम 239 देखें]

धारा 508(1) के अधीन रिपोर्ट करने योग्य खाते का कथन

भाग क: कथन का ब्यौरा

(यह जानकारी एक साथ प्रस्तुत की गई प्रत्येक कथन की रिपोर्ट के लिए उपबंधित किया जाना चाहिए**)**

क.1.1	रिपोर्टिंग अस्तित्व का नाम	
क.1.2	आयकर विभाग रिपोर्टिंग अस्तित्व पहचान संख्या	
क.1.3	वैश्विक मध्यस्थ पहचान संख्या (GIIN)	
क.1.3	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
क.1.5	रिपोर्टिंग अस्तित्व प्रवर्ग	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.2.1	कथन का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.2.2	कथन की संख्या	
क.2.3	मूल विवरण आईडी	
क.2.4	सुधार का कारण	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
क.2.5	कथन की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि	
क.2.7	रिपोर्ट के प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.3 **प्रधान अधिकारी ब्यौरा**		
क.3.1	नाम	
क.3.2	पदनाम	
क.3.3.	पता	
क.3.4	नगर/कस्बा	
क.3.5	पोस्ट कोड	
क.3.6	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें

क.3.7	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
क.3.8	टेलिफोन	
क.3.9	मोबाईल	
क.3.10.	फैक्स	
क.311	ई-मेल	

भाग ख: रिपोर्ट ब्यौरा

(यह जानकारी रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए उपबंधित की जानी चाहिए)

ख.1.1	रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट क्रम संख्या	
ख.1.3	खाता प्रकार	
ख.1.4	खाता की संख्या	
ख.1.5	खाते का प्रवर्ग	
ख.1.6	खाता संख्या प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.7	खाताधारक का नाम	
ख.1.8	खाता प्रास्थिति	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.9	खाता उपचार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.10	इक्विटी ब्याज प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.1.11	स्वत: प्रमाणीकरण	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.12	प्रलेखन प्रास्थिति	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.13	संयुक्त खाता	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.1.14	संयुक्त खाताधारकों की संख्या	
ख.1.15	खाता बंद होने की तारीख, यदि वर्ष के दौरान बंद किया गया हो	
ख.1.16	मुद्रा जिसमें खाते का रख-रखाव किया जाता है।	

ख.2.1	शाखा संख्या प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.2.2	शाखा निर्देश संख्या	
ख.2.3	शाखा का नाम	
ख.2.4	शाखा का पता	
ख.2.5	शप्रत्येक कस्बा	
ख.2.6	डाक कोड	
ख.2.7	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.8	**देश कोड**	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.2.9	टेलीफ़ोन	
ख.2.10	मोबाइल	
ख.2.11	फैक्स	
ख.2.12	ईमेल	
ख.3.1	रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर खाता अधिशेष या मूल्य	
ख.3.2	संदत या प्रत्यय कुल सकल ब्याज लाभांश	
ख.3.3	संदत या प्रत्यय कुल सकल लाभांश	
ख.3.4	बिक्री की संपत्ति से सकल आगम	
ख.3.5	संदत या प्रत्यय सभी अन्य आय की कुल सकल रकम	
ख.3.6	प्रत्यय कुल सकल रकम	
ख.3.7	नामे की गई कुल सकल रकम	
ख.4.1	नाम	
ख.4.2	ग्राहक पहचान	
ख.4.3	पिता का नाम	
ख.4.4	जीवनसाथी का नाम	
ख.4.5	लिंग	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें(अनुदेशों का संदर्भ लें)
ख.4.6	पैन	
ख.4.7	आधारसंख्या	
ख.4.8	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें

ख.4.9	पहचान की संख्या	
ख.4.10	व्यवसाय का प्रकार	
ख.4.11	व्यवसाय	
ख.4.12	जन्म की तारीख	
ख.4.13	राष्ट्रीयता	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.14	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.15	जन्म का स्थान	
ख.4.16	जन्म का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.17	कर पहचान संख्या (टीआईएन) कर निवासी देश द्वारा आबंटित	
ख.4.18	टिन जारी करने वाले देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.19	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.20	पता	
ख.4.21	शप्रत्येक/कस्बा	
ख.4.22	डाक का कोड	
ख.4.23	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.24	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.4.25	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.4.26	अन्य संपर्क संख्या	
ख.4.27	टिप्पणी	
ख.5.1	इकाई का नाम	
ख.5.2	ग्राहक की पहचान	
ख.5.3	अमेरिकी रिपोर्ट योग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.4	अन्य रिपोर्ट योग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.5	अस्तित्व संविधान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.5.6	निगमन की तारीख	
ख.5.7	कारबार की प्रकृति	

ख.5.8	पैन	
ख.5.9	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.5.10	पहचान संख्या	
ख.5.11	पहचान जारी करने वाला देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.12	निगमन का स्थान	
ख.5.13	निगमन का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.14	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.15	कर निवासी देश द्वारा आबंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.5.16	टिन जारी करने वाला देश	
ख.5.17	पते का प्रकार	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.18	पता	
ख.5.19	शप्रत्येक/कस्बा	
ख.5.20	डाक कोड	
ख.5.21	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.22	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.5.23	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.5.24	अन्य संपर्क संख्या	
ख.5.25	टिप्पणी	
ख.6.1	नियंत्रण करने वाले व्यक्ति का प्रकार	करेक्टर कोड 3 प्रविष्ट करें
ख.6.2	नाम	
ख.6.3	ग्राहक की पहचान	
ख.6.4	पिता का नाम	
ख.6.5	जीवनसाथी का नाम	
ख.6.6	लिंग	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.7	पैन	
ख.6.8	आधारसंख्या	
ख.6.9	पहचान का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.10	पहचान की संख्या	

ख. 6.11	स्वत: प्रमाणन	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.12	व्यवसाय का प्रकार	करेक्टर कोड 1 प्रविष्ट करें
ख.6.13	व्यवसाय	
ख.6.14	जन्म की तारीख	
ख.6.15	राष्ट्रीयता	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.16	कर विधि के अनुसार निवास का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.17	जन्म का स्थान	
ख.6.18	जन्म का देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.19	कर निवास देश द्वारा आबंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.6.20	टिन जारी करने वाले देश	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.21	पता	
ख.6.22	प्रत्येक/कस्बा	
ख.6.23	डाक कोड	
ख.6.24	राज्य कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.25	देश कोड	करेक्टर कोड 2 प्रविष्ट करें
ख.6.26	मोबाइल/टेलीफोन संख्या	
ख.6.27	अन्य संपर्क संख्या	
ख.6.28	टिप्पणी"	

प्ररूप संख्या 167

[नियम 243 देखें]

धारा 509 के अधीन क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार पर जानकारी प्रस्तुत करने का कथन

भाग क: कथन का ब्यौरा

(यह जानकारी एक साथ जमा की गई प्रत्येक कथन के लिए दी जानी चाहिए)

क.1	**रिपोर्ट क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता (आरसीएएसपी) की जानकारी**	
क.1.1	आरसीएएसपी का प्रकार *(कोई भी एक चुनें)*	• एलई – किसी अस्तित्व की दशा में • आईएन - किसी व्यष्टि की दशा में
क.1.2	आरसीएएसपी नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
क1.3	(क) आरसीएएसपी पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(ख) पते का विधिक करेक्टर	• 301- आवासीय या कारबार

	(किसी एक को चुनें)	• 302 - आवासीय • 303 – कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 – गैर विनिर्दिष्ट
क1.4	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*
क1.5	मोबाइल संख्या	
क1.6	टेलीफोन संख्या	
क1.7	ईमेल आईडी	
क1.8	निगमन/जन्म की तारीख	*YYYY-MM-DD*
क1.9	जन्म स्थान	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
क1.10	राष्ट्रीयता	*(ड्रॉप डाउन)*
क1.11	आईटीडीआरईआईएन	
क1.12	(क) टिन	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	*(ड्रॉप डाउन)*
	(ग) टिन उपलब्ध न होने का कारण *(किसी एक को चुनें)*	• एन – क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता क्षेत्र से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता क्षेत्र के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की अपेक्षितनहीं है।
क1.13	(क) कोई अन्य पहचान/रजिस्ट्रीकरण संख्या *(सिर्फ़ वहीं दिया जाएगा जहां आरसीएएस पी एक अस्तित्व हो)*	*(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*
	(ख) पहचान जारी करने वाला देश	*(ड्रॉप डाउन)*
	(ग)पहचान प्रकार	• एलईआई – विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता; • ईआईएन - अस्तित्व पहचान संख्या; • बीआरएन – कारबार रजिस्ट्रीकरण संख्या; ओटीएच - किसी भी दूसरे तरह की पहचान जैसे कंपनी की पहचान संख्या, US GIIN, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी संख्या आदि।
	(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर "ओटीएच" है, तो कृपया पहचान प्रकार बताएँ	
क1.14	रिपोर्टिंग बाधयता संबंध	• 901 – भारत का कर निवासी • 902 – भारत की विधियों के अधीन निगमन • 903 – भारत में प्रबंधन • 904 – भारत में कारबार का स्थान • 905 – भारत में शाखा
क1.15	(क) यदि किसी साझेदार अधिकारिता के साथ संबंध है	*(हां/नहीं)* *(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*

	यदि ऊपर (क) का जवाब हाँ है, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी दें	
	(ख) निवासी देश कोड (साझेदार अधिकारिता का)	*(ड्रॉप डाउन)*
	(ग) किसी साझेदार अधिकारिता के साथ संबंध का प्रकार	• सांझेदार अधिकारिता का कर निवासी • सांझेदार अधिकारिता के विधियों के अधीन निगमन • सांझेदार अधिकारिता में प्रबंधन • सांझेदार के अधिकारिता में कारबार का स्थान • 905 – भागीदार क्षेत्राधिकार में शाखा
क.**2**	**कथन का ब्यौरा**	
क2.1	कथन का प्रकार (किसी एक को चुनें)	• टिप्पण – नई जानकारी वाला नया कथन • सीबी – शुद्धि कथन जिसमें पहले जमा की गई जानकारी में सुधार शामिल है • डीबी पहले जमा की गई जानकारी को हटाने वाला लोप कथन • एनडी - रिपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है
क2.2	कथन संख्या	*(टिप्पण 7 का निर्देश लें)*
क2.3	मूल कथन आईडी	*(टिप्पण 8 का निर्देश लें)*
क2.4	(क) सुधार का कारण	• क - मूल कथन की पावती में गलतियाँ थीं जिन्हें ठीक किया जा रहा है • ख – मूल कथन में गलतियों को खुद से ठीक किया जा रहा है • ग - शुद्धि रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि अतिरिक्त जानकारी जमा की गई है • ढ़ - लागू नहीं क्योंकि यह एक नया कथन है/ रिपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है • य - अन्य कारण
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'य' है तो कृपया सुधार के कारण बताएं	
क2.5	कथन की तारीख	
क2.6	रिपोर्टिंग अवधि	*(टिप्पण 9 का निर्देश लें)*
क2.7	रिपोर्टों की संख्या *(भाग ख में रिपोर्ट की संख्या)*	
क3	**प्रधान अधिकारी का ब्यौरा**	
क3.1	प्रधान अधिकारी का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
क3.2	प्रधान अधिकारी पदनाम	
क3.3	प्रधान अधिकारी का पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
क3.4	मोबाइल संख्या	
क3.5	टेलीफोन संख्या	
क3.6	ईमेल आईडी	

भाग ख : रिपोर्ट ब्यौरा

(यह जानकारी प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य उपयोगकर्ता/रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के लिए दी जानी चाहिए)

ख .1	**क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता ब्यौरा**	
ख.1.1	क्रिप्टो- आस्ति उपयोगकर्ता का प्रकार	• एल ई: किसी अस्तित्व की दशा में • आईएन: किसी व्यष्टि की दशा में
ख .2	**व्यष्टि क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता ब्यौरे**	
ख.2.1	उपयोगकर्ता का उप-प्रकार	• एन: नया उपयोगकर्ता • पी: पहले से मौजूद उपयोगकर्ता
ख.2.2	आरसीएएसपी द्वारा दी गई विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी	
ख.2.3	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
ख.2.4	पिता का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
ख.2.5	लिंग	• एम – पुरुष • एफ – महिला • ओ - अन्य
ख.2.6	(क) टिन	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	*(ड्रॉप डाउन)*
	(c) टिन उपलब्ध न होने का कारण	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता क्षेत्र से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की अपेक्षितनहीं है।
ख.2.7	पैन, अगर उपलब्ध हो	
ख.2.8	आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो	
ख.2.9	(क) व्यवसाय का प्रकार	• एस – वेतनभोगी • ख – कारबार • एसटी – छात्र • एन – गैर अधिभोगी • डी – आश्रित • ओ – अन्य
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर "ओ" है, तो कृपया व्यवसाय का प्रकार बताएँ	
ख.2.10	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	(ड्रॉप डाउन)
ख.2.11	(क) पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)

	(ख) पते का विधिक करेक्टर *(किसी एक को चुनें)*	• 301- आवासीय या कारबार • 302 - आवासीय • 303 – कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 – गैर विनिर्दिष्ट
	(यदि क्रिप्टो- आस्ति उपयोगकर्ता भारत के बाप्रत्येक एक से ज़्यादा देशों या इलाकों का कर निवासी है, तो पंक्ति ख.2.10 और ख.2.11 में दी गई जानकारी दोहराएं)	
ख.2.12	जन्म की तारीख	*YYYY-MM-DD*
ख.2.13	जन्म स्थान	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
ख.2.14	राष्ट्रीयता	*(ड्रॉप डाउन)*
ख.2.15	मोबाइल संख्या	
ख.2.16	टेलीफोन संख्या	
ख.2.17	ईमेल	
ख.2.18	स्वयं प्रमाणन	• Y : हाँ • N : नहीं
ख.3	**अस्तित्व क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता ब्यौरा**	
ख.3.1	उपयोगकर्ता का उप-प्रकार	• एन: नया उपयोगकर्ता • पी: पहले से मौजूद उपयोगकर्ता
ख.3.2	आरसीएएसपी द्वारा दी गई विशिष्ट उपयोगकर्ता पहचान	
ख.3.3	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
ख.3.4	(क) अस्तित्व गठन प्रकार	• ए - एकल स्वामित्व • बी - साझेदारी फर्म • सी – हिंदू अविभक्त कुटुंब • डी - प्राइवेट लिमिटेड कंपनी • ई-पब्लिक लिमिटेड कंपनी • एफ- सोसाइटी • जी- एओपी/बीओआई • एच – न्यास • आई – परिसमापक • जे – सीमित दायित्व भागीदारी • के- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति • जेड – अन्य

	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर "Z" है, तो कृपया संविधान का प्रकार बताएँ	
ख.3.5	(क) टिन	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	*(ड्रॉप डाउन)*
	(c) टिन उपलब्ध न होने का कारण	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है।
ख.3.6	(क) कोई अन्य पहचान/रजिस्ट्रीकरण संख्या	*(टिप्पण 5 देखें)*
	(ख) पहचान जारी करने वाला देश	*(ड्रॉप डाउन)*
	(ग) पहचान प्रकार	• एलईआई – विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता; • ईआईएन - अस्तित्व पहचान संख्या; • बीआरएन – कारबार रजिस्ट्रीकरण संख्या; • ओटीएच - किसी भी दूसरे तरह का पहचान जैसे कंपनी पहचान संख्या, US GIIN, पारितपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी संख्या आदि।
	(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर "ओटीएच" है, तो कृपया पहचान प्रकार बताएँ	
ख.3.7	पैन, यदि उपलब्ध हो	
ख.3.8	कर विधियों के अनुसार निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*
ख.3.9	(क) पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(ख) पते का विधिक करेक्टर *(किसी एक को चुनें)*	• 301- आवासीय या कारबार • 302 - आवासीय • 303 – कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 – विनिर्दिष्ट
	(यदि क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता भारत के बाप्रत्येक एक से ज़्यादा देशों या इलाकों का कर निवासी है, तो पंक्ति ख.3.8 और ख.3.9 में दी गई जानकारी दोहराएं)	
ख.3.10	निगमन की तारीख	*वर्ष-मास-तारीख*
ख.3.11	निगमन का स्थान	*(टिप्पण 10 का निर्देश लें)*
ख.3.12	मोबाइल संख्या	
ख.3.13	टेलीफोन संख्या	

ख.3.14	ईमेल	
ख.3.15	स्वयं प्रमाणन	• Y: हाँ • N: नहीं
ख.4	**नियंत्रणकरने वाले व्यक्ति की जानकारी (अस्तित्व के प्रत्येक नियंत्रण करने वाले व्यक्ति के लिए दी जाएगी)**	
ख.4.1	नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का प्रकार	• 801 – विधिक व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति – स्वामित्व • 802 – विधिक व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य साधन • 803 – विधिक व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति – वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी • 804 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – ट्रस्ट – बंदोस्तकार • 805 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – ट्रस्ट – न्यासी • 806 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – ट्रस्ट – रक्षक • 807 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – फायदाग्राही – लाभार्थी • 808 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – न्यास – अन्य • 809 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – सेटलर-समतुल्य • 810 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – न्यासी समतुल्य • 811 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – संरक्षक-समतुल्य • 812 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – फायदाग्राही-समतुल्य • 813 – विधिक व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति – अन्य – अन्य-समतुल्य
ख.4.2	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
ख.4.3	पिता का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
ख.4.4	लिंग	• M – पुरुष • F – महिला • O - अन्य
ख.4.5	(क) टिन	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*
	(ख) टिन जारी करने वाला देश	*(ड्रॉप डाउन)*
	(c) टिन उपलब्ध न होने का कारण	• एन - क्योंकि एक रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता से जारी नहीं किया गया था। • डी - क्योंकि रिपोर्ट करने योग्य अधिकारिता के घरेलू विधि में टिन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है।
ख.4.6	पैन, यदि उपलब्ध हो	
ख.4.7	आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो	
ख.4.8	(क) व्यवसाय का प्रकार	• एस – वेतनभोगी • बी – कारबार

		• एसटी – छात्र • एन – गैर अधिभोगी • डी – आश्रित • ओ – अन्य
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर "ओ" है, तो कृपया व्यवसाय का प्रकार बताएँ	
ख.4.9	कर कानूनों के अनुसार निवास का देश	*(ड्रॉप डाउन)*
ख.4.10	(क) पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(ख) पते का विधिक करेक्टर *(किसी एक को चुनें)*	• 301- आवासीय या कारबार • 302 - आवासीय • 303 – कारबार • 304 - रजिस्ट्रीकृत कार्यालय • 305 – गैर विनिर्दिष्ट
	(यदि क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता भारत के बाप्रत्येक एक से ज़्यादा देशों या इलाकों का कर निवासी है, तो पंक्ति ख.4.9 और ख.4.10 में दी गई जानकारी दोहराएं)	
ख.4.11	जन्म की तारीख	*वर्ष-मास-तारीख*
ख.4.12	जन्म स्थान	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
ख.4.13	राष्ट्रीयता	*(ड्रॉप डाउन)*
ख.4.14	मोबाइल संख्या	
ख.4.15	टेलीफोन संख्या	
ख.4.16	ईमेल	
ख.4.17	स्वयं प्रमाणन	• Y : हाँ • N : नहीं
	(यदि आवश्यक हो तो ख.4 दोहराएँ)	

भाग ग: संव्यवहार का ब्यौरा

(यह जानकारी प्रत्येक संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के प्रत्येक संबंधित संव्यवहार के लिए दी जानी चाहिए)

ग.1	**क्रिप्टो आस्ति का ब्यौरा**	
ग.1.1	क्रिप्टो आस्ति का नाम	*(टिप्पण 11 का निर्देश लें)*
	डिजिटल टोकन पहचानकर्ता	करेक्टर कोड 9 प्रविष्ट करें
	दूसरा टोकन (अगर डिजिटल टोकन पहचानकर्ता पता न हो तो देना होगा)	
ग.2	**सुसंगत संव्यवहार ब्यौरा**	
ग.2.1	क्रिप्टो से क्रिप्टो में	
ग.2.1.1	विनिमय प्रकार *(किसी एक को चुनें)*	• 401 – स्टेकिंग • 402 – क्रिप्टो ऋण • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.1.2	संव्यवहार की संख्या	*(टिप्पण 12 का निर्देश लें)*
ग.2.1.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.1.4	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.1.5	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 13 का निर्देश लें)*
ग.2.2	क्रिप्टो से क्रिप्टो आउट	
ग.2.2.1	विनिमय प्रकार *(किसी एक को चुनें)*	• 401 – स्टेकिंग • 402 – क्रिप्टो ऋण • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.2.2	संव्यवहार की संख्या	*(टिप्पण 14 का निर्देश लें)*
ग.2.2.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.2.4	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.2.5	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 15 का निर्देश लें)*
ग.2.3	क्रिप्टो से फिएट में	
ग.2.3.1	विनिमय प्रकार	• 401 – स्टेकिंग

	(किसी एक को चुनें)	• 402 – क्रिप्टो ऋण • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.3.2	लेनदेन की संख्या	*(टिप्पण 16 का निर्देश लें)*
ग.2.3.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.3.4	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.3.5	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 17 का निर्देश लें)*
ग.2.4	क्रिप्टो से फिएट बाप्रत्येक	
ग.2.4.1	विनिमय प्रकार *(किसी एक को चुनें)*	• 401 – स्टेकिंग • 402 – क्रिप्टो लोन • 403 – रैपिंग • 404 – संपार्श्विक
ग.2.4.2	संव्यवहार की संख्या	*(टिप्पण 18 का निर्देश लें)*
ग.2.4.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.4.4	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.4.5	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 19 का निर्देश लें)*
ग.2.5	क्रिप्टो अंतरण	
ग.2.5.1	अंतरण प्रकार *(किसी एक को चुनें)*	• 501 – एयरड्रॉप • 502 – स्टेकिंग आय • 503 – खनन आय • 504 – क्रिप्टो ऋण • 505 – दूसरे RCASP से अंतरण • 506 – वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री • 507 – संपार्श्विक • 508 – अन्य • 509 – अज्ञात(व्यतिक्रम मूल्य के तौर पर चुना जाएगा, जहाँ रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतरण प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है)
ग.2.5.2	संव्यवहार की संख्या	*(टिप्पण 20 का निर्देश लें)*
ग.2.5.3	रकम (भारतीय रुपये में)	

ग.2.5.4	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.5.5	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 21 का निर्देश लें)*
ग.2.5.6	अनुकल्पी मूल्यांकन पद्धति *(किसी एक को चुनें)*	• 1001 – बुक वैल्यू • 1002 – तृतीय-पक्ष मूल्य • 1003 – हाल ही में RCASP का मूल्यांकन • 1004 – RCASP द्वारा न्यायोचित अनुमान
ग.2.6	क्रिप्टो अंतरण आउट	
ग.2.6.1	स्थानांतरण प्रकार *(किसी एक को चुनें)*	• 601 – दूसरे RCASP में अंतरण • 602 – क्रिप्टो ऋण • 603 – सामान या सेवा की खरीद, जिसका इस्तेमाल उन संव्यवहार के सिवाय दूसरे संव्यवहार के लिए किया जाना है जो पहले से रिपोर्ट किए गए फुटकर संदाय संव्यवहार के तौर पर रिपोर्ट किए गए हैं। • 604 – संपार्श्विक • 605 – अन्य • 606 – अज्ञात(व्यतिक्रम मूल्य के तौर पर चुना जाएगा, जहाँ रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को अंतरण प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है)
ग.2.6.2	संव्यवहार की संख्या	*(टिप्पण 22 का निर्देश लें)*
ग.2.6.3	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.6.4	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.6.5	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 23 का निर्देश लें)*
ग.2.6.6	अनुकरणी मूल्यांकन पद्धति (किसी एक को चुनें)	• 1001 – बुक वैल्यू • 1002 – तृतीय-पक्ष मूल्य • 1003 – हाल ही में RCASP का मूल्यांकन • 1004 – RCASP द्वारा न्यायोचित अनुमान
ग.2.7	वॉलेट अंतरण करें	
ग.2.7.1	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.7.2	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*

ग.2.7.3	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 24 का निर्देश लें)*
ग.2.7.4	वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति (किसी एक को चुनें)	• 1001 – बुक वैल्यू • 1002 – तृतीय-पक्ष मूल्य • 1003 – हाल ही में RCकSP का मूल्यांकन • 1004 – RCकSP द्वारा न्यायोचित अनुमान
ग.2.8	रिपोर्ट करने योग्य फुटकर संदाय संव्यवहार	
ग.2.8.1	संव्यवहार की संख्या	*(टिप्पण 25 का निर्देश लें)*
ग.2.8.2	रकम (भारतीय रुपये में)	
ग.2.8.3	मुद्रा कोड	*(ड्रॉप डाउन)*
ग.2.8.4	इकाइयों की संख्या	*(टिप्पण 26 का निर्देश लें)*

सत्यापन

मैं..... (अभिहित निदेशक का नाम) जिसके पारित स्थायी खाता संख्या (पैन) है, ... (रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता का नाम) के अभिहित निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

.....

स्थान: ..... अभिहित निदेशक के हस्ताक्षर

.....

तारीख: ..... अभिहित निदेशक के हस्ताक्षर

टिप्पण:

1. (क) किसी अस्तित्व के मामले में, पूर्णअस्तित्व रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता (RCASP) का विधिक नाम दिया जाना चाहिए।

(ख) व्यक्ति की दशा में,व्यक्ति का नाम इस फ़ॉर्मेट में दिया जाएगा:

(i) पूर्ववर्ती शीर्षक - *जैसे ''महामहिम'', ''दिवंगत की संपदा''*

(ii) शीर्षक - *जैसे मिस्टर, डॉ., मिसेज, हेर वगैरह (कई टाइटल हो सकते हैं)*

(iii) पहला नाम - *व्यक्ति का पहला नाम। (यदि पहला नाम उपलब्ध नहीं है, तो यहां कोई पहला नाम या NFN इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।)*

(iv) मध्य नाम – *उदाहरण : ''निवेथा शक्ति शांथा'' में शक्ति (कई मध्य नाम हो सकते हैं।)*

(v) नाम उपसर्ग - *दे, वैन, वैन डे, वॉन आदि।*

(vi) अंतिम नेम - *यह दिया गया नाम, पहला नाम, क्रिश्चियन नाम, सरनेम, परिवार का नाम वगैरह हो सकता है।*

(vii) पीढ़ी पहचानकर्ता - *पीढ़ी का पहचानकर्ता जैसे Jnr, Thr , III*

(viii) प्रत्यय- *संक्षिप्त आद्याक्षर हो सकते हैं जैसे: Phd , VC, QC*

(ix) सामान्य प्रत्यय- *मृतक, सेवानिवृत्त आदि।*

(x) नाम प्रकार- *इसमें निक नाम (''निक''), वह नाम जिसके अधीन कोई दल कारबार करता है (''डीबीए'' अस्तित्व के लिए एक संक्षिप्त नाम, या ऐसा नाम जो शासकीय कारबार नाम के बजाय सार्वजनिक परिचय के लिए उपयोग किया जाता है) आदि शामिल हैं। नाम प्रकार के संभावित मूल्य हैं:*

क) N1= SMFकliकsOrOther
ख) N2= व्यष्टि
ग) N3= उपनाम
घ) N4= निक
ङ) N5= उर्फ
च) N6= डीबीए
छ) N7= विधिक
ज) N8= जन्म के समय

2. पते में ये बातें होनी चाहिए:

क) गली

ख) भवन पहचानकर्ता

ग) सुइट पहचानकर्ता

घ) मंजिल पहचानकर्ता

ङ) जिले का नाम

च) पोब

छ) पोस्ट कोड

ज) शप्रत्येक

झ) स्टेट कोड *(इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार दो अंकों का स्टेट कोड बताना होगा। यदि पता भारत के बाप्रत्येक है, तो* ***' भारत में नहीं'*** *ऑप्शन चुना जा सकता है और फ्री टेक्स्ट फील्ड में इसे भरा जा सकता है।)*

ञ) देश कोड

3. किसी व्यक्ति की दशा में, शहर, शहर की उप-अस्तित्व, जन्म का देश और पुराना देश (यदि व्यक्ति का जन्म ऐसे देश में हुआ हो जो अब मौजूद नहीं है) भी बताना होगा।

4. दूसरे देश या रहने की जगह के कर प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कर पहचान संख्या (टिन) देना होगा। यदि कोई टिन उपलब्ध नहीं है, तो या तो कार्यातमक समतुल्य देना होगा या " **NOTIN** " वैल्यू डालनी होगी।

5. यदि TIN फ़ील्ड 'NOTIN' मार्क किया गया है, तो यह फ़ील्ड भरना चाहिए। इसे दूसरे उपलब्ध पहचान संख्या (INs) से भरना होगा। यह पहचान दस्तावेज में दिए गए नंबर जैसा होना चाहिए।

6. यह फ़ील्ड तब भरा जाना चाहिए जब RCASP का किसी दूसरे देश या इलाके में बराबर या ज़्यादा मज़बूत संबंध हो, जिससे CARF के अधीन रिपोर्टिंग उस अधिकारिता में होगी।

7. (क) कथन संख्या भेजने वाले का विशिष्ट पहचान संख्या (जो भेजने वाले ने बनाया है) दिखाता है, जो भेजे जा रहे खास कथन की पहचान करता है। कथन संख्या का उदाहरण 2027/01 है।

(ख) ITD को कथन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, भविष्य के निर्देश के लिए एक नई विशिष्ट कथन पहचान संख्या दी जाएगी। रिपोर्टिंग अस्तित्व को कथन संख्या और कथन पहचान के बीच लिंक बनाए रखना चाहिए।

8. अगर मूल कथन को इस कथन से बदला जा रहा है, तो ओरिजिनल कथन की मूल कथन की पहचान संख्या दी जानी चाहिए जिसे मौजूदा कथन में रिपोर्ट्स द्वारा हटाया या निर्देश किया जा रहा है। यदि कथन नया है और किसी पिछले कथन से जुड़ा नहीं है, तो यहां '0' लिखें।

रिपोर्टिंग अवधि का आखिरी दिन वर्ष-मास-तारीख फ़ॉर्मैट में भरें ।

10. क्रिप्टो-आस्ति उपयोगकर्ता अस्तित्व के निगमन की जगह बताई जानी चाहिए। निगमन का शहर और देश भी बताना होगा।

11. (क) जब भी मुमकिन हो, क्रिप्टो-आस्ति का नाम डिजिटल टोकन पहचानकर्ता के हिसाब से बताया जाना चाहिए।

(ख) नहीं तो, रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी दूसरे उपलब्ध, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले नामित अभिसमय पर भरोसा कर सकते हैं, जहाँ ऐसे क्रिप्टो-आस्ति OECD वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं।

(c) जहां क्रिप्टो-आस्ति के लिए कोई नामित अभिसमय उपलब्ध नहीं है, वहां रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता निशुल्क टेक्स्ट का इस्तेमाल करके क्रिप्टो-आस्ति का नाम रिपोर्ट कर सकते हैं।

12. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, दूसरे संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के बदले संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।

13. यूनिट्स की संख्या एलिमेंट में, खरीदे गए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे, जहां ज़रूरी हो, छठे डेसिमल स्थान तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

14. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट में उन संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी जिनमें संबंधित क्रिप्टो-आस्ति को दूसरे संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के बदले में बेचा गया है।

15. इकाई की संख्या एलिमेंट में निपटान किए गए सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ ज़रूरी हो, छठे डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

16. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, फिएट मुद्रा के बदले संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के अधिग्रहण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।

17. यूनिट्स की संख्या एलिमेंट में, खरीदे गए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे, जहां ज़रूरी हो, छठे डेसिमल स्थान तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

18. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, फिएट मुद्रा के बदले संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के निपटान से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।

19. यूनिट्स की संख्या एलिमेंट में निपटान किए गए सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहाँ ज़रूरी हो, छठे डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

20. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के इनबाउंड अंतरण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।

21. इकाई की संख्या वाले एलिमेंट में मिले हुए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहां ज़रूरी हो, छठे डेसिमल तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

22. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट, संबंधित क्रिप्टो-आस्ति के आउटबाउंड अंतरण से जुड़े संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी देगा।

23. इकाई की संख्या एलिमेंट में अंतरण किए गए संबंधित क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहां ज़रूरी हो, छठे डेसिमल स्थान तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

24. इकाई की संख्या एलिमेंट में, उन वॉलेट पते पर अंतरण किए गए सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिनके बारे में रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को पता नहीं है कि वे किसी आभासी आस्ति सेवा प्रदाता या वित्तीय संस्था से जुड़े हैं। इकाई की संख्या, जहां ज़रूरी हो, छठे डेसिमल तक रिपोर्ट की जानी चाहिए।

25. 'संव्यवहार की संख्या' एलिमेंट में संबंधित क्रिप्टो-आस्ति से जुड़े रिपोर्ट करने योग्य फुटकर संदाय संव्यवहार की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी।

26. इकाई की संख्या एलिमेंट में रिपोर्ट योग्य फुटकर संदाय संव्यवहार के अधीन सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति की इकाई की संख्या बताई जाएगी, जिसे जहां ज़रूरी हो, छठे डेसिमल तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप संख्या 168

[नियम 245 *देखें*]

वार्षिक सूचना विवरण

कर वर्ष: .....

पंक्ति सं.	भाग क: व्यक्ति का विवरण		
1.	नाम		
2.	जन्म की तारीख / निगमन		
3.	पता		
4.	पैन		
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या

क्रम संख्या	भाग ख:जानकारी की प्रकृति
1.	स्त्रोत पर कटौती या संग्रहित से संबंधित जानकारी
2.	विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित जानकारी
3.	करों के संदाय से संबंधित जानकारी
4.	मांग और प्रतिदाय से संबंधित जानकारी
5.	लंबित कार्यवाहियों से संबंधित
6.	पूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी
7.	नियम 245 के उप नियम(2) से संबंधित कोई अन्य जानकारी

प्ररूप संख्या 169
[नियम 246 देखें]

धारा 514 के अधीन मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त,

मुख्य आयुक्त,

प्रधान महानिदेशक,

महानिदेशक,

महोदय,

मैं आयकर अधिनियम 2025 की धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता/करती हूँ। इसके साथ नीचे दी गई जानकारी दी गई है:

भाग क: व्यक्तिगत जानकारी				
1 .	नाम		*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2 .	स्थायी खाता संख्या			
3.	पता		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
4.	जन्म की तारीख		*दिन/मास/ वर्ष*	
5.	सम्पर्क करने का विवरण			
	मोबाइल संख्या		देश कोड	संख्या
			(ड्रॉप डाउन)	
	ईमेल आईडी			
भाग ख : आस्ति का वर्ग				
6.	आस्ति का वह वर्ग जिसके लिए मूल्यांकक के तौर पर रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है *(एक का चयन करें)*		*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)* *[ड्रॉप डाउन]*	
भाग ग: मूल्यांकक के तौर पर पात्रता के लिए अर्हता की जानकारी (*टिप्पण 4 का निर्देश लें*)				
7.	(i)	शैक्षणिक अर्हताएं, यदि लागू हो	*[अपलोड]*	
	(ii)	पूर्व नियोजन, यदि लागू हो	*[अपलोड]*	
	(iii)	प्रैक्टिस की जानकारी, यदि लागू हो	*[अपलोड]*	
	(iv)	कोई अन्य विवरण (मूल्यांकक के तौर पर पात्रता के प्रयोजन से)	*[अपलोड]*	
8	कृपया मूल्यांकक के तौर पर अपने अनुभव की पूरी जानकारी साथ में भेजें, जिसमें पिछले तीन वर्षों में मूल्यांकित की गई आस्ति या किए गए कार्यों की सूची शामिल हो।		*[अपलोड]*	
भाग- डी :अयोग्यता के आधार *(टिप्पण 5 का निर्देश लें*)				
9.	(i)	क्या आप सरकार के अधीन काम करते हैं या किसी और नियोजक के अधीन? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं* **(*टिप्पण 6 का निर्देश लें*)**	

(ii)	क्या आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(iii)	क्या आप कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के मूल्यांकक सदस्य हैं? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(iv)	यदि पंक्ति 9(iii) का उत्तर हाँ है, (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का नाम क्या है, जिसके आप मूल्यांकक सदस्य हैं?	*100 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
(v)	क्या आपको इस अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) , या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957, या उपहार-कर अधिनियम, 1958(1958 का 18))(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था)के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या क्या आप पर आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) की धारा 271(1)(iii) या धारा 273(i) या धारा 270क, या अधिनियम की धारा 439 या धारा 463 के अधीन, या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957(1957 का 27) की धारा 18(1)(iii) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18))(जैसा यह इस निरसन से पूर्व विद्यमान था) की धारा 17(1) के अधीन कोई जुर्माना लगाया गया है ? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(vi)	क्या आप अनुन्मोचित दिवालिया हैं? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(vii)	क्या आपको किसी जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया है और जेल की सज़ा हुई है? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(viii)	क्या आपको अपनी वृतिका क्षमता में गलत काम का दोषी पाया गया है, यदि आप भारत में बनी किसी संगम या संस्था के सदस्य हैं, जिसका प्रयोजन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, या कंपनी सेक्रेटरी या ऐसे किसी दूसरे वृति को नियंत्रित करना, पर्यवेक्षण करना, विनियम करना या बढ़ावा देना है, जिसे बोर्ड ने राजपत्र में अधिसूचना के ज़रिए इस बारे में बताया हो? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(ix)	क्या आप नाबालिग हैं? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(x)	क्या आपको पहले कभी दिमागी तौर पर ठीक न होने वाला घोषित किया गया है? *(एक का चयन करें)*	*(iii) हाँ* *(iv) नहीं*
(xi)	क्या आपको पहले कभी प्रधान मुख्यायुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक के मुख्य आयुक्त ने मूल्यांकक के तौर पर रजिस्टर करने के लिए अनफिट पाया है? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*

(xii)	क्या आप अनुन्मोचित दिवाला हैं या आपने दिवाला घोषित होने के लिए आवेदन किया है? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(xiii)	कृपया बताएं कि क्या आप पर आयकर की कोई देनदारी बाकी है? *(एक का चयन करें)*	*(i) हाँ* *(ii) नहीं*

भाग-ङ :सत्यापन और घोषणा

सत्यापन और घोषणा

मैं, _____, जिसके पारित पैन _____ है ,

एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर जो भी कहा गया है वह सही, पूरा और सच्चाई से कहा गया है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं,

(क) किसी आस्ति का निष्पक्ष और सच्चा मूल्यांकन करना जिसका मूल्यांकन करने की मुझसे अपेक्षा की जाए;

(ख) ऐसे मूल्यांकन की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना;

(ग) बोर्ड द्वारा इस निमित्त निर्धारित दर या दरों से अधिक दर पर शुल्क प्रभारित करना;

(घ) किसी भी ऐसे आस्ति का मूल्यांकन नहीं करूँगा जिसमें मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो।

मैं _____(खुद/ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव) के तौर पर यह डिक्लेरेशन कर रहा हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के काबिल हूँ। आज _____ तारीख _____20_____ को सत्यापित किया गया।

स्थान.....

तारीख .....

.....

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम: .....।

पदनाम (यदि लागू हो):.....

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में (**i**) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड,

(v) डाकघर, (vi) **क्षेत्र /**इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।

3. किसी आस्ति वर्ग के मूल्यांकक के तौर पर रजिस्टर करने के लिए, नीचे दी गई आस्ति वर्ग में से एक को चुना जाएगा:

क्रम. सं.	**आस्तियों का वर्ग**
1	स्थावर संपत्ति (खेती की ज़मीन, बागान, जंगल, खदानों और खदानों के सिवाय)
2	कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान के सिवाय अन्य कृषि भूमि
3	कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान
4	जंगल
5	खदानें और खदानें
6	स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़, सांझेदारी फर्म के शेयर और कारबार आस्तियां, जिसमें गुडविल भी शामिल है, लेकिन क्रम संख्या 1 से 5 और 7 से 11 में बताए गए आस्ति के सिवाय।
7	मशीनरी और संयंत्र
8	आभूषण
9	कला का काम करता है
10	जीवन ब्याज, प्रत्यागम और प्रत्याशा में ब्याज
11	कोई अन्य संपत्ति

4. मूल्यांकक के रूप में पात्रता के लिए अर्हता का ब्यौरा नियम 247 के अनुसार चयनित होगा ।

5. मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण हेतु निर्हता नियम 247 के अनुसार होंगी ।

6. कोई भी व्यक्ति मूल्यांकक के के रऊप में रजिस्ट्रेशन के लिए अर्हित नहीं करेगा, सिवाय आर्टवर्क या वर्चुअल डिजिटल आस्ति या बोर्ड द्वारा इस संबंध में बताई गई किसी दूसरी तरह की आस्ति के मुल्यांकक के, यदि वह सरकार या किसी दूसरे नियोजक के अधीन काम करता है।

7. अलग-अलग वर्ग की आस्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग-अलग प्ररूप भरना होगा।

8. इस प्ररूप के साथ 10,000 रुपये की फीस देनी होगी।

9. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी होगी।

प्ररूप संख्या 170
[नियम 248 देखें]

धारा 514 के अधीन आस्ति के मूल्यांकन की रिपोर्ट

भाग क: निर्धारीति की व्यक्तिगत जानकारी

1.	नाम		*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
2.	स्थायी खाता संख्या		
3.	पता		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
4.	सम्पर्क करने का विवरण		
	फ़ोन संख्या, एसटीडी कोड सहित	एसटीडी कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
	मोबाइल संख्या	देश कोड	संख्या
		(ड्रॉप डाउन)	
	ईमेल आईडी		

भाग ख: मूल्यांकक की व्यक्तिगत जानकारी

5.	(i)	*धारा 514 के अधीन रजिस्ट्रीकरण*		
	(ii)	*स्थायी खाता संख्या*		
	(iii)	*नाम*		
	(iv)	*पता*		
	(v)	सम्पर्क करने का विवरण		
	फ़ोन संख्या, एसटीडी कोड सहित		एसटीडी कोड	संख्या
			(ड्रॉप डाउन)	
	मोबाइल संख्या		देश कोड	संख्या
			(ड्रॉप डाउन)	
	ईमेल आईडी			

भाग ग: मूल्यांकन संदर्भ का ब्यौरा

6.	मूल्यांकन संदर्भ *जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है*	
7.	*मूल्यांकन की जाने वाली आस्तियों का वर्ग* *(एक से ज़्यादा चुनाव की इजाज़त है)*	*(ड्रॉप डाउन)*

भाग घ: मूल्यांकन हेतु अनुसूचियां

अनु. झत		***स्थावर आस्ति का मूल्यांकन (खेती की ज़मीन, बागान, जंगल, खदानों और खदानों के सिवाय)***			
8.	(क)साधारण				
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			*दिन/मास/वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम		*(क)*	
				(अपेक्षितहो तो दोहराएं)	
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/सह स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
		(क)	(i) सह-स्वामी का नाम		

		(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
	(ख)	(अपेक्षितहो तो दोहराएं)		
	(ग)	कुल शेयर		*100 %*
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)*
(v)	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
(vi)	संपत्ति पहचानकर्ता			
	(क)	सर्वेक्षण संख्या		
	(ख)	खसरा संख्या		
	(ग)	भूमि का प्लॉट संख्या		
	(डी)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता		
(vii)	भूमि का अक्षांश और देशांतर			
	(क)	अक्षांश		
	(ख)	देशान्तर		
(viii)	आस्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*			*(ड्रॉप डाउन)* *(i) आवासीय* *(ii) वाणिज्यिक* *(iii) मिश्रित क्षेत्र* *(iv) औद्योगिक*
(ix)	आस्ति किस तरह के क्षेत्र में है? *(एक का चयन करें)*			*(ड्रॉप डाउन)* *(i) आवासीय* *(ii) वाणिज्यिक* *(iii) मिश्रित क्षेत्र* *(iv) औद्योगिक*
(x)	स्थानीयता का वर्गीकरण *(एक का चयन करें)*			*(ड्रॉप डाउन)* *(i) उच्च वर्ग* *(ii) मध्य वर्ग* *(iii) गरीब वर्ग*
(xi)	स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, बाजार, सिनेमा, शॉपिंग मॉल आदि जैसी नागरिक सुविधाओं के पारित होना।			*[अपलोड]* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ़्त)*
(ख) भूमि				
(i)	डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, आकार, आयाम और भौतिक विशेषताएं के साथ ज़मीन का क्षेत्र (स्क्वायर मीटर में)		*(i)* *(ii)*	 *(अपलोड)*

(ii)	सड़कें, गलियाँ या गलियाँ जिनसे ज़मीन सटी हुई है			
(iii)	यदि ज़मीन पट्टे पर है, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी दें			
	(क)	(i)	पट्टादाता का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
		(ii)	पट्टेदार का नाम	
		(iii)	पट्टे की प्रकृति	
		(iv)	प्रारंभ की तारीख	*दिन/मास/वर्ष*
		(v)	समाप्ति की तारीख	*दिन/मास/वर्ष*
		(vi))	पट्टे के नवीनीकरण की शर्तें	*(अपलोड)*
	(ख)	(अपेक्षितहो तो दोहराएं)		
(iv)	क्या ज़मीन के इस्तेमाल के बारे में कोई रोक लगाने वाला नियम है? *(एक का चयन करें)* *यदि हाँ, तो करार का दस्तावेज अपलोड करना होगा*			*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(v)	क्या कोई सुखाचार का करार हैं? *(एक का चयन करें)* *यदि हाँ, तो सुखाचार अधिकार का दस्तावेज संलग्न/अपलोड करना होगा।*			*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(vi)	क्या ज़मीन किसी शहर नियोजक स्कीम या सरकार या किसी विधिक संस्था के विकास योजना में शामिल इलाके में आती है? *(एक का चयन करें)* *यदि हाँ, तो ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा*			*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(vii)	क्या विकास के लिए कोई योगदान दिया गया है या ऐसे योगदान की कोई मांग अभी भी बाकी है? *(एक का चयन करें)* *यदि हाँ, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा*			*(iii) हाँ* *(iv) नहीं*
(viii)	क्या सरकार या किसी कानूनी संस्था ने ज़मीन का पूरा या कुछ हिस्सा खरीदने के लिए अधिसूचित किया है? *(एक का चयन करें)* *यदि हाँ, तो ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा*			*(i) हाँ* *(ii) नहीं*
(ix)	आयाम स्थल योजना संलग्न करें			*(अपलोड)*
(ग) सुधार				
(i)	ज़मीन पर बने सभी संरचना के प्लान और ऊंचाई और एक ले-आउट योजना			*(अपलोड)*
(ii)	भवन का तकनीकी ब्यौरा एक अलग शीट पर			*(अपलोड)* *(टिप्पण 6 देखें)*

	(iii)	इमारत में रहने वाले लोग *(एक का चयन करें)*			*(i) मालिक* *(ii) किराएदार* *(iii) मालिक और किरायेदार दोनों*	
	(iv)	यदि भवन में मालिक का कुछ हिस्सा है, तो कृपया स्वामी के कब्ज़े वाला हिस्सा और क्षेत्र (स्क्वायर मीटर में) बताएं।			(i)	
					(ii)	*(मालिक के कब्ज़े वाले क्षेत्र का हिस्सा बताने वाला दस्तावेज संलग्न/अपलोड करना है)*
	(v)	(क)	अनुज्ञेय तल क्षेत्र इंडेक्स/तल क्षेत्र अनुपात			
		(ख)	इस्तेमाल किए गए अनुज्ञेय तलक्षेत्र / तलक्षेत्र अनुपात का प्रतिशत			
	(घ)मूल्यांकन					
	(i)	इलाके में स्थावर संपत्ति की बिक्री के दूसरे मामलों की जानकारी। यदि ऐसे कोई दशा मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।				
		(क)	(i)	आस्ति का नाम		
			(ii)	आस्ति का पता		
			(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
			(iv)	विक्रय कीमत		
			(v)	बेची गई भूमि का क्षेत्रफल		
		(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)			
	(ii)	यदि बिक्री के उदाप्रत्येकण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया ज़मीन का रेट तय करने का आधार बताएं।			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(अपलोड)*	
	(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई भूमि दर				
	(ङ) निर्माण की लागत					
	(i)	निर्माण प्रारंभ वर्ष				
	(ii)	निर्माण पूरा होने का वर्ष				
	(iii)	निर्माण की विधि *(एक का चयन करें)*			*(i)* संविदा द्वारा *(ii)* सीधे श्रम नियोजित करके *(iii)* दोनों	
	(iv)	संविदा पर किए गए काम के लिए, करार की प्रति दें			*(अपलोड)*	
	(v)	सीधे मजदूर लगाकर किए गए काम के लिए, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के साथ माल और मजदूरी के बेसिक रेट बताएं:				
		(क)	सामग्री की मूल दर	सामग्री 1		इकाई
				सामग्री 2		इकाई
				(अपेक्षानुसार दोहराएँ)		इकाई
		(ख)	मजदूरी की मूल दर	मजदूर प्रकार 1		इकाई
				मजदूर प्रकार 2		इकाई
				(अपेक्षानुसार दोहराएँ)		इकाई
		(ग)	*क) और (ख) में दर जमा करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)*			
अनु. कठ		***कृषि भूमि का मूल्यांकन (कॉफी, चाय, रबर और इलायची के अलावा)वृक्षारोपण)***				
9.	(क) साधारण					
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			*दिन/मास/वर्ष*	

(ii)	मालिक का नाम			*(क)*	
				(जरूरत हो तो दोहराएं)	
(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा				
	(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम		
		(ii)	प्रतिशत में हिस्सा		
	(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)			
	(ग)	कुल शेयर		*100 %*	
(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			*(अपलोड)* (500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ़्त)	
(v)	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
(vi)	आस्ति पहचानकर्ता				
	(क)	सर्वेक्षण संख्या			
	(ख)	खसरा संख्या			
	(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता			
(vii)	आस्ति का अक्षांश और देशांतर				
	(क)	अक्षांश			
	(ख)	देशान्तर			
(viii)	(क)	भू- अभिलेख के अनुसार आस्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*		*(ड्रॉप डाउन)* *(i)* नेगीर *(ii)* चाबी *(iii)* बंजर *(iv)* अन्य	
	(ख) यदि 'other' चुना है, तो कृपया ज़मीन का टाइप बताएं।				
(ix)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)				
(x)	वार्षिक आस्ति राजस्व				
(xi)	वर्ष के दौरान उगाई जाने वाली फसलें				
(xii)	सरकार या किसी विधिक संस्था की शहर नियोजन स्कीम/विकास योजना का ब्यौरा				
	(क)	नगर नियोजन योजना		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*	
	(ख)	सरकार की विकास योजना		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*	
	(ग)	एक कानूनी निकाय की विकास योजना		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*	
	(घ)	कोई और		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*	
(xiii)	आस्ति की विशेष विशेषताएं				
	(क)	आस्ति की विशेष विशेषताएं		*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)* *500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*	
	(ख)	उपलब्ध सिंचाई विधि		*(ड्रॉप डाउन)*	
				(i)	कुएं
				(ii)	विद्युत नलकूप
				(iii)	ट्यूबवेल
				(iv)	नप्रत्येक
	(ग)	निवास स्थान के निकटता		*(ड्रॉप डाउन)*	

					(i)	गाँव	
					(ii)	शप्रत्येक	
					(iii)	बाज़ार	
					(iv)	कोई और	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(घ)	पहुँच सड़कों की उपलब्धता (एक का चयन करें)		*(i) हाँ* *(ii) नहीं*		
		(ङ)	ज़मीन की उपज को बाज़ार तक ले जाने की सुविधाएँ और साधन,		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*		
		(च)	स्वयं या किरायेदारों द्वारा खेती की गई				
	(ख) मूल्यांकन						
	(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाप्रत्येकण दें। यदि ऐसे कोई उदाप्रत्येकण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।					
		(क)	(i)	आस्ति का नाम			
			(ii)	आस्ति का पता			
			(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या			
			(iv)	विक्रय कीमत			
			(v)	बेची गई आस्ति का क्षेत्रफल			
		(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)				
	(ii)	यदि विक्रय के उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट) (अपलोड करें)*		
	(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य					
	(iv)	आस्ति का मूल्य					
अनु. तठ		***कॉफी बागान, चाय बागान, रबर बागान, या इलायची बागान का मूल्यांकन***					
10.	(क)सामान्य						
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			*दिन/मास/वर्ष*		
	(ii)	मालिक का नाम			*(क)*		
					(जरूरत हो तो दोहराएं)		
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/सह स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा					
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम			
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा			
		(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)				
		(ग)	कुल शेयर		*100 %*		
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			*(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ़्री)*		
	(v)	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*		
	(vi)	आस्ति पहचानकर्ता					
		(क)	सर्वेक्षण संख्या				
		(ख)	खसरा संख्या				

		(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता	
	(vii)	भूमि का अक्षांश और देशांतर		
		(क)	अक्षांश	
		(ख)	देशान्तर	
	(viii)	आस्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*		*(ड्रॉप डाउन)* *(i) कॉफी* *(ii) चाय* *(iii) रबड़* *(iv) इलायची*
	(ix)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	(x)	वार्षिक भूमि राजस्व		
	(xi)	भूमि में दी गई आस्ति (आस्तियों) का वर्गीकरण राजस्व अभिलेख		*(500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
	(xii)	आस्ति की विशेष विशेषताएं		
		(क)	मिट्टी की प्रकृति	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ख)	भूमि की ढलान,	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ग)	वार्षिक वर्षा,	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(घ)	वहन के अधीन क्षेत्र	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ङ)	पौधों या झाड़ियों की आयु	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(च)	पिछले तीन वर्षों में उगाई गई फसलों की कीमत	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(छ)	कोई अन्य विशेषता(एँ)	*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें। यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।		
		(क)	(i) आस्ति का नाम	
			(ii) आस्ति का पता	
			(iii) रजिस्ट्रीकरण संख्या	
			(iv) विक्रय कीमत	
			(v) बेची गई भूमि का क्षेत्रफल	
		(ख)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)	

	(ii)	यदि विक्रय के उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(अपलोड)*
	(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य			
	(iv)	आस्ति का मूल्य			
अनु. चद		***वन का मूल्यांकन***			
11.	(क) सामान्य				
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			*दिन/मास/वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम			*(क)*
					(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
		(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
		(ग)	कुल शेयर		*100 %*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ़्री)*
	(v)	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(vi)	संपत्ति पहचानकर्ता			
		(क)	सर्वेक्षण संख्या		
		(ख)	खसरा संख्या		
		(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता		
	(vii)	वन का अक्षांश और देशांतर			
		(क)	अक्षांश		
		(ख)	देशान्तर		
	(viii)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)			
	(ix)	भू -राजस्व अभिलेख में दिए गए आस्ति का वर्गीकरण			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
	(x)	आस्ति की विशेष विशेषताएं			
		(क)	लकड़ी का प्रकार		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ख)	वन का घनत्व		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ग)	लकड़ी के परिवहन का तरीका		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(घ)	मिट्टी की प्रकृति		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ङ)	भूमि का ढलान		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(च)	वार्षिक वर्षा		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(छ)	वहन के अधीन क्षेत्र		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ज)	पौधों या झाड़ियों की आयु		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(झ)	पिछले तीन वर्षों में उगाई गई फसलों की कीमत		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ञ)	कोई अन्य विशेषता(एँ)		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
	(ख) मूल्यांकन				
	(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।			
		(क)	(i)	आस्ति का नाम	

			(ii)	आस्ति का पता	
			(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
			(iv)	विक्रय कीमत	
			(v)	बेची गई वन भूमि का क्षेत्रफल	
		(ख)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)		
	(ii)	यदि विक्रय के उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट) (अपलोड)*
	(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य			
	(iv)	आस्ति का मूल्य			
अनु. डठ		***खानों और खदानों का मूल्यांकन***			
12.	*(क)*साधारण				
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			*दिन/मास/वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम			*(क)*
					(अपेक्षितहो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
		(ख)	(आवश्यकतानुसार दोहराएँ)		
		(ग)	कुल शेयर		*100 %*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			*(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ़्री)*
	(v)	पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(vi)	संपत्ति पहचानकर्ता			
		(क)	सर्वेक्षण संख्या		
		(ख)	खसरा संख्या		
		(ग)	अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता		
	(vii)	भूमि का अक्षांश और देशांतर			
		(क)	अक्षांश		
		(ख)	देशान्तर		
	(viii)	आस्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*			*(i) खान (ii) खादान*
	(ix)	आस्ति का क्षेत्रफल (एकड़ में)			
	(x)	वार्षिक भूमि राजस्व			
	(xi)	भूमि राजस्व अभिलेख में दी गई आस्ति का वर्गीकरण			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
	(xii)	आस्ति की विशेष विशेषताएं			
		(क)	पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ख)	निकाले जा सकने वाले भंडार		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ग)	निष्कर्षण के लिए उपलब्ध क्षेत्र		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(घ)	सीम की मोटाई		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*

		(ङ)	विकास का चरण		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(च)	स्तंभ निस्कर्षण		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(छ)	भूवैज्ञानिक गड़बड़ी		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
		(ज)	कोई अन्य विशेषता(एँ)		*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)*
	(ख) मूल्यांकन				
	(i)	कृपया इलाके में इसी तरह के आस्ति की बिक्री के कुछ उदाहरण दें। यदि ऐसे कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कृपया नीचे मद संख्या (ii) पर जाएं।			
		(क)	(i)	आस्ति का नाम	
			(ii)	आस्ति का पता	
			(iii)	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
			(iv)	विक्रय कीमत	
			(v)	बेची गई संपत्ति का क्षेत्रफल	
		(ख)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)		
	(ii)	यदि उदाहरण मौजूद नहीं हैं या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कृपया इकाई मूल्य निकालने का आधार बताएं।			*500 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट) (अपलोड)*
	(iii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य			
	(iv)	संपत्ति का मूल्य			
अनु. डभ		***स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, वारंट, प्रतिभूति/भागीदारी फर्म भागनरशिप फर्म/एलएलपी में शेयर और साख सहित कारबार आस्ति का मूल्यांकन***			
13.	(क) साधारण				
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया			*दिन/मास/वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम			*(क)*
					(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा			
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम	
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा	
		(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)		
		(ग)	कुल शेयर		*100 %*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण			*(अपलोड) (500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)*
	(v)	आस्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*			*(ड्रॉप डाउन)* (i) भंडार (ii) *शेयरों* (iii) डिबेंचर (iv) वारंट (v) प्रतिभूति (vi) भागीदारी में शेयर (vii) एलएलपी में हिस्सेदारी (viii) साख

				(ix) अन्य कारबार एसेट्स (कृपया बताएं)
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	आस्ति(एस) के मूल्यांकन का तरीका, जिसमें कंपनी/फर्म/LLP का लाभ, लाभांश, पॉलिसी, उद्योग और कंपनी/फर्म/LLP की संभावनाएं, प्रबंध में शामिल लोगों के नियंत्रणकारी इंटेरेस्ट की प्रकृति और हद, गैर बाजारीकरण से जुड़े घटक, खास खरीदारों के लिए अट्रैक्टिवनेस, पूंजी मूल्यवृद्धि की संभावनाएं और दूसरे ज़रूरी घटक, वह खास नियम जिसके अधीन मूल्यांकन किया जाता है और उस नियम के हिसाब से पूरा संगणन आदि शामिल हैं।		*1000 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(मूल्यांकन दर तय करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)*
	(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
	(iii)	संपत्ति का मूल्य		
अनु. डत		***मशीनरी और संयंत्र का मूल्यांकन***		
14.	(क)सामान्य			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया		*दिन/मास/ वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम		*(क)*
				(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा		
		(ए)	(मैं) सह-स्वामी का नाम	
			(ii) प्रतिशत में हिस्सा	
		(ख)	(जरूरत हो तो दोहराएं)	
		(ग)	कुल शेयर	*100 %*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण		*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ़्त)*
	(v)	आस्ति का प्रकार *(एक का चयन करें)*		*(i) मशीन* *(ii) पौधा*
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	आस्ति का मूल्यांकन का तरीका, जिसमें मशीनरी/प्लांट का मेक, विनिर्माता का नाम, मूल कीमत, यदि मालिक पहला मालिक नहीं है तो उसे कीमत, बनाने का वर्ष, वैसी ही नई मशीनरी/प्लांट की अभी की मार्केट कीमत आदि शामिल हैं।		*1000 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(वैल्यूएशन रेट तय करने का आधार बताने वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा)*
	(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
	(iii)	आस्ति का मूल्य		
अनु. ञब		***आभूषणों का मूल्यांकन***		
15.	(क)सामान्य			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया		*दिन/मास/ वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम		*(क)*
				(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा		
		(क)	(i) सह-स्वामी का नाम	
			(ii) प्रतिशत में हिस्सा	

		(ख)	*(जरूरत हो तो दोहराएं)*			
		(ग)	कुल शेयर			*100 %*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण				*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ़्त)*
	(ख)	मूल्यांकन				
	(i)	मूल्यांकन विवरण				
		(क)	(i)	*मद का विवरण*		
			(ii)	*कुल वजन*		
			(iii)	*कीमती धातु का शुद्ध वजन*		
			(iv)	*कीमती या कम कीमती पत्थरों का विवरण और वजन*		
			(v)	*प्रत्येक कीमती या सेमी-कीमती पत्थर की कीमत और ऐसे पत्थरों की तय कीमत*		
			(vi)	*आभूषण की वस्तु का कुल मूल्य*		
			(vii)	*सोने के बराबर वजन ग्राम में*		
		(ख)	*(जरूरत हो तो दोहराएं)*			
	(ii)	आस्ति का मूल्य				
अनु. कब		***कलाकृतियों का मूल्यांकन***				
16.	(क) सामान्य					
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया				*दिन/मास/ वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम				*(क)*
						(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा				
		(क)	(i)	सह-स्वामी का नाम		
			(ii)	प्रतिशत में हिस्सा		
		(ख)	*(जरूरत हो तो दोहराएं)*			
		(ग)	कुल शेयर			*100 %*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण				*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट फ्री)*
	(v)	उत्पत्ति का विवरण				
	(ख) मूल्यांकन					
	(i)	आस्ति(एस) के मूल्यांकन का तरीका जिसमें मांग, लिक्विडिटी, आर्ट डीलर्स के क्रियाकलाप, बाजार डेटा आदि शामिल हैं।				*1000 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(मूल्यांकन दर तय करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)*
	(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य				
	(iii)	आस्ति का मूल्य				
अनु. झढ		***जीवन ब्याज, प्रत्यागम और प्रत्याशा में ब्याज का मूल्यांकन***				
17.	(ए) सामान्य					
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया				*दिन/मास/ वर्ष*
	(ii)	उस व्यक्ति का विवरण जिसके ब्याज का मूल्यांकन किया जा रहा है				
		(क)	नाम			*(संदर्भ संख्या 1)*
		(ख)	पता			*(संदर्भ टिप्पण 2)*

		(ग)	जन्म तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*
	(iii)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण *(न्यास विलेख, वसीयत आदि की कॉपी अपलोड करें, जिसके अधीन ब्याज मिलता है)*		*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ़्त)*
	(iv)	आजीवन किरायेदार का विवरण		
		(क)	नाम	*(संदर्भ संख्या 1)*
		(ख)	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
		(ग)	जन्म की तारीख	*दिन/मास/ वर्ष*
		(जरूरत हो तो दोहराएं)		
	(v)	न्यास का विवरण		
		(क)	संपत्ति	
		(ख)	देयताएं	
		(ग)	आय	
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	आस्ति(एस) के मूल्यांकन का तरीका, जिसमें अपनाए गए मार्जिन और, जहाँ लागू हो, अनुमान लगाने में मानी गई आस्ति शुल्क, की दर मूल्यांकन सूत्र , मॉर्टेलिटी/ब्याज वगैरह के बारे में अंदाज़े शामिल हैं।		*1000 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(मूल्यांकन दर तय करने का आधार बताने वाला दस्तावेज अपलोड किया जाएगा)*
	(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
	(iii)	आस्ति का मूल्य		
अनु. णन		***अन्य आस्ति का मूल्यांकन***		
18.	(क) साधारण			
	(i)	जिस तारीख को मूल्यांकन किया गया		*दिन/मास/ वर्ष*
	(ii)	मालिक का नाम		*(क)*
				(जरूरत हो तो दोहराएं)
	(iii)	यदि आस्ति संयुक्त स्वामित्व/ सह-स्वामित्व के अधीन है, तो ऐसे प्रत्येक स्वामी का हिस्सा		
		(क)	(i) सह-स्वामी का नाम	
			(ii) प्रतिशत में हिस्सा	
		(ख)	*(जरूरत हो तो दोहराएं)*	
		(ग)	कुल शेयर	*100%*
	(iv)	आस्ति का संक्षिप्त विवरण		*(अपलोड)* *(500 शब्दों तक का टेक्स्ट मुफ़्त)*
	(ख) मूल्यांकन			
	(i)	आस्तियों के मूल्यांकन का तरीका		*1000 शब्दों तक मुफ़्त टेक्स्ट)* *(प्रधान मुख्यायुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा बताई गई जानकारी देने वाला दस्तावेज, बताए गए दस्तावेज के साथ संलग्न/अपलोड किया जाएगा)*
	(ii)	इस मूल्यांकन में अपनाई गई इकाई मूल्य		
	(iii)	आस्ति का मूल्य		

भाग-ङ :सत्यापन और घोषणा

सत्यापन और घोषणा

मैं, _____ पैन _____ , इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर जो भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सच्चाई से कहा गया है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ किकरेगा,

(क) मूल्यांकित आस्ति में मेरा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है;

(ख) मैंने व्यक्तिगत रूप से आस्ति का निरीक्षण किया है और मैंने सभी सुसंगत विवरणों की जांच की है ;

मैं _____ के तौर पर यह घोषणा कर रहा हूँ और मैं यह घोषणा करने और इसे वेरिफाई करने के लिए सक्षम हूँ। आज _____ तारीख _____20____ को वेरिफाई किया गया।

स्थान.....

तारीख.....

.....

(मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम: .....।

पदनाम (यदि लागू हो):..... ... ..

टिप्पण:

4. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
5. पते में (**i**) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला और (viii) राज्य शामिल होगा ।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी होगी।
7. ज़मीन की खास बातें जैसे ज़मीन की क्वालिटी और उपजाऊपन, सिंचाई का तरीका (जैसे, कुओं, बिजली के ट्यूबवेल या नप्रत्येक से), गाँव, शप्रत्येक और बाज़ारों से नज़दीकी, आने-जाने के लिए सड़कें और ज़मीन की उपज को बाज़ार तक पहुँचाने की सुविधाएँ और साधन, चाहे वह खुद खेती की हो या किराएदारों ने। कोई और बात जो ज़मीन की कीमत पर असर डालती है, उसे खास तौर पर बताया जाना चाहिए।
8. जब तक कुछ और न बताया गया हो, सभी रकम ₹ में देनी होगी ।
9. पंक्ति 8(ग)(ii) के लिए, नीचे दिया गया उपाबंध भरकर अपलोड किया जाएगा। मूल्यांकन वाली संपत्ति के हिसाब से इस उपाबंध में ज़रूरी बदलाव किए जा सकते हैं।

उपाबंध

	तकनीकी ब्यौरा		
1.	**मंजिलों की संख्या और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
2.	**प्लिंथ एरिया फ्लोर-वाइज (IS: 3861-1966 के अनुसार)**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
3.	**निर्माण का वर्ष**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
4.	**अनुमानित भावी जीवन**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
5.	**निर्माण का प्रकार- भार वहन दीवारें/ आरसीसी फ्रेम/स्टील फ्रेम**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
6.	**नींव के प्रकार**		
	(i)	*मुख्य भवन*	

	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
7.	दीवारें		
	(क) बेसमेंट और प्लिंथ		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख) भूतल		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ग) भूतल के ऊपर अधिरचना		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
8.	विभाजन		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
9.	दरवाजे और खिड़कियां (फर्श के हिसाब से)		
	(क) भूतल		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	

	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख)	पहली मंजिल	
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ग)	दूसरी मंजिल, आदि।	
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
10.	**फ़्लोरिंग (फ़्लोर-वाइज़)**		
	(क)भूतल		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख)पहली मंजिल		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ग) दूसरी मंजिल, आदि।		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	

	(v)	*पंप हाउस*	
11.	**फिनिशिंग (फर्श के हिसाब से)**		
	(क)भूतल		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख)पहली मंजिल		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ग)दूसरी मंजिल, आदि।		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
12	**छत और सीढ़ीदार निर्माण**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
13	**विशेष वास्तुकलाकृति या सजावट विशेषताएं, यदि कोई हों**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
14	(क)आंतरिक वायरिंग - सतह या नाली		

	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख)फिटिंग की क्लास : बढ़िया/साधारण/खराब		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
15	स्वच्छता प्रतिष्ठान		
	(क.1)जल गृह की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(क.2) शौचालय बेसिनों की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(क.3) मूत्रालयों की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(क.4) सिंक की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	

	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(क.5) बाथ टब की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(क.6) बिडेट की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(क.7) गीजरों की संख्या		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख)फिटिंग की क्लास : बेहतर रंग / बेहतर सफ़ेद / साधारण		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
16	**परिसर की दीवार**		
	(क) ऊँचाई और लंबाई		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख) निर्माण का प्रकार		

	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
17	**लिफ्टों की संख्या और क्षमता**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
18	**अंडरग्राउंड पंप- कैपेसिटी और निर्माण का टाइप/प्रकार**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
19	**ओवरहेड टैंक**		
	(क) कहाँ स्थित है		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ख) क्षमता		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
	(ग) निर्माण का प्रकार		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
20	**पंप-नंबर/संख्या और उनकी हॉर्स पावर**		
	(i)	*मुख्य भवन*	

	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
21	**कंपाउंड के अंदर सड़कें और पेइंग्स , अनुमानित एरिया और पेविंग का टाइप**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	
22	**सीवेज डिस्पोज़ल- क्या पब्लिक सीवर से जुड़ा है। यदि सेप्टिक टैंक दिए गए हैं, तो संख्या और क्षमता**		
	(i)	*मुख्य भवन*	
	(ii)	*उपभवन*	
	(iii)	*नौकरों के क्वार्टर*	
	(iv)	*गैरेज*	
	(v)	*पंप हाउस*	

प्ररूप संख्या 171

[देखें: नियम 256]

धारा **515** के अधीन प्राधिकृत आयकर व्यवसानय के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

सेवा में,

*** मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त,**

_____

मैं एतद् द्वारा धारा 515(3)(क)(v)/(vi)/(vii)/(viii) के अधीन प्राधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करती हूं।

भाग -:क व्यक्तिगत जानकारी		
1.	**नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
2.	**लिंग** **(एक का चयन करें)**	(i) पुरुष (ii) महिला (iii) उभयलिंगी

3.	स्थायी खाता संख्या (PAN)				
4.	पिता/पति का नाम			*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
5.	स्थायी आवासीय पता			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
6.	मौजूदा रेजिडेंशियल एड्रेस			*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
7.	सम्पर्क करने का विवरण				
	(i)	**मोबाइल नंबर**	देश कोड	संख्या	
	(ii)	**ईमेल आईडी**			
8.	**भारत में व्रत्ति का मुख्य स्थान**				
9.	**क.**	**क्या किसी फर्म में पार्टनर हों, (एक का चयन करें)**	(i) हाँ (ii) नहीं		
	ख.	**यदि पंक्ति 9(क) का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**			
	(i)	**फर्म का नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		
	(ii)	**अन्य भागीदारों के नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		
	ख.	**(यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)**			
भाग ख: आवेदक द्वारा घोषणा					
10.	(i)	(क)	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने लेखा परीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की है।		
		(ख)	पंक्ति 10(क) में उल्लिखित प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
	(ii)	(क)	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त की हैं।		
		(ख)	पंक्ति 10(ii)(क) में उल्लिखित प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
	(iii)	क्या आपको धारा 515(4) के अधीन अयोग्य घोषित किया गया था। **(एक का चयन करें)**		(i) हाँ (ii) नहीं	
	(iv)	क्या आप आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43 जैसा इस निरसक से पूर्व विद्यमान था) की धारा 288(2)(vii) के उपबंधों के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि थे? **(एक का चयन करें)**		(i) हाँ (ii) नहीं	
		यदि 10(iv) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित प्रदान करें:			

		(क)	किरायेदार का नाम	*(देखें :नोट 1)*
		(ख)	किरायेदार का पता	*(देखें :नोट 3)*
		(ग)	कर साल	
		(घ)	उस आयकर अधिकारी का मतगणना जिसके सामने उपस्थित हुआ	
	(v)	**(यदि आवश्यक हो तो दोहराएँ)**		

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं तब से एक प्राधिक्रत आयकर व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा/रही हूँ_____ और मैंने अब तक किसी दूसरे आयुक्त या आयकर का आयुक्त के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।

स्थान:
तारीख: _____

(हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं, _____ *[*नाम अक्षरों में*]*, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान*:*
तारीख: _____

*(*हस्ताक्षर*)*

*जो लागू नहीं हो उसका लोप करें

स्थान:

तारीख:_____

(हस्ताक्षर)

*जो लागू नहीं हो, उसका लोप करें

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूरा नाम होगा। किसी अन्य दशा में भी, पूरा नाम होगा।

2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/द्वार/भवन, (iii) सड़क/गल्ली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/स्थान, (vii) जिला, और (viii) राज्य शामिल होगा।

3. पंक्ति **10** के संबंध में**,** निम्नलिखित दस्तावेज़ उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे**,** जो इस प्रकार हैं**:**

उपाबंध	**विवरण**
क-1	लाइन 10(i)ख) में बताए गए सर्टिफिकेट की असली कॉपी।
क-2	लाइन 10(ii)(ख) में बताए गए सर्टिफिकेट की असली कॉपी।

5. **प्ररूप में कुछ जानकारी**, **जितना संभव हो सके**, **पहले से भरी हुई होगी।**

प्ररूप संख्या 172

[नियम 274 देखें]

पात्र विनिधान निधि द्वारा कतिपय शर्तों की पूर्ति के संबंध में धारा 9(12) [अनुसूची I: पैराग्राफ 1(4)] के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना।

<table>
<tr><td colspan="9">भाग क: निधि प्रबंधक का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">निधि संबधक के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="5">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="5" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="5">प्रास्थिति:</td><td colspan="2">(टिप्पण 4 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="5">आवासीय प्रास्थिति:</td><td colspan="2">(टिप्पण 5 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="5">कर वर्ष:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td colspan="5">एसईबीआई रजिस्ट्रीकरण का विवरण:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>i.</td><td colspan="4">जिसके अधीन रजिस्ट्रीक्रत है :</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ii.</td><td colspan="4">रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>iii.</td><td colspan="4">विदेशी पत्राधान विनिधानकर्ता प्रवर्ग यदि लागू हो:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="5">क्या निधि प्रबंधक और धारा 162 के अधीन प्रोविजन के हिसाब से संबंधित हैं?</td><td colspan="2">हां /नहीं</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="5">लेखाबही के अनुसार पात्र निधि/निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का कुल मूल्य:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">13.</td><td colspan="8">उन पात्र विनिधान निधि की सूची जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की है, नीचे दी गई ब्यौरे के साथ :</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>अपतट निधि का नाम</td><td>निधि के निवास का देश</td><td>क्या निधि प्रबंधक का कर्मचारी है?
(हां /नहीं)</td><td>क्या निधि प्रबंधक निधि का जुड़ा हुआ व्यक्ति है?
(हां /नहीं)</td><td>कर वर्ष के दौरान निधि प्रबंधक के माध्यम से की गई क्रियाकलाप से निधि को होने वाला या होने वाला लाभ।</td><td>(च) में से वह रकम जिसके लिए निधि प्रबंधक और उससे जुड़े लोग सीधे या परोक्ष रूप से हकदार हैं</td></tr>
<tr><td>क</td><td>ख</td><td>ग</td><td>घ</td><td>ड़</td><td>च</td><td>छ</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(आवश्यकतानुसार दोहराएँ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="8">प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और की गई प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए मिले पारिश्रमिक का ब्यौरा (यदि ऐसी क्रियाकलाप के लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है):</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td></td><td>निधि का पता</td><td colspan="3">क्रियाकलाप का विवरण</td><td colspan="2">क्रियाकलाप के संबंध में मिली या मिलने वाली कुल रकम</td></tr>
</table>

		उस निधि का नाम जिसके लिए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप दी गई है			बही खातों के अनुसार	जैसा कि निधि प्रबंधक ने इस संबंध में विहीत रकम को ध्यान में रखते हुए गणना की है।
	क	ख	ग	घ	ड़	च
	1.					
	2.	*(आवश्यकतानुसार दोहराएँ*				
15.	निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधान निधि के साथ उसकी ओर से किए गये किसी भी दूसरे संव्यवहार के बारे में जानकारी:					
	क्रम संख्या	उस पात्र विनिधान निधि का नाम जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसे सेवाएं दी गई हैं	पात्र विनिधान निधि का पता	संव्यवहार का विवरण / सेवा की प्रक्रति	ऐसे संव्यवहार /सेवा के कारण संदाय /प्राप्त या देय/प्राप्ति योग्य होने रकम	उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि (धारा 165 देखें)
					लेखा-बही के अनुसार / निधि प्रबंधक द्वारा उचित मूल्य को ध्यान में रखते हुए संगणित किया गया।	
	क	ख	ग	घ	ड़	च	छ
	1.						
	2.	*(आवश्यकतानुसार दोहराएँ*					

कर के दौरान पात्र विनिधान निधि को निधि प्रबंधक क्रियाकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा की गई अन्य संव्यवहार या सेवाओं से संबंधित_____(**पैन के साथ निधि प्रबंधक का नाम और पता) के खातों और रिकॉर्ड़ की जांच की है 31 मार्च को खत्म होने वाला साल।**

2. मेरी राय में, निधि प्रबंधक क्रियाकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा निधि/निधियों को दिए गए दूसरे संव्यवहार या सेवाओं के संबंध में, जैसा कि मेरी रिपोर्ट से पता चलता है, निधि प्रबंधक ने बताई गयी सही जानकारी और दस्तावेज रखे हैं। निधि प्रबंधक के रिकॉर्ड की जांच।

3. धारा 9(12) [अनुसूची I: पैराग्राफ 1(4)] के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी भाग क और ख में दी गई है। मेरी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भाग क और ख में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

यदि कोई यूडीआईएन हो तो:

स्वामित्व वाली कंपनी/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या:

टिप्पण:

1. नाम में निधि प्रबंधक का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/मकान/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होने चाहिए।
3. व्यक्ति की प्रास्थिति को नीचे दिए अनुसार भरें: –

(I)	व्यक्ति
(II)	हिंदू अविभाजित कुटुंब
(III)	कंपनी
(IV)	फर्म
(V)	व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं
(VI)	स्थानीय प्राधिकारी
(VII)	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति

(VIII)	सरकार
(IX)	न्यास
(X)	सीमित दायितव भागीदारी

4. आवासीय प्रास्थिति को नीचे दिए गए अनुसार भरें: –

(I)	निवासी
(II)	अनिवासी
(III)	निवासी लेकिन सामान्य निवासी नहीं

5. जहां क्षेत्र एक निर्दिष्ट प्रदेश है, वहां भी यही बात कही जानी चाहिए।

6. **इस प्ररूप पर धारा** 265 **के अधीन आयकर विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर और सत्यापन किये जाने हैं।**

7. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।

8. इस प्रपत्र में उल्लिखित राशि रुपये में भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 173

[नियम 276 *देखें*]

धारा 9(12) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी को पात्र निवेश निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

[अनुसूची 1: पैरा 1(4)]

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: पात्र विनिद्यान निधि का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2">(टिप्पण 3 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">रहने वाले देश/इलाके में कर पहचान संख्या (TIN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">निवास का देश:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">जिस वित्तीय वर्ष के लिए कथन जमा किया जा रहा है:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">निधि का कर वर्ष:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td colspan="5">CBDT द्वारा दी गई किसी भी मंज़ूरी का विवरण:</td></tr>
<tr><td>i.</td><td colspan="3">अनुमोदन की तारीख:</td><td></td></tr>
<tr><td>ii.</td><td colspan="3">अनुमोदन आदेश/पत्र निर्देश संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="4">क्या कर वर्ष के दौरान निधि ने धारा 9 [अनुसूची I] में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और अनुमोदित निधि के मामले में क्या वे शर्तें भी पूरी की गई हैं जिनके अधीन अनुमोदन दिया गया था (टिप्पण 4.क-1 का निर्देश लें) :</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="4">क्या भारत में निवासी किसी व्यक्ति की वर्ष के दौरान सीधे तौर पर निधि में कोई भागीदारी थी (टिप्पण 4.क-2 का निर्देश लें) :</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td colspan="5">किसी भी भारतीय कंपनी के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए किसी भी शेयरधारिता करार का विवरण:</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>भारतीय कंपनी का नाम</td><td>पैन</td><td>प्रतिशत ब्याज</td><td>करार की तारीख</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	2.	*(ज़रूरत हो तो दोहराएं)*			

14.	भारत में निधि के लिए या उसकी ओर से सेवाएं देने वाले निधि प्रबंधक (कों) का विवरण:			
	क्रम संख्या	निधि प्रबंधक का नाम	पैन	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) रजिस्ट्रीकरण संख्या
	1.			
	2.	*(ज़रूरत हो तो दोहराएं)*		

15.	क्या निधि प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक विहित रकम से कम नहीं है *(टिप्पण 4.क-3 का निर्देश लें)* :	हां नहीं
16.	निधि द्वारा अपने विनिद्यान पर अर्जित लाभ की रकम:	
17.	निधि के प्रतिनिधि(यों) की संपर्क जानकारी:	
18.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:	*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*

सत्यापन

मैं,_____ इसके द्वारा पुष्टि करता है ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।पूर्वाह्नप्रस्तुत मैं _____ (पदनाम)की क्षमता में यह प्ररूप प्रस्तुत कर रही हूं, पैन _____ धारण करती हूं और मैं इस प्ररूप को सत्यापित करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूं ।

स्थान: हस्ताक्षर:
तारीख: नाम:
पद का नाम:

टिप्पण**:**

1. नाम में पात्र विनिद्यान निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाजा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. जिस देश/इलाके में वह रहता है, वहां का TIN। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर असेसी की पहचान उस देश या इलाके की सरकार करती है, जहां का वह रहने का दावा करता है।

4. भाग ख (क्रम संख्या 18) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्: -

<table>
<tr><td>उपाबंध</td><td>विवरण</td></tr>
<tr><td>क-1</td><td>यदि भाग ख (क्रम संख्या 11) में नहीं है तो अपूर्णता की अवधि तथा उसके कारण बतायें: -
<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>अनुसूची 1 के पैरा पूरे नहीं हुए</td><td>से</td><td>को</td><td>कारण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>क -2</td><td>यदि भाग ख (क्रम संख्या 12) में हां, तो व्यक्ति(यों) का विवरण और प्रतिशत ब्याज प्रदान करें: -
<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>व्यक्ति का नाम</td><td>पता</td><td>पैन</td><td>प्रतिशत ब्याज</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>क-3</td><td>यदि भाग ख (क्रमांक 15) में हां, तो वह आधार बताएं जिस पर निधि प्रबंधक के पारिश्रमिक की गणना की गई है।</td></tr>
<tr><td>क-4</td><td>भाग ख (क्रम सं. 14) में बताए गए फंड मैनेजर के अलावा, भारत में फंड द्वारा या फंड की ओर से की गई किसी दूसरे क्रियाकलाप का ब्यौरा।</td></tr>
</table>

5. जहां क्षेत्र कोई खास इलाका है, वहां उसका ज़िक्र करना होगा।
6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
7. इस फॉर्म में बताई गई रकम रुपये में ही भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो ।

प्ररूप संख्या 174

[नियम 282(2) *देखें]*

अनुसूची-5 के अधीन अधिसूचना के लिए आवेदन [सारणी: क्रम संख्या 7.टिप्पणी 5(क)(iii)(घ)]

(पेंशननिध)

भाग क: पेंशन निध का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	भारत में संचार पता:	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
5.	कर पहचान संख्या (TIN), यदि उपलब्ध हो:	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
6.	विधि के अधीन बनाया गया (कृपया दूसरे देश का नाम बताएं, जिसमें उसके किसी भी राजनीतिक हिस्से जैसे प्रांत/राज्य/स्थानीय निकाय आदि शामिल हों)		
7.	ईमेल आईडी:		
8.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
9.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:	*(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)*	

भाग ख: प्रमाणन
आवेदक एक पेंशन निधि है और अनुसूची 5 [सारणी: क्रम संख्या 7] के अनुसार विनिद्यान करने में रुचि रखता है और इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि अनुसूची v [सारणी: क्रम संख्या 7. टिप्पण 5(क)(iii)(घ)] के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए।कृपया जारी किया जाए।हैइसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन निधि अनुसूची-5 [सारणी: क्रम संख्या 7] और नियम 282 में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करती है।

सत्यापन
मैं, _____, यह पुष्ट करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के हिसाब से सही और सत्य है। मैंने कोई भी ज़रूरी बात नहीं छिपाई है।

मैं यह आवेदन _____ (पदनाम) के रूप में जमा कर रहा हूँ, मेरे पास _____ पैन है और मैं इस आवेदन को सत्यापित और जमा करने के सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. नाम में पेंशन निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/दरवाजा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. भारत में संचार पते में फ्लैट/दरवाजा/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/मोहल्ला, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य और पिन कोड शामिल होगा।
4. जिस देश या इलाके में वह रहता है, वहां के पेंशन निधि का TIN और यदि ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश या इलाके की सरकार उसकी पहचान करती है, जहां का वह रहने का दावा करता है।
5. भाग क(क्रम संख्या 9) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में उपबंधित किए जाएंगे, अर्थात्: -

उपाबंध	विवरण
क-1	पेंशन निधि बनाने वाले दस्तावेज और बदलाव (यदि कोई हों)
क -2	कोई अन्य सुसंगत जानकारी

6. इस फॉर्म पर धारा 265 के अधीन आयकर विवरणी को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 175

[नियम 282(1) *देखें*]

वित्तीय वर्ष की 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही के खत्म होने से एक महीने के भीतर)

अनुसूची 5 के अधीन विनिधान की पेंशन निधि द्वारा सूचना *(सारणी क्रम सं.7)*

भाग क : पेंशन निधि का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
भाग ख: अन्य विवरण			
6.	अधिसूचना संख्या:		
7.	अधिसूचना तारीख:		
8.	तिमाही समाप्ति:	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
9.	वित्तीय वर्ष:		

भाग ग: विनिधान का विवरण							
क्रम संख्या	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	विनिधान की प्रकृति *(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	आय की प्रकृति *(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	उस अस्तित्व का ब्यौरा जिसमें विनिधान किया गया		
					इकाई की प्रकृति *(टिप्पण 6 का निर्देश लें)*	नाम	कड़ाही
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज
1.							
2.	*(ज़रूरत हो तो दोहराएं)*						
कुल							

सत्यापन
मैं, _____, पूरी ईमानदारी से यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही और पूरी है और इसमें दी गई जानकारी सच में बताई गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने कोई भी ज़रूरी बात या जानकारी नहीं छिपाई है। मैं यह भी बताता/बताती हूँ कि मैं यह जानकारी _____ (पदनाम) के तौर पर दे रहा/रही हूँ और मेरे पास _____ पैन है और मैं इस जानकारी को स्त्यापित करने और जमा करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. नाम में पेंशन निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/बिल्डिंग, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, पोस्ट ऑफिस, शहर/कस्बा/ज़िला, राज्य, देश/निर्दिष्ट इलाका और पिन कोड शामिल होगा।
3. भाग ख (क्रम संख्या 11) में 30 जून / 30 सितम्बर / 31 दिसम्बर / 31 मार्च भरें।
4. भाग-ग (स्तंभ घ) में, नीचे दिए गए कोड में से एक को चुनना है:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साम्या	2
अधिमानी अंश	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. भाग-ग (स्तंभ ङ) में, नीचे दिए गए कोड में से एक को चुनना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजीगत लाभ	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

6. भाग-ग (स्तंभ च) में, नीचे दिए गए कोड में से एक को चुनना है:

विनिधान किस अस्तित्व में किया गया है	कोड
अनुसूची-5 में उल्लिखित व्यवसायिक न्यास [सारणी क्रम संख्या *7.घ(क)*(iii)(*क*)*]*	1
अनुसूची-5 में उल्लिखित पात्र अवसंरचना सुविधा [सारणी क्रम संख्या *7.घ(क)*(iii)(*ख*)*]*	2

अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र अनुकल्पी निवेश निधि *[सारणी* क्रम संख्या *7.घ(क)(*iii)(ग)*]*	3
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र घरेलू कंपनी *[*सारणी क्रम संख्या *7.घ(क)(*iii)(घ)*]*	4
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी [सारणी क्रम संख्या *7.घ (क) (*iii) (ड़)*]*	5

7. इस प्ररूप पर धारा 265 के तहत अधीन आय विवरणी को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

8. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

9. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 176

[नियम 282(1) *देखें*]

***अधिसूचित पेंशन निधि द्वारा अनुसूची V* [सारणी क्रम संख्या *7*] के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में लेखाकार का प्रमाण पत्र**

भाग क: पेंशन निधि (PF) की जानकारी			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या

भाग ख : पेंशन निधि की जानकारी		
6.	कर वर्ष:	
7.	कर वर्ष के दौरान पेंशन निधि कुल आय	
8.	अनुसूची 5 के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम [सारणी क्रम संख्या 7] (इस भाग के क्रम संख्या 10 (स्तंभ ट) में दिए गए विवरण के अनुसार):	
9.	किए गए विनिधान का आरंभिक शेष (अर्थात पिछले वित्तिय वर्ष की अंतिम तारीख को समापन शेष जो अधिनियम की अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अधीन छूट के लिए पात्र है:	

10. कर वर्ष के दौरान पेंशन निधि द्वारा किए गए विनिधान का ब्यौरा

क्रम संख्या	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	विनिधान की प्रकृति *(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	आय की प्रकृति *(टिप्पण 4)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर इनकम की रकम	उस अस्तिव का ब्यौरा जिसमें विनिधान किया गया				आय की वह रकम जो अनुसूची 5 के अधीन छूट के लिए पाना है [सारणी क्रम संख्या 7] *(सुसंगत नियमों के अनुसार संगणन शीट उपाबद्ध करें)*
						अस्तित्व की प्रकृति *(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	नाम	पैन	अगर अस्त्वि कोड प्रकृति 3/4/5 है, तो क्या अस्तिव ने अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अनुसार कम से कम 50% या 75% या 90% विनिधान किया है *(संबंधित नियमों के अनुसार संगणन शीट अटैच करें)*	
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज	झ	ञ	ट
1.										

	2.											
	कुल											

11।	क्या पेंशन निधि ने अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी भी विनिधान को उक्त छूट के संबंध में निवेश किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति से पहले बेचा है:	हां / नहीं

12. यदि क्र.सं-11 का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:

क्रम संख्या	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति *(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	आय की प्रकृति *(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व का ब्यौरा जिसमें विनिधान किया गया था			बिक्री की तारीख
					अस्तित्व का प्रकृति *(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	नाम	पैन	
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज	झ
1.								
2.								
कुल								

13.	पीएफ अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7] के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता है, जो हैं:			
क	उस विधि का नाम जिसके अधीन पेंशन निधि बनाई या स्थापित की गई			
ख	उन निधि या योजना की जानकारी जिनके लिए पेंशन निधि अस्ति को प्रबंधक करने या विनिधान करने के लिए ज़िम्मेदार है:			
	क्रम संख्या	निधि/योजनाका नाम	जिस प्रयोजन के लिए निधि/योजना बनाया गया है *(टिप्प्ण 6 का निर्देश लें)*	निधि/योजना की प्रकृति *(टिप्पण 7 का निर्देश लें)*	हर निधि/योजना से मिले अस्ति के मूल्य का PF द्वारा प्रशास्ति या विनिधान किए गए आस्ति की कुल मूल्य प्रतिशतता
	क	ख	ग	घ	ड़
	1.				
	2.				
ग	अगर PF द्वारा प्रशासित या विनिधान किए गए कुछ निधि /योजना SWF की प्रकृति के हैं, तो क्या वे नीचे दी गई शर्तें पूरी करते हैं:			हां / नहीं
	i	इन निधि/प्लान के अस्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी दूसरे देश की सरकार का पूरा मालिकाना हक है; और		
	ii	विघटन पर उस विदेशी देश की सरकार में निहित हो जाती हैं		
घ	क्या PF की कमाई या संपत्ति का हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई फ़ायदा पहुंचाता है (नियम 282 में बताए गए निधि या योजना के हिस्सेदार या फायदाग्राही के लिए विधि की ज़िम्मेदारियों और तय योगदान को पूरा करने के अलावा; या भारत में विनिधान करने के अलावा दूसरे प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण या उधार (जैसा कि अनुसूची			हां / नहीं

		V [सारणी क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(ग)] में बताया गया है) के लिए लेनदार या जमाकर्ता को किए गए किसी पेमेंट के अलावा):		
	ङ	यदि (घ) का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:		
		i	व्यक्ति का नाम	
		ii	वर्ष के दौरान प्रदान की गई लाभ रकम	
	च	चाहे वह किसी भी विनिधानीति के रोज़ाना के कामों में हिस्सा लेता हो, जैसा कि अनुसूची 5 [सारणी क्रम संख्या 7. टिप्पण 5(b)] में बताया गया है, विनिधानीति के पास विनिधान को बचाने के लिए किसी भी मानीटरी प्रणाली के सिवाय, जिसमें निदेशक या कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार शामिल है:		हां / नहीं
	छ	यदि (च) का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:		
		i	विनिधानीति का नाम	
		ii	विनिधानीति का पैन	
		iii	वर्ष के आखिर में ऐसे विनिधानीति में विनिधान की रकम	
	ज	चाहे उसके पास अनुसूची V [तालिका: क्रम संख्या 7.टिप्पण 5(ग)] में परिभाषित ऋण या उधार हों, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में निवेश करने के प्रयोजन से:		हां / नहीं
	झ	यदि (छ) का जवाब हाँ है, तो नीचे दी गई जानकारी दें:		
		i	उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण या उधार लिया गया है	
		ii	वर्ष की शुरुआत में ऋण या उधार की रकम	
		iii.	वर्ष के दौरान मिले ऋण या उधार की रकम	
		iv	वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण या उधार की रकम	
		v	वर्ष के आखिर में ऋण या उधार की रकम	
	ञ	क्या विनिधान के संबंध में आय और विनिधान के लिए अलग-अलग खंडित खाता बनाए रखा जाता है जो अनुसूची 5 के अधीन छूट के लिए अर्हित है [सारणी क्रम संख्या 7]:		
	ट	देश में कर लगेगा :		हां / नहीं
	ठ	अगर (ट) का जवाब हाँ है, तो क्या ऐसे विदेशी देश ने अपनी सारी इनकम पर टैक्स से छूट दी है:		
	ड	कर वर्ष के दौरान वह तिमाही जिसके लिए प्ररूप नंबर 175 में जानकारी फाइल की गई है।		*(नोट 8 देखें)*

प्रमाणन और सत्यापन

_____ ____(पेंशन निधि का नाम) के संबंधित खातों, दस्तावेजों और अभिलेख की जांच की है, जिसका पैन _____ है और जिसे ***आयकर अधिनियम,*** 2025 की अनुसूची **5** [**सारणी** क्रम संख्या *7*] के **अधीन** अधिसूचित किया गया है याआयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23FE) के अधीन अधिसूचना संख्या _____ _____तारीख _____(दिन/मास/ वर्ष), द्वारा _____ (दिन/मास/ वर्ष) से _____ (दिन/ माह / वर्ष) तक की अवधि के लिए।

मैं पूरी तरह समझता/समझती हूँ कि इस प्रमाण पत्र में दी गई कोई भी बात, अगर गलत या झूठी साबित होती है, तो मुझे कानून के अधीन या किसी और वजह से ज़रूरी किसी भी सज़ा या दूसरे नतीजों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: अकाउंटेंट का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

UDIN, अगर कोई हो:

प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर:

टिप्पण :

1. नाम में पेंशन निधि का पूरा नाम शामिल होगा।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य और पेंशन फंड का पिन कोड शामिल होगा।
3. भाग ख (क्रमांक 10 और 12) में, नीचे दिए गए कोड में से एक चुनना है :

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साम्या	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. भाग ख (क्रमांक 10 और 12) में, नीचे दिए गए कोड में से एक चुनना है :

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजीगत लाभ	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. भाग ख (क्रमांक 10 और 12) में, नीचे दिए गए कोड में से एक चुनना है :

विनिधान किस अस्तित्व में किया गया है	कोड
*अनुसूची-*5 में उल्लिखित व्यवसायिक *न्यास [सारणी* क्रम संख्या *7.घ(क)*(iii)(*क)]*	1
*अनुसूची-*5 में उल्लिखित पात्र अवसंरचना सुविधा *[सारणी* क्रम संख्या *7.घ(क)*(iii) (*ख)]*	2
अनुसूची V में उल्लिखित पात्र वैकल्पिक निवेश निधि *[सारणी* क्रम संख्या *7.घ(क)*(iii)(*ग)]*	3

अनुसूची V में उल्लिखित पात्र घरेलू कंपनी *[सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)*(iii)(*घ)]*	4
अनुसूची V में उल्लिखित पात्र गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी *[सारणी क्रम संख्या 7.घ(क)*(iii)(*ङ)]*	5

6. भाग ख (क्रमांक 13(ख), स्तंभ ग) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुने जाने हैं:

निधि/योजना का प्रयोजना	कोड
सेवानिवृत्ति	1
सामाजिक सुरक्षा	2
नियोजन	3
दिव्यांगता	4
मृत्यु फायदा	5
*समान मुआवज़ा (*कृपया बताएं*)*	6

7. भाग ख (क्रमांक 13(ख), स्तंभ घ) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

निधि/ योजना की प्रकृति	कोड
पेंशन निधि	1
सार्वभौम संपत्ति निधि	2
अन्य	3

8. भाग ख (क्रमांक 13(ङ)) में, नीचे दिए गए कोड में से एक या ज़्यादा कोड चुनने हैं:

प्ररूप संख्या 175 में सूचना	कोड
कर वर्ष की 30 जून *को समाप्त होने वाली तिमाही*	1
कर वर्ष की 30 सितंबर *को समाप्त होने वाली तिमाही*	2
कर वर्ष की 31 दिसंबर *को समाप्त होने वाली तिमाही*	3
कर वर्ष की 31 मार्च *को समाप्त होने वाली तिमाही*	4

9. *यह प्रमाणपत्र धारा 515*(3)(*ख)* में परिभाषित लेखाकार द्वारा दिया जाना है।

10. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

11. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो ।

प्रारूप संख्या 177

[नियम 283 *देखें*]

प्राप्त पात्र विनिधान कथन

भाग क: करदाता का विवरण			
1.	नाम:	*(**टिप्पण** 1 का निर्देश ले)*	
2.	पता:	*(**टिप्पण** 1 का निर्देश ले)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	कर वर्ष		
5.	ईमेल आईडी:		
6.	संपर्क संख्या:	कंट्री कोड	संख्या

भाग ख: प्राप्त विनिधान का ब्योरा

7. ***बताए गए व्यक्ति की अधिसुचना की तारीख को या उसके पश्चात,*** बताए गए व्यक्ति या बताए गए व्यक्ति के ***पात्र*** से ***पात्र अंकल्पी विनिधान निधि*** फ़ंड से मिले **पात्र विनिधान** की जानकारी***:***

क्रम संख्या	नाम	पैन	प्राप्त योग्य **विनिधान** का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त योग्य **विनिधान**	वर्ष के दौरान विवरन किए गए पात्र **विनिधान**	प्राप्त **पात्र विनिधान** का समापन शेष
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ
1.						
2.						

	कुल				

8. ***क्रम*** सं-7 में ***सुचीबद्ध*** **पात्र विनिधान** में से किए गए सभी ***विनिधान क ब्योरा:***

क्रम संख्या	नाम	***विनिधान*** की तारीख	***विनिधान*** की प्रकृति(***टिप्पण*** *3 का निर्देश ले)*	उस अस्तित्व की डिटेल्स जिसमें ***विनिधान*** किया गया है			***विनिधान*** का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए विनिधान की रकम	वर्ष के दौरान विक्रय किये गये /परिसमापन किए गए विनिधानकी रकम	***विनिधान*** की तिथि या बिक्री/परिसमापन की तारीख , जैसा भी मामला हो	***विनिधान*** का समापन शेष	***विनिधान*** की प्रकृति(***टिप्पण****4 का निर्देश ले)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय	स्तम्भ ण की आय में से विनिर्दिष्ट व्यक्ति /पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि की आय की प्रकृति	विनिर्दिष्ट व्यक्ति /पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि की आय
				अस्तित्व की प्रकृति *(टिप्पण5 का निर्देश ले)*	इकाई का नाम	इकाई का पैन									
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त
1.															
2.															
कुल															

9. **क्रम सं. 7 में** सूचीबद्ध विनिर्धिष्ट **व्यक्ति या** पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि **से मिले** विनिधान का ब्योरा, **लेकिन वह** विनिधान **जो क्रम सं. 7 में कवर नहीं है:**

क्रम संख्या	नाम , क्रमांक 7 पर सूचीबद्ध है	पैन	विनिधान का आरंभिक शेष जो क्रम सं. 7 में कवर नहीं है	वर्ष के दौरान मिले विनिधान जो क्रम संख्या 7 में शामिल नहीं हैं	वर्ष के दौरान विनिधान पर रिटर्न	प्राप्त विनिधानों का समापन शेष
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
1.						
2.						
कुल						

10. क्रम सं. 9 में *सूचीबद्ध विनिधान* में से किए गए सभी *विनिधान का ब्योरा :*

क्रम संख्या	नाम	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति *(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	उस अस्तित्व की डिटेल्स जिसमें विनिधान किया गया है			विनिधान का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए विनिधान की रकम	वर्ष के दौरान बेचे/परिसमापन किए गए विनिधान की रकम	निवेश की तारीख या बिक्री/परिसमापन की तारीख , जैसा भी मामला हो	विनिधान का समापन शेष	आय की प्रकृति *(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय	स्तम्भ ढ़ की आय में से , निर्दिष्ट व्यक्ति /पात्र वैकल्पिक विनिधान निधि की आय की प्रकृति	पात्र अनुकल्पी विनिधान निधि की आय
				विनिधान की प्रकृति *(टिप्पण 5 का निर्देश लें)*	इकाई का नाम	इकाई का पैन									
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	इया	ट	ठ	ड	ढ़	ण	त
1.															
2.															
कुल															

घोषणा
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताई गई विनिधान का ब्योरा मेरी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सही हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता_____ (पदनाम) के तौर पर दे रहा/रही हूँ और मेरे पास पैन _____ है और मैं यह आवेदन देने और इसकी पुष्टि करने में सक्षम हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण :

1. नाम में बताए गए व्यक्ति का पूरा नाम शामिल होगा, यानी अबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूरी तरह से स्वामित्व हक वाली अनुषंगी, सऊदी अरब सरकार का सार्वभौम संपत्ति निधि, पेंशन निधि और लोक विनिधान निधि (और इसकी पूरी तरह से स्वामित्व हक वाली अनुषंगी)।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/बिल्डिंग, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, पोस्ट ऑफिस, शहर/कस्बा/ज़िला, राज्य, देश/निर्दिष्ट इलाका और पिन कोड शामिल होगा।
3. भाग ख (क्रमांक 8 और 10) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
हिस्सेदारी	2
अधिमानी शेयर	3

अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

4. भाग ख (क्रमांक 8 और 10) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजीगत लाभ	3
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. भाग ख (क्रमांक 8 और 10) में, निम्नलिखित में से एक कोड का चयन किया जाना है:

विनिधान किस अस्तित्व में किया गया है	कोड
अनुसूची-5 में उल्लिखित व्यवसायिक *न्यास [सारणी:* क्रम संख्या *7.घ(क)(*iii)(*क)]*	1
अनुसूची-5 में उल्लिखित पात्र अवसंरचना सुविधा *[सारणी:* क्रम संख्या *7.घ(क)(*iii)(*ख)]*	2
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र *अनुकल्पी* निवेश निधि *[सारणी:* क्रम संख्या *7.घ(क)(*iii)(*ग)]*	3
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र घरेलू कंपनी *[सारणी:* क्रम संख्या *7.घ(क)(*iii)(*घ)]*	4
अनुसूची 5 में उल्लिखित पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी *[तालिका:* क्रम संख्या *7.*डी(ए)(iii)(ई)*]*	5

6. *भाग ख (*क्रम संख्या *8, स्तम्भ ठ)* का कुल योग *भाग ख (*क्रम संख्या *7, स्तम्भ छ)* के कुल योग से मेल खाना चाहिए, सिवाय उस रकम के जो अभी तक *विनिधान* नहीं की गई है।

7. *भाग ख (*क्रम संख्या *10, स्तम्भ ठ)* का कुल योग *भाग ख (*क्रम संख्या *9, स्तम्भ छ)* के कुल योग से मेल खाना चाहिए, सिवाय उस राशि के जो अभी तक *विनिधान* नहीं की गई है।

8. *प्रारूप में कुछ जानकारी,* जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी /

9. इस *प्रारूप* में बताई गई रकम रुपये में ही भरी जानी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो ।

प्रारूप संख्या 178

[नियम 285(1) *देखें* /

अनुसूची 6 के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण [सारणी: क्रम संख्या 10]

भाग क: विनिर्दिष्ट निधि का विवरण			
1.	नाम:	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता:	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ईमेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	कंट्री कोड	संख्या
भाग ख: अन्य विवरण			
6.	कर वर्ष:		
7.	बताई गई निधि की विधिक प्रास्थिति *(टिप्पण 3 का निर्देश लें)* :	*(एक का चयन करें)*	
8.	स्थापना/निगमन की तारीख :		
9.	परिचालन शुरू होने की तारीख :		
10.	रजिस्ट्रीकरण का ब्योरा:		
	(i) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	(ii) रजिस्ट्रीकरण की तारीख:		
11।	क्या बताई गई निधि की सभी इकाई, प्रयोजक या प्रबंधक की इकाई के सिवाय, अनिवासी के पास हैं:		
12.	मूल निधि और उसके पूरी तरह से स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान का नाम:		
13.	मूल निधि और उसके पूरी तरह से स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान का रजिस्ट्रीकृत पता:	*(नोट 2 देखें)*	
14.	क्या मूल निधि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है :	हां नहीं	
15.	क्या मूल निधि किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 159(1) या धारा 159(2) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है:	हां नहीं	
16.	क्या मूल निधि और उसके क्रियाकलाप उस देश या खास इलाके में लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियम के तहत हैं, जहाँ वह बना है या शामिल है या वहाँ का निवासी है:	हां नहीं	
17.	क्या मूल निधि धारा 70(1)(प) के अधीन विहित शर्तों को पूरा करती है:	हां नहीं	
18.	मूल निधि का रहने का देश:		

19.	मूल निधि और उसके पूरी तरह से स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान की विधिक प्रास्थिति *(नोट 3 देखें)* :	*(एक का चयन करें)*
20.	करदाता का रजिस्ट्रीकरण संख्या या मूल निधि का कोई विशिष्ट पहचान संख्या और रहने वाले देश में उसका पूरी तरह से स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन यान:	

21. अंतरण किए गए शेयरों का विवरण:

क्रम संख्या	भारत में रहने वाली कंपनी का नाम जिसके शेयर अंतरित किए गए हैं	शेयर की संख्या	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	स्थानांतरण की तिथि	बिक्री प्रतिफल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
1.						
2.	*(ज़रूरत हो तो दोहराएं)*					

22.	**अनुसूची 6** के अधीन छूट प्राप्त आय की गणना **[सारणी:** क्रम संख्या **10]:**		
	(i)	भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयर के अंतरण के कारण परिणामी निधि द्वारा उत्पन्न या प्राप्त पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय **[1]** :	
	(ii)	अनिवासी यूनिट धारकों (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के अंतर्गत दैनिक 'प्रबंधन के अधीन आस्तियों' का समग्र मूल्य, विनिर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी किसी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से लेकर ऐसे शेयर के अंतरण की तारीख तक **[2]** :	
	iii.	विनिर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से लेकर ऐसे शेयर के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक कुल 'प्रबंधन के तहत आस्तियों' का समग्र मूल्य **[3]** :	
	iv.	**नियम 285[4]** के अधीन निर्धारित अनुपात :	**[2] / [3]**
	वी	अनिवासी (भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन के रूप में नहीं) द्वारा धारित इकाइयों से संबंधित आय **[5]** :	**[1] × [4]**

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताई गई छूट वाली आय के ब्योरे सहित बताए गए निधि की सभी डिटेल्स मेरी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सही हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता _____ (पदनाम) के तौर पर दे रहा/रही हूँ और मेरे पास पैन _____ है और मैं यह आवेदन देने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ।

यह भी सत्यापित किया गया है कि लेखाकार की प्रारूप संख्या 179 के प्रमाणन _____ को फाइल किया गया है।

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

पदनाम:

टिप्पण:

1. नाम में बताई गई निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।
3. **विनिर्दिष्ट निधि की विधिक प्रास्थिति निम्नलिखित में से किसी एक से चुनी जाएगी: –**

i	**कंपनी**
ii	**न्यास**
iii	**सीमित दायित्व भागीदारी**
lv	**निकाय कॉर्पोरेट**

4. प्रारूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।
5. इस प्रारूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 179

[नियम 285(3) *देखें* /

अनुसूची 6 के अधीन लेखाकार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र [सारणी: क्रम संख्या 10]

<table>
<tr><td colspan="4">भाग क : विनिर्दिष्ट निधि का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का निर्देश ले)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का निर्देश ले)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

प्रमाणपत्र

मैंने _____ , खाता बही अगर कोई हों, और अन्य दस्तावेज, जिसमें प्ररूप संख्या 178 में वार्षिक कथन भी शामिल है, की जांच की है, जिसमें _____ (विनिर्दिष्ट निधि का नाम) को हुए या मिले पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की आय का ब्योरा दिखाया गया है, जो अनुसूची 6 [सारणी क्रम संख्या 10] के अधीन छूट वाली है और _____ को खत्म होने वाले कर वर्ष के लिए उक्त क्लॉज के अधीन छूट वाली कुल आय।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सही और सत्य है।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: लेखाकार का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

UDIN, अगर कोई हो:

प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर:

टिप्पण:

1. नाम में बताए गए निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, इलाका/इलाका, डाकघर, शहर/कस्बा/जिला, राज्य, देश और पिन कोड शामिल होगा।
3. जहां विनिर्दिष्ट निधि ने कई स्कीम शुरू की हैं, वहां विनिर्दिष्ट निधि को हर स्कीम के लिए प्ररूप संख्या 178 में छूट वाली आय का वार्षिक कथन अलग से देना होगा।
4. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 180

[नियम 286 देखें /

अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि को अनुमोदन अनुदत्त करने हेतु आवेदन [सारणी: क्रम संख्या 2]

<table>
<tr><td colspan="6">भाग क: आवेदक का ब्यौरा (न्यास/निधि)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 काद निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td>(ड्रॉप डाउन)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">नियोजन संगठन का नाम (जिसमें निधि के सदस्य काम करते हैं)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">नियोजन्य संगठन का पैन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">निधि के उद्देश्य:</td><td colspan="2">(टिप्पणी 3 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="5">निधि के न्यासी/अधिकारी के नाम और पते:
<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>न्यासी का नाम</td><td>पता</td><td>पैन</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="5">निधि में शामिल कर्मचारियों की क्लास और संख्या :
<table>
<tr><td>i</td><td colspan="3">भारत में:
<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>श्रेणीयां</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ii</td><td colspan="3">भारत के बाहर:
<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>श्रेणीयां</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(अपेक्षित हो तो दोहराएं)</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="3">क्या कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर सब्सक्रिप्शन के ज़रिए निधि में योगदान दिया जाता है:</td><td colspan="2">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="5">कर वर्ष के दौरान कुल बढ़ोतरी:
<table>
<tr><td>कर्मचारियों द्वारा योगदान की गई रकम</td><td>कर वर्ष के दौरान उद्भूत आय</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

13.	क्या न्यासी पूरी तरह से और अनन्य रूप से क्रम सं. 8 में बताए गए प्रयोजनों के लिए निधि लगाने या जमा करने का प्रस्ताव रखता है:			हां / नहीं
14.	धारा 350 के अधीन बताए गए एक या ज़्यादा तरीकों में विनिधान/जमा के ब्यौरे:			
	क्रम संख्या	लिखत/प्रतिभूति/स्कीम आदि का नाम।	कीमत	उस पर प्राप्त विनिधा
15.	धारा 350 में बताए गए तरीके के सिवाय किसी और तरीके से किए गए विनिधान/जमा का ब्यौरा:			
	क्रम संख्या	लिखत/प्रतिभूति/स्कीम आदि का नाम।	कीमत	उस पर प्राप्त आय
16.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:			*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*

सत्यापन
मैं, _____, न्यासी/प्रधान अधिकारी की क्षमता में, पैन _____ रखता हूं, इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है, और मैं भाग क (क्रम संख्या 1) में उल्लिखित न्यास/निधि की ओर से इस प्ररूप को दाखिल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। मैं निधि के न्यास विलेख की शर्तों में, या निधि को चलाने वाले नियमों में इसके पश्चात् कभी भी किए गए किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बताने का वादा करता/करती हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण :

1. नाम में न्यास/निधि का पूरा नाम शामिल होना चाहिए।
2. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/इलाका, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/ज़िप कोड शामिल होगा।
3. भाग ख (क्रम संख्या 8) के लिए निम्न में से कोई एक चुनें: —

(क)	सेवानिवृत्ति पर सदस्य को नकद लाभ
(ख)	खुद, जीवनसाथी या आश्रित बच्चों की बीमारी की स्थिति में सदस्य को नकद लाभ
(ग)	आश्रित बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए सदस्य को नकद लाभ
(घ)	अपने, अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के सालाना मेडिकल टेस्ट या मेडिकल चेक-

	अप का खर्च उठाने के लिए सदस्य को कैश बेनिफिट्स
(ड.)	सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को नकद लाभ
(च)	कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें

4. भाग ख (क्रम संख्या 16) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्: -

उपाबंध	विवरण
क-1	निधि बनाने का सबूत देने वाले न्यास के दस्तावेज़ की एक प्रति
क -2	निधि की शुरुआत से लेकर पिछले तीन वर्षों तक के क्रियाकलापों पर टिप्पण, जो भी कम हो
क-3	निधि की शुरुआत से लेकर पिछले तीन वर्षों तक के लेखों की प्रति, जो भी कम हो

5. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

6. इस प्ररूप में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

];

प्ररूप सं. 181

]नियम 289*देखें* [

निर्वाचक न्यास के मामले में नियम 289(12) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

<table>
<tr><td colspan="8">भाग क: निर्वाचक न्यास का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">नाम:</td><td colspan="2">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">पता:</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">स्थायी खाता संख्या (पैन):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">ईमेल आईडी:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="5" rowspan="2">संपर्क संख्या:</td><td>देश कोड</td><td>संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">भाग ख: अन्य जानकारी</td></tr>
<tr><td rowspan="14">6.</td><td colspan="5">प्राप्त और वितरित अभिदाय का ब्यौरा :</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>i.</td><td colspan="4">कर वर्ष में प्राप्त अभिदाय की कुल रकम:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ii.</td><td colspan="4">पात्र राजनीतिक दलों को वितरित अभिदायों की कुल रकम:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>iii.</td><td colspan="4">प्रशासनिक या प्रबंध कृत्यों के लिए उपयोजित अभिदाय की रकम(नियम 289(8)(क) का निर्देश लें) :</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>iv.</td><td colspan="4">अधिशेष अग्रेषित किया गया:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>v.</td><td colspan="4">कर वर्ष के लिए वितरण योग्य अंशदान (नियम 289(8)(ख) देखें) :</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>vi.</td><td colspan="4">क्या कर वर्ष में मिले चंदे को पात्र राजनीति दलों में बांटा गया है?</td><td colspan="2">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td>vii.</td><td colspan="6">यदि (vi) का उत्तर हां है, तो निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करें:</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रम संख्या</td><td>राजनीतिक दल का नाम</td><td>राजनीतिक दल का पैन</td><td>वितरित रकम</td><td>तारीख</td><td>तरीका</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>viii.</td><td colspan="4">अधिशेष आगे बढ़ाया :</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ix.</td><td colspan="4">क्या सभी अभिदत्त खाते संदाय प्राप्त करने वाले या मांग ड्राफ्ट से मिले हैं?</td><td colspan="2">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td>x.</td><td colspan="6">यदि (ix) नहीं है, तो निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करें:</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रम संख्या</td><td>व्यक्ति का नाम</td><td>व्यक्ति का पैन/आधार</td><td>वितरित राशि</td><td>तारीख</td><td>तरीका</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(ज़रूरत हो तो दोहराएं)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>xi.</td><td colspan="4">क्या सभी अभिदाय खाता संदाय प्राप्त करने वाले चैक या मांग ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किए गए हैं?</td><td colspan="2">हां / नहीं</td></tr>
<tr><td>xii.</td><td colspan="4">क्या सभी अभिदाता की लिस्ट रखी गई है?</td><td colspan="2">हां / नहीं</td></tr>
</table>

	xiii.	क्या उन सभी राजनीतिक दलों की सूची रखी गई है, जिन्हें रकम बांटी गई है?	हां / नहीं
7.	नियम 289(10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों (जिन्हें इस भाग में आगे "हितबद्ध व्यक्ति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के लाभ के लिए आय या संपत्ति का आवेदन या उपयोग:		
	i.	₹ 20,000 से ज़्यादा का कोई संव्यवहार हुआ है ? *(टिप्पण 3.क-1 का निर्देश लें)*	हां / नहीं
	ii.	क्या कर वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति को कोई संदाय किया गया था?वेतन, भत्ता या किसी और चीज़ का? *(टिप्पण 3.क-2का निर्देश लें)*	हां / नहीं
	iii.	क्या न्यास को मिले अभिदत्त का कोई हिस्सा कर वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति को उधार दिया गया था, या दिया जा रहा है? *(टिप्पण 3.क-3का निर्देश लें)*	हां / नहीं
	iv.	क्या कर वर्ष के दौरान निर्वावच न्यास की कोई आय या संपत्ति किसी हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में कर दी गई थी? *(टिप्पण 3.क-4 का निर्देश लें)*	हां / नहीं
8.	निर्वावच न्यास द्वारा अपने कार्यों के प्रशासन या प्रबंधन पर किए गए खर्च से जुड़ी जानकारी:		
	i.	क्या निर्वावच न्यास से संबंधित प्रशासनिक या प्रबंधन व्यय नियम 289(8) के अनुसार हैं?	हां / नहीं
	ii.	अगर (i) का जवाब हाँ है, तो क्या ज़रूरी ब्यौरा ठीक से रखी गई हैं?	हां / नहीं
	iii.	अगर (i) नहीं है, तो निर्वावच न्यास द्वारा किए गए खर्च का, मिले कुल अभिदाय के मुकाबले कितना प्रतिशत है?	
9.	दूसरी जानकारी अलग से दी जाएगी:		*(टिप्पण 3 के अनुसार संलगन करें)*

सत्यापन

मैंने तुलन पत्र _____ की जांच की है(निर्वाचन न्यास का नाम) _____ (दिन-मास-वर्ष) तक और आय और उस तारीख को समाप्त हुए कर वर्ष के लिए व्यय खाता और प्रमाणित करें कि तुलन पत्र और आय और व्यय खाता उक्त निर्वाचन न्यास द्वारा बनाए गए खाता बहीयों के साथ सहमत हैं।

मुझे वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण मिल गए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के लिए ज़रूरी थे।

मेरी राय में मुख्यालय द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है और ऊपर बताए गए निर्वाचन न्यास की जिन शाखा में मैं गया ,जहाँ तक पुस्तकों की मेरी जाँच से पता चलता है ,और जिन शाखा में मैं नहीं गया हूँ ,वहाँ से संपरीक्षा के लिए सही दस्तावेज मिले हैं ,जो नीचे दी गई टिप्पणीयों के अधीन हैं:

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार, और मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, ये लेखे सही और सही जानकारी देते हैं-

(i) _____ (दिन-मास-वर्ष) तक की स्थिति ; और

(ii) उस तारीख को अंत होने वाले लेखा वर्ष के लिए की आय और व्यय के लेखों अधिशेष या कमी की दशा में।

विहित जानकारी ऊपर भाग क और ख में दी गई है।

स्थान :

हस्ताक्षर:

तारीख :

अकाउंटेंट का नाम:

पद का नाम:

सदस्यता संख्या:

UDIN, अगर कोई हो:

प्रोप्राइटरशिप/फर्म का नाम:

फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर:

टिप्पण:

1. नाम में निर्वाचक न्यास का पूरा नाम शामिल होगा।

2. पते में फ्लैट/दरवाज़ा/इमारत ,सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर ,इलाका/इलाका ,डाकघर ,शहर/कस्बा/जिला, राज्य ,देश और पिन कोड शामिल होगा।

3. भाग ख)क्रम संख्या 9) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्- :

अनुलग्नक	विवरण
क-1	किसी इच्छुक व्यक्ति के साथ ₹ 20,000 से अधिक के संव्यवहार का विवरण प्रदान करें ।
क -2	यदि भाग क (क्रम संख्या 7(ii)) में हां, तो कर वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति को किए गए संचय का विवरण प्रदान करेंवेतन, भत्ता या अन्यथा का।
क-3	यदि भाग ख (क्रमांक 7(iii)) में हां, तो रकम, लगाए गए ब्याज दर तथा सुरक्षा की प्रकृति का विवरण प्रदान करें।
क-4	यदि भाग ख (क्रमांक 7(iv)) में हां, तो निर्वाचक न्यास की आय या संपत्ति का विवरण प्रदान करें जिसे कर वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति के पक्ष में मोडा गया था, साथ ही इस प्रकार मोडी गई आय या संपत्ति के मूल्य की रकम भी प्रदान करें।

4. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है-

   a. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 क,34) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट; या

   b. कंपनी अधिनियम की धारा 141 के उपबंधों के द्वारा किसी राज्य के संबंध में कोई व्यक्ति जो, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।

5. जहां इस रिपोर्ट में कथित कोई विषय नकारात्मक रूप से कथित है या अर्हता सहित रिपोर्ट में इसके कारण भी बताए जाएंगे।

6. प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके, पहले से भरी हुई होगी।

7. इस फॉर्म में बताई गई रकम रुपये में ही भरनी है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो।

प्ररूप संख्या 182

[नियम 290 *देखें*]

चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता और रबड़ विकास खाता के लिए कटौती हेतु अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

भाग- क

अधिनियम की अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट, ऐसे दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृति के खातों का किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई हो

मैं, ... जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है को रिपोर्ट करना है कि ..... (करदाता का नाम और पता) जिसका स्थायी खाता संख्या ..... है, की वैधानिक संपरीक्षा मेरे / मेसर्स ..... द्वारा ..... के उपबंधों के अनुसरण में की गई थी।

मैं इसके साथ तारीख ..... की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, ... को समाप्त वर्ष के लिए संपरीक्षित लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी में से प्रत्येक की एक प्रति तथा ..... की संपरीक्षित तुलन पत्र की एक प्रति, साथ ही सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी तथा तुलन पत्र का हिस्सा घोषित या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को संलग्न करता हूँ।

अनुसूची 9 के पैरा 2 के उप-पैरा 2 के अधीन जरूरी एक और रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी गई है।

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सटीक है।

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

संपरीक्षक का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो तो.....

स्वामित्व/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।
2. अगर इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।
3. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है-

(i) अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट एक लेखाकार; या

(ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के आधार पर संबंधित कर वर्ष के लिए करदाता के खातों की संपरीक्षा करने का हकदार है।

भाग- ख

अधिनियम की अनुसूची 9 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृति के खाते का किसी दूसरी विधि के अधीन संपरीक्षित नहीं किया गया हो।

मेरे पास स्थायी खाता संख्या ..... है। ..... (निर्धारिती का नाम व पता) की स्थायी खाता संख्या ..... वाली तुलन पत्र की ..... तक जांच की है तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता/आय व व्यय विवरण की जांच की है, जो ..... स्थित प्रधान कार्यालय में रखी गई खाता बहियों से मेल खाते हैं और शाखा ..... पर है।

मैंने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण ले लिया है जो मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के लिए ज़रूरी थे।

निर्धारिती की शाखाओं ने सही लेखा बहियाँ रखी हैं, जो नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं:

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये खाता सही और सही जानकारी देते हैं -

(i) तुलन पत्र की दशा में, उपर्युक्त राज्य के निर्धारिती की दशा में ..... पर और

(ii) *लाभ और हानि खाता/आय और व्यय विवरण के मामले में, उपर्युक्त के लाभ या आय या हानि का ..... को समाप्त होने वाले कर वर्ष के लिए निर्धारिती

धारा 48 के अधीन कटौती के दावे के सत्यापन के लिए ज़रूरी ब्यौरा इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दिए गए हैं।

मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

संपरीक्षक का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो तो.....

मालिकाना हक/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पणः

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।

2. यदि इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।

3. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट संपरीक्षक द्वारा दी जानी है।

भाग- ग

पंक्ति सं.	**निर्धारिती का विवरण**		
1.	निर्धारिती का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रास्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
7.	कर वर्ष		

भाग- घ

पंक्ति सं.	**धारा 48 के अधीन कटौती के दावे से संबंधित विवरण का विवरण**	
1.	बही-खातों की जांच	
2.	(क) लेखांकन की नियोजित विधि	☐ नकद पद्धति

	(किसी एक को चुनें)	☐ एक संचय विधि
	(ख) क्या पिछले कर वर्ष में इस्तेमाल किए गए लेखांकन के तरीके में कोई बदलाव हुआ है?	*हां / नहीं*
	(ग) अगर ऊपर (ख) का जवाब हाँ है, तो लेखांकन के तरीके में हुए बदलाव की जानकारी दें।	
3.	(क) क्या भारत में चाय/कॉफी/रबर उगाने और विनिर्माण के कारबार के लिए अलग-अलग खाते रखे जाते हैं?	*हां / नहीं*
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो धारा 48 के अधीन कोई कटौती करने से पहले ऐसे कारबार का लाभ, "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत संगणित किया जाएगा	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*
	(ग) यदि अलग खाते नहीं रखे गए हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो नीचे दी गई जानकारी दें:	
	(i) भारत में चाय/कॉफी/रबर उगाने और विनिर्माण के कारबार की कुल बिक्री या आवर्त	
	(ii) धारा 48 के अधीन कोई कटौती करने से पहले "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन संगणित निर्धारिती के कारबार की कुल बिक्री या आवर्त	
	(iii) चाय/कॉफी/रबर उगाने और विनिर्माण के कारबार का आनुपातिक लाभ	

4. भारत में चाय/कॉफी/रबर उगाने और बनाने के कारबार से "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर लगने वाली आय में से, विशेष स्कीम या जमा स्कीम के हिसाब से एक तय खाता में जमा रकम की जानकारी दें :

क्रम संख्या	***विनिर्दिष्ट खाता*** *(विशेष खाता/जमा खाता)*	***खाता संख्या***	***आईएफएससी कोड***	***जमा रकम***	***जमा करने की तारीख***
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

5. (क) ऊपर पंक्ति संख्या 4 में उल्लिखित खाते से की गई निकासी/जारी की गई के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	***विनिर्दिष्ट खाता*** *[विशेष खाता/जमा खाता]*	***निकाली गई/जारी की गई राशि*** **(₹)**	***निकासी / जारी करने की तिथि***	***जिस प्रयोजन के लिए निकासी/जारी की गई*** [विनिर्दिष्ट स्कीम या जमा योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए या अनुसूची 9 के पैरा 3(1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए]

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

(ख) यदि निकासी / जारीकरण अनुसूची 9 के पैरा 3(1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए है, तो विनिर्दिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करें	• कारबार का बंद होना • निर्धारिती की मृत्यु • हिंदू अविभाजित कुटुम्ब का विभाजन • फर्म का विघटन • कंपनी का परिसमापन
(ग) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 3(2) के अनुसार) जहां निकासी/जारी करना (i) कारबार के बंद होने या (ii) फर्म के विघटन के कारण की जाती है	

(घ) ऊपर 5(क) में बताए गए निकासी/जारी करना में से इस्तेमाल की गई रकम, जिस प्रयोजन के लिए और जिस तारीख को रकम इस्तेमाल की गई, उसका ब्यौरा।

क्रम संख्या	***उपयोग की मात्रा***	***उपयोग की तारीख***	***उपयोग का प्रयोजन***
(क)	*(ख)*	*(ग)*	*(घ)*
	कुल		

(ख) क्या स्तंभ 5(क) के अनुसार निकाली/जारी की गई किसी रकम का उपयोग अनुसूची 9 के पैरा 3(6) में निर्दिष्ट किसी वस्तु की खरीद के लिए किया गया है?	*हां / नहीं*
(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर हां है, मानी गई आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 3(3) के अनुसार) जहां रकम ऐसी खरीद के लिए उपयोग की जाती है	
(घ) उपयोग की गई किसी रकम को "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर योग्य आय की गणना करने में भत्ते के रूप में दावा किया गया है?	*हां / नहीं*
(ङ) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो भत्ते के रूप में दावा की गई रकम निर्दिष्ट करें	
(च) क्या स्तंभ 5(क) के अनुसार निकाली/जारी की गई कोई रकम उपयोग नहीं की गई है (पूरी तरह या कुछ हिस्से में) कर वर्ष के अंदर विशेष स्कीम या जमा स्कीम के हिसाब से कारबार के प्रयोजन हेतु	*हां / नहीं*
(छ) यदि उपरोक्त (च) का उत्तर हां है, तो मानी गई	

<table>
<tr><td></td><td colspan="7">आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 3(4) के अनुसार) जहां रकम का इस प्रकार उपयोग नहीं किया गया है</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="7">(क) क्या विशेष स्कीम या जमा स्कीम के नियमों के अधीन खरीदी गई कोई संपत्ति कर वर्ष के दौरान बेची गई है या किसी और तरह से ट्रांसफर की गई है?</td><td>हां / नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="8">(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:</td></tr>
<tr><td colspan="8"><table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>आस्ति का विवरण</td><td>अधिग्रहण की तारीख</td><td>अधिग्रहण की लागत</td><td>बिक्री/अंतरण की तारीख</td><td>बिक्री/ अंतरण के लिए प्रतिफल</td><td>उस व्यक्ति का नाम जिसे बिक्रय/अंतरण किया गया</td><td>जिस व्यक्ति को बिक्रय/अंतरण किया गया है, उसका स्थायी खाता संख्या</td></tr>
<tr><td>क</td><td>ख</td><td>ग</td><td>घ</td><td>ङ</td><td>च</td><td>छ</td><td>ज</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="7">(ग) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 9 के पैरा 5 के अनुसार), यदि कोई हो</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">धारा 48 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम</td><td></td></tr>
</table>

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

संपरीक्षक का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन), यदि कोई हो तो.....

मालिकाना हक/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

1. किसी व्यष्टि की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यष्टि (ii) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. संबंधित पंक्ति संख्या के बारे में नीचे दी गई जानकारी उपाबंध के तौर पर दी जाएगी; अर्थात्

उपाबंध	इसके संबंध में	विवरण
क -1	भाग घ [पंक्ति संख्या 3(ख)]	इस रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि खाता / आय और व्यय कथन और तुलन पत्र की कॉपी। अगर चाय या कॉफ़ी या रबर उगाने और बनाने के कारबार के लिए अलग-अलग खाते बनाए जाते हैं, तो ऐसे कारबार के लिए लाभ और हानि खाता / आय और व्यय कथन और तुलन पत्र अलग से संलग्न की जा सकती है।

5. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी चाहिए।
6. जब तक कुछ और न बताया गया हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररूप संख्या 183

[नियम 291 *देखें*]

स्थल निधि प्रत्यावर्तन के लिए कटौती हेतु अनुसूची 10 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

भाग- क

अधिनियम की अनुसूची 10 के पैराग्राफ 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट,
ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृति के खातों का किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किया गया हो

मैं ……. जिसका स्थायी खाता संख्या …… है , को रिपोर्ट करना है कि ……. (निर्धारीति का नाम और पता) जिसका स्थायी खाता संख्या ……. है, का वैधानिक संपरीक्षा **मेरे/मेसर्स …….. द्वारा …….. के उपबंधों के अनुसरण में किया गया था।**

मैं इसके साथ तारीख…….. की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, …….. को समाप्त वर्ष के लिए संपरीक्षित लाभ और हानि खाता/आय और व्यय कथन में से प्रत्येक की एक प्रति तथा …….. की संपरीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति, साथ ही सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि खाता/आय और व्यय कथन तथा तुलनपत्र का हिस्सा घोषित या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को संलग्न करता हूँ।

अनुसूची 10 के पैरा 2 के उप-पैरा 2 के अधीन ज़रूरी एक और रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी गई है।

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्ररूप के भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान *हस्ताक्षर*
तारीख

लेखाकार का नाम ……
पद का नाम……
सदस्यता संख्या……
यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो ……
मालिकाना हक/फर्म का नाम ……..
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या……..

टिप्पण:

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।

2. अगर इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।

3. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है–

(i) अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट एक लेखाकार; या

(ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के आधार पर संबंधित कर वर्ष के लिए निर्धारीति के खातों की संपरीक्षा करने का हकदार है।

भाग ख

अधिनियम की अनुसूची 10 के पैरा 2 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, ऐसी दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृति के खाते का किसी दूसरी विधि के अधीन संपरीक्षा नहीं की गई हो।

..... की तुलनपत्र (निर्धारीति का नाम और पता) जिसका स्थायी खाता सं. ..... है, और उस तारीख को खत्म हुए वर्ष के लिए *लाभ और हानि खाता/ आय और व्यय कथन की जांच की है, जो **.....** मुख्यालाय में रखी गई खाता बही से मेल खाती है।और शाखाएँ **..... पर हैं**

मुझे वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण मिल गए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के लिए ज़रूरी थे।

निर्धारीति की शाखाओं ने सही खाताबही रखी हैं , जो नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं:

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये खाता सही और सही जानकारी देते हैं-

(i) तुलनपत्र के मामले में , उपर्युक्त राज्य निर्धारीति के मामले **.....** तक और

(ii) *लाभ और हानि खाता/आय और व्यय विवरण के मामले में , उपर्युक्त के लाभ या आय या हानि का**.....** को समाप्त होने वाले कर वर्ष के लिए निर्धारीति

धारा 49 के अधीन कटौती के दावे के सत्यापन के लिए ज़रूरी ब्यौरा इस प्ररूप के भाग ग और **भाग घ में दिए गए हैं।**

मेरी राय में और मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भाग ग और भाग घ में दी गई जानकारी सही और सटीक है।

स्थान *हस्ताक्षर*
तारीख

लेखाकार का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो .....

मालिकाना हक/फर्म का नाम ……..

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या……..

टिप्पण:

1. *जो भी लागू न हो उसका लोप कर दें।

2. अगर इस रिपोर्ट में बताई गई किसी बात का जवाब 'नहीं' में या किसी शर्त के साथ दिया गया है, तो रिपोर्ट में उसके कारण भी बताए जाएंगे।

3. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी है।

पंक्ति सं.	**भाग का विवरण**		
1.	निर्धारीति का नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*	
2.	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*	
3.	स्थायी खाता संख्या		
4.	प्रस्थिति	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*	
5.	ईमेल आईडी		
6.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	संख्या
7.	कर वर्ष		

पंक्ति सं.	**भाग घ : धारा 49 के अधीन कटौती के दावे से संबंधित विवरण का कथन**	
1.	बही-खातों की जांच	
2.	(क) लेखांकन का इस्तेमाल किए जाने की पद्धति (सुसंगत बॉक्स पर टिक करें)	☐नकद पद्धति ☐ प्रोद्भूत पद्धति
	(ख) क्या पिछले कर वर्ष में इस्तेमाल किए गए लेखांकन की पद्धति में कोई बदलाव हुआ है?	*(हां/नहीं)*
	(ग) यदि ऊपर (ख) का जवाब हाँ है, तो लेखांकन की पद्धति में हुए बदलाव की जानकारी दें।	
3.	(क) क्या भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वेक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित कारबार के संबंध में अलग खाते बनाए जाते हैं।	*(हां/नहीं)*
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो धारा 49 के अधीन कोई कटौती करने से पहले ऐसे कारबार का लाभ, "कारबार या वृति के	*(नोट 4 देखें)*

	लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन संगणित किया जाएगा	
	(c) पृथक खाते नहीं रखे गए हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो नीचे दी गई जानकारी दें:	
	(i) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित कारबार की कुल बिक्री या आवर्त	
	(ii) निर्धारीति के कारबार की कुल बिक्री या आवर्त	
	(iii) धारा 49 के अधीन कोई कटौती करने से पहले "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत संगणित निर्धारीति के कारबार का कुल लाभ	
	(iv) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन से जुड़े कारबार का आनुपातिक लाभ	

4. विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार, कर वर्ष समाप्त होने से पहले किसी विनिर्दिष्ट खाते में जमा की गई रकम की जानकारी दें, जो "कारबार या वृति से होने वाले लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर लगने वाली आय में से हो:

क्रम सं.	***विनिर्दिष्ट खाता*** *(विशेष खाता/स्थल प्रत्यावर्तन खाता)*	***खाता संख्या***	***आईएफएससी कोड***	***जमा रकम***	***जमा करने की तारीख***
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)

5.	कर वर्ष के दौरान पंक्ति सं. 4 में बताए गए खाते में जमा किया गया ब्याज	

6. (क) ऊपर पंक्ति सं. 4 में बताए गए खाते से किए गए निकास/जारी की नीचे दी गई जानकारी दें:

क्रम संख्या	***विनिर्दिष्ट खाता*** *(विशेष खाता/स्थल प्रत्यावर्तन खाता)*	***निकासी/जारी की गई रकम (₹)***	***निकासी/जारी करने की तारीख***	***जिस प्रयोजन के लिए निकासी/ जारी की गई*** *(क्या यह विशेष स्कीम/जमा स्कीम में बताए गए प्रयोजन के लिए हो) (हां/नहीं)*
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)

(ख) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 10 के पैरा 3(3) के अनुसार) जहां विनिर्दिष्ट खाते को बंद करने के कारण निकासी/जारी की जाती है	

ऊपर 6(क) में बताए गए निकास/जारी किए गए में से इस्तेमाल की गई रकम का ब्यौरा दें, साथ ही यह भी बताएं कि रकम किस प्रयोजन के लिए और किन तारीखों को इस्तेमाल की गई थी।

क्रम संख्या	***उपयोग की मात्रा***	***उपयोग की तारीख***	***उपयोग का प्रयोजन***
(ए)	*(बी)*	*(सी)*	*(डी)*
	कुल		

	(घ) क्या अनुसूची 10 के पैरा 3(2)(ख) में निर्दिष्ट किसी वस्तु की खरीद के लिए किसी रकम का उपयोग किया गया है	*(हां/नहीं)*
	(ड.) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो उपयोग की गई रकम	
	(च) क्या स्तंभ 6(क) के अनुसार निकाली गई/जारी की गई कोई रकम कर वर्ष के भीतर विशेष स्कीम या जमा स्कीम के अनुसार कारबार के प्रयोजनों के लिए (पूरी या आंशिक रूप से) उपयोग नहीं की गई है?	*(हां/नहीं)*
	(छ) यदि उपरोक्त (च) का उत्तर हां है, तो मानी गई आय की रकम (अनुसूची 10 के पैरा 3(5) के अनुसार) जहां रकम का उपयोग नहीं किया जाता है	
	(ज) उपयोग की गई किसी रकम को "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अधीन कर योग्य आय की गणना करने में भत्ते के रूप में दावा किया गया है?	*(हां/नहीं)*
	(झ) अगर ऊपर (ज) का जवाब हाँ है, तो भत्ते के तौर पर दावा की गई रकम बताएँ।	

7.	(क) क्या विशेष स्कीम या जमा स्कीम के उपबंध के अनुसार अर्जित की गई कोई आस्ति कर वर्ष के दौरान बेची गई है या किसी और तरह से अंतरण की गई है।				*(हां/नहीं)*			
	(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:							
	क्रम संख्या	आस्ति *का विवरण*	*अधिग्रहण की तारीख*	*अधिग्रहण की लागत*	*बिक्री / अंतरण की तारीख*	*बिक्री/ अंतरण के लिए प्रतिफल*	*उस व्यक्ति का नाम जिसे बेचा/ अंतरण किया गया*	*जिस व्यक्ति को बेचा/अंतरित किया गया है, उसका स्थायी खाता संख्या*
	क	*ख*	*ग*	*घ*	*ड.*	*च*	*छ*	*ज*
	(ग) मानी गई आय की रकम (अनुसूची 10 के पैरा 5 के अनुसार), यदि कोई हो							
8.	धारा 49 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम							

स्थान *हस्ताक्षर*

तारीख

लेखाकार का नाम .....

पद का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन विवरण, यदि कोई हो .....

मालिकाना हक/फर्म का नाम .....

फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

टिप्पण:

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फ़ॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पते में निम्नलिखित जानकारी होगी: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, vi. क्षेत्र/बस्ती, vii. जिला, viii. राज्य।
3. 'व्यक्ति' प्रास्थिति को इस प्रकार भरें (i) व्यक्ति (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब (iii) कंपनी (iv) फर्म (v) व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं (vi) व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं (vii) स्थानीय प्राधिकरण (viii) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ix) सरकार (x) न्यास
4. संबंधित पंक्ति सं. के बारे में नीचे दी गई जानकारी उपाबंध के तौर पर दी जाएगी ,अर्थात:

उपाबंध	इसके संबंध में	विवरण
क-1	भाग घ [पंक्ति संख्या 3(ख)]	इस रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि खाता/आय और व्यय कथन और तुलनपत्र की कॉपी। अगर चाय या कॉफ़ी या रबर उगाने और बनाने के कारबार के लिए अलग-अलग खातें बनाए जाते हैं ,तो ऐसे कारबार के लिए लाभ और हानि खाता/ आय और व्यय कथन और तुलनपत्र अलग से संलग्न की जा सकती है।

5. यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 515(3)(ख) में निर्दिष्ट लेखाकार द्वारा दी जानी चाहिए।
6. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, रकम ₹ में भरी जाएगी।

प्ररुप संख्या 184

[नियम 293 देखें]

भविष्य निधि/उपदान निधि के लिए नामनिर्देशन/उपांतरणीय नामनिर्देशन का प्ररुप

भाग – क: आधारभूत ब्यौरा				
1.	कर्मचारी का ब्यौरा			
	(i)	नाम		(टिप्पण 1 का निर्देश लें)
	(ii)	पता		(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या		
	(iv)	आधार		
	(v)	लिंग		
	(vi)	जन्म तारीख		
	(vii)	धर्म		
2.	वैवाहिक प्रास्थिति *(एक का चयन)*			1. अविवाहित 2. विवाहित 3. विधवा/विधुर
3.	क्या आपका परिवार है (*नियम 293 एवं 319 के अनुसार*)?			1. हां 2. नहीं
भाग - ख: निधि का ब्यौरा				
4.	निधि का प्रकार *(एक का चयन)*			1. भविष्य निधि 2. उपदान
5.	निधि का नाम			
6.	कर्मचारी का खाता संख्या			
भाग - ग: नामनिर्देशिती का ब्यौरा				
7.	नामनिर्देशन का प्रकार *(एक का चयन)*			1. नया नामनिर्देशन 2. विद्यमान नामनिर्देशन में उपांतरण
8.	नामनिर्देशिती व्यक्ति का ब्यौरा			
	क.	(i)	नाम	**(टिप्पणी 1 का निर्देश लें)**
		(ii)	स्थायी खाता संख्या	
		(iii)	आधार संख्या	
		(iv)	पता	(टिप्पण 2 का निर्देश लें)
		(v)	आयु	
		(vi)	नामनिर्देशिती का कर्मचारी के साथ रिश्ता	
		(vii)	भविष्य निधि में जमा रकम या हिस्सा/हर नामनिर्देशिती को दी जाने वाली उपदान की रकम या हिस्सा	
		(viii)	अगर नामनिर्देशिती नाबालिग है तो अभिभावक का नाम	(टिप्पणी 1 का निर्देश लें)
		(ix)	अगर नामनिर्देशिती नाबालिग है तो अभिभावक का स्थायी खाता संख्या	
		(x)	अगर नामनिर्देशिती नाबालिग है तो कर्मचारी के साथ अभिभावक का रिश्ता	
	ख.	*(जरुरत हो तो दोहराएं)*		

कर्मचारी द्वारा प्रमाणन

1. मैं (पंक्ति-8) में उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को उपदान की रकम या मेरे भविष्य निधि में जमा रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता/करती हूँ, यदि मेरी मृत्यु उस रकम के देय होने से पहले हो जाती है या देय होने के बाद भी उसका संदाय नहीं किया गया है, और मैं निर्देश देता/देती हूँ कि उक्त रकम उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों के बीच उनके नामों के नीचे दर्शाई गई रीति में वितरित की जाए।

*2. यह नामांकन "मौजूदा नामांकन में संशोधन" (पंक्ति संख्या 7 देखें) की प्रकृति का है, और मैं उपदान या मेरी मौत पर भविष्य निधि में जमा मेरी रकम के निपटान के संबंध में मेरे द्वारा पहले किए गए नामनिर्देशन को रद्द करता/करती हूँ।

*3. मेरा कोई परिवार नहीं है (पंक्ति संख्या 3 देखें), और यदि भविष्य में मेरा परिवार होता है, तो उपरोक्त नामांकन (पंक्ति संख्या 8 के अनुसार) रद्द माना जाएगा।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी

1. नामः
2. नामः

तारीख: स्थान:

न्यासी/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, प्रविष्टियों को पढ़ने के पश्चात / प्रविष्टियों को मेरे द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाया गया है*।

तारीख _____

इस संबंध में न्यासी या न्यासी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे हटाएं

टिप्पणी:—

1. किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।
2. पता निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए
   i. देश/क्षेत्र,
   ii. फ़्लैट/दरवाजा/इमारत,
   iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
   iv. पिन/ज़िप कोड,
   v. डाकघर,
   vi. क्षेत्र/मोहल्ला,
   vii. जिला,
   viii. राज्य,

3. **जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, रकम रु में भरी जानी है।**

प्ररूप संख्या 185

[नियम 294 देखें]

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के सब्स्क्राइबर के खाते का रखरखाव करने का प्ररूप

नाम _____

खाताबंद तारीख
निधि में शामिल होने की तारीख
कर्मचारी को संदत
नियोजक को अथवा निधि में कालातीत
नियोजक द्वारा निधि वसूली

		भाग- क											
	वर्ष और मास	वेतन	किसी अन्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि से अंतरित रकम	कर्मचारी द्वारा अभिदाय	नियोजक द्वारा नियमित अभिदाय	नियोजक का आकस्मिक प्रकृति का अभिदाय	स्तंभ 3, 4, 5 और का कुल योग 6	स्तंभ 7 पर कुल ब्याज	नियम 277 के अनुसार गैर-कराधये अभिदाय	नियम 277 के अनुसार कराधये अभिदाय	नियम 277 के अनुसार गैर-कराधये अभिदाय पर ब्याज (9 पर ब्याज)	नियम 277 के अनुसार कराधये अभिदाय पर ब्याज (10 पर ब्याज)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(क)	अग्रेषित शेष												
(ख)	अप्रैल												
(ग)	मई												
(घ)	जून												
(ड़)	जुलाई												
(च)	अगस्त												
(छ)	सितम्बर												
(ज)	अक्टूबर												
(झ)	नवंबर												
(ञ)	दिसंबर												
(ट)	जनवरी												
(ठ)	फ़रवरी												
(ड)	मार्च												
(ढ़)	कुल												
(ण)	अस्थायी निकासी खाता के कारण समायोजन												
(त)	कोई अन्य समायोजन												
(थ)	कुल (समायोजन के पश्चात)												

भाग -बी											
नाम	खाते का सारांश -[प्रत्येक कर्मचारी के भाग-क की पंक्ति (घ) में दीए गए अनुसार]										
	वेतन	किसी अन्य मन्यताप्राप्त भविष्य निधि से अंतरित रकम	कर्मचारी द्वारा अभिदाय	नियोजक द्वारा नियमित अभिदाय	नियोजक का आकस्मिक प्रकृति का अभिदाय	स्तंभ 3, 4, 5 और का कुल योग 6	नियम 277के अनुसार गैर-कराधये अभिदाय	नियम 277के अनुसार कराधये अभिदाय	नियम 277के अनुसार गैर-कराधये अभिदाय पर ब्याज	नियम 277के अनुसार कराधये अभिदाय पर ब्याज	टिप्पणिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्मचारी 1											
कर्मचारी 2											
कर्मचारी 3											
कर्मचारी 4											
कर्मचारी 5											
कर्मचारी 6											
कर्मचारी 7											
आवश्यकतानुसार दोहराएँ											

प्रारूप संख्या 186

[नियम 296 देखें]

अधिनियम की अनुसूची II के भाग-क के अधीन भविष्य निधि की मान्यता के लिए आवेदन

भाग- क			
1.	नियोजक का विवरण		
	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
	(ii)	पता	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**	
	(iv)	कारबार/वृति	
	(v)	कारबार का मुख्य स्थान	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(vi)	कर्मचारियों की कुल संख्या	
	(vii)	भारत में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	
भाग-ख			
2.	स्थापन का ब्यौरा		

	(i)	नाम		
	(ii)	क्या कर्मचारियों के अधीन आते हैं भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम)		**(i)** हाँ **(ii)** नहीं *(एक का चयन)*
	(iii)	यदि पंक्ति सं. 2(ii) का उत्तर हाँ है, तो क्या धारा की अधीन आता है।		**(i)** ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1(3) का **(ii)** ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1(4) का *(एक का चयन)*
	(iv)	क्या ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट दी गई है		**(i)** हाँ **(ii)** नहीं *(एक का चयन)*
	(v)	यदि पंक्ति सं. 2(iv) का जवाब 'हाँ' है, तो कृपया ज़रूरी बताएँ:		
		(क)	क्रम संख्या	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
		(ख)	आदेश की तारीख	*दिन/माह/ वर्ष*
	(vi)	यदि पंक्ति सं. 2(iv) का जवाब 'नहीं' है, तो कृपया ज़रूरी बताएं:		
		(क)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आवेदन की तारीख	*दिन/माह/वर्ष*
		(ख)	आवेदन की प्रास्थिति	**(i)** अस्वीकृत **(ii)** लंबित *(एक का चयन करें)*
भाग-ग				
3.	निधि का ब्यौरा			

	(i)	नाम	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
	(ii)	**स्थायी खाता संख्या**	
	(iii)	निर्माण की तारीख	
4.	**निधि की सदस्यता लेने वाले कर्मचारियों की संख्या**		
	(i)	भारत में	
	(ii)	भारत के बाहर	
5.	जहाँ निधि के खाते रखें जाएंगे या बनाए रखें जाएंगे		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
6.	निधि के न्यासियों की संख्या		
7.	न्यासियों का विवरण		

क्रम संख्या	न्यासी का नाम	स्थायी खाता संख्या	न्यासी का पता
1.	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
2.	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*

8.	क्या यह एक प्रतिसंहरणीय न्यास है।	**(i)** हाँ **(ii)** नहीं *(एक का चयन करें)*

9.	यदि पंक्ति संख्या 8 का उत्तर नहीं है, उसके कारण		
10.	अभिदान का विवरण कर्मचारी के वेतन के प्रतिशत के रूप में:		
	(i)	कर्मचारी	
	(ii)	नियोजक	
	(iii)	नियोजक (प्रस्तावित)	
11.	क्या निधि को 31.03.2006 से पहले आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता दी गई थी?		**(i)** हाँ **(ii)** नहीं *(एक का चयन करें)*
12.	यदि पंक्ति संख्या 11 का जवाब हां है, कृपया अनुमोदन की तारीख इंगित करें।		*दिन/माह/ वर्ष*
13.	यदि निधि पहले से ही विद्दमान है, तो आवेदन की तारीख से पहले समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के ससंगत ब्यौरे		
	(i)	निधि का कुल समग्र	
	(ii)	पालन किया जा रहा है विनिधान पैटर्न का *[नियम 292 में विहित विनिधान पैटर्न के अनुसार ब्यौरा दें]*	
भाग-घ			
14.	क्या स्थापन के पास अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि है		**(i)** हाँ **(ii)** नहीं *(एक का चयन करें)*

15.	यदि पंक्ति संख्या 14 का जवाब हां है, कृपया सुसंगत इंगित करें		
	(i)	आदेश संख्या	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
	(ii)	तारीख	*दिन/माह/ वर्ष*
	(iii)	प्राधिकरण जिसने अनुमोदन अनुदत्त है	
16.	क्या स्थापन के पास अनुमोदित उपदान निधि है		**(i)** हाँ **(ii)** नहीं *(एक का चयन करें)*
17.	यदि पंक्ति संख्या 16 का जवाब हाँ है, कृपया इंगित करें:		
	(i)	आदेश संख्या	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
	(ii)	आदेश की तारीख	*दिन/माह/ वर्ष*
	(iii)	प्राधिकरण जिसने अनुमोदन अनुदत्त किया है	
18.	अन्य ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में प्रदान करने होंगे।		*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*

सत्यापन

मैं/हम ,..... उपरोक्त नामित निधि के न्यासी, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसके साथ भेजे गए दस्तावेज़ मूल की सच्ची प्रतियां हैं।

हस्ताक्षर:

टिप्पण:

1. **किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के सही टाइटल (मिस्टर /मिसेज़ /मिसेज़) के साथ पूरा दिया जाएगा । किसी और दशा में भी ,नाम पूरा दिया जाएगा।**

2. **पते में ये बातें होंगी:**

i. **देश/क्षेत्र,**

ii. **फ्लैट/दरवाजा/इमारत,**

iii. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,**

iv. **पिन/ज़िप कोड,**

v. **पोस्ट ऑफ़िस,**

vi. **क्षेत्र/इलाका,**

vii. **ज़िला,**

viii. **राज्य**

3. संबंधित ऑर्डर नंबर ,छूट या मंज़ूरी देने वाले ऑर्डर का रेफरेंस नंबर होगा ,जैसा भी मामला हो।

4. क्रमांक (18) के संबंध में निम्नलिखित विवरण अनुलग्नक के रूप में प्रदान किए जाएंगे , अर्थात्-:

उपाबंध	विवरण
क-1	न्यास विलेख की प्रति (नियम 296 का उपनियम (1) का निर्देश लें)
क-2	निधि के नियमों की प्रति (नियम 296के उपनियम (1) का निर्देश लें)
क-3	यदि स्थापन ईपीएफ़ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन दस्तावेजी साक्ष्य यदि स्थापन को छूट है। (पंक्ति संख्या 2(iv) और)v) देखें(
क-4	ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 17 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि से प्राप्ति का साक्ष्य यदि स्थापन को छूट नहीं है। (पंक्ति संख्या 2(vi) देखें)
क-5	यदि निधि को 31.03.2006 से पहले आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता दी गई थी, तो अनुमोदन पत्र की प्रति (पंक्ति सं.12 देखें)
क-6	यदि निधि पहले से विद्दमान है, तो आवेदन की तारीख से पूर्व समाप्त हो रहे वितीय वर्ष से सुसंगत निधि के तुलनपत्र की प्रति (पंक्ति सं.13 देखें)

4. जहाँ एक से अधिक न्यासी हैं ,वहाँ आवेदन करने के लिए अधिकृत न्यासी प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा।

5 प्रारूप में कुछ जानकारी ,जितना संभव हो सके ,पहले से भरी हुई होगी।

प्ररूप संख्या 187

भविष्य निधि से मान्यता को मना करने या मान्यता को वापस लेने के विरुद्ध अपील, सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि से अनुमोदन को मना करने या अनुमोदन को वापस लेने के विरुद्ध अपील।

सेवा में,
अध्यक्ष
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली

	भाग-क		
1.	**अपीलकर्ता (नियोजक) का विवरण**		
	(i)	**नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
	(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(iii)	**पैन**	
	(iv)	**कारबार**	
	भाग-ख		
2.	**आयकर अधिनियम 2025 की अनुसूची II का निर्देश लें)** *(एक विकल्प चुनें)*		(i) भविष्य निधि (ii) अधिवर्षिता निधि (iii) उपदान निधि
3.	**ऑर्डर को मना करने/ वापस लेने - मान्यता / अनुमोदन देने की जानकारी**		
	(i)	**सक्षम प्राधिकारी का ब्यौरा**	(i) सीआईटी (ii) प्रधान सीआईटी (iii) सीसीआईटी (iv) प्रधान सीसीआईटी
	(ii)	**सक्षम अधिकारी का विनिश्चय***(एक विकल्प चुनें)*	(i) मान्यता / अनुमोदन से इनकार (ii) मान्यता / अनुमोदन वापस ले लिया गया
	(iii)	**आदेश की तारीख**	दिन/मास/वर्ष
	(iv)	**आदेश की प्रति**	अपलोड करें
	(v)	**आदेश संख्या**	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
4.	**मान्यता/अनुमोदन के लिए आवेदन का ब्यौरा**		
	(i)	**आवेदन की तारीख**	दिन/मास/वर्ष
	(ii)	**आवेदन की प्रति**	अपलोड करें

5.	**अपील के आधार**	(i) (ii) (iii)
6.	**अपील प्रस्तुत करें** *(एक विकल्प चुनें)*	(i) मान्यता/अनुमोदन प्रदान करें (ii) मान्यता/अनुमोदन जारी रखें

ऊपर बताए गए कारणों से, यह कहा जाता है कि निधि को मान्यता दी जानी चाहिए / अनुमोदन दिया जाना चाहिए और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सक्षम प्राधिकारी को मान्यता देने / मान्यता जारी रखने / अनुमोदन देने / अनुमोदन जारी रखने का निर्देश दे सकता है।

तिथि _____

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का पता

सत्यापन का प्रारूप

हम/मैं, उपर्युक्त याचिकाकर्ता नामित ऊपर दी गई याचिका में यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए आवेदन में जो कहा गया है, वह हमारी / मेरी सबसे अच्छी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसके साथ संलग्न किए गए मूल दस्तावेज की असली कॉपी है।

तिथि _____

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का पता

टिप्पणियाँ:

1. **व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और अंतिम नाम बिना किसी संक्षेप के पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।**
2. **पते में ये बातें संलग्न होंगी:**
   - ix. **देश/क्षेत्र,**
   - x. **फ्लैट/मकान/भवन,**
   - xi. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,**
   - xii. **पिन/डाक कोड,**
   - xiii. **डाकघर,**

xiv. **क्षेत्र/स्थान**,

xv. **जिला**,

xvi. **राज्य**

3. संबंधित आदेश संख्या, यथास्थिति मान्यता या अनुमोदन को अस्वीकार करने या वापस लेने वाले ऑर्डर का रेफरेंस होगा।

4. अपील के साथ ₹ 1,000 की फीस का संदाय चालान से होना चाहिए। चेक, ड्राफ्ट और अन्य परक्राम्य लिखत संदाय के लिए मंजूर नहीं हैं।

5. यदि एक से अधिक याचिकाकर्ता हों, तो आवेदन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

6. **प्ररूप में कुछ जानकारी, जितना हो सके, पहले से भरी हुइ होगी।**

प्ररुप संख्या 188

[नियम 313 देखें]

सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

<table>
<tr><td colspan="6">भाग-क</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1.</td><td colspan="5">नियोजक का ब्यौरा:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>नाम</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>पता</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>स्थायी खाता संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>कारबार/वृत्ति</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>कारबार व्यवसाय स्थल</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td colspan="6">भाग-ख</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td colspan="5">निधि का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>नाम</td><td colspan="3">(टिप्पण 1 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>स्थायी खाता संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>सृजन की तारीख</td><td colspan="3">दिन-माह-वर्ष</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>निधि का प्रकार
(एक चयन करें)</td><td colspan="3">(i) अधिवर्षिता निधि या उसका कोई भाग
(ii) उपदान निधि</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3.</td><td colspan="5">निधि के लाभार्थी कर्मचारियों के वर्ग और संख्या:</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(i)</td><td rowspan="4">भारत में</td><td>क्रम संख्या</td><td>कर्मचारी वर्ग</td><td>कर्मचारियों की संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(ii)</td><td rowspan="4">भारत के बाहर</td><td>क्रम संख्या</td><td>कर्मचारी वर्ग</td><td>कर्मचारियों की संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">वह जगह जहाँ निधि के खाते रखे जाते हैं या रखे जाएंगे</td><td colspan="3">(टिप्पण 2 का निर्देश लें)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td colspan="5">यदि निधि पहले से विद्यमान है, तो आवेदन की तिथि से पूर्व समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में विवरण:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>निधि का समग्र कुल</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>पालन किया जा रहा विनिधान पैटर्न
[नियम 303 या 318 में विहित के अनुसार निर्धारित निवेश योजना के अनुरूप विवरण प्रदान करें]</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">अन्य ब्यौरा अलग से देना होगा</td><td colspan="3">(टिप्पण 3 के अनुसार संलग्न करें)</td></tr>
</table>

मैं/हम, उपरोक्त निधि के न्यासी, अधिनियम की अनुसूची II के भाग ख के पैरा 4(1) और 4(2) के अधीन निधि या उसके किसी भाग की स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं।

हस्ताक्षर: _____

प्रमाणन का पात्र

मैं/हम, उपरोक्त निधि के न्यासी, यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए आवेदन में जो कहा गया है वह हमारी/मेरी जानकारी हमारी/मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, तथा संलग्न दस्तावेज़ मूल दस्तावेजों के सच्चे प्रमाण हैं।

तारीख: _____ हस्ताक्षर:

_____

टिप्पण:

1. **किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिना किसी संक्षिप्ताक्षर के। किसी अन्य दशा में भी, नाम पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**
2. **पते में निम्नलिखित शामिल होगा**
   i. **देश/क्षेत्र,**
   ii. **फ़्लैट/मकान/भवन,**
   iii. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,**
   iv. **पिन/ज़िप कोड,**
   v. **डाकघर,**
   vi. **क्षेत्र/मोहल्ला,**
   vii. **जिला,**
   viii. **राज्य**
3. (पंक्ति 6) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाएँगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विवरण
क-1	निधि स्थापित करने वाले लिखित की प्रति
क-2	निधि के नियमों की प्रति
क-3	यदि निधि उस वित्तीय वर्ष से पहले अस्तित्व में था जिसमें स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया हो, तो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों (जो उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले तीन वर्ष से अधिक न हों) के निधि के खाते की प्रति, जिनके खाते तैयार किए गए हों।
क-4	यदि निधि पहले से अस्तित्व में है, तो आवेदन दिनांक से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31मार्च की स्थिति में निधि का बैलेंस शीट की प्रति।

4. जहाँ एक से अधिक न्यासी हों, वहाँ आवेदन करने के लिए तुलनपत्र प्राधिकृत न्यासी प्ररुप पर हस्ताक्षर करेंगे।
5. **प्ररुप में कुछ सूचनाएँ जहाँ तक संभव हो पहले से भरी होंगी।**

प्ररूप संख्या 189

[नियम 331 देखें]

अधिनियम की अनुसूची 15 के खंड 1(य)(झ) के अधीन पब्लिक कंपनियों के निर्गम के अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग - क						
1.	**कंपनी का ब्यौरा**					
	(i)	**नाम**		*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		
	(ii)	**पता**		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*		
	(iii)	**स्थायी खाता संख्या**				
	(iv)	**कंपनी पहचान संख्या**				
	(v)	**संरचना या निगमन की तारीख**		*दिन/मास/वर्ष*		
	(vi)	**संरचना या निगतमन का स्थान**		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*		
	(vii)	**कारबार की प्रक्रति**				
	(viii)	**इस कारबार में वर्षों की संख्या**				
2.	**कर वर्ष**					
भाग - ख						
3.	(क)	(i)	**बैंकर का नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		
		(ii)	**बैंकीर का पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*		
	(ख)	***ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्रस्तुत करें***				
4.	(क)	(i)	**संपरिक्षक का नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*		
		(ii)	**संपरिक्षक का पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*		
		(iii)	**सदस्यता संख्या**			
	(ख)	***ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्रस्तुत करें***				
भाग - क						
5.	**आवेदक (कंपनी) की शुद्ध कीमत *(पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक)***					
6.	**वर्तमान साम्या/डेबेंचर निर्गम जारी करने के माध्यम से जुटाई जाने वाली प्रस्तावित कुल पूंजी**					
7.	**क्या विद्यमान साम्या/डेबेंचर निर्गम अवसंरचना सुविधा की परिभाषा के अनुरूप है*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)* ?**			(i) हाँ (ii) नहीं *(एक चुनें)*		
8.	**पूंजी के पात्र निर्गम का ब्यौरा**			***संख्या***	***मूल्यांकित मूल्य***	***प्रिमियम या छूट***
	(i)	**साम्या शेयर**				
	(ii)	**अधिमानी शेयर**				
	(iii)	**डेबेंचर**				
9.	**पूंजी के पात्र भाव्तीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का अनुमोदन का ब्यौरा**					

	(i)	**अनुमोदन की तारीख**		
	(ii)	**क्रम संख्या**	*(टिप्पण 4 का निर्देश लें)*	
10.	**प्रस्तावित अवसंरचना सुविधा या विद्युत परियोजना का विवरण**			
	(i)	**प्रकृति**		
	(ii)	**स्थान**		
	(iii)	**अनुमानित परियोजना लागत**		
11.	**अनुमानित वर्ष वार जरूरी विनिधान**		**वित्तीय वर्ष**	**विनिधान की रकम**
12.	**प्रस्तावित विनिधान के स्रोतः**			
	(i)	**पूंजी का पात्र निर्गम**		
	(ii)	**अन्य स्रोत**		
13.	**अवसंरचना सुविधा या विद्युत परियोजना के विकास की अनुसूची**			
	(i)	**परियोजना प्रारंभ की नियोजित तिथि**	*दिन/मास/वर्ष*	
	(ii)	**परियोजना के प्रचालन के आरंभ की नियोजित तिथि**	*दिन/मास/वर्ष*	
14.	**अन्य जानकारी अलग से देनी होगी।**		*(टिप्पण 5 के अनुसार संलग्न करें)*	

मैं _____सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पण:

1. **किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, मध्य एवं अंतिम नाम बिना पूर्ण किसी शार्ट फॉर्म के पूरा दिया जाएगा । किसी और दशा में भी नाम पूरा दिया जाएगा।**
2. **पते में निम्नलिखित शामिल होंगे**
   - xvii. **देश/क्षेत्र**,
   - xviii. **फ्लैट/मकान/भवन**,
   - xix. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
   - xx. **पिन/ज़िप कोड**,
   - xxi. **डाकघर**,
   - xxii. **क्षेत्र/मोहल्ला**,
   - xxiii. **ज़िला**,
   - xxiv. **राज्य**
3. **पंक्ति संख्या** 12 **के लिए अवसंरचना सुविधा का अर्थ है**:
   (i) ऐसी सड़क जिसमें टोल रोड, एक पुल या रेल प्रणाली शामिल हो;
   (ii) ऐसी राजमार्ग परियोजना जिसमें आवास या अन्य क्रियाकलाप शामिल हों जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न हिस्सा हों;

(iii) जल आपूर्ति परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता एवं सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;

(iv) एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक बंदरगाह या समुद्र में नौवहन चैनल;

4. **संबंधित आदेश संख्या सेबी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की निर्देश संख्या होगी।**

5. **पंक्ति संख्या** 14 **के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:**

उपाबंधक	विशेष विवरण
क-1	**कंपनी अधिनियम**, 2013 (**अधिनियम संख्या** 18, 2013) **के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति**
क-2	**नवीन संपरीक्षित वित्तीय कथन की प्रति और पिछले तीन वर्ष का संपरिक्षित तुलना पत्र**
क-3	**महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण**
क-4	**प्रबंधन का विवरण** – (क)**निदेशकों के नाम**, **उनके अनुभव**, **अहर्ताएं** और व्रति के साथ ; (ख)**प्रमुख कार्मिकों के नाम**; **(**ग)**संगठनात्मक संरचना** (घ)**संबद्ध संगठन**, **कंपनियों एवं उनकी समानुसंगीक कंपनियों के निदेशक बोर्ड़ का ब्यौरा**
क-5	**वर्तमान साम्या/डेबेंचर जारी के ब्यौरेवद उद्देश्य**
क-6	**यदि पंक्ति संख्या** 7 **का उत्तर हाँ है, तो उसका ब्यौरा**
क-7	पूंजी के पात्र निर्गम के संबंध में SEBI की अनुमोदन (पंक्ति सं.)
क-8	**संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन और सरकार या सरकारी निकायों के साथ किया गया करार** (**पंक्ति संख्या** 10)
क-9	परियोजना रिपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो

6. **प्ररूप में कुछ सूचनाएँ, जितना संभव हो सके, पहले से भरी होंगी।**

प्ररुप संख्या 190

[नियम 331 देखें]

अधिनियम की अनुसूची 15 **के पैरा 1(**य**)(ii) के अधीन सार्वजनिक कंपनियों के पात्र निर्गम में निवेश करने वाली पारस्परिक निधियों के अनुमोदन के लिए आवेदन**

	भाग – क			
1.	**पारस्परिक निधि की जानकारी**			
	(i)	**नाम**		*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
	(ii)	**पता**		*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(iii	**स्थायी खाता संख्या**		
2.	**कर वर्ष**			
	भाग – ख			
3.	**निधि के न्यासियों का ब्यौरा**			
	क	**(i)**	**नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
		(ii)	**पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
		(iii)	**वृत्तिक अनुभव**	
		(iv)	**अन्य महत्वपूर्ण विवरण**	
	ख	*(जरुरत हो तो दोहराएं)*		
4.	**निधि के उद्देश्य**			
	(i)		**प्रमुख उद्देश्य**	
	(ii)		**सहायक उद्देश्य**	
5.	**क्या सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है:**			(i) हाँ (ii) नहीं ***(एक का चयन करें)***
	(i)		**यदि हाँ, आदेश की तिथि**	*दिन/मास/वर्ष*
	(ii)		**आदेश संख्या**	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
6.	**क्या अधिनियम की अनुसूची** 7 **(सारणी: क्रमांक 20 या 21) के अधीन अधिसूचित किया गया है:**			(i) हाँ (ii) नहीं ***(एक का चयन करें)***
	(i)		**यदि हाँ, आदेश की तिथि**	
	(ii)		**आदेश संख्या**	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें)*
7.	**संरक्षकों का विवरण**			
8.	**आस्ति प्रबंधन कंपनी का विवरण:**			
9.	**अब तक शुरु की गई अलग-अलग स्कीम की जानकारी।**			
10.	**A**	**(i)**	**बैंकर का नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
		(ii)	**बैंकर का पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	B	*(जरुरत हो तो दोहराएं)*		

11.	**A**	**(i)**	**संपरीक्षक का नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
		(ii)	**संपरीक्षक का पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
		(iii)	**सदस्यता संख्या**	
	B	***(जरुरत हो तो दोहराएं)***		
खंड – ग				
12.	**अधिनियम की अनुसूची 15 के पैरा 1(य)(ii) के प्रयोजनों के लिए शुरु की जाने वाली प्रस्तावित स्कीम का विवरण**			
	(i)		**इकाइयों की संख्या**	
	(ii)		**अंकित मूल्य (शुद्ध आस्ति मूल्य)**	
	(iii)		**जुटाई जाने वाली कुल रकम**	
	(iv)		**अन्य महत्वपूर्ण विवरण**	
13.	**उस सार्वजनिक कंपनी का विवरण, जिसके सार्वजनिक निर्गम में सदस्यता का प्रस्ताव है**			
	(i)		**सार्वजनिक कंपनी का नाम**	*(टिप्पण 1 का निर्देश लें)*
	(ii)		**पता**	*(टिप्पण 2 का निर्देश लें)*
	(iii)		**स्थायी खाता संख्या**	
	(iv)		**कंपनी पहचान संख्या**	
	(v)		**निर्गम का विवरण**	
	(vi)		**सार्वजनिक निर्गम के लिए बोर्ड की स्वीकृति की तारीख**	*दिन/मास/वर्ष*
	(vii)		**आदेश संख्या**	*(टिप्पण 3 का निर्देश लें))*
14.	**अन्य जानकारी अलग से दी जाएगीः**			*(टिप्पण 4 के अनुसार संलग्न करें)*

सत्यापन

मैं,_____, प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)

टिप्पणी:

1. **किसी व्यक्ति की दशा में, पहला, बीच का और आखिरी नाम किसी भी शॉर्ट फॉर्म के बिना पूरा दिया जाएगा। किसी और दशा में भी, नाम पूरा दिया जाएगा।**
2. **पते में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए**:
   - xxv. **देश/क्षेत्र**,
   - xxvi. **फ्लैट/दरवाजा/इमारत**,
   - xxvii. **सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर**,
   - xxviii. **पिन/ज़िप कोड**,
   - xxix. **डाकघर**,
   - xxx. **क्षेत्र/मोहल्ला**,
   - xxxi. **जिला**,

xxxii. **राज्य**

3. संबंधित आदेश संख्या, रजिस्ट्रीकरण, अधिसूचना या अनुमोदन की संदर्भ संख्या होगी, जैसा भी मामला हो।

4. (पंक्ति संख्या 16) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण उपबंध के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

संलग्नक	विवरण
क-1	पंक्ति संख्या 4 के अनुसार म्यूचुअल फंड विलेख की एक प्रति
क-2	पंक्ति संख्या 5 के अनुसार सेबी के आदेश की एक प्रति
क-3	पंक्ति संख्या 6 के अनुसार अधिसूचना की एक प्रति
क-4	पंक्ति संख्या 7 के अनुसार म्यूचुअल फंड के लिए संरक्षक करार की एक प्रति
क-5	पंक्ति संख्या 8 के आस्ति प्रबंधन कंपनी का ब्यौरा जैसे निदेशकों के नाम, उनके अनुभव, योग्यता एवं पेशा, तथा क्या वे ट्रस्टी से संबंधित हैं,
क-6	पंक्ति संख्या 8 के अनुसार आस्ति प्रबंधन कंपनी के पिछले 3 वर्षों की संपरिक्षित की एक प्रति
क-7	अब तक शुरु की गई अलग-अलग स्कीमों की योजना-वार ब्यौरा तथा उनसे मिले पैसे का इस्तेमाल, जैसा कि पंक्ति संख्या 9 में वर्णित है
क-8	पंक्ति संख्या 9 के अनुसार पिछले तीन वर्षों की संपरीक्षित तुलन पत्र
क-9	पंक्ति संख्या 12 के अनुसार सेबी से अनुमोदन की प्रति
क-10	पंक्ति संख्या 13 के अनुसार बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्गम को अनुमोदन की प्रति

5. प्ररुप में कुछ जानकारी, जितना संभव हो सके,पहले से भरी हुई होगी।

[अधिसूचना सं.-22/2026/ फा. सं. 370142/41/2025-टी.पी.एल]

पंकज जिंदल, संयुक्त सचिव, कर नीति और विधान

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 198(E).—In exercise of powers conferred by section 533 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Income-tax Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the 1st April, 2026.

2. Definitions.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Act" means the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);
(b) "authorised bank" means any bank as may be appointed by the Reserve Bank of India as its agent under the provisions of sub-section (1) of section 45 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
(c) "Form" means a Form in Appendix III appended to these rules;
(d) "section" means a section of the Act.
(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Arrangements for declaration and payment of dividends within India.–The arrangements referred to in section 2(42) to be made by a company for the declaration and payment of dividends (including dividends on preference shares) within India shall be as follows:

(a) the share-register of the company for all shareholders shall be regularly maintained at its principal place of business within India, in respect of any tax year from a date not later than the 1st April of such year;

(b) the general meeting for passing the accounts of the tax year and for declaring any dividends in respect thereof shall be held only at a place within India; and

(c) the dividends declared, if any, shall be payable only within India to all shareholders.

4. Conditions that a stock exchange is required to fulfil to be notified as a recognised stock exchange under section 2(92).– For the purposes of section 2(92), a stock exchange shall fulfil the following conditions in respect of trading in derivatives:-

(a) the stock exchange shall have the approval of the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) in respect of trading in derivatives and shall function in accordance with the guidelines or conditions laid down in this behalf by the Securities and Exchange Board of India;

(b) the stock exchange shall ensure that the particulars of the client (including unique client identity number and Permanent Account Number) are duly recorded and stored in its databases;

(c) the stock exchange shall maintain a complete audit trail of all transactions (in respect of cash and derivative market) for a period of seven tax years on its system;

(d) the stock exchange shall ensure that transactions (in respect of cash and derivative market) once registered in the system are not erased;

(e) the stock exchange shall ensure that the transactions (in respect of cash and derivative market) once registered in the system, are modified only in cases of genuine error; and

(f) the stock exchange shall maintain data regarding all transactions (in respect of cash and derivative market) registered in the system which have been modified and submit a monthly statement in Form No. 1 to the Director General of Income-tax (Systems), within fifteen days from the last day of each month to which such statement relates.

5. Procedure for notification of a recognised stock exchange for the purposes of section 2(92).– (1) An application for notification of a stock exchange as a recognised stock exchange for the purposes of section 2(92) may be made to the Member (Income Tax), Central Board of Direct Taxes, New Delhi.
(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied with the following documents,:-

(a) approval granted by the Securities and Exchange Board of India for trading in derivatives;

(b) up-to-date rules, bye-laws and trading regulations of the stock exchange;

(c) confirmation regarding fulfilling the conditions referred to in clause (b) to (f) of rule 4; and

(d) such other information as the stock exchange may like to place before the Central Government.

(3) The Central Government may call for such other information from the applicant as it deems necessary for taking a decision on the application.

(4) The Central Government, after examining the information furnished by the stock exchange under sub-rule (2) or sub-rule (3), shall notify the stock exchange as a recognised stock exchange for the purposes of section 2(92) or issue an order rejecting the application before the expiry of six months from the end of the month in which the application is received.

(5) The notification referred to in sub-rule (4) shall be effective until the approval granted by the Securities and Exchange Board of India is withdrawn or expires, or the said notification is rescinded by the Central Government.

6. Method of determination of period of holding of capital assets in certain cases.– (1) For the purposes of section 2(101)(c)(D), the period for which such capital asset is held by an assessee, shall be determined in accordance with the provisions of this rule.

(2) For the capital asset mentioned in column B of the Table below, the period for which the capital asset is held by the assessee shall be determined in accordance with column C thereof:

Table

Sl.No.	Nature of Assets	Period of holding
A	B	C
1.	Shares or debentures of a company, which becomes the property of the assessee under the circumstances mentioned in section 70(1)(z).	The period of holding shall include the period for which the bond, debenture, debenture-stock or deposit certificate, as the case may be, was held by the assessee prior to the conversion.
2.	Capital asset declared under the Income Declaration Scheme, 2016 made under the Finance Act, 2016 (28 of 2016).	(i) In the case of an immovable property, the period for which such property is held is to be reckoned from the date on which such property is acquired, if the date of acquisition is evidenced by a deed registered with any authority of a State Government; and (ii) in any other case, the period for which such asset is held shall be reckoned from the 1st June, 2016.
3.	Capital asset which became the property of the Indian subsidiary company in consequence to conversion of a branch of a foreign company referred to in section 219(1).	The period of holding shall include the following: (i) the period for which the asset was held by the said branch of the foreign company; or (ii) the period for which the asset was held by the previous owner, if any, who has acquired the capital asset by a mode of acquisition referred to in section 73(1) [Sl.No.1. C.A] or section 219(1).

(3) In case of the amount which is chargeable to income-tax as income of a specified entity under section 67(10) under the head "Capital gains",–

(a) the amount or a part of it shall be considered to be from transfer of short-term capital asset, if it is attributed to,–

(i) the capital asset which is short-term capital asset at the time of taxation of amount under section 67(10); or

(ii) capital asset forming part of block of asset; or

(iii) capital asset being self-generated asset and self-generated goodwill as defined in section 67(11); and

(b) the amount or a part of it shall be considered to be from transfer of long-term capital asset or assets, if it is attributed to capital asset which is not covered by sub-clause (i) of clause (a) and is long-term capital asset at the time of taxation of amount section 67(10).

7. Procedure for notification of zero coupon bond.– (1) An application by an entity, being an infrastructure capital company or infrastructure capital fund or infrastructure debt fund or a public sector company under section 2(112), for notification of any zero coupon bond proposed to be issued by it shall be made in Form No.2 at least three months before the date of issue of such bond.

(2) An application made under sub-rule (1) shall not be made for notification of a bond which is to be issued beyond a period of two financial years following the financial year in which such application is made.

(3) An application made under sub-rule (1) shall be disposed of within a period of six months from the end of the month in which such application was received.

(4) Every application, under sub-rule (1), shall be accompanied by the following documents:—

(a) where the application is made by any infrastructure capital company or infrastructure debt fund or a public sector company, being a Government company defined under section 2(45) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), a copy of certificate of incorporation under the said Act;

(b) where the application is made by any infrastructure capital fund, a copy of the trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908); and

(c) where the application is made by a public sector company, being any corporation, established by or under any Central Act or State Act or Provincial Act, a copy of the relevant Act.

(5) The Central Government, while specifying a zero coupon bond, by notification, shall satisfy itself that the following conditions are fulfilled:—

(a) the period of life of the bond is not less than ten years and not more than twenty years;

(b) the entity proposing to issue a zero coupon bond has an investment grade rating from at least two credit rating agencies registered under section 12(1A) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(c) necessary arrangement has been made by the said entity for listing the zero coupon bond in a recognised stock exchange in India;

(d) the entity shall furnish an undertaking along with the application that the money realised on issue of the zero coupon bond shall be invested by it in the following manner,:—

(i) 25% or more of such realisation before the end of the financial year immediately following the financial year in which the bond is issued;

(ii) the balance of such realisation within a period of four financial years immediately following the financial year in which the bond is issued; and

(e) where the application is made by an infrastructure debt fund, such fund shall along with the application, submit an undertaking that a sinking fund shall be maintained for the interest which will accrue on all the zero coupon bonds subscribed and such interest shall be invested in Government security as defined under section 2(f) of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

(6) The Central Government, after having satisfied itself about fulfilling of the conditions referred to in this rule, shall specify the bond, by notification, giving therein, *inter alia*, the following particulars:—

(a) name of the bond;
(b) period of life of the bond;
(c) the time schedule of the issue of the bond;
(d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond;
(e) the discount; and
(f) the number of bonds to be issued.

(7) The Central Government may, if the applicant fails to fulfil the conditions referred to in this rule, reject the application for notification after giving a reasonable opportunity of being heard.

(8) Every entity shall submit within two months from the end of each financial year referred to in sub-rule (5)(d), a certificate from an accountant as defined in section 515(3)(b), specifying the amount invested in each year in Form No. 3.

(9) The Central Government shall have the power to withdraw the notification, if the applicant fails to fulfil any of the conditions referred to in this rule.

(10) For the purposes of this rule,—

(i) "discount" and "period of life of the bond" shall have the meanings respectively assigned to them in section 32(d)(i) and (ii); and

(ii) "infrastructure debt fund" shall mean the infrastructure debt fund as may be notified by the Central Government under Schedule VII[Table Sl. No. 46].

8. Computation of period of stay in India for an Indian citizen, being a member of the crew of a foreign bound ship.— (1) For the purposes of section 6(6), in case of an individual, being a citizen of India and a member of the crew of a foreign bound ship, the period or periods of stay in India in respect of an eligible voyage, shall not include the period computed under sub-rule (2).

(2) The period referred to in sub-rule (1) shall be the period beginning on the date entered into the Continuous Discharge Certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage and ending on the

date entered into the Continuous Discharge Certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage.

(3) For the purposes of this rule, —

(a) "Continuous Discharge Certificate" shall have the same meaning as assigned to it in the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate-cum-Seafarer's Identity Document) Rules, 2001 made under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "eligible voyage" shall mean a voyage undertaken by a ship engaged in the carriage of passengers or freight in international traffic**,** where —

(i) for the voyage having originated from any port in India, has as its destination any port outside India; and

(ii) for the voyage having originated from any port outside India, has as its destination any port in India.

9. Determination of income in case of non-residents.— In any case in which the Assessing Officer is of opinion that the actual amount of the income accruing or arising to any non-resident person**,** whether directly or indirectly, through or from —

(a) any asset or source of income in India; or

(b) any property in India; or

(c) any business connection in India,

cannot be definitely ascertained, the amount of such income for the purposes of assessment to income-tax may be calculated —

(i) at such percentage of the turnover so accruing or arising as the Assessing Officer may consider to be reasonable; or

(ii) on any amount which bears the same proportion to the total profits and gains of the business of such person (such profits and gains being computed in accordance with the provisions of the Act), as the receipts so accruing or arising bear to the total receipts of the business; or

(iii) in such other manner as the Assessing Officer may deem suitable.

10. Definition of terms for rules 11 and 12.— For the purposes of rules 11 and 12**, —**

(a) "accountant" —

(i) means an accountant referred to in section 515(3)(b), who fulfils the following conditions: —

(A) if he is pursuing the profession of accountancy individually or is a valuer then —

(I) he has professional experience of not less than ten years; and

(II) his annual receipt in the year preceding the year in which valuation is undertaken, from the exercise of profession, exceeds fifty lakh rupees;

(B) if he is a member or partner in any entity engaged in rendering accountancy or valuation services then, the annual receipt of the entity in the year preceding the year in which valuation is undertaken exceeds three crore rupees;

(ii) includes any valuer recognised for undertaking similar valuation by the government of the country, where the foreign company or the entity is registered or incorporated or any of its agencies, who fulfils the following conditions: —

(A) the condition referred to in items (A) and (B) of clause (a)(i);

(B) if he is a member or partner in any entity engaged in rendering accountancy or valuation services then, the entity or its affiliates have presence in more than two countries;

(b) "balance sheet", —

(i) (A) in relation to an Indian company, means the balance-sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the specified date which has been audited under the laws relating to companies in force; and

(B) in any other case, it means the balance-sheet of the company or the entity (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the specified date and submitted to the relevant authority outside India under the laws in force of the country in which the foreign company or the entity is registered or incorporated; and

(ii) where, —

(A) finalisation of accounts is pending as on specified date for the purposes of items (A) and (B) of sub-clause (i), it means an interim balance-sheet drawn up as on the specified date and approved by the board of directors of the company or an equivalent body in case of any other entity; and

(B) the specified date is the date referred to in section 9(10)(d)(ii), it means the balance sheet as drawn up on the specified date and certified by an accountant;

(c) "book value of the liabilities" means the value of liabilities as shown in the balance-sheet of the company or the entity, as the case may be, excluding the paid-up capital in respect of equity shares or members' interest and the general reserves and surplus and security premium related to the paid-up capital;

(d) "connected person" shall have the meaning assigned to it in section 184(5);

(e) "foreign company or entity" means a company or entity registered or incorporated outside India;

(f) "observable price" in respect of a share quoted on a stock exchange shall be the higher of the following: —

(i) the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on the said stock exchange during the six months period preceding the specified date; or

(ii) the average of the weekly high and low of the closing price of the shares quoted on the said stock exchange during the two weeks preceding the specified date;

(g) "right of management or control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decision exercisable by a person or persons acting individually or together, directly or indirectly, including by virtue of shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;

(h) "specified date" shall have the meaning assigned to it in section 9(10)(d);

(i) "telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned to it in rule 207; and

(j) the expressions "merchant banker" and "recognised stock exchange" shall have the meaning respectively assigned to them in rule 56**.**

11. Fair market value of assets in certain cases.— (1) The fair market value of asset, tangible or intangible, as on the specified date, held directly or indirectly by a foreign company or entity, for the purposes of section 9(10) shall be computed as per this rule with reference to the specified date.

(2) Where the asset is a share of an Indian company listed on a recognised stock exchange on the specified date, the fair market value of the share shall be the observable price of such share on the stock exchange so, however, that —

(a) if the share is held as part of the shareholding which confers, directly or indirectly, any right of management or control in the said company, the fair market value of the share shall be determined using the following formula: —

$$\text{Fair market value} = (A+B)/C$$

Where, —

A = the market capitalisation of the company on the basis of observable price of its shares quoted on the recognised stock exchange;

B = the book value of liabilities of the company; and

C = the total number of outstanding shares; or

(b) if, on the specified date, the share is listed on more than one recognised stock exchange, the observable price of the share shall be computed with reference to the recognised stock exchange which records the highest volume of trading in the share during the tax year.

(3) Where the asset is a share of an Indian company not listed on a recognised stock exchange on the specified date, the fair market value of the share shall be —

(a) the fair market value as determined by a merchant banker or an accountant as per any internationally accepted valuation methodology for valuation of shares on arm's length basis; and

(b) increased by the liability, if any, considered in such determination as per clause (a).

(4) Where the asset is an interest in a partnership firm or an association of persons, its fair market value shall be determined in the following manner: —

(a) the value of such firm or association of persons, shall be determined by a merchant banker or an accountant as per any internationally accepted valuation methodology as increased by the liability, if any, considered in such determination;

(b) the value so computed in clause (a), as is equal to the amount of its capital, shall be allocated among its partners or members in the same proportion in which the capital has been contributed by them;

(c) the residue of the value shall be allocated among the partners or members as per the agreement of partnership firm or association of persons for distribution of assets in the event of dissolution of the firm or association;

(d) in the absence of agreement, as specified in clause (c), the residual value shall be allocated in proportion in which the partners or members are entitled to share profits; and

(e) the sum total of the amount so allocated as per clauses (a) to (d) to a partner or member shall be treated as the fair market value of the interest of that partner or member in the firm or the association of persons, as the case may be.

(5) The fair market value of the asset other than those referred to in sub-rules (2), (3) and (4) shall be the price it would fetch, if sold in the open market as determined by a merchant banker or an accountant and increased by the liability, if any, considered in such determination.

(6) The fair market value of all the assets of a foreign company or an entity on the specified date, if conditions specified in column B of the following Table are fulfilled, shall be determined as per column C thereof: —

Table

Sl. No.	Conditions	Fair Market Value
A	B	C
1.	Where the transfer of share of, or interest in, the foreign company or entity is between the persons who are not connected persons, for the purpose of such	Fair market value of all assets = A+B Where, — A = Market capitalisation of the foreign company or entity computed on the basis of the full value of consideration for transfer of the share or

	transfer.	interest; and B = book value of the liabilities of the company or the entity as on the specified date as certified by a merchant banker or an accountant.
2.	Where the share of the foreign company or entity is listed on a stock exchange on the specified date.	Fair market value of all the assets = A+B Where, — A = Market capitalisation of the foreign company or entity computed on the basis of the observable price of the share on the stock exchange where the share of the foreign company or the entity is listed; and B = book value of the liabilities of the company or the entity as on the specified date.
3.	Where the share is listed on more than one stock exchange on the specified date.	Fair market value of all the assets = A+B Where, — A = Market capitalisation of the foreign company or entity computed on the basis of the observable price of the share on the stock exchange which records the highest volume of trading in the share during the period considered for determining the price; and B = book value of the liabilities of the company or the entity.
4.	Where the share in the foreign company or entity is not listed on a stock exchange on the specified date.	Fair market value of all the assets = A+B Where, — A = fair market value of the foreign company or the entity as on the specified date as determined by a merchant banker or an accountant as per the internationally accepted valuation methodology; and B = value of liabilities of the company of the entity if any, considered for the determination of fair market value in A.

(7) Where fair market value has been determined on the basis of any interim balance sheet referred to in rule 10(b)(ii), then the fair market value shall be appropriately modified after finalisation of the relevant financial statement as per the applicable laws and all the provisions of this rule and rules 12 and 235 shall apply accordingly.

(8) For determining the fair market value of any asset located in India, being a share of an Indian company or interest in a partnership firm or association of persons, all the assets and business operations of the said company or partnership firm or association of persons shall be taken into account whether such assets or business operation are located in India or outside.

(9) The rate of exchange for calculation in foreign currency, of the value of assets located in India and expressed in rupees shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the specified date.

12. Determination of income attributable to assets in India.— (1) The income from transfer outside India of a share of, or interest in, a company or an entity referred to in section 9(10)(a) attributable to assets located in India, shall be determined with reference to the specified date, by the following formula: —

$$A \times \frac{B}{C}$$

Where, —

A = Income from the transfer of the share of, or interest in, the company or the entity computed as per the provisions of the Act, as if, such share or interest is located in India;
B = fair market value of assets located in India as on the specified date from which the share or interest referred to in A derives its value substantially, computed as per rule 11; and
C = fair market value of all the assets of the company or the entity as on the specified date, computed as per rule 11.

(2) If the transferor of the share of, or interest in, the company or the entity referred to in sub-rule (1) fails to provide the information required for the application of the formula in the said sub-rule, then the income from the transfer of such share or interest shall be determined in such manner as the Assessing Officer may deem suitable.

(3) The transferor of the share of, or interest in, a company or an entity referred to in sub-rule (1), shall obtain and furnish along with the return of income a report in Form No. 4 duly signed and verified by an accountant providing the basis of the apportionment as per the formula and certifying that the income attributable to assets located in India has been correctly computed.

13. Threshold for purposes of significant economic presence.— (1) For the purposes of section 9(9)(d)(i), the aggregate amount of payments from transactions carried out by a non-resident with any person in India, in respect of any goods, service or property including provision for download of data or software in India during the tax year, shall be two crore rupees.

(2) For the purposes of section 9(9)(d)(ii), the number of users with whom systematic and continuous business activities are solicited or who are engaged in interaction shall be ₹ 300000.

14. Method for determining amount of expenditure in relation to income not includible in total income.–(1) The expenditure in relation to income which does not form part of the total income shall be the aggregate of following amounts:—

(a) the amount of expenditure directly relating to income which does not form part of total income; and

(b) an amount equal to 1% of the annual average of the monthly averages of the opening and closing balances of the value of investment, income from which does not or shall not form part of total income.

(2) The amount**s** referred to in sub-rule (1) shall not exceed the total expenditure claimed by the assessee.

15. Valuation of perquisites.–(1) For the purpose of computing the income chargeable under the head "Salaries", the value of perquisites provided by the employer, either directly or indirectly, to the assessee (herein referred to as the employee) or to any member of his household by reason of his employment**,** shall be determined in accordance with the provisions of this rule.
(2) (a) The value of residential accommodation provided by the employer, for the purpose of section 17(1)(a) and (b), during the tax year, in the circumstances referred in column B of the following Table I, shall be determined in accordance with the column C or column D thereof, as the case may be:

Table I

Sl. No.	**Circumstances**	**Where accommodation is unfurnished**	**Where accommodation is furnished**
A	**B**	**C**	**D**
(1)	Where the accommodation is provided by the Central Government or any State Government, to the employees either holding office or post in connection with the affairs of the Union or of such State.	License fee determined by the Central Government or any State Government in respect of accommodation in accordance with the rules framed by such Government as reduced by the rent actually paid by the employee.	Value of perquisite is determined as per the provisions of sub-rule (2)(e).
(2)	Where the accommodation is provided by any other employer and—		

	(a)	where the accommodation is owned by the employer**;** or	(i)	10% of salary in cities having population exceeding forty lakhs as per 2011 census in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the tax year as reduced by the rent, if any, actually paid by the employee;	Value of perquisite is determined as per the provisions of sub-rule (2)(e).
			(ii)	7.5% of salary in cities having population exceeding fifteen lakhs but not exceeding forty lakhs as per 2011 census in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the tax year as reduced by the rent, if any, actually paid by the employee; and	
			(iii)	5% of salary in other areas, in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the tax year as reduced by the rent, if any, actually paid by the employee.	
	(b)	where the accommodation is taken on lease or rent by the employer.	Actual amount of lease rental paid or payable by the employer or 10% of salary, in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the tax year, whichever is lower, as reduced by the rent, if any, actually paid by the employee.		Value of perquisite is determined as per the provisions of sub-rule (2)(e).
(3)	Where the accommodation is provided by the employer specified in serial number (1) or (2) in a hotel (except where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding in aggregate fifteen days on his transfer from one place to another).		Not applicable.		Actual charges paid or payable to such hotel or 24% of salary paid or payable for the tax year for the period during which such accommodation is provided, whichever is lower, as reduced by the rent, if any, actually paid or payable by the employee.

(b) The provisions of this sub-rule shall not apply to any accommodation temporarily provided to an employee working at a mining site or an on-shore oil exploration site or a project execution site, or a dam site or a power generation site or an off-shore site; which —

(i) having plinth area not exceeding 1000 square feet, is located not less than eight kilometres away from the local limits of any municipality or a cantonment board; or

(ii) is located in a remote area.

(c) Where on account of his transfer from one place to another, the employee is provided with accommodation at the new place of posting while retaining the accommodation at the other place, the value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has the lower value with reference to Table I for a period not exceeding ninety days and thereafter the value of perquisite shall be charged for both such accommodations as provided in the said Table I.

(d) Where the accommodation is owned or taken on lease or rent by the employer and the same accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one tax year, the amount calculated in accordance with Table I:Sl. No. 2(a) or (b) shall not exceed the amount so calculated for the first tax year, as multiplied by the amount which is a ratio of the Cost Inflation Index for the tax year for which the amount is calculated and the Cost Inflation Index for the tax year in which the accommodation was initially provided to the employee.

(e) For the purposes of this sub-rule, where the accommodation is furnished;–

(i) the value of perquisite as determined under Table I: Sl. Nos. 1 and 2. C be increased by 10% per annum of the cost of furniture (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air-conditioning plant or equipment), as reduced by any charges paid or payable for the same by the employee during the tax year; and

(ii) if such furniture is hired from a third party, the value of perquisite would be the actual hire charges payable for the same as reduced by any charges paid or payable for the same by the employee during the tax year.

(f) For the purposes of this sub-rule, where the accommodation is provided by the Central Government or any State Government to an employee, who is serving on deputation with any body or undertaking under the control of such Government,—

(i) the employer of such an employee shall be deemed to be that body or undertaking where the employee is serving on deputation; and

(ii) the value of perquisite of such an accommodation shall be the amount calculated in accordance with Table 1: Sl. No. 2(a), as if the accommodation is owned by the employer.

(g) For the purposes of clause (d);

(i) "Cost Inflation Index" means the index as may be notified by the Central Government under section 72(8)(a);

(ii) "first tax year" means the tax year 2023-2024, or the tax year in which the accommodation was provided to the employee, whichever is later.

(3)(a) The value of perquisite by way of use of motor car to an employee by an employer, in the circumstances as referred in column B of the following Table II, shall be determined in accordance with column C or column D thereof, as the case may be:

Table II
VALUE OF PERQUISITE PER CALENDAR MONTH

Sl. No.	Circumstances		Where cubic capacity of engine does not exceed 1.6 litres or the motor car is an electric vehicle	Where cubic capacity of engine exceeds 1.6 litres
A	B		C	D
(1)	Where the motor car is owned or hired by the employer and—			
	(a)	is used wholly and exclusively in the performance of his official duties;	no value, if the documents specified in sub-rule (3)(c) are maintained by the employer	no value, if the documents specified in sub-rule (3)(c) are maintained by the employer;
	(b)	is used exclusively for the private or personal purposes of the employee or any member of his household and the running and maintenance expenses are met or reimbursed by the employer;	actual amount of expenditure incurred by the employer on the running and maintenance of motor car during the relevant tax year including remuneration, if any, paid by the employer to the chauffeur as increased by the amount representing normal wear and tear of the motor car and as reduced by any amount charged from the employee for such use.	actual amount of expenditure incurred by the employer on the running and maintenance of motor car during the relevant tax year including remuneration, if any, paid by the employer to the chauffeur as increased by the amount representing normal wear and tear of the motor car and as reduced by an amount charged from the employee for such use.
	(c)	is used partly in the performance of duties and partly for private or personal purposes of his own or any member of his household and—		
		(i) the expenses on	₹ 5000 (plus ₹3000, if	₹ 7000 (plus ₹3000, if chauffeur

			maintenance and running are met or reimbursed by the employer;	chauffeur is also provided to run the motor car by the employer)	is also provided to run the motor car by the employer);
		(ii)	the expenses on running and maintenance for private or personal use are fully met by the assessee;	₹ 2000 (plus ₹ 3000, if chauffeur is also provided by the employer to run the motor car by the employer).	₹ 3000 (plus ₹3000, if chauffeur is also provided to run the motor car by the employer).
(2)	Where the employee owns a motor car but the actual running and maintenance charges (including remuneration of the chauffeur, if any) are met or reimbursed to him by the employer and—				
	(a)		such reimbursement is for the use of the vehicle wholly and exclusively for official purposes;	no value, if the documents specified in sub-rule (3)(c) are maintained by the employer	no value, if the documents specified in sub-rule (3)(c) are maintained by the employer;
	(b)		such reimbursement is for the use of the vehicle partly for official purposes and partly for personal or private purposes of the employee or any member of his household.	the actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the amount specified in Sl. No. (1)(c)(i) above, if the conditions mentioned in sub-rule (3)(c) are fulfilled.	the actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the amount specified in Sl. No. (1)(c)(i) above, if the conditions mentioned in sub-rule (3)(c) are fulfilled.
(3)	Where the employee owns any other automotive conveyance but the actual running and maintenance charges are met or reimbursed to him by the employer and				
	(a)		such reimbursement is for the use of the vehicle wholly and exclusively for official purposes;	no value, if the documents specified in sub-rule (2)(c) are maintained by the employer	not applicable;
	(b)		such reimbursement is for the use of vehicle partly for official purposes and partly for personal or private purposes of the employee.	the actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the amount of ₹3000 if the conditions mentioned in sub-rule (3)(c) are fulfilled.	

(b) Where an employer owns or hires one or more motor cars and allows the employee or any member of his household to use them for the purposes other than wholly and exclusively in the performance of his duties, the value of perquisite shall be the amount calculated as below:

(i) for one car, in accordance with Table II: Sl. No. (1)(c)(i) ;and

(ii) for other cars, in accordance with Table II: Sl. No. (1)(b).

(c) If the employer or employee claims that the motor vehicle is used solely for official duties or that the actual expenses for running and maintaining the employee-owned motor vehicle for official purposes exceed the deductible amounts in Table II: Sl. No. 2(b) or 3(b), he may claim a higher amount for official use and in this case, the value of the perquisite shall be the actual amount of expenses paid or reimbursed by the employer, minus the higher amount attributed to official use of the vehicle provided that the following conditions are fulfilled: —

(i) the employer has maintained complete details of journey undertaken for official purpose which may include date of journey, destination, mileage and the amount of expenditure incurred thereon; and

(ii) the employer gives a certificate to the effect that the expenditure was incurred wholly and exclusively for the performance of official duties.

(d) For the purposes of this sub-rule, the normal wear and tear of a motor car shall be taken at 10% per annum of the actual cost of the motor car or cars.

(4) The value of benefit provided by the employer to the employee or any member of his household for goods, services or utilities, as referred to in column B of the following Table III, shall be computed in accordance with column C thereof:

Table III

Sl. No.	Nature of goods, services or utilities	Value of benefit of the goods, services or utilities provided
A	B	C
1.	Services of a sweeper, a gardener, a watchman or a personal attendant.	The total amount of salary paid or payable by the employer or any other person on his behalf for such services as reduced by any amount paid by the employee for such services.
2	(a) Supply of gas, electric energy or water for the consumption of the employee's household by purchasing them from any outside agency.	The amount paid by the employer to the agency supplying the gas, electric energy or water, as reduced by any amount paid by the employee in respect of such services.
	(b) Supply of gas, electric energy or water for the consumption of the employee's household made from resources owned by the employer, without purchasing them from any outside agency	The amount of the manufacturing cost per unit incurred by the employer, as reduced by any amount paid by the employee in respect of such services.
3	(a) Provision of free or concessional educational facilities for any member of the employee's household.	The amount of expenditure incurred by the employer in this regard, as reduced by any amount paid or recovered from the employee on that account.
	(b) Provision of free or concessional educational facilities for any member of employee household, where the educational institution is itself maintained and owned by the employer.	Cost of such education in a similar institution in or near the locality, as reduced by any amount paid or recovered from the employee on that account, where the cost of such education or value of such benefit per child exceeds ₹3,000 per month.
	(c) Provision of free educational facilities for any member of employees' household in any other educational institution by reason of his employment.	Cost of such education in a similar institution in or near the locality, as reduced by any amount paid or recovered from the employee on that account, where the cost of such education or value of such benefit per child exceeds ₹3,000 per month.
4.	Provision by an employer who is engaged in the carriage of passengers or goods, to any employee (not being an employee of an airline or the railways)— or to any member of his household, for personal or private journey free	Value at which such benefit or amenity is offered by such employer to the public as reduced by the amount, if any, paid by or recovered from the employee for such benefit or amenity.

	of cost or at concessional fare, in any conveyance owned, leased or made available by any other arrangement by such employer for the purpose of transport of passengers or goods.	

(5)(a) In terms of provisions contained in section 17(1)(e), the value of other benefits or amenities of the nature referred to in Column B of the following Table IV shall be determined in accordance with column C and subject to conditions provided in Column D thereof:

Table IV

Sl. No.	Nature of other benefits or amenities	Value of perquisite	Conditions
A	B	C	D
1.	Benefit from the provision of interest-free or concessional loan for any purpose made available to the employee or any member of his household during the relevant tax year by the employer or any person on his behalf.	It shall be the sum equal to the interest computed at the annual rate charged by the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), as on the 1st day of the relevant tax year in respect of loans by the bank for the same purpose, using the maximum outstanding monthly balance as reduced by the interest, if any, actually paid by him or any such member of his household.	(a) No value would be charged if such loans are made available for medical treatment in respect of diseases specified in rule 18 or where the amount of loans is not exceeding ₹2,00,000 in the aggregate; and (b)where the benefit relates to the loans made available for medical treatment referred to in clause (a), the exemption so provided shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme.
2.	The value of travelling, touring, accommodation and any other expenses paid for or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed of by the employee or any member of his household, other than concession or assistance referred to in rule 277.	It shall be the sum equal to the amount of the expenditure incurred by such employer in that behalf.	(a) Where such facility is maintained by the employer, and is not available uniformly to all employees, the value of benefit shall be taken to be the value at which such facilities are offered by other agencies to the public; or
			(b) where the employee is on official tour and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him, the amount of expenditure so incurred shall be an amenity; or
			(c) where any official tour is extended as a vacation, the value of such fringe benefit shall be limited to the expenses incurred in relation to such extended period of stay or vacation as reduced by the amount, if any, paid or recovered from the employee for such benefit or amenity.
3.	The value of free	It shall be the	This provision shall not apply to

	food and non-alcoholic beverages provided by the employer to an employee.	amount of expenditure incurred by such employer as reduced by the amount, if any, paid or recovered from the employee for such benefit or amenity.	(a) free food and non-alcoholic beverages provided by such employer during working hours at office or business premises or through paid vouchers usable only at eating joints, to the extent the value thereof in either case does not exceed ₹200 per meal; or (b) tea or snacks provided during working hours; or (c) free food and non-alcoholic beverages during working hours provided in a remote area or an off-shore installation.
4.	The value of any gift, or voucher, or token (in lieu of gift) received by the employee or by member of his household) on ceremonial occasions or otherwise from the employer.	It shall be the sum equal to the amount of such gift.	It shall be 'nil', if the value of such gift, voucher or token, as the case may be, is below ₹ 15,000 in aggregate during the tax year.
5.	The amount of expenses including membership fees and annual fees incurred by the employee or any member of his household, which is charged to a credit card (including any add-on-card) provided by the employer, or otherwise, paid for or reimbursed by such employer.	It shall be the amount taken to be the value of perquisite chargeable to tax as reduced by the amount, if any paid or recovered from the employee for such benefit or amenity.	There shall be no value of such benefit, where expenses are incurred wholly and exclusively for official purposes and the conditions specified in sub-rule (5)(b) are fulfilled.
6.	The value of benefit to the employee resulting from the payment or reimbursement by the employer of any expenditure incurred (including the amount of annual or periodical fee) in a club by him or by a member of his household.	It shall be determined to be the actual amount of expenditure incurred or reimbursed by such employer on that account and the amount so determined shall be reduced by the amount, if any paid or recovered from the employee for such benefit or amenity.	(a) Where the employer has obtained corporate membership of the club and the facility is enjoyed by the employee or any member of his household, the value of perquisite shall not include the initial fee paid for acquiring such corporate membership; and (b) the provision given in column C of Sl. No. 6 shall not apply, if such expenditure is incurred wholly and exclusively for business purposes and the following conditions are fulfilled:– (i) conditions in sub-rule (5)(b) are fulfilled; and (ii) **u**se of health club, sports and similar facilities are provided uniformly to all employees by the employer.
7.	The value of benefit to the employee resulting from the use by the employee or any member of	It shall be determined at 10**%** per annum of the actual cost of such asset or	

	his household of any movable asset (other than assets already specified in this rule and other than laptops, computers, tablets and mobile phones) belonging to the employer or hired by him.	the amount of rent or charge paid or payable by the employer, as the case may be, as reduced by the amount, if any, paid or recovered from the employee for such use.	
8.	The value of benefit to the employee arising from the transfer of any movable asset belonging to the employer directly or indirectly to the employee or any member of his household.	It shall be determined to be the amount representing the actual cost of such assets to the employer as reduced by the cost of normal wear and tear and as further reduced by the amount, if any, paid or recovered from the employee being the consideration for such transfer.	The cost of normal wear and tear shall be calculated at the rate of (a) 50**%** in case of computers and electronic items, by reducing balance method; (b) 20**%** in the case of motor cars, by reducing balance method; and (c) 10**%** in case of other assets, of the cost of the asset for each completed year during which such asset was put to use by the employer.
9.	The value of any other benefit or amenity, service, right or privilege provided by the employer, except expenses on telephones, including a mobile phone.	It shall be determined on the basis of cost to the employer under an arm's length transaction as reduced by the employee's contribution, if any.	

(b) For the purposes of clause (a) of Table IV: Sl. Nos. 5 and 6 .C, the following conditions need to be satisfied:–

(i) complete details in respect of such expenditure are maintained by the employer which may, *inter alia*, include the date of expenditure and the nature of expenditure;

(ii) the employer gives a certificate for such expenditure to the effect that the same was incurred wholly and exclusively for the performance of official duties.

(6) For the purposes of section 17(1)(d), the fair market value of any specified security or sweat equity share, being an equity share in a company, on the date on which the option is exercised by the employee, shall be determined as follows:–

(a) in a case where, on the date of the exercising of the option, the share in the company is listed on a recognised stock exchange, the fair market value shall be the average of the opening price and closing price of the share on that date on the said stock exchange, subject to the provisions of clause (b);

(b) in a case where, on the date of exercising of the option, the share is listed on more than one recognised stock exchanges, the fair market value shall be the average of the opening price and closing price of the share on the recognised stock exchange which records the highest volume of trading in the share;

(c) in a case where, on the date of exercising of the option, there is no trading in the share on any recognized stock exchange, the fair market value shall be—

(i) the closing price of the share on any recognised stock exchange on a date closest to the date of exercising of the option and immediately preceding such date; or

(ii) the closing price of the share on a recognised stock exchange, which records the highest volume of trading in such share, if the closing price, as on the date closest to the date of exercising

of the option and immediately preceding such date, is recorded on more than one recognised stock exchange;

(d) in a case where, on the date of exercising of the option, the share in the company is not listed on a recognised stock exchange, the fair market value shall be such value of the share in the company as determined by a merchant banker on the specified date.

(7) For the purposes of section 17(1)(d), the fair market value of any specified security, not being an equity share in a company, on the date on which the option is exercised by the employee, shall be such value as may be determined by a merchant banker on the specified date.

(8) For the purposes of this rule—

(a) "accommodation" includes a house, flat, farm house or part thereof, or accommodation in a hotel, motel, service apartment, guest house, caravan, mobile home, ship or other floating structure;

(b) "closing price" of a share on a recognised stock exchange on a date shall be the price of the last settlement on such date on such stock exchange, and where the stock exchange quotes both "buy" and "sell" prices, the closing price shall be the "sell" price of the last settlement;

(c) "entertainment" includes hospitality of any kind and also, expenditure on business gifts other than free samples of the employer's own product with the aim of advertising to the general public;

(d) "hotel" includes licensed accommodation in the nature of motel, service apartment or guest house;

(e) "maximum outstanding monthly balance" means the aggregate outstanding balance for each loan as on the last day of each month.

(f) "member of household" shall include—

(i) spouse;

(ii) children and their spouses;

(iii) parents; and

(iv) servants and dependants;

(g) "merchant banker" means category I merchant banker registered with Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(h) "opening price" of a share on a recognised stock exchange on a date shall be the price of the first settlement on such date on such stock exchange and where the stock exchange quotes both "buy" and "sell" prices, the opening price shall be the "sell" price of the first settlement;

(i) "recognised stock exchange" shall have the same meaning assigned to it in section 2(f) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(j) "remote area", specified in sub-rule (1)(b), means any area other than an area which is located—

(i) within the local limits of; or

(ii) within a distance, measured aerially, of thirty kilometers from the local limits of, any municipality or a cantonment board having a population of one lakh or more based on the 2011 census;

(k) "salary" includes the pay, allowances, bonus or commission payable monthly or otherwise or any monetary payment, by whatever name called, from one or more employers, as the case may be, but does not include the following:—

(i) dearness allowance or dearness pay, unless it enters into the computation of superannuation or retirement benefits of the employee concerned;

(ii) employer's contribution to the provident fund account of the employee;

(iii) allowances, which are exempted from payment of tax;

(iv) the value of perquisites specified in section 17(1);

(v) any payment or expenditure specifically excluded under section 17(2); and

(vi) lump-sum payments received at the time of termination of service or superannuation or voluntary retirement, like gratuity, severance pay, leave encashment, voluntary retrenchment benefits, commutation of pension and similar payments;

(l) "specified date" means—

(i) the date of exercising of the option; or

(ii) any date earlier than the date of the exercising of the option, not being a date which is more than one hundred and eighty days earlier than the date of the exercising.

16. Annual accretion referred to in section 17(1)(i).– (1) For the purposes of section 17(1)(i), annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the tax year (herein referred to as the current tax year) to the balance of the credit of the fund or scheme referred to in section 17(1)(h), shall be the amount or aggregate of amounts computed in accordance with the following formula: —

TP = (PC/2) × R + (PC1 + TP1) × R

Where,–

TP = Taxable perquisite under section 17(1)(i) for the current tax year;

TP1 = aggregate of taxable perquisite under section 17(1)(i) for the tax year or years commencing on or after the 1st April, 2020 other than the current tax year;

PC = aggregate amount of principal contribution made by the employer in excess of ₹ 750000 lakhs to the specified fund or scheme during the tax year;

PC1 = aggregate amount of principal contribution made by the employer in excess of ₹ 750000 to the specified fund or scheme for the tax year or years commencing on or after the 1st April, 2020 other than the current tax year;

R = I/ F(avg.);

I = aggregate amount of income accrued during the current tax year in the specified fund or scheme account;

F(avg.) = aggregate amount of balance to the credit of the specified fund or scheme on the first day of the current tax year plus the aggregate amount of balance to the credit of the specified fund or scheme on the last day of the current tax year, divided by two.

(2) For the purposes of this rule,–

(a) "specified fund or scheme" means a fund or scheme referred to in section 17(1)(h);

(b) where the aggregate amount of TP1 and PC1 exceed the aggregate amount of balance to the credit of the specified fund or scheme on the first day of the current tax year, then the excess amount shall be ignored for the purpose of computing the aggregate amount of TP1 and PC1.

17. Salary income for purposes of section 17(1)(c)(ii).– For the purposes of section 17(1)(c)(ii), the prescribed income under the head "Salaries" shall be ₹ 400000.

18. Exemption of medical benefits from perquisite value in respect of medical treatment of prescribed diseases or ailments in hospitals approved by Chief Commissioner. –(1) In granting approval to any hospital other than a hospital for Indian system of medicine and homeopathic treatment for the purposes of section 17(2)(b)(ii), the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner shall satisfy himself that the hospital is registered with the local authority and fulfils the following requirements:—

(a) the building used for the hospital complies with the municipal bye-laws in force;

(b) the rooms are well ventilated, lighted and are kept in clean and hygienic conditions;

(c) at least ten iron spring beds are provided for patients;

(d) at least one properly equipped operation theatre is provided, with minimum floor space of one hundred and eighty square feet and with a separate sterilisation room;

(e) at least one labour room is provided, with minimum floor space of one hundred and eighty square feet, in case the hospital provides medical service for maternity cases;

(f) aseptic conditions are maintained in the operation theatre and the labour room;

(g) a duty room is provided for the nursing staff on duty;

(h) adequate space for storage of medicines, food articles, equipments and such other articles is provided;

(i) the water used in the hospital or nursing home is fit for drinking;

(j) adequate arrangements are made for isolating septic and infectious patients;

(k) the hospital is provided with and maintains—

(i) high pressure sterilizer and instrument sterilizer;

(ii) oxygen cylinders and necessary attachments for giving oxygen;

(iii) adequate surgical equipments, instruments and apparatus including intravenous apparatus;

(iv) a pathological laboratory for testing of blood, urine and stool;

(v) electro-cardiogram monitoring system; and

(vi) stand-by generator for use in case of power failure;

(l) there is at least one qualified doctor available on duty round the clock for every twenty beds or fraction thereof;

(m) in hospitals providing intensive care unit facilities, there are at least two qualified doctors available on duty round the clock exclusively for such intensive care unit;

(n) one nurse is on duty round the clock for every five beds or a fraction thereof;

(o) in hospitals providing intensive care unit facilities, there are at least four nurses provided exclusively for every four beds or fraction thereof for such intensive care unit; and

(p) the hospital maintains record of health of every patient containing information about the patient's name, address, occupation, sex, age, date of admission, date of discharge, diagnosis of disease and treatment undertaken.

(2) In granting approval to any hospital for Indian system of medicine and homeopathic treatment for the purposes of 17(2)(b)(ii), the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner shall satisfy himself that the hospital fulfils the conditions specified in the Office Memorandum dated the 6th June, 2002, issued by the Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy, Ministry of Health and Family Welfare for approval of private hospitals for Indian system of medicine and homeopathic treatment to Central Government Health Scheme beneficiaries and the Central Government employees.

(3) For the purposes of section 17(2)(b)(ii), the prescribed diseases or ailments shall be the following:—

(a) cancer;
(b) tuberculosis;
(c) acquired immunity deficiency syndrome;
(d) disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
(e) ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
(f) fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment;
(g) gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;
(h) ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(i) gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(j) burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(k) mental disorder - neurotic or psychotic - requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
(l) drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days; and
(m) anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

(4) For the purposes of this rule,—

(a) "nurse" means a person who holds a certificate of a recognised Nursing Council and is registered under any law for the registration of nurses;
(b) "qualified doctor" means a person who holds a degree recognised by the Medical Council of India and is registered by the Medical Council of any State; and
(c) "surgical operation" includes treatment by modern methodology such as angioplasty, dialysis, lithotripsy, laser or cryo-surgery.

19. Gross total income for purposes of section 17(3)(b).– For the purposes of section 17(3)(b), the prescribed gross total income shall be ₹ 800000.

20. Procedure for purposes of section 19 [Table: Sl.No.12] relating to voluntary retirement or voluntary separation.– (1) Subject to the conditions specified in sub-rules (2) and (3), the amount received at the time of voluntary retirement or voluntary separation can be claimed as deduction for the purposes of section 19 [Table: Sl.No.12] by an employee of—

(i) a public sector company; or
(ii) any other company; or
(iii) an authority established under a Central Act or State Act or Provincial Act; or
(iv) a local authority; or
(v) a co-operative society; or
(vi) a University established or incorporated by or under a Central Act or State Act or Provincial Act, and an institution declared to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); or

(vii) an Indian Institute of Technology within the meaning of clause (g) of section 3 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961); or

(viii) an institution, having importance throughout India or in any State or States, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf; or

(ix) such other institute of management as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.

(2) The deduction under sub-rule (1) is allowable only if the scheme of voluntary retirement framed by the aforesaid company or authority or co-operative society or University or institute, as the case may be, or if the scheme of voluntary separation framed by a public sector company, (herein referred to as 'the scheme') is in accordance with the following requirements:–

(i) the scheme applies to an employee who has completed ten years of service or completed forty years of age;

(ii) the scheme applies to all employees (by whatever name called) including workers and executives of a company or of an authority or of a co-operative society, as the case may be, excepting directors of a company or of a co-operative society;

(iii) the scheme has been drawn to result in overall reduction in the existing strength of the employees;

(iv) the vacancy caused by the voluntary retirement or voluntary separation is not to be filled up;

(v) the retiring employee of a company shall not be employed in another company or concern belonging to the same management; and

(vi) the amount receivable on account of voluntary retirement or voluntary separation of the employee does not exceed either A or B, where,–

A= 3*N*S;

B = M*S; and

N= Number of completed years of service;

M = balance months of service left before the date of his retirement on superannuation;

S= salary at the time of retirement.

(3) In case an amount is received by an employee of a public sector company under the scheme of voluntary separation framed by such public sector company, the requirement of sub-rule (2)(i) shall not be applicable.

(4) In this rule, the expression "salary" includes dearness allowance, if the terms of employment so provide, but excludes all other allowances and perquisites.

21. Unrealised rent. — For the purposes of section 21(4), the amount of rent which the owner cannot realise shall be equal to the amount of rent receivable by the assessee but not paid by a tenant of the assessee and so proved to be lost and irrecoverable where, —

(a) the tenancy is *bona fide*;

(b) the defaulting tenant has vacated, or steps have been taken to compel him to vacate the property;

(c) the defaulting tenant is not in occupation of any other property of the assessee; and

(d) the assessee has taken all reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent or satisfies the Assessing Officer that legal proceedings would be futile.

22. Computation of aggregate average advances for purposes of section 31(1) [Table: Sl. No.1] for deduction for provision of bad and doubtful debt.– (1) For the purposes of section 31(1)[Table: Sl. No. 1], the aggregate average advances made by the rural branches of a scheduled bank shall be determined as follows:–

(a) the amounts of advances made by each rural branch as outstanding at the end of the last day of each month comprised in the tax year shall be aggregated separately;

(b) the sum so arrived at in the case of each such branch shall be divided by the number of months for which the outstanding advances have been taken into account for the purposes of clause (a); and

(c) the aggregate of the sums so arrived at in respect of each of the rural branches shall be the aggregate average advances made by the rural branches of the scheduled bank.

(2) In this rule the expressions, "rural branch" and "scheduled bank" shall have the meanings respectively assigned to them in sections 66(26) and 2(98).

23. Computation of *pro rata* amount of discount on a zero coupon bond for purpose of section 32(d).– (1) For the purposes of section 32(d), the pro rata amount of discount on a zero coupon bond shall be computed in the following manner:—

(a) the period of life of the bond shall be converted into number of calendar months and, for this purpose, where the calendar month in which the bond is issued or the bond matures or is redeemed, contains a part of a calendar month then, —

(i) if such part is fifteen days or more than fifteen days, it shall be increased to one calendar month; and

(ii) if such part is less than fifteen days, it shall be ignored;

(b) the amount of discount shall be divided by the number of calendar months determined in accordance with clause (a); and

(c) where one or more than one calendar month out of calendar months determined in accordance with clause (a) is or are included in a tax year, the amount determined in accordance with clause (b) shall be multiplied by the number of calendar months so included and the amount so arrived at shall be taken to be the *pro rata* amount of discount for that tax year.

24. Notification of infrastructure facility for the purposes of section 32(e).– The following conditions shall be fulfilled by a public facility to be eligible to be notified as an infrastructure facility under section 32(e):—

(a) it is owned by a company registered in India or by a consortium of such companies or by an authority or a board or a corporation or any other body established or constituted under any Central Act or State Act;

(b) it has entered into an agreement with the Central Government or a State Government or a local authority or any other statutory body for —

(i) developing; or

(ii) operating and maintaining or;

(iii) developing, operating and maintaining a new infrastructure facility similar in nature to an infrastructure facility referred to in the *Explanation* to section 80-IA (4)(i) of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), as it existed prior to its repeal; and

(c) it has started or starts operating and maintaining such infrastructure facility on or after the 1st April, 1995.

25. Depreciation.– (1) Subject to the provisions of sub-rule (7), the allowance under section 33(3), in respect of depreciation of any block of assets specified in column (2) of the Table in Appendix I shall be calculated at the percentages specified in the column (3) of the said Table on the written down value of such block of assets as are used for the purposes of the business or profession of the assessee at any time during the tax year.

(2) The allowance under section 33(3) in respect of depreciation of any block of assets with respect to the persons mentioned in Column B of the following Table shall not exceed 40% of the written down value of such block of assets, if conditions mentioned in column C thereof are fulfilled:—

Table

Sl. No.	Person	Conditions to be fulfilled
A	B	C
1.	Domestic company	Which has exercised option under– (a) section 199(3); or (b) section 200(5); or (c) section 201(2).
2.	(a) Individual or Hindu undivided family; or (b) association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not; or (c) artificial juridical person referred to in section 2(77)(g).	Whose income is chargeable to tax under section 202(1).
3.	Cooperative society resident in India	Which has exercised option under– (a) section 203(5); or (b) section 204(2).

(3) The allowance under section 33(2) in respect of depreciation of assets acquired on or after 1st April, 1977 specified in column (2) of the Table in Appendix II, shall be calculated at the percentage specified in the column (3) thereof on the actual cost to the assessee as are used for the purposes of the business of the assessee at any time during the tax year.

(4) The aggregate depreciation allowed under section 33(2), in respect of any asset for different tax years shall not exceed the actual cost of the said asset.

(5) The undertaking specified in section 33(2) may, at its option, be allowed depreciation under sub-rule (1) read with Appendix I instead of the depreciation specified in Appendix II, if option is exercised on or before the due date for furnishing the return of income under section 263(1)(c) for the tax year in which it begins to generate power.

(6) Any option under sub-rule (5) once exercised, shall be final and shall apply to all the subsequent tax years.

(7) Where any new machinery or plant is installed during the tax year commencing on or after the 1st April, 1987, for the purposes of business of manufacture or production of any article or thing and such article or thing—

(a) is manufactured or produced by using any technology (including any process) or other know- how developed in; or

(b) is an article or thing invented in,

a laboratory owned or financed by the Government or a laboratory owned by a public sector company or a University or an institution recognised in this behalf by the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India,

such plant or machinery shall be treated as a part of block of assets qualifying for depreciation at the rate of 40% of written down value, if the following conditions are fulfilled:—

(i) the right to use such technology (including any process) or other know- how or to manufacture or produce such article or thing has been acquired from the owner of such laboratory or any person deriving title from such owner;

(ii) the return furnished by the assessee for his income, or the income of any other person in respect of which he is assessable, for any tax year in which the said machinery or plant is acquired, shall be accompanied by a certificate from the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, to the effect that such article or thing is manufactured or produced by using such technology (including any process) or other know-how developed in such laboratory or is an article or thing invented in such laboratory ; and

(iii) the machinery or plant is not used for the purpose of business of manufacture or production of any article or thing specified in the list in the Schedule XIII to the Act.

(8) For the purposes of sub-rule (7),–

(a) "laboratory financed by the Government" means a laboratory owned by any body including a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (2 of 1860) and financed wholly or mainly by the Government;

(b) "public sector company" means any corporation established by or under any Central Act, State Act or Provincial Act or a Government company as defined in section 2(45) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and

(c) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), to be a University for the purposes of that Act.

26. Cases and circumstances in which a payment or aggregate of payments exceeding ten thousand rupees may be made to a person in a day, otherwise than by specified banking and online mode or through such other electronic mode as provided in rule 48.– (1) No disallowance under section 36(4) shall be made and no payment shall be deemed to be the profits and gains of business or profession under section 36(5) where a payment or aggregate of payments made to a person in a day, otherwise than by a specified banking or online mode or through such other electronic mode as provided in rule 48, exceeds ten thousand rupees, in the following cases and circumstances:-

(a) where the payment is made to-

(i) the Reserve Bank of India or any banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or

(ii) the State Bank of India or any subsidiary bank as defined in section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959); or

(iii) any co-operative bank or land mortgage bank; or

(iv) any primary agricultural credit society or any primary credit society as defined under section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or

(v) the Life Insurance Corporation of India established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(b) where the payment is made to the Government and, under the rules framed by it, such payment is required to be made in legal tender;

(c) where the payment is made by-

(i) any letter of credit arrangements through a bank; or

(ii) a mail or telegraphic transfer through a bank; or

(iii) a book adjustment from any account in a bank to any other account in that or any other bank; or

(iv) a bill of exchange made payable only to a bank;

(d) where the payment is made by way of adjustment against the amount of any liability incurred by the payee for any goods supplied or services rendered by the assessee to such payee;

(e) where the payment is made for the purchase of–

(i)agricultural or forest produce; or

(ii)the produce of animal husbandry (including livestock, meat, hides and skins) or dairy or poultry farming; or

(iii)fish or fish products; or

(iv)the products of horticulture or apiculture,

to the cultivator, grower or producer of such articles, produce or products;

(f) where the payment is made for the purchase of the products manufactured or processed without the aid of power in a cottage industry, to the producer of such products;

(g) where the payment is made in a village or town, which on the date of such payment is not served by any bank, to any person who ordinarily resides, or is carrying on any business, profession or vocation, in any such village or town;

(h) where any payment is made to an employee of the assessee or the heir of any such employee, on or in connection with the retirement, retrenchment, resignation, discharge or death of such employee, on account of gratuity, retrenchment compensation or similar terminal benefit and the aggregate of such sums payable to the employee or his heir does not exceed fifty thousand rupees;

(i) where the payment is made by an assessee by way of salary to his employee after deducting the income-tax from salary in accordance with the provisions of section 392, and when such employee–

(i) is temporarily posted for a continuous period of fifteen days or more in a place other than his normal place of duty or on a ship; and

(ii) does not maintain any account in any bank at such place or ship;

(j) where the payment is made by any person to his agent who is required to make payment in cash for goods or services on behalf of such person;

(k) where the payment is made by an authorised dealer or a money changer against purchase of foreign currency or travellers cheques in the normal course of his business.

(2) For the purposes of this rule,–

(a) the term "bank", in clause (c) and clause (g), means any bank, banking company or society referred to in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) and includes any bank not being a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), whether incorporated or not, which is established outside India; and

(b) "authorised dealer" or "money changer", in clause (k), means a person authorised as an authorised dealer or a money changer to deal in foreign currency or foreign exchange under any law in force.

27. Form of statement to be furnished regarding certain preliminary expenses eligible for deduction under section 44.– (1) The statement containing particulars of expenditure required to be furnished under section 44(3) shall be in Form No. 5 for each tax year.

(2) Form No. 5 shall be furnished to the Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him, one month prior to the due date for furnishing the return of income as specified under section 263(1).

28. Form of audit report for claiming deduction for certain preliminary expenses under section 44 and expenditure for prospecting certain minerals under section 51.– The report of audit of the accounts of an assessee, other than a company or a co-operative society, under section 44(6) or section 51(7), shall be furnished in Form No. 6.

29. Prescribed authority and process of approval for expenditure on scientific research under section 45(1)(a)(ii) and (2).– (1) For the purposes of clause (b) read with clause (a)(ii) of section 45(1), the prescribed authority shall be Principal Chief Commissioner of Income tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India.

(2) For the purposes of section 45(2),—

(a) the prescribed authority shall be Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India;

(b) no company shall be entitled for deduction under said section, unless it enters into an agreement with the prescribed authority for co-operation in research and development facility and fulfils such conditions with regard to maintenance of books of account and audit thereof and furnishing of reports in the manner provided in this rule;

(c) the application for entering into an agreement specified in clause (b) shall be made by a company in Form No.11;

(d) the prescribed authority shall,—

(i) if he is satisfied that the conditions mentioned in section 45(2) and specified in this sub-rule are fulfilled, pass an order in writing in Form No. 14, approving the facility within four months from the end of the month in which application is received;

(ii) where an application is rejected, a reasonable opportunity of being heard shall be granted to the company; and

(iii) furnish a copy of such order to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over such company;

(e) approval of expenditure incurred on in-house research and development facility by a company shall be subject to the following conditions,:—

(i) the facility should not relate purely to market research, sales promotion, quality control, testing, commercial production, style changes, routine data collection or activities of similar nature;

(ii) the prescribed authority shall furnish electronically its report—

(A) in relation to the approval of in-house research and development facility in Part A of Form No. 12;

(B) quantifying the expenditure incurred on in-house research and development facility by the company during the tax year and eligible for deduction under section 45(2) in Part B of Form No. 12;

(iii) the report in Form No. 12 referred to in sub-clause (ii) shall be furnished electronically by the prescribed authority to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over such company within one hundred and twenty days,—

(A) of the grant of the approval, in a case referred to in sub-clause (ii)(A);

(B) of the submission of the audit report, in a case referred to in sub-clause (ii)(B);

(iv) the company shall maintain separate books of account for each approved facility which shall be audited annually;

(v) a report of audit in Form No. 13 shall be furnished electronically to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research on or before the due date specified in section 263(1)(c) for furnishing the return of income, for each succeeding tax year;

(vi) the company shall attach copy of such audited annual account with the return of income to be filed under section 263(1)(a) for each tax year;

(vii) the company shall ensure that the capital and revenue expenditure on in-house research and development facility is reflected in the schedules or notes to accounts in the audited financial statement of the company prepared for the purposes of its annual report and for the purposes of computation of income-tax; and

(viii) the assets acquired by the approved facility shall be utilised only for the approved purpose and shall not be disposed of without the approval of the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

(3) For the purposes of this rule, "audited" means the audit of accounts by an accountant, as defined in section 515(3)(b).

30. Prescribed authority and process of approval for expenditure on scientific research under section 45(3)(c). – (1) For the purposes of section 45(3)(c)(i) to (iii), the head of the National Laboratory or the University or the Indian Institute of Technology, as the case may be, shall be the prescribed authority.

(2) For the purposes of section 45(3)(c)(iv), the Principal Scientific Adviser to the Government of India shall be the prescribed authority.

(3) The application for obtaining approval of scientific research programme under section 45(3)(c) shall be made by a sponsor in Form No. 7.

(4) The prescribed authority shall, if he is satisfied that it is feasible to carry out the scientific research programme then, subject to other conditions specified in this rule, pass an order in writing in Form No. 8, approving such programme within two months from the end of the month in which application is received, to be effective for such period not exceeding five tax years.

(5) For the purposes of sub-rule (4), the Principal Scientific Adviser to the Government of India may authorise an officer, not below the rank of a Deputy Secretary, to issue such order, after the scientific research programme has been approved by him.

(6) A reasonable opportunity of being heard shall be granted to the sponsor before rejecting an application.

(7) Approval of a scientific research programme under section 45(3)(c) shall be subject to the following conditions:—

(a) the programme should not relate purely to market research, sales promotion, quality control, testing, commercial production, style changes, routine data collection or activities of a like nature;

(b) the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person, as the case may be, shall maintain a separate account for each approved programme;

(c) the account shall be audited annually and a copy thereof shall be furnished to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the sponsor on or before the due date specified in section 263(1)(c) for furnishing the return of income, for each succeeding tax year;

(d) the following information or statement or report shall be submitted to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the sponsor:—

(A) a report in Form No. 10 by the prescribed authority within a period of three months from the date of granting approval to the programme showing progress of implementation of the approved programme and actuals of expenditure incurred thereon, by the sponsor and the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person, as the case may be;

(B) a completion certificate along with a copy of the report on the research activities carried out and salient features of the result obtained and its further application for commercial exploitation, jointly by the sponsor and the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person, on completion of the approved programme;

(C) a copy of the audited statement of accounts for the approved programme, by the Head of the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology or the Principal Scientific Adviser to the Government of India, within six months of the completion of the programme;

(e) the prescribed authority shall not extend the duration of the programme or approve any escalation in costs; and

(f) the assets acquired by the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person, for executing the approved programme shall not be disposed of without the approval of the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the sponsor.

(8) The National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person shall issue a receipt of payment for carrying out an approved programme of scientific research in Form No. 9.

(9) The sponsor, may, at least three months before the expiry of the effective period of the order passed under sub-rule (4), make an application to the prescribed authority for passing a fresh order.

(10) For the purposes of this rule,

(a) "audited" means the audit of accounts by an accountant, as defined in the section 515(3)(b); and

(b) "sponsor" means a person who makes an application in Form No. 7.

31. Furnishing of statement of particulars in respect of donation and certificate to donor under section 45(4)(a).– (1) For the purposes of section 45(4)(a), the deduction in respect of any sum paid to the research association, University, college or other institution referred to in 45(3)(a) or the company referred to in 45(3)(b) shall not be allowed, unless such research association, University, college or other institution or company—

(a) prepares statement in Form No. 15 for each tax year and deliver or cause to be delivered to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him; and

(b) furnish to the donor, a certificate specifying the amount of donation in Form No. 16

(2) The research association, University, college or other institution or company shall, while aggregating the amounts for determining the sums received for reporting in respect of any person, —

(a) take into account all the donations of the same nature paid by that person during the tax year; and

(b) proportionately attribute the value of the donation or the aggregated value of all the donations to all the persons, in a case where the donation is recorded in the name of more than one person and where no proportion is specified by the donors, attribute equally to all the donors.

(3) The person who is authorised to verify the return of income under section 265 shall verify Form No. 15.

(4) Statement of particulars in Form No. 15 and the certificate to the donor in Form No. 16 shall be furnished on or before the 31st May, immediately following the tax year in which the donation is received.

32. Procedure, form and manner in respect of approval under section 45(4) read with section 45(3)(a) for deduction for expenditure on scientific research by a research association.– (1) An application for approval under section 45(4)(b) in Form No. 17 shall be made to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant, at any time during the financial year immediately preceding the tax year from which the approval is sought.

(2) Where approval is sought—

(a) from the tax year 2026-2027; or

(b) from the tax year in which the applicant is incorporated,

the application for approval may be made at any time during the said tax year.

(3) The person who is authorised to verify the return of income under section 265, as applicable to the applicant shall verify Form No. 17.

(4) If the research association claims an exemption as per Schedule III [Table: Sl. No. 23], then the Annexure to Form No. 17 shall also be filled out.

(5) The applicant shall send a copy of the application to Member (IT), Central Board of Direct Taxes accompanied by its acknowledgement receipt as evidence of having furnished the application as per sub-rule (1).

(6) Where an application is made under sub-rule (1), every notification under section 45(4)(b) shall be issued or an order rejecting the application shall be passed by the Central Government recording reasons therefor in writing, within twelve months from the end of the quarter in which such application was received in the office of Member (IT), CBDT.

(7) Any notification issued by the Central Government under section 45(4)(b) shall, at any time, have effect for such tax year or years, not exceeding five tax years as may be specified in such notification.

(8) If any defect is noticed in the application, or if any relevant document is not attached thereto, the Commissioner of Income-tax shall serve a deficiency letter on the applicant before the expiry of one month from the end of the month in which application is received in his office.

(9) The applicant shall remove the deficiency referred to in sub-rule (8) within a maximum period of one month from the end of the month in which the deficiency letter is served and if the applicant fails to remove such deficiency within the period so allowed, the Commissioner of Income-tax shall send his recommendation for treating the application as invalid to the Member (IT), Central Board of Direct Taxes.

(10) The Central Government, if satisfied, may pass an order, for reasons to be recorded in writing, treating the application as invalid.

(11) If the application is complete in all respects, the Commissioner of Income-tax, may make such inquiry as he may consider necessary regarding the genuineness of the activity of the research association or University or college or other institution and send his recommendation to the Member (IT), CBDT for grant of approval or rejection of the application before the expiry of the period of three months from the end of the quarter in which the application was received in his office.

(12) The Central Government may, before granting approval under section 45(4)(b), call for such documents or information from the applicant as it may consider necessary and may get any inquiry made for verification of the genuineness of the activity of the applicant.

(13) The Central Government may withdraw the approval granted under section 45(4)(b), if it is satisfied that the research association or University or college or other institution has ceased its activities, or its activities are not genuine, or are not being carried out in accordance with all or any of the conditions specified under rule 33 or rule 34.

(14) No order treating the application as invalid, or rejecting the application or withdrawing the approval, shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.

(15) A copy of the order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval shall be communicated to the applicant, the Assessing Officer and the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant.

(16) The applicant, may, at least three months before the expiry of the effective period of the notification issued under sub-rule (6), make an application to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant for issue of a fresh notification.

33. Conditions subject to which approval is to be granted to a research association for deduction for expenditure on scientific research under section 45(4) read with section 45(3)(a).– (1) The sole object of the applicant research association shall be to undertake scientific research or research in social science or statistical research, as the case may be.

(2) The applicant research association shall carry on the research activity by itself.

(3) The research association seeking approval under section 45(4)(b) shall—

(a) maintain books of account;

(b) get such books audited by an accountant as defined in the section 515(3)(b); and

(c) furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the research association, by the due date of furnishing the return of income under section 263(1).

(4) The research association shall maintain a separate statement of donations received and amount applied for scientific research or research in social science or statistical research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to in sub-rule (3).

(5) The research association shall, by the due date of furnishing the return of income under section 263(1), furnish a statement to the Commissioner of Income-tax containing—

(a) a detailed note on the research work undertaken by it during the tax year;

(b) a summary of research articles published in national or international journals during the tax year;

(c) any patent or other similar rights applied for or registered during the tax year; and

(d) programme of research projects to be undertaken during the forthcoming tax year and the financial allocation for such programme.

(6) If it is found by the Commissioner of Income-tax that the research association,—

(a) is not maintaining books of account; or

(b) has failed to furnish its audit report; or

(c) has not furnished its statement of the sums received and the sums applied for scientific research or research in social science or statistical research or a statement referred to in sub-rule (5); or

(d) has ceased to carry on its research activities, or its activities are not genuine; or

(e) is not fulfilling the conditions subject to which approval was granted to it,

he may, after making appropriate enquiries, furnish a report on the circumstances referred to in clauses (a) to (e), to the Central Government within six months from the date of furnishing the return of income under section 263(1).

34. Conditions subject to which approval is to be granted to a University, college or other institution for deduction for expenditure on scientific research under section 45(4) read with section 45(3)(a).– (1) The sum paid to a University, college or other institution shall be used for scientific research and research in social science or statistical research.

(2) The applicant University, college or other institution shall carry out scientific research, research in social science or statistical research through its faculty members or its enrolled students.

(3) A University or college or other institution approved under section 45(4)(b), shall–

(a) maintain separate books of account in respect of the sums received by it for scientific research or, as the case may be, for research in social science or statistical research;

(b) reflect therein the amount used for carrying out research;

(c) get such books of account audited by an accountant, as defined in the section 515(3)(b); and

(d) furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under section 263(1).

(4) The University or college or other institution shall maintain a separate statement of donations received and the amount used for research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to in sub-rule (3).

(5) The University, college or other institution shall, by the due date of furnishing the return of income under section 263(1), furnish a statement to the Commissioner of Income-tax containing—

(a) a detailed note on the research work undertaken by it during the tax year;

(b) a summary of research articles published in national or international journals during the tax year;

(c) any patent or other similar rights applied for or registered during the tax year;

(d) the programme of research projects to be undertaken during the forthcoming tax year and the financial allocation for such programme.

(6) If it is found by the Commissioner of Income-tax that the University or college or other institution—

(a) is not maintaining separate books of account for research activities; or

(b) has failed to furnish its audit report; or

(c) has not furnished its statement of the sums received and the sums used for research or a statement referred to in sub-rule (5); or

(d) has ceased to carry on its research activities, or its activities are not genuine; or

(e) is not fulfilling the conditions subject to which approval was granted to it,

he may, after making appropriate enquiries, furnish a report on the circumstances referred to in clauses (a) to (e) to the Central Government within six months from the date of furnishing the return of income under section 263(1).

35. Prescribed authority, procedure, form, manner and conditions for approval by a company for deduction for expenditure on scientific research under section 45(3)(b).– (1) For the purposes section 45(3)(b), the prescribed authority shall be the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant.

(2) The procedure, form and manner in respect of approval under section 45(3)(b) shall be as under:—

(a) An application for approval under section 45(3)(b) by a company shall be made in Form No. 17 to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant, at any time during the financial year immediately preceding the tax year from which the approval is sought.

(b) where approval is sought—

(i) from the tax year 2026-2027;

(ii) from the tax year in which the applicant is incorporated,

application for approval may be made at any time during the said tax year.

(c) The person who is authorised to verify the return of income under section 265, as applicable to the applicant shall verify Form No. 17.

(d) The applicant shall send a copy of the application to the prescribed authority, accompanied by the acknowledgement receipt as evidence of having furnished the application as per sub-rule (2)(a).

(e) Every order for approval under section 45(3)(b) shall be issued, or an order rejecting the application shall be passed, within a period of twelve months from the end of the quarter in which the application was received in the Office of the Chief Commissioner of Income-tax.

(f) If any defect is noticed in the application in Form No. 17, or if any relevant document is not attached thereto, the Commissioner of Income-tax shall serve a deficiency letter on the applicant before the expiry of one month from the end of the month in which application is received in his office.

(g) The applicant shall remove the deficiency within a maximum period of one month from the end of the month in which the deficiency letter is served and if the applicant fails to remove the deficiency within the period so allowed, the Commissioner of Income-tax shall send his recommendation for treating the application as invalid to the Chief Commissioner of Income-tax.

(h) The Chief Commissioner of Income-tax may, after examining the re-commendations referred to in clause (g), pass an order that the application is invalid.

(i) If the application form is complete in all respects, the Commissioner of Income-tax may, make such inquiry as he may consider necessary regarding the genuineness of the activity of the company and send his recommendation to the Chief Commissioner of Income-tax, for grant of approval or rejection of the

application, before the expiry of the period of three months from the end of the quarter in which the application was received in his office.

(j) The Chief Commissioner of Income-tax may, before granting approval under section 45(3)(b), call for such documents or information from the applicant as he considers necessary and may get any inquiry made for verification of the genuineness of the activity of the applicant.

(k) The Chief Commissioner of Income-tax may, under section 45(3)(b), pass an order granting approval to the company, or for reasons to be recorded in writing, reject the application.

(l) The Chief Commissioner of Income-tax, as referred in sub-rule (1), may withdraw the approval granted under section 45(3)(b), if he is satisfied that the company has ceased to carry on its activities or its activities are not genuine or are not being carried on in accordance with all or any of the conditions under this rule.

(m) No order treating the application as invalid or rejecting the application or withdrawing the approval shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.

(n) A copy of the order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval shall be communicated to the applicant, the Assessing Officer and the Commissioner of Income-tax.

(o) Any order passed by the Chief Commissioner of Income-tax under this rule shall, at any one time, have effect for such tax year or years, not exceeding five tax years, as may be specified in the order.

(p) The applicant, may, at least three months before the expiry of the effective period of the order issued under sub-rule (2)(e), make an application to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant for passing a fresh order.

(3) Approval to a company under section 45(3)(b) shall be subject to the following conditions:—

(a) the sum paid to the company shall be used for scientific research;

(b) the applicant company shall carry on scientific research through its own employees using its own assets;

(c) a company approved under section 45(3)(b), shall maintain separate books of account in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amount used for carrying on research, get such books of account audited by an accountant as defined under section 515(3)(b), and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under section 263(1)(c).

(d) the company shall maintain a separate statement of donations received and the amount used for research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to in clause (c);

(e) subsequent to approval, the company shall, every year, by the due date of furnishing the return of income under section 263(1)(c), furnish a statement to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the case containing the following information:—

(i) a detailed note on the research work undertaken by it during the tax year;

(ii) a summary of research articles published in national or international journals during the tax year;

(iii) any patents or other similar rights applied for or registered during the tax year;

(iv) programme of research projects to be undertaken during the forthcoming year and the financial allocation for such subjects; and

(f) if it is found by the Commissioner of Income-tax that the company,—

(i) is not maintaining separate books of account for research activities; or

(ii) has failed to furnish its audit report; or

(iii) has not furnished its statement of the sums received and the sums used for research, or a statement referred to in clause (e); or

(iv) has ceased to carry on its research activities, or its activities are not genuine; or

(v) is not fulfilling the conditions subject to which approval was granted tso it,

he may after making appropriate enquiries, furnish a report on the circumstances referred to in sub-clauses (i) to (v) to the jurisdictional Chief Commissioner of Income-tax within six months from the date of furnishing the return of income under section 263(1).

36. Procedure for notification of an affordable housing project as a specified business under section 46(11)(d)(vii) and a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit as a specified business under section 46(11)(d)(xiii).– (1) The applicant shall apply for notification of—

(a) an affordable housing project (herein referred to as "the project") as a specified business under section 46(11)(d)(vii), in Form No. 18; or

(b) a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit (herein referred to as "the unit") as a specified business under section 46(11)(d)(xiii), in Form No. 19.

(2) The notification mentioned in sub-rule (1) shall be in accordance in with the following procedure,:—

(a) the person shall apply for notification of the project or the unit in Form No. 18 or Form No. 19, as the case may be, to Member (IT), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi;

(b) if any defect is noticed in the application or if any relevant document, as required is not attached, a deficiency letter may be served on the applicant;

(c) the applicant shall remove the deficiency within one month from the end of the month in which such deficiency letter is served;

(d) where the applicant fails to remove the deficiency within the period specified in clause (c), the Board, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid;

(e) the Board may, before granting approval, call for such details, documents or information from the applicant as well as from the income-tax authorities and other Departments or agencies, as it may deem fit;

(f) the Board may issue the notification granting approval to the project or the unit, as the case may be, or reject the application, after recording the reasons for rejection in writing;

(g) the Board may withdraw the approval in the case of a project or a unit, if it is satisfied that—

(i) the assessee has ceased its activities relating to the specified business; or

(ii) such activities are not genuine or are not being carried out in accordance with all or any of the conditions under section 46 or under this rule;

(h) the Board may also withdraw the approval in respect of a unit under section 46(11)(d)(xiii), if it is satisfied that the approval granted by the competent authority on the recommendations of the Appraisal Committee under the Modified Special Incentive Package Scheme of the Department of Electronics and Information Technology has been withdrawn;

(i) an opportunity of being heard shall be given to the applicant, if an order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval or cancellation of the notification, were to be passed; and

(j) a copy of order mentioned in clause (i) shall be communicated to the applicant as well as the Assessing Officer and the Commissioner having jurisdiction over the applicant;

(3) The applicant mentioned in sub-rule (1) shall maintain separate books of account with complete details of all capital expenditure incurred during the tax year for which it intends to claim the said deduction under section 46 and shall file the relevant income-tax returns by the due date to avail the tax benefit under the said section.

(4) A project notified under section 46(11)(d)(vii) or a unit notified under section 46(11)(d)(xiii), as the case may be, shall continue to be governed by the provisions of this rule to the extent it is not in contravention with the provisions of the Act.

(5) A project shall be considered for notification under section 46(11)(d)(vii), if it fulfils the following conditions,:—

(a) the project shall have prior sanction of the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India;

(b) the date of commencement of operations of the project shall be on or after the 1st April 2011;

(c) the project shall be on a plot of land with a minimum area of one acre and out of the total allocable rentable area of the project, the affordable housing units shall comprise of at least–

(i) 30% for Economically Weaker Section (EWS) category;

(ii) 60% for Economically Weaker Section (EWS) and Lower Income Group (LIG) categories; and

(iii) 90% for Economically Weaker Section (EWS), Lower Income Group (LIG) and Middle Income Group (MIG) categories;

(d) the remaining 10% or less of the total allocable rentable area of the project may comprise of other residential or commercial units;

(e) the design, layout and specifications of the project to be developed and built shall be approved by the State Government or Union territory Administration or its designated implementing agency; and

(f) the project shall be completed within a period of five years from the end of the tax year in which the project is sanctioned by the competent authority mentioned in clause (a).

(6) A unit shall be considered for notification under section 46(11)(d)(xiii), if it fulfils the following conditions:—

(a) the unit shall be exclusively for the manufacture of semiconductor wafer fabrications;

(b) the unit shall have prior approval of the competent authority on the recommendations of Appraisal Committee under the Modified Special Incentive Package Scheme notified by the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India;

(c) the date of commencement of operations, being the date on which the commercial production of the unit commences, shall be on or after the 1st April 2014; and

(d) the unit may have one or more manufacturing facilities, but all the facilities shall be located in India.

(7) For the purposes of sub-rule (5),—

(a) "affordable housing units" shall be of the following categories:

Category	*Rentable Area (in square metres)*	
	Specified cities	Other cities
Economically Weaker Sections (EWS)	Up to 25	Up to 30
Low Income Group (LIG)	Greater than 25 and up to 50	Greater than 30 and up to 60
Middle Income Group (MIG)	Greater than 50 and up to 70	Greater than 60 and up to 85;

(b) "date of commencement of operations" means the date on which the project is sanctioned by the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, for a project to be considered for notification under section 46(11)(d)(vii);

(c) "housing unit" means an independent residential unit with separate facilities for living, cooking and sanitary requirements, distinctly separated from other residential units within the building –

(i) directly accessible from an outer door or through an interior door in a shared hallway and not by walking through another household's living space; and

(ii) excluding any shared dining areas;

(d) "project" means an affordable housing project;

(e) "rentable area" means the carpet area at any floor level, including the carpet area of kitchen, pantry, store, lavatory, bathroom, 50% of unglazed verandah and 100% of glazed verandah, in accordance with the provisions of the Indian Standard - Method of Measurement of Plinth, Carpet and rentable Areas of Buildings, IS 3861:2002, formulated and published by the Bureau of Indian Standards;

(f) "specified cities" mean–

(i) the urban agglomerations comprising of the area included on the basis of the latest census, of Greater Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad;

(ii) the districts of Faridabad, Gurgaon, Gautham Budh Nagar, Ghaziabad, Gandhinagar; and

(iii) the city of Secunderabad; and

(g) "total allocable rentable area" means the total rentable area of all the proposed housing units or non-housing units but excluding the areas earmarked for common facilities and services.

(8) For the purposes of sub-rule (6),—

(a) "competent authority" means the authority approving the unit under the Modified Special Incentive Package Scheme notified by the Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology;

(b) "date of commencement of operations" means the date on which the commercial production of the unit commences;

(c) "semiconductor wafer fabrications" means integrated circuits which are covered in the National Industrial Classification, 2008 under Division 26; Group 261; Class 2610; Sub-class 26103; and

(d) "unit" means a manufacturing facility for semiconductor wafer fabrications.

37. Procedure for approval of agricultural extension project under section 47(1)(a).– (1) The agricultural extension project (herein referred as the project) shall be considered for notification, if it fulfils the following conditions,:—

(a) the project shall be undertaken by an assessee for training, education and guidance of farmers;

(b) the project shall have prior approval of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India; and

(c) an expenditure (not being expenditure in the nature of cost of any land or building) exceeding the amount of ₹ 25,00,000 is expected to be incurred for the project.

(2) Before undertaking any project, an assessee shall make an application in Form No. 20 to the Member (IT), CBDT for notification of such project under section 47(1)(a).

(3) The application referred to in sub-rule (2) shall also be accompanied by–

(a) a letter approving the project and specifying the amount of expenditure expected to be incurred on the project, from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India;

(b) a detailed note on the agricultural extension project to be undertaken by the assessee; and

(c) details of the expenditure expected to be incurred on the project and expected date of completion of the project.

(4) Where any defect is noticed in the application referred to in sub-rule (2) or a relevant document is not attached thereto, the Board shall, before the expiry of one month from the end of the month in which the application is received in its office, intimate the defect to the applicant for its rectification.
(5) The applicant shall remove the defect within a period of one month form the end of the month in which intimation letter is served on him.
(6) Where the applicant fails to remove the deficiency within the period mentioned in sub-rule (5), the Board shall, within one month from the time period specified in the said sub-rule, pass an order treating the application as invalid.
(7) If the application is complete in all respects, the Board shall, within two months from the end of the quarter in which it receives such application, issue a notification under section 47(1)(a) in Form No. 21 specifying the project, subject to the conditions mentioned in rule 38 or such other conditions, as it may deem fit, to be effective for such period not exceeding three tax years.
(8) The assessee, may, at least three months before the expiry of the effective period of the notification issued under sub-rule (7), make an application to the Board for notification of such project for a further period.
(9) The Board shall, after receiving the application under sub-rule (8), call for a report from the Commissioner of Income-tax, having jurisdiction over the case regarding the activities of the project during the period of notification and fulfilment of conditions specified in rule 38 including any other conditions, if any, subject to which the project was notified under sub-rule (7).
(10) On being satisfied with the report received under sub-rule (9) on the project, the Board may, within two months from the end of the quarter in which it receives application referred to in sub-rule (8), notify the said project for a further period not exceeding three tax years.
(11) The Board may, on being satisfied that—

(a) the assessee has ceased its activities, or that its activities are not genuine; or
(b) its activities are not being carried out in accordance with all or any of the relevant provisions of this rule or rule 38; or
(c) its activities are not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which the notification was issued,

pass an order for revocation of the notification issued under sub-rule (7) or sub-rule (10) after providing a reasonable opportunity of being heard.
(12) A copy of notification, approval, rejection, or cancellation shall be communicated to–

(a) the applicant;
(b) the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India;
(c) the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant;
(d) the Department of Agriculture of the concerned State; and
(e) the Agricultural Technology Management Agency of the concerned district.

38. Conditions for notification of agricultural extension projects under section 47(1)(a).– (1) The assessee undertaking an agricultural extension project (herein referred as the project) shall maintain separate books of account of the project notified under section 47(1)(a) and get such books of account audited by an accountant as defined under section 515(3)(b).
(2) The audit report referred to in sub-rule (1) shall include comments of the auditor on the true and fair view of the books of account maintained for the project, the genuineness of the activities of the project, and fulfilment of the conditions specified in the relevant provisions of the Act, the rules, or a notification issued under rule 37.
(3) The assessee shall not accept an amount exceeding the amount approved in the notification from the beneficiary under the eligible project for training, education, guidance, or any material distributed for such training, education or guidance.
(4) The assessee shall not derive any direct or indirect benefit from the notified project except for the deduction of eligible expenditure in accordance with section 47(1)(a), rule 37 and this rule.
(5) The expenses, eligible for deduction under section 47(1)(a), shall be all expenses incurred wholly and exclusively for undertaking an eligible project as reduced by

(a) the amount received from the beneficiary;
(b) the cost of any land or building;
(c) any expenditure on the project that is reimbursed or reimbursable to the assessee by any person, whether directly or indirectly.

(6) The assessee shall, on or before the due date of furnishing the return of income under section 263(1), furnish the following to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the assessee:–

(a) the audited statement of accounts of the project for the tax year along with the audit report and the amount of deduction claimed under section 47(1)(a);

(b) a note on the project undertaken during the tax year, the programme of the project to be undertaken during the current year, and the financial allocation for such programme; and

(c) a certificate from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, regarding the genuineness of the project undertaken by the assessee during the tax year.

(7) If it is found by the Commissioner of Income-tax that—

(a) the assessee has not maintained separate books of account for the project or has not got such books of account audited by an accountant in accordance with sub-rule (1); or

(b) the assessee has not furnished the documents referred to in sub-rule (6); or

(c) the assessee has ceased to carry out activities of the project; or

(d) the activities of the project of the assessee are not genuine; or

(e) the activities of the project are not being carried out in accordance with the relevant provisions of the Act, rules, or the conditions subject to which the notification was issued under rule 37,

he may, after making appropriate inquiries, furnish a report on the circumstances referred to in clauses (a) to (e) to the Board for appropriate action as per the provisions of rule 37(11).

39. Procedure for approval of skill development projects under section 47(1)(b).– (1) A skill development project (herein referred as the project) shall be considered for notification, if it is undertaken by an eligible company and the project is undertaken in a separate facility in a training institute.

(2) Before undertaking any project, the eligible company shall make an application in Form No. 22 to the National Council for Vocational Education and Training (herein referred to as "National Council") for notification of such project under section 47(1)(b).

(3) A copy of the application shall also be sent to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant, along with an acknowledgment receipt as evidence of furnishing of application to the National Council.

(4) The application shall be accompanied by–

(a) a letter of concurrence from the training institute in which the project is to be undertaken;

(b) a detailed note on the skill development project to be undertaken by the eligible company; and

(c) details of the expenditure expected to be incurred on the project and expected date of completion of the project.

(5) If any defect is noticed in the application referred to in sub-rule (2), or if any relevant document is not attached thereto, the National Council shall, before the expiry of one month from the end of the month in which the application is received in its office, intimate the defect to the applicant for its rectification.

(6) The applicant shall remove the defect within a period of one month from the end of the month in which the intimation letter for removal of the deficiency is served.

(7) Where the applicant fails to remove the deficiency within the period mentioned in sub-rule (6), the National Council shall send its recommendation for treating the application as invalid to the Board.

(8) On receipt of the recommendation of the National Council under sub-rule (7), the Board, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid.

(9) If the application is complete in all respects,–

(i) the National Council may make such inquiry or call for such documents from the eligible company or the training institute as it may consider necessary for satisfying itself regarding the genuineness of the current and proposed activity of the applicant relating to skill development; and

(ii) send its recommendation to the Board for grant of approval or rejection of the application before the expiry of two months from the end of the month in which the application, complete in all respects, was received in its office.

(10) The Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant shall send his recommendation to the National Council for grant of approval or rejection of the application, after considering the compliance of the applicant with the various provisions of the Act before the expiry of one month from the end of the month in which the copy of the application was received in his office.

(11) If the National Council recommends the grant of approval under sub-rule (9), the Board shall within two months from the end of the quarter in which it receives the report from the National Council, issue a notification in Form No. 23 under section 47(1)(b), specifying the project, subject to conditions mentioned in rule 40 or such other conditions, as it may deem fit, to be effective for such period not exceeding three tax years.

(12) If the National Council recommends the rejection of the application under sub-rule (9), the Board shall pass an order rejecting the application.

(13) If the Board is satisfied with the activities of the project during the period of notification, it may notify the said project for a further period in consultation with the National Council.

(14) If the Board is satisfied that—

(a) the eligible company or the training institute has ceased its activities, or that its activities are not genuine; or

(b) that its activities are not being carried out in accordance with—

(i) all or any of the relevant provisions of the Act or this rule or rule 40; or

(ii) the conditions subject to which the notification was issued,

it may pass an order for revocation of the notification issued under sub-rule (11) or sub-rule (13) after providing a reasonable opportunity of being heard.

(15) A copy of notification, approval, rejection, or cancellation shall be communicated to–

(a) the applicant;

(b) the National Council;

(c) the training institute; and

(d) the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant.

40. Conditions subject to which a skill development project is to be notified under section 47(1)(b).– (1) The company undertaking a skill development project (herein referred as the project) shall maintain separate books of account for the project notified under section 47(1)(b) and get such books of account audited by an accountant as defined in section 515(3)(b).

(2) The audit report referred to in sub-rule (1) shall include the comments of the auditor on the true and fair view of the books of account maintained for the project, the genuineness of the activities of the project, and the fulfilment of the conditions specified in the relevant provisions of the Act, rules, or the conditions mentioned in a notification issued under rule 39.

(3) A project in respect of existing employees of the company shall not be eligible for notification under section 47(1)(b), where the training of such employees commences after six months of their recruitment.

(4) The expenses, eligible for deduction under section 47(1)(b), shall be all expenses incurred wholly and exclusively for undertaking an eligible project as reduced by–

(a) the cost of any land or building; and

(b) any expenditure on the project that is reimbursed or reimbursable to the assessee by any person, whether directly or indirectly.

(5) The company shall, on or before the due date of furnishing the return of income under section 263(1), furnish the audited statement of accounts of the project for the tax year along with the audit report and the amount of deduction claimed under section 47(1)(b), to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the company.

(6) If it is found by the Commissioner of Income-tax that—

(a) the company has not maintained separate books of account for the project or has not got such books of account audited by an accountant in accordance with sub-rule (1); or

(b) the company has not furnished the documents referred to in sub-rule (5); or

(c) the company has ceased to carry out activities of the project; or

(d) the activities of the project of the company are not genuine; or

(e) the activities of the project of the company are not being carried out in accordance with the relevant provisions of the Act, rules, or the conditions subject to which the notification was issued under rule 39,

he shall, after making appropriate inquiries, furnish a report on the circumstances referred to in clauses (a) to (e) to the Board for appropriate action under rule 39(14).

(7) If the National Council for Vocational Education and Training is not satisfied about the genuineness of the activities of the notified project, it shall send its recommendation to the Board for appropriate action under rule 39(14).

(8) For the purposes of this rule and rule 39,–

(a)"eligible company" means a company, which is-

(i) engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, not being an article or thing mentioned at serial numbers 1 and 2 of the list of articles or things specified in the Thirteenth Schedule; or

(ii) engaged in providing the following services:

1. accounting services;
2. architect services;
3. automobile repair or maintenance;

4. banking, insurance and financial services including ATM installation, maintenance and operations or banking correspondents or insurance agents;
5. beauty and cosmetology, including hair styling or manicurists or pedicurists;
6. cable operators or Direct To Home (DTH) services;
7. cargo Handling and stevedoring services;
8. construction including painting or woodwork or plumbing or flooring or electrical wiring or installation or maintenance of lifts;
9. courier services;
10. design services including fashion or gems and jewellery or apparel or industrial designing;
11. event management;
12. facilities management, housekeeping, cleaning services;
13. fire and safety services;
14. food processing or preservation services, including post harvesting and post farm-gate skills;
15. health and Wellness services including spa or nutritionists or weight management or health instructors or yoga or gym trainers;
16. home decor services, landscaping;
17. hospital and Healthcare services, such as Lab technicians, nursing and other paramedical staff;
18. hospitality, including culinary skills or catering services;
19. logistics and Transportation by any mode, including by air, sea, road, rail or pipelines, and related services such as driving or operation of heavy machinery equipment, forwarding agents, packers and movers;
20. market research services;
21. media or film or advertising;
22. mining and extraction of mineral resources, including hydrocarbons;
23. packaging and warehousing, including both ambient temperature storage and cold storage, operation of internal container depots and container freight stations;
24. port and maritime services such as dredging, piloting, tug boat operations, shipbuilding, ship scrapping and bunkering;
25. power sector services, including those required for erection or installation or maintenance of equipment or towers, etc. in generation, transmission or distribution sector projects;
26. private security, including guards, supervisors, installation and maintenance of security equipment etc.;
27. refrigeration and air-conditioning;
28. repair and maintenance services, including installation and servicing of household goods or white goods;
29. retail marketing, including shop floor assistants or merchandisers;
30. telecom services, including erection and maintenance of towers; and
31. travel and tourism, including guides or ticketing or sales or cab drives;

(b) "National Council for Vocational Education and Training" means the National Council constituted by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship vide Notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 05.12.2018;

(c) "State Council for Vocational Training" means a State Council for Training in Vocational Trades established by a State Government; and

(d) "training institute" means a training institute–

(i)set up by the Central Government or a State Government or a local authority;

(ii)affiliated to a State Council for Vocational Training;

(iii)affiliated to, or approved by, or empanelled by, the National Council for Vocational Education and Training;

(iv)affiliated to, or approved by, or empanelled by, the Central Government and certified by the National Council for Vocational Education and Training as having training standards equivalent to training institutes affiliated to the National Council for Vocational Education and Training; or

(v)affiliated to, or approved by or empanelled by, the State Government and certified by the National Council for Vocational Education and Training or a State Council for Vocational Training as having training standards equivalent to training institutes affiliated to the National Council for Vocational Education and Training or, as the case may be, the State Council for Vocational Training.

41. Expenditure for obtaining right to use spectrum for telecommunication services.– (1) For the purposes of section 52(7)(a) read with section 52(1)[Table: Sl. No. 3], the term "actually paid" shall mean,—

(a) where an assessee has opted and been allowed by the Department of Telecommunications, Government of India to make full upfront payment of spectrum fee, the actual payment of expenditure, irrespective of the tax year in which the liability for the expenditure was incurred, according to the method of accounting regularly employed by the assessee; or

(b) where an assessee has opted and been allowed by the Department of Telecommunications, Government of India to make deferred payment, the amount which would have been payable by the assessee had he opted for full upfront payment of spectrum fee, irrespective of the tax year in which the liability for the expenditure was incurred, according to the method of accounting regularly employed by the assessee.

(2) In case of deferred payment referred to in sub-rule (1)(b), where there is failure by the assessee to comply with any of the conditions specified by the scheme of the Department of Telecommunications, Government of India and the Department of Telecommunications terminates the allotment or assignment of spectrum, the Assessing Officer, in exercise of power vested in him under section 52(5), shall re-compute the total income of the assessee for the tax year in which the deduction has been claimed and granted to him by deeming that—

(a) the total spectrum fee paid up to the date of termination is the amount "actually paid"; and

(b) the spectrum was in force up to the date of its termination for the purpose of determining the number of tax years as required by section 52(1)[Table: Sl. No. 3, C. D].

42. Special provision regarding interest on bad and doubtful debt of specified financial institution.– (1) The provisions of section 56 shall apply in the case of every public financial institution, scheduled bank, State Financial Corporation and State Industrial Investment Corporation, if its income from interest is related to following categories of bad or doubtful debts,:—

(a) in relation to a loan or advance, where,—

(i) interest or instalment of principal remains overdue for a period of more than one hundred and eighty days; or

(ii) the account remains out of order in respect of an overdraft or cash credit; or

(iii) the bill remains overdue for a period of more than one hundred and eighty days in the case of bills purchased and discounted; or

(iv) the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops; or

(v) the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops; or

(vi) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than one hundred and eighty days for a securitisation transaction undertaken in terms of the Reserve Bank of India (Securitisation of Standard Assets) Directions, 2021; or

(vii) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of one hundred and eighty days from the specified due date for payment; and

(b) in relation to an account, where,—

(i) a working capital borrowal account with irregular drawings for a continuous period of one hundred and eighty days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory and for this purposes the outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than six months would be deemed as irregular; or

(ii) the regular or ad hoc credit limits have not been reviewed or renewed within one hundred and eighty days from the due date or date of ad hoc sanction; or

(iii) there is erosion in the value of security and the realisable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank or accepted by Reserve Bank of India at the time of last inspection; or

(iv) the realisable value of the security, as assessed by the bank or approved valuers or Reserve Bank of India is less than 10% of the outstanding in the borrowal accounts.

(2) The provisions of section 56 shall apply in the case of every public company, where its income by way of interest pertains to the following category of bad and doubtful debts,:—

(a) (i) doubtful asset, that is, a debt which has remained a non-performing asset of the nature specified in sub-clause (ii) for a period exceeding two years;

(ii) non-performing asset referred to in sub-clause (i) shall be the following:—

(A) an asset, in respect of which, interest has remained overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(B) a term loan (other than the one granted to an agriculturist or to a person whose income is dependent on the harvest of crops) inclusive of unpaid interest, when the instalment is overdue for a

period of more than one hundred and eighty days or more or on which interest amount remained overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(C) a demand or call loan, which remained overdue for a period of more than one hundred and eighty days from the date of demand or call or on which interest amount remained overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(D) a bill which remains overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(E) the interest in respect of a debt or the income on receivables under the head 'other current assets' in the nature of short-term loans or advances, which facility remained overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(F) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(G) the lease rental and hire purchase instalment, which has become overdue for a period of more than one hundred and eighty days;

(H) a term loan granted to an agriculturist or to a person, whose income is dependent on the harvest of crops, if the instalment of principal or interest thereon remains unpaid—

(I) for two crop seasons beyond the due date if the income of the borrower is dependent on short duration crops; or

(II) for one crop season beyond the due date if the income of the borrower is dependent on long duration crop;

(I) in respect of loans, advances and other credit facilities (including bills purchased and discounted), the balance outstanding under the credit facilities (including accrued interest) made available to the same borrower or beneficiary when any of the above credit facilities becomes non-performing asset; and

(b) loss asset, that is, an asset which has been identified as loss asset and considered as uncollectible but has not been written off by the assessee.

(3) For the purposes of this rule—

(a) an overdraft or cash credit account shall be treated as "out of order" if—

(i) the outstanding balance in the overdraft or cash credit account remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power for one hundred and eighty days; or

(ii) the outstanding balance in the overdraft or cash credit account is less than the sanctioned limit or drawing power but there are no credits continuously for one hundred and eighty days, or the outstanding balance in the overdraft or cash credit account is less than the sanctioned limit or drawing power but credits are not enough to cover the interest debited during the previous one hundred and eighty days period;

(b) "long duration crop" means crop with crop season longer than one year;

(c) "public company" means a company,—

(i) which is a public company within the meaning of section 2(71) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) whose main object is carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of house in India for residential purposes; and

(iii) which is registered under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) or in accordance with the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989 or Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 issued by the local Government.

(d) "short duration crop" means crop which is not a long duration crop;

(e) "the crop season for each crop" means the period up to harvesting of the crops raised, as may be as determined by the State Level Bankers' Committee in each State;

43. Form of report of audit to be furnished under section 59(4) for computation of royalty and fee for technical services.– The report of audit of accounts of a non-resident (not being a company) or a foreign company for computation of royalty and fee for technical services, which is required to be furnished under section 59(4), shall be in Form No. 24.

44. Conditions to be fulfilled by a non-resident, engaged in the business of operation of cruise ships under section 61(2) [Table: Sl. No. 2].— For the purposes of section 61(2) [Table: Sl. No. 2], a non-resident assessee, engaged in the business of operation of cruise ships shall, —

(a) operate a passenger ship having a carrying capacity of more than two hundred passengers or length of seventy-five meters or more, for leisure and recreational purposes and having appropriate dining and cabin facilities for passengers;

(b) operate such ship on scheduled voyage or shore excursion touching at least two sea ports of India or same sea ports of India twice;

(c) operate such ship primarily for carrying passengers and not for carrying cargo; and

(d) operate such ship as per the procedure and guidelines if any, issued by the Ministry of Tourism or Ministry of **Ports,** Shipping **and Waterways**.

45. Conditions to be fulfilled by a resident company for purposes of section 61(2) [Table: Sl. No. 6].— (1) For the purposes of section 61(2) [Table: Sl. No. 6], a resident company shall, —

(a) be establishing or operating electronics manufacturing facility or a connected facility for manufacturing or producing electronic goods, article or thing in India under **any** scheme notified by the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology and as modified from time to time; and

(b) not become ineligible for the such scheme at any time of the tax year for which tax is to be calculated for the income of the non-resident.

(2) For the purposes of this rule, 'electronics goods' shall mean goods covered under any scheme referred to in sub-rule (1), including their supply chain ecosystem.

46. Maintenance of books of account under section 62.– (1) Every person required to keep and maintain books of account and other documents under section 62(1)(b) shall maintain such books of account and other documents that enable the Assessing Officer to compute his total income under the Act.

(2) Every person carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or profession of authorised representative or film artist, shall keep and maintain the books of account and other documents specified in sub-rule (4).

(3) The provisions of sub-rule (2) shall not apply–

(i) in relation to any tax year in the case of any person, if his total gross receipts in the profession do not exceed ₹ 150000 in any one of the three years immediately preceding the tax year; or

(ii) where the profession has been newly set up in the tax year, his total gross receipts in the profession for that year are not likely to exceed the said amount.

(4) The books of account and other documents referred to in sub-rule (2) shall be the following:—

(a) a cash book; or

(b) a journal, if the accounts are maintained according to the mercantile system of accounting; or

(c) a ledger; or

(d) for sums equal to or exceeding two hundred and fifty rupees, copies of bills or receipts issued by him; or

(e) original bills and receipts in respect of expenditure equal to or exceeding two hundred and fifty rupees incurred by the person and issued to him; or

(f) payment vouchers prepared and signed by the person, where the expenditure incurred does not exceed two hundred and fifty rupees, and the cash book maintained by the person does not contain adequate particulars in respect of such expenditure;

(5) In this rule,—

(a) "authorised representative" means a person who represents any other person, on payment of any fee or remuneration before–

(i) any Tribunal; or

(ii) any authority constituted or appointed by or under any law for the time being in force;

but does not include an employee of the person so represented or a person carrying on legal profession or a person carrying on the profession of accountancy;

(b) "cash book" means a record of all cash receipts and payments, kept and maintained day-to-day and giving the cash balance in hand at the end of each day or at the end of a specified period not exceeding a month;

(c) "film artist" means any person engaged in his professional capacity in the production of a cinematograph film whether produced by him or by any other person, as—

(i) an actor; or
(ii) a cameraman; or
(iii) a director, including an assistant director; or
(iv) a music director, including an assistant music director; or
(v) an art director, including an assistant art director; or
(vi) a dance director, including an assistant dance director; or
(vii) an editor; or
(viii) a singer; or
(ix) a lyricist; or
(x) a story writer; or
(xi) a screen-play writer; or
(xii) a dialogue writer; or
(xiii) a dress designer.

(6) A person carrying on medical profession shall, in addition to the books of account and other documents specified in sub-rule (4), keep and maintain the following:—

(i) a daily case register in Form No. 25;

(ii) an inventory under broad heads, as on the first and the last day of the tax year, of the stock of drugs, medicines and other consumable accessories used for the purpose of his profession;

(7) The books of account and other documents specified in sub-rules (1), (4) and (6) other than those relating to a tax year which has come to an end shall be kept and maintained by the person at–

(a) the place where he is carrying on the profession; or

(b) where the profession is carried on in more places than one, at the principal place of his profession; or

(c) if the person keeps and maintains separate books of account in respect of each place where the profession is carried on, such books of account and other documents may be kept and maintained at the respective places at which the profession is carried on.

(8) The books of account and other documents specified in sub-rules (1), (4) and (6) maintained in electronic mode shall remain accessible in India at all times, and the backup of such books of account and other documents maintained in electronic mode, shall be kept on a daily basis in servers physically located in India.

(9) The books of account and other documents specified in sub-rules (1), (4) and (6) shall be kept and maintained for a period of seven tax years from the end of the relevant tax year.

(10) Where the assessment in relation to any tax year has been reopened under section 279 or under section 147 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as it existed prior to its repeal, all the books of account and other documents which were kept and maintained at the time of reopening of the assessment shall continue to be so kept and maintained till the assessment, so reopened has been completed.

47. Report of audit of accounts to be furnished under section 63.– (1) The report of audit of the accounts of a person required to be furnished under section 63 shall,—

(a) in the case of a person who carries on business or profession and who is required by or under any law other than the Act to get his accounts audited, be in Part A of Form No. 26;

(b) in the case of a person who carries on business or profession, but not being a person referred to in clause (a), shall be in Part B of Form No. 26.

(2) The particulars required to be furnished under section 63 shall also be in Part C and D of Form No. 26.

(3) The report of audit furnished under this rule may be revised by the person by obtaining a revised report of audit from an accountant as defined in section 515(3)(b), duly signed and verified by such accountant, and shall furnish it before the end of the relevant financial year succeeding the tax year for which the report pertains, if there is payment by such person after furnishing of the report under sub-rules (1) and (2) which necessitates recalculation of the disallowance under section 35 or section 37.

48. Other electronic modes of payment.– For the purposes of Schedule VIII [Table: Sl.No. 1. D(**d**)], section 66(32), section 146(5)(a)(ii)(B), sections 185, 186 and 188, the other electronic modes of payment shall be the following:—

(a) Credit card;
(b) Debit card;
(c) Net banking;

(d) IMPS (Immediate Payment Service);
(e) UPI (Unified Payment Interface);
(f) RTGS (Real Time Gross Settlement);
(g) NEFT (National Electronic Funds Transfer);
(h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Pay; and
(i) Tier-III: Full KYC Central Bank Digital Currency wallets, P-CBDC, Wholesale/Cross-border CBDC.

49. Computation of capital gains for purposes of section 67(5).– (1) If a person receives any amount under a specified unit-linked insurance policy, including any bonus allocated on such policy, then the capital gains arising from receipt of such amount in situations referred in column B of the following Table shall be computed according to **c**olumn C thereof;

Table

Sl. No.	Situations	Capital gains
A	B	C
1.	Where the amount is received for the first time during the tax year	A-B Where, A=the amount received for the first time, including the amount allocated by way of bonus on such policy; and B=the aggregate of the premium paid during the term of the specified unit linked insurance policy till the date of receipt of the amount**s** referred **to** as 'A'.
2.	Where the amount is received during the tax year, at any time after the receipt of the amount as referred to in Sl.**N**o.1	C-D Where, — C=the amount received during the tax year, at any time after the receipt of the amount as referred to in Sl.**N**o.1, including the amount allocated by way of bonus on such policy excluding the amount that has already been considered for calculation of taxable amount under this sub-rule during the earlier tax year or years; and D =the aggregate of the premium paid during the term of the specified unit linked insurance policy till the date of receipt of the amount referred to as 'C', as reduced by the premium that has already been considered for calculation of taxable amount under this sub-rule during the earlier tax year or years.

(2) The capital gains as computed under sub-rule (1) shall be deemed to be the capital gains arising from the transfer of a unit of an equity-oriented fund set up under a scheme of an insurance company that includes unit linked insurance policies.
(3) In this rule, the expression "specified unit linked insurance policy" mean**s** any unit linked insurance policy referred to in section 2(22)(c).

50. Attribution of income taxable under section 67(10) to capital assets remaining with the specified entity, under section 72.– (1) For the purposes of section 72(5), the amount chargeable to income-tax as income of specified entity under section 67(10), shall be attributed to capital asset remaining with the specified entity in the manner provided in this rule.
(2) Where the aggregate of the value of money and the fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity, in excess of balance in his capital account, chargeable to tax under section 67(10) relates to revaluation of any capital asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill, of the specified entity, the amount attributable to the capital asset remaining with the specified entity for purpose of section 72(5) shall be–

$$A = B*(C/D).$$

Where,–

A= the amount attributable to the capital asset remaining with the specified entity for purpose of section 72(5);
B= amount charged under section 67(10);
C= increase in, or recognition of, value of the asset remaining with the specified entity, because of revaluation or valuation; and
D= aggregate of increase in, or recognition of, value of all assets because of the revaluation or valuation.

(3) Where the aggregate of the value of money and the fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity, is in excess of the balance in his capital account, charged to tax under section 67(10) does not relates to revaluation of any capital asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill, of the specified entity, the amount charged to tax under section 67(10) shall not be attributed to any capital asset for the purposes of section 72(5).

(4) Irrespective of anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3), where the aggregate of the value of money and the fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity, in excess of balance in his capital account, charged to tax under section 67(10) relate only to the capital asset received by the specified person from the specified entity, the amount charged to tax under section 67(10) shall not be attributed to any capital asset for the purposes of section 72(5).

(5) The specified entity shall furnish the details of amount attributed to capital asset remaining with the specified entity in Form No. 27.

(6) The person who is authorised to verify the return of income of the specified entity under section 265 shall verify Form No. 27.

(7) Form No. 27 shall be furnished on or before the due date referred to in section 263(1)(c) for the tax year in which the amount is chargeable to tax under section 67(10).

(8) For the purposes of this rule,–

(a) the amount chargeable to tax under section 67(10) shall relate to revaluation of any capital asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill, of the specified entity, if the revaluation is based on a valuation report obtained from a registered valuer as defined in rule 56 (f);

(b) the specified entity shall not be entitled for the depreciation on–

(i) the increase in value of an asset on account of its revaluation; or

(ii) the recognition of the value of a self-generated asset or self-generated goodwill, due to its valuation; and

(c) the expressions "self-generated asset" and "self-generated goodwill" shall have the meanings respectively assigned to them in section 67(11)(b).

51. Other conditions required to be fulfilled by the original fund.– (1) For the purposes of section 70(2) [Table: Sl No.5, C(a)(A)(iv)], the original fund, in a case where a capital asset is transferred to a resultant fund being a Category III Alternative Investment Fund, shall fulfil the condition that the aggregate participation or investment in the original fund, either directly or indirectly, by persons resident in India does not exceed **5%** of the corpus of such fund at the time of such transfer.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the expressions "original fund" and "resultant fund" shall have the meanings respectively assigned to them in section 70(2) [Table: Sl No.5, C(a) and (c)].

52. Rate of exchange for conversion of rupees into foreign currency and reconversion of foreign currency into rupees for purpose of computation of capital gains under section 72.– (1) For the purpose of computing capital gains arising from the transfer of a capital asset being shares in, or debentures of, an Indian company, in the case of an assessee who is a non-resident, the rate of exchange shall be, in the circumstances referred to in column B of the following table, as per column C thereof:—

Table

S.No	Circumstances	Rate of Exchange
A	B	C
1.	For converting the cost of acquisition of the capital asset	The average of the telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate of the foreign currency initially utilised in the purchase of the said asset, as on the date of its acquisition.
2.	For converting the expenditure incurred wholly and exclusively in connection with the transfer of the capital asset referred to in Sl.No. 1,	The average of the telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate of the foreign currency initially utilised in the purchase of the said asset, as on the date of transfer of the capital asset.
3.	For converting the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset referred to in Sl.No. 1,	The average of the telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate of the foreign currency initially utilised in the purchase of the said asset, as on the date of transfer of the capital asset.
4.	For converting the capital gains computed in the foreign currency initially utilised in the	The telegraphic transfer buying rate of such currency, as on the date of transfer of the capital asset.

	purchase of the capital asset into rupees,	

(2) For the purposes of this rule,–

(a) "telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned to it in rule 206; and

(b) "telegraphic transfer selling rate", in relation to a foreign currency, means the rate of exchange adopted by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), for selling such currency where such currency is made available by that bank through telegraphic transfer.

53. Computation of fair market value of capital assets for purposes of section 77.– (1) For the purposes of section 77(3)(b), the fair market value of the capital assets shall be the FMV1 determined under sub-rule (2) or FMV2 determined under sub-rule (3), whichever is higher.

(2) The FMV1 shall be the fair market value of the capital assets transferred by way of slump sale determined in accordance with the formula—

A+B+C+D - L,

Where,

A = book value of all the assets (other than jewellery, artistic work, shares, securities and immovable property) as appearing in the books of accounts of the undertaking or the division transferred by way of slump sale as reduced by the following amount which relate to such undertaking or the division, —

(i) any amount of income-tax paid, if any, as reduced by the amount of income-tax refund claimed, if any; and

(ii) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

B = the price which the jewellery and artistic work would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer;

C = fair market value of shares and securities as determined in the manner provided in rule 57;

D = the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property; and

L= book value of liabilities as appearing in the books of account of the undertaking or the division transferred by way of slump sale, but not including the following amounts which relates to such undertaking or division, namely: —

(i) the paid-up capital in respect of equity shares;

(ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company;

(iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;

(iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, as reduced by the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities; and

(vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares.

(3) FMV2 shall be the fair market value of the consideration received or accruing as a result of transfer by way of slump sale determined in accordance with the formula—

E+F+G+H,

Where,

E = value of the monetary consideration received or accruing as a result of the transfer;

F = fair market value of non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property referred to in rule 57 [Table: Sl.Nos. 1 to 5] determined in the manner provided in the said rule for the said property;

G = the price which the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property, other than immovable property, which is not covered in rule 57 (Table: Sl.No. 1 to 5), would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer, in respect of property; and

H = the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property in case the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer is represented by the immovable property.

(4) The fair market value of the capital assets under sub-rules (2) and (3) shall be determined on the date of slump sale and for this purpose valuation date referred to in rule 57 shall also mean the date of slump sale.

(5) For the purposes of this rule,–

(a) "artistic work" means archaeological collections, drawings, paintings, sculptures or any work of art; and

(b) the expressions "registered valuer" and "securities" shall have the meanings as respectively assigned to them in rule 56.

54. Form of report of an accountant in respect of slump sale.– In case of a slump sale under section 77(4), every assessee is required to submit a report from an accountant as defined in section 515(3)(b), in Form No. 28 before the specified date referred to in section 63.

55. Conditions for reference to Valuation Officers under section 91(1)(b).– For the purposes of Section 91(1)(b)(i),–

(a) the percentage of the value of the asset shall be 15%; and

(b) the amount shall be ten lakh rupees.

56. Meaning of expressions used in determination of fair market value.– For the purposes of this rule and rule 57, —

(a) “balance sheet", in relation to any company, means, —

(i) in relation to an Indian company, the balance sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the valuation date which has been audited by the auditor of the company appointed under the laws relating to companies in force; and

(ii) in relation to a company, not being an Indian company, the balance sheet of the company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the valuation date which has been audited by the auditor of the company, if any, appointed under the laws in force of the country in which the company is registered or incorporated;

(b) "merchant banker" means category I merchant banker registered with Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(c) "quoted shares or securities" in relation to shares or securities means a share or security quoted on any recognised stock exchange with regularity from time to time, where the quotations of such shares or securities are based on current transaction made in the ordinary course of business;

(d) "recognised stock exchange" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(f) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(e) "registered dealer" means a dealer who is registered under Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) or general sales tax law for the time being in force in any State including value added tax laws;

(f) "registered valuer" shall have the same meaning as assigned to it in section 513;

(g) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(h) "unquoted shares and securities", in relation to shares or securities, means shares and securities which are not quoted shares or securities; and

(i) “valuation date" means the date provided in the Table below:

Table

Sl. No	Section	Valuation date
A	B	C
1.	Section 92	Date on which property or consideration, as the case may be, referred to in section 92 is received by the assessee.
2.	Section 79	Date on which the capital asset, being share of a company other than a quoted share, referred to in section 79, is transferred.
3.	Section 26(2)(j)	Date on which the inventory is converted, or treated, as a capital asset.

57. Determination of fair market value.– For the purpose of following sections referred to in column B of the Table below, the fair market value of the property of the nature referred to column C shall be determined in the manner provided in column D thereof:

Table

Sl. No	Section	Nature of Property	Manner of determination of Fair Market Value
A	B	C	D
1	Sections 26(2)(j) and 92.	Jewellery	(a) The price which such jewellery would fetch, if sold in the open market on the valuation date; or (b) if the jewellery is received by way of purchase from a registered dealer on the valuation date, the invoice value of such jewellery; or (c) if the jewellery is received by any other mode and its value exceeds ₹50,000, the assessee may obtain a report from a registered valuer regarding the price it would fetch, if sold in the open market on the valuation date.
2	Sections 26(2)(j) and 92.	Archaeological collections, drawings, paintings, sculptures or any work of art (herein referred as artistic work)	(a) The price which such artistic work would fetch, if sold in the open market on the valuation date; or (b) if the artistic work is received by way of purchase from a registered dealer on the valuation date, the invoice value of such artistic work; or (c) if the artistic work is received through any other means and its value exceeds ₹50,000, the assessee may obtain a report from a registered valuer regarding the price it would fetch, if sold in the open market on the valuation date.
3	Sections 26(2)(j) and 92.	Quoted shares and securities	(a) If the quoted shares and securities are received by way of transaction carried out through any recognised stock exchange, the fair market value of such shares and securities shall be the transaction value as recorded in such stock exchange; or (b) if such quoted shares and securities are received by way of transaction carried out other than through any recognised stock exchange, their fair market shall be– (A) the lowest price of such shares and securities quoted on any recognised stock exchange on the valuation date; and (B) in cases, where on the valuation date, there is no trading in shares and securities on any recognised stock exchange, the lowest price of such shares and securities on any recognised stock exchange on a date immediately preceding the valuation date when such shares and securities were traded on such stock exchange.
4	Sections 26(2)(j), 72 and 92.	Unquoted equity shares	Fair market value of unquoted equity shares = (A + B + C + D - L) × (PV)/(PE) Where,– A = book value of all the assets as appearing in the books of the company (other than jewellery, artistic work, shares, securities and immovable property) in the balance sheet as reduced by– (a) any amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax refund claimed, if any; and (b) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not

			represent the value of any asset; B = the price which the jewellery and artistic work would fetch, if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer; C = fair market value of shares and securities as determined in the manner provided in this rule; D = the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property; and L = book value of liabilities shown in the balance sheet, but not including the following amounts:– (i) the paid-up capital in respect of equity shares; (ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company; (iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation; (iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto; (v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities; and (vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares; PV = the paid-up value of such equity shares; and PE = total amount of paid-up equity share capital as shown in the balance sheet.
5	Sections 26(2)(j), 72 and 92.	Unquoted shares and securities (other than equity shares in a company) which are not listed in any recognised stock exchange	The price it would fetch, if sold in the open market on the valuation date and the assessee may obtain a report from a merchant banker or an accountant in respect of such valuation.
6	Section 26(2)(j)	Immovable property being land or building or both	The value adopted or assessed or assessable by any authority of the Central Government or a State Government for the purpose of payment of stamp duty in the respect of such immovable property on the valuation date.
7	Section 26(2)(j)	Any other property other than referred to at Sl. Nos. 1 to 6 above.	The price that such property would ordinarily fetch on sale in the open market on the valuation date.

58. Prescribed class of persons for the purpose of section 92(3)(i) and section 79.– (1) The provisions of section 92(2)(m) shall not apply to class of persons referred to in column B of the following Table, where such persons receive assets in the nature referred to in column C, subject to satisfaction of the conditions specified in column D thereof:

Table

S. No	Class of persons	Nature of Asset	Conditions
A	B	C	D
1.	Resident of an unauthorised colony in the National Capital Territory of Delhi.	Any immovable property being land or building, or both.	Where the Central Government by notification, regularised the transactions of such immovable property based on the latest power of attorney, agreement to sale, will, possession letter and other documents including documents evidencing payment of consideration for conferring or recognising right of ownership or transfer or mortgage in regard to such immovable property in favour of such resident.
2.	Shareholder.	Any movable property, being **u**nquoted shares, of a company or its subsidiary or the subsidiary of such subsidiary	(a) Where the Tribunal, on an application moved by the Central Government under section 241 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), has suspended the Board of Directors of such company and has appointed new directors nominated by the Central Government under section 242 of the said Act; and (b) where the share of the company or its subsidiary or the subsidiary of such subsidiary has been received by the shareholder pursuant to a resolution plan approved by the Tribunal under section 242 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) after affording a reasonable opportunity of being heard to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner.
3	Investor or the Investor bank	Any movable property, being equity shares, of the reconstructed bank	Where the said share has been allotted by the reconstructed bank under the Scheme at a price specified in paragraph 3(3) of the Scheme.
4	Any person from a public sector company or the Central Government or any State Government	Any movable property, being equity shares of a public sector company or a company	Such shares have been received under strategic disinvestment
5	The fund management entity of the resultant fund.	Any movable property, being shares or units or interest in the resultant fund.	The shares or units have been received in lieu of shares or units or interest held by the investment manager entity in the original fund, pursuant to the relocation, subject to the following conditions:– (a) not less than 90% of shares or units or interest in the fund management entity of the resultant fund are held by the same entities or persons, in the same proportion as held by them in the investment manager entity of the original fund; and (b) not less than 90% of the aggregate of shares or units or interest in the investment manager entity of the original fund was held by such entities, or persons.

(2) The provisions of section 79 shall also not apply to the transfer of any movable property of the nature mentioned in sub-rule (1) [Table: Sl. No. 2] where the conditions mentioned therein are satisfied.

(3) For the purposes of–

(a) sub-rule (1) [Table: Sl.No. 1],–

(i) "resident" means a person having physical possession of property on the basis of a registered sale deed or latest set of power of attorney, agreement to sale, will, possession letter and other documents including documents evidencing payment of consideration in respect of a property in unauthorised colonies and includes their legal heirs but does not include a tenant, licensee or permissive user; and

(ii) "unauthorised colony" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019 (45 of 2019);

(b) sub-rule (1) [Table: Sl.No. 2],–

(i) a company shall be a subsidiary of another company, if such other company holds more than half in nominal value of the equity share capital of the company; and

(ii) "Tribunal" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(90) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(c) sub-rule (1) [Table: Sl.No. 3],–

(i) "investor" shall have the same meaning as assigned to it in paragraph 2(1)(b) of the Scheme;

(ii) "investor bank" shall have the same meaning as assigned to it in paragraph 2(1)(c) of the Scheme;

(iii) "reconstructed bank" shall have the same meaning as assigned to it in paragraph 2(1)(d) of the Scheme; and

(iv) "Scheme" means Yes Bank Limited Reconstruction Scheme, 2020.

(d) sub-rule (1) [Table: Sl.No. 4], "strategic disinvestment" shall have the same meaning as assigned to it in section 116(3)(c); and

(e) sub-rule (1), [Table: Sl.No. 5]- -

(i) the expressions "relocation", "original fund" and "resultant fund" shall have the meanings respectively assigned to them in section 70(2) [Table: Sl. No.5];

(ii) "fund management entity" shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(p) of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); and

(iii) "investment manager entity" means the fund manager of the original fund regulated by the respective regulation of the jurisdiction in which the original fund is located.

59. Computation of income chargeable to tax under section 92(2)(l).– (1) For the purposes of section 92(2)(l), if a person receives any sum, including the amount allocated by way of bonus, during a tax year under a life insurance policy, then the income chargeable to tax under the said section shall be computed in the following manner:—

(i) where the sum is received for the first time under the life insurance policy during the tax year (herein referred to as first tax year), the income chargeable to tax in the first tax year shall be computed in accordance with the formula—

A-B

Where, —

A = the sum or aggregate of sum received under the life insurance policy during the first tax year; and

B = the aggregate of the premium paid during the term of the life insurance policy till the date of receipt of the sum in the first tax year that has not been claimed as deduction under any other provision of the Act; and

(ii) where the sum is received under the life insurance policy during the tax year subsequent to the first tax year (hereinafter referred to as subsequent tax year), the income chargeable to tax in the subsequent tax year shall be computed in accordance with the formula, —

C-D

Where, —

C = the sum or aggregate of sum received under the life insurance policy during the subsequent tax year; and

D = the aggregate of the premium paid during the term of the life insurance policy till the date of receipt of the sum in the subsequent tax year not being premium which—

(a) has been claimed as deduction under any other provision of the Act; or

(b) is included in amount 'B' or amount 'D' of this sub-rule in any of the year or years preceding the tax year.

(2) For the purposes of this rule, the sum received under a life insurance policy shall mean any amount, by whatever name called, received under such policy that is not excluded from the total income of the tax year in accordance with the provisions of Schedule II [Table: Sl.No.2], other than the sum—

(a) received under a unit linked insurance policy; or

(b) being the income referred to in section 92(2)(d).

60. Conditions for carrying forward or set-off of accumulated loss and unabsorbed depreciation allowance in case of amalgamation.– (1) The conditions referred to in section 116(4)(b)(iii) shall be the following:—

(a) the amalgamated company, owning an industrial undertaking of the amalgamating company by way of amalgamation, shall–

(i) achieve the level of production of at least 50% of the installed capacity of the said undertaking before the end of four years from the date of amalgamation; and

(ii) continue to maintain the said minimum level of production till the end of five years from the date of amalgamation; and

(b) the amalgamated company shall furnish to the Assessing Officer a certificate in Form No. 29, duly verified by an accountant as defined in section 515(3)(b), with reference to the books of account and other documents showing particulars of production, along with the return of income for the relevant tax year during which the prescribed level of production is achieved and for subsequent relevant tax years falling within five years from the date of amalgamation.

(2) For the purposes of sub-rule (1)(a), the Central Government, on an application made by the amalgamated company, may relax the condition of achieving the level of production or the period during which the same is to be achieved, or both, in suitable cases having regard to the genuine efforts made by the amalgamated company to attain the prescribed level of production and the circumstances preventing such efforts from achieving the same.

(3) For the purposes of this rule, "installed capacity" means the capacity of production existing on the date of amalgamation;

61. Certificate of a medical authority in respect of autism, cerebral palsy and multiple disabilities for the purposes of deduction under section 127 and section 154.– (1) For the purposes of section 127(9)(e) and 154(3), the medical authority responsible for certifying "autism", "cerebral palsy", "multiple disabilities", "person with disability" and "severe disability" referred to in clauses (a), (c), (h), (j) and (o) of section 2, respectively of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), shall be the following:—

(a) a Neurologist having a degree of Doctor of Medicine (MD) in Neurology (in case of children, a Paediatric Neurologist having an equivalent degree); or

(b) a Civil Surgeon or Chief Medical Officer in a Government hospital.

(2) For the purposes of section**s** 127(6), 127(7) and 154(2)(c), the assessee shall furnish along with the return of income, a copy of the certificate issued by the relevant medical authority,–

(a) if the person has a disability or severe disability such as autism, cerebral palsy, or multiple disability, in Form No. 30; or

(b) in all other cases, the prescribed form mentioned in notifications No. 16-18/97-NI.1, dated the 1st June, 2001, and No. 16-18/97-NI.1, dated the 18th February, 2002, as published in the Gazette of India, shall be submitted as per the Guidelines for the evaluation of various disabilities and certification procedures outlined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights, and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).

(3) If the disability is temporary and needs to be reevaluated after a certain period, the certificate shall be valid for the period starting from the tax year during which the certificate was issued and ending with the tax year during which the validity of such certificate expires.

62. Issuance of prescription in respect of certain diseases and ailments for the purpose of deduction under section 128.– (1) For the purposes of claiming deduction under section 128, the prescription for medical treatment in respect of eligible diseases or ailments mentioned in column B of the following table shall be obtained from the specialists as mentioned in the corresponding column C thereof:

Table

Sl. No.	Eligible diseases or ailments	Specialists for purpose of issuing prescription
A	B	C
1.	Neurological Diseases where the disability level has been certified to be of 40% and above— (i) Dementia; (ii) Dystonia Musculorum Deformans; (iii) Motor Neuron Disease; (iv) Ataxia; (v) Chorea; (vi) Hemiballismus; (vii) Aphasia; and (viii) Parkinsons Disease.	A Neurologist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Neurology.
2.	Malignant cancers.	An Oncologist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Oncology.
3.	Full Blown Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS).	Any specialist having a post-graduate degree in General or Internal Medicine.
4.	Chronic renal failure.	A Nephrologist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Nephrology or a Urologist having a Master of Chirurgiae (M.Ch.) degree in Urology.
5.	Haematological disorders: (i) Haemophilia; (ii) Thalassaemia.	A specialist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Haematology.

(2) The prescription for eligible diseases or ailments mentioned in column B of the Table in sub-rule (1) may also be issued by a specialist holding a degree equivalent to the degree mentioned in column C thereof, if such equivalent degree is recognised by the Medical Council of India.

(3) In cases, where a patient is receiving treatment at a government hospital for specified diseases or ailments, the prescription may be issued by a full-time specialist with a post-graduate degree in General or Internal Medicine, or any equivalent degree recognised by the Medical Council of India.

(4) The prescription referred to in sub-rule (1) shall be issued in the following format:–

Name of the patient	
Age of the patient	
Description of Disease/ Ailment	

Certified by:

Signature of Specialist:
Name:
Qualification:
Address:
Registration Number:
Name and address of the hospital, if the specialist is working in a government hospital.

63. Prescribed authority for approval of a University or any educational institution of national eminence for purposes of section 133.– (1) For the purpose of section 133(1)(a)(vii), the prescribed authority for granting of approval shall be the Principal Chief Commissioner of Income-tax (Exemptions).

(2) The prescribed authority shall grant approval with the concurrence of -

(a) the Secretary, University Grants Commission for a University or any non-technical institution of national eminence; and

(b) the Secretary, All India Council of Technical Education for any technical institution of national eminence.

(3) For the purposes of sub-rule (2), —

(a) "All India Council of Technical Education" means the All India Council of Technical Education established under section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987); and

(b) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).

64. Procedure for specifying an association or institution for purposes of notification under section 133(1)(a)(xxiv).– (1) In specifying an association or institution for notification under section 133(1)(a)(xxiv), the Central Government shall satisfy itself that such association or institution —

(a) has as its object the control, supervision, regulation or encouragement in India of the games or sports notified under section 133(7)(e);

(b) has a proven record of dedication to the development of infrastructure or promotion of sports or games for at least a period of three years;

(c) does not distribute any part of its income in any manner to its members, except as grants to any association or institution affiliated to it;

(d) applies the amount received by way of donation referred to in section 133(1)(a)(xxiv) for purposes of development of infrastructure for games or sports in India or for sponsoring of games or sports in India; and

(e) maintains regular accounts of its receipt and expenditure and files its return of income regularly.

(2) The notification issued by the Central Government under section 133(1)(a)(xxiv) shall be effective for up to three tax years, including any assessments for tax years prior to the notification date, as specified in the notification.

65. Conditions for claim for deduction under section 134. –For the purposes of claiming deduction under section 134 in respect of rent paid, the assessee shall file declaration in Form No. 31.

66. Furnishing of audit report for claiming deduction under section 46 or 138 or 139 or 140 or 141 or 142 or 143 or 144.– (1) For the purposes of claiming deduction under sections 46 or 138 or 139 or 140 or 141 or 142 or 143 or 144, the accounts of the eligible business for the tax year for which the deduction is claimed shall be audited by an accountant as defined in section 515(3)(b), before the specified date referred to in section 63 and the assessee shall furnish by that date the report of such audit duly signed and verified by such accountant.

(2) The report of the audit of the accounts of an assessee, which is required to be furnished under sub-rule (1), shall be in Form No. 32.

(3) A separate report shall be furnished by each undertaking or enterprise of the assessee claiming deduction under section 46 or 138 or 139 or 140 or 141 or 142 or 143 or 144 and shall be accompanied by the profit and loss account and balance sheet of the undertaking or enterprise as if the undertaking or the enterprise were a distinct entity.

(4) The said Form No. 32 shall be accompanied by the relevant documents as given in column D wherever applicable, as per the relevant sections in column B and the relevant part as mentioned in column C shall be filled, as specified in the following table, duly certified wherever applicable:

Table

Sl. No	Section	Relevant Part of Form	Relevant documents to be attached
A	B	C	D
1.	46	B1	Copy of the agreement entered into with the Central Government, State Government, or a local authority.
2.	138	B2	Copy of Form No. 10CCB of the Income-tax Rules, 1962 made under the Income-tax Act, 1961, as it existed prior to its repeal, of developer
3.	139	B3	Copy of the notification of the Special Economic Zone (SEZ).
4.	140	B4	Copy of certificate issued by the Inter-Ministerial Board of Certification.
5.	141	B5	Copy of approval certificate and completion certificate of the Housing Project, Copy of the notification of the scheme by the Board.
6.	142	B6	Copy of approval certificate and completion certificate of the Housing Project
7.	142	B6	Copy of notification issued under section 80-IBA of the Income-tax Act, 1961, as it existed prior to its repeal in the case of a Rental Housing Project
8.	143	B7	Copy of the agreement entered into with the Central Government, State Government, or a local authority.

67. Form of particulars to be furnished along with return of income for claiming deduction under section 144.– The particulars, which are required to be furnished by the assessee along with the return of income regarding the amount credited to a Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account and utilisation of the said amount shall be in Form No. 33.

68. Furnishing of report under section 146.– Report of an accountant as defined in section 515(3)(b), which is required to be furnished by the assessee under section 146(3)(c) along with the return of income shall be in Form No. 34.

69. Report of accountant to be furnished under section 147(4)(a).– The report of the accountant, as defined in section 515(3)(b), which is required to be furnished by the assessee under section 147(4)(a), shall be in Form No. 35

70. Form of certificate to be furnished under section 151(5). – (1) For the purposes of claim of deduction under section 151, the assessee shall be required to furnish a certificate in Form No. 36 along with the return of income.
(2) The person responsible for making the payment to the assessee, shall verify the certificate in Form No. 36.

71. Prescribed authority and form of certificate to be furnished under section 152(5).– For the purposes of section 152(5),–

(a) the prescribed authority shall be the Controller referred to in section 2(1)(b) of the Patents Act, 1970 (39 of 1970); and

(b) the assessee shall be required to furnish a certificate in Form No. 37 from the prescribed authority along with the return of income.

72. The prescribed authority and form of certificate to be furnished under sections 151(6) and ~~section~~ 152(6).– For the purposes of sections 151(6) and 152(6),–

(a) the prescribed authority shall be the Reserve Bank of India or another authorised authority under current laws regulating foreign exchange transactions; and

(b) the certificate shall be furnished in Form No. 38.

73. Relief under section 157(1), when salary is paid in arrears or in advance, gratuity, etc.–(1) Where, the total income of an assessee for any tax year (referred to as the relevant tax year in this rule) is assessed at a rate higher than the rate at which it would otherwise have been assessed, on account of receipts in relevant tax year as specified in column B of the following Table, the relief admissible under section 157(1) shall be as specified in column C thereof:

Table

Sl.No.	Receipts	Relief
A	B	C
1.	Any portion of salary received in arrears or in advance or, any portion of family pension received in arrears (herein referred to as the "additional salary" or "additional family pension", as the case may be).	Relief = A-B, if A exceeds B, where – A=C-D; B=Aggregate of E; E=F-G and the computation of relief shall be carried out in the following steps. Step-1: Where the additional salary or additional family pension relates to one or more tax years, the tax years to which the additional salary or additional family pension relates and the amount relating to each such tax year shall first be ascertained. Step 2: Calculate A=C-D, Where,– C = tax on total income of the relevant tax year; D= tax on total income, as reduced by the additional

		salary or additional family pension, as if the total income so reduced were the total income of the relevant tax year; and A = tax on the additional salary or additional family pension for the relevant tax year. Step-3: Calculate E = F - G, Where,– G = tax payable in respect of the total income of each tax year ascertained in Step-1; F= tax payable on the total income of such tax year as increased by the amount relating to such tax year as ascertained in Step-1, as if the total income so increased were the total income of that tax year; and E= tax on the additional salary or additional family pension for each tax year ascertained in Step-1. Step-4: B = aggregate of tax on the additional salary or additional family pension. Calculate "B" to be the total of tax on the additional salary or additional family pension, which was ascertained as E in Step 3 for all tax years ascertained in Step 1.
2.	Gratuity received in respect of past services extending over a period of greater than or equal to five years but less than fifteen years.	Relief = G x (R1-RAvg), if R1 exceeds R Avg Where,– G = gratuity received in the relevant tax year R1 = average rate of tax on the total income including gratuity amount received in Y1: RAvg = (R2+R3)/2; R2 = average rate of tax on the total income for Y2 as increased by one-half of the gratuity received, as if the income so increased were the total income of that tax year R3= average rate of tax on the total income for Y3 as increased by one-half of the gratuity received, as if the income so increased were the total income of that tax year; Y1 = relevant tax year, Y2= tax year immediately preceding Y1, and Y3 = tax year immediately preceding Y2.
3.	Gratuity received in respect of past services extending over a period of not less than fifteen years.	Relief = G x (R1-RAvg), if R1 exceeds R Avg. Where,– G = gratuity received in the relevant tax year; R1 = average rate of tax on the total income including gratuity amount received in Y1; RAvg =(R2+R3+R4)/3; R2 = average rate of tax on the total income for Y2 as increased by one-third of the gratuity received, as if the income so increased were the total income of that tax year R3= average rate of tax on the total income for Y3

		as increased by one-third of the gratuity received, as if the income so increased were the total income of that tax year; R4= average rate of tax on the total income for Y4 as increased by one-third of the gratuity received, as if the income so increased were the total income of that tax year; Y1 = relevant tax year; Y2 = tax year immediately preceding Y1; Y3 = tax year immediately preceding Y2; and Y4 = tax year immediately preceding Y3.
4.	Compensation received from the employer or the former employer at or in connection with the termination of employment after continuous service for not less than three years and where the unexpired portion of term of employment is also not less than three years	Relief = C x (R1-RAvg), if R1 exceeds R Avg. Where,– C = compensation amount received in the relevant tax year; R1 = average rate of tax on the total income including compensation amount received in Y1; RAvg =(R2+R3+R4)/3; R2= average rate of tax on the total income for Y2 as increased by one-third of the compensation amount received, as if the income so increased were the total income of that tax year; R3= average rate of tax on the total income for Y3 as increased by one-third of the compensation amount received, as if the income so increased were the total income of that tax year; ~~and~~ R4= average rate of tax on the total income for Y4 as increased by one-third of the compensation amount received, as if the income so increased were the total income of that tax year; Y1 = relevant tax year, Y2 = tax year immediately preceding Y1, Y3 = tax year immediately preceding Y2, and Y4 = tax year immediately preceding Y3
5.	Commutation of pension received	Relief = P x (R1-RAvg), if R1 exceeds R Avg. Where – P = amount of commutation of pension; R1 = average rate of tax on the total income including amount of commutation of pension received in Y1; RAvg =(R2+R3+R4)/3; R2= average rate of tax on the total income for Y2 as increased by one-third of the amount of commutation of pension received, as if the income so increased were the total income of that tax year; R3= average rate of tax on the total income for Y3 as increased by one-third of the amount of commutation of pension received, as if the income so increased were the total income of that tax year; ~~and~~ R4= Average rate of tax on the total income for Y4 as increased by one-third of the amount of

		commutation of pension received, as if the income so increased were the total income of that tax year; Y1 = relevant tax year; Y2 = tax year immediately preceding Y1; Y3 = tax year immediately preceding Y2; and Y4 = tax year immediately preceding Y3.

(2) In case of any other receipts, the Board may, having regard to the circumstances of the case, allow such relief as it deems fit.

(3) To claim relief under section 157(1), the assessee shall furnish the particulars specified in Form No. 39 on or before the due date specified under section 263(1)(c).

(4) Where the assessee, being a Government servant or an employee in a company, co-operative society, local authority, university, institution, association or body, is entitled to relief under section 157(1), he may furnish the particulars specified in Form No. 39 to the person responsible for making the payment referred to in section 392(1).

74. Taxation of income from retirement benefit account maintained in a notified country. – (1) If a specified person has income accrued in a specified account or accounts during a tax year, such income shall, at his option, be included in his total income of the tax year in which income from the said account or accounts is taxed upon withdrawal or redemption, as the case may be, in the notified country.

(2) Where the option has been exercised by a specified person under sub-rule (1), the total income of the specified person for the tax year in which income is taxable under sub- rule (1) shall not include the income which, —

(a) has already been included in the total income of such specified person in any of the earlier tax years during which such income accrued and tax thereon has been paid in accordance with the provisions of the Act; or

(b) was not taxable in India, in the tax year during which such income accrued, on account of,—

(i) such specified person being a non-resident, or not ordinarily resident as referred to in section 6(13), during that tax year; or

(ii) application of the Double Taxation Avoidance Agreement, if any,

and the foreign tax paid on such income, if any, shall be ignored for the purposes of computation of the foreign tax credit under rule 76.

(3) The option under sub-rule (1) by the specified person shall be exercised

(a) in respect of all the specified accounts maintained by the specified person; and

(b) in Form No. 40, which shall be furnished on or before the due date specified under section 263(1)(c).

(4) In a case where the specified person becomes a non-resident during any relevant tax year, then—

(a) the option exercised under the sub-rule (1) shall be deemed to have never been exercised with effect from the relevant tax year; and

(b) the income which has accrued in the specified account or accounts during the period, beginning with the tax year in respect of which the option under the said sub-rule was exercised and ending with the tax year immediately preceding the relevant tax year, shall be taxable during the tax year immediately preceding the relevant tax year, and tax shall be paid on or before the due date of filing the return of income for the relevant tax year.

(5) Subject to the provisions of sub-rule (4), once the option is exercised for a specified account or accounts in respect of a tax year under sub-rule (1) in Form No. 40, it shall apply to all subsequent tax years and cannot be subsequently withdrawn for the tax year for which the option was exercised, or for any subsequent tax year.

(6) For this rule,—

(a) the expressions "notified country", "specified account" and "specified person" shall have the meanings respectively assigned to them in section 158(2);

(b) "relevant tax year" means the tax year during which the specified person becomes non-resident subsequent to the tax year in respect of which option under sub-rule (1) has been exercised.

75. Other documents and information to be provided for claiming double taxation relief under section 159(1) and (2).— (1) For the purposes of claiming any double taxation relief under an agreement mentioned in section 159(1) or (2), the other documents and information to be provided by an assessee (not being a resident) under section 159(8)(b) shall be as per Form No. 41.

(2) The assessee shall keep and maintain such documents as are necessary to substantiate the information provided in Form No. 41 and the income-tax authority may call for the said documents to verify the claim of relief.

(3) An assessee, being a resident in India, for obtaining a certificate of residence for the purposes of an agreement referred to in section 159(1) and (2) shall make an application in Form No. 42 to the Assessing Officer.

(4) The Assessing Officer**,** on receipt of the application and on being satisfied in this behalf**,** shall issue a certificate of residence in Form No. 43.

76. Foreign tax credit.— (1) An assessee, being a resident shall be allowed a credit for the amount of any foreign tax paid by him in a country or specified territory outside India, by way of deduction or otherwise, in the tax year in which the income corresponding to such tax has been offered to tax or assessed to tax in India, in the manner and to the extent as specified in this rule.

(2) In a case**,** where income on which foreign tax has been paid or deducted, is offered to tax in more than one tax year, credit of foreign tax shall be allowed across those tax years in the same proportion in which the income is offered to tax or assessed to tax in India.

(3) The foreign tax referred to in sub-rule (1) shall mean, —

(a) in respect of a country or specified territory outside India with which India has entered into an agreement for the relief or avoidance of double taxation of income in terms of section 159, the tax covered under the said agreement;

(b) in respect of any other country or specified territory outside India, the tax payable under the law in force in that country or specified territory in the nature of income-tax referred to in section 160(3)(a).

(4) The credit under sub-rule (1) shall be available against the amount of tax, surcharge and cess payable under the Act**,** but not in respect of any sum payable by way of interest, fee or penalty.

(5) No credit under sub-rule (1) shall be available in respect of any amount of foreign tax or part thereof**,** which is disputed in any manner by the assessee, subject to the provisions of sub-rule (6).

(6) If the assessee**,** within six months from the end of the month in which the dispute is finally settled, furnishes evidence of settlement of dispute and an evidence to the effect that the liability for payment of such foreign tax has been discharged by him and furnishes an undertaking that no refund in respect of such amount has directly or indirectly been claimed or shall be claimed, the credit of such disputed tax shall be allowed for the year in which such income is offered to tax or assessed to tax in India.

(7) The credit of foreign tax shall be the aggregate of the amounts of credit computed separately for each source of income arising from a particular country or specified territory outside India and shall be given effect to in the following manner: —

(a) the credit shall be the lower of the tax payable under the Act on such income and the foreign tax paid on such income, so, however, that where the foreign tax paid exceeds the amount of tax payable in accordance with the provisions of the agreement for relief or avoidance of double taxation, such excess shall be ignored;

(b) the credit shall be determined by conversion of the currency of payment of foreign tax at the telegraphic transfer buying rate on the last day of the month immediately preceding the month in which such tax has been paid or deducted.

(8) In a case where any tax is payable under the provisions of section 206, the credit of foreign tax shall be allowed against such tax in the same manner as is allowable against any tax payable under the provisions of the Act other than the provisions of the said sections (herein referred to as the normal provisions).

(9) Where the amount of foreign tax credit available against the tax payable under the provisions of section 206 exceeds the amount of tax credit available against the normal provisions, then, while computing the amount of credit under section 206(1)(m) to (p) and section 206(2)(e) to (h), in respect of the taxes paid under section 206(1) and (2), as the case may be, such excess shall be ignored.

(10) Credit of any foreign tax shall be allowed on furnishing the following documents by the assessee: —

(a) a statement of income from the country or specified territory outside India offered for tax for the tax year and of foreign tax deducted or paid on such income in Form No. 44 and verified in the manner specified therein; and

(b) certificate or statement specifying the nature of income and the amount of tax deducted therefrom or paid by the assessee, —

(i) from the tax authority of the country or specified territory outside India; or

(ii) from the person responsible for deduction of such tax; or

(iii) signed by the assessee.

(11) The certificate or statement furnished by the assessee in sub-rule (10)(b) shall be valid**,** if it is accompanied by —

(a) an acknowledgement of online payment or bank counter foil or challan for payment of tax where the payment has been made by the assessee; or

(b) proof of deduction, where the tax has been deducted.

(12) The statement in Form No. 44 referred to in sub-rule (10)(a) and the certificate or the statement referred to in sub-rule (10)(b) shall be furnished within twelve months from the end of the relevant tax year in which the income referred to in sub-rule (1) has been offered to tax or assessed to tax in India and the return for such tax year has been furnished within the time specified under section 263(1) or (4), subject to the provisions of sub-rule (13).

(13) Where the return has been furnished under section 263(6)(a), the statement in Form No. 44 referred to in sub-rule (10)(a) and the certificate or the statement referred to in sub-rule (10)(b), to the extent it relates to the income included in the updated return, shall be furnished on or before the date on which such return is furnished.

(14) Form No. 44 shall also be furnished in a case, where the carry backward of loss of the current year or revision of return or similar statement, the case may be, of any year or any other reason results in refund of foreign tax for which credit has been claimed in any tax year or tax years.

(15) For the purposes of sub-rule (6), the assessee shall furnish an intimation in Form No. 45 and evidence of settlement of dispute including evidence of payment of tax.

(16) Form No. 44 shall be verified by an accountant defined in section 515(3)(b), —

(a) where the assessee is a company; or

(b) in all other cases, where the amount of foreign tax paid outside India for a tax year equals or exceeds ₹ 100000.

(17) Form No. 45 shall be verified by an accountant defined in section 515(3)(b) in a case, where Form No. 44 filed for the relevant tax year was required to be verified by an accountant under sub-rule (16).

(18) For the purposes of this rule, the expression "telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned to it in rule 207.

77. Meaning of expressions used in determination of arm's length price.— For the purpose of this rule and rules 78 to 84, —

(a) "associated enterprise" shall have the meaning assigned to it in section 162;

(b) "enterprise" shall have the meaning assigned to it in section 173(b) and shall, for the purposes of a specified domestic transaction, include a unit, or an enterprise, or an undertaking or a business of a person who undertakes such transaction;

(c) "property" includes goods, articles or things, and intangible property;

(d) "services" include financial services;

(e) "transaction" includes a number of closely linked transactions; and

(f) "uncontrolled transaction" means a transaction between enterprises other than associated enterprises, whether resident or non-resident.

78. Other method for determination of arm's length price.— For the purposes of section 165(1)(f), the other method for determination of the arm's length price in relation to an international transaction or a specified domestic transaction shall be any method which takes into account the price**,** which —

(a) has been charged or paid; or

(b) would have been charged or paid,

for the same or similar uncontrolled transaction, with or between non-associated enterprises, under similar circumstances, considering all the relevant facts.

79. Determination of arm's length price under section 165.— (1) For the purposes of section 165(2), the arm's length price in relation to an international transaction or a specified domestic transaction shall be determined by any of the following methods provided in this sub-rule, being the most appropriate method, in the manner specified therein.

(a) comparable uncontrolled price method, by which, —

(i) the price charged or paid for property transferred or services provided in a comparable uncontrolled transaction, or a number of such transactions, is identified;

(ii) such price is adjusted to account for differences, if any, between an international transaction or a specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transactions or between the enterprises entering into such transactions, which could materially affect the price in the open market; and

(iii) the adjusted price arrived at under sub-clause (ii) is taken to be an arm's length price in respect of the property transferred or services provided in the international transaction or the specified domestic transaction; or

(b) resale price method, by which, —

(i) the price at which property purchased or services obtained by the enterprise from an associated enterprise is resold or are provided to an unrelated enterprise, is identified;

(ii) such resale price is reduced by the amount of a normal gross profit margin accruing to the enterprise or to an unrelated enterprise from the purchase and resale of the same or similar property or from obtaining and providing the same or similar services, in a comparable uncontrolled transaction, or a number of such transactions;

(iii) the price so arrived at is further reduced by the expenses incurred by the enterprise directly in connection with the purchase of property or obtaining of services;

(iv) the price so arrived at is adjusted to take into account the functional and other differences, including differences in accounting practices, if any, between the international transaction or the specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transactions, or between the enterprises entering into such transactions, which could materially affect the amount of gross profit margin in the open market; and

(v) the adjusted price arrived at under sub-clause (iv) is taken to be an arm's length price in respect of the transaction of purchase of property or obtaining of the services by the enterprise from its associated enterprise; or

(c) cost plus method, by which, —

(i) the direct and indirect costs of production incurred by the enterprise in respect of property transferred or services provided to an associated enterprise, are determined;

(ii) the amount of a normal gross profit mark-up on such costs (computed according to the same accounting norms) arising from the transfer or provision of the same or similar property or services by the enterprise, or by an unrelated enterprise, in a comparable uncontrolled transaction, or a number of such transactions, is determined;

(iii) the normal gross profit mark-up referred to in sub-clause (ii) is adjusted to take into account the functional and other differences, if any, between the international transaction or the specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transactions, or between the enterprises entering into such transactions, which could materially affect such profit mark-up in the open market;

(iv) the costs referred to in sub-clause (i) are increased by the adjusted profit mark-up arrived at under sub-clause (iii); and

(v) the sum so arrived at is taken to be an arm's length price in relation to the supply of the property or provision of services by the enterprise; or

(d) profit split method, which may be applicable mainly, in, —

(i) an international transaction or a specified domestic transaction involving either the transfer of unique intangibles or unique and valuable contributions by each of the enterprises involved in the transaction; or

(ii) multiple international transactions or specified domestic transactions which are so inter-related that they cannot be evaluated separately for the purpose of determining the arm's length price of any one transaction, under which the following two approaches may be used —

(A) contribution profit split method, by which, —

(I) the combined net profit of the associated enterprises arising from the international transaction or the specified domestic transaction in which they are engaged, is determined;

(II) the relative contribution made by each of the associated enterprises to the earning of such combined net profit, is then evaluated on the basis of the functions performed, assets employed or to be employed and risks assumed by each enterprise and on the basis of reliable external market data, which indicates how such contribution would be evaluated by unrelated enterprises performing comparable functions in similar circumstances;

(III) the combined net profit is then split amongst the enterprises in proportion to their relative contributions, as evaluated under sub-item (II); and

(IV) the profit thus apportioned to the assessee is taken into account to arrive at an arm's length price in relation to the international transaction or the specified domestic transaction;

(B) residual profit split method, by which, —

(I) the combined net profit of the associated enterprises arising from the international transaction or the specified domestic transaction in which they are engaged, is determined;

(II) the combined net profit referred to in sub-item (I) may, in the first instance, be partially allocated to each enterprise so as to provide it with an arm’s length return appropriate for the contributions which can be reliably benchmarked using comparable uncontrolled transactions,

(III) the residual net profit remaining after such allocation may be split amongst the enterprises in proportion to their relative contributions in the manner specified under items (II) and (III) of item (A); and

(IV) the aggregate of the net profit allocated to the enterprise for contributions which can be reliably benchmarked using comparable uncontrolled transactions in together with the residual net profit apportioned to that enterprise on the basis of its relative

contributions shall be taken into account to arrive at an arm's length price in relation to the international transaction or the specified domestic transaction; or

(e) transactional net margin method, by which, —

(i) the net profit margin realised by the enterprise from an international transaction or a specified domestic transaction entered into with an associated enterprise is computed in relation to costs incurred or sales effected or assets employed or to be employed by the enterprise or having regard to any other relevant base;

(ii) the net profit margin realised by the enterprise or by an unrelated enterprise from a comparable uncontrolled transaction or a number of such transactions is computed having regard to the same base;

(iii) the net profit margin referred to in sub-clause (ii) arising in comparable uncontrolled transactions is adjusted to take into account the differences, if any, between the international transaction or the specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transactions, or between the enterprises entering into such transactions, which could materially affect the amount of net profit margin in the open market;

(iv) the net profit margin realised by the enterprise and referred to in sub-clause (i) is established to be the same as the net profit margin referred to in sub-clause (iii); and

(v) the net profit margin thus established is then taken into account to arrive at an arm's length price in relation to the international transaction or the specified domestic transaction; or

(f) any other method as provided in rule 78.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the comparability of an international transaction or a specified domestic transaction with an uncontrolled transaction shall be judged with reference to the following factors (here**in** referred to as the comparability factors): —

(a) the characteristics of the property transferred or services provided in either transaction;

(b) the functions performed, taking into account assets employed or to be employed and the risks assumed, by the respective parties to the transactions;

(c) the contractual terms (whether or not such terms are formal or in writing) of the transactions which lay down explicitly or implicitly how the responsibilities, risks and benefits are to be divided between the respective parties to the transactions; and

(d) the conditions prevailing in the markets in which the respective parties to the transactions operate, including the geographical location, depth and size of the markets, the laws and Government orders in force, costs of labour and capital in the markets, overall economic development, level of competition and whether the markets are wholesale or retail.

(3) An uncontrolled transaction shall be comparable to an international transaction or a specified domestic transaction, if—

(a) none of the differences, if any, between the transactions being compared, or between the enterprises entering into such transactions**,** are likely to materially affect the price or cost charged or paid in, or the profit arising from, such transactions in the open market; or

(b) reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of such differences.

(4) The data to be used in analysing the comparability of an uncontrolled transaction with an international transaction or a specified domestic transaction shall be the data relating to the financial year (hereinafter in this rule and in rule 81 referred to as the current year) in which the international transaction or the specified domestic transaction.

(5) In a case where the most appropriate method for determination of the arm's length price of an international transaction or a specified domestic transaction is resale price method or cost-plus method or transactional net margin method, then, irrespective of anything contained in sub-rule (4), the data to be used for analysing the comparability of an uncontrolled transaction with an international transaction or a specified domestic transaction shall be —

(a) the data relating to the current year; or

(b) the data relating to the first preceding year, if the data relating to the current year is not available at the time of furnishing the return of income by the assessee for the tax year; and where the data relating to the current year is subsequently available at the time of determination of arm's length price of an international transaction or a specified domestic transaction during the course of any assessment proceeding for the tax year, then, such data shall be used for such determination irrespective of the fact that the data was not available at the time of furnishing the return of income of the relevant tax year.

80. Most appropriate method.— (1) For the purposes of section 165(2)(a), the most appropriate method shall be the method which is best suited to the facts and circumstances of each particular international transaction or specified domestic transaction and which provides the most reliable measure of an arm's length price in relation to the international transaction or the specified domestic transaction, as the case may be.

(2) The following factors shall be taken into account for selecting the most appropriate method: —

(a) the nature and class of the international transaction or the specified domestic transaction;

(b) the class or classes of associated enterprises entering into the transaction and the functions performed by them taking into account assets employed or to be employed and risks assumed by such enterprises;

(c) the availability, coverage and reliability of data necessary for application of the method;

(d) the degree of comparability existing between the international transaction or the specified domestic transaction and the uncontrolled transaction and between the enterprises entering into such transactions;

(e) the extent to which reliable and accurate adjustments can be made to account for differences, if any, between the international transaction or the specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transaction or between the enterprises entering into such transactions; and

(f) the nature, extent and reliability of assumptions required to be made in application of a method.

81. Determination of arm's length price in certain cases.— (1) Where in respect of an international transaction or a specified domestic transaction, the application of the most appropriate method referred to in section 165(3)(b) results in determination of more than one price, the arm’s length price in respect of such transactions shall be computed in accordance with the provisions of this rule.

(2) A dataset shall be constructed by placing the prices referred to in sub-rule (1) in an ascending order and the arm's length price shall be determined on the basis of the dataset so constructed.

(3) For the purposes of sub-rule (2), where the most appropriate method is the resale price method, cost plus method, or transactional net margin method, and where the comparable uncontrolled transaction undertaken by an enterprise, not being the enterprise undertaking such transactions referred to in sub-rule (1), has been identified using data relating to—

(a) the current year, and the said enterprise has undertaken the same or similar comparable uncontrolled transaction, in either or both of the two financial years immediately preceding the current year, then, —

(i) the price in respect of such transaction in such year (or years) shall be determined by applying the most appropriate method in the similar manner as applied in the current year; and

(ii) the weighted average of such prices, as computed under sub-rule (5), shall be included in the dataset under sub-rule (2) instead of price referred to in sub-rule (1);

(b) the financial year immediately preceding the current year (if the data relating to current tax year is not available at the time of furnishing return of income for that year), and the said enterprise has undertaken the same or similar comparable uncontrolled transaction in the financial year immediately preceding the two financial years, then—

(i) the price in respect of such transaction shall be determined by applying the most appropriate method in the similar manner as it was applied in the financial year immediately preceding the current year; and

(ii) the weighted average of such prices, as computed under sub-rule (5), shall be included in the dataset under sub-rule (2) instead of price referred to in sub-rule (1).

(4) Where the use of data relating to the current year, in terms of rule 79(5), establishes that—

(a) the enterprise has not undertaken the same or similar uncontrolled transaction during the current year; or

(b) the uncontrolled transaction undertaken during the current year is not a comparable uncontrolled transaction,

then, irrespective of anything else, neither the price nor the weighted average of prices of the comparable uncontrolled transactions shall be included in the dataset.

(5) Where an enterprise has undertaken comparable uncontrolled transactions in more than one financial year, the weighted average of the prices of such transactions for the purposes of sub-rules (2), (3) and (4) shall be computed based on the method used for determination of prices as specified in column B of the following Table and by assigning weights to the factors specified in column C thereof: —

Table

Sl. No.	Method	Factors to which weight is assigned
A	B	C
1.	Resale price method.	Quantum of sales considered for arriving at the respective prices.
2.	Cost plus method.	Quantum of costs considered for arriving at the respective prices.
3.	Transactional net margin method.	Quantum of costs incurred, sales effected, assets employed or to be employed, or any other base considered for arriving at the respective prices.

(6) Where the most appropriate method is comparable uncontrolled price method or resale price method or cost plus method or transactional net margin method and the dataset constructed in accordance with sub-rule (2) consists of six or more entries, an arm's length range beginning from the 35th percentile of the dataset and ending on the 65th percentile of the dataset shall be constructed and, if the price at which the international transaction or the specified domestic transaction has actually been undertaken is —

(a) within such arm's length range, such price shall be deemed to be the arm's length price;

(b) outside such arm's length range, the median of the dataset shall be used to compute the arm's length price.

(7) Where the provisions of sub-rule (6) are not applicable, the arm's length price shall be —

(a) the arithmetical mean of all the values included in the dataset; or

(b) the price at which such transaction has actually been undertaken, if the variation between the arm's length price so determined and the price at which the international transaction or the specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed such percentage, not exceeding 3% of the latter, as may be notified in this behalf by the Central Government.

(8) For the purposes of this rule, —

(a) "median" of the dataset, having values arranged in an ascending order, shall be —

(i) the lowest value in the dataset where at least 50% of the values are less than or equal to it; or

(ii) the arithmetic mean of such lowest value and the value immediately succeeding it in the dataset, if the number of all values that are equal to or less that the aforesaid value is a whole number;

(b) (i) "35th percentile" of a dataset, having values arranged in an ascending order, shall be —

(A) the lowest value in the dataset such that at least 35% of the values included in the dataset are equal to or less than such value; or

(B) the arithmetic mean of such lowest value and the value immediately succeeding it in the dataset, if the number of all values that are equal to or less that the aforesaid value is a whole number; and

(ii) "65th percentile" of a dataset, having values arranged in an ascending order, shall be —

(A) the lowest value in the dataset such that at least 65% of the values included in the dataset are equal to or less than such value; or

(B) the arithmetic mean of such lowest value and the value immediately succeeding it in the dataset, if the number of all values that are equal to or less that the aforesaid value is a whole number.

Illustration 1

Enterprise X has undertaken controlled transaction with its associated enterprises during the current year. After taking into account the facts and circumstances, transactional net margin method has been selected as the most appropriate method, enterprise X has been selected as the tested party, and the ratio of operating profit (OP) to operating expense (OE) has been selected as the profit level indicator (PLI). The data of the comparable uncontrolled transactions is available for the current year under consideration at the time of furnishing return of income by the assessee and based on the same, seven non-associated enterprises have been identified to have undertaken the comparable uncontrolled transactions in the current year. All the identified comparable enterprises have also undertaken comparable uncontrolled transactions in a period of two years preceding the current year. The weighted average PLI calculation for each non-associated enterprise shall be as follows:

Sl. No.	Name of non-associated enterprise	Year 1	Year 2	Year 3 [Current Year]	Aggregation of OE and OP	Weighted Average PLI
1	2	3	4	5	6	7
1.	A	OE = 100	OE = 150	OE = 225	Total OE = 475	OP/OE = 12%
		OP = 12	OP = 10	OP = 35	Total OP = 57	
2.	B	OE = 80	OE = 125	OE = 100	Total OE = 305	OP/OE = 8.2%
		OP = 10	OP = 5	OP = 10	Total OP = 25	
3.	C	OC=E = 250	OE = 230	OE = 250	Total OE = 730	OP/OE= 9%
		OP = 22	OP = 26	OP = 18	Total OP = 66	
4.	D	OE = 180	OE= 220	OE = 150	Total OE = 550	OP/OE = 6%
		OP = (-)9	OP = 22	OP = 20	Total OP = 33	
5.	E	OE = 140	OE = 100	OE = 125	Total OE = 365	OP/OE = 2.2%
		OP = 21	OP = (-) 8	OP = (-) 5	Total OP = 8	

6.	F	OE = 160	OE= 120	OE = 140	Total OE = 420	OP/OE = 11.9%
		OP = 21	OP = 14	OP = 15	Total OP = 50	
7.	G	OE = 150	OE = 130	OE = 155	Total OE = 435	OP/OE = 10.57%
		OP = 21	OP = 12	OP = 13	Total OP = 46	

From the above, the dataset will be constructed by arranging the weighted average values of PLI in an ascending order as follows:

Sl. No.	1	2	3	4	5	6	7
Values	2.2%	6%	8.2%	9%	10.57%	11.9%	12%

For deriving the arm's length range, the data place of 35th and 65th percentile shall be computed in the following manner:
Total number of data points in dataset × (35/100)
Total number of data points in dataset × (65/100)
Thus, the data place of the 35th percentile = 7 × 0.35 = 2.45.

Since this is not a whole number, the next higher data place, that is, the value at the 3rd place would have at least 35% of the values below it. The 35th percentile, is therefore, value at the 3rd place, that is, 8.2%.
The data place of the 65th percentile is = 7 × 0.65 = 4.55.

Since this is not a whole number, the next higher data place, that is, the value at the5th place would have at least 65% of the values below it. The 65th percentile is therefore value at 5th place, that is, 10.57%.
The arm's length range will be beginning at 8.2% and ending at 10.57%.

Therefore, if the PLI in case of the enterprise X that has undertaken the international transaction or the specified domestic transaction is equal to or more than 8.2% and less than or equal to 10.57%, the price at which such international transaction or the specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price. No adjustment shall be required.

However, if the PLI in case of the enterprise X is lower than the 35th percentile of the arm's length range, that is, 8.2%, then for the purpose of determining the arm's length price, the median of the dataset shall be used. The median will be first determined in the following manner:

The data place of median is calculated by first computing the total number of data point in the dataset × (50/100). In this case it is 7 × 0.5 = 3.5.

Since this is not a whole number, the next higher data place, that is, the value at the 4th place in the dataset would have at least 50% of the values below it (median).
The median in this case is 9%. Therefore, the PLI at arm’s length shall be 9% and the controlled transaction shall be adjusted so as to yield this PLI for the controlled enterprise X.

Illustration 2

In case of the Enterprise X referred to in *Illustration 1*, the data of the current year is available only in respect of non-associated enterprises A, C, E, F and G at the time of furnishing the return of income by the assessee. In respect of non-associated enterprises B and D, the data of the financial year preceding the tax year is available at the time of furnishing the return of income and the same has been used to identify comparable uncontrolled transactions undertaken by enterprises B and D. Further, if these seven non-associated enterprises have also undertaken comparable uncontrolled transactions in either or both of the two financial years immediately preceding the tax year then such data has been included in the dataset. The weighted average PLI calculation for each non-associated enterprise shall be as follows:

Sl. No.	Name of non-associated enterprise	Year 1	Year 2	Year 3 [Tax Year]	Aggregation of OE and OP	Weighted Average PLI
1	2	3	4	5	6	7
1	A	OE = 100	OE = 150	OE = 225	Total OE = 475	OP/OE = 12%
		OP = 12	OP = 10	OP = 35	Total OP = 57	
2	B	OE = 80	OE = 125	Data not available	Total OE = 205	OP/OE= 7.31%
		OP = 10	OP = 5		Total OP = 15	
3	C	OE = 250	OE = 230	OE = 250	Total OE = 730	OP/OE = 9%
		OP = 22	OP = 26	OP = 18	Total OP = 66	
4	D	Data not available	OE = 220	Data not available	Total OE = 220	OP/OE = 10%
			OP = 22		Total OP = 22	
5	E	Data not available	Data not available	OE = 125	Total OE = 125	OP/OE = (-) 4%
				OP = (-) 5	Total OP = (-)5	
6	F	OE = 160	OE = 120	OE = 140	Total OE = 420	OP/OE = 11.9%
		OP = 21	OP = 14	OP = 15	Total OP = 50	
7	G	OE = 150	OE = 130	OE = 155	Total OE = 435	OP/OE= 10.57%
		OP = 21	OP = 12	OE = 13	Total OP = 46	

From the above, the dataset will be constructed by arranging the weighted average values of PLI in an ascending order as follows:

Sl. No.	1	2	3	4	5	6	7
Values	(-)4%	7.31%	9%	10%	10.57%	11.9%	12%

If during the course of assessment proceedings, the data of the tax year becomes available and the use of such data indicates that non-associated enterprise B cannot be considered as a comparable under rule 79(3)(ii) and (iii), then the data in respect of enterprise B shall not be included in the dataset. The data for tax year in respect of enterprise D shall be included in the dataset. Further, if the data available at this stage identifies a new comparable uncontrolled transaction undertaken by enterprise H, then, it shall be included in the revised dataset. The weighted average PLI calculation for each non-associated enterprise shall be as below:

Sl. No.	Name of non-associated enterprise	Year 1	Year 2	Year 3 [tax Year]	Aggregation of OE and OP	Weighted Average PLI
1	2	3	4	5	6	7
1	A	OE = 100	OE = 150	OE = 225	Total OE = 475	OP/OE = 12%
		OP = 12	OP = 10	OP = 35	Total OP = 57	
2	C	OE = 250	OE = 230	OE = 250	Total OE = 730	OP/OE = 9%
		OP = 22	OP = 26	OP = 18	Total OP = 66	
3	D	Data not available	OE = 220	OE = 150	Total OE = 370	OP/OE =11.35%
			OP = 22	OP = 20	Total OP = 42	
4	E	Data not available	Data not available	OC = 125	Total OC = 125	OP/OC = (-)4%
				OP = (-) 5	Total OP = (-)5	
5	F	OC = 160	OC = 120	OC = 140	Total OC = 420	OP/OC = 11.9%
		OP = 21	OP = 14	OP = 15	Total OP = 50	
6	G	OC = 150	OC = 130	OC = 155	Total OC = 435	OP/OC = 10.57%
		OP = 21	OP = 12	OP = 13	Total OP = 46	
7	H	OC = 150	Data not available	OC = 80	Total OC = 230	OP/OC =9.56%
		OP = 12		OP = 10	Total OP = 22	

From the above, the dataset will be constructed by arranging the weighted average values of PLI in an ascending order as follows:

Sl. No.	1	2	3	4	5	6	7
Values	(-)4%	9%	9.56%	10.57%	11.35%	11.9%	12%

The calculation of the arm's length range and the arm's length price shall then be performed in the same manner as that described in *Illustration 1*.

Illustration 3

In a given case, comparable uncontrolled price method has been selected as the most appropriate method and 20 comparable uncontrolled transactions have been identified. The dataset of 20 prices, arranged in ascending order, is as under:

Sl. No.	Profits (in ₹ Thousands)
1	2
1	42.00
2	43.00
3	44.00
4	44.50
5	45.00
6	45.25

7	47.00
8	48.00
9	48.15
10	48.35
11	48.45
12	48.48
13	48.50
14	49.00
15	49.10
16	49.35
17	49.50
18	49.75
19	50.00
20	50.15

Applying the formula given in the *Illustration 1*, the data place of the 35th and 65th percentile is determined as follows:

35th percentile place = 20 × (35/100) = 7th.
65th percentile place = 20 × (65/100) = 13th.

Since the 35th percentile place is a whole number, it shall be the average of the prices at the 7th and next higher, that is, 8th place. This is (47000+48000)/2 = ₹ 47500.

Similarly, the 65th percentile will be average of 13th and 14th place prices. This is (48500+49000)/2 = ₹ 48750.

The median of the range (the 50th percentile place) = 20 × (50/100) = 10th
Since the 50th percentile place is a whole number, it shall be the average of the prices at the 10th and next higher, that is, 11th place. This is (48350+48450)/2 = ₹ 48400.

Thus, the arm's length range in this case shall be from ₹ 47500 to ₹ 48750.

Consequently, any controlled transaction whose price is equal to or more than ₹ 47500 but less than or equal to ₹ 48750 shall be considered to be within the arm's length range. If such price is not within the arm's length range, then, for the purpose of determining the arm's length price, the median of the dataset shall be used.

82. Exercise of option for determination of arm's length price for multiple years in a single proceeding.— (1) The option or options as per section 166(9)(a) may be exercised by an assessee for determination of arm's length price for multiple year in a single proceeding by furnishing Form No. 46 for two consecutive tax years (the second tax year and the third tax year, respectively) immediately following the tax year (the first tax year) in respect of which reference has been made in its case under the said section.

(2) The Form No. 46, in respect of international transactions or specified domestic transactions shall be furnished, within the period, beginning from the end of the third tax year and ending on the 30th June succeeding the third tax year.

(3) Every Form No. 46 furnished in sub-rule (2) shall be accompanied by a certificate from the accountant, as defined in section 515(3)(b), in Form No. 47.

(4) In a case where the international transactions or the specified domestic transactions fulfil the conditions prescribed in sub-rule (5), the Transfer Pricing Officer shall, within one month from the end of month in which such option or

options are exercised, pass an order, in writing, declaring whether the option or options exercised in Form No. 46 are valid or invalid.

(5) For the purposes of sub-rule (4) the prescribed conditions are as under, —

(a) the international transactions or the specified domestic transactions (herein referred to as the relevant transactions) in the second and third tax year for which option or options has been exercised in Form No. 46, should be similar to the international transactions or the specified domestic transactions in the first tax year;

(b) the relevant transactions shall be treated to be similar, if they satisfy the following conditions: —
  (i) there is no change in the method to determine the arm's length price for the relevant transactions;

  (ii) the functions performed, taking into account assets employed and the risks assumed, by the parties in respect of the relevant transactions remain materially consistent;

  (iii) in respect of the relevant transactions, the business activities, the relevant financial, tax, and accounting methods; and classification of the assessee, in case of a company, remained materially the same;

  (iv) the option or options exercise would be applicable even when there is a change in the business result or holding structure of the associated enterprise, or change in the associated enterprise, provided there is no material change in the relevant transaction and no material change in the functions performed, taking into account assets employed and the risks assumed; and

  (v) there is no change in the contractual terms (whether or not such terms are formal or in writing) of the relevant transactions, which explicitly or implicitly laid down how the responsibilities, risks and benefits are to be divided between the parties to the relevant transactions.

(c) the assessee has furnished in the first and the second tax years, —
  (i) report from the accountant under section 172 on or before the specified date referred to in that section; and

  (ii) return of income on or before the due date referred to in section 263(1);

(d) the assessee shall undertake to furnish for the third tax year, —
  (i) report from the accountant, as defined in section 515(3)(b), under section 172 on or before the specified date referred to in that section; and

  (ii) return of income on or before the due date referred to in section 263(1);

(e) the case of the assessee for the first, second and the third tax years is not covered under the provisions of Chapter XVI-B; and

(f) none of the associated enterprises relevant to the transactions is a resident of a jurisdiction which has been notified under section 176.

(6) If the assessee objects to the order of the Transfer Pricing Officer under sub-rule (4) declaring the option to be invalid, it may file its objections with the Commissioner, to whom the Transfer Pricing Officer is subordinate, within fifteen days of receipt of the order of the Transfer Pricing Officer.

(7) On receipt of the objection referred to in sub-rule (6), the Commissioner shall after providing an opportunity of being heard to the assessee pass appropriate orders in respect of the validity, or otherwise, of the option exercised by the assessee and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Transfer Pricing Officer.

(8) In a case where, during the proceedings under section 166, it is found that the information provided by the assessee in the Form No. 46 is inaccurate or not *bona fide* or the accountant, as defined in section 515(3)(b), furnishes the certificate in Form No. 47 to the same effect or conditions as specified in sub-rule (5) are not met, the order passed under sub- rule (4) shall be cancelled.

(9) Before cancelling the order passed under sub-rule (4), the Transfer Pricing Officer shall give the assessee a reasonable opportunity of being heard and take the approval from the Commissioner before cancelling the order.

(10) Where the option or options exercised by the assessee, are declared as invalid under sub-rule (4) or the order passed under the said sub-rule is cancelled by the Transfer Pricing Officer, the Transfer Pricing Officer shall proceed to determine the arm's length price for the first tax year, for which reference has been received under section 166(1).

83. Time period for repatriation of excess money under section 170(2) and computation of interest income under section 170(4) pursuant to secondary adjustments.— (1) For the purposes of section 170(2)(b), the time limit for repatriation of excess money or part thereof in the circumstances mentioned in column B of the following Table shall be on or before ninety days from the date mentioned in column C thereof:

TABLE

Sl. No.	*Circumstances*	*Date*
A	*B*	*C*
1.	Primary adjustments to transfer price have been made *suo motu* by the assessee in his return of income.	Due date of furnishing of return under section 263(1).
2.	Primary adjustments to transfer price as determined in the order of Assessing Officer or the appellate authority has been accepted by the assessee.	Date of the order of Assessing Officer or the appellate authority, as the case may be.
3.	Primary adjustment to transfer price is determined by an advance pricing agreement entered into by the assessee under section 168 in respect of a tax year on or before the due date of furnishing of return for the relevant tax year.	Due date of furnishing of return under section 263(1).
4.	Primary adjustment to transfer price is determined by an advance pricing agreement entered into by the assessee under section 168 in respect of a tax year after the due date of furnishing of return for the relevant tax year.	End of the month in which the advance pricing agreement has been entered into.
5.	Option is exercised by the assessee as per the safe harbour rules under section 167.	Due date of furnishing of return under section 263(1).
6.	Primary adjustment to transfer price is determined by the resolution arrived at under mutual agreement procedure under a Double Taxation Avoidance Agreement entered into under section 159 (1) or (2).	Date of order giving effect under rule 121(10) to such resolution.

(2) The imputed per annum interest income on excess money or part thereof, which is not repatriated within the time limit as per sub-rule (1) shall be computed —

(a) at the one-year marginal cost of fund lending rate of the State Bank of India as on the 1st April of the relevant tax year plus 325 basis points in the cases where the international transaction is denominated in Indian rupee; or

(b) at the reference rate of the relevant foreign currency, as defined in rule 89(3), as on the 30th September of the relevant tax year plus 300 basis points in the cases where the international transaction is denominated in foreign currency.

(3) The interest referred to in sub-rule (2) shall be chargeable on excess money or part thereof which is not repatriated in cases referred to in column B of the Table in sub-rule (1) from the date mentioned in column C thereof.

(4) For this rule, the exchange rate for conversion of the value of international transactions denominated in foreign currency into Indian rupees, shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency on the last day of the tax year in which the transaction was undertaken and the "telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned to in rule 207.

84. Information and documents to be kept and maintained under section 171(1).— (1) Every person who has entered into an international transaction or a specified domestic transaction, shall keep and maintain the following information and documents: —

(a) a description of the ownership structure of the assessee enterprise with details of shares or other ownership interest held therein by other enterprises for the contemporaneous period;

(b) a profile of the multinational group of which the assessee enterprise is a part along with the name, address, legal status and country of tax residence of each of the enterprises comprised in the group with whom international transaction or a specified domestic transaction, have been entered into by the assessee, and ownership linkages among them;

(c) a broad description of the business of the assessee and the industry in which the assessee operates, and of the business of the associated enterprises with whom the assessee has transacted;

(d) the nature and terms (including prices) of international transaction or a specified domestic transaction entered into with each associated enterprise, details of property transferred or services provided and the quantum and the value of each such transaction or class of such transaction;

(e) a description of the functions performed, risks assumed and assets employed or to be employed by the assessee and by the associated enterprises involved in the international transaction or the specified domestic transaction;

(f) a record of the economic and market analyses, forecasts, budgets or any other financial estimates prepared by the assessee for the business as a whole and for each division or product separately, which may have a bearing on the international transaction or the specified domestic transaction entered into by the assessee;

(g) a record of uncontrolled transactions taken into account for analysing their comparability with the international transaction or a specified domestic transaction entered into, including a record of the nature, terms and conditions relating to any uncontrolled transaction with third parties which may be of relevance to the pricing of the international transaction or a specified domestic transaction, as the case may be;

(h) a record of the analysis performed to evaluate comparability of uncontrolled transactions with the international transaction or the specified domestic transaction;

(i) a description of the methods considered for determining the arm's length price in relation to each international transaction or specified domestic transaction or class of transactions, the method selected as the most appropriate method along with explanations as to why such method was so selected, and how such method was applied in each case;

(j) a record of the actual working carried out for determining the arm's length price, including details of the comparable data and financial information used in applying the most appropriate method, and adjustments, if any, which were made to account for differences between the international transaction or the specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transactions, or between the enterprises entering into such transactions;

(k) the assumptions, policies and price negotiations, if any, which have critically affected the determination of the arm's length price;

(l) details of the adjustments, if any, made to transfer prices to align them with arm's length prices determined under these rules and consequent adjustment made to the total income for tax purposes; and

(m) any other information, data or document, including information or data relating to the associated enterprise, which may be relevant for determination of the arm's length price.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply to an international transaction in a case where the aggregate value, as recorded in the books of account, of international transactions entered into by the assessee during the tax year does not exceed one crore rupees.

(3) For application of sub-rule (2), the assessee shall be required to substantiate, on the basis of material available, that income arising from international transactions entered into by him has been computed in accordance with section 161.

(4) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to an eligible specified domestic transaction referred to in rule 96 in the case of an eligible assessee referred to in rule 95, and in such case—

(a) the eligible assessee, referred to in rule 95(a), shall keep and maintain the following information and documents: —

(i) a description of the ownership structure of the assessee enterprise with details of shares or other ownership interest held therein by other enterprises for the contemporaneous period;

(ii) a broad description of the business of the assessee and the industry in which the assessee operates, and of the business of the associated enterprises with whom the assessee has transacted;

(iii) the nature and terms (including prices) of specified domestic transactions entered into with each associated enterprise and the quantum and value of each such transaction or class of such transaction;

(iv) a record of proceedings, if any, before a regulatory commission and orders of such commission relating to the specified domestic transaction;

(v) a record of the actual working carried out for determining the transfer price of the specified domestic transaction;

(vi) the assumptions, policies and price negotiations, if any, which have critically affected the determination of the transfer price; and

(vii) any other information, data or document, including information or data relating to the associated enterprise, which may be relevant for determination of the transfer price;

(b) the eligible assessee, referred to in rule 95(b), shall keep and maintain the following information and documents: —

(i) a description of the ownership structure of the assessee co-operative society with details of shares or other ownership interest held therein by the members;

(ii) description of members including their addresses and period of membership;

(iii) the nature and terms (including prices) of specified domestic transactions entered into with each member and the quantum and value of each such transaction or class of such transaction;

(iv) a record of the actual working carried out for determining the transfer price of the specified domestic transaction;

(v) the assumptions, policies and price negotiations, if any, which have critically affected the determination of the transfer price;

(vi) the documentation regarding price being routinely declared in transparent manner and being available in public domain; and

(vii) any other information, data or document which may be relevant for determination of the transfer price.

(5) The information specified in sub-rules (1) and (4) shall be supported by authentic documents, which may include the following: —

(a) official publications, reports, studies and data bases from the Government of the country of residence of the associated enterprise, or of any other country;

(b) reports of market research studies carried out and technical publications brought out by institutions of national or international repute;

(c) price publications including stock exchange and commodity market quotations;

(d) published accounts and financial statements relating to the business affairs of the associated enterprises;

(e) agreements and contracts entered into with associated enterprises or with unrelated enterprises in respect of transactions similar to the international transactions or the specified domestic transactions, as the case may be;

(f) letters, emails and other correspondence, documenting any terms negotiated between the assessee and the associated enterprise;

(g) documents generally issued in connection with various transactions under the accounting practices followed.

(6) The information and documents specified under sub-rules (1), (2), (3) and (4), should, as far as possible, be contemporaneous and shall exist on the specified date referred to in section 173(d).

(7) For the purposes of sub-rule (6), where a relevant transaction continues to have effect beyond one tax year, fresh documentation need not be maintained separately in respect of each tax year, unless there is any significant change in —

(a) the nature or terms of such transaction; or

(b) underlying assumptions; or

(c) any other factor affecting the transfer price,

and in case of such a change, fresh documentation shall be maintained, bringing out its impact on pricing under sub-rules (1), (2) (3) and (4).

(8) The information and documents specified in sub-rules (1) to (4) shall be kept and maintained for a period of nine years from the end of the relevant tax year.

85. Report from an accountant to be furnished under section 172.— (1) The report from an accountant, as defined in section 515(3)(b), required to be furnished under section 172 by every person who has entered into an international transaction or a specified domestic transaction during a tax year, shall be in Form No. 48 and be verified in the manner indicated therein.

(2) The report referred to in sub-rule (1) shall be furnished at least one month prior to the due date of furnishing return of income as per section 263(1)(c).

86. Definitions for safe harbour rules for international transactions.— For the purposes of this rule and rules 87 to 93, —

(a) "accountant" –

(i) means an accountant referred to in section 515(3)(b), who fulfils the following conditions: —

(A) if he is pursuing the profession of accountancy individually or is a valuer then —

(I) he has professional experience of not less than ten years; and

(II) his annual receipt in the year preceding the year in which cost certification is undertaken, from the exercise of profession, exceeds fifty lakh rupees;

(B) if he is a member or partner in any entity engaged in rendering accountancy or valuation services then, the annual receipt of the entity in the year preceding the year in which cost certification is undertaken exceeds three crore rupees;

(ii) includes any person recognised for undertaking cost certification by the government of the country, where the associated enterprise is registered or incorporated or any of its agencies, who fulfils the following conditions: —

(A) the condition referred to in clause (a)(i)(A) and (B); and

(B) if he is a member or partner in any entity engaged in rendering accountancy or valuation services then, the entity or its affiliates have presence in more than two countries;

(b) "contract research and development services wholly or partly relating to software development" means the following: —

(i) research and development producing new theorems and algorithms in the field of theoretical computer science; or

(ii) development of information technology at the level of operating systems, programming languages, data management, communications software and software development tools; or

(iii) development of internet technology; or

(iv) research into methods of designing, developing, deploying or maintaining software; or

(v) software development that produces advances in generic approaches for capturing, transmitting, storing, retrieving, manipulating or displaying information; or

(vi) experimental development aimed at filling technology knowledge gaps, as may be necessary to develop a software programme or system; or

(vii) research and development on software tools or technologies in specialised areas of computing (image processing, geographic data presentation, character recognition, artificial intelligence and such other areas); or

(viii) upgradation of existing products, where source code has been made available by the principal, except where the source code has been made available to carry out routine functions like debugging of the software;

(c) "core auto components" means—

(i) engine and engine parts, including piston and piston rings, engine valves and parts cooling systems and parts and power train components; or

(ii) transmission and steering parts, including gears, wheels, steering systems, axles and clutches; or

(iii) suspension and braking parts, including brake and brake assemblies, brake linings, shock absorbers and leaf springs; or

(iv) lithium-ion batteries for use in electric or hybrid electric vehicles;

(d) "corporate guarantee" means explicit corporate guarantee extended by a company to its wholly owned subsidiary being a non-resident in respect of any short-term or long-term borrowing, but does not include letter of comfort, implicit corporate guarantee, performance guarantee or any other guarantee of similar nature;

(e) "data centre" means a dedicated secure space within a building or centralised location, where computing and networking equipment is concentrated for the purpose of collecting, storing, processing, distributing or allowing access to large amounts of data;

(f) "data centre services" means the services provided by a data centre through the use of physical infrastructure including land, buildings, mechanical electrical power equipment, cooling system, security and information

technology infrastructure including servers, computers, storage systems, operating systems, security solutions, network and associated software platforms, networking and other equipment, human resource in India;

(g) "generic pharmaceutical drug" means a drug that is comparable to a drug already approved by the regulatory authority in dosage form, strength, route of administration, quality and performance characteristics and intended use;

(h) "information technology enabled services" means any of the following business process outsourcing services provided mainly with the assistance or use of information technology: —

(i) back office operations; or

(ii) call centres or contact centre services; or

(iii) data processing and data mining; or

(iv) insurance claim processing; or

(v) legal databases; or

(vi) creation and maintenance of medical transcription excluding medical advice; or

(vii) translation services; or

(viii) payroll; or

(ix) remote maintenance or recovery; or

(x) revenue accounting; or

(xi) support centres; or

(xii) website services; or

(xiii) data search integration and analysis; or

(xiv) remote education excluding education content development; or

(xv) clinical database management services excluding clinical trials,

but does not include any research and development services whether or not in the nature of contract research and development services.

(i) "intra-group loan" means loan advanced to an associated enterprise being a non-resident, where the loan —

(i) is not advanced by an enterprise, being a financial company including a bank or a financial institution or an enterprise engaged in lending or borrowing in the normal course of business; and

(ii) does not include credit line or any other loan facility which has no fixed term for repayment;

(j) "knowledge process outsourcing services" means any of the following business process outsourcing services provided mainly with the assistance or use of information technology requiring application of knowledge and advanced analytical and technical skills: —

(i) geographic information system; or

(ii) human resources services; or

(iii) engineering and design services; or

(iv) animation or content development and management; or

(v) business analytics; or

(vi) financial analytics; or

(vii) market research,

but does not include any research and development services, whether or not in the nature of contract research and development services;

(k) "low value-adding intra-group services" means services that are performed by one or more members of a multinational enterprise group on behalf of one or more other members of the same multinational enterprise group and which —

(i) are in the nature of support services;

(ii) are not part of the core business of the multinational enterprise group, that is, such services neither constitute the profit-earning activities nor contribute to the economically significant activities of the multinational enterprise group;

(iii) are not in the nature of shareholder services or duplicate services;

(iv) neither require the use of unique and valuable intangibles nor lead to the creation of unique and valuable intangibles;

(v) neither involve the assumption or control of significant risk by the service provider nor give rise to the creation of significant risk for the service provider; and

(vi) do not have reliable external comparable services that can be used for determining their arm's length price,

but does not include the following services: —

(A) research and development services;

(B) manufacturing and production services;

(C) information technology (software development) services;

(D) knowledge process outsourcing services;

(E) business process outsourcing services;

(F) purchasing activities of raw materials or other materials that are used in the manufacturing or production process;

(G) sales, marketing and distribution activities;

(H) financial transactions;

(I) extraction, exploration, or processing of natural resources; and

(J) insurance and reinsurance;

(l) "non-core auto components" means auto components other than core auto components;

(m) "no tax or low tax country or territory" means a country or territory in which the maximum rate of income-tax is less than 15%;

(n) "operating expense" means —

(i) the costs incurred in the tax year by the assessee in relation to the international transaction during the course of its normal operations including costs relating to Employee Stock Option Plan or similar stock-based compensation provided for by the associated enterprises of the assessee to the employees of the assessee;

(ii) reimbursement to associated enterprises of expenses incurred by the associated enterprises on behalf of the assessee at cost;

(iii) amounts recovered from associated enterprises on account of expenses incurred by the assessee on behalf of those associated enterprises and which relate to normal operations of the assessee at cost; and

(iv) depreciation and amortisation expenses relating to the assets used by the assessee,

but does not include —

(A) interest expense;

(B) provision for unascertained liabilities;

(C) pre-operating expenses;

(D) loss arising on account of foreign currency fluctuations;

(E) extraordinary expenses;

(F) loss on transfer of assets or investments other than assets, on which depreciation is included in the operating expense;

(G) expense on account of income-tax; and

(H) other expenses not relating to normal operations of the assessee;

(o) "operating revenue" means the revenue earned by the assessee in the tax year in relation to the international transaction during the course of its normal operations including costs relating to Employee Stock Option Plan or similar stock-based compensation provided for by the associated enterprises of the assessee to the employees of the assessee**,** but does not include —

(i) interest income;

(ii) income arising on account of foreign currency fluctuations;

(iii) income on transfer of assets or investments other than assets, on which depreciation is included in the operating expense;

(iv) refunds relating to income-tax;

(v) provisions written back;

(vi) extraordinary incomes; and

(vii) other incomes not relating to normal operations of the assessee;

(p) "operating profit margin" in relation to operating expense means the ratio of operating profit, being the operating revenue in excess of operating expense, to the operating expense expressed in terms of percentage;

(q) "relevant tax year" means the tax year for which the option for safe harbour is validly exercised;

(r) "software development services" mean —

(i) business application software and information system development using known methods and existing software tools; or

(ii) ancillary or support services for existing systems; or

(iii) converting or translating computer languages; or

(iv) adding user functionality to application programmes; or

(v) debugging of systems; or

(vi) adaptation of existing software; or

(vii) preparation of user documentation;

but does not include any research and development services whether or not in the nature of contract research and development services.

87. Eligible assessee for safe harbour rules for international transactions.— (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the "eligible assessee" means a person who has exercised a valid option for application of safe harbour rules in accordance with rule 90, and—

(a) is engaged in providing information technology services consisting of any one or more of the following: —

(i) software development services; or

(ii) information technology enabled services; or

(iii) knowledge process outsourcing services; or

(iv) contract research and development services wholly or partly relating to software development,

with insignificant risk, to a non-resident associated enterprise (hereinafter referred to as foreign principal); or

(b) has made any intra-group loan; or

(c) has provided a corporate guarantee; or

(d) is engaged in providing contract research and development services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs, with insignificant risk, to a foreign principal; or

(e) is engaged in the manufacture and export of core or non-core auto components and where 90% or more of total turnover during the relevant tax year is in the nature of original equipment manufacturer sales; or

(f) is in receipt of low value-adding intra-group services from one or more members of its group; or

(g) has provided data centre services to a foreign company.

(2) For the purposes of identifying an eligible assessee, with insignificant risk, referred to in sub-rule (1)(a), the Director General of Income-tax (Systems) shall have regard to the following factors: —

(a) the foreign principal performs most of the economically significant functions involved, including the critical functions, such as, —

(i) conceptualisation;

(ii) design of the product; and

(iii) providing the strategic direction and framework,

either through its own employees or through its other associated enterprises, while the eligible assessee carries out the work assigned to it by the foreign principal;

(b) the capital and funds and other economically significant assets including the intangibles required, are provided by the foreign principal or its other associated enterprises, and the eligible assessee is only provided a remuneration for the work carried out by it;

(c) the eligible assessee works under the direct supervision of the foreign principal or its associated enterprise which not only has the capability to control or supervise but also actually controls or supervises research or product development or the activities carried out through its strategic decisions to perform core functions as well as by monitoring activities on a regular basis;

(d) the eligible assessee does not assume or has no economically significant realised risks, and if a contract shows that the foreign principal is obligated to control the risk but the conduct shows that the eligible assessee is doing so, the contractual terms shall not be the final determinant;

(e) the eligible assessee has no ownership right, legal or economic, on any intangible generated or on the outcome of any intangible generated or arising during the course of rendering of services or on the outcome of the research, which vests with the foreign principal as evident from the contract and the conduct of the parties.

(3) For the purpose of identifying an eligible assessee, with insignificant risk, referred to in sub-rule (1)(d), the Director General of Income-tax (Systems) or the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer, as the case may be, shall have regard to the following factors: —

(a) the foreign principal performs most of the economically significant functions involved in research or product development cycle, including the critical functions such as;

(i) conceptualisation;

(ii) design of the product; and

(iii) providing the strategic direction and framework,

either through its own employees or through its other associated enterprises while the eligible assessee carries out the work assigned to it by the foreign principal;

(b) the foreign principal or its other associated enterprises provides, —

(i) the funds or capital;

(ii) other economically significant assets including intangibles required for research or product development; and

(iii) a remuneration to the eligible assessee for the work carried out by it;

(c) the eligible assessee works under the direct supervision of the foreign principal or its other associated enterprise which has not only the capability to control or supervise but also actually controls or supervises research or product development, through its strategic decisions to perform core functions as well as by monitoring activities on a regular basis;

(d) the eligible assessee does not assume or has no economically significant realised risks, and if a contract shows that the foreign principal is obligated to control the risk but the conduct shows that the eligible assessee is doing so, the contractual terms shall not be the final determinant;

(e) the eligible assessee has no ownership right, legal or economic, on the outcome of the research which vests with the foreign principal and which is evident from the contract as well as the conduct of the parties.

88. Eligible international transactions for safe harbour.— An "eligible international transaction" means an international transaction between the eligible assessee and its associated enterprise, one of which is necessarily a non-resident, and which comprises of —

(a) provision of information technology services consisting of any one or more of the following: —

(i) provision of software development services; or

(ii) provision of information technology enabled services; or

(iii) provision of knowledge process outsourcing services; or

(iv) provision of contract research and development services wholly or partly relating to software development; or

(b) advance of intra-group loan; or

(c) provision of corporate guarantee, where the amount guaranteed, —

(i) does not exceed one hundred crore rupees; or

(ii) exceeds one hundred crore rupees, and the credit rating of the associated enterprise, done by an agency registered with the Securities and Exchange Board of India, is of the adequate to highest safety; or

(d) provision of contract research and development services, wholly or partly, relating to generic pharmaceutical drugs; or

(e) manufacture and export of core auto components; or

(f) manufacture and export of non-core auto components; or

(g) receipt of low value-adding intra-group services from one or more members of its group; or

(h) provision of the data centre services.

89. Safe harbour for eligible international transactions.— (1) The transfer price declared by an eligible assessee in respect of an eligible international transaction for a tax year shall be accepted by the income-tax authorities, if —

(a) the option exercised by the said assessee is not held to be invalid under rule 90; and

(b) it is in accordance with the circumstances as specified in sub-rule (2).

(2) The circumstances referred to in sub-rule (1) in respect of the eligible international transaction specified in column B of the following Table shall be as specified in column C thereof:

Table

Sl. No.	Eligible International Transaction	Circumstances
A	B	C
1.	Provision of information technology services.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense incurred is not less than 15.5%, where the aggregate operating revenue of such transaction entered into during the tax year does not exceed a sum of two thousand crore rupees.
2.	Advancing of intra-group loans where the amount of loan is denominated in Indian Rupees (rupees).	The interest rate declared in relation to the eligible international transaction entered into during the tax year is not less than the one-year marginal cost of funds lending rate of State Bank of India as on the 1st April of the relevant tax year plus — (i) 175 basis points, where the associated enterprise has credit

		rating between AAA to A or its equivalent; or (ii) 325 basis points, where the associated enterprise has credit rating of BBB-, BBB or BBB+ or its equivalent; or (iii) 475 basis points, where the associated enterprise has credit rating between BB to B or its equivalent; or (iv) 625 basis points, where the associated enterprise has credit rating between C to D or its equivalent; or (v) 425 basis points, where credit rating of the associated enterprise is not available and the amount of loan advanced to the associated enterprise including loans to all associated enterprises in Indian Rupees does not exceed a sum of one hundred crore rupees in the aggregate as on the 31st March of the relevant tax year.
3.	Advancing of intra-group loans where the amount of loan is denominated in foreign currency.	The interest rate declared in relation to the eligible international transaction entered into during the tax year is not less than the reference rate of the relevant foreign currency as on the 30th September of the relevant tax year plus — (a) if amount of loan advanced to the associated enterprise including loans to all associated enterprises does not exceed a sum equivalent to two hundred and fifty crore rupees (Indian rupees) in the aggregate as on 31st March of the relevant tax year, — (i) 150 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- or equivalent; or (ii) 300 basis points, where the associated enterprise has credit rating of BBB+, BBB, BBB- or equivalent; or (iii) 400 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of BB+, BB, BB-, B+, B, B-, C+, C, C-, D or equivalent or where the credit rating of the associated enterprise is not available; (b) if amount of loan advanced to the associated enterprise including loans to all associated enterprises exceeds a sum equivalent to two hundred and fifty crore rupees (Indian rupees) in the aggregate as on the 31st March of the relevant tax year, — (i) 150 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- or equivalent; or (ii) 300 basis points, where the associated enterprise has credit rating of BBB+, BBB, BBB- or equivalent; or (iii) 450 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of BB+, BB, BB-, B+, B, B- or equivalent; or (iv) 600 basis points, where the associated enterprise has credit rating of C+, C, C-, D or equivalent or where the credit rating of the associated enterprise is not available.
4.	Providing corporate guarantee.	The commission or fee declared in relation to the eligible international transaction entered into during the tax year is at the rate not less than 1% per annum on the amount guaranteed.
5.	Provision of contract research and development services, wholly or	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction entered into during the tax year

	partly, relating to generic pharmaceutical drugs.	in relation to operating expense incurred is not less than 24%, where the aggregate operating revenue of such transaction does not exceed a sum of three hundred crore rupees.
6.	Manufacture and export of core auto components.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction entered into during the tax year in relation to operating expense is not less than 12%.
7.	Manufacture and export of noncore auto components.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction entered into during the tax year in relation to operating expense is not less than 8.5%.
8.	Receipt of low value-adding intragroup services.	The aggregate amount of the low value adding intra-group services during the tax year, including a mark-up not exceeding 5%, does not exceed a sum of ten crore rupees, and the method of cost pooling, the exclusion of shareholder costs and duplicate costs from the cost pool and the reasonableness of the allocation keys used for allocation of costs to the assessee by the overseas associated enterprise, is certified by an accountant.
9.	Provision of the data centre services.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction entered into during the tax year in relation to operating expense is not less than 15%.

(3) For the purposes of this rule, —

(a) "reference rate" means, —

(i) for US dollar, 6-month Term Secured Overnight Financing Rate (SOFR), currently administered by Chicago Mercantile Exchange (CME), as increased by 45 basis points;

(ii) for Euro, 6-month Euro Inter Bank Offered Rate (EURIBOR), currently administered by European Money Markets Institute;

(iii) for UK Pound Sterling, 6-month Term Sterling Overnight Index Average (SONIA), currently administered by ICE Benchmark Administration or Refinitiv, as increased by 30 basis points;

(iv) for Japanese Yen, 6-month Tokyo Term Risk Free Rate (TORF), currently benchmarked by QUICK Benchmarks Inc, as increased by 10 basis points;

(v) for Australian dollar, 6-month Bank Bill Swap Rates (BBSW) currently administered by Australian Securities Exchange; and

(vi) for Singapore dollar, 6-month Compounded Singapore Overnight Rate Average (SORA), currently administered by Monetary Authority of Singapore, as increased by 45 basis points;

(b) "credit rating" means the credit rating assigned to the associated enterprise by a Securities and Exchange Board of India registered and Reserve Bank of India accredited credit rating agency, which is applicable for the relevant tax year, so however that—

(i) where the associated enterprise has only one credit rating, then such rating shall be taken as its credit rating; or

(ii) where the associated enterprise has a credit rating from more than one such credit rating agency, then the least of such ratings shall be taken as its credit rating.

(4) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall apply for a block period of three tax years commencing from the tax year 2026-2027 and shall continue to apply for block periods subsequent to the aforesaid block period, unless modified.

(5) No comparability adjustment and allowance under section 165(3)(a)(ii) shall be made to the transfer price declared by the eligible assessee and accepted under sub-rules (1) and (2).

(6) The provisions of sections 171 and 172 in respect of an international transaction shall apply irrespective of the fact that the assessee exercises his option for safe harbour in respect of such transaction.

90. Procedure relating to transactions other than provision of information technology services.— (1) For the purposes of exercise of the option for safe harbour, —

(a) the assessee shall furnish Form No. 49, complete in all respects, to the Assessing Officer on or before the due date specified in section 263(1)(c) for furnishing the return of income for the relevant tax year; and

(b) the return of income for the said tax year is furnished by the assessee on or before the date of furnishing of Form No. 49.

(2) On receipt of Form No. 49, the Assessing Officer shall verify whether—

(a) the assessee exercising the option is an eligible assessee; and

(b) the transaction in respect of which the option is exercised is an eligible international transaction,

before the option for safe harbour by the assessee is treated to be validly exercised.

(3) Where the Assessing Officer doubts the valid exercise of the option for the safe harbour by an assessee, he shall make a reference to the Transfer Pricing Officer for determination of the eligibility of the assessee or the international transaction, or both, for the purposes of the safe harbour.

(4) For the purposes of sub-rule (3), the Transfer Pricing Officer may require the assessee, by notice in writing, to furnish such information or documents or other evidence as he may consider necessary, and the assessee shall furnish the same within the time specified in such notice.

(5) Where —

(a) the assessee does not furnish the information or documents or other evidence required by the Transfer Pricing Officer; or

(b) the Transfer Pricing Officer finds that the assessee is not an eligible assessee; or

(c) the Transfer Pricing Officer finds that the international transaction in respect of which the option referred to in sub-rule (1) has been exercised is not an eligible international transaction,

the Transfer Pricing Officer shall, by order in writing, declare the option exercised by the assessee under sub-rule (1) to be invalid, after giving a reasonable opportunity of being heard to the assessee, and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer.

(6) If the assessee objects to the order of the Transfer Pricing Officer under sub-rule (5) declaring the option to be invalid, he may file his objections with the Commissioner, to whom the Transfer Pricing Officer is subordinate, within fifteen days of receipt of the order of the Transfer Pricing Officer.

(7) On receipt of the objection referred to in sub-rule (6), the Commissioner shall after providing a reasonable opportunity of being heard to the assessee, pass appropriate orders in respect of the validity, or otherwise of the option exercised by the assessee and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer.

(8) In a case, where option exercised by the assessee has been held to be valid, the Assessing Officer shall proceed to verify whether the transfer price declared by the assessee in respect of the relevant eligible international transactions is in accordance with the circumstances specified in rule 89(2) and, if it is not in accordance with the said circumstances, the Assessing Officer shall adopt the operating profit margin or rate of interest or commission specified in the said rule.

(9) For the purposes of this rule, —

(i) no reference under sub-rule (3) shall be made by an Assessing Officer after expiry of a period of two months from the end of the month in which Form No.49 is received by him;

(ii) no order under sub-rule (5) shall be passed by the Transfer Pricing Officer after expiry of a period of two months from the end of the month in which the reference from the Assessing Officer under sub-rule (3) is received by him; and

(iii) the order under sub-rule (7) shall be passed by the Commissioner within a period of two months from the end of the month in which the objection filed by the assessee under sub-rule (6) is received by him.

(10) If the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer or the Commissioner, as the case may be, does not make a reference or pass an order, within the time specified in sub-rule (9), then the option for safe harbour exercised by the assessee shall be treated as valid.

(11) Form No. 49 shall be furnished electronically either under digital signature or through electronic verification code and shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of the assessee under section 265.

(12) The Assessing Officer may make a reference under section 166 in respect of international transaction other than the eligible international transaction.

91. Procedure relating to transactions of provision of information technology services.— (1) Where option for safe harbour is exercised in respect of eligible international transaction being provision of information technology services, such option for safe harbour, once exercised validly, shall continue to remain in force for a period of five consecutive tax years.

(2) For the purposes of safe harbour in respect of eligible international transaction referred to in sub-rule (1), the threshold of two thousand crore rupees of the aggregate operating revenue shall be tested for the first of the five consecutive tax years.

(3) For exercising option for safe harbour, the assessee shall furnish Form No. 49, complete in all respects, to the Director General of Income-tax (Systems) for the first of the five consecutive tax years for which option for safe harbour is proposed to be exercised on or before the due date of furnishing of return of income, as specified in section 263(1)(c), for the aforesaid first tax year.

(4) After furnishing of Form No. 49, verification in respect of the following shall be done electronically: —

(a) the assessee exercising the option is an eligible assessee;

(b) the transaction in respect of which the option is exercised is an eligible international transaction; and

(c) the exercise of option is valid.

(5) After verification, the assessee shall be intimated within a period of two months from the end of the month in which the option for safe harbour is exercised, about the acceptance or the rejection of the option exercised, as the case may be.

(6) The option for exercise of safe harbour shall not be rejected unless the assessee is provided an opportunity to remove defects, if any, in the application filed.

(7) Where an option for safe harbour is rejected electronically, the assessee shall be provided reasons for the same.

(8) Where an option for safe harbour is accepted, the assessee shall furnish return of income in accordance with the safe harbour provisions for each of the five consecutive tax years on or before the due date specified in section 263(1)(c).

(9) The option shall not remain in force in respect of any tax year, if the assessee withdraws the option for safe harbour, by furnishing a declaration to that effect.

(10) The withdrawal of option referred to in sub-rule (9) shall not be made after the expiry of six months from the end of the first tax year.

(11) Where the assessee withdraws the option for safe harbour by furnishing a declaration referred to in sub-rule (9) the option shall not remain in force for tax year for which assessee has withdrawn the option and for subsequent tax years.

(12) Where an assessee withdraws the option for safe harbour, he shall not be eligible to again exercise the option for safe harbour upto the period of expiry of five consecutive tax years referred to in sub-rule (1).

(13) The assessee shall, in respect of each of the four consecutive tax years following the first tax year, furnish a statement on or before the due date of furnishing return of income of that tax year as specified in section 263(1)(c), providing details of eligible transactions, their quantum and profit margins.

(14) The Assessing Officer may make a reference under section 166 in respect of international transaction other than the eligible international transaction.

(15) Form No. 49 shall be furnished electronically either under digital signature or through electronic verification code.

(16) Form No. 49 shall be certified by the chief executive officer or chairman and managing director of the assessee and verified by the person who is authorised to verify the return of income of the assessee under section 265.

(17) The Director General of Income-tax (Systems) shall, with the approval of the Board, lay down the data structure, standards, format and procedure of furnishing and verification of such Forms, statements, order, declaration, including any modification, if required.

92. Safe harbour rules for international transactions not to apply in certain cases.— Nothing contained in rule 86, 87, 88, 89, 90 or 91 shall apply in respect of eligible international transactions entered into with an associated enterprise located in any country or territory notified under section 176, or in a no tax or low tax country or territory.

93. Mutual agreement procedure not to apply where safe harbour for international transactions is accepted.— Where transfer price in relation to an eligible international transaction, declared by an eligible assessee, is accepted by the income-tax authorities under section 167, the assessee shall not be entitled to invoke mutual agreement procedure under an agreement for avoidance of double taxation entered into with a country or specified territory outside India, as referred to under section 159.

94. Definitions for safe harbour rules for specified domestic transaction.— For the purposes of this rule and rules 95 to 98, —

(a) "Appropriate Commission" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(4) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); and

(b) "Government company" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(45) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

95. Eligible assessee for safe harbour rules for specified domestic transactions.— An "eligible assessee" means a person who has exercised a valid option for application of safe harbour rules in accordance with the provisions of rule 97, and —

(a) is a Government company engaged in the business of generation, supply, transmission or distribution of electricity; or

(b) is a co-operative society engaged in the business of procuring and marketing milk and milk products.

96. Eligible specified domestic transaction for safe harbour.— An "eligible specified domestic transaction" means a specified domestic transaction undertaken by an eligible assessee and which comprises of: —

(a) supply of electricity; or

(b) transmission of electricity; or

(c) wheeling of electricity; or

(d) purchase of milk or milk products by a co-operative society from its members.

97. Safe harbour for eligible specified domestic transaction.— (1) The transfer price declared by an eligible assessee in respect of an eligible specified domestic transaction for a tax year shall be accepted by the income-tax authorities, if, —

(a) the option exercised by the said assessee is treated to be validly exercised under rule 98; and

(b) it is in accordance with the circumstances as specified in sub-rule (2).

(2) The circumstances referred to in sub-rule (1) in respect of the eligible specified domestic transaction specified in column B of the following Table shall be as specified in column C thereof:

Table

Sl. No.	Eligible specified domestic Transaction	Circumstances
A	B	C
1.	Supply of electricity, transmission of electricity, wheeling of electricity, as the case may be.	The tariff in respect of supply of electricity, transmission of electricity, wheeling of electricity, as the case may be, is determined or the methodology for determination of the tariff is approved by the Appropriate Commission in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
2.	Purchase of milk or milk products.	The price of milk or milk products is determined at a rate which is fixed on the basis of the quality of milk, namely, fat content and Solid Not Fat (SNF) content of milk and — (a) the said rate is irrespective of — (i) the quantity of milk procured; or (ii) the percentage of shares held by the members in the co-operative society; or (iii) the voting power held by the members in the society; and (b) such rates are routinely declared by the co-operative society in a transparent manner and are available in public domain.

(3) No comparability adjustment and allowance under section 165(3)(a)(ii) shall be made to the transfer price declared by the eligible assessee and accepted under sub-rule (1).

(4) The provisions of sections 171 and 172 in respect of a specified domestic transaction shall apply irrespective of the fact that the assessee exercises his option for safe harbour in respect of such transaction.

98. Procedure governing safe harbour rules for specified domestic transactions.— (1) For the purposes of exercising of the option for safe harbour, —

(a) the assessee shall furnish Form No. 49, complete in all respects, to the Assessing Officer on or before the due date specified in section 263(1)(c) for furnishing the return of income for the relevant tax year; and

(b) the return of income for the relevant tax year is to be furnished by the assessee on or before the date of furnishing of Form No. 49.

(2) On receipt of Form No. 49, the Assessing Officer shall verify whether—

(a) the assessee exercising the option is an eligible assessee; and

(b) the transaction in respect of which the option is exercised is an eligible specified domestic transaction,

before the option for safe harbour by the assessee is treated to be validly exercised.

(3) Where the Assessing Officer doubts the valid exercise of the option for the safe harbour by an assessee, he may require the assessee, by notice in writing, to furnish such information or documents or other evidence as he may consider necessary, and the assessee shall furnish the same within the time specified in such notice.

(4) Where —

(a) the assessee does not furnish the information or documents or other evidence required by the Assessing Officer; or

(b) the Assessing Officer finds that the assessee is not an eligible assessee; or

(c) the Assessing Officer finds that the specified domestic transaction in respect of which the option referred to under sub-rule (1) has been exercised is not an eligible specified domestic transaction; or

(d) the tariff is not in accordance with the circumstances specified under rule 97,

the Assessing Officer shall, by order in writing, declare the option exercised by the assessee under sub-rule (1) to be invalid, after giving a reasonable opportunity of being heard to the assessee, and cause a copy of the said order to be served on the assessee.

(5) If the assessee objects to the order of the Assessing Officer under sub-rule (4) declaring the option to be invalid, he may file his objections with the Principal Commissioner or the Commissioner, as the case may be, to whom the Assessing Officer is subordinate, within fifteen days of receipt of the order of the Assessing Officer.

(6) On receipt of the objection referred to in sub-rule (5), the Principal Commissioner or the Commissioner, as the case may be, shall after providing a reasonable opportunity of being heard to the assessee, pass appropriate orders in respect of the validity or otherwise of the option exercised by the assessee and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer.

(7) For the purposes of this rule, —

(a) no order under sub-rule (4) shall be made by an Assessing Officer after expiry of a period of three months from the end of the month in which Form No. 49 is received by him; and

(b) the order under sub-rule (6) shall be passed by the Principal Commissioner or Commissioner, as the case may be, within a period of two months from the end of the month in which the objection filed by the assessee under sub-rule (5) is received by him.

(8) If the Assessing Officer or the Principal Commissioner or the Commissioner, as the case may be, does not pass an order within the time specified under sub-rule (7), then the option for safe harbour exercised by the assessee shall be treated as valid.

(9) Form No. 49 shall be furnished electronically either under digital signature or through electronic verification code and shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of the assessee under section 265.

(10) The Assessing Officer may make a reference under section 166 in respect of specified domestic transaction other than the eligible specified domestic transaction.

99. Definitions for safe harbour rules for income attribution in case of income from business and profession.— For the purposes of this rule and rules 100 to 102, —

(a) "contract manufacturer" means an Indian company who produces specified electronic goods on behalf of any foreign company in a custom bonded area;

(b) "custom bonded area" means a warehouse as referred to in section 65 of the Customs Act, 1962;

(c) "eligible assessee" means —

(i) a foreign company engaged in the business of diamond mining which has exercised an option for application of safe harbour rules in accordance with rule 100; or

(ii) a foreign company which stores components in a warehouse in a custom bonded area for providing them to a contract manufacturer to be used for manufacturing of specified electronic goods;

(d) "eligible business" means —

(i) a business of selling raw diamonds in any notified special zone as referred under section 9(9)(c)(ii)(C); or

(ii) the business activity of storage of components in a warehouse in a custom bonded area for sale to a contract manufacturer to be used for manufacturing of specified electronic goods;

(e) "gross receipts" means, —

(i) in a case referred to clause (d)(i), the aggregate of —

(A) the amount paid or payable to the eligible assessee or to any person on his behalf on account of sale of raw diamonds by such eligible assessee; and

(B) the amount received or deemed to be received by the eligible assessee or by any person on his behalf on account of sale of raw diamonds by such eligible assessee;

(ii) in a case referred to clause (d)(ii), the aggregate of —

(A) the amount paid or payable to the eligible assessee or to any person on his behalf on account of sale of components in a warehouse in a custom bonded area to the contract manufacturer to be used for manufacturing of specified electronic goods; and

(B) the amount received or deemed to be received by the eligible assessee or by any person on his behalf on account of sale of components in a warehouse in a custom bonded area to the contract manufacturer to be used for manufacturing of specified electronic goods;

(f) "raw diamonds" means diamonds that are –

(i) uncut or unpolished;

(ii) unassorted;

(iii) unworked or simply sawn, cleaved or bruted;

(iv) not conflict diamonds as defined by the Kimberley Process;

(v) accompanied by Kimberley Process Certificate issued by the Kimberley Process authority in the exporting country; and

(vi) falling under Tariff Heading 7102 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(g) "relevant tax year" means the tax year in which the option for safe harbour is exercised;

(h) "specified electronic goods" shall mean —

(i) mobile phones; or

(ii) laptops, all-in-one personal computers and tablets; or

(iii) servers and ultra small form factor (USSF); or

(iv) sub-assemblies to the finished goods mentioned in clause (i) to (iii); or

(v) hearables and wearables and accessories related to the finished goods mentioned in clause (i) to (iii).

100. Safe harbour for income attribution in case of income from business and profession.— (1) The income-tax authorities shall accept the option for safe harbour exercised by an eligible assessee in any relevant tax year under rule 101, where the income declared by such assessee from an eligible business is in accordance with the circumstances as specified under sub-rule (2), unless such safe harbour is declared invalid under the provisions of rule 101(3).

(2) In respect of the eligible business mentioned in column B of the following Table, the circumstances referred to in sub-rule (1) shall be as specified in column C thereof:

Table

Sl. No.	Eligible business	Circumstances
A	B	C
1.	Selling of raw diamonds.	The profits and gains of the eligible business chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" shall be 4% or more of the gross receipts from such business.
2.	The business activity of storage of components in a warehouse in a custom bonded area for sale to a contract manufacturer.	The profits and gains of the eligible business chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" shall be 2% or more of the gross receipts from such business.

(3) Where the eligible assessee has exercised the option for safe harbour under rule 101 in respect of the eligible business in any relevant tax year and such option is not declared invalid under the said rule,—

(a) any deduction allowable under the provisions of sections 28 to 34, 44 to 49, 51, 52, Schedule IX and Schedule X shall be deemed to have been already given full effect to and no further deduction under those sections or Schedules shall be allowed;

(b) the written down value of any asset of such business shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for such tax year;

(c) no set off of unabsorbed depreciation under section 33(11) or carried forward loss under section 112(1) shall be allowed to such assessee; and

(d) no set off of loss from other business under section 108(1) or other head under section 109 shall be allowed to such assessee for income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" in respect of such business.

(4) The provisions of sections 171 and 172 shall apply in respect of an international transaction or specified domestic transaction, if the eligible assessee enters into such transaction while carrying on the eligible business.

(5) For the purposes of this rule, the expressions, "international transaction" and "specified domestic transaction" shall have the meanings respectively assigned to them in sections 163 and 164.

101. Procedure governing safe harbour rules for income attribution in case of income from business and profession.— (1) For exercising option for safe harbour, the assessee shall furnish Form No. 49, complete in all respects, to the Assessing Officer before furnishing the return of income under section 263 for the relevant tax year.

(2) The income from eligible business shall be determined in accordance with the provisions of the Act without having regard to the provisions of rule 100(2), where the assessee does not exercise option for safe harbour under rule 100(1).

(3) The Assessing Officer may declare the option for safe harbour as invalid by an order in writing, where the assessee has—

(a) availed the safe harbour by furnishing incorrect facts; or

(b) concealed facts related to his business.

(4) The Assessing Officer shall afford a reasonable opportunity of being heard to the assessee before declaring the option for safe harbour invalid under sub-rule (3).

(5) The Assessing Officer shall serve a copy of the order referred to under sub-rule (3) to the assessee and the other provisions of the Act shall apply accordingly.

(6) Form No. 49 shall be furnished electronically either under digital signature or through electronic verification code and shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of the assessee under section 265.

102. Mutual agreement procedure not to apply where safe harbour for income attribution in case of income from business and profession is exercised.— The assessee shall not be entitled to invoke mutual agreement procedure under an agreement for avoidance of double taxation as referred to in section 159 in relation to an eligible business, if the assessee has exercised the option for safe harbour under rule 101 in respect of such business and such option is not declared invalid under the said rule.

103. Meaning of expressions used in matters in respect of advance pricing agreement.— For the purposes of this rule and rules 104 to 120, —

(a) "agreement' means an advance pricing agreement entered into between the Board and the applicant, with the approval of the Central Government, as referred to in section 168(1);

(b) "application" means an application for advance pricing agreement made under rule 106;

(c) "applicant" means a person who has made an application;

(d) "bilateral agreement" means an agreement between the Board and the applicant, subsequent to, and based on, any agreement referred to in rule 122 between the competent authority of India with the competent authority of the other country regarding the most appropriate transfer pricing method or the arms' length price;

(e) "competent authority of India" means an officer authorised by the Central Government for the purpose of discharging the functions relating to any agreement entered into under section 159 of the Act;

(f) "covered transaction" means the international transaction or transactions for which agreement has been entered into;

(g) "critical assumptions" means the factors and assumptions which are so critical and significant, that if changed, the parties to the agreement shall not continue to be bound by the agreement;

(h) "most appropriate transfer pricing method" means a transfer pricing method, referred to in section 165(1), being the most appropriate, having regard to the nature of transaction or class of transaction or class of associated persons or function performed by such persons or such other relevant factors specified by the Board under rules 79 and 80;

(i) "multilateral agreement" means an agreement between the Board and the applicant, subsequent to, and based on, any agreement referred to in rule 122 between the competent authority of India with the competent authorities of the other countries regarding the most appropriate transfer pricing method or the arms' length price;

(j) "rollback year" means any tax year, falling within the period not exceeding four tax years, preceding the first of the tax years referred to in section 168(4);

(k) "tax treaty" means an agreement under section 159 for the avoidance of double taxation;

(l) "team" means advance pricing agreement team consisting of income-tax authorities as constituted by the Board and including such number of experts in economics, statistics, law or any other field as may be nominated by the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation); and

(m) "unilateral agreement" means an agreement between the Board and the applicant, which is neither a bilateral nor a multilateral agreement.

104. Persons eligible to apply.— A person shall be eligible to enter into an agreement under these rules, if he —

(a) has undertaken an international transaction; or

(b) is contemplating to undertake an international transaction.

105. Pre-filing consultation.— (1) An eligible person may make an application in Form No. 50 to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) for a pre-filing consultation.

(2) On receipt of the application, the team shall hold pre-filing consultation with the eligible person who has applied under sub-rule (1).

(3) The competent authority of India or his representative shall be associated in pre-filing consultation involving bilateral or multilateral agreement.

(4) The pre-filing consultation shall, among other things, —

(a) determine the scope of the agreement;

(b) identify transfer pricing issues;

(c) determine the suitability of international transaction for the agreement; and

(d) discuss broad terms of the agreement.

(5) The pre-filing consultation shall—

(a) neither bind the Board or the eligible person who has applied under sub-rule (1) to enter into an agreement or initiate the agreement process;

(b) nor be deemed to mean that the person has applied for entering into an agreement.

(6) The provisions of this rule shall not apply in the case of renewal of the agreement.

106. Application for advance pricing agreement.— (1) An eligible person may furnish an application in Form No. 51 along with requisite fee of twenty lakh rupees for entering into an agreement.

(2) The application shall be furnished to Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) in case of unilateral agreement and to the competent authority of India, in case of bilateral or multilateral agreement.

(3) The application may be filed by the eligible person at any time—

(a) before the first day of the first tax year for which the application is made, in respect of transactions which are of a continuing nature from dealings that are already occurring; or

(b) before undertaking the transaction in respect of remaining transactions.

(4) The application shall be accompanied by the proof of payment of fees of twenty lakh rupees.

107. Withdrawal of application for agreement.— (1) The applicant may withdraw the application for agreement at any time before the finalisation of the terms of the agreement by furnishing an intimation to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), in case of unilateral agreement and to the competent authority of India, in case of bilateral or multilateral agreement.

(2) The fee paid shall not be refunded on withdrawal of application by the applicant.

108. Preliminary processing of application.— (1) Application filed in Form No. 51 shall be complete in all respects and accompanied by requisite documents.

(2) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International taxation), in the case of a unilateral agreement and competent authority of India, in the case of bilateral or multilateral agreement shall serve a deficiency letter on the applicant, if —

(a) any defect is noticed in the application in Form No. 51; or

(b) any relevant document is not attached thereto; or

(c) the application is not in accordance with understanding reached in pre-filing consultation referred to in rule 105.

(3) The deficiency letter in sub-rule (2) shall be served on the applicant within one month from the end of the month in which the application has been received.

(4) The applicant shall remove the deficiency or modify the application within a period of thirty days from the date of receipt of the deficiency letter.

(5) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) or the competent authority of India, as the case may be, on being satisfied, may pass an order providing that application shall not be allowed to be proceeded with, if the application is defective and defect is not removed by applicant in accordance with sub-rule (4).

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be passed after providing a reasonable opportunity of being heard to the applicant.

(7) In a case where an application is not allowed to be proceeded with under sub-rule (5), the fee paid by the applicant shall be refunded.

109. Procedure.— (1) If the application referred to in rule 108 has been allowed to be proceeded with, the team or the competent authority of India, or his representative, shall process the same in consultation and discussion with the applicant in accordance with provisions of this rule.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the team, or the competent authority of India, or its representative may,—

(a) hold meetings with the applicant on such time and date as it deems fit; or

(b) call for additional document or information or material from the applicant; or

(c) visit the applicant's business premises; or

(d) make such inquiries as it deems fit in the circumstances of the case.

(3) In the case of a unilateral agreement, the proceedings referred to in sub-rule (2) may, where it is possible, be completed within a period of one year from the end of the financial year in which application referred to in rule 108 has been allowed to be proceeded with.

(4) For the purpose of sub-rule (1), the applicant may provide further document and information for consideration of the team, or the competent authority of India, or his representative.

(5) For bilateral or multilateral agreement, the competent authority shall forward the application to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), who shall assign it to one of the teams.

(6) The team, to whom the application has been assigned under sub-rule (4), shall carry out the enquiry and prepare a draft report which shall be forwarded by the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) to the competent authority of India.

(7) If the applicant makes a request for bilateral or multilateral agreement in the application, the competent authority of India shall in addition to the procedure provided in this rule, invoke the procedure provided in rule 122.

(8) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) (for unilateral agreement) or the competent authority of India (for bilateral or multilateral agreement) and the applicant shall prepare a proposed mutually agreed draft agreement enumerating the result of the process referred to in sub-rule (1) including the effect of the arrangement referred to in rule 122(5) which has been accepted by the applicant in accordance with rule 122(8).

(9) The agreement shall be entered into by the Board with the applicant after its approval by the Central Government.

(10) Once an agreement has been entered into, the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) or the competent authority of India, as the case may be, shall cause a copy of the agreement to be sent to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the assessee.

(11) Where no agreement has been entered within a period of three years from the end of the financial year in which application referred to in rule 108 is furnished then the Board may direct that the proceedings in respect of such an application shall be treated as closed, if–

(a) the applicant has not provided any document or information or material relevant, as required under sub-rule (2)(ii), for proceeding with the application; or

(b) the applicant fails to comply with any direction issued for holding meeting, facilitating the visit of premise, or making of inquiries in terms of sub-rule (2).

(12) The directions under sub-rule (11) shall be given after providing a reasonable opportunity of being heard to the applicant.

(13) Where an application is made for a unilateral advance pricing agreement where the primary covered transaction is the provision of information technology services referred to in rule 89(2) [Table: Sl. No. 1] and the agreement is not entered into within a period of two years from the end of the quarter in which the application is made, the proceedings in respect of such an application shall be treated as closed.

(14) For the purposes of sub-rule (13), the assessee may request for an additional period of six months beyond the time limit mentioned therein and, in such case, the aforesaid time limit shall be extended by an additional period of six months.

(15) Where the proceedings are closed, the fee paid by the applicant under rule 106 shall not be refunded.

110. Terms of the agreement.— (1) An agreement may among other things, include—

(a) the international transactions covered by the agreement;

(b) the agreed transfer pricing methodology, if any;

(c) determination of arm's length price, if any;

(d) the manner in which the arm's length price is to be determined, if any;

(e) definition of any relevant term to be used in clause (b), (c) or (d);

(f) critical assumptions;

(g) rollback provisions referred to in rule 111; and

(h) the conditions, if any, other than provided in the Act or these rules.

(2) The agreement shall not be binding on the Board or the assessee, if there is a change in any of critical assumptions or failure to meet conditions subject to which the agreement has been entered into.

(3) The binding effect of agreement shall cease only if any party has given due notice to the concerned other party or parties.

(4) In case there is a change in any of the critical assumptions or failure to meet the conditions subject to which the agreement has been entered into, the agreement may be revised or cancelled, as the case may be.

(5) The assessee which has entered into an agreement shall give a notice in writing of such change in any of the critical assumptions or failure to meet conditions to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), as soon as it is practicable to do so.

(6) The Board shall give a notice in writing of such change in critical assumptions or failure to meet conditions to the assessee, as soon as it comes to the knowledge of the Board.

(7) The revision or the cancellation of the agreement shall be in accordance with rules 115 and 116, respectively.

111. Roll back of Agreement.— (1) Subject to the provisions of this rule, the agreement may provide for determining the arm's length price in relation to an international transaction, or specify the manner in which such arm's length price shall be determined during the rollback year (herein referred to as the rollback provision).

(2) The rollback provision shall be subject to the following: —

(a) the international transaction is same as the international transaction to which the agreement (other than the rollback provision) applies;

(b) the return of income for the relevant rollback year has been or is furnished by the applicant within the time specified in section 263(1)(c);

(c) the report in respect of the international transaction had been furnished within the time specified in clause (b);

(d) the applicability of rollback provision, in respect of an international transaction, has been requested by the applicant for all the rollback years in which the said international transaction has been undertaken by the applicant; and

(e) the application seeking rollback in Form No. 51 has been made in accordance with sub-rule (5).

(3) Irrespective of anything contained in sub-rule (2), the rollback provision shall not be provided in respect of an international transaction for a rollback year, if—

(a) the determination of arm's length price of the said international transaction for the said year has been subject matter of an appeal before the Appellate Tribunal and the Appellate Tribunal has passed an order disposing of such appeal at any time before signing of the agreement; or

(b) the application of rollback provision has the effect of reducing the total income or increasing the loss, as the case may be, of the applicant as declared in the return of income of the said year.

(4) Where the rollback provision specifies the manner in which arm's length price shall be determined in any rollback year, then such manner shall be the same as the manner which has been agreed to be provided for determination of arm's length price of the same international transaction to be undertaken in any tax year to which the agreement applies, not being a rollback year.

(5) The applicant may, if he desires to enter into an agreement with rollback provision, furnish along with the application, the request for the same in Form No. 51 with proof of payment of an additional fee of ₹ 500000.

112. Amendments to application.— (1) An applicant may request in writing for an amendment to an application at any stage, before the finalisation of the terms of the agreement.

(2) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) (for unilateral agreement) or the competent authority of India (for bilateral or multilateral agreement) may, allow the amendment to the application, if such an amendment does not have effect of altering the nature of the application as originally filed.

113. Furnishing of annual compliance report.— (1) The assessee shall furnish an annual compliance report to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) for each year covered in the agreement.

(2) The annual compliance report shall be in Form No. 52.

(3) The assessee shall file the annual compliance report for each year covered in the agreement, within thirty days of the due date of filing the income-tax return for that year, or within ninety days of entering into an agreement, whichever is later and send it to Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation).

(4) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) shall send one copy of annual compliance report to the competent authority of India, one copy to the Commissioner of Income-tax who has the jurisdiction over the income-tax assessment of the assessee and one copy to the Transfer Pricing Officer having the jurisdiction over the assessee.

114. Compliance audit of agreement.— (1) The Transfer Pricing Officer in respect of arms' length price and having the jurisdiction over the assessee shall carry out the compliance audit of the agreement for each of the year covered in the agreement.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Transfer Pricing Officer may require—

(a) the assessee to substantiate compliance with the terms of the agreement, including satisfaction of the critical assumptions, correctness of the supporting data or information and consistency of the application of the transfer pricing method; and

(b) the assessee to submit any information, or document, to establish that the terms of the agreement has been complied with.

(3) The Transfer Pricing Officer shall submit the compliance audit report, for each year covered in the agreement, to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) in case of unilateral agreement and to the competent authority of India, in case of bilateral or multilateral agreement, mentioning therein his findings as regards compliance by the assessee with terms of the agreement.

(4) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) shall forward the report to the Board, where there is finding of failure on part of assessee to comply with terms of agreement and cancellation of the agreement is required.

(5) The compliance audit report shall be furnished by the Transfer Pricing Officer within six months from the end of the month in which the Annual Compliance Report referred to in rule 113 is received by such officers.

(6) The regular audit of the covered transactions shall not be undertaken by the Transfer Pricing Officer, if an agreement has been entered into under rule 109, except where the agreement has been cancelled under rule 116.

115. Revision of an agreement.— (1) An agreement, subsequent to it having been entered into, may be revised by the Board, if, —

(a) there is a change in critical assumptions or failure to meet a condition subject to which the agreement has been entered into; or

(b) there is a change in law that modifies any matter covered by the agreement but is not of the nature which renders the agreement to be non-binding; or

(c) there is a request from competent authority of the other country requesting revision of agreement, in case of bilateral or multilateral agreement.

(2) An agreement may be revised by the Board, either *suo motu*, or on request of the assessee, or the competent authority of India, or the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation).

(3) Except when the agreement is proposed to be revised on the request of the assessee, the agreement shall not be revised unless an opportunity of being heard has been provided to the assessee and the assessee is in agreement with the proposed revision.

(4) In case the assessee is not in agreement with the proposed revision, the agreement may be cancelled in accordance with rule 116.

(5) In case the Board is not in agreement with the request of the assessee for revision of the agreement, the Board shall reject the request in writing giving reason for such rejection.

(6) For the purpose of arriving at the agreement for the proposed revision, the procedure provided in rule 109 may be followed, so far as they apply.

(7) The revised agreement shall include the date till which the original agreement is to apply and the date from which the revised agreement is to apply.

116. Cancellation of an agreement.— (1) An agreement shall be cancelled by the Board for any of the following reasons:

(a) the compliance audit referred to in rule 114 has resulted in the finding of failure on the part of the assessee to comply with the terms of the agreement; or

(b) the assessee has failed to file the annual compliance report in time; or

(c) the annual compliance report furnished by the assessee contains material errors; or

(d) the agreement is to be cancelled under rule 115(4) or rule 117(7).

(2) The Board shall give a reasonable opportunity of being heard to the assessee, before proceeding to cancel an application.

(3) The competent authority of India shall communicate with the competent authority of the other country or countries and provide reason for the proposed cancellation of the agreement in case of bilateral or multilateral agreement.

(4) The order of cancellation of the agreement shall be in writing and shall provide reasons for cancellation and for non-acceptance of submission of the assessee, if any.

(5) The order of cancellation shall also specify the effective date of cancellation of the agreement, where applicable.

(6) The order under section 168(7), declaring the agreement as *void ab initio*, on account of fraud or misrepresentation of facts, shall be in writing and shall provide reason for such declaration and for non-acceptance of submission of the assessee, if any.

(7) The order of cancellation shall be intimated to the Assessing Officer and the Transfer Pricing Officer, having jurisdiction over the assessee.

117. Procedure for giving effect to rollback provision of an Agreement.— (1) The effect to the rollback provisions of an agreement shall be given in accordance with this rule.

(2) The applicant shall furnish modified return of income referred to in section 169 in respect of a rollback year to which the agreement applies along with the proof of payment of any additional tax arising as a consequence of and computed in accordance with the rollback provision.

(3) The modified return referred to in sub-rule (2) shall be furnished along with the modified return to be furnished in respect of first of the tax years for which the agreement has been requested for in the application.

(4) If any appeal filed by the applicant is pending before the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or the High Court for a rollback year, on the issue which is the subject matter of the rollback provision for that year, the said appeal to the extent of the subject covered under the agreement shall be withdrawn by the applicant before furnishing the modified return for the said year.

(5) If any appeal filed by the Assessing Officer or the Commissioner is pending before the Appellate Tribunal or the High Court for a rollback year, on an issue which is subject matter of the rollback provision for that year, the said appeal to the extent of the subject covered under the agreement shall be withdrawn by the Assessing Officer or the Commissioner, as the case may be, within three months of filing of modified return by the applicant.

(6) The applicant, the Assessing Officer or the Commissioner, shall inform the Dispute Resolution Panel, or the Commissioner (Appeals), or the Appellate Tribunal, or the High Court, as the case may be, the fact of an agreement containing rollback provision having been entered into along with a copy of the same as soon as it is practicable to do so.

(7) In case effect cannot be given to the rollback provision of an agreement in accordance with this rule, for any rollback year to which it applies, on account of failure on the part of applicant, the agreement shall be cancelled.

118. Relief in tax payable under section 206(1) due to operation of section 206(1)(i).— (1) For the purposes of section 206(1)(i), the tax payable by the assessee company under section 206(1), for the tax year referred to in that section, shall be reduced by the following amount, namely: —

(A-B) - (C-D),
Where, —

A = tax payable by the assessee company under section 206(1) on the book profit of the tax year including the past income and where there is no tax payable, the value shall be taken as zero;
B = tax payable by the assessee company under section 206(1) on the book profit of the tax year excluding the past income and where there is no tax payable, the value shall be taken as zero;
C = aggregate of tax payable by the assessee company under section 206(1) on the book profit of past year or years, referred to in item D, after increasing the book profit with the relevant past income of such year or years and where there is no tax payable, the value shall be taken as zero; and
D = aggregate of tax payable by the assessee company under section 206(1) on the book profit of those past year or years to which the past income belongs and where there is no tax payable, the value shall be taken as zero.

(2) If the value of (A-B) - (C-D) is negative, its value shall be deemed to be zero.

(3) For the purposes of sub-rule (1) past income shall be the amount of income of past year or years included in the book profit of the tax year on account of an advance pricing agreement entered into by the assessee under section 168 or on account of secondary adjustment required to be made under section 170.

(4) On application of provision of sub-rule (1), the tax credit allowed to the assessee under section 206(1)(m) shall be reduced by the amount allowed under sub-rule (1).

(5) A claim for relief under section 206(1)(i) shall be made by an assessee company in Form No. 53 by uploading signed printout of said Form in the manner specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, and which shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of the assessee company under section 265.

119. Renewing an agreement.— Request for renewal of an agreement may be made as a new application in Form No. 54 for agreement, using the same procedure as outlined in these rules except pre-filing consultation as referred to in rule 105.

120. Miscellaneous.— (1) Mere filing of an application for an agreement under these rules shall not prevent the operation of Chapter X of the Act for determination of arms' length price under that Chapter till the agreement is entered into.

(2) The negotiation between the competent authority of India and the competent authority of the other country or countries, in case of bilateral or multilateral agreement, shall be carried out in accordance with the provisions of the tax treaty between India and the other country or countries.

121. Application seeking to give effect to terms of any agreement under section 533(2)(p) and procedure for giving effect to decision under agreement.— (1) Where an assessee, who is a resident of India, is aggrieved by any action of the tax authorities of any country or specified territory outside India which, according to him, is not in accordance with the terms of agreement with such other country or specified territory, he may make an application to the competent authority of India seeking to invoke the mutual agreement procedure, if provided in such agreement, in Form No. 55.

(2) Where a reference has been received from the competent authority of any country or specified territory outside India under any agreement with that country or specified territory with regard to any action taken by any income-tax authority in India or by the tax authorities of such country or specified territory, the competent authority of India shall communicate its acceptance or non-acceptance for taking up the reference under mutual agreement procedure to the competent authority of the other country or specified territory.

(3) The competent authority of India shall, on issues contained in Form No. 55 or in the reference from the competent authority of a country or specified territory outside India, —

(a) call for the relevant records and additional document from the income-tax authorities or the assessee or his authorised representative in India; or

(b) have a discussion with such authorities or assessee or representative, to understand the actions taken by the income-tax authorities in India or outside that are not in accordance with the terms of the agreements between India and the other country or specified territory.

(4) The competent authority of India shall endeavour to arrive at a mutually agreeable resolution of the tax disputes, arising from such actions of the income-tax authorities, in accordance with the agreement between India and the other country or specified territory within an average time period of twenty-four months.

(5) In case the mutual agreement procedure is invoked on account of action taken by any income-tax authority in India, the resolution arrived at under sub-rule (4) in a tax year shall not result in decreasing the income or increasing the loss, as the case may be, of the assessee in India, as declared by him in the return of income of the said year.

(6) If a resolution is arrived at under sub-rule (4) between the competent authority of India and that of the other country or specified territory, the same shall be communicated in writing to the assessee.

(7) The assessee shall communicate his acceptance or non-acceptance of the resolution in writing to the competent authority of India within one month from the end of the month in which communication has been received under sub-rule (6).

(8) The acceptance of the resolution by the assessee shall be accompanied by proof of withdrawal of appeal, if any, pending on the issues that were the subject matter of the resolution arrived at under sub-rule (4).

(9) On receipt of acceptance under sub-rule (7), the competent authority of India shall communicate the resolution arrived at under sub-rule (4) and the acceptance by the assessee along with proof of withdrawal of appeal, if any, submitted by the assessee under sub-rule (8), to the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner, as the case may be, who in turn shall forward it to the Assessing Officer.

(10) On receipt of communication under sub-rule (9), the Assessing Officer shall give effect to the resolution arrived at under sub-rule (4), by an order in writing, within one month from the end of the month in which the communication was received by him and intimate the assessee about the tax payable determined by him, if any.

(11) The assessee shall pay the tax as determined under sub-rule (10) within the time allowed by the Assessing Officer and shall submit the proof of payment of taxes to the Assessing Officer, who shall then proceed to withdraw the pending appeal, if any, pertaining to subject matter of the resolution under sub-rule (4), which was filed by the Assessing Officer or the Principal Commissioner or Commissioner or any other income-tax authority.

(12) A copy of the order under sub-rule (10), shall be sent to the competent authority of India and to the assessee.

(13) The amount of tax, interest or penalty already determined shall be adjusted in accordance with the resolution arrived at under sub-rule (4) and in the manner provided under the Act or the rules made thereunder to the extent that such manner is not contrary to the resolution arrived at.

(14) For the purposes of this rule, the "competent authority of India" means an officer authorised by the Central Government for the purposes of discharging the functions as provided under this rule.

122. Procedure to deal with requests for bilateral or multilateral advance pricing agreements.— (1) Where a person has made request for a bilateral or multilateral advance pricing agreement in an application filed in Form No. 51 in accordance with rule 106, the request shall be dealt with subject to provisions of this rule.

(2) The process for bilateral or multilateral advance pricing agreement shall commence only if the associated enterprise located outside India has initiated process of advance pricing agreement with the competent authority of the other country.

(3) On intimation of request of the applicant for a bilateral or multilateral agreement, the competent authority of India shall consult and ascertain willingness of the competent authority of other country or countries, as the case may be, for initiation of negotiation for this purpose.

(4) In case of willingness of the competent authority of other country or countries, as the case may be, the competent authority of India shall enter into negotiation in this behalf and endeavour to reach mutually acceptable terms with the competent authority of the other country or countries, as the case may be.

(5) Upon reaching an agreement after consultation, the competent authority of India shall formalise a mutual agreement procedure arrangement with the competent authority of other country or countries, as the case may be, and intimate the same to the applicant.

(6) In case of failure to reach agreement on mutually acceptable terms as mentioned in sub-rule (4), the applicant shall be informed of the same.

(7) The applicant shall not be entitled to be part of discussion between competent authority of India and the competent authority of the other country or countries, as the case may be, but the applicant may communicate or meet the competent authority of India for the purpose of entering into an advance pricing agreement.

(8) The applicant shall convey acceptance or otherwise of the agreement within one month from the end of the month in which communication has been received.

(9) If the applicant does not accept the agreement, it may, —

(a) continue the advance pricing agreement process without the benefit of the mutual agreement procedure; or

(b) withdraw the application in accordance with rule 107.

123. Maintenance and furnishing of information and document by constituent entity of an international group under section 171.— (1) Every person, being a constituent entity of an international group shall, —

(a) if the consolidated group revenue of the international group, of which such person is a constituent entity, as reflected in the consolidated financial statement of the international group for the accounting year, exceeds five hundred crore rupees; and

(b) the aggregate value of international transactions, —

(i) during the accounting year, as per the books of account, exceeds fifty crore rupees; or

(ii) in respect of purchase, sale, transfer, lease or use of intangible property during the accounting year, as per the books of account, exceeds ten crore rupees,

keep and maintain the following information and documents of the international group: —

(A) a list of all entities of the international group along with their addresses;

(B) a chart depicting the legal status of the constituent entity and ownership structure of the entire international group;

(C) a description of the business of international group during the accounting year including —

(I) the nature of the business or businesses;

(II) the important drivers of profits of such business or businesses;

(III) a description of the supply chain for the five largest products or services of the international group in terms of revenue and any other products including services amounting to more than **5%** of consolidated group revenue;

(IV) a list and brief description of important service arrangements made among members of the international group, other than those for research and development services;

(V) a description of the capabilities of the main service providers within the international group;

(VI) details about the transfer pricing policies for allocating service costs and determining prices to be paid for intra-group services;

(VII) a list and description of the major geographical markets for the products and services offered by the international group;

(VIII) a description of the functions performed, assets employed and risks assumed by the constituent entities of the international group that contribute at least 10% of the revenues or assets or profits of such group; and

(IX) a description of the important business restructuring transactions, acquisitions and divestments;

(D) a description of the overall strategy of the international group for the development, ownership and exploitation of intangible property including location of principal research and development facilities and their management;

(E) a list of all entities of the international group engaged in development and management of intangible property along with their addresses;

(F) a list of all the important intangible property or groups of intangible property owned by the international group along with the names and addresses of the group entities that legally own such intangible property;

(G) a list and brief description of important agreements among members of the international group related to intangible property, including cost contribution arrangements, principal research service agreements and license agreements;

(H) a detailed description of the transfer pricing policies of the international group related to research and development and intangible property;

(I) a description of important transfers of interest in intangible property, if any, among entities of the international group, including the name and address of the selling and buying entities and the compensation paid for such transfers;

(J) a detailed description of the financing arrangements of the international group, including the names and addresses of the top ten unrelated lenders;

(K) a list of group entities that provide central financing functions, including their place of operation and of effective management;

(L) a detailed description of the transfer pricing policies of the international group related to financing arrangements among group entities;

(M) a copy of the annual consolidated financial statement of the international group; and

(N) a list and brief description of the existing unilateral advance pricing agreements and other tax rulings in respect of the international group for allocation of income among countries.

(2) The information and document specified in sub-rule (1) shall be furnished to the Joint Director referred to in rule 124(1), in Form No. 56, on or before the due date for furnishing the return of income as specified under section 263(1)(c).

(3) The constituent entity shall furnish Part A of Form No. 56 even if the conditions specified in sub-rule (1) are not satisfied.

(4) Where there are more than one constituent entities of an international group required to file the information and document in sub-rule (2), then Form No. 56 may be furnished by any one constituent entity, if, —

(a) the international group has designated such entity for this purpose; and

(b) the information has been conveyed in Form No. 57 to the Joint Director referred to in rule 124(1) in this behalf, thirty days before the due date of furnishing the Form No. 56.

(5) The information and documents specified in sub-rule (1) shall be kept and maintained for a period of nine years from the end of the relevant tax year.

(6) The rate of exchange for the calculation of the value in rupees of the consolidated group revenue in foreign currency shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency on the last day of the accounting year.

(7) In this rule, —

(a) the expressions "accounting year", "consolidated financial statement" and "international group" shall have the meanings respectively assigned to them in section 511(10); and

(b) "telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned in rule 207.

124. Furnishing of report in respect of an international group under section 511.— (1) The income-tax authority for the purposes of section 511 shall be the Joint Director, as may be designated by the Director General of Income-tax (Systems).

(2) The notification under section 511(1) shall be made in Form No. 58 two months prior to the due date for furnishing of report as specified under sub-section (2) of the said section.

(3) Every parent entity or the alternate reporting entity, as the case may be, resident in India, shall, for every reporting accounting year, furnish the report referred to in section 511(2) in Form No. 59.

(4) The period for furnishing of the report under section 511(4) by the constituent entity, referred to in that sub-section shall be twelve months from the end of the reporting accounting year.

(5) In case the parent entity of the constituent entity is resident of a country or territory, where, there has been a systemic failure of the country or territory and the said failure has been intimated to such constituent entity, the period

for submission of the report shall be six months from the end of the month in which said systemic failure has been intimated.

(6) The information required to be conveyed under section 511(5) regarding the designated constituent entity shall be furnished in Form No. 60.

(7) For the purposes of section 511(8), the total consolidated group revenue of the international group shall be six thousand four hundred crore rupees.

(8) Where the total consolidated group revenue of the international group, as reflected in the consolidated financial statement, is in foreign currency, the rate of exchange for the calculation of the value in rupees of such total consolidated group revenue shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency on the last day of the accounting year preceding the accounting year.

(9) Any revision or correction in the report furnished in the Form No. 59 shall be made by furnishing an intimation to the Director General of Income-tax (Systems).

(10) For the purposes of this rule, —

(a) the expressions "accounting year", "consolidated financial statement" and "international group" shall have the meanings respectively assigned to them in section 511(10); and

(b) "telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned in rule 207.

125. Furnishing of authorisation and maintenance of documents, etc. for the purposes of section 176.— (1) For the purposes of section 176(3)(a), the authorisation to be submitted by the assessee, shall be in Form No. 61.

(2) The assessee shall cause the first copy of the filled up Form No. 61 to be deposited with or transmitted to the financial institution referred in section 176(3)(a).

(3) The second copy of the filled up Form No. 61 along with the evidence of the first copy of said form having been deposited or transmitted to the financial institution shall be submitted by the assessee to the Assessing Officer having jurisdiction over him.

(4) For the purposes of ensuring that the authorisation in Form No. 61 is legally enforceable, the assessee shall take all necessary steps as are required under any law in force in India or outside India.

(5) For the purposes of section 176(3)(b), the assessee who has entered into a transaction with a person located in a notified jurisdictional area (herein referred to as the specified person) shall, in addition to information and documents referred to in rule 84(1), keep and maintain the following information and documents, namely: —

(a) a description of the ownership structure of the specified person, including name and address of individuals or other entities, whether located in the notified jurisdictional area or outside, having directly or indirectly more than 10% shareholding or ownership interests;

(b) a profile of the multinational group of which the specified person is a part along with the name, address, legal status and country of tax residence of each of the enterprises comprised in the group with whom the assessee has entered into a transaction, and ownership linkage among them;

(c) a broad description of the business of the specified person and the industry it operates in;

(d) any other information, data or document, which may be relevant for the transaction with the specified person.

(6) The information and documents specified in sub-rule (5) shall be for the period upto the due date of filing of return of income under section 263(1)

(7) The information and documents specified in sub-rule (5) shall be kept and maintained for a period of eight years from the end of the financial year succeeding the relevant tax year.

126. Conditions and activities for finance company located in any International Financial Services Centre for section 177.— (1) For the purposes of section 177(7)(b), the finance company located in any International Financial Services Centre shall only carry out one or more of the following activities, namely: —

(a) lending in the form of loans, commitments and guarantees, credit enhancement, securitisation, or financial lease; or

(b) factoring and forfaiting of receivables; or

(c) functions of Global or Regional Corporate Treasury Centre such as borrowings, lending, hedging of currency or commodity risk or investments, cash management, structured credit, intra group financing, financial budgeting and similar other such treasury services and activities.

(2) The interest being paid by such finance company, being the borrower, in respect of any debt issued by a non-resident, shall be in foreign currency.

(3) For the purposes of this rule, —

(a) "finance company" means a finance company as defined in regulation 2(1)(e) of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); and

(b) "International Financial Services Centre" shall have the meaning as assigned to it in section 2(q) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

127. Determination of consequences of impermissible avoidance arrangement.— For the purposes of section 181, where a part of an arrangement is declared to be an impermissible avoidance arrangement, the consequences in relation to tax shall be determined with reference to such part only.

128. Chapter XI relating to General Anti Avoidance Rule not to apply in certain cases.— (1) The provisions of Chapter XI shall not apply to —

(a) an arrangement, where the aggregate tax benefit in the relevant tax year, to all the parties to the arrangement does not exceed a sum of three crore rupees;

(b) a Foreign Institutional Investor, —

(i) who is an assessee under the Act;

(ii) who has not taken benefit of an agreement referred to in section 159; and

(iii) who has invested in listed securities, or unlisted securities, with the prior permission of the competent authority, in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), in relation to such investments;

(c) a person, being a non-resident, in relation to investment made by him by way of offshore derivative instruments or otherwise, directly or indirectly, in a Foreign Institutional Investor;

(d) any income accruing or arising to, or deemed to accrue or arise to, or received or deemed to be received by, any person from transfer of investments made before the 1st April, 2017 by such person.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1)(d), the provisions of Chapter XI shall apply to any arrangement, irrespective of the date on which it has been entered into, in respect of the tax benefit obtained from the arrangement on or after the 1st April, 2017.

(3) For the purposes of this rule, —

(a) "Foreign Institutional Investor" shall have the meaning assigned to it in the section 210(6)(a);

(b) "offshore derivative instrument" shall have the same meaning as assigned to it in the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(c) "Securities and Exchange Board of India" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(d) "tax benefit", as defined in section 184(11) and computed in accordance with Chapter XI, shall be with reference to—

(i) section 184(11)(a) to (e), the amount of tax; and

(ii) section 184(11)(f), the tax that would have been chargeable had the increase in loss referred to therein been the total income.

129. Notice and Forms for reference under section 274.— (1) For the purposes of section 274(1), before making a reference to the Commissioner, the Assessing Officer shall issue a notice to the assessee seeking objections, if any, as to the applicability of provisions of Chapter XI in his case.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall contain the following: —

(a) details of the arrangement to which the provisions of Chapter XI are proposed to be applied;

(b) the tax benefit arising under the arrangement;

(c) the basis and reason for considering that the main purpose of the identified arrangement is to obtain tax benefit;

(d) the basis and the reasons why the arrangement satisfies the conditions in section 179(1)(a) to (d); and

(e) the list of documents and evidence relied upon in respect of clauses (c) and (d).

(3) The reference by the Assessing Officer to the Commissioner under section 274(1) shall be in Form No. 62.

(4) Where the Commissioner is satisfied that the provisions of Chapter XI are not required to be invoked with reference to an arrangement, he shall record his satisfaction regarding the applicability of the provisions of Chapter XI in Form No. 63 and issue directions to the Assessing Officer in Form No. 63, after considering –

(a) the reference received from the Assessing Officer under section 274(1); or

(b) the reply of the assessee in response to the notice issued under section 274(2).

(5) The Commissioner, before making a reference to the Approving Panel under section 274(4), shall, —

(a) record his satisfaction regarding the applicability of the provisions of Chapter XI in Form No. 64; and

(b) seek specific factual report in writing from the International Financial Service Centre Authority, where the assessee is an entity located in an International Financial Service Centre.

(6) The Commissioner or Principal Commissioner shall make a reference under section 274(4) to an Approving panel in Form No. 64 with such other documents as deemed fit, with all being submitted in four sets, either in Hindi or English.

130. Time limits.— (1) For the purposes of section 274, the Commissioner shall—

(a) not issue directions under section 274(3) after the expiry of one month from the end of the month in which the date of compliance of the notice issued under section 274(2) falls;

(b) not make any reference to the Approving Panel under section 274(4) after the expiry of two months from the end of the month in which the final submission of the assessee in response to the notice issued under section 274(2) is received;

(c) issue directions to the Assessing Officer in Form No. 63, —

(i) in the case referred to rule 129(4)(a), within a period of one month from the end of month in which the reference is received by him; and

(ii) in the case referred to in rule 129(4)(b), within a period of two months from the end of month in which the final submission of the assessee in response to the notice issued under section 274(2) is received by him.

131. Procedure before Approving Panel.— (1) Upon receipt of reference under rule 129, the Chairperson of the Approving Panel shall cause, —

(a) the reference to be circulated among the other members within seven days from the date of receipt of such reference; and

(b) a notice to be issued to both the Assessing Officer and the assessee, affording a reasonable opportunity of being heard, specifying therein the date and place of hearing.

(2) The meetings of the Approving Panel shall take place at such place as the Approving Panel may decide.

132. Remuneration.— (1) For attending the meeting of an Approving Panel, the Chairperson and other members of the said Panel shall be entitled to —

(a) a sitting fee of ₹ 6000 per day; and

(b) travelling allowances including transportation charges for local travel and daily allowances (including accommodation) as admissible to an officer of the rank of Secretary to the Government of India.

(2) The expenditure of an Approving Panel shall be met from the budgetary grants of the Department of Revenue in the Ministry of Finance of the Central Government.

133. Modes of payment for the purpose of section 187. — Every person, carrying on business or profession, if his total sales, turnover or gross receipts, as the case may be, in business or profession exceeds fifty crore rupees during the immediately preceding tax year shall provide facility for accepting payment through the following electronic modes, in addition to the facility for other electronic modes of payment, if any, being provided by such person:—

(i) Debit Card powered by RuPay;
(ii)Unified Payments Interface (UPI) (BHIM-UPI);
(iii)Unified Payments Interface Quick Response Code (UPI QR Code) (BHIM-UPI QR Code); and
(iv)Tier-III: Full KYC Central Bank Digital Currency wallets, P-CBDC, Wholesale or Cross-border CBDC.

134. Exercise of option for taxation of royalty income from patent under section 194(1)[Table: Sl. No. 2].– (1) For the purpose of exercising the option for taxation of income as royalty in respect of a patent developed and registered in India, by an eligible assessee under section 194(1)[Table: Sl. No. 2], the eligible assessee shall furnish Form No. 65.
(2) The form referred to in sub-rule (1) shall be furnished on or before the due date specified in section 263(1)(c) for filing the return of income for the relevant tax year, if the option is exercised for that tax year.

135. Calculation of net winnings from online games for purpose of section 194(1)[Table: Sl. No. 5].– (1) Net winnings from online games during the tax year, for the purposes of section 194(1)[Table: Sl. No. 5], shall be calculated using the following formula:—

Net winnings = (A+D) - (B+C)

Where,—
A = aggregate amount withdrawn from the user account during the tax year;
B = aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the assessee during the tax year;
C = opening balance of the user account at the beginning of the tax year; and
D = closing balance of the user account at the end of the tax year.

(2) Net winnings comprised in the first withdrawal during the tax year, for the purposes of section 393(3)[Table: Sl. No. 2], shall be calculated using the following formula,:—

Net winnings = A - (B+C)

Where,—
A = amount withdrawn from the user account;
B = aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the tax year, till the time of such withdrawal; and
C = opening balance of the user account at the beginning of the tax year.

(3) Net winnings in the formula given in sub-rule (2) shall be zero, if the sum of amounts B and C is equal to or greater than the amount A.

(4) Net winnings comprised in each subsequent withdrawal during the tax year, for the purposes of section 393(3)[Table: Sl. No. 2], shall be calculated using the following formula:—

Net winnings = A - (B+C+E)

Where,—

A = aggregate amount withdrawn from the user account during the tax year till the time of subsequent withdrawal including the amount of such subsequent withdrawal;

B = aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the tax year, till the time of such subsequent withdrawal;

C = opening balance of the user account at the beginning of the tax year; and

E = net winnings comprised in the earlier withdrawal or withdrawals computed under sub-rule (2), or under this sub-rule, during the tax year till the time of subsequent withdrawal, if tax has been deducted in accordance with the provisions of section 393(3)[Table: Sl. No. 2] on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals.

(5) Net winnings in the formula given in sub-rule (4) shall be zero, if the sum of amounts B, C and E is equal to or greater than the amount A.

(6) Net winnings comprised in the user account at the end of the tax year, for the purposes of section 393(3)[Table: Sl. No. 2], shall be calculated using the following formula:—

Net winnings = (A+D) - (B+C+E)

Where,—

A = aggregate amount withdrawn from the user account during the tax year;

B = aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the tax year;

C = opening balance of the user account at the beginning of the tax year;

D = closing balance of the user account at the end of the tax year; and

E = net winnings comprised in the earlier withdrawal or withdrawals computed under sub-rule (2) or (4), during the tax year, if tax has been deducted in accordance with the provisions of section 393(3)[Table: Sl. No. 2)] on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals.

(7) Net winnings in the formula given in sub-rule (6) shall be zero, if the sum of amounts B, C and E is equal to or greater than the sum of amount A and D.

(8) For the purposes of this rule,—

(a) "non-taxable deposit" means the amount deposited by the user in his user account and which is not taxable;

(b) "taxable deposit" means any amount deposited in the user account, which is not a non-taxable deposit and includes any amount paid directly to the user not through the user account; and

(c) "withdrawal" means any amount withdrawn by the user from any user account.

(9) For the removal of doubts, it is hereby clarified that—

(a) the user account shall include every account of user, by whatever name called, which is registered with the online gaming intermediary and where any taxable deposit, non-taxable deposit or the winnings made by the user is credited and withdrawal by the user is debited;

(b) whenever there is payment to the user in kind or in cash, or partly in kind and partly in cash, which is not from the user account, the provisions of this rule shall apply to calculate net winnings by deeming that the money equivalent to such payment has been deposited as taxable deposit in the user account and the equivalent amount has been withdrawn from the user account at the same time and shall accordingly be included in amount A;

(c) whenever there are multiple user accounts of the same user, each user account shall be considered for the purposes of calculating net winnings and the deposit, withdrawal or balance in the user account shall mean the aggregate of deposit, withdrawal or balance in all user accounts respectively;

(d) whenever there are multiple user accounts of the same user, transfer from one user account to another user account, maintained with the same online gaming intermediary, of the same user shall not be considered as withdrawal or deposit, as the case may be, for the purposes of deducting tax under section 393(3)[Table: Sl. No. 2];

(e) whenever there is taxable deposit in the form of bonus, referral bonus, incentives, promotional money or discount, by whatever name called, and such deposit can only be used for playing the online games and not

for withdrawal or any other purposes, such deposit shall be ignored for the purposes of calculation of net winnings and shall not be included in amount B or C or D; and

(f) whenever any bonus, referral bonus, incentives, promotional money or discount, by whatever name called, is not considered as part of amount B or C or D under clause (e) and subsequently they are recharacterised and allowed to be withdrawn, they shall be deemed as taxable deposit at the time of such recharacterisation and it shall be deemed that the equivalent amount has been deposited in the user account at that time.

136. Exercise or withdrawal of option for new tax regime.— The option to be exercised or withdrawn under the provisions specified in column B of the following Table, by a person specified in column C thereof, for any tax year shall be in the return of income to be furnished under section 263(1) for such tax year:

Table

Sl. No.	Section	Person
A	B	C
1.	199(3)	Manufacturing domestic company.
2.	200(5)	Domestic company.
3.	201(2)	New manufacturing domestic company.
4.	202(4)	Individual or Hindu undivided family, or an association of persons (other than a co-operative society) or a body of individuals, whether incorporated or not, or an artificial juridical person.
5.	203(5)	Resident co-operative society.
6.	204(2)	New manufacturing co-operative society.

137. Form of report for computation of book profit of companies.– The report of an accountant as defined under section 515(3)(b), which is required to be furnished by the assessee under section 206(1)(s) shall be made in Form No. 66.

138. Form of report for computation of adjusted total income by certain persons other than a company.–The report of an accountant as defined under section 515(3)(b), which is required to be furnished by the assessee under section 206(2)(j), shall be made in Form No. 67.

139. Computation of exempt income of specified fund attributable to units held by non-resident under Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] to Act.— (1) For the purposes of Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] to the Act, exempt income of specified fund attributable to units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) shall be computed in accordance with the following formula: —

$$(A \times r1) + (B \times r2) + (C \times r3) + (D \times r4)$$

Where, —

A = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund as a result of transfer of capital asset referred to in section 70(1)(r), on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange, as referred to in Schedule VI [Table: Sl. No. 1] to the Act;

B = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund as a result of transfer of securities (other than shares in a company resident in India), as referred to in Schedule VI [Table: Sl. No. 2] to the Act;

C = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund from securities issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India, as referred to in Schedule VI [Table: Sl. No. 3] to the Act;

D = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession", as referred to in Schedule VI [Table: Sl. No. 4] to the Act;

r1 = ratio of the aggregate of daily assets under management of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the aggregate of daily total assets under management of the specified fund, from the date of acquisition of the capital asset referred to in section 70(1)(r) to the date of transfer of such capital asset;

r2 = ratio of the aggregate of daily assets under management of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the aggregate of daily total assets under management of the specified fund, from the date of acquisition of the security (other than shares in a company resident in India) to the date of transfer of such security;

r3 = ratio of the assets under management in the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the total asset under management of the specified fund, as on the date of receipt of such income from securities issued by a non- resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India; and

r4 = ratio of the assets under management in the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the total assets under management of the specified fund, as on the date of receipt of such income from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession".

(2) The specified fund shall furnish an annual statement of exempt income in Form No. 68 electronically under digital signature on or before the due date specified under section 263(1)(c) and duly verified in the manner indicated therein.

(3) The income attributable to units held by a non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) in a specified fund shall not be exempt under section 11(1) read with Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] to the Act unless the specified fund complies with sub-rule (2).

(4) For the purposes of this rule, —

(a) "assets under management" means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date;

(b) "International Financial Service Centre" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(q) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and

(c) the expressions "permanent establishment", "securities", "specified fund" and "unit" shall have the meanings respectively assigned to them in Note 1 below Schedule VI of the Act.

140. Determination of income of a specified fund attributable to units held by non-residents under section 210(2).– (1) For the purposes of section 210(2), the income of a specified fund by way of short-term or long-term capital gains, referred to in section 210(1) [Table: Sl. Nos. 2 to 5], that is attributable to the units held by a non-resident (other than the permanent establishment of a non-resident in India), shall be calculated using the following formula:—

$A = B \times C$

Where,–

A = income attributable to the units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India);
B = income arising from transfer of the security; and
C = ratio of the aggregate of daily "assets under management" of the specified fund held by non- resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the aggregate of daily total

"assets under management" of the specified fund, from the date of acquisition of the security to the date of transfer of such security.

(2) For the purposes of section 210(2), the income of a specified fund by way of income received in respect of securities referred to in section 210(1)[Table: Sl. No. 1], that is attributable to the units held by **a** non-resident (other than the permanent establishment of a non-resident in India) shall be calculated using the following formula:—

$X = Y \times Z$

Where,–

X = income attributable to the units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India);
Y = income received in respect of securities; and
Z = ratio of the "assets under management" in the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the total "asset under management" of the specified fund, as on the date of receipt of such income.

(3) The specified fund shall furnish an annual statement of income eligible for concessional taxation in Form No. 69, on or before the due date specified under section 263(1)(c).

(4) The income of a specified fund referred to in section 210(1), attributable to the units held by a non-resident (other than the permanent establishment of a non-resident in India), shall not be eligible for tax rates specified in section 210 unless such fund complies with sub-rule (3).

(5) For the purpose of this rule, the expressions,—

(a) "assets under management" means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date;
(b) "permanent establishment" shall have the same meaning as assigned to it in section 173(c);
(c) "securities" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(e)] to the Act;
(d) "specified fund" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(g)(i)] to the Act; and
(e) "units" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(j)] to the Act.

141. Computation of exempt income of specified fund, attributable to investment division of an offshore banking unit under Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] to Act.— (1) For the purposes of Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] **to** the Act, exempt income of specified fund attributable to the investment division of an offshore banking unit shall be computed in accordance with the following formula: —

$A + B + C + D$

Where, —

A = any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a capital asset referred to in section 70(1)(r) held by it, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange;

B = any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of securities held by it (other than shares in a company resident in India);

C = any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division from securities held by it and issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India; and

D = any income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division from a securitisation trust, which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession".

(2) Any expenditure incurred in relation to income referred to in A or B or C or D referred to in sub-rule (1) shall not be allowed as deduction from any other income under any provision of the Act, irrespective of the fact that such expenditure has not been allowed as deduction against income referred to in the said A or B or C or D.

(3) The eligible investment division shall furnish an annual statement of exempt income in Form No. 70 electronically under digital signature on or before the due date specified under section 263(1)(c) and duly verified in the manner indicated therein.

(4) For the purposes of this rule, —

(a) "eligible investment division" means a registered investment division which fulfils the conditions specified in rule 142;

(b) "investment division of an offshore banking unit" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(b)] to the Act;

(c) "securities" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note (1)(e)];

(d) "specified date", in relation to the accounts of the registered investment division of any tax year, means a date one month prior to the due date specified under section 263(1)(c) for the said tax year; and

(e) "specified fund" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note (1)(g)] to the Act.

142. Conditions referred to in Schedule VI [Note 1(g)(ii)(B)] to Act required to be fulfilled by an investment division of an offshore banking unit.— (1) For the purposes of Schedule VI [Note 1(g)(ii)(B)] **to the Act**, an investment division of an offshore banking unit shall fulfil the following conditions: —

(a) it shall maintain separate accounts for the registered investment division reflecting the true and fair accounts of all transactions relating to the investment division and which shall ensure that direct and indirect expenses relating to the incomes referred to in rule 141 and other incomes, are properly recorded, accounted for and apportioned thereto;

(b) it shall get the accounts referred to in clause (a), audited by an accountant before the specified date and such accountant shall furnish by that date the report of such audit in Form No. 71, electronically under digital signature, and duly verified in the manner indicated therein;

(c) it shall maintain proper documentation in respect of —

(i) inbound remittance for buying and selling the investments; and

(ii) the use of inward remittance made to India;

(d) it shall maintain bank statement of all accounts of the registered investment division;

(e) it shall maintain contract notes relating to purchase and sale of securities by the registered investment division; and

(f) it shall maintain a statement of securities issued by the custodian.

(2) The income of a specified fund attributable to an eligible investment division shall not be exempt under section 11(1) read with Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] to the Act unless it complies with sub-rule (1)(b) and rule 141(3).

(3) For the purposes of this rule, —

(a) "accountant" shall have the meaning assigned to it in section 515(3)(b);

(b) "investment division of an offshore banking unit" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(b)] to the Act;

(c) "registered investment division" shall mean an investment division of an offshore banking unit which fulfils the condition specified in Schedule VI [Note 1(g)(ii)(A)];

(d) "securities" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note (1)(e)] to the Act; and

(e) "specified date", in relation to the accounts of the registered investment division of any tax year, means a date one month prior to the due date specified under section 263(1)(c) for the said tax year.

143. Determination of income of a specified fund attributable to investment division of an offshore banking unit under section 210(3).– (1) For the purposes of section 210(3), income of a specified fund, being the investment division of an offshore banking unit shall be computed in accordance with the following formula: —

A + B + C + D + E

Where, —

A = income from securities, held by the eligible investment division, as referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 1];
B = income by way of short-term capital gain referred to in section 210(1)[Table: Sl. No. 2], accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a security, other than that referred to in section 196, and held by such investment division;
C = income by way of short-term capital gain referred to in section 210(1)[Table: Sl. No. 3], accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of security referred to in section 196, and held by such investment division;
D = income by way of long-term capital gain referred to in section 210(1)[Table: Sl. No. 4], accrued or arisen to, or received by the eligible investment division as a result of transfer of a security, other than that referred to in section 198, and held by such investment division;
E = income by way of long-term capital gain referred to in section 210(1)[Table: Sl. No. 5], accrued or arisen to, or received by the eligible investment division, as a result of transfer of a security referred to in section 198, and held by such investment division.

(2) Any expenditure incurred in relation to income referred to in A or B or C or D or E in sub-rule (1) shall not be allowed as a deduction from any other income under any provision of the Act, even if such expenditure has not been allowed as a deduction from income referred to in the said A or B or C or D or E.
(3) The eligible investment division shall furnish an annual statement of income, eligible for taxation under section 210(3), in Form No. 70 on or before the due date specified under section 263(1)(c).
(4) The income of an eligible investment division referred to in section 210(1)[Table: Sl. Nos. 1 to 5] shall not be eligible for tax rates specified therein unless the eligible investment division meets the requirement of sub-rule (3).
(5) For the purposes of this rule,—

(a) "eligible investment division" means an investment division of an offshore banking unit which fulfils the conditions specified in Schedule VI [Note 1(g)(ii)(A) and (B)] to the Act;
(b) "investment division of an offshore banking unit" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(b)] to the Act;
(c) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
(d) "specified fund" shall have the meaning assigned to it in Schedule VI [Note 1(g)(ii)] to the Act.

144. Other conditions required to be fulfilled by a specified fund as referred to in Schedule VI [Note 1(g)(i)] to Act.— (1) For the purposes of Schedule VI [Note 1(g)(i)] **to** the Act, the "other conditions" required to be fulfilled by a specified fund shall be that —

(a) the unit holder of the specified fund, other than the sponsor or manager of such fund, who becomes a resident under section 6(2) to (7) in any tax year subsequent to the tax year in which such unit or units were issued, shall cease to be a unit holder of such specified fund within a period of three months from the end of the tax year in which he becomes a resident;

(b) for the purposes of clause (a), the specified fund shall maintain the following documents in respect of its unit holders: —

(i) name of the unit holder;

(ii) tax identification number of the unit holder in the country of residence at the time the units were issued;

(iii) permanent account number, if available;

(iv) total number of units held;

(v) total value of units held;

(vi) whether unit holder is a sponsor or a manager;

(vii) the tax year in which the unit holder became resident; and

(viii) date of exit from specified fund.

(2) The specified fund shall certify that it has fulfilled the conditions under sub-rule (1) and furnish information in respect of units held by residents in the annual statement of exempt income in Form No. 68.

(3) The income attributable to units held by a non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) in a specified fund shall not be exempt under section 11(1) read with Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4] to the Act unless the specified fund complies with sub-rule (2).

(4) For the purposes of this rule, "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in Schedule VI [Note 1(g)] to the Act.

145. Statements under sections 221(4), 222(2), 223(5) and 224(9).— (1) The statement of income credited or paid or distributed by an entity as referred to in the column B of the following Table shall be furnished by the person responsible for crediting or paying or distributing such income on behalf of such entity to the Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax, within whose jurisdiction the principal office of such entity is situated, electronically in the Form No. mentioned in the column C, duly verified by an accountant, as defined in section 515(3)(b), in the manner indicated therein; and to the recipient of such income mentioned in column D in the Form No. mentioned in the column E of the said Table:

Table

Sl. No.	Type of entity	Form for furnishing statement to Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax	Person to whom statement is to be furnished	Form for furnishing statement to recipient of income
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Venture Capital Company or the Venture Capital Fund.	74.	The person who is liable to tax in respect of such income.	75.
2.	Business trust.	76.	Unit holder.	77.
3.	Investment fund.	79.	The person who is liable to tax in respect of such income.	78.
4.	Securitisation trust.	72.	The person who is liable to tax in respect of such income.	73.

(2) The statement to the Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax shall be furnished by the 15th June of the financial year succeeding the tax year during which the income is paid or credited or distributed and the statement to the recipient of income shall be furnished by the 30th June of the financial year succeeding the tax year during which the income is paid or credited or distributed.

(3) The statement to the recipient of income shall be furnished after generating and downloading the same from the web portal specified by the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him and duly verified by the person paying or crediting or distributing the income in the manner indicated therein.

146. Rules related to application for exercising the option for tonnage tax scheme and other matters related to it.– For the purposes of Tonnage Tax Scheme under Chapter XIII-G of the Act:—

(a) an application under section 231(1) to opt for the Tonnage Tax Scheme, or under section 231(10) for renewing the option for the Tonnage Tax Scheme, as the case may be, shall be made in Form No. 80 and shall be verified as specified therein;

(b) deemed tonnage under section 227(4)(b) in respect of an arrangement mentioned in column B of the following Table shall be computed on the basis as specified in column C thereof:

Table

Sl. No.	Arrangement	Basis of computation
A	**B**	**C**
1	Purchase of slots and slot charter	2.5 TEU = 1 Net Tonnage (1 NT), where TEU is Twenty foot Equivalent Unit (Container of this size).
2	Sharing of break-bulk vessel	(i) Where cargo is restricted by volume, 19 cubic meter (cbm) = 1 net tonnage (1 NT); and (ii)where cargo is restricted by weight, 14 metric tons = 1 net tonnage (1 NT);

(c) the incidental activities referred to in section 228 (7) shall be the following,: —

(i)maritime consultancy charges;

(ii)income from loading or unloading of cargo;

(iii)ship management fees or remuneration received for managed vessels; and

(iv)maritime education or recruitment fees;

(d) the limit for charter-in of tonnage of the qualifying ships referred to in section 232(15) to (20) during any tax year, shall be computed by dividing the total number of chartered-in ton days by the total number of ton days operated by the company; and
(e) the audit report of a qualified company, required to be furnished under section 232(21)(b) shall be in Form No. 81.

147. Publication and circulation of orders of Board under section 239(3)(a). — Any general or special order of the Board issued under section 239(3)(a), the publication and circulation of which is, in the opinion of the Board, necessary in the public interest, shall be published and circulated in one or more of the following modes :—
(a) publication of the order in the Official Gazette; or
(b) dispatching copies of the order to Chambers of Commerce and other trade or professional associations which are, for the time being, borne on the mailing list of the Board; or
(c) displaying copies of the order on the notice board of the office of every Chief Commissioner or Commissioner or Joint Commissioner and Assessing Officer; or
(d) uploading the copies of the order in the official website of the Income Tax Department and, circulation through official social media handles or other digital outreach platforms maintained by the Department.

148. Search and Seizure under section 247. — (1) The powers of search and seizure under section 247 shall be exercised in accordance with sub-rules (2) to (21).
(2) The authorisation under—

(a) section 247(1) by the approving authority, as is empowered by the Board in this behalf, or any Joint Director or Joint Commissioner, so authorised by such approving authority, shall be in Form No. 82**;**
(b) section 247(2) by a Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner, shall be in Form No. 83; and
(c) section 247(3) by a Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner, shall be in Form No. 84.

(3) Every authorisation referred to in sub-rule (2) shall be in writing under the signature of the officer issuing the authorisation and shall bear his seal.
(4) Any person in charge of or in any building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched shall, on demand by the authorised officer and on production of the authority, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.
(5) If ingress into such building or place cannot be obtained by the authorised officer, even after notification of his authority and the purpose and demand of admittance has been duly made, it shall be lawful for the authorised officer, —

(i) to enter such building or place and search therein; and
(ii) in order to effect an entrance into such building or place for search therein, to break open any outer or inner door or window of any building or place, if required, whether that of the person to be searched or of any other person,

with such assistance of police officers or of officers of the Central Government, or of both, or of any person or entity as referred to in section 247(5)(b), as may be required.
(6) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained by the authorised officer,

(a) it shall be lawful for the authorised officer to stop any such vessel or vehicle or, in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft; or
(b) even after notification of his authority and purpose and demand of admittance has been duly made, it shall be lawful for the authorised officer, in order to affect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft for search therein, to break open any outer or inner door or window of such building, place, vessel, vehicle or aircraft, whether that of the person to be searched or of any other person,

with such assistance of police officers or of officers of the Central Government or of both, or of any person or entity as referred to in section 247(5)(b), as may be required.
(7) If any building, place, vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such building, place, vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing.
(8) The authorised officer may require any person, who is the owner of or has the immediate possession or control of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle or access to computer system situate in such building, place, vessel, vehicle or aircraft, to allow access, including by opening the same, to inspect or examine its contents, or any information stored therein.

(9) Where the keys of such box, locker, safe, almirah or any other receptacle or access code to such computer system are not available or where such person fails to comply with requirement mentioned in sub-rule (8), the authorised officer may cause any action to be taken, including the breaking open of such box, locker, safe, almirah, other receptacle, or overriding the access code to such computer system, which he may consider necessary for carrying out all or any of the purposes specified in the authority issued under sub-rule (2).

(10) Any person referred to in section 247(1)(iv) may be searched by the authorised officer with such assistance as he may consider necessary for carrying out all or any of the purposes specified in the authority issued under sub-rule (2) and where such person is a woman, the search shall be made by another woman with a strict regard to decency.

(11) Before making a search, the authorised officer shall,—

(a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable persons who are inhabitants of the locality in which the building or place to be searched is situate, or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or willing to be a witness to the search; and

(b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon any two or more respectable persons,

to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(12) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under section 247, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, may be considered to have committed an offence under section 222 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(45 of 2023) and suitable proceedings can be initiated against such person.

(13) The search shall be made in the presence of the witnesses referred to in sub-rule (11) and the following shall be signed by such witnesses:-

(a) the statement made under section 247(6) by any person; and

(b) a list of all assets seized and material seized, prepared by the authorised officer,

in the course of such search.

(14) No person witnessing a search shall be required to attend as a witness of the search in any proceedings under the Act, unless specially summoned.

(15) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched (including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft or some person on his behalf), shall be permitted to attend during the search and a copy of the lists prepared under sub-rule (13) shall be delivered to such occupant or person.

(16) When any person is searched under section 247 (1) (iv), a list of all assets seized and material seized shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person.

(17) The authorised officer shall place or cause to be placed, all the assets seized and material seized during the search, except money and the books of account and documents, which are in physical form, in a package or packages, and shall list them with the details of such assets and materials seized and placed therein.

(18) Every package shall bear an identification mark and the seal of the authorised officer, and the occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft (including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft or any other person on his behalf) searched, shall also be permitted to place his seal or signature on them and a copy of the list with details of such packages, along with details of such assets and materials seized and placed therein, shall be delivered to such occupant or person.

(19) The authorised officer may convey all the assets and materials seized, including the package or packages, if any, referred to in sub-rule (17), the list of assets and materials seized and statements recorded during the search to the office of any income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer (herein referred to as the Custodian). Any money seized in the search may also be deposited with the custodian.

(20) (a) The Custodian shall take such steps, as he may consider necessary, for the safe custody of all the assets and materials which has been handed over to him under sub-rule (19).

(b) The Custodian may deposit, for safe custody, all or any of the packages, preferably, in the strong room maintained by the office of the Director General, or where strong room facility is not available, in safe deposit lockers hired by the Director General or Principal Director or Director or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner, in the State Bank of India or any of its subsidiaries or any other nationalised (or authorised) bank, for the said purpose.

(c) The strong room or safe deposit locker referred to in clause (b) shall be operated jointly by two officers nominated by the Director General.

(d) Where any money has been deposited with the Custodian, he may credit the money, or remit the money through the nearest branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India or of its subsidiaries or any authorised bank for being credited, in the Personal Deposit Account of the Director General or Principal Director or Director or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner, in the branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India or of its subsidiaries or any authorised bank, at the place where the office of such authority is situate.

(21) (a) Whenever any sealed package is required to be opened for any of the purposes of the Act, the authorised officer may, unless he is himself the Custodian, requisition the same from the Custodian and on receipt of the

requisition, such package or packages, as the case may be, shall be delivered to him by the Custodian and the authorised officer, after giving a reasonable notice to the person (from whose custody the contents of such package were seized) to be present, may break any seal and open such package in the presence of two respectable witnesses, and such person, if present.

(b) The person referred to in clause (a) shall be permitted to be present till all or any of the contents of such package are placed in a fresh package or packages and sealed in the manner specified in sub-rules (17) and (18) or delivered to such person or the Custodian, as the case may be.

(22) The Assessing Officer to whom the assets and materials seized have been handed over under section 251(1) shall have all the powers conferred on the authorised officer under sub-rules (19) and (21).

149. Procedure to requisition services under section 247(5) and to make a reference under section 247(9). — (1) Every Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or the Director General, as the case may be, may approve —

(a) any person or entity, whose services may be requisitioned for the purposes of section 247(5)(b); or

(b) the Valuation Officer, the person registered under section 514, or any person or entity or registered valuer, to whom reference may be made for the purposes of section 247(9),

on the basis of an application made by such person or entity or registered valuer, or on a reference made by Joint Director or Joint Commissioner or Additional Director or Additional Commissioner or Director or Commissioner or Principal Director or Principal Commissioner, or on his own motion.

(2) The authorised officer, as referred to in section 247(5) or (9), may requisition the services of or make a reference to one or more of the persons approved under sub-rule (1), for the purposes of section 247(5)(b) or (9).

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be made in Form No. 85.

(4) The application referred to in sub-rule (3) shall be disposed of by the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or the Director General, as the case may be, within six months from the end of the month in which such application is made thereby granting approval or rejecting the same.

(5) The Principal Chief Commissioner or Principal Director General or Chief Commissioner or Director General may, on grant of approval to a person or entity or registered valuer as provided in sub-rule (1), issue a Designated Approval Number to such person or entity or registered valuer, as the case may be.

(6) For the purposes of section 247(5) or (9), in a case where the authorised officer considers it necessary or expedient to do so, he may requisition the services of or make a reference to a person or entity or registered valuer who is not approved as per sub-rule (1), after recording reasons for the same, and within a period of thirty days of such requisition, obtain approval of the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner or the Principal Director General or the Director General, as the case may be.

(7) For the purposes of this rule, "registered valuer" means any valuer registered by or under any law in force.

(8) For the purposes of sub-rule (5) of this rule, a "Designated Approval Number" means a number so issued, having alphanumeric characters.

150. Valuation under section 247(9). — (1) For the purposes of section 247(9), the fair market value of the property shall be determined in the following manner: —

(a) the value of an immovable property, being land or building or both, shall be in accordance with the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Central Government or a State Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of such immovable property, along with the cost of construction and improvements, if any, on the date or dates on which such property is required to be valued as per the reference made under section 247(9);

(b) the value of jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art, shares or securities referred to in rule 57, shall be the value determined in the manner provided in said rule and for this purpose, the reference to the valuation date in the rules 56 and 57 shall be the date or dates on which such property is required to be valued as per the reference made under section 247(9); and

(c) the value of property, —

(i) other than those covered in clauses (a) and (b); or

(ii) where valuation as specified in the said clauses is not feasible,

shall be the price that such property would ordinarily fetch on sale in the open market on the date or dates on which such property is required to be valued as per the reference made under section 247(9).

(2) The Valuation Officer, the person registered under section 514, or any person or entity approved under section 247(9), to whom the reference for valuation has been made by the authorised officer under the provisions of section 247(9), shall submit the report of valuation in Form No. 170 to such authorised officer.

151. Requisition of books of account, etc. under section 248. — (1) The authorisation under section 248(1) by the Director General or Director or the Chief Commissioner or Commissioner shall be made in Form No. 86, shall be in writing under the signature of the officer issuing the authorisation and shall bear his seal.

(2) The officer authorised to make a requisition under section 248(1) (herein referred to as the requisitioning officer) shall make the requisition in writing to the officer or authority referred to in section 248(1)(a) or (b) or (c) (herein referred to as the delivering officer or authority) calling upon the delivering officer or authority to deliver the books of account or other documents, or assets or computer system containing information specified in the requisition to him, which shall be accompanied by a copy of the authorisation made in Form No. 86 and a copy of the requisition, along with a copy of the said authorisation, shall be forwarded to the person referred to in section 248(1)(a) or (b) or (c).

(3) (a) The delivering officer or authority shall prepare a list of books of account or other documents, or assets or computer system containing information delivered to the requisitioning officer;

(**b**) before effecting delivery of books of account or other documents, or assets or computer system containing the information so requisitioned, the delivering officer or authority shall place or cause to be placed such things, except money and the books of account and documents in physical form, in a package or packages which shall be listed with details of such things and placed therein;

(c) every package referred to in clause (b) shall bear an identification mark and seal, of the requisitioning officer or of any other income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer, on his behalf and also of the delivering officer or authority;

(d) the person referred to in section 248(1)(a) or (b) or (c), as the case may be, or any other person on his behalf shall also be permitted to place his seal or signature on the said package or packages; and

(e) a copy of the list prepared under clause (b) shall be delivered to such person and a copy thereof shall also be forwarded by the delivering officer to the approving authority.

(4) The provisions of sub-rules (19) to (22) of rule 148 and rule 152 shall, so far as may be, apply as if the things delivered to the requisitioning officer under section 248 had been seized under section 247(1) by the requisitioning officer from the custody of the person referred to in section 248(1)(a) or (b) or (c), as the case may be, and the said rules and sub-rules shall be read, as if for the words "the authorised officer" occurring therein, shall be read the words "the requisitioning officer" were substituted.

152. Release of remaining assets under section 250. — Any assets or proceeds thereof which remain after the liabilities referred to in section 250(1) are discharged, shall be forthwith made over or paid to the person, from whose custody the assets were seized, in the presence of two respectable witnesses.

153. Distraint and sale. — Where any distraint and sale of movable property are to be effected by any Assessing Officer or Tax Recovery Officer authorised for the purpose, such distraint and sale shall be made, as far as may be, in the same manner as attachment and sale of any movable property attachable by actual seizure, and the provisions of rule 225 relating to attachment and sale shall, so far as may be, apply in respect of such distraint and sale.

154. Form of information under section 254(1). — The information under section 254(1) shall be furnished in Form No. 87.

155. Disclosure of information related to assessees under section 258(2). — (1) The application to the Chief Commissioner or Commissioner under section 258(2) for information relating to an assessee in respect of any assessment made either under the Act or under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), as it existed prior to its repeal, shall be made in Form No. 88.

(2) The information under section 258(2) shall be furnished by the Chief Commissioner or Commissioner in Form No. 89.

(3) Where it is not possible for the Chief Commissioner or Commissioner to furnish the information asked for by the applicant under section 258(2) owing to the fact that the relevant assessment has not been completed, he shall inform the applicant in Form No. 90.

(4) Where the Chief Commissioner or Commissioner are satisfied that it is not in the public interest to give or cause to be given the information asked for, he shall intimate the fact to the applicant in Form No. 91.

156. Prescribed income-tax authority under section 259. — The prescribed income-tax authority under section 259 shall be an Income-tax authority not below the rank of Assistant Commissioner of Income-tax, who has been authorised by the Central Board of Direct Taxes to act as such authority for the purposes of that section.

157. Persons Exempt from obtaining Permanent Account Number under section 262.— (1) The provisions of section 262 shall not apply to a non-resident (not being a company or a foreign company) who has, during a tax year, made investment in a specified fund, if the following conditions are met: —

(a) such non-resident does not earn any income in India other than the income from the investment in the specified fund during the tax year;

(b) the income-tax due on such income of non-resident is deducted at source and remitted to the Central Government by the specified fund at the rates specified sections 393(1) [Table: Sl. No. 4(iii)], 393(2) [Table: Sl. No. 8] and 393(4) [Table: Sl. No. 14]; and

(c) the non-resident furnishes the following details and documents to the specified fund: —

(i) name, email id and contact number;

(ii) address in the country or specified territory outside India of which he is a resident;

(iii) a declaration that he is a resident of a country or specified territory outside India; and

(iv) Tax Identification Number (TIN) in the country or specified territory of his residence, and where no such number is available, then a unique number on the basis of which the non-resident is identified by the government of that country or the specified territory.

(2) The specified fund shall —

(a) furnish a quarterly statement for the quarter of the financial year, in which the details and documents referred to in sub-rule (1)(c) are received by it, in Form No. 92 electronically to the Director General of Income-tax (Systems) or a person authorised by him; and

(b) upload the declaration of foreign residency as referred to in sub-rule (1)(c)(iii) within fifteen days from the end of the quarter of the financial year to which such statement relates.

(3) The provisions of section 262 shall not apply to a non-resident, being an eligible foreign investor, who has made transaction only in capital assets referred to in section 70(1)(r), which are listed on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and the consideration on such transfer of capital asset is paid or payable in foreign currency, if the following conditions are fulfilled: —

(a) the eligible foreign investor does not earn any income in India, other than the income from transfer of a capital asset referred to in section 70(1)(r);

(b) the eligible foreign investor furnishes the following details and documents to the stock broker through which the transaction is made: —

(i) name, email id, and contact number;

(ii) address in the country or specified territory outside India of which he is a resident;

(iii) a declaration that he is a resident of a country or specified territory outside India; and

(iv) Tax Identification Number (TIN) in the country or specified territory of his residence, and where no such number is available, then a unique number on the basis of which the non-resident is identified by the Government of that country or the specified territory.

(4) The stock broker shall —

(a) furnish a quarterly statement for the quarter of the financial year, in which the details and documents referred to in sub-rule (3) are received by it, in Form No. 92 electronically to the Director General of Income-tax (Systems) or a person authorised by him; and

(b) upload the foreign residency declaration as referred to in sub-rule (3)(b)(iii) within fifteen days from the end of such quarter of the financial year to which such statement relates.

(5) For the purposes of this rule, —

(a) "eligible foreign investor" means a non-resident who operates in accordance with the Securities and Exchange Board of India, Circular IMD/HO/FPIC/CIR/P/2017/003, dated 4th January, 2017;

(b) "International Financial Services Centre" shall have the meaning assigned to it in section 2(q) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(c) "specified fund" shall have the meaning assigned to in Schedule VI [Note (1)(g)] to the Act; and

(d) "stock broker" means a person having trading rights in a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and the member of such exchange.

158. Application for allotment of a Permanent Account Number. — (1) An application under section 262 for allotment of a Permanent Account Number shall be made in Form No. 93, Form No. 94, Form No. 95 and Form No. 96, as the case maybe, in accordance with sub-rule (8).

(2) An applicant may also apply for allotment of a Permanent Account Number through a common application form as maybe, notified by the Central Government.

(3) Any person, who has not been allotted a Permanent Account Number, but possesses the Aadhaar number may apply for allotment of the Permanent Account Number under section 262(1) or (2) or (11) to the authorities mentioned in sub-rule (4) by intimating his Aadhaar number.

(4) The Director General of Income-tax (Systems) shall, on receipt of information under sub-rule (3), authenticate the Aadhaar number for that purpose.

(5) An application referred to in sub-rule (1) shall be made,—

(i) in cases where the function of allotment of Permanent Account Number under section 262 has been assigned by the Chief Commissioner or Commissioner to any particular Assessing Officer, to that Assessing Officer; and

(ii) in any other case, to the Assessing Officer having jurisdiction to assess the applicant.

(6) For the purposes of sub-rule(5), the Assessing officer shall include an income tax authority who is assigned the duty of allotting Permanent Account Number by the Director General of Income-tax (Systems).

(7) The application referred to in sub-rule (1) shall be made by the person specified in Column B of the following Table within the time specified in column C thereof:

Table

Sl. No.	Person	Time within which application for allotment of Permanent Account Number is to be made
A	B	C
1	Where the total income of the person or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the Act during any tax year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income-tax and he has not been allotted any Permanent Account Number.	On or before the 31st May of the tax year immediately succeeding the tax year, for which such income is assessable.
2	A person not falling under Sl. No. 1, but carrying on any business or profession, the total sales, turnover or gross receipts of which are or is likely to exceed ₹ 500000 in any tax year and who has not been allotted any Permanent Account Number.	Before the end of that tax year.
3	A person who is required to furnish a return of income under section 349 and who has not been allotted any Permanent Account Number.	Before the end of the tax year.
4	A person who is entitled to receive any sum or income or amount, on which tax is deductible or collectible under Chapter XIX-B in any tax year.	Before the end of such tax year.
5	A person, being a resident, other than an individual, which enters into a tax transaction of an amount aggregating to ₹ 250000 or more in a tax and which has not been allotted any Permanent Account Number.	On or before the 31st May, immediately following such tax year.
6	A person, who is the managing director, director, partner, trustee, author, founder, *karta*, chief executive officer, principal officer or office bearer of the person referred to in Sl. No. 5 or any person competent to act on behalf of the person referred to in the said serial number and who has not been allotted any Permanent Account Number.	On or before the 31st May, immediately following the tax year in which the person referred to in Sl. No. 5 enters into financial transaction specified therein.
7	A person who intends to enter into the transaction prescribed under section 262(1)(f) and section 262(9)(a).	At least seven days before the date on which he intends to enter into the said

		transaction.

(8)(a) The application referred to in sub-rules (1) and (3), in respect of an individual who is a citizen of India, shall be filled in the Form 93, and shall be accompanied by the documents mentioned in the following Table for proof of identity, address and date of birth:

Table

Sl. No.	**Nature of Document**	**Proof of Identity**	**Proof of Address**	**Date of Birth (bearing the name, date , month and year of birth)**
A.	**Copy of:–**			
1.	AADHAAR card	Yes	Yes	No
2.	Indian Passport	Yes	Yes	Yes
3.	Driving Licence	Yes	Yes	Yes
4.	Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India	Yes	Yes	Yes
5.	Ration card having photograph of the applicant	Yes	No	No
6.	Transgender Identity Card **or** certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 having photograph of the applicant	Yes	Yes	Yes
7.	Photo identity card issued by the Central Government or a State Government or a Public Sector Undertaking	Yes	No	Yes
8.	Pensioner Card issued by Government, having photograph of the applicant	Yes	No	No
9.	Central Government Health Scheme Card or Ex-servicemen Contributory Health Scheme photo card	Yes	No	Yes
10.	Indian Passport of spouse bearing name of the person	No	Yes	No
11.	Post office passbook having address of the applicant	No	Yes	No
12.	Domicile certificate issued by the Government	No	Yes	Yes
13.	Allotment letter of accommodation issued by the Central Government or State Government of not more than three years old	No	Yes	No
14.	Property registration document	No	Yes	No
15.	Latest property tax assessment order	No	Yes	No
16.	Electricity bill (Not more than three months old)	No	Yes	No

17.	Landline telephone or broadband connection bill(Not more than three months old)	No	Yes	No
18.	Water bill(Not more than three months old)	No	Yes	No
19.	Consumer gas connection card or book or piped gas bill(Not more than three months old)	No	Yes	No
20.	Bank account statement as per Note 2 (Not more than three months old)	No	Yes	No
21.	Depository account statement(Not more than three months old)	No	Yes	No
22.	Credit card statement(Not more than three months old)	No	Yes	No
23.	For individuals born on and after 1st October, 2023 birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);	No	No	Yes
24.	Birth certificate issued by the municipal authority, or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955)	No	No	Yes
25.	Pension payment order	No	No	Yes
26.	Marriage certificate issued by the Registrar of Marriages	No	No	Yes
27.	Matriculation certificate or mark sheet of recognised board	No	No	Yes
B.	**Or original of:**			
1.	Certificate of identity signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer, as the case may be	Yes	No	No
2.	Bank certificate, on the letter head from the branch (along with the name, stamp and copy of employee ID of the issuing officer) containing duly attested photograph and bank account	Yes	No	No

	number of the applicant.			
3.	Certificate of address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer, as the case may be	No	Yes	No
4.	Employer certificate.	No	Yes	No
5.	Affidavit sworn before a Magistrate stating the date of birth	No	No	Yes

Note 1: In case of a person being a minor, in addition to Aadhaar of the minor, any of the above listed documents of any of the parents or guardian of such minor shall be deemed to be the proof of identity.

Note 2: In case of an Indian citizen residing outside India, copy of bank account statement in country of residence or copy of non-resident external bank account statements shall be the proof of address.
Note 3: In case of a minor, any of the above listed documents of any of the parents or guardian of such minor shall be deemed to be the proof of address.

(b) The application referred to in sub-rules (1) and (3), in respect of an applicant mentioned in column B of the following Table, shall be filled in the Form mentioned in column C of the said table, and shall be accompanied by the documents mentioned in column D thereof, as proof of identity, address and date of birth or date of incorporation of such applicant:

Table

Sl. No.	**Applicant**	**Form**	**Documents as proof of identity, address and date of birth or date of incorporation**
A	**B**	**C**	**D**
1	Hindu undivided family	Form No. 94	(a) Original affidavit by the *karta* of the Hindu Undivided Family duly authenticated by a Notary Public or Oath Commissioner or Judicial Magistrate stating the name, father's name, Aadhaar number or Permanent Account Number and address of all the coparceners on the date of application; and (b) a copy of any document applicable in the case of an individual specified in serial number 1, in respect of *karta* of the Hindu undivided family, as proof of identity, address and date of birth.
2	Company registered in India	Form No. 94	(a) Copy of Certificate of Registration issued in India by the Registrar of Companies; or (b) corporate identity number allotted by the Registrar under section 7 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
3	Limited Liability Partnership formed or registered in India	Form No. 94	(a) Copy of Certificate of Registration issued in India by the Registrar of Limited Liability Partnerships; or

			(b) LLP identification number allotted in India by the Registrar under the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009).
4	Firm (other than Limited Liability Partnership) formed or registered in India	Form No. 94	(a) Copy of Certificate of Registration issued in India by the Registrar of Firm; or (b) copy of partnership deed.
5	Trusts formed or registered in India	Form No. 94	(a) Copy of trust deed; or (b)Copy of Certificate of Registration Number issued by Charity Commissioner.
6	Association of persons (other than trusts) or body of individuals formed or registered in India	Form No. 94	(a) Copy of agreement; or (b) copy of Certificate of Registration Number issued by Charity Commissioner or Registrar of Co-operative Society or any other competent authority; or (c) any document originating from any Central Government or State Government Department, establishing identity and address of such person.
7	Local authority or artificial juridical person formed or registered in India	Form No. 94	Any document originating from any Central Government or State Government Department establishing identity and address of such person.
8	Any person on behalf of the Central Government or State Government or Union Territory Administration	Form No. 94	Certificate in original from the Head of the Department or Pay and Accounts Officer or Zonal Accounts Officer or District Treasury Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer.
9	Individuals not being a citizen of India	Form No. 95	(i) Proof of identity :— (a) Copy of passport; or (b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or (c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or (d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India.

			(ii) Proof of date of birth: — (a) Copy of passport; or (b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or (c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or (d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number containing date, month and year of birth duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (e) birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955); or (f) copy of birth certificate containing date, month and year of birth issued by any foreign authority and duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India. (iii) Proof of address:— (a) copy of passport; or (b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or (c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or (d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer

			Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961), or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (e) copy of bank account statement in the country of residence; or (f) copy of Non-resident External bank account statement in India; or (g) copy of certificate of residence in India or Residential permit issued by the State Police Authority; or (h) copy of the registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address; or (i) copy of visa granted and copy of appointment letter or contract from Indian Company and Certificate (in original) of Indian Address issued by the employer.
10	Limited Liability Partnership registered outside India	Form No. 96	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961), or by Indian embassy or High Commission or consulate in the country where the applicant is located, or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
11	Company registered outside India	Form No. 96	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or consulate in the country where the applicant is located, or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India

			or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
12	Firm formed or registered outside India	Form No. 96	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961), or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located, or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.
13	Association of persons (Trusts) formed outside	Form No. 96	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961), or by Indian embassy or High Commission or consulate in the country where the applicant is located, or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian authorities.
14	Association of persons (other than Trusts) or body of individuals or local authority or person formed or any other entity (by whatever name called) registered outside India	Form No. 96	(a) Copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961), or by Indian embassy or High Commission or consulate in the country where the applicant is located, or authorised officials of overseas branches of Scheduled Banks registered in India; or (b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.

(9) Every person who has been allotted Permanent Account Number and who, in accordance with the provisions of section 262(6)(a), is required to intimate his Aadhaar number, shall intimate his Aadhaar number to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the said authority.

(10) Every person who, in accordance with the provisions of section 262(6)(a), is required to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority in the prescribed form and manner, failed to do so by 30th June 2023, shall, at the time of subsequent intimation of his Aadhaar number to the prescribed authority, be liable to pay, by way of fee, an amount equal to ₹ 1000.

(11) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the classes of persons, forms, guidelines, standards and formats along with procedure for safe and secure transmission of forms and formats under sub-rule (2) in relation to furnishing application for allotment of the Permanent Account Number.

(12) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the forms and formats along with procedure in relation to furnishing correction application under section 262(4).

(13) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the formats, guidelines and standards along with procedure, for the verification of documents filed with the application under sub-rule (8), intimation of Aadhaar number in sub-rule (9) and issue of Permanent Account Number for ensuring secure capture and transmission of data in such format and standards and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing of the application forms for allotment of Permanent Account Number, intimation of Aadhaar number and issue of Permanent Account Number.

(14) The Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats, guidelines and standards along with procedure for,—

(a) intimation of Aadhaar number under sub-rule (3); or

(b) authentication of Aadhaar number under sub-rule (4); or

(c) obtaining demographic information of an individual from the Unique Identification Authority of India,

for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing or intimation or quoting or authentication of Aadhaar number or obtaining of demographic information of an individual from the Unique Identification Authority of India, for allotment of Permanent Account Number and issue thereof.

159. Transactions in relation to which Permanent Account Number is to be quoted or applied for purposes of section 262(1)(f) and 262(10)(c) and (e). — (1) Every person shall quote his Permanent Account Number in all documents, pertaining to the transactions specified in column 2 for value of transaction specified in column 3 of the following Table : —

Table

Sl.no.	Nature of transaction	Value of transaction	Person receiving or issuing the document in relation to transaction in column (2)
1	2	3	4
1.	Making an application to any banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or to any other company or institution, for issue of a credit card.	All such transactions.	(i)Manager or officer of a banking company or co-operative bank; or (ii)the principal officer of the company; or (iii)the principal officer of the institution, as the case may be.
2.	Opening of an account with a depository, participant, custodian of securities or any other person registered under section 12(1A) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).	All such transactions.	The depository, participant, custodian of securities or any other person registered under section 12(1A) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
3.	Payment to the Reserve Bank of India, constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) for acquiring bonds issued by it.	Amount exceeding ₹ 50000.	The officer of the Reserve Bank of India, constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), or of any agency bank authorised by the Reserve Bank of India.
4.	Payment to a Mutual Fund for purchase of its units.	Amount exceeding ₹ 50000.	The trustee or any other person duly authorised by the trustee of a Mutual Fund.

5.	A contract for sale or purchase of securities (other than shares) as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).	Amount exceeding ₹ 100000 per transaction.	(i) The principal officer of the company; or (ii) stock-broker, sub-broker, share transfer agent, banker to an issue, trustee of a trust deed, registrar to issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment adviser and such other intermediaries registered under section 12(1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), as the case may be.
6.	Deposit with — (i) a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); or (ii) post office.	Cash deposits aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person	(i) Manager or officer of a banking company or co-operative bank; or (ii) postmaster; or (iii) the principal officer of the institution, as the case may be.
7.	Withdrawal with — (i) a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); or (ii) post office.	Cash withdrawals aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person	(i) Manager or officer of a banking company or co-operative bank; or (ii) postmaster; or (iii) the principal officer of the institution, as the case may be.
8.	Sale or purchase of — (i) motor vehicle or vehicle, as defined in section 2(28) of the Motor Vehicles Act 1988 (59 of 1988), which requires registration by a registering authority under Chapter IV of that Act, except 'tractor' as defined in section 2(44) of the said Act; or (ii) motor cycle as defined in section 2(27) of the Motor Vehicles Act 1988 (59 of 1988).	Amount exceeding ₹ 500000.	The person who sells the motor vehicle or motor cycle.
9.	Sale or purchase, by any person, of shares of a company not listed in recognised stock exchange.	Amount exceeding ₹ 100000 per transaction	The principal officer of a company issuing such shares

10.	Payment to a company or an institution for acquiring debentures or bonds issued by it.	Amount exceeding ₹ 50000	The principal officer of a company or an institution issuing such bonds or debentures.
11.	Purchase or sale or gift or joint development agreement by any person of any immovable property.	Amount exceeding twenty lakh rupees or valued by stamp valuation authority referred to in section 78, at an amount exceeding twenty lakh rupees.	Inspector-General appointed under section 3 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of that Act.
12.	Opening an account other than a time-deposit referred in Sl. No. 13 and a Basic Savings Bank Deposit Account with (i) a banking company; or (ii) a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act).	All such transactions.	(i) Manager or officer of a banking company or co-operative bank; or (ii) the principal officer of the institution, as the case may be.
13.	A time deposit with — (i) a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); or (ii) a post office; or (iii) a Nidhi referred to in section 406 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or (iv) a non-banking financial company which holds a certificate of registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), to hold or accept deposit from public.	Amount exceeding ₹ 50000 or aggregating to more than ₹ 500000 during a financial year.	(i) Manager or officer of a banking company or co-operative bank; or (ii) postmaster; or (iii) the principal officer of the company; or (iv) the principal officer of the institution, as the case may be.
14.	Commencement of account-based relationship with an insurer as defined in section 2(9) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)	All such transactions where insurance premium exceeds ₹ 50000 during a financial year.	The manager or officer of an insurer.
15.	Payment to (i) a hotel or restaurant; or (ii) a convention Centre; or (iii) a banquet hall; or (iv) any person engaged in event	Payment in cash of an amount exceeding ₹ 100000.	The person issuing the document including the bill.

	management, against a bill or bills at any one time.		
16.	Sale or purchase by any person, of goods or services of any nature other than those specified at Sl. Nos. 1 to 15, if any.	Amount exceeding ₹ 200000 per transaction.	The person issuing the document including the bill.

(2) In respect of transactions mentioned in column (2) of the Table in sub-rule (1) —

(a) any person who is a minor, not having any income chargeable to tax, and who enters into any of the said transactions, shall quote the Permanent Account Number of his father or mother or guardian, as the case may be, in the document pertaining to the said transaction;

(b) any person, not being a company or a firm, and who does not have a Permanent Account Number, entering into any of the transactions mentioned at Sl. Nos. 11 to 16, shall make a declaration in Form No. 97 giving therein the particulars of such transaction;

(c) out of the transactions mentioned in clause (ii), a foreign company entering into transactions at Sl. No. 12 or 13 in an IFSC banking unit, who does not have —

(I) a Permanent Account Number; and

(II) any income chargeable to tax in India,

shall make a declaration in Form No. 97.

(3) For the purposes of section 262(1)(f), any person, not being a company or a firm, and who does not have Permanent Account Number, entering into—

(a) any of the transactions mentioned at Sl. No. 1 to 10;

(b) transaction mentioned at Sl. No. 11, where amount of immovable property exceeds forty-five lakh rupees or more, or its value as per stamp valuation authority referred to in section 78 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) exceeds forty-five lakh rupees,

shall apply for Permanent Account Number.

(4) The provisions of sub-rule (3) shall not apply in a case, —

(a) where the person carrying out transactions as per Sl. Nos. 1 to 10 of column (2) of the Table in sub-rule (1), is a non-resident (not being a company) or a foreign company;

(b) the transaction is entered into with an IFSC banking unit; and

(c) such non-resident (not being a company) or the foreign company does not have any income chargeable to tax in India.

(5) The person referred to in column (4) of Table in sub-rule (1), who has received or issued any document, shall ensure that—

(a) Permanent Account Number after verification, has been duly and correctly mentioned therein or as the case may be, a declaration in Form No. 97 has been duly furnished with complete particulars;

(b) the valid Permanent Account Number or the fact of furnishing of Form No. 97, is duly mentioned in the records maintained for the transactions referred to in column (2) of Table in sub-rule (1); and

(c) the Permanent Account Number or the details of Form No. 97 are linked and mentioned in any information furnished to the income-tax authority or any other authority or agency under any provision of the Act or any rule made thereunder.

(6) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to the following class or classes of persons:—

(a) the Central Government, State Governments and the consular offices; and

(b) the non-residents referred to in section 2(72) in respect of the transactions referred to against Sl. No. 1 or 3 or 15 or 16 of the Table.

(7) For the purposes of this rule,-

(a) "IFSC banking unit" means a financial institution defined under section 3(1)(c) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), that is licensed or permitted by the International Financial Services Centres Authority to undertake permissible activities under the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020; and

(b) "time deposit" means any deposit which is repayable on the expiry of a fixed period.

(8) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats and standards along with procedure as regards the manner of authentication of Permanent Account Number.

160. Time and manner in which persons referred to in rule 159 shall furnish a statement containing particulars of Form No. 97. — (1) Every person referred to in sub-rule (2), who has received any declaration in Form No. 97 in relation to a transaction specified in column 2 of the Table in rule 159, shall—

(a) furnish a statement in Form No. 98 containing particulars of declaration to the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) or the Joint Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) through online transmission of electronic data to a server designated for this purpose and obtain an acknowledgement number; and

(b) retain Form No. 97 for a period of six years from the end of the financial year in which the transaction was undertaken.

(2)The persons referred to in sub-rule (1) shall be —

(a) Sl. No. 11 or 12 or 13 or 14; and

(b) Sl. No. 15 or 16 and who is required to get his accounts audited under section 58,

of the column 4 of the Table in rule 159.

(3) The statement referred to in sub-rule (1)(i) shall,—

(a) where the declarations are received by the 30th September, be furnished by the 31st October of that year; and

(b) where the declarations are received by the 31st March, be furnished by the 30th April of the financial year immediately following the financial year in which the form is received.

(4) The statement referred to in sub-rule (1)(i) shall be verified—

(a) in a case where the person furnishing the statement is an assessee as defined in section 2(11), by a person specified in section 265;

(b) in any other case, by the person referred to in column (4) of the Table in rule 159.

161. Transactions for purposes of section 262(9)(a). — (1) For the purposes of section 262(9)(a), every person shall, at the time of entering into a transaction specified in column 2 of the following Table, quote his Permanent Account Number in documents pertaining to such transaction, and every person specified in column 3 of the said Table, who receives such document, shall ensure that the said number has been duly quoted and authenticated:

Table

Sl. No.	Nature of transaction	Person
1	2	3
1.	Cash deposit or deposits aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with — (*i*) a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (*ii*) Post Office	(i) A banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in section 2(j) of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) (as it existed prior to its repeal) or the Regional Head as referred in the Post Office Rules, 2024 framed under the Post Office Act, 2023 (43 of 2023).
2.	Cash withdrawal or withdrawals aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with,— (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies	

	(including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in section 2(j) of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) (as it existed prior to its repeal) or the Regional Head as referred in the Post Office Rules, 2024 framed under the Post Office Act, 2023 (43 of 2023).
3.	Opening of a current account or cash credit account by a person with,— (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in section 2(j) of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) (as it existed prior to its repeal) or the Regional Head as referred in the Post Office Rules, 2024 framed under the Post Office Act, 2023 (43 of 2023).

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply in a case where the person carrying out transaction in column 2 of Table is the Central Government, a State Government or a consular office.

(3) The provisions of sub-rule (1) shall not apply in a case,—

(a) where the person, carrying out transaction as per Sl. Nos. 1 to 3 of column (2) of Table is a non-resident (not being a company) or a foreign company;

(b) the transaction is entered into with an IFSC banking unit; and

(c) such non-resident (not being a company) or the foreign company does not have any income chargeable to tax in India.

(4) For the purposes of sub-rule (3), "IFSC banking unit" shall have the meaning assigned to it in rule 159(7)(a).

(5) The Permanent Account Number of an individual shall be submitted to the Principal Director General of Income-tax (Systems), or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems), or the Director General of Income-tax (Systems) with the approval of the Board, for the purposes of authentication referred to in section 262.

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats and standards along with procedure for authentication of Permanent Account Number.

162. When PAN becomes inoperative under section 262(6). — (1) If a person who had been allotted a Permanent Account Number (PAN) and was required to intimate his Aadhaar number under section 262(6), but failed to do so, then his Permanent Account Number being inoperative, he shall be liable for payment of fees in accordance with rule 158.

(2) Where the person referred to in sub-rule(1) has intimated his Aadhaar number under section 262(6), after payment of fees in accordance with rule 158, his Permanent Account Number shall become operative within thirty days from the date of intimation of Aadhaar number.

(3) A person, whose Permanent Account Number has become inoperative under sub-rule(1), shall be liable for the following consequences for the period commencing from the date of commencement of this rule till the date it becomes operative: —

(a) refund of any amount of tax or part thereof, due under the provisions of the Act shall not be made;

(b) interest shall not be payable on such refund for the period, beginning with the date of commencement of this rule and ending with the date on which it becomes operative;

(c) where tax is deductible or collectible at source under Chapter XIX-B in case of such person, such tax shall be deducted or collected, as the case may be, at higher rate, in accordance with provisions of section 397(2);

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify the formats and standards along with the procedure for verifying the operational status of Permanent Account Number under sub-rules (1) and (2).

163. Conditions for furnishing return of income by persons other than a company or firm referred to in section 263(1)(a)(x). — (1) The conditions required to be fulfilled in a tax year for the purposes of furnishing return of income in respect of a person other than a company or firm referred to in section 263(1)(a)(x), shall be the following :—

(a) if he has deposited an amount or aggregate of the amounts exceeding one crore rupees in one or more current accounts maintained with a banking company or a co-operative bank; or

(b) if he has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amounts exceeding ₹ 200000 for himself or any other person for travel to a foreign country; or

(c) if he has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amounts exceeding ₹ 100000 towards consumption of electricity; or

(d) if his total sales, turnover or gross receipts, as the case may be, in the business exceeds sixty lakh rupees; or

(e) if his total gross receipts in profession exceeds ten lakh rupees; or

(f) if the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source, in the case of such person is ₹ 25000 or more, and in the case of individual resident of the age of sixty years or more, the amount shall be taken as ₹ 50000 or more; or

(g) if he has deposited in his one or more savings bank account, in aggregate, fifty lakh rupees or more.

(2) For the purposes of this rule, the expression "travel to a foreign country" does not include travel to the neighbouring countries or to such places of pilgrimage as the Board may specify in this behalf, by notification.

164. Forms, eligibility, verification etc. in respect of return of income. — (1) The return of income required to be furnished under section 263(1) or section 268(1)(a) or section 280, relating to the tax year commencing on the 1st April, 2026, shall be in accordance with the provisions of this rule.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3), return of income shall be in Form SAHAJ (ITR-1) and be verified in the manner indicated therein in the case of a person being an individual, who is a resident other than not ordinarily resident and where the total income includes income chargeable to income-tax, under the head —

(a) "Salaries" or income in the nature of family pension as defined in section 93(1)(d); or

(b) "Income from house property", where the assessee does not own more than two house property and does not have any brought forward loss or loss to be carried forward under the head; or

(c) "Income from other sources", except winnings from lottery or income from race horses and does not have any loss under the head; or

(d) "Capital gains", where assessee has only long-term capital gains under section 198 not exceeding ₹ 125000 and does not have any brought forward loss or loss to be carried forward under the head.

(3) A person shall not be eligible to file ITR-1, if he —

(a) has assets (including financial interest in any entity) located outside India; or

(b) has signing authority in any account located outside India; or

(c) has income from any source outside India; or

(d) has income to be apportioned in accordance with provisions of section 10; or

(e) has claimed deduction under section 93, other than deduction claimed under clause (d) of sub-section (1) of the said section; or

(f) is a director in any company; or

(g) has held any unlisted equity share at any time during the tax year; or

(h) is assessable for the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source in the hands of a person other than the assessee; or

(i) has claimed any relief of tax under section 159 or deduction of tax under section 160; or

(j) has agricultural income, exceeding ₹ 5000 ; or

(k) has total income, exceeding fifty lakh rupees; or

(l) is a person in whose case tax has been deducted under section 393(3) [Table : Sl No. 5]; or

(m) is a person in whose case payment or deduction of tax has been deferred under section 391(2) or section 392(3); or

(n) has any income of the nature on which the tax is determinable as per the provisions of Part A of Chapter XIII of the Act.

(4) Return of income shall be in the case of a person being an individual not being an individual to whom sub-rule (2) applies or a Hindu undivided family, where the total income does not include income under the head business or profession, be in Form No. ITR-2 and be verified in the manner indicated therein;

(5) Subject to the provisions of sub-rule (6), return of income shall be in Form SUGAM (ITR-4) and be verified in the manner indicated therein, in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, who is a resident other than not ordinarily resident, or a firm, other than limited liability partnership firm, which is a resident, – –

(a) deriving income under the head "Profits or gains of business or profession" and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 58 for computation of such income; and

(b) has, “Capital gains”, if any, where assessee has only long-term capital gains under section 198 not exceeding ₹ 125000.

(6) A person shall not be eligible to file ITR-4, if he —

(a) has assets (including financial interest in any entity) located outside India; or

(b) has signing authority in any account located outside India; or

(c) has income from any source outside India; or

(d) has income to be apportioned in accordance with provisions of section 10; or

(e) has claimed deduction under section 93, other than deduction claimed under section 93(1)(d) thereof; or

(f) is a director in any company; or

(g) has held any unlisted equity share at any time during the tax year; or

(h) has total income, exceeding fifty lakh rupees; or

(i) owns more than two house properties, the income of which is chargeable under the head "Income from house property"; or

(j) has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income; or

(k) is assessable for the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source in the hands of a person other than the assessee; or

(l) has claimed any relief of tax under section 159 or deduction of tax under clause (d) of sub-section (1) of the said; or

(m) has agricultural income, exceeding ₹ 5000; or

(n) has income of the nature specified in section 17(1)(d) on which tax is payable or deductible under section 391(2) or section 392(3); or

(o) has any income of the nature on which the tax is determinable as per provisions of Part A of Chapter XIII of the Act.

(7) Return of income shall be in Form No. ITR-3 and be verified in the manner indicated therein in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family other than the individual or a Hindu undivided family referred to in sub-rule (2) or sub-rule (4) or sub-rule (5) and having income under the head “Profits or gains of business or profession”.

(8) The return of income shall be in Form No. ITR-5 and be verified in the manner indicated therein in the case of a person not being an individual or a Hindu undivided family or a company or a person to which sub-rule (10) applies.

(9) The return of income shall be in Form No. ITR-6 and be verified in the manner indicated therein in the case of a company not being a company to which sub-rule (10) applies;

(10) The return of income shall be in Form No. ITR-7 and be verified in the manner indicated therein, in the case of a person including a company, whether or not registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or section 8 of the Companies Act, 2013(18 of 2013) ,required to file a return under section 349 or Schedule VIII [Table :Sl. No. 1. D(f)] or section 263(1)(a)(iv) or (v).

(11) The return of income shall not be accompanied by a statement showing the computation of the tax payable on the basis of the return, or proof of the tax, if any, claimed to have been deducted or collected at source, or the advance tax, or tax on self-assessment, if any, claimed to have been paid, or any document or copy of any account or form or report of audit required to be attached with the return of income under any of the provisions of the Act.

(12) The return of income referred to in sub-rule (1) shall be furnished by a person mentioned in column 2 of the following Table in the manner specified in column 3 thereof:

Table

Sl. No.	Person	Manner of furnishing return of income
1	2	3
1.	Company	Electronically under digital signature.
2	Any person whose accounts are required to be audited under section 63	(a) Electronically under digital signature; or (b) transmitting the data electronically in the return under electronic verification code.
3.	Any person other than person referred in Sl. Nos. 1, 2 and 4	(a) Electronically under digital signature; or (b) transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (c) transmitting the data in the return electronically and thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V.
4.	An individual of the age of eighty years or more at any time during the tax year, who furnishes return in Form No. SAHAJ (ITR-1) or Form No. SUGAM (ITR-4)	(a) Electronically under digital signature; or (b) transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (c) transmitting the data in the return electronically and thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V; or (d) paper form.

(13) For the purposes of sub-rule (12), "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).
(14) Where a return of income relates to the tax year commencing on the 1st April, 2025 or any earlier tax year, it shall be furnished in the appropriate form as applicable in that tax year.

165. Furnishing of updated return of income under section 263(6) read with sub-section (2) of said section. — (1) The return of income to be furnished by any person, eligible to file such return under section 263(6), shall be in the Form ITR-UN and be verified in the manner indicated therein.
(2) ITR-UN shall be furnished by a person mentioned in column 2 of the following Table in the manner specified in column 3 thereof:

Table

Sl. No.	Person	Manner of furnishing return of income
1	2	3
1.	Company	Electronically under digital signature.
2	Any person whose accounts are required to be audited under section 63	(a) Electronically under digital signature; or (b) transmitting the data electronically in the return under electronic verification code.
3.	Any person other than person referred in Sl. Nos. 1 and 2	(a) Electronically under digital signature; or (b) transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (c) transmitting the data in the return electronically and

		thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V.

(3) For the purposes of sub-rule (2), the expression "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).

166. Conditions for treating a return as defective return under section 263(7). — (1) A return of income shall be regarded as defective, if any of the following conditions is satisfied: —

(a) all fields, parts, schedules, statements, and columns in the return of income, as applicable to the case of the assessee, have not been duly filled in, including those relating to computation of income chargeable under applicable heads of income, computation of gross total income and total income; or

(b) the report of the audit, in auditable cases, referred to in section 63, has not been furnished prior to the filing of the return of income; or

(c) if the return of income is furnished under section 263(6), the details of payment of tax as per section 267 are not duly filled in the return; or

(d) the brought forward credit of minimum alternate tax (MAT) or alternate minimum tax (AMT) claimed in the return is not in accordance with the carry forward of MAT or AMT in the latest return, as the case may be, allowed to the assesse.

(2) The Board may notify, the class or classes of persons, to which any of the conditions specified in clauses (a) to (d) of sub-rule (1), shall not apply or shall apply with such modifications, as may be specified in such notification.

167. Form of appeal to Joint Commissioner (Appeals) or Commissioner (Appeals) under section 358. — (1) An appeal to the Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals) shall be made in Form No. 99.

(2) Form No. 99 shall be furnished in the following manner: —

(a) in the case of a person who is required to furnish return of income electronically under rules 164 and 180, —

(i) by furnishing the form electronically under digital signature, if the return of income is furnished under digital signature;

(ii) by furnishing the form electronically through electronic verification code in a case not covered under item (i);

(b) in a case where the assessee has the option to furnish the return of income in paper form, by furnishing the form electronically in accordance with clause (a).

(3) The form of appeal referred to in sub-rule (1), shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 265, as applicable to the assessee.

(4) Any document accompanying Form No. 99 shall be furnished in the manner in which the said Form is furnished.

168. Prescribed person for verification of return for purposes of section 265 [Table: Sl. Nos. 3 and 9]. — (1) For the purpose of verification of return under section 265 [Table: Sl. Nos. 3 and 9], “any other person”, shall be the person appointed by the Adjudicating Authority for discharging the duties and functions of an interim resolution professional, a resolution professional, or a liquidator, as the case may be, under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) and the rules and regulations made thereunder.

(2) For the purposes of this rule, "Adjudicating Authority" shall have the same meaning as assigned to it in section 5(1) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

169. Form of verification for furnishing information under section 268(1)(c). — The information which a person is required by the Assessing Officer to furnish under section 268(1)(c) shall be verified in the following manner :—

"I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished in the statement/statements is correct and complete and other particulars shown therein are truly stated".

170. Prescribed income-tax authority under section 268(3) for issue of notice under sub-section (1) thereof. — The prescribed income-tax authority under section 268(3), for issue of notice under sub-section (1) of the said section, shall be an income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer who has been authorised by the Central Board of Direct Taxes to act as such authority for the purposes of section 268(3).

171. Forms for report of audit or inventory valuation under section 268(5).— (1) The report of audit of the accounts of an assessee, which is required to be furnished under section 268(5)(i), shall be in Form No. 100.
(2) The report of inventory valuation of an assessee, which is required to be furnished under section 268(5)(ii), shall be in Form No. 101.

172. Procedure for purposes of determining expenses for audit or inventory valuation.—
(1) Every Chief Commissioner of Income-tax shall, for the purposes of 268(5)(i) and (ii), shall maintain a panel of—
(a) accountants, out of the persons referred to in section 515(3)(b); and
(b) cost accountants, out of the persons referred to in section 268(13).
(2) Where the Assessing Officer directs—
(a) for audit under section 268(5)(i); or
(b) for inventory valuation under section 268(5)(ii),
the expenses of, and incidental to, audit or inventory valuation (including the remuneration of the accountant or cost accountant, qualified assistants, semi-qualified and other assistants, who may be engaged by such accountant or cost accountant), shall not be less than ₹ 3750 and not more than ₹ 7500 (both inclusive) for every hour of the period as specified by the Assessing Officer under section 268(8) or (9) or (10), as the case may be.
(3) The period referred to in sub-rule (2) shall be specified in terms of the number of hours required for completing the report.
(4) The accountant or cost accountant referred to in section 268(5)(i) or (ii), shall maintain a time-sheet and submit it to the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, along with the bill.
(5) The Chief Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax shall ensure that the number of hours claimed for billing purposes is commensurate with the size and quality of the report submitted by the accountant or cost accountant.

173. Jurisdiction of Valuation Officers as per section 2(110) read with section 269. — (1) For the purposes of section 2(110) read with section 269, —
(a) Regional Valuation Officers shall exercise, within such areas as the Board may direct, general supervision over the work of District Valuation Officers, Valuation Officers and Assistant Valuation Officers;
(b) District Valuation Officers, Valuation Officers and Assistant Valuation Officers shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of such areas and in relation to such class of assets, properties or investments, as the Board may direct; and
(c) subject to the provisions of sub-rules (5) and (6),where under any directions issued under sub-rule (1)(b), the functions of a Valuation Officer in relation to any class of assets, being buildings or lands or any rights in buildings or lands, in respect of any area have been assigned to a District Valuation Officer, Valuation Officer and an Assistant Valuation Officer, such functions shall be performed by the respective officer mentioned in column B of the following Table, for the assets or properties or investment with value specified in the corresponding entry in column C thereof:

Table

Sl. No.	Officer who will perform valuation	Value of asset
A	B	C
1	District Valuation Officer	More than five crore rupees
2	Valuation Officer	More than one crore rupees and up to five crore rupees
3	Assistant Valuation officer	Up to one crore rupees

(2) The value of any asset, for the purposes of sub-rule (1)(c) shall be, where a reference is made under section 78(2), the stamp duty value of the capital asset.
(3) The value of any asset, for the purposes of sub-rule (1)(c) shall be, where a reference is made under section 91(1), the value claimed by the assessee.
(4) The value of any asset, for the purposes of sub-rule (1)(c) shall be —
(a) the latest value as declared in the return of income of the assessee for any tax year; and

(b) where no value is ascertainable as per the return of income of the assessee for any tax year, the functions of District Valuation Officers, Valuation Officers and Assistant Valuation Officers, as the case may be, shall be performed in accordance with the direction of District Valuation Officers.

(5) The District Valuation Officer referred to in Table [Sl. No.1] having jurisdiction in respect of the area may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of proper and efficient management of the work of valuation, himself perform such functions in relation to any asset referred to in Table [Sl. No.2].

(6) The Valuation Officer referred to in Table [Sl. No.2] having jurisdiction in respect of the area may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of proper and efficient management of the work of valuation, himself perform such functions in relation to any asset referred to in Table [Sl. No.3].

(7) For the purposes of sub-rule (1)(c), the value of the assets, properties or investments referred to therein shall be in respect of the asset as a whole, whether owned by the assessee individually or jointly.

174. Day and time for inspection by Valuation Officers, etc., as per section 269(3). — (1) For the purposes of section 269(3), on any day except public holidays, at any time between 6 a.m. and 6 p.m., the Valuation Officer, or any engineer, or overseer, or surveyor, or assessor, authorised by him, by order in writing in this behalf, may, –

(a) enter any land within the limits of the area assigned to the Valuation Officer; or

(b) enter any land, building, or other place belonging to or occupied by any person in connection with whose assessment a reference has been made to the Valuation Officer; or

(c) inspect any asset in respect of which a reference has been made to the Valuation Officer.

(2) The expression "public holiday" includes Sundays, and any other day declared by the Central Government, by notification, to be a public holiday.

175. Prescribed authority for issue of notice under section 270(8). — The prescribed authority under section 270(8) shall be an income-tax authority not below the rank of an Income-tax Officer, who has been authorised by the Central Board of Direct Taxes to act as income-tax authority for the purposes of section 270(8).

176. Procedure for faceless assessment, reassessment or recomputation under section 273(1) . —

(1) The assessment, reassessment or recomputation under section 270(10) or section 271 or section 279, as the case may be, in respect of cases as specified by the Board under section 273(2), shall be made in a faceless manner, in accordance with the procedure in this rule.

(2) The procedure for faceless assessment, reassessment or recomputation shall be the following: —

(a) the National Faceless Assessment Centre shall assign the case selected for faceless assessment under section 273 to a specific assessment unit through an automated allocation system;

(b) the National Faceless Assessment Centre shall intimate the assessee that the assessment in his case shall be completed in accordance with the procedure laid down under this rule;

(c) a notice under section 268(1) or section 270(8) shall be served on the assessee through the National Faceless Assessment Centre, requiring the assessee to furnish his response within the date specified therein to the National Faceless Assessment Centre, which shall forward such response to the assessment unit;

(d) where a case is assigned to the assessment unit under sub-rule (2)(a), it may make a request through the National Faceless Assessment Centre for—

(i) obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person; or

(ii) conducting of enquiry or verification by a verification unit; or

(iii) seeking technical assistance by referring to the technical unit in respect of determination of arm's length price, valuation of property, withdrawal of registration, approval, exemption or any other technical matter;

(e) where a request under sub-rule (2)(d)(i) is made—

(i) the National Faceless Assessment Centre shall serve an appropriate notice or requisition on the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence required by the assessment unit;

(ii) the assessee or any other person shall file his response within the time specified therein, or within such time as may be extended on an application made in this regard, to the National Faceless Assessment Centre; and

(iii) the National Faceless Assessment Centre shall forward such response to the assessment unit;

(f) where a request under sub-rule (2)(d)(ii) or (iii) is made, the National Faceless Assessment Centre shall, through an automated allocation system, assign the request to —

(i) a verification unit for conducting enquiry or verification; and

(ii) a technical unit for seeking technical assistance;

(g) the National Faceless Assessment Centre shall send the report received from the verification unit or technical unit, as the case may be, to the assessment unit from which the request was received as referred in sub-rule (2)(f);

(h) where the assessee fails to comply with the notice served under sub-rule (2)(e) or the notice issued under section 268(1) or section 270(8), the National Faceless Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;

(i) the assessment unit, through the National Faceless Assessment Centre, shall serve a notice under section 271 upon the assessee referred to in sub-rule (2)(h), providing an opportunity to show cause as to why the assessment should not be completed to the best of its judgment;

(j) the assessee shall furnish his response to the notice served under sub-rule (2)(i) within the time specified therein or within the extended time, if any, to the National Faceless Assessment Centre, which shall forward the same to the assessment unit;

(k) where the assessee fails to furnish his response to the notice served under sub-rule (2)(i) within the specified or extended time, the National Faceless Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;

(l) the assessment unit shall, after considering all relevant material available on record, prepare—

(i) an income or loss determination proposal where no variation prejudicial to the assessee is proposed and send a copy of the same to the National Faceless Assessment Centre; or

(ii) in any other case, a show cause notice stating the variations prejudicial to the interest of the assessee proposed to be made to the income of the assessee and calling upon him to submit as to why the proposed variation should not be made and serve such notice, on the assessee, through the National Faceless Assessment Centre;

(m) the assessee shall file his reply to the show cause notice referred in sub-rule (2)(l)(ii) within the time specified or such extended time, as the case may be, to the National Faceless Assessment Centre, which shall forward the same to the assessment unit;

(n) where the assessee fails to file a response within the specified or extended time, , as the case may be, the National Faceless Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;

(o) the assessment unit shall, after considering the response received under sub-rule (2)(m) or after receipt of intimation under sub-rule (2)(n), as the case may be, and taking into account all relevant material available on record, prepare an income or loss determination proposal and send the same to the National Faceless Assessment Centre;

(p) upon receipt of the income or loss determination proposal referred to in sub-rule(2)(l)(i) or (2)(o), the National Faceless Assessment Centre may, on the basis of the guidelines issued by the Board, —

(i) convey to the assessment unit to prepare a draft order in accordance with such proposal; or

(ii) assign the proposal to a review unit to review such proposal through an automated allocation system;

(q) the review unit shall conduct review of the income or loss determination proposal assigned to it by the National Faceless Assessment Centre under sub-rule (2)(p)(ii) and prepare a review report, which shall be sent to the National Faceless Assessment Centre;

(r) the National Faceless Assessment Centre shall forward the review report referred in sub-rule (2)(q) to the assessment unit, which had proposed the income or loss determination proposal;

(s) the assessment unit shall, after considering such review report, accept or reject some or all of the modifications proposed therein, and after recording reasons in case of rejection of such modifications, prepare a draft order and send the same to the National Faceless Assessment Centre;

(t) the assessment unit shall send the draft order prepared under sub-rule (2)(p)(i) or sub-rule (2)(s) to the National Faceless Assessment Centre;

(u) in case of an eligible assessee, as mentioned in section 275(1), where any variation prejudicial to his interest is proposed, the National Faceless Assessment Centre shall serve the draft order upon the assessee;

(v) in any case other than that referred to in sub-rule (2)(u), the National Faceless Assessment Centre shall convey the assessment unit to pass a final assessment order in accordance with the draft order;

(w) the assessment unit shall pass the final assessment order and initiate penalty proceedings, if any, and send the same to the National Faceless Assessment Centre;

(x) upon receiving the final assessment order as per sub-rule (2)(w), the National Faceless Assessment Centre shall serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, on the assessee,

along with the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(y) where a draft order is served as per sub-rule (2)(u), the assessee shall—

(i) file acceptance of the variations to the National Faceless Assessment Centre; or

(ii) file his objections to the variations before the Dispute Resolution Panel and the National Faceless Assessment Centre within the period specified in section 275(2);

(z)upon receipt of acceptance or upon no objection being filed within time specified in section 275(2) from the eligible assessee, the National Faceless Assessment Centre shall intimate the assessment unit to complete the assessment on the basis of draft order;

(aa)the assessment unit shall, upon receipt of intimation under sub-rule (2)(z), pass the assessment order in accordance with the draft order within the time period mentioned in section 275(4) and initiate penalty proceedings, if any, and send the order to the National Faceless Assessment Centre;

(ab) where objections are filed with the Dispute Resolution Panel under sub-rule (2) (y)(ii), the National Faceless Assessment Centre shall forward such intimation along with a copy of objection to the assessment unit;

(ac) the National Faceless Assessment Centre shall, in a case referred to in sub-rule (2)(ab), upon receipt of the directions issued by the Dispute Resolution Panel under section 275(5), forward such directions to the assessment unit;

(ad)the assessment unit shall, in conformity with the directions issued by the Dispute Resolution Panel under section 275(5), complete the assessment within the time allowed in section 275(13) and initiate penalty proceedings, if any, and send a copy of the assessment order to the National Faceless Assessment Centre;

(ae) the National Faceless Assessment Centre shall, upon receipt of the assessment order referred to in sub-rule (2)(aa) or (ad) as the case may be, serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, on the assessee, along with the demand notice, specifying the sum payable by, or the amount of refund due to, the assessee on the basis of such assessment;

(af)after completion of assessment, the National Faceless Assessment Centre shall transfer all the electronic records to the Assessing Officer having jurisdiction over the assessee;

(ag) if, at any stage of proceedings before it, the assessment unit having regard to the nature and complexity of the accounts, volume of the accounts, doubts about the correctness of accounts, multiplicity of transactions in the accounts or specialised nature of business activity of the assesse, and the interests of the revenue, is of the opinion that it is necessary to do so, it may, upon recording its reasons in writing, refer the case to the National Faceless Assessment Centre stating that the provisions of section 268(5) may be invoked; and

(ah) the function of verification unit under this section may also be performed by a verification unit located in any other faceless centre set up under the provisions of this Act or under any scheme notified under the provisions of the Act, and the request for verification may also be assigned through the National Faceless Assessment Centre to such verification unit.

(3) For the purposes of faceless assessment, reassessment or recomputation—

(a) an electronic record shall be authenticated by—

(i) the National Faceless Assessment Centre by way of an electronic communication; or

(ii) the assessment unit or verification unit or technical unit or review unit, as the case may be, by affixing digital signature; or

(iii) the assessee or any other person, by affixing his digital signature or under electronic verification code, or by logging into his registered account in the designated portal;

(b) every notice or order or any other electronic communication shall be delivered to the addressee, being the assessee by—

(i) placing an authenticated copy thereof in the registered account of the assessee; or

(ii) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or his authorised representative; or

(iii) uploading an authenticated copy on the Mobile App of the assessee,

and followed by a real time alert;

(c) every notice or order or any other electronic communication shall be delivered to the addressee, being any other person by sending an authenticated copy to his registered email address, followed by a real time alert;

(d) the assessee shall file his response to any electronic communication through his registered account, and the response shall be deemed authenticated once an acknowledgement is sent by the National Faceless Assessment Centre containing the hash result generated upon successful submission of response;

(e) the time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined as per provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(f) no personal appearance, either in person or through authorised representative, shall be required in connection with any proceedings before any unit set up under section 273;

(g) in a case where a variation is proposed in the income or loss determination proposal or the draft order, and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per such income or loss determination proposal, the assessee or his authorised representative, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority of the relevant unit;

(h) where the request for personal hearing has been received, the income-tax authority of relevant unit shall allow such hearing, through the National Faceless Assessment Centre, which shall be conducted exclusively through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board;

(i) subject to section 273(8), any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than the statement recorded in the course of survey under section 253) shall be conducted by an income-tax authority in the relevant unit, exclusively through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board;

(j) the Board shall establish suitable facilities for video conferencing or video telephony including telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of faceless assessment merely on the consideration that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing or video telephony at his end;

(k) the Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, as the case may be, in-charge of the National Faceless Assessment Centre shall, with the prior approval of the Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National Faceless Assessment Centre and the units set up, in an automated and mechanised environment.

(4) For the purposes of section 273 and this rule, unless the context otherwise requires—

(a) "addressee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(b) "authorised representative" shall have the meaning assigned to it in section 515(3)(a);

(c) "automated allocation system" means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources;

(d) "computer resource" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(e) "computer system" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(f) "computer resource of assessee" shall include assessee's registered account in designated portal of the Income-tax Department, the Mobile App linked to the registered mobile number of the assessee, or the registered email address of the assessee with his email service provider;

(g) "digital signature" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(h) "Dispute Resolution Panel" shall have the meaning assigned to it in section 275(17)(a);

(i) "electronic record" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(j) "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification as per the data structure and standards specified by the Principal Director General or Director General, as the case may be, in-charge of information technology;

(k) "eligible assessee" shall have the meaning assigned to it in section 275(17)(b);

(l) "email" or "electronic mail" and "electronic mail message" means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;

(m) "hash function" and "hash result" shall have the same meaning respectively assigned to them in the *Explanation* to section 3(2) of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(n) "Mobile app" means the application software of the Income-tax Department developed for mobile devices which is downloaded and installed on the registered mobile number of the assessee;

(o) "real time alert" means any communication sent to the assessee, by way of Short Messaging Service on his registered mobile number, or by way of update on his Mobile App, or by way of an email at his registered email address, so as to alert him regarding delivery of an electronic communication;

(p) "registered e-mail address" means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including—

(i) the e-mail address available in the electronic filing account of the addressee registered in designated portal; or

(ii) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or

(iii) the e-mail address available in the Permanent Account Number database relating to the addressee; or

(iv) in the case of addressee, being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of the addressee available in the database of the Unique Identification Authority of India; or

(v) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of the Ministry of Corporate Affairs; or

(vi) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;

(q) "registered mobile number" of the assessee means the mobile number of the assessee, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in the designated portal; and

(r) "video conferencing or video telephony" means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

177. Modified return of income in respect of business reorganisation under section 314. — (1) The modified return of income to be furnished by a successor entity to a business reorganisation, as referred to in section 314, for a tax year, shall be in the Form ITR-A and verified in the manner specified therein.

(2) ITR-A shall be furnished electronically under the digital signature.

(3) If the assessment or reassessment proceedings for a tax year to which the order of the business reorganisation applies have been completed or are pending on the date of furnishing ITR-A, the Assessing Officer shall, pass an order modifying the total income of the relevant tax year determined in such assessment or reassessment, or proceed to complete the assessment or reassessment proceedings, as the case may be, in accordance with the order of the business reorganisation and the ITR-A so furnished.

178. Application under section 288(1)[Table: Sl. No. 11] regarding credit of tax deduction at source.— (1) The application required to be made by the assessee under section 288(1)[Table: Sl. No. 11] shall be in Form No. 102.

(2) Form No. 102 shall be furnished to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him.

(3) The Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him shall forward Form No. 102 to the Assessing Officer.

179. Notice of demand under section 289. — (1) The notice of demand under section 289 shall be in Form No. 103, subject to the provisions of sub-rule (2).

(2) The notice of demand under section 289, to be served upon the assessee in pursuance of an order under section 407, shall be in Form No. 151.

180. Return of income in respect of block assessment under section 294(1) . — (1) The return of income required to be furnished by any person under section 294(1)(a), relating to any search initiated under section 247 or requisition made under section 248 shall be in the Form ITR-BN and be verified in the manner indicated therein.

(2) ITR-BN shall be furnished by a person, mentioned in column 2 of the following Table in the manner specified in column 3 thereof:

Table

Sl. No.	Person	Manner of furnishing return of income
1	2	3
1.	Company	Electronically under digital signature.

2.	Any person other than a company	(A) Electronically under digital signature; or (B) transmitting the data electronically in the return under electronic verification code.

(3) For the purposes of sub-rule (2), "electronic verification code" shall have the meaning assigned to it in rule 165.
(4) In a case where claim of credit of the tax payments is made against undisclosed income of the block period other than by way of self-assessment tax for the block period, claim of such credits and the allowability thereof shall be subject to the verification by and satisfaction of, the Assessing Officer.
(5) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the return in the manners specified in column 3 of the Table in sub-rule (2).

181. Common application for registration of non-profit organisation or for approval for the purposes of deduction under section 133(1)(b)(ii).— (1) An application for registration under section 332 or approval under section 354, in such cases as specified in column B of the following Table shall be made in the Form specified in column C, to the authority specified in column D thereof:

Table

Sl. No.	**Case**	**Form No.**	**Authority**
A	**B**	**C**	**D**
1.	Application for provisional registration or approval is made under: (a) section 332(3) (Table: Sl. No. 1); or (b) section 354(2) (Table: Sl. No. 1)	104	Commissioner being Commissioner of Income Tax (CPC).
2.	Application for registration or approval is made under: (a) section 332(3) (Table: Sl. Nos. 2 to 7); or (b) section 354(2) (Table: Sl. Nos. 2 to 5)	105	Principal Commissioner or Commissioner having jurisdiction over the applicant.

(2) The application shall be accompanied by the documents, information and undertakings as specified in the Form relevant to such application.

(3) The application shall be —
(a) furnished electronically —
(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;

(ii) through electronic verification code, in a case not covered under sub-clause (i); and

(b) verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 265, as applicable to the applicant.

(4) On receipt of an application in Form No. 104, the Commissioner of Income Tax (CPC), shall pass an order in writing in Form No. 106, by issuing a 16-digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) and granting registration under section 332(8) or granting approval under section 354(4), or both.

(5) The Form 104 shall be considered non-est and shall not be further proceeded with where the activities have commenced or it has been registered under any specified provision.

(6) The registration or approval granted in Form No. 106 and Unique Registration Number (URN), issued under sub-rule (4), may be cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner, as referred to in sub-rule (1) [Table: Sl. No. 2] after providing an opportunity of being heard to the applicant, if, at any point of time it is noticed that Form No. 104, —

(a) contains any false or incorrect information; and

(b) does not comply with the requirements of sub-rule (3).

(7) Where the registration or approval granted or URN issued under sub-rule (4) is cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner, such registration or approval or URN shall be considered to have never been granted or issued.

(8) The applicant may surrender the registration or approval granted under sub-rule (4) if the applicant —

(a) has not claimed benefits, in its return of income for any tax year including the tax year in which such surrender of registration or approval is made, under, -

(i) Part B of Chapter XVII of the Act; or

(ii) section 10(23C)(iv) or (v) or (vi) or (via) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as it existed prior to its repeal; or

(iii) section 11 or section 12 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as it existed prior to its repeal; and

(b) gives an undertaking that no claim of benefits shall be made in the return of income for any tax year under the provisions referred to in clause (a).

(9) Where applicant surrenders the registration or approval as per the provisions of sub-rule (8), such registration or approval shall be deemed to have never been granted.

(10) On receipt of an application in Form No. 105, the Principal Commissioner or Commissioner, shall pass an order in writing in Form No. 107, for any of the following: —

(a)issuing a 16-digit alphanumeric Unique Registration Number (URN) and granting registration or approval; or

(b) rejecting the application; or

(c) rejecting the application and also cancelling the registration or approval; or

(d) granting registration or approval under one section code as mentioned in Form and rejecting the application under the other section code mentioned in the application.

(11) The applicant shall be allowed to withdraw the application for registration or approval if such a request for withdrawal is made within seven days of filing of application.

(12) Where an order in Form No. 107 (herein referred to as the earlier order) has been issued by rejecting the application or cancelling the registration or approval or both, the applicant may re-apply in Form No. 105 within one month from the end of the month in which said order is passed, if the following conditions are satisfied: —

(a) such rejection or cancellation is on account of —

(i) failure of the applicant to provide all or any of the documents or information as sought by the Principal Commissioner or Commissioner under section 332(7); or

(ii) not availing an opportunity of being heard; or

(iii) ineligibility of the applicant on account of certain terms contained in the trust deed;

(b) the applicant has provided the reasons for —

(i) the failure to provide necessary information or documents; or

(ii) not availing the opportunity to be heard; or

(iii) ineligibility of the applicant on account of certain terms contained in the trust deed which has been modified on or before the date of re-application; and

(c) the applicant gives an undertaking that he —

(i) has not made any appeal against the earlier order or has withdrawn the appeal filed before any appellate authority against such order; and

(ii) shall not file any appeal before any appellate authority against the earlier order.

(13) The applicant shall be allowed only one time opportunity to re-apply under sub-rule (12).

(14) The re-application made under sub-rule (12), where the order was issued under section 332(7)(b) or 354(3)(b), shall be considered to be a fresh application and the time limit for passing order shall continue to be governed by the provisions of section 332(3) or 354(2), as the case may be, and the provisions of this rule shall apply accordingly.

(15) Where the applicant notices that the application in the Form No. 105 has been made by furnishing an erroneous section code or erroneous nature of activity as specified in the said Form, —

(a) the applicant may furnish a request for correction before the Principal Commissioner or the Commissioner, at any time before passing of the order in Form No. 107; and

(b) the Principal Commissioner or the Commissioner on receipt of such request, may allow such correction.

(16) In this rule, "specified provision" shall have the meaning assigned to it in section 355(m).

182. Manner of computation of gains of commercial activities under sections 335(e), 344, 345 and 346.— For the purposes of section 335(e), gains of any commercial activity permissible under sections 344, 345 and 346, carried out by a registered non-profit organisation for a tax year, shall be computed in the following manner: —

(a) such commercial activity shall be treated as if it is entity separate from the registered non-profit organisation;

(b) separate books of accounts are maintained for such activities; and

(c) gains from such commercial activity during the tax year shall be computed as per the provisions of Part D of Chapter IV of the Act.

183. Manner of computation of any portion of income applied by a registered non-profit organisation, directly or indirectly, for benefit of any related person.— (1) For the purposes of section 337 [Table: Sl. No. 2], any income or part thereof, applied directly or indirectly for the benefit of any related person during the tax year, shall be computed in the manner as provided in sub-rule (2), in the following circumstances: —

(a) if any part of the income or property of the registered non-profit organisation is, or continues to be, lent to any related person for any period during the tax year without adequate security; or

(b) if any part of the income or property of the registered non-profit organisation is, or continues to be, lent to any related person for any period during the tax year without adequate interest; or

(c) if any land, building or other property of the registered non-profit organisation is, or continues to be, made available for the use of any related person, for any period during the tax year without charging adequate rent or other compensation; or

(d) if any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the tax year to any related person out of the resources of the registered non-profit organisation for services rendered by that person to such registered non-profit organisation and the amount so paid is in excess of what may be reasonably paid for such services; or

(e) if any services or goods or both are made available by any registered non-profit organisation to any related person during the tax year without adequate consideration or other compensation; or

(f) if any share, security or other property is purchased by or on behalf of the registered non-profit organisation from any related person during the tax year for consideration which is more than adequate; or

(g) if any share, security or other property is sold by or on behalf of the registered non-profit organisation to any related person during the tax year for consideration which is less than adequate; or

(h) if any income of the registered non-profit organisation, where the aggregate of the income exceeds ₹ 1000, is diverted during the tax year in favour of any related person; or

(i) if any property of the registered non-profit organisation, where value of the property exceeds ₹ 1000, is diverted during the tax year in favour of any related person; or

(j) if any funds of the registered non-profit organisation are, or continue to remain, invested for any period during the tax year (not being a period before the 1st day of January, 1971), in any concern in which any related person has a substantial interest.

(2) The income referred to in sub-rule (1) shall be the value of any benefit or facility granted or provided free of cost or at concessional rate to the related person.

(3) For the purposes of this rule, the expression "related person" shall have the meaning assigned to it in section 355(h).

184. Exercise of options by a registered non-profit organisation under section 341(7) for deemed application under section 341(5).— (1) The option to be exercised in accordance with provisions of section 341(7) for any tax year shall be exercised in Form No. 108 on or before the due date specified under section 263(1) for furnishing the return of income.

(2) The option in Form No. 108 shall be furnished electronically, either under digital signature or electronic verification code.

185. Furnishing of statement by registered non-profit organisation under section 342(1) for accumulating or setting apart any part of its regular income.— (1) The statement to be furnished to the Assessing Officer under section 342(1) shall be furnished in Form No. 109 on or before the due date specified under section 263(1) for furnishing the return of income.

(2) The statement in Form No. 109 shall be furnished electronically, either under digital signature or electronic verification code.

186. Application under section 342(5) for change of purpose for which income has been accumulated or set apart.— (1) Where a registered no-profit organisation has accumulated or set apart any part of its regular income in accordance with the provisions of section 342(1), it may request the Assessing Officer for the change of purpose for which such income is accumulated or set apart, by furnishing an application to the Assessing Officer in Form No. 110.

(2) Form No. 110, shall be —

(a) furnished electronically —

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(ii) through electronic verification code in a case not covered under sub-clause (i); and

(b) verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 265, as applicable to the applicant.

(3) The Assessing Officer may, on an application received under sub-rule (1) and subject to the provisions of section 342(2), allow the registered non-profit organisation to apply its income for such other charitable or religious purposes in India which are in conformity with its objects, in Form No. 111.

187. Books of account and other documents to be kept and maintained by a registered non-profit organisation.— (1) Every registered non-profit organisation which is required to keep and maintain books of account and other documents under section 347 shall keep and maintain the following: —

(a) books of account, which shall include: —

(i) cashbook; or

(ii) ledger; or

(iii) journal; or

(iv) copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counter foils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee; or

(v) original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person; or

(vi) any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of affairs of the person and explain the transactions effected;

(b) books of account, as referred to in clause (a) for business undertaking referred in section 344;

(c) books of account, as referred to in clause (a) for business carried on by the assessee other than the business undertaking referred in section 344;

(d) other documents for maintaining —

(i) record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives;

(ii) record of income of the person during the tax year in respect of —

(I) charitable or religious activity, for which it is registered;

(II) any property, deposit or investment held by such registered non-profit organisation;

(III) voluntary contributions received;

(IV) any commercial activity permissible under sections 344, 345 and 346;

(V) specified income, as referred to in section 337; and

(VI) residual income as referred in section 355(j);

(iii) record of the following, out of the income of the person during the tax year: —

(I) application of income, in India, containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(II) amount credited or paid to any registered non-profit organisation, containing details of their name, address, permanent account number and the object for which such credit or payment is made;

(III) application of income outside India containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(IV) deemed application of income referred to in section 341(5) containing details of the reason for availing such deemed application;

(V) income accumulated or set apart as per the provisions of section 342(1) which has not been applied or deemed to be applied containing details of the purpose for which such income has been accumulated;

(VI) money invested or deposited in the forms and modes referred to in section 350; and

(VII) money invested or deposited in the forms and modes other than those referred to in section 350;

(iv) record of the following, out of the income of the person of any tax year preceding the current tax year: —

(I) application out of the income accumulated or set apart containing details of year of accumulation, amount of application during the tax year out of such accumulation, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(II) application out of the deemed application of income referred to in section 341(5), for any preceding tax year, containing details of year of deemed application, amount of application during the tax year out of such deemed application, name and address of the

person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(III) application, other than the application referred in items (I) and (II), out of income accumulated during any preceding tax year containing details of year of accumulation, amount of application during the tax year out of such accumulation, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(IV) money invested or deposited in the forms and modes referred to in section 350;

(V) money invested or deposited in the forms and modes other than those referred to in section 350;

(v) record of donations made with a specific direction that they shall form part of the corpus, in respect of —

(I) the donations received during the tax year containing details of name of the donor, address, Permanent Account Number (if available) and Aadhaar number (if available);

(II) application out of such donations referred to in item (I) containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(III) amount credited or paid towards corpus to any registered non-profit organisation, out of such donation received during the tax year containing details of their name, address, Permanent Account Number and the object for which such credit or payment is made;

(IV) the forms and modes referred to in section 350 in which such voluntary contribution, received during the tax year, is invested or deposited;

(V) money invested or deposited in the forms and modes other than those referred to in section 350 in which such donation, received during the tax year, is invested or deposited;

(VI) application out of such donation, received during any tax year preceding the tax year, containing details of the amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(VII) amount credited or paid towards corpus to any registered non-profit organisation, out of such donation received during any tax year preceding the tax year, containing details of their name, address, Permanent Account Number and the object for which such credit or payment is made;

(VIII) the forms and modes referred to in section 350 in which such voluntary contribution, received during any tax year preceding the tax year, is invested or deposited;

(IX) money invested or deposited in the forms and modes, other than those referred to in section 350 in which such voluntary contribution, received during any tax year preceding the tax year, is invested or deposited; and

(X) amount invested or deposited back into a donation (which was applied during any preceding tax year and not claimed as application) including details of the forms and modes referred to in section 350 in which such voluntary contribution is invested or deposited;

(vi) record of donations received for the purpose of renovation or repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under section 133(1)(b)(vi), which are being treated as corpus as referred in section 340, in respect of, —

(I) the donations received during the tax year containing details of name of the donor, address, Permanent Account Number (if available) and Aadhaar number (if available);

(II) donation received during any tax year preceding the tax year, treated as corpus during the tax year, containing details of name of the donor, address, Permanent Account Number (if available) and Aadhaar number (if available);

(III) application out of such donation referred to in items (I) and (II) containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(IV) amount credited or paid towards corpus to any registered non-profit organisation, out of such donation received during the tax year containing details of their name, address, Permanent Account Number and the object for which such credit or payment is made;

(V) the forms and modes referred to in section 350 in which such corpus, received during the tax year, is invested or deposited;

(VI) money invested or deposited in the forms and modes other than those referred to in section 350 in which such corpus, received during the tax year, is invested or deposited;

(VII) application out of such corpus, received during any tax year preceding the tax year, containing details of amount of application, name and address of the person to whom any creditor payment is made and the object for which such application is made;

(VIII) amount credited or paid towards corpus of any registered non-profit organisation, out of such donation received during any tax year preceding the tax year, containing details of their name, address, Permanent Account Number and the object for which such credit or payment is made;

(IX) the forms and modes referred to in section 350 in which such corpus, received during any tax year preceding the tax year, is invested or deposited; and

(X) the money invested or deposited in the forms and modes other than those referred to in section 350 in which such corpus, received during any tax year preceding the tax year, is invested or deposited;

(vii) record of loans and borrowings, —

(I) containing information regarding amount and date of loan or borrowing, amount and date of repayment, name of the person from whom was loan taken, address of lender, Permanent Account Number and Aadhaar number (if available) of the lender;

(II) application out of such loan or borrowing containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made and the object for which such application is made;

(III) application out of such loan or borrowing, received during any tax year preceding the tax year, containing details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made; and

(IV) repayment of such loan or borrowing (which was applied during any preceding tax year and not claimed as application) during the tax year;

(viii) record of properties held by the assessee, with respect to the following: —

(I) immovable properties containing details of —

(A) nature, address of the properties, cost of acquisition of the asset, registration documents of the asset; and

(B) transfer of such properties, the net consideration utilised in acquiring the new capital asset; and

(II) movable properties including details of the nature and cost of acquisition of the asset;

(ix) record of related person as referred to in section 355(h), —

(I) containing details of their name, address, Permanent Account Number and Aadhaar number (if available);

(II) transactions undertaken by the registered non-profit organisation with related personas referred to in section 355(h) containing details of date and amount of such transaction, nature of the transaction and documents to the effect that such transaction is, directly or indirectly, not for the benefit of such specified person; and

(x) any other documents containing any other relevant information.

(2) The books of account and other documents specified in sub-rule (1) may be kept in written form or in electronic form or in digital form or as printouts of data stored in electronic form, or in digital form, or any other form of electromagnetic data storage device.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the books of account and other documents specified in sub-rule (1) shall be kept and maintained by the registered non-profit organisation at its registered office.

(4) All or any of the books of account and other documents referred to in sub-rule(1), may be kept at such other place in India as the management may decide by way of a resolution and where such solution is passed, the registered non-profit organisation shall, within seven days thereof, intimate the jurisdictional Assessing Officer in writing, giving the full address of that other place and such intimation shall be duly signed and verified by the person who is authorised to verify the return of income.

(5) Subject to the provisions of sub-rule (6), the books of account and other documents specified in sub-rule (1) shall be kept and maintained for a period of six years from the end of the relevant tax year.

(6) Where the assessment in relation to any tax year has been reopened under section 279 within the period specified in section 282, the books of account and other documents which were kept and maintained at the time of reopening of the assessment, shall continue to be so kept and maintained till the assessment so reopened has become final.

188. Report of audit in case of registered non-profit organisations under section 348.— The report of the audit of the accounts, required to be furnished under section 348, shall be furnished in Form No. 112, one month prior to the due date of furnishing the return of income under section 263(1).

189. Method of valuation for the purposes of computing fair market value of assets and liabilities under section 352(2) for accreted income.— (1) For the purposes of section 352(2), the aggregate fair market value of the total assets of the specified person, shall be the aggregate of the fair market value of all the assets in the balance sheet, as reduced by—

(a) tax paid; and

(b) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the fair market value of the asset shall be determined in the following manner: —

(I) valuation of shares and securities:

(a) the fair market value of quoted share and securities shall be the following: —

(i) the average of the lowest and highest price of such shares and securities quoted on a recognised stock exchange as on the specified date; or

(ii) where on the specified date, there is no trading in such shares and securities on a recognised stock exchange, the average of the lowest and highest price of such shares and securities on **the** recognised stock exchange, on a date immediately preceding the specified date when such shares and securities were traded on **the** recognised stock exchange;

(b) the fair market value of unquoted equity shares shall be the value, on the specified date as determined in accordance with the following formula: —

$$\text{Fair market value of unquoted equity shares} = \frac{(A+B - L) \times (PV)}{(PE)}$$

Where, —

A = book value of all the assets in the balance sheet (other than bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property) as reduced by—

(i) tax paid; and

(ii) any amount shown in the balance sheet as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

B = fair market value of bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property as determined in the manner provided in this rule;

L = book value of liabilities shown in the balance sheet, but not including the following amounts: —

(i) representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of the paid-up capital in respect of equity shares;

(ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares;

(iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;

(iv) any amount representing provision for taxation, other than tax paid, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;

(vi) any amount cumulative preference shares;

PE = total amount of paid-up equity share capital as shown in the balance sheet; and

PV = the paid-up value of such equity share,

(c) the fair market value of shares and securities, other than equity shares, shall be estimated to be the price it would fetch, if sold in the open market on the specified date on the basis of the valuation report from a merchant banker or an accountant in respect of such valuation;

(II) the fair market value of an immovable property shall be higher of the following, namely: —

(a) the price that the property shall ordinarily fetch, if sold in the open market on the specified date on the basis of the valuation report from a registered valuer; and

(b) stamp duty value as on the specified date;

(III) the fair market value of a business undertaking, held by a specified person, shall be its net assets determined in accordance with the following formula: —

Fair market value = (A + B - L), which shall be determined in the manner provided in clause (I)(b); and

(IV) the fair market value of any asset, other than those referred to in clauses (I), (II) and (III), shall be the price that the asset shall ordinarily fetch, if sold in the open market on the specified date on the basis of valuation report from a —

(a) registered valuer; or

(b) valuer, who is a member of any one of the following professional valuer bodies, where no valuer is registered for valuation of the said assets:

(i) Institution of Valuers; or

(ii) Institution of Surveyors (Valuation Branch); or

(iii) Institution of Government Approved Valuers; or

(iv) Practicing Valuers Association of India; or

(v) the Indian Institution of Valuers; or

(vi) Centre for Valuation Studies, Research and Training; or

(vii) Royal Institute of Chartered Surveyors: India Chapter; or

(vii) American Society of Appraisers, United States of America; or

(viii) Appraisal Institute, United States of America; or

(ix) a valuer who is appointed by any public sector bank or public sector undertakings for valuation purposes.

(3) For the purpose of section 352(2), the total liability of the specified person shall be the book value of liabilities in the balance sheet on the specified date but not including any of the following amounts: —

(a) capital fund or accumulated funds or corpus, by whatever name called; or

(b) reserves or surpluses or excess of income over expenditure, by whatever name called; or

(c) any amount representing contingent liability; or

(d) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities; or

(e) any amount representing provision for taxation, other than tax paid, to the extent of the excess over the income-tax payable with reference to the income in accordance with the law applicable thereto.

(4) For the purposes of this rule, —

(a) "accountant" shall have the meaning assigned to it in section 515(3)(b);

(b) "balance sheet" in relation to any specified person, means the balance sheet of such specified person (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the specified date which has been audited by an accountant;

(c) "merchant banker" means a category I merchant banker registered with Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(d) "quoted share or security" in relation to share or security means a share or security quoted on any recognised stock exchange with regularity from time to time, where the quotations of such shares or securities are based on current transaction made in the ordinary course of business;

(e) "recognised stock exchange" shall have the meaning assigned to it in section 2(f) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(f) "registered valuer" means a person registered as a valuer under section under section 514;

(g) "securities" shall have the meaning assigned to it in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(h) "specified date" means the date specified in column C of the Table in section 352(4);

(i) "specified person" shall have the meaning assigned to it in section 355(l);

(j) "stamp duty value" means the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Central Government or a State Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of an immovable property;

(k) "tax paid" means any amount of income-tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment, as reduced by the amount of income-tax claimed as refund under the Act; and

(l) "unquoted share and security", in relation to share or security, means share or security which is not a quoted share or security.

190. Furnishing of statement of particulars in respect of donation and certificate to donor under section 354(1).— (1) For the purposes of section 354(1)(e) or (f), the prescribed Income Tax Authority shall be the Director General of Income-tax (Systems).

(2) Statement of particulars, required to be furnished by any registered non-profit organisation or a person referred to in Schedule VII [Table: Sl. No. 1] to the Act (herein referred to as the donee) under section 354(1)(e) or (f), shall be furnished in respect of each financial year, in Form No. 113 and shall be verified in the manner indicated therein.

(3) The donee shall, while aggregating the amounts for determining the sums received for reporting in respect of any person, —

(a) take into account all the donations of the same nature paid by that person during the financial year; and

(b) proportionately attribute the value of the donation or the aggregated value of all the donations to all the persons, in a case where the donation is recorded in the name of more than one person and where no proportion is specified by the donors, attribute equally to all the donors.

(4) Form No. 113 shall be furnished electronically —

(a) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(b) through electronic verification code in any other case.

(5) The person who is authorised to verify the return of income under section 265, as applicable to the donee, shall verify Form No. 113.

(6) The statement of particulars shall be furnished on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received.

(7) For the purposes of section 354(1)(g), the donee shall furnish the certificate to the donor specifying the amount of donation received from such donor during the financial year in Form No. 114.

(8) The certificate to the donor shall be furnished on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received.

191. Mode of service of any order referred to in section 358(3)(b). — (1) The intimation of any order referred to in section 358(3)(b), shall be served in the same manner as is laid down in section 501 for the service of a notice or requisition.

(2) Any other order, not being a notice or requisition, which is to be sent or communicated to, or served on, any person shall be sent, communicated or served either by post, or as if it were a summons issued by a Court under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (46 of 2023).

192. Production of additional evidence before Joint Commissioner (Appeals) and Commissioner (Appeals) under section 533(2)(x) . — (1) The appellant shall not be entitled to produce before the Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals), any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of proceedings before the Assessing Officer, except in the following circumstances : —

(a) where the Assessing Officer has refused to admit evidence, which ought to have been admitted; or

(b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence, which he was called upon to produce by the Assessing Officer; or

(c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the Assessing Officer any evidence, which is relevant to any ground of appeal; or

(d) where the Assessing Officer has made the order appealed against, without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.

(2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals) records in writing, the reasons for its admission.

(3) The Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals) shall not take into account any evidence produced under sub-rule (1), unless the Assessing Officer has been allowed a reasonable opportunity—

(a) to examine the evidence or document or to cross-examine the witness produced by the appellant; or

(b) to produce any evidence or document or any witness in rebuttal of the additional evidence produced by the appellant.

(4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals) to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable him to dispose of the appeal, or for any other substantial cause, including the enhancement of the assessment or penalty (whether on his

own motion or on the request of the Assessing Officer) under section 360(1)(a), or the imposition of penalty under section 439.

193. Form of appeal and memorandum of cross-objections to Appellate Tribunal under section 362. — (1) An appeal under section 362(1) or (2) to the Appellate Tribunal shall be made in Form No.115, and where the appeal is made by the assessee, the form of appeal, the grounds of appeal and the form of verification appended thereto, shall be signed by the person specified in rule 167(3).

(2) A memorandum of cross-objections under section 362(4) to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. 116, and where the memorandum of cross-objection is made by the assessee, the form of memorandum of cross-objections, the grounds of cross-objections and the form of verification appended thereto, shall be signed by the person specified in rule 167(3).

194. Declaration under section 375. — (1) The declaration referred to in section 375(1) shall be in Form No. 117, and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) The declaration and the verification referred to in sub-rule (1) shall be signed by the person specified in rule 167(3).

(3) The declaration referred to in sub-rule (1) shall, —

(a) in a case where it is furnished to the Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals), be in duplicate; and

(b) in a case where it is furnished to the Appellate Tribunal, be in triplicate.

195. Application under section 376 to defer filing of appeal before Appellate Tribunal or the jurisdictional High Court. — The application referred to in section 376(2), required to be made before the Appellate Tribunal or the jurisdictional High Court, as the case may be, shall be made in Form No. 118 by the Assessing Officer.

196. Constitution of Dispute Resolution Committee under section 379. — (1) The Central Government shall constitute a Dispute Resolution Committee for every region of Principal Chief Commissioner of Income-tax for dispute resolution, as provided under section 379.

(2) Each Dispute Resolution Committee shall consist of three members, as given under: —

(a) two members shall be retired officers from the Indian Revenue Service (Income-tax), who have held the post of Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for five years or more; and

(b) one ex-officio member, who shall be an officer not below the rank of Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax as specified by the Board.

(3) The members shall be appointed by the Central Government for a period of three years.

(4) The Central Government may fix a sum to be paid as fee to both members, specified in sub-rule (2)(a), on a per case basis, along with a sitting fee, so decided by the Board.

(5) The decision of the Dispute Resolution Committee shall be by majority.

(6) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing and after giving a reasonable opportunity of being heard, remove any member from the Dispute Resolution Committee.

197. Application for resolution of dispute before the Dispute Resolution Committee under section 379. — (1) An application to the Dispute Resolution Committee shall be made in Form No. 119 by the person, who opts for dispute resolution under section 379 in respect of dispute arising from any variation in the specified order in his case and who fulfils the specified conditions.

(2) Every application in connection with resolution of dispute shall be accompanied by a fee of ₹ 1000.

198. Power to reduce or waive penalty imposable or grant immunity from prosecution or both under section 379. — (1) The Dispute Resolution Committee shall, upon receipt of intimation as per paragraph 4(1)(xix) of the e-Dispute Resolution Scheme, 2022, for the reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as it may think fit to impose, grant to the person who made the application for dispute resolution under section 379 reduction or waiver of penalty imposable, or immunity from prosecution, or both, in respect of the order which is the subject matter of resolution, if it is satisfied that such person has—

(i) paid the tax due on the returned income in full; and

(ii) co-operated with the Dispute Resolution Committee in the proceedings before it.

(2) No immunity shall be granted by the Dispute Resolution Committee in a case where the proceedings for the prosecution for an offence have been initiated before the date of receipt of the application as referred to in paragraph 4(1)(i) of the e-Dispute Resolution Scheme, 2022.

(3) An immunity or reduction or waiver of penalty granted to a person under sub-rule (1) shall stand withdrawn, if such person fails to comply with any of the conditions subject to which the immunity or reduction or waiver of penalty was granted and thereupon the provisions of the Act shall apply as if such immunity or reduction or waiver of penalty had never been granted.

199. Definitions. — For the purposes of rules 196 to 198,—

(a) "specified order" in relation to a dispute under section 379 means, —

(i) a draft order as referred to in section 275 (1); or

(ii) an intimation under section 270(1) or section 399(1), where the assessee or the deductor or the collector objects to the adjustments made in the said order; or

(iii) an order of assessment or reassessment, except an order passed in pursuance of directions of the Dispute Resolution Panel; or

(iv) an order made under section 287 having the effect of enhancing the assessment or reducing the loss; or

(v) an order made under section 398 and in respect of which the following conditions are satisfied:—

(A) the aggregate sum of variations proposed or made in such order does not exceed ten lakh rupees and for such purposes, the variation shall refer to the amount on which tax has not been deducted or collected;

(B) the return has been furnished by the assessee for the tax year relevant to such order and the total income as per such return does not exceed fifty lakh rupees; and

(C) the order in the case of the assessee is not based on —

(a) a search initiated under section 247 or requisition made under section 248 in the case of the assessee or any other person; or

(b) survey carried out under section 253; or

(c) information received under an agreement referred to in section 159 ;

(b) the "specified conditions" in relation to an applicant under section 379 means, —

(A) where he is not a person in respect of whom an order of detention has been made under the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and when —

(I) such order of detention, on which the provisions of section 9 or section 12A of the said Act do not apply, has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of the said Act or before the receipt of the report of the Advisory Board; or

(II) such order of detention on which the provisions of section 9 of the said Act apply, has not been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the review under section 9(3), or on the report of the Advisory Board under section 8, read with section 9(2), of the said Act; or

(III) such order of detention, on which the provisions of section 12A of the said Act apply, has not been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of the said section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with section 12A(6) of the said Act; or

(IV) such order of detention has not been set aside by a court of competent jurisdiction; or

(B) where he is not a person in respect of whom prosecution for any offence punishable under the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) or the Prohibition of Benami Transactions Act, 1988 (45 of 1988) or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) has been instituted and he has been convicted of any offence punishable under any of those Acts; or

(C) where he is not a person in respect of whom prosecution has been initiated by an income-tax authority for any offence punishable under the provisions of the Act or the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or for the purpose of enforcement of any civil liability under any law for the time being in force, or such person has been convicted of any such offence consequent upon the prosecution initiated by an income-tax authority; or

(D) where he is not a person who is notified under section 3 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 (27 of 1992); or

(E) where he is not a person in respect of whom proceedings under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015) have been initiated for the tax year for which resolution of dispute is sought;

(c) "specified person" for the purposes of section 379 of the Act shall be a person who fulfils the specified conditions.

200. Application for obtaining an advance ruling under section 383. — (1) An application for obtaining an advance ruling under section 383(1), shall be made by a resident or a non- resident applicant in Form No. 120 and verified in the manner indicated therein in accordance with this rule.

(2) The fees payable along with the application for advance ruling shall be in accordance with the following Table:

Table

S. No.	Specific condition or category as per Chapter XVIII-D (2)	Amount of transaction of one or more transaction for which ruling is sought	Fee
A	B	C	D
1.	Seeking advance rulings in relation to the tax liability arising out of a transaction undertaken or proposed to be undertaken by a non-resident applicant under sub-clause (i) of section 380(a) or resident applicant under sub-clause (ii) thereof.	Amount less than one hundred crore rupees.	₹200000
		Amount between one hundred crore rupees and three hundred crore rupees.	₹500000
		Amount more than three hundred crore rupees.	Ten lakh rupees
2.	Seeking advance rulings in relation to the tax liability of a resident applicant, arising out of a transaction undertaken or proposed to be undertaken by a resident applicant under section 380(a)(iii)	Amount between one hundred crore rupees and three hundred crore rupees.	₹500000
		Amount more than three hundred crore rupees.	Ten lakh rupees
3.	Any other applicant	In all cases	₹10000

(3) The application referred to in sub rule (1), the verification appended thereto, the annexures and the statements and documents accompanying the application shall be furnished electronically and shall be signed or digitally signed in the following manner:—

(a) where the applicant is a person required to furnish a return of income under the Act, the application and accompanying documents shall be signed or digitally signed by the person who is authorised to verify such return under section 265, and shall be furnished electronically—

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(ii) through electronic verification code, in any other case; or

(b) where the applicant is not a person required to furnish a return of income under the Act, the application and accompanying documents shall be signed or digitally signed by any person duly authorised by the applicant for this purpose and holding a valid power of attorney, and may be furnished using digital signature or electronic verification code as specified by the Board.

(4) Every application in the Form, as applicable, shall be accompanied by the proof of payment of fees as specified in sub-rule (2).

201. Certification of copies of advance rulings pronounced by Board for Advance Rulings under section 384(8). — The copy of the advance ruling pronounced by the Board, to be sent to the applicant and to the Commissioner having jurisdiction over his case, shall be certified to be true copy thereof by the Commissioner or Deputy Commissioner or Board for Advance Rulings, as the case may be.

202. Form and manner of filing appeal to High Court on ruling pronounced or order passed by Board for Advance Rulings under section 389(1). — The form and manner of filing appeal to the High Court under section 389(1) against a ruling pronounced or order passed by the Board for Advance Rulings by the assessee, or the

Assessing Officer on the directions of the Commissioner, shall be the same as provided in the applicable procedure laid down by the jurisdictional High Court for filing an appeal to that High Court.

203. Credit for tax deducted or collected at source.— (1) The credit for tax deducted at source or tax collected at source shall be given, on the basis of information relating to deduction or collection of tax furnished by the deductor or collector to the income-tax authority or the person authorised by such authority, in the following manner:—

(a) tax deducted at source and paid to the Central Government in accordance with the provisions of Chapter XIX of the Act, shall be given to the person to whom payment has been made or whose account has been credited (herein referred to as deductee); and

(b) tax collected at source and paid to the Central Government in accordance with the provisions of Chapter XIX of the Act, shall be given to the person from whom tax has been collected or whose account has been debited (herein referred to as collectee).

(2) Where the deductee files a declaration with the deductor that the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source is assessable in the hands of a person other than the deductee or where the collectee files a declaration with the collector that the income of the collectee is assessable in the hands of any person other than the collectee,—

(a) the deductor or collector shall report the tax deduction or collection in the name of the other person in the information relating to deduction or collection of tax referred to in sub-rule (1); and

(b) accordingly credit for such tax deducted or collected at source, as the case may be, shall be given to the other person and not to the deductee or collectee.

(3) The declaration filed by the deductee or collectee under sub-rule (2) shall contain the name, address, Permanent Account Number of the other person to whom credit is to be given, details of payment or credit in relation to which credit is to be given and reasons for giving credit to such person, and such declaration shall be kept in custody by the deductor or collector.

(4) The deductor or collector shall issue the certificate for deduction or collection of tax at source to the person in whose name credit is shown in the information relating to deduction or collection of tax referred to in sub-rule (1) and shall keep the certificate of deduction in his custody.

(5) The credit for tax deducted or collected at source and paid to the Central Government, shall be given for tax year for which the income is assessable to tax.

(6) (i) Where tax has been deducted at source and paid to the Central Government and the income corresponding to such tax is assessable over a number of years, credit for tax deducted at source shall be allowed across those years in the same proportion in which the income is assessable to tax.

(ii) Where tax has been collected at source and paid to the Central Government and the lease or license is relatable to more than one year, credit for tax collected at source shall be allowed across those years to which the lease or license relates in the same proportion.

(7) Irrespective of anything contained in sub-rules (1) to (6), for the purposes of section 393 (3) [Table: Sl. No. 5] and section 394(1) [Table: Sl. Nos. 6, 7 and 8], credit for tax so deducted or collected at source shall be given to the person from whose account tax is deducted or collected, as the case may be and paid to the Central Government account for the tax year in which such tax deduction or collection is made.

(8) Credit for tax deducted or collected at source and paid to the account of the Central Government shall be granted on the basis of the information referred in sub-rule (1) and the information in the return of income in respect of the claim for the credit, subject to verification in accordance with the risk management strategy formulated by the Board from time to time.

204. Furnishing of particulars for deduction of tax at source from income under head "Salaries".— (1) The assessee may furnish the following particulars in Form No. 122 to the person responsible for making the payment referred to in sub-section (1) of section 392, for the purpose of making deduction under the said sub-section:—

(a) any income under the head "Salaries" due or received by the assessee, from any other employer or employers during the tax year;

(b) any loss under the head "Income from house property" for the same tax year;

(c) any income chargeable under any head of income other than "Salaries", not being a loss under any such head [other than the loss specified in clause (b)] for the same tax year; and

(d) any tax deducted or collected at source under Chapter XIX-B of the Act for the same tax year.

(2) The person responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" shall furnish to the person to whom such payment is made, a statement giving correct and complete particulars of perquisites or profits in lieu of salary and the value thereof in—

(a) the relevant columns provided in Form No. 130, if the amount of salary paid or payable to the employee for the tax year is not more than ₹ 150000; or

(b) Form No. 123, if the amount of salary paid or payable to the employee for the tax year is more than ₹ 150000.

(3) "Salary" for the purposes of this rule shall have the same meaning as given in rule 15.

205. Furnishing of evidence of claims by employee under section 392(5)(b) for deduction of tax from income under head "Salaries".— (1) The assessee shall furnish to the person responsible for making payment under section 392(1), the evidence or the particulars of the claims referred to in sub-rule (2) in Form No. 124, for the purpose of estimating his income or for computing the tax required to be deducted at source.

(2) In respect of the claim specified in column B of the following Table, the assessee shall furnish the evidence or the particulars specified in column C thereof:

Table

Sl. No.	Nature of claims	Evidence or particulars
A	**B**	**C**
1	House rent allowance.	Name, address and Permanent Account Number of the landlord or landlords, where the aggregate rent paid during the tax year exceeds ₹ 100000 and relationship with the landlord, if any.
2	Leave travel concession or assistance.	Evidence of expenditure.
3	Deduction of interest under the head "Income from house property".	Name, address and Permanent Account Number of the lender.
4	Deduction under Chapter VIII.	Evidence of investment or expenditure.

206. Rate of exchange for conversion into rupees of income expressed in foreign currency.– (1) The rate of exchange for the calculation of the value in rupees of any income, accruing or arising or deemed to accrue or arise to the assessee in foreign currency, or received or deemed to be received by him or on his behalf in foreign currency, shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the specified date.

(2) For the purposes of this rule-

(a)"telegraphic transfer buying rate" shall have the meaning assigned to it in rule 207; and

(b) (i) the "specified date" in respect of the nature of income referred in column B of the following Table shall be as given in column C:

Table

Sl. No.	Types of Income	Specified Date
A	B	C
1.	Income chargeable under the head "Salaries".	Last day of the month, immediately preceding the month in which salary is due, or is paid in advance, or arrears.
2.	Income by way of interest on securities.	Last day of the month, immediately preceding the month in which the income is due.
3.	Income chargeable under the heads "Income from house property", "Profits and gains of business or profession" (not being income referred to in Sl.No. 4), and "Income from other sources" (excluding dividends and interest on securities).	Last day of the tax year of the assessee.
4.	Income chargeable under the head "Profits and gains of business or profession" in the case of a non-resident engaged in the business of operation of ships.	Last day of the month, immediately preceding the month in which the income is deemed to arise in India.
5.	Income by way of dividends.	Last day of the month, immediately preceding the month in which dividend is declared, distributed, or paid by the company.

6.	Income chargeable under the head "Capital gains".	Last day of the month, immediately preceding the month of in which the capital asset in the table is transferred;

(ii) the specified date, in respect of income referred to in sub-clause (ii), payable in foreign currency and from which tax has been deducted at source under rule 207, shall be the date on which the tax was required to be deducted under the provisions of the Chapter XIX-B.

(3) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply in respect of income referred to in sub-rule (2)(b) [Table:Sl.No. 3], where such income is received in, or brought into India by the assessee or on his behalf before the specified date, in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

207. Rate of exchange for purpose of deduction of tax at source on income payable in foreign currency.— (1) For the purpose of deduction of tax at source on any income payable in foreign currency as specified in sub-rule (2), the rate of exchange for calculation of the value in rupees shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the date on which such tax is required to be deducted under the provisions of Chapter XIX-B of the Act; but where the telegraphic transfer buying rate is not published on such date, the last such published rate may be taken.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be applicable in respect of income payable—

(a) to an assessee outside India; or

(b) to a Unit located in an International Financial Services Centre; or

(c) by a Unit located in an International Financial Services Centre, to an assessee in India.

(3) For the purposes of this rule,—

(a) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(q) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(b) "telegraphic transfer buying rate", in relation to a foreign currency, means the rate or rates of exchange adopted by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), for buying such currency, having regard to the guidelines specified from time to time by the Reserve Bank of India for buying such currency, where such currency is made available to that bank through a telegraphic transfer; and

(c) "Unit" shall have the meaning assigned to it in section 2(zc) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

208. Furnishing of declaration and evidence of claims by specified senior citizen under section 393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)].— (1) The declaration under section 402(39)(c) read with section 393 (1) [Table: Sl. No. 8(iii)], may be furnished by the specified senior citizen to the specified bank in Form No. 125.

(2) The specified bank shall, after giving effect to the deduction allowable under Chapter VIII and rebate allowable under section 156, compute the total income of such specified senior citizen for the relevant tax year and deduct income-tax on such total income, on the basis of the rates in force.

(3) The effect to the deduction allowable under Chapter VIII shall be given based on the evidence furnished by the specified senior citizen during the tax year.

(4) The declaration referred to in sub-rule (1) and evidence for claiming deduction under Chapter VIII referred to in sub-rule (3) shall be properly maintained by the Specified Bank and shall be made available to the Chief Commissioner of Income-tax, as and when required.

209. Application by payee for certificate authorising receipt of interest and other sums without deduction of tax.— (1) Any person, as mentioned in column B of the following Table, entitled to receive any interest or any other sum of the nature specified in section 393(2) [Table: Sl. No. 17], on fulfilment of the conditions specified in column C thereof, may make an application in Form No. 126, for grant of a certificate under section 395(1) authorising him to receive without deduction of tax, any such income or sum as specified in column D thereof:

Table

Sl. No.	Person	Conditions	Nature of income or sum
A	**B**	**C**	**D**
1.	Banking company or an insurer (as defined in	(a) The person concerned has been regularly assessed to income-tax in	Any income by way of interest, not being interest

	section (2)(9)(d) of Insurance Act, 1938 (4 of 1938)), which is not a domestic company, and which carries on operations in India through a branch.	India and has furnished the returns of income for last five tax years for which such returns became due on or before the date on which the application under this rule is made; (b) he is not in default or deemed to be in default in respect of any tax (including advance tax and tax payable under section 266), interest, penalty, fine, or any other sum payable under the Act; and (c) the interest or other sum is receivable by the branches on their own account and not on behalf of its head office or any branch situated outside India, or any other person.	on securities (other than interest payable on securities referred to in section 393(4) [Table: Sl. No. 6]), or any other sum, not being dividends.
2.	Any person other than the person referred to in Sl. No. 1 who carries on a business or profession in India through a branch.	(a) The conditions specified in Sl. No. 1; (b) he has been carrying on business or profession in India continuously for a period of not less than five years immediately preceding the date of the application; and (c) the value of the fixed assets in India of such business or profession as shown in his books of account for the tax year, which ended immediately before the date of the application, or where the accounts in respect of such tax year have not been made up before the said date, the tax year immediately preceding that year, exceeds fifty lakhs rupees.	Any sum not being interest or dividends.

(2) The certificate granted by the Assessing Officer under section 395(1) shall be valid for the tax year specified therein, unless it is cancelled by him at any time before the expiry of the said tax year.
(3) An application for a fresh certificate may be made, if required, after the expiry of validity of the earlier certificate, or within three months before the expiry thereof.

210. Condition for no deduction of tax at source from income in respect of units of non-residents referred to in section 393(2) [Table: Sl. No. 10] read with section 393(4) [Table: Sl. No. 15].— Income payable in respect of units of the Unit Trust of India to a non-resident Indian or a non-resident Hindu undivided family, shall not be subject to deduction of tax at source, where such units have been acquired from the Unit Trust of India out of the funds in a non-resident (External) account, maintained with any bank in India or by remittance of funds in foreign currency, in accordance, in either case, with the provisions of the Foreign Exchange Management Act , 1999 (42 of 1999), and the rules made thereunder.

211. Declaration by person claiming receipt of certain incomes without deduction of tax under section 393(6). — (1) A declaration under section 393(6) shall be furnished in Form No. 121.
(2) The declaration referred to in sub-rule (1) may be furnished in any of the following manner:—
(a) electronically after duly verifying through an electronic process; or

(b) in paper form.

(3) The person responsible for paying any income or sum of any nature referred to in section 393(6), shall allot a unique identification number to each declaration received by him in Form No. 121, during every quarter of the financial year in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Director General of Income-tax (Systems).

(4) The person responsible for paying any income or sum of any nature referred to in section 393(6), shall furnish the statement of deduction of tax referred to in rule 219, containing the particulars of declaration received by him during each quarter of the tax year along with the unique identification number referred to in sub-rule (3), regardless of the fact that no tax has been deducted in the said quarter.

(5) Subject to the provisions at sub-rule (4), an income-tax authority may, before the end of seven years from the end of the tax year in which the declaration has been received, require the person referred to in sub-rule (3) to furnish or make available the declaration for the purposes of verification or any proceeding under the Act.

212. Declaration by a buyer for no collection of tax at source under section 394(2).— (1) A declaration under section 394(2), certifying that the goods being purchased as referred to in section 394(1) [Table: Sl. Nos. 1 to 5] are to be utilised for the purposes of manufacturing, processing or producing articles or things and not for trading purposes, shall be in Form No. 127 and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) The declaration referred to in sub-rule (1) shall be furnished in duplicate to the person responsible for collecting tax.

(3) The person referred to in sub-rule (2) shall deliver or cause to be delivered to the Chief Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, one copy of the declaration referred to in sub-rule (1), on or before the 7th day of the month, succeeding the month in which the declaration is furnished to him.

(4) For the purposes of sub-rule (3), the Chief Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax means the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax to whom the Assessing Officer, having jurisdiction to assess the person referred to in sub-rule (2), is subordinate.

213. Application for grant of certificates for deduction or collection of income-tax at any lower rates, or no deduction of income-tax.— (1) An application shall be made in Form No. 128 for grant of a certificate for —

(a) the deduction of income-tax at any lower rates, or no deduction of income-tax, under sub-section (1) of section 395; or

(b) the collection of income-tax at any lower rates under sub-section (3) of the said section.

(2) The provisions of sub-rule (1) may not be applicable to the person, who is eligible for a certificate of no deduction of tax in respect of income or sum specified under rule 209.

(3) The Assessing Officer may issue the certificate specified in sub-rule (1), after taking into consideration the following:—

(a) tax payable on the estimated income for the tax year under consideration;

(b) tax paid or payable on the returned income, assessed income or estimated income, as the case may be, of last four tax years;

(c) existing liability under the Act, and the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal); and

(d) advance tax payments, taxes deducted or collected at source at the credit of the taxpayer as on the date of application for the tax year for which application is made.

(4) In case of a person being a specified entity, as referred to in section 263(9)(c), or a registered non-profit organisation, the Assessing Officer, before issue of certificate specified under sub-rule (1), shall in addition to conditions specified in sub-rule (3), take into consideration the following:—

(a) the specified entity is approved for the purpose of exemption from income-tax as on the date of application and also as on date of grant of certificate for that tax year; and

(b) the person concerned has furnished the returns of income for last four tax years, for which such returns became due on or before the date on which the application under sub-rule (1) is made.

(5) In a case, where a certificate is to be issued in respect of dividend income referred to in section 393(1) [Table: Sl. No. 7], the following conditions shall also be required to be fulfilled, in addition to conditions specified in sub-rule (3): —

(a) the shares in respect of which the certificate is sought shall be shares in public companies; and

(b) (i) such shares stand in the name of the applicant and are beneficially owned by him and the dividends therefrom are not includible in total income of any other person under sections 96 to 99; or

(ii) such shares stand in the name of the applicant and are held by him on behalf of a registered non-profit organisation and the dividends therefrom are exempt from tax under Chapter XIX-B of the Act.

(6) The certificate specified under sub-rule (5) shall cease to operate from the date of notice to the company for transfer of shares mentioned therein to another person, to the extent of income corresponding to the shares so transferred.

(7) The certificate specified under this rule shall be valid for such period of the tax year, as may be specified in the certificate, unless it is cancelled by the Assessing Officer at any time before the expiry of the specified period.

(8) The certificate shall be issued in the name of the person responsible for deducting or collecting the tax, under advice to the applicant and shall be valid only in respect of—

(a) a specified payment from the specified deductor, to the extent of the amount specified in the certificate; and

(b) a specified receipt from the specified collector, to the extent of the amount specified in the certificate.

(9) Where the number of persons responsible for deducting the tax is likely to exceed one hundred and details of such persons are not available with the applicant at the time of making application, the certificate for deduction of income-tax at lower rate may be issued in the name of the applicant authorising him—

(a) to receive specified payments at appropriate rate of deduction;

(b) to generate appropriate certificate and provide to the person responsible for deducting tax; and

(c) such certificate shall be generated from the portal of the Income-tax Department.

214. Application by payer for grant of certificate under section 395(2) or section 400(3) for determination of appropriate proportion of sum (other than salary), payable to non-resident, chargeable in case of recipients.—

(1) An application by a person for determination of appropriate proportion of sum chargeable in the case of non-resident recipient under section 395(2) or section 400(3), shall be made in Form No. 129.

(2) The Assessing Officer shall examine, whether the sum being paid or credited by such person to the non-resident is chargeable to tax under the provisions of the Act read with the relevant Double Taxation Avoidance Agreement, if any, and—

(a) where the whole of such sum would not be the income chargeable in case of the non-resident recipient, he shall proceed to determine the appropriate proportion of such sum chargeable to tax; and

(b) issue a certificate thereof for tax deduction under section 393(2) [Table: Sl. No. 17].

(3) The Assessing Officer shall issue the certificate specified in sub-rule (2), after taking into consideration the following in relation to the recipient:—

(a)tax payable on estimated income of the relevant tax year;

(b)tax payable on the assessed or returned or estimated income, as the case may be, of preceding four tax years;

(c)existing liability under the Act, and the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (as it existed prior to its repeal); and

(d)advance tax payment, tax deducted at source and tax collected at source for the relevant tax year, till the date of making application or till the date of issuance of certificate.

(4) The certificate shall be valid only for the payment to non-resident named therein and for such period of the tax year as may be specified in the certificate, unless it is cancelled by the Assessing Officer at any time before the expiry of the specified period.

(5) An application for a fresh certificate may be made by the assessee after the expiry of the period of validity of the earlier certificate, or within three months before the expiry thereof.

215. Certificate of tax deducted or collected at source to be furnished under section 395(4).— (1) The certificate of deduction or collection of tax at source by any person under Chapter XIX-B of the Act or the certificate of payment of tax by the employer on behalf of the employee under section 392(2)(a), corresponding to sections under which deductions, payments or collections are made as referred to in column B of the following table, shall be furnished to the employee, or payee, or buyer, or licensee, or lessee, as the case may be, after generating and downloading the same from the web portal specified by the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him, in the Form as referred in column C thereof and within the time specified in corresponding entry in column D of the said Table:

Table

Sl. No.	Section under which tax deducted, paid or collected	Form	Due date
A	B	C	D
1	Deduction or payment of tax under sections	130	By the 15th June of the financial year

	392 [Other than sub-section (7) thereof] and 393(1) [Table: Sl.No.8 (iii)].		immediately following the tax year in which the income was paid and tax deducted.
2	Deduction under sections 392(7), 393(1) (other than [Table: Sl. Nos. (2)(i), (3)(i), (6)(ii), and (8)(vi)]) and 393(2) and (3).	131	Within fifteen days from the due date for furnishing statement of tax deducted at source under rule 219.
3	Deduction under section 393(1)— (a) [Table: Sl. No. (2)(i)]; (b) [Table: Sl. No. (3)(i)]; (c) [Table: Sl. No. (6)(ii)]; and (d) [Table: Sl. No. (8)(vi)].	132	Within fifteen days from the due date for furnishing challan cum statement in Form No. 141.
4	Collection under section 394(1).	133	Within fifteen days from the due date for furnishing statement of tax collected at source under rule 219.

(2) If an assessee is employed by more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A and B of the certificate in Form No. 130, pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers and Part C may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
(3) The deductor or collector may issue a duplicate certificate in Form No. 130 or Form No. 131 or Form No. 133, as the case may be, if the deductee or collectee has lost the original certificate so issued and makes a request for issuance of a duplicate certificate and such duplicate certificate is certified as duplicate by the deductor or collector.
(4) Where a certificate is to be furnished in Form No. 130, or Form No. 131, or Form No. 132, or Form No. 133, the deductor may, at his option, use digital signatures to authenticate such certificates.
(5) In case of certificates issued under sub-rule (4), the person furnishing the certificate shall ensure that—
(a) once the certificate is digitally signed, the contents of the certificates are not amenable to change; and
(b) the certificates have a control number and a log of such certificates is maintained by the deductor.
(6) For the purposes of this rule, challan identification number means the number comprising the Basic Statistical Returns (BSR) Code of the Bank branch where the tax has been deposited, the date on which the tax has been deposited and Challan Serial Number given by the bank.
(7) The certificate shall be generated and downloaded in accordance with the procedures, formats and standards specified under rule 332.

216. Application for allotment of a tax deduction and collection account number.— (1) The application under section 397(1)(a) for the allotment of a tax deduction and collection account number shall be made in—
(a) Form No. 134, in case of a Government entity; or
(b) Form No. 135, in case of a person other than a Government entity.
(2) An application for allotment of a tax deduction and collection account number may also be made through a common application form as notified by the Central Government, by such persons as mentioned in the said notification.
(3) An application referred to in sub-rule (1) or (2) shall be made to such officer to whom function of allotment of tax deduction and collection account number under section 397(1)(a) has been assigned by the Director General of Income-tax (Systems).
(4) The application referred to in sub-rule (1) or (2) shall be made—
(a) prior to the deduction or collection of tax; and
(b) where it has not been so made, then within thirty days from the end of the month in which the tax was deducted or collected, as the case may be.
(5) The application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by the documents mentioned in column D of the Table under sub-rule (8) of rule 158, as proof of identity, address and date of birth or date of incorporation, as the case may be, in respect of an applicant mentioned in column B of the said Table.
(6) For the purposes of this rule, "Government entity" means—
(a) an entity of the Central Government; or
(b) an entity of the State Government; or
(c) any local authority (Central Government); or
(d) any local authority (State Government),
but shall not include any company or any statutory or autonomous body constituted by any Act of the Central Government or State Government.

217. Conditions under section 397(2)(c) for non-application of deduction of tax at higher rate, in case of non-residents.— (1) The provisions of section 397(2)(b)(i) shall not apply to a non-resident, not being a company, or a

foreign company (the deductee), where such deductee does not have a Permanent Account Number, in respect of payments in the nature of interest, royalty, fees for technical services, dividend and payments on transfer of any capital asset, if the deductee furnishes the details and the documents specified in sub-rule (2) to the deductor.

(2) The details and documents referred to in sub-rule (1) shall be the following:—

(a) name, e-mail id, contact number;

(b) address in the country or specified territory outside India of which the deductee is a resident;

(c) a certificate of his being resident in any country or specified territory outside India from the Government of that country or specified territory, if the law of that country or specified territory provides for issuance of such certificate; and

(d) Tax Identification Number of the deductee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the deductee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.

(3) The provisions of section 397(2)(b)(i) shall also not apply in respect of payments made to a person being a non-resident, not being a company, or a foreign company, if such person is not required to apply for PAN in view of the provisions of section 262 and rules prescribed therein.

218. Time and mode of payment to Government account of tax deducted or collected at source or tax paid under section 392(2)(a).— (1) All sums deducted or collected under the provisions of Chapter XIX-B of the Act or construed as deductible under section 392(2), by an office of the Government, shall be paid to the credit of the Central Government—

(a) on the same day, where the tax is paid without production of an income-tax challan; and

(b) on or before seven days from the end of the month in which the deduction or collection is made or income-tax is due under section 392(2)(a), where tax is paid accompanied by an income-tax challan.

(2) All sums deducted or collected under the provisions of Chapter XIX-B of the Act by deductors or collectors or construed as deductible under section 392(2), as the case may be, other than an office of the Government, shall be paid to the credit of the Central Government—

(a) on or before 30th April, where the income or amount is credited or paid, or debited or received in the month of March; and

(b) in any other case, on or before seven days from the end of the month in which—

(i) the deduction or collection is made; or

(ii) income-tax is due under section 392(2)(a).

(3) Irrespective of anything contained in sub-rules (1) and (2), where any sum is deducted under section 393(1) in respect of following nature of income or sum,—

(a) any income by way of rent (section 393(1) [Table: Sl. No. (2)(i)]); or

(b) any consideration for transfer of any immovable property (other than agricultural land) (section 393(1) [Table: Sl. No. (3)(i)]); or

(c) any sum–

(i) for carrying out any work (including supply of labour for carrying out any work) in pursuance of a contract; or

(ii) by way of fees for professional services; or

(iii) by way of commission [not being insurance commission referred to in section 393(1) [Table: Sl. No. (1)(i)] or brokerage,

section 393(1) [Table: Sl. No. (6)(ii)];

(d) any sum by way of consideration for transfer of a virtual digital asset (section 393(1) [Table: Sl. No. (8)(vi)]);

the payment of such sum to the credit of the Central Government, shall be made within a period of thirty days from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a challan-cum-statement in Form No. 141.

(4) Irrespective of anything contained in sub-rule (2), in special cases, the Assessing Officer may, with the prior approval of the Joint Commissioner of Income-tax, permit quarterly payment of the tax deducted under section 392(1) or 393(1) [Table: Sl. Nos. (1)(i) and (ii), and 5(ii) and (iii)] for the quarters of the tax year specified to in column B of the following Table by the date referred to in column C of thereof:

Table

Sl. No.	Quarter of the financial year ended on	Date for quarterly payment
A	B	C
1.	30th June.	7th July.

2.	30th September.	7th October.
3.	31st December.	7th January.
4.	31st March.	30th April.

(5) In the case of an office of the Government, where tax has been paid to the credit of the Central Government without the production of a challan,—

(a) the Pay and Accounts Officer or the District Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person, by whatever name called, to whom the deductor or collector reports the tax so deducted or collected and who is responsible for crediting such sum to the credit of the Central Government, shall submit a statement in Form No. 137; and

(b) such statement shall be submitted to the Director General of Income-tax (Systems) or any other person authorised by him.

(6) Statement referred to in sub-rule (5) shall be furnished—

(a) on or before the 30th April, where the statement relates to the month of March; and

(b) in any other case, on or before fifteen days from the end of relevant month.

(7) The persons referred to in sub-rule (5), shall intimate the number (herein referred to as the Book Identification Number), generated by the Director General of Income-tax (Systems), or any other person authorised by him, to each of the deductors or collectors in respect of whom the sum deducted or collected has been credited.

(8) The persons referred to in sub-rule (5), shall—

(a) obtain an Account Office Identification Number (AIN) for filing Form No. 137;

(b) file Form 136 for obtaining Account Office Identification Number (AIN);

(9) Where tax is to be deposited along with an income-tax challan, it shall be remitted into any branch of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank.

(10) Where tax is to be deposited along with an income-tax challan by persons referred to in rule 333 or where tax is to be deposited along with by an income-tax challan cum statement in accordance with sub-rule (3), it shall be remitted electronically into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank.

(11) The Director General of Income-tax (Systems), shall specify the procedure, formats and standards for the purposes of remitting the amount electronically to the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank, and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the remitting of the amount electronically in the manner so specified.

219. Statement of deduction or collection of tax at source under section 397(3)(b):— (1) Every person responsible for deduction of tax or collection of tax at source under Chapter XIX-B of the Act with respect to the sections referred in column B of the following Table, shall, as per section 397(3)(b), deliver, or cause to be delivered, to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him, the quarterly statements in the Form as referred to in column C thereof:

Table

Sl. No.	**Section under which tax deducted, paid or collected**	**Form**
A	**B**	**C**
1	Section 392 [other than section 392(7)] and section 393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)].	**138.**
2	Sections 392(7), 393(2) and 393(3), in respect of the deductee who is a non-resident, not being a company or a foreign company or a resident but not ordinarily resident.	**144.**
3	Sections 392(7), 393(1) (other than [Table: Sl. No. 8(iii)]) and 393(3), in respect of the deductee other than the deductee referred to in Sl. No. 2.	**140.**
4	Section 394(1).	**143.**

(2) Where under the guidelines issued under section 400(2) read with section 393(1) [Table: Sl. No. (8)(vi)], the exchange has agreed to pay tax in relation to a transaction of transfer of a virtual digital asset, owned by it, as an alternative to tax required to be deducted by the buyer of such asset under section 393(1) [Table: Sl. No.(8)(vi)], the exchange shall deliver or cause to be delivered, a quarterly statement of such transactions in Form No. 142.

(3) The exchange referred to in sub-rule (2) shall, at the time of preparing the quarterly statement in Form No. 142, furnish particulars of the amount paid or credited, on which tax was not deducted in accordance with guidelines issued under section 400(2).

(4) The statements referred to in sub-rules (1) and (2) for the quarter of the financial year ending with the date specified in column B of the following Table shall be furnished by the due date specified in the corresponding entry in column C thereof:

Table

Sl. No.	Date of ending of quarter of financial year	Due date
A	B	C
1.	30th June.	31st July of the financial year.
2.	30th September.	31st October of the financial year.
3.	31st December.	31st January of the financial year.
4.	31st March.	31st May of the financial year immediately following the tax year in which the deduction or collection, as the case may be, is required to be made.

(5) Irrespective of anything contained in sub-rule (1) or (2) or (4), a challan-cum-statement in Form No. 141 shall be furnished within thirty days from the end of the month in which the deduction is made by the person responsible for deduction of tax under the following sections:

(a) section 393(1) [Table Sl. No. (2)(i)];

(b) section 393(1) [Table Sl. No. (3)(i)];

(c) section 393(1) [Table Sl. No. (6)(ii)]; and

(d) section 393(1) [Table Sl. No. (8)(vi)].

(6) A claim for refund, for the sum paid to the credit of the Central Government under Chapter XIX-B of the Act shall be furnished by the deductor in Form No. 139.

(7) In cases, where the trustees of an approved superannuation fund pay any contributions made by an employer, including interest on such contributions, to an employee during his life-time, they shall send within two months from the end of the financial year to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him, a statement giving the following particulars:—

(a) name of the superannuation fund;

(b) name and address of the employee;

(c) the period for which the employee has contributed to the superannuation fund;

(d) the amount of contribution repaid on account of principal and interest;

(e) the average rate of deduction of tax during the preceding three years; and

(f) the amount of tax deducted on repayment.

(8) A duly-signed verification in the following Form shall be annexed to the statement referred to in sub-rule (1):

FORM OF VERIFICATION

We/I, the trustee(s) of the above named fund, do declare that what is stated in the above statement is true to the best of our/my information and belief.

(9) For the purposes of sub-rule (2),—

(a) "exchange" means a person that operates an application or platform for transfer of virtual digital assets, which matches buy and sell trades and execute the same on their application or platform; and

(b) "virtual digital asset" shall have meaning assigned to it in section 2(111).

220. Furnishing of information for payment to a non-resident, not being a company, or to a foreign company.—(1) The person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any sum chargeable under the Act, shall furnish the following:—

(a)information in Part A of Form No. 145, if the amount of payment or the aggregate of such payments, as the case may be, made during the tax year does not exceed ₹ 500000;

(b)information in Part B of Form No. 145, if the amount of payment or the aggregate of such payments exceeds ₹ 500000 and where a certificate or order is obtained from the Assessing Officer under section 395(1) or (2);

(c)information in Part C of Form No. 145, if the amount of payment or the aggregate of such payments exceeds ₹ 500000 and where a certificate in Form No. 146 from an accountant as defined in section 515(3)(b) is obtained, but where information in Part B of the said Form has been furnished, no information is required to be furnished in Part C of the said Form.

(2) The person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any sum which is not chargeable under the provisions of the Act, shall furnish the information in Part D of Form No. 145.

(3) No information shall be required to be furnished for any sum that is not chargeable under the Act, irrespective of sub-rule (2), if,—

(a) the remittance is made by an individual and it does not require prior approval of Reserve Bank of India as per the provisions of section 5 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) read with Schedule III to the Foreign Exchange (Current Account Transaction) Rules, 2000 made under the said Act; or

(b) the remittance is made by a Unit of an International Financial Services Centre referred to in section 147(1)(b); or

(c) the remittance is of the nature specified in column C of the specified list below:

Sl. No.	Purpose code as per Reserve Bank of India	Nature of payment
A	B	C
1	S0001	Indian investment abroad - in equity capital(shares).
2	S0002	Indian investment abroad - in debt securities.
3	S0003	Indian investment abroad - in branches and wholly owned subsidiaries.
4	S0004	Indian investment abroad - in subsidiaries and associates.
5	S0005	Indian investment abroad - in real estate.
6	S0011	Loans extended to non-residents.
7	S0101	Advance payment against imports.
8	S0102	Payment towards import (settlement of invoice).
9	S0103	Imports by diplomatic missions.
10	S0104	Intermediary trade.
11	S0190	Imports below ₹500000. - (For use by Exchange Control Department offices).
12	S0202	Payment for operating expenses of Indian shipping companies operating abroad.
13	S0208	Operating expenses of Indian Airlines companies operating abroad.
14	S0212	Booking of passages abroad - Airlines companies.
15	S0301	Remittance towards business travel.
16	S0302	Travel under basic travel quota (BTQ).
17	S0303	Travel for pilgrimage.
18	S0304	Travel for medical treatment.
19	S0305	Travel for education (including fees, hostel expenses etc.).
20	S0401	Postal services.
21	S0501	Construction of projects abroad by Indian companies including import of goods at project site.
22	S0602	Freight insurance - relating to import and export of goods.
23	S1011	Payments for maintenance of offices abroad.
24	S1201	Maintenance of Indian embassies abroad.
25	S1202	Remittances by foreign embassies in India.
26	S1301	Remittance by non-residents towards family maintenance and savings.

27	S1302	Remittance towards personal gifts and donations.
28	S1303	Remittance towards donations to religious and charitable institutions abroad.
29	S1304	Remittance towards grants and donations to other Governments and charitable institutions established by the Governments.
30	S1305	Contributions or donations by the Government to international institutions.
31	S1306	Remittance towards payment or refund of taxes.
32	S1501	Refunds or rebates or reduction in invoice value on account of exports.
33	S1503	Payments by residents for international bidding.

(4) The information in Form No. 145 shall be furnished,—

(a) electronically under digital signature in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Director General of Income-tax (Systems) under rule 332 and thereafter the said Form shall be submitted to the authorised dealer electronically or otherwise, prior to remitting the payment; or

(b) electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Director General of Income-tax (Systems) under rule 332 and thereafter a signed printout of the said Form shall be submitted to the authorised dealer electronically or otherwise, prior to remitting the payment.

(5) An income-tax authority may require the authorised dealer to furnish a copy of Form No. 145 referred to in sub-rule (4)(b) for the purposes of any proceedings under the Act.

(6) A quarterly statement, for each quarter of the financial year shall be furnished in respect of all remittances referred to in sub-rules (1), (2) and (3) by—

(a) the authorised dealer in Form No. 147; or

(b) a Unit of an International Financial Services Centre referred to in 147(1)(b), responsible for paying to a non-resident (not being a company) or to a foreign company, in Form No. 148,

to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him, within fifteen days from the end of the quarter of the tax year to which such statement relates.

(7) For the purposes of this rule,—

(a) "authorised dealer" means a person authorised as an authorised dealer under section 10(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) ;

(b)"International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(q) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and

(c)"Unit" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(zc) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

221. Form for furnishing certificate of accountant under Section 398(2) for person responsible for deduction or collection of tax as per section 394(1)[Table: Sl. No. 1 to 5 and 9] not to be deemed to be an assessee in default:— (1) The certificate from an accountant, as defined in section 515(3)(b), under section 398(2) shall be furnished,—

(a) in Form No. 149, for non-deduction or short deduction of tax; and

(b) in Form no. 150, for non-collection or short collection of tax.

(2) Form No. 149 or Form No. 150 referred to in sub-rule (1) shall be furnished to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him.

222. Notice of demand under section 289. — Irrespective of anything contained in rule 179, the notice of demand under section 289 to be served upon the assessee in pursuance of an order under section 407, shall be in Form No. 151.

223. Estimate of advance tax under section 407(8). — The intimation, which an assessee has to send to the Assessing Officer under section 407(8), shall be in Form No. 152.

224. Form of statement under section 413 or section 414.— A statement under section 413 or section 414 shall be drawn up by the Tax Recovery Officer in Form No. 153.

225. Procedure for recovery of tax for the purposes of sections 413 and 475.—

(1) Definitions: In this rule, unless the context otherwise requires, —

(a) "certificate", except in sub-rules (7), (44), (65) and 66 (b), means the certificate drawn up by the Tax Recovery Officer under section 413 in respect of any assessee referred to in that section;

(b) "defaulter" means the assessee mentioned in the certificate;

(c) "execution", in relation to a certificate, means recovery of arrears in pursuance of the certificate;

(d) "movable property" includes growing crops;

(e) "officer" means a person authorised to make an attachment or sale under this rule; and

(f) "share in a corporation" includes stock, debenture-stock, debentures or bonds.

(2) Issue of notice: When a certificate has been drawn up by the Tax Recovery Officer for the recovery of arrears under this rule, the Tax Recovery Officer shall cause to be served upon the defaulter a notice requiring the defaulter to pay the amount specified in the certificate, within fifteen days from the date of service of the notice and intimating that in default steps would be taken to realise the amount under this rule.

(3) When certificate may be executed: (a) Subject to the provisions of clauses (b) and (c), no step in execution of a certificate shall be taken until the period of fifteen days has elapsed, since the date of the service of the notice required by sub-rule (2);

(b) if the Tax Recovery Officer is satisfied that the defaulter is likely to conceal, remove or dispose of the whole or any part of such of his movable property as would be liable to attachment in execution of a decree of a Civil Court and that the realisation of the amount of the certificate would in consequence be delayed or obstructed, he may at any time direct, for reasons to be recorded in writing, an attachment of the whole or any part of such property; and

(c) if the defaulter, whose property has been so attached, furnishes security to the satisfaction of the Tax Recovery Officer, such attachment shall be cancelled from the date on which such security is accepted by the Tax Recovery Officer.

(4) Mode of recovery: If the amount mentioned in the notice is not paid within the time specified therein or within such further time as the Tax Recovery Officer may grant in his discretion, the Tax Recovery Officer shall proceed to realise the amount by one or more of the following modes:

(a) by attachment and sale **of** movable property of the defaulter;

(b) by attachment and sale of immovable property of the defaulter;

(c) by arrest of the defaulter and his detention in prison;

(d) by appointing a receiver for the management of the movable and immovable properties of the defaulter.

(5) Interest, costs and charges recoverable: There shall be recoverable, in the proceedings in execution of every certificate, —

(a) such interest upon the amount of tax or penalty or other sum to which the certificate relates as is payable in accordance with section 411(3); and

(b) all charges incurred in respect of—

(i) the service of notice upon the defaulter to pay the arrears, and of warrants and other processes; and

(ii) all other proceedings taken for realising the arrears.

(6) Title of Purchaser: (a) Where property is sold in execution of a certificate, there shall vest in the purchaser merely the right, title and interest of the defaulter at the time of the sale, even though the property itself is specified.

(b) Where immovable property is sold in execution of a certificate, and such sale has become absolute, the right, title and interest of the purchaser shall be deemed to have vested in him from the time when the property is sold, and not from the time when the sale becomes absolute.

(7) Suit against purchaser shall not be maintainable on the ground of purchase being made on behalf of plaintiff: (a) No suit shall be maintained against any person claiming title under a purchase certified by the Tax Recovery Officer in the manner laid down in this rule, on the ground that the purchase was made on behalf of the plaintiff or on behalf of someone through whom the plaintiff claims.

(b) Nothing in this rule shall bar a suit to obtain a declaration that the name of any purchaser, certified as aforesaid, was inserted in the certificate fraudulently or without the consent of the real purchaser, or interfere with the right of a

third person to proceed against that property, though ostensibly sold to the certified purchaser, on the ground that it is liable to satisfy a claim of such third person against the real owner.

(8) Disposal of proceeds of execution: (a) Whenever assets are realised by sale or otherwise in execution of a certificate, the proceeds shall be disposed of in the following manner, namely :—

(i) they shall first be adjusted towards the amount due under the certificate in execution of which the assets were realised and the costs incurred in the course of such execution;

(ii) if there remains a balance, after the adjustment referred to in item (i), the same shall be utilised for satisfaction of any other amount recoverable from the assessee under the Act, which may be due on the date on which the assets were realised; and

(iii) the balance, if any, remaining after the adjustments under sub-clauses (i) and (ii) shall be paid to the defaulter.

(b) If the defaulter disputes any adjustment under sub-rule 8(a)(ii), the Tax Recovery Officer shall determine the dispute.

(9) General bar to jurisdiction of Civil Courts, save where fraud alleged: (a) Subject to provisions of clause (b) and except as otherwise expressly provided in the Act, every question arising between the Tax Recovery Officer and the defaulter or their representatives, relating to the execution, discharge or satisfaction of a certificate , or relating to the confirmation or setting aside by an order under the Act, of a sale held in execution of such certificate, shall be determined, not by suit, but by order of the Tax Recovery Officer before whom such question arises; and

(b) a suit may be brought in a **Civil Court** in respect of any such question upon the ground of fraud.

(10) Property exempt from attachment: (a) All such property as is by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), exempted from attachment and sale in execution of a decree of a **Civil Court,** shall be exempt from attachment and sale **under** this rule; and

(b) decision of the Tax Recovery Officer as to what property is so entitled to exemption shall be conclusive.

(11) Investigation by Tax Recovery Officer: (a) Where any claim is preferred to, or any objection is made to, the attachment or sale of, any property in execution of a certificate, on the ground that such property is not liable to such attachment or sale, the Tax Recovery Officer shall proceed to investigate the claim or objection, but no such investigation shall be made where the Tax Recovery Officer considers that the claim or objection was designedly or unnecessarily delayed;

(b) where the property to which the claim or objection applies has been advertised for sale, the Tax Recovery Officer ordering the sale may postpone it, pending the investigation of the claim or objection, upon such terms as to security, or otherwise as the Tax Recovery Officer shall deem fit;

(c) the claimant or objector shall adduce evidence to show—

(i) in the case of immovable property, at the date of the service of the notice issued under this rule to pay the arrears; or

(ii) in the case of movable property, at the date of the attachment,

that he had some interest in, or was possessed of, the property in question.

(d) where, upon the said investigation, the Tax Recovery Officer is satisfied that, for the reason stated in the claim or objection, such property was not, at the said date, in the possession of the defaulter or of some person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, or that, being in the possession of the defaulter at the said date, it was so in his possession, not on his own account or as his own property, but on account of or in trust for some other person, or partly on his own account and partly on account of some other person, the Tax Recovery Officer shall make an order releasing the property, wholly or to such extent as he thinks fit, from attachment or sale;

(e) where the Tax Recovery Officer is satisfied that the property was, at the said date, in the possession of the defaulter as his own property and not on account of any other person, or was in the possession of some other person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, the Tax Recovery Officer shall disallow the claim; and

(f) where a claim or an objection is preferred, the party against whom an order is made may institute a suit in a Civil Court to establish the right, which he claims to the property in dispute; but, subject to the result of such suit (if any), the order of the Tax Recovery Officer shall be conclusive.

(12) Removal of attachment on satisfaction or cancellation of certificate: Where—

(a) the amount due, with costs and all charges and expenses resulting from the attachment of any property or incurred in order to hold a sale, are paid to the Tax Recovery Officer; or

(b) the certificate is cancelled,

the attachment shall be deemed to be withdrawn and, in the case of immovable property, the withdrawal shall, if the defaulter so desires, be proclaimed at his expense, and a copy of the proclamation shall be affixed in the manner provided in this rule for a proclamation of sale of immovable property.

(13) Officer entitled to attach and sell: The attachment and sale of movable property and the attachment and sale of immovable property may be made by such persons, as the Tax Recovery Officer may from time to time direct.

(14) Defaulting purchaser answerable for loss on resale: Any deficiency of price, which may happen on a resale by reason of default of the purchaser, and all expenses incurred in connection to such resale, shall be certified to the Tax Recovery Officer by the officer holding the sale, and shall, at the instance of either the Tax Recovery Officer or the defaulter, be recoverable from the defaulting purchaser under the procedure prescribed in this rule, but no such application shall be entertained unless filed within fifteen days from the date of resale.

(15) Adjournment or stoppage of sale: (a) The Tax Recovery Officer may, in his discretion, adjourn any sale hereunder to a specified day and hour; and the officer conducting any such sale may, in his discretion, adjourn the sale, recording his reasons for such adjournment, but where the sale is made in, or within the precincts of, the office of the Tax Recovery Officer, no such adjournment shall be made without the leave of the Tax Recovery Officer.
(b) where a sale of immovable property is adjourned under clause (a) for a longer period than one calendar month, a fresh proclamation of sale in this rule shall be made unless the defaulter consents to waive it;
(c) every sale shall be stopped if, before the lot is knocked down, the arrears and costs (including the costs of the sale) are tendered to the officer conducting the sale, or proof is given to his satisfaction that the amount of such arrears and costs has been paid to the Tax Recovery Officer, who ordered the sale**.**

(16) Private alienation to be void in certain cases: (a) Where a notice has been served on a defaulter under sub-rule (2), the defaulter or his representative in interest shall not be competent to mortgage, charge, lease or otherwise deal with any property belonging to him, except with the permission of the Tax Recovery Officer, nor shall any Civil Court issue any process against such property in execution of a decree for the payment of money; and
(b) where an attachment has been made under this rule, any private transfer or delivery of the property attached or of any interest therein and any payment to the defaulter of any debt, dividend or other moneys contrary to such attachment, shall be void as against all claims enforceable under the attachment.

(17) Prohibition against bidding or purchase by officer.— No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale under this rule shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

(18) Prohibition against sale on holidays.— No sale in this rule shall take place on a Sunday or other general holiday recognised by the State Government or on any day**,** which has been notified by the State Government to be a local holiday for the area in which the sale is to take place.

(19) Assistance by police: Any officer authorised to attach or sell any property or to arrest the defaulter, or charged with any duty to be performed in this rule, may apply to the officer-in-charge of the nearest police station for such assistance as may be necessary in the discharge of his duties, and the authority to whom such application is made, shall depute sufficient number of police officers for providing such assistance.

(20) Entrustment of certain functions by Tax Recovery Officer: A Tax Recovery Officer may, with the previous approval of the Joint Commissioner, entrust any of his functions as the Tax Recovery Officer to any other officer lower than him in rank (not being lower in rank than an Inspector of Income-tax) and such officer shall, in relation to the functions so entrusted to him, be deemed to be a Tax Recovery Officer.

(21) Warrant and service of copy of warrant: Except as otherwise provided in this rule, when any movable property is to be attached, the officer shall be furnished by the Tax Recovery Officer (or other officer empowered by him in that behalf), a warrant in writing and signed with his name specifying the name of the defaulter and the amount to be realised and the officer shall cause a copy of the warrant to be served on the defaulter.

(22) Attachment: If, after service of the copy of the warrant, the amount is not paid forthwith, the officer shall proceed to attach the movable property of the defaulter.

(23) Property in possession of defaulter: Where the property to be attached is a movable property (other than agricultural produce) in the possession of the defaulter, the attachment shall be made by actual seizure, and the officer shall keep the property in his own custody or the custody of one of his subordinates and shall be responsible for due custody thereof, **but** when the property seized is subject to speedy and natural decay, or when the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, the officer may sell it at once.

(24) Agricultural produce: (a) Where the property to be attached is agricultural produce, the attachment shall be made by affixing a copy of the warrant of attachment,—

(i) where such produce is growing crop, on the land on which such crop has grown, or

(ii) where such produce has been cut or gathered, on the threshing floor or place for treading out grain or the like, or fodder-stack, on or in which it is deposited,

and another copy on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which the defaulter ordinarily resides, or with the leave of the Tax Recovery Officer, on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which he carries on business or personally works for gain, or in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain; and

(b) the produce shall, thereupon, be deemed to have passed into the possession of the Tax Recovery Officer.

(25) Provisions as to agricultural produce under attachment: (a) Where agricultural produce is attached, the Tax Recovery Officer shall make such arrangements for the custody, watching, tending, cutting and gathering thereof, as he may deem sufficient and he shall have power to defray the cost of such arrangement;

(b) subject to such conditions, as may be imposed by the Tax Recovery Officer in this behalf, either in the order of attachment or in any subsequent order, the defaulter may tend, cut, gather and store the produce and do any other act necessary for maturing or preserving it and, if the defaulter fails to do all or any of such acts, any person appointed by the Tax Recovery Officer in this behalf may, subject to the like conditions, do all or any of such acts, and the costs incurred by such person shall be recoverable from the defaulter as if they were included in the certificate;

(c) agricultural produce attached as a growing crop shall not be deemed to have ceased to be under attachment or to require re-attachment merely because it has been severed from the soil;

(d) where an order for the attachment of a growing crop has been made at a considerable time before the crop is likely to be fit to be cut or gathered, the Tax Recovery Officer may suspend the execution of the order for such time as he thinks fit, and may, in his discretion, make a further order prohibiting the removal of the crop pending the execution of the order of attachment; and

(e) a growing crop which from its nature does not admit of being stored shall not be attached under this rule at any time less than twenty days before the time at which it is likely to be fit to be cut or gathered.

(26) Debts and shares, etc: (a) In the case of—

(i) a debt not secured by a negotiable instrument; or

(ii) a share in a corporation; or

(iii) other movable property not in the possession of the defaulter, except property deposited in, or in the custody of, any court,

the attachment shall be made by a written order prohibiting, —

(A) in the case of the debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the further order of the Tax Recovery Officer;

(B) in the case of the share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon; and

(C) in the case of any other movable property, the person in possession of the same from giving it over to the defaulter;

(b) a copy of such order shall be affixed on some conspicuous part of the office of the Tax Recovery Officer, and another copy shall be sent, in the case of the debt, to the debtor, in the case of the share, to the proper officer of the corporation, and in the case of any other movable property, to the person in possession of the same; and

(c) a debtor prohibited under sub-rule 26(a)(iii)(A), may pay the amount of his debt to the Tax Recovery Officer, and such payment shall discharge him as effectually as payment to the party entitled to receive the same.

(27) Attachment of decree: (a) The attachment of a decree of a Civil Court for the payment of money or for sale in enforcement of a mortgage or charge, shall be made by the issue of a request to the Civil Court in writing to stay the execution of the decree until and unless—

(i) the Tax Recovery Officer withdraws such request; or

(ii) the Tax Recovery Officer or the defaulter applies to the Court receiving such request to execute the decree;

(b) where a Civil Court receives an application under clause (a)(ii), it shall, on the application of the Tax Recovery Officer or the defaulter and subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), proceed to execute the attached decree and apply the net proceeds in satisfaction of the certificate.
(3) The Tax Recovery Officer shall be deemed to be the representative of the holder of the attached decree, and to be entitled to execute such attached decree in any manner lawful for the holder thereof.

28. Share in movable property: Where the property to be attached consists of the share or interest of the defaulter in movable property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the defaulter prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in any way.

29. Salary of Government servants: Attachment of the salary or allowances of servants of the Government or a local authority may be made in the manner provided, in rule 48 of Order 21 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), and the provisions of the said rule shall, for the purposes of this rule, apply subject to such modifications, as may be necessary.

30. Attachment of negotiable instrument: Where the property is a negotiable instrument not deposited in a court nor in the custody of a public officer, the attachment shall be made by actual seizure, and the instrument shall be brought before the Tax Recovery Officer and held subject to his orders.

31. Attachment of property in custody of court or public officer: Where the property to be attached is in the custody of any court or public officer, the attachment shall be made by a notice to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held subject to the further orders of the Tax Recovery Officer by whom the notice is issued, **but if** such property is in the custody of a court, any question of title or priority arising between the Tax Recovery Officer and any other person, not being the defaulter, claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise, shall be determined by such court.

32. Attachment of partnership property: (a) Where the property to be attached consists of an interest of the defaulter, being a partner, in the partnership property, the Tax Recovery Officer may make an order charging the share of such partner in the partnership property and profits with payment of the amount due under the certificate, and may, by the same or subsequent order, appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether already declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership, and direct accounts and inquiries and make an order for the sale of such interest or such other order as the circumstances of the case may require; and
(b) the other persons shall be at liberty at any time to redeem the interest charged, or in the case of a sale being directed, to purchase the same.

33. Inventory: In the case of attachment of movable property by actual seizure, the officer shall, after attachment of the property, prepare an inventory of all the property attached, specifying in it, the place where it is lodged or kept, and shall forward the same to the Tax Recovery Officer and a copy of the inventory shall be delivered by the officer to the defaulter.

34. Attachment not to be excessive: The attachment by seizure shall not be excessive, that is to say, the property attached shall be as nearly as possible proportionate to the amount specified in the warrant.

35. Seizure between sunrise and sunset: Attachment by seizure shall be made after sunrise and before sunset and not otherwise.

36. Power to break open doors, etc: (a) If admission is not given, the officer may break open any inner or outer door or window of any building and enter any building in order to seize any movable property, where the officer has reasonable grounds to believe that such building contains movable property liable to seizure under the warrant and the officer has notified his authority and intention of breaking open; and
(b) the officer shall give all reasonable opportunity to women to withdraw.

37. Sale: The Tax Recovery Officer may direct that any movable property attached under this rule or such portion thereof as may seem necessary to satisfy the certificate, shall be sold.

38. Issue of proclamation: When any sale of movable property is ordered by the Tax Recovery Officer, the Tax Recovery Officer shall issue a proclamation, in the language of the district, of the intended sale, specifying the time and place of sale and whether the sale is subject to confirmation or not.

39. Proclamation how made: (a) The proclamation shall be made by any customary mode, —

(i) in the case of property attached by actual seizure—

(A) in the village in which the property was seized, or, if the property was seized in a town or city, then, in the locality in which it was seized; and

(B) at such other places as the Tax Recovery Officer may direct;

(ii) in the case of property attached otherwise than by actual seizure, in such places, if any, as the Tax Recovery Officer may direct; and

(b) a copy of the proclamation shall also be affixed in a conspicuous part of the office of the Tax Recovery Officer.

40. Sale after fifteen days: Except where the property is subject to speedy and natural decay, or when the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, no sale of movable property under this rule shall, without the consent in writing of the defaulter, take place, until after the expiry of at least fifteen days calculated from the date on which a copy of the sale proclamation was affixed in the office of the Tax Recovery Officer.

41. Sale of agricultural produce: (a) Subject to provisions of clause (b), where the property to be sold is agricultural produce, the sale shall be held, —

(i) if such produce is a growing crop, on or near the land on which such crop has grown; or

(ii) if such produce has been cut or gathered, at or near the threshing floor or place for treading out grain or the like, or fodder-stack, on or in which it is deposited;

(b) the Tax Recovery Officer may direct the sale to be held at the nearest place of public resort, if he is of opinion that the produce is thereby likely to sell to greater advantage;

(c) where on the produce being put up for sale, —

(i) a fair price, in the estimation of the person holding the sale, is not offered for it; and

(ii) the owner of the produce, or a person authorised to act on his behalf, applies to have the sale postponed till the next day or, if a market is held at the place of sale, the next market day,

the sale shall be postponed accordingly, and shall be then completed, whatever price may be offered for the produce.

42. Special provisions relating to growing crops: (a) Where the property to be sold is a growing crop and the crop from its nature admits of being stored but has not yet been stored, the day of the sale shall be so fixed as to admit of the crop being made ready for storing before the arrival of such day, and the sale shall not be held until the crop has been cut or gathered and is ready for storing; and

(b) where the crop from its nature does not admit of being stored, or can be sold to a greater advantage in an unripe stage, such as, green wheat, it may be sold before it is cut and gathered, and the purchaser shall be entitled to enter on the land, and to do all that is necessary for the purpose of tending or cutting or gathering the crop.

43. Sale to be by auction: The property shall be sold by public auction in one or more lots, as the officer may consider advisable, and if the amount to be realised by sale is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder of the lots.

44. Sale by public auction: (a) Where movable property is sold by public auction, the price of each lot shall be paid at the time of sale, or as soon after as the officer holding the sale directs, and in default of payment, the property shall forthwith be resold;

(b) on payment of the purchase-money, the officer holding the sale shall grant a certificate specifying the property purchased, the price paid and the name of the purchaser, and the sale shall become absolute; and

(c) where the movable property to be sold is a share in goods belonging to the defaulter and a co-owner and two or more persons, of whom one is such co-owner, respectively, bid the same sum for such property or for any lot, the bidding shall be deemed to be the bidding of the co-owner.

45. Irregularity not to vitiate sale, but any person injured may sue: No irregularity in publishing or conducting the sale of movable property shall vitiate the sale, but any person sustaining substantial injury by reason of such irregularity due to any other person may institute a suit in a civil court against such other person for compensation, or (if such other person is the purchaser) for the recovery of the specific property and for compensation in default of such recovery.

46. Negotiable instruments and shares in a corporation: Irrespective of anything contained in this rule, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the Tax Recovery Officer may, instead of directing the sale to be made by public auction, authorise the sale of such instrument or share through a broker;

47. Order for payment of coin or currency notes to the Assessing Officer: Where the property attached is current coin or currency notes, the Tax Recovery Officer may, at any time during the continuance of the attachment, direct that such coins or notes shall be credited to the Central Government and the amount so credited shall be dealt with in the manner specified in sub-rule (8).

48. Attachment: The attachment of the immovable property of the defaulter shall be made by an order, prohibiting the defaulter from transferring or charging the property in any way and prohibiting all persons from taking any benefit under such transfer or charge.

49. Service of notice of attachment: A copy of the order of attachment shall be served on the defaulter.

50. Proclamation of attachment: The order of attachment shall be proclaimed at some place on or adjacent to the property attached, by any customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and on the notice board of the office of the Tax Recovery Officer.

51. Attachment to relate back from the date of service of notice: Where any immovable property is attached under this rule, the attachment shall relate back to, and take effect from, the date on which the notice to pay the arrears, issued under this rule, was served upon the defaulter.

52. Sale and proclamation of sale: (a) The Tax Recovery Officer may direct that any immovable property, which has been attached, or such portion thereof as may seem necessary to satisfy the certificate, shall be sold; and
(b) where any immovable property is ordered to be sold, the Tax Recovery Officer shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of the district, where such immovable property is situated.

53. Contents of proclamation: A proclamation of sale of immovable property shall be drawn up after notice to the defaulter, and shall state the time and place of sale, and shall specify, as fairly and accurately as possible, —

(a) the property to be sold;
(b) the revenue, if any, assessed upon the property or any part thereof;
(c) the amount for the recovery of which the sale is ordered;
(d) the reserve price, if any, below which the property may not be sold; and
(e) any other thing which the Tax Recovery Officer considers it material for a purchaser to know, in order to judge the nature and value of the property.

54. Mode of making proclamation: (a) Every proclamation for the sale of immovable property shall be made at some place on, or near, such property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the proclamation shall be affixed on a conspicuous part of the property and also upon a conspicuous part of the office of the Tax Recovery Officer;
(b) where the Tax Recovery Officer so directs, such proclamation shall also be published in the Official Gazette or in a local newspaper, or in both, and the cost of such publication shall be deemed to be costs of the sale; and
(c) where the property is divided into lots for the purpose of being sold separately, it shall not be necessary to make a separate proclamation for each lot, unless proper notice of the sale cannot, in the opinion of the Tax Recovery Officer, otherwise be given.

55. Time of sale: No sale of immovable property in this rule shall, without the consent in writing of the defaulter, take place until after the expiration of at least thirty days, calculated from the date on which a copy of the proclamation of sale has been affixed on the property or in the office of the Tax Recovery Officer, whichever is later.

56. Sale to be by auction: The sale shall be by public auction to the highest bidder and shall be subject to confirmation by the Tax Recovery Officer, but no sale under this rule shall be made if the amount bid by the highest bidder is less than the reserve price, if any, specified under sub-rule (53)(iv).S

57. Deposit by purchaser and resale in default: (a) On every sale of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay, immediately after such declaration, a deposit of 25% on the amount of his purchase money, to the officer conducting the sale; and, in default of such deposit, the property shall forthwith be resold; and
(b) the full amount of purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Tax Recovery Officer on or before the fifteenth day from the date of the sale of the property.

58. Procedure in default of payment: In default of payment within the period mentioned in the sub-rule (57), the deposit may, if the Tax Recovery Officer thinks fit, after defraying the expenses of the sale, be forfeited to the Government, and the property shall be resold, and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

59. Authority to bid: (a) Where the sale of a property, for which a reserve price has been specified under sub-rule (53)(d), has been postponed for want of a bid of an amount not less than such reserve price, it shall be lawful for an Assessing Officer, if so, authorised by Chief Commissioner or Commissioner in this behalf, to bid for the property on behalf of the Central Government at any subsequent sale;
(b) all persons bidding at the sale shall be required to declare, if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals and in the latter case, they shall be required to deposit their authority, and in default their bids shall be rejected; and
(c) where the Assessing Officer referred to in clause (a) is declared to be the purchaser of the property at any subsequent sale, nothing contained in sub-rule (57) shall apply to the case and the amount of the purchase price shall be adjusted towards the amount specified in the certificate.

60. Application to set aside sale of immovable property on deposit: (a) Where immovable property has been sold in execution of a certificate, the defaulter, or any person whose interests are affected by the sale, may, at any time within thirty days from the date of the sale, apply to the Tax Recovery Officer to set aside the sale, on his depositing—

(i) the amount specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which the sale was ordered, with interest thereon at the rate of 15% per annum, calculated from the date of the proclamation of sale to the date when the deposit is made; and

(ii) for payment to the purchaser, as penalty, a sum equal to 5% of the purchase money, but not less than ₹ 1; and

(b) where a person makes an application under sub-rule (61) for setting aside the sale of his immovable property, he shall not, unless he withdraws that application, be entitled to make or prosecute an application under this rule.

61. Application to set aside sale of immovable property on ground of non-service of notice or irregularity: (a) Subject to the provisions of clauses (b) and (c), where **any** immovable property has been sold in execution of a certificate, such Income-tax Officer as may be authorised by the Chief Commissioner or Commissioner in this behalf, the defaulter, or any person whose interests are affected by the sale, may, at any time within thirty days from the date of the sale, apply to the Tax Recovery Officer to set aside the sale of the immovable property on the ground that notice was not served on the defaulter to pay the arrears as required by this rule or on the ground of a material irregularity in publishing or conducting the sale;

(b) no sale shall be set aside on any such ground unless the Tax Recovery Officer is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of the non-service or irregularity; and

(c) an application made by a defaulter under this rule shall be disallowed unless the applicant deposits the amount recoverable from him in the execution of the certificate.

62. Setting aside sale where defaulter has no saleable interest: At any time within thirty days of the sale, the purchaser may apply to the Tax Recovery Officer to set aside the sale on the ground that the defaulter had no saleable interest in the property sold.

63. Confirmation of sale: (a) Where no application is made for setting aside the sale under the foregoing rules, or where such an application is made and disallowed by the Tax Recovery Officer, the Tax Recovery Officer shall (if the full amount of the purchase money has been paid) make an order confirming the sale, and, thereupon, the sale shall become absolute; and
(b) where such application is made and allowed, and if, in the case of an application made to set aside the sale on deposit of the amount, penalty and charges, the deposit is made within thirty days from the date of the sale, the Tax Recovery Officer shall make an order setting aside the sale, but, no order shall be made unless notice of the application has been

given to the persons affected thereby.

64. Return of purchase money in certain cases: Where a sale of immovable property is set aside, any money paid or deposited by the purchaser on account of the purchase, together with the penalty, if any, deposited for payment to the purchaser, and such interest as the Tax Recovery Officer may allow, shall be paid to the purchaser.

65. Sale certificate: (a) Where a sale of immovable property has become absolute, the Tax Recovery Officer shall grant a certificate specifying the property sold, and the name of the person who at the time of sale is declared to be the purchaser; and
(b) such certificate shall state the date on which the sale became absolute.

66. Postponement of sale to enable defaulter to raise amount due under certificate: (a) Where an order for the sale of immovable property has been made, if the defaulter can satisfy the Tax Recovery Officer that there is reason to believe that the amount of the certificate may be raised by the mortgage or lease or private sale of such property, or some part thereof, or of any other immovable property of the defaulter, the Tax Recovery Officer may, on his application, postpone the sale of the property comprised in the order for sale, on such terms, and for such period as he thinks proper, to enable him to raise the amount;
(b) subject to provisions of clauses (c) and (d), in such case, the Tax Recovery Officer shall grant a certificate to the defaulter, authorising him, within a period to be mentioned therein, and irrespective of anything contained in this rule, to make the proposed mortgage, lease or sale;
(c) all moneys payable under such mortgage, lease or sale shall be paid, not to the defaulter, but to the Tax Recovery Officer; and
(d) no mortgage, lease or sale under this rule shall become absolute until it has been confirmed by the Tax Recovery Officer.

67. Fresh proclamation before re-sale: Every re-sale of immovable property, in default of payment of the purchase money within the period allowed for such payment, shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner and for the period hereinbefore provided for the sale.

68. Bid of co-sharer to have preference: Where the property sold is a share of undivided immovable property, and two or more persons, of whom one is a co-sharer, respectively bid the same sum for such property or for any lot, the bid shall be deemed to be the bid of the co-sharer.

69. Acceptance of property in satisfaction of amount due from the defaulter: (a) Without prejudice to the provisions contained in this rule, an Assessing Officer, duly authorised by the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax in this behalf, may accept in satisfaction of the whole or any part of the amount due from the defaulter the property, the sale of which has been postponed for the reason mentioned in sub-rule (59)(a), at such price as may be agreed upon between the Assessing Officer and the defaulter;
(b) where any property is accepted under clause(a), the defaulter shall deliver possession of such property to the Assessing Officer and the date on which the possession of the property is delivered to the Assessing Officer, the property shall vest in the Central Government and that Government shall, where necessary, intimate the concerned Registering Officer appointed under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), accordingly; and
(c) where the price of the property agreed upon under clause (a), exceeds the amount due from the defaulter, such excess shall be paid by the Assessing Officer to the defaulter within a period of three months from the date of delivery of possession of the property and where the Assessing Officer fails to pay such excess amount within the said period, the Central Government shall, for the period commencing on the expiry of such period and ending with the date of payment of the amount remaining unpaid, pay simple interest at 0.5% for every month or part of the month to the defaulter on such amount.

70. Time limit for sale of attached immovable property: (a) Subject to the provisions of clauses (b) and (c), no sale of immovable property shall be made under this rule after the expiry of seven years from the end of the financial year in which the order giving rise to a demand of any tax, interest, fine, penalty or any other sum, for the recovery of which the immovable property has been attached, has become final in terms of the provisions of Chapter XVIII of the Act;
(b) the Board may, for reasons to be recorded in writing, extend the aforesaid period for a further period not exceeding three years;

(c) where the immovable property is required to be re-sold due to the amount of highest bid being less than the reserve price or under the circumstances mentioned in sub-rule (57) or sub- rule (58), or where the sale is set aside under sub-rule (61), the period of limitation for the sale of the immovable property shall stand extended by one year;
(d) Subject to the provisions of clause (e), in computing the period of limitation under clause (a), the period—

(i) during which the levy of the tax, interest, fine, penalty or any other sum is stayed by an order or injunction of any court; or

(ii) during which the proceedings of attachment or sale of the immovable property are stayed by an order or injunction of any court; or

(iii) commencing from the date of the presentation of any appeal against the order passed by the Tax Recovery Officer under this rule and ending on the day the appeal is decided,

shall be excluded;
(e) in cases, where immediately after the exclusion of the period, the period of limitation for the sale of the immovable property is less than one hundred and eighty days, such remaining period shall be extended to one hundred and eighty days and the period of limitation shall be deemed to be extended accordingly;
(f) where any immovable property has been attached under this rule before the 1st June, 1992, and the order giving rise to a demand of any tax, interest, fine, penalty or any other sum, for the recovery of which the immovable property has been attached, has also become conclusive or final before the said date, that date shall be deemed to be the date on which the said order has become conclusive or, as the case may be, final; and
(g) where the sale of immovable property is not made in accordance with the provisions of clause (a), the attachment order in relation to the said property shall be deemed to have been vacated on the expiry of the time of limitation specified under this rule.

71. Appointment of receiver for business: (a) Where the property of a defaulter consists of a business, the Tax Recovery Officer may attach the business and appoint a person as receiver to manage the business;
(b) attachment of a business under this rule shall be made by an order prohibiting the defaulter from transferring or charging the business in any way and prohibiting all persons from taking any benefit under such transfer or charge, and intimating that the business has been attached under this rule; and
(c) a copy of the order of attachment shall be served on the defaulter, and another copy shall be affixed on a conspicuous part of the premises in which the business is carried on and on the notice board of the office of the Tax Recovery Officer.

72. Appointment of receiver for immovable property: Where immovable property is attached, the Tax Recovery Officer may, instead of directing a sale of the property, appoint a person as receiver to manage such property.

73. Powers of receiver: (a) Where any business or other property is attached and taken under management under this rule, the receiver shall, subject to the control of the Tax Recovery Officer, have such powers as may be necessary for the proper management of the property and the realisation of the profits, or rents and profits, thereof; and
(b) the profits, or rents and profits, of such business or other property, shall, after defraying the expenses of management, be adjusted towards discharge of the arrears, and the balance, if any, shall be paid to the defaulter.

74. Withdrawal of management: The attachment and management under this rule may be withdrawn at any time at the discretion of the Tax Recovery Officer, or if the arrears are discharged, by receipt of such profits and rents by the Tax Recovery Officer or are otherwise paid to him.

75. Notice to show cause: (a) No order for the arrest and detention in civil prison of a defaulter shall be made unless the Tax Recovery Officer has issued and served a notice upon the defaulter calling upon him to appear before him on the date specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison, and unless the Tax Recovery Officer, for reasons recorded in writing, is satisfied—

(i) that the defaulter, with the object or effect of obstructing the execution of the certificate, has, after the drawing up of the certificate by the Tax Recovery Officer, dishonestly transferred, concealed, or removed any part of his property; or

(ii) that the defaulter has, or has had since the drawing up of the certificate by the Tax Recovery Officer, the means to pay the arrears or some substantial part thereof and refuses or neglects or has refused or neglected to pay the same;

(b) irrespective of anything contained in clause (a), a warrant for the arrest of the defaulter may be issued by the Tax Recovery Officer, if the Tax Recovery Officer is satisfied, by affidavit or otherwise, that with the object or effect of delaying the execution of the certificate, the defaulter is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the Tax Recovery Officer;

(c) where appearance is not made in obedience to a notice issued and served under clause (a), the Tax Recovery Officer may issue a warrant for the arrest of the defaulter;

(d) a warrant of arrest issued by a Tax Recovery Officer under clauses (b) and (c), may also be executed by any other Tax Recovery Officer within whose jurisdiction the defaulter may, for the time being be found;

(d) every person arrested in pursuance of a warrant of arrest under this rule shall be brought before the Tax Recovery Officer issuing the warrant as soon as practicable and in any event, within twenty-four hours of his arrest (exclusive of the time required for the journey), but if the defaulter pays the amount entered in the warrant of arrest as due and the costs of the arrest to the officer arresting him, such officer shall at once release him; and

(e) for the purposes of this sub-rule, where the defaulter is a Hindu undivided family, the *karta* thereof shall be deemed to be the defaulter.

76. Hearing: When a defaulter appears before the Tax Recovery Officer in obedience to a notice to show cause or is brought before the Tax Recovery Officer under sub-rule (75), the Tax Recovery Officer shall give the defaulter a reasonable opportunity of showing cause why he should not be committed to the civil prison.

77. Custody pending hearing: Pending the conclusion of the inquiry, the Tax Recovery Officer may, in his discretion, order the defaulter to be detained in the custody of such officer as the Tax Recovery Officer may think fit or release him on his furnishing security to the satisfaction of the Tax Recovery Officer for his appearance when required.

78. Order of detention: (a) Subject to the provisions of clause (b), upon the conclusion of the inquiry, the Tax Recovery Officer may make an order for the detention of the defaulter in the civil prison and shall in that event cause him to be arrested, if he is not already under arrest;

(b) in order to give the defaulter an opportunity of satisfying the arrears, the Tax Recovery Officer may, before making the order of detention, leave the defaulter in the custody of the officer arresting him or of any other officer for a specified period not exceeding fifteen days, or release him on his furnishing security to the satisfaction of the Tax Recovery Officer for his appearance at the expiration of the specified period, if the arrears are not so satisfied; and

(c) when the Tax Recovery Officer does not make an order of detention under clause (a), he shall, if the defaulter is under arrest, direct his release.

79. Detention in and release from prison: (a) Subject to provisions of clause (b), every person detained in civil prison in execution of a certificate, may be so detained, —

(i) where the certificate is for a demand of an amount exceeding two hundred and fifty rupees, for a period of six months; and

(ii) in any other case, for a period of six weeks;

(b) the aforesaid person shall be released from such detention,—

(i) on the amount mentioned in the warrant for his detention being paid to the officer-in-charge of the civil prison; or

(ii) on the request of the Tax Recovery Officer on any ground other than the grounds mentioned in sub-rules (80) and (81); and

(c) a defaulter released from detention under this rule shall not, merely by reason of his release, be discharged from his liability for the arrears, but he shall not be liable to be rearrested under the certificate in execution of which he was detained in the civil prison.

80. Release: (a) The Tax Recovery Officer may order the release of a defaulter who has been arrested in execution of a certificate upon being satisfied that he has disclosed the whole of his property and has placed it at the disposal of the Tax Recovery Officer and that he has not committed any act of bad faith; and

(b) if the Tax Recovery Officer has ground for believing that the disclosure made by a defaulter under clause (a) is untrue, he may order the rearrest of the defaulter in execution of the certificate, but the period of his detention in the civil prison shall not in the aggregate exceed that authorised by sub-rule (79).

81. Release on ground of illness: (a) At any time after a warrant for the arrest of a defaulter has been issued, the Tax Recovery Officer may cancel it on the ground of his serious illness;

(b) where a defaulter has been arrested, the Tax Recovery Officer may release him if, in the opinion of the Tax Recovery Officer, he is not in a fit state of health to be detained in the civil prison;

(c) where a defaulter has been committed to civil prison, he may be released therefrom by the Tax Recovery Officer on the ground of the existence of any infectious or contagious disease, or on the ground of his suffering from any serious illness; and

(d) a defaulter released under this rule may be rearrested, but the period of his detention in the civil prison shall not in the aggregate exceed that authorised by sub-rule (79).

82. Entry into dwelling house: For the purpose of making an arrest under this rule—

(i) no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise;

(ii) no outer door of a dwelling house shall be broken open unless such dwelling house or a portion thereof is in the occupancy of the defaulter and he or other occupant of the house refuses or in any way prevents access thereto; but, when the person executing any such warrant has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room or apartment, if he has reason to believe that the defaulter is likely to be found there; and

(iii) no room, which is in the actual occupancy of a woman who, according to the customs of the country, does not appear in public, shall be entered into unless the officer authorised to make the arrest has given notice to her that she is at liberty to withdraw and has given her reasonable time and facility for withdrawing.

83. Prohibition against arrest of women or minors, etc: The Tax Recovery Officer shall not order the arrest and detention in civil prison of—

(i) a woman; or

(ii) any person who, in his opinion, is a minor or of unsound mind.

84. Officers deemed to be acting judicially: Every Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, Tax Recovery Officer or other officer acting under this rule shall, in the discharge of his functions, be deemed to be acting judicially within the meaning of the Judicial Officers Protection Act, 1850 (18 of 1850) **or the** Judges Protection Act, 1985 (59 of 1985).

85. Power to take evidence: Every Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, Tax Recovery Officer or other officer acting under the provisions of this rule shall have the powers of a Civil Court (while trying a suit) for the purpose of receiving evidence, administering oaths, enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents.

86. Continuance of certificate: No certificate shall cease to be in force by reason of the death of the defaulter.

87. Procedure on death of defaulter: If at any time, after the certificate is drawn up by the Tax Recovery Officer, the defaulter dies, the proceedings in this rule (except arrest and detention) may be continued against the legal representative of the defaulter, and the provisions of this rule shall apply, as if the legal representative were the defaulter.

88. Appeals: (a) An appeal from any original order passed by the Tax Recovery Officer under this rule, not being an order which is conclusive, shall lie to the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax;

(b) every appeal under this rule shall be presented within thirty days from the date of the order appealed against;

(c) pending the decision of any appeal, execution of the certificate may be stayed, if the appellate authority so directs, but not otherwise; and

(d) irrespective of anything contained in clause (a), where a Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax is authorised to exercise powers as such in respect of any area, then, all appeals against the orders passed before the date of such authorisation by any Tax Recovery Officer, authorised to exercise powers as such in respect of that area, or an area which is included in that area, shall lie to such Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax.

89. Review: Any order passed under this rule may, after notice to all persons interested, be reviewed by the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax **or** Tax Recovery Officer or other officer who made the order, or by his successor in office, on account of any mistake apparent from the record.

90. Recovery from surety: Where any person under this rule has become surety for the amount due by the defaulter, he may be proceeded against in this rule as if he were the defaulter.

91. Subsistence allowance: (a) When a defaulter is arrested or detained in the civil prison, the sum payable for the subsistence of the defaulter from the time of arrest until he is released shall be borne by the Tax Recovery Officer;
(b) such sum shall be calculated on the scale fixed by the State Government for the subsistence of judgment-debtors arrested in execution of a decree of a Civil Court; and
(c) sums payable under this sub-rule shall be deemed to be costs in the proceeding, but the defaulter shall not be detained in the civil prison or arrested on account of any sum so payable.

92. Forms: The Board may specify the form to be used for any order, notice, warrant, or certificate to be issued under this rule.

93. Power to issue guidelines: (a) The Board may issue guidelines, consistent with the provisions of the Act to regulate the procedure to be followed by the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, Tax Recovery Officers and other officers acting under this rule;
(b) In particular, and without prejudice to the generality of the power conferred by clause (a), such order may provide for all or any of the following matters: —

(i) the area within which Chief Commissioners or Commissioners or Tax Recovery Officers may exercise jurisdiction;
(ii) the manner in which any property sold in this rule may be delivered;
(iii) the execution of a document or the endorsement of a negotiable instrument or a share in a corporation, by or on behalf of the Tax Recovery Officer, where such execution or endorsement is required to transfer such negotiable instrument or share to a person who has purchased it under a sale in this rule;
(iv) the procedure for dealing with resistance or obstruction offered by any person to a purchaser of any immovable property sold in this rule, in obtaining possession of the property;
(v) the fees to be charged for any process issued in this rule;
(vi) the scale of charges to be recovered in respect of any other proceeding taken in this rule;
(vii) recovery of poundage fee;
(viii) the maintenance and custody, while under attachment, of livestock or other movable property, the fees to be charged for such maintenance and custody, the sale of such livestock or property, and the disposal of proceeds of such sale; and
(ix) the mode of attachment of business.

94. Saving regarding charge: Nothing specified in this rule shall affect any provision of the Act, whereunder the tax is a first charge upon any asset.

95. Power to remove difficulties: If any difficulty arises in carrying out the proceedings for the recovery of tax, the Board may issue general or special orders, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

226. Tax recovery officer to exercise or perform certain powers and functions of an Assessing Officer under section 413.— (1) The Chief Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax may**,** by general or special order in writing, authorise a Tax Recovery Officer to exercise or perform the powers and functions conferred on or assigned to an Assessing Officer under section 287 for rectifying any mistake apparent from record**,** in respect of an order passed by the Assessing Officer, consequent to which a sum is payable and the Tax Recovery Officer has drawn a certificate under section 413 in respect of such sum.
(2) The Tax Recovery Officer shall exercise or perform such powers and functions concurrently with the Assessing Officer.

227. Prescribed authority for tax clearance certificates under section 420.— (1) For the purposes of section 420(1), the prescribed authority shall be the Chief Commissioner of Income-tax or the Director-General of Income-tax, as the case may be, who has jurisdiction over the persons not domiciled in India or any other income-tax authority authorised by such Chief Commissioner of Income-tax or Director-General of Income-tax in this behalf.
(2) For the purposes of section 420(3), the prescribed authority shall be the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the persons domiciled in India or any other income-tax authority authorised by him in this behalf.
(3) For the purposes of section 420(5), an application for certificate shall be filed to the Assessing Officer who has jurisdiction to assess such person.

228. Forms and certificates for the purposes of section 420.— (1) An undertaking to be furnished to the prescribed authority by a person not domiciled in India from the persons referred to in clause (i) or (ii) of the longline in section 420(1), as the case may be, shall be in Form No. 154.
(2) A no-objection certificate to be issued by the prescribed authority under section 420(1) shall be in Form No. 155 and shall be valid for the period mentioned therein.
(3) The information to be furnished by a person domiciled in India shall be in Form No. 156.
(4) Every application under section 420(4) shall be made in Form No. 157.
(5) Every application under section 420(5) may be made in Form No. 158.
(6) A tax clearance certificate issued under section 420(5) shall be in Form No. 159 and shall be valid for the period mentioned therein.
(7) A copy of the undertaking referred to in sub-rule (1) and the no-objection certificate referred to in sub-rule (2) shall be forwarded to the Chief Commissioner of Income-tax or Director General of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the persons referred to in section 420(1).

229. Production of certificate under section 420.— (1) Any person leaving India shall, at the request of any Customs Officer, produce to him for examination, the tax clearance certificate or the exemption certificate, as the case may be.

230. Refund claim under section 434.— A claim for refund under section 434 shall be made in Form No. 160, by the claimant himself or through a duly authorised agent, and shall be accompanied by a copy of an agreement or other arrangement referred to in section 434.

231. Form of application under section 440.— An application to the Assessing Officer to grant immunity from imposition of penalty under section 439 and from initiation of proceedings under section 478 or section 479 shall be made in Form No. 161.

232. Service of notice, summons, requisition, order and other communication under section 501.— (1) For the purposes of section 501(1), the addresses (including the address for electronic mail or electronic mail message) to which a notice, or summons, or requisition, or order, or any other communication, under the Act (herein referred to as the communication) may be delivered or transmitted, shall be as per sub-rule (2).
(2) The addresses referred to in sub-rule (1)—
(a) for any communication delivered or transmitted in the manner provided under section 501(1)(a) or (b) shall be–
(i) the address available in the PAN database of the addressee; or
(ii) the address given in the income-tax return to which the communication relates; or
(iii) the address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
(iv) the address of the assessee as furnished in Form No. 98 under rule 160 or Form 165 under rule 237; or
(v) in the case of addressee being a company, the address of the registered office as given on the website of the Ministry of Corporate Affairs; or
(vi) the address available in the records of Unique Identification Authority of India or any authority or Department of Central Government or State Government or Local Self Government; or
(vii) the address available in the records of any public service; utility provider; or
(viii) the address furnished in any correspondence with any of the authorities or entities mentioned in (vi) and (vii),
but such communication shall not be delivered or transmitted to the address mentioned in items (i) to (viii), where the addressee furnishes in writing any other address for the purposes of communication to the income- tax authority or any person authorised by such authority issuing the communication;
(b) for any communication delivered or transmitted electronically shall be—
(i) the email address available in the income-tax return furnished by the addressee to which the communication relates; or
(ii) the email address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
(iii) the registered mail address available in the e-filing portal of the assessee; or
(iv) the e mail address given while making application for PAN; or
(v) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the website of Ministry of Corporate Affairs; or

(vi) any e-mail address given by the addressee to the income tax authority or any person authorised by such income-tax authority; or

(vii) the e mail address available in the records.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure, formats and standards for ensuring secure transmission of electronic communication and shall also be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to such communication.

233. Authentication of notices and other documents.— (1) Every notice or other document communicated in electronic form by an income-tax authority under the Act shall be deemed to be authenticated, —

(a) in case of electronic mail or electronic mail message (herein referred to as the e-mail), if the name and office of such income-tax authority—

(i) is printed on the e-mail body and if the notice or other document is in the e-mail body itself; or

(ii) is printed on the attachment to the e-mail and if the notice or other document is in the attachment,

and the e-mail is issued from the designated e-mail address of such income-tax authority;

(b) in case of an electronic record, if the name and office of the income-tax authority—

(i) is displayed as a part of the electronic record and if the notice or other document is contained as text or remark in the electronic record itself; or

(ii) is printed on the attachment in the electronic record and if the notice or other document is in the attachment,

and such electronic record is displayed on the designated website.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the designated e-mail address of the income-tax authority, the designated website and the procedure, formats and standards for ensuring authenticity of the communication.

(3) For the purposes of this rule, the expressions—

(a) "electronic mail" and "electronic mail message" shall have the same meanings as respectively assigned to them in the *Explanation* to section 66A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); and

(b) "electronic record" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(1)(t) of the said Act.

234. Furnishing of annual statement by a non-resident having liaison office in India.— (1) The annual statement as provided under section 505 for every financial year, shall be furnished in Form No. 162 within eight months from the end of such financial year.

(2) The annual statement referred to in sub-rule (1) shall be furnished in electronic form along with digital signature, duly verified by the Chartered Accountant or the person authorised in this behalf by the non-resident person, who shall be known as the authorised signatory.

235. Information or documents to be furnished under section 506.— (1) Every Indian concern referred to in section 506 shall, for the purposes of the said section, maintain and furnish the information and documents in accordance with this rule.

(2) The information shall be furnished in Form No. 163, electronically under digital signature to the Assessing Officer having jurisdiction over the Indian concern, within a period of ninety days from the end of the financial year in which any transfer of the share of, or interest in, foreign company or entity referred to in section 9(10)(a) has taken place and where such transaction in respect of the share or the interest has the effect of directly or indirectly transferring the rights of management or control in relation to the Indian concern, the information shall be furnished in the said form within ninety days of that transaction.

(3) The Indian concern shall maintain the following along with its english translation, as required, and produce the same when called upon to do so by any income-tax authority in the course of any proceeding to substantiate the information furnished under sub-rule (2): —

(**a**) details of the immediate holding company or entity, intermediate holding company or companies or entity or entities and ultimate holding company or entity of the Indian concern;

(**b**) details of other entities in India of the group of which the Indian concern is a constituent;

(**c**) the holding structure of the shares of, or the interest in, the foreign company or entity before and after the transfer;

(**d**) any transfer contract or agreement entered into in respect of the share of, or interest in, any foreign company or entity that holds any asset in India through, or in, the Indian concern;

(**e**) financial and accounting statements of the foreign company or entity which directly or indirectly holds the assets in India through, or in, the Indian concern for two years prior to the date of transfer of the share or interest;

(**f**) information relating to the decision or implementation process of the overall arrangement of the transfer;

(**g**) information in respect of the foreign company or entity and its subsidiaries, relating to —

(**i**) the business operation;

(**ii**) personnel;

(**iii**) finance and properties;

(**iv**) internal and external audit or the valuation report, if any, forming basis of the consideration in respect of share, or the interest;

(h) the asset valuation report and other supporting evidence to determine the place of location of the share or interest being transferred;

(i) the details of payment of tax outside India, which relates to the transfer of the share or interest;

(j) the valuation report in respect of Indian asset and total assets duly certified by a merchant banker or accountant, as defined in section 515(3)(b), with supporting evidence; and

(k) documents which are issued in connection with the transactions under the accounting practices followed.

(4) Where there is more than one Indian concern that are constituent entities of a group, the information may be furnished by any one Indian concern, if, —

(a) the group has designated such Indian concern to furnish information on behalf of all other Indian concerns that are constituent of the group; and

(b) the information regarding the designated Indian concern has been conveyed in writing on behalf of the group to the Assessing Officer.

(5) Nothing contained in this rule shall have effect, if the designated Indian concern fails to furnish the information in accordance with the provisions of this rule.

(6) The Director General Income-tax (Systems) shall send one copy of the Form No. 163 to the Assessing Officer having jurisdiction over the transferor mentioned therein, whose income is chargeable to tax as per section 9(10).

(7) The information and documents specified in sub-rule (3) shall be kept and maintained for a period of eight years from the end of relevant tax year.

(8) For the purposes of this rule, —

(a) "constituent entity" shall have the meaning assigned to it in section 511(10)(d);

(b) "group" shall have the meaning assigned to it in section 511(10)(e);

(c) "immediate holding company or entity" means the company or the entity that directly maintains the controlling interest in the Indian concern;

(d) "intermediate holding company or entity" means a company or an entity that has controlling interest in another company or entity and is itself controlled by, or is subsidiary of, another company or entity; and

(e) "ultimate holding company or entity" means a company or an entity that has ultimate control of the Indian concern, directly or indirectly, and such company or entity is not itself controlled by, or is subsidiary of, any other company or entity.

236. Form of statement to be furnished by producers of cinematograph films or persons engaged in specified activity.— (1) The statement required to be furnished under section 507 by a person carrying on production of cinematograph film or engaged in specified activity, or both, shall be in Form No. 164 for each tax year.
(2) Form No. 164 shall be furnished within sixty days from the end of the tax year.
(3) For the purpose of section 507, the prescribed authority shall be the Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him.
(4) The Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him shall forward Form No. 164 to the Assessing Officer.
(5) For the purposes of this rule, "specified activity" shall have the meaning assigned to it in section 507(3).

237. Furnishing of statement of financial transaction.— (1) The statement of financial transaction required to be furnished under section 508(1) shall be furnished in respect of all transactions as specified in sub-rule (2) in a financial year in Form No. 165 and shall be verified in the manner indicated therein.
(2) The statement referred to in sub-rule (1) shall be furnished by every person mentioned in column (4) of the following Table in respect of all the transactions of the nature specified in the corresponding entry in column 2 and the value specified in the corresponding entry in column 3 of the said Table, in accordance with the provisions of sub-rule (3), which are registered or recorded by him:

Table

Sl. No.	Nature of transaction	Value of transaction	Class of person (reporting person)
1	2	3	4
1.	(a) Payment made in cash for purchase of bank drafts or pay orders or banker's cheque.	Amount, in a financial year in one or more account of a person, aggregating to, – (a) ten lakh rupees or more, for a person having Permanent Account Number; or (b) ₹ 500000 or more, for a person not having Permanent Account Number.	A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of the said Act).
	(b) Payments made in cash or otherwise for purchase of pre-paid instruments issued by Reserve Bank of India under section 18 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007).	Amount aggregating to ten lakh rupees or more during the financial year.	
	(c) Cash deposits or cash withdrawals (including through bearer's cheque) in or from one or more current account of a person.	Amount aggregating to fifty lakh rupees or more in a financial year.	
2.	Cash deposits in one or more accounts (other than a current account and time deposit) of a person.	Cash deposits in a financial year in one or more account of a person, aggregating to–	(a) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any

		(a) ten lakh rupees or more for a person having Permanent Account Number; or (b) ₹ 500000 or more for a person not having Permanent Account Number.	bank or banking institution referred to in section 51 of the said Act); or (b) Post Master General as referred to in section 2(j) of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) (as it existed prior to its repeal) or the Regional Head as referred in the Post Office Rules, 2024 framed under the Post Office Act, 2023 (43 of 2023).
3.	One or more time deposits (other than a time deposit made through renewal of another time deposit) of a person.	Amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year, for a person.	(a) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of the said Act); or (b) Post Master General as referred to in section 2(j) of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) (as it existed prior to its repeal) or the Regional Head as referred in the Post Office Rules, 2024 framed under the Post Office Act, 2023 (43 of 2023); or (c) Nidhi referred to in section 406 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or (d) a non-banking financial company which holds a certificate of registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), to hold or accept deposit from public.
4.	Payments made by any person against bills raised in respect of one or more credit cards issued to that person, in a financial year.	Amount aggregating to— (i) ₹ 100000 or more, in cash; or (ii) ten lakh rupees or more, by any other mode.	A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of the said Act) or any other company or institution issuing credit card.
5.	Receipt from any person for acquiring bonds or debentures issued by the company or institution (other than the amount received on account of renewal of the bond or debenture issued by that company).	Amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year, for a person.	A company or institution issuing bonds or debentures.
6.	Receipt from any person for acquiring shares (including share application money) issued by the company.	Amount aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year, for a person.	A company issuing shares.
7.	Buy back of shares from any person (other than the shares bought in the open market).	Amount or value aggregating to ten lakh rupees or more in a financial year.	A company listed on a recognised stock exchange purchasing its own securities under section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
8.	Receipt from any person for sale of foreign currency including any	Amount, in a financial year in one or more account of a person,	Authorised person as referred to in section 2(c) of the Foreign

	credit of such currency to foreign exchange card or expense in such currency, through a debit or credit card or through issue of traveller's cheque or draft or any other instrument.	aggregating to, – (a) ten lakh rupees or more for a person having Permanent Account Number; or (b) ₹ 500000 or more for a person not having Permanent Account Number.	Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
9.	Purchase or sale or gift or joint development agreement of an immovable property by any person.	(a) Amount of forty-five lakh rupees or more; or (b) stamp duty value referred to in section 2(105) of the Act at forty-five lakh rupees or more.	Inspector-General appointed under section 3 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of the said Act.
10.	Purchase of a stamp paper by any person.	(a) Amount of ₹ 200000 or more in one transaction for a person having Permanent Account Number; or (b) ₹ 100000 or more in one transaction for a person not having Permanent Account Number.	Stock Holding Corporation of India Limited.
11.	Receipt from any person against insurance premium	Amount, in a financial year in one or more account of a person, aggregating to, – (a) ₹ 500000 or more for a person having Permanent Account Number; or (b) ₹ 250000 or more for a person not having Permanent Account Number.	Insurer as defined in section 2(9) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
12.	Receipt of cash payment for sale, by any person, of goods or services of any nature (other than those specified at Sl. Nos. 1 to 11, if any.)	Amount exceeding ₹ 200000.	Any person who is liable for audit under section 63.

(3) The reporting person mentioned in column 4 of the Table under sub-rule (2) (other than the persons at Sl. Nos. 9,10 and 12) shall, while aggregating the amounts for determining the threshold amount for reporting in respect of any person as specified in column 3 of the said Table,—

(a) take into account all the accounts of the same nature as specified in column 2 of the said Table maintained in respect of that person during the financial year;

(b) aggregate all the transactions of the same nature as specified in column 2 of the said Table recorded or maintained in respect of that person during the financial year;

(c) attribute the entire value of the transaction or the aggregated value of all the transactions to all the person, in a case where the account is maintained or transaction is recorded in the name of more than one person; and

(d) apply the threshold limit separately to deposits and withdrawals in respect of transaction specified in item (c) under column 2, against Sl. No. 1 of the said Table.

(4) (a) The return in Form No. 165 referred to in sub-rule (1) shall be furnished to the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) or the Joint Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), through online transmission of electronic data to a server designated for this purpose under the digital signature of the person specified in sub-rule (8) and in accordance with the data structure specified in this regard by the Principal Director General of Income-tax (Systems) and in case of a reporting person, being a Post Master General or a Registrar or an Inspector General referred to in sub-rule (2), the said Form may be furnished in a computer readable media, including a Compact Disc or Digital Video Disc (DVD), along with the verification in Form-V on paper.

(b) The Board may designate an officer as Information Statement Administrator, not below the rank of a Joint Director of Income-tax, for the purposes of day to day administration in relation to the furnishing of returns or statements.

(5) The statement of financial transactions referred to in sub-rule (1) shall be furnished on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the transaction is registered or recorded.

(6) For the purposes of pre-filing the return of income, a statement of financial transaction under section 508(1) containing information relating to capital gains on transfer of listed securities or units of Mutual Funds, dividend distributed and interest paid or credited mentioned in column 2 of the following Table shall be furnished by the persons mentioned in column 4 of the said Table in such Form, at such frequency, and in such manner, as may be specified by the Principal Director General of Income Tax (Systems) or the Director General of Income Tax (Systems), as the case may be, with the approval of the Board:

Table

Sl. No.	**Nature of transaction**	**Value of transaction**	**Class of person (reporting person)**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Capital gains on transfer of listed securities or units of Mutual Funds.	All transactions	(a) A recognised stock exchange; or (b) a depository as defined in section 2(1)(e) of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996); or (c) a recognised Clearing Corporation; or (d) a Registrar to an issue and share transfer agent registered under section 12(1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
2.	Dividend distributed	All transactions	A company.
3.	Interest paid or credited	All transactions	(a) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 the said Act); or (b) the Post Master General as referred to in section 2(j) of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) (as it existed prior to its repeal) or the Regional Head as referred in the Post Office Rules, 2024 framed under the Post Office Act, 2023 (43 of 2023); or (c) a non-banking financial company which holds a certificate of registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), to hold or accept deposit from public.

(7) (a) Every reporting person mentioned in column 4 of the Table under sub-rule (2) and column 4 of the Table under sub-rule (6), shall communicate to the Principal Director General of Income-tax (Systems) the name, designation, address and telephone number of the Designated Director and the Principal Officer and obtain a registration number.

(b) It shall be the duty of every person specified in column 4 of the Table under sub-rule (2) and column 4 of the Table under sub-rule (6), its Designated Director, Principal Officer and employees to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by its regulator and ensure compliance with the obligations imposed under section 508 and rules 159, 160 and 161 and this rule.

(8) The statement of financial transaction referred to in sub-rules (1) and (6) shall be signed, verified and furnished by—

(a) a person who holds a valid power of attorney from such Designated Director as specified in sub-rule (7), where the reporting person is a non-resident; and

(b) the Designated Director in all other cases.

(9) For the purposes of this rule,–

(a) "Designated Director" means a person designated by the reporting person to ensure overall compliance with the obligations imposed under section 508 and rules 159, 160 and this rule and includes—

(i) the Managing Director or a whole-time Director, as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors if the reporting person is a company; or

(ii) the managing partner, if the reporting person is a partnership firm; or

(iii) the proprietor, if the reporting person is a proprietorship concern; or

(iv) the managing trustee, if the reporting person is a trust; or

(v) a person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the reporting entity if the reporting person is, an unincorporated association or, a body of individuals or, any other person;

(b) "digital signature" means a digital signature issued by any Certifying Authority authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities;

(c) "listed securities" means the securities which are listed on any recognised stock exchange in India;

(d) "Mutual Fund" means a Mutual Fund as referred to in Schedule VII(20) and (21) of the Act;

(e) "Principal Officer" means an officer designated by the reporting person referred to in the Table in sub-rule (2) and in the Table in sub-rule (6);

(f) "recognised clearing corporation" shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(o) of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(g) "recognised stock exchange" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(f) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(h) "Regulator" means a person or an authority or a Government, which is vested with the power to license, authorise, register, regulate or supervise the activity of the reporting person referred to in the Table in sub-rule (2) and in the Table in sub-rule (6);

(i) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

238. Definitions.— For the purposes of this rule and rules 239 and 240,—

(1) "financial account" means an account (other than an excluded account) maintained by a financial institution, and includes—

(i) a depository account;

(ii) a custodial account;

(iii) in the case of an investment entity, any equity or debt interest in the financial institution.

Explanation.— For the purposes of this sub-clause "financial account" shall not include any equity interest or debt interest in an entity that is an investment entity solely because it, —

(a) renders investment advice to, and acts on behalf of; or

(b) manages portfolios for, and acts on behalf of,

a customer for the purpose of investing, managing, or administering financial assets deposited in the name of the customer with a financial institution that is not a non-participating financial institution other than such entity;

(iv) in the case of a financial institution not described in sub-clause (iii), any equity or debt interest in the financial institution, if the class of interests was established with a purpose of avoiding reporting in accordance with rule 239 and, in case of a U.S. reportable account, if the value of the debt or equity interest is determined, directly or indirectly, primarily by reference to assets that give rise to U.S. source withholdable payments; and

(v) any cash value insurance contract and any annuity contract issued or maintained by a financial institution, other than a non-investment-linked, non-transferable immediate life annuity that is issued to an individual and monetises a pension or disability benefit provided under an account that is an excluded account.

Explanation. —For the purposes of this clause, —

(a) "depository account" includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, or an account that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment certificate, certificate of indebtedness, or other similar instrument maintained by a financial institution in the ordinary course of a banking or similar business and also an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed investment contract or similar agreement to pay or credit interest thereon but for an account other than a U.S. reportable account,–

(A) the provisions of this clause shall apply with the effect that the phrase "financial Institution in the ordinary course of a banking or similar business" shall be substituted by the phrase "depository institution";

(B) a depository account shall also include, —

(i) an account or notional account that represents all specified electronic money products held for the benefit of a customer; and

(ii) an account that holds one or more central bank digital currencies for the benefit of a customer.

Explanation. — For the purposes of clause (a) of the Explanation to Rule 238(1), "central bank digital currencies" shall have the same meaning as assigned in rule 241;

(b) "custodial account" means an account (other than an insurance contract or annuity contract) for the benefit of another person that holds one or more financial assets;

(c) "equity interest" in a financial institution, being—

(i) a partnership firm, means either a capital or profits interest in the partnership firm;

(ii) a trust, means any interest held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust;

Explanation. —A person will be treated as a beneficiary of a trust if he has the right to receive directly or indirectly a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust.

(d) "insurance contract" means a contract (other than an annuity contract) under which the issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, morbidity, accident, liability, or property risk;

(e) "annuity contract" means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more individuals;

(f) "cash value insurance contract" means an insurance contract (other than an indemnity reinsurance contract between two insurance companies) that has a cash value and in case of a U.S. reportable account such value is greater than an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars.

Explanation. —For the purposes of this clause, a single premium life insurance contract which does not permit an amount to be paid on surrender or termination of the contract and which does not allow amounts to be borrowed under or with regard to the contract, shall not constitute a cash value insurance contract;

(g) "cash value" means the greater of—

(i) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender charge or policy loan); and

(ii) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract,

but does not include an amount payable under an insurance contract, —

(A) solely by reason of the death of an individual insured under a life insurance contract including a refund of a previously paid premium provided such refund is a limited risk refund; or

(B) as a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against; or

(C) as a refund of a previously paid premium (less cost of insurance charges whether or not actually imposed) under an insurance contract (other than a life insurance contract or an annuity contract) due to cancellation or termination of the contract, decrease in risk exposure during the effective period of the contract, or arising from the correction of a posting or similar error with regard to the premium for the contract; or

(D) as a policyholder dividend (other than a termination dividend) provided that the dividend relates to an insurance contract under which the only benefits payable are described in sub-clause (B); or

(E) as a return of an advance premium or premium deposit for an insurance contract for which the premium is payable at least annually if the amount of the advance premium or premium deposit does not exceed the next annual premium which will be payable under the contract;

(ga) for the purposes of clause (g) of Explanation to sub-rule (1), the provisions contained in sub-clause (A) and sub-clause (E) shall not apply in case of a U.S. reportable account;

(h) "excluded account" means, —

(i) a retirement account or pension account that satisfies the following requirements: —

(A) the account is subject to regulation as a personal retirement account or is part of a registered or regulated retirement or pension plan for the provision of retirement or pension benefits (including disability or death benefits);

(B) the account is tax-favoured where contributions to the account that would otherwise be subject to tax are deductible or excluded from the gross total income of the account holder or taxed at a reduced rate, or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a reduced rate;

(C) information reporting is required to the income-tax authorities with respect to the account;

(D) withdrawals are conditioned on reaching a specified retirement age, disability, or death, or penalties apply to withdrawals made before such specified events; and

(E) either annual contributions are limited to an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars or less, or there is maximum lifetime contribution limit to the account of an amount equivalent to one million U.S. dollars or less, in each case applying the rules specified in rule 240 for account aggregation and currency translation.

Explanation.—A financial account that otherwise satisfies the requirements of item (E) will not fail to satisfy such requirements solely because such financial account may receive assets or funds transferred from one or more financial accounts that meet the requirements of sub-clause (i) or (ii) or from one or more retirement or pension funds that meets with the requirements of clause (E), (F) or (G) of Explanation to clause (5);

(ii) an account that satisfies the following requirements: —

(A) the account is subject to regulation as a savings vehicle for purposes other than for retirement, or the account (other than U.S. reportable account) is subject to regulation as an investment vehicle for purposes other than for retirement and is regularly traded on an established securities market;

(B) the account is tax-favoured where contributions to the account that will otherwise be subject to tax are deductible or excluded from the total income of the account holder or taxed at a reduced rate, or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a reduced rate;

(C) withdrawals are conditioned on meeting specific criteria related to the purpose of the investment or savings account (for example, the provision of educational or medical benefits), or penalties apply to withdrawals made before such criteria are met; and

(D) annual contributions are limited to an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars or less, applying the rules specified in rule 240 for account aggregation and currency translation.

Explanation.—A financial account that otherwise satisfies the requirements of item (D) will not fail to satisfy such requirements solely because such financial account may receive assets or funds transferred from one or more financial accounts that meet the requirements of sub-clause (i) or (ii) or from one or more retirement or pension funds that meets with the requirements of clause (E), (F) or (G) of Explanation to clause (5) of this rule;

(iii) an account established under the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 made under the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873);

(iv) a life insurance contract with a coverage period that will end before the insured individual attains age of ninety years, provided that the contract satisfies the following requirements: —

(A) periodic premiums, which do not decrease over time, are payable at least annually during the period the contract is in existence or until the insured attains age of ninety years, whichever is shorter;

(B) the contract has no contract value that any person can access (by withdrawal, loan, or otherwise) without terminating the contract;

(C) the amount (other than a death benefit) payable upon cancellation or termination of the contract cannot exceed the aggregate premiums paid for the contract, less the sum of mortality, morbidity, and expense charges (whether or not actually imposed) for the period or periods of the contract's existence and any amounts paid prior to the cancellation or termination of the contract; and

(D) the contract is not held by a transferee for value;

(v) an account that is held solely by an estate if the documentation for such account includes a copy of the deceased's will or death certificate;

(vi) an account established in connection with any of the following:

(A) a court order or judgment;

(B) a sale, exchange, or lease of real or personal property, provided that the account satisfies the following requirements:—

(a) the account is funded solely with a down payment, earnest money, deposit in an amount appropriate to secure an obligation directly related to the transaction, or a similar payment, or is funded with a financial asset that is deposited in the account in connection with the sale, exchange, or lease of the property;

(b) the account is established and used solely to secure the obligation of the purchaser to pay the purchase price for the property, the seller to pay any contingent liability, or the lessor or lessee to pay for any damages relating to the leased property as agreed under the lease;

(c) the assets of the account, including the income earned thereon, will be paid or otherwise distributed for the benefit of the purchaser, seller, lessor, or lessee (including to satisfy such person's obligation) when the property is sold, exchanged, or surrendered, or the lease terminates;

(d) the account is not a margin or similar account established in connection with a sale or exchange of a financial asset; and

(e) the account is not associated with a depository account referred to in sub-clause (vii);

(C) an obligation of a financial institution servicing a loan secured by real property to set aside a portion of a payment solely to facilitate the payment of taxes or insurance related to the real property at a later time;

(D) an obligation of a financial institution solely to facilitate the payment of taxes at a later time;

(E) a foundation or capital increase of a company provided that the account satisfies the following requirements: —

(i) the account is used exclusively to deposit capital that is to be used for the purpose of the foundation or capital increase of a company, as prescribed by law;

(ii) any amounts held in the account are blocked until the Reporting Financial Institution obtains an independent confirmation regarding the foundation or capital increase;

(iii) the account is closed or transformed into an account in the name of the company after the foundation or capital increase;

(iv) any repayments resulting from a failed foundation or capital increase, net of service provider and similar fees, are made solely to the persons who contributed the amounts;

(v) the account has not been established more than 12 months ago; and

(vi) the account is not a U.S. reportable account;

(vii) in the case of an account other than a U.S. reportable account, a depository account that satisfies the following requirements:—

(A) the account exists solely because a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to a credit card or other revolving credit facility and the overpayment is not immediately returned to the customer; and

(B) beginning on or before the 31st December, 2015, the financial institution implements its policies and procedures either to prevent a customer from making an overpayment in excess of an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars, or to ensure that any customer overpayment in excess of an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars is refunded to the customer within sixty days, in each case applying the rules specified in rule 240 for account aggregation and currency translation and for this purpose, a customer overpayment does not refer to credit balances to the extent of disputed charges but includes credit balances resulting from merchandise returns;

(viii) a depository account, other than U.S. reportable account, which represents all specified electronic money products held for the benefit of a customer, if the rolling average 90 day end-of-day aggregate account balance or value during any period of 90 consecutive days did not exceed USD 10,000 at any day during the calendar year or other appropriate reporting period;

(2) "financial asset" includes a security (for example, a share of stock in a corporation; partnership or beneficial ownership interest in a widely held or publicly traded partnership or trust; note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness), partnership interest, commodity, swap (for example, interest rate swaps, currency swaps, basis swaps, interest rate caps, interest rate floors, commodity swaps, equity swaps, equity index swaps, and similar agreements), insurance contract or annuity contract, or any interest (including a futures or forward contract or option) in a security, partnership interest, commodity, swap, insurance contract, or annuity contract but "financial asset" shall not include a non-debt and direct interest in an immovable property and for an account other than a U.S. reportable account, "financial asset" shall also include any interest (including a futures or forward contract or option) in a relevant crypto-asset;

(3) "financial institution" means a custodial institution, a depository institution, an investment entity, or a specified insurance company.

Explanation. —For the purposes of this clause, —

(a) "custodial institution" means any entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others and where its income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds twenty per cent of its gross income during the three financial years preceding the year in which determination is made or the period during which the entity has been in existence, whichever is less;

(b) "depository institution" means any entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business but for an account other than a U.S. reportable account, “depository institution” shall also include an entity that holds specified electronic money products or central bank digital currencies for the benefit of customers;

(c) "investment entity" means any entity, —

(A) that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer: —

(i) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; or

(ii) individual and collective portfolio management; or

(iii) otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons but for an account other than U.S. reportable account, the provisions of this item, –

(a) shall apply with the effect that the phrase “financial assets” shall be substituted by the phrase “financial assets or relevant crypto-assets”;

(b) shall not include the provision of services effectuating exchange transactions for or on behalf of customers.

Explanation. —For the purposes of item(iii), the term “exchange transaction” shall have the same meaning as assigned in rule 241;

(B) the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity mentioned in sub-clause (A) of this clause;

Explanation 1.— An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in sub-clause (A) of this clause, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of sub-clause (B) of this clause, if the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds fifty per cent of the gross income of the entity during the shorter of the three-year period ending on 31st March of the year preceding the year in which the determination is made or the period during which the entity has been in existence.

Explanation 2.—The term "investment entity" shall not include an entity that is an active non-financial entity merely because it meets any of the criteria provided in sub-clause (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of this rule but for an account other than a U.S. reportable account, the provisions of sub-clause (B) and Explanation 1 shall apply with the effect that the phrase "financial assets" shall be substituted by the phrase "financial assets or relevant crypto-assets";

(d) "specified insurance company" means any entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract;

(4) "non-participating financial institution" means a financial institution defined in clause (r) of Article 1 of the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America to improve international tax compliance and to implement Foreign Account Tax Compliance Act of the United States of America (hereinafter referred to as the FATCA agreement), but does not include, —

(a) an Indian financial institution; or

(b) other jurisdiction, being a jurisdiction that has in effect an agreement with the United States of America to facilitate the implementation of Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter referred to as other partner jurisdiction), financial institution,

other than a financial institution treated as a non-participating financial institution pursuant to sub-paragraph (b) of paragraph 2 of Article 5 of the FATCA agreement or the corresponding provision in an agreement between the United States of America and other partner jurisdiction;

(5) "non-reporting financial institution" means any financial institution that is, —

(a) a Governmental entity, International Organisation or Central Bank, other than

(i) with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a specified insurance company, custodial institution, or depository institution; or

(ii) with respect to the activity of maintaining central bank digital currencies for account holders which are not financial institutions, governmental entities, international organisations or central banks but the provisions of this item shall apply in respect of an account other than a U.S. reportable account;

(b) a Treaty Qualified Retirement Fund; a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; or a Pension Fund of a Governmental entity, International Organization or Central Bank;

(c) a non-public fund of the armed forces, Employees' State Insurance Fund, a gratuity fund or a provident fund;

(d) an entity that is an Indian financial institution only because it is an investment entity, provided that each direct holder of an equity interest in the entity is a financial institution referred to in sub-clauses (a) to (c), and each direct holder of a debt interest in such entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or a financial institution referred to in sub-clauses (a) to (c);

(e) a qualified credit card issuer;

(f) an investment entity established in India that is a financial institution only because it, —

(I) renders investment advice to, and acts on behalf of; or

(II) manages portfolios for, and acts on behalf of; or

(III) executes trades on behalf of,

a customer for the purposes of investing, managing, or administering funds or securities deposited in the name of the customer with a financial institution other than a non-participating financial institution;

(g) an exempt collective investment vehicle;

(h) a trust established under any law for the time being in force to the extent that the trustee of the trust is a reporting financial institution and reports all information required to be reported under rule 239 with respect to all reportable accounts of the trust;

(i) a financial institution with a local client base, in case of any U.S. reportable account;

(j) a local bank, in case of any U.S. reportable account;

(k) a financial institution with only low value accounts, in case of any U.S. reportable account;

(l) sponsored investment entity and controlled foreign corporation, in case of any U.S. reportable account; or

(m) sponsored closely held investment vehicle, in case of any U.S. reportable account.

(n) a qualified non-profit entity in respect of an account other than a U.S. reportable account;

Explanation. —For the purpose of this clause, —

(A) "Governmental entity" means the Government of a country or territory, any political sub-division of a country or territory (including a State, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality or controlled entity of a country or territory or of any one or more of the foregoing (where each is also a "Governmental entity") and includes the integral parts, controlled entities, and political sub-divisions of such country or territory.

Explanation. —For the purpose of clause (A), —

(i) Subject to provisions of clauses (iii) and (iv), an "integral part" of a country or territory means any person, organisation, agency, bureau, fund, instrumentality, or other body, by whatever name called, that constitutes a governing authority of a country or territory and the net earnings of the governing authority must be credited to its own account or to other accounts of the country or territory, with no portion inuring to the benefit of any private person but integral part does not include any individual, who is a sovereign, official, or administrator acting in a private or personal capacity;

(ii) Subject to the provisions of clauses (iii) and (iv), a controlled entity means an entity that is separate in form from the country or territory or that otherwise constitutes a separate juridical entity; so, however, that,–

(a) the entity is wholly owned and controlled by one or more Governmental entities directly or through one or more controlled entities;

(b) the entity's net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more Governmental entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private person; and

(c) the entity's assets vest in one or more Governmental entities upon dissolution;

(iii) the income does not inure to the benefit of private persons if such persons are the intended beneficiaries of a Governmental programme, and the programme activities are performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration of a Department of Government;

(iv) income is considered to inure to the benefit of private persons if the income is derived from Governmental entity engaged in a commercial business, such as a commercial banking business, which provides financial services to private persons;

(B) "International Organisation" means any international organization or wholly owned agency or instrumentality thereof including any inter-Governmental organisation, —

(a) that is comprised primarily of Governments;

(b) that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with India; and

(c) the income of which does not inure to the benefit of private persons;

(C) "Central Bank" means a bank that is by law or Government sanction the principal authority, other than the Government of the country or territory itself, issuing instruments intended to circulate as currency including an instrumentality that is separate from the Government of the country or territory, whether or not owned in whole or in part by that country or territory;

(D) "Treaty Qualified Retirement Fund" means a fund established in India, provided that the fund is entitled to benefits under an agreement between India and the United States of America on income that it derives from sources within the United States of America (or would be entitled to such benefits if it derived any such income) as a resident of India that satisfies any applicable limitation

on benefits requirement, and is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits;

(E) "Broad Participation Retirement Fund" means a fund established to provide retirement, disability, or death benefits, or any combination thereof, to beneficiaries who are current or former employees (or persons nominated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered but the fund, —

(i) does not have any beneficiary with a right to more than five per cent of the fund's assets;

(ii) is subject to Government regulation and provides information reporting to the income-tax authorities; and

(iii) satisfies at least one of the following requirements: —

(a) the fund is generally exempt from tax on investment income, or taxation of such income is deferred or taxed at a reduced rate, due to its status as a retirement or pension plan;

(b) the fund receives at least fifty per cent of its total contributions other than transfer of assets from other plans referred to in clauses (D) to (G) or from retirement and pension accounts referred to in sub-clause (i) of clause (h) of Explanation to clause (1) from the sponsoring employers;

(c) distributions or withdrawals from the fund are allowed only in the event of retirement, disability or death except rollover distributions to other retirement funds referred to in clauses (E) to (G), or retirement and pension accounts referred to in sub-clause (i) of clause (h) of Explanation to clause (1), or penalties which apply to distributions or withdrawals made before such events; or

(d) contributions (other than permitted make-up contributions) by employees to the fund are limited by reference to earned income of the employee or may not exceed an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars annually, applying the procedures set forth in rule 240 for account aggregation and currency translation;

(F) "Narrow Participation Retirement Fund" means a fund established to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries who are current or former employees (or persons nominated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered; so, however, that, —

(i) the fund has less than fifty participants;

(ii) the fund is sponsored by one or more employers who are not investment entities or passive non-financial entities;

(iii) the employee and employer contributions to the fund other than transfer of assets from retirement and pension accounts referred to in sub-clause (i) of clause (h) of Explanation to clause (1) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;

(iv) participants who are not residents in India are not entitled to more than twenty per cent of the fund's assets; and

(v) the fund is subject to Government regulation and provides information reporting to the income-tax authorities;

(G) "Pension Fund of a Governmental entity, International Organisation or Central Bank" means a fund established by a Governmental entity, International Organisation or Central Bank to provide retirement, disability or death benefits to beneficiaries or participants who are current or former employees (or persons nominated by such employees), or who are not current or former employees, if the benefits provided to such beneficiaries or participants are in consideration of personal services rendered to the Governmental entity, International Organisation or Central Bank;

(H) "non-public fund of the armed forces" means a fund established in India as a regimental fund or non-public fund by the armed forces of the Union of India for the welfare of the current and former members of the armed forces and whose income is exempt from tax under Schedule VII(1) of the Act;

(I) "Employees' State Insurance Fund" means the fund established as Employees' State Insurance Fund under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), to provide medical expenses of low-income factory workers in India;

(J) "gratuity fund" means a fund established under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), to provide for the payment of a gratuity to certain types of employees of an Indian employer specified in the Payment of Gratuity Act, 1972;

(K) "provident fund" means a fund established under the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) to provide current and former employees of Indian employers retirement benefits in consideration for services rendered but that fund, —

(i) does not have any beneficiary with a right to more than five per cent of the fund's assets;

(ii) is subject to Government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the income-tax authorities;

(iii) is generally exempt from tax on investment income due to its status as a provident fund; and

(iv) contributions (other than permitted make-up contributions) by employees to the fund are limited by reference to earned income of the employee or may not exceed an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars annually, applying the procedures set forth in rule 240 for account aggregation and currency translation;

(L) "qualified credit card issuer" means a financial institution satisfying the following requirements: —

(i) it is a financial institution only because it is an issuer of credit cards and accepts deposits only when a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to the card and the overpayment is not immediately returned to the customer; and

(ii) beginning on or before the 1st July, 2014, the financial institution implements policies and procedures either to prevent a customer from making an overpayment in excess of an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars or to ensure that any customer overpayment in excess of an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars is refunded to the customer within sixty days, in each case applying the rules set forth in rule 240 for account aggregation and currency translation.

Explanation. —For the purpose of this sub-clause, a customer overpayment does not refer to credit balances to the extent of disputed charges but includes credit balances resulting from merchandise returns;

(M) "exempt collective investment vehicle" means an investment entity that is regulated as a collective investment vehicle, provided that all of the interests in the collective investment vehicle are held by or through persons other than,—

(i) those referred to in sub-clauses (a) to (c) of clause (6); and

(ii) a non-participating financial institution.

Explanation. —An investment entity which is regulated as a collective investment vehicle does not fail to qualify under this clause as an exempt collective investment vehicle, only because it has issued physical shares in bearer form; so, however, that—

(i) the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after the 31st December, 2012;

(ii) the collective investment vehicle retires all such shares upon surrender;

(iii) the collective investment vehicle performs the due diligence procedures set forth in rule 240 and reports any information required to be reported with respect to any such shares when such shares are presented for redemption or other payment; and

(iv) the collective investment vehicle has in place policies and procedures to ensure that such shares are redeemed or immobilised as soon as possible, and in any event prior to the 1st January, 2017;

(N) "financial institution with a local client base" means a financial institution satisfying the following requirements: —

(i) it has been granted a licence and is regulated as a financial institution under any law for the time being in force;

(ii) the financial institution does not have a fixed place of business outside India.

Explanation. —For the purposes of this sub-clause, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the financial institution performs only administrative support functions; and

(iii) the financial institution does not solicit customers or account holders outside India.

Explanation. —For the purpose of this sub-clause, a financial institution shall not be considered to have solicited customers or account holders outside India merely because the financial institution,—

(a) operates a website, provided that the website does not specifically indicate that the financial institution provides financial accounts or services to non-residents, and does not otherwise target or solicit

customers or account holders who are resident of any country or territory outside India for tax purposes; or

(b) advertises in print media or on a radio or television station which is distributed or aired primarily within India but is also incidentally distributed or aired in other countries, provided that the advertisement does not specifically indicate that the financial institution provides financial accounts or services to non-residents, and does not otherwise target or solicit customers or account holders who are resident of any country or territory outside India for tax purposes;

(iv) the financial institution is required under any law for the time being in force to identify resident account holders for purposes of either information reporting or withholding of tax with respect to financial accounts held by residents or for purposes of satisfying the due diligence requirements under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(v) at least ninety eight per cent of the financial accounts by value maintained by the financial institution are held by residents;

(vi) beginning on or before the 30th June, 2014, the policies and procedures of the financial institution are consistent with those set forth in rule 240, to prevent the financial institution from providing a financial account to any non-participating financial institution and to monitor whether the financial institution opens or maintains a financial account for any reportable person who is not a resident of India (including a non-resident who was a resident of India when the financial account was opened but subsequently ceases to be a resident of India) or any passive non-financial entity with controlling persons who are reportable persons;

(vii) such policies and procedures explicitly provide that if any financial account held by a reportable person who is not a resident of India or by a passive non-financial entity with controlling persons who are reportable persons who are not resident of India is identified, the financial institution shall report such financial account as would be required if the financial institution was a reporting financial institution or close such financial account;

(viii) with respect to a pre-existing account held by an individual who is not a resident of India or by an entity, the financial institution shall review those pre-existing accounts in accordance with the procedures set forth in rule 240 applicable to pre-existing accounts to identify any reportable account or financial account held by a non-participating financial institution, and shall report such financial account as would be required if the financial institution were a reporting financial institution or close such financial account;

(ix) each related entity of the financial institution that is a financial institution must be incorporated or organised in India and, with the exception of any related entity that is a retirement fund referred to in clauses (D) to (G) of this Explanation, satisfies the requirements set forth in this clause; and

(x) the financial institution must not have policies or practices which discriminate against opening or maintaining financial accounts for individuals who are specified U.S. persons and residents of India;

(O) "local bank" means a financial institution satisfying the following requirements: —

(i) the financial institution operates only as (and is licensed and regulated under any law for the time being in force) a bank, or a credit union or similar cooperative credit organisation which is operated without profit;

(ii) the business of the financial institution consists primarily of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, unrelated retail customers and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organisation, members, provided that no member has a greater than five per cent interest in such credit union or cooperative credit organisation;

(iii) the financial institution satisfies the requirements set forth in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (N), provided that, in addition to the limitations on the website referred to in sub-clause (iii) of clause (N), the website does not permit the opening of a financial account;

(iv) the financial institution does not have more than an amount equivalent to one hundred seventy-five million U.S. dollars in assets on its balance sheet, and the financial institution and any related entity, taken together, does not have more than an amount equivalent to five hundred million U.S. dollars in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and

(v) any related entity must be incorporated or organised in India, and any related entity that is a financial institution, with the exception of any related entity that is a retirement fund referred to in clauses (D) to (G) or a financial institution with only low-value accounts referred to in clause (P), must satisfy the requirements set forth in this clause.

Explanation.—Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976), Urban Cooperative Banks constituted under respective State Cooperative Societies Acts or Multi State Cooperative Societies Act, State Cooperative Banks or District Central Cooperative Banks constituted under respective State Cooperative Societies Act and Local Area Banks licensed under the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949) and regulated and registered as public limited companies under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or Companies Act, 2013 (18 of 2013), that satisfy the requirement under sub-clause (iv) shall be treated as local bank for the purpose of this clause;

(P) "financial institution with only low-value accounts" means a financial institution satisfying the following requirements: —

(i) the financial institution is not an investment entity;

(ii) no financial account maintained by the financial institution or any related entity has a balance or value in excess of an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars, applying the procedures prescribed in rule 240 for account aggregation and currency translation; and

(iii) the financial institution does not have more than fifty million U.S. dollars in assets on its balance sheet, and the financial institution and any related entities, taken together, do not have more than fifty million U.S. dollars in total assets on their consolidated or combined balance sheets;

(Q) "sponsored investment entity and controlled foreign corporation" means a financial institution described in the following sub-clauses: —

(i) a financial institution is a sponsored investment entity if—

(a) it is an investment entity established in India that is not a qualified intermediary (being an intermediary that is a party to a withholding agreement with the United States of America), withholding foreign partnership, or withholding foreign trust; and

(b) an entity has agreed with the financial institution to act as a sponsoring entity for the financial institution;

(ii) a financial institution is a sponsored controlled foreign corporation if—

(a) the financial institution is a controlled foreign corporation established under any law for the time being in force in India that is not a qualified intermediary (being an intermediary which is a party to a withholding agreement with the United States of America), withholding foreign partnership, or withholding foreign trust;

(b) the financial institution is wholly owned, directly or indirectly, by a reporting U.S. financial institution referred to in Article 1 of the FATCA agreement that agrees to act, or requires an affiliate of the financial institution to act, as a sponsoring entity for the financial institution; and

(c) the financial institution shares a common electronic account system with the sponsoring entity that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the financial institution and to access all account and customer information maintained by the financial institution including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to the account holder or payee,

and that complies with the following requirements: —

(I) the sponsoring entity is authorised to act on behalf of the financial institution (such as a fund manager, trustee, corporate director, or managing partner) to fulfil applicable registration requirements of the United States of America;

(II) the sponsoring entity has registered as a sponsoring entity with the United States of America;

(III) if the sponsoring entity identifies any U.S. reportable account with respect to the financial institution, the sponsoring entity registers the financial institution pursuant to applicable registration requirements of the United States of America on or before the 31st December, 2015 or the date that is ninety days after such U.S. reportable account is first identified, whichever is later;

(IV) the sponsoring entity agrees to perform, on behalf of the financial institution, all due diligence, withholding, reporting, and other requirements that the financial institution would have been required to perform if it were a reporting financial institution;

(V) the sponsoring entity identifies the financial institution and includes the identifying number of the financial institution (obtained by following applicable registration requirements of the United States of America) in all its reporting completed on the financial institution's behalf; and

(VI) the sponsoring entity has not had its status as a sponsor revoked;

(R) "sponsored, closely held investment vehicle" means a financial institution satisfying the following requirements: —

(i) it is a financial institution only because it is an investment entity and is not a qualified intermediary (being an intermediary that is a party to a withholding agreement with the United States of America), withholding foreign partnership, or withholding foreign trust;

(ii) the sponsoring entity is a reporting U.S. financial institution referred to in Article 1 of the FATCA agreement, reporting financial institution, or participating foreign financial institution defined in Annex II of the FATCA agreement, is authorised to act on behalf of the financial institution (such as a professional manager, trustee, or managing partner), and agrees to perform, on behalf of the financial institution, all due diligence, withholding, reporting, and other requirements which the financial institution would have been required to perform if it were a reporting financial institution;

(iii) the financial institution does not act as an investment vehicle for unrelated parties;

(iv) twenty or less than twenty individuals own all the debt interests and equity interests in the financial institution (other than debt interests owned by participating foreign financial institution defined in Annex II of the FATCA agreement and non-reporting financial institutions and equity interests owned by an entity if that entity owns hundred per cent of the equity interests in the financial institution and is itself a sponsored financial institution described in this clause); and

(v) the sponsoring entity complies with the following requirements: —

(a) it has been registered as a sponsoring entity in terms of the Foreign Account Tax Compliance Act of the United States of America;

(b) the sponsoring entity agrees to perform, on behalf of the financial institution, all due diligence, withholding, reporting, and other requirements that the financial institution would have been required to perform if it were a reporting financial institution and retains documentation collected with respect to the financial institution for a period of six years;

(c) the sponsoring entity identifies the financial institution in all its reporting completed on the financial institution's behalf; and

(d) the sponsoring entity has not had its status as a sponsor revoked;

(S) "Qualified Non-Profit Entity" means an entity resident in India that has obtained confirmation by the Income-tax Department or other governmental authority of India that such entity meets all of the following conditions: —

(i) it is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

(ii) it is exempt from income tax in India;

(iii) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

(iv) the applicable laws of India or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or a noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and

(v) the applicable laws of India or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental entity or other entity that meets the conditions set out in (i) to (v), or escheat to the Government of India or any political subdivision thereof;

(6) "reportable account" means a financial account which has been identified, pursuant to the due diligence procedures provided in rule 240, as held by, —

(a) a reportable person; or

(b) an entity, not based in United States of America, with one or more controlling persons that is a specified U.S. person; or

(c) a passive non-financial entity with one or more controlling persons that is a person described in sub-clause (b) of clause (8) of this rule.

Explanation. —For the purpose of this clause, —

(A) "active non-financial entity" means any non-financial entity which fulfils any of the following criteria: —

(i) less than fifty per cent of the entity's gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that produce or are held for the production of passive income; or

(ii) the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market.

Explanation. —For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognised and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange;

(iii) the entity is a Governmental entity, an International Organization, a Central Bank, or an entity wholly owned by one or more of these entities; or

(iv) substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution but an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; or

(v) the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the date of the initial organisation of the entity; or

(vi) the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; or

(vii) the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; or

(viii) the entity fulfils all of the following requirements: —

(a) it is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

(b) it is exempt from income-tax in India;

(c) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

(d) the applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person

or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and

(e) the applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets must be distributed to a Governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the Government of the entity's country or territory of residence or any political sub-division thereof.

Explanation. —For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause: —

(I) an Investor Protection Fund referred to in Schedule III (27) of the Act; and

(II) an Investor Protection Fund referred to in Schedule III (28) of the Act;

(B) "controlling person" means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 under the prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003).

Explanation 1. —In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as amended from time to time shall be applied: —

(i) DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13, issued on the 18th January, 2013 by the Reserve Bank of India; or

(ii) CIR/MIRSD/2/2013, issued on the 24th January, 2013 by the Securities and Exchange Board of India; or

(iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2. —In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position;

(C) "non-financial entity" means any entity that is not a financial institution;

(D) "passive non-financial entity" means, —

(i) any non-financial entity which is not an active non-financial entity; or

(ii) an investment entity described in sub-clause (B) of clause (c) of the Explanation to clause (3), which is not located in any of the jurisdictions specified by the Central Board of Direct Taxes in this behalf; or

(iii) not a withholding foreign partnership or a withholding foreign trust;

(E) an entity is a "related entity" of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control.

Explanation. —For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the votes and value in an entity;

(F) Subject to the provisions of clause (G),"passive income" includes income by way of, —

(i) dividends;

(ii) interest;

(iii) income equivalent to interest;

(iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity);

(v) annuities;

(vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial **assets;**

(vii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets;

(viii) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses;

(ix) net income from swaps; or

(x) amounts received under cash value insurance contracts:

(G) Passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.

(7) "relevant crypto-asset" shall have the same meaning as assigned in rule 241;

(8) "reporting financial institution" means, —

(a) a financial institution (other than a non-reporting financial institution) which is resident in India, but excludes any branch of such institution, that is located outside India; and

(b) any branch, of a financial institution (other than a non-reporting financial institution) which is not resident in India, if that branch is located in India;

(9) "reportable person" means, —

(a) one or more specified U.S. persons; or

(b) one or more persons other than, —

(i) an entity the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;

(ii) any entity that is a related entity of an entity mentioned in item (i);

(iii) a Governmental entity;

(iv) an international organisation;

(v) a Central bank; or

(vi) a financial institution,

that is a resident of any country or territory outside India (except the United States of America) under the tax laws of such country or territory or an estate of a decedent who was a resident of any country or territory outside India (except the United States of America) under the tax laws of such country or territory;

(10) "Specified Electronic Money Product" means any product that satisfies following criteria: —

a) it is a digital representation of a single fiat currency;

b) it is issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions;

c) it is represented by a claim on the issuer denominated in the same fiat currency;

d) it is accepted in payment by a natural or legal person other than the issuer; and

e) it is, by virtue of regulatory requirements to which the issuer is subject, redeemable at any time and at par value for the same fiat currency upon request of the holder of the product.

Explanation – For the purposes of this clause, —

(i) "Specified Electronic Money Product" does not include a product created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds from a customer to another person pursuant to instructions of the customer;

(ii) A product is not created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds if, in the ordinary course of business of the transferring Entity, either the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of instructions to facilitate the transfer, or, if no instructions are received, the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of the funds;

(iii) ''fiat currency'' shall have the same meaning as assigned in rule 241.

(11) "specified U.S. person" means a U.S. person, other than the persons referred to in sub-clauses (i) to (xiii) of clause (ff) of Article 1 of the FATCA agreement;

(12) "U.S. person" means, —

(a) an individual, being a citizen or resident of the United States of America;

(b) a partnership or corporation organized in the United States of America or under the laws of the United States of America or any State thereof;

(c) a trust if, —

(i) a court within the United States of America would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust; and

(ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust; or

(d) an estate of a decedent who was a citizen or resident of the United States of America;

13) "U.S. reportable account" means a financial account maintained by a reporting financial institution and, pursuant to the due diligence procedures provided in rule 240, is identified to be held by one or more specified U.S. persons or by an entity not based in the United States of America with one or more controlling persons which is a specified U.S. Person;

(14) "U.S. source withholdable payment" means any payment of interest (including any original issue discount), dividends, rents, salaries, wages, premiums, annuities, compensations, remunerations, emoluments, and other fixed or determinable annual or periodical gains, profits, and income, if such payment is from sources within the United States of America but a U.S. source withholdable payment shall not include any payment that is not treated as a withholdable payment in relevant Treasury Regulations of the United States of America;

(15) "withholding foreign partnership" means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners;

(16) "withholding foreign trust" means a foreign trust that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners.

239. Information to be maintained and reported.—

(1) The following information shall be maintained and reported by a reporting financial institution in respect of each reportable account: —

(a) the name, address, taxpayer identification number (assigned to the account holder by the country or territory of his residence for tax purposes) and date and place of birth (in the case of an individual) of each reportable person, that is an account holder of the account but that in the case of an account other than a U.S. reportable account, a reporting financial institution shall also,–

I. maintain and report whether the account holder has provided a valid self-certification;

II. report whether the account is a joint account, including the number of joint account holders;

(b) in the case of any entity which is an account holder and which, after application of due diligence procedures as provided in rule 240, is identified as having one or more controlling persons that is a reportable person, –

(i) the name and address of the entity, taxpayer identification number assigned to the entity by the country or territory of its residence; and

(ii) the name, address, date and place of birth of each such controlling person and taxpayer identification number assigned to such controlling person by the country or territory of his residence.

but that in the case of an account other than a U.S. reportable account, a reporting financial institution shall also, –

(I) maintain and report the role(s) by virtue of which each reportable person is a controlling person of the entity and whether a valid self-certification has been provided for each reportable person;

(II) report whether the account is a joint account, including the number of joint account holders;

(c) the account number (or functional equivalent in the absence of an account number), but that in the case of an account other than a U.S. reportable account, a reporting financial institution shall also maintain and report the type of account and whether the account is a pre-existing account or a new account;

(d) the account balance or value (including, in the case of a cash value insurance contract or annuity contract, the cash value or surrender value) at the end of relevant calendar year or, if the account was closed during such year, immediately before closure;

(e) in the case of any custodial account, -

(i) the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) during the calendar year; and

(ii) the total gross proceeds from the sale or redemption of financial assets paid or credited to or with respect to the account during the calendar year with respect to which the reporting financial institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the account holder;

(f) in the case of any depository account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during the relevant calendar year;

(g) in the case of any account other than that referred to in clause (e) or (f), the total gross amount paid or credited to the account holder with respect to the account during the relevant calendar year with

respect to which the reporting financial institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the account holder during the relevant calendar year;

(h) in the case of any account held by a non-participating financial institution, for calendar years 2015 and 2016, the name of each non-participating financial institution to which payments have been made and the aggregate amount of such payments;

but the information to be reported, –

(i) with respect to calendar year 2014, is the information referred to in clauses (a), (b), (c) and (d), with regard to U.S. reportable accounts;

(ii) with respect to calendar year 2015, is the information referred to in clauses (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) and sub-clause (i) of clause (e), with regard to U.S. reportable accounts;

(iii) with respect to calendar year 2016, is the information referred to in clauses (a) to (h), with regard to all reportable accounts;

(iv) with respect to calendar year 2017 and subsequent years, is the information referred to in clauses (a) to (g), with regard to all reportable accounts;

(v) with respect to each U.S. reportable account which is maintained by a reporting financial institution as on the 30th June, 2014, the taxpayer identification number of any relevant person is not required to be reported if such taxpayer identification number is not in the records of the reporting financial institution.

(i) in the case of an account other than U.S. reportable account, where any equity interest is held in an investment entity that is a legal arrangement, the roles by virtue of which the reportable person is an equity interest holder.

(2) For the purposes of sub-rule (1),-

(a) "account holder" means the person listed or identified as the holder of a financial account by the financial institution that maintains the account:

Provided that a person, other than a financial institution, holding a financial account for the benefit or on account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account:

Provided further that in the case of a cash value insurance contract or an annuity contract, the account holder is any person entitled to receive a payment upon the maturity of the contract or any person entitled to access the cash value or change the beneficiary of the contract and if no person can access the cash value or change the beneficiary, the account holder is any person named as the owner in the contract and any person with a vested entitlement to payment under the terms of the contract;

(b) "taxpayer identification number" means a number assigned to a person in the country or territory in which he is resident for tax purposes and includes a functional equivalent in case no such number is assigned.

(3) Where the person is a resident of more than one country or territory outside India under the tax laws of such country or territory, the reporting financial institution shall maintain the taxpayer identification number in respect of each such country or territory.

(4) Irrespective of sub-rule (1), with respect to each reportable account which is a pre-existing account, the taxpayer identification number or date of birth is not required to be reported if such taxpayer identification number or date of birth is not in the records of the reporting financial institution but the reporting financial institution shall obtain the taxpayer identification number and date of birth with respect to, –

(a) pre-existing accounts by the 31st December, 2016 and shall report it with respect to calendar year 2017 and subsequent years; and

(b) an account other than a U.S. reportable account, whenever it is required to update the information relating to the pre-existing account pursuant to the rules made under The Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

(5) Irrespective of sub-rule (1) and sub-rule (4), the taxpayer identification number is not required to be reported if,-

(i) a taxpayer identification number (including its functional equivalent) is not issued by the relevant country or territory outside India in which the person is resident for tax purposes or;

(ii) the domestic law of the relevant country or territory outside India does not require the collection of the taxpayer identification number issued by such country or territory.

(6) Irrespective of sub-rule (1), the place of birth is not required to be reported unless it is available in the electronically searchable data maintained by the reporting financial institution.

(7) Irrespective of sub-rule (1)(e)(ii) and unless the reporting financial institution elects otherwise with respect to any clearly identified group of accounts, the gross proceeds from the sale or redemption of a financial asset are not required to be reported to the extent such gross proceeds from the sale or redemption of such financial asset are reported by the reporting financial institution under the Crypto-Asset Reporting Framework but the provisions of this sub-rule shall apply in respect of an account other than U.S. reportable account.

(8) The statement of reportable account required to be furnished under section 508(1)(k) shall be furnished by a reporting financial institution in respect of each account which has been identified, pursuant to due diligence procedure specified in rule 240, as a reportable account but where pursuant to such due diligence procedures no account is identified as a reportable account, a nil statement shall be furnished by the reporting financial institution.

(9) The statement referred to in sub-rule (8) shall be furnished in Form No. 166 and in such manner, as may be specified by the Principal Director General of Income Tax (Systems) or the Director General of Income Tax (Systems), as the case may be, with the approval of the Board for every calendar year by the 31st day of May following that year;

(10) (a) The statement referred to in sub-rule (8) shall be furnished to the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) or the Joint Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) through online transmission of electronic data to a server designated for this purpose under the digital signature in accordance with the data structure specified in this regard by the Principal Director General of Income-tax (Systems).

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, "digital signature" means a digital signature issued by any Certifying Authority authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities.

(b) Principal Director General of Income Tax (Systems) shall specify the procedures, data structures and standards for ensuring secure capture and transmission of data, evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

(11) (a) Every reporting financial institution shall communicate to the Principal Director General of Income-tax (Systems) the name, designation and communication details of the Designated Director and the Principal Officer and obtain a registration number;

(b) The statement referred to in sub-rule (8) shall be signed, verified and furnished by the Designated Director of the reporting financial institution on the basis of information available with the institution:

Provided that where the reporting financial institution is a non-resident, the statement may be signed, verified and furnished by a person who holds a valid power of attorney from such Designated Director;

(c) It shall be the duty of every reporting financial institution, its Designated Director, Principal Officer and employees to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by its regulator.

Explanation. - For the purposes of this sub-rule, -

(a) "Designated Director" means a person designated by the reporting financial institution to ensure overall compliance with the obligations imposed under section 508 and the rules made thereunder and includes—

(i) the Managing Director or a whole-time Director, as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors if the reporting financial institution is a company;

(ii) the managing partner if the reporting financial institution is a partnership firm;

(iii) the proprietor if the reporting financial institution is a proprietorship concern;

(iv) the managing trustee if the reporting financial institution is a trust;

(v) a person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the reporting financial institution if the reporting financial institution is an association of persons or a body of individuals, or any other person;

(b) "Principal Officer" means an officer designated by the reporting financial institution;

(c) "regulator" means a person or an authority or a Government which is vested with the power to licence, authorise, register, regulate or supervise the activities of the reporting financial institution.

(12)(a) The regulator referred to in sub-rule (11)(c) shall issue instructions or guidelines to, –

(i) incorporate the requirements of reporting and due diligence procedure specified under rules 238 to 240;

(ii) provide the procedure and manner of maintaining the information by the reporting financial institution; and

(iii) ensure the availability of the information referred to in sub-rule (1) with the reporting financial institution for meeting its reporting obligation, if such information is not maintained by it under any rule or regulation issued by the regulator.

(b) Every reporting financial institution shall maintain information in respect of financial accounts in accordance with the procedure and manner as may be specified by its regulator from time to time so as to enable reporting of information prescribed under this rule and perform due diligence procedure specified under rule 240.

(13) Irrespective of sub-rule (1)(b) and sub-rule (1)(i) of this rule, with respect to each reportable Account other than a U.S. reportable account that is maintained by a reporting financial institution as of 31st December 2025 and for reporting periods ending by the second calendar year following such date, information with respect to the role(s) by virtue of which each reportable person is a controlling person or equity interest holder of the entity is only required to be reported if such information is available in the electronically searchable data maintained by the reporting financial institution.

240. Due diligence requirement.—

(1) An account shall be treated as a reportable account beginning as on the date it is identified as such pursuant to the due diligence procedure specified in sub-rules (3) to sub-rule (8) and, unless otherwise provided, information with respect to a reportable account shall be reported annually in the calendar year following the calendar year to which the information relates.

(2) For the purpose of this rule,-

(a) "documentary evidence" includes any of the following:-

(i) a certificate of residence issued by an authorised Government body, including a Government agency or a municipality, of the country or territory in which the payee claims to be a resident;

(ii) with respect to an individual, any valid identification issued by an authorized Government body, including a Government agency or a municipality, that includes the individual's name and is particularly used for identification purposes;

(iii) with respect to an entity, any official documentation issued by an authorized Government body, including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a resident or the country or territory in which the entity was incorporated or organized;

(iv) any financial statement, third-party credit report, bankruptcy filing, or a report of the Government agency regulating the securities market;

(b) "high value account" means a pre-existing individual account with a balance or value that,-

(i) in case of a U.S. reportable account, exceeds an amount equivalent to one million U.S. dollars as on the 30th June, 2014 or 31st December of any subsequent year; and

(ii) in case of other reportable account, exceeds an amount equivalent to one million U.S. dollars as on the 31st December, 2015 or 31st December of any subsequent year;

(c) "lower value account" means a pre-existing individual account with a balance or value that,-

(i) in case of a U.S. reportable account, exceeds an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars but does not exceed an amount equivalent to one million U.S. dollars as on the 30th June, 2014; and

(ii) in case of other reportable account, does not exceed an amount equivalent to one million U.S. dollars as on the 31st December, 2015;

(d) "new account" means a financial account maintained by a reporting financial institution opened on or after,

(i) in case of a U.S. reportable account, the 1st July, 2014; and

(ii) in case of other reportable account, the 1st January, 2016 or, if the account is treated as a financial account solely by virtue of the amendments to the Common Reporting Standard, on or after 1st January 2026;

(e) "new entity account" means a new account held by one or more entities;

(f) "new individual account" means a new account held by one or more individuals;

(g) "other reportable account" means a reportable account which is not a U.S. reportable account;

(h) "pre-existing account" means a financial account maintained by a reporting financial institution as on,-

(I) in case of a U.S. reportable account, the 30th June, 2014; and

(II) in case of other reportable account, the 31st December, 2015 or, if the account is treated as a financial account solely by virtue of the amendments to the Common Reporting Standard, as of 31st December 2025;

(i) "pre-existing entity account" means a pre-existing account held by one or more entities;

(j) "pre-existing individual account" means a pre-existing account held by one or more individuals;

(k) where a balance or value threshold is to be determined at the end of a calendar year, the relevant balance or value shall be determined as on the last day of the reporting period which ends with or within that calendar year.

(3) The due diligence procedure for the purposes of identifying reportable accounts among pre-existing individual accounts shall be the following:-

(a) a pre-existing individual account is not required to be reviewed, identified or reported, if,-

(i) in case of a U.S. reportable account,-

(A) the balance or value as on the 30th June, 2014, does not exceed an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars, subject to sub-clause (vi) of clause (c) of this sub-rule; or

(B) which is a cash value insurance contract or an annuity contract, the balance or value does not exceed an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 30th June, 2014, subject to sub-clause (vi) of clause (c) of this sub-rule; or

(C) which is a cash value insurance contract or an annuity contract, the reporting financial institution, under any other law for the time being in force in India or of the United States of America, is prevented from selling such contract to a person who is a resident of the United States of America;

(ii) in case of other reportable account, which is a cash value insurance contract or an annuity contract, the reporting financial institution, under any other law for the time being in force in India, is prevented from selling such contract to a person who is not a resident of India for tax purposes;

(b) with respect to lower value accounts among pre-existing individual accounts the following procedures shall apply:-

(i) the reporting financial institution must review electronically searchable data maintained by the reporting financial institution for any of the following indicia, and apply provisions contained in sub-clauses (ii) to (v):-

(A) identification of the account holder as a resident of any country or territory outside India for tax purposes or unambiguous indication of a place of birth in the United States of America; or

(B) current mailing or residence address (including a post office box) in any country or territory outside India; or

(C) one or more telephone numbers in a country or territory outside India and no telephone number in India; or

(D) in case of U.S. reportable account, any standing instructions to transfer funds to an account maintained in a country or territory outside India and in case of other reportable account, any standing instructions (other than with respect to a depository account) to transfer funds to an account maintained in a country or territory outside India; or

(E) currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a country or territory outside India; or

(F) a "hold mail" instruction or "in-care-of" address in a country or territory outside India if the reporting financial institution does not have any other address on file for the account holder;

(ii) if none of the indicia listed in sub-clause (i) are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances which results in one or more indicia being associated with the account, or the account becomes a high value account;

(iii) if any of the indicia listed in items (A) to (E) of sub-clause (i) are discovered in the electronic search, or if there is a change in circumstances which results in one or more indicia being associated with the account, then the reporting financial institution shall treat the account holder as resident for tax purposes of each such country or territory for which an indicium is identified, unless it elects to apply sub-clause (v) and one of the exceptions in the said sub-clause applies with respect to that account;

(iv) if a "hold mail" instruction or "in-care-of" address is discovered in the electronic search and no other address and none of the other indicia listed in items (A) to (E) of sub-clause (i) are identified for the account holder, the reporting financial institution shall apply the paper record search referred to in sub-clause (ii) of clause (c), or seek to obtain from the account holder a self-certification or documentary evidence to establish the residence or residences for tax purposes of such account holder but if the paper search fails to establish an indicium and the attempt to obtain the self-certification or documentary evidence is not successful, the reporting financial institution shall report the account as an undocumented account;

(v) irrespective of a finding of indicia under sub-clause (i), a reporting financial institution is not required to treat an account holder as a resident, for tax purposes,-

(A) of United States of America if, the account holder's information unambiguously indicates a place of birth in the United States of America and the reporting financial institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of,-

(I) a self-certification that the account holder is neither a citizen of the United States of America nor its resident for tax purposes;

(II) a passport or other Government-issued identification evidencing the account holder's citizenship or nationality in a country other than the United States of America; and

(III) a copy of the account holder's certificate of loss of nationality of the United States of America or a reasonable explanation of-

(1) the reason, the account holder does not have such a certificate despite relinquishing citizenship of the United States of America; or

(2) the reason, the account holder did not obtain citizenship of the United States of America at birth;

(B) of any country or territory outside India if, the account holder's information contains a current mailing or residence address in any country or territory outside India, one or more telephone numbers in any country or territory outside India (and no telephone number in India) or standing instructions (with respect to financial accounts other than depository accounts) to transfer funds to an account maintained in any country or territory outside India, the reporting financial institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of,-

(I) a self-certification from the account holder of the country or territory or countries or territories of residence for tax purposes of such account holder that does not include any country or territory outside India; and

(II) documentary evidence establishing the account holder's non-reportable status;

(C) of any country or territory outside India if, the account holder's information contains a currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a country or territory outside India, or one or more telephone numbers in any country or territory outside India (if an Indian telephone number in also associated with the account), the reporting financial institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of-

(I) a self-certification from the account holder of the country or territory or countries or territories of residence of such account holder that does not include any country or territory outside India; or

(II) documentary evidence establishing the account holder's non-reportable status;

(c) with respect to high value accounts among pre-existing individual accounts the following enhanced review procedures shall apply:-

(i) the reporting financial institution must review electronically searchable data maintained by the reporting financial institution for any of the indicia described in sub-clause (i) of clause (b);

(ii) if the reporting financial institution's electronically searchable databases do not capture all of the information referred to in sub-clause (iii) of this clause, then the reporting financial institution shall also review the current customer master file and, to the extent not contained in the current customer master file, the following documents associated with the account and obtained by the reporting financial institution during the last five years for any of the indicia provided in sub-clause (i) of clause (b),-

(A) the most recent documentary evidence collected with respect to the account;

(B) the most recent account opening contract or documentation;

(C) the most recent documentation obtained by the reporting financial institution pursuant to rules framed under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) or any other law for the time being in force;

(D) any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and

(E) in case of U.S. reportable account, any standing instructions to transfer funds currently in effect and in case of other reportable account any standing instructions (other than with respect to a depository account) to transfer funds currently in effect;

but where the electronically searchable databases include fields for, and capture all the information referred to in sub-clause (iii) of this clause, then review of the customer master file and documents referred to above shall not be required;

(iii) a reporting financial institution is not required to perform the paper record search referred in sub-clause (ii) of this clause to the extent the reporting financial institution's electronically searchable information includes the following:-

(A) the account holder's residence status for tax purposes;

(B) the account holder's residence address and mailing address currently on file with the reporting financial institution;

(C) the account holder's telephone number or numbers currently on file, if any, with the reporting financial institution;

(D) in the case of financial accounts other than depository accounts, whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account (including an account at another branch of the reporting financial institution or another financial institution);

(E) whether there is a current "in-care-of" address or "hold mail" instruction for the account holder; and

(F) whether there is any power of attorney or signatory authority for the account;

(iv) in addition to the electronic and paper record searches provided in sub-clauses (i) to (iii) of this clause, the reporting financial institution shall treat as a reportable account any high value account assigned to a relationship manager (including any financial accounts aggregated with that high value account) if the relationship manager has actual knowledge that the account holder is a reportable person;

(v) after application of review procedures specified in sub-clauses (i) to (iv) if,-

(A) none of the indicia referred to in sub-clause (i) of clause (b) are discovered, and the account is not identified as held by a reportable person as per sub-clause (iv), then further action is not required until there is a change in circumstances which results in one or more indicia being associated with the account;

(B) any of the indicia referred to in items (A) to (E) of sub-clause (i) of clause (b) are discovered, or if there is a subsequent change in circumstances which results in one or more indicia being associated with the account, then the reporting financial institution shall treat the account as a reportable account with respect to each country or territory outside India for which an indicium is identified unless it elects to apply sub-clause (v) of clause (b) and one of the exceptions in the said sub-clause applies with respect to that account;

(C) a "hold mail" instruction or "in-care-of" address is discovered in the electronic search and no other address and none of the other indicia referred to in items (A) to (E) of sub-clause (i) of clause (b) are identified for the account holder, the reporting financial institution shall obtain from such account holder a self-certification or documentary evidence to establish the residence or residences for tax purposes of the account holder but if the reporting financial institution cannot obtain such self-certification or documentary evidence, it shall report the account as an undocumented account;

(vi) if a pre-existing individual account is not a high value account as on the 30th June, 2014 (for U.S. reportable account), or as the case may be, 31st December, 2015 (for other reportable account), but becomes a high value account as on the last day of year 2015 (for U.S. reportable account) or last day of any subsequent calendar year (for all reportable accounts), the reporting financial institution shall complete the enhanced review procedures specified in this clause with respect to such account within the calendar year following the year in which the account becomes a high value account and if based on such review the account is identified as a reportable account, the reporting financial institution shall report the required information about such account with respect to the year in which it is identified as a reportable account and subsequent years on an annual basis, unless the account holder ceases to be a reportable person;

(vii) once a reporting financial institution applies the enhanced review procedures specified in this clause to a high value account, the reporting financial institution is not required to re-apply such procedures, other than an inquiry by the relationship manager provided in sub-clause (iv), to the same high value account in any subsequent year unless the account is undocumented where the reporting financial institution shall re-apply them annually until such account ceases to be undocumented;

(viii) if there is a change of circumstances with respect to a high value account which results in one or more indicia referred to in sub-clause (i) of clause (b) being associated with the account, then the reporting financial institution must treat the account as a reportable account with respect to each such country or territory outside India for which an indicium is identified unless it elects to apply sub-clause (v) of clause (b) and one of the exceptions in the said sub-clause applies with respect to that account;

(ix) a reporting financial institution shall implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account and where the relationship manager is informed that the account holder has a new mailing address in any country or territory outside India, the reporting financial institution is required to treat the new address as a change in circumstances and, if it elects to apply sub-clause (v) of clause (b), then it is required to obtain the appropriate documentation from the account holder;

(d) review of pre-existing individual account, –

(i) in case of a U.S. reportable account which is high value account as on the 30th June, 2014, shall be completed by the 31st December, 2015 and if based on this review such account is identified as a U.S. reportable account after the 31st December, 2014 and on or before the 31st December, 2015, the reporting financial institution is not required to report information about such account with respect to calendar year 2014, but shall report information about the account on an annual basis thereafter;

(ii) in case of a U.S. reportable account which is low value account as on the 30th June, 2014, shall be completed by the 30th June, 2016 and in case of other reportable account which is high value account as on the 31st December, 2015, shall be completed by the 31st December, 2016;

(iii) in case of other reportable account that is low value account as on the 31st December, 2015, must be completed by the 30th June, 2017;

(e) any pre-existing individual account which has been identified as a reportable account under this sub-rule shall be treated as a reportable account in all subsequent years, unless the account holder ceases to be a resident of any country or territory outside India as per tax laws of such jurisdiction.

(4) The following procedures shall apply for purposes of identifying reportable accounts among new individual accounts:-

(a) unless the reporting financial institution elects otherwise, the following new individual accounts are not required to be reviewed, or reported as U.S. reportable accounts:-

(i) a depository account unless the account balance exceeds an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars at the end of any calendar year;

(ii) a cash value insurance contract unless the cash value exceeds an amount equivalent to fifty thousand U.S. dollars at the end of any calendar year;

(b) in case of a new individual account,-

(i) in respect of a U.S. reportable account, which does not fall under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a), upon account opening or within ninety days after the end of the calendar year in which the account ceases to be covered under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a); and

(ii) in respect of other reportable account, upon account opening,

the reporting financial institution shall obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the reporting financial institution to determine the account holder's residence or residences for tax purposes and confirms the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the reporting financial institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected in accordance with Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 under the prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(c) where the self-certification obtained under clause (b) of this sub-rule establishes that the account holder is resident for tax purposes in a country or territory outside India, the reporting financial institution shall treat the account as a reportable account and the self-certification shall also include the account holder's taxpayer identification number with respect to such country or territory outside India, subject to rule 239(5), and date of birth;

(d) where a self-certification has been obtained under clause (b) of this sub-rule for a new individual account and if there is a change of circumstances with respect to such account which causes the reporting financial institution to know, or have reason to know, that the said self-certification is incorrect or unreliable, the reporting financial institution shall not rely on the said self-certification and shall obtain a valid self-certification that establishes the residence or residences for tax purposes of the account holder but if the reporting financial institution is unable to obtain a valid self-certification, the reporting financial institution shall treat the account as a reportable account with respect to each such country or territory outside India for which an indicium is identified.

(5) The following procedures shall apply for purposes of identifying reportable accounts among pre-existing entity accounts:-

(a) unless the reporting financial institution elects otherwise, either with respect to all pre-existing entity accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, a pre-existing entity account with an aggregate account balance or value which does not exceed an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 30th June, 2014 (in case of a U.S. reportable account), or as the case may be, 31st December, 2015 (in case of other reportable account), is not required to be reviewed, identified, or reported as a reportable account until the aggregate account balance or value exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as of the last day of any subsequent calendar year;

(b) a pre-existing entity account that has an aggregate account balance or value that exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 30th June, 2014 (in case of a U.S. reportable account), or as the case may be, 31st December, 2015 (in case of other reportable account), and a pre-existing entity account that does not exceed an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 30th June, 2014 (in case of a U.S. reportable account), or as the case may be, 31st December, 2015 (in case of other reportable account) but the aggregate account balance or value exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as of the last day of any subsequent calendar year, shall be reviewed in accordance with the procedure provided in clause (d) of this sub-rule;

(c) with respect to pre-existing entity accounts referred to in clause (b), only accounts which are held by,-

(i) one or more entities which are reportable persons; or

(ii) passive non-financial entity with one or more controlling persons who are reportable persons, shall be treated as reportable accounts but the accounts held by non-participating financial institutions for which aggregate payments as provided in clause (h) of sub-rule (1) of rule 239 are reported shall be treated as reportable accounts;

(d) for pre-existing entity accounts referred to in clause (b) with respect to which reporting is required, a reporting financial institution, to determine whether the account is held by one or more reportable persons, or by a passive non-financial entity with one or more controlling persons who are

reportable persons, or by non-participating financial institutions, shall apply the following review procedures:-

(i) to determine whether the entity is a reportable person, the reporting financial institution shall,-

(A) review information maintained for regulatory or customer relationship purposes including information collected in accordance with the rules made under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) to determine whether the information indicates that the account holder is a reportable person.

Explanation.- For the purpose of this sub-clause, information indicating that the account holder is a resident of any country or territory outside India as per tax laws of such country or territory includes a place of incorporation or organisation, or an address in a country or territory outside India;

(B) treat the account as a reportable account, if the information as per item (A) indicates that the account holder is a reportable person, unless it obtains a self-certification from the account holder, or reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available, that the account holder is not a reportable person but if the information as per item (A) indicates that the account holder is an entity not based in the United States of America which is a financial institution, or the reporting financial institution verifies the account holder's Global Intermediary Identification Number, then the account shall not be treated as a U.S. reportable account;

(ii) treat the account holder as a non-participating financial institution if,-

(A) the account holder is an Indian financial institution or other partner jurisdiction financial institution and treated by the United States of America as a non-participating financial institution;

(B) the account holder, being a financial institution, is not an Indian financial institution or other partner jurisdiction financial institution, unless the reporting financial institution,-

(I) obtains a self-certification from the account holder that it is a financial institution referred to in sub-clauses (a) to (m) of clause (5) of rule 238; or

(II) in the case of participating foreign financial institution defined in Annex II of the FATCA agreement or a financial institution referred to in sub-clauses (e) to (m) of clause (5) of rule 238, verifies the account holder's Global Intermediary Identification Number;

(iii) the reporting financial institution shall determine whether the account holder is a passive non-financial entity with one or more controlling persons who are resident of any country or territory outside India as per tax laws of such country or territory and in making these determinations the reporting financial institution shall follow the following procedures:-

(A) for purposes of determining whether the account holder is a passive non-financial entity, the reporting financial institution shall obtain a self-certification from the account holder to establish its status, unless it has information in its possession or which is publicly available, based on which it can reasonably determine that the account holder is an active non-financial entity or a financial institution other than an investment entity referred to in sub-clause (B) of clause (c) of Explanation to clause (3) of rule 238;

(B) for purposes of determining the controlling persons of an account holder, a reporting financial institution may rely on information collected and maintained in accordance with the rules made under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(C) for purposes of determining whether a controlling person of a pre-existing account of passive non-financial entity is a reportable person, a reporting financial institution may rely on,-

(I) information collected and maintained in accordance with rules made under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) in the case of pre-existing entity account held by one or more non-financial entity with an aggregate balance or value which does not exceed an amount equivalent to one million U.S. dollars; or

(II) a self-certification from the account holder or such controlling person of the passive non-financial entity with an account balance or value which exceeds an amount equivalent to one million U.S. dollars;

(D) if any controlling person of a passive non-financial entity is a resident of any country or territory outside India for tax purposes, the account shall be treated as a reportable account;

(e) the following additional procedures shall be applicable to pre-existing entity accounts:-

(i) review of pre-existing entity accounts with an aggregate account balance or value that exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 30th June, 2014 (in case of a U.S. reportable account) shall be completed by the 30th June, 2016 and review of pre-existing entity accounts with an aggregate account balance or value that exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 31st December, 2015 (in case of other reportable account) shall be completed by the 31st December, 2016;

(ii) review of pre-existing entity accounts with an aggregate account balance or value which does not exceed an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 30th June, 2014 (in case of a U.S. reportable account), or as the case may be, 31st December, 2015 (in case of other reportable account), but exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars as on the 31st December of a subsequent year, shall be completed within the calendar year following the year in which the aggregate account balance or value exceeds an amount equivalent to two hundred and fifty thousand U.S. dollars;

(iii) if there is a change of circumstances with respect to a pre-existing entity account that causes the reporting financial institution to know, or have reason to know, that the self-certification or other documentation associated with the account is incorrect or unreliable, the reporting financial institution shall re-determine the status of the account in accordance with the procedures set forth in clause (d) of this sub-rule.

(6) The following procedures shall apply for purposes of identifying reportable accounts and accounts held by non-participating financial institutions among new entity accounts:-

(a) a reporting financial institution, to determine whether the new entity account is a reportable account, shall apply the following review procedures:

(i) determine whether the entity is a reportable person and for that the reporting financial institution shall,-

(A) obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the reporting financial institution to determine the account holder's residence or residences for tax purposes and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the reporting financial institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected in accordance with the rules made under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) but if the entity certifies that it has no residence for tax purposes, the reporting financial institution may rely on the address of the principal office of the entity to determine the residence of the account holder;

(B) treat the account as a reportable account, if the information as per item (A) indicates that the account holder is a reportable person, unless it reasonably determines based on information in its possession or which is publicly available, that the account holder is not a reportable person but

if the information as per item (A) indicates that the account holder is an Indian financial institution, or partner jurisdiction financial institution, which is not a non-participating financial institution or a participating foreign financial institution or a non-reporting financial institution then the account shall not be treated as a U.S. reportable account;

(ii) determine whether the account holder is a passive non-financial entity with one or more controlling persons who are reportable persons and in making these determinations the reporting financial institution shall follow the following procedures:-

(A) for purposes of determining whether the account holder is a passive non-financial entity, the reporting financial institution shall rely on a self-certification from the account holder to establish its status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can reasonably determine that the account holder is not a passive non-financial entity;

(B) for purposes of determining the controlling persons of an account holder, a reporting financial institution may rely on information collected and maintained in accordance with the rules made under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) but in the case of an account other than a U.S. reportable account, if the reporting financial institution is not legally required to collect and maintain information in accordance with the rules made under The Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), it must apply substantially similar procedures for the purpose of determining the controlling persons;

(C) for purposes of determining whether a controlling person of a passive non-financial entity is a reportable person, a reporting financial institution may rely on a self-certification from the account holder or such controlling person;

(b) the reporting financial institution shall determine whether the account holder is a non-participating financial institution and in such case any payment to the account holder shall be reported as per clause (h) of sub-rule (1) of rule 239.

(7) The following additional procedures shall apply in implementing the due diligence requirement specified in sub-rules (1) to (6):-

(a) a reporting financial institution, –

I. may not rely on a self-certification or documentary evidence if the reporting financial institution knows or has reason to know that the self-certification or documentary evidence is incorrect or unreliable;

II. in the case of an account other than a U.S. reportable account, in exceptional circumstances where a self-certification cannot be obtained by a reporting financial institution in respect of a new account in time to meet its due diligence and reporting obligations with respect to the reporting period during which the account was opened, must apply the due diligence procedures as applicable for the pre-existing accounts to such new accounts, until such self-certification is obtained and validated;

(b) a reporting financial institution may presume that an individual beneficiary (other than the owner) of a cash value insurance contract or an annuity contract receiving a death benefit is not a reportable person and may treat such financial account as other than a reportable account unless the reporting financial institution has actual knowledge, or reason to know, that the beneficiary is a reportable person but if a reporting financial institution has actual knowledge, or reason to know, that the beneficiary is a reportable person, it shall follow the procedures specified in clause (b) of sub-rule (3);

Explanation.- For the purposes of this clause, a reporting financial institution shall be deemed to have reason to know that a beneficiary of a cash value insurance contract or an annuity contract is a reportable person if the information collected by the reporting financial institution and associated with the beneficiary contains indicia specified in clause (b) of sub-rule (3).

(c) the following procedures relating to aggregation of account balance and currency shall apply:-

(i) for purposes of determining the aggregate balance or value of financial accounts held by an individual, a reporting financial institution shall be required to aggregate all financial accounts maintained by it, or by a related entity, but only to the extent that the

computerised systems of that reporting financial institution links the financial accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number, and allows account balances or values to be aggregated;

(ii) for purposes of determining the aggregate balance or value of financial accounts held by an entity, a reporting financial institution shall be required to take into account all financial accounts which are maintained by it, or by a related entity, but only to the extent that the computerised systems of that reporting financial institution links the financial accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number, and allows account balances or values to be aggregated;

(iii) for purposes of determining the aggregate balance or value of financial accounts held by a person to determine whether a financial account is a high value account, a reporting financial institution shall also be required, in the case of any financial accounts that a relationship manager knows, or has reason to know, are directly or indirectly owned, controlled, or established (other than in a fiduciary capacity) by the same person, to aggregate all such accounts;

(iv) for the purposes of rules 238, 239 and this rule, any account maintained in rupees or in any permissible currency (other than the United States Dollar) as designated by the Reserve Bank of India shall be converted to United States Dollar at the end of the reporting period as per the reference rates of the Reserve Bank of India and such converted amount in the United States Dollar shall be used for determining the balance or value of a financial account provided in such rules.

Explanation 1.- For the purposes of this clause each holder of a jointly held financial account shall be attributed the entire balance or value of the jointly held financial account for purposes of applying the aggregation requirements.

(8) In case of a U.S. reportable account opened on or after the 1st July, 2014 but before the date of entry into force of FATCA agreement, irrespective of the due diligence procedures specified in sub-rule (4) or sub-rule (6) of this rule for new accounts, the reporting financial institution may, in lieu of the procedures specified in the said sub-rules, apply the following alternative procedures:-

(a) within one year after the date of entry into force of the FATCA agreement, reporting financial institutions shall,-

(i) with respect to a new individual account opened on or after the 1st July, 2014 but before the date of entry into force of FATCA agreement, request the self-certification specified in sub-rule (4) and confirm the reasonableness of such self-certification consistent with the procedures specified in sub-rule (4); and

(ii) with respect to a new entity account opened on or after the 1st July, 2014 but before the date of entry into force of FATCA agreement, perform the due diligence procedures specified in sub-rule (6) and request for information as necessary to document the account, including any self-certification, required under sub-rule (6);

(b) the reporting financial institution shall report on any new account which is identified pursuant to clause (a) of this sub-rule as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable, by the date which is the later of,-

(i) the 31st of May next following the date on which the account is identified as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable; and

(ii) forty-five days after the account is identified as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable but the information required to be reported with respect to such a new account shall be information which would have been reportable had the new account been identified as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable, as of the date the account was opened;

(c) by the date that is one year after the date of entry into force of the FATCA agreement. reporting financial institutions shall close any new account described in clause (a) for which it was unable to collect the required self-certification or other documentation in accordance with the procedure specified in clause (b) but in addition, by such date, the reporting financial institutions shall-

(i) with respect to such closed accounts which prior to such closure were new individual accounts (without regard to whether such accounts were high value accounts), perform the due diligence procedure specified in clause (c) of sub-rule (3), or

(ii) with respect to such closed accounts which prior to such closure were new entity accounts, perform the due diligence procedures specified in sub-rule (5); and

(d) the reporting financial institution shall report the information specified in rule 239 in respect of any closed account which is identified under clause (c) as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable, by the date that is the later of,-

(i) the 31st of May next following the date on which the account is identified as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable; and

(ii) forty-five days after the account is identified as a U.S. reportable account or as an account held by a non-participating financial institution, as applicable;

but in respect of all new entity accounts or a clearly identified group of such accounts which are U.S. reportable accounts opened on or after the 1st July, 2014, and before the 1st January, 2015 the reporting financial institution may, in lieu of the procedure specified in clauses (a) to (d), treat such accounts as pre-existing entity accounts and apply the due diligence procedure related to pre-existing entity accounts specified in sub-rule (5) without regard to the account balance or value threshold specified in clause (a) of sub-rule (5).

(9) For the purposes of rule 238, 239 and this rule, exchange of any information in respect of any transaction in relevant crypto-assets is only for the limited purposes of administration of taxes by the relevant jurisdiction.

241. Definitions for purposes of rules 242, 243 and 244.— For the purposes of rules 242, 243 and 244,—

(1) "Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures" means the customer due diligence procedures of a reporting crypto-asset service provider as provided under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(2) "branch" means a unit, business or office of a reporting crypto-asset service provider that is treated as a branch under the regulatory regime of a country or territory, or that is otherwise regulated under the laws of such country or territory as separate from other offices, units, or branches of the reporting crypto-asset service provider;

(3) for the purposes of clause (2), all units, businesses, or offices of a reporting crypto-asset service provider in a single country or territory shall be treated as a single branch;

(4) "entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a company or partnership firm or trust or foundation;

(5) "excluded person" means—

(a) an entity, the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets; or

(b) any entity that is a related entity of an entity described in sub-clause (a); or

(c) a Governmental entity; or

(d) an international organisation; or

(e) a Central Bank; or

(f) a financial institution other than an investment entity described in clause (6)(d)(ii);

(6) for the purposes of clause (5),—

(a) "financial institution" means a custodial institution or a depository institution or an investment entity or a specified insurance company;

(b) "custodial institution" means any entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others and where its gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20% of the gross income of the entity during the shorter of—

(i) the three-year period that ends on the 31st December (or the final day of a non-calendar year accounting period), prior to the year in which the determination is being made; or

(ii) the period during which the entity has been in existence;

(c) "depository institution" means any entity that—

(i) accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business; or

(ii)holds specified electronic money products or Central Bank Digital Currencies for the benefit of customers;

(d) "investment entity" means any entity [other than an active entity on account of meeting any of the criteria mentioned in items (ii) to (v) of clause (16) (l)]:—

(i) that primarily conducts as a business, any one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:—

(A) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.), foreign exchange, exchange, interest rate and index instruments, transferable securities, or commodity futures trading; or

(B) individual and collective portfolio management; or

(C) otherwise investing, administering, or managing financial assets, money, or relevant crypto-assets on behalf of other persons; or

(ii) the gross income of which is primarily attributable to investing or reinvesting or trading in financial assets or relevant crypto-assets, if the entity is managed by another entity, that is, a depository institution or a custodial institution or a specified insurance company or an investment entity described in item (i);

(e) (i) for the purposes of sub-clause (d), an entity is treated as primarily conducting as a business, any one or more of the activities described in item (i) of the said sub-clause, or gross income of an entity is treated as primarily attributable to investing or reinvesting or trading in financial assets or relevant crypto-assets in item (ii) of the said sub-clause, if the gross income of the entity attributable to the relevant activities equals or exceeds 50% of the gross income of the entity during the shorter of—

(A) the three-year period ending on the 31st December (or the final day of a non-calendar year accounting period) of the year preceding the year in which the determination is made; or

(B) the period during which the entity has been in existence;

(ii) for the purposes of sub-clause (d)(i)(C), the term "otherwise investing, administering, or managing financial assets, money, or relevant crypto-assets on behalf of other persons", does not include the provision of services for effecting exchange transactions for or on behalf of customers;

(iii) the provisions of sub-clause (d) shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of "financial institution" in the Financial Action Task Force Recommendations, as updated in June, 2019 pertaining to virtual asset service providers and as further updated from time to time;

(f) "specified insurance company" means any entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a cash value insurance contract or an annuity contract;

(g) "governmental entity" means the government of a country or territory or any political sub-division of a country or territory (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a country or territory or of any one or more of the foregoing including the integral parts, controlled entities and political sub-divisions of such country or territory;

(h) for the purposes of sub-clause (g),—

(i) "integral part" of a country or territory means any person or organisation or agency or bureau or fund or instrumentality or other body, however designated, that constitutes a governing authority of a country or territory, where the net earnings of the governing authority shall be credited to its own account or to other accounts of the country or territory, with no portion enuring to the benefit of any private person, but does not include any individual who is a sovereign or official or administrator acting in a private or personal capacity;

(ii) "controlled entity" means an entity that is separate in form from the country or territory or that otherwise constitutes a separate juridical entity, provided that—

(A) the entity is wholly owned and controlled by one or more governmental entities directly or through one or more controlled entities;

(B) the entity's net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more governmental entities, with no portion of its income enuring to the benefit of any private person; and

(C) the entity's assets vest in one or more governmental entities upon dissolution;

(iii) income does not enure to the benefit of private persons if such persons are the intended beneficiaries of a governmental programme, and the programme activities are performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration of some phase of government;

(iv) irrespective of anything contained in item (iii) above, income is considered to enure to the benefit of private persons if the income is derived from the use of a governmental entity to conduct a commercial business, such as a commercial banking business, that provides financial services to private persons;

(i) "international organisation" means any international organisation or wholly owned agency or instrumentality thereof, including any inter-governmental organisation or a supranational organisation—

(i) that is comprised primarily of governments;

(ii) that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with India; and

(iii) the income of which does not enure to the benefit of private persons;

(j) "Central Bank" means an institution that is, by law or government sanction, the principal authority, other than the government of the country or territory itself, issuing instruments intended to circulate as currency and may include an instrumentality that is separate from the government of the country or territory, whether or not owned, in whole or in part, by the country or territory;

(k) "financial asset" includes—

(i) a security (for example, a share of stock in a corporation, partnership or beneficial ownership interest in a widely held or publicly traded partnership or trust, note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness), partnership interest, commodity, swap (for example, interest rate swaps, currency swaps, basis swaps, interest rate caps, interest rate floors, commodity swaps, equity swaps, equity index swaps, and similar agreements), insurance contract or annuity contract; or

(ii) any interest (including a futures or forward contract or option) in a security, relevant crypto-asset, partnership interest, commodity, swap, insurance contract, or annuity contract,

but, it does not include a non-debt and direct interest in an immovable property;

(l) "equity interest" means—

(i) in the case of a partnership that is a financial institution, either a capital or profits interest in the partnership;

(ii) in the case of a trust that is a financial institution, where any person is treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, such person shall be considered to be holding equity interest in such trust;

(m) for the purposes of sub-clause (l)(ii), a reportable person shall be treated as being a beneficiary of a trust, if such reportable person has the right to receive directly or indirectly a mandatory distribution, or may receive directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust;

(n) "insurance contract" means a contract (other than an annuity contract) under which the issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, morbidity, accident, liability, or property risk;

(o) "annuity contract" means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time determined, in whole or in part, by reference to the life expectancy of one or more individuals and it also includes a contract that is considered to be an annuity contract in accordance with the law, regulation, or practice of the country or territory in which the contract was issued, and under which the issuer agrees to make payments for a term of years;

(p) "cash value insurance contract" means an insurance contract (other than an indemnity reinsurance contract between two insurance companies) that has a cash value;

(q) "cash value" means the greater of—

(A) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender charge or policy loan); and

(B) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract;

but does not include an amount payable under an insurance contract in the following circumstances: —

(I) solely by reason of the death of an individual insured under a life insurance contract; or

(II) as a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against; or

(III) as a refund of a previously paid premium (less cost of insurance charges whether or not actually imposed) under an insurance contract (other than an investment-linked life insurance or annuity contract) due to cancellation or termination of the contract, decrease in risk exposure during the effective period of the contract, or arising from the correction of a posting or similar error with regard to the premium for the contract; or

(IV) as a policyholder dividend (other than a termination dividend) provided that the dividend relates to an insurance contract under which the only benefits payable are described in sub-item (II) above; or

(V) as a return of an advance premium or premium deposit for an insurance contract for which the premium is payable at least annually if the amount of the advance premium or premium deposit does not exceed the next annual premium that will be payable under the contract;

(7) "partner jurisdiction" means any country or territory outside India that has put in place equivalent legal requirements and that is specified by the Central Government, by notification;

(8) "related entity" means an entity which—

(a) either controls the other entity; or

(b) the two entities are under common control,

and for this purpose, control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an entity;

(9) "relevant crypto-asset" means any crypto-asset—

(i) that is not a Central Bank Digital Currency; or

(ii) that is not a specified electronic money product; or

(iii) for which the reporting crypto-asset service provider has adequately determined that it cannot be used for payment or investment purposes;

(10) for the purposes of clause (9),—

(a) "crypto-asset" shall have the meaning assigned to it in section 2(111)(d);

(b) "digital representation of value" means that a crypto-asset shall represent a right to value, and that the ownership of, or right to, such value can be traded or transferred to other individuals or entities in a digital manner;

(c) "Central Bank Digital Currency" means any digital fiat currency issued by a Central Bank;

(d) "specified electronic money product" means any crypto-asset that is–

(i) a digital representation of a single fiat currency;

(ii) issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions;

(iii) represented by a claim on the issuer denominated in the same fiat currency;

(iv) accepted in payment by a natural or legal person other than the issuer; and

(v) redeemable at any time and at par value for the same fiat currency upon request of the holder of the product, by virtue of regulatory requirements to which the issuer is subject to,

but does not include a product created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds from a customer to another person pursuant to instructions of the customer;

(e) for the purposes of sub-clause (d), a product is not created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds if, in the ordinary course of business of the transferring entity,—

(i) the funds connected with such product are held longer than sixty days after receipt of instructions to facilitate the transfer; or

(ii) if no instructions are received, the funds connected with such product are held longer than sixty days after receipt of the funds;

(11) "relevant transaction" means any—

(a) exchange transaction; and

(b) transfer of relevant crypto-assets;

(12) for the purposes of clause (11),—

(a) "exchange transaction" means any—

(i) exchange between relevant crypto-assets and fiat currencies; and

(ii) exchange between one or more forms of relevant crypto-assets;

(b) "reportable retail payment transaction" means a transfer of relevant crypto-assets in consideration of goods or services for a value exceeding fifty thousand USD;

(c) "transfer" means a transaction that moves a relevant crypto-asset either from or to the crypto-asset address or account of one crypto-asset user, other than one maintained by the reporting crypto-asset service provider on behalf of the same crypto-asset user, where, based on the knowledge available to the reporting crypto-asset service provider at the time of transaction, the reporting crypto-asset service provider cannot determine that the transaction is an exchange transaction;

(d) "fiat currency" means the official currency of a country or territory, issued by such country or territory, or by the designated Central Bank or monetary authority of such country or territory, as represented by physical banknotes or coins or by money in different digital forms, including bank reserves and Central Bank Digital Currencies, including commercial bank money and electronic money products (including specified electronic money products);

(13) "reporting crypto-asset service provider" means any individual or entity that, as a business, provides a service for effecting exchange transactions for or on behalf of customers, including by acting as a counterparty, or as an intermediary, to such exchange transactions, or by making available a trading platform;

(14) for the purposes of clause (13), —

(i) a service effecting exchange transactions includes any service through which the customer can receive relevant crypto-assets for fiat currencies, or vice versa, or exchange relevant crypto-assets for other relevant crypto-assets;

(ii) the phrase "as a business" excludes individuals or entities who carry out a service on infrequent basis for non-commercial reasons and in determining "as a business", reference can be made to the relevant rules of each country or territory;

(iii) "as a counterparty" or "as an intermediary" includes—

(A) dealers acting for their own account to buy and sell relevant crypto- assets to customers;

(B) operators of crypto-asset Automated Teller Machines, permitting the exchange of relevant crypto-assets for fiat currencies or other relevant crypto-assets through such Automated Teller Machines;

(C) crypto-asset exchanges that act as market makers and take a bid-ask spread as a transaction commission for their services;

(D) brokers in relevant crypto-assets, where they act on behalf of clients to complete orders to buy or sell an interest in relevant crypto-assets; and

(E) individuals or entities subscribing one or more relevant crypto-assets;

(iv) "trading platform" includes any software program or application that allows users to effect (either partially or in their entirety) exchange transactions;

(15) "reportable user" means a crypto-asset user that is a reportable person;

(16) for the purposes of clause (15),—

(a) "crypto-asset user" means—

(i) an individual or entity that is a customer of a reporting crypto-asset service provider for the purposes of carrying out relevant transactions;

(ii) where an individual or entity (other than a financial institution or a reporting crypto-asset service provider), acts as a crypto-asset user for the benefit or account of another individual or entity as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, such other individual or entity, so however that the first mentioned individual or entity shall not be treated as a crypto-asset user;

(iii) where a reporting crypto-asset service provider provides a service for effecting reportable retail payment transactions for or on behalf of a merchant, the customer that is the counterparty to the merchant for such reportable retail payment transaction;

(b) for the purposes of item (iii) of sub-clause (a), the reporting crypto-asset service provider is required to verify the identity of such customer by virtue of the reportable retail payment transaction pursuant to Prevention of Money Laundering Act, 2002(15 of 2003);

(c) "individual crypto-asset user" means a crypto-asset user that is an individual;

(d) "pre-existing Individual crypto-asset user" means an individual crypto-asset user that has established a relationship with the reporting crypto-asset service provider as of the 31st December, 2025;

(e) "entity crypto-asset user" means a crypto-asset user that is an entity;

(f) "pre-existing entity crypto-asset user" means an entity crypto-asset user that has established a relationship with the reporting crypto-asset service provider as of the 31st December, 2025;

(g) "reportable person" means–

(i) an entity or an individual that is resident in a country or territory outside India under the tax laws of such country or territory; or

(ii) an estate of a decedent that was a resident of a country or territory outside India,

other than excluded person;

(h) for the purposes of sub-clause (g), an entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated;

(i) "controlling persons" means—

(A) the natural persons who exercise control over an entity;

(B) in the case of a trust, the settlor(s), the trustee(s), the protector(s)(if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust;

(C) in the case of a legal arrangement other than a trust, persons in equivalent or similar positions,

and the expression "controlling persons" shall be interpreted in a manner consistent with the 2012 Financial Action Task Force Recommendations, as updated in June 2019 pertaining to virtual asset service providers and as further updated from time to time;

(j) for the purposes of sub-clause (i)(B), the settlor(s), the trustee(s), the protector(s)(if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, shall always be treated as controlling persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the trust;

(k) for the purposes of sub-clause (i)(C), reporting crypto-asset service providers shall identify controlling persons through similar customer due diligence procedures as those required for trusts, with a view to achieving appropriate levels of reporting;

(l) "active entity" means any entity that meets any of the following criteria:—

(i) less than 50% of the gross income of the entity for the preceding calendar year (or for the preceding non-calendar accounting period) is passive income and less than 50% of the assets held by the entity during the preceding calendar year (or the preceding non-calendar accounting period) are assets that produce or are held for the production of passive income; or

(ii) substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution, except that an entity does not qualify for this status if the entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; or

(iii) the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity does not qualify for this exception after twenty-four months from the date of the initial organisation of the entity; or

(iv) the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; or

(v) the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities that are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity that is not a related entity, provided that the group of such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; or

(vi) the entity meets all of the following requirements:–

(A) it is established and operated in the country or territory (outside India) of its residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes, or it is established and operated in the country or territory (outside India) of its residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

(B) it is exempt from income tax in the country or territory (outside India) of its residence;

(C) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

(D) the applicable laws of the country or territory (outside India) of its residence or the formation documents of the entity do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the charitable activities of the entity, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and

(E) the applicable laws of the country or territory (outside India) of its residence or the formation documents of the entity require that, upon the liquidation or dissolution of the entity, all of its assets be distributed to a Governmental entity or other non-profit organisation, or escheat to the Government of the country or territory (outside India) of its residence or any political subdivision thereof;

(m) for the purposes of item (i) of sub-clause (l), "passive income" includes the portion of gross income that consists of:—

(i) dividends; or

(ii) interest; or

(iii) income equivalent to interest or dividends; or

(iv) rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the Entity; or

(v) annuities; or

(vi) income derived from relevant crypto-assets; or

(vii) the excess of gains over losses from the sale or exchange of relevant crypto-assets or financial assets; or

(viii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any relevant crypto-assets or financial assets; or

(ix) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; or

(x) net income from swaps; or

(xi) amounts received under cash value insurance contracts; and

(n) for the purposes of sub-clause (l)(ii), "substantially all" means 80% or more;

(17) "telegraphic transfer buying rate", in relation to a fiat currency (other than Indian Rupee), means the rate or rates of exchange adopted by the State bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), for buying such currency, having regard to the guidelines specified from time to time by the Reserve Bank of India for buying such currency, where such currency is made available to that bank through a telegraphic transfer; and

(18) "TIN" means Taxpayer Identification Number (or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number) assigned to the crypto-asset user in the country or territory in which he is a resident for tax purposes.

242. Obligation for reporting transaction of crypto-asset under section 509.— (1) A reporting crypto-asset service provider is subject to the reporting requirements under rule 243 and due diligence requirements under rule 244, if it is—

(a) an entity or individual resident for tax purposes in India; or

(b) an entity that is incorporated or organised under the laws of India; or

(c) an entity that either has legal personality in India or has an obligation to file return of income under section 263; or

(d) an entity managed from India; or

(e) an entity or individual that has a regular place of business in India.

(2) A reporting crypto-asset service provider shall be subject to the reporting requirements under rule 243 and due diligence requirements under rule 244 with respect to relevant transactions effected through a branch based in India.

(3) A reporting crypto-asset service provider is not required to complete the reporting requirements under rule 243 and due diligence requirements under rule 244 in India,—

(a) where it is an entity,—

(i) pursuant to sub-rule (1)(b) to (e), if such requirements are completed by such reporting crypto-asset service provider in a partner jurisdiction by virtue of it being resident for tax purposes in such partner jurisdiction;

(ii) pursuant to sub-rule (1)(d) and (e), if such requirements are completed by such reporting crypto-asset service provider in a partner jurisdiction by virtue of it being—

(A) an entity that is incorporated or organised under the laws of such partner jurisdiction; or

(B) an entity that either has legal personality in the partner jurisdiction or has an obligation to file tax returns or tax information returns to the tax authorities in partner jurisdiction with respect to the income of such entity; or

(iii) pursuant to sub-rule (1)(e), if such requirements are completed by such reporting crypto-asset service provider in a partner jurisdiction by virtue of it being managed from such partner jurisdiction; or

(b) where it is an individual, pursuant to sub-rule (1)(e), if such requirements are completed by such reporting crypto-asset service provider in a partner jurisdiction by virtue of it being resident for tax purposes in such partner jurisdiction; or

(c) pursuant to clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) of sub-rule (1), if it has lodged a notification with India in a format specified by India confirming that such requirements are completed by such reporting crypto-asset service provider under the rules of a partner jurisdiction pursuant a substantially similar nexus that it is subject to in India; or

(d) with respect to relevant transactions that are effected through a branch in a partner jurisdiction, if such requirements are completed by such branch in such partner jurisdiction.

243. Reporting requirements for transaction of crypto-asset under section 509.— (1) For each relevant calendar year starting on or after the 1st January, 2026 and subject to the obligations of the reporting crypto-asset service provider under section 242 and due diligence procedures under section 244, the following information shall be maintained and reported by the reporting crypto-asset service providers in respect of crypto-asset users that are reportable users, or that have controlling persons that are reportable persons:—

(a) the name, address, country(s) or territory(s) of residence, TIN(s) and date and place of birth (in the case of an individual) of each reportable user;

(b) in the case of a reportable user that is identified as having more than one country or territory of residence, the country or territory of residence and TIN to be reported are of all such country(s) or territory(s) of residence and all TIN(s) identified by the reporting crypto-asset service provider;

(c) in case any entity is identified as having one or more controlling persons that is a reportable person, after application of the due diligence procedures, the name, address, country(s) or territory(s) of residence and TIN(s) of the entity and the name, address, country(s) or territory(s) of residence, TIN(s) and the date and place of birth of each reportable person, as well as, the role(s) by virtue of which each reportable person is a controlling person of the entity;

(d) the name, address and Permanent Account Number of the reporting crypto-asset service provider;

(e) for each type of relevant crypto-asset with respect to which it has effected relevant transactions during the relevant calendar year,—

(i) the full name of the type of relevant crypto-asset;

(ii) the aggregate gross amount paid, the aggregate number of units and the number of relevant transactions in respect of acquisitions against fiat currency;

(iii) the aggregate gross amount received, the aggregate number of units and the number of relevant transactions in respect of disposals against fiat currency;

(iv) the aggregate fair market value, the aggregate number of units and the number of relevant transactions in respect of acquisitions against other relevant crypto-assets;

(v) the aggregate fair market value, the aggregate number of units and the number of relevant transactions in respect of disposals against other relevant crypto-assets;

(vi) the aggregate fair market value, the aggregate number of units and the number of reportable retail payment transactions;

(vii) the aggregate fair market value, the aggregate number of units and the number of relevant transactions, and sub-divided by the transfer type known by the reporting crypto-asset service provider, in respect of transfers to the reportable user not covered by sub-clauses (ii) and (iv);

(viii) the aggregate fair market value, the aggregate number of units and the number of relevant transactions, and sub-divided by the transfer type known by the reporting crypto-asset service provider, in respect of transfers by the reportable user not covered by sub-clauses (iii), (v) and (vi);

(ix) the aggregate fair market value, as well as the aggregate number of units in respect of transfers by the reportable crypto-asset user effectuated by the reporting crypto-asset service provider to wallet addresses not known by the reporting crypto-asset service provider to be associated with a virtual asset service provider or financial institution.

(2) (a) Irrespective of anything contained in clauses (a) and (b) of sub-rule (1), the TIN is not required to be reported, if —

(i) a TIN is not issued by the country or territory outside India in which reportable user is resident for tax purposes; or

(ii) the domestic law of the country or territory outside India does not require the collection of the TIN issued by such country or territory in which reportable user is resident for tax purposes; and

(b) for the purposes of clause (a), a TIN is considered not to be issued by a country or territory outside India —

(A) where such country or territory does not issue a TIN nor a functional equivalent in the absence of TIN; or

(B) where such country or territory has not issued a TIN to a particular individual or entity.

(3) Irrespective of anything contained in clauses (a) to (c) of sub-rule (1), the place of birth is not required to be reported unless the reporting crypto-asset service provider is otherwise required to obtain and report it under domestic law.

(4) The information reported must identify the fiat currency in which each amount is reported.

(5) The statement of relevant transactions required to be furnished under sub-section (1) of section 509, shall be furnished by a reporting crypto-asset service provider in respect of each crypto-asset user or controlling person which has been identified, as a reportable user or reportable person, as the case may be.

(6) Where, pursuant to the due diligence procedure specified in rule 244, no crypto-asset user or controlling person is identified as a reportable user or reportable person, a nil statement shall be furnished by the reporting crypto-asset service provider.

(7) The statement referred to in sub-rules (5) and (6) shall be furnished in Form No. 167 by the 31st of May of the calendar year following the year to which the information relates.

(8) (a) For the purposes of sub-clauses (ii) and (iii) of sub-rule (1)(e),—

(i) the reporting crypto-asset service providers shall report the amount paid or received by the reportable user net of transaction fees;

(ii) the amounts paid or received shall be reported in Indian Rupee;

(iii) where amounts were paid or received in fiat currencies (other than Indian Rupee),–

(A) they shall be reported in Indian Rupee, converted at the time of each relevant transaction; and

(B) the rate of conversion for calculation of value of such fiat currency in Indian Rupee shall be the telegraphic transfer buying rate of such fiat currency as on date on which relevant transaction takes place;

(iv) the reporting crypto-asset service provider shall aggregate, that is, sum up, all transactions attributable to each reporting category for each type of relevant crypto-asset;

(v) an acquisition or disposal is any transaction effected by the reporting crypto-asset service provider where the reportable user obtains or alienates a relevant crypto-asset, irrespective of whether such asset is obtained or delivered from or to a third-party seller, or from or to the reporting crypto-asset service provider itself; and

(vi) where a reportable user acquires or disposes of a relevant crypto-asset against fiat currency, and the reporting crypto-asset service provider does not have actual knowledge of the underlying fiat currency consideration, such transactions shall be reported upon as transfers sent to or by a reportable user under sub-clauses (vii) and (viii) of sub-rule (1)(e), respectively.

(b) For the purposes of sub-clauses (iv) and (v) of sub-rule (1)(e),—

(i) the reporting crypto-asset service providers shall report the fair market value of the relevant crypto-asset acquired or disposed, net of transaction fees;

(ii) the fair market value shall be determined and reported in Indian Rupee, valued at the time of each relevant transaction;

(iii) for the purposes of sub-clause (ii),—

(A) a reporting crypto-asset service provider shall rely on applicable crypto-asset to Indian Rupee trading pairs, that it maintains to determine the fair market value of both relevant crypto-assets; or

(B) where a difficult-to-value relevant crypto-asset is exchanged for a relevant crypto-asset that can be readily valued, the valuation in Indian Rupee of the relevant crypto-asset against which the difficult-to-value relevant crypto-asset is exchanged shall be relied upon to establish Indian Rupee value for the difficult-to-value relevant crypto-asset;

(iv) the reporting crypto-asset service provider shall aggregate, that is, sum up, all transactions attributable to each reporting category;

(v) all crypto-asset-to-crypto-asset transactions conducted by the same reporting crypto-asset service provider are subject to reporting under both said sub-clauses;

(vi) where a reportable user effects a crypto-asset-to-crypto-asset transaction, although the reporting crypto-asset service provider does not have actual knowledge of the relevant crypto-asset acquired or disposed, such transactions shall be reported upon as transfers sent to or by a reportable user under sub-clauses (vii) and (viii) of sub-rule(1)(e), respectively.

(c) For the purposes of sub-clause (vi) of sub-rule (1)(e), —

(i) the customer of the merchant for, or on behalf of, whom the reporting crypto-asset service provider is providing a service effecting reportable retail payment transactions shall be treated as the crypto-asset user (subject to the conditions specified in the definition of crypto-asset user), and therefore, as the reportable user, in addition to the merchant;

(ii) the aggregate information with respect to reportable retail payment transactions by the customer of the merchant shall not be included in the aggregate information reported with respect to Transfers under sub-clause (viii) of sub-rule (1)(e); and

(iii) the aggregate information with respect to transfers that do not constitute reportable retail payment transactions solely by virtue of not meeting the de minimis threshold, shall be included in the aggregate information reported with respect to transfers under sub-clauses (vii) and (viii) of sub-rule (1)(e), respectively.

(d) For the purposes of sub-clause (ix) of sub-rule (1)(e),—

(i) the reporting crypto-asset service provider shall not be required to report the aggregate number of units or the aggregate fair market value of transfers, under this sub-clause, in case the reporting crypto-asset service provider knows that the wallet address to which the relevant crypto-asset is transferred is associated with a virtual asset service provider or financial institution, as defined in the Financial Action Task Force Recommendations;

(ii) a reporting crypto-asset service provider shall be required to collect and retain within its records, for a period not less than seven years, any external wallet addresses (including other equivalent identifiers) associated with transfers of relevant crypto-assets; and

(iii) the reporting of wallet addresses associated with transfer of relevant crypto-assets shall not be required.

(e) For the purposes of sub-clauses (vi), (vii), (viii) and (ix) of sub-rule(1)(e),—

(i) the fair market value shall be determined and reported in Indian Rupee, using the valuation method as specified in sub-clause (ii);

(ii) in performing the valuation, the reporting crypto-asset service provider shall use as a reference, the values of relevant crypto-asset and Indian Rupee trading pairs it maintains to determine the fair market value of the relevant crypto-asset at the time it is transferred;

(iii) where the reporting crypto-asset service provider effecting the transfer does not maintain an applicable reference value of the relevant crypto-asset and Indian Rupee trading pairs, the following valuation methods shall be relied upon:—

(A) firstly, the internal accounting book values maintained by the reporting crypto-asset service provider with respect to the relevant crypto-asset shall be used;

(B) if a book value is not available, a value provided by third-party companies or websites that aggregate current prices of relevant crypto-assets shall be used, if the valuation method used by that third party is reasonably expected to provide a reliable indicator of value;

(C) if neither of the methods specified in item (A) and (B) is available, the most recent valuation of the relevant crypto-asset by the reporting crypto-asset service provider shall be used; and

(D) if a value can still not be attributed, a reasonable estimate may be applied as a measure of last resort;

(iv) with respect to each relevant crypto-asset for which the Reporting crypto-asset service provider has relied on an alternative valuation method outlined in sub-clause (iii), the method shall be indicated in Form No. 167;

(v) the information reported shall also identify the fiat currency in which each amount is reported; and

(vi) the reporting crypto-asset service provider shall aggregate, that is, sum up, all transactions attributable to each reporting category for each type of relevant crypto-asset.

(9) The statement referred to in this rule shall be furnished to the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) or the Joint Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) through online transmission of electronic data, to a server designated for this purpose under the digital signature, in accordance with the data structure specified in this regard by the Director General of Income-tax (Systems).

(10) For the purposes of sub-rule (9), "digital signature" means a digital signature issued by any Certifying Authority authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities.

(11) (a) Every reporting crypto asset service provider shall communicate to the Director General of Income-tax (Systems), the name, designation and communication details of the designated director and the principal officer and obtain a number for enabling furnishing of statement referred to in sub-rules (5) and (6).

(b) The statement referred to in this rule shall be signed, verified and furnished by the designated director of the reporting crypto-asset service provider on the basis of information available with the reporting crypto-asset service provider, but, where the reporting crypto-asset service provider is a non-resident, such statement may be signed, verified and furnished by a person who holds a valid power of attorney from such designated director.

(12) For the purposes of sub-rule (11),—

(a) "designated director" means a person designated by the reporting crypto-asset service provider to ensure overall compliance with the obligations imposed under section 509 and the rules made thereunder and includes—

(i) the Managing Director or a whole-time Director, as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors if the reporting crypto-asset service provider is a company; or

(ii) the managing partner, if the reporting crypto-asset service provider is a partnership firm; or

(iii) the proprietor, if the reporting crypto-asset service provider is a proprietorship concern; or

(iv) the managing trustee, if the reporting crypto-asset service provider is a trust; or

(v) a person or individual, as the case may be, who controls and manages the affairs of the reporting crypto-asset service provider, if the reporting crypto-asset service provider is an association of persons or a body of individuals, or any other person; and

(b) "principal officer" means an officer designated by the reporting crypto-asset service provider;

244. Due diligence procedures under section 509.— (1) A crypto-asset user is treated as a reportable user beginning as of the date it is identified as such, pursuant to the due diligence procedures specified in this rule.

(2) The following procedures shall apply for the purposes of determining whether the individual crypto-asset user is a reportable user:–

(a) when establishing the relationship with the individual crypto-asset user, or with respect to pre-existing individual crypto-asset users within twelve months on and from the 1st January, 2026, the reporting crypto-asset service provider shall—

(i) obtain a self-certification that allows the reporting crypto-asset service provider to determine the residence(s) of individual crypto-asset users for tax purposes; and

(ii) confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the reporting crypto-asset service provider, including any documentation collected pursuant to Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures;

(b) if at any point there is a change of circumstances with respect to an individual crypto-asset user that causes the reporting crypto-asset service provider to know, or have reason to know, that the original self-certification is incorrect or unreliable, then the reporting crypto-asset service provider—

(i) shall not rely on the original self-certification;

(ii) shall obtain a valid self-certification, or a reasonable explanation; and

(iii) the documentation supporting the validity of the original self-certification, as may be appropriate.

(3) For the purposes of determining whether—

(a) the entity crypto-asset user is a reportable user; or

(b) an entity, other than an excluded person or an active entity, with one or more controlling persons who are the reportable persons,

the following procedures shall apply:—

(i) when establishing the relationship with the entity crypto-asset user, or with respect to pre-existing entity crypto-assets users within twelve months on and from the 1st January, 2025, the reporting crypto-asset service provider shall—

(A) obtain a self-certification that allows the reporting crypto-asset service provider to determine the residence(s) of the entity crypto-asset user for tax purposes; and

(B) confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the reporting crypto-asset service provider, including any documentation collected pursuant to Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures;

(ii) if the entity crypto-asset user certifies that it has no residence for tax purposes, the reporting crypto-asset service provider shall rely on the place of effective management or on the address of the principal office to determine the residence of the entity crypto-asset user; and

(iii) if the self-certification indicates that the entity crypto-asset user is resident in a country or territory outside India, the reporting crypto-asset service provider shall treat the entity crypto-asset user as a reportable user, unless it reasonably determines based on the self-certification or on information in its possession or that is publicly available, that the entity crypto-asset user is an excluded person.

(4) With respect to an entity crypto-asset user, other than an excluded person, the reporting crypto-asset service provider shall determine whether it has one or more controlling persons who are reportable persons, unless it determines that the entity crypto-asset user is an active entity, based on a self-certification from the entity crypto-asset user.

(5) For the purposes of determining the controlling persons of the entity crypto-asset user,—

(a) a reporting crypto-asset service provider may rely on the information collected and maintained pursuant to Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures, provided that such procedures are consistent with the 2012 Financial Action Task Force Recommendations, as updated in June, 2019 pertaining to virtual asset service providers and as further updated from time to time; and

(b) where the reporting crypto-asset service provider is not legally required to apply the Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures, that are consistent with the 2012 Financial Action Task Force Recommendations, as updated in June, 2019 pertaining to virtual asset service providers, it shall apply substantially similar procedures for the purposes of determining the controlling persons.

(6) For the purposes of determining whether a controlling person is a reportable person, a reporting crypto-asset service provider shall rely on a self-certification from the entity crypto-asset user or such controlling person that allows the reporting crypto-asset service provider to determine the residence(s) of the controlling person for tax purposes and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the reporting crypto-asset service provider, including any documentation collected pursuant to the Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures.

(7) If at any point, there is a change of circumstances with respect to an entity crypto-asset user or its controlling persons that causes the reporting crypto-asset service provider to know, or have reason to know, that the original self-certification is incorrect or unreliable, then the reporting crypto-asset service provider—

(a) shall not rely on the original self-certification;

(b) shall obtain a valid self-certification, or a reasonable explanation; and

(c) the documentation supporting the validity of the original self-certification, as may be appropriate.

(8) A self-certification provided by an individual crypto-asset user or controlling person is valid only if it is signed or otherwise positively affirmed by the individual crypto-asset user or controlling person, it is dated at the latest at the date of receipt and it contains the following information with respect to the individual crypto-asset user or controlling person:

(a) first and last name;

(b) residence address;

(c) country(s) or territory(s) of residence for tax purposes;

(d) with respect to each reportable person, the TIN with respect to each country or territory outside India in which it is a resident for tax purposes; and

(e) date of birth.

(9) A self-certification provided by an entity crypto-asset user is valid only if it is signed or otherwise positively affirmed by the crypto-asset user, it is dated at the latest at the date of receipt and it contains the following information with respect to the entity crypto-asset user:

(a) legal name;

(b) address;

(c) country(s) or territory(s) of residence for tax purposes;

(d) with respect to each reportable person, the TIN with respect to each country or territory outside India in which it is a resident for tax purposes;

(e) in case of an entity crypto-asset user other than an active entity or an excluded person, the information specified in sub-rule (8) with respect to each controlling person of the entity crypto-asset user, unless such controlling person has provided a self-certification pursuant to the said sub-rule, as well as the role(s) by virtue of which each reportable person is a controlling person of the entity, if not already determined on the basis of the Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures; and

(f) if applicable, the information as to the criteria it meets to be treated as an active entity or excluded person.

(10) Irrespective of anything contained in sub-rules (8) and (9), the TIN is not required to be collected—

(a) if the country or territory of residence of the reportable person does not issue a TIN to the reportable person; or

(b) the domestic law of the relevant country or territory outside India does not require the collection of the TIN issued by such country or territory.

(11) A reporting crypto-asset service provider may rely on a third party to fulfil the due diligence obligations set out in this rule, but such obligations remain the responsibility of the reporting crypto-asset service provider.

(12) A reporting crypto-asset service provider shall maintain all documentation and data for a period of not less than seven tax years after the end of the period within which the reporting crypto-asset service provider shall report the information required to be reported pursuant to rule 243.

(13) (a) For the purposes of sub-rule (2),—

(i) where an individual is resident for tax purposes in two or more countries or territories outside India, all such country(s) or territory(s) of residence are to be declared in a self-certification and the reporting crypto-asset service provider shall treat the individual crypto-asset user as a reportable user in respect of each such country or territory outside India;

(ii) a reporting crypto-asset service provider is considered to have confirmed the "reasonableness" of a self-certification if, in the course of establishing a relationship with an individual crypto-asset user and upon review of the information obtained in connection with the establishment of the relationship (including any documentation collected pursuant to the Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures), it does not know or have reason to know that the self-certification is incorrect or unreliable;

(iii) where the self-certification fails the reasonableness test referred to in sub-clause (ii), the reporting crypto-asset service provider shall obtain either a valid self-certification, or a reasonable explanation and documentation (as appropriate) supporting the reasonableness of the self-certification, and retain a copy or a notation of such explanation and documentation before providing services effectuating relevant transactions to the individual crypto-asset user;

(iv) for the purposes of sub-rule (2)(b), a reporting crypto-asset service provider is said to have reason to know that a self-certification is unreliable or incorrect, if its knowledge of relevant facts or statements contained in the self-certification or other documentation is such that a reasonably prudent person in the position of the reporting crypto-asset service provider would question the claim being made;

(v) a reporting crypto-asset service provider also has reason to know that a self-certification is unreliable or incorrect, if there is information in the documentation or in the files of the reporting crypto-asset service provider that conflicts with the claim of the person regarding its status;

(vi) a reporting crypto-asset service provider has reason to know that a self-certification provided by a person is unreliable or incorrect, if the self-certification is incomplete with respect to any item on the self-

certification that is relevant to the claims made by the person, the self-certification contains any information that is inconsistent with the claim of the person, or the reporting crypto-asset service provider has other information that is inconsistent with the claim of the person;

(vii) a reporting crypto-asset service provider that relies on a service provider to review and maintain a self-certification is considered to know or have reason to know the facts within the knowledge of the service provider;

(viii) a reporting crypto-asset service provider may not rely on documentation provided by a person, if the documentation does not reasonably establish the identity of the person presenting the documentation;

(ix) a reporting crypto-asset service provider may not rely on documentation, if the documentation contains information that is inconsistent with the claim of the person as to its status, the reporting crypto-asset service provider has other information that is inconsistent with the status of the person, or the documentation lacks information necessary to establish the status of the person;

(x) the expression "change of circumstances" includes any change that results in the addition of information relevant to the status of an individual crypto-asset user or otherwise conflicts with the status of such user, or any change or addition of information to any profile associated with such individual crypto-asset user, if such change or addition of information affects the status of the individual crypto-asset user;

(xi) a change of circumstances affecting the self-certification provided to the reporting crypto-asset service provider will terminate the validity of the self-certification with respect to the information that is no longer reliable, until the information is updated;

(xii) where a change of circumstances occurs, the reporting crypto-asset service provider shall not rely on the original self-certification and shall obtain either—

(A) a valid self-certification that establishes the residence(s) for tax purposes of the individual crypto-asset user; or

(B) a reasonable explanation and documentation supporting the validity of the original self-certification (and retain a copy or a notation of such explanation and documentation);

(xiii) a self-certification shall become invalid on the date the reporting crypto-asset service provider holding the self-certification knows or has reason to know that the circumstances affecting the correctness of the self-certification have changed;

(xiv) a reporting crypto-asset service provider may choose to treat a person as having the same status that it had prior to the change in circumstances until the earlier of ninety calendar days from the date that the self-certification became invalid due to the change in circumstances, the date that the validity of the self-certification is confirmed, or the date that a new self-certification is obtained;

(xv) where a reporting crypto-asset service provider cannot obtain a confirmation of the validity of the original self-certification or a valid self-certification during such ninety-day period, the reporting crypto-asset service provider shall treat the individual crypto-asset user as resident of the country(s) or territory(s) in which the individual crypto-asset user claimed to be resident in the original self-certification and the country(s) or territory(s) in which the individual crypto-asset user may be resident as a result of the change in circumstances;

(xvi) a reporting crypto-asset service provider may rely on a self-certification without having to inquire into possible changes of circumstances that may affect the validity of the statement, unless it knows or has reason to know that the circumstances have changed;

(xvii) a reporting crypto-asset service provider may retain an original, certified copy, or photocopy (including a microfiche, electronic scan or similar means of electronic storage) or electronic copy of the self-certification;

(xviii) a reporting crypto-asset service provider may treat a self-certification as valid, irrespective of whether the self-certification contains an inconsequential error, if the reporting crypto-asset service provider has sufficient documentation on file to supplement the information missing from the self-certification due to the error and the documentation relied upon to cure the inconsequential error shall be conclusive.

(b) For the purposes of sub-rule (3),—

(i) "publicly available" information includes information published by an authorised government body of a country or territory, such as—

(A) information in a list published by a tax administration; or

(B) information in a publicly accessible register maintained or authorised by an authorised government body of such country or territory; or

(C) information disclosed on an established securities market;

(ii) if an entity is subject to tax as a resident in more than one country or territory outside India, all country(s) or territory(s) of residence are to be declared in a self-certification and the reporting

crypto-asset service provider shall treat the entity crypto-asset user as a reportable user in respect of each such country or territory outside India;

(iii) reporting crypto-asset service provider is considered to have confirmed the "reasonableness" of a self-certification if, in the course of establishing a relationship with the entity crypto-asset user and upon review of the information obtained in connection with the establishment of the relationship (including any documentation collected pursuant to the Anti Money Laundering or Know Your Customer Procedures), it does not know or have reason to know that the self-certification is incorrect or unreliable;

(iv) in case a self-certification fails the reasonableness test, the reporting crypto-asset service provider shall obtain either–

(A) a valid self-certification; or

(B) a reasonable explanation and documentation supporting the reasonableness of the self-certification before providing services effecting relevant transactions to the entity crypto-asset user.

(c) For the purposes of sub-rules (8) and (9), a self-certification may be signed (or otherwise positively affirmed) by any person authorised to sign on behalf of the individual crypto-asset user or controlling person under domestic law.

(d) For the purposes of sub-rule (11), the following situations apply in which reporting crypto-asset service provider shall rely on documentation of a third party to fulfil its due diligence obligations:—

(i) with respect to documentation collected by third party service providers, agents or where a reporting crypto-asset service provider relies on documentation of an acquired business; and

(ii) with respect to the situation, where a reporting crypto-asset service provider relies on other reporting crypto-asset service providers that handle the same relevant transaction.

(14) For the purposes of rules 241, 242, 243 and this rule, exchange of any information in respect of any transaction in relevant crypto-asset shall be only for the limited purposes of administration of taxes by the relevant jurisdiction.

245. Annual Information Statement.— (1) The Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him shall, under section 510, upload in the registered account of the assessee, an annual information system Form No. 168 containing the following information, which is in his possession within ninety days from the end of the month in which the information is received by him:

(a) information relating to tax deducted or collected at source;

(b) information relating to specified financial transaction;

(c) information relating to payment of taxes;

(d) information relating to demand and refund;

(e) information relating to pending proceedings;

(f) information relating to completed proceedings; and

(g) any other information authorised under sub-rule (2).

(2) The Board may also authorise the Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him to upload any information received from any officer, authority or body performing any function under any law in force or the information received under an agreement referred to in section 159 or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue, in the annual information statement referred to in sub-rule (1).

246. Application for registration as valuer under section 514.— (1) An application for registration as a valuer under section 514(2) shall be made in Form No. 169 and shall be verified in the manner specified therein and shall be accompanied by a non-refundable fee of ₹ 10000.

(2) Where an application for registration as a valuer is pending before the authorities mentioned in section 514(2), immediately before the 1st April, 2026, such application shall be considered as if it has been filed under sub-rule (1) and no further payment of fee shall be required in such a case.

(3) In case any person has become ineligible for making an application for registration as a valuer in view of the qualifications specified in the provisions of rule 247, the fee already paid by the applicant shall be refunded on an application made by him to the authorities mentioned in section 514(2).

(4) Where a person is already registered as a valuer under Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) holding a valid certificate of registration as on the 31st March, 2026, he will continue to be a registered valuer under section 514, but that he is required to update his details by filing application as referred in sub-rule (1) by the 30th September, 2026, and in such a case, upon filing such application the registration shall be granted by the concerned authority in section 514, if the application is complete in all respects.

(5) For the purposes of sub-rule (4), the application may not be accompanied with any fee.

(6) Where a person is registered as a valuer under section 514, he shall be required to qualify in an examination within a period, as may be specified in this behalf by the Central Government, by notification.

(7) Where a person fails to qualify the examination as per sub-rule (6) within the specified period, the registration under section 514 shall stand cancelled with effect from the end of such specified period.

247. Qualification of registered valuer for the purposes of section 514.— (1) For the purposes of section 514(2), the qualifications for registration as valuers, for different classes of assets shall be as specified in sub-rules (2) to (9).
(2) The qualifications for registration as valuers, for classes of assets mentioned in column B of the following Table shall be as specified in column C of the said Table:

Table

S. No.	Class of Asset	Qualification
A	**B**	**C**
1.	Immovable property (other than agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries)	The applicant shall— (a) (i) be a graduate in civil engineering, architecture or town planning from a recognised University; or (ii) be a post-graduate in valuation of real estate from a recognised University; or (iii) possess a qualification recognised by the Central Government for recruitment to superior services or posts under the Central Government in the field of civil engineering, architecture or town planning; and (b) (i) be a person formerly employed— (A) in a post under Government as a Gazetted officer; or (B) in a post under any other employer carrying a remuneration of not less than ₹ 50000 per month, and, in either case, shall have retired or resigned from such employment after having rendered service for not less than ten years (or three years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of real estate from a recognised University) as a valuer, architect or town planner, or in the field of construction of buildings, designing of structures, or development of land; or (ii) as a professor, reader or lecturer in a university, college or any other institution preparing students for a degree in civil engineering, architecture or town planning, or for any qualification referred to in clause (a), and must have retired or resigned from such employment after having taught for not less than ten years (or three years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of real estate from a recognised University) any of the subjects of valuation, quantity surveying, building construction, architecture, or town planning;

		OR The applicant shall have been in practice as a consulting engineer, valuer of real estate, surveyor or architect for a period of not less than ten years (or three years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of real estate from a recognised University) and must have acquired experience in any of the following fields: (a) valuation of buildings and urban lands; or (b) quantity surveying in building construction; or (c) architectural or structural designing of buildings or town planning; or (d) construction of buildings or development of land; and his gross receipts from such practice shall not be less than ₹ 100000 in any three of the five preceding years (or in any two of the three preceding years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of real estate from a recognised University), immediately preceding the year in which the application for registration as a valuer is made by him.
2	Agricultural lands (other than plantations mentioned at serial number 3)	The applicant shall be a— (a) graduate in agricultural science of a recognised University and shall have worked as a farm valuer for a period of not less than five years; or (b) person formerly employed in a post under the Government as a Collector, Deputy Collector, Settlement Officer, Land Valuation Officer, Superintendent of Land Records, Agricultural Officer, Registrar under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), or any other officer of equivalent rank performing similar functions and shall have to be retired or resigned from such employment after having rendered service in any one or more of said the posts for an aggregate period of not less than five years.
3	Coffee plantation, tea plantation, rubber plantation or, cardamom plantation	The applicant shall— (a) have, for a period of not less than five years, owned, or acted as manager of a coffee, tea, rubber or, as the case may be, cardamom plantation having an area under plantation of not less than four hectares in the case of a cardamom plantation or forty hectares in the case of any other plantation; or (b) be a person formerly employed in a post under the Government as a Collector, Deputy Collector, Settlement Officer, Land Valuation Officer, Superintendent of Land Records, Agricultural Officer, Registrar under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), or any other officer of equivalent rank performing similar functions and shall have retired or resigned from such employment after having rendered service in any one or more of the said posts for an aggregate period of not less than five years, out of which, not less than three years shall be in areas, wherein coffee, tea, rubber or, as the case may be, cardamom is extensively grown.
4	Forest	The applicant shall be a person formerly employed in a post under the Government and shall have to be retired or resigned from such employment

		after having rendered service for not less than five years in a Gazetted post requiring specialised knowledge in forestry.
5	Mines and quarries	The applicant shall be a— (a) graduate in mining of a recognised university, or must possess a qualification recognised by the Central Government for recruitment to superior services or posts under the Central Government in the field of mining; and (b) person formerly employed in a — (A) post under Government as a Gazetted officer; or (B) post under any other employer carrying a remuneration of not less than ₹ 50000 per month, and, in either case, shall have to be retired or resigned from such employment after having rendered service as a mining engineer for not less than ten years.
6	Stocks, shares, debentures, securities, shares in partnership firms and of business assets, including goodwill but excluding those mentioned at serial numbers 1 to 5 and 7 to 10	The applicant shall— (a) be a member of the Institute of Chartered Accountants of India, or the Institute of Cost Accountants of India, or the Institute of Company Secretaries of India; or (b) possess a Master of Business Administration or Post Graduate Diploma in Business Management with specialisation in Finance; or (c) be a post graduate in Finance; and (i) have been in practice in a discipline, which is relevant for valuation of stocks, shares, debentures, securities, shares in partnership firms and of business assets, including goodwill, etc., for a period of not less than ten years and his gross receipts from such practice should not be less than ₹ 100000 in any three of the five preceding years, immediately preceding the year in which the application for registration as a valuer is made by him; or (ii) be a person formerly employed— (A) in a post under Government as a Gazetted officer, or (B) in a post under any other employer carrying a remuneration of not less than ₹ 50000 per month, and, in either case, shall have to be retired or resigned from such employment after having rendered service for a period of not less than ten years in the field of audit and accounts or taxation work, or (d) in a discipline which is relevant for valuation of stocks, shares, debentures, securities, shares in partnership firms and of business assets, including goodwill etc., carrying a remuneration of not less than ₹ 100000 per month and must have retired or resigned from such employment after having rendered service for a period of not less than ten years.

7	Machinery and plant	The applicant shall— (a) (i) be a graduate or post-graduate in Mechanical, Electrical, Electronic and Communication, Electronic and Instrumentation, Production, Chemical, Textiles, Leather, Metallurgy, Aeronautical Engineering, or Valuation of Plant and Machinery from a recognised University; or (ii) possess a qualification recognised by the Central Government for recruitment to superior services or posts under the Central Government in the field of mechanical or electrical engineering; (b) be a person formerly employed— (i) in a post under Government as a Gazetted officer; or' (ii) in a post under any other employer carrying a remuneration of not less than ₹50000 per month, and, in either case, shall have to be retired or resigned from such employment after having rendered service as a mechanical or electrical or electronic and communication or electronic and instrumentation or production or chemical or textiles or leather or metallurgy or aeronautical engineer or valuer of machinery and plant for a period of not less than ten years (or three years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of machinery and plant from a recognised University; or (iii) as a professor, reader or lecturer in a University, college or institution preparing students for a degree in mechanical or electrical or electronic and communication or electronic and instrumentation or production or chemical or textiles or leather or metallurgy or aeronautical engineering or for any qualification referred to in clause (a), and shall have to be retired or resigned from such employment after having taught for a period of not less than ten years (or three years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of machinery and plant from a recognised University); OR The applicant shall have been in practice as a consulting engineer or valuer of machinery and plant for a period of not less than ten years and must have acquired experience in the valuation of machinery and plant and his gross receipts from such practice shall not be less than ₹ 100000 in any three of the five preceding years (or in any two of the three preceding years, if he possesses a post-graduate degree in valuation of machinery and plant from a recognised University), immediately preceding the year in which the application for registration as a valuer is made by him.
8	Jewellery	The applicant shall have been, for a period of not less than five years, a sole proprietor or partner in a partnership firm carrying on jewellery business which has on an average an annual turnover of not less than fifty lakhs rupees or profit, including fees for valuation, of not less than ₹ 500000 in the last three of the five preceding years, immediately preceding the year in which the application for registration as a valuer is made by him.
9	Works of art	The applicant shall have— (a) specialisation by virtue of his academic and professional pursuits in the particular line of art, for the works of which he seeks to be registered as a valuer; and (b) served in any one or more of the following capacities:—

		(i) Director General or Superintending Archaeologist of the Archaeological Survey of India; or (ii) Director of National Museum, New Delhi, Salar Jung Museum, Hyderabad, Prince of Wales Museum, Bombay, Indian Museum, Calcutta, Asutosh Museum, Calcutta, Madras Museum, Madras or Bharat Kala Bhavan, Varanasi; or (iii) principal of a Government School of Art; or (iv) member of the Art Purchase Committee of any of the museums referred to in sub-clause (ii), or of the Lalit Kala Akademi.
10	Life interest, reversions and interest in expectancy	The applicant shall— (a) be a graduate of a recognised University; and (b) have— (i) been in practice as an actuary under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), for a period of not less than ten years; or (ii) rendered continuous service for a period of not less than ten years as an actuary under Government or in the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); or (iii) practised as an actuary or served as such under Government or in the Life Insurance Corporation of India referred to in sub-clause (ii) for an aggregate period of not less than ten years.

(3) The qualifications for a valuer for assets, other than the assets covered in sub-rule (2), shall be determined by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner, or the Principal Director General or Director General, to whom application for getting registered as a valuer has been submitted and the decision of Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner, or the Principal Director General or Director General in this regard shall be conclusive.

(4) No person shall qualify for registration as a valuer, other than as a valuer of works of art or virtual digital assets or other class of assets as may be specified by the Board in this behalf, if he is employed under Government or any other employer.

(5) Irrespective of anything contained in sub-rules (1) to (4), no person shall qualify for registration as a valuer if,—

(a) he has been dismissed or removed from Government service; or

(b) he has been convicted of an offence connected with any proceeding under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal), or a penalty has been imposed on him under section 271(1)(iii) or section 273(i) or section 270A or section 271J of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or under section 439 or section 463 of the Act, or under section 18(1)(iii) of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or section 17(1) of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal); or

(c) he is an undischarged insolvent; or

(d) he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment; or

(e) he has been found guilty of misconduct in his professional capacity, where he is a member of any association or institution established in India having as its object the control, supervision, regulation or

encouragement of the profession of engineering, architecture, accountancy, or company secretaries or such other profession as the Board may specify in this behalf, by notification, by such association or institution; or

(f) he is a minor; or

(g) he has been declared to be of unsound mind; or

(h) he has not been found fit to be registered as a valuer, which shall be decided based on reasons to be recorded in writing, after granting an opportunity of being heard to the person or entity concerned; or

(i) he is an undischarged bankrupt or has applied to be adjudicated as bankrupt.

(6) The requirement laid down in any of the foregoing sub-rules that the applicant should have, for a period of not less than ten years or five years, as the case may be,—

(a) rendered service in any capacity; or

(b) taught any subject; or

(c) practised any profession; or

(d) gained experience in any other capacity or field,

as specified therein, shall be deemed to have been fulfilled, if the period for which the applicant has rendered such service, taught such subject, practised such profession or otherwise gained experience in such other capacity or field, taken either singly or collectively, is not less than ten years or five years, as the case may be, in the foregoing sub-rules.

(7) For the purposes of this rule, the expressions "recognised University" means any of the following Universities or institutions:—

(a) any University in India established by law in force; or

(b) any educational institution recognised by the University Grants Commission (UGC), by notification; or

(c) any foreign university or educational institution, the degree of which is recognised as equivalent to a degree conferred by an Indian University, as determined by the Association of Indian Universities (AIU).

(8) For the purposes of this rule, where the membership of any institution is recognised by the Central Government as a qualification for the purpose of recruitment to civil services or posts under the Central Government in any field, such membership shall not be regarded as a requisite qualification for the purposes of this rule, unless the membership has been granted on the basis of passing the examinations conducted by the institution.

(9) The application referred to in rule 246(1) may be disposed of by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner, or the Principal Director General or Director General either by granting approval or rejecting the same, within six months from the end of the month in which such application is made.

(10) The Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner, or the Principal Director General or Director General may call for any relevant information from the person who has applied for getting registered as a valuer under section 514, before disposing his application referred to in rule 246(1).

248. Charging of fee and submission of valuation report under section 514.— (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the fees to be charged by a registered valuer for valuation of any asset shall not exceed the amount calculated at the following rates:—

(a)	on the first ₹ 500000 of the asset as valued	1/2 % of the value;
(b)	on the next ten lakhs rupees of the asset as valued	1/5 % of the value;
(c)	on the next forty lakhs rupees of the asset as valued	1/10 % of the value; and
(d)	on the balance of the asset as valued	1/20 % of the value.

(2) Where two or more assets are required to be valued by a registered valuer at the instance of an assessee, all such assets shall be deemed to constitute a single asset for the purposes of calculating the fees payable to such registered valuer.

(3) Where the amount of fees calculated in accordance with sub-rules (1) and (2) is less than ₹ 5000, the registered valuer may charge ₹ 5000 as his fees.

(4) The report of valuation by a registered valuer in respect of any asset under section 514(3), shall be in the Form No. 170.

249. Removal from register of names of valuers and restoration. — (1) The Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax may remove the name of any person from the register of valuers where he is satisfied, after giving that person a reasonable opportunity of being heard and after such further inquiry, if any, as he thinks fit to make, —

(a) that his name has been entered in the register by error or on account of misrepresentation or suppression of a material fact;

(b) that he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment or has been guilty

of any malpractice or misconduct in his professional capacity which, in the opinion of the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax, renders him unfit to be kept in the register.

(2) The Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax may, on application and on sufficient cause being shown, restore to the register the name of any person removed therefrom.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-rules (1) and (2), the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax shall, once in five years review the performance of all the registered valuers and may remove the name of any person from the Register of Valuers where he is satisfied, after giving that person a reasonable opportunity of being heard and after such further inquiry, if any, as he thinks fit to make, that his performance is such that his name should not remain on the Register of Valuers.

(4) The Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax may himself conduct the inquiry referred to in sub-rule (1) or (3) or appoint an Inquiry Officer not below the rank of Joint Commissioner of Income-tax to conduct such inquiry, and for the purposes of such inquiry, the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax or Director General of Income-tax and the Inquiry Officer so appointed shall have the same powers as are vested in a court under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), when trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(*a*) discovery and inspection;

(*b*) enforcing the attendance of any person including any officer of a banking company and examining him on oath;

(*c*) compelling the production of books of account and other documents;

(*d*) issuing commission.

250. Definitions for the purposes of rules 251 to 268.— For the purposes of rules 251 to 268,—

(a) “adjudicating authority” shall have the same meaning as assigned to it in clause (1) of section 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(b) "authorised income-tax practitioner" means any authorised representative as defined in section 515(3)(a)(v) or (vi);

(c) “prescribed authority" for the purpose of section 515(5)(b) shall be the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the case in the proceedings connected with which the income-tax practitioner is alleged to be guilty of misconduct;

(d)"register" means the register of income-tax practitioners referred to in rule 255; and

(e) “specified authority” shall be the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax or Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, as the case may be.

251. Accountancy examinations recognised.— The following accountancy examinations are recognised for the purposes of section 515(3)(a)(v):—

(1) the National Diploma in Commerce, awarded by the All-India Council for Technical Education under the Ministry of Education, New Delhi, provided the diploma-holder has taken Advanced Accountancy and Auditing as an elective subject for the Diploma Examination;

(2) Government Diploma in Company Secretaryship, awarded by the Department of Company Affairs, under the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi;

(3) final examination of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi;

(4) the final examination of The Institute of Cost Accountants of India constituted under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);

(5) the departmental examinations conducted by or on behalf of the Central Board of Direct Taxes for Assessing Officers, Class I or Group 'A', Probationers, or for Assessing Officers, Class II or Group 'B', Probationers, or for promotion to the post of Assessing Officers, Class II or Group 'B', as the case may be; and

(6) the Revenue Audit Examination for Section Officers conducted by the Office of the Comptroller and Auditor General of India.

252. Educational qualifications prescribed.— The following educational qualifications are prescribed for the purposes of section 515(3)(a)(vi):—

(1) A degree in Commerce or Law, conferred by any University in India established by law currently in force, or a deemed university, or an institution with the authority to confer degrees under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).

(2) A degree in Commerce or Law, conferred by any foreign university or educational institution, which is recognised as equivalent to a degree conferred by an Indian University, as determined by the Association of Indian Universities (AIU).

253. Nature of business relationship.— For the purposes of section 515(3)(b)(ii)(H), the term "business relationship" shall be construed as any transaction entered into for a commercial purpose, other than —

(A) commercial transactions which are in the nature of professional services permitted to be provided by an auditor or audit firm under the Act and the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and the rules or regulations made under the said Acts; and

(B) commercial transactions that are conducted in the normal course of business of the company at a fair market price, such as the sale of products or services to the auditor as a customer in the regular operation of business, by companies involved in telecommunications, airlines, hospitals, hotels, and other similar industries.

254. Appearance by Authorised Representative in certain cases.— For the purposes of section 515(3)(a)(ix), any other person, in respect of a company or a limited liability partnership, shall be the person appointed by the Adjudicating Authority for discharging the duties and functions of an interim resolution professional, a resolution professional, or a liquidator, as the case may be, under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) and the rules and regulations made thereunder.

255. Register of income-tax practitioners.— Every specified authority shall maintain a register, of authorized income-tax practitioners to whom certificates of registration have been issued by him under rule 257, in such form and in such manner as may be specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, with the prior approval of the Board.

256. Application for registration.— (1) Any person, who wishes to have his name entered as an authorised income-tax practitioner in the register, shall apply to the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax within whose area of jurisdiction he has been practising.

(2) The application shall be made in Form No. 171 and shall be accompanied by documentary evidence regarding his eligibility for income-tax practice under section 515(3)(a)(v) or (vi) or (vii) or (viii).

(3) The applicant shall also furnish such further information as the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax may require in connection with the disposal of the application.

(4) Where a person is already registered as income-tax practitioner under the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) holding a valid certificate of registration as on 31st March, 2026, he shall continue to be a registered income-tax practitioner under section 515, but he shall be required to update his details by filing application referred in sub-rule (1) by the 30th September, 2026, and in such a case, upon filing such application, the registration shall be granted by the concerned authority under section 515, if the application is complete in all respects.

257. Certificate of registration.— If the specified authority is satisfied that the applicant fulfils the requirements of section 515(3)(a)(v) or (vi) or (vii) or (viii) and has been practicing before income-tax authorities for not less than one year on the date of the application, the specified authority shall enter the name of the applicant in the register, in such form and manner as may be specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, with the prior approval of the Board and issue him a certificate of registration .

258. Cancellation of certificate.— (1) A certificate of registration shall stand cancelled when the name of the holder of the certificate is removed from the register under these rules.

(2) When the name of the holder of the certificate is removed from the register, the Chief Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax maintaining the register shall notify the fact of such removal to the authorised income-tax practitioner concerned and also to other Chief Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax (who shall notify the fact of the removal to the income-tax authorities subordinate to them) and to the Appellate Tribunal.

259. Cancellation of certificate obtained by misrepresentation.— (1) If at any time the specified authority is satisfied that the certificate of registration was obtained through misrepresentation as to an essential fact, he shall order the removal of the name of the income-tax practitioner from the register.
(2) An order under sub-rule (1) shall not be passed unless the authorised income-tax practitioner has been given a reasonable opportunity of being heard regarding in the proposed removal.

260. Removal of name of authorised income-tax practitioner who is insolvent or on whom penalty has been imposed.— The name of a person, which has been entered in the register,–

(a) shall be removed from the register during the period for which he is disqualified to represent an assessee in the circumstances as referred to in section 515(4)(b) or (c); and

(b) shall be re-entered only after the completion of the period.

261. Prescribed authority to order an inquiry.— An order disqualifying an authorised income-tax practitioner from representing an assessee under section 515(5)(b) shall be passed only after an inquiry, held as far as may be, in accordance with rules 262 to 267.

262. Charge-sheet.— (1) Where the prescribed authority, on the basis of information in its possession, is of the opinion that *prima facie* an authorised income-tax practitioner is guilty of misconduct in connection with any income-tax proceedings, it shall frame definite charges against the income-tax practitioner and shall communicate them in writing to him, together with a statement of the allegations in support of the charges.
(2) The authorised income-tax practitioner shall be required to submit within such time as may be specified by the prescribed authority, a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.

263. Inquiry Officer.— The prescribed authority shall, unless it proposes to conduct the inquiry itself, appoint an Inquiry Officer, not below the rank of an Assistant Commissioner of Income-tax, to conduct the inquiry and shall inform the authorised income-tax practitioner of the appointment of such an Inquiry Officer.

264. Proceedings before Inquiry Officer.— (1) On receipt of the written statement of defence, or if no such statement is received within the time specified, the Inquiry Officer shall inquire into such of the charges as are not admitted.
(2) The Inquiry Officer shall, in the course of the inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material in regard to the charges.
(3) The authorised income-tax practitioner shall be entitled to cross-examine witnesses examined in support of the charges and to give evidence in person.
(4) If the Inquiry Officer declines to examine any witness on the ground that his evidence is not relevant or material, he shall record his reasons in writing.
(5) At the conclusion of the inquiry, the Inquiry Officer shall prepare a report of the inquiry, recording his findings on each of the charges together with the reasons therefor.

265. Order of the prescribed authority.— (1) The prescribed authority shall consider the report of the Inquiry Officer and record its findings on each charge and, where it does not agree with the findings of the Inquiry Officer, shall record the reasons for its disagreement.
(2) If the prescribed authority is satisfied on the basis of its findings on the report of the Inquiry Officer that the authorised income-tax practitioner is guilty of misconduct in connection with any income-tax proceedings, it shall pass an order directing that the authorised income-tax practitioner shall be disqualified to represent an assessee under section 515(1) for such period as it may determine and his name shall be removed from the register for that period.
(3) The prescribed authority shall, while communicating its order under sub-rule (2) furnish to the authorised income-tax practitioner, a copy of the report of the Inquiry Officer and a statement of its findings together with the reasons for disagreement, if any, with the findings of the Inquiry Officer.

266. Procedure if no Inquiry Officer appointed.— The procedure prescribed in rules 264 and 265 shall also apply, to the extent possible, to the prescribed authority, if it itself conducts the inquiry without appointing an Inquiry Officer.

267. Change of Inquiry Officer.— If it becomes necessary to change the Inquiry Officer during an inquiry, the prescribed authority may appoint another Inquiry Officer not below the rank of an Assistant Commissioner of

Income-tax and the proceedings shall continue with the new Inquiry Officer from the point where they were left by his predecessor.

268. Powers of prescribed authority and Inquiry Officer.— For the purposes of any proceedings under rules 261 to 267, the prescribed authority and the Inquiry Officer shall have the same powers as are vested in a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), when trying a suit in respect of the following matters: -

(a) discovery and inspection;

(b) enforcing the attendance of any person including any officer of a banking company and examining him on oath;

(c) compelling the production of books of account and other documents; and

(d) issuing commissions.

269. Procedure to be followed in calculating interest under section 533(2)(u).— In calculating the interest payable by the assessee or the interest payable by the Central Government to the assessee under any provision of the Act,—

(a) where interest is to be calculated on annual basis, the period for which such interest is to be calculated shall be rounded off to a whole month or months and for this purpose any fraction of a month shall be ignored; and the period so rounded off shall be deemed to be the period in respect of which the interest is to be calculated;

(b) where the interest is to be calculated for every month or part of a month comprised in a period, any fraction of a month shall be deemed to be a full month and the interest shall be so calculated; and

(c) the amount of tax, penalty or other sum, in respect of which such interest is to be calculated, shall be rounded off to the nearest multiple of ₹ 100 rupees and for this purpose any fraction of ₹ 100 shall be ignored and the amount so rounded off shall be deemed to be the amount in respect of which the interest is to be calculated.

270. Determination of income, being partly from agricultural and partly from business.— (1) In terms of section 533(2)(b)(i), in case of income, which is partially agricultural income and partially from business, the market value of any agricultural produce which has been raised by the assessee, or received by him as rent in kind, shall be allowed as a deduction, where —

(a) such agricultural produce has been utilised as a raw material in such business; or

(b) sale receipts of such agricultural produce are included in the accounts of the business.

(2) No further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the assessee as a cultivator or receiver of rent-in-kind.

(3) For the purposes of sub-rule (1) "market value" shall be deemed to be, —

(a) where agricultural produce is ordinarily sold in the market in its raw state, or after application to it of any process ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent-in-kind to render it fit to be taken to market, the value calculated according to the average price at which it has been so sold during the relevant tax year; and

(b) where agricultural produce is not ordinarily sold in the market in its raw state or after application to it of any process referred to in clause (a), the aggregate of —

(i) the expenses of cultivation;

(ii) the land revenue or rent paid for the area in which it was grown; and

(iii) such amount as the Assessing Officer finds, having regard to all the circumstances in each case, to represent a reasonable profit.

271. Income from manufacture of rubber, coffee and tea.— (1) In terms of section 533(2)(b)(i), incomes specified in column B of the following Table, shall be computed as if it were incomes derived from business and the percentage of such incomes specified in column C thereof shall be deemed to be the income liable to tax.

Table

Sl. No.	Nature of income	Percentage
A	B	C
1.	Income derived from the sale of centrifuged latex or cenex or latex-based crepes (such as pale latex crepe) or brown crepes (such as estate brown crepe, remilled crepe, smoked blanket crepe or flat bark crepe) or technically specified block rubbers manufactured or processed from field latex or coagulum obtained from rubber plants grown by the seller in India	35%
2.	Income derived from the sale of coffee grown and cured by the seller in India	25%
3.	Income derived from the sale of coffee grown, cured, roasted, and grounded by the seller in India with or without mixing chicory or other flavouring ingredients,	40%
4.	Income derived from the sale of tea grown and manufactured by the seller in India	40%

(2) In computing the income specified in sub-rule (1), an allowance shall be made in respect of the cost of planting rubber plants, coffee plants and tea bushes, as the case may be, in replacement of plants or bushes that have died or become permanently useless in an area already planted, if such area has not previously been abandoned.

(3) For the purposes of determining such cost referred to in sub-rule (2), no deduction shall be made in respect of the amount of any subsidy, which, under the provisions mentioned in Schedule III [Table: Sl. No. 21] to the Act is not includible in the total income.

(4) For the purposes this rule, the expression "curing" shall have the same meaning as assigned to it in section 3(d) of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).

272. Deduction in respect of expenditure on production of feature films.— (1) In computing the profits and gains of the business of production of feature films carried on by a person (herein referred to as the film producer), the deduction in respect of the cost of production of a feature film certified for release by the Board of Film Censors in a tax year shall be allowed in accordance with the provisions of sub-rules (2) to (4).

(2) Where a feature film is certified for release by the Board of Film Censors in any tax year and in such tax year,—

(a) the film producer sells all rights of exhibition of the film, the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such tax year; or

(b) the film producer—

(i) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(ii) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(iii) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such tax year, the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such tax year.

(3) Where a feature film is certified for release by the Board of Film Censors in any tax year and in such tax year, the film producer—

(a) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(b) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(c) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is not released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such tax year, the cost of production of the film in so far as it does not exceed—

(i) the amount realised by the film producer by exhibiting the film on a commercial basis; or

(ii) the amount for which the rights of exhibition are sold; or

(iii) the aggregate of the amounts realised by the film producer by exhibiting the film and by the sale of the rights of exhibition,

shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such tax year and the balance, if any, shall be carried forward to the next following tax year and allowed as a deduction in that year.

(4) Where, during the tax year in which a feature film is certified for release by the Board of Film Censors, and the film producer—

(a) does not himself exhibit the film on a commercial basis; or

(b) does not sell the rights of exhibition of the film,

no deduction shall be allowed in respect of the cost of production of the film in computing the profit and gains of such tax year and entire cost of production shall be carried forward to the next following tax year and allowed as a deduction in that year.

(5) Irrespective of anything contained sub-rules (1) to (4), the deduction under this rule shall not be allowed unless,—

(a) in a case, where the film producer—

(i) has himself exhibited the feature film on a commercial basis; or

(ii) has sold the rights of exhibition of the feature film; or

(iii) has himself exhibited the feature film on a commercial basis in some areas and has sold the rights of exhibition of the feature film in respect of all or some of the remaining areas,

the amount realised by exhibiting the film, or the amount for which the rights of exhibition have been sold or, as the case may be, the aggregate of such amounts, is credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible; or

(b) in a case, where the film producer has transferred the rights of exhibition of the feature film on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed and the amount, if any, received or due in excess of the guaranteed amount, or where the film producer follows cash system of accounting, the amount received towards the minimum guarantee and the amount, if any, received in excess of the guaranteed amount, are credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible.

(6) Where the Assessing Officer is of the opinion that—

(a) the rights of exhibition of the feature film have been transferred by a mode not covered by this rule; or

(b) having regard to the facts and circumstances of the case, it is not practicable to apply the provisions of this rule,

he may allow deduction in respect of cost of production of the film in such other manner as he may consider suitable.

(7) For the purposes of this rule,—

(a) sale of the rights of exhibition of a feature film includes the lease of such rights or their transfer on a minimum guarantee basis; and

(b) the rights of exhibition of a feature film shall be considered to have been sold only on the date,—

(i) when the positive prints of the film are delivered by the film producer to the purchaser of such rights; or

(ii) when the negative of the film is delivered by the film producer to the film distributors defined in rule 273, where in terms of the agreement between the film producer and the film distributor, the positive prints are to be made by the film distributor.

(8) In this rule,—

(a) "Board of Film Censors" means the Board of Film Censors constituted under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952); and

(b) "cost of production", in relation to a feature film, means the expenditure incurred on the production of the film, not being—

(i) the expenditure incurred for the preparation of the positive prints of the film; and

(ii) the expenditure incurred in connection with the advertisement of the film after it is certified for release by the Board of Film Censors,

and the cost of production of a feature film shall be reduced by the amount of subsidy received under any Government scheme, where such amount has not been included in the total income of the assessee for any tax year.

273. Deduction in respect of expenditure on acquisition of distribution rights of feature films.— (1) In computing the profits and gains of the business of production of feature films carried on by a person (herein referred to as the film distributor), the deduction in respect of the cost of acquisition of a feature film certified for release by the Board of Film Censors in a tax year shall be allowed in accordance with the provisions of sub-rules (2) to (4).

(2) Where a feature film is acquired by the film distributor in any tax year and in such tax year,—

(a) the film distributor sells all rights of exhibition of the film, the entire cost of acquisition of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such tax year; or

(b) the film distributor—

(i) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(ii) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(iii) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such tax year, the entire cost of acquisition of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such tax year.

(3) Where a feature film is acquired by the film distributor in any tax year and in such tax year, the film distributor—

(a) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(b) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(c) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is not released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such tax year, the cost of acquisition of the film, in so far as it does not exceed—

(i) the amount realised by the film distributor by exhibiting the film on a commercial basis; or

(ii) the amount for which the rights of exhibition are sold; or

(iii) the aggregate of the amounts realised by the film distributor by exhibiting the film and by the sale of the rights of exhibition,

shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such tax year and the balance, if any, shall be carried forward to the next following tax year and allowed as a deduction in that year.

(4) Where, during the tax year in which a feature film is acquired by the film distributor, and–

(a) he does not himself exhibit the film on a commercial basis; or

(b) does not sell the rights of exhibition of the film,

no deduction shall be allowed in respect of the cost of acquisition of the film in computing the profit and gains of such tax year and entire cost of acquisition shall be carried forward to the next following tax year and allowed as a deduction in that year.

(5) Irrespective of anything contained in sub-rules (1) to (4), the deduction under this rule shall not be allowed unless,—

(a) in a case, where the film distributor—

(i) has himself exhibited the feature film on a commercial basis; or

(ii) has sold the rights of exhibition of the feature film; or

(iii) has himself exhibited the feature film on a commercial basis in some areas and has sold the rights of exhibition of the feature film in respect of all or some of the remaining areas,

the amount realised by exhibiting the film, or the amount for which the rights of exhibition have been sold or, as the case may be, the aggregate of such amounts, is credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible; and

(b) in a case, where the film distributor has transferred the rights of exhibition of the feature film on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed and the amount, if any, received or due in excess of the guaranteed amount or where the film distributor follows cash system of accounting, the amount received towards the minimum guarantee and the amount, if any, received in excess of the guaranteed amount, are credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible.

(6) For the purposes of this rule,—

(a) the sale of the rights of exhibition of a feature film includes the lease of such rights or their transfer on a minimum guarantee basis;

(b) the rights of exhibition of a feature film shall be considered to have been sold only on the date when the positive prints of the film are delivered by the film distributor to the purchaser of such rights;

(c) distributor shall include a sub-distributor; and

(d) "cost of acquisition", in relation to a feature film, means the amount paid by the film distributor to the film producer or to another distributor under an agreement entered into by the film distributor with such film producer or such other distributor, as the case may be, for acquiring the rights of exhibition and, where the rights of exhibition have been acquired on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed, not being—

(i) the amount of expenditure incurred by the film distributor for the preparation of the positive prints of the film; and

(ii) the expenditure incurred by him in connection with the advertisement of the film.

274. Procedure for investment fund for availing benefit under section 9(12) read with Schedule I to Act.— (1) Where the investment in a fund has been made directly by an institutional entity, the number of members and the participation interest in such fund shall be determined by looking through the said entity, if it, —

(a) independently satisfies the conditions mentioned in paragraphs 1(1)(c), (e), (f) and (g) of Schedule I to the Act;

(b) has been set up solely for the purpose of pooling funds and investment thereof; and

(c) is resident of a country or specified territory with which an agreement referred to in section 159 has been entered into or is established or incorporated, or registered in a country or a specified territory notified by the Central Government in this behalf.

(2) A fund shall not be denied the benefit of being an eligible fund for the purposes of Schedule I to the Act, if, —

(a) non-fulfilment of any of the conditions specified in paragraphs 1(1)(c), (d) and (e) of the Schedule I to the Act, —

(i) is for reasons beyond the control of the fund and it does not exceed a period of ninety days; or

(ii) does not exceed a period of eighteen months, beginning from the date on which the fund is setup or is not beyond the final closing of the fund, whichever is earlier, and *bona fide* efforts are made to satisfy the conditions specified in the paragraph 1(1)(c), (d) and (e) of Schedule I to the Act; or

(iii) is for the reason that the fund is in the process of being wound up and it does not exceed one year beginning from the date on which the process of winding up has begun; or

(b) there is delay in furnishing the statement referred to in paragraph 1(4) of Schedule I to the Act and such delay does not exceed a period of ninety days.

(3) For the purposes of paragraph 1(1)(k) of Schedule I to the Act, a fund shall be said to be controlling or managing a business carried out by any entity, if it directly or indirectly holds such rights which results in the fund holding more than 26% of the total share capital or voting power or interest in the entity, as the case may be.

(4) The amount of remuneration to be paid by the fund to a fund manager, referred to in paragraph 1(1)(m) of Schedule I to the Act, shall not be less than the amount calculated in the following manner: —

(a) where the fund is Category-I foreign portfolio investor referred to in item (i) or (ii) or (iii), and sub-item (III) of item (iv) of clause (a) of regulation of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the amount of remuneration shall be 0.10% of the asset under management; and

(b) in other cases, the amount of remuneration, shall be —

(i) 0.30% of the asset under management; or

(ii) 10% of profits derived by the fund in excess of the specified hurdle rate from the fund management activity undertaken by the fund manager,
where it is entitled only to remuneration linked to the income or profits derived by the fund; or

(iii) 50**%** of the management fee, whether in the nature of fixed charge or linked to the income or profits derived by the fund from the management activity undertaken by the fund manager, paid by such fund in respect of the fund management activity undertaken by the fund manager, as reduced by the amount incurred towards operational expenses including distribution expenses, if any, where the fund is also making payment of management fee to any other fund manager.

(5) Where the amount of remuneration is lower than the amount arrived at under sub-rule (4), the fund may apply to the Member, Central Board of Direct Taxes referred to in rule 275(2), seeking approval of the Board under said rule for that lower amount to be the amount of remuneration and, upon receipt of such application, the Board if satisfied, considering the relevant facts, may approve such lower amount to be the amount of remuneration.

(6) Where an application is made under sub-rule (5), the provisions of rule 275(3) to (12) shall, *mutatis mutandis*, apply to the said application as they apply to application made under sub-rule (2) of the said rule.

(7) The fund manager shall, in addition to any report required to be furnished by it under section 172, obtain a report from the accountant, as defined in section 515(3)(b), in respect of activity undertaken for the fund and furnish such report on or before the specified date in Form No. 172, duly verified by such accountant in the manner indicated therein and all the provisions of the Act shall apply as if it is a report to be furnished under section 172.

(8) For the purposes of paragraph 1(3)(a) of Schedule I to the Act, a fund manager shall not be considered to be a connected person of the fund merely for the reason that the fund manager is undertaking fund management activity of the said fund.

(9) For the purposes of paragraph 1(3)(d) of Schedule I to the Act, any remuneration paid to the fund manager, by the fund, which is in the nature of fixed charge and not dependent on the income or profits derived by the fund from the fund management activity undertaken by the fund manager, shall not be included in the profits referred to in the said clause, if -

(a) the conditions specified in paragraph 1(1)(m) of Schedule I to the Act are satisfied; and

(b) such fixed charge has been agreed by the fund manager in writing at the beginning of the relevant fund management activity.

(10) For the purposes of this rule, —

(a) "asset under management" means the annual average of the monthly average of the opening and closing balances of the value of such part of the fund as managed by the fund manager;

(b) "management fee" means the amount as mentioned in the certificate obtained from an accountant as defined in rule 10(a), for this purpose; and

(c) "specified hurdle rate" means a pre-defined threshold beyond which the fund agrees to pay a share of the profits earned by the fund from the fund management activity undertaken by the fund manager.

275. Approval of the investment fund at its option for purposes of section 9(12).— (1) An investment fund, may at its option, seek approval of the Board regarding its eligibility for the purposes of section 9(12).

(2) The fund seeking approval, may make an application, in writing, enclosing relevant documents and evidence, to the Member, Central Board of Direct Taxes, having supervision and control over the work of Foreign Tax and Tax Research Division.

(3) The application referred to in sub-rule (2) shall be made three months before the beginning of the tax year for which the fund seeks the approval.

(4) The Board shall notify a committee headed by a Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax and consisting of two other Income-tax authorities, not below the rank of Commissioner, to examine the application and submit recommendations regarding grant of approval or otherwise and the conditions thereof, if any, subject to which such approval is to be granted.

(5) The committee on behalf of the Board may, before giving its recommendation, call for such documents or information from the investment fund, the Income-tax authorities and other Departments or agencies, as it may deem fit.

(6) The Board, on the basis of the recommendations of the committee, shall, within two months from the end of the month in which the application has been made, —

(a) by an order in writing, grant approval to the fund subject to such conditions as it may deem fit; or

(b) for reasons to be recorded in writing, reject the application.

(7) The approval once granted, subject to any condition specified in this behalf, shall be applicable for the tax year referred to in sub-rule (3) and subsequent tax years, unless it is withdrawn by the Board.

(8) The benefit of section 9(12) shall not be denied to an eligible investment fund, which has been granted approval, for any tax year for which the approval is in force and has not been withdrawn.

(9) The Board may withdraw the approval granted to any fund, if it is satisfied that —

(a) the approval has been obtained on the basis of misrepresentation of facts or fraud; or

(b) the conditions mentioned in section 9(12) and Schedule I to the Act and the guidelines specified under paragraph 5 of the said Schedule are not fulfilled; or

(c) any condition, subject to which approval was granted, has been violated.

(10) No order rejecting the application or withdrawing the approval, shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard and such order shall be communicated to the –

(a) fund;

(b) the Assessing Officer; and

(c) the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the fund.

276. Statement to be furnished by eligible investment fund under section 9(12) read with Schedule I to the Act.— (1) The statement required under paragraph 1(4) of Schedule I to the Act shall be furnished to the Assessing Officer electronically under digital signature, for every financial year by the eligible investment fund in Form No. 173, duly verified in the manner indicated therein.

(2) The Assessing Officer referred to in sub-rule (1) shall be the Assessing Officer who has the jurisdiction over the fund or would have had the jurisdiction had the fund been assessable to tax in India but for the provisions of section 9(12).

277. Calculation of taxable interest relating to contribution in a provident fund or recognised provident fund, exceeding specified limit.– (1) Taxable interest under Schedule II [Table: Sl. Nos. 3 and 4. C] to the Act shall be computed as the interest accrued in the taxable contribution account during the tax year.

(2) For the purpose of calculation of taxable interest under sub-rule (1), separate accounts within the provident fund account shall be maintained during the tax year 2021-2022 and all subsequent tax years for taxable contribution and non-taxable contribution made by a person.

(3) For the purposes of this rule,—

(a) non-taxable contribution account shall be the aggregate of the following:—

(i) closing balance in the account as on 31st March, 2021;

(ii) any contribution made by the person in the account during the tax year 2021-2022 and subsequent tax years, which is not included in the taxable contribution account; and

(iii) interest accrued on sub-clauses (i) and (ii),

as reduced by the withdrawal, if any, from such account;

(b) taxable contribution account shall be the aggregate of the following:—

(i) contribution made by the person in a tax year in the account during the tax year 2021-2022 and subsequent tax years, which is in excess of the threshold limit; and

(ii) interest accrued on sub-clause (i),

as reduced by the withdrawal, if any, from such account;

(c) "taxable interest" means the income by way of interest accrued during the tax year which is not exempt from inclusion in the total income of a person; and

(d) the threshold limit for the purposes of clause (b)(i) shall mean,–

(i) ₹500000 where no contribution is made by the employer of such person; and

(ii) ₹250000 in other cases.

278. Conditions for purposes of Schedule III [Table: Sl. No. 8] to the Act.– (1) The amount exempted under Schedule III [Table: Sl. No. 8] to the Act in respect of the value of travel concession or assistance received by or due to the individual from his employer or former employer for himself and his family, in connection with his proceeding—

(a) on leave to any place in India; or

(b) to any place in India after retirement from service or after the termination of his service,

shall be the amount actually incurred on the performance of such travel, subject to the following conditions:—

(i) where the journey is performed by air, the amount shall not exceed the fare admissible for the class of travel to which the employee is entitled, by the shortest route to the place of destination;

(ii) where places of origin of journey and destination are connected by rail and the journey is performed by any mode of transport other than by air, an amount not exceeding the air-conditioned first-class rail fare by the shortest route to the place of destination; and

(iii) where the places of origin of journey and destination or part thereof are not connected by rail and the journey is performed between such places, the amount eligible for exemption shall be,—

(A) where a recognised public transport system exists, an amount not exceeding the 1st class or deluxe class fare, as the case may be, on such transport by the shortest route to the place of destination; and

(B) where no recognised public transport system exists, and no specific rates have been prescribed either by the Directorate of Transport of the concerned State or of any neighbouring State, an amount calculated at the rate of ₹30 per kilometre, for the distance of the journey by the shortest route shall be admissible.

(2) The exemption referred to in sub-rule (1) shall be available to an individual in respect of two journeys performed in a block of four calendar years commencing from the calendar year 2022.

(3) Where such travel concession or assistance is not availed of by the individual during any such block of four calendar years, an amount in respect of the value of the travel concession or assistance, if any, first availed of by the individual during first calendar year of the immediately succeeding block of four calendar years shall be eligible for exemption.

(4) The amount in respect of the value of the travel concession or assistance referred to in sub-rule (3) shall not be taken into account in determining the eligibility of the amount in respect of the value of the travel concession or assistance in relation to the number of journeys under sub-rule (2).

(5) The exemption referred to in sub-rule (1) shall not be available to more than two surviving children of an individual.

(6) The provisions of sub-rule (5) shall not apply in respect of children born before 1st October, 1998, and also in case of multiple births after one child.

279. Limits for the purposes of Schedule III [Table: Sl.No. 11] to the Act.– (1) The amount, which is not to be included in the total income of an assessee in respect of the special allowance referred to in Schedule III [Table: Sl.No. 11] to the Act, shall be the least of the following:

(a) the actual amount of such allowance received by the assessee in respect of the relevant period; or

(b) the amount by which the expenditure actually incurred by the assessee in payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him exceeds one-tenth of the amount of salary due to the assessee for the relevant period; or

(c) in case of an assessee employed in the location mentioned in column B of the following Table, an amount equal to such percentage of salary, mentioned in column C thereof, due to the assessee in respect of the relevant period:—

Table

Sl. No.	Location of residential accommodation	Percentage of salary
A	B	C
1.	Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Hyderabad, Pune, Ahmedabad and Bengaluru.	50%
2.	Any other place.	40%

(2) In this rule,–

(a) "relevant period" means the period during which the said accommodation was occupied by the assessee during the tax year**;** and

(b) "salary" includes dearness allowance, if provided for under the terms of employment, but excludes all other allowances and perquisites.

280. Allowances for purposes of Schedule III [Table: Sl. Nos. 12 and 13] to the Act.– (1) The following, by whatever name called, shall be the allowances for the purposes of Schedule III [Table: Sl. No. 12] to the Act:–

(a) any allowance granted to meet the cost of travel on tour or on transfer; or

(b) any sum paid in connection with transfer, packing and transportation of personal effects on such transfer; or

(c) any allowance, whether granted on tour or for the period of journey in connection with transfer, to meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duty; or

(d) any allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of duties of an office or employment of profit where no free conveyance is provided by the employer; or

(e) any allowance granted to meet the expenditure incurred on a helper where such helper is engaged for the performance of the duties of an office or employment of profit; or

(f) any allowance granted for encouraging the academic, research and training pursuits in educational and research institutions; or

(g) any allowance granted to meet the expenditure incurred on the purchase or maintenance of uniform for wear during the performance of the duties of an office or employment of profit.

(2) The following, by whatever name called, shall be the allowances for the purposes of Schedule III [Table: Sl. No. 13] to the Act and the extent thereof shall be the following;—

Sl. No.	Name of allowance	Place at which allowance is exempt			Extent to which allowance is exempt
A	B	C			D
1.	Any Special Compensatory (Remote Locality) Allowance Places covered under Tough Location Allowance-I.	(a)	Andaman and Nicobar Islands: Middle Andamans, North Andaman, Little Andaman, South Andaman (including Port Blair), Nicobar and Narcondum islands.		₹ 7000 per month, when not claimed exemption mentioned at Sl. No. 4 ,5 or 9.
		(*b*)	Throughout Arunachal Pradesh		
		(c)	Himachal Pradesh		
			(i)	Chamba District (A) Pangi Tehsil (B) Bharmour Tehsil.	
			(ii)	Kinnaur District.	
			(iii)	Kangra District; Areas of Bara Bhagal and Chhota Bhangal.	
			(iv)	Kullu District; 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga.	
			(v)	Lahaul and Spiti District; Entire area of Lahaul and Spiti.	
			(vi)	Shimla District; (A) 15/20 Area of Rampur Tehsil Comprising of Panchayats of Kott, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda. (B) Dodra-Kawar Tehsil. (C) Gram Panchayats of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish. (D) Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	
		(d)	Jammu and Kashmir and Ladakh		
			(i)	Kathua District; Niabat Bani, Lohi , Malhar and Macchodi.	
			(ii)	Udhampur District:	

				(A) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag iilaqa, Thakrakote and Nagote. (B) All areas in Mahore Tehsil. Areas up to Goel from Kamban side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mahore.	
			(iii)	Doda District: Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmire Tehsil.	
			(iv)	Leh District: (A) Noyama and Nobre. (B) Zanskar. (C) All other places in the District.	
			(v)	Baramulla District: Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-division and Keran Illaqa. Matchill.	
		(e)	Lakshadweep: Entire Union territory.		
		(f)	Mizoram: Chimptuipui District and Lunglei District.		
		(g)	Sikkim: Entire State.		
		(h)	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.		
		(i)	Nagaland: Throughout Nagaland.		
		(j)	Tripura: Difficult areas of Tripura.		
2.	Any Special Compensatory (Remote Locality) Allowance Places covered under Tough Location Allowance-II.	(*a*)	Himachal Pradesh		₹ 4500 per month, when not claimed exemption mentioned at Sl. No. 4 ,5 or 9.
			(i)	Chamba District: (A) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, (B) Churah Tehsil (C) Dalhousie Town (including Banikhet proper)	
			(ii)	Kullu District: (A) Outer Seraj (excluding Villages of Jakat-Khana and Burow in Nirmand Tehsil). (B) Entire District (excluding outer Seraj area and Pargana of Pandrabis but including villages Jakat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand).	
			(iii)	Mandi District: (A) Chhuhar Valley (Jogindernagar Tehsil) (B) Following Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chhatri, Chhotdhar, Daragushain, Gatoo, Gharyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Samachan, Thachdhar, Tachi and Thana. (C) Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah (D) Following Panchayats of Karsog Tehsil; Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog,	

				Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban. (E) Following Panchayats of Sundernagar Tehsil: Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.		
			(iv)	Kangra District:		
				(A)	Dharamsala Town and the following offices located outside its Municipal limits but included in Dharamsala Town for purposes of eligibility to Special Compensatory (Remote Locality) Allowance: I. Women's Industrial Training Institute, Dari. II. Mechanical Workshop, Ramnagar. III. Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh. IV. CRFS Office at lower Sakoh. V. Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar. VI. Himachal Road Transport Corporation Workshop, Sudher. VII. Zonal Malaria Office, Dari. VIII. Forest Corporation Office, Shamnagar. IX. Tea Factory, Dari X. Irrigation and Public Health Sub-division, Dari. XI. Settlement office, Shamnagar. XII. Binwa Project, Shamnagar.	
				(B)	Palampur Town, including Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Campus at Palampur and the following offices located outside its Municipal limits but included in Palmapur Town for this purpose: (A) H.P. Krishi Vishwavidhyalaya campus. (B) Cattle Developent Office/Jersey Farm, Banuri (C) Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla. (D) Electrical Sub-Division, Lohna. (E) D.P.O, Corporation, Bundla (F) Electrical HPSE Division, Ghuggar	
			(v)	Shimla District: (A) (I) Chopal Tehsil. (II) (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan. (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area. (iii) Pargana Barabis. (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil.		

				(B)	Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	
			(vi)	Sirmaur District		
				(A)	Following Panchayats: (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil). (ii) Bharog, Bheneri (Paonta Tehsil). (iii) Birla (Nahan Tehsil). (iv) Dibber (Pachhad Tehsil). (v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil).	
				(B)	Thansgiri Tract.	
			(vii)	Solan District Mangal Panchayat.		
		(b)	Jammu and Kashmir; and Ladakh			
			(i)	Areas in Poonch and Rajouri Districts excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other Urban areas in the two districts.		
			(ii)	Areas not included in Table: Sl.No. 1 and clause (b)(i) but which are within a distance of 8 km from the line of actual control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.		
		(c)	Manipur: Entire State.			
		(d)	Mizoram: Entire Aizwal District.			
		(e)	Tripura: Entire State other than areas included in Table: Sl.No. 1.			
3.	Any Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Places covered under Tough Location Allowance-III.	(a)	Himachal Pradesh: The remaining areas of Himachal Pradesh not included in Sl. Nos. 1 and 2.			₹1500 per month, when not claimed exemption mentioned at Sl. No. 4 and 5 or 9.
		(b)	Meghalaya: Entire State covered in Meghalaya.			
		(c)	Assam: Entire State covered in Assam.			
		(d)	West Bengal: Working in Sundarban areas of South Dampier Hodge's line, namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pather Partima, Bhagabatpur, Saptmukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mausini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, and Ghusighata (Kulti) area.			
		(e)	Scheduled tribal area and bad climate areas in States where Scheduled tribal area allowance and bad climate allowance is admissible by the order of State Governments.			
4.	Compensatory Field Area Allowance.	(a)	Following areas in Arunachal Pradesh :—			₹13500 per month.
			(*i*)	Tirap and Changlang Districts;		

			(*ii*)	All areas North of line joining point 4448 in LZ 4179-Nukme Dong MS 3272-Sepla MT 2969-Palin MO 9213-Daporijo NR 5841-Along NL 1273-Hunli NM 3196-Tidding Tuwi MT 6369-Hayuliang NN 0170-Tawaken MT 8136-Champai Bun NM 8814, all inclusive.	
		(*b*)	Throughout Manipur and Nagaland.		
		(*c*)	Following areas in Sikkim :— All areas North and North East of line joining Phalut LV 4750-Gezing LV 7059-Mangkha LV 6160-Penlang La LW 0666-Rangli LW 1448-BP 1 in LW 2453 on Indo-Bhutan Border, all inclusive.		
		(d)	Following areas in Himachal Pradesh : All areas East of line joining Umasila NV 3951-Udaipur NY 8663-Manikaran SB 2300-Pir Parbati Pass TA 1459-Taranda TA 2335-Barasua Pass TA 8801, all inclusive.		
		(*e*)	Following areas in Uttarakhand :— All areas North and North-East of line joining Barasua (Pass Gangnani TG 1362-Govind Ghat TG 0937-Tapovan TH 1822-Musiari (TN 8982-Relagad TO 2466, all inclusive.		
		(f)	Following areas in Jammu and Kashmir and Ladakh:—		
			(*i*)	Areas North and East of line joining Zojila MU 3036-Baralachala NE 6672 along the Great Himalayan Range, all inclusive.	
			(*ii*)	All areas West of line joining point 1556 in NR 5470-Gulmarg MT 3105-Naushara MY 3105-Ringapat MT 2133-Handwara MT 2043-Laingyal MT 2339-Point 8405 in NG 4565-North of line joining point 8403-Bunakut MT 5453-Razan NN 2239-Zojila, all inclusive;	
			(*iii*)	All areas West of line joining tip of Chicken Neck RD 7073-Canal junction RD 6364-Mawa Brahmana RD 6183-Chauki RD 6393-Road junction RD 6499-Baramgala MY 3854-Point 1556 in NR 5470, all inclusive.	
5.	Compensatory Modified Field Area Allowance.	(a)	Following areas in Punjab and Rajasthan:— Areas West of line joining Jessai, Barmer, Jaisalmer, Pokharan, Udasar, Mahajan Ranges, Suratgarh, Lalgarh, Jattan, Abohar, Govindgarh, Fazilka, Jandiala Guru, Moga, Dholewal, Deas, Bir Sarangwal, Hussainiwala, Dera Baba Nanak, Laisain pulge upto the international border, all inclusive.		₹8000 per month.
		(*b*)	Following area in Haryana :— Satrod (Hissar).		
		(*c*)	Following areas in Himachal Pradesh :— Areas North of line joining Narkhanda, Keylong upto field area line and high-altitude line.		
		(d)	Following areas in Arunachal Pradesh and Assam :—		
			(*i*)	Cachar and North Cachar Districts of Assam including Silchar;	

			(*ii*)	All areas of Arunachal Pradesh and Assam North of river Brahmaputra except Tejpur - Misamari and Field Areas.	
		(*e*)	Throughout Mizoram and Tripura.		
		(f)	Following areas in Sikkim and West Bengal :— Areas Northwards of line joining Sevoke LV 9112-Burdong LV 985-Sherwani LV 9453 -Bagrakot LW 0113-Damdim LW 1109-New Mal-Hasimara-QB 7894 Ganga Ram Tea Estate QA 1377 upto the High Altitude line/field area line/international border, all inclusive.		
		(g)	Following areas in Uttarakhand :— Areas North of line joining Uttarkashi, Karan Prayag, Gauchar, Joshimath, Chamoli, Rudra Prayag, Askote, Charamgad, Dharchula, Kausani and Narendra Nagar upto international border, all inclusive.		
		(h)	Following areas in Jammu and Kashmir :—		
			(*i*)	Areas West of line joining Pattan, Baramulla, Kupwara, Drugmula, Panges, Mankes, Buniyar, Pantha Chowk, Khanabal, Anantnag, Khundru and Khru upto the existing High altitude line, all inclusive.	
			(*ii*)	Areas West of line joining - BP-19, Brahmanadi-Bari, Jindra, Dhansal, Katra, Sanjhi Chatt, Batote, Patnitop, Ramban and Banihal upto the existing High altitude line, all inclusive.	
6.	Any allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another place, where such employee is not in receipt of daily allowance.	Whole of India.			70% of such allowance up to a maximum of ₹25000 per month.
7.	Children Education Allowance.	Whole of India.			₹3000 per month per child up to a maximum of two children.
8.	Any allowance granted to an employee to meet the hostel expenditure on his child.	Whole of India.			₹9000 per month per child up to a maximum of two children.
9.	Any special allowance in the nature of counter-insurgency allowance granted to the members of armed forces operating in areas away from their permanent locations.	Whole of India.			₹22000 per month.
10.	Transport allowance granted to an employee, who is blind or deaf and dumb or	Whole of India.			i) Metro Cities: ₹15000 plus dearness

	orthopaedically handicapped with disability of lower or upper extremities, to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty.		allowance thereon per month. (ii) Other Cities: ₹8000 dearness allowance thereon per month.
11.	Any special allowance in the nature of high altitude (uncongenial climate) allowance granted to the member of the armed forces operating in high altitude areas.	(a) For altitude of 9,000 to 15,000 feet and altitude below 9000 feet with uncongenial climate. (b) For altitude above 15,000 feet. (c) All locations of Union territories of Jammu and Kashmir, and Ladakh, and the States of Sikkim and Uttarakhand.	₹4500 per month. ₹7000 per month. ₹30000 per month.
12.	Underground allowance granted to an employee who is working in uncongenial, unnatural climate in underground mines.	Whole of India.	15% of Basic Pay.
13.	Any special allowance granted to the members of the armed forces in the nature of special compensatory highly active field area allowance.	Whole of India	₹22000 per month.
14.	Any special allowance granted to the member of the armed forces in the nature of Island (duty) allowance or Island Special Duty Allowance.	(a) Areas Around the Capital Town (Port Blair, Kavaratti and Agatti) (b) Difficult Areas-North and Middle Andaman, South Andaman, Excluding Port Blair, Entire Lakshadweep Except Kavaratti, Agatti and Minicoy. (c) More Difficult Areas - Little Andaman, Nicobar group of Islands, Narcodum Islands, East Islands and Minicoy.	10% of basic pay. 16% of basic pay. 20% of basic pay.
15.	Siachen Allowance granted to the members of the armed forces.	Siachen area of Ladakh.	₹42500 per month.

(3) An employee, being an assessee, who has exercised an option under section 202(4) shall be entitled to exemption only in respect of allowances mentioned in sub-rule (1)(a) to (d) and in sub-rule (2) [Table: Sl. No. 10], to the extent and subject to the conditions, if any, specified therein.

281. Circumstances and conditions for purposes of Schedule III [Table: Sl. No 16] to the Act.– (1) For the purposes of Schedule III (Table: Sl.No. 16) to the Act, the circumstances of death of a member of the armed forces (including para-military forces) of the Union in the course of operational duties shall be the following:—

(a) acts of violence or kidnapping or attacks by terrorists or anti-social elements; or

(b) action against extremists or anti-social elements; or

(c) enemy action in international war; or

(d) action during deployment with a peace keeping mission abroad; or

(e) border skirmishes; or
(f) laying or clearance of mines including enemy mines including mine sweeping operations; or
(g) explosions of mines while laying operationally oriented mine-fields or lifting or negotiating mine-fields laid by the enemy or own forces in operational areas near international borders or the line of control; or
(h) in the aid of civil power in dealing with natural calamities and rescue operations; and
(i) in the aid of civil power in quelling agitation or riots or revolts by demonstrators.

(2) The Head of the Department, where the deceased member of the armed forces (including para-military forces) last served, or the service headquarters, shall certify that the death of such member occurred in the course of operational duties in circumstances as mentioned in sub-rule (1).

282. Notification of pension fund and other conditions to be satisfied by the pension fund.— (1) The pension fund mentioned in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(a)(iii)] to the Act shall be required to satisfy the following other conditions: —

(a) it shall be regulated under the law of a foreign country including the laws made by any of its political constituents being a province, State or local body, by whatever name called, under which it is created or established, as the case may be;

(b) it shall be responsible for administering or investing the assets for meeting the statutory obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;

(c) the condition in clause (b) shall be deemed to have been satisfied with respect to assets being administered or invested, if the following conditions are satisfied: —

(i) value of such assets is not more than 10% of the total value of the assets administered or invested by such fund;

(ii) such assets are wholly owned directly or indirectly by the Government of a foreign country; and

(iii) such assets vests in the Government of such foreign country upon dissolution;

(d) the earnings and assets of the pension fund are used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in clause (b) and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person;

(e) the provisions of clause (d) shall not apply to any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purposes other than for making investment in India;

(f) the provisions of clause (d) shall not apply to earning from the assets referred to in clause (c), if the said earning are credited either to the account of the Government of that foreign country or to any other account designated by such Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person;

(g) it shall intimate the details in respect of each investment made by it in India during the quarter within one month from the end of the quarter in Form No. 175;

(h) it shall file return of income on or before the due date specified under section 263(1)(c) and furnish a compliance certificate in Form No. 176 from an accountant as defined in section 515(3)(b) along with such return; and

(i) the expression loans and borrowings mentioned in this sub-rule shall have the meaning assigned to them in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(c)] to the Act.

(2) For the purposes of notification under Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(a)(iii)(D)] to the Act, the pension fund shall make an application in Form No. 174 enclosing therewith relevant documents and evidence, to the Member, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi having supervision and control over the work of Foreign Tax and Tax Research Division.

283. Computation of minimum investment and exempt income for purposes of Schedule V [Table: Sl. No. 7] to Act.— (1) For the purposes of Schedule V [Table: Sl. No. 7] to the Act, the percentages referred to in Notes 5(e), (f) and (g) of the said Table, and the exempt income referred to in clauses (e), (f) and (g) of column D thereof shall be calculated in accordance with this rule.

(2) (a) The percentage referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(e)] to the Act shall be calculated in the following manner: —

$$\frac{(A+B+C)}{D} \times 100$$

Where, —

A = aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the eligible Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year, made in one or more eligible infrastructure entity or in an eligible InvIT;

B = aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the eligible Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year, made in one or more eligible domestic companies, multiplied by the percentage for those domestic company or companies determined in accordance with sub-rule (3);

C = aggregate of eligible investments appearing in the balance sheet of the eligible Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year, made in one or more eligible Non-Banking Financial Companies, multiplied by the percentage for those non-banking financial company or companies determined in accordance with sub-rule (4); and

D = aggregate of eligible investments appearing in the balance sheet of the eligible Alternative Investment Fund as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year;

(b) in a case, where the relevant tax year is the year in which the first investment is made by the eligible Alternative Investment Fund, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible investments, appearing in its balance sheet of the relevant tax year as on the last date of that year; and

(c) for the purposes of this sub-rule, the amounts A, B and C shall also include eligible investments which may not be includible in these amounts as on the date of calculation but would have been included if the calculation was carried out anytime within three months after the date of receipt of such eligible investments by the eligible Alternative Investment Fund.

(3) (a) The percentage referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(f)] to the Act shall be calculated in the following manner:—

$$\frac{E}{F} \times 100$$

Where, —

E = aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the eligible domestic company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year, made in one or more eligible infrastructure entity; and

F = aggregate of eligible investments appearing in the balance sheet of the eligible domestic company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year;

(b) in a case, where the relevant tax year is the year in which the first investment is made by the eligible domestic company, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible investments, appearing in its balance sheet of the relevant tax year as on the last date of that year; and

(c) for the purposes of this sub-rule, the amount E shall also include eligible investments which may not be includible in these amounts as on the date of calculation but would have been included if the calculation was carried out anytime within three months after the date of receipt of such eligible investments by the eligible domestic company.

(4) (a) The percentage referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(g)] to the Act shall be calculated in the following manner: —

$$\frac{G}{H} \times 100$$

Where, —

G = aggregate of eligible lending, appearing in the balance sheet of the eligible Non-Banking Financial Company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-**2022** and ending with the financial year immediately preceding the relevant tax year, made to one or more eligible infrastructure entity; and

H = aggregate of eligible lending appearing in the balance sheet of the eligible Non-Banking Financial Company as on the last date of all the financial years starting from the financial year 2021-2022 and ending on the financial year immediately preceding the relevant tax year;

(b) in a case, where the relevant tax year is the year in which the first debt or loan is extended by the eligible Non-Banking Financial Company, the above amounts shall be calculated using the aggregate of eligible lending appearing in its balance sheet of the relevant tax year as on the last date of that year.

(5) For the purposes of sub-rules (2), (3) and (4), the percentages referred therein for the relevant tax year 2031-2032 and for subsequent relevant tax years shall be deemed to have been satisfied if the same is satisfied for the relevant tax year 2030-2031.

(6) For the purposes of exempt income referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(e)] to the Act, —

(a) the income accrued or arisen or attributed to, or received by the specified person, who is a unit holder of an eligible Alternative Investment Fund, out of investment made in that fund, shall be chargeable to income-tax in the same manner as if it were the income accrued or arisen or attributed to, or received by, such person had the investment made by such investment fund been made directly by him;

(b) the calculation of exempt income of the specified person arising from the investment in such fund during the relevant tax year shall be made in the following manner:—

I+J+K+L

Where, —

I = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant tax year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the eligible investments made by the eligible Alternative Investment Fund in eligible infrastructure entity, out of any investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause;

J = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant tax year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the investments made by the eligible Alternative Investment Fund in one or more eligible domestic companies, out of any investment made by the specified person multiplied by N

and divided by O, where N and O shall have the value assigned to them in sub-rule (7) for each of such domestic company;

K = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant tax year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the investments made by the eligible Alternative Investment Fund in one or more eligible Non-Banking Financial Companies, out of any investment made by the specified person multiplied by Q and divided by R, where Q and R shall have the value assigned to them in sub-rule (8) for each such non-banking financial company; and

L = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant tax year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the eligible investments made by the eligible Alternative Investment Fund in eligible InvIT, out of any investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause.

(7) For the purposes of Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(f)] to the Act, the exempt income during the relevant tax year shall be calculated in the following manner: —

$$\frac{M}{O} \times N$$

Where, —

M = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant tax year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the investment made by the specified person in one or more eligible domestic companies;

N = aggregate of eligible investments, appearing in the balance sheet of the eligible domestic company as on the last date of the tax year immediately preceding the relevant tax year (last date of the relevant tax year, if eligible investment has been made during the relevant tax year for the first time), made by eligible domestic company in one or more eligible infrastructure entity, out of investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause; and

O = aggregate of investments, appearing in the balance sheet of the eligible domestic company as on the last date of the tax year immediately preceding the relevant tax year (last date of the relevant tax year, if eligible investment has been made during the relevant tax year for the first time), out of any investment made by the specified person.

(8) For the purposes of Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(g)] to the Act, the exempt income during the relevant tax year shall be calculated in the following manner: —

$$\frac{P}{R} \times Q$$

Where, —

P = income accrued or arisen or attributed or received during the relevant tax year, computed in accordance with the provisions of the Act, from the investment made by the specified person in one or more eligible Non-Banking Financial Companies;

Q = aggregate of eligible lending appearing in the balance sheet of the eligible Non-Banking Financial Company as on the last date of the tax year immediately preceding the relevant tax year (last date of the relevant tax year, if eligible lending has been made during the relevant tax year for the first time) made by eligible Non-Banking Financial Company to one or more eligible infrastructure entity, out of any investment made by the specified person on or after the date of notification of the specified person under the said clause; and

R = aggregate of lending appearing in the balance sheet of the eligible Non-Banking Financial Company as on the last date of the tax year immediately preceding the relevant tax year (last date of the relevant tax year,

if eligible lending has been made during the relevant tax year for the first time) out of any investment made by the specified person.

(9) Every eligible Alternative Investment Fund, eligible domestic company and eligible Non-Banking Financial Company, which has received funds from any specified person, either directly or through eligible Alternative Investment Fund, shall furnish the details of funds received from specified persons in Form No. 177 for each tax year during which such funds or any part thereof remains invested in such Alternative Investment Fund, domestic company and non-banking finance company.

(10) The Form No. 177 referred to in sub-rule (9), shall be furnished electronically either under a digital signature or through an electronic verification code and shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of such Alternative Investment Fund, domestic company and non-banking finance company under section 265.

(11) The Form No. 177 referred to in sub-rule (9), shall be furnished on or before the due date referred to in section 263(1)(c) for the tax year in which the eligible investments have been first received from the specified person and all subsequent tax years till the eligible investment received from the specified person is returned.

(12) In this rule, the expressions—

(a) "specified person", "eligible infrastructure entity", "eligible Alternative Investment Fund", "eligible domestic company", "eligible Non- Banking Financial Company", "eligible InvIT" shall have the meanings respectively assigned to them in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5] of the Act;

(b) "balance sheet" means the balance-sheet (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) drawn up as on 31st March of the relevant tax year which, —

(i) gives a true and fair view of the state of affairs;

(ii) complies with applicable accounting standards; and

(iii) has been audited by the auditor of the —

(A) eligible Alternative Investment Fund as per the provisions of regulation 20(5) of Securities and Exchange Board of India (Alternate Investment Fund) Regulations, 2012 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); or

(B) eligible domestic companies as per the provisions of section 139 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(c) "eligible investment" means an investment which has been made by an, —

(i) eligible Alternative Investment Fund on or after the 1st April, 2020, but on or before the 31st March, 2030; or

(ii) eligible domestic company on or after the 1st April, 2021, but on or before the 31st March, 2030;

(d) "eligible lending" means lending made by an eligible Non-Banking Financial Company on or after the 1st April, 2020, but on or before the 31st March, 2030;

(e) "investment" means movable and immovable assets, including current and non-current investments, loans and advances and cash and cash equivalents; and

(f) "relevant tax year" means —

(i) the tax year for which the income exempt under Schedule V [Table: Sl. No. 7] to the Act is to be calculated;

(ii) the tax year 2030-2031, for the purposes of sub-rule (5), even if exempt income under Schedule V [Table: Sl. No. 7] to the Act is not required to be calculated for that year.

284. Conditions for the purpose of Schedule VI [Table: Sl. No. 5] to the Act.– (1) The income accrued or arisen to, or received by, a non-resident as a result of—

(a) transfer of non-deliverable forward contracts or offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives; or

(b) distribution of income on offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives,

under Schedule VI [Table: Sl. No. 5] of the Act, shall be exempted subject to fulfilment of the following conditions:—

(i) the non-deliverable forward contract or offshore derivative instrument or over- the-counter derivative is entered into by the non-resident with an offshore banking unit of an International Financial Services Centre, which holds a valid certificate of registration granted under International Financial Services Centers Authority (Banking) Regulations, 2020 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (~~40~~ 50 of 2019), by the International Financial Services Centres Authority or any foreign portfolio investor being a unit of an International Financial Services Centre; and

(ii) such contract, instrument or derivative is not entered into by the non-resident through or on behalf of its permanent establishment in India.

(2) The offshore banking unit or the foreign portfolio investor shall ensure that the condition provided in sub- rule (1)(ii) is complied with.

(3) For the purposes of this rule,—

(a) "derivative" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(ac) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(b) "foreign portfolio investor" means a person registered under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(c) "non-deliverable forward contract" means a contract for the difference between an exchange rate agreed before and the actual spot rate at maturity, with the spot rate being taken as the domestic rate or a market determined rate and such contract being settled with a single payment in a foreign currency;

(d) "offshore banking unit" means a banking branch Unit located in an International Financial Services Centre;

(e) "offshore derivative instrument" shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(o) of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(f) "over-the-counter derivatives" means a derivative contract that is not traded on an exchange but instead is privately negotiated between a purchaser and a seller; and

(g) "permanent establishment" shall have the meaning assigned to it in section 173(c).

285. Computation of exempt income in nature of capital gains in connection with relocation of original fund, etc. — (1) For the purpose of Schedule VI [Table: Sl. No. 10] to the Act, income of the nature of capital gains, arising or received by a specified fund, which is attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) in such specified fund shall be computed as under: —

(a) where the specified fund files Form No. 178 in accordance with sub-rule (2), the income exempt under Schedule VI [Table: Sl. No. 10] to the Act = [(A×B)/C], where, —

A = income of the nature of capital gains, arising or received by a specified fund, which is on account of transfer of shares of a company resident in India, by the specified fund and where such shares were received by the specified fund, being resultant fund, in relocation from the original fund, or from its wholly owned special purpose vehicle, and where such capital gains would not be chargeable to tax if the relocation had not taken place;

B = aggregate of daily assets under management of the specified fund, which are held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India), from the date of acquisition of the share of a company resident in India by the specified fund to the date of transfer of such share; and

C = aggregate of daily total assets under management of the specified fund, from the date of acquisition of the share of a company resident in India by the specified fund to the date of transfer of such share; and

(b) if Form No. 178 is not filed by the specified fund, the exempt income shall be nil.

(2) The specified fund shall furnish an annual statement of exempt income in Form No. 178 electronically under digital signature on or before the due date, which is duly verified in the manner indicated therein.

(3) It shall get the annual statement referred to in sub-rule (2), certified by an accountant as defined in section 515(3)(b), before the specified date and such accountant shall furnish by that date the certificate in Form No. 179 electronically under digital signature, which is duly verified in the manner indicated therein.

(4) In this rule, the expressions —

(a) "assets under management" means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date;

(b) "due date" shall have the meaning assigned to it in section 263(1)(c);

(c) "original fund", "relocation", "resultant fund", "securities", "specified fund" and "unit" shall have the meanings respectively assigned to them in Schedule VI to the Act;

(d) "permanent establishment" shall have the meaning assigned to it in section 173(c); and

(e) "specified date" in relation to the certification of the annual statement in Form No. 178, means the date one month prior to the due date;

286. Requirements for approval of a fund for welfare of employees and their dependents under Schedule VII [Table: Sl. No. 2] to Act.— (1) Any fund established for such purposes as may be notified by the Board for the welfare of employees and their dependents (where such employees are member of such fund) shall be formed under a trust and it shall be evidenced by a trust deed.

(2) The contributions to the fund are to be made by the employees by way of periodical subscription.

(3) The application for approval shall be made in Form No. 180 to the Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the area or territory in which the accounts are kept and such application shall be accompanied by the documents mentioned therein.

(4) The Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, where he is satisfied that, —

(a) all the conditions laid down in Schedule VII [Table: Sl. No.2] to the Act and this rule are fulfilled, he shall record such satisfaction in writing and grant approval to the fund specifying the tax year or years not exceeding three tax years for which the approval shall be valid;

(b) if any of the conditions laid down in Schedule VII [Table: Sl. No.2] to the Act and this rule is not fulfilled, he shall reject the application for approval, after recording the reasons for such rejection in writing.

(5) No order of rejection of an application shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.

287. Percentage of Government grant for considering any University, hospital, or any other institution, as substantially financed by the Government for purposes of Schedule VII [Table: Sl. Nos. 17 and 18] to Act.— For the purposes of Schedule VII [Table: Sl. No. 17 and 18] to the Act, any university or other educational institution, hospital or other institution referred therein, shall be considered as being substantially financed by the Government for any tax year, if the Government grant to such University or other educational institution, hospital or other institution for such tax year exceeds 50% of their total receipts including any donations during the said tax year.

288. Procedure for setting up an Infrastructure Debt Fund for purpose of exemption under Schedule VII [Table: Sl. No. 46] to Act.— (1) Every Infrastructure Debt Fund under this rule shall be set up as a Non-Banking Financial Company conforming to and satisfying the conditions laid down in the regulatory framework provided by the Reserve Bank of India.

(2) The funds of the Infrastructure Debt Fund shall be invested only in —

(a) post commencement operation date infrastructure projects, which have completed at least one year of satisfactory commercial operations; or

(b) toll-operate-transfer projects as the direct lender.

(3) The Infrastructure Debt Fund shall raise the funds in the manner specified in column B of the following Table subject to the conditions mentioned in column C thereof:

Table

Sl. No.	Manner of raising funds	Conditions
A	**B**	**C**
1.	Issue rupee denominated bonds or foreign currency bonds.	(a) Such bonds must be in accordance with the directions of Reserve Bank of India and the relevant regulations under the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 made under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999); and (b) in case of an investor in the said bond being a non-resident, the original or initial maturity of bond, at time of first investment by such non-resident investor, shall not be less than a period of five years.
2.	Issue zero coupon bonds.	(a) Such bonds shall be in accordance with rule 7; and (b) as mentioned in clause (b) column C of Sl. No. 1.
3.	Raise funds through loan route under external commercial borrowings.	(a) Such external commercial borrowings shall be in accordance with the directions of the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank of India; and (b) the tenor shall not be less than a period of five years and such borrowings shall not be sourced from foreign branches of Indian banks.

(4) The investment made by the Infrastructure Debt Fund in an individual project or project belonging to a group at any time, shall not exceed 20% of the corpus of the fund.

(5) No investment shall be made by the Infrastructure Debt Fund in any project where its specified shareholder or the associated enterprise or the group of such specified shareholder has a substantial interest.

(6) The Infrastructure Debt Fund shall file its return of income as required by section 263(1)(a) on or before the due date specified in section 263(1)(c).

(7) In case the Infrastructure Debt Fund does not fulfil any of the conditions provided in this rule or directions of the Reserve Bank of India, all provisions of the Act shall apply as if it is not an Infrastructure Debt Fund referred to in Schedule VII [Table: Sl. No. 46] to the Act.

(8) In this rule, —

(a) "associated enterprise" shall have the meaning assigned to it in section 162;

(b) "concern" shall have the meaning assigned to it in section 2(40);

(c) "corpus" means the total funds of the Infrastructure Debt Fund raised for the purpose of investment;

(d) "group" means a group as defined in section 2(mm) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(e) a person shall be deemed to have substantial interest in —

(i) a company, if he is the beneficial owner (including beneficial ownership held by one or more of his relatives, in case the person is an individual) of shares (not being the shares entitled to a fixed rate of dividend whether with or without a right to participate in profits) holding not less than 10% of the voting power; or

(ii) a concern other than a company if he is, at any time during the tax year, beneficially entitled to not less than 20% of the income of such concern;

(f) "relative", in relation to an individual, means—

(i) spouse of the individual; or

(ii) brother or sister of the individual; or

(iii) brother or sister of the spouse of the individual; or

(iv) brother or sister of either of the parents of the individual; or

(v) any lineal ascendant or descendant of the individual; or

(vi) any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual; or

(vii) spouse of the persons referred to in sub-clauses (ii) to (vi); or

(viii) any lineal descendant of a brother or sister of either the individual or of the spouse of the individual; and

(g) "specified shareholder" means a non-banking financial company, or a bank, or any other person holding, directly or indirectly, shares carrying not less than 30% of the voting power in Infrastructure Debt Fund.

289. Rules for functioning of an electoral trust.— (1) An electoral trust referred to in Schedule VIII [Table: Sl. No. 2] to the Act shall function in accordance with the provisions of this rule.

(2) The electoral trust may receive voluntary contributions from—

(a) an individual who is a citizen of India; or

(b) a company which is registered in India; or

(c) a firm or Hindu undivided family or an association of persons or a body of individuals, resident in India.

(3) The electoral trust shall accept contributions only by way of an account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft or by electronic transfer to its bank account and shall not accept any contribution in cash.

(4) The electoral trust shall not accept any contribution without the Permanent Account Number of the contributor, who is a resident and the passport number in the case of a citizen of India, who is not a resident.

(5) A receipt indicating the following shall be issued by the trust immediately on receipt of any contribution: —

(a) name and address of the contributor;

(b) Permanent Account Number of the contributor or passport number in the case of a citizen who is not a resident;

(c) amount and mode of contribution including name and branch of the Bank and date of receipt of such contribution;

(d) name of the electoral trust;

(e) Permanent Account Number of the electoral trust;

(f) date and number of approval by the prescribed authority; and

(g) name and designation of the person issuing the receipt.

(6) The electoral trust shall not accept contributions—

(a) from an individual, who is not a citizen of India, or from any foreign entity whether incorporated or not; or

(b) from any other electoral trust which has been registered as a company under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2023) and approved as an electoral trust under the Electoral Trusts Scheme, 2013; or

(c) from a Government Company as defined in section 2(45) of the Companies Act, 2013(18 of 2013); or

(d) from a foreign source as defined in section 2(j) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(7) A political party registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) shall be an eligible political party and an electoral trust shall distribute funds only to the eligible political parties.

(8) (a) The electoral trust may, for the purposes of managing its affairs, spend up to 5% of the total contributions received in a year subject to an aggregate limit of ₹ 500000 in the first year of incorporation and ₹ 300000 in subsequent years;

(b) the total contributions received in any tax year along with the surplus from any earlier tax year, if any, as reduced by the amount spent on managing its affairs, shall be the distributable contributions for the tax year; and

(c) an electoral trust shall be required to distribute the distributable contributions for a tax year, referred to in clause (b), to the eligible political parties before the 31st March of the said tax year, subject to the condition that at least 95% of the total contributions received during the tax year along with the surplus brought forward from earlier tax year, if any, are distributed.

(9) The trust shall obtain a receipt from the eligible political party indicating the name of the political party, its Permanent Account Number, registration number, amount of fund received from the trust, date of the receipt and name and designation of person signing such receipt.

(10) The electoral trust shall not utilise any contributions for the direct or indirect benefit of the members or contributors, or for any of the following persons: —

(a) the members (including members of its Executive Committee, Governing Committee or Board of Directors) of the electoral trust; or

(b) any relative of such Members; or

(c) where such member or contributor is a Hindu undivided family, a member of that Hindu undivided family; or

(d) any person who has made a contribution to the trust; or

(e) any person referred to in section 355(h); or

(f) any concern in which any of the persons referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) has a substantial interest.

(11) (a) An electoral trust shall keep and maintain such books of account and other documents in respect of its receipts, distributions and expenditure as may enable the computation of its total income in accordance with the provisions of the Act;

(b) The electoral trust shall also maintain a list of persons from whom contributions have been received and to whom the same have been distributed, containing the name, address and Permanent Account Number of each such person along with the details of the amount and mode of its payment including the name and branch of the bank.

(12) Every electoral trust shall get its accounts audited by an accountant, as defined in section 515(3)(b), and furnish the audit report in Form No. 181 along with particulars forming part of its Annexure, to the Director General of Income Tax (Systems) on or before the due date specified for furnishing the return of income under section 263(1)(c).

(13) The Form No. 181 referred to in sub-rule (12), shall be furnished electronically, —

(a) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(b) through electronic verification code, in a case not covered under clause (a).

(15) An electoral trust shall maintain a regular record of proceedings of all meetings and decisions taken therein.

(16) Every electoral trust shall furnish a certified copy of list of contributors and a list of political parties, to whom sums were distributed in the manner specified in sub-rule (8), to the Director General of Income Tax (Systems), every tax year along with the audit report as stipulated under sub-rule (12).

(17) Any change in the shareholders, subsequent to the approval granted under the Electoral Trusts Scheme, 2013 shall be intimated to the Board within thirty days of such change.

290. Report of audit of accounts to be furnished under Schedule IX read with section 48 for deduction for tea development account, coffee development account and rubber development account.— The report of audit of the accounts of an assessee, which is required to be furnished under paragraph 2 of Schedule IX to the Act read with section 48, shall be in Form No. 182.

291. Report of audit of accounts to be furnished under Schedule X read with section 49 for deduction for site restoration fund.— The report of audit of the accounts of an assessee, which is required to be furnished under paragraph 2 of Schedule X to the Act read with section 49, shall be in Form No. 183.

292. Investment of fund moneys.– (1) All contributions to a provident fund, whether made by the employer or the employees, or transferred from an individual account of the employee in a recognized provident fund maintained by a former employer, or accrued as interest or otherwise, shall be invested in the instruments given in column 2 of the following Table subject to the percentages given in column 3 thereof:

Table

Sl. No.	Investment	Percentage amount to be invested in items referred to in column 2
1	2	3
1.	Government Securities and Related Investments.	Minimum 45%.
2.	Debt Instruments and Related Investments.	Minimum 35%.
3.	Short-term Debt Instruments and Related Investments.	Up to 5%.
4.	Equities and Related Investments.	Minimum 5%.
5.	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments.	Up to 5%.

(2) The nature of investments referred to in sub-rule (1) shall have their respective meanings as specified in notification number S.O. 1433(E), dated the 29th of May, 2015, issued by the Ministry of Labour and Employment, Government of India in this behalf, as amended from time to time, and the said investments shall be subject to such conditions as specified in the said notification.

(3) Any funds that are not invested in the manner specified under sub-rule(1) may be deposited into–

(i) a Post Office Savings Bank Account in India; or

(ii) a current account or Savings Bank Account with any scheduled bank.

(4) For the purposes of this rule,—

(a) the expression "Government securities" shall have the same meaning as assigned to it in section 2(f) of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006);

(b) the manner of investment specified in sub-rule (1) shall apply to the aggregate amount of moneys with the fund in the tax year;

(c) moneys received on transfer, maturity or realisation of any security or deposit forming part of a fund or by withdrawal from any account in a bank (including a Post Office Savings Bank Account) shall be deemed to be moneys accruing to the fund; and

(d) "scheduled bank" means–

(i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955); or

(ii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959) ; or

(iii) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), or under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) ; or

(iv) any other bank, being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

293. Nomination.– (1) An employee may be permitted by the trustees of the provident fund to nominate one or more persons to receive the amount held in the provident fund in the event of the death of such employee and such nomination shall be made in Form No. 184.

(2) If an employee nominates more than one person under sub-rule (1), he shall, specify in his nomination the amount or share payable to each of the nominees in a way that the whole of the amount that may stand to his credit in the provident fund.

(3) Where an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family and any nomination made by an employee in favour of a person not belonging to his family shall be invalid.

(4) If, at the time of making a nomination, the employee does not have a family, the nomination may be in favour of any person or persons, but if the employee later gains a family, then such nomination shall be invalid and the employee may then make a new nomination in favour of one or more persons from his family.

(5) If the nomination is in favour of a minor, whether partly or fully, the member may appoint an adult family member as the guardian of the minor nominee in the event of the death of such member and if, there are no adult family members available, the member may choose any other person to be the guardian of the minor nominee.

(6) An employee may modify a nomination at any time by providing written notice to the trustees in Form No. 184 and, if the nominee dies before the employee, the nomination shall revert back to the employee who may then make a new nomination for that interest.

(7) A nomination or its modification shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the trustees.

(8) For the purposes of this rule, "family" means,–

(a) in the case of a male member, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependant parents and his deceased son's widow and children; and

(b) in the case of a female member, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependant parents, her husband's dependant parents and her deceased son's widow and children.

294. Accounts.– (1) The accounts of a provident fund shall be prepared at intervals of not more than twelve months.

(2) An account shall be maintained for each subscriber to the fund and it shall include the particulars shown in Part-A of Form No. 185.

(3) Where the accounts of a provident fund are kept outside India, certified copies of the accounts shall be supplied not later than the 15th June in each year or any other subsequent date fixed by the Assessing Officer to a local representative of the employer in India.

(4) An abstract of the individual account for the tax year of each employee participating in a provident fund shall be furnished by the trustees in Part-B of Form No. 185–

(a) to the Assessing Officer of the area in which the accounts of the fund are kept, or if the accounts are kept outside India, to the Assessing Officer of the area in which the local headquarters of the employer are situated; and

(b) by the 15th June in each year or any other subsequent date fixed by the Assessing Officer.

(5) The account to be made under the provisions of paragraph 11(1) of Part A of Schedule XI to the Act shall show in respect of each employee,–

(a) the total salary paid to the employee during the period of his participation in the provident fund;

(b) the total contributions;

(c) the total interest which has accrued thereon; and

(d) so far as may be, the percentage of the salary of the employee in accordance with which contributions have been made by the employer and employee.

(6) Every employer shall, as soon as possible, after the close of each financial year, send to each member, a statement of his account in the fund showing the following details:

(a) opening balance at the beginning of the period;

(b) amount contributed during the year;
(c) the total amount of interest credited at the end of the period or debited in the period; and
(d) the closing balance at the end of the period.

295. Assigning or creating a charge on beneficial interest in a recognized provident fund.– If an employee assigns or creates a charge on their beneficial interest in a recognised provident fund, the Assessing Officer shall give notice to the employee upon learning of the assignment or charge**,** which shall inform the employee that if he does not cancel the assignment or charge within two months of receiving the notice, the consideration received for such assignment or charge shall be deemed to be income received by the employee in the tax year in which the Assessing Officer became aware of the situation, and shall be assessed accordingly.

296. Application for recognition.– (1) An application for recognition shall be made by the employer maintaining a provident fund, for which recognition is sought and shall be accompanied by the following documents: —
(a) a copy of the original trust deed if any; and
(b) a copy of the rules of the fund.
(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted through the Assessing Officer of:–
(a) the area in which the accounts of the fund are kept; or
(b) if the accounts are kept outside India the area in which the local headquarters of the employer are situated.
(3) The application shall be furnished in Form No. 186 and shall be verified in the manner specified therein.
(4) A fund which has been granted recognition on or before 31st March, 2006 and has not applied for recognition thereafter shall make a fresh application in Form No. 186 through the Assessing Officer referred to in sub-rule (2).

297. Order of recognition.– (1) An order according recognition to a provident fund shall take effect from the first day of the month immediately following the month in which the application for recognition is received by the income-tax authority concerned, unless, at the request of the employer, the first day of any later month in the same financial year is specified:
(2) In accordance with sub-rule (1), if the approving authority is satisfied that there was sufficient reason for the delay in submitting the application, he may accord recognition to the fund from a date not earlier than the 1st April of the financial year in which the application is made.

298. Withdrawal of recognition.– (1) The approving authority has the right to revoke recognition given to a provident fund if it fails to meet the conditions outlined in Part A of the Fourth Schedule to the Income-tax Act, 1961, as it existed prior to its repeal, or Part A and Part C of Schedule XI to the Act or subsequent conditions set after recognition was granted under the said Act of 1961 and the Act and if the exemption granted under section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) is withdrawn under sub-section (4) of section 17 of the same Act, the recognition may be withdrawn.
(2) Before withdrawing recognition, the approving authority shall give an opportunity to the employer and the trustees of the fund to show cause why recognition should not be withdrawn.

299. Exemption from tax when recognition withdrawn.– If the approving authority withdraws recognition from a provident fund, the balance to the credit of each employee at the end of the financial year before the withdrawal of recognition shall, subject to the provisions of paragraph 9 of Part A of Schedule XI to the Act, be paid to him free of tax at the time when such employee receives the accumulated balance due to him, and the remaining accumulated balance due to him shall be subject to tax as if the fund had never been recognised.

300. Appeal under paragraph 13(1) of Part A of Schedule XI to the Act.– An appeal under paragraph 13(1) of Part A of Schedule XI to the Act shall be made in Form No. 187 and shall be verified in the manner indicated therein and shall be accompanied by a fee of ₹ 1000.

301. Definitions for purposes of rules 302 to 315.– For the purposes of rules 302 to 315 the expressions,–
(a) "approving authority" means the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner.
(b)"beneficiary" means a person referred to in paragraph 3(b) of Part B of Schedule XI to the Act for whom provision of annuity is made;

(c) "fund" means a superannuation fund or a part of a superannuation fund which includes a fund, by whatever name called, established or constituted with a sole purpose of making payment of pension or family pension by the employer to his employees; and
(d) "trust" means the trust under which the superannuation fund is established and the expression "trustee" means a trustee thereof.

302. Conditions regarding trust and trustees.– (1) The fund and the trust shall be established in India.
(2) The trust shall have at least two trustees, provided that a company as defined in section 2(20) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall not be appointed as a trustee without the prior approval of the approving authority.
(3) The trustees of the fund shall be a resident in India and any trustee who leaves India permanently shall vacate his office.

303. Investment of fund moneys.– (1) All moneys contributed to the fund, or received or accrued by way of interest, or otherwise, may be–

(a) deposited in a Post Office Savings Bank Account in India; or
(b) deposited in a current account or a savings account with any scheduled bank; or
(c) utilised in accordance with rule 307 for making payments under a scheme of insurance or for purchase of annuities referred to in that rule;

(2) Any funds not deposited or used as mentioned in sub-rule (1) shall be invested in accordance with the notification of the Ministry of Finance, (Department of Financial Services) number F. No. 11/14/2013–PR, dated the 2nd March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 as amended from time to time.

304. Admission of directors to a fund.– A director of a company, as defined in section 2(20) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), may only receive benefits from the fund, if he is a whole-time bona fide employee of the company and does not beneficially own shares in the company carrying more than 5% of the total voting power.

305. Ordinary annual contributions.– The yearly contribution of the employer to a fund for each employee shall not exceed 27% of their salary for each year as reduced by any contributions the employer made to a provident fund for the same employee during that year, whether recognised or not.

306. Initial contributions.– For purposes of the deduction allowable under section 29(1)(a), subject to any condition which the Board may think fit to specify, the initial contribution of the employer to a superannuation fund for the past services of an employee shall not exceed the total of 27% of the salary of the employee for each year of past service, as reduced by the contributions of the employer to a provident fund (recognised or unrecognised), if any, for the same employee for each such year.

307. Scheme of insurance or annuity.– (1) For the purpose of providing the annuities for the beneficiaries, the trustees shall—

(a) enter into a scheme of insurance with the Life Insurance Corporation established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or any other insurer as defined in section 2(58) of the Act; or
(b) accumulate the contributions in respect of each beneficiary and purchase an annuity from the said Life Insurance Corporation of India or any other insurer at the time of the retirement or death of each employee, or on his becoming incapacitated prior to retirement.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to a fund established or constituted, under an irrevocable trust, which has its sole purpose to make payment of pension or family pension, in accordance with the rules or regulations made under the following enactments:—

(a) the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970); or
(b) the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or
(c) the State Bank of India Act, 1955(23 of 1955); or
(d) the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959); or
(e) the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981(61 of 1981); or
(f) the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964);
(g) the Export-Import Bank of India Act, 1981(28 of 1981); or
(h) the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (62 of 1984); or
(i) the Small Industries Development Bank of India Act, 1989(39 of 1989); or
(j) the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987).

308. Commutation of annuity.– Any payment in commutation of annuity shall not exceed—

(a) in a case where the employee receives any gratuity, the commuted value of one-third of the annuity which he is normally entitled to receive, and

(b) in any other case, the commuted value of one-half of such annuity, such commuted value being determined having regard to the age of the recipient, the state of his health, the rate of interest and officially recognised tables of mortality.

309. Beneficiary not to have any interest in insurance and employer not to have any interest in moneys of fund.– (1) No beneficiary shall have any interest in any insurance policy taken out by the trustees under the rules of a fund and he shall be entitled only to an annuity from the fund.

(2) No money belonging to the fund shall be receivable by the employer under any circumstances nor shall the employer have any lien or charge on the fund.

310. Penalty, where employee assigns or charges interest in fund.– Where an employee assigns or creates a charge upon his beneficial interest in a fund, the Assessing Officer shall give notice to the employee that if he does not secure the cancellation of the assignment or charge within two months of the date of receipt of the notice, the consideration received for such assignment or charge shall be deemed to be income received by him in the tax year in which the fact became known to the Assessing Officer and shall be assessed, accordingly.

311. Arrangements on winding up, etc., of business.– When the business of the employer is to be closed or discontinued, the trustees shall, with the prior approval of and subject to the conditions imposed by the approving authority, make suitable arrangements for providing annuities to current employees, or to their widows, children, or dependents in the event of their death.

312. Arrangements for winding up, etc., of fund.– Any arrangements for the winding up of the fund or for its amalgamation with another fund shall be subject to the prior approval of, and subject to such conditions as may be imposed by the approving authority.

313. Application of approval.– Every application for approval of a Superannuation fund under paragraph 4(1) of Part B of Schedule XI to the Act shall be made in Form No. 188 and shall be verified in the manner indicated therein.

314. Amendment of rules, etc., of fund.– No alteration in the rules, constitution, objects or conditions of an approved fund shall be made without the prior approval of the approving authority.

315. Appeal under paragraph 9(1) of Part B of Schedule XI to the Act in case of superannuation fund.– An appeal under paragraph 9(1) of Part B of Schedule XI to the Act shall be made in Form No. 187 and shall be verified in the manner indicated therein and shall be accompanied by a fee of ₹ 1000.

316. Definitions for purposes of rules 317 to 329.– For the purposes of rules 317 to 329, the expressions–

(a) "approving authority" means the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner.

(b) "beneficiary" means a person referred to in paragraph 3(b) of Part B of Schedule XI to the Act for whom provision of gratuity is made;

(c) "fund" means a "gratuity fund"; and

(d) "trust" means the trust under which the fund is established and the expression "trustee" means a trustee thereof.

317. Conditions regarding trust and trustees.– (1) The fund and the trust shall be established in India.

(2) The trust shall have at least two trustees provided that a company as defined in section 2(20) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall not be appointed as a trustee without the prior approval of the approving authority.

(3) The trustees of the fund shall be a resident in India and any trustee who leaves India permanently shall vacate his office.

318. Investment of fund moneys.– (1) All moneys contributed to the fund or received or accrued by way of interest, or otherwise, may be–

(a) deposited in a Post Office Savings Bank Account in India; or

(b) deposited in a current account or in a savings account with any scheduled bank; or

(c) utilised for the purpose of making contributions under Group Gratuity Scheme entered into with the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or any other insurer as defined in section 2(58) of the Act;

(2) Any funds not deposited or used as mentioned above shall be invested in accordance with the notification of the Ministry of Finance, (Department of Financial Services) number F. No. 11/14/2013–PR, dated the 2nd March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, as amended from time to time.

319. Nomination– (1) An employee may be allowed by the trustees of the gratuity fund to make a nomination in Form 184 or in a form as near thereto as may be necessary conferring on one or more persons, the right to receive the amount of gratuity in the event of his death, before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid.

(2) If an employee nominates more than one person under sub-rule (1), he shall, in his nomination, specify the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount of gratuity that may be payable in the event of his death.

(3) Where an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family and any nomination made by such employee in favour of a person not belonging to his family, shall be invalid.

(4) If at the time of making a nomination, the employee has no family, the nomination may be in favour of any person or persons, but if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the employee may be allowed to make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family.

(5) A nomination made by an employee may, at any time, be modified by him after giving a written notice to the trustees of his intention of doing so in Form 184 or in a form as near thereto as may be and, if, the nominee predeceases the employee, the interest of the nominee shall revert to the employee, who may thereupon make a fresh nomination in respect of such interest.

(6) A nomination or its modification shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is received by the trustees.

(7) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the member may, for the purposes of this rule appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee in the event of the member predeceasing the nominee and the guardian so appointed, and where there is no major person in the family, the member may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(8) For the purposes of this rule, "family", in relation to an employee, shall be deemed to consist of –

(a) in the case of a male employee, himself, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and the dependent parents of his wife and the widow and children of his predeceased son, if any; and

(b) in the case of a female employee, herself, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the dependent parents of her husband and the widow and children of her predeceased son, if any:

320. Admission of directors to a fund.– Where the employer is a company as defined in section 2(20) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), a director of the company may be admitted to the benefits of the fund only if he is a whole time *bona fide* employee of the company and does not beneficially own shares in the company carrying more than 5% of the total voting power.

321. Ordinary annual contributions.– The ordinary annual contribution by the employer to a fund shall be made on a reasonable basis, as may be approved by the approving authority, having regard to the length of service of each employee concerned, but such contribution shall not exceed $8\frac{1}{3}\%$ of the salary of each employee during each year.

322. Initial contributions.– The amount to be allowed as a deduction on account of an initial contribution, which an employer may make in respect of the past services of an employee admitted to the benefits of a fund, shall not exceed $8\frac{1}{3}\%$ of the salary of the employee for each year of his past service with the employer.

323. Assigning or creating a charge on beneficial interest in a gratuity fund.– If an employee assigns or creates a charge upon his beneficial interest in a gratuity fund, the Assessing Officer shall give notice to the employee that if he does not secure the cancellation of the assignment or charge within two months of the date of receipt of the notice, the consideration received for such assignment or charge shall be deemed to be income received by him in the tax year in which the fact became known to the Assessing Officer and shall be assessed accordingly.

324. Employer not to have interest in fund moneys.– No money belonging to the fund shall be receivable by the employer under any circumstances nor shall the employer have any lien or charge on the fund.

325. Arrangements for winding up, etc., of business.– Where the trade or undertaking of the employer is to be wound up or discontinued, the trustees shall, with the prior approval of, and subject to such conditions as may be imposed by, approving authority, make satisfactory arrangements for the payment of gratuity to the existing beneficiaries.

326. Arrangements for winding up of the fund.– Any arrangements for the winding up of the fund or for its amalgamation with another fund shall be subject to the prior approval of, and to such conditions as may be imposed by, the approving authority.

327. Application for approval.– The application for approval of a gratuity fund is required to be furnished under paragraph 4(1) of Part B of Schedule XI to the Act shall be made in Form No. 188 and shall be verified in the manner indicated therein.

328. Amendment of rules, etc., of fund.– No alteration in the rules, constitution, objects or conditions of an approved fund shall be made without the prior approval of the approving authority.

329. Appeal under Paragraph 9(1) of Part B of Schedule XI to the Act in case of gratuity fund.– An appeal under paragraph 9(1) of Part B of Schedule XI to the Act shall be made in Form No. 187 and shall be verified in the manner indicated therein and shall be accompanied by a fee of ₹1000.

330. Limits of reserve for unexpired risks.— (1) In the computation of profits and gains for any insurance business other than life insurance, the amount carried over to a reserve for unexpired risks, including any amount carried over to any such additional reserve eligible for deduction under paragraph 4(1)(d) of Schedule XIV to the Act, shall not exceed,—

(a) where the insurance business relates to fire insurance or engineering insurance that covers terrorism risks, 100% of the net premium income of such business of the tax year; or

(b) where the insurance business relates to fire insurance or miscellaneous insurance, other than those mentioned in clause (a), 50% of the net premium income of such business of the tax year; or

(c) where the insurance business relates to marine insurance, 100% of the net premium income of such business of the tax year.

(2) Any amount out of the amount carried over to such reserve or additional reserve, which is not allowed as a deduction under this rule in respect of any tax year, shall not be included in the total income for the immediately succeeding tax year in the revenue account relating to which the said amount is credited.

(3) In this rule,—

(a) "marine insurance" includes the Export Credit Insurance; and

(b) "net premium income" refers to the premium amount received as reduced by the reinsurance premium paid during the relevant tax year.

331. Procedure for approval under Paragraph (1)(z)(i) and (ii) of Schedule XV to the Act.– (1) The Central Board of Direct Taxes, before granting approval to a public company under paragraph 1(z)(i) of Schedule XV to the Act or to a Mutual Fund under paragraph 1(z)(ii), of the said Schedule shall satisfy itself that for the entity mentioned in column B in the following Table, the application is made in the Form specified in column C with documents as mentioned in column D attached alongwith, and the application is filed within the time limit prescribed in column E thereof:

Table

SI.No	Entity	Application Form	Documents to be attached with the application	Time limit for filing application
A	B	C	D	E
1.	Public company	Form No. 189	(a) Copy of certificate of incorporation under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and (b) audited balance sheet, and profit and loss account, for three tax years	Three months before "the eligible issue of capital," as referred to in paragraph 6(i) of Schedule XV to the Act.

			immediately preceding the tax year in which the application is made, or for the period of its existence, whichever is lesser.	
2.	Mutual fund	Form No. 190.	(a) Copy of certificate of registration issued by the Securities and Exchange Board of India; and (b) audited balance sheet, and profit and loss account, for three tax years immediately preceding the tax year in which the application is made, or for the period of its existence, whichever is lesser.	Three months before the public issue.

(2) The Board shall pass an order approving or denying the application, but any decision denying approval shall not be made without providing the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(3) Every applicant shall invest all its total paid-up capital, raised through equity issue or debentures, in the following manner:–

(a) at least 25% of the capital raised shall be invested–

(i) in the infrastructure facility, in the case of a public company, and

(ii) in the eligible issue of capital of any company referred to in paragraph (6)(i), of Schedule XV to the Act in the case of a Mutual Fund;

(b) such investment shall be made before the end of one year from the date of approval of the Board; and

(c) the rest of the capital shall be invested in like manner within three years from the date of approval.

(4) Every applicant shall submit a certificate from an accountant, as defined in section 515(3)(b), specifying the amount invested in each tax year, from the date of approval of the Board.

(5) The Board shall have the power to withdraw the approval granted under sub-rule (2), if such applicant–

(a) fails to make investments as per conditions mentioned in sub-rule (3); or

(b) fails to file the certificate referred to in sub-rule (4).

332. Electronic furnishing of Forms, returns, statements, reports, orders, certificates, etc.— (1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, may with the prior approval of the Board, specify that any of the Forms, returns, statements, reports, orders or certificates, by whatever name called, as specified in Appendix III, shall be furnished electronically—

(a) under digital signature, if it is required to be furnished under digital signature; or

(b) through electronic verification code in a case not covered under clause (a).

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall—

(a) with the approval of the Board specify the Forms, returns, statements, reports, orders, certificates referred to in sub-rule (1), which are to be furnished electronically;

(b) lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of such Forms, returns, statements, reports, orders, certificates including modification in format, if required, to make it compatible for furnishing electronically; and

(c) be responsible for ensuring secured capture and transmission of data, formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said Forms, returns, statements, reports, orders and certificates.

333. Electronic payment of tax, interest, fee and penalty**.—** (1) The following persons shall pay electronically the tax, interest, fee and penalty on or after the date of commencement of this rule:—

(a) a company; and

(b) a person (other than a company), to whom the provisions of section 63 are applicable.

(2) For the purposes of this rule,—

(a) "pay electronically" shall mean, payment by way of—

(i) internet banking facility of the authorised bank; or

(ii) credit or debit cards; and

(b) the word "tax" shall have the meaning assigned to it in section 2(106).

APPENDIX I

(*See* rule 25)

TABLE OF RATES AT WHICH DEPRECIATION IS ADMISSIBLE

PART A					
TANGIBLE ASSETS					
S.No.			*Block of assets*		*Depreciation allowance as percentage of written down value*
(1)			(2)		(3)
I.			**Building** [*See* Notes 1 to 4 below]		
	1.		Buildings which are used mainly for residential purposes except hotels and boarding houses		5
	2.		Buildings other than those used mainly for residential purposes and not covered by sub-items (*1*) above and (*3*) below		10
	3.		Buildings for installing machinery and plant forming part of water supply project or water treatment system and which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facilities under section 80-IA(4)(i) of the Income-tax Act, 1961		40
	4		Purely temporary erections such as wooden structures		40
II			**Furniture and fittings**		
			Furniture and fittings including electrical fittings [*See* Note 5 below]		10
III			**Machinery and Plant**		
	1.		Machinery and plant other than those covered by sub-items (*2*), (*3*) and (*8*) below:		15
	2	(i)	Motor cars, other than those used in a business of running them on hire, except those covered under entry (*ii*) acquired on or after the 1st April, 1990;		15
		(ii)	Motor cars, other than those used in a business of running them on hire, acquired on or after the 23rd August, 2019 but before the 1st April, 2020 and is put to use before the 1st April, 2020.		30
	3	(i)	Aeroplanes - Aeroengines		40
		(ii)	Motor buses, motor lorries and motor taxis used in a business of running them on hire.		30
		(iii)	Motor buses, motor lorries and motor taxis used in a business of running them on hire, acquired on or after the 23rd August, 2019 but before the 1st April, 2020 and is put to use before the 1st April, 2020.		45
		(iv)	New commercial vehicle which is acquired on or after the 1st January, 2009 but before the 1st October, 2009 and is put to use before the 1st October, 2009 for the purposes of business or profession [See Note 6 below]		40
		(v)	Moulds used in rubber and plastic goods factories		30
		(vi)	Air pollution control equipment, being—		
			(a)	Electrostatic precipitation systems	40
			(b)	Felt-filter systems	40
			(c)	Dust collector systems	40
			(d)	Scrubber-counter current/venturi/packed bed/cyclonic scrubbers	40
			(e)	Ash handling system and evacuation system	40

		(vii)	Water pollution control equipment, being—		
			(a)	Mechanical screen systems	40
			(b)	Aerated detritus chambers (including air compressor)	40
			(c)	Mechanically skimmed oil and grease removal systems	40
			(d)	Chemical feed systems and flash mixing equipment	40
			(e)	Mechanical flocculators and mechanical reactors	40
			(f)	Diffused air/mechanically aerated activated sludge systems	40
			(g)	Aerated lagoon systems	40
			(h)	Biofilters	40
			(i)	Methane-recovery anaerobic digester systems	40
			(j)	Air flotation systems	40
			(k)	Air/steam stripping systems	40
			(l)	Urea Hydrolysis systems	40
			(m)	Marine outfall systems	40
			(n)	Centrifuge for dewatering sludge	40
			(o)	Rotating biological contractor or bio-disc	40
			(p)	Ion exchange resin column	40
			(q)	Activated carbon column	40
		(viii)	(a)	Solid waste, control equipment being - caustic/lime/ chrome/mineral/cryolite recovery systems	40
			(b)	Solid waste recycling and resource recovery systems	40
		(ix)	Machinery and plant, used in semi-conductor industry covering all Integrated Circuits (ICs) (excluding hybrid integrated circuits) ranging from Small Scale Integration (SSI) to Large Scale Integration/Very Large Scale Integration (LSI/VLSI) as also discrete semi-conductor devices such as diodes, transistors, thyristors, triacs, etc., other than those covered by entries (iv), (v) and (vi) of this sub-item and sub-item (7) below.		30
		(x)	Life saving medical equipment, being—		
			(a)	D.C. Defibrillators for internal use and pace makers	40
			(b)	Heamodialysors	40
			(c)	Heart lung machine	40
			(d)	Cobalt Therapy Unit	40
			(e)	Colour Doppler	40
			(f)	SPECT Gamma Camera	40
			(g)	Vascular Angiography System including Digital Subtraction Angiography	40
			(h)	Ventilator used with anaesthesia apparatus	40
			(i)	Magnetic Resonance Imaging System	40
			(j)	Surgical Laser	40
			(k)	Ventilator other than those used with anaesthesia	40
			(l)	Gamma knife	40
			(m)	Bone Marrow Transplant Equipment including silastic long standing intravenous catheters for chemotherapy	40
			(n)	Fibre optic endoscopes including, Paediatric resectoscope/audit resectoscope, Peritoneoscopes, Arthoscope, Microlaryngoscope, Fibreoptic Flexible Nasal Pharyngo Bronchoscope, Fibreoptic Flexible Laryngo Bronchoscope, Video Laryngo Bronchoscope and Video Oesophago Gastroscope, Stroboscope, Fibreoptic Flexible Oesophago Gastroscope	40
			(o)	Laparoscope (single incision)	40
	4		Containers made of glass or plastic used as re-fills		40

	5		Computers including computer software (*See* Note 7 below)				40
	6		Machinery and plant, acquired and installed on or after the 1st September, 2002 in a water supply project or a water treatment system and which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facility under clause (*i*) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 [*See* Notes 4 and 8 below]				40
	7	(i)	Wooden parts used in artificial silk manufacturing machinery				40
		(ii)	Cinematograph films - bulbs of studio lights				40
		(iii)	Match factories - Wooden match frames				40
		(iv)	Mines and quarries				
			(a)	Tubs winding ropes, haulage ropes and sand stowing pipes			40
			(b)	Safety lamps			40
		(v)	Salt works - Salt pans, reservoirs and condensers, etc., made of earthy, sandy or clayey material or any other similar material				40
		(vi)	Flour mills – Rollers				40
		(vii)	Iron and steel industry - Rolling mill rolls				40
		(viii)	Sugar works – Rollers				40
		(ix)	Energy saving devices, being—				
			A.	Specialised boilers and furnaces:			
				(a)	Ignifluid/fluidized bed boilers		40
				(b)	Flameless furnaces and continuous pusher type furnaces		40
				(c)	Fluidized bed type heat treatment furnaces		40
				(d)	High efficiency boilers (thermal efficiency higher than 75 per cent in case of coal fired and 80 per cent in case of oil/gas fired boilers)		40
			B.	Instrumentation and monitoring system for monitoring energy flows :			
				(a)	Automatic electrical load monitoring systems		40
				(b)	Digital heat loss meters		40
				(c)	Micro-processor based control systems		40
				(d)	Infra-red thermography		40
				(e)	Meters for measuring heat losses, furnace oil flow, steam flow, electric energy and power factor meters		40
				(f)	Maximum demand indicator and clamp on power meters		40
				(g)	Exhaust gases analyzer		40
				(h)	Fuel oil pump test bench		40
			C.	Waste heat recovery equipment:			
				(a)	Economisers and feed water heaters		40
				(b)	Recuperators and air pre-heaters		40
				(c)	Heat pumps		40
				(d)	Thermal energy wheel for high and low temperature waste heat recovery		40
			D.	Co-generation systems:			
				(a)	Back pressure pass out, controlled extraction, extraction-*cum*-condensing turbines for co-generation along with pressure boilers		40
				(b)	Vapour absorption refrigeration systems		40
				(c)	Organic rankine cycle power systems		40
				(d)	Low inlet pressure small steam turbines		40
			E.	Electrical equipment:			

				(a)	Shunt capacitors and synchronous condenser systems	40
				(b)	Automatic power cut-off devices (relays) mounted on individual motors	40
				(c)	Automatic voltage controller	40
				(d)	Power factor controller for AC motors	40
				(e)	Solid state devices for controlling motor speeds	40
				(f)	Thermally energy-efficient stenters (which require 800 or less kilocalories of heat to evaporate one kilogram of water)	40
				(g)	Series compensation equipment	40
				(h)	Flexible AC Transmission (FACT) devices - Thyristor controlled series compensation equipment	40
				(i)	Time of Day (ToD) energy meters	40
				(j)	Equipment to establish transmission highways for National Power Grid to facilitate transfer of surplus power of one region to the deficient region	40
				(k)	Remote terminal units/intelligent electronic devices, computer hardware/software, router/bridges, other required equipment and associated communication systems for supervisory control and data acquisition systems, energy management systems and distribution management systems for power transmission systems	40
				(l)	Special energy meters for Availability Based Tariff (ABT)	40
			F.	Burners:		
				(a)	0 to 10 per cent excess air burners	40
				(b)	Emulsion burners	40
				(c)	Burners using air with high pre-heat temperature (above 300°C)	40
			G.	Other equipment:		
				(a)	Wet air oxidation equipment for recovery of chemicals and heat	40
				(b)	Mechanical vapour recompressors	40
				(c)	Thin film evaporators	40
				(d)	Automatic micro-processor based load demand controllers	40
				(e)	Coal based producer gas plants	40
				(f)	Fluid drives and fluid couplings	40
				(g)	Turbo charges/super-charges	40
				(h)	Sealed radiation sources for radiation processing plants	40
		(x)	Gas cylinders including valves and regulators			40
		(xi)	Glass manufacturing concerns - Direct fire glass melting furnaces			40
		(xii)	Mineral oil concerns:			
			(a)	Plant used in field operations (above ground) distribution -Returnable packages		40
			(b)	Plant used in field operations (below ground), but not including kerbside pumps including underground tanks and fittings used in field operations (distribution) by mineral oil concerns		40

			(c)	Oil wells not covered in clauses (*a*) and (*b*)	15
		(xiii)	Renewable energy devices being		
			(a)	Flat plate solar collectors	40
			(b)	Concentrating and pipe type solar collectors	40
			(c)	Solar cookers	40
			(d)	Solar water heaters and systems	40
			(e)	Air/gas/fluid heating systems	40
			(f)	Solar crop driers and systems	40
			(g)	Solar refrigeration, cold storages and air conditioning systems	40
			(h)	Solar steels and desalination systems	40
			(i)	Solar power generating systems	40
			(j)	Solar pumps based on solar-thermal and solar-photovoltaic conversion	40
			(k)	Solar-photovoltaic modules and panels for water pumping and other applications	40
			(l)	Wind mills and any specially designed devices which run on wind mills installed on or after the 1st April, 2014	40
			(m)	Any special devices including electric generators and pumps running on wind energy installed on or after the 1st April, 2014	40
			(n)	Biogas-plant and biogas-engines	40
			(o)	Electrically operated vehicles including battery powered or fuel-cell powered vehicles	40
			(p)	Agricultural and municipal waste conversion devices producing energy	40
			(q)	Equipment for utilising ocean waste and thermal energy	40
			(r)	Machinery and plant used in the manufacture of any of the above sub-items	40
	8	(i)	Books owned by assessees carrying on a profession—		
			(a)	Books, being annual publications	40
			(b)	Books, other than those covered by entry (*a*) above	40
		(ii)	Books owned by assessees carrying on business in running lending libraries		40
IV			Ships		
	(1)		Ocean-going ships including dredgers, tugs, barges, survey launches and other similar ships used mainly for dredging purposes and fishing vessels with wooden hull		20
	(2)		Vessels ordinarily operating on inland waters, not covered by sub-item (*3*) below		20
	(3)		Vessels ordinarily operating on inland waters being speed boats [*See* Note 9 below]		20

PART B	
INTANGIBLE ASSETS	
S.No.	*Block of assets* / *Depreciation allowance as percentage of written down value*
(1)	*(2)* / *(3)*
	Know-how, patents, copyrights, trademarks, licences, franchises or any other business or commercial rights of similar nature / 25
Notes:	

1.	"Buildings" include roads, bridges, culverts, wells and tubewells.
2.	A building shall be deemed to be a building used mainly for residential purposes, if the built up floor area thereof used for residential purposes is not less than sixty-six and two-third per cent of its total built-up floor area and shall include any such building in the factory premises.
3.	In respect of any structure or work by way of renovation or improvement in or in relation to a building referred to in section 33(6), the percentage to be applied will be the percentage specified against sub-item (1) or (2) of item 1 of PART A as may be appropriate to the class of building in or in relation to which the renovation or improvement is effected. Where the structure is constructed or the work is done by way of extension of any such building, the percentage to be applied would be such percentage as would be appropriate, as if the structure or work constituted a separate building.
4.	Water treatment system includes system for desalination, demineralisation and purification of water.
5.	"Electrical fittings" include electrical wiring, switches, sockets, other fittings and fans, etc.
6.	“Commercial vehicle" means "heavy goods vehicle", "heavy passenger motor vehicle", "light motor vehicle", "medium goods vehicle" and "medium passenger motor vehicle" but does not include "maxi-cab", "motor-cab", "tractor" and "road-roller". The expressions "heavy goods vehicle", "heavy passenger motor vehicle", "light motor vehicle", "medium goods vehicle", "medium passenger motor vehicle", "maxi-cab", "motor-cab", "tractor" and "road-roller" shall have the meanings respectively assigned to them in section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
7.	"Computer software" means any computer program recorded on any disc, tape, perforated media or other information storage device.
8.	Machinery and plant includes pipes needed for delivery from the source of supply of raw water to the plant and from the plant to the storage facility.
9.	"Speed boat" means a motor boat driven by a high speed internal combustion engine capable of propelling the boat at a speed exceeding 24 kilometres per hour in still water and so designed that when running at a speed, it will plane, *i.e.,* its bow will rise from the water.

APPENDIX II

(*See* rule 25)

TABLE OF RATES AT WHICH DEPRECIATION IS ADMISSIBLE

S.No.		*Class of assets*	*Depreciation allowance as percentage of actual cost*
(1)		(2)	(3)
(a)		Plant and Machinery in generating stations including plant foundations :—	
	(i)	Hydro-electric	3.4
	(ii)	Steam electric NHRS & Waste heat recovery Boilers/plants	7.84
	(iii)	Diesel electric and Gas plant	8.24
(b)		Cooling towers and circulating water systems	7.84
(c)		Hydraulic works forming part of Hydro-electric system including :—	
	(i)	Dams, spillways weirs, canals, reinforced concrete flumes and syphons	1.95
	(ii)	Reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, steel surge (tanks), hydraulic control valves and other hydraulic works.	3.4
(d)		Building and civil engineering works of permanent character, not mentioned above	
	(i)	Office and showrooms	3.02
	(ii)	Containing Thermo-electric generating plant	7.84
	(iii)	Containing Hydro-Electric generating plant	3.4
	(iv)	Temporary erection such as wooden structures	33.4
	(v)	Roads other than Kutcha roads	3.02
	(vi)	Others	3.02
(e)		Transformers, transformer (Kiosk) sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i)	Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over	7.81
	(ii)	Others	7.84
(f)		Switchgear including cable connections	7.84
(g)		Lightning arrestor:	
	(i)	Station type	7.84
	(ii)	Pole type	12.77
	(iii)	Synchronous condenser	5.27

(h)		Batteries	33.4
	(i)	Underground cable including joint boxes and disconnectioned boxes	5.27
	(ii)	Cable duct system	3.02
(i)		Overhead lines including supports:	
	(i)	Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kilovolt	5.27
	(ii)	Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	7.84
	(iii)	Lines on steel or reinforced concrete supports	7.84
	(iv)	Lines on treated wood supports	7.84
(j)		Meters	12.77
(k)		Self-propelled vehicles	33.40
(l)		Air-conditioning plants:	
	(i)	Static	12.77
	(ii)	Portable	33.40
(m)	(i)	Office furniture and fittings	12.77
	(ii)	Office equipments	12.77
	(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	12.77
	(iv)	Street light fittings	12.77
(n)		Apparatus let on hire	
	(i)	Other than motors	33.4
	(ii)	Motors	12.77
(o)		Communication equipment:	
	(i)	Radio and high frequency carrier system	12.77
	(ii)	Telephone lines and telephones	12.77
(p)		Any other assets not covered above	7.69

APPENDIX III

[*See* rule 2(1)(c)]

FORM NO. 1

[*See* rule 4]

Monthly Statement to be furnished by a stock exchange in respect of transactions in which client codes have been modified after registering in the system for the month of …….

Sl. No.	**Particulars of the stock exchange**	
1.	Name	*(refer Note 1)*
2.	Address	*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number	

4. Details of transaction in which client codes have been modified after registering in system are enclosed in a soft copy as annexure.

DECLARATION

I……(name of the principal officer) having Permanent Account Number …….. in my capacity as … of …. (name of stock exchange) hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ……. Signature of the Principal Officer of the Stock Exchange

Date: ……. Name:

Designation:

Annexure to FORM NO. 1
(Soft Copy)

Derivative Market (for scrips)

Sl. No.	Transaction ID	Brokers' Name	Brokers' Id	Original Client Code	Name of the original Client	PAN of the original client	Modified Client Code	Name of the modified Client	PAN of the modified client	Scrip Name	Scrip Code	Quantity	Rate	Total Value of Transaction	Buy or Sale	Date of Transaction
1																
2																
3																
4																
5																

Derivative Market (for commodity)

Sl. No.	Transaction ID	Brokers' Name	Brokers' Id	Original Client Code	Name of the original Client	PAN of the original client	Modified Client Code	Name of the modified Client	PAN of the modified client	Commodity derivative name	Commodity derivative code	Quantity	Rate	Total Value of Transaction	Buy or Sale	Date of Transaction
1																
2																
3																
4																
5																

Cash Market

Sl. No.	Transaction ID	Brokers' Name	Brokers' Id	Original Client Code	Name of the original Client	PAN of the original client	Modified Client Code	Name of the modified Client	PAN of the modified client	Scrip Name	Scrip Code	Quantity	Rate	Total Value of Transaction	Buy or Sale	Date of Transaction
1																
2																
3																
4																
5																

Notes:

1. The name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 2

[*See* rule 7(1)]

Application for notification of a zero coupon bond under section 2(112)

PART A- Particulars of the applicant

Row No.	Particulars	
1.	Name	*(refer Note 1)*
2.	Category (Select anyone)	• Infrastructure capital company • Infrastructure capital fund • Infrastructure debt fund • Public sector company
3.	Address	*(refer Note 2)*
4.	Permanent Account Number	
5.	Date of incorporation/registration	*dd/mm/yyyy* *(refer Note 3)*
6.	In case of an Infrastructure debt fund in sl. no. 2-	
	(a) Date of approval under **Schedule VII (Table: Sl. No. 46)**	*dd/mm/yyyy*
	(b)Notification number under **Schedule VII (Table: Sl. No. 46)**	*(refer Note 3)*
7.	In case of public sector company in sl. no. 2, please specify nature of business	
8.	Objects of the applicant including main objects and ancillary objects	*(refer Note 3)*

PART B- Particulars of the zero coupon bond proposed to be issued

Row No.	Particulars	
1.	Date of issue	
2.	Number of bonds	
3.	Total amount of the bond	
4.	Amount payable on maturity/redemption of the bond	
5.	Discount [(3)-(2)]	
6.	Period of life of the bond	Years Months Days
7.	Financial year during which the bond is to be issued	y y y y y y y y
8.	Details of investment proposed to be made:	
A.	**Details of entity in which investment is proposed**	

	(a)		Name of entity	*(refer Note 1)*
	(b)		Nature of entity (select anyone)	(i) Public Sector Company (ii) Other company (iii) Any other enterprise or undertaking or entity
	(c)		Permanent Account Number	
	(d)		Address	*(refer Note 2)*
	(e)		Nature of business	
B.	**Project Details:**			
	(a)		Details of Address/Location of Project (Add rows in case of multiple projects within a company/undertaking/entity)	*(refer Note 2)*
	(b)		Planned date of commencement of Project	*dd/mm/yyyy*
	(c)		Planned date of commencement of operations	*dd/mm/yyyy*
	(d)		Date of commencement of commercial operations of project (Applicable in case of Infrastructure Debt Fund)	*dd/mm/yyyy*
C.	**Source of Investment**			
	Source			**Amount** principal officer
	Zero Coupon Bond			
	Own Funds			
	Other loan and borrowings			
	Issue of rupee denominated bonds			
	Issue of foreign currency bond			
	Others (Specify)			
	TOTAL			
D.	**Details of management responsible for execution of project *(refer Note 3)***			
		(i)	Designation 1. Director 2. Trustee 3. Others	
		(ii)	Name	
		(iii)	Permanent Account Number	
		(iv)	Qualification	
		(v)	Experience and performance	
		(vi)	Address	
	Repeat details as per D, if required			

E.	Amount of funds realised by issue of Zero Coupon Bond proposed to be invested project wise in (Select the first financial year)					
	Name of Project	Financial Year 1	Financial Year 2	Financial Year 3	Financial Year 4	Financial Year 5
F.	Whether copy of the project report is available?					*Yes/no (refer Note 3)*
9.	Other details					*(refer Note 3)*

DECLARATION

1. I …… having Permanent Account Number …… certify that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.
2. I undertake on behalf of.....(name of the applicant) being a Infrastructure capital company/ Infrastructure capital fund/ Infrastructure debt fund- /Public sector company (Select the relevant option) that the money realised on issue of such bond shall be invested in accordance with rule 7(5)(d),
3. I further undertake that the….. (name of the infrastructure debt fund) shall maintain a sinking fund for the interest which will accrue on all the zero coupon bonds subscribed and the interest shall be invested in Government Securities. [Only to be filled in case applicant is infrastructure debt fund, strike off if not applicable].

Place: …… Signature of the Authorised Signatory

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. 1. Name shall be provided in full.
2. 2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. 3. The following details shall be provided with respect to the mentioned Row No. as annexures, namely:

Annexure	**With respect to**	**Particulars**
A-1-1	Part A (Row No. 5)	Enclose copy of certificate of incorporation/trust deed/relevant Act, as applicable
A-2	Part A (Row No. 6(b))	Enclose copy of notification of Infrastructure Debt Fund under Schedule VII (Table: Row No. 46)
A-3	Part A (Row No. 8)	(i) Provide note on the objects including main objects and ancillary objects (ii) Enclose copy of Memorandum/Trust deed, etc.

A-4	Part B (Row No. 8(D))	Enclose copy of organisation structure chart of management responsible for execution of project
A-5	Part B (Row No. 8(F))	Enclose copy of Project Report, if any
A A-6	Declaration	Power of Attorney of the authorised signatory

4. 4. For Row no. 8(E) of part B, Financial Year 1 shall be the financial year immediately following the financial year in which the bond is issued as provided in Row no. 6 of part B. Financial Year 2 to 5 in Row no. 8(E) of part B shall be computed automatically from Financial Year 1.
5. 5. Write “not applicable” against the row or rows which are not relevant to the applicant.
6. 6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. 7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 3

[*See* rule 7(8)]

Certificate of an accountant under rule 7 for entity issuing zero coupon bond

I …….. having Permanent Account Number …… have examined the investment made out of the funds raised by issuance of Zero Coupon Bond by ……. (Name of issuer) for the tax year…….. and I hereby certify the following:-

1.	Category of issuer (Please tick one):			• Infrastructure capital company • Infrastructure capital fund • Infrastructure debt fund • Public sector company	
2.	Name			*(refer Note 1)*	
3.	Address			*(refer Note 2)*	
4.	Permanent Account Number				
5.	Email id				
6.	Contact number			Country Code	Number
7.	Date of Notification for the issue of Zero Coupon Bond			*dd/mm/yyyy*	
8.	Notification Number				
9.	Date of issue of Zero-Coupon Bond			*dd/mm/yyyy*	
10.	Amount realized vide issue of Zero-Coupon Bond				
11.	Details of Investment made out of the funds realized by issue of zero-coupon bond				
12.	(A)	(a)	Name of Entity in which Investment has been made		
		(b)	Nature *(select anyone)*	○ Public sector company ○ Other company ○ Any other enterprise or undertaking or entity	
		(c)	Permanent Account Number		
		(d)	Address		
		(e)	Nature of business		
		(f)	Address/Location of Project		
		(g)	Date of commencement of Project	*(dd/mm/yyyy)*	
		(h)	Date of Commencement of Operations	*(dd/mm/yyyy)*	
		(i)	Date of Commencement of Commercial Operations	*(dd/mm/yyyy)*	
		(j)	Amount of funds raised by issue of Zero-Coupon Bond invested across tax years (In ₹)	**Year**	**Amount**
				Tax Year 1: *(yyyy-yy)*	
				Tax Year 2: *(yyyy-yy)*	
				Tax Year 3: *(yyyy-yy)*	
				Tax Year 4: *(yyyy-yy)*	
				Tax Year 5: *(yyyy-yy)*	
				Tax Year 6: *(yyyy-yy)*	
	(B)		(*Repeat details of 12A, if required)*		

2. I certify that the ……(name of the infrastructure debt fund) has maintained a sinking fund for all accrued interest on the money realized on issue of the zero-coupon bond which has been invested in government securities. (applicable only in case of infrastructure debt fund)

Place *Signature*

Date Name of the Accountant

Member Registration Number:

Permanent Account Number:

Unique Document Identification Number (UDIN), if any:

Name of the proprietorship/ firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. To be signed and verified by an accountant (other than employee) as defined in the section 515(3)(b).
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 4
[*See* rule 12]
Income attributable to assets located in India under section 9(10)(a)

<table>
<tr><td colspan="8">Part A: Particulars of the Person</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="5" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="7">Company/entity wise breakup of consideration received for transfer of share or interest:</td></tr>
<tr><td></td><td>Sl. No.</td><td>Name of the company/entity</td><td>Quantum of share/interest transferred</td><td>Cost of acquisition of share/interest</td><td>Date of transfer</td><td colspan="2">Consideration received</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="7">Income derived from transfer of share or interest (company/entity wise details):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Sl. No.</td><td>Name of the Company/ Entity</td><td>Transfer of Share/ Interest</td><td colspan="3">Amount</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">Value of assets located in India from which the share or interest derives its value (company/entity wise details):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Sl. No.</td><td colspan="2">Name of the Company/ Entity</td><td colspan="3">Amount</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="7">Value of global assets of the company or the entity (company/entity wise details):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Sl. No.</td><td colspan="2">Name of the Company/ Entity</td><td colspan="3">Amount</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="7">Income attributable to assets located in India (company/entity wise breakup and aggregate):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Sl. No.</td><td colspan="2">Name of the Company/ Entity</td><td colspan="3">Amount</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="5">Other details to be provided as separate enclosure:</td><td colspan="2">(attach as per Note 3)</td></tr>
</table>

I have examined the accounts and records of M/s_____ (name of the assessee) having PAN _____ being transferor of the share of, or interest in,

_____ (name of company or entity incorporated outside India)[#] referred to in section 9(10)(a) during the tax year ended on_____.

2. I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of ascertaining the income of the said assessee attributable to the assets located in India.

3. I certify that in respect of the tax year _____ the income deemed to accrue or arise in India to the assessee on transfer of share/interest in the above-mentioned company/entity is ₹ _____ which has been worked out on the basis of the details given in Part B to this form. In my opinion and to my information and according to the explanations given to me the particulars given in Part B are true and correct.

Place: Signature:
Date: Name of the accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN, if any:
Name of the Proprietorship/Firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the person in respect of which the income attributable to assets located in India is being reported.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. With respect to Part B (Sl. No. 11), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Details of the method employed for arriving at the value of assets in Part B (Sl. No. 8 and 9).
A-2	Details of the documents and valuation report, if any, relied upon.
A-3	Remarks including any assumption made.
A-4	Details of computation of income in Part B (Sl. No. 10).
A-5	Any other document.

4. This form is to be given by an accountant as defined in rule 10.
5. [#]If transfer is of shares of, interest in, more than one company or entity in a previous year, details to be given in respect of each such company or entity.
6. Where any of the matter stated in this report is answered in negative or with a qualification, this report shall state the reasons therefor in Note 3.A-5.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 5

[*See* rule 27]

Statement regarding preliminary expenses incurred by the assessee to be furnished under Section 44(3)

	Part A: Particulars of the assessee		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year		

	Part B: Details of preliminary expenses		
1.	Amount of expenditure in connection with— *(select one or more)*	o Preparation of feasibility report	
		o Preparation of project report	
		o Conducting market survey or any other survey necessary for business	
		o Engineering services relating to the business	

Details of expenditure incurred:

Sl. No.	Nature of activity *(refer Note 4)*	Whether carried out by assessee itself (Y/N)	Name of the person carrying out the activity *(refer Note 5)*	Name of the person to whom amount is paid/credited	Permanent Account Number of such person	Amount paid/credited	Whether tax was required to be deducted at source (Yes/No)	If yes, amount of tax deducted
(i)	Preparation of feasibility report							
(ii)	Preparation of project report							

(iii)	Conducting market survey or any other survey necessary for business							
(iv)	Engineering services relating to the business							

DECLARATION

I ……. (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) of …… (name of the assessee), do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: …… Signature of the Authorised Signatory

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. In case there is more than one person carrying out the activity, separate details to be filled.
5. If carried out by the assessee itself, write "SELF".
6. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.
7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 6

[*See* rule 28]

Audit Report for claiming deduction for certain preliminary expenses under section 44 or expenditure for prospecting certain minerals under section 51

I …….. having Permanent Account Number …… have examined the Balance Sheet of ……(name of assessee) as on …… and the Profit and Loss Account for the year ended on ……... which are in agreement with the books of account maintained at the head office at …….. (address of head office) and branches at …….. (address of branches)

I have obtained all the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.

In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the abovenamed assessee visited by me so far as appears from my examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by me, subject to the comments given below :-

……
……

In my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, the said accounts give a true and fair view:-

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of the abovenamed assessee's affairs as on ……..; and

(ii) in the case of the Profit and Loss Account(s), of the profit or loss of his accounting year ending on …….

The statement of particulars required for the purposes of the deduction under section *44/51 is annexed and in my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, these are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. The report has to be given by an accountant as referred to in section 515(3)(b).
2. Where any of the matters stated in this Report is answered in the negative or with a qualification, the Report shall state the reasons for the same.
3. * delete whichever is not applicable.

ANNEXURE

SECTION A

Statement of particulars required for the purposes of deduction under section 44

	Part A: Particulars of the assessee	
1.	Name of the assessee	*(refer Note 1)*

2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Residential Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	*Number*
7.	Tax year (for which deduction is claimed)		

Part B: Particulars of the business and deduction		
1.	Date of commencement of business	*(dd/mm/yyyy)*
2.	The deduction is claimed with reference to the expenditure incurred in connection with *(select one)*	• extension of the industrial undertaking • setting up of a new industrial unit
3.	Date on which the extension was completed or new industrial unit commenced production or operation	*(dd/mm/yyyy)*
4.	Qualifying amount of expenditure: *(refer Note 4)*	
	(a) Expenditure in connection with-	
	(i) preparation of feasibility report	
	(ii) preparation of project report	
	(iii) conducting market survey or any other survey necessary for the business	
	(iv) engineering services relating to the business assessee	
	(b) Legal charges for drafting any agreement between the assessee and any other person for any purpose relating to the setting up or conduct of the business	
	(c) Total of 4(a) and 4(b)	
	(d) Whether Form No. 5 has been filed as per the provisions of rule 27?	*(Yes/No)*
5.	(a) Cost of the project, i.e., actual cost of *(refer Note 5)*	
	(i) land and buildings (including expenditure on development)	
	(ii) lease holds	
	(iii) plant and machinery	
	(iv) furniture and fittings	
	(v) railway sidings	
	(b) Total of 5(a)(i) to (v)	
	(c) 5% of 5(b) above	
6.	Deduction eligible under section 44	

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant:
Member Registration Number:

Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. Pin/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Fill residential status as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but Not Ordinarily Resident

4. Where the qualifying expenditure was incurred during more than one year, year-wise details of the expenditure should be given.

5. (a) In a case where the claim relates to preliminary expenses incurred before the commencement of business, the actual cost of the specified assets which are shown in the books of the assessee as on the last day of the tax year in which the business was commenced should be given.
(b) In a case where the expenses were incurred in connection with the extension of the undertaking or the setting up of a new unit, the actual cost of the specified assets which are shown in the books of account as on the last day of the tax year in which the extension of the undertaking was completed or the new unit commenced production or operation (in so far as such assets have been acquired or developed in connection with the extension of the under taking or the setting up of the new unit) should be given.

6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

SECTION B:

Statement of particulars required for the purposes of deduction under section 51

	Part A: Particulars of the assessee		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Residential Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	*Number*
7.	Tax year (for which deduction is claimed)		

Part B: Particulars of the business and deduction		
1.	Name(s) of mineral(s) or group(s) of associated minerals in respect of which operation relating to prospecting or development were undertaken	*(drop down)*

2.	Tax Year of commercial production		
3.	Qualifying amount of expenditure *(refer Note 4):*		
	Tax year in which expenditure was incurred	Date of audit of accounts for the tax year	Amount of expenditure
	(A)	(B)	(C)

Place
Date

Signature

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. Pin/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Fill residential status as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but Not Ordinarily Resident

4. Qualifying expenditure shall be computed after reducing/excluding amounts as per Section 51(3) and 51(4).

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 7

[*See* rule 30(3)]

Application for approval of scientific research programme under section 45(3)(c)

<table>
<tr><td colspan="5">Particulars of the sponsor and scientific research programme</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Permanent Account Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Email id</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">Contact number</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Nature of business</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="4">Annual turnover during past three tax years</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Tax Year</td><td colspan="2">Annual turnover</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="4">Annual expenditure on scientific research programme during past three tax years</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Tax Year</td><td colspan="2">Annual expenditure on scientific research programme</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td colspan="4">Details of deductions claimed (year wise) by the sponsor under section 45(3)(c) or under section 35(2AA), as the case may be during the last three tax years</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Tax Year</td><td colspan="2">Deductions claimed</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">Provide note on research and development
(i) facilities and
(ii) activities
of the sponsor</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Does the sponsor have a recognised In-house research and development unit duly recognised by Department of Scientific and Industrial Research?</td><td colspan="2">Yes/No

If yes, (refer Note 3)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Particulars of the scientific research programme</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Person to whom application is made

(select anyone)</td><td colspan="2">• National laboratory
• University
• Indian Institute of Technology
• Specified Person</td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">Name of the National laboratory, university, Indian Institute of Technology or specified person, as the case may be</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="2">Address of the National laboratory, university, Indian Institute of Technology or specified person, as the case may be</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="2">Title of the programme</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="2">Purpose of the programme</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="2">Proposed date of commencement of the programme</td><td colspan="2">(dd/mm/yyyy)</td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="2">Duration of the programme in months</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

19.	Total cost of the programme (including cost of raw materials, equipment, manpower, services, indirect costs, overheads and intellectual inputs)	
20.	Total funds to be provided by the sponsor for the programme	
21.	Other details to be provided as separate enclosure	*(refer Note 3)*

DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of our knowledge and belief.

We undertake to abide by the conditions prescribed in the Act, and rules framed thereunder and the terms and conditions agreed upon between us at the time of approval of programme.

Place: ……. Signature of the Sponsor

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. The following details shall be provided as annexures with respect to the Row No. of the Form as mentioned below:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Row No. 6	Copy of latest Annual Report along with balance sheet, where applicable
A-2	Row No. 10	Detailed note on research and development facilities and research and development activities of the sponsor
A-3	Row No. 11	Details of Department of Scientific and Industrial research/recognised In-house research and development unit
A-4	Row No. 16	A brief write-up on the research programme indicating the objectives of the programme, stages of implementation, expected results, commercialization prospects, usefulness of the programme in terms of foreign exchange saving and potential for exports – in separate annexures
A-5	Row No. 21	Details of technical collaborations, if any, entered into by sponsor

4. Separate applications have to be submitted in respect of each research programme.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 8

[*See* rule 30(4)]

Order of approval of Scientific Research Programme under section 45(3)(c)

Row No.	**Particulars**		
1.	Name of the sponsor	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Name of the National Laboratory or University or Indian Institute of Technology or specified person	*(refer Note 1)*	
7.	Address of the National Laboratory or University or Indian Institute of Technology or specified person	*(refer Note 2)*	
8.	Title of the Scientific Research Programme		
9.	Purpose of the programme		
10.	Reference No. of the application		
11.	Date of application	*(dd/mm/yyyy)*	
12.	Date of commencement of the programme	*(dd/mm/yyyy)*	
13.	Duration of the programme in months		
14.	Tax year(s) for which the programme has been approved (not exceeding five tax years)		
15.	Total cost of the programme		
16.	Other details to be provided as separate enclosure	*(refer Note 3)*	

Date: ..... ……

(Signature)

Place: ..... …….

(Name and Designation)

Order No. …….

Copy to:

(i) Sponsor;
(ii) The Director General (Indian Council of Agricultural Research/Indian Council of Medical Research/Council of Scientific and Industrial Research/Defence Research and Development Organisation) /Secretary, Department of Electronics/Secretary, Department of Bio-technology/Secretary, Department of Atomic Energy;
(iii) The Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the sponsor;
(iv) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. The following details shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	Purpose of the programme
A-2	Payment terms
A-3	Any other conditions imposed by the prescribed authority e.g., utilisation of patent rights and commercialisation of rights etc.

4. In case of National Laboratory or University or Indian Institute of Technology, this Form shall be signed by the Head of the National Laboratory or University or Indian Institute of Technology.
5. In case of a specified person, this Form may be signed by an officer who is not below the rank of a Deputy Secretary and who has been authorised by the Principal Scientific Adviser to the Government of India to issue such order.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. Amounts are in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 9

[*See* rule 30(8)]

Receipt of payment for carrying out scientific research under section 45(3)(c)

Particulars			
1.	Name of the sponsor	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Amount paid	*(in figures)*	
		(in words)	
7.	Mode of payment with particulars		
8.	Date of payment	*(dd/mm/yyyy)*	
9.	Name of the research programme for which amount is to be used		
10.	Approved cost of the programme		
11.	Date of commencement of the programme	*(dd/mm/yyyy)*	
12.	Duration of the programme		
13.	Tax year(s) for which approved		
14.	Details of the programme approved by the prescribed authority	*Order No. and dated*	
		Issued from file No.	
15.	Tax year in which this payment is made		
16.	Total amount of payments received so far, including this payment, towards this programme during the tax year mentioned in row 15	*(in figures)*	
		(in words)	
17.	Details of payments received in earlier tax years	Tax year	Amount
		(i)	
		(ii)	

Date: .....

……

(Signature)

Place: .....

…….

(Name and Designation)

…….

(Name and address of the National Laboratory, University,

Indian Institute of Technology or specified person)

Serial No. of this receipt: ……

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. Amounts are in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 10

[*See* rule 30(7)(d)(A)]

Report to be submitted by the prescribed authority to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the sponsor after approval of scientific research programme under section 45(3)(c)

Particulars of the sponsor			
1.	Name of the sponsor	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Nature of business of the sponsor	*(refer Note 3)*	
	Particulars of the approved scientific research programme		
7.	Name of the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person	*(refer Note 1)*	
8.	Address of the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person	*(refer Note 2)*	
9.	Telephone number of the National Laboratory, University, Indian Institute of Technology or specified person		
10.	Name and designation of the Prescribed Authority	Name	
		Designation	
11.	Agency under which the National Laboratory is functioning *(select anyone)*	▪ Indian Council of Agricultural Research ▪ Indian Council of Medical Research ▪ Council of Scientific and Industrial Research ▪ Defence Research and Development Organisation ▪ Department of Electronics ▪ Department of Bio-technology ▪ Department of Atomic Energy	
12.	Purpose of the scientific research programme	*(refer Note 3)*	
13.	Date of commencement of the research programme	*(dd/mm/yyyy)*	
14.	Duration of the programme in months		
15.	Tax year (s) for which the programme is approved		
16.	Total cost of the programme (cost of raw materials, equipment, manpower, services, indirect costs, overheads and intellectual inputs)		
17.	Payment terms	*(refer Note 3)*	
18.	Details of agreement regarding patent rights and commercialisation rights between the sponsor and the National Laboratory, University, Indian Institute of technology or specified person	*(refer Note 3)*	

DECLARATION

I ……. (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) certify that the above information is true to the best of our knowledge and belief.

We undertake to:

(i) maintain separate accounts for the programme approved;

(ii) submit progress reports every year to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the

sponsor;
(iii) submit final report on completion along with audited statement of accounts to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the sponsor.

Place: ……. Signature of the Authorised Signatory

Date: ……. Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. The following details shall be provided as annexures with respect to the Row No. of the form as mentioned below:

Annexure	Row No.	Particulars
A-1	Row No. 6	Enclose copy of latest Annual Report along with balance sheet, where applicable.
A-2	Row No. 12	Give a brief write-up on the research programme indicating the objectives of the programme, stages of implementation, expected results, commercialization prospects, usefulness of the programme in terms of foreign exchange saving and potential for exports – in separate annexures.
A-3	Row No. 17	Enclose copy of agreement between the sponsor and the National Laboratory, University, Indian Institute of technology or specified person.
A-4	Row No. 19	Enclose copy of the agreement

4. In case of National Laboratory or University or Indian Institute of Technology, this Form shall be signed by the Head of the National Laboratory or University or Indian Institute of Technology.

5. In case of a specified person, this Form may be signed by an officer who is not below the rank of a Deputy Secretary and who has been authorised by the Principal Scientific Adviser to the Government of India to sign Form No. 8.

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

7. Amounts are in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 11

[*See* rule 29(2)(c)]

Application for entering into an agreement with the Department of Scientific and Industrial research for co-operation in In-house research development facility

<table>
<tr><th colspan="8">Part A: Particulars of the company</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name</td><td colspan="4">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address of the registered office</td><td colspan="4">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Email id</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">Contact number</td><td>Country Code</td><td colspan="3">Number</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="3" rowspan="2">Details of the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the company</td><td>Designation</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Address</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="3">(a) Nature of business of the company</td><td colspan="4">• Business of Biotechnology
• Manufacture/production of eligible article or thing, which is not specified in Schedule XIII</td></tr>
<tr><td colspan="3">(b) If answer to (a) above is manufacture/production of eligible article or thing, please specify product</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">Annual production of eligible products during the past three tax years:</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Sl. No.</td><td>Tax year</td><td colspan="5">Annual production</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="7">Annual expenditure on scientific research for the past three tax years:</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Sl. No.
(A)</td><td>Tax year
(B)</td><td>Expenditure in Land & Building
(C)</td><td>Capital Expenditure other than expenditure mentioned in (C)
(D)</td><td>Revenue Expenditure
(E)</td><td colspan="2">Total annual expenditure
(F)
(C) +(D)+(E)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.</td><td colspan="3" rowspan="2">Details of existing in-house research and development facilities for scientific research</td><td>Nature of the facility</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Address</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td colspan="3" rowspan="3">Details of recognition for the existing in-house research and development facility by Department of Scientific and Industrial Research</td><td>Registration number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Date of recognition</td><td colspan="3">(dd/mm/yyyy)</td></tr>
<tr><td>Validity of recognition</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="3">Proposed objectives of scientific research contemplated by the company</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Part B: Agreement between the company and Department of Scientific and Industrial Research

This Agreement is entered into between the company _____ (hereinafter referred to as the First Party) and the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) (hereinafter referred to as the Second Party) wherein:

1. The First Party shall maintain an in-house Research & Development facility to be approved by the Second Party,

2. The First Party shall provide full co-operation to the Second Party in carrying out the Research and Development work relating to biotechnology or manufacture or production of eligible article or thing under section 45(2),

3. The First Party shall co-operate fully in carrying out Research & Development work and maintain separate accounts for capital and revenue expenditure, which shall be annually audited as prescribed, and a copy of which has to be attached with the return of income under section 263(1)(a) for each tax year in order to claim deduction under section 45(2),

4. Subject to the First Party meeting the conditions specified under section 45(2), and on being satisfied of the feasibility of the said in-house Research and Development facility in terms of its objectives and of the genuineness of the expenditure on said Research and Development facility by the First Party, the Second Party shall submit its report/s in relation to the approval of the said facility to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the First Party within 120 days from the date on which first party makes application in the Form No. 11.

Signed on this ___ day of _____month of ____year

Signature of Principal Officer on behalf of the First Party
(Name, Designation and Address)
Place: Date:

Signature of Witness
(Name and Address)
Place: Date:

Signature of competent authority on behalf of the Second Party
(Name, Designation and Address)
Place: Date:

Signature of Witness
(Name and Address)
Place: Date:

PART C – DECLARATION AND UNDERTAKING BY THE COMPANY

I/we certify that the above information is true to the best of my/our knowledge and belief.

Further I/we undertake to:

1. Maintain separate accounts for capital and revenue expenditure on Research & Development work which shall be annually audited by an accountant as defined in section 515(3)(b);

2. Attach a copy of such audited annual account with the return of income to be filed under section 263(1)(a) for each tax year in support of claim of deduction under section 45(2) for the relevant tax year;

3. Submit annual progress reports to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

4. Co-operate fully in carrying out scientific research and development work as per Section 45(2).

5. Ensure that the company does not manufacture any product listed in the Schedule XIII.

6. Ensure that the company shall reflect the capital and revenue expenditure on in-house research and development facility in the schedules/notes to accounts in the audited financial statement of the company prepared for the purposes of its annual report and for the purposes of computation of income-tax.

7. Submit the information as per Annexure-I and Annexure-II annually on or before the due date of filing of the return of income specified under section 263(1)(c).

8. Ensure that the assets acquired by the approved facility are used only for approved purposes and shall not be disposed of without the approval of Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

Place: ……. Signature of the Principal Officer of the company

Date: ……. Name:

Designation:

Annexure-I

Information to be furnished separately in respect of each research and development facility approved by prescribed authority under section 45(2).

Particulars		
1.	Name of the company	*(refer Note 1)*
2.	Address of the registered office	*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number	
4.	Tax year	
5.	Other details to be enclosed as annexures	*(refer Note 3)*

DECLARATION

I ……. (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) of …… (name of the assessee), do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: ……. Signature of the Principal Officer of the company

Date: ……. Name:

Designation:

Annexure-II

Details of expenditure incurred on the research and development facility centre approved by the prescribed authority under section 45(2).

Row No.	**Particulars**		
1.	Tax year		
2.	Location of the research and development facility		
3.	Details of expenditure:	A. (i) Land	…..

		(ii) Buildings	…..
		B. Capital Expenditure (other than land and building): (i) Equipment (ii) Others (a) ..... (b) ..... (c) ..... (iii) ..... Total	 ……. ....
		C. Revenue expenditure: (a)..... (b)..... (c) ..... Total	 ....
4.	Total expenditure on the approved research and development centre (excluding land and building)		
5.	If any asset acquired in respect of development of scientific research and development facility is disposed of/transferred	*Yes/No*	
6.	If answer to 5 is Yes, then whether approval has been taken from Secretary, Department of Scientific and Industrial Research	*Yes/No* *(refer Note 3)*	
7.	Details of such assets disposed of/transferred	*(refer Note 3)*	

DECLARATION

I certify that above expenditure claimed is as per the guidelines issued by Department of Scientific and Industrial Research and is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: ……

Date: ……

Signature of the Principal Officer of the company

Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. The following details shall be provided with respect to the mentioned Row No. as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Annexure I (Row No. 5)	A brief note on progress of each of the projects shown in the application to the prescribed authority at the time of approval. Any changes with regard to the scope of the projects as originally envisaged may be highlighted.

A-2		Details of any additional projects taken up during the tax year
A-3		Details of changes, if any, in the research and development infrastructure during the tax year
A-4		Details of research and development achievements and technologies commercialised during the tax year
A-5		Details of patents obtained and/or filed during the tax year
A-6		Details of any other changes in the approved research and development centre
A-7	Annexure II (Row No. 6)	A copy of letter of approval from Secretary, Department of Scientific and Industrial Research
A-8	Annexure II (Row No. 7)	Following details in respect of disposed/transferred asset shall be provided: (i) Description of the asset (ii) Consideration received on disposal/transfer of asset

4. Six sets of duly filled applications are to be submitted to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

5. Copy of latest Annual Report along with Balance Sheet has to be enclosed.

6. Enclose a copy of DSIR recognition of the in-house (R&D) centre.

7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

8. Amounts are in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 12

[*See* rule 29(2)(e)(ii)]

Report to be submitted by the prescribed authority to the Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the company

Sl. No.	**Particulars of the company**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address of the registered office	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Details of principal officer	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	
5.	(a) Nature of business/activity of the company	• Business of Biotechnology • Manufacture/production of eligible article or thing, which is not specified in Schedule XIII	
	(b) If answer to (a) above is manufacture/production of eligible article or thing, please specify product		

Sl. No.	**PART A**		
1.	Whether the nature of business is related to the objectives of the proposed scientific research contemplated by the company	*Yes/No*	
2.	Proposed objectives of scientific research contemplated by the company		
3.	Details of the nature of existing in-house research and development facilities for scientific research	*(refer Note 3)*	
4.	Whether the in-house research and development facility is adequate for carrying out scientific research	*Yes/No*	
5.	Details of Department of Scientific and Industrial Research recognition for the existing research and development facility	Registration number	
		Date of recognition	*(dd/mm/yyyy)*
		Validity of recognition	
6.	Whether agreement for co-operation and research and development facility and for audit of the accounts entered into	*Yes/No*	
7.	Annual production of eligible products during the past three tax years		

PART B

Sl. No.	**Particulars**		
1.	Tax year		
2.	Address of the research and development facility	*(refer Note 2)*	
3.	Details of expenditure: (in Lakhs)	A. (i) Land (ii) Buildings	….. …..

		B. Capital Expenditure (other than land and building): (i) Equipment (ii)Others (a) ..... (b) ..... (c) ..... (iii) ..... Total	 ....
		C. Revenue expenditure (i) expenditure directly related to research and development (a)..... (b)..... (c) ..... Total	 ....
4.	Total expenditure on the approved research and development centre (excluding land and building)		
5.	If any asset acquired in respect of development of scientific research and development facility is disposed of/transferred	*Yes/No*	
6.	If answer to 5 is Yes, then whether approval has been taken from Secretary, Department of Scientific and Industrial Research	*Yes/No* *(refer Note 3)*	
7.	Details of such assets disposed of/transferred	*(refer Note 3)*	

DECLARATION

I certify that the above details are true and correct to the best of my knowledge and belief.

…….

Signature of the Secretary, Department of
Scientific and Industrial Research

Date:

Place:

Copy to: The Company

Notes:

1. Name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. The following details shall be provided with respect to the mentioned Row No. as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part A (Row No. 3)	A detailed note on the nature of existing in-house research and development facilities for scientific research
A-2	Part B (Row No. 6)	A copy of letter of approval from Secretary, Department of Scientific and Industrial Research
A-3	Part B (Row No. 7)	Following details in respect of disposed/transferred asset shall be provided: (i) Description of the asset (ii) Consideration received on disposal/transfer of asset

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 13

[*See* rule 29(2)(e)(v)]

Report from an accountant to be furnished under Section 45(2) relating to in-house scientific research and development facility

I …….. have audited the accounts of the in-house research and development facility of M/s ___ located at ____ which is approved under section 45(2) by the prescribed authority (Secretary, Department of Scientific and Industrial Research), vide order no. ___ dated ___.

I certify that,

(a) The company has maintained separate accounts for the research and development facility approved by Department of Scientific and Industrial Research under section 45(2).

(b) The accounts have been *satisfactorily/not satisfactorily maintained.

(c) The expenditure certified is in *consonance/not in consonance with Department of Scientific and Industrial Research guidelines.

3. The details of expenditure as follows:

A. (i) Land (ii) Buildings	…….. ……..
B. Capital Expenditure (other than land and building): (i) Equipment (ii) Others (a) ..... (b) ..... (c) ..... (iii) ..... Total	 ……. ....
C. Revenue expenditure (i) expenditure directly related to research and development (a)..... (b)..... (c) ..... Total	 ....

reported for the tax year …… is *correct/incorrect to the best of *my/our knowledge and belief as per the result of the audit of the approved research and development facility carried out by me.

4. The research and development capital expenditure is reflected on page ….. and revenue expenditure on page … in the audited financial statement/annual report.

Place
Date

*Signature of the Accountant***

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

* Delete whichever is not applicable.

** This report has to be given by an Accountant.

Notes:

1. Accountant means an accountant as defined in section 515(3)(b).

2. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 14

[*See* rule 29(2)(d)(i)]

Order of approval of in-house research and development facility under section 45(2)

Sl. No.	Particulars		
1.	Name of the company	*(refer Note 1)*	
2.	Address of the registered office	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	(a) Nature of business/activity of the company	• Business of biotechnology • Manufacture/production of eligible article or thing, which is not specified in Schedule XIII	
	(b) If answer to (a) above is manufacture/production of eligible article or thing, please specify product		
5.	Objectives of the scientific research to be conducted by in-house research and development facility		
6.	Address at which such research and development facility is located	*(refer Note 2)*	
7.	Details of application	Reference number	
		Date of application	*(dd/mm/yyyy)*
8.	Details of recognition granted by Department of Scientific and Industrial Research to the in-house research and development facility of the company	Registration number	
		Date of recognition	*(dd/mm/yyyy)*
		Validity of recognition	

The above research and development facility is approved for the purpose of section 45(2), subject to the conditions underlined therein.

Date: ……..
Place: Signature of Secretary,
Department of Scientific and Industrial Research

…….

(Name)

File No. ….
Order No. ….

Copy to:

(1) Company

(2) The Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the company

Notes:

1. Name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided

FORM NO. 15
[*See* rule 31(1)(a)]

Statement to be filed by research association, university, college or other institution or company ("donee") under section 45(4)(a)

	Particulars of the donee		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Notification number vide which approval is granted to donee		
5.	E-mail Id		
6.	Contact Number	Country Code	Number
7.	Tax year		
	Particulars of the donor and donations		
8.	Name	*(refer Note 1)*	
9.	Address	*(refer Note 2)*	
10.	Permanent Account Number		
11.	Amount of donation		
12.	Mode of receipt by donee (select anyone)	o Cash o Kind o Electronic modes including account payee cheque/draft o Others	
13.	Date of donation		
14.	section under which donation is eligible for deduction	• section 45(3)(a) • section 45(3)(b)	

DECLARATION AND VERIFICATION
I, ……., having Permanent Account Number …….. in my capacity as……. (designation) of ….. (name of donee) hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief and that I am competent to file this form and verify it. Place: Signature: Date: Name: Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.

3. In case of a donor who has given donations, which are of different types or in different modes, separate rows should be filled for each such combination.

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 16
[*See* rule 31(1)(b)]

Certificate of donation under section 45(4)(a) made to the research association, university, college or other institution or company

Particulars of the research association, university, college or other institution or company ("donee")			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	E-mail Id		
5.	Contact Number	Country Code	Number
6.	Notification number vide which approval is granted to donee		
	Particulars of donors and donation		
7.	Name		
8.	Address		
9.	Permanent Account Number		
10.	Amount of donation received		
11.	Tax year in which such donation was received		
12.	section under which donation is eligible for deduction	• section 45(3)(a) • section 45(3)(b)	

DECLARATION
I, ……having Permanent Account Number ……. in my capacity as……. (designation) of ….. (name of donee) hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge. I further declare that I am making this certificate in my capacity as …. and I am also competent to issue this certificate. Place: Signature: Date: Name: Designation:

Notes:

6. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

7. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State

8. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.

9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 17

[*See* rule 32 and 35]

Application for approval of a company under section 45(3)(b) and of a research association, university, college or other institution under section 45(4)(b)

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Part A: Incorporation/Constitution Details</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Application is being made for approval of

(select anyone)</td><td colspan="2">o Company
o Research association
o University
o College
o Other institution</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Address</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Permanent Account Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Status</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Residential Status</td><td colspan="2">(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Email id</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td rowspan="2">Contact number</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Code relevant to section</td><td colspan="2">(refer Note 5)</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Whether the applicant is established under an instrument</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>If Yes, provide the following details:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(a) Date of Incorporation or Registration</td><td colspan="2">(dd/mm/yyyy)</td></tr>
<tr><td></td><td>(b) Incorporation or Registration Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(c) Authority granting Incorporation or Registration</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Whether the applicant is registered on DARPAN portal or under FCRA Act (42 of 2010) or any provision of Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), as the case may be</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>If answer to row 12 is yes, select the relevant law/portal

(select anyone or more)</td><td colspan="2">o DARPAN portal
o FCRA Act
o Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal)
o Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">14.</td><td>In respect of selection made at row 13, please provide the following details:</td><td colspan="2">(refer Note 6 and 7)</td></tr>
<tr><td>(a) Relevant Law/Portal</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(b) Registration No.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(c) Date of Registration No.</td><td colspan="2">(dd/mm/yyyy)</td></tr>
</table>

	(d) Authority granting registration	
	(e) Date from which registration is effective	*(dd/mm/yyyy)*
	(Repeat details in row no. 14, if registered under more than one portal/law)	
15.	Whether any application for approval under section 45(3)(b) or 45(4)(b) or corresponding provisions of Income Tax Act 1961 (as it existed prior to its repeal) made by the Applicant in the past has been rejected?	*Yes/No* *(if yes, refer Note 8)*

Part B:

Details of key persons

1. Details of all the Author(s)/Founder(s)/Settlor(s)/Trustee(s)/Members of Society/Members of the Governing Council/Director(s)/shareholders holding 5% or more of shareholding/Office Bearer(s):

Sl. No.	Name	Relation *(refer Note 9)*	Percentage of shareholding in case of a shareholder	Permanent Account Number	Address	Mobile number	Email id

2. In case if any of persons (as mentioned in row 1 of Part B) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:

Sl. No.	Name	Permanent Account Number	Address	Person other than individual (as mentioned in row No. 1 of Part B in which the beneficial ownership held)	Percentage of beneficial ownership

Operational Details

3. Details of laboratory/research facility/university/college/other institution being managed/controlled/administered/owned by the applicant:

Name of the laboratory/ research association/ facility/university/college/other institution	Permanent Account Number	Whether notified or order passed under section 45	Year of establishment	Nature of activity	Address	Whether owned by applicant? (Yes/No	Person-in-charge	
							Name	Permanent Account Number

	or corresponding provision in the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) (Yes/No)					)		

4. Details of research projects undertaken during the last three tax years

Sl. No.	Name of the project	Duration of project		Current status of the project (ongoing/ completed)	Date of initiation of project	Project cost (if completed) /estimated project cost (if ongoing)	Out of (vi), amount paid to other research & development institution for completion of project
		from dd/mm/yyyy	*to dd/mm/yyyy*				
(i)	(ii)	(iii)		(iv)	(v)	(vi)	(vii)

Details of income and expenditure

5. If applicant has any income in the nature of profits and gains of business, then provide the following details

Nature of Business	Address	Whether the business is incidental to the attainment of the objectives of the trust or institution?	Whether separate books of account maintained
		Yes/No	*Yes/No*

6. Details of Return of Income filed for last three tax years

Sl. No.	Tax year	Turnover/gross receipts	Total income	Tax payable as per return	Tax paid as per return	Assessed income details

7. Please provide details of income received in three tax years immediately preceding the tax year in which application is made:

	Sl. No.	Tax Year	Donation Received for research purposes		Donation Received for purposes other than research		Grant Received for research purposes	Other income	Total Income
			Corpus	Non Corpus	Corpus	Non Corpus			
	(i)								
	(ii)								
	(iii)								

8. Please provide details of expenditure incurred in three tax years immediately preceding the tax year in which application is made:

Sl. No.	Tax year	Amount applied for scientific/social science/statistics research	Amount applied for non-research activities	Total application	Amount accumulated for object of the association
(i)					
(ii)					
(iii)					

9. Annual expenditure on scientific/social science/statistics research during past three tax years immediately preceding the tax year in which application is made:

Sl. No.	Tax Year	Expenditure on land and building	Capital expenditure (other than land and building)	Revenue expenditure	Total expenditure on scientific/ social science/statistics research
(i)					
(ii)					
(iii)					

10. Annual expenditure during past three tax years immediately preceding the tax year in which application is made:

Sl. No.	Tax Year	Expenditure on land and building	Capital expenditure (other than land and building)	Revenue expenditure	Total expenditure
(i)					
(ii)					
(iii)					

11.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(refer Note 10)*

DECLARATION

I_____, son/daughter/spouse of__,_____ hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I further declare that I am filing this form in my capacity as_____(designation) having Permanent Account Number (PAN)___and that I am competent to file this form and verify it.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time here after.

Place: Signature:

Date: Name and Designation:

Annexure

(To be furnished by a research association claiming exemption as per Schedule III (Table Sl. No. 23))

<table>
<tr><td>Sl. No.</td><td colspan="5">Particulars</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">Exemption as per Schedule III (Table Sl. No. 23) for tax year……</td><td colspan="2">(Select the latest Tax Year for which the books of account had been audited out of three preceding Tax Years immediately preceding the Tax Year in which application is made.)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td colspan="5">Details of investment made in modes not prescribed under section 350</td></tr>
<tr><td>Nature of Investment</td><td>Amount of Investment</td><td>Date of investment</td><td>Nominal value of Investment</td><td>Income from investment during the tax year</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td colspan="5">Details of investment made by persons having substantial interest in the association as referred to in section 355(h)
Provide the nominal value of investment in ₹</td></tr>
<tr><td>Person
(refer Note 11)</td><td>Shares (In ₹)</td><td>Security (In ₹)</td><td colspan="2">Any other property (In ₹)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Benefit to interested person</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">Whether any part of the income or any property of the association was used or applied, in a manner which results directly or indirectly in conferring any benefit, amenity or perquisite (whether converted into money or not) to any interested person.</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">If yes above, specify value of the benefit in ₹ (refer Note 10)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Deemed Income		
6	Amount deemed to be income of the association by virtue of Section 337, as applicable by Schedule III (Table Sl. No. 23)	

DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature:

Date:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided Family (iii)Company (iv) Firm (v) Association of persons/Body of individuals (vi)Local authority (viii) Artificial juridicial person.
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. Fill the codes as follows:

Nature of organisation	Code
Research association [in terms of section 45(3)(a)(i)]	1
University, College or other institution [in terms of section 45(3)(a)(i)]	2
Research association [in terms of section 45(3)(a)(ii)]	3
University, College or other institution [in terms of section 45(3)(a)(ii)]	4
Company [in terms of section 45(3)(b)]	5

6. In Part A (Row No. 14), the registration number with Darpan Portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government.

7. In Part A (Row No. 14), registration details are to be provided with respect to all the registrations under Income-tax Act and registration with Darpan portal and under FCRA 2010 (42 of 2010) as per the following table:

Law	Mandatory/Non-mandatory	Registration No.	Date of Registration No.	Authority granting registration	Date from which registration is effective
Registration under section	Mandatory, if registered	Number of Order	Date of Order	Jurisdiction details of the	First date of the tax year from

332		granting registration is to be provided		Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	which the registration is effective
Approval under schedule VII	Mandatory, if approved	Number of Order granting approval is to be provided	Date of Approval	Jurisdiction details of the Income Tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the tax year from which the registration is effective
Approved as a Scientific and Industrial Research Organization by DSIR	Mandatory, if registered	Number of Order granting approval is to be provided	Date of Approval	DSIR	First date of the Tax year from which the registration is effective
Registration under section 45	Mandatory, if registered	Number Notification or Order by the Central Government	Date of Notification or Order	Central Government	First date of the tax year form which the registration is effective
FCRA, 2010 (42 of 2010)	Mandatory if registered under FCRA	Registration number is to be provided	Date of Order	Ministry of Home Affairs	Date from which such approval is effective
Registration number With Darpan portal Of Niti Aayog	Mandatory if the applicant receives or intends to receive any grant or assistance from either the Central Government or State Government	Registration number is to be provided	Date of registration	Niti Aayog	Date from which such approval is effective
Others	Mandatory if applicant has any other registration under the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)	Registration number is to be provided	Date of registration	Appropriate authority	Date from which Such approval is effective

8. Where past registration under section 45 or corresponding provision of Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) was rejected, then provide copy of order of rejection.

9. In Part B (Row No. 1), in column "Relation", one or more of the following shall be selected:

a. Author
b. Founder
c. Settlor
d. Trustee
e. Members of society

f. Members of the Governing Council
g. Director
h. Shareholders holding 5% or more of shareholding
i. Office Bearer (s)

10. The following details shall be provided with respect to the relevant Sl. No. of Part B or Annexure as mentioned below:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part B (Row No. 11)	where the applicant is constituted under an instrument, self-certified copy of the instrument
A-2	Part B (Row No. 11)	where the applicant is constituted otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the applicant;
A-3	Part B (Row No. 11)	self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts or other registration document, as the case may be;
A-4	Part B (Row No. 11)	self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under the said Act;
A-5	Part B (Row No. 11)	self-certified copy of existing Notification or Order granting approval under section 45;
A-6	Part B (Row No. 11)	a comprehensive note on research activities undertaken by the applicant (If there are no research activities undertaken by the applicant then attach self-certified NIL declaration);
A-7	Part B (Row No. 11)	self-certified copy of audited annual accounts of the applicant for the last three tax years (If there is no audited annual accounts of the applicant for any of the last three tax years then attach self-certified NIL declaration for each year separately);
A-8	Part B (Row No. 11)	self-certified copy of Donors, along with their names, complete postal address and the amount paid by each of them to the applicant during last three tax years. Mention Permanent Account Number or Aadhaar of donors paying the sums in excess of fifty thousand rupees in any of the three tax years (If there is no donation received during the last three tax years then attach self-certified NIL declaration).
A-9	Part B (Row No. 11)	Following details in respect of (i) patent, copyright, trademarks or other similar rights applied for or registered in the name of applicant organisation; and (ii) new products, processes, methods, techniques developed by the applicant organisation (a) Title (b) Description (c) Whether applied/granted (d) If commercialised or implemented, then by whom

		(e) Earnings from such patent, copyright, trademarks or other similar rights or such new products, processes, methods, techniques
A-10	Annexure (Row No. 5)	Detailed statement of the nature of the benefit, amenity or perquisite.

11. In Annexure (Row No. 3), fill "Person" as one of the following:

(a) Founder of applicant

(b) Any person who has made contribution exceeding rupees one lakh to the applicant

(c) Any member of a Hindu undivided family (HUF) where the HUF is a founder

(d) The manager (by whatever name called) of the applicant

(e) A relative of the founder, member of the manager

(f) Any concern in which any of the persons referred to in (a) to (e) have a substantial interest.

12. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

13. Amounts to be filled in ₹, unless otherwise provided.

FORM NO. 18
[*See* rule 36(1)(a)]

Application for notification of affordable housing project as specified business under section 46

	Particulars of the assessee		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
6.	Email id		
7.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the specified business		
8.	Name	*(refer Note 1)*	
9.	Address	*(refer Note 2)*	
10(a).	Name of the project (if any)		
10(b).	Complete address of project	*(refer Note 2)*	
10(c).	Whether it is in a specified city	*Yes/No*	
	Details of proposed project		
11(a).	Location		
11(b).	Total number of units in the project		
11(c).	Rentable area of various units in the project (indicate in sq. metres):-		

Sl. No.	*Description*	*Category of unit (EWS/LIG/MIG/Other Residential/Commercial)*	*Rentable area*	*Number of units*	*Total rentable area (4*5)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Total rentable area (col. 6)					_____

11(d).	Out of the total rentable area, area earmarked for the common facilities & services	
11(e).	Toal allocable rentable area [11(c)- 11(d)]	

Fulfilment of conditions		
12.	Whether each of the following conditions mentioned in rule 36(5) is fulfilled	
12(a).	the project has the prior sanction of the competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India	*Yes/No*
12(b).	the date of commencement of operations of the project is on or after the 1st day of April, 2011	*Yes/No*
12(c).	the project is on a plot of land which has a minimum area of one acre	*Yes/No*
12(d).	at least thirty per cent of the total allocable rentable area of the project comprises of affordable housing units of EWS category	*Yes/No*
12(e).	at least sixty per cent of the total allocable rentable area of the project comprises of affordable housing units of EWS and LIG categories	*Yes/No*
12(f).	at least ninety per cent of the total allocable rentable area of the project comprises of affordable housing units of EWS, LIG and MIG categories	*Yes/No*
12(g).	the layout and specifications including design of the project to be developed and built have been approved by the State or Union territory Government or its designated implementing agency	*Yes/No*

Other details			
13.	Proposed investment		
14.	Expected or actual date of commencement of the project	Expected date	*(dd/mm/yyyy)*
		Actual date	*(dd/mm/yyyy)*
15.	Whether the assessee has any land or project adjacent or in the vicinity of the proposed project? *(If yes, details thereof)*		

16.	Whether the proposed project is located or developed as a separate identifiable area?	*Yes/No*	
17.	Please state: (a) whether the project is independent of other projects or (b) the project is an extension or part of any other project?	*Write (a) or (b)*	
18.	Nature of title the assessee holds on the land on which the project is situated		
19.	Whether the project is developed under any agreement and if yes, the details of other parties (other than applicant) to such an agreement? *(refer Note 5)*	*Yes/No*	
20.	If answer to Sl. No. 19 is yes, provide details of other parties (other than applicant) to such an agreement	Name	*(refer Note 1)*
		Permanent Account Number	
		Address	*(refer Note 2)*
21.	Any other details	*(refer Note 5)*	

DECLARATION

I ……. having Permanent Account Number …… hereby undertake to continue to operate the affordable housing project during the period in which the benefits under section 46 are to be availed.

I hereby certify that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: ……. Signature of the Applicant

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. The following details shall be provided as annexures with respect to the Row No. of the Form as mentioned below:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	19	attach copy of agreement
A-2	21	letter of sanction of the project by competent authority empowered under the Scheme of Affordable Housing in Partnership framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
A-3	21	Letter of approval of the layout and specifications including design of the project to be developed and built by the State or Union territory Government or its designated implementing agency

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 19
[*See* rule 36(1)(b)]

Application for notification of a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit as specified business under section 46

	Particulars of the assessee		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
6.	Email id		
7.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the specified business		
8.	Name	*(refer Note 1)*	
9.	Address	*(refer Note 2)*	
10(a).	Name of the unit (if any)	*(refer Note 1)*	
10(b).	Complete address of unit	*(refer Note 2)*	
	Details of proposed unit		
11.	Location		
12.	Whether operations of the unit have commenced	*(Yes/No)*	
12(a).	If yes, actual date of commencement of operations of unit	*(dd/mm/yyyy)*	
12(b).	If no, expected date of commencement of operations of unit	*(dd/mm/yyyy)*	
	Fulfilment of conditions		
13.	Whether each of the following conditions mentioned in rule 36(6) is fulfilled		
13(a).	the unit is exclusively for the manufacture of semiconductor wafer fabrications.	*Yes/No*	
13(b).	the unit has been approved by the competent authority on the recommendations of the Appraisal Committee under the Modified Special Incentive Package Scheme of the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India	*Yes/No*	
13(c).	the date of commencement of operations of the project is on or after the 1st day of April 2014;	*Yes/No*	
13(d).	all the manufacturing facilities *of* the unit are located in India;	*Yes/No*	

14.	If answer to 13 (b) above is 'yes', then	
	(a) Date of approval under the Modified Special Incentive Package Scheme of the Department of Electronics and Information Technology;	(a) *(dd/mm/yyyy)*
	(b) Order No. of such approval	(b)

DECLARATION

I ……. having Permanent Account Number …… .. hereby undertake to continue to operate the unit during the period in accordance with the provisions of section 46.

I hereby certify that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: ……

Date: ……

Signature of the Applicant

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations with the appropriate title (Mr./Mrs./Ms.). In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provide

FORM NO. 20

[*See* rule 37(2)]

Application for approval of agricultural extension project under section 47(1)(a)

Row No.	PART A- Particulars of the applicant		
1.	Name of the applicant	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Date of incorporation of the company/partnership firm/proprietary concern	*(dd/mm/yyyy)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number

Row No.	PART B- Particulars of the agricultural extension project			
1.	If the agricultural extension project was notified earlier under section 47(1)(a) or under section 35CCC(1) of the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal), please provide:	Notification number		
		Date of such notification		*(dd/mm/yyyy)*
		Copy of such notification		*(refer Note 3)*
2.	If notification issued under section 47(1)(a) or under section 35CCC(1) of the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) was revoked in the past	Notification number		
		Date of such notification		*(dd/mm/yyyy)*
		Copy of such notification		*(refer Note 3)*
3.	Nature of business of the applicant			
4.	Date from which notification of agricultural extension project is requested for	*(dd/mm/yyyy)*		
5.	Expected date of completion of project	*(dd/mm/yyyy)*		
6.	Amount, if any, proposed to be charged from each beneficiary of agricultural extension project	Sl. No.	Name of beneficiary	Amount to be charged
		(i)		
		(ii)		
		(Repeat, if required)		
7.	Whether the agricultural extension project approved by Ministry of Agriculture, Government of India	*(Yes/No)* *(If yes, refer Note 3)*		

8. Details of Return of Income of the applicant filed for last three tax years

Tax year	Turnover/gross receipts	Total income	Tax payable as per return	Tax paid as per return	Assessed income

9.	Whether any penalty under section 439 or under section 270A of the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) was levied on the applicant during last three tax years	*(Yes/No)*	
10.	If answer to 9 is Yes, details of the penalty levied	Tax year	Penalty levied
11.	Whether any tax demand is outstanding on the date of filing application.	Yes/No	
12.	If answer to 11 is Yes, details of the tax demand	Tax year	Tax demand outstanding

	outstanding		
13.	Other details to be enclosed as annexure	*(refer Note 3)*	

DECLARATION

I ……. (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) of …… (name of the assessee), do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature

Date:

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. The following details shall be provided as annexures with respect to the relevant Row No. of PART- B as mentioned below:

<table>
<tr><th>Annexure</th><th>With respect to</th><th>Particulars</th></tr>
<tr><td>A-1</td><td>Row No. 1</td><td>A copy of latest notification</td></tr>
<tr><td>A-2</td><td>Row No. 2</td><td>A copy of the order(s) revoking notification(s)</td></tr>
<tr><td>A-3</td><td>Row No. 7</td><td>A copy of letter obtained from the Ministry of Agriculture, Government of India</td></tr>
<tr><td>A-4</td><td>Row No. 13</td><td>(i) A copy of Memorandum and Article of Association, if applicable
(ii) Give a brief write up on the requirement of agricultural extension project indicating the objectives of the project, stages of implementation, expected results and usefulness of the Project.
(iii) Details of expenditure (other than land or building) expected to be incurred for agricultural extension project
(a) capital expenditure and
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Nature of expenditure</th><th>Amount</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(b) revenue expenditure

Sl. No.	Nature of expenditure	Amount
Total		

(c) Total expenditure

(iv) Agricultural extension project undertaken by the applicant during last five tax years, if any along with their current status

(v) Details of agricultural extension project which have been taken up in past and which are underway on the date of filing of application

(vi) Enclose copy of audited annual accounts of the assessee/accounts of the assessee for the last three tax years

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 21

[*See* rule 37(7)]

Form for notification of agricultural extension project under section 47(1)(a)

<table>
<tr><td>Sl. No.</td><td colspan="3">Particulars of the applicant</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Name of the applicant</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Address</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Permanent Account Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Reference No. of the application</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Date of the application</td><td colspan="2">(dd/mm/yyyy)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Details of the agricultural extension project</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Title</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Purpose</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Date of commencement of the project</td><td colspan="2">dd/mm/yyyy</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Duration of the project in months</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Tax year(s) for which the project is being notified</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Total expenses likely to be incurred for the project (other than cost of land or building) (in ₹)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Amount, if any, to be charged from each beneficiary of the project</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">13.</td><td rowspan="4">Conditions, if any, subject to which the project is notified</td><td>Sl. No.</td><td>Condition</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(Repeat, if required)</td></tr>
</table>

Place: Signature

Date:

Name:

Designation:

Copy to:

(1) The applicant.
(2) Ministry of Agriculture, Government of India
(3) Commissioner of Income-tax
(4) The Department of Agriculture of the concerned State
(5) The Agriculture Technology Management Agency (ATMA) of the concerned District(s).

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

FORM NO. 22

[*See* rule 39(2)]

Application for approval of skill development project under section 47(1)(b)

Row No.	PART A- Particulars of the company		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Date of incorporation of the company	*(dd/mm/yyyy)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number

Row No.	PART B- Particulars of the skill development project		
1.	If the skill development project was notified earlier under section 47(1)(b) or under section 35CCD of the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal), please provide:	Notification number	
		Date of such notification	*(dd/mm/yyyy)*
		Copy of such notification	*(refer Note 3)*
2.	If notification issued under section 47(1)(b) or under section 35CCD of the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) was revoked in the past	Notification number	
		Date of such notification	*(dd/mm/yyyy)*
		Copy of such notification	*(refer Note 3)*
3.	Nature of business of the company		
4.	Date from which notification of skill development project is requested for	*(dd/mm/yyyy)*	
5.	Expected date of completion of project	*(dd/mm/yyyy)*	
6.	Name of the training institute in which the skill development project is to be undertaken	*(refer Note 1)*	
7.	Address of the training institute in which the skill development project is to be undertaken	*(refer Note 2)*	
8.	Details of Return of Income of the company filed for last three tax years		

Tax year	Turnover/gross receipts	Total income	Tax payable as per return	Tax paid as per return	Assessed income

9.	Whether any penalty under section 439 or under section 270A of the Income-tax Act, 1961 (as it existed prior to its repeal) was levied on the company during last three tax years	Yes/No	
10.	If answer to 9 is Yes, details of the penalty levied	Tax year	Penalty levied
11.	Whether any tax demand is outstanding on the date of filing application.	Yes/No	
12.	If answer to 11 is Yes, details of the tax demand outstanding	Tax year	Tax demand outstanding (in ₹)
13.	Other details to be enclosed as annexure	*(refer Note 3)*	

DECLARATION

I ……. (name of the principal officer) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) of …… (name of the assessee), do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: ……

Date: ……

Signature of the Principal Officer

Name:

Designation:

Notes:

1. Name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. The following details shall be provided as annexures with respect to the relevant Row No. of PART- B as mentioned below:

<table>
<tr><th>Annexure</th><th>With respect to</th><th>Particulars</th></tr>
<tr><td>A-1</td><td>Row No. 1</td><td>A copy of latest notification</td></tr>
<tr><td>A-2</td><td>Row No. 2</td><td>A copy of the order(s) revoking notification(s)</td></tr>
<tr><td>A-3</td><td>Row No. 13</td><td>(i) A copy of Memorandum and Article of Association
(ii) Give a brief write up on the requirement of skill development project indicating the objectives of the project, stages of implementation, expected results and usefulness of the project.
(iii) Details of expenditure (other than land or building) expected to be incurred for skill development project.
(a) capital expenditure
<table>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Nature of expenditure</td><td>Amount</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr>
</table>
(b) revenue expenditure
<table>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Nature of expenditure</td><td>Amount</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr>
</table>
(c) total expenditure:
(iv) Skill development project undertaken by the applicant during last five tax years, if any along with their current status.
(v) Details of skill development project which have been taken up in past and which are underway on the date of filing of application.
(vi) Enclose copy of audited annual accounts of the assessee/accounts of the assessee for the last three tax years.
(vii) Enclose a copy of letter of concurrence from the training institute in which the skill development project is to be undertaken.</td></tr>
</table>

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

5. The Form has to be filled electronically and copy of the filled Form has to be submitted to the concerned prescribed authority either electronically or in paper form.

6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 23

[*See* rule 39(11)]

Form for notification of skill development project under section 47(1)(b)

Sl. No.	**Particulars of the company**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Reference No. of the application		
5.	Date of the application	*(dd/mm/yyyy)*	
Details of the skill development project			
6.	Title		
7.	Purpose		
8.	Particulars of training institute	Name	
		Address	
9.	Date of commencement of the project	*(dd/mm/yyyy)*	
10.	Duration of the project in months		
11.	Tax year(s) for which the project is being notified		
12.	Total expenses likely to be incurred for the project (other than cost of land or building)		
13.	Conditions, if any, subject to which the project is notified	Sl. No.	Condition
		(i)	
		(ii)	
		(Repeat, if required)	

Place: Signature

Date:

Name:

Designation:

Copy to:

(1) The applicant.
(2) Training institute
(3) National Skill Development Agency.
(4) Commissioner of Income-tax

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 24

[*See* rule 43]

Audit Report under section 59 for computation of royalty and fee for technical services in the case of non-resident (not being a company) or a foreign company

1. I have examined the accounts and records of …….. (name, address and Permanent Account Number of the assessee) relating to the business of the *permanent establishment/fixed place of profession in India during the tax year ended on the 31st day of March, ……

2. I have obtained all the information and explanations which, to the best of my knowledge and belief, were necessary for the purposes of the audit and for ascertaining the amount of income by way of *royalty/fees for technical services earned by the assessee.

3. I certify that the right or property or contract in respect of which *royalty/fees for technical services is paid is effectively connected with the *permanent establishment/fixed place of profession in India.

4. I certify that the income by way of *royalty/fees for technical services under section 59 in respect of the concerned tax year is ₹ ……..

The information relating to the income by way of *royalty/fees for technical services is given in the Annexure to this Form. In my opinion and to the best of my information and according to the information given to me, the particulars given above are true and correct.

Signature

Place:

(Accountant)

Date: Name of the Accountant:

Member Registration Number:

Permanent Account Number:

Unique Document Identification Number (UDIN), if any:

Name of the proprietorship/ firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.
2. This report is to be given by an accountant as referred to in section 515(3)(b).
3. Where any matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefore.

Annexure

Part A: Particulars of the assessee			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Tax year		

Part B: Details relating to income by way of royalty or fees for technical services					
1.	Address of the permanent establishment/ fixed place of profession in India		*(refer Note 2)*		
2.	Nature of business or profession				
3.	List of books of accounts maintained (including those maintained at computer system) in respect of permanent establishment/ fixed place of profession in India				
4.	(a)	Address at which such books of accounts are maintained (if maintained at multiple locations, provide details of all such locations) in respect of permanent establishment/ fixed place of profession in India	Sl. No.	Address at which books of accounts are maintained	List of books of accounts maintained at such address
	(b)	The accounting software used for maintenance of books of accounts in computer system in respect of permanent establishment/ fixed place of profession in India			
	(c)	Details of any cloud or any other software used for storage of books of accounts in respect of permanent establishment/ fixed place of profession in India			
5.	Method of accounting employed in the tax year				
6.	Whether there has been any change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding tax year		*Yes/No*		
7.	If answer to 6 is Yes, give details of such change, and the effect thereof on the profit or loss.		*(refer Note 3)*		
8.	Date of agreement with Government of India or Indian concern *(refer Note 3)*		*dd/mm/yyyy*		
9.	Details of the intangible property such as know-how, copyrights, patents, etc., for use in respect of which or the contract in respect of which royalty/fees for technical services is payable		*(refer Note 3)*		
10.	Details of the payer:				
	(a)	Name	*(refer Note 1)*		
	(b)	Address	*(refer Note 2)*		
	(c)	Whether it is an associated enterprise	*Yes/No*		
11.	Is royalty/fees for technical services payable in lumpsum or on other basis				
12.	Rate at which royalty/fees for technical services is payable				
13.	Amount payable for royalty/fees for technical services				
14.	Details of activity of the permanent establishment/fixed place of profession in India		*(refer Note 3)*		
15.	Nature of connection of the right or property or contract in respect of royalty/fees for technical services with the permanent establishment/fixed place of profession in India				
16.	Details of expenditure or allowance which is not wholly and exclusively incurred for the business of the permanent establishment or fixed place of profession in India				
	(a)	Nature of expenditure or allowance			
	(b)	Amount of expenditure or allowance			
17.	Head-wise details of head office expenditure or allowance allocable to the permanent establishment /fixed place of profession in India				
	(a)	Head of expenditure or allowance			
	(b)	Amount of expenditure or allowance allocable to permanent establishment/fixed place of profession in India			
18.	Details of reimbursement of actual expenses by the permanent establishment/fixed place of profession in India to head office or any of its other offices				
	(a)	Nature of expenses reimbursed			
	(b)	Amount of expenses reimbursed			
	(c)	Address of the office to which reimbursement made			

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. The following details shall be provided with respect to the mentioned Row No. as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part B of Annexure (Row No. 7)	Details of change in the method of accounting employed and the effect thereof on the profit or loss.
A-2	Part B of Annexure (Row No. 8)	Enclose a copy of the agreement.
A-3	Part B of Annexure (Row No. 9)	A note on the intangible property such as know-how, copyrights, patents, etc., for use in respect of which or the contract in respect of which royalty/fees for technical services is payable
A-4	Part B of Annexure (Row No. 14)	A note on the activity of the permanent establishment/fixed place of profession in India

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 25
[*See* rule 46(6)(i)]

Form of daily case register

[To be maintained by practitioners of any system of medicine, i.e., physicians, surgeons, dentists, pathologists, radiologists, vaids, hakims, etc.]

Date	Sl. No	*Patient's name*	*Nature of professional services rendered, e.g.-,* *general consultation, surgery, injection, visit, etc.*	*Fees received*	*Date of receipt*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM NO. 26
[*See* rule 47]

Audit report and Statement of particulars required to be furnished under section 63

Category of assessee (select one)

o (i) A person who carries on business or profession and who is required by or under any other law to get his accounts audited (in such cases, fill Parts A, B and C)
o (ii) A person who carries on business or profession, but not being the person referred to in (i) above (in such cases, fill Parts A, B and D)

PART A

Audit report under section 63, in a case where the accounts of business or profession of a person have been audited under any other law

1. I report that the statutory audit of ……. (name of assessee) was conducted by me/M/s …… in pursuance of the provisions of the ……. Act.

2. I annex hereto a copy of my/their audit report dated ……. along with a copy of each of :-
(*a*) the audited *profit and loss account/income and expenditure account and notes to accounts for the period beginning from ……. to ending on ……..
(*b*) the audited balance sheet and notes to accounts as at, ……; and
(*c*) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.

3. Impact of statutory audit qualifications
(a) Whether any observations/qualifications/adverse remark/disclaimer/emphasis of matter has been made by the statutory auditor which would result in variation in income or loss or book profit (Yes/No)
(b) If yes, effect of such observations/qualifications/adverse remark/disclaimer/emphasis of matter in income or loss or book profit, which has not been considered in particulars filed in Part D of Form No. 26

Sl. No.	Nature of observation/qualifications/adverse remark/disclaimer/emphasis of matter	Increase in profit/decrease in loss	Decrease in profit/increase in loss	Net impact	Remarks

4. The statement of particulars required to be furnished under section 63 is annexed herewith in Part D of Form No. 26

5. In my opinion and to the best of my information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to me, the particulars given in Part D of Form No. 26 are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:

Select Clause no. (9-53)	Qualification/Observation type	Qualification/Observation
	(i) Test-check basis, applying the principle of materiality (ii) Based on management representation (iii) Unable to verify	

	(iv) Others	

Place:

Signature

Date:

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number(UDIN), if any:

Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. This report has to be signed by an accountant as defined in section 515(3)(b).
2. Where any of the requirements in this Form is answered in the negative or with qualification, give reasons therefor.
3. Whenever the assessee is required to furnish an audit report under any other section of the Income-tax Act, 2025, the auditor conducting audit for the purpose of section 63, shall give due consideration to the report of such other audit while finalising this report.
4. * Delete whichever is not applicable.
5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

PART B

Audit report under section 63, in the case of a person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 47

1. I have examined the balance sheet as on, ……, and the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning from ……..…to ending on ……., attached herewith, of the assessee.

2. I certify that the balance sheet and the *profit and loss account /income and expenditure account and notes to account are in agreement with the books of account maintained at the head office at ……and **……branches.

3. (a) I report the following observations/comments/discrepancies/inconsistencies; if any:

……..

(b) Impact of audit qualifications

(a) Whether any observations/qualifications/adverse remark/disclaimer/emphasis of matter has been made which would result in variation in income or loss or book profit: (Yes/No)

(b) If yes, effect of such observations/qualifications/adverse remark/disclaimer/emphasis of matter in income or loss or book profit, which has not been considered in particulars filed in Part D of Form No. 26

Sl. No.	Nature of observation/qualifications/adverse remark/disclaimer/emphasis of matter	Increase in profit/decrease in loss	Decrease in profit/increase in loss	Net impact	Remarks

(c) Subject to above, -

(A) I have obtained all the information and explanations which, to the best of my knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit.

(B) In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and branches of the assessee so far as appears from my examination of the books.

(C) In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the said accounts, read with notes thereon, if any give a true and fair view:-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of the affairs of the assessee as at 31st March;
and

(ii) in the case of the *profit and loss account/income and expenditure account of the*profit/loss or *surplus/deficit of the assessee for the year ended on that date.

4. The statement of particulars required to be furnished under section 63 is annexed herewith in Part D of Form No. 26

5. In my opinion and to the best of my information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to me, the particulars given in Part D of Form No. 26 are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:

Select Clause no (9-53)	Type of Observation (i) Test-check basis, applying the principle of materiality (ii) Based on management representation (iii) Unable to verify (iv) Others	Remarks

Place:
Date: Signature

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number(UDIN), if any:

Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. This report has to be signed by an accountant as per section 515(3)(b).
2. Where any of the requirements in this Form is answered in the negative or with qualification, give reasons therefor.
3. Whenever the assessee is required to furnish an audit report under any other section of the Income-tax Act, 2025, the auditor conducting audit for the purpose of section 63, shall give due consideration to the report of such other audit while finalising this report.

4. ** Mention the total number of branches.
5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Part C: Particulars of the assessee			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential status	*(refer Note 4)*	
6.	Email id		
7.	Contact number	Country Code	Number
8.	Tax year		

Part-D

	A-General Information				
9.	Relevant provision under which the audit has been conducted *(select one)*	☐ total sales, turnover or gross receipts of business exceeding specified limits under section 63 ☐ gross receipts in profession exceeding specified limits under section 63 ☐ profits and gains from specified business or profession, referred to in section 58(*2*) or 61(*2*) (Table: Sl. No. 4 and 5) claimed to be lower than the deemed profits ☐ provisions of section 58(8) are applicable			
10.	Whether the assessee has opted for taxation under section 199/200/201/202/203/204	*Yes/No*			
11.	(a) If assessee is a firm or an association of persons, indicate names of partners/members, Permanent Account Numbers and their profit-sharing ratios.	Sl. No.	Name of partner/ member	Permanent Account Number	Profit-sharing ratio
	(b) Whether there is any change in the partners or members or in their profit-sharing ratio since the last date of the preceding tax year?	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule – General Information)*			
12.	(*a*) Furnish nature of all businesses or professions carried on during the tax year *(Refer Schedule – General Information)*				

	(b) Whether there is any change in the nature of business or profession during the tax year?	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule – General Information)*
	(c) Whether any cost audit was carried out for the tax year?	*Yes/No*
	if yes- (i) attach copy of such audit report	
	(ii)Impact, if any, of disqualification/disagreement on any matter/item/value/quantity	*(Refer Schedule – General Information)*

(d) Furnish particulars regarding turnover, gross profit etc., for tax year and preceding tax year

Sl. No.	**Particulars**	**Tax year**	**Preceding tax year**
(A)	(B)	(C)	(D)
(i)	Total turnover		
(ii)	Gross profit/Turnover		
(iii)	Net profit/Turnover		
(iv)	Stock-in-trade/Turnover		
(v)	Material consumed/Finished goods produced		

B - Particulars of books of account and method of accounting

13.	List of books of account maintained (including those maintained in computer system)			
14.	(a) Address at which such books of account are maintained (if maintained at multiple locations, furnish particulars of all such locations)	Sl. No.	Address at which books of account are maintained	List of books of account maintained at such address
	(b)The accounting software used for maintenance of books of account in computer system			
	(c) Details of any cloud or any other software used for storage of books of accounts, along with location (internet protocol address and country) of such storage			
	(d) Whether provisions of rule 46(8) have been complied with?	*Yes/No*		
	(e) if yes, furnish address of location where backup server is located in India			
15.	(a) Method of accounting employed in the tax year	• Mercantile system • Cash system		

	(b) Whether there had been any change in the method of accounting employed *vis-à-vis* the method employed in the immediately preceding tax year?	*Yes/No* If yes, *(Refer Schedule – Accounting Information)*
16.	(a) Method of valuation of inventory employed in the tax year for (i) Finished goods (ii) Raw material	• At Cost • At Net Realisable Value • Lower of Cost and Net Realisable Value
	(b) In case of deviation from the method of valuation prescribed under section 277, whether any adjustment is required to be made to the profits or loss for complying with the provisions of said section	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Accounting Information)*
17.	Whether any adjustment is required to be made to the profits or loss for complying with the provisions of Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) notified under section 276(2)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Accounting Information)*
18.	Whether any disclosure is required as per ICDS	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Accounting Information)*
19.	Whether the profit and loss account includes any profits and gains assessable on presumptive basis	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Accounting Information)*

C - Particulars of receipt/income		
20.	Amount chargeable to income-tax under the head 'income from other sources' as per section 92(2)(m) but not credited to profit & loss account	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of receipt/income)*
21.	Amounts chargeable to income-tax (other than covered in Sl. No. 20 above) but not credited to profit & loss account	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of receipt/income)*
22.	Any capital asset converted into stock-in-trade	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of receipt/income)*
23.	Any land or building or both transferred during the tax year for a consideration less than stamp duty value as referred to in section 53 or 78	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of receipt/income)*
24.	Any amount borrowed through a negotiable instrument or on a hundi which is deemed income as per section 106	*Yes/No* *If yes, amount*
25.	Any amount repaid (including interest on borrowed amount) through a negotiable instrument or on a hundi, which is deemed income as per section 106	*Yes/No* *If yes, amount*

D - Particulars of expenses		
26.	Amount of deduction inadmissible in respect of the expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income under the Act, even if such income has not been accrued or received during the tax year?	*Yes/No* *If yes, amount*
27.	Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable—	
	(a) under sections 29, 31 & 32	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of Expenses)*
	(b) under section 29(1)(e)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of Expenses)*
	(c) under section 34	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of Expenses)*
	(d) under section 35	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of Expenses)*
28.	Any penalty levied under any law in force in or outside India	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*
29	Whether any payment has been made or to be made to a specified person as mentioned in section 36(3)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*
30	Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36(4)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*
31	Amounts debited to profit and loss account in any preceding tax year which is deemed to be income under section 36(5) for this tax year	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*
32	(a) Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable as per provisions of section 37(2)(a) to 37(2)(f)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*
	(b) Amounts disallowed under section 37(2)(a) to 37(2)(f) in any preceding tax year but allowable during the tax year	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*

33.	(a) Amount of interest not allowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act) (27 of 2026) to the extent debited to profit and loss account	*Yes/No* *If yes, amount*
	(b) Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37(2)(g)	*Yes/No* *If yes, amount*
	(c) Amount disallowed under section 37(2)(g) in any preceding tax year but allowable during the tax year	*Yes/No* *If yes, amount*
34.	Amount allowable as deduction under various sections	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Computation of expenses)*

E - Particulars of Prior Period		
35.	(a) Any amount of income of prior period credited to the profit and loss account	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Prior Period)*
	(b) Any amount of expenditure of prior period debited to the profit and loss account	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Prior Period)*

F - Particulars of Losses, Depreciation, and Deductions		
36.	Depreciation allowable as per the Act in respect of each asset or block of assets, as the case may be	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Losses, Depreciation and Deductions)*
37.	(a) Any brought forward loss or depreciation allowance	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Losses, Depreciation and Deductions)*
	(b) (i) Whether a change in shareholding of the company has taken place during the tax year due to which the losses incurred prior to the tax year, cannot be allowed to be carried forward as per section 119?	*Yes/No*
	(ii) If yes, mention amount of brought forward loss that can not be allowed to carried forward	
	(c) Whether the assessee has incurred any speculation loss as per section 113(1) during the tax year?	*Yes/No* *If yes, amount*
	(d) In case of a company, whether the company is deemed to be carrying on a speculation business as per section 113(5)?	*Yes/No* *If yes, amount of speculation loss incurred during tax year, if any*
	(e) Whether the assessee has incurred any loss as per section 114 in respect of any specified business during the tax year?	*Yes/No* *If yes, amount*

38.	Any deductions admissible under Chapter VIII of the Act	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Losses, Depreciation and Deductions)*
39.	Any utilisation of MAT/AMT credit available	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Losses, Depreciation and Deductions)*

G - International Taxation		
40.	Any primary adjustment to transfer price, as per section 170(1), has been made during the tax year?	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – International Taxation)*
41.	(a) Any expenditure incurred during the tax year by way of interest etc exceeding the specified limit as per section 177(1)?	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – International Taxation)*
	(b) Any interest expenditure brought forward as per section 177(5)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – International Taxation)*
	(c) Any interest expenditure carried forward as per section 177(5)	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – International Taxation)*
42.	Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable as per section 60	*Yes/No* *If yes, amount*
43.	Any remittances reported in Part-D of Form 145 during the tax year	Yes/No If yes, (Refer Schedule – International Taxation)

H - Other Key Parameters		
44	Any amount not to be included as income chargeable under the head 'income from other sources' as per section 92(2)(m)?	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*
45	(a) Whether any loan, deposit or specified sum taken or accepted during the tax year in excess of limit specified in section 185(1)?	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*
	(b) Whether there was any receipt of amount in excess of limit specified in section 186(1) during the tax year, where such receipt is otherwise than by modes specified in said section?	*Yes/No,* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*

	(c) Whether there was any payment of amount in excess of limit specified in section 186(1) during the tax year, where such payment is otherwise than by modes specified in said section?	*Yes/No,* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*
	(d) Whether there was any repayment of any loan, deposit or specified advance during the tax year, in excess of limit specified in section 188(1), where such repayment is otherwise than by modes specified in said section?	*Yes/No,* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*
46.	Whether the assessee is required to furnish a statement in Form No. 98 or Form No. 165 or Form No. 166 or Form No. 167?	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*
47.	Any transactions in unquoted share	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*
48.	Whether the assessee has paid any amount as advance or loan as per section 2(40)(e)?	*Yes/No* *If yes, (Refer Schedule – Other Key Parameters)*

I - Particulars of TDS/TCS		
49.	Furnish all Tax deduction and collection account numbers (TAN) held by the assessee	
50.	(a) Whether the assessee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XIX-B of the Act	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule TDS/TCS)*
	(b) Whether the assessee is required to furnish the statement of tax deducted or tax collected?	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule TDS/TCS)*
	(c) Whether the assessee is liable to pay interest under section 398(3)(a)?	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule TDS/TCS)*
51.	(a) Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 35(b)(i)	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule TDS/TCS)*
	(b) Any amount disallowed under section 35(b)(i) in any preceding tax year but allowable during the tax year	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule TDS/TCS)*
	(c) Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 35(b)(ii)	*Yes/No* *If yes- (Refer Schedule TDS/TCS)*
	(d) Any amount disallowed under section 35(b)(ii) in any preceding tax year but allowable during the tax year	*Yes/No* *If yes (Refer Schedule – TDS/TCS)*

J - Particulars of indirect taxation		
52.	Whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, goods and service tax, GST, customs duty, etc.?	*Yes/No.* *(a) If* yes, *(Refer Schedule - GST)* *(b)* Furnish break-up of expenditure incurred during the year as under *(Refer Schedule - GST)*

K - Quantitative Details		
53.	(a) Whether the assessee has a trading unit	*Yes/No,* *if yes (Refer Schedule – Quantitative Details)*
	(b) Whether the assessee has a manufacturing concern	*Yes/No,* *if yes (Refer Schedule – Quantitative Details)* (i) for raw materials (ii) for finished products, by-products, and scrap

Place:

Signature

Date:

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number(UDIN), if any:

Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Area/locality, vi. District, vii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) association of persons, whether incorporated or not (vi) body of individuals, whether incorporated or not (vii) local authority (viii) artificial juridical person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. This report has to be signed by an accountant as per section 515(3)(b).
6. Where any of the requirements in this Form is answered in the negative or with qualification, give reasons therefor.
7. Whenever the assessee is required to furnish an audit report under any other section of the Act, the auditor conducting the audit for the purpose of section 63, shall give due consideration to the report of such other audit while finalising this report.
8. The code for the nature of amount/ receipt/repayment is as below –

S. No	Nature of amount or receipt or repayment	Code
(A)	**(B)**	**(C)**
(i)	Cash payment	A
(ii)	Cash receipt	B

(iii)	Payment through non-account payee cheque	C
(iv)	Receipt through non-account payee cheque	D
(v)	Transfer of asset	E
(vi)	Transfer of liability	F
(vii)	Conversion of assets	G
(viii)	Conversion of liabilities	H
(ix)	Journal entry [Debit]	I
(x)	Journal entry [Credit]	J
(xi)	Any other mode [Debit]	K
(xii)	Any other mode [Credit]	L

9. Amounts shall be in ₹, unless otherwise provided.
10. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.

Schedule – General Information

11. (b) Particulars of changes in members/partners or profit-sharing ratio

Sl. No.	**Date of change**	**Name of partner/member**	**Permanent Account Number**	**Type of change**	**Old Profit-Sharing Ratio (%)**	**New Profit-Sharing Ratio (%)**	**Remarks**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)

12. (a) Nature of businesses / professions

Sl. No.	**Code**	**Description**
(A)	(B)	(C)

12. (b) Particulars of Change in nature of businesses/professions

Sl. No.	**Nature of Change**	**Code**	**Description**
(A)	(B)	(C)	(D)

12 (c)(ii) Impact of disagreement/disqualification in cost audit

Sl. No.	**Particulars**	**Increase in Profit/ Decrease in Loss**	**Decrease in Profit/Increase in Loss**	**Net effect**	**Remarks**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

Schedule – Accounting Information

15. (b) Particulars of Change in method of accounting

Sl. No.	Particulars	Increase in Profit/ Decrease in Loss	Decrease in Profit/Increase in Loss	Net effect	Remarks
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

16. (b) Particulars of change in method of valuation of inventory

Sl. No	Section	Increase in Profit/ Decrease in Loss	Decrease in Profit/ Increase in Loss	Net Effect	Remarks
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
(i)	277(1)(i)				
(ii)	277(1)(ii)				
(iii)	277(1)(iii)				
(iv)	277(1)(iv)				

17. Particulars of ICDS adjustments

ICDS	Description	Increase in Profit/Decrease in Loss (Amount)	Decrease in Profit / Increase in Loss (Amount)	Net effect (Amount)	Remarks
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ICDS I	Accounting Policies				
ICDS II	Valuation of Inventories [other than the effect of change already reported in 16(b)]				
ICDS III	Construction Contracts				
ICDS IV	Revenue Recognition				
ICDS V	Tangible Fixed Assets				
ICDS VI	Changes in Foreign Exchange Rates				
ICDS VII	Governments Grants				
ICDS VIII	Securities [other than the effect of change already reported in 16(b)]				
ICDS IX	Borrowing Costs				

ICDS X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets				
	Total				

18. Disclosure as per ICDS

Sl. No	**ICDS**	**Disclosure**
(A)	(B)	(C)
(i)	ICDS I-Accounting Policies	
(ii)	ICDS II-Valuation of Inventories	
(iii)	ICDS III-Construction Contracts	
(iv)	ICDS IV-Revenue Recognition	
(v)	ICDS V-Tangible Fixed Assets	
(vi)	ICDS VII-Governments Grants	
(vii)	ICDS IX-Borrowing Costs	
(viii)	ICDS X-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	

19. Particulars of profits and gains assessable on presumptive basis

Sl. No.	**Section**	**Profits and gains on presumptive basis**
(A)	(B)	(C)

Schedule – Computation of receipt/income

20. Particulars of amounts chargeable to income-tax but not credited to profit & loss account:

Sl. No.	Section	Description	Amount not credited to profit & loss account
(A)	(B)	(C)	(D)
(i)	2(40)(e)	Deemed dividend	
(ii)	2(40)(f)	Payment on buy back of shares	
(iii)	26 *[other than amount already covered in 16(b)]*	Amount chargeable to income-tax	
(iv)	38	Deemed Profits and Gains	
(v)	48 read with schedule IX	Deemed profit and gains (Tea	

		Development Account etc)	
(vi)	49 read with schedule X	Deemed profit and gains (Site Restoration Fund)	
(vii)	92(2)(h)	Advance Forfeiture	
(viii)	92(2)(k)	Amount received from business trust	
(ix)	278(1)	Interest on compensation or enhanced compensation	
(x)	278(2)	Escalation of price or export incentive	
(xi)	277(3) read with section 2(49)(w)	Subsidy, grant etc.	
(xii)	-	Other item of income, if any	
(xiii)	-	Capital receipt, if any	

21. Particulars of amount chargeable to income-tax under section 92(2)(m) but not credited to profit & loss account:

Sl. No.	**Type of Asset**	**Details of Asset**	**Name of Transferor/ Payer**	**PAN of transferor/ Payer**	**Consideration paid**	**Amount includible as income under section 92(2)(m)**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(H)	(I)

22. Particulars of capital assets converted into stock-in-trade

Sl. No.	**Description of capital asset**	**Date of acquisition**	**Cost of acquisition**	**Amount at which the asset is converted into stock-in trade**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

23. Particulars of transfer of property below assessable value

Sl. No.	**Type of Asset** *(land/ building/ land and building both)*	**Address of the transferred property**	**Share in the transferred property**	**Consideration received or accrued**	**Stamp duty value**	**Whether provisions of section 53 or 78 applicable (sec. 53/sec. 78)**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

Schedule – Computation of Expenses

27(a) Particulars of amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under sections 29, 31 & 32, etc

Sl. No.	Section	Description	Amount disallowable as deduction
(A)	(B)	(C)	(D)
(i)		Amount paid by assessee as employer:	
(a)	29(1)(a)	as contribution towards recognised provident fund or an approved superannuation fund	
(b)	29(1)(b) read with section 124	as contribution towards a pension scheme	
(c)	29(3)	for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution	
(ii)	32(a)	Amount paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such amount was otherwise payable to him as profits or dividend	
(iii)	29(2)	Provision made for payment of gratuity to the employees on their retirement or termination for any reason	
(iv)	31(1)	Provision for bad and doubtful debt	
(v)	31(2)	Amount of bad debt or part of it	
(vi)	32(b)	Interest on capital borrowed for acquisition of asset	
(vii)	32(d)	Pro rata amount of discount on a zero-coupon bond	
(viii)	32(e)	Amount carried to a special reserve created and maintained by a specified entity	
(ix)	32(h)	Marked to market loss or other expected loss	
(x)	32(i)	Expenditure bona fide incurred by a company for the purpose of promoting family planning amongst its employees	
(xi)	-	Liability of a contingent nature	

27(b) Particulars of amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 29(1)(e)

Sl. No.	Nature of Fund (ESI/PF/Others)	Amount disallowable as deduction
(A)	(B)	(C)

27 (c) Particulars of amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 34

Sl. No.	Description	Amount disallowable as deduction
(A)	(B)	(C)
(i)	Capital expenditure	
(ii)	Personal expenditure	
(iii)	Advertisement expenditure in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like published by a political party	
(iv)	Expenditure incurred at clubs being -	

	(a) entrance fees and subscriptions	
	(b) cost for club services and facilities used	
(v)	Expenditure incurred for -	
	(a) any purpose which is an offence under, or is prohibited by, any law in force in or outside India	
	(b) providing a benefit or perquisite as per section 34(3)(b)	
	(c) compounding an offence under any law in force in or outside India	
	(d) settling proceedings initiated in relation to contravention under any law notified by the Central Government in this behalf	
	(e) any other purpose of such nature	
(vi)	Expenditure incurred on the activities relating to corporate social responsibility as per section 135 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	
	Total	

27 (d) Particulars of amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 35

Sl. No.	**section**	**Description**	**Amount disallowable as deduction**
(A)	(B)	(C)	(D)
(i)	35(a)	Tax paid on income, or by employer, or in any other country for which relief is eligible	
(ii)	35(b)(iii)	Payment to a provident or other fund established for the benefit of employees of the assessee	
(iii)	35(c)	Payment chargeable under the head "Salaries," payable outside India or to a non-resident	
(iv)	35(d)	Amount paid by way of royalty, license fee, etc. which is levied on or which is appropriated, direct or indirectly, from a State government undertaking by the State Government	
(v)	35(e)	Expenditure incurred by a firm in the nature of remuneration to a partner	
(vi)	35(f)	Expenditure incurred by an association of persons or a body of individuals to a member	

28. Particulars of penalty levied under any law in force in or outside India

Sl. No	**Law under which penalty levied**	**section**	**Amount of penalty**
(A)	(B)	(C)	(D)

29. Particulars of payments made / payable to specified persons under section 36(3)

Sl. No	Name	Permanent Account Number	Relation with assessee	Nature of transaction	Amount debited to profit & loss account
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

30. Particulars of amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36(4)

Sl No.	Date of payment	Nature of payment	Amount disallowable as deduction	Name of the payee, if available	Permanent Account Number of the payee, if available	Aadhaar number of the payee, if PAN not available
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

31. Particulars of amounts deemed to be income under section 36(5)

Sl No.	Date of payment	Nature of payment	Amount	Name of the payee, if available	Permanent Account Number of the payee, if available	Aadhaar number of the payee, if PAN not available
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

32. (a) Particulars of amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under sections 37(2)(a) to 37(2)(f)

Sl. No.	Section	Nature of liability	Amount disallowable as deduction
(A)	(B)	(C)	(D)

32. (b) Amounts disallowed under sections 37(2)(a) to 37(2)(f) in preceding tax years and allowable during the tax year

Sl. No.	Section	Nature of liability	Amount allowable as deduction
(A)	(B)	(C)	(D)

34. Particulars of amounts allowable as deduction under sections:

(a) Furnish particulars

Sl. No.	Section	Amount debited to P&L account	Amount of deduction allowable	Deduction allowable in excess of the amount debited to P&L account (E=D-C)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(i)	45(1)(a)(i)			
(ii)	45(1)(a)(ii)			
(iii)	45(1)(b)			
(iv)	45(2)			
(v)	45(3)(a)(i)			
(vi)	45(3)(a)(ii)			
(vii)	45(3)(b)			
(viii)	45(3)(c)			
(ix)	47(1)(a)			
(x)	47(1)(b)			
(xi)	46			
(xii)	44			
(xiii)	51			
(xiv)	52(1)[Table: Sl. No. 1]			
(xv)	52(1)[Table: Sl. No. 2]			
(xvi)	52(1)[Table: Sl. No. 3]			
(xvii)	52(1)[Table: Sl. No. 4]			
(xviii)	any other relevant section			

(b) Furnish particulars

Sl. No.	section	Amount of deduction allowable
(A)	(B)	(C)
(i)	48 read with Schedule IX	
(ii)	49 read with Schedule X	

Schedule – Prior Period

35. (a) Particulars of income of prior period

Sl. No.	**Nature of income**	**Amount**	**Preceding tax year to which it relates to**
(A)	(B)	(C)	(D)

35. (b) Particulars of expenditure of prior period

Sl. No.	**Nature of expenditure**	**Amount of expenditure debited to profit & loss account**	**Preceding tax year to which it relates**	**Whether complete amount of such expenditure is allowable as deduction in this tax year** *(Yes/No)*	**If no, amount of expenditure allowable as deduction in this tax year**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

Schedule – Losses, Depreciation, and Deductions

36. Particulars of Depreciation allowable as per the Act:

Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)					
1	Block of assets	Plant and machinery			
2	Rate (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	Written down value on the first day of tax year				
4	Additions for a period of 180 days or more in the tax year				
5	Consideration or other realization during the tax year out of 3 or 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) *(enter 0, if result is negative)*				
7	Additions for a period of less				

	than 180 days in the tax year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 – 8) *(enter 0, if result is negative)*				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding tax year on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 33(3)(b) (*out of column 15*)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. *(out of column 17)*				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 74 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) *(enter negative only, if block ceases to exist)*				
21	Written down value on the last day of tax year (6+ 9 -15) *(enter 0, if result is negative)*				

Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)								
1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	Written down value on the first day of tax year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the tax year							
5	Consideration or other realization during the tax year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) *(enter 0, if result is negative)*							
7	Additions for a period of less than 180 days in the tax year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 – 8) *(enter 0, if result is negative)*							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 33(3)(b) (*out of column 12*)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. *(out of column 14)*							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							

17	Capital gains/ loss under section 74 (5 + 8 -3 - 4 -7 - 16) *(enter negative only, if block ceases to exist)*							
18	Written down value on the last day of tax year (6+ 9 - 12) *(enter 0, if result is negative)*							

37. (a) Particulars of brought forward loss and depreciation allowance

Sl. No.	**Tax year**	**Nature of loss or allowance**	**Amount as returned***	**Losses/ allowances not allowed under Section 200/202/203/204**	**Amount as adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting for taxation under section 202**	**Amount as assessed *(attach copy of relevant order)***	**Remarks**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)

*If the assessed depreciation or loss is less and no appeal pending, then take assessed depreciation or loss.

38. Particulars of deductions admissible under Chapter VIII of the Act

Section under which deduction is admissible	**Amount admissible**
(A)	(B)

39. Particulars of utilization of MAT/AMT credit

Sl. No.	**Tax year**	**Gross MAT/AMT credit***	**Set-off in earlier years**	**Balance brought-forward**	**MAT/AMT credit utilized during the tax year**	**Balance MAT/AMT credit carried forward**	**Remarks**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)

* Lower of credit as per Form 66 or 67 and assessed credit (if no appeal is pending)

Schedule – International Taxation

40. Particulars of primary adjustment

Sl. No.	Clause under which primary adjustment made	Amount	Whether excess money is required to be repatriated as per section 170(2)? *(Yes/ No)*	If yes, whether such excess money has been repatriated within the prescribed time *(Yes/No)*	If no, imputed interest income on such excess money	Expected date of repatriation of money
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

41. (a) Particulars of expenditure exceeding threshold

Amount of expenditure by way of interest or of similar nature incurred	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) during the tax year	Amount of expenditure by way of interest or of similar nature which exceeds 30% of EBITDA
(A)	(B)	(C)

41. (b) Particulars of interest expenditure brought forward

Tax Year	Amount
(A)	(B)

41. (c) Particulars of interest expenditure carried forward

Tax Year	Amount
(A)	(B)

43. Particulars of remittances reported in Part-D of Form No. 145 during the tax year

Sl. No.	Nature of remittance	Total number of transactions for such remittances	Total amount of remittances	Amount not chargeable to tax out of amount mentioned in (D)	Amount chargeable to tax out of amount mentioned in (D)
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**

Schedule – Other Key Parameters

44. Particulars of amounts not includible as income under section 92(2)(m)

Sl. No.	Type of Asset	Details of Asset	Name of Transferor / Payer	PAN of transferor / Payer	Relationship with assessee	Nature of transaction	Consideration paid	Amount not includible under section 92(2)(m)	Reason
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**

45. (a) Particulars of all loan/deposit/specified sum accepted or taken in excess of limit under section 185(1)

Sl. No.	**Nature of transaction** *(Loan/ Deposit/ Specified sum)*	**Name of payer**	**Permanent Account Number of payer**	**Aadhaar number of payer** *(if available)*	**Amount taken or accepted**	**Whether accepted through modes as per section 185(1)** *(Yes/No)*	**Whether squared up during the year** *(Yes/No)*	**Maximum amount outstanding at any time during the tax year**	**Code of the nature of transaction** *(refer Note 8)*
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)		(H)	(J)

45. (b) Particulars of receipt in excess of limit specified in section 186 where such receipt is otherwise than by modes specified in said section

Sl. No.	**Name of payer**	**Permanent Account Number of payer**	**Aadhaar number of payer** *(if available)*	**Nature of transaction**	**Amount of receipt**	**Date of receipt**	**Code of the nature of such transaction** *(refer Note 8)*
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)

45. (c) Particulars of payment in excess of limit specified in section 186 where such payment is otherwise than by modes specified in said section

Sl. No.	**Name of payee**	**Permanent Account Number of payee**	**Aadhaar number of payee** *(if available)*	**Nature of transaction**	**Amount of payment**	**Date of payment**	**Code of the nature of such transaction** *(refer Note 8)*
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)

45. (d) Particulars of repayment of loan/deposit/specified advance in excess of limit specified in section 188 where such repayment is otherwise than by modes specified in said section

Sl. No.	**Nature of repayment** *(Loan/Deposit/Specified advance)*	**Name of payee**	**Permanent Account Number of payee**	**Aadhaar number of payee** *(if available)*	**Amount of repayment (in ₹)**	**Maximum amount outstanding at any time during the tax year**	**Code of the nature of such transaction** *(refer Note 8)*
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(I)

46. Particulars of SFT reporting requirements

Income-tax Department Reporting Entity Identification Number	**Type of Form** *(98/ 165/166/167)*	**Due date for furnishing**	**Whether form furnished as on date of audit**	**Date of furnishing if furnished**	**Total number of transactions reported**	**Total number of transactions not reported**	**Total Amount of transaction not reported**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)

47. Particulars of transactions in unquoted shares

Sl. No	**Type of transaction** *[acquisition/ transfer]*	**Name of the company which issued unquoted shares**	**Permanent Account Number of such company**	**Date of acquisition/ transfer**	**Number of shares acquired/ transferred**	**Face value per share (Amount)**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

Book value per share (Amount)	**Fair market value per share (Amount)**	**Total cost of acquisition/ Total consideration received (Amount)**	**Amount chargeable to income-tax under section 92(2)(m), if any** *(applicable in case of acquisition)* **(Amount)**	**Deemed full value of consideration under section 79, if any** *(applicable in case of transfer)* **(Amount)**	**Amount chargeable to tax under the head "Capital Gains", if any** *(applicable in case of transfer)* **(Amount)**
(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)

48. Particulars of payment of loan or advance as per section 2(40)(e)

Sl.No.	**Name of the recipient**	**PAN of the recipient**	**Date of payment**	**Amount paid**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

<u>Schedule – TDS/TCS</u>

50. (a) Particulars of transactions on which TDS/TCS required to be made

TAN	**Section**	**Nature of payment/receipt**	**Total amount of payment or**	**Total amount on which tax was required to be**	**Total amount on which tax was deducted or**	**Amount of tax deducted or collected out of**	**Total amount on which tax was deducted or**	**Amount of tax deducted or collected on**	**Amount of tax deducted or collected but not**

			receipt	**deducted or collected out of amount mentioned in column (D)**	**collected at the rate as per provisions of Chapter XIX-B of the Act out of column (E)**	**column (F)**	**collected at a rate less than the rate as per provisions of Chapter XIX-B of the Act out of column (G)**	**column (H)**	**deposited to the credit of the Central Government out of columns (F) and (H)**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)

50. (b) Particulars of statement of tax deducted or collected

TAN	**Type of Form**	**Due date for furnishing statement**	**Date of furnishing statement**	**Total number of transactions reported ***	**Total number of transactions not reported***	**Amount in relation to transactions not reported ***
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

(* Latest after filing of correction statement)

50. (c) Particulars of interest payable

TAN	**Amount of interest payable under section 398(3)(a)**	**Amount paid out of column (B)**	**Date of payment**
(A)	(B)	(C)	(D)

51. (a) Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 35(b)(i)

Sl. No	**Nature of violation** *[non-deduction/ Short deduction/ non-payment of tax deducted on or before the due date specified in section 263(1)]*	**Nature of expenditure**	**Name of payee**	**Permanent Account Number of payee**	**Amount**	**Disallowable amount** *[30% of (F)]*
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
						Total

51. (b) Any amount disallowed under section 35(b)(i) in any preceding tax year but allowable during the tax year

Sl. No.	**Nature of expenditure**	**Preceding tax year (s) the amount of which is allowable during the tax year**	**Amount in the preceding tax year (s) which was disallowed and is allowable during the tax year**	**Amount allowable during the tax year**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
				Total

51. (c) Amount debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 35(b)(ii):

Sl. No	**Nature of violation** *[non-deduction/ Short deduction/ non-payment of tax deducted on or before the due date specified in section 263(1)]*	**Nature of expenditure**	**Name of payee**	**Permanent Account Number of payee**	**Amount**	**Disallowable amount** *[100% of (F)]*
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
						Total

51. (d) Any amount disallowed under section 35(b)(ii) in any preceding tax year but allowable during the tax year

Sl. No.	**Nature of expenditure**	**Preceding tax year (s) the amount of which is allowable during the tax year**	**Amount in the preceding tax year (s) which was disallowed and is allowable during the tax year**	**Amount allowable during the tax year**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
				Total

Schedule - GST

52. (a) Particulars of registration/identification numbers

Sl. No.	Type	Registration/Identification Number
(A)	(B)	(C)

52. (b) Particulars of expenditure incurred

Particulars	Amount
(A)	**(B)**
Expenditure relating to entities registered under GST	
Expenditure relating to entities not registered under GST	
Expenditure relating to goods or services exempt from GST	

Schedule – Quantitative Details

53. (a) Particulars of principal items of goods for trading unit

Sl. No	Description of traded good	Unit Name	Opening Stock		Purchases		Sales		Closing stock		Shortage/excess, if any	
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)

53. (b)(i) Particulars of principal items of goods (raw materials) for manufacturing unit

Sl. No.	Description of principal items	Unit Name	Opening Stock		Purchases during the tax year		Consumption during the tax year		Sales during the tax year		Closing stock		Yield of finished products	Percentage of yield	Shortage/excess, if any	
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value			Quantity	Value
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)

53. (b)(ii) Particulars of principal items of goods (finished products, by-products and scrap) for manufacturing unit

Sl. No.	**Description of principal item**	**Unit Name**	**Opening Stock**		**Purchases during the tax year**		**Quantity manufactured during the tax year**		**Sales during the tax year**		**Closing stock**		**Shortage/excess, if any**	
			Quantity	**Value**	**Quantity**	**Value**	**Quantity**	**Value**	**Quantity**	**Value**	**Quantity**	**Value**	**Quantity**	**Value**
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)

FORM NO. 27
[*See* rule 50]

Details of amount attributed to capital asset remaining with the specified entity

1.	Details of the specified entity							
	(i)	Name				*(refer note 1)*		
	(ii)	Address				*(refer note 2)*		
	(iii)	Permanent Account Number						
2.	Tax Year							
3.	Amount taxable under section 67(10)							
4.	Attribution of amount taxable under section 67(10) to capital assets remaining with the specified entity							
	(i)	**Details of the Capital Asset**				**Book Value**	**Revalued amount / valued amount for self- generated asset**	**Amount attributed**
		Sr. No	**Name**	**Whether self-generated** *(select one)*	**Nature of capital asset** *(select one)*			
		(a)		1. Yes 2. No	Short term Long term			
		(b)		1. Yes 2. No	Short term Long term			
		(c)		1. Yes 2. No	Short term Long term			
		(d)		1. Yes 2. No	Short term Long term			
		(e)	***(REPEAT if required)***					
	(ii)	TOTAL						
5.	Details of valuer based on whose valuation report information at row 4 is provided							
	(i)	Name				*(refer note 1)*		
	(ii)	Registration Number						
6.	Copy of the Valuation Report					**UPLOAD**		

Declaration

I,_____ (name) holding Permanent Account Number _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Act. I further declare that I am furnishing the form in my capacity as_____ and I am also competent to furnish this form and verify it.

Signature

Place:
Date:

Name:
Designation:

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 28
[*See* rule 54]

Report of an accountant to be furnished by an assessee under section 77(4) of the Act relating to the computation of capital gains in the case of slump sale

1.	**Particulars of the assessee (transferor) effecting the slump sale**					
	(i)	**Name**			*(refer Note 1)*	
	(ii)	**Address**			*(refer Note 2)*	
	(iii)	**Permanent Account Number**				
	(iv)	**Nature of business of the assessee**				
	(v)	**Contact number**			Country Code	
	(vi)	**Email ID**				
2.	**Particulars of the buyer (transferee)**					
	(i)	**Name**			*(refer Note 1)*	
	(ii)	**Address**			*(refer Note 2)*	
	(iii)	**Permanent Account Number**				
3.	**Tax Year**					
4.	**Particulars and net worth of the undertaking or division transferred by way of slump sale**					
	A	**(i)**	**Nature of business**			
		(ii)	**Address of business**		*(refer Note 2)*	
		(iii)	**Date of transfer**		*dd/mm/yyyy*	
		(iv)	**Fair market value (relating to the undertaking or division) of the capital assets transferred by way of slump sale (FMV1)**			
			(a)	**Book value of assets**		
				(I)	book value of all the assets (other than jewellery, artistic work, shares, securities and immovable property) as appearing in the books of accounts	
				(II)	any amount of income-tax paid, if any, as reduced by the amount of income-tax refund claimed, if any	
				(III)	any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset	
				(IV)	**To be calculated as (I)-(II)-(III)**	
			(b)	the price which the jewellery and artistic work would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer		
			(c)	fair market value of shares and securities as determined in the manner provided in rule 57		
			(d)	the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property		
			(e)	**Book value of liabilities**		
				(I)	book value of liabilities as appearing in the books of account	
				(II)	the paid-up capital in respect of equity shares	
				(III)	the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends	

					have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company	
				(IV)	reserves and surplus by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation	
				(V)	any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, as reduced by the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto	
				(VI)	any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities	
				(VII)	any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares.	
				(VIII)	**Book value of liabilities (I)-(II)-(III)-(IV)-(V)-(VI)-(VII)**	
			(f)	**FMV1 =(a)(IV)+(b)+(c)+(d)-(e)(VIII)**		
		(v)	Fair market value of the consideration received or accruing as a result of transfer by way of slump sale (**FMV2**)			
			(a)	value of the monetary consideration received or accruing as a result of the transfer		
			(b)	fair market value of non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property referred to in rule 57 [Table: Sl. No. 1 to 5] determined in the manner provided in rule 57 for the said property		
			(c)	the price which the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer represented by property, other than immovable property, which is not covered in rule 57 [Table: Sl. No. 1 to 5], would fetch if sold in the open market on the basis of the valuation report obtained from a registered valuer, in respect of property		
			(d)	the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of the immovable property in case the non-monetary consideration received or accruing as a result of the transfer is represented by the immovable property.		
			(e)	FMV2 **=(a)+(b)+(c)+(d)**		
		(vi)	Fair Market Value of the capital assets [higher of (iv)(f) or (v)(e)]			
		(vii)	**Net worth of the undertaking or division**			
			(a)	In case of depreciable assets, written down		

				value of the assets of the undertaking or division transferred by way of slump sale, determined in accordance with section 41(1)(c)	
			(b)	In case of assets other than depreciable assets, book value of such assets	
			(c)	Aggregate value of total assets of the undertaking or division transferred by way of slump sale [(a) + (b)]	
			(d)	Value of liabilities relatable to the undertaking or division as appearing in the books of accounts	
			(e)	**Net worth of the undertaking or division [(c) - (d)]**	
		(viii)	Copy of the Profit and Loss account and Balance sheet of the relevant tax year		**UPLOAD**
	B	***(Repeat, if required)***			

VERIFICATION

*I/We have examined the accounts and records of the aforementioned assessee for the tax year……

*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of ascertaining and computing the net worth of the undertaking(s) or division(s) which has been transferred by way of slump sale.

*I/We certify that the net worth of the undertaking(s) or division(s) as given in row 4 above has been computed correctly in accordance with the provisions of section 77 of the Act.

Signature

Place…….

Date……..

Name of the Accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN details, if any:

Name of proprietorship/Firm:

Firm registration Number:

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/ Street/Block/ Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. "Accountant" means an accountant as defined in section 515(3)(b) of the Act.
4. Any change in the value of assets on account of revaluation of assets shall be ignored while indicating amounts in Sl.No.3.
5. This form shall be filed along with return of income in accordance with the provisions of section 263 of the Act.
6. Where there is more than one petitioner, the person authorised to apply shall sign the form.
7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 29
[*See* rule 60]

Certificate from the principal officer of the amalgamated company and duly verified by an accountant regarding achievement of the prescribed level of production and continuance of such level of production in subsequent years

Row No.	**Particulars of the amalgamated company**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Nature of business		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	*Number*
	Particulars of the amalgamating company(ies)		
7.	Name	*(refer Note 1)*	
8.	Address	*(refer Note 2)*	
9.	Permanent Account Number		
10.	Nature of business		
11.	Email id		
12.	Installed capacity of production as on the date of amalgamation		
13.	(repeat 7 to 12, if required)		
	Particulars of amalgamation and production capacity		
14.	Date of amalgamation		
15.	Whether the amalgamated company achieved the level of production of atleast 50% of the capacity, in respect of each of the amalgamating company (where more than one amalgamating company)	*Yes/No*	
16.	If answer to Row No. 15 above is yes, date on which such production is achieved		
17.	Whether the prescribed level of production has been maintained by the amalgamated company in subsequent years: (till the end of five years from the date of amalgamation)	*Yes/No*	

DECLARATION

I ……. (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) of …… (name of the assessee), do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: ……

Date: ……

Signature of the Principal officer of the amalgamated company

Name:

Designation:

VERIFICATION

1. I …… (name) having Permanent Account Number …….. have examined the books of account and other documents showing the particulars of production of the company/companies referred to in above Part for the relevant period.

2. I have obtained all the information and explanations which are to the best of my knowledge and belief necessary for the purposes of ascertaining the actual *attainment/continuance of prescribed level of production.

3. I declare that the above particulars are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place
Date

Signature

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. Pin/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. "Accountant" shall have the meaning assigned to it in section 515(3)(b).
4. *Delete whichever is not applicable.
5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 30
[*See* rule 61]

Certificate of the medical authority for certifying 'person with disability', 'severe disability', 'autism', 'cerebral palsy' and 'multiple disability' for purposes of section 127 and section 154 of the Act.

<table>
<tr><td colspan="5">Part – A
Basic Information</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="4">Details of taxpayer</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Address</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Permanent Account Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Tax Year</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Part – B
To be filled by the Medical Authority</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">Certificate Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">dd/mm/yyyy</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5</td><td colspan="4">Details of the patient</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Son / Daughter/ Care of</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Age</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Gender</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">Registration No.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">Disability type:
(select one)</td><td colspan="2">1. Person with disability
2. Person with severe disability</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Suffering from:
(select one)</td><td colspan="2">1. Autism
2. Cerebral palsy
3. Multiple disability</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td colspan="2" rowspan="2">Condition*:
(select one)</td><td colspan="2">1. Progressive
2. Non-progressive</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Likely to improve
2. Not likely to improve</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.</td><td colspan="2" rowspan="2">Reassessment:
(select one)</td><td>1. Recommended</td><td>After</td><td>Years</td><td>Months</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. Not recommended</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="4">Details of ~~of~~ Institution/ Government Hospital:</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>(i)</td><td>Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Qualification / designation of specialist:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Signature / Thumb impression of the patient</td><td colspan="2">Certified by

Signature of specialist</td></tr>
</table>

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. * In case the condition is assessed as Progressive/Not likely to improve, there would be no necessity of reassessment by a specialist.
4. The certificate from the medical authority (Part-B) may be uploaded.

FORM NO. 31
[*See* rule 65]

Declaration to be filed by the assessee for claiming deduction under section 134 of the Act for rents paid

Part-A **Basic Information**				
1	**Details of the assessee**			
	(i)	**Name:**	*(refer Note 1)*	
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*	
	(iii)	**Permanent Account Number**		
	(iv)	**Email ID**		
	(v)	**Contact Number**	Country Code	
2	**Tax Year**			
Part-B **Rent Details**				
3	**Full Address of the Premise**		*(refer Note 2)*	
4	**Period of Stay (in Months)**			
5	**Amount of Rent paid in**			
	(i)	**Cash**		
	(ii)	**Cheque/Bank Draft/Online**		
6	**Total Rent Paid [5(i) +(ii)]**			
7	**Details of the Landlord:**			
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*	
	(ii)	**Permanent Account Number**		
	(iii)	**Complete Address**	*(refer Note 2)*	

DECLARATION

It is certified that I_____(name), holding Permanent Account Number _____ had occupied the aforementioned premises for the purpose of my own accommodation for the period and rent paid as per the details mentioned above.

It is further certified that no other residential accommodation is owned by-

- me/my spouse/my minor child/our family (in case the assessee is HUF), at …… where I/we ordinarily reside/perform duties of office or employment or carry on business or profession; or
- me/my spouse/my minor child/our family (in case the assessee is HUF), at any other place, being accommodation in my occupation, the value of which is to be determined under section 21(6) of the Act.

Signature of the assessee

Name:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 32
[*See* rule 66]

Audit report under section 46, 138, 139, 140(8), 141, 142, 143 and 144 of the Act

Part-A **Basic Information**		
1.	**Name of the assessee**	*(refer Note 1)*
2.	**Address**	*(refer Note 2)*
3.	**Permanent Account Number**	
4.	**Tax Year**	
5.	**Section of the Act under which deduction claimed** *(select one)*	1. 46 (to fill B-1) 2. 138 (to fill B-2) 3. 139 (to fill B-3) 4. 140 (to fill B-4) 5. 141 (to fill B-5) 6. 142 (to fill B-6) 7. 143 (to fill B-7) 8. 144 (to fill B-8)

Notes:
(i) *$* "Accountant" shall have the meaning assigned to it in section 515(3)(b) of the Act and should provide the "CA Membership ID" as issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) when signing the certificate.
(ii) Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Part B-1 **Details of deduction u/s 46**		
6.	**Date of incorporation**	*dd/mm/yyyy*
7.	**Date of commencement of operations**	*dd/mm/yyyy*
8.	**Nature of specified business *[refer section 46(11)(d)]*** *(select one)*	1. Cold Chain Facility 2. Warehousing facility for storage of agricultural produce 3. Natural Gas Pipeline 4. New Hotel (2 star or up) 5. New Hospital 6. Housing project (slum rehabilitation) 7. Housing project (affordable housing) 8. Fertilizer production plant 9. Inland container depot or freight station 10. Bee-keeping and production of honey and beeswax 11. Warehousing facility for storage of sugar 12. Slurry pipeline for transporting iron ore 13. Semi-conductor wafer fabrication manufacturing unit 14. Infrastructure Facility 15. Other
9.	**If response at 8 is *"Other"*, please specify:**	
10.	**Copy of agreement with central/state government or local authority**	**UPLOAD**
11.	**Whether specified business formed by splitting up/reconstructing an existing business** *(select one)*	1. Yes 2. No

12.	**Whether specified business set up using previously used plant/machinery *[refer section 46(11)(e) and (f)]*** *(select one)*		1. Yes 2. No
13.	**If (12) is yes, specify the % of previously used plant/machinery**		
14.	**Amount of capital expenditure incurred**		
15.	**Date of incurring the expenditure**		*dd/mm/yyyy*
16.	**Mode of payment** *(select one)*		1. NEFT 2. RTGS 3. Cheque 4. Demand Draft 5. Credit Card 6. Debit Card 7. Net Banking 8. UPI 9. Other
17.	**If Other, please specify:**		
18.	**Whether asset on which deduction claimed:**		
	(i)	**is used for any other business other than specified business** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(ii)	**includes land/goodwill/ financial instrument** *(select one)*	1. Yes 2. No
19.	**If 18(i) is 'Yes':**		
	(i)	**Value of such asset**	
	(ii)	**Whether the company is a sick industrial company [refer section 46(10)]** *(select one)*	1. Yes 2. No
20.	**Deduction u/s section 46 of the Act**		

Certification

I certify that the **capital expenditure** incurred meets the conditions stipulated in **section 46 of the Act**, and the deduction claimed in **row 20 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

Part B-2 **Details of deduction u/s 138**			
6.	**Date of incorporation**		*dd/mm/yyyy*
7.	**Date of commencement of operations**		*dd/mm/yyyy*
8.	**Development, operation, maintenance of an infrastructure facility:**		
	(i)	**With respect to the infrastructure facility, does the enterprise** *(select one)*	1. Develop 2. Operate and maintain 3. Develop, operate and maintain

	(ii)	**Please specify the nature of infrastructure facility** *(select one)*	1. Road including a toll road, bridge or a rail system 2. Highway project including housing or other activities being an integral part of the highway project 3. Water supply project, water treatment system, irrigation project, sanitation and sewerage system or solid waste management system 4. Port, airport, inland waterway, inland port or navigational channel in the sea
	(iii)	**Has the operation and maintenance of the infrastructure facility been received on transfer from its developer in accordance with the agreement with the Central/State Government/ local authority/any other statutory body** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(iv)	**If 8(iii) is yes, please specify the first year of claim of deduction under section 80-IA of Income-tax Act, 1961 by the developer** *(enclose copy of Form 10CCB of Income-tax Rules, 1962 of developer)*	**UPLOAD**
9.	**Generation, transmission, distribution of power:**		
	(i)	**Does the undertaking generate power or generate and distribute power** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(ii)	**If 9(i) is yes, indicate the year in which the undertaking has started generating power**	*yyyy-yy*
	(iii)	**Does the undertaking transmit or distribute power.** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(iv)	**If 9(iii) is yes, indicate the year in which the new transmission and distribution lines were laid**	*yyyy-yy*
	(v)	**Has there been substantial renovation and modernization of the existing network of transmission or distribution lines** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(vi)	**If 9(v) is yes, please specify:**	
		(a) the year in which the substantial renovation and modernisation of the existing network of transmission or distribution lines took place	
		(b) book value of plant and machinery as on 1-4- 2004	
		(c) value of increase in the plant and machinery in the year of substantial renovation and modernisation	
	(vii)	**Whether undertaking is formed by splitting up/reconstructing an existing business** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(viii)	**Whether undertaking is set up using previously used plant/machinery [refer section 46(11)(e) and (f)]** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(ix)	**If 9(viii) is yes, specify the % of previously used plant/machinery**	
10.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**		
11.	**Total sales of the undertaking**		
12.	**Profits and gains derived from the Eligible business**		

13.	**Deduction under section 138 of the Act**	

Certification

I certify that the entity meets the conditions stipulated in **section 138 of the Act / section 80-IA of the Income-tax Act, 1961** and the deduction claimed under row **13 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

Part B-3 **Details of deduction u/s 139**		
6.	**Details of SEZ (Name and location)**	
7.	**Date of Notification of SEZ**	*dd/mm/yyyy*
8.	**Upload copy of notification of SEZ**	**UPLOAD**
9.	**Date of start of development of SEZ** *(irrespective of the transfer)*	*dd/mm/yyyy*
10.	**Whether the operation and maintenance of such SEZ is transferred from another developer?** *(select one)*	1. Yes 2. No
11.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**	
12.	**Total sales of the undertaking for the tax year.**	
13.	**Profits and gains derived from the eligible enterprise**	
14.	**Deduction under section 139 of the Act**	

Certification

I certify that the entity meets the conditions stipulated in **section 139 of the Act/ section 80-IAB of the Income-tax Act, 1961**, and the deduction claimed under **row 14 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

Part B-4 Details of deduction u/s 140		
6.	**Date of incorporation**	*dd/mm/yyyy*
7.	**Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Number of start-up**	
8.	**Date of certificate from Inter-Ministerial Board of Certification**	
9.	**Copy of certificate from Inter-Ministerial Board of Certification**	**UPLOAD**
10.	**Details of Start-up:** *(select one or both)*	1. Engaged in innovation, development or improvement of Product, Process or Service 2. Have scalable business model with high potential of employment growth and wealth creation
11.	**Whether start-up formed by splitting up/reconstructing an existing business** *(select one)*	1. Yes 2. No
12.	**Whether start-up set up using previously used plant/machinery** *(select one)*	1. Yes 2. No
13.	**If (12) is yes, specify the % of previously used plant/machinery**	
14.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**	
15.	**Total sales of the undertaking**	
16.	**Profits and gains derived by the start-up from the Eligible business**	
17.	**Deduction under section 140 of the Act**	

Certification

I certify that the start-up meets the conditions stipulated in **section 140 of the Act**, and the deduction claimed under **row 17 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:

Place:

Signature

Name of the Accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN details, if any:

Name of proprietorship/Firm:

Firm registration Number:

	Part B-5 Details of deduction u/s 141	
6.	**Name of the housing project/undertaking**	
7.	**Nature of business for claim of deduction** *(select one)*	1. Developing and building housing projects

			2. Undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products 3. Undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains
* Row *No 8, 9 and 10 to be filled for "Housing Project"*			
8.	**Whether project was executed as works-contract?** *(select one)*		1. Yes 2. No
9.	**Approval and Completion Details**		
	(i)	**Date of project approval as per section 141 of the Act or section 80-IB of Income-tax Act, 1961**	*dd/mm/yyyy*
	(ii)	**Approval certificate**	**UPLOAD**
	(iii)	**Date of project completion certificate by competent authority** *(if the project is completed)*	*dd/mm/yyyy*
	(iv)	**Completion certificate** *(if the project is completed)*	**UPLOAD**
	(v)	**Whether the project is in accordance with a scheme framed by the Central Government or a State Government for reconstruction or redevelopment of existing buildings in areas declared to be slum areas under any law for the time being in force and such scheme is notified by the Board in this behalf?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(vi)	**If (v) is yes, attach a copy of such notification.**	**UPLOAD**
10.	**Project Details**		
	(i)	**City/Location** *(select one)*	1. *Delhi or Mumbai or within 25km of municipal limits of these cities* 2. *Other*
	(ii)	**Size of plot of land of the project (in acres)**	
	(iii)	**Is the maximum built up area of any residential unit within the prescribed area:** *(For Delhi or Mumbai or within 25km of municipal limits of these cities: 1000 sq.feet;For Others: 1500 sq.feet) (select one)*	1. Yes 2. No
	(iv)	**Does the built-up area of the shops and other commercial establishments included in the housing project more than five thousand square feet?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(v)	**Does the built-up area of the shops and other commercial establishments included in the housing project exceed 3% of the aggregate built-up area of the housing project?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(vi)	**Are more than one residential unit in the housing project allotted to any person not being an individual?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(vii)	**If a residential unit is allotted to individual, are any additional units in the same project allotted to** • **such individual or the spouse or the minor children of such individual; or** • **HUF in which such person is a karta; or** • **any such person who is representative of such**	1. Yes 2. No

		Individual or of the spouse or of the minor children of such Individual or of HUF in which such individual is a karta? *(select one)*	
Row *11, 12, 13 ,14, 15, 16 and 17 to be filled by all assessees*			
11.	**Whether undertaking formed by splitting up/reconstructing an existing business** *(select one)*		1. Yes 2. No
12.	**Whether undertaking set up using previously used plant/machinery** *(select one)*		1. Yes 2. No
13.	**If (12) is yes, specify the % of previously used plant/machinery**		
14.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**		
15.	**Total sales of the undertaking for the tax year.**		
16.	**Profits and gains derived from the undertaking**		
17.	**Deduction under section 141 of the Act**		

Certification

I certify that the project meets the conditions stipulated in **section 141 of the Act/section 80-IB of the Income-tax Act, 1961**, and the deduction claimed under **row 17 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:

Place:

Signature

Name of the Accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN details, if any:

Name of proprietorship/Firm:

Firm registration Number

Part B-6 **Details of deduction u/s 142**			
6.	**Name of the housing project/ rental housing project**		
7.	**Type of project**		1. Housing project 2. Rental housing project *(select one from the above)*
* Row *8, 9, 10 and 11 to be filled by "Housing Project" and* row *12 to be filled by "Rental Housing Project".*			
8.	**Approval and Completion Details**		
	(i)	**Date of project approval as per section 142 of** the Act **or section 80-IBA of Income-tax Act, 1961**	*dd/mm/yyyy*
	(ii)	**Approval certificate**	**UPLOAD**
	(iii)	**Date of project completion certificate by competent authority** *(if the project is completed)*	*dd/mm/yyyy*

	(iv)	**Completion certificate** *(if the project is completed)*	**UPLOAD**
	(v)	**Is project completed within specified time i.e. 5 years from date of approval?** *(select one)*	1. Yes 2. No 3. Project still ongoing
9.	**Project Details**		
	(i)	**Whether the project is the only housing project on the plot of land.** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(ii)	**If a residential unit is allotted to individual, are any additional units in the same project allotted to spouse/minor children?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(iii)	**Does assessee maintain separate books of account for project?** *(select one)*	**1.** Yes **2.** No
	(iv)	**Whether project was executed as works-contract?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(v)	**Whether carpet area of shops and other commercial establishments in the housing project is not more than 3% of aggregate carpet area.** *(select one)*	1. Yes 2. No
10.	**Project specification (for projects approved before 01.09.2019)**		
	(i)	**City/Location category (Metropolitan/other)** *(select one)*	1. Metropolitan cities [*Chennai, Delhi, Kolkata, Mumbai*] 2. Other than metropolitan cities
	(ii)	**Size of plot of land of the project (in sq. m)** *(Metropolitan cities: not less than 1000 sq.m* *Other than metropolitan cities: not less than 2000 sq. m)*	
	(iii)	**Is the total carpet area of any residential unit more than the prescribed area:** *(Metropolitan cities: 30 sq.m* *Other than metropolitan cities: 60 sq. m)* *(select one)*	1.Yes 2.No
	(iv)	**Is area utilised by the project not less than the prescribed percentage of permissible floor area ratio?** *(Metropolitan cities: 90%;* *Other than metropolitan cities: 80%)* *(select one)*	1. Yes 2. No
11.	**Project specification (for projects approved on or after 01.09.2019)**		
	(i)	**City/Location category (Metropolitan/other)** *(select one)*	1. Metropolitan cities [*Bengaluru, Chennai, Delhi National Capital Region (limited to Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Gurugram, Faridabad), Hyderabad, Kolkata and Mumbai (whole of Mumbai Metropolitan Region*] 2. Other than metropolitan cities
	(ii)	**Size of plot of land of the project (in sq. m)** *(Metropolitan cities: not less than 1000 sq.m* *Other than metropolitan cities: not less than 2000 sq. m)*	
	(iii)	**Is the total carpet area of any residential unit more than the prescribed area:** *(Metropolitan cities: 60 sq.m*	1. Yes 2. No

		Other than metropolitan cities: 90 sq. m) *(select one)*	
	(iv)	**Is area utilised by the project not less than the prescribed percentage of permissible floor area ratio?** *(Metropolitan cities: 90%;* *Other than metropolitan cities: 80%)* *(select one)*	1. Yes 2. No
	(v)	**Whether stamp duty value of a residential unit is less than forty-five lakh rupees.** *(select one)*	1. Yes 2. No

12. Rental Housing Project

12.	**Details of the rental housing project**		
	(i)	**Date of notification**	*dd/mm/yyyy*
	(ii)	**Notification under section 80-IBA of the Income-tax Act, 1961**	**UPLOAD**

Row *13, 14, 15 and 16 to be filled by all assessees*

13.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**	
14.	**Total sales of the undertaking for the tax year.**	
15.	**Profits and gains derived from the eligible housing/rental project**	
16.	**Deduction under section 142 of the Act**	

Certification

I certify that the project meets the conditions stipulated in **section 142 of the Act/section 80-IBA of the Income-tax Act, 1961**, and the deduction claimed under **row 16 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

	Part B-7 **Details of deduction u/s 143**	
6.	**Date of incorporation**	*dd/mm/yyyy*
7.	**Date of commencement of operations**	*dd/mm/yyyy*

8.	**State where entity located** *(select one)*		1. Arunachal Pradesh 2. Assam 3. Manipur 4. Meghalaya 5. Mizoram 6. Nagaland 7. Sikkim 8. Tripura
9.	**Nature of activity** *(select one)*		1. Manufacture or produce any eligible article or thing 2. Undertake substantial expansion for the above 3. Carry on an eligible business
10.	**If substantial expansion undertaken, please specify:**		
	(i)	**Date of substantial expansion**	*dd/mm/yyyy*
	(ii)	**Book value of plant and machinery (before taking depreciation in any year), as on the first day of the tax year in which the substantial expansion is undertaken**	
	(iii)	**Value of increase in the plant and machinery in the year of substantial expansion.**	
11.	**Nature of Eligible business** *(select one)*		1. New Hotel (2 star or up) 2. Adventure and leisure sports 3. Nursing Home (25 beds or more) 4. Old-age home 5. Vocational Training Institute 6. Information technology training centre 7. Manufacturing Information Technology Hardware 8. Biotechnology
12.	**Copy of agreement with central/state government or local authority**		**UPLOAD**
13.	**Whether specified business formed by splitting up/reconstructing an existing business** *(select one)*		1. Yes 2. No
14.	**Whether specified business set up using previously used plant/machinery** *(select one)*		1. Yes 2. No
15.	**If yes, specify the % of previously used plant/machinery**		
16.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**		
17.	**Total period of deduction including period of deduction under 2nd proviso to section 80-IB(4) of the Income-tax Act, 1961**		
18.	**Total sales of the undertaking**		
19.	**Profits and gains derived from the Eligible business**		
20.	**Deduction under section 143 of the Act**		

Certification

I certify that the project meets the conditions stipulated in **section 143 of the Act**, and the deduction claimed under **row 20 above is true to the best of my knowledge and belief.**

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

Part B-8 **Details of deduction u/s 144**							
6.	**Details of the Unit**						
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*				
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*				
	(iii)	**Nature of business**					
	(iv)	**Date of initial registration in SEZ**					
	(v)	**Date of commencement of manufacture or production or provision of services**					
7.	**Total export turnover**						
8.	**Export proceeds received in convertible foreign exchange of the Unit in respect of**						
	(*i*)	**articles or things, or**					
	(*ii*)	**provision of services**					
9.	**Sale proceeds of the Unit in respect of**						
	(*i*)	**articles or things, or**					
	(*ii*)	**provision of services**					
10	**Whether the unit formed by splitting up/reconstructing an existing business *(select one)***		1. Yes 2. No				
11	**Whether the unit is set up using previously used plant/machinery *(select one)***		1. Yes 2. No				
12	**If (11) is yes, specify the % of previously used plant/machinery**						
13.	**Amount brought into India in convertible foreign exchange:**						
	(i)	**within a period of six months from the end of the tax year**					
	(ii)	**within such further period as allowed by the Competent authority**	**Name of the Competent authority**	**Further period allowed till (*dd/mm/yyyy*)**	**Amount**	**Tax year to which it pertains**	
	(iii)	**Details of sale proceeds, if any, that are credited to a separate account maintained by the assessee with any bank outside India after permission from RBI**					
		(a)	**Amount of such sale proceeds**				

		(b)	**Reference number of RBI according permission**	
14.	**Qualifications, if any, on the above**			UPLOAD
15.	**Initial tax year from when deduction is being claimed**			
16.	**Total Sales of the Unit**			
17.	**Total Sales of the Business**			
18.	**Total profits derived by the Unit**			
19.	**Total profits derived by the Business**			
20.	**Deduction under section 144 of the Act**			

Certification

I certify that all the above information including the deduction claimed under row 20 above is true to the best of my knowledge and belief and is in accordance with the provisions under section 144 of the Act and section 10AA of Income-tax act, 1961.

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

FORM NO. 33
[*See* rule 67]

Particulars to be furnished in respect of units established under Special Economic Zone for claiming deduction under section 144 of the Act

Part-A **Basic Information**						
1.	Details of the assessee					
	(i)	Name	*refer Note 1*			
	(ii)	Address	*refer Note 2*			
	(iii)	Permanent Account Number				
2.	Details of the undertaking /Unit					
	(i)	Name	*refer Note 1*			
	(ii)	Address	*refer Note 2*			
	(iii)	Nature of business				
	(iv)	Name of the Special Economic Zone in which unit is located				
3.	Tax Year					
Part -B **Details of Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account**						
4.	**Amounts of eligible profits debited to the profit and loss account and credited to the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account:**		Tax year		Amount	
	(i)	During the current tax year				
	(ii)	During the tax year, immediately preceding the tax year mentioned at (i)				
	(iii)	During the tax year, immediately preceding the tax year mentioned at (ii)				
	(iv)	During the tax year immediately preceding the tax year mentioned at (iii)				
	(v)	Total [(i)+(ii)+(iii)+(iv)]				
5.	Amounts withdrawn from the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account:		Tax year	Used for eligible purposes	Not used for eligible purposes	
	(i)	During the current tax year				
	(ii)	During the tax year, immediately preceding the tax year mentioned at (i)				
	(iii)	During the tax year, immediately preceding the tax year mentioned at (ii)				
	(iv)	During the tax year, immediately preceding the tax year mentioned at (iii)				
	(v)	Total amounts withdrawn (i)+(ii)+(iii)+(iv)]				
6.	**Net amount outstanding the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account on the last day of the current tax year** [4(v)–5(v)]					
Part-C **Details of new plant or machinery purchased**						
7.	**Details of new plant/machinery purchased out of amounts withdrawn from Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account**					
	Sl.No.	**Details of new plant or**	**Make and**	**Name of the**	**Address of the**	**Date of acquisition**	**Date on which it**

		machinery	model number	supplier	supplier		was first put to use
				refer Note 1	*refer Note 2*	*dd/mm/yyyy*	*dd/mm/yyyy*
				refer Note 1	*refer Note 2*	*dd/mm/yyyy*	*dd/mm/yyyy*
				refer Note 1	*refer Note 2*	*dd/mm/yyyy*	*dd/mm/yyyy*

Verification

I_____(name) holding Permanent Account Number _____, being proprietor/partner/director verify that the undertaking mentioned above during the tax year, acquired the new plant/ machinery, as mentioned above for which the purchase price has been paid by making withdrawal from the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account maintained by the assessee.

Date: ……. Signature

Place: …….

Name: …….

Designation: …….

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 34
[*See* rule 68]

Report for deduction in respect of additional employee cost under section 146 of the Act

Part - A **Basic Information**				
1.	**Details of the assessee**			
	(i)	**Name**		*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**		*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**		
	(iv)	**Nature of Business**		
2.	**Tax Year**			
Part- B **Deduction Details**				
3.	**New Business**			
	(i)	**Amount of the emoluments paid/payable during the said tax year.**		*(refer Note 3)*
	(ii)	**30% of emoluments eligible as deduction under section 146. [30% of (i)]**		
4.	**Additional employee cost for existing Business** *(refer Note 3)*			
	(i)	**Number of employees as on the last day of the immediately preceding tax year:**		
	(ii)	**Number of employees employed during the tax year:**		
	(iii)	**Number of additional employees, the emoluments of whom is eligible for deduction under section 146:** *(refer Note 3)*		
		(a)	**Employed during the tax year**	
		(b)	**Employed during the immediately preceding tax year**	
	(iv)	**Total amount of emoluments paid or payable to additional employees entitled for deduction under section 146 in respect of:** *(refer Note 3)*		
		(a)	**Additional employees referred to in (iii)(a)**	
		(b)	**Additional employees referred to in (iii)(b)**	
		(c)	**Total [(iv)(a) + (iv)(b)]**	
	(v)	**The amount of deduction eligible under section 146 in respect of payments for the emoluments paid or payable to the additional employee in respect of:** *(refer Note 3)*		
		(a)	**the tax year [30% of the amount computed in (iv)(c)]**	
		(b)	**the immediately preceding year to the tax year**	
		(c)	**the year prior to the immediately preceding tax year**	
	(vi)	**The amount of deduction eligible u/s 146 [(v)(a) + (v)(b) + (v)(c)]**		

VERIFICATION

I_____(name), holding Permanent Account Number _____, have examined the accounts and records of the said assessee for the said tax year and certify that the eligible deduction under section 146 as worked out above is as per row 3(ii) or 4(vi).

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.

2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.

3. For definition of "additional employee cost", "additional employee" and "emoluments", refer to sections 146(5)(a), 146(5)(b) and 146(5)(c) respectively of the Act.

4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 35
[*See* rule 69]

Report for deduction in respect of income of Offshore Banking Units and Units of International Financial Services Centre under section 147(4)(a) of the Act

Part - A **Basic Information**			
1.	**Details of the assessee**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**	
2.	**Tax Year**		
Part - B			
3.	**Details of the Unit**		
	(i)	Nature of the Unit *(select one)*	i.Offshore Banking Unit in any Special Economic Zone, or ii.the Unit of an International Financial Services Centre, owned by the assessee
	(ii)	Name	*(refer Note 1)*
	(iii)	Address	*(refer Note 2)*
	(iv)	Copy of the permission(s) obtained under section 23(1)(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019)	UPLOAD
	(v)	Date of commencement of operation of the unit?	
	(vi)	If commencement is after 01.04.2026, then is the unit formed by splitting up or reconstruction or reorganisation or transfer of a business already in existence in India?	(1) Yes (2) No Choose one
4.	**First tax year of claim of deduction under section 147(1) or (2) by the assessee**		*yyyy-yy*
5.	**Gross income of the unit-referred to in section 147(3)** *(In case of the Unit being an IFSC Insurance Office undertaking insurance business, the "gross income" will mean to be the profit and gains calculated as per the provisions of section 55 and Schedule XIV to the Income-Tax Act)*		
6.	**Out of 5 above, gross income which is not received in convertible foreign exchange (in ₹)**		
7.	**Gross eligible income (in ₹) (row 5 – row 6)**		
8.	**Expenses attributable to the gross eligible income (row 7) (in ₹)** *(In case of the Unit being an IFSC Insurance Office undertaking insurance business, where the profit and gains are calculated as per the provisions of section 55 and Schedule XIV to the Income-Tax Act, this field may be submitted as Nil)*		
9.	**Income eligible for deduction under section 147 (row 7 -row 8) (in ₹)**		

VERIFICATION

I_____(name), holding PAN_____, have examined the account and records of the units mentioned in row 3 for the said tax year and certify that the eligible deduction is as per row 9.

Date:

Place:

Signature Name of the Accountant: Designation: Membership Number: UDIN details, if any: Name of proprietorship/Firm: Firm registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 36
[*See* rule 70]

Certificate under section 151(5) of the Act for authors of certain books in receipt of royalty income

<table>
<tr><td colspan="7">Part – A
Basic Information</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td colspan="6">Details of the Author</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">Address</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2">Permanent Account Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Tax Year</td><td colspan="3">YYYY-YY</td></tr>
<tr><td colspan="7">Part - B</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3.</td><td colspan="6">(A) Details of the book:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">Title of the Book</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">Language</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2">Type
(select one)</td><td colspan="3">i. Scientific
ii. Literary
iii. Artistic</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td colspan="2">Whether the book is in the nature of a brochure, commentary, guide, diary, journal, magazine, text- book for schools, tracts (select one)</td><td colspan="3">i. Yes
ii. No</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td colspan="2">International Standard Book Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">(B) Repeat as required</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td colspan="6">Details of the person paying royalty</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">Address</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2">PAN, as applicable</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td colspan="3">Details of books sold during the tax year ending on 31st March</td><td>Number</td><td colspan="2">Value</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">In India</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">Outside India</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td colspan="3" rowspan="3">Amount receivable (In ₹)</td><td>Lump sum</td><td colspan="2">Not being in lumpsum</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="6">Payment received</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">In Indian rupees</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">In foreign currency (value in ₹)</td><td colspan="3"><table><tr><td>Sl.No</td><td>Amount actually paid</td><td>Date of payment</td><td>Mode of payment</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2">Total Payment received [row 5 (i)+(ii)]</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="6">Amount brought into India in convertible foreign exchange:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">within a period of six months from the end of the tax year</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">within such further period as allowed by the Competent authority</td><td colspan="3"><table><tr><td>Name of the Competent authority</td><td>Further period allowed till (dd/mm/yyyy)</td><td>Amount</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

9.	**Amount of Deduction claimed**				

Declaration

I_____(name), holding Permanent Account Number _____ do hereby affirm that the information above is true to the best of my knowledge and belief and the deduction claimed is respect of the aforementioned royalty is in accordance with section 151 of the Act.

Date: Signature of the assessee:

Name:

Place:

Certificate

This is to certify that the details of the royalty paid to the author as mentioned in row 3 to 7 above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Publisher

Date:

Place:

Name:

Designation:

Address:

Permanent Account Number of the Publishing House:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 37

[*See* rule 71]

Certificate under section 152(5) of the Act for Patentees in receipt of royalty income

Part – A **Basic Information**			
1.	**Details of the Patentee**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**	
2.	**Tax year**		
Part - B			
3.	**Details of Patent**		
	(i)	**Registration Number**	
	(ii)	**Date of registration**	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	**Title**	
	(iv)	**Location of the patent office where the patent register is maintained**	
	(v)	**Whether the patent is in the nature of patent of addition** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(vi)	**If answer to (v) above is "Yes" then:**	
		(a) title of original patent	
		(b) registration of original patent	
4.	**Details of the Patentee**		
	(i)	**Whether the patentee is the true and first inventor of the invention?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(ii)	**Date on which the name of patentee was entered on the patent register?**	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	**Whether the name of the patentee was revoked or excluded from the patent register in respect of patent mentioned at row 3?** *(select one)*	1. Yes 2. No
	(iv)	**If reply to (iii) is yes, the date from which such revocation or exclusion took place?**	*dd/mm/yyyy*
5.	**(i)**	**Whether compulsory license has been issued by the Controller in respect of the patent mentioned at row 3?**	*1.* Yes *2.* No
	(ii)	**If yes, royalty income settled in terms of any compulsory license?**	
6.	**Details of the person paying royalty income from patent**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number, as applicable**	
7.	**Details of royalty agreement**		
	(i)	**Nature of royalty** *(select one)*	(a) transfer of all or any rights (including the granting of a license) in respect of the patent (b) imparting of any information concerning the working

			of, or the use of, the patent (c) use of the patent (d) rendering of any services in connection with the activities referred to in sub-clauses *(a) to (c)* (e) consideration for sale of products manufactured with the use of patented process or the patented article for commercial use			
	(ii)	**Period for which the agreement is applicable**	*dd/mm/yyyy* to *dd/mm/yyyy*			
	(iii)	**Amount of royalty income payable for the tax year (in ₹)**				
8	**Details of payment for royalty received**					
	(i)	**In Indian rupees (in ₹)**				
	(ii)	**In foreign currency (value in ₹)**	*Total amount payable during the year*	*Amount actually paid*	*Date of payment*	*Mode of payment*
	(iii)	**Total Payment [(i) + (ii)]**				
9.	**Amount brought into India in convertible foreign exchange**					
	(i)	**within a period of six months from the end of the tax year**				
	(ii)	**within such further period as allowed by the Competent authority**	**Name of the competent authority**	**Further period allowed till (*dd/mm/yyyy*)**	**Amount**	
10.	**Amount of deduction claimed**					

<<TO BE FILLED BY THE ASSESSEE>>

Declaration

I_____(name), holding Permanent Account Number _____, hereby affirm that the details declared above are true to the best of my knowledge and belief and the income declared therein is respect of the aforementioned patent is entitled for deduction under section 152 of the Act.

Signature of the assessee
Name:

Date :

Place :

Part -C *<<to be filled by the prescribed authority>>*

CERTIFICATION

Certified that details at row 3, 4 and 5 in respect of the patentee at row 1 above are correct and as per the register of patents maintained by this office.

Signature of the Controller of Patents

Date:
Place:

Name:
Designation:
Address:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.

2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.

3. For definition of "author", "book" and "lump sum", refer to clauses (a), (b) and (c) respectively of section 151(8) of the Act.

4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 38
[*See* rule 72]

Certificate of foreign inward remittance

Part-A			
1.	**Details of the beneficiary**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**	
2.	**Tax year**		
Part-B			
3.	**Certificate number**		
4.	**Details of bank account of the beneficiary**		
	(i)	**Account number**	
	(ii)	**Name of the bank**	*(refer Note 1)*
5.	**Details of the remitter**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
6.	**Details of the remitting bank**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
7.	**Mode of remittance**		
8.	**Transaction ID** ***(or Demand Draft/ Telegraphic Transfer/ Money transfer No)***		
9.	**Transaction date**		*dd/mm/yyyy*
10.	**Foreign currency amount**		
11.	**Rupee equivalent**		
12.	**Exchange rate applied**		
13.	**Purpose of remittance** ***(as stated by remitter /beneficiary)***		

Certificate by the beneficiary bank

It is certified that the payment above has been received in convertible foreign exchange and not under any special trade or payments agreement, and that the reimbursement is obtained in a manner approved by Reserve Bank of India.

Signature of the Bank Manager

Date:
Place:

Name:
Designation:
Address:

Certificate by the assessee

I_____(name), holding Permanent Account Number _____, hereby certify that the above particulars contained in the certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Signature of the assessee
Name:

Date:
Place:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.

2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.

3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 39

[*See* rule 73]

Form for claiming relief under section 157(1) of the Act in case of receipt of additional salary, or gratuity or Retrenchment Compensation or commutation of pension

<table>
<tr><td colspan="10">Part- A
Basic Information</td></tr>
<tr><td rowspan="7">1.</td><td colspan="9">Details of the assessee</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="6">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">Address</td><td colspan="6">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="2">Permanent Account Number</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td colspan="2">Residential Status</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td colspan="2">Email ID</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td colspan="2">Contact Number</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Tax Year (relevant tax year as in rule 73)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="10">Part-B</td></tr>
<tr><td rowspan="13">3.</td><td colspan="9">Relief admissible in case of receipt of additional salary (arrears or advance) or additional family pension</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="8">Attribution of the additional salary or family pension to the Tax Year to which it pertains</td></tr>
<tr><td></td><td>Sl.No.</td><td>Tax Year(s) to which the additional salary or family pension relates</td><td>Amount of additional salary, etc., relating to the Tax Year</td><td>Total Income of the Tax Year</td><td>Tax payable on Total Income</td><td>Enhanced Total Income of the Tax Year (B+C)</td><td>Tax payable on Enhanced Total Income</td><td>Tax chargeable on additional salary, etc., if it was received in the Tax Year to which it relates (F-D)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr>
<tr><td></td><td>(a)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(b)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(c)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(d)</td><td>(Repeat if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td></td><td colspan="4">TOTAL</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="3">Total Income of the relevant Tax Year</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="3">Tax payable on Total Income</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td colspan="3">Reduced Total Income of the relevant Tax Year [row 3(ii)-total of column B of row 3(i)]</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td colspan="3">Tax payable on Reduced Total Income of the relevant Tax Year</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td colspan="3">Tax on the additional salary, etc., in the relevant Tax Year (i.e. in year of receipt) [row 3(iii)-row 3(v)]</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td colspan="3">Is the tax on additional salary in row 3(vi) greater than the total of column G of 3(i);</td><td colspan="6">1. Yes
2. No</td></tr>
</table>

	(viii)	Relief admissible only when row 3(vii) is Yes. Relief = row *3(vi) - total of column G of row 3(i)*					
4.	**Relief admissible in case of receipt of Gratuity (past services <15 Years)**						
	(i)	Gratuity received during the relevant Tax Year (*herein referred as Y1 for Row No 4*)					
	(ii)	Calculation of Average rate of tax for Y2 and Y3					
			Tax Year	Total Income	Enchanced Total Income ***[B+ ½ of 4(i)]***	Tax Payable on Enchanced Total Income	Average rate of tax on Enhanced Total Income **(D/C)**
			A	**B**	**C**	**D**	**E**
		Y2 *(Tax Year immediately preceding Y1)*					
		Y3*(Tax Year immediately preceding Y2)*					
		Total					
	(iii)	Average of Average Rate of Tax of Y2 and Y3 ***[RA*** **=** *½ of total of column E of row 4(ii))]*					
	(iv)	Total Income of the relevant Tax Year (Y1)					
	(v)	Tax payable on Total Income of Y1					
	(vi)	Average rate of tax on Total Income of Y1 ***[R1*** = row *4(v) ÷ row 4(iv)]*					
	(vii)	Is **R1** more than ***RA*** *[row 4(vi) > row 4(iii)]*	1. Yes **2.** No				
	(viii)	Relief admissible only when row 4(vii) is Yes. *[Relief = row 4(i)*(R1-RA)]*					
5.	**Relief admissible in cases of receipt of gratuity (past services >= 15 years)**						
	(i)	Amount of Gratuity received during the relevant Tax Year *(herein referred as Y1 for Row No. 5)*					
	(ii)	Calculation of average rate of tax for Y2 , Y3 and Y4					
			Tax Year	Total Income	Enchanced Total Income *[B+1/3rd of 5(i)]*	Tax Payable on Enchanced Total Income	Average rate of tax on Enhanced Total Income **(D/C)**
			A	***B***	***C***	***D***	***E***
		Y2 *(Tax Year immediately preceding Y1)*					

		Y3 *(Tax Year immediately preceding Y2)*					
		Y4 *(Tax Year immediately preceding Y3)*					
		TOTAL					
	(iii)	Average of average rates of tax on Enhanced Total Incomes of Y2, Y3, and Y4 [***RA*** *=1/3rd of Total of column E of row 5(ii)]*					
	(iv)	Total Income of the relevant Tax Year (Y1)					
	(v)	Tax payable on Total Income of Y1					
	(vi)	Average rate of tax on Total Income of Y1. [**R1**= *row* 5(v) ÷ *row* 5(iv)]					
	(vii)	Is **R1** more than ***RA*** *[row 5(vi) > row 5(iii)]*	1. Yes 2. No				
	(viii)	Relief admissible only when row 5(vii) is Yes. *[Relief = row 5(i)*(R1- **RA**)]*					
6.	**Relief admissible in cases of receipt of Retrenchment Compensation**						
	(i)	Amount of retrenchment compensation received during the relevant Tax Year (*herein referred as Y1 for Row No. 6)*					
	(ii)	Calculation of Average rate of tax for Y2 , Y3 and Y4					
			Tax Year	Total Income	Enchanced Total Income *[B+1/3rd of 6(i)]*	Tax Payable on Enchanced Total Income	Average rate of tax on Enhanced Total Income (D/C)
			A	***B***	***C***	***D***	***E***
		Y2 *(Tax Year immediately preceding Y1)*					
		Y3 *(Tax Year immediately preceding Y2)*					
		Y4 *(Tax Year immediately preceding Y3)*					
		TOTAL					
	(iii)	Average of average rates of tax on Enhanced Total Incomes of Y2, Y3, and Y4 [***RA*** *=1/3rd of Total of column E of row 6(ii)]*					

	(iv)	Total Income of the relevant Tax Year (Y1)					
	(v)	Tax payable on Total Income of Y1					
	(vi)	Average rate of tax on Total Income of Y1. [***R1*** *= row 6(v) ÷ row 6(iv)]*					
	(vii)	Is **R1** more than ***RA*** *[row 6(vi) > row 6(iii)]*	**1. Yes** **2. No**				
	(viii)	Relief admissible only when 6(vii) is Yes. *[Relief = row 6(i)*(R1-* ***RA****)]*					
7.	**Relief admissible in cases of receipt of commutation of pension**						
	(i)	Amount of commutation of pension received during the relevant Tax Year *(herein referred as Y1 for row no. 7)*					
	(ii)	Calculation of average rate of tax for Y2 , Y3 and Y4					
			Tax Year	*Total Income*	*Enchanced Total Income [B+1/3rd of 7(i)]*	*Tax Payable on Enchanced Total Income*	*Average rate of tax on Enhanced Total Income (D/C)*
			A	***B***	***C***	***D***	***E***
		Y2 *(Tax Year immediately preceding Y1)*					
		Y3 *(Tax Year immediately preceding Y2)*					
		Y4 *(Tax Year immediately preceding Y3)*					
		TOTAL					
	(iii)	Average of average rates of tax on Enhanced Total Incomes of Y2, Y3, and Y4 [***RA*** *=1/3rd of Total of column E of row 7(ii)]*					
	(iv)	Total Income of the relevant Tax Year (Y1)					
	(v)	Tax payable on Total Income of Y1					
	(vi)	Average rate of tax on Total Income of Y1. [***R1*** *= row 7(v) ÷ row 7(iv)]*					
	(vii)	Is **R1** more than ***RA*** *[row 7(vi) > row 7(iii)]*	1. Yes 2. No				
	(viii)	Relief admissible only when *row* 7(vii) is Yes. *[Relief = row 7(i)*(R1-* ***RA****)]*					
8.	**Amount of receipt for which relief is claimed and relief admissible under section 157(1):**						

	Sr. No.	Nature of receipt	Amount of receipt	Relief admissible
			(A)	**(B)**
	(i)	Additional salary or family pension	*[Total of Column B of 3(i)]*	*[From 3(viii)]*
	(ii)	Gratuity (for past services < 15 Years)	*[From 4(i)]*	*[From 4(viii)]*
	(iii)	Gratuity (for past services >=15 years)	*[From 5(i)]*	*[From 5(viii)]*
	(iv)	Retrenchment compensation	*[From 6(i)]*	*[From 6(viii)]*
	(v)	Commutation of pension	*[From 7(i)]*	*[From 7(viii)]*
	(vi)	Any other receipt		
	(vii)	**TOTAL** [Sum of row 8(i) to row 8(vi)]		
9.	**Total relief admissible during the relevant tax year** *[Column B of row 8(vii)]*			

VERIFICATION

I,……(name), holding Permanent Account Number, ……., do hereby affirm that the information given above is correct and complete to the best of my knowledge and belief and is in accordance with the provisions of the Act.

Place…… Name:

Date…….. Signature:

Note:-

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. The amount of relief admissible, against each type of receipt, is to be calculated as per the manner given in the corresponding entry of the Table in sub-rule (1) of rule 73. In case of any other receipt, the amount of relief admissible is to be calculated as per sub-rule (2).
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 40
[*See* rule 74]

Exercise of option for relief from taxation in income from retirement benefit account maintained in a notified country under section 158 of the Act

PART-A						
1	**Details of the specified person**					
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*			
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*			
	(iii)	**Permanent Account Number**				
	(iv)	**Email ID**				
	(v)	**Contact Number**	Country Code			
2.	**Tax year in respect of which option is being exercised**		*yyyy-yy*			
PART-B						
3.	**Details of all the specified accounts maintained by the specified person**					
	A.	**Details of specified account**				
	(i)	**Account number**				
	(ii)	**Name of retirement fund**				
	(iii)	**Name of notified country** *(select one)*	1. Canada 2. US 3. UK 4. Other, please specify			
	(iv)	**Balance as on last day of the financial year prior to the tax year for which this form is being filled**				
	(v)	**Date on which account opened**	*dd/mm/yyyy*			
	(vi)	**Specify how the income from specified account is taxable in the notified country** *(select one)*	a. Accrual basis b. Receipt basis c. Any other basis, please specify			
	(vii)	**Specify the tax year in which the income from specified account is eligible to be withdrawn**	*yyyy-yy*			
	(viii)	**Nature of Income** *(select one or more)*	a. Salary b. Interest c. Dividend d. Others, please specify			
	(ix)	**Amount of income from the specified account which has already been included in the income of any earlier tax year during which such income accrued as referred to in rule 74(2)(a)**				
	(x)	**Specify the tax year or years in which amount referred to in (ix) has been included**	*Tax year*	*Amount of income*	*Whether ITR filed*	*Acknowledgement Number*

			yyyy-yy		*Yes/No*	
			yyyy-yy		*Yes/No*	
	(xi)	**Amount of Income from the specified account which was not taxable in India due to reasons referred in rule 74(2)(b)**				
	(xii)	**Specify the tax year or years in which amount referred to in (*xi*) is exempt on account of the specified person being "non-resident" or "not ordinarily resident"**	*Sl.No*	*Tax year*	*Amount of income*	
			(a)	*yyyy-yy*		
			(b)	*yyyy-yy*		
	B.	**Repeat if required**				
4.	**Details of option being exercised —**					
	The income accrued in specified accounts as specified in row 3 above, shall be included in the total income for the tax year in which income from the said specified account has been taxed or taxable in the notified country at the time of withdrawal or redemption *(select one)*		1. Yes 2. No			
5.	**Other details to be provided as separate enclosure:**		*Attach as per note 4*			

Declaration

I_____(name) holding Permanent Account Number _____ hereby declare that I have exercised the option for all the specified accounts mentioned in row 3 above. I understand that the said option, once exercised for any tax year, cannot be withdrawn for this tax year or any subsequent year. I do hereby declare that the information given above is correct and complete to the best of my knowledge and belief and is in accordance with the provisions of the Act.

Place:

Date:

Signature

Name

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Option once exercised in respect of a tax year, as specified in row No. 3, shall be applicable to all subsequent years, under rule 74(3).
4. The following details shall be provided as annexures, namely:-

Annexure	Particulars
A-1	A copy of statement of the specified account having following details- i. the account number of all the specified accounts; ii. the notified country in which such account has been opened; and iii. the balance in the specified account as on last date of the financial year prior to the tax year for which this Form No. 40 is submitted.
A-2	Documentary evidence to show how the income from specified account has been taxed or is taxable in the notified country. Relevant statutory provision of the notified country or any other relevant document

	may be attached.
A-3	The computation of income for all the tax years [as per row No. 3(ix)] in which the income from specified account has already been included in the total income. The computation has to be reconciled with the return of income for the said tax years. A reconciliation statement of the computation of income [as per row No. 3(ix)] has to be furnished along with the form.

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 41
[*See* rule 75(1)]

Information to be provided under section 159(8)

Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Communication Address in India (if available):	*(refer Note 3)*	
4.	Permanent Account Number (PAN) (if available):		
5.	E-mail Id:		
6.	Contact Number:	Country Code	Number
Part B: Residential Information			
7.	Tax Year:		
8.	Status:	*(refer Note 4)*	
9.	Country of residence (in the case of an individual) or Country/Region of incorporation/ registration (in the case of others):	*(refer Note 5)*	
10.	Tax Identification Number (TIN) in country/region of residence:	*(refer Note 6)*	
11.	Period for which the residential status as mentioned in the certificate referred to in section 159(8) is applicable:		
12.	Address of the assessee in the country or region outside India during the period for which the certificate, mentioned in Sl. No. 11 above, is applicable:		
13.	Copy of the certificate referred to in section 159(8):	*Upload the copy as Annexure*	

Declaration
I _____ (Name of assessee) with _____ (PAN/Unique identification number) have obtained a certificate referred to in section 159(8) from the Government of _____ (name of country or region outside India) which is provided as per Part B (Sl. No. 13).

Verification
I _____ hereby affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this form in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this form.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include the first name, middle name and last name, in the case of an individuals and full name of the entity for other cases.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

5. Where the region is a specified territory, the same may be mentioned.
6. Tax Identification Number of the applicant in the country or region of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the applicant is identified by the Government of that country or the region of which he claims to be a resident.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 42
[*See* rule 75(3)]

Application for Certificate of residence for the purposes of an agreement under section 159(1) and 159(2)

<table>
<tr><th colspan="5">Part A: Particulars of the Applicant</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Communication Address in India:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="2" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="5">Part B: Details for Tax Residency Certificate (TRC)</th></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Status:</td><td colspan="2">(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Nationality (in case of individuals):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">Country/Region of incorporation/ registration (in case of others):</td><td colspan="2">(refer Note 5)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td colspan="4">Address of the applicant during the period for which Tax Residency Certificate (TRC) is desired (refer Note 2):</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Address</td><td>Period of Stay (From _____ to _____)</td><td>Number of days</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Repeat, if required</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Basis on which the status of being resident in India is claimed:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Period for which the residence certificate is applicable:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">Purpose of obtaining TRC (must be specified):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="2">Other details to be provided as separate enclosure:</td><td colspan="2">(Attach as per Note 6)</td></tr>
</table>

Verification
I _____ hereby affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this form in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this form.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include the first name, middle name and last name, in the case of an individuals and full name of

the entity for other cases.

2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.

3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.

4. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

5. Where the region is a specified territory, the same may be mentioned.

6. With respect to Part B (Sl. No. 14), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Passport copies
A-2	Documents of incorporation/ registration
A-3	Proof of stay in India
A-4	Any other relevant information

7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 43
[*See* rule 75(4)]

Certificate of residence for the purposes of section 159

Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Communication Address in India:	*(refer Note 3)*	
4.	Permanent Account Number (PAN):		
5.	E-mail Id:		
6.	Contact Number:	Country Code	Number

Certification
It is hereby certified that the above-mentioned person is a resident of India for the purposes of Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). This certificate is valid for the period _____ to _____.

Place: Signature:
Date: Name of the Assessing Officer:
Designation:

Notes:

1. The name shall include the first name, middle name and last name, in the case of an individuals and full name of the entity in other cases.
2. The address shall be the address during the period of Tax Residency Certificate and shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 44

[*See* rule 76(10)]

Statement of income from a country or region outside India and Foreign Tax Credit

Part A: Particulars of the Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
6.	Tax Year:		

Part B: Other Information

Details of income from a country or region outside India which is offered to tax or assessed to tax in India and on which Foreign Tax Credit is claimed:

Sl. No.	Name of the country / region *(see Note 3)*	Taxpayer Identification Number (TIN) *(see Note 4)*	Source of income	Income from outside India	Income-tax paid outside India		Tax payable on such income under the Income-tax Act, 2025 *(refer Note 6)*	Details of foreign tax credit under section 159			Amount of foreign tax credit under section 160	Whether amount in column (11) or (12) or any part there of is under dispute?	If 'Yes' in column (13), amount of such disputed foreign tax credit	Total foreign tax credit [(15) = (11+12)]	Total foreign tax credit claimed [(16) = (15) - (14)]
					Amount	Rate		Article Number of Double Taxation Avoidance Agreements *(refer Note 7)*	Rate of tax as per Double Taxation Avoidance Agreements *(refer Note 8)*	Amount					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Salary												
			House property												

			Business or professional												
			Long term capital gain												
			Short term capital gain												
			Interest (refer Note 5)												
			Dividend (refer Note 5)												
			Royalty (refer Note 5)												
			Fees for technical services or fee for including services (refer Note 5)												
			Others (specify)												

Part C: Details regarding refund of foreign tax by foreign tax authority for which credit was already claimed in India

Whether carry backward of loss of current year or revision of Income Tax Return (ITR)/Income Tax Declaration (ITC) of any year(s) or any other reason has led to refund of foreign tax by foreign tax authority for which credit was already claimed in India in any tax year(s)?	Yes /No

If reply to the above is Yes,	Reason	Amount of the	Amount of the foreign	Tax Year(s) in which

please furnish these details:	for refund of the foreign tax	refund of the foreign tax	tax out of amount in column (2) for which credit was already claimed in India	credit of the amount mentioned in column (3) was claimed in India
	(1)	(2)	(3)	(4)

Declaration and verification

I, _____, hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I confirm that the amount of Foreign Tax Credit claimed by__ (name of the taxpayer) for the tax year _____ is in accordance with the applicable Double Taxation Avoidance Agreement(s) and relevant provisions of the Income-tax Act, 2025 and Income-tax Rules, 2026 I am submitting this form in my capacity as _____ (Designation), holding PAN _____ and I am competent to submit this form.

Digital signature:

Date:

Place:

Verification by an accountant

I _____holding PAN_____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income from a country or region outside India and evidence of Foreign Tax paid thereon by the _____ (name of the assessee) for the tax year _____. The amount of Foreign Tax Credit claimed by _____ (name of the assessee) for the tax year _____in Part B and/or the details furnished in Part C of this form are in accordance with the applicable Double Taxation Avoidance Agreement(s) and relevant provisions of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and Income-tax Rules, 2026.

I affirm that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the assessee.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Where the region is a specified territory the same is to be mentioned. The option to add multiple countries/territories with all the sources of income is to be provided and the same is required to be filled by the assessee.
4. TIN of the assessee in the country mentioned in column (2) is to be provided by the assessee.
5. These incomes are to be only to the extent not being part of income from business or profession as per the applicable DTAA.
6. In column (8), tax payable on income reported in column (5) to be computed in accordance with the face as to whether the assessee is paying tax under the normal provisions of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (please refer to rule 76(8) of the Income-tax Rules for the meaning of 'normal provisions') or under section 206, as the case may be.
7. For Article of DTAA in column (7), drop down of Article (including paragraph and sub-paragraph) of the applicable DTAA is to be provided and the same is required to be selected by the assessee.
8. Please attach certificate or statement and proof of payment/deduction of foreign tax as referred to in rule 76(10)(b).
9. Some of the information in the form would be pre-filled and auto populated to the extent possible.
10. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 45

[*See* rule 76(15)]

Intimation of settlement of dispute regarding foreign tax for which credit has not been claimed

Part A: Particulars of the Person				
1.	Name:			*(refer Note 1)*
2.	Address:			*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number (PAN):			
4.	Relevant Tax Year:			
5.	Acknowledgement Number of Form No. 44:			
6.	Date of settlement of dispute:			*(refer note 4)*
7.	Details of the Intimation (*refer Note 3*)	*Intimation Number*	*Acknowledgement Number of the Intimation*	*Foreign tax credit claimed*
		I-1		
		I-2		

Part B: Other Information															
Details of income from a country or specified territory outside India which is offered to tax or assessed to tax in India and on which Foreign Tax Credit is claimed:															
Sl. No.	Name of the country / region	Taxpayer Identification Number (TIN)	Source of income	Income from outside India	Income-tax paid outside India		Tax payable on such income under the Income-tax Act, 2025	Details of foreign tax credit under section 159			Amount of foreign tax credit under section 160	Whether amount in column (6) or (12) or any part there of is under dispute?	If 'Yes' in column (13), amount of such disputed foreign tax credit	Total foreign tax credit [(15) = (11+12)]	Total foreign tax credit claimed [(16) = (14) - (15)]
					Amount	Rate		Article No. of Double Taxation Avoidance Agreements	Rate of tax as per Double Taxation Avoidance Agreements	Amount					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Salary												
			House prope												

			rty												
			Business or professional												
			Long term capital gain												
			Short term capital gain												
			Interest												
			Dividend												
			Royalty)												
			Fees for technical services or fee for including services												
			Others												

Part C: Details of the Intimation of settlement of dispute regarding foreign tax for which credit has not been claimed

Total disputed foreign tax credit reported in Form No. 44 {total of amounts in column (14) of Part B of Form No. 44} [B] *(refer Note 6)*	
Total disputed foreign tax credit reported vide this Intimation I-1 (total of amounts in column (14) [B1] *(refer Note 6)*	
Total Foreign Tax Credit claimed vide this Intimation I-1 = [B] - [B1] *(refer Note 6)*	

Declaration and verification

I, _____, hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I confirm that the amount of Foreign Tax Credit claimed by _____ (name of the taxpayer) _____ for the tax year _____ is in accordance

with the applicable Double Taxation Avoidance Agreement(s) and relevant provisions of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and Income-tax Rules, 2026 I am submitting this form in my capacity as _____ (Designation), holding PAN _____ and I am competent to submit this form.

Date: Signature:

Place: Name:

Verification by an accountant

I _____holding PAN_____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income from a country or specified territory outside India and evidence of Foreign Tax paid thereon by the _____ (name of the assessee) for the tax year _____ and evidence of settlement of dispute thereof in terms of the section 288(1)[Table: Sl. No.7]. The amount of Foreign Tax Credit claimed by _____ (name of the assessee) for the tax year _____in Part B and/or the details furnished in Part C of this form are in accordance with the applicable Double Taxation Avoidance Agreement(s) and relevant provisions of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and Income-tax Rules, 2026.

I affirm that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the assessee.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Data field shall be auto populated from Form No. 44 and certain data field may be made editable.

4. Drop down of DD/MM/YYYY to be provided with the option to enter multiple dates because multiples disputes may be settled on different dates within a month. However, as per rule 76(6), this form/Intimation has to be filed by the assessee within six months from the end of the month in which the dispute is finally settled.
5. Multiple Intimations could be filed for the same tax year in accordance with Section 288(1)[Table: Sl. No.7] and rule 76(6).
6. If any subsequent Intimation I-2, I-3 and so on are furnished by the assessee, "Total disputed foreign tax credit reported vide this Intimation…" to be designated as B2, B3 respectively and so on. Also, for such subsequent Intimations, "Total disputed foreign tax credit reported in Form No. 44" to be replaced by "Total disputed foreign tax credit reported in the last Intimation (I-1, I-2….., as the case may be)" and designated as B1, B2……, as the case may be, and "Total foreign tax credit claimed vide this Intimation……" to be computed as [B1-B2], [B2-B3] and so on for such subsequent Intimations I-2, I-3 and so on.
7. Please attach evidence of settlement of dispute and evidence of payment of tax being claimed vide this Intimation in terms of section 288(1)[Table: Sl. No.7].
8. Some of the information in the form would be pre-filled and auto populated to the extent possible.
9. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 46

[*See* rule 82(1)]

Exercise of option for determination of arm's length price (ALP) under section 166(9)

Part A: Particulars of the Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number

Part B: Other Information												
6.	Tax year (TY) for which reference has been made under section 166(1) by the Assessing Officer:											
7.	Details of Return of income (ITR) and Form No. 48:											
	Sl. No.	Tax Year (TY) and second tax year (TY+1)		Date of furnishing of ITR		Acknowledgment Number of the ITR		Date of furnishing of Form No. 48		Acknowledgment Number of the Form No. 48		
	1.	TY										
	2.	TY + 1										
8.	Details of the transactions for which determination of ALP is to be carried out as per section 166(9):											
	Sl. No.	Name of the Associated Enterprise (AE)	AE's Taxpayer Identification Number or its equivalent in the country /region of location	Address	Nature of transaction	TY		TY + 1		TY + 2		
						Total amount paid/ received or payable/ receivable in the transaction	Method used to determine ALP	Total amount paid/ received or payable/ receivable in the transaction	Method used to determine ALP	Total amount paid/ received or payable/ receivable in the transaction	Method used to determine ALP	

						As per books of account	As per ALP determined		As per books of account	As per ALP determined		As per books of account	As per ALP determined	
	1.													
	2.	*(Repeat, if required)*												

Certification

I hereby agree to the determination of ALP as per the provisions of section 166(9) for the tax years < Prefill> , < Prefill> and < Prefill> [TY, TY+1 and TY+2].

I also certify the following:

- There has not been any material change in the analysis of the transaction(s) in respect of functions performed, taking into account assets employed and the risks assumed, in the table above for TY, TY+1 and TY+2.
- There has not been any material change in the business result or holding structure of the Associated Enterprise, or change in the Associated Enterprise in the table above during TY, TY+1 and TY+2 which impact the transactions or the functions performed, taking into account assets employed and the risks assumed.
- None of the Associated Enterprises in the table above is a resident of a jurisdiction which has been notified under section 176.
- There has not been any change in the contractual terms relevant to the transactions in the table above during TY, TY+1 and TY+2.
- Further, I declare that I will furnish the return of income as well as Form No. 48 for the tax year _____ [TY+2] by the due date as given in section 263(1) and section 172 respectively.

I declare that I have examined the information contained in this information, including the accompanying documents, and to the best of my knowledge and belief, the facts presented within this report and accompanying documents are true, comprehensive, and accurate.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Where the region is a specified territory, the same may be mentioned.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 47

[*See* rule 82(3)]

Certificate of an accountant under section 166

Part A: Particulars of the Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number

Certification

I have examined the books of accounts, the documents maintained under the provisions of section 171 and other relevant documents maintained by Mr./Ms./M/s*_____for the first tax year (TY) _____, second tax year (TY+1) _____, third tax year (TY+2) _____for giving consent for determination of arm's length price (ALP) per provisions of section 166(9).

I hereby certify the following:

- The case of the assessee for the TY, TY+1 and TY+2 period is not covered under the provisions of Chapter XVI-B.
- The transactions in the _____ [auto-filled, TY] for which assessee has exercised the determination of arm's length price as per provisions of section 166(9) are similar to the transactions in _____ [TY+1] and _____[TY+2] under the provisions of rule 82.
- There has not been any material change in the analysis of the transaction(s) in respect of functions performed, taking into account assets employed and the risks assumed for TY, TY+1 and TY+2.
- There has not been any material change in the business result or holding structure of the Associated Enterprise, or change in the Associated Enterprise in the case of the assessee during TY, TY+1 and TY+2 which impact the transaction or the functions performed, taking into account assets employed and the risks assumed.
- None of the Associated Enterprises relevant to the transactions for which option or options is exercised under section 166(9) is a resident of a jurisdiction which has been notified under section 176.
- There has been no change in the contractual terms of the relevant transactions which explicitly or implicitly laid down how the responsibilities, risks and benefits are to be divided between the parties to the relevant transactions in TY, TY+1 and TY+2.
- The information given by the assessee in the Form No. 46 for TY, TY+1 and TY+2 is accurate and *bona fide*.

Any other information relevant to the option or options exercised by the assessee may be stated below:

-

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. *Delete whichever is not applicable.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 48

[*See* rule 85]

Report from an accountant to be furnished under section 172 relating to international transaction(s) and/or specified domestic transaction(s)

Part A: Particulars of the Assessee		
1.	Name:	(refer Note1)
2.	Address:	(refer Note 2)
3.	Permanent Account Number (PAN):	

4.	***Part B: Aggregate amount of transactions as per books of account (refer Note 3) <auto-populated>***					
	International		**Deemed International**		**Specified Domestic**	
	Received	Paid	Received	Paid	Received	Paid

Part-C (International Transactions including Deemed International Transactions)

5. List of associated enterprises (AE) with whom the assessee has entered into international transactions						
Sl. No.	**Identification of AE** *(AE. ID.)*	**Name**	**Address**	**Country or territory of residence**	**PAN/ TIN or other unique identifier**	**Nature of relationship with the AE as referred to in Section 162(1)**
1.	AE-1			<drop down>	***(refer Note 4)***	<drop down> [Multiple options can be selected] ***(refer Note 5)***

6. List of persons with whom the assessee has entered into the deemed international transactions					
Sl. No.	**Identification of Person** *(Person ID)*	**Name**	**Address**	**Country or territory of residence**	**PAN/ TIN or other unique identifier**
1.	P-1			<drop down>	***(refer Note 4)***

7. International transactions (To be provided for each international transaction type including deemed international transaction type)						
Sl.No.	**Transaction ID**	**Transaction Type** ***(refer Note 6)***	***AE ID. and/or Person ID***	**Additional Information (Refer Column B of Note 7) [in respect of each AE or Person]**	**Transaction amount as per the books of account**	
					Received	**Paid**
1.	*T-1AE-1/P-1*					
	Aggregate amount of transaction as per books of account				*(Auto populated)*	*(Auto populated)*
	Amount of adjustment:				*(Auto populated)*	*(Auto populated)*
	Arm's length price as computed in Part E:				*(Auto populated)*	*(Auto populated)*
2.	*T-2 AE-1/P-1*					
	(Repeat for each transaction ID)					

8. Details of advance pricing agreement (APA)					
i.	Is the assessee signatory of any advance pricing agreement (APA):				Yes/No
	If yes, please provide				
	(a)	Date of agreement			
	(b)	Acknowledgement Number of application			
	(c)	**Sl. No.**	**Transaction ID covered under APA** *(Choose the transactions from the list of transaction IDs)*	**Total amount of the transaction**	**Amount of the transaction covered under APA**

		1.			
		2.			

PART D (Specified domestic transaction)

9. List of AE with whom the assessee has entered into specified domestic transactions					
Sl. No.	**Identification of AE** (*DAE ID.)*	**Name**	**Address**	**PAN**	**Nature of relationship with the AE as referred to in Section 162(2)**
	DAE-1				<drop down> [Multiple options can be selected] (refer Note 8)

10. Specified Domestic Transactions with AE (To be provided for each specified domestic transaction type for an AE)					
Sl. No.	**Transaction ID**	**Transaction Type (refer Note 9)**	***DAE.ID*** *(Choose from the list for which the data has been filled up in row 9)*	**Transaction amount as per the books of account**	
				Received	**Paid**
1.	*SDT-1DAE-1*				
	Aggregate amount of transaction as per books of account:			*(Auto populated)*	*(Auto populated)*
	Amount of adjustment:			*(Auto populated)*	*(Auto populated)*
	Arm's length price as computed in Part E:			*(Auto populated)*	*(Auto populated)*
2.	*SDT-2DAE-1*				
	(Repeat for each transaction ID)				

Pa

11. Determination of arm's length price **(To be filled up after the Part C and/or D have been filled up for each transaction)**								
1.	(i)	Have any of the transaction been aggregated with other closely linked transaction(s) for determination of arm's length price		Yes/No				
		(a)	If yes in (i), the details of the transactions which have been aggregated	**Sl No.**	**Transaction ID**	**Total Amount *(refer Note 10)***	**Amount aggregated**	**Amount not-aggregated**
					<drop down> Choose the transactions from the list of transaction IDs			

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(b)</td><td colspan="3">If No in (i), the details of the transaction (the details of all the transactions which are either not aggregated or partly aggregated are to be filled in separately for each transaction)</td><td colspan="3"><drop down>
(Choose the transactions from the list of transaction IDs)</td><td>Total Amount (refer Note 10)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="3">Most Appropriate Method u/s 165 (Select one option from Note 11)</td><td colspan="4"><drop down></td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td></td><td>RPM</td><td>CPM</td><td>TNMM</td><td colspan="2">CUP</td><td>PSM</td><td>Other Method</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5">(a)</td><td rowspan="5"></td><td colspan="3">(refer Note 12)</td><td rowspan="2">Number of comparables</td><td rowspan="2">< drop down>
A: one
B: more than one & less than six
C: six or more</td><td rowspan="5">Details of determination of arm’s length price</td><td rowspan="5">Details of determination of arm’s length price</td></tr>
<tr><td colspan="2">Number of comparable uncontrolled transactions/enterprises used for determination of arm’s length price</td><td>< drop down>
A: one
B: more than one & less than six
C: six or more</td></tr>
<tr><td colspan="2">If case of “A”: margin of comparable (%)</td><td></td><td>If case of “A”</td><td>Arm’s length price</td></tr>
<tr><td colspan="2">If case of “B”: margin of comparables (%)</td><td>Arithmetic Mean</td><td>If case of “B”</td><td>Arithmetic Mean</td></tr>
<tr><td colspan="2">If case of “C”: margin of comparables (%)</td><td>Median
35th percentile
65th percentile</td><td>If case of “C”</td><td>Median
35th percentile
65th percentile</td></tr>
<tr><td></td><td>(b)</td><td colspan="3">Arm’s length price (refer Note 13)</td><td colspan="2" rowspan="3">Arm’s length price (refer Note 13)</td><td colspan="2">Arm’s length price (refer Note 13) $</td></tr>
<tr><td></td><td>(c)</td><td colspan="3">Please fill the additional details (refer note 14)</td><td colspan="2" rowspan="2">Amount of adjustment (refer Note 13) $</td></tr>
<tr><td></td><td>(d)</td><td colspan="2">Whether any transaction, out of the transactions chosen in (ii) (a), has also been separately benchmarked. (refer note 15)</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(i)</td><td colspan="3">Have any of the transaction, which are not included or partially included in 1(i)(a) above, been aggregated with other closely linked transaction(s) for determination of arm’s length price.</td><td colspan="4">Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(a)</td><td colspan="3">If yes, repeat 1(i)(a)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(b)</td><td colspan="3">If no, repeat 1(i)(b)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">(Repeat 2 till the reporting of aggregated transactions is completed)</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Part- F(Documentation): To be opened only if the aggregate value of international transaction exceeds Rs. 1Cr. Or if specified domestic transaction is reported	
Whether the assessee satisfies the conditions mentioned for non- maintenance of fresh documents in the proviso to rule 84(4)?	Yes/No
If no, whether the assessee has kept and maintained the information and documents as prescribed under section 171?	Yes/No

Certification

I have examined the accounts and records of _____ (name of the assessee) having (PAN) _____relating to the international transaction(s) and the specified domestic transaction(s) entered into by the assessee during the tax year ending on 31st March _____.

In my opinion proper information and documentation as are prescribed have been kept by the assessee in respect of the international transaction(s) and the specified domestic transaction(s) entered into so far as appears from my examination of the records of the assessee.

The particulars required to be furnished under section 172 are mentioned in the above Form. In my opinion and to the best of my information and according to the explanation given to me, the particulars given in the Form are true and correct.

Signature:
Name of the accountant:
Membership No:
Name of the proprietorship/firm:
PAN of the proprietorship/firm:
Firm registration No:
UDIN, if any:

Place:
Date:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code.
3. In this Form "amount paid' shall mean the aggregate amounts of the amount actually paid and the amount payable. Similarly, in this Form "amount received' shall mean the aggregate amounts of the amount actually received and the amount receivable.
4. If PAN is available, please furnish PAN. If PAN is not available, please furnish TIN. If TIN is not available, please furnish a unique identification number on the basis of which the AE is identified by the Government of the country or the specified territory, where the AE claims to be resident.
5. Nature of relationship with the AE as referred to in section 162(1)

1	162(1)(a)(i)	2	162(1)(a)(ii)	3	162(1)(a)(iii)	4	162(1)(b)
5	162(1)(c)	6	162(1)(d)	7	162(1)(e)	8	162(1)(f)
9	162(1)(g)	10	162(1)(h)	11	162(1)(i)	12	162(1)(j)
13	162(1)(k)	14	162(1)(l)				

6. Types of International Transaction

Sl. No.	Transaction Type				
A	B				
1	Purchase of raw material, consumables or any other supplies for assembling or processing or manufacturing of goods or articles.				
2	Purchase of traded or finished goods.				
3	Purchase of any tangible property including building, transportation vehicle, machinery, equipment, tools, plant, furniture, commodity or any other article, product or thing not covered in A 1 or A 2				
4	Lease or use of any tangible property including building, transportation vehicle, machinery, equipment, tools, plant, furniture, commodity or any other article, product or thing				
5	Sale of raw material, consumables or any other supplies for assembling or processing or manufacturing of goods or articles				
6	Sale of traded or finished goods				
7	Sale or transfer of any tangible property including building, transportation vehicle, machinery, equipment, tools, plant, furniture, commodity or any other article, product or thing not covered in A 5 or A 6				
8	Lease or use of any tangible property including building, transportation vehicle, machinery, equipment, tools, plant, furniture, commodity or any other article, product or thing				
9	(a)	Purchase of intangible property	(i)	the transfer of ownership of	A **marketing related intangible assets-** (i) trademarks (ii) trade names (iii) brand names (iv) logos **(v)** others (please specify) **B technology related intangible assets-** (i) process patents (ii) patent applications (iii) technical documentation such as laboratory note-books (iv) technical know-how **(v)** others (please specify) **C artistic related intangible assets-** (i) literary works and copyrights (ii) musical compositions (iii) copyrights (iv) maps (v) engravings (vi) others (please specify) D **data processing related intangible assets-** (i) proprietary computer software (ii) software copyrights (iii) automated databases (iv) integrated circuit masks and masters
			(ii)	the provision of use of rights of	

Sl. No.	Transaction Type				
A	B				
			(iii)	Others (please specify)	(v) others (please specify) **E engineering related intangible assets-** (i) industrial design (ii) product patents (iii) trade secrets (iv) engineering drawing and schematics (v) blueprints (vi) proprietary documentation (vii) others (please specify) **F customer related intangible assets-** (i) customer lists (ii) customer contracts (iii) customer relationship (iv) open purchase orders (v) others (please specify)
	(b)	Lease or use of intangible property where the assessee is lessee or user			**G contract related intangible assets-** (i) favourable supplier (ii) contracts (iii) licence agreements (iv) franchise agreements (v) non-compete agreements (vi) others (please specify) **H human capital related intangible assets-** (i) trained and organised work force (ii) employment agreements (iii) union contracts (iv) others (please specify) **I location related intangible assets-** (i) leasehold interest (ii) mineral exploitation rights (iii) easements (iv) air rights (v) water right (vi) others (please specify) **J goodwill related intangible assets-** (i) institutional goodwill (ii) professional practice goodwill (iii) personal goodwill of professional (iv) celebrity goodwill (v) general business going concern value (vi) others (please specify)
	(c)	Sale or transfer of intangible property	(i)	the transfer of ownership of	
			(ii)	the provision of use of rights of	
			(iii)	Others (please specify)	

Sl. No.	Transaction Type		
A	B		
	(d)	Lease or use of intangible property where the AE is lessee or user	**K** other intangible properties- (i) methods, (ii) programmes, (iii) systems, (iv) procedures, (v) campaigns, (vi) surveys, (vii) studies, (viii) forecasts, (ix) estimates, (x) customer lists, (xi) technical data (xii) patents (xiii) know-how (xiv) commercial secret (xv) marketing channel (xvi) copyrights (xvii) industrial property right (xviii) land use (xix) exterior design or practical and new design **L** any other business or commercial rights of similar nature or any other similar item that derives its value from its intellectual content rather than its physical attributes (please specify)
10	(a)	Capital financing, borrowing of money,- (i) short term loan (ii) long term loan (iii) guarantee (iv) others (please specify)	
	(b)	Capital financing, borrowing of money- purchase of marketable securities	
	(c)	Capital financing, borrowing of money,- (i) advances received, (ii) deferred payment obligations, (iii) any other debt obligation arising during the course of business (please specify)	
11	(a)	Interest paid in respect of any transaction referred to in 10 above	
	(b)	Guarantee fee/commission paid in respect of transaction referred to in 10(a)(iii)	
12	(a)	Capital financing, lending of money,- (i) short term loan (ii) long term loan (iii) guarantee (iv) others (please specify)	
	(b)	Capital financing, lending of money- sale of marketable securities	

<table>
<tr><td>Sl. No.</td><td colspan="5">Transaction Type</td></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="5">B</td></tr>
<tr><td></td><td>(c)</td><td colspan="4">Capital financing, lending of money,-
(i) advances granted,
(ii) deferred payment arrangements,
(iii) any other debt claim arising during the course of business (please specify)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13</td><td>(a)</td><td colspan="4">Interest received in respect of any transaction referred to in 12 above</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td colspan="4">Guarantee fee/commission received in respect of transaction referred to in 12(a)(iii)</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="5">Provision of services to AE-
<table>
<tr><td>(a) market research</td><td>(b) market development</td><td colspan="3">(c) marketing management</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(d) administration</td><td rowspan="4">(e) agency</td><td rowspan="4">(f) technical service ***</td><td colspan="2">(i) Software development services</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ii) Information technology enabled services</td></tr>
<tr><td colspan="2">(iii) Knowledge process outsourcing services</td></tr>
<tr><td colspan="2">(iv) Any other technical services</td></tr>
<tr><td rowspan="5">(g) repairs</td><td rowspan="5">(h) design</td><td rowspan="5">(i) scientific research***</td><td rowspan="4">(A) Contract</td><td>(i)Contract research and development services wholly or partly relating to the software development</td></tr>
<tr><td>(ii)Contract research and development services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs</td></tr>
<tr><td>(iii)Other contractual research (please specify)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(B) Others (please specify)</td></tr>
<tr><td>(j) consultation</td><td>(k) legal</td><td colspan="3">(l) accounting service</td></tr>
<tr><td>(m) others (please specify)</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">*** For the services as mentioned in column (f)(i) to (f)(iii), and in column (i)A(i) to (i)(A)(ii), the services are as defined in rule 86.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="5">Provision of services from AE-
<table>
<tr><td>(a) market research</td><td>(b) market development</td><td>(c) marketing management</td></tr>
<tr><td>(d) administration</td><td>(e) technical service</td><td>(f) repairs</td></tr>
<tr><td>(g) design</td><td>(h) consultation</td><td>(i) agency</td></tr>
<tr><td>(j) scientific research</td><td>(k) legal</td><td>(l) accounting service</td></tr>
<tr><td>(m) others (please specify)</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="5">A transaction of business restructuring or reorganisation, entered into by an enterprise with an associated enterprise, irrespective of the fact that it has any bearing on the profit, income, losses or assets of such enterprises at the time of the transaction or at any future date.</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="5">Mutual agreement or arrangement between two or more AEs for-
(a) the allocation or apportionment of any cost or expense incurred or to be incurred in connection with a benefit, service or facility provided or to be provided to any one or more of such enterprises, or
(b) any contribution to any cost or expense incurred or to be incurred in connection with a benefit, service or facility provided or to be provided to any one or more of such enterprises.</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="5">Any other transaction between two or more AEs having a bearing on the profits, income, losses or assets of such enterprises (please specify)-
(a) …</td></tr>
</table>

7. Type of International Transaction (with reference to Note 6) and additional information

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th colspan="5">Additional Information to be provided</th></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="5">B</td></tr>
<tr><td>9 (a)(ii), 9(a)(iii), 9(b)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Date of royalty agreement</td><td>Rate of Royalty</td><td>Amount of royalty paid/payable</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9(c)(ii), 9(c)(iii), 9(d)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Date of royalty agreement</td><td>Rate of Royalty</td><td>Amount of royalty received/receivable</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10 (a)(i), 10(a)(ii), a(iv)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Nature of financing agreement</td><td>Quantum of transaction</td><td>Currency in which transaction has taken place</td><td>Interest rate in respect of each borrowing</td><td>Interest paid or payable</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10(a)(iii)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Total amount of the guarantee</td><td>Rate of corporate guarantee commission or fee charged</td><td>Currency in which the transaction was undertaken for which guarantee was granted</td><td>Amount of corporate guarantee commission or fee charged</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12(a)(i), 12(a)(ii), 12(a)(iv)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Nature of financing agreement</td><td>Quantum of transaction</td><td>Currency in which transaction has taken place</td><td>Interest rate in respect of each lending</td><td>Interest received or receivable</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12(a)(iii)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Total amount of the guarantee</td><td>Rate of corporate guarantee commission or fee charged</td><td>Currency in which the transaction was undertaken for which guarantee was granted</td><td>Amount of corporate guarantee commission or fee charged</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>Nature of transaction (please specify)</td><td>Title of agreement</td><td>Date of agreement</td><td>Terms of restructuring/reorganization</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>Whether is there any impact on profits, income, loss or assets? Yes/ No. If yes, please specify.</td></tr>
</table>

8. Nature of relationship with the AE as referred to in section 162(2)

1	162(2)(a)	2	162(2)(b)	3	162(2)(c)

9. Types of Specified Domestic Transaction

Sl. No.	Transaction Type		
A	B		
1	Any transaction referred to in section 122	A	Transfer of goods to any other business of the assessee
		B	Transfer of services to any other business of the assessee
		C	Acquisition of goods from any other business of the assessee

		D	Acquisition of services from any other business of the assessee
2	Any transfer of goods or services referred to in section 140(9)	A	Transfer of goods to any other business of the assessee
		B	Transfer of services to any other business of the assessee
		C	Acquisition of goods from any other business of the assessee
		D	Acquisition of services from any other business of the assessee
3	Any business transacted between the assessee and any other person as referred to in section 140(13)		
4	Any transaction, referred to in any other section under Chapter VIII or section 144, to which section 140(9) or 140(13) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) applies, or to which section 80-IA(8) or 80-IA(10) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) applies.	A	Transfer of goods to any other business of the assessee
		B	Transfer of services to any other business of the assessee
		C	Acquisition of goods from any other business of the assessee
		D	Acquisition of services from any other business of the assessee
		E	Any other transaction (please specify)
5	Any business transacted between the persons referred to in section 205(4).	A	Transfer of goods by the assessee
		B	Transfer of services by the assessee
		C	Acquisition of goods by the assessee
		D	Acquisition of services by the assessee
		E	Any other transaction (please specify)

10. If the total amount of the transaction has not been aggregated with the other closely linked transactions, then, for subsequent aggregation of the transaction, the balance amount not aggregated shall be the "Total Amount" for the subsequent benchmarking.

11. Transfer pricing methods as per section 165(1)

Code	Transfer Pricing Method
A	**B**
CUP	Comparable Uncontrolled Price Method
RPM	Resale Price Method
CPM	Cost Plus Method
PSM	Profit Split Method
TNMM	Transactional Net Margin Method
OTM	Other Method

12. a) In case of resale price method, margin is rate of gross profit margin.
    a) In case of cost-plus method, margin is rate of gross profit mark-up
    b) In case of transactional net profit method, margin is rate of net profit margin.

13. Computation for the determination of arm's length price

Code	Computation
A	**B**

RPM

Particulars				
(i)	Total resale price as per books of accounts (₹)		A	
(ii)	Amount of gross profit margin for the comparable uncontrolled transactions (before adjustment) (₹)			
(iii)	Rate of gross profit margin for the comparable uncontrolled transactions (before adjustme t) (%)		C	
(iv)	Expenses incurred in connection with the purchase of property or obtaining of services (₹)		D	
(v)	Price at which property purchased or services obtained for the comparable uncontrolled transactions (₹)		E= A-B-D	
(vi)	Details of adjustme t made, if any.	Amount (₹)	F	
		Description		
(vii)	Amount of gross profit margin for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (₹)		G= B +/- F	
(viii)	Rate of gross profit margin for the comparable uncontrolled transactions (%) (after adjustment)		H	
(ix)	Price at which property purchased or services obtained for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (arm's length price) (₹)		I= A-G-D	
(x)	Price at which property purchased or services obtained as per the books of account (₹)		J	
(xi)	Is there any adjustment required in the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken in accordance with the provisions of section 165 of the Act?		Yes/No	
	(a)	If yes, amount of adjustment (₹)[@]		
	(b)	If no,		No adjustment

CPM

Particulars				
(i)	The direct and indirect costs of production incurred, in respect of property transferred or services provided, as per books of accounts (₹)		A	
(ii)	Amount of gross profit mark-up for the comparable uncontrolled transactions (before adjustment) (₹)		B	
(iii)	Rate of gross profit mark-up for the comparable uncontrolled transactions (befor adjustment) (%)		C	
(iv)	The costs as increased by the gross profit mark-up for the comparable uncontrolled transactions (before adjustment) (₹)		D= A+B	
(v)	Details of adjustment made, if any	Amount (₹)	E	
		Description		
(vi)	Amount of gross profit mark-up for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (₹)		F= B+/-E	
(vii)	Rate of gross profit mark-up for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (%)		G	
(viii)	The costs as increased by the gross profit mark-up for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (arm's length price) (₹)		H= A+F	
(ix	The revenue earned, in respect of property transferred or services provided, as per the books of account (₹)		I	
(x)	Is there any adjustment required in the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken in accordance with the provisions of section 165 of the Act?		Yes/No	
	(a)	If yes, amount of adjustment (₹)[@]		
	(b)	If no,		No adjustment

TNMM

articulars				
(i)	Net profit margin in relation to			<drop down> (Select one from the following options: 1. costs incurred 2. sales effected 3. assets employed or to be employed 4. any other relevant base (please specify))
(ii)	Amount of the base as per books of account (₹)		A	
(iii)	Rate of net profit margin realized as per books of account (%)		B	
(iv)	Amount of net profit margin realized as per books of account (₹)		C= A*B/100	
(v)	Rate of net profit margin for the comparable uncontrolled transactions (before adjustm nt) (%)		D	
(vi)	Details of adjustment made, if any	Amount (%)	E	
		Description		
(vii)	Rate of net profit margin for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (%)		F= D+/-E	
(viii)	Arm's length price for the comparable uncontrolled transactions (after adjustment) (₹)		G= A*F/100	
(ix)	Is there any adjustment required in the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken in accordance with the provisions of section 165 of th Act?		Yes/No	
	(a)	If yes, amount of adjustment (₹)[@]		
	(b)	If no,		No adjustment

CUP

Particula s				
(i)	The price charged or paid for property transferred or services provided, as per books of accounts (₹)		A	
(ii)	The price charged or paid for property transferred or services provided in comparable uncontrolled transaction(s) (before adjustment) (₹)		B	
(iii)	Details of adjustment made, if any	Amount (₹)	C	
		Description		
(iv)	The price charged or paid for property transferred or services provided in comparable uncontrolled transaction(s) (after adjustment) (arm's length price) (₹)		D= B+/-C	
( )	Is there any adjustment required in the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken in acc rdance with the provisions of section 165 of the Act?		Yes/No	
	(a)	If yes, amount of adjustment (₹)[@]		
	(b)	If no,		No adjustment

@

(i) Adjustment in the case of the international transaction- If the transaction is in the nature of expense, the amount of adjustment shall be reduced from the book value of the transaction and if the transaction is in the nature of income, the amount of adjustment shall be added to the book value of the transaction.

(ii) Adjustment in the case of the specified domestic transaction- If the transaction is in the nature of expense, the amount of adjustment shall be added to the book value of the transaction and if the transac-

tion is in the nature of income, the amount of adjustment shall be reduced from the book value of the transaction.

(iii) In case the adjustment is required to be made in the international or specified domestic transactions, which have been aggregated, the assessee shall have the option to make the adjustment in one or more of the transactions so aggregated and a drop down to that effect shall be provided.

(iv) In case, when no adjustment is required to be made, the aggregate amount of transactions as per books of account shall be the "Arm's length price as computed in Part E" in row 7 of Part- C and row 10 of Part- D.

$ For all the transaction(s) which have been benchmarked using PSM/Other method, arm's length price of the transaction (s) and amount of adjustment is to be provided by the assessee in Part -E

14. **Additional details**

A.	**Details regarding certain expenses**						
	Sl. No.	**Nature of expense**	**Amount recorded in the books of account**	**Amount not recorded in the books of account**	**Total amount of expense**	**The amount out of total expenses in Column C included in the computation of arm's length price**	**The amount of total expenses in column C not included in the computation of arm's length price**
			A	**B**	**C= A+B**	**D**	**E**
	(i)	Stock compensation or any other bonus/ incentive paid by the assessee or its AE to the employees of the assessee					
	(ii)	Cost and/or depreciation of assets, software, tools, licenses, or databases provided by the AE including third-party software, databases, licenses, and other assets or tools as well as those developed in-house by the AE					
	(iii)	Cost incurred by the AE towards travel and other expenses of the employees of the assessee in connection with work, training, or other business purpose of the assessee outside India					
	(iv)	Training expenses incurred by AEs for employees of the assessee, or management, consultancy, or other services provided by AE					

	(v)	All cost incurred by the AE on the employees seconded/transferred by the AE to the assessee					
	(vi)	All cost relating to outsourcing incurred by the assessee and/or AE					
	(vii)	Any other expense incurred by the AE but utilized in the business operations of the assessee (please specify)					

B. Details regarding revenue

Sl No.	**Nature of revenue**	**Total amount of revenue**	**The amount out of total revenue in Column A included in the computation of arm's length price**	**The amount of total revenue in column A not included in the computation of arm's length price**
		A	**B**	**C**
(i)	Income arising on account of foreign currency fluctuations			
(ii)	Assistance in the form of a subsidy or grant or cash incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement (by whatever name called) by the Central Government or a State Government or any authority or body or agency in cash or kind to the assessee.			

15. If answer to 11(1) (iii)(d) is yes, provide the separate benchmarking analysis of the transaction(s) in Part E.

FORM NO. 49

[*See* rules 90, 91, 98 and 101]

Application for opting for Safe Harbour

Part A: Particulars of the Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	Nature of business or activities of the assessee:		
5.	Status:	*(refer Note 3)*	
6.	E-mail Id:		
7.	Contact Number:	Country Code	Number

Part B: Other Information				
I. Option for safe Harbour				
8.	Safe Harbour is opted for the following transactions *(select one or more)*: *(refer Note 4)*			1. Eligible International Transaction (EIT) (i) Provision of information technology services; (ii) Others 2. Eligible Specified Domestic Transaction (ESDT) 3. Eligible Business (EB)
II. Tax Year(s)				
9.	Tax year(s) for which the option is to be exercised *(refer Note 5)*:			
	(i)	In the case of EIT (other than provision of information technology services), ESDT or EB, provide the following details:		
		(a)	Tax Year:	
		(b)	Date of furnishing of return of income for the tax year:	
	(ii)	In the case of EIT being provision of information technology services, provide the following details *(refer Note 5)*:		
		(a)	Tax Years for which option is to be exercised:	
III. Eligible International Transaction (EIT)				
10.	(i)	Nature of EIT:		Provision of information technology services
	(ii)	Aggregate operating revenue of the EIT (total amount should not exceed two thousand crore rupees):		
		(a)	Operating revenue of provision of information technology enables services:	

		(b)	Operating revenue of provision of knowledge process outsourcing services:	
		(c)	Operating revenue of provision of contract research and development services wholly or partly relating to software development:	
		(d)	Operating revenue of provision of software development services:	

	(iii)	Details of EIT:									
		Sl. No.	Details of the Associated Enterprise (AE) with whom EIT has been entered into					Operating Profit (OP) margin in relation to Operating Expense			
			Name	Address	PAN, if available	Taxpayer Identification Number or its equivalent in the country/region of location	Country or region in which AE is located *(refer Note 7)*	Operating Revenue (OR)	Operating Expense (OE)	OP margin (OP/OE)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		1.									
		2.	*(Repeat, if required)*								
11.	(i)	(a)	Nature of EIT *(refer Note 6)*:								
		(b)	Details of EIT:								
			Sl. No.	Details of the Associated Enterprise (AE) with whom EIT has been entered into					Operating Profit (OP) margin in relation to Operating Expense		
				Name	Address	PAN, if available	Taxpayer Identification Number or its equivalent in the country/region of location	Country or region in which AE is located *(refer Note 7)*	Operating Revenue (OR)	Operating Expense (OE)	OP margin (OP/OE)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
			1.								
			2.	*(Repeat, if required)*							
	(ii	*(Repeat, if required)*									

	)		
12.	(i)	Nature of EIT:	Advancing intra-group loans by the eligible assessee
	(ii)	If the loan is in foreign currency, whether the loan advanced to the Associated Enterprise (AE) including all loans to all AEs exceed INR two hundred and fifty crore rupees as on 31st March of the tax year:	Yes/No
	(iii)	Details of EIT:	

		Sl. No.	Details of the AE with whom EIT has been entered into									The rate at which interest has been charged	Amount of loan	Currency of loan
			Name	Address	PAN, if available	Taxpayer Identification Number or its equivalent in the country/region of location	Country or region in which AE is located *(refer Note 7)*	Whether credit rating of AE has been done (Yes/ No)	Where credit is not available and the loan is in Indian currency, whether the loan advanced to the AE including loans to all AEs exceed INR 100 crores as on 31st March of the tax year (Yes/ No)	Credit Rating Rank	Credit Rating Agency			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		1.												
		2.	*(Repeat, if*											

			required)											
13.	(i)	Nature of EIT:									Providing corporate guarantee(s) by the eligible assessee			
	(ii)	Whether the amount guaranteed does exceed INR hundred crore rupees:									Yes/No			
	(iii)	Details of EIT:												

		Sl. No.	Details of the Associated Enterprise (AE) with whom EIT has been entered into							The rate at which the commission or fee has been charged in respect of the transaction declared	Amount of corporate guarantee
			Name	Address	PAN, if available	Taxpayer Identification Number or its equivalent in the country/region of location	Country or region in which AE is located *(refer Note 7)*	Credit Rating Rank *(refer Note 8)*	Credit Rating Agency *(refer Note 8)*		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		1.									
		2.	*(Repeat, if required)*								
14.	(i)	Nature of EIT:								Receipt of low value-adding intra-group services	
	(ii)	Whether the entire value of the international transaction including mark-up not exceeding 5% exceed ten crore rupees:								Yes/No	
	(iii)	Certificate of the accountant as per rule 89(2) [Table: Sl. No. 8.C]								*Upload as Annexure*	
	(iv)	Details of EIT:									

		Sl. No.	Details of the Associated Enterprise (AE) with whom EIT has been entered into					Amount of EIT excluding mark-up	Mark-up	Amount of EIT including mark-up	Details of certificate of accountant	
			Name	Address	PAN, if available	Taxpayer Identification Number or its equivalent in the country/region of	Country or region in which AE is located				Date	Unique Identification Number (UDIN)

						location	*(refer Note 7)*					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		1.										
		2.	*(Repeat, if required)*									
IV. Eligible Specified Domestic Transaction (ESDT)												
15.	(i)	Nature of ESDT:								Supply of electricity or transmission of electricity or wheeling of electricity		
	(ii)	Details of ESDT:										
		Sl. No.	Details of the Associated Enterprise (AE) with whom ESDT has been entered into			Details of relevant order of the Appropriate Commission determining the tariff or approving the methodology for determination of the tariff				Amount received or receivable / paid or payable in respect of the ESDT		
			Name	Address	PAN	Date of order	Type of order	Validity of order				
		A	B	C	D	E	F	G		H		
		1.										
		2.	*(Repeat, if required)*									
16.	(i)	Nature of ESDT:								Purchase of milk and milk products		
	(ii)	Details of ESDT:										
		The total amount of purchase for which safe harbour is opted	Whether the rate is —							Whether the rate of milk or milk products are routinely declared by the co-operative society in a transparent manner and are available in public domain (Yes/No)		
			Fixed on the basis of quality – SNF content – of milk (Yes/No)	Irrespective of milk procured (Yes/No)	Irrespective of percentage of shares held by the members (Yes/No)	Irrespective of the voting power held by the members (Yes/No)						
		A	B	C	D	E				F		
V. Eligible Business (EB)												

17.	(i)	(a)	Nature of EB *(refer Note 9)*:	
		(b)	Details of EB:	

			Gross receipts of the eligible business	Profit and gains of the EB chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" (shall be ≥ 4% of the gross receipts of the EB in the case of selling of raw diamonds and 2% of the gross receipts of the EB in the case of the business activity of storage of components in a warehouse in a custom bonded area for sale to a contract manufacturer)	The assessee understands and confirms that, —			
					No further deduction under section 28 to 34, 44 to 49, 51,52, Schedule IX and X has been claimed	Written down value of assets is deemed to have been calculated as if the assessee had claimed the depreciation	No set off of unabsorbed depreciation under section 33(11) or carried forward loss under section 112(1) has been claimed	No set off of loss from other business under section 108(1) or other head under section 109 has been claimed
			A	B	C	D	E	F
					Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
	(ii)	*(Repeat, if required)*						

Verification

I, _____, on behalf of _____ (name of eligible assessee) propose to opt for the safe harbour rules under section 167 read with rules 86 to 102. In this regard the particulars are as provided in Part A and B.

Also, I hereby affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this form in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this form.

Place:
Signature:

Date:
Name:

Designation:

Certification

I, _____, (Chief Executive Officer/Chairman and Managing Director of eligible assessee) certify that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I further certify the following (*tick the relevant boxes*):

☐ The aggregate operating revenue of the eligible international transaction being provision of information technology services does not exceed two thousand crore rupees as specified in rule 89(2) [Table: Sl. No.

	1.C]
	Most of the economically significant functions are performed by the foreign principal as specified in rule 87(2)(a).
	The foreign principal or its other associated enterprises provide funds or capital, other economically significant assets including intangibles required and the eligible assessee is only provided remuneration for the work carried out by it as specified in rule 87(2)(b).
	Eligible assessee works under the direct supervision of the foreign principal or its associated enterprise as specified in rule 87(2)(c).
	Eligible assessee has no ownership right, legal or economic, on any intangible generated or on the outcome of any intangible generated or arising during the course of rendering of services or on the outcome of the research, which vests with the foreign principal as specified in rule 87(2)(e).

Place:
Signature:

Date:
Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the eligible assessee.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

4. In Part B (Sl. No. 8), the assessee may select one or more eligible transactions. In any of the case, the assessee shall fill the sections for “Eligible International Transaction”, “Eligible Specified Domestic Transaction” or “El-

igible Business" in Part B only if the respective transaction has been selected in this row.

5. In Part B (Sl. No. 9), (ii) will only be applicable if the Eligible International Transaction (EIT) has been selected as provision of information technology services referred to in Part B (Sl. No. 8).

6. In Part B (Sl. No. 11), —

a. select one or more from the following: —

(I)	Provision of contract research and development services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs.
(II)	Manufacturing and export of core auto components.
(III)	Manufacturing and export of non-core auto components.
(IV)	Provision of the data centre services.

b. in case where more than one EITs are selected in (a), then the "Nature of EIT" and "Details of EIT" are to be filled for each of the EITs.

7. In case the assessee selects the country or region which is no tax or low tax as defined in rule 86 or which is notified under section 176, then safe harbour shall not be allowed for the transaction with AE located in that country or region as per rule 92.

8. In Part B (Sl. No. 13(iii)), column G and H shall be applicable only in the case where "Yes" has been selected in Part B (Sl. No. 13(ii)).

9. In Part B (Sl. No. 17), select one or more from the following: —

(I)	Selling of raw diamonds.
(II)	The business activity of storage of components in a warehouse in a custom bonded area for sale to a contract manufacturer.

10. Where the region is a specified territory, the same may be mentioned.

11. This form is to be applied before the Assessing Officer or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, and signed and verified by the person competent to verify the return of income under section 265.

12. The amount/ receipt mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

13. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 50
[*See* rule 105]
Application for a pre-filing consultation

Part A: Particulars of the Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Communication Address in India:	*(refer Note 3)*	
4.	Permanent account number:		
5.	Tax Identification Number (TIN), if available, in the country / region of residence:		
6.	E-mail ID:		
7.	Contact Number:	Country Code	Number
8.	Authorised Representative:	*(refer Note 4)*	

Part B: Other Details								
9.	Type of Advance Pricing Agreement (APA) (*Select one or more*):					Unilateral/Bilateral/Multilateral		
10.	In case of Bilateral/Multilateral, whether the country/region where the Associated Enterprise (AE) is located has APA program?					Yes/No		
11.	Details of international transactions proposed to be covered:							
	Sl. No.	Type	Particulars of AE					
			Name	Location (Country/region)	AE's Taxpayer Identification Number (TIN) or its equivalent	Proposed Transfer pricing methodology (Select one) (*refer Note 5*)	Estimated value for prior 3 tax years (If available)	
							FY	FY	FY
	1.								
12.	Tax years for which APA is proposed including the rollback years:							
13.	Other details to be provided as separate enclosure:					(*attach as per Note 9)*		

Verification
I _____, having PAN/TIN _____issued by (Name of the country in case of TIN) _____in the capacity of _____declare that information / documents submitted in this form are true, comprehensive and accurate to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. The details of the Authorised Representatives shall include the full name, address, e-mail and contact number of the Authorised Representatives.
5. Transfer pricing methods shall be selected from the methods as specified in section 165.
6. If the space provided for answering any item in the application is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose. These enclosures should be signed by the person authorised to sign the application.
7. Where the region is a specified territory, the same is to be mentioned.
8. In case the pre-filing meeting is requested on an anonymous basis, no names of the applicant or associated enterprises are to be given. In such cases, details of the authorised representatives of the applicant namely: name, address and contact details (phone number and e-mail id) will be mandatory.
9. With respect to Part B (Sl. No. 13), following details shall be provided as annexures, namely: —

<table>
<tr><td>Annexure</td><td>Particulars</td></tr>
<tr><td>A-1</td><td>The global structure of the applicant’s group and the industry in which it operates.</td></tr>
<tr><td>A-2</td><td>Business model and overview of the applicant’s business operations in prior 3 tax years.</td></tr>
<tr><td>A-3</td><td>Functional Profile of the applicant and associated enterprises.</td></tr>
<tr><td>A-4</td><td>History of transfer pricing audits and present status of appeals.
<table>
<tr><td>Tax Year</td><td>Disputed International Transaction</td><td>Amount of Adjustment</td><td>Decision of each appellate authority</td><td>Current status</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>A-5</td><td>The details of all other international transaction not proposed to be covered in the APA.</td></tr>
</table>

10. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.
11. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 51
[*See* rule 106]
Application for an Advance Pricing Agreement (APA)

Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Communication Address in India:	*(refer Note 3)*	
4.	Permanent Account Number (PAN):		
5.	E-mail Id:		
6.	Contact Number:	Country Code	Number
7.	Details of Authorised Representative:	*(refer Note 4)*	

Part B: Other Details									
8.	Acknowledgement number of pre-filing application (in case of anonymous pre-filing consultations only):								
9.	Type of APA (*Select one or more*):							Unilateral/Bilateral /Multilateral	
10.	If Bilateral or Multilateral APA, have the Associated Enterprises (AE) applied for APA in their resident country/region:								
	(a)	If yes, enclose evidence of application							
	(b)	If no, proposed date of application							
	(c)	Period of APA applied for in other country							
11.	Period of proposed APA and date from which APA is requested:							Period	Date
12.	Details of International transactions proposed to be covered:								
	Sl. No.	Transaction ID (*refer Note 5*)	Type	Estimated amount	Particular of AE			Proposed Transfer pricing methodology (*refer Note 6*)	Whether Rollback is opted for
					Name of the AE	Location of AE (Country /Region)	AE's Taxpayer Identification Number (TIN) or its equivalent		
	1.							(Select One)	Yes/No
	2.								
13.	Details for prior four tax years for each transaction if rollback opted *(refer Note 9.A-27)*:								
	Tax year	Transaction ID	Date of furnishing of return of	Date of furnishing of audit report in	Details of pending appeals		Whether Appellate Tribunal has disposed of an appeal on Arm length price of the		

			income	Form No. 48		international transaction
						Yes/No

14.	Particulars of the fee paid by the applicant:			
	(a)	Application Fee:		
		(A)	Amount :	
		(B)	Transaction Ref. No.:	
	(b)	Rollback Fee:		
		(A)	Amount:	
		(B)	Transaction Ref. No.:	
15.	Other details to be provided as separate Annexure:			*(refer Note 9)*

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. The details of the Authorised Representatives shall include the full name, address, e-mail and contact number of the Authorised Representatives.
5. Transaction ID shall be specified for each type of international transaction and subsequently it shall be auto populated.
6. Transfer pricing methods shall be selected from the methods as specified in section 165.
7. The fee shall be made in accordance with the rule 106(1) and 111(5).
8. Where the region is a specified territory, the same is to be mentioned.
9. With respect to Part B (Sl. No. 15), following shall be provided as annexures: —

Annexure	Particulars
	General
A-1	History and background of the applicant and the associated enterprise.
A-2	General description of business and products/services.

A-3	Multinational structure, organizational arrangement, operational set-up, including major transaction flows.		
A-4	Details of all other transaction flows of the multinational enterprise (volumes, directions and amounts) that may have an impact on the pricing of the covered transactions.		
A-5	Proposed terms and conditions, and critical assumptions, for the APA.		
A-6	Details of all the business location(s)		
	Adress of the location(s)	Functions performed at such location	Employee headcount
A-7	Details of parent company		
(a)	Details of all Immediate Parent Company:		Yes/No
	(A) Name		
	(B) Address		
	(C) Country/region of residence		
	(D) TIN or its equivalent		
(b)	Details of Ultimate Parent Company:		Yes/No
	(A) Name		
	(B) Address		
	(C) Country/region of residence		
	(D) TIN or its equivalent		
Functional Analysis			
A-8	Detailed functional analysis of the applicant and all relevant entities with respect to the covered transactions.		
A-9	Business strategies for the period covered by proposed APA: - (i) current financial estimate and future financial projections, (ii) business plans, (iii) general business and industry trends, (iv)future direction/business strategy including R&D, production and marketing (v) Relevant marketing and financial studies (enclose copies).		
A-10	Financial statements on a consolidated and unconsolidated basis for the prior 5 years, (Also provide interim statements for the most recent period prior to the date of the submission).		
Industry and Market Analysis			
A-11	Comprehensive description of industry as well as generally accepted industrial and commercial practices.		
A-12	Identification and general profile of competitors, including respective market shares.		
A-13	Industry and general business statistics, financial ratios, and analyses/studies.		
A-14	Critical success factors for detailed industry analysis.		

<table>
<tr><td>A-15</td><td>Detailed analysis of the markets for all countries involved.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Transfer Pricing Background</td></tr>
<tr><td>A-16</td><td>Discussion of relevant legal considerations and requirements as per Indian law, foreign Law and DTAA between India and the foreign country including competent authority history.</td></tr>
<tr><td>A-17</td><td>Discussion of relevant rulings, UAPAs/BAPAs/MAPAs, and other similar arrangements entered into with foreign tax administrations, for transfer pricing or other valuation bases, or other taxation matters entered into by the applicant (or its associated enterprises)</td></tr>
<tr><td>A-18</td><td>History of transfer pricing audits and present status of appeals.
<table>
<tr><th>Tax Year</th><th>Disputed International Transaction</th><th>Amount of Adjustment</th><th>Decision of each appellate authority</th><th>Current status</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>A-19</td><td>History of foreign transfer pricing audits and present status of appeals.
<table>
<tr><th>Tax Year</th><th>Disputed International Transaction</th><th>Amount of Adjustment</th><th>Decision of each appellate authority</th><th>Current status</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>A-20</td><td>Copies of all relevant agreements (pricing, cost-sharing, licensing, agency, distributorship, etc.) relevant to this application is to be provided.</td></tr>
<tr><td>A-21</td><td>Operating data (gross and net) segmented by product line, division, unit, and geographic region for the prior 5 years,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Transfer Pricing Methodology (TPM) Analysis</td></tr>
<tr><td>A-22</td><td>Provide all information, including detailed analyses and explanations needed to establish the appropriateness of a proposed TPM, in accordance with transfer pricing regulations as contained in the Indian Income-tax law.</td></tr>
<tr><td>A-23</td><td>Discussion and analysis of each transfer pricing method, applied or rejected, for each covered transaction. In particular provide details on accepted or rejected internal comparable. (Indicate assumptions, strategies and policies that may have influenced the acceptance or rejection of each TPM).</td></tr>
<tr><td>A-24</td><td>Summary of selected TPMs and secondary TPMs, if used as a sanity check.</td></tr>
<tr><td>A-25</td><td>Application of the proposed TPMs to the covered transactions for the 5 prior years' operations and the time period applicant wants to cover in APA, and discuss results.</td></tr>
<tr><td>A-26</td><td>Discussion and quantification of the variance from the proposed TPM, if any, from the TPM applied previously for the 5 prior years.</td></tr>
<tr><td>A-27</td><td>In case where rollback is not opted for any Transaction ID for any tax year, the reasons for the same is to be provided.</td></tr>
</table>

10.Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

11.The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 52
[*See* rule 113]
Annual Compliance Report on Advance Pricing Agreement

Part A: Particulars of the Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):	*(refer Note 3)*	
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
6.	Authorised Representative:	*(refer Note 4)*	
7.	Tax year		

Part B: Other Details				
8.	Acknowledgment Number of Advance Pricing Agreement (APA) application:			
9.	Details of adjustment as per APA for each type of covered international transaction:			
	Sl. No.	Type	Adjustment required as per Annexure A-1 *(refer Note 9)*	Amount of adjustment made in the return of income
	1.			
	2.			
10.	Other details to be provided as separate Annexure:			(*refer Note 9)*

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office,

town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.

3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. The details of the Authorised Representatives shall include the full name, address, e-mail and contact number of the Authorised Representatives.
5. The Annual Compliance Report shall be filed for every year covered in the Advance Pricing Agreement (APA). Separate report shall be filed for each year.
6. The information relating to "covered transaction" above is required to be furnished for each covered transaction separately.
7. Please attach all documents as agreed upon in the APA to justify the transfer pricing methodology and computation of arm's length price.
8. Where the region is a specified territory, the same may be mentioned.
9. The details to be furnished as per annexure are as under: —

<table>
<tr><td>Annexure</td><td colspan="4">Particulars</td></tr>
<tr><td>A-1</td><td colspan="4">1. Computation of adjustment where operating profit margin (OPM) in relation to the Operating Expense is Profit Level Indicator (PLI)</td></tr>
<tr><td></td><td>Sl. No.</td><td>Particulars</td><td></td><td>Amount</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>Operating Expense as per books of Account</td><td>A</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>Add: Expense not recorded in the books of account but are required to be added as per APA (pl. specify each item separately)
<table><tr><td>Nature of Expenses</td><td>Amount</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>B</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Less: Expense recorded in the books of account but are not required to be added as per APA (pl. specify each item separately)
<table><tr><td>Nature of Expenses</td><td>Amount</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>C</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>Operating expenses (OE) as per APA (A+B-C)</td><td>D</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Operating revenue as per books of Account</td><td>E</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>Add: Revenue not recorded in the books of account but are required to be added as per APA (pl. specify each item separately)
<table><tr><td>Nature of Revenue</td><td>Amount</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>F</td><td></td></tr>
</table>

6	Less: Revenue recorded in the books of account but are not required to be added as per APA (pl. specify each item separately) Nature of Revenue | Amount |	G		
7	Operating Revenue as per APA (E+F-G)	H		
8	Operating Profit (H-D) as per APA	I		
9	Operating profit (E-A) as per books of Account	J		
10	OPM (I*100/D) as per APA	K		
11	OPM (J*100/D) as per books of Account	L		
12	Variance in OPM (K-L)	M		
13	Amount of adjustment required M*D@	N		

@ In case 2 or more transactions are aggregated, the total amount of adjustment as per N in the above table may be shown in any one of the aggregated transactions and for the remaining aggregated transaction the adjustment amount may be mentioned at NIL if no adjustment is required to be made as per secondary check / other check, if any, as per the APA

2. Computation of adjustment where operating profit margin (OPM) in relation to the Operating Revenue is Profit Level Indicator (PLI)

Sl. No.	Particulars		Amount
1	Operating Expense as per books of Account	A	
2	Add: Expense not recorded in the books of account but are required to be added as per APA (pl. specify) A…….. B. …….	B	
3	Less: Expense recorded in the books of account but are not required to be added as per APA (pl. specify) A…….. B. …….	C	
4	Operating expenses (OE) as per APA (A+B-C)	D	
5	Operating revenue as per books of Account	E	
6	Add: Revenue not recorded in the books of account but are required to be added as per APA (pl. specify) A……..	F	

	B. …….			
7	Less: Revenue recorded in the books of account but are not required to be added as per APA (pl. specify) A…….. B. …….	G		
8	Operating Revenue as per APA (E+F-G)	H		
9	Operating Profit (H-D) as per APA	I		
10	Operating profit (E-A) as per books of Account	J		
11	OPM (I*100/H) as per APA	K		
12	OPM (J*100/H) as per books of Account	L		
13	Variance in OPM (K-L)	M		
14	Amount of adjustment required M*H@	N		

@ In case 2 or more transactions are aggregated, the total amount of adjustment as per N in the above table may be shown in any one of the aggregated transactions and for the remaining aggregated transaction the adjustment amount may be mentioned at NIL if no adjustment is required to be made as per secondary check / other check, if any, as per the APA

3. Computation of adjustment in other cases based on amount paid or payable /received or receivable as per APA (UAPA/BAPA/MAPA)

Sl. No.	Particulars		Amount
1	Value of international transaction as per books of account	A	
2	Value of international transaction as per APA	B	
3	Amount of adjustment required	C	

A-2	Critical Assumptions as per APA:		Whether complied with	If no, details thereof
	A- General			
	1	Whether Transfer pricing methodology applied	Yes/No	
	2	Whether the Business activities remained the same		
	3	Whether the Financial, tax and accounting methods have remained the same	Yes/No	
	B- Functions performed, assets employed and risk undertaken (FAR)			
	1	Whether the FAR has materially remained same	Yes/No	
	2	Whether the classification of the Applicant have remained the same	Yes/No	
	C- AE			
	1	Whether any new AE has been added from a jurisdiction notified under section 176 or is resident	Yes /No	

		of no tax or low tax jurisdiction as per rule 86(m).		
	2	Whether any AE has become resident of a jurisdiction notified under section 176 or no tax or low tax jurisdiction as per rule 86(m).	Yes/No	
	D- Invoicing and Credit term			
	1	Whether the frequency of raising invoices by the Applicant was as per APA	Yes/No	
	2	Whether the frequency of raising invoices by the AE was as per APA	Yes/No	
	3	Whether the invoices were raised by the Applicant as per the time specified in APA	Yes/No	
	4	Whether the invoices were raised by the AE as per the time specified in APA	Yes/No	
	5	Whether the invoices were realised by the Applicant as per the time specified in APA	Yes/No	
	6	Whether the invoices were paid by the Applicant as per the time specified in APA	Yes/No	
	7	Whether the applicant has offered interest income in case the invoicing and credit terms have not been complied with	Yes/No	
	E- Other compliances			
	1	Whether the provisions of 170 have been complied with	Yes/No	
	2	Whether the provisions of 177 have been complied with	Yes/No	
	3	Whether the segmental accounts have been prepared as agreed	Yes/No	
	4	Whether certificate (s) as agreed from management, cost accountant, chartered accountant, chartered engineer and registered valuer have been obtained	Yes/No	
	5	Other critical assumptions as per APA not covered above (Pl. specify) (add row, if required)	Yes/No	
A-3	Whether the documentation as referred to in the APA has been maintained and furnished.		Yes/No	If no, details thereof

10. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
11. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 53

[*See* rule 118]

Form for filing particulars of past years for calculating relief in tax payable under section 206(1).

<table>
<tr><td colspan="6">Part A: Particulars of the Person</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Communication Address in India:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">Aadhaar Number:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">Tax Identification Number (TIN), if available, in the country / region of residence:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">Authorised Representative (if applicable):</td><td colspan="2">(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Part B: Other Details</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="4">Residential status of the company:</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="4">Relevant Tax Year</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="4">Is it a case of Advance Pricing Agreement (APA) or secondary adjustment:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td rowspan="3">Details of past income (refer rule 118(3)):</td><td>Relevant Tax year</td><td colspan="2">Amount of past income</td><td>Total amount of past income</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="4">Amount A of formula in rule 118(1) (tax payable on book profit of the tax year including past income):</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="4">Amount B of formula in rule 118(1) (tax payable on book profit of the tax year excluding past income):</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="4">(A-B) [(14) – (15)]:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">17.</td><td>(a)</td><td colspan="3">Amount C of formula in rule 118(1):</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(b)</td><td rowspan="3">Amount of tax payable

Aggregate of tax payable on the book profit of past years including past income</td><td>Relevant tax year</td><td>Details of tax payable on the book profit of past years including past income:</td><td>Relevant tax year</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>(a)</td><td colspan="3">Amount D of formula in rule 118(1):</td><td></td></tr>
</table>

	(b)	Details of tax payable on the book profit of past years:	Relevant tax year	Amount of tax payable	Aggregate of tax payable on the book profit of the past years
19.	(C-D) [(17)(a) – (18)(a)]:				
20.	Relief in tax under section 206 [(16) – (19)] (enter zero, if negative):				

Verification
I, _____, holding PAN _____ hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. The details of the Authorised Representatives shall include the full name, address, e-mail and contact number of the Authorised Representatives.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 54
[*See* rule 119]
Application for Renewal of an Advance Pricing Agreement (APA)

Part A: Particulars of the Applicant		
1.	Name:	*(refer Note 1)*
2.	Address:	*(refer Note 2)*
3.	Communication Address in India:	*(refer Note 3)*
4.	PAN	
5.	Contact Details in India (e-mail ids and phone number):	
6.	Details of Authorised Representative:	*(refer Note 4)*

Part B: Other Details									
7.	Acknowledgment no. of the Application filed for the last APA								
8.	Type of APA							Unilateral/Bilateral /Multilateral	
9.	If Bilateral or Multilateral APA, have the Associated Enterprises (AE) applied for APA in their resident country/region								
	(a)	If yes, enclose evidence of application							
	(b)	If no, proposed date of application							
	(c)	Period of APA applied for in other country							
10.	Period of proposed APA and date from which APA is requested:							Period	Date
11.	Details of International transactions proposed to be covered:								

Sl. No.	Transaction ID *(refer Note 5)*	Type	Estimated Amount	Particular of AE			Proposed Transfer pricing methodology *(refer Note 6)*	Whether Rollback is opted for
				Name of the AE	Location of AE (Country /Region)	AE's Taxpayer Identification Number (TIN) or its equivalent		
1.							(Select one)	Yes/No
2.								

12.	Details for prior four tax years for each transaction for which rollback opted *(refer Note 9.A-27)*:					
	Tax year	Transaction ID	Date of furnishing of return of income	Date of furnishing of audit report in Form No. 48	Details of pending appeals	Whether Appellate Tribunal has disposed of an appeal on Arm length price of the international transaction
						Yes/No

13.	Particulars of the fee paid by the applicant:		
	(a)	Application Fee:	

		(A)	Amount	
		(B)	Transaction Ref. No.	
	(b)	Rollback Fee:		
		(A)	Amount	
		(B)	Transaction Ref. No.	
14.	Are there any changes in the details / documents mentioned at Annexures A-1 to A-26 from the last application filed:		Yes/No *(refer Note 9))*	If the response is Yes, then relevant annexure(s) may please be updated
	A-1			
	A-2			

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. The details of the Authorised Representatives shall include the full name, address, e-mail and contact number of the Authorised Representatives.
5. Transaction ID shall be specified for each type of international transaction and subsequently it shall be auto populated.
6. Transfer pricing methods shall be selected from the methods as specified in section 165.
7. The fee shall be made in accordance with the rule 106(1) and 111(5).
8. Where the region is a specified territory, the same is to be mentioned.
9. The Annexures referred to in Sl. No. 14 are as under: -

Annexure	Particulars
	General
A-1	History and background of the applicant and the associated enterprise.
A-2	General description of business and products/services.

A-3	Multinational structure, organizational arrangement, operational set-up, including major transaction flows.		
A-4	Details of all other transaction flows of the multinational enterprise (volumes, directions and amounts) that may have an impact on the pricing of the covered transactions.		
A-5	Proposed terms and conditions, and critical assumptions, for the APA.		
A-6	Details of all the business location(s)		
	Adress of the location(s)	Functions performed	Employee headcount
A-7	Details of parent company		
(a)	Details of all Immediate Parent Company:		Yes/ No
	(A) Name		
	(B) Address		
	(C) Country/region of residence		
	(D) TIN or its equivalent		
(b)	Details of Ultimate Parent Company:		Yes/ No
	(A) Name		
	(B) Address		
	(C) Country/region of residence		
	(D) TIN or its equivalent		
Functional Analysis			
A-8	Detailed functional analysis of the applicant and all relevant entities with respect to the covered transactions.		
A-9	Business strategies for the period covered by proposed APA: - (i) current financial estimate and future financial projections, (ii) business plans, (iii) general business and industry trends, (iv)future direction/business strategy including R&D, production and marketing (v) Relevant marketing and financial studies (enclose copies).		
A-10	Financial statements on a consolidated and unconsolidated basis for the prior 5 years, (Also provide interim statements for the most recent period prior to the date of the submission).		
Industry and Market Analysis			
A-11	Comprehensive description of industry as well as generally accepted industrial and commercial practices.		
A-12	Identification and general profile of competitors, including respective market shares.		
A-13	Industry and general business statistics, financial ratios, and analyses/studies.		
A-14	Critical success factors for detailed industry analysis.		
A-15	Detailed analysis of the markets for all countries involved.		

<table>
<tr><td colspan="2">Transfer Pricing Background</td></tr>
<tr><td>A-16</td><td>Discussion of relevant legal considerations and requirements as per Indian law, foreign Law and DTAA between India and the foreign country including competent authority history.</td></tr>
<tr><td>A-17</td><td>Discussion of relevant rulings, UAPAs/BAPAs/MAPAs, and other similar arrangements entered into with foreign tax administrations, for transfer pricing or other valuation bases, or other taxation matters entered into by the applicant (or its associated enterprises)</td></tr>
<tr><td>A-18</td><td>History of transfer pricing audits and present status of appeals.
<table>
<tr><th>Tax Year</th><th>Disputed International Transaction</th><th>Amount of Adjustment</th><th>Decision of each appellate authority</th><th>Current status</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>A-19</td><td>History of foreign transfer pricing audits and present status of appeals.
<table>
<tr><th>Tax Year</th><th>Disputed International Transaction</th><th>Amount of Adjustment</th><th>Decision of each appellate authority</th><th>Current status</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>A-20</td><td>Copies of all relevant agreements (pricing, cost-sharing, licensing, agency, distributorship, etc.) relevant to this application is to be provided.</td></tr>
<tr><td>A-21</td><td>Operating data (gross and net) segmented by product line, division, unit, and geographic region for the prior 5 years,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Transfer Pricing Methodology (TPM) Analysis</td></tr>
<tr><td>A-22</td><td>Provide all information, including detailed analyses and explanations needed to establish the appropriateness of a proposed TPM, in accordance with transfer pricing regulations as contained in the Indian Income-tax law.</td></tr>
<tr><td>A-23</td><td>Discussion and analysis of each transfer pricing method, applied or rejected, for each covered transaction. In particular provide details on accepted or rejected internal comparable. (Indicate assumptions, strategies and policies that may have influenced the acceptance or rejection of each TPM).</td></tr>
<tr><td>A-24</td><td>Summary of selected TPMs and secondary TPMs, if used as a sanity check.</td></tr>
<tr><td>A-25</td><td>Application of the proposed TPMs to the covered transactions for the 5 prior years' operations and the time period applicant wants to cover in APA, and discuss results.</td></tr>
<tr><td>A-26</td><td>Discussion and quantification of the variance from the proposed TPM, if any, from the TPM applied previously for the 5 prior years.</td></tr>
<tr><td>A-27</td><td>In case where rollback is not opted for any Transaction ID for any tax year, the reasons for the same is to be provided.</td></tr>
</table>

10. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

11. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 55

[*See* rule 121]

Form of application for an assessee, resident in India, seeking to invoke mutual agreement procedure provided for in agreements with other countries or specified territories

Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	Email Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
Part B: Other Details			
6.	Status:	*(refer Note 3)*	
7.	Tax Year(s):		
8.	Jurisdictional Circle/ Ward:		
9.	Name and Designation of Tax Authority in the other country or region (Treaty Partner):		
10.	Date of the notice or order giving rise to the action:		
11.	Whether it is claimed that the order/action of the Tax Authority of the Treaty Partner not in accordance with the agreement? *(refer Note 5.A-3)*	Yes/No	
12.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(refer Note 4)*	

Verification

I, _____, solemnly affirm that to the best of my knowledge and belief, the information given in this application and the annexures and statements accompanying it is correct and complete and particulars shown therein are truly stated.

I also declare that to the best of my knowledge, I have not concealed any fact or information which could be relevant for deciding my application.

I further declare that I am making this application in my capacity as _____ (designation) and that I am holding PAN _____ and I am competent to make this application and verify it.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the entity.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district,

state, country/specified territory and pin code.

3. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial juridical person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

4. With respect to Part B (Sl. No. 12), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Copy of notice or order giving rise to action.
A-2	Detailed reasons provided in respect of Part B (Sl. No. 11), if any.
A-3	If answer is 'Yes' in Part B (Sl. No. 11), then complete details along with reasons thereof must be provided.
A-4	Details of remedy sought in the other country or specified territory, if any, with documentary evidence.
A-5	Document(s) in respect of A-4.
A-6	Any other document

5. Where region is a specified territory the same is to be mentioned.

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 56

[*See* rule 123]

MASTER FILE

Information and document to be furnished by the person who is a constituent entity under section 171(4)

<table>
<tr><td colspan="8">Part A: Particulars of the Person</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="5" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="5">Accounting Year for which the information and document is being submitted:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="7">Details of the international group of which the assessee is a constituent entity:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Name (refer Note 1)</td><td colspan="4">Address (refer Note 2)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="7">Details of all the constituent entities of the international group operating in India:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name
(refer Note 1)</td><td colspan="2">PAN</td><td colspan="3">Address
(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td colspan="7">Details of all the constituent entities of the international group:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name
(refer Note 1)</td><td>Address
(refer Note 2)</td><td>Legal Status</td><td>Whether engaged in the development and management of intangible property (Yes/No)</td><td>Whether legally owns the intangible property/group of intangible property (Yes/No)</td><td>Intangible property/group of intangible property(ies) (refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="5">Other details to be provided as separate enclosure:</td><td colspan="2">(attach as per Note 4)</td></tr>
</table>

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the person, specified fund or stock broker.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code/zip code.
3. In Part B (Sl. No. 9), column G is to be filled only if the answer in column F for the respective entity is Yes.
4. With respect to Part B (Sl. No. 10), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Chart depicting the legal status of the constituent entity and ownership structure of the entire international group.
A-2	Written description of the business of the international group during the accounting year in accordance with rule 123(1)(C) containing the following, namely: — (i) the nature of the business or businesses; (ii) the important drivers of profits of such business or businesses; (iii) a description of the supply chain for the five largest products or services of the international group in terms of revenue and any other products including services amounting to more than five per cent of the consolidated group revenue; (iv) a list and brief description of important service arrangements made among members of the international group, other than those for research and development services; (v) a description of the capabilities of the main service providers within the international group; (vi) the transfer pricing policies for allocating service costs and determining prices to be paid for intra-group services; (vii) a list and description of the major geographical markets for the products and services offered by the international group; (viii) the functions, assets and risks analysis of the constituent entities of the international group that contribute at least ten per cent of the revenues or assets or profits of such group; and (ix) a description of the important business restructuring transactions, acquisitions and divestments.
A-3	Description of the overall strategy of the international group for the development, ownership and exploitation of intangible property, including location of principal research and development facilities

	and their management.
A-4	List and brief description of important agreements among members of the international group related to intangible property, including cost contribution arrangements, principal research service agreements and license agreements.
A-5	Description of the transfer pricing policies of the international group related to research and development and intangible property.
A-6	Description of important transfers of interest in intangible property, if any, among entities of the international group, including the names and addresses of the selling and buying entities and the compensation paid for such transfers.
A-7	Detailed description of the financing arrangements of the international group, including the names and addresses of the top ten unrelated lenders.
A-8	List of group entities that provide central financing functions, including their addresses of operation and of effective management.
A-9	Detailed description of the transfer pricing policies of the international group related to financing arrangements among group entities.
A-10	A copy of the annual consolidated financial statement of the international group.
A-11	A list and brief description of the existing unilateral advance pricing agreements and other tax rulings in respect of the international group for allocation of income among countries.

5. This form is to be signed and verified by the person competent to verify the return of income under section 265.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 57

[*See* rule 123(4)]

Intimation by a designated constituent entity, resident in India, of an international group, for the purposes of section 171(4)

<table>
<tr><th colspan="6">Part A: Particulars of the Designated Constituent Entity</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="6">Part B: Other Information</th></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="4">Name of the international group of which the assessee is a constituent entity:</td><td>(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="4">Details of the parent entity of the international group:</td><td></td></tr>
<tr><td>Name (refer Note 1)</td><td colspan="2">Address (refer Note 2)</td><td colspan="2">Country of residence</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="4">Accounting Year for which the report is being submitted:</td><td></td></tr>
</table>

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the constituent entity, parent entity or group name (in the case of (Sl. No. 1, 6 and 7)).
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code/zip code.
3. This form is to be signed by the person competent to verify the return of income under section 265.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 58

[*See* rule 124(2)]

Intimation by a constituent entity, resident in India, of an international group, the parent entity of which is not resident in India, for the purposes of section 511(1)

<table>
<tr><td colspan="5">Part A: Particulars of the Constituent Entity</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td>(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address:</td><td>(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">Name of the international group of which the assessee is a constituent entity:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="3">Details of the parent entity of the international group:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>Name (refer Note 1)</td><td>Address (refer Note 2)</td><td colspan="2">Country of residence</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="3">Whether the international group has designated an alternate reporting entity in place of the parent entity to furnish the report referred to in section 511(2). If Yes, then provide the following details of the alternate reporting entity:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Name (refer Note 1)</td><td>Address (refer Note 2)</td><td colspan="2">Country of residence</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">Reportable Accounting Year:</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the constituent entity, parent entity, alternative reporting entity or group

name (in the case of (Sl. No. 1, 6 and 7)).

2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code/zip code.
3. This form is to be signed by the person competent to verify the return of income under section 265.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 59

[*See* rule 124(3)]

COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT

Report by a parent entity or an alternate reporting entity or any other constituent entity, resident in India, for the purposes of section 511(2) or section 511(4)

Part A: Particular of Reporting Entity			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number:		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
6.	Whether the reporting entity is the parent entity of the international group (Select as applicable):	Yes/No	
Part B: Other Basic Details			
7.	Reporting Accounting Year/Tax Year:		
8.	Calendar Year:		
9.	Reporting type *(select one)*:	Original/Revised/Correction	
10.	In case revised or correction is selected furnish original filing sequence number:		
11.	Reporting Role *(select one)* (*refer Note 3*):	Ultimate Parent Entity/Surrogate Parent Entity/Local Filing	

PART C: OVERVIEW OF ALLOCATION OF INCOME, TAXES AND BUSINESS ACTIVITIES BY TAX JURISDICTION

Name of the Multinational Enterprise group:

Reportable accounting year:

Currency used:

Sl. No.	Tax Jurisdiction	Revenues			Profit (Loss) before Income Tax	Income Tax Paid (on Cash Basis)	Income Tax Accrued for Reportable Accounting Year	Stated Capital	Accumulated Earnings	Number of Employees	Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents
		Unrelated Party	Related Party	Total							
1.											
	(*Add rows for multiple entries*)										

PART D: LIST OF ALL THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE MULTINATIONAL ENTERPRISE GROUP INCLUDED IN EACH AGGREGATION PER TAX JURISDICTION (Details to be filled constituent entities wise)											
Name of the Multinational Enterprise group: ***Reportable accounting year:***											
Sl. No.	Tax Jurisdiction	Constituent entities resident in the Tax Jurisdiction (Select one or specify)	Tax Jurisdiction of Organisation or Incorporation if Different from Tax Jurisdiction of Residence (Select or specify)	Tax Identification Number	Tax Identification Number issued by (Select or specify)	Address *(refer Note 2)*	Address Type (Select one) (*refer Note 3)*	Resident Country Code (Select one)	Main business activity (Select one) (*refer note 4*)	Incorporation Country Code (Select one)	Other Entity Information
	(*Add row for multiple entries*)										

PART E: ADDITIONAL INFORMATION	
Name of the Multinational Enterprise group: ***Reportable accounting year:***	
Sl. No.	Please include any further brief information or explanation that is considered necessary or that would facilitate the understanding of the compulsory information provided in Part B and Part C
1.	
	(Add row to provide multiple entries)

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. Name shall include full name of the reporting entity.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Address type of constituent entity shall be selected from the following: —
   (a) Residential
   (b) Residential or business
   (c) Business
   (d) Registered
   (e) Unspecified

4. Main business activity shall be selected from the following: —
   (a) Research and Development
   (b) Holding/Managing intellectual property
   (c) Purchasing or Procurement
   (d) Manufacturing or Production
   (e) Sales, Marketing or Distribution
   (f) Administrative, Management or Support Services
   (g) Provisions of services to unrelated parties.
   (h) Internal group finance
   (i) Regulated financial services
   (j) Insurance
   (k) Holding shares of other equity instruments.
   (l) Dormant
   (m) Other

5. In the column titled "Tax Jurisdiction", the Reporting multi-national enterprise (MNE) should list all of the tax jurisdictions in which Constituent Entities of the MNE group are resident for tax purposes. A tax jurisdiction is defined as a State as well as a non-State jurisdiction which has fiscal autonomy. A separate line should be included for all Constituent Entities in the MNE group deemed by the Reporting MNE not to be resident in any tax jurisdiction for tax purposes. Where a Constituent Entity is resident in more than one tax jurisdiction, the applicable tax treaty tie breaker should be applied to determine the tax jurisdiction of residence. Where no applicable tax treaty exists, the Constituent Entity should be reported in the tax jurisdiction of the Constituent Entity's place of effective management.
6. In the three columns of the template under the heading "Revenues", the Reporting MNE should report the following information: (i) the sum of revenues of all the Constituent Entities of the MNE group in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with associated enterprises; (ii) the sum of revenues of all the Constituent Entities of the MNE group in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with independent parties; and (iii) the total of (i) and (ii). Revenues should include revenues from sales of inventory and properties, services, royalties, interest, premiums and any other amounts. Revenues should exclude payments received from other Constituent Entities that are treated as dividends in the payer's tax jurisdiction.
7. Under the column titled "Profit (Loss) before Income Tax", the Reporting MNE should report the sum of the profit (loss) before income tax for all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. The profit (loss) before income tax should include all extraordinary income and expense items.
8. Under the column titled "Income Tax Paid (on Cash Basis)", the Reporting MNE should report the total amount of income tax actually paid during the relevant fiscal year by all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. Taxes paid should include cash taxes paid by the Constituent Entity to the residence tax jurisdiction and to all other tax jurisdictions. Taxes paid should include withholding taxes paid by other entities (associated enterprises and independent enterprises) with respect to payments to the Constituent Entity. Thus, if company A resident in tax jurisdiction A earns interest in tax jurisdiction B, the tax withheld in tax jurisdiction B should be reported by com-

pany A.

9. Under the column titled "Income Tax Accrued – Reportable Accounting Year", the Reporting MNE should report the sum of the accrued tax expense recorded on taxable profits or losses of the year of reporting of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. The tax expense should reflect only operations in the reportable accounting year and should not include deferred taxes or provisions for uncertain tax liabilities.

10. Under the column titled "Stated Capital", the Reporting MNE should report the sum of the stated capital of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. With regard to permanent establishments, the stated capital should be reported by the legal entity of which it is a permanent establishment unless there is a defined capital requirement in the permanent establishment tax jurisdiction for regulatory purposes.

11. Under the column titled "Accumulated Earnings", the Reporting MNE should report the sum of the total accumulated earnings of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction as of the end of the year. With regard to permanent establishments, accumulated earnings should be reported by the legal entity of which it is a permanent establishment.

12. Under the column titled "Number of Employees", the Reporting MNE should report the total number of employees on a full-time equivalent (FTE) basis of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. The number of employees may be reported as of the year-end, on the basis of average employment levels for the year, or on any other basis consistently applied across tax jurisdictions and from year to year. For this purpose, independent contractors participating in the ordinary operating activities of the Constituent Entity may be reported as employees. Reasonable rounding or approximation of the number of employees is permissible, providing that such rounding or approximation does not materially distort the relative distribution of employees across the various tax jurisdictions. Consistent approaches should be applied from year to year and across entities.

13. Under the column titled "Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents", the Reporting MNE should report the sum of the net book values of tangible assets of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. With regard to permanent establishments, assets should be reported by reference to the tax jurisdiction in which the permanent establishment is situated. Tangible assets for this purpose do not include cash or cash equivalents, intangibles, or financial assets.

14. Under the column titled "Constituent Entities Resident in the Tax Jurisdiction", the Reporting MNE should list, on a tax jurisdiction-by-tax jurisdiction basis and by legal entity name, all the Constituent Entities of the MNE group which are resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. As stated above with regard to permanent establishments, however, the permanent establishment should be listed by reference to the tax jurisdiction in which it is situated. The legal entity of which it is a permanent establishment should be noted (e.g. XYZ Corp – Tax Jurisdiction A PE).

15. Under the column titled "Tax Jurisdiction of Organization or Incorporation if different from Tax Jurisdiction of Residence", the Reporting MNE should report the name of the tax jurisdiction under whose laws the Constituent Entity of the MNE is organised or incorporated if it is different from the tax jurisdiction of residence.

16. Under the column titled "Main Business Activity(-ies)", the Reporting MNE should determine the nature of the main business activity(ies) carried out by the Constituent Entity in the relevant tax jurisdiction, by ticking one or more of the appropriate boxes. In this column, if the Reporting MNE chooses the option 'Other', then it shall be required to specify the nature of the activity of the Constituent Entity in the "Part C: Additional Information" section.

FORM NO. 60

[*See* rule 124(6)]

Intimation on behalf of the international group for the purposes of section 511(5)

<table>
<tr><td colspan="5">Part A: Particulars of the International Group</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td colspan="2" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td colspan="4">Details of the parent entity of the international group:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Name (refer Note 1)</td><td colspan="2">Address (refer Note 2)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td colspan="4">Details of the constituent entity designated to furnish the report under section 511(4):</td></tr>
<tr><td>Name (refer Note 1)</td><td>Address (refer Note 2)</td><td colspan="2">Permanent Account Number (PAN)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="4">Details of all other constituent entities of the international group resident in India:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name of the constituent entity</td><td>PAN of the constituent entity</td><td>Address of the constituent entity</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the group name, parent entity or constituent entity.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code/zip code.
3. This form is to be signed by the person competent to verify the return of income under section 265.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 61
[*See* rule 125]
Authorisation for claiming deduction in respect of any payment made to any financial institution located in a notified jurisdictional area

Part A: Particulars of the Financial Institution			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN) (if available):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number

Authorisation

I,_____, hereby authorise the Central Board of Direct Taxes in the Ministry of Finance, Government of India or the Joint Secretary (Foreign Tax & Tax Research)-I or Joint Secretary (Foreign Tax & Tax Research)- II, Central Board of Direct Taxes, as the case may be, acting on behalf of Central Board of Direct Taxes to obtain the information and records relating to my account maintained with _____ _____ (name and address of the financial institution) for the period as may be specified in the notice in writing which may be issued by the Central Board of Direct taxes or the above mentioned Income-tax authority acting on behalf of the Central Board of Direct Taxes.

With this authorisation, I hereby waive all protections provided under any law, by whatever name called, for the time being in force including but not limited to the law relating to data protection, privacy or banking secrecy.

I understand that "records" encompasses all documents that as an account holder or as a customer I am entitled to obtain on *my own behalf/on behalf of[#] _____ including:

(a) documents identifying the account holder, the beneficial owner and/or authorised persons;
(b) account opening documents;
(c) correspondence between the bank and the customer or beneficial owner or third parties in relation to the account;
(d) account statements and statements of assets.

The authorisation is irrevocable.

I also confirm that I am aware of all the consequences of this authorisation.

Place: Signature:
Date: Name:

Notes:

1. The name shall include the full name of the financial institution.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. #Provide name of the company, firm etc. which is the beneficial owner of the account maintained with the financial institution.
4. *Delete whichever is not applicable.

FORM NO. 62

[*See* rule 129(3)]

Form for making the reference to the Commissioner of Income-tax by the Assessing Officer under section 274(1)

<table>
<tr><td colspan="4">Part A: Particulars of the Assessee</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name:</td><td>(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address:</td><td>(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Permanent Account Number (PAN):</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">E-mail Id:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Document Identification Number:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Status:</td><td>(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Residential Status:</td><td>(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td colspan="2">Tax Year(s) in respect of which the proceedings under section 274 are proposed to be invoked:</td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Tax Years for which proceedings are pending:</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Other tax years proposed to be covered:</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">The last date for completion of assessment or reassessment proceedings:</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Brief reasons for seeking declaration of the arrangement as impermissible avoidance arrangement:</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Other details to be provided as separate enclosure:</td><td>(attach as per Note 5)</td></tr>
</table>

Place: Signature:
Date: Name of the Assessing Officer:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the assessee.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm

(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

4. Fill residential status as below: —

(I)	Resident
(II)	Non-resident
(III)	Resident but Not Ordinarily Resident

5. With respect to Part B (Sl. No. 12), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Factual matrix of the arrangement entered into by the assessee including details of other parties.
A-2	Details of tax benefit (Tax Year-wise) arising under the arrangement: — (x) to the assessee; (xi) to all parties to the arrangement.
A-3	Brief facts in respect of computation of tax benefit.
A-4	Whether obtaining the tax benefit is the main purpose of the arrangement or part of the arrangement?
A-5	Whether notice under rule 129(1) has been served on the assessee, if yes date of service of the notice.
A-6	Summary of the reply of the assessee in response to the notice.
A-7	Indicate which of the following conditions is satisfied by the arrangement (along with basis of such conclusion): — (i) creates rights, or obligations, which are not ordinarily created between persons dealing at arm's length; (ii) results, directly or indirectly, in the misuse, or abuse, of the provisions of this Act; (iii) lacks commercial substance or is deemed to lack commercial substance under section 180, in whole or in part; or (iv) is entered into, or carried out, by means, or in manner, which are not ordinarily employed for *bona-fide* purposes.
A-8	Consequences in relation to tax likely to arise if the arrangement is declared as an impermissible avoidance arrangement.

6. This form is to be filed by the Assessing Officer before the Commissioner of Income-tax.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 63

[*See* rule 129(4)]

Form for returning the reference made under section 274

<table>
<tr><td colspan="4">Part A: Particulars of the Assessee</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Document Identification Number:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Status:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Residential Status:</td><td colspan="2">(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Tax Year(s) in respect of which the proceedings under section 274 were proposed to be invoked:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Date of receipt of reference in Form No. 62 from the Assessing Officer:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>The basis of finding that Chapter XI is not applicable for Tax Year(s):</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Place: Signature:
Date: Name of the Commissioner:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the assessee.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority

(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

4. Fill residential status as below: —

(I)	Resident
(II)	Non-resident
(III)	Resident but Not Ordinarily Resident

5. This form is to be filed by the Commissioner of Income-tax and to be provided to the Assessing Officer and the assessee.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 64

[*See* rule 129]

Form for making reference to the Approving Panel and for recording the satisfaction by the Commissioner before making a reference to the Approving Panel under section 274(4)

<table>
<tr><th colspan="5">Part A: Particulars of the Assessee</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Document Identification Number:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><th colspan="5">Part B: Other Information</th></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Status:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Residential Status:</td><td colspan="2">(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td colspan="2">Tax Year(s) in respect of which the proceedings under section 274 are proposed to be invoked:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Tax Years for which proceedings are pending:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Other tax years proposed to be covered:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">Date of receipt of Form No. 62 from the Assessing Officer:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Date of issuance of notice, setting out reasons, by the PCIT/ CIT to the assessee under section 274(2) (copy thereof to be enclosed):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Date of receipt of final submission from the assessee and dates of hearing provided to the assessee (copy of final submission of the assessee to be enclosed):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">The last date for completion of assessment or reassessment proceedings:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="2">Detailed reasons for being satisfied that the arrangement is an impermissible avoidance arrangement:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="2">Other details to be provided as separate enclosure:</td><td colspan="2">(attach as per Note 5)</td></tr>
</table>

Part C: Reference to the Approving Panel
Whereas I have received the reference from the Assessing Officer under section 274(1) in Form No. 62 on _____ for declaring an arrangement as an impermissible avoidance arrangement in case of M/s _____ (the assessee), PAN _____ , and after considering the explanation of the assessee and all other relevant facts, I am satisfied that the arrangement is an impermissible avoidance arrangement and my satisfaction is recorded in Part A and Part B. I hereby make a reference under section 274(4) to the Approving Panel for declaring said arrangement as an impermissible avoidance arrangement.

Place: Signature:
Date: Name of the Commissioner:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the assessee.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

4. Fill residential status as below: —

(I)	Resident
(II)	Non-resident
(III)	Resident but Not Ordinarily Resident

5. With respect to Part B (Sl. No. 15), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Factual matrix of the arrangement in respect of which the reference is being made.
A-2	Details of tax benefit (Tax Year-wise) arising under the arrangement: — (xii) to the assessee; (xiii) to all parties to the arrangement.
A-3	Brief facts in respect of computation of tax benefit.
A-4	Whether obtaining the tax benefit is the main purpose of the arrangement or part of the arrangement?
A-5	Indicate which of the following conditions is satisfied by the arrangement (along with basis of such conclusion): — (v) creates rights, or obligations, which are not ordinarily created between persons dealing at arm's length; (vi) results, directly or indirectly, in the misuse, or abuse, of the provisions of this Act; (vii) lacks commercial substance or is deemed to lack commercial substance under section 180, in whole or in part; or (viii) is entered into, or carried out, by means, or in manner, which are not ordinarily employed for *bona-fide* purposes.

A-6	Has the assessee been given an opportunity of being heard with regard to the findings given in A-3, A-4 and A-5? If yes, provide the gist of reply furnished by the assessee.
A-7	Consequences in relation to tax likely to arise if the arrangement is declared as an impermissible avoidance arrangement.

6. This form is to be filed by the Commissioner of Income-tax for making reference to the Chairperson, Approving Panel.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 65
[*See* rule 134]

Form for opting for taxation of income by way of royalty in respect of patent

Part A: Particulars of the assessee			
1.	Name of the assessee	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Residential Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year	*(refer Note 4)*	
8.	Nature of business or activities of the assessee		

Part B: Particulars of tax year			
1.	(a) Whether the option for offering the income by way of royalty in respect of a patent as per section 194(1) [Table: Sl. No. 2] is to be exercised for the tax year?		*(Yes/No)*
	(b) Whether the return of income for the tax year has been filed?		*(Yes/No)*
	(c) If answer to (b) above is "Yes", please furnish date of filing of return of income (if filed already)		*(dd/mm/yyyy)*
2.	(a) Whether income by way of royalty in respect of a patent as per section 194(1) [Table: Sl. No. 2] is not offered for taxation as per the said section for any of the five tax years succeeding the tax year in which the option for taxation of such income is first validly exercised.		*(Yes/No)*
	(b) If answer to (a) above is Yes, provide the following details:		
	Tax year in which the option for taxation of income by way of royalty under section 194(1) [Table: Sl. No. 2] is first validly exercised	Date of furnishing of return of income for the tax year mentioned in column *(A)* *(dd/mm/yyyy)*	Tax year in which such income is not offered to tax in accordance with the provisions of section 194(1) [Table: Sl. No. 2]
	(A)	*(B)*	*(C)*

PART C: Particulars of Eligible Patent *(refer Note 5)*					
1.	**Patent Details**				
	(a) Patent Number granted under the Patents Act, 1970 (39 of 1970)				
	(b) Date of grant of patent under the Patents Act, 1970 (39 of 1970)	(dd/mm/yyyy)			
	(c) Description of the patent developed and registered in India containing the invention, patent article and patent process as detailed out in section 2 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970)	*(refer Note 6)*			
	(d)Whether the patent is granted to single person	*Yes/No*			
	(e) If answer to (d) above is Yes, please furnish details of patentee being the true and first inventor as entered in patent register.	Name			
		Permanent Account Number			
		Address			
	(f) If answer to (d) above is No, please furnish details of the patentees of the patent (patentee being	Sl. No.	Name	Permanent Account Number	Address

	the true and first inventor as entered in patent register)				
2.	**Details of Royalty Income from eligible patent**				
	(a) Amount of royalty income from eligible patent for the tax year				
	(b) Nature of royalty income derived from the eligible patent for the tax year as referred to in section 194(2)(l) *(select anyone)*	○ (i) transfer of all or any rights (including the granting of a license) in respect of patent ○ (ii) imparting of any information concerning the working of, or the use of, a patent ○ (iii) use of any patent ○ (iv) rendering of any services in connection with the activities referred to in sub-clauses(i) to (iii)			
3.	**Details of Expenditure incurred on eligible patent**				
	(a) Please furnish details in respect of expenditure incurred by the assessee on the patent for any invention in respect of which patent is granted under the Patents Act, 1970 (39 of 1970)				
	(i) Total expenditure incurred				
	(ii) Expenditure incurred in India				
	(iii) Expenditure incurred outside India				
	(b) Whether the expenditure incurred in a(ii) above is seventy five percent or more than the expenditure incurred under (a)(i) above?	*Yes/No*			

DECLARATION

I..... (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …… (designation) of ……. (name of the assessee), do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: …… Signature of the Authorised Signatory

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. Pin/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident or (iii) Resident but not ordinarily resident
4. Please mention the tax year for which income by way of royalty in respect of patent is opted to be offered under section 194 (1) [Table: Sl. No. 2 column E (b)].
5. Particulars of each eligible patent should be reported separately along with royalty income and expenditure incurred details.
6. Please furnish a detailed note on patent developed and registered in India containing the invention, patent article and patent process as detailed out in section 2 of the Patents Act.
7. The form should be furnished and verified by the person authorized to sign the return of income under section 265.
8. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.
9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 66
[*See* rule 137]

Report for Computation of Book Profit for the purposes of section 206(1) of the Act

Part-A **Basic Information**				
1.	Details of the company			
	(i)	Name	*(refer Note 1)*	
	(ii)	Address	*(refer Note 2)*	
	(iii)	Permanent Account Number		
	(iv)	Contact Number	Country Code	
	(v)	Email ID		
Part-B				
2.	Tax year			
3.	Total income of the company under the Act for the relevant tax year.			
4.	Income-tax payable on total income			
5.	Financial year adopted by the company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013)			
6.	Details of the statement of profit and loss			
	(i)	Whether prepared in accordance with the provisions of Schedule III to the Companies Act, 2013 (18 of 2013). *(select one)*	1. Yes 2. No	
	(ii)	Profit according to statement of profit and loss		
7. 2.	Whether the financial year referred to in Row 5 above is same as the relevant tax year **(**row 2**)**? *(select one)*		1. Yes 2. No	
8. 3.	If the financial year referred to in row No. 5 above is same as the tax year (row 7 is Yes), then whether the statement of profit and loss referred to in row No. 6 above has followed the same accounting policies, accounting standards for preparing the statement of profit and loss and the same method of rates for calculating depreciation as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general meeting? *(select one)*		1. Yes 2. No	
9. 4.	If row No. 8 is No, the extent and nature of variation be specified (*attach working separately, where required*).			
10.	If the financial year referred to in Row 5 above is NOT same as the tax year (row No. 7 is No), then whether the statement of profit and loss referred to in row No. 6 above has followed the same accounting policies, accounting standards for preparing the statement of profit and loss and the same method of rates for calculating depreciation as have been adopted for preparing accounts for the respective parts of the financial year laid or to be laid before the company at its annual general meeting? *(select one)*		1. Yes 2. No	
11.	If row No. 10 is No, the extent and nature of variation be specified (*attach working separately, where required*).			
12. .	Profit according to statement of profit and loss			

	referred to in row No. 6 above as adjusted by the amount or aggregate of amounts on account of variations referred to in row Nos. 9 or 11, as the case may be.			
Adjustments to be made in Book Profit				
13.	**ADD:** Amounts in sections mentioned at row Nos. 13(i) to 13(x) as below (attach working separately, where required).			
	(i)	Section 206(1)(c) (i)		
	(ii)	Section 206(1)(c)(ii)		
	(iii)	Section 206(1)(c)(iii)		
	(iv)	Section 206(1)(c)(iv)		
	(v)	Section 206(1)(c)(v)		
	(vi)	Section 206(1)(c)(vi)		
	(vii)	Section 206(1)(c)(vii)		
	(viii)	Section 206(1)(c)(viii)		
	(ix)	Section 206(1)(c)(ix)		
	(x)	Section 206(1)(c)(x)		
	(xi)	**ADD:** Aggregate of amounts mentioned at row Nos. 13(i) to 13(x) as below		
14.	**LESS:** Amounts in sections mentioned at row Nos. 14(i) to 14(vi) as below (Attach working separately, where required).			
	(i)	Section 206(1)(c)(xi)		
	(ii)	Section 206(1)(c)(xii)		
	(iii)	Section 206(1)(c)(xiii)		
	(iv)	Section 206(1)(c)(xiv)		
	(v)	Section 206(1)(c)(xv)		
	(vi)	Section 206(1)(c)(xvi)		
	(vii)	**LESS**: aggregate of amounts mentioned at row Nos. 14(i) to 14(vi).		
15.	Adjust ***(ADD or LESS, as specified)*** the following amounts in section as referred in row Nos. 15(i) to 15(x) *(Attach working separately, where required).*			
	(i)	Section 206(1)(d)(i)		
		(a)	**Add:** Item No. (A)	
		(b)	**Less:** Item No. (B)	
	(ii)	Section 206(1)(d)(ii)		
		(a)	**Add**: Item No. (I)	
		(b)	**Less**: Item No. (II)	
	(iii)	Section 206(1)(d)(iii)		
		(a)	**Add**: Item No. (I)	
		(b)	**Less**: Item No. (II)	
	(iv)	Section 206(1)(d)(iv)		
		(a)	**Add:** Gain on transfer of units	
		(b)	**Less:** Loss on transfer of units	
	(v)	Section 206(1)(d)(v)		
		(a)	Add: Item No. (A)	

		(b)	Less: Item No. (B)	
	(vi)	**Less:** Section 206(1)(d)(vi)		
	(vii)	**Less:** Section 206(1) (d)(vii)		
	(viii)	**Less:** Section 206(1)(d)(viii)		
	(ix)	**Add:** Section 206(1)(d)(ix): Table Column A		
		(a)	Row (1)	
		(b)	Row (2)	
		(c)	Row (3) *[from* row No. *16(iv)]*	
		(d)	Row (4)	
		(e)	Row (5)	
	(x)	**Less:** Section 206(1)(d)(ix): Table Column B		
		(a)	Row (1)	
		(b)	Row (2)	
		(c)	Row (3) *[from* row No. *16 (iv)]*	
		(d)	Row (4)	
		(e)	Row (5)	
Part-C				
16.	Transition Amount as defined in section 206(1)(t)(vi).			
	(i)	Amount or the aggregate of the amounts adjusted in the other Equity (including capital reserve and securities premium reserve).		
	(ii)	**To be further adjusted (increased or decreased) by**		
		(a)	Amount or aggregate of amounts adjusted in capital reserve.	
		(b)	Amount or aggregate of amounts adjusted in securities premium reserve.	
		(c)	Amount or aggregate of amounts adjusted in the other Comprehensive income on the convergence date which shall be subsequently reclassified to profit or loss.	
		(d)	Amount or aggregate of amounts adjusted in Revaluation surplus for assets in accordance with the Indian Accounting Standards 12 and Indian Accounting Standards 38 adjusted on the convergence date.	
		(e)	Gains or losses from investment in equity instruments designated at fair value through other comprehensive income in accordance with Indian Accounting Standards 109 adjusted on the convergence date.	
		(f)	Adjustments relating to items of property, plant and equipment and intangible assets recorded at fair value as deemed cost in accordance with paragraphs D5 and D7	

			of the Indian Accounting Standards 101 on the convergence date.	
		(g)	Adjustments relating to investments in subsidiaries, joint ventures and associates recorded at fair value as deemed cost in accordance with paragraph D15 of the Indian Accounting Standard 101 on the convergence date.	
		(h)	Adjustments relating to cumulative translation differences of a foreign operation in accordance with paragraph D13 of the Indian Accounting Standard 101 on the convergence date.	
		(i)	Any other adjustment (to be specified).	
	(iii)	Total transition amount [row No. 16(i) as adjusted by row No. 16(ii)]		
	(iv)	$1/5^{th}$ of transition amount [$1/5^{th}$ of row No. 16(iii)]		
17	Details of adjustment for transition amount.			
	(i)	Convergence date as defined in section 206(1)(t)(ii).		
	(ii)	Year of convergence as defined in section 206(1)(t)(ix).		
	(iii)	Total transition amount [from row No. 16(iii)]		
	(iv)	Amount or aggregate of amounts adjusted till Immediately preceding year.		
	(v)	Amounts adjusted in this year [from row No. 16(iv)]		
	(vi)	Amount to be adjusted in the subsequent year(s).		
Part- D				
18	Book profit as computed according to sub- section (1) of section 206 [row No. 12 as adjusted (ADD or LESS) by row Nos. 13, 14 and 15] above			
19	Type of Assessee Company *(Select One)*			1. A unit, being a company located in an International Financial Services Centre and derives its income solely in convertible foreign exchange 2. Any Other Company
20	Tax Payable on Book Profit under section 206(1) as per the applicable rate for the Type of Assessee Company in row No. 19 above.			

CERTIFICATE

1. I/We have examined the accounts and records of …… (name and address of the assessee with Permanent Account Number) engaged in business of …….(nature of business) in order to arrive at the book profit during the year ended on the 31st March …...
2. I/We certify that the book profit has been computed in accordance with the provisions of this section. The tax payable under section 206(1) of the Act in respect of the tax year ……is ₹……. which has been determined as per above.
3. In my/our opinion and to the best of my/our knowledge and according to the explanations given to

me/us the particulars given in this Form are true and correct.

Date:
Place:

Signature
Name of the Accountant:
Designation:
Membership Number:
UDIN details, if any:
Name of proprietorship/Firm:
Firm registration Number:

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. This report is to be given by a chartered accountant, within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), who holds a valid certificate of practice under section 6(1) of that Act and is not a person referred to in section 515(3)(b)(i) or (ii) of the Act.
4. Where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons there for.
5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 67
[*See* rule 138]

Report for computation of adjusted total income and alternate minimum tax for the purposes of section 206(2) of the Act

<table>
<tr><td colspan="6">Part-A
Personal information</td></tr>
<tr><td rowspan="7">1.</td><td colspan="2" rowspan="7">Details of the assessee</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Name</td><td colspan="3">(Refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Address</td><td colspan="3">(Refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Permanent Account Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Contact Number</td><td>Country Code</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>Email ID</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>Nature of business</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Tax year</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Part-B
Computation of alternate minimum tax</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Total income of the assessee computed in the manner laid down in the Income-tax Act before giving effect to section 206(2)(a) of the Act</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Income-tax payable on total income referred to in row No. 3 above</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2" rowspan="5">The amount of deduction claimed under any section (other than section 149) included in Chapter VIII-C</td><td>Sl.No.</td><td>Section under which deduction claimed</td><td>Amount of deduction claimed</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">(repeat as required)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">The amount of deduction claimed under section 46 as reduced by depreciation allowable as per provisions of section 33 (as if no deduction under section 46 was allowed in respect of the assets on which the deduction under that section is claimed).</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Adjusted total income of the assessee (row Nos. 3+5+6)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Type of Assessee
(Select one)</td><td colspan="3">1. A unit, being a person other than a company located in an International Financial Services Centre and derives its income solely in convertible foreign exchange.
2. A co-operative society.
3. Any other person (not being a company)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">Alternate minimum tax (as per applicable rate mentioned in section 206(2)(b)(ii) for the type of assessee in row No. 8 above).</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">CERTIFICATE
1. I/We have examined the accounts and records of .....(name and address of the assessee with Permanent Account Number) engaged in business of ..... (nature of business) in order to arrive at the adjusted total income and the alternate minimum tax for the year ended on the 31st March, ...
2. I/We certify that the adjusted total income and the alternate minimum tax has been computed in accordance with the provisions of the section. The tax payable under section 206(2) of the Act in respect of the tax year</td></tr>
</table>

.....is ₹....., which has been determined in this form.

3. In my/our opinion and to the best of my/ our knowledge and according to the explanations given to me/us the particulars given in this form are true and correct.

Date:

Place:

Signature

Name of the Accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN details, if any:

Name of proprietorship/Firm:

Firm registration Number:

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.

2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.

3. This certificate is to be given by:

(i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of1949); or

(*ii)* any person, who in relation to any State, is, by virtue of the provisions in section 226(2) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that state.

4. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with qualification, the report shall state the reasons there for.

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 68

[*See* rule 139]

Statement of exempt income under Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4]

<table>
<tr><td colspan="6">Part A: Particulars of the Specified Fund</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address of the registered office:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Status:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">Registration Number as per the certificate of registration issued by the International Financial Services Centre Authority:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">Date of registration:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="4">Tax Year:</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="4">Total income during the Tax Year:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">11.</td><td colspan="4">Details of exempt income under Schedule VI [Sl. No. 1 to 4]:</td><td></td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Nature of income of the Specified Fund</td><td>Total Income</td><td colspan="2">Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non- resident in India)</td></tr>
<tr><td>A</td><td>Income as a result of transfer of a capital asset referred to in section 70(1)(r) of the Act</td><td>Total of Column (5) in Part I of Annexure A-1 (refer Note 4)</td><td colspan="2">Total of Column (9) in Part I of Annexure A-1 (refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Income as a result of transfer of securities (other than shares in a company resident in India)</td><td>Total of Column (5) in Part II of Annexure A-1 (refer Note 4)</td><td colspan="2">Total of Column (9) in Part II of Annexure A-1 (refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Income from securities issued by a non- resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India</td><td>Total of Column (5) in Part I of Annexure A-2 (refer Note 4)</td><td colspan="2">Total of Column (9) in Part I of Annexure A-2 (refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Income from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession"</td><td>Total of Column (5) in Part II of Annexure A-2 (refer Note 4)</td><td colspan="2">Total of Column (9) in Part II of Annexure A-2 (refer Note 4)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Exempt Income under Schedule VI [Sl. No. 1 to 4]</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="3">Whether conditions under rule 144(1) are fulfilled:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
</table>

13.	Details of units held by residents during the tax year								
	Sl. No.	Name of resident unit holder	PAN of resident	Tax Identification Number in country of residence during the tax year when unit was issued	Total Number of units held	Value of units held	Whether sponsor or manager (Yes/No)	Whether the resident has become a resident under section 6 of the Act during this tax year subsequent to the tax year in which such unit or units were issued? (Yes/No)	If yes date of exit from fund
	1.								
	2.	*(Repeat, if required)*							
	Total								
14.	Aggregate value of units (₹ in crore) during the tax year:								
15.	Aggregate number of units during the tax year:								
16.	Proportion of units (value) held by residents during the tax year:								
17.	Proportion of units (number) held by residents during the tax year:								
18.	Other details to be provided as separate enclosure:							*(attach as per Note 4)*	

Verification

I, _____ (Name in full) having PAN _____do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and, in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete.

2. I do hereby affirm that the conditions stipulated in Schedule VI [Note 1(g)(i)] are satisfied by the specified fund.

3. I also affirm that during the tax year _____, the units held by residents are not counted as units held by non- residents, for the purposes of computation of exempt income under rule 139(1) and rule 140(1) and (2).

4. I further affirm that I am furnishing such statement in my capacity as _____ (designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the specified fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill legal status as below: —

(I)	Company
(II)	Trust
(III)	Limited Liability Partnership
(IV)	Body Corporate

4. With respect to Part B (Sl. No. 11), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars								
A-1	Sl. No.	Name of security	Date of acquisition	Date of transfer	Capital Gains	Aggregate of daily 'assets under Management' of the Specified Fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) from the date of acquisition of the capital asset or security to the date of transfer of such capital asset or security	Aggregate of daily total 'assets under Management' of the Specified Fund from the date of acquisition of the capital asset or security to the date of transfer of such capital asset or security	Ratio	Income attributable to units held by the non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	Part I. Income from transfer of securities referred to in section 70(1)(r)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								
	2.	*(Repeat, if required)*							
	Total								
	Part II. Income from Transfer of securities (other than shares in a company resident in India)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
	1.								
	2.	*(Repeat, if required)*							
	Total								
A-2	Sl. No.	Name of security	Nature of income *(refer Note 5)*	Date of receipt of income	Income	Assets under Management held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) as on the date of receipt of income	Total 'asset under management' as on the date of receipt of income	Ratio	Income attributable to units held by the non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)

Part I. Income from Securities attributable to units held by a non-resident (not being a permanent establishment of a non- resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
1.								
2.	*(Repeat, if required)*							
Total								

Part II. Income from a securitization trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession".

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) × (8)
1.								
2.	*(Repeat, if required)*							
Total								

5. Relevant code to be selected from the following: —

Sl. No.	Nature of income	Code
1.	Dividend	1
2.	Interest	2
3.	Other Income. Specify	3

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 69
[*See* rule 140]

Statement of income of a specified fund eligible for concessional taxation under section 210(2) of the Act

Part – A			
1.	**Details of the specified Fund**		
	)	**Name**	*(refer note 1)*
	(ii)	**Address of the registered office**	*(refer note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**	
	(iv)	**Email ID**	
	(v)	**Contact number**	Country Code
	(vi)	**Legal status** *(select one)*	1. company 2. trust 3. limited liability partnership 4. body corporate
	(vii	**Registration number as per the certificate of registration issued by the International Financial Services Centre Authority**	
	(vii	**Date of registration:**	*dd/mm/yyyy*
	(ix)	**Please upload a copy of the certificate of registration**	*UPLOAD*
2.	**Tax year ending**		*dd/mm/yyyy*
3.	**Total income of specified fund during tax year**		

Part -B
Details of income of specified fund attributable to non-residents and eligible for concessional taxation under section 210(2)

Sl.No.	**Income or Loss of the specified fund**	**Amount**	**Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)**
4.	**Income from securities as referred to in section 210(1) [Table: Sl. No.1] (Annexure 1)**	*Total of Column (5) in Annexure 1*	*Total of Column (9) in Annexure 1*
5.	**Income from Short Term Capital Gain arising from transfer of securities as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.2] (Part B1)**	*Total of Column (5) in Part B1 of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part B1 of Annexure 2*
6.	**Income from Short Term Capital Gain arising from transfer of securities as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.3] (Part B2)**	*Total of Column (5) in Part B2 of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part B2 of Annexure 2*
7.	**Income from Long Term Capital Gain as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.4] (Part B3)**	*Total of Column (5) in Part B3 of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part B3 of Annexure 2*
8.	**Income from Long Term Capital Gain as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.5] (Part B4)**	*Total of Column (5) in Part B4 of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part B4 of Annexure 2*

Declaration

I _____ (name), holding Permanent Account Number _____, do hereby affirm that the conditions stipulated in Note 1(g)(i) in Schedule VI to the Act are satisfied by the specified fund.

I do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and, in the Annexure(s) is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as _____(designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:
Date:

Signature ……
Name……
Designation……

Annexure 1

S. No.	Name of security	Nature of Income *(select one)*	Date of receipt of income *(dd/mm/yyyy)*	Income (in Rs.)	Assets under management held by non- resident unit-holders (not being the permanent establishment of a non- resident in India) as on the date of receipt of income	Total asset Under management as on the date of receipt of income.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non- resident in India) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)/(7)	(9) = (5)×(8)
Income from securities as referred to in section 210(1) [Table: Sl. No.1]								
1.		1.Dividend 2. Interest 3. Others, please specify						
Repeat, if required								
Total								

Annexure 2

S. No.	Name of security	Date of acquisition (*dd/mm/yyyy*)	Date of transfer (*dd/mm/yyyy*)	Capital Gain	Aggregate of daily 'assets under management' of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non- resident in India) from the date of acquisition of the security to the date of transfer of such security	Aggregate of daily total 'assets under management' of the specified fund, from the date of acquisition of the security to the date of transfer of such security.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non- resident in India)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)/(7)	(9) = (5)×(8)
Part B1 Income from short term capital gain as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.2]								
1.								
2.								
Total								
Part B2. Income from short term capital gain as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.3]								
1.								
2.								
Total								
Part B3. Income from long term capital gain as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.4]								
1.								
2.								
Total								
Part B4. Income from long term capital gain as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No.5]								
1.								
2.								
Total								

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 70
[*See* rule 141]

Annual Statement of exempt income and income taxable at concessional rate for an investment division of an offshore banking unit.

Part-A **Basic Information**			
1.	Name of the specified fund (declarant)		*(refer Note 1)*
2.	Address of the registered office of the specified fund		*(refer Note 2)*
3.	Legal status *(Select one)*		1. Company 2. Trust 3. Limited Liability Partnership 4. Body corporate
4.	Permanent Account Number		
5.	Tax year ending		*dd/mm/yyyy*
6.	Date of establishment / incorporation		*dd/mm/yyyy*
7.	Date of commencement of operations		*dd/mm/yyyy*
8.	(a)	Registration number as per the certificate of registration as a Category-I foreign portfolio investor under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019	
	(b)	Date of registration	*dd/mm/yyyy*
	(c)	Please upload a copy of the certificate of registration	UPLOAD
Part- B			
9.	Whether conditions as mandated by rule 142 are fulfilled *(Select one)*		1. Yes 2. No
10.	Calculation of income accrued or arisen to, or received by an eligible investment division exempt under section 11 read with Table: Sl. Nos. 1 to 4 in Schedule VI to the Act		
	(a)	Income as a result of transfer of a capital asset referred to in section 70(1)(r) of the Act on a recognised stock exchange in any IFSC and where the consideration is paid or payable in convertible foreign exchange;	
	(b)	Income as a result of transfer of securities (other than shares in a company resident in India);	
	(c)	Income from securities issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India;	
	(d)	Income from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession";	
	(e)	Income of the eligible investment division **[(a) + (b) + (c) + (d)]**	
11.	Calculation of income accrued or arisen to, or received by an eligible investment division taxable under section 210(3) of the Act		
	(a)	Income from securities as referred to in section 210(1)[Table: Sl. No. 1]	
	(b)	Income by way of short-term capital gain referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 2], as a result of transfer of security (other than that referred to in section 196 of the Act)	
	(c)	Income by way of short-term capital gain referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 3], as a result of transfer of security referred to in section 196 of the Act	

	(d)	Income by way of long-term capital gain referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 4], as a result of transfer of a security (other than that referred to in section 198 of the Act) ;	
	(e)	Income by way of long-term capital gain referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 5], as a result of transfer of a security referred to in section 198 of the Act	
	(f)	Income of the eligible investment division **[(a) + (b) + (c) + (d) + (e)]**	

Verification

I, _____, (name) holding Permanent Account Number _____, do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated in the form above is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as_____(designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:

Date:

Signature……
Name…….
Designation……

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 71

[*See* rule 142]

Verification by an accountant for computation of exempt income of specified fund, attributable to the investment division of an offshore banking unit, for purposes of Schedule VI to the Act

Part-A			
1	Details of the assessee		
	(i)	Name	*(refer note 1)*
	(ii)	Address	*(refer note 2)*
	(iii)	Permanent Account Number	
2.	Details of the offshore banking unit to which the eligible investment division belong.		
	(i)	Name	*(refer note 1)*
	(ii)	Address	*(refer note 2)*
3.	Tax year		
Part-B			
4.	Conditions to be fulfilled by the eligible investment division of the offshore banking unit		
	(i)	Whether separate accounts for the registered investment division have been maintained? *(select one)*	1.Yes 2.No
	(ii)	Whether the accounts referred to in (i) have been audited by an Accountant? *(select one)*	1.Yes 2.No
	(iii)	Whether proper documentation in respect of inbound remittance for buying and selling the investments have been maintained? *(select one)*	1.Yes 2.No
	(iv)	Whether proper documentation in respect of the use of inward remittance made to India has been maintained? *(select one)*	1.Yes 2.No
	(v)	Whether the bank statements of all accounts of the registered investment division have been maintained? *(select one)*	1.Yes 2.No
	(vi)	Whether contract notes relating to purchase and sale of securities by the registered investment division have been maintained? *(select one)*	1.Yes 2.No
	(vii)	Whether a statement of securities issued by the custodian has been maintained? *(select one)*	1.Yes 2.No

Verification

1. I/We have examined the books of account and other documents showing the particulars of income accrued or arisen to, or received by the eligible investment division of …….. (name of the offshore banking unit) which is eligible for exemption under section 11 read with [Table: Sl. Nos. 1 to 4] Schedule VI to the Act and concessional rates under section 210(3).
2. I/We do hereby affirm that the eligible investment division of …….. (name of the offshore banking unit) has fulfilled the conditions given in row No. 4 above.
3. I/We hereby further affirm that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Signature:

Date: ……..

Place: …….	Name of the Accountant: Designation: Membership number: UDIN details, if any: Name of proprietorship/Firm: Firm registration number:

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.

FORM NO. 72

[*See* rule 145]

Statement of income paid or credited by a securitisation trust to be furnished under section 221

<table>
<tr><td colspan="11">Part A: Particulars of the Securitisation Trust</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">Legal Status:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="8">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="8" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Country Code</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">Tax Year:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="10">Details of the Directors or Partners or Trustees of the securitisation trust:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name</td><td>PAN</td><td>Aadhaar</td><td>Address</td><td>Contact Number</td><td>E-mail Id</td><td colspan="3">Designation</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td colspan="10">Details of the Status and the Registration of securitisation trust:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Act/ Regulations under which registered</td><td>Status of Securitisation Trust</td><td>Date of registration</td><td>Registration Number</td><td colspan="3">Validity of registration (up to)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>(i)</td><td colspan="8">Income of the securitisation trust under the head ‘Income from house property’ [A]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="8">Proportion to [E] (in %):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>(i)</td><td colspan="8">Income of the securitisation trust under the head ‘Profits and gains of business or profession’ [B]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="8">Proportion to [E] (in %):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="9">Income of the securitisation trust under the head ‘Capital Gains’ [C]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>(i)</td><td colspan="8">Long Term Capital Gain:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(a)</td><td>(I)</td><td colspan="7">Capital Gains Code (refer Note 4):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(II)</td><td colspan="7">Amount:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(III)</td><td colspan="7">Proportion to [E] (in %):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(b)</td><td colspan="8">(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="8">Short Term Capital Gain:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(a)</td><td>(I)</td><td colspan="7">Capital Gains Code (refer Note 3):</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			(II)	Amount:	
			(III)	Proportion to **[E]** (in %):	
		(b)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*		
13.	Income of the securitisation trust under the head 'Income from other sources' (in ₹) **[D]**:				
	(i)	(a)	Dividends:		
		(b)	Proportion to **[E]** (in %):		
	(ii)	(a)	Others:		
		(b)	Proportion to **[E]** (in %):		
14.	Total income of the securitisation trust **[E] = [A] + [B] + [C] + [D]**:				

15. Details of persons, referred to in section 221(1) by whom the income is received or in whose name it has been credited or deemed to have been credited, in the following format:

Sl. No.	Name of the investor	Address	PAN/ Aadhaar	Total amount paid/ credited/ deemed to be credited	Date of payment/ credit	Income under the head 'Income from house property'	Income under the head 'Profits and gains of business or profession'	Income under the head 'Capital Gains'				Income under the head 'Income from other sources' **[D]**:	
								Long Term Capital Gain		Short Term Capital Gain		Dividend	Others
								Capital Gains Code *(refer Note 4)*	Income	Capital Gains Code *(refer Note 4)*	Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × Sl. No. 10(ii)	(8) = (5) × Sl. No. 11(ii)	(9) = relevant codes at Sl. No. 12(i)	(10) = (5) × Sl. No. 12(i) (proportion to [E] for each capital gains code)	(11) = relevant codes at Sl. No. 12(ii)	(12) = (5) × Sl. No. 12(ii) (proportion to [E] for each capital gains code)	(13) = (5) × Sl. No. 13(i)(b)	(14) = (5) × Sl. No. 13(ii)(b)
1.													
2.	*(Repeat, if required, for each name and capital gains code as well)*												

16.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(attach as per Note 5)*

Declaration
I, _____, hereby declare that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application. Place: Signature: Date: Name: Designation:

Verification
I _____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed / credited (including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 221(3)) to the investors by the_____(name of the securitisation trust for the tax year ending _____. I declare that the above particulars are true and correct to the best of my knowledge and belief. Place: Signature: Date: Name of the accountant: Designation: Membership Number: UDIN, if any: Name of the Proprietorship/Firm: Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the securitisation trust.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill legal status as below: —

(I)	Company
(II)	Trust
(III)	Limited Liability Partnership
(IV)	Body Corporate

4. In Part B (Sl. No. 12 and 15), Capital Gains Code is to be selected from the following: —

Sl. No.	Capital Gains	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 198	1
2.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section other than section 198	2
3.	Long term capital gain chargeable at 20%	3
4.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 196	4
5.	Short term capital gain chargeable at 30%	5
6.	Short term capital gain chargeable at applicable rates	6

5. With respect to Part B (Sl. No. 16), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the certificate of registration under the applicable Act or Regulations, viz., in case of securitisation trust, under the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securities Debt Instruments) Regulations, 2008 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); in case of Special Purpose Vehicle regulated by the guidelines of Standard Assets issued by the Reserve Bank of India; and in case of Securitisation Company or a Reconstruction Company, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002).
A-2	Audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards payment of income or credit of income (including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 221(3)).

6. The expression “accountant” means the accountant as defined in the 515(3)(b).
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 73

[*See* rule 145]

Statement of income distributed by a securitisation trust to be provided to the investor under section 221

<table>
<tr><td colspan="12">Part A: Particulars of the Investor</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">Name:</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">Address:</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">E-mail Id:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="8" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td colspan="2">Country Code</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="8">Name of the securitisation trust:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">PAN of the securitisation trust:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="12">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="8">Tax Year:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="11">Details of the income paid or credited/ deemed to be credited by the securitisation trust to the investor during the tax year:</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">Sl. No.</td><td rowspan="2">Amount paid or credited or deemed to be credited</td><td rowspan="2">Date of payment or credit or deemed to be credited</td><td colspan="8">Breakup of Amount paid / credited under the Heads of Income</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">‘Income from House Property’</td><td rowspan="2">‘Business or profession’</td><td colspan="2">‘Long Term Capital Gains’</td><td colspan="2">‘Short Term Capital Gains’</td><td rowspan="2">‘Income from other sources’</td><td rowspan="2">Others (specify if taxed at special rates)</td></tr>
<tr><td></td><td>Capital Gains Code (refer Note 3)</td><td>Amount</td><td>Capital Gains Code (refer Note 3)</td><td>Amount</td><td>‘Dividend’</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>(11)</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td colspan="2">(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Verification
I, _____, hereby declare that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application. Place: Signature: Date: Name: Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the investor or the securitisation trust.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 9), Capital Gains Code is to be selected from the following: —

Sl. No.	Capital Gains	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 198	1
2.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section other than section 198	2
3.	Long term capital gain chargeable at 20%	3
4.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 196	4
5.	Short term capital gain chargeable at 30%	5
6.	Short term capital gain chargeable at applicable rates	6

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 74

[*See* rule 145]

Statement of income paid or credited by Venture Capital Company or Venture Capital Fund to be furnished under section 222

<table>
<tr><td colspan="10">Part A: Particulars of the Venture Capital Company or Venture Capital Fund</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="7">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="7">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="7">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="7">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="7" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="7">Tax Year:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="9">Details of the Directors of the Venture Capital Company/ trustees of the Venture Capital Fund:</td></tr>
<tr><td></td><td>Sl. No.</td><td>Name</td><td>PAN</td><td>Aadhaar</td><td>Address</td><td>Contact Number</td><td>E-mail Id</td><td colspan="2">Designation</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="9">Details of registration of the Venture Capital Company or Venture Capital Fund with Securities and Exchange Board of India (SEBI):</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Regulations under which registered (SEBI (Venture Capital Funds) Regulations, 1996 or SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012)</td><td colspan="2">Date of registration</td><td>Registration Number</td><td colspan="2">Validity of registration (up to)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="9">In a case where Venture Capital Company or Venture Capital Fund is registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012:</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td colspan="7">Whether it has invested two-third or more of its investible funds in unlisted equity shares or equity linked instruments of venture capital undertaking:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="7">Whether it has made any investment in any venture capital undertaking in which, -

(a) its director or a substantial shareholder (being a beneficial owner of equity shares exceeding ten per cent of its equity share capital); or
(b) its trustee or settler, as the case may be, holds, either individually or collectively, equity shares in excess of fifteen per cent of the paid-up equity share capital of such venture capital undertaking</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td colspan="7">Whether the shares or units of the Venture Capital Company or the Venture Capital Fund are listed on any recognised stock exchange at any time during the tax year:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="9">Total income from the investments in Venture Capital Undertakings under the head ‘Capital Gains’ [A]:</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td colspan="7">Long Term Capital Gains:</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		(a)	(I)	Capital Gains Code *(refer Note 3)*:		
			(II)	Amount:		
			(III)	Proportion to **[C]** (in %):		
		(b)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*			
	(ii)	Short Term Capital Gains:				
		(a)	(I)	Capital Gains Code *(refer Note 3)*:		
			(II)	Amount:		
			(III)	Proportion to **[C]** (in %):		
		(b)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*			
11.	Total income from the investments in Venture Capital Undertakings under the head 'Income from other sources' **[B]**:					
	(i)	(a)	Dividend:			
		(b)	Proportion to **[C]** (in %):			
	(ii)	(a)	Other:			
		(b)	Proportion to **[C]** (in %):			
12.	Total income under all the heads from the investments in Venture Capital Undertakings **[C] = [A] + [B]**:					

13. Details of persons, referred to in section 222(1) by whom the income is received or in whose name it has been credited or deemed to have been credited, in the following format:

Sl. No.	Name(s) of the investor	Address (es)	PAN/ Aadhaar	Total amount paid/ credited/ deemed to be credited	Date of payment/ credit	Income under the head 'Capital Gains'				Income under the head 'Income from other sources'	
						Long-term Capital Gains		Short-term Capital Gains			
						Capital Gains Code	Income	Capital Gains Code	Income	Dividend	Other (interest, etc.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = relevant codes at Sl. No. 10(i)	(8) = (5) × Sl. No. 10(i) (proportion to [C] for each capital gains code)	(9) = relevant codes at Sl. No. 10(ii)	(10) = (5) × Sl. No. 10(ii) (proportion to [C] for each capital gains code)	(11) = (5) × Sl. No. 11(i)(b)	(12) = (5) × Sl. No. 11(ii)(b)
1.											
2.	*(Repeat, if required, for each name and capital gains code as*										

		well)								
14.	Other details to be provided as separate enclosure:									*(attach as per Note 4)*

Verification

I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Verification

I _____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed / credited (including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 222(5)) to the investors by the_____(name of the Venture Capital Company or the Venture Capital Fund) for the tax year ending _____.

I affirm that the above particulars are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the Venture Capital Company or Venture Capital Fund.

2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.

3. In Part B (Sl. No. 10), Capital Gains Code is to be selected from the following: —

Sl. No.	Capital Gains	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 198	1
2.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section other than section 198	2
3.	Long term capital gain chargeable at 20%	3
4.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 198	4
5.	Short term capital gain chargeable at 30%	5
6.	Short term capital gain chargeable at applicable rates	6

4. With respect to Part B (Sl. No. 14), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
A-2	A copy of the Venture Capital Fund deed in case of Venture Capital Fund registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908).
A-3	Audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards distribution of income or credit of income (including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 222(5)).

5. The expression “accountant” means the accountant as defined in the 515(3)(b).

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 75

[*See* rule 145]

Statement of income paid or credited by Venture Capital Company or Venture Capital Fund to be provided to the person who is liable to tax under section 222

<table>
<tr><td colspan="11">Part A: Particulars of the Investor</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="7">Name:</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="7">Address:</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="7">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="7">E-mail Id:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="7" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td colspan="2">Country Code</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="7">Name of the Venture Capital Company or Venture Capital Fund:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="7">PAN of the Venture Capital Company or Venture Capital Fund:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="11">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">Tax Year:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="10">Details of the income paid or credited/ deemed to be credited by the Venture Capital Company or Venture Capital Fund to the investor during the tax year:</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Sl. No.</td><td rowspan="3">Amount paid or credited or deemed to be credited</td><td rowspan="3">Date of payment or credit or deemed to be credited</td><td colspan="6">Breakup of Amount paid / credited under the Heads of Income</td></tr>
<tr><td colspan="2">‘Long Term Capital Gains’</td><td colspan="2">‘Short Term Capital Gains’</td><td colspan="2">‘Income from other sources’</td></tr>
<tr><td>Capital Gains Code (refer Note 3)</td><td>Amount</td><td>Capital Gains Code (refer Note 3)</td><td>Amount</td><td>‘Dividend’</td><td>Others(interest, etc.)</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td colspan="3">(Repeat, if required, for each name and capital gains code as well</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Declaration
I, _____, hereby declare that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place:	Signature:
Date:	Name:
	Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the investor or the securitisation trust.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 9), Capital Gains Code is to be selected from the following: —

Sl. No.	Capital Gains	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 198	1
2.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section other than section 198	2
3.	Long term capital gain chargeable at 20%	3
4.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 198	4
5.	Short term capital gain chargeable at 30%	5
6.	Short term capital gain chargeable at applicable rates	6

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 76

[*See* rule 145]

Statement of income paid or credited by business trust to be furnished under section 223

<table>
<tr><td colspan="11">Part A: Particulars of the Business Trust</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="8" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="8">Tax Year:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="10">Details of the trustees of the business trust:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name</td><td>PAN</td><td>Aadhaar</td><td>Address</td><td>Contact Number</td><td>E-mail Id</td><td colspan="3">Designation</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="10">Details of registration of the business trust with Securities and Exchange Board of India (SEBI):</td></tr>
<tr><td colspan="5">Regulations under which registered (SEBI (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 or SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014)</td><td>Date of registration</td><td colspan="2">Registration Number</td><td colspan="2">Validity of registration (up to)</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="8">Whether the units of the business trust are listed on any recognised stock exchange at any time during the tax year:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.</td><td>(i)</td><td colspan="7">Income by way of interest referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(a)] [A]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="7">Proportion to [F] (in %):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.</td><td>(i)</td><td colspan="7">Income by way of renting or leasing or letting referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 4] [B]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="7">Proportion to [F] (in %):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">12.</td><td>(i)</td><td colspan="7">Income by way of dividend referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(b)] in a case where the special purpose vehicle has exercised option under section 200 [C]:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="7">Proportion to [F] (in %):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>(i)</td><td colspan="7">Income by way of dividend referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(b)] in a case where the special purpose vehicle has not exercised option under section 200 [D]:</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	(ii)	Proportion to **[F]** (in %):	
14.	(i)	Income other than referred to in Sl. Nos. 10, 11, 12 and 13 **[E]**:	
	(ii)	Proportion to **[F]** (in %):	
15.	Aggregate income of the business trust from all sources **[F] = [A] + [B] + [C] + [D] + [E]**:		

16. Details of persons being unit holders, referred to in section 223(1) to whom the income is distributed, in the following format:

Sl. No.	Name(s)	Address(es)	PAN/ Aadhaar	Total amount distributed	Date of distribution	Amount of income in the nature of interest referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(a)]	Amount of income in the nature of renting or leasing or letting referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 4]	Amount of income in the nature of dividend referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(b)] in a case where the special purpose vehicle has exercised option under section 200	Amount of income in the nature of dividend referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(b)] in a case where the special purpose vehicle has not exercised option under section 200	Amount of income other than referred to in Sl. Nos. 10, 11, 12 and 13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × Sl. No. 10(ii)	(8) = (5) × Sl. No. 11(ii)	(9) = (5) × Sl. No. 12(ii)	(10) = (5) × Sl. No. 13(ii)	(11) = (5) × Sl. No. 14(ii)

17. Amount distributed by the business trust to unit holders with respect to units as referred to in section 92(2)(k) during the tax year or during any earlier tax year(s), in the following format:

Sl. No.	Tax Year	Number of units	Aggregate amount as referred to in section 92(2)(k) distributed with respect to such units during such tax year
1.			
2.	*(Repeat, if required)*		

18.	Details of persons being unit holders, referred to in section 223 to whom the amount referred to in Sl. No. 17 is distributed, in the following format:						
	Sl. No.	Name(s)	Address(es)	PAN/Aadhaar	Number of units	Amount as referred to in section 92(2)(k) distributed with respect to one unit of unit holder during the tax year	Aggregate amount as referred to in section 92(2)(k) distributed with respect to all units of unit holder during the tax year
	1.						
	2.	*(Repeat, if required)*					
19.	Other details to be provided as separate enclosure:						*(attach as per Note 3)*

Declaration

I, _____ hereby declare that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Verification

I _____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed to the unit holders by the____(name of the Business trust) for the tax year ending _____.

I affirm that the above particulars are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature:

Date:	Name of the accountant:
	Designation:
	Membership Number:
	UDIN, if any:
	Name of the Proprietorship/Firm:
	Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the business trust.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. With respect to Part B (Sl. No. 19), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
A-2	A copy of the trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908).
A-3	Audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards distribution of income.

4. The expression "accountant" means the accountant as defined in the 515(3)(b).
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 77

[*See* rule 145]

Statement of income distributed by a business trust to be provided to the unit holder under section 223

<table>
<tr><td colspan="10">Part A: Particulars of the Unit Holders</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">Name:</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="6">Address:</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="6">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="6">E-mail Id:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="6" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td colspan="2">Number</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="6">Name of the business trust:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="6">PAN of the business trust:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="10">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="6">Tax Year:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td colspan="9">Details of the income distributed by the business trust to the unit holder, during the tax year, in the following format:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Amount distributed</td><td>Date of distribution</td><td>Amount of income in the nature of interest referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(a)]</td><td>Amount of income in the nature of renting or leasing or letting referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 4]</td><td>Amount of income in the nature of dividend referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(b)] in a case where the special purpose vehicle has exercised option under section 200</td><td>Amount of income in the nature of dividend referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3(b)] in a case where the special purpose vehicle has not exercised option under section 200</td><td>Amount of income other than that referred to in column (4), (5), (6), and (7)</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td colspan="9">Details of the amount referred to in section 92(2)(k) distributed by the business trust to the unit holder, in the following format:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td colspan="3">Number of units</td><td colspan="3">Amount as referred to in section 92(2)(k) distributed with respect to one unit of unit holder during the tax year</td><td>Aggregate amount as referred to in section 92(2)(k) distributed with respect to all units of unit holder</td></tr>
</table>

				during the tax year
	1.			
	2.	*(Repeat, if required)*		

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application. Place: Signature: Date: Name: Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the unit holder or business trust.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 78

[*See* rule 145]

Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under section 224

<table>
<tr><td colspan="12">Part A: Particulars of the Unit Holder</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="8">Name:</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="8">Address:</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="8">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="8">E-mail Id:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="8" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td colspan="2">Number</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="8">Name of the Investment Fund:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="8">PAN of the Investment Fund:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="12">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="8">Tax Year:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">9.</td><td colspan="11">Details of the income or loss (after ignoring the loss under 224(2)(b)) paid or credited/deemed to be credited by the Investment Fund to the unit holder during the tax year:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sl. No.</td><td rowspan="2">Amount paid or credited</td><td rowspan="2">Date of payment or credit</td><td colspan="8">Breakup of Amount paid / credited under Heads of Income</td></tr>
<tr><td rowspan="2">‘Business or profession’</td><td colspan="2">‘Long Term Capital Gains’</td><td colspan="2">‘Short Term Capital Gains’</td><td rowspan="2">‘Dividend’</td><td rowspan="2">Others (specify if taxed at special rates)</td></tr>
<tr><td>Capital Gains Code (refer Note 3)</td><td>Income or Loss</td><td>Capital Gains Code (refer Note 3)</td><td>Income or Loss</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td colspan="11">Details of deemed loss as on 31st March,2019 in terms of section 224(3) (to be passed to the unit holder holding unit on 31st March, 2019):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sl. No.</td><td colspan="2" rowspan="2">Tax Year</td><td colspan="8">Breakup of deemed loss under Head of Income</td></tr>
<tr><td colspan="4">‘Long Term Capital Gains’</td><td colspan="4">‘Short Term Capital Gains’</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">(Repeat, if required)</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application. Place: Signature: Date: Name: Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the unit holder or the Investment Fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 9), Capital Gains Code is to be selected from the following: —

Sl. No.	Capital Gains	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 198	1
2.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section other than section 198	2
3.	Long term capital gain chargeable at 20%	3
4.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 196	4
5.	Short term capital gain chargeable at 30%	5
6.	Short term capital gain chargeable at applicable rates	6

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 79

[*See* rule 145]

Statement of income paid or credited by investment fund to be furnished under section 224

Part A: Particulars of the Investment Fund			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Legal Status:	*(refer Note 3)*	
4.	Permanent Account Number (PAN):		
5.	E-mail Id:		
6.	Contact Number:	Country Code	Number

Part B: Other Information		
7.	Tax Year:	

8. Details of the Directors or Partners or Trustees of the Investment Fund:

Sl. No.	Name	PAN	Aadhaar	Address	Contact Number	E-mail Id	Designation
1.							
2.	*(Repeat, if required)*						

9. Details of registration of the Investment Fund as Alternative Investment Fund:

Regulation under which registered (Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 or International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022)	Whether registered as Category I or Category II (select as applicable) if regulated under Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012	Date of registration	Registration Number	Validity of registration (up to)

10.	Total income of the Investment Fund during the tax year:	

11. Break-up of total income (aggregate of amounts under column (7) should match with the total income provided at Sl. No. 10):

Sl. No.	Under the head	Income or Loss			Loss to be set off in accordance with section 224(2)	Net Income or loss after set off of losses in terms of section
		Amount	From Offshore investment out of the investment	Net		

			of non-resident unit holder			224(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)	(7) = (5) – (6)
1.	Profit and gains of business or profession					
2.	Long Term Capital Gains					
3.	Short Term Capital Gains					
4.	Income from other sources (Dividend/ Others) (Specify section if taxed at special rates)					

12. Details of losses of the tax year, if any; required to be ignored for the purposes of section 224(2) in accordance with, —

(i) Section 224(2)(a)(ii):

Head of Income	Amount of loss
Profit and gains of business or profession	

(ii) Section 224(2)(b):

Sl. No.	Head of Income	Amount of loss
1.		
2.	*(Repeat, if required)*	

13. Details of losses under the head 'Profit and gains of business or profession', if any:

Sl. No.	Details of brought forward loss, if any		Amount of income or loss during the tax year after set-off (in accordance with section 224(2))	Amount of loss to be carried forward	
	Tax Year/ Assessment Year	Amount		Tax Year/ Assessment Year	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4)
1.					
2.	*(Repeat, if required)*				

14. Aggregate of positive income of the Investment Fund under various heads after setting off of losses at Sl. No. 13 (aggregate of the positive amounts in Sl. No. 11 (Column (7) after set off) **[API]**:

(i)	(a)	Income under the head 'Profit and gains of business or profession':	
	(b)	Proportion to **[API]** (in %):	
(ii)	Income under the head 'Capital Gains':		

		(a)	Long Term Capital Gains:				
			(I)	(A)	Capital Gains Code *(refer Note 4)*:		
				(B)	Amount:		
				(C)	Proportion to **[API]** (in %):		
			(II)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*			
		(b)	Short Term Capital Gains:				
			(I)	(A)	Capital Gains Code *(refer Note 4)*:		
				(B)	Amount:		
				(C)	Proportion to **[API]** (in %):		
			(II)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*			
	(iii)	Income under the head 'Income from other sources':					
		(a)	(I)	Dividend:			
			(II)	Proportion to **[API]** (in %):			
		(b)	(I)	Other (specify section if taxed at special rates):			
			(II)	Proportion to **[API]** (in %):			
15.	Details of losses other than the loss under the head 'Profits and Gains of business or profession', if any, accumulated at the level of investment fund as on the 31st March, 2019:						

Assessment Year	Amount of Loss under various heads of income		Total
	Long Term Capital Loss	Short Term Capital Loss	
2016-17			
2017-18			
2018-19			
2019-20			
Total			

16.	Aggregate of losses under various heads after ignoring the losses at Sl. No. 12(ii) (aggregate of the negative amounts in Sl. No. 11 (Column (7)) **[AL]**:						
	(i)	Loss under the head 'Capital Gains':					
		(a)	Long Term Capital Gains:				
			(I)	(A)	Capital Gains Code *(refer Note 4)*:		
				(B)	Amount:		
				(C)	Proportion to **[AL]** (in %):		
			(II)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*			
		(b)	Short Term Capital Gains:				

			(I)	(A)	Capital Gains Code *(refer Note 4)*:	
				(B)	Amount:	
				(C)	Proportion to **[AL]** (in %):	
			(II)	*(Repeat, if required, for the multiple capital gains code)*		
	(ii)	Loss under the head 'Income from other sources':				
		(a)	(I)	Other (specify section if taxed at special rates):		
			(II)	Proportion to **[AL]** (in %):		

17. Details of person being a unit holder, referred to in section 224(1) by whom the income or loss is received or in whose name it has been credited, in a case where, —

(i) there is a positive income:

Sl. No.	Name(s) of the unit holder	Address(es)	PAN / Aadhaar	Total amount of positive income paid/ credited/ deemed to be credited	Date of payment / credit	Income under the head 'Profit and Gains of business or profession'	Income under the head 'Capital Gains'				Income under the head 'Income from other sources'	
							Long Term Capital Gains		Short Term Capital Gains			
							Capital Gains Code	Income	Capital Gains Code	Income	Dividend	Other (specify section if taxed at special rates)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) × Sl. No. 14(i)(b)	(8) = relevant codes at Sl. No. 14(ii)(a)	(9) = (5) × Sl. No. 14(ii)(a) (proportion to [API] for each capital gains code)	(10) = relevant codes at Sl. No. 14(ii)(b)	(11) = (5) × Sl. No. 14(ii)(b) (proportion to [API] for each capital gains code)	(12) = (5) × Sl. No. 14(iii)(a)(II)	(13) = (5) × Sl. No. 14(iii)(b)(II)
1.												
2.	*(Repeat, if required)*											

(ii) there is a loss in respect of units held for more than 12 months as per section 224(2)(a)(ii):

		Sl. No.	Name(s) of the unit holder	Address(es)	PAN/ Aadhaar	Total amount of loss paid/ credited/ deemed to be credited	Date of payment/ credit	Loss under the head 'Capital Gains'				Income under the head 'Loss from other sources'
								Long Term Capital Gains		Short Term Capital Gains		
								Capital Gains Code	Income	Capital Gains Code	Income	Other
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = relevant codes at Sl. No. 16(i)(a)	(8) = (5) × Sl. No. 16(i)(a) (proportion to [AL] for each capital gains code)	(9) = relevant codes at Sl. No. 16(i)(b)	(10) = (5) × Sl. No. 16(i)(b) (proportion to [AL] for each capital gains code)	(11) = (5) × Sl. No. 16(ii)(a)(II)
		1.										
		2.	*(Repeat, if required)*									
18.	Other details to be provided as separate enclosure:											*(attach as per Note 5)*

Declaration

I, _____, hereby declare that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Verification

I _____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed / credited (including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 224(7)) to the unit holder by the_____(Investment fund) for the tax year ending _____.

I affirm that the above particulars are true and correct to the best of my/our* knowledge and belief.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the Investment Fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill legal status as below: —

(I)	Company
(II)	Trust
(III)	Limited Liability Partnership
(IV)	Body Corporate

4. In Part B (Sl. No. 14, 16 and 17), Capital Gains Code is to be selected from the following: —

Sl. No.	Capital Gains	Code
1.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section 198	1
2.	Long term capital gain chargeable at 12.5% under section other than section 198	2
3.	Long term capital gain chargeable at 20%	3
4.	Short term capital gain chargeable at 20% under section 196	4
5.	Short term capital gain chargeable at 30%	5
6.	Short term capital gain chargeable at applicable rates	6

5. With respect to Part B (Sl. No. 18), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India Act (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 or the International Financial Services Centres Authority (Fund

	Management) Regulations, 2022.
A-2	Audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards payment of income or credit of income (including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 224(7)).

6. The expression "accountant" means the accountant as defined in the 515(3)(b).
7. The expression "Assessment Year" shall have the same meaning as defined in section 2(9) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal).
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 80

[*See* rule 146(1)(a)]

Application for *exercising/renewing option for the tonnage tax scheme

under * section 231(1) or 231(10)

Part A

Sl. No.	**Particulars of the applicant**	
1.	Name of the Company	*(refer Note 1)*
2.	Address of the registered office	*(refer Note 2)*
3.	Address(es) of the branch office(s)	
4.	Permanent Account Number	
5.	Residential Status	*(refer Note 3)*
6.	Date of incorporation	*(dd/mm/yyyy) (refer Note 4)*
7.	Name(s) of the director(s) of the company	*(refer Note 1)*
(i)		
(ii)		
…		
8.	Address(es) of the director(s) of the company	*(refer Note 2)*
(i)		
(ii)		
…		
9.	Date on which company became a qualifying company	*(refer Note 5)*
10.	(a) Has the applicant company availed of deduction under section 147?	*Yes/No*
	(b) If so, please specify the date on which such deduction is no longer available	*(dd/mm/yyyy)*

11. Details of ships or inland vessels owned or chartered by the company

(A)	**Owned ships or inland vessel**				
Sl. no.	Name of the ship/inland vessel	Net tonnage	Flag	Type of ship/inland vessel	Whether qualifying or not
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(B)	**Details of Ships or Inland vessel chartered in**							
Sl. No. (1)	Name of the ship/inland vessel (2)	Net tonnage (3)	Flag (4)	Type of ship/inland vessel (5)	Date of commencement of charter (6)	Period of charter (7)	Reference No. of Director General (Shipping)/ Registrar of Inland Vessels approval (8)	Whether qualifying or not (9)
(B1)	**Ships or inland vessel chartered in on bareboat charter-*cum*-demise terms**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(B2)	**Ships or inland vessel chartered in on bareboat charter terms for more than three years**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(B3)	**Ships or inland vessel chartered in on bareboat charter terms for less than three years**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(B4)	**Other ships or Inland vessel chartered in [other than those referred to at (B1), (B2) and (B3) above]**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(C)	**Details of Ships or Inland vessel chartered out**				
Sl. No. (1)	Name of the ship/inland vessel (2)	Net tonnage (3)	Date of com-mencement of char-ter (4)	Period of charter (5)	Whether qualifying or not (6)
(C1)	**Ships or inland vessel chartered out on bareboat charter-*cum*-demise terms**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(C2)	**Ships or inland vessel chartered out on bareboat charter terms for more than three years**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(C3)	**Ships or inland vessel chartered out on bareboat charter terms for less than three years**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12. Other details to be provided as separate annexures: *(refer Note 6)*

PART B

Statement of particulars to be furnished only in case of renewing of option for tonnage tax scheme

Sl. No.	**Particulars**	
1.	Date(s) of exercising earlier option(s) along with date(s) of order approving the option	*(dd/mm/yyyy)*
2.	Details regarding earlier options:	
	(*i*) Whether the company ceased to be a qualifying company at any time during earlier option(s).	*Yes/No*
	(ii) Whether any default was made in complying with the provisions of section 232(1) to (20) (if yes, give details).	
	(*iii*) Whether the company was excluded from the scheme under section 234(4) to (7) (if yes, give details).	
	(*iv*) Whether the company voluntarily opted out of the ton-nage tax scheme (if yes, give details).	

3.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(refer Note 6)*

DECLARATION**

I,_____ (full name in block letters) having Permanent Account Number ……, do hereby declare that what is stated in this application and the Annexure hereto is true to the best of my information and belief. I further confirm that:

(1)_____ [Name of the company] is an Indian company within the meaning of section 2(28).

(2) The place of effective management of the company within the meaning of section 235(h)(ii) is in India.

(3) The company owns_____ qualifying ship(s).

(4) The main object of the company is operation of ships or inland vessels. Copy of Memorandum of Association of the company is enclosed.

(5)I certify that the applicant company is a unit of an International Financial Services Centre and has filed the application within three months from the date on which the deduction under section 147 is no longer applicable.

2. I ……. further declare that I am making this application in my capacity as_____ and I am also competent to make this application and verify it.

Place :

Date : Signature

Name:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. Pin/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
4. Enclose a copy of the certificate of incorporation.
5. Enclose evidence in support of the claim.
6. The following details shall be provided as annexures, with respect to relevant Sl. No. of Part A or Part B as mentioned below:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part A (Row No. 10)	In respect of each of the ships, details of which are being given in item 10, a copy of the following certificates, as may be relevant, in case of each qualifying ship should be enclosed: (i) Certificate of registration under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and tonnage certificate under the relevant rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025); (ii) Certificate of registration under the Merchant Shipping Act, 2025 and international tonnage certificate issued under the provisions of the Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 as specified in the relevant rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025); (iii) Permission obtained from the Director-General of Shipping to charter in a ship in case of ships registered outside India
A-2		In case of inland vessel registered in India, a certificate issued under the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021).
A-3	Part B (Row No. 1)	Copy of the order(s)

7. Part A is to be filled up both in case of exercising the option and while renewing the option. However, Part B is to be filled up only in cases where an application is being filed for renewing the option.
8. This application should be filed with the Joint Commissioner of Income-tax, having jurisdiction over the applicant company.
9. All the columns in the application must be filled in. Part A and Part B (if applicable) of the Annexure must be filled in, failing which the application shall be treated as incomplete.
10. **Before signing the declaration every person should satisfy himself that the application, the accompanying statements and documents are, to the best of his knowledge and belief, correct and complete in all respects. Any person making any false statement shall be liable to be prosecuted under section 482.
11. The application shall be signed and verified on behalf of the company by the managing director of the company, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign and verify this Form, or where there is no managing director, by any director.
12. For the purposes of Signing and verification of the application

    (a)where the company is being wound up, whether under the orders of a court or otherwise, or where any person has been appointed as the receiver of any assets of the company, the statement shall be signed and verified by the liquidator referred to in Section 322(1);

    (b)where the management of the company has been taken over by the Central Government or any State Government under any law, the statement of the company shall be signed and verified by the principal officer thereof.
13. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
14. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 81
[*See* rule 146(1)(e)]
Audit Report under section 232(21) for tonnage tax scheme

	Part A: Particulars of the company		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Tax Year		

	Part B: Particulars of books of accounts			
1.	Tax year from which option for tonnage tax is effective			
2.	(a) Whether separate books of account are maintained in respect of the business of operating qualifying ships			*Yes/No*
	(b) If yes, list of books of account maintained (including books of accounts maintained in a computer system)			
	(c) List of books of accounts examined			
3.	Furnish all the addresses at which the books of account are kept		*Address 1*	
			Address 2	
			Address 3	
4.	**Limit for charter-in**			
	Whether correctly computed keeping in view the limit of 49% under section 232(15)			*Yes/No*
5.	**Relevant shipping income**			
	a.	Profits from core activities referred to in section 228(1)(a)		
	b.	Whether profits from incidental activities exceed 0.25 per cent of the turnover from core activities		*Yes/No*
6.	**Tonnage tax reserve account**			
	a.	Book profit		
	b.	Minimum reserve created		
	c.	Reserve utilized in the manner laid down under section 232(6)		
7.	**Computation of tonnage income under section 227(1) to 227(6)**			
	a.	Name of the qualifying ship		*(refer Note 3)*
	b.	Net tonnage / deemed tonnage		
	c.	Owned / chartered		
	d.	Kind of charter (select anyone)		o Time Charter, o Voyage Charter, o Bare Boat Charter o Bare Boat Charter cum demise basis
	e.	Daily tonnage income		
	f.	Number of days operated		
	g.	Tonnage income (e*f)		
	(Repeat details 7, if required)			
8.	Details of transactions by the company with related parties			*(refer Note 4)*
9.	**Depreciation**			
	a.	Computation of depreciation in accordance with the provisions of section 229(1) to (7) in the case of qualifying assets and other assets, as the case may be, in the following form *(refer Note 5)*		
	b.	Particulars of depreciation allowable as per the Income-tax Act, 2025 in respect of each qualifying asset or block of qualifying assets, as the case		

		may be, in the following form				
		i.	Description of asset/block of assets			
		ii.	Rate of depreciation			
		iii.	Actual cost or written down value, as the case may be			
		iv.	Additions/deductions during the year with dates, in the case of any addition of an asset, date on which put to use including adjustments on account of			
			I.	Input Tax Credit allowed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the relevant rules in respect of assets acquired on or after 1.3.1994		
			II.	Change in rate of exchange of currency		
			III.	Subsidy or grant of reimbursement, by whatever name called		
10.	Details of assets (other than ships), if any, not used exclusively for the ton-nage tax business					*(refer Note 4)*
11.	Details of losses relating to the business of operating qualifying ships, if any					*(refer Note 4)*

VERIFICATION

*I/We …… having Permanent Account Number ……. report that the statutory audit of ……. (name, address and permanent account number of the company) was conducted by *me/us.

*I/We have obtained the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of ascertaining the profits of the said assessee derived from the business of operating qualifying ships.

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to the explanations given to *me/us the particulars given in the report are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes :

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. There is no need to mention the name of the ship, income from which is computed on deemed tonnage basis.
4. The following details shall be provided with respect to the mentioned Row No. as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part B (Row No. 7(d))	Certificate of charter-in/out on Time Charter, Voyage Charter, Bare Boat Charter and Bare Boat Charter cum demise basis to be provided
A-2	Part B (Row No. 8)	A note on the transactions by the company with related parties
A-3	Part B (Row No. 10)	A note on the assets (other than ships), if any, not used exclusively for the tonnage tax business
A-4	Part B (Row No. 11)	A note on the losses relating to the business of operating qualifying ships

5. To be given only in case of the first year in tonnage tax scheme.

6. This report is to be given by an accountant as defined in the section 515(3)(b).

7. Where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

8. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.

9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided

FORM NO. 82
[*See* rule 148]

Warrant of authorisation under section 247 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and rule 148 of the Income-tax Rules, 2026

To
The Addl. Director,
The Addl. Commissioner,
The Joint Director,
The Joint Commissioner,
The Deputy Director,
The Deputy Commissioner,
The Assistant Director,
The Assistant Commissioner,
The Income-tax Officer,

Whereas in consequence of information in my possession, I have reason to believe that –

a summons under section 131(1) of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under section 142(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), was issued by [*the Deputy Commissioner/the Assistant Commissioner/the Income-tax Officer*],_____ to _____ [*name of the person*] on _____[*date*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents, or any information in electronic form or on a computer system, specified in the relevant summons or notice, and he has omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice;

_____

a summons under section 131(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under Section 142(1) of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), has been issued by [*the Deputy Commissioner/the Assistant Commissioner/the Income-tax Officer*],_____ to _____ [*name of the person*] on _____[*date*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents, or any information in electronic form or on a computer system, specified in the relevant summons or notice and he will not produce or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice;

_____

if a summons under section 131(1) of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under section 142(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), is issued to _____[*name of the person*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents or any information in electronic form or on a computer system, which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal) or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), he would not produce, or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice;

Shri/Shrimati/Ms._____ are/is in possession of any asset or information in relation to any asset and such asset represents either wholly or partly, income or property which has not been, or would not be, disclosed, for the purposes of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), (herein referred to as the undisclosed income or property);

and whereas I have reason to suspect that such assets, books of account, other documents, or such information in electronic form or on a computer system have been kept and are to be found in_____ (*specify particulars of the building/place/vessel/ vehicle/aircraft*);

this is to authorise and require you_____ [*name of the Addl. Director or of Addl. Commissioner or of Joint Director or of Joint Commissioner or Deputy Director or of the Deputy Commissioner or of the Assistant Director or of the Assistant Commissioner or the Income-tax Officer*] to –

(a) enter and search **said** building, place, vessel, vehicle, aircraft;
(b) require any person, who is found to be in possession or control of any books of account or other documents maintained in the form of electronic record or any information in electronic form or on a computer system, to afford you with such reasonable technical and other assistance (including access code, by whatever name called) as may be necessary to enable you to inspect such books of account or other documents or such information;
(c) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah, or other receptacle or override the access code to any computer system for exercising the powers conferred by clause (a) above, where the keys thereof are, or the access to such building, place, etc., or the access code to such computer system, as the case may be, is not available;
(d) search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building, place, vessel, vehicle or aircraft, if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, any information in electronic form, or a computer systems or asset;
(e) place identification marks on such books of account and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to or useful for the proceedings aforesaid and to make a list thereof, together with particulars of the identification marks;
(f) examine such books of account, documents and information stored in electronic form or on a computer system and make, or cause to be made, copies or extracts from such books of account, documents and computer systems;
(g) make a note or an inventory of any asset, and stock-in-trade of the business, found as a result of such search;
(h) seize any such books of account, other documents, computer systems or asset (other than stock-in-trade of the business), found as a result of such search and take possession thereof;
(i) convey such books of account, documents, computer systems, or asset to the office of any income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer employed in the execution of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025); and
(j) exercise all other powers and perform all other functions under section 247 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both or any person or entity, as referred to in Section 247(5) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), to assist you for all or any of the purposes specified in Section 247(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).

Date:…….

Place:..……..

(Seal)

(Signature)

Approving Authority

FORM NO. 83
[*See* rule 148]

Warrant of authorisation under section 247(2) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)

To
The Addl. Director,
The Addl. Commissioner,
The Joint Director,
The Joint Commissioner,
The Deputy Director,
The Deputy Commissioner,
The Assistant Director,
The Assistant Commissioner,
The Income-tax Officer,

Whereas in consequence of information in my possession, I have reason to believe that –

a summons under Section 131(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under Section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) , or a notice under Section 142(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under Section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), was issued by the [*Deputy Commissioner/the Assistant Commissioner/the Income-tax Officer*]_____ to _____ [*name of the person*] on _____[*date*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents, or any information in electronic form or on a computer system, specified in the relevant summons or notice, and he has omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice;

_____

a summons under Section 131(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under Section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under Section 142(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under Section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), has been issued by the [*Deputy Commissioner/the Assistant Commissioner/the Income-tax Officer*]_____ to _____ [*name of the person*] on _____[*date*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents, or any information in electronic form or on a computer system, specified in the relevant summons or notice and he will not produce or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice;

_____

if a summons under Section 131(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under Section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under Section 142(1) of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under Section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), is issued to _____[*name of the person*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents or any information in electronic form or on a computer system, which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Income-tax Act, 1961 or the Income-tax Act, 2025, he would not produce, or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice;

Shri/Shrimati/Ms. _____are/is in possession of any asset or information in relation to any asset and such asset represents either wholly or partly, income or property which has not been, or would not be, disclosed, for the purposes of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), (herein referred to as the undisclosed income or property);

and whereas I have reason to suspect such assets, books of account, other documents, or any information in

electronic form or on a computer system have been kept and are to be found in_____ (specify particulars of the building/place/vessel/ vehicle/aircraft); which is within the area of my jurisdiction;

and whereas I have reason to believe that any delay in getting an authorization under sub-section 247(1) from the approving authority having jurisdiction over Shri/Shrimati/Ms. _____may be prejudicial to the interests of the revenue;

this is to authorise and require you_____ [*name of the Addl. Director or Addl. Commissioner or Joint Director or Joint Commissioner or Deputy Director or of the Deputy Commissioner or of the Assistant Director or of the Assistant Commissioner or the Income-tax Officer*] to –

(k) enter and search said building, place, vessel, vehicle, aircraft;
(l) require any person, who is found to be in possession or control of any books of account or other documents maintained in the form of electronic record or any information in electronic form or on a computer system, to afford you with such reasonable technical and other assistance (including access code, by whatever name called) as may be necessary to enable you to inspect such books of account or other documents or such information;
(m) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah, or other receptacle or override the access code to any computer system for exercising the powers conferred by clause (a) above, where the keys thereof are, or the access to such building, place, etc., or the access code to such computer system, as the case may be, is not available;
(n) search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building, place, vessel, vehicle or aircraft, if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, any information in electronic form, or a computer systems or asset;
(o) place identification marks on such books of account and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to or useful for the proceedings aforesaid and to make a list thereof, together with particulars of the identification marks;
(p) examine such books of account, documents and information stored in electronic form or on a computer system and make, or cause to be made, copies or extracts from such books of account, documents and computer systems;
(q) make a note or an inventory of any asset, and stock-in-trade of the business, found as a result of such search;
(r) seize any such books of account, other documents, computer systems or asset (other than stock-in-trade of the business), found as a result of such search and take possession thereof;
(s) convey such books of account, documents, computer systems, or asset to the office of any income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer employed in the execution of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025); and
(t) exercise all other powers and perform all other functions under section 247 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both or any person or entity, as referred to in Section 247(5) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), to assist you for all or any of the purposes specified in Section 247(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).

Date:…….

Place:……...

(Signature)

(Approving Authority)(Seal)

FORM NO. 84
[See rule 148]

Warrant of authorisation under section 247(3) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)

To
The Addl. Director,
The Addl. Commissioner,
The Joint Director,
The Joint Commissioner,
The Deputy Director,
The Deputy Commissioner,
The Assistant Director,
The Assistant Commissioner,
The Income-tax Officer,

Whereas in consequence of information in my possession, I have reason to suspect that the books of account, other documents, or information in electronic form or on a computer system, or asset in respect of which _____ [*name and designation of authorised officer*] has been authorised by the approving authority _____ to take action under sub-section (1)*(i)* to *(viii)* of section 247 of the Act are or is kept in _____ [*please specify particulars of the building/place/vessel/vehicle/aircraft*];

and whereas the building/place/vessel/vehicle/aircraft specified above has/have not been mentioned in the authorisation under sub-section 247(1) of the Act issued by the approving authority;

this is to authorise and require you _____ [*name of the Addl. Director or Addl. Commissioner or Joint Director or Joint Commissioner or Deputy Director or Deputy Commissioner or Assistant Director or Assistant Commissioner or the Income-tax Officer*] to-

(u) enter and search said building, place, vessel, vehicle, aircraft;
(v) require any person, who is found to be in possession or control of any books of account or other documents maintained in the form of electronic record or any information in electronic form or on a computer system, to afford you with such reasonable technical and other assistance (including access code, by whatever name called) as may be necessary to enable you to inspect such books of account or other documents or such information;
(w) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah, or other receptacle or override the access code to any computer system for exercising the powers conferred by clause (a) above, where the keys thereof are, or the access to such building, place, etc., or the access code to such computer system, as the case may be, is not available;
(x) search any person who has got out of, or is about to get into, or is in, the building, place, vessel, vehicle or aircraft, if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account, other documents, any information in electronic form, or a computer systems or asset;
(y) place identification marks on such books of account and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to or useful for the proceedings aforesaid and to make a list thereof, together with particulars of the identification marks;
(z) examine such books of account, documents and information stored in electronic form or on a computer system and make, or cause to be made, copies or extracts from such books of account, documents and computer systems;
(aa) make a note or an inventory of any asset, and stock-in-trade of the business, found as a result of such search;
(bb) seize any such books of account, other documents, computer systems or asset (other than stock-in-trade of the business), found as a result of such search and take possession thereof;
(cc) convey such books of account, documents, computer systems, or asset to the office of any income-tax authority not below the rank of Income-tax Officer employed in the execution of the Act; and

(dd) exercise all other powers and perform all other functions under section 247 of the Act, and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both or any person or entity, as referred to in Section 247(5) of the Act, to assist you for all or any of the purposes specified in Section 247(1) of the Act.

Date:…….

Place:……

(Seal) **(Signature)**

(**Approving Authority**)

FORM NO. 85
[*See* rule 149]

Application under section 247(5) or 247(9) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)

To,

*Principal Chief Commissioner,
Chief Commissioner,
Principal Director General,
Director General _____

Sir/Madam,

I hereby apply for service under section 247(5) or 247(9) of the Act. The following particulars are furnished herewith:

Part-A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number (PAN)			
3.	Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Contact Details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
5.	Status		*(Refer Note 3)*	
Part-B1: Nature of Service				
6.	Select service under section 247(5) or 247(9) of the Act ***(Select Relevant)***		(i) valuation of property; (ii) assistance in translation; (iii) assistance in digital data acquisition; (iv) assistance in forensic analysis or mining of digital data; (v) any other assistance which may be required for any of the purposes specified in section 247(1), (2) or (3) of the Act.	
7.	A.	are you registered as a valuer of property by or under any law in force? ***(Select One)***	*(i) Yes* *(ii) No*	
	B.	If answer to row 7(A) is yes, then provide the following:		
	(i)	the law by or under which you are registered.		
	(ii)	the registration number/other identification number as a proof of being registered as a valuer by or under the law mentioned in row 7(B)(i).		
	(iii)	date of the registration certificate/letter etc issued as a	*dd/mm/yyyy*	

		proof of your registration as a valuer by or under the law mentioned in row 7(B)(i).	
	(iv)	attach copy of the registration certificate/letter etc issued as a proof of your registration as a valuer by or under the law mentioned in row 7(B)(i).	*(Refer Note 4)*
	(v)	date of commencement of practice as a valuer of property.	*dd/mm/yyyy*
Part-B2: Details for Registration			
8.	In case status of applicant being an individual, provide following:		
	(i)	highest educational qualification relevant to the services applied for in row 6.	
	(ii)	attach a copy of the certificate of highest qualification.	*(Refer Note 4)*
9.	In case status of applicant being 'other than individual', provide following:		
	(i)	total number of individuals who will provide the services applied for in row 6.	
	(ii)	highest educational qualifications of the individuals mentioned in row 9(i). ***(Select One)***	*(i)Graduation* *(ii)Masters* *(iii)Doctorate* *(iv)Others*
	(iii)	attach copies of the certificate(s) of highest and lowest qualification of the individuals mentioned in row 9(ii).	*(Refer Note 4)* *(Repeat, if required)*
10.	(i)	number of years of experience in providing services applied for in row 6.	
	(ii)	attach the documents in support of details filled in row 10(i).	*(Refer Note 4)* *(Repeat, if required)*
11.	Any other relevant details		*(Refer Note 4)*

Verification

I, _____ *son/daughter/spouse of _____ having Permanent Account Number_____ do hereby verify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

I further declare that I am furnishing this form in my capacity as_____*[*self/proprietor/partner/ designated partner/director/any other designation*] of_____ [*name of entity*] and I am authorised to furnish and verify this form.

***Delete whichever is not applicable**

Place:……..

Date:……

Signature

(Name)
Designation

Notes:

1. The first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations.
2. The address shall contain (i) Country or Region, (ii) Flat or Door or Building, (iii) Road or Street or Block or Sector, (iv) PIN or ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area or locality, (vii) District and (viii) State.
3. Fill status as:
   (i) Individual
   (ii) Hindu undivided family
   (iii) Company
   (iv) Firm
   (v) Association of persons, whether incorporated or not
   (vi) Body of individuals, whether incorporated or not
   (vii) Local Authority
   (viii) Artificial Juridical Person
   (ix) Government
   (x) Trust
   (xi) Limited Liability Partnership

4. With respect to row 7, 8, 9, 10, 11, following documents shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	copy of the registration certificate/letter etc issued as a proof of your registration as a valuer by or under the law mentioned in row 7(B)(iv).
A-2	copy of the certificate of highest qualification mentioned in row 8(ii).
A-3	copies of the certificate(s) of highest and lowest qualification of the individuals mentioned in row 9(iii).
A-4	copies of documents in support of number of years of experience in providing services in row 10(ii).
A-5	any other relevant details mentioned in row 11.

5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 86
[*See* rule 151]

Warrant of authorisation under section 248(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)

To
The Addl. Director,
The Addl. Commissioner,
The Joint Director,
The Joint Commissioner,
The Deputy Director,
The Deputy Commissioner,
The Assistant Director,
The Assistant Commissioner,
The Income-tax Officer,

Whereas in consequence of information in my possession, I have reason to believe that –

a summons under section 131(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under section 142(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), was issued by _____[designation of the authority who issued the summons/notice] to _____ [*name of the person*] to produce, or cause to be produced, any books of account or other documents, or any information in electronic form or on a computer system, specified in the relevant summons or notice and he has omitted or failed to produce or cause to be produced, such books of account or other documents or such information as required by such summons or notice, **and** the said books of account or other documents or any computer system containing the said information have been taken into custody by _____[name and designation of the officer or authority]; or

certain books of account or other documents, or any information in electronic form or on a computer system which will be useful for, or relevant to, proceedings under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal) or under the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), have been taken into custody by

_____[*name and designation of officer or authority*] and Shri/Shrimati/Ms. _____ [*name of the person*] to whom a summons under section 131(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 246(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), or a notice under section 142(1) of the Income-tax Act,1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or under section 268(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), has been issued by _____[*designation of the authority who issued the summons/notice*] on _____[*date*] or might be issued, will not, or would not, produce or cause to be produced, such books of account or other documents or information on the return of the such books of account or other documents or computer system containing such information on their return by the said officer/authority; or

the assets taken into custody by _____ [*name and designation of the officer or authority*] represent either wholly or partly income or property which has not been or would not have been, disclosed for the purposes of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), or the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), by _____ [*name of the person*] from whose possession or control such assets have been taken into custody by the officer/authority aforesaid;

and this is to authorise you _____ [*name of the Addl. Director or Addl. Commissioner or Joint Director or Joint Commissioner or Deputy Director or of the Deputy Commissioner or of the Assistant*

Director or of the Assistant Commissioner or the Income-tax Officer] to require the said officer or authority to deliver to you the assets, books of account, other documents, or computer systems as aforesaid.

Date:……..

Place:…….

(Approving Authority)

(Seal)

FORM NO. 87
[*See* rule 154]

Information to be furnished to the Income-tax authority under section 254 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)

Part-A: Personal Information of Business/ Profession					
1.	Name			*(Refer Note 1)*	
2.	Address			*(Refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN)				
4.	Contact details				
	Mobile No.			Country Code	Number
	Email ID				
Part-B: Nature of Business/Profession and Other Details					
5.	Nature of Business or Profession				
6.	Year in which the business mentioned in row 5 was started				
7.	Status of Business or Profession			*(Refer Note 3)*	
8.	Names and residential addresses of proprietor/partners/members of AOP or BOI/directors				
	(A)	(i)	Name	*(Refer Note 1)*	
		(ii)	Type ***(Select One)***	(i) Proprietor (ii) Partner (iii) Member of Association of persons (AOP) or Body of Individuals (BOI) (iv) Director	
		(iii)	Residential address	*(Refer Note 2)*	
	(B)	**(Repeat, if required)**			
Part-C: Details of Assessing Officer (AO) assessing the business/profession					
9.	Name			*(Refer Note 1)*	
10.	Designation				
11.	Place/Office Address			*(Refer Note 2)*	
Part-D: Other Details					
12.	(i)	Latest tax year for which a return of income filed			
	(ii)	Income shown in the return mentioned in row 12(i)			
13.	(i)	Year in which the premises acquired			
	(ii)	Whether the premise is ***(Select One)***		(i) Rented (ii) Self-Owned	
	(ii)	If answer to row 13(ii) is "rented", then provide amount of rent paid			
	(iv)	If answer to row 13(ii) is "self-owned", then			

		provide amount of price paid		
14.	Number of employees in the business/profession			
15.	List of the books of account maintained			*(Refer Note 4)*
16.	Bank Account Details			
	(i)	Nature of Bank Account		
	(ii)	Bank Account Number		
	(iii)	Name of Bank		
	(iv)	Address of Bank		
	(Repeat, if required)			
17.	Gross sales/receipts details			
	(A)	(i)	Gross sales/receipts for the preceding tax year	
		(ii)	Gross sales/receipts for the current tax year till date	
	(B)	GST Registration Number		
18.	Value of the stock (approximate):			
	(i)	As on 31st March of the preceding tax year		
	(ii)	As on this date		
19.	Particulars of cars and other vehicles, if any, owned by the business or profession			*(Refer Note 4)*
20.	Income from all sources for the immediately preceding tax year ending 31st March			

Verification

I, _____ [*name in full and in block letters*] *son/daughter/spouse of _____ having Permanent Account Number _____ of _____ in my capacity as (*director/partner/proprietor/employee*) _____ (*specify the capacity as attending to or helping in such business or profession*) declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

***Delete whichever is not applicable.**

Place:……..

Date:……

_____

Signature of the person furnishing the above information

(Name: _____)
Designation: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code.
3. Fill status as:
   (i) Hindu undivided family
   (ii) Company

(iii) Firm
(iv) Association of persons, whether incorporated or not
(v) Body of individuals, whether incorporated or not
(vi) Local Authority
(vii) Artificial Juridical Person
(viii) Government
(ix) Trust
(x) Limited Liability Partnership

4. Please provide following document as mentione in row 15 and 19:

Sl. No.	Annexure	Remarks
1.	A-1	Attach list of books of accounts mentioned in row 15.
2.	A-2	List of cars and other vehicles owned by business or profession in row 19.

5. The assessee who has filed the return of income from the preceding tax year need not furnish information in row 13 to 20.
6. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.
7. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 88
[*See* rule 155]

Application for information under section 258(2)(a) of the Act

To

The Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner/Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax,

Sir,

I, applicant, request you to furnish information relating to the following assessee (details as per Part-B).

Part A: Personal Information of the applicant				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Father's/ Husband's name			
3.	Designation			
4.	Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Contact details			
	(i)	Landline No. with STD code	STD code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat, if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat, if required)	
	(iii)	Email ID		
			(Repeat, if required)	
Part B: Personal Information of the assesse whose information has been sought				
6.	Name		*(Refer Note 1)*	
7.	Permanent Account Number			
8.	Aadhar Number (applicable for individuals), if available			
9.	Status		*(Refer Note 3)*	
10.	Address		*(Refer Note 2)*	
Part C: Details about information sought				
11.	Tax Year			
12.	Specific information sought		*(i)*	*(Free text up to 200 words) (upload) (Refer Note 4)*
			(ii)	*(Repeat if required)*
13.	Reason for seeking information		*(i)*	*(Free text up to 200 words) (upload) (Refer Note 4)*
			(ii)	*(Repeat if required)*

Date:……

.....

Signature of the applicant

(Name: …..…….)

Designation:……..

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code.
3. Fill status as:
   (i)Individual
   (ii) Hindu undivided family
   (iii) Company
   (iv) Limited Liability Partnership
   (v) Firm
   (vi) Association of persons, whether incorporated or not
   (vii) Body of individuals, whether incorporated or not
   (viii) Local Authority
   (ix) Artificial Juridical Person
   (x) Government
   (xi) Trust
4. An annexure may be added in case the given space is insufficient.
5. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. A separate application has to be made in respect of each assessee and in respect of each tax year.

FORM NO. 89

[*See* rule 155]

Form for furnishing information under section 258(2) of the Act.

DIN..... Office of the .....

To Date:

_____

_____

_____

(A) With reference to your application dated _____ under section 258(2)(a) of the Act, requesting for information relating to the _____ (name of assessee) in respect of the tax year _____, the said information/information respecting item Nos. _____ of the said application is given below:

Part A – Personal information of the assessee				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number		*(Refer Note 1)*	
3.	Status		*(Refer Note 1)*	
4.	Address		*(Refer Note 1)*	
5.	Contact details			
	(i)	Landline No. with STD code	STD/ISD Code	Number
			(dropdown)	
			(Repeat, if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(dropdown)	
			(Repeat, if required)	
	(iii)	Email Address		
			(Repeat, if required)	
Part B – Information details				
6.	Information details		*(Refer Note 2)* *(Free text up to 500 words)* *(Upload)*	

(B) I/ Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax*, _____ am/is not satisfied that it is in the public interest to furnish information respecting item Nos. _____ of your application and the information relating thereto is accordingly refused.

(SEAL)

_____

Signature of the authority furnishing the information

(Name of the authority furnishing the information)

Designation of the authority furnishing the information

Notes:

1. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
2. An annexure may be added in case the given space is insufficient.
3. *Delete inapplicable words.

FORM NO. 90
[*See* rule 155]

Form for intimating non-availability of information under section 258(2)(a) of the Act.

DIN .....

Office of the ……..

To Date

_____
_____
_____
_____

With reference to your application dated _____under section 258(2)(a) of the Act, requesting for information relating to _____in respect of the tax year _____, it is informed that the said information is not available/no assessment* for the aforesaid tax year has been made in his/her/its* case.

.....

Signature

(Name)

Designation of the authority

Notes:

1. *Delete inapplicable words.
2. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 91
[*See* rule 155]

Refusal to supply information under section 258(2)(a) of the Act.

DIN .....

Office of the .....
Date

To

_____
_____
_____
_____

With reference to your application dated_____under section 258(2)(a), requesting for information relating to _____in respect of the tax year _____, it is informed that undersigned is not satisfied that it is in the public interest to furnish the information asked for and undersigned, therefore, decline to furnish the same.

.....

Signature

(Name)

Designation of the authority

Notes:

1. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 92
[*See* rule 157]
Quarterly statement to be furnished by specified fund or stock broker in respect of a non-resident referred to in rule 157 for the quarter of _____ of _____ (Financial Year)

Part A: Particulars of the Specified Fund/Stock Broker			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	Category (Specified Fund/ Stock Broker)		
5.	E-mail Id:		
6.	Contact Number:	Country Code	Number
7.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(attach as per Note 3)*	

Part B: Details of non-resident referred to in rule 157(1) or (3)						
Sl. No.	Name *(refer Note 1)*	E-mail Id	Contact number	Address in the Country or region outside India of which the non- resident is resident *(refer Note 2)*	Tax Identification Number, if any	Unique Number on the basis of which the non-resident is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident (to be furnished if Tax Identification Number is not available)
1.						
2.	*(Repeat, if required)*					

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the specified fund, stock broker or non-resident.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code/zip code.
3. With respect to Part A (Sl. No. 7), following details shall be provided as annexures, namely: —

An-nex-ure	Particulars
A-1	Declaration received from the non-resident as referred to in rule 157(1)(c)(iii) or (3)(b)(iii)].

4. Where region is a specified territory the same is to be mentioned.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

Recent colour Photograph of the applicant (4.5 cm x 3.5 cm) with Sign/Left thumb impression across the photo of the applicant	**FORM NO. 93** **[See rule 158]** **Application for Allotment of Permanent Account Number** **[For an Individual being a Citizen of India]**	Recent colour Photograph of the applicant (4.5 cm x 3.5 cm)

Part A: Personal Information

1.	Name	*(Refer Note 1 and 2)*		
2.	Gender *(select one)*	(i) Male (ii) Female (iii) Transgender		
3.	Date of Birth	*dd/mm/yyyy*		
4.	Aadhaar Number			
5.	Residence Address	*(Refer Note 3)*		
6.	Office Address	*(Refer Note 3)*		
7.	Residential Status	*(Refer Note 4)*		
8.	Passport Number (mandatory in case of Non-Resident or Resident but not ordinarily resident)			
9.	Taxpayer Identification Number (TIN) in the Country of Residence (if any)			
10.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (*drop down*)	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with STD Code (if any)		

Part B: Source of Income

11.	Source of Income *(select one or more)*	(i) Salary (ii) Income from Business/Profession (iii) Income from House Property (iv) Capital Gains (v) Income from Other Sources (vi) No Income

Part C: Details of Parents

12.	Whether mother/father is a single parent? *(select one)*		(i) Yes (ii) No	
13.	Father's Name		*(Refer Note 1)*	
14.	Mother's Name		*(Refer Note 1)*	
15.	Name of parent to be printed on Permanent Account Number card *(select one)*		(i) Father (ii) Mother	
Part D: Assessing Officer (AO Code)				
16.	(i)	Area Code		
	(ii)	AO Type		
	(iii)	Range Code		
	(iv)	AO No.		
Part E: Representative Assessee, if applicable *(Refer Note 5)*				
17.	Name		*(Refer Note 1)*	
18.	Permanent Account Number, if any			
19.	Aadhaar Number (if Permanent Account Number is not available)			
20.	Address		*(Refer Note 3)*	
21.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code	Number
			(*drop down*)	
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with STD Code (if any)		
Part F: Communication Address				
22.	Address for Communication *(select one)*		(i) Residence (ii) Office (iii) Representative Assessee Address	
Part G: Declaration by Applicant or by Representative Assessee on behalf of the Applicant				
23.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address and Proof of Date of Birth of the Applicant** (*Refer Note 6*)			

	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 7)*
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 7)*
	(iii)	Proof of Date of Birth	*(Refer Note 7)*
24.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address of Representative Assessee** (*Refer Note 6*)		
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 7)*
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 7)*

Verification and Declaration

a. I, ……., in the capacity of ……..(Self or Representative Assessee) do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

b. I declare that the applicant does not possess Permanent Account Number and shall be liable for legal consequences under Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) if this declaration is found to be incorrect.

Place……

Date.....

*(*Signature or Left Hand Thumb Impression of Applicant or Representative Assessee*)*

Name:

_____

Designation:

_____

Notes:

1. The first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations.
2. If Aadhaar contains initials in name, then full/expanded name has to be filled in the application along with name as per Aadhaar
3. The address shall contain (i) Country or Region, (ii) Flat or Door or Building, (iii) Road or Street or Block or Sector, (iv) PIN or ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area or locality, (vii) District and (viii) State
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. In case of persons referred to in section 303(1)(b) or Non-resident Indian or Resident but not ordinarily resident, details of Representative Assessee having Indian address is mandatory in Part E.
6. Please refer to the instructions (as specified in rule 158 of Income-tax Rules, 2026) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable.
7. With respect to row 23 and 24, following documents shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	Proof of Identity
A-2	Proof of Address
A-3	Proof of Date of Birth

8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. Please refer to the guidelines issued by Director General of Income Tax (Systems) in this behalf.

FORM NO. 94
[*See* rule 158]

Application for Allotment of Permanent Account Number
[For an Indian Company / an Entity incorporated in India/ an Unincorporated Entity formed in India]

Part A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Date of Incorporation/ Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons		*dd/mm/yyyy*	
3.	Office Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Communication Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Status		*(Refer Note 3)*	
6.	Registration Number (for Company, Firm, Limited Liability Partnership, Association of Persons, Body of Individuals, Artificial Juridical Person and Trust)		*(Refer Note 4)*	
7.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (drop down)	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with STD Code (if any)		
Part B: Source of Income				
8.	Source of Income *(select one or more)*		(i) Salary (ii) Income from Business/Profession (iii) Income from House Property (iv) Capital Gains (v) Income from Other Sources (vi) No Income	
Part C: Assessing Officer (AO Code)				
9.	(i)	Area Code		
	(ii)	AO Type		
	(iii)	Range Code		
	(iv)	AO No.		
Part D: Representative Assessee/Authorized Representative *(Refer Note 5)*				
10.	Name		*(Refer Note 1)*	
11.	Permanent Account Number, if any			
12.	Aadhaar Number (if Permanent Account Number is not available)			

13.	Address		*(Refer Note 2)*	
14.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (drop down)	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with STD Code (if any)		

Part E: Declaration by Applicant or by Representative Assessee/Authorized Representative on behalf of the Applicant

15.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address and Proof of Date of Incorporation or Agreement or Partnership or Trust Deed or Formation of Body of Individuals or Association of Persons of the Applicant** (*Refer Note 6*)		
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 7)*
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 7)*
	(iii)	Proof of Date of Incorporation/Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons	*(Refer Note 7)*
16.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address of Representative Assessee/Authorized Representative** (*Refer Note 6*)		
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 7)*
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 7)*

Verification and Declaration

c. I, ……., in the capacity of……. (Representative Assessee/Authorized Representative) do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

d. I declare that the applicant does not possess Permanent Account Number and shall be liable for legal consequences under the Act. if this declaration is found to be incorrect.

Designation ……

Place……

Date.....

(Signature/Left Hand Thumb Impression of Applicant or Representative Assessee or Authorized Representative)

Name: _____

Designation: _____

Notes:

1. The name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country or Region, (ii) Flat or Door or Building, (iii) Road or Street or Block or Sector, (iv) PIN or ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area or locality, (vii) District and (viii) State.
3. Fill status as:
   (i) Hindu undivided family
   (ii) Company
   (iii) Firm
   (iv) Association of persons, whether incorporated or not
   (v) Body of individuals, whether incorporated or not
   (vi) Local Authority
   (vii) Artificial Juridical Person
   (viii) Government
   (ix) Trust
   (x) Limited Liability Partnership
4. This field is mandatory for Company and Limited Liability Partnership.
5. Details of Representative Assessee or Authorized Representative having Indian address is mandatory in Part D.
6. Please refer to the instructions (as specified in rule 158 of Income-tax Rules, 2026) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable.
7. With respect to row 15 & 16, following documents shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	Proof of Identity
A-2	Proof of Address
A-3	Proof of Date of Incorporation/Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons

8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. Please refer to the guidelines issued by Director General of Income Tax (Systems) in this behalf.

Recent colour photograph of the applicant (4.5 cm x 3.5 cm) with Sign/Left thumb impression across the photo of the applicant	**FORM NO. 95** **[*See* rule 158]** Application for Allotment of Permanent Account Number [For an Individual not being a Citizen of India]	Recent colour Photograph of the applicant (4.5 cm x 3.5 cm)

Part A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Gender *(Select one)*		(i) Male (ii) Female (iii) Transgender	
3.	Date of Birth		*dd/mm/yyyy*	
4.	Aadhaar Number, if any			
5.	Country of Citizenship			
6.	Citizenship Type *(Select one)*		(i) Foreigner (ii) Person of Indian origin (iii) Overseas Citizen of India	
7.	Passport Number, if any			
8.	Taxpayer Identification Number (TIN) in the country of residence			
9.	Residence Address		*(Refer Note 2)*	
10.	Office Address		*(Refer Note 2)*	
11.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (drop down)	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with Country/ISD Code and Area/STD Code (if any)		
Part B: Source of Income				
12.	Source of Income *(Select one or more)*		(i) Salary (ii) Income from Business/Profession (iii) Income from House Property (iv) Capital Gains (v) Income from Other Sources (vi) No Income	
Part C: Details of Parents				
13.	Whether mother/father is a single parent? *(Select one)*		(i) Yes (ii) No	
14.	Father's Name		*(Refer Note 1)*	
15.	Mother's Name		*(Refer Note 1)*	
16.	Name of parent to be printed on		(i) Father	

	Permanent Account Number card *(Select one)*		(ii) Mother	
Part D: Assessing Officer (AO Code)				
17.	(i)	Area Code		
	(ii)	AO Type		
	(iii)	Range Code		
	(iv)	AO No.		
Part E: Representative Assessee, if applicable *(Refer Note 3)*				
18.	Name		*(Refer Note 1)*	
19.	Permanent Account Number, if any			
20.	Aadhaar Number (if Permanent Account Number is not available)			
21.	Address		*(Refer Note 2)*	
22.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code *(drop down)*	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with STD Code (if any)		
Part F: Communication Address				
23.	Address for Communication *(Select one)*		(i) Residence (ii) Office (iii) Representative Assessee Address	
Part G: Declaration by Applicant or by Representative Assessee on behalf of the Applicant				
24.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address and Proof of Date of Birth of the Applicant** (*Refer Note 4*)			
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 5)*	
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 5)*	
	(iii)	Proof of Date of Birth	*(Refer Note 5)*	
25.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address of Representative Assessee** (*Refer Note 4*)			
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 5)*	
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 5)*	

Verification and Declaration

e. I, ……., in the capacity of ……..(Self/Representative Assessee) do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

f. I declare that the applicant does not possess Permanent Account Number and shall be liable for legal consequences under the Act. if this declaration is found to be incorrect.

Place……

Date .....

*(*Signature or Left Hand Thumb Impression of Applicant or Representative Assessee*)*

(Name:- ……..)

Designation:-……..

Notes:

1. The first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat or Door or Building, (iii) Road or Street or Block or Sector, (iv) PIN or ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area or locality, (vii) District and (viii) State.
3. Wherever, details of Representative Assessee (RA) are filled, the address of such RA in India (except FPIs and Minors) is mandatory in Part E.
4. Please refer to the instructions (as specified in rule 158 of Income-tax Rules, 2026) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable.
5. With respect to row 24 & 25, following documents shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	Proof of Identity
A-2	Proof of Address
A-3	Proof of Date of Birth

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. Please refer to the guidelines issued by Director General of Income Tax (Systems) in this behalf.

FORM NO. 96
[*See* rule 158]

Application for Allotment of Permanent Account Number
[For an Entity incorporated outside India/ an Unincorporated Entity formed outside India]

Part A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Date of Incorporation/ Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons		*dd/mm/yyyy*	
3.	Taxpayer Identification Number (TIN) in the Country of Residence			
4.	Office Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Communication Address		*(Refer Note 2)*	
6.	Status		*(Refer Note 3)*	
7.	Registration Number (for Company, Firm, Limited Liability Partnership, Association of Persons, Body of Individuals, Artificial Juridical Person and Trust), if any			
8.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (*drop down*)	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with Country/ISD Code and Area/STD Code (if any)		
Part B: Source of Income				
9.	Source of Income *(select one or more)*		(ii) Salary (ii) Income from Business/Profession (iii) Income from House Property (iv) Capital Gains (v) Income from Other Sources (vi) No Income	
Part C: Assessing Officer (AO Code)				
10.	(i)	Area Code		
	(ii)	AO Type		
	(iii)	Range Code		
	(iv)	AO No.		
Part D: Representative Assessee/Authorized Representative *(Refer note 4)*				
11.	Name		*(Refer Note 1)*	
12.	Permanent Account Number, if any			
13.	Aadhaar Number/ Foreign Passport (if Permanent Account Number is not			

	available)			
14.	Address		*(Refer Note 2)*	
15.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (drop down)	Number
	(ii)	Email ID		
	(iii)	Landline No. with STD Code (if any)		

Part E: Declaration by Applicant or by Representative Assessee/Authorized Representative on behalf of the Applicant

16.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address and Proof of Date of Incorporation/Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons of the Applicant** (*Refer Note 5*)		
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 6)*
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 6)*
	(iii)	Proof of Date of Incorporation/Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons	*(Refer Note 6)*
17.	**Documents submitted as Proof of Identity, Proof of Address of Representative Assessee/Authorized Representative** (*Refer Note 5*)		
	(i)	Proof of Identity	*(Refer Note 6)*
	(ii)	Proof of Address	*(Refer Note 6)*

Verification and Declaration

g. I, ……., in the capacity of……. (Representative Assessee or Authorized Representative) do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

h. I declare that applicant does not possess Permanent Account Number and shall be liable for legal consequences under the Act. if this declaration is found to be incorrect.

Designation…….

Place……

Date.....

(Signature or Left Hand Thumb Impression of Applicant or Representative Assessee or Authorized

Representative*)*

(Name: _____)

Designation: _____

Notes:

1. The name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country or Region, (ii) Flat or Door or Building, (iii) Road or Street or Block or Sector, (iv) PIN or ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area or locality, (vii) District and (viii) State.
3. Fill status as:
   (i)Hindu undivided family
   (ii) Company
   (iii) Firm
   (iv) Association of persons, whether incorporated or not
   (v) Body of individuals, whether incorporated or not
   (vi) Local Authority
   (vii) Artificial Juridical Person
   (viii) Government
   (ix) Trust
   (x) Limited Liability Partnership

4. Details of Representative Assessee or Authorized Representative having Indian address (except FPIs) is mandatory in Part D. Foreign Portfolio Investors can provide Passport if Permanent Account Number and Aadhaar is not available.
5. Please refer to the instructions (as specified in rule 158 of Income-tax Rules, 2026) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable.
6. With respect to row 16 & 17, following documents shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	Proof of Identity
A-2	Proof of Address
A-3	Proof of Date of Incorporation/Agreement/ Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or Association of Persons

7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. Please refer to the guidelines issued by Director General of Income Tax (Systems) in this behalf.

FORM NO. 97

[*See* rules 159 and 160]

Form for declaration to be filed by any person (other than a company or firm) or a foreign company covered by sub-rule (2) to rule 159 , who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 159 (*Refer Note 1*)

Part-A: Nature of Transaction		
1.	Nature of Transaction	*(Refer note 2 and 3)*

Part-B: Declaration

I declare that I/applicant do/does not have a Permanent Account Number(PAN). Further, I also declare that,–

(i) my status is Individual or Hindu Undivided Family or Association of Persons or Body of Individuals or Artificial Juridical person or Government or Trust or Local Authority or Foreign Company (*please select appropriate status*); and

(ii) my or our or applicant's estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 99 of the Act, 2025 (30 of 2025)) computed in accordance with the provisions of Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax; or
the applicant is a foreign company covered by sub-rule (2) to rule 159 and does not have any income chargeable to tax in India.

Place:…….

Date:……..

(Signature of declarant)

Part-C: Identity and Address details				
1.	Name		*(Refer Note 4)*	
2.	Date of Birth or Incorporation		*dd/mm/yyyy (Refer Note 5)*	
3.	Father's Name		*(Refer Note 6)*	
4.	If PAN is applied for but it is not yet generated, enter both details below: *(Refer Note 7)*			
	(i)	Date of application	*dd/mm/yyyy*	
	(ii)	Acknowledgement number		
5.	Aadhaar Number			
6.	Residence Address		*(Refer Note 8)*	
7.	Office Address		*(Refer Note 8)*	
8.	Address for Communication (*select one*)		(i) Residence (ii) Office	
9.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code (*drop down*) (*for digital form*)	Number
	(ii)	Telephone Number	Country Code (*drop down*) (*for digital form*)	Number
	(ii)	Email ID		
10.	Taxpayer Identification Number (TIN) in the Country of Residence (in case of foreign company)			
11.	Details of income chargeable to tax in India in case of foreign company *(Refer Note 9)*			
	(i)	Quantum of income chargeable to tax (in Rs)		
	(ii)	Quantum of income not chargeable to tax (in Rs)		

Part-D Details of the Transaction			
1.	Date of Transaction		*dd/mm/yyyy*
2.	Total Amount of transaction (Rs)		*(Refer Note 10)*
3.	Amount of cash transaction, out of total amount mentioned in item number 2 above.		*(Refer Note 11)*
4.	Mode of transaction		*(Refer Note 12)*
5.	In case of the transaction is in joint names *(Refer Note 9)*		
	(i)	Number of persons involved in the transaction	
	(ii)	Share of the declarant (in percentage terms)	

Part-E: Documents submitted as proof		
I have enclosed [Refer *Note 13*] as the documents for proof of Identity, Address and Date of Birth or Date of in-corporation		
1.	Proof of Identity (POI)	☐☐
	Document Identification Number	
	Name of the authority issuing document	*(Refer Note 4)*
	Address of the authority issuing document	*(Refer Note 8)*
2.	Proof of Address (POA)	☐☐
	Document Identification Number	
	Name of the authority issuing document	*(Refer Note 4)*
	Address of the authority issuing document	*(Refer Note 8)*
3.	Proof of Date of Birth (DoB)/Date of Incorporation (DoI)	☐☐
	Document Identification Number	
	Name of the authority issuing document	*(Refer Note 4)*
	Address of the authority issuing document	*(Refer Note 8)*

Part-F: Verification

1. I, _____, son or daughter or wife of Shri _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this application and documents, if any, accompanying it are correct and complete, and particulars shown therein are truly stated.
2. I also declare that I am making this application for ……in my capacity as ……..(self or Representative Assessee) and I am competent to make this application and verify it.
3. I understand that if any part of this declaration is found to be false, I may face legal consequences under the relevant provisions of the Act.

Date:

Place:

(Signature of declarant)
Name:
Designation

Notes:

1. Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under **section 482** of the Act.
2. The nature of transaction in Part A may be filled as per the following codes:

S.no	Nature of Transaction	Code
1	Purchase or sale or gift or joint development agreement of any immovable property	**01**

2	Opening an account (other than basic savings and time deposit)	**02**
3	Investment in Time deposit	**03**
4	Commencement of account based relationship with an insurer	**04**
5	Payment to a hotel or restaurant or convention centre or banquet hall or any person engaged in event management	**05**
6	Sale or purchase of goods and services of any nature not classified above	**06**

3. Part A to F of the form are to be filled for all 6 transactions.

4. In case of individuals, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In other cases, the name of the entity should be provided as mentioned in the registration document issued under the relevant law, in which the entity has been constituted.

5. In case of individuals the date of birth shall be provided and in other cases the date of incorporation of the entity shall be provided.

6. In case of individuals father's name shall be provided.

7. In case the estimated total income exceeds maximum amount not chargeable to tax, the person should apply for PAN, fill out item 4 in Part C and furnish proof of submission of application.

8. The address shall contain (i) Country or Region, (ii) Flat or Door or Building, (iii) Road or Street or Block or Sector, (iv) PIN or ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area or locality, (vii) District and (viii) State.

9. The person accepting the declaration shall not accept the declaration where income chargeable to tax is shown in item 11(i) in Part C.

10. The total amount of transaction should be filled in item 2 of part D. In case the transaction is undertaken in names of more than one-person, total number of persons involved in the transaction should be mentioned in item 5(i) of Part D and share of the person in percentage terms in item 5(ii) of Part D. e.g. for purchase of immovable property worth Rs 100/- in the name of 5 persons, with the share of declarant being 10 percent, the declarant should fill '100' in item 3, '5' in item 5(i) and '10' in item 5(ii).

11. The amount of cash involved in the transaction, whose value is given in item 2 of part D should be filled in item 3 of Part D.

12. The mode of transaction in item 4 of Part D may be filled as per the following codes:

S.no	Mode of Transaction	Code
1	Cash	**01**
2	Cheque	**02**
3	Card	**03**
4	Draft/Bankers Cheque	**04**
5	Online transfers	**05**
6	Mixed (cash and other mode)	**06**
7	UPI transactions	**07**
8	Others	**08**

13. Documents which can be produced in support of identity, address and date of birth (not required if applied for PAN and item 4 in Part C is filled):

Sl. No.	Nature of Document	Document Code	Proof of Identity	Proof of Address	Date of Birth/Incorporation*
A.	**For Individuals and HUF**				
1.	AADHAAR card	**01**	Yes	Yes	No

2.	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person	**02**	Yes	Yes	No
3.	Elector's photo identity card	**03**	Yes	Yes	Yes
4.	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person	**04**	Yes	Yes	No
5.	Driving License	**05**	Yes	Yes	Yes
6.	Passport	**06**	Yes	Yes	Yes
7.	Pensioner Photo card	**07**	Yes	Yes	No
8.	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job card	**08**	Yes	Yes	No
9.	Caste certificate bearing photo of the person	**09**	Yes	Yes	No .
10.	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 093	**10**	Yes	Yes	No
11.	Certificate from employer	**11**	Yes	Yes	No
12.	Kisan passbook bearing photo	**12**	Yes	No	No
13.	Arm's license	**13**	Yes	No	No
14.	Central Government Health Scheme /Ex-servicemen Contributory Health Scheme card	**14**	Yes	No	Yes
15.	Photo identity card issued by the government/ Public Sector Undertaking	**15**	Yes	No	Yes
16.	Electricity bill (Not more than 3 months old)	**16**	No	Yes	No
17.	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)	**17**	No	Yes	No
18.	Water bill (Not more than 3 months old)	**18**	No	Yes	No
19.	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3 months old)	**19**	No	Yes	No
20.	Bank Account Statement (Not more than 3 months old)	**20**	No	Yes	No
21.	Credit Card statement (Not more than 3 months old)	**21**	No	Yes	No
22.	Depository Account Statement (Not more than 3 months old)	**22**	No	Yes	No
23.	Property registration document	**23**	No	Yes	No
24.	Allotment letter of accommodation from Government	**24**	No	Yes	No
25.	Passport of spouse bearing name of the person	**25**	No	Yes	No
26.	Property tax payment receipt (Not more than one year old)	**26**	No	Yes	No
27.	Domicile certificate bearing photo of the person	**27**	Yes	Yes	Yes
28.	Birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);	**28**	No	No	Yes
29.	Pension payment order	**29**	No	No	Yes
30.	Marriage certificate issued by the Registrar of Marriages	**30**	No	No	Yes
31.	Matriculation certificate or mark sheet of recognised board	**31**	No	No	Yes
B. For Association of Persons (Trust)					

	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner.	**32**	Yes	Yes	Yes
C.	**For Association of Persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local Authority or Artificial Juridical Person**				
	Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity commissioner or Registrar of Cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity, address and date of incorporation of such person.	**33**	Yes	Yes	Yes
D.	**For a foreign company**				
1.	Copy of Certificate of Registration or incorporation issued in the country where the applicant is located, duly attested by authorized officials of IFSC banking unit	**34**	Yes	Yes	Yes
2.	Copy of tax identification number issued in the country where the applicant is located, duly attested by authorized officials of IFSC banking unit	**35**	Yes	Yes (if address mentioned in the same)	Yes

* The document shall be accepted only if it bears the name, date, month and year of birth or incorporation of the declarant.

(i) In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above-mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents or guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent or guardian.

(ii) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.

(iii) In case of Government, only document required is certificate from the Head of the Department or Pay and Accounts Officer or Zonal Accounts Officer or District Treasury Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer.

FORM NO. 98

[*See* rule 160]

Statement containing particulars of declaration received in Form No. 97

PART A: STATEMENT DETAILS (This information should be provided for each statement submitted together)				
A.1	**REPORTING PERSON DETAILS**			
A.1.1	Reporting Person Name			
A.1.2	Income-tax Department Reporting Entity Identification Number			
A.2	**STATEMENT DETAILS**			
A.2.1	Statement Type			Insert 2-character code
A.2.2	Original Statement Id			
A.2.3	Reason for Correction		Insert 1 character code	
A.2.4	Statement Date			
A.2.5	Reporting Period			
A.2.6	Number of Reports			
A.3	**PRINCIPAL OFFICER DETAILS**			
A.3.1	Name			
A.3.2	Designation			
A.3.3	Address			
A.3.4	City / Town			
A.3.5	Postal Code			
A.3.6	State Code			Insert 2-character code
A.3.7	Country Code			Insert 2-character code
A.3.8	Telephone			
A.3.9	Mobile			
A.3.10	Email			

PART B: REPORT DETAILS FOR FINANCIAL TRANSACTIONS				
B.1	**REPORT NUMBER (To be provided for each person being reported)**			
B.1.1	Report Serial Number			
B.1.2	Original Report Serial Number			
B.2	**PERSON DETAILS**			
B.2.1	Name of the Person			
B.2.2	Date of birth or Incorporation			
B.2.3	Father's Name (for individual)			
B.2.4	PAN Application Acknowledgement Number (if applied for PAN and not yet generated)			
B.2.5	Aadhaar Number			
B.2.6	House no. or Flat no.			
B.2.7	Plot No. or Name of Premise or Building			
B.2.8	Road or Street or Lane			
B.2.9	Area or Locality or Ward or Sector or Taluka or Sub – Division			
B.2.10	Town or City or Villageor Post office			
B.2.11	District			
B.2.12	PIN			
B.2.13	State or Union Territory Code			Insert 2-character code
B.2.14	Country Code			Insert 2-character code
B.2.15	Mobile			
B.2.16	Telephone Number			
B.2.17	Email ID			
B.2.18	Taxpayer Identification Number in the country of residence (if covered by rule 159(2)(c) for a foreign company)			
B.2.19	Income chargeable to Tax (for a foreign company)			
B.2.20	Income not chargeable to Tax (for a foreign company)			
B.2.21	Remarks			
B.3	**FINANCIAL TRANSACTION SUMMARY**			
B.3.1	Transaction Date			
B.3.2	Transaction ID			
B.3.3	Transaction Type			Insert 2-character code
B.3.4	Transaction Amount			
B.3.5	Cash amount involved in transaction amount			
B.3.6	Transaction Mode			Insert 2-character code
B 3.7	In case transaction is in joint name			
B 3.8	Number of persons involved in the transaction			

B 3.9	Share of declarant (in percent)			
B.4	**Details of Document produced by the person**			
B.4.1	**Identity Proof**			
B.4.1.1	Document Code			Insert 2-digit code
B.4.1.2	Document Identification Number			
B.4.1.3	Name of the authority issuing document			
B.4.1.4	Address of the authority issuing document			
B.4.2	**Address Proof**			
B.4.2.1	Document Code			Insert 2-digit code
B.4.2.2	Document Identification Number			
B.4.2.3	Name of the authority issuing document			
B.4.2.4	Address of the authority issuing document			
B.4.3	**Date of Birth or Date of Incorporation Proof**			
B.4.3.1	Document Code			Insert 2-digit code
B.4.3.2	Document Identification Number			
B.4.3.3	Name of the authority issuing document			
B.4.3.4	Address of the authority issuing document			

Verification

I……. (name of designated director) having Permanent Account Number (PAN)……., in my capacity as designated director of…… hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

……

Place: …… Signature of the designated director

Date:…..……. (Name of the designated director)

FORM NO. 99
[*See* rule 167]

Appeal to the Joint commissioner of Income-tax (Appeals) or the Commissioner of Income-tax (Appeals)

Part A: Personal Information					
1.	Name			*(Refer Note 1)*	
2.	Address			*(Refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number				
4.	Tax deduction and collection account number			*(Refer Note 3)*	
5.	Contact details			*(Refer Note 4)*	
	Mobile Number			Country Code	Number
	Email ID				
Part B: Order against which Appeal is filed (Relevant order)					
6.	Relevant Tax Year or Block Period			*(i) Tax Year* *(ii) Block period* *(Select one)* *(Refer Note 5)*	
7.	Details of Tax Year or Block Period as per reply to row 6			*(Dropdown)*	
8.	Details of relevant order:				
	(i)	DIN of relevant order			
	(ii)	section and sub-section of the Act		*(Dropdown)*	
	(iii)	Date of relevant order		*dd/mm/yyyy*	
	(iv)	Date of service of notice of demand (where appeal relates to assessment or penalty)		*dd/mm/yyyy*	
	(v)	Date of service of relevant order (where appeal does not relate to assessment or penalty)		*dd/mm/yyyy*	
	(vi)	Income-tax Authority passing the relevant order	Designation (For faceless write National Faceless Assessment Centre)	*(Dropdown)*	
			Assessing officer (AO code)	*Area code*	
				AO type	
				Range Code	
				AO no.	
Part C: Details of Taxes paid					
9.	Where an Income Tax Return has been filed by the appellant for the Tax year or Block Period for which the appeal is filed, whether tax due on income returned has been paid in full			(i) Yes (ii) No (iii) Not Applicable (*select one*)	
10.	If reply to row 9 is Yes, then enter details of such return and taxes paid:				
	(i)	Acknowledgement number of the return			
	(ii)	Date of filing of such return		*dd/mm/yyyy*	
	(iii)	Total income (₹)			
	(iv)	Total tax paid (₹)			
11.	Where no Income Tax Return has been filed by the appellant for the Tax Year, whether an amount equal to the amount of advance tax as per section 358(6)(b) of the Act has been paid?			(i) Yes (ii) No (iii) Not Applicable (*select one*)	
12.	If reply to row 11 is Yes, then enter details of taxes paid:				

BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount (₹)

	Total				

13. If the appeal relates to any tax deductible under section 393(2) [Table: Sl. No. 17] of the Act and borne by the deductor, details of tax deposited:

BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount(₹)
Total			

Part D: Appeal Details

14. If order against which appeal is filed is passed under section 294 of Act, then provide the following details:

(i)	Amount of undisclosed income filed in Income Tax Return for Block assessment (₹)	
(ii)	Amount of undisclosed income assessed (₹)	
(iii)	Total addition of undisclosed income by the Assessing Officer (₹)[(ii)-(i)]	
(iv)	Amount of disputed undisclosed income (₹)	
(v)	Amount of disputed demand (₹)	

15. If appeal relates to assessment other than block assessment, then provide the following details:

(i)	Amount of Income Assessed (₹)	
(ii)	Total addition to Income (₹)	
(iii)	In case of Loss, total disallowance of Loss in assessment (₹)	
(iv)	Amount of Addition/ Disallowance of Loss disputed in appeal (₹)	
(v)	Amount of disputed demand (₹) – (Enter Nil in case of Loss)	

16. If appeal relates to penalty, then provide the following details:

(i)	Amount of penalty as per Order (₹)	
(ii)	Amount of penalty disputed in appeal (₹)	

17. If appeal relates to TDS or TCS provisions, then provide the following details:

(i)	TDS or TCS Default Determined/Assessed (₹)	
(ii)	TDS or TCS Default disputed in Appeal (₹)	

Part E: Pending Appeal

18. Whether any other appeal of same taxpayer is pending with any Joint Commissioner (Appeals) or Commissioner (Appeals)?

Tax Year or Block Period	Order under section	Date of Order

Part F: Statement of facts, Grounds of Appeal and Additional evidence

19. **Statement of Facts** *(Upload)*

20. **Grounds of Appeal (GoA)**

Sl. No.	Grounds of Appeal (Each Ground not exceeding 100 words)	Relevant section mentioned in GoA, if any	Amount involved (₹)	Whether any appeal on same ground already decided (Yes/No)
(i)				*(if yes, then Upload) (Refer Note 6)*
(ii)				

(Repeat, if required)

21. Whether any additional documentary evidence other than the evidence produced during the course of proceedings before the Income-tax Authority has been filed in terms of rule 192?

(i) Yes
(ii) No
(*select one*)
(Refer Note 7)

22. If reply to row 21 is 'Yes', furnish the following details:

(i)	Document Name	
(ii)	The document attached is related to	

			which grounds of appeal (as given at row 20)	
		(iii)	Document	*(Upload)*
23.	Declaration in Form No. 117 (repetitive appeals) filed for the relevant tax year to which the appeal relates			(i) Yes (ii) No (*select one*)
24.	If 'Yes to row 23, provide the following details:			
	(i)	Copy of Form No. 117 or the grounds stated therein		*(Upload)*
	(ii)	Acknowledgement No. of Form No. 117		
Part G: Appeal Filing Details				
25.	Due date of filing appeal			*dd/mm/yyyy*
26.	Whether there is delay in filing appeal?			(i) Yes (ii) No (*select one*)
27.	If reply to row 26 is 'Yes', provide the grounds for condonation of delay			*(Upload)*
28.	Details of Appeal Fees Paid:			

BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount (₹)

29.	Upload Supporting documents, if any.	*SL*	Description	Document	Relevant Grounds of Appeal
		(i)		*(Upload)*	
		(ii)		*(Upload)*	
		(Repeat if required)			

Form of verification

I,_____Permanent Account Number _____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

It is also certified that I have not filed an application for immunity under section 440 of Act and no additional evidence other than the evidence stated in row 22 above has been filed. I further declare that I am making the declaration in my capacity as ……. and that I am competent to make this declaration and verify it.

Place……

Date.....

……

(Signature)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.

2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State, (vii) PIN or ZIP Code.

3. This column is mandatory in cases of appeal against order passed by of the officers of TDS charge.

4. The contact details will be also auto-populated but should be editable so that the updated email address and contact details can be provided.

5. Provide tax year in connection with which the appeal is preferred or block period for orders passed under section 294 or 298 of Act.

6. If any appeal on same ground has already been decided then upload the order.

7. Upload additional evidence pertaining to the ground of appeal. Any document not produced before the Income-tax Authority during the original proceedings shall be treated as additional evidence under rule 192.

8. Most of the Information would be pre-filled and from the beginning itself, the website shall request for
   (i) Document Identification Number of the Order to be appealed against or
   (ii) Permanent Account Number + Assessment Year + Date of Order (for the Orders passed before Document Identification Number was brought in)

FORM NO. 100
[*See* rule 171(1)]
[*Audit report under section 268(5)*]

I …….. having Permanent Account Number …….. have examined the balance sheet of the assessee as mentioned in Annexure as at ……..and the profit and loss account for the year ended on that date which are * in agreement / not in agreement with the books of account maintained at the head office at _____and branches at _____

I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In my opinion, proper books of account *****have been kept/have not been kept by the head office and the branches of the assessee visited by me so far as appears from my examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit ***** have been/have not been received from branches not visited by me subject to the comments given below :

In my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, the said accounts * give/do not give a true and fair view-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of the concerned assessee's affairs as at _____, and
(ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of the concerned assessee for the accounting year ending on _____

The prescribed particulars and such other particulars as were required by the Assessing Officer……by this order No._____ dated _____ are annexed hereto. In my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, these are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

ANNEXURE

Row No.	**PART A: Particulars of the assessee**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Tax Year		

Row No.	**PART B: Statement of particulars**			
1.	Whether books of account are maintained under section 62?	*Yes/No*		
2.	If answer to 1 is yes, list of books of account maintained and the address at which the books of account are kept	**S.No.**	**Address**	**Books of account main-**

	(In case books of account are maintained in a computer system, mention the books of account generated by such computer system. If the books of account are not kept at one location, please furnish the addresses of locations along with the details of books of account maintained at each location.)				**tained**
				(refer Note 2)	
				(refer Note 2)	
3.	List of books of account and nature of relevant documents examined.				
4.	Method of accounting employed during the tax year				
5.	Whether there has been any change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding tax year			*Yes/No*	
6.	If answer to 5 is Yes, give details of such change, and the effect thereof on the profit or loss.			*(refer Note 6)*	
7.	Method of valuation of opening and closing stock of				
	a.	Raw materials			
	b.	Stores			
	c.	Work-in-progress			
	d.	Stock-in-trade			
8.	State whether there is any change in the method of valuation of any of the aforesaid items as compared to the method employed in the immediately preceding tax year				
9.	If the answer to 8 above is in the affirmative, specify the amount by which the profit or loss for the year has been affected by such change				
10.	In respect of items manufactured full quantitative details along with valuation of raw materials, finished products and by-products as indicated below				
	Raw materials				
	(a)	Opening Stock			
	(b)	Purchases during the year			
	(c)	Consumption during the year			
	(d)	Sales during the year			
	(e)	Closing stock			
	(f)	Yield of finished products			
	(g)	Percentage of yield			
	(h)	Shortage/Excess			
	Finished Products				
	(a)	Opening Stock			
	(b)	Purchases during the year			
	(c)	Quantity manufactured during the year			

	(d)	Sales during the year	
	(e)	Closing stock	
	(f)	Shortage/Excess and percentage thereof	
	By-Products		
	(a)	Opening Stock	
	(b)	Purchases during the year	
	(c)	Quantity manufactured during the year	
	(d)	Sales during the year	
	(e)	Closing stock	
	(f)	Shortage/Excess and percentage thereof	
	Work-in-progress		
	(a)	Opening Stock	
	(b)	Purchases during the year	
	(c)	Quantity manufactured during the year	
	(d)	Sales during the year	
	(e)	Closing stock	
	(f)	Shortage/Excess and percentage thereof	
11.	In the case of a trading concern, give quantitative details of principal items of goods traded		
	(a)	Opening Stock	
	(b)	Purchases during the year	
	(c)	Sales during the year	
	(d)	Closing stock	
	(e)	Shortage/Excess and percentage thereof	
12.	Has the assessee conducted physical verification of raw materials, stores and finished products/by-products, or the goods dealt in?		*Yes/No*
13.	Details of discrepancies, if any		*(refer Note 6) Particulars of annexure with respect to Part B (Row No. 13)*
14.	Amount of expenditure incurred by the assessee in respect of		
	(a)	Advertisement	
	(b)	Maintenance of accommodation in the nature of gust house	
	(c)	Travelling	
	(d)	Entertainment (including the amount of entertainment allowance paid to any employee or other person)	
15.	Whether the expenditure incurred by the assessee in respect of any of the items referred to in 14(a) above exceeds the amount admissible under the		*Yes/No*

	Act/Rules?									
16.	If answer to 15 is yes, give details							*(refer Note 6)*		
17.	Where the assessee is a firm, give following details									
Sl. No.	Name of the Partner	PAN of the Partner	Details of payments made by firm to the partner of the firm by way of					Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31st March in the firm
			Interest	Salary	Bonus	Commission	Remuneration			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	Where the assessee is a company, give details of									

Sl. No.	Expenditure resulted directly or indirectly in the provision of remuneration, benefit or amenity to			Expenditure or allowance in respect of assets of the company used wholly or partly for the purposes or benefit of any of the persons referred to in Cl. (2), (3) and (4)	Whether such person referred to in Cl. (3) is an employee of the Company? (Yes/No)
	Director of the company	Person who has a substantial interest in the company	Relative of Director or of such person referred to in Cl. (3)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

19.	Details of amounts not deductible under section-29 or 36					
Sl. No.	Payments which appear excessive or unreasonable in terms of section 36(2)		Payments in excess of ₹ 10,000 or (₹ 35,000 in case the payment is for plying, hiring or leasing of goods carriages) and is not made through specified banking or online mode – section 36(4) or 36(6)		Provisions for payment of gratuity not allowable – section 29(2)	
	Particulars	Amount	Particulars	Amount	Particulars	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

20.	Whether any amount is borrowed on a hundi from, or any amount due thereon (including interest on the amount borrowed) is repaid to, any person otherwise than through an account payee cheque, or through any mode as specified by the Board in this behalf?	*Yes/No*
21.	If answer to 20 is Yes, give details in following format	

S. No.	Name of the person to whom repayment is made	PAN of the person to whom repayment is made	Amount borrowed on a hundi	Amount repaid	Interest on the amount borrowed	Total amount repaid (3) + (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

22.	Particulars of proforma credits/drawback/refund of duties of customs or excise or both/refund of sales tax/ Input Tax Credit under GST.		
Sl. No.	Proforma credits/drawback/refund of duties of customs or excise or both/refund of sales tax/Input Tax Credit under GST		Whether they have been credited to the profit and loss account? (Yes/No)
	Particulars	Amount	
(1)	(2)	(3)	(4)

23.	Particulars of expenditure/income of any earlier year debited/credited to the profit and loss account of the relevant tax year		
	Expenditure/income of any earlier year debited/credited to the profit and loss account of the relevant tax year		
	Particulars	Amount Debited	Amount Credited
(1)	(2)	(3)	(4)

24.	Particulars of any liability of a contingent nature debited to the profit and loss account	
Sl. No.	Any liability of a contingent nature debited to the profit and loss account	
	Particulars	Amount Debited in (₹)
(1)	(2)	(3)

25.	Whether any loan or deposit or specified sum in an amount exceeding the limit specified in section 185(1) taken or accepted during the tax year otherwise than through the modes specified in that section?	*Yes/No*
26.	If answer to 25 is yes, please furnish:	

Sl. No.	Nature of transaction [Loan /Deposit/ Specified sum]	Name of payer	Permanent Account Number of payer	Amount taken or accepted	Whether squared up during the year [Yes/No]	Maximum amount outstanding at any time during the tax year	Code of the nature of transaction, as given in Note 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

27.	Whether there was any receipt of an amount exceeding the limit specified in section 186(1), in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion, during the tax year, other-	*Yes/No*

	wise than through modes referred to in that section?								
28.	If answer to 27 is yes, please furnish:								
Sl. No.	Nature of transaction	Name of payer	Permanent Account Number of payer	Amount of receipt	Date of receipt	Code of the nature of such transaction, as given in Note 7			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			

29.	Whether there was any payment of an amount exceeding the limit specified in section 186(1), in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion, during the tax year, otherwise than through modes referred to in that section?	Yes/No
30.	If answer to 29 is yes, please furnish:	

Sl. No.	Nature of transaction	Name of payee	Permanent Account Number of payee	Amount of payment	Date of payment	Code of the nature of such transaction, as given in Note 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

31.	Whether there was any repayment of loan or deposit or specified advance in an amount exceeding the limit specified in section 188(1) during the tax year otherwise than through modes referred to in that section?	Yes/No
32.	If answer to 31 is yes, please furnish:	

Sl. No.	Nature of repayment [Loan /Deposit/ Specified advance]	Name of payee	Permanent Account Number of payee	Amount of repayment	Maximum amount outstanding at any time during the tax year	Code of the nature of such transaction, as given in Note 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

33.	Whether the assessee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XIX-B of the Act?	Yes/No
34.	If answer to 33 is yes, please furnish:	

Tax deduction and collection account number (TAN)	Section	Nature of payment/receipt	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of column (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of column (5)	Amount of tax deducted or collected out of column (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of column (7)	Amount of tax deducted or collected on column (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of columns (7) and (9)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

35.	Whether assessee is required to furnish the statement of tax deducted or tax collected?				Yes/No
36.	If answer to 35 is yes, please furnish:				
Sl. No.	Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing statement	Date on which statement was furnished	Furnish list of details/transactions which are not reported in the said statement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

37.	Whether the assessee is liable to pay interest under section 398(3)(a)			Yes/No
38.	If answer to 37 is yes, please furnish:			
Sl. No.	Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest payable under section 398(3)(a)	Amount paid out of column (3)	Date of payment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

39.	Whether any loan/overdraft taken from a bank or financial institution?				Yes/No
40.	If answer to 35 is yes, please furnish:				
S. No.	Particulars	Maximum amount (in (₹)) outstanding at any time during the year	Details of security including collateral security offered, if any	Name and PAN of the guarantor, if any	PAN of the guarantor, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

41.	Details of taxes (Direct/Indirect), duties, etc., paid by the assessee during the tax year			
Sl. No.	Details of taxes (Direct/Indirect), duties, etc, paid by the assessee during the tax year		Whether any discrepancy has been noticed in the respective dates of payments and the entries in the books of account? (Yes/No)	If answer to Cl. (4) is Yes, give particulars thereof
	Particulars	Amount paid (in (₹))		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Notes :

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP

Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. *Delete whichever is not applicable.

4. This report has to be given by the accountant nominated by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax under section 268(5)(i)

5. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor

6. The following details shall be provided with respect to the mentioned Row No. as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part B of Annexure (Row No. 6)	Details of change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding tax year
A-2	Part B of Annexure (Row No. 16)	A note on the expenditure incurred by the assessee in respect of any of the items referred to in 14(a) of Part B of the Annexure which exceeds the amount admissible under the Income-tax Act/Rules

7. The code for the nature of amount/ receipt/ repayment/payment is as below –

S. No	**Nature of amount or receipt or repayment**	**Code**
(A)	**(B)**	**(C)**
(i)	Cash payment	A
(ii)	Cash receipt	B
(iii)	Payment through non account payee cheque	C
(iv)	Receipt through non account payee cheque	D
(v)	Transfer of asset	E
(vi)	Transfer of liability	F
(vii)	Conversion of assets	G
(viii)	Conversion of liabilities	H
(ix)	Journal entry [Debit]	I
(x)	Journal entry [Credit]	J
(xi)	Any other mode [Debit]	K
(xii)	Any other mode [Credit]	L

8. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided

FORM NO. 101

[*See* rule 171(2)]

Inventory Valuation report under section 268(5)

I …… having Permanent Account Number …….have examined the books of account and other documents with respect to inventory and inventory valuation of the assessee mentioned in the annexure for the tax year……..as at ……..

I have conducted Inventory Valuation in compliance with the requirements under the relevant provisions of the Act and Income–tax Rules, 2026. As per the Inventory Valuation carried out by me, the opening inventory has been valued at ₹ …….. (in words……) and the closing inventory has been valued at ₹…….. (in words……..) for the relevant period …… to …… .

I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of the Inventory Valuation

In my opinion, from my examination of the books of account and other documents, it appears that proper books of account and other documents with respect to inventory * have been kept/have not been kept by the head office, other premises and the branches of the assessee visited by me, and proper data adequate for the purposes of inventory valuation * have been/have not been received from branches not visited by me subject to the comments given below:

(a)

(b)

……..

In my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, the Inventory Valuation presented herein below in my report is true and correct subject to comments given below:

(a)

(b)

……..

The prescribed particulars and such other particulars as were required by the Assessing Officer by order No. …….. dated …….. are annexed hereto. In my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, these are true and correct.

Any variations observed in the Inventory Valuation Report compared to the disclosures made in Form No. 26 (or if no Form No. 26 has been furnished, then value as per audited accounts) have been adequately explained along with the reasons and justifications thereof.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable
2. **This report has to be given by the Cost Accountant nominated by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax under section 268(5)(ii).
3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.
4. The opening values have been taken from the books of account and other documents as produced by the assessee.
5. Relevant period shall be the period specified by the Assessing Officer.

ANNEXURE

Row No.	PART A: Particulars of the assessee		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address (Head office/ other premises and branches):	*(refer Note 2)*	
	(a)		
	(b)		
	…		
3.	Permanent Account Number		
4.	Date of incorporation/Date of formation/Date of birth		
5.	Nature of business activity		
6.	Details of principal products / services	*(refer Note 3)*	
7.	Email id		
8.	Contact number	Country Code	Number
9.	Tax Year		

Row no.	PART B: Inventory Valuation Report of Cost Accountant	
1.	Details of books of account and other documents maintained with respect to inventory	
2.	(a) Method of accounting employed with respect to inventory maintained.	
	(b) Indicate whether there is any change from the method of accounting employed with respect to inventory maintained in the immediately two preceding previous years	
	(c) Is there any inventory management system software in place?	*Yes/No*
	(d) If answer to (c) above is yes, provide details of the inventory management system software.	
3.	(a) Method of valuation of opening and closing stock of following inventory items used by the Assessee: (i) Finished Goods (manufactured) (ii) Stock-in-trade	

	(iii) Work-in-progress (WIP) (iv) Raw materials (v) By-products (vi) Intermediate Products (vii) Jigs, Tools, and Dies (viii) Stores, Spares and Consumables (ix) Scrap (x) Any other item	
	(b) State whether there is any change in the method of valuation of any of the items mentioned in (a) above, as compared to the method employed in the immediately two preceding tax years.	*Yes/No*
	(c) If answer to (b) above is yes, specify the amount by which the profit or loss for the relevant period has been affected by such change	
	(d) During the relevant period, has there been any insurance claim relating to inventory due to fire or accident or any other reason.	*Yes/No*
	(e) If answer to (d) above is yes, give details of insurance claim relating to inventory due to fire or accident or any other reason	

4. Give summarized details of Financial Results (as per the Audited Accounts of the Assessee)

S. No.	Particulars	Year under reporting	Year 1 preceding to Year under reporting	Year 2 preceding to Year under reporting
1	Turnover			
2	Profit (Loss) before tax			
3	Less: Taxes paid			
4	Profit (Loss) after tax			
5	Raw Materials Consumed			
6	Opening Inventory			
7	Closing Inventory			
8	Average Inventory Holding Period (days) ={365/(Turnover [1]/Average Inventory)} Average Inventory = {[6]+[7]}/2			
9	Average Raw Material Stock to Consumption (days)			
10	Average. Stores and Spares Stock to Consumption (days)			

5. In respect of items manufactured, full quantitative details of raw materials and finished products as indicated below (consolidated at entity level):

(a) Details of Raw Material (RM) for the relevant period under reporting *(refer Note 4) :-*

S. No.	Details	Raw Material description	Unit of Measurement (UOM)	Opening stock	Purchases during the relevant period	Consumption of Raw Material during the relevant period	Raw Material sold during the relevant period	Closing stock	Other adjustments
1.	RM1								
2.	RM2								
3.	RM3								
	……								
	Others								

(b) (i) Quantitative details in respect of items manufactured / traded by the Assessee for the relevant period under reporting *(refer Note 5)*:

S. No.	Finished products/ Work-in-	Description	Item Code	Unit of Measure	Opening stock	Quantity (Qty) manufac-	Quantity purchased	Quantity sold	Quantity re-	Quantitative adjust-	Closing stock	Opening	Closing

	Progress	tion		ment (UOM)		tured during the relevant period	during the relevant period	during the relevant period	jected during the relevant period	ments, if any in (b)(ii) below:	at the end of the relevant period	Work-in-Progress	Work-in-Progress
1.	Item 1												
2.	Item 2												
3.	Item 3												
	.....												
	Others												

(b) (ii) Quantitative adjustments *(refer Note 5)*:

S. No.	Finished products / Work-in-Progress	If there are quantitative adjustments in (ii)(a), furnish the detailed reasons for quantitative adjustments
1.	Item 1	
2.	Item 2	
3.	Item 3	
	.....	
	Others	

6.	(i) Has the assessee conducted physical verification of raw materials, stores and finished products, etc. or traded goods mentioned above?	*Yes/No*
	(ii) Details of discrepancies, if any	
7.	(i) Whether valuation is in conformity with the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) notified under section 276(2)?	*Yes/No*
	(ii) Details of discrepancies, if any	

8. Details of inventory valuation for the relevant period under reporting by the Cost Accountant (wherever ICDS II is applicable) *(refer Note 6)*:

(a)(i) Valuation of Finished Goods:

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	COP/PV	NRV	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	COP/PV	NRV	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Product 1												
2	Product 2												
3	Product 3												
	.....												
	Total												

(a)(ii) Valuation of Stock-in-trade:

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	COP/PV	NRV	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	COP/PV	NRV	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Product 1												

2	Product 2												
3	Product 3												
	.....												
	Total												

(b) Valuation of Work-in-Progress (WIP) *(refer Note 7)*:

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	COP	NRV	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	COP	NRV	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	WIP 1												
2	WIP 2												
3	WIP 3												
	.....												
	Total												

(c) Valuation of Raw Materials

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	Purchase cost	Replacement rate	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	Purchase cost	Replacement rate	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	RM 1												
2	RM 2												
3	RM 3												
	…..												
	Total												

(d) Valuation of By-Products

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock			Closing Stock		
				Quantity	NRV	Value (5)x(6)	Quantity	NRV	Value (8)x(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	By-Product 1								
2	By-Product 2								
3	By-Product 3								
	…….								
	Total								

(e) Valuation of Intermediate Products (IMP) *(refer Note 8)*

Sr.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	COP	NRV	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	COP	NRV	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	IMP 1												
2	IMP 2												
3	IMP 3												
	…….												
	Total												

(f) Valuation of Others

Description	Opening Value	Closing Value
Jigs, Tools, and Dies		
Stores, Spares and Consumables		
Scrap		
Others		
Total		

(g) Summary of Inventory Valuation as on …….

Sl.	Particulars	Value as per Form No. 26 (If Form No. 26 not furnished, then value as per audited accounts)		Value as per Cost Accountant		Variation if any	
		Opening	Closing	Opening	Closing	Opening	Closing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5) - (3)	(6) – (4)
1	Finished Goods						
2	Stock- in-Trade						
3	Work-in-Progress						
4	Raw Material						
5	By-Products						
6	Intermediate products						
7	Jigs, Tools, and Dies						
8	Stores, Spares and Consumables						
9	Scrap						
10	Others						
11	Total						
12	Impact on Profit or Loss						
13	Impact on Income Tax						

(h) (viii) Details of inventory valuation carried out by the Cost Accountant:

	Inventory Items	Method of valuation used by the Cost Accountant		In case of variation in the method adopted by the assessee, state reasons for variations in quantity, rates and value along with method adopted by the Cost Accountant for various items of inventory giving full justification.
		Opening stock	Closing stock	
a.	Finished Goods (manufactured)			
b.	Stock-in-trade			
c.	Work-in-progress (WIP)			

d.	Raw materials			
e.	By-products			
f.	Intermediate Products			
g.	Jigs, Tools, and Dies			
h.	Stores, Spares and Consumables			
i.	Scrap			
j.	Any other item			

(i) Any other relevant comment, observation or qualification of the Cost Accountant:

9. Details of inventory valuation for the relevant period under reporting by the Cost Accountant (wherever ICDS II is not applicable) *(refer Note 9)*:

A. Inventory valuation for Assessees engaged in the Construction Contracts which are dealt with by the ICDS III:

(i) Valuation of Completed Units Ready for Sale *(refer Note 10)*

Sl.	Description	Type of Completed units	Subtype if any	Closing Stock				Opening Stock			
				Qty	Cost of the unit for each type	NRV	Value [(5) X lesser of ((6) or (7))]	Qty	Cost of the unit for each type	NRV	Value [(9) X lesser of ((10) or (11))]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Project 1										
2	Project 2										
3	Project 3										
	…..										
	Total										

(ii) Valuation of Construction Work-in-progress

Sl.	Description	Closing Stock				Opening Stock			
		%age Completion	Total to-date construction cost	Cost as per recognised revenue	Value of Work-in- progress [(4)-(5)]	%age Completion	Total to-date construction cost	Cost as per recognised revenue	Value of Work-in-progress [(8)-(9)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Project 1								
2	Project 2								
3	Project 3								
	……								
	Total								

(iii) Valuation of construction materials

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	Purchase cost	Replacement rate	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	Purchase cost	Replacement rate	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Material 1												
2	Material 2												
3	Material 3												
	…….												
	Total												

(iv) Valuation of construction fittings, supporting equipment and others

Sl.	Description	Item Code	UOM	Opening Stock					Closing Stock				
				Qty	Purchase cost	Replacement rate	Lower of (6) or (7)	Value (5) x (8)	Qty	Purchase cost	Replacement rate	Lower of (11) or (12)	Value (10) x (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Item 1												
2	Item 2												
3	Item 3												
	……												
	Total												

(v) Summary of Inventory Valuation for Construction Contracts as on ……

Sl.	Particulars	Value as per Form No. 26 (If Form No. 26] not furnished, then value as per audited accounts)		Value as per Cost Accountant		Variation if any	
		Opening	Closing	Opening	Closing	Opening	Closing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5)-(3)	(6)-(4)
1	Completed units ready for sale						
2	Construction Work-in-progress						
3	Construction Materials						
4	Construction Fittings, sup-						

	porting equipment and Others						
	Total						
	Impact on Profit or Loss *(Specify the amount by which profit or loss would be affected by the changed valuation*)						
	Impact on Income Tax						

(vi) Details of inventory valuation carried out by the Cost Accountant *(refer Note 10)*:

	Inventory Items	Method of valuation used by the Cost Accountant		In case of variation in the method adopted by the assessee, state reasons for variations in quantity, rates and value along with method adopted by the Cost Accountant for various items of inventory giving full justification.
		Opening stock	Closing stock	
a.	Completed units ready for sale			
b.	Construction Work-in-progress			
c.	Construction Materials			
d.	Construction Fittings, supporting equipment and Others			

(vii) Any other relevant comment, observation or qualification of the Cost Accountant	

B. **Inventory valuation for Assessees engaged in the trading of Securities which are dealt with by the ICDS VIII**

(i)(a) Valuation of Listed Shares held as Stock-in-trade

Sr.	Description	Opening Stock					Closing Stock				
		Qty	AC	NRV	Lower of (4) or (5)	Value (3)X (6)	Qty	AC	NRV	Lower of (9) or (10)	Value (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Share 1										
2	Share 2										
3	Share 3										
	……..										
	Total										

(i)(b) Valuation of Unlisted Shares held as Stock-in-trade

Sl.	Description	Opening Stock					Closing Stock				
		Qty	AC	NRV	Lower of (4) or (5)	Value (3)X (6)	Qty	AC	NRV	Lower of (9) or (10)	Value (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Share 1										
2	Share 2										
3	Share 3										
	…….										
	Total										

(ii) Valuation of Debt Securities held as Stock-in-trade

Sl.	Description	Opening Stock					Closing Stock				
		Qty	AC	NRV	Lower of (4) or (5)	Value (3)X (6)	Qty	AC	NRV	Lower of (9) or (10)	Value (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Debt Security 1										
2	Debt Security 2										
3	Debt Security 3										
	……..										
	Total										

(iii) Valuation of Convertible Securities held as Stock-in-trade

Sl.	Description	Opening Stock					Closing Stock				
		Qty	AC	NRV	Lower of (4) or (5)	Value (3)X (6)	Qty	AC	NRV	Lower of (9) or (10)	Value (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Convertible Security 1										
2	Convertible Security 2										
3	Convertible Security 3										
	……										
	Total										

(iv) Valuation of Any other security held as Stock-in-trade

Sl.	Description	Opening Stock					Closing Stock				
		Qty	AC	NRV	Lower of (4) or (5)	Value (3)X (6)	Qty	AC	NRV	Lower of (9) or (10)	Value (8)X (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Any other Security 1										
2	Any other Security 2										

3	Any other Security 3										
	…….										
	Total										

(v) Summary of Inventory Valuation for Shares, Debentures and other Financial Instruments held as stock- in-trade as on ……

Sl.	**Category**	**Value as per Form No. 26 (If Form No. 26 not furnished, then value as per audited accounts)**		**Value as per Cost Accountant**		**Variation if any**	
		Opening	Closing	Opening	Closing	Opening	Closing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5) – (3)	(6) – (4)
1	Listed Shares						
2	Unlisted Shares						
3	Debt Securities						
4	Convertible Securities						
5	Any other Security						
	Total						
	Impact on Profit or Loss *(Specify the amount by which profit or loss would be affected by the changed valuation)*						
	Impact on Income Tax						

(vi) Details of inventory valuation carried out by the Cost Accountant (refer Note 12)

	Inventory Items	Method of valuation used by the Cost Accountant		In case of variation in the method adopted by the assessee, state reasons for variations in quantity, rates and value along with method adopted by the Cost Accountant for various items of inventory giving full justification.
		Opening stock	Closing stock	
a.	Listed Shares			
b.	Unlisted Shares			
c.	Debt Securities			
d.	Convertible Securities			
e.	Any other Security			

(vii) Any other relevant comment, observation or qualification of the Cost Accountant	

C. Inventory valuation of livestock, agriculture and forest products, mineral oils, ores and gases, except those held by the trader of such inventories *(refer Note 13)*

(i) Valuation of Inventory of Livestock

Sl.	Description	UOM	Closing Stock			Opening Stock		
			Quantity	NRV	Value (4)X(5)	Quantity	NRV	Value (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Livestock 1							
2	Livestock 2							

3	Livestock 3							
	……							
	Total							

(ii) Valuation of Inventory of Agriculture and Forest Produce

Sl.	Description	UOM	Closing Stock			Opening Stock		
			Quantity	NRV	Value (4)X(5)	Quantity	NRV	Value (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Produce 1							
2	Produce 2							
3	Produce 3							
	……							
	Total							

(iii) Valuation of Inventory of Mineral Oils, Ores and Gases

Sl.	Description	UOM	Closing Stock			Opening Stock		
			Quantity	NRV	Value (4)X(5)	Quantity	NRV	Value (7)X(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Product 1							
2	Product 2							
3	Product 3							
	……							
	Total							

(iv) Summary of Comparison as on ……..

Sl.	Category	Value as per Form No. 26 (If Form No. 26 not furnished, then value as per audited accounts)		Value as per Cost Accountant		Variation if any	
		Opening	Closing	Opening	Closing	Opening	Closing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(5) – (3)	(6) – (4)
1	Livestock						
2	Agriculture and Forest Produce						
3	Mineral oils, Ores and Gases						
	Total						
	Impact on Profit or Loss (Specify the amount by which profit or loss would be affected by the changed valuation)						
	Impact on Income Tax						

(v) Details of inventory valuation carried out by the Cost Accountant

	Inventory Items	Method of valuation used by the Cost Accountant	In case of variation in the method adopted by the assessee, state reasons for variations in quantity, rates and value along with method

						adopted by the Cost Accountant for various items of inventory giving full justification.
				Opening stock	Closing stock	
		a.	Livestock			
		b.	Agriculture and Forest Produce			
		c.	Mineral oils, Ores and Gases			
	(vi) Any other relevant comment, observation or qualification of the Cost Accountant					

Place
Date

Signature

Name of the Accountant:
Member Registration Number:
Permanent Account Number:
Unique Document Identification Number (UDIN), if any:
Name of the proprietorship/ firm:
Firm Registration Number:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. In case available, details of HSN codes and SAC code for services should be provided for principal products/ services.

4. While filing details in Part B, Row No. 4, please note the following:

(i) Inventory of all such raw materials that constitute top 80% of the total inventory value of raw materials should be reported item-wise separately. Inventory of all other raw materials constituting balance may be clubbed under "Others".

(ii) Add number of rows depending on the number of raw materials

(iii) Other adjustments include Shortage/ Wastages / Rejects, etc.

5. While filing details in Part B, Row No. 5, please note the following:

(i) Add number of rows depending on the number of items
(ii) Separate quantitative details on the above lines should be given in respect of by-products, if any.
(iii) Where the assessee is trading in goods, quantitative details on the above lines should be given in respect of the goods traded in.
(iv) Inventory of all such manufactured goods / traded goods / work-in-progress items that constitute top 80% of the value of total manufactured goods / traded goods / work-in-progress items respectively should be reported item-wise separately. Inventory of all other manufactured goods / traded goods / work-in-progress items constituting balance may be clubbed under "Others"

6. While filing details in Part B, Row No. 8, please note the following:

(i) COP: Cost of Production
(ii) PV: Purchase Value
(iii) NRV: Net Realisable Value
(iv) Add or delete rows as per the number of items
(v) The item level details shall be maintained by the Assessee and the Cost Accountant and produced if required by the Assessing Officer.
(vi) Income Computation and Disclosure Standard II shall be applied for valuation of inventories, except:
    a. Work-in-progress arising under 'construction contract' including directly related service contract which is
    b. dealt with by the Income Computation and Disclosure Standard on construction contracts;
    c. Work-in-progress which is dealt with by other Income Computation and Disclosure Standard;
    d. Shares, debentures and other financial instruments held as stock-in-trade which are dealt with by the Income Computation and Disclosure Standard on securities;
    e. Producers' inventories of livestock, agriculture and forest products, mineral oils, ores and gases to the extent that they are measured at net realisable value;

7. For Row No. 8(b), NRV here means NRV of relevant finished product less estimated completion cost

8. For Row No. 8(e), intermediate products include only such products which are at intermediate stage and not included elsewhere

9. Add number of rows depending on the number of Projects

10. While filing details in Part B, Row No. 9(A)(i), please note the following:

(i) Type means BHK size/Affordable/ Premium/Commercial etc. which is identifiable as different sale unit

(ii) Completed Units mean Plots/Flats/commercial units/Villas/Floors which are ready for sale and have been included in inventory as such

(iii) The valuation of Land (Shown separately in Inventory Valuation in financials) and Development Rights can be shown here, if required.

11. While filing details in Part B, Row No. 9(A)(vi), specify the method used to determine the stage of completion of contracts in progress.

12. While filing details in Part B, Row No. 9(B), please note the following:

(i) AC: Actual Cost
(ii) NRV: Net Realisable Value
(iii) Note: Add number of rows depending on the number of shares/securities
(iv) With respect to 9(B)(vi), specify the method used to determine the Actual Cost and Net Realisable Value for each category of financial instruments.

13. While filing details in Part B, Row No. 9(C), please note the following:

(i) NRV: Net Realisable Value
(ii) Add number of rows depending on the number of Livestock/Produce/ Products

14. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 102

[*See* rule 178]

Application under section 288(1) [Table: Sl. No. 11] for credit of tax deduction at source

Row No.	**Part A: Particulars of assessee**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Residential Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact Number	Country Code	Number
7.	Tax year in which specified income* has been included in the return of income		
8.	Date on which return of income for relevant tax year was filed		

Part B: Details with reference to specified income and tax deduction at source

Row No.	Total income/ deemed total income / loss of assessee as per return of income for the tax year specified in column 7 of Part A (refer Note 4)	Amount of Specified income* included in return of income (refer Note 5)	Nature of specified income (refer Note 5)	Rate at which the specified income was subject to tax	Amount of tax deducted on specified income in subsequent tax year (refer Note 5)	Date of deduction of tax (dd/mm/ yyyy)
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Total						

Rate at which tax deducted	Date of payment of tax deducted to the Central Government (dd/mm/ yyyy)	section of the Act under which tax deducted	Amount of tax out of (F) claimed for tax year	Name of deductor	Tax deduction and collection account number of deductor	Permanent Account Number of deductor
H	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**

*Specified income means any income referred to in section 288(1)[Table: Sl. No.11] which has been included in the return of income of a tax year and tax on such income is deducted at source and paid to the credit of the Central Government under the provisions of Chapter XIX-B of the Act in a subsequent tax year.

DECLARATION

I……..… having Permanent Account Number ……..…… in my capacity as ……. of ……. (name of assessee) do hereby declare that: -

- To the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated.
- I have furnished the return of income in which such specified income was included, for the relevant tax year

under section 263.

☐ I have not claimed credit for the tax deducted at source on the specified income claimed in Form No. 102 in any other tax year and will not claim the same.

Place: …… Signature

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain Flat/Door/Block number, Name of the premises, Road/Street/Lane, Area/locality, Town/City/District, State, Pin/ZIP Code.

3. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.

4. Total income/deemed total income/loss should be reported as per latest intimation/assessment/re-assessment/ rectification / re-computation order, as the case may be.

5. For more than one entry, separate rows may be filled.

6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided

FORM NO. 103
[*see* rule 179]

Notice of demand under section 289 of the Act

To
_____

Status – *(Refer Note 2)*
PAN - _____

1. This is to give you notice that for the tax year_____or the block period _____, as the case may be, a sum of _____, details of which are given in the Order, has been determined to be payable by you.

2. The amount should be paid within 30 days of the service of this notice or by _____ wherein the previous approval of the Joint Commissioner of Income-tax has been obtained for allowing a period of less than 30 days for the payment of the above sum.

3. If you do not pay the amount within the period specified above, you shall be liable to pay simple interest at 1 percent for every month or part of a month from the date commencing after end of the period aforesaid in accordance with section 411(3) to 411(6) of the Act.

4. If you do not pay the amount of the tax within the period specified above, penalty (which may be as much as the amount of tax in arrear) may be imposed upon you after giving you a reasonable opportunity of being heard in accordance with section 412 of the Act.

5. If you do not pay the amount within the period specified above, proceedings for the recovery thereof will be taken in accordance with sections 413 to 417, 419 and 421 of the Act.

6. If you intend to appeal against the assessment or fine or penalty, you may present an appeal under Part A.1 of Chapter XVIII of the Act, to the *Joint Commissioner of Income-tax (Appeals) or Commissioner of Income-tax (Appeals)* within thirty days of the receipt of this notice, in Form No. 99, duly verified as laid down in that form.

7. The amount has become due as a result of the order of the *Joint Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax (Appeals) or Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax* under section _____ of the Act. If you intend to appeal against the aforesaid order, you may present an appeal under Part A.2 of Chapter XVIII of the said Act to the Income-tax Appellate Tribunal _____ within sixty days of the receipt of that order, in Form No. 115, duly stamped and verified as laid down in that form.

Place:…….

_____
Assessing Officer

Date:……..

__
Address

Notes :

1. Delete inappropriate paragraphs and words.
2. Fill status as:
   (i) Individual
   (ii) Hindu undivided family
   (iii) Company
   (iv) Limited Liability Partnership
   (v) Firm
   (vi) Association of persons, whether incorporated or not
   (vii) Body of individuals, whether incorporated or not
   (viii) Local Authority
   (ix) Artificial Juridical Person
   (x) Government
   (xi) Trust
3. You can pay digitally by logging into the e-filing portal (incometax.gov.in). If you wish to pay the amount

by cheque, you can do so at the authorized bank by submitting the cheque along with the challan downloaded from the e-filing portal.

4. If you intend to seek extension of time for payment of the amount or propose to make the payment by instalments, the application for such extension or, as the case may be, permission to pay by instalments, the application for such extension or, as the case may be, permission to pay by instalments, should be made to the Assessing Officer before the expiry of the period specified in paragraph 2. Any request received after the expiry of the said period will not be entertained in view of the specific provisions of section 411(5) of the Act.
5. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.

FORM NO. 104
[*See* rule 181(1)]
Application for provisional registration or provisional approval

Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
		(drop down)	

Part B: Other Information		
I.	***Basic Details***	
6.	Application for *(refer Note 3)*:	*(select Section Code)*
7.	Whether the activities have commenced *(refer Note 4)*:	Yes/No
8.	Whether trust is irrevocable (as per the trust deed) *(refer Note 5):*	Yes/No
9.	Whether any application for registration/approval made by the Applicant in the past has been rejected:	Yes/No
10.	Whether the Applicant has incurred expenditure of religious nature exceeding 5 % of total income in any tax year:	Yes/No
II.	***Incorporation / Constitution Details***	
11.	Nature of Applicant	*(refer note 6)*
12.	Nature of activities *(refer note 7) (select one)*	(i) Charitable (ii) Public Religious (iii) Public Religious and Charitable
13.	Whether the Applicant is formed under an instrument? *(refer Note 8)*	Yes/No

14. If Yes in Sl. No. 13, provide details of formation as below *(refer Note 8)*:

Date of Formation	Unique Number	Authority granting Unique Number

15.	Objects of the Applicant *(refer note 9)*:	*(select one or more)*
16.	Specify the charitable purpose, if advancement of any other objects of general public utility is selected in Sl. No. 15:	
III.	***Recognition (registration, approval or notification) Details***	
17.	Whether recognised under any law, other than the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)*:*	Yes/No

18. If Yes in Sl. No. 17, details of recognition under such law *(refer Note 10)*:

Sl. No.	Relevant law/ Portal	Date of recognition	Date from which the recognition is effective	Unique recognition number	Recognising Authority
1.					
2.	*(Repeat, if required)*				

IV. Office Bearers Details

19. Details of all the Author(s) / Founder(s) / Settlor(s) / Trustee(s) / Members of society / Members of the Governing Council / Director(s) / Shareholders holding 5% or more of shareholding/ Office Bearer(s) as on the date of application:

Sl. No.	Name	Relation with Applicant *(refer Note 11)*	Unique Identification Number *(refer Note 12)*	ID Code *(refer Note 12)*	Address	Contact Number	E-mail Id
A	B	C	D	E	F	G	H
1.							
2.	*(Repeat, if*						

		required)						

20.	In case if any of persons (as mentioned in Sl. No. 19) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:						
	Sl. No.	Name of the person not being a natural person in Sl. No. 19	Name of the beneficial owner	Unique Identification Number *(refer Note 12)*	ID Code *(refer Note 12)*	Address	Percentage of beneficial ownership
	A	B	C	D	E	F	G
	1.						
	2.	*(Repeat, if required)*					
V.	***Return Details***						
21.	Has return of income been filed for the last tax year for which the due date has expired						Yes/No
VI.	***Attachments***						
22.	Other details to be provided as separate enclosure:						*(attach as per Note 13)*

Undertaking

I _____, holding PAN _____, affirm that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) and that I am duly authorized and competent to file this form and verify it. I hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief. The Applicant (through me) undertakes to communicate forthwith that any alteration in the terms of the non-profit organisation (trust/society/non-profit company), or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter shall be communicated to the relevant authority in the Income Tax Department forthwith. I further undertake that I am applying for provisional registration or provisional approval and the activities of the _____ (Name of the Applicant) having PAN _____ have not commenced on or before the date of making this application.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being non-profit organisation or fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 6), —
   (a) for "Section code", select any one of the following: —

Sl. No.	Application made under	Particulars	Section Code
(I)	section 332(3) (Table: Sl. No. 1)	Provisional registration where the activities have not commenced	01
(II)	section 354(2) (Table: Sl. No. 1)	Provisional Approval where the activities have not commenced for the purposes of section 133(1)(b)(ii).	02
(III)	Both (I) and (II)		03

   (b) If Yes is selected in Part B (Sl. No. 8), then application under section 354(2) [Table: Sl. No. 1] is not allowed. Accordingly, code 02 shall be disabled.
4. In Part B (Sl. No. 7), if the activities have commenced as on the date of application, this form is not applicable. In such case, Form No. 105 is required to be filled.
5. In No is selected in Part B (Sl. No. 8), then the application for provisional registration or approval cannot be made as per the provisions of section 332(2)(b).

6. In Part B (Sl. No. 11), —

(a) for "Nature of Applicant", select any of the following codes: —

Sl. No.	Section	Particulars	Code
1.	332(1)(a)	Public trust	01
2.	332(1)(b)	a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any law in force in India	02
3.	332(1)(c)	a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and deemed to have been registered in pursuance of section 465(2)(g) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	03
4.	332(1)(d)	a University established by law or any other educational institution affiliated thereto or recognised by the Government	04
5.	332(1)(e)	an institution financed wholly or in part by the Government or a local authority	05
6.	332(1)(f)	Any person as referred to in Schedule III [Table: Sl. No. 27 to 29 and 36] and in Schedule VII [Table: Sl. No. 10 to 19 and 42]	06
7.	332(1)(g)	Any person notified by the Board under section 332(1)(g)	07
8.	354(1)	A registered non-profit organisation or a person referred to in Schedule VII [Table: Sl. No. 1] i.e. any regimental fund or non-public fund established by the armed forces of the Union	08

(b) if code 06 is selected in Note 6(a), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Schedule	Particulars	Code
1.	Schedule III [Table: Sl. No. 27 to 29]	Specified Investor Protection Fund	09
2.	Schedule III [Table: Sl. No. 36] or Schedule VII [Table: Sl. No. 42]	Specified body or authority or Board or Trust or Commission	10
3.	Schedule VII [Table: Sl. No. 10 to 16]	Specified fund or foundation or kosh	11
4.	Schedule VII [Table: Sl. No. 17 to 19]	Specified university, hospital or other institution	12

(c) if code 09 is selected in Note 6(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Sl. No. of Table in Schedule III	Particulars	Code
1.	27	any Investor Protection Fund set up by recognised stock exchanges in India, either jointly or separately	13
2.	28	Any Investor Protection Fund set up by commodity exchanges in India, either jointly or separately	14
3.	29	Any Investor Protection Fund set up as per the regulations by a depository.	15

(d) if code 10 is selected in Note 6(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Schedule	Category	Code
1.	Schedule III [Table: Sl. No. 36]	A body or authority or Board or Trust or Commission (by whatever name called), or a class thereof, other than those covered under Schedule VII (Table: Sl. No. 42)	16
2.	Schedule VII [Table: Sl. No. 42]	Any body or authority or Board or Trust or Commission, not being a company, which has been established or constituted by or under a Central Act or State Act with one or more of the following purposes, — (a) dealing with and satisfying the need for housing accommodation; (b) planning, development or improvement of cities, towns and villages; (c) regulating, or regulating and developing, any activity for the benefit of the general public; or	17

		(d) regulating any matter, for the benefit of the general public, arising out of the object for which it has been created.	

(e) if code 11 is selected in Note 6(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Sl. No. of Table in Schedule VII	Category	Code
1.	10	The Prime Minister's National Relief Fund or the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES FUND).	18
2.	11	The Prime Minister's Fund (Promotion of Folk Art).	19
3.	12	The Prime Minister's Aid to Students Fund.	20
4.	13	The National Foundation for Communal Harmony	21
5.	14	The Swachh Bharat Kosh, set up by the Central Government	22
6.	15	The Clean Ganga Fund set up by the Central Government	23
7.	16	The Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund in respect of any State or Union territory as referred to in section 133(1)(a)(xv).	24

(f) if code 12 is selected in Note 6(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Sl. No. of Table in Schedule VII	Category	Code
1.	17	Any University or other educational institution wholly or substantially financed by the Government.	25
2.	18	Any hospital or other institution wholly or substantially financed by the Government.	26
3.	19(a)	Any University or other educational Institution whose aggregate annual receipts does not exceed five crore rupees	27
4.	19(b)	Any hospital or other institution whose aggregate annual receipts does not exceed five crore rupees	28

7. In Part B (Sl. No. 12), the option "Public Religious" shall not be applicable if code 02 has been selected in Part B (Sl. No. 6).

8. In Part B (Sl. No. 13 and 14), —
   (a) "formation" means incorporation, creation or registration under the statute in which Applicant is formed such as Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Society Registration Act, 1860 (21 of 1860) or the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882);
   (b) "Unique number" shall mean registration number under the respective laws (as referred in (a)) such as Corporate Identification Number (CIN) under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

9. In Part B (Sl. No. 15), select any one or more of the following objects, if "Charitable" or "Public Religious and Charitable" is selected in Part B (Sl. No. 12): —

(I)	Relief of poor
(II)	Education
(III)	Medical relief
(IV)	Yoga
(V)	Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)
(VI)	Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest
(VII)	Advancement of any other objects of general public utility

10. In Part B (Sl. No. 18), select any one or more of the following options: —

(I)	Registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)
(II)	Registration under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)
(III)	Registration on DARPAN portal of Niti Aayog
(IV)	Recognised under any other law, specify

11. In Part B (Sl. No. 19 (column C)), in column "Relation with the Applicant", select one or more from the following: —

(I)	Author
(II)	Authorised signatory

(III)	Chief Executive Officer
(IV)	Chief Financial Officer
(V)	Director
(VI)	Founder
(VII)	Manager
(VIII)	Managing director
(IX)	Members of society
(X)	Members of the Governing Council
(XI)	Office Bearer
(XII)	Person Competent to verify
(XIII)	Principal Officer
(XIV)	Principal Secretary
(XV)	Representative Assessee
(XVI)	Secretary
(XVII)	Settlor
(XVIII)	Shareholders holding 5 per cent. or more of shareholding
(XIX)	Trustee
(XX)	Any other Principal Officer, specify

12. In Part B (Sl. Nos. 19 (column D and E) and 20 (column D and E)), "Unique Identification Number" means, —

(a) where PAN is available: —

Type of Identification	ID Code
PAN	1

(b) if PAN is not available: —

Type of Identification	ID Code
Passport number	2
Elector's photo identity number	3
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides	4

13. With respect to Part B (Sl. No. 22), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Self-certified copy of the trust deed.
A-2	Where the Applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument.
A-3	Where the Applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the Applicant.
A-4	Self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be.
A-5	Self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the Applicant is registered under such Act.
A-6	Self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration or approval, or cancellation of registration or approval, as the case may be, under- (i) section 10(23)(iv) or (v) or (vi) or (via) or section 12A or section 12AA or section 12AB or section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal); (ii) section 332(7) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025); or (iii) section 354(3) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).
A-7	Where No is selected in Part B (Sl. No. 21) and where the Applicant has been in existence during any tax year or years prior to the tax year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the Applicant for the 3 preceding years. (If there are no audited annual accounts of the Applicant for any of the last three years then attach self-certified NIL declaration for each year separately).
A-8	Detailed note on the proposed activities of the Applicant.

14. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 105
[*See* rule 181(1)]
Application for registration of non-profit organisation under section 332 or approval under section 354

Part A: Particulars of the Applicant				
1.	Name:		*(refer Note 1)*	
2.	Address:		*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):			
4.	E-mail Id:			
5.	Contact Number:		Country Code	Number
Part B: Other Information				
	VII. General			
6.	Whether trust is irrevocable (as per the trust deed) *(refer Note 3):*		Yes/No	
7.	Whether any application for registration/approval made by the Applicant in the past has been rejected:		Yes/No	
	VIII. Application Details			
8.	(a)	Type of application u/s 332 *(select one)*:	(i) Re-application (ii) Application with delay (iii) Application without delay	
	(b)	In case of "application with delay" as per (a), whether the condonation of the delay order has already been passed by the Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax:	Yes/No	
	(c)	If (b) is Yes, the date of such an order condoning the delay:		
	(d)	Reference number of order referred at (c):		
	(e)	Application under section:	(i) 332 (ii) 354 (iii) Both	
	(f)	Section Code *(refer note 4(f))*:		
	(g)	Application for grant of approval or registration (*as per section 332 and 354*):	5 Years/ 10 Years	
9.	If "re-application" as per Sl. No. 8(a), the provide the following details:			
	(a)	Application Reference Number (ARN) of orginal Form No. 105:		
	(b)	Date of passing earlier order in Form No. 107:		
	(c)	Whether this Form is being filed withing one month from the end of the month in which order mentioned in (b) is passed:	Yes/No	
	(d)	Whether the Applicant made an appeal before any appellette forum against the order referred in (b):	Yes/No	
	(e)	If Yes in (d), then has appeal been withdrawn as on the date of filing this application:	Yes/No	
	IX. Incorporation/ Constitution Details			
10.	Nature of Applicant:		*(refer note 5)*	
11.	Nature of activities *(refer note 6)*:		(iv) Charitable (v) Public Religious (vi) Public Religious and Charitable	
12.	Whether the Applicant is formed under an instrument:		Yes/No	
13.	If Yes in Sl. No. 7, provide details of formation as below *(refer Note 7)*:			
	Date of Formation	Unique Number	Authority granting Unique Number	
14.	Objects of the Applicant *(refer note 8)*:		*(select one or more)*	
15.	Specify the charitable purpose, if advancement of any other objects of general public utility is selected in Sl. No. 14:			
	X. Recognition (registration, approval or notification) Details			
16.	Whether recognised under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its		Yes/No	

	repeal) or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025):	
17.	If Yes in Sl. No. 16, details thereof:	

Relevant Act	Provision of the Act (Recognised under)	Date of recognition	Unique recognition number, if available	Authority granting recognition
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal)/ Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)	*(refer note 9)*			

18.	Whether recognised under any law, other than the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)*:*	Yes/No
19.	If Yes in Sl. No. 18, details of recognition under such law *(refer Note 10)*:	

Sl. No.	Relevant law/ Portal	Date of recognition	Date from which the recognition is effective	Unique recognition number	Recognising Authority
1.					
2.	*(Repeat, if required)*				

XI. Office Bearers Details

20. Details of all the Author(s) / Founder(s) / Settlor(s) / Trustee(s) / Members of society / Members of the Governing Council / Director(s) / Shareholders holding 5% or more of shareholding/ Office Bearer(s) as on the date of application:

Sl. No.	Name	Relation with Applicant *(refer Note 11)*	Percentage of shareholding, if shareholder	Unique Identification Number *(refer Note 12)*	ID Code *(refer Note 12)*	Address	Contact Number	E-mail Id
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.								
2.	*(Repeat, if required)*							

21. In case if any of persons (as mentioned in Sl. No. 20) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person as on the date of application:

Sl. No.	Name of the person not being a natural person in Sl. No. 20	Name of the beneficial owner	Unique Identification Number *(refer Note 12)*	ID Code *(refer Note 12)*	Address	Percentage of beneficial ownership
A	B	C	D	E	F	G
1.						
2.	*(Repeat, if required)*					

XII. Operation Details

22. Details of institutions:

Name of institution	Nature of activity *(refer Note 13)*	Category of activity *(refer Note 13)*	Address	Whether owned by the Applicant (Yes/No)	Person-in-charge		
					Name	Contact Number	E-mail Id

23. Details of all Accounts held by the Applicant at the time of application in a financial institution *(refer Note 14)*:

Sl. No.	Name of the financial institution	IFSC of the financial institution	Account Number

24. Details of all land or buildings or both held by the Applicant:

	Address of the land or building	Size of land or buildings (square meters)	Purchase consideration paid/payable	Stamp value at the time of acquisition	Mode of acquisition (acquired/ gifted)	Date of acquisition

25.	In case of "advancement of any other object of general public utility", with respect to the tax year immediately preceding the financial year in which application is made:					
	(a)	Whether it is carrying on any commercial activity:				Yes/No
	(b)	Whether the activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility:				Yes/No
	(c)	Details of receipts from such activity:				
	(d)	Sl. No.	Total Receipts	Aggregate Receipts from the Activity(ies) referred above	Percentage to Total Receipts	Remarks, if any
	(e)	Whether separate books of account are maintained for such activity:				Yes/No

XIII. Assets and Liabilities

26.	Has return of income been filed for the last tax year for which the due date has expired:		Yes/No
27.	Where response in Sl. No. 26 is No, fill details of assets and liabilities:		(Amount)
	(a)	Corpus:	
	(b)	Funds/reserves and surplus other than corpus:	
	(c)	Long term liabilities:	
	(d)	Other liabilities:	
	(e)	Total liabilities:	
	(f)	Land and Building:	
	(g)	Other fixed assets	
	(h)	Investments/deposits made into one or more of the forms or modes specified in section 350:	
	(i)	Investments/deposits other than mentioned in (g):	
	(j)	Other assets:	
	(k)	Total Assets:	

XIV. Income Details

28.	Total income of Applicant without giving effect to provisions of Part B of Chapter XVII during each of the two tax years, preceding the current tax year in which this application is made:	
	Tax Year	Amount
	Year 1	
	Year 2	

29. Income received in three tax years immediately preceding the tax year in which application is made:

Tax Year	Regular Income	Grants received from Central or State Government	Grants received from Companies under Corporate Social Responsibility	Other Specific Grants	Corpus donations	Total Income
Year 1						
Year 2						
Year 3						

XV. Religious Activities

30.	Whether the non-profit organisation or fund has incurred any expenditure of religious nature *(refer Note 15)*:	Yes/No

31. If Yes in Sl. No. 30, provide the following details for three tax years immediately preceding the tax year in which application is made:

Tax Year	Total Income	Expenditure of Religious Nature	Percentage to Total Income
Year 1			
Year 2			
Year 3			

XVI. Attachments

32.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(attach as per Note 16)*

Undertaking
I, _____, holding PAN_____ affirm that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) and that I am duly authorized and competent to file this form and verify it. I hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief. The Applicant (through me) undertakes to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I also affirm that I am competent to file this form and verify it. I further undertake that I am applying for registration under the section code 1,2 having commenced activities on _____(dd/mm/yyyy) and also that _____ (Name of the Applicant) having PAN_____ never been registered under section 12A/12AA/12AB/10(23C) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or section 332 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) on or before the date of making this application. *(applicable only for section code 1,2 in Part B (Sl. No. 8(f)))* Place: Signature: Date: Name: Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being non-profit organisation or fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In No is selected in Part B (Sl. No. 6), then the application for registration or approval cannot be made as per the provisions of section 332(2)(b).
4. In Part B (Sl. No. 8), —
   (c) for "Type of application" select: —
      a. "Re-application", where an application is made as per the provisions of rule 181(12);
      b. "Application with delay" where application is made, beyond time allowed u/s 332(3), as per the provisions of Section 332(4);
      c. "Application without delay" in other cases;
   (d) where the Applicant selects "application with delay" in Part B (Sl. No. 8(a)), the Applicant shall mention whether a condonation of delay order has already been passed by the PCIT/CIT.
   (e) if order for condonation of delay, as referred to in Part B (Sl. No. 8(b)) has already been passed, the Applicant shall mention the date of such order in Part B (Sl. No. 8(c)).
   (f) if order for condonation of delay, as referred to in Part B (Sl. No. 8(b)) has already been passed, the Applicant shall mention the reference number of such order in Part B (Sl. No. 8(d)).
   (g) the Applicant should mention whether he is making application as per the provisions of section 332 or section 354 or both.
   (h) for "Section code", select: —
      (i) one from each category, if both are selected in Part B (Sl. No. 8(e));
      (ii) from category-I only, if section 332 is selected in Part B (Sl. No. 8(e));
      (iii) from category-II only, if section 354 is selected in Part B (Sl. No. 8(e)).

Category-I				
Sl. No.	Section	Case	Whether application made with/without delay/with condonation of delay	Section Codes
1.	section 332(3) (Table: Sl. No. 2)	Where the activities of the Applicant have commenced and it has not been registered under any specified provision at any time before making the application. [only code 02 is applicable where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a))]	First-time application	01
			Reapplication as per rule 181(12)	02
2.	section 332(3) (Table: Sl. No. 3)	Where the Applicant has been granted provisional registration and activities have commenced. [only code 04 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "Yes" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 05 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "No" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 06 is applicable where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a))]	Application without delay	03
			Application with delay where delay has already been condoned	04
			Application with delay where delay is requested to be condoned u/s 332(4) with this application	05
			Reapplication as per rule 181(12)	06
3.	section 332(3) (Table: Sl. No. 4)	Where the provisional registration of the Applicant is due to expire and activities have not commenced. [only code 08 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "Yes" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 09 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "No" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 10 is applicable where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a))]	Application without delay	07
			Application with delay where delay has already been condoned	08
			Application with delay where delay is requested to be condoned u/s 332(4) with this application	09
			Reapplication as per rule 181(12)	10
4.	section 332(3) (Table: Sl. No. 5)	Where the registration of the Applicant is due to expire, other than cases mentioned at section 332(3) (Table: Sl. No. 4) [only code 12 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "Yes" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 13 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "No" is	Application without delay	11
			Application with delay where delay has already been condoned	12
			Application with delay where delay is requested to be condoned u/s 332(4) with this application	13
			Reapplication as per rule 181(12)	14

		selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 14 is applicable where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a))]		
5.	section 332(3) (Table: Sl. No. 6)	Where the registration of the Applicant has become inoperative due to switching over of regime under section 333. [only code 16 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "Yes" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 17 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "No" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 18 is applicable where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a))]	Application without delay	15
			Application with delay where delay has already been condoned	16
			Application with delay where delay is requested to be condoned u/s 332(4) with this application	17
			Reapplication as per rule 181(12)	18
6.	section 332(3) (Table: Sl. No. 7)	Where the Applicant, being a registered non-profit organisation, has adopted or undertaken modification of its objects. [only code 20 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "Yes" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 21 is applicable where "application with delay" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)) and "No" is selected in Part B (Sl. No. 8(b))] [only code 22 is applicable where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a))]	Application without delay	19
			Application with delay where delay has already been condoned	20
			Application with delay where delay is requested to be condoned u/s 332(4) with this application	21
			Reapplication as per rule 181(12)	22

Category-II			
Sl. No	Section	Case	Code
1.	section 354(2) [Table: Sl. No. 2]	Where the activities of the Applicant have commenced.	23
2.	section 354(2) [Table: Sl. No. 3]	Where the Applicant has provisional approval and activities have commenced.	24
3.	section 354(2) [Table: Sl. No. 4]	Where the provisional approval of the Applicant is due to expire and activities have not commenced.	25
4.	section 354(2) [Table: Sl. No. 5]	Where the period for approval of a registered non-profit organisation is due to expire.	26

5. In Part B (Sl. No. 10), —

(a) for "Nature of Applicant", select any of the following codes: —

Sl. No.	Section	Particulars	Code
1.	332(1)(a)	Public trust	01

2.	332(1)(b)	a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any law in force in India	02
3.	332(1)(c)	a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and deemed to have been registered in pursuance of section 465(2)(g) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	03
4.	332(1)(d)	a University established by law or any other educational institution affiliated thereto or recognised by the Government	04
5.	332(1)(e)	an institution financed wholly or in part by the Government or a local authority	05
6.	332(1)(f)	Any person as referred to in Schedule III [Table: Sl. No. 27 to 29 and 36] and in Schedule VII [Table: Sl. No. 10 to 19 and 42]	06
7.	332(1)(g)	Any person notified by the Board under section 332(1)(g)	07
8.	354(1)	A registered non-profit organisation or a person referred to in Schedule VII [Table: Sl. No. 1] i.e. any regimental fund or non-public fund established by the armed forces of the Union	08

(b) if code 06 is selected in Note 5(a), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Schedule	Particulars	Code
1.	Schedule III [Table: Sl. No. 27 to 29]	Specified Investor Protection Fund	09
2.	Schedule III [Table: Sl. No. 36] or Schedule VII [Table: Sl. No. 42]	Specified body or authority or Board or Trust or Commission	10
3.	Schedule VII [Table: Sl. No. 10 to 16]	Specified fund or foundation or kosh	11
4.	Schedule VII [Table: Sl. No. 17 to 19]	Specified university, hospital or other institution	12

(c) if code 09 is selected in Note 5(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Sl. No. of Table in Schedule III	Particulars	Code
1.	27	any Investor Protection Fund set up by recognised stock exchanges in India, either jointly or separately	13
2.	28	Any Investor Protection Fund set up by commodity exchanges in India, either jointly or separately	14
3.	29	Any Investor Protection Fund set up as per the regulations by a depository.	15

(d) if code 10 is selected in Note 5(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Schedule	Category	Code
1.	Schedule III [Table: Sl. No. 36]	A body or authority or Board or Trust or Commission (by whatever name called), or a class thereof, other than those covered under Schedule VII (Table: Sl. No. 42)	16
2.	Schedule VII [Table: Sl. No. 42]	Any body or authority or Board or Trust or Commission, not being a company, which has been established or constituted by or under a Central Act or State Act with one or more of the following purposes, — (a) dealing with and satisfying the need for housing accommodation; (b) planning, development or improvement of cities, towns and villages;	17

		(c) regulating, or regulating and developing, any activity for the benefit of the general public; or (d) regulating any matter, for the benefit of the general public, arising out of the object for which it has been created.	

(e) if code 11 is selected in Note 5(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Sl. No. of Table in Schedule VII	Category	Code
1.	10	The Prime Minister's National Relief Fund or the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES FUND).	18
2.	11	The Prime Minister's Fund (Promotion of Folk Art).	19
3.	12	The Prime Minister's Aid to Students Fund.	20
4.	13	The National Foundation for Communal Harmony	21
5.	14	The Swachh Bharat Kosh, set up by the Central Government	22
6.	15	The Clean Ganga Fund set up by the Central Government	23
7.	16	The Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund in respect of any State or Union territory as referred to in section 133(1)(a)(xv).	24

(f) if code 12 is selected in Note 5(b), select from the following codes: —

Sl. No.	Reference Sl. No. of Table in Schedule VII	Category	Code
1.	17	Any University or other educational institution wholly or substantially financed by the Government.	25
2.	18	Any hospital or other institution wholly or substantially financed by the Government.	26
3.	19(a)	Any University or other educational Institution whose aggregate annual receipts does not exceed five crore rupees.	27
4.	19(b)	Any hospital or other institution whose aggregate annual receipts does not exceed five crore rupees.	28

6. In Part B (Sl. No. 11), option "public religious" shall not be applicable if Applicant selects any code from 23 to 26 in Part B (Sl. No. 8(f)).

7. In Part B (Sl. No. 13), —

(c) "formation" means incorporation, creation or registration under the statute in which Applicant is formed such as Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Society Registration Act, 1860 (21 of 1860) or the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882);

(d) "Unique number" shall mean registration number under the respective laws (as referred in (a)) such as Corporate Identification Number (CIN) under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

8. In Part B (Sl. No. 14), select any one or more of the following objects, if "charitable" or "public religious and charitable" is selected: —

(I)	Relief of poor
(II)	Education
(III)	Medical relief
(IV)	Yoga
(V)	Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)
(VI)	Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest
(VII)	Advancement of any other objects of general public utility

9. In Part B (Sl. No. 17) select from the following: —

(a) Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal): —

Sl. No.	Provisions
1.	section 12AB(1)(a)
2.	section 12AB(1)(b)

3.	section 12AB(1)(c)
4.	Clause (i) of second proviso section 10(23C)
5.	Clause (ii) of second proviso to section 10(23C)
6.	Clause (iii) of second proviso to section 10(23C)
7.	Section 35(1)(ii)
8.	Section 35(1)(iia)
9.	Clause (iii) of sub-section (1) of Section 35
10.	Clause (i) of second proviso to sub-section (5) of section 80G
11.	Clause (ii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G
12.	Clause (iii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G
13.	Notification u/s 10(46)
14.	Notification u/s 10(46A)
15.	any other, specify

(a) Income-tax Act, 2025 (30 of 2025): —

Sl. No.	Provision	Code
1.	Section 332(7)(a)	1
2.	Section 332(8)	2
3.	Section 45(3)(a)(i)	3
4.	Section 45(3)(a)(ii)	4
5.	Section 45(3)(b)	5
6.	Section 354(3)	6
7.	Section 354(4)	7
8.	Schedule III (Table: Sl. No. 36)	8
9.	Schedule VII (Table: Sl. No. 42)	9
10.	any other, specify	10

10. In Part B (Sl. No. 19), select any one or more of the following options: —

(I)	Registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)
(II)	Registration under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)
(III)	Registration on DARPAN portal of Niti Aayog
(IV)	Recognised under any other law, specify

11. In Part B (Sl. No. 20 (column C)), in column "Relation with the Applicant", select one or more from the following: —

(I)	Author
(II)	Authorised signatory
(III)	Chief Executive Officer
(IV)	Chief Financial Officer
(V)	Director
(VI)	Founder
(VII)	Manager
(VIII)	Managing director
(IX)	Members of society
(X)	Members of the Governing Council
(XI)	Office Bearer
(XII)	Person Competent to verify
(XIII)	Principal Officer
(XIV)	Principal Secretary
(XV)	Representative Assessee
(XVI)	Secretary
(XVII)	Settlor
(XVIII)	Shareholders holding 5 per cent. or more of shareholding
(XIX)	Trustee
(XX)	Any other Principal Officer, specify

12. In Part B (Sl. Nos. 20 (column E and F) and 21 (column D and E)), "Unique Identification Number" means, —

(c) where PAN is available: —

Type of Identification	ID Code
PAN	1

(d) if PAN is not available: —

Type of Identification	ID Code
Passport number	2
Elector's photo identity number	3
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides	4

13. In Part B (Sl. No. 22), —

(a) details of institutions being managed/controlled/administered/owned by the Applicant shall be provided;

(b) for "Nature of activity" of the Details of institutions being managed/controlled/administered/owned by the Applicant select one of the following: —

(I)	School
(II)	College
(III)	University
(IV)	Hospital
(V)	Yoga Institute
(VI)	Religious places
(VII)	Any other institution, specify

(c) in column "Category of activity", select one from the following: —

(I)	Charitable
(II)	Religious
(III)	Commercial

14. Financial institution means as institution being a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act).

15. In Part B (Sl. No. 30 and 31), only if Applicant selects code 23 to 26 in Part B (Sl. No. 8(f)), then Part B (Sl. No. 30 and 31) are to be filled.

16. With respect to Part B (Sl. No. 32), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Self-certified copy of the trust deed.
A-2	Where the Applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument.
A-3	Where the Applicant is created, or is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation, or establishment of the Applicant.
A-4	Self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be.
A-5	Self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the Applicant is registered under such Act.
A-6	Self-certified copy of existing order granting registration or approval, as the case may be under - (iv) section 10(23)(iv) or (v) or (vi) or (via) or section 12A or section 12AA or section 12AB or section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal); (v) under sections 332(7)(a) and (8); or (vi) section 354(3)(a) or 354(4).
A-7	Self-certified copy of order of rejection of application for grant of registration or approval, or cancellation of registration or approval, as the case may be, under- (vii) section 10(23)(iv) or (v) or (vi) or (via) or section 12A or section 12AA or section 12AB or section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal); (viii)section 332(7)(b); or (ix) section 354(3)(b).
A-8	Where the Applicant has been in existence during any tax year or years prior to the tax year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the Applicant relating to

	such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up.
A-9	Where the Applicant has been in existence during any year or years prior to the tax year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the Applicant relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up;
A-10	Where a business undertaking is held by the Applicant as per the provisions of section 344 and the Applicant has been in existence during any year or years prior to the tax year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 63 for such period in case where category I is not selected in Part B (Sl. No. 8(f));
A-11	Where the income of the Applicant includes any commercial activity as per the provisions of section 345 and the Applicant has been in existence during any year or years prior to the tax year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 63 for such period in case where category I is not selected in Part B (Sl. No. 8(f));
A-12	Self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification of the objects in case where section code is 19, 20, 21 or 22 in Part B (Sl. No. 8(f));
A-13	Order passed wherein delay in filing of application for registration/approval has been condoned if code 4, 8, 12, 16 or 20 has been selected in Part B (Sl. No. 8(f));
A-14	Where "re-application" is selected in Part B (Sl. No. 8(a)), and the Applicant has submitted in the undertaking that the appeal against the earlier order issued in Form No. 107 has been withdrawn, copy of the letter/application submitted before the appellate forum for withdrawal of appeal;
A-15	Cause of delay in filing application (where application is with delay as per Part B (Sl. No. 8(a) and Part B (Sl. No. 8(b)) is "No")
A-16	Cause of delay in filing re- application (where re-application is selected as per Part B (Sl. No. 8(a))
A-17	Detailed note on the activities of the Applicant.

17. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
18. The amount/ receipt mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 106
[*See* rule 181]
Order for provisional registration under section 332 or provisional approval under section 354
Rejection of application

Part A: Particulars of the Applicant		
1.	Name:	(refer Note 1)
2.	Address:	(refer Note 2)
3.	Permanent Account Number (PAN):	
Part B: Details of Registration or Approval granted		
4.	Document Identification Number:	
5.	Nature of activities:	(vii) Charitable (viii) Public Religious (ix) Public Religious and Charitable
6.	Section in which provisional registration/provisional approval is being granted (select one or more):	332(8) / 354(4)
7.	Unique Registration Number:	
8.	Date of provisional registration/provisional approval:	
9.	Tax year or years for which the trust or institution is provisionally registered or provisionally approved:	
Part C: Conditions subject to which registration/approval is being granted		
10	Application of Income (a) any income of the registered non-profit organisation shall not be applied, other than for its objects; (b) the registered non-profit organisation shall not apply any part of its total income for private religious purposes (which does not enure for the benefit of the public); (c) the registered non-profit organisation, created or established after the commencement of this Act for charitable purpose, shall not apply any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste other than the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or backward classes or women and children;	
11.	Conditions in respect of carrying out commercial activities (a) the registered non-profit organisation (other than a registered non-profit organisation carrying out advancement of any other object of general public utility) shall not carry out any commercial activity unless such commercial activity is incidental to the attainment of the objectives of the registered non-profit organisation; (b) the registered non-profit organisation, carrying out advancement of any other object of general public utility, shall not carry out any commercial activity unless such commercial activity is undertaken in the course of actual carrying out of advancement of any object of the general public utility; (c) the aggregate receipts from the commercial activity or activities carried out by the registered non-profit organisation, carrying out advancement of any other object of general public utility, shall not exceed 20% of the total receipts of such registered non-profit organisation of the relevant tax year.	
12.	Books of accounts (a) Separate books of account shall be maintained by the registered non-profit organisation in respect of the commercial activity that is incidental to the attainment of the objectives; (b) the registered non-profit organisation, carrying out advancement of any other object of general public utility, shall maintain separate books of accounts for any commercial activity undertaken by it.	
13.	Compliance with the requirements of law and conditions (a) the registered non-profit organisation shall not carry out any activity which is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered; (b) the registered non-profit organisation shall comply with the requirements of any other law.	

14.	True and complete disclosure The form for registration/approval in Form No. 104 shall be duly filled in by providing all the information or documents and no false or incorrect information or documents have been provided.	
	Part D: Details of the Authority passing the order:	
15.	Name:	
16.	Designation:	

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being non-profit organisation or fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 107

[See rule 181]

Order for grant of registration under section 332 or approval under section 354

or rejection of application

or cancellation of registration or approval granted

<table>
<tr><td colspan="4">Part A: Particulars of the Applicant</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Part B: Details of Registration or Approval granted</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Document Identification Number:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Registration/Approval Number (Unique Registration Number)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Date of registration/approval:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Nature of activities as per application:</td><td colspan="2">(x) Charitable
(xi) Public Religious
(xii) Public Religious and Charitable</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Period of validity for which the Applicant is registered or approved:</td><td colspan="2">5 years / 10 years</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Tax years for which the Applicant is registered or approval:</td><td colspan="2">(Specify)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Section in which registration/approval is being granted (refer Note 3):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Part C: Details of rejection of application or Cancellation of registration or approval granted</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Date of opportunity afforded to the Applicant before rejection or cancellation:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Reasons of rejection/cancellation:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Part D: Conditions subject to which registration/approval is being granted</td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="3"><u>Application of Income</u>

(a) any income of the registered non-profit organisation shall not be applied, other than for its objects;
(b) the registered non-profit organisation shall not apply any part of its total income for private religious purposes (which does not enure for the benefit of the public);
(c) the registered non-profit organisation, created or established after the commencement of this Act for charitable purpose, shall not apply any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste other than the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or backward classes or women and children;</td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="3"><u>Conditions in respect of carrying out commercial activities</u>

(a) the registered non-profit organisation (other than a registered non-profit organisation carrying out advancement of any other object of general public utility) shall not carry out any commercial activity unless such commercial activity is incidental to the attainment of the objectives of the registered non-profit organisation;
(b) the registered non-profit organisation, carrying out advancement of any other object of general public utili-</td></tr>
</table>

	ty, shall not carry out any commercial activity unless such commercial activity is undertaken in the course of actual carrying out of advancement of any object of the general public utility; (c) the aggregate receipts from the commercial activity or activities carried out by the registered non-profit organisation, carrying out advancement of any other object of general public utility, shall not exceed 20% of the total receipts of such registered non-profit organisation of the relevant tax year.
17.	Books of accounts (a) Separate books of account shall be maintained by the registered non-profit organisation in respect of the commercial activity that is incidental to the attainment of the objectives; (b) the registered non-profit organisation, carrying out advancement of any other object of general public utility, shall maintain separate books of accounts for any commercial activity undertaken by it.
18.	Compliance with the requirements of law and conditions (a) the registered non-profit organisation shall not carry out any activity which is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered; (b) the registered non-profit organisation shall comply with the requirements of any other law.
19.	True and complete disclosure The form for registration/approval in Form No. 105 shall be duly filled in by providing all the information or documents and no false or incorrect information or documents have been provided.
20.	Validity of registration Registration / Approval shall not be valid, it if is cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner irrespective of the tax years for which it was granted.
21.	This order is liable to be withdrawn by the Principal Commissioner or Commissioner if it is subsequently found that the activities of the Applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the Applicant has obtained the approval by fraud or misrepresentation of facts or the application contains any false or incorrect information or it is found that the assessee has violated any condition provided in the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).
Part E: Rejection of application for condonation of delay or registration or approval or cancellation of earlier registration or approval	
22.	Principal Commissioner or Commissioner to fill the reasons for rejection of application for condonation of delay or registration or approval or cancellation of earlier registration or approval: (a) (b)
Part F: Details of the Authority passing the order	
23.	Name:
24.	Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being non-profit organisation or fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 12), select the section under which the order is passed from the following codes (only single code to be selected): —

Sl. No.	Section	Code
1.	332(7)(a)	01
2.	332(7)(b)(1)(i)	02

3.	332(7)(b)(2)(i)	03
4.	354(3)(a)	04
5.	354(3)(b)(i)	05
6.	354(3)(b)(ii)	06

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 108

[*See* rule 184]

Exercise of option under section 341(7) in respect of amount applied for charitable or religious purposes

<table>
<tr><td colspan="5">Part A: Particulars of the Applicant</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td>(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address:</td><td>(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">Tax Year:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Part B: Details of regular income</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">Amount of regular income:</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">Application for charitable or religious purposes in India as per the provisions of section 341(1) to 341(4):</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">The amount of regular income in respect of which the option under section 341(5) is being exercised:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td colspan="4">Reasons for exercising option:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>The income which is not received during the tax year:</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">Any other reasons:</td></tr>
</table>

Part C: Exercise of Option
I, _____ on behalf of _____ (name of the registered non-profit organisation) having PAN _____ do hereby wish to exercise the option referred to in section 341(7) for an amount of ₹ _____ (detailed in Part B above) to be treated as deemed application as per the provisions of 341(5) for the reasons mentioned in Part B (Sl. No. 10) above.

Place: Signature:

Date: Name:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being registered non-profit organisation.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. This form is to be applied to the Assessing Officer and should be signed by a trustee/ principal officer.
4. The regular income is to be computed as per the provisions of section 335.
5. The amount for which the option is exercised will be treated as deemed application as per provisions of section 341(5).
6. The amount for which option is exercised may be applied as per the provisions of Section 341(6).
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 109

[*See* rule 185]

Statement of accumulation or setting apart of income under section 342(1)

<table>
<tr><td colspan="10">Part A: Particulars of the Applicant</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">Name:</td><td colspan="3">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="6">Address:</td><td colspan="3">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="6">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="6">E-mail Id:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="6" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td colspan="2">Country Code</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="6">Tax Year:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="10">Part B: Details of Accumulation</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td colspan="9">Accumulation for the tax year:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Purpose for which amount is being accumulated</td><td>Amount of accumulation</td><td colspan="2">Period of Accumulation</td><td colspan="4">Date of resolution passed by Trustee/Governing Body/ Managing Committee</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Starting tax year</td><td>Ending tax year</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td colspan="9">Status of Accumulation for preceding tax years:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Tax Year of accumulation (refer Note 3)</td><td>Date of filing Form No. 109</td><td>Amount accumulated</td><td>Tax Year upto which accumulated</td><td>Amount applied up to the end of the current tax year</td><td>Amount remaining for application</td><td colspan="2">Amount of accumulation treated as specified income as per section 337 (Table: Sl. No. 8)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td colspan="9">Non-application of accumulated income due to order or injunction of any court:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td colspan="2">Tax year of accumulation</td><td>Amount of accumulation</td><td colspan="3">Tax Year(s) of non-application</td><td colspan="2">Details of order or injunction by the Court</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">(Repeat, if required)</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being registered non-profit organisation.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 8), the data is to be filled in separate row for each of the tax years of accumulation.
4. This form is to be applied to the Assessing Officer and should be signed by a trustee/ principal officer.
5. For the purpose of this form the term accumulation means accumulation or setting apart of regular income.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 110

[*See* rule 186]

Application for change of purpose of accumulation or setting apart of income under section 342(5)

Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number

6.	**Part B: Details of amount accumulated or set apart and proposed change in purpose**										
Sl. No.	As per Form No. 109						Proposed change				
	Tax Year of accumulated/ setting apart	Date of filing Form No. 109	Acknowledgment Number	Ending tax year	Amount accumulated/ set-apart	Amount accumulated/ set-apart that remains unapplied	Amount accumulated/ set-apart for which change of purpose is requested [*Amount cannot be greater than amount in column G*]	Original purpose	New purpose	Date of Resolution passed by trustee/Governing body/Managing committee	Reason for change of accumulation
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Verification
I, _____, holding PAN _____, solemnly affirm that to the best of my knowledge and belief, the information given in the certificate is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Act. I further declare that I am making this certificate in my capacity _____ (designation) and I am also competent to issue this certificate.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being registered non-profit organisation.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/ district, state, country and pin code.
3. This form is to be applied to the Assessing Officer and should be signed by a trustee/ principal officer.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 111

[*See* rule 186]

Order under section 342(6) on the request for change of purpose of accumulation or setting apart of income

	Part A: Particulars of the Applicant			
1.	Name:		*(refer Note 1)*	
2.	Address:		*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):			
4.	E-mail Id:			
5.	Contact Number:		Country Code	Number
			(drop down)	
	Part B: Other Details			
6.	Details of application filed under section 342(5) for change of purpose:			
	(a)	Date:		
	(b)	Acknowledgement Number:		
7.	Date(s) of opportunities for hearing given:			
8.	Document Identification Number:			

Part C: Approval under section 342(6)

After due consideration, _____ (name of registered non-profit organisation) is hereby allowed to apply its income for such other charitable or religious purposes in India as specified in Table below which are in conformity with its objects.

Sl. No.	Tax Year	Amount accumulated	Purpose of accumulation as per Form No. 109	Changed purpose being allowed
1.				
2.	*(Repeat, if required)*			

Part D: Rejection under section 342(6)

After due consideration, _____ (name of registered non-profit organisation) for change of purpose for which income has been accumulated or set apart, is hereby rejected for the following reasons:

(1)

(2)

Place: Signature:
Date: Name of the Assessing Officer:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Applicant being registered non-profit organisation.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/ district, state, country and pin code.
3. The Assessing Officer is to fill either Part C or Part D in order to give approval or reject the application of the applicant filed in Form No. 110.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 112

[*See* rule 188]

Audit report under section 348 in the case of a registered non-profit organisation (NPO)

Part-A [Personal information of the auditee (registered non-profit organisation)]			
1.	Name:		*(refer Note 1)*
2.	Address:		*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number:		
4.	Tax Year:		
5.	Other addresses, if applicable		(*refer Note 3*)
6. *(refer Note 5)*	(a)	Whether regular income under section 335 for the tax year exceeds five crore rupees	Yes/No
	(b)	Whether foreign contribution received during the tax year exceeds ten lakh rupees	Yes/No
	(c)	Whether application of income outside India during the tax year exceeds ten lakh rupees	Yes/No

Part-B (Other information) **(Column (2) will apply if answer to either 6(a) or 6(b) or 6(c) is yes and Column 1 will apply in other cases)**			
Sl. No.	**Particulars**	**Small registered NPOs** *(Refer Note 4)*	**Large registered NPOs** *(Refer Note 4)*
		Column (1)	**Column (2)**
7.	Whether it is registered non-profit organisation as defined under section 355(g)?	Yes/No	Yes/No
8.	Type of the auditee	*(refer Note 6)*	*(refer Note 6)*
9.	Whether established under an instrument?	Yes/No	Yes/No
10.	Whether recognized under the Income-tax Act,1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)? *(refer Note 7)*	Yes/No	Yes/No *(If Yes, Schedule A)* *(Refer Note 8)*
11.	Objects of the auditee	*(refer Note 11)*	*(refer Note 11)*
12.	Whether there is any change in management during the tax year? *(refer Note 18)*	Yes/No *(If Yes, Schedule B*)	Yes/No *(If Yes, Schedule B)*
13.	Whether any modification of the objects has been adopted or undertaken?	Yes/No	Yes/No
14.	Where provisional recognition has been granted, whether activities have commenced during the tax year?	Yes/No	Yes/No *(If Yes, Schedule C)*

<table>
<tr><td>15.</td><td colspan="2">Whether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form and manner and at such place as prescribed under rule 187 by the auditee?</td><td>Yes/No</td><td>Schedule D</td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="2">Whether, in any of the projects/institutions run during the tax year, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility?</td><td>Yes/No
(If Yes, Schedule E2)</td><td>Yes/No
(If Yes, Schedule E1)</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="2">Whether there is any business undertaking as referred to in section 344</td><td>Yes/No
(If Yes, Schedule F)</td><td>Yes/No
(If Yes, Schedule F)</td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="2">Whether there is any income being profits and gains from any business as referred in section 345</td><td>Yes/No
(If Yes, Schedule G)</td><td>Yes/No
(If Yes, Schedule G)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="2">Whether the receipts on which tax has been deducted at source referred to in section 393(1) [Table: Sl. No. 1, 6, and 8(ii)] have been duly incorporated in schedule E1/E2, F and G?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No
(Fill Schedule H)</td></tr>
<tr><td>20.</td><td colspan="2">Whether the provisions of section 353 are applicable?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>21.</td><td colspan="2">Whether Form No. 113 has been furnished for the tax year?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>22.</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td colspan="6">Donations (Amount in Rs.)</td><td></td></tr>
<tr><td>Reported in Form No. 113</td><td>Non-reported in Form No. 113</td><td>Total Donations (A)+(B)</td><td>Foreign donations out of (C)</td><td>Corpus Donations out of (C)</td><td>Anonymous Donations taxable under section 337[Table: Sl. No. 1] out of (C)</td><td>Donations required to be applied (C-E-F)</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td>(B)</td><td>(C)</td><td>(D)
(refer Note 19)</td><td>(E)</td><td>(F)</td><td>(G)</td></tr>
</table>
</td><td></td><td>Schedule I, U, T,
(refer Note 14)</td></tr>
<tr><td>23.</td><td colspan="2">Regular income as referred to in Section 335</td><td>Schedule J
[Schedule J (5)]</td><td>Schedule J
[Schedule J (5)]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24.</td><td>(a)</td><td>Whether any Income is applied outside India?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>If Yes in 24(a) above, amount not to be included in regular income as per the provisions of section 338(a).</td><td>(Amount)</td><td>Schedule W [Schedule W(13)]</td></tr>
<tr><td>25.</td><td colspan="2">Regular Income required to be applied in India during the tax year [23-24]</td><td>(Amount)</td><td>(Amount)</td></tr>
<tr><td>26.</td><td colspan="2">Application of income</td><td>Schedule L
[Schedule L(xxii)]</td><td>Schedule K
[Schedule</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="6"></td><td></td><td>K(xxiv)]</td></tr>
<tr><td>27.</td><td colspan="6">Taxable regular income
<table><tr><td>Regular income (25)</td><td>Application of Income (26)</td><td>Accumulated income under section 342</td><td>Deemed accumulated income under section 343</td><td>Taxable regular income</td></tr><tr><td>(A)</td><td>(B)</td><td>(C)</td><td>(D)</td><td>(E) = (A)-[(B)+(C)+(D)] (can’t be negative)</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28.</td><td colspan="6">Specified income</td><td>Schedule N
(Schedule N(14))</td><td>Schedule M
[Schedule M(n)]</td></tr>
<tr><td>29.</td><td colspan="6">Residual Income as per Section 355(j)</td><td>(Amount)</td><td>(Amount)</td></tr>
<tr><td>30.</td><td colspan="6">Total Income (27E+28+29)</td><td>(Amount)</td><td>(Amount)</td></tr>
<tr><td>31.</td><td>(a)</td><td colspan="5">Whether there is application of income out of the sources other than the total income of tax year?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td>(b)</td><td colspan="5">If yes, in 31(a) above, please fill the schedule</td><td>Schedule P
(Schedule P(7))</td><td>Schedule O
(Schedule O(G)(3))</td></tr>
<tr><td>32.</td><td>(a)</td><td colspan="5">Whether provisions of section 353 are applicable?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td>(b)</td><td colspan="5">If yes in 32(a) above, please fill the schedule</td><td>Schedule Q</td><td>Schedule Q</td></tr>
<tr><td>33.</td><td colspan="6">Amount of expenditure incurred during the tax year which is of a religious nature</td><td>(Amount)</td><td>(Amount)</td></tr>
<tr><td>34.</td><td colspan="6">Percentage of expenditure (which is of religious nature to the total income as mentioned in Row 30 above)
[(33/30) %]</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35.</td><td colspan="6">Details of related person (refer Note 16) as referred to in section 355(h)
<table><tr><td>Code of Person referred to in section 355(h) (refer Note 12)</td><td>Name of such person</td><td>PAN of such person</td><td>Aadhar number of such person, if allotted</td><td>Address of such person</td><td>If code 2 selected in column (1) specify the amount of contribution made to the auditee</td></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td></td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36.</td><td>(a)</td><td colspan="5">Is there any transaction with any related person?</td><td>Yes/No</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td></td><td>(b)</td><td colspan="5">If yes in 36(a) above, please fill the amount particulars of such transactions</td><td>(Amount) of the transactions</td><td>Schedule R</td></tr>
</table>

37.	(a)	Is there any specified violation?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes, in 37(a) above, please fill the schedule	Schedule S	Schedule S
38.	(a)	Whether there is any claim of depreciation or otherwise has been made in respect of any asset in contravention to section 341(3)(a), acquisition of which has been claimed as an application of income?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes in 38(a) above, amount of such depreciation claimed	(Amount)	(Amount)
39.	(a)	In view of provisions of section 333, please specify whether deduction claimed under section 11 during the tax year?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes in 39(a) above, amount of such claim	(Amount)	(Amount)
40.	(a)	Whether taken or accepted any loan or deposit or any specified sum, exceeding the limit specified in section 185 during the tax year?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes in 40(a) above, please fill the schedule	Schedule ZI	Schedule ZI
41.	(a)	Whether received an amount exceeding the limit specified in section 186?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes in 41(a) above, please fill the schedule	Schedule ZJ	Schedule ZJ
42.	(a)	Whether repaid any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 188, during the tax year?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes in 42(a) above, please fill the schedule	Schedule ZK	Schedule ZK
43.	(a)	Whether required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XIX-B?	Yes/No	Yes/No
	(b)	If yes in 43(a) above, please fill the Schedules as applicable	Schedules ZL-1 to ZL-3	Schedules ZL-1 to ZL-3

Schedule A

Details of recognition of the auditee under the Act (details of all the recognition which are valid during the tax year should be provided, however where the auditee has got the recognition after provisional recognition the details of provisional recognition need not be provided)					
Relevant Act (Income-tax Act,1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) /or Income-tax Act, 2025 (30 of 2025))	Section of the Act *(refer note 8)*	Date (dd/mm/yyyy)	Unique Recognition No. (URN), if available	Authority granting recognition	Date from which recognition is effective (dd/mm/yyyy)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Schedule B

(a) Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) of the auditee at any time during the tax year							
Name of person	Relation with the auditee (*refer Note 9)*	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number (refer Note 10)	ID Code (refer Note 10)	Address	Whether there is any change in relation during tax year (Yes/No)	If Yes, specify the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(b) In case if any of the persons [as mentioned in row (a)] is not an individual, then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person at any time during the tax year								
Sl. No.	Name	Unique Identification Number (refer Note 10)	ID Code (refer Note 10)	Address	Non individual person [as mentioned in row (a)] in which beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership	Whether there is any change during the tax year of audit (Yes/No)	If yes, specify the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Schedule C

(i)	Date of commencement of activities					d d m m y y y y
(ii)	Whether application for registration under section 332(3)(Table: Sl. No 3) has been filed?					Yes/No
(iii)	If yes in (ii) above, provide the following details regarding application for registration under section 332(3)(Table: Sl. No 3)					
	S.No	Date of Application	Status of registration in pursuance to application	Date of Registration /Cancellation based on such application	URN of such registration	
			(Pending/ Registration granted/Registration cancelled)	(dd/mm/yyyy)		

Schedule D

Details of the books of account and other documents								
S. No	Nature Books *(Refer Note 12)*	Whether maintained by the auditee (Yes/No)	Whether maintained in a computer system, (Yes/No)	Whether maintained at registered office (Yes/No)	If maintained at any place other than the registered place			Whether the books of account have been audited (Yes/No)
					Address of such Place	Date of decision by management to keep account at such place	Date of intimation books of accounts are kept at such place under rule 187(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Schedule E1

(A)	Whether any commercial activity is being carried on by the auditee referred to in section 346?	Yes/No
(B)	If yes, then percentage of receipt from such commercial activity vis-à-vis total receipts	%
(C)	Whether such commercial activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility	Yes/No
(D)	Gains from such commercial activities during the tax year under section 335(e)	(Amount)

If (A) is Yes, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that project/institution

S.No	Name of Project/ Institution	Amount of aggregate annual receipts from activities referred in (A) above (In Rs.)
(I)	(II)	(III)
Total		

Schedule E2

(A)	Whether any commercial activity is being carried on by the auditee referred to in section 346?	Yes/No
(B)	If yes, then percentage of receipt from such commercial activity vis-à-vis total receipts	%
(C)	Whether such commercial activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility	Yes/No
(D)	Gains from such commercial activities during the tax year under section 335(e)	(Amount)
(E)	Amount of aggregate annual receipts from activities referred in (A) above (In Rs.)	(Amount)

Schedule F

	Provide the following details of the business undertaking:		
	(a)	Nature of Business Undertaking	

	(b)	Business Code	
	(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business undertaking (refer note 13)	Yes/No
	(d)	Aggregate Annual receipts from such business undertaking	(Amount)
	(e)	Gains from such commercial activities during the tax year under section 335(e)	(Amount)

Schedule G

	Provide the following details of such business:		
	(a)	Nature of Business	
	(b)	Business Code	
	(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business (refer note 13)	Yes/No
	(d)	Whether the business is incidental to the attainment of the objects of the auditee	Yes/No
	(e)	Aggregate Annual receipts from such activities	(Amount)
	(f)	Gains from such commercial activities during the tax year under section 335(e)	(Amount)

Schedule H

Details of the receipts of the auditee on which tax has been deducted at source referred to in section 393(1)[Table: Sl . No. 1, 6, and 8(ii)] :

Name of the deductor	TAN of deductor	Amount on which tax has been deducted at source	Amount of tax deducted at source	Provision under which tax has been deducted at source	Aggregate receipts from		Receipt in column 7 included in schedule E1(III)/Schedule E2(E)	Receipt in column 7 included in schedule F(d)	Receipt in column 7 included in schedule G(e)	Receipt in column 7 included in none of (9), (10) and (11)
					Commercial Activity	Others (specify the nature)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Schedule I

Donations not reported in Form No. 113/Not required to fill Form No. 113				
(i)	Donations qualifying under section 133(1)(b)(vi) received by the auditee			(Amount)
(ii)	Donations received by the auditee which qualifies for deduction under section 133 (other than those donations qualifying under section 133(1)(b)(vi) or section 133(1)(b)(ii))			(Amount)
	Donation received by the auditee	(a)	Cash donations exceeding ₹ 2000 not qualifying under section 133(5)	(Amount)

(iii)	approved u/s 354 and which are not qualifying u/s 133(3)/(4)/(5)	(b)	Donations received from other registered non-profit organisations not eligible for deduction	(Amount)
		(c)	Others < Specify the nature>	(Amount)
		(d)	Total (a)+(b)+(c)	(Amount)
(iv)	Donations which could not be reported in Form No. 113 due to non-availability of identification of donor as required under Form No. 113			(Amount).
(v)	Donations received in kind not qualifying as per the provisions of section 133(4)			(Amount)
(vi)	Anonymous Donations referred to in section 337(Table: S. No. 1)			
	(a)	Amount of anonymous donations received by a registered non-profit organisation not taxable under section 337[Table: Sl. No 1]		(Amount)
	(b)	Amount of anonymous donations other than (a) above, which are upto ₹ 100000 or 5% of donations, whichever is higher, and not taxable under section 337[Table: Sl. No 1]		(Amount)
	(c)	Other anonymous donations taxable @ 30 % under section 337 [Table: Sl. No 1]		(Amount)
	(d)	Total (a+b+c)		(Amount)
(vii)	Any other donation not part of Form No. 113		(specify the nature)	(Amount)
(viii)	Total donation not reported in Form No. 113 [(i)+(ii)+(iii)(d) +(iv)+(v)+(vi)(d)+(vii)]			(Amount)

Schedule J

S. no	Section	(Amount)
1	Income from any charitable or religious activity, for which such non-profit organisation is registered, as referred to in section 335(a)	
2	Income derived from property, deposit or investment as referred to in section 335(b)	
3.	Income derived from property, deposit or investment as referred to in section 335(c)	
3	Donations as referred to in section 335(d)<row no.22G>	
4	Gains from commercial activities, if any, as referred to in section 335(e) < Schedule E1/E2(D) + schedule F(e) + schedule G(f)>	Schedule E1/E2(D) + schedule F(e) + schedule G(f)
5	Total Regular income [1+2+3+4]	

Schedule K

Application of Income (excluding application not eligible and reported under Row number 31)					
(i)	Total amount applied for charitable or religious purposes in India during the tax year		Electronic (Amount) *(refer Note 15)*	Other than Electronic (Amount)	(Amount)
	(a)	Donation to any other person during the tax year			(Amount)
		Object wise application other than the application provided in (a)			
		(I) Religious			(Amount)
		(II) Relief of poor			(Amount)
		(III) Education			(Amount)
		(IV) Medical relief			(Amount)
		(V) Yoga			(Amount)

	(b)	(VI)	Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)			(Amount)
		(VII)	Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest			(Amount)
		(VIII)	Advancement of any other objects of general public utility			(Amount)
		(IX)	Application which cannot be specifically categorised under (I) to (VIII)			(Amount)
		(X)	Total			(Amount)
	(c)	Total application [(a) + (b)(X)]				(Amount)

(ii)	Details of application out of (i) (a) and (i) (b) resulting in payment in excess of rupees. 50 lakh during the tax year to any person									
	S.No.	Name of person to whom amount paid or credited	PAN of such person	Amount of application	Mode of application			TDS		
					+Electronic modes (Amount) *(Refer Note 15)*	Other than Electronic modes (Rs.)	Total	Whether any TDS has been deducted Yes/No	Provision under which TDS has been deducted	

(iii)	Amount which was not actually paid during the tax year [if included in (i)(c)]	(Amount)
(iv)	Amount actually paid during the tax year which accrued during any earlier tax year but not claimed as application of income in earlier tax year	(Amount)
(v)	Total amount to be allowed as application [(i)(c)- (iii) +(iv)]	(Amount)
(vi)	Bifurcation of application in (v) into Revenue or Capital	(Amount)
	(a) Revenue	(Amount)
	(b) Capital	(Amount)
(vii)	Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding tax year and not claimed as application during that tax year.	(Amount) [fill Schedule T(4)]
(viii)	Repayment of loan or borrowing during the tax year which was earlier applied and not claimed as application during that tax year.	(Amount) (fill Schedule V)
Amount to be disallowed from application		
(ix)	Amount disallowable under section 341(1)(a) read with section 35(b)(i)	(Amount) (fill schedule ZF)
(x)	Amount disallowable under section 341(1)(a) read with section 36(4)/section 36(5)/section 36(6)	(Amount) (fill schedule ZG/schedule ZH)
(xi)	Donation to any registered non-profit organisation towards Corpus as per section 341(3)(c)	(Amount)
(xii)	Donation to any registered non-profit organisation not having same objects/purposes as referred to in section 341(1)(a)	(Amount)

(xiii)	Donation to any person other than any registered non-profit organization purposes as referred to in section 341(1)(a)	(Amount)
(xiv)	15% of Donation to any registered non-profit organization [section 341(1)(b)]	(Amount) [15% of (i)a)]

(xv)	Application outside India for which general or special order from the Board under section 338(a) has not been obtained	(Amount) [Schedule W(12)]
(xvi)	Application outside India for which general or special order from the Board under section 338(a) has been obtained	(Amount) (Row No 24)
(xvii)	Applied for any purpose other than the objects of the auditee as per section 341(1)(a)	(Amount)
(xviii)	Application of income for the benefit of related persons	(Amount) [Schedule M(b)]
(xix)	Depreciation not allowable as per section 341(3)(a)	(Amount)
(xx)	Income accumulated u/s 342	(Amount)
(xxi)	Any other disallowance (Please specify)	(Amount)
(xxii)	Total allowable application [{(v)+(vii)+(viii) – {(ix) to (xxi)}]	(Amount)
(xxiii)	Amount deemed to be applied as per section 341(5)	(Amount)
(xxiv)	Capital Gains deemed to be applied as per section 341(9)	(Amount)
(xxv)	Total Application (including deemed application) [(xxii) + (xxiii) + (xxiv)]	(Amount)

Schedule L

Application of income (excluding application not eligible and reported under row 31)		
(i)	Total amount applied for charitable or religious purposes in India during the tax year	(Amount)
(ii)	Amount which was not actually paid during the tax year [if included in (i)]	(Amount)
(iii)	Amount actually paid during the tax year which accrued during any earlier tax year but not claimed as application of income in earlier tax year	(Amount)
(iv)	Total amount to be allowed as application [(i)- (ii) + (iii)]	(Amount)
(v)	Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding tax year and not claimed as application during that tax year	(Amount) [fill Schedule T(4)]
(vi)	Repayment of loan or borrowing during the tax year which was earlier applied and not claimed as application during that tax year	(Amount)
Amount to be disallowed from application		
(vii)	Amount disallowable under section 341(1)(a) read with section 35(b)(i)	(Amount) [Fill schedule ZF]
(viii)	Amount disallowable under section 341(1)(a) read with section 36(4)/section 36(5)/section 36(6)	(Amount) [Fill schedule ZG/schedule ZH)]
(ix)	Donation to any registered non-profit organization towards Corpus as per section 341(1)(c)	(Amount)
(x)	Donation to any registered non-profit organisation not having same objects as per section 341(1)(a)	(Amount)

(xi)	Donation to any person other than any registered non-profit organization as per section 341(1)(a)	(Amount)
(xii)	15% of donation to any registered non-profit organization having same objects	(Amount)
(xiii)	Application outside India for which approval under section 338(a) has not been obtained	(Amount)
(xiv)	Application outside India for which approval under section 338(a) has been obtained	(Amount)
(xv)	Applied for any purpose other than the objects of the auditee as per section 341(1)(a)	(Amount)
(xvi)	Application of income for the benefit of related persons	(Amount)
(xvii)	Depreciation not allowable as per section 341(3)(a)	(Amount)
(xviii)	Income accumulated u/s 342	(Amount)
(xix)	Any other disallowance (Please specify)	(Amount)
(xx)	Total allowable application [{(iv)+(v)+(vi) – {(vii) to (xix)}]	(Amount)
(xxi)	Amount deemed to be applied as per section 341(5)	(Amount)
(xxii)	Capital Gains deemed to be applied as per section 341(9)	(Amount)
(xxiii)	Total Application (including deemed application) [(xx) + (xxi) + (xxii)]	(Amount)

Schedule M

Specified Income under Section 337			
(a)	Anonymous Donation forming part of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No 1]		(Amount) [Schedule I(vi)(c)]
(b)	Whether the auditee has applied any portion of its income directly or indirectly for the benefit of any related person as referred to in section 337[Table: Sl. No. 2]. If yes, amount of such Specified Income	Yes/No	(Amount) [Schedule ZD-1(11)+ ZD-2(13) +ZD-3(8) + ZD-4(11) + ZD-5(15)+ ZD-6(10)+ ZD-7(15)+ZD-8(10)+ZD-9(6) + ZD-10(14)]
(c)	Whether the auditee has made any application out of India. If yes, amount of such Specified Income as referred to in Section 337[Table: Sl. No. 3].	Yes/No (If yes fill schedule W)	(Amount) [W(12)]
(d)	Whether any investment is made in contravention to the provisions of section 350. If yes, then amount of Specified Income as referred to in section 337 [Table: Sl. No 4] on account of investment in contravention to section 350 out of – (I) Accumulated Income (Amount in Rs.) <Schedule ZB(14)> (II) Deemed Accumulated Income (Amount in	Yes/No	(Amount)

	Rs.) (III) Corpus (Amount in Rs.) (IV) Deemed Corpus (Amount in Rs.) (V) Any other Fund (Amount in Rs.)		
(e)	Specified Income under Section 337[Table: Sl. No. 5] on account of violation of conditions specified in section 340 with respect to deemed corpus		(Amount)
(f)	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes as referred to in section 337[Table: Sl. No 6]. If yes, amount of such Specified Income.	Yes/No (If yes fill schedule ZB)	(Amount) [Schedule ZB(10)]
(g)	Whether income accumulated ceases to be accumulated or set apart for application thereto as specified under section 342(1) as referred to in section 337[Table: Sl. No. 7]. If yes, amount of such Specified Income.	Yes/No (If yes fill schedule ZB)	(Amount) [Schedule ZB(14)]
(h)	Whether income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period as specified in section 342(1), as referred to in section 337[Table: Sl. No. 8]. If yes, amount of such Specified Income.	Yes/No (If yes fill schedule ZB)	(Amount) [Schedule ZB(15)]
(i)	Whether such income accumulated is credited or paid to any other registered non-profit organisation during the period as specified in section 342(1), as referred to in section 337(Table: Sl. No. 9). If yes, amount of such Specified Income.	Yes/No (If yes fill schedule ZB)	(Amount). [Fill from Schedule ZB(11)]
(j)	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 10] being income applied to purposes other than charitable or religious purposes for which auditee is registered		(Amount).
(k)	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 11] being income determined under section 344 in excess of the income shown in the books of account of business undertaking		(Amount)
(l)	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 12] being Fair market value of any asset, where it is not held in forms or modes specified in paragraph 1(1) to (30) of Schedule XVI even after the expiry of one year from the end of tax year in which such asset is acquired		(Amount)
(m)	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 13] being any deemed application under section 341(5) not actually applied by the registered non-profit organization for its objects in India within the period specified in section 341(6)		(Amount)
(n)	Total Specified Income as per provisions of section 337 [sum of 33(a) to 33(m)]		(Amount)

Schedule N

S. no	Specified Income under section 337	(Amount)
1	Anonymous Donation forming part of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No 1]	
2	Whether the auditee has applied any portion of its income directly or indirectly for the benefit of any related person as referred to in section 337[Table: Sl. No. 2]. If yes, amount of such Specified Income	
3	Whether the auditee has made any application out of India. If yes, amount of such Specified Income as referred to in Section 337[Table: Sl. No. 3].	
4	Whether any investment is made in contravention to the provisions of section 350. If yes, then amount of Specified Income as referred to in section 337 [Table: Sl. No 4] on account of investment in contravention to section 350 out of – (I) Accumulated Income (Amount in Rs.) (II) Deemed Accumulated Income (Amount in Rs.)	

	(III) Corpus (Amount in Rs.) (IV) Deemed Corpus (Amount in Rs.) (V) Any other Fund (Amount in Rs.)	
5	Specified Income under Section 337[Table: Sl. No. 5] on account of violation of conditions specified in section 340 with respect to deemed corpus	
6	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes as referred to in section 337[Table: Sl. No 6]. If yes, amount of such Specified Income.	
7	Whether income accumulated ceases to be accumulated or set apart for application thereto as specified under section 342(1) as referred to in section 337[Table: Sl. No. 7]. If yes, amount of such Specified Income.	
8	Whether income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period as specified in section 342(1), as referred to in section 337[Table: Sl. No. 8]. If yes, amount of such Specified Income.	
9	Whether such income accumulated is credited or paid to any other registered non-profit organisation during the period as specified in section 342(1), as referred to in section 337(Table: Sl. No. 9). If yes, amount of such Specified Income.	
10	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 10] being income applied to purposes other than charitable or religious purposes for which auditee is registered	
11	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 11] being income determined under section 344 in excess of the income shown in the books of account of business undertaking	
12	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 12] being Fair market value of any asset, where it is not held in forms or modes specified in paragraph 1(1) to (30) of Schedule XVI even after the expiry of one year from the end of tax year in which such asset is acquired	
13	Specified Income under section 337[Table: Sl. No 13] being any deemed application under section 341(5) not actually applied by the registered non-profit organization for its objects in India within the period specified in section 341(6)	
14	Total Specified Income {Sum of amounts mentioned under codes 1 to 13 above}	

Schedule O

Application of income out of the following sources during the tax year				
		Electronic modes *(refer Note 15)* (1)	Other than Electronic modes (2)	Total Amount (3)
(A)	Income accumulated during any earlier tax year			(Fill schedule ZB)
(B)	Income deemed to be applied in any preceding year under Explanation 1(2) to section 11(1) of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) during any earlier t a x year			(Fill schedule X)
(C)	15% Deemed Accumulated income of any earlier tax year			
(D)	Corpus			(Fill Schedule T)
(E)	Borrowed fund			(Fill Schedule V)
(F)	Any other (Please specify)			
(G)	Total			

Details of application resulting in payment or credit in excess of Rs. 50 lakhs during tax year to a single person out of the above									
S.no	Name of person	PAN	Amount of application	Mode of Application			TDS		
				Electronic modes *(refer Note 15)*	Other than Electronic modes	Total	Whether any TDS has been deducted (Yes/No)	Provision under which TDS has been deducted	Amount of TDS

Schedule P

S. no	Section	Amount
1	Income accumulated during any earlier tax year	
2	Income deemed to be applied in any preceding year under *Explanation* 1(2) to section 11(1) during any earlier tax year	
3	15% Deemed Accumulated income of any earlier tax year	
4	Corpus	
5	Borrowed Fund	
6	Any other (please specify)	
7	Total	

Schedule Q

(i)	Specify the reason why the provisions of section 353 are applicable?		
	(a)	Provisions of section 346 are not complied with (Restriction on commercial activities by a registered non-profit organization carrying out advancement of GPU)	Yes/No
	(b)	Provisions of section 347 are not complied with (Books of Account)	Yes/No
	(c)	Provisions of section 348 are not complied with (Audit)	Yes/No
	(d)	Provisions of section 349 are not complied with (Return of income)	Yes/No
(ii)	If yes in (i), please provide computation of income chargeable under section 353		
	(a)	Income for the tax year	(Amount)
	(b)	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the auditee,	(Amount)
	(c)	Expenditure to be disallowed	

				(i)	Capital Expenditure [Section 353(3)(a)]	(Amount)
				(ii)	Expenditure incurred outside India [Section 353(3) (a)]	(Amount)
				(iii)	Expenditure which is not for the objects of registered non-profit organization [Section 353(3) (b)]	(Amount)
				(iv)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the registered non-profit organisation as on the end of the tax year immediately preceding the tax year for which income is being computed [section 353(3) (c)]	(Amount)
				(v)	Expenditure from any loan or borrowing [section 353(3) (d)]	(Amount)

				(vi)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other tax year [section 353(3) (e)]	(Amount)
				(vii)	Expenditure in the form of donation to any person. [section 353(3) (f)]	(Amount)
				(viii)	Amount disallowable under section 353(3) (h) read with section 35(b)(i)	(Amount) (fill schedule ZF)
				(ix)	Amount disallowable under section 353(3) (g) read with section 36(4) /section 36(5)	(Amount) (fill schedule ZG/Schedule ZH)
				(x)	Any other disallowance	(Amount)
				(xi)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii))+(viii))	(Amount)
			(d)		Income chargeable to tax under section 353 [a – b+c(ix)]]	(Amount)

Schedule R

42.	Details of transactions referred to in section 337 (Table: Sl. No. 2)	
(a)	Whether any part of the income or property of the auditee is, or continues to be, lent to any related person for any period during the tax year;	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-1)
(b)	Whether any land, building or other property of the auditee is, or continues to be, made available for the use of any related person, for any period during the tax year;	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-2)
(c)	Whether any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the tax year to any related person out of the resources of the auditee for services rendered by that person to such auditee;	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-3)
(d)	Whether the services of the auditee are made available to any related person during the tax year;	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-4)
(e)	Whether any share, security or other property is purchased by or on behalf of the auditee from any related person during the tax year;	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-5/ZD-6)
(f)	Whether any share, security or other property is sold by or on behalf of the auditee to any related person during the tax year;	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-7/ZD-8)
(g)	Whether any income or property of the auditee is diverted during the tax year in favour of any related person	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-9)
(h)	Whether any funds of the auditee are, or continue to remain, invested for any period during the tax year, in any concern in which any related person has a substantial interest.	Yes/No (If yes, fill Schedule ZD-10)

Schedule S

Specified Violation			
Whether the auditee has incurred any specified violation as referred to in section 351(1) and the amount of such violation		Yes/No	(Amount)
(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the auditee. [Section 351(1)(a)]	Yes/No	(Amount)

(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives in contravention to the provisions of section 345. [Section 351(1)(b)]	Yes/No	(Amount)
(c)	Whether the auditee has applied any part of its income for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public. [Section 351(1)(c)]	Yes/No	(Amount)
(d)	Whether the auditee has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste other than the Scheduled Castes or the Schedules Tribes or backward classes or women or children. [Section 351(1)(d)]	Yes/No	(Amount)
(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered. [Section 351(1)(e)]	Yes/No	(Amount)
(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality. [Section 351(1)(f)]	Yes/No	(If yes, fill schedule ZE)
(g)	Whether the auditee's application referred to in section 332(1) contains any false or incorrect information. [Section 351(1)(g)]	Yes/No	(If yes, please specify)

Schedule T

Details of Corpus

Type of corpus donation	Opening balance at the beginning of the tax year (Corpus not applied till the beginning of the tax year) (1)	Received/Treated as corpus during the tax year (2)	Applied during the tax year (3)	Amount invested or deposited back in to corpus (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions) (4)	Total amount invested or deposited back in to corpus (5)	Tax year in which (4) was applied earlier (6)	Closing balance (7) [(1+2+5)-3]	Invested in modes specified in section 350 (8)	Amount taxed in earlier tax year (9)	Invested in modes other than specified in section 350 as on last day of the tax year (10)	If corpus donation is of type (i) then whether it fulfills the following conditions			
											Amount applied out of corpus for the purpose	Contribution or donation to any person;	Maintained as not separately identifiable	invested or deposited in the forms and modes

(i) Representing donations received for the renovation or repair of places notified under section 133(1)(b)(vi)on or after 01.04.2020											Yes/ No	Yes/ No	Yes/ No	Yes/ No
(ii) – Other than (i) above received on or after 01.04.2021														
(iii) Other than (i) and (ii) above														

Schedule U

Details of foreign contribution			
S.No	(1)	(2)	(3)
(a)	Nature of foreign contribution received during the tax year	Amount of foreign contribution received during the tax years (In Rs.)	Application from such contribution during the tax year Amount In Rs.
	(i) Corpus		
	(ii) Non- corpus		
(b)	Interest accrual on the foreign contribution as referred to in Explanation 2 to section 2(1)(h) of FCRA		
(c)	Total		

Schedule V

Details of Loan and Borrowing						
Opening balance as on 1st April of the tax year	Loan and borrowings taken for applications towards objectives during the tax year	Applied for the objects of the registered non-profit organisation during the tax year	Amount of repayment of loan or borrowing during the tax year (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions as required)	Financial year in which (4) was applied earlier	Total repayment of loan or borrowing during the tax year (In Rs.)	Closing Balance as on 31st March (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Schedule W

Details of income applied outside India												
S.No.	Name of the person to whom remittance is made	Taxpayer Identification Number if available	Amount of remittance out of India which is reported in Form No. 145	Amount of remittance outside India other than (4)	Charitable or religious purpose for which application is made	Country of application	Whether applied f	If approval for application outside India has been taken			Amount of Specified income under section 337[Table: Sl. No. 3]	Amount of income not to be included in regular income as per section 338 (a)
								Approval number	General/ special	Date of approval		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Schedule X

Details of deemed application under Explanation 1 to section 11(1)/section 341(5) and deemed income under section 11(1B)/section 337[Table: Sl. No. 13];									
Year in which income is deemed to be applied (Tax Year)	Date of furnishing Form No. 108 (dd/mm/yyyy)	Amount deemed to be applied during the tax year referred to in column 1	Reason of deeming application (a) income has not been received during that year (b) any other reason	Out of the deemed application claimed earlier, amount required to be applied	Amount taxed in any earlier tax year out of the amount referred to in column (5) (Fill schedule ZA)	Out of the deemed application claimed, amount required to be applied during the current tax year	Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the current tax year	Amount which could not be applied and deemed to be income under section 11(1B)/ section 337[Table: Sl. No. 13] during the tax year	Balance Amount of deemed application
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)-(7) = (10)
Dropdowns to be provided			*Dropdowns to be provided*						

Schedule ZA:

Details of accumulated income taxed in earlier tax years as per section 11(1B)/section 337[Table: Sl.No.13]					
	Assessment year/Tax year in which the amount referred to in column (3) of schedule X was taxed Dropdowns to be provided last five tax years beginning from the tax year preceding the current tax year				
Year of accumulation (Tax Year)	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy

Dropdowns to be provided for last five tax years beginning from the current tax year Yyyy – yyyy					
Total					

Schedule ZB

The details of accumulation															
Sl. No.	Year of accumulation (FY)	Date of furnishing Form No. 109	Amount accumulated	Purpose of accumulation	Amount applied for purposes up to the beginning of tax year	Balance amount to be applied [(3)-(5)]	Amount taxed in any earlier tax year (Fill schedule ZC)	Balance available for application [(6)-(7)]	Amount applied during the tax year out of previous years accumulation	Amount applied for purposes other than the purposes for which accumulation was made (if applicable)	Amount credited/paid to any registered NPO (if applicable)	Balance amount available for application [(8)-(9)-(10)-(11)]	Amount invested or deposited in the modes specified in section 350(out of 12)	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 350(out of 12)	Amount which is not utilised during the period of accumulation (if applicable)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
	Provide drop down for the last 7 FY														

Schedule ZC

Details of accumulated income taxed in earlier tax years under section 342					
	Tax Year in which this amount was taxed *Dropdowns to be provided last five tax years beginning from the tax year preceding the current tax year*				
Year of accumulation (F.Y.)	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy
Dropdowns to be provided for last five tax years beginning from the current tax year Yyyy –					

yyyy					
Total					

Schedule ZD-1

Details of any part of income or property of the auditee which is lent, or continues to be lent, to the related person during the tax year										
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Details		Details of Security			Details of interest		Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No. 2]
			Nature of income or property which is lent	Amount for which income or property is, or continues to be, lent to related person for any period during the tax year	Nature of security	Value	Value of adequate security	Actual rate of interest that is charged	Adequate rate of Interest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Schedule ZD -2

Details of land, building or other property of the auditee which is, or continues to be, made available during the tax year for use of the related person, during the tax year :												
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Details of asset		Duration for which asset is, or continues to be, made available for the use of related person during the tax year,		Details of rent for the tax year		Details of other compensation for the tax year			Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No 2]
			Nature of asset	Address	From dd/mm/yyyy	To dd/mm/yyyy	Amount of rent	Adequate rent	Nature	Amount of compensation	Adequate compensation	
(1)	(2)	(3)	(4) (land/ building/ other property)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Schedule ZD -3

Details of salary, allowance or otherwise which is paid to the related person out of the resources of the auditee for services rendered by him during the tax year							
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Nature of services rendered by related person	Details of payment for the tax year			Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No 2]
				Nature of payment	Amount of payment (in Rs)	Reasonable amount for services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				[Salary/ Allowance/ Otherwise (please specify)]			

Schedule ZD -4

Details of the services of the auditee are made available to the related person during the tax year.										
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Details of services		Details of remuneration for the tax year		Details of compensation for the tax year			Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No 2]
			Nature of services made available	Value	Actual amount of remuneration for the service	Adequate remuneration for the service	Nature of compensation for the service	Actual amount of compensation for the service	Adequate compensation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Schedule ZD -5

Details of any share, security is purchased by or on behalf of the auditee from the related person during the tax year.														
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Nature of property purchased	Details of Shares or Security					Details of other property being movable					Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No. 2]
				Name of the company/ concern of which the shares are purchased	Number of shares purchased during the tax year	Price of each share/security	Total consideration paid for share or security	Adequate consideration for shares or security	Nature of property	Number of property purchased	Price of property	Total consideration paid for property	Adequate Consideration	

			(Share/ Security / Other Property)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Schedule ZD -6

Details in case of other property being immovable:									
S. No.	Name of related person	PAN Related person	Type of asset	Address	Area (in Sq ft)	Stamp duty value	Details of Consideration		Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No. 2]
							Amount of consideration paid for asset	Adequate consideration n for asset	
			[Land/ Residential/ Commercial Property etc)]						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule ZD -7

Details of any share, security which is sold by or on behalf of the trust or institution to a related person during the tax year.														
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Nature of property sold	Details of Shares or Security					Details of Other Property being Movable					
				Name of the Company or Concern of which the shares are sold	Number of shares sold during the tax year	Price of each share or security	Total consideration on share /security	Adequate consideration on for share or security	Nature of movable property	Number of movable properties sold	Price of movable property	Total consideration on for property	Adequate consideration on	Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No. 2]
			(Share / Security /											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Schedule ZD -8

Details in case of other property being immovable:									
S. No.	Name of related person	PAN of related person	Type of asset	Address of property	Area (in Sq ft)	Stamp Duty Value	Details of Consideration		Amount of Specified Income as per section 337[Table:
							Amount of consideration for asset	Adequate consideration for asset	

			< Land/ Residential/ Commercial Property etc.)						Sl. No. 2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule ZD -9

Details of any income or property which is diverted during the tax year in favour of any related person					
S No	Name of related person in whose favor income or property diverted	PAN of related person	Details of Income or property that is diverted		Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No. 2]
			Nature of Income or property that is diverted	Value of income or property that is diverted (In Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Schedule ZD -10

Details of any funds that are, or continue to remain, invested in any concern during the tax year in which the related person has a substantial interest													
S No		Details of the Concern in which funds are, or continue to remain, invested								Details of substantial interest			
Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Name of concern	Address of concern	Amount that is or continues to remain invested in concern during the year (In Rs.)	duration of investment during the tax year		Nature of investment	Income from investment during the year	Name of specified person having substantial interest in concern	PAN of specified person	Nature of substantial interest	Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Amount of Specified Income as per section 337[Table: Sl. No. 2]
				From dd/mm/yyyy	To dd/mm/yyyy							
	(Company/ Others)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Schedule ZE

Details of violation of other laws						
S.no	Name of law under which non-compliance has occurred	Nature of non-compliance	Date of order, direction or decree, holding that such non-compliance has occurred	Whether the order, direction or decree, has been disputed before any court or appellate forum	If yes, whether dispute has attained finality	Has the dispute been finalised in favour of the auditee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Schedule ZF

TDS disallowable: Details of amounts disallowable under section 341(1)(a) read with section 35(b)(i):							
(a) Details of payment on which tax is not deducted							
Date of payment dd/mm/yyyy	Amount of payment	Nature of payment		Name of Payee	PAN of payee	Address of Payee	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
(b) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in section 263(1)							
Date of Payment Dd/mm/yyyy	Amount of payment	Nature of payment	Name of Payee	PAN of payee	Address of Payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Schedule ZG

36(4): Details of amount disallowable under section 341(1)(a) read with section 36(4)						
S. No.	Date of payment	Amount of payment	Nature of payment	Details of payee		
				Name	PAN	Address

Schedule ZH

Details of Amount disallowable under section 341(1)(a) read with section 36(5)						
S. No.	Date of payment	Amount of payment	Nature of payment	Details of payee		
				Name	PAN	Address

Schedule ZI

Details of loan or deposit or any specified sum taken, exceeding the limit specified in section 185 during the tax year									
S.No	Name of the lender or depositor	PAN or aadhaar, if available	Address	Loan or deposit or any specified sum	Amount of loan or deposit taken or accepted	Whether the loan or deposit was squared up during the tax year? Yes/No	Maximum amount outstanding in the account at any time during the tax year	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether account payee if by cheque or Bank draft?

Schedule ZJ

Details of amount received exceeding the limit specified in section 186, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the tax year (Refer Note 17)				
Details of Payer and amount of payment				
S. No.	*Name*	*PAN, if available*	*Address*	*Amount of payment*

Schedule ZK

Details of repayment of any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section188, during the tax year?											
	Details of Payee			Details of Transaction						Mode of Repayment	
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan or deposit or any specified advance	Amount	Please specify mode of receipt [by cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other]	Whether Account payee, if by cheque or bank draft?	Whether Squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque or Bank draft or use electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether account payee if by cheque or bank draft?

Schedule ZL-1

TDS/TCS									
Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Section	Nature of Payment or receipt	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule ZL-2

Statement of TDS/TCS				
Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Schedule ZL-3

Schedule Interest on TDS/TCS			
Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 398(3) is payable	Amount paid out of column (2)	Date of payment Dd/mm/yyyy
(1)	(2)	(3)	(4)

Verification

I have examined the balance sheet of…….. [name of the registered non-profit organisation] and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said registered non-profit organisation.

I have obtained all the information and explanations to the best of my knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In my opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named registered non-profit organisation at the address mentioned at serial number 14 of the Annexure:

In my opinion and to the best of my information and according to explanations given to me, the particulars given above are true and correct subject to following observations or qualifications—

(a) …….

(b) ..……..

(c) ..……..

In my opinion and to the best of my information, and according to information given to me, the said accounts give a true and fair view—

(i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named registered non-profit organisation as on _____;

(ii) in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application or profit or loss of its tax year ending on ……..

subject to the following observations/qualifications—

(a) …….

(b) ..……..

(c) ..……..

Signature:

Name:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the proprietorship/Firm:

Registration Number of Firm:

Date:

Place:

Notes:

1. Name
2. Address
3. **Row 5:** Provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the rule 187(3)(b);
4. Any registered non-profit organisation referred to in Chapter XVII-B of the Act shall be referred as "auditee" in this form; For the purpose of this form, small registered NPO means a registered non-profit organisation which fulfils the following conditions –

   (a) its regular income under section 335 of the Act does not exceed five crore rupees during the tax year;

   (b) it has not received foreign contribution exceeding ₹ 1000000 during the tax year; and

   (c) it has not applied income exceeding ₹ 1000000 outside India during the tax year.

   For the purposes of clause (b) above, the expression foreign contribution shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

   The registered non-profit organisations that do not fulfil any of the conditions specified for Small Registered NPO as above shall be referred to as Large registered NPOs.

5. **Row 6:** If either (a) or (b) or (c) is Yes, then the auditee is a large registered NPO, else it is a small registered NPO.
6. **Row 8:** For type of the Auditee, select one or more of the following codes

Sl. No.	Section	Category	Code
1.	332(1)(a)	Public trust	1
2.	332(1)(b)	a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any law in force in India	2
3.	332(1)(c)	a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and deemed to have been registered in pursuance of section 465(2)(g) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	3
4.	332(1)(d) to 332(1)(g)	Others	4

7. In this Form, wherever applicable, -
"recognition" shall mean registration/approval/notification, as the case may be;
"recognised" shall mean registered/approved/notified, as the case may be;
"recognising" shall mean registering/approving/notifying, as the case may be.

8. **(a) Row 10 - Schedule A(2):** If "Yes" selected in Row 10 and the auditee has earlier been recognised under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) then select from the following options:

S. No.	Section	Code
1.	section 12AB(1)(a) of the Income-tax Act,1961	1
2.	section 12AB(1)(b) of the Act	2

3.	section 12AB(1)(c) of the Act	3
4.	Clause (i) of second proviso section 10(23C) of the Act	4
5.	Clause (ii) of second proviso to section 10(23C) of the Act	5
6.	Clause (iii) of second proviso to section 10(23C) of the Act	6
7.	Section 35(1)(ii) of the Act	7
8.	Section 35 (1)(iia)of the Act	8
9.	Clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	9
10.	Clause (i) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	10
11.	Clause (ii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	11
12.	Clause (iii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	12
13.	Notification u/s 10(46) of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal)	13
14.	Notification u/s 10(46A) of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal)	14
15.	any other, please specify	15

(b) Row 10 - Schedule A(2): If "Yes" selected in Row 10 and the auditee has earlier been recognised under the Income Tax Act, 2025 (30 of 2025), then select from the following options:

S. No	Section	Code
1.	Section 332(7)(a)	1
2.	Section 332(8)	2
3.	Section 45(3)(a)(i)	3
4.	Section 45(3)(a)(ii)	4
5.	Section 45(3)(b)	5
6.	Section 354(3)	6
7.	Section 354(4)	7
8.	Schedule III (Table: Sl. No. 36)	8
9.	Schedule VII (Table: Sl. No. 42)	9
10.	any other, please specify	10

(9) **Schedule B(a)(2):** For column Relation with the auditee, select one or more of the following

a. Author
b. Authorised signatory
c. Chief Executive Officer
d. Chief Financial Officer
e. Director
f. Founder
g. Manager
h. Managing director
i. Members of society
j. Members of the Governing Council
k. Office Bearer
l. Person Competent to verify
m. Principal Officer
n. Principal Secretary
o. Representative Assessee
p. Secretary
q. Settlor
r. Shareholders holding 5 per cent. or more of shareholding
s. Trustee

t. Any other Principal Officer, please specify (free text)

(10) **Schedule B(a) and Schedule B(b)**:, "Unique Identification Number" means

(a) When PAN or Aadhaar mandatory, if available,

Type of identification	**ID Code**
PAN	1
Aadhaar number	2

(b) If neither PAN or Aadhaar is available

Type of identification	ID Code
Taxpayer identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5

(11). **Row**11, For the objects of the auditee, select one or more of the following options:

S.no	**Object**	**Code**
(1)	Religious	1
(2)	Relief of poor	2
(3)	Education	3
(4)	Medical relief	4
(5)	Yoga	5
(6)	Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)	6
(7)	Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest	7
(8)	Advancement of any other objects of general public utility	8

(12) **Schedule E(2)**, for Nature of books of Account, select one or more of the codes:

S.No	**Nature of books of account or other document as provided in rule 187**	**Code**
(1)	Cash book	1
(2)	Ledger	2
(3)	Journal	3
(4)	Copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee	4
(5)	Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person	5
(6)	Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions effected	6
(7)	Books of account, as referred in Serial Nos. 1 to 6, for business undertaking referred in section 344 of the Act	7
(8)	Books of account, as referred in Serial Nos. 1 to 6, for business carried on by the assessee other than the business undertaking referred to in section 344 of the Act	8
(9)	Record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives	9
(10)	Record of income of the person during the tax year as per rule 187(1)(d)(ii)	10
(11)	Record of application of income etc. out of income during the tax year as per rule 187(1)(d)(iii)	11
(12)	Record of application of income out of the income of any tax year preceding the current tax year as per rule 187(1)(d)(iv)	12
(13)	Record of donation made with a specific direction that they shall form part of the corpus, as per rule 187(1)(d)(v);	13
(14)	Record of donation received for the purpose of renovation or repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under section 133(1)(b)(vi) which is being treated as corpus, as per rule 187(1)(d)(vi)	14
(15)	Record of loan and borrowings as per rule 187(1)(d)(vii)	15
(16)	Record of properties as per rule 187(1)(d)(viii);	16
(17)	Record of specified persons as per rule 187(1)(d)(ix);	17
(18)	Any other documents containing any other relevant information as per rule 187(1)(d)(x).	18

(13) **Schedule G)(c) and Schedule H (c):** Upload the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Audit Report in Form No. 26 as applicable (e-filing utility to provide upload facility) for the business undertaking or business incidental to objects.

(14) **Row 22:** For large registered NPOs, Data for Columns B, D, E and F would be prefilled as per the below formulas based on the data filled in Schedules J, V and U:

(i) Column B: Donations not reported in Form No. 113- Schedule J(vii)
(ii) Column D: Foreign Donations out of (C) – Schedule V(c)(2) (Foreign donation shall include Interest accrual on the foreign contribution as referred to in Explanation 2 to section 2(1)(h) of FCRA)
(iii) Column E: Corpus Donations out of (C) – Schedule U(2)
(iv) Column F: Anonymous Donations taxable under section 337[Table: Sl. No 1] out of (C) – Schedule J(vi)(c)

(15) **Schedule L and Schedule P:** Electronic modes shall be the following modes referred in rule 48 of the Income-tax Rules, 2025:

(a) Credit Card;
(b) Debit Card;
(c) Net Banking;
(d) IMPS (Immediate Payment Service);
(e) UPI (Unified Payment Interface);
(f) RTGS (Real Time Gross Settlement);
(g) NEFT (National Electronic Funds Transfer); and
(h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhar Pay;

(16) **Row 35:** Select one or more of the following codes for related person: (Related person shall have the same meaning as provided in section 355(h) of the Act)

Sl. No	Nature of person	Code
(1)	the author or the founder of the registered non-profit organisation;	1
(2)	any person whose total contribution to such registered non-profit organisation, during the relevant tax year exceeds one lakh rupees, or, in aggregate up to the end of the relevant tax year exceeds ten lakh rupees, as the case may be;	2
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee or manager (by whatever name called) of the registered non-profit organisation;	4
(5)	any relative of any such author, founder, member, trustee or manager as referred to in (1), (3) and (4) above;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred to in (1), (3), (4) or (5) above have a substantial interest.	6

(17) **Schedule ZJ:** Particulars need not be given in the case of receipt by or payment to a Government company, a banking Company, a post office savings bank, a cooperative bank or in the case of transactions referred to in section 185 or in the case of persons referred to in Notification No. S.O. 2065(E) dated the 3rd July, 2017;

(18) For the purposes of this form, management includes author(s), founder(s), settlor(s), trustee(s), members of society, members of governing council, directors, shareholders who held 5% or more shareholding at any time during the year and office bearers and in case if any of these persons is not an individual the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person.

(19) Foreign donation shall include Interest accrual on the foreign contribution as referred to in Explanation 2 to section 2(1)(h) of FCRA.

(20) This report has to be given by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).

(21) Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

(22) Wherever 'amount' has been mentioned it shall be specified in rupees.

FORM NO. 113

[*See* rule 190(2)]

Statement or Correction Statement to be filed by Donee under section 354(1)

Part A: Particulars of the Reporting Person			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	Unique Registration Number (URN):		
5.	Date of issuance of URN:		
6.	E-mail Id:		
7.	Contact Number:	Country Code	Number
8.	Reporting Period:	From _____ (dd/mm/yyyy) To _____ (dd/mm/yyyy)	

Part B: Details in respect of the donors and donations								
Sl. No.	Pre-Acknowledgement Number	Unique Identification Number (ID) of the donor *(refer Note 3)*	ID Code *(refer Note 3)*	Name of donor	Address of donor	Donation Type *(refer Note 4)*	Mode of Receipt *(refer Note 5)*	Amount of donation
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Undertaking
I, _____ hereby affirm that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I undertake to communicate forth with any alteration in the particulars submitted, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) having PAN _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the donee being registered non-profit organisation or fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. In Part B (column C), "Unique Identification Number" means, —

(e) where PAN is available, mandatory: —

Type of Identification	ID Code
PAN	1

(f) if PAN is not available: —

Type of Identification	ID Code
Passport number	2
Elector's photo identity number	3
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides	4

4. In Part B (column G), "Donation Type" means, —

(I)	Corpus donation as per section 339
(II)	Voluntary contribution other than corpus donation
(III)	Specific grant
(IV)	Donation from Corporate Social Responsibility funds as referred to in section 135 of the Companies A 2013 (18 of 2013)
(V)	Others, specify

5. In Part B (column H), "Mode of Receipt" means, —

(I)	Cash
(II)	Kind
(III)	Electronic modes NEFT/RTGS including account payee cheque/draft
(IV)	Others, specify

6. In case of a donor who has given donations, which are of different types or in different modes, separate rows should be filled for each such combination.
7. This form may be filed in multiple as per the procedures laid down by the Director General of Income-tax (Systems).
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 114
[*See* rule 190(7)]
Certificate of donation under section 354(1)(g)

Part A: Particulars of the Donee			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	Unique Registration Number (URN):		
5.	Date of Issue of URN:		
6.	E-mail Id:		
7.	Contact Number:	Country Code	Number
Part B: Details in respect of donors and donation			
8.	Acknowledgement Number:		
9.	Unique Identification Number (ID):	*(refer Note 3)*	
10.	ID Code:	*(refer Note 3)*	
11.	Name of Donor:	*(refer Note 1)*	
12.	Address of Donor:	*(refer Note 2)*	
13.	Amount of donation received:		
14.	Financial year in which such donation was received:		
15.	Type of donation:	*(refer Note 4)*	
16.	Section under which donation is eligible for deduction:	Section 133(1)(b)(ii) *(refer note 5)*	

Verification
I, _____, holding PAN _____, solemnly affirm that to the best of my knowledge and belief, the information given in the certificate is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Act. I further declare that I am making this certificate in my capacity _____ (designation) and I am also competent to issue this certificate.

Place:
Date:

Signature:
Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the registered non-profit organisation or fund or the donor.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.

3. In Part B (Sl. No. 9), "Unique Identification Number" means, —

(g) where PAN is available: —

Type of Identification	ID Code
PAN	1

(h) if PAN is not available: —

Type of Identification	ID Code
Passport number	2
Elector's photo identity number	3
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides	4

4. In Part B (Sl. No. 15), "Type of Donation" means, —

(I)	Corpus donation as per section 339
(II)	Voluntary contribution other than corpus donation
(III)	Specific grant
(IV)	Donation from Corporate Social Responsibility funds as referred to in section 135 of the Companies A 2013 (18 of 2013)
(V)	Others, specify

5. Donor shall be eligible for deduction of 50% of the donation made subject to 10% of adjusted gross total income as per section 133(2).

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 115
[*see* rule 193]

Form of appeal to the Appellate Tribunal

IN THE INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL……

Appeal No…….. of ……..
…… Versus ……
APPELLANT RESPONDENT

Part A: Appellant's Personal Information				
1.	Name/designation (as applicable)		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number *(Not applicable if filed by Income-tax department or filed by Government Deductors)*			
3.	Tax Deduction and Collection Number (For deductors)(Not Applicable for Income-tax Department)			
4.	Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Contact details			
	(i)	Landline No. with STD code	STD code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(iii)	Email ID		
			(Repeat if required)	
Part B: Respondent's Personal Information				
6.	Name or designation *(as applicable)*		*(Refer Note 1)*	
7.	Permanent Account Number *(Not applicable if filed by Income-tax department or filed by Government Deductors)*			
8.	Tax Deduction and Collection Number *(For deductors) (Not Applicable for Income-tax Department)*			
9.	Address		*(Refer Note 2)*	
10.	Contact details			
	(i)	Landline No. with STD code	STD code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(iii)	Email ID		
			(Repeat if required)	
Part C: Appeal Details				
11.	Relevant Tax year or Block Period in connection with which the appeal is preferred *(Select one)*		*(i) Tax Year* *(ii) Block Period* *(Refer Note 3)*	

12.	Details of Tax Year or Block Period as per reply to row 11			*(Dropdown)*
13.	Total income declared by the assessee for the Tax Year or Block Period referred to in row 12.			
14.	Details of the order appealed against			
	(i)	section and sub-section of Act		
	(ii)	Date of Order		*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Whether appeal relates to assessment or penalty *(Select one)*		*(i) Yes* *(ii) No*
	(iv)	If reply to row 14(iii) is yes, provide date of service of notice of demand		*dd/mm/yyyy*
	(v)	If reply to row 14(iii) is no, provide date of service of order		*dd/mm/yyyy*
	(vi)	Due date for filing of appeal*		*dd/mm/yyyy*
15.	Income-tax Authority passing the order appealed against			*(Dropdown)*
16.	The State and District in which the jurisdictional Assessing Officer is located			*(Dropdown)*
	Part D: Amount disputed in appeal			
17.	section and sub-section of the Act under which the original order is passed			
18.	If order against which appeal is filed is passed under section 294 of Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), then provide the following details:			
	(i)	Amount of undisclosed income filed in Income Tax Return for Block assessment		
	(ii)	Amount of undisclosed income assessed		
	(iii)	Total addition of undisclosed income by the Assessing Officer [(ii)-(i)]		
	(iv)	Amount of disputed undisclosed income		
	(v)	Amount of disputed demand		
19.	If appeal relates to assessment other than block assessment, then provide the following details:			
	(i)	Amount of Income Assessed		
	(ii)	Total addition to Income		
	(iii)	In case of Loss, total disallowance of Loss in assessment		
	(iv)	Amount of Addition/ Disallowance of Loss disputed in appeal		
	(v)	Amount of disputed demand – (Enter Nil in case of Loss)		
20.	If appeal relates to penalty, then provide the following details:			
	(i)	Amount of penalty as per Order		
	(ii)	Amount of penalty disputed in appeal		
21.	If appeal relates to TDS or TCS provisions, then provide the following details:			
	(i)	TDS or TCS Default Determined or Assessed		
	(ii)	TDS or TCS Default disputed in Appeal		
22.	If appeal relates to any other matter, then provide the following details:			
	(i)	Amount disputed in appeal		
	Part E: Grounds of Appeal			
23.	**Grounds of Appeal**			*(Free text up to 200 words)*
	(A)	(i)	Ground 1	
		(ii)	Tax effect	
	(B)	(repeat as required)		
	Total tax effect (refer note 11*)*			

Part F: Appeal filing details		
24.	Whether there is any delay in filing of appeal? *(Select one)*	*(iii) Yes* *(iv) No*
25.	If reply to row 24 is 'Yes', provide the grounds for condonation of delay	*(Upload)*
26.	Details of Appeal Fees Paid:	

BSR Code	Date of payment	Sl. No.	Amount
Total			

Signed

(Authorised representative, if any)

Name:

Designation:

Signed

(Appellant)

Name:

Designation:

Form of verification

I_____, Permanent Account Number_____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. I further declare that I am making the declaration in my capacity as ……. and that I am competent to make this declaration and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place:……

Date:……

Signature

(Name)

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State, (vii) PIN or ZIP Code.
3. Provide tax year in connection with which the appeal is preferred or block period for orders passed under section 294 or 298 of the Act.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The memorandum of appeal shall be accompanied by—

(a) a copy of the order appealed against or a certified copy thereof, a copy of the relevant order of the Assessing Officer, and a copy of the order of the Transfer Pricing Officer, if any, a copy of the grounds of appeal or the grounds of objection before the first appellate authority or Dispute Resolution Panel, a copy of the statement of facts, if any, filed before the said appellate authority or the Dispute Resolution Panel; and also —

(i) in the case of an appeal against an order levying penalty, a copy of the relevant assessment order; in the case of an appeal against an order under section 270 (10) read with section 272 of the Act;

(ii) a copy of the directions issued under the said section 272; in the case of an appeal against an order under section 279 of the Act;

(iii) a copy of the original assessment order, if any;

(iv) in the case of an appeal against an assessment order made in pursuance of the directions of the Dispute Resolution Panel, the copy of Directions of the Dispute Resolution Panel.

(b) a copy of the relevant order where an appeal is against an order passed by a Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or a Principal Director General or Director General or Principal Commissioner or Commissioner or Principal Director or Director.

6. (A) The memorandum of appeal by an assessee under 362(1) of the Act shall be accompanied by a fee of, —

a. ₹ 500, where the total income of the assessee as computed by the Assessing Officer, in the case to which the appeal relates, is ₹ 100000 or less;

b. ₹1500, where the total income of the assessee, computed as aforesaid, in the case to which the appeal relates is more than ₹ 100000 but not more than ₹ 200000;

c. 1 percent of the assessed income, subject to a maximum of ₹ 10000, where the total income of the assessee, computed as aforesaid, in the case to which the appeal relates is more than ₹ 200000;

d. ₹ 500, where the subject matter of an appeal relates to any matter, other than those specified in clauses (*a*), (*b*) and (*c*);

e. no fee shall be payable in the case of a memorandum of cross-objections;

f. an application for stay of demand shall be accompanied by a ₹ 500.

(B) The fee may be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India after obtaining a challan and the copy of the challan in triplicate shall be sent to the Appellate Tribunal with the memorandum of appeal.

(C) The Appellate Tribunal shall not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments for the purpose of payment of the fee.

7. The memorandum of appeal shall be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any State notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and shall set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.

8. The Appeal number and year of appeal shall be filled in by the office of the Appellate Tribunal.

9. In case of Miscellaneous Application, limitation period of 6 months for filing appeal is to be computed from the actual date of receipt of Tribunal Appellate order at the office of Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax or Assessee, as the case may be.

10. In column's seeking Appellant's and Respondent's information, the relevant data, as applicable shall be filled in properly.

Illustration.— For instance in case the Department is Appellant or Respondent, as the case may be, the designation of the officer filing the Appeal and details pertaining to his office may be filled, if available.

11. The *'Tax effect'* for the purpose of filling this Form shall be taken as the difference between the tax on the total income assessed and the tax that would have been chargeable had such total income been reduced by the amount of income in respect of the issues against which appeal is intended to be filed (i.e. *disputed issues)* including applicable surcharge and cess:

For the purpose of note 11:

(i) the tax shall not include any interest thereon, except where chargeability of interest itself is in dispute and in case the chargeability of interest is the issue under dispute, the amount of interest shall be the tax effect:

(ii) in cases where returned loss is reduced or assessed as income, the tax effect shall include notional tax on disputed issues:

(iii) in case of penalty orders, the tax effect shall be the quantum of penalty deleted or reduced in the order to be appealed against:

(iv) while determining 'total tax effect' the tax effect on grounds, which forms part of the common grounds, such as where reopening of the case itself is under challenge, shall not be considered separately:—

12. If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

13. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.

FORM NO. 116
[*see* rule 193]

Form of memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal

IN THE INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL……
Cross-objection …….. of ……..

In Appeal No…….. of ……..
…… Versus ……
APPELLANT RESPONDENT

Part A: Appellant's Personal Information				
1.	Name/designation *(as applicable)*		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number *(Not applicable if filed by Income-tax department or filed by Government Deductors)*			
3.	Tax Deduction and Collection Number *(Not Applicable for Income-tax Department)*			
4.	Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Contact details			
	(i)	Landline No. with STD code	STD code	Number
			(dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(iii)	Email ID		
			(Repeat if required)	
Part B: Respondent's Personal Information				
6.	Name or designation *(as applicable)*		*(Refer Note 1)*	
7.	Permanent Account Number *(Not applicable if filed by Income-tax department or filed by Government Deductors)*			
8.	Tax Deduction and Collection Number *(For deductors) (Not Applicable for Income-tax Department)*			
9.	Address		*(Refer Note 2)*	
10.	Contact details			
	(i)	Phone No. with STD code	STD code	Number
			(dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(iii)	Email ID		
			(Repeat if required)	
Part C: Appeal / Cross-objection Details				
11.	Appeal number allotted by Tribunal to which the cross-objection relates			
12.	Relevant Tax Year or Block Period in connection with which		*(iii)* *Tax Year*	

	memorandum of cross-objection is preferred *(Select one)*			*(iv) Block Period* *(Refer Note 3)*
13.	Details of Tax Year or Block Period as per reply to row 12			*(Dropdown)*
14.	Total income declared by the assessee for the Tax year or Block Period referred to in row 13			
15.	Details of the order appealed against			
	(i)	Section and sub-section of the Act		
	(ii)	Date of Order		*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Whether appeal relates to assessment or penalty *(Select one)*		*(v) Yes* *(vi) No*
	(iv)	If reply to row 14(iii) is yes, provide date of service of notice of demand		*dd/mm/yyyy*
	(v)	If reply to row 14(iii) is no, provide date of service of order		*dd/mm/yyyy*
	(vi)	Due date for filing of appeal*		dd/mm/yyyy
16.	Income-tax Authority passing the order appealed against			
17.	The State and District in which the jurisdictional Assessing Officer is located			*(dropdown)*
18.	Date of receipt of notice of appeal filed by the appellant to the Tribunal			*dd/mm/yyyy*
	Part D: Amount disputed in cross-objection			
19.	Section and sub-section of the Act under which the original order is passed			
20.	If cross-objection relates to original order under section 294 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal), then provide the following details:			
	(i)	Amount of undisclosed income filed in Income Tax Return for Block assessment		
	(ii)	Amount of undisclosed income assessed		
	(iii)	Total addition of undisclosed income by the Assessing Officer [(ii)-(i)]		
	(iv)	Amount of disputed undisclosed income		
	(v)	Amount of disputed demand		
21.	If cross-objection relates to assessment other than block assessment, then provide the following details:			
	(i)	Amount of Income Assessed		
	(ii)	Total addition to Income		
	(iii)	In case of Loss, total disallowance of Loss in assessment		
	(iv)	Amount of Addition/ Disallowance of Loss disputed in appeal		
	(v)	Amount of disputed demand – (Enter Nil in case of Loss)		
22.	If cross-objection relates to any penalty:			
	(i)	Total amount of penalty imposed as per order		
	(ii)	Amount of penalty disputed in cross-objection		
23.	If cross-objection relates to TDS/TCS Assessment			
	(i)	Amount of default Assessed		
	(ii)	Amount of default in Dispute		
24.	If cross-objection relates to any other matter:			
	(i)	Amount disputed in cross-objection		
	Part D: Grounds of cross-objection			
25.	Grounds of cross-objection			Tax effect relating to each ground of cross-objection *(see note below)*
	(A)	(i)	Ground 1	

		(ii)	Tax effect	
	(B)	(repeat as required)		
	Total tax effect (refer note 11)			
Part E: Cross-objection filing details				
26.	Whether there is any delay in filing of cross-objection *(Select one)*			*(i) Yes* *(ii) No*
27.	If reply to row 26 is 'Yes', provide the grounds for condonation of delay			*(upload)*

Signed

(Authorised representative, if any)

Name:

Designation:

Signed

(Appellant)

Name:

Designation:

Form of verification

I_____, Permanent Account Number_____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. I further declare that I am making the declaration in my capacity as ……. and that I am competent to make this declaration and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place:

Date:

Signature

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code.
3. Provide tax year in connection with which the memorandum of cross-objection is preferred or block period for orders passed under section 294 or 298 of the Act.
4. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The memorandum of cross-objections must be in triplicate.
6. The memorandum of cross-objections shall be written in English or, if the memorandum is filed in a Bench located in any State notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the respondent, in Hindi, and shall set forth, concisely and under distinct heads, the cross-objections without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively.
7. The number and year of memorandum of cross-objections shall be filled in by the office of the Appellate Tribunal.
8. The Appeal number and year of appeal as allotted by the office of the Tribunal and appearing in the notice of appeal received by the respondent shall be filled in by the respondent.
9. In column seeking Respondent's and Appellant's information, the relevant data, as applicable, shall be filled in properly.
10. For instance, in case the department is Appellant or Respondent, as the case may be, the designation of the officer filing the cross-objections and details pertaining to his office may be filled, if available.
11. The 'Tax effect' for the purpose of filling this Form shall be taken as the difference between the tax on the

total income assessed and the tax that would have been chargeable had such total income been reduced by the amount of income in respect of the issues against which cross-objection is intended to be filed (i.e. disputed issues) including applicable surcharge and cess:
For the purposes of note 11,

(i) the tax shall not include any interest thereon, except where chargeability of interest itself is in dispute and in case the chargeability of interest is the issue under dispute, the amount of interest shall be the tax effect:

(ii) in cases where returned loss is reduced or assessed as income, the tax effect shall include notional tax on disputed issues:

(iii) in case of penalty orders, the tax effect shall be the quantum of penalty deleted or reduced in the order to be cross-objected against:

(iv) that while determining 'total tax effect', the tax effect on grounds, which forms part of the common grounds of cross-objection, such as where reopening of the case itself is under challenge, shall not be considered separately:

12. If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

13. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.

FORM NO. 117
[*see* rule 194]

Declaration under section 375(1) of the Act to be made by an assessee claiming that identical question of law is pending before the High Court or the Supreme Court

Part A: Personal Information of Assessee				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number			
3.	Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Contact Details			
	(i)	Landline No. with STD code	STD code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(ii)	Mobile Number	Country Code	Number
			(Dropdown)	
			(Repeat if required)	
	(iii)	Email ID		
			(Repeat if required)	
Part B: Details of the relevant case before the Assessing Officer or Appellate Authority				
5.	Authority before which it is pending		*(Dropdown)*	
6.	Tax Year			
7.	Question(s) of laws		*(Upload)*	
Part C: Details of pendency of other case at High Court/Supreme Court				
8.	Questions of Law are pending before		*(Dropdown)*	
9.	Tax Year of the pending case			
10.	Question(s) of laws		*(Refer Note 3)*	

Part D: Declaration that pending question(s) of law in relevant case are identical to other case

11. I do hereby declare that the question(s) of law arising in the 'relevant case' as referred in Part-B is identical to the question(s) of law in other case as referred in Part-C. Further, if authority*** _____ agrees to apply the final decision on question(s) of law in the other case as referred to in Part-C to the relevant case as referred to in Part-B above, I _____, the assessee, Permanent Account Number _____ shall not raise the question(s) of law of my relevant case referred in Part-B in appeal before any appellate authority or in a subsequent appeal before a higher forum.

_____
Signature of Declarant

(Name: ……)

Designation (if applicable):……..

Form of verification

I,_____Permanent Account Number_____, do hereby declare that to the

best of my knowledge and belief, what is stated above is correct, complete and is truly stated.

I further declare that I am making the declaration in my capacity as _____ and that I am competent to make this declaration and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place……

Date…….

……..
Signature of Declar-
ant

(Name:……)

Designation (if applicable):……..

Note:

1. The first, middle and last name of the declarant shall be provided in full without any abbreviations.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code of the declarant.
3. With respect to row 10, the following details shall be provided as annexures, namely:

Annexure	**Particulars**
A-1	Copy of the statement of the case, and
A-2	the question(s) of law referred to the High Court/Supreme Court,
A-3	Copy of the judgement of the High Court and
A-4	the grounds of appeal to the Supreme Court

Either Annexure A-1**,** A-2 or A-3, A-4 shall be provided as attachment.

4. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. For the purposes of this form and rule 194 the words "relevant case" and "other case" shall have the same meaning as assigned to them in section 375 of the Act.
6. *** Mention the designation of the authority.

Notes for the Systems:

(A) For point No.5, Drop-downs shall be provided containing the following options:

(i) Assessing Officer

(ii) Joint Commissioner (Appeals)

(iii) Commissioner (Appeals)

(iv) Income-tax Appellate Tribunal

(B) For point No. 8, Drop-downs shall be provided containing the following options:

(i) the High Court on a reference under section 256 or on an appeal under section 260A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal); or

(ii) the Supreme Court on a reference under section 257 or on an appeal under section 261 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(as it existed prior to its repeal); or

(iii) the High Court on an appeal made under section 365 of the Act; or

(iv) the Supreme Court on appeal made under section 367 of the Act; or in a Special Leave Petition under article 136 of the Constitution, against the order of the Appellate Tribunal or the jurisdictional High Court.

FORM NO. 118
[*see* rule 195]

In the High Court of _____ or
Income-tax Appellate Tribunal _____
(*strike out whichever is inapplicable*)

Part A: Appellant's Personal Information					
1.	Designation of the Appellant			*(Refer Note 1)*	
2.	Address			*(Refer Note2)*	
3.	Contact details				
	(i)	Mobile Number	Country Code (dropdown)	Number	
				(Repeat, if required)	
	(ii)	Email ID			
				(Repeat, if required)	
Part B: Respondent's Personal Information					
4.	Name			*(Refer Note 1)*	
5.	Permanent Account Number (if available)				
6.	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)				
7.	Address			*(Refer Note 2)*	
8.	Contact details				
	(i)	Mobile Number	Country Code (dropdown)	Number	
				(Repeat, if required)	
	(ii)	Email ID (if available)			
				(Repeat, if required)	
Part C: Case Details					
9.	Tax year in connection with which the appeal is preferred				
10.	Total income declared by the assessee for the Tax year referred to in row 9				
11.	Details of the order against which appeal is deferred				
	(i)	section and sub-section under which order is passed			
	(ii)	Date of Order		*dd/mm/yyyy*	
	(iii)	Date of service of Order / Notice of Demand		*dd/mm/yyyy*	
12.	Income-tax authority or the Appellate Tribunal passing the order against which appeal is deferred				
13.	The State and District in which the jurisdictional Assessing Officer is located				
14.	section and sub-section under which the original order is passed				
15.	Due date for filing of application as per section 376(3) of the Act			*dd/mm/yyyy*	
Part D: Question of Law in relevant case for which appeal is deferred					
16.	(a)	(i)	Questions of Law in the relevant case		
		(ii)	section and sub-section of the Act of the relevant case		
		(iii)	Tax effect		

		(Repeat, if required)		
	(b)	Total tax effect		
Part E: Details of other case/cases on the basis of which appeal is deferred				
17.	(a)	(i)	Name of the assessee	*(Refer Note 1)*
		(ii)	Permanent Account Number (if available)	
		(iii)	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)	
		(iv)	Court before which the appeal in the other case is pending	*(Dropdown)*
		(v)	Question of law in the other case on the basis of which appeal in the relevant case is deferred	
		(vi)	Case No. of the other case	
	(b)	(Repeat as required)		
Part F: Declaration				

It is hereby certified that—

(a) the question(s) of law mentioned in row 16, arising in the relevant case of the assessee for the tax year _____ is/are identical with a question of law arising in:—

(i) his case for the tax year _____

(ii) the case of _____for the tax year _____,

(b) the question(s) of law in other case is/are pending before the jurisdictional High Court under section 365 of the Act or the Supreme Court in an appeal under section 367 of the Act or the Supreme Court in a Special Leave Petition under article 136 of the Constitution against the order of the Appellate Tribunal/ jurisdictional High Court as mentioned in row 17 above;

(c) the appeal on the question(s) of law mentioned in row 16 shall be filed in accordance with the provisions of section 376(5) and 376(6) of the Act.

Signature: _____

Name: _____

Designation: _____

Verification

I, _____, Permanent Account Number _____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. I further declare that I am making the declaration in my capacity as _____ and that I am competent to make this declaration and verify it. Verified today the _____ day of _____ 20_____.

Place:……

Date:…….

Signature:_____

(Name:_____)

Designation:_____

:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code.
3. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose
5. For the purposes of this form and rule 195, the words "relevant case" and "other case" shall have the same meaning as assigned to them in section 376 of the Act.
6. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.

FORM NO. 119
[*see* rule 197]

Application to the Dispute Resolution Committee under section 379 of the Act

Part-A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Address		*(Refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN)			
4.	Tax Deduction and Collection Account Number (if any)			
5.	Contact Details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
Part B: Order against which application is filed				
6.	Tax year in connection with which the application is preferred			
7.	Details of specified order against which application is filed			
	(i)	section and sub-section of the Act		
	(ii)	Date of Order	*dd/mm/yyyy*	
	(iii)	Date of service of Order / Notice of Demand	*dd/mm/yyyy*	
8.	Income-tax Authority passing the specified order			
Part C: Application Details				
9.	(i)	Amount of Income Assessed		
	(ii)	Total Addition to Income		
	(iii)	In case of Loss, total disallowance of Loss in assessment		
	(iv)	Amount of Addition/ Disallowance of Loss disputed in application		
	(v)	Amount of Disputed Demand (Enter Nil in case of Loss)		
Part D: Pending Application				
10.	(i)	Whether an application in relation to any other tax year is pending in the case of the assessee with any Dispute Resolution Committee ***(Select One)***	*(i) Yes* *(ii) No*	
	If reply to row 10(i) is yes, then provide following			
	(ii)	Dispute Resolution Committee, with whom the application is pending		
	(iii)	Application Number		
	(iv)	Date of filing of Application	*dd/mm/yyyy*	
	(v)	Tax year in connection with which the application has been preferred		
	(vi)	Income-tax Authority passing the specified order		
	(vii)	section and sub-section of the Act, under which the specified order has been passed		
	(viii)	Date of such Order	*dd/mm/yyyy*	
Part E: Details of Taxes paid				
11.	(i)	Where a return has been filed by the assessee for the	*(i) Yes*	

		tax year in connection with which the application is filed, whether tax due on income returned has been paid in full ***(Select One)***	*(ii) No* *(iii) Not Applicable*
	If reply to row 11(i) is Yes, then enter details of Return of Income (RoI) and taxes paid		
	(ii)	Acknowledgement number	
	(iii)	Date of filing of RoI	*dd/mm/yyyy*
	(iv)	Total Income as per RoI	
	(v)	Total tax due as per RoI	
	(vi)	Total tax paid	
Part F: Statement of facts, Grounds of application and additional evidence			
12.	Statement of Facts		
	(i)	Facts of the Case	*(Refer Note 3)*
	(ii)	List of documentary evidence relied upon	
13.	(i)	Whether any documentary evidence other than the evidence produced during the course of proceedings before the Income-tax Authority has been filed ***(Select One)***	*(i) Yes* *(ii) No*
	(ii)	If reply to row 13(i) is Yes, furnish the list of such documentary evidence	*(Refer Note 3)*
14.	Grounds of Application consisting of each ground		*(Refer Note 3)*
Part G: Application filing details			
15.	Details of application Fees Paid		

BSR Code	Date of payment	Sl. No. of Challan	Amount

Form of verification

I, _____ [*name in full and in block letters*] *son/daughter/spouse of _____ having Permanent Account Number _____ of _____ [*name of the entity*], do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. It is also certified that no additional evidence other than the evidence stated in row 13(ii) above has been filed. I further declare that I am making the declaration in my capacity as _____[*designation*] and that I am competent to make this declaration and verify it.

Place:……..

Date:……

(**Signature)**

(Name: _____)
Designation: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code.

3. With respect to Sl. No. 12, 13, 14 following details shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	Facts of the Case in row 12(i)
A-2	List of documentary evidence relied upon in row 12(ii)
A-3	List of documentary evidence other than the evidence produced during the course of proceedings before the Income-tax Authority in row 13.
A-4	Grounds of Application consisting each ground in row 14.

4. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.
5. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 120
[*see* rule 200]

Form of application for obtaining an advance ruling section 383(1) of the Act

Part A: Basic Information				
1.	Name		*(Refer note 1)*	
2.	Permanent Account Number (PAN), if any		*(Refer note 2)*	
3.	Status		*(Refer note 3)*	
4.	If reply to row 3 is Individual and no Permanent Account Number is provided in row 2, then provide following:			
	(i)	Gender		
	(ii)	Name of Father/Husband*	*(Refer note 1)*	
	(iii)	Date of Birth	*dd/mm/yyyy*	
5.	Address		*(Refer note 4)*	
6.	Contact Details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
7.	Country of Residence or Citizenship			
8.	Date of Incorporation		*dd/mm/yyyy*	
9.	Details of Authorized Representative in India:			
	(i)	Name	*(Refer note 1)*	
	(ii)	Address	*(Refer note 4)*	
10.	If no Permanent Account Number is provided in row 2, then provide the details of Jurisdictional Assessing Officer.			
11.	(i)	Business of the applicant as per Memorandum of Association or Partnership Deed or Trust Deed etc.		
	(ii)	Attach copy of Memorandum of Association or Partnership Deed or Trust Deed etc. referred in row 11(i).	*(Upload)*	
Part B: Purpose of application				
12.	Residential Status ***(Select One)***		(i) Resident (ii) Non- Resident	
13.	DTAA involved (wherever applicable)			
14.	(i)	If the answer to row 12 is Non-Resident, then provide basis of claim for being a non-resident	*(Free Text up to 200 words)*	
	(ii)	Attach proof of being non-resident as mentioned in row 14(i)	(Upload)	
15.	Determination of advance ruling in relation to ***(Select One)***		*(Refer note 5)*	
16.	(i)	Question(s) relating to the transaction on which the advance ruling is required	*(Upload)*	
	(ii)	Brief Summary of question(s) asked	*(Free Text upto 200 words)*	
	(iii)	Relevant sections of the Act	*(Free Text upto 200 words)*	
Part C: Specific Details and Annexures/Documents				
17.	Statement of the relevant facts having a bearing on the question(s) referred to in row 16.		*(Upload)* *(Refer note 6)*	

18.	Statement containing the applicant's interpretation of law or facts, as the case may be, in respect of the question(s) referred in row 16.			*(Upload)* *(Refer note 6)*	
19.	Details of Relevant Agreements				
	(a)	Description of Relevant Agreement, if any			
	(b)	Copy of Relevant Agreement		*(Upload)*	
	(c)	Period Covered by the Agreement(s) (if any)		*Year (From)*	*Year (To)*
	(Repeat as required)				
20.	Fee payment details along with proof of payment				
	(A)	*(i)*	Amount of Fee paid		
		(ii)	Bank Details		
		(iii)	Date of Challan		
		(iv)	Challan No.		
	(B)	***(Repeat as required)***			
21.	(a)	Total No. of Non-Resident Parties involved including the Applicant			
	(b)	Group Structure Details of Non-Resident Applicant and Non-Resident parties involved		*(Upload)* *(Refer note 7)*	
	(c)	(i)	Name of Non-Resident applicant or party involved	*(Refer note 1)*	
		(ii)	Permanent Account Number, if any		
		(iii)	Status	*(Refer note 3)*	
		(iv)	Taxpayer Identification Number (TIN)		
		(v)	Address	*(Refer note 4)*	
		(vi)	Country of Residence		
		(vii)	Shareholding Details (Percentage wise)		
	(d)	(i)	Name of Immediate Parent Company/Holding Entity		
		(ii)	(repeat (ii) to (vii) as above)		
	(e)	(i)	Name of Ultimate Parent Company/ Holding Entity		
		(ii)	Repeat (ii) to (vii) of row 21(c), as above		
	(f)	(i)	Name of Beneficial Owner(s) of the Ultimate Parent Company or Holding Entity	*(Refer note 8)*	
		(ii)	Repeat (ii) to (vii) of row 21(c), as above		
	(Repeat, if required)				
22.	Amount of Transaction along with Tax Year(s)				
	(A)	(i)	Tax Year(s)		
		(ii)	Amount of Transaction		
	(B)	***(Repeat as required)***			
23.	(A)	Same or Similar Issues decided by any Income Tax Authority or Tribunal or Court in the case of the applicant. ***(Select One)***		*(i) Yes* *(ii) No*	
	If the answer to row 23(A) is Yes, then provide the following:				
	(B)	(i)	Issue	*Free Text upto 200 words*	
		(ii)	Tax Year		
		(iii)	Income Tax Authority or Tribunal or Court		
		(iv)	Summary or Conclusion thereof	*Free Text upto 200*	

					words
	(C)	***(Repeat if required)***			
24.	(A)	Whether Proceedings (if any) pertaining to the Applicant or any other entity of Applicant's Group Pending Before the BAR on same or similar transaction(s) ***(Select One)***			*(i) Yes* *(ii) No*
	If reply to row 24(A) is yes, then provide the following details:				
	(B)	(a)	Entity Name		
		(b)	Address		*(Refer note 4)*
		(c)	Permanent Account Number		
		(d)	Application Details in BAR		
			(i)	BAR ***(Select One)***	*(i)BAR I* *(ii)BAR II* *(iii)BAR III*
			(ii)	Application Number	
			(iii)	Date of Filing	*dd/mm/yyyy*
			(iv)	Date of admission	*dd/mm/yyyy*
			(v)	Current status	*Free text upto 200 words*
			(vi)	Brief Summary of issue(s) and question(s) asked	*Free text upto 200 words*
		(Repeat as required)			
25.	Do you agree to the publication of the ruling/order in an anonymized form? ***(Select One)***				*(i) Yes* *(ii) No*
26.	If reply to row 15 is an arrangement, as referred to in Chapter XI, then provide details of Specified Impermissible Arrangement (GAAR) for Application				
	(A)	Details of the arrangement to be undertaken by the applicant on which a determination or decision of the Board is required			
		(i)	Brief description of the arrangement		
		(ii)	Purpose or purposes of the arrangement		
		(iii)	Details of the other parties to the arrangement in the following format:		
			(a)	Name of the other party (ies) to the arrangement	
			(b)	Whether resident in India ***(Select One)***	*(i)Yes* *(ii) No*
			(c)	Permanent Account Number	
			(d)	Role of such party in arrangement	*Free text upto 200 words*
			(e)	Relationship with other party(ies) to the arrangement	*Free text upto 200 words*
			(f)	Tax benefit arising to the other party(ies), if any	*Free text upto 200 words*
			(Repeat (a) to (f), if required)		
	(B)	The tax benefit which is likely to arise out of arrangement, if undertaken			*Free text upto 200 words*
	(C)	Tax year, or years during which the tax benefit as indicated as above is likely to arise (give year wise break-up)			*(Upload)*
27.	If reply to row 15 is relating to computation of total income of a notified resident applicant which is pending before any income-tax authority or the Appellate Tribunal, then provide details relating to appeal				

(A)	Details of Assessment		
	(i)	Tax Year	
	(ii)	Date of Assessment Order	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	section under which the original order was Passed	
	(iv)	Assessing Officer	
	(v)	Whether Assessment Order or Current status of Proceedings is enclosed in row 17 or 18. ***(Select One)***	*(i) Yes* *(ii) No*
	(Repeat as required)		
(B)	Details of Appeal		
	(i)	Appeal No.	
	(ii)	Date of Appeal before the Commissioner of Income-tax (Appeals) or the Tribunal	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Whether Grounds of Appeal and Current Status of Appeal or Relevant Appellate Order(s) are enclosed in row 17 or 18. ***(Select One)***	*(i) Yes* *(ii) No*
	(Repeat as required)		

Place:

Date:

_____

(Signature)

Name: _____
Designation: _____

Verification

*I, _____ [name in full and in block letters] *son/daughter/spouse of _____ having PAN_____ of _____ [name of the entity] do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and, in the annexure, (s), including the documents accompanying such annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am making this application in my capacity as_____(Designation) and that I am competent to make this application and verify it.*

I also declare that the question(s) on which the advance ruling is sought is/are not pending/pending* in my case before any income-tax authority, the Appellate Tribunal or any court.*

Verified today, the.....day of.....

***Delete whichever is not applicable.**

Place:…….

Date:……...

Signature

(Name: _____)
Designation: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.

2. This field is mandatory only for resident individuals.

3. Fill status as:
   (i) Individual
   (ii) Hindu undivided family
   (iii) Company
   (iv) Firm
   (v) Association of persons, whether incorporated or not
   (vi) Body of individuals, whether incorporated or not
   (vii) Local Authority
   (viii) Artificial Juridical Person
   (ix) Government
   (x) Trust
   (xi) Limited Liability Partnership

4. The address shall contain (i) Flat or Door or Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road or Street or Lane, (iv) Area or locality, (v) Town or City or District, (vi) State and (vii) PIN or ZIP Code.

5. Select any of the following:
   (i) a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by a non-resident applicant;

   (ii) the tax liability of a non-resident arising out of a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by a resident applicant with such non-resident;

   (iii) the tax liability of a resident applicant, arising out of a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by such applicant with a resident and such determination shall include the determination of any question of law or of fact specified in the application;

   (iv) an issue relating to computation of total income of a notified resident applicant which is pending before any income-tax authority or the Appellate Tribunal and such determination or decision shall include the determination or decision of any question of law or of fact relating to such computation of total income specified in the application;

   (v) an arrangement, which is proposed to be undertaken by any person being a resident or a non-resident and whether it is an impermissible avoidance arrangement as referred to in Chapter XI or not.

6. The applicant shall, along with the attachment, provide an index of the documents uploaded with the description and corresponding page numbers. The documents may include assessment orders, Grounds of Appeal, Current Status of Appeal, Appellate Orders and other relevant documents as applicable.

7. The group structure in a tree format shall be uploaded in case of non-resident applicant and any other non-resident parties involved. This field is not applicable in case of a resident applicant covered under notification no 73/2014 dated 28.11.2014 and in cases of resident notified public sector undertaking covered under the notification no. 11456/2000 dated 03.08.2000.

8. For beneficial ownership, please refer to :-

   (i) Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018, Rule 2(h) for a company.
   (ii) Rule 9(3)(e) of Prevention of Money Laundering (Maintenance of Record) Rules, 2005 as amended in 2023 for trusts.
   (iii) Rule 9(3)(b) of Prevention of Money Laundering Rules (Maintenance of Record), 2005 as amended in 2023 for partnerships/ LLPs etc.
   (iv) Rule 9(3)(c) of Prevention of Money Laundering Rules (Maintenance of Record), 2005 as amended in 2023 for BOI/AOP.

9. Where this Form is furnished by any person specified in Column B of the Table under section 265 of the Act, this Form shall be verified and signed by the person specified against the corresponding entry in Column C of the said Table.

10. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.

11. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 121

[*See* rule 211]

Declaration under section 393(6) for receipt of certain incomes without deduction of tax

PART A

[To be Filled by the person for receipt of certain incomes without deduction of tax]

Details of the declarant					
1.	Name			*(refer Note 1)*	
2.	Address			*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number				
4.	Status			*(refer Note 3)*	
5.	Residential status			*(refer Note 4)*	
5(a).	If resident individual, whether age is 60 years or more at any time during the tax year			*Yes/no*	
6.	Email id				
7.	Contact number			Country Code	Number
8.	Tax Year (for which declaration is made)				
Details of income					
9.	Nature of income			*(refer Note 5)*	
10.	Estimated income for which declaration is made				
11.	Details of Form No. 121 other than this form filed during the tax year, if any			*(refer Note 6)*	
11(a).	Total number of Form No. 121 filed earlier				
11(b).	Aggregate amount of income for which Form No. 121 were filed				
12.	Aggregate amount of income for which declaration is made during the tax year [sum of column 10 and 11(b)]				
13.	Estimated total income of the tax year including the income mentioned in column 12			*(refer Note 7)*	
14.	Details of the ITR filed for previous two tax years				
	Sl. No.	Tax Year	Acknowledgment Number	Return Income	
	1.				
	2.				

DECLARATION

I..... having Permanent Account Number …… do hereby declare that

(i) to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

(ii) the incomes referred to in this form are not includible in the total income of any other person under sections 96 to 99.

(iii) tax on my estimated total income as referred to in column 13 of Part A (including the income referred to in column 12 of Part A) for tax year… will be nil.

(iv) my income as referred to in column 12 of Part A does not exceed the maximum amount not chargeable to tax for tax year….. (*not to be applicable in case of resident individual of age of sixty years or more at any time during the tax year*)

(v) in case this declaration is found to be false, I shall be liable to prosecution/penalty under the Act.

Place: …… Signature of the Declarant

Date: …… Name:

PART B

[Verification by the person who has received declaration(s) in Part-A from the declarant(s) and responsible for paying the income in respect of which this declaration is made]

	Details of the person responsible for paying income		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Tax Deduction and Collection Account Number		
4.	Permanent Account Number		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax Year		
	Details of the declarant and the declarations received		
8.	Name of the declarant	*(refer Note 1)*	
9.	Permanent Account Number		
10.	Unique Identification Number		
11.	Date of Birth/Incorporation	*(dd/mm/yyyy)*	
12.	Address	*(refer Note 2)*	
13.	Email id		
14.	Contact number	Country Code	Number
15.	Estimated income for which declaration is made	*(as per column 10 of Part A)*	
16.	Estimated total income of the tax year of the declarant	*(as per column 13 of Part A)*	
17.	Aggregate amount of income for which declaration is made during the tax year	*(as per column 12 of Part A)*	
18.	Date on which declaration is received	*(dd/mm/yyyy)*	

DECLARATION

I (name of authorized person)……. having Permanent Account Number …… hereby certify that the information pertaining to the declarant(s) above has been duly furnished.

Place: …… Signature of the authorized person

Date: …… Name:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Declaration can be furnished by an individual being a resident under section 393(6)[Table: Sl. No. 1] or by any person, not being a company or a firm or an individual covered in section 393(6)[Table: Sl. No. 1], under section 393(6)[Table: Sl. No. 2].
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. This application is applicable for following incomes, please fill as applicable:
   (a) payment of accumulated balance due to an employee participating in recognized provident fund
   (b) insurance commission for soliciting or procuring insurance business including business related to continuance, renewal, or revival of the insurance policies.
   (c) rent from a specified person
   (d) income in respect of (i) units of a mutual fund, or (ii) units from the Administrator of the specified undertaking, or (iii) units from the specified company
   (e) interest on securities, interest other than interest on securities by a banking company or a co-operative society carrying on the business of banking or interest by a post office for a deposit made under a scheme notified by the Central Government or by Specified person
   (f) payment in respect of life insurance policy including the sum allocated as bonus on such policy
   (g) dividend (including dividend on preference shares) declared by domestic company

   Refer Section 393(6) for more details.

6. In case any declaration(s) in Form No, 121 is filed before filing this declaration during the tax year, mention the total number of such Form No. 121 filed along with the total amount of income for which said declaration(s) have been filed.

7. Please mention amount of estimated total income of the tax year for which declaration is filed including the amount of income for which this declaration and earlier declaration(s), if any, is made.

8. The person responsible for paying income referred to in row no. 10 of Part A shall allot a unique identification number to all Form No. 121 received by him during a quarter of the tax year and report the same in TDS statement furnished for the same quarter.

9. The person responsible for paying income referred to in row no. 10 of Part A shall accept the declaration where the tax on declarant's estimated total income as referred to in row no. 13 of Part A of the tax year will be nil.

10. Estimated total income shall be calculated after allowing for deduction(s) under Chapter VIII of the Act, if any, or set off of loss, if any, under the head "Income from house property" and rebate allowable under section 156.

11. For a declarant other than the resident individual whose age is 60 years or more at any time during the tax year, the person responsible for paying income referred to in row no. 10 of Part A shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in section 393(6) or total amount of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the tax year in which such income is to be included exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax.

12. Before signing the verification, the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section *482*.

13. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

14. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 122

[*See* rule 204(1)]

Form for furnishing details of income under section 392(4)(a) for the purposes of making deduction where income is chargeable under the head "Salaries"

Sl. No.	Part A: Particulars of the employee	
1.	Name	*(refer Note 1)*
2.	Address	*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number	
4.	Residential Status	*(refer Note 3)*
5.	Tax Year	

PART B										
Particulars of Income under head "Salaries" due or received from any other employer(s) for the purpose of section 392(4)(a)(i)										
Sl. No.	Name of other employer (s)	Permanent Account Number of other employer (s)	Tax Collection and Account Number of other employer(s)	Period of employment	Particulars of salary as defined in section 16, 17 and 18, paid or due to be paid to the employee during the year			Total of columns 6, 7 and 8	Amount deducted in respect of life insurance premium, provident fund contribution, etc., to which section 123 applies (give details)	Total amount of tax deducted during the year [enclose certificate issued under section 395(4)]
					Total amount of salary excluding amounts required to be shown in columns 7 and 8	Total amount of house rent allowance, conveyance allowance and other allowances to the extent chargeable to tax [See Schedule III (Table S. No. 11) read with rule 279 and Schedule III (Table: Sl. No. 12) and Schedule III (Table: Sl. No. 13)]	Value of perquisites and amount of accretion to employee's provident fund account (give details in the Annexure)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Signature of the employee

……

PART C

Details of particulars for the purpose of section 392(4)(a)(iii), (iv) and (v)

Sl. No.	Particulars
1.	Loss under the head "Income from house property"

Amount of loss	Details
(a)	(b)

2.	Details of any other income chargeable to tax under any other head of income, (not being a loss except "loss under house property" reported in Table no. 1 above) –

Income chargeable to tax under head	Nature of Income	Amount of income received/ credited	Any other relevant details
(a)	(b)	(c)	(d)

3.	Details of other Tax Deducted at Source –

Section under which tax deducted at source	Name of deductor	Address of deductor	Tax Deduction and Collection Account Number of deductor	Amount of tax deducted	Amount of income received/ credited	Whether amount mentioned in column (f) is included in Sl. No. 2 above (Yes/ No)	Any other relevant details
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)

4.	Details of Tax Collected at Source –

Section under which tax collected at source	Name of collector	Address of collector	Tax Deduction and Collection Account Number of collector	Amount of tax collected	Any other relevant details
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

DECLARATION

 I, ……., having Permanent Account Number …… do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

……

Date:

Signature of the employee

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

ANNEXURE

[*See* column 8 (PART B) of the Form]

Particulars of value of perquisites and amount of accretion to employee's provident fund account

Value of rent-free accommodation or value of any concession in rent for the accommodation provided by the employer (give basis of computation) <[See rule 15]>						
Where accommodation is unfurnished	Where accommodation is furnished				Rent, if any, paid by the employee	Value of perquisite (column 1 minus column 6 or column 5 minus column 6 as may be applicable)
	Value as if accommodation is unfurnished	Cost of furniture* OR hire charges, if hired from a third party	Perquisite value of furniture (12% of column 3) OR actual hire charges payable	Total of columns 2 and 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**(including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances and air- conditioning plant or equipment)*

ANNEXURE

(Contd.)

Whether any conveyance facility has been provided by the employer free or at a concessional rate, or where the employee is allowed the use of one or more motor cars owned or hired by the employer, the estimated value of perquisite (give details) [See rule 15]	Remuneration paid by employer for Domestic and/or personal services provided to the employee (give details) [See rule 15]	Value of free or concessional passages on home leave and other travelling to the extent chargeable to tax (give details) [See rule 278 read With Schedule III (Table S. No. 8)]	Estimated value of any other benefit or amenity provided by the employer, free of cost or at concessional rate not included in the preceding columns (give details), e.g., supply of gas, electricity or water for household consumption, free educational facilities, transport for family, etc. [See rule 15]	Employer's contribution to recognised provident fund in excess of 12% of the employee's salary [See Schedule XI – Part A]	Interest credited to the assessee's account in recognised provident fund in excess of the rate fixed by the Central Government [See Schedule XI – Part A]	Total of columns 7 to 13 carried to column 8 of Part B of this Form
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

……..

Signature of the employee

FORM NO. 123

[*See* rule 204(2)(b)]

Statement showing particulars of perquisites, other fringe benefits or amenities and profits in lieu of salary with value thereof

Row No.	**Part A: Details of the employer**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax deduction/collection account number		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	*Number*
Details of the employee			
7.	Name	*(refer Note 1)*	
8.	Designation		
9.	Permanent Account Number		
10.	Is the employee a director or a person with substantial interest in the company (Applicable where the employer is a company)	*Yes/No*	
11.	Income under the head "Salaries" of the employee (other than from perquisites)		
12.	Email id		
13.	Contact number	Country Code	*Number*
14.	Tax year		

Part B: Valuation of perquisites				
Row No.	Nature of perquisites (*see rule 15*)	Value of perquisite as per rules	Amount, if any, recovered from the employee	Amount of perquisite chargeable to tax Col. (C) - Col. (D)
A	B	C	D	E
1	Accommodation			
2	Cars/Other automotive			
3	Sweeper, gardener, watchman or personal attendant			
4	Gas, electricity, water			
5	Interest free or concessional loans			

6	Holiday expenses			
7	Free or concessional travel			
8	Free meals			
9	Free education			
10	Gifts, vouchers, etc.			
11	Credit card expenses			
12	Club expenses			
13	Use of movable assets by employees			
14	Transfer of assets to employees			
15	Value of any other Benefit / amenity / service / privilege			
16	Stock options allotted or transferred by employer being an eligible start-up referred to in *section 140*			
17	Stock options (non-qualified options) other than ESOP in col 16 above.			
18	Contribution by employer to fund and scheme taxable under *section 17(1) (h)*			
19	Annual accretion by way of interest, dividend etc. to the balance at the credit of fund and scheme referred to in *section 17(1)(i)*			
20	Other benefits or amenities			
21	Total value of perquisites			
22	Total value of profits in lieu of salary as per s*ection 18*			
23	Details of tax, —			
	(a) Tax deducted from salary of the employee *section 392(1)*			
	(b) Tax paid by employer on behalf of the employee under *section 392(2)(a)*			
	(c) Total tax paid [23(a) + 23(b)]			
	(d) Date of payment into Government treasury			

DECLARATION

I, …….. , having Permanent Account Number …… working as……. (designation) do hereby declare on behalf of …… (name of the employer) that the information given above is based on the books of account, documents and other relevant records or information available with us and the details of value of each such perquisite are in accordance with section 17, profits in lieu of salary in accordance with section 18 of Act and rules framed thereunder and that such information is true and correct.

Place: ……. Signature of the person responsible for

deduction of tax

Date: ……. Name:

Designation:

Notes

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 124

[*See* rule 205]

Statement showing particulars of claims by an employee for deduction of tax under section *392(5)(b)*

	Part A: Details of the employee		
1.	Name of the employee	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	*Number*
6.	Tax Year		

Part B: Details of claims and evidence thereof		
	Nature of claim	**Particulars**
1.	**House Rent Allowance:**	
	(i) Name of the landlord	
	(ii) Address	
	(iii) Permanent Account Number (*refer Note 3)*	
	(iv) Aadhaar Number	
	(v) Relationship with the landlord, if any	
	(vi) Rent paid to the landlord	
	(repeat details of Row No. 1 if required)	
2.	**Leave travel concessions or assistance**	
3.	**Deduction of interest on borrowing:**	
	(i) Name of the lender	
	(ii) Address	
	(iii) Permanent Account Number of	
	(a) Financial Institutions (if available) or	
	(b) Employer (if available) or	
	(c) Others	
	(iv) Interest payable/paid to the lender	
	(repeat details of Row No. 3 if required)	
4.	**Deduction under Chapter VIII-A and B of the Act**	
	(i) Section 123 and 124 (a) Section 123 A. …….. B. …….. C. …….. (b) Section 124 (c) Section 130 (d) Section 131	

	(e) Other sections (e.g. *129*, *133*, 137, *153*, etc.) under Chapter *VIII- A* and *B* of the Act (a) Section …. (b) Section …. (c) Section ….	
5.	Other details to be attached as annexure	*(refer Note 4)*

DECLARATION

I, ……..., having Permanent Account Number ……. do hereby certify that the information given above is complete and correct.

Place: Signature of the employee:……

Date: Name: ……

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Permanent Account Number shall be furnished if the aggregate rent paid during the Tax Year exceeds one Lakh rupees.

4. The following details shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	House rent agreement
A-2	Documents in support of claim of Leave travel concessions or assistance
A-3	Loan agreement
A-4	Documents in support of claim of deduction under Chapter VIII-A and B of the Act

5. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 125

[*See* rule 208]

Declaration to be furnished by Specified Senior Citizen for deduction of tax under Section 393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)]

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Details of the specified senior citizen</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name</td><td>(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address</td><td>(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Permanent Account Number</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Date of birth</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">Tax year</td><td>(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Email id</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Contact number</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Name of the Specified Bank</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">Name of Employer from which pension is drawn</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">Pension Payment Order (PPO) Number</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td colspan="3">Details of the Accounts maintained with the Bank:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Account Number</td><td>Individual Account / Joint Account</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Whether opting out of New Tax Regime under section 202?</td><td>(Yes/No)
(refer Note 4)</td></tr>
</table>

DECLARATION

I, ... having Permanent Account Number ……. do hereby certify that the information given above is complete and correct and that I do not have any income other than the income of the nature of pension and/or interest which is received or receivable only in the account(s) of the specified bank stated above.

Date ……. Signature of person

Place …… Name: ……...

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Tax year means the tax year in respect of whose income, declaration is being made

4. The deduction allowable and rebate allowable shall be in accordance with the new tax regime, unless the individual opts out of the said regime.

FORM NO. 126

[*See* rule 209]

Application by a person specified in rule 209 for a certificate under section 395(1), for receipt of certain sums without deduction of tax

Part A

Particulars of the applicant

1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number		
3.	Status	*(refer Note 2)*	
4.	Nature of the entity *(select anyone)*	o Banking company o Insurer o Person other than banking company/insurer	
5.	Principal Officer	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	
6.	Address of Indian Branch(es)	*(refer Note 3)*	
7.	Country of Incorporation	*(drop down)*	
8.	Address of Head Office (outside India)	*(refer Note 3)*	
9.	Email id		
10.	Contact Number	Country code	Number

Part B (to be filled where applicant is banking company/insurer)

Declaration and Request

I, …. (name of declarant) having Permanent Account Number ….. being the principal officer of …….. (name of the applicant), hereby declare:

1. That ……. (name of the applicant) is a *banking company/insurer which is not a domestic company and which is operating in India through above branch(es).

2. That the said *company/insurer is entitled to receive interest, not being interest on securities (other than interest payable on securities referred to in section 393(4) [Table: Sl. No. 6]), and other sums not being dividends, chargeable under the provisions of the Act, during the tax year _____.

3. That it fulfils all the following conditions laid down in rule 209:

   (a) …… (name of the applicant) has been regularly assessed to income-tax in India and has furnished the returns of income for last five tax years for which such returns became due on or before the date on which the application under this rule is made.
   (b) …….. (name of the applicant) is not in default or deemed to be in default in respect of any tax (including advance tax and tax payable under section 266), interest, penalty, fine, or any other sum payable under the Act.

   (c) interest or other sum is receivable by the branches on their own account and not on behalf of its head office or any branch situated outside India, or any other person;

Therefore, a certificate may be issued authorising ……. (name of the applicant) to receive interest, not being interest on securities (other than interest payable on securities referred to in section 393(4) [Table: Sl. No. 6]) and other sum not being dividends, without deduction of tax under section 393(2) (Table: Sl. No. 17), during the tax year _____.

I hereby declare that what is stated in this application is correct.

Place: Signature of the principal officer

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi)Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii)Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
3. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

Part C (to be filled where applicant is a person other than the banking company/insurer)

Declaration and Request

I, …. (name of declarant) having Permanent Account Number being the principal officer of …….. (name of the applicant), hereby declare:

1. That ….. (name of the applicant) is a non-resident assessee (not being a banking company or an insurer) carrying on business/profession in India through above branch(es).

2. That …. (name of the applicant) is entitled to receive sums (other than dividends and interest) chargeable under the provisions of the Act, during the tax year _____.

3. That ….. (name of the applicant) fulfils the following conditions laid down in rule 209:

   (a) ……. (name of the applicant) has been carrying on business or profession in India continuously for a period of not less than five years immediately preceding the date of the application.

   (b) the value of the fixed assets in India of such business or profession as shown in his books for the tax year which ended immediately before the date of the application or, where the accounts in respect of such tax year have not been made up before the said date, the tax year immediately preceding that year, exceeds fifty lakhs of rupees.

   (c) …… (name of the applicant) has been regularly assessed to income-tax in India and has furnished the returns of income for last five tax years for which such returns became due on or before the date on which the application under this rule is made.

   (d) …….. (name of the applicant) is not in default or deemed to be in default in respect of any tax (including advance tax and tax payable under section 266), interest, penalty, fine, or any other sum payable under the Act.

(e) interest or other sum is receivable by the branches on their own account and not on behalf of its head office or any branch situated outside India, or any other person;

Therefore, a certificate may kindly be issued authorising ….. (name of the applicant) to receive such sum (other than interest or dividends) without deduction of tax under section 393(2) (Table: Sl. No. 17), during the tax year….

I hereby declare that what is stated in this application is true and correct.

Place: Signature of the principal officer

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. Fill 'person' status as (i) Individual (ii)Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm(v) Association of persons, whether incorporated or not (vi)Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust.

3. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 127

[*See* rule 212]

Declaration under section 394(2*)* to be made by a buyer for obtaining goods without collection of tax

Part A: Particulars of the Buyer			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Residential Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Nature of Business/Occupation		
8.	Nature of goods [*referred to in sub-section 1 of Section 394] [Table Sl. No. 1 to 5]*		
9.	Purpose of utilization of goods *(select one)*		
	Manufacturing, processing, production of articles or things	☐	
	Generation of power	☐	
10.	Estimated amount of payment for which declaration is being made for no collection of tax		

Declaration

☐ I..... (name of the declarant) having Permanent Account Number …… in my capacity as……. (designation) of …… (name of the buyer) do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

☐ I declare that the goods referred to in Column No. 8 shall not be used for trading purposes.

☐ I also declare that I am resident in India within the meaning of section 6.

Place: **Signature of the declarant:

Date: Name:

** Indicate the capacity in which the declaration is furnished on behalf of a HUF, AOP, firm, company, etc.

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Part B: Particulars of the seller [For use by the person to whom the declaration is furnished]			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax Deduction and Collection Account Number		
5.	Status	*(refer Note 3)*	
6.	Email id		
7.	Contact number	Country Code	Number
8.	Date on which declaration is furnished	*(dd/mm/yyyy)*	
9.	Date of debit or receipt of the amount payable by the buyer	*(dd/mm/yyyy)*	
10.	Estimated amount of payment for which declaration is being made for no collection of tax	(*as per Sl. No. 10 of Part A)*	

Forwarded to the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax ……

Declaration

☐ I..... (name of the person responsible for collecting tax) having Permanent Account Number …… in my capacity as……. (designation) of ……. (name of the seller) do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Place: …… Signature of the person responsible for collecting tax

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. The declaration should be furnished in duplicate.

5. Before signing the verification, the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 482.

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 128 **[*See* rule 213]**	**Application for issuance of certificate for lower or nil deduction of income-tax under section 395(1) and lower collection of income-tax under section 395(3)**

(To be filed electronically by Person seeking certificate for no deduction of tax or deduction or collection of tax at a lower rate)

PART - A

Tax Year	**20_ _ – 20 _ _**

1.	Details of Applicant		
(a)	Name	*(refer Note 1)*	
(b)	Address	*(refer Note 2)*	
(c)	Status	*(refer Note 3)*	
(d)	Permanent Account Number		
(e)	Residential Status	*(refer Note 4)*	
(f)	E-mail id		
(g)	Contact Number	Country Code	Number

PART – B

2. Application filed by: (Radio Button)	o Registered non-profit organization o Specified Entity referred to in section 263(9)(c) o Person carrying on business or profession o Persons other than the above

3.	Details of Request

I do hereby request that a certificate may be issued to: (tick as applicable)

☐ the person responsible for paying income/sum to me with deduction of income-tax at a lower rate or without deduction of income-tax. The details of these are mentioned in Annexure I.

☐ me since I do not have the details of the payer, to receive income/sum with deduction of income-tax at a lower rate. The relevant information is included in Annexure II.

☐ the person responsible for paying income/sum to me for receiving the income/sum with deduction of income-tax at a lower rate or without deduction of income-tax. The details are specified in Annexure- I. [**Applicable for Registered non-profit organization and Specified Entity referred to in section 263(9)(c)]**

☐ to me for receiving the income/sum with deduction of income-tax at a lower rate. The details are specified in Annexure- II. [**Applicable for Registered non-profit organization and Specified Entity referred to in section 263(9)(c)]**

☐ the Seller/Lessor/Licensor to collect income tax at a lower rate at the time of debit of such amount to my account or receipt thereof from me. The specific details are provided in Annexure III.

PART – C

4. Details of existing tax liabilities (as on date of filing of application)

Sl. No.	Liability under the Act	Tax Year	Amount (Advance tax/ Self-Assessment tax)	Amount payable but not paid, for which notice of demand under section 289 or under section 156 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), as the case may be, has been served	Amount payable but not paid in capacity of deductor or collector which has become due	Total liability	Remarks, if any
			(A)	(B)	(C)	(A) + (B) + (C)	
1.	Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)						
2.	Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal)						

5. Particulars of income and other relevant details (for the relevant tax year)

(a)	Estimated total income (Attach computation)		
(b)	Tax including interest payable on the Total income [referred to in 5(a)]		
(c)	Income claimed to be exempt and not included in the Total income in 5(a). (Attach note giving reason for claiming such exemption)		
(d)	Prepaid taxes (as per AIS):	(i) Advance Tax	
		(ii) Tax deducted at source	
		(iii) Tax collected at source	

(e) Details of return of income for four tax years preceding to the tax year:

	Tax Year	Acknowledgement Number	Date of filing of return of income	Taxable Income	Tax Liability
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					

* In case return is not filed for any of the preceding four tax years, attach computation of income for such year.

PART – D

Applicable in case of Registered Non-Profit Organisation or Specified entity referred to in rule 213

	Declaration
I ……. having Permanent Account Number ……. do hereby declare that: □ the applicant is registered vide certificate/registration number ……. □ the applicant has furnished the returns of income for last four tax years for which such returns became due on or before the date on which the application under sub-rule (1) of rule 213 is made. □ the applicant being a specified entity referred in rule 213 is approved for the purpose of exemption from Income-tax. □ the incomes/sum referred to in this form are not includible in the total income of any other person under sections 96 to 99. Place: …… Signature Date: …… Name:	

PART – E

Applicable in case of Person other than person mentioned in Part-D

Declaration
I …… having Permanent Account Number …….. do hereby declare that: □ the applicant has furnished the returns of income for last four tax years for which such returns became due on or before the date on which the application under sub-rule (1) of rule 213 is made. □ the incomes/sum referred to in this form are not includible in the total income of any other person under sections 96 to 99. Place: …… Signature Date: …… Name:

PART – F

Verification

I, _____ (full name), having PAN _____ in the capacity of _____ (designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief and no relevant information has been concealed.

	Signature	
	Date	
	Address	

ANNEXURE - I

[Relevant for tax deduction at source]

Please furnish following particulars in respect of the incomes/sum for which the certificate is sought

Sl. No.	Section under which tax at source is liable for deduction	Table Sl. No. under which tax at source is liable for deduction	TAN/PAN of the Payer	Estimated amount of income/sum to be received during the tax year	Requested Rate of Deduction *(refer Note 5)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ANNEXURE - II

[Relevant for tax deduction at source]

Please furnish following particulars in respect of the incomes/sum for which the certificate is sought

(Please upload a note justifying the issue of certificate under sub-rule 9 of rule 213)

Sl. No.	Section under which tax at source is liable for deduction	Table Sl. No. under which tax at source is liable for deduction	Estimated amount of income/sum to be received during the tax year	Requested Rate of Deduction *(refer Note 5)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ANNEXURE -III

[Relevant for tax collection at source];

Please furnish following particulars in respect of amount receivable for which the certificate is sought

Sl. No.	Section under which tax at source is liable	Table Sl. No. under which tax at source is liable for	TAN of the Seller/ Lessor/	Estimated amount to be	Requested Rate of Collection

	for collection	collection	Licensor	debited/paid during the tax year	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date…… Signature…….

Place…..

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. Fill '0' where requested rate of deduction is Nil.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 129

[*See* rule 214]

Application by a person for a certificate under section 395(2) and 400(3) for determination of appropriate proportion of sum (other than salary) payable to non-resident, chargeable to tax in case of the recipient.

Part A: Particulars of the payer and payee

	Particulars of the payer		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax Deduction and Collection Account Number		
5.	Status	*(refer Note 3)*	
6.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
7.	Email id		
8.	Contact Number	Country Code	Number
	Particulars of the payee		
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Permanent Account Number (if available)	*(refer Note 5)*	
11.	Tax Identification Number of recipient in the country of Residence	*(refer Note 6)*	
12.	Address in India (if applicable)	*(refer Note 2)*	
13.	Name of country of residence	*(drop down)*	
14.	Address of recipient in country of Residence	*(refer Note 2)*	
15.	Email id		
16.	Contact number	Country Code	Number

Part B: Particulars of transaction

<table>
<tr><td>1.</td><td>Country to which remittance is to be made</td><td colspan="3">(drop down)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="4">Details of remittances (select one or more)
<table>
<tr><td></td><td>Nature of remittance</td><td colspan="2">Amount to be remitted</td><td>Proposed date of payment (dd/mm/yyyy)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>In foreign currency</td><td>In ₹</td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Royalty</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Fees for technical services</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Dividend</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Interest</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Business income</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Capital gains</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>Any other (please specify)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Tax year for which certificate is requested</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>In case the payment is net of taxes, whether tax payable, if any would be grossed up as per section 393(10)?</td><td colspan="3">Yes/No</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Details of previous certificates obtained under section 395(2) for the same transaction ☐</td><td>Certificate Number</td><td colspan="2">Date of issuance of certificate</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Tax payable on estimated income of the tax year of the recipient, (if available)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Details of prepaid taxes for the tax year of the recipient, (if available)</td><td>Advance Tax</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>TDS</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>TCS</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Details of existing liabilities of the recipient under the Act and Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), (if available)</td><td>Tax year</td><td colspan="2">Amount of liability</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Whether Double Taxation Avoidance Agreement (“DTAA”) is applicable or not

(If yes, fill up Part-D. If no, fill up Part-C)</td><td colspan="3">Yes/No</td></tr>
<tr><td colspan="5">Part -C Taxability under the provisions of the Act (if DTAA not applicable)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Is payment chargeable to tax in India as per the provisions of the Act</td><td colspan="3">Yes/No</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>If not taxable, reasons thereof</td><td colspan="3">(refer Row No. 7 of Part E)</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="4">If yes, please furnish following details:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">A. If the payment is on account of business income, please indicate:</td></tr>
<tr><td></td><td>(a) Nature of business</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	(b) Description of the business connection in India	
	(c) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(d) Relevant section of the Act under which the payment is chargeable to tax	
	(d) Rate at which tax is required to be deducted	
	(e) Tax liability on the chargeable income	

B. If payment is on account of Capital Gains, please indicate:

(a) Nature of asset and its location							
(b) Amount of long-term capital gains	Date of sale of asset	Total sale consideration	Date of acquisition	Total cost of acquisition	Cost of improvement, if any	LTCG	
(c) Amount of short-term capital gains	Date of sale of asset	Total sale consideration	Date of acquisition	Total cost of acquisition	Cost of improvement, if any	STCG	
(d) Relevant section of the Act under which the payment is chargeable to tax							
(e) Rate at which tax is required to be deducted							
(f) Tax liability on the chargeable income							

C. In case the payment is on account of Royalty, please indicate:

(a) Nature of Royalty payment *(select one)*	Consideration for— ☐ (i) the transfer of all or any rights (including the granting of a licence) in respect of a patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property ☐ (ii) the imparting of any information concerning the working of, or the use of, a patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property ☐ (iii) the use of any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property ☐ (iv) the imparting of any information concerning technical, industrial, commercial or scientific knowledge, experience or skill ☐ (v) the use or right to use any industrial, commercial or scientific equipment but not including the amounts referred to in section 61 ☐ (vi) the transfer of all or any rights (including the granting of a licence) in

		respect of any copyright, literary, artistic or scientific work including films or video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio broadcasting ☐ (vii) the rendering of any services in connection with the activities referred to in (i) to (vi) above
	(b) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(c) the relevant section of the Act under which the payment is chargeable to tax	
	(d) Rate at which tax is required to be deducted	
	(e) Tax liability on the chargeable income	
	D. If payment is on account of Fee for Technical Services (FTS), please indicate:	
	(a)Nature of Payment *(select one)*	Consideration for the rendering of any— ☐ managerial services ☐ technical services ☐ consultancy services
	(b) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(c) Relevant section of the Act under which the payment is chargeable to tax	
	(d) Rate at which tax is required to be deducted	
	(e) Tax liability on the chargeable income	
	E. In case of Interest income	
	(a) Nature of interest income	

	(b) Please indicate	
	(i) Whether conditions of section 393(2)(Table: Sl. No.5) are satisfied?	*Yes/No*
	(ii) Whether conditions of sections 393(2)(Table: Sl. No. 6 and 7) and 393(4) (Table: Sl. No. 13) are satisfied?	*Yes/No*
	(iii) Whether conditions of section 393(2) (Table: Sl. No. 2, 3 and 4) are satisfied?	*Yes/No*
	(iv) Loan Registration Number (LRN) as given by Reserve Bank of India	
	(c) Amount of interest income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(d) The relevant section of the Act under which the payment is chargeable to tax	

	(e) Rate at which tax is required to be deducted	
	(f) Tax liability on the chargeable income	
	F. In case of other payment not covered by items A to E, above	
	(a) Please specify the nature of payment	
	(b) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(c) The relevant section of the Act under which the payment is chargeable to tax	
	(d) Rate at which tax is required to be deducted	
	(e) Tax liability on the chargeable income	
Part- D Taxability under the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)		
(i)	Please specify applicable DTAA	
(ii)	Whether copy of Tax Residency Certificate and Form No. 41 enclosed	*Yes/No*
	A. If the payment is on account of business income, please indicate:	
	(a) Whether such business income is liable to tax in India under the DTAA	*Yes/No*
	(b) If no, the reasons for the same	*(refer Row No. 7 of Part E)*
	(c) If yes, nature of permanent establishment in India	
	(d) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(e) Article of relevant DTAA under which the payment is chargeable to tax	
	(e) Rate at which tax is required to be deducted as per DTAA	
	(f) Tax liability on the chargeable income	

	B. In case the payment is on account of capital gains, please indicate:						
	(a) Whether such capital gains are liable to tax in India under the DTAA	*Yes/No*					
	(b) If no, the reasons for the same	*(refer Row No. 7 of Part E)*					
	(c) if yes, then provide—						
	(i) Nature of asset and its location						
	(ii) Amount of long-term capital gains	Date of sale of asset	Total sale consideration	Date of acquisition	Total cost of acquisition	Cost of improvement, if any	LTCG

	(iii) Amount of short-term capital gains	Date of sale of asset	Total sale consideration	Date of acquisition	Total cost of acquisition	Cost of improvement, if any	STCG
	(iv) Article of relevant DTAA under which the payment is chargeable to tax						
	(v) Rate at which tax is required to be deducted						
	(vi) Tax liability on the chargeable amount based on (v) above						
	C. In case the payment is on account of Royalty, please indicate:						
	(a) Is the recipient the beneficial owner of the royalty paid or to be paid						
	(b) Whether such royalty is attributable to permanent establishment in India	*Yes/No*					
	(c) Whether such royalty is liable to tax in India under the DTAA	*Yes/No*					
	(d) if no, provide reasons for the same along with the nature of payment	*(refer Row No. 7 of Part E)*					
	(e) if yes, then state						
	(i) Nature of Royalty payment						
	(ii) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row. No. 8 of Part E)*					
	(iii) Rate at which tax is required to be deducted						
	(iv) Tax liability on the chargeable amount based on (iii) above						
	D. In case the payment is on account of Fee for Technical Services (FTS), please indicate						
	(a) Is the recipient the beneficial owner of the FTS paid or to be paid						
	(b) Whether such FTS is attributable to permanent establishment in India	*Yes/No*					
	(c) Whether such fee for technical service is liable to tax in India under the DTAA	*Yes/No*					

	(d) If FTS is not taxable in India under the DTAA, then state	*(refer Row No. 7 of Part E)*
	(i) nature of payment	
	(ii) whether there is "Make Available" clause in the DTAA	

	(iii) if there is a claim for "Make Available" clause, whether such clause in FTS article is sought to be included in the DTAA through Most Favored Nation Clause?	
	(iv) if answer to (iii) above is yes, whether notification regarding "Make Available" clause issued by Government of India	*Yes/No*
	(v) If there is "Make available" clause explain how that requirement is not satisfied	
	(vi) If there is no "Make available" clause explain how the payment is not FTS	
	(e) if FTS is taxable in India under the DTAA, then state	
	(i) Nature of fee for technical services	
	(ii) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(iii) Rate at which tax is required to be deducted	
	(iv) Tax liability on the chargeable amount based on (iii) above	
	E. In case of Interest income	
	(a) Is the recipient the beneficial owner of the interest income paid or to be paid	*Yes/No*
	(b) Whether such interest income is attributable to permanent establishment in India	*Yes/No*
	(c) Whether such interest is liable to tax in India?	*Yes/No*
	(d) if no, give reasons along with nature of interest payment	*(refer Row No. 7 of Part E)*
	(e) if yes, then state,	
	(i) Nature of interest income	
	(ii) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(iii) Rate at which tax is required to be deducted	
	(iv) Tax liability on the chargeable amount based on (iii) above	

	F. In case of other payment not covered by items A to E	
	(a) Please specify the nature of payment	

	(b) Whether taxable in India as per DTAA?	*Yes/No*
	(c) If not taxable, please furnish brief reasons thereof, specifying relevant article of DTAA	*(refer Row No. 7 of Part E)*
	(d) If yes, (i) specify relevant Article of DTAA and the rate of TDS in terms of relevant Article of the applicable DTAA	
	(ii) Amount of income chargeable to tax	*(refer Row No. 8 of Part E)*
	(iii) Rate at which tax is required to be deducted	
	(iv) Tax liability on the chargeable amount based on (iii) above	

PART – E		
Attachments		
Description of relevant documents attached		Attachment
1.	Relevant documents such as contract for sale of goods and/or provisions for services (if any), computation of capital gains, share purchase agreement, bank payment, details of cost of acquisition, contract note (if any), share certificate (if any), etc.	
2.	Details of assessed/returned/estimated income of payee of preceding four tax years, if available	
3.	Computation of estimated income chargeable to tax and Tax Liability of the tax year.	
4.	Copy of Tax Residency Certificate and Form No. 41	
5.	Documents in support of claim of applicability of sections 393(2) (Table: Sl. No.5)/393(2) (Table: Sl. No. 6 and 7) and 393(4) (Table: Sl. No. 5 and 13)/393(2) (Table: Sl. No. 2,3 and 4)	
6.	Note on business connection in India	
7.	Detailed note on reasons why the payment is not taxable in India as per the Act or as per the relevant DTAA, as the case may be	
8.	Detailed note on how the amount chargeable to tax (out of total amount of payment) has been determined along with its working and supporting documents, if any	
9.	Any other documents you wish to furnish in support of your claim	

DECLARTION

I, ……..(full name), having PAN …… in the capacity as (designation)…… of ……. (name of the payer) declare that the information given above is true and correcr and no relevant information has been concealed.

Place: ……..…… Signature of the Authorised Signatory

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations with the appropriate title (Mr./Mrs./Ms.). In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain Flat/Door/Block number, Name of the premises, Road/Street/Lane, Area/locality, Town/City/District, State, Pin/ZIP Code.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. In case of non-availability of PAN, provisions of section 397(2)(c) read with provisions of rule 217 shall be applicable.
6. Tax Identification Number of the payee (recipient) in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the payee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 130

[*See* rule 215(1)[Table: Sl. No. 1]]

Certificate under section 395 for tax deducted at source on salary paid to an employee under section 392 or pension or interest income of specified senior citizen under section 393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)]

PART A

Certificate No.		Last updated on	
Details of the employer/specified bank			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax Deduction and Collection Account Number		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year		
8.	Period with the employer	*(dd/mm/yyyy)* *to* *(dd/mm/yyyy)*	
Details of the employee/ specified senior citizen			
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Address	*(refer Note 2)*	
11.	Permanent Account Number		

PART B

Summary of amount paid/credited and tax deducted at source thereon in respect of the employee					
Quarter (s)	Receipt Numbers of original quarterly statements of TDS under section 397(3)(b)	Amount paid/credited	Rate of deduction of tax	Amount of tax deducted	Amount of tax deposited/ adjusted
Total					

I. Details of tax deducted and deposited in the central government account through book adjustment **(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited)**					
Sl. No.	Tax deposited *(refer Note 5)*	Book Identification Number (BIN)			
		Receipt numbers of Form No.	DDO serial number in Form No. 137	Date of Transfer voucher *(dd/mm/yyyy)*	Status of Matching with Form No. 137

		137			
Total					

II. Details of tax deducted and deposited in the central government account through challan

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited)

Sl. No.	Tax deposited *(refer Note 5)*	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited *(dd/mm/yyyy)*	Challan Serial Number	Status of matching with TIN 2.0
Total					

DECLARATION

I, ……., (name of person responsible for deduction of tax)……. having Permanent Account Number …… working in the capacity as ……. (designation) of ……. (name of the deductor) do hereby certify that a sum of ₹ …….. [₹……(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government.

I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

Place: Signature of person responsible for deduction of tax

Date: Name: ……..

Designation: ……

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State

3. Government deductors to fill information in item I of Part B if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part A if tax is paid accompanied by an income-tax challan.

4. Non-Government deductors to fill information in item II of Part B.

5. In Part B, total tax deducted shall be sum of amount of tax deducted, surcharge and health & education cess.

6. If an assessee is employed under one employer only during the year, certificate in Form No. 130 issued for the quarter ending on 31st March of the tax year shall contain the details of tax deducted and deposited for all the quarters of the tax year.

7. If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A and Part B of the certificate in Form No. 130 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employer.

8. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.

9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

PART C (Annexure-I)

In relation to employees for tax deduction under section 392

Row No.	Particulars		
A	Whether opting out of taxation under section 202(1)?	*(Yes/No)*	
1.	**Gross Salary**		
	(a) Salary as per provisions contained in section 16		
	(b) Value of perquisites under section 17 (as per Form No. 123, wherever applicable)		
	(c) Profits in lieu of salary under section 18 (as per Form No. 123, wherever applicable)		
	(d) Total		
	(e)Reported total amount of salary received from other employer(s)		
2.	**Allowances to the exempt under section 11**		
	(a) Travel concession or assistance under section 11 being of the nature referred to in Schedule III [Table: Sl. No. 8]		
	(b) House rent allowance under section 11 being of the nature referred to in Schedule III [Table: Sl. No. 11]		
	(c) Other special allowances under section 11 being of the nature referred to in Schedule III [Table: Sl. No. 12 and 13]		
	(d) Amount of any other exemption under section 11		
	section …		
	section …		
	section …		
	…		
	(e) Total amount of any other exemption under section 11		
	(f) Total amount of exemption claimed under section 11 [2(a)+2(b)+2(c)+2(e)]		
3.	**Total amount of salary received from current employer [1(d)-2(f)]**		
4.	**Deductions under section 19(1)**		
	(a) Tax on employment under section 19(1) [Table: Sl. No.1]		
	(b) Standard deduction under section 19(1) [Table: Sl. No.2]		
	(c) Gratuity under section 19(1) [Table: Sl. No.3,4,5,6]		
	(d) Commuted value of pension under section 19(1) [Table: Sl.		

	No. 7,8,9]			
	(e) Compensation as received by workmen under section 19(1) [Table Sl. No. 10,11]			
	(f) Amount received on voluntary retirement or termination of service under section 19(1) [Table Sl. No. 12]			
	(g) Cash equivalent of leave salary encashment under section 19(1) [Table: Sl. No. 13,14]			
5.	Total amount of deductions under section 19(1) [4(a)+4(b)+4(c) +4(d)+4(e)+ 4(f) +4(g)]			
6.	**Income chargeable under the head "Salaries" [3+1(e)-5]**			
7.	**Any other income reported by the employee as per section 392(4)**			
	(a) Amount chargeable under any head of income other than "Salaries" as per section 392(4)(a)(iv)			
	(b) Any loss from house property reported by employee under section 392(4)(a)(iii)			
8.	Total amount of other income reported by the employee [7(a)-7(b)]			
9.	**Gross total income (6+8)**			
10.	**Deductions under Chapter VIII of the Act**			
			Gross Amount	Deductible Amount
	(a) Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund, certain pension funds, notified pension schemes etc. under section 123			
	(b) Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 124(3)			
	(c) Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 124(1)(a)			
	(d) Deduction in respect of health insurance premia under section 126			
	(e) Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 129			
	(f) Deduction in respect of contribution by the employee to Agnipath Scheme under section 125 (1)			
	(g) Deduction in respect of contribution by the Central Government to Agnipath Scheme under section 125 (2)			
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount

	(h) Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 133			
	(i) Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 153			
	(j) Amounts deductible under any other provisions of Chapter VIII of the Act			
	section …			
	section …			
	section …			
	(k) Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VIII of the Act			
11.	Aggregate of deductible amount under Chapter VIII of the Act [10(a) + 10(b) + 10(c) + 10(d) + 10(e) + 10(f) + 10(g) + 10(h) + 10(i) + 10(k)]			
12.	**Total taxable income (9-11)**			
13.	Tax on total income			
14.	Rebate under section 156, if applicable			
15.	Surcharge, wherever applicable			
16.	Health and education cess @ 4%			
17.	Tax payable (13+15+16-14)			
18.	Relief under *section 157* (attach details)			
19.	Tax deducted at source as per Form No. 122 submitted under provisions of *section 392(4)*			
20.	Tax collected at source as per Form No. 122 submitted under provisions of *section 392(4)*			
21.	Net tax payable (17-18-19-20)			

DECLARATION

I, …….., (name of person responsible for deduction of tax)……. having Permanent Account Number …..…… working in the capacity as ……. (designation) of ……. (name of the deductor) do hereby certify that a sum of ₹ …….. [₹……(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government.

I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

Place: Signature of person responsible for deduction of tax

Date: Name: ……..

Designation: ……

Notes:

1. Part C (Annexure-I) of the certificate in Form No. 130 may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.

2. Deductor shall duly fill details, where available, in item numbers 2(*c*) and 10(*h*) before furnishing of Part C (Annexure-I) to the employee.

3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

PART C (Annexure-II)

In relation to specified senior citizen for tax deduction under *393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)]*

A	Whether opting out of taxation under section 202(1)?		*YES/NO*	
1.	Gross Salary			
	(a) Pension as per provisions contained in section 16			
2.	Total amount of salary received			
3.	Deductions under section 19			
	(a) Tax on employment under section 19 [Table: Sl. No.1]			
	(b) Standard deduction under section 19 [Table: Sl. No.2]			
4.	Total amount of deductions under section 19 [3(a)+3(b)]			
5.	Income chargeable under the head "Salaries" [(2-4]			
6.	Interest Income under the head “Other Sources” paid by the specified bank			
7.	Gross total income (5+6)			
8.	Deductions under Chapter VIII of the Act			
			Gross Amount	Deductible Amount
	(a) Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund, certain pension funds, notified pension schemes etc. under section 123			
	(b) Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 124(3)			
	(c) Deduction in respect of health insurance premia under section 126			
	(d) Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 129			
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
	(e) Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 133			
	(f) Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 153(2)(b)			

	(g) Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VIII of the Act			
	section …			
	section …			
	section …			
	(h) Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VIII of the Act			
9.	Aggregate of deductible amount under Chapter VIII of the Act[8(a) + 8(b) + 8(c) + 8(d) + 8(e) + 8(f) + 8(h)]			
10.	Total taxable income (7-9)			
11.	Tax on total income			
12.	Rebate under section 156, if applicable			
13.	Surcharge, wherever applicable			
14.	Health and education cess @ 4%			
15.	Tax payable (11+13+14-12)			
16.	Relief under section 157 (attach details)			
17.	Net tax payable (15-16)			

DECLARATION

I, ……..., (name of person responsible for deduction of tax)……. having Permanent Account Number…… working in the capacity as ……. (designation) of ……. (name of the deductor) do hereby certify that a sum of ₹ …….. [₹…….(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government.

I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

Place: Signature of person responsible for deduction of tax

Date: Name: ……..

Designation: ……

Notes:

1. Part C (Annexure-II) of the certificate in Form No. 130 may be issued by the specified bank to a specified senior citizen.

2. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 131

[*See* rule 215(1)[Table: Sl. No. 2]]

Certificate under section 395(4) for tax deducted at source other than on salary paid to an employee under section 392 or pension or interest income of specified senior citizen under section 393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)]

Certificate No.		Last updated on	
Row No.	**PART A: Details of the deductor**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax Deduction and Collection Account Number		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year		
8.	Quarter of tax year		
Details of the deductee			
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Address	*(refer Note2)*	
11.	Permanent Account Number		

PART B				
Summary of payment				
Sl. No.	Nature of payment	Amount paid/credited	Date of payment/credit *(dd/mm/yyyy)*	
Total				
Summary of tax deducted at source in respect of Deductee				
Quarter	Receipt Numbers of original quarterly statements of TDS under section 397(3)(b)	Amount of tax deducted	Rate at which tax is deducted at source	Amount of tax deposited / adjusted

I. Details of tax deducted and deposited in the central government account through book adjustment (The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)					
Sl. No.	Tax deposited *(refer Note 5)*	Book Identification Number (BIN)			
		Receipt numbers of Form No. 137	DDO serial number in Form No. 137	Date of Transfer voucher (dd/mm/yyyy)	Status of Matching with Form No. 137
Total					
II. Details of tax deducted and deposited in the central government account through challan (The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)					

Sl. No.	Tax deposited *(refer Note 5)*	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited *(dd/mm/yyyy)*	Challan Serial Number	Status of matching with TIN 2.0
Total					

DECLARATION

I, ……., (name of person responsible for deduction of tax) ……. having Permanent Account Number …… working in the capacity as ……. (designation) of ……. (name of the deductor) do hereby certify that a sum of ₹ …….. [₹…… (in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government.

I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

Place: Signature of person responsible for deduction of tax

Date: Name: …….

Designation: ……..

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State
3. Government deductors to fill information in Part B, item I if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
4. Non-Government deductors to fill information in Part B, item II.
5. In Part B, items I and II, in column for tax deposited, sum of tax deducted, surcharge and health & education cess shall be provided.
6. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.
7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 132

[*See* rule 215(1)[Table: Sl. No. 2]]

Certificate under section *395(4)* for tax deducted at source

Certificate No.		Last updated on	
PART A			
Row No.	**Particulars of the deductor and nature of transaction**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Tax year		
7.	Nature of Transaction *(select one)*	□ Payment of rent □ Transfer of immovable property □ Payment by way of commission/brokerage □ Fee for technical services □ Payment in pursuance of a contract □ Transfer of virtual digital asset	
Particulars of the deductee			
8.	Name	*(refer Note 1)*	
9.	Address	*(refer Note 2)*	
10.	Permanent Account Number		

PART B					
Summary of Transaction(s) (as per Form No. 132)					
Row No.	Acknowledgement Number	Amount Paid / Credited	Rate at which tax is deducted at source	Date of payment /credit (dd/mm/yyyy)	Amount of tax deducted and deposited
1.					
2.					
..					
		Total:			Total:

Details of tax deposited to the credit of the central government for which credit is to be given to the deductee			
Amount of tax deposited	Challan Identification number (CIN)		
	BSR Code	Date of tax deposit (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number

PART C
DECLARATION

□ I, …… having Permanent Account Number …… in the capacity of …… (designation) do hereby certify that a sum of (₹) …… [₹ …… (in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government.

 I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, challan-cum-statement of deduction of tax, TDS deposited and other available records.

Place: Signature of person responsible for deduction of tax:

Date: Name:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 133

[*See* rule 215(1)[Table: Sl. No. 4]]

Certificate under section 395(4) for tax collected at source

PART A

Certificate No.		Last updated on	
Row No.	**Details of the collector**		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax Deduction and Collection Account Number		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year		
8.	Quarter of tax year		
	Details of the collectee		
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Address	*(refer Note2)*	
11.	Permanent Account Number		

PART B

Summary of receipt			
Sl. No.	Amount received/debited	Nature of receipt	Date of receipt/debit *(dd/mm/yyyy)*
Total			

Summary of tax collected at source in respect of the collectee				
Quarter	Receipt Numbers of original quarterly statements of TCS under section 397(3)(b)	Amount of tax collected	Rate at which tax is collected at source	Amount of tax deposited/adjusted

PART C

I. Details of tax collected and deposited in the central government account through book adjustment

(The Collector to provide payment wise details of tax collected and deposited with respect to the collectee)

Sl. No.	Tax deposited *(refer Note 5)*	Book Identification Number (BIN)			
		Receipt numbers of Form No. 137	DDO serial number in Form No. 137	Date of Transfer voucher (dd/mm/yyyy)	Status of Matching with Form No. 137
Total					

II. Details of tax collected and deposited in the central government account through challan

(The Collector to provide payment wise details of tax collected and deposited with respect to the collectee)					
Sl. No.	Tax deposited *(refer Note 5)*	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number	Status of matching with TIN 2.0
Total					

DECLARATION

I, ……., (name of person responsible for collection of tax)……. having Permanent Account Number …… working in the capacity as ……. (designation) of ……. (name of the collector) do hereby certify that a sum of ₹ …….. [₹……(in words)] has been collected and deposited to the credit of the Central Government.

I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TCS statements, TCS deposited and other available records.

Place:

Date:

Signature of person responsible for collection of tax

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Government collectors to fill information in item I of Part C if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part C if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
4. Non-Government collectors to fill information in item II of Part C.
5. In Part B, items I and II, in column for tax deposited, sum of tax collected, surcharge and health & education cess shall be provided.
6. Some of the information in the Form would be pre-filled to the extent possible.
7. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 134
[*See* rule 216(1)(a)]

Form for application for allotment of Tax Deduction and Collection Account Number [TAN] under section 397

[In the case of Government Entity]

Row No.	PART A: Details of the applicant		
1	**Category of Deductor/Collector**	☐ Central Government	
		☐ State Government	
		☐ Local Authority (Central Government)	
		☐ Local Authority (State Government)	
2	Name of the Local Authority	*(refer Note 1)*	
3	Name of State (where category as per Sl. No. 1 is State Government	*(refer Note 1)*	
4	Name of Office	*(refer Note 1)*	
5	Office Address	*(refer Note 2)*	
6	Name of Organization	*(refer Note 1)*	
7	Name of Department	*(refer Note 1)*	
8	Name of Ministry	*(refer Note 1)*	
9	Account Office Name	*(refer Note 1)*	
10	Accounts Office Identification Number (AIN)		
11	Permanent Account Number, if any		
12	Official e-mail ID		
13	Details of person responsible for deduction/collection of tax	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	
		Permanent Account Number	
		Contact Number	
14	Contact number	Country Code	Number
15	TDS Assessing Officer Code		

PART B

Declaration

a. I ……. having Permanent Account Number …… am liable to *deduct/collect tax/deduct tax and collect tax in accordance with Chapter XIX-B of the Act.

b. I have enclosed Certificate issued by the PAO/ZAO/DTO/CDDO.

c. I ……., in the capacity of ……. do hereby declare that what stated above is true to the best of my knowledge and belief.

d. I declare that the entity does not possess TAN and shall be liable for legal consequences if this declaration is found to be incorrect.

Place: .....

Date: .....

Signature

Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. * Delete whichever is inapplicable.

FORM NO. 135
[*See* rule 216(1)(b)]

Form for application for allotment of Tax Deduction and Collection Account Number [TAN] under section 397
[For person other than government entity]

PART I : Personal Details of the applicant			
Select only one of the columns 'A' to 'G', whichever is applicable			
(A)	**Individual**		
1	Name	*(refer Note 1)*	
2	Address	*(refer Note 2)*	
(B)	**Branch of Individual Business (Sole proprietorship concern)**		
1	Name of Individual	*(refer Note 1)*	
2	Name of Branch	*(refer Note 1)*	
3	Address of Branch	*(refer Note 2)*	
(C)	**LLP / Firm/Association of Persons / Trust / Body of Individual / Artificial Juridical Person/ Hindu undivided Family**		
1	Name	*(refer Note 1)*	
2	Registration number, if any	*(refer Note 3)*	
3	Details of person responsible for deduction/collection of tax	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	*(refer Note 4)*
		Permanent Account Number	
		Contact Number	
4	Address	*(refer Note 2)*	
(D)	**Branch of LLP/Firm/Association of Persons/Trust/ Body of Individual/Artificial Juridical Person/ Hindu undivided Family**		
1	Name of LLP/firm /Association of Persons/ Association of Persons (trusts)/ Body of Individual /	*(refer Note 1)*	

	Artificial Juridical Person		
2	Registration number, if any	*(refer Note 3)*	
3	Name of Branch	*(refer Note 1)*	
4	Address of Branch	*(refer Note 2)*	
5	Details of person responsible for deduction/collection of tax	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	*(refer Note 4)*
		Permanent Account Number	
		Contact Number	
(E)	**Company** *(tick relevant box) (refer Note 7)*	☐ Central Government Company/ Company established by Central Act	
		☐ State Government Company/ Company established by State Act	
		☐ Public Limited Company	
		☐ Private Limited Company	
		☐ One Person Company	
		☐ Section 8 Company	
		☐ Other Company	
1	Name	*(refer Note 1)*	
2	Corporate Identity Number (CIN)		
3	Details of person responsible for deduction/collection of tax	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	
		Permanent Account Number	
		Contact Number	
4	Address	*(refer Note 2)*	
(F)	**Branch / Division of a Company** *(tick relevant box)*	☐ Central Government Company/ Incorporation established by Central Act	
		☐ State Government Company/Incorporation established by State Act	
		☐ Public Limited Company	
		☐ Private Limited Company	
		☐ One Person Company	
		☐ Section 8 Company	

		☐ Other Company	
1	Name of Company	*(refer Note 1)*	
2	Corporate Identity Number (CIN)		
3	Name of Branch/Division	*(refer Note 1)*	
4	Address of Branch/Division	*(refer Note 2)*	
5	Details of person responsible for deduction/collection of tax	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	
		Permanent Account Number	
		Contact Number	
(G)	**Statutory/autonomous bodies** *(tick relevant box)*	☐ Statutory Body	
		☐ Autonomous Body	
1	Name of Office	*(refer Note 1)*	
2	Name of Organisation	*(refer Note 1)*	
3	Details of person responsible for deduction/collection of tax	Name	*(refer Note 1)*
		Designation	
		Permanent Account Number	
		Contact Number	
4.	Address	*(refer Note 2)*	

Part II: Other Details of the applicant			
1	Date of Birth/ Date of incorporation, whichever is applicable	*(refer Note 5)*	
2	Permanent Account Number	*(refer Note 6)*	
3	Nationality *(tick relevant box),* if applicable	☐ Indian	☐ oreign
4	Email id		
5	Contact number	Country Code	Number
6.	TDS Assessing Officer Code		
7.	Other details to be provided as separate enclosure	(refer Note 8)	

DECLARATION

a. I ……. having Permanent Account Number …….… am liable to *deduct/collect tax in accordance with Chapter XIX-B of the Act.

b. I have enclosed

☐ As **Proof of Identity**

☐ As **Proof of Address** and

☐ As **Proof of Date of Birth/Incorporation**

c. I ……., in the capacity of (Self/…….) do hereby declare that what stated above is true to the best of my knowledge and belief.

d. I declare that the applicant does not possess TAN and shall be liable for legal consequences if this declaration is found to be incorrect.

Place: .....

Date: ..... Signature

.... Name:

Notes:

1. The name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Registration number is mandatory for LLP.
4. In case of HUF, the designation shall be 'Karta'.
5. Date of birth/Date of incorporation shall be of the applicant. In case of branch/division, Date of incorporation shall be of the branch/division.
6. Permanent Account Number shall be of the applicant. In case of branch/division, Permanent Account Number shall be of the parent person.
7. This column is applicable only if a single TAN is applied for the whole company. If separate TAN is applied for different divisions/branches, please fill details in (F).
8. Enclose documents as proof of identity, address and date of birth/incorporation as specified in rule 158.
9. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
10. * Delete whichever is inapplicable.

FORM NO. 136

[*See* rule 218(8)(b)]

Application for allotment of Accounts Office Identification Number (AIN)

Row No.	Particulars of the applicant		
1.	Category of the applicant *(select anyone)*	☐ Central Government ☐ State Government	
2.	Name of Ministry *(applicable for Central Government)* *(Ministry code is provided in Annexure-I)*		
3.	Sub Ministry Name *(applicable for Civil Ministry)* *(Sub-Ministry code is provided in Annexure-II)*		
4.	Sub Ministry Name *(other than at Sl. No. 3)*		
5.	Name of State *(applicable for State Government)* *(mention code as per Annexure-III)*		
6.	Name of Office		
7.	Name of Department		
8.	Pay and Accounts Officer (PAO)/District Treasury Officer (DTO)/Cheque Drawing and Disbursing Officer (CDDO) Code		
9.	PAO/DTO/CDDO Registration Number *(provided by Central Record Keeping Agency)*		
10.	PAO/DTO/CDDO Tax Deduction and Collection Account Number *(provided by Income-tax Department)*		
11.	Address		
	Contact number	Country Code	*Number*
12.	E-mail ID		
13.	Permanent Account Number of the PAO/DTO/CDDO making the application		

DECLARATION

I_____ (name of the signatory) having Permanent Account Number…… in my capacity as _____, of …… (name of the applicant) do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief,

I _____ (name of the signatory) also declare that after allotment of AIN, if the same is not utilized for six months for filing Form No. 137 statements, the reason thereof will be communicated to the jurisdictional Commissioner of Income-tax (TDS) and

I _____ (name of the signatory) also undertake that after allotment of AIN, if the same is not used for filing Form No. 137 statements owing to any reason, the same will be surrendered to the jurisdictional Commissioner of Income-tax (TDS).

Date: (Signature)

Place: Name:

Designation:

COUNTER-VERIFICATION BY THE SUPERVISORY AUTHORITY ABOVE PAO/CDDO/DTO:

I _____ (name of supervisory authority) having PAN _____ in my capacity as _____ do hereby declare that the applicant i.e. Shri/ Smt. /Ms. _____ Son/Daughter/Wife of _____ is an employee (designation) _____ of …… (name of the government office with complete address) _____ and the information furnished in the application is true to the best of my knowledge and belief.

(Signature)

Seal (Name and Designation)

(Seal of the office)

Annexure-I --- Ministry Name	
Ministry name	**Ministry name code**
Civil	01
Railway	02
Defence	03
Telecommunication	04
Post	05

Annexure-II - Sub ministry name	
Sub ministry name	**Sub ministry name code**
Agriculture	01
Atomic Energy	02

Fertilizers	03
Chemicals & Petrochemicals	04
Civil Aviation & Tourism	05
Coal	06
Consumer Affairs, Food & Public Distribution	07
Commerce & Textiles	08
Environment & Forest and Ministry of Earth Science	09
External affairs and Overseas Indian affairs	10
Finance	11
Central Board of Direct Taxes	12
Central Board of Excise and Customs	13
Controller of Aid Accounts and Audit	14
Central Pension Accounting Office	15
Food Processing Industries	16
Health and Family Welfare	17
Home Affairs and development of North-Eastern Region	18
Human Resource Development	19
Industry	20
Information and Broadcasting	21
Telecommunication and Information Technology	22
Labour	23
Law and Justice and Company Affairs	24
Personnel, Public Grievances and Pensions	25
Petroleum and Natural Gas	26
Planning, Statistics and Programme Implementation	27
Power	28
New and Renewable Energy	29
Rural Development and Panchayati Raj	30
Science and Technology	31
Space	32
Steel	33
Mines	34
Social Justice and Empowerment	35
Tribal Affairs	36

D/o of Commerce (Supply Division)	37
Shipping and Road Transport and Highways	38
Urban Development, Urban Employment and Poverty Alleviation	39
Water Resources	40
President's Secretariat	41
Lok Sabha Secretariat	42
Rajya Sabha Secretariat	43
Election Commission	44
Andaman and Nicobar Islands Administration	45
Chandigarh Administration	46
Dadra and Nagar Haveli	47
Goa, Daman and Diu	48
Lakshadweep	49
Pondicherry Administration	50
Pay and Account Officers (Audit)	51
Non-conventional energy sources	52
Government of NCT of Delhi	53
Others	54

Annexure-III -- State name	
State name	**State code**
Andaman and Nicobar Islands	01
Andhra Pradesh	02
Arunachal Pradesh	03
Assam	04
Bihar	05
Chandigarh	06
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	07
Delhi	09
Goa	10
Gujarat	11
Haryana	12
Himachal Pradesh	13
Jammu & Kashmir	14

Karnataka	15
Kerala	16
Lakshwadeep	17
Madhya Pradesh	18
Maharashtra	19
Manipur	20
Meghalaya	21
Mizoram	22
Nagaland	23
Orissa	24
Pondicherry	25
Punjab	26
Rajasthan	27
Sikkim	28
Tamil Nadu	29
Tripura	30
Uttar Pradesh	31
West Bengal	32
Chatishgarh	33
Uttaranchal	34
Jharkhand	35
Telangana	36
Ladakh	37

FORM NO. 137

[*See* rule 218]

TDS/TCS Book Adjustment Statement

Details of Transfer voucher for the month of (month) (year)

Part A: Accounts Officer Details			
1.	Accounts Officer Identification Number (AIN)		
2.	Account Office Name	*(refer Note 1)*	
3.	Accounts Office Address	*(refer Note 2)*	
4.	Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the Accounts office		
5.	Government Category	o Central Government o State Government	
6.	Special TAN (In case of State Government)		
7.	State AG Code (In case of State Government)		
	Responsible Person Details *(refer Note 3)*		
8.	Responsible person name	*(refer Note 1)*	
9.	Responsible person designation		
10.	Responsible person Address	*(refer Note 2)*	
11.	Email id		
12.	Contact number	Country Code	Number

Part B

1. Type of statement

Original / Correction	

2. DDO wise details of transfer Vouchers

Sl. No.	***Form Type***	TAN of DDO	Name of DDO	Total Tax Deducted/ Collected (sum of tax, surcharge and cess)	Total TDS/TCS remitted to Government account (AG/Pr. CCA)
1.	***(Drop down)*** ***(i)Form No.*** **138,** ***(ii)*** **140,** ***(iii)*** **143,** ***(iv)*** **144**				

2.					
3.					
Total					

DECLARATION

- I ……. (name of responsible person) having Permanent Account Number ……..hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:

Signature of responsible person

Date:

Name:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Responsible person is the person made responsible in the office of Pay and Accounts Officer (PAO) or District Treasury Officer (DTO) or Cheque Drawing and Disbursing Officer (CDDO) for filing of this form.
4. There can be maximum four entries (Nature of deduction wise) per DDO in every month.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 138

[*See* rule 219(1)[Table: Sl. No. 1]]

Quarterly statement of deduction of tax under section 397(3)(b) of the Act in respect of salary paid to employee under section 392, or income of specified senior citizen under section 393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)], for the quarter ended …….. (June/September/December/March) ……. (Tax Year)]

PART A			
Row No.	**Particulars of the deductor**		
1.	Type of deductor	☐ Government ☐ Non-Government	
2.	Name	*(refer Note 1)*	
3.	Address	*(refer Note 2)*	
4.	Permanent Account Number	*(refer Note 3)*	
5.	Tax Deduction and Collection Account number		
6.	Email id		
7.	Contact number	Country Code	Number
8.	Tax year		
9.	Has the statement been filed earlier for this quarter	*Yes/No*	
10.	If answer to (9) is yes, then Return Receipt Number of original statement		
11.	If Government deductor/payer, please mention AIN of PAO/DTO/CDDO		
	Particulars of the person responsible for deduction of tax		
12.	Name	*(refer Note 1)*	
13.	Permanent Account Number		
14.	Address	*(refer Note 2)*	
15.	Email id		
16.	Contact number	Country Code	Number

PART B: Details of tax Deducted at source and paid to the credit of the Central Government

1.	Sl. No.	Total tax *(refer Note 4)*	Total interest	Total fee *(refer Note 5)*	Total penalty/others	Total amount deposited as per challan / Total amount adjusted through Book Adjustment (B + C + D+E) *(refer Note 6)*	Mode of payment of tax (by way of challan/by way of book adjustment *(refer Note 7)*	BSR code/ Receipt Number of Form No. 137 *(refer Note 8)*	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (dd/mm/yyyy) *(refer Note 8)*	Challan Serial No. / DDO Serial No. of Form No. 137 *(refer Note 8)*	Minor Head of Challan *(refer Note 9)*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

2. Details of salary paid and tax deducted thereon—

(i) enclose Annexure-I along with each statement having details of relevant quarter in the case of employee and specified senior citizen.

(ii) enclose Annexure -II along with the last statement i.e. for the quarter ending 31st March having details for the whole tax year in the case of employee.

(iii) enclose Annexure -III along with the last statement i.e. for the quarter ending 31st March having details for the whole tax year in the case of specified senior citizen.

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ….. Signature of the person responsible for deducting tax at source:

Date: ….. Name: ……

Designation: ……

Notes:

1. (a) In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

   (b) ln case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. It is mandatory for non-Government deductors/payers to quote Permanent Account Number. In case of Government deductors/payers, Permanent Account Number should be mentioned as “PANNOTREQD".

4. In column (B), total tax shall be sum of amount of tax deducted, Surcharge and Health & Education Cess.

5. Fee paid under section 427 for late filling of TDS statement to be mentioned in separate column of 'Total Fee' (column D).

6. In column (F), Government DDOs to mention the amount remitted by the PAO/CDDO/DTO. Other deductors/payers to write the exact amount deposited through challan.

7. In column (G), Government deductors/payers to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other deductors/payers to write “C”.

8. Challan/Transfer Voucher (CIN/BIN) particulars, i.e. H, I, J should be exactly the same as available at TIN 2.0/TRACES portal.

9. In column (K), mention minor head as marked on the challan.

10. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided

ANNEXURE I: DEDUCTEE WISE BREAKUP OF TDS

Details of salary paid and tax deducted therefrom from the employees/specified senior citizen

Sl. No.	Challan Reference No. (Sl. No. of Table (Sl. No. A) in Part B	Permanent Account Number of the employee/ specified senior citizen	Name of the employee/ specified senior citizen	Employee reference number provided by employer/ PPO number, if available	Section Code *(refer Note 1)*	Date of payment / credit (dd/mm/yyyy)	Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Amount Paid or Credited
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)

	Total Tax Deducted *(refer Note 2)*	Whether total amount of tax deducted as mentioned in column (J) has been deposited *(Yes/No)*	Total Tax deposited	Date of deposit *(dd/mm/yyyy)*	Reason for non-deduction / lower deduction/ higher deduction *(refer Notes 3 and 4)*	Certificate number of the certificate issued under section 395(1) for non-deduction/lower deduction
	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ….. Signature of the person responsible for deducting tax at source:

Date: ….. Name: ……

Designation: ……

Notes:

1. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
392	Payment to Government employees other than Union Government employees	1001
392	Payment to employees other than Government employees	1002
392	Payment to Indian Government employees	1003
393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)]	Payment to Specified Senior Citizen	1032

2. In column (J), total tax shall be sum of amount of tax deducted, Surcharge and Health & Education Cess.

3. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate issued under section 395(1).

4. Write "C" if deduction is at a higher rate under section 397(2) on account of non-furnishing of PAN.

ANNEXURE II: Details of salary paid or credited during the *Tax* year ……. and net tax payable (under section *392*)

Sl. No.	Permanent Account Number of the employee	Name of the employee	Whether opting out from taxation under section 202(1) [Yes / No]	Deductee type (Senior Citizen/Super Senior Citizen/ Others)	Date from which employed with current employer in the current Tax Year (dd/mm/yyyy)	Date up to which employed with current employer in the current Tax Year (dd/mm/yyyy)	(a) Gross Salary as per section 16	(b) Value of perquisites under section 17 (as per Form No. 123, wherever applicable)	(c) Profits in lieu of salary under section 18 (as per Form No. 123, wherever applicable)	Total amount of gross salary received from current employer *(refer Note 1)* (H+I+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Reported total amount of salary received from other employer(s) under section 392(4)(a)(i) (see Note 1 for definition of salary)	Travel concession or assistance under section 11, Schedule III [Table: Sl. No. 8]	House rent allowance under section 11, Schedule III [Table: Sl. No. 11]	Permanent Account Number of landlord(s), if exemption is claimed under section 11, Schedule III [Table: Sl. No. 11] *(refer Note 3)*	Other special allowances under section 11, Schedule III [Table: Sl. No. 12 and 13]	Amount of any other salary component which is exempt under section 11	Total amount of exemption claimed under section 11 (M+N+P+Q)	Tax on employment under section 19(1) [Table: Sl. No. 1]	Standard deduction under section 19(1) [Table: Sl. No. 2]	Gratuity under section 19(1) [Table: Sl. No.3,4,5,6]
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U

Commuted value of pension under section 19(1) [Table: Sl. No. 7,8,9]	Compensation as received by workmen under section 19(1) [Table Sl. No. 10,11]	Amount received on voluntary retirement or termination of service under section 19(1) [Table Sl. No. 12]	Cash equivalent of leave salary encashment under section 19(1) [Table: Sl. No. 13,14]	Income chargeable under the head "Salaries" [(K + L) - (R + S + T + U + V + W + X + Y)]	Any loss from house property reported by employee as per section 392(4)(a)(iii)	Permanent Account Number of lender(s), if interest on housing loan is claimed under section 22(b) *(refer Note 4)*	Amount chargeable under any other head of income offered for TDS as per section 392(4)(a)(iv)	Gross Total Income (Z - AA + AC)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund, certain pension funds, notified pension schemes etc. under section 123	
									Gross amount	Deductible amount
V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF

Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 124(3)		Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 124(1)(a)		Deduction in respect of health insurance premia under section 126		Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 129		Deduction in respect of contribution by the employee to Agnipath Scheme under section 125 (1)		Deduction in respect of contribution by the Central Government to Agnipath Scheme under section 125 (2)		Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 133		
Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount
AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU

Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 153			Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VIII				Total Amount deductible under Chapter VIII [AF + AH + AJ + AL + AN + AP + AR + AU + AX + BB]	Total taxable income (AD - BC)	Income Tax on total income	Rebate under section 156, if applicable	Surcharge, wherever applicable	Health and Education Cess
Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount	Section *(refer Note 5)*	oss amount	Qualifying amount	Deductible amount						
AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH

Form 39 Acknowledgment Number	Income (Arrears/ Advance paid etc.) on which relief under section 157 is claimed	Income-tax relief under section 157, when salary, etc. is paid in arrear or advance	Net tax liability [(BE + BG + BH) – (BF + BK)]	Total amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns (J) of Annexure I for all the quarters in respect of each employee]	Reported amount of Tax deducted at source by other employer(s) [income in respect of which included in computing total taxable income in column (L)]	Amount reported as per section 392(4), of other tax deducted at source or collected at source other than reported in column BM and BN [income in respect of which included in computing total taxable income in column (AC)]	Total amount of tax deducted or collected at source for the whole tax year [BM + BN+ BO]	Short fall in tax deduction (+) or excess tax deduction (-) [BL-BP]
BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: …..
deducting tax at source

Signature of the person responsible for

Date: …..

Name: ……

Designation: ……

NOTES:

1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section *19(1) [Table: Sl. No. 4, 5 and 6]*, fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 19(1) [Table: Sl. No. 13 and 14], the aggregate of all sums that are comprised in the transferred balance as referred to in paragraph 11(2) of Part A of Schedule XI of an employee participating in a recognised provident fund(to the extent to which it is chargeable to tax under sub-paragraphs (4) and (5) thereof, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section *124* or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.

2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.

3. Permanent account number of landlord(s) shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the Tax Year exceeds one lakh rupees.

4. Permanent account number of lender(s) shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.

5. List of section is as under:

Sl. No.	Section	Particulars
1	127	Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability
2	130	Deduction in respect of interest on loan taken for residential house property
3	131	Deduction in respect of interest on loan taken for certain house property (not **covered under section 130*)***
4	134	Deduction in respect of rents paid
5	137	Deduction in respect of contributions given by any person to political parties
6	154	Deduction in case of a person with disability

ANNEXURE III: Details of pension and interest income paid or credited to the specified senior citizen during the tax year …… and net tax payable {under section *393(1) [Table: Sl. No. 8(iii)]*

Sl. No.	Permanent Account Number of the specified senior citizen	Name of the specified senior citizen	Deductee type *(refer Note 1)*	Whether Opting out of taxation under section *202* [Yes / No]	Gross Pension as per provisions contained in *section16(b)*	Deduction under section *19*		
						Tax on employment under section *19(1) [Table: Sl. No. 1]*	Standard deduction under section *19(1) [Table: Sl. No. 2]*	Total [G + H]
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Income under the head "Salaries" [F - I]	Interest Income under the other sources paid by the specified bank	Gross Total Income [J + K]	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund, certain pension funds, notified pension schemes etc. under section *123*		Deductions in respect of amount paid / deposited to notified pension scheme under section *124(3)*		Deduction in respect of health insurance premia under section *126*		Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section *129*	
			Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section *133*			Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section *153(2)(b)*			Amount deductible under any other provision(s) of Chapter *VIII*				Aggregate of deductible amount under *Chapter VIII* [N + P + R + T + W + Z + AD]
Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount	Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount	Section *(refer Note 2)*	Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount	
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE

Total taxable income (L - AE)	Income Tax on total income	Rebate under section *156*, if applicable	Surcharge, wherever applicable	Health and Education Cess	Tax Payable [AG + AI + AJ - AH]	Income-tax relief under section *157*	Net Tax Payable [AK - AL]
AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ….. Signature of the person responsible for deducting tax at source:

Date: ….. Name: ……

Designation: ……

Notes:

1. Where the specified senior citizen is below the age of 80 years, mention "1" and where he is of the age of 80 years or above, mention "2".
2. List of section is as under:

Sl. No.	Section	Particulars
1	127	Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability
2	130	Deduction in respect of interest on loan taken for residential house property
3	131	Deduction in respect of interest on loan taken for certain house property (not covered under section 130)
4	134	Deduction in respect of rents paid
5	137	Deduction in respect of contributions given by any person to political parties
6	154	Deduction in case of a person with disability

FORM NO. 139

[*See* rule 219(6)]

Form to be filed by the deductor, if he claims refund of sum paid under Chapter *XIX* of the Act

Row No.	Part A: Particulars of the Deductor		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax Deduction and Collection Account Number, if applicable		
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Bank account Number		
8.	IFSC Code		
9.	Type of account (as applicable)		
10.	Legal entity identification number (if applicable)	*(refer Note 3)*	

PART B									
I. Details of sum paid in the Central Government account through challans out of which refund is being claimed.					**II. Detail of sum paid under Chapter *XIX* by the deductor for which credit has been claimed in the statement furnished under section *397(3)(b)* (out of amount mentioned in column 3).**				
Row No (1)	Challan Identification number (CIN) (2)			Amount (3)	Tax year (4)	Statements in which challan has been utilised *(refer Note 4)* ***(5)***	Receipt number/ acknowledgement number of relevant statements ***(6)***	Amount utilised in statement referred to in column (6) ***(7)***	Amount of refund claimed ***(8)*** ***[3-7]***
	BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number						
1									
2									
	Total (₹)				**Total (₹)**				

DECLARATION

- I, …….. having Permanent Account Number …… working in the capacity of …….. (designation) do hereby certify that a total sum of rupees ……. (in words) [mentioned in column (8) above] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government and the same has not been claimed and shall not be claimed in any of the statement to be furnished under section ***397(3)(b)***.
- I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, relevant statements, tax deposited and other available records.

Place: Signature

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations with the appropriate title (Mr./Mrs./Ms.). In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Legal entity identification number is required to be furnished only where the refund amount claimed is 50 crore rupees or above.
4. Mention all the statements in which the challan has been utilised.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 140

[*See* rule 219(1)[Table: Sl. No. 3]]

Quarterly statement of deduction of tax under section 397(3)(b) in respect of payments made other than salary for the quarter ended……(June/September/December/March) …… **(Tax Year)]**

	Part A		
Row No..	**Particulars of the Deductor**		
1.	Type of deductor	• Government • Non-Government	
2.	Name	*(refer Note 1)*	
3.	Address	*(refer Note 2)*	
4.	Permanent Account Number	*(refer Note 3)*	
5.	Tax Deduction and Collection Account Number		
6.	E-mail id		
7.	Contact Number	Country Code	Number
8.	Tax year		
9.	Has the statement been filed earlier for this quarter	*(Yes/No)*	
10.	If answer to Row No. (9) is "Yes", then Return Receipt Number of original statement		
11.	If Government Deductor, please mention AIN of PAO/DTO/CDDO		
Particulars of the person responsible for deduction of tax (applicable in case of non-individual deductor)			
12.	Name	*(refer Note 1)*	
13.	Address	*(refer Note 2)*	
14.	Permanent Account Number		
15.	Email id		
16.	Contact number	Country Code	Number

Part B											
1.	Details of the tax deducted and paid to the credit of the Central Government:										
	Sl. No.	Total tax *(refer Note 4)*	Total interest	Total fee *(refer Note 5)*	Total penalty/others	Total amount deposited as per challan / Total amount adjusted through	Mode of payment of tax (by way of challan/by way of book	BSR code/ Receipt Number of Form No. 137	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (dd/mm/yyyy)	Challan Serial No. / DDO Serial No. of Form No. 137	Minor Head of Challan *(refer Note 9)*

						Book Adjustment (B+C+D+E) *(refer Note 6)*	adjustment *(refer Note 7)*	*(refer Note 8)*	*(refer Note 8)*	*(refer Note 8)*	
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**
2.	Details of amount paid and tax deducted thereon from the deductees and amount paid without deduction (see Annexure)										

DECLARATION

I, …….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the person responsible for deducting tax at source:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. (a) In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

   (b) ln case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. It is mandatory for non-Government deductors/payers to quote Permanent Account Number. In case of Government deductors/payers, Permanent Account Number should be mentioned as “PANNOTREQD".
4. In column (B), total tax deducted shall be sum of amount of tax, surcharge and health & education cess.
5. Fee paid under section 427 for late filling of TDS statement to be mentioned in separate column of 'Total Fee' [column (D)].
6. In column (F), Government DDOs to mention the amount remitted by the PAO/CDDO/DTO. Other deductors/payers to write the exact amount deposited through challan.
7. In column (G), Government deductors/payers to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other deductors/payers to write “C”.
8. Challan/Transfer Voucher (CIN/BIN) particulars, i.e. (H), (I), (J) should be exactly the same as available at TIN 2.0/TRACES portal.
9. In column (K), mention minor head as marked on the challan.
10. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

ANNEXURE: Deductee wise break up of TDS

Details of amount paid/credited during the quarter ended… (dd/mm/yyyy) and tax deducted at source

Sl. No.	Challan Reference No. [Column A of Table (Sl. No. 1) in Part B]	Permanent Account Number of the deductee	Name of the deductee	Section code *(refer Note 15)*	Date of payment or credit (dd/mm/ yyyy)	Amount paid or credited	Amount of cash withdrawal where the aggregate amount of withdrawal exceeds Rs. 1 Crore as referred to in section 393(3) [Table: Sl. No. 5] (in case of person other than cooperative society)	Amount of cash withdrawal where the aggregate amount of withdrawal exceeds Rs. 3 Crore for cases covered by section 393(3) [Table: Sl. No. 5] (in case of co-operative societies)
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**

Total tax deducted *(refer Note 14)*	Whether total amount of tax deducted as mentioned in column (J) has been deposited *(Yes/No)*	Total tax deposited	Rate at which tax deducted	Date of deduction (dd/mm/ yyyy)	Reason for non-deduction / Lower deduction / H igher deduction / Threshold / Transporter etc. *(refer Notes 1 to 13)*	Certificate number of certificate issued under section 395 for non-deduction /lower deduction	Unique Identification Number of **Form No. 121** submitted by the deductee
(J)	**(K)**	**(L)**	**(M)**	**(N)**	**(O)**	**(P)**	**(Q)**

For payments covered in section 393(1) [Table Sl. No. 8 (iv), Note 6]				For payments covered in section 393(1) [Table Sl. No. 8 (vi), Note 6]			
Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number
(R)	**(S)**	**(T)**	**(U)**	**(V)**	**(W)**	**(X)**	**(Y)**

For payments covered in section 393(3) [Table Sl. No. 1, Note 2]				For payments covered in section 393(3) [Table Sl. No. 2, Note 2]			
Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number
(Z)	**(AA)**	**(AB)**	**(AC)**	**(AD)**	**(AE)**	**(AF)**	**(AG)**

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 395(1).
2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 393(6).
3. Write "C" if deduction is on higher rate under section 397(2) on account of non-furnishing of PAN.
4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under section 194A(5) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or being issued under section 400(1).
5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28th June, 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22nd November, 2002 or Board Circular No. 18/2017 dated 29th May, 2017.
6. Write "N" if no deduction is on account of payment made to a person referred to in section 393(4) [Table: Sl. No. 18] or on account of notification issued under fifth proviso to section 194N of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal).
7. Write "O" if no deduction as per the provisions of section 393(4) [Table: Sl. No. 5].
8. Write "P" if no deduction is on account of payment of dividend made to a business trust referred to in section 393(4) [Table: Sl. No. 10(d)] or in view of any notification issued under section 393(4) [Table: Sl. No. 10(e)].
9. Write "Q" if no deduction is on account of payment made to an entity referred to in section 393(4) Table: [Sl. No. 7(c)(v)].
10. Write "S" if no deduction is in view of the tax being deductible or collectible under any provision of the Act w.r.t. transaction referred in section 393(1) [Table Sl. No. 8(ii)] Note 1(a).
11. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory {section 393(4) [Table: Sl. No. 8]}.
12. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit as specified in the Act.
13. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment in view of notification issued under section 400(1).
14. In column (J), total tax deducted shall be sum of amount of tax deducted, surcharge and health & education cess.
15. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Payer	Section Code
392(7)	Any payment of accumulated balance due to an employee	Trustees of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 or any person authorized under the scheme to make payment of accumulated balance due to employees	1004
393(1) [Table: Sl. No. 1 (i)]	Commission or brokerage - insurance	Any person	1005
393(1) [Table: Sl. No. 1 (ii)]	Commission or brokerage - others	specified person	1006
393(1) [Table: Sl. No. 2 (ii).D(a)]	Rent on machinery etc.- specified person	Specified person	1008
393(1) [Table: Sl. No. 2 (ii).D(b)]	Rent other than machinery etc.- specified person	Specified person	1009
393(1) [Table: Sl. No. 3(ii)]	Payment on any consideration, not being consideration in kind, under the agreement referred to in section 67(14).	Any person	1011
393(1) [Table: Sl. No. 3 (iii)]	Payment of compensation on acquisition of certain immovable property	Any person	1012
393(1) [Table: Sl. No. 4 (i)]	Income payable to a resident assessee in respect of Units of a specified Mutual Fund specified under Schedule VII [Table: Sl. No. 20 or 21] or units from the Administrator of the specified undertaking or units from specified company	Any person	1013
393(1) [Table: Sl. No. 4 (ii)]	Certain income in the form of interest from units of a business trust to a resident unit holder	Any Business Trust	1014
393(1) [Table: Sl. No. 4 (ii)]	Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder	Any Business Trust	1015
393(1) [Table: Sl. No. 4 (ii)]	Certain income in the form of Renting from units of a business trust being a real estate investment trust to a resident unit holder	Any Business Trust	1016
393(1) [Table: Sl. No. 4 (iii)]	Any income, other than that proportion of income which is exempt under Schedule V [Table: Sl. No. 2], in respect of units of an investment fund specified in section 224, payable to its unitholder.	Any Investment fund specified in section 224	1017
393(1) [Table: Sl. No. 4 (iv)]	Any income, in respect of an investment in a securitisation trust specified in section 221 to an investor.	Any securitisation trust specified in section 221	1018
393(1) [Table: Sl. No. 5 (i)]	Any income by way of Interest on securities	Any person	1019
393(1) [Table: Sl. No. 5 (ii).D(a)]	Any income by way of interest other than interest on securities, in case of deductee/payee is a senior citizen	(a) A banking company; or (b) a cooperative society carrying on the business of banking; or (c) a post office for a deposit made under a scheme notified by the Central Government	1020
393(1) [Table: Sl. No. 5 (ii).D(b)]	Any income by way of interest other than interest on securities, in case of deductee/payee is other than senior citizen	(a) A banking company; or (b) a cooperative society carrying on the business of banking; or (c) a post office for a deposit made under a scheme notified by the Central Government	1021
393(1) [Table: Sl. No. 5 (iii)]	Any income being interest other than interest on securities	Specified person [other than person in Sl. No. 5(ii).C]	1022
393(1) [Table: Sl. No. 6 (i).D(a)]	Any sum for carrying out any work (including supply of labour for carrying out any work) in pursuance of a contract between the contractor	Any designate	1023

Section	Nature of Payment	Payer	Section Code
	and a designated person – if contractor is individual or Hindu undivided family		
393(1) [Table: Sl. No. 6 (i).D(b)]	Any sum for carrying out any work (including supply of labour for carrying out any work) in pursuance of a contract between the contractor and a designated person – if contractor is a person other than individual or Hindu undivided family	Any designate	1024
393(1) [Table: Sl. No. 6 (iii).D(a)]	Any sum by way of— (a) fees for technical services (not being a professional services); or (b) royalty in the nature of consideration for sale, distribution or exhibition of cinematographic films; or (c) payee, engaged only in the business of operation of call centre	Specified person	1026
393(1) [Table: Sl. No. 6 (iii).D(b)]	Any sum by way of— (a) fees for professional services; or (b) any sum referred to in section 26(2)(h)	Specified person	1027
393(1) [Table: Sl. No. 6 (iii).D(b)]	Any sum by way of remuneration or fees or commission by whatever name called, other than those on which tax is deductible under section 392, to a director of a company	Specified person	1028
393(1) [Table: Sl. No. 7]	Any dividends (including on preference shares) declared.	Any domestic company	1029
393(1) [Table: Sl. No. 8 (i)]	Any sum under a life insurance policy, including the sum allocated as bonus on such policy, other than the amount not includible in the total income under Schedule II [Table: Sl. No. 2]	Any person	1030
393(1) [Table: Sl. No. 8 (ii)]	Any sum for purchase of any goods	Any person, being a buyer	1031
393(1) [Table: Sl. No. 8 (iv)]	Any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or the exercise of a profession of any resident.	Any specified person	1033
393(1) [Table: Sl. No. 8 (iv) Note 6]	Any benefit or perquisite, whether in cash or in kind or partly in cash and partly in kind, whether convertible into money or not, arising from business or the exercise of a profession of any resident.	Any specified person	1034
393(1) [Table: Sl. No. 8 (v)]	Sale of goods or provision of services by an e-commerce participant, facilitated by an e-commerce operator through its digital or electronic facility or platform. - any e commerce operator	Any e-commerce operator	1035
393(1) [Table: Sl. No. 8 (vi)]	Any sum by way of consideration for transfer of a virtual digital asset by other than Individual or Hindu Undivided Family.	Any person	1037
393(1) [Table: Sl. No. 8 (vi) Note 6]	Any sum by way of consideration, whether in cash or in kind or partly in cash and partly in kind, for transfer of a virtual digital asset.	Any person	1038
393(3) [Table: Sl. No. 1]	Any income by way of winnings (other than winnings from Sl. No. 2 of the table at section 393(3)) from— (a) any lottery; or (b) crossword puzzle; or (c) card game and other game of any sort; or (d) gambling or betting of any form or nature whatsoever	Any person	1058
393(3) [Table: Sl. No. 1 Note 2]	Any income by way of winnings (other than winnings from Sl. No. 2 of the table at section 393(3)) from— (a) any lottery; or (b) crossword puzzle; or (c) card game and other game of any sort; or (d) gambling or betting of any form or	Any person	1059

Section	Nature of Payment	Payer	Section Code
	nature whatsoever where consideration, is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released		
393(3) [Table: Sl. No. 2]	Any income by way of winnings from online game.	Any person	1060
393(3) [Table: Sl. No. 2 Note 2]	Any income by way of winnings from online games, is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released	Any person	1061
393(3) [Table: Sl. No. 3]	Any income by way of winnings from any horse race.	Any person, being a bookmaker or a person to whom a license has been granted by the Government under any law for the time being in force for horse racing in any race course or for arranging for wagering or betting in any race course	1062
393(3) [Table: Sl. No. 4]	Any income, credited or paid to a person, who is or has been stocking, distributing, purchasing or selling lottery tickets, by way of commission, remuneration or prize (by whatever name called) on such tickets	Any person	1063
393(3) [Table: Sl. No. 5.D(a)]	Payment of certain amounts in cash by bank/ post office / co-operative society to a deductee being a co-operative society	Every person, being,— (a) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (b) a cooperative society engaged in carrying on the business of banking; or (c) a post office	1064
393(3) [Table: Sl. No. 5.D(b)]	Payment of certain amounts in cash by bank/ post office / co-operative society to a deductee being a person other than co-operative society	Every person, being,— (a) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (b) a cooperative society engaged in carrying on the business of banking; or (c) a post office	1065
393(3) [Table: Sl. No. 6]	Any amount referred to in section 80CCA(2)(a) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal).	Any person	1066
393(3) [Table: Sl. No. 7]	Any sum in the nature of salary, remuneration, commission, bonus or interest paid to a partner of the firm or credited to his account (including capital account).	Any person, being a firm	1067

16. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 141

[*See* rules 218(3) and 219(5)]

Challan-cum-statement of deduction of tax under section 393(1) [Table Sl. No. 2(i), 3(i), 6(ii) and 8(vi)]

Part A: Particulars of the deductor

Acknowledgement Number:		Date of E-filing:	Tax year of transaction:	Month of deduction: *mm/yyyy*
1.	Name	*(refer Note 1)*		
2.	Address	*(refer Note 2)*		
3.	Permanent Account Number			
4.	Email id			
5.	Contact number	Country Code	Number	
6.	Nature of Transaction *(select one)*	o Payment of rent o Transfer of immovable property o Payment by way of commission/brokerage or fee for professional services or payment in pursuance of a contract o Transfer of virtual digital asset		

Part B: Transaction Details

Schedule A: TDS on rent paid by Individual/HUF under section 393(1) [Table: Sl.No. 2(i)]

1.(i)	Address of property rented	*(refer Note 2)*			
(ii)	Type of property *(select one)*	o Land or o Building or o Land and building both			
(iii)	Details in respect of all tenant/lessee/payer:				
	Sl. No.	Permanent Account Number	Name	Proportion of rent to be paid/credited by the tenant/lessee/payer (%)	
	(i)		*(refer Note 1)*		
	(ii)		*(refer Note 1)*		
	.....			Total: 100%	

(iv)	Details of all deductees (landlord/lessor/payee): *(refer Note 4)*					
	Sl. No.	Permanent Account Number	Name	Contact Number	Email id	Proportion of rent to be received by the landlord/lessor/payee (%)
	(i)		*(refer Note 1)*			
	(ii)		*(refer*			

			Note 1)			
	.....					Total: 100%
2.	Period of tenancy during tax year *(in months)*					
3.	Is the income tax being deducted due to the end of the tax year or due to end of the tenancy? *(select one)*					*(End of the tax year / End of the tenancy)*
4.	Total amount of rent credited/paid during the tax year					
5.	Total amount of rent credited/paid in last month					
6.	Deductee wise TDS details:					

Sl. No.	Permanent Account Number of deductee	Name of deductee	in respect of deductee mentioned in column (B)					
			Amount on which tax is liable to be deducted in respect of deductee mentioned in column (B) (In Rs.)	Amount of tax deducted at source in respect of deductee mentioned in column (B)	Date of credit/payment (dd/mm/yyyy)	Certificate Number under section 395(1), if applicable	Rate at which tax deducted *(refer Note 3)*	Date of deduction
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**
(i)		*(refer Note 1)*						
(ii)		*(refer Note 1)*						
.....								
			Total:	Total:				

Schedule B: TDS on transfer of immovable property under section 393(1) [Table: Sl. No. 3(i)]				
	Particulars			
1. (i)	Address of property transferred/to be transferred	*(refer Note 2)*		
(ii)	Type of immovable property *(select one)*	o Land (other than agricultural land) o Building or part of a building		
(iii)	Details of all buyers			
	Sl. No.	Permanent Account Number	Name	Proportion of total sale consideration to be paid/credited by the buyer (%)
	(i)		*(refer Note 1)*	

	(ii)				*(refer Note 1)*	
	…					Total: 100%
(iv)	Details of all deductees (sellers): *(refer Note 4)*					
	Sl. No.	Permanent Account Number	Name	Contact Number	Email id	Proportion of total sale consideration to be received/debited by the seller (%)
	(i)		*(refer Note 1)*			
	(ii)		*(refer Note 1)*			
	…					Total: 100%
2.	Date of agreement				*(dd/mm/yyyy)*	
3.	Date of registration *(if available)*				*(dd/mm/yyyy)*	
4.	Total Stamp Duty Value of the property					
5.	Total sale consideration in respect of the property					
6.	Is the payment being made in lumpsum or instalments?				*(Lumpsum / Instalments)*	
	(a) If in instalments, whether first, subsequent or last instalment *(select one)*				○ First instalment ○ Subsequent instalment ○ Last instalment	
	(b) In case of subsequent or last instalment, please mention the previous acknowledgement number					
	(c) In case of last instalment, total consideration paid/credited (including payment in this instalment)					

7. Transaction Details

Sl. No.	PAN of the deductee	Name of the deductee	in respect of deductee mentioned in column (B)								
			Proportionate amount of stamp duty value	Total amount paid/credited in previous instalments, if any	Amount paid/credited in present transaction	Amount on which tax is liable to be deducted	Amount of tax deducted at source	Date of credit / payment	Certificate Number under section 395(1), if applicable	Rate at which tax deducted at source *(refer Note 3)*	Date of deduction
(A)	**(B)**	**(C)**	(D)	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**	(L)
(i)		*(refer Note 1)*									

	(ii)		*(refer Note 1)*									
	…											

Schedule C: TDS on payment made by Individual / HUF to Contractor / Professionals under section **393(1) [Table Sl. No. 6(ii)]**												
Transaction Details												
Sl. No.	Permanent Account Number of the deductee	Name of the Deductee	Nature of payment (work in pursuance of a contract or commission/brokerage or fee for professional services) *(select one)*	Date of contract/ agreement	Aggregate of payments/ credit during the period from 1st April to the end of the month in which the payment has been made/credited	Amount paid/credited	Date of payment/ credit	Amount on which tax is liable to be deducted at source	Certificate Number under section 395(1), if applicable	Rate at which tax deducted at source *(refer Note 3)*	Amount of tax deducted at source	Date of deduction
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**	**(L)**	**(M)**
(i)												
(ii)												
..												

Schedule D: TDS on payment made by Individual/HUF on transfer of Virtual Digital Asset (VDA) under section 393(1) [Table Sl. No. 8(vi)]																	
Transaction Details																	
Type of transaction *(select one) (refer Note 5)*					• **Cash** • **In kind/ In exchange of another VDA**												
Sl. No.	Permanent Account Number of the deductee	Name of the Deductee	Date of Transfer of VDA	Total value of Consideration	Amount paid/credited (in Rs.)			Date of payment/credit	Details of tax deposited, where payment made is in kind or in exchange of VDA				Amount on which tax is liable to be deducted	Certificate Number under section 395(1), if applicable	Rate at which tax to be deducted *(refer Note 3)*	Amount of tax deducted at source	Date of deduction
					in cash	in kind	In exchange of another VDA		Amount of tax paid	BSR code	Date on which tax deposited	Challan serial number					
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**	**(L)**	**(M)**	**(N)**	**(O)**	**(P)**	**(Q)**	**(R)**
(i)																	

(ii)																	
..																	

Part C: Summary of Transactions and Details of Tax, Interest and Fee											
Nature of Transaction*	Section*	Major Head Code*	Minor Head Code*	Amount deducted*	Interest	Fee	Total Payments	Mode of Payment	Challan Identification Number (CIN)*		
									BSR Code	Date of Deposit	Challan Serial Number

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Tax to be deducted at—

   (a) at the rate as per the provision of the Act; or

   (b) higher rates where provisions of section 397(2) are applicable; or

   (c) at the rate mentioned in the certificate issued under section 395(1) by the Assessing Officer.
4. Details of multiple deductees can be filled in the relevant schedule in the same Form, where the deductees are of similar status i.e. corporate or non-corporate. However, where deductees are of different status, separate Forms are to be filed for corporate deductee(s) and non-corporate deductee(s).
5. (i) Select "Type of Transaction" as cash, in case, consideration is wholly in cash or partly in cash and partly in kind but the part in cash is sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of such transfer.

   (ii) Select "Type of Transaction" as in kind/ in exchange of another VDA, in case, consideration is wholly in kind or partly in cash and partly in kind but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of such transfer.
6. In case of more than one deductor, each deductor has to file separate form.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

   * To be updated automatically.

FORM NO. 142

[*See* rule 219(2)]

Quarterly statement of tax deposited in relation to transfer of virtual digital asset under section 393(1) [Table: S. No. 8(vi)] to be furnished by an Exchange for the quarter ending ……. June/September/December/March of Tax Year

Row No.	Part A: Particulars of the Exchange		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Tax year		

Part B: Details of transactions

(i) Details of tax paid with respect of transactions referred to in rule 219(2):

Sl. No.	Name of buyer/ broker	Address of buyer/ broker	Permanent Account Number of buyer / broker	Name of the virtual digital asset (VDA)	Date of transaction	Value of VDA bought by buyer/ broker	Number of VDA bought by buyer/ broker	Total consideration	1% of total consideration	Date of tax payment	Challan details		
											BSR code of bank branch	Amount paid	Challan serial number
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)=(G)*(H)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
1.													
2.													

(ii) Details of transactions on which tax was not deducted in accordance with the guidelines issued under section 400(2)

Sl. No	Name of broker	Address of broker	Permanent Account Number of broker	Tax Deduction and Collection Account Number of broker	Name of the virtual digital asset (VDA)	Date of transaction	Value of VDA bought by buyer	Number of VDA bought by buyer	Total consideration paid/ credited
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)=(H)*(I)

	1.									
	2.									

DECLARATION

I …… (name of the person responsible for deducting tax at source) having Permanent Account Number …..…… in my capacity as …… (designation) of ……. (name of the exchange) declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished in the application is correct and truly stated.

Place:
at source

Signature of the person responsible for deducting tax

Date:

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 143

[*See* rule 219(1)[Table: Sl. No. 4]]

Quarterly statement of collection of tax at source under section 397(3)(b) for the quarter ended…….. (June/September/December/March) …….. (Tax Year)

Row No.	Part A: Particulars of the Collector		
1.	Type of Collector	• Government • Non-Government	
2.	Name	*(refer Note 1)*	
3.	Address	*(refer Note 2)*	
4.	Permanent Account Number	*(refer Note 3)*	
5.	Tax Deduction and Collection Account Number		
6.	E-mail id		
7.	Contact Number	Country Code	Number
8.	Tax year		
9.	Has the statement been filed earlier for this quarter	*Yes/No*	
10.	If answer to Row No. (9) is "Yes", then Return Receipt Number of original statement		
11.	If collector is Government Collector, please mention AIN of PAO/DTO/CDDO code		
Particulars of the person responsible for collection of tax			
12.	Name	*(refer Note 1)*	
13.	Address	*(refer Note 2)*	
14.	Permanent Account Number		
15.	E-mail id		
16.	Contact Number	Country Code	Number

Part B											
1.	Details of the tax collected and paid to the credit of the Central Government:										
	Sl. No.	Total Tax (*refer Note 4*)	Total interest	Total fee *(refer Note 5)*	Total Penalty / Others	Total amount deposited as per challan / Total amount adjusted through Book Adjustment (B+C+D+E) *(refer Note 6)*	Mode of payment of tax (by way of challan/by way of book adjustment (refer Note 7)	BSR code/ Receipt Number of Form No. 137 *(refer Note 8)*	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (dd/mm/yyyy) *(refer Note 8)*	Challan Serial No. / DDO Serial No. of Form No. 137 *(refer Note 8)*	Minor Head of Challan *(refer Note 9)*
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
2.	Details of amount received and tax collected thereon from the collectees (see Annexure)										

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for collecting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for collecting tax at source in the case of …….. (name of the collector).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the person responsible for collecting tax at source:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. (a) In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

   (b) ln case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.

2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. It is mandatory for non-Government collectors to quote Permanent Account Number. In case of Government collectors, Permanent Account Number should be mentioned as “PANNOTREQD".

4. In column (B), total tax shall be sum of amount of tax collected, surcharge and health & education cess.

5. Fee paid under section 427 for late filling of TCS statement to be mentioned in separate column of 'Total Fee' [column (D)].

6. In column (F), Government DDOs to mention the amount remitted by the PAO/CDDO/DTO. Other collectors to write the exact amount deposited through challan.

7. In column (G), Government collectors to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other collectors to write “C”.

8. Challan/Transfer Voucher (CIN/BIN) particulars, i.e. (H), (I) and (J) should be exactly the same as available at TIN 2.0/TRACES portal.

9. In column (K), mention minor head as marked on the challan.

10. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided

ANNEXURE: COLLECTEES WISE BREAKUP OF TCS

Details of amount received/debited during the quarter ended _____(dd/mm/yyyy) and of tax collected at source

Sl. No.	Challan Reference No. (Column A of Sl. No. I of Part B)	Permanent account number	Name	Whether non-resident *(Y/N)*	Collectee code *(applicable where collectee is non-resident) (refer Note 8)*	Whether collectee has a permanent establishment in India *(applicable where collectee is non-resident) (yes/No)*	Whether collectee opting out of taxation regime under section 202(1)?	Amount received / Debited	Date on which amount received/ debited *(dd/mm/yyyy)*	Collection Code *(refer Note 9)*	Total tax collected *(refer Note 10)*
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**	**(L)**

Whether total amount of tax collected as mentioned in column (L) has been deposited *(Yes/No)*	Total tax deposited	Date of collection *(dd/mm/yyyy)*	Rate at which tax collected	Reason for lower collection/ collection at higher rate *(refer Note 1 to 7)*	Certificate number of certificate issued under section 395(3) for lower collection of tax	Whether the payment by collectee is liable to TDS as per section 394(5) and whether TDS has been deducted from such payment [if "F" is selected in column (Q)] *(Yes/No)*	If answer to (S) is yes, then	
							Challan number	Date of payment of TDS to Central Government
(M)	**(N)**	**(O)**	**(P)**	**(Q)**	**(R)**	**(S)**	**(T)**	**(U)**

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for collecting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for collecting tax at source in the case of …….. (name of the collector).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: …..
Signature of the person responsible for collecting tax at source

Date: …..
Name:

Designation:

Notes:

1. Write "A" if "lower collection" is on account of a certificate under section 395(3).
2. Write "B" if "non-collection" is on account of furnishing of declaration under section 394(2).
3. Write "C" if collection is at higher rate under section 397(2) on account of non-furnishing of PAN.
4. Write "F" if no collection is on account of section 394(5) or section 402(6) [Table: Sl. No. 4 and 5, Column D].
5. Write "K" if no collection as per the provisions of section 394(4).
6. Write "Y" if no collection is on account of receipt equal to or below threshold limit as specified in section 394(1) [Table: Sl. No. 7].
7. Write "Z" if no collection or lower collection is in view of notification issued under section 400(1).
8. List of Collectee Codes:

Sl. No.	Status	Description
1	01	Company
2	02	Individual
3	03	Hindu undivided family
4	04	Association of Persons (AOP) except in case of AOP consisting of only companies as its members
5	05	Association of Persons (AOP) consisting of only companies as its members
6	06	Co-operative society
7	07	Firm
8	08	Body of individuals
9	09	Artificial juridical person referred to in clause (g) of sub-section (77) of section 2
10	10	Others

9. Write collection code as mentioned below:

Section	***Nature of Receipt***	***Person responsible for collection***	***Section code***
394(1) [Table: Sl. No. 1]	Sale of alcoholic liquor for human consumption.	Seller	1068
394(1) [Table: Sl. No. 2]	Sale of tendu leaves	Seller	1069
394(1) [Table: Sl. No. 3]	Sale of timber obtained under a forest lease	Seller	1070
394(1) [Table: Sl. No. 3]	Sale of timber obtained by any mode other than a forest lease	Seller	1071
394(1) [Table: Sl. No. 3]	Sale of any other forest produce (not being timber or tendu leaves) obtained under a forest lease.	Seller	1072
394(1) [Table: Sl. No. 4]	Sale of scrap.	Seller	1073
394(1) [Table: Sl. No. 5]	Sale of minerals, being coal or lignite or iron ore.	Seller	1074
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(a)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of motor vehicle	Seller	1075
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of wrist watch	Seller	1076
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of art piece such as antiques, painting, sculpture	Seller	1077
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of collectibles such as coin, stamp	Seller	1078

394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of yacht, rowing boat, canoe, helicopter	Seller	1079
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of pair of sunglasses	Seller	1080
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of bag such as handbag, purse	Seller	1081
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of pair of shoes	Seller	1082
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of sportswear and equipment such as golf kit, ski-wear	Seller	1083
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of home theatre system	Seller	1084
394(1) [Table: Sl. No. 6.D(b)]	Sale consideration exceeding threshold limit in case of sale of horse for horse racing in race clubs and horse for polo	Seller	1085
394(1) [Table: Sl. No. 7.D(a)]	Remittance under the Liberalised Remittance Scheme of an amount or aggregate of the amounts exceeding threshold limit for purposes of education or medical treatment	Authorised dealer	1086
394(1) [Table: Sl. No. 7.D(b)]	Remittance under the Liberalised Remittance Scheme of an amount or aggregate of the amounts exceeding threshold limit for purposes other than education or medical treatment	Authorised dealer	1087
394(1) [Table: Sl. No. 8.D(a)]	Sale of "overseas tour programme package" including expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any such similar or related expenditure with amount or aggregate of amounts up to threshold limit.	Seller	1088
394(1) [Table: Sl. No. 8.D(b)]	Sale of "overseas tour programme package" including expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any such similar or related expenditure with amount or aggregate of amounts above threshold limit.	Seller	1089
394(1) [Table: Sl. No. 9]	Use of parking lot for the purpose of business, excluding mining and quarrying of mineral oil (including petroleum and natural gas).	Seller	1090
394(1) [Table: Sl. No. 9]	Use of toll plaza for the purpose of business, excluding mining and quarrying of mineral oil (including petroleum and natural gas).	Seller	1091
394(1) [Table: Sl. No. 9]	Use of mine or quarry for the purpose of business, excluding mining and quarrying of mineral oil (including petroleum and natural gas).	Seller	1092

10. In column (L), total tax deducted shall be sum of amount of tax collected, surcharge and health & education cess.

11. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 144

[*See* rule 219(1) [Table: Sl. No. 2]]

<table>
<tr><td colspan="4">Quarterly statement of deduction of tax under section 397(3)(b) in respect of payments other than salary made to non-residents for quarter ended……(June/September/December/March) ……. (Tax Year)]

Part A</td></tr>
<tr><td>Row No.</td><td colspan="3">Particulars of the Deductor</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Type of deductor</td><td colspan="2">• Government
• Non-Government</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Address</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Permanent Account Number</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Tax Deduction and Collection Account Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>E-mail id</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Contact Number</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Tax year</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Has the statement been filed earlier for this quarter</td><td colspan="2">(Yes/No)</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>If answer to Sl. No (9) is “Yes”, then Return Receipt Number of original statement</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>If Government deductor, please mention AIN of PAO/DTO/CDDO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Particulars of the person responsible for deduction of tax (applicable in case of non-individual deductor)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Address</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Permanent Account Number</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Email id</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Contact number</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
</table>

Part B											
1.	Details of the tax deducted and paid to the credit of the Central Government:										
	Sl. No.	Total tax *(refer Note 4)*	Total interest	Total fee *(refer Note 5)*	Total penalty/others	Total amount deposited as per challan / Total amount adjusted through Book Adjustment (B+C+D+E) *(refer Note 6)*	Mode of payment of tax (by way of challan/by way of book adjustment *(refer Note 7)*	BSR code/ Receipt Number of Form No. 137 *(refer Note 8)*	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (dd/mm/yyyy) *(refer Note 8)*	Challan Serial No. / DDO Serial No. of Form No. 137 *(refer Note 8)*	Minor Head of Challan *(refer Note 9)*
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**
2.	Details of amount paid and tax deducted thereon from the deductees and amount paid without deduction (see Annexure)										

DECLARATION

I, …… (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: …..
for deducting tax at source

Signature of the person responsible

Date: …..

Name:

Designation:

Notes:

1. (a) In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

   (b) ln case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. It is mandatory for non-Government deductors/payers to quote Permanent Account Number. In case of Government deductors/payers, Permanent Account Number should be mentioned as “PANNOTREQD".
4. In column (B), total tax deducted shall be sum of amount of tax deducted, surcharge and health & education cess.
5. Fee paid under section 427 for late filling of TDS statement to be mentioned in separate column of 'Total Fee' [column (D)].
6. In column (F), Government DDOs to mention the amount remitted by the PAO/CDDO/DTO. Other deductors/payers to write the exact amount deposited through challan.
7. In column (G), Government deductors/payers to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other deductors/payers to write “C”.
8. Challan/Transfer Voucher (CIN/BIN) particulars, i.e. (H), (I), (J) should be exactly the same as available at TIN 2.0/ TRACES portal.
9. In column (K), mention minor head as marked on the challan.
10. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

ANNEXURE: Deductee wise break up of TDS

Details of amount paid/credited during the quarter ended… (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

Sl. No.	Challan Reference No. [Column A of Table (Sl. No. 1) in Part B]	Permanent Account Number (if available) *(refer Note 10)*	Name	Tax Identification Number/ Unique identification number issued by the country of residence	Address in country of residence	Email	Contact number	Status *(refer Note 11)*	Section code *(refer Note 13)*	Nature of remittance (refer Note 14)	Country to which remittance is made	Whether deductee opting out of taxation regime under section 202(1)?	Date of payment or credit (dd/mm/yyyy)
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**	**(H)**	**(I)**	**(J)**	**(K)**	**(L)**	**(M)**	**(N)**

Amount paid or credited	Whether the amount paid or credited is grossed up as per section 393(10) *(Yes/No)*	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 393(3) [Table: Sl. No. 5] (in case of person other than co-operative society)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 3 Crore for cases covered by section 393(3) [Table: Sl. No. 5] (in case of co-operative societies)	Total tax deducted *(refer Note 12)*	Whether total amount of tax deducted as mentioned in column (S) has been deposited (Yes/No)	Total tax deposited	Date of deduction *(dd/mm/yyyy)*	Rate at which tax deducted	Whether rate of TDS is as per the Act (a) or DTAA (b)	Unique acknowledgement number of the corresponding Form No. 145, if applicable	Reason for non-deduction /lower deduction/ higher deduction *(refer Notes 1 to 9)*	Certificate number(s) of the certificate under section 395(1) / 395(2) issued for non-deduction /lower deduction
(O)	**(P)**	**(Q)**	**(R)**	**(S)**	**(T)**	**(U)**	**(V)**	**(W)**	**(Z)**	**(AA)**	**(AB)**	**(AC)**

For payments covered in section 393(3) [Table Sl. No. 1, Note 2]				For payments covered in section 393(3) [Table Sl. No. 2, Note 2]			
Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number
(AD)	**(AE)**	**(AF)**	**(AG)**	**(AH)**	**(AI)**	**(AJ)**	**(AK)**

DECLARATION

I, ….. (name of the person responsible for deducting tax at source), having Permanent Account Number ……., am the person responsible for deducting tax at source in the case of …….. (name of the deductor).

I certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ….. Signature of the person responsible for deducting tax at source:

Date: ….. Name: ……..

Designation:

……..

Notes:

1. Write “A” if “lower deduction” or “no deduction” is on account of a certificate under section 395(1) and 395(2).
2. Write “C” if deduction is on higher rate under section 397(2) on account of non-furnishing of PAN.
3. Write “G” if no deduction is made on interest paid by an Offshore Banking Unit as per the provisions of section 393(8).
4. Write “H” if no deduction is in view of section 393(4) [Table: Sl. No. 17] in respect of an income paid to a specified fund which is exempt as per Schedule VI [Table: Sl. Nos. 1 to 4].
5. Write “I” if no deduction is in view of section 393(4) [Table: Sl. No. 16] in respect of income of the nature of capital gains on transfer of securities referred to in section 210 paid or payable to a Foreign Institutional Investor.
6. Write "N" if no deduction is on account of payment made to a person referred to in section 393(4) [Table: Sl. No. 18] or on account of notification issued under fifth proviso to section 194N of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal).
7. Write “O” if no deduction as per the provisions of section 393(4) [Table: Sl. No. 13].
8. Write “Y” if no deduction is on account of payment below threshold limit as specified in the Act.
9. Write “Z” if no deduction or lower deduction is on account of payment in view of notification issued under section 400(1).
10. In case of deductees covered under rule 217, Permanent Account Number should be mentioned as “PANNOTAVBL”.
11. Fill one of the following in column (I)

Sl. No.	Status	Description
1	01	Company, other than domestic company
2	02	Individual
3	03	Hindu undivided family
4	04	Association of Persons (AOP) except in case of AOP consisting of only companies as its members
5	05	Association of Persons (AOP) consisting of only companies as its members

6	06	Co-operative society
7	07	Firm
8	08	Body of individuals
9	09	Artificial juridical person
10	10	Others

12. In column (S), total tax deducted shall be sum of amount of tax deducted, surcharge and health & education cess.

13. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Payee	Payer	Section code
392(7)	Any payment of accumulated balance due to an employee	Any non-resident	Trustees of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 or any person authorized under the scheme to make payment of accumulated balance due to employees	1004
393(2) [Table: Sl. No.1]	Any income referred to in section 211.	(a) A nonresident sportsman (including an athlete) or an entertainer, who is not a citizen of India; or (b) a nonresident sports association or institution	Any person.	1039
393(2) [Table: Sl. No.2]	Any income by way of interest payable in respect of monies borrowed in foreign currency from a source outside India,— (a) under a loan agreement or issue of long term infrastructure bond on or after the 1st July, 2012 but before the 1st July, 2023; or (b) by way of issue of any long-term bond on or after the 1st October, 2014 but before the 1st July, 2023, which is approved by the Central Government in this behalf.	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any Indian company or a business trust	1040
393(2) [Table: Sl. No.3]	Any income by way of interest payable in respect of monies borrowed from a source outside India by way of issue of rupee denominated bond before the 1st July, 2023.	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any Indian company or a business trust.	1041
393(2) [Table: Sl. No.4.E(a)]	Any income by way of interest payable in respect of monies borrowed from a source outside India by way of issue of any long-term bond or rupee denominated bond,	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any Indian company or a business trust.	1042

	which is listed only on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre. - Issued on or after the 1st April, 2020 but before the 1st July, 2023			
393(2) [Table: Sl. No.4.E(b)]	Any income by way of interest payable in respect of monies borrowed from a source outside India by way of issue of any long-term bond or rupee denominated bond, which is listed only on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre - Issued on or after the 1st July, 2023.	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any Indian company or a business trust.	1043
393(2) [Table: Sl. No.5]	Any income by way of interest.	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any infrastructure debt fund referred to in Schedule VII [Table: Sl. No. 46].	1044
393(2) [Table: Sl. No.6.E(a)]	Any distributed income referred to in section 223, being of the nature referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3.B(a)]	Any unit holder, being a nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any business trust	1045
393(2) [Table: Sl. No.6.E(b)]	Any distributed income referred to in section 223, being of the nature referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 3.B(b)]	Any unit holder, being a nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any business trust	1046
393(2) [Table: Sl. No.7]	Any distributed income referred to in section 223, being of the nature referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 4].	Any unit holder, being a nonresident (not being a company) or a foreign company	Any business trust.	1047
393(2) [Table: Sl. No.8]	Any income, other than that proportion of income which is exempt under Schedule V [Table: Sl. No. 2], in respect of units of an investment fund specified in section 224.	Any unit holder, being a nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any investment fund specified in section 224.	1048
393(2) [Table: Sl. No.9]	Any income in respect of an investment in a securitisation trust specified in section 221.	Any investor, being a nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any securitisation trust specified in section 221.	1049
393(2) [Table: Sl. No.10]	Any income— (a) in respect of units of a Mutual Fund specified under Schedule VII [Table: Sl. No. 20] or [Table: Sl. No. 21]; or	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any person	1050

	(b) from the specified company.			
393(2) [Table: Sl. No.11]	Any income in respect of units referred to in section 208.	Any Offshore fund.	Any person	1051
393(2) [Table: Sl. No.12]	Any income by way of long-term capital gains arising from the transfer of units referred to in section 208.	Any Offshore fund.	Any person	1052
393(2) [Table: Sl. No.13]	Any income by way of interest or dividends in respect of bonds or Global Depository Receipts referred to in section 209.	Any nonresident.	Any person	1053
393(2) [Table: Sl. No.14]	Any income by way of long-term capital gains arising from the transfer of bonds or Global Depository Receipts referred to in section 209.	Any nonresident.	Any person	1054
393(2) [Table: Sl. No.15]	Any income in respect of securities referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 1].	Any Foreign Institutional Investor	Any person	1055
393(2) [Table: Sl. No.16]	Any income in respect of securities referred to in section 210(1) [Table: Sl. No. 1].	A specified fund, referred to in Schedule VI [Note 1(g)].	Any person	1056
393(2) [Table: Sl. No.17]	Any interest (not being interest referred to against serial numbers 2, 3, 4 and 5) or any other sum chargeable under the provisions of this Act, not being income chargeable under the head "Salaries".	Any nonresident (not being a company) or a foreign company.	Any person	1057
393(3) [Table: Sl. No.1]	Any income by way of winnings (other than winnings from serial number 2) from— (a) any lottery; or (b) crossword puzzle; or (c) card game and other game of any sort; or (d) gambling or betting of any form or nature whatsoever	Any nonresident	Any person	1058
393(3) [Table: Sl. No. 1 Note 2]	Any income by way of winnings (other than winnings from Sl. No. 2 of the table at section 393(3)) from— (a) any lottery; or (b) crossword puzzle; or (c) card game and other game of any sort; or (d) gambling or betting of any form or nature whatsoever where consideration, is made in kind	Any nonresident	Any person	1059

	or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released			
393(3) [Table: Sl. No.2]	Any income by way of winnings from online game.	Any nonresident	Any person	1060
393(3) [Table: Sl. No. 2 Note 2]	Any income by way of winnings from online games, is made in kind or in cash but such part in cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released	Any nonresident	Any person.	1061
393(3) [Table: Sl. No.3]	Any income by way of winnings from any horse race.	Any nonresident	Any person	1062
393(3) [Table: Sl. No.4]	Any income, credited or paid to a person, who is or has been stocking, distributing, purchasing or selling lottery tickets, by way of commission, remuneration or prize (by whatever name called) on such tickets.	Any nonresident	Any person	1063
393(3) [Table: Sl. No.5.D(a)]	Payment of certain amounts in cash by bank/ post office / co-operative society to a deductee being a co-operative society	Any nonresident	Every person, being,— (a) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (b) a cooperative society engaged in carrying on the business of banking; or (c) a post office	1064
393(3) [Table: Sl. No. 5.D(b)]	Payment of certain amounts in cash by bank/ post office / co-operative society to a deductee being a person other than co-operative society	Any nonresident	Every person, being,— (a) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (b) a cooperative society engaged in carrying on the business of banking; or (c) a post office.	1065
393(3) [Table: Sl. No.6]	Any amount referred to in section 80CCA(2)(a) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal).	Any nonresident	Any person	1066

393(3) [Table: Sl. No.7]	Any sum in the nature of salary, remuneration, commission, bonus or interest paid to a partner of the firm or credited to his account (including capital account).	Any nonresident	Any person, being a firm	1067

14. List of nature of remittances are as under:

Sl. No.	Nature of Remittance
1	Winnings from lottery or cross word puzzle, card game, gambling or betting of any form etc
2	Winnings from online games
3	Winnings from horse race
4	Payments to non-resident Sportsmen or entertainer/Sport Associations or institution
5	Interest income
6	Dividend income referred to in the in the section 207(1) [Table: Sl. No.1]
7	Dividend income referred to in the section 207(1) [Table: Sl. No.2]
8	Income by way of renting or leasing or letting out any real estate asset
9	Investment income
10	Long term capital gains referred to in section 214 [Table: Sl. No. 2] or 197(1)
11	Long term capital gains referred to in section 198 exceeding one lakh twenty-five thousand rupees,
12	Long term capital gains referred to in section 214 [Table: Sl. No. 1]
13	Short term capital gains referred to in section 196
14	Short term capital gains (not being short term capital gains referred to in section 196)
15	Commission
16	Fee for technical services/ included services
17	Royalty
18	Cash withdrawal
19	Other income

15. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 145
[*See* rule 220]

Information to be furnished for payments to a non-resident not being a company, or to a foreign company

Part A

(To be filled up if the remittance is taxable under Act and the remittance or the aggregate of such remittances, as the case may be, does not exceed ₹ 5,00,000 rupees during the tax year)

Row No.	Particulars of the Remitter (Sender)		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
6.	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)		
7.	Email id		
8.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the Remittee (Recipient)		
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Permanent Account Number, if available	*(refer Note 5)*	
11.	Tax Identification Number (TIN) in country of residence	*(refer Note 6)*	
12.	Country of residence	*(drop down)*	
13.	Complete address in the country of residence	*(refer Note 2)*	
14.	Email id		
15.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the Remittance (Fund Transfer)		
16.	Country to which remittance is made	*(drop down)*	
17.	Amount to be remitted (before deduction of tax at source)		
18.	Aggregate amount of remittances made during the tax year including this remittance	*(refer Note 7)*	
19.	Particulars of bank		
	(a) IFSC Code		
	(b) Name		
	(c) Branch		
	(d) BSR Code of the branch (7 digit)		
20.	Particulars of authorized dealer		
	(a) Is the bank and authorized dealer the same	*(Yes/No)*	
	(b) If no, then name of the authorized dealer	*(drop down)*	
	(c) ITDREIN		
21.	Proposed date of remittance	*(dd/mm/yyyy)*	
22.	Nature of remittance	*(refer Note 8)*	
23.	Purpose code as per Reserve Bank of India		
24.	Sub code as per Reserve Bank of India		
25.	Particulars of deduction of tax at source		

	(a) Amount of tax deducted at source	
	(b) Rate of deduction of tax at source (%)	
	(c) Date of deduction	*(dd/mm/yyyy)*

DECLARATION

1. I, _____ (name of the person responsible for paying to non-resident), having Permanent Account Number ……. in the capacity of _____ (designation) declare that the information given above is true and correct and no relevant information has been concealed.

2. I further undertake to submit the requisite documents for:

(a) enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient
(b) determining my liability under the Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place: ……

Date: ……

Signature of the person responsible for paying to non-resident

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. In case of non-availability of PAN, provisions of section 397(2) of Act shall be applicable.
6. Tax Identification Number of the remittee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the remittee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.
7. Aggregate remittances made during the tax year shall be the sum of all remittances made before deduction of tax at source.
8. Please select anyone from the followings for nature of remittance

S. No.	Nature of Remittances
1	Advertisement Fee
2	AMC Charges
3	Architectural Services
4	Bandwidth Charges
5	Brokerage Charges
6	Business Income Other Than That Covered by Categories Above
7	Cargo Handling Services Inspection & Logistics Services
8	Cellular Roaming Charges
9	Charter Hire Charges (Shipping)
10	Clearing & Forwarding Charges

11	Commission
12	Communication Charges
13	Consulting Services
14	Designing Fee
15	Directors Fees
16	Dividend
17	Drilling
18	Engineering Services
19	Equipment Rental Charges
20	Fabrication Services
21	Fees for Technical Services/ Fees For Included Services
22	Freight Charges
23	Income from Immoveable Property
24	Income from Shipping, Inland Waterways Or Air Transport
25	Installation & Commissioning Services
26	Insurance Commissions
27	Interest Payment
28	Investment Income
29	Lease Payment
30	Licensing Fee
31	Long Term Capital Gains
32	Membership Fee
33	Mobile station Charges
34	Payments for Software Bundled with Hardware
35	Payments to Professors, Teachers or Research Scholars
36	Payments to Sports Person & Artists
37	Payments to Students Or Business Apprentice
38	Pensions (Other Than Those Related to Past Employment)
39	Processing Charges
40	Professional Services
41	Purchase of Software
42	R&D Charges
43	Registration Charges
44	Reimbursement of Expenses
45	Repatriation of Surplus Funds
46	Retainership Fees

47	Retention Fees
48	Royalty
49	Sales and Marketing Services
50	Seismic Data Processing
51	Short Term Capital Gains
52	Software Licenses
53	Sponsorship Fees
54	Subscription Fees
55	Supervision Charges
56	Survey Fees
57	Telecasting Services
58	Tender Fees
59	Testing Charges
60	Training
61	Warranty Services
62	Winning from Horse Races.
63	Winning from Lotteries, Crossword Puzzles, Card Games and Other Games of any sort.
64	Consular Receipts
65	Other Income / Other (Not in The Nature of Income)

9. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
10. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Part B

(To be filled up if the remittance is taxable under the Act and the remittance or the aggregate of such remittances, as the case may be, exceeds ₹ 5,00,000 during the tax year and certificate or order under section 395 (1) or 395(2) has been obtained from the Assessing Officer.)

Row No.	Particulars of the Remitter (Sender)		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
6.	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)		
7.	Email id		
8.	Contact number	Country Code	number
	Particulars of the Remittee (Recipient)		
9.	Name	*(refer Note 1)*	

10.	Permanent Account Number, if available	*(refer Note 5)*	
11.	Tax Identification Number (TIN) in country of residence	*(refer Note 6)*	
12.	Country of residence	*(drop down)*	
13.	Complete address in country of residence	*(refer Note 2)*	
14.	Email id		
15.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of certificate or order issued by the Assessing Officer		
16.	Certificate number or Order number		
17.	Date		
18.	Section under which certificate or order is obtained	○ 395(1) ○ 395(2)	
19.	Amount on which tax is to be deducted		
20.	Rate at which tax is to be deducted (%)		
21.	Designation of Assessing officer		
	Particulars of the Remittance (Fund Transfer)		
22.	Country to which remittance is made	*(drop down)*	
23.	Currency	*(drop down)*	
24.	Amount to be remitted (before deduction of tax at source)	In foreign currency	
		In ₹	
25.	Particulars of bank		
	(a) IFSC Code		
	(b) Name		
	(c) Branch		
	(d) BSR Code of the branch (7 digit)		
26.	Particulars of authorized dealer		
	(a) Is the bank and authorized dealer the same	*(Yes/No)*	
	(b) If no, then name of the authorized dealer	*(drop down)*	
	(c) ITDREIN		
27.	Proposed date of remittance	*(dd/mm/yyyy)*	
28.	Nature of remittance	*(refer Note 7)*	
29.	Purpose code as per Reserve Bank of India		
30.	Sub-code as per Reserve Bank of India		
31.	Particulars of deduction of tax at source		
	(a) Amount of tax deducted at source		
	(b) Rate of deduction of tax at source (%)		
	(c) Date of deduction	*(dd/mm/yyyy)*	

DECLARATION

1. I, _____ (name of the person responsible for paying to non-resident), having Permanent Account Number ……. in the capacity of _____ (designation) declare that the information given above is true and correct and no relevant information has been concealed.

2. I certify that a certificate or order under section 395(1) or 395(2) has been obtained, particulars of which are given in this Form.

3. I further undertake to submit the requisite documents for—

(a) enabling the income tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient;

(b) determining my liability under the Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place: ……. Signature of the person responsible for paying to non-resident

Date: ……. Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. In case of non-availability of PAN, provisions of section 397(2) shall be applicable.
6. Tax Identification Number of the remittee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the remittee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.
7. Please select anyone from the followings for nature of remittance

S. No.	Nature of Remittances
1	Advertisement Fee
2	AMC Charges
3	Architectural Services
4	Bandwidth Charges
5	Brokerage Charges
6	Business Income Other Than That Covered by Categories Above
7	Cargo Handling Services Inspection & Logistics Services
8	Cellular Roaming Charges
9	Charter Hire Charges (Shipping)
10	Clearing & Forwarding Charges
11	Commission
12	Communication Charges
13	Consulting Services
14	Designing Fee
15	Directors Fees
16	Dividend
17	Drilling
18	Engineering Services
19	Equipment Rental Charges

20	Fabrication Services
21	Fees for Technical Services/ Fees For Included Services
22	Freight Charges
23	Income from Immoveable Property
24	Income from Shipping, Inland Waterways Or Air Transport
25	Installation & Commissioning Services
26	Insurance Commissions
27	Interest Payment
28	Investment Income
29	Lease Payment
30	Licensing Fee
31	Long Term Capital Gains
32	Membership Fee
33	Mobile station Charges
34	Payments for Software Bundled with Hardware
35	Payments to Professors, Teachers or Research Scholars
36	Payments to Sports Person & Artists
37	Payments to Students Or Business Apprentice
38	Pensions (Other Than Those Related to Past Employment)
39	Processing Charges
40	Professional Services
41	Purchase of Software
42	R&D Charges
43	Registration Charges
44	Reimbursement of Expenses
45	Repatriation of Surplus Funds
46	Retainership Fees
47	Retention Fees
48	Royalty
49	Sales and Marketing Services
50	Seismic Data Processing
51	Short Term Capital Gains
52	Software Licenses
53	Sponsorship Fees
54	Subscription Fees
55	Supervision Charges

56	Survey Fees
57	Telecasting Services
58	Tender Fees
59	Testing Charges
60	Training
61	Warranty Services
62	Winning from Horse Races.
63	Winning from Lotteries, Crossword Puzzles, Card Games and Other Games of any sort.
64	Consular Receipts
65	Other Income / Other (Not in The Nature of Income)

8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Part C

(To be filled up if the remittance is taxable under Act and the remittance or the aggregate of such remittances, as the case may be, exceeds ₹ 5,00,000 during the tax year and a certificate in Form No. 146 from an accountant as defined in the section 515(3)(b) has been obtained)

Row No.	Particulars of the Remitter (Sender)		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
6.	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)		
7.	Email id		
8.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the Remittee (Recipient)		
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Permanent Account Number, if available	*(refer Note 5)*	
11.	Tax Identification Number (TIN) in country of residence	*(refer Note 6)*	
12.	Country of residence	*(drop down)*	
13.	Complete Address in country of residence	*(refer Note 2)*	
14.	Principal place of business		
15.	Email id		
16.	Contact number	Country Code	Number
	Details of Accountant		
17.	Name	*(refer Note 1)*	
18.	Permanent Account Number		
19.	Address	*(refer Note 2)*	
20.	Member Registration Number		

21.	Date of Registration	*(dd/mm/yyyy)*	
22.	Unique Document Identification Number (UDIN)		
23.	Form 146 Acknowledge Receipt Number		
24.	Name of the proprietorship/firm		
25.	Firm Registration Number (FRN)		
	Particulars of the Remittance (Fund Transfer)		
26.	Country to which remittance is made	*(drop down)*	
27.	Currency	*(drop down)*	
28.	Amount to be remitted (before deduction of tax at source)	In foreign currency	
		In ₹	
29.	Particulars of Bank		
	(a) IFSC Code		
	(b) Name of Bank		
	(c) Branch of the bank		
	(d) BSR Code of the bank branch (7 digit)		
30.	Particulars of authorized dealer		
	(a) Is the bank and authorized dealer the same	*Yes/No*	
	(b) If no, then name of the authorized dealer		
	(c) ITDREIN		
31.	Proposed date of remittance	*(dd/mm/yyyy)*	
32.	Nature of remittance	*(refer Note 7)*	
33.	Purpose code as per Reserve Bank of India		
34.	Sub-code as per Reserve Bank of India		
35.	Whether tax payable has been grossed up as per section 393(10)	*Yes/No*	
36.	**Taxability under the provisions of the Act [without considering Double Taxation Avoidance Agreement ("DTAA")]**		
	(a) is remittance chargeable to tax in India	*Yes/No*	
	(b) if no, give reasons		
	(c) if yes,		
	(i) section under which remittance is chargeable to tax		
	(ii) amount of income chargeable to tax		
	(iii) tax liability		
	(iv) basis of determining taxable income and tax liability		
	(v) rate of deduction of tax at source (%)		
37.	If relief is claimed under DTAA—	*Yes/No*	
	(a) has Tax Residency Certificate is obtained from the remittee	*Yes/No*	
	(b) if yes, Tax Residency Certificate Number		
	(c) relevant DTAA		
	(d) article of DTAA		
	(e) nature of payment as per DTAA		
	(f) taxable income as per DTAA		
	(g) tax liability as per DTAA		
38.	**Taxability under the Double Taxation Avoidance Agreement ("DTAA")**		

(A)	**If the remittance is on account of royalties, fee for technical services, interest, dividend (not connected with permanent establishment) please indicate: -**	
	(a) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*
	(b) if yes,—	
	(i) article of DTAA	
	(ii) amount taxable in India as per DTAA	
	(iii) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)	
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA	
(B)	**If remittance is on account of business income (including business income where royalty, fee for technical services or interest is connected with permanent establishment), please indicate—-**	
	(a) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*
	(b) if yes,—	
	(i) article of DTAA	
	(ii) amount taxable in India as per DTAA	
	(iii) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)	
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA	
(C)	**If remittance is on account of capital gains, please indicate: -**	
	(a) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*
	(b) if yes,—	
	(i) article of DTAA	
	(ii) long-term capital gains	
	(iii) short-term capital gains	
	(iv) basis of arriving at capital gains	
	(v) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)	
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA	
(D)	**If remittance not covered by sub-items (A), (B) and (C)**	
	(a) nature of remittance	
	(b) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*
	(c) if yes,—	
	(i) article of DTAA	
	(ii) amount taxable in India as per DTAA	
	(iii) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)	
	(d) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA	
	Details of tax deducted at source	
39.	Amount of tax deducted at source	
40.	Whether tax is deducted at source— (i) as per the Act or (ii) as per relevant DTAA	*(i)/(ii)*
41.	Rate at which tax is deducted	As per the Act (%) or as per DTAA (%)

42.	Actual amount of remittance after deduction of tax at source	In foreign currency	
		In ₹	
43.	Date of deduction of tax at source, if any	*(dd/mm/yyyy)*	

DECLARATION

1. I, _____ (name of the person responsible for paying to non-resident), having Permanent Account Number …… in the capacity of _____ (designation) declare that the information given above is true and correct and no relevant information has been concealed.

2. I certify that a certificate has been obtained from an accountant, particulars of which are given in this Form, certifying the amount, nature and correctness of deduction of tax at source.

3. In case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be, along with interest due.

4. I shall also be subject to the provisions of penalty for the said default as per the provisions of the Act.

5. I further undertake to submit the requisite documents for—

(a) enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient;

(b) determining my/our liability under the Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place……

Signature of the person responsible for paying to non-resident……

Date ……..

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. In case of non-availability of PAN, provisions of section 397(2) shall be applicable.
6. Tax Identification Number of the remittee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the remittee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.
7. Please select anyone from the followings for nature of remittance

S. No.	Nature of Remittances
1	Advertisement Fee
2	AMC Charges
3	Architectural Services
4	Bandwidth Charges
5	Brokerage Charges
6	Business Income Other Than That Covered by Categories Above

7	Cargo Handling Services Inspection & Logistics Services
8	Cellular Roaming Charges
9	Charter Hire Charges (Shipping)
10	Clearing & Forwarding Charges
11	Commission
12	Communication Charges
13	Consulting Services
14	Designing Fee
15	Directors Fees
16	Dividend
17	Drilling
18	Engineering Services
19	Equipment Rental Charges
20	Fabrication Services
21	Fees for Technical Services/ Fees For Included Services
22	Freight Charges
23	Income from Immoveable Property
24	Income from Shipping, Inland Waterways Or Air Transport
25	Installation & Commissioning Services
26	Insurance Commissions
27	Interest Payment
28	Investment Income
29	Lease Payment
30	Licensing Fee
31	Long Term Capital Gains
32	Membership Fee
33	Mobile station Charges
34	Payments for Software Bundled with Hardware
35	Payments to Professors, Teachers or Research Scholars
36	Payments to Sports Person & Artists
37	Payments to Students Or Business Apprentice
38	Pensions (Other Than Those Related to Past Employment)
39	Processing Charges
40	Professional Services
41	Purchase of Software
42	R&D Charges

43	Registration Charges
44	Reimbursement of Expenses
45	Repatriation of Surplus Funds
46	Retainership Fees
47	Retention Fees
48	Royalty
49	Sales and Marketing Services
50	Seismic Data Processing
51	Short Term Capital Gains
52	Software Licenses
53	Sponsorship Fees
54	Subscription Fees
55	Supervision Charges
56	Survey Fees
57	Telecasting Services
58	Tender Fees
59	Testing Charges
60	Training
61	Warranty Services
62	Winning from Horse Races.
63	Winning from Lotteries, Crossword Puzzles, Card Games and Other Games of any sort.
64	Consular Receipts
65	Other Income / Other (Not in The Nature of Income)

8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Part D
[To be filled up if the remittance is not taxable under the Act {other than payments referred to in rule 220(3)} by the person referred to in rule 220(2)]

Row No.	Particulars of the Remitter (Sender)	
1.	Name	*(refer Note 1)*
2.	Address	*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number	
4.	Status	*(refer Note 3)*
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*
6.	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)	
7.	Email id	

8.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the Remittee (Recipient)		
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Permanent Account Number, if available		
11.	Tax Identification Number (TIN) in country of residence	*(refer Note 5)*	
12.	Country of residence	*(drop down)*	
13.	Complete address in country of residence	*(refer Note 2)*	
14.	Email ID		
15.	Contact number	Country Code	Number
	Particulars of the Remittance (Fund Transfer)		
16.	Country to which remittance is made	*(drop down)*	
17.	Amount to be remitted (before deduction of tax at source)	In foreign currency	
		In ₹	
18.	Particulars of Bank		
	(a) IFSC Code		
	(b) Name of Bank		
	(c) Branch of the bank		
	(d) BSR Code of the bank branch (7 digit)		
19.	Particulars of authorized dealer	*Yes/No*	
	(a) Is the bank and authorized dealer the same	*(drop down)*	
	(b) If no, then Name of the authorized dealer		
	(c) ITDREIN		
20.	Proposed date of remittance	*(dd/mm/yyyy)*	
21.	Nature of remittance	*(refer Note 6)*	
22.	Purpose code as per Reserve Bank of India		
23.	Sub-code as per Reserve Bank of India		

1. I certify that I have reason to believe that the remittance as above is not chargeable under the provision of the Act and is not liable for deduction of tax at source.

DECLARATION

1. I, _____ (name of the person responsible for paying to non-resident), having Permanent Account Number …… in the capacity of _____ (designation) declare that the information given above is true and correct and no relevant information has been concealed.

2. In a case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be, along with interest due.

3. I shall also be subject to the provisions of penalty for the said default as per the provisions of the Act.

4. I further undertake to submit the requisite documents for—

(a) enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient;

(b) determining my liability under the Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place……

Signature of the person responsible for paying to non-resident……

Date ……..

Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat/Door/Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road/Street/Lane, (iv) Area/locality, (v) Town/City/District, (vi) State, (vii) Pin/ZIP Code.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. Tax Identification Number of the remittee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the remittee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.
6. Please select anyone from the followings for nature of remittance

S. No.	Nature of Remittances
1	Advertisement Fee
2	AMC Charges
3	Architectural Services
4	Bandwidth Charges
5	Brokerage Charges
6	Business Income Other Than That Covered by Categories Above
7	Cargo Handling Services Inspection & Logistics Services
8	Cellular Roaming Charges
9	Charter Hire Charges (Shipping)
10	Clearing & Forwarding Charges
11	Commission
12	Communication Charges
13	Consulting Services
14	Designing Fee
15	Directors Fees
16	Dividend
17	Drilling
18	Engineering Services
19	Equipment Rental Charges
20	Fabrication Services
21	Fees for Technical Services/ Fees For Included Services
22	Freight Charges
23	Income from Immoveable Property
24	Income from Shipping, Inland Waterways Or Air Transport
25	Installation & Commissioning Services

26	Insurance Commissions
27	Interest Payment
28	Investment Income
29	Lease Payment
30	Licensing Fee
31	Long Term Capital Gains
32	Membership Fee
33	Mobile station Charges
34	Payments for Software Bundled with Hardware
35	Payments to Professors, Teachers or Research Scholars
36	Payments to Sports Person & Artists
37	Payments to Students Or Business Apprentice
38	Pensions (Other Than Those Related to Past Employment)
39	Processing Charges
40	Professional Services
41	Purchase of Software
42	R&D Charges
43	Registration Charges
44	Reimbursement of Expenses
45	Repatriation of Surplus Funds
46	Retainership Fees
47	Retention Fees
48	Royalty
49	Sales and Marketing Services
50	Seismic Data Processing
51	Short Term Capital Gains
52	Software Licenses
53	Sponsorship Fees
54	Subscription Fees
55	Supervision Charges
56	Survey Fees
57	Telecasting Services
58	Tender Fees
59	Testing Charges
60	Training
61	Warranty Services

62	Winning from Horse Races.
63	Winning from Lotteries, Crossword Puzzles, Card Games and Other Games of any sort.
64	Consular Receipts
65	Other Income / Other (Not in The Nature of Income)

7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 146
[*See* rule 220(1)(c)]

Certificate of an accountant for payments to a non-resident, not being a company or to a foreign company

Particulars of the Remitter (Sender)			
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Residential Status	*(refer Note 4)*	
6.	Tax Deduction and Collection Account Number (if available)		
7.	Email id		
8.	Contact number	Country Code	Number
Particulars of the Remittee (Recipient)			
9.	Name	*(refer Note 1)*	
10.	Permanent Account Number, if available	*(refer Note 5)*	
11.	Tax Identification Number (TIN) in country of residence	*(refer Note 6)*	
12.	Country of residence	*(drop down)*	
13.	Complete Address in country of residence	*(refer Note 2)*	
14.	Principal place of business		
15.	Email id		
16.	Contact number	Country Code	Number
Particulars of the Remittance (Fund Transfer)			
17.	Country to which remittance is made	*(drop down)*	
18.	Currency	*(drop down)*	
19.	Amount to be remitted (before deduction of tax at source)	In foreign currency	
		In ₹	
20.	Particulars of bank		
	(a) IFSC Code		
	(b) Name		
	(c) Branch		
	(d) BSR Code of the branch (7 digit)		
21.	Particulars of authorized dealer		
	(a) Is the bank and authorized dealer the same	*(Yes/No)*	
	(b) If no, then name of the authorized dealer	*(drop down)*	
	(c) ITDREIN		
22.	Proposed date of remittance	*(dd/mm/yyyy)*	
23.	Nature of remittance	*(refer Note 7)*	
24.	Purpose code as per Reserve Bank of India		

25.	Sub-code as per Reserve Bank of India	
26.	Whether tax payable has been grossed up as per section 393(10)	*(Yes/No)*
	Details in respect of taxability	
27.	**Taxability under the provisions of Act [without considering Double Taxation Avoidance Agreement ("DTAA")]**	
	(a) is remittance chargeable to tax in India	*Yes/No*
	(b) if no, give reasons	
	(c) if yes,	
	(i) section under which remittance is chargeable to tax	
	(ii) amount of income chargeable to tax	
	(iii) tax liability	
	(iv) basis of determining taxable income and tax liability	
	(v) rate of deduction of tax at source (%)	
28.	If relief is claimed under DTAA—	*Yes/No*
	(a) has Tax Residency Certificate is obtained from the remittee	*Yes/No*
	(b) if yes, Tax Residency Certificate number	
	(c) relevant DTAA	
	(d) article of DTAA	
	(e) nature of payment as per DTAA	
	(f) taxable income as per DTAA	
	(g) tax liability as per DTAA	
29.	**Taxability under the Double Taxation Avoidance Agreement ("DTAA")**	
	A. If the remittance is on account of royalties, fee for technical services, interest, dividend (not connected with permanent establishment), please indicate—	
	(a) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*
	(b) if yes,—	
	(i) article of DTAA	
	(ii) amount taxable in India as per DTAA	
	(iii) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)	
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA	
	B. If remittance is on account of business income (including business income where royalty, fee for technical services or interest is connected with permanent establishment), please indicate—	
	(a) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*
	(b) if yes,—	
	(i) article of DTAA	

	(ii) amount taxable in India as per DTAA						
	(iii) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)						
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA						
	C. If remittance is on account of capital gains, please indicate—						
	(a) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*					
	(b) if yes,—						
	(i) article of DTAA						
	(ii) long-term capital gains	Date of sale	Total sale consideration	Date of acquisition	Cost of acquisition	Cost of improvement, if any	LTCG
	(iii) short-term capital gains	Date of sale	Total sale consideration	Date of acquisition	Cost of acquisition	Cost of improvement, if any	STCG
	(iv) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)						
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA						
	D. If remittance not covered by sub-items A, B and C						
	(a) nature of remittance						
	(b) is such remittance taxable in India as per DTAA	*Yes/No*					
	(b) if yes,—						
	(i) article of DTAA						
	(ii) amount taxable in India as per DTAA						
	(iii) rate of deduction of tax at source as per DTAA (%)						
	(c) if no, furnish brief reasons, specifying article of DTAA						
	Details of Tax Deducted at Source						
30.	Amount of tax deducted at source						
31.	Whether tax is deducted at source— (i) as per the Act or (ii) as per relevant DTAA	*(i)/(ii)*					
32.	Rate at which tax is deducted	As per the Act (%) or as per DTAA (%)					
33.	Actual amount of remittance after deduction of tax at source	In foreign currency					
		In ₹					
34.	Date of deduction of tax at source, if any	*(dd/mm/yyyy)*					

VERIFICATION

1. I …….. (name of accountant) having Permanent Account Number …… have examined—

(a) the agreement (wherever applicable) between Mr./Ms./M/s*……. (Remitters) and Mr./Ms./M/s*……. (Remittee) requiring the above remittance; and

(b) the relevant documents and books of account required for ascertaining the nature of remittance and for determining the rate of deduction of tax at source as per provisions of Chapter- XIX-B of the Act.

2. I hereby certify the that the above details are true and correct.

Place *Signature of the accountant*
Date

Name……...
Permanent Account Number……
Member Registration Number……..
Date of Registration……..
Unique Document Identification Number (UDIN)…….
Name of the proprietorship/ firm……..
Firm Registration Number……..

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/ Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust
4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.
5. In case of non-availability of PAN, provisions of section 397(2) shall be applicable.
6. Tax Identification Number of the remittee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the remittee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.
7. Please select anyone from the followings for nature of remittance

S. No.	Nature of Remittances
1	Advertisement Fee
2	AMC Charges
3	Architectural Services
4	Bandwidth Charges
5	Brokerage Charges
6	Business Income Other Than That Covered by Categories Above
7	Cargo Handling Services Inspection & Logistics Services
8	Cellular Roaming Charges
9	Charter Hire Charges (Shipping)
10	Clearing & Forwarding Charges
11	Commission
12	Communication Charges
13	Consulting Services
14	Designing Fee
15	Directors Fees
16	Dividend
17	Drilling

18	Engineering Services
19	Equipment Rental Charges
20	Fabrication Services
21	Fees for Technical Services/ Fees For Included Services
22	Freight Charges
23	Income from Immoveable Property
24	Income from Shipping, Inland Waterways Or Air Transport
25	Installation & Commissioning Services
26	Insurance Commissions
27	Interest Payment
28	Investment Income
29	Lease Payment
30	Licensing Fee
31	Long Term Capital Gains
32	Membership Fee
33	Mobile station Charges
34	Payments for Software Bundled with Hardware
35	Payments to Professors, Teachers or Research Scholars
36	Payments to Sports Person & Artists
37	Payments to Students Or Business Apprentice
38	Pensions (Other Than Those Related to Past Employment)
39	Processing Charges
40	Professional Services
41	Purchase of Software
42	R&D Charges
43	Registration Charges
44	Reimbursement of Expenses
45	Repatriation of Surplus Funds
46	Retainership Fees
47	Retention Fees
48	Royalty
49	Sales and Marketing Services
50	Seismic Data Processing
51	Short Term Capital Gains
52	Software Licenses
53	Sponsorship Fees

54	Subscription Fees
55	Supervision Charges
56	Survey Fees
57	Telecasting Services
58	Tender Fees
59	Testing Charges
60	Training
61	Warranty Services
62	Winning from Horse Races.
63	Winning from Lotteries, Crossword Puzzles, Card Games and Other Games of any sort.
64	Consular Receipts
65	Other Income / Other (Not in The Nature of Income)

8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 147

[*See* rule 220(6)(a)]

Quarterly statement to be furnished by an authorised dealer in respect of remittances made for the quarter of …….. of (Tax Year)

Part A: Particulars of authorised dealer

1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	ITDREIN		

Part B: Particulars of remittance made

Remitter Details			**Remittee Details**				**Remittance Details**					
Sl. No.	Name	Permanent Account Number	Name	Permanent Account Number, if available	Tax Identification Number, if available *(refer Note 3)*	Country of which remittee is a residence	Amount	Date	Full particulars of the Account to which remittance is made	Purpose Code as per RBI	Form No. 145 acknowledgment no.	If Form No. 145 not required enter required code as per Note 4

DECLARATION

I ……..(full name), having Permanent Account Number …….. in my capacity as … (designation)…. of …… (name of the authorised dealer) declare that the information given above are correct, true and complete.

Place ……

Date …….

Signature

Name

Designation

Notes

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.

2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Tax Identification Number of the deductee in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the deductee is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.

4. i) Write "A" if furnishing of Form No. 145 is exempt under rule 220(3)(a)

   ii) Write "B" if furnishing of Form No. 145 is exempt under rule 220 (3)(b)

   iii) Write "C" if furnishing of Form No. 145 is exempt under rule 220 (3)(c)

5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 148

[*See* rule 220(6)(b)]

Quarterly statement to be furnished by a unit of an International Financial Services Centre, as referred to in section 147(1)(b), in respect of remittances, made for the quarter of …….. of (Tax Year)

Part A: Details of the Unit

1.	Name of the unit	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Tax deduction and collection account number		
5.	Status	*(refer Note 3)*	
6.	Residential status	*(refer Note 4)*	
7.	Email id		
8.	Contact number	Country Code	*Number*

Part B: Details of remittance

Sl. No.	Details of the remitter, if different from the Unit referred in Sl. No. 1 of Part A above		**Remittee Details**						**Remittance Details**						
	Name	Permanent Account Number	Name	Permanent account number, if available	Address	Email	Phone number	Country of which the remittee is resident	Country to which remittance is made		Date of remittance	Amount of remittance		Nature of remittance	Purpose Code as per RBI (if applicable)
									Country	Currency		In foreign Currency	In ₹		

Verification

I, …… (full name), having Permanent Account Number …… declare that the information given above are correct and complete.

and/or

(applicable in case where the Unit referred in Sl. No. 1 of Part A is the remitter)

1. I, ….. (full name), having Permanent Account Number …… in the capacity of …… (designation) declare that the information given above is true and correct and no relevant information has been concealed.

2. In a case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be, along with the interest due. I shall also be subject to the provision of penalty for the said default as per the provisions of the Act.

3. I further undertake to submit the requisite documents for—

(a) enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient;

(b) determining my liability under the Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place: Signature

Date: Name:

Notes

1. The name shall be provided in full.

2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.

3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii)Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm(v) Association of persons, whether incorporated or not (vi) Body of individuals, whether incorporated or not (vii) Local Authority (viii) Artificial Juridical Person (ix) Government (x) Trust

4. Fill 'residential status' as (i) Resident (ii) Non-resident (iii) Resident but not ordinarily resident.

5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 149

[*See* rule 221(1)(a)]

Form for furnishing accountant certificate under section 398(2) for person responsible for deduction of tax not to be deemed to be an assessee in default

Part A

Row no.	Particulars of the payer	
1.	Name	*(refer Note 1)*
2.	Address	*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number	*(refer Note 3)*
4.	Tax Deduction and Collection Account Number, if applicable	
	Particulars of the person responsible for paying	
5.	Name	*(refer Note 1)*
6.	Address	*(refer Note 2)*
7.	Permanent Account Number	
	Particulars of the payee	
8.	Name	*(refer Note 1)*
9.	Address	*(refer Note 2)*
10.	Permanent Account Number	
	Particulars of transactions	
11.	Amount paid/credited to the account of the payee after—	
	(a) non-deduction of tax	
	(b) short-deduction of tax	
	(c) Total (a)+(b)	
12.	Interest under section 398(3)(a) on amount referred to in 11(c) above	
13.	Whether the interest referred to in Row No. 12 above, has been paid	*Yes/No*
14.	If answer to Row No. 13 above is yes, please provide details of such payment	

Challan Details		
BSR Code of the bank	Challan Serial Number	Date of deposit through challan

Or

Book Identification Number *(refer Note 4)*		
Receipt Number (first seven digits of BIN)	Receipt Number (first seven digits of BIN)	Date of deposit through challan

DECLARATION

I…….. (name of the person responsible for the deduction of tax) having Permanent Account Number …… in the case of …….. (name of the payer) declare and state that above details are true and correct.

Further, a certificate from an accountant certifying that the payee has fulfilled all the conditions mentioned in 398(2) is enclosed as Annexure A to this Form.

Place: ……..…. Signature of the person responsible for deduction of tax

Date: …… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. In case of Government deductors, for "Permanent Account Number", shall be mentioned as "PANNOTREQD".
4. For payment made without production of challan by the Government deductor.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

ANNEXURE A

Certificate of accountant under section 398(2) for certifying the furnishing of return of income, payment of tax etc. by the payee

I/We *hereby confirm that I/we* have examined the relevant accounts, documents and records of..... (name and address of the payee) with [Permanent Account Number] ….. for the period … and hereby certify the following:

(i) ….. (payer) has paid to or credited following sum to the account of ….. (payee) without deduction of whole or any part of the tax in accordance with the provisions of Chapter XIX of the Act

Nature of payment	Date of payment or credit	Table No. and Sl. No. of section 393 under which tax was deductible	Amount paid or credited	Amount of tax deductible	Details of amount deducted, if any	
					Amount deducted	Date of deduction

(ii) The payee has furnished his return of income for the tax year…… relevant to the payment referred to in (i) above. The details of return of income filed by the payee are as under—

Sl. No.	Particulars	
1.	Date of filing of return of income	dd/mm/yyyy
2.	Acknowledgement number of return filed	
3.	Amount of taxable income on which tax has not been deducted in whole or in part	
4.	Amount of taxable income (excluding the amount of income on which tax has not been deducted in whole or in part)	
5.	Total taxable income	
6.	Tax due on the amount referred to in Sl. No. 3	
7.	Tax due on the amount referred to in Sl. No. 4	
8.	Total tax due on the income declared in return	
9.	Taxes paid as per return of income	

(iii) The payee has taken into account the sum referred to in (i) for computing his taxable income in return of income filed by him, the details of which are as under:

Receipt on which Tax has not been deducted	Head of Income under which the receipt accounted for	Gross receipt under the head of income under which the receipt is accounted for	Amount of taxable income under the head of income under which the receipt is accounted for

(iv) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects and no relevant information has been concealed or withheld.

(v) Neither I, nor any of my partners, is a director, partner or an employee of the above-mentioned entities or its associated concern.

Verification

I fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us* liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or is otherwise warranted.

Place *Signature*

Date

Name of the Accountant……...

Designation……

Membership Number…….

UDIN Details, if any…….

Name of the proprietorship/ firm……..

Firm Registration Number……..

Notes:

*Delete whichever is not applicable

This certificate is to be given by—

(i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person, who in relation to any State, is by virtue of the provisions in Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in the State.

FORM NO. 150

[*See* rule 221(1)(b)]

Form for furnishing accountant certificate under section 398(2) for person responsible for collection of tax as per section 394(1)[Table: Sl. No. 1 to 5 and 9] not to be deemed to be an assessee in default

Part A

	Particulars of the seller	
1.	Name	*(refer Note 1)*
2.	Address	*(refer Note 2)*
3.	Permanent Account Number	*(refer Note 3)*
4.	Tax Deduction and Collection Account Number, if applicable	
	Particulars of the person responsible for collecting tax	
5.	Name	*(refer Note 1)*
6.	Address	*(refer Note 2)*
7.	Permanent Account Number	
	Particulars of the buyer	
8.	Name	*(refer Note 1)*
9.	Address	*(refer Note 2)*
10.	Permanent Account Number	
	Particulars of transactions	
11.	Amount received from/debited to the account of the buyer after—	
	(a) non-collection of tax	
	(b) short-collection of tax	
	(c) Total (a)+(b)	
12.	Amount of interest under section 398(3)(a) on amount referred to in 11(c) above	
13.	Whether the interest referred to in Sl. No. 12 above, has been paid	*Yes/No*
14.	If answer to Sl. No. 13 above is yes, please provide details of such payment	

Challan Details		
BSR Code of the bank	Challan Serial Number	Date of deposit through challan

or

Book Identification Number *(refer Note 4)*		
Receipt Number (first seven digits of BIN)	Receipt Number (first seven digits of BIN)	Date of deposit through challan

DECLARATION

I….. (name of the person responsible for the collection of tax) having permanent account number …. in the case of ….. (name of the seller) declare and state that above details are true and correct.

Further, a certificate from an accountant certifying that the payee has fulfilled all the conditions mentioned in section 398(2) is enclosed as Annexure A to this Form.

Place: ……..…. Signature of the person responsible for collection of tax

Date: …….… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. In case of Government collectors, for "Permanent Account Number", shall be mentioned as "PANNOTREQD".
4. For payment made without production of challan by the Government collector.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

ANNEXURE A

Certificate of accountant under section 398(2) for certifying the furnishing of return of income, payment of tax etc. by the buyer/licensee/lessee.

I hereby confirm that I have examined the relevant accounts, documents and records of..... (name and address of the buyer/licensee/lessee) with [Permanent Account Number] ….. for the period … and hereby certify the following:

i) ….. (seller/licensor/lessor) has received from or debited following sum to the account of ….. (buyer/licensee/lessee) without collection of whole or any part of the tax in accordance with the provisions of Chapter-XIX of the Act

Nature of receipt	Date of receipt or debit	Sl. No. of section 394 under which tax was collectible	Amount received or debited	Amount of tax collectible	Details of amount collected, if any	
					Amount collected	Date of collection

ii) The buyer or licensee or lessee, has furnished his return of income for the tax year…… relevant to the receipt referred to in (i) above. The details of return of income filed by the buyer/licensee/lessee are as under—

Date of filing of return of income	Acknowledgement number of return filed	Amount of taxable income as per return filed	Tax due on the income declared in return	Details of tax paid

iii) The payee or buyer or licensee or lessee has taken into account the sum referred to in (i) for computing his taxable income in return of income filed by him, the details of which are as under:

Payment on which tax has not been collected	Head of income under which payment is accounted for	Gross payment under the head of income under which the payment is accounted for	Amount of taxable income under the head of income under which the payment is accounted for

iv) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects and no relevant information has been concealed or withheld.

v) Neither I, nor any of my partners, is a director, partner or an employee of the above-mentioned entities or its associated concerns.

Verification

I ……. having Permanent Account Number …… fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or is otherwise warranted.

Place *Signature*

Date

Name of the Accountant……...

Designation……

Membership Number…….

UDIN Details, if any…….

Name of the proprietorship/ firm……..

Firm Registration Number……..

Notes:

*Delete whichever is not applicable

This certificate is to be given by—

(i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person, who in relation to any State, is by virtue of the provisions in Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in the State.

FORM NO. 151
[*see* rule 222]

Notice of demand under section 289 of the Act for payment of advance tax under section 407(2) or 407(5) of the Act

Part A: Personal Information			
1.	Name	*(Refer note 1)*	
2.	Address	*(Refer note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN)		
4.	Contact Details		
	Mobile Number	Country Code	Number
	Email ID		
5.	Tax Year		
Part B: Details of Notice			
6.	Assessing Officer		
7.	Address of Office of Assessing Officer	*(Refer note 2)*	
8.	section of the Act under which notice is being issued ***(Select One)***	(1) section 407(2) (2) section 407(5)	
9.	Total Sum to be payable during the tax year as per enclosure		
10.	Details of Instalments for payment of sum mentioned in row 9.	*(Refer note 3)*	

Place: ……

Date: …….

_____

(Signature of Assessing Officer)

Enclosure to Form No. 151
(as per row 9 of Form No. 151)
Order under section 407 of the Act

Part A: Personal Information		
1.	Name	*(Refer note 1)*
2.	Permanent Account Number (PAN)	
3.	Address	*(Refer note 2)*
Part B: Details of Order		
4.	Total income on the basis of which regular assessment has been made/return of income has been filed by you, for a subsequent year, being that for the year	
5.	Income subject to advance tax	

6.	Net agricultural income, if any, to be taken into account for purposes of computing advance tax		
7.	Gross income-tax chargeable on 'income subject to advance tax'		
8.	Sums included in 'income subject to advance tax' in respect of which income-tax is not payable or on which a rebate of income-tax is admissible-		
	(i)	Share of income from an association of persons or body of individuals or an unregistered firm on the profits of which tax has already been paid	
	(ii)	Interest on income-tax free securities	
	(iii)	Other items	
9.	Total amount on which tax is not payable and the proportionate tax on such an amount		
10.	Deduct: Tax which is deductible under sections 392, 393(1),393(2) [Table S. No. 1 to 9, Table S. No. 17], 393(3) of the Act on any income (as computed before allowing any deductions admissible under the Act) and which has been taken into account in computing the 'income subject to advance tax'		
11.	Net amount of income-tax		
12.	Less: Amount on account of estimated double income-tax relief, if any		
13.	Balance payable		
14.	(i)	Less: Tax already paid in the tax year under section 407 of the Act in compliance with the previous notice of demand	
	(ii)	Date of service of demand notice as mentioned in row 14(i)	*dd/mm/yyyy*
15.	Total amount of tax payable		

Date .....

Place……..

_____

(Signature of Assessing Officer)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations with the appropriate title. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Flat/Door/Block number, (ii) Name of the premises, (iii) Road/Street/Lane, (iv) Area/locality, (v) Town/City/District, (vi) State and (vii) PIN/ZIP Code.
3. Details of Instalments of sum mentioned in row 10 is as per table below:

Sl No.	Due date of instalment	Amount payable
1.	On or before the 15th June.	Not less than 15 percent of such advance tax.
2.	On or	Not less than 45 percent of such advance tax, as

	before the 15th September.	reduced by the amount, if any, paid in the earlier instalment.
3.	On or before the 15th December.	Not less than 75 percent of such advance tax, as reduced by the amount or amounts, if any, paid in the earlier instalment or instalments.
4.	On or before the 15th March.	The whole amount of such advance tax, as reduced by the amount or amounts, if any, paid in the earlier instalment or instalments.

4. The amount is payable to Manager, authorised bank or Manager, State Bank of India or Reserve Bank of India at When, if the amount is paid, you will be granted a receipt or Challan(s)____ is/are enclosed for the purpose, in which you should enter the amount of each instalment at the time of payment.

5. If at any time before the 1st instalment as aforesaid is due, you estimate that your income subject to advance tax for the tax year relevant to the tax year commencing on the 1st day of April, is less than the income on which you have been asked to pay advance tax as above and accordingly you wish to pay an amount less than the amount which you have been so required to pay you may send to the Assessing Officer in Form No. 153 reasons for the lower estimate made by you and enclose an estimate of the advance tax so payable on such income calculated in the manner laid down in section 405 and in that event you should pay such amount (less any instalment already paid in accordance this notice) as accords with your estimate in such proportions on such dates specified therein. For this purpose, you should enter in the appropriate challans the amount payable according to your estimate. You may revise the amount payable at any time before the last instalment is due and may adjust any excess or deficiency in respect of the instalment already paid in the subsequent instalment.

5.1 If in your estimation, the advance tax payable on your current income exceeds the amount of advance tax specified in an order of the Assessing Officer under section 407(2) or 407(5) or as intimated by you under sub-section (8) of that section, you will pay on or before the due date of last instalment specified in section 408, an appropriate part or, as the case may be, the whole of such higher amount of advance tax according to your estimate.

5.2 If you are liable to pay advance tax under section 404 and have failed to pay such tax or the advance tax paid by you under the provisions of section 406 is less than 90 percent of the assessed tax, you will be liable to pay interest according to the provisions of section 424. If you have failed to pay the instalments of advance tax by the specified dates, interest will be charged as per section 425 of the Act.

6. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.

7. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 152

[*see* rule 223]

Intimation to the Assessing Officer under section 407(8) regarding the notice of demand under section 289 of the Act for payment of advance tax under section 407(2)/407(5) of the Act

Dated _____

To
The Assessing Officer,
_____

Sir/Madam,

Re.: Notice of demand under section 289 of the Act for payment of income-tax under section 407(2) or 407(5) of the Act in the case of _____ for tax year _____.

The notice of demand under section 289 of the Act for payment of advance tax and the order under section 407(2) or 407(5) of the Act, dated _____ has been served on me on _____(*date of service of notice*).

2. I do hereby intimate that the estimate of income and the advance tax payable made by you and contained in the enclosure to Form No. 151, is high because of the following reasons :

(i) There is an arithmetical error in the computation shown in Form No. 151,
(ii) In respect of the income assessed for tax year_____, there was a mistake apparent from record within the meaning of section 287 of the Act for which the application has been filed on _____/ is being filed.
(iii) There has been loss or no income under the head 'Capital gains' in the current tax year.
(iv) There has been no income of the nature referred to in section 2(49)(n) in the current tax year.
(v) Any other reasons (specifying the reasons).

3. The estimate of income for tax year _____ taking into account the reasons mentioned in para 2 above is as follows :

Estimated 'income subject to advance tax':

(1) Income from 'salaries': _____

(2) Income from capital gains: _____

(3) Income from house property: _____

(4) Profits and gains of business or profession:

(a) Profits and gains from business and profession carried on by me.

Name	*Address*	*Amount of Profit/Loss*

(b) Share from firm(s) :

Name of the firm	*Address*	*Whether firm has been registered in the last completed assessment*	*Share of income*

(c) Income from an association of persons or body of individuals. _____

Total : (a) + (b) + (c) _____

(5) Income from other sources:

(i) Dividends _____
(ii) Interest _____
(iii) Other incomes [including income referred to in section 2(49)(n)] _____

Total: _____

Aggregate of sub-items (1) to (5) _____

Less :

(i) carried forward losses, etc., eligible for set off _____

(ii) deductions admissible under Chapter VIII. _____

1. Income subject to advance tax

[Aggregate of sub-items (1) to (5) less {(i) and (ii)}. _____

2. Estimated net agricultural income. _____

3. Gross income-tax chargeable on income subject to advance tax. _____

4. (a) Sums included in income subject to advance tax in respect of which no tax is payable on which a rebate of tax is admissible-

(i) Share of income from an unregistered firm on which the tax will be paid by the firm. _____

(ii) Share from an association of persons or body of individuals on which tax will be paid by the association or body. _____

(iii) Interest on income-tax free securities. _____

(iv) Other items _____

(b) Total amount on which tax is not payable. _____

(c) The proportionate tax on such amount. _____

5. Excess of 3 over 4(c). _____

6. *Deduct* : Amount of tax deductible or collectible under sections 392, 393(1),393(2) [Table S. No. 1 to 9, Table S. No .17], 393(3) of the Act on any income (as computed before allowing any deduction admissible under the Act) and which has been taken into account in computing the income subject to advance tax. _____

7. Net amount of income-tax (5-6). _____

8. *Less* : Amount on account of estimated relief on account of double taxation of income, if any. _____

9. Net amount payable (7-8). _____

10. *Less* :

(i) tax already paid in the financial year under section 406. _____

11. Balance payable (9-10). _____

Place: ……
Date: …….

_____

Signature of the person making the estimate

(Name: _____)
Designation:_____

Notes :

1. The estimate of tax should be signed by a person who is authorised to sign a return of income as provided in section 265 of the Act.
2. In the case of a registered firm, the firm has to submit an estimate of the advance tax payable, if any, by it in accordance with Part III of the First Schedule to the annual Finance Act. The individual partners have also to submit an estimate of the advance tax payable by each including therein the share of income from the registered firm.
3. Para 2 to be filled in only by individuals, unregistered firms, other associations of persons or bodies of individuals, whether incorporated or not, referred to in section 2(77)(e) of the Act, and artificial juridical persons referred to in section 2(77) (g) of the Act.
4. In this Form, 'net agricultural income' shall have the meaning assigned to it in the relevant Finance Act.
5. Details of arithmetical error if any in the order of the Assessing Officer referred to in para 2 of this Form, may be annexed.
6. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.

7.

FORM NO. 153
[*See* rule 224]

Certificate under section 413 or 414.
Notice of demand under rule 225(2) of Income Tax Rules, 2026.

Office of the TRO_____
Date_____

To

(PAN/Aadhaar)

Part A: Basic Information					
1.	Name			*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number				
3.	Address			*(Refer Note 2)*	
4.	Status			*(Refer Note 3)*	
5.	Contact details				
	Mobile No.			Country Code	Number
	Email ID				
Part B: Details of Amount in Arrears					
6.	Tax Year				
7.	A.	Income Tax			
		(i)	Regular		
		(ii)	Advance		
		(iii)	Provisional		
		(iv)	Total		
	B.	Surcharge			
		(i)	Regular		
		(ii)	Advance		
		(iii)	Provisional		
		(iv)	Total		
	C.	Additional tax under section 270			
		(i)	Regular		
		(ii)	Advance		
		(iii)	Provisional		
		(iv)	Total		
	D.	Penalty under section			
		(i)	Regular		
		(ii)	Advance		
		(iii)	Provisional		

		(iv)	Total	
	E.	Interest under section		
		(i)	Regular	
		(ii)	Advance	
		(iii)	Provisional	
		(iv)	Total	
	F.	Fine under section 246		
		(i)	Regular	
		(ii)	Advance	
		(iii)	Provisional	
		(iv)	Total	
	G.	Interest under section 411(3) from the day when amount became due		
		(i)	Regular	
		(ii)	Advance	
		(iii)	Provisional	
		(iv)	Total	
	H.	Any other sum		
		(i)	Regular	
		(ii)	Advance	
		(iii)	Provisional	
		(iv)	Total	
8.	Aggregate of 7(A)(iv), 7(B)(iv), 7(C)(iv), 7(D)(iv), 7(E)(iv), 7(F)(iv), 7(G)(iv), 7(H)(iv)			
9.	**(Repeat row 6 to 8, if required)**			

1. *This is to certify that a sum of_____ has become due from you on_____ details of which are given above.

Whereas a certificate bearing Document Identification Number_____dated_____ had been forwarded by the Tax Recovery Officer, _____ [*name of the place*], for the recovery of sum of_____ details of which are given above and the said Tax Recovery Officer has sent a certified copy of the said certificate to the undersigned under section under section 414, specifying a sum of _____which is to be recovered from you.

2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipt of this notice failing which the recovery shall be made in accordance with the provisions of section 413 to section 422, and the rule 225 to the said Income Tax Rules 2026.

3. In addition to the sums aforesaid, you will also be liable for, -

(a) such interest as is payable in accordance with section 411(3) for the period commencing immediately after the issue of this notice;

(b) all costs, charges and expenses incurred in respect of the services of this notice and of warrants and other processes and all other proceedings taken for realizing the arrears.

***Delete whichever is not applicable**

Date:

Place:

(Seal)

_____

(Tax Recovery Officer)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Fill status as:
   - (i) Individual
   - (ii) Hindu undivided family
   - (iii) Company
   - (iv) Firm
   - (v) Association of persons, whether incorporated or not
   - (vi) Body of individuals, whether incorporated or not
   - (vii) Local Authority
   - (viii) Artificial Juridical Person
   - (ix) Government
   - (x) Trust
   - (xi) Limited Liability Partnership
4. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.
5. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 154
[See rule 228]

Form of undertaking to be furnished under section 420(1)

To

……

[Designation of Prescribed Authority]

In consideration of a no objection certificate to be issued under the provisions of **section 420(1)**, I hereby undertake to pay to the Government of India the taxes which are or may become payable under **the Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or the Expenditure-tax Act, 1987 (35 of 1987) or the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015)** in respect of the income earned during the period of employment under me, income received from me by the person whose details are in Part B.

Part A: Details of the Employer				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number			
3.	Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Contact details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
Part B: Information of the Person Leaving India				
5.	Name		*(Refer Note 1)*	
6.	Name of *Father/Husband		*(Refer Note 1)*	
7.	Permanent Account Number (if available)			
8.	Passport Number/Emergency Certificate Number details			
	(i)	Passport /Emergency certificate number		
	(ii)	Date of Issue	dd/mm/yyyy	
	(iii)	Country where issued		
	(iv)	Place where issued		
9.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code	Number
	(ii)	Email ID		

2. I further undertake that any amount certified by the Assessing Officer having jurisdiction in the case of the person referred in Part-B as due and payable by him under all or any of the aforesaid enactments or other enactment(s) shall be accepted by me as conclusive evidence of the said amount being due and payable as aforesaid, and no such amount shall, in any case and under any circumstances, be disputed.

3. Further, I hereby undertake and declare that this undertaking shall not be determined or otherwise affected by any death/dissolution or liquidation, but shall remain in full force and effect against me and my estate/assets until such amount of tax as is or may become due and payable hereunder is paid in full.

4. I further undertake that without prejudice to any other remedies open to the Central Government for recovering any tax which is or may become due and payable under this undertaking, the Central Government will be entitled to recover the said tax from me, in accordance with rule 225 to Income-tax Rules, 2026 or any modification thereof from time to time, and it shall not be necessary for the Central Government to initiate and/or exhaust any legal proceedings against the assessee(s) for the recovery of any tax as is aforementioned before suing me for the recovery of the same.

***Delete whichever is not applicable**

Place:

Date: _____

(**Signature)**

Name: _____
Designation: _____

Employer referred to in **section 420(1)(i)**
or
Any other person referred to in **section 420(1)(ii)**

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO.155
[*See* rule 228]

No Objection Certificate for a person not domiciled in India under section 420(1)

DIN Number: …….

GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that the Income-tax Department has no objection for the person whose details are given below from leaving India by air/sea/land.

Part A- Personal Information

1.	Name		*(Refer Note 1)*
2.	Name of *Father/Husband		*(Refer Note 1)*
3.	Permanent Account Number (if applicable)		
4.	Passport Number/Emergency Certificate Number details		
	(i)	Passport /Emergency certificate number	
	(ii)	Date of Issue	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Country where issued	
	(iv)	Place where issued	

This certificate is valid for a journey or journeys to be commenced on or after _____ and before _____

***Delete whichever is not applicable**

Place:

Date:

_____

(Prescribed Authority)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 156
[*See* rule 228]

Form for furnishing the details under section 420(3)

To

……

[Designation of Prescribed Authority]

Sir/Madam,

I give below the necessary particulars as required under section 420(3):

1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Name of Father/Husband*		*(Refer Note 1)*	
3.	Permanent Account Number			
4.	Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Contact details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
6.	Nature of Business /Profession in India			
7.	Purpose of visit outside India			
8.	Estimated period of stay outside India			
9.	Passport Number/Emergency Certificate Number details			
	(i)	Passport/Emergency certificate number		
	(ii)	Date of Issue	*dd/mm/yyyy*	
	(iii)	Country where issued		
	(iv)	Place where issued		

Verification

I, _____, do hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

***Delete whichever is not applicable**

Date:

Place:

_____

(Signature of Applicant)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 157
[*See* rule 228]

Form for furnishing the certificate under section 420(4)

To

_____

(Designation of the Prescribed Authority)

I give below the necessary particulars as required under section 420(4):

Part A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Name of Father/Husband*		*(Refer Note 1)*	
3.	Permanent Account Number (if applicable)			
4.	Address		*(Refer Note 2)*	
5.	Contact details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
6.	Nature of Business/Profession in India			
7.	Purpose of visit outside India			
8.	Estimated period of stay outside India			
9.	Passport Number/Emergency Certificate Number details			
	(i)	Passport/Emergency certificate number		
	(ii)	Date of Issue	*dd/mm/yyyy*	
	(iii)	Country where issued		
	(iv)	Place where issued		

I hereby certify that:

(a) *No permanent account number has been allotted to me under the provisions of section 262 or under provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal);

or

(b) *My total income computed in accordance with the provisions of the Act is not chargeable to tax;

or

(c) *I am not required to obtain a permanent account number under the provisions of the Act or under provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal);

Verification

I,_____, do hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

***Delete whichever is not applicable.**

Place:

Date: _____

(**Signature of the person giving the certificate)**

Name: _____
Designation: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 158
[*See* rule 228]

Application for Certificate under section 420(5)

To

The Assessing Officer,

_____

Sir/Madam,

I request that Tax Clearance Certificate be granted to me. I hereby apply for a Tax clearance Certificate in view of my departure from India as required under section 420(5) for which the details required are given as under:

1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Name of Father/Husband*		*(Refer Note 1)*	
3.	Permanent Account Number (if available)			
4.	Domicile			
5.	Nationality			
6.	Present Address		*(Refer Note 2)*	
7.	Permanent Address		*(Refer Note 2)*	
8.	Contact details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
9.	Nature of Business/Profession in India			
10.	Address of all the places of Business/Profession in India		*(Refer Note 2)*	
			(Repeat, if required)	
11.	Details of previous visits outside India:			
	(i)	Date of arrival in India	dd/mm/yyyy	
			(Repeat, if required)	
	(ii)	Period of stay outside India		
	(Repeat, if required)			
12.	Purpose of visit outside India			
13.	Departure Details			
	(i)	Date of departure	dd/mm/yyyy	
	(ii)	Details of flight/ship/road journey by which travel is being undertaken		
14.	(i)	Whether exemption is claimed under any section of the Act? ***(Select One)***	(i) Yes (ii) No	
	(ii)	If the answer to row 14(i) is yes, then provide section of the		

		Act	
15.	Destination of journey		
16.	Date of Intended Return		*dd/mm/yyyy*
17.	Passport Number/Emergency Certificate Number details		
	(i)	Passport/Emergency certificate number	
	(ii)	Date of Issue	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Country where issued	
	(iv)	Place where issued	

Verification

I, hereby declare that I have no liability under the Act or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal) or the Expenditure-tax Act, 1987 (35 of 1987) or the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), or that satisfactory arrangements have been made for the payment of all or any of such taxes which are or may become payable by me.

Further, the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact.

***Delete whichever is not applicable.**

Place:

Date:

_____

(**Signature)**

Name: _____
Designation: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 159

[*See* rule 228]

Clearance Certificate under section 420(5)

DIN Number:……..

GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that the below mentioned applicant has —

*(a) no liabilities outstanding;

*(b) made satisfactory arrangements for the payment of taxes which are or may become payable under the Act, or Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or under Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015) or under Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), or under the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal) or under Expenditure-tax Act, 1987 (35 of 1987).

This certificate is valid for a journey or journeys to be commenced on or after _____and before _____

Part-A: Information of the person leaving India

1.	Name		*(Refer Note 1)*
2.	Name of Father/Husband*		*(Refer Note 1)*
3.	Permanent Account Number (if applicable)		
4.	Passport Number/Emergency Certificate Number details		
	(i)	Passport /Emergency certificate number	
	(ii)	Date of Issue	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Country where issued	
	(iv)	Place where issued	

***Delete whichever is not applicable.**

Place:

Date:

(Seal)

_____

(**Assessing Officer**)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 160
[*See* rule 230]

Application by a person under section 434 for refund of tax deducted

To

The Assessing Officer,

_____

This application is filed to seek refund of the tax deducted and paid to the credit of Central Government, the particulars of which are as under:

Part-A: Details of the Applicant			
1.	Name	*(Refer Note 1)*	
2.	Address	*(Refer Note 2)*	
3.	Status	*(Refer Note 3)*	
4.	Name of Father/Husband*	*(Refer Note 1)*	
5.	Residential status ***(Select One)***	*(vii) Resident* *(viii) Resident but not ordinarily resident* *(ix) Non-resident*	
6.	Permanent Account Number		
7.	Contact details		
	Mobile Number	Country Code	Number
	Email ID		
Part-B: Detail of the Deductee			
8.	Name	*(Refer Note 1)*	
9.	Status	*(Refer Note 3)*	
10.	Permanent Account Number (if available)		
11.	Tax Identification Number (TIN), if any	*(Refer Note 4)*	
12.	Contact Details		
	Mobile Number	Country Code	Number
	Email ID		
13.	Country of which the deductee was a resident in the relevant tax Year		
Part-C: Details of agreement or other arrangement			
14.	Date of signing the agreement or other arrangement	*dd/mm/yyyy*	
15.	Date on which the agreement or other arrangement came into effect	*dd/mm/yyyy*	
16.	Time Period for which the agreement or other arrangement		

	is effective		
17.	Proof of Agreement		*(Refer Note 5)*
Part-D: Details of transaction on which tax not deductible has been deducted			
18.	Amount of transaction		
19.	Date of transaction		*dd/mm/yyyy*
20.	Date of payment made		*dd/mm/yyyy*
21.	(i)	Mode of payment	
	(ii)	Attach proof of payment of row 21(i)	*(Refer Note 5)*
22.	Nature of transaction		
Part-E: Details of tax deducted on transaction specified in Part D above			
23.	Amount of tax deducted		
24.	Date of tax deduction		*dd/mm/yyyy*
25.	Date on which the tax deducted was deposited in Government Account		*dd/mm/yyyy*
26.	Details of challan		

S No	BSR Code	Date of deposit in Government Account	Serial number of challan.	Amount

27.	Please explain why no tax was required to be deducted on the income in the relevant transaction		
28.	(A)	Please state whether tax deducted on similar transaction has been refunded in 3 years prior to the relevant tax year? ***(Select One)***	*(i) Yes* *(ii) No*
	(B)	If the answer to row 28(A) is yes, then provide following:	
	(i)	Tax year	
	(ii)	Date of transaction	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	Amount of tax deducted	
	(iv)	Amount of tax refunded	
	(v)	Date of order of Commissioner (Appeals) or the Assessing Officer, as the case may be	*dd/mm/yyyy*
	(vi)	Attach copy of Order mentioned in row 28(B)(v)	*(Refer Note 5)*
29.	Please specify other relevant details (if any)		*(Refer Note 5)*

Verification

I, _____ [*name in full and in block letters*] *son/daughter/spouse of _____ having PAN_____ of _____ [*name of the entity*], do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated. I declare that no tax was required to be deducted on the income referred to in this form. I further declare that what is stated in this application is correct. I also declare that I am making this application in my capacity as_____ [*designation*] and I am also competent to make this application and verify it.

***Delete whichever is not applicable**

Place:

Date: _____

(**Signature)**

Name: _____
Designation: _____
Address: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Fill status as:
   (i) Individual
   (ii) Hindu undivided family
   (iii) Company
   (iv) Firm
   (v) Association of persons, whether incorporated or not
   (vi) Body of individuals, whether incorporated or not
   (vii) Local Authority
   (viii) Artificial Juridical Person
   (ix) Government
   (x) Trust
   (xi) Limited Liability Partnership
4. Tax registration number or Tax Identification Number/Functional equivalent or any unique number used for identification of the non-resident by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident.
5. Attach following documents as mentioned in row 17, 21, 28 and 29 below:

Sl No.	Annexure	Remarks
1.	A-1	Proof of Agreement in row 17.
2.	A-2	Proof of payment in row 21(ii).
3.	A-3	Attach copy of Order in row 28(vi)
4.	A-4	Any other details in row 29.

6. Amount to be filled in ₹ unless otherwise provided.
7. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 161
[*See* rule 231]

Form of application under section 440(2)

Part A: Personal Information					
1.	Name			*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number				
3.	Father's/Husband's name			*(Refer Note 1)*	
4.	Address			*(Refer Note 2)*	
5.	Contact details				
	(i)	Mobile Number		Country Code	Number
	(ii)	Email ID			
Part B: Details of orders and payments					
6.	Tax Year				
7.	Section under which assessment/reassessment*order is passed				
8.	Date of the assessment/reassessment*order			*dd/mm/yyyy*	
9.	Date of service of the assessment/reassessment*order			*dd/mm/yyyy*	
10.	Amount of income assessed as per the assessment/reassessment* order				
11.	Tax and interest payable as per notice of demand				
12.	Due date for payment as per notice of demand			*dd/mm/yyyy*	
13.	Details of amounts paid				
	(A)	(i)	BSR Code		
		(ii)	Date of Deposit	*dd/mm/yyyy*	
		(iii)	Serial Number of Challan		
		(iv)	Amount		
	(B)	(repeat as required)			

Verification

I, _____, PAN_____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. I further declare that no appeal has been filed in respect of the order mentioned in Part-B above. I also undertake that no appeal shall be filed in respect of the said order before the expiry of the period specified in section 440(5). I further declare that I am making this application in my capacity as _____ and I am also competent to file this application and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place

Date

Signature,

Name

Designation (if applicable)

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. *Strike off whichever is not applicable.
5. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.

FORM NO. 162
[*See* rule 234]
Annual Statement under section 505

Part A: Particulars pertaining to non-resident person having liaison office in India				
1.	Name:		*(refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number (PAN):			
3.	Tax Identification Number (TIN), if any, in the country of incorporation or residence:			
4.	Details of head office:			
	(i)	Address:	*(refer Note 2)*	
	(ii)	Country of residence:		
	(iii)	E-mail Id:		
	(iv)	Contact Number:	Country Code	Number
5.	Details of principal office in India:			
	(i)	Address:	*(refer Note 2)*	
	(ii)	E-mail Id:		
	(iii)	Contact Number:	Country Code	Number
6.	Date of submitting Annual Activity Certificate for the tax year to the Reserve Bank of India:			
7.	Details of the Chartered Accountant signing the Annual Activity Certificate as prescribed by the Reserve Bank of India:			
	(i)	Name:	*(refer Note 1)*	
	(ii)	Address:	*(refer Note 2)*	
	(iii)	PAN:		
	(iv)	Unique Document Identification Number (UDIN):		
	(v)	Membership Number:		
	(vi)	Name of the Firm/ Proprietorship:		
	(vii)	Firm Registration Number:		
	(viii)	E-mail Id:		
	(ix)	Contact Number:	Country Code	Number
8.	Tax Year for which the Statement is being submitted:			

Part B: Other Information							
9.	Details of officer in charge for each office of the non-resident person in India:						
	Sl. No.	Name	Designation	E-mail Id	Contact number	Address of office	
	1.						
	2.	*(Repeat, if required)*					
10.	Details of any salary or compensation of any sort payable outside India to any employee working in India or for services rendered in India:						
	Sl. No.	Name of employee	PAN (if allotted)	E-mail Id	Contact number	Address of employee in India, if any	Amount of salary or compensation
	1.						
	2.	*(Repeat, if required)*					
11.	Details of agents or representatives or distributors of the non-resident person in India:						
	Sl. No.	Name of agent or representative or distributor	PAN	E-mail Id	Contact number	Address	
	1.						

	2.	*(Repeat, if required)*					

12. Details of Liaison Office of the non-resident person (*data in Sl. No.* 13 *to Sl. No. 23. to be furnished Liaison Office wise, multiple sets can be filled based on the number of Liaison Office*):

13.	Date of the Reserve Bank of India approval for Liaison Office opening:	
14.	Liaison Office Registration Number granted by the Reserve Bank of India:	
15.	Date of opening of Liaison Office in India:	

16. Address of Liaison Office in India:

E-mail Id	Contact number	Address

17.	Nature of activities undertaken by Liaison Office:	

18. Details of products or services for which liaisoning activity is done by the Liaison Office:

Sl. No.	Liaisoning activity is done for products or services	Description of products or services
1.		
2.	*(Repeat, if required)*	

19. Whether there are other group entity or entities operating from the same premises as the office of the Liaison Office? If Yes, provide the following details in respect of such entity or entities: Yes/No

Sl. No.	Name of the entity	PAN of the entity	E-mail Id	Contact number	Address of the entity	Nature of activity undertaken by the entity
1.						
2.	*(Repeat, if required)*					

20. Does the Liaison Office perform liaisoning activity for any other entity or entities? If Yes, provide the following details in respect of such entity or entities: Yes/No

Sl. No.	Name of the entity	PAN of the entity	E-mail Id	Contact number	Address of the entity
1.					
2.	*(Repeat, if required)*				

21. Details of the top five parties in India with whom the Liaison Office has been doing the liaisoning:

Sl. No.	Name of the party	PAN of the party	E-mail Id	Contact number	Address of the party
1.					
2.	*(Repeat, if required)*				

22.	Total number of employees working in the Liaison Office during the year:	

23. Details of employees working in the Liaison Office drawing salary or compensation of ₹ 50,000 or above per month:

Sl. No.	Name of the employee	PAN (if allotted)	E-mail Id	Contact number	Designation	Amount of salary or compensation	Address of sitting location
1.							
2.	*(Repeat, if required)*						

24. India specific financial details for the financial year i.e., receipts and expenses of the non-resident person from or in India (not limited to the Liaison Office(s)):

(i) In respect of the Liaison Office(s):

Sl. No.	Liaison Office Registration Number	Receipts	Expenses
1.			
2.	*(Repeat, if required)*		

(ii) In respect of the non-resident person, including of Liaison Office(s) mentioned above:

		Sl. No.		Receipts			Expenses attributable to receipts from India		
		1.							
		2.		*(Repeat, if required)*					
25.	Details of all purchases, sales of material, and services from/to Indian parties during the year by the non- resident person (not limited to transactions made by Liaison Office (s)):								
	(i)	In respect of the Liaison Office(s):							
		Sl. No.	Nature of transaction	Name of the Indian party with whom transaction is done	PAN of the Indian party	E-mail Id	Contact number	Address of the Indian party	Amount of transaction
		1.							
		2.	*(Repeat, if required)*						
	(ii)	In respect of the non-resident person, including of Liaison Office(s) mentioned above:							
		Sl. No.	Nature of transaction	Name of the Indian party with whom transaction is done	PAN of the Indian party	E-mail Id	Contact number	Address of the Indian party	Amount of transaction
		1.							
		2.	*(Repeat, if required)*						
26.	Whether there is any group entity or entities (including Indian entity/entities of the group or permanent establishment of foreign entity or entities of the group in India) present in India as Branch Office or Companies or Limited Liability Partnerships etc.? If Yes, provide the following details:							Yes/No	
	Sl. No.	Name of the entity	PAN of the entity	E-mail Id	Contact number	Address of the entity		Nature of business activities	
	1.								
	2.	*(Repeat, if required)*							
27.	Whether there are other Liaison Offices of the group entities in India? If Yes, provide the following details:							Yes/No	
	Sl. No.	Name of the entity having the Liaison Office(s)	PAN of the entity	E-mail Id	Contact number	Address of the entity		Nature of activities undertaken by the Liaison Office(s)	
	1.								
	2.	*(Repeat, if required)*							

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/ district, state, country and pin code.
3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
4. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 163

[*See* rule 235]

Information and Documents to be furnished by an Indian concern under section 506

Part A: Particulars of the Indian concern			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Status:	*(refer Note 3)*	
4.	Residential Status:	*(refer Note 4)*	
5.	Permanent Account Number (PAN):		
6.	E-mail Id:		
7.	Contact Number:	Country Code	Number

Part B: Other Information				
8.	Tax Year:			
9.	Whether the Indian concern has been designated to provide information on behalf of the group? If Yes, provide the following details:			
	(i)	details of all the Indian concerns which are constituent of the group:		
		(a)	Name:	
		(b)	Address:	
		(c)	PAN:	
		(d)	Aadhaar:	
	(ii)	if the information is being furnished on behalf of any Indian concern(s) details of such concern(s):		
		(a)	Name:	
		(b)	Address:	
		(c)	PAN:	
		(d)	Aadhaar:	
10.	Details of the holding entities:			
	(i)	Immediate holding entity:		
		(a)	Name:	
		(b)	Country/ region of incorporation:	
		(c)	Country/ region of which it is tax resident:	
		(d)	Tax Identification Number (TIN), in the country/ region of residence:	
	(ii)	Intermediate holding entity:		

		(a)	Name:	
		(b)	Country/ region of incorporation:	
		(c)	Country/ region of which it is tax resident:	
		(d)	TIN in the country/ region of residence:	
	(iii)	Ultimate holding entity:		
		(a)	Name:	
		(b)	Country/ region of incorporation:	
		(c)	Country/ region of which it is tax resident:	
		(d)	TIN in the country/ region of residence:	

11.	Details of the company(ies) or entity(ies) that derive its value substantially from assets (whether tangible or intangible) located in India, which are held in, or through, the Indian concern;				
	Sl. No.	Name	Country/region of incorporation	Country/ region of which it is tax resident:	TIN in the country/ region of residence:
	1.				
	2.	*(Repeat, if required)*			

Part C: Information to be filled for reporting the information in respect of transfer of share/interest of the concern(s) or entity(ies) referred to in Part B (Sl. No. 11) the income from which is deemed to accrue or arise in India under the provisions of section 9(10)(a)

12.	Name of the company or entity:				
13.	Details of the transaction(s):				
	(i)	Nature of transaction:			
	(ii)	Name of the transferor:			
	(iii)	Address of the transferor:			
	(iv)	PAN of the transferor:			
	(v)	Country/ region of tax residency:			
	(vi)	TAN of transferor:			
	(vii)	Name of transferee:			
	(viii)	Address of transferee:			
	(ix)	PAN of transferee:			
	(x)	TAN of transferee:			
	(xi)	Other details:			
		Date of transfer	Total sale consideration	Date of acquisition	Cost of acquisition
14.	Percentage share/interest transferred including holding percentage of transferor during the period of 12 months preceding the transfer:				

15.	Value of total assets of the company or the entity			
16.	Value and breakup of assets of the Indian concern:			
	Sl. No.	Name of the asset	Value of the asset at beginning of the year	Value of the asset at the end of the year
	1.			
	2.	*(Repeat, if required)*		
17.	Other details to be provided as separate enclosure:			*(attach as per Note 6)*
18.	Whether any transaction in respect of share of, or interest in, any company or entity referred to in Part B (Sl. No. 11) has the effect of transferring the right of management or control over the Indian concern? If Yes, provide information as per Part D.			Yes/No
Part D: Information to be filled in to report the transaction respect of transfer of share/interest during the tax year resulting in transfer of right of management or control)				
19.	Name of the company or entity:			
20.	PAN of the company or entity:			
21.	Details of the transaction(s):			
	(i)	Total consideration of the transaction(s):		
	(ii)	Nature of transaction:		
	(iii)	Name of the transferor:		
	(iv)	Address of the transferor:		
	(v)	PAN of the transferor:		
	(vi)	Name of transferee:		
	(vii)	Address of transferee:		
	(viii)	PAN of transferee:		
22.	Percentage share/interest transferred including percentage holding of transferor during the period of 12 months preceding the transfer:			
23.	Holding structure in respect of shares of, or interest in, the company or entity before and after the transfer:			
	Sl. No.	Name of the company or entity	% of shareholding before the transfer	% of shareholding after the transfer	Remarks
	1.				
	2.	*(Repeat, if required)*			
24.	Value and breakup of assets of the Indian concern on the specified date as per section 9(10)(a):			
	Sl. No.	Name of the asset	Value of the asset at beginning of the year	Value of the asset on the specified date
	1.			
	2.	*(Repeat, if required)*		

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN_____ _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the person.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill status as below: —

(I)	Company
(II)	Limited Liability Partnership
(III)	Firm
(IV)	Permanent Establishment
(V)	Other, specify

4. Fill residential status as below: —

(I)	Resident
(II)	Non-resident
(III)	Resident but not ordinarily resident

5. Where the region is a specified territory, the same is to be stated.
6. With respect to Part C (Sl. No. 17), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Basis of valuation of assets in Part C (Sl. No. 15 and 16) and Part D (Sl. No. 24).
A-2	Details of supporting documents in respect of A-1.
A-3	Financial and accounting statements of the company or the entity.
A-4	Basis of determining the location of share or interest being transferred.

7. This form is to be applied to the Assessing Officer.
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 164

[*See* rule 236]

Statement to be furnished under section 507 by a person carrying on production of a cinematograph film or engaged in specified activity or both

Row No.	PART A: Particulars of the producer of a cinematograph film / person engaged in specified activity		
1.	Name	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Email id		
5.	Contact number	Country Code	Number
6.	Tax Deduction and Collection Account Number		
7.	Residential Status		
8.	Tax year for which statement is being furnished		
9.	Number of cinematograph films / specified activity undertaken during the tax year	Cinematograph films produced	
		Specified activity undertaken	

PART B: Details of each cinematograph film produced or specified activity undertaken during the tax year (In case of production of multiple cinematograph films or engagement in multiple specified activities during the year, provide details in Part-B and Part-C for each film/specified activity separately)		
1.	Name of the film or specified activity	
2.	Nature of the film *(select anyone)*	• Celluloid film • Other than celluloid film
3.	Nature of specified activity *(select anyone)*	• Event management • Sports event management • Documentary production • Production of programmes for telecasting on television or over the top platforms or any other similar platform • Other performing arts • Any other notified activity (please specify)
4.	Date of starting of production of cinematograph film or commencement of specified activity	*dd/mm/yyyy*
5.	Whether the cinematograph film or specified activity was completed in the tax year	*Yes/No*
6.	If yes, date of completion of production of cinematograph film or specified activity	*dd/mm/yyyy*

PART C: Details of payments of over Rs. 50,000 in the aggregate made by the person carrying on production of cinematograph film or engaged in specified activity, or due from him to each person engaged in the production of the cinematograph film or specified activity:			
1.	Name of the person to whom amount has been paid/credited		
2.	Permanent Account Number		
3.	Name of the film or specified activity to which the payment relates		
4.	Nature of expenditure		
5.	Amount paid/credited		
	(a)	paid in cash	
	(b)	paid other than cash	

	(c)	amount due	
	(d)	total	
6.	If tax deducted at source, then provide:		
	(a)	amount of tax deducted	
	(b)	section under which tax is deducted/ deductible	
7.	(repeat 1 to 6, if required)		

DECLARATION

I ……. (name of the authorized signatory) having Permanent Account Number …… in my capacity as …….. (designation) of …..….. (name of the assessee) do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place: ……..… Signature of the Authorised Signatory

Date: ……… Name:

Designation:

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain Country/Region, ii. Flat/Door/Block number iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, v. Post Office, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 165

[*See* rule 237]

Statement of Specified Financial Transactions under section 508(1)

PART A: STATEMENT DETAILS

(This information should be provided for each Statement submitted together)

A.1	**REPORTING ENTITY DETAILS**	
A.1.1	Reporting Entity Name	
A.1.2	Income-Tax Department Reporting Entity Identification Number	.
A.2	**STATEMENT DETAILS**	
A.2.1	Statement Type	Insert 2 character code
A.2.2	Statement Number	
A.2.3	Original Statement Id	
A.2.4	Reason for Correction	Insert 1 character code
A.2.5	Statement Date	
A.2.6	Reporting Period	
A.2.7	Report Types	Insert 2 character code
A.2.8	Number of Reports	
A.3	**PRINCIPAL OFFICER DETAILS**	
A.3.1	Name	
A.3.2	Designation	
A.3.3	Address	
A.3.4	City / Town	
A.3.5	Postal Code	
A.3.6	State Code	Insert 2 character code
A.3.7	Country Code	Insert 2 character code
A.3.8	Telephone	
A.3.9	Mobile	
A.3.10	Email	

PART B: REPORT DETAILS FOR PERSON BASED REPORTING

B.1	**REPORT NUMBER** (To be provided for each person being reported)	
B.1.1	Report Serial Number	
B.1.2	Original Report Serial Number	
B.2	**PERSON DETAILS FOR** AGGREGATED FINANCIAL TRANSACTIONS	
B.2.1	**For Persons having PAN**	
B.2.1.1	Person Name	
B.2.1.2	Person Type	Insert 2 character code
B.2.1.3	Father's Name (for Individuals)	

B.2.1.4	PAN	
B.2.1.5	Address	
B.2.1.6	Postal Code	
B.2.1.7	State Code	
B.2.1.8	Country Code	
B.2.2	**For Persons having No PAN**	
B.2.2.1	Person Name	
B.2.2.2	Person Type	
B.2.2.3	Father's Name (for Individuals)	
B.2.2.4	Aadhaar Number (for Individuals)	
B.2.2.5	Form 97 Acknowledgement	
B.2.2.6	Identification Type	Insert 1 character code
B.2.2.7	Identification Number	
B.2.2.8	Date of Birth/ Incorporation	
B.2.2.9	Nationality/Country of Incorporation	Insert 2 character code
B.2.2.10	Business or occupation	
B.2.2.11	Address	
B.2.2.12	Address Type	Insert 1 character code
B.2.2.13	City / Town	
B.2.2.14	Postal Code	
B.2.2.15	State Code	Insert 2 character code
B.2.2.16	Country Code	Insert 2 character code
B.2.2.17	Mobile/Telephone Number	
B.2.2.18	Other Contact Number	
B.2.2.19	Email	
B.2.3	Number of persons if Financial Transaction is undertaken in joint name	Insert 2 character code
B.2.3.1	Names of persons engaged in the transaction jointly	(Repeat, if required)
B.2.3.2	PAN of person/ persons engaged in	

	the transaction jointly	(Repeat, if required)
B.3	**FINANCIAL TRANSACTION SUMMARY**	

B.3.1	Product Type	Insert 2 character code
B.3.2	Aggregate gross amount received from the person	
B.3.3	Aggregate gross amount received from the person in cash	
B.3.4	Aggregate gross amount paid to the person	
B.4	**FINANCIAL TRANSACTION DETAILS (To be provided for each distinctive product)**	
B.4.1	Product Identifier	
B.4.2	Last Date of Transaction	
B.4.2	Aggregate gross amount received from the person	
B.4.4	Aggregate gross amount received from the person in cash	
B.4.5	Aggregate gross amount paid to the person	
B.4.6	Whether Time Deposit is created by Auto-sweep?	Insert 1 character code
B.4.7	Parent Account Number related to Time Deposit created by Auto Sweep	

PART C: REPORT DETAILS FOR BANK/POST OFFICE ACCOUNT(ACCOUNT BASED REPORTING)

(This information should be provided for each Account being reported)

C.1	**REPORT NUMBER** (To be provided for each account being reported)	
C.1.1	Report Serial Number	
C.1.2	Original Report Serial Number	
C.2	**ACCOUNT DETAILS**	
C.2.1	Account Type	Insert 2 character code
C.2.2	Account Number	
C.2.3	Account Holder Name	
C.2.4	Account Status	Insert 1 character code
C.2.5	Branch Reference Number	
C.2.6	Branch Name	
C.2.7	Branch Address	
C.2.8	City Town	
C.2.9	Postal Code	

C.2.10	State Code	Insert 2 character code
C.2.11	Country Code	Insert 2 character code
C.2.12	Telephone	
C.2.13	Mobile	
C.2.14	Email	
C.3	**ACCOUNT SUMMARY**	
C.3.1	Aggregate gross amount credited to the account in cash	
C.3.2	Aggregate gross amount debited to the account in cash	
C.4	**PERSON DETAILS (To be provided for each person related to the account)**	

C.4.1	**For Persons having PAN**	
C.4.1.1	Account Relationship	Insert 1 character code
C.4.1.2	Person Name	
C.4.1.3	Person Type	Insert 2 character code
C.4.1.4	Father's Name (for Individuals)	
C.4.1.5	PAN	
C.4.1.6	Address	
C.4.1.7	Postal Code	
C.4.1.8	State Code	
C.4.1.9	Country Code	
C.4.2	**For Persons having No PAN**	
C.4.2.1	Person Name	
C.4.2.2	Person Type	
C.4.2.3	Father's Name (for Individuals)	
C.4.2.4	Aadhaar Number (for Individuals)	
C.4.2.5	Form 97 Acknowledgement	
C.4.2.6	Identification Type	Insert 1 character code
C.4.2.7	Identification Number	
C.4.2.8	Date of Birth/ Incorporation	
C.4.2.9	Nationality/Country of Incorporation	Insert 2 character code
C.4.2.10	Business or Occupation	
C.4.2.11	Address	
C.4.2.12	Address Type	Insert 1 character code
C.4.2.13	City / Town	

C.4.2.14	Postal Code	
C.4.2.15	State Code	Insert 2 character code
C.4.2.16	Country Code	Insert 2 character code
C.4.2.17	Mobile/Telephone Number	
C.4.2.18	Other Contact Number	
C.4.2.19	Email	

PART D: REPORT DETAILS FOR IMMOVABLE PROPERTY TRANSACTIONS/STAMP PAPER BASED REPROTING

(This information should be provided for each Transaction being reported)

D.1	**REPORT NUMBER** (To be provided for each transaction being reported)	
D.1.1	Report Serial Number	
D.1.2	Original Report Serial Number	
D.2	**TRANSACTION DETAILS**	
D.2.1	Transaction Date	
D.2.2	Transaction Identity	
D.2.3	Transaction Type	Insert 1 character code
D.2.4	Transaction Amount	
D.2.5	Cash in Transaction Amount	
D.2.6	Property Type	Insert 1 character code
D.2.7	Whether property is within municipal limits	Insert 1 character code
D.2.8	Property Address	
D.2.9	City / Town	
D.2.10	Postal Code	
D.2.11	State Code	Insert 2 character code
D.2.12	Country Code	Insert 2 character code
D.2.13	Stamp Valuation of Property for determination of Stamp Duty	
D2.14	Value of Stamp paper (applicable for Stock Holding Corporation of India Ltd)	
D.3	**PERSON DETAILS (**(To be provided for each person related to the transaction)	
D.3.1	**For Persons having PAN**	
D.3.1.1	Transaction Relation	Insert 2 character code
D.3.1.2	Transaction Amount related to the person	
D.3.1.3	Person Name	
D.3.1.4	Person Type	Insert 2 character code

D.3.1.5	Father's Name (for Individuals)	
D.3.1.6	PAN	
D.3.1.7	Address	
D.3.1.8	Postal Code	
D.3.1.9	State Code	
D.3.1.10	Country Code	
D.3.2	**For Persons having No PAN**	
D.3.2.1	Person Name	
D.3.2.2	Person Type	
D.3.2.3	Father's Name (for Individuals)	
D.3.2.4	Aadhaar Number (for Individuals)	
D.3.2.5	Form 97 Acknowledgement (not applicable for item D.2.14)	
D.3.2.6	Identification Type	Insert 1 character code
D.3.2.7	Identification Number	
D.3.2.8	Date of Birth/ Incorporation	
D.3.2.9	Nationality/Country of Incorporation	Insert 2 character code
D.3.2.10	Address	
D.3.2.11	City / Town	
D.3.2.12	Postal Code	
D.3.2.13	State Code	Insert 2 character code
D.3.2.14	Country Code	Insert 2 character code
D.3.2.15	Mobile/Telephone Number	
D.3.2.16	Other Contact Number	
D.3..2.17	Email	

Verification

I……. (name of designated director) having Permanent Account Number (PAN)……., in my capacity as designated director of…… hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ……. ……

Signature of the designated director

Date: ……. ……..

Name of the designated director

FORM NO. 166

[*See* rule 239]

Statement of Reportable Account under section 508(1)

PART A: STATEMENT DETAILS

(This information should be provided for each Statement of Reports submitted together)

A.1 REPORTING ENTITY DETAILS		
A.1.1	Reporting Entity Name	
A.1.2	Income-tax Department Reporting Entity Identification Number	
A.1.3	Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
A.1.3	Registration Number	
A.1.5	Reporting Entity Category	Insert 2 character code
A.2 STATEMENT DETAILS		
A.2.1	Statement Type	Insert 2 character code
A.2.2	Statement Number	
A.2.3	Original Statement id	
A.2.4	Reason for Correction	Insert 1 character code
A.2.5	Statement Date	
A.2.6	Reporting Period	
A.2.7	Report Types	Insert 2 character codes
A.2.8	Number of Reports	
A.3 PRINCIPAL OFFICER DETAILS		
A.3.1	Name	
A.3.2	Designation	
A.3.3	Address	
A.3.4	City / Town	
A.3.5	Postal Code	
A.3.6	State Code	Insert 2 character codes
A.3.7	Country Code	Insert 2 character codes
A.3.8	Telephone	
A.3.9	Mobile	
A.3.10	Fax	
A.3.11	Email	

PART B: REPORT DETAILS

(This information should be provided for each account being reported)

B.1 ACCOUNT DETAILS (To be provided for each person being reported)		
B.1.1	Report Serial Number	

B.1.2	Original Report Serial Number	
B.1.3	Account Type	
B.1.4	Account Number	
B.1.5	Account Category	
B.1.6	Account Number Type	Insert 1 character code
B.1.7	Account Holder Name	
B.1.8	Account Status	Insert 1 character code
B.1.9	Account Treatment	Insert 1 character code
B.1.10	Equity Interest Type	Insert 2 character code
B.1.11	Self- certification	Insert 1 character code
B.1.12	Documentation Status	Insert 1 character code
B.1.13	Joint Account	Insert 1 character code
B.1.14	Number of Joint Account Holders	
B.1.15	Date of closure of account, if closed during the year	
B.1.16	Currency in which account is maintained	
B.2 BRANCH DETAILS		
B.2.1	Branch Number Type	Insert 1 character code
B.2.2	Branch Reference Number	
B.2.3	Branch Name	
B.2.4	Branch Address	
B.2.5	City Town	
B.2.6	Postal Code	
B.2.7	State Code	Insert 2 character code
B.2.8	Country Code	Insert 2 character code
B.2.9	Telephone	
B.2.10	Mobile	
B.2.11	Fax	
B.2.12	Email	
B.3 ACCOUNT SUMMARY		
B.3.1	Account balance or value at the end of reporting period	
B.3.2	Aggregate gross interest paid or credited	
B.3.3	Aggregate gross dividend paid or credited	
B.3.4	Gross proceeds from sale of property	
B.3.5	Aggregate gross amount of all other income paid or credited	
B.3.6	Aggregate gross amount credited	
B.3.7	Aggregate gross amount debited	

B.4 INDIVIDUAL DETAILS (To be provided for individual account holder)		
B.4.1	Name	
B.4.2	Customer ID	
B.4.3	Father's Name	
B.4.4	Spouse's Name	
B.4.5	Gender	Insert 1 character code (Refer Instructions)
B.4.6	PAN	
B.4.7	Aadhaar Number	
B.4.8	Identification Type	Insert 1 character code
B.4.9	Identification Number	
B.4.10	Occupation Type	
B.4.11	Occupation	
B.4.12	Birth Date	
B.4.13	Nationality	Insert 2 character code
B.4.14	Country of Residence as per tax laws	Insert 2 character code
B.4.15	Place of Birth	
B.4.16	Country of Birth	Insert 2 character code
B.4.17	Tax Identification Number (TIN) allotted by tax resident country	
B.4.18	TIN Issuing Country	Insert 2 character code
B.4.19	Address Type	Insert 2 character code
B.4.20	Address	
B.4.21	City / Town	
B.4.22	Postal Code	
B.4.23	State Code	Insert 2 character code
B.4.24	Country Code	Insert 2 character code
B.4.25	Mobile/Telephone Number	
B.4.26	Other Contact Number	
B.4.27	Remarks	
B.5 LEGAL ENTITY DETAILS (To be provided for entity account holder)		
B.5.1	Name of the Entity	
B.5.2	Customer ID	
B.5.3	Account Holder Type for US Reportable Person	Insert 2 character code
B.5.4	Account Holder Type for Other Reportable Person	Insert 2 character code
B.5.5	Entity Constitution Type	Insert 1 character code
B.5.6	Date of Incorporation	
B.5.7	Nature of Business	
B.5.8	PAN	
B.5.9	Identification Type	Insert 1 character code
B.5.10	Identification No.	
B.5.11	Identification issuing Country	Insert 2 character code

B.5.12	Place of Incorporation	
B.5.13	Country of Incorporation	Insert 2 character code
B.5.14	Country of Residence as per tax laws	Insert 2 character code
B.5.15	Tax Identification Number (TIN) allotted by tax resident country	
B.5.16	TIN Issuing Country	
B.5.17	Address Type	Insert 1 character code
B.5.18	Address	
B.5.19	City / Town	
B.5.20	Postal Code	
B.5.21	State Code	Insert 2 character code
B.5.22	Country Code	Insert 2 character code
B.5.23	Mobile/Telephone Number	
B.5.24	Other Contact Number	
B.5.25	Remarks	
B.6 CONTROLLING PERSON DETAILS (To be provided for each controlling person of the entity)		
B.6.1	Controlling Person Type	Insert 3 character code
B.6.2	Name	
B.6.3	Customer ID	
B.6.4	Father's Name	
B.6.5	Spouse's Name	
B.6.6	Gender	Insert 1 character code
B.6.7	PAN	
B.6.8	Aadhaar Number	
B.6.9	Identification Type	Insert 1 character code
B.6.10	Identification Number	
B. 6.11	Self- certification	Insert 1 character code
B.6.12	Occupation Type	Insert 1 character code
B.6.13	Occupation	
B.6.14	Birth Date	
B.6.15	Nationality	Insert 2 character code
B.6.16	Country of Residence as per tax laws	Insert 2 character code
B.6.17	Place of Birth	
B.6.18	Country of Birth	Insert 2 character code
B.6.19	Tax Identification Number (TIN) allotted by tax resident country	
B.6.20	TIN Issuing Country	Insert 2 character code
B.6.21	Address	
B.6.22	City / Town	
B.6.23	Postal Code	
B.6.24	State Code	Insert 2 character code
B.6.25	Country Code	Insert 2 character code

B.6.26	Mobile/Telephone Number	
B.6.27	Other Contact Number	
B.6.28	Remarks”	

FORM NO. 167

[*See* rule 243]

Statement to furnish information on transaction of crypt-asset under section 509

Part A: Statement Details

(This information should be provided for each Statement of Reports submitted together)

A.1	**Reporting crypto-asset service provider (RCASP) details**	
A.1.1	Type of RCASP *(select any one)*	• LE – In case of an Entity • IN - In case of an Individual
A.1.2	RCASP name	*(refer Note 1)*
A.1.3	(a) RCASP address	*(refer Note 2)*
	(b) Legal character of the address *(select any one)*	• 301- Residential Or Business • 302 - Residential • 303 - Business • 304 - Registered Office • 305 - Unspecified
A.1.4	Country of Residence as per Tax Laws	*(drop down)*
A.1.5	Mobile number	
A.1.6	Telephone number	
A.1.7	Email id	
A.1.8	Date of incorporation/birth	*YYYY-MM-DD*
A.1.9	Birth place	*(refer Note 3)*
A.1.10	Nationality	*(drop down)*
A.1.11	ITDREIN	
A.1.12	(a) TIN	*(refer Note 4)*
	(b) TIN issuing country	*(drop down)*
	(c) Reason for non-availability of TIN *(select anyone)*	• N - Because one was not issued by the reportable jurisdiction. • D - Because the domestic law of the reportable jurisdiction does not require the collection of the TIN.
A.1.13	(a) Any other identification/registration number *(only to be provided where RCASP is an entity)*	*(refer Note 5)*
	(b) Identification issuing country	*(drop down)*
	(c) Identification type	• LEI - legal entity identifier; • EIN - entity identification number; • BRN - business registration number; • OTH - any other Type of identification such as Company Identification Number, US GIIN, Passport, Voter ID, Driving Licence, Social Security Number etc.
	(d) If answer to (c) above is "OTH", please provide identification type	

A.1.14	Reporting obligation nexus	• 901 – Tax Resident of India • 902 – Incorporation under the laws of India • 903 – Management in India • 904 – Place of Business in India • 905 – Branch in India
A.1.15	(a) If there is nexus with any partner jurisdiction	*(Yes/No)* *(refer Note 6)*
	If answer to (a) above is yes, please provide following details	
	(b) Resident country code (of partner jurisdiction)	*(drop down)*
	(c) Type of nexus with any partner jurisdiction	• 901 – Tax Resident of partner jurisdiction • 902 – Incorporation under the laws of partner jurisdiction • 903 – Management in partner jurisdiction • 904 – Place of Business in partner jurisdiction • 905 – Branch in partner jurisdiction
A.2	**Statement details**	
A.2.1	Statement type (select anyone)	• NB – New Statement containing new information • CB – Correction Statement containing corrections for previously submitted information • DB – Deletion statement containing deletion of previously submitted information • ND - No Data to report
A.2.2	Statement number	*(refer Note 7)*
A.2.3	Original statement id	*(refer Note 8)*
A.2.4	(a) Reason for correction	• A - Acknowledgement of original Statement had errors which are being resolved • B - Errors in original Statement are being corrected suo-motu • C - The correction report is on account of additional information being submitted • N - Not applicable as this is a new statement/ there is no data to report • Z - Other reason
	(b) if answer to (a) above is "Z", please provide reasons for correction	
A.2.5	Statement date	
A.2.6	Reporting period	*(refer Note 9)*
A.2.7	Number of reports *(Number of reports in Part B)*	
A.3	**Principal officer details**	
A.3.1	Principal officer name	*(refer Note 1)*
A.3.2	Principal officer designation	
A.3.3	Principal officer address	*(refer Note 2)*
A.3.4	Mobile number	
A.3.5	Telephone number	
A.3.6	Email id	

Part B : Report Details

(This information should be provided for each reportable user/reportable person)

B.1	**Crypto-asset user details**	
B.1.1	Type of crypto-asset user	• LE: In case of an entity • IN: In case of an individual
B.2	**Individual crypto-asset user details**	
B.2.1	Sub-type of user	• N: New User • P: Pre-existing User
B.2.2	Unique user id allotted by RCASP	
B.2.3	Name	*(refer Note 1)*
B.2.4	Father's name	*(refer Note 1)*
B.2.5	Gender	• M – Male • F – Female • O - Others
B.2.6	(a) TIN	*(refer Note 4)*
	(b) TIN issuing country	*(drop down)*
	(c) Reason for non-availability of TIN	• N - Because one was not issued by the reportable jurisdiction. • D - Because the domestic law of the reportable jurisdiction does not require the collection of the TIN.
B.2.7	Permanent Account Number, if available	
B.2.8	Aadhaar number, if available	
B.2.9	(a) Occupation type	• S – Salaried • B – Business • ST – Student • N – Not Occupied • D – Dependent • O – Others
	(b) If answer to (a) above is "O", please provide occupation type	
B.2.10	Country of residence as per tax laws	(drop down)
B.2.11	(a) Address	(refer Note 2)
	(b) Legal character of the address *(select anyone)*	• 301- Residential Or Business • 302 - Residential • 303 - Business • 304 - Registered Office • 305 - Unspecified
	(repeat details in row B.2.10 and B.2.11, if crypto-asset user is tax resident of more than one country or territory outside India)	
B.2.12	Date of birth	*YYYY-MM-DD*
B.2.13	Birth place	*(refer Note 3)*
B.2.14	Nationality	*(drop down)*
B.2.15	Mobile number	

B.2.16	Telephone number	
B.2.17	Email	
B.2.18	Self-certification	• Y : Yes • N : No
B.3	**Entity crypto-asset user details**	
B.3.1	Sub-type of user	• N: New User • P: Pre-existing User
B.3.2	Unique user id allotted by RCASP	
B.3.3	Name	*(refer Note 1)*
B.3.4	(a) Entity constitution type	• A - Sole Proprietorship • B - Partnership Firm • C – HUF • D - Private Limited Company • E- Public Limited Company • F- Society • G- AOP/BOI • H – Trust • I – Liquidator • J – Limited Liability Partnership • K- Artificial Juridical Person • Z – Others
	(b) If answer to (a) above is "Z", please provide constitution type	
B.3.5	(a) TIN	*(refer Note 4)*
	(b) TIN issuing country	*(drop down)*
	(c) Reason for non-availability of TIN	• N - Because one was not issued by the reportable jurisdiction. • D - Because the domestic law of the reportable jurisdiction does not require the collection of the TIN.
B.3.6	(a) Any other identification/registration number	*(refer Note 5)*
	(b) Identification issuing country	*(drop down)*
	(c) Identification type	• LEI - legal entity identifier; • EIN - entity identification number; • BRN - business registration number; • OTH - any other Type of identification such as Company Identification Number, US GIIN, Passport, Voter ID, Driving Licence, Social Security Number etc.
	(d) If answer to (c) above is "OTH", please provide identification type	
B.3.7	Permanent Account Number, if available	
B.3.8	Country of residence as per tax laws	*(drop down)*
B.3.9	(a) Address	*(refer Note 2)*
	(b) Legal character of the address *(select anyone)*	• 301- Residential Or Business • 302 - Residential • 303 - Business

		• 304 - Registered Office • 305 - Unspecified
	(repeat details in row B.3.8 and B.3.9, if crypto-asset user is tax resident of more than one country or territory outside India)	
B.3.10	Date of incorporation	*YYYY-MM-DD*
B.3.11	Place of incorporation	*(refer Note 10)*
B.3.12	Mobile number	
B.3.13	Telephone number	
B.3.14	Email	
B.3.15	Self-certification	• Y: Yes • N: No
B.4	**Controlling person details (to be provided for each controlling person of the entities)**	
B.4.1	Controlling person type	• 801 – Controlling Person of legal person – ownership • 802 – Controlling Person of legal person – other means • 803 – Controlling Person of legal person – senior managing official • 804 – Controlling Person of legal arrangement – trust – settlor • 805 – Controlling Person of legal arrangement – trust – trustee • 806 – Controlling Person of legal arrangement – trust – protector • 807 – Controlling Person of legal arrangement – trust – beneficiary • 808 – Controlling Person of legal arrangement – trust – other • 809 – Controlling Person of legal arrangement – other – settlor-equivalent • 810 – Controlling Person of legal arrangement – other – trustee-equivalent • 811 – Controlling Person of legal arrangement – other – protector-equivalent • 812 – Controlling Person of legal arrangement – other – beneficiary-equivalent • 813 – Controlling Person of legal arrangement – other – other-equivalent
B.4.2	Name	*(refer Note 1)*
B.4.3	Father's name	*(refer Note 1)*
B.4.4	Gender	• M – Male • F – Female • O - Others
B.4.5	(a) TIN	*(refer Note 4)*
	(b) TIN issuing country	*(drop down)*
	(c) Reason for non-availability of TIN	• N - Because one was not issued by the reporta-

		ble jurisdiction. • D - Because the domestic law of the reportable jurisdiction does not require the collection of the TIN.
B.4.6	Permanent Account Number, if available	
B.4.7	Aadhaar number, if available	
B.4.8	(a) Occupation type	• S – Salaried • B – Business • ST – Student • N – Not Occupied • D – Dependent • O – Others
	(b) If answer to (a) above is "O", please provide occupation type	
B.4.9	Country of residence as per tax laws	*(drop down)*
B.4.10	(a) Address	*(refer Note 2)*
	(b) Legal character of the address *(select anyone)*	• 301- Residential Or Business • 302 - Residential • 303 - Business • 304 - Registered Office • 305 - Unspecified
	(repeat details in row B.4.9 and B.4.10, if crypto-asset user is tax resident of more than one country or territory outside India)	
B.4.11	Date of birth	*YYYY-MM-DD*
B.4.12	Birth place	*(refer Note 3)*
B.4.13	Nationality	*(drop down)*
B.4.14	Mobile number	
B.4.15	Telephone number	
B.4.16	Email	
B.4.17	Self-certification	• Y : Yes • N : No
	(Repeat B.4, if required)	

Part C: Transaction Details

(This information should be provided for each relevant transaction of each relevant crypto-asset)

C.1	**Crypto asset details**	
C.1.1	Name of crypto asset	*(refer Note 11)*
	Digital token identifier	Insert 9 character code
	Other token (to be provided if digital token identifier is not known)	
C.2	**Relevant transaction details**	
C.2.1	Crypto to crypto in	
C.2.1.1	Exchange type *(select anyone)*	• 401 – Staking • 402 – Crypto Loan • 403 – Wrapping • 404 – Collateral
C.2.1.2	Number of transactions	*(refer Note 12)*
C.2.1.3	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.1.4	Currency code	*(drop down)*
C.2.1.5	Number of units	*(refer Note 13)*
C.2.2	Crypto to crypto out	
C.2.2.1	Exchange type *(select anyone)*	• 401 – Staking • 402 – Crypto Loan • 403 – Wrapping • 404 – Collateral
C.2.2.2	Number of transactions	*(refer Note 14)*
C.2.2.3	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.2.4	Currency code	*(drop down)*
C.2.2.5	Number of units	*(refer Note 15)*
C.2.3	Crypto to fiat in	
C.2.3.1	Exchange type *(select anyone)*	• 401 – Staking • 402 – Crypto Loan • 403 – Wrapping • 404 – Collateral
C.2.3.2	Number of transactions	*(refer Note 16)*
C.2.3.3	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.3.4	Currency code	*(drop down)*
C.2.3.5	Number of units	*(refer Note 17)*
C.2.4	Crypto to fiat out	

C.2.4.1	Exchange type *(select anyone)*	• 401 – Staking • 402 – Crypto Loan • 403 – Wrapping • 404 – Collateral
C.2.4.2	Number of transactions	*(refer Note 18)*
C.2.4.3	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.4.4	Currency code	*(drop down)*
C.2.4.5	Number of units	*(refer Note 19)*
C.2.5	Crypto transfer in	
C.2.5.1	Transfer type *(select anyone)*	• 501 – Airdrop • 502 – Staking income • 503 – Mining income • 504 – Crypto loan • 505 – Transfer from another RCASP • 506 – Sale of goods or services • 507 – Collateral • 508 – Other • 509 – Unknown (to be selected as the default value where the Reporting Crypto-Asset Service Provider has no knowledge on the Transfer Type)
C.2.5.2	Number of transactions	*(refer Note 20)*
C.2.5.3	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.5.4	Currency code	*(drop down)*
C.2.5.5	Number of units	*(refer Note 21)*
C.2.5.6	Alternative valuation method *(select anyone)*	• 1001 – Book value • 1002 – Third-party value • 1003 – Recent RCASP valuation • 1004 – Reasonable estimate by RCASP
C.2.6	Crypto transfer out	
C.2.6.1	Transfer type *(select anyone)*	• 601 – Transfer to another RCASP • 602 – Crypto loan • 603 – Purchase of goods or services, to be used in respect of transactions other than those already reported as Reportable Retail Payment Transactions • 604 – Collateral • 605 – Other • 606 – Unknown (to be selected as the default value where the Reporting Crypto-Asset Service Provider has no knowledge on the Transfer Type)
C.2.6.2	Number of transactions	*(refer Note 22)*

C.2.6.3	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.6.4	Currency code	*(drop down)*
C.2.6.5	Number of units	*(refer Note 23)*
C.2.6.6	Alternative valuation method (select anyone)	• 1001 – Book value • 1002 – Third-party value • 1003 – Recent RCASP valuation • 1004 – Reasonable estimate by RCASP
C.2.7	Transfer wallet	
C.2.7.1	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.7.2	Currency code	*(drop down)*
C.2.7.3	Number of units	*(refer Note 24)*
C.2.7.4	Alternative valuation method (select anyone)	• 1001 – Book value • 1002 – Third-party value • 1003 – Recent RCASP valuation • 1004 – Reasonable estimate by RCASP
C.2.8	Reportable retail payment transactions	
C.2.8.1	Number of transactions	*(refer Note 25)*
C.2.8.2	Amount (in Indian Rupees)	
C.2.8.3	Currency code	*(drop down)*
C.2.8.4	Number of units	*(refer Note 26)*

Verification

I……. (name of designated director) having Permanent Account Number (PAN)……., in my capacity as designated director of…….. (name of reporting crypto-asset service provider) hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

……

Place: ……. Signature of the designated director

……..

Date: ……. Name of the designated director

Notes:

1. (a) In case of an Entity, full legal name of the Entity Reporting Crypto-Asset Service Provider (RCASP) should be provided.

(b) In case of an Individual, name of the Individual shall be provided in the following format:

(i) Preceding Title - *such as "His Excellency", "Estate of the late"*

(ii) Title - *such as Mr., Dr., Mrs., Herr etc. (There can be multiple titles)*

(iii) First Name - *First name of the person. (In case if the first name is not available, no first name or NFN may be used here.)*

(iv) Middle Name - *Eg. Shakti in "Nivetha Shakti Shantha" (There can be multiple middle names.)*

(v) Name Prefix - *De, van, van de, von, etc.*

(vi) Last Name - *Can be Given name, Forename, Christian name, Surname, Family name etc.*

(vii)Generation Identifier - *The identifier of generation such as Jnr, Thr, III*

(viii) Suffix- *Could be compressed initials such as: Phd, VC, QC*

(ix) General Suffix - *Deceased, retired etc.*

(x) Name type- *includes nick names ("nick"), names under which a party does business ("dba" a short name for the entity, or a name that is used for public acquaintance instead of the official business name) etc. The possible values of name type are:*

a) N1= SMFAliasOrOther
b) N2= indiv
c) N3= alias
d) N4= nick
e) N5= aka
f) N6= dba
g) N7= legal
h) N8= atbirth

2. The address shall contain the following:

a) Street
b) Building Identifier
c) Suite Identifier
d) Floor Identifier
e) District Name
f) Pob
g) Post Code
h) City
i) State Code *(Two-digit state code has to be mentioned as per Indian Motor Vehicle Act 1988 (59 of 1988). In case the Address is outside India, '**Not in India'** Option may be selected and in the free text field, same may be filled.)*
j) Country Code

3. In case of an individual, the city, city sub-entity, country of birth and former country (in case the person was born in a country that has since ceased to exist) shall also be provided.

4. Tax identification number (TIN) used by the tax administration of the other country or territory of residence should be provided. In case no TIN is available, either the functional equivalent should be provided or the value "**NOTIN**" should be entered.

5. This field should be filled if the TIN field is marked as 'NOTIN'. This shall be filled with other Identification Numbers (INs) available. This should correspond to the Number mentioned in the identification document.

6. This field should be filled if RCASP has an equivalent or stronger nexus in another other country or territory, whereby reporting under the CARF will take place in such jurisdiction

7. (a) Statement number captures the sender's unique identifying number (created by the sender) that identifies the particular statement being sent. Example of the statement number is 2027/01.

(b) After successful submission of the statement to ITD, a new unique Statement ID will be allotted for future reference. The reporting entities should maintain the linkage between the statement number and statement ID.

8. In case the original statement is being replaced by this statement, statement ID of the original Statement which is being replaced deleted or referred by reports in the current Statement should be provided. In case the statement is new and unrelated to any previous statement, mention '0' here.

9. Fill the last day of the reporting period in YYYY-MM-DD format.

10. Place of incorporation of the entity Crypto-Asset User should be provided. The city and country of incorporation must also be provided.

11. (a) The Crypto-Asset name should be reported in line with the Digital Token Identifier, whenever feasible.

(b) Otherwise, Reporting Crypto-Asset Service Providers may rely on any other available, commonly-used naming conventions where such crypto-assets are not available on OECD website.

(c) Where no naming convention is available in respect of a Crypto-Asset, Reporting Crypto-Asset Service Providers may report the name of the Crypto-Asset using free text.

12. The Number of Transactions element shall provide information on the number of transactions involving acquisitions of the Relevant Crypto-Asset against other Relevant Crypto-Assets.

13. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset acquired, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

14. The Number of Transactions element shall provide information on the number of transactions involving disposals of the Relevant Crypto-Asset against other Relevant Crypto-Assets

15. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset disposed, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

16. The Number of Transactions element shall provide information on the number of transactions involving acquisitions of the Relevant Crypto-Asset against Fiat Currency.

17. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset acquired, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

18. The Number of Transactions element shall provide information on the number of transactions involving disposals of the Relevant Crypto-Asset against Fiat Currency.

19. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset disposed, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

20. The Number of Transactions element shall provide information on the number of transactions involving inbound Transfers of the Relevant Crypto-Asset.

21. The Number of Units elements shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset received, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

22. The Number of Transactions element shall provide information on the number of transactions involving outbound Transfers of the Relevant Crypto-Asset.

23. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset transferred, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

24. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset transferred to wallet addresses not known by the Reporting Crypto-Asset Service Provider to be associated with a virtual asset service provider or financial institution. The number of units should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

25. The Number of Transactions element shall provide information on the number of Reportable Retail Payment Transactions involving the Relevant Crypto-Asset.

26. The Number of Units element shall provide the number of units of the Relevant Crypto-Asset subject to the Reportable Retail Payment Transactions, which should be reported up to the sixth decimal place, where relevant.

FORM NO. 168

[*See* rule 245]

Annual Information Statement

Tax Year: ……

Row No.	**Part A: Particulars of the Person**		
1.	Name		
2.	Date of Birth / Incorporation		
3.	Address		
4.	PAN		
5.	Email id		
6.	Contact Number	Country Code	Number

Sl. No.	**Part B: Nature of Information**
1.	Information relating to tax deducted or collected at source
2.	Information relating to specified financial transaction
3.	Information relating to payment of taxes
4.	Information relating to demand and refund
5.	Information relating to pending proceedings
6.	Information relating to completed proceedings
7.	Any other information in relation to sub-rule (2) of rule 245

FORM NO. 169
[*See* rule 246]

Application for registration as a valuer under section 514

To,
Principal Chief Commissioner,
Chief Commissioner,
Principal Director General,
Director General,

Sir,

I hereby apply for registration as a valuer under section 514 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). The following particulars are furnished herewith:

Part A: Personal Information				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number			
3.	Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Date of birth		*dd/mm/yyyy*	
5.	Contact details			
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
Part B: Class of Asset				
6.	Class of Asset for which registration as valuer is being sought *(select one)*		*(Refer Note 3)* *[Drop down]*	
PART C: Details of qualifications for eligibility as Valuer (*Refer Note 4*)				
7.	(i)	Educational qualification(s), if applicable	*[Upload]*	
	(ii)	Former employment, if applicable	*[Upload]*	
	(iii)	Practice details, if applicable	*[Upload]*	
	(iv)	Any other details (For the purposes of eligibility as Valuer)	*[Upload]*	
8	Please enclose full details of your experience as a valuer including a list of assets valued or works executed during the last three years		*[Upload]*	
Part-D: Grounds of Disqualifications *(Refer Note 5)*				
9.	(i)	Whether you are employed under Government or any other employer? *(Select one)*	*(i) Yes* *(ii) No* **(***Refer note 6)*	
	(ii)	Whether you have been dismissed or removed from Government service? *(Select one)*	*(i) Yes* *(ii) No*	
	(iii)	Whether you are valuer member of a valuers organisation registered under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017? *(Select one)*	*(i) Yes* *(ii) No*	

(iv)	If response to row 9(iii) is Yes, Name of the valuers organisation registered under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 of which you are a valuer member?	*(Free Text upto 100 words)*
(v)	Whether you have been convicted of an offence connected with any proceeding under this Act, or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal), or a penalty has been imposed on you under section 271(1)(iii) or section 273(i) or section 270A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or under section 439 or section 463 of the Act, or under section 18(1)(iii) of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or section 17(1) of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal)? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(vi)	Whether you are an undischarged insolvent? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(vii)	Whether you have been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(viii)	Whether you have been found guilty of misconduct in your professional capacity in a case where you are a member of any association or institution established in India having as its object the control, supervision, regulation or encouragement of the profession of engineering, architecture, accountancy, or company secretaries or such other profession as the Board specified in this behalf by notification in the Official Gazette, by such association or institution? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(ix)	Are you a minor? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(x)	Whether you have been declared to be of unsound mind at any time earlier? *(Select one)*	*(iii)* *Yes* *(iv)* *No*
(xi)	Whether you have been found unfit to be registered as a valuer at any time earlier, by the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner of the Principal Director General or Director General? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(xii)	Are you an undischarged bankrupt or have you applied to be adjudicated as bankrupt? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*
(xiii)	Please state whether any liability towards income-tax is outstanding against you? *(Select one)*	*(i)* *Yes* *(ii)* *No*

Part-E: Verification and Declaration

Verification and Declaration

I, _____having PAN _____ , do hereby declare that to the best of my knowledge and belief, what is stated above is correct, complete and is truly stated.

I further declare that I shall,

(a) make an impartial and true valuation of any asset which I may be required to value;

(b) furnish the report of such valuation in the prescribed form;

(c) charge fees at a rate not exceeding the rate or rates prescribed by the Board in this behalf;

(d) not undertake any valuation of any asset in which I have a direct or indirect interest.

I am making the declaration in my capacity as _____(Self/Authorised representative) and that I am competent to make this declaration and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place……

Date .....

……..

(Signature of Declarant)

Name: …….

Designation (if applicable):……..

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. For the purposes of registering as valuer of a class of asset, one of the following class of assets shall be selected:

S. No.	Class of Assets
1	Immovable property (other than agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries)
2	Agricultural lands, other than coffee plantation, tea plantation, rubber plantation or cardamom plantation
3	Coffee plantation, tea plantation, rubber plantation or cardamom plantation
4	Forest
5	Mines and quarries
6	Stocks, shares, debentures, securities, shares in partnership firms and of business assets, including goodwill but excluding those mentioned at serial numbers 1 to 5 and 7 to 11
7	Machinery and plant
8	Jewellery
9	Works of art
10	Life interest, reversions and interest in expectancy
11	Any other asset

4. Details of qualifications for eligibility as valuer shall be selected as per rule 247.

5. Dis-qualifications for registering as valuer shall be as per rule 247.

6. No person shall qualify for registration as a valuer, other than as a valuer of works of art or virtual digital assets or other class of assets as may be specified by the Board in this behalf, if he is employed under Government or any other employer.

7. Separate form is required to be filled up for getting registration for different class of assets.

8. This form must be accompanied by a fee of Rs. 10,000.

9. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 170
[*See* rule 248]

Report of valuation of Asset under section 514

Part A: PERSONAL INFORMATION OF THE ASSESSEE				
1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Permanent Account Number			
3.	Address		*(Refer Note 2)*	
4.	Contact details			
	Phone No. with STD code		STD code	Number
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
Part B: PERSONAL INFORMATION OF THE VALUER				
5.	(i)	Registration Number under section 514		
	(ii)	Permanent Account Number		
	(iii)	Name		
	(iv)	Address		
	(v)	Contact details		
	Phone No. with STD code		STD code	Number
	Mobile Number		Country Code	Number
	Email ID			
Part C: DETAILS OF VALUATION REFERENCE				
6.	Valuation reference against which the report is being submitted			
7.	Class of Assets to be Valued (Multiple selection allowed)		*(Drop down)*	
Part D: SCHEDULES FOR VALUATION				
SCH IP	**Valuation of Immovable Asset (other than agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries)**			
8.	(A) General			
	(i)	Date as on which valuation is made	*dd/mm/yyyy*	
	(ii)	Name of the owner (s)	*(a)*	
			(Repeat, if required)	
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-ownership, share of each such owner		
		(a) (i) Name of the co-owner		
		(ii) Share in percentage		
		(b) (Repeat, if required)		

	(c)	Total Share		*100%*
(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
(v)	Address			*(Refer Note 2)*
(vi)	Asset Identifier			
	(a)	Survey Number		
	(b)	Khasra Number		
	(c)	Plot No. of land		
	(d)	Other unique identifier		
(vii)	Latitude and Longitude of the land			
	(a)	Latitude		
	(b)	Longitude		
(viii)	Type of Asset *(Select one)*			*(dropdown)* *(x) Residential* *(xi) Commercial* *(xii) Mixed area* *(xiii) Industrial*
(ix)	Which kind of area is the Asset situated in? *(Select one)*			*(dropdown)* *(i) Residential* *(ii) Commercial* *(iii) Mixed area* *(iv) Industrial*
(x)	Classification of locality *(Select one)*			*(dropdown)* *(i) High class* *(ii) Middle class* *(iii) Poor class*
(xi)	Proximity to civic amenities, like schools, hospitals, offices, markets, cinemas, shopping malls, etc.			*[upload]* *(Free text up to 500 words)*
(B) Land				
(i)	Area of land supported by documentary proof, shape, dimensions and physical features (in square metres)			*(i)* *(ii) (upload)*
(ii)	Roads, streets or lanes on which the land is abutting			
(iii)	If the land is leasehold, please furnish the following details			
	(A)	(i) Name of Lessor		*(Refer Note 1)*
		(ii) Name of Lessee		
		(iii) Nature of lease		
		(iv) Date of commencement		*dd/mm/yyyy*
		(v) Date of termination		*dd/mm/yyyy*
		(vi) Terms of renewal of lease		*(upload)*
	(B)	(Repeat, if required)		
(iv)	Is there any restrictive convenant in regard to use of land?			*(i) Yes* *(ii) No*

	(Select one) *If yes, Document of covenant to be uploaded*				
(v)	Are there any agreements of easements? *(Select one)* *If yes, Document of easement rights to be attached/uploaded*			*(i) Yes* *(ii) No*	
(vi)	Does the land fall in an area included in any Town Planning Scheme or any Development Plan of Government or any statutory body? *(Select one)* *If yes, relevant document to be uploaded*			*(i) Yes* *(ii) No*	
(vii)	Has any contribution been made towards development or is any demand for such contribution still outstanding? *(Select one)* *If yes, relevant document to be uploaded*			*(iii) Yes* *(iv) No*	
(viii)	Has the whole or part of the land been notified for acquisition by Government or any statutory body? *(Select one)* *If yes, relevant document to be uploaded*			*(i) Yes* *(ii) No*	
(ix)	Attach dimensioned site plan			*(upload)*	
(C) Improvements					
(i)	Plans and elevations of all structures standing on the land and a lay-out plan			*(upload)*	
(ii)	Technical details of the building on a separate sheet			*(upload)* *(Refer Note 6)*	
(iii)	Occupant(s) of the building *(Select one)*			*(i) Owner* *(ii) Tenant* *(iii) Both Owner and Tenant*	
(iv)	If the building is partly occupied by the owner, please specify portion and exent of area (in square metres) under owner-occupation			(i)	
				(ii)	*(Document specifying portion of area under owner occupation to be attached/uploaded)*
(v)	(a)	Permissible Floor Space Index/Floor Area Ratio			
	(b)	Percentage of Permissible Floor Space Index/Floor Area Ratio utilised			
(D) Valuation					
(i)	Details of other instances of sale of immovable Asset in the locality. In case no such instances are available or relied upon, please move to item number (ii) below.				
	(a)	(i)	Name of the Asset		
		(ii)	Address of the Asset		
		(iii)	Registration number		
		(iv)	Sale Price		
		(v)	Area of Land sold		

		(b)	(repeat as required)		
	(ii)	If sale instances are not available or not relied upon, please provide the basis of arriving at the land rate			*(Free text upto 500 words)* *(upload)*
	(iii)	Land rate adopted in this valuation			
	(E) Cost of Construction				
	(i)	Year of commencement of construction			
	(ii)	Year of completion of construction			
	(iii)	Method of contruction *(Select one)*			*(i)* By contract *(ii)* By employing labour directly *(iii)* Both
	(iv)	For items of work done on contract, provide copies of agreements			*(upload)*
	(v)	For items of work done by engaging labour directly, give basic rates of materials and labour supported by documentary proof:			
		(a)	Basic rate of materials	Material 1	Unit
				Material 2	Unit
				(Repeat as required)	Unit
		(b)	Basic rate of labour	Labour Type 1	Unit
				Labour Type 2	Unit
				(Repeat as required)	Unit
		(c)	*(Document providing the basis for submitting the rates in item (a) and (b) above to be uploaded)*		
SCH AL		**Valuation of Agricultural Land (other than coffee, tea, rubber and cardamom plantations)**			
9.	(A) General				
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*
					(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-ownership, share of each such owner			
		(a)	(i)	Name of the co-owner	
			(ii)	Share in percentage	
		(b)	(Repeat, if required)		
		(c)	Total Share		*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* (Free text up to 500 words)
	(v)	Address			*(Refer Note 2)*
	(vi)	Asset Identifier			
		(a)	Survey Number		
		(b)	Khasra Number		
		(c)	Other Unique Identifier		
	(vii)	Latitude and Longitude of the Asset			
		(a)	Latitude		
		(b)	Longitude		
	(viii)	(a)	Type of the Asset as per the land records *(Select one)*		*(dropdown)* *(i)* Negir

				(ii) Chabhi *(iii)* Banjar *(iv)* Other		
		(b) Please mention the type of land, in case 'other' is selected				
	(ix)	Area of the Asset (in acre)				
	(x)	Annual Asset revenue				
	(xi)	Crops grown during the year				
	(xii)	Details of town planning scheme/ development plan of government or any statutory body				
		(a)	Town Planning Scheme	*(Free text upto 500 words)*		
		(b)	Development Plan of the government	*(Free text upto 500 words)*		
		(c)	Development Plan of a statutory body	*(Free text upto 500 words)*		
		(d)	Any other	*(Free text upto 500 words)*		
	(xiii)	Special features of the Asset				
		(a)	Features of the assets	*(Refer Note 4)* *(Free text upto 500 words)*		
		(b)	Mode of irrigation available	*(dropdown)*		
				(i)	Wells	
				(ii)	Electric tube Well	
				(iii)	Tube Well	
				(iv)	Canal	
		(c)	Nearness to habitation	*(dropdown)*		
				(i)	Village	
				(ii)	Town	
				(iii)	Market	
				(iv)	Any other	*(Free text upto 500 words)*
		(d)	Availabilty of approach roads (select one)	*(i)* Yes *(ii)* No		
		(e)	Facilities and means of transportation of the produce of the land to the market,	*(Free text upto 500 words)*		
		(f)	Cultivated by self or tenants			
	(B) Valuation					
	(i)	Please provide few instances of sale of similar Asset in the locality. In case no such instances are available or relied upon, please move to item number (ii) below.				
		(a)	(i)	Name of the Asset		
			(ii)	Address of the Asset		
			(iii)	Registration number		
			(iv)	Sale Price		
			(v)	Area of Asset sold		
		(b)	(repeat as required)			
	(ii)	If sale instances are not available or not relied upon, please provide the basis of arriving at the unit value		*(Free text upto 500 words)* *(upload)*		
	(iii)	Unit value adopted in this valuation				
	(iv)	Value of the Asset				
SCH PL		**Valuation of Coffee Plantation, Tea Plantation, Rubber Plantation, or Cardamom Plantation**				
10.	(A) General					

(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
(ii)	Name of the owner (s)		*(a)*	
			(Repeat, if required)	
(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-ownership, share of each such owner			
	(a)	(i) Name of the co-owner		
		(ii) Share in percentage		
	(b)	(Repeat, if required)		
	(c)	Total Share		*100%*
(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
(v)	Address			*(Refer Note 2)*
(vi)	Asset Identifier			
	(a)	Survey Number		
	(b)	Khasra Number		
	(c)	Other unique identifier		
(vii)	Latitude and Longitude of the land			
	(a)	Latitude		
	(b)	Longitude		
(viii)	Type of Asset *(Select one)*			*(dropdown)* *(i) Coffee* *(ii) Tea* *(iii) Rubber* *(iv) Cardamom*
(ix)	Area of the Asset (in acre)			
(x)	Annual land revenue			
(xi)	Classification of the Asset (s) as given in the land revenue records			*(Free text upto 500 words)*
(xii)	Special features of the Asset			
	(a)	Nature of the soil		*(Free text upto 500 words)*
	(b)	Slope of the land,		*(Free text upto 500 words)*
	(c)	Annual rainfall,		*(Free text upto 500 words)*
	(d)	Area under bearing		*(Free text upto 500 words)*
	(e)	Age of the plants or bushes		*(Free text upto 500 words)*
	(f)	Value of the crops raised during the past three years		*(Free text upto 500 words)*
	(g)	Any other feature(s)		*(Free text upto 500 words)*
(B) Valuation				
(i)	Please provide few instances of sale of similar Asset in the locality. In case no such instances are			

		available or relied upon, please move to item number (ii) below.			
		(a)	(i)	Name of the Asset	
			(ii)	Address of the Asset	
			(iii)	Registration number	
			(iv)	Sale Price	
			(v)	Area of Land sold	
		(b)	(repeat as required)		
	(ii)	If sale instances are not available or not relied upon, please provide the basis of arriving at the unit value			*(Free text upto 500 words)* *(upload)*
	(iii)	Unit value adopted in this valuation			
	(iv)	Value of the Asset			
SCH FR		**Valuation of Forest**			
11.	(A) General				
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*
					(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-ownership, share of each such owner			
		(a)	(i)	Name of the co-owner	
			(ii)	Share in percentage	
		(b)	(Repeat, if required)		
		(c)	Total Share		*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
	(v)	Address			*(Refer Note 2)*
	(vi)	Asset Identifier			
		(a)	Survey Number		
		(b)	Khasra Number		
		(c)	Other unique identifier		
	(vii)	Latitude and Longitude of the Forest			
		(a)	Latitude		
		(b)	Longitude		
	(viii)	Area of the Asset (in acre)			
	(ix)	Classification of the Asset as given in the land revenue records			*(Free text upto 500 words)*
	(x)	Special features of the Asset			
		(a)	Kind of timber		*(Free text upto 500 words)*
		(b)	Density of the forest		*(Free text upto 500 words)*
		(c)	Mode of transportation of timber		*(Free text upto 500 words)*
		(d)	Nature of the soil		*(Free text upto 500 words)*
		(e)	Slope of the land		*(Free text upto 500 words)*
		(f)	Annual rainfall		*(Free text upto 500 words)*

		(g)	Area under bearing		*(Free text upto 500 words)*
		(h)	Age of the plants or bushes		*(Free text upto 500 words)*
		(i)	Value of the crops raised during the past three years		*(Free text upto 500 words)*
		(j)	Any other feature(s)		*(Free text upto 500 words)*
	(B) Valuation				
	(i)	Please provide few instances of sale of similar Asset in the locality. In case no such instances are available or relied upon, please move to item number (ii) below.			
		(a)	(i)	Name of the Asset	
			(ii)	Address of the Asset	
			(iii)	Registration number	
			(iv)	Sale Price	
			(v)	Area of Forest Land sold	
		(b)	(repeat as required)		
	(ii)	If sale instances are not available or not relied upon, please provide the basis of arriving at the unit value			*(Free text upto 500 words)* *(upload)*
	(iii)	Unit value adopted in this valuation			
	(iv)	Value of the Asset			
SCH MQ		**Valuation of Mines and Quarries**			
12.	(A) General				
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*
					(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-owner-ship, share of each such owner			
		(a)	(i)	Name of the co-owner	
			(ii)	Share in percentage	
		(b)	(repeat as required)		
		(c)	Total Share		*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
	(v)	Address			*(Refer Note 2)*
	(vi)	Asset Identifier			
		(a)	Survey Number		
		(b)	Khasra Number		
		(c)	Other unique identifier		
	(vii)	Latitude and Longitude of the land			
		(a)	Latitude		
		(b)	Longitude		
	(viii)	Type of Asset *(Select one)*			*(i) Mine* *(ii) Quarry*
	(ix)	Area of the Asset (in acre)			
	(x)	Annual land revenue			
	(xi)	Classification of the Asset (s) as given in the land revenue records			*(Free text upto 500 words)*
	(xii)	Special features of the Asset			
		(a)	Average annual output during the past three years		*(Free text upto 500 words)*

		(b)	Extractable reserves		*(Free text upto 500 words)*
		(c)	Area available for extraction		*(Free text upto 500 words)*
		(d)	Thickness of the seam		*(Free text upto 500 words)*
		(e)	Stage of development		*(Free text upto 500 words)*
		(f)	Depillaring		*(Free text upto 500 words)*
		(g)	Geological disturbances		*(Free text upto 500 words)*
		(h)	Any other feature(s)		*(Free text upto 500 words)*
	(B) Valuation				
	(i)	Please provide few instances of sale of similar Asset in the locality. In case no such instances are available or reilied upon, please move to item number (ii) below.			
		(a)	(i)	Name of the Asset	
			(ii)	Address of the Asset	
			(iii)	Registration number	
			(iv)	Sale Price	
			(v)	Area of Asset sold	
		(b)	(repeat as required)		
	(ii)	If sale instances are not available or not relied upon, please provide the basis of arriving at the unit value			*(Free text upto 500 words)* *(upload)*
	(iii)	Unit value adopted in this valuation			
	(iv)	Value of the Asset			
SCH EX		**Valuation of Stocks, Shares, Debentures, Warrants, Securities, Share in Partnership Firm/LLP and Business Assets, including Goodwill**			
13.	(A) General				
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*
					(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-owner-ship, share of each such owner			
		(a)	(i)	Name of the co-owner	
			(ii)	Share in percentage	
		(b)	(Repeat, if required)		
		(c)	Total Share		*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
	(v)	Type of Asset *(Select one)*			*(dropdown)* *(i)* Stock *(ii)* *Shares* *(iii)* Debentures *(iv)* Warrants *(v)* Securities *(vi)* Shares in Partnership Frim *(vii)* Share in LLP *(viii)* Goodwill *(ix)* Other Business Assets (Please specify)
	(B) Valuation				
	(i)	Approach to valuation of the asset(s) including the profits of the company/firm/LLP in question, dividend policy, the prospects of the industry and of the company/firm/LLP, nature and extent of controlling interest of those in management, factors regarding non-			*(Free text upto 1000 words)* *(Document providing the basis for arriving at valuation rate to be uploaded)*

		marketability, attractiveness to special purchasers, possibilities of capital appreciation and other relevant factors, the particular rule in terms of which the valuation is made and the full computation in terms of the said rule etc.			
	(ii)	Unit value adopted in this valuation			
	(iii)	Value of the Asset			
SCH MP		**Valuation of Machinery and Plant**			
14.	(A) General				
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*
					(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-owner-ship, share of each such owner			
		(a)	(i)	Name of the co-owner	
			(ii)	Share in percentage	
		(b)	(Repeat, if required)		
		(c)	Total Share		*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
	(v)	Type of Asset *(Select one)*			*(i) Machine* *(ii) Plant*
	(B) Valuation				
	(i)	Approach to valuation of the asset(s) including the make of the machinery/plant, name of the manufacturer, original price, price to the owner if he is not the first owner, year of manufacture, present market price of similar new machinery/plant etc.			*(Free text upto 1000 words)* *(Document providing the basis for arriving at valuation rate to be uploaded)*
	(ii)	Unit value adopted in this valuation			
	(iii)	Value of the Asset			
SCH JW		**Valuation of Jewellery**			
15.	(A) General				
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*
					(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-owner-ship, share of each such owner			
		(a)	(i)	Name of the co-owner	
			(ii)	Share in percentage	
		(b)	*(Repeat, if required)*		
		(c)	Total Share		*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
	(B)	Valuation			
	(i)	Statement of valuation			
		(a)	(i)	*Description of item*	
			(ii)	*Gross weight*	
			(iii)	*Net weight of precious metal*	
			(iv)	*Description and weight of precious or semi-precious stones*	

			(v)	*Value of each precious or semi-precious stone and decided value of such stones*		
			(vi)	*Total value of the item of jewellery*		
			(vii)	*Gold equivalent weight in grams*		
		(b)	*(Repeat, if required)*			
	(ii)	Value of the Asset				
SCH AW		**Valuation of Works of Art**				
16.	(A) General					
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*	
	(ii)	Name of the owner (s)			*(a)*	
					(Repeat, if required)	
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-owner-ship, share of each such owner				
		(a)	(i)	Name of the co-owner		
			(ii)	Share in percentage		
		(b)	*(Repeat, if required)*			
		(c)	Total Share		*100%*	
	(iv)	Brief description of the Asset			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*	
	(v)	Details of provenance				
	(B) Valuation					
	(i)	Approach to valuation of the asset(s) including demand, liquidity, activity of art dealers, market data etc.			*(Free text upto 1000 words)* *(Document providing the basis for arriving at valuation rate to be uploaded)*	
	(ii)	Unit value adopted in this valuation				
	(iii)	Value of the Asset				
SCH IN		**Valuation of Life Interest, Reversions and Interest in Expectancy**				
17.	(A) General					
	(i)	Date as on which valuation is made			*dd/mm/yyyy*	
	(ii)	Details of the person whose interest is valued				
		(a)	Name		*(Refer Note 1)*	
		(b)	Address		*(Refer Note 2)*	
		(c)	Date of Birth		*dd/mm/yyyy*	
	(iii)	Brief description of the Asset *(Upload copy of the trust deed, will, etc., under which the interest is derived)*			*(upload)* *(Free text up to 500 words)*	
	(iv)	Particulars of the life tenant				
		(a)	Name		*(Refer Note 1)*	
		(b)	Address		*(Refer Note 2)*	
		(c)	Date of Birth		*dd/mm/yyyy*	
		(Repeat, if required)				
	(v)	Particulars of trust fund				
		(a)	Assets			
		(b)	Liabilities			
		(c)	Income			

	(B) Valuation			
	(i)	Approach to valuation of the asset(s) including the margins adopted and, where applicable, the rate of estate duty assumed in arriving at the estimate, valuation formula, assumptions regarding mortality/interest etc.		*(Free text upto 1000 words)* *(Document providing the basis for arriving at valuation rate to be uploaded)*
	(ii)	Unit value adopted in this valuation		
	(iii)	Value of the Asset		
SCH OT		**Valuation of Other Asset**		
18.	(A) General			
	(i)	Date as on which valuation is made		*dd/mm/yyyy*
	(ii)	Name of the owner (s)		*(a)*
				(Repeat, if required)
	(iii)	If the Asset is under joint ownership/co-owner-ship, share of each such owner		
		(a)	(i) Name of the co-owner	
			(ii) Share in percentage	
		(b)	*(Repeat, if required)*	
		(c)	Total Share	*100%*
	(iv)	Brief description of the Asset		*(upload)* *(Free text up to 500 words)*
	(B) Valuation			
	(i)	Approch to valuation of the asset(s)		*(Free text upto 1000 words)* *(Document providing the details as prescribed by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Director General shall be attached/uploaded along with prescribed documents)*
	(ii)	Unit value adopted in this valuation		
	(iii)	Value of the Asset		

Part-E: VERIFICATION AND DECLARATION

Verification and Declaration

I, _____ PAN _____ , do hereby declare that to the best of my knowledge and belief, what is stated above is correct, complete and is truly stated.

I further declare that I shall,

(a) I have no direct or indirect interest in asset valued;

(b) I have personally inspected the asset and I have examined all the relevant details;

I am making the declaration in my capacity as _____ and that I am competent to make this declaration and verify it. Verified today the _____ day of _____20____.

Place……

Date.....

……

(Signature of Valuer)

Name: ……

Designation (if applicable):……..

Notes:

4. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
5. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
6. Some of the Information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. Special features of the land such as quality and fertility of the land, mode of irrigation available (i.e., whether by wells, electric tube-wells or canal), nearness to village, town and markets, approach roads available and facilities and means of transportation of the produce of the land to the market, whether cultivated by self or tenants. Any other features which affect the value of the land should be specifically stated
8. All the amounts are to be provided in ₹, unless otherwise specified.
9. For the purposes of row 8(c)(ii), following annexure shall be filled and uploaded. Necessary modificaiton in this Annexure may be made to suit the property under valuation.

Annexure

	Technical Details		
1.	**No. of floors and height of each floor**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
2.	**Plinth area floor-wise (As per IS: 3861-1966)**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
3.	**Year of construction**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
4.	**Estimated future life**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
5.	**Type of construction- load bearing walls/RCC frame/steel frame**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
6.	**Type of foundations**		

	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
7.	***Walls***		
	(a) Basement and plinth		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) Ground floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(c) Superstructure above ground floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
8.	**Partitions**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
9.	**Doors and windows (Floor -wise)**		
	(a) Ground floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b)	1st floor	
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(c)	2nd floor, etc.	
	(i)	*Main building*	

	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
10.	**Flooring (Floor-wise)**		
	(a) Ground floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) 1st floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(c) 2nd floor, etc.		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
11.	**Finishing (Floor-wise)**		
	(a) Ground floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) 1st floor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(c) 2nd floor, etc.		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
12	**Roofing and terracing**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	

	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
13	**Special architectural or decorative features, if any**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
14	(a) Internal wiring- surface or conduit		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) Class of fittings : Superior/ordinary/poor		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
15	**Sanitary installations**		
	(a.1) No. of water closets		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(a.2) No. of lavatory basins		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(a.3) No. of urinals		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(a.4) No. of sinks		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	

	(v)	*Pump house*	
	(a.5) No. of bath tubs		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(a.6) No. of bidets		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(a.7) No. of geysers		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) Class of fittings : Superior coloured/superior white/ordinary		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
16	**Compound wall**		
	(a) Height and length		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) Type of construction		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
17	**No. of lifts and capacity**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
18	**Underground Pump- Capacity and type of construction**		

	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
19	**Overhead tank**		
	(a) Where located		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(b) Capacity		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
	(c) Type of construction		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
20	**Pumps-No. and their horse power**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
21	**Roads and payings within the compound, approximate area and type of paving**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	
22	**Sewage disposal- whether connected to public sewers. If septic tanks provided, No. and capacity**		
	(i)	*Main building*	
	(ii)	*Annexe*	
	(iii)	*Servants' quarters*	
	(iv)	*Garages*	
	(v)	*Pump house*	

FORM NO. 171
[*See* rule 256]

Form of application for registration as authorised income-tax practitioner under section 515

To

***Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax,**

_____

I hereby apply for registration as an authorised income-tax practitioner under **section 515(3)(a)(v)/(vi)/(vii)/(viii).**

Part-A: Personal Information

1.	Name		*(Refer Note 1)*	
2.	Gender **(*Select One*)**		(i) Male (ii) Female (iii) Transgender	
3.	Permanent Account Number (PAN)			
4.	Name of *Father/Husband		*(Refer Note 1)*	
5.	Permanent Residential Address		*(Refer Note 2)*	
6.	Present Residential Address		*(Refer Note 2)*	
7.	Contact Details			
	(i)	Mobile Number	Country Code	Number
	(ii)	Email ID		
8.	Principal Place of Profession in India			
9.	(A)	Whether partner in a firm, **(*Select One*)**	(i) Yes (ii) No	
	(B)	If the answer to row 9(A) is yes, then provide following details:		
	(i)	Name of firm	*(Refer Note 1)*	
	(ii)	Names of other partners	*(Refer Note 1)*	
	(C)	**(Repeat, if required)**		

Part B: Declaration by Applicant

10.	(i)	(a)	I certify that I have passed the accountancy examination of	
		(b)	Attach true copy of the certificate mentioned in row 10(i)(a).	*(Refer Note 3)*
	(ii)	(a)	I certify that I have acquired the educational qualifications of	

		(b)	Attach true copy of the certificate mentioned in row 10(ii)(a).	*(Refer Note 3)*
	(iii)	Whether you were disqualified under section 515(4). **(*Select One*)**		(i) Yes (ii) No
	(iv)	Were you an authorised representative in accordance with the provisions of section 288(2)(vii) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal). **(*Select One*)**		(i) Yes (ii) No
		If the answer to 10(iv) is yes then, provide following:		
		(a)	Name of Assessee	*(Refer Note 1)*
		(b)	Address of Assessee	*(Refer Note 2)*
		(c)	Tax Year	
		(d)	Designation of the income-tax authority before whom appeared	
	(v)	Repeat (iv), if required		

I certify that I have been practicing as an authorised income-tax practitioner since _____and that I have not so far made any application for registration as an authorised income-tax practitioner to any other Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax.

Place:

Date: _____

(**Signature)**

Verification

I, _____ [*name in block letter*], do declare that what is stated in the above application is true to the best of my information and belief.

Place:

Date: _____

(**Signature)**

***Delete whichever is not applicable**

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, and (viii) State.
3. With respect to row 10, following documents shall be provided as annexures, namely:

Annexure	Particulars
A-1	True copy of the certificate enclosed as mentioned in row 10(i)(b).
A-2	rue copy of certificate enclosed as mentioned in row 10(ii)(b).

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 172

[*See* rule 274]

Report from an accountant to be furnished for the purpose of section 9(12) [Schedule I: Paragraph 1(4)] regarding fulfilment of certain conditions by an eligible investment fund

<table>
<tr><td colspan="8">Part A: Particulars of the Fund Manager</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">Nature of business or activities of the fund manager:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="5">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="5" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="5">Status:</td><td colspan="2">(refer Note 4)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="5">Residential Status:</td><td colspan="2">(refer Note 5)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="5">Tax Year:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">10.</td><td colspan="5">Details of SEBI registration:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="4">Regulation under which registered:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="4">Registration Number and Date:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="4">Foreign portfolio investor category, if applicable:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="5">Whether Fund Manager and Fund are related in terms of provision under section 162:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="5">Aggregate value of remuneration received from the eligible fund/funds as per books of account:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">13.</td><td colspan="7">List of eligible investment funds for whom the fund manager has undertaken the fund management activity, with the following details:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name of the Offshore Fund</td><td>Country of the residence of the fund</td><td>Whether the fund manager is an employee of the fund
(Yes/No)</td><td>Whether the fund manager is a connected person of the fund
(Yes/ No)</td><td>The amount of profit accruing or arising, during the tax year to the fund from the activities carried out through the fund manager</td><td>The amount out of (F) to which the fund manager along with its connected persons is, directly or indirectly, entitled to</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

14. Particulars of remuneration received in respect of each eligible investment fund and each activity undertaken (if such activity is separately remunerated):

Sl. No.	Name of the fund for which the fund management activity has been undertaken	Address of the fund	Description of the activity	Total amount received or receivable in respect of the activity	
				As per books of account	As computed by the fund manager having regard to the amount prescribed in this behalf
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	*(Repeat, if required)*				

15. Particulars in respect of any other transaction undertaken by the fund manager with/on behalf of the eligible investment fund:

Sl. No.	Name of the eligible investment fund with which the transaction has been entered or to whom services have been rendered	Address of the eligible investment fund	Description of the transaction/ nature of service	Amount paid / received or payable / receivable on account of such transaction / service		Method used for determining the arm's length price (see section 165)
				As per books of account	As computed by the fund manager having regard to the arm's length price	
A	B	C	D	E	F	G
1.						
2.	*(Repeat, if required)*					

I have examined the accounts and records of _____ (name and address of the fund manager with PAN) relating the fund management activity and other transactions or services rendered by the fund manager to the eligible investment fund/funds during the tax year ending on 31st March.

2. In my opinion proper information and documents as are prescribed have been kept by the fund manager in respect of fund management activity and other transactions or services rendered by the fund manager to the fund/funds so far as appears from my examination of the records of the fund manager.

3. The particulars required to be furnished for the purpose of section 9(12) [Schedule I: Paragraph 1(4)] are given in Part A and B. In my opinion and to the best of my/our information and according to the explanations given to me the particulars given in Part A and B are true and correct.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the Fund Manager.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Fill person status as below: —

(I)	Individual
(II)	Hindu undivided family
(III)	Company
(IV)	Firm
(V)	Association of Persons or Body of individuals, whether incorporated or not
(VI)	Local authority
(VII)	Artificial Juridical Person
(VIII)	Government
(IX)	Trust
(X)	Limited Liability Partnership

4. Fill residential status as below: —

(I)	Resident
(II)	Non-resident

(III)	Resident but Not Ordinarily Resident

5. Where the region is a specified territory, the same is to be mentioned.
6. This form is to be signed and verified by the person competent to verify the return of income under section 265.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
8. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 173

[*See* rule 276]

Statement to be furnished by an eligible investment fund to the Assessing Officer under section 9(12) [Schedule I: Paragraph 1(4)]

<table>
<tr><td colspan="6">Part A: Particulars of the Eligible Investment Fund</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Tax Identification Number (TIN) in the country/region of residence:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">Country of residence:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">Financial Year for which the statement is being submitted:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">Tax Year of the Fund:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td colspan="5">Details of Approval if any granted by CBDT:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="3">Date of approval:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="3">Approval order/letter reference number:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="4">Whether during the Tax Year the fund has satisfied all the conditions specified in section 9 [Schedule I] and in case of Approved Fund whether conditions subject to which approval was granted, have also been fulfilled (refer Note 4.A-1):</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="4">Whether any person resident in India had any participation interest directly in the fund during the year (refer Note 4.A-2):</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td rowspan="4">13.</td><td colspan="5">Details of any shareholding agreement entered during the year in respect of any Indian Concern:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name of the Indian Concern</td><td>PAN</td><td>Percentage interest</td><td>Date of agreement</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">14.</td><td colspan="5">Details of Fund Manager(s) in India rendering services for or on behalf of the Fund:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name of the Fund Manager</td><td>PAN</td><td colspan="2">Securities and Exchange Board of India (SEBI) Registration Number</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="4">Whether remuneration paid to the Fund Manager(s) is not less than the amount prescribed (refer Note 4.A-3):</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
</table>

16.	Amount of profit made by the Fund on its investment:	
17.	Contact details of the representative(s) of the Fund:	
18.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(attach as per Note 4)*

Verification
I, _____ hereby affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this form in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this form.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the eligible investment fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code/zip code.
3. TIN in the country/ specified territory of residence. In case no such number is available, then a unique number on the basis of which the assessee is identified by the Government of that country or specified territory of which it claims to be a resident.
4. With respect to Part B (Sl. No. 18), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	If No in Part B (Sl. No. 11), provide details and period of non-fulfilment and the reasons thereof: —

Sl. No.	Paragraphs of Schedule I not fulfilled	From	To	Reasons
1.				
2.	*(Repeat, if required)*			

A-2	If Yes in Part B (Sl. No. 12), provide details of person(s) and percentage interest: —

Sl. No.	Name of the Person	Address	PAN	Percentage Interest
1.				
2.	*(Repeat, if required)*			

A-3	If Yes in Part B (Sl. No. 15), provide the basis on which remuneration of the Fund Manager has been calculated.
A-4	Details of any other activity carried out by the fund or on behalf of the fund in India other than through the fund manager indicated in Part B (Sl. No. 14).

5. Where the region is a specified territory, the same is to be mentioned.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 174

[*See* rule 282(2)]

Application for notification under Schedule V [Table: Sl. No.7.Note 5(a)(iii)(D)]
(Pension Fund)

Part A: Particulars of the Pension Fund			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Communication Address in India:	*(refer Note 3)*	
4.	Permanent Account Number (PAN):		
5.	Tax Identification Number (TIN), if available:	*(refer Note 4)*	
6.	Created under the law of (please mention the name of the foreign country including any of its political constituents like province/state/local body etc.)		
7.	E-mail Id:		
8.	Contact Number:	Country Code	Number
9.	Other details to be provided as separate enclosure:	*(attach as per Note 5)*	

Part B: Certification
The applicant is a Pension Fund and interested in making investment in terms of Schedule V [Table: Sl. No. 7] and therefore, it is requested that necessary notification in terms of Schedule V [Table: Sl. No.7.Note 5(a)(iii)(D)] may kindly be issued. It is hereby certified that the Pension Fund satisfies all the conditions mentioned in Schedule V [Table: Sl. No. 7] and rule 282.

Verification
I, _____, hereby affirm that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I have not concealed any relevant fact. I am submitting this application in my capacity as _____ (designation), holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this application.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Pension Fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. The communication address in India shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code.
4. TIN of the Pension Fund in the country or specified territory of its residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which it is identified by the Government of that country or the specified territory of which it claims to be a resident.
5. With respect to Part A (Sl. No. 9), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	Documents constituting the Pension Fund and amendments (if any)
A-2	Any other relevant information

6. The form is to be signed by the person competent to verify the return of income under section 265.
7. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 175

[*See* rule 282(1)]

Intimation by Pension Fund of investment under Schedule V [Table: Sl. No. 7] (within one month from the end of the quarter ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March of the financial year)

Part A: Particulars of the Pension Fund			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number
Part B: Other Details			
6.	Notification Number:		
7.	Notification Date:		
8.	Quarter Ending:	*(refer Note 3)*	
9.	Financial Year:		

Part C: Particulars of Investment							
Sl. No.	Date of investment	Amount of investment	Nature of investment *(refer Note 4)*	Nature of income *(refer Note 5)*	Details of the entity in which Investment made		
					Nature of entity *(refer Note 6)*	Name	PAN
A	B	C	D	E	F	G	H
1.							
2.	*(Repeat, if required)*						
Total							

Verification
I, _____, solemnly affirm that to the best of my knowledge and belief, the information provided in this form is correct and complete and particulars shown therein are truly stated. I further declare that to the best of my knowledge, I have not concealed any relevant fact or information. I also declare that I am making this intimation in my capacity as _____ (designation) and that I am holding PAN _____ and I am competent to verify and submit this intimation.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the Pension Fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/specified territory and pin code.
3. In Part B (Sl. No. 8), fill with 30th June/ 30th September/ 31st December/ 31st March.
4. In Part C (column D), one of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3
Others (Please specify)	4

5. In Part C (column E), one of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividends	2
Capital Gains	3
Others (Please specify)	4

6. In Part C (column F), one of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(A)]	1
Eligible Infrastructure Facility referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(B)]	2
Eligible Alternative Investment Fund referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(C)]	3
Eligible Domestic Company referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(D)]	4
Eligible Non-Banking Financial Company referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(E)]	5

7. This form is to be signed by the person competent to verify the return of income under section 265.
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 176

[*See* rule 282(1)]

Certificate of accountant in respect of compliance to the provisions of Schedule V [Table: Sl. No. 7] by the notified Pension Fund

Part A: Particulars of the Pension Fund (PF)			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number

Part B: Particulars of the Pension Fund (PF)		
6.	Tax Year:	
7.	Total Income of the PF during the tax year:	
8.	Total amount of income eligible for exemption under Schedule V [Table: Sl. No.7] (as per details in Sl. No. 10 (column K) of this Part):	
9.	The opening balance (i.e. the closing balance as on the last date of the preceding financial year) of the investment made which is eligible for exemption under Schedule V [Table: Sl. No.7] of the Act:	

10. Details of investment made by the PF during the tax year:

Sl. No.	Date of investment	Amount of investment	Nature of investment *(refer Note 3)*	Nature of income *(Note 4)*	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which investment made				Amount of income which is eligible for exemption under Schedule V [Table: Sl. No. 7] *(Attach calculation sheet as per relevant rules)*
						Nature of entity *(refer Note 5)*	Name	PAN	If nature of entity code is 3/4/5, whether the entity has made minimum investment of 50% or 75% or 90% as required in Schedule V [Table: Sl. No. 7] *(Attach calculation sheet as per relevant rules)*	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	1.										
	2.										
	Total										

11.	Whether the PF has sold any of the investments made for the purposes of exemption under Schedule V [Table: Sl. No.7] before the expiry of 3 years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption:	Yes/No

12. If answer to Sl. No. 11 is yes, then provide the following details:

Sl. No.	Date of investment	Nature of investment *(refer Note 3)*	Nature of income *(refer Note 4)*	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which investment was made			Date of Sale
					Nature of entity *(refer Note 5)*	Name	PAN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.								
2.								
Total								

13.	The PF satisfies all the conditions required for the purposes of the exemption under Schedule V [Table: Sl. No. 7], that are:		
	(a)	Name of the law under which the PF is created or established	
	(b)	Details of the funds or plans for which the PF is responsible for administering or investing the assets for:	

Sl. No.	Name of the fund/ plan	Purpose for which fund/plan is established *(refer Note 6)*	Nature of the fund/plan *(refer Note 7)*	Percentage of value of assets received from each fund/plan to total value of assets administered or invested by the PF
A	B	C	D	E
1.				
2.				

	(c)	If some of the funds/plans administered or invested by the PF are in the nature of SWF, then whether they fulfil the following conditions:	Yes/No
		(i) assets of these funds/plans are wholly owned directly or indirectly by the Government of a foreign country; and	
		(ii) such assets vests in the Government of such foreign country upon dissolution	
	(d)	Whether portion of the earnings or assets of the PF inures any benefit to any private person (other than for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in rule 282; or for any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing (as defined in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(c)]) taken for the purposes other than for making investment in India):	Yes/No

(e)	If answer to (d) is Yes, then provide the following details:		
	(i)	Name of such private person	
	(ii)	Amount of benefit provided during the year	
(f)	Whether it participates in the day-to-day operations of any of the investee, as defined in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(b)], barring any monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director:		Yes/No
(g)	If answer to (f) is Yes, then provide the following details:		
	(i)	Name of such investee	
	(ii)	PAN of the investee	
	(iii)	Amount of investment in such investee at the end of the year	
(h)	Whether it has loans or borrowings, as defined in Schedule V [Table: Sl. No. 7.Note 5(c)], directly or indirectly, for the purposes of making investment in India:		Yes/No
(i)	If answer to (h) is Yes, then provide the following details:		
	(i)	Name of the person from whom such loan or borrowing has been taken	
	(ii)	Amount of loan or borrowing at the beginning of the year	
	(iii)	Amount of loan or borrowing received during the year	
	(iv)	Amount of loan or borrowing repaid during the year	
	(v)	Amount of loan or borrowing at the end of the year	
(j)	Whether separate segmented account is maintained for income and investment in respect of investment which qualifies for exemption under Schedule V [Table: Sl. No.7]:		
(k)	Whether it is liable to tax in such foreign country:		Yes/No
(l)	In answer to (k) is Yes, then whether exemption from taxation for all its income has been provided by such foreign country:		
(m)	Quarter for which the intimation in Form No. 175 has been filed during the tax year.		*(refer Note 8)*

Certification & Verification

I have examined the relevant accounts, documents and records of_____(name of the Pension Fund) having PAN_____ and which has been notified under Schedule V [Table: Sl. No. 7] of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) or section 10 (23FE) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal) *vide* Notification Number _____dated_____(dd/mm/yyyy), for the period from _____ (dd/mm/yyyy) to _____ (dd/mm/yyyy).

I fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false will render me liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or is otherwise warranted.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the Pension Fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state and pin code of the Pension Fund.
3. In Part B (Sl. No. 10 and 12), one of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3
Others (Please specify)	4

4. In Part B (Sl. No. 10 and 12), one of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividends	2
Capital Gains	3
Others (Please specify)	4

5. In Part B (Sl. No. 10 and 12), one of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(A)]	1
Eligible Infrastructure Facility referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(B)]	2
Eligible Alternative Investment Fund referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(C)]	3
Eligible Domestic Company referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(D)]	4
Eligible Non-Banking Financial Company referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(E)]	5

6. In Part B (Sl. No. 13(b), column C), one or more of the following codes is to be selected:

Purpose of the fund/plan	Code
Retirement	1
Social Security	2

Employment	3
Disability	4
Death benefits	5
Similar compensation (Please specify)	6

7. In Part B (Sl. No. 13(b), column D), one of the following codes is to be selected:

Nature of the fund/plan	Code
Pension Fund	1
Sovereign Wealth Fund	2
Others	3

8. In Part B (Sl. No. 13(m)), one or more of the following codes is to be selected:

Intimation in Form No. 175	Code
Quarter ending 30th June of the tax year	1
Quarter ending 30th September of the tax year	2
Quarter ending 31th December of the tax year	3
Quarter ending 31th March of the tax year	4

9. This certificate is to be given by an accountant as defined in Section 515(3)(b).

10. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

11. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 177

[*See* rule 283]

Statement of eligible investment received

Part A: Particulars of the Assessee			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	Tax Year		
5.	E-mail Id:		
6.	Contact Number:	Country Code	Number

Part B: Details of the Investment received

7. Details of eligible investments received, on or after the date of notification of the specified person, from the specified person or eligible Alternative Investment Fund out of the investment of the specified person:

Sl. No.	Name	PAN	Opening balance of eligible investments received	Eligible investments received during the year	Eligible investments returned during the year	Closing balance of eligible investments received
A	B	C	D	E	F	G
1.						
2.						
Total						

8. Details of all the investments made out of the eligible investments listed in Sl. No. 7:

Sl. No.	Name	Date of investment	Nature of investment *(refer Note 3)*	Details of the entity in which Investment is made			Opening balance of the investment	Amount of investment made during the year	Amount of investment sold/liquidated during the year	Date of investment or date of sale/liquidation, as the case maybe	Closing balance of the investment	Nature of income *(refer Note 4)*	Income on investment during the year	Out of the income in column N Nature of income to the specified person/ eligible Alternative Investment Fund	Income to the specified person/ eligible Alternative Investment Fund
				Nature of entity *(refer Note 5)*	Name of entity	PAN of the entity									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.															
2.															
Total															

9. Details of investment received from specified person or eligible Alternative Investment Fund listed in Sl. No. 7, but the investment not covered in Sl. No. 7:

Sl. No.	Name, listed at Sl. No. 7	PAN	Opening balance of the investments received not	Investments received during the year not covered in Sl. No. 7	Investments returned during the year	Closing balance of investments received

				covered in Sl. No. 7			
	A	B	C	D	E	F	G
	1.						
	2.						
	Total						

10. Details of all the investments made out of the investments listed in Sl. No. 9:

Sl. No.	Name	Date of investment	Nature of investment *(refer Note 3)*	Details of the entity in which Investment is made			Opening balance of the investment	Amount of investment made during the year	Amount of investment sold/liquidated during the year	Date of investment or date of sale/liquidation, as the case maybe	Closing balance of the investment	Nature of income *(refer Note 4)*	Income on investment during the year	Out of the income in column N, Nature of income to the specified person/ eligible Alternative Investment Fund	Income to the specified person/ eligible Alternative Investment Fund
				Nature of entity *(refer Note 5)*	Name of entity	PAN of the entity									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.															
2.															
Total															

Declaration

This is to certify that the details of investment declared above are true to the best of my knowledge and belief. I also affirm that I am making this application in my capacity as _____ (designation) and that I am holding PAN _____ and I am competent to make this application and verify it.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the specified person i.e. wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority, sovereign wealth fund, pension fund and Public Investment Fund (and its wholly owned subsidiary) of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia.

2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/specified territory and pin code.

3. In Part B (Sl. No. 8 and 10), one of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3

Others (Please specify)	4

4. In Part B (Sl. No. 8 and 10), one of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividends	2
Capital Gains	3
Others (Please specify)	4

5. In Part B (Sl. No. 8 and 10), one of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(A)]	1
Eligible Infrastructure Facility referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(B)]	2
Eligible Alternative Investment Fund referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(C)]	3
Eligible Domestic Company referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(D)]	4
Eligible Non-Banking Financial Company referred to in Schedule V [Table: Sl. No. 7.D(a)(iii)(E)]	5

6. The total of Part B (Sl. No. 8, column L) should tally with the total of Part B (Sl. No. 7, column G) except for the amount which has not been invested so far.
7. The total of Part B (Sl. No. 10, column L) should tally with the total of Part B (Sl. No. 9, column G) except for the amount which has not been invested so far.
8. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
9. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 178
[*See* rule 285(1)]

Statement of exempt income under Schedule VI [Table: Sl. No. 10]

<table>
<tr><th colspan="5">Part A: Particulars of the Specified Fund</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="5">Part B: Other Details</th></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Tax Year:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Legal status of the specified fund (refer Note 3):</td><td colspan="2">(select one)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">Date of establishment/incorporation:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">Date of commencement of operations:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td colspan="4">Registration Details:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Registration number as per the certificate of registration issued by the International Financial Services Centres Authority</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Date of registration:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Whether all the units of the specified Fund are held by non-residents other than units held by a sponsor or a manager:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">Name of the original fund and its wholly owned special purpose vehicle:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="2">Registered address of the original fund and its wholly owned special purpose vehicle:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="2">Whether the original fund is a person resident in India:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="2">Whether the original fund is a resident of a country or a specified territory with which an agreement referred to in section 159(1) or section 159(2) has been entered into; or is established or incorporated or registered in a country or a specified territory as may be notified by the Central Government in this behalf:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="2">Whether the original fund and its activities are subject to applicable investor protection regulations in the country or specified territory where it is established or incorporated or is a resident:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>17.</td><td colspan="2">Whether the original fund fulfils conditions as may be prescribed under section 70(1)(u):</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>18.</td><td colspan="2">Country of residence of the original fund:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="2">Legal status of the original fund and its wholly owned special purpose vehicle (refer Note 3):</td><td colspan="2">(select one)</td></tr>
</table>

20.	Taxpayer's registration number or any unique identification number of the original fund allotted and its wholly owned special purpose vehicle in the country of residence:						
21.	Details of the shares transferred:						
	Sl. No.	Name of the company resident in India whose shares are transferred	Number of Shares	Date of acquisition	Cost of acquisition	Date of transfer	Sale consideration
	A	B	C	D	E	F	G
	1.						
	2.	*(Repeat, if required)*					
22.	Computation of the exempt income under Schedule VI [Table: Sl. No. 10]:						
	(i)	Income of the nature of capital gains, arising or received by the resultant fund, on account of transfer of share of a company resident in India **[1]**:					
	(ii)	Aggregate value of daily 'assets under management' of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India), from the date of acquisition of the share of a company resident in India by the specified fund to the date of transfer of such share **[2]**:					
	(iii)	Aggregate value of daily total 'assets under management' of the specified fund, from the date of acquisition of the share of a company resident in India by the specified fund to the date of transfer of such share **[3]**:					
	(iv)	Ratio as prescribed under rule 285 **[4]**:					**[2] / [3]**
	(v)	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) **[5]**:					**[1] × [4]**

Verification

This is to certify that all the details of the specified fund, including details of exempt income, declared above are true to the best of my knowledge and belief. I also affirm that I am making this application in my capacity as _____ (designation) and that I am holding PAN _____ and I am competent to make this application and verify it.

It is also verified that the certification of the accountant in Form No. 179 has been filed on _____.

Place: Signature:

Date: Name:

Designation:

Notes:

1. The name shall include full name of the specified fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. The legal status of the specified fund shall be selected from any of the following: —

(I)	Company
(II)	Trust
(III)	Limited Liability Partnership
(IV)	Body Corporate

4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
5. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 179
[*See* rule 285(3)]

Certificate to be issued by the accountant under Schedule VI [Table: Sl. No. 10]

Part A: Particulars of the Specified Fund			
1.	Name:	*(refer Note 1)*	
2.	Address:	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):		
4.	E-mail Id:		
5.	Contact Number:	Country Code	Number

Certificate
I _____ have examined the books of account, if any, and other documents, including the annual statement in Form No. 178, showing the particulars of income of the nature of capital gains, arising or received by _____ (name of the specified fund) which is exempt under Schedule VI [Table Sl. No. 10] and the total income exempt under the said clause for the tax year ending _____. I affirm that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the specified fund.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. Where the specified fund has floated multiple schemes, the specified fund shall separately furnish the annual statement of exempt income in Form No. 178 for each scheme.
4. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 180
[*See* rule 286]
Application for grant of approval to a fund referred to in Schedule VII [Table: Sl. No. 2]

<table>
<tr><td colspan="6">Part A: Particulars of the Applicant (Trust/Fund)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Name:</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Address:</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Permanent Account Number (PAN):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">E-mail Id:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3" rowspan="2">Contact Number:</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td>(drop down)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Part B: Other Information</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">Name of the employer organisation (in which the members of the fund are employed)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">PAN of the employer organisation</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">Objects of the fund:</td><td colspan="2">(refer Note 3)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td colspan="5">Names and addresses of trustees/office bearers of the fund:</td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Name of trustee(s)</td><td>Address</td><td>PAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">(Repeat, if required)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">10.</td><td colspan="5">Classes and number of employees admitted to the fund:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="4">in India:</td></tr>
<tr><td></td><td>Sl. No.</td><td>Classes</td><td colspan="2">Number</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="4">outside India:</td></tr>
<tr><td></td><td>Sl. No.</td><td>Classes</td><td colspan="2">Number</td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.</td><td>(Repeat, if required)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="3">Whether contribution to the fund is made by employees by periodical subscription:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td colspan="5">Total amount of accretion during the tax year:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Amount contributed by the employees</td><td colspan="2">Income accrued during the tax year</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td colspan="3">Whether the trust proposes to apply or accumulate funds for application wholly and exclusively for the purposes mentioned in Sl. No. 8:</td><td colspan="2">Yes/No</td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="5">Details of investments/ deposits in one or more of the modes specified under section 350:</td></tr>
</table>

	Sl. No.	Name of instrument/ security/ scheme, etc.	Value	Income received thereon
15.	Details of investments/ deposits in any mode other than specified under section 350:			
	Sl. No.	Name of instrument/ security/ scheme, etc.	Value	Income received thereon
16.	Other details to be provided as separate enclosure:		*(attach as per Note 4)*	

Verification
I, _____, in the capacity of the trustee/principal officer, having PAN _____, do hereby declare that the information furnished above is correct and complete to the best of my knowledge and belief, and I am competent to file and verify this form on behalf of the trust/fund mentioned at Part A (Sl. No. 1). I undertake to communicate forthwith any alteration in the terms of the trust deed of the fund, or in the rules governing the fund made at any time hereafter.

Place: Signature:
Date: Name:
Designation:

Notes:

1. The name shall include the full name of the trust/fund.
2. The address shall be the address of the office of the trust/ fund where the accounts are kept which shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country/region and pin code/zip code.
3. For Part B (Sl. No. 8), select any of the following: —

(a)	Cash benefits to a member on superannuation
(b)	Cash benefits to a member in the event of illness of self, spouse or dependent children
(c)	Cash benefits to a member to meet the cost of education of dependent children
(d)	Cash benefits to a member to meet the cost of annual medical tests or medical check-ups of self, spouse and dependent children
(e)	Cash benefits to the dependents of a member in the event of death of such member
(f)	Any other, specify

4. With respect to Part B (Sl. No. 16), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the instrument of trust evidencing the formation of the fund
A-2	Notes on activities of the fund for the period since its inception or during the last three years, whichever is less
A-3	Copies of accounts of the fund for the period since its inception or during the last three years, whichever is less

5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

6. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 181

[*See* rule 289]

Audit report under rule 289(12) in the case of the electoral trust

Part A: Particulars of the Electoral Trust						
1.	Name:				*(refer Note 1)*	
2.	Address:				*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number (PAN):					
4.	E-mail Id:					
5.	Contact Number:				Country Code	Number
Part B: Other Information						
6.	Details of contributions received and distributed:					
	(i)	Total amount of contributions received in the tax year:				
	(ii)	Total amount of contributions distributed to eligible political parties:				
	(iii)	Amount of contributions utilised for administrative or management functions *(refer rule 289(8)(a))*:				
	(iv)	Surplus brought forward:				
	(v)	Distributable Contributions for the tax year *(refer rule 289(8)(b))*:				
	(vi)	Whether the contributions received in the tax year have been distributed to eligible political parties?				Yes/ No
	(vii)	If Yes to (vi), then furnish details as under:				
		Sl. No.	Name of the Political Party	PAN of the Political Party	Amount distributed	Date	Mode
		1.					
		2.	*(Repeat, if required)*				
	(viii)	Surplus to be carried forward:				
	(ix)	Whether all contributions have been received by account payee cheque or demand draft?				Yes/ No
	(x)	If No to (ix), then furnish details as under:				
		Sl. No.	Name of the person	PAN/ Aadhaar of the person	Amount distributed	Date	Mode
		1.					
		2.	*(Repeat, if required)*				
	(xi)	Whether receipts in respect of all distributions made to political parties have been obtained?				Yes/ No
	(xii)	Whether the list of all contributors has been maintained?				Yes/ No

	(xiii)	Whether the list of all political parties, to whom the amount distributed, has been maintained?	Yes/ No
7.	Application or use of income or property for the benefit of persons referred to in rule 289(10) (hereinafter referred to in this part as "interested person"):		
	(i)	Whether any transaction in excess of ₹ 20,000 with any interested person? *(refer Note 3.A-1)*	Yes/ No
	(ii)	Whether any payment was made to any interested person during the tax year by way of salary, allowance or otherwise? *(refer Note 3.A-2)*	Yes/ No
	(iii)	Whether any part of the contributions received by the trust was lent, or continues to be lent, in the tax year to any interested person? *(refer Note 3.A-3)*	Yes/ No
	(iv)	Whether any income or property of the electoral trust was diverted during the tax year in favour of any interested person? *(refer Note 3.A-4)*	Yes/ No
8.	Information pertaining to expenditure incurred by the electoral trust towards administration or management of its affairs:		
	(i)	Whether the administrative or management expenses pertaining to the electoral trust are in accordance with rule 289(8)?	Yes/ No
	(ii)	If Yes to (i), whether the required details are adequately maintained?	Yes/ No
	(iii)	If No to (i), what is the percentage of expenditure incurred by the electoral trust vis-a-vis the total contributions received?	
9.	Other details to be provided as separate enclosure:		(*Attach as per Note 3)*

Verification

I have examined the Balance Sheet of _____ (name of the electoral trust) as at _____ (dd-mm-yyyy) and the Income and Expenditure Account for the tax year ended on that date and certify that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are in agreement with the books of account maintained by the said electoral trust.

I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.

In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above-named electoral trust visited by me so far as appears from my examination of the books, and proper documents adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by me, subject to the comments given below:

In my opinion and to the best of my information, and according to information given to me, the said accounts give a true and fair view-

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above-named electoral trust as at _____ (dd-mm-yyyy); and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus or deficit for its accounting year ending on that date.

The prescribed particulars are made in Part A and B above.

Place: Signature:

Date: Name of the accountant:

Designation:

Membership Number:

UDIN, if any:

Name of the Proprietorship/Firm:

Firm Registration Number:

Notes:

1. The name shall include full name of the electoral trust.
2. The address shall include flat/door/building, road/street/block/sector, area/locality, post office, town/city/district, state, country and pin code.
3. With respect to Part B (Sl. No. 9), following details shall be provided as annexures, namely: —

Annexure	Particulars
A-1	If Yes in Part B (Sl. No. 7(i)), then provide the details of transaction in excess of ₹ 20000 with any interested person.
A-2	If Yes in Part B (Sl. No. 7(ii)), then provide the details of payment made to any interested person during the tax year by way of salary, allowance or otherwise.
A-3	If Yes in Part B (Sl. No. 7(iii)), then provide the details of the amount, rate of interest charged and the nature of security.
A-4	If Yes in Part B (Sl. No. 7(iv)), then provide the details of income or property of the electoral trust which was diverted during the tax year in favour of any interested person thereof together with the amount of income or value of property so diverted.

4. This report has to be given by-
    a. a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
    b. any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), entitled to be appointed to act as an auditor of the companies registered in that State.
5. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with qualification, the report shall state the reasons for the same.
6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.
7. The amount mentioned in this form is to be filled in rupees unless stated otherwise.

FORM NO. 182
[*See* rule 290]

Audit Report under paragraph 2 of Schedule IX for deduction for tea development account, coffee development account and rubber development account

Part A

Audit report under paragraph 2 of Schedule IX,
in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law

I ……. having Permanent Account Number ……. hereby report that the statutory audit of the ……. (name and address of the assessee) having Permanent Account Number ….. was conducted by me/M/s.…….. in pursuance of the ……..

I annex hereto a copy of the audit report dated ……..along with a copy of each of the audited *profit and loss account/income and expenditure statement for the year ended on ……..and a copy of the audited balance sheet as at ……..along with the documents declared by the relevant Act to be part of, or annexed to, the profit and loss account/income and expenditure statement and the balance sheet.

A further report as required under the sub-paragraph (2) of paragraph 2 of Schedule IX is furnished in Part C and Part D of this Form.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the particulars given in Part C and Part D of this Form are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant……...
Designation……
Membership Number…….
Unique Document Identification Number (UDIN), if any…….
Name of the proprietorship/ firm……..
Firm Registration Number……..

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.

2. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

3. This report has to be given by—

(i) an accountant as referred to in section 515(3)(b); or

(ii) any person who is, by virtue of any other law, entitled to audit the accounts of the assessee for the relevant tax year.

PART B

Audit report under paragraph 2 of Schedule IX in a case where the accounts of the business or profession of a person have not been audited under any other law

I …… having Permanent Account Number …….. have examined the balance sheet of …… (name and address of the assessee) having Permanent Account Number ….. as at ……..and the *profit and loss account /income and expenditure statement for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at…….. and branches at……..

I have obtained all the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.

In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the assessee so far as appears from my examination of the books of account, subject to the comments given below :

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the said accounts give a true and fair view–

(i) in the case of the balance sheet, of the state of the above-named assessee's affairs as at …….. and

(ii) in the case of the *profit and loss account/income and expenditure statement, of the profit or the income or loss of the above-named assessee for the tax year ending on ……..

The particulars required for verification of the claim for deduction under section 48 are given in Part C and Part D of this Form.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the particulars given in Part C and Part D hereof are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant……...
Designation……
Membership Number…….
Unique Document Identification Number (UDIN), if any…….
Name of the proprietorship/ firm……..
Firm Registration Number……..

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.

2. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

3. This report has to be given by an accountant as referred to in section 515(3)(b).

PART C

Row No.	**Details of the assessee**		
1.	Name of the assessee	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year		

PART D

Row No.	**Statement of particulars relating to the claim for deduction under section 48**					
1.	Books of account examined					
2.	(a) Method of accounting employed *(select anyone)*				☐ Cash method ☐ Accrual method	
	(b) Whether there is any change from the method of accounting employed in the immediately preceding tax year				*Yes/No*	
	(c) If answer to (b) above is yes, provide details of the change in method of accounting					
3.	(a) Whether separate accounts are maintained in respect of business of growing and manufacturing tea/coffee/rubber in India				*Yes/No*	
	(b) If answer to (a) above is yes, profit of such business, computed under the head "Profits and gains of business or profession" before making any deduction under section 48				*(refer Note 4)*	
	(c) In case separate accounts are not maintained or are not available, furnish the following details:					
	(i) total sales or turnover of business of growing and manufacturing tea/coffee/rubber in India					
	(ii) total sales or turnover of assessee's business computed under the head "Profits and gains of business or profession" before making any deduction under section 48					
	(iii) the proportionate profit of the business of growing and manufacturing tea/coffee/rubber					
4.	Provide details of amounts deposited in a specified account in accordance with the special scheme or deposit scheme, out of the income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" from the business of growing and manufacturing tea/coffee/rubber in India:					
	Sl. No.	**Specified Account** *(Special Account/Deposit Account)*	**Account Number**	**IFSC Code**	**Amount deposited**	**Date of deposit**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

5. (a) Furnish following details of withdrawals/release made from the account referred to in Row No. 4 above:

Sl. No.	**Specified Account** [Special Account/Deposit Account]	**Amount withdrawn/release (₹)**	**Date of withdrawal/release**	**Purpose for which withdrawal/release made** [purposes specified in the special scheme or deposit scheme or for circumstances specified in paragraph 3(1) of Schedule IX]
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

(b) If withdrawal/release is for circumstances specified in paragraph 3(1) of Schedule IX, state the specified circumstances	• Closure of business • Death of assessee • Partition of Hindu undivided family • Dissolution of firm • Liquidation of company
(c) Amount of deemed income (as per paragraph 3(2) of schedule IX) where withdrawal/release is made on account of (i) closure of business or (ii) dissolution of firm	

(d) The amounts utilised out of the withdrawals/release referred to in 5(a) above with details regarding the purpose for which and the dates on which the amounts were utilised

Sl. No.	**Amount of utilization**	**Date of utilization**	**Purpose of utilisation**
(A)	(B)	(C)	(D)
	Total		

(b) Whether any amount withdrawn/released as per column 5(a) has been utilised for the purchase of any item referred to in paragraph 3(6) of schedule IX	*Yes/No*
(c) If answer to (b) above is yes, amount of deemed income (as per paragraph 3(3) of schedule IX) where the amount is utilised for such purchase	
(d) Whether any amount utilised has been claimed as allowance in computing the income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession"	*Yes/No*
(e) If answer to (d) above is yes, specify the amount claimed as allowance	
(f) Whether any amount withdrawn/released as per column 5(a) has not been utilised (either in whole or in part) for the purposes of business in accordance with the special scheme or deposit scheme within the tax year	*Yes/No*
(g) If answer to (f) above is yes, amount of deemed income (as per paragraph 3(4) of schedule IX) where the	

<table>
<tr><td></td><td colspan="7">amount is not so utilised</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td colspan="7">(a) Whether any asset acquired in accordance with the provisions of the special scheme or deposit scheme is sold or otherwise transferred during the tax year</td><td>Yes/No</td></tr>
<tr><td colspan="8">(b) If answer to (a) above is Yes, provide following details:</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Sl. No.</td><td>De-scri ptio n of as-set</td><td>Date of acquisi-tion</td><td>Cost of acquisition</td><td>Date of sale/transfer</td><td>Consid-eration for sale/trans fer</td><td>Name of person to whom sold/transferr ed</td><td>Permanent Account Number of person to whom sold/transfer red</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">(c) Amount of deemed income (as per paragraph 5 of schedule IX), if any</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="6">Amount of deduction permissible in accordance with the provisions of section 48</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant……...
Designation……
Membership Number…….
UDIN Details, if any…….
Name of the proprietorship/ firm……..
Firm Registration Number……..

Notes:

1. In case of an individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) association of persons, whether incorporated or not (vi) body of individuals, whether incorporated or not (vii) local authority (viii) artificial juridical person (ix) Government (x) Trust
4. The following details with respect to the respective Row No. shall be provided as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part D [Row No.3(b)]	Copy of profit and loss account/income and expenditure statement and the balance sheet to this report. If separate accounts are maintained for business of growing and manufacturing tea or coffee or rubber, as the case may be, the profit and loss account/income and expenditure statement and balance sheet may be attached separately for such business

5. This report has to be given by an accountant as referred to in section 515(3)(b).
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 183
[*See* rule 291]
Audit Report under paragraph 2 of Schedule X for deduction for site restoration fund

Part A

Audit report under paragraph 2 of Schedule X,
in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law

I …….. having Permanent Account Number …….. hereby report that the statutory audit of the ……. (name and address of the assessee) having Permanent Account Number ….. was conducted by me/M/s…….. in pursuance of the ……..

I annex hereto a copy of the audit report dated ……..along with a copy of each of the audited *profit and loss account/income and expenditure statement for the year ended on ……..and a copy of the audited balance sheet as at ……..along with the documents declared by the relevant Act to be part of, or annexed to, the profit and loss account/income and expenditure statement and the balance sheet.

A further report as required under the sub-paragraph (2) of paragraph 2 of Schedule X is furnished in Part C and Part D of this Form.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the particulars given in Part C and Part D of this Form are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant……...
Designation……
Membership Number…….
UDIN Details, if any…….
Name of the proprietorship/firm……..
Firm Registration Number……..

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.

2. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

3. This report has to be given by—

(i) an accountant as referred to in section 515(3)(b); or

(ii) any person who is, by virtue of any other law, entitled to audit the accounts of the assessee for the relevant tax year.

PART B

Audit report under paragraph 2 of Schedule X in a case where the accounts of the business or profession of a person have not been audited under any other law

I have examined the balance sheet of …… (name and address of assessee) having Permanent Account Number ….. as at ……..and the *profit and loss account /income and expenditure statement for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at…….. and branches at……..

I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.

In my opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the assessee so far as appears from my examination of the books of account, subject to the comments given below :

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the said accounts give a true and fair view–

(i) in the case of the balance sheet, of the state of the above-named assessee's affairs as at …….. and

(ii) in the case of the *profit and loss account/income and expenditure statement, of the profit or the income or loss of the above-named assessee for the tax year ending on ……..

The particulars required for verification of the claim for deduction under section 49 are given in Part C and Part D of this Form.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me, the particulars given in Part C and Part D hereof are true and correct.

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant……...
Designation……
Membership Number…….
UDIN Details, if any…….
Name of the proprietorship/ firm……..
Firm Registration Number……..

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.

2. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

3. This report has to be given by an accountant as referred to in section 515(3)(b).

Row No.	**Part C: Particulars of the assessee**		
1.	Name of the assessee	*(refer Note 1)*	
2.	Address	*(refer Note 2)*	
3.	Permanent Account Number		
4.	Status	*(refer Note 3)*	
5.	Email id		
6.	Contact number	Country Code	Number
7.	Tax year		

Row No.	**Part D: Statement of particulars relating to the claim for deduction under section 49**	
1.	Books of account examined	
2.	(a) Method of accounting employed (tick relevant box)	☐ Cash method ☐ Accrual method
	(b) Whether there is any change from the method of accounting employed in the immediately preceding tax year	*(Yes/No)*
	(c) If answer to (b) above is yes, provide details of the change in method of accounting	
3.	(a) Whether separate accounts are maintained in respect of business consisting of the prospecting for, or extraction or production of, petroleum or natural gas or both in India.	*(Yes/No)*
	(b) If answer to (a) above is yes, profit of such business, computed under the head "Profits and gains of business or profession" before making any deduction under section 49	*(refer Note 4)*
	(c) In case separate accounts are not maintained or are not available, furnish the following details:	
	(i) total sales or turnover of business consisting of the prospecting for, or extraction or production of, petroleum or natural gas or both in India	
	(ii) total sales or turnover of assessee's business	
	(iii) total profits of assessee's business computed under the head "Profits and gains of business or profession" before making any deduction under section 49	
	(iv) the proportionate profit of the business consisting of the prospecting for, or extraction or production of petroleum or natural gas or both in India	
4.	Provide details of amounts deposited before the end of the tax year in a specified account in accordance with the special scheme or deposit scheme, out of the income chargeable to tax under the head "Profits	

	and gains of business or profession": **Sl. No.** | **Specified Account** *(Special Account/Site Restoration Account)* | **Account Number** | **IFSC Code** | **Amount deposited** | **Date of deposit** (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) 					
5.	Amount of interest credited to the account referred to in Row No. 4 during the tax year					
6.	(a) Furnish following details of withdrawals/release made from the account referred to in Row No 4 above : **Sl. No.** | **Specified Account** *(Special Account /Site Restoration Account)* | **Amount withdrawn/release (₹)** | **Date of withdrawal/release** | **Purpose for which withdrawal/release made** *(Whether it is for purposes specified in the special scheme/deposit scheme) (Yes/No)* (A) | (B) | (C) | (D) | (E) 					
	(b) Amount of deemed income (as per paragraph 3(3) of schedule X) where withdrawal/release is made on account of closure of specified account					

(c) Furnish details of the amounts utilised out of the withdrawals/release referred to in 6(a) above with details regarding the purpose for which and the dates on which the amounts were utilised

Sl. No.	**Amount of utilization**	**Date of utilization**	**Purpose of utilisation**
(A)	(B)	(C)	(D)
	Total		

	(d) Whether any amount has been utilised for the purchase of any item referred to in paragraph 3(2)(b) of schedule X	*(Yes/No)*
	(e) If answer to (d) above is yes, amount so utilised	
	(f) Whether any amount withdrawn/release as per column 6(a) has not been utilised (either in whole or in part) for the purposes of business in accordance with the special scheme or deposit scheme within the tax year	*(Yes/No)*
	(g) If answer to (f) above is yes, amount of deemed income (as per paragraph 3(5) of schedule X) where the amount is not so utilised	
	(h) Whether any amount utilised has been claimed as allowance in computing the income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession"	*(Yes/No)*
	(i) If answer to (h) above is yes, specify the amount claimed as allowance	
7.	(a) Whether any asset acquired in accordance with the provisions of the special scheme or deposit scheme is sold or otherwise transferred during the tax year.	*(Yes/No)*

(b) If answer to (a) above is yes, provide following details:

Sl. No.	*Description of asset*	*Date of acquisition*	*Cost of acquisition*	*Date of sale/transfer*	*Consideration for sale/transfer*	*Name of person to whom sold/transferred*	*Permanent account number of person to whom sold/transferred*
A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*

	(c) Amount of deemed income (as per paragraph 5 of schedule X), if any	
8.	Amount of deduction permissible in accordance with the provisions of section 49	

Place *Signature*
Date

Name of the Accountant……...
Designation……

Membership Number…….

UDIN Details, if any…….

Name of the proprietorship/ firm……..

Firm Registration Number……..

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, name shall be provided in full.
2. The address shall contain i. Country/Region, ii. Flat/Door/Building, iii. Road/Street/Block/Sector, iv. PIN/ZIP Code, vi. Area/locality, vii. District, viii. State.
3. Fill 'person' status as (i) Individual (ii) Hindu undivided family (iii) Company (iv) Firm (v) association of persons, whether incorporated or not (vi) body of individuals, whether incorporated or not (vii) local authority (viii) artificial juridical person (ix) Government (x) Trust
4. The following details with respect to the respective Row No. shall be provided as annexures, namely:

Annexure	With respect to	Particulars
A-1	Part D [Row No.3(b)]	Copy of profit and loss account/income and expenditure statement and the balance sheet to this report. If separate accounts are maintained for business of growing and manufacturing tea or coffee or rubber, as the case may be, the profit and loss account/income and expenditure statement and balance sheet may be attached separately for such business

5. This report has to be given by an accountant as referred to in section 515(3)(b).
6. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 184
[*See* rule 293]
Form of nomination/modifying nominations for provident/gratuity fund

Part - A: Basic Details				
1.	Details of the employee			
	(i)	Name		(refer note 1)
	(ii)	Address		(refer note 2)
	(iii)	Permanent Account Number		
	(iv)	Aadhar		
	(v)	Gender		
	(vi)	Date of Birth		
	(vii)	Religion		
2.	Marital Status *(choose one)*			1. Unmarried 2. Married 3. Widow/Widower
3.	Do you have a Family (*as per rule 293 and 319*)?			1. Yes 2. No
Part - B: Details of the Fund				
4.	Type of fund *(choose one)*			1. Provident Fund 2. Gratuity
5.	Name of the fund			
6.	Account number of the employee			
Part - C: Details of nominees				
7.	Type of nomination *(choose one)*			1. Fresh nomination 2. Modification of existing nomination
8.	Nominee Details			
	A.	(i)	Name	(refer note 1)
		(ii)	Permanent Account Number	
		(iii)	Aadhar number	
		(iv)	Address	(refer note 2)
		(v)	Age	
		(vi)	Nominee's relationship with employee	
		(vii)	Amount or share of accumulations in the provident fund/ amount or share of gratuity to be paid to each nominee	
		(viii)	Name of guardian if nominee is a minor	(refer note 1)
		(ix)	Permanent Account Number of guardian if nominee is a minor	
		(x)	Relationship of guardian with employee if nominee is a minor	
	B.	*(Repeat, if required)*		

Certification by Employee

1. I hereby nominate the person(s) mentioned in (row No. 8) to receive the amount of gratuity* or the amount that may stand to my credit in the provident fund* in the event of my death before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said person(s) in the manner shown under their names.

2. This nomination is in nature of "Modification of existing Nomination" (refer row No.7), and I hereby cancel the nomination made by me previously as regards the disposal of the amount of gratuity or the amount that may stand to my credit in the provident fund* in the event of my death.

*3. I do not have a family (refer to row No. 3) and should I acquire a family hereafter, the above nomination (as per row No. 8) should be deemed as cancelled.

Two witnesses to signature. Signature of employee

1. Name:
2. Name:

Date: Place:

Certification by Trustee/Authorized Person

Certified that the above declaration has been signed by _____ before me after, reading the entries* / the entries have been read over to them by me*.

Dated_____

Signature of the trustee or any person authorized by the trustees in this behalf

*Strike off which is not applicable

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

FORM NO. 185

[*See* rule 294]

Form for maintaining accounts of subscribers to a recognised provident fund

Name_____ Account closed date

Date of joining fund
Paid to employee
Lapsed to employer or to fund
Recovery by employer

		Part-A											
	Year and month	Salary	Amount transferred from any other recognised provident fund	Contributions by employee	Regular contributions by employer	Employer's contribution of a contingent nature	Total of cols. 3, 4, 5 and 6	Total interest on col. 7	Non-taxable contribution as per rule 277	Taxable contribution as per rule 277	Interest on non-taxable contribution as per rule 277 *(interest on 9)*	Interest on taxable contribution as per rule 277 *(interest on 10)*	Remarks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(a)	***Balance brought forward***												
(b)	***April***												

(c)	*May*												
(d)	*June*												
(e)	*July*												
(f)	*August*												
(g)	*September*												
(h)	*October*												
(i)	*November*												
(j)	*December*												
(k)	*January*												
(l)	*February*												
(m)	*March*												
(n)	*Total*												
(o)	*Adjustment on account of temporary withdrawals account*												
(p)	*Any other adjustment*												
(q)	*Total (after adjustment)*												

Part-B											
NAME	**Summary of the account – [as given in Row (q) of Part-A of each employee]**										
	Salary	**Amount transferred from any other recognised provident fund**	**Contributions by employee**	**Regular contributions by employer**	**Employer's contribution of a contingent nature**	**Total of cols. 3, 4, 5 and 6**	**Non-taxable contribution as per rule 277**	**Taxable contribution as per rule 277**	**Interest on non-taxable contribution as per rule 277**	**Interest on taxable contribution as per rule 277**	**Remarks**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Employee 1											
Employee 2											
Employee 3											
Employee 4											
Employee 5											
Employee 6											
Employee 7											
Repeat, as required											

FORM No. 186
[*See* rule 296]
Application for recognition of provident fund under Part-A of the Schedule XI to the Act

Part-A			
1.	**Details of the employer**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**	
	(iv)	**Business/Profession**	
	(v)	**Principal place of business**	*(refer Note 2)*
	(vi)	**Total number of employees**	
	(vii)	**Number of employees employed in India**	
Part -B			
2.	**Details of the establishment**		
	(i)	**Name**	
	(ii)	**Whether covered under Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF and MP Act)**	(i) Yes (ii) No *(choose one)*
	(iii)	**If response to row No. 2(ii) is Yes, whether covered under section**	(i) 1(3) of EPF & MP Act (ii) 1(4) of EPF & MP Act *(choose one)*
	(iv)	**Whether exempt under section 17 of the EPF and MP Act**	(i) Yes (ii) No *(choose one)*
	(v)	**If response to row No. 2(iv) is Yes, please indicate relevant:**	
		(a) Order number	*(refer Note 3)*

		(b)	**Date of Order**	*dd/mm/yyyy*			
	(vi)	**If response to row No. 2(iv) is No, please indicate relevant:**					
		(a)	**Date of application with Employee Provident Fund Organisation**	*dd/mm/yyyy*			
		(b)	**Status of the application**	(i) Rejected (ii) Pending *(select one)*			
Part-C							
3.	**Details of the Fund**						
	(i)	**Name**		*(refer Note 1)*			
	(ii)	**Permanent Account Number**					
	(iii)	**Date of creation**					
4.	**Number of employees subscribing to the fund**						
	(i)	**In India**					
	(ii)	**Outside India**					
5.	**Place where the accounts of the funds are or will be maintained**			*(refer Note 2)*			
6.	**Number of trustees of the fund**						
7.	**Details of the trustees**			**Sl.No.**	**Name of the Trustee**	**Permanent Account Number**	**Address of the Trustee**
				1.	*(refer Note 1)*		*(refer Note 2)*
				2.	*(refer Note 1)*		*(refer Note 2)*
8.	**Whether it is an irrevocable trust**			(i) Yes (ii) No *(select one)*			
9.	**If response to row No. 8 is No, the reasons thereof**						
10.	**Details of contribution as a percentage of employee's salary by:**						
	(i)	**employee**					
	(ii)	**employer**					
	(iii)	**employer (proposed)**					
11.	**Whether the fund was recognized under the Income-tax Act, 1961 before 31.03.2006**			(i) Yes (ii) No *(select one)*			
12.	**If response to row No. 11 is Yes, please indicate the date of approval**			*dd/mm/yyyy*			
13.	**If the fund is already in existence, details relevant to the financial year ending prior to the date of application**						
	(i)	**Total corpus of the fund**					
	(ii)	**Investment pattern being followed** *[give breakup in accordance with the investment pattern prescribed in rule 292]*					
Part-D							
14.	**Whether the establishment has an approved superannuation fund**			(i) Yes (ii) No *(select one)*			
15.	**If response to row No. 14 is Yes, please indicate relevant**						
	(i)	**Order number**		*(refer Note 3)*			
	(ii)	**Date**		*dd/mm/yyyy*			
	(iii)	**Authority which has granted approval**					

16.	**Whether the establishment has an approved gratuity fund**		(i) Yes (ii) No *(select one)*
17.	**If response to row No. 16 is yes, please indicate the:**		
	(i)	**order number**	*(refer Note 3)*
	(ii)	**date of order**	*dd/mm/yyyy*
	(iii)	**authority which has granted approval**	
18.	**Other details to be provided as separate enclosure**		*(Attach as per note 4)*

VERIFICATION

I/We, …… the trustees of the above-named fund, solemnly declare that the information given in the application is true and correct to the best of my/our information and belief and that the documents sent here-with are true copies of the originals.

Signature:

Notes:

9. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations with the appropriate title (Mr/Ms/Mrs). In any other case also, the name shall be provided in full.

10. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.

11. The relevant order number shall be the reference number of the order granting exemption or approval, as the case may be.

12. With respect to (Sl. No. 18), following details shall be provided as annexures, namely:-

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the trust deed (refer sub-rule (1) of rule 296)
A-2	A copy of the rules of the fund (refer sub-rule (1) of rule 296)
A-3	Documentary Proof if the establishment is exempt under section 17 of the EPF and MP Act (refer row No.2(iv) and (v))
A-4	Proof of receipt from Employees Provident Fund Organization if the establishment is not exempt under section 17 of the EPF and MP Act (refer row No. 2(vi))
A-5	Copy of letter of approval if the fund was recognized under the Income-tax Act, 1961 before 31.03.2006 (refer row No. 12)
A-6	A copy of the balance-sheet of the fund, relevant to the financial year ending prior to the date of application, if the fund is already in existence. (refer row No.13)

4. Where there is more than one trustee, the trustee authorized to apply shall sign the form.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

Form No. 187
[*See* rules 300, 315 and 329]

Appeal against refusal to recognize or withdrawal of recognition from a provident fund/refusal to approve or withdrawal of approval from a superannuation fund or from a gratuity fund

To
The Chairman
Central Board of Direct Taxes, New Delhi

PART-A			
1.	**Details of the Appellant (Employer)**		
	(i)	**Name**	*(refer Note 1)*
	(ii)	**Address**	*(refer Note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**	
	(iv)	**Business/profession**	
PART-B			
2.	**Nature of Fund (refer to Schedule XI to the Income-tax Act 2025)** *(select one)*		(i) Provident fund (ii) Superannuation fund (iii) Gratuity fund
3.	**Details of the order refusing/withdrawing - recognition / approval**		
	(i)	**Details of the Competent Authority**	(i) CIT (ii) Pr.CIT (iii) CCIT (iv) Pr.CCIT
	(ii)	**Decision of the competent authority** *(select one)*	(i) Refused recognition/approval (ii) Withdrawn recognition/approval
	(iii)	**Date of the order**	*dd/mm/yyyy*
	(iv)	**Copy of the order**	UPLOAD
	(v)	**Order number**	*(refer Note 3)*
4.	**Details of the application for recognition/approval**		
	(i)	**Date of the application**	*dd/mm/yyyy*
	(ii)	**Copy of the application**	UPLOAD
5.	**Grounds of appeal**		(i) (ii) (iii)
6.	**Appeal to** *(select one)*		(i) accord recognition/approval (ii) continue the recognition/approval

For the reasons set out above, it is submitted that the fund should be/continued to be recognized /approved and that the Central Board of Direct Taxes may direct the competent authority to accord recognition/ continue the recognition / accord approval/ continue the approval.

Date

Signature
Address of the appellant

FORM OF VERIFICATION

We/I, the petitioner(s) named in the above petition do declare that what is stated in the above application is true to the best of our/my information and belief, and that the documents enclosed herewith are the true copies of the original.

Date

Signature
Address of the appellant

Notes:

13. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
14. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
15. The relevant order number shall be the reference number of the order rejecting or withdrawing recognition or approval, as the case may be.
16. The appeal should be accompanied by a fee of Rs 1,000 to be paid through a challan. Cheques, drafts and other negotiable instruments are not acceptable modes of payment.
17. Where there is more than one petitioner, the person authorized to apply shall sign the form.
18. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 188
[*See* rule 313]
Application for approval of superannuation fund or gratuity fund

To,

The Assessing Officer

<table>
<tr><td colspan="7">Part-A</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">Details of the Employer:</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="3">(refer note 1)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="2">Address</td><td colspan="3">(refer note 2)</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td colspan="2">Permanent Account Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>(iv)</td><td colspan="2">Business/Profession</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>(v)</td><td colspan="2">Principal Place of Business</td><td colspan="3">(refer note 2)</td></tr>
<tr><td colspan="7">Part-B</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="6">Details of the Fund</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="3">(refer note 1)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="2">Permanent Account Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td colspan="2">Date of creation</td><td colspan="3">dd-mm-yyyy</td></tr>
<tr><td></td><td>(iv)</td><td colspan="2">Type of fund
(select one)</td><td colspan="3">(i) Superannuation fund or part thereof
(ii) Gratuity Fund</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="6">Classes and Number of Employees Entitled to Benefits of the Fund:</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td rowspan="4">In India</td><td>Sl.No.</td><td>Class of employee</td><td>Number of Employees</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td rowspan="4">Outside India</td><td>Sl.No.</td><td>Class of employee</td><td>Number of Employees</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Place where the accounts of the fund are or will be maintained</td><td colspan="3">(refer note 2)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="6">If the fund is already in existence, details relevant to the financial year ending prior to the date of application:</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td colspan="2">total corpus of the fund</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td colspan="2">investment pattern being followed
[give breakup in accordance with the</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		investment pattern prescribed in rule 303 or 318 as applicable]	
6.	**Other details to be provided as separate enclosure**		*(Attach as per note 3)*

I/we, the trustee(s) of the above fund, apply for approval of the fund or part thereof under Paragraph 4(1) and 4(2) of Part B of Schedule XI to the Act.

Signature: _____

FORM OF VERIFICATION

I/we, the trustee(s) of the above fund, do declare that what is stated in the above application is true to the best of our/my information and belief, and that the documents enclosed herewith are true copies of the original

Date: _____ Signature: _____

Notes:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. With respect to (Row 6), following details shall be provided as annexures, namely:-

Annexure	Particulars
A-1	Copy of the instrument establishing the fund
A-2	Copy of the rules of the fund
A-3	Copy of the accounts of the fund relating to such earlier year or years (not more than three years immediately preceding the financial year in which the said application is made) for which the accounts have been made up, if the fund has been in existence before the financial year in which the application for approval is made.
A-4	Copy of the Balance sheet of the fund as on 31st March of the financial year preceding the date of Application, if the fund is already in existence.

4. Where there is more than one trustee, the trustee authorized to apply shall sign the form.
5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 189
[*See* rule 331]

Application for approval of issue of public companies under Paragraph 1(z)(i) of Schedule XV to the Act

Part - A						
1.	**Details of the company**					
	(i)	**Name**		*(refer note 1)*		
	(ii)	**Address**		*(refer note 2)*		
	(iii)	**Permanent Account Number**				
	(iv)	**Company Identification Number**				
	(v)	**Date of formation or incorporation**		*dd/mm/yyyy*		
	(vi)	**Place of formation or incorporation**		*(refer note 2)*		
	(vii)	**Nature of business**				
	(viii)	**Number of years in this business**				
2.	**Tax year**					
Part - B						
3.	(A)	(i)	Name of the Banker	*(refer note 1)*		
		(ii)	Address of the Banker	*(refer note 2)*		
	(B)	*Repeat, if required*				
4.	(A)	(i)	Name of the auditor	*(refer note 1)*		
		(ii)	Address of the auditor	*(refer note 2)*		
		(iii)	Membership number			
	(B)	*Repeat, if required*				
Part - C						
5.	**Net worth of the applicant (company)** *(as on the end of the previous financial year)*					
6.	**Proposed total capital to be raised through the present equity/ debenture issue**					
7.	**Whether the present equity/debenture issue conform to the definition of '*infrastructure facility*' *(refer note 3)*?**			(i) Yes (ii) No *(select one)*		
8.	**Details of the eligible issue of capital**			***Number***	***Face Value***	***Premium or Discount***
	(i)	**Equity Shares**				
	(ii)	**Preferential Shares**				
	(iii)	**Debentures**				
9.	**Details of approval of Securities and Exchange Board of India (SEBI) for the eligible issue of capital**					

	(i)	**Date of approval**		
	(ii)	**Order number**	*(refer note 4)*	
10.	**Details of proposed infrastructure facility or power project**			
	(i)	**Nature**		
	(ii)	**Location**		
	(iii)	**Estimated project cost**		
11.	**Approximate year-wise investment required**		**Financial Year**	**Amount of investment**
12.	**Sources of proposed investment:**			
	(i)	**Eligible issue of the capital**		
	(ii)	**Other sources**		
13.	**Schedule of development of infrastructure facility or power project**			
	(i)	**Planned date of commencement of the project**	*dd/mm/yyyy*	
	(ii)	**Planned date of commencement of operation of the project**	*dd/mm/yyyy*	
14.	**Other details to be provided as separate enclosure**		*(Attach as per note. 5)*	

I _____certify that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.

Signatures of the authorised signatory

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. For the purposes of row No 12, infrastructure facility means:
   (i) a road including toll road, a bridge or a rail system;
   (ii) a highway project including housing or other activities being an integral part of the highway project;
   (iii) a water supply project, water treatment system, irrigation project, sanitation and sewerage system or solid waste management system;
   (iv) a port, airport, inland waterway, inland port or navigational channel in the sea;
4. The relevant order number shall be the reference number of the order of SEBI granting the approval.
5. With respect to row No. 14, following details shall be provided as annexures, namely:–

Annexure	Particulars
A-1	Copy of certificate of incorporation under Companies Act, 2013 (18 of 2013)
A-2	Copy of the latest audited financial statement along with last three years audited balance sheet

A-3	Description of significant accounting policies
A-4	Details of management– (a) Names of directors with their experience, qualifications and profession; (b) Names of the key personnel; (c) Organisational structure (d) Details of Board of directors of associate organisations, companies and their subsidiaries
A-5	Detailed objects of the present equity/debenture issue
A-6	If response to row No. 7 is yes, then give details of the same.
A-7	Approval of SEBI with regard to eligible issue of capital (row No.9)
A-8	Clearance of the concerned authorities and agreement executed with the Government or Government bodies (row No.10)
A-9	Copy of the project report, if any

6. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

FORM NO. 190
[*See* rule 331]

Application for approval of mutual funds investing in the eligible issue of public companies under Paragraph 1(z)(ii) of Schedule XV to the Act

Part – A				
1.	**Details of mutual fund**			
	(i)	**Name**		*(refer note 1)*
	(ii)	**Address**		*(refer note 2)*
	(iii)	**Permanent Account Number**		
2.	**Tax year**			
Part – B				
3.	**Details of the trustees of the fund**			
	A.	**(i)**	**Names**	*(refer note 1)*
		(ii)	**Address**	*(refer note 2)*
		(iii)	**Professional experience**	
		(iv)	**Other important details**	
	B.	*(Repeat, if required)*		
4.	**Objects of the fund**			
	(i)		**Main Objects**	
	(ii)		**Ancillary objects**	
5.	**Whether registered with SEBI:**			(i) Yes (ii) No **(***select one)*
	(i)		**If yes, Date of order**	*dd/mm/yyyy*
	(ii)		**Order Number**	*(refer note 3)*
6.	**Whether notified under Schedule VII (Table: Sl. No. 20 or 21) of the Act:**			(i) Yes (ii) No **(***select one)*
	(i)		**If yes, Date of order**	
	(ii)		**Order Number**	*(refer note 3)*
7.	**Details of the custodians**			
8.	**Details of the Asset Management Company:**			
9.	**Details of various schemes launched so far.**			
10.	**A**	**(i)**	**Name of the Banker**	*(refer note 1)*
		(ii)	**Address of the Banker**	*(refer note 2)*
	B	*(Repeat, if required)*		

11.	**A**	**(i)**	**Name of the Auditor**	*(refer note 1)*
		(ii)	**Address of the Auditor**	*(refer note 2)*
		(iii)	**Membership number**	
	B	*(Repeat, if required)*		
Part – C				
12.	**Details of the proposed scheme to be launched for purposes of Paragraph 1(z)(ii) of Schedule XV to the Act**			
	(i)		**Number of units**	
	(ii)		**Face value (Net Asset Value)**	
	(iii)		**Total amount to be mobilised**	
	(iv)		**Other important details**	
13.	**Details of the public company in whose public issue subscription is proposed to be made**			
	(i)		**Name of the public company**	*(refer note 1)*
	(ii)		**Address**	*(refer note 2)*
	(iii)		**Permanent Account Number**	
	(iv)		**Company Identification Number**	
	(v)		**Details of the issue**	
	(vi)		**Date of approval of the board for the public issue**	*dd/mm/yyyy*
	(vii)		**Order number**	*(refer note 3)*
14.	**Other details to be provided as separate enclosure:**			*(Attach as per note 4)*

Verification

I, _____, certify that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.

(Signatures of the authorised signatory)

Note:

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District and (viii) State.
3. The relevant order number shall be the reference number of the registration or notification or approval, as the case may be.
4. With respect to (row No. 16), following details shall be provided as annexures, namely:–

Annexure	Particulars
A-1	A copy of the Mutual Fund Deed as per row No. 4
A-2	A copy of the SEBI's order as per row No. 5
A-3	A copy of the notification as per row No. 6

A-4	A copy of the custodian agreement for the mutual fund as per row No. 7
A-5	Details of Asset Management company such as names of directors with their experience, qualifications and profession, and whether related to the trustees as per row No. 8
A-6	A copy of the audited balance sheet of the Asset Management Company for the last 3 years as per row No. 8
A-7	Plan-wise details of various schemes launched so far and the application of their proceeds as per row No. 9
A-8	A copy of the audited balance sheet for the last three years as per row No. 9
A-9	A copy of the approval by SEBI as per row No. 12
A-10	A copy of the approval of the public issue by the Board as per row No. 13

5. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

[Notification No.-22/2026/F. No. 370142/41/2025-TPL]

PANKAJ JINDAL, Jt. Secy., Tax Policy and Legislation.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.20 11:11:00 +05'30'